January To March 2023
E-Journal
Volume I, Issue XLI

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Scientific Journal Impact Factor - 7.671

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Index

01. Index 02
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 08/09
03. Referee Board 10
04. Spokesperson 12
05. Physico-Chemical Analysis Around Soya Solvent Extraction Plant of Chhindwara (M.P.) India (J.K. Wahane, S.K. Diwakar, O.N. Choubey) 14
06. T.S. Elot's Poetry and the Feeling of Rest Lessness in Modern Poetry (Dr. Seema Sharma) 16
07. A Comparative Study on the Perception of Customers Towards the Personal Loans with Special Reference to Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) (Dr. Dinesh Kumar Singhal, Shruti Singh Chouhan) 18
08. Efficacy of Plant Oils to Key Store Grain Pest, *Oryzaephilus surinamensis (L.)* (Kamini Verma, Surabhi Shrivastava) 22
09. What Leaders Do in India: CSR Perspective (Dr. Anita Maheshwari) 24
10. "Bhasha Sangam" as a Significant Tool for Preserving Linguistic Diversity in India: An Analytical Study (Namrata Pathania, Dr. Bhumander Singh Jaswal) 30
11. Study of Role of Government in Supporting Students Pursuing Entrepreneurship as a Career (Dr. Preeti Anand Udaipure) 34
12. Importance of HR Analytics on Work-Life Balance of Employees (Juhi Joshi, Dr. D.D. Bedia) 39
13. Role of E-Commerce in Business (Dr. Archana Singhal) 42
14. Exploration of Factors for the Usage of E-Banking Services (Srasti Shukla) 45
15. The Aesthetics of Magic and Realism in the Works of Gabriel Garcia Marquez (Shreya Karmakar, Dr. Radhashyam Dey) 50
16. भारतीय समाज में वृद्धजनों की स्थिति की विवेचना (प्रो. भावना ठाकुर) 54
17. परिवर्तित होती खाद्य आवश्यकता एवं मूल्य संवर्धन (डॉ. कलिका डोलस) 59
18. महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध : कारण एवं निदान के उपाय (डॉ. ज्योति सिंह) 63
19. विधि के अधीन अभियुक्तो को प्रदत्त संरक्षण (डॉ. रितु उमाहिया) 65
20. कौटिल्य का समकालीन राजनीतिक परिदृश्यों में प्रासंगिक लोक कल्याणकारी एवं समाजसेवी राज्य का स्वप्न (श्रीमती वर्षा चुण्डावत, डॉ. हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत) 69
21. बाबू जगजीवन राम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (सुमन कुमारी) 73
22. भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या कारण, प्रभाव एवं निराकरण के उपाय (डॉ. पूजा तिवारी) 75
23. कौशल विकास पर जोर देती नई शिक्षा नीति (डॉ. शैलप्रभा कोष्टा) 77
24. रायगढ़ जिले में मत्स्यपालन विकास की संभावनाएं (डॉ.के.सी. गुप्ता, डॉ.सोफिया अम्ब्रेला, हरिहर मालाकार) 80
25. रेनवाटर हार्वेस्टिंग : इन्दौर जिले की जलापूर्ति का निदान (डॉ. प्रवीण शर्मा) 82
26. अंग्रेजों से पूर्व सड़क परिवहन (डॉ. प्रवीण ओझा) 85
27. थर्ड जेंडर एवं समाज (डॉ. श्रीमती सुनीला एक्का) 87
28. भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का सामाजिक परिदृश्य (डॉ. बसंत नाग, एन.आर. साव) 89
29. एक संसाधन के रूप में समय व बेहतर समय प्रबंधन (जयश्री हरदेनिया) 91
30. संगीत शिक्षक, केन्द्रीय विद्यालय, दापोरिजो (अरूणाचल प्रदेश) टप्पा गायन (उपशास्त्रीय शैली) (डॉ. निलांभ राव नलवडे) 93
31. जनांकिकीय परिवर्तन : मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास (डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर, डॉ. जी. एल. मालवीय) 96
32. महादेवी वर्मा और स्त्री विमर्श (डॉ. श्रीमती बिन्दू परस्ते) 101
33. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नारियों का योगदान (डॉ. कुन्ती वराठे) 103
34. आत्मनिर्भर भारत में MSME का विकास एवं चुनौतियाँ (डॉ. गौरव विद्यार्थी) 106
35. मेक इन इंडिया अभियान में MSME की भूमिका (डॉ. खुशबू परिहार) 108
36. भारत में जल संसाधनों की संभाव्यिता एवं प्रबंधन (डॉ. विभा वासुदेव) 110
37. महिला सशक्तिकरण के लिए सर्वांगीण विकास (डॉ. प्रेरणा मित्रा) 113

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

38. बाजरा पोषक तत्व और संभावित स्वास्थ्य लाभ – एक समीक्षा (डॉ. प्रियंका देवड़ा) 115
39. पाटीदारो के धार्मिक स्थल (रीना पाटीदार) 118
40. भारतीय महिला वैज्ञानिकों के ऐतिहासिक योगदान एवं भविष्य के पहलू (प्रो. खुशबू मंडावरा) 120
41. भारतीय स्वरूप में गिग अर्थव्यवस्था (डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध) 124
42. कौशल विकास द्वारा नौकरी और करियर में सफलता के लिए योग के फायदे (डॉ. सोनाली सिंह) 126
43. जैविक कृषि की लाभदायकता में वृद्धि तथा विकास हेतु प्रमुख उपायों का विश्लेषण (डॉ. जगेन्द्र धोटे) 129
44. Women Empowerment in India (Sachin Carpenter) 131
45. A Short Review-Women in Leadership (Sheetal Shrimal) 134
46. Sudha Murthy: An Epitome of Women Empowerment (Sourabh Dubey) 140
47. Co-Existence of Forest and Human Beings (Dr. Jolly Garg) 143
48. Noise Pollution - Effect Of Noise On Man (Dr. Malti Dubey) 147
49. वेदेषु–वर्णित राष्ट्रधर्म (डॉ. बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय) 150
50. 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' उपन्यास में विभाजन की त्रासदी 154
(डॉ. अनुसूइया अग्रवाल (डी.लिट्.), मासूम वर्मा)
51. रूस–यूक्रेन युद्ध : वैश्विक मानवाधिकार संकट (रजनी गगवानी) 156
52. सामासिक संस्कृति के कुछ और रूप (डॉ. गीता कुमारी) 160
53. भारत मे दल–बदल कानून का विवेचन (डॉ. महेंद्र सिंह राजपुरोहित, मुकेश कुमार कुमावत) 162
54. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में इथनो खाद्य फसलों की स्थिति एवं उनका विवरण (डॉ. राजेश बकोरिया) 165
55. नवगीत : आधुनिक हिन्दी काव्य की नई परम्परा (डॉ. डी.पी. चन्द्रवंशी) 168
56. श्री प्रणव कुमार वंद्योपाध्याय के 'गोपीगंज संवाद' उपन्यास का सांस्कृतिक मूल्यों के बिखराव का विघटन 170
के संदर्भ में मूल्यबोध का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. प्रणव श्रोत्रिय, मीनाक्षी गुप्ता)
57. गोविन्द मिश्र के उपन्यासों की भाषागत : शैलीगत विशेषताएँ (डॉ. दमयन्ती मरांडी) 172
58. भारत में दलित संघर्ष तथा तात्कालिक मुद्दे 177
(डॉ. विनीता भालसे, डॉ. गिरधारीलाल भालसे)
59. Role of Plants on Mankind Special Reference to Health Issues (Dr. Dinisha Malviya) 180
60. Significance on Physicochemical Properties of Soil for Soil Quality Assessment 182
(Harish Raghunath Khairanar, Dr. Pramod Pandit, Dr.Dhananjay Dwivedi)
61. कलचूरी राजवंश का विस्तार (डॉ.विनोद राय) 186
62. Sulfa Drugs: Classification Functions and Side-Effects (Dr. Nasreen Anjum Khan) 189
63. An Overview of the Internationalisation of the Healthcare Industry, or "Medical Tourism" 192
(Dr. Preeti Anand Udaipure)
64. रामचरित मानस में केवट प्रेम – प्रसंग (डॉ. के. आर. सूर्यवंशी) 198
65. Comparative Study in Turnover Growth of Life Insurance Post COVID-19 (Hardik Kumar Rajak) ... 200
66. Biological assessment of Moghat Reservoir water body at Khandwa (East Nimar), M.P. India ... 202
(Dr. D.S. Waskel, Dr. K.S. Alawa)
67. सामाजिक परिवर्तन तथा महिलाओं की भागीदारी–एक विश्लेषण (माया कनासे) 205
68. रूस यूक्रेन युद्ध : पर्यावरणीय प्रभाव (शुभम ओझा) 208
69. Over Exploitation and Energy Crisis (Dr. Basanti Jain) 210
70. Twenty First Century Postmodern Heroes of Bollywood (Piyush Bhaira) 212
71. औषधीय पौधों की सुगंध से मानव रोग उपचार (डॉ. सरिता घेंघट) 215
72. अंसगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रावधानों के तहत कार्यस्थल पर 218
महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 (पुष्पांजली पाण्डेय)
73. Importance of Balanced Diet (Dr. Rajesh Masatkar) 224
74. Economic Crisis in Nepal (Sourabh Gaur) 227
75. पशुधन: पशुओं को वैश्विक भागीदारी के साथ समानता का अधिकार (ओमप्रकाश योगी) 230
76. प्राचीन भारतीय संस्कृति में घोड़े का महत्व (हेमराज कटारिया) 236
77. मधु कांकरिया की कहानियों का अनुशीलन (डॉ. आशा शरण) 240

78. उत्तर छायावाद में प्रेम का स्वरूप और बच्चन (डॉ. आराधना सिंह) 242
79. Role of Women in Sustainable Development (Mrs. Seema Naik) 244
80. Current Innovation and Developments in Digital Library (Smt. Kajal Ratan) 246
81. Critical Survey of Yoga Attitude Among Students of KMV College, Seoni Malwa (Dr. Anurag Pathak) 249
82. Study of Photocatalytic Degradation of Phenothiazine Dye by Fenton Treatment (Dr. David Swami) 251
84. Ethnobotanical Plants Conservational Practices by Bheel Tribes of Dhar District, Madhya Pradesh, India (Dr. Kamal Singh Alawa) 253
85. गैर निष्पादन संपत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं एच.डी.एफ.सी. बैंक के विशेष संदर्भ में) (डॉ. संजय बाणकर) 255
86. Price Affects Demand: Special Reference 'Oil, Wheat & Gas'- A Macro Analysis (Dr. Ruchi Rathore) 259
87. The Concept and Significance of Investment Management (Priyanka Batwal, Dr. Keshav Mani Sharma) 262
88. बैतूल जिले का आदिवासी समाज–भाषा, साहित्य, संस्कृति (डॉ. कु सपना) 268
89. भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में उभरते रुझान (नारायण माली) 270
90. गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक दलों की विजय का भौगोलिक अध्ययन (डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी) 274
91. सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में सम्प्रेषण के समक्ष चुनौतिया (नीलम खासकलम) 276
92. Indus Script:The Lost Writing System of Ancient India (Dr. Rajkumari Sudhir) 280
93. पुस्तकालय: एक सर्वेक्षण (स्वाति पाण्डेय, डॉ. धर्मवीर सिंह) 282
94. सोशल मीडिया और वर्तमान राजनीति (हरीश खत्री, प्रो. संजय लोढ़ा) 284
95. Queuing Theory : Application in Human Life (Santosh Prasad, Dr. S.K. Agnihotri) 286
96. 20 मार्च विश्व गोरैया दिवस (अंचल रामटेके) 290
97. A Study on Customer Relationship in Retail Stores in Raipur City (Dr. Aradhna Shukla, Dr. Vivek Kumar Sharma, Simran Khurana) 292
98. Kinematic Analysis of Three Different Badminton Forehand Overhead Strokes (Dr. Ajay Kumar) 296
99. QSAR Modelling of Some Benzimidazole Derivatives as Anti-Bacterial Agents (Nagma Nigar, Dr. Vijay Agrawal) 300
100. गुरु सानिध्य की उपादेयता (डॉ. रमाशंकर मिश्रा) 306
101. ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु पोषण की चुनौतियाँ और संभावित निराकरण (डॉ. रूपाली गुप्ता) 308
102. शिक्षण अभिक्षमता को प्रभावित करने वाले कारक (ज्योति सालवी, डॉ. शैलजा भारद्वाज) 310
103. महामारी कोविड – 19 और भारत में केन्द्र–राज्य संबंध (डॉ. रितु तिवारी) 312
104. महिलाओं में राजनीतिक अधिकार के प्रति जागरूकता (डॉ. वर्षा सागोरकर, रजीना खान) 315
105. जयशंकर प्रसाद के नारी पात्र (डॉ. बरखा श्रीवास्तव) 317
106. Rights of Transgender Recognized by Laws Prevailed in India (Pawan Kumar Chaurasia) 320
107. डिजिटल भारत एवं भारतीय अर्थव्यवस्था (कमलेन्द्र कुमार सिंह) 325
108. Binary Stars and its Evolution (Shubhra Tiwari) 329
109. भारतीय स्वतंत्रता के क्रान्तिकारी आंदोलनों में महिलाओं की सहभागिता (डॉ. शिल्पा मेहता) 332
110. Health Related Fitness in 14 To 17 Year Old School Boys: A Normative Study (Dr. Sandeep Kumar) 335
111. Swami Vivekananda's Concept of Practical Vedanta and its Relevance for Contemporary World (Dr. Akhilesh Mani Tripathi) 339
112. पंचायती राज व्यवस्था में जनजातीय महिलाओं का नेतृत्व (डॉ. नीरजा गर्ग) 343
113. एकांकी एवं संयुक्त परिवारों के किशोरों के यौन अपराधों के स्वरूप एवं प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन (अमृता मौर्या, डॉ. कल्पना शर्मा) 346
114. भारत की विदेश नीति – बदलाव की ओर (अनिता नावड़े, डॉ. लता मंसारे) 348
116. Negligence And Misinterpretation: How To Deal With It? (Manaswi Agrawal) 352
117. Manual Scavenging: An Affront to Human Dignity Why the Legislation is Not Enough (Neha Goyal) 356

118. Computer Literacy Among the Medical College Library Professionals: Indore City 363
(Mayur Mehta, Dr. Pratibha Bhandari)
119. Assessment of Job Satisfaction in Library Professionals of Private Engineering Colleges 366
of Indore City (Neha Verma, Dr. Bindu Lodha)
120. ग्रामीण विकास में कृषि आधारित उद्योगों का विकास : सिवान जिला के संदर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन 369
(डॉ. योगेन्द्र राय, डॉ. बीरेन्द्र कुमार)
121. कालिदास साहित्य में पर्वत: एक अध्ययन (प्रो. अनिल कुमार आर्य) 371
121. जनजातीय शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु शासकीय शैक्षणिक योजनायें: मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में 375
(महेन्द्र प्रताप प्रजापति, डॉ. रामसिंह पटेल)
122. आत्मनिर्भर भारत अभियान : आर्थिक परिवर्तन की शुरूआत (डॉ. रश्मि चौहान) 378
122. कबीर के दर्शन में राम का स्वरूप (दशरथ आर्य) 381
123. स्वामी विवेकानंद की शैक्षिक विचारधारा का अध्ययन (डॉ. विजया थोटेकर) 383
124. Evaluation of Vermitechnology Versus Chemical Fertilizer & Its Response on Growth 385
and Yield of Radish (Hritika Saini, Prof. (Dr.) Sunita Agarwal)
125. ग्रामीण विकास के विभिन्न दृष्टिकोण: एक राजनीतिक विश्लेषण (डॉ. अखिलेश कुमार शर्मा, अनिल कुमार भटकर) 392
126. ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय पंचायतों का आधार: राजनीतिक विश्लेषण (डॉ. भावना भदौरिया, सुजाता अहिरवार) 397
127. सूचना का अधिकार अधिनियम: अवधारणा एवं चुनौतियाँ (डॉ. भावना भदौरिया, सोनम बाल्मीकि) 400
128. पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी : एक अध्ययन 402
(डॉ. धनंजय कुमार वर्मा, लक्ष्मी बनवारी)
129. सागर शहर की महिलाओं में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन 405
(डॉ. अमर कुमार नायक, शारदा अहिरवार)
130. महात्मा गांधी के रामराज्य की संकल्पना का आधार एवं गांधी के राम (गौरव कुमार पांडे) 409
131. Study of Physico-Chemical Characteristics of Sediment of Abheda Pond of Kota (Rajasthan) 411
(Sushma Agrawal, Veena Chourasia)
132. श्रुति गर्भित संगीतकला (डॉ. प्रीति श्रीवास्तव) 414
133. नर्मदा बाँध परियोजनाओं से विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास स्थल पर मुख्य समस्याओं का विश्लेषणात्मक 418
अध्ययन : मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन (सुनील बर्डे)
134. भारत में घरेलू हिंसा – एक अध्ययन (डॉ. राम सिंह पटेल, दिलीप पाठक) 422
135. Study on Senior Citizens' Human Rights in India (Ankit Khare) 427
136. A Study of the Social and Legal Status of Live-in- Relationship 433
(Dr. Ratan Singh Tomar, Reetesh Kumar Vyas)
137. Promoting Social Justice through Artificial Intelligence: Human Rights Perspectives 437
(Navanit Kumar Singh, Dr. Rajat kumar Satapathy)
138. कबीर के दर्शन में निर्गुण राम (डॉ. सीमा जैन) 439
139. Analysis of Psycho Physiological and Psychomotor Ability in Pace and Spin Bowlers 441
in Cricket : Psycho-Motor Attributes Among Various Racquet Sports Players
(Dilip Singh Chouhan, Mahesh Paliwal)
140. Study on Somatotype Body Composition, Mental Toughness and Emotional Stability 445
of Kabaddi Players (Bhawanipal Singh Rathore, Raja Ram Gurjar)
141. Uniform Civil Code: An Analytical Study (Dr. Ram Singh Patel, Jyoti Payasi) 449
142. बाल अपराध एक सामाजिक समस्या, कारण एवं निदान (डॉ. रामसिंह पटेल, प्रीति बुंदेला) 454
143. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जागरूकता एवं उपयोगिता, एक विधिक अध्ययन 457
(डॉ. राम सिंह पटेल, अरविन्द कुमार पटेल)
144. Nesting Record of Oriental Pratincole at Alania Dam, Kota, Rajasthan, India 459
(Anshu Sharma, Harshit Sharma, Dr. Surabhi Shrivastava, Dr. Neha)
145. Chalcone: A Wonder Compound with Diverse Applications 462
(Dr. Sudha Sukhwal Shringi, Dr. Seema Gulati, Preeti Agrawal)
146. कृषि भूमि उपयोग में पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में 465
(रमेश पवार, डॉ. मोहन निमोले)

147. रामचरितमानस में सामाजिक सद्‌भाव (डॉ. गोरा मुवेल) 468
148. महिला सशक्तिकरण में महिला उद्यमिता की भूमिका (डॉ. निशा शर्मा) 470
149. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के संदर्भ में लोक संस्कृति एवं साहित्य : विलुप्त होती दशाएँ (डॉ. ललित कुमार मीणा) 474
150. ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर का 477
तुलनात्मक अध्ययन (मुकेश कुमार, डॉ. सीमा कुशवाह)
151. Effect of Yoga and Pilates Exercise on Health Related Physical Fitness, Bio-Chemical and 480
Psychological Variables on Irregular Menstrual Cycle Among College Women ....
(Dimple Solanki, Dr. Dilip Singh Chouhan)
152. मन्नू भंडारी के उपन्यासों में स्त्री विमर्श (सबीना खान) 484
153. A Study on the Effectiveness and Possibilities of Online Marketing (Dr. Balmukund Baghel) 486
154. कृषि क्षेत्र मे किसान कल्याणकारी योजनाओं का योगदान राजस्थान के संदर्भ में (रोहित कुमार लोहार) 489
155. भारत में न्यायपालिका की भूमिका एवं न्यायपालिका में राजनीतिक प्रभाव –एक अध्ययन (प्रभाकर सिंह) 492
156. भारत में फर्नीचर उद्योग का विकास और रोजगार में एक आर्थिक अध्ययन (डॉ. शिव कुमार वर्मा, नरेश कुमार प्रजापति) ... 496
157. मध्यप्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं और चुनौतियां विदेशी पर्यटकों के संदर्भ में (योगेंद्र कुमार ठगेले) 498
158. Cybercrime Impact and Prevention (Manjusha Khare) 501
159. Assessment and Comparison of Loco-Motor Skills Among Boys and Girls 504
(Kavita Malhotra, Dr. Keshav Singh Gurjar)
160. Civil Remedies for Breach of Patent Right In India : An Analysis (Dr. Lok Narayan Mishra) 508
161. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जागरूकता : एक सामाजिक विधिक अध्ययन 512
(रीवा नगर के विशेष संदर्भ में) (भोला प्रसाद साहू)
162. दलित उत्थान में बाबा साहेब की भूमिका (डॉ. सुनीता, राम किशन) 515
163. Quantitative Structure Activity Relationship Study on Phenylalkylamines : 3D Approach 517
(Arun Kumar Bodane, Arpan Bhardwaj)
164. सल्तनत काल में भारत के पर्यावरण का अध्ययन : विदेशी यात्रियों के दृष्टिकोण से (डॉ. मंजुला निंगवाल) 526
165. *Last Man in Tower*: A Postcolonial Extrapolation of Transforming India by Aravind Adiga 528
(Girish Kumar Sahu, Prof. Shubha Tiwari)
166. भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका (डॉ. प्रतिमा बनर्जी) 533
167. भारतीय समाज में महिलाएं : दशा एवं दिशा (डॉ. दिनेश कुमार) 536
168. Potentiality of Tourism and its Impact on the Golden City of Rajasthan 538
(Dr. Bhavna Sharma, Dr. Meenakshi Mahur)
169. यूक्रेन–रूस संघर्ष: भारत के लिए चुनौती या संभावना (प्रदीप कुमार शर्मा) 542
170. भारतीय लोकतंत्र में मूल्यों की आवश्यकता (डॉ. सर्वेश्वर उपाध्याय) 546
171. Effect of High Intensity Intermittent Training on Immune Response in University Level 549
Football Players and Track and Field Athelets (Dr. BrajKishor Choudhary, Parveen Singh)
171. Comparison of Physical and Physiological Variables Between University and National 553
Level Kabaddi Players (Dr. BrajKishor Choudhary, Balkar Singh)
172. विद्यार्थियों में बढ़ते शैक्षिक तनाव की वर्तमान स्थिति (डॉ. रसीला) 557
173. *Mycoremediation* of Stubble-burned Pollutants in Paddy and Wheat Fields by 560
Pleurotus flabellatus (Mrs. Madhurima Tiwari)
174. अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि का अध्ययन करना 564
(डॉ. सुषमा शर्मा, गायत्री सोलंकी)
175. भारत वर्ष के प्राचीन एवं वर्तमान आध्यात्मिक संत (गंगा क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में) (डॉ. मुकेश मारू) 567
176. म.प्र. में माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत 6 से 12 वर्ष के दिव्यांग बालको एवं बालिकाओं के समायोजन 575
क्षमता का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. आभा गोयल, रचना गौतम)
177. Sustainable Development : Principles and Applications and Inclusice Growth 579
(Hitesh Kumar Midha)
178. वर्तमान परिपेक्ष्य में लैंगिक समानता की स्थिति (डॉ. ममता पंवार) 581
179. महिलाओं की स्थिति एवं आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका (डॉ. सरोजिनी टोपनो) 584

180. Requirement of English Language Syllabus to Fill the Gap Between Industry and Academia (Dr. Sadique Mansoori) 586
181. डॉ. भगवती लाल व्यास का बाल साहित्य (डॉ. निधि शर्मा) 589
182. नई शिक्षा नीति 2020-महत्व एवं सुधार की आवश्यकता (उच्च शिक्षा के संदर्भ में) (डॉ. शिवाली शाक्या) 595
183. महिला सशक्तिकरण में राजनीतिक सहभागिता की भूमिका (विकास खण्ड माछरा, मेरठ का एक अध्ययन) (कु.मोहिनी) 598
184. Complete Study of Major Geomagnetic Storms in During Solar Cycle 24 (Harshraj Shukla, Dr. Anil Kumar Saxena) 602
185. A Critical Study of Raja Rao's Kanthapura as a "Sthalpurana" (Dr. Richa Mathur) 605
186. A Humanistic Perspective of Geography Through Human Geography (Dr. Mamta Verma) 608
187. Socioeconomic Disparities in Education: A Sociological Examination (Dr. Rajesh Tripathi, Shailendra Pratap Singh Parihar) 612
188. मिश्रित कृषि का ग्रामीण महिलाओं पर पड़ने वाला प्रभाव (डॉ. राजेश त्रिपाठी, अभिलाषा सिंह) 615
189. जन शिकायत निवारण में लोकायुक्त की उपादेयता (प्रो. वन्दना शर्मा) 618
190. HIV/AIDS: A Social Stigma On Indian Society (Dr. Arvind Sirohi) 621
191. A Study of Digital Marketing in Business and Economy (Dr. Neha Jain) 625
192. भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति (डॉ. उदय प्रताप सिंह) 629
193. Sustainable Practices in Clothing and Fashion : A Review (Dr. Nidhi, Ms. Nisha Rani) 631
194. Physical Education and Sports in Relation to Interdisciplinary Linkage (Dr. Pravita Khatri) 635
195. Motifs in Amitav Ghosh's *The Glass Palace* (Dr. Sofia Nalwaya) 637
196. किशोरावस्था में शिक्षा की भूमिका एवं विभिन्न परिवर्तन (डॉ. शाहिद हुसैन कुरेशी) 641
197. मृदुला गर्ग के उपन्यास साहित्य में स्त्री विमर्श के नये आयाम (डॉ. सरला पण्ड्या) 644
198. लैंगिक असमानता और सामाजिक संरचना: भारतीय समाज में चुनौतियाँ और समाधान (मल्लू राम मीना) 647
199. व्याकरण-शिक्षण की चुनौतियाँ : हिन्दी एवं संस्कृत के विशेष संदर्भ में (डॉ. प्रीति भट्ट) 651
200. Facts of Various Perspectives of Teacher's Methodology and their Behavior (Dr. Rita Bisht) 653
201. Healthcare Disparities: Investigating Access to Healthcare Services Across Different Social Groups in India (Dr. Anjali Jaipal) 657
202. भारत में जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता (डॉ. संध्या जयपाल) 660
203. भारत में ग्रामीण विकास पर एक अध्ययन: एक अवलोकन (डॉ. दिनेश कुमार कठुतिया) 663
204. पंचायती राज और संवैधानिक प्रावधान (डॉ. डी.के.वर्मा) 665
205. सूरदास : भ्रमरगीत परम्मपरा के उन्नायक (डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी) 671
206. Effect of Research and Development (R&D) on Green Revolution (Mr. Dharmendra Kumar) 673
207. Gender Roles Then and Now: A Comparative Study of Urban Indian Families Across Generations (Sonali Goyal) 675
208. वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार की चुनौतियाँ एवं संभावनायें (नमिता) 679
209. वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव-एक आकलन (डॉ. राजेश कुमारी) 684
210. Indian Sports Culture and Human Rights Violations (Dr. Mamta) 687
211. Role of Digital Economy and Technology in India (Dr. Shikha Yadav) 690
212. Smart Farming: The Future of Agriculture in India (Kunji Lal Meena) 692
213. राजनीति में सक्रिय सहभाग और भारतीय महिलाएँ : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. भवशेखर) 696
214. संस्कृत महाकाव्य परम्परा में 'नैषधीयचरितम्' का महत्व : एक अध्ययन (महेश चन्द मीना) 699
215. एक्रा एरोबिक्स व्यायाम एवं स्थलीय व्यायाम का प्रोड महिलाओं के शरीर में संचित अनावश्यक वसा (चर्बी) प्रभाव पर तुलनात्मक अध्ययन (अशोक मुण्डोतिया, डॉ. संतोष लांबा) 702

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Referee Board

Maths	-	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1)	Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science	-	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
	-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics	-	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1)	Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
			***** Commerce *****
Commerece	-	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4)	Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
			***** Management *****
Management	-	(1)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Administration	-	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
			***** Law *****
Law	-	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
		(3)	Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
		(4)	Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
			***** Arts *****
Economics	-	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi	-	(1)	Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
		(5)	Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1)	Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1)	Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1)	Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1)	Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1)	Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1)	Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
		(2)	Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)

***** Home Science *****

Diet/Nutrition Science	-	(1)	Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development	-	(1)	Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1)	Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)

***** Education *****

Education	-	(1)	Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
		(2)	Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
		(3)	Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
		(4)	Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
		(5)	Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)

***** Architecture *****

Architecture	-	(1)	Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)

***** Physical Education *****

Physical Education	-	(1)	Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
		(2)	Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
		(3)	Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)

***** Library Science *****

Library Science	-	(1)	Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46.	Prof. Dr. R.K. Yadav	-	Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47.	Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta	-	Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48.	Prof. Dr. Hemsingh Mandloi	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49.	Prof. Dr. Prabha Pandey	-	Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50.	Prof. Dr. Rajesh Kumar	-	Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51.	Prof. Dr. Ravendra singh Patel	-	Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52.	Prof. Dr. Manoharlal Gupta	-	Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53.	Prof. Dr. Madhusudan Prakash	-	Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54.	Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava	-	Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55.	Prof. Dr. Sunil Vajpai	-	Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56.	Prof. Dr. B.S. Sisodiya	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P
57.	Prof. Dr. Shashi Prabha Jain	-	Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58.	Prof. Dr. Niyaz Ansari	-	Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
59.	Prof. Dr. ArjunSingh Baghel	-	Govt. College, Harda (M.P.)
60.	Dr. Suresh Kumar Vimal	-	Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61.	Prof. Dr. Amar Chand Jain	-	Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62.	Prof. Dr. Rashmi Dubey	-	Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63.	Prof. Dr. A.K. Jain	-	Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64.	Prof. Dr. Sandhya Tikekar	-	Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65.	Prof. Dr. Rajiv Sharma	-	Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66.	Prof. Dr. Rashmi Srivastava	-	Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67.	Prof. Dr. Laxmikant Chandela	-	Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68.	Prof. Dr. Balram Singotiya	-	Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69.	Prof. Dr. Vimmi Bahel	-	Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70.	Prof. Aprajita Bhargava	-	R.D.Public School, Betul (M.P)
71.	Prof. Dr. Meenu Gajala Khan	-	Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
72.	Prof. Dr. Pallavi Mishra	-	Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73.	Prof. Dr. N.P. Sharma	-	Govt. College, Datia (M.P.)
74.	Prof. Dr. Jaya Sharma	-	Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75.	Prof. Dr. Sunil Somwanshi	-	Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76.	Prof. Dr. Ishrat Khan	-	Govt. College, Raisen (M.P.)
77.	Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi	-	Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78.	Prof. Dr. Bhawana Thakur	-	Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79.	Prof. Dr. Keshavmani Sharma	-	Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80.	Prof. Dr. Renu Rajesh	-	Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81.	Prof. Dr. Avinash Dubey	-	Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82.	Prof. Dr. V.K. Dixit	-	Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83.	Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma	-	M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84.	Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri	-	Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85.	Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla	-	Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86.	Prof. Dr. Anoop Parsai	-	Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87.	Prof. Dr. Anil Kumar Jain	-	Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88.	Prof. Dr. Kavita Bhadiriya	-	Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89.	Prof. Dr. Archana Vishith	-	Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90.	Prof. Dr. Kalpana Parikh	-	S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91.	Prof. Dr. Gajendra Siroha	-	Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92.	Prof. Dr. Krishna Pensia	-	Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93.	Prof. Dr. Pradeep Singh	-	Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94.	Prof. Dr. Smriti Agarwal	-	Research Consultant, New Delhi

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Physico-Chemical Analysis Around Soya Solvent Extraction Plant of Chhindwara (M.P.) India

J.K. Wahane* S.K. Diwakar** O.N. Choubey***

*Deptt. of Chemistry, S.S.L.N. Govt. Penchvalley P.G. College, Parasia, Chhindwara (M.P.) INDIA
** Deptt. of Chemistry, Govt. Narmada P.G. College , Hoshangabad (M.P.) INDIA
*** Deptt. of Chemistry, Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.) INDIA

Abstract - Glysin Max is the botanical name of soyabean M.P.has emerged as the soya state in India. The composition of Soyabean are soluble carbohydrates (Sucrose, stachyose, raffinose, others) 15%, protein 38%, oil(0.5% lecithin) 18%, moisture 14% and insoluble carbohydrates (dietary fibers)15% . In this paper we analyse the physico-chemical parameters around the soya industry of Chhindwara. It was observed that the concentration of TDS, EC, Hardness, Chloride and Phosphate, BOD, COD, were higher in the groundwater samples.
Keywords- DO, BOD, COD, ETP.

Introduction - Soybean is world's one of the most useful and cheapest source of protein. The botanical name of soybean is Glycine Max. M.P. has emerged as the Soya state in India. There are a number of Soya solvent extraction plants in the MP. The composition of Soyabean are soluble carbohydrates (Sucrose, stachyose , raffinose, others) 15%, protein 38%, oil(0.5% lecithin) 18%, moisture 14% and insoluble carbohydrates (dietary fibres) 15% . In this paper we analyse the physico-chemical parameters around the Soya industry of Chhindwara.. It was observed that the concentration of TDS, EC, Hardness, Chloride and Phosphate, BOD, COD, were higher in the groundwater samples. In this analysis samples were collected from the near by area of soya industry.

Materials and Methods

Oil extraction process: Soybean is mainly used for Soya oil and vanaspati as cooking oil. The steps used for oil Extraction are cleaning, destining cracking, cooping. Seeds are heated through jacked steam and open steam to soften the seeds, and then they are flecked between two rollers to flacks. After they are dried expander using hot air. The dried flacks are sent to extractor and Hexane is sprayed on material to extract oil. The hexane condensed out and recycled back to process. The crude oil extraction is heated up to 50°C to 60°C and water and phosphoric acid is added, to remove the phosphate and gum from the oil. Caustic soda is used to neutralize it. The bleaching agent is used to desire colour. Lastly oil is then deodorised by heating at 220°C. In the above oil extraction process major chemicals are used they are hexane, phosphoric acid, bleaching agent and caustic solution. The Effluent of the process is discharged in ETP for treatment and the treated effluent finally discharged outside that affects on the ground water quality

To study the effect of pollution on ground water around the soya solvent extraction plant at Chhindwara was selected and samples were taken from nearby area of this industry throughout the year 2021. APHA (1995),Trivedy and Goel (1986) have been used for the analysis of ground water for pH ,Electric conductance TDS, Total Alkalinity, Total Hardness, Calcium and Magnesium Hardness, Chloride, Fluoride, Nitrate, Sulphate, DO, BOD and COD. Data shown (Table 1 & fig.-1) in highest value and lowest value.

Table – I: Values Of Phyico-Chemical Parameters Soya Solvent Extraction Plant at Chhindwara (MP)

S.	Parameter	Units	Permissible Limits	Highest value	Lowest value
1.	pH		6.5-9.2	7.8	5.8
2.	EC	Mhos/ c.m.	300	4750	1550
3.	T.D.S.	mg/lit	500	2810	1020
4.	Total Alkalinity	mg/lit	600	690	140
5.	Total Hardness	mg/lit	600	2310	80
6.	Ca Hardness	mg/lit	200	1230	55
7.	Mg Hardness	mg/lit	150	1080	28
8.	Chloride	mg/lit	1000	2122	90
9.	Fluoride	mg/lit	1.5	1.8	0.2
10.	Phosphate	mg/lit	0.1	1.86	0.01
11.	Nitrate	mg/lit	45	87	23
12.	Sulphate	mg/lit	400	594	12.42
13	DO	mg/lit	6	8.9	2.3
14.	BOD	mg/lit	6	189	6
15.	COD	mg/lit	10	600	17

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

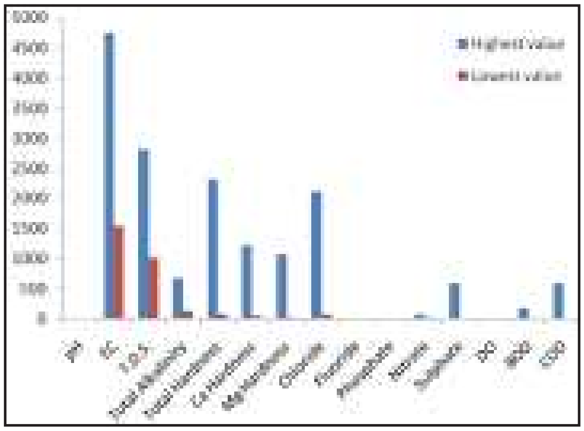

Fig. -1 Highest and Lowest Values of different Parameters

Result and discussion : In the analysis of ground water around the Soya industry it was observed that the highest pH value was 7.8 and lowest value was 5.8. The pH does not have any effects on health but it alters the taste quality of water. The value of Ec was above the permissible limits, which indicate the contamination of water through industrial effluent. Conductivity is the measure of substance to conduct e- current. The highest value of Ec was 4750 Mhos/ c.m.. The highest value of TDS was observed2810 mg/l. High TDS value indicate the excess addition of phosphoric acid during oil extraction process of plant.

Hardness of water samples also above the permissible limits due to carbonate, bicarbonate, sulphate and nitrate of calcium and magnesium. During the year it was observed that the value of COD and BOD were higher. These are not pollutant but useful indicators of contamination of water through industrial waste. During the year it was observed that the phosphate is beyond the limits. The highest value of fluoride 1.8 mg/l was observed in summer seasons. High value of fluoride (1<) responsible for Dental fluorosis.

Reasons for high quantity of these parameters due to the accumulation of minerals, salts from the industrial waste to the soil and leaching to the ground water.

Conclusion: Different Physico chemical parameters measured during the study have higher values. The present study indicates that these parameters affect the water quality around the Soya plant also affect the ecosystem. It was observed that 60% to 70% of pollution load of water is from effluent. So the effluent coming out from the localized create water pollution that is dangerous to health.

References :-

1. World Health Organization (WHO),International Standard of Drinking Water, Geneva (1975).
2. Manivasakam N.(2002) Physico Chemical examination of water sewage and industrial effluents Pragati Prakashan p.234.
3. Bhane J.K., Udaipure S.K. and Choubey O.N. Impact of effluent of soya solvent extraction plant on environment J.Indust. Poll. Cont. 23(1) 103-105 (2007).
4. Wahane J.K. banerjee Juhi, Udaipure S.K. and Choubey O.N., Environmental assessment of effluent of soya solvent extraction plant of Piparia disti. Hoshangabad Int. J. Chem. Sci. 8 (1) 623-627 (2010).
5. APHA Standard Methods for examination of water and wastewater USA (1995).
6. Choubey O.N. and Yadav Ranjana, Environmental assessment of Kareli Sugar Mill effluent on local groundwater, Journal of Indust. Poll. Cont. 25 (2009)
7. Trivedi S.K. and Goel P.K. Chemical and Biological methods for water pollution studies, Enviro, publication, Karad, India pp 2-31 (1986).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

T.S. Elots Poetry and the Feeling of Rest Lessness in Modern Poetry

Dr. Seema Sharma*

***Professor (English) Govt. Sanskrit College, Ujjain (M.P.) INDIA**

Introduction - T.S Eliot is known as the father of modern poetry. He introduced a new technique and new way of looking at life. He gave us a new eye to look at the inner life of modern society, especially after World War II. His famous poem on the epic- The Waste Land, completed in 1922, reflects the darker side of the society.

Many poets are influenced by his poetry. We can see the struggle to express the anxiety, the feeling of restlessness in human life. The poets are not now busy in describing only the beauty of a flower or the beauty of nature only. They are now reflecting same new points, which were not discussed in the society.

We can point out the classification of modern poetry.

1 Generally it is in blank verse or in Hindi it is known as GadyaKavita".

2 Modern poetry shows the ugly side of life as in the waste land the degradation of human values is described.

3 Modern poetry reflects how much commercialism has changed our society. We have turned into machines.

4 Modern poetry wants to awake us from our imagination world to see the real world.

The Waste land starts with pessimism in the first part "Burial of the Dead". The poet says – "April is the cruellest month, breeding

Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring dull roots with spring rain."
Dull roots with spring rain".[1]

This is the brutal reality of the human life today.

We can see that modern writers are inspired with T.S Eliot's expressions. We can see it in Indian writes writing in English. Indo Anglican wrties. We can see that the dead true represents the dark image. In the same way ToruDutt also feels the same way :-

"Suffering and the dark image of an incomprehensible fatality were Toru"s Shadow companions and one therefore feels that the following lines communicate as much true "The tomb said to the pose –

of the fears the night strows
what makestthow, O flower of the drawing."[2]

Kamla das Humiliation is the main theme of her poems.

"Dress in Sarees be girl
Be wife, they said, Be embroidered, be look Don't sit.[3]

So the suppression, depression, and the psychological problems which have become the part and parcel of our lives are now described in modern poetry.

KamlaSurayya and married name Kamla Das was an Indian poet in English as well as an author in Malayalam from Kerala. She tried to reinvent herself. She reflected her ideas on marital life, childhood, sex, love and desire with her look "My story" (1976), She was the first woman in India to speak frankly about sex and negativity in marriage in a conservative society. Her honest expression can be compared with T.S Eliot's expression is poetry.

T.S Eliot's poetry also reflects the same restlessness in society.

"What are the roots that clutch what branches grow out of this story rubbish".[4]

The rest lessness is because we have come a part from our roots. The roots of our old culture and moral education. In searching the temporary comforts, we have come a far from our peace in life. Everyone in the society is spiritually dead.

The Waste land also reflects the disillusionment of the past and the lack of clarity of human relationship. The difference in the approach of love is also visible in the waste land. Eliot describes the love that the typist girl experiences in life is mechanical love which does not demand any suffering.

She turns and looks a moment in the glass.
Hardly aware of her departed lover,
Her brain allows one half formed thought to pass.
Will now Chat's done and I'm glad its over.[5]

Thus T.S. Eliot reflects the modern poetry. The effect of Modern poetry is reflected in Indian Modern poetry which shows the decay in spiritual values. This poetry has universal appeal. It presents the ugly side of the society. T.S Eliot's "The Wastland" is written in blank verse which is irregular and written in simple language. We can see the effect of T.S Eliot on Modern Hindi poetry.

RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

'हो गई है, परिपर्वत सी पिघलनी चाहिये
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिये
आज यह दीवार परदों की तरह हिलने लगी
शर्त थी लेकिन किये बुनियाद हिलनी चाहिये
हर सड़क पर हर गली से हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चतनी चाहिये।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिये
मेरे सीने में नही तो तेरे सीने में सही
हो कहीं भी आग लेकिन आग जतनी चाहिये।'

The main objective of Modern poetry is to make people aware of the loss of faith and modern values. Therefore now moral values is now a part of higher Education. We must arise our youth to build new nation where everyone thinks of national future.

We can say that the future of Modern poetry is bright.

References:-

1. The Waste land And other poems. Dr. S.Sen unique publishers New Delhi p.no.169
2. Indian writing in English K.R. SrinivasaIyengar published by sterling publishers pvt ltd. New Delhi 1985, p.no.61
3. Wikepedia
4. The Waste land
5. The Waste land
6. Kaavyalaya.org, दुष्यंत कुमार रचनावली paperback Hindi edition किताबघर प्रकाशन 2007

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

A Comparative Study on the Perception of Customers Towards the Personal Loans with Special Reference to Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector)

Dr. Dinesh Kumar Singhal* Shruti Singh Chouhan**

***Professor, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) INDIA**
**** Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA**

Abstract - Personal loans are referred to as "clean" or "unsecured loans" since they can be taken out without any kind of tangible security like real estate, fixed deposits, or bonds. Only the individual sureties are required to attest that you are a reliable individual and won't default on the loan. Reaching untapped customers in rural areas of India can help the Indian banking sector grow even further. Lending money from deposits is the banking sector's main source of income. Prior to the entry of private and foreign players into the market, the banking industry's players were limited to offering a small number of loan types to only a small number of socioeconomic classes of people. Now, however, because of the fierce competition in the market and the entry of these players, the industry's players have turned their attention to utilising all available opportunities to grow their customer bases and market shares. In this study, two banks one from the private sector (Kotak Mahindra Bank) and other one is from public sector (SBI) have been chosen and for two variables the interest rate and schemes process were taken. With the help of SPSS 20.0 Independent t-test was used to make out a difference.
Keywords- Interest Rate, Process, Personal Loans, socio-economic class.

Introduction - In general, the banking industry's players offer a wide range of loans to its clients, including loans for gold, real estate, vehicles, businesses, education, and personal items. Among the loans described above, personal loans are crucial in helping consumers with urgent financial needs. Most of the time, people would choose a personal loan above any other sort of loan if they found themselves in need of an emergency or unexpected amount of money to meet a particular need. The main justification for their action is that bankers typically make unsecured personal loans to their customers without requiring any type of collateral security, such as a property document or a reputable person's signature. In general, banks provide personal loans based on the personal information of the borrowers, including their age, profession, employer, length of employment, monthly income, financial stability, etc.

Personal loans can be obtained for any purpose, including a wedding, vacation, the purchase of a life product, or an urgent medical need. Banks and non-bank financial institutions offer personal loans as unsecured loans without requiring any collateral security, while some banks insist on the assured purpose that it not be useful to the bank as long as it is not unpredictable. In order to reduce consumer debt, personal loans can be very helpful. Depending on their criteria, such as income and company income, borrowers can now easily obtain loans from banks and private equity.

Factors Influencing Personal Loan: The many variables that may affect a customer's decision regarding a personal loan, including age category, monthly income, outstanding debt, type of employment, purpose of loans, required loan amount, emergency type, rate of interest, type of interest rate, loan approval process, loan repayment and loan closure terms, etc., can be broadly categorised under the following four dimensions: Loan eligibility, loan approval, loan repayment and loan closure terms reflected in the figure 1.1.

Figure 1.1. Personal Loan Decision – Conceptual Framework

Public and private banks both offer personal loans at

competitive rates. Consumers typically select public sector banks for personal loans, especially since the majority of customers think the bank is highly safe and the rate is also lower. Young people prefer private sector banks because of the amenities & promptness with which they provide their services. Therefore, the main goal of this study is to evaluate and contrast the factors that influence customers' decisions about personal loans and how those factors affect those customers' satisfaction and loyalty with regard to both private and public sector banks in the Ujjain District.

Literature Reviews

Shetty, V. and Sujatha, K.S. (2022) discussed that gold is a priceless item with a high symbolic value while not productive. Gold has always been referred to as a safe haven, particularly during times of financial and economic crisis. The purpose of this study is to evaluate the socioeconomic backgrounds of gold loan borrowers, the fundamental justifications for their use of gold loans, and the key factors influencing consumer attitudes and perceptions of gold loans provided by private sector banks in India. In this case study, the perception, satisfaction, and issues of gold loan borrowers were all clearly stated. The researcher is adamant that the study's results will help private sector banks better understand their clients' psychology toward gold loans, including their attitudes and gold borrowing habits as well as how satisfied they are with the bank's services.

Jiwani, C. L. (2021) assessed that consumer behaviour and preference have been significantly impacted by the extremely competitive market conditions brought about by deregulation, the advent of new types of technology, and the ongoing change in consumer needs. Loans and Advance are the bank's survival unit since, unless this division is successful, any bank's continued existence may be in doubt. The study concentrated on consumer behaviour and their preference for unsecured loans. Research offers improved knowledge and predictions of topics like purchases as well as reasons people make purchases and how frequently they make purchases.

Tiwari, K.K. &Somani R. (2021) discussed in their study about poor technical awareness and the proximity of the population to environment, the primary goal of this study is to comprehend the effects of marketing. This research project aims to investigate the focus, influence, and ad-related emotions of male and female, married and unmarried individuals. The study focuses on how consumers now perceive personal loans.

Jonathan Joseph (2021) stated that Personal loans are unsecured loans for personal use that can be used for any purpose, like paying for a wedding, travelling, or buying consumer durables. Personal loans are incredibly convenient and can meet all of an individual's demands. The study's goals included determining customer preferences for various loan types, determining the average amount of loans taken out by respondents, evaluating the effectiveness of advertising in raising public awareness, and assessing customer satisfaction with various loan programmes offered by Bajaj Finserv Limited. This outcome demonstrates how various customers view the services provided by Bajaj Finserv Limited.

Venkatesh P., Magesh M., D.S. Patel, and M.M. Muthu (2021) determine the factors that affect a customer's contentment with the house loans that a company provides, as well as to comprehend the customer satisfaction and banking ratings that customers have supplied for the housing finance firm. Finding the factors influencing customer happiness with house loans and examining the correlation between important factors impacting consumer satisfaction and banking rating were the goals of this study. Employees and researchers can utilise the information to better understand what customers need when getting a house loan and the challenges they encounter when processing loans and making payments.

Gupta, M.C. and B. Vandana (2020) focused on Single loan bypass on is making from a significant attitude in India. The key actors were ICICI, which defeated local competitors HDFC, Citibank, ABN AMRO, HSBC, all nationalised banks, useable banks, other cash-related connections, and the government that pulls back credit. The company is a buyer of time observations that included the city of India. The evaluation included worrying about current clients. It provided assurance regarding every aspect of personal growth that might affect a customer's commitment.

Babasaheb, J. and Tushar, S. (2019) identify the variables influencing the increase of personal loans at HDFC Bank. Despite having a high interest rate, personal loans are the unsecured credit facility product with the fastest rising market share because financial institutions strategically positioned the product. People often choose personal loans over other forms of financing because they don't demand any type of collateral and just require a minimal amount of paperwork. The study focuses on the present trend in personal loans and the variables that affect the trend based on various borrower perspectives. The study also notes that consumers are using personal loans for the intended purposes, and that recent expansion in this market is better for the banking sector. The findings showed that the level of interest rates greatly influenced the choice of where to borrow money, and the respondents recommended lowering them. It was also obvious that the respondents' desire for personal loans from HDFC was impacted by competition from other banks. The least significant element influencing the demand for personal loans is the terms and procedures.

Research Gap: The study has reviewed many researches and found that for the given factors, this study is attempted to give some constructive facts about the process and interest rate of personal loans. The study is conducted on Ujjain District so no study was carried out in the past with the comparison of private and public banks.

Objectives Of The Study:

1. To study the perception of customers of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the rate of Interest of Personal Loans.
2. To measure the perception of customers of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the schemes' process of Personal Loans.

Research Methodology: The current study, which aims to examine the elements that influence consumers' decisions about personal loans at selected private and public sector banks uses a descriptive research design. This study was set up so that customers' perceptions of two different types of banks, such as private (Kotak Mahindra) and public sector banks (SBI), were compared in terms of factors that affect customers' decisions to take out personal loans. For the study, purposive sampling was used and sample size is 485 from the Ujjain District. To test the hypotheses, Independent t-test was used on SPSS 20.0.

Results

H_{01}: There is no significant difference in the perception of customers of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the rate of Interest of Personal Loans.

H_{a1}: There is a significant difference in the perception of customers of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the rate of Interest of Personal Loans.

Table No. 1: Group Statistics onRate of Interest of Personal Loans

	Bank	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
INTEREST	Kotak Mahindra Bank (Private Sector)	208	3.1010	1.39162	.09649
	State Bank of India (Public Sector)	277	3.4332	1.27406	.07655

The table shows the mean value of the perception of customers of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) towardsrate of Interest of Personal Loans so it depicts that the mean value (3.10) is less than the mean value (3.43) of State Bank of India (Public Sector). Hence, it is perceived by customers that SBI have less rate of interest compared to Kotak Mahindra Bank.

Table No. 2 (see in next page)

Result found that null hypothesis "There is no significant difference in the perception of customers of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the rate of Interest of Personal Loans" is not accepted and hence it can be said that p-value (0.007<0.05) is less than at 5% significant level and the value of t-test is 2.698 which is greater than the tabulated value. Hence, the alternate hypothesis is accepted and concluded that there is a significant difference in the perception of customers of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the rate of Interest of Personal Loans.

H_{02}: There is no significant difference in the perception of customers of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the schemes' process of Personal Loans.

H_{a2}: There is a significant difference in the perception of customers of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the schemes' process of Personal Loans.

Table No. 3: Group Statistics on Schemes' process of Personal Loans

	Bank	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PROCESS	Kotak Mahindra Bank (Private Sector)	208	3.1971	1.30573	.09054
	State Bank of India (Public Sector)	277	3.3430	1.23713	.07433

The table shows the mean value of the perception of customers of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) towardsschemes' process of Personal Loans so it depicts that the mean value (3.19) is nearly equal to the mean value (3.34) of State Bank of India (Public Sector). Hence, it is perceived equally by customers of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the schemes' process of Personal Loans.

Table No. 4 (see in next page)

Result found that null hypothesis "There is no significant difference in the perception of customers of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the schemes' process of Personal Loans" is accepted and hence it can be said that p-value (0.210>0.05) is greater than at 5% significant level and the value of t-test is 1.255 which is less than the tabulated value. Hence, no difference in mean is observed in the perception of customers of Kotak Mahindra Bank (Private Sector) and the State Bank of India (Public Sector) towards the schemes' process of Personal Loans.

Conclusion & Suggestions: In any economy, banks play a crucial role in developing corporate operations. By utilising assets and allocating them to the poor, banks currently play a vital and active role in the financial growth of many nations. By engaging in a variety of activities, such as facilitating production and economic operations, risk sharing, and fair revenue distribution, banks provide a healthy economy. The bank that offers a wide range of personal loans (i.e., individual credit) to its impoverished clientele in order to meet their numerous daily needs. From this point forward,

it is thought that both public and private banks rank as the leading banks in the personal loan industry. While the banking services they provide are first-rate. For personal loans, a lot of people lean toward public-sector banks, especially since they believe that they are the safer option and that their interest rates are more reasonable. However, newer generations, or millennials, prefer private sector banks due to the calibre of services, type of administrations, offices, and response times. While public-sector banks' requirements are quite strict and difficult, private-sector banks are quick to prepare the individual advance and make things easy for the borrower by altering some of their criteria for individual advances.

The study has suggested some measures for the favour of customers as the process should be more simple and easy so that any rural customer also get the same benefits. Apart from this, the interest rate of private sector banks will have to low down to attract the customers. While comparing with the public banks they perceive a major difference so they move on the Nationalized banks.

References:-

1. Babasaheb, J. and Tushar, S. (2019) A study on factors affecting the growth of personal loan as a product at HDFC Bank. NITH International Journal of Multidisciplinary Research. Volume 8 (11), pp. 99-111.
2. Deokar, Y. and Mayur, G. (2019) A Study of Consumer perception on SBI Home Loan with Special reference to Pune City. International Journal of 360 Management Review, Vol. 07, Issue 01, pp. 87-93.
3. Gupta, M.C. and B. Vandana (2020) Customer Satisfaction on Personal Loan. A Journal of Composition Theory. Volume XIII, Issue VII, pp. 158-175.
4. Jiwani, C. L. (2021) Study of Consumer Behavior and Preference for Unsecured Financial Lending of HDFC Bank in Pune City. International Journal for Research in Engineering Application & Management (IJREAM), Issue-04, pp. 56.
5. Jonathan Joseph (2021) A study on Personal Loan at Bajaj Finserv Limited. International Journal of Innovative Research in Technology, Volume 8 Issue 6, pp. 442-450.
6. Manjula Bai H. (2018) "Customer Perception towards home loan with special reference to SBI- A Study. Journal of The Gujarat Research Society,, Volume 21 Issue 17, PP: 1582-1604
7. P. Vanitha Malarvizhi (2019), "A Comparative Study on Gold Loan Offered by Public Sector Banks and Non-Banking Financing Companies, Madurai" Journal of Business Review. Volume 1 (2), pp. 34.39.
8. Shetty, V. and Sujatha, K.S. (2022) Consumer Perception and Attitude towards Gold Loans: A Case Study on Impact of Gold Loans Offered by top 5 Private Sector Banks. International Journal of Research Publication and Reviews, Vol 3, no 1, pp 1222-1229.
9. S.V. Satyanarayana Et al (2019), "A Comparative Study between Public and Private Housing Finance Companies (HFCs) in India. Journal of Economics. Volume 4 (3), pp. 56-63.
10. Tiwari, K.K. &Somani R. (2021) Study of Personal Loan and Analysis of People Perception on HDFC & SBI Bank. Gorteria Journal. Volume 34 (1), pp. 269-274.
11. Venkatesh P., Magesh, M., Patel, D,S, abd Muthu, M.M. (2021) A Study On Customer Satisfaction Towards Home Loan With Reference To Vellore District. Elementary Education Online, Vol 19 (Issue 2): pp. 1950-1959

Table No. 2: Independent Samples Test onRate of Interest of Personal Loans

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
INT	Equal variances assumed	3.199	.074	-2.732	483	.007	-.33225	.12163	-.57125	-.09326
	Equal variances not assumed			-2.698	423.690	.007	-.33225	.12317	-.57435	-.09015

Table No. 4: Independent Samples Test on Schemes' process of Personal Loans

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
PRO	Equal variances assumed	.540	.463	-1.255	483	.210	-.14584	.11624	-.37425	.08256
CESS	Equal variances not assumed			-1.245	432.677	.214	-.14584	.11714	-.37608	.08439

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Efficacy of Plant Oils to Key Store Grain Pest, *Oryzaephilus surinamensis (L.)*

Kamini Verma* Surabhi Shrivastava**

*Faculty, Maa Bharti Girls P.G. College, Kota (Raj.) INDIA
** Former Principal, RHES, Kota (Raj.) INDIA

Abstract - The persent study evaluates the efficacy of plant oils (ether extracts) against *Oryzaephilus surinamensis* L. under laboratory conditions. The results reveal that *Azadirachta indica* , *Brassica juncea* , and *Linum usitatissimum* seed oils (ether extracts) were effective for about more than 30, 30 and 45 days respectively at the doses of 50.0, 50.0, and 50 .0 ml/L .
Keywords- Azadirachta indica, Brassica juncea, Linum usitatissimum, Oryzaephilus surinamensis L.

Introduction - Store product insects cause severe damage to stored products especially in developing countries (Bauosa *et al*. 2015; Sallam, 2013).

Infestation by insect pests may cause loss of stored products for upto 5-10% in temperate regions and 20 to 30% in tropical regions (Rajendran and Sriranjini, 2008).

Insect pest in cereals, pulses and oilseeds cause severe post-harvest losses in the range of 3.9-6.0%, 4.3-6.0% and 2.8 -10% respectively (Dhingra, 2016).

Amongst these pests, the most important and common are the Coleopterans attacking stored rice and their products viz. *Sitophilus oryzae* L., *Oryzaephilus surinamensis* L, *Rhyzopertha dominica* L. and *Tribolium casrtenium Herbst.*

Control of *Oryzaephilus surinemensis* L. population around the world primarily depends on continued application of organophosphorus and pyrethroid insecticides and fumigants eg. methylene bromide and phosphine , which are still the most effective means for the protection of stored food, feed stuff and other agriculture commodities from insect infestation (Kim *et al*. 2003), but substantial increase in awareness of their ill effects viz. toxicity to non target organisms, pesticides residues and environmental pollution is noticed in recent days (Benhalina *et al*. 2004; Collins *et al*. 2005). To minimize the use of pesticides and to avoid pollution of the environment, natural antifeedents, deterrents and repellent substances have been recorded for pest control. (Chander and Ahmed, 1983; Govindachari *et al*. 2000).

Laboratory and field trials with neem and other botanicals have given encouraging results against a number of insect pests because of their antiftendent , ovipositional, deterrent, morphogenetic and insecticidal properties .(Yadav and Bhatnagar, 1987; Singh and Upadhyay, 1993; Tune *et al*. 2000; Yadav and Bhatnagar, 2005).

Patil *et al*. (2022) studied repellent activity of three plant essential oils viz. orange (*Citrus sinensis L.*), Eucalyptus (*Eucalyptus obliquqa L.)* and cinnamon (*Cinnamomum vernum*) against stored grain pests of rice viz. *S. oryzae, Tribolium castenum, Oryzaephilus surinamensis and Rhyzopertha dominica*.

In the present study the efficacy (residual toxicity) of *Azadirachta indica, Brassica*, and *Linum* against *Oryzaephilus surinamensis L*. was analysed.

Material and Method: The experimental insect *Oryzaephilus surinamensis L.* were obtained from a laboratory culture maintained on rice grain at 30± 2 and 70±5 % RH. Oils (ether extract) of *Azadirachta indica, Brassica*, and *Linum* seeds were extracted by soxhelet apparatus.

20 gm of sterlized grain was filled in each culture tube the test solution was measured one ml. by pipette and dropped in the tubes in spiral manner, lid was put on it and shaken well by rolling in up and down movement. 10 pairs of freshly emerged adult *O. surinamensis* were released in culture tubes with treated grain and covered with muslin cloth tied with rubber band properly. Mortality was counted after 24 hours of treatment.

In every count moribund insects and the insect which could not walk properly, we are also considered as dead. For more accuracy of individual oil, the treatment were done in triplicates. The experiment was repeated by releasing new batches of insects in the same treated grains for mortality count after three, five, seven, fifteen, thirty and sixty days interval after treatment.

Findings: The efficacy of various oils (ether extracts) was estimated till the deposits of toxicant gave no mortality of saw-toothed grain beetle, *Oryzaephilus surinemensis* L . Continued observations revealed that *Azadirachta indica* , *Brassica juncea* , and *Linum usitatissimum* seed oils (ether

extracts) were effective for about more than 30 , 30 and 45 days at the dose of 50.0, 50.0, 50.0 ml/L respectively.

Conclusion: Among *Azadirachta indica* , *Brassica juncea* and *Linum usitatissimum* ,the most effective oil (ether extract) @ 50 ml/L was resulted through the deposite of *Linum usitatissimum.*

Suggestions: Ecofriendly extracts o plants have resulted in maximum control of pests like saw-toothed grain beetle, *Oryzaephilus surinemensis* L hence more botanicals extracts must be as ecofriendly pesticides to control the loss of stored grains from different types of pests.

Plant based extracts can also be used in combination to see the synergistic action, if any.

References:-

1. Baorua, I.B.; Amadeus, L.; Abdourahmane, M.; Bakoye, O.; Baributsa, D.and Murdock, L.L.(2015). Grain storage and insect pest of stored grain in rural Niger. *Journal Stored Product Research*, 64, 8-12.
2. Benhalima, H.; Chaudhry, M.Q.; Milis, K.A. and Price, N.R.; (2004). Phosphine resistance in stored product insects collected from various grain storage facilities in Morocco. *Journal of Stored Product Research*, 40: 241- 249.
3. Chander, H .and Ahmed, S.M.(1983). Potential of some new plants products as grain protectants against insect infestation. *Bulletin Grain Tech.* 21(3):179-188.
4. Collins, P.J. ; Daglish, G.J.; Pavic, H.and Kopiltek, K.A.,(2005). Response of mixed age culture of phosphine resistant and susceptible strain of the lesser grain border, *Rhyzopertha domonica* , to phosphine at a range of concentration and exposure period. *Journal of Stored Product Research.* 41:373-385.
5. Das,G.P.(1986). Effect of different concentrations of neem oil in the adult mortality and oviposition of *Callosobruchus chinensis*(L) . Bruchidae : coleopteran. *Indian Journal of Agriculture Science*. 56:743-744.
6. Dingra,D.(2016). Evolution and trends food grain storage in India. In: Navarro,S,; Jaya's, D.S.; Alagusundram,K.(Eds) Proceedings.10 International conference on controlled atmosphere and fumigation in stored products (CAF2016) CAF permanent committee Secretariat, Winnninpeg. Canada.47-52.
7. Govindachari, T.R.; Suresh,G.; Gopalkrishanan and Wesley,S.D.; (2000.) Insect antifeedent and growth regulating activities of neem oil and the role of major tetranortriterpinoids.*Journal of Applied Entomology.* 124: 287-291.
8. Khalequzzaman, M.; Mandi, S.H.A and Gonosman, S.H.M. (2007). Efficacy of edible oils in the control of pulse beetle *Callosobruchus chinensis L*.in stored pegion pea. *University Journal of Zoology,* Rajshahi University, 26: 89-92.
9. Kim, S.; Park, C.; Ohh, M.H.; Cho, H.C.; and Ahn, Y.J.(2003). Contact and Fumigant Activities of aeromtic plant extract and essential oils of *Lasioderma serricorne*. *Journal of Stored Product Research*, 39: 11-19.
10. Patil,N.B.;Bawana,G.G,;Totan,A.;Guru,P.P.G.,; Mahendran,A.;Rath,P.C.,and Mayabini,J.(2022) Repelllency of plant essential oils to key Coleopteran stored grain insects of rice. *Indian Journal Of Entomology*. 84(3): 567-572.
11. Salam (2013). Insect Damage on post Harvest, Food and Agriculture Organization , Roma, Italy.
12. Rajendran,S. and Sriranjini,V. (2008). Plant Products as Fumigant for Stored Product Insects Control. *Journal Stored Product Research* . 44:126- 135.
13. Singh,G. and Upadhyay, R.K.(1993) .Essential oils :A potent natural pesticides. *Journal of Sci.Ind. Res*.52:676-683.
14. Singh, S.and sharma,G.(2003). Efficacy of different oils as grain protectants against *Callosobruchus chinensis L*.,in green gram and their effect on seed germination. *Indian Journal of Entomology*. 65(4): 500-505.
15. Tune, I.; Berger, B.M.; Erler, F. and Dagli, F.(2000). Ovicidal activity of essential oils from five plants against two stored grain insect. *Journal of Stored Product Research.*. 36: 161-168.
16. Uttam, J.R.; Pandya, N.D.; Verma, R.A.;and Singh, D.R.(2002). Efficacy of different indigenous oils as grain protectants against *Sitophilus oryzae L*. on Barley. *Indian Journal of Entomology* .64(4): 447-450.
17. Yadav, J.P. and Bhargava, M.C.(2006). Bioecology and management of rice weevil, *Sitophilus oryzae L*. on wheat.Ph.D. Thesis, Deprtment of Agriculture Zoology and Entomology. S.KN. college of Agriculture, Jobner.

Table-1: Residual toxicity of deposits of individual plant Oils to the adult of *Oryzaephilus surinamensis (Linn.)* at different intervals after spraying

S.	Plant Oils	Plant Part	Dose(ml/L)	Residual Toxicity of deposits at interval of							
				1DAT %Mortality	3 DAT %Mortality	5 DAT %Mortality	7 DAT %Mortality	15 DAT %Mortality	30 DAT %Mortality	45 DAT %Mortality	60 DAT %Mortality
1	*Azadirachta indica*	Seed	50.0	100	90	80	50	25	10	_	_
2	*Brassica juncea*	Seed	50.0	100	85	55	40	20	10	_	_
3	*Linum usitatissimum*	Seed	50.0	100	80	65	60	45	20	5	_

DAT = Days After Treatment

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

What Leaders Do in India: CSR Perspective

Dr. Anita Maheshwari*

***Assistant Professor, Govt. Commerce Girls College, Kota (Raj.) INDIA**

Abstract - Gone are the days when most of the business houses were driven with only one goal to maximize profits from every action or decision. Now business leaders have started practicing social welfare activities because they have understood the fact that business has a responsibility towards the society and the planet. This is termed as Corporate Social Responsibility (CSR).

Corporate Social Responsibilities (CSR) is a part of the business model in which business organizations integrate social and environmental concerns along with economic consideration. CSR is a commitment by businesses to giving back to the society for social and environmental concerns. Across the Globe, it is increasingly accepted by the businesses to look beyond financial performance, and to integrate social and environmental concerns into their strategic management.

The present study exhibits the analysis of CSR expenditure to understand the initiatives of CSR activities undertaken by India's 3 most valued companies in the light of Schedule VII of Companies Act 2013 and to understand their pattern.

Keywords- Corporate Social Responsibility, environmental concerns, Schedule VII of Companies Act 2013.

"A total of Rs. 36,145 cr. has been spent by various companies across the country to carry out development activities as part of their Corporate Social Responsibility (CSR) during 2019-2021"

-Union Finance Minister Nirmala Sitharaman

Introduction- Gone are the days when most of the business houses were driven with only one goal to maximize profits from every action or decision. Now business leaders have started practicing social welfare activities because they have understood the fact that business has a responsibility towards the society and the planet. This is termed as Corporate Social Responsibility (CSR).

CSR came on mainstream in the 2000s. It can be defined as a business model in which business organizations integrate social and environmental concerns along with economic consideration. **CSR** is a commitment by businesses to giving back to the society for social and environmental concerns. Across the Globe, it is increasingly accepted by the businesses to look beyond financial performance, and to integrate social and environmental concerns into their strategic management.

CSR in India has traditionally been seen as a philanthropic activity. And in keeping with the Indian tradition, it was believed that every company has a moral responsibility to play an active role in discharging the social obligations, subject to the financial health of the company. In the early 90's Mahatma Gandhi introduced the concept of trusteeship helping socio-economic growth. CSR was influenced by family values, traditions, culture and religion. Though the meaning, pattern and scope of CSR have changed a lot now.

Review of Literature

Narayan A. (2014) explored and compared the current situation of corporate citizenship in India and U.S. The study revealed the fact that such entities in India are actually practising CSR and not corporate citizenship. Desai (2015) described that CSR ensures all corporations to contribute to the betterment of the society as a whole which in turn would make corporate growth and investigated the impact of anchoring on charitable contributions and CSR spending. Rai & Bansal (2015) conducted a cross section study and suggested the reasons that determine the CSR expenditure by firms before the implementation of the law. Also explained the relationship between CSR expenditure and profitability. Manchiraju & Rajgopal (2017) showed that involuntary spending on CSR in India results in a 4.1% drop in stock prices for the affected firms. Kavitha P. (2018) analysed trends and patterns of CSR expenditure of manufacturing firms of India in both voluntary and mandatory period. The study defined CSR as company's engagement in social activities outside the firm. The researcher found that CSR expenditure had been increased after the enactment of the new Companies Act 2013.

The Companies Act, 2013: Section 135: India is the first

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

country to make a remarkable step towards growth and overall development by incorporating **Corporate Social Responsibility** activities mandatory for certain companies. Prior to the Companies Acts 2013, a very less number of companies were engaged in social activities with a mind set to do charity only. The **Companies Act** 2013 has formulated Section 135 and is landmark legislation which makes **Indian companies** answerable to the government about their CSR expenditure. Any listed company that falls in either of the following criteria for compulsion, they need to form a **CSR committee** and to spend at least 2% of its average net profit for the 3 previous consecutive financial years on CSR initiatives.

Criteria: Companies

1. That have a net worth of Rs. 500 crores or more, or
2. That have an annual turnover of Rs. 1000 crores or more, or
3. That generate a profit of Rs. 5 crores or more.

Although government doesn't interfere to decide in what sector and where to spend the CSR amount yet the government monitors the compliance of CSR provisions through the disclosures made by the companies in the MCA21 registry. Further Schedule VII specifies various activities that may be conducted under CSR.

Research Methodology: The main objective of this study is to present a picture of CSR activities undertaken by India's 3 most valued companies in the light of Schedule VII of Companies Act 2013 and to understand their pattern. CSR is closely linked to sustainability in terms of ESG which stands for Environmental, Social and Governance. The top three companies are selected on the basis of their total net worth. According to the '2022 Burgundy Private Hurun India 500' list, Reliance Industries Ltd (RIL) stands at number one place with total net worth of Rs. 17.25 lac crores, Tata Consultancy Services (TCS) and HDFC Bank Ltd (HDFC Bank) are on second and third place with total net worth of Rs 11.7 lac crores and Rs.8.3 lac crores respectively. The reason behind selecting 3 most valued companies is that leading companies set a benchmark for others to follow and create awareness about CSR across industries. The study has been conducted with the help of secondary data taken from government portal of CSR, annual reports of the companies for the period of 5 years from 2016-17 to 2020-21 and web sites of the companies.

Data Analysis and Findings: Since the concept of CSR is very broad and implemented differently by each firm, it becomes essential to understand the related factors. The data of CSR expenditure of RIL, TCS and HDFC Bank for 5 years from 2016-17 to 2020-21 have been tabulated and percentage and Ranks have been calculated using MS Excel.

A. Analysis of RIL: RIL's spending on CSR has increased over the period of time. It is evident from the below table that the CSR contribution of RIL is continuously increasing in last 5 years and it has spent well above the minimum limit. Its Net profit reduced a bit but it did not let its CSR amount reduce. The company has followed the provisions of section 135 of the Companies Act 2013 properly.

Table 1 (see in last page)

Analysis of pattern of CSR expenditure by RIL: Investigating the pattern of CSR contribution plays an important role in understanding the areas covered by the firm. The Companies act has notified 13 areas of social importance where the CSR funds can be utilised. The RIL has deployed its CSR funds in the following segments as per its committee recommendations or need of the hour.

Table 2 (see in last page)

The table 2 shows that during this period, RIL has covered 7 major areas for contribution. The maximum contribution (1823.45 cr.) is towards education hence it stands at first rank among 7 criteria. Rural development projects stand on second rank with contribution of 1166.57 cr. A big fluctuation in the field of health care can be observed apparently. Initially there was a decreasing trend in the amount on health care projects from 256.59 cr. in 2016-17 to 34.7 cr. in 2019-20. But a sudden increase is being displayed in 2020-21 with 309 cr. which may be effect of Covid-19 pandemic. It shows that RIL has done a commendable job in this period to support the nation by increasing the contribution on much needed areas of that time.

A very low contribution has been made on livelihood enhancement projects and environmental sustainability. Even share of Art and culture is continuously decreasing. The focus on environmental sustainability should be increased because our environment is getting adversely affected by these industrial units. The below figure helps in understanding the pattern in the easiest manner.

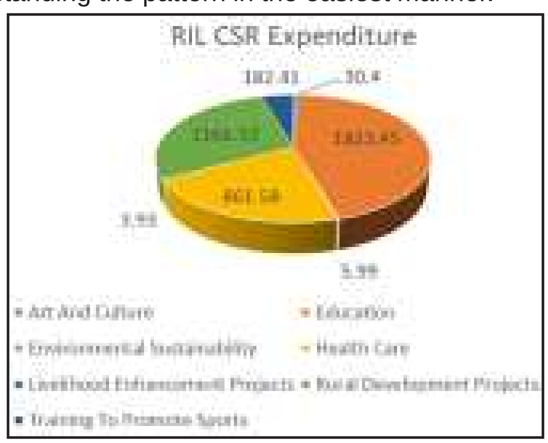

Figure 1: Pattern of CSR expenditure by RIL

The above figure shows that the maximum area of expenditure under CSR is covered by education sector with 44.75% followed by rural development projects with 28.63% during this period.

B. Analysis of TCS: TCS's spending on CSR has increased over the period of time. In most of the year, TCS has spent less than what is statutory required except in FY

2020-21. Perhaps due to Covid-19, it has contributed a significant amount to PM's Relief fund and it increased its contribution to up to a good level 2.2%. Its net profit reduced a bit in FY 2020-21 but it increased its CSR amount as a responsible corporate especially during the Covid times.

Table 3 (see in last page)

Analysis of pattern of CSR expenditure by TCS: The CSR contribution of TCS is continuously increasing year on year in this period. The maximum contribution (1165 cr.) is towards contribution to the Other Central Government funds as it stands at first rank among 8 criteria. By contributing to the Govt funds, it can be ensured that a big fund will be spent for a particular cause in structured manner. It also shows trust and confidence in the government.

Table 4 (see in last page)

The table 4 shows that projects related to Poverty, Eradicating Hunger, and Mal nutrition stand on second rank with contribution of 603 cr. which is again a great initiative in a developing country like India. As a responsible corporate, TCS has supported the nation and contributed a significant fund during the Covid times to PM Relief fund and health care. The Company has provided a fair amount for Education as well. A very low contribution has been made towards development of Art and Culture and environmental sustainability.

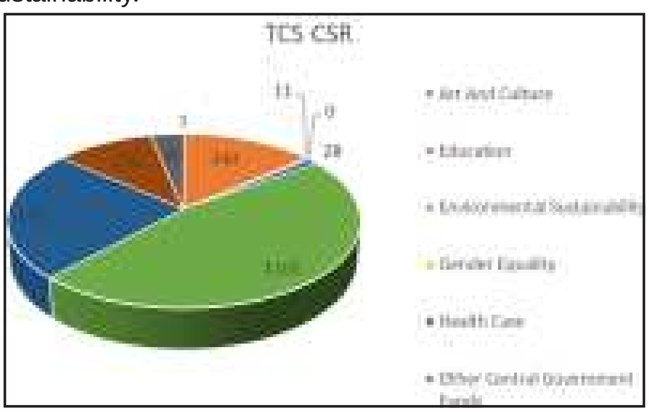

Figure 2: Pattern of CSR expenditure by TCS

The above figure, a pie diagram presents that approximately 50% contribution is made towards central Govt funds while others have little share.

C. Analysis of HDFC Bank: HDFC Bank's spending on CSR has increased over the period of time. In most of the year, during last 5 years, HDFC Bank has spent on and average 2% of its Net profits. During the year 2020-21, its spending got reduced even after increase in profits.

Table 5 (see in last page)

Analysis of pattern of CSR expenditure by HDFC Bank

The CSR contribution of HDFC Bank is continuously increasing in last 5 years covering 6 major areas of social benefits.

Table 6 (see in last page)

The table 6 shows that the maximum contribution (1651 cr.) is towards contribution to the Rural Development projects as it stands at first rank among 6 criteria. Projects related to healthcare and lively hood Enhancement also got contribution with a view to betterment for the Society. The Company has fairly contributed for Education as well. A very low contribution has been made towards development of environmental sustainability. The below figure having green colour in approximately 3/4 area is self-explanatory. Rest of areas are confined in 25% only.

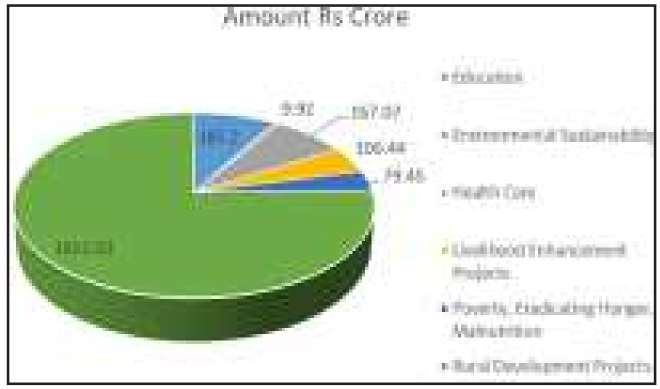

Figure 3: Pattern of CSR expenditure by HDFC Bank

D. Overall Analysis of CSR Expenditure:

The below table presents the CSR expenditure incurred by the selected companies. It shows that all the companies have increased their amount of contribution towards CSR in the sampled time frame of 5 years which depicts a positive step towards to be more ethical, social and responsible corporate house.

Table 7 (see in last page)

RIL is at the first position contributing the highest amount Rs. 4,074.3 cr. TCS stood at second rank contributing Rs. 2490 cr. followed by HDFC Bank which is at the last rank among all three companies during year 2016-17 to 2020-21. The growth percentage analysis presents a different picture that the highest growth in CSR expenditure from year 2016-17 to 2020-21 has been recorded by TCS with 77.37% followed by HDFC Bank with 74.85 %.

Conclusions and Suggestions: CSR plays an important role in sustainable development of any country. The overall analysis on the basis of various factors describes that top three companies in India are doing well in this field and are following rules and regulations of the Companies Act 2013. It can be inferred that RIL is the highest CSR contributing company in India followed by TCS and HDFC Bank. The highest growth rate in CSR contribution is reflected in TCS. The focused approach of all three companies reflects a foresightedness resulting long term fruits to the society and nation. The study points out that these three companies are covering most of the areas notified by the act for different social sections and some of the segments are completely untouched. HDFC bank has followed a concentrated approach that its contribution has been confined mainly towards rural development projects. This strategy explains

that these companies are not contributing for just name sake but a considerable amount is being spent for noble causes. Education, rural development projects, health care and central Govt funds projects are very well addressed yet the few left out areas are still struggling to be undertaken. Promoting gender equalities, empowering women, slum area developments, technological advancements, disaster management etc. are such fields that must be given adequate emphasis under CSR projects so that span of social welfare can be expanded. The firms should understand this fact firmly that CSR expenditure is not an actual expenditure but an investment which ultimately pay back to the companies in the form of stronger brand image, increased customer loyalty, better brand equity, easier access to funding from investors, committed key members and employees etc.

References:-

1. Desai, N., Pingali, V., and Tripathi, A. 2015. 'Is 2% the Solution? Experimental Evidence on the New CSR Rule in India,' Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA) Working Paper No: WP2015-03-09.
2. Gupta, A. K. The Study of Interrelationship between Financial Performance and CSR Expenditure of Power Sector PSUs. Pacific Business Review (International) Volume 14 issue 8 February 2022
3. Jayashankar, M., Paul, C. & Bhat, S. 2013. 'CSR Report Card: Where Companies Stand," Forbes India, March 18, 2013.
4. Kavitha P. 2018. "Trends and pattern of corporate social responsibility expenditure: a study of manufacturing firms in India" working paper 477, centre for development studies (Under the aegis of Govt. of Kerala & Indian Council of Social Science Research)
5. Manchiraju, H., Rajgopal, S. 2017. 'Does Corporate Social Responsibility (CSR) Create Shareholder Value? Exogenous Shock-based Evidence from the Indian Companies Act 2013,' Journal of Accounting Research, forthcoming.
6. Narayan, A. 2014. 'Being a Corporate Citizen in India: History and Situation Today,' Journal of Economy and Business, Vol. 8, pp. 1132-1139.
7. Rai, S., & Bansal, S. 2015. 'Factors Explaining Corporate Social Responsibility Expenditure in India,' Review of Market Integration, Vol. 7, No. 1, pp. 37-61.
8. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/indias-top-ten-most-valuable-companies-ril-tops-list-yet-again-but-adani-gains-most-in-a-year/articleshow/95914602.cms

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Table 1: Financial Data of RIL (Amount in Cr.)

RIL	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Grand Total
CSR	649.26	745.04	849.32	908.71	922	4,074
Turnover	250734	2,98,262	3,80,438	3,50,519	2,60,485	15,40,438
Net profit	31425	33,612	35,163	30,903	31,944	1,63,047
CSR % on Net profits	2.1%	2.2%	2.4%	2.9%	2.9%	2.5%

Table 2: Pattern of CSR expenditure by RIL (Amount in Cr.)

Segment	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Grand Total	%	Rank
Art And Culture	27.9	0.86	0.84	0.8	-30.4	0.75		5
Education	219.35	370.94	527.34	253.82	452	1823.45	44.75	1
Environmental Sustainability	2.91	0.34	0.37	0.37	2	5.99	0.15	6
Health Care	256.59	147.89	113.4	34.7	309	861.58	21.15	3
Livelihood Enhancement Projects	3.93	-	-	-	-	3.93	0.10	7
Rural Development Projects	138.58	181.9	158.72	577.37	110	1166.57	28.63	2
Training To Promote Sports	-	43.11	48.65	41.65	49	182.41	4.48	4
Grand Total	**649.26**	**745.04**	**849.32**	**908.71**	**922**	**4074.33**	**100**	

Table 3: Financial Data of TCS (Amount in Cr.)

TCS	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Grand Total
CSR	380	400	434	602	674	2490
Turnover	92693	97356	123170	131306	135963	580488
Net profit	23653	25241	30065	33260	30960	143179
CSR % on Net profits	1.6%	1.6%	1.4%	1.8%	2.2%	1.7%

Table 4: Pattern of CSR expenditure by TCS (Amount in Cr.)

Segment	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Grand Total	%	Rank
Art And Culture	0				1	1	0.04	8
Education	88	86	36	114	16	340	13.65	3
Environmental Sustainability	1	1	3	6	0	11	0.44	7
Health Care	-	-	-	-	28	28	1.12	6
Other Central Government Funds	205	182	99	306	373	1165	46.79	1
Poverty, Eradicating Hunger, Malnutrition	-	131	296	176	-	603	24.22	2
Prime Minister's National Relief Fund	0	-	-	-	256	256	10.28	4
Sanitation	86	-	-	-	-	86	3.45	5
Grand Total	**380**	**400**	**434**	**602**	**674**	**2490**	**100**	

Table 5: Financial Data of HDFC Bank (Amount in Cr.)

HDFC Bank	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Grand Total
CSR	305.42	374.55	443.78	535.31	534.03	2193.09
Turnover	81602.46	95,461.66	1,16,597.94	1,38,073.47	146063.1	577798.65
Net profit	14,549.64	17,486.73	21,078.17	26,257.32	31,116.53	110488.39
CSR % on Net profits	2.1%	2.1%	2.1%	2.0%	1.7%	2.0%

Table 6: Pattern of CSR expenditure by HDFC Bank (Amount in Cr.)

Segment	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Total	%	Rank
Education	25.11	41.29	48.52	70.28	-	185.2	8.44	2
Environmental Sustainability	1.01	0.73	0.71	0.25	7.22	9.92	0.45	6
Health Care	23.19	15.19	17.34	0.12	111.23	167.07	7.62	3
Livelihood Enhancement Projects	30.04	17.31	24.45	28.64	-	100.44	4.58	4
Poverty, Eradicating Hunger, Malnutrition	4.46	4.18	13.17	49.8	7.84	79.45	3.62	5
Rural Development Projects	221.61	295.85	339.59	386.22	407.74	1651.01	75.28	1
Grand Total	**305.42**	**374.55**	**443.78**	**535.31**	**534.03**	**2193.09**	100	

Table 7: CSR Expenditure of the selected companies (Amount in Cr.)

Name of the Companies	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	Grand Total	Growth Per -centage %	Rank
RIL	649.3	745.0	849.3	908.7	922.0	4,074.3	42.01%	1
TCS	380.0	400.0	434.0	602.0	674.0	2,490.0	77.37%	2
HDFC Bank	305.4	374.6	443.8	535.3	534.0	2,193.1	74.85%	3
Grand Total	1334.68	1519.59	1727.1	2046.02	2130.03	8757.42	59.59%	

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

'Bhasha Sangam' as a Significant Tool for Preserving Linguistic Diversity in India: An Analytical Study

Namrata Pathania* Dr. Bhumander Singh Jaswal**

***Asst. Professor (English) G. C., Bilaspur (H.P.) INDIA**
**** Asst. Professor (Commerce) G.C. Bilaspur (H.P.) INDIA**

Abstract - A nation may be described as a group of people living of their own volition under the same political order in the same state. The preconditions for an ideal nation are domicile in a compact geographical area, unity of race, religion, language, and culture,and a common history. India undoubtedly possesses geographical unity to such a degree that only a few nations can boast of. A common history is another strong force that binds the people of India together. However, it has been language, race, and religion, which have been the forces of division favouring separatist tendencies in the country. Taking stock of all the forces, favourable and unfavourable to the growth of cultural unity, the most prominent obstacle seems to be the variety of languages. Education Ministry launched the "Bhasha Sangam" initiative under the "Ek Bharat Shreshtha Bharat" mission, which marks the appreciation of the unique symphony of languages of our country and hence the celebration of linguistic diversity.
Keywords-Nation, Unity, Diversity, Bhasha-Sangam.

Introduction - Culture resides in a group of human beings called society. If a certain society has or aspires to have a political as well as cultural unity, it is called a nation. Nationhood as a political concept is not a new idea but has acquired new dimensions with the changing times, "The general idea of a nation is a group of men living under the same political order in the same state. But it is not an adequate definition. If different groups of people are living in the same state by a historical accident or under compulsion we are not justified in calling them a nation. As a matter of fact, the acceptance by people in some form or another of a certain political order is the very basis of the modern concept of nationhood"[1].Thus, a nation may be described as a group of people living of their own volition under the same political order in the same state. The preconditions for an ideal nation are domicile in a compact geographical area, unity of race, religion, language and culture and also a common history. India undoubtedly possesses geographical unity to such a degree that only a few nations can boast of. A common history is another strong force that binds the people of India together. However, it has been language, race and religion which have been the forces of division favouring separatist tendencies in the country.

Objectives: The foremost objective of this research paper is to find out the prospects of Cultural Synthesis in India. The paper also aims to find out the relevance of 'Ek Bharat Shreshth Bharat' mission and the role played by its"Bhasha Sangam" initiative to celebrate the linguistic diversity of the country by understanding and respecting languages other than one's mother tongue.

Research Methodology: The research isanalytical and qualitative in nature.The research work has taken into account the secondary sources—relevant books, critical articles, research papers and web-sites to realise its objectives.

Geo-Political Unity: A Boon: Either directly or indirectly, India's geography has been responsible to a large extent for its spirit of toleration. Directly, the influence of geography has operated through the vastness of the land as well as its climate. The vastness of the land has influenced the mind in two ways- Firstly, the great variety in landscape, climate and conditions of life, has inclined the mind to an acceptance of difference. Besides, the vast spaces have offered room for slow intrusion by newcomers and have allowed each locality unhindered scope of development along its own lines. On the whole, the Indian climate makes for languor and passivity. The geography of the country explains the peculiar features of Indian history, while the combined effects of geography and history show themselves in the domain of the spirit. Toleration and easy acceptance have been characteristic of India, "Geography has been largely responsible for the sense of Indian-ness, for rarely has a country been so clearly marked out to be a unity"[2]. India has been forbidden from the rest of the Asia by the barriers of the mighty Himalayas. The ocean on all other sides makes the country a compact territorial unit whose internal cohesion is matched by sharp differentiation

from all external lands. This clear demarcation from the outside world is matched by an equally insistent movement for unity within India. From the earliest times, kingdoms and dominions had been seeking to impose one common rule over the whole country. The legendary stories of the great epics, Ramayana and Mahabharata are the stories of unification. The geographic unity of the country has had its effects on the economic life of the people, "One geography has resulted in one economy."[3]

There is also political unity in the country.Politically, India is a sovereign state. The same constitution and same parliament govern every part of it. There is the same political culture marked by the norms of democracy, secularism and socialism, "...a systematic schooling in the theory and practice of modern democracy and the enlightened liberal outlook...the practical training in the rough and ready methods of representative government which the Indian people gradually received at all levels since Lord Ripon introduced local self government, gave a great majority of Indians a uniformity of political outlook"[4]. Although it has not been recognised till recently, the geo-political unity of India was always visualized by our seers and rulers. The expressions of this consciousness of the geo-political unity of India are found in Rig-Veda, in Sanskrit literature, in the edicts of Asoka, in Buddhist monuments and in various other sources. The ideal of geo-political unity of India is also reflected in the concepts of *Bharatvarsha* (the old indigenous classic name for India), *Chakravarti* (emperor), and *Ekchhatradhipatya* (under one rule).

Language Diversity: A Challenge to Cultural Unity: If one looks at the cultural situation in India, it is observed that though the old pattern of unity in diversity has preserved itself, the ground colour of unity has grown dimmer and the superficial colours of diversity have become more pronounced. Unless the citizens exert themselves to restore, perhaps with added emphasis on the common ground, the balance of the original design may be lost forever. Taking stock of all the forces, favourable and unfavourable to the growth of cultural unity, which are at work, something can be done to reinforce the former and check the latter. Beginning with the unfavourable factors, the most prominent obstacle to cultural unity is the variety of languages. There are in India separate groups of people with their own languages. While the famous linguist Grierson noted 179 languages and 544 dialects, the 1971 census on the other hand, reported 1652 languages in India which are spoken as "mother tongue." Not all these languages are, however, equally widespread. Many of them are tribal speeches and these are spoken by less than one percent of the total population.Thus, in India there is a good deal of linguistic diversity, "foreigners are inclined to think that Indians are not one people but, like the inhabitants of Europe, a motley group of peoples with different cultures showing some common elements"[5]. However, though the variety of languages in India is as great as in Europe and that of dress, food and the general mode of living is even greater; the community of spiritual and moral ideas and social institutions has given India an inner unity unknown to the world.

Still the fact remains that on account of linguistic barriers, people from different parts of the country generally meet as comparative strangers on all levels other than the religious one. Unless one happens to know English or Hindi, a man from the non- Hindi speaking regions finds it extremely difficult to make himself understood outside his own linguistic area. No doubt if he spends some time in a new place, he can pick up enough of the local language to get along but in spite of a common background of religious beliefs and thoughts in general, he cannot come in intimate contact with the people around him because there is no common medium for the exchange of deeper thoughts. Thus, until there is a link language and it is known throughout the country, effective cultural unity cannot be achieved. At the same time, a mere variety of languages could not be a prospective danger to the unity of the country if it were not accompanied by 'linguistic communalism'. It is the poison in our social organization, which poses a great threat to the unity of the nation.

Linguistic Communalism: "The consciousness of a group of people speaking the same language that makes them form a distinct community is natural and legitimate. But if it is associated with the feeling that those sons of the country living in the same area or an adjacent area who speak a different language are outsiders in the worst sense of the term and should be treated as such, then it assumes the ugly shape of linguistic communalism"[6]. This type of communalism is highly objectionable and very harmful to the national unity. Far more harmful and objectionable, however, is the tendency in a linguistic majority to withhold from the minority the safeguards guaranteed by the Constitution for preserving and promoting its language and culture, including the primary education of children through the medium of the mother tongue, or to discriminate against individual members of the minority in state services and other matters. It is this chauvinism present in our nation which has created a painful situation. After the states were reorganised on a linguistic basis, the cultural and other rights of linguistic minorities in each state have been disregarded in many cases.So when the question arises that how the boundaries of linguistic states should be redefined, there comes up tensions and conflicts in the border areas where each language group agitates for the inclusion of its domicile area in the state so that its mother tongue may become the official language.

Cultural Synthesis: A synthesis of the regional or group cultures into a common national culture is not an easy task. One attitude is the effort to revive the cultural life that prevailed during the Vedic Age and the Puranic Age. However, this would imply the exclusion of all those elements which have come from outside, especially those

associated with the Muslim invasion. They have been so intricately assimilated in the aesthetical, intellectual and social rubric of the country that it is near to impossible to separate them, "The attempt to separate these ingredients and get them out of the system through a process of blood-letting will never succeed. It will only enervate our culture and cause it to suffer from pernicious anemia"[7]. In fact, the dominating complexion of the present common culture is that of the north Indian culture. That is the reason of its limited influence over the South Indian culture. To be truly national it has to incorporate the best elements of the different regional cultures. This cannot be done without a cultural contact. Several important initiatives have been taken in this respect. The Union Ministry of Education started "Youth Festivals" in the late fifties annually. It was a platform for university students from all parts of the country to cohabitate and thus gives each other glimpses into the cultural life of their respective state and regions. They could exchange their ideas of music, dance, drama, paintings, sculptor etc.Another step taken in this direction is short term "Writers' Camps" arranged by the National Book Trust of India for bringing together the writers of the various regional languages. These writers published their works under the "Aadan Pradan" programme. Another scheme which has been adopted to pull down the barriers separating the various linguistic groups and hence awaken the spirit of cultural unity, the large scale "Exchange of Teachers". Under this exchange system, a selected teacher from each linguistic region who is well versed in several Indian languages is induced by liberal terms to offer his services in different linguistic areas for a considerable duration so that they enter into the sphere of regional culture and recognise in them local variants of the common culture of India.

Ek Bharat Shreshth Bharat: To take the synthesis of culture to new heights, "Ek Bharat Shreshtha Bharat" scheme was launched on 31st October, 2015 on the occasion of 140th birth anniversary of Sardar Patel. It is instrumental in synthesising the culture, traditions and practises of the different states, thereby strengthening the unity and integrity of India. The scheme aims:

1. To celebrate the "Unity in Diversity" of our nation to maintain and strengthen the fabric of traditionally existing emotional bonds between the people of the country
2. To promote the spirit of national integration through a deep and structured engagement between all Indian States and Union Territories
3. Tohighlight the rich heritage and culture, customs, and traditions of either State for enabling people to understand and appreciate the diversity, thus fostering a sense of common identity.
4. To establish long-term engagements and
5. To create an environment that promotes learning between States by sharing best practices and experiences.

"Ek Bharat Shreshtha Bharat" is not just a scheme but, "an emotion wherein different cultural units access varied geographies, coalesce and interact with each other, further allowing the heterogeneous and the cosmopolitan society to imbibe the innate chord of binding and brotherhood. It induces a sense of responsibility and ownership for the nation as a whole through these close cross-cultural interactions. This is vital for the spirit of nation-building and to ensure benefit to one and all. The idea is to create a learning ecosystem between the various stakeholders of the partnering states so that they benefit from the best practices of one another by establishing a state-to-state connection....The very first *Article* of the Constitution of India describes *India as a Union of States.* This means that *the Union is indestructible.* This unique Union is a diverse combination of religions, cultures, tribes, languages, cuisines and therefore its people. There is no country like India, quite as diverse, multilingual and multicultural, yet bound together by the ancient bounds of shared traditions, cultures and values."[8]

"Bhasha Sangam": Towards Praxis in Linguistic Unity: Education Ministry launched "Bhasha Sangam" initiative under the "Ek Bharat Shreshta Bharat" mission. Developed by the National Council of Educational Research & Training (NCERT), this aims to promote language learning as a skill among school students with formal credit earning system, "The Department of School Education and Literacy has initiated Bhasha Sangam- A Celebration of Linguistic Diversity which marks the appreciation of the unique symphony of languages of our country"[9].The initiative has been launched with an aim to teach 100 sentences in 22 scheduled vernacular languages in Devnagri script with translation in English.It is an expression of the shared dreams, hopes and aspirations for one India. Under Bhasha Sangam initiative it was planned to provide multilingual exposure to students in Indian languages listed in the VIII schedule of the Constitution of India. This initiative is just the beginning of the journey meant to create interest in these languages. In order to celebrate the unique cultural and consequent linguistic diversity of the country, Bhasha Sangam provides an opportunity to schools and educational institutions to provide multilingual exposure to students in Indian Languages. The objective is: to familiarize every child with simple dialogues in all the 22 languages under Schedule VIII of the Constitution of India, taking up one language on each working day, to enhance linguistic tolerance and promote national integration. The scheme works wholeheartedly by incorporating the following steps:

1. A short dialogue consisting of five simple, commonly used sentences has been designed in 22 languages for use by students of all classes. These sentences are at pages 1 to 22 of this booklet and have been arranged in alphabetical order of the language. It may be noted that the translations in Roman and Devnagari

scripts have been simplified for use by children.

2. Sentences from each language are to be shared with students everyday for 22 working days. Everyday only one language will be shared. A schedule in this regard giving the language of the day is placed at page ii of this booklet.
3. In case any school misses a language on any day, then it should continue with the schedule as at page ii and cover the missing language at the end.
4. A digital book with audio recordings of the dialogues is available on the website so that students can hear the correct pronunciations.
5. The suggested activities should be carried out in a joyful and interesting manner. Students have enjoyed the activities and participated with great enthusiasm wherever this initiative has been piloted. This initiative is not mandatory and there should be no formal testing of any kind.
6. Heads of schools may upload photographs and videos of daily activities under Bhasha Sangam.

Indeed, Bhasha Sangam is a great Initiative in promoting linguistic harmony,"22 languages are recognised by the Indian constitution in its VIII Schedule, but there are 47 languages which are taught in schools across the country. For instance, Khasi and Mizo are not in the VIII Schedule and are taught at the primary school level and we have sufficient number of textbooks in the non-scheduled languages too. For some languages, there is no textual material available and such languages are not taught in the schools. Based on the government's guidelines, NCERT through its curriculum and material has been making efforts to include all languages including non-scheduled languages to teach children at least at the primary level"[10].A source in NCERT says, "Our department has translated 100 sentences into 22 languages and also issued guidelines for schools on how to conduct activities related to this learning. A total of 108 sentences have been formed. There might be an instance where a Kashmiri student would be made to learn Tamil language. 'Bhasha Sangam initiative' can be presumed to be a language awareness programme."[11]

Conclusion: India is a land of unity in diversity and it is not only true about its people, languages, religions, customs and occupations but it holds true about its geographical features also. Today, whatever is Indian, whether it be an idea, a word, a form of art, a political institution or a social custom, is a blend of many different strains and elements. In spite of this derivation from many sources and the consequent variety of forms and types, there is a remarkable unity of spirit informing Indian culture throughout the ages. Unity and uniformity serve as the basis of the continuity of the Indian tradition. However, diversity also needs to be celebrated. Indian culture is an organic and harmonious synthesis of a large number of human cultural trends. Thus in-spite of the appalling diversity India is herself the great example of the doctrine of one in many. There is unity in diversity — a unity for more profound than that produced either by geographical isolation or by political suzerainty. In India there is unity that transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners and sects. The unique feature of Indian culture, civilization and its history lies in the continuity of religious practices and the spirit of tolerance by its people in all ages. The language diversity is no more a threat and being preserved and celebrated through the innovative "Bhasha Sangam" initiative under the "Ek Bharat Shreshtha Bharat" programme of the government of India. It is sure to take the cultural unity of the country to new heights.

Works Cited:-

1. Hussain, S. Abid. The National Culture of India. New Delhi: National Book Trust of India, 1985.p xxv. Print
2. Kabir, Humayun. The Indian Heritage. New Delhi: Asia Publishing House, 1962.p 40. Print
3. —. p.42. Print
4. Hussain, S. Abid. The National Culture of India. New Delhi: National Book Trust of India, 1985.p 174. Print
5. —. p.171.Print
6. —. p. 174. Print
7. —. p. 197. Print
8. Reddy, G. Krishna. "Building unity, synergies and convergence through Ek Bharat Shreshtha Bharat." Times of India, September, 20, 2021. timesofindia.indiatimes.com. Web
9. "Bhasha Sangam-Celebrating the Linguistic Diversity of India." https: //www.india.gov.in. Web
10. "Bhasha Sangam initiative to promote learning in regional languages." Times of India, November, 16, 2021. timesofindia.indiatimes.com. Web
11. ——.

References:-

1. https://ekbharat.gov.in
2. Ray, Shovana and Singh, J.K. "Unity in Diversity: Search for Common National Identity." IOSR Journal Of Humanities And Social Science. Vol.20, Issue 7, July 2015.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Study of Role of Government in Supporting Students Pursuing Entrepreneurship as a Career

Dr. Preeti Anand Udaipure*

***Assistant Professor (Commerce) Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Abstract - Entrepreneurship education is expected to make students understand the concept of entrepreneurship and prepare and inspire them to participate in future entrepreneurial activities. This empirical study examines how students view entrepreneurship education in the engineering field. The survey also explores what drives people to entrepreneurship and what barriers they see as barriers. The data collected were the opinions of her 150 students on student attitudes towards entrepreneurial education. Data were analyzed using various statistical tools. Students are very interested in starting their own companies. They believe that the most important qualities of a successful entrepreneur are risk taking, creativity, communication skills, and the ability to create a business plan. They are pushed to start their own businesses by internal factors such as pursuing their dreams or being their own boss. The biggest obstacle is lack of resources and experience.

Keywords- Entrepreneurship, College students, Student perspective, Government support.

Introduction - Sustainable development has gained prominence as the world enters the 21st century. To some extent, entrepreneurship can be understood as the process of establishing a new enterprise, which plays a significant role in sustainable development from the perspective of reducing poverty and unemployment. Increasing employment and economic growth are two of the many ways in which entrepreneurship has become a crucial tool for sustainable development.

Education and sustainable development are related. Many schools are beginning to incorporate sustainability education as a result of the United Nations' decision to make it central to its strategy to achieve sustainable development in 2015 (Annan-Diab and Molinari, 2017). The steps one takes to put one's own entrepreneurial ideas into action are known as "intentional behaviors." There is a positive correlation between entrepreneurial intention (EI) and entrepreneurial behavior. The combination of EI and EE can inspire students to take risks and create their own opportunities. Together with flexible and coherent public policies, EE promotes entrepreneurship (Bagiatis et al., 2019). Therefore, it is important to think about EE and related policies. To alleviate some of the stress college students feel when looking for a job, we examined the impact of company policies on her EI to determine whether EPo increases the interest of students undergoing EE and how can reveal how to manage the EI of stimulate better.

Theoretic Background

Entrepreneurship and entrepreneur: Schumpeter (1950) argued that entrepreneurial activity was at the heart of creative destruction, which he defined as the "discontinuation of something dominant in order to create something new to replace it." Because of his or her technical and capitalist prowess, the entrepreneur is able to seize the opportunities presented by the introduction of novel technologies that render some obsolete.

Ideas for new products or services and the identification of opportunities are grounded in cognitive processes, which Baron and Shane (2012) discuss. That considers that new ideas and the recognition of emerging opportunities occur with human cognition as a basic factor, and it becomes a critic factor of the entrepreneurial process. Furthermore, Lombardi, Lardo, Cuozzo, and Trequattini (2017) argue that the entrepreneur's absorptive capacity will increase, allowing him to produce more ideas that have the potential to become innovations.

Literature Review

Entrepreneurship Education: Business training expects to grant business venture information, abilities, and experience to understudies through business venture courses, business venture contests, and other preparation, to develop imaginative reasoning and ability to pioneer. The improvement of EE began in 1947 when Harvard Business College opened its board of directors for EE's main course, New Ventures, and has grown slowly since that point. EE in school guides students to practice a wide range of skills, such as the ability to identify open doors, the ability to move forward and mental toughness. For example,

undergraduates who want to break through in business participate in a series of EEs that help them develop their logical skills and instincts. In the constant change of rapid logical and mechanical events, EE develops more entrepreneurial talents with inventive spirit, undertakes more ventures, adapts to the pattern of the times, It can drive economic change in events (Henry et al., 2003).

Entrepreneurship Policy: The viable macro-, meso-, and micro-strategies implemented by governments to encourage entrepreneurship are known as 'entrepreneurship policies'. It was in his mid-1990s that academia began to take note of his EPO, and the term itself lacks a clear definition. According to Collins (2003), EPO refers to policies and incentives adopted by governments to encourage the creation and development of SMEs. Overall, governments around the world are taking steps to encourage entrepreneurship (O'Connor, 2012). As Hannon (2006) explains, many governments have made entrepreneurship a top priority to ensure long-term economic and social growth. Lack of access to venture capital, funding and political support means that many college students (most likely potential entrepreneurs) are reluctant to start their own businesses.

Entrepreneurial Practice: The term "Entrepreneurial Practice" refers to the set of actions that a business owner undertakes to develop a business. Research shows that starting a business is not a quick and easy task. Instead, there is a buffer period until full entrepreneurship is achieved (Buttler and Sierminska, 2020). Foundation-related experience is gained during this time. "Tacit knowledge," what some scholars call acquired hands-on experience, is essential to building a successful business (Hellmann and Thiele, 2019). Due to the highly practical nature of entrepreneurship, this is not something that can be taught in a classroom. Currently, EE in universities focuses on integrating theory and practice, giving students an opportunity to learn about and practice entrepreneurship firsthand.

Objective Of The Study:

1. To assess the proportions of engineering students who want to pursue entrepreneurship
2. To ascertain how the students feel about the necessity of including entrepreneurship in the engineering curriculum
3. To investigate how students view the value of entrepreneurship as a subject.

Research Methodology: The preceding discussion highlights the importance of teaching students the appropriate skill sets to become successful entrepreneurs. Each student's programme should be tailored to their specific requirements. In addition, entrepreneurship education needs to be spread beyond the business world. Therefore, the purpose of this study is to examine the topic of entrepreneurship education as a career from the students' own perspective. Below he formulated six research questions.

Primary data collected from students allowed us to answer the above research objectives. Data from engineering students has been considered because the study's focus is on entrepreneurship education in fields other than business. To do this, we create a carefully designed, closed-ended questionnaire for the students to fill out. Questions on the survey probe respondents' reasons for and against venturing into business ownership and their thoughts on the value of a formal entrepreneurship education. A pilot study is conducted before the questionnaire is distributed to the respondents to ensure the reliability and effectiveness of the instrument.

Experts in the field of entrepreneurship education were consulted in depth to ensure the validity of the questionnaire. Forty-five students participated in the pilot study. Cronbach's alpha was used to determine the reliability of the questionnaire. Results are shown in Table 1. Cronbach's alpha is a statistical method for evaluating the reliability of research instruments. Cronbach alpha values above 0.7 are generally accepted. This means the device is suitable for research. The Cronbach alpha for the study is 0.803, well above the minimum threshold of 0.6. As a result, it has been determined that the questionnaire is appropriate for the research. About 300 students at two engineering schools in India's National Capital Region filled out the final survey. All the schools are independent, and their students are in their last year of engineering school. Finally, 150 fully completed surveys have been analyzed

Data Analysis And Discussion: We used SPSS 16.0 to analyze the data collected in the questionnaire. Because survey questions are designed to answer research questions, the data analysis presented below presents the results by question.

The students were polled on their interest in and likelihood of starting their own businesses in the future. It was requested of them that they select one of the five given choices. Table 2 shows that 76% of students are interested in becoming entrepreneurs at some point during their academic careers, while 17.3% say they never want to go into business for themselves. The majority of college students (76%) want to start their own business at some point, but only 4% want to do so immediately. The majority of students (37%) want to start their business after completing between one and five years of college. Third-fifths of students plan to launch a business after spending five to ten years in higher education.

Table: 1 reliability information

No. of cases	Cronbach's Alpha	No. of items
55	0.803	10

Table: 2 Descriptive statistics

Options	No. of respondents	Percentage

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Never	26	17.3%
During College	6	4%
immediately following college	55	37%
one to five years following college	48	32%
6–10 years following college	15	10%

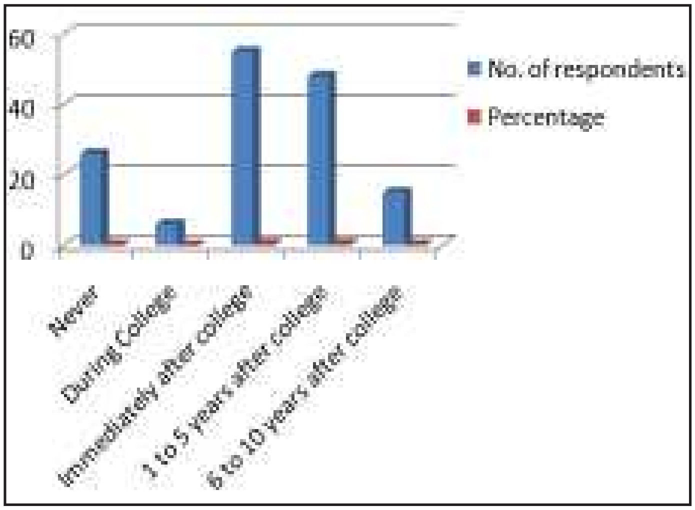

Additionally, a t-test was applied to the data to confirm the significance of the results. Table 3 shows the t-test results showing that the t-values are statistically significant with 95% confidence intervals. There is a statistically significant deviation of the mean from zero (=2.13). One possible inference is that most students plan to launch their own company either between the fifth and tenth years of college or the first and fifth years of their working lives.

So, it seems reasonable to assume that most students aspire to work in business eventually, but not right after graduation. Reasons for this could include gaining relevant work experience and/or saving up capital for the launch of the company.

All students were polled on their thoughts on whether or not they think engineering schools should offer entrepreneurship courses. Table 4 shows that analysis of student responses to the survey question about whether or not engineering schools should offer courses in entrepreneurship shows that 84% of students agree that these courses should be offered and that 34% of students strongly agree with this statement. Only 5% of students disagree that entrepreneurship education is in engineering courses. To examine the statistical significance of the results, a one-sample t-test was performed on the data in Table 5. At the 95% confidence interval level, the t-value is statistically significant. This suggests our findings are not due to random chance alone. There is a statistically significant deviation of the mean from zero (=1.14). The results suggest that engineering students believe that entrepreneurship instruction should be a part of the discipline's standard curriculum.

The results are consistent with other studies' conclusions that engineering schools ought to include entrepreneurship course. However, teaching entrepreneurship in engineering schools is still a rarity. Students have a wealth of innate entrepreneurial spirit, but engineering departments have been reluctant to nurture it. Some Indian Institutes of Technology have opened incubation centers, e-cells and other entrepreneurship initiatives, but the overall situation in India remains unfavorable.

Students were asked their opinion on two different statements to help with the previous question. There are two main points to keep in mind when it comes to entrepreneurship education.Firstly, it is beneficial even if students do not intend to start their own business, and secondly, entrepreneurs are born rather than taught.

Table 3 shows that 64% of students agree that learning about entrepreneurship is beneficial, even if they have no intention of starting a business, and only 8% disagree. Table 6 shows that while 22% of students believe it is possible to teach entrepreneurship skills in the classroom, 42% of students disagree and believe it is not possible increase. 18% of students are agnostic about this statement.

Table: 3 t-test with one sample for variable 2

Mean	t	df	Sig (2-Tailed)	Mean difference	92% Difference Confidence Interval	
					Lower	Upper
1.1.6	13.839	158	0.000	1.264	0.95	1.62

Test Value = 0

Table: 4 Descriptive statistics

Options	No. of respondents	Percentage
Strongly Agree	24	16
Agree	78	52
Disagree	30	21.3
Strongly Disagree	18	12

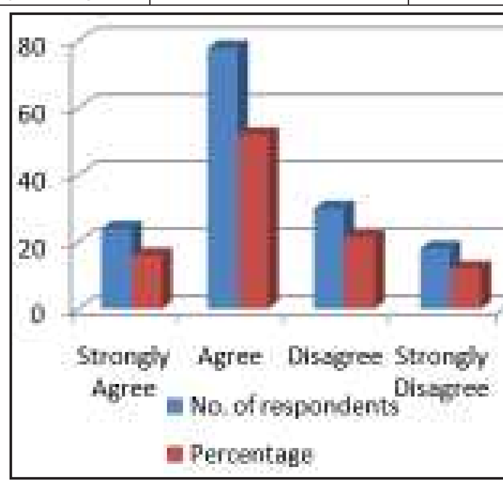

Table: 5Descriptive statistics (Variable 4)

Options	No. of respondents	Percentage
Strongly Agree	15	16
Agree	28	52
Disagree	65	21.3
Strongly Disagree	42	12

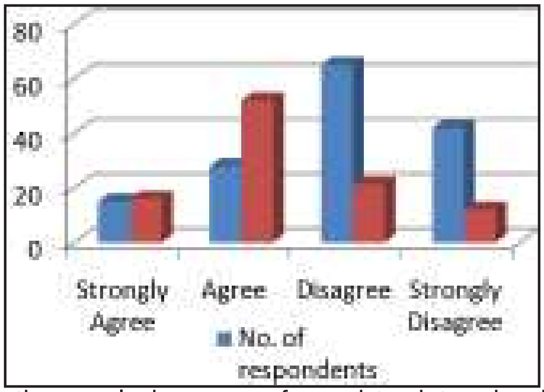

Further analysis was performed to determine if the responses showed a statistically significant deviation from a neutral mean value of zero. Data were subjected to one-sample t-tests, and the outcomes are presented in Tables 4 and 5. The data shows that there is a statistically significant gap between the mean values and zero. Even though Variable 3's mean value is only 0.61 and Variable 4's is only 0.78, these differences are not insignificant. One possible interpretation of this is that student's value entrepreneurship education but don't place a high priority on it.

Tables 4 and 5 provide an analysis that suggests students recognize the value of entrepreneurship education even if they have never taken a course in the subject. Teachers of entrepreneurship share their belief that it is worthwhile and that it helps students become better prepared for the business world. There is no formal curriculum for teaching entrepreneurship in schools across India. General discussion centers on how best to encourage students to become entrepreneurs while they are still in school. While others may argue that entrepreneurship training is only relevant for the advanced levels of schooling, we argue that it should be a part of every student's education from the start. Even if they have no interest in starting a business, all students should have access to entrepreneurship education. And we ought to have faith that entrepreneurship education can foster entrepreneurial behavior. Here are some lines from John Dearborn's (Dearborn, 2012) work that echo these ideas:

Table: 6 t-tests with one sample for variable 3

Test value = 0

Mean	t	df	Sig (2-Tailed)	Mean difference	92% Difference Confidence Interval	
					Lower	Upper
0.53	5.622	161	0.000	.573	.36	.72

Table: 7 t-tests with one sample for variable 4

Test value = 0

Mean	t	df	Sig (2-Tailed)	Mean difference	92% Difference Confidence Interval	
					Lower	Upper
0.82	9.892	161	0.000	.826	0.36	1.82

Conclusion: The purpose of this paper is to investigate engineering students' views on entrepreneurship education. Participants are undergraduates majoring in engineering who have never taken an entrepreneurship course. A well-designed questionnaire was used to collect primary data from students. Descriptive statistics and t-tests were employed to examine the data.

The results of the study show that students value the study of entrepreneurship highly and believe it should be incorporated into engineering curricula. They believe that the most important qualities of a successful entrepreneur are the ability to make decisions, the willingness to take risks, the ability to be creative, to communicate effectively, and to plan ahead. Being their own boss, following their passions, and making their own decisions are all important motivators for them to launch their own company. However, they are discouraged from taking the plunge into entrepreneurship on the spur of the moment due to insecurities. The biggest roadblocks are a lack of experience and financial resources. Given that the respondents in this study are college students who have never had the opportunity to take an entrepreneurship course, we might speculate that such training would give them the courage to try their hand at entrepreneurship. Policymakers, academics, and entrepreneurs who teach could all benefit greatly from this study's findings as they consider how to improve entrepreneurship education at the university level. The study's primary data collection areas are a major weakness. Since this is a regional study based on data from the National Capital Region of India, the results should be interpreted with caution.

References:-

1. Pizzi, S., Caputo, A., Corvino, A., and Venturelli, A. (2020). Management research and the un sustainable development goals (sdgs): a bibliometric investigation and systematic review. J. Clean. Prod. 276:124033. doi: 10.1016/j.jclepro.2020. 124033
2. Gartner, W. B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Acad. Manag. Rev. 10, 696–706. doi: 10.2307/ 258039
3. Urbano, D., Audretsch, D., and Maria, N. M. (2020). Does entrepreneurial activity matter for economic growth in developing countries? The role of the institutional environment. Int. Entrep. Manag. J. 16, 1065–1099. doi: 10.1007/s11365-019-00621-5
4. Annan-Diab, F., and Molinari, C. (2017). Interdisciplinarity: practical approach to advancing education for sustainability and for the sustainable development goals. IJME 15, 73–83. doi: 10.1016/ j.ijme.2017.03.006
5. Ginanjar, A. (2016). Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intention on Entrepreneurship Behavior: a Case Study. Paper presented at the 1st Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship.

6. Bagiatis, C., Saiti, A., and Chletsos, M. (2019). Entrepreneurship, economic crisis, and the role of higher education: evidence from Greece. Ind. High. Educ. 34, 177–189. doi: 10.1177/0950422219883832
7. Henry, C., Hill, F., and Leitch, C. (2003). Developing a coherent Enterprise support policy: a new challenge for governments. Environ. Plan. C: Gov. Policy 21, 3–19. doi: 10.1068/c0220
8. O'Connor, A. (2012). A conceptual framework for entrepreneurship education policy: meeting government and economic purposes. J. Bus. Ventur. 28, 546–563. doi: 10.1016/j.jbusvent.2012.07.003
9. Hannon, P. D. (2006). Teaching pigeons to dance: sense and meaning in entrepreneurship education. Educ. Train. 48, 296–308. doi: 10.1108/00400910610677018
10. Buttler, D., and Sierminska, E. (2020). Career or flexible work arrangements? Gender differences in self-employment in a young market economy. J. Fam. Econ. Iss. 41, 70–95. doi: 10.1007/s10834-020-09668-x
11. Hellmann, T., and Thiele, V. (2019). Fostering entrepreneurship: promoting founding or funding? Manag. Sci. 65, 2502–2521. doi: 10.1287/mnsc.2018.3074
12. Nelson AJ, Byers T. (2010), Challenges in University Technology Transfer and the Promising Role of Entrepreneurship Education, Kauffman: Emerging Scholars Initiatives.
13. Peterson, R. A. (1994). A meta-analysis of cronbach's coefficient alpha. The Journal ofConsumer Research, 21(2), 381. doi:10.1086/209405
14. Dearborn, J. (2012), The Unexpected Value of Teaching Entrepreneurship. Huffington Post. June 11, 2014. Retrieved on January 12, 2015
15. Collins, J. (2003). Cultural diversity and entrepreneurship: policy responses to immigrant entrepreneurs in Australia. Entrep. Reg. Dev. 15, 11–12. doi: 10.1080/0898562032000075168

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Importance of HR Analytics on Work-Life Balance of Employees

Juhi Joshi* Dr. D.D. Bedia**

*Research Scholar, Vikram University,Ujjain (M.P.) INDIA
** Associate Professor, Ex- Director of Jawaharlal Nehru Institute of Business Management, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract - Human Resource Managementcomprises of three words that is Human, Resource and Management. In Today's world to work efficiently and effectively companies such as public and private are very much dependent upon their human resource facility. New trends are getting introduced such as HR analytics.

HR Analytics is the use of data, statistical algorithms, and machine learning techniques to identify the key drivers of human resources (HR) performance and to forecast HR trends. This involves analyzing various HR-related data sets, such as employee turnover, hiring trends, and compensation data, to gain insights into the effectiveness of HR initiatives and to make data-driven decisions. The goal of HR Analytics is to help HR professionals make informed decisions that improve employee satisfaction, productivity, and overall business performance.

The aim of this research is to find out the various kinds of advantages occur in an organization because of HR Analytics. Nowadays work-life balance of employees getting highly effected, to improve work life balance of employees HR Analytics can be helpful.
Keywords- HR Analytics, Work-life balance, Human Resource Management.

Introduction HR Analytics: HR analytics is the practice of using data analysis techniques to measure and evaluate various HR metrics, such as employee performance, engagement, retention, and overall organizational effectiveness. The goal of HR analytics is to provide HR professionals with insights and information that can help them make data-driven decisions to improve the performance of their organization.

HR analytics involves collecting and analyzing data from various sources, such as employee surveys, performance evaluations, and HR databases. This data can then be used to identify trends, patterns, and correlations that may not be visible through traditional HR methods. By using advanced analytics tools and techniques, HR professionals can gain a deeper understanding of their organization and make more informed decisions about talent management, employee engagement, and other HR-related issues.

Some common applications of HR analytics include:

1. **Predictive analytics:** forecasting future workforce needs, identifying employees who are at risk of leaving, and predicting performance outcomes.
2. **Talent management:** identifying top performers, assessing potential, and creating development plans for individual employees.
3. **Employee engagement:** measuring employee satisfaction and identifying factors that contribute to engagement.
4. **Diversity and inclusion:** measuring diversity metrics, identifying areas for improvement, and monitoring progress over time.

Overall, HR analytics is a powerful tool that can help organizations optimize their HR strategies and improve overall business performance.

Work-life balance: Work life balance is a term where a person tries to manage his personal and professional life in a justified manner. An improper work-life balance made to suffer employees' various kinds of health-related problems such as Depression, Hypertension, Obesity, diabetes and stress related issues such as panic attack etc. To avoid this health-related issues, it is very important to have a proper and healthy work-life balance. Various thinkers and research scholars suggested fruitful suggestions like to give at least 30 minutes daily to Yoga and Meditation which helps to enhance the concentration level by reducing stress, to prioritize very important and important task in daily schedule, to have a proper communication with seniors and colleagues about any work-related issues etc. Work life imbalance is problem for both employee as well as organization so it is not possible only by solving this problem from employee' side, the organization must have to take some action regarding this problem because if employees are facing work life imbalance problem then their will be high number of attrition

rate, work related blunders which can't be rectified, low efficiency level, low productivity. The organizations are taking this problem very seriously and because of that many kinds of behavioral training such as time management, personality development, anger management, Yoga with Meditation sessions are given to employees by professional trainers for getting better results.

Objectives of Study:

1. To find out the impact of HR Analytics on work life balance of employees.
2. To find out the advantages of HR Analytics in today's world.

Methodology: This research is descriptive in nature and the findings have been done based on the data collected from secondary sources such as books, journals, websites, social media etc.

Literature review

Westwood. J & Cazier. J (2016). Describes about Work-Life Optimization: Using Big Data and Analytics to Facilitate Work Life Balance. This research is descriptive in nature and based on secondary sources such as Journals etc. This research explains that with the help of work life balance there is greater perceived quality of life and increase in organizational performance, it explains that with the help of right type of work life balance model a company can reduce turnover and enhance productivity. There is a term called Work- life optimization in which with the use of various kinds of technology such as business analytics the work-life balance of employees can be managed properly in an effective manner.

Nagpal. T, Jaiswal.A & Panchal.B, (2022) explains about the importance of HR Analytics practice for SMEs in NCR region. The researcher mentioned some importance of HR Analytics such as it improves the recruitment procedure, it helps to reduce attrition level, it improves the employees' experience, it makes the workplace productive, it helps in talent management etc. The objectives of this study are to find out the usage of HR Analytics in Human resource management of an organization, to identify that how much employees are satisfied with HR Analytics. For this research simple random sampling has been done and primary as well as secondary source of data is taken. The data technique which has been used are questionnaires, past records, interviews, observation, and relevant documents. In this research it had been found out that the application which is mostly used by employees is excel and then PowerBI, HR Analytics are perfect solution of HR practices, HR Analytics gives employees at the time solution, it gives security to employee's data.

Opatha. H, (2020) explains about HR Analytics and its conceptual model. There are some major objectives which the researcher tries to achieve, they are the meaning of HR Analytics and its importance, procedure of HR Analytics, to find out the new model of HR Analytics and to find out the challenges of HR Analytics. For this research literature survey has been done. The data has been collected with the help of surveys, observations, interviews, computerized system such as HRIS. Privacy is very important issue which can get misused, The data should be accurate to implement HR Analytics efficiently and effectively.

Ragimol, Sudha. A, Peterkumar. F, (2021)describes about effective workforce management using HR Analytics. This research is based on theoretical concept and secondary data has been collected from blogs, research papers and opinions from research scholars. Various challenges have been faced while working on HR analytics: some challenges are Lack of experience by HR Analyst, lack of actual data, sometimes HR not able to accept modern HR analytics and refuse any kind of change, lack of support of top management. Various opportunities have been mentioned by the researcher such as it helps to forecast Return on Investment, HR Analytics increases productivity of time, the results are very authentic and helps to take important decisions.

Findings: HR analytics can help maintain work-life balance of employees in several ways:

Identifying employee workload: HR analytics can analyze employee workload and identify areas where employees may be overburdened or underutilized. This can help HR managers to distribute work more equitably, reducing the risk of employee burnout.

Monitoring employee engagement: HR analytics can track employee engagement and identify areas where employees may be disengaged or stressed. By identifying these issues early on, HR managers can take proactive steps to address them and improve employee morale.

Analyzing employee feedback: HR analytics can analyze employee feedback, such as surveys and exit interviews, to identify areas where employees may be struggling to maintain work-life balance. This can help HR managers to identify patterns and trends and take steps to address them.

Identifying opportunities for flexible work arrangements: HR analytics can analyze data on employee work patterns, such as hours worked and days off, to identify opportunities for flexible work arrangements. This can help employees to better balance work and personal responsibilities.

Evaluating the effectiveness of work-life balance initiatives: HR analytics can track the impact of work-life balance initiatives, such as flexible work arrangements or wellness programs, to evaluate their effectiveness and identify areas for improvement.

Overall, HR analytics can provide valuable insights into employee work patterns and identify areas where work-life balance may be compromised. By using these insights to inform HR policies and initiatives, organizations can create a more supportive and balanced workplace culture that benefits both employees and the organization.

The impact of HR analytics on work-life balance of employees can be significant. By analyzing employee data,

HR analytics can provide insights into work patterns and identify areas where work-life balance may be compromised. This can help organizations to take proactive steps to improve work-life balance and create a more supportive workplace culture.

Some specific impacts of HR analytics on work-life balance of employees include:

Improved workload management: HR analytics can help organizations to identify workload imbalances and take steps to distribute work more equitably. This can reduce the risk of employee burnout and improve work-life balance.

More effective employee engagement: By monitoring employee engagement, HR analytics can help organizations to identify areas where employees may be disengaged or stressed and take steps to address these issues. This can improve employee morale and overall work-life balance.

Better use of flexible work arrangements: HR analytics can help organizations to identify opportunities for flexible work arrangements that can improve work-life balance, such as telecommuting or flexible scheduling.

Improved wellness programs: HR analytics can help organizations to evaluate the effectiveness of wellness programs and identify areas for improvement. This can help to improve employee health and reduce stress levels.

Overall, HR analytics can provide valuable insights into employee work patterns and help organizations to create a more supportive and balanced workplace culture. By taking proactive steps to improve work-life balance, organizations can improve employee retention and productivity, and create a more positive work environment.

Conclusion: In the end it can be concluded that there are various challenges as well as opportunities with HR Analytics and it saves organization time and energy to take important decision efficiently and effectively. For work life balance HR Analytics plays an important part because HR Analyst can find out the problems faced by employees by taking consideration of Exit Interviews and Feedback form and take corrective actions for achieving proper work life balance for employees.

References:-

1. Bhattacharyya. D (2017), HR Analytics: Understanding theories and applications, SAGE Publications, 26 May 2017.
2. Edwards. M & Edwards. K (2019), Predictive HR Analytics, Kogan Page, 3 March 2019.
3. Kale. H, Aher. D & Anute. N, (2022), HR Analytics and its Impact on Organizations Performance, *International Journal of Research and Analytical Reviews*, August 2022, Volume 9, Issue 3, P- ISSN 2349-5138.
4. Kelly. M (2011), Off Balance: Getting Beyond the Work-Life Balance Myth to Personal and Professional Satisfaction, 15-Sept-2011.
5. Manchanda. P, Gulati. S, (2018), HR Analytics at Work: Making More Powered Organizations, *Effulgence*, Vol. 16, No 1, special issue 2.
6. McNeff. D (2021), The Work-Life Balance Myth: Rethinking Your Optimal Balance for Success, McGraw Hill Professional, 23-Feb-2021.
7. Nagpal. T, Jaiswal.A & Panchal.B, (2022). To Study the Importance of HR Analytics Practice for SMEs in NCR Region, *International Journal of Management and Humanities,* ISSN: 2394-0913, Volume-8 Issue-9, May 2022.
8. Opatha. H, (2020), HR Analytics: A Literature Review and New Conceptual Model, *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 10, Issue 6, June 2020, ISSN 2250-3153.
9. Peter. M, Kavitha. S (2020), A STUDY ON EMPLOYEE WORK LIFE BALANCE AS AN HR IMPERATIVE, *International Journal of Management*, Volume 11, Issue 2, February 2020, pp. 271–276.
10. Ragimol, Sudha. A, Peterkumar. F, (2021), Effective Workforce Management using HR Analytics, *International Research Journal on Advanced Science Hub,* Volume 03 Issue 06S June 2021.
11. Tariq. A, Aslam. H, Siddiqui. A & Tanveer. A,Work-Life Balance as a Best Practice Model of Human Resource Management: A Win-Win Situational Tool for the Employees and Organizations, *Mediterranean Journal of Social Sciences,* Vol. 3 (1) January 2012, ISSN 2039 2117.
12. Westwood. J & Cazier. J (2016). Work-Life Optimization: Using Big Data and Analytics to Facilitate Work Life Balance, *Hawaii International Conference on System Sciences,* 2016, 49th.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Role of E-Commerce in Business

Dr. Archana Singhal*

*Assistant Professor (Economics) D.A.V. (P. G) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

Abstract - E-commerce is a boom in the modern business. E-commerce means electronic commerce. E-commerce (Electronic commerce) involves buying and selling of goods and services, or the transmitting of funds or data, over an electronic network, predominantly the Internet. E-commerce (Electronic commerce) is a paradigm shift influencing both marketers and the customers. Rather e-commerce is more than just another way to boost the existing business practices. It is leading a complete change in traditional way of doing business. This significant change in business model is witnessing a tremendous growth around the globe and India is not an exception. A massive internet penetration has added to growth of E-commerce and more particularly start-ups have been increasingly using this option as a differentiating business model. Moreover E-Commerce has significant influences on the environment. Although the model is highly used in current business scenario but the option has not been explored at its fullest. The current research has been undertaken to describe the scenario of E-Commerce, analyze the trends of E-Commerce. The study further examines the key variables imperative for the success of E-commerce business models.

Introduction - In the past few years, enterprises across the globe have experienced significant changes in their business information system. Huge investments were made in enterprise resource planning system implementations but still they struggle to get timely information that is needed to make effective business decision and to ensure continuous growth of enterprises. Placing "e" in front of any process or function seemed to be the magic prescription for never ending story of success and rapid returns for enterprises. E-business, e-procurement, e-sales, e-payment, e-banking, e-CRM, e-CAD, e-delivery are just a few. Internet, for example is becoming one of the most popular medium in transmitting various data. Users can find any kind of information within a shorter time compared with conventional method that consumes more time.

The emergence of the Internet throughout the world has been contributing such a variety medium in doing business as well as people lifestyle. In fact, Internet is the essential prerequisite for the existence of E- commerce. Electronic commerce or e-commerce has been defined as the ability to perform transactions involving the exchange of goods or services between two or more parties using electronic tools and techniques (Yonah, 1997). The explosion of E-commerce has created new phenomena in our lifestyle especially in shopping activities. Consumers can easily buy products or services like magazines and airlines tickets via Internet.

Objective of the Study:

1. To get a full acquaintance of the E-commerce in India.
2. To identify the benefits of E-commerce in business.
3. To know the challenges in E-commerce and digitalization in business.

Research Methodology: The paper has been written on the basis of secondary data. The secondary data were collected from published books, journals, research paper, magazines, daily newspaper, internet and official statistical documents. The study is qualitative in nature.

What is e-commerce?

E-commerce (electronic commerce) is the buying and selling of goods and services, or the transmitting of funds or data, over an electronic network, primarily the internet. These business transactions occur either as business-to-business (B2B), business-to-consumer (B2C), consumer-to-consumer or consumer-to-business.

The terms e-commerce and e-business are often used interchangeably. The term e-tail is also sometimes used in reference to the transactional processes that make up online retail shopping. In the last two decades, widespread use of e-commerce platforms such as Amazon and eBay has contributed to substantial growth in online retail. In 2011, e-commerce accounted for 5% of total retail sales, according to the U.S. Census Bureau. By 2020, with the start of the COVID-19 pandemic, it had risen to over 16% of retail sales.

What are the different types of ecommerce?

Ecommerce is an essential part of many businesses that rely on the sale of physical products or services online. Here are the main kinds of ecommerce:

RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Business-to-consumer (B2C): B2C is the most common kind of ecommerce. When shoppers buy something from an online store, they are involved in business-to-consumer ecommerce.

Business-to-business (B2B): B2B is when businesses sell raw goods or parts through e-commerce to other companies that will then use those materials to create their own products.

Consumer-to-consumer (C2C): C2C ecommerce is when consumers sell to other consumers. Sites like eBay and Craigslist are examples of this kind of ecommerce.

Consumer-to-business (C2B): C2B ecommerce is when consumers sell their products or services to businesses.

Business-to-administration (B2A): B2A ecommerce refers to transactions between businesses and public administration, which includes areas such as Social Security, employment and legal.

Consumer-to-administration (C2A): C2A ecommerce refers to transactions between consumers and public administration, where consumers pay for services like taxes and legal document preparation.

Importance of E-commerce: Here some points through these us easily define the importance of e-commerce

1. Wide Platform: E-commerce provides lots of customers across the nation or globe to your business. If anyone makes it business vast, it is a wise choice to choose e-commerce.

2. Convenience: Through E-commerce, you improve your business by convincing customers to buy your products. You can sit anywhere in the world but you can easily advertise your product and sell it through the internet.

3. Easy setup: E-commerce is very inexpensive. The setting up cost of e-commerce business is very low rather set up of a physical shop. It is also very easy to promote your e-commerce business

4. Lesser cost: E-commerce is less expensive than other businesses. There are also fewer chances of risk. All activates done online so there is no need for physical stores. And also saving of other and like rent and electricity bill etc.

5. Round the clock service: E-commerce services all the time available to customers at all times even in the midnight. The customers do not need to visit a physical market if they require anything in the night. It is very helpful for those people who are usually busy with their working routines. So it helps the customers in 24 hours.

6. Keep Eye on Consumers' Buying Habit: The main benefit of e-commerce it can easily keep eye on customer's activities about product. Through this we can easily know about customer requirements. By fulfil their needs all time, you can improve your relationship with customers and build a strong relation with them.

Barriers to adoption of ecommerce: As we mentioned earlier, despite the many benefits of ecommerce, many businesses, especially small-to-medium enterprises (SMEs) remain to be laggards in digital. This is mainly because digitizing, even just a part of the business operations entails an investment. Some other common barriers to adoption that you may be faced with are:

1. Lack of awareness about the technology;
2. Business opportunities are scant;
3. Restrictions in terms of time and monetary resources, and;
4. Concerns about the security of transaction facilities.

These factors considered, it becomes crucial to SMEs to assess the advantages and disadvantages of ecommerce and evaluate whether the benefits outweigh the costs, or not. If you're in such a dilemma, below you'll find some key roles of ecommerce in selling and overall business that you should thoroughly study before making your decision.

E-Commerce Trends in India: The purchasing of products and services through e-commerce enables shoppers to select when and where to buy and to study the commodity, the vendor and other choices available. The availability of online information has revolutionized the buying process. Almost anything that can be purchased in a shop, including perishable items such as food, can be purchased through e-commerce. And customers around the world have taken up these opportunities. In all spheres of industry, from services provides to the customer to the design of the new product, the influence of e-commerce already exists. It offers new forms of company knowledge to meet and communicate with consumers, such as internet advertisement and commercialization, order fulfilment online and customer support online. At least a phase in the purchase life of the WWW is still being used for e-commerce. It may also minimize costs of order processing and communicate with a large number of vendors and trade partners, which generally bring substantial overheads to product and service costs. E-commerce provides tremendous opportunities for emerging countries such as India. It is still in its infancy in India, but even the most negative forecasts suggest a boom. In recent years, it has been noticed growth in the multiple of electronic commerce organizations. Instead of advertisement sales, big Indian websites have pushed into e-commerce.

There are number of services and products such from flowers, greeting cards, multiplex tickets to grocery shops, mobile devices, machines etc. are now available in several

locations. Electronic commerce has expanded its reached the stage to even sell the dung patties of cow like hotcakes. In 2016, the Indian market in electronic commerce is supposed to hit a $38 billion level, a huge leap over the Industry's $23 billion in sales in 2015, a study by Assocham said. Increased internet and smartphone usage, increased adoption of online purchases and optimistic demographics have given businesses with a rare ability to contact their clients. On the other hand, as a healthy and secure companion to electronic commerce, mobile commerce (m-commerce) has evolved rapidly. Online shopping via smartphones is a game-changer. M-commerce is expected to add up to 70% of its overall sales.

Conclusion: In summary, in the years to come, the industry of electronic commerce will be a one of the leading sector in the field of electronic business. The revolution in electronic commerce has huge positive impact on the transaction industry by fast offering new markets and crossing edges. It greatly affected the conventional market system inthe world and made it possible to improve the lives of people. Although it provides customers and sellersrewards, e-commerce poses conventional businesses with obstacles to a sustainable place. Developing countries pose a range of challenges to the effective conduct of e-commerce when contrasting it with developing countries. When Internet prices are minimal, e-commerce flourishes quickly and many companies are typically drained. Convenience is one of the major advantages of electronic commerce for consumers and thus increasing customer loyalty. This is because consumers can put orders via internet access from anywhere they are Company e-commerce offering a seamless operation and multiple payment choices should be essential to any customer and provide more functions accessible online. Other advantages include expanded products and enhanced regional coverage. However, e-commerce companies face many challenges in their expansion.

References:-

1. R. E. Walch, "Electronic commerce," in Key Aspects of German Business Law (Fourth Edition): APractical Manual, 2009.
2. E. Turban, J.Whiteside, D.King, and J.Outland, Introduction to Electronic Commerce and Social Commerce. 2017.
3. E. E. Grandon and J. M. Pearson, "Electronic commerce adoption: An empirical study of small and mediumUS businesses," Inf. Manag., 2004, doi: 10.1016/j.im.2003.12.010.
4. "E-Commerce and E-Business," in Information and Communication Technology in Organizations: Adoption, Implementation, Use and Effects, 2012.
5. D. Peterson, "Introduction to E-commerce," in Financial Services Information Systems, 2000.
6. A. G. Khan, "Electronic Commerce: A Study on Benefits and Challenges in an Emerging Economy," TypeDouble Blind Peer Rev. Int. Res. J. Publ. Glob. Journals Inc, 2016.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Exploration of Factors for the Usage of E-Banking Services

Srasti Shukla*

*Research Scholar (Commerce) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - E-banking services have gained traction in the digital era, and demand is expanding on a daily basis as companies attempt to match customers' expectations. Because of technological improvement, innovative methods have played a vital part in determining customer qualities and implying such ways to make more innovative. Digitalization has brought numerous new difficulties to the banking sector and has put the world on one step. Many research have been undertaken on e-banking services because of their accessibility, security, authenticity, quick transactions, confidentiality, and so on. In this study, such studies were evaluated and the factors linked to e-banking services were investigated.Many models have been addressed in this study who are the forerunners of technical breakthroughs and witnesses of rising trends and challenges in offering services to clients with a single click. The study has selected 175 customers of SBI in Indore District. Through factor analysis, new dimensions have been identified such as; trustworthy, security, accessibility, ease of use and IT services.

Keywords- E-banking services, trustworthy, security, accessibility, ease of use and IT services.

Introduction - The power of computers has brought about a rapid change in the growth of technology, and it continues to make inventions and make access viable and affordable for the general public. The hurdles to technical accessibility have now vanished because one has the power and ability to employ in a broader context. People are more at ease when using the applications. As a result, it is preferable for practitioners and researchers to delve deeper into understanding people's intentions, such as why people resist using technology, how they respond to technology, and how we can implement technology in society by convincing them that these technologies are for their benefit rather than their detriment. Intention models on the determinants of user behaviour have been proposed by information systems researchers from social psychology as a suitable theoretical framework for study convincing them that these technologies are your help not to pass out (Swanson, 1982).

Banking services in India have seen numerous modifications. R. Bhatt (2011). Accessing the account from a remote location is no more a luxury, but rather a necessity in today's environment. Internet banking is one such service. Internet banking is extensively used since it saves time and money for both the bank and the customer. Customers are transformed as a result of this attitudinal preference. As such, attitude is a fictitious construct that depicts an individual's like or disliking of a particular object or item. An object's attitude might be positive, negative, or neutral.

E-Banking Services

The popular services covered under E-banking include: -
Automated Teller Machines (ATM)
Credit Cards I Debit Cards I Smart Cards I
Electronic Funds Transfer (EFT) System,
Mobile Banking I Internet Banking I Telephone banking I
Electronic Clearing Services
Automated Teller Machines (ATM)

Benefits Of E-Banking - The main preferred position of bank clients' vision is the enormous reserve funds of time with the mechanisation of banking administrations and to give a simple upkeep device to the administration of the client's riches. The primary benefits of e-banking for corporate customers;

Increased solace and time investment funds - Exchanges should be possible 24 hours a day, seven days a week, without the need for physical support from the bank.

Rapid and consistent admittance to data - Corporations will have easy access to data; they will be able to check many records with the click of a button.

Better put money on the board. E-banking offices accelerate the money cycle and increase corporate efficiency because banks offer massive money management tools accessible on web sites. It is possible to manage temporary funds with web banks (in securities and values, in business papers, in securities and value, in currency market reserves).

Low Cost - It is about the cost of profiting and using various

financial items and services.

Convenience - All financial transactions should be possible from the comfort of one's own home or office, or from the location of a client.

Speed -Because medium responses are swift, the client can really hold out till the final time before the finance move closes.

Fund Management - Customers can download and analyse their history of numerous records before researching any exchange on the web. The executives will preferentially reserve this.

Literature Reviews

E-banking is an innovation that occurs when new information technologies are combined with traditional financial services. The primary reasons that drive the growth of e-banking services are the reduction of operating costs and the increase of income (Sannes, 2001; Reibstein, 2002). Because e-banking is essentially self-service for customers, it necessitates less resources and cheaper transaction and production costs for banks (Southard and Siau, 2004; Witman and Poust, 2008). A research of e-banking from 1999 to 2006 found that the use of e-banking can increase bank performance in terms of asset growth, operational expense reduction, and portfolio enhancement (Dandapani et al., 2008). Sraeel (1996) emphasises that developing virtual banking would not only establish a new service delivery channel, but will also result in value creation for both banks and clients (Hwang et al., 2007; Murphy, 2007). According to AmatoMcCoy (2005), users would be drawn to e-banking when advanced e-banking services such as e-transfer and e-bill alternatives are accessible.

Jenkins (2007) discovered that banks on a tiny island were utilising e-banking as a guarantee to their clients in order to maintain a competitive quality of service by interviewing banks and studying their e-banking websites from 2004 to 2006. Mortimer et al. (2015) investigated mobile banking motivation elements that influence a user's inclination to embrace technologies in Asian economies in their research. They gathered information from 348 respondents in Thailand and Australia via a web-based poll. Path and invariance analyses, as well as exploratory and confirmatory factor analyses, were used to analyse the data. The study's findings show that PU, PEOU, and perceived risk influence consumer intention in Australia.

E-banking has grown quickly in developing countries during the last decade (Akinci et al., 2004). According to their findings, there are considerable disparities in consumer attitudes and adoption of e-banking between the two categories, e-banking users and non-e-banking users, in terms of demographic profiles, attitudinal qualities, and preferences for service delivery channels. In 1995, there were only 6000 computers connected to the internet and 40,000 internet users in China, but by the end of June 2001, there were 10.2 million internet-connected computers and 26.5 million internet users nationwide (Zhao, 2002). According to Lu et al. (2005), one of the primary strategic reactions of Chinese banks prior to entering the WTO was to promote e-banking to a more competitive environment, despite the current lack of a realistic client credit system. In another study, Laforet and Li (2005) investigate the market position of e-banking and m-banking in China by identifying target customers, demographic characteristics of users and non-users, and comparing their views towards e-banking adoption.

They find that security concerns, perceived hazards, a lack of computer skills, and a Chinese history of cash-carry banking contributed to a lack of awareness of such services in China. The development of Internet Banking is also owing to the numerous benefits it provides to both the supplier and the customer. These are mostly related to cost savings from the bank's perspective (Sathye, 1999; Robinson, 2000), and online banking remains one of the cheapest and most efficient delivery routes (Pikkarainen et al, 2004). Other reasons for adopting such services include competition, as internet banking strategy has been an interesting way to retain existing customers and attract new ones (Robinson, 2000), as well as the numerous benefits to banks, such as mass customization, more effective marketing and communication at lower costs, and so on (Tuchila, 2000). End-user benefits are numerous as well, and include, among other things, service convenience (time saved and globally accessible service), cheaper transaction costs, and more regular account monitoring (Pikkarainen et al, 2004). However, it should be emphasised that some clients are still hesitant to use Internet banking since they are concerned about the security of such a system.

Objectives of the Study:

1. To identify the factors related to e-banking services.

Research Methodology: For the study, total 175 customers of State Bank of India have been chosen from the Indore District and through questionnaire their opinions were solicited on e-banking services and this has brought dynamic changes and trends. The selection of customers were based on the convenient sampling method. On SPSS, t-test was applied to identify the factors related to the dimensions of e-banking services. E-banking services are known as emerging issues and start a revolution in the digital era.

Results

Factors that Influences Usage of E-Banking Services: The outcome related to identified dimensions and their constituent factors can be further explained in the following manner:

The **first dimension** 'Efficiency of use' comprised of six variables namely; Carry out banking transactions either from their homes or offices (variable load = 0.824), E-banking encompasses a number of products and services (variable load=0.784), E-banking is one-stop outlets offering diverse financial products to the customers (variable load=0.776), Efficient management of finances is possible

(variable load=0.760), E-banking makes banking transactions easy to conduct (variable load=0.677) and E-Banking is hassle free (variable load = 0.524). The total load of this dimension is 4.345. The factor explained 19.121 percentage of variance.

Table 1 (see in last page)

The **second dimension** 'Accessibility' comprised of six variables namely; E-banking confirms the potential of digital technologies for the banking sector (variable load = 0.800), Enables bank to offer real-time transactions and integrate all customer related functions (variable load=0.768), Use of Information technology eliminates the need for going to bank directly (variable load=0.741), E-banking is compatible to modern lifestyle (variable load=0.684), E-banking improves flexibility of business transactions (variable load=0.638) and E-banking ensures greater control over finances (variable load = 0.502). The total load of this dimension is 4.133. The factor explained 18.326 percentage of variance (see Appendix).

Table 2 (see in last page)

The **third dimension** 'Security' comprised of six variables namely; E-banking provides accurate information (variable load = 0.819), E-banking is eco friendly (variable load=0.804), E-banking services are secure in operating (variable load=0.639), There is no time constraint of banking transactions (variable load=0.625), Pay bills regularly through E- payment mode (variable load=0.587) and Use of cashless instruments (variable load = 0.544). The total load of this dimension is 4.018. The factor explained 15.067percentage of variance.

Table 3 (see in last page)

The **fourth dimension** 'Trustworthy' comprised of six variables namely; Usage of E-banking is trustworthy (variable load = 0.796), E- banking is free of cost service (variable load = 0.754) and Service quality (variable load=.721). The total load of this dimension is 2.271. The factor explained 11.531 percentage of variance.

Table 4 (see in last page)

The **fifth dimension** 'IT Services' comprised of six variables namely; Well versed with usage of internet and intranet services (variable load = 0.619), Well equipped with computer and peripheral devices (variable load = 0.592) and E-banking provides fast services (variable load=.590). The total load of this dimension is 1.801. The factor explained 11.531 percentage of variance.

Table 5 (see in last page)

Conclusion: The study investigated the aspects and characteristics that influence the adoption and continued use of e-banking services. The first order factor analysis yielded twenty-two imperative factors: sufficient information, security, trustworthiness, efficiency in services, task performance, easy accomplishment, frequency of use, accessibility, instant information, control of government, satisfaction, saving time, recommended to use, convenient, utility, accuracy in payment, offering best services, increased productivity, fulfilled expectations, encourage to use, and benefits.

According to studies, the most commonly used e-banking services include inter account transfer, payment to other personal accounts, transfer to credit card account, mobile phone recharging, standing order transactions, savings, current and fixed deposit account application, and debit/ credit card. Without a doubt, research show that e-banking reduces transaction time as well as crowding at banks. One can quickly transfer money, recharge vouchers, open FDs, and so on while sitting at home or online. Few banks have successfully provided full-service internet banking. Banks have not only given customers with e-banking services, but they have also enhanced customer satisfaction. People in India are still not entirely aware of the benefits of e-banking, but those who are tech savvy are successfully using it. Customers used to go to the bank, insurance firms, and train stations for various purposes and would stand in long lines for hours and hours, but now many people choose e-banking to save time, energy, petrol, money, and so on. The important thing to remember is that consumers must be technically savvy in order to successfully use the e-banking service. Banks should also instil confidence in their clients that e-banking is secure.

The research findings clearly indicate that the drive for ease of banking and convenience is favoured by customers, and hence banks should identify alternative strategic approaches meant to improve service delivery, whether human or technological in nature. It is critical to remember that no technology can completely replace human interaction. In the near future, computers cannot be made to work smarter than humans. Personal preferences, intuitions, likes, dislikes, and so on will continue to dominate how people interact with their service providers, consumers, and other counterparts. Technology will facilitate transactions, but the person behind the technology will be the most important and have the last say.

Suggestions: On the basis of results, some measures have been suggested:

1. There would be transparency in the banking sector's operations.
2. Customers must have confidence in e-banking services if the transaction is secure and safe.
3. Websites must be designed such that they are easy to navigate and accessible to customers.
4. The issues that arise while accessing must be rectified.
5. The information displayed is accurate and useful to the customers.

References:-

1. Afshan, S., A. Sharif, N. Waseem & R. Frooghi (2018) Internet banking in Pakistan: an extended technology acceptance perspective. International Journal of Business Information Systems, 27, 383-410
2. Akinci, S., Aksoy, S. and Atilgan, E. (2004). Adoption

of internet banking among sophisticated consumer segments in an advanced developing country. The International Journal of Bank Marketing, 22, (2–3), 212–219.

3. Amato-McCoy, D.M. (2005). Creating virtual value', Bank Systems and Technology. 42, (5), 22–27.
4. Arif, I., S. Afshan & A. Sharif (2016) Resistance to adopt mobile banking in a developing country: evidence from modified TAM model. Journal of Finance and Economics Research, 1, 23-38.
5. Broderick, A. and Vachirapornpuk, S. (2002). Service Quality in Internet Banking: The Importance of Customer Role. Marketing Intelligence and Planning, 20, (6), 327-335.
6. Calisir F. and Gumussoy, C. A., (2008). Internet banking versus other banking channels: Young consumers' view. International Journal of Information Management, 28, 215-221.
7. Centeno, C. (2004). Adoption of Internet services in the Acceding and Candidate Countries, lessons from the Internet banking case, Telematics and Informatics, .21, 293-315.
8. Dandapani, K., Karels, G.V. and Lawrence, E.R. (2008). Internet banking services and credit union performance. Managerial Finance, 34,(6),437–447.
9. Fest, G. (2007). Internet banking: luring the laggards will require enhancements: banks need added functionality to interest the millions of households yet to enrol in web banking. Vendors are adapting their wares accordingly. Bank Technology News, 20,(5),18.
10. Fishbein, M. & I. Ajzen. 1975. Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Business review. Vol. 5 (1), pp.90.
11. Guerrero, M. M., Egea, J. M. O. and Gonzalez, M. V. R. (2007). Application of the latent class regression methodology to the analysis of Internet use for banking transactions in the European Union. Journal of Business Research, 60, 137-145.
12. Han, L. (2008). Bricks vs. clicks: entrepreneurial online banking behaviour and relationship banking. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 14(1), 47-60.
13. Kolodinsky, J.M. and Hogarth, J.M. (2004).The adoption of electronic banking technologies by US consumers. The International Journal of Bank Marketing, 22(4), 238–259.
14. Kumar, V. R., A. Lall & T. Mane (2017) Extending the TAM Model: Intention of Management Students to Use Mobile Banking: Evidence from India. Global Business Review, 18, 238-249.
15. Laforet, S. and Li, X.Y. (2005).Consumers' attitudes towards online and mobile banking in China. The International Journal of Bank Marketing, 23(4–5), 362–381.
16. Lin, F.-T., H.-Y. Wu & T. N. N. Tran (2015) Internet banking adoption in a developing country: an empirical study in Vietnam. Information Systems and e-Business Management, 13, 267-287.
17. Lu, M.T., Liu, C.H., Jing, J. and Huang, L.J. (2005). Internet banking: strategic responses to the accession of WTO by Chinese banks. Industrial Management and Data Systems, 105(3– 4),429–443.
18. Mortimer, G., L. Neale, S. F. E. Hasan & B. Dunphy (2015) Investigating the factors influencing the adoption of m-banking: a cross cultural study. International Journal of Bank Marketing, 33, 545-570.
19. Pikkarainen, T.; Pikkarainen, K.; Karjaluoto, H. and Pahnila, S. (2004). Consumer acceptance of online banking: an extension of the technology acceptance model. Internet Research, 14, (3), 224–235.
20. Sannes, R. (2001). Self-service banking: value creation models and information exchange', Informing Science, 4(3), 12–23.
21. Santouridis, I. & M. Kyritsi (2014) Investigating the determinants of Internet banking adoption in Greece. Procedia Economics and Finance, 9, 501-510
22. Sathye, M. (1999). Adoption of Internet banking by Australian consumers: an empirical investigation', International Journal of Bank marketing, 17(7) , 324-334.
23. Southard, P.B. and Siau, K. (2004). A survey of online e-banking retail initiatives. Communications of the ACM, 47(10), 99–102
24. Tuchila, R. (2000).Servicii bancare prin Internet. E-finance Romania, 3(3), 23-32
25. Witman, P.D. and Poust, T.L. (2008).Balances and accounts of online banking users: a study of two US financial institutions. International Journal of Electronic Finance. 2(2), 197–210.
26. Z. Liao and M. Cheung ,(2012) "Internet-based e-banking and consumer attitudes: an empirical study," Information & Management, vol. 39, pp. 282-295.
27. Zhao, H. (2002). Rapid internet development in China: a discussion of opportunities and constraints on future growth', Thunderbird International Business Review, 44(1),119–138.

Table 1: Details of Efficiency of Use Factor

Factor	% of variance	Factor (Eigen Value)	Item	Item Load
Efficiency of Use	19.121	4.589	Carry out banking transactions either from their homes or offices	**.824**
			E-banking encompasses a number of products and services	**.784**
			E-banking is one-stop outlets offering diverse financial products to the customers	**.776**
			Efficient management of finances is possible.	**.760**
			E-banking makes banking transactions easy to conduct.	**.677**
			E-Banking is hassle free.	**.524**

Table 2: Details of Accessibility Factor

Factor	% of variance	Factor (Eigen Value)	Item	Item Load
Accessibility	18.326	4.398	E-banking confirms the potential of digital technologies for the banking sector	**.800**
			Enables bank to offer real-time transactions and integrate all customer related functions	**.768**
			Use of Information technology eliminates the need for going to bank directly	**.741**
			E-banking is compatible to modern lifestyle	**.684**
			E-banking improves flexibility of business transactions	**.638**
			E-banking ensures greater control over finances	**.502**

Table 3: Details of Security Factor

Factor	% of variance	Factor (Eigen Value)	Item	Item Load
Security	15.067	3.616	E-banking provides accurate information.	**.819**
			E-banking is eco friendly.	**.804**
			E-banking services are secure in operating.	**.639**
			There is no time constraint of banking transactions.	**.625**
			Pay bills regularly through E- payment mode	**.587**
			Use of cashless instruments	**.544**

Table 4: Details of Trustworthy Factor

Factor	% of variance	Factor (Eigen Value)	Item	Item Load
Trustworthy	11.531	2.767	Usage of E-banking is trustworthy	**.796**
			E- banking is free of cost service.	**.754**
			Service quality	**.721**

Table 5: Details of IT Services Factor

Factor	% of variance	Factor (Eigen Value)	Item	Item Load
IT Services	10.942	2.626	Well versed with usage of internet and intranet services	**.619**
			Well equipped with computer and peripheral devices	**.592**
			E-banking provides fast services	**.590**

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

The Aesthetics of Magic and Realism in the Works of Gabriel Garcia Marquez

Shreya Karmakar* Dr. Radhashyam Dey**

* Yogoda satsanga Mahavidyalaya, Ranchi, University , Ranchi (Jharkhand) INDIA
** Assistant Professor, Yogoda Satsanga Mahavidyalaya, Ranchi, University, Ranchi (Jharkhand) INDIA

Abstract - In this paper we will try to examine the aesthetics of magic and realism in some of the novels of Gabriel Garcia Marquez, the Colombian novelist and one of the greatest writers of the 20th century. Marquez was awarded the Nobel Prize for Literature in 1982, mostly for his masterpiece *Cien años de soledad* (1967; *One Hundred Years of Solitude*). Marquez represents the level of reality- social and psychological- that constitute the kernel of the author's comprehensive realism. Marquez is concerned with more concrete social reality and less concrete but more common human passion in all its psychological and magical dimensions. As a whole, the novels of Marquez provide many-sided vision of life and inner growth, psychology and society. The novels of Marquez provide the reader with a concentrated picture of the contemporary Latin- American socio-political and cultural society characterized by false machismo and meaningless violence. Gabriel Garcia Marquez's fiction is characterized by a thread of common themes, events, and characters that seem to link his work together into one multifaceted portrayal of the experiences of Latin American life. From the influences of his early childhood, when he learned from his grandmother how to tell the most fantastic stories in a matter-of-fact tone, to his later observations of the oppression and cruelties of politics, Garcia Marquez captures the everyday life of the amazing people of coastal Colombia, with its Caribbean flavor, as well as the occasional resident of the highlands of Bogota. He has an eye for the details of everyday life mixed with humor and an attitude of acceptance and wonder.

Keywords- Psychological, Realism, Third World, Machismo.

Introduction - "*Nobody Writes to the Colonel*, *In Evil Hour*, and *Big Mama's Funeral* all reflect the reality of life in Colombia and this theme determines the rational structure of the books. I don't regret having written them, but they belong to a kind of premeditated literature that offers too static and exclusive a vision of reality."[1]

Gabriel Garcia Marquez established himself as one of the greatest writers in the field of world literature. As a recognition of his genius, the Colombian author was awarded the Nobel Prize for Literature in the year 1982. Gabriel Garcia Marquez is the best-known writer of the Third World and he is the best-known exponent of the literary style, 'magical realism,' which has proved astonishingly productive in the developing countries. After the publication of *One Hundred Years of Solitude* in 1967 Marquez has been holding a special position as a representative voice in Colombia and also in the entire Latin American Continent along with writers such as Jorge Luis Borges of Argentina, Alejo Carpentier of Cuba, Carlos Puentes of Panama and Isabel Allende of Peru. Marquez portrays personal and objective aspects of life and reality, drawing mainly upon the things that touch him the most- his family and his native country.

The late 19th and early 20th centuries saw the emergences of psychological realism in literary genre that became prominent. It is a highly character-driven genre of fiction writing, as it focuses on the motivations and internal thoughts of characters. A writer of psychological realism seeks to show the action of the characters and also explain why they take such actions. There is often a larger theme in psychological realist novels, with the author expressing an opinion on a societal or political issue through the choices of his or her characters.

Unlike Charles Dickens' realist novels (which tend to level direct criticisms at social injustices) or Gustave Flaubert's realist compositions (which are made up of lavish, finely-ordered descriptions of varied people, places, and objects), Gabriel Garcia Marquez's works of psychological realism focused largely on the inner lives of prosperous characters. Even T.S. Eliot's best-known work, the poem "The Love Song of J. Alfred Prufrock", also falls into the category of psychological realism. It is an example of "stream of consciousness" writing, as the narrator describes his frustration with missed opportunities and lost love.

Gabriel Garcia Marquez denies that the fictional world he describes in his novels is a world of fantasy:

Reality is better writer than we are. Our destiny, and perhaps our glory, is to try to imitate it with humility, and the best that is possible for us.[2]

A deep-seated strain of anti rationality underlies all of his fiction that deals with Latin American "reality" in broad terms, rejecting the narrow regionalism of his literary fathers. The result is a type of fiction that transcends its regional base, a Faulknerian fiction that one critic of Spanish American literature, John S. Brushwood, called "transcendent regionalism." A self-proclaimed admirer of Faulkner, Garcia Marquez has worked toward a transcendent regionalism in nearly all his works, with varying degrees of success. His redefinition of realism implies faithfulness to a higher truth, a mythical level of reality that a more pedestrian realism cannot comprehend. These three factors—anti rationality, transcendent regionalism, and myth—are integral to the aesthetics of Garcia Marquez's fiction, aesthetics that balance journalistic depictions of historical events with fantastic stories and cultural myths.

Garcia Marquez's creation of *One Hundred Years of Solitude,* the novella *No One Writes to the Colonel* and the short novel *In Evil Hour*, all are more firmly based on Colombia's historical reality than most of the writers later work. This reality is la violencia, the period of civil war during the 1950's. *No One Writes to the Colonel* is the story of a stoic retired colonel who waits fifteen years for a pension check that never arrives:

For nine months, they had spent that money penny by penny, parceling it out between their needs and the rooster's.[3]

In addition to the psychological portrayal of this colonel, the characterization and actions of other characters reveal a town suffering from corruption and repression. This backdrop is Garcia Marquez's subtle means of incorporating the social and political realities of life in Colombia during this period. For example, the colonel's son is killed because of his political activism, but this matter never takes the form of direct political denunciation on the part of the author:

It's the first death from natural causes we've had in many years.[4]

The story takes place in the late 1950s, a time period called La Violencia in Colombia. These years were characterized by civil war and extreme, widespread violence, particularly in the countryside. In Macondo, violence has become the norm and it's more likely for a person to get killed than to die of old age. A traditional omniscient narrator tells this story in a linear fashion. The anti rationality of these stories functions as the catalyst of the anecdotes. *In No One Writes to the Colonel*, it is the inexplicable hope that the colonel has that he will receive the important letter he awaits. The antirational element in *In Evil Hour* is the presence and effect of the placards. Neither of these phenomena is fully explainable in rational terms, although the reader's speculation is invited. Both works transcend their regional base by capturing universal essences: the hope of the colonel and the fear of the town's inhabitants in *In Evil Hour.*

One Hundred Years of Solitude is a family saga that tells the story of five generations of Buendias. It begins with the foundation of Macondo by Jose Arcadio Buendía and his wife Ursula. Despite their fear that the consummation of their marriage will result in the birth of a child with a pig's tail (there is a family precedent for such an event), José Arcadio Buendia decides to challenge fate to protect his image as a man. A second Macondo is established after Jose Arcadio Buendia kills a man in the original town. In its early years Macondo is somewhat primitive, albeit a kind of paradise. Macondo's only contact with the outside world is provided by gypsies, who bring items such as the ice and magnets, which the inhabitants find amazing. They suffer an insomnia plague that results in the loss of both sleep and memory. Modern civilization finally reaches Macondo, along with its numerous institutions, and with the arrival of the national political parties come civil wars caused by their conflicts. The Americans bring economic prosperity and exploitation of the workers on the banana plantations. These intrusions of foreigners and modernity are eliminated by a flood that washes them away and returns Macondo to a state similar to its original paradise. In the end, Macondo is not a paradise, however, but a fiction: A member of the Buendía family deciphers a parchment written in Sanskrit that foretold the entire story of the family and Macondo from beginning to the end—that is, the story of *One Hundred Years of Solitude*. History is the completion of a fiction:

Wherever they might be they always remember that the past was a lie, that memory has no return, that every spring gone by could never be recovered, and that the wildest and most tenacious love was an ephemeral truth in the end.[5]

One Hundred Years of Solitude is ostensibly a traditional novel that tells a story in a basically linear fashion. It is also a product of technical mastery by a superb craftsman of fiction. The novel's structure is cyclical, from the internal cycles of events that repeat within the novel to the broader cycle completed with the deciphering of the parchments. Part of the playfulness in the development of the plot of this novel involves following the intricate Buendia family line. The original José Arcadio Buendia engenders two sons, José Arcadio and Aureliano. The latter becomes identified as Colonel Aureliano. All their offspring also carry similar names—Arcadio, Aureliano Jose, Jose Arcadio Segundo, and so on—making following the Buendia family line an exercise in futility or a challenging game of identities. The English translation of the novel, unlike the original Spanish edition, includes a genealogical chart:

Before reaching the final line, however, he had already understood that he would never leave that room, for it was foreseen that the city of mirrors (or mirages) would be wiped out by the wind and exiled from the memory of men at the

precise moment when Aureliano Babilonia would finish deciphering the parchments, and that everything written on them was unrepeatable since time immemorial and forever more, because races condemned to one hundred years of solitude did not have a second opportunity on earth.[6]

Garcia Marquez's handling of narrative point of view is enormously subtle, although it is managed with deceptive simplicity. On one hand, the omniscient narrator tells the story with a perspective similar to a child's view of the world. Consequently, this childlike narrator views and describes the world with freshness and innocence, taking for granted the incredible events of Macondo. Conversely, the narrator is surprised and amazed about things that are normally considered ordinary, such as ice and magnets. Garcia Marquez's style is based on a use of hyperbole, a constant source of humour. One of the most hilarious hyperbolic characterizations is of Colonel Aureliano Buendía, whose machismo is the target of Garcia Marquez's superb satire. The anti rationality of *One Hundred Years of Solitude* is not only a characteristic but also a fundamental principle of the entire narrative system. Entrance into the magical world of Macondo is an acceptance of the negation of rationality. It is soon apparent that everything is possible in Macondo. The work's transcendent regionalism can be visualized as a series of concentric circles emanating from Macondo. The circles near the center inscribe a reality of the Caribbean coast and Colombia— both its historical reality and myths. Larger circles contain patterns associated with all of Latin America, such as the tradition of machismo. Finally, the novel's connotations are universal; on this level one reads the work as a contemporary novelization of the biblical Creation and other universal patterns, such as the fear of incest that pervades the story. Perhaps the most important achievement of this novel, however, is its expression of a mythic reality. One aspect of this is mythic time that negates linear time. The repetition of numerous cycles, such as the names of the members of the Buendia family, creates this sense of an eternal present. The characterization of Colonel Aureliano Buendia and Ursula makes them characters who function at a mythic level beyond the limits of everyday reality and the capabilities of persons in the everyday world. There is also a biblical level of reading that develops myth from Creation and Original Sin to the apocalyptic ending. Garcia Marquez's creation of a traditional yet fascinating story, his mastery of narrative technique, and his creation of myth make *One Hundred Years of Solitude* not only one of the most important novels from Latin America of the twentieth century but also a work appreciated by an international readership.

Each of Garcia Marquez's novels highlights the conflicts that have defined Latin America since the beginning of the twentieth century—the tensions between centuries-old myth and modern rationalism, between authentic and imagined dangers, between the fantastic and the ordinary. These negotiations take place in all arenas, from the domestic sphere to the upper echelons of government. In each case, the relationship between the real and the fantastic must be constantly redefined in relationship to the circumstances of the characters through whom the tale is told. It is this ability to capture the perceptual chaos that arises from such ideological clashes that makes Garcia Marquez one of the greatest authors of all time.

Garcia likes the principles of surrealism but not the surrealists themselves. Given a choice, he prefers the painters to the poets, but he does not think of himself as being like any of them. And it is true that his work is based more in the anecdote than in the symbolic or random flow of events so important to the surrealists; true also that his aim is to be accessible, not obscure. And yet, a surreal quality, a rendering of the improbable and impossible as real, pervades his work. It's often said that the works of Colombian novelist Gabriel Garcia Marquez are quintessential examples of "magic realism": fiction that integrates elements of fantasy into otherwise realistic settings.

Magic Realism has now become the standard name for a major trend in contemporary fiction that stretches from Latin American works like Gabriel Garcia Marquez's *One Hundred Years of Solitude* (1967) to norteamericana novels like Mark Helprin's Winter's Tale (1983) and Asian works like Salman Rushdie's *Midnight Children* (1981). In all cases the term refers to the tendency among contemporary fiction writers to mix the magical and mundane in an overall context of realistic narration. Seen from an historical perspective, Magic Realism is a vital contemporary manifestation of a venerable fictive impulse.

As a young law student, Garcia Marquez read Kafka's *The Metamorphosis*. It proved a decisive encounter, and the influence is not hard to observe in the early stories, which so often present bizarre incidents unfolding in ordinary circumstances. If Kafka reinvented the fable by placing it in the modern quotidian world, Garcia Marquez reset it in the unfamiliar landscape of the Third World. If Kafka made spiritual issues more mysterious by surrounding them with bureaucratic procedure, his Colombian follower changed our perception of Latin America by insisting that in this New World visionary romanticism was merely reportage. Garcia Marquez also had another crucial mentor closer at hand—the Argentinean master, Jorge Luis Borges. Only thirty years Garcia Marquez's senior, Borges had quietly redrawn the imaginative boundaries of Latin American fiction. Almost single-handedly he had also rehabilitated the fantastic tale for high-art fiction. Removing religion and the supernatural from any fixed ideology, he employed the mythology of Christianity, Judaism, Islam, and Confucianism as metaphysical figures. Significantly, Borges expressed his sophisticated fictions in popular rather than experimental forms—the fable, the detective story, the supernatural tale, the gaucho legend. He was the first great post-modernist storyteller, and he found an eager apprentice in Garcia

Marquez, who developed these innovative notions in different and usually more expansive forms. Therefore, Gabriel Garcia Marquez is an internationally renowned figure in the history of Latin American literature. Readers and critics praised him for the Magic of ultimate genre he followed throughout his literary career in the mask of Magical Realism.

Conclusion- The impact of Garcia Marquez's writing as well as the writings of other Boom writers has de-regionalized, denationalized, and internationalized Latin American literature. Another achievement of these authors has been to revitalize the art of storytelling amidst endless critical debates over the death of the author, the novel, and the literature and over the legacy of the French nouveau roman and the nouveau nouveau roman of the 1950, and 1960s, when literature seemed written to justify the theoretical positions of different groups like Tel Quel in France. Yet important new literary theories have continued to originate from France, especially Intertexuality, Narratology, Feminism, and Deconstruction; and critics like Jacques Derrida and Gerard Genette have attained star status in many academic circles in the United States. If one can speak of a trickle- down theory of criticism, these theories have begun to make significant inroads in current Latin American criticism. Though Marquez clearly implies moral indignation against brutality, exploitation, and degradation, he delights his readers with his deft fusion of tragedy and comedy and with his seductive powers of language. Gabriel Garcia Marquez is one of the truly outstanding literary artists. In its totality, his work imparts not only the stark reality of an emerging strife-torn continent, but also through the humanistic and universalizing elements of myth, imagination, and aesthetic perception, a highly original vision of man and his world.

References:-

1. Bell, Michael. *Gabriel Garcia Marquez: Solitude and Solidarity*. New York. 1993.
2. Bell-Villada, Gene H., ed. *Conversations with Gabriel Garcia Marquez.* Mississippi. 2006**.**
3. Dana Gioia, essay on *Gabriel Garcia Marquez and Magical Realism*.
4. D. Shanmugapriya and Dr. C. Shanmugasundaram, *Discourse of Socio-Psychological Reality in Gabriel Garcia Marquez's Chronicle of a Death Foretold.*
5. Karthik, Mallavarapu's thesis. *Reinvisioning the Latin American lost testimonies understanding Gabriel Garcia Marquez's tapestry*.
6. Marquez, Garcia Gabriel. *No One Writes to the Colonel.*p. 6.
7. Ibid., p. 12.
8. Marquez, Garcia Gabriel. *One Hundred Years of Solitude.*1967.p. 12.
9. Ibid., p. 34.
10. Ibid., p. 54.
11. Nasrullah, Mambrol's . *Analysis of Gabriel Garcia Marquez's Novels*. 2019. https://literariness.org.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारतीय समाज में वृद्धजनों की स्थिति की विवेचना

प्रो. भावना ठाकुर*

* सह-प्राध्यापक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्राचीनकाल में वृद्धों की स्थिति अत्यंत उन्नत एवं सम्मानीय रही है, उनका समाज एवं परिवार में अलग वर्चस्व था, पूरे परिवार की बागडोर उनके हाथों में हुआ करती थी। परिवार के सभी सदस्य उनकी सलाह व फैसलों को आधार मानकर काम करते थे। यही वजह थी कि प्राचीन समय में संयुक्त परिवार हुआ करते थे वे परिवार के सभी सदस्यों को एक धांगे में बाँध कर रखते थे।

परन्तु आज आधुनिकता की दौड़ में निरन्तर आगे बढ़ते हुये हम पारम्परिक संयुक्त परिवार की अवधारणा को प्रगति के चक्कर में भूलते जा रहे है अब परिवार की परिभाषा पति-पत्नी और बच्चों के संकुचित दायरे में सिमटकर रह गई है। शहरों में तो संयुक्त परिवार का ढाँचा पहले ही टूट गया है, लेकिन गाँव में भी बुजुर्गों के सामने अकेले रह जाने की स्थितियाँ दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण रोजगार, धन्धों की तलाश में ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर तेजी से होने वाला पलायन है। युवावस्था में स्वतंत्रता की आधुनिक चाह ने बुजुर्गों को एकाकीपन का अभिशाप अनजाने में दे दिया है। नई पीढ़ी नहीं चाहती कि उसे बड़े होने पर खासकर विवाह के बाद बडे-बुजुर्गों के साथ रहना पडे. अमीर हो या गरीब का बुढ़ापा अभाव का पर्यापवाची है। कोई रोटी का मोहताज है तो कोई छत का। किसी को अकेलापन कचोटता है, तो किसी को अपनों का तिरस्कार। कोई अपहित है तो कोई अपमानित और बेबस महसूस करता है। पैसे की कमी ही एक वजह नहीं है इसके साथ बदलते समाज के बदलते जीवन मूल्यों ने भी कई वृद्धों को समाज में हाशिए पर ला खड़ा किया है।

शब्द कुंजी - वृद्धावस्था, वृद्धों की स्थिति, कानूनी प्रावधान, समस्या।

प्रस्तावना - परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जन्म से मृत्यु तक मानव का जीवन शारीरिक विकास की एक प्रक्रिया है, जो कुछ पूर्व निर्धारित चरणों से होकर गुजरता है ये चरण है - शैशवास्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवाअवस्था, व्यस्क या प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था। जिसमें जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की प्रक्रिया तीव्र विकास या निर्माण की प्रक्रिया है, यह विकास, निमार्ण एवं संग्रहण का दौर है। युवाअवस्था से प्रौढ़ावस्था तक का दौर जैविक, सामाजिक व आर्थिक दृष्टियों से उत्पादन, दायित्व निर्वाह या जो कुछ पूर्व में संचित या संग्रहित किया गया है, उसे लौटाने या खर्च करने का दौर है।

वृद्धावस्था जीवन की प्रक्रिया का अंतिम चरण है यह शारीरिक एवं सामाजिक दृष्टि से ह्रास का दौर है जिसमें व्यक्ति न केवल शारीरिक व मानसिक दृष्टि से कमजोर होता जाता है अपितु सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से शक्ति हीन व संदर्भहीन भी होता जाता है। किस आयु को वृद्धता की पहचान का आधार माना जाये यह बहुत कुछ हद तक जीवन की गुणवत्ताा व स्वास्थ्य की दशा पर निर्भर करता है। सामान्यत: इस अवस्था का प्रारंभ 60 वर्ष के बाद माना जाता है, वृद्धावस्था की प्रक्रिया अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग आयु में आरंभ हो जाती है फिर भी इसकी औसत आयु 60 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था में आयु वृद्धि के साथ-साथ व्यक्ति की शक्ति उसकी स्फीर्ति काम की गति कम हो जाती है। वैसे कई देशों में 65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति को वृद्ध कहा जाता है। जहाँ तक भारत का सवाल है हम इस बात को ध्यान में रख सकते है कि सरकार ने सेवानिवृत्ति की किस आयु का निर्धारण किया है अर्थात् किस आयु को पूरा करने पर वह कर्मचारी को शारीरिक व मानसिक दृष्टि से सेवा के लिए उपयोगी नहीं मानते हुये, उसे सेवानिवृत कर दिया जाए, और उसकी पिछली सेवाओं के उपलक्ष्य मे उसे अपने जीवनयापन को चलाने के लिये पेंशन दी जायें। इस आधार पर 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है।

सर्वे के अनुसार गाँव के लोग सेवानिवृत्ति जैसे सरकारी फलसफे के बारे भले ही नहीं सोचते, लेकिन आर्थिक तंगी का कसता शिकंजा, अकेलापन, भरणपोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, अपनों का निरस्कार, बुजुर्गों को वहाँ भी असुरक्षित और चिन्तित बनाता जा रहा है। युवावस्था में स्वतंत्रता की आधुनिक चाह ने बुजुर्गों को एकाकीपन का अभिशाप अनजाने में ही दे दिया है।

वृद्धावस्था में सम्मान संरक्षण और अपनत्व की चाहत प्रत्यक बुजुर्ग की होती है जो आमतौर पर पूरी नहीं होती है, कभी हरे-भरे परिवार का पालनहार रहा बुजुर्ग एकाकीपन से भी घबराता है।

अध्ययन पद्धति - यह शोध आलेख मुख्य रूप से वर्णन एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है वर्तमान अध्ययन में वृद्धों की स्थिति व संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रीय नीतियों के विविध पक्षों से संबंधित है यह शोध आलेख मुख्य रूप से द्वितीयक स्त्रोत पर आधारित है। जिसके लिए अवलोकन अध्ययन स्त्रोत पत्र पत्रिकाओं व दस्तावेजों व पुस्तकों द्वारा लिया गया है।

भारत में वृद्धों की स्थिति - दुनिया भर के प्रत्येक दस बुजुर्गों में से एक भारत में रहता है, आने वाले समय में किसी भी देश से बुजुर्गों की संख्या भारत के इस युवाओं वाले देश में ज्यादा होने वाली है कारण आधुनिकीकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया/जो मृत्युदर और जन्मदर गिरा रही है।

1990 के दशक के बाद भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी है। जनगणना आकलन में बुजुर्ग लोगों की संख्या वृद्धि एक सार्वधिक घटना है। भारत भी इससे अछुता नहीं है। 1961 में वृद्धों और वृद्धाओं की संख्या ढाई करोड़ के आस-पास थी, जो बढ़कर 1991 में (5.7 करोड़) पांच करोड़ तक पहुंच गई जो 2001 में बढ़कर 7.20 करोड़ हो गई। बुजुर्गों की यह संख्या सन् 2021 तक 14 करोड़ के आस-पास हो चुकी है। 2030 तक बढ़कर 19.8 करोड़ के आस-पास होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

आधुनिकता समाज ने सामुदायिकता की भावना समाप्त कर दी है तथा जो नए आधुनिक समुदाय विकसित हो रहे है, उनकी मानवीयता उत्पादन और उपभोग के सिलसिले में कंसी हुई है।

भारतीय समाज में भी भू-मण्डलीयकरण की प्रक्रिया जल्दी ही उसके बुजुर्ग को पश्चिमी जगत जैसी स्थिति में पहुँचा देगी। 21वीं सदी में वृद्धों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना है, भारत एवं चीन जो कि विश्व की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा रखते है, इनमें भी बेहतर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा के चलते वृद्धों की जनसंख्या में बेहताश वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वृद्धजनों की संख्या 10.38 करोड़ है।

जनगणना सूचांक के आधार पर – भारत में बुजुर्गों की संख्या 1951 में एक करोड़ 96 लाख थी यह संख्या कुल आबादी का 5.43 % थी। यह सन् 1961 में बढ़कर 2 करोड़ 47 लाख से ज्यादा हो गई।

तालिका-1

क्र.	वर्ष	बुजुर्गों की संख्या संख्या(करोड़ में ऑकंडे)
1	1951	1.96 लाख
2	1961	2.47 लाख
3	1971	3.27 लाख
4	1981	4.31 लाख
5	1991	5.66 लाख
6	2001	7.66 लाख
7	2011	11.26 लाख
8	2021	14 लाख (लगभग)

स्त्रोत – जनगणना 2001

तालिका-2

	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएँ
अखिलभारत	102.9	53.2	49.7
वरिष्ठ नगरिक(60+)	7.7	3.8	3.9
कुल योग का 70	7.5	7.1	7.8

स्त्रोत – जनगणना 2001

1971 में 60 साल से ज्यादा उम्र वालों की संख्या 3 करोड़ 27 लाख और 1981 में यह बढ़कर 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा हो गई। इसी तरह बढ़ोत्तारी 1991 में भी देखने को मिली तक इन बुजुर्गों की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 66 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। 2001 में कुल बुजुर्ग 7 करोड़ 66 लाख 60 हजार हो गए। 2011 तक यह संख्या बढ़कर 11 करोड़ 26 लाख तक हो गई । यह कुल आबादी का करीब 9 प्रतिशत थी। 2021 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 14 करोड़ होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए आकलन के द्वारा यह संकेत मिलता है कि भारत में अनुमान सन् 2030 में 60 से अधिक आयु के व्यक्ति 19.8 करोड़ 2050 में 32.6 करोड़ होगे। सामान्य आबादी की तुलना में बुजुर्गों की आबादी दोगुने के ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। सामान्य जनसंख्या 17.8 प्रतिशत की दर से तो बुजुर्गों की संख्या 10 साल में 38.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

उपरोक्त ऑकंड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कुल आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के प्रतिशत में निरतंर वृद्धि हुई है। अत: वृद्धजनों की निरंतर बढ़ती संख्या आज एक सामाजिक जबावदेही के रूप में चुनौती बनकर दस्तक दे रही है, जिस पर व्यापक रूप से गहन चिंतन करने की आवश्यकता है।

सन् 1951-60 के बीच की जीवन प्रत्याशा जन्म के समय 42 वर्ष थी जो सन् 2011 से बढ़कर 67 वर्ष तक पहुंच गई।

2001 की जनगणना के अनुसार देश में 60 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों की संख्या करीब पौने आठ करोड़ थी, जो अब निश्चय ही बढ़ चुकी है। एक सर्वे के अनुसार उस समय उनमें से 85 लाख बुजुर्ग अपने घरों में लगभग अकेले रह रहे थे। परिवार का कोई सदस्य उनके साथ नहीं रहता था। इस प्रकार 21वीं सदी के भारत में बुजुर्गों से जुड़े ऑकड़ों में जो तस्वीर उभर रही है वह बहुत निराशाजनक है।

सन् 1991 में कुल आबादी का 63 प्रतिशत 60-69 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का था। इन लोगों को अक्सर 'अपेक्षाकृत कम वृद्ध' या वृद्ध का दर्जा दिया गया। 80 वर्ष एवं ऊपर के 11 प्रतिशत वृद्ध थे जिन्हें 'वयोवृद्ध' या 'अतिवृद्ध' की श्रेणी में रखा गया। ये ऑकंडे वस्तुत: हमारे देश की व्यापक मानव संसाधन निधि के परिचायक है।

भारत में आने वाले दिनों में बुजुर्गों, खासकर महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय होने की आशंका है। जिन वृद्ध महिलाओं के पत्तियों का देहान्त हो जाता है, उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। भारत में वृद्धों के लैंगिक अनुपात में स्त्रियों की संख्या 51 प्रतिशत है और इनमें से करीब 64 प्रतिशत महिलाएँ विधवा है, जबकि पुरूष बुजुर्गों में केवल 19 प्रतिशत लोग पत्नीविहिन है। अगर 70 साल के ऊपर के आयु वर्ग में देखा जाए तो उसमें 80 प्रतिशत विधवाएँ मिलेंगी और पत्नीविहिन पुरूषों की संख्या 25 प्रतिशत के आस-पास होगी। विधवा होते ही एक बूढ़ी महिला तीन तरह के संकटो का सामना करने लगती है। वह स्त्री होने के नाते तो पहले से उत्पीड़ित थी ही, वृद्ध विधवा होने के नाते भी कई तरह के भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक महिला बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 21 प्रतिशत हो जायेगी, तब बुजुर्ग महिलाओं की संख्या पुरूषों से ज्यादा होगी।

सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के अनुसार अभी दुनिया में हर दस में सक एक व्यक्ति 60 साल से ज्यादा उम्र का है, अनुमान है कि 2050 तक हर पांचवा और साल 2150 तक दुनिया की एक-तिहाई आबादी बुजुर्गों की होगी। औसत आयु बढ़ने से 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। विकासशील देशों में इनमें 74 प्रतिशत आबादी गॉवों और 37 प्रतिशत शहरों में रहती है। अभी भी कुल बुजुर्गों में अधिसंख्या (65 प्रतिशत) महिलाएँ है।

वृद्धजनों की समस्याऐं व समाधान – वृद्धावस्था जीर्ण-शीर्ण काया का पर्याय है इसीलिए इसे रोगों शारीरिक व्याधियों और कष्टों का केन्द्र माना जाता है, वास्तव में बुढ़ापा स्वयं एक बीमारी है, उम्र बढ़ने के साथ-साथ कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है भरण-पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है यही निर्भरता वृद्धों की समस्याओं की पूल है, चाहे वो

शिक्षित हो या अशिक्षित इस अवस्था में शारीरिक कमजोरी, युवा पीढ़ी से तालमेल नहीं बैठा पाना समस्याओं को बंधती है-

आये देखे कि वृद्धों की समस्याऐं क्या है-

1. शारीरिक दुर्बलता
2. मानसिक रोग व तनाव
3. स्वास्थ्य समस्या
4. आर्थिक असुरक्षा की स्थिति
5. संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या/संयुक्त परिवार का विघटन
6. उचित देखभाल की समस्या
7. नई पीढ़ी से सामंजस्य का अभाव
8. आधुनिक परिवेश असहनीय

(1) शारीकि दुर्बलता - जैसे-जैस आयु बढ़ती है व्यक्ति का शरीर शिथिल होने लगता है, उसकी इंद्रियां कमजोर हो जाती है, कार्य करने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। कभी-कभी अपने रोजमर्या के कार्य को करने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ता है।

(2) मानसिक रोग व तनाव - शारीरिक बदलाव होने पर मानसिक परिवर्तन होना संभव है जिससे मानसिक तनाव की स्थिति बनने लगती है। बुढ़ापे में पति व पत्नी को एक दूसरे का सहयोग होता है, किसी एक के निधन उपरान्त दूसरे को मानसिक पीड़ा होना लाजमी है। यही अकेलापन मानसिक रोग व तनाव को उत्पन्न करता है।

(3) स्वास्थ्य की समस्या - शारीरिक बदलाव से मानसिक बदलाव भी होता है इस अवस्था से स्वास्थ्य की समस्या भी बन जाती है जिस वजह से अपने ही लोगों से संपर्क नहीं कर पाते है।

(4) आर्थिक असुरक्षा की स्थिति - यह समस्या सभी वृद्धों जी महत्वपूर्ण समस्या है, अपने जीवनसाथी के निधन के बाद बच्चों के उपर निर्भर होकर रहना, छोटी-छोटी वस्तुओं चीजों के लिए बच्चों पर निर्भरता ही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। युवा वर्ग इसे समझ नहीं पा रहा है। बुजुर्ग अपने को असुरक्षित महसूस करते है।

(5) संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या - आधुनिकता की दौड़ से संयुक्त परिवार की अवधारणा समाप्त होती जा रही है। जिसके अभाव में बुजुर्ग जनों को संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। वृद्धजन संयुक्त परिवार में वृद्धावस्था, बीमारी आदि के समय सुरक्षित महसूस करते है; परन्तु आज की एकाकी परिवार में व्यक्ति वृद्धजनों की सेवा भूलता जा रहा है।

(6) उचित देखभाल की समस्या - संयुक्त परिवार के विघटन होने से अर्थात् परिवार में सदस्यों की कमी के कारण बुजुर्ग लोगों की उचित देखभाल करने में कठिनाई आती है। एकाकी परिवार की स्थिति में जब परिवार के सदस्य घर पर नहीं होते है तो बुजुर्ग की देखभाल में दिक्कत आती है।

(7) नई पीढ़ी से सामंजस्य का अभाव - आधुनिकता की होड में भागते हुए युवा पीढ़ी की सोच काफी बदल गई है। युवा अपने कार्यों में बुजुर्गों का हस्तक्षेप नहीं चाहते है। परन्तु बुजुर्गों अपने अनुभव उनके कार्यों में या दिनचर्या में हस्तक्षेप करते है वो युवा वर्ग बुरा मानते है। यही कारण युवा पीढ़ी और बुजुर्गों की सोच में सामंजस्य का अभाव दिखता है जो कि काफी समस्या है।

(8) आधुनिक परिवेश असहनीय - आज की पीढ़ी की सोच, पहनावा रहन-सहन, खान-पान काफी बदल चुका है, जिसके कारण परिवार में रहने वाले बुजुर्गों को यह पंसद नहीं आता है। आधुनिक परिवेश को सहन करना बुजुर्गों के लिए काफी मुश्किल होता है।

वृद्धों की समस्याओं के समाधान के लिए निम्न समाधान किये जा सकते है:

1. भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था वृद्धों को सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक सुरक्षा प्रदान करती रही है, इसलिए संयुक्त परिवार के विघटन को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए।
2. वृद्धों की मानसिक रोग व तनाव को कम करने के लिए स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
3. वृद्धों के लिए पारिवारिक माहौल की व्यवस्था की जाना चाहिए। इसके लिए वृद्ध होम, वृद्ध सदन एवं पालना घरों को मिलाकर एक ही स्थान पर संचालित करने की योजना सरकार द्वारा की जानी चाहिए। जिसमें वृद्धजनों को बच्चों की गतिविधियों का आन्नद मिल सके। वे जीवन का सम्पूर्ण आन्नद ले सकें।
4. युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच की खाई को बाटा जा सकता है, युवाओं को बुजुर्गों के साथ बैठना, चाहिए, साथ ही बुजुर्गों को भी युवा पीढ़ी को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि वे उनकी जिदंगी में रोकाटोकी कम कर दे तो स्थिति संभाली जा सकती है।
5. बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है सबकों पेंशन नहीं मिल पाती, अत: सरकार द्वारा एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बेटे-बहु द्वारा अपनी वेतन में से कुछ हिस्सा अपने माता-पिता के खाते में जमा कर सकें। ऐसा करने से बेटे अपनी जिम्मेदारी व दायित्व को भी समझ सकेंगे। इस प्रकार आर्थिक स्थिति में सुधार आ पायेगा।

संवैधानिक प्रावधान - भारत के संविधान में वृद्धजनों के कल्याण का प्रावधान है, राज्य के नीति निर्देशित तत्व के अनुच्छेद 41 में वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा में विशेष रूप से संबद्ध है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास को ध्यान में रखते हुए वृद्धजनों हेतु सरकारी सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी है जो राज्य को निर्देशित करते है कि वह अपने नागरिकों के जीवन में गुणात्मक सुधार लायें।

हमारे संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके प्रावधान वृद्धों के लिए भी प्रभावी है और सामाजिक सुरक्षा का दायित्व राज्य एवं केन्द्र सरकारों पर समान रूप से है। संविधान में अनुसूची 7 की सूची ppp में प्रविष्टि 24 में भी वृद्धावस्था पेंशन पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सूची के मद सं. 9 तथा समवर्ती सूची की मद सं. 20, 23 तथा 24 वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा तथा आर्थिक एवं सामाजिक बीमा तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजना से संबंधित है।

वृद्धों की विभिन्न समस्याओं के लिए कई कानूनी प्रावधान है, लेकिन समूचे देश में बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार और उनके प्रति बढ़ रही उपेक्षा के कारण ये कारगर नहीं दिखते, इसलिए सन् 2004 में उच्चतम न्यायालय को फैसला देना पड़ा कि वृद्ध माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पुत्र-पुत्री पर एक समान है।

वृद्ध नागरिकों के लिए नए प्रावधानों में विशेषत: आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, देखरेख, बेहतर आहार, आश्रम, शिक्षा कल्याण और अचल सम्पत्ति संबधी सुरक्षा की पड़ताल भी की गई है।

विगत दो दशकों में वृद्धजनों की दशा पर जनांकिक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव जैसे मुद्दे पर गहन विचार विमर्श एवं वाद-विवाद हुए है। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों को समय-समय पर वृद्धजनों के लिए नीति बनाकर उसके अनुसार कार्यक्रम चलाने के लिए उत्साहित करता रहा है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1991 में वृद्धजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र नीति अपनायी गई है। 1992 में महासभा द्वारा वृद्धावस्था पर एक घोषणा पत्र एवं सन् 2001 के लिए वृद्धावस्था पर वैश्विक लक्ष्य जैसे कार्यक्रम बनाए गए। अन्य कई कार्यक्रम बनाए गए। समय-समय पर वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में वर्षों से मांग उठायी गई जिसके आधार पर सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया जिसमें आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, देखभाल, आवास, पेंशन जैसी सभी विषयों को शमिल किया गया।

वृद्धों की राष्ट्रीय नीति – वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा जनवरी 1999 में की गई थी। यह नीति वृद्धजनों को आश्वासन देती है कि उनकी चिंताएॅ राष्ट्र की समस्या है। उन्हे असुरक्षित जिन्दगी नहीं बितानी होगी। वे तिरस्कृत नहीं होगें। इस नीति का लक्ष्य वृद्धजनों का कल्याण है। इसका उद्देश्य समाज में इन लोगों की वैद्य स्यिति को मजबुत बनाना है और इनकी जिन्दगी के अंतिम पढ़ाव पर इन की जिन्दगी को उद्देश्यपूर्ण, सम्मानजनक एवं शांतिपूर्ण बनाना।

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की मुख्य विशेषताएँ – सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धजन नीति तैयार की है जो वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित सभी पहलुओं को समाहित करने के लिए वर्ष 1999 में घोषित की गई थी। इस नीति की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है –

1. वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ और पोषण, आश्रम, सूचना आवश्यकता, उचित रियायत और छूट आदि प्रदान किया जाना।
2. वृद्धजनों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा जैसे विधिक अधिकारों की रक्षा करने और सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना।
3. 60+ आयु के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक के रूप में अभिनिर्धारित करना।

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति को कार्यान्वित करने वाला तंत्र – राष्ट्रीय वृद्धजन नीति से पहले राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद् का गठन किया गया। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के पैरा 95 के प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 10 मई 1999 को एनसीओपी का गठन किया था। एनसीओपी वृद्धजनों के कल्याण नीति और कार्यक्रम तैयार करने तथा क्रियान्वित करने में सलाह देने तथा सरकार के साथ समन्वय करने के लिए शीर्षस्थ संस्था है। एनसीओपी को 2005 को में पुनर्गठित किया गया था इस समय इसकी संख्या 63 है। 18 अक्टूबर 2002 और 7 फरवरी 2003 को हुई परिषदों की बैठकों में आए सुझावों से इसे गति मिली। परिषद् का जोर विशेषकर इन बिन्दुओं पर ज्यादा होगा–

1. वृद्धजन 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति का माना गया है।
2. वित्तिाय सुरक्षा के तहत टैक्स में लाभ प्रदान करने के साथ ही उच्च दरों पर ब्याज दिलाया जाता है।
3. ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों में इनके धन को दीर्घ कालीन बचत खाते में सुरक्षित रखने का मौका दिया जाता है।
4. विस्थापित वृद्धजनों के लिए पेंशन, भविष्य निधि और अन्य योजनाओं से जुड़े लाभ को शीघ्र उपलब्ध कराना।
5. वृद्धजनों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के वास्तें प्राथमिकता स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को बेहतर बनाना।
6. अस्पताल कर्मियों को प्रशिक्षित करना।
7. बुढ़ापे में स्वस्थ्य जीवन गुजारने के उपाय करना।
8. वृद्धजनों की सेवा संबंधी सामग्रियों के उत्पादन और वितरण के कार्यो से सम्बद्ध सोसायटियों को सहायता पहुंचाना।
9. ऐसे वृद्धजन की विस्थापित और समाज से पूरी तरह काट दिए गये। वृद्धजनों को भी शामिल करना और उनके लिए आवास सुविधाओं में से 10 प्रतिशत व्यवस्था करना।

वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति के मुख्य बिन्दु है :

1. बुढापे के दौरान वृद्धजन स्वयं अपनी और पत्नी के कल्याण के लिए पुख्ता इंतजाम करें, जिसके लिए सरकार भी उन्हे प्रोत्साहित करेगी।
2. परिजन अपने वृद्धजन की उचित देखभाल करें।
3. इस नीति की परिकल्पना में राज्य वृद्धजनों की आर्थिक स्वास्थ्य की देखरेख आवास, कल्याण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण सहयोग करेगा। शोषण और दूर्व्यवहार से भी बचाएगा।
4. स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठनों को सक्षम बनाया जाएगा। वृद्धजन के स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी।
5. वृद्धजनों को आवश्यक सुविधाएँ दी जाएगी।
6. वृद्धजनों को स्वयं अपनी देखभाल के लिए जागरूक किया जाएगा।
7. उनकी क्षमता के विकास के अवसर जुटाकर उन्हे इससे सहभागी बनाया जायेगा और उन्हे सेवा करने का अवसर देकर उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करेगा।
8. वृद्धजनों व वरिष्ठ नागरिकों को सेवा प्रदान करने में जो कार्यकत्तााऐं है उन्हें अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
9. राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की परिकल्पना में राज्य, वृद्धजनों की आर्थिक स्वास्थ्य की देख-रेख, आवास कल्याण, एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण सहयोग करेगा उन्हे शोषण एवं दुर्व्यवहार से बचायेगा, उनकी क्षमता के विकास के अवसर जुटाएगा,उन्हें सहभागी बनाना, उन्हे सेवा का अवसर देकर जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करेगा।

यह नीति यह मानती है कि वृद्धजन लोग भी महत्वपूर्ण व लाभदायक है, ये परिवार में और बाहर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। नीति यह मानती है कि बुजुर्ग कोई वस्तु नहीं है अगर उन्हें भी समूचित अवसर प्रदान किया जाएगा तो वे भी प्रभावी तरीके से परिवार को मदद कर पायेगें।

नीति में यह विश्वास व्यक्त किया गया है कि बुजुर्ग को अधिकार देने से वे अपने जीवन को अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकेंगे।

उपसंहार – हमें वृद्धों के प्रति सही दृष्टिकोण, वृद्धों की जरूरतों एवं उनके जीवन को ध्यान में रखकर सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। ऐसे सामाजिक तंत्र को विकसित करना होगा जो वृद्धों की देख-रेख बिना एक दूसरे पर आक्षेप लगाकर कर सकें। महत्वपूर्ण यह है कि केवल कानून बना देने से बुजुर्गो का भला होने वाला नहीं है। अगर हमें बुजुर्गो को खुश देखना है तो हमें आधुनिकता की मारामारी के बीच बुजुर्गो के प्रति सेवा भावना का परिचय देना ही होगा।

हमारे संस्कार तो यह ही बताते है कि बच्चे का फज़्र होता है कि अपने

माता–पिता की सेवा करने की जिम्मेदारी समझे यह हमारा नैतिक दायित्व भी है।

वास्तव में समाज में आ रहे परिवर्तनों से बुजुर्गों के प्रति व्यवहार तय हो रहा है। जब संयुक्त परिवार था, तब किसी को दिक्कत नहीं थी। आज आर्थिक कारणों ने एकल परिवार को जन्म दे डाला है। जो युवा दम्पत्ति नौकरी कर रहे है, उनके अपने माता–पिता की सेवा के लिए समय नहीं है।

हमें समाज में यह चेतना जगानी होगी कि वृद्ध हमारी जिम्मेदारी नहीं आवश्यकता है, वे जीवन के अनुभवों के खजाने है, जिन्हे सहेजकर रखना हर समाज एवं संस्कृति का धर्म एवं नैतिक जबावदारी है।

वृद्धावस्था को सम्मानपूर्वक एवं शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने की आकांक्षा रखनी चाहिए उसके ही संतुष्ट रहना चाहिए न की अपनी प्रत्येक इच्छापूर्ति के लिए जददोदहद करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. बुजुर्ग लोगों के अधिकार–राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम–2013, प्रकाशन–फरीदकोट हाऊस–कापर निक्स मार्ग, नई दिल्ली।
2. राय सत्येद्रनाथ–2016 वृद्धावस्था में सुखी जीवन, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. अग्रवाल गिरिराजशरण (2004) वृद्धावस्था की कहानी प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली।
4. सिंधाल वीनीता (2014) वृद्धावस्था नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली।
5. प्रसाद चंद्र मौलेश्वर (2016) वृद्धावस्था विमर्श परिलेख प्रकाशन नजीबाबाद।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

परिवर्तित होती खाद्य आवश्यकता एवं मूल्य संवर्धन

डॉ. कलिका डोलस *

* प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

सार बिंदु – खाद्य आवश्यकता, खाद्य संकट पोषण, कुपोषण, मूल्य संवर्धन

प्रस्तावना – भारत की खाद्य आवश्यकता, स्वतंत्रता के पूर्व खाद्य संकट के रूप में परिभाषित की जाती रही है। रोटी, कपड़ा और मकान मानव जीवन की मूल आवश्यकता है। भारत जैसे विशाल देश में हर नागरिक को खाद्य सुरक्षा पहुँचाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। भारत ने समय समय पर खाद्य संकट का सामना किया हैं। अंग्रेजी शासन काल में बंगाल अकाल के रूप में खाद्य संकट को हम सभी ने देखा एवं सुना है, जिसमें भुखमरी के कारण लगभग 2 से 3 लाख लोगों को मृत्यु हो गई थी।

खाद्य संकट – संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्तमान में भी विश्व की 7 अरब 80 करोड़ आबादी को पेट भरने के लिए दुनिया में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है परंतु इसके बावजूद 82 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी का षिकार है इसके कई कारण है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारत में 40% खाद्य पदार्थो की बर्बादी छोटे किसानों के पास ही हो जाती है क्योंकि इन कृषकों के पास कोल्ड स्टोरेज एवं कोल्ड चेन की सुविधा उपलब्ध नही होती हैं। वर्तमान समय में भारतीय कृषि उत्पादों का लगभग 10 वॉ भाग ही संसाधित हो रहा हैं। प्रोसेसिंग, भंडारण एवं यातायात की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण आज भी देश में प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रूपये मूल्य की फसल व सब्जी बर्बाद हो रहे हैं। इसी प्रकार विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है परंतु मात्र 15% का ही प्रसंस्करण हो पाता है अत: खाद्य संकट का समाधान करने हेतु हमें खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर बल देना होगा।

भारत में खाद्य संकट – भारत में खाद्य समस्या स्वतंत्रता पूर्व में भी अधिक विद्यमान थी। अक्सर देश में अकाल पड़ते रहते थे। तत्कालीन समय में दो समय का पूर्ण भोजन जिसे प्राप्त होता था वह समृद्ध लोगों की श्रेणी में आता था। खाद्य संकट का तत्कालीन समय में एक विशेष कारण 1937 में वर्मा का भारत से अलग होना भी है क्योंकि भारत को बर्मा से प्रतिवर्ष लाखों टन के चावल की आपूर्ति बंद हो गई। 'करेला और नीम चढ़ा' स्थिति तब हो गई जब 1947 में देश का विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप बंगाल और पंजाब, गेहूँ एवं चावल उत्पादन के दो प्रमुख राज्य पाकिस्तान में चले गए जो कि उपजाऊ क्षेत्र थे परिणाम स्वरूप खाद्य संकट और अधिक गहराता चला गया।

विष्व परिदृष्य के लिए यह आश्चर्य की बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद खाद्य संकट से सदैव जूझता रहा है। भारत को तो खाद्य निर्यातक देश होना चाहिए परंतु भारत को आयातक देश बनकर विश्व के सामने हाथ फैलाता पड़ता रहा। लाखों टन अनाज आयात कर भुखमरी पर अंकुश लगाया जाता रहा परंतु यह खाद्य संकट का स्थाई समाधान नही है।

भारत की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु भी वैविध्य लिए हुए है एक ही समय में देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ तो कुछ हिस्सों में सूखा देखने को मिलता है। दोनो ही स्थितियों में खड़ी फसल को नुकसान पहुँचता है। इसकें अतिरिक्त वर्षा पर निर्भरता एवं सिंचाई सुविधाओं का अभाव भी अपने आप में बड़ी समस्या हैं। कृषि के परम्परागत तरीकों के कारण भी खाद्यान्न उत्पादन एवं मांग तथा पूर्ती में असंतुलन बना रहता है। कृषक का अशिक्षित एवं तकनीकी रूप से मजबूत न हा होना भी खाद्य संकट का एक बड़ा कारण है इसी कारण हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया था क्योंकि उनके शब्दों में 'भोजन लोगों के जीवन–मरण का प्रश्न है, हमें उन्हें पर्याप्त भोजन देना ही चाहिए।' तत्कालीन खाद्य संकट से सामना करने के लिए उन्होंने 'एक समय का उपवास' अथवा एक समय के भोजन का त्याग का सुझाव भी जन मानस को दिया था जिससे गरीब लोगों की खाद्य आवश्यकता की पूर्ती की जा सके।

खाद्य संकट के कारण – खाद्य संकट के लिए वैसे तो कई कारण जिम्मेदार है परंतु इनमें से मुख्य कारण है –

1. बेकाबू होती जनसंख्या वृद्धि – तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने खाद्य संकट की समस्या को और अधिक भयानक बना दिया है। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर खाद्य पदार्थ उत्पादन में वृद्धि की दर अधिक हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2030 तक खाद्यान्नों की वैश्विक मांग दोगुनी होने की संभावना है।

2. परिवहन समस्या – खाद्यान्नों के परिवहन की समस्या भी कहीं न कहीं

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

खाद्यान्न संकट के लिए जिम्मेदार है आज भारत जैसे अनेक देशों में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन पूर्व से अधिक हो रहा है परंतु फिर भी खाद्यान्नों के परिवहन की समस्या के कारण खाद्य संकट मुँह बॉह खड़ा है।

3. परिवहन लागत – उक्त समस्या में परिवहन लागत 'आग में घी' का काम करती है नित नए पेट्रोल व अन्य ईंधनों की कीमतों के कारण परिवहन लागत बढ़ रही है। अनेक बार स्थानीय बाजारों में आवश्यकता से अधिक उत्पादन तो हो जाता है परंतु अधिक परिवहन लागत के कारण वह लक्ष्यित समूह तक नही पहुँच पाता।

4. उचित भंडारण का अभाव – यह समस्या विकासशील व अविकसित देशों में अधिक देखने को मिलती है। आवश्यकता से अधिक उत्पादित खाद्य पदार्थो के उचित भंडारण के अभाव में खाद्य संकट उत्पन्न होता है। हालांकि सरकार इस दिशा में अनेक कार्य कर रही है। स्थानीय स्तर पर उत्पन्न फसलों व भंडारण के लिए शासन का प्रयास है कि स्थानीय स्तर पर ही वेयर हाउस उपलब्ध हो परंतु यह हर स्थान पर संभव नही है साथ ही निजी वेयर हाउस की दर इतनी अधिक होती है कि एक आम कृषक को यहा फसल देना संभव नही होता।

5. अवैध भंडारण – अनेक व्यापारी खाद्य पदार्थो का अवैध भंडारण करते है। इस कुप्रवृत्ति के कारण खाद्य संकट पैदा होता हैं। व्यापारी की इस लालची मनोवृत्ति के कारण वे इसे बाजार में तब बेचते है जब उसका मूल्य अधिक बढ़ जाता है।

खाद्य संकट का समाधान हेतु सुझाव – देश के अविकसित एवं अल्पविकसित देशों की भांति भारत जैसा विकासशील देश भी खाद्य संकट की समस्या से जूझ रहा हैं। आज भी ऐसी बड़ी जनसंख्या है, जिसे जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन नही मिल पाता। कभी कभी केवल एक वक्त का भोजन नसीब होता है एवं कभी 2–2 दिन तक भोजन की उपलब्धता नही होती। इस हेतु तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि भी एक अहम् कारण है। अत: खाद्य संकट के **समाधान के रूप में सर्वप्रथम '**

1. **जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण –** संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होने के बावजूद भी तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के कारण वे साधन अपर्याप्त रह जाते हैं। यही स्थिति भारत में भी है अन्यथा भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहॉ उक्त स्थिति निर्मित नही होनी चाहिए परंतु तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्पादन पर्याप्त नही हो पाता अत: सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आवश्यक है।

2. **खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि –** जिस अनुपात में भारत में जनसंख्या, वृद्धि हो रही है उस अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन नही हो रहा। हालांकि शासन इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील है परंतु जनसंख्या वृद्धि की तुलना में खाद्यान्न वृद्धि अपर्याप्त हो जाती है। अत: खाद्य संकट बरकरार रहता हैं।

3. कृषि की आधुनिक तकनीकी का प्रयोग – भारत में लंबे समय से कृषि की परम्परागत तकनीक का उपयोग होता आया है परिणामस्वरूप प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कर कृषक अपना उत्पादन बढ़ा सकता है।

4. वर्षा पर कृषि की निर्भरता को समाप्त करना – भारतीय कृषक सदैव से ही कृषि के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहता आया है परंतु अब समय आ गया है कि कृषि हेतु वर्षा पर निर्भरता को समाप्त करना होगा। केवल 3 से 4 महीने का वर्षाजल वर्ष भर उपयोग नही हो सकता है इसे हेतु 12 महीने वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई हेतु पर्याप्त तालाब एवं कुओं की व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे कृषक जरूरत के हिसाब से फसलों की सिंचाई कर सके।

खाद्य सुरक्षा – (Food Security) लोकतांत्रिक व्यवस्था में खाद्य सुरक्षा सरकार का एक प्रमुख दायित्व हैं। मानव की तीनों मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र एवं आवास में भोजन प्रथम क्रमांक पर रहता है क्योंकि उसके बिना जीवित रहना ही कठिन है। शासन का यह दायित्व है कि जनता की अंतिम कड़ी तक भी भोजन उपलब्ध हो सके। सरकार का यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समाज के अंतिम जन तक भी खाद्यान्न उपलब्ध हो। अत: हम कह सकते है कि खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य खाद्य पदार्थो की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जनमानस के लिए भोज्य पदार्थो की उपलब्धता से हैं। केवल भारत ही नही संपूर्ण विश्व में खाद्य सुरक्षा एक चिंता का विषय रहा है एवं इसलिए 1974 में 'विश्व खाद्य सम्मेलन' आयोजित किया गया जिसमें प्रत्येक जनमानस तक खाद्य आपूर्ति पर बल दिया गया।

भारत विगत वर्षो में जिस तीव्र गति से आर्थिक विकास कर रहा है उससे विश्व में भारत को एक नई पहचान मिली है। बावजूद इसके देश में गरीबी एवं खाद्य असुरक्षा की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 116 देशों के बीच 101 वें नंबर पर है। स्वतंत्रता के बाद भी खाद्य सुरक्षा के मामलों में यह स्थान चिंतनीय है। (FAO) खाद्य एवं कृषि संगठन का मानना है कि खाद्य मूल्यांकन सूचकांक अभी और बढ़ेगा।

खाद्य सुरक्षा के आयाम – खाद्य सुरक्षा की अवधारणा केवल खाद्यान्न उपलब्धता तक सीमित है यह बहुआयामी है जो निम्न प्रकार है जिसे 3। के रूप में देखा जा सकता हैं।

1. खाद्यान्न की उपलब्धता (Availability) – अर्थात देश में खाद्यान्न का पर्याप्त उत्पादन एवं संग्रहण जिससे समयानुसार इसे जनता को उपलब्ध कराया जा सकता है। अंतत: भंडारण पर्याप्त होना आवश्यक है।

2. वहनीयता (Affordability) – दूसरे शब्दों में इसे हम क्रयशक्ति भी कह सकते है अर्थात पर्याप्त, पौष्टिक एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ क्रय करने हेतु व्यक्ति विशेष के पास पर्याप्त धन होना चाहिए।

3. पहुँच (Accessibility) – अर्थात बिना किसी भेदभाव के खाद्यान्न प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। इसे हेतु शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) लागू की है। अत: हम कह सकते है कि किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है जब उपरोक्त तीनों आयामों पर व्यवस्था खरी उतरती हैं।

खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन (Food Processing) – खाद्य संकट समाधान एवं खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का एक तरीका खाद्य प्रसंस्करण भी है। सवाल उठता है कि खाद्य प्रसंस्करण क्या हैं ? आधारीय रूप में खाद्य प्रसंस्करण ऐसी विधि या तकनीक है जिससे शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थो की शेल्फ लाइफ (आयु) करे बढ़ाकर उसे अधिक आकर्षक एवं विपणन योग्य बनाया जाता है, जिससे जहॉ भी खाद्यान्न की आवश्यकता हो उसे पहुॅचाया जा सके एवं खाद्य संकट से जूझते हुए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध की जा सके। यह मानव के साथ–साथ जानवरों को खाद्य पदार्थ हेतु भी उपयोग में लाया जाता हैं।

जहॉ तक खाद्य प्रसंस्करण के इतिहास की बात है, हमारी दादी, नानी, परदादी, परनानी के समय से ही खाद्य प्रसंस्करण होता आया है। अंतर केवल इतना है कि हमारी दादी, नानी के कार्य घरेलू पैमाने पर वे स्वयं के परिवारों के लिए ही करती आई है एवं वे अत्यंत परिष्कृत विधियों का इस्तेमाल नही करती थी अत: उनके अपरिष्कृत प्रसंस्करण में धूप में सुखाना, अनाज कुटवाना नमक द्वारा अचार बनाना, शक्कर/गुड़ द्वारा जेम बनाना, केंद्रो में सब्जियों को भूनना आदि शामिल है। परिष्करण संस्करण में डिब्बेबंद तकनीक प्रमुख रूप में उल्लेखित होती है। इतिहास में इस तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से सैनिकों अथवा नौसेना के सिपाहियों के लिए किया गया था क्योंकि इसमें दुर्गम स्थानों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता के कारण प्रसंस्करित की हुई खाद्य सामग्री से खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। बीसवी शताब्दी में इस कार्य हेतु प्राकृतिक पदार्थो (शक्कर, नमक) के अतिरिक्त कुछ रसायनों जैसे सोडियम बेंजोइट का भी उपयोग किया गया है। इससे सॉस, सूप, जूस आदि पदार्थो की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया गया।

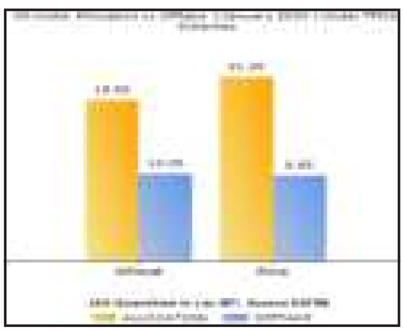

खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक प्रक्रिया – खाद्य प्रसंस्करण अपने आप में एक बड़ा उद्योग हैं। यह एक ऐसी औद्योगिक प्रक्रिया है, जिसमें कृषि उत्पादों एवं कुछ मात्रा में मांसाहारी (मछली, मीट) उत्पादों का यौगिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा मूल्यवर्धन किया जाता है, जिससे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाकर उनकी भंडारण अवधि में वृद्धि और परिवहन के दौरान कम से कम हानि होती है। साथ उनको (Instant Food) तुरंत खाने योग्य भोजन में बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसानों की मेहनत से उपजाई उपज की पैकेजिंग एवं ग्रेडिंग बढ़ाकर उन्हें अधिक लाभ प्रदान किया जा सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण के लाभ:

1. खाद्य पदार्थो की बर्बादी को काफी हद तक बचाया जा सकता है।
2. भोजन में उपलब्ध अतिरिक्त फल एवं सब्जियों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। (भोजन संरक्षण तकनीक के माध्यम से)
3. परिणाम स्वरूप बेमौसम भी इन पदार्थो का भरपूर आस्वाद एवं आंनद लिया जा सकता है।
4. प्राकृतिक आपदाओं के समय उपयोग किया जा सकता है।
5. दूरस्थ तैनात सैनिकों को भोज्य पदार्थो की आपूर्ति की जा सकती है।
6. खाद्य पदार्थो की भंडारण अवधि से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
7. ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकते है।
8. निर्यात को भी बढ़ावा देकर विदेशी पूंजी आकृष्ट की जा सकती है।

कृषि उत्पादकों का प्रसंस्करण:– प्राय: यह देखा गया है कि जिन फसलों का समर्थन मूल्य सरकार तय करती है उन्हें छोड़कर बाकी फसलों की कीमत अनिश्चित रहती हैं। जिस वर्ष उत्पादन अधिक होता है, उस वर्ष मूल्य गिर जाता है, मूल्य गिरने से कृषक अगले वर्ष उस फसल को कम उगाते है, परिणाम स्वरूप बाजार में मांग बढ जाती है। एवं दाम बढ़ जाते है। कृषक को इस उतार चढ़ाव की प्रकिया से सुरक्षित रखा जाना चाहिए एवं उनके परिश्रम का उन्हे बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके इसमें खाद्य प्रसंस्करण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कुछ प्रमुख कृषि उत्पाद निम्न प्रकार है। जिनके प्रसंस्करण द्वारा उक्त लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

सोयाबीन:– सोयाबीन का दाल के रूप में, तेल के रूप में, पापड़ बड़ी के रूप में मानव हेतु तथा खली के रूप में पशुओं के आहार के लिए प्रसंस्करण किया जाता है।

दलहन उत्पादों:– प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल का श्रेष्ठ स्त्रोत होने से पौष्टिक आवश्यकता को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हैं। विभिन्न प्रकार के पापड़, नमकीन, बेसन, मठरी आदि के रूप में प्रसंस्करण किए जा सकता है।

सब्जियों:– अचार, चटनी, मुरब्बा, पाउडर, ड्राय सब्जियां, मिठाइयॉ बनाकर सब्जियों का प्रसंकरण कर सकते है। गाजर, पेठा, लौकी, परवल से मिठाइयां, टमाटर से सॉस, केचअप, चटनी, प्यूरी, पेस्ट, खरबूज, तरबूज, बीज, अदरक, हल्दी, धनिया, लालमिर्च को सुखाकर पावडर बनाया जाता है।

फलों का प्रसंस्करण:– सेब, आम, जामफल, नींबू, आदि सारे फलो का स्कैष, शरबत, चटनी, मुरब्बा, अचार, डिब्बाबंद जूस आदि से रूप में सारे फलों कों प्रसंस्करण कर बर्बादी से बचाया जा सकता है।

दूध व दुग्ध उत्पादनों का प्रसंस्करण:– भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। एवं दूध क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी। यहाँ भारत में इतना अधिक दूध उत्पादन होने से उसमें निर्यात की संभावनाए भी है। वर्तमान में देश में 20.9 करोड़ टन वार्षिक उत्पादन हो रहा है। इसके प्रसंसकरण के विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे – दही, पनीर, छाछ, मिठाइयॉ, दूध पाउडर, मक्खन आदि का प्रसंस्करण दिया जा सकता है। तथा दूसरे छोटे किसान, भूमिहीन कृषको एवं स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया जा सकता है।

मासाहार प्रसंस्करण:– हमारे देश में लगभग 20 प्रतिशत जनता मांसाहार लेती है जिसमें मछली, मुर्गी, बकरा, सुअर जैसे जानवरों का मांस भक्षण किया जाता है। ये सारे जानवर जहॉ प्रोटीन एवं तेल या वसा के उत्तम स्त्रोत है वही इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अधिक नही होती है। अत: इन मांसाहार पदार्थो का प्रसंस्करण किया जा सकता है।

उपसंहार:– भारतीय कृषि अनुसंधान, नई दिल्ली में कार्यरत डॉ. वीरेन्द्र कुमार कहते है कि अन्य देशो की तुलना में भारत में फल एवं सब्जियों का 3

प्रतिशत ही प्रसंस्करण दिया जाता है जबकि अन्य देशो में 80 से 90 प्रतिशत तक प्रसंस्करण उत्पाद तैयार किये जाते हैं। यदि आज हम 20 प्रतिशत तक की फलों एवं सब्जियों का प्रसंस्करण कर लेते है तो बेरोजगारी में भी कमी आएगी, भारत में जनसामान्य का पोषण स्तर बढ़ेगा एवं निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होगी वर्तमान में देश के उपभोक्ताओं में आयातित खाद्य पदार्थो की मांग बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए देश को ही खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे आयात को कम किया जा सके। उक्त क्षेत्रों में प्रसंस्करण की अपार संभावनाए है इन संभावनाओं को मूर्त रूप दिया जाकर एवं पोषक आवश्यकताओं की पूर्ती कर हम एक स्वस्थ भारत भारत का निर्माण भी कर सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Down to earth – January 2023
2. Dainik Bhaskar – 6th June 2019

Link :-

1. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/india-and-wfp-to-supply-wheat-to-afghanistan
2. https://www.janhitmejaari.com/what-is-public-distribution-system-its-types-benefits-and-functions/?amp

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध: कारण एवं निदान के उपाय

डॉ. ज्योति सिंह *

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय स्नातक महाविद्यालय, नैनपुर, जिला-मण्डला (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत देश जहां स्त्रियों को देवी समान माना जाता है उस देश में स्त्रियों के साथ दर्दनाक और शर्मनाक हादसे हो रहे है। यहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण पुरूषों की प्रधानता हर क्षेत्र में दिखाई देती है। स्त्रियों का पुरूषों से आगे बढ़ना, उन्नति करना और उनकी सोच सबके सामने रखना पुरूषों के लिए असहनीय हो जाता है। भारतीय समाज में स्त्रियां बहुत लम्बे समय से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही है। हमारी विचार धाराएं, संस्थागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है इनमें से कुछ व्यवहारिक रिवाज आज भी व्याप्त है। आज महिलाऐं नई-नई सफलता के अयाम गढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा और अपराध का शिकार भी हो रही है। महिलाओं के साथ मार-पीट, अपहरण, बलात्कार, हत्या जैसे अपराध रोज सुनने में आते हैं। भारत देश तरक्की की राह पर चल रहा है किंतु महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते अपराध कम नहीं हो रहे है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून असरदार है किंतु लागू करने वाली व्यवस्था बेकार साबित हो रही है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध व हिंसा से उनका मानसिक और शारीरिक संबंल टूटता है और उनका विकास रूक जाता है।

महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते अपराध के कारण:-

(1) पितृसत्तात्मक व्यवस्था- भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज है और पुरूष को शक्ति का प्रतीक माना जाता है समाज में पुरूषों की प्रधानता महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देती है कमीशन फॉर वुमेन रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में होने वाले अत्याचार में दहेज हिंसा, घरेलू हिंसा, रेप अधिक है।

(2) निर्भरता- महिलाओं का परिवार के पुरूष सदस्यों पर निर्भरता उनको जीवन में कई कठिन दौरों में जाने के लिए मजबूर करती है। वे दूसरों पर निर्भर होने के कारण अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों और अपराधों को सहने के लिए मजबूर रहती है जिससे पुरूषों के हौसले और बढ़ते जा रहे है।

(3) शिक्षा का अभाव- पुरूषो की तुलना में आज भी महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत कम है जिसके कारण उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत कम है स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों की दूरी, भय का वातावरण उन्हें आगे की शिक्षा की ओर नहीं पहुँचा पाती है।

(4) सुरक्षा- महिलाओं की सुरक्षा पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। सशक्त कानूनों के पश्चात् महिलाएँ सुरक्षित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय न होना, रोशनी की कमी और शहरों में शराब का सेवन एवं क्लब व पार्टीज में जाने वाली महिलाएँ के साथ अपराध की घटनाएँ घटित होती है।

(5) विकृत मानसिकता- पुरूषों की विकृत मानसिकता महिला अपराध को बढ़ावा देते है। विकृत मानसिकता वाले पुरूषों के दिमाग सेक्स और औरत को भोग्या वस्तु मानकर अपराध कर देते है।

(6) कुप्रथाएँ- आज भी समाज में कई कुप्रथाऐं प्रचलित है जैसे- बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवावह पर रोक अधिकांशत: इन कुप्रथाओं की षिकार महिलाऐं ही बनती है जिससे अपराध घटित होता है।

(7) समाज में महिलाओं की अस्वच्छ छवि को प्रस्तुत करने में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गलत छवि का प्रस्तुतीकरण लोगों के दिमाग में सभी महिलाओं के लिये वही छवि बन जाती है और लोगों का नजरिया भी वही बन जाता है जो मीडिया द्वारा परोसा जाता है। अस्वच्छ छवि भी अपराध घटित करते है।

(8) इंटरनेट की दुनिया ने भी महिला अपराधों को बढ़ाने में योगदान दिया है आज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्चिंग 'सेक्स' के लिये किया जाता है इसका उपयोग व्यक्ति की मानसिकता को खराब कर उसे अपराध की ओर अग्रसर करता है। रेप कर साक्ष्य छुपाने के डर से हत्या भी कर देता है।

(9) कानून से डर नहीं- अपराधी प्रकृति के व्यक्तियों को कानून का डर ही नहीं है। साक्ष्य के अभाव में अपराधी दण्डित होने से बच जाते है और समाज में उनके हौसले बुलंद रहते है।

एन.सी.आर.बी. द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार

क्र.	वर्ष	अपराधों की संख्या
1	2016	338,954
2	2017	359,849
3	2018	378,236
4	2019	4,05,326
5	2020	3,71503
6	2021	4,28,278

स्रोत - NCRB

देश में 2021 में 2020 के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15.3 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है महिला वर्ग के खिलाफ अपराधों में रेप, रेप और हत्या, एसिड अटैक, खुदकुशी के लिए उकसाना, अपहरण, जबरन शादी, मानव तस्करी और ऑन लाइन उत्पीड़न आदि शामिल है।

वर्ष 2019 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2018 में दर्ज मामलों की संख्या से 7.3% अधिक है।

अपराधों की संख्या से ये साबित है कि अपराधों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती गई है।

अपराधों को कैसे रोका जाये इस पर पुन: चिंतन कर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे जिससे अपराधों में कमी हो महिलाओं का विकास तीव्र गति से हो।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण कानून है किंतु उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। निम्न अपराधों के लिये कानून है।

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार को अत्यंत जघन्य अपराध माना गया है।
2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और 1986
3. धारा 494 आईपीसी के तहत पति/पत्नी के जीवित होते विवाह करना दण्डनीय अपराध है।
4. हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दूसरे विवाह को प्रतिबंधित किया गया है।
5. घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005
6. महिला आरोपी की दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
7. भ्रूण लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994
8. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
9. कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिये वर्क प्लेस (POSH Act,2013)
10. पॉक्सो (POCSO) अधिनियम
11. इन सभी कानूनों को मजबूती के साथ तथा सख्ती के साथ लागू किया जाये।
12. फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना कर जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाये।
13. समाज सेवी संस्थाओं को मजबूत बनाया जाये जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर आवाज उठाती है।
14. महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाये ताकी उनकी निर्भरता कम से कम हो और वो अपने खिलाफ होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकें।
15. सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता हो, सी.सी.टी.वी. कैमरे, पुलिस हो ताकि अपराध के घटित होने की संभावना ही ना हो।
16. इंटरनेट का तकनीकी हल निकाला जाये जिससे सेक्स जैसी वीडियो, फिल्मों को प्रतिबंधित किया जाए।
17. समाज में महिलाओं के सम्मान हेतु जन जागरूकता अभियान को प्रेरित करना होगा।
18. महिला शिक्षा पर व्यवहारिक धरातल पर वर्तमान में चल रहे कानूनों का पालन अनिवार्य रूप से कराना होगा।
19. अपराधों की सजा जल्दी ही दिया जाये।
20. महिलाओं को भारतीय कानून में दिये गये अधिकारों से जागरूक होना चाहिए, इस हेतु सरकार, समाज सेवी संस्थाओं को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।
21. पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाएँ बेझिझक होकर शिकायत दर्ज करायें, पुलिस सहयोग करेगी किंतु इसके लिये विभाग को महिलाओं में जागरूकता लाये।
22. कठोर दंड का प्रावधान हो, ताकि दण्ड के भय से ही व्यक्ति अपराध न करें।
23. स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर छात्राओं को जूडो कराटे प्रशिक्षण अनिवार्य करना चाहिए जिससे वे अपनी सुरक्षा हेतु इसका उपयोग कर सकें।
24. जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए जिसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और कानूनों की जानकारी दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष:– महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा व अपराध भारतीय समाज के लिये अब एक चुनौती हो गया है। महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या, यौन उत्पीड़न ने पूरे समाज, सरकार की चिंताएँ बढ़ा दी है। कारण है कि कानून का भय नहीं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जन जागरूकता की कमी, सुरक्षा की कमी, आदि है महिलाओं को अपनी सुरक्षा, प्रतिष्ठा और वास्तविक सम्मान के लिये खुद को आगे आना होगा। महिलाऐं अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ खुद को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी तभी हम अपने को सुरक्षित कर अपने अस्तित्व को पायेगी। खुद की निर्बल न मानकर, आत्मनिर्भर बन दूसरी महिलाओं की मदद करना चाहिए। वक्त काफी लगेगा इन स्थितियों को बदलने में किंतु समाज, सरकार, स्वयंसेवी संस्थाऐं और महिलाएँ स्वयं पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ इस पर कार्य करेंगी तो बढ़ते हुए अपराधों की कमी होने की संभावना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. https://www.grihshobha.in
2. https://blogs.navbharattimes.india
3. https://www.insightsonindia.com
4. https://www.drishtiias.com
5. https://www.studyfry.com
6. https://www.youthkiawaaz.com
7. https://www.dhyeyaias.com
8. https://www.mpgkpdf.com
9. https://hindi.theindianwire.com
10. https://open.lib.umn.edu/hindiurdu
11. https://www-unwomen-org
12. https://translate.google.com
13. https://www.zeebiz.com
14. https://m.thewirehindi.com
15. https://www.ndtv.com
16. https://translate.google.com
17. https://blogs.navbharattimes.com
18. https://www.drishtiias.com
19. https://www.studyfry.com
20. https://translate.google.com
21. https://www.youthkiawaaz.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

विधि के अधीन अभियुक्तो को प्रदत्त संरक्षण

डॉ. रितु उमाहिया *

* सहायक प्राध्यापक (विधि) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – अपराध मानव समाज का अपरिहार्य अंश है। अपराधियों को कारागार में उन्हें सुधारने तथा समाज के समक्ष एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए रखा जाता है ताकि अपराध की पुनरावृत्ति न हो और जनमानस में भय बना रहे लेकिन यह भी सत्य है कि सिद्धदोष व्यक्तियों को भी दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। अभियुक्त को अनावश्यक हानि न हो उसका विचारण प्राकृतिक न्याय के अनुसार तथा निष्पक्ष हो इसलिए उन्हें विधिक संरक्षण प्रदत्त किए गए है, उक्त शोधपत्र के माध्यम से भारत के संविधान एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को विधि द्वारा प्रदान किए गए अधिकारो की महत्वपूर्ण निर्णीत वादों के माध्यम से उल्लेख किया गया है।

भारतीय संविधान में प्रदान किए गए अधिकार अनुच्छेद–20 अपराध के लिए दोषसिद्धी की बावत् कुछ संरक्षण प्रदान करता है इसके लिये वह :–

(क) भूतलक्षी दाण्डिक विधान जिसे साधारणत:'घटना के पश्चात विधान' कहा जाता है प्रतिसिद्ध करता है।

(ख) दोहरा दण्डादेष या एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दण्ड देना प्रतिसिद्ध करता है।

(ग) स्वयं को अपराध में फँसाने के लिए विवश करना प्रतिसिद्ध करता है।

इस तरह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 (1) किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य[1] किसी अभियुक्त को उस शास्ति से अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता जो अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था। इस प्रकार जब विधानमण्डल किसी कार्य को अपराध घोषित करता है या किसी अपराध के लिए शस्ति का उपबंध करता है तो वह विधि को भूतलक्षी बनाकर उन व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता जिन्होंने उस विधि के अधिनियमित किए जाने के पूर्व ऐसे कार्य किए थे। साक्षी बनाम भारत संघ[2] में कहा गया कि किसी दाण्डिक उपबंध को अभियोजन के लिए विस्तारित करना अनुच्छेद 20 (1) का उल्लंघन होगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 (2) दोहरे दण्ड देने के विरूद्ध प्रतिषेध को स्पष्ट करता है, इसके अनुसार 'किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जाएगा।' वेंकटरमन बनाम भारत संघ[3] के वाद में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही में अभियोजित और दण्डित किया जा चुका है तो उसे, उसी अपराध के लिए पश्चातवर्ती कार्यवाही में अभियोजित और दण्डित नहीं किया जा सकता यदि कोई विधि ऐसे दोहरे दण्ड की व्यवस्था करती है तो वह विधि शून्य होगी वेंकटरमन के मामले में कहा गया कि यदि किसी सरकारी सेवक को न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है तो उसके विरूद्ध उसी अपराध के लिए विभागीय कार्यवाही की जा सकती है या विभागीय कार्यवाही में दण्ड देने के पश्चात् न्यायिक कार्यवाहियाँ की जा सकती है। ओ.पी. दहिया बनाम भारत संघ[4] के वाद में कहा कि यदि पहले विचारण में अभियुक्त को आरोपों के लिए न तो सिद्धदोष किया गया था और न ही दोषमुक्त तो उसका पुन: विचारण दोहरे दण्ड की कोटि में नहीं आएगा। राजस्थान राज्य बनाम हाट सिंह[5] का मामला यह स्पष्ट करता है कि अधिनियम की उन धाराओं के अधीन अभियोजन और दण्ड, दोहरे दण्ड की कोटि में नहीं आता जिनके अपराध एक दूसरे से भिन्न है। अनुच्छेद 20 (2) को दुहरे जोखिम के सिद्धांत, दोहरे परिसंकट अथवा दोहरे संकट का सिद्धांत भी कहते है क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पर्याय है यह सिद्धांत इंग्लिश विधिशास्त्र के इस सूत्र से प्रेरित है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय से किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है तो उसी अपराध के लिए पुन: उसके विरूद्ध दोषसिद्धी की कोई कार्यवाही नहीं की चाहिये। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी प्रकार का सिद्धांत प्रचलन में है। अमेरिकन संविधान का पांचवा संशोधन यह प्रस्तुत करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार प्राण और अंग के खतरे में नहीं डाला जाएगा।

अनुच्छेद 20 (3) में स्वयं का अपराध में फंसाने के विरूद्ध उन्मुक्ति को बताया है अर्थात् किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरूद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

एम.पी. शर्मा बनाम सतीश[6] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा साक्ष्य में मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार के साक्ष्य है इसलिए किसी व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे उसके विरूद्ध अभियोजन को समर्थन मिलने की युक्तियुक्त संभाव्यता है किन्तु ऐसा साक्ष्य संसूचना के रूप में होना चाहिए किन्तु मुम्बई राज्य बनाम काथी कालू [7] के वाद में कहा गया कि 20 (3) के प्रावधान अभियुक्त के चिकित्सकीय परीक्षण को या उसके अंगूठे की छाप या नमूने का हस्ताक्षर लेने को वारित नहीं करता है। सेलवी बनाम कर्नाटक राज्य (8) के दूरगामी महत्व के मामले में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या अपराध की जांच के लिए अपराधी की नारकोटिक्स, पॉलीग्राफ और ब्रेनफिगर प्रिटिंग परीक्षण

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

अनुच्छेद 20 का उल्लघंन करता है। इस मामले में अभियुक्तो ने यह प्रश्न उठाये थे कि उक्त परीक्षण उनकी सहमति के बिना किए गए थे अत: अनुच्छेद 20 के अधीन वर्जित है। पुलिस प्रशासन का तर्क था कि उक्त परीक्षण भविष्य में होने वाले अपराधो जिनमें साधारण तरीको से साक्ष्य एकत्रित करना कठिन है उपयोगी सिद्ध होगे विशेष तौर से यौन अपराधो में। अभियुक्तो का तर्क था कि उपयुक्त तरीके थर्ड डिग्री तरीको के वैकल्पिक तरीके है और वे अनुच्छे-21 द्वारा वर्जित है। उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायमूर्तियो (मुख्य न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण, श्री आर.बी. रवीन्द्रन और श्री जे.एम.पंक्षी) ने सर्वसम्मति से अभिविधोरित किया कि अभियुक्त का अनिवार्य नारको परीक्षण अनुच्छेद 20, 21 के अधीन ऋजुपूर्ण परीक्षण (Fair Trial) अधिकार का भी उल्लंघन करता है। सरकार का यह तर्क कि इसमें (शीघ्र परीक्षण) नारको परीक्षण में जनहित निहित है अत: इस परीक्षण की अनुमति होनी चाहिए न्यायालय ने यह कहा कि यह निर्णय करना विधान मण्डल का कार्य है। 'लोक संरक्षण' और 'दैहिक स्वाधीनता' के बीच अंतर को विधायिका व्यवहारिक रूप से जानती है किन्तु जब यह प्रश्न न्यायालय के समक्ष आएगा तो वह संविधान में प्रदत्त दैहिक स्वाधीनता और अधिसंशन के विरूद्ध के संरक्षण के विरूद्ध नागरिको की संरक्षा को प्राथमिकता देगी। 'पालीग्राफी परीक्षण' को विद्युत तरंग परीक्षण भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के मस्तिष्क में बिजली की तरंगे पहुंचायी जाती है जिसके प्रभाव से वह सत्य बोलता है। 'नारको परीक्षण' में एक प्रकार की औषधि (सोडियम मेन्टोथॉल) जिसकी उच्च मात्रा शल्यक्रिया के मरीजो को एनस्थीशिया देने में प्रयोग की जाती है जिससे वह सत्य सूचनाये देता है इस मामले में न्यायालय ने निर्णय इस प्रकार दिया :-

1. अभियुक्त की सहमति के बिना कोई भी लाई डिटेक्टर नहीं प्रयोग किया जाएगा।
2. यदि अभियुक्त इसकी सहमति देता है तो उसे अधिवक्ता की सहायता दी जाएगी और लाई डिटेक्टर के शारीरिक, मानसिक और विधिक आशय को पुलिस और अधिवक्ता को अभियुक्त को बताना होगा।
3. इसकी सहमति मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित ली जाएगी।
4. मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवायी के दौरान अभियुक्त को अधिवक्ता का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।
5. अभियुक्त से सूचना प्राप्ति की पूरी मेडिकल और तथ्यात्मक वर्णन की पूरी रिपोर्ट लिखी जाएगी।
6. सुनवायी के दौरान व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि उसका कथन स्वीकारोक्ति नहीं होगा बल्कि पुलिस के समक्ष दिया कथन होगा।
7. मजिस्ट्रेट अभियुक्त की निरोध की अवधि और पूछताछ की प्रकृति पर भी विचार करेगा।

विधि के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को जीवन एवं वैयक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है लेकिन यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है यह अधिकार तभी तक उपलब्ध रहता है जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति विधिपूर्ण तरीके से कार्य करता रहे। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जो भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय है तो उसकी उपयुर्वत स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो जाती है अर्थात् ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है यह गिरफ्तारी ही विधि की एक प्रक्रिया है लेकिन ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भी गिरफ्तारी के विरूद्ध कतिपय संरक्षण प्रदान किया गया है अर्थात् किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाए, गिरफ्तारी के पश्चात उसके साथ अन्यायोचित व्यवहार नहीं किया जाए, गिरफ्तारी के अधिकार का दुरूपयोग नहीं किया जाए, गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाए आदि।

एकान्तता का अधिकार- खरकसिंह बनाम उ.प्र. राज्य [9] के मामले में पिटिषनर खरक सिंह के ऊपर डकैती का आरोप लगाया गया था किन्तु पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। इस मामले से उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि रात्रि में एक व्यक्ति के घर में पुलिस का आना अनुच्छेद 21 में प्रदत्त उसके प्राण और दैहिक स्वाधीनता का मूल अधिकार का उल्लंघन करता है।

कारागार में बंदी माँ के साथ रहने वाले बच्चो के हितो का संरक्षण - आर.डी. उपाध्याय बनाम आध्रप्रदेश राज्य[10] के मामले में देश के विभिन्न जेलो में विचाराणाधीन बंदी माँ के साथ रहने वाले बच्चो की दयनीय दशा के विषय में उच्चतम न्यायालय में गंभीर चिंता दिखाई और यह अभिनिर्धारित किया कि उन्हें अनुच्छेद 21, 23, 39 (ई), 39 (एफ) और 21-क के अंतर्गत भोजन चिकित्सा सहायता, कपड़े, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाये पाने का अधिकार है।

बंदियो के अधिकार- बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[11] में कहा गया कि हत्या के मामले में अभियुक्त को बिना युक्तियुक्त कारण के जमानत नामंजूर करना उसे दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है और असंवैधानिक है, अभियुक्त को जमानत देने से इंकार तभी किया जाना चाहिए जब समाज के कल्याण के लिए ऐसा करना उचित हो। सिद्धदोष व्यक्ति अपने मूल अधिकारो से पूर्णतया वंचित नहीं होते है वे उस समय तक सभी सांविधानिक अधिकारो के हकदार रहते है जब तक कि उनको स्वतंत्रता से सांविधानिक प्रक्रिया द्वारा वर्जित नहीं कर दिया जाता है।

एम. हॉसकाट महाराष्ट्र राज्य[12] के सिद्धदोष व्यक्ति को उच्च न्यायालय में 'अपील फाइल' करने का मूल अधिकार है तथा उसे निर्णय की प्रतिलिपि नि:शुल्क पाने तथा 'निशुल्क कानूनी सहायता' पाने का भी अधिकार प्राप्त है।

एकान्त कारावास के विरूद्ध संरक्षण- सुनील वत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन[13] इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सिद्धदोष व्यक्तियों को भी दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उन्हें उनसे वंचित नहीं किया जा सकता है। एक कैदी को दूसरे से मिलना बातचीत करना उसका मूल अधिकार है। मृत्युदण्ड पा जाने मात्र से वह मनुष्य की श्रेणी से बाहर नहीं हो जाता है जब तक कि मृत्युदण्ड कार्याविन्त न कर दिया जाए वह मनुष्य ही रहता है, उसे पूर्ण मनुष्य का जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है।

शीघ्र विचारण का अधिकार- हुसैन आरा खातून विरूद्ध बिहार राज्य [14] में कहा गया कि अभियुक्त को अपने मामलो के 'शीघ्रतर विचारण' का अधिकार है। साथ ही साथ नि:शुल्क विधिक सेवा युक्तियुक्त प्रक्रिया का आवश्यक तत्व है जिसे निर्धन सिद्धदोष व्यक्तियों को देना राज्य का कर्तव्य है ऐसी प्रक्रिया जो निर्धन सिद्धदोष व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता नहीं प्रदान करती है उसे अनुच्छेद-21 के अनुसार युक्तियुक्त उचित और न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है।

हथकड़ी लगाने के विरूद्ध संरक्षण- प्रेमशंकर बनाम दिल्ली प्रशासन [15] में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि हथकड़ी का प्रयोग तभी किया जा

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

सकता है जब कैदी के पुलिस अभिरक्षा से भागने का स्पष्ट और वर्तमान खतरा हो और यदि ऐसा हो तो उसके कारणो का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध संरक्षण– किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य [16] के मामले में राजस्थान कारागार अधिनियम और राजस्थान कारागार नियम की विधिमान्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण करते है। इसमें न्यायाधिपति श्री कृष्णाअय्यर ने बहुमत का निर्णय सुनाते हुये यह अधिनिर्धारित किया कि किसी कैदी को इतने तुच्छ आधारो पर 08 से 11 माह तक हथकड़ी के साथ एकान्तवास में रखना अमानवीय कृत्य है और अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 में अधीन मानव प्रतिष्ठा पर आघात है।

पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरूद्ध संरक्षण–नीलवती बेहरा विरूद्ध उडीसा राज्य [17] पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति तथा जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और यदि पुलिस अभिरक्षा या जेल में उसके मूल अधिकारो का राज्य या उसके सेवको द्वारा उल्लंघन होता है तो राज्य को ऐसे नागरिक को प्रतिकर देना होगा। इस मामले में 1,50,000 रूपये प्रति कर दिलाया गया।

जोगिन्दर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [18] इस मामले में एक व्यक्ति के गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए है ताकि व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी से संरक्षा की जा सके।

अ. गिरफ्तार व्यक्ति को यदि वह प्रार्थना करता है तो उसके किसी ऐसे मित्र संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे वह जानता है या जिसे उसके कल्याण में हित हो सकता है, उसकी गिरफ्तारी की तथा उस स्थान की जहां वह निरूद्ध है यथा संभव शीघ्र सूचना दे।

ब. पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को थाने में लाने पर यह बताये कि उसे उक्त अधिकार प्राप्त है।

द. पुलिस डायरी में इस बात की प्रविष्टि की जाएगी कि इस संबंध में किस व्यक्ति को सूचित किया गया था।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त किये गये अधिकार– दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अभियुक्तो के लिए प्रमुख प्रावधान–

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 ख गिरफ्तारी की प्रक्रिया और **गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य :–** प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय –

(क) अपने नाम की सही प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके।

(ख) गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो –

(1) कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का, जहाँ गिरफ्तारी की गई है गणमान्य सदस्य है।

(2) जब तक उसके परिवार में किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह सूचना देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को जिसका वह नाम दे, उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी।

स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरूद्ध क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर कौसिल ऑफ इण्डिया [19] में यह बात स्पष्ट की गई कि किसी महिला की गिरफ्तारी के संबंध में अब यह करीब–करीब सुस्थापित हो चुका है कि ऐसी गिरफ्तारी के समय किसी महिला कांस्टेबल का उपस्थित रहना आवश्यक है लेकिन यह कोई निरपेक्ष नियम नहीं है जहां किसी महिला की गिरफ्तारी के समय किसी महिला कांस्टेबल को उपस्थित रखने का पूरा प्रयास किया गया हो लेकिन महिला कांस्टेबल उपलब्ध नहीं हुई हो और गिरफ्तारी में अधिक विलम्ब किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हो, वहां कारण लेखबद्ध करते हुए किसी महिला कांस्टेबल की अनुपस्थिति में भी किसी महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी गिरफ्तारी दिन के समय या रात्रि के समय कभी भी की जा सकती है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 घ– गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार :– जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूँछताछ की जाती है तब गिरफ्तार व्यक्ति अन्वेषण के दौरान उपस्थित रहने के लिए अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किन्तु सम्पूर्ण पूँछताछ के दौरान नहीं। इसी अधिनियम की धारा 50 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दो महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करती है।

प्रथम–जहां किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया हो वहां उसे गिरफ्तारी के कारणो से तुरंत अवगत कराया जाएगा।

द्वितीय–यदि गिरफ्तार किये जाने वाला व्यक्ति जमानतीय अपराध का अभियुक्त है तो उसे इत्तिला दी जाएगी कि वह जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी है और वह प्रतिभुओ की व्यवस्था करें।

तारापाद डे बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल[20] के मामले में कहा गया कि यह एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद–22 में किया गया है इसके अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने के कारणो से शीघ्र अवगत कराया जाएगा जहां ऐसे कारण दर्षित करने में किसी प्रकार का विलम्ब किया जाता है वहां ऐसे विलम्ब का औचित्य सिद्ध करना होगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 50क गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का नामित व्यक्ति को गिरफ्तार आदि की सूचना देने का दायित्व– इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक पुलिस अधिकारी या गिरफ्तारी करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का दायित्व होगा कि ऐसी गिरफ्तारी तथा उस स्थान जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है, के संबंध में तत्काल गिरफ्तार व्यक्ति के मित्रो, संबंधियो या अन्य ऐसे व्यक्तियों जो गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताये जाए या नामित किए जाए, को सूचित करें।

दण्ड प्रक्रिया संहिता– 1973 की धारा 51 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की **तलाशी–** रमन राय बनाम एम्परर[21] में यह स्पष्ट किया कि इस धारा के अंतर्गत तलाशी केवल गिरफ्तारी के बाद ही ली जा सकती है चाहे ऐसी गिरफ्तारी वारंट के अंतर्गत की गई हो अथवा वारंट के बिना। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि, किसी स्त्री की तलाशी किसी अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी एवं ऐसी तलाशी के समय शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरूद्ध न किया जाना–यह धारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने का निर्देश देती है। स्टेट बनाम आर.पी. चौधरी [22] यदि किसी अभियुक्त को चौबीस घंटो से अधिक समयावधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो तो इसके लिए मजिस्ट्रेट का विशेष आदेश प्राप्त करना होगा लेकिन ऐसा आदेश भी 15 दिनो से अधिक का नहीं हो सकेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–304 कुछ मामलो में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता :– सुखदास और अन्य बनाम यूनियन टेरीटरी ऑफ अरूणाचल प्रदेश के बाद में कहा गया कि नि:शुल्क विधिक सहायता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जिस व्यक्ति का जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता संकट में है वह नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार है। ऐसे मामलो में अभियुक्त के आवेदन पत्र की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। स्वयं मजिस्ट्रेट अथवा न्यायाधीष का यह कर्तव्य है कि ऐसे अभियुक्त को अपने इस अधिकार से अवगत कराये।

दिलबर सिंह बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली[23] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां किसी आपराधिक विचारण में अभियुक्त का कोई अधिवक्ता नहीं हो वहां न्यायालय द्वारा उसके लिए न्याय मित्र की नियुक्ती की जानी चाहिए।

निष्कर्ष – मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार जो उसकी गरिमा के विरूद्ध है अर्थात् अनावश्यक यंत्रणा देना और उसके साथ पशुवत व्यवहार करना विधिक प्रावधानो का अतिक्रमण करता है। मनुष्य को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार नैसर्गिंक अधिकार है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उन्हें इन अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. 1954, एस.सी.आर. 30
2. (2004) 5 एस.सी.सी. 518 (पैरा.20)
3. (1954) एस.सी.आर. 11500
4. (2003) एस.सी.सी. 122
5. ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 791
6. (1954) एस.सी.आर. 1077
7. ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1808
8. ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 1974
9. ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1295
10. ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 1946
11. ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 527
12. ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1548
13. ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1675
14. ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1360
15. ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 898
16. ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 625
17. (1993) 2 एस.सी.सी. 746
18. (1994) 4 एस.सी.सी. 260
19. ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 07
20. ए.आई.आर. 1951 एस.सी. 174
21. ए.आई.आर. 1942 इलाहाबाद 421
22. ए.आई.आर. 1955 इलाहाबाद
23. ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 3234

ग्रन्थ सूची :–

1. डॉ. दुर्गादास वसु, भारत का संविधान 12 वाँ संस्करण पृ.66 134
2. डॉ. मुरलीधर चतुर्वेदी, भारत का संविधान, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी
3. डॉ. जयनारायण पाण्डेय, भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी.49 वाँ संस्करण 2016
4. डॉ. बसंतीलाल नावेल, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, 29 वाँ संस्करण 2018
5. सूर्यनारायण मिश्रा, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन पंचम संस्करण 2015

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

कौटिल्य का समकालीन राजनीतिक परिदृश्यों में प्रासंगिक लोक कल्याणकारी एवं समाजसेवी राज्य का स्वप्न

श्रीमती वर्षा चुण्डावत* डॉ. हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत**

* सहायक आचार्य (भूगोल) राजकीय महाविद्यालय, जैतारण, पाली (राज.) भारत
** सहायक आचार्य (इतिहास) मेवाड़ विश्वविद्यालय, गंगरार, चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

राज्य का कार्य क्षेत्र और कौटिल्य के समकालीन प्रासंगिक विचार – प्राचीनकाल में राज्य का कार्यक्षेत्र अत्यन्त सीमित था किन्तु समय के साथ-साथ राज्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत होता गया क्योंकि राज्य व्यक्तियों के प्रत्येक पहलु से संबंधित हो गया। कौटिल्य ने राज्य के कार्यों का पृथक रूप से क्रमबद्ध वर्णन नहीं किया है किन्तु अर्थशास्त्र में यत्र-तत्र राज्य के कार्यों का विवरण मिलता है।

अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत ही व्यापक है जिसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक ही नहीं वरन् परराष्ट्र नीति तथा प्रभावी गुप्तचर व्यवस्था (राज्य व जनता की वास्तविक स्थिति जानने हेतु) जैसे कार्यों का भी सम्पादन करना पड़ता है। राज्य के कार्यों का लक्ष्य है कि प्रजा की भौतिक व्यवस्था व सुरक्षा करते हुए लोगों को लौकिक (भौतिक) व पारलौकिक (आध्यात्मिक) सुखों को प्रदान किया जाए। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्य क्षेत्रों का वर्णन निम्नलिखित है।

प्रजा/जनता की सुरक्षा – कौटिल्य के अनुसार 'राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय' से उत्पन्न दयनीय, अराजक व भयभीत जनता की सुरक्षा हेतु हुई है। प्रजा की सुरक्षा करना राज्य का प्राथमिक व अनिवार्य उत्तरदायित्व है। कौटिल्य ने 'राज्य' संस्था के अस्तित्व से पूर्व की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि 'मत्स्य न्याय' का बोलबाला था एवं चारों ओर भय, असुरक्षा, अशान्ति व अराजकता थी। अत: राज्य को बनाने का लक्ष्य यही था कि वह भयमुक्त वातावरण बनाते हुए सुरक्षा, शान्ति व व्यवस्था की स्थापना करे और वह प्रजा की आन्तरिक व बाह्य संकटों से जनता की सुरक्षा करे। प्रजा के जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा हेतु उत्तरदायी राज्य का कर्तव्य है कि वह चोरों, डकैतों, हत्यारों, असामाजिक तत्वों, भ्रष्ट कर्मचारियों से प्रजा की रक्षा करे और इसके साथ ही उसे अग्नि, जल, बिमारी, दुर्भिक्ष, चूहे, व्याघ्र, सर्प और राक्षस जैसी महाविपत्तियों से भी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। कौटिल्य ने जनता की सुरक्षा के संदर्भ में राज्य को तीन प्रकार के दायित्वों से परिपूर्ण किया है। :-

(अ) राज्य में समाज कंटकों, अपराधियों को समाज में अशान्ति व अव्यवस्था पैदा करने पर समुचित दण्ड दिया जाए और साथ ही प्रजा को अनेकों प्रकार की हिंसा व अपराधों से बचाया जाए या उन्हें इनसे (अपराध व हिंसा) बचने हेतु शिक्षा, प्रशिक्षण व परामर्श दिया जाए। साथ ही राज्य को प्रजा के जीवन व उसकी सम्पत्ति व सदाचार की भी रक्षा करनी चाहिए।

(ब) राज्य को बाह्य आक्रमणों से प्रजा की सेना द्वारा सुरक्षा करनी चाहिए। एक राज्य की सुरक्षा व्यवस्था व सेना इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि सामने वाली सेना को परास्त करके अपनी प्रजा के जीवन की सुरक्षा, सम्पत्ति की सुरक्षा आदि कार्य कर सके। राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बाह्य आक्रमणों का संकट कम से कम हो। ऐसा अधिक मित्र राज्य बनाकर ही सम्भव है।

(स) एक राज्य में उत्पन्न प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल, बाढ़, तूफान व आंधी या अन्य कोई महामारी जैसी समस्या से प्रजा की रक्षा हेतु राज्य को तुरन्त स्थायी उपाय व राहत के कार्य करने चाहिए।

कौटिल्य ने प्रजा की रक्षा एवं युद्ध के विषय पर कहा है कि जहाँ तक सम्भव हो, युद्धों का परित्याग करना चाहिए। युद्ध एक अन्तिम विकल्प है, युद्ध ऐसा होना चाहिए कि शत्रु परास्त भी हो जाए ओर अपनी जनता की कम से कम हानि हो। युद्ध में बिल्कुल हानि नहीं हो ऐसा सम्भव ही नहीं है। स्पष्ट है कि राज्य का प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने अस्तित्व को बनाये रखे। विदेशी आक्रमणों से रक्षा के लिए राज्य में दुर्ग बनवाने, सुसंगठित सेना, अनेकानेक प्रकार के अस्त्रों-शस्त्रों, मित्र-राज्यों आदि पर राज्य को सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए तथा राज्य को इतना शक्तिशाली बनाना चाहिए कि वह विदेशी आक्रमणों का सामना कर सके। राज्य को विदेशी-नीति का संचालन करते समय साम, दाम दण्ड और भेद से काम लेना चाहिए।अत: राज्य द्वारा प्रजा की आन्तरिक एवं बाह्य प्रकार से रक्षा की जा सके, इसी लक्ष्य से राज्य सुरक्षा का कार्य सम्पन्न करता है। उरी के आतंकवादी हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक और इसी प्रकार पुलवामा के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किया गया बालाकोट आतंकी शिविरों पर हमला भारतीय यौद्धा प्रकृति को प्रदर्शित करते हुए गौरवान्वित करते है जिनमें कौटिल्य के उपदेशानुसार साम-दाम-दण्ड-भेद का प्रयोग कर पाकिस्तान को असहाय बना दिया।

कौटिल्य के अनुसार प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा के हित में ही उसका हित है।विद्वान बी.डी. कला ने कौटिल्य के संदर्भ में कहा 'कौटिल्य ने अयोग्य राजा को गद्दी से उतारने और उसकी जगह दूसरा राजा बैठाने तथा अधर्मी व प्रजा का तिरस्कार करने वाला राजा के मारे जाने की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सूचना दी है।'इस प्रकार कौटिल्य ने राजतांत्रिक राज-व्यवस्था' के प्रसंग में (अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के कार्यों से भी स्पष्ट) प्रजा हितकारी या प्रजा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकारा है। अत: कौटिल्य सैद्धांतिक विचारक होने के साथ-साथ व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे।

लोक कल्याण – कौटिल्य के शब्दों में राज्य के अस्तित्व की सैद्धान्तिक व्याख्या यह है कि वह जनता के लौकिक/भौतिक व पारलौकिक/आध्यात्मिक कल्याण करता रहे। ऐसा करने पर ही राज्य का अस्तित्व सुरक्षित है। कौटिल्य एक राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी समस्त प्रशासनिक नीतियों का संचालन इस लक्ष्य से करे कि जनता का सदैव कल्याण होता रहे। उनका राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसमें राज्य को वृद्धों, महिलाओं, बालकों व अनाथों की प्रत्येक स्तर पर (प्रारम्भिक आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य व शिक्षा) सहायता व सहयोग करना चाहिए क्योंकि यह कार्य करना राज्य का दायित्व है। राज्य को जनता के मनोरंजन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। वनोत्थान हेतु वनों की साफ-सफाई करते हुए भूमि को कृषि योग्य बनाना चाहिए। राज्य में कृषि की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा हेतु वनों की सुरक्षा व उद्यानों का निर्माण करवाना चाहिए और जल संसाधनों के संदर्भ में जलाशय, कुओं, बावड़ी, तालाबों व नदियों की साफ-सफाई का कार्य भी करवाना चाहिए और पेयजल की भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। एक राज्य में अकाल, बाढ़ व महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए राज्य को अनिवार्य एवं प्रभावी उपाय करने चाहिए। लोगों पर यह पाबन्दी लगायी जानी चाहिए कि वे शराब (मदिरा) एवं अन्य हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वच्छता अभियान व हर घर शौचालय जैसी योजनाएँ कौटिल्य को और भी प्रासंगिक बना रही है।

कौटिल्य ने शैक्षणिक उन्नयन के लिए कहा है कि जो विद्वान शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं और बौद्धिक सम्पदा के धनी है, उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। जो लोग नि:शक्त व असमर्थ है, उनके जीवन का पालन-पोषण तथा जीवन के निर्वाह का भी उत्तरदायित्व राज्य का ही है। उनके शब्दों में 'राज्य को प्रजा के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वच्छ औषधालयों की समुचित संचालन व्यवस्था करनी चाहिए।' वर्तमान भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व (अनु. 39 से 51 तक) कौटिल्य की जनकल्याणकारी राजनीतिक चिंतन के प्रतिबिम्ब ही हैं।

वनोत्थान व पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से कौटिल्य ने कहा है कि वनों व उद्यानों के विस्तार हेतु जनता से सहयोग लिया जाना उचित है, वन एवं उद्यान लगाने के लिए उनका विस्तार करने के लिए यदि कोई व्यक्ति इच्छुक हो तो राज्य द्वारा उसे भूमि एवं वृक्ष उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। कौटिल्य ने यातायात व आयात-निर्यात को महत्व देते हुए कहा है कि जनता के आवागमन की सुविधा व आयात-निर्यात की सुविधा हेतु अच्छी सड़कें, जलमार्ग, नदियाँ व पुलों का निर्माण करवाना राज्य का दायित्व है। उन्होंने प्रजा की आवासीय व्यवस्था पर कहा है कि यह राज्य का दायित्व है कि वह शिक्षकों, राज्य-कर्मचारियों व चिकित्सकों हेतु तथा प्रजा के अन्य वर्गों को आवास हेतु भूमि आवंटित करे।

प्राचीन भारत कल्याणकारी था, न कि पूंजीवादी और न समाजवादी। अथर्ववेद में लिखा है कि जिस राष्ट्र में विद्या का प्रचार नही किया जाता, वहाँ विद्या कल्याणकारी नही होती एवं न प्रतिष्ठित होती है और न वहाँ कोई विद्वान जन्म लेता है।

कौटिल्य सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही आधारों पर जनकल्याण का लक्ष्य लिए हुए है। शासक का यह दायित्व है कि वह प्रशासनिक व्यवस्था का संगठन व संचालन इस प्रकार करे कि नियमित व संतुलित रूप से प्रजा के कल्याण की समस्त गतिविधियों को सम्पन्न करके कल्याणकारी लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। कौटिल्य के राज्य की लोक-कल्याणकारी प्रकृति विकेन्द्रीकृत वितरणात्मक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है। उनके शब्दों में 'अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण, संरक्षित का संवधर्न तथा संवर्धित का उचित प्रक्रिया से सुयोग्य व्यक्तियों में वितरण ही राज्य का मुख्य कार्य है।'

उनके अनुसार राज्य जनता में समृद्धि और जन कल्याण के दायित्वपूर्ण कार्य करने के पश्चात् ही वह जनता से कर ग्रहण करने का अधिकारी होता है। स्पष्ट है कि कौटिल्य का राजा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से तथा सम्पूर्ण रूप से जनकल्याण के कार्य करना चाहता है। वृद्धों, महिलाओं, अनाथों व शिक्षा के कार्यों में लगे विद्वानों के पालन-पोषण का दायित्व राज्य पर ही निर्भर है। कृषि -उत्थान व वनोत्थान करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा व संवर्धन का कार्य भी राज्य का ही है। स्वास्थ्य व शिक्षा, आवासीय सुविधा, आवागमन व आयात-निर्यात की व्यवस्था राज्य का दायित्व है। साथ ही साथ लोगों के नैतिक उत्थान की जिम्मेदारी भी राज्य पर ही है। अत: कौटिल्य का राज्य वर्तमान राज्यों की ही भाँति जन कल्याण के समस्त लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से प्राप्त करना चाहता है। वर्तमान भारत सरकार का अपनी पेंशन व अन्य योजनाओं के संदर्भ में महिलाओं, कृषकों, मजदूरों व बुजुर्गों के बैंक खातों में सीधा धन जमा कराना व कैशलेस मनी सिस्टम की ओर संकेत कौटिल्य का अनुसरण ही है।

विद्वान Michael Liebig कृषि को महत्ता देते हुए कौटिल्य के राज्य के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत बताते हुए लिखते हैं कि – '..... The demographic and economic basis of the state is first of all the agricultural population in the rural villages. Agriculture ensures the physical subsistence of the whole population and generates a surplus product, which is the main fiscal source of the state. The countryside also provides the raw materials for handicraft production.'

न्याय व्यवस्था – कौटिल्य के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह एक सन्तुलित व प्रभावी न्याय की व्यवस्था करे एवं राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि वह समस्त अन्याय की समाप्ति करके औचित्य व नैतिकता के आधार पर न्याय की प्रभावी स्थापना कर न्याय करे। न्याय की व्यवस्था व स्थापना राज्य का अनिवार्य दायित्व है। कौटिल्य न्याय के दो पक्षों की व्याख्या करता है:-(1) वितरणात्मक न्याय (2) सुधारात्मक न्याय।

वितरणात्मक न्याय का अभिप्राय राज्य के सकारात्मक न्यायिक दायित्व से है। राजा सकारात्मक दायित्व की पूर्ति इस प्रकार करता है कि प्रजा के सभी वर्गों को न्याय की सुलभता हो एवं समाज में सभी विद्यमान साधनों का वितरण न्याय व औचित्य के आधार पर सर्वजन में सन्तुलित रूप में हो। अभिप्राय है कि सभी लोगों को न्याय की सुलभता हो।सुधारात्मक न्याय की स्थापना करना भी राज्य का ही दायित्व है एवं इसमें यह निहित है कि जो व्यक्ति कानूनों की अवहेलना करता है एवं प्रजा के अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो ऐसे व्यक्ति को सानुपातिक, समुचित दण्ड दिया जाना चाहिए। समाज में प्रजा के विभिन्न वर्गों के मध्य यदि किसी गंभीर विषय को लेकर अधिकारों के प्रश्न पर कोई मतभेद या विवाद हो जाए तो राज्य को चाहिए कि वह उस विवाद का स्थायी व सम्पूर्ण समाधान करके प्रजा के अधिकारों की सुरक्षा करे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आर्थिकरूप से सामान्य वर्ग के कमजोर तबके को 10 प्रतिशत आरक्षण देना भी कुछ

ऐसा ही प्रजा कल्याणकारी निर्णय है।

राज्य का दायित्व है कि वह न्याय व्यवस्था को सम्पूर्ण व संचालित करने की दृष्टि से प्रभावी न्यायपालिका का संगठन करे। न्यायिक संगठनों का भी पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी से यह दायित्व है कि वे अपने न्यायिक कार्यों का सम्पादन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही करे। कौटिल्य ने राज्य की न्यायिक क्षमता के बारे में कहा है कि यदि राज्य अपने न्यायिक दायित्व को सुनिश्चित नहीं कर पाता है तो समाज में असुरक्षा व भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। फलत: कौटिल्य ने राजा को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि राजा ने अपनी न्यायिक शक्ति का दुरूपयोग किया है तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है एक राजा को अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग बड़ी ही सजगता व सतर्कता से करना चाहिए। स्पष्ट है कि कौटिल्य की न्याय व्यवस्था राज्य का दायित्व है। नैतिकता व औचित्य पर आधारित न्याय का लक्ष्य सार्वजनिक हित सर्वजन उपलब्धता है। दण्ड व सर्वजन कल्याणकारिता ही न्याय का क्षेत्र है तथा न्याय एक ऐसा संगठन है जिसका सदुपयोग होना अनिवार्य है।

कौटिल्य ने पुलिस राज्य का समर्थन न करके एक लोककल्याणकारी एवं समाजसेवी राज्य का समर्थन किया है। राज्य ही परोपकारी एवं पितृसत्तात्मक संस्था है जिसका हित व सुख, नागरिकों के हित व सुख में निहित है। कौटिल्य का राज्य वर्तमान कल्याणकारी राज्य की तरह व्यापार-व्यवसाय, चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण, पशुपालन, उद्योग आदि के विकास व अनुसंधान से संबंधित सेवाएँ प्रदान करता है। इससे स्पष्ट होता है कि कौटिल्य का राज्य सामाजिक सुरक्षा का मंत्रालय है।

विद्वान Michael Liebig इस विषय में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के विचारों को उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि – '..... Nehru points out that the Kautilyan state was an autocracy, but should not be dismissed as a `police state'. He emphasises the high level of administra-tive organisation of the Kautilyan state and its paternalistic concern for the people, referring to public infrastructure, health policy, consumer protection, social assistance for the needy, disaster management and urban planning. Nehru underlines the normative commitment of the ruler as the first servant of the people, quoting Kautilya's sentence `In the happiness of his subjects lies his happiness.' Kautilya advo-cated consistent power politics, in order to secure and expand the power of the state internally and exter-nally, in that, he knew no scruples: `There was hardly anything Chanakya would have refrained from doing to achieve his purpose, he was unscrupulous enougha, yet he was wise enougha to know that this very purpose might be defeated by means unsuited to the end......'

चाणक्य द्वारा वर्णित लोक प्रशासन का वर्तमान प्रशासन पर प्रभाव – आधुनिक राजनीति पर आधारित प्रशासन तंत्र की संरचना 'अर्थशास्त्र' में लिखित प्रशासनिक तंत्रों की संरचना से मेल नहीं खाती, फिर भी उसमें लोकप्रशासन के कुछ सिद्धान्त दृष्टिगोचर होते हैं। चाणक्य ने कहा था कि राजा ही ईश्वर होता है और यदि राजा का कोई अनादर करता है तो उसे देवी दंड मिलेगा। लोकतंत्र ओर लोक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करते हुए यह कहा गया कि राज्य के जनता की सुरक्षा और विकास के लिए राजा ही जिम्मेदार होगा और इन सब कार्यों के लिए वह जनता के प्रति उतरदायी होगा। विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त प्रशासनिक व्यवस्था की अत्यन्त महत्वपूर्ण तकनीक है।

चाणक्य के मत में एक सुमार्गी प्रशासन मानव-कल्याण को सुनिश्चित करने की बुनियादी शर्त है। 'जन-कल्याण' लोक प्रशासन का लक्ष्य था, इसी को आज वर्तमान समय में 'विकास प्रशासन' कहा जाता है। उनके अनुसार कृषि, पशुपालन तथा व्यापार-वाणिज्य को प्रोत्साहन देना राजा का उत्तरदायित्व है। गाँवों से नगरों की ओर जनता का पलायन रोकने की दृष्टि से ग्रामीण जीवन के विकास सम्बंधी संस्तुतियाँ चाणक्य की दूरदर्शिता की परिचायक है।[15] वर्तमान में भारतीय नगरों में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक बढ़ चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन जारी है। अत: इस संदर्भ में कौटिल्य से सीख लेना आवश्यक है।

चाणक्य अपने युग के अकेले ऐसे प्रशासनविद् है जिन्होंने प्रशासन में सांख्यिकी के महत्व को पहचाना था। 'अर्थशास्त्र' में जिलाधिकारियों ओर सर्किल अधिकारियों को दूसरे कार्यों के साथ ही भूमि और वन्य-संपदा, परिवार ओर सदस्यों के बारे में अलग-अलग तरह के आँकडे इकट्ठे करने के कार्य की व्यवस्था प्रदत्त की गई है। चाणक्य के काल में वित्त विभाग के अलावा किसी दूसरे विभाग में आंकडो के एकत्रीकरण और उनके इस्तेमाल पर जोर नहीं दिया गया और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन जैसी संस्थापक-संस्था का विकास अभी हाल में हुआ है।

शासन-व्यवस्था का स्वरूप- कौटिल्य के अनुसार 'स्वभाव से शान्त दिखायी देने वाले मनुष्य भी कार्य पर नियुक्त हो जाने के बाद उद्दंड हो जाता है।' जितनी पुरानी हमारी संस्कृति है, उतना ही पुराना हमारा शासन संचालन का अनुभव है और जो भी पारस्परिक मानवीय व्यवहार हो सकते हैं उन सब के ज्ञान की उतनी ही पुरानी परम्परा है। किसी भी देश की कठिनाइयाँ, गलतियाँ और जरूरते उस देश के अतीत के ज्ञान से अधिक सरलता और सुविधा से दूर की जा सकती है। शासन व्यवस्था का अतीत हमें बताता है कि वर्तमान की स्थितियाँ इस पर निर्भर करती है और प्रशासन का भविष्य इसमें निर्मित होगा तथा उस पर जितना नियत्रंण रहेगा, उतना ही नियत्रंण कर पायेगा और परिणाम प्रदान कर सकेगा। शासन संचालन सम्बन्धी जो भारत के प्राचीन निर्धारण है, उन सबको आधुनिकतम कम्प्यूटरों पर रखा जाना चाहिए और कम से कम देखा जाना चाहिए कि उत्पन्न कठिनाइयों तथा समस्याओं के क्या समाधान उनमें से निकलते हैं। संविधान निर्माताओं ने बहुत सावधानी रखते हुए दूरदर्शिता दिखायी और कई प्रकार के विस्तृत प्रावधान दिए है। संसार का सबसे विशाल संविधान बनाया, लेकिन वे यह अनुमान नहीं कर सके कि सारी सत्ता इन संगठनो की स्वार्थ-साधक और इन पर आश्रित हो जायेगी। आज अनिवार्यता यह बन गयी है कि भारत के राजनीतिक संगठनो में समुचित सुधार हो।

इसी प्रसंग में द्दष्टव्य है कि भारतीय संविधान के तीसरे तथा चौथे भाग में सामाजिक न्याय के विविध उपायों का उल्लेख किया गया है- अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत की भूमि पर कानून के समक्ष सभी समान है, सबको समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान आदि के आधार पर विभेद का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 के द्वारा राज्याधीन पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में सब नागरिकों को समानता का अवसर प्रदान किया है। अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछुत का तथा अनुच्छेद 23 के द्वारा पण्य-बलात् श्रम अथवा बेगार का अन्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति

संबंधी हितों तथा अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने तथा बीमारी, बुढ़ापा, बेकारी आदि के अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कार्यसाधक प्रयास करेगा। अनुच्छेद 42 में संविधान ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिये निर्वाह मजदूरी का प्रबन्ध तथा अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिये समान व्यवहार संहिता, अनुच्छेद 45 बालकों के लिये नि:शुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध, अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, आदिम-जातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ-सम्बन्धी हितों की उन्नति, अनुच्छेद 47 में आहार-पुष्टि और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का कर्तव्य है। भारत में प्रशासन द्वारा लोक कल्याण के विविध कार्यक्रमों का सम्पादन किया गया है। इससे राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा को साकार करने में सहायता मिलती है। लोक-कल्याण के संबंध में इन विविध कार्यक्रमों को साकार करने के फलस्वरूप संवैधानिक प्रावधानों को साकार करने मे सहायता मिली है।

अच्छे शासन की आवश्यकता के लिए निम्न आधार है :

1. अच्छे शासन के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सरकार के द्वारा सीमित किया जाना चाहिए। उसके ऊपर एक उपयुक्त नियंत्रण एवं उत्तरदायित्व और इसके लोकतांत्रिक अवयव को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
2. समाज की विभिन्न अपेक्षाओं को शासक के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए या विधिक प्रावधानों के अनुसार समाज की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए।
3. अच्छी शासन प्रणाली के द्वारा पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
4. अच्छी सरकार की आवश्यकता संसाधनों के सामंजस्यपूर्ण उपयोग और विकास को गति देने के सम्बन्ध में।
5. लोकतंत्र की सर्वशक्तिमान और विधि के शासन के अनुसार कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाए जाने के सम्बन्ध में।
6. एक लोकतंत्र की आवश्यकता के अनुसार मानव अधिकारों और मानव विकास के सम्बन्ध में सरकार के द्वारा जन-समुदाय को सहायता दी जानी चाहिए।
7. सत्ता की शक्ति का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे समाज में सहयोग, सौहार्द्र और एकत्व को प्राप्त किया जा सके और यहाँ नैतिक और सांस्कृतिक अवयवों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है।
8. लोक प्रशासन में संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करते हुए प्रत्यक्षदर्शी सांगठनिक जानकारी का विकास किया जाना चाहिए।
9. प्रशासन के द्वारा चलायी जा रही गतिविधियों और कार्यक्रमों में सफलता प्राप्त करने के सम्बन्ध में एक ओर तो कार्यकत्ताओं के सहयोग और सहभागिता की आवश्यकता और यहाँ इन अवयवों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है।
10. प्रशासन सामाजिक-आर्थिक बदलाव का एक प्रभावी तन्त्र है, अत: इस सामाजिक-आर्थिक बदलाव के कार्यों के सम्बन्ध में सांस्कृतिक विषयों का अध्ययन विश्लेषण किया जाना चाहिए।[19]

प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था व विचारधारा में वर्तमान कल्याणकारी आर्थिक नीतियों के काफी मात्रा में चिन्ह विद्यमान है तथा युग की दृष्टि से प्राचीन होते हुए भी यह विचारधारा वर्तमान विचारधारा के निकट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र व चिंतन से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सहित राजनीतिक कौशलयुक्त नेतृत्व क्षमता एवं सिविल कोड व क्रिमिनल लॉ आदि प्रासंगिक विचार वर्तमान भारत सहित सम्पूर्ण विश्व को प्राप्त हुए हैं। अत: स्पष्ट है कि, कौटिल्य वर्तमान में भी प्रासंगिक है ।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. बहरवाल डॉ. मनोज कुमार, भारतीय राजनीतिक चिंतक, हिमांशु पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2008
2. सत्यनारायण प्रसाद, प्रशासनिक चिन्तक, जवाहर पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर, दिल्ली,2011
3. पद्या रामचंदन, भारत लोक प्रशासन (अनुवाद-नरेश नदीम) नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली,1995
4. डॉ. मधुसूदन त्रिपाठी, भारत में लोक प्रशासन, ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2006
5. घनश्याम चौहान, भारतीय सामाजिक प्रशासन, विश्व भारती प्रकाशन, शांति निकेतन, कलकत्ता, 2009
6. रमेश के. अरोडा, आभा जैन, प्रशासनिक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन, दिल्ली, 2008
7. डॉ. नसीम अख्तर आजाद, आर्थिक विचारों का इतिहास (ऐतिहासिक आर्थिक विचारक), खेल साहित्य केंद्र,दरियागंज, नई दिल्ली
8. डॉ. श्रीकृष्ण ओझा, प्राचीन भारतीय चिन्तन का इतिहास, रिसर्च पब्लिकेशन कोयम्बटूर, तमिलनाडु, 2019
9. डॉ. श्रीराम वर्मा, भारतीय राजनीतिक विचारक,कॉलेज बुक सेंटर पब्लिकेशन,दिल्ली

आलेख:-

10. Michael Liebig, Kautilya's Relevance for India Today, India Quarterly 69 (2) 99-116, C 2013 Indian Council of World Affairs (ICWA) Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi, http://iqq.sagepub.com
11. Vishnu Prabhu K.S., Dr. Laxmi Dhar Dwivedi, Kautily's views on Espionage and its current Relevance, Research on Humanities and Social Sciences, ISSN (Paper) 2224-5766 ISSN (Online) 2225-0484 (Onlinw) Vol. 5, No. 7, 2015, www.iiste.org

पत्र-पत्रिका:-

1. आऊट लुक
2. राजस्थान पत्रिका
3. दैनिक भास्कर
4. दैनिक नवज्योति

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

बाबू जगजीवन राम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

सुमन कुमारी*

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) राँची विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड) भारत

प्रस्तावना – जगजीवन राम अपने समय के एक प्रख्यात समाज सुधारक, असाधारण सांसद और सर्वहारा वर्ग के अगुआ नेता थे। उन्होंने करीब पाँच दशक तक देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया वे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी योद्धा और आधुनिक भारत के प्रमुख शिल्पियों में से एक थे।

कांग्रेस दल ने जगजीवन राम के राजनीतिक उत्थान में एक बड़े उत्प्रेरक का कार्य किया। उन्हें बड़े-बड़े नेताओं का संरक्षण भी प्राप्त होता रहा। धीरे-धीरे वे कांग्रेस के मजबूत स्तंभ बन गये। दलितों में भी उनकी पैठ बढ़ गई। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बिना उनके सुझाव के पूरे नही होते थे। वे 1937-1977 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे। भारत की स्वतंत्रता के बाद जगजीवन राम कांग्रेस के लिए अपरिहार्य हो गये।

जगजीवन राम का कांग्रेस से अटूट संबंध रहा है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी द्वारा देश में आपातकाल दिया गया था। इससे नराज होकर 05 फरवरी 1977 को जगजीवन राम ने प्रजातंत्र कांग्रेस (Congress for Democracy) नामक अलग पार्टी बना ली थी। उन्होंने जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और विशाल बहुमत से चुनाव जीता और जनता दल सत्ता में आई। 01 मई 1977 को प्रजातंत्र कांग्रेस दल का जनता दल में विलय कर दिया गया। 1980 को कांग्रेस (अर्स) में विलय हो गया। 05 अगस्त 1981 को पुन: जगजीवन राम ने कांग्रेस (जे.) नामक राजनीतिक दल का गठन किया, जिसका उनकी मृत्यु 06 जुलाई 1986 के बाद कांग्रेस (आई.) में विलय हो गया।

जगजीवन राम का जीवन कांग्रेस के साथ सामंजस्य, विरोध और वाद-विवाद से पूर्ण रहा है।

जगजीवन राम के राजनीतिक जीवन का श्री गणेश नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1928 के कलकत्ता के अधिवेशन से हुआ। कलकत्ता की रविदास सभाओं में सक्रिय भाग लेकर ओजस्वी भाषणों से लोगों को अपनी ओर खींचने लगे, साथ ही मद्यपान विरोधी आंदोलन तथा स्वच्छता अभियान चलाकर बाबूजी बड़े-बड़े कांग्रेसी नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। बाबूजी ने कलकत्ता के 'रविदास सम्मेलन' में दलित नेताओं को एक मंच पर आकर काम करने के लिए आह्वान किया और बाबूजी के निर्देशन में 'अखिल भारतीय दलित संघ' की स्थापना हुई।

1936 में जगजीवन राम बिहार विधान परिषद् के सदस्य मनोनीत हुए। साथ ही 1936 में 'भागलपुर दलित वर्ग सम्मेलन' के अध्यक्ष चुने गये। 1937 में जब अंतरिम सरकार कांग्रेस की बनी तो वे बिहार सरकार के पार्लियामेंट्री मंत्री बनाए गए। 1938 में जगजीवन राम कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने गए। सन् 1940 से लगातार 1972 तक वे कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने गए। 1977 में उन्होंने अपने को कांग्रेस से अलग कर एक पार्टी बनाई, जिसका नाम 'प्रजातांत्रिक कांग्रेस पार्टी' रखा जिसके वे अध्यक्ष भी हुए।

सन् 1946 में जब भारत में अंतरिम सरकार बनी, उसमें जगजीवन राम को रेल मंत्रालय का केबिनेट मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने श्रमिक समाज का जो कल्याण किया, वह अवर्णनीय और अकथनीय है। 1946 से 1952 तक वे उन्होंने श्रम मंत्री की हैसियत से उद्योगपतियों की परंपरागत शोषण नीति का उन्मूलन करने में सफलता हासिल की थी।

1952 के आम चुनाव के बाद उन्हें संचार मंत्री बनाया गया। उन्होंने गाँव-गाँव में डाकघर, तारघर, ट्रंककॉल तथा टेलीफोन एक्सचेंजों को बढ़ाने में सफलता हासिल की। बाबूजी ने ही हवाई जहाज द्वारा डाक पहुँचाने की व्यवस्था विस्तार रूप में करवाई। गैर-सरकारी हवाई यातायात का राष्ट्रीयकरण करने का श्रेय भी उन्हें मिला था। राष्ट्रीयकरण के बाद दो संस्थाओं का निर्माण हुआ। 1) Indian Airlines Corporation on 2) Air India International. जगजीवन राम ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेल का काफी विस्तार कराया। उन्होंने विश्व बैंक के सहयोग से पूरे भारत में रेलवे के क्षेत्र में प्रगति के साथ रेल कर्मचारियों मजदूरों के भत्तो में वृद्धि कराई। पीड़ितों, हरिजनों तथा असहाय व्यक्तियों को नौकरी देकर बेकारी की समस्या को दूर करने का काफी प्रयास किया।

1962 के चीनी आक्रमण के समय संचार और यातायात विभाग देश की जो सेवा की, शायद ऐसी कभी नहीं हो सकी। 1963 की कामराज योजना के तहत, जिस नेताओं का त्यागपत्र स्वीकार किया गया था, उनमें बाबूजी भी थे। इसी 'कामराज योजना' के दौरान बाबूजी को सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष पद भी संभालना पड़ा।

जगजीवन राम हमेशा पूंजीपतियों का विरोध कर समाजवादी गरीबों तथा दलितों के उत्थान के पक्षधर रहे। 1966 में ही श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधान मंत्रित्वकाल में बाबूजी को पुन: पुनर्वास मंत्रालय का कार्यभार दिया गया, किन्तु कम ही समय में उन्होंने देश के कमजोर वर्ग, किसानों, हरिजनों को पुनर्वास की जो सुविधाएँ दिलाई, वे हमेशा याद की जाएँगी। जगजीवन राम ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहकर कांग्रेस, सत्ता तथा सरकार के स्वरूप को राष्ट्रीय बनाने में जो भूमिका निभाई, उसे देश के मौजूदा राजनीतिज्ञ भूला नहीं सकते।

किसी भी नेता के नेतृत्व की कमौटी उचित समय पर उचित निर्णय लेने से ही होती हे। जगजीवन बाबू उसकी जीवंत मिसाल थे। सरलता और सादगी की मूर्त्ति थे। रक्षा मंत्रित्वकाल में बाबूजी की राजनीतिक सूझ-बूझ,

साहस शक्ति और निर्णय लेने के ढंग से हर भारतीय चकित रह जाता था कि बाबू जगजीवन राम जैसा योद्धा राजनीतिज्ञ और राजनेता शायद आज के दिनों में केश में कम हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में भारतीय लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा का जिम्मा अपने उपर लिया था, जिसे उन्होंने पूरा कर दिखाया। आज बंगलादेश उसका ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है। जो विश्व के नक्शे पर उभरकर जगमगा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विजय के सूत्रधार-बाबू जगजीवन राम - डॉ. अशोक कुमार वर्मा
2. अखिल भारतीय दलित संघ, दिल्ली, अप्रैल, 1938
3. दलितों के उत्थान में बाबू जगजीवन राम का योगदान- डॉ. मो. खुर्शीद आलम, विद्या विकास एकेडमी, नई दिल्ली, पृ.सं.- 39
4. वही, पृ.सं.- 41
5. नेहरू की अंतरिम सरकार, एक रिपोर्ट, 12 अगस्त, 1946
6. 'दलितों के सेवक जगजीवन राम', लेख, पृ.सं.- 26

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या कारण, प्रभाव एवं निराकरण के उपाय

डॉ. पूजा तिवारी*

* सहप्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाज शास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत एक विशाल जनसंख्या वाला राष्ट्र है, जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, व्यक्तियों का आर्थिक स्तर और रोजगार के अवसर उतनी ही तीव्रगती से गिरते जा रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में रोजगार की तलाश कर रहे व्यक्तियों की संख्या, साधनों और उपलब्ध अवसरों की संख्या से कहीं अधिक है। यही कारण है कि आज भी अधिकांश युवा बेरोजगारी में ही अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश है।

शब्द कुंजी – बेरोजगारी, युवा वर्ग, विकास, सरकार।

प्रस्तावना – भारत में अन्य समस्याओं की तरह बेरोजगारी भी एक प्रमुख और गंभीर समस्या के रूप में उभर कर आयी है। बेरोजगारी का अर्थ है योग्यता और प्रतिभा के बावजूद रोजगार के अवसर पाने में नाकामयाब होना। हमारे देश में लाखों युवकों के पास डिग्री और अच्छी शिक्षा है फिर भी किसी कारणवश उन्हे नौकरी नहीं मिल पाती है।

प्रस्तुत शोध पत्र भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या उसके कारण प्रभाव एवं निराकरण के उपाय पर केन्द्रित है।

बेरोजगारी समस्या के रूप में – बेरोजगार व्यक्ति वह होता है जो हर मुमकिन या नामुनकिन कार्य करना चाहता है, मगर दुर्भाग्यवश उसे काम, नौकरी नहीं मिल पाता है। देश के युवाओं के पास उच्च शिक्षा की अनेकों डिग्रियाँ होने के बाद भी उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगारी का आलम यह है कि छोटी से छोटी नौकरी हेतु भी उच्च शिक्षित लोग आवेदन करते हैं, इंटरव्यूके लिए लंबी कतारें बढ़ती बेरोजगारी को इंगित करती है।

बेरोजगारी के कई प्रकार होते है जिनमें संरचनात्मक,संघर्षात्मक प्रछन्न,मौसमी, चक्रीय, शिक्षित, ग्रामीण, अल्प, नगरीय तथा औद्योगिकी बेरोजगारी का समावेश है।

बढ़ती बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति – जून 2021 में बेरोजगारी की दर 9.17 प्रतिशत रही जबकि हरियाणा ,राजस्थान ,पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे ग्यारह राज्यों में यह दर राष्ट्रीय औसत से तीन गुना तक ज्यादा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी के अनुसार बेरोजगारी की दर सर्वाधिक 27.9 प्रतिशत हरियाणा में हैं। राजस्थान में दर 26.9 प्रतिशत, बंगाल में 22.1 प्रतिशत ,बिहार में 10.5 प्रतिशत ,झारखंड में 12.8 प्रतिशत है। बेरोजगारी दर का अर्थ यह है कि कितने लोग काम चाहते हैं और उनमें से कितने लोगों को काम नहीं मिला है। बेरोजगारी की दर क्षम शक्ति का वह प्रतिशत है जो बिना कार्य के है। बेरोजगारी के मुख्य कारणों में जनसंख्या वृद्धि दर ,दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन ,ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास नहीं होना ,शहरी –ग्रामीण प्रवजन ,अनुपयुक्त तकनीक दोषपूर्ण +शिक्षा प्रणाली , त्रुटिपूर्ण सामाजिक प्रणाली , निर्धनता स्वरोजगार के कम साधन, क्षेत्रीय असमानताऐं ,अपर्याप्त रोजगार , आयोजन ,फुटकर कारण तथा तृतीयक क्षेत्र की धीमी गति आदि शामिल हैं।

हमारे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी दुष्प्रभाव सबसे अधिक युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है,आई.एच.डी. और दिल्ली सरकार के एक साक्षा अध्न ने बताया कि दिल्ली में 52 प्रतिशत लोग पिछले पांच वर्षो से भीख मांगने वाले भिखारी बनने पर मजबूर है, इसका मुख्य कारण बेरोजगारी है। इस वर्ष पहली तिमाही में बेरोजगारी की दर 20.9 प्रतिशत के उच्चतम स्तर परपहुंच गई ,दिल्ली में करीब 28,000 भिखारी है ,जिसमें एम.बी.ए.जैसी उच्च शिक्षित व्यक्ति भी शामिल है। इनमें 67 प्रतिशत व्यक्ति पड़ोसी राज्यों के है ,इसके अलावा बेरोजगारी के कारण ही डिप्रेशन ,आत्महत्या चोरी ,हत्या जैसे संगीन अपराधों में भी वृद्धि देखी गई है।

बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतू कई प्रयास किए जा सकते है और किये भी जा रहे है इनमें शिक्षा प्रणाली में बदलाव ,छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन ,रोजगार कार्यालय ,ग्रामीण विकास योजनाएं ,स्वसहायता समूह में वृद्धि ,कृषि का पुन:निर्माण ,तीव औद्योगिकीकरण ,जनसंख्या नियंत्रण व्यावसायिक शिक्षा ,सहायक उद्योगों का विकास ,सामाजिक सेवाओं का विस्तार ,विकेन्द्रीकरण, लघु कृषक विकास के अतिरिक्त सरकार के नीतिगत उपाय भी है यथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ,ट्रायसेम ,आई.आर.डी.पी ,जवाहर रोजगार योजना, लघु कृषक विकास योजना ,बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम ,ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी प्रोग्राम आदि शामिल है।

भारत सरकार बेरोजगारी दूर करने तमाम योजनाओं के तहत आर्थिक मदद, कौशल विकास ,पुर्नवास रोजगार देने का पूर्ण प्रयास कर रही है,ऐसे ही कदम पूरे राज्यों में भी उठाने की जरूरत है ,ताकि बेरोजगारी की परेशानी उम्र भर का दर्द न बने।

निष्कर्ष – अब समय आ गया है कि सरकार को और अधिक गंभीर हो जाना चाहिए, सरकार को नयी योजनाओं के साथ प्रशिक्षण केन्द्र और शिक्षण व्यवस्था में बदलाव लाने की आवश्यकता है। नये विकास की नीतियों के साथ भारत को आगे बढ़ना है ,ताकि बेरोजगारी की इस समस्या को जड़ से मिटा सकें। बेरोजगारी कम करने में सरकार के साथ –साथ समाज एवं युवाओं की सोच में बदलाव लाना आवश्यक हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रीमा बोस – बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान(दिनांक 21.06.2020 हिन्दी ऐसे डाटकाम)
2. बेरोजगारी – बेरोजगारी की समस्या और समाधान(अनोखा रिश्ता डाटकाम)
3. विपिन – बेरोजगारी की समस्या(हिंदी अमृत डाटकाम दिनांक 26.07.2020)
4. अभिव्यक्ति – दैनिक भास्कर छिन्दवाड़ा दिनांक 11.08.2021

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

कौशल विकास पर जोर देती नई शिक्षा नीति

डॉ. शैलप्रभा कोष्टा*

* प्राध्यापक, शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आज का युग कम्प्यूटर शिक्षा का युग है, भारत आज पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर का हब बनता जा रहा है वही चिंता का विषय यह है कि आज भारत का जो एजूकेशन सिस्टम है उससे निकलने वाले बच्चों को आज भी नौकरी नहीं मिलती है, इसी कारण सरकार को नई शिक्षा नीति 2020 को लानी पड़ी है। 1986 के बाद नई शिक्षा नीति को 2020 में केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति प्रदान की इस नीति के द्वारा मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही रोजगारोन्मुखी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। रोजगारोन्मुखी शिक्षा से छात्रों में तकनीकी दक्षता का विकास होगा। जिसमें शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त वे अपना रोजगार प्रारम्भ कर सकते है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन में छात्रों को रोजगारपूरक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी ने इसी उद्देश्य से बुनियादी विद्यालयों की स्थापना की थी।

भारत में समग्र और बहुविषयक शिक्षा की प्राचीन परम्परा है ज्ञान का विभिन्न कलाओं के रूप में दर्शन भारतीय चिंतन की देन है जिसे पुन: भारतीय शिक्षा में शामिल किया जाएगा इसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव ये होगा कि युवाओं के लिए कभी भी भविष्य में आर्थोपर्जन का कोई रास्ता बंद नहीं होगा और वे संपूर्ण ज्ञान का प्रयोग स्वयं के व्यक्तिगत विकास में सामाजिक और राष्ट्र के विकास में कर पाएँगे।

आवश्यकता – नई शिक्षा नीति लागू होने से शिक्षा के स्तर में छात्रों को फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा उन छात्रों को होगा जो अपना पैशन फालो करना चाहते है छात्रों के भीतर इमेजिनेशन, क्रिएटिव, थिंकिंग, फिलोसोफी ऑफ एजूकेशन की कमी नई शिक्षा नीति के तहत् मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम सुविधा छात्रों के पैशन को पूरा करने का अवसर है। इस शिक्षा नीति से छात्रों को ग्लोबल स्टूडेंटस बनने के साथ-साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहने की सुविधा देती है।

बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है यही कारण है कि जहाँ तक संभव हो पाँचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है।

पूर्व की शिक्षा नीति के स्थान पर नई शिक्षा नीति की आवश्यकता के कारण:

1. बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
2. शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
3. भारतीय शिक्षण व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

विकास का आधार सशक्त शिक्षा नीति – अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को भी भारत के शिक्षण संस्थान आकर्षित करेंगे और भारत विश्वगुरू के रूप में अपनी नई पहचान बना पाएगा। युवा वर्ग का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो वैश्विक स्तर पर विभिन्न चुनौतियों का सामना निर्भीकता से कर पाएंगें। किसी भी देश के विकास, सम्पन्नता और सुदृढ़ सांस्कृतिक विकास का आधार सशक्त शिक्षा नीति होती है और नई शिक्षा नीति ऐसे सभी पहलुओं को लेकर चलेगी जिसमें कि सारे ऊँचे मानकों पर स्वयं को स्थापित कर सकें। भारत की नई शिक्षा नीति का विजन युवा वर्ग के व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार करना है कि उनमें अपने मौलिक दायित्वों, संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव, बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न हो सके। सही मायने में वो वैश्विक नागरिक बनकर अपने ज्ञान, कौशल, मूल्यों का सदप्रयोग करते हुए देश का नाम सतत् ऊँचा कर सके और साथ ही स्वयं भी गौरवान्वित हो सके।

नई शिक्षा नीति के सिद्धान्त:

1. साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को बच्चों के अन्तर्गत विकसित करना।
2. शिक्षा को लचीला बनाना।
3. एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करना।
4. प्रत्येक बच्चे की क्षमता की पहचान को विकसित करना।
5. बच्चों को सुशासन सिखाना एवं सशक्तिकरण के माध्यम से सुदृढ़ करना।
6. भारतीय संस्कृति से जोड़ना।
7. शिक्षा नीति को पारदर्शी बनाना।
8. तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर देना।
9. समग्र मूल्यांकन पर जोर देना।
10. विद्यार्थियों की सोच को तार्किक एवं रचनात्मक बनाना।

नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य, उद्देश्य :

1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत करना।

2. नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है।
3. इसके अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
4. देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिये भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई।
5. इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना है।
6. भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन के लिये नीति का आह्वान किया गया।

नई शिक्षा नीति की मुख्य बातें – उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ कई प्रकार के विस्तार एवं विकास के क्षेत्र होंगे।

1. स्नातक कोर्स 3 या 4 साल के हो सकते है जिसमें के कई सारे एग्जिट ऑप्सन होंगे जो कि उचित सर्टिफिकेशन के साथ होंगे जैसे कि यदि छात्र ने एक साल स्नातक कोर्स की पढ़ाई की है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दो साल के बाद एडवांस डिप्लोमा दिया जायेगा।
2. 3 साल के बाद डिग्री दे दी जायेगी 4 साल के बाद रिसर्च के साथ बैचलर की डिग्री दिया जाएगा।

एकेडमी के बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा जिससे कि छात्रों के द्वारा अर्जित किए गए डिजिटल अकैडमी क्रेडिट हो या विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से उन्हें संग्रहित किया जाएगा और इसे अंतिम डिग्री के लिए स्थानांतरित किया जाएगा और गिना जाएगा।

1. 2030 तक हर जिले में कम से कम एक बहु विषयक उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा।
2. 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – उच्च शिक्षा के संदर्भ में:

1. 2035 तक जी. ई. आर. को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना।
2. व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 26.3 प्रतिशत (2018) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है, उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटे बढ़ाना।
3. लचीला पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और उपयुक्त प्रमाणन के साथ बहु प्रवेश और निकास बिन्दुओं के साथ व्यापक आधार वाली बहु–विषयक, समग्र स्नातकीय शिक्षा प्रदान करना।
4. नई शिक्षा नीति के तहत् शैक्षणिक क्षेत्र को तकनीकी से भी जोड़ा गया है।
5. मानव जीवन के सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है।
6. सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों को नई शिक्षा नीति के तहत् एक समान माना जाएगा।
7. भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को 4 वर्टिकल दिए गए है जिसमें नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, हायर एजुकेशनल काउंसिल, जर्नल एजुकेशन काउंसिल तथा नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल को रखा गया है।
8. ई लर्निंग पर जोर देना ताकि किताबों पर निर्भरता कम हो सके।
9. नई शिक्षा नीति के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास – व्यावसायिक शिक्षा दो शब्दों के संयोग से बना है जिसमें पहला शब्द व्यवसाय एवं दूसरा शिक्षा है व्यवसाय शब्द जीवकोपार्जन के लिए अपनाये जाने वाले कारोबार एवं शिक्षा संबंधित व्यवसाय के प्रशिक्षण युक्त सीखने की कला है। अर्थात् व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को किसी कार्य या व्यवसाय से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि वह उस व्यवसाय के द्वारा आपकी जीविका का उपार्जन कर सकें। व्यावसायिक शिक्षा कामवारों को दी जाने वाली शिक्षा या प्रशिक्षण है राधाकृष्णन आयोग (1998) के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें स्त्री एवं पुरूष व्यावसायिक भावनाओं के साथ परिश्रम पूर्व और उत्तरदायी सेवा के लिए अपने को योग्य बनाते है।

व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य:

1. प्रत्येक व्यक्ति की रोजगार क्षमताओं को बढ़ाना और उनकी रूचि अनुसार उनको शिक्षा और रोजगार देना।
2. कुशल जनशक्ति की माँग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना।
3. शिक्षा के सुअवसरों में विभिन्नता लाना।
4. विद्यार्थियों में आत्मविश्वास लाना।
5. निरुद्देश्य एवं रूचिविहीन उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को विकल्प उपलब्ध कराना।
6. अधिक संख्या में स्वरोजगार आधारित पाठयक्रमों को तैयार करना।

नई शिक्षा नीति की समस्याएँ – इस नीति में लाभों के अलावा कुछ खामियां है जिन्हे शिक्षकों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों ने पहचाना है। एन. ई. पी. की एक बड़ी कमी यह है कि इसमें स्पष्ट कार्यान्वयन योजना का अभाव है नीति में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य और उद्देश्य शामिल है लेकिन यह एक विस्तृत रोडमैप प्रदान नहीं करता है कि इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा। स्पष्टता की इस कमी ने शिक्षकों के बीच भ्रम और अनिश्चितता पैदा कर दी है जो इस बात को लेकर अनिश्चित है कि अपने संस्थानो में इस शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाए। नई शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण निवेश की भोग करती है जिसमें नए संस्थानों का निर्माण, अतिरिक शिक्षकों की भर्ती और नई तकनीक और शिक्षण विधियों की शुरूआत शामिल है।

1. यह शिक्षा नीति समान पहुँच प्रदान करने के महत्व पर जोर देती है लेकिन यह कैसे प्राप्त किया जाएगा इस पर पर्याप्त विवरण प्रदान नहीं करती है।
2. नई शिक्षा नीति ग्रामीण क्षेत्रों, कम आय वाले परिवारों और आयसंख्यक समूहों जैसे वंचित छात्रों का जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करेगा इसलिए शिक्षकों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों ने नई शिक्षा नीति में कई कमियों की पहचान की है।
3. इनमें एक स्पष्ट कार्यान्वयन योजना की आवश्यकता अपर्याप्त धन, मानकीकृत परीक्षण पर जोर और उपेक्षित समुदायों की जरूरतों पर ध्यान न देना शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण की गुणवत्ता के साथ केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा की पहुँच, समानता,

वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व मुद्दों के साथ ज्ञान आधारित शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मध्यप्रदेश में 26 अगस्त 2021 से राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति का शुभारम्भ किया जो देश का अग्रणी राज्य बना इस शिक्षा नीति को अपनाने वाला।

निष्कर्ष – नई शिक्षा नीति बहुत हद तक बेरोजगारी की समस्या पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो सकेगी। आज का युग टेकनोलॉजी का युग है। सारे संसार में तेजी के साथ टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। नई शिक्षा पद्धति छात्रों को विभिन्न प्रकार के तकनीक में दक्ष करने में सक्षम है जहाँ तक नवीन शिक्षा पद्धति के सफल होने का प्रश्न है वह बहुत हद तक उसे लागू करने वाले प्रशासनिक एजेंसी के ऊपर निर्भर है। नई शिक्षा पद्धति को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए बड़े पैमाने पर योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है इसके लिए शिक्षक एवं छात्र के अनुपात को कम करना होगा। तभी जाकर प्रभावी तरीके से शिक्षक छात्रों को शिक्षित कर सकेंगे। इसके साथ ही महाविद्यालयों में आधुनिक श्रव्य दृश्य उपादानों की व्यवस्था करनी होगी। तभी जाकर छात्रों को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जा सकेगा। तकनीकी शिक्षा को सफल बनाने के लिए दक्ष टेकनोशियनों की नियुक्ति करनी होगी जिसमें विभिन्न प्रकार के ट्रेंड में छात्र दक्षता प्राप्त कर सके और शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त आत्मनिर्भर बन सकें। बीते अनेक वर्षो से देश की शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव नहीं हुए थे इसका परिणाम यह हुआ कि, समाज में जिज्ञासा और कल्पनाशक्ति जैसी जरूरतों को आगे बढ़ाने के बजाय भेड़चाल को प्रोत्साहन मिलने लगा था विगत कई वर्षो के व्यापक विचार, विमर्श, सुझाव, मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूर किया गया। भारत का स्टूडेंट चाहे तो नर्सरी में हो या फिर कालेज में। अब वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेगा तेजी से बदलते हुए समय और जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा तो वो राष्ट्र निर्माण में भी रचनात्मक भमिका निभा पायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. योजना जनवरी 2016 पृष्ठ क्रं. 10
2. योजना पत्रिका फरवरी 2022 पृष्ठ क्रं. 08
3. दैनिक समाचार पत्र

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

रायगढ़ जिले में मत्स्यपालन विकास की संभावनाएं

डॉ.के.सी. गुप्ता* डॉ.सोफिया अम्ब्रेला हरिहर मालाकार*****

* सहायक प्राध्यापक एवं शोध निर्देशक (भूगोल) शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) भारत
** विभागाध्यक्ष (भूगोल) शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) भारत
*** अतिथि व्याख्याता (भूगोल) शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – मछली प्रमुख जलीय जीव है जो जलीय पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह महासागरों,सागरो,झील,तालाबों में पायी जाती है। बडे, बाधों एवं जलाशयों में भी व्यावसायिक दृष्टिकोण से मछली पालन किया जाता है। विश्व में जापान,संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, ताईवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, भारत आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन, नार्वे, स्वीडन आदि देशों मे समुद्रतटीय क्षेत्रों में बडे पैमाने पर मछली पकड़ी जाती है।

छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष 288 करोड़ मछली बीज तथा 5.77 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है। मछली पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को 2022 में बेस्ट इनलैण्ड और बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अध्ययन क्षेत्र रायगढ़ जिले में भी मछली पालन की जाती है जिससे स्थनीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय – रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा पर मुम्बई – हावड़ा रेलमार्ग पर स्थित है। यह जिला 21'.20' से 23'15' अंक्षाश तथा 82.55' से 84'.24' पूर्वी देशातंर के मध्य स्थित है। जिले का कुल क्षेत्रफल 12983.6 वर्ग कि.मी. है।

अध्ययन का उद्देश्य – इस अध्ययन का उद्देश्य रायगढ़ जिले में मत्स्य पालन की स्थिति एवं विकास का आंकलन करना तथा यहाँ मत्स्य पालन की समस्या एवं संभावनाओं का अध्ययन कर सुझाव देना है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध प्रत्र में द्वितीय आकड़ों का उपयोग किया गया है जो जिला सांख्यिकी पुस्तिका रायगढ़ छ.ग. 2017 एवं 2021 से प्राप्त किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में 2012-13 से 2020 -21 के आकड़ों को आधार मानकर जिले के 09 तहसीलों को सम्मिलित किया गया है।

तालिका 1: रायगढ़ जिले में मत्स्य उत्पादन (2012-13 से 2020 -21)

वर्ष	उत्पादन (मीट्रिन टन में)
2012 -13	18289.000
2013-14	19270.000
2014-15	21856.00
2015-16	24220.00
2016-17	25410.00
2017-18	28909.00
2018-19	28990.00
2019-20	30570.00
2020-21	35184.00

स्रोत – जिला सांख्यिकी पुस्तिका , (2017 एवं 2021)रायगढ़ जिले में मत्स्य उत्पादन (2012-13 से 2020 -21)

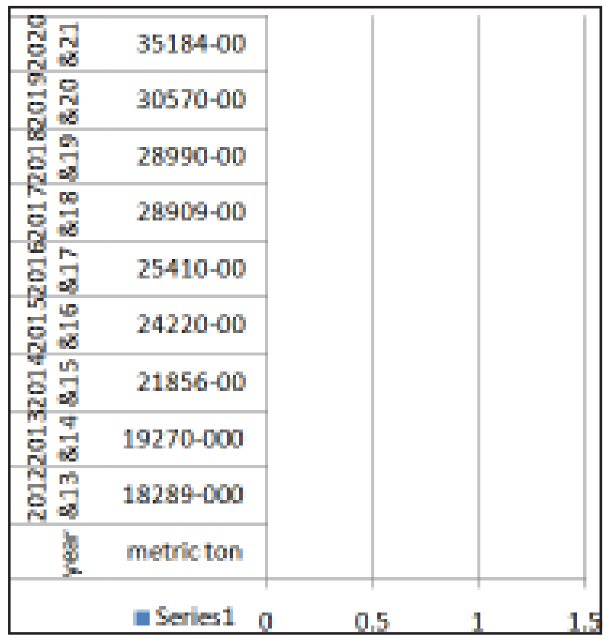

तलिका -02 जिले में तहसीलवार मत्स्य उत्पादन (2020-21)

क्र.	तहसील का नाम	उत्पादन (मीट्रिक टन)
1	धरमजयगढ़	2300.00
2	लैलूंगा	2250.00
3	घरघोड़ा	2664.00
4	तमनार	2200.00
5	रायगढ़	5370.00
6	पुसौर	4950.00
7	खरसिया	2300.00
8	सारंगढ़	7550.00
9	बरमकेला	5660.00
	योग-	**35184.00**

स्रोत – जिला सांख्यिकी पुस्तिका , (2017 एवं 2021)

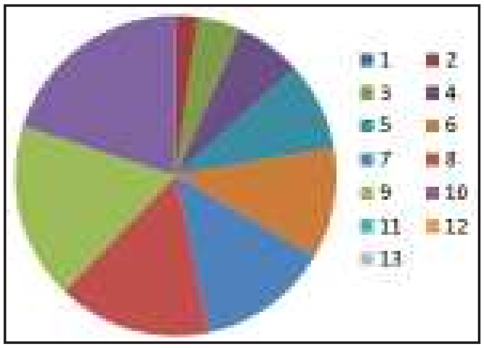

तलिका क्रमांक 01 से स्पष्ट है कि रायगढ़ जिले में 2012 -13 में 18289.00 मीट्रिन टन मत्स्य उत्पादन हुआ,जो उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 2020 -21 में 35184.00 मीट्रिक टन हो गया है। जिले में सारगंढ़ तहसील में 2020 -21 में 7550.00 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। बरमकेला,रायगढ़,पुसौर में मत्स्य उत्पादन क्रमश: 5660.00, 5370.00,4950.00 मीट्रिक टन हुआ। इस प्रकार जिले में 09 वर्ष में मत्स्य उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

जिले में 2019 -20 के प्राप्त आकड़ों के अनुसार 1125 प्रशिक्षित मछुआरे तथा 12407 बीमित मछुआरे हैं। मत्स्य पालन एवं उत्पादन से हजारों लोगों को रोजगार मिला है।

जिले में मत्स्य विकास की समस्याएं :

1. मछली पालन के संबध में जागरुकता की कमी।
2. कृषको में अनाज उत्पादन संबंधी रुढ़िवादी विचारधारा।
3. मछलीपालन संबंधी प्रशिक्षण की कमी।
4. अपर्याप्त मछली बीज।
5. मछली पालन हेतु जलाशयों की कमी।
6. मत्स्य पालन की नई तकनीकी ज्ञान का अभाव।

जिले में मत्स्य विकास की संभावनाएं एवं सुझाव - रायगढ़ जिले में मत्स्य पालन विकास भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अनुकुल जलवायू के कारण यहॉ बाधो एवं जलाशयों में मछलियों का विकास तेजी से होता है। महिला स्व सहायता समूहों एवं मत्स्य पालन सहकारी समितियों का गठन कर इसे व्यावसायिक रुप दिया जा सकता है। रायगढ़ जिले में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है जिससे मछलियों की मांग अधिक है।

यहॉ कृषकों को मत्स्य पालन हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। मत्स्य उत्पादन में लगे मछुआरों को उचित प्रशिक्षण,उन्नत मछली बीजों की उपलब्धता,महिला स्वसहायता समूहों एवं मत्स्य सहकारी समितियों को प्रभावशील कर मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सकता है। मत्स्य पालन एवं पकड़ने संबंधी उन्नत तकनीकी, बाजार तक पहुंचाने हेतु सस्ती परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराकर इसके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। बंगाल एवं बस्तर संभाग के पखांजूर तहसील में खेतों में मछली पालन किया जाता है, इस पद्धति को पूरे जिले में अपनाया जा सकता है।

निष्कर्ष- रायगढ़ जिले में मत्स्य पालन से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। विगत् 20 वर्षो के भीतर उद्योगों की स्थापना के कारण स्थानीय स्तर पर मछली उत्पादन एवं खपत बढ़ी है। बढ़ती जनसंख्या के लिए प्रोटीनयुक्त खाद्य उपलब्ध कराने हेतु इसे व्यापक एवं व्यावसायिक रुप दिये जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह,जगदीश एवं सिंह काशीनाथ, आर्थिक भूगोल के मूल तत्व,14 वां नवीनतम संस्करण 2020,एस.पी.बी.डी. पाब्लिशिंग हाउस, आगरा।
2. जिला सांख्यिकी पुस्तिका , (2017 एवं 2021)।
3. उइकें,नीतु (2019) संजय सरोवर बांध में मत्स्य पालन का विकास व संभावनाएं (सिवनी जिले के संदर्भ में) नवीन शोध संसार पृ.क्र.127,128 जनवरी- मार्च 2019.vol.III

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

रेनवाटर हार्वेस्टिंग : इन्दौर जिले की जलापूर्ति का निदान

डॉ. प्रवीण शर्मा*

* प्राध्यापक (वाणिज्य) भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – विगत लगातार चार वर्षो से देश में स्वच्छता में अव्वल रहने वाले शहर इंदौर ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित 'जल शक्ति अभियान' के अंतर्गत 2019 से 'जल आत्म निर्भरता' की ओर कदम बढ़ा दिए है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते उद्योग और बढ़ते रहवासी क्षेत्रों कें कारण इंदौर जिलें में भूजल का इतना अधिक विदोहन किया गया कि यह देश के 'डार्क जोन' में दस्तक दे गया। वर्षा की अनिश्चितता से पेयजल संकट की स्थिति विशेषकर अप्रैल, मई व जून माह में प्रतिवर्ष बनने लगी। पानी के लिए लाईन दौड़धूप व टैंकरों से पानी के विक्रय ने शहरवासियों को इस दिशा में जागृत करने का काम किया शहर के (1) नगर निगम ने व (2) नागरथ चैरिटेबल ट्रस्ट ने।

प्रस्तुत शोध इंदौर शहर में जलाभाव की स्थिति का आकलन करने के उद्देष्य से किया गया है जिसमें प्रकाशित व द्वितीयक सूचनाओं एवं ऑकड़ों का समावेश किया गया है। इन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाले गयए है। प्रस्तुत शोध के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किए गए है –

1. इंदौर शहर की जलापूर्ति की समस्या का विश्लेषण करना।
2. इंदौर शहर की जलापूर्ति की समस्या में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भूमिका का ऑकलन करना।
3. भारत में जल दुरूपयोग की समस्या का विवेचन करना।
4. इंदौर शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रभाव का ऑकलन करना।

भूमिका– भारत में जल प्रबंधन के अभाव में जल संकट की स्थिति बन गई है। देश की 130 करोड़ की आबादी में से करीब **60 करोड** लोगों को स्वच्छ जल नसीब नही हो पा रहा है। नीति आयोग ने दिल्ली, बैंगलूर , चैन्नई, हैदराबाद सहित देश के 20 शहरों में 2020 तक भूजल समाप्त होने की चेतावनी दी है। चेन्नई का भूजल स्तर 1 प्रतिशत से भी कम बचा है। भारत में जलाभाव नही है लेकिन नहाने, शॉवर, बश करने, कपड़े, बर्तन धोने, शौच, खेती आदि कार्यो में उपलब्ध जल का उचित उपयोग नही करने के कारण प्रतिदिन लगभग **49 करोड़ लीटर** पानी बर्बाद कर दिया जाता है।

परिकल्पनाएँ– परिकल्पनाएँ शोध के प्रकाश स्तंभ व दिशा सूचक का कार्य करती है। परिकल्पना से शोध निष्कर्षो तक पहुँचना व शोध की दिशा तय करने करने में मदद मिलती है। प्रस्तुत शोध की प्रमुख परिकल्पनाएँ निम्नांकित है –

1. भारत में जल प्रबंधन एवं जागरूकता अनिवार्य है।
2. इंदौर में जल प्रबंधन में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है।
3. जल प्रबंधन में प्रत्येक इंदौर रहवासी की भूमिका महत्वपूर्ण है।

भारत में पेयजल लाईनों में लिकेज के कारण करोड़ों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। परिणामस्वरूप जल संकट की स्थिति है। वर्षा जल संग्रहण इसके लिए समाधान के रूप में परिलक्षित है। **राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (N.G.T.) में संस्था फ्रेण्ड्स के राजेन्द्र त्यागी** द्वारा दायर याचिका के अनुसार देश के 33 प्रतिशत लोग अर्थात हर तीसरा व्यक्ति नहाने व ब्रश करने के लिए बिना किसी जरूरत के नल खुला छोड़ देते है। तालिका क्र. (1) में जल प्रबंधन अभाव में जल के दुरूपयोग की स्थिति को दर्शाया गया है।

स्त्रोत्र :– 1. पर्यावरण विकास, पर्यावरण एवं विकास पर राष्ट्रीय मासिक पत्रिका अंक माह फरवरी 2020।

तालिका क्रमांक – 1: जल दुरूपयोग की स्थिति भारत में (वर्ष 2018–19)

क्र.	क्रिया (गतिविधि)	जल की बर्बादी
1	एक बार फ्लश चलाने पर	15–20 ली.
2	बर्तन धोने में	20–60 ली.
3	20 मिनिट शॉवर लेने पर	50 ली.
4	तीन से पॉच मिनिट ब्रश करने पर नल खुला छोड़ने की स्थिति में	25 ली.
5	उपरोक्त क्रियाओं में प्रतिदिन जल बर्बादी	4,84,20,000घन ली.

(स्त्रोत :–संस्था फ्रेण्ड्स की (N.G.T.) में याचिका)

इस प्रकार उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो रहा है कि लापरवाही पूर्ण तरीकों से दैनंदिनी क्रियाओं को करने के कारण लगभग 49 करोड़ लीटर जल भारत में अनुपयोगी तरीकों से बर्बाद कर दिया जाता है। क्योकि भारत में पानी के दुरूपयोग पर कोई दंड का प्रावधान नही है।

इंदौर की जल आवश्यकता – (इंदौर में कुल जल प्रदाय का 40 प्रतिशत नर्मदा नदी से, 4 प्रतिशत तालाबों से और शेष 56 प्रतिशत जल भूजल संसाधन से प्राप्त किया जाता है।)

इंदौर में जल आपूर्ति के स्त्रोत – नर्मदा पानी की सप्लाई साल में 100 से 125 दिन होती है बाकी दिन यह आपूर्ति किसी न किसी कारण से बाधित रहती है। शहर में लगभग 65 प्रतिशत घरों में पीने के पानी के लिए आरओ का इस्तेमाल किया जाता है। नर्मदा के कारण शहर की पानी की समस्या 30 प्रतिशत राहत मिली है। 40 से 50 प्रतिशत लोगों ने निर्भरता टैंकर के पानी से ही है। शहर के 65 प्रतिशत निवासी पानी के स्वयं के स्त्रोत पर निर्भर है। इसमें भूजल (बोरिंग) व पानी के टैंक है। इंदौर में सिर्फ 30 प्रतिशत लोग पानी के लिए प्रशासन पर निर्भर है। 45 प्रतिशत घरों में अभी इमरजेंसी के लिए पानी का स्टोरेज किया जाता है।

एक एनजीओ विथयू वेलफेयर एसोसिएशन के सर्वे के अनुसार केवल 18 प्रतिशत घरों में वाटर हार्वेस्टिंग उपलब्ध है। शहर के 65 प्रतिशत लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जानकारी होने से इंकार कर दिया। 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत शहरवासी पानी की पूर्ति के लिए कुंए तथा तालाबों पर निर्भर है।

इंदौर में वाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति – सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड द्वारा 'डार्क जोन' में घोषित इंदौर शहर ने वर्ष 2020 में नई करवट ली है। शहर की भूमि अब पानीदार हो रही है। इस वर्ष न तो बोरिंग सूखे न ही लोगो को पानी की कमी का सामना करना पडा। कारण कि **वर्ष 2019** में तीन हजार से भी अधिक रहवासी व शासकीय भवनों, बगीचों, उद्योगों व निजी कार्यालयों में 15961 रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इन्हीं के माध्यम से **1 अरब 59 करोड़ 61 लाख लीटर** से ज्यादा पानी जमीन में गया। डब्ल्यू. एच. ओ. के मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 135 लीटर पानी मिलना चाहिये अर्थात एक माह में 4050 लीटर। अत: इस गणना के अनुसार वर्ष 2019 में वॉटर हार्वेस्टिंग के कारण जो पानी शहर की जमीन में गया, उससे **3,94,098 व्यक्तियों** का महीने भर का काम चल सकता है।

निगम के प्रयास – विगत वर्ष 2019 में **50,000 रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम** लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरूद्ध 15961 सिस्टम लगाए गये थे। सिस्टम लगाने के लिए वॉटर रिचार्जिंग की रिक्वेस्ट के लिए 311 एप में फीचर भी जोडा गया था। प्रत्येक झोन पर एक विशेष टीम बनाकर एन.जी.ओ. नागरथ ट्रस्ट के विशेषज्ञ के साथ एक सहायक को जोडा गया था। हार्वेस्टिंग वाले स्थानों की जियो टेगिंग भी की गई थी। **शहर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली तीन प्रकार से लगाई जा रही है यथा :–**

1. **पिट प्रणाली –** जहाँ पुराने बोरिंग है वहाँ मिट्टी गिरने का खतरा है वहाँ पिट (गढढा 5'x6') बनाया जाता है और उसमें पाईप प्रणाली के माध्यम से बोरिंग के पास पानी छोडा जाता है।
2. **केसिंग पाईप प्रणाली –** पिट के अंदर (ट्रेक्टर से एक गोल छेद) करके अंदर छेद वाला केसिंग पाईप डाल दिया जाता है।
3. **फिल्टर मिडिया रिचार्जिंग प्रणाली :–** इसमें छत का पानी पाईप से नीचे लगाकर फिल्टर से साफ कर एक टैंक में डालते है। टैंक से यह सीधे बोरिंग में उतारा जाता है। शहर में फिल्टर मिडिया रिचार्जिंग प्रणाली से अधिकांश स्थानों पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगाई गई है। शहर की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की स्थिति को तालिका क्र. 2 में दर्शाया गया है :–

तालिका क्रमांक – 2: रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की संख्या मदवार

क्र.	मद का नाम	संख्या
1	शैक्षणिक संस्थान	164
2	उद्योग, कमर्षियल भवन	258
3	मंदिर, गुरूद्वारा	260
4	केन्द्र व राज्य सरकारों की इमारतें	515
5	बगीचें	821
6	नगर निगम के बोरिंग	1,143
7	भवन एवं सोसायटी	3,029
8	जलभराव क्षेत्र	9,762
9	अन्य	09
	योग	**15,961**

(स्त्रोत :–नगर निगम व नागरथ चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर)

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्रभाव – इंदौर नगर निगम व नागरथ चैरिटेबल तंर्स्ट की सूचना के अनुसार शहर में 32 इंच वर्षा होने पर होने पर 1000 वर्ग फीट की छत से 100000 लीटर पानी आता है। विगत वर्ष में शहर में 1000–5000 वर्ग फीट की छतों पर रेन वॉटर सिस्टम लगाए गये। परिणामस्वरूप औसतन 1000 वर्ग फीट छत मानकर गणना करने पर 15961 रेन वाटॅर सिस्टम से 1 अरब 59 करोड़ 61 लाख लीटर पानी जमीन में समा गया।

आई डी श्रीवास्तव सब इंजीनियर सेर्न्टल ग्राउण्ड ऑटर बोर्ड के अनुसार भूजल स्तर का अध्ययन कुओं के जलस्तर से किया जाता है। विगत वर्ष शहर के गांधी हॉल (जेल रोड़) के कुएँ में 09.30 मीटर की गहराई पर पानी था। इस वर्ष 2020 में यह 7.80 मीटर पर आ गया। इसी तरह गांधी नगर (एयरपोर्ट) के पास वर्ष 2019 में कुएँ में 11.30 मीटर पर पानी था जो वर्ष 2020 में 10.80 मी. पर आ गया। इस प्रकार शहर के ज्यादातर कुओं में 2–3 मीटर कम गहराई पर पानी आ रहा है। परिणामस्वरूप शहर में लगाए गये रेन वॉटर सिस्टम की भूमिका अहम है।

हाइड्रोलॉजिस्ट सुधीर मोहन शर्मा के अनुसार इंदौर में मात्र 15961 रेन सिस्टम के कारण शहर के वोरवेल में पानी बढ़ गया है और वे निरंतर पानी दे रहे है। अब इंदौर शहर अतिदोहित क्षेत्र (जिसके आधार पर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड किसी क्षेत्र को ग्रे या डार्क झोन घोषित करती है) से बाहर आ गया है। यदि शहर की आधी छतों पर यह सिस्टम लगा दिया जाये तो शहर पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा।

पिपल्याहाना, एम.जी. रोड़, तेजाजी नगर व अन्य जहाँ भी शहर में हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए वहाँ नागरिकों को विगत वर्षो में पानी के टेंकर इस कारण नही मंगाने के कारण पर्याप्त पानी जिनसे उनके 1–3 लाख रू. के टेंकर मंगवाने के रूपयों की बचत भी हुई। जनवरी व अप्रैल माह जहाँ बोरिंग सूख जाते थे वहाँ जून माह में भी बोरिंग में हार्वेस्टिंग सिस्टम के कारण भरपूर पानी पाया गया। जिन कुओं को बेंचमार्क माना गया वहाँ गर्मी में 30–40 फीट पानी देखने को मिला। 600–800 फीट गहरे बोरिंग गर्मी में सूख जाते थे उनमें जून में भी भरपूर पानी था। लॉकडाउन में ज्यादा पानी का उपयोग करने होने के बावजूद विगत वर्ष की तुलना नगर निगम को केवल 10% टेंकर ही पानी की सप्लाई हेतु लगाना पडे।

यद्यपि लॉकडाउन के दौरान नगर निगम ने कोई अभियान वर्ष 2020में नही चलाया किंतु हार्वेस्टिंग सिस्टम के लाभ के कारण लगभग 600 से भी ज्यादा रहवासियों व संस्थापकों ने नागरथ ट्रस्ट की मदद से हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाया है।

इंदौर 23 अप्रैल 2022 से जल संरक्षण अभियान प्रारंभ किया गया है। निगम इस बार एक लाख घरों, दुकानों, पूजा स्थलों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है। शहर में 1500 वर्ग फीट भूखंड पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है। लोग आगे आए इसके लिए संपत्ति व समेकित कर में 10 प्रतिशत की छूट भी निगम देगा। भवन अनुमति के लिए भी सिक्योरिटी राशि जमा करवाना होगी।एक लाख के लक्ष्य के विरुद्ध मई 2022 के अंत तक लगभग 25000 हार्वेस्टिंग सिस्टम की जियो टैगिंग की गई, जिसमें पुराने रिचार्ज भी शामिल है। 5 वार्डो को पूरी तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। धर्म गुरुओं को श्रद्धालुओं से अपील करने के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की गई है।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

जुर्माना– 5 जून के बाद हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगवाने पर 5000 से एक लाख रूपये तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की गई। जन जागरण हेतु catch the rain अभियान चलाया जा रहा है। 311 एप पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस हेतु 178 ठेकेदारों को निगम की ओर नामजद किया गया है तथा इस हेतु शुल्क भी निर्धारित किया गया है। बरसाना गार्डन में 4 हार्वेस्टिंग मॉडल प्रदर्शित करके प्रत्येक जोनल ऑफिसर को ट्रेनिंग भी दी गई है। मई माह 2022 में नगर निगम के एप311 पर 1684 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के आवेदन आए, इसमें से 297 ने नगर निगम की कंसलटेंसी ली। कुल 459 सिस्टम की जियो टैगिंग की गई।

निष्कर्ष – संपूर्ण शोध सामग्री का गहराई से विश्लेषण करने पर निष्कर्ष स्पष्ट होते है:

1. भारत में पानी का दुरूपयोग किया जा रहा है जितने भी स्तरों पर यथा व्यक्ति, सामाजिक, सामूहिक पर रोकना अत्यंत आवश्यक है।
2. भूजल स्तर में संवर्धन के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एक रामबाण दवा है। इसकी स्थापना को बढ़ावा देकर भूजल स्तर बढ़ना आसान है।
3. रहवासियों के जागरण से ही भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है जैसा कि –

सुझाव– भूगर्भ जलस्तर बढ़ाने हेतु निमनांकित सुझाव महत्वपूर्ण है :

1. लॉकडाउन के दौरान हुआ भी है लगभग 600 से भी ज्यादा छतों पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग किया गया फिर चाह लॉकडाउन में इंदौर नगर पालिका निगम ने पहल नही की गई है।
2. जन जागरण प्रत्येक राज्य में युद्धस्तर पर चलाया जाना चाहिये।
3. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग देश के प्रत्येक जिलें में 1500–2000 वर्ग फीट के भवन स्वामियों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहियें।
4. व्यक्तियों की जल दुरूपयोग प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिये।
5. प्रत्येक परिवार के लिए जल उपलब्धता की मात्रा प्रति व्यक्ति सुनिश्चित करना चाहियें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. दैनिक भास्कर समाचार पत्र (6 जुलाई 20, 10 अगस्त 20, 18 अगस्त 20)
2. संस्था फ्रेण्ड्स की नेशनल ग्रीन टिंउयूलन में याचिका
3. नगर पालिका, इंदौर कार्यालय से प्राप्त सूचनाएँ

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

अंग्रेजों से पूर्व सड़क परिवहन

डॉ. प्रवीण ओझा*

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सामान्य रूप से परिवहन से तात्पर्य उन समस्त तकनीकी साधनों से है जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व आवागमन हेतु सड़क परिवहन का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता था। भारत में सड़क परिवहन की आवश्यकता को सभी युगों में अनुभव किया गया एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। ईसा के जन्म से भी हजारों वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ों और हड़प्पा में साफ सुथरी, एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली सड़कों के होने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। प्राचीन भारत में भी व्यापार, धर्म यात्रा एवं राजनीतिक नियंत्रण हेतु सड़कों के विकास को प्राथमिकता दी गयी। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व मध्य काल में भी अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये। सड़क परिवहन के अन्तर्गत दो तत्व महत्वपूर्ण होते हैं – प्रथम परिवहन के साधन और द्वितीय सड़कों का विकास। इस युग में परिवहन के साधन के रूप में खच्चर, ऊँट तथा कुलियों का प्रयोग होता था। सड़को के निर्माण एवं उनका उचित रखरखाव पर इस युग के शासकों ने विशेष ध्यान दिया था।

भारत में अंग्रेजी शासनकाल यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है जबकि बड़ी तेजी से यातायात के साधनों विशेषकर सड़क परिवहन का विकास हुआ। औपनिवेशिक प्रशासन एवं औद्योगीकरण के कारण देश में सड़कों का निर्माण एवं विकास तेज हुआ तथा सड़क परिवहन का महत्व बढ़ा। किन्तु अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भी भारत में सड़क परिवहन काफी उन्नत अवस्था में था पूर्व मध्यकालीन भारत में उद्योगों के विकास ने परिवहन की महत्ता को स्थापित किया। विशेषकर मुगल काल में इस दिशा में ठोस कदम उठाये गये। मुगलों के अतिरिक्त शेरशाह सूरी का इस दिशा में अप्रतिम योगदान रहा है जिसके समय में बनवायी गई सड़क आज भी ग्रांट ट्रंक रोड़ के रूप में भारतीय परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा बनी हुयी है तथा राष्ट्रीय राजमार्गो में सम्मिलित भी है। इस युग में जितनी तेजी से सड़कों का विकास किया गया उतने ही महत्वपूर्ण ढंग से सड़क परिवहन को भी व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया।

शेरशाह सूरी के समय मुख्य रूप से चार सड़कों का निर्माण करवाया गया (1) सोनार गांव से सिंधु नदी तक (2) आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक (3) आगरा से बुरहानपुर तक (4) लाहोर से मुल्तान तक। यात्रियों की सुविधा के लिये इन मार्गो पर प्रत्येक दो कोस पर एक सराय का निर्माण करवाया गया जिसमें हिन्दू और मुसलमानों के लिये पृथक-पृथक भोजन एवं आवास की सुविधा शासन की ओर से दी जाती थी। सरायों के व्यय हेतु निकटवर्ती ग्रामों का राजस्व इन्हें दिया जाता था। प्रत्येक सराय में दो चौकीदार, डाक सेवक और दो घोड़े सदा तैयार रहते थे। इन सड़कों और सरायों को शेरशाह के 'साम्राज्य की धमनिया' कहा जाता था। उसने लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया, जिनका इस काल में सड़क परिवहन के विस्तार एवं विकास में विशेष योगदान रहा। मार्गो की सुरक्षा एवं पुलिस व्यवस्था को सफल बनाने हेतु आमिनों एवं मुकदमों को निर्देशित किया गया कि वे व्यापारियों को समस्त सुविधाऐं प्रदान करते हुये उनकी सम्पत्ति की रक्षा करें। यदि किसी व्यापारी का माल चोरी हो जाता तो स्थानीय अधिकारियों को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होती थी। सड़कों के किनारे छायादार, फलदार वृक्ष भी लगाये जाते थे।

मुगल शासन में शांति एवं सुव्यवस्था तथा कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों के विकास के कारण अनेक प्राचीन नगरों का विकास तथा नवीन नगरों का उदय हुआ। विदेशी व्यापार की उन्नति के कारण बंदरगाहों का विकास हुआ जो नगरों के रूप में विकसित होते चले गये। इस युग के प्रमुख नगरों में लाहौर और आगरा विश्व के सबसे बड़े नगर माने जाते थे। खानदेश में बुरहानपुर, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और भड़ौंच, राजस्थान में अजमेर, जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, पूर्वी भारत में पटना, वाराणसी, राजमहल, बर्दवान, ढाका, हुगली, इलाहाबाद आदि भी महत्वपूर्ण नगर थे। फतेहपुर सीकरी, उज्जैन, धार का भी कम महत्व नहीं था। दक्षिण भारत में गोआ, कालीकट, मछलीपट्टनम, कोचीन, नीगापट्टम आदि प्रमुख नगर भी सड़क मार्ग से जुड़े हुये थे। पूर्वी समुद्र तट पर मछलीपट्टनम का बंदरगाह तथा पश्चिमी समुद्र तट पर सूरत, भड़ौंच, द्वारका, बेरावल (सोमनाथ), ड्यू, गोआ आदि बन्दरगाह भी सड़क मार्गो के माध्यम से देश के अन्य स्थानों से सुचारू रूप से जुड़े हुये थे। यूरोपीय व्यापार के कारण विकसित मद्रास, बम्बई, कलकत्ता नगरों को सड़क यातायात से बखूबी जोड़ा गया था।

आन्तरिक व्यापार के लिये देश में कई सड़के थीं जो बड़े-बड़े व्यापारिक नगरों को आपस में जोड़ती थी। इस समय की मुख्य सड़क हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होकर लाहौर (पाकिस्तान) होते हुये अफगानिस्तान में काबुल तक जाती थी, जिसे उस समय उत्तरापथ, शाह शह-ए-आजम, सड़क-ए-आजम, बादशाही सड़क आदि नामों से जाना जाता था। यह पेशावर, लाहौर, दिल्ली, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना आदि नगरों को जोड़ती थी तथा तत्कालीन सड़क यातायात का अहम हिस्सा थी। एक सड़क आगरा से अहमदाबाद होते हुये सूरत जाती थी। एक अन्य सड़क आगरा से मालवा में होते हुये बुरहानपुर के रास्ते दक्षिण में चली

जाती थी। यहाँ से देशी एवं विदेशी व्यापारिक माल सड़क यातायात एवं जलमार्ग द्वारा देश के विविध भागों में पहुँचाया जाता था तथा भारतीय वस्तुओं को विदेश भेजने में भी इन मार्गो एवं सड़क यातायात का अहम भूमिका रही।

सत्रहवीं शताब्दी तक सूरत विदेशी व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। यहाँ अनेक देशों के व्यापारिक जहाज आकर अपना व्यापारिक माल उतारते थे तथा भारतीय व्यापारियों से माल खरीदकर जहाजों में भरकर ले जाते थे। यही कारण है कि देश के विविध स्थानों के सड़क मार्गो से सूरत जुड़ा हुआ था। मुगल काल में आगरा राजनीतिक ही नहीं व्यापारिक गतिविधियों का भी केन्द्र होने के कारण सूरत का भी आगरा से सतत् सम्पर्क सड़क यातायात के माध्यम से जुड़ा हुआ था। यहाँ अंग्रेज, फ्रांसीसी तथा उच्च कम्पनियों की फैक्टरी भी थीं जहाँ से उत्पादित माल सम्पूर्ण देश में भेजा जाता था। सूरत से आगरा जाने का मार्ग दो भागों में विभक्त था – प्रथम सूरत से अहमदाबाद एवं दूसरा अहमदाबाद से आगरा तक सड़क मार्ग बना हुआ था। सूरत से अहमदाबाद पहुँचने में लगभग बारह से पन्द्रह दिन लगते थे। इसके बीच में आने वाले शहर इस प्रकार थे– सूरत–कण्ठोदरा–अकलेश्वर–भडौंच – जम्बूसर– बडौदा–नादियाद–महमदाबाद–वाटवां–अहमदाबाद। अहमदाबाद पहुँचने पर व्यापारियों द्वारा आगरा पहुँचने के लिए जिस मार्ग का प्रयोग किया जाता था वह इस प्रकार था – अहमदाबाद –पनसर –मेहसाना– पालनपुर – मिनमल– पीपर – मेरता– अजमेर– हिन्दान– विथाना– फतेहपुर सीकरी– आगरा। इनमें से मिनमल, पीपर, मेड़ना, जोधपुर में तथा हिन्दान जयपुर में है। प्रसिद्ध यात्री ट्रेवर्नियर के अनुसार अहमदाबाद से पनसर की दूरी 13 कोस है।

सूरत से आगरा पहुँचने का दूसरा प्रमुख व्यापारिक मार्ग बुरहानपुर होते हुये था जिसमें अग्रांकित स्थान सम्मिलित थे। सूरत– वारदोली– बालोर– नवापुरा– तलनीर– चौपरा– बुरहानपुर– सिरौंज– ग्वालियर– धौलपुर– आगरा।

सन् 1638 में शाहजहाँ ने दिल्ली को राजधानी बनाया जिससे दिल्ली का महत्व और अधिक बढ़ गया। इसी कारण आगरा– दिल्ली व्यापारिक मार्ग भी बहुत अधिक व्यस्त एवं विकसित हो गया। इस मार्ग में आने वाले प्रमुख स्थान इस प्रकार थे –आगरा– सिकन्दरा– नौरंगाबाद– मथुरा– अकबरपुर– कोसी– सराय– खेरा सराय – पलवल– फरीदाबाद– बदरपुर– दिल्लीं आगरा से बंगाल का व्यापारिक मार्ग भी विशेष रूप से उल्लेखनीय था जो इस प्रकार था – आगरा– फिरोजाबाद– इटावा– इलाहबाद– बनारस– सहसराय– पटना– मुंगेर– राजमहल– ढाका। ट्रेवर्नियर आगरा से 25 नवम्बर 1665 को चलकर 14 जनवरी 1666 को ढाका पहुँचा था।

लाहौर भी मुगलकाल में प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था। लाहौर, काबुल, कान्धार, श्रीनगर, थट्टा इत्यादि क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों का केन्द्र थां आगरा से लाहौर जाने वलो मार्ग का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा जो इस प्रकार था आगरा– दिल्ली – बादली– नरेला– सोनीपत – गनोर– पानीपत– करनाल– अम्बाला– सराय हज्जन– सरहिन्द– लुधियाना– नूरमहल– सुल्तानपुर– नौरंगाबाद– होशियार नगर– लाहौर। आगरा– लाहौर मार्ग वर्तमान उत्तरप्रदेश, दिल्ली, हरयाणा, पंजाब होकर गुजरता था। सूरत सिंध के प्रसिद्ध बन्दरगाह लाहरी बन्दर से अहमदाबाद मार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ था, तो पूर्वी समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह मसूली पट्टम के साथ भी सम्पर्क बना हुआ था। सूरत से मसूली पट्टम के व्यापारिक मार्ग में जो प्रमुख स्थान आते थे वे इस प्रकार थे– सूरत– डामन– बेसीन– राजापुर– गोवा– बीजापुर– गोलकुण्डा– मसूली पट्टम।

मुगलकाल में शान्ति, सुरक्षा और व्यवस्था होने से सड़कों, सरायों, डाक चौकियों एवं यातायात के साधनों की सुविधा होने से आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार अत्यधिक विकसित हो गया। मात्र सड़कों का निर्माण ही परिवहन के विकास की गारन्टी नहीं होती है इनकी सतत देखरेख एवं मरम्मत कार्य की भी विशेष निगरानी के निर्देश दिये गये एवं अलग से पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती थी। यही कारण है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन का प्रारंभ हुआ उस समय यहाँ सड़क परिवहन पर्याप्त विकसित अवस्था में था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, पी.एन. – भारत में परिवहन
2. बर्नियर – ट्रेवल्स ऑफ बर्नियर
3. शर्मा, के.एस. – मध्य युगीन व्यापार
4. खुराना, के.एल. – भारत का आर्थिक इतिहास
5. सड़क परिवहन और राजमार्ग– भारत का राष्ट्रीय पोर्टल india.gov.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

थर्ड जेंडर एवं समाज

डॉ. श्रीमती सुनीला एक्का*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) शासकीय के. आर. डी. कॉलेज, नवागढ़, जिला बेमेतरा (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – सामाजिक ढांचे में जेंडर या लैंगिक पहचान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पहचान को सामाजिक मान्यताओं ने दिनों-दिन पुख्ता किया और समाज जेंडर को स्त्री-पुरूष की 'बाइनरी' में ही देखने व समझने का अभ्यस्त हो गया। इस अभ्यास के कारण ही समाज में थर्ड जेंडर को लेकर जो धारणा बनी, वह उनकी पहचान पर भी संकट पैदा करने वाली थी, क्योंकि वह प्रचलित बाइनरी से बाहर थे। इस पहचान को लेकर थर्ड जेंडर समुदाय लम्बे समय से संघर्ष कर रहा था। यह संघर्ष सामाजिक और संवैधानिक दोनों स्तरों पर चल रहा था। पहचान के लिये समाज की स्वीकृति और संवैधानिक मान्यता दोनों बहुत जरूरी थे। यह 'मैं भी हूँ' की लड़ाई थी, जिसे कम ही लोगों ने समझा, लेकिन 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले ने थर्ड जेंडर को संवैधानिक अधिकार दे दिये और सरकार को निर्देशित किया कि वह इन अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित् करे, उसके बाद 5 दिसम्बर 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद थर्ड जेंडर के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल गई।

थर्ड जेंडर एवं समाज

- पहचान की यह आरंभिक लड़ाई थी, जहाँ स्टेट उन्हें बतौर नागरिक मान्यता दे रहा था। इसी का परिणा था कि सन् 1998 में मध्यप्रदेश की शबनम मौसी विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक चुनी जाती है और समाज को संदेश देने में कामयाब होती है। शबनम मौसी का चुना जाना सामाजिक नजरिये में आ रहे बदलाव और कानूनी अधिकारों की अहमियत से बहुत ही महत्वपूर्ण था, इस बदलाव की परिणिति ही सन् 2014 में आया फैसला था, जहाँ यह समुदाय 'अन्य' (Other) की श्रेणी में ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के रूप में पहचान पाता है, उसके बाद से ही सभी तरह के सरकारी दस्तावेजों में स्त्री, पुरूष के साथ तृतीय लिंग या थर्ड जेंडर का भी कॉलम आने लगा, यह 'अन्य' नहीं बल्कि एक पहचान थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से किन्नर समाज को नई पहचान मिली। न्यायालय ने अपने अंतिम निर्णय में कहा कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश किन्नर समाज को सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुये वर्ग की तरह सुविधायें दे, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में भी उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का भी लाभ मिले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को भी सभी न्यायिक एवं संवैधानिक अधिकार मिले, जो देश के आम नागरिकों को प्राप्त है। यह सुनिश्चित् करना सरकार का काम था। सरकार ने भी सन् 2019 में कानून पारित करके इस दिशा की तरफ महत्वपूर्ण कदम उठाया।
- थर्ड जेंडर के अधिकारों का सवाल चर्चा में फिर से तब आया, जब उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने थर्ड जेंडर को सम्पत्ति में अधिकार देने के कानून को मंजूरी दे दी, इससे पैतृक सम्पत्ति में उनको भी हक मिलेगा। यह एक तरह से कानूनी एवं सामाजिक मान्यता के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने थर्ड जेंडर के व्यक्ति को भूमि पर हिस्सेदार के तौर पर परिवार के सदस्य के रूप में शामिल करते हुये, उसे भूमि पर अधिकार व उत्तराधिकार देने के मकसद से राजस्व संहिता की धारा 4(10), 108(2), 109 और 110 में संशोधन प्रस्तावित किया, इससे पहले तक सिर्फ स्त्री और पुरूष को ही सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त था। अब इसका विस्तार थर्ड जेंडर तक कर दिया गया है, इससे थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर सुरक्षा तो मिलेगी ही साथ में, उनकी पहचान को सामाजिक स्वीकृति मिल सकती है, अब तक परिवार जिन्हें स्वयं की पहचान से भी अलग करता रहा, उन्हें सम्पत्ति में अधिकार मिलने से संभवत: पारिवारिक एवं सामाजिक सोंच में थोड़ा बहुत परिवर्तन आये, लेकिन यह फैसला परिवार की सोंच में परिवर्तन से ज्यादा थर्ड जेंडर समुदाय के हक एवं पहचान के लिये महत्वपूर्ण है। वह अब उस सम्पत्ति के हकदार हैं, जिसका उनको होना चाहिये था, सिर्फ अलग लैंगिक पहचान होने के कारण उन्हें इससे वंचित रखा गया।
- भारत में बतौर ट्रांसजेंडर सन् 1994 में इस समुदाय को तमिलनाडु में मतदान का अधिकार मिला, इस राज्य ने सबसे पहले किन्नर या हिजड़ा समुदाय को थर्ड जेंडर की मान्यता दी और उन्हें सरकार की योजनाओं में शामिल किया।

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों के बाद सवाल समाज पर है। स्त्री-पुरूष की तरह ट्रांसजेंडर समुदाय को अलग पहचान तो मिल गई। सरकारों ने भी कानून बना दिये हैं, लेकिन क्या समाज का नजरिया बदलेगा? समाज से पहले क्या परिवार उनको स्वीकार करेगा? कानून के बाद भी क्या परिवार उनके साथ व्यावहारिक तरीके से संपत्ति साझा करेगा? क्या उनके साथ होने वाला भेद-भाव खत्म होगा? कानून से पहचान तो मिल गई, लेकिन क्या परिवार की स्वीकृति भी मिल जायेगी! ठन सवालों और समस्याओं से ट्रांसजेंडर समुदाय को अभी गुजरना होगा। इस भेद-भाव को मिटाने और नजरिये में बदलाव के लिये कई स्तरों पर प्रयास भी हो रहे हैं, इसी वर्ष जुलाई में नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) ने सामाजिक नजरिये में बदलाव की दृष्टि से अहम कदम उठाया है। NMRC ने एक्वा लाईन के सेक्टर-50 के मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित कर दिया।

शबनम मौसी, कमला जान, आशा देवी, कमला किन्नर, मधु किन्नर

और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी वे नाम हैं, जिन्होंने चुनाव में बहुमत से विजय प्राप्त कर के विधायक और महापौर तक के पद सम्हाले। देश की पहली किन्नर प्राचार्य मानबी बंद्योपाध्याय और पहली किन्नर वकील तमिलनाडु की सत्य श्री शर्मिला ने सिद्ध कर दिया कि किन्नर अथवा 'थर्ड जेंडर' किसी भी विद्वत स्त्री–पुरूष की भांति बुद्धिजीवी वर्ग की किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि इसी प्रकार थर्ड जेंडर और समाज परस्पर एक–दूसरे को अपनाता रहेगा तो एक दिन समाज का नजरिया भी थर्ड जेंडर के प्रति बदल जायेगा और वे एक सामान्य मनुष्य की तरह जी सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Dr. Amita Singh/ling avam samaj.
2. https://hindi.news18.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का सामाजिक परिदृश्य

डॉ. बसंत नाग* एन.आर. साव**

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) भा.प्र.देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) भा.प्र.देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है कि भारतीय समाज में पुरूष की तुलना में महिलाएं अधिक उत्पीड़ित, उपेक्षित, असहाय व कमजोर स्थिति में हैं तथा उसके किसी भी प्रकार के विकास एवं उन्नति को सहज रूप से नहीं ले पाता। उनकी मानसिकता होती है कि हर स्थान पर वह महिलाओं से अधिक प्रभावशाली, शक्तिवान, प्रसिद्ध तथा विकासशील हो। महिला और पुरूष की इस स्थिति के लिए कई ऐतिहासिक, शारीरिक, जैविक, धार्मिक व सामाजिक कारक उत्तरदायी है, जिनमें परिवर्तन करके ही पुरूष की संकीर्ण व स्वार्थी तथा महिला की भीरू एवं परम्परागत मानसिकता को बदला जा सकता है। प्राय: महाकाव्यों एवं धार्मिक ग्रंथों में स्त्री-पुरूष की समानता पर जोर ही नहीं दिया गया, अपितु नारी को दुर्गा, सरस्वती व लक्ष्मी के रूपों में शक्ति, विद्या व धन के क्षेत्रों में अग्रणी व अनुकरणीय भी माना है। इसी कारण समाज में 'महिला और पुरूष को एक-दूसरे के पूरक, जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिये, घर का श्रृंगार नारी, पुरूष की सफलता के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते है' जैसी कहावतों का चलन हुआ। लेकिन धीरे-धीरे नारी की प्रताड़ना हेतु नारी ढोर गंवार पशु नारी से सब ताड़न के अधिकारी जैसी कहावतों का अभ्यूदय हुआ। महिला बेचारी 'लाचार, अबला, झगड़े के कारण जर जोरू व जमीन, पुरुष के भाग्य व नारी के चरित्र का भरोसा नहीं, नारी पाँव की जूती' के रूप में पहचानी जाने लगी। अब जब महिला संगठनों तथा प्रगतिशील कहलाने वाली महिलाओं द्वारा लिंग भेद की समाप्ति एवं महिला विकास तथा महिला सशक्तिरण की बातें एवं प्रयास किये जाते हैं तो पुरुषों द्वारा उन्हें घर तोड़ने वाली कुलक्षणी, अत्याधुनिक कुंठाग्रस्त, व्यावसायिक समाज सेविका जैसे शब्दों से संबोधित कर ताना मारते हुए दूसरे तरीकों से उपेक्षित व उत्पीड़ित करने का प्रयास किया जाता है। कोई भी पुरुष इस तरह के सभा सम्मेलनों में चाहे सकारात्मक बातें कहे लेकिन निजी जीवन में मजबूरियों को छोड़कर परिवर्तन बहुत ही कम नजर आते हैं।

भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक भाव हमारे संस्कार में है, ये भाव ही महिलाओं को स्वतंत्र होने ही नहीं देता। जबकि पुरूष वर्चस्व बनाकर रखना चाहता है उसकी जड़े बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह बहुत गहरे तक फैली है, ऊपर भी जाल बनाकर रखती है। बरगद को उखाड़ना इतना सरल नहीं क्योंकि उसके साथ हमारे संस्कारगत भाव जुड़े हैं। उससे हमें छाँव और आक्सीजन दोनों मिलते हैं। ऐसे ही पीपल का पेड़ है इन दोनों से हमारा गहरा लगाव है। हमारे संस्कार और संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से भिन्न है, यहां आस्था पर बल दिया जाता है। जहां गाली-गलौच, मारपीट, बलात्कार, कार्यक्षेत्र में कार्यालय प्रमुख द्वारा उत्पीड़न एवं त्रास का मुकाबला आंसुओं से नहीं बल्कि एक प्रखर रणनीति अख्तियार करके ही हो सकता है। इस उत्पीड़न का इलाज प्रतिशोध में नहीं वरन् त्याग और विश्वास में है। पति नाम का बच्चा सबसे बिगड़ैल बच्चा होता है उनको यही रास्ते पर जाने के लिये विवेक और धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य खोने से नहीं। पहले महिला तन-मन से घर चलाती थी अब धन भी जुड़ गया है। अत: महिला अपने आँचल की छाँव तले ही यह दुनिया सुन्दर बना सकती है। भारतीय समाज में आज भी कुछ ऐसी परस्पराए है जिनसे सिद्ध होता है कि पुरुष सत्तात्मक समाज में यह उत्पीड़न आज भी जारी है।

कन्यादान की परम्परा – कुमारी जीवन के पश्चात् कन्या, वर को दान दी जाती है, ऐसा हिन्दू रीति रिवाज में वर्णित है। प्राचीनकाल में विवाह का अर्थ होता था कि कन्या पर से पिता का आधिपत्य समाप्त होकर पति का आधिपत्य होना। इसे आधिपत्य का स्थानांतरण कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। स्त्री को वस्तु मानकर उस पर पुरुष का प्रभुत्व माना जाता रहा है। पिता का कन्या पर संपूर्ण अधिकार माना जाता रहा है। वह अपनी कन्या को दान दे इस अधिकार को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसी कारण 'कन्यादान' शब्द की उत्पति हुई है।

'पिता दद्यात स्वयं कन्या' – नारद संहिता

महिला उत्पीड़न के पीछे पितृसत्तात्मक सोच ही प्रमुख कारण है पुरुष अपना वर्चस्व बनाये रखना चाहता है वह कभी भोजन में नमक कम होने पर पत्नी की पिटाई करता है तो कभी उससे छुटकारा पाने के लिये उसे पागल करार देता है। दहेज की मांग पूरी न होने पर असंख्य महिलाएं मार दी जाती है। पहले पिता की मृत्यु के बाद पुत्री को पैतृक संपति का अधिकार नहीं था। पति के मृत्यु से पूर्व पत्नी को पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। उसकी मृत्यु के उपरान्त भी सम्पति के होते हुए भी विधवा दर-दर की ठोकर खाती फिरती थी तथा दूसरे व्यक्ति उस पर मनमाना अत्याचार करते जाते।

परदा प्रथा– चरित्र की पवित्रता की एक आवश्यक मापदण्ड पुरुष सत्तात्मक परिवार में माना जाता है। आज भी स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक स्थानों में इतना परदा है कि महिलाओं के लिए बाहर की दुनिया सपनों की दुनिया के बराबर है। राजस्थान में हाथ भर घूंघट डाले वधू कई बार बदल गई है। जिस प्रकार उपभोग की वस्तु को सजायी जाती है उसी प्रकार महिलाओं को भी उपभोग की वस्तु समझकर उनके बनाव श्रृंगार को अधिक महत्व दिया जाता है। सोने चाँदी की हथकड़ी एवं बेड़ी से पुरुष अपने अधीनस्थ महिलाओं के पैरों हाथों में डाल दी। पुरुष सत्तात्मक समाज में आदमी स्वतंत्र रूप से जी

सकता है पर महिला स्वतंत्र रूप से जी नहीं सकती। ऐसा करने से सहज रूप से उसके चरित्र पर लांछन लगाकर उसे कुलटा कह दिया जाता है। पुरुष मर्यादा में रहे या न रहे पर महिला को मर्यादा में रहना ही है।'पतिव्रता' धर्म का पालन करना महिला का कर्तव्य है। भारत में पति के लंबी उम्र के लिए उपवास रखने का अधिकार महिलाओं के लिये हैं जिनमें तीज, करवाचौथ प्रमुख हैं। हमारे समाज में प्राय: सभी मूल्य, मान्यताएं एवं नियम महिलाओं पर ही लागू किये जाते हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र को सीमित कर उत्तारदायित्वों को बढ़ाता है। पुरूष पर महिला की निर्भरता व उसके साथ किए जा रहे असमान व्यवहार का समाज पर ही नहीं अपितु महिलाओं की दशा पर कुप्रभाव पड़ता है।

बाल विवाह – आज भी देश के कई ऐसे क्षेत्र है यहाँ बाल विवाह का प्रचलन है। 21वीं सदी में जब मानव अंतरिक्ष तक पहुँच चुका है वहाँ आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह जैसी कुप्रथाएँ विद्यमान हैं जिनके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। शारदा एक्ट के कारण इस कुप्रथा पर रोक लगा दी गई है। बाल विवाह, संशोधन अधिनियम 1976 में विवाह की उम्र में लड़कियों की विवाह की उम्र 18 निर्धारित कर दी गयी। इस दृष्टिकोण से महिलाओं की स्थिति का मूल्याकन करें तो उनमें व्यापक परिवर्तन परिलक्षित दिखाई पड़ता है।

निष्कर्ष – महिलाएं प्रत्येक समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। समाज एवं राष्ट्र की स्थिति का मूल्यांकन महिलाओं की स्थिति के आधार पर आसानी से किया जा सकता है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर ज्ञात होता है, कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं रही है अपितु उसमें उतार-चढ़ाव आतेप्रहे हैं। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से वैदिक काल में महिलाओं के विवाह, शिक्षा, संपत्ति सभी क्षेत्रों उच्च स्थान प्राप्त था। इसलिए भारत का यह स्वर्णिम काल माना जाता है। उत्तर वैदिककाल, जैन और बौद्ध साम्राटों ने महिलाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। सम्राट अशोक ने भी अपने राज्य में पिता और पति की संपत्ति पर पत्नी और पुत्री को भी बराबर का अधिकार दिया। धर्मशास्त्रीय काल में ईसा से 200 वर्ष बाद महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। मनुस्मृति में यह व्यवस्था की गयी कि महिलाएँ स्वतंत्र नहीं है वह हमेशा बंधनों से जकड़ी हुई है। उनको हमेशा अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। उन्हें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया। बचपन में पिता पर, युवावस्था में पति पर और वृद्धावस्था में पुत्र पर आश्रित रहती है, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन, विधवा विवाह पर प्रतिबंध तथा सतीप्रथा का प्रारंभ हो गया। मध्यकाल में महिलाओं की दशा और भी दयनीय हो गयी। सतीप्रप्रथा, भ्रुण हत्या, बहुपत्नी विवाह काप्रप्रचलन तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ गया। ब्रिटीश शासन काल में सती प्रथा के विरुद्ध राजा राममोहन राय ने समाज को जागरूक किया। सन् 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित होने के उपरांत सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया। परिवर्तन प्रकृति का शास्वत नियम है। बदलते परिवेश में महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन एवं सुधार हुआ है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी है लेकिन सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण में अंतर आज भी विद्यमान है। अशिक्षा, रूढ़िवादी मानसिकता, समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण, पुरुषवादी मानसिकता महिलाओं के विकास में आज भी बाधक है। महिलाए जब तक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी तब तक सुधार संभव नहीं है। स्वामी विवेकानन्द का कथन है किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्ताम थर्मामीटर महिलाओं की स्थिति है। महिलाओं को अपनी स्थिति सुधारने के लिए स्वयं प्रयास करने होगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महिला सशक्तिकरण – शर्मा रमा, शर्मा एम.के., अर्जुन पब्लिशिंग हाउत्स नई दिल्ली 2010
2. महिला शोषण और मानवधिकार – श्रीवास्तव सुधारानी, श्रीवास्तव आशा
3. नारी समाज और आधुनिकीकरण –तिवारी डॉ. इति, किताब महल, 2009
4. समाजशास्त्र –गुप्ता एम. एल, शर्मा डी.डी. साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
5. महिला सशक्तिकरण – गुप्ता कमलेश, कुमार एनकल्वे जयपुर
6. नारी के बदलते आयाम – अर्जुन पब्लिशिंग हाउत्स, जयपुर
7. भारतीय सामाजिक व्यवस्था – आहुजा राम, रावत प्रकाशन जयपुर नई दिल्ली

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

एक संसाधन के रूप में समय व बेहतर समय प्रबंधन

जयश्री हरदेनिया *

* एसबीएस गवर्नमेंट पी.जी. कॉलेज, पिपरिया, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) भारत

संसाधन की परिभाषा –संसाधन एक ऐसा स्त्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवी सेवा करता है या जब तक कि मनुष्यों का उसमें हस्तक्षेप ना हो। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जो आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मान्य है संसाधन है भूमि ,जल, वनस्पति और खनिज प्रकृति के उपहार है इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं।

भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वह प्रक्रिया है जो मानव के उपयोग में आती है।

एक संसाधन के रूप में समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है हम सभी के लिए समय का सही प्रबंधन करके एक छोटी या कम अवधि में अधिक पूरा कर सकते हैं हर चीज को समय की आवश्यकता होती है यह एकमात्र सही मायने में सार्वभौमिक स्थिति है सभी कार्य के समय होते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं यह एक संसाधन है समय का कोई विकल्प नहीं है संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है समय से पहले कुछ भी नहीं होता कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है समय बहुत कीमती है और इसे हमें किसी भी तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए जैसे हम पैसा खर्च करते हैं तो उसे कमा सकते हैं लेकिन खोए हुए समय को वापस नहीं पा सकते समय मूल्यवान है इसका सदुपयोग करना चाहिए।

समय का प्रभावी उपयोग –समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन में हमारी मदद करेंगे इस उपयोग में लक्ष्य निर्धारित करना, कार्य सूची तैयार करना, कार्य को प्राथमिकता देना, अपना कार्य पूर्ण करने के बाद सूची से मिलान करना, अपने कार्य के बीच ब्रेक लेना ,प्रत्येक दिन कुछ समय के लिए ध्यान लगाना आदि।

विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व –विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करना चाहिए समय पर उठना, खाना, पढ़ना, सोना और अपने रोजमर्रा के कार्य सभी का समय निश्चित कर आसानी से अपने सभी कार्य समय पर पूर्ण कर सकते हैं विद्यार्थी जीवन में समय का सही उपयोग किया जाए तो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है जो विद्यार्थी यह सोचते हैं कि कर लेंगे या पढ़ लेंगे का दृष्टिकोण रखते हैं वह असफलता का मुंह देखते हैं विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपना हर कार्य निर्धारित समय पर या उसके पूर्व ही समाप्त कर ले जिससे बचे हुए समय में दूसरे कार्यों को करने की रूपरेखा बनाई जा सके खाली समय में विद्यार्थी अपने शिक्षकों या बड़ों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती यदि एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता यह हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में ही चलता है संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है समय से पहले कुछ भी नहीं होता इस संसार में कोई कुछ भी समय को नहीं दे सकता समय का केवल उपयोग किया जा सकता है कोई भी समय को खरीद या बेच नहीं सकता।

समय का महत्व –समय के महत्व को बचपन से ही लोगों को सिखाया जाना चाहिए समय कभी भी किसी के लिए नहीं रूकता इसलिए सही समय पर अपने कार्य करना जरूरी होता है समय का महत्व जिसने सीख लिया वह जिंदगी में जरूर सफलता प्राप्त करता है समय बहुत मूल्यवान होता है इसलिए हम सभी को समय का सदुपयोग करना चाहिए महान लोगों ने समय के महत्व को समझा इसलिए वे महान बने जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और समय के महत्व को समझना जरूरी है।

समय प्रबंधन हम सभी के जीवन में खर्च करने के लिए समाज घंटे होते हैं लेकिन शायद ही कभी हम संसाधन के रूप में समय प्रबंधन और समय के महत्व के बारे में सोचते हैं जो बहुत कीमती होता है और ध्यान के साथ खर्च किया जाना चाहिए यह ठीक ही कहा गया है कि समय एक गैर नवीकरणीय संसाधन है एक बार निकल गया फिर से वापस नहीं लाया जा सकते। कई छात्र आज प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं लेकिन एक कारक होता है जो टॉपर्स को दूसरों से अलग बनाता है वह यह है कि वह अपने समय का प्रबंधन सही तरीके से करते हैं इसलिए छात्रों को समय प्रबंधन का महत्व समझना चाहिए। समय प्रबंधन द्वारा हम अच्छी उत्पादकता – जैसे यदि हमारे पास कोई योजना है तो उसे सही तरीके से लागू करना उसके कार्य के बीच क्या करना है क्या आवश्यक काम है उसे करना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, प्रेरणा स्तर को बढ़ाएं– जब कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो प्रेरणा स्तर में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होती है अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर समय का सदुपयोग करना चाहिए, कम तनाव–समय प्रबंधन हमें कम समय में और कम प्रयासों के साथ अपने कार्यों को पूरा करने में मदद करता है जिससे तनाव नहीं होता। समय प्रबंधन हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है चाहे वह छात्र हो या ग्रहणी, व्यवसायिक व्यक्ति यह काम कर रहे पेशेवर ही क्यों ना हो यदि ये समय को कुशलतापूर्वक प्रतिबंधित करने में सक्षम है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पीछे नहीं रहेंगे।

उपसंहार –अपने पास एक टाइम चेक रखना चाहिए, टाइम लिमिट सेट

करना चाहिए, सभी काम का प्रॉपर प्लान तैयार करना चाहिए, आवश्यक कार्य को प्राथमिकता देना चाहिए ,अपने कार्य को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए ,प्रत्येक दिन कुछ समय के लिए ध्यान करना चाहिए, समय प्रबंधन एक समय का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की तकनीक है ताकि इसका अधिकतम लाभ उठाया जा सके कहा जाता है कि सफलता की दिशा में पहला कदम कुशल समय प्रबंधन है यदि आप अपने समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में किसी अन्य हिस्से का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होंगे इसलिए सफलता की दिशा में अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना है यदि आप अपने समय को अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं तो आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं या कर पाते हैं।

अत: हम सभी समय की महत्व को जानते हैं समय ही व्यक्ति को महान बनाता है समय के महत्व को समझना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Google.com
2. https://him.wikipediya.org.wiki
3. https:// www.ncert.nic.in
4. https://www.thestudyiq.com
5. https://www.hindikiduniya.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

संगीत शिक्षक, केन्द्रीय विद्यालय, दापोरिजो (अरूणाचल प्रदेश) टप्पा गायन (उपशास्त्रीय शैली)

डॉ. निलांभ राव नलवडे*

* (संगीत) विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – टप्पा गायन एक उपशास्त्रीय शैली है जो जटिल एवं लच्छेदार तानों से युक्त होती है। इसकी भाषा पंजाबी, पश्तो तथा उर्दू से मुख्यत: निर्मित होती है। इस गायन शैली में रस और भाव के साथ ही चमत्कार की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

उमेश जोशी के अनुसार– टप्पा गायन हिंदुस्तानी संगीत की एक विशिष्ट शैली होती है जिसमें छोटी लम्बाई के बोल होते है तथा लय में चंचलता होती है। टप्पा हेतु ऐसे रागों का चयन किया जाता है, जिनमें अधिक चंचलता और मधुरता संभव हो। प्राय: इसके लिए मधुर कंठ एवं पतली आवाज की आवश्यकता होती है जिससे कि स्वरों को तेजी से गाने में आसानी हो।

उत्पत्ति एवं विकास – टप्पा शब्द की उत्पत्ति 'टप' धातु से मानी जाती है जिसका अभिप्राय है कूदना अथवा आगे की ओर उछलना। टप्पा गायन शैली में स्वरों का क्रम, तानों की जटिलता एवं स्वरों का ऐसा विचित्र प्रयोग होता है कि उछलने का भाव व्यक्त होता है।

लखनऊ के नवाब आसफउद्दौला सन् (1776 – 1797) के राज दरबार में गुलाम रसूल खां नामक एक महान संगीतकार व गायक हुए। जिनके पुत्र का नाम गुलाम नबी था। गुलाम नबी ने टप्पा शैली का अविष्कार किया। उन्होंने अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की तथा ख्याल गायन में प्रवीण हुए। गुलाम नबी एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ होने के साथ – साथ संगीत के प्रति जिज्ञासु भी थे। वे संगीत में नवीनता प्राप्त करने के लिए ज्यादातर समय यात्रा पर रहते थे। इसी यात्रा में वे पंजाब के ग्रामीण गीतों के गायन की विशिष्ट शैली, स्वरों की जटिलता, एक मात्रा में चार – पॉच स्वरों के टुकडे आदि से वह अत्यधिक प्रभावित हुए। ऊँट पर सवारी करने वाले कबाईली लोगों द्धारा टप्पा लोकगीतों का गायन किया जाता था। इन्हीं गीतों को आधार बनाकर गुलाम नबी (शोरी मियॉ) ने खमाज, काफी, देस, भैरवी, झिंझोटी इत्यादी रागों का चयन कर टप्पा गीतों की रचना की। टप्पे की चंचलता, चपलता तथा तेजी के अनुसार उपयुक्त रागों का चयन कर संगीत जगम में एक नवीन गायन शैली का अविष्कार किया जो कि टप्पा गायन शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुछ विद्धान इस शैली की उत्पत्ति प्राचीन बेसरा गीति से मानते है क्योंकि बेसरा गीति में स्वरों का द्रुतलय में प्रयोग होता था जो कि टप्पा गायन से मिलता – जुलता था।

टप्पा गायन शैली अत्यंत कठिन है एवं इसे गाने के लिए कठिन परिश्रम एवं साधना की आवश्यकता होती है। इसकी समय सीमा शास्त्रीय संगीत की अन्य शैलीयों से संक्षिप्त है लेकिन उस संक्षिप्त समय में यह एक चमत्कारिक प्रभाव छोडती है। इसके प्रदर्शन के लिए गले की तैयारी, कण, मुर्की, खटका, तान आदि का प्रयोग तथा निम्न तत्वों की आवश्यकता होती है :

1. **आवाज का गुणधर्म –** गायन में आवाज की प्रकृति का बहुत महत्व है। टप्पा गायन के लिए पतली, लोचदार आवाज तथा तैयार गला होना बहुत जरूरी है। भारी एवं मोटी आवाज इस शैली के लिए साधारणत: अनउपयुक्त है। आवाज का पतलापन स्वरगुच्छों की गति को तेज करने में सहायक होती है एवं दानेदार तानों के लिए उपयुक्त होती है।
2. **टप्पे का प्रशिक्षण –**इसके प्रशिक्षण के लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। गुरूमुख की शिक्षा में ही इसे सीखा जा सकता है। आरंभ में छोटे – छोटे स्वरगुच्छ गले में बिठाये जाते है तथा इसके स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए जिन तानों एवं पलटों की आवश्यकता होती है उनका रियाज कराया जाता है।
3. **विकसित गायन क्षमता –** गला तैयार हो जाने के बाद गले की तैयारी एवं मस्तिष्क की क्रिया में समन्वय होना चाहिए। गायक का स्वर ज्ञान अति उत्तम हो जिससे उसे हर स्वर संगति एवं स्वर गुच्छ का ज्ञान तुरंत हो सके एवं उसके गले में अदायगी भी हो जाए। यह दोनों अंग मस्तिष्क एवं गले के समन्वय से ही संभव है। यदि स्वर गुच्छ समझ में आ जाए एवं गले से अदा ना हो सके या गले की अदायगी की क्षमता है परंतु स्वर गुच्छ समझ में ही ना आए, यह दोनों ही स्थिति टप्पा गायन में बाधक है।
4. **समय की समझ–** टप्पा गायन में समय की समझ अति – आवश्यक है। प्रदर्शन करते समय कौन सी स्वर संगति कब लेना है एवं स्वरों की पुनरावृत्ति से बचते हुए सम पर आने के लिए समझ की आवश्यकता होती है।
5. **तत्काल बुद्धि –** तत्काल बुद्धि में ताल एवं स्वर का समन्वय होता है अर्थात बुद्धि तत्काल यह निर्धारित करती है कि कम समय में अधिक से अधिक कितने स्वर गुच्छे लिए जा सकते है जो ताल की दृष्टि से आवश्यक है। साथ ही बुद्धि यह भी निश्चित करती है कि कब, किस स्वर – संगति से उछलकर दूसरी स्वर – संगति पर पहुॅचना है एवं वहॉ कौन से स्वर का गुच्छा लेकर सम पर आना है।

उपरोक्त आधारभूत तत्वों का विकास रियाज से, अधिकतम बंदिशें कंठस्थ होने से एवं गुरू के सतत् मार्गदर्शन से ही संभव है।

टप्पा गायकी में उपयोगी तत्वों का विवेचन – टप्पा शैली अन्य शैलियों की भॉति सम्पूर्ण एवं स्वतंत्र है। जिस प्रकार ख्याल शैली में आलाप, तान, बोलतान, बोल आलाप, उपज एवं ध्रुपद – धमार में नोम् – तोम्, आलाप, लयकारी, उपज, गमक आदि तत्वों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

टप्पा गायन के लिए भी निम्न तत्वों की आवश्यकता होती है :

1. **कण –** कण का अर्थ है जर्रा, सूक्ष्म स्वर। जैसे पत्थर के अनगिनत टुकडों से बनी बालू या गेहूॅ के दानों से बना ढेर। इसमें कण ही होते है। इसी प्रकार सूक्ष्म स्वर मुख्य स्वरों के साथ जोडे जाते है। इस गायकी में मुख्य स्वर के साथ उससे नीचे – ऊपर के स्वर का कण लगाया जाता है एवं प्रमुख स्वर को विशेष दबाव देने पर गले से निकाला जाता है।

2. **मुर्की –** मुर्की का शाब्दिक अर्थ होता है मुडना या घूम जाना। मुर्की का स्वरूप छोटा होता है। कम स्वरों में ही मुर्की बन जाती है। अधिक स्वरों में यह क्रिया आरोह – अवरोह तान का रूप धारण कर लेती है। गाते समय मुर्की के साथ खटका, कण आदि का उपयोग कर उसमें विविधता एवं कठिनता लाते है।

3. **खटका –** संगीत में यह अलंकार है जो प्राकृतिक भी होता है और अभ्यास से भी बनता है। एक समय में खटके में 4 स्वर निकलते है जिसमें मुख्य स्वर के पहले वाला स्वर फिर मुख्य स्वर तक पश्चात् मुख्य स्वर से नीचे वाला स्वर एवं पुन: मुख्य स्वर यह क्रम बनता है। उदाहरण के लिए यपय के खटके में 4 स्वर इस प्रकार होगे 'धपमप'।

4. **फंदा –** फंदा एक या दो स्वरों से नहीं बनता वरन् 4 या 5 स्वरों के समूह में कण एवं गमक का समन्वय होता है। कभी – कभी चार – पॉच स्वरों के इर्द – गिर्द घूमकर फंदा बनाया जाता है जो अत्यंत कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए पधनिधप, मपधपम, गमपमग, रेगमगरे, सारेगरेसा आदि।

5. **जमजमा –**दो स्वरों के पर्याय कम में एक से अधिक बार के प्रयोग विशेष को जमजमा कहा जाता है। टप्पा गायकी में भी इसका प्रयोग होता है परंतु इसकी क्रिया तेज होती है। उदाहरण के लिए निधनिध, पधपध, पमपम, मगमग आदि।

6. **गूंथाव या गूंथाव रीति –** इसमें स्वर क्रम तो होता है परंतु स्वरों का गूंथाव जटिल होता है। गूंथाव रीति में अलंकारों का प्रयोग होता है। यह अलंकार जटिल होते है एवं उनके क्रम परिवर्तन उन्हें और जटिल बना देते है। उदाहरण के लिए गमपपमगरेग, मपधधपमगम, पधनिनिधपमप, धनिसांसांनिधप, निसांरेंरेंसांनिधनि, सारेगंगंरेंसांनिसां आदि।

7. **पेंचदार तान –** ऐसी तान जिसमें घुमाव हो पेंचदार तान कहलाती है। इस तान में स्वरों की क्रिया घुमावदार होती है जो स्वर चक्र बनाकर तान को बडा करती जाती है। यह तान लम्बी नहीं होती क्योंकि इसमें चार – पॉच स्वरों के चक्र के बाद परिवर्तन किया जाता है। प्रत्येक स्वर में उसके आसपास के स्वरों का चक्र बनता है जो पेंच के समान होता है। इसलिए यह क्रिया पेंचदार कहलाती है।

8. **शब्दों का उपयोग –** उपरोक्त सभी अलंकरण में विशेष तथ्य यह भी है कि गाते समय शब्दों का प्रयोग सभी के साथ किया जाता है। गायकी के प्रत्येक अंग (खटका, मुर्की, जमजमा आदि) में शब्दों को जोडा जाता है जो श्रृंगारिकता बढाने में सहायक होते है। केवल आकार के माध्यम से टप्पा गायकी गाने से उसकी विशेषता क्षीण हो जाती है।

9. **टप्पा में उपयोगी ताल –** टप्पे में मुख्यत: पंजाबी, अद्दा, पश्तों, त्रिताल आदि का उपयोग किया जाता है। परंतु ख्याति प्राप्त टप्पा विशेषज्ञ पंजाबी ताल में ही टप्पे सुनते है। इससे यह प्रमाणित होता है कि टप्पे के लिए पंजाबी ताल ही अधिक उपयोगी होती है। इसके साथ –साथ टप्पा गीत की रचना एवं उसके गठन के आधार पर पंजाबी ताल ही अधिक उपयुक्त होती है।

पंजाबी ताल त्रिताल के समान 16 मात्राओं का अवश्य है किंतु बोलों का गठन बिल्कुल अलग है। इसके बोल झूमते हुए चलकर सम पर आते है। ठीक इसी तरह टप्पा गीत भी झूमकर सम पर आता है। यह झूमने की क्रिया टप्पा (बंदिश) एवं ताल में एक समान है । इसलिए पंजाबी ताल में टप्पा गाने से विशेष आनंद आता है। इसमें श्रोता एवं गुणीजन प्रभावित होते है। वर्तमान में पंजाबी ताल का उपयोग कम दिखाई देता है। इसका यही कारण है कि पंजाबी ताल के बोलों में तीन लय बनती है। यह तीनों ही लय चार मात्राओं में एक खण्ड में पूर्ण हो जाती है।

अन्य विभागों में भी लय का यही क्रम बना रहता है। इस लय प्रकार के कारण ही ताल में झूम आती है जो कठिन तो है किंतु उतनी ही आनंददायक भी होती है। इसलिए पंजाबी ताल का प्रयोग कम ही दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में गायक टप्पे में अद्दाताल, रूपक, त्रिताल आदि का प्रयोग कर काम चला लेते है। अत: यह कहा जा सकता है कि टप्पे का असली रंग और स्वरूप पंजाबी ताल में गायन करने पर ही प्रकट होता है।

इस प्रकार संक्षिप्त गीत शैली की संक्षिप्त गायकी है, जिसे साधने में काफी श्रम एवं धैर्य की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि ऊॅट पर सवारी करने वाले कबाईली लोगों के द्वारा टप्पा लोकगीत का गायन किया जाता था, तब ऊॅट की चाल के कारण उनके गायन में एक विशेष प्रकार का उतार – चढाव उत्पन्न हो गया होगा जो कि अपने आप में एक विशेष स्वरूप ग्रहण किये हुए था। पंजाब क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के गले में एक विशेष प्रकार की प्रकृति होती है जिसमें तान लेने की फिरन प्राकृतिक होती है। यही कारण है कि वहॉ के लोक गीतों में टप अंग की तानों का सम्मिश्रण रहता है। अपनी पंजाब यात्रा के दौरान शोरिमियॉ द्वारा इस गायकी को सुना गया। इस गायकी से प्रभावित होकर शोरिमियॉ ने अपने ज्ञान, रचनात्मकता, कल्पनाशीलता तथा अथक प्रयास से इसे एक शास्त्र सम्मत नवीन स्वरूप प्रदान किया एवं संगीत जगत में इसे अलग पहचान दिलाई जिसे हम टप्पा गायकी के नाम से जानते है। वर्तमान में यह अपना पृथक अस्तित्व बनाये हुए एवं अन्य उपशास्त्रीय शैलियों की भॉति इसका भी अपना स्थान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. डॉ. शर्मा, दीपक 'ग्वालियर घराने की ख़याल गायकी' वर्ष 2014 (प्रथम संस्करण) राधा पब्लिकेंशस, 4231/1, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली 110002
2. डॉ. शर्मा, संजीव कुमार 'भारतीय संगीत परम्परा' वर्ष 2014 (प्रथम संस्करण) कल्पना प्रकाशन, बी–1770, जहांगीर पुरी (नीयर एसबीआई) दिल्ली 110033
3. डॉ. शर्मा, मनोरमा 'शास्त्रीय संगीत की परम्परा में पटियाला घराना' वर्ष 2010 (प्रथम) मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाणगंगा, भोपाल 462003 (म.प्र.)
4. डॉ. कुमार, अशोक, 'भारतीय संगीत का इतिहास' वर्ष 2014, के. के पब्लिकेशंस, छत्री प्रागंण नई दिल्ली।
5. चौबे, सुशील कुमार, 'हमारा आधुनिक संगीत' वर्ष 1983, उत्तार प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. जोशी, उमेश 'भारतीय संगीत का इतिहास' वर्ष 1978, मानसरोवर प्रकाशन महल, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
7. पंडित, कृष्णराव शंकर 'ग्वालियर घराना' वर्ष 1966, दिल्ली

विश्वविद्यालय, दिल्ली

8. भातखण्डे, वि.ना. 'क्रमिक पुस्तक मालिका' हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति भाग – 6 संगीत कार्यालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश
9. शर्मा, भगवती चरण 'भारतीय इतिहास में संगीत' वर्ष प्रकाशक रविशंकर, खुर्जा (उ.प्र.)
10. श्री खण्डे, सुरेश गोपाल 'शास्त्रीय गायन की शिक्षा प्रणाली' वर्ष 1993, अभिषेक पब्लिकेशंस, चंडीगढ
11. सक्सेना, मधुवाला 'ख्याल शैली का विकास' वर्ष 1985, विराट पब्लिकेशंस, कुरूक्षेत्र (हरियाणा)
12. डॉ. विश्वास, उपेन्द्र 'ग्वालियर की हिन्दी काव्य परम्परा और विकास' वर्ष 2005 (प्रथम संस्करण) अंकुर सांस्कृतिक अकादमी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
13. डॉ. चौबे, सुशील कुमार 'संगीत के घरानों की चर्चा' वर्ष 1977 (द्वितीय संस्करण) उ.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
14. पण्डित लक्ष्मण कृष्ण राव 'भारतीय संगीत के अमर साधक प. कृष्णराव शंकर पण्डित' वर्ष 2002 (प्रथम संस्करण) रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाणगंगा, भोपाल, मध्य प्रदेश।
15. पंडित तुषार 'भारतीय संगीत के महान संगीतकार पं. शंकर पंडित' कनिष्का पब्लिशर्स डिस्टीब्यूटर्स, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली 110002

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

जनांकिकीय परिवर्तन : मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास

डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर* डॉ. जी. एल. मालवीय**

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंज बासौदा (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंज बासौदा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – हमारे देश में पिछले 75 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लेकिन इसके बावजूद औसत आदमी के जीवन-स्तर में विशेष परिवर्तन नही आया है। देश आज भी **अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण** जैसी कितनी ही समस्याओं से घिरा हुआ है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने विकास के लाभों को लील लिया है। भारत में बढ़ती आबादी का **पृथ्वी, जल, वायु** आदि प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। **जनसंख्या, पर्यावरण एवं आर्थिक विकास** एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और एक-दूसरे पर निर्भर भी है। **जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास** किसी देश के पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते है। यह जनसंख्या के आकार पर, भूमि की उपलब्धता एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है **यह चिंता एवं आत्मचिंतन का विषय है। चिंता इस बात की है कि जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि का प्रभाव राष्ट्र के आर्थिक, प्राकृतिक और अन्य संसाधनों पर पड़ेगा और आत्मचिंतन यह करना होगा कि हमने गलती कहां की और जनसंख्या में हम ठहराव कैसे ला सकते है।**

युवा लोगों की विशाल संख्या के कारण भारत जनसंख्या की दृष्टि से एक सुखद स्थिति में है। इस स्थिति का पूर्ण लाभ उठाने के लिए इन युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करना होगा। **सुयोग्य मानव संसाधन** ही सही अर्थों में **ज्ञानवान समाज** का निर्माण करेगा और ऐसा होने पर ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का सिक्का चलेगा।[1] रोजगार रहित आर्थिक वृद्धि एक चिंता का विषय है लेकिन दूसरी तरफ, हमें आर्थिक वृद्धि रहित रोजगार नहीं चाहिए। हमें उत्पादनशील रोजगार लाने होंगे।[2] आर्थिक वृद्धि की महत्ता को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं आंका जा सकता प्रश्न है आर्थिक वृद्धि द्वारा रोजगार, कीमत स्थायित्व, विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन क्षेत्रकों और प्रदेशों के बीच संतुलित संबंध आदि प्राप्त किए जाए।[3] जैसा कि **अमृत्य सेन ने कहा है 'आर्थिक वृद्धि अमूल्य मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दिशा में एक साधन है न कि अपने आप में कोई लक्ष्य।'** भारत के विकास संबंधी मामलों के विशेषज्ञ तथा योजना निर्माता बुनियादी शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा, पौष्टिक आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, सस्ता आवास, पर्याप्त पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य परिवेश, सुरक्षित कार्य माहौल, अच्छी सड़के तथा जलमार्ग तथा शारीरिक रूप से सक्षम सभी वयस्कों को रोजगार आदि पर अधिक ध्यान दें तो उनके विकास मूलक प्रयास सफल हो सकते है।[4]

तालिका क्र.-1: भारत में जनांकिकीय परिवर्तन (1901-2011)

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	जनसंख्या में वृद्धि या कमी (करोड़ों में)	दशक में प्रतिशत (वृद्धि या कमी)	जन संख्या घनत्व	लिगानुपात (स्त्री प्रति हजार पुरुष)
1901	23.8	-	-	-	-
1911	25.2	+1.4	+5.7	-	-
1921	25.1	+0.1	+0.3	-	-
1931	27.9	+2.8	+11.0	-	-
1941	31.9	+4.0	+14.2	-	-
1951	36.1	+4.2	+13.3	117	946
1961	43.9	+7.8	+21.5	142	941
1971	54.8	+10.9	+24.8	178	930
1981	68.3	+13.5	+24.6	216	934
1991	84.6	+16.3	+23.8	274	927
2001	102.9	+18.2	+21.5	324	933
2011	121.02	+18.1	+17.6	382	940

स्त्रोत- भारत की जनगणना 2001 और 2011

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हुई पहली जनगणना 1961 के अनुसार जनसंख्या 36.11 करोड़ थी जो 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 121.02 करोड़ गयी है। शिक्षा जागरूकता चिकित्सा व आर्थिक विकास के फलस्वरूप देश को जनसंख्या की मृत्युदर 2008 में कम होकर 7.6 प्रति हजार हो गई। किन्तु जन्मदर अभी भी 22.8 प्रति हजार बनी हुई है जो इस बात का प्रमाण है कि आने वाले वर्षों में भी जनसंख्या स्थिरीकरण की संभावना बहुत कम है और हमें अभी गरीबी, बेरोजगारी एवं अशिक्षा आदि से निपटने के लिए उचित दीर्घकालीन रणनीति तैयार करनी होगी। अब समय आ गया है कि हम आत्म विश्लेषण करते हुए अपनी अपार जनसम्पदा के विकास की रणनीति विकसित करें ताकि देश की अर्थव्यवस्था इससे लाभान्वित हो सके। ऐसी रणनीति का आधार वैज्ञानिक विकास एवं नियोजन होना चाहिए जिसे मौजूदा साहित्य की भाषा में मानव संसाधन विकास एवं मानव संसाधन प्रबंध कहा जाता है।

तालिका क्र.-2: भारत में साक्षरता दर (1951 से 2011 तक)

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	स्त्री-पुरुषों में साक्षरता दर का अंतर
1951	18.33	27.16	08.86	18.90
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.51	64.13	39.29	24.84
2001	65.38	75.85	54.16	21.70
2011	74.00	82.10	65.50	16.70

स्त्रोत-Registrar General India

तलिका क्र. 2 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि साक्षरता दर 1951 में जो मात्र 18.33 प्रतिशत थी। यह 2011 में बढ़कर 74.00 प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि में पुरुषों की साक्षरता 27.16 प्रतिशत से बढ़कर 92.1 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 8.86 प्रतिशत से बढ़कर 65.5 प्रतिशत हो गई है। जो इस बात का प्रमाण है कि साक्षर मानव संसाधनों का उचित दोहन कर विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

तालिका क्र.-3: भारत में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का स्वरूप

वर्ष	जनसंख्या (करोड में)		शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात
	शहरी	ग्रामीण	
1951	6.3	29.8	17.83
1961	7.9	36.0	18.82
1971	10.9	43.9	20.80
1981	16.0	52.4	23.77
1991	21.7	62.9	26.74
2001	28.4	74.0	26.72
2011			

स्त्रोत-Registrar General India

तालिका क्र. 3 से स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के दबाव में वृद्धि हो रही है आज का प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति शहर में रहकर भौतिकतावादी सुविधाओं का सुख उठाना चाहता है और गांव से शहर की ओर पलायन कर रहा है। गांधीजी का सपना गांव को विकसित करने का था। किन्तु जनसंख्या की अधिकता, बेरोजगारी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, बिजली की कमी, असुरक्षा की भावना आदि ऐसे कारण है जो कि ग्रामीण-शहरी जनसंख्या अनुपात को निरन्तर बढ़ा रहे है।

मानव संसाधनों का उपयोग सही ढंग से किया जाए तो उत्पादन के अन्य संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सकता है तथा अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसका त्रुटिपूर्ण उपयोग अर्थव्यवस्था को रसातल तक पहुंचा सकता है। मानव संसाधन तथा प्राकृतिक संसाधन एक ही गाड़ी के दो पहियों के समान है जिनका किसी देश की आर्थिक विकास के लिए होना अनिवार्य है जैसा कि **आर्थर लुईस कहते है, 'आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है।' प्रो. रिचर्ड डी. गिल के अनुसार 'आर्थिक विकास कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है वरन् यह एक मानवीय उपक्रम है, जिसकी प्रगति उन लोगों की कुशलता, गुणो दृष्टिकोणों एवं अभिरूचियों पर निर्भर करती है।'** अतः आज के युग में मानव संसाधन में विनियोग आर्थिक विकास की एक प्रमुख शर्त है एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब तक देश में उपलब्ध श्रम शक्ति का पूर्णरूपेण विकास नहीं किया जाएगा, जब तक आर्थिक विकास का लक्ष्य अधूरा रहेगा।[5]

तालिका क्रमांक-4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

आर्थिक विकास का प्रमुख मापक राष्ट्रीय आय है जिसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहां राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.6% थी जो बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8.2% हो गई। नियोजन काल (1950-51 से 2010-11) में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (राष्ट्रीय आय) में जहां 12 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। वहीं प्रति व्यक्ति आय में केवल 4 गुने की वृद्धि हो सकी है। इसका प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि दर का तेज होना है। नियोजन काल में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में 1571 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो वार्षिक दर से 26.2 प्रतिशत के लगभग है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (प्रति व्यक्ति आय) में 428 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो वार्षिक दर से 7.1 प्रतिशत है।[6] सकल घरेलू उत्पाद को कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में बांटकर यदि विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्षित योगदान का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि समय के साथ-साथ कृषि के हिस्से में कमी हुई है। जबकि उद्योग एवं सेवा के योगदान में उत्तारोत्तार वृद्धि हुई है। जैसा कि तालिका क्र. 5 से स्पष्ट है।

तालिका क्र.5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रों का आर्थिक विकास विभिन्न कारणों से हुआ है। पहले कृषि का मशीनीकरण हुआ फिर आया औद्योगीकरण और उसके बाद में उद्यमों का चरण। आर्थिक प्रगति विकास के निम्न क्षेत्रों से प्रारम्भ होकर निवेश-वाही मध्य वर्गीय की ओर बढ़ा और फिर आई नवाचार-वाही उच्च वर्गीय आर्थिक प्रगति। यह इसलिए है क्योंकि जैसे-जैसे कोई पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था विकास करती है प्राथमिक गतिविधियों का महत्व धीरे-धीरे कम होने लगता है लगभग सभी विकसित देशों में देखा गया है कि उद्योगों के विकास के साथ-साथ तृतीयक गतिविधियों का भी विकास हुआ है जबकि प्राथमिक गतिविधियों (विशेष रूप से) कृषि के सापेक्षित महत्व में कमी आई है। इसके अतिरिक्त कृषि में लगी श्रम शक्ति की अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होने से वास्तविक राष्ट्रीय आय के स्तर में वृद्धि हुई है।[7] विश्व के कुछ देशों के सकल घरेलू उत्पाद के तीनों क्षेत्रों के योगदान की स्थिति को तालिका क्र. 6 में दर्शाया गया है।

तलिका क्र. 6 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्र. 6 से स्पष्ट होता है कि विकसित देशों के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदन 1-2% के लगभग है जबकि सेवा क्षेत्र में उनका योगदान 70% से अधिक है जबकि विकासशील देशों में 70% से कम है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत के जी.डी.पी. में संरचनात्मक परिवर्तन तो हुए है किन्तु व्यावसायिक संरचना में समानान्तर परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। अभी भी सर्वाधिक जनसंख्या को प्राथमिक क्षेत्र से ही रोजगार प्राप्त हो रहा है। वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 के अनुमान के अनुसार 1990 में विकसित देशों में 45% से 70% श्रमशक्ति तृतीयक व्यवसायों में कार्यरत थी जबकि भारत में केवल 20% श्रमशक्ति ही तृतीयक व्यवसाय में थी।[8]

तालिका क्र.-7 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्र. 7 से स्पष्ट है कि 2007-08 तक प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या का प्रतिशत कम हुआ जो 1951 के 72.7% से घटकर 55.9% हो गया कृषि पर निर्भरता में थोड़ी कमी हुई है। द्वितीयक क्षेत्रों में कार्यरत

लोगों की संख्या भी बढ़ी है किन्तु विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र से औद्योगिक एवं तृतीयक क्षेत्र की ओर लोगो का आंतरण बहुत कम हुआ है जिसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया और व्यापक स्तर पर मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है।

तालिका क्र. 8: भारत की आयुवर्गानुसार प्रक्षेपित जनसंख्या (दस लाख में)

आयु वर्ग /वर्ष	2006	2011	2016	2026
0-14	360 (32.3)	351 (29.3)	343 (26.9)	326 (23.2)
15-64	702 (63.03)	780 (65.2)	854 (67.0)	967 (68.5)
65+	52 (4.7)	66 (5.5)	78 (6.1)	116 (8.2)
योग-	**1114 (100)**	**1197 (100)**	**1275 (100)**	**1411 (100)**

स्त्रोत- स्टेटिस्टिकल आउटलाईन ऑफ इण्डिया 2006-07

उपरोक्त तालिका क्र. 8 से स्पष्ट है कि भविष्य में कार्यशील आयु वर्ग के प्रतिशत में वृद्धि होने की संभावना है। अत: यह आवश्यक है कि मानव संसाधन का ऐसा प्रबंधन करे जिससे कि न सिर्फ हमारी राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि हो बल्कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विकास हो **योजना आयोग के इंडिया विजन 2020 के अनुसार** 2020 में सकल घरेल उत्पाद में कृषि का भाग 6 प्रतिशत उद्योग का भाग 34 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का भाग 60 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अत: आवश्यक है कि भविष्य में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के उपायों के साथ-साथ इस क्षेत्र की अतिरिक्त जनसंख्या के लिये कृषि के अतिरिक्त रोजगार सृजित किये जाये। **इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में भारत के पास सबसे युवा आबादी है लेकिन यह तादात अशिक्षित, अप्रशिक्षित और कौशल से विहीन भीड़ के रूप है।** विश्व की सबसे युवा और कामकाजी आयु समूह की आबादी होने के बावजूद योग्य, प्रतिभाशाली और कुशल कर्मचारियों का देश में भारी अभाव है। अफसोस हमारा **जनसांख्यिकीय लाभांश विकास की खामियों के कारण जनसांख्यिकीय अभिशाप** बनने की दिशा में बढ़ता जा रहा है। 2010 में भारत की बेरोजगारी दर 3.8 फीसदी थी लेकिन युवा पुरुषों में बेरोजगारी दर 9.9 फीसदी और युवा महिलाओं में बेरोजगारी दर 11.3 फीसदी थी। युवाओं में बेहद ऊंची बेरोजगारी हमारे आर्थिक विकास की मूक आलोचना है। चूंकि हमारा विनिर्माण क्षेत्र टूट पड़ा है और सेवा क्षेत्र में इस विशाल आबादी को खपाया नहीं जा सकता है। अगर अर्थव्यवस्था को ऊंची विकास दर के स्थायी रास्ते पर लाना है और विकास का फल सब लोगों तक पहुंचाना है तो **समावेशी ऊंची विकास दर के लिए आधारभूत चीजों की तरफ लौटना ही होगा।**[10]

भूमि प्रकृति का वह अनुपम उपहार है जो बुनियादी रूप से हमारे जीवन के विकास के लिए अनिवार्य है। डॉ. सी. सुब्रहमण्यम और कुछ सुविख्यात व्यक्तियों के अनुसार भारत में केवल कृषि और ग्रामीण विकास तथा कृषि आधारित ग्रामोद्योग लाखों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना होगा।[11] जबसे मानव सभ्यता शुरू हुई है तभी से कृषि के साथ-साथ पशुपालन, डेयरी और मछलीपालन की गतिविधियां मानव जीवन का अभिन्न अंग रही है। इन गतिविधियों में न केवल खाद्यान्न और भारवाही पशुशक्ति ने अपने योगदान को बनाए रखा है बल्कि परिस्थितिकी संतुलन भी बनाए रखा है।[12] इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन का ऐसा क्षेत्र है जिसमे रोजगार की भारी सभावनाएं है। यह भारत के हर आर्थिक-सामाजिक वर्ग को उनके विकास में सकारात्मक सहयोग देता है। आई. टी. और आई.टी. जनित सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या जहाँ 2000-01 में 5,20,000 थी. वही 2011-12 में 28,00,000 हो गयी है। एक रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में 2020 तक लगभग 32,00,000 लोगों को रोजगार प्रदान करने की संभावित क्षमता है बशर्ते इसकी वृद्धि दर 16 प्रतिशत पर बनाये रखें। अगर हम इस क्षेत्र पर समुचित ध्यान दे तो यह आंकड़ा 2 करोड़ 80 लाख तक पहुंच सकता है। 13 इस प्रकार, इस उद्योग में मानव संसाधन संबंधी आवश्यकता को पूरी करने की भारी संभावना है।

किसी देश के मानवीय संसाधन अर्थात् जनसंख्या का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। फरवरी-मार्च 2011 में सम्पन्न हुई देश की पन्द्रहवी जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ से अधिक हो गई है। 2016 तक भारत की प्रक्षेपित जनसंख्या 127.5 करोड़ एवं 2026 तक 141.1 करोड़ होने की संभावना है। **जिसमें से 2016 में 67.0 प्रतिशत एवं 2026 तक 68.5 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग** की होगी। जनसंख्या ही देश की वास्तविक परिसम्पत्ति है। किसी देश का आर्थिक विकास तथा सुख-समृद्धि एक बड़ी सीमा तक वहां की जनसंख्या संबंधी बातों पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से देश की अर्थव्यवस्था का विकास और समृद्धि का निर्धारण मानव संसाधनों के कुशल उपयोग पर निर्भर करता है। क्योंकि मनुष्य उत्पादन का जहां एक महत्वपूर्ण सक्रिय साधन है वहीं यह उसका साध्य भी है।

आधुनिक भारत के लिए **मानव संसाधनों का विकास आज भी प्रासंगिक है।** भारत में मानव संसाधन के क्षेत्र में विश्व में अपना सिक्का जमाने का सामर्थ्य है। विशाल जनसंख्या का लाभ उठाते हुए यह काम हम भली-भाँति कर सकते है। हमें बस इतना करना है कि लोगों को रोजगार परक उपयोगी शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए समय से और समय पर कदम उठाना होगा। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में लघु, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों की संरचना तैयार करने के साथ ही निर्माण एवं विनिर्माण की इकाईयाँ जहां अधिकतम रोजगार सृजन की संभावना है, बीमा, पर्यटन, सूचना तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि मानव संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुये विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। भारतीय लोकतंत्र के लम्बे जीवन के लिए इस युवा आबादी को भीड़ में तब्दील करने की बजाय प्रशिक्षित युवा कामकारों में बदलना ही होगा। **देश को युवा भीड़ के रूप में टाइम बम चाहिए या काबिल वर्कफोर्स, फैसला हमारे नीति-निर्माताओं को करना है।**

भारत एक अरब लोगों का राष्ट्र है। एक राष्ट्र की तरक्की उसके नागरिकों की मानसिकता पर निर्भर करती है क्योंकि विचार ही अंतत: कार्य में परिणत होते है भारत को एक अरब जनसंख्या वाले राष्ट्र के रूप में ही सोचना होगा। विचारों से सम्पन्न, समृद्धि के विचारों से सम्पन्न युवा मानस को पूर्णतया विकसित होने का मौका दिया जाए।

- ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. मोहन मदन : उच्च शिक्षा वर्तमान परिदृश्य और भावी चुनौतियां, योजना, वर्ष : 54 अंक : 6, जून 2010, पृ.क्रं. 13

2. देव एस. महेन्द्र : रोजगार और आर्थिक वृद्धि : नीतियां और रूझान योजना, वर्ष : 58, अंक : 10, अक्टूबर 2013, पृ.क्रं. 11
3. काबरा कमल नयन : आर्थिक वृद्धि और न्यायपूर्ण जन समायोजन, योजना, वर्ष : 58, अंक : 10, अक्टूबर 2013, पृ.क्रं. 17
4. जैन मधु : आर्थिक विकास में मानव पूंजी, योजना, वर्ष : 54, अंक : 6, जून 2010, पृ.क्रं. 36
5. जैन मधु : आर्थिक विकास में मानव पूंजी, योजना, वर्ष : 54, अंक : 6, जून 2010, पृ.क्रं. 35
6. गोयल अनुपम : यूनिफाईड अर्थशास्त्र, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, इन्दौर पृ.क्रं. 43
7. मिश्र एस.के. एवं वी.के. पुरी : भारतीय अर्थव्यवस्था हिमालया पब्लिशिंग हाउस, 2008 दिल्ली, पृ.क्रं. 11
8. वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 1997, सारणी क्र. 4, पृ.क्रं. 20, मिश्रा एवं पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था 2008, पृ.कं. 112 से उद्धृत
9. रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन इंडिया विजन 2020 दिसम्बर 2002 प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, न्यू देहली
10. कुमार अरविन्द सेन : जनसांख्यिकी लाभांस या जनसांख्यिकी अभिशाप, योजना, वर्ष : 58 अंक : 10 अक्टूबर 2013, पृ.क्रं. 25
11. उपाध्याय प्रदीप : बढ़ती आबादी, सिकुड़ते संसाधन, योजना, वर्ष : 42, अंक : 4, जुलाई 1998, पृ.क्रं. 6
12. शंकर रवि : गरीबी उन्मूलन और पशुपालन, योजना, वर्ष : 58, अंक : 10, अक्टूबर 2013, पृ.क्रं. 17
13. सत्यनारायण जे : भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का महत्व, योजना, वर्ष : 56, अंक : 8, सितम्बर 2012, पृ.क्रं. 15

तालिका क्रमांक-4: विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रवार उपलब्धि का आंकलन

क्र.	योजना/योजनावधि	विकास दर लक्ष्य (%)	वास्तविक विकास दर (%)	वृद्धिदर (%)		
				कृषिक्षेत्र	उद्योगक्षेत्र	सेवा क्षेत्र
1	पहली योजना (1951-50)	2.1	3.6	2.71	5.54	4.17
2	दूसरी योजना (1956-61)	4.5	4.2	3.15	5.59	4.94
3	तीसरी योजना (1961-66)	5.6	2.7	-0.73	6.28	5.26
4	चौथी योजना (1969-74)	5.7	2.1	2.57	4.91	3.22
5	पांचवी योजना (1974-79)	4.4	4.8	3.28	6.55	5.66
6	छठी योजना (1980-85)	5.2	5.4	2.52	5.32	5.41
7	सातवी योजना (1985-90)	5.0	6.0	3.47	6.77	7.19
8	आठवी योजना (1992-97)	5.0	6.7	3.60	9.00	7.90
9	नौवीं योजना (1997-02)	6.5	5.4	2.06	4.51	7.78
10	दसवीं योजना (2002-07)	8.0	7.8	2.13	8.90	9.28
11	ग्यारहवीं योजना (2007-12)	7.8	8.2	3.5	7.4	9.90

स्त्रोत- 1. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) योजना आयोग, भारत सरकार।
2. बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिपत्र योजना आयोग भारत सरकार।

तालिका क्र-5: भारत में सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार वितरण (आकड़े प्रतिशत में)

क्षेत्र	1950-51	1970-71	1990-91	2005-06	2009-10	वृद्धि एवं कमी (1950-51 से 2009-10)
प्राथमिक क्षेत्र	56.7	46.0	34.0	21.7	16.1	-40.6
द्वितीयक क्षेत्र	13.7	20.4	23.2	24.3	28.6	+14.9
तृतीयक क्षेत्र	29.6	33.6	42.8	54.0	55.3	+25.6
सकल घरेल उत्पाद	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

स्त्रोत- आर्थिक समीक्षा 2007-08 एवं इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड वर्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2010

तलिका क्र. 6 : विभिन्न देशों में सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवाद वितरण (आकड़े प्रतिशत में)

देश	कृषि			उद्योग			सेवा		
	1970	1993	2010	1970	1993	2010	1970	1993	2010
विकसित देश									
कनाडा	4	–	2	36	–	20	59	–	78
फ्रांस	–	3	1.8	–	29	19.2	–	69	79
इटली	8	3	1.8	41	32	24.9	51	65	73.3
जापान	6	2	1.1	47	41	23	47	57	75.9
ब्रिटेन (यू.के.)	3	2	0.9	44	43	22.1	53	65	77.1
अमेरीका	3	–	1.2	34	–	22.2	63	–	76.0
जर्मनी	3	1	0.8	49	38	27.9	47	61	71.3
रूस	–	9	4.2	–	51	33.8	–	39	62
विकासशील देश									
ब्राजील	12	11	6.1	38	37	26.4	49	52	67.5
भारत	45	31	16.1	22	27	28.6	33	41	55.2
चीन	34	19	9.6	38	48	46.8	28	33	43.6
पाकिस्तान	37	25	–	22	25	–	41	50	–
इण्डोनेशिया	45	19	–	19	39	–	36	42	–
दक्षिण कोरिया	25	07	–	29	43	–	46	50	–
नाइजीरिया	41	34	–	14	43	–	45	24	–

स्त्रोत– विश्व विकास रिपोर्ट एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष– वर्ड इकोनामिक आउटलुक 2010

तालिका क्र.–7: भारत में जनसंख्या का व्यावसायिक विभाजन (आंकड़े प्रतिशत में)

क्षेत्र	1951	1961	1971	1981	1991	1993–94	2004–05	2007–08
प्राथमिक क्षेत्र	72.7	72.3	72.6	69.3	67.4	64.5	57.0	55.9
द्वितीयक क्षेत्र	10.0	11.3	10.7	12.9	12.1	14.3	18.2	18.7
तृतीयक क्षेत्र	17.3	16.0	16.7	17.8	20.5	21.2	24.8	25.4
कुल	100	100	100	100	100	100	100	100

स्त्रोत– आर्थिक सर्वेक्षण 2010–11

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

महादेवी वर्मा और स्त्री विमर्श

डॉ. श्रीमती बिन्दू परस्ते*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – हिंदी साहित्य में नारी विमर्श की जहाँ तक बात है तो बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से हमारे देश में जो नारीवादी आंदोलन हुए उन आन्दोलनों से भारतीय साहित्य काफी प्रभावित हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि के रूप में यूरोप और अमेरिका की जिस नारीवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है वह स्वीकार करने के बावजूद कहा जा सकता है कि स्त्री विमर्श कभी तो संसार की समस्त नारियों द्वारा समस्त पुरूषों का विरोध करने वाली विचारधारा के रूप में उभरकर सामने आया।

आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी, चेतना और सर्जना के बीचों बीच खड़ी दिखाई देती है। पश्चिम के प्रभाव के कारण इस बात में नई चेतना का विकास हुआ। हिंदी साहित्यकारों ने स्त्री पात्रों के प्रति पूरी संवेदना के साथ उनकी महानता का चित्रण किया है। डॉ. ओमप्रकाश लिखते हैं – सन् 1904 में प्रगतिशील महिला संगठन का गठन हुआ इसमें बाद महिला मुद्दों को अखबारों, पत्रिकाओं आदि में प्रमुख स्थान मिलने लगा।

महादेवी वर्मा का नारी चिंतन लेखन नारी की चेतना और आत्मपीड़ा की अभिव्यक्ति के साथ नारी स्वातसुरत्य पर भी जोर देता है। महादेवी जब स्त्री स्वतंत्रता की बात करती हैं तब सवाल यह उठता है कि वे कैसी स्वतंत्रता चाहती है स्त्री की स्वतंत्रता की चाह परिवार को तोड़ने की चाह नहीं हो सकती उसे जोड़ने की होनी चाहिए।

हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म होली के पावन पर्व 26 मार्च 1907 को उत्तरप्रदेश के फर्रूखाबाद जनपद में हुआ था। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या सात पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी। उनके बाबा बाबू बांके बिहारी ने हर्षोल्लास से इन्हें घर की देवी–महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम महादेवी रखा। नौ वर्ष की बाल्यावस्था में ही इनकी शादी 1916 में बरेली (नवाबगंज) के श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया। कुरीतियों को तोड़ने का दम रखने वाली महादेवी ने अपने बाल विवाह को नकार दिया। आजीवन अविवाहित जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने शब्दों से दोस्ती प्रगाढ़ की। विचारों की फसल बोई और अंतिम समय तक उसे सींचती रही। 50 से अधिक वर्षो। तक फैला उनका लेखनी संसार आज भी हिंदी साहित्य की पूँजी मानी जाती है। कवि के रूप में उनकी छबि निजी जीवन के दुख–सुख को कविता में व्यक्त करने वाली विरह कातर स्त्री बनी। समय के नैतिक आग्रहों ने उसमें रहस्यवाद खोज लिया और काफी समय तक वे आधुनिक युग की मीरा के रूप में जानी–पहचानी गई।

हिंदी साहित्य में महादेवी की गिनती हिंदी कविता के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ – सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ की जाती है। महादेवी ने खड़ी बोली हिंदी को कोमलता और मधुरता से संसिक्त कर सहज मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का द्वार खोला, विरह को दीपशिखा का गौरव दिया, व्यष्टिमूलक मानवतावादी काव्य के चिंतन का प्रतिष्ठापित किया। यही कारण है कि कवि निराला ने उन्हें हिन्दी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी रेखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार, सदन को देखा, परखा और करूण होकर अंधकारमय काली बदरी को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा में वह जन–जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं समीक्षकों को भी गहराई तक प्रभावित किया।

एक लंबे इतिहास की पैठ में महादेवी को जिस स्टीरियों में कैद कर दिया गया तथा 'मैं नीर भरी दुख की बदली' तक ही सीमित कर दिया गया जबकि वे अपने विचारों में स्त्री पराधीनता को, उनके मुक्ति के स्वप्न को चरम पर रखती है। उन्होंने नारी मन को न केवल गहरे तक टटोल कर स्त्री विमर्श की शुरूआत की बल्कि आज से करीब आठ दशक पहले कुरीतियों को नकारने का साहस भी दिखाया था। स्त्रियों की स्थिति के बारे में कलम के जरिये पहली आवाज उन्होंने ही उठाई। उनसे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया और आज जो स्त्री विमर्श की बात होती है उसकी शुरूआत महादेवी वर्मा ने ही की, दरअसल वे आधुनिक भारत में स्त्री–विमर्श की जननी है। श्रृंखला की कडियों में स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने जिस साहस व दृढ़ता से आवाज उठाई है और जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की है उससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया है। महिलाओं व शिक्षा के विकास के कार्यो और जनसेवा के कारण उन्हें समाज सुधारक भी कहा गया है। प्रथम महिला विद्यापीठ की संस्थापिका और फिर लंबे अर्से तक प्राचार्य पद पर रही। उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना के कही दर्शन नहीं होते बल्कि अदम्य रचनात्मक रोष समाज में बदलाव की अदम्य आकांक्षा और विकास के प्रति सहज लगाव परिलक्षित होता है। आर्थिक स्थितियों में नारियों की भागीदारी पर महादेवी लिखती है कि 'आर्थिक स्वतंत्रता के बिना नारी स्वतंत्र' नहीं हो सकती। अपनी वर्तमान स्थिति के विरूद्ध जब तक वह स्वयं विद्रोही तेवर के साथ खड़ी नहीं होती तब तक उसका उद्धार संभव नहीं है। इसके पीछे महादेवी वर्मा का मानना है कि भारत में ही नहीं संपूर्ण दुनिया में नारी आदिम काल से शोपित और उत्पीड़ित रही है। उन्होंने नारी की वेदना, उसकी छटपटाहट, उसकी पराधीनता को शब्दबद्ध करते हुए उसकी गरिमा

को रेखांकित किया है। श्रृंखला की कड़ियाँ पढ़ने के बाद ऐसा एहसास देता है कि यह हिंदी स्त्रीवादी लेखन का अप्रितम उदाहरण है क्योंकि श्रृंखला की सभी कड़ियाँ स्त्री गुलामी की कड़ियाँ है। इसलिए आलोचक प्रो. मैनेजर पाण्डेय ने श्रृंखला की कड़िया का महत्व बताते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि नारीवादी और अन्य लेखिकाएँ भी श्रृंखला की कड़ियाँ के महत्व से पूरी तरह परिचित नहीं है। वे 'सिमोन द बुआ' की किताब पढ़ती है लेकिन महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ नहीं क्योंकि वह हिंदी में लिखी गई फ्रेंच या अंग्रेजी में नहीं।

पेंटिंग की शोकीन महादेवी वर्मा ने अपनी जिन भावनाओं को 'दीपशिखा' और 'यामा' ने शब्दों में बाँधा थी, उन्हीं पर रंगों से कागज पर चित्रकारी भी की थी। हिंदी साहित्य की अमिट हस्ताक्षर महादेवी वर्मा की 'यामा' को हिंदी साहित्य की सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्यमभूषण से सम्मानित किया। 1979 में साहित्य अकादमी की फेलो बनने वाली वह पहली महिला हैं। 1988 में उन्हें पद्मभूषण से भी सम्मानित किया गया। कविता संग्रह (नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, सप्तषर्णा, प्रथम आयाम और अग्निटेला) रेखाचित्र (अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ) संस्करण पल के साथी, मेरा परिवार, निबंध (श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य) साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध संकल्पित, हिमालय, क्षणदा) जैसी कालजयी कृति के रचयिता महादेवी वर्मा का 11 सितम्बर 1987 को निधन हो गया। उनके निधन से हमने एक ऐसे साहित्य विभूति को खो दिया जिन्होंने अपने समय के सभी प्रासंगिक विषयों पर लेखनी चलायी। स्त्री जीवन की समस्याओं पर महादेवी ने जिस गंभीर सरोकार से लिखा है उसमें स्त्री-विमर्श के पैराकारों और प्रवक्ताओं को 21वीं सदी में साथ लिये चलने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। परिवार, धर्म, परम्परा, समाज और राजसत्ता किसी के वर्चस्व से वे भयभीत नहीं हुई। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रूव तारे की भाँति प्रकाशमान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महादेवी वर्मा – श्रृंखला की कड़ियाँ
2. नासिरा शर्मा – आधा आबादी और इलाहाबाद

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नारियों का योगदान

डॉ. कुन्ती वराठे*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, बम्हनी बंजर, मण्डला (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – स्वाधीनता प्राणिमात्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी से आत्म सम्मान और आत्म उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भारतीय राष्ट्रीयता को दीर्घावधि तक विदेशी शासन की कुटिल–उप निवेशवादी नीतियों के चलते परतंत्रता का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा था और जब ब्रिटिश शासन के क्रूरतम कृत्यों से भरी अपमानजनक स्थिति चरम सीमा पर पहुँच गई थी। तब जनमानस उद्धेलित हो उठा था। अपनी राजनैतिक–सामाजिक–आर्थिक पराधीनता से मुक्ति के लिए सन् 1857 से सन् 1947 की दीर्घावधि तक राष्ट्रभक्तों ने तन–मन जीवन अर्पित कर दिया था। क्रांति की ज्वाला ने सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि वीरांगनाओं को भी उसी आवेग से आकृष्ट किया था। भारत में सदैव से नारी को श्रद्धा की देवी माना गया है, यही नारी जरुरत पड़ने पर चंडी बनने से परहेज नहीं करती। स्त्रियों की दुनियॉं घर के भीतर है, शासन–सूत्र का सहज स्वामी तो पुरुष ही है, अथवा शासन व समर से स्त्रियों का सरोकार नही, जैसी तमाम पुरुषवादी मान्यताओं को नकारते हुए इन वीरांगनाओं के बिना स्वाधीनता की दास्तान अधूरी है, जिन्होने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिया। इन वीरांगनाओं में से अधिकांश अपनी योग्यता की बदौलत उच्चतर मुकाम तक पहुँची।

सन् 1757 ई. से सन् 1857 ई. तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के शोषण का एक लंबा दौर चला। लगभग 100 वर्षो के दौरान अंग्रेज यह समझ चुके थे कि भारत का दोहन संभव है और इससे अनेक आर्थिक लाभ हो सकते हैं। 1757 ई. में संयासी युद्ध के पश्चात् अंग्रेजी शासन की नींव मजबूत होने लगी थी। यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ने लगी। बंगाल में सन्यासी लोग प्रबल हो गये ओर उन्होने 1770 ई. में आन्दोलन भी किया। संभवत: उन्हें सफलता नहीं मिली क्योकि ब्रिटिश सेना का मुकाबला कर नहीं सके। 1757 से 1762 के बीच अगर राजनैतिक शक्तियां एक जुट होकर प्रयत्न करती तो शायद अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकते अगर एकता होती। इसका फायदा अंगेजों ने उठाया और धींरे–धींरे संपूर्ण भारत पर एकाधिकार कर लिया। 1857 की क्रांति में देश के छोटे बडे सभी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में स्त्री–पुरुष ने अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़–चढ़ कर भाग लिया। देश की आजादी के लिये उन्होने अपना सर्वस्य न्योछावर कर इतिहास में अमर हो गई जिनकी वीर गाथाएँ सदैव भारतीयों के मस्तिष्क पटल पर रहेगी। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी थी। वीरता पूर्वक उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करती रही किंतु अंत में वीरगति को को प्राप्त हुई। इस युद्ध में रानी ने अपनी वीरता व पराक्रम का परिचय दिया साथ ही रानी की सहयोगी झलकारी बाई और मोती बाई ने भी वीरगति पाई रानी ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की एंव देश की आजादी के लिये संघर्ष करती रही। सन् 1857 की क्रांति में झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर अंग्रेज हैरान थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने झाँसी में ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर दी थी। वीरतापूर्वक युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि– 'यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एक मात्र मर्द थी।'

आंदोलन में पुरुषों के साथ स्त्रियों ने भी सहभागिता प्रदान की जिसमें 1857 ई. सैनिक विद्रोह में लखनऊ में अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला। बेगम ने लखनऊ के सिपाहियों तथा अवध के किसानों एंव जमींदारों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया 31 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ बेगम ने अमूल्य योगदान दिया। नाना साहब की पुत्री मैना 1857 की क्रांति के दौर में गिरफ्तार हो चुकी थी जनरल आउटट्रम ने उससे क्रांतिकारियों के पता–ठिकाना बताने के लिये प्रताड़ित किया किंतु उसने कहा–'मेरी मृत्यु ब्रिटिश शासन के पतन का कारण बनेगी' उस बात से आउटट्रम ने वृक्ष से बांधकर उसकी चिता तैयार कर आग लगाने का हुकुम दिया इस तरह मैना मौत के मुहँ में चली गई डरी नहीं न ही किसी का पता बताया। 1857 की नायिका नर्तकी अजीजन ने अपनी महिला सेना के सहयोग से हाथ में तलवार लिये घोड़े पर सवार सभी सिपाहियों को दूध, भोजन और औषधियों बांटी तथा क्रांतिकारियों को रसद एंव हथियार पहुँचाकर उनका हौंसला बढ़ाया। अंत में अंग्रेजों के द्वारा कैद कर ली गई और उसे गोली मारकर प्रांण दंड दिया। जार्ज ट्रेवेलियन ने उनका वर्णन एक योद्धा के रुप में किया है–'घोड़े पर सवार सैनिक वेशभूषा में अनेक तमगे लगाए और हाथ में पिस्तौल लिये अजीवन बिजली की भाँति अंग्रेज सैनिकों को रोंदती जाती थी उनके साथ महिलाओं की टुकड़ी भी घूमा करती थी। महारानी तपस्विनी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में असफल होने के बाद नेपाल में रहकर महाराष्ट्र और बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन देती रही।' भारतीयों में देशभक्ति की भावना का संचार किया। जीनत महल अंतिम मुगल सम्राट बहादुरशाह की बेगम थी 1857 की क्रांति में भाग लेकर सम्राट के साथ नेतृत्व किया। देवी चौधरानी देश की प्रथम स्वतंत्रता महिला सेनानी जो कि सन्यासी विद्रोह की एकमात्र सशक्त महिला नेता के रुप में देवी चौधरानी का नाम अमर रहेगा आने वाली हर पीढ़ी के लिये प्रेरणा स्त्रोत्र बनी रहेगी।

रामगढ की रानी अंवती बाई मध्यप्रदेश की नारियों में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ई. की क्रांति में अमूल्य योगदान दिया। लार्ड डलहोजी की

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

हड़पनीति का खतरा रामगढ़ की रियासत पर मंडरा रहा था। रानी ने अपने आप को 'मोतों के मातम' से बाहर निकाल कर दृढता से अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। क्षेत्रीय जागीरदारों, मालगुजारों सोहागपुर तथा शहपुरा के ठाकुरों जबलपुर के क्रांतिकारियों को पत्र लिखकर युद्ध के लिये आहवान किया। संदेश पाती में एक कागज का टुकड़ा और काँच की चूड़ी रखी गई कागज पर लिखा था -'देश की रक्षा के लिये या तो कमर कसो या मरो या चूड़ी पहनकर घर में बंद हो जाओ, तुम्हें इमान की सौगंध है जो इस कागज का पता दुष्मनों को दिया।' रानी के आवहवान का अत्यधिक प्रभाव पड़ा रानी ने 'खैरी' नामक ग्राम में मोर्चा जमाया इस मंठभेड़ में अंग्रेज सेनापति वाडिंगटन पराजित हुआ। मार्च में पुन: वाटिंगटन ने सेना की टुकड़ी तैयार कर रानी पर धावा बोला। रानी अंग्रेजी सेना पर निरंतर आक्रमण करती रहीं परंतु रानी चारो तरफ से घिर चुकी थी वह समझ चुकी थी अपना पकड़ा जाना सुनिश्चित है। वीरागंना की गौरवशाली परंपरा के अनुरुप उन्होंने बंदी बनने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठ समझा और स्वयं को कटार मारकर वीरगति को प्राप्त हुई। ऐसा करके सदियों पहले रानी दुर्गावती के बलिदान की स्मृति को ताजा कर दिया। लखनऊ की तबायफ हैदरीबाई ने अंग्रेजों से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं को क्रांतिकारियों को पहुँचाकर देश भक्ति का परिचय दिया। वीरांगना उदादेवी पीपल के पेड़ पर छिपकर 32 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया इसी तरह एक वीरांगना आशा देवी थीं, जिन्होंने सन् 1857 को अंग्रेजी सेना का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। अवध की बेगम आलिया ने अपनी सेना में शामिल नारियों को अस्त्र-शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया। समय-समय पर ब्रिटिश सैनिकों से युद्ध किया। सन् 1857 के बाद अनवरत चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में नारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

लार्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया तब बंगाल में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। 1905 के बंग-बंग आंदोलन में भी नारियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिसमें स्वामी श्रद्धानंद की पुत्री वेदकुमारी और आज्ञावती ने इस आंदोलन में नारियों को संगठित किया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया तथा वस्त्रों की होली जलायी। इसी तारतम्य में सरोजनी नायडू ने भी बंग-भंग आंदोलन में भाग लेकर स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार-प्रसार किया। वहीं भगिनी निवेदिता ने भी इस आंदोलन में भाग लेकर भारतीयों का सहयोग किया सन् 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार में सत्यवती ने काले झण्डे दिखाये तथा सन् 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभायी। अरूणा आसफ अली नमक कानून के विरोध में कारावास की सजा काटनी पडी। 1930 में सुभद्रा कुमारी चौहान की 'खूब लडी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी' कविता ने भारतीयों को आजादी की लडाई हेतु प्ररित किया। जिससे राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। जबलपुर में झण्डा सत्याग्रह आंदोलन में सुभद्रा कुमारी चौहान का उल्लेखनीय योगदान रहा। 12 मार्च 1930 को गाँधी जी अपने 79 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दाण्डी के लिये पदयात्रा पर रवाना हुए। 6 अप्रैल, 1930 को दाण्डी पहुँच कर गाँधी जी समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा। गाँधीजी द्वारा दाण्डी में नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन समूचे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गाँधी वादी नेता सीं. राजगोपालाचारी ने तिरूचेनगोड आश्रम से वेदारण्यम तक यात्रा कर नमक कानून को तोड़ा। मलाबार में के. केलप्पण ने कालीकट से पयन्नूर तक यात्रा करके नमक कानून तोड़ा। धरासना नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया। यहाँ पर पुलिस ने आंदोलन कारियों को लोहे की मूठ वाली लाठियों से पीटा। आंदोलन के दौरान हजारों की संख्या में महिलाओं ने घर की चारदीवारी को लांघकर धरनों पर बैठी तथा जेल गई।

भारत की जनजाति वर्ग की महिलाओं ने भी पूर्ण सहयोग दिया। बिहार के गाँव की महिला देवमनियां उरांइन ने बिहार में आंदोलन की बागडोर संभाली। कोल नारियों ने 1931-32 में कोल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभायी। स्वाधीनता संग्राम में बिरसा मुंडा की पत्नी 'माकी' अपने बच्चे को लेकर फरसा-बलुआ से अंग्रेजों से युद्ध करती रही। मणिपुर में नागा रानी गुइंदालू ने 1930-32 में अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष किया। क्रांतिकारी आंदोलन में नारियों ने क्रांतिकारियों को शरण देने तथा हथियार पहुँचाने का कार्य करती थी जिसमें प्रीतिलता वाडेकर प्रमुख थीं। सन् 1927 में लाला लाजपतराय की मौत का बदला लेने के लिये दुर्गादेवी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बम्बई के गवर्नर हेली को मारने के लिये दुर्गाभाभी ने गोली चलाई किंतु टेरल नामक अंग्रेज को गोली लगी और वह घायल हो गया। दुर्गाभाभी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। भगतसिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास भी किया। 1931 को दुर्गाभाभी को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण भारतीय नारियों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किया फिर भी नारियों ने साहसपूर्ण कार्य किया। 1932 में बीनादास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के बाद गवर्नर पर गोली चलाकर वीरता का परिचय देकर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। कल्पना दत्ता को सूर्यसेन का सहयोग करने के कारण 1933 में आजीवन कारावास की सजा दी गयी।

1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सरोजनी नायडू को अध्यक्ष चुना गया। सरोजनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहकर आंदोलन को गति प्रदान की। 1905 से उन्होंने आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया तथा गांधीजी के साथ-साथ राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहीं। वहीं कमला देवी चटोपाध्याय ने 1921 में असहयोग आंदोलन में बढ़चढ़कर भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरूणा आसफ अली एवं सुचेता कृपलानी ने प्रमुख भूमिका निभायी। भूमिगत होकर आंदोलन को दिशा प्रदान किया। मांतागिनी को गोली लगने के बाद भी तिरंगा झण्डे को ऊँचा रखा। महात्मा गांधी को नारियों का पूर्व समर्थन मिला। संपूर्ण भारत की नारियों ने उनका सम्मान किया सहायता राशि जुटाई और गांधीजी के द्वारा चलाये गये आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभायी उन्होंने यह साबित कर दिया नारी अबला नहीं है।

महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने पूरा समर्थन दिया। सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा जब गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया था तब कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ जेल गईं। इंदिरा गांधी ने 1930 में बच्चों की वानर सेना तैयार कर स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी वानर सेना स्वतंत्रता सेनानियों को सूचना पहुँचाने का कार्य करती थी। विजय लक्ष्मी पंडित स्वतंत्रता आंदोलन में आगे रहकर आंदोलन का संचालन करती थीं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने भारत की आजादी में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। 'आजाद हिंद फौज' की कमाण्डिंग अफसर रहीं लक्ष्मी सहगल ने 'रानी झाँसी रेजीमेंट' में अनेक महिलाओं को भर्ती कर उनका साहस बढ़ाया। इस प्रकार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भारत की नारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को गति प्रदान की।

इन वीरांगनाओं के अनन्य राष्ट्रप्रेम, अदम्य साहस अट्ट प्रतिबद्धता

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

और उनें से कईयों का गौरवमयी बलिदान भारतीय इतिहास की एक जीवन्त दास्तॉ हैं। हो सकता है उनमें से कईयों को इतिहास ने विस्मृत कर दिया हो, पर लोक चेतना में वे अभी भी मौजूद है। ये वीरांगनायें प्रेरणास्त्रोत के रुप में राष्ट्रीय चेतना की संवाहक है और स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान अमूल्य एवं अतुलनीय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अमरसिंह उद्दे- म.प्र. में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 1857 से 1947 तक
2. सुधा गोस्वामी- भारत वर्ष में चर्चित महिलाएं उपकार प्रकाशन आगरा
3. मोहिनी गुप्ता- स्वतंत्रता संग्राम और महिलाएं नमन प्रकाशन नई दिल्ली-110002
4. प्रतियोगिता दर्पण मई- 1998-99 दिसम्बर
5. पुखराज जैन स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास (1857-1947) एस.चंद एंड कंपनी प्रा.लि. रामनगर दिल्ली 1988
6. विपिन चंद्र भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 2006

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

आत्मनिर्भर भारत में MSME का विकास एवं चुनौतियाँ

डॉ. गौरव विद्यार्थी *

* विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) फ्यूचर विजन कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) ने हमेशा से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वर्तमान में देश में सक्रिय लगभग 6.3 करोड़ MSME न सिर्फ देश की जीडीपी में एक बड़ा योगदान देते हैं बल्कि ये एक बड़ी आबादी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करते हैं गौरव तब है कि यह क्षेत्र लगभग 110 मिलियन रोजगार उपलब्ध कराने के साथ श्रमिक बाजार की स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है 'ऐसे में सरकार द्वारा वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत अभियान' पर विशेष जोर दिये जाने के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक रणनीति की दृष्टि से MSME की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

MSME क्षेत्र के महत्व को देखते हुए वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया है कि अगले पाँच वर्षो में यह क्षेत्र भारत की आधी जीडीपी और लगभग 50 मिलियन नए रोजगार के सृजन के लिए उत्तरदायी होगा।

हाँलाकि COVID–19 महामारी के कारण मांग पक्ष की तरफ और 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) जैसे संरचनात्मक सुधारों के कारण आपूर्ति पक्ष में मंढी संकेत देखने को मिले थे, इसके साथ ही विमुद्रीकरण के कारण भी MSME क्षेत्र पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

आत्मनिर्भर भारत में MSME **क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ –** गौरतलब है कि जर्मनी और चीनी की जीडीपी में MSME की भागीदारी क्रमश: 55 प्रतिशत और 60 प्रतिशत जो इस बात का संकेत है कि भारत को इस क्षेत्र में अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है MSME की प्रगति के मार्ग की प्रमुख बाधाओं में से कुछ निम्नलिखित है :–

वित्तीय चुनौतियाँ– भारत में MSME क्षेत्र में ऋण आपूर्ति की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

1. इस क्षेत्र में उपलब्ध औपचारिक ऋण 16 ट्रिलियन रूपये ही है, जिसके कारण इस क्षेत्र में कुल व्यावहारिक ऋण की जरुरत (36 ट्रिलियन रूपये) के सापेक्ष अभी भी लगभग 20 ट्रिलियन रूपये का अंतर बना हुआ है।
2. इसके साथ ही बैंकिंग पहुँच की कमी के कारण भारत में MSME को अधिकांशत: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है।

चडचए के औपचारिकरण की कमी – इस क्षेत्र में क्रेडिट गैप का एक प्रमुण कारण MSME के बीच औपचारिकता की कमी रही है।

1. देश में सक्रिय कुल MSME में से लगभग 86 प्रतिशत का पंजीकरण नहीं किया गया है।
2. वर्तमान में भी देश के कुल6.3 करोड MSME में से केवल 1.1 करोड़ ही वस्तु और सेवा कर (GST) व्यवस्था के साथ पंजीकृत है।

इसके साथ ही इन 1.1 करोड़ MSME में से आयकर दाखिल करने वालों की संख्या और भी कम है।

ऐसे में सीमित उपलब्ध और डेटा पारदर्शिता के अभाव में भारतीय MSME क्षेत्र की ऋण जरुरत को पूरा नहीं किया जा सका है।

तकनीकि बाधाएँ – भारत का MSME क्षेत्र बड़े पैमाने पर पुरानी और अप्रचलित प्रोद्योगिकी पर आधारित है, जो इसकी उत्पादन क्षमता को बाधित करता है।

नियामकीय बाधाएँ – MSME के संचालन के लिए बहुत सी सरकारी अनुमतियों और सेवाओं की आवश्यकता होती है जिसके लिए उद्यमियों को विभिन्न सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

नियामकीय जटिलताओं के कारण वर्तमान में भी निर्माण परमिट प्राप्त करना, अनुबंधों को लागू करना, करों का भुगतान, व्यापार शुरू करना, और सीमाओं के पार व्यापार करना आदि चडचए की प्रगति में एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

नियामक जोखिम और नीतिगत अनिश्चितता ने पूर्व में भी निवेशकों के आत्मविश्वास को प्रभावित किया है।

उत्पादन की चुनौतियाँ – वर्तमान में देश में सक्रिय MSME अधिकांश फर्म सूक्ष उद्यम (Micro Enterprises) श्रेणी की है।

देश का चडचए क्षेत्र मुख्य रूप से छोटी और स्थानीय दुकानों की भरमार से बना एक सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र है ऐसे में उनके व्यापार या उत्पादन को बढ़ाना (विशेषकर वर्तमान वित्तीय चुनौती के बीच) एक बड़ी चुनौती है।

इन समस्याओं के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनियों का उत्पादन बहुत ही कम रहा है।

आगे की राह :–

बॉण्ड मार्केट का विकास करना – हाल के वर्षो में भारतीय बॉण्ड बाजार में हुई प्रगति के बीच एसएमइ बॉण्ड **(MSME BOND)** को बढ़ावा देने से **MSME** की ऋण पूंजी बाजारों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है।

एक तरह जहाँ **(MSME BOND)** को प्रोत्साहित करने से **MSME** को अन्य वित्तीय बिचौलियों की तुलना में कम ब्याज दर का लाभ मिल सकेगा वही ये बॉण्ड बाजार में काम करने वाले जागरूक और शिक्षित निवेश के लिए एक व्यवहार उच्च रिटर्न के साधन के रूप में कार्य करेंगे।

स्वतंत्र नियामकीय व्यवस्था – डेटा अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्व को देखते हुए यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि सरकार द्वारा एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाएगी जो जहाँ **MSME** को परामर्श देने के साथ उन्हें इस नई डिजिटल व्यवस्था को आगे बढ़ाने बढ़ने में सक्षम बना सके।

श्रम कानूनों में सुधार – श्रमिक कानूनों में बदलाव किया जाना बहुत ही आवश्यक है, परन्तु इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इन कानूनों को **MSME** के लिए विकास उन्मुख ढाँचा प्रदान करने और श्रमिकों के अधिकारों के संदर्भ में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के बीच सही संतुलन स्थापित करना होगा।

विनियमन में सुधार – हाल के वर्षो में सरकार द्वारा व्यापार सुगमता पर विशेष जोर दिया गया है परन्तु इसी दौरान छोटे व्यवसायों के लिए रिपोर्टिंग, अनुमोदन अनुपालन आवश्यकता आदि जटिलताएँ बनी हुई है।

यदि हम सही मायने में चाहते हैं कि **MSME** का देश के आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हो, तो इसके लिए **MSME** को वर्तमान जटिलताओं से मुक्त एक ऐसा नियामकीय ढाँचा प्रदान किया जाना बहुत ही आवश्यक है जोकि उनके खिलाफ काम करने के बजाय उनके लिए काम करता हो।

निष्कर्ष – एक लचीला राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ का कार्य करते हैं। देश के मजबूत आर्थिक भविष्य के लिए **MSME** के विकास को प्राथमिकता देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षो में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारत को ऐसे ही और उपायों (विशेषकर वर्तमान परिस्थिति में) को अपनाने की आवश्यकता है। अगला दशक भारत को एक उभरती हुई शक्ति से आगे बढ़ते हुए एक स्थापित आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदलने का दशक होगा और इस यात्रा में **MSME** की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. भारत 2020, डॉ. ए.जी.जे. अब्दुल कलाम
2. भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि राकेशरेणु, सीमा, रानी अब्दुल, मन्नान ए.आर.देसाई
3. MSMES की 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट
4. सरकारी वेबसाइटे
5. प्रेस, विज्ञप्तियाँ

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

मेक इन इंडिया अभियान में MSME की भूमिका

डॉ. खुशबू परिहार*

* फ्यूचर विजन कॉलेज, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सुक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम Micro, Small & Medium Enterprieses (MSME) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में व्यापक योगदान देता है। उल्लेखनीय है कि इसका विशाल नेटवर्क विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है।

चड्चए लगभग 110 मिलियन रोजगार अवसर प्रदान करते हैं जो भारत में कुल रोजगार का 22-23 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र के बाद यह दूसरा सबसे अधिक योगदान है।

हॉंलांकि इस क्षेत्र के समक्ष अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद है। उद्यम प्लेटफार्म पर महज 15 प्रतिशत इकाईयों ने स्वयं को पंजीकृत कराया है इस क्षेत्र की विजातीयता, खड़ीकरण और अनौपचारीकरण इसमें सुधारों की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

भारत के लिए MSME क्षेत्र का महत्व

ग्रामीण विकास के लिए वरदान – वृहत स्तर कंपनियों की तुलना में MSME ने न्यूनतम पूंजी लागत पर ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकरण में सहायता दी है। इस क्षेत्र ने देश के ग्रामीण सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और प्रमुख उद्योगों को भी पूरक सहायता प्रदान की है।

मेक इन इंडिया अभियान में अग्रणी योगदानकर्ता – भारत का लक्ष्य है कि'मेक इन इंडिया' के तहत् निर्मित उत्पाद गुणवत्ता के वैश्विक मानकों का पालन करते हुए मेड फॉर द वर्ल्ड के ध्येय को भी साकार करे MSME इस अभियान में केन्द्रीय भूमिका ग्रहण कर रहा है। इस स्वपन को साकार करने में MSME को रीढ़ की हड्डी के रुप में देखा जाता है।

उद्यमों के लिए सरल प्रबंधन संरचना – भारत की मध्यवर्गीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए MSME एक लचीलापन प्रदान करता है कि इसे निजी स्वामित्व व नियंत्रण में सीमित संसाधनों के साथ शुरू किया जा सकता है इससे निर्णय लेना आसान और कुशल हो जाता है।

भारत में MSME क्षेत्र के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ :

वित्तीय बाधा– भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटी फर्मो और व्यवसायों के लिए वित्त तक पहुँच हमेंशा से समस्याग्रस्त रहा है। यह व्यवसायों के साथ-साथ **MSME** के लिए एक बड़ी बाधा है।

हॉंलाकि इसके बारे में चिंताजनक तथ्य यह है कि केवल 16 प्रतिशत चड्चए को ही समय पर वित्त की सुविधा मिल पाती है, जिसके परिणामस्वरूप लघु और मध्यम फर्मो को अपने समावेशी विकास मध्यम और आकार के कई वर्षो के लिए मंत्रालय के एजेंडों के शीर्ष पर है दूसरी और गरीबी और अभाव भारत के विकास के लिए एक बाधा है इसके अलावा इसमें एक समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग शामिल हैं जो MSME मंत्रालय के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। MSME भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हॉंलाकि, भारत के तेजी से विकास के लिए हमें आने वाले दशक में बड़ी फर्मो में परिपक्व होने के लिए इन MSME की आवश्यकता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अन्य देशों की तुलना में बड़ी फर्मो में रोजगार का बड़ा हिस्सा होता है।

औद्योगिक नीतियों (व्यवसाय करने में आसानी) के माध्यम से MSME फर्मो का समर्थन – व्यापार करने में आसानी MSME क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है जो भारत की आर्थिक वृद्धि का नेतृत्व कर सकता है, और यह प्रोत्साहन, नियामक मंजूरी और श्रम कानूनों के रूप में राज्य और केन्द्रिय स्तर की नीतियों द्वारा किया जा सकता है। सरकार भारत में इंज ऑफ ड्राइंग बिजनेस की दिशा में काम करना जारी रख सकती है नियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और भविष्य की नियामक की नियामक आवश्यकताओं पर स्पष्ट निर्देश जारी करके MSME फर्मो को अक्सर औद्योगिक नीतियों से भारी लाभ होता है, जिसका उद्देश्य प्रति पैमाने का समर्थन करना या विशिष्ट क्षेत्रों और गतिविधियों के निर्माण का समर्थन करना है। ये नीतियाँ उत्पादकता में सुधार और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रवेश के उद्देश्य से विनिर्माण के प्रति आर्थिक विकास को पुन: संतुलित करती है।

विकास – आने वाले दशक में सीमांत विनिर्माण अवसरों पर कब्जा करने के लिए भारत को अपनी बड़े पैमाने की फर्मो की संख्या को तीन गुना करने की आवश्यकता है, जिसमें 1,000 से अधिक मध्यम आकार की कंपनियाँ वर्तमान स्थिति से बढ़ रही है। सरकार ने भारत में घरेलू फर्मो के विकास को सुनिश्चित करने पर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया है।

भारत एक परिवर्तन बिंदु पर है और अपनी घरेलू मांग और वैश्विक बाजारों को पूरा करने के लिए अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने का एक अवसर है। व्यवसायों के साथ-साथ केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों के पास भारत को उच्च विकास वाली विनिर्माण- आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की शक्ति और साधन हैं। सतत् आर्थिक विकास, लाभकारी रोजगार के अवसरों और उच्च उत्पादकता की मांग को पूरा करने के लिए एक ठोस कार्य योजना द्वारा समर्थित एक महत्वाकांक्षी दृष्टि की आवश्यकता है।

मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर भारत अभियान (आत्मनिर्भर भारत अभियान) ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को विशेष

बल देते हुए देश में व्यापार और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था देश में मजबूत विकास और व्यापार के समग्र दृष्टिकोण में सुधार और निवेश के संकेत के साथ आशावादी रूप से बढ़ रही है। सरकार के नये प्रयासों एवं पहलों की मदद से निर्माण क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. भारत 2020 डॉ. ए.जी.जे. अब्दुल कलाम
2. मेक इन इंडिया श्री पीयूष गोयल MSME की 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट
3. सरकारी वेबसाइडें
4. प्रेस, विज्ञप्तियाँ

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारत में जल संसाधनों की संभाव्यिता एवं प्रबंधन

डॉ. विभा वासुदेव*

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) अध्यशयन शाला एवं शोध केन्द्र महाराजा छत्रसाल बुन्देरलखण्ड वि.वि., छतरपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इस जैविक संसार में समस्त जीव जन्तुओं प्रकृति की प्रथम आवश्यकता जल ही है, जिसके बिना इस संसार की कल्पना करना भी निरर्थक है। वर्तमान में जल का उपयोग केवल पीने, घरेलू उपयोग, सिंचाई में ही नही वरन इसका उपयोग उत्पदन उद्योग, परिवहन तथा मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए किया जाता है। जल की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुरूप इसकी पूर्ति सीमित है, जिससे भारत में आने वाले वर्षो में जल संकट के बादल मंडराने लगे है। अत: यह अत्यंत आवश्यक है कि जल संसाधन के भविष्य के परिदृश्य के आकलन के निष्दर्ष से भविष्य में जल प्रबंधन की एक ठोस नीति का निर्माण कर उसका यथा शीघ्र क्रियान्वन किया जा सके।

शब्द कुंजी – जल संसाधन, जल संकट, जल प्रबंधन, भूमिगत जल, सतही जल, जल सरंक्षण।

प्रस्तावना – जल जीवन्तल जगत् का प्राण है। पृथ्वी को मिला प्रकृति का उपहार है और समस्त मानव जाति की आर्थिक क्रियाओं का आधार है। यह मानव की लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। किसी भी क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की संभावनाएं जल से ही निर्धारित होती है। संसार में आधुनिकीकरण के साथ-साथ जल की आवश्यकता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, संसार में सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल की नितान्त् आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि एवं भावी आवश्यकता को देखते हुए जल की एक-एक बूंद की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अत: आवश्यकतानुसार जल संसाधन का उचित उपयोग करने की योजना पर अतिशीघ्र क्रियान्वयन करना जरूरी है।

भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45 प्रतिशत, जल संसाधनों का 4 प्रतिशत, जनसंख्या का लगभग 18 प्रतिशत भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन कि.मी. है। धरातलीय जल और पुन: पूर्ति योग्य, भूमि जल से 7869 घन कि.मी. जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60 प्रतिशत जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन कि.मी. है।

प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या वृद्धि के साथ दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। भारत आज सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था है, जिसके 9 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर अगले दो दशकों में दस गुना हो जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। बढ़ती अर्थव्यवस्था का दबाव बढ़ती जनसंख्या, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक उष्णता इत्यादि ऐसे कारक है जो जल की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता पर प्रभाव डालते है। भारत में उपयोग योग्य जल स्त्रोतों के दो प्रमुख प्रकार है- सतही जल एवं भूमिगत जल स्थलीय एवं अन्य कारणों से धरातलीय जल का बहुत कम भाग ही उपयोग योग्य रह जाता है। भारत में भूजल की तुलना में स्थलीय जल की उपलब्धता अधिक है।

भारत में वर्तमान में जल प्राप्ति से सम्बंधित आंकडे निम्नानुसार है-

मद	मात्रा
वार्षिक वर्षा (हिमपात सहित)	4000 अघमी
औसत वार्षिक जल उपलब्धता	1869 अघमी
प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धतता	1588 घमी
अनुमानित उपयोग योग्य जल संसाधन	1123 अघमी
सतही जल	690 अघमी
भूमिगत जल	433 अघमी

अघमी-अरब घन मीटर, घमी- घन मीटर

Source : Central Water Commission - 2010

भारत में जल का संकट जनजीवन पर गहराता नजर आ रहा है। साल 2018 में नीति आयोग द्वारा किये गए एक अध्ययन में 122 देशों के जल संकट की सूची में भारत 120वें स्थान पर खड़ा था। जल संकट से जूझ रहे दुनिया के 400 शहरों में से शीर्ष 20 में 4 शहर (चेन्नई पहले, कोलकाता दूसरे, मुंबई 11वां तथा दिल्ली 15 नंबर पर है) भारत में है। नीति आयोग ने कोम्पोसिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नामक सूचकांक के द्वारा यह बताया है कि भारत में 600 मिलियन लोग पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। 75 प्रतिशत परिवारों के पास उनके निवास स्थान पर पेयजल की उपस्थिति नहीं है। 84 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की पाइप द्वारा प्रदान किये जाने वाले जल तक पुहच नहीं है। इस जल सूचकांक में 9 वृहद क्षेत्रों एवं 28 सूचकों को निर्धारित किया गया है। इस सूचकांक का उद्देश्य एक आधार रेखा का निर्माण करना है, ताकि सम्पूर्ण देश में राज्य स्तर पर जल संकेतको के माध्यम से निरीक्षित किया जा सके।

इस सूचकांक के आधार पर जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 24 में से 15 राज्यों ने 50 प्रतिशत से भी कम अंक प्राप्त किया है, यदि इस तथ्य को आगे विश्लेषित करे तो पता चलता है कि निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में भारत की आधी आबादी निवास करती है, साथ ही यह राज्य भारत की 30 प्रतिशत तक खाद्य उत्पादन में हिस्सेदारी रखते है। इस प्रकार भारत की आबादी के सामने न केवल जल संकट बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा को भी

गंभीर खतरा है।

भारत में भूजल परिदृश्य –

भूजल विकास दर	1995 में जिलो का प्रतिशत	2011 में जिलों का प्रतिशत
0-70 प्रतिशत (सुरक्षित)	92	71
90-100 प्रतिशत (गंभीर)	1	4
100 प्रतिशत (अतिदोहित)	3	15

स्पष्ट है कि जहाँ देश के 92 प्रतिशत जिलो में भूजल स्तर 1995 में सुरक्षित स्तर पर था। वही यह 2011 में घटकर 71 प्रतिशत रह गया है। वही जहां 1995 में गंभीर एवं अतिदोहित जिलों का प्रतिशत 4 था। वही 2011 में 19 प्रतिशत जिले गंभीर एवं अतिदोहित की श्रेणी में आ गये है।

लोकसभा में इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा बताया गया की एवरीथिंग अबाउट वाटर (इ ए वाटर) नामक संस्था के अध्ययन में निष्कर्ष दिया गया है कि भारत में जल की मांग सभी वर्तमान जलापूर्ति स्त्रोतों को पार कर जाएगी एवं 2025 तक देश में जल की कमी हो जाएगी। इसी उत्तर में आगे स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास निगम द्वारा 1999 में अपनी रिपोर्ट में आंकलन प्रस्तुत किया गया कि 2025 में कुल जल उपयोग आवश्यकता 843 बिलियन क्यूबिक मीटर एवं 2050 मे 1180 मिलिमीटर खाद्य एवं कृषि तथा यूनिसेफ की 2013 की संयुक्त रिपोर्ट में प्रति कैपिटा आकलन प्रस्तुत किया है।

वर्ष	जनसँख्या (मिलियन)	जल उपलब्धता (क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष)
1991	846	2209
2001	1027	1820
2025	1394	1341
2050	1640	1140

इंडियाज वाटर फ्यूचर नामक रिपोर्ट में भारत में 2025 से 2050 के मध्य भारत के जल संसाधन के सम्बन्ध में आंकलन प्रस्तुत किये गये है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति कैपिटा घरेलू जल की मांग वर्ष 2000 के 85 लीटर प्रति कैपिटा प्रति दिन (एलपीसीडी) से बढ़कर 2015 में 125 एलपीसीडी एवं 2025 में 170 एलपीसीडी हो जायेगी। इसके साथ ही भारत में औद्योगिक जल मांग वर्ष 2000 के 43 घनमीटर प्रति व्यक्ति से बढ़कर 2025 में 66 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यह परिदृश्य जिसे 'बिजनेस एज युजुअल सेनारियों' कहा गया है। इसमें यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारत कुल जल की मांग में 2025 में 22 प्रतिशत तक बढ़ने की सम्भावना है। नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार 2030 तक देश की जल मांग उपलब्ध आपूर्ति की तुलना में दो गुनी हो जायेगी।

जल के संकट परिणाम:

1. **खाद्य असुरक्षा–** कृषि क्षेत्र में आत्यधिक जल उपयोग किया जाता है जिसकी कमी से खाद्य उत्पादन कम होने से संकट उत्पन्न होगा।

2. **जल संघर्ष और प्रवासन–** इसके आजीविका का संकट उत्पन्न-होगा और प्रवास की प्रवृति को बढ़ावा मिलेगा।

3. **आर्थिक अस्थिरता –** विश्व बैंक के अनुसार – जल संकट के कारण कई देशों की जी.डी.पी. प्रभावित होगी और इसके आर्थिक समस्याओं में दिनों-दिन वृद्धि होगी।

4. **जैव विविधता को हानि–** इसके पेड़-पौधों की हानि होने के साथ जीव-जन्तुओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

5. **कानून व्यवस्था बिगड़ने के आसार–** जल संकट वाले क्षेत्रों में उपलब्ध जल स्त्रोतों पर कब्जे को लेकर हिंसक घटनाएं बढ़ने लगेगी और समाज में वैमनस्यक्ता का वातावरण उत्पन्न होगा।

बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में 'जल शक्ति मंत्रालय' बनाया। मंत्रालय ने 2024 तक सभी घरों में पाइप के जरिए वॉटर कनेक्शन देने की योजना बनाई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में सूखे की वजह से भारत में 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की तथा प्रतिवर्ष साफ पीने के पानी की कमी के कारण 2 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। मौजूदा दौर में भारत में जहां शहरों में गरीब इलाकों में रहने वाले 9.70 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है। वही ग्रामीण इलाकों में 70 फीसदी लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है। लगभग 33 करोड़ लोग अत्यंत सूखे ग्रसित जगहों पर रहने को मजबूर है। जल संकट की इस स्थिति से देश की जीडीपी में अनुमानतः 6% का नुकसान होने की आशंका है।

जब दुनिया की 18% आबादी (भारत) के पास मात्र 4:% पानी की उपलब्धता है तो जल संकट की इस समस्या से स्थायी निजात पाने के लिए उचित तथा चरणबद्ध तरीके से निपटने के लिए सरकार को जल प्रबंधन की पॉलिसी बनाते समय पूर्ति पक्ष ही नहीं बल्कि मांग पक्ष पर ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है।

निष्कर्ष एवं सुझाव:

1. भारत का 52 प्रतिशत कृषक क्षेत्र आज भी वर्षा आधारित है। इसलिए भविष्य में सिचाई सुविधाओं के विकास के दौरान उन्हें अधिक दक्ष बनाये जाने की आवश्यकता है। भारत में सिचाई की दृष्टि से अधिक विकसित राज्य भी बड़े पैमाने पर वर्षा पर निर्भर है। इसलिए आवश्यकता है कि सतही जल सिंचाई सुविधाओं का न केवल विकास किया जाये बल्कि उन्हें इस तरह दक्ष बनाया जाये ताकि भूमिगत जल स्त्रोतों पर सिंचाई का दबाव कम हो सके।

2. भारत में लगभग 2 करोड़ से अधिक कृषक सिंचाई हेतु भूमिगत जल का प्रयोग करते है कुल सिंचित क्षेत्र का दो-तिहाई से अधिक क्षेत्र भूमिगत जल द्वारा सिंचित है। भूमिगत जल पेयजल का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है तथा भूमिगत जल पर भविष्य में बढती जनसंख्या के कारण सिचाई एवं पेयजल दोनों ही रूपों में दबाव बढ़ेगा।

3. जल सरंक्षण एवं प्रबंधन भविष्य के जल संकट से निपटने हेतु अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में होने वाले शोध कार्यो को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल शिक्षा से जुड़े विषय को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से स्थान मिलना चाहिए। साथ ही जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण की दिशा में जन जागरूकता बढ़ाने के प्रयास निरंतर होने चाहिए।

4. जल की खपत को कम करने वाले एवं अधिक पैदावार देने वाले बीजों का अनुसंधान एवं विकास होना चाहिए तथा उनके अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए साथ ही ड्रिप सिंचाई एक प्रभावशाली तकनीक है जो फरोफ्लड सिंचाई की तुलना में फसल की पैदावार में 20-50% की वृद्धि करते हुए जल की खपत को 20-40% तक कम कर सकती है। इसके साथ ही, जल की कमी वाले क्षेत्रों में दलहन, बाजरा और तिलहन जैसी कम

जल-गहन फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

5. वर्षा जल के संरक्षण हेतु भारत में मौजूदा परम्परागत जल प्रबंधन प्रणाली, तालाबो, कुओं, बावडियो का उचित रखरखाव अत्यंत आवश्यक है क्योंकि एक और यह साधन न केवल जल स्त्रोत के रूप में कार्य करते है वही भूमिगत जल की पुन: पूर्ति के महत्वपूर्ण उपकरण भी है। साथ ही बांध, भंडारण टैंक, पाइप लाईन में सुधार की भी आवश्यकता है।

6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जल संचय पर अत्याधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

7. अधिक जल वाले क्षेत्रों से जल को कम प्रतिबल वाले क्षेत्रों की ओर भेजा जैसे केन-बेतवा लिंक परियोजना।

8. क्षेत्रीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर जल निकायों की स्थिति के संबंध में बेहतर डेटा अनुशासन और कुशल जल शासन की ओर ध्यान केंद्रित करने और विभिन्न जल संरक्षण क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

9. आधुनिक जल प्रबंधन तकनीकों का लाभ उठा कर सूचना प्रौद्योगिकी को जल-संबंधी डेटा प्रणालियों से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की सफलताओं ने ऐसे जल को भी उपभोग के लिये स्वच्छ एवं सुरक्षित बना दिया है जो पहले उपभोग के लिये अनुपयुक्त थे। इस तरह की सर्वाधिक प्रयुक्त तकनीकों में इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल (EDR), डिसैलिनाइजेशन, नैनोफिल्ट्रेशन और सोलर एवं यूवी फिल्ट्रेशन आदि शामिल हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. श्री कमल शर्मा, डॉ सी.के.जैन, डॉ.पीटर चरन, भारत का भूगोल पृष्ठए संख्यात 120
2. Future of India-The Winning Leap, PWC, 2014,p.5
3. Composit Water Management Index,NITI Aayog,June 2018,p15-17 5.
4. The World's Water, The USGS Water Science School, https://water.usgs.gov/ edu/earthwherewater.html
5. Amarasinghe, U. A.; Shah, T.; Turral, H.; Anand, B. K. 2007. India's water future to 2025- 2050: Business-as-usual scenario and deviations. Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute.p.1,36
6. Water and Related Statistics, April 2015, Central Water Commission; PRS
7. लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1724 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय 30 जुलाई 2.15 को उत्तारित
8. UNICEF, FAO and Saci WATERS, Water in India: Situation and Prospects,2013,p.4
9. The hindu "India's growing water crisis, the seen and the unseen" date 15.09.2022

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

महिला सशक्तिकरण के लिए सर्वांगीण विकास

डॉ. प्रेरणा मित्रा *

* सहायक प्राध्यापक (विभागाध्यक्ष वनस्पति विभाग) राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आज भी सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर महिलाओं की स्थिति नाजुक है जिस पर अभी काम करना बहुत आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता है । किसी भी देश और समाज को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। महिलाओं का मानसिक जागरूकता, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर के साथ–साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी में जागरूक होना भी अत्यंत आवश्यक है।

शब्द कुंजी – डिजिटल प्रौद्योगिकी, मानसिक जागरूकता, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक।

प्रस्तावना – किसी भी देश का समाज का विकास तब तक संभव नहीं हो सकता है, जब तक की महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण नहीं होगा। जहां तक बात है, सशक्तिकरण की तो समाज के सभी वर्गों की महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है, तभी देश का विकास संभव हो सकेगा। केवल शहरी क्षेत्र एवं कुछ वर्गों की महिलाओं की स्थिति के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं, कि महिला सशक्तिकरण पूरी तरह हो गया है, इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में सशक्त होने के बावजूद अगर महिलाएं मानसिक रूप से जागरूक नहीं है तो भी महिला सशक्तिकरण की अवधारणा निरर्थक है। मानसिक जागरूकता क्यों ? क्या महिलाएं मानसिक रूप से अशक्त होती है ? नहीं प्रकृति की सबसे नायाब रचना स्त्री चाहे वह शिक्षित, अशिक्षित, धनवान, निर्धन कैसी भी वह कभी मानसिक रूप से कमजोर नहीं होती है, बल्कि संवेदनशीलता, भावुकता, प्रेम, समर्पण, त्याग जैसे गुणों से परिपूर्ण होती है, ऐसे अनमोल गुणों से भरपूर व्यक्तित्व के धनी जो केवल देना जानती है वह मानसिक रूप से अशक्त कैसे हो सकती है। महिला हमेशा अपने परिवार की अवश्यकताओ को उनकी खुशियों को ज्यादा महत्व देती हैं उनके लिए उनके परिवार की खुशी उन्हें ज्यादा संतुष्टि प्रदान करती है, अपने परिवार के लिए अपने शौक अपने कैरियर को भी दांव पर लगा देती हैं इतना त्याग एवं समर्पण का भाव सशक्त व्यक्तित्व ही कर सकता है असल में जीवनदात्री त्याग एवं समर्पण का भाव रखने वालीं महिलाएं मानसिक रूप से सशक्त होती है, परंतु मानसिक रूप से जागरूक बहुत कम होती है।

उद्देश्य – महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का सर्वांगीण विकास तो आवश्यक है । लेकिन जिम्मेदारियों को पूरा करते–करते वह अपने आप को ना भूलें अपने मानसिक, भावनात्मक और अपने का स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस बात को समझना होगा कि उन्हें अपने आप को खुश रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

शोध व्याख्या – महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, और महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम है, वह अपने परिवार के लिए बच्चों की पढ़ाई से संबंधित फैसले भी ले रहे हैं, और कार्यस्थल एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन प्रताड़ना केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होती है, जो शारीरिक प्रताड़ना से कहीं अधिक घातक होती है मानसिक प्रताड़ना का शिकार खासकर वह महिलाएं होती है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, इसलिए आजकल महिलाएं डिप्रेशन का शिकार ज्यादा हो रही है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को वैसे ही कमतर आंका जाता है, अगर महिला आर्थिक रूप से सक्षम है तब भी उनमें कमियां दिखाई जाती है, दूसरों से तुलना कर उन्हें कमतर दिखाया जाता है, उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभा पा रही है और इस तरह महिलाएं जो की भावुक प्रकृति की होती है उन्हें पता भी नहीं चलता है, और वे मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाती हैं।

कामकाजी महिलाओं पर गैर सामाजिक होने का इल्जाम अक्सर लगा दिया जाता है, जब वे अपने कार्यस्थल पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते सामाजिक समारोह में शामिल नहीं हो पाती हैं, रीति रिवाज को निभाने व्रत उपवास करने में कम भाग ले पाती हैं, तो उन्हें महत्वकांक्षी कहा जाने लगता है जिससे कि वह मानसिक तनाव महसूस करती हैं।

अपना कैरियर बनाना अपने सपने साकार करना सभी की इच्छा होती है,महत्वाकांक्षा जैसी कोई समस्या नहीं है महिला पुरुषों के समान ही सफल होना चाहती है लेकिन भी अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे नहीं भागती हैं और महिलाएं कैरियर की अपेक्षा पारिवारिक जिम्मेदारियों को वरीयता देती हैं।

पीढ़ीगत बदलाव ने महिलाओं में आंतरिक विकास व बदलाव किया है, वह पुरुषों के विकसित होने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तीव्र है, बात तुलनात्मक विश्लेषण की नहीं है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों और आर्थिक उदारीकरण ने महिलाओं के लिए जो दबाव व अवसर निर्मित किए हैं, वह पुरुषों से ज्यादा है, हालांकि भारतीय महिला अभी 'महिला स्वामित्व' के लिए संघर्षरत है फिर चाहे उसके शैक्षणिक आर्थिक स्तर की तरक्की के क्यों ना कर ली हो।

बॉडी शेमिंग जिसके माध्यम से लोग सामने वाले की बॉडी शेप पर या तो क्रिटिकल कमेंट करते हैं या फिर मजाक उड़ाते हैं।

आमतौर पर ऐसे कमेंट्स से महिलाओं का दिल आहत हो सकता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

अपने जीवन को दांव पर लगाकर एक जीवन को जन्म देने का साहस ईश्वर ने केवल महिला को प्रदान किया है, हालांकि तथाकथित पुरुष प्रधान समाज में नारी की यह शक्ति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है, आज समाज के दोहरे मानदंड नारी को एक तरफ पूजनीय बताते हैं, तो दूसरी और उसका शोषण करते हैं, यह नारी जाति का अपमान है।

फिल्म जगत, फैशन वर्ल्ड में अगर महिलाएं काम कर रही हैं, तो हमें स्वीकारना होगा मानसिकता को बदलना जरूरी है, महिलाएं घर से बाहर जाकर लगभग सभी क्षेत्रों में काम कर रही है नए नए लोगों से मिलती है, उस दौरान घर परिवार के साथ साथ साथियों से मेल मिलाप भी करना पड़ता हैं, तो लोग शक की नजरों से उनके रिश्तो को देखते हैं, यही कारण है कि केवल लड़कियां घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती और हिम्मत नहीं जुटा पाती है, इस बदलते दौर में घर में बदलावों की शुरुआत करनी होगी। सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी पोस्ट देखने में आती हैं, जिनमें एक मां, एक घरेलू महिला एक साथ कई सारे काम कर रही होती है और पोस्ट के नीचे कमेंट होते हैं 'मां तुझे सलाम' बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट लिखते हैं लेकिन क्या मां तुझे सलाम कहना काफी है, क्या ? परिवार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह उस महिला के काम में मदद करें उसके काम में उसकी मदद करें।

निष्कर्ष – असल में महिलाएं मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी सशक्त होती हैं, बस उन्हें अपने स्वयं की शक्तियों का एहसास नहीं होता है, असल में दोष किसी महिला या पुरुष का नहीं है, दोष है, समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच का जिसमें महिलाओ को कमजोर समझा जाता हैं।

महिला पुरुषों में असमानता केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है, महिलाओं की मानसिक जागरूकता के लिए जरूरी है, कि वह अपने आप को दूसरों के नजरिया से ना देखें, बल्कि अपने स्वयं के नजरिए कैसे देखें अपना आंकलन स्वयं करें और अनावश्यक रूप से स्वयंसिद्ध होने की चुनौती लेकर अपने आप को कष्ट ना दें।

बचपन से ही बच्चियों को आदर्श महिला बनने की शिक्षा दी जाती हैं,हमारे समाज में आदर्श महिला से तात्पर्य है सर्वगुण संपन्न, खूबसूरत, शिक्षित महिला से होता है। जब वह परिस्थितिवश आदर्श महिला की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाते हैं, तो वह अपराध बोध से ग्रसित हो जाती अच्छा ना दिखने का अपराध बोध, अच्छा काम ना पाने का अपराध बोध, पारिवारिक जिम्मेदारियों को ढंग से ना निभाने का अपराध बोध महिलाओं खासकर कामकाजी महिला खुद को इतना दोषी मान लेती हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, महिलाओं को पहले तो स्वयं पर अत्याचार करना बंद कर आदर्श महिला की छवि से बाहर आना होगा, स्वीकार करना होगा कि कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है आप स्वयं से वाजिब अपेक्षाएं रखेंगी तो खुश रहेंगी और जब आप खुश रहेंगे तो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे और दूसरों को भी खुशियां बांट सकेगी।

सुझाव – आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक रूप से जैसी भी हो अपने आप को स्वीकार करें और फिर अपने व्यक्तित्व में सुधार हेतु अपनी क्षमता अनुसार प्रयास करने चाहिए। अपने स्वयं की प्रगति के लिए अपने आप को सुधार करें ना कि किसी और को दिखाना साबित करने के लिए स मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होकर अपने लक्ष्यों का निर्धारण करें, लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक ज्ञान अर्जन कौशल विकास करें और जीवन में आने वाली चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें स प्रकृति ने महिलाओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से काफी सशक्त बनाया है महिलाएँ अपने आप को बेचारी ना समझे बल्कि अपने महत्व को समझें।

कई लोगों को मैंने यह कहते सुना है कि वह किस तरह से कपड़े पहनती है तुमको ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हमें याद भी नहीं की ना जाने कितने अर्से से लोग ऐसा बोलते आ रहे हैं और खुलेआम बोलते हैं। जिस तरह सबको हक है, अपने तरीके से रहने का अपने तरीके से परिधान पहनने का उस तरह महिलाओं को भी हक है, की वे जिस परिधान में अपने आप को सहज और आरामदायक महसूस करती है, उस परिधान को धारण करे है फिर महिलाओं के परिधान इतने चर्चा का विषय क्यों बनता हैं समाज के लोगों को हम सबको यकीन करना होगा किस महिलाएं स्वतंत्र व्यक्तित्व है।

पुरुष मानसिक रूप से जागरूक हो। महिलाओं के प्रति पुरुषों को भी अपनी सोच बदलनी होगी और इस बात को समझना होगा कि स्त्री एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है वह सोचने समझने की क्षमता रखती है निर्णय लेने की भी क्षमता रखती है।

महिलाओं को महिलाओं के पक्ष में आगे आना होगा उन्हें शिक्षित करने, कौशल विकास के लिए प्रयास करने होगे। साथ ही दूसरी महिलाओं की उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, इसके अलावा अन्य महिलाओ के विकास एंव आधुनिकरण पर भी काम करें स हिंसा के खिलाफ आवाज उठाए दूसरों को जागरूक करें और साथ ही कमजोर लाचार महिलाओ पर होने वाले अत्याचारों का खुलकर विरोध करें।

जहां तक हो सके दूसरों पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर अपने लिए रास्ते स्वयं बनाएं क्योंकि

'सीढ़ियां उनके लिए है जिनको छत पर जाना है
मेरी नजर तो आसमां पर है मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है'

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

बाजरा पोषक तत्व और संभावित स्वास्थ्य लाभ - एक समीक्षा

डॉ. प्रियंका देवड़ा *

* सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - मधुमेह और मोटापे की घटनाएं विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रही हैं और उनका मुकाबला करने के लिए, उच्च स्तर के आहार फाइबर और स्वास्थ्य लाभकारी फाइटोकेमिकल्स के साथ जटिल कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की मांग में वृद्धि हुई है (शोभना एट अल। 2007)। फेनोलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ आहार का फोर्टिफिकेशन एंटीमुटाजेनिक, एंटीग्लाइसेमिक और एंटीऑक्सीडेटिव गुण प्रदान करने के लिए दिखाया गया था, और इसका स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों (फ्रीडमैन 1997) के विकास में फायदा उठाया जा सकता है। खाद्य योगों में साबुत अनाज का उपयोग दुनिया भर में बढ़ रहा है, क्योंकि वे फाइटोकेमिकल्स और आहार फाइबर के समृद्ध स्त्रोत हैं जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं (जोन्स और एंगेल्सन 2010). बाजरा दुनिया के अर्ध-शुष्क और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कीटों और बीमारियों के प्रतिरोध, कम उगने वाले मौसम और कठोर और सूखे की स्थिति में उत्पादकता के कारण महत्वपूर्ण फसलें हैं, जब प्रमुख अनाजों पर स्थायी पैदावार प्रदान करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। कई विकसित देशों में बाजरा का कम उपयोग किया जाता है। विकासशील देशों में बाजरे के दानों को मूल्य वर्धित खाद्य और पेय पदार्थों में संसाधित करने की अपार संभावना है। इसके अलावा, बाजरा, क्योंकि उनमें ग्लूटेन नहीं होता है और इसलिए सीलिएक रोगियों (चंद्रशेखर और शाहिदी 2010) के लिए सलाह दी जाती इस शोध पत्र मे उल्लेखित जानकारी या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन स्त्रोतो से ली गइ है इस शोध पत्र को लिखने का मुख्य उदे्ष्य बाजरे मे उपस्थिक पोशक तत्वो एवं उसके स्वस्त्य लाभ से लोगो को जग रुक करना है जिससे जनता विशेष रूप से बाजरे का सेवन अधिक से अधिक कर सकें

प्रस्तावना - बाजरा (पेनिसेटम ग्लौकम (L.) R. Br.) एक छोटे बीज वाली अनाज की फसल है। इसकी प्रोटोगिनस प्रकृति इसे अत्यधिक क्रास-परागित फसल प्रदान करती है। अनाज की फसलों में, चावल, गेहूं, मक्का, जौ और ज्वार के बाद विश्व उत्पादन के आधार पर बाजरा छठे स्थान पर हैय हालाँकि, यह उन अनाज की फसलों की तुलना में पोषक तत्वों का अधिक प्रचुर स्रोत है। पर्ल बाजरा दुनिया भर में 27 मिलियन हेक्टेयर को कवर करता है और भारत, दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के 90 मिलियन से अधिक निवासियों की खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने वाले एक महत्वपूर्ण पोषण स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह चारे, साइलेज, घास और ईंधन के लिए पुआल का भी स्रोमें भी इसके सफल अनाज उत्पादन के कारण, यह अत्यधिक और अनिश्चित जलवायु में एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल के रूप में काम करने की क्षमता रखता है। अनाज उत्पादन में सफलता का श्रेय जलवायु-स्मार्ट वनस्पति, प्रजनन और शारीरिक विशेषताओं को दिया जाता है। प्रजनन कार्यक्रमों में प्रभावी उपयोग के लिए इसकी उत्पत्ति के केंद्र, वर्गीकरण की स्थिति, आनुवंशिक संसाधन विविधता और संरक्षण को समझने का प्रयास किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में बढ़ी हुई उत्पादकता, बेहतर गुणवत्ताा और अजैविक और जैविक तनावों के प्रति लचीलेपन के साथ नई और बेहतर किस्मों की मांग प्राचीन काल से भारतीय अनाज का हिस्सा रहा है लेकिन अब यह अपने बेमिसाल स्वास्थ्य लाभ के कारण पश्चिमी देशों में भी पापुलैरिटी हासिल कर चुका है विशेषज्ञों के अनुसार बाजरा एक स्वस्थ साबुत अनाज है जो ग्लूटेन फ्री है यह प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है साथ ही इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम सहित कई तरह के पोषक तत्व रहते हैं खासतौर से जब आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसका सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा इसमें मौजूद फाइबर आपकी प्रतिदिन कि कैलोरी की संख्या को बढ़ाएं बिना आपको आपका पेट भरा हुआ महसूस कर आएंगे अगर आप रोजाना भी बजरा खाए तो कोई नुकसान नहीं है बल्कि इसके सेवन से टाइप टू डायबिटीज के साथ कई तरह के कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है इतना ही नहीं इसका नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के साथ अस्थमा को रोकने में भी सक्षम है। बाजरे को वापस लाने और घरेलू, वैश्विक मांग बनाने और लोगों को पौष्टिक

भोजन उपलब्ध कराने के लिए, भारत सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को चिह्नित करने का निर्णय लिया। बाजरे के पोषण मूल्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बाजरे को भी अधिसूचित कियौ। उसी वर्ष पोषण-अनाज और इसे पोषण मिशन अभियान के तहत शामिल किया गया। 2021 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (IYOM) के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला और संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया। अब, भारत सरकार ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप म मनाने का फैसला किया है, ताकि इसे लोगों का आंदोलन बनाया जा सके ताकि भारतीय बाजरा, व्यंजनों, मूल्य वर्धित उत्पादों को विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा सके बाजरा अधिकांशतः बहुत पोषक होता है और इसमें लसलसापन नहीं होता। इससे अम्ल नहीं बन पाता और यह आसानी से हजम हो जाता है। लसलसे पदार्थ से मुक्त होने के कारण यह उन लोगों को बहुत माफिक आता जो पेट की बीमारियों से पीडित होते हैं। बाजरे की रोटी अधिक दिनों तक

खाने से इसमें निहित ग्लूकोज धीरे-धीरे निकलता है और इस प्रकार से यह मधुमेह से पीड़ित लोगों को भी अनुकूल पड़ता है।

यही नहीं, बाजरे में लोहा, कैल्सियम, जस्ता, मैग्निसियम और पोटाशियम जैसे तत्व अच्छी मात्रा मे होते हैं। रागी में काफी मात्रा में कैल्सियम मिलता है और बाजरा में लौह तत्व होता है। इसमें काफी मात्रा में वह फाईबर मिलता है जो भोजन में जरूरी होता है और तरह-तरह के विटामिन होते हैं (कैरोटिन, नियासिन, विटामिन बी6 और फोलिक एसिड) इसमें मिलने वाला प्रचुर मात्रा में लेसीथीन शरीर के स्नायुतंत्र को मजबूत बनाता है। अत: नियमित रूप से बाजरा खाने से भारत की आबादी का अधिकांश भाग कुपोषणमुक्त हो सकता है। हालांकि बाजरे को मोटा आनाज कहा जाता है लेकिन पोषण तत्वों में समृद्ध होने के कारण इस अनाज को न्यूट्रिया मिलेट्स / न्यूट्रिया सीरियल्स कहा जाता है।

बाजरे में हाईड्रोकैमिकल्स (पोलिफिनोल्स, टेनिल्स, फाईटोस्टेरोल्स) तथा ऐन्टीऑक्सिडैन्टस् प्रचुर मात्रा मे मिलते हैं। लेकिन इनमें कुपोषण वाले वे तत्व नहीं मिलते जो प्रसंस्कृत करने से कम हो जाते हैं।

बाजरे में अनेक गुण होने के बावजूद इस अनाज का इस्तेमाल कुछ वे सामाजिक वर्ग ही करते हैं, जो इसका इस्तेमाल करते आए हैं। इनमें जनजातीया आबादी प्रमुख है। कारण यह है कि यह उपभोक्ता हितैषी अनाज इस्तेमाल करने के लिए तैयार/खाने के लिए तैयार स्थित मे नहीं मिलता हाल ही में बाजरे पर काफी लोगों का ध्यान गया है और कोशिश यह हो रही है कि इस अनाज से तैयार माल प्राप्त किया जाए।

100 ग्राम बाजरे में पाये जाने वाले पौष्टिक तत्व/ Nutritional Value Of Bajra (Pearl Millet)

लौह – लोहा रक्त कणों की वृद्धि करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के कोशों तक पहुँचाता है। माँसपेशियों का निर्माण और पुष्टि करता है।

लोहे की कमी से (Anemia) रक्ताल्पता रोग हो जाता है। बाजरे में लोहा 5.00 उह मिलता है। बाजरे से रक्त में आयरन की आपूर्ति बढाता है। इसके खाने से लाल रक्तकणों (Red Blood Cell) की संख्या संतुलित रहती है। तथा यह रक्त में प्लेटलेट्स को भी बढ़ाता है।

1. **फायबर** – 100 gm बाजरे में 21.9 gm फाइबर पाया जाता है। यह आपकी प्रतिदिन कि कैलोरी की संख्या को बढ़ाएं बिना आपको आपका पेट भरा हुआ महसूस कर आएंगे अगर आप रोजाना भी बजरा खाए तो कोई नुकसान नहीं है बल्कि इसके सेवन से टाइप टू डायबिटीज के साथ कई तरह के कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है इतना ही नहीं इसका नियमित सेवन कोलेस्ट्रोल को नियंत्रित करने के साथ अस्थमा को रोकने में भी सक्षम है।

2. **फास्फोरस** – सौ ग्राम बाजरे से फरस्फोरस 40 mg मिलता है। फास्फोरस शरीर- कोशो निर्माण का अनिवार्य भाग है।

3. फास्फोरस हड्डियों तथा दाँतों को सुरक्षित रखता है। अम्लों का रूपान्तर करता है और शरीर की ऊर्जा-क्रियाओं को बल देता है।

4. **प्रोटीन** – सौ ग्राम बाजरे में 12gm प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन शरीर का निर्माण, पोषण और संरक्षण करता है।

5. प्रोटीन की कमी से त्वचा में रूखापन और छिलके से हो जाना, बालों का रंग नारंगी भूरा- हो जाना और बच्चों की शरीर वृद्धि रुक जाना। ये सब बीमारियाँ हो सकती हैं। इनकी दूर करने के लिए बाजरा एक अच्छा विकल्प है।

6. **कार्बोहाइड्रेट** – सौ ग्राम बाजरे में 67mg कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट न सिर्फ वजन घटाने में कारगर है, बल्कि यह दिल से संबंधित समस्याओ को दूर करने में भी उपयोगी है।

7. **कैल्शियम** – सौ ग्राम बाजरे में 42 mg कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम शरीर के निर्माण, स्नायुतंत्र की कार्य-शक्ति को बल देना, रक्त जमने की सहज प्रवृत्ति तथा शरीर कोशों की अपनी शक्ति को बढाता है। इसकी कमी से हठीयां कमजोर हो जाती है और दांतों का टूटना आदि समस्याए हो सकती है।

8. थायमिन (विटामिन 'बी-1')- यह बाजरे में 33 मि.ग्रा. मिलता है। थायमिन हृदय और स्नायुतंत्र के सामान्य कार्यों में सहायक होता है।

9. रायबोफ्लेविन (विटामिन 'बी-2' या 'जी') – सौ ग्राम बाजरे में 25 mg विटामिन बी-2 होता है। विटामिन बी-2 शरीर-वृद्धि करता है, बॉडी सेल्स को बल देता है, रोगों के बाद पुन: स्वास्थ्य-प्राप्ति और माँसपेशियों के पुनर्निर्माण में सहायक होता है।

10. **नियासीन** – यह बाजरे में 3 mg होता है। नियासीन से श्वास क्रिया सही रहती है। यह शरीर-वृद्धि के लिए आवश्यक है और शक्ति उत्पन्न करता है। बाजरे की खिचड़ी खाने से नियासीन पूरी मात्रा में मिल जाता है। यह खून में कोलेस्ट्राल की मात्रा को कम करता है।

11. **विटामिन 'ए'** – बाजरे में प्राप्त 132 mg विटामिन 'ए' शरीर की वृद्धि करता है, आँखों की द्रष्टि तेज करता है। विटामिन 'ए' की कमी से रतौंधी और ड्राई स्किन या त्वचा शुष्कता होती है तथा द्रव-स्त्राव कम हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए बाजरे की उपयोगिता बहुत ज्यादा है।

12. **बाजरे से शरीर को मिलने वाली ऊर्जा** – बाजरे से 361 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कम से कम सर्दियों में एक समय के भोजन में बाजरे का भी शामिल करना ही चाहिए।

13. इन सबके अलावा बाजरे में अमीनो अम्ल भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है।

बाजरे के स्वथ्य लाभ:

1. **वजन प्रबंधन:** जटिल कार्ब्स से युक्त, बाजरा हमारे पाचन तंत्र से धीरे-धीरे अवशोषित होता है, जिससे ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करते हुए अधिक तृप्ति मिलती है। यह अतिरक्षण और बीच-बीच में अत्यधिक भोजन करने से रोकने में मदद करता है।

2. **ग्लूटेन फ्री:** बाजरा में प्रोटीन की मात्रा ग्लूटेन फ्री होती है, जिससे यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले ग्लूटेन वाले भारी भोजन से एक अच्छा बदलाव देखा जाये।

3. **आंत का स्वास्थ्य:** बाजरा अघुलनशील फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है, जो हमारे आंत में प्री-बायोटिक के रूप में काम करता है, हमारे पाचन स्वास्थ्य को शीर्ष रूप में रखने में मदद करता है। अघुलनशील फाइबर भी भोजन में बल्क जोड़कर अधिक खाने से रोकने में मदद करता है, जिससे जल्दी तृप्ति होती है। उचित आंत्र सफाई और कब्ज को रोकने के लिए अघुलनशील फाइबर भी महत्वपूर्ण है।बाजरा फाइबर (पिइमत) का बड़ा स्रोत होता है इससे पाचन क्रिया और लीवर ठीक रहता है।

4. **मधुमेह को प्रबंधित करने में मदद करता है:** हमारे दैनिक आहार में फाइबर के सेवन से मधुमेह नियंत्रण और रोकथाम दोनों प्रभावित होते हैं। दुनिया भर में कई अध्ययनों में सकारात्मक प्रभाव अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। बाजरे का मधुमेह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसकी फाइबर सामग्री और धीरे-धीरे पचने योग्य स्टार्च की उपस्थिति होती है, जो ग्लूकोज

में परिवर्तित होने में अधिक समय लेती है। यह मधुमेह के प्रबंधन और मधुमेह रोगियों के लिए एक निरंतर ऊर्जा रिलीज प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा, बाजरा मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो मधुमेह के कम जोखिम से जुड़ा है।

5. **स्वस्थ हृदय:** चूँकि बाजरा मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है, इसलिए हृदय रोगियों के लिए बाजरे को अपने आहार में शामिल करना अच्छा होता है। मैग्नीशियम बीपी और मधुमेह जैसे हृदय रोगों के जोखिम कारकों को रोकने में सक्षम है। अध्ययनों ने एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्राल को कम करने पर मैग्नीशियम लाभकारी प्रभाव की ओर भी इशारा किया है और यह स्ट्रोक से भी बचाता है।

6. **बाजरे में फाइटोकेमिकल्स प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं:** बाजरे में मौजूद सबसे प्रचुर मात्रा में पॉलीफेनोल्स में फ्लेवोनोइड्स – ट्राइसिन, ल्यूटोलिन और एसासेटिन शामिल हैं। ये एंटी–कार्सिनोजेनिक और एंटीट्यूमर के रूप में दिखाए गए हैं, और यहां तक कि स्तन कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। Flavonoids हमारे शरीर में एंटी–कार्सिनोजेनिक के रूप में कार्य करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। एंटी–ऑक्सीडेंट भी समग्र स्वास्थ्य, उम्र बढ़ने पर सकारात्मक प्रभाव से जुड़े होते हैं और मेटाबोलिक सिंड्रोम से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

7. **ओमेगा–3 वसा से भरपूर:** अन्य अनाजों की तुलना में बाजरा स्वस्थ ओमेगा–3 वसा का एक बेहतर स्रोत है। ओमेगा –3 तेल रक्तचाप को कम करने, ट्राइग्लिसराइड्स, धमनियों में पट्टिका के विकास को धीमा करने, नियमित हृदय ताल बनाए रखने और कार्डियो सुरक्षात्मक होने के लिए जाने जाते हैं।

8. **आयरन और फास्फोरस से भरपूर:** बाजरा मामूली मात्रा में आयरन और फास्फोरस प्रदान करता है। आयरन संज्ञानात्मक सोच, स्मृति और ऊर्जा के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यदि आप एनीमिया (लौह की कमी) से पीड़ित हैं, तो आप जानते हैं कि ऊतकों तक ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण के कारण लोहे का निम्न स्तर आपको थका हुआ और कमजोर महसूस कर सकता है। इसलिए आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष– भारत तरह–तरह की फसलो का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और बाजरे की अधिकांश प्रजातियां यहां पाई जाती है बाजरे की खेती के लिए बाहर से कुछ निवेश करने की जरूरत नहीं होती इसकी खेती खाद्यान्न और चारे ढोनों के लिए की जाती है और आसान ढंग से धन की खेती हो को देखते हुए इस चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है बाजरे की फसल किसानों की कुशलताए में आर्थिक योगदान करती है और इसके जरिए लाखों किसानों को भोजन आजीविका और खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है लघु गुजारे वाले सूखे इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए बहुत उपयोगी फसल है बाजरे का डालो तिलहन के साथ इस्तेमाल करके इस से पोषक पोष्टिक भोजन तैयार किया जा सकता है इससे चपाती या लड्डू बिस्किट और तरह–तरह के भोज पदार्थ चाहिए तैयार किए जा सकते हैं यह प्रोबायोटिक पर पदार्थ तैयार करने में भी काम आता है सिर के उतरने के बाद इसका इस्तेमाल चावल की तरह किया जा सकता है इस के आटे का प्रयोग विभिन्न पदार्थों को बनाने में किया जा सकता है बेसन के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल इडली–डोसा आदि बनाने में किया जा सकता है राज्य और गेहूं के आटे में मिलाकर इससे नूडल्स भी बनाए जा सकते हैं बाजरे की विभिन्न लाभ को देखते हुए किसानों की फसल ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश करनी चाहिए मुख्य खाद्यान्न में शामिल किया जा सके खाद्यान्नों का उत्पादन और खपत बढ़ाने के आज के आधुनिक औद्योगिक और सारे जमाने में हम इस पोषक तत्वों से पूर्ण स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ बना सकते हैं आएगा इसके अलावा इसके बारे में जनता में जागृति पैदा होगी और इसके पोषक तत्व के बारे में भी जान पाएंगे इसमें उपस्थित पोषक तत्वों के द्वारा लोगों में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है एवं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. बाजरा के पोषण और स्वास्थ्य लाभ: आईसीएआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च (आईआईएमआर) राजेंद्रनगर, हैदराबाद,
2. https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC4033754/?_x_tr_sl=en&_x_tr_t l=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=sc
3. https://justagriculture.in/files/newsletter/2022/march/012.pdf
4. https://hi.vikaspedia.in/agriculture/crop-production/
5. https://www.healthbeautytips.co.in/nutritional-value-benefits-of-bajra-pearl-millet-in-hindi/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

पाटीदारो के धार्मिक स्थल

रीना पाटीदार*

* शोधार्थी (इतिहास) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

श्री राम मंदिर उज्जैन– भारत वर्ष के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक अति महत्वपूर्ण श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैनी के पश्चिम में शिप्रा नदी के तट पर रामघाट के पास हनुमानगढ़ी में श्री राम जानकी का एक साधारण एवं छोटा सा मंदिर है। यहां की व्यवस्था पूजा आदि कार्य स्वामी रामदासजी महाराज के हाथो में है। उज्जैन, धार, रतलाम ,इंदौर, मंदसौर आदि जिलों के पाटीदार बंधुओ के सम्मलेन एवं धार्मिक कार्यो के लिये यह मंदिर प्रेरणा का स्त्रोत है। जहा प्रत्येक धार्मिक पर्व पर पाटीदार बंधुओ हमेशा एकत्रित होते है। पाटीदार समाज की अच्छी व स्वस्थ भावना का प्रतिक श्री राम मंदिर है जो अब समाज की सर्वागीण उन्नति का तथा समाज को संगठित कर एक पवित्र सूत्र में बांधकर पवित्र जीवन व्यतीत करने का पथ दर्शक है।

श्री उमिया धाम राऊ–रंगवासा, इंदौर– श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट राऊ रंगवासा (इंदौर) ट्रस्ट की स्थापना की गई। इसी पावन स्थल पर पाटीदार समाज ने मिलकर भव्य मंदिर का निर्माण किया तथा इस पवित्र स्थल का नामकरण भी 'उमिया धाम' रखा। इस पवित्र तीर्थ स्थल के विकास हेतु इंदौर जिला पाटीदार समाज ने तन–मन –धन से अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। इस मंदिर में उंझा से श्री उमिया माताजी की अखंड ज्योति लेकर स्थापित करने के उद्देश्य से 12–3–90 को 131 कार्यकर्त्ताओ के दल श्री परमानन्द पाटीदार तिल्लोर खुर्द तथा श्री रामप्रसाद पाटीदार खजराना वाले के निर्देशन में रवाना हुआ। 14–3–90 को उंझा से अखंड ज्योत लेकर उत्साही दल पैदल चलकर 29–3–90 को कच्छ पाटीदार समाज भवन लाबरिया भेरू (इंदौर) पंहुचा। वहां से विशाल जुलुस जयघोष करते ,पुष्प वर्षा करते, स्वागतातुर नर–नारियों के साथ रंगवासा ग्राम के मंदिर में पंहुचा। इस अखंड ज्योति को सम्मिलित किया गया।

श्री उमिया माताजी मंदिर, ग्राम करोंदिया – श्री उमिया माताजी सेवा ट्रस्ट करोंदिया का रजिस्ट्रेशन दिनांक 14–9–87 को हुआ था। यह ट्रस्ट ग्राम करोंदिया में श्री उमिया माताजी का मंदिर समाज के सहयोग से बना। माताजी की अखंड ज्योति लाने के बाद ट्रस्ट की और से कुछ जमीन क्रय की गई तथा कुछ जमीन दान दाताओ से प्राप्त हुई। कुल जमीन लगभग तीन बीघा है। श्री उमिया माताजी मंदिर का शिलान्यास समारोह श्री शेठ केशवलालजी पटेल अध्यक्ष महोदय श्री उमा शासकीय उंझा के सांसद श्री रामेश्वरजी पाटीदार खलधार के मुख्य आतिथ्य में हुआ। श्री रमेश चंद्रजी गुरु कसरावद की अध्यक्षता में तथा निमाड़, मालवा, गुजरात, के हजारो नर नारियो की उपस्थिति में दिनांक 8–3–90 को हुआ था। इस दिन ग्राम में शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। इस मंदिर निर्माण के लिये श्री केशवलालजी पटेल का मार्ग दर्शन लिया गया। महेसाणा (उत्तर गुजरात) के शिल्पकार को मंदिर निर्माण का ठेका दिया गया है। मंदिर निर्माण इसी दिव्य ज्योत एवं मंदिर स्थल पर विशाल पैमाने पर आदर्श सामूहिक विवाह आयोजित किये जाते है।

श्री अम्बिका बाल मंदिर–धामनोद – पाटीदार समाज के जिला सम्मेलनों, मीटिंगों में बार–बार शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिये प्रस्ताव पारित होने तथा शिक्षा प्रेमी सदस्यों द्वारा शिक्षा की जाग्रति के लिये आहवाहन करते रहने से धामनोद के गणमान्य सदस्यों के मन में शिक्षा की संस्था प्रारम्भ करने की इच्छा हुई। सर्यप्रथम माताजी के मंदिर में बालवाड़ी का सुभारम्भ हुआ। फिर दिनांक 1–1–91 श्री अम्बिका बालमंदिर की विधिवत स्थापना हुई। आज वर्तमान में इस बालमंदिर में लगभग 425 छात्र–छात्राये शिक्षा प्राप्त कर रहे है। 10 शिक्षक तथा 4 भवन है। धामनोद में सर्वप्रथम माताजी के मंदिर के पास की 4 बीघा बाड़ी (कृषि भूमि) खरीदने के लिये पाटीदार समाज एकत्रित हूए। भूमि खरीदने के लिये एक रात में चिमनी के उजाले में समाज के लोगो ने रुपये इकट्ठे किये। यह तय किया गया की आज की रात बत्ती जलती रहेगी, जब तक की पुरे रुपये इकट्ठे नहीं हो जाते। इस प्रकार समाज सेवको का लक्ष्य एक रात में पूरा हुआ। आज उसी भूमि पर शिक्षा प्राप्त कर है। जहा श्री अम्बिका बाल मंदिर की स्थापना करके बच्चे उचित शिक्षा प्राप्त कर रहे है।

श्री उमिया कन्या छात्रावास–मंडलेश्वर– पाटीदार समाज की व्यस्क बालिकाओ के उचित शिक्षण के लिये निमाड़ जिले में मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके मंडलेश्वर में कन्या छात्रावास निर्माण करने का निर्णय लिया गया।

माँ उमिया मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के मंडलेश्वर में माँ नर्मदा घाटी क्षैत्र में सुविधाजनक रूप से स्थित है। इस परिसर में पुस्तकों,व्यावसायिक पत्रिकाओ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओ और पत्रिकाओ के विशाल संग्रह के साथ एक विशाल क्षेत्र में फैल एक व्यापक तकनीकी पुस्तकालय है। इस परिसर में 800 से अधिक छात्रों की क्षमता वाले अलग गर्ल हॉस्टल है। कमरों को अटैच बाथ और टॉयलेट के साथ बेहद आधुनिक तरीके से बनाया गाया है।

उमिया कन्या कालेज मंडलेश्वर जो लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल उच्च शिक्षण संस्थान मंडलेश्वर द्वारा निगमित है। जिसे पाटीदार समाज

द्वारा संचालित किया जा रहा है। जिसमे सभी समाज की कन्याओ की माध्यमिक,उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कॉलेज शिक्षा और 2006 से कन्या बीएड कॉलेज शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को लेकर नर्मदा नदी के पवित्र तट पर शांत ओर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत वातावरण में संचालित किया जा रहा है। तब से लेकर आज तक शिक्षा संस्थान ने अपने बहुसंख्यक कार्यक्रमों ओर शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध एवं प्रसार के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान है।

मुल्यांकन – 18वी शताब्दी का उमिया माताजी महोत्सव इन दोनों प्रांतो के लिये पाटीदारो को जोड़ने वाला एक प्रेरकबल सिंद्ध हुआ है दोनों प्रांतो के समाजो में आमने सामने कई समाज यात्राएं हुई और उन समाज यात्राओं के फलस्वरूप ही जन्म लिया बंधुता और आत्मीयता ने पाटीदारो के धार्मिक संगठन तथा यात्राओं में लोगो को जाग्रत किया तथा बालिकाओ को शिक्षित करने के लिये अनेक छात्रावासों का गठन किया गया। इन सब धार्मिक कार्यो से ही आज पाटीदार समाज अलग -अलग क्षेत्रों में प्रगति और समाज कल्याण के कार्य कर रहे है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. हिन्द समाज और जाति व्यवस्था- 1975 पृ.76
2. बॉम्बे गजेटियर, खंड 9 भाग -1, 1889 पृ.101
3. अर्ली मेडिएवल इंडियन सोसायटी कोलकाता, 2003 पृ.95
4. वडोदरा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, अहमदाबाद -1979 पृ.85
5. क्षत्रिय पाटीदारो का इतिहास-डॉ मंगुभाई पटेल पृ.165
6. दी हिस्ट्री ऑफ गुर्जर प्रतिहार -1996 पृ.135
7. सरदार पटेल स्मारक की भूली हुई कहानी (लेख) उमर उजाला - 2000 पृ.22
8. भारत में पाटीदार जाति की सामाजिक संरचना -जयप्रकाश एम् 1998 पृ.195
9. कणबी और पाटीदार: गुजरात के पाटीदार समुदाय का एक अध्ययन -डेविड (1972) पृ.18
10. गुजरात में पटेल आंदोलन का चेहरा -हार्दिक पटेल (2015) पृ.55
11. याज्ञनिक, भारत 2018-कड़वा पाटीदारो की कुलदेवी पृ.11

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारतीय महिला वैज्ञानिकों के ऐतिहासिक योगदान एवं भविष्य के पहलू

प्रो. खुशबू मंडावरा *

* सहायक प्राध्यापक (रसायनशास्त्र) राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में खुद को सिद्ध किया है, NASA, ISRO,TIFR आदि में खास भूमिका निभायी। यदि अनुपात की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिला वैज्ञानिकों का अनुपात बहुत कम है, अत: STEM के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सी रिसर्च स्कॉलरशिप की योजना चलाई एवं भारत के 10 विश्वविद्यालयों में 11 चेयर्स भी महिला वैज्ञानिकों के नाम से गठित की, जिससे युवा लड़कियां इनसे प्रेरणा ले सकें और स्वयं को अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकें और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। डॉ. जानकी अम्मल, डॉ. इरावती कर्वे, डॉ. रमन परिमाला, डॉ. अन्ना मणि, डॉ. कादम्बिनी गांगुली, डॉ. अर्चना शर्मा, डॉ. राजेश्वरी चटर्जी, डॉ. बिभा चौधरी, डॉ. दर्शन रंगनाथन, डॉ. कमल रानादिवे, डॉ. असीमा चटर्जी, इन सभी 11 महिला वैज्ञानिकों के नाम पर भारत के विश्वविद्यालयों में चेयर्स गठित की गई जो रसायन विज्ञान, भौतिकी, मेडिसिन, गणित, वनस्पति, मानव विज्ञान, मौसम विज्ञान, इंजीनिरिंग आदि सभी विषयों को समाहित करता है।

शब्द कुंजी – NASA, ISRO, TIFR, STEM.

प्रस्तावना – आज विज्ञान की दुनिया मे भारतीय महिला वैज्ञानिकों का योगदान अतुलनीय है। उनके अविष्कारों और प्रयोगों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगीति में चार चाँद लगाए हैं।

साल दर साल महिलाओं ने विज्ञान की जादुई दुनिया मे अपना लोहा दमदार तरीके से मनवाया है। देश ही नही पूरी दुनिया मे भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

भारतीय महिलाओं ने मेडिकल साइंस, वनस्पतिविज्ञान , रसायन विज्ञान, से लेकर मिसाइल और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल की हैं। इसरो(ISRO, Indian Space and Research Organization) में चंद्रयान मिशन हो या फिर मंगल मिशन की सफलता नासा(NASA, National Aeronautics and Space Administration) से लेकर नोबेल पुरस्कार तक भारतीय महिला वैज्ञानिकों की लगन और मेहनत आज किसी से छिपी नहीं है। आज विज्ञान की दुनिया में भारतीय महिलाओं की सफलता की कहानियां जन-जन तक पहुंचना जरूरी है, जिससे विज्ञान के माध्यम से महिलाएं देश की प्रगति में योगदान दे सकें और संकीर्ण मानसिकता वाले कुछ समाज के तबके की सोच में कुछ बदलाव लाया जा सके । 28 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर हुए एक कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री ने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए देश भर में 11 पीठों के गठन की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा लड़कियों को अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोत्साहन करना है। युवा लड़कियाँ उनसे प्रेरणा लेंगी और हमारे देश को गौरान्वित करेंगी। केंद्र सरकार की ओर से सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि तकनीक इंजीनियरिंग और गणित (STEM, Science Technology Engineering and Mathematics) के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

महिला वैज्ञानिकों का अनुसंधान क्षेत्र में योगदान

प्रख्यात भारतीय महिला वैज्ञानिकों जिनके नाम पर 10 विश्वविद्यालयों में 11 पीठ बनाई गई हैं, उनके नाम एवं अनुसंधान क्षेत्र निम्न है–

डॉ. जानकी अम्मल – Botanist

डॉ. जानकी अम्मल वनस्पति शास्त्र की पहली महिला वैज्ञानिक थी।

इनका जन्म 4 नवंबर 1897 में हुआ। वह अमेरिका में वनस्पति विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थीं। 1913 में भारत में महिलाओं की साक्षरता एक प्रतिशत से भी कम थी। वह 1924 में अमेरिका गयी और मिशिगन विश्वविद्यालय में प्लांट साइटोलॉजी पर शोध किया, विभिन्न पौधों के प्रकार का अध्ययन किया। उन्होंने भारत की जलवायु के अनुकूल गन्ने एवं बैगन की फसल विकसित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया। वह जॉन इन्स इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए इंग्लैंड चली गई जहाँ उन्होंने कल्टीवेटेड प्लांट्स के क्रोमोसोम एटलस का सह-लेखन किया। रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में, उन्होंने अध्ययन किया कि कैसे तेजी से बड़े पौधों को कोलिसिन का उपयोग करके विकसित

किया जाए। उनके नाम पर एक मैगनोलिया किस्म और एक संकर गुलाब का नाम रखा गया। अकालों की एक श्रृंखला के बाद, वह खाद्य उत्पादन बढ़ाने में मदद करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रधान मंत्री के अनुरोध पर भारत लौट आई। हालांकि, अधिक भोजन उगाने के प्रयास में हो रहे वनों की कटाई से वह बिल्कुल असहमत थी। वह देशी पौधों के संरक्षण के लिए एक वकील बन गई और जलविद्युत परियोजना से साइलेंट वैली को सफलतापूर्वक बचाया। अब यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। सन 1977 में उन्हें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया।

प्रौधोगिकी के क्षेत्र में डॉ. जानकी अम्मल के नाम पर एक चेयर स्थापित की गयी , जो उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि होगी।

डॉ. इरावती कर्वे – Anthropologist

यह भारत की पहली महिला मानवविज्ञानी थी।

इनका जन्म 15 दिसंबर 1905 बर्मा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था एवं इनका नाम बर्मा में इरावती नदी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज मे दर्शनशास्त्र कि पढाई कि थी, जिसमें से उन्होंने 1926 मे स्नातक कि उपाधि प्राप्त कि थी। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी मे जीएस घोरी से समाजशास्त्र की पढाई करने के लिए दक्षिणा फैलोशिप प्राप्त की थी।

उन्होंने 1931 से 1936 तक बॉम्बे मे एसएनडीटी महिला विश्वाविद्यालय मे एक प्रशासक के रुप मे काम किया था। वह 1939 मे समाजशास्त्र मे एक रीडर के रुप मे पूणे के डेक्कान कॉलेज चली गई थी, यहाँ मानवविज्ञान विभाग उन्होंने ही स्थापित किया था।

उन्होंने मराठी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में काम किया। उनके अध्ययन का मुख्य विषय भारत की जनसंख्या में प्रजातीय तत्व एवं जाती की उत्पत्ति, ग्रामीण और नगरीय समुदाय का अध्ययन , नातेदारी व्यवस्था पर था एवं शोध पश्चिम भारत की प्रादेशिक संस्कृति की विशेषताओं पर था।

इनको महाभारत पर लिखी गयी मराठी रचना श्युगांत एक युग का अंतष के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इनका रुझान नारीवाद कविताओं को अनुवाद करने की ओर एवं लोक गीतों को एकत्रित करना की ओर भी था।

डॉ. रमन परिमाला – Mathematician

यह महिला गणितज्ञ थी। इनका जन्म 21 नवंबर 1948 में तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने संख्या सिद्धांत, बीजगणितीय ज्यामिति और टोपोलॉजी के उपकरणों का उपयोग करके बीजगणित में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

वह टीआईएफआर (TIFR, Tata Institute of Fundamental Research) में प्रोफेसर रही। बीजगणित में उनकी उत्कृष्टता के कारण उन्हें कई पुरस्कार और मान्यताएँ मिली हैं। वह तीनों भारतीय विज्ञान अकादमियों– भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (नई दिल्ली), भारतीय विज्ञान अकादमी (बैंगलोर) और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (इलाहाबाद) की फेलो रहीं। उन्होंने 1987 में भारत में सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीता है।

गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए 2005 में उन्हें 'द वर्ल्ड अकादमी ऑफ साइंस' पुरुस्कार से सम्मानित किया गया। कई विदेशी यूनिवर्सिटी में वह विजिटिंग प्रोफेसर रही।

डॉ. अन्ना मणि– Meteorologist

डॉ. अन्ना मणि एक प्रमुख भारतीय भौतिक विज्ञानी एवं भारतीय मौसम वैज्ञानिक थीं। इनका जन्म 23 अगस्त 1918 को केरल में हुआ।

वह भारत के मौसम विभाग के उप–निदेशक थीं। उन्होंने मौसम विज्ञान उपकरणों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किए हैंय सौर विकिरण, ओजोन और पवन ऊर्जा माप के विषय में अनुसन्धान किया है और कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। मौसम से जुड़े उपकरणो के डिजाइन और निर्माण कार्यक्रमो का भारत मे विकास किया।1975 में, उन्होंने मिस्र में WMO सलाहकार के रूप में कार्य किया। वह 1976 में भारतीय मौसम विभाग के उप महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुईं।

डॉ. कादम्बिनी गांगुली– Doctor in Medicine

इनका जन्म 18 जुलाई 1861 में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की उपाधि ली, एवं 1886 में भारत की पहली महिला फिजिशियन बनी। वह पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया।

उन्होंने कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति पर काफी कार्य किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने

वाली पहली महिला बनी।

डॉ अर्चना शर्मा– Botanist

इनका जन्म 16 फरबरी 1932 को पुणे ,महाराष्ट्र में हुआ।

अर्चना शर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय वनस्पतिशास्त्री, साइटोजेनेटिकिस्ट, सेल बायोलॉजिस्ट और साइटोटॉक्सिकोलॉजिस्ट थीं। उनके व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त योगदानों में वानस्पतिक रूप से प्रजनन करने वाले पौधों में प्रजाति का अध्ययन, वयस्क नाभिक में कोशिका विभाजन को शामिल करना, पौधों में विभेदित ऊतकों में पॉलीटेनी का कारण, फूलों के पौधों की साइटोटेक्सोनॉमी और पानी में आर्सेनिक का प्रभाव शामिल है।

1967 में, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में संकाय के रूप में शामिल हुई, बाद में 1972 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन सेल एंड क्रोमोसोम रिसर्च में जेनेटिक्स की प्रोफेसर बनी । 1981 में, उन्हें वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया ।

इनके मार्गदर्शन में 70 से अधिक विद्यार्थियों ने साइटोजेनेटिक्स, मानव आनुवंशिकी, और पर्यावरणीय उत्परिवर्तन के क्षेत्रों में पीएचडी की।

अपने करियर के दौरान, उन्होंने 10 पुस्तकें और 300 से 400 शोध पत्र प्रकाशित किए। उन्होंने अपने पति, साथी प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा के साथ 1965 में क्रोमोसोम टेक्निक्स – 'थ्योरी एंड प्रैक्टिस' नामक पुस्तक प्रकाशित की। वह न्यूक्लियस की संस्थापक भी थीं, जो साइटोलॉजी और संबद्ध विषयों की एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है, और 2007 तक इसकी संपादक बनी रहीं। उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के संपादकीय बोर्ड में काम किया।

डॉ. राजेश्वरी चटर्जी – Engineer

राजेश्वरी चटर्जी का जन्म 24 जनवरी 1922 को हुआ। वह कर्नाटक की पहली महिला इंजीनियर बनी। भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बंगलौर में अपने कार्यकाल के दौरान, चटर्जी एक प्रोफेसर के पद पर रहते हुए उन्होंने षविद्युत चुम्बकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन ट्यूब सर्किट, माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी और रेडियो इंजीनियरिंगष पढ़ाया और बाद में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग की अध्यक्ष थीं। उन्होंने और उनके पति ने माइक्रोवेव अनुसंधान प्रयोगशाला का निर्माण किया और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शोध शुरू किया, जो भारत में इस तरह का पहला शोध था।

अपने जीवनकाल में, उन्होंने 20 विद्यार्थियों को पीएचडी करवाई एवं 100 से अधिक शोध पत्र और सात पुस्तकें लिखीं।

1982 में IISc से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों पर काम किया, जिसमें भारतीय महिला अध्ययन संघ भी शामिल था।

डॉ. बिभा चौधरी– Physicist

डॉ. बिभा चौधरी 20वी सदी की भारतीय महिला भौतिक विज्ञानी थी। इनका जन्म 1913 में कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने 1936 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर्स पूरा किया। वह अपने वर्ग की अकेली महिला थी क्योंकि भौतिकी, पुरुषों के प्रभुत्व वाला विषय था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेनचेस्टर से अपनी पीएचडी की उपाधि ली।

वह पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय और बाद में कलकत्ता में बोस संस्थान में देबेंद्र मोहन बोस की प्रयोगशाला में शामिल हुईं। डीएम बोस और बिभा ने मेसन (उप–परमाणु कण जो अस्थिर होते हैं और सेकंड के कुछ सौवें हिस्से में क्षय होते हैं) की सह–खोज की। उन्होंने नेचर में लगातार तीन लेख प्रकाशित किए। हालांकि, द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करने वाले वर्षों के दौरान प्रयोगों के लिए आवश्यक फोटोग्राफिक इमल्शन प्लेटों की अनुपलब्धता के कारण वे मेसन अनुसंधान पर आगे नहीं बढ़ सके। सी.एफ. पॉवेल, एक अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी, ने कुछ साल बाद समान तरीकों का उपयोग करके वही खोज की जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। एक तारे का नाम इनके नाम पर बिभा रखा गया है।

डॉ. दर्शन रंगनाथन– Organic Chemist

दर्शन रंगनाथन का जन्म 4 जून 1941 में हुआ था। वह भारत की एक कार्बनिक रसायनज्ञ थी, जो जैव–कार्बनिक रसायन विज्ञान में अपने काम के लिए जानी जाती थी, जिसमें 'प्रोटीन फोल्डिंग में अग्रणी कार्य' शामिल था। उन्होंने सुपरमॉलेक्यूलर असेंबली, आणविक डिजाइन, प्रमुख जैविक

प्रक्रियाओं का रासायनिक अनुकरण, 'कार्यात्मक हाइब्रिड पेप्टाइड्स का संश्लेषण और नैनोट्यूब का संश्लेषण' पर भी कार्य किया।

1970 में, उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT कानपुर में शोध शुरू किया। उस वर्ष, उन्होंने सुब्रमनिया रंगनाथन से शादी की, जिसके साथ उन्होंने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म (1972), आर्ट इन बायोसिंथेसिस: द सिंथेटिक केमिस्ट्स चैलेंज (1976), और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म (1980) में आगे की चुनौतीपूर्ण समस्याओं के लेखक के रूप में आगे बढ़ी, साथ ही साथ 'करंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलाइट्स' नामक चल रही श्रृंखला का संपादन भी किया।

डॉ. कमल रानादिवे– Biomedicist

इनका जन्म 8 नवंबर 1917 को पुणे में हुआ। वह एक भारतीय बायोमेडिकल शोधकर्ता थी, जो कैंसर और वायरस के बीच संबंधों पर अपने शोध के लिए जानी गयी। वह 'भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ'(IWSA) की संस्थापक सदस्य थीं।

1960 में, उन्होंने जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अपने सहायकों (जिन्हें उन्होंने ICRC में शामिल किया था) के साथ टिशू कल्चर मीडिया और संबंधित अभिकर्मकों का विकास किया। वह कार्सिनोजेनेसिस, सेल बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में नई शोध इकाइयां स्थापित करने के लिए भी जानी जाती हैं। उनके करियर की उपलब्धियों में जानवरों के माध्यम से कैंसर के पैथोफिजियोलॉजी पर शोध शामिल है, जिससे ल्यूकेमिया, स्तन कैंसर और इसोफेजियल कैंसर जैसे रोगों के कारणों की काफी सराहना हुई। उन्होंने कुष्ठ रोग के टीके का विकास और इस रोग से संबंधित बैक्टीरिया पर उल्लेखनीय कार्य किया।

1982 में चिकित्सा के लिए उन्हें पद्मभूषण (भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार) से सम्मानित किया गया।

डॉ. असीमा चटर्जी– Organic Chemist

इनका जन्म 23 सितंबर 1917 में हुआ। वह एक भारतीय कार्बनिक रसायनज्ञ थीं, जो कार्बनिक रसायन और फाइटोमेडिसिन के क्षेत्र में अपने काम के लिए विख्यात थीं। उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में विंका अल्कलॉइड्स पर शोध, मिरगी–रोधी दवाओं का विकास और मलेरिया–रोधी दवाओं का विकास शामिल है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के औषधीय पौधों पर काफी काम किया। वह भारतीय विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला थी।

1961 में, उन्हें रसायन विज्ञान में 'शांति स्वरूप भटनागर' पुरस्कार मिला, इस पुरस्कार की वह पहली महिला प्राप्तकर्ता बनीं।

1975 में, उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया और वह भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की महासचिव के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनीं।

उपसंहार– अनुसंधान गतिविधियों में महिलाओं एवं युवा छात्रओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह 11 पीठ, उपर्युक्त 11 महिला वैज्ञानिकों के नाम से गठित की गई हैं, जिसमे रिसर्च स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। इन सभी महिला वैज्ञानिकों का कैरियर ग्राफ एवं शोध के क्षेत्र में उनका योगदान निश्चित ही सभी महिलाओं और छात्राओं जो विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी है उनके लिए प्रेरणादायक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. DOI:10-36094/sc-v86-2020-Bibha_Chowdhuri_Unsung_Heroine-SinghandRoy-90
2. https://en-m-wikipedia-org/wiki/Bibha_Chowdhuri
3. https://m-economictimes-com/industry/services/education/11-chairs-in-names-of-women-scientists-to-be-established-at-institutes-across- country-smriti-irani/amp_articleshow/74406851-cms
4. https://www-indiatoday-in/india/story/11-chairs- names-women-scientists-established-institutes -across-country-smriti-irani-1651017-2020-02-28
5. https://www-businessinsider-in/slideshows/these-11-indian-women-contributed-to-science-when-it-wasnt-easy-for-them/slidelist/74439340-cms
6. https://en-m-wikipedia-org/wiki/Archana_Sharma_(physicist)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारतीय स्वरूप में गिग अर्थव्यवस्था

डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, चीनौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – गिग इकोनोमी सुनने में एक नया सा शब्द लगता है लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं है,लेकिन ये काम की व्यवस्था लम्बे समय से चली आ रही है गिग अर्थवयवस्था को कभी-कभी फ्रीलान्स अर्थवयवस्था,फुर्तीला कार्यबल या अस्थयी काम भी कहा जाता है वर्तमान डिजिटल युग में जैसे-जैसे अर्थवयवस्था विकसित होती जा रही है गिग वर्कर की मॉग बढ़ रही है इस प्रकार की अर्थवयवस्था में बड़ी संख्या में लोग अंशकालीन तथा अस्थायी पदों पर लोग कार्य करते है गिग वर्कर वे कर्मकार है जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी व्यवस्था के बाहर अजीविका में संलग्न है। जिन्हें मोटे तौर पर प्लेटफॉर्म तथा गैर-प्लेटफॉर्म आधारित कर्मकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है प्लेटफॉर्म कर्मकार का कार्य डिजिटल माध्यम पर आधारित होता है जबकि गैर-प्लेटफॉर्म कर्मकार आमतौर पर पारंपरिक क्षेत्रों में कैजुअल वेज वर्कर और ओन-अकाउन्ट वर्कर होते है। जो पार्ट-टाइम और फुल-टाइम काम करते है। चाहे गायक हो, संगीतकार हो या अन्य कोई इन्हें पारिश्रमिक तभी मिलता है जब इनका कोई गाना लांच हो जाता है। ठीक इसी तरह अभिनेता और अभिनेत्रियों को उनका भुगतान फिल्म के आधार पा किया जाता है।

और आज जब लोग इन्टरनेट के माध्यम से अनेकों काम कर पाने में सक्षम है तो ऐसे में जब किसी कम्पनी/व्यक्ति द्वारा किसी भी पेशेवर व्यक्ति चाहे वह डॉक्टर हो,वकील हो,इन्जीनियर हो, फ्रीलांसर हो या कोई अन्य जिसे टास्क या प्रोजेक्ट पूर्ण करने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है ऐयी स्थिति में सभी पेशेवर गिग अर्थव्यवस्था का हिस्सा होते है।

गिग अर्थव्यवस्था के लाभ:

(1) समय का स्वंय निर्धारण– गिग अर्थव्यवस्था में कर्मचारी स्वंय अपनी ईच्छानुसार कार्य के समय का निर्धारण करते है वह इस कार्य को पार्ट-टाइम और फुल-टाइम अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते है वो लोग जो स्थाई रूप से किसी संस्था या कम्पनी में काम नहीं करना चाहतें है उनके लिए गिग अर्थव्यवस्था वरदान है ।

(2) कार्य की स्वतन्त्रता–गिग अर्थव्यवस्था में कर्मचारी को कार्य करने की स्वतंत्रा प्रदान की जाती है इसमें वर्कर को आमतौर पर ऐसा एहसास होता है कि उन्हें कम्पनी,संगठनों या व्यक्तियों द्वारा काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है और उसे पूरा होने तक वे स्वतन्त्र तौर पर कार्य करते है। फ्रीलांसर कर्मचारी को इसमें बड़ा फायदा यह है कि उसको अपनी मर्जी से काम करने की छूट मिलती है।

(3) कार्य के प्रति उत्साह– चूकि गिग वर्कर अस्थायी तौर पर कार्य करते है इसलिए इन्हें अलग-अलग कम्पनी या क्लाइंट से अलग-अलग टास्क पूर्ण करने के लिए मिलता है जिससे यह एक जैसे कार्य होने की बोरियत और नीरसता से बच जाते है और जुनून के साथ कार्य करते है।

(4) भुगतान समय पर– गिग अर्थव्यवस्था के तहत कर्मकार को भुगतान के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता है बल्कि प्रोजेक्ट चलने के बीच या फिर पूर्ण होने के बाद उन्हें तुरन्त पैसा मिल जाता है।

(5) कार्य स्थल का स्वयं चयन– कर्मचारी अपना कार्यस्थल,कार्य करने का समय इत्यादि अपनी सहूलियत के आधार पर चुनकर इसके साथ कुछ अन्य कार्य भी कर सकते है।

(6) महिला सशक्किरण में सहायक– महिलाओं की दृष्टि से भी गिग अर्थव्यवस्था काफी फायदेमंद साबित हो रही है विभिन्न प्रकार के सामाजिक कारणों के चलते भारत में महिलाओं पर ढ़ेरों पाबंदिया होती है और उन्हें बाहर काम करने से रोका जाता है ऐसी स्थिति में इस अर्थव्यवस्था के माध्यम से उन्हें घर बैठे काम का मनचाहा विकल्प मिल जाता है। और महिलाओं को भी अर्थव्यवस्था में अपना समुचित योगदान देने का मौका मिल जाता है जो कि देश के सर्वांगीण बिकास के लिए आवश्यक है।

गिग अर्थव्यवस्था के नुकसान:

(1) विभिन्न प्रकार के लाभों से वंचित– इस अर्थव्यवस्था में कर्मचारी अस्थायी तौर पर नियुक्त होते है इसलिए वे कम्पनी एवं सरकार द्वारा प्रदाय की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं से वंचित रहते है जैसे विभिन्न प्रकार के भत्ते,बोनस,बीमा,ऐरियर राशि इत्यादि।

(2) स्थायित्व का अभाव– चूँकि इस अर्थव्यवस्था में कर्मचारी अस्थायी तौर पर कार्यरत होने के कारण नियमित और रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती है इसलिए इनके पास नियमित आय का भी साधन नहीं होता है।

(3) मानसिक तनाव– रोजगार स्थायित्व न होने के कारण गिर वर्कर हर एक टास्क या प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद नये काम की तलाश में रहते है, इससे उनके अन्दर अपने रोजगार की निरन्तरता को बनाए रखने का मानसिक तनाव बना रहता है।

(4) कार्य की सीमित्ता– इस व्यवस्था में आमतौर पर उन्हीं लोगो को काम मिल पाता है जो अपने क्षेत्र में माहिर है इसके लिए कुशल एवं योग्य होने के साथ-साथ उस व्यक्ति की अपने काम में भी विशेषज्ञता होनी चाहिए अर्थात ऐसी स्थिति में केवल सीमित व्यक्तियों को ही कार्य मिल पाता है।

(5) प्रशिक्षण की समस्या– जहॉ इस अर्थव्यवस्था के तमाम फायदे है, तो दूसरे तरफ इसकी चुनौतियों से इनकार नहीं किया जा सकता है दरअसल काम की प्रकृति एवं माग को देखते हुए इतनी बड़ी कार्यकारी जनसंख्या को प्रशिक्षित करना एक मुश्किल काम है जबकि भारत में करीब 50 प्रतिशत कार्यकारी जनसंख्या है इस डेमोग्राफिक डिविडेन्ड का अधिकतम लाभ उठाने

के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या को जाब के अनुसार संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए एक बड़े प्रयास की जरूरत है।

(6) श्रम कानूनों का अभाव–गिग अर्थव्यावस्था की एक चुनौती यह भी है कि इस पर देश के कई श्रम कानून लागू नहीं होते जिसके चलते कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके जैसे मैटरनिटी लाभ,सेक्सुअल हरासमेंट आदि पर कानून की पकड़ नहीं है एवं रोजगार सुरक्षा की भी गारंटी नहीं है।

गिग इकानोमी के नकारात्मक पक्ष– भारत में गिग इकानामी की एक बड़ी चिन्ता हमारे देश में दक्ष कार्यशील आबादी का अभाव होना आमतौर सभी कमपनियॉ उन्हीं व्यक्तियों को चयन करती है जो किसी क्षेत्र में दक्ष या विशेषज्ञ हों हमारे देश मे एक बड़ी आबादी कार्यकारी जनसंख्या की है, लेकिन इनमें दक्ष पेशेवरों की तादाद काफी कम है एक बड़ी आबादी को नौकरी की मॉग के मुताबिक संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए एक बड़े प्रयास की जरूरत, जो कि एक बड़ी चुनौती है साथ ही इस व्यवस्था में कई श्रम कानून लागू नहीं होते जिसके चलते कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की सुरक्षा नहीं मिलती,इसके अलावा यह अस्थायी और असंगठित रोजगार को बढ़ावा देती है और इसमें नियमित काम एवं रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती इसलिए इसे नियमित आय का साधन नहीं मान सकते है।

शोध प्रविधि–प्रस्तुत अध्ययन प्रमुखत: द्वितीयक समंको पर आधारित है इसमें मुख्य रूप से समाचार पत्र,पत्रिकाओं एवं इन्टरनेट वेबसाइड का सहारा लिया गया है।

उपकल्पना:

1. गिग अर्थव्यवस्था से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रहीं है।
2. रोजगार सुरक्षा का अभाव होना।

भारत में गिग अर्थव्यवस्था– भारत में गिग इकोनामी के विकास का कारण देश में तेजी से बढ़ता डिजिटिलीकरण है दूसरा इसको अपनाने से फर्मो की परिचालन लागत कम हो जाती है क्योकि कम्पनियॉ पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होती है तीसरी वजह यह है कि इसमें वर्कर्स को पर्याप्त फ्लैक्सिबिलिटी उपलब्ध रहती है जिससे वह बार–बार अपनी सुविधा एवं योगतानुसार नौकरी बदल सकते है तथा अपने काम का चयन कर सकते है। और चौथा कारण औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों में हालिया मंदी से इस व्यवस्था को बढ़ावा मिला है। और भारत का गिग अर्थव्यवस्था के मामले में उसका एक स्थान है मानव संसाधन फर्मटीमलीज के आकड़ों के अनुसार दिल्ली इस क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के मामले तेज गति से आगे बढ़ रहा है एक अनुमान के अनुसार भारत में नए रोजगारों का 56 प्रतिशत गिग इकोनोमी कम्पनियों द्वारा सृजित किए जा रहे है। हालांकि भारत में गिग अर्थव्यवस्था अभी अपने शुरूआती दौर में साल 2018–19 में करीब 13 लाख लोग गिग इकोनोमी के दौर में आए और वर्श 2019–20 में 68 लाख हो गए और यह संख्या 2029–30 2.35 लाख तक बढ़नें की सम्भावना है वर्तमान में लगभग 47 प्रतिशत गिग कार्यबल मध्यम कुशल नौकरियों में,लगभग 22 प्रतिशत उच्च कुशल तथा लगभग 31 प्रतिशत अल्प कुशल नौकरियों में है।

भारत में अनुमानित 56 प्रतिशत रोजगार गिग इकोनोमी कम्पनियों द्वारा ब्लू–कॉलर और व्हाइट–कॉलर कार्यबल दोनों में उत्पन्न किए जा रहे है। भारत में ब्लू–कॉलर नौकरियों के लिए गिग इकोनोमी प्रचलित है, व्हाइट–कॉलर नौकरियों जैसे–परियोजना–विशिष्ट सलाहकार,विक्रेता,वेब डिजायनर,सामग्री लेखक और साफ्टवेयर डेवलपर्स में गिग श्रमिकों की मॉग बढ़ रही है। गिग इकोनोमी भारत में गैर–कृषि क्षेत्रों में 90 मिलियन नौकरिया दे सकती है जैसा कि भारत वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने घोषित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है,आय और बेरोजगारी की खाई को पाटने में गिग इकोनोमी की एक प्रमुख भूमिका होगी।

निष्कर्ष एवं सारांश– वर्तमान समय में गिग इकोनोमी का प्रचलन दिन – प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वर्कर की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और लोगों को काम मिल रहा है स्थाई नौकरी में व्यक्ति को कम से कम आठ घण्टे तो काम करने की आवश्यकता होती ही है और आम तौर पर लोग सुबह 9 बजे से शाम 05 तक का समय कार्यालय में बिताते है जबकि गिग इकोनोमी में वर्कर को कोई एक टास्क या प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दिया जाता है इसलिए इसमें काम का ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत लचीलापन रहता है और जबसे भारत में ऑनलाइन कारोबार में वृद्धि हुई है इसकी वृद्धि से भारत में गिग वर्कर की संख्या में भी इजाफा हुआ है इसलिए गिग इकोनोमी को प्रोत्साहन मिला है एक आकड़े के मुताबिक भारत में लगभग 12–13 करोड़ गिग वर्कर उपलब्ध है और इनमें लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन की प्रथम उपकल्पना स्वयंसिद्ध होती है परन्तु इस अर्थव्यवस्था में सामान्तय: **अस्थायी और असंगठित रोजगार को बढ़ावा मिलता है इसमें नियमित कार्य रोजगार कोई स्थायी गारंटी नहीं होती है इससे** अध्ययन की द्वितीय उपकल्पना भी सार्थक सिद्ध होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. https//www.gyanglow.com
2. https//www.adda247.com
3. https//www.drishtiias.com
4. The Hindu, Indian express,business line

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

कौशल विकास द्वारा नौकरी और करियर में सफलता के लिए योग के फायदे

डॉ. सोनाली सिंह*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (शारिरिक शिक्षा विभाग) जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – आज, हम कई विकर्षणों के साथ जीते हैं और हमारे निर्णय हमारे नियंत्रण से परे सभी कारकों से प्रभावित होते हैं। शिक्षा और नौकरी से संबंधित निर्णय विशेष रूप से जीवन बदलने वाले मील के पत्थर होते हैं जिनमें उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में पूरी जागरूकता के साथ लेने की आवश्यकता होती है। इसी के साथ, इस बात का विस्तार हो रहा है कि आधिकारिक शिक्षा को विभिन्न कौशलों के साथ पूरक करने की आवश्यकता है जो हमें उद्योग के लिए उचित नौकरी में रखने और अत्यधिक कुशल होने के लिए तैयार करने के लिए तैयार करते हैं। वजन, आहार और आध्यात्मिक कल्याण को अपना करके हम शारीरिक रूप से स्वस्थ बनने के अलावा नए कौशल विकसित करने, नए ज्ञान और क्षमता को प्राप्त करने में योग के पास बहुत कुछ हैं। योग सभी उम्र के लोगों के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है और यदि आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, सर्जरी से ठीक हो रहे हैं या पुरानी स्थिति के साथ जी रहे हैं, तो योग आपके उपचार का एक अभिन्न अंग बन सकता है और संभावित रूप से जल्दी ठीक हो सकता है। एक योग चिकित्सक रोगियों के साथ काम कर सकता है और व्यक्तिगत योजनाओं को एक साथ रख सकता है जो उनके चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपचारों के साथ मिलकर काम करते हैं। इस तरह, योग उपचार प्रक्रिया का समर्थन कर सकता है और व्यक्ति को अधिक केंद्रितता और कम परेशानी वाले लक्षणों का अनुभव करने में सहायता कर सकता है।

प्रस्तावना – कौशल विकास नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी विभिन्न पहलों के जरिए लगभग 96,196 लोगों को योग शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। कौशल विकार पर सरकार के अन्य कार्यक्रमों में छोटी अवधि के प्रशिक्षण और विशेष परियोजनाएं शामिल हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने कहा कि प्रशिक्षण के लिहाज से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल और पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि सरकार योग के क्षेत्र में विभिन्न करियर संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने कहा कि इस समय योग का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि दुनिया भर में लोग कोरोना वायरस के प्रकोप से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों से निपटने की राह तलाश रहे हैं।

योग के फायदे :

अनुप्रयुक्त अभ्यास– कौशल उसी तरह के अभ्यास की मांग करते हैं जैसे हम प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से योग सीखते हैं। दोनों को कठोर और अनुशासन के साथ नियमित व्यायाम करने की आवश्यकता है। एक छोटे से प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से एक नया कौशल सीखना पूरा नहीं किया जा सकता है, इसे वास्तविक जीवन के डॉक्युमेंट्स पर विभिन्न दृष्टिकोणों में करने की आवश्यकता है। ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है और साथ ही नई चीजों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए, खुद को यूवी के अनुकूल बनाना और ग्रहणशील होना चाहिए।

मन–शरीर समन्वय– नियमित मार्ग के माध्यम से योग इस नियंत्रण को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम योग आसनों के साथ–साथ सांस लेने की विभिन्न तकनीकों का अभ्यास करने के लिए हर दिन कुछ मिनट की घोषणा करते हैं, तो यह हमारे शरीर को हमारे दिमाग को सुनने के लिए प्रशिक्षित करता है और इसके विपरीत। इसकी आवश्यकता तब होती है जब हम कुशल रोशनी में काम करते हैं, विशेष रूप से चिपकने वाला खर्च जहां मशीनों, कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों के समन्वय के लिए हमारे 100% ध्यान और मानसिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

सकारात्मक ऊर्जा– हमारे आस–पास की नकारात्मकता को दूर करने के लिए बहुत अधिक लिपिक प्रयास करना है – चाहे वह सामान्य रूप से रहने के बारे में हो या हमारी नौकरी, पेशेवर विकास और करियर के बारे में हो। दान विकास कार्यक्रम को बहुत अधिक सकारात्मक सुदृढीकरण की आवश्यकता है क्योंकि हम लोगों को काम करने के नए तरीकों को स्वीकार करने और नए ज्ञान को समायोजित करने के लिए सिखा रहे हैं और प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो काफी हद तक हो सकते हैं। योग का नियमित अभ्यास निश्चित रूप से हमारे दृष्टिकोण को आकार देने और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में मदद करता है।

उच्च संबद्धता– सतत सहयोग आधारित प्रशिक्षण का प्रमाण प्रमाण स्तर और कार्य की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है जो व्यावसायिक परिणाम प्राप्त करता है। इसके लिए काम करने के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसे कुजव तनाव, कठिन समय सीमा और अन्य पेशेवर व्यक्तियों के लिए आपके द्वारा उचित अभ्यास के साथ योग प्राप्त किया जा सकता है। काम करने के वसीयतनामे के माध्यम से एक शांत

दिमाग हमारे मानकों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

निर्णय लेना- यह किसी भी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से यह तय करने के लिए कि कौन सा करियर पथ लेना है, किस कौशल विकास कार्यक्रम में नामांकन करना है या पेशेवर लक्ष्यों के साथ व्यक्तिगत लक्ष्यों को कैसे बनाना है। योग का अभ्यास अनिर्णायक चक्र को हल करने में सहायक हो सकता है क्योंकि यह हमें अपने मन को नियंत्रित करने और आत्म-प्रतिबिंब और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से विभिन्न विकल्पों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने में प्रशिक्षित करता है। यह हमें अलग-अलग सीखने के शिक्षण के रूप में कुछ नियमों की विफलताओं या मानकों को संभालने के लिए भी तैयार करता है।

जीवनपर्यंत सीख- अपने दम पर या एक पेशेवर प्रशिक्षक के माध्यम से योग सीखने के ज्ञान और कौशल की पढ़ाई के लिए नए रास्ते हैं। इससे पता चलता है कि हम अपने शरीर और दिमाग को प्रशिक्षित करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह हमें सीखने के लिए तैयार करता है क्योंकि स्कूल में भर्ती या नौकरी करने के बाद शिक्षा बंद नहीं होती है। योग हमें खुले रहना, ग्रहणशील होना और समग्र शिक्षा के लिए विभिन्न विचारों को स्वीकार करना सिखाता है।

माइंडफुलनेस - यह महत्वपूर्ण सुपरप्लेक्स में से एक है जो हमें अपने बारे में महसूस होने और अपनी क्षमता को महसूस करने में मदद कर सकता है। योग दिमागीपन का अभ्यास करने में मदद करता है और इसके बदले में नई कौशल शिक्षा, नई जानकारी को आत्मसात करना और बातचीत करना और हमारे प्रदर्शन में सुधार के लिए इसे बदलने की हमारी क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कक्षा में प्रशिक्षण की तुलना में कौशल विकास कहीं अधिक समग्र है। इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने के लिए पूरे अभ्यास के माध्यम से कार्यभार और समर्पण की आवश्यकता होती है। हालाँकि, आप कुशल हो या कुशल हों या आप अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पाठ्यक्रम के लिए नियुक्त हों, यह महत्वपूर्ण है कि इसके परिणामस्वरूप इन गतिविधियों को सकारात्मक सोच के साथ लिया जाए। सीखना तभी सबसे प्रभावी होता है जब मन शांत, तनावमुक्त होय चिंता नकारात्मक भावनाएँ, आत्म-संदेह पैदा करती है, और कुछ नया सीखने में निश्चय कम करती है। इसलिए, अंतर देखने और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए योग को अपना कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक निगम बना रहा है! एंथोनी जे. डी 'एंजेलो ने लिखा' 'बदलाव के छात्र बनें। केवल यही एक चीज है जो स्थिर रहेगी।' जीवन में जितनी जल्दी हम इस सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं और बिना किसी चिंता के परिवर्तन के अनुकूल होना सीख सकते हैं, उतना ही अधिक हम अपने व्यक्तिगत सुविधा क्षेत्र का विस्तार कर पाएंगे और खुद को अनंत संभावनाओं तक खोल पाएंगे। हमारी योग-प्रेरित कक्षाएं बच्चों को एक सहायक और उत्साहजनक वातावरण में अपने शरीर का परीक्षण करने, नए आंदोलनों और विचारों को आजमाने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती हैं। बच्चे अपने योगा मैट पर सुरक्षित और जमीन से जुड़े हुए महसूस करते हैं।हमारी कक्षाओं में मुद्राएं और गतिविधियां बच्चों को श्क्षण मेंश सहज महसूस करने की क्षमता देती हैं। बच्चे सीखते हैं कि उनके शरीर और भावनाएं अलग-अलग समय पर अलग महसूस करेंगी और इसे स्वीकार करने और स्वीकार करने में सक्षम हैं।बच्चों को प्रेरित करने और उन्हें जीवन कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए अपनी कक्षाओं में योग का उपयोग करने में सक्षम होने पर हमें गर्व है।

आंकड़े जहां आज की दुनिया में युवाओं को एक सार्थक करियर बनाने के लिए कौशल सेट की आवश्यकता होती है, वहीं उन्हें समाज में अच्छा करने के लिए मनोसामाजिक कौशल के सेट की भी आवश्यकता होती है। जीवन कौशल मनोसामाजिक क्षमताएं हैं जो लोगों को भावनाओं को पहचानने और संसाधित करने और रोजमर्रा के मुद्दों को संभालने की अनुमति देती हैं। डब्ल्यूएचओ द्वारा पहचाने गए प्रमुख जीवन कौशल हैं निर्णय लेने, रचनात्मक सोच, महत्वपूर्ण सोच, संचार, पारस्परिक कौशल, आत्म-जागरूकता, सहानुभूति, लचीलापन और भावनाओं और तनाव से मुकाबला करना। ओईसीडी ने तीन 'परिवर्तनकारी दक्षताओं' का सुझाव दिया हैय नए मूल्य बनाना, तनावों और दुविधाओं का समाधान करना और जिम्मेदारी लेना। योग न केवल शारीरिक सहनशक्ति और लचीलेपन को बढ़ाता है बल्कि भावनात्मक स्थिरता, बौद्धिक और रचनात्मक प्रतिभा को भी बढ़ाता है। यह अध्ययन नियमित रूप से योग का अभ्यास करने वाले मेडिकल छात्रों में जीवन कौशल और परिवर्तनकारी दक्षताओं की प्राप्ति को देखता है। उद्देश्यरू मेडिकल छात्रों को उनकी सामाजिक जरूरतों और दायित्वों का सामना करने में मदद करने के लिए आवश्यक मूल जीवन कौशल की पहचान करना। योग पद्धतियों के नियमित अभ्यास द्वारा विचार प्रक्रियाओं में आए परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण करने के लिएरू यह अध्ययन गुंटूर जिले के एनआरआई मेडिकल कॉलेज में अक्टूबर और नवंबर 2019 के महीनों में किया गया था, जिसमें 6 से 9वें सेमेस्टर की 81 महिला मेडिकल छात्रों को शामिल किया गया था। सूचित सहमति लेने के बाद एक पूर्व-परीक्षणित जीवन कौशल आधारित प्रश्नावली को व्यक्तिगत रूप से प्रशासित किया गया था। डेटा एमएस एक्सेल में दर्ज किया गया था और तालिकाओं में प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया था। महत्व के 5% स्तर पर ची स्क्वायर परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों को महत्व के परीक्षण के अधीन किया गया था।

परिणाम- 45 अध्ययन के 7% विषय नियमित रूप से योग का अभ्यास कर रहे थे। कुल मिलाकर, पारस्परिक संबंध (84.0%), प्रभावी संचार (74.1%) और सहानुभूति (74.1%) ऐसे कौशल थे जिन्हें सभी लड़कियों ने स्वीकार किया। महत्वपूर्ण सोच (59.3%), रचनात्मक सोच (70.4%), निर्णय लेने (67.9%), समस्या समाधान (61.7%) और भावनाओं से निपटने (65.4%) जैसे कौशल में समझौता हालांकि कम था। जबकि कई छात्र कई महत्वपूर्ण जीवन कौशल होने की पुष्टि नहीं कर सकते थे, नियमित रूप से योग का अभ्यास करने वाले छात्रों का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक था। उपरोक्त तीन परिवर्तनकारी दक्षताओं के तहत कोर लाइफ स्किल्स को मनमाने ढंग से वर्गीकृत करते हुए, यह देखा गया है कि रचनात्मक सोच, महत्वपूर्ण सोच और समस्या को हल करने वाले 'नए मूल्य बनाने' के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें युवा लोगों में अधिक इनपुट की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष - योग का अभ्यास लगातार महत्वपूर्ण जीवन कौशल पैदा करता है। तकनीकी और अन्य संस्थानों को पाठ्यक्रम में योग अभ्यास को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि छात्रों को परिवर्तनकारी दक्षताओं से लैस किया जा सके जो उन्हें भविष्य का सामना करने में मदद करेगा। योग को आसन तक सीमित होने की वजह से आंशिक रूप से ही समझा जाता है, लेकिन लोगों को शरीर, मन और सांस को नियंत्रण करने में योग के लाभ का एहसास नहीं होता है। किसी भी आयु वर्ग और किसी भी शरीर के आकार

के व्यक्ति द्वारा योग का चयन और इसका अभ्यास किया जा सकता है। यह किसी के लिए भी शुरू करना संभव है। आकार और फिटनेस स्तर से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि योग में विभिन्न लोगों के अनुसार प्रत्येक आसन के लिए संशोधन मौजूद हैं। 'योगा दैनिक में जिंदगी' है धार्मिक स्वतंत्रता योग नहीं है ।योग धार्मिक सीमाओं को लांघकर एकता की राह दिखाता है।आपके स्वास्थ्य के संबंध में निर्णय और कल्याण और एक मुक्त, खुश जीवन, हैं।इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि योग एक चमत्कार है और यदि इसे जारी किया जाता है तो यह आपके पूरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। प्रति दिन 20-30 मिनट योग आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन को बढ़ावा देने के द्वारा आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://navbharattimes-indiatimes
2. https://www.nationalskillsnetwork&in.translate.goog/yoga-and-skill-development/ 21June2016
3. https://childreninspiredbyyoga.com/blog/2018/02/develop-life-skills/
4. https://www.researchgate.net/publication/340731192 LifeSkills_and_Yoga_as_Cutting_Edge_Mechanisms

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

जैविक कृषि की लाभदायकता में वृद्धि तथा विकास हेतु प्रमुख उपायों का विश्लेषण

डॉ. जगेन्द्र धोटे*

* **सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.)** भारत

शोध सारांश – भारत में कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा कृषि क्षेत्र को एक लाभकारी क्षेत्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता सदैव ही रही है। भारत में जैविक कृषि के विकास तथा कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने हेतु विभिन्न संभावनाएं विद्यमान है। कृषि में रासायनिक पदार्थों के बढ़ते प्रयोग के कारण भूमि को बंजर होने से बचाने , मानव के स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा सतत विकास की अवधारणा के अनुरूप भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण तथा पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने आदि विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है की रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि अपनाई जाये। स्थानीय स्तर पर जैविक कृषि आदानों का उत्पादन कर कृषि में लागत को कम किया जा सकता है। फसल का चुनाव स्थान विशेष की जलवायु के अनुसार करके ऐसी विभिन्न लाभकारी फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिए जिनकी उत्पादन लागत कम तथा बाजार कीमत अधिक है। अत: व्यवसायिक फसलों के उत्पादन हेतु छोटे रकबे में कम लागत पर उगाई जाने वाली फसलों के उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करने की भी आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध पत्र में जैविक कृषि के विकास की संभावनाओ तथा लागत कम कर लाभदायकता में वृद्धि के विभिन्न उपायों का विश्लेषण किया गया है।

शब्द कुंजी – पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक बाजार, जैविक उत्पाद, वर्मी कम्पोस्ट, औषधीय पोधें।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितायक समंकों का प्रयोग किया गया है द्वितीयक समंकों के संकलन के लिए पत्र –पत्रिकाओं, शासकीय अशासकीय प्रकाशन तथा विभिन्न रिपोर्ट्स का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य –प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है:

1. जैविक कृषि के विकास हेतु संभावनाओ का विश्लेषण करना।
2. जैविक कृषि उत्पादों की लाभदायकता में वृद्धि के उपायों का विश्लेषण करना।
3. जैविक कृषि लागत में कमी हेतु अपनायी जाने वाली आवश्यक गतिविधियों का विश्लेषण करना।

प्रस्तावना – जैविक कृषि में रासायनिक खाद के स्थान पर हरी खाद ,वर्मी कम्पोस्ट खाद,नीम खली,गोबर खाद का प्रयोग किया जाता है इसके अतिरिक्त लेमन ग्रास आदि विभिन्न इनपुट्स का प्रयोग किया जाता है जैविक कृषि भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाये रखती है भूमि को उपजाऊ बनाये रखती है कृषि उपजों की लाभदायकता में वृद्धि हेतु यह आवश्यक है कि मौसम एवं जलवायु के अनुसार फसल का चयन किया जाय साथ ही ऐसे फसलों का चयन किया जाय जिसे कम लागत पर उत्पादित किया जाना संभव हो तथा जिनकी बाजार में कीमतें ऊँची हो मशरूम की खेती,औषधीय पोधों की खेती आदि महत्वपूर्ण उदाहरण है जिनकी उत्पादन लागत कम तथा बाजार कीमत अधिक है। जैविक कृषि में आधुनिक उपकरणों का उचित प्रयोग किया जा सकता है किन्तु जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशक दवाये आदि विभिन्न जैविक आदानों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। जैविक कृषि को जीरो बजट खेती बनाने के लिये आवश्यक है कि कृषि हेतु प्रयोग किये जाने वाले इनपुट्स स्थानीय स्तर पर उत्पादित किये जाएँ जिससे कृषि इनपुट्स को क्रय करने के लिए किसान को आने वाली लागत को कम किया जा सके कृषि के अंतर्गत प्रयोग किया जाने वाले रासायनिक आदानों को क्रय करने में ऊँची लागत आने के कारण किसानो को प्राप्त होने वाली आय में लाभ का प्रतिशत कम हो जाता है चूँकि रासायनिक आदानों को व्यावसायिक कंपनियों द्वारा ऊँची कीमतों पर बेचा जाता है तथा कृषकों द्वारा इनका उत्पादन नहीं किया जा सकता है जबकि जैविक कृषि में प्रयोग किये जाने वाले इनपुट्स को स्थानीय स्तर पर कृषको द्वारा उत्पादित किया जा सकता है अत: जीवामृत, वर्मी कम्पोस्ट, जड़ी बूटी, गौ गोबर आदि का प्रयोग करने हेतु जैविक इनपुट्स का निर्माण करने हेतु प्रशिक्षण का विस्तार किया जाना आवश्यक है।

जैविक खेती की वर्तमान आवश्यकता – कृषि में रासायनिक पदार्थों के बढ़ते प्रयोग के कारण भूमि को बंजर होने से बचाने तथा भूमि की उर्वरा शक्ति की रक्षा करना करने तथा रासायनिक कृषि से उत्पन्न खाद्यान्नों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले विभिन्न रोगों से मानव के स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा उचित पोषक तत्वों से युक्त खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने सतत विकास की विचारधारा के अनुसार भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण तथा पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने आदि विभिन्न उद्देश्यों कि पूर्ति हेतु रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि अत्यावश्यक है।

जैविक कृषि के अंतर्गत लागत कम कर लाभदायकता में वृद्धि तथा विकास के लिए अपनायी जाने वाली आवश्यक गतिविधियों / उपायों का विश्लेषण:

1. रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि आदानों का कृषि में प्रयोग करना।

2. जैविक कृषि इनपुट्स का निर्माण स्वयं कृषकों द्धारा भी किया जा सकता है जबकि रासायनिक कृषि इनपुट्स का निर्माण कृषको द्धारा नहीं किया जा सकता है।
3. व्यवसायिक कंपनियों द्धारा जिस प्रकार रासायनिक कृषि इनपुट्स ऊँची कीमतों पर विक्रय किये जाते है उसी प्रकार जैविक कृषि आदानों को भी इन कंपनियों द्धारा ऊँचे कीमतों पर विक्रय किया जाता है जिनकी शत प्रतिशत शुद्धता की गारंटी भी नहीं होती अत: इन कृषि आदानों को क्रय करने की जगह स्थानीय स्तर पर जैविक कृषि आदानों के निर्माण की इकाइयों की स्थापना कर इस क्षेत्र में आय व रोजगार में वृद्धि की जा सकती है।
4. फसल चक्र को अपनाकर एक ओर भूमि के पोषक तत्वों को संतुलित किया जा सकता है तो दूसरी ओर इसके इसके माध्यम से कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि संभव हो सकती है।
5. संकर प्रजाति के बीजों का कम प्रयोग करना।
6. जैविक कृषि को अपनाकर कृषि लागत को कम करते हुए लाभदायकता में वृद्धि की जा सकती है।
7. कृषि उपजों की लाभदायकता में वृद्धि हेतु यह आवश्यक है कि मौसम एवं जलवायु के अनुसार फसल का चयन किया जाय साथ ही ऐसे फसलों का चयन किया जाय जिसे कम लागत पर उत्पादित किया जाना संभव हो तथा जिनकी बाजार में कीमतें ऊँची हो।
8. जैविक पद्धति पर आधारित ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यक है जो भूमि के लिए लाभकारी हो किन्तु हानिकारक कीटों को पुर्णत: समाप्त करने में सक्षम हो।
9. जैविक कृषि आदानों (इनपुट्स) के निर्माण हेतु कृषको के लिए प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था करना।

निष्कर्ष – कृषि में निरंतर रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से भूमि की निरन्तर नष्ट होती उर्वरा शक्ति को बचाने के लिए जैविक कृषि के विस्तार को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रयोग से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों से बचाने हेतु जैविक कृषि के अंतर्गत आधुनिक शोध एवं नवाचार को भी प्रोत्साहित करने हेतु कार्ययोजना के निर्माण की आवश्यकता है। जैविक कृषि को लाभदायक तथा रोजगारपरक बनाते हुये इसके विस्तार हेतु यह आवश्यक है की जैविक कृषि में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न इनपुट्स का निर्माण इकाई स्थानीय स्तर पर स्थापित की जाये जिससे एक और कृषकों को कम लागत पर जैविक कृषि में प्रयोग किये जाने वाले आदान आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे तथा दूसरी ओर युवाओ को जैविक कृषि में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न इनपुट्स का निर्माण इकाई की स्थापना से रोजगार एवं आय भी प्राप्त होगी जिससे विभिन्न कंपनियों द्धारा निर्मित जैविक कृषि में प्रयुक्त होने वाले मिलावटी एवं महंगे इनपुट्स क्रय करने में आने वाली ऊँची लागत से कृषकों को राहत भी मिलेगी तथा कृषि में लागत कम होने के कारण लाभदायकता में वृद्धि भी सुनिश्चित हो सकेगी तथा जैविक कृषि को अपनाने हेतु कृषक उत्साहित रहेंगे उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु फसल चक्र को अपनाया जा सकता है जिससे एक ओर भूमि के पोषक तत्वों को संतुलित किया जा सकता है तो दूसरी ओर उत्पादकता में भी वृद्धि संभव हो सकती है। जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु जैविक कृषि के प्रचार प्रचार के साथ साथ व्यावहारिक तथा आर्थिक रूप से भी लाभदायक बनाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://www.mpkrishi.mp.gov.in
2. https://www.krishakjagat.org
3. https://iasri.icar.gov.in/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Women Empowerment in India

Sachin Carpenter*

***Assistant Professor, Govt College, Pipliya mandi, Mandsaur (M.P.) INDIA**

Abstract - The present paper is an attempt to describe the status of women empowerment in India using various indicators based on data from secondary sources. The study reveals that women of India are relatively less empowered and they are living with somewhat lower status than that of men. Although government has taken many efforts to improve gender gap regarding access to education and employment. Household decision making power and freedom of movement of women vary considerably with their age, education and employment status. It is found that acceptance of unequal gender norms by women are still prevailing in the society. More than half of the women believe wife beating to be justified for one reason or the other. Fewer women have final say on how to spend their earnings. Control over cash earnings increases with age, education and with place of residence. Women's exposure to media is also less relative to men. Rural women are more prone to domestic violence than that of urban women. A large gender gap exists in political participation too. The study concludes by an observation that access to education and employment are only the enabling factors to empowerment, achievement towards the goal, however, depends largely on the attitude of the people towards gender equality.

Introduction - In the last five decades, the concept of women empowerment has undergone a sea change from welfare oriented approach to equity approach. It has been understood as the process by which the powerless gain greater control over the circumstances of their lives. Empowerment particularly includes control over resources and ideology. According to Sen and Batliwala (2000) it leads to a growing intrinsic capability- greater self confidence, and an inner transformation of one's consciousness that enables one to overcome external barrier. This view mainly emphasizes on two important aspects. Firstly, it is a power to achieve desired goals but not a power over others. Secondly, idea of empowerment is more applicable to those who are powerless- whether they are male or female, or group of individuals, class or caste. Though concept of empowerment is not specific to women, yet it is unique in that and it cuts across all types of class and caste and also within families and households (Malhotra et al, 2002). Women empowerment is also defined as a change in the context of a women's life, which enables her increased capacity for leading a fulfilling human life.

Contrary to the general belief that development is gender neutral, statistics show that women lag behind men all over the world including India in almost all aspects of life.

The Case of India: As far as India is concerned, the principle of gender equality is enshrined in the Constitution and finds a place in the Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles. The Constitution not only grants equality to women but also empowers the States to adopt measures of positive discrimination in favour of women. Historically the status of Indian women has been influenced by their past. There is evidence to show that women in the Vedic age got most honored positions in the society. They had the right to education and were free to remain unmarried and devote their whole life to the pursuit of knowledge and self realization. The married women performed all the works and sacrifices equally with their husbands. They were educated in various disciplines of knowledge such as astrology, geography, veterinary sciences and even in martial arts. There were instances of women taking part in wars and fights. They were highly respected within and outside home. Gradually due to several socio-political changes, especially during the middle age, the glorious status of women declined. The urge for equality on the part of Indian women started getting momentum during the colonial times. Noted social reformers and national leaders like Raja Ram Mohan Roy, Annie Besant, Sorojini Naidu and Ishwar Chandra Vidyasagar made selfless efforts to create awareness among women about their status and were quite successful in removing various social evils such as *sati pratha*, child marriage, and polygamy. They also encouraged widow remarriage and women education. The reformers were successful in creating a base for development of women and theirs strive for equality.

Since independence, the Government of India has been making various efforts to empower women. In various plan periods, the issues regarding women empowerment has been given priority. From fifth five year plan onwards there has been a remarkable shift from welfare oriented approach of women empowerment to development approach.

Decision making power of women in households is one of the important indicators of women empowerment. It is found that only 37 per cent of currently married women participate in making decisions either alone or jointly with their husband on their health care, large household purchases, purchases for daily household needs and on visiting their family members and relatives. Forty three per cent participate in some but not all decisions and 21 per cent do not participate in any of the decision.

Women's participation rate on household decision making not only varies from rural to urban areas but also gets affected by their background characteristics like age, educational status, husband's education, employment status etc . Urban married women are observed to be more empowered than that of the rural women. Empowerment of women increases with the increase in their age. Women who are more educated and employed are relatively more empowered. With higher spousal educational status women's participation in decision making increases. In urban setting and in nuclear type of family, women have more autonomy in household decision making.

Free mobility of women is another indicator of women empowerment. Women's mobility is also affected by their background characteristics like age, education, marital status, type of family etc.

Women's protest against unequal gender role in terms of their attitude towards preferences for son, wife beating etc is another indicator of women empowerment. It is to be noted that even among the most educated women, at least one in three agrees with one or more justifications for wife beating. In rural areas women are generally more agreeable to wife beating than in urban areas. Agreement is lower among never married women as compared to ever married women.

Women's access to education which is one of the important sources of empowerment can be measured by gender gap in literacy rates and enrolment in different stages of school education.

Employment and cash earnings are more likely to empower women if women make decisions about their own earnings alone or jointly with their husband rather than their husband alone and if these earnings are perceived by both wives and husbands to be significant relative to those of the husbands.

Education is one of the important factors that affects greatly in women's control over earnings.

Generally women experienced different forms and combinations of physical and sexual violence according to selected background characteristics. It is observed that extent of violence is not lessened by age.

Women's political participation is one of the important issues in the context of empowerment. In conventional analysis it means activities related to electoral politics like voting, campaigning, holding party office and contesting election. But in broader sense it encompasses all voluntary actions intended to influence the making of public policies, the administration of public affairs and the choice of political leaders at all levels of government. Political interventions by women of India today range from movement for peace and good governance to protest against dowry, rape, domestic violence, food adulteration, price rise etc.. However in this section we discuss participation of women in formal politics by analyzing the indicators like women voters and women elected members in the first twelve general elections in India.

Many factors are responsible and decisive in the election of women candidates such as literacy, financial position, liberal family background, support of other members of the family, strong personality etc. Since most of the women lack access to these, few women get tickets and even fewer get elected from this handful of women candidates. The percentage of women members to the total members has been consistently less in each *Lok Sabha* starting from 1st to 12th one. This shows poor participation of women in political field.

There are several constraints that check the process of women empowerment in India. Social norms and family structures in developing countries like India, manifests and perpetuate the subordinate status of women. One of such norms is the continuing preference for a son over the birth of a girl child, which is present in almost all societies and communities. The hold of this preference has strengthened rather than weakened and its most glaring evidence is in the falling sex ratio. The society is more biased in favor of male child in respect of education, nutrition and other opportunities. The root cause of this type of attitude lies in the belief that male child inherits the clan in India with an exception in Meghalaya. Women often internalize the traditional concept of their role as natural, thus inflicting an injustice upon them.

Poverty is the reality of life for the vast majority of women in India. It is another factor that poses challenge in realizing women's empowerment. In a poor family, girls are the main victims; they are malnourished and are denied the opportunity of better education and other facilities. But if they are financially independent or they have greater control over the resources then they exhibit greater autonomy both in the household and in public sphere and are no longer victims of poverty.

Summery: Various indicators of women empowerment are analyzed using the data from various sources while discussing women's present status in India. The main emphasis is given to the indicators like women's household decision making power, financial autonomy, freedom of

movement, women's acceptance of unequal gender roles, exposure to media, access to education, women's experience of domestic violence etc. Women's political participation is also analyzed by using indicators like percentage of women voters and women MPs. After analyzing the data it is found that household decision making power and freedom of movement of women vary considerably with age, education and employment. Freedom of movement of widow or divorcee is more than ever married or never married women. Similarly it is found that in the society the acceptance of unequal gender norms by women themselves are still prevailing. More than half of the women believe that wife beating is justified for any of the specific reasons like not cooking properly, not taking proper care of household and children, refuge to have sex with husband, showing disrespect to in-laws etc. However, this attitude is not varying much with age or household structure but decline sharply with education and places of residence. While studying women's access to education and employment it is found that gender gap exist in both the situations.

References:-

1. Anand, S. and A. Sen (1995): "Gender Inequality in Human Development: Theories and Measurement", in Fukuda Parr and A.K. Shiv Kumar (eds.) *Readings in Human Development*, OUP, New Delhi.
2. Barkat, A. (2008): "Women Empowerment: A Key to Human Development., http://www.goodgovernance.org visited on 20th April 2008 at 4.30p.m.
3. Beteta, K.C. (2006): "What is Missing in Measures of Women's Empowerment?", *Journal of Human Development and Capabilities*, Vol.7, No.2, pp.221-241.
4. Blumberg, R.L. (2005): "Women's Economic Empowerment as the Magic Potion of Development?" *Paper presented at the 100th annual meeting of the American Sociological Association, Philadelphia*
5. Census of India (2001): Govt. of India, New Delhi.
6. Chattopadhyay, R. and E. Duflo (2001): "Women's Leadership and Policy Decisions: Evidence from a Nationwide Randomized Experiment in India", Indian Institute of Management, Calcutta and Department of Economics ,MIT, and NBER
7. Desai, N. and U. Thakkar (2007): "Women and Political Participation in India", *Women in Indian Society,* New Delhi, National Book Trust.
8. Dijkstra, G. (2002): "Revisiting UNDP's GDI and GEM: Towards an Alternative", *Social Indicator Research*, Vol.57, No.3, pp.301-338.
9. Dijkstra, G. (2006): "Towards a Fresh Start in Measuring Gender Equality: A Contribution to the Debate" *Journal of Human Development*, Vol.7, No.2, pp.275-284.
10. Dijkstra, G. and L.C. Hanmer (2000): "Measuring Socio-economic Gender Inequality: Towards an Alternative to the UNDP- Gender-related Development Index", *Feminist Economics,* Vol.6, No.2, pp.41-75.
11. Karat, B. (2005): *Survival and Emancipation: Notes from Indian Women's Struggles,* Three Essays Collective, Haryana
12. Kishor, S. and K. Gupta (2004): "Women's Empowerment in India and Its States: Evidence from the NFHS", *Economic and Political Weekly*, Vol. XXXIX, No.7.
13. Klasen, S. and D. Schüler (2009): "Reforming the Gender-Related Development Index (GDI) and the Gender Empowerment Measure (GEM): Some SpecificProposals". <http://www2.vwl.wiso.uni-goettingen.de/ibero/papers/DB186.pdf>
14. Mahbub ul Haq Human Development Centre (2000): *Human Development in South Asia 2000: The Gender Question,* Oxford University Press, Oxford.
15. Malhotra, A., S.R. Schuler and C. Boender (2002): "Measuring Women's Empowerment as a Variable in International Development" Unpublished Paper for the World Bank. <www.unicef.org/pubsgen/humanrights-children/index. html> Visited on 11th January, 2008, at 5 p.m.
16. Mishra, S.K. and P. Nayak (2010): "Facets and Factors of Human Development in Tripura" in P. Nayak (ed.) *Growth and Human Development in North-East India,* Oxford University Press, New Delhi, pp.281-296.
17. Mathew, G. (2003): Keynote address in the workshop on "A Decade of Women's Empowerment through Local Governance" organized jointly by Institute of Social Sciences and South Asia Partnership, Canada sponsored by International Development Research Centre.
18. Narayan, D. (2007): *Empowerment: A Missing Dimension of Human Development,* Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) Conference, Queen Elizabeth House, Oxford.
19. Panda, P. and B. Agarwal (2005): "Marital Violence, Human Development and Women's Property Status in India", *World Development,* Vol.33, No. 5. <http://www.allacademic.com/meta/p109193index.html> Visited on 15th February, 2008 at 1 p.m.
20. Seth, Mira (2001): "*Women and Development- The Indian Experience*", Sage Publication, New Delhi.
21. Shariff, Abusaleh (2009): *"Gender Empowerment in India: Concepts and Measurement".*<http://salehshariff.blogspot.com/2009/09/gender-empowerment-in-india-concepts.html>

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

A Short Review-Women in Leadership

Sheetal Shrimal*

***Rajiv Gandhi Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) INDIA**

Abstract - Every organization needs a leader, irrespective of its size and functions. A leaderless organization is a "muddle of men and machine"; a country without leadership is anarchy; a society without leadership is a violent and dangerous place to live. Then, what is the meaning of leadership? What constitutes leadership?"**The action of leading a group of people or an organization**." In simple words, leadership is about taking risks and challenging the status quo. Leaders motivate others to achieve something new and better.Honesty and Integrity, Inspiration, Communication skills, Vision, Never give-up spirit, Intuitive,Empathy, Objective, Intelligence, Open-mindedness and creativity, Patient, Flexible these are the some qualities of good leader.Women are gradually making their leadership presence felt in entrepreneurship, administration, education, engineering, health, etc. at regional, national, and global levels. Women are now resolved to break the traditional glass ceiling that barred them from entering leadership positions even if they possessed requisite skills and talent to occupy them.The world has witnessed the advent of women leaders such as Hillary Rodham Clinton, Indra Nooyi, Oprah Winfrey, Theresa May, Christine Lagarde, to name a few.Women are constantly evolving and reaching new milestones across a wide spectrum of human activities in modern times.

Introduction - A leader is a person who influences and encourages a group of people to work towards the realization of goals. The hallmark of leadership is the capacity to influence others towards accomplishing goals and towards betterment. As Chester Barnard sums it up, "Leadership is the ability of a superior to influence the behavior of a subordinates or group and persuades them to follow a particular course of action." Although leadership skills are acquired and shown by both men and women. Men and women mostly show distinctly different styles of leadership.

Ex: lists some examples of the two different styles of leadership.

Ex 1: Agentic and Communal Leadership Styles

Agentic	**Communal**
Aggressive	Supportive
Determined	Interpersonal
Competitive	Empathetic
Driven	Friendly
Ambitious	Sensitive
Tough	Compassionate
Independent	Kind
Task focused	Helpful
Political	Gentle
Controlled	Affectionate
Self reliant	Sympathetic

Source: Adapted from Eagly and Carli (2007)

we have highlighted some of the common characteristic features of women leaders "Transformational Leadership Style

1. Task-Focused
2. Prefer to Work in Collegial Atmosphere
3. Promote Cooperation and Collaboration
4. Communication Style
5. Self-Branding

Management skills, critical thinking, decision making, problem solving, emotional intelligence, relational skills, and the ability to influence are essential to leadership (Callahan & Grunberg, 2016). Emotional intelligence is one of the lesser used traditional skills and is defined as the ability to understand one's own emotions and the emotions of others, use those emotions in order to properly express feelings and perceive those of others, and understand and reason with those emotions (Mayer & Caruso, 2000). The HayMcBer research group (Goleman, 2000) found that with greater emotional intelligence came greater leaders, and Callahan and Grunberg believe this skill can be learned and developed (2016). According to studies women had slightly higher levels of emotional intelligence and others arguing that no gender differences existed when assessing levels of emotional intelligence (Eklund, Barry, & Grunberg, 2017).

Females tend to communicate in a more emotional, elaborate and indirect way, and males' communication is often described as direct, concise and instrumental (Mulac, Bradac, & Gibbons, 2001; Popp, 2003).

The way in which females communicate may actually reinforce the perception that they are less effective leaders. Along the same lines as the effects of gender character on leadership, when women communicate in a typical manner, they are seen as less competent than men in a leadership position. However, when women take on a more "masculine" style, they can be perceived as pushy or arrogant. In the same way, men who use a more "feminine" style of communicating may be seen as weak or lacking confidence (Eklund, Barry, & Grunberg, 2017).

Women became classified as "intruders" in this maledominated territory, denying them from experiencing opportunity and leadership success.The phenomenon that women do not occupy a significant space in the executive space of organizations is accurately described as the "glass ceiling" or "the leaking pipeline". Although women perform well in middle management positions, they fail to obtain high-level executive roles at the level of men (Painter-Morland & Werhane, 2011).

In 1990, Judith Rosener reported that women used a transformational style of leadership to motivate people and work toward a common goal that would benefit the group. Men were described as using a transactional leadership style which was position-based, and focused on subordinates' performance which was either rewarded or sanctioned. However, in Susan Eisner's 2013 study, the leadership styles of executive men and women were founded upon the following factors: personal-based power versus position-based power; emphasis on people and relationships versus tasks and results; traits that focus on energizing, encouraging, and enhancing others' self-worth versus traits that focus on sharing power and influence; and finally, a transformational versus transactional approach to leadership.

Most research has regarded the transformational leadership as more effective than the transactional leadership (Jogulu & Wood, 2008). The key message here is that although women are usually more likely to demonstrate this kind of leadership, it is men who are rewarded the most for using it (Schyns, Elverfeldt, & Felfe, 2008). Men are praised for demonstrating transformational leadership qualities whereas the opposite seems to be true for women (Appelbaum et al., 2013a).

Women in Leadership % Importance: Any institution, whether it is society or organization, in the present century cannot function effectively without women's equal participation in leadership activities. Women create a perspective that brings to competition and collaboration to organizations and teams.Many statistics show that companies led by women have better financial results. Leadership by women is vital to increase the pace of societal transformation at home and in the workplace. Women leaders are likely to provide an integrated view of work and family, resulting in an engaged and promising personal and professional future.

Representation of Women in Different Sectors: Representation of women in different sectors refer to the percentage of women employees working in various sectors. In the past, women were grossly underrepresented in politics, businesses, education, manufacturing, science and technology, etc. However, this situation is changing steadily.female leaders scored higher than males in 11 out of 12 engagement categories (Sindell & Shamberger, 2016).

Women in Leadership – Benefits: Benefits of women leadership in different sectors are manifold and they are as significant as those from male leadership. Women leadership is found to be good for financial health of an organization. Organizations having females as board members show significantly better financial performance than those having low female representation.Better financial health of the organization leads to better job opportunities, higher productivity, and more growth and development. Various studies have found that women are equipped with better relationship building skills. They are also found to be good at inspiring and motivating others.

Women Improve Interpersonal Relationships: To be a successful professional or a successful leader in this age of science and information technology, communication skills are an absolute necessity. An organization functions smoothly, if there is effective interpersonal, inter-departmental, and external communication system. Within the organization, both upward and downward communication needs to be operating to facilitate effective and timely communication among the employees and departments of the organization.

In matters of building relationships, female leaders are consistently rated higher than their male counterparts. Being skilled at building in-house relationship, women are also quite likely to do well at building outside relationship; for instance, creating new clients or negotiating difficult contracts for the company they lead.Women tend to be better listeners than men and this makes them an effective communicator. Good communicators are excellent listeners. Effective communication skills begin with listening. Women are comparatively better at both listening and communicating.

Women Value Accountability: It is seen that women are more accountable than men. A leader who understands the value of accountability never puts the onus of any loss or blunder on the individual members of a team. The leader rather shoulders the responsibility. It motivates the team members to undertake any assignment without any compunction and fear.Women understand the value of accountability more than the rest. It is often seen that women leaders have increasing number of followers since they start leading people. They never let down their followers and as a matter of fact, people follow them willingly.

Women Embrace Collaboration: Women leaders have the ability to collaborate with colleagues, clients and employees across teams, functions, and departments

because to be collaborative is innate with them. Many studies have agreed that women are more cooperative than men.A paper from the National Bureau of Economic Research agrees on the fact that women are more attracted to cooperation than men. Men, often overestimate their capabilities, while downplaying those of their colleagues. Women, on the other hand, are a better judge of their abilities and therefore are not averse to suggestions and help from their team members.Women are transformational leaders in general. They understand the individual needs and aspiration of team members and interact with them on a personalized note. This personalized approach of women leaders bind the team members more strongly and they work with dedication towards realizing the goal.

Apart from the above-mentioned benefits, women leaders possess the tendency to look on the positive side of the events or conditions and continue to remain optimistic throughout. Being optimistic, women leaders on many occasions come out with favorable outcome. Optimism leads to development of confidence. At the core of confidence lies faith and trust. Women leaders show more self-confidence and have faith in the followers for good. This helps them win the willing support of the followers which in turn help them achieve success.

Walker and Aritz (2015) examined the gender leadership gap through their observation of male and female participants in randomly assigned, mixed gender groups.Researchers also found that women were leaders in the majority of groups but were not recognized as such by both male and female team members (Walker & Aritz, 2015).Research conducted by Skyline Group International (2016) and the Organizational Intelligence Institute (2018) discovered that the effectiveness perception when women exhibited masculine traits was lower in 57% of the 28 leadership competencies studies. Comparatively, men were perceived to be less effective when utilizing female behaviour in only 39% of competencies (Sindell & Shamberger, 2016).There is a fair amount of research that supports the suggestion that women are more likely to reject successful women. Parks-Stamm et al. (2008) suggest that the reason for this occurs because women do not like to compare themselves with other very successful females and will find women occupying traditionally male-gendered jobs as less likeable (Kenneth et al. 2015; Heilman et al., 2004).

It has been stated that women often have to work harder than their male counterparts to achieve the same results in contemporary organizations. The literature has shown that the evaluation of women in both management and leadership roles is highly subjective.It has even been suggested that the lack of female leaders in organizations could in part be due to the gender bias in evaluations (Heilman, 1995, 2001; cited by Jogulu & Wood, 2008, p.603, & Appelbaum et al., 2013b).

Women in Leadership – Barriers: It is established that women leadership has distinct benefits and women leaders are endowed with certain natural qualities such as collaboration, empathy, and considerateness which have become essential ingredients in present leadership trend. However, the subtle gender bias that still persists in the society, community, families, and organizations stand as a strong barrier to women leadership. Let us discuss some significant barriers to women leadership in the present time.

The Glass Ceiling: Glass ceiling as a barrier prevents woman from moving up the hierarchies in organizations, governance and other areas.Here are some of its characteristics.

1. Societies leaning heavily towards the male members of the society
2. Set of socio-cultural and religious practices to deny basic freedom to women
3. Priority to male members in the family and society
4. General but biased perceptions that feminine qualities are inferior to those of masculine
5. Perception that leadership is invariably a male prerogative

Glass ceilings as barrier are not based upon a person's inability or lack of expertise and knowledge to carry out assigned tasks. Rather, it relates to women as a community who are knowingly or unknowingly kept from advancing higher because 'they are women'.

Professional Competency: A number of researches indicate that women and men managers don't differ largely in the competencies they possess. However, stereotypical view of gender role considers women less competent than women. As a result, there exists a gender gap in the assessment of male and female employees. There are instances of less pay for women than that of the men for the same work and equal work hour.

Gender Disparity: Gender disparity is based on the premises that women and men are unequal and women are less powerful than men. Gender disparity or gender inequality has been a barrier to women leadership since ancient times. It still remains a major barrier to empowerment of women and development of women leadership.

Here, we have highlighted a few major reasons behind the existence of gender disparity.

1. Discriminating Social Structure
2. Low Representation in Leadership Positions
3. Political Apathy

Maintaining Work-Life Balance: Maintaining work-life balance is also a great barrier to women leadership. Women are still attending the bulk of domestic and child care responsibilities at home, even when both spouse are full-time employees. Women in this situation find themselves in dilemma as to how to maintain a perfect balance between home and workplace demands. Maintaining work-life balance is one of the most complex barriers to women leadership.

Apart from the above barriers to women leadership, there are other society-culture-specific impediments to women's progress into leadership positions. There is need for devising women-friendly policies to inspire women to vie for leadership positions and continue to lead independently.

Women in Leadership – Enablers: There are a number of enablers that can move women on the right track to achieve their goals. They are, for instance, a supportive family, education, secure social environment, equal employment opportunity, women-friendly house policies of business organizations and public policies. some important enablers for effective women leadership.

Supportive Family: A supportive family is a great enabler for women leadership. An individual's physical, emotional and psychological development takes shape first in his/her family. An individual is what a family creates him/her.

1. As a source of Inspiration d It is the family that inspires an individual to bring out the best in him.

2. As an Effective Enabler d A supportive family helps women members to bring out the best in them. It enables them to hone their talent in the right perspective.

3. Family as an Influencing Factor d It is found that most of the successful women leaders in the world are products of their own family. Family values and ideals greatly influence the character building of its members, especially a girl or a woman.

4. As an Empowering Social Institution d A supportive family not only inspires a female member but also empowers her by providing moral, physical, and monetary support.

A supportive family, therefore, provides the basic platform to women to pursue their career goals and establishes themselves as leaders.

Good Education: Education is a great liberator. It liberates women from the shackles of age-old superstitions, traditions, and beliefs that exist in a society. It is rightly said, "If you educate a man you educate an individual, however, if you educate a woman you educate a whole family".

1. Education helps women acquire knowledge, understand gender relations, develop a sense of self-worth, a belief in their ability, etc. It enables them to bring out the best in them and make them accepted as a mass leader.
2. Education enables women to free themselves from the bondage of ignorance and orthodox beliefs, social evils, gender discrimination, and domestic as well as social violence.
3. It creates in them fortitude and self-confidence to fight against every odd on their way to achieve success in life.
4. It enlightens them about the larger world and world views. It also acquaints them with women leaders of different countries and their leadership styles.
5. Good education brings out the inherent leadership qualities in women and enables them to establish themselves as great leaders.

Secure Social Environment: An enabling social environment is a necessary precondition for growth of sustainable women leadership. For the all-round growth of women and for making them fit for leadership position, a congenial and secure social environment is an utmost necessity. She needs the unconditional support of family, and the society in which she lives in to realize her potentials to the full.

1. Enable women to become effective leaders
2. Encourage and build trust
3. Enhance self-confidence
4. Provide Opportunities

Women in Leadership - How to Promote?

The need for promoting women leadership is as important as creating an enabling environment for women to hone their leadership qualities. Here are several factors that help in promoting women leadership.

Recruit Women Employees Actively: Recruiting women in various leadership positions by corporate houses and companies on the premises of equal opportunity provisions is the first step to help women rise to important positions. Organizations and sectors hiring people to work for them should issue meaningful equality plans to absorb women members in proportion to men.Organizations should look for requisite talents in women to occupy any positions. Gender should not be the sole criteria in selecting or rejecting a person while making appointment to decision-making positions.Organizations should take active interest in treating women applicants at par with the men applicants while selecting persons for higher positions. Women should not be ignored only because they are women.

Provide Training Opportunities: Providing training for women members is a powerful promoter of women leadership. Training for gender equality is a transformative process and it aims to provide knowledge, techniques and tools to develop skills and changes in attitude and behaviour. Comprehensive training modules for women empowerment and women leadership help build an inclusive business environment and promote gender equality.

Encourage Women-friendly Culture: There is a need to develop a women-friendly culture in the society and business environment. An inclusive and collaborative culture calls for pro-women changes in the old system of recruitment, training, performance appraisal, promotion, wages, etc. Unless women are treated equally and assessed not on the basis of gender but on the basis of their talents and skills, they cannot make it to leadership positions.

The following measures can help create a women-friendly culture

Flexible Work Schedules: Organizations should have flexible work programs to suit women employees. Flexibility in work schedule such as providing some days of remote

work to employees is quite encouraging.

Equal Opportunity: Difference in wages between men and women is a challenge specific to women. It is found that women still earn less than men. Discrimination exist in the workplace in various ways. Organizations should make provisions for ensuring an equal status to women employees at par with their male counterparts. There should be no discrimination on the basis of gender in the organization.

An Effective Career Mapping for Women Employees: Organizations should have an effective career mapping for its employees after they complete their probation period. Development plans, stretch assignments, promotions, and networking opportunities should be equal for men and women who have been rated with similar capabilities. This enables women employees to become aware of opportunities for their development at higher levels and sharpens the visibility to rise to top leadership.

Provisions for Self-care: Organizations employing women should have provisions for self-care. For instance, multinational oil company, Chevron, offers full-fitness and self-care facilities onsite at their global locations. Employees have the opportunity to take care of themselves by working out during the day and getting massages or facials without having to leave their worksite. This enables women to find balance and stay healthy. It encourages women to take up higher responsibilities.

Provisions for Family Support: The most difficult thing for a working woman is to maintain a good balance between her life at home and workplace. Some women being unable to adjust to the stress of both leave to look after their families. In this case, the organization makes suitable provisions to create a stress-free environment for women.For instance, provisions for offering after school programs beyond day care for children of the women employees such as science camps, math sessions, and other activities in the evening enable women employees with families to retain demanding positions without the worry of leaving their children at home. It reduces the choice women often make between family and work.

Paustian-Underdahl et al. (2014) conducted a meta-analysis aimed at testing the effect of various moderators to Role Congruency Theory (RCT; Eagly & Kara, 2002). RCT suggests that the perceived incongruity between the characteristics required by leadership roles and with that of women leads to a general prejudice towards females (Paustian-Underdahl, et al., 2014). The extent to which an organization that is male-dominated influences gender differences in leadership effectiveness was evaluated. It was determined that male leaders tended to be more effective in some organizations that were more male-dominated by nature such as government, and others exhibited non-significant differences. Non-significant gender differences were noted in the female-dominated organizations; however, women were seen to be more effective than men in business settings. (Paustian-Underdahl, et al., 2014).

Conclusion: It is clear that there is a strong tendency to perceive a certain sex as being superior for leadership to the other based on the industry in question. (See Exhibit 2)Men and women seem to agree when assessing who would do a better job in a given industry.There is a need to build a progressive society. Changes need to take place in the attitudes of the majority of the society in which women's progress is hindered. A secure social environment provides ample space to women to grow as leaders. Thus, the society where women realize their full potential and contribute to the task of social building is, indeed, a progressive and democratic society.

References:-

1. Appelbaum, S., Shapiro, B., Didus, K., Luongo, T. and Paz, B. (2013a). Upward mobility for women managers: styles and perceptions: part one. Industrial and Commercial Training, 45(1), pp.51-57.
2. Appelbaum, S., Shapiro, B., Didus, K., Luongo, T. and Paz, B. (2013b). Upward mobility for women managers: styles and perceptions: part two. Industrial and Commercial Training, 45(2), pp.110-116.
3. Aritz, J., Walker, R. (2015). Women Doing Leadership: Leadership Styles and Organizational Culture. International Journal of Business Communication, [online] Volume 52 (4), pp. 452- 478.
4. Callahan, C. and Grunberg, N. (2016). Fundamentals of Military Medical Practice. Washington, DC: Borden Institute.
5. Eagly, A. and Carli, L. (2007). Women and the labyrinth of leadership. Harvard Business Review, 85(9), pp.62-71.
6. Eagly, A. and Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. Psychological Review, 109, pp.573–598.
7. Eisner, S. (2013). Leadership: Gender and executive style. S.A.M. Advanced Management Journal, 78(1), pp. 26-41.
8. Eklund, K., Barry, E. and Grunberg, N. (2017). Gender Differences in Different Contexts. Intech, pp.129-143. Available at: https://dx.doi.org/10.5772/65457.
9. Goleman, D. (2000). Leadership that gets results. Harvard Business Review, [online] (MarchApril). Available at: https://hbr.org/2000/03/leadership-that-gets-results
10. Heilman, M. (1995). Sex stereotypes and their effects in the workplace: what we know and what we don't know. Journal of Social Behavior & Personality, 10(6), pp.3-26.
11. Heilman, M.E., Wallen, A.S., Fuchs, D. and Tamkins, M.M. (2004), Penalties for success: reactions to women who succeed at male gender-typed tasks, Journal of Applied Psychology, 89(3), pp.416-427.
12. Kenneth S. Rhee, Tracey H. Sigler, (2015). Untangling

the relationship between gender and leadership. Gender in Management: An International Journal, 30(2), pp.109-134.
13. Jogulu, U. and Wood, G. (2008). A cross-cultural study into peer evaluations of women's leadership effectiveness. Leadership & Organization Development Journal, 29(7), pp.600- 616.
14. Mayer, J., Salovey, P. and Caruso, D. (2000). Handbook of Intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp.396-420.
15. Mulac, A., Bradac, J. and Gibbons, P. (2001). Empirical support for the gender-as-culture hypothesis. Human Communication Research, 27(1), pp.121-152.
16. Painter-Morland, M. and Werhane, P. (2011). Leadership, Gender, and Organization. 27th ed. New York, NY: Springer. Available at: https://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-9014-0
17. Parks-Stamm, E.J., Heilman, M.D. and Hearns, K.A. (2008), Motivated to penalize: women's strategic rejection of successful women, Psychological Social Bulletin, 34(2) pp.237-247.
18. Paustian-Underdahl, Slattery Walker, L. & Woehr, D. (2014). Gender and Perceptions of Leadership Effectiveness: A Meta-Analysis of Contextual Moderators. Journal of Applied Psychology, 99(6), pp. 1129–1145.
19. Popp, D. et al. (2003). Gender, race, and speech style stereotypes. Sex Roles, 48(7-8), pp.317- 325.
20. Rosener, J. (1990). Ways women lead. Harvard Business Review, 68,pp.119-125.
21. Schyns, B., Elverfeldt, A. and Felfe, J. (2008). Is there a male advantage in the effects of feedback and leadership on leaders' occupational self-efficacy? Equal Opportunities International, 27(7), pp.513-523.
22. Skyline Group International and Organizational Intelligence Institute. (2016). http://www.oiinstitute.com/research-resources-reports-intelligence-surveys
23. Sindell, T. and Shamberger, S., (2016). Beyond Gender. People and Strategy, 39(3), pp.32-35. Available at:https://search-proquest-com.libezproxy.concordia.ca/business/docview/1802712304/fulltextPDF/9CC1CBE103564BB1PQ/ 1?accountid=10246
24. Steven H. et al. (2019). Women as Leaders the more things change, the more it's the same thing, 10(1),pp, 24-38.
25. https://www.tutorialspoint.com/women_in_leadership/women_in_leadership.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Sudha Murthy: An Epitome of Women Empowerment

Sourabh Dubey*

***Ph.D Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA**

Introduction - Sudha murthy was born in 1950 in shiggon in north Karnaraka. She did her MTech in computer science, and is now the chairperson of the Infosys Foundation . A prolific writer in English and Kannada, she has written novels, technical books, travelogues , collections of short stories and non- fictional pieces, and four books and children. Her books have been translated into all the major Indian Languages. Sudha murthy was the recipient of the R.K.Narayan Award for Literature and the Padma Shri in 2006, and the Atimabbe Award from the government of Karnataka for excellent in Kannada literature in 2011 . She was an Indian social Worker , and writer and have written many short stories and novels in a style so provocative depicting a realistice picture of all social issues, women empowerment , Identify crisis and the need for ethycle values to make the life meanigful. And in that social values we learn the transmission of the values in her stories which are most clean admirable . One can get to know how one should leave in a simple sober and in very rational . She was none for simple living and high thinking.

Objective- The main objective in Sudha Murthy's stories to show her qualities which makes the source of women empowerment . My aim is to bring moral, social and ethic values which are very helpful to become a man of values, in general we can say Nobel man. In her stories we can see how the transmission of values takes place which helps in building one's character and make the man of Nobel personality . The main purpose of this piece of research is to study values and to understand how this value makes the women strong and powerful , and to study the value of philanthropy , this research tries to establish that women are not only for worshipping or to be considered a symbol of sobriety but also they are icons of strength and have the potential to fight against cultural and social predicaments to change the darkness of women's life and also to have self satisfaction .

Problem Identification – Sudha murthy is dealing with most probably the feminist problems that are educational , cultural, social, domestic etc in the post modernism . Her value base writing focused immensely on ordinary life style where in the readers can identify themselves in sum characters. These realities reveal that women are unable to speak out what they actually deserve. Women in her novel taken for the study such as Shrimati , Mridula, Anupama become victims under their own circumstances . She find a woman need not bind her self with the limitation and fix ideas to please society. She has to transcend beyond and awaken herself to several other possibilities to realize her own aspiration.

Methodology- To achieve the purpose of the study ,a systematic review of research literature was undertaken few novels and stories namely. 'Gently Falls the Bakula' ' House of Cards and 'Mahashwetha' How I taught my grandmother and Red Rice Granary. Have been critically analyzed. In addition to this ; the research articles published in the Peer- Reviwed Journal were also examined . With the help of the literature , we were able to study the struggle of women and how they overcome the barriers by finding a solution to lead a meaningful life .

Main findings – The findings that emerged from the study reveal the violence , denigration and exploitation faced by female characters of the novel such as Anupama, Mridula and Shrimati . It is alos founded Man-Woman relationship , social acceptance and estrangement in modern life , foams the core in all the novels namely 'Gently Falls the Bakula' House of Cards and 'Mahashwetha'. It is inferred that women in the novel such as Mridua, Shrimati,and Anupama are simple hardworking and innocent throughout, where as the males Sanjay,Srikant and Anand are strongly influenced by the power of luxury, comfort and materialism, steadily climbing up the corporate ladder without realizing the value of family life. The man's greed for power , luxury, and social status has proved to be very expensive to the female character . The female protagonists realized the fact that artificial values and material success . cannot make a person successful . They also work tirelessly to over come the barriers drawn by male dominated society to lead a purposeful life and develop the value of philanthropy for all human beings.

Expected Outcome of the proposed work – The main purpose of my work is to show the qualities of Sudha murthy which makes her the source of women empowerment. The researcher has made an effort to bring out the women empowerment in Gently Falls the Bakula written by Sudha

Murty which is a story of a married couple Shrimati and Shrikant. Both have studied together. They study in the same school and college as well. Hence they are very familiar to each other. They are intelligent students in the class. Shrimati's performance in the school and college is sometimes better than Shrikant. They are also childhood friends. It causes to have some attraction and fall in love with each other. They both decide to marry and execute their decision successfully. They live happily in the beginning of new marriage life. When Shrikant joins IT Company then he becomes busy in work. He is completely changed due to his profession. He remains busy in making money and property. He prefers to see her as an uncomplaining housewife who can perform household duties only at home. He doesn't let her work outside. Shrimati doesn't get the way of coming out of it. Though she gets everything from her husband but she feels bit of sadness.

She comes to realize the fact when she encounters with a doctor at her home. He makes her realize about her education, her ambition and self respect which she has lost after becoming a housewife. It makes her think of her lost ambition and self respect. She feels upset and uneasy. She thinks that she has wasted her life becoming only an uncomplaining wife. "Therefore she summons up courage and determines to leave her husband for the sake of fulfilling her ambition and self respect. The following lines which throws light on her realization of woman empowerment- "No Shri. Listen to me patiently. Very few people can work like you to achieve what you have, not bothering about material benefits or happiness in life. But nothing is free in life, Shri. In achieving your position, you have lost your Shrimati. I cannot live in this kind of an atmosphere with these artificial values. I require to breathe fresh air. I do not want to live as your shadow. I want to find my own happiness. Shri, if I had not been sensitive and bright, I wouldn't have had to suffer such loneliness. I could have enjoyed your wealth. When I was thinking about my life so far, what my goal has been, I have realized what I want". (Murty, Gently Falls the Bakula, p.161)

The above lines show her understanding of her helpless condition. She opposes to her husband's everything. She doesn't want to live in the house which is full of material values. She believes in equality and freedom. She doesn't want to live under the domain of the patriarchal society. Her decision of leaving her husband to fulfill her dream is the dogma of her empowerment. This is her first step to empower herself. This novel criticizes the patriarchal society in which women are neglected and not allowed to fulfill their ambition and self respect. There are many women like Shrimati who wish to make their career bright. They are equal to men and can do better than men. Yet they have to remain deprived from their rights. There is a significant trait in Shrimati's character that she is shown transforming from an uncomplaining housewife into an empowered woman who decides to leave her husband only for the fulfillment of her ambition and respect about does not break her relationship with him.

omen Empowerment in House of Cards - House of Cards is the best example of women empowerment which throws light on the struggles for quest of identity of a woman through the female protagonist, Mridula. It has been a serious concern not only in India but also in the other countries as well. Though the women are free to live as they want yet they are sometimes restricted by the patriarchal monarchy and ideology. Today's world is a world of Science and Technology. The women are being seen trying to empower themselves in the various fields. They have the competence to prove and achieve the highest position in the society. The researcher has tried to elucidate the realistic picture of Mridula in House of Cards in which she has to undergo through the struggle to empower herself.

Mridula is an educated and kind hearted girl. She has a lot of concerns for the poor people in the society. She is aware of the social, economical, political, religious and psychological conditions. Therefore she seems to be a strong woman of strong passion to do anything. When she encounters a boy,

Sanjay who is an impoverished doctor, they fall in love with each other. She observes his nature and behavior which she likes most. She knows that Sanjay's economical condition is not much good. But he works as a doctor in a hospital to serve the patients from the lower class society. That makes Mridula think about him. They both love each other. Mridula gets ready to marry him. Because she has determined to assist him for uplifting in the society and serving the people. They get married at last. They live happily for some years. The sudden change in the character of Sanjay becomes the cause of Mridula's concerns. He works in a government hospital in Bangalore. He resigns from his job to do the private practice with the clear intention of earning a lot of money. Mridula doesn't like this. She doesn't want money but love only. But Sanjay was greatly influenced by his mother's practicality and his friend, Alex's ideas. Hence he wants to have everything in his life through private practice and he starts doing it. It causes to the breakdown of their relationship. Mridula belongs to a small village and she is grown up in a good and natural atmosphere. She is from well to do family but her family has blessed her with charity. She believes in spirituality. She loves values. But the transformation of Sanjay from an impoverished doctor into a practical one makes her think about her decision of marring him. She can not live in the atmosphere of material values. At last she leaves him and goes to look for a space of her own. She works as a principal in a govt. school yet she cherishes her simplicity and ethics. But she is not a common woman who can tolerate sufferings only. She craves for emotional attachments from her husband who is now busy and egoistic. He doesn't look after her. He doesn't have time for her. She outbursts her

feelings on the occasion of their wedding anniversary when Sanjay comes to home to receive Mridula at palace. She said, "No, I've spent twenty-five of my most important years with you and yet, I never felt like I belonged to you or your family. I'm still an outsider. My father's house now belongs to Vatsala and I don't want to be a burdon on my brother and her. Sishir is independent and you, can take care of him better than I can. My duty towards both of you is over. I've fulfilled all my duties as a wife, mother and daughter-in-law. Now, I want to live for myself. I have my job, my school and my village. You don't have to worry about me any longer. You and sishir can visit me whenever you want."(Murty, House of Cards, p.218). Her above aforesaid lines represent her strength and ability that she is no more dependent on anyone. She has not got happiness and satisfaction from her husband for whom she sacrificed everything. At last she hast to leave him for his material values that she could never live with. She becomes empowered ultimately because of her ability to make her way through the difficulties of her life. The main objective of my work is also to bring the transmission of values such as altruism, philanthropy, autonomy human dignity social justice. In "How I taught my grandmother" we can see the value of altruism, where she taught her grand mother how to read and write, she did a lot of hardwork and sacrifice for the sake of her grandmother and the result of all her effort that her grand mother learn to read and write . Her grandmother read the serial Karmveera in Kannad language infront of her . The value of autonomy can be seen in the story of 'Gently Falls the Bakula' where Shrimati left her husband after realizing that she has sacrificed a lot for her husband but her husband only seeks his progress in life professionally his greed for power and success blinds his thinking. The decision of leaving husband shows the value of autonomy by which her husband realizes that he was cruel towards his wife and he was only the sole cause for her departure . The value of human dignity can be identified in the story Mahashweta, the novel 'Anupama' the protagonist, a mesmerizing beauty, married to Dr. Anand , Anupama's positive image of life shatter with emergence of white patch called Vitiligo, she becomes a symbol of 'social sigma' abandoned by her uncaring in – laws and insensitive husband . Her visits to the ermatologist, her pain angunish , and cry , as well as her inability to voice her thoughts , MAKE HER MORE BOLD AND BRAZEN . Courage steps into her life to make her strong and fight against all oddities in order to establish a life for herself, and resuscites herself , stamps her place in the society amidst all struggles. She goes through a volley of emothions only to emerge as a young beautiful and independent woman.

The next value philanthropy which we can see in the story Red Rice granary , in that story Sudha Murty narrated her experience that during her childhood days her grant parents usually eat good quality of rice " white rice" in a day time and "red rice" inferior quality rice on night. During her childhood days there was communal harmony when someone come at her door for alms my grand parents offer them good quality of rice not red rice . When she asked her parents about it , they gave her wonderful reply which inspires her all her life that if you help needy ones you have served the god and always give the needy 'first best' and not the second best and they keep second best for themselves and give the first best to the needy. Sudha Murty's writing was different from other authors, she write simple and interesting stories . She does not used difficult words and the way she writes makes me relate to the story and only thing that differentiates her from other author,her style which keeps me engrossed, making me to continue reading .

References:-

1. Shekhar vhagwan Vispute (2019). Woman Empowerment in sudha Murty's select novels' Gently Falls the Bakula' and 'House of cards' Reserch Review.4 (1) : 717-719
2. Sudha Murty (2004). How I Taught My Grandmother to read and Red Rice Granary and other stories. New Delhi , Penguin Books.
3. Sudha Murty (2007). Mahashweta New Delhi. Penguin Books.
4. Sudha Murty (2008). Gently Falls .The Bakula.New Delhi Penguin Books

****

Co-Existence of Forest and Human Beings

Dr. Jolly Garg*

***Professor and Head (Botany) D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.) INDIA**

Keywords-Ecosystem services, biodiversity conservation, forest, deforestation, Ecosystem stability, Holistic Environmental Approach, Global ecosystem Approach.

Introduction-The biosphere or ecosphere is the sum total of all the ecosystems of the world. It is the self-regulating zone of life on Earth. Natural Environment may also define as the complex interactions of all a-biotic and biotic factors which finalizes and ultimately determine its form and survival. The complex interactions of these components with all the environmental factors viz. climate, geography and natural resources also affects human survival and economic activity. Forestry in India is a significant rural industry and a major environmental resource. India is one of the ten most forest-rich countries of the world. Together, India and 9 other countries account for 67 percent of total forest area of the world.[1] India's forest cover grew at 0.20% annually over 1990–2000,[2] and has grown at the rate of 0.7% per year over 2000–2010,[2]. The analysis of different cases confirm continued destruction and degradation of forests in spite of forestation measures and protection.

Biodiversity is the vast array of all the species of plants, animals, insects and the micro-organism inhibiting the earth either in the aquatic, aerial and the terrestrial habitats. Biodiversity is a compound word derived from 'biological diversity' and therefore is considered to have the same meaning. The variety of life at every hierarchical level and spatial scale of biological organizations: genes within populations, populations within species, species within communities, communities within landscapes, landscapes within biomes, and biomes within the biosphere (Wilson, 1988) 'Biological diversity' means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part; this includes diversity within species, between species and of ecosystem. This biodiversity is the condition for the long term sustainability of the environment, continuity of life on earth and the maintenance of its integrity. The biosphere or ecosphere is the sum total of all the ecosystems of the world. It is the self-regulating zone of life on Earth excluding the solar radiations and heat from the center of the Earth. The UN Food and Agriculture Organization (FAO) defined deforestation as:"The conversion of forest to another land use or the long-term reduction of the tree canopy cover below the minimum 10 percent threshold."

The human civilization depends directly or indirectly upon this biodiversity for their very basic needs of survival food, fodder, fuel, fiber, fertilizer, timber, liquor, rubber, leather, medicines and several other row materials. This biodiversity is the condition for the long term sustainability of the environment, continuity of life on earth and the maintenance of its integrity. Biodiversity is also essential for the maintenance of Global Ecosystem i.e. for the maintenance of Hydrological Cycles, Bio-geochemical cycles and Oxygen –Carbon dioxide cycle. This biodiversity is the condition for the long term sustainability of the environment, continuity of life on earth and the maintenance of its integrity. Conservation of biodiversity includes the preservation of all species, flora and fauna, the enhancement of wildlife habitat, the control of wildlife problems and the sustainable use of forests and wildlife. Components of the Biodiversity are grouped into two categories namely fauna and flora. Fauna includes all the animals including human beings (as genus Homo sapiens); flora includes all the living creatures belonging to category Plant including trees, herbs shrubs microbes climbers, creepers etc.

Biodiversity is not distributed evenly on Earth, and is richest in the tropics. Biodiversity generally tends to cluster in hotspots. Biodiversity interconnect the biosphere and ecological services provided by ecosystem viz. Life support system of human race. Biodiversity interconnect the biosphere and ecological services provided by ecosystem viz. Life support system of human race. Conservation of biodiversity and forests includes the preservation of all species, flora and fauna, the enhancement of wildlife habitat, the control of wildlife problems and the sustainable use of forests and wildlife. There exit a balance and collateral parallel evolution between the two essential constituents of biodiversity viz. flora and fauna of the Ecosystem. This study is essential in view of accelerating the efforts to control biological and

cultural landscape degradation, a better understanding of interactions between forest and the cultural forces driving them is essential for their sustainable management.

Review of literature:India, the second most populous country in the world, is the eleventh biodiversity center in the world and the third in Asia with its share of ~11% of the total plant resources. The floral wealth of India comprises more than 47,000 species including 43% vascular plants. Nearly 147 genera are endemic to India The vast geographical expanse of the country has resulted in enormous ecological diversity, which is comparable to continental level diversity scales across the world. It has representation of twelve biogeographic provinces, five biomes and three bioregions. Natural forests and forest plantations together cover 21.02% of the geographical area in India. India, one of the twelve 'Vavilovian Centres of Origin' and diversification of cultivated plants, is known as the 'Hindustan Centre of Origin of Crop Plants'. About 320 species belonging to 116 genera and 48 families of wild relatives of crop plants are known to have been originated in India. India has some of the world's most bio-diverse regions aand one of seventeen mega-diverse countries, it is home to 7.6% of all mammalian, 12.6% of all avian, 6.2% of all reptilian, 4.4% of all amphibian, 11.7% of all fish, and 6.0% of all flowering plant species. Biological wealth of our country is also very important for the global ecosystem.

However the important plants and animals, forests and trees in particular, as well as microorganisms and mangroves and marine biological wealth etc. is being threatened due to human unethically and ill-legal activities; and causing the negative impact on the earth Ecosystem. In 2009, India ranked 10th worldwide in the amount of forest loss,[1] where world annual deforestation is estimated as 13.7 million hectares (34×10^6 acres) a year.3

In a static proprietary article that appeared in and was reviewed by a scientific journal in 2021, authenticated scientists analyzed data from multiple public databases to create a regional representation of levels of global deforestation induced by nations' recent, largely unpopulated, patterns of trade, production and consumption—showing, e.g., that G7 countries are driving an average annual loss of 3.9 trees per capita and that India and China increased the deforestation embodied in their imports.[4][5] From 2002 to 2021, India lost 371kha of humid primary forest, making up 19% of its total tree cover loss in the same time period. Total area of humid primary forest in India decreased by 3.6% in this time period. Tree cover loss in India From 2001 to 2021, India lost 2.07Mha of tree cover, equivalent to a 5.3% decrease in tree cover since 2000, and 1.01Gt of CO, emissions. Annual tree cover loss by dominant drivers In India from 2001 to 2021, 2.8% of tree cover loss occurred in areas where the dominant drivers of loss resulted in deforestation.[6] The prime drivers of deforestation can be considered as shifting cultivation along with increasing demand for agricultural land, mining, quarrying, expansion of settlements, urbanization, dam construction, illegal logging, infrastructure development, forest fire and over-grazing.

Results: Graphs is summarizing the depletion in the forest area so the biodiversity.

The forest cover in India was 640819 square kilometer in 1987. The percentage of forest cover to the total geographical area in India was 19.49% in 1987. The forest cover was 639364 square kilometer in 1991. There was a decrease of -1455 square kilometer in forest cover as compared to 1987. In percentage terms, the decrease was -0.23% during the period from 1987 to 1991. The percentage of forest cover to the total geographical area was 19.45% in 1991. It decreased by -0.04 percentage points as compared to 1987. The forest cover was 638879 square kilometer in 1995. There was a decrease of -485 square kilometer in forest cover as compared to 1991. In percentage terms, the decrease was -0.08% during the period from 1991 to 1995. The percentage of forest cover to the total geographical area was 19.43% in 1995. It decreased by -0.02 percentage points as compared to 1991. The forest cover was 653898 square kilometer in 2001. There was an increase of 15019 square kilometer in forest cover as compared to 1995. In percentage terms, the growth was 2.35% during the period from 1995 to 2001. The percentage of forest cover to the total geographical area was 19.89% in 2001. It increased by 0.46 percentage points as compared to 1995. The forest cover was 690171 square kilometer in 2005. There was an increase of 36273 square kilometer in forest cover as compared to 2001. In percentage terms, the growth was 5.55% during the period from 2001 to 2005. The percentage of forest cover to the total geographical area was 21% in 2005. It increased by 1.11 percentage points as compared to 2001. The forest cover was 692027 square kilometer in 2011. There was an increase of 1856 square kilometer in forest cover as compared to 2005. In percentage terms, the growth was 0.27% during the period from 2005 to 2011. The percentage of forest cover to the total geographical area was 21.05% in 2011. It increased by 0.05 percentage points as compared to 2005. The forest cover was 697898 square kilometer in 2013. There was an increase of 5871 square kilometer in forest cover as compared to 2011. In percentage terms, the growth was 0.85% during the period from 2011 to 2013. The percentage of forest cover to the total geographical area was 21.23% in 2013. It increased by 0.18 percentage points as compared to 2011.The forest cover was 701673 square kilometer in 2015. There was an increase of 3775 square kilometer in forest cover as compared to 2013. In percentage terms, the growth was 0.54% during the period from 2013 to 2015. The percentage of forest cover to the total geographical area was 21.34% in 2015. It increased by 0.11 percentage points as compared to 2013.(Note: State of Forest Report (SFR) renamed as India State of Forest Report (ISFR) in 2009; Source: Rajya Sabha Session –

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

239 Unstarred Question No.1632.; Dataset URL: https://data.gov.in/catalog/answers-data-rajya-sabha-questions-session-239; Resource Title: Forest geographical area coverage of India from 1987 to 2015(From : Ministry of Environment, Forest and Climate Change)

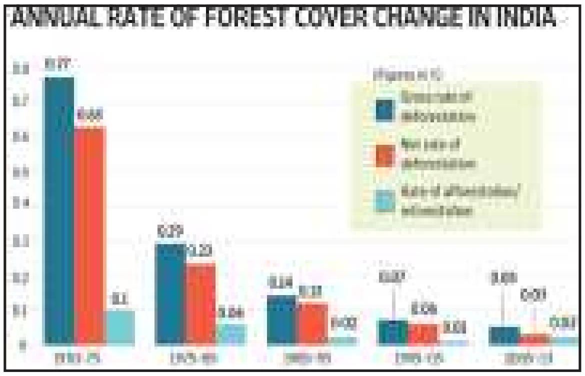

Source : Quantification and monitoring of deforestation in India over eight decades (1930–2013) published December 2015 - Biodiversity and Conservation, Springer, an international science journal by C. Sudhakar Reddy, C. S. Jha, V. K. Dadhwal, P. Hari Krishna, S. Vazeed Pasha, K. V. Satish, Kalloli Dutta, K. R. L. Saranya, F. Rakesh, G. Rajashekar and P. G. Diwakar.

Discussion- In biological diversity, India is one of the richest countries in the world. But widespread destruction has already taken place and this is continuing. Urgent measures to reverse the damage are both necessary and possible. Biodiversity and forests must be protected not only for purely ecological reasons but because it sustains livelihoods. Biodiversity in agriculture helps millions eke out a living. It helps people get food, jobs, nutrition, bio-pesticides, traditional medicine, housing material, fodder and fuel. It helps stabilize the climate, improve rainfall and enrich the soil and water table. Life cannot go on without biodiversity. Millions of years of evolution have created a wealth of structures and mechanisms at the molecular, cellular and macro-structure level, all of which function economically and interact, to perfection. Nature provides solutions to most of life's technical problems. 'Natural selection' has imposed on living organisms the 'Min-Max Principle' i.e., a minimum of material and energy accomplishes a maximum of efficiency and stability. This makes biological prototypes particularly important for our future given the world's resources and a solution to increasing environmental problems. Each and every unethically and ill-legal activities or the action of every human being causes the 'Butter fly effect' and impacts subsequently the Earth ecosystem via a chain of reactions. The 'Butter- fly effect' is cumulating the negative impact and influencing adversely the Earth ecosystem via a chain of reactions including the equilibrium of biodiversity i.e., Flora and fauna in the ecosystem. Ecosystem and welfare of human beings both are inter-related, inter-dependent, inter-oriented. Basic principle of ecosystem services follow the 'Law of Limiting Factor'. The lowest factor in the ecosystem will determine the fate of life on the earth is the 'Law of Limiting Factor'. It is also essential to identify and predict the actual or potential impact of development and to consider ways of minimizing negative impact while maximizing benefits. Protection and preservation of the air, soil, water, Forests and Biodiversity i.e., human beings, flora & fauna and other important constituents of ecosystem has become essential for the existence of mankind.

It is not very tough to make the people aware of the environmental knowledge that we have gathered so far but real challenge is to develop ethics relevant to the present. Environmental education, thus must consist of both knowledge of environment and environmental ethics. Ethics are necessary in order to ensure desired practice in all human being of all ranks. For this an equilibrium is to be established among Formal education, inspirational education and knowledge of Environmental rights. The overall purpose of environmental education is to develop a person in order to follow, inspire and influence others to follow and prevent others from violating the laws designed and formulated for protection of our environment. At all environmental literacy should be ensured to all human beings for their active participation in day to day happening, scientific developments and its consequences, formation and practical implementation of environmental laws etc. In order to make each of us accountable for present growth of human beings and present status of biodiversity, forest and global ecosystem. The essential need to accept the challenges and to overcome the threats in the biodiversity conservation in forest ecosystem is the stakeholders must have a clear and uniform understanding of their rights, responsibilities and obligations under the Constitutional provisions as well as a firm determination for holistic sustainable development . It is important for an ecosystem to have high biodiversity as biodiversity boosts ecosystem productivity where each species small or big in size, has an important role to play. Simultaneously a larger number of plant species means a greater variety of crops. Greater species diversity ensures natural sustainability for all forms of life. In order to make each of us accountable for present growth of human beings and present status of biodiversity, forest and global ecosystem; there is a need of holistic understanding of the relationship between the environment and the development processes taking place in the world. It has become the need of the hour to expand and evolve approaches to twenty- first century to biodiversity and forest conservation' and to strictly follow the 'global environmental ecosystem approach implementation'[6, 7, 8, 9, 10]. The environmental protection and biodiversity conservation are integral parts of sustainable development.

References:-

1. Global Forest Resources Assessment 2010, FAO Forestry Paper 163, Food and Agriculture Organization

of the United Nations (2011), ISBN 978-92-5-106654-6, page 12-13

2. Jump up to:[a b] Global Forest Resources Assessment 2010, FAO Forestry Paper 163, Food and Agriculture Organization of the United Nations (2011), ISBN 978-92-5-106654-6, page 21
3. Gore, Al (3 November 2009). “9”. *Our Choice: A Plan to Solve the Climate Crisis*. Rod ale Books. pp. 174, 192, 184, 186, 192, 172. ISBN 978-1-59486-734-7
4. *”Average westerner’s eating habits lead to loss of four trees every year”. the Guardian. 29 March 2021. Retrieved 19 April 2021.*
5. *Hoang, Nguyen Tien; Kanemoto, Keiichiro (29 March 2021).”Mapping the deforestation footprint of nations reveals growing threat to tropical forests”. Nature Ecology & Evolution: 1–9. doi:10.1038/s41559-021-01417-z. ISSN 2397-334X. Retrieved 19 April 2021.*
6. Mongabay. “Deforestation statistics for India. Accessed on 22.03.2023 from rainforests.mongabay.com.
7. Garg, J. 2018 a. Some Traditional and innovative approaches for Biodiversity Conservation. International Journal of Agriculuture Sciences. Vol. 10 (12) 2018 pp. 6501 - 6503.
8. Garg J. 2018 b. Some traditional and innovative approaches for biodiversity conservstion. Int J Agriculuture Sci. 10(12): 6501-3. Available from: https://www.researchgate.net/publication/331368680_Traditional_and_Innovative_Approaches_In_Perspective_of_Biodiversity_Conservation.
9. Garg, J. 2020 a Role of Environmental Ethics in the conservation of forests. Int. Jour. of Pharma and Biosciences 2020, pp. 29- 34.
10. Garg, J. 2020 b. Biodiversity Conservation and 42nd amendment in the Constitution of India: In the Perspective of 21st Century. Journal of National Development Vol. 33. Number 1(Summer). 2020, pp. 26 – 35.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Noise Pollution - Effect Of Noise On Man

Dr. Malti Dubey*

***Associate Professor (Chemistry) Govt. Autonomous Girls P.G. College of Excellence, Sagar (M.P.) INDIA**

Abstract - Noise pollution or sound pollution is the propagation of noise or sound with ranging impacts on the activity of human or animal life. Most of which are harmful to a degree. The source of outdoor noise worldwide is mainly caused by machines, transport and propagation system.

Noise is a source of stress. It triggers reaction in the body, including the secretion of certain hormones such as adrenaline and cortisol. These reactions account for the development of heart and cardiovascular disease after cause high blood pressure, heart disease, sleep disturbances and stress. These health problems can affect all age groups especially children.

Key words- Noise Pollution, Stress Vibrations.

Introduction - Noise is a source of stress. It triggers reaction in the body including the secretion of certain hormones such as adrenaline and cortisol. These reactions accounts for the development of heart and cardiovascular diseases.

Noise pollution impacts millions of people on a daily basis. The most common health problem it causes is noise can also cause high blood pressure, heart disease, sleep disturbance and stress. These health problems can affect all age groups especially children. Some of the non-auditory effects of noise are as follows:-

1. Sleep loss: It is common knowledge that noise interfere with sleep. We are all awakened by intense noise and most will easily be awakened by an alarm clock. However, the phenomenon is more complicated than it might appear at first sight. A person passes from one stage to another during a night sleep. There are several ways of labeling these sleep states. One common way is REM/(rapid eye movement) 1,2,3,4. It is in REM stage most dreams occur. Here the person has internalised his attention but is not in a deep stage of unconsciousness. However, a person is insensitive to sound. The different stages of sleep can be detected by attaching electrodes to the body and monitoring brain waves and other behavior. It appears that sleep in stage 2 is most easily disturbed, while deep sleep in stage 4 is disturbed least easily.

It has been suggested that while noise undoubtedly produces sleep pattern in people similar to those of a poor sleeper, a person compensates by spending more time in deep sleep, by becoming less responsive to stimuli and by napping. Thus noise may not deprive a person of efficient sleep to produce an adverse effect on health. Thus sleep disturbance caused by noise will reduce a person's felling of well being, and that if this disturbance is sufficient, it could conceivably have an adverse effect on health.

2. Noise-induced Stress: Stress as a state of arousal which can eventually have adverse health effects. The general response to any form of stress is called *adaptation syndrome.* This consists of three stages : alarm, a stage of resistance and a stage of exhaustion. It is suggested by medical authorities that some non-auditory diseases can be produced in the resistance stage of stress, such as ultra a blood pressure. Certainly, it appears that laboratory experiments are inconclusive at present. Although it appears that short-term changes in blood circulation and secretion changes in blood circulation and the secretion of chemicals in the urine are produced, it is uncertain if any long-term effects are produced. The incidence of hypertension in male and female workers at a noisy workshop is more.

3. Balance: As long ago as 1926, Tullio reported that pigeons could be made to swerve off course, if exposed to intense low frequency noise. From this experiment some have concluded that none has a direct effect on the balance. More recent experiments both at work and in laboratory show that intense noise can produce complaints of vertigo (dizziness), nystagmus (rapid involuntary side to side eye movements) and balance problems in people. However the levels to produce these effects are quite high about 130 dB.

4. N-response: The following effects of noise are called N-response.

(a) Blood circulatory changes by vasoconstriction (temporary shrinkage) of the peripheral blood vessels and

hence increased blood flow in brain; (b) slow breathing; (c) changes in electrical resistance of the skin, and (d) changes in muscle tension. Such responses do begin at quite low sound pressure level (e.g., 70 dB at 1000 Hz). The response becomes progressively greater as the sound pressure level is increased. It is not known at present if these responses decrease with adaptation to noise.

5. Startle: If people are subjected to sudden impulsive-like sounds they respond with a startle reaction. The reaction is controlled by an auditory-muscular reflex and tends to turn the load and eyes to the source. Presumably this occurs in order to prepare the person for appropriate action in case there is some danger at hand. This reflex action begins at quite low levels and normally causes a change in the rate of heart beat and blood pressure. However it appears that there is considerable adaptation to startle. It has been reported that babies of mothers, who were pregnant in neighborhoods exposed to aircraft noise, were much less aroused from sleep by aircraft noise than were the babies of mothers who were pregnant in non-noise exposed neighborhood.

6. Effect of Vibrations: Several of the human organs have resonances which can produce sensations of pain if excited by vibration or noise at their resonance frequencies. This resonance frequencies are in the range of 5 to 100 Hz. People seem to be most responsive to vertical vibration. Building response to vibration will be insufficient to cause cracks in plaster finishes or in walls until it becomes unpleasant or painful.

Effects of Noise on Performance:

The generalised agreed findings are as follows:

(a) Steady noise (without meaning) does not interfere with human performance unless the sound level exceeds 90 dB (A) and even then not consistently;
(b) Impulsive noises are more disrupting to performance then steady noise. Bursts of such noise can be disruptive even for low level below 90 dB (A);
(c) High frequency noise (above 2000Hz) appears more disrupting than low frequency noise (below 2000 Hz);
(d) Noise does not seem to change the rate of work but rather increases the variability of the work;
(e) Noise increases the number of errors made at work rather than the total amount of work; and
(f) Complex tasks are more affected by noise than simple task.

Effect on Blood Pressure: Noise pollution effect human health, comfort and efficiency. It causes contraction of blood vessels, makes the skin pale leads to excessive secretion of adrenalin hormone into blood stream which responsible for high *blood pressure.* Adrenalin changes hormone content of blood which increases rate of heart beat, constriction of blood vessels, digestive spasms and dilation of pupil of eye.

Auditory Fatigue: It appears in the 90 dB. Temporary deafness occurs at 4000-6000 Hz, while a permanent loss of hearing occurs at 100 dB due to continuous noise exposure. High interior impulsive noise resulting from an explosion or sudden excessive noise of more than 150 dB may cause instantaneous damage to internal structure of ear.

Control Of Noise Pollution:

1. Certain codes should be enforced which require sound proofing in the construction of industrial and building apartments. Traders have the option of getting sound deadening tiles put on walls and ceiling. These tiles have high holes which trap sound and prevent it from bouncing back.
2. The government, on its part, could introduce heavy fines on noise polluters. Public should be told to carry out all noisy operations in an open space far off from residential colony. The shopkeepers should use modified technology approaches.
3. Threes absorb and dissipate sound energy and act as buffer zone. Plants and trees should be planted along the highways, near industrial areas. In metro cities, green belt vegetation should be encouraged so that open space may absorb the sound. For instance in Delhi, road dividers of Daryaganj, Qutab road, tall dense hedges need to be grown.
4. Airport noise can be reduced by reducing the noise at source as far as technically possible.
5. Zoning the area around the airport so that no one is allowed to construct any house or factory within 1 km radius of the airport.
6. Road traffic should be restricted from unnecessary blowing of pressure horns. Decibel meters should be installed along the highway. Any vehicle driver exceeding the noise limit of 75 dB should be fined.
7. Enforce noise limit at once in the city and monitor sites where levels are high.
8. Consult experts on noise control planning and development.
9. Do not allow high pitch pressure horns, vehicles without silencers, random use of crackers and playing of radio, televisions at high volume. Restrict the use of loudspeakers.
10. Construct flyovers and subways at busy intersections to reduce noise.
11. To reduce noise due to airplanes the flight path and the angle of landing and takeoff may have to be changed.
12. Indians are religious minded and their every occasion, be religious, social marriage and family celebrations are manifested in a noisy manner. A lot of noise nuisance is created during marriage and festival processions which overlook the health and peace of others. During elections, campaign commences even in midnight. Many countries like USA, UK have enacted laws to control noise menace, why can't we?

References:-

1. Rudnick, I., Handbook of Noise Control, McGraw-Hill, New York (1957).
2. Kurze, V. and Bernek, L.L., Sound Propagation Outdoors Noise and Vibration Control, Bernek L.L. (Ed.) McGrow-Hill, New York (1971).
3. Welch, B.L. and Welch, A.S. Physiological Effects of Noise, Plenum Press, New York (1970).
4. Kryter, K.D., The Effect of Noise on Man, Academic Press, New York (1970).
5. Close, W.H., "Surface Transportation" Noise and Vibration Control Engineering, Crocker M.J. (Ed.), Purdue Univ., West Lafayelta, Ind.
6. Plamer, J.W., Anatomy for Speech and Hearing, Harper and Row, New York (1972).
7. Glong, A., Noise and Your Ear, Grane and Stratton, New York (1958).
8. Anon Guidelines to the Department of Labour's Occupational Noise Standards, Bull 334, revised, U.S. Deptt. of Labour, Washington D.C. (1969).
9. Stevens, S.S. and Warshofsky, F., Sound and Hearing. Time Life Books, New York (1965).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

वेदेषु-वर्णित राष्ट्रधर्म

डॉ. बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय *

* सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) पं.शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – विश्व के आदिग्रन्थ वेद में मनुष्य के सभी धर्मो का सम्पूर्णत: विवेचन हुआ है। विश्व धर्म से लेकर व्यक्ति-धर्म तक, समष्टि से व्यष्टि तक सभी धर्मो का निरूपण वैदिक वाड्.मय में है। उदाहरणार्थ-यजुर्वेद का निम्नलिखित मत्र राष्ट्रधर्म का सांगोपांग और स्पष्ट वर्णन करता है-**आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्। आ राष्ट्रे राजन्य: शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथी जायताम। दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशु: सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठा, सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम। निकामे-निकामे न: पर्जन्यो वर्षतु। फलवत्यो न ओषधय: पच्चयन्ताम्। योगक्षेमो न: कल्पताम्।।** (यजुर्वेद 22/22)

भाव यह है कि विश्वभावन ब्राह्मण ब्रह्मतेज से सम्पन्न हों। राष्ट्र में क्षत्रियगण शूरवीर, धनुर्धर, रोगमुक्त और महारथी हों। गायें दुधारू, बैल भारवहन में सक्षम, अश्व शीघ्रगामी, स्त्रियॉ शोभामयी, रथी विजयशील हों और इस यजमान का युवा पुत्र निर्भय हो। आवश्यकतानुसार वर्षा हो, वनस्पतियाँ फलवती हों। हमारा योग-क्षेम हो।

अथर्ववेद में भी राष्ट्रोन्नति के उपाय बताये गये हैं, जो उपर्युक्त मन्त्र के तारतम्य में हैं, अथवा अधिपूरक रूप में हैं। पृथ्वीसूक्त का वचन है कि बृहत् सत्य, उग्र ऋत (अर्थात् सत्यकर्म, सत्यज्ञान), दीक्षा, तप, ब्रह्मयज्ञ पृथ्वी का धारण करते हैं

सत्यं बृहद्दतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ: पृथिवीं धारयन्ति।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी न: कृणोतु।।
(अथर्व. 12/1/1)

यजुर्वेद के उपरिलिखित मन्त्र की व्याख्या से राष्ट्रधर्म का स्वरूप निर्दिष्ट हो जाता है। आगे वेद-मन्त्रों से पुष्ट करते हुए उक्त मंत्र का स्पष्टीकरण किया जायेगा।

राष्ट्र-भावना के मूलाधार हैं- एक देश (भौगोलिक एकता), एक केन्द्रीय शासन (संगठनात्मक एकता), संस्कृति (भावना की एकता) एक सभ्यता (ऐतिहासिक एकता) और एक भाषा (अभिव्यक्ति-प्रणाली की एकता)। वेदों में इन सबका सविस्तार वर्णन मिलता है।

राष्ट्र – उपर्युक्त पाँचों आधारों का, अथवा और भी संक्षेप में कहें तो, देश और राज्य के संगठनात्मक ऐक्या का नाम राष्ट्र है। राष्ट्र देश की समग्रता, भावात्मक संगठन और राजनीतिक एकता का द्योतक है-यह इस तथ्य से प्रकट होता है कि ऋग्वेद में सामाजिक संगठन की पाँच क्रमिक विकास भूमियाँ पायी गयी हैं। इसकी मूलभूत इकाई 'कुल' कहलाती है, जो कुलपके संरक्षण में एक 'गृह' के सदस्यों के अनुशासनबद्ध संगठन का नाम है। कुलों का समूह 'ग्राम' कहलाता है, जो ग्रामीण के नेतृत्व में काम करता है। ग्राम से बढ़कर 'विश' नामक समूह होता है, जिसका मुखिया। विश्पति कहा जाता है।

जैसें आज कल अनेक ग्रामों की एक बड़ी पंचायत होती है, वैसे ही पहले विश् रहे होंगें। विश् के नागरिक विट् कहलाते थे, जिन्हें कबायली-जैसा समझा जा सकता है। ये एक विश् से दूसरे विश् में आते जाते रहते थे। विश् से बृहत्तार समूह 'जन' कहलाता है। 'जन' राजा के शासन-यन्त्र से सीधा सम्बन्ध रखता होगा, क्योंकि राजाको 'जनरक्षक' कहा गया है।

राष्ट्र से बृहत्तर 'साम्राज्य होता है। इसके शासकों को क्रमिक उच्चता के अनुसार अधिराज, राजाधिराज, एकराट्, सम्राट, स्वराट्, विराट् और सर्वराट् कहा जाता है। ये अपना पद-गौरव-प्रर्दशन करने के लिए राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ, पुरुषमेध, सर्वमेध, आदि यज्ञ करते थे। किंतु इनका वर्णन प्रस्तुत लेखकी विषय-सीमा से बाहर है।

ऐतरेय ब्राह्मणमें तत्कालीन शासन-पद्धतियों के भी उल्लेख हैं। 'भौज्य' एक विशिष्ट प्रकार का गणराज्य था। 'स्वराज्य' राष्ट्रपतिकी प्रधानता वाला गणराज्य था।

ए एवं विद्धान् वाजपेयेन यजति। गच्छति स्वाराज्यम्
अग्रसमानानां पर्येति। तिष्ठन्तेऽस्मै ज्येष्ठाय।।
(तैत्तिरीय ब्राह्मण 1।3।22)

स्वराज्य से विपरीत 'वैराज्य' गणतन्त्र राष्ट्रपति-रहित होता था। जहाँ किसी व्यक्ति-विशेष में ही शासन की प्रभुसत्ता रहती थी, उसे 'राज्य' कहते थे। अनेक राज्यों को अधीन रखने वाले शासन का नाम 'साम्राज्य' था।

राष्ट्र के उपर्युक्त प्रकार-विनिर्णय से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्र-भावना में भौगोलिक एकता का विचार प्रमुख हैं राजा भूमिकी रक्षा करते रहने की पवित्र शपथ इन शब्दों में लेता है कि 'पृथ्वीमाता! तुम मेरी हिंसा न करों और मैं तुम्हारी हिंसा न करूँ।'

भाव यह कि देश और राजा इस प्रकार परस्पर हितैषी हों, जैसे माता और पुत्र। किंतु देश एक भावात्मक सत्ता भी है और इस शब्द से जितना भौगोलिक सीमा का बोध होता है, उतना ही या प्रसंगानुसार उससे भी अधिक 'प्रजा' का कथन होता है। इसीलिए कहा है कि 'प्रजा ही राष्ट्र है। राष्ट्र के विचार में प्रजा का विचार ही सब कुछ है। प्रजा के हित और संरक्षण में ही राष्ट्र की सुरक्षा हैं। प्रजा की समृद्धि, धनधान्यसम्पन्नता, नीरोगता, संक्षेप में शोभा और दीप्ति ही राष्ट्र का वास्तविक राष्ट्रत्व है। इनसे विहीन राष्ट्र राष्ट्र कहलाने का अधिकारी नहीं हैं। जब प्रजा – हित ही राष्ट्र का सर्वस्व है, तब प्रजा को ही अपना हित देखने का वास्तविक अधिकार है। अत: वेदों ने राष्ट्र की प्रभुसत्ता प्रजा में रक्खी हैं धर्म, यज्ञ और राजदण्ड प्रजा के भावात्मक प्रतीक

माने जाते हैं। अभिषेक के समय सविता, अग्नि सोम, बृहस्पति, इन्द्र, रूद्र, मित्र और वरूण को आहुतियाँ दी जाती हैं। इनमें सविता धर्मपालन सोमकृष्ण और वनस्पति की समृद्धि, रूद्र पशु-रक्षण और वरूण धर्म-रक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। यें शक्तियाँ राजा का नहीं, प्रजा का हित-साधन करने के लिए हैं। वैदिक विचारधारा में राजा की विशेषता उसके धर्मसंस्थापक रूप में हैं। प्रजाओं को सच्चा अधिपति धर्म है, राजा तो दण्ड (शासन) का वह रूप है जो धर्म की संस्थापना और रक्षा करता है। इससे यह निष्कर्ष नही निकाला जा सकता कि राजा ईश्वर का रूप है।राजा को दैवी अधिकार नहीं है, उसमें मंत्रों के द्वारा दैवी गुणों का अध्यारोप किया जाता है। भाव यह कि प्रजा की इच्छा व आज्ञा से राजा को शासनाधिकार दिया जाता है। राजाको राज्य एक निक्षेप की भाँति सौंपा जाता हैय स्वोपभोग के लिए नहीं, अपितु कृषि वृद्धि के लिए और सर्वविध पोषण द्वारा प्रजा के क्षेम - सम्पादन के लिए शत्पथ ब्राम्हण मे कहा गया है

इयं ते राट्.......... यन्तासि यमनो ध्रुवोऽसि वरुण:।
कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा।।

(शत. ब्रा. 5/2/2/2)

इससे सिद्ध है कि राज्य पद पर आसीन रहने की कसौटी जनता का योग-क्षेम-सम्पादन है और राजा एक महार्घनिधि (ट्रस्टी) मात्र हैं राजा का अभिषेक-संस्कार भी यही प्रकट करता है सत्रह स्थानों से सम्भृत जलों से राजा का अभिषेक कराया जाता हैं यह भी प्रतीकात्मक संस्कार हैं समुद्रजल प्रजाओं के प्रति भक्ति का संकेत करता है, परिवाही जल भूमि या समृद्धि की प्रेरणा देता है और स्थावर हृदय का जल राजा के प्रति प्रजा की दृढ़ भक्ति का विश्वास दिलाता है। इतना ही नहीं, राजा को निरंकुशता के पथ पर जाने से रोकने के लिए और उस पर नियंत्रण रखने के लिए प्रजा की चार कार्यविधियाँ हैं- निर्वाचन, राज-मर्यादा-निर्धारण, मन्त्रि-परिषद की अधिकार-सम्पन्नता तथा सभा-समितियों का अंकुश। इससे स्पष्ट है कि राजा की स्थिति प्रजा पर निर्भर है, क्योंकि प्रजा ही राजा को चुनती है और उसे पद पर बनाये रखती है या पदच्युत कर सकती है और एक बार पदच्युत कर दिये जाने पर उसे पुन: सिंहासनासीन कर सकती है। अथर्ववेद मे राजा कैसा हो कहा गया है-

त्वां विशे वृणतां राज्याय। त्वामिना: प्रशि: पञ्च देवी:।
वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व। ततो न उग्रो विभजा वसूनि।

(अर्थव 3।4।2)

प्रजा निरन्तर उसे शक्ति देती है। और सब ओर से राजा की रक्षा करती है। अत: राजा का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह प्रजा को प्रसन्न रक्खे, उसकी भक्ति करें, जिससे प्रजा उसे चाहती रहें। राजा प्रजा का सेवक होता है यह प्रकट करने के लिए अभिषेक के समय एक विशेष धार्मिक कृत्य होता है। अध्वर्यु और उसके सहकारी राजा की पीठ पर दण्ड-स्पर्श करते हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि प्रजा राजा को अदण्डय बना रही है, तथापि दण्ड-शक्ति की मूल अधिष्ठात्री प्रजा ही है। राजा दण्ड से अतीत रहते हुए उस दण्ड को धारण करता है, जो धर्म का रक्षक है। राजा दण्ड का धारण करने वाला मात्र है दण्ड का विधाता या मूल श्रोत नहीं है।

यद्यपि प्रभु सत्ता प्रजा में निहित है, तथापि दण्ड-शक्ति राजा को देकर और उसे अदम्य बनाकर प्रजा स्वेच्छा से राजा की आज्ञा का पालन करने का व्रत लेती है। समष्टि प्रजा प्रभुता सम्पन्न है, व्यष्टि - प्रजा वश वत्तिनी हैं इस प्रकार राजा और प्रजा के परस्पर अधीन रहने से ही राष्ट्र उन्नतिशील, निर्द्वन्द और व्यवस्थित रहता है।

राष्ट्रमेव विश्या हन्ति तस्माद् राष्ट्री विशं धातुक:।
विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद् राष्ट्रीविशमन्ति न पुष्टं पशुं मन्यत इति।।

-शत. ब्रा.

राष्ट्र की रक्षा और समृद्धि के लिए प्रजा राजा को बलि (कर) दिया करती हैं बलिहृत् होकर राजा न्याय की व्यवस्था करता और व्यवहार (कानून) सम्बन्धी कार्यो में वही अन्तिम धर्माध्यक्ष होता है। इस प्रकार आन्तरिक व्यवस्था और सुरक्षा का प्रबंध करके वह वाह्य शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करता है। इसीलिये वह प्रजा रक्षक कहलाता है। अथर्ववेद में राजा को रक्षकों अर्थात् क्षत्रियों में श्रेष्ठ, प्रजाओं का अधिपति, कोषका एकमात्र स्वामी, जनों का अप्रतिम नेता, समस्त प्राणियों का प्रभु, मनुष्यों में सर्वोच्च और देवों के समकक्ष बताया गया है। कर द्वारा धन की प्रचुरता हो जाने से राजा भव्यता भी धारण कर लेता हैं उसका वेश भव्य होता है।

उसका संभाभवन सहस्त्र-स्तम्भ वाला और राज प्रसाद सहस्त्र द्वारवाला होता है। उसके अनेक परिकर रहते है।

राजा को इतनी सुविधा, इतनी प्रभुता और इतने अधिकार देने पर भी राजा से संयमी, ब्रह्मचारी और तपोमय होने की अपेक्षा की गई है। क्योंकि जागरूक व्यक्ति ही जनता की रक्षा कर सकता है, और समझदार बुद्धिमान नेता ही प्रजा को ठीक मार्ग से उन्नति पथ पर ले जाता है। ऐसा राजा ही गर्व पूर्वक कह सकता है कि- मेरा राज्य चोरो, कायरों, शराबियों, यज्ञहीनों, अविद्धानो और चरित्र भष्ट्रों से रहित है।

न मे स्तेनो जनपदे न कदार्यो न मद्यप:।
नानाहिताग्निर्नाविद्धान न स्वैरी स्वैरिणी कुत:।।

(छान्दो. उपनिषद् 5।11।5)

पराक्रमी और तेजस्वी होने के लिए सहायकों और मित्रों की आवश्यकता होती है। राजा को भी अपने कार्यो में साथ देने वाले व्यक्तिकी अपेक्षा होती है। संगठित और बलशाली रहने पर ही राष्ट्र या व्यक्ति अनाधृष्ट रह सकता है। देशरक्षार्थ संग्राम करना होता है और संग्राम में क्रूर कर्म भी होते हैं। शत्रु के साथ '**शठे शाठ्यं समाचरेत**' की नीति अपनानी पड़ती है और हिंसा का मार्ग भी ग्रहण करना होता है। यजुर्वेद मे कहा गया है-

यो अस्मभ्मरातीयाद् यश्च नो द्विषते जन:।
निन्दाद् यो अस्मान् धिप्साच्च सर्व तं भस्मसा कुरु।।

(यजु. 11।80)

समिति और सभा - राजा को जन हित के कार्यो में लगाये रखने के लिए और उसमें तानाशाही की प्रवृत्ति उत्पन्न होने से रोकने के लिये समिति और सभा हैं। इनके द्वारा जनता की इच्छा और राजा को ज्ञात होती हैं वस्तुत: ये जनसंसदे हैं। ये भारतीय राजतन्त्र की मूलभूत आरम्भिक संस्थाये हैं, अत: इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है।

समिति - समिति पूरे राष्ट्र की संस्था का नाम है। इसमें राष्ट्र की जनता के प्रतिनिधि एकत्र होकर राजा का निर्वाचन करते थे और कभी-कभी निर्वासित राजा को वापस बुलाकर उसका पुनर्निर्वाचन करते थे। राजा को बनाने वाले ये (राजकृत:) राष्ट्रवासी उसे एक मणि या पलाशपर्ण प्रतीकरूप में इसलिए देते थे कि प्रजा के अनुकूल रहने का अनुग्रह कर रही हैं समिति विचार करके अच्छे कार्यो का समर्थन करती और बुरे कार्यो से उसे विरत करती थी। शत्रु-विजयार्थ एवं स्वशक्ति-दृढ़करणार्थ राजा समिति का समर्थन प्राप्त करता है।

राजा के लिए समिति का प्रिय बनना आवश्यक है। राजा का यह कर्तव्य है कि समिति में उपस्थित हो, सदस्यों के चित्त एवं व्रतको अपने अनुकूल बनाये। राष्ट्र की अभिवृद्धि के लिए राजा और समिति के मन्त्र, मन, चित्त, प्रयत्न, और हृदय समान होने चाहियें-अथर्ववेद मे कहा गया है कि-

समानों मन्त्र: समिति समानी, समानं मन: सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये व:, समानेन वो हविषा जुहोमि।।
समानी व आकूति: समाना हृदयानि व:।
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति।।

(अर्थव. 10।19।3-4)

अर्थात् उनमें पूर्ण सौमनस्य होना चाहिए। समिति में अध्यात्मचर्चा और साहित्य चर्चा भी हो सकती है।

सभा – सभा राष्ट्र के वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध नागरिकों के समूह का नाम हैं सभा के सदस्य सभ्य, सभासद, सभासीन या सभेय कहलाते हैं। सभा का प्रमुख सभापति और सभा का रक्षा-पुरूष सभापाल कहलाता है। सभा के लिए धन का पृथक् अनुदान होता है। सभा का एक नाम **'नरिष्टा'** भी है क्योंकि सभा में किसी भी प्रश्न पर स्वतंत्रता पूर्वक, खुलकर, विचार हो सकता है किंतु एक बार कोई निर्णय हो जाने पर सबके लिए अनुलंघनीय हो जाता है। अथर्ववेद मे इस बारे मे निर्दिष्ट किया गया है कि-

विद्मा ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि।।

(अर्थव.-7।12।2 इस पर सायणभष्य-)

इसीलिए स्वच्छन्दता या उच्छृड़ खलता का परित्याग करने के लिए कहा जाता है। उदाहरणार्थ, शुक्लयजुर्वेद में युवकों को सभा के योग्य बनने का आदेश दिया गया है।

पहले ऋषिगण भी राजा से सभा में ही मिला करते थे तथा मित्र राजा भी सभा में ही एकत्र होते थे। सभा का महत्व इतना अधिक है कि कोई राजा तो क्या, प्रजापति भी सभा के बिना अपना कार्य नहीं चला सकते है।

सभा के कार्यो में सामूहिक निर्णय और न्याय प्रमुख हैं। गम्भीर विषयों पर विचार-विनिमय होते हैं। सदस्य अपने मन्तव्य कों प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वाक्शक्ति बढ़ाते हैं। वे वाग्मिता बढ़ाने और सुन्दर भाषण करने के लिये भगवान से कामना करते है। प्रत्येक सभासद् चाहता है। कि वह अन्य सदस्यों के वर्चस् और विज्ञान, तेज और बुद्धि को अपने पक्ष में मोड़ सकें और उनके मन को अपने भाषणों में रमा सकें। ऋग्वेद मे इसका प्रमाण मिलता है-

अभिभूरहमागमं विश्व कर्मेण धाम्ना।
आ वाश्चित्तमा वो व्रत मा वोऽहं समितिं ददे।

(ऋव. 10।166।4)

जिससे वे उसका समर्थन करें। भाषण में त्रुटि रहना बड़ा अपराध माना जाता है। और ऐसे भाषणदाता का अपमान होता है। सभा उच्च न्यायालय का कार्य भी करती हैं। यद्यपि न्याय वा व्यवहार-सम्बन्धी कार्यो में राजा ही सर्वोच्च धर्माध्यक्ष होता है, तथापि वह यह कार्य सभा की सहायता से ही करता है। पारस्करगृह्यसूत्र में सभा के गुण-नाम 'नादि' और' विर्षि' भी बताये गये हैं, जिनके अर्थ जयरामीय व्याख्या के अनुसार- 'नदनशील' और 'दीपनशील' हैं क्योंकि सभा में धर्म निरूपण होता है। प्राचीन काल में दिव्य परीक्षा करने के लिए सभा में अग्नि रखी जाती थी। इसीलिए सभा को प्रकाशवती कहा गया है। सभा में निर्णयार्थ आनेवाले व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह 'सभाचार' कहलाते थे। 'सभाचार का अर्थ है धर्म-निरूपण के लिए न्यायालय रूप सभा मे आनेवाला व्यक्ति सभा अपराधी को दण्ड देती और निरपराध को दोष-विनिर्मुक्त प्रकट करती है।

सभा के अतिरिक्तन्याय के अन्य साधन भी वेद में उल्लिखित हैं। झगड़ों मे पञ्च निर्णय भी होता है। ऐसे बीच-बचाव करने वाले 'मध्यमाशी' कहे जाते हैं। ग्रामों में न्यायकर्ता पञ्च होते हैं। पञ्च का नाम 'ग्राम्यवादिन' भी है। इनकी भी सभा हुआ करती है। न्याय कार्य में सहायता करने के लिए आरक्षी विभाग होता हैं रक्षापुरूष या दण्डधरको 'उग्र' और 'जीवगृभ्अर्थात् दुर्दान्त और जीवित पकड़ने वाला कहते हैं।

मन्त्रि परिषद्– शासन कार्य में राजा को सब प्रकार से सहायता देने वाले मंत्री होते हैं। राजा इन पर आश्रित रहता है, इनसे पथ प्रदर्शन प्राप्त करता है अत: इन्हें 'रत्निन' कहा गया है। ये राजकर्त और राजकृत होते हैं, अर्थात् ये स्वयं राजा न होते हुए भी राज्य करने वाले और राजा को बनाने वाले होते हैं। ये ही राजा के सिंहासनारीन होने पर उसकी प्रभुता और कर्तव्यमत्ता की घोषणा करते है। ऐतरेव ब्राम्हण मे कहा गया है कि-

इमं जना: अभ्युत्क्रोशत सम्राजं साम्राज्यं, भोजं भोजपितरं, स्वराजं स्वाराज्यं, विराजं वैराज्यं, परमेष्ठिनं पारमेष्ठयं, राजनं राजपितरं, क्षत्रियोऽजनि, विश्वस्याभूतस्याधिपतिराजनि, विमन्ताजनि, अमित्राणां हन्ताजनि, ब्राह्मणानां गोप्ताजनि इति।।

(ऐतरेय ब्रा.-8।17)

ये शासन के समस्त मुख्य कार्यो के संचालक होते हैं शासकीय विभागों के अधिपति हुआ करते हैं। इनकी सम्मति लेना राजा का कर्तव्य हैं पदारूढ बने रहने के लिए इनकी अनुकूलता रखना राजा के लिए आवश्यक होता है, अत: **'रत्न-हवि' नाम तु** इन रत्नों को राजा प्रसन्न रखता है।

इन रत्तकर्ताओं मे सर्व प्रथम गणना ब्राह्मण की होती है। ब्राह्मण पुरोहित के रूप में राजा और राज घराने से सम्बन्ध रखता है। यह न केवल सन्मित्र के रूप में नित्य साहचर्य के द्धारा राज परिवार को कर्तव्याभिमुख रखता है, अपितु युद्धों में भी राजा के साथ रहकर उसके लिए दैवी सहायता की योजना भी करता है। ब्राह्मण राजा के लिए उपदेशक, राजपुत्रों और प्रजाओं के लिए शिक्षक, विचार-क्षेत्र में ऋषि, समाज के लिए पथ-प्रदर्शक और योद्धाओं के लिए अग्रगामी होता है। वेद के मत में, वह राष्ट्र-जीवन के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में जागरूक रहकर आगे रहता है-

वयं राष्ट्रे जागृयाम् पुरोहिता:।।

इसीलिए वह 'पुरोधा' या 'पुरोहिता' कहलाता है और उसके कार्य को 'पुरोहित' कहते हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ और देवर्षि प्रसिद्ध पुरोहित हुए है।

चतुर्वर्ण– राज्याभिषेक के समय चारों वर्णोंके मनुष्य उपस्थित रहते हैं। सबके मध्य पुरोहित यह घोषित करता है कि 'सब प्रजाओं का राजा यह व्यक्ति है, किंतु ब्राह्मणों का राजा सोम है शतपथ ब्राम्हण मे कहा गया है कि-

एष वो विशो राजा सोमोऽस्माकंब्राह्मणानां राजा।।

(शत.ब्रा. 5।3।3।12)

अभिप्राय यह कि वैदिक राजतन्त्र में धर्मको ही सच्चा अधिपति माना गया हैं धर्म का प्रतिनिध ब्राह्मण है, अत: ब्राह्मण क्षेत्र से ऊपर है। इसीलिये ब्राह्मणों की गणना प्रथम होती है। इतना ही नहीं, वेद का अध्ययन-अध्यापन करने से ब्राह्मण और भी ऊँचे हैं, देवतुल्य है। ब्राह्मण विश्वहित मे लगा रहता है। अत: कहा गया है कि ब्राह्मण का अपमान से राष्ट्र का नाश हो जाता है। अथर्ववेद मे ब्राम्हण के महत्वता पर चर्चा की गई है-

उग्रो राजा मन्यमानों ब्राह्मणं यो जिघत्सति।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

परा तत् सिच्यते राष्ट्रं ब्राह्मणों यत्र जीयते।

(अथर्व. 5।9।6)

क्षत्र का शासन उनके उन्हीं क्षेत्रों पर होता है जो धर्म की प्रत्यक्ष शासन सीमा मे नहीं आते। क्षत्रिय प्रजा को धर्म पथ पर लाता है और ब्राह्मण उसे धर्ममय बनाता हैं । क्षत्र-ब्रह्म दोनों ही प्रजाओं में धर्मको धारण कराते हैं, अत: दोनों मे पूर्ण सौमनस्य होना चाहिए। दोनो की परस्पर प्रतिष्ठा होती है। बुद्धि और क्रिया का सामञ्जस्य हुए बिना कोई कार्य ठीक नहीं हो सकता, राष्ट्र उन्नति-पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता । अत: ब्राह्मण और क्षत्रिय को मिलकर देशहित में लगे रहना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद मे क्षत्रिय और ब्राम्हण के बारे मे कहा गया है कि-

ओम यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चौ चरत: सह।
तं देशं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवा: सहाग्निना।।

(यजु.-20।25)

ब्राह्मण और क्षत्रिय ही नहीं, वैश्य और शूद्र भी राष्ट्र के साथ सौमनस्य रक्खे चारों वर्णो में परस्पर सौहार्द्र हो, वे एक मनसे तथा मिलजुलकर कार्य करें। ऋग्वेद मे कहा गया कि-

संगच्छध्वं संवद्ध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे संज्जानानामुपासते ।।

(ऋक.10।191।2)

ऐसा भी उक्त वेदमन्त्र का अभिप्राय है धेनु से वैश्य और अनड्वान तथा सप्ति से शूद्र के सहयोग की ओर संकेत हैं राष्ट्र रक्षा में तत्पर सभी वर्णो को तेजस्वी होना चाहिए। यजुर्वेद मे इस बात की पुष्टी की है-

रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु, रुचं राजसु नस्कृधि।
रुचं विश्येषु शूद्रेषु, मयि धेहि रुचा रुचम्।

(यजु. 18।84)

सभी अपने अपने कर्तव्यों में निरत रहे किन्तु संकटकाल में धर्म का अवरोध होने पर द्विजाति शस्त्र ग्रहण भी करें और शूद्र द्विजाति का हित-साधन करता हुआ विविध शिल्पों की उन्नति करता रहे। याज्ञवल्क्यस्मृति में कहा गया है-

शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते।।
शिल्पैर्वाविविधैजीवेद् द्विजातिहितमाचरन।।

(याज्ञवल्क्यस्मृति)

यह स्मृति-प्रतिपादन वेद के आधार पर ही है। मनु स्मृति का वचन है कि वर्ण-निर्दिष्ट कर्तव्यों की अवहेलनाकरने पर राष्ट्र राष्ट्रिकों के सहित नष्ट हो जाता है। अत: अपने धर्म वा कर्तव्य में लगे रहकर सभी को सबके प्रति मित्रभाव रखना चाहिए। यजुर्वेद मे कहा गया है-

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।।

(यजु. 36।18)

और सब प्रकार से समस्त मानव जाति की रक्षा में दत्ताचित्ता रहना चाहिए। यही संगठन और शक्ति का मूलमंत्र है।

परिवार - यजुर्वेद के उक्त मंत्र का 'योषा' शब्द पारिवारिक सौमनस्य की अनिवार्यता प्रकट करता है। राष्ट्र में सहृदयता के विस्तार करने का प्रथम सोपान परिवार ही है। व्यक्ति सर्व प्रथम परिवार में ही आत्म विस्तारकरता है। यहीं वह अपने क्षुद्र स्वार्थ से ऊपर उठने का अभ्यास करता है और परहित-साधन में लगना सीखता है। अथर्ववेद के सौमनस्य सूक्त में पारिवारिक सौहार्द, सौमनस्य, अविद्वेष, त्याग अनुव्रत और सव्रत -भद्रता रखने का व्रत निर्दिष्ट किया गया है।

व्यष्टि-धर्म - यह तो राष्ट्र के समष्टिगत धर्म की विचारणा हुई। व्यष्टिगत राष्ट्रधर्म का भी वेदों में निरूपण हुआ है। उपर्युक्तमन्त्र मे 'न:' शब्द का तीन बार प्रयोग प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तिगत योग क्षेम, आरोग्य, पुष्टि, तेजस्विता, परिश्रमशीलता आदि की कामना करता है। अन्य प्रसंगो में भी कहा गया है कि मनुष्य का शरीर चट्टान जैसा सुदृढ हो और वह तेज, वीर्य, बल, ओज, मन्यु तथा साहस से भरपूर हो। यजुर्वेद में कहा गया है कि-

तेजऽसि तेजो मयि धेहि। वीर्यमसि वीर्य मयि धेहि।।
बलमति बलं मयि धेहि। ओजोऽसि मयि धेहि।।।
मन्युरसिं मन्युं मयि धेहि। सहोऽसि सहो मयि धेहि।।

(यजु. 19।9)

अनौचित्य को देखकर होने वाला क्रोध 'मन्यु' है। विरोधी पर विजय पाने में समर्थ शक्ति का नाम 'सह' है। यह भी उपदेश है कि परिश्रमशील हुए बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, देव भी सहायता नहीं करते अत: उन्नतिशील जीवन की प्राप्ति के लिए उद्यमी होना चाहिए।

वेद भगवान के ऋषि ने आरम्भ में ही इस राष्ट्रधर्म का निर्वचन कर दिया है, जिसका अनुशरण करके कोई भी राष्ट्र बलवान् हो सकता हैं भारत राष्ट्र की श्री-बृद्धि, श्रेय-प्रेय-सम्पादन और दुर्धर्षिता-प्राप्ति के लिए यह परम आवश्यक है कि हम सब इन पवित्र आदेशों का सदा पालन करते रहें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' उपन्यास में विभाजन की त्रासदी

डॉ. अनुसूइया अग्रवाल (डी.लिट्.)* मासूम वर्मा **

* प्राचार्य, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.) भारत
** शोधार्थी (हिंदी) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – कृष्णा सोबती प्राय: सात दशकों में फैले अपने रचनात्मक जीवन में हिंदी साहित्य को अनेके रूपों में समृद्ध किया और सँवारा है। अपने लेखकीय जीवन के प्रत्येक चरण में नई-नई कृतियाँ दी है। कृष्णा सोबती की देश विभाजन से संबंधित उपन्यासों में एक अलग ही छवि है। 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' देश-विभाजन से संबंधित इनकी बहुचर्चित उपन्यास है। देश-विभाजन से संबंधित अनेक उपन्यास लिखे गए हैं। भीष्म साहनी का 'तमस', कमलेश्वर का 'कितने पाकिस्तान', राही मासूम रजा का 'अँधा गाँव', यशपाल का 'झूठा सच' दो भाग- 'वतन और देश' तथा 'देश का भविष्य', खुशवंत सिंक का 'पाकिस्तान मेल'।

देश का विभाजन एक अभिशाप है, जिसने कल तक जो पााकिस्तान-हिंदुस्तान का ही हिस्सा था उसे लोगों ने साम्प्रदायिकता के आधार पर दो भागों में बाँट दिया गया- 'हिंदुस्तान' और 'पाकिस्तान'। देश का विभाजन संवेदना के स्तर को भी प्रभावित किया। विभाजन एक ऐसी घटना है जिसने अनेक साहित्यकारों को हिला कर रख दिया है, परंतु सबसे अधिक प्रभावित कृष्णा सोबती हुई हैं, क्योंकि उन्होंने देश-विभाजन की पीड़ा को न केवल देखा है, उसे भोगा भी है।

'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' उपन्यास का 2019 में पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। सोबती जी ने इस लेख के माध्यम से अपने जीवन के वो अनुभव अभिव्यक्त किया है, जो उन्हें विभाजन के बाद एक शरणार्थी के रूप में दिल्ली आने से लेकर सिरोही (गुजरात) के राजपरिवार के इकलौते वारिस की गवर्नेस बनने के दौरान हुए। उपन्यास की शुरूआत दो नक्शों से होती है, जो विभाजन के पहले और बाद के हिंदुस्तान को दिखाता है। इसके बाद विभाजन के असीम दर्द, दु:ख और पीड़ा दर्ज है। सोबती जी अपनी अनूठी शैली में वो अपने अनुभव की गहराई से उन बीते सालों को याद कर बताने की कोशिश करती हैं। उन जैसे लाखों लोगों को एक आजाद देश बनने की खुशी अपने घर, ज़िंदगी, इज़्ज़त, मान और खुद को खोने की कीमत पर मिली। 'घरों को पागलखाना बना दिया-सियासत ने सारा शहर भरा है अपने-अपने घरों से फेंके गए वजूदों से।'[1] सोबती जी जिसके खुद के सामने एक स्थिति है अपनी जड़ों से उखड़ने की, नई जगहों पर जमने की। सोबती जी और उनके संरक्षण में सिरोही राजपरिवार की गद्दी संभालने के लिए गोद लिए गए बच्चे तेजसिंह के किरदारों के अपनी जड़ों से बिछड़ने को लेकर एक अनोखी समानता है।

विभाजन एक ऐसा समय था जब देश की सभी रियासतों और रजवाड़ों से उनके शाही पद और कुछ विशेषाधिकार छोड़कर सारी शक्तियाँ और धन ले लिया गया था। उनमें भी अपनी जड़ से उखड़ जाने और खो जाने का दु:ख था, वे अपने महलों के अंदर ही एक अलग तरह के शरणार्थी बनकर रह गए थे। सोबती जी शाही परिवार में एक गवर्नेस की भूमिका में महलों के अंदर ही अलग-अलग ज़िंदगी और महल के मुलाजिमों की साजिशों की सच्चाई से रू-ब-रू करवाया। 'पांड्या जी आपके पास अब कोई ताकत नहीं। आज न सिरोही के दीवान हैं, न ही वकील-आप सिरोही राज का पुराना झोला हैं, जिसे देवी सिंह मामा ने अपने कन्धे पर लटका रखा है।'[2]

कृष्णा सोबती ने देश-विभाजन के समय रजवाड़ों से उनके शाही पद और शक्तियाँ ले लिए जाने की पीड़ा को उजागर किया। देश के बँटवारे के दौरान अपने जन्म-स्थान गुजरात और लाहौर को छोड़कर अपनी जड़ों से उखड़ कर आई सोबती जी रह-रह कर विभाजन कें हताश कर देने वाले खौफ़नााक दृश्यों के बीचों-बीच स्मृतियों में खो जाती हैं। 'देखते-ही-देखते हा-मांस के पुतले जलने लगे। जलकर राख होने लगे। कटी-अधजली बाँहें, धड़, गर्दन, माल-असबाब कबाड़ की तरह ढेर हो गए।'[3] सोबती जी के सामने विभाजन के दर्दनाक दृश्य और पीड़ा को राजपरिवार के अकूत वैभव के सामने अपने समृति से निकाल पाना सहज नहीं था।

राजपरिवार के वैभव और सुख-सुविधा से प्रभावित हो जाने वाली सोबती जी का स्वभाव नहीी था। सोबती जी पूजा, व्रत, धर्म, अनुष्ठान तक सीमित नहीं थीं। उन्हें स्फूर्ति मिलती है विवेकानंद के भावों और भाषाओं से। चमनलाल ने भी 'आलोचना' पत्रिका में 'साम्प्रदायिकता, उपनिवेशवाद और तमस' में देश का विभाजन और आजादी दोनों एक साथ का उल्लेख किया है। 'वास्तव में 1947 का वर्ष देश को 15 अगस्त को मिली आजादी के लिए ही नहीं इस वर्ष भारत में हुए सबसे भयंकर साम्प्रदायिक दंगों के लिए भी हमेशा याद रहने वाला वर्ष है। अगस्त से पहले शुरू हुए ओर बाद में काफी समय तक चलते रहने वाले इन दंगों ने अमानवीयता के क्रूरतम रूपों का इतिहास रचा और कम-से-कम छह लाख निर्दोष स्त्री-पुरुषा, बच्चों-बूढ़ों ने इन भयानकतम क्षणों में बड़ी क्रूरताएँ सहकर अपने प्राण गँवाए।'[4]

स्त्रियों ने अपनी देह के साथ वहशत भरा सलूक झेला। 1947 की भयावह त्रासदी चारों ओर हजारों-हजार बेघर-बार भटकते लोगों की आवाज़ तन-मन पर होने वाले बेहिसाब बलात्कार और सामूहिक हत्याएँ। भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ी अमानवीय त्रासदी थी, जिसे हिंदी लेखकों ने अपनी रचनाओं में अत्यंत मार्मिकता तथा यथार्थता के साथ अभिव्यक्त किया

है। यशपाल की रचना 'झूठा सच' में भी स्त्रियों की लाचारी को दिखाया है। 'हम तीनों जवान औरतें और तीन क्वाँरी लड़कियों- काशे, सत्ते और फूलों रह गयीं। उन्होंने गोद के बच्चों को भी छीन-छीन कर मर्दों की तरफ फेंक दिया, हम लोग काँपती हुई, रोती हुई देखती रह गयीं।'[5] औरतों ने इस विभाजन में अधिक पीड़ा भोगी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान।

इस दंगे में औरतों के साथ अत्याचार, बलात्कार, लूटपाट होते हुए देखे गए। सोबती जी ने धर्म एवं जाति के नाम पर दंगों की पीड़ा को सहा है, जिसे 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' में धर्म के नाम पर हिंदू-मुस्लिम जाति के नाम पर राजपूत, ब्राह्मण, बनिया आदि को किस तरह दोस्त से दुश्मन बन जाते हैं, उसे अभिव्यक्त किया है। 'नहीं, नहीं हुकुम पाठशला अभी नह खुलेगगी। सुनते हैं गोकुल भाई अैर राजमाता में ठन गई है। शिशुशाला नहीं खुेगी बखेड़ा पड़ गया है। 'कैसे ?' यह तो मुझे नहीं मालूम पर लोग तो यी कह रहे हैं। हुकुम यह राजपूतों और बनियों की लड़ाई है।'[6]

विभाजन के उन खूनी दिनों की ओर मार-काट न खत्म होने वाली दंगे, कटे हुए मुसाफिरों से भरी रेलगाड़ियाँ, उधर से आ रही है, इधर सेजा रही हैं। मानों इंसानियत जैसे खत्म हो गई हो, दोनों ओर जो बच गए थे, वे खुली आँखों से जो देख रहे थे वह भयानक था। लेखकों को अपने होने पर भी शंका हो रही थी।

देश का विभाजन एक ऐसी राजनैतिक दुर्घटना थी, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। इस प्रभाव से स्वयं सोबती जी और उनके परिवार वाल भी नहीं बच पाए। सोबती जी के परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। 'कुछ दूरी पर मिल के अहाते में मकानों की अस्थायी कतारें। टीन की छतें और टीन की ही दीवारें। इन्हीं में से एक घर शान्ति मौसी का है। दरवाजे को खटखटाया कि सारा घर खुल गया। टीन के साँचे में खड़ी थी शान्ति मौसी।'[7] सोबती जी की मौसी जो छत वाले घर में रहा करती थी। विभाजन ने उनकी आर्थिक स्थिति खराब कर दी और अब वे टीन से बने घर में, जो उसकी बहन ने दिलाया है, उसमें रहने को विवश है।

देश में शरणार्थियों को बसाने व उनके लिए खान-पान जुटाने की समस्या भी सामने आई। विभाजन लोगों को भावनात्मक, विचारात्मक, मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी प्रभावित किया। देश-विभाजन ने मानव-जीवन को दयनीय बना दिया, जो लोग कभी अश्लील शब्दों को अपनी जबान में लाने के लिए भी नहीं सोचते थे, अब आक्रोश के कारण एक दूसरे के धर्मो को गाली देते और बँटवारा करवाने वाले नेताओं को भी देश के जन-जीवन को पूरे जड़ से हिला देने वाली घटना मानी जाती है। आजादी के दौर में जो देश-विभाजन हुआ उसने पूरे आमजन को एक-दूसरे के खिलाफ इतना अधिक आक्रोश से भर दिया कि उनके समक्ष कुछ भी दिखाइ नहीं दे रहा था और अगर दिखाई दे रहा था तो एक-दूसरे (हिंदू-मुसलमान) को जान से मार डालने का क्रोध।

'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' उपन्यास में बनावटीपन नहीं है, जो भी उन्होंने भोगा है उस यथार्थ को कलात्मक ढंग से नि:संकोच अभिव्यक्त कर दिया। सोबती जी की 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' की भाषा शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। साथ-ही-साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया है, जो पात्र तथा प्रसंग के सर्वथा अनुकूल है। भाषा की कसावट रचना को विशिष्ट बनाती है। हिंदी कथा-साहित्य में 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' एक विशिष्ट उपलब्धि के रूप में स्वीकृत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सोबती, कृष्णा, 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2017, पृ. 12.
2. वही, पृ. 246.
3. वही, पृ. 16.
4. चमनलाल, 'साम्प्रदायिकता, उपनिवेशवाद और 'तमस', आलोचना, नई दिल्ली : राजकममल प्रकाशन, 2004, पृ. 69.
5. यशपाल, 'देश और वतन' लखनऊ : लोकभारती प्रकाशन, 2010, पृ. 386.
6. सोबती, कृष्णा, 'गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान' नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2017, पृ. 93.
7. वही, पृ. 128.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

रूस-यूक्रेन युद्ध : वैश्विक मानवाधिकार संकट

रजनी गगवानी*

* सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान) श्री शिवचरण माथुर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मांडलगढ़, भीलवाड़ा (राज.) भारत

शोध सारांश – 'रूस-यूक्रेन युद्ध से मानव कल्याण और मानवाधिकारों के लिए विनाश उपजा है। बच्चों की एक पीढ़ी सदमे में है तथा वैश्विक खाद्य व ऊर्जा संकट में तेजी आई है।' रोजमैरी डीकार्लो

संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव और राजनैतिक एवं शान्ति निर्माण मामलों की प्रमुख द्वारा सुरक्षा परिषद में दिया गया उक्त बयान ने मानवाधिकारों पर हुई ऐसी चोट को रेखांकित करता है, जिसने सम्पूर्ण विश्व को न्यूनाधिक प्रभावित किया है। दिनांक 24 फरवरी 2022 से शुरू हुए रूस – यूक्रेन संघर्ष को एक वर्ष पूर्ण होने के साथ ही इस संभावना को भी बल मिला है कि यह शीघ्र ही समाप्त होने वाला नहीं है। इस संदर्भ में यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि इस युद्ध का प्रभाव मानव तथा उसके अधिकारों पर क्या पड़ा है तथा इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे? प्रस्तुत शोध पत्र के तहत इसी विषय को केंद्र में रखकर मानव अधिकारों का अर्थ तथा इस युद्ध के परिणामस्वरूप विभिन्न जनसमूहों पर इसके प्रभाव तथा समाधान का अध्ययन किया गया है। द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित इस शोधपत्र हेतु प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वक्तव्य तथा उससे संबंधित एजेंसियों जैसे यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी प्रतिवेदनों तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशित आलेखों को संदर्भित किया गया है।

शब्द कुंजी – रूस-यूक्रेन संघर्ष, मानव अधिकार, खाद्य सुरक्षा, शरणार्थी संकट।

प्रस्तावना – रूस द्वारा यूक्रेन पर आरंभ किए गए सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप एक वर्ष के भीतर 8,006 व्यक्तियों ने अपनी जान गवाई है (यूएन ह्यूमन राइट्स ट्विटर पोस्ट)। इसके प्रभावों का विस्तार सेना तक सीमित नहीं रहा है बल्कि नागरिक व पर्यावरण भी इससे गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इस युद्ध में लगातार हो रही बम वर्षा व अन्य हथियारों के प्रयोग के कारण बड़ी संख्या में लोगों के मानव अधिकारों को क्षति पहुंची है। युद्ध के आरंभ से ही यूक्रेन द्वारा सभी पुरुषों के लिए सैन्य सेवाएं अनिवार्य करने के कारण व्यक्तियों के 'चयन के अधिकार' समाप्त हो गए। इसके साथ ही सभी घरेलू व सामाजिक दायित्व पूर्णरूप से महिलाओं पर आने के कारण उनकी मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त पितृप्रेम से बालकों की वंचना, शिक्षा के अवसरों की सीमितता तथा खाद्यान्न की भारी कमी के कारण बालकों के मानव अधिकारों का हनन हुआ है। वहीं निरंतर रूप से युद्ध जारी रहने के कारण पर्यावरण को भी अपूरणीय क्षति पहुंची है। जिसका दीर्घकालिक प्रभाव अत्यधिक गंभीर रहने वाला है। प्रस्तुत शोध पत्र में मानव अधिकारों के तहत खाद्य सुरक्षा का अधिकार, महिलाओं, बालक तथा शरणार्थियों के अधिकार व उनकी स्थिति को रेखांकित किया गया है।

मानवाधिकारों का अर्थ – मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमारे पास केवल इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य के रूप में मौजूद हैं। वे किसी भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा, या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना ये सार्वभौमिक अधिकार सभी के एक समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इसके अंतर्गत 'जीवन के अधिकार' से सम्बंधित वे सभी परिस्थितियां आ जाती हैं, जो जीवन को जीने लायक बनाते है जैसे कि य भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकार (ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन)। संक्षेप में, ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक द्वारा बताए गए व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार मानव अधिकार कहे जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार सम्मिलित है।

रूस- यूक्रेन युद्ध से प्रभावित हुए मानवाधिकारों की स्थिति – अशांति, अस्थिरता व युद्ध का निश्चित रूप से मानव जाति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इनमें से भी सबसे आम प्रभाव हैय जनहानि लेकिन यह केवल ष्हिमशैल का सिराष है। मृत्यु के अलावा स्थानिक गरीबी, कुपोषण, अक्षमता, आर्थिकध्सामाजिक पतन और मनो-सामाजिक बीमारी भी युद्ध के कुछ परिणामों में से एक है (मूर्ति, आर व लक्ष्मीनारायण, 'मेंटल हेल्थ कोंसिक्वेंसेस...')। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की मार्च 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने भोजन को आक्रामकता के एक उपकरण के रूप में उपयोग किया है। जिसमें यूक्रेनी बंदरगाहों को रोकना या नियंत्रित करना, अनाज के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना, कृषि भूमि के विशाल क्षेत्रों पर कब्जा करना, पैदावार कम करना और श्रमिकों को विस्थापित करना शामिल है। इसके अलावा, उसने भविष्य के निर्यात के लिए अनाज लिया है, जिससे दुनिया भर में भोजन की और कमी हो रही है और कीमतें बढ़ रही हैं। इस संदर्भ में रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप मानव जाति पर पड़े प्रभावों का उल्लेख निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है :

1. **खाद्य सुरक्षा –** फरवरी 2023 में FAO,WFP, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक समूह और विश्व व्यापार संगठन के प्रमुखों ने एक साथ वर्तमान स्थिति को 'वैश्विक खाद्य प्रणाली के लिए एक अभूतपूर्व

झटका' करार दिया। इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि रूस-यूक्रेन मिलकर वैश्विक गेहूं व्यापार का एक-तिहाई, वैश्विक मक्का व्यापार का 17 प्रतिशत और वैश्विक सूरजमुखी तेल व्यापार का लगभग 75 प्रतिशत उत्पादित करते हैं। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के तुरंत बाद, एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक तब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद मार्च 2022 में यह दूसरी बार सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया। डब्ल्यूएफपी की रिपोर्ट है के अनुसार, 79 देशों में रिकॉर्ड 349 मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। यह सर्वकालिक उच्च पूर्व-कोविड -19 की तुलना में 200 मिलियन लोगों की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक खाद्य संकट का सबसे बुरा प्रभाव निम्न और मध्यम आय वाले, खाद्य-आयात करने वाले देशों - विशेष रूप से अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के उन देशों पर पड़ा है। जो अपने आयात के लिए काला सागर पर निर्भर थे। इस सम्बंध में मुद्रास्फीति संभावित रूप से पोषक खाद्य पदार्थों को लाखों लोगों की पहुंच से बाहर करती रहेगी।

यूक्रेन में रूस के युद्ध ने दुनियाभर में मानवीय सहायता के प्रावधान को भी प्रभावित किया है। आज, तीव्र खाद्य असुरक्षा, क्षेत्रीय संघर्ष, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और कोविड-19 महामारी के सुस्त आर्थिक प्रभावों से पीड़ित स्थानों पर केंद्रित है। जबकि तीव्र रूप से खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। मानवीय सहायता प्रदान करने की लागत भी एक ऐतिहासिक शिखर पर है।WFP की मासिक परिचालन लागत आज उनके 2019 के औसत से +73.6 मिलियन अधिक है, जो 44 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। मुख्य रूप से ईंधन की बढ़ी हुई कीमत और WFP खाद्य सहायता की बढ़ी हुई कीमतों के परिणामस्वरूप जिसमें गेहूं और उपयोग के लिए तैयार चिकित्सीय खाद्य पदार्थ शामिल हैं (आरयूटीएफ)। अंत में, रूस-यूक्रेन युद्ध ने महत्वपूर्ण राजनीतिक ध्यान आकर्षित करते हुए, अन्य मानवीय आपात स्थितियों पर राजनेताओं का ध्यान कम कर दिया। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लिए यूनिसेफ के उपक्षेत्रीय निदेशक, रानिया दगाश-कामारा के अनुसार, यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण 'हमें बहुत देर से प्रतिक्रिया मिली।' जुलाई तक, 'जब दुनिया ने अपना ध्यान सूखे के संकट की ओर लगाया। हम पहले ही बहुत पीड़ा देख चुके थेकृतीन देशों में पाँच साल से कम उम्र के सत्तार लाख से अधिक बच्चे बर्बाद हो गए थे।' (केटलिन, वी ,2023 'रशिया, यूक्रेन एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी...')। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट 'ग्लोबल जेंडर्ड इम्पैक्ट ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस' के अनुसार, यदि ऊर्जा और उर्वरक की कीमतें 2023 में उम्मीद के मुताबिक कम नहीं होती हैं, तो खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है।

2. अशिक्षा - संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के अनुसार, यूक्रेन में 11 महीने के युद्ध ने 50 लाख से अधिक बालक-बालिकाओं की शिक्षा को बाधित किया है। युद्ध में विस्फोटक हथियारों के इस्तेमाल के कारण आबादी वाले क्षेत्रों सहित यूक्रेन में हजारों स्कूल, प्री-स्कूल और अन्य शिक्षा सुविधाएं क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं। वहीं, कई माता-पिता और अभिभावक सुरक्षा के डर से बच्चों को स्कूल भेजने से हिचकते हैं। इसके अतिरिक्त बिजली और अन्य बुनियादी ऊर्जा ढाँचों पर हमलों ने बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट की समस्या को जन्म दिया है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा भी प्रभावित हुई है।

3. शरणार्थियों - आंतरिक अशांति, सशस्त्र संघर्ष व युद्ध की स्थिति में सामान्यत: यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि प्रभावित देश के नागरिक वर्ग एक बेहतर व सुरक्षित जीवन की आशा में दूसरे में प्रवास करते हैं। जब कभी इस प्रवास की प्रवृत्ति अथवा प्रवासियों की संख्या एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है, तो विभिन्न देश अपने देश की सीमाओं को उन प्रवासियों के लिए बंद कर देते हैं। इस स्थिति में एक शरणार्थी संकट उत्पन्न होता है। जिसके अंतर्गत प्रभावित देश के शरणार्थी अवैध व असुरक्षित माध्यमों से अन्य देशों में प्रवेश लेते हैं। जैसा कि रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय व अफगानिस्तान में तालिबान शासन की स्थापना के पश्चात देखा गया। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन सरकार द्वारा यद्यपि पुरुषों के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया परंतु महिलाएं व बच्चे देश छोड़ने के लिए स्वतंत्र थे। इनमें से अधिकांश व्यक्तियों नेसर्वाधिक रूस, पोलैंड, चेक गणराज्य, मोल्दोवा, जर्मनी व अन्य यूरोपीय राज्यों में शरण ली है। जिसका चित्रात्मक प्रदर्शन निम्न मानचित्र के अंतर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्व भर से यूक्रेन में अध्ययन करने आए विद्यार्थियों को स्वदेश लौटने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें से देश लौटने के प्रक्रिया के दौरान कई विद्यार्थियों ने अपनी जान भी गंवा दी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, UNHCR के अनुसार, पूरे यूरोप में 8 मिलियन से अधिक यूक्रेनी शरणार्थियों के रहने की सूचना है। इनमें से 48 लाख शरणार्थी हैं जिन्होंने अस्थायी राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाओं के तहत पंजीकरण कराया है। यद्यपि कई शरणार्थियों ने पुन: युक्रेन लौटना आरंभ कर दिया है। इनमें से 50 लाख से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित हैं (रॉय, डायना, 2023 'हाउ बैड इज युक्रेन्स ह्यूमनटेरियन क्राइसिस...')।

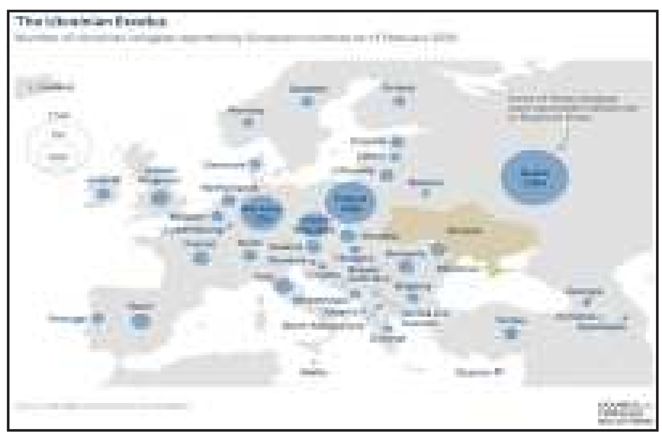

चित्र 1 : यूक्रेनी शरणार्थियों के आश्रयदाता देश

स्रोत : रॉय, डायना.(फरवरी 22, 2023) 'हाउ बैड इज युक्रेन्स ह्यूमनटेरियन क्राइसिस..'सीएफआर.ओआरजी रिट्रीव्ड फ्रॉम https://www.cfr.org/in-brief/ukraine-humanitarian-crisis-refugees-aid

4. ऊर्जा - रूस विश्व में कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक व निर्यातक है। विशेष रूप से यूरोप से रूस की भौगोलिक निकटता के कारण लगभग सम्पूर्ण यूरोप अपनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता हेतु रूस पर निर्भर था। यूरोप को गैस की आपूर्ति हेतु रूस द्वारा यूक्रेन से निकलती पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम का परिचालन वर्ष 2011 शुरू हुआ था (स्पाइगेल, 2011 'विवादास्पद परियोजना शुरू की मर्केल और मेदवेदेव...')। वहीं ओपेक देशों के सदस्य के रूप में रूस कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति व कीमतें निर्धारित करने में एक महत्तवपूर्ण भूमिका रखता है। अमेरिकी ऊर्जा

सूचना प्रशासन (ईआईए) के अनुसार, 1 जनवरी, 2023 तक रूस के पास 1,688 ट्रिलियन क्यूबिक फीट (टीसीएफ) पर दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार था। वर्ष 2021 के अंत में रूस का कोयला भंडार लगभग 179 बिलियन शॉर्ट टन था। जिससे यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में पुनर्प्राप्त करने योग्य कोयले के भंडार का दूसरा सबसे बड़ा धारक बन गया। चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस को दुनिया में छठा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक स्थान दिया गया है । 2021 में रूस कच्चे तेल का निर्यात करता है और द्रुजबा पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से यूरोप को संघनित करता है, जो नवंबर 2022 के मध्य में कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। परंतु यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण और बाद में रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई । जून में WTI कच्चे तेल की कीमत मासिक औसत 114 Dollar प्रति बैरल तक बढ़ गई, जो सितंबर 2014 के बाद से वास्तविक रूप से सबसे अधिक कीमत है। गैस तेल की कीमतों में 36% की वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व स्तर पर कम इन्वेंट्री के संयोजन, रिफाइनरी क्षमता में कमी और प्रतिबंधों के कारण रूस के डिस्टिलेट निर्यात में व्यवधान ने इन कीमतों में वृद्धि में योगदान दिया। ऊर्जा उप-सूचकांक में 6% हिस्सा रखने वाली प्राकृतिक गैस की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। इस सम्पूर्ण परिवर्तन ने वैश्विक खाद्य असुरक्षा, सरकारों के वार्षिक बजट का बिगड़ना, परिवहन लागतों में वृद्धि के कारण व्यापारिक हानि, महंगाई, भूखमरी, निर्धनता व दिवालियापन जैसी स्थिति को जन्म दिया है।

5. महिलाओं व बच्चों पर प्रभाव – यूक्रेन में युद्ध ने विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को प्रभावित किया है। वहाँ यौन और शारीरिक हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार की रिपोर्टें बढ़ रही हैं। यूएन वीमेन के अनुसार, रूसी आक्रमण के बाद से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी दल को यूक्रेन में संघर्ष-संबंधी यौन हिंसा के 124 कथित कृत्यों की रिपोर्ट मिली है। इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 12 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है और अब विस्थापित हो गए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल के अनुसार, 'यूक्रेन में बच्चों ने एक साल भयावह अनुभव किया है। लाखों बच्चे ठंडे और डरे हुए हैं और इस क्रूर युद्ध के अंत की उम्मीद कर रहे हैं।' इस युद्ध के दौरान कई बच्चे मारे गए और घायल हुए हैं और कई ने अपने माता-पिता और भाई-बहनों, अपने घरों, स्कूलों और खेल के मैदानों को खो दिया है। किसी भी बच्चे को कभी भी इस तरह की पीड़ा नहीं झेलनी चाहिए।' यूनिसेफ के विश्लेषण से पता चलता है कि गरीबी में रहने वाले बच्चों का प्रतिशत 43 प्रतिशत से लगभग दोगुना होकर 82 प्रतिशत हो गया है। इनमें भी उन 5.9 मिलियन बच्चों की स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जो वर्तमान में यूक्रेन के भीतर विस्थापित हैं। युद्ध का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। अनुमानित 1.5 मिलियन बच्चों को संभावित दीर्घकालिक प्रभावों और प्रभावों के साथ अवसाद, चिंता, अभिघातजन्य तनाव विकार और अन्य मानसिक बीमारियों का खतरा है। निरन्तर युद्ध के कारण बुनियादी सेवाओं तक बच्चों और परिवारों की पहुंच तबाह हो गई है। गोलाबारी और हवाई हमलों से 800 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षतिग्रस्त या नष्ट होने की सूचना है। इस तरह के हमलों में मरीजों की मौत हो जाती है अथवा उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही ये हमले चिकित्सा कर्मियों की पीड़ितों तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं। देश भर में संघर्ष से भाग रहे हजारों बच्चों को पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया और अन्य जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण टीके भी नहीं नहीं मिल रहे हैं।

महिलाओं की स्थिति के संबंध में एमनेस्टी इंटरनेशनल को डोनेट्स्क ओब्लास्ट के संघर्ष क्षेत्र में रहने वाली एक महिला तमारा ने बताया कि 'सब कुछ बदतर हो चुका है। पुरुष युद्ध में संलग्न हैं। महिलाएं अकेली रह गई हैं, कई महिलाएं किसी भी आय स्त्रोत के बिना छोटे बच्चों के साथ हैं। उन्हें कोई वित्तीय व भौतिक सहायता नहीं मिल रही है।'

निष्कर्ष – उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विश्व में ऊर्जा संकट निरन्तर रूप से गहराता जा रहा है। जिसने बड़ी संख्या में लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर निर्धनता, कुपोषण व अभावों में झोंक दिया है। साथ ही महिलाएं व बच्चे बुरी तरीके से मानसिक, आर्थिक, शैक्षणिक व शारिरीक रूप से इस युद्ध से पीड़ित हैं। युद्ध के परिणामस्वरूप इनके मानवाधिकारों का भी हनन हुआ है। अतः आवश्यक है कि इन्हें तुरंत मानवीय सहायता पहुँचाना सुनिश्चित किया जा कर, शान्ति स्थापित हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन 'व्हाट आर ह्यूमन राइट्स' रिट्रीव्ड फ्रॉम https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights
2. कॉंट्रोवशियल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड(अगस्त 11, 2011)स्पाइगेल रिट्रीव्ड फ्रॉम https://www.spiegel.de/international/europe/controversial-project-launched-merkel-and-medvedev-open-baltic-gas-pipeline-a-796611.htm
3. ग्लोबल जेंडर्ड इमपैट्स ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस.(2022).यूएन वीमन रिपोर्ट रिट्रीव्ड फ्रॉम https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f452b181-8b08-394e-bde9-9539bbbd3e2d
4. ट्विटर.(फरवरी 21, 2023).यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ स्टेटस रिट्रीव्ड फ्रॉम https://twitter.com/UNHumanRights/status/1628074495218003976?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1628074495218003976%7Ctwgr%5E3ce2471621db926609597de1e0a03afe9eb8ba00 %7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.u n.org%2Fen%2Fstory%2F2023%2F02%2F1133737
5. युएन ह्यूमन राइट्स कमीशन.ऑपरेशनल डेटा पोर्टल.सिट्यूएचनस इन यूक्रेन रिट्रीव्ड फ्रॉम https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
6. युक्रेन रू वीमेन फेस ग्रेव रिसक्स एस रशिया.(मार्च 08, 2023).एमनेस्टी इंटरनेशनल रिट्रीव्ड फ्रॉम https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/ukraine-women-face-grave-risks-as-russias-full-scale-invasion-enters-its-second-year/
7. यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन ऐजेंसी रिट्रीव्ड फ्रॉम https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=55059

8. यूक्रेन 'मानव कल्याण और मानवाधिकारों के लिए विनाशकारी स्थिति..'(जनवरी 13, 2023).यूनाइटेड नेशंस.यूएन न्यूज रिट्रीव्ड फ्रॉम https://news.un.org/hi/story/2023/01/1065342
9. यूनाइटेड नेशंस. ग्लोबल इशू, ह्यूमन राइट्स रिट्रीव्ड फ्रॉम https://www.un.org/en/global-issues/human-rights#:~:text=Human%20rights%20are%20rights%20inherent,and%20education%2C%20and%20many%20more.
10. वेल्श, केटलिन.(फरवरी 24, 2023).रशिया, यूक्रेन एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी.सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज रिट्रीव्ड फ्रॉम https://www.csis.org/analysis/russia-ukraine-and-global-food-security-one-year-assessment#:~:text=First%2C%20though%20Russia's%20war%20in,over%20the%20past%2012%20months
11. वॉर इन यूक्रेन इज आ क्राइसिस.(फरवरी 22, 2023).यूएन वीमन ऑर्गेनाइजेशन रिट्रीव्ड फ्रॉम https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/03/in-focus-war-in-ukraine-is-a-crisis-for-women-and-girls
12. वॉर इन यूक्रेन पुशेस जनरेशन ऑफ चिल्ड्रेन.(फरवरी 21, 2023).यूनिसेफ रिट्रीव्ड फ्रॉम https://www.unicef.org/eca/press-releases/war-ukraine-pushes-generation-children-brink-warns-unicef
13. श्रीनिवासमूर्ति, आर एवं लक्ष्मीनारायण आर.मेन्टल हेल्थ कोंसिक्वेंसेस ऑफ वॉर...द वर्ल्ड सायकायट्रिक असोसिएशन रिट्रीव्ड फ्रॉम https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1472271/#:~:text=War%20destroys%20communities%20and%20families,in% 20material%20and%20human%20capital

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

सामासिक संस्कृति के कुछ और रूप

डॉ. गीता कुमारी*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) आईसेक्ट विश्वविद्यालय, हजारीबाग (झारखंड) भारत

प्रस्तावना – सामासिक संस्कृति भारतीय संविधान के हिंदी अनुवाद से उदुध्त है। यह पद अंग्रेजी के कंपोजिस्ट कल्चर के लिए प्रयुक्त होता है। समस का अर्थ होता है योग या मेल सामासिक संस्कृति दो या दो से अधिक संस्कृतियों का मिलन मात्र नही है। सामासिक का अर्थ है- मिलकर एक हो जाने वाली जब दो या दो से अधिक संस्कृतिय मिलती है तब दो प्रकार की क्रियाये होती है। संस्क्रिति के कुछ तत्व ऐसे होते है। चाहे वह धर्म भावना हो कला रूचि हो ,साहित्य परंपरा हो या भाषा हो जो मिलने वाली विभिन्न संस्कृतियों में समान रूप से स्वीकृत हो जाते है। उन तत्वों का अजनबीपन जाता रहता है। वे इन सभी संस्कृतियों में खप जाते है। दूसरी और कुछ तत्व ऐसे भी होते है जो कभी संस्कृतियों में सामान रूप से स्वीकृत नही होते वे विभीन संस्कृतियों में अलग अलग या तो बने रहते है या कालांतर में विलीन हो जाते है। व्यापक रूप से जो विभीन तत्व सभी संस्कृतियों में स्वीकृत हो जाते है। यदि उनके परिणाम और प्रकार अनुकूल हुए तो वे कुल मिलाकर एक अपेक्षाकृत नयी संस्कृति चेतना को रूप देते है, जिसे हम सामासिक संस्कृति चेतना कह सकते है।

पठानों और मुगलों का भारत में आगमन व्यापर करने अथवा उपनिवेश बसाने वाले विदेशियों के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ बसने आये थे। जब वे इस देश में बस गए ,उन्होने इसे अपना ही देश मान लिया। भारत को अपना देश पहले की भी कुछ विदेशी जातियों ने माना था, किन्तु उनके और मुसलमानों के बीच एक भारी भेद था। शक और हूण भारत में कभी वह राजनैतिक प्रबलता प्राप्त नहीं कर सके थे जो प्रबलता मुसलमानों ने प्राप्त की। इस देश पर मुसलमानों का राज्य छह सौ वर्षो तक रहा था। इसलिए शक और हूण धीर-धीरे हिन्दुत्व से अलग बने रहे। एक तो वे देश के शासक थे और शासितों के झुण्ड में उनके विलीन होने की बात ही नही उठती थी। दुसरे हिन्तुव की पाचन शक्ति भी अब बहुत खराब हो चुकी थी। इससे भी वह मुसलमानों को अपने भीतर नहीं पचा सका।कई सुल्तानों को बहुत उत्साह दिखाने पर भी अधिक हिन्दू मुसलमान नहीं हुए। परिणाम यह हुआ की भारत हिन्दूओं का देश रह गया और मुस्लमान अल्पसंख्यको के आंकडे से आगे नहीं बढे। उस समय ये अल्पसंख्यक लोग ही बहुसंख्यको के भाग्य का निर्माण करते थे।

मुसलमानों के आगमन के पूर्व भारत में एक प्रकार की संस्कृतिक एकता कायम थी। धर्म, रीति-रिवाज भाषाए और संस्कृतिया तो तब भी अनेक थी। किन्तु सब लोगों के हिन्दू होने के कारन ये विविधताये एक ही भाषा की अनेक बोलियों के समान एक दुसरे के समीप थी। एक-दुसरे से गूंथी हुई थी।किन्तु मुस्लिम धर्म के आगमन से भारत की संस्कृति की दो धराये बहने लगी। ये दोनों धराये समान्तर रूप से चलती है। एकाध जगह वे एक दूसरी का स्पर्श भी करती है,किन्तु मिलकर वे एक नहीं हो पाती।[1]

जब मुसलमानों के हाथ से सल्तनत निकलने लगी उनमे एक प्रकार की घबराहट का भाव जागने लगी। पठान और तुर्क न तो तब अरबी थे ,न ईरानी,मुस्लमान मात्र की दृष्टी में अरब और ईरान ही इस्लाम के असली देश थे। भारत के मुसल्मान मन से सपने अरब और ईरान का ही देखते थे। हिंदुस्तान उनके शरीर का घर था,आत्मा का घर अरब और ईरान था।

हिन्दू और मुस्लमान घुल मिलकर एक तो नहीं हो सके,फिर भी दोनों जातियों की बहुत सी बाते एक हो गयी हिंदुओ के बीच अन्धविश्वास और रूढ़ियाँ बहुत अधिक प्रचलित थी। इनके प्रभाव से मुस्लिम- समाज में कुछ रूढ़ियाँ उत्पन्न हो गयी और हिन्दुओ की देखा देखी मुस्लमान जनता भी गाजी मियां, पांच पीर, पीर बदर ख्वाजा खिजिर आदि कल्पित देवताओ की पूजा करने लगे।दशहरा और रथ यात्रा उत्सवो के अनुकरण पर मुहरम में ताजिये निकाले जाने लगे एवं ताजियों में हिन्दू और मुस्लमान बिना किसी भेद भाव के सम्मलित होने लगे। हिन्दुओ के बहुत से रिवाज ऊँचे तबको के मुस्लमान में आप से आप चल पड़े। राजपूतो की देखा-देखी कुछ मुसलमानों ने जौहर की प्रथा अपना ली।[2] पान खाने की आदत मुसलमानों ने हिंदुओ से ली लेकिन आगे चलकर पान चबाने में हिंदुओ को उन्होने मात दे दिया। फलो से अचार तैयार करने की प्रथा भारत की प्रथा थी वह मुसलमानों के यहाँ भी चल पड़ी। भारत के मोहन भोग का प्रभाव पुलाव पर पड़ा। कसे चुस्त पायजामे राजपूतानियो ने मुस्लिम नारियो से लिए विवाह के अवसर पर सोहागपुरा ले चलने की प्रथा मुसलमानों के यहाँ हिंदुओ की देखा-देखी चली है।[3]

मुगल काल आते-आते शबे बारात का पर्व सारे भारत के मुसलमानों में मनाया जाने लगा। हिंदुओ ने मुसलमानों को जातिवाद का जहर पिलाया बदले में मुसलमानों ने हिंदुओ के पर्दे की शाप दिया।[4] स्नान की आदत मुसलमानों ने हिंदुओ से ली। अरब के लोग पानी के अभाव में स्नान कम करते थे।हर देश में मुस्लमान नहीं नहाने अथवा कम नहाने को अपना कर्तव्य मानते थे।

लेकिन भारत में स्नान जनित आनंद से वे काफी प्रभावित हुए। मुगलों के समय में तो मुस्लमान मां नहाना इतना लोकप्रिय हो उठा की बड़े-बड़े शहरो में स्नानागार के रोजगार वैसे ही चलने लगे जैसे आज होटल चलते है। ऊँचे तबको के हिंदुओ ने मुसलमानी खान- दपान और पोशाके खुशी - खुशी अपना ली। हिंदुओ की पगड़ी मुसलमानों ने और मुसलमानों की अचकन हिंदुओ ने अपनाई। हिंदुओ और मुसलमानों के बिच जो समान रीती रिवाज

और आदते प्रचलित है, उनकी काफी लम्बी सूचि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'खण्डित भारत' में की है।[5]

हिंदुओ और मुसलमानों के बिच मतभेद के अनेक कारण है। सबसे बड़ा मतभेद भाषा को लेकर है। संगीत इस्लाम में वर्जित था, किन्तु सूफी तब भी संगीत के बड़े प्रेमी थे बल्कि यह कहना चाहिए की सूफियो के यहाँ संगीत साधना का एक अंग समझा जाता था। भारतीय एवं ईरानी संगीत के मिलन से नयी–नयी चीजे निकल पड़ी।[6] संगीत में हिन्दू और मुस्लिम परस्पर जितने समीप हुए, उतने समीप वे और कही नही आये।

कई धातूओ से रसायन बनाने की रिवाज मुस्लिम आगमन के बाद विकसित हुआ।कागज बनाना और कलई करना भी यहाँ मुसलमानों ने आरम्भ किया। पत्थर, चाँदी और सोने पर मीनाकारी के काम जामदानी क्लाबतु जर्जोदी, किमखाब और जमेवर भी मुस्लिम कलमे ही चले। मुस्लिम संपर्क से कितने ही अरबी और फारसी के शब्द संस्कृत में समा गए है।[7]

हिन्दू धर्म की विशेषता यह है की वह बाहर से आई हुई संस्कृतियों से मिलकर जाग्रत और नवीन हो जाता है। इस्लाम से हिन्दुत्व का मिलन अनेक अंशो में मंगलकारी हुआ। इस्लाम के आगमन के बाद भारत की राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हुई एवं जनता को मुगलों के समय सुधि केंद्रीय सता के आश्रय में शांति और सुव्यवस्था का सुख मिला। हमारी सारी आधुनिक देश भाषाए इसी काल में उठकर खड़ी हुई एवं जिस प्राचीन साहित्य का अभिमान ये भाषाए करती है उसका अधिकांश इसी काल में लिखा गया। भारत की मृतप्राय कला इसी युग में आकर पुन:जीवित हुई। मुसलमानों की राज्य सता ज्यो–ज्यो हिलती गयी ,त्यों–त्यों उनका स्वभाव भी कोमल होता गया एवं हिंदुवो के हृदय का भय भी निकलता गया।[8] इस काल में हिंदु–मुस्लिम एक की भावना जनता के धरातल पर आप से आप पुष्ट होती गयी। राज्य सता से अलग रहने वाले हिन्दू और मुस्लमान आपस में इस काल में जितना समीप आये उतना पहले कभी नही आये थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अल्तेकर, 1984 : द पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाईजेशन, दिल्ली पृष्ट –32
2. वही रू पृष्ट –33
3. पी.एन.चोपरा ,2001: सोसाईटी एंड कल्चर इन मुगल कोलकता, पृष्ट– 102
4. डी. एम.डोनाल्डसन , 1942 : स्टडीज इन मुस्लिम एथिक्स नयी दिल्ली पृष्ट –223
5. पं.हजारीप्रसाद दिवेदी ,2004 : हमारी सहित्यिक समस्या कानपूर , पृष्ट –94
6. वही : पृष्ट –97–98
7. सी.आर.दास , 1921 : द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया नई दिल्ली ,पृष्ट –132
8. सुकुमार दत्ता ,1926 : दी प्रॉब्लम ऑफ इंडिया नेशनलिटी नयी दिल्ली,पृष्ट –105

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारत मे दल-बदल कानून का विवेचन

डॉ. महेंद्र सिंह राजपुरोहित* मुकेश कुमार कुमावत**

* सह-आचार्य (राजनीति विज्ञान) राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, पाली (राज.) भारत
** शोधार्थी (ाजनीति विज्ञान) जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर (राजस्थान) भारत

शोध सारांश - भारत देश के विशाल आकार, भारतीय समाज की विभिन्नता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की ग्राह्यता, विलक्षण राजनैतिक प्रक्रियाओं तथा कई अन्य कारणों से अनेक राजनीतिक दलों का उदय हुआ हैं। विश्व में भारत ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा राजनीतिक दल पाए जाते हैं। परिणामस्वरूप त्रिशंकु विधानसभा, त्रिशंकु संसद तथा साझा सरकार का गठन एक आम बात हैं।सत्ता की लालसा एवं भौतिक वस्तुओं की लालसा के कारण राजनीतिज्ञ अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं अथवा अपना नया दल बना लेते हैं। अत: दल-बदल की इन घटनाओं पर रोक अति आवश्यक हैं। इसलिए प्रस्तुत शोध पत्र का केन्द्रीय विषय भारत में दल-बदल कानून का विश्लेषण करना है।
शब्द कुंजी - राजनीतिक दल, दल-बदल, 10 वीं अनुसूची, लोकतंत्र, 91वाँ संविधान संशोधन।

भारत में दल-बदल का इतिहास - भारत में दल-बदल की राजनीति काफी समय से ही प्रचलित हैं। यदि हम यह कहे कि दल-बदल की यह घटनाएँ आजादी के बाद से ही प्रचलित हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक रिसर्च के अनुसार भारत में 1952 से 1967 की अवधि में 542 बार सांसदो एवं विधायको ने अपने दल बदले। 1967 के आम चुनाव के बाद प्रथम वर्ष में ही 430 सांसदों एवं विधायको ने दल बदलने का रिकॉर्ड कायम किया। 1967 के बाद 16 महीनों में दल-बदल के कारण 15 राज्यो की सरकारे गिर गई। 1967 से पूर्व भी ऐसी अनेक घटनाएँ सामने आई। 1947 चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत कें मुख्यमंत्री गोविन्द वल्लभ पंत ने मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यो को कांग्रेस में शामिल होने का प्रलोभन दिया। साथ ही दल-बदलु हाफिज मोहम्मद इब्राहिम को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। वर्ष 1962 में मद्रास के राज्यपाल श्रीप्रकाश ने राजगोपालाचारी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस समय कांग्रेस अल्पमत मे थी परन्तु 16 विरोधी सदस्यों के कांग्रेस में शामिल होने से सरकार को स्पष्ट बहुमत मिल गया।

वर्ष 1958 में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद के प्रति 98 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रकट करने से उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। 1960 में केरल में आर. शंकर के खिलाफ भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। 1952 में राजस्थान सरकार के स्थायित्व की वजह भी दल बदल ही थी।

30 अक्टुबर 1967 को हरियाणा के विधायक गया लाल ने एक दिन के भीतर दो दल बदले। तत्पश्चात 15 दिन में उन्होने तीन दल बदले। गया लाल कांग्रेस से जनता पार्टी में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए लेकिन अगले नौ घंटे के भीतर दोबारा जनता पार्टी में लौट आए। तब से भारतीय राजनीति में दल-बदल को लेकर 'आया राम-गया राम' स्लोगन चल पड़ा। इन सभी घटनाओं के बाद राजनीतिक दलो को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी। परिणाम स्वरूप 1985 में 52वाँ संविधान संशोधन के रूप में दल-बदल विरोधी कानून अस्तित्व में आया। जिसमें व्याप्त कमियों को उत्तरोतर दूर किया गया।

दल-बदल की रोकथाम हेतु वैधानिक प्रावधान - 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा सांसदों तथा विधायको द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान किया गया हैं। इस हेतु संविधान के 4 अनुच्छेदों 101, 102, 190, 191 में परिवर्तन करते हुए दसवीं अनुसूची जोड़ी गई हैं।

इस कानून के तहत:

1. किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य हैं, उस सदन के सदस्य के रूप में निरर्हक माना जाएगा, यदि उसने स्वैच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ दी हैं अथवा वह सदन में अपने दल के निर्देशो के विपरीत मतदान करता हैं या मतदान में अनुपस्थित रहता हैं। अत: स्पष्ट है कि उसे उस दल का सदस्य बने रहना चाहिए जिस दल के टिकट परवह चुना गया हैं तथा उसे दल के निर्देशो का पालन करना चाहिए।
2. कोई निर्दलीय सदस्य अगर चुनाव के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता हैं तो वह सदन की सदस्यता हेतु निरर्हक हो जायेगा।
3. कोई नामनिर्देशित सदस्य अगर अपने नामनिर्देशन के 6 माह पश्चात किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेता हैं तो वह भी सदस्यता से वंचित हो जायेगा।
4. परन्तु यह भी सनद रहे कि अगर किसी दल के एक तिहाई सदस्य सदन में नए दल का गठन कर लेते हैं तो इसे टूट कहा जाता हैं और टूट की स्थिति में सदस्यता रद्द नहीं होती। पीठासीन अधिकारी को भी यह छूट दी गई हैं कि वह अपने पद की मर्यादा बनाए रखने के लिए स्वैच्छिक रूप से अपने दल से बाहर चला जाता हैं तथा अपना कार्यकाल पूर्ण कर पुन: अपने दल में शामिल हो सकता हैं।

दल परिवर्तन से संबंधित सभी मामलों का विनिश्चय सदन के अध्यक्ष

के द्वारा किया जाता हैं। इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया कि अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होगा तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किहोतो होलोहन मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस कानून की न्यायिक समीक्षा के अवसर खोल दिए।

इस अधिनियम से संबंधित सभी नियम बनाने की शक्ति सदन के अध्यक्ष के पास हैं। वह इन नियमों को सदन के समक्ष रखवाता हैं, सदन इसमें परिवर्तन कर सकता है। यदि कोई सदस्य इनका उल्लंघन करता हैं तो इसे ठीक उसी प्रकार माना जायेगा जैसे कि सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। अध्यक्ष ऐसे मामलों की जाँच तभी करता हैं जब कोई सदस्य इसकी शिकायत करता हैं, साथ ही अध्यक्ष ऐसे मामलों में निर्णय लेने से पूर्व उस सदस्य को अवश्य मौका देता हैं। अत: दल-परिवर्तन का कोई तत्काल प्रभाव नहीं होता।

दसवीं अनुसूची का मूल उद्देश्य राजनीतिक दल परिवर्तन के दोषों तथा दुष्प्रभावों पर रोक लगाना था, साथ ही इसके माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला कदम बताया था। इस कानून ने विधायकों की दल बदल की प्रवृति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करने का काम किया। साथ ही राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने अथवा विद्यमान दल में टूट जैसे लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका द्वारा पुनर्समूहन की सुविधा भी प्रदान की। दल-बदल विरोधी कानून का सबसे बड़ा लाभ यह रहा कि इसने भ्रष्टाचार को कम कर अनियमित निर्वाचनों पर अप्रगतिशील खर्च को कम किया। इसने विद्यमान दलो को एक राजनीतिक पहचान देने का भी कार्य किया हैं। यह कानून राजनीतिक शुद्धता की तरफ पहला साहसिक कदम था। इसने देश के राजनीतिक जीवन में एक नए युग का सूत्रपात किया। फिर भी इसके कार्यकलापों में अनेक कमियाँ रहीं। यह दल परिवर्तन को पूर्णतया नहीं रोक पाया। यह असहमति तथा दल परिवर्तन के बीच का अंतर नहीं बताता हैं, इसने विधायिका के असहमति के अधिकार तथा विवेक की स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न किया।

इसने दल के अनुशासन के नाम पर दल के स्वामित्व की कठोरता को आगे बढ़ाया। इस कानून ने छिटपुट दल परिवर्तन पर तो रोक लगाई परंतु बडे पैमाने पर होने वाले दल परिवर्तन को कानूनी रूप दे दिया। यह कानून विधायक द्वारा विधानमंडल के बाहर किये गए कार्यकलापों हेतु उसके निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता। यह नाम निर्देशित सदस्यो तथा निर्दलियों के बीच अतार्किक भेदभाव करता हैं अर्थात् निर्दलीय सदस्य अगर किसी दल में शामिल हो जाए तो वह निरर्हक हो जाता हैं लेकिन नाम निर्देशित सदस्यों को इसकी अनुमति हैं।

आलोचना – इस अधिनियम की सबसे बड़ी आलोचना यह हैं कि इसमें निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को सौंपा गया हैं। सदन का अध्यक्ष सत्ताधारी दल से ही संबंधित होता हैं। अत: यह देखा गया हैं कि वह जानबूझकर निर्णय करने में देरी करता हैं। उसका निर्णय भेदभाव पूर्वक भी हो सकता हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात हैं कि अध्यक्ष के पास ऐसे मामलों में न्यायनिर्णयन के लिए विधिक ज्ञान एवं अनुभव की भी कमी होती हैं। अत: इन कमियों को दूर करने की कुछ कोशिशे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम – 2003 द्वारा की गई है।

अन्य प्रयास – दसवीं अनुसूची में दल-बदलने के विरूद्ध कानून को सख्त बनाने की मांग अनेक हलको से होती रही हैं। दसवीं सूची की इस आधार पर भी आलोचना की गई हैं कि वह बड़े पैमाने पर दल-बदल को प्रोत्साहित करती हैं, जबकि व्यक्तिगत दल-बदल का निषेध करती हैं। इस अनुसूची ने सरकार को अस्थिर करने में बड़ी भूमिका निभाई।

चुनाव सुधार समिति, जिसका गठन 1990 में दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में हुआ, ने भी दल-बदल कानून में संशोधन की मांग उठाई। विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट तथा सन 2000 में वैंकट चलैया की अध्यक्षता में बने संविधान समीक्षा आयोग ने दसवीं अनुसूची के उस प्रावधान को बदलने की मांग की जिसमे दल-बदल के मामलों में अयोग्यता से छूट मिलती हैं। संविधान समीक्षा आयोग ने यह मंतव्य प्रकट किया कि दलबदलू को मंत्री पद अथवा अन्य किसी सार्वजनिक पद से हटाकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। यह दंड तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि नई विधायिका का गठन न हो जाए अथवा वर्तमान विधायिका का कार्यकाल पूरा न हो जाए। संविधान समीक्षा आयोग ने यह मतभी प्रकट किया कि दलबदलूओं को मंत्री बनाया जाता रहा हैं। अत: मंत्रिपरिषदों का आकार भी अनावश्यक वृहद हो जाता हैं। आवश्यक है कि मंत्रिपरिषद का आकार विधायिका के आकार का 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाए। अत: इन सभी प्रावधानों को 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में शामिल किया गया।

91वें संशोधन अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्याँ के 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया। संसद के किसी भी सदन के सदस्य, जिसको दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया हो, को मंत्री पद के लिए भी निरर्हक ठहराया गया हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 75 में शामिल किए गए।

राज्य विधानमंडलो हेतु भी यहीं प्रावधान तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार राज्य विधानमंडल की संपूर्ण संख्याँ के 15 प्रतिशत तक सीमित किया गया हैं तथा न्यूनतम मंत्रियों की संख्याँ 12 तय की गई है। राज्य विधानमंडल के सदस्य को दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराने पर उसे मंत्री पद हेतु भी अयोग्य ठहराया गया है। यह प्रावधान अनुच्छेद 164 में शामिल किए गए है।

संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का, कोई भी ऐसा सदस्य, जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया हो, वह किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के लिए भी निरर्हक होगा। यहां लाभ के राजनीतिक पद का अभिप्राय हैं – केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई कार्यालय, जिसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ संबंधित सरकार द्वारा लोक राजस्व से दिये जाते हो अथवा ऐसा कोई भी निकाय जो केन्द्र या राज्य सरकार से अंशत: या पूर्णत: पोषित हो तथा उसके लिए वेतन एवं लाभ इससे दिए जाते हो।

91वें संशोधन अधिनियम का सबसे महत्तवपूर्ण प्रावधान यह था कि दसवीं अनुसूची के उपबंध विभाजन की उस दशा में लागू नही होंगे, जब किसी दल के एक तिहाई सदस्य उस विभाजित धड़े में शामिल हो। इसका अभिप्राय है कि विभाजन के आधार पर निरर्हकों के लिए कोई और संरक्षण नहीं हैं।

इन सभी प्रावधानों के बावजूद वर्तमान में भी दल-बदल की घटनाओं पर रोक नहीं लग पाई हैं। यदा-कदा ऐसे मामले प्रतिवर्ष हमारे सामने आते रहते हैं।

प्रासंगिक उदाहरण:

1. दल-बदल की हालिया घटनाओं में पुडुचेरी में 2021 में घटी घटना प्रमुख हैं। कांग्रेस - द्रमुक सरकार के मुखिया वी. नारायणसामी को उस समय इस्तीफा देना पड़ गया जब कांग्रेस के 6 विधायकों ने अपना पाला बदल लिया। नारायणसामी ने इसका ठीकरा केन्द्र सरकार पर फोड़ा तथा कहा कि यह केन्द्र के इशारे पर ही हुआ। कांग्रेस सरकार के इस प्रकार असामयिक पतन ने दल-बदल विरोधी कानून की खोखली उपादेयता सिद्ध की हैं।

2. दल-बदल की एक अन्य घटना हाल ही में महाराष्ट्र में भी देखने को मिली हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। शिवसेना में दरार पड जाने के कारण उसके 2 गुट बन गए - एक गुट मूल शिवसैनिको का था जिसके अध्यक्ष उद्धव ठाकरे थे जबकि दूसरे गुट के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे। दस दिनो से भी अधिक चले इस घटनाक्रम में एकनाथ शिदें अपने गुट के साथ असम के एक होटल में कैद रहे। इस घटनाक्रम का पटाक्षेप तब हुआ जब शिंदे गुट ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपनी नई सरकार बना ली। यह दल-बदल विरोधी कानून की एक अन्य नाकामी थी।

3. सन् 2020 में मध्यप्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार उस समय गिर गई जब कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 निष्ठावान विधायको के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अंतत: मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पुन: भाजपा की सरकार बन गई जो वर्तमान में भी सत्तासीन हैं। इस दल-बदल के फलस्वरूप ही सिंधिया वर्तमान में केन्द्र सरकार में मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं।

4. 2019 में कर्नाटक में मतदाताओं द्वारा मतपत्र के माध्यम से अपनी सरकार चुनने के अधिकार का हनन तब हुआ जब कांग्रेस एवं जनता दल (एस) की सरकार, जिसके मुखिया कुमारास्वामी थे, के 15 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अंतत: वहां भी भाजपा की सरकार बनी जिसके मुखिया येदियुरप्पा बने।

5. 2016 में बड़े पैमाने पर दल-बदल के कारण अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 41 विधायको सहित भाजपा का दामन थाम लिया। रातों-रात कांग्रेस की सरकार गिर गई। भाजपा ने इसे कांग्रेस का अंतर्कलह बताया, परंतु यह दल-बदल कानून की ही कमी थी।

6. 2016 में उत्तराखंड में सियासी उठापठक का दौर रहा। कांग्रेस की सरकार के 9 विधायको की बगावत से हरीश रावत सरकार अल्पमत में आ गई। केन्द्र सरकार ने इसके तुरंत पश्चात वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वहाँ फ्लोर टेस्ट किया गया, जिसमें हरीश रावत विजयी रहे। अन्त में केंद्र सरकार को वहां से राष्ट्रपति शासन हटाना पड़ा।

7. कुछ समय पूर्व मेघालय में भी दल-बदल की घटना देखने को मिली। कांग्रेस के मुकुल संगमा ने 12 विधायकों सहित तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस प्रकार तृणमूल कांग्रेस वहां पर सबसे बड़ा विपक्षी दल बन गया।

उपसंहार- दल-बदल विरोधी कानून की वजह से नीति निर्माण, बिल और बजट की जाँच तथा निर्णयो मे सांसद की मुख्य भूमिका केवल पार्टी को समर्थन या विरोध करने वाले एक वोट तक ही सीमित रह जाती है। भारत में विधायकों की जवाबदेही केवल राजनीतिक पार्टी तक ही सीमित रह गई हैं। इस प्रकार यह कानून संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ काम करता है। स्पष्ट है कि दल-बदल विरोधी कानून को मजबूत करने की बजाय इसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल उठना लाजमी हैं। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें दल-बदल विरोधी कानून के क्रियान्वयन पर एक विशेष अध्न की आवश्यकता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ऑस्टिन, ग्रैनविल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ऑक्सफोर्ड -1985
2. आशीर्वादम, रेड्डी एवं मिश्रा के. के., पोलिटिकल थ्योरी, दिल्ली 2003
3. आचार्य राममूर्ति, जे.पी. की विरासत, वाराणसी 2003 कॉलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया, शिमला -1975
4. करुणाकरण के.पी., द पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, दिल्ली -1969
5. कश्यप, सुभाष, दलबदल और राज्यों की राजनीति मेरठ -1969
6. एंटी डिफेक्शन लॉ एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलिजेज, दिल्ली - 2003
7. कोठारी, रजनी, पार्टी सिस्टम एंड इलेक्शन स्टडीज मुंबई - 1960
8. कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, दिल्ली -1999
9. खन्ना, एस. के.गोस्वामी, भालचंद्र,दल बदल विरोधी कानून 1985 : दशा और दिशा, जयपुर-1995

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में इथनो खाद्य फसलों की स्थिति एवं उनका विवरण

डॉ. राजेश बकोरिया*

* सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - अनेक पौधें जो मनुष्यों एवं जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते है खाद्यान्न कहलाते हैं। इनमें से धान्य-पौधों का वह समूह होता है जो ग्रेमिनी (पोएसी) कुल के अंतर्गत आते हैं मक्का, जई, चावल, गेहूँ आदि सत्य धान्य कहलाते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता हैं, भोजन में दालों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता हैं दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता हैं। प्राचीन काल से ही कुछ विशेष पौधों (फसलों) को हमने अपने भोजन में शामिल किया हुआ हैं परंतु आजकल इनका उपयोग बहुत कम किया जाने लगा है, इन्हें हम इथनो खाद्य फसलें कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण निम्न हैं जैसे - गराडू, सिंघाड़ा, कुटकी, समा, कोदों, बथुआ, सहजन, ज्वार, मक्का, बाजरा तथा जौ आदि। वर्तमान समय में इनका उपयोग बहुत कम किया जा रहा हैं बल्कि धीरे-धीरे लोग इनके नाम भी भूलने लगे हैं, यहाँ हम कुछ प्रमुख इथनों खाद्य फसलों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहें हैं।

1. गराडू - (रतालू)

सामान्य नाम - गराडू

वानस्पतिक नाम - डायोस्कोरिया अलाटा

कुल - डायोस्कोरिएसी

गराडू (धरा) एक 'मूल रूपय' है, यह भारत के कई हिस्सों में उगाया जाता है यह सर्वाधिक मध्यप्रदेश में पाया जाता हैं। इसकी बुआई का समय 01 मई से 30 जून के बीच होता है, प्रति एकड़ 70-80 क्विंटल फसल उत्पादित होती है और बाजार में 30-40 रूपये किलों बिक जाता हैं, इसकी खेती के लिये बलुई, दोमट मिटटी एवं पर्याप्त जल निकासी वाली काली मिटटी उपयुक्त मानी जाती हैं।

महत्व - इसे सर्दी का दुश्मन भी कहा जाता है, गराडू में रेशे पर्याप्त मात्रा में होते हैं अत: यह पेट के लिए फायदेमंद होता है, यह बदहजमी, गैस, कब्ज दूर करता है। गराडू में कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मेग्नीज, फास्फोरस जैसे तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते है। यह फाइबर से भरपूर होता है अत: बुरे कोलेस्ट्रोल को कम करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है इसमें विटामिन्स के साथ-साथ ऐंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते है जो हमारे मानसिक तनाव को कम करता है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, हड्डियो के विकास में भी मदद करता है और शरीर के घावों को भी जल्दी भरने में सहायक होता है, इसमें उपस्थित फ्लेवोनॉइड टाइप-2 डायबिटीज के रोगियों में शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। इसका उपयोग सूजन, बिच्छू के डंक और सॉप के काटने के उपचार में भी किया जाता है साथ ही यह पीलिया के उपचार में भी किया जाता हैं। वर्तमान समय में विभिन्न मेलो एवं शादियों में इसके स्टॉल लगने लगे है नीबूं युक्त मसालेदार तले हुए गराडू को खाने का मजा ही कुछ ओर होता है।

2. कोदो

सामान्य नाम - कोदो

वानस्पतिक नाम - पास्पलम स्क्रोबिकुलेटम

कुल - पोएसी

इसे सामान्यत: कोदो बाजरा या कोदो कहा जाता है, इसका पौधा धान के पौधे जैसा होता है जो 60-90 से.मी. तक ऊँचा होता है, इसे कम पानी की आवश्यकता होती है, इसके बीज चमकीले, गहरे बैंगनी रंग के छोटे, सफेद, गोल सरसों के समान होते है, धान के कारण इसकी खेती अब कम होने लगी है यह फसल पहली वर्षा में बो दी जाती है और भादों में तैयार हो जाती है, इसके दानों को चावल के रूप में खाया जाता है। यह एक औषधीय पौधा है जिसका प्रयोग कई रोगों के इलाज में भी किया जाता है, यह लंबे समय तक खराब भी नही होता है इसमें कीड़े भी नही लगते है, इसके दानों में 8.3% प्रोटीन, 1.4% वसा तथा 65.9% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।

महत्व - यह मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमे मधुमेह विरोधी यौगिक पाए जाते है, यह यकृत और मूत्राशय के लिए

भी लाभकारी होता हैं। इसमें उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो वजन को बढ़ने से भी रोकता है, यह कोलेस्ट्राल को कम करने उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद है, इसमें ऐंटीऑक्सीडेंट और ऐंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते है जो बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने में मदद करता है, पेट की परेशानी, बवासीर, बालों में रूसी की समस्या, बालों का झड़ना, शरीर में खून की कमी, जोड़ो के दर्द, कफ एवं पित्त दोषों में भी इसके सेवन से लाभ मिलता है। इसके बीजों का भस्म बनाकर 1-2 ग्राम शहद में मिलाकर प्रयोग करने से सर्दी-खांसी में लाभ होता है, साथ ही इसका भात बनाकर दही के साथ खाने से या खीर के सेवन से पेट दर्द की समस्या से निजात पायी जा सकती है, कोदो को पीसकर उसकी रोटी नमक रहित, कम तेल में पकाई पत्ते वाली सब्जी के साथ सेवन करने से लकवा में लाभ मिलता हैं भोजन में नियमित रूप से कोदो को शामिल करके इसे दही के साथ लेने से साइनस में लाभ मिलता है इसे पीसकर फोड़ो पर बांधने से फोड़ा पककर फूट जाता है, बेसन एवं हल्दी के साथ इसका चूर्ण मिलाकर लगाने से त्वचा में निखार आता है इसके आंटे की मोटी रोटी बनाकर उसमें एक तरफ हल्दी लगा कर हल्का गर्म करके बांधने से सूजन उतर जाती है। परंतु कोदो के अत्याधिक सेवन से कुछ हानियां भी है जैसे - वात एवं कब्ज की समस्या हो सकती है, ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से उल्टी एवं बुखार हो सकता है।

3. कुटकी

सामान्य नाम - कुटकी
वानस्पतिक नाम - पिक्रोराइजा कुरोआ ;च्पबतवतीप्रं ज्ञनतततवंद्ध
कुल - स्क्रोफुलेरिएसी

यह एक छोटा बहुवर्षीय शाक है जो हिमालय के पहाड़ों में पाया जाता हैं, यह एक उच्च मूल्य वाला औषधीय पौधा है इसकी जड़, पत्ते, और भूमिगत तने का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। इसका स्वाद कड़वा और तीखा होता है इसलिए इसे कटुम्भरा भी कहते हैं।

महत्व - यह पचने में हल्की, पित्त व कफनाशक होती है, यह मुख्य रूप से पीलिया जैसे यकृत रोगों के उपचार में काम आती है, यह बुखार, टायफाइड, टी.बी., बवासीर, जोड़ो के दर्द, डायबिटीज आदि में लाभ पहुँचाती है, साथ ही श्वसन सबंधी रोगों जैसे, सूखी खॉसी, सांस का फूलना, रक्त की अषुद्धता, जुकाम आदि रोगों में भी लाभदायक होती हैं। इसके काढ़े से गरारे करने से मुँह के छाले ठीक हो जाते है। इसके अतिरिक्त- 2 ग्राम कुटकी चूर्ण में 2 ग्राम शहद मिलाकर चाटने से एसीडिटी में लाभ होता है, 2 ग्राम कुटकी के चूर्ण में 500 मिलीग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर लेने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, कुटकी के चूर्ण 1-2 ग्राम लेकर शहद में मिलाकर खाने से भूख बढ़ती है, इसी तरह कुटकी की जड़ के 3-5 ग्राम चूर्ण को इतनी ही मात्रा में शहद के साथ दिन में 3 बार लेने से किडनी संबंधी विकारों में लाभ होता है। कुटकी की जड़ के पेस्ट का लेप घाव में लगाने से लाभ मिलता है। कुटकी के प्रयोग से कुछ हानियां भी हो सकती है जैसे - इसके प्रयोग से त्वचा में जलन उत्पन्न हो सकती है, इसमें कुकरलिटेसिन होता है जिससे पेचिश की समस्या या गैस की परेशानी हो सकती है।

4. समा

सामान्य नाम - समा , मोरधन या भगर
वानस्पतिक नाम - इचिनोक्लोआ फ्रूमेंटेसिया
कुल - पोएसी

इसे बार्नयार्ड बाजरा, साबा बाजरा या जापानी बाजरा भी कहा जाता है समा के चावल घास के बीज हे इसे सामान्यत: व्रत के चावल या उपवास के चावल कहा जाता है, हमारे देश में इसे मोरधन या भगर के नाम से भी जाना जाता हैं मार्च में इसकी बुआई होती है और मई के अंत तक इसे काट लिया जाता है, इन्हें चावल के समान ही अधिक पानी की आवश्यकता होती है।

महत्व - इसमें अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है यह सामान्य चावल की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, ब और म अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह खनिज युक्त होता है। जिससे हड्डियॉ मजबूत होती है ओर इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। समा के चावलों में शुगर कम मात्रा में होती है अत: यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी लाभदायक होते है यह वजन कम करने वालों के लिए भी अच्छे होते है समा के चावल पोषण से भरपूर होते हे जिससे शरीर हल्का और ऊर्जावान बना रहता है अत: व्रत के दौरान भी ताकत एवं स्फूर्ति प्रदान करता है यह रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, इनमें अनार की तुलना में 5 गुना अधिक आयरन पाया जाता है, तथा सामान्य चावल के मुकाबलें 30 गुना अधिक ऐंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते है। समा के चावलों से मीठे और नमकीन व्यजंन बनाऐ जाते है जिसमें मुख्यत: व्रत की खिचड़ी, पूरी, पुलाव, खीर, चीला एवं डोसा आदि शामिल हैं। इसके अन्य उपयोगों में केंसर जैसे रोगों के खतरे को कम करता है क्योंकि यह ऐंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। शरीर में खून की कमी होने पर समा के चावलों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है, इन चावलों में फाइबर अधिक होता है अत: यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज जैसी समस्या को दूर करता है। साथ ही समा के चावलों का सेवन हड्डियॉ के लिए लाभदायक माना जाता है क्योंकि इनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है यह बेड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है। इनका अधिक मात्रा में सेवन पेट संबंधी समस्याऐं उत्पन्न कर सकता है एवं अधिक सेवन से उल्टी भी हो सकती है।

5. ज्वार

सामान्य नाम - ज्वार
वानस्पतिक नाम - सोरघम बाइकलर

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

कुल – पोएसी

ज्वार को महान बाजरा, दुर्रा, जौरी तथा मिलो के नाम से भी जाना जाता हैं। इसकी खेती दानों के लिए की जाती है जिसका उपयोग मनुष्यों के भोजन, पशुचारा एवं इथेनॉल उत्पादन में किया जाता है, यह मोटे अनाज वाली फसल है जो कम वर्षा में भी अच्छी होती है, इसके पौधे 297 से.मी. लंबे, एवं चौड़ी पत्तियों युक्त होते है, यह देर से पकने वाली फसल है बुआई का सही समय जून से जुलाई के मध्य होता है। फूल निकलते समय एवं दानों के बनते समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके भुट्टों से दाने निकाले जाते हैं, जिसके आटे से रोटी बनाई जाती है।

महत्व – ज्वार में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो पाचन में सुधार करता है, तथा पेट संबंधी समस्याओं से बचाता है, इसमें मिनरल प्रोटीन एवं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अधिक मात्रा में होता है, साथ ही पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम एवं आयरन भी पाया जाता है। ज्वार में एंटीऑक्सीडेंट जैसे – फ्लेवेनॉइड, फिनोलिक एसिड तथा टैनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह तनाव एवं सूजन को कम करता है यह अनाज प्रोटीन का एक बड़ा स्त्रोत माना जाता है। यह हार्ट संबंधी रोगों एवं गठिया आदि में भी फायदेमंद है यह वनज कम करने एवं डायबिटीज के रोगियों के लिए भी फायदेमंद हैं अर्थात ज्वार में उच्च मात्रा में विटामिन, खनिज, फाइबर एवं प्रोटीन पाया जाता है जो अच्छे स्वास्थ्य में मदद करता है।

वर्तमान समय मे ये सभी इथनो खाद्य फसलें धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं लोगों को इनको नाम तक सही तरीकों से नही पता है, विभिन्न कक्षाओं के बच्चों से जब इथनों खाद्य फसलों के बारे में पूछा तो उन्हें इनके बारे में नही पता था परंतु नाम लेकर जब पृथक-पृथक पूछा तो उन्होंने इनके नाम तो सुने है परंतु देखें नहीं है, कुछ लोगो के द्वारा खाए गए है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति में इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने की एक अच्छी पहल की है जिससे निश्चित ही विद्यार्थी इनसे परिचित होंगे इनके गुणों एवं लाभों के बारे में जान पाएंगे। साथ ही राज्य स्तरीय NAAC प्रकोष्ठ म.प्र. शासन द्वारा भी 'अन्न महोत्सव' के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है जैसे – पोषक अनाज की जानकारी, व्यंजनों की मेगा फूड इवेंट, कृषि का महत्व, पोषक अनाजों के प्रकार, पोषक अनाजों का महत्व, पोषक अनाज संबंधित त्योहारों का महत्व आदि विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है जिससे विद्यार्थी इन फसलों के महत्व को समझ पाऐंगे। साथ ही म.प्र. की डिंडोरी की 27 वर्षीय महिला **'लहरी बाई'** को भी अन्न बीज बैंक की ब्रांड एंबेसडर बनाया है जिन्होंने मढिया सलहार, सामा, कुट्ट, चीना, कोदो, कुटकी, रागी तथा बाजरें बीजों की 150 किस्मों को संरक्षित किया हैं।

अत: सरकार के साथ-साथ हम सभी को जागरूक होना होगा तभी हम इन पौधों को संरक्षित करके उनके लाभों को ले पाएंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Ethnobotanical Significance of Picrorhiza Kurroa (Kutki), a Threatened Species Isha Kumari 1 , Hemlata Kaurav 2 , Gitika Chaudhary 3
2. "Kodo millet". International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics. (December 4, 2013). http://www.icrisat.org/crop-kodomillet.htm Archived 2013-12-11 at the Wayback Machine
3. *Subramanian, V.; Jambunathan, R. (1980).* "Traditional methods of processing of sorghum (Sorghum bicolor) and pearl millet (Pennisetum americanum) grains in India" (PDF). Reports of the International Association of Cereal Chemistry. *10: 115–118.*
4. Dioscorea alata was first described and published in Species Plantarum 2: 1033. 1753 "Name -Dioscorea alata L." *Tropicos.* Saint Louis, Missouri: Missouri Botanical Garden. Retrieved May 26, 2011.
5. *Hilu, Khidir W. (1994). "Evidence from RAPD markers in the evolution of Echinochloa millets (Poaceae)". Plant Systematics and Evolution. 189 (3): 247–257*

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

नवगीत : आधुनिक हिन्दी काव्य की नई परम्परा

डॉ. डी.पी. चन्द्रवंशी*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय जे.एम.पी.महाविद्यालय, तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – हिन्दी साहित्य के काव्य धारा में एक नई परम्परा को आधुनिक काव्य धारा में पिरोने वाली एक नवीन विधा है। यह भक्तिकाल से प्रेरणा पाकर पल्लवित हुई है। सूर, तुलसी मीरा के समृद्ध परम्परा को आगे गति प्रदान करने वाली यह 'नवगीत', 'नयी कविता' के समानांतर मानी जा सकती है। 'नवीगीत' नव्य गीत और नए गीत का पर्याय है। समसामयिक परिवर्तन के कारण नवगीत को चिरंतन विद्या की से उपकृत किया जा सकता है।

प्रस्तावना – वाद-विवाद और हिन्दी साहित्य की काव्यधाराओं का चिर नाता रहा है। इस काव्य धारा को कभी 'गीत कहा गया तो कभी नवगीत' गीत कवि हृदय को उद्वेलित करने वाली अभिव्यंजना है। गीतकार नीरज लिखते है – 'जब कवि का मानस चषक भाव रस से इतना भर जाता है कि वह आसव उसमें से छलक-छलक पड़ता है तब गीत का जन्म होता है।' आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा कहती है –

'सुख दुख की भाववेशमयी अवस्था का विशेष गिने चुने शब्दों में चित्रण कर देना ही गीत है।'

द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिकाओं से स्तब्ध स्वतंत्रता प्राप्ति से उल्लसित एक वर्ग जिनमें अनुभूमि की सच्चाई शिल्प की विशिष्टता सौन्दर्य-बोध की नवीनता, आकार की लघुता, बिम्बों, प्रतीकों, उपमेय-उपमानों की नवीनता को अपने काव्य में स्थान देने वाले कवि नवगीतकार कहलाये।

नवगीत के गीतकार अपनी जमीनी धरातल से जुड़कर कविता सृजित किये है। डॉ. नगेन्द्र कहते है, 'इन गीतों में शहरी, गंवई, व्यक्तिगत सामाजिक प्रेमपरक, प्रेमेतर प्रकार की संवेदनाओं के विभिन्न स्वरूप कवियों के व्यक्तित्वों और मानव संस्कारों के अनुसार ललित होते है। दूसरी बात यह है कि नये गीत बासी विच्छलता नहीं है, अन्तर की दमक है। इन गीतों की उपलब्धि इनके तरल-सरल रसमय उच्छल प्रवाह और आवेगों में नहीं है, बल्कि इनकी बुद्धि संयत हार्दिकता, संवेदना के अनुभूत सूक्ष्म स्तरों के नियोजक, एक विशेष प्रभाव भूमि के अन्तर्गत आने वाले बिखरे किन्तु एक दूसरे से संक्रमित बोधों के संश्लेषण और अनुकूल बिंबों, प्रतीकों और लाक्षणिक प्रतीकों की खोज में है। कवि अपने-अपने संस्कार के अनुसार इस सामान्य भूमि पर नूतन बिंब प्रतीकों का विधान करते है।'[1]

नवगीत का आधार तो लोकगीत ही है पर इनमें नवजीवन का संचार भी है। ये गीत आकार में लघु होने के साथ ही अनुभूति की दृष्टि से हृदयस्पर्शी है। नवगीत सरल-सहज अनुभूति से परिपूर्ण है। नवगीत में मानव, प्रकृति और समाज की सत्ता को एकीकृत रूप में दर्शन किया जा सकता है। नवगीत की टटकी भाषा, लोक-शब्दावली, लोक-छंद संवेगात्मक आवेश उत्पन्न करते है। नवगीत जीवन सौन्दर्य के साथ ही इनकी विद्रूपता को भी परिलक्षित करता है। नवगीतकार अपने अहम के समक्ष पीड़ा एवं तिरस्कार को उपेक्षा की नज़र से देखते है। कई-कई अवसरों पर नवगीतकार के हृदय और बुद्धि के मध्य कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। ये साधारण से साधारण शब्दों के माध्यम से बड़ी से बड़ी बात कह देते है। ये भूत की अपेक्षा वर्तमान को उपजीव्य मानते हैं कहीं पर ये मानवतावादी हो जाते हैं तो कहीं-कहीं विद्रोही बनकर राष्ट्रीय अखण्डता, सामाजिक सामरसता की चर्चा करने लगते हैं।

प्रयोग धार्मिता नवगीत की अन्यतम गुण है। इसी परिप्रेक्ष्य में डॉ. रवीन्द्र भ्रमर कहते है – 'गीत रचना की नयी प्रक्रिया जटिल प्रतीकों तथा वादी अप्रस्तुतों को प्रकृत्या अंगीकार नहीं करनी ..... 'नया गीतकार अपने चारों ओर के फैले हुए जीवन और समाज से अपनी रचना के अलंकरण उपादान चुनना चाहता है। उसे नये, टटके अप्रस्तुतों तथा दृश्यमान की अर्थवता को ध्वनित करने नये सशक्त प्रतीकों की तलाश है। नये गीतकार में प्रयोगशीलता और नयी कविता में संस्कार पूर्ण मात्रा में है। अस्तु, वह गीत के सृजन-शिल्प तथा शैली की दिशा में नये प्रतीकों के प्रति आस्थावान है।[2]

समसामयिक नये गीत प्रमुखत: अज्ञेय के 'इत्यलम्' 'हरी घास पर क्षण भर', 'बाबरा अहेरी', 'इन्द्रधनुष रौंदे हुये', गिरिजा कुमार माथुर के 'नाश और निर्माण', 'धूप के धान', शिलापंख चमकीले', डॉ. शम्भूनाथ सिंह के 'समय की शिला पर', डॉ. धर्मवीर भारती के 'सात गीत वर्ष', 'ठण्डा लोहा', नरेश मेहता के 'वन पांखी सुनो', डॉ. जगदीश गुप्त के 'नाव के पाँव', 'हिमदंश', ठाकुर प्रसाद सिंह के 'बंशी और बादल', 'पक गयी है धूप', केदार नाथ सिंह के 'अभी बिल्कुल अभी', डॉ. रवीन्द्र भ्रमर के 'रवीन्द्र भ्रमर के गीत', वीरेन्द्र मिश्र के 'गीतम', राजेन्द्र सिंह के 'आओ खुली बयार', 'लेखनी बेला', 'अविराम बल मधुवन्ती नीरज के 'अन्तर्ध्वनि', 'संघर्ष', 'विभावरी', 'प्रयाणगीत', 'दर्द दिया है', 'आसावरी', बालस्वरूप राही के 'मेरा रूप', 'तुम्हारा दर्शन', 'जो नितान्त मेरी है', दिनकर सोनबलकर के 'दीवाने आम', 'गली और रूमाल', 'चमडे के सिक्के', 'नए कवि की शंका', 'अखबारी जिन्दगी', 'गणतंत्र की शपथ', 'तीन आइने' आदि में संकलित है।

ठाकुर प्रसाद सिंह ने बंशी और बादल शीर्षक की भमिका 'कहने की बात' में लिखते हैं कि 'ये मेरी कविताएँ थीं जिनमें आदिम उद्वेग को धड़कन थी जिनके रूप में आदिवासियों की सादी पर स्वस्थ भंगिता थी। लोक गीतों

तथा लोक जीवन से अभिव्यंजना का माध्यम ग्रहण करने के खेलने से बच गयी उसी ने मेरी इन कविताओं के भीतर प्रेरणा का कार्य किया है।'[3]

उपसंहार – नयी कविता में जो व्यक्तिगत ईमानदारी, संक्रमण कालीन चेतना की अभिव्यक्ति एताद्दश्यत्व का विरोध, प्रतीकों और बिंबो की जटिलता का परित्याग की विशेषताएँ है नवगीत में भी एक नये कलेवर के साथ ये सभी गुण है। नवगीतकारों में सरल से सरल शब्दों में गहरी अनुभूति को अभिव्यक्त करना चाहते है। इनके शब्दों में लोकजीवन का भोलापन, बनाव अथवा कसाव के स्थान पर व्याकरणणिक नियमों का ढीलापन रहता है। बालस्वरूप राही के गीतों में वयंग्यात्मकता और शिल्प प्रयोजन का वैशिष्ट मिलता है। ये यह मानकर चलते है कि 'जो वर्तमान की समग्र उथल-पुथल अनास्था और आशंकाओं की विशालता के गहराई और व्यापकता के साथ अभिव्यक्त कर सके वही कलाकार ईमानदार कहलायेगा।'[4]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. नगेन्द्र हिन्दी साहित्य का इतिहास (द्वितीय संस्करण) पृष्ठ 65-55
2. भ्रमर रवीन्द्र – रवीन्द्र भ्रमर के गीत: प्रस्तावना पृष्ठ-14
3. सिंह ठाकुर प्रसाद : बंशी और बादल प्रस्तावना पृष्ठ -80
4. पाण्डेय डॉ. त्रिलोचन : छायावादोत्तर हिन्दी कविता प्रमुख प्रवृतियों, पृष्ठ-177
5. त्रिपाठी डॉ. गंगा चरण : समीक्षा के प्रतिमान
6. इंटरनेट, गूगल

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

श्री प्रणव कुमार वंद्योपाध्याय के 'गोपीगंज संवाद' उपन्यास का सांस्कृतिक मूल्यों के बिखराव का विघटन के संदर्भ में मूल्यबोध का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. प्रणव श्रोत्रिय* मीनाक्षी गुप्ता**

*सहायक प्राध्यापक, श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर(म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आधुनिक संस्कृति के नाम पर नये मूल्यों व मान्यताओं की स्थापना होने से भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों में बिखराव सा आया है। पाश्चात्य सभ्यता बनाम आधुनिकीकरण ने फैशन और आधुनिकता के रूप में सांस्कृतिक मूल्यों के बिखराव और विघटन को ही जन्म दिया है। पश्चिम से उधार ली हुई भौतिकवादी सांस्कृतिक मूल्यों ने पारिवारिक विघटन से प्रारम्भ होकर सामाजिक विघटन को बढ़ावा दिया है। जागरूक समकालीन उपन्यासकार इन स्थितियों से परिचित है और उनका ये प्रयास रहा है कि वे अपने उपन्यासों की रचना के द्वारा भारतीय समाज में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना और विकास कर सके, उनके सकारात्मक प्रभाव इसी परिप्रेक्ष्य में निबद्ध है। इन उपन्यासकारों में 'प्रणव कुमार वंद्योपाध्याय' का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में 'गोपीगंज संवाद' में 'श्री प्रणव कुमार वंद्योपाध्याय' के चयनित उपन्यास का मूल्यबोध के संदर्भ में सांस्कृतिक मूल्यों के बिखराव व विघटन के संदर्भ में शोधपरक दृष्टि से कार्य किया गया है।

'गोपीगंज संवाद' उपन्यास का परिचय – गांपीगंज संवाद 19वीं सदी के प्रारम्भ की कथा है। उस समय की पृष्ठभूमि की स्थिति बहुत भयावह थी। देश में जमींदार या तो अंग्रेजों के साथ थे या चुप थे। ऐसे में निम्न वर्ग के लोग साहस के साथ आगे आए और अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ाई लड़ी। इसी को रचना का विषय बनाकर तत्कालीन विषमताओं को प्रणव जी ने अपने इस उपन्यास में उजागर किया है। इस उपन्यास में प्रणव जी ने प्रेम के पक्ष पर भी जोर दिया है। उस समय का परिवेश आज से बहुत भिन्न था। उपन्यास में आम आदमी केन्द्र में है। सामान्य वर्ग के लोग उस समय शिक्षित नहीं थे, पर संघर्ष करते गये। शहीद होते गये। आम लोगों का दु:साहस उस वर्ग के लिये बहुत बड़ी बात थी। उस समय फौज में, पुलिस में बहुत से हिन्दुस्तानी थे, पर वे बंगाल के साथ थे। मुम्बई की 26 नवम्बर की आतंकवादी घटनाओं के विरोध में मध्य वर्ग ने प्रोटेस्ट किया पर जिस कालखण्ड का यह उपन्यास है उस काल में मध्यमवर्ग था ही नहीं।'[1]

- विश्लेषणात्मक विवेचन – सांस्कृतिक मूल्यों के बिखराव व विघटन निम्नांकित घटनाक्रमों में दृष्टिगोचर होता है।

(1) जगन्नाथ चौधरी का भाई महादेव के विचार टेढ़े हैं, उनकी शादी हो गई है, उनकी पत्नी गुणवती है, पति को भगवान मानकर चलती है, ऐसे पत्नी को पाकर भी वह असंतुष्ट रहता है, चमेली नाम की परायी औरत से सम्बन्ध रखता है। यहाँ पति-पत्नी के सम्बन्धों में पवित्रता, ईमानदारी, वफादारी का मूल्यबोध होना चाहिये उसमें गिरावट बनायी गयी है।

(2) जगन्नाथ चौधरी स्त्रियों को केवल अपने भोग की वस्तु समझता है, ऐसा होते हुए भी वह यषोधा से प्यार करता है और अपनी इच्छा पूर्ति (कामवासना संदर्भित) वह यशोधा के द्वारा ही पूरा कर लेना चाहता है। जब यशोधा गर्भवती हो जाती है तो जगन्नाथ उसे बच्चा गिराने के लिये कहता यशोधा जब नहीं मानती है तो वह उसके पेट पर लात मारता है, यहाँ जगन्नाथ चौधरी अपने मानवीय मूल्य, दया, ममता, करूणा आदि मूल्यों को तिरोहित कर देता है, मानवता का और जगन्नाथ चौधरी का कहीं दूर-दूर तक का नाता दिखाई नहीं देता है।

- जगन्नाथ चौधरी में नैतिक मूल्यों का अभाव है, वह मानवता के मूल्यबोध से दूर है, गर्भ में बालक को मारने पर जोर देता, तथा गर्भवती यशोधा के पेट पर लात मारना एक हिंसक व्यवहार है, जो उसे मनुष्य से जंगली पशु की श्रेणी में रखता है, वह चरित्रहीन, लम्पट, दुष्कर्मी, खूनी इंसान के रूप में पाठकों के समक्ष आता है।

(3) सुदामा अपनी पत्नी के अनैतिक सम्बन्धों को लेकर पत्नी, से कहता है – 'मेरे भाई के संग रासलीला कर रही हो, कोढ़ होगा उसे।' यहाँ धर्म के मूल्य का हनन है, दूसरे सुदामा की पत्नी का सतीत्व भी खत्म हो चुका है। वह पुत्र प्राप्ति की लालसा में देवीलाल के ममेरे भाई के साथ रहकर-पुत्र प्राप्त कर लेती है, वह इस कार्य में किसी पाप का अनुभव नहीं करती है। उसका उद्देष्य सिर्फ पुत्र प्राप्ति था, भोग-विलास नहीं।

- इस घटना से स्पष्ट है कि माँ बनना एक औरत का धार्मिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक अधिकार है, पति के द्वारा यह अधिकार पुत्र-प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है, मगर सुदामा अपनी पत्नी को यह सुख नहीं दे पाता है तब वह यह सुख-अधिकार कैसे भी प्राप्त करती है। यहाँ उसके सतीत्व का मूल्य, पति के प्रति वफादारी का मूल्य, पति-पत्नी के सम्बन्धों में ईमानदारी-प्रेम का मूल्य विघटित होने बताया गया है।

(4) देवकी स्त्री पात्र है, वह विधवा होने के पश्चात अपने भैया के पास लौट आयी है, उसका भाई उसका पालन-पोषण बहुत प्यार से करता है, पर वह जगन्नाथ चौधरी के बहकावे में आ जाती है और उससे अवैध सम्बन्ध बना लेती है, चौधरी को उसका भाई समझाता है तो चौधरी उसके भाई को मार कर भगा देता है, पर देवकी अपने भाई के बारे में न सोचकर केवल

जगन्नाथ चौधरी की ही याद करती है।

● यहाँ देवकी अपने धर्म का पालन नहीं करती है, विधवा होने के पश्चात उसे कायदे कानून से दूसरा विवाह कर घर बसाना ठीक रहता, पर उसने चौधरी से जो अनैतिक सम्बन्ध बनाये उससे भारतीय स्त्रियों में जो मूल्यबोध अपनी अस्मिता, धर्म, परिवार के प्रति होना चाहिये उसका अभाव नजर आता है।

(5) चरन अपने जीवन में विद्रोह करते ही आया है। एक बार वह उपन्यास की स्त्री पात्र चंपा से कहता है 'गोपीगंज के एक-एक मर्द-औरत को कसम खाती है कि सब मिल के फिरंगियों को हिन्दूस्तान से मार भगाएंगे, इस गाँव में एक कुंदन लुहारनाथ पैदा हुआ, हर लोग कुंदन लुहार बनेगा।'[2]

● चरन के विचारों से 'देशप्रेम' के मूल्य का मूल्यबोध होता है। 'वीरता' के मूल्य का मूल्यबोध होता है।

(6) साधु गुसाईं सन्यासी ब्राम्हण है। एक बार गोपीगंज के जलसे से चरण गुसाईं को प्रणाम करता है तो गुसाईं कहता है 'विद्या दान कर रहे हैं, तुम जन्म से अहीर जरूर हो लेकिन कर्म विषुद्ध ब्राम्हण हो।'[3]

● गुसाईं जी को आधुनिक नहीं बताया गया है परन्तु उनके विचार मौलिक व आधुनिक है। गुसाईं जी के विशाल दृष्टिकोण में आधुनिकता उजागर होती है, वर्ण व्यवस्था का विघटन समाज और मनुष्यता के पक्ष में सकारात्मक है। वे 'धर्म' के मूल्य को सही रूप में स्थापित करते हैं। वह ब्राम्हण होते हुए भी समय के साथ क्षत्रिय वर्ण का काम करने को तैयार है।

(7) गोपीगंज उपन्यास में चंपा एक नारी पात्र है, वह अन्य स्त्रियों के समान घर में बैठकर खाना नहीं चाहती बल्कि वह आजादी की लड़ाई में भाग लेती है। वह एक आधुनिक नारी है, गोपीगंज गाँव में कोई भी स्त्री चूड़ियाँ पहन कर घर के आंगन के बाहर नहीं जाती है पर अंदर चूड़ियाँ पहनकर पूरे गोपीगंज में घूमती फिरती है सभी उससे डरते हैं, बात करने में कतराते हैं यदि कोइ उससे कोई बात करता है, कुछ पूछता है तो वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। जब चरण जेल से आता है तो उसकी मदद करती है। वह किसी से डरती नहीं है, वह चरन की अंत तक सहायता करती है।

● 'चंपा' के स्त्री पात्र में हमें निडरता, देशभक्ति, स्वाभिमान, सहयोग, तार्किकता आदि मूल्यों का बोध होता है। वह दलित स्त्री है पर वह सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करती है मगर पोंगापंथी, व्यर्थ की रूढ़िवादिता को ठुकार देती है, वर्णव्यवस्था की ब्राम्हणों से लड़ती दिखाई देती है।

निष्कर्ष - प्रणव कुमार वंद्योपाध्याय का यह उपन्यास हालांकि उन्होंने 19वीं सदी के प्रारम्भ के काल के संदर्भ में लिखा था, परन्तु इस उपन्यास में एक ओर आधुनिकता, रूढ़ियों का टूटना, वर्ण व्यवस्था का विघटन, पारिवारिक दाम्पत्य सम्बन्धों का अधूरापन, टूटन, बिखराव बतलाया गया है तथा दूसरी ओर बताया गया है। चरन पुरूष पात्र के चरित्र चित्रण में विद्रोहपरक विचार दर्शाये गये हैं जिनमें आधुनिकता की झलक दिखलाई देती है। आधुनिक व्यक्ति कभी भी आँख मूंदकर किसी भी विचारों को स्वीकार नहीं करता बल्कि उसे जांच-पड़ताल करने के बाद ही स्वीकार करता है। इस उपन्यास में आधुनिकता के मूल्य को दो रूपों में प्रदर्शित किया गया है - पहला उपन्यास के स्त्री-पुरूष पात्र - देवकी, यशोधा, सुदामा की पत्नी, महादेव, जगन्नाथ चौधरी, नारायण तिवारी जो कि परपुरूष, परस्त्री, अनेक स्त्रियों से सम्बन्धों को आधुनिक नजर आते हैं, पर ये 'आधुनिकता' मूल्यबोध नहीं है, 'आधुनिकता' का मूल्य कभी भी पथ भ्रष्टता, नैतिकताविहिन व्यवहार, सम्बन्धों के गरिमा को नष्ट करने के संदर्भ में नहीं होता है।

उपन्यास के पुरूष पात्र गुसाईं और चरन आदर्श पात्र है, जिनके व्यवहार में मूल्यबोध झलकता है, जैसे देशद्रोह, निडरता, वीरता, तार्किकता एवं वर्णव्यवस्था के विरूद्ध शंखनाद। स्त्री पात्रों में केवल अंदर ही मूल्यबोध की संकल्पना को साकार करती दिखाई देती है। इस उपन्यास में चंपा को एक दलित नारी का पात्र दिया गया है, उसका 'धैर्य' का मूल्य बोध अति विकसित होते बताया गया है। यदि इस उपन्यास में अगर कोई पात्र है जो देश को बचाने के खातिर कोई देशभक्त आगे बढ़ता है तो उसकी मदद करने की ठान लेती है तो वह है चंपा। वह निडर है किसी से भी नहीं डरती है, उसके विचार सत्य प्रेरित है। वह निडर होकर सामाजिक-परम्पराओं को परिवर्तित करने में संलग्न रहती है। इसके स्वाभाव में, विचारों में आधुनिकता का वास्तविक मूल्यबोध को देखा जा सकता है। प्रणव कुमार वंद्योपाध्याय ने सांस्कृतिक मूल्यों के विघटन, एवं देशप्रेम, देशभक्ति, वीरता, समर्पण, त्याग, सहयोग, निडरता आदि मूल्यबोध मूल्यों की सृष्टि के द्वारा मूल्यबोध की संकल्पना को 'गोपीगंज संवाद' उपन्यास द्वारा साकार किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारती शेलके, महिला विचारकों की कहानियों में जीवन मूल्य, पृ.सं. 20
2. प्रणव कुमार, वंद्योपाध्याय, गोपीगंज संवाद, पृ.सं. 142
3. प्रणव कुमार, वंद्योपाध्याय, गोपीगंज संवाद, पृ.सं. 312

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

गोविन्द मिश्र के उपन्यासों की भाषागत : शैलीगत विशेषताएँ

डॉ. दमयन्ती मरांडी *

* एई-118, भी.एस.एस नगर, भुवनेश्वर (ओडिशा) भारत

प्रस्तावना – मनुष्य के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के रास्ते होती है। अत: भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। प्रकृति में भी अभिव्यक्ति की यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है,बादल बिजली की तड़कन और बरखा से, पेड़ पत्तों की सरसराहटों से, हवा अपनी गति के वेगों से नदी अपनी लहर तरंगों से, पक्षी चहचहाहटों से अपने भावों को व्यक्त करते है। यही कारण है कि साहित्यकार प्रकृति के इन सूक्ष्म संकेतों को समझ इनसे अपनी संवेदनाओं, भावों, विचारों, स्थितियों, परिस्थितियों का मिलन कर प्रतीकात्मक बिम्बात्मक शब्दों द्वारा रचना का श्रृंगार करते है। भाषा मनुष्य की सामाजिकता को पुष्ट करती है। साहित्यकार जीवन के विभिन्न पक्ष, मूल्यों के नित्य बदलते स्वरूप को कलात्मक भाषा के रास्ते भिन्न द भिन्न साहित्य विधाओं में रूपबन्ध करते है।

शैली का प्रयोग करके लेखक अपना इच्छित प्रभाव डालता है। शैली साहित्य की गौरवमयी उपलब्धि है। किसी भी लेखक की शैली लम्बी साधना, संयम,कौशल की देन है। शैली लेखक की विचारधारा के प्रकटन का एवं उसके व्यक्तित्व के प्रकटन का माध्यम है य यह उसकी मानसिक सिद्धि की परिचायक है कि वह अपने विचारों,भावनाओं,बिम्बों को किस रूप में प्रस्तुत करता है। अत: कहा जा सकता है कि लेखक की लेखन शैली में उसके व्यक्तित्व की झलकन का आभास होता है क्योंकि उसकी लेखन कला प्रक्रिया से उसकी भावनाओं,विचारों, अनुभूतियों उसकी बोधन शक्ति का परिचय मिलता है।

(क) भाषागत विशेषताएँ– भाषा एक संस्कार है। जो समाज द्वारा प्रदत्ता है। परिवार और परिवेश द्वारा प्रभावित है। उसे केवल परिवार तक सीमित नहीं रखना चाहिए। वह शिक्षा, व्यापार,अनुभव, चिंतन – मनन तथा सतत अभ्यास से पुष्ट और परिष्कृत होती है। साहित्य– लेखन के लिए प्रयुक्त भाषा की अपनी अलग विशेषताएँ है। उपन्यास की भाषा के संदर्भ में कुछ तत्वों का विधान है। जैसे उपन्यास की भाषा कथासंगत, सरल, स्वाभाविक, प्रवाहमय, पात्रानुकूल, सहजता आदि गुणों से सम्पन हो तथा उसे आडम्बर तथा बोझिल उदाहरणों से दूर रखना चाहिए।

1. **सरल एवं स्वाभाविक–** गोविन्द मिश्र के उपन्यासों की भाषा अत्यंत सरल एवं स्वाभाविक है। इनके उपन्यासों में हम भाषा के विविध रूपों को देख सकते है। जिसके कारण उनके उपन्यास रोचक बन पड़े है। इस संदर्भ में संपादक चन्द्रकान्त बांदिबडेकर के पुस्तक में निहित डॉ. प्रथमवीर केशव का मत अत्यंत सूचक है, 'गोविन्द मिश्र की कथा – सृष्टि पर एक सरसरी दृष्टि घुमाने पर उनकी भाषा के विविध रूपों को बड़ी सहजता से देखा जा सकता है। एक और महानगरीय परिवेश में उच्च प्रशासकीय वर्ग के जीवन की भीतरी परतों को आनावृत करनेवाली भाषा का रूप है 'वह अपना चेहरा', 'तुम्हारी रोशनी में या तो दूसरी तरफ' लाल पीली जमीन य उपन्यास में बुंदेलखंडी कस्वाई लोगों की हिंसा निर्मम, रोंगटे खड़े कर देने वाली गुडई भाषा का प्रयोग करते है वहाँ के सामाजिक जीवन की कर्कशता की जीती जागती तस्वीर प्रस्तुत करती है।'[1] सारांशत: सहजता मिश्र के साहित्य की तथा उनकी भाषा की मूल विशेषता है। इसीलिए उनके द्वारा प्रस्तुत विषय तथा घटनाओं का विवरण अत्यंत सहजता से पाठक को आकर्षित करता है।

2. **उत्कंठा वर्धक –** प्राय: मिश्र की भाषा में यह गुण पाया जाता है। वे कथा परिवेश के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण को आकार देते है। पात्रों के चारित्र का उद्घाटन करते हुए वे पाठक के मन की संवेदनाओं को भी जगाते है। वे पाठक को उस प्रवाह में खींचते चले जाते है जहाँ पाठक की छटपटाहट में कौतुहल का भाव भरता हो। उनके शब्द और वाक्य – रचना कथा के अगले पाठक की छटपटाहट में कौतुहल का भाव भरता हो। उनके शब्द और वाक्य –रचना कथा के अगले पड़ाव को जानने की जिज्ञासा प्रबल कर देते है। 'हुजूर दरबार य उपन्यास में सिरिराजा की फटफटियाँ खराब होने पर तहसिलदार को बुलाने का आदेश और उस आदेश के पार तहसिलदार को अपमानित करके सोलह हंटर लगाने तक की घटना में कौतुहल बना रहता है और घटना की समाप्ति पर वापस फिर से नया कौतुहल उत्पन्न होता है कि आखिर इस पर राजा की प्रतिक्रिया क्या होगी और वे क्या निर्णय लेंगे ? कहने का तात्पर्य है कि मिश्र भाषा में कौतुहल भरने में माहिर है। वे एक के बाद एक घटनाओं का ऐसा जाल फेकते है कि पाठक उस रचना को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते है। प्रस्तुत उपन्यास में राजा सिरिराज,नेपाल सरकार, खरे, आन्दोलन, हरीश, बापु, माँ, मामा, महारानी,रियासतों का बरखास्त होना आदि सभी घटनाएँ एक के बाद जिज्ञासाओं को बढ़ाती चली जाती है। मिश्र के अन्य उपन्यासों में भी यही भाव देखने को मिलता है, 'धीर –समीर', 'वह अपना चेहरा', 'फूल,इमारतें और बन्दर', क्रमश सुनंदा की खोज शुक्ला की पराजय और मोहन्ती का अध्यक्ष बनना आदि बातों का कौतुहल उपन्यास के अंतिम क्षणों तक पाठक को बांध कर रखते है। मोहन्ती को अध्यक्ष घोषित करने के बाद वह उसे कैसे निभाएगा यह जानने की इच्छा वापस उसी सिलसिले को दोहराती है। फिर कौतुहल बनता है और फिर पाठक उपन्यास पढ़ने के लिए लालायित होता है।

3. **अलंकारिकता –** जीवनानुभवों को साहित्य द्वारा संप्रेषित करने के लिए भाषा अत्यंत प्रभावी साधन है। किन्तु भाषा की भी अपनी – अपनी सीमाएँ है। उन सीमाओं को लाँघना अर्थात भद्देपन का प्रदर्शन करना है। इसीलिए निर्धारित सीमा और संस्कारों के दायरे में रहकर लेखक इसे बाँधने

का प्रयास करता है। उसमें सुंदरता लाना उसे गाली गलौज, अनैतिक भद्देपन से दूर रखने के लिए लेखक के विभिन्न उपादानों में से एक उपादान अलंकार है। इस संदर्भ में मिश्र की अलग विशेषता रही है। भाषा के प्रयोग में उन्होंने अत्यंत कुशलता दिखाई है। उपन्यासों में अत्यंत सहजता से विभिन्न अलंकारों का प्रयोग कर चमत्कृत करने में लेखक सिद्धहस्त है। उदाहरण 'तुम्हारी रोशनी में' उपन्यास में अर्थान्तरन्यास क यह प्रस्तुत है – 'जैसे उस छोटे से क्षण मेरे भीतर कोई अनन्त शक्ति उड़ेलकर चला गया। अब में मजबूर था ...... चलते रहने के लिए, रास्ते में कुछ भी सहने के लिए जीवन सुंदर था तमाम तकलीफों के बावजूद '[2] प्रस्तुत उपन्यास में सुवर्णा अपनी सामान्य अनुभूति को विशेष बनाकर उसका समर्थन करती है। अनन्त भी इसी अनुभूति का स्वीकार करता है। जिससे अर्थान्तरन्यास की पुष्टि होती है।

4. सूक्तियों का प्रयोग – जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने का कार्य सूक्तियों के माध्यम से किया जाता है। सूक्तियों जीवन में उल्लास और उमंग का संचार करने में मदत करती है। उपन्यासकार अकसर नये विचारों को प्रसारित करने के लिए सूक्तियों का प्रयोग करता है। कभी – कभी वे अपने कथन को प्रभावी बनाने के लिए प्रचलित सूक्तियों का आधार लेते है। गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में भी इस प्रकार की अनेक सूक्तियों का प्रयोग हुआ है।

1. 'हर किसी चीज से लगाव खराब ही होता है, चाहे वह लड़की हो या इम्तहान।'[3]
2. 'जहाँ मन – शरीर – आत्मा एक तरफ भागते है वहाँ शरीर पूजा है य जहाँ वे अलग – अलग होते है वहाँ शरीर बोझ है ..... पाप है।'[4]
3. 'अगर कोई किसी से खुलकर बात कर सके तो अकसर पेचीदा से पेचीदा समस्याओं का भी हल निकल आता है।'[5]
4. 'आदमी को महज अपने पैदा होने से कोई ऐसा छोटापन न मिले जिसे वह आजीवन ढोते रहने को मजबूर हो।'[6]
5. 'गर्व ही तो सौन्दर्य का तेवर है, वह किसी राजपाट से कम नहीं।' [7]

वैसे तो अनेक सभी उपन्यासों में अनेकानेक सूक्तियों का प्रयोग पाया गया है।

5. प्रादेशिक भाषा एवं बोलियों का प्रयोग – कथा में व्याप्त जटिलताओं को सहज एवं सार्थक रूप देने के लिए लेखक जनभाषा, प्रादेशिक शब्दावलियों एवं बोलियों का प्रयोग करते है। जीवन की त्रासद अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए कथा की रचनात्मक पद्धति, कल्पना तत्व एवं व्यंग्यात्मकता को चित्रित करने हेतु प्रादेशिक तत्वों का अवलंबन करना आवश्यक है। भाषा का विकास धीमी गति से अग्रेसर होता हुआ प्रादेशिक भाषा, बोली और शब्दावलियों का रूप धारण करता है। गोविन्द मिश्र के कतिपय उपन्यासों में इसकी झलक दिखाई देती है। जैसे 'हुजूर दरबार' में बिहार और उत्तार प्रदेश के ग्रामीण अंचल की जीता जागता उदाहरण उसमें प्रयुक्त भाषा की कोमलकांत ग्रामीण शब्दावलियों से ही सुसज्जित होकर प्रस्तुत हुआ है, 'और खेर भी जाँघ ठोककर कहते है, बब्बा,तुमाई हम समझत और हमाई तुम,महुआ द मसूर की बातें जो ठैरी ....' [8] उसी प्रकार 'काए भैया आज सूरज भओं कि नाई ? और खरे बाँसी रोटियाँ और आम के आचार के बाद लोटाभर पानी डकारकर कहते है, बाई, तुमाई जय हो .... तुम जियत रइयों .... जीते जी तुम्हें सूरज न दिखाओं, तौ कुछ न करौ ....'[9] वैसे ही 'लाल पीली जमीन' में बुंदेलखण्ड की सौंधी महक के साथ–साथ इस प्रदेश में व्याप्त काईयापान और भेद जीवन प्रवाह का पुट मिलता है।

ग्रामीण शब्दों में तथा प्रदेश विशेष की बोली भाषा में वहाँ की स्वाभाविक रंग – रूप, आदान–प्रदान, संस्कृति,रीति–रिवाज का संस्कार छिपा होता है। जिसकों चित्रित करने के लिए उन बोलियों एवं भाषाओं का सूक्ष्म ज्ञान होना आवश्यक है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही मिश्र ने वाक्यों का चुनाव किया है। भाषा की कोमलता, मधुरता और उसकी गंध को तोड़े बगैर मिश्र अत्यंत मार्मिक प्रसंगों को भी यथार्थ रूप से प्रस्तुत करते है। जैसे 'पाँच आँगनों वाला घर य उपन्यास में बड़ी अम्मा की पीड़ा को चित्रित किया है। 'रे बबुनी ! तोहरा से का छुपावे के बा। हमरा राधे से ज्यादा कमी सनिया के लागे ला। सब लोग सनिया के भुला देहले वा। तु सब के कोई न कोई देखेबाल बा पर सानिया के आगे पीछे केहु नइखे। ओकरा के केकरा भरोसे छोड़ के हम इ दुनिया से जाइब। इ बाँके अईसन बा कि घर में सनिया के हिरसा भी लील जाई ....'[10]

अत: कहना होगा कि प्रादेशिक भाषा एवं बोलियों के प्रयोग में मिश्र ने जिस सूझ–बुझ का परिचय दिया है, उससे यह सिद्ध होता है कि मिश्र केवल औपचारिकता निभाने के प्रयास से ग्रामीण शब्दों का प्रयोग नहीं करते है। बल्कि वे उस भाषा के मर्म को आत्मसात कर के प्रस्तुत करते है। जिससे उनका कथन उनका न होकर उस प्रदेश विशेष के लोगों का लगने लगता है।

6. अंग्रेजी भाषा का प्रयोग – गोविन्द मिश्र के लगभग सभी उपन्यासों में आधुनिक परिवेश का चित्रण हुआ है। इस वजह से उन उपन्यासों में अंग्रेजी शब्दों का तथा वाक्यों का प्रयोग होना स्वाभाविक है। मिश्र के कतिपय उपन्यासों में यह विशेषता पाई जाती है। जहाँ कथा, घटना,चरित्र की माँग है वहाँ उन्होंने अंग्रेजी वाक्यों का,शब्दों का तथा अंग्रेजी लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। जैसे, 'एवरिथिंग इज जस्टिफाईड इन लव, वाँर एंड पाँलिटिक्स'[11] वैसे ही अंग्रेजी के अनेक शब्दों का सीधा – साधा प्रयोग उन्होंने लगभग सभी उपन्यासों में किया है। जैसे 'तुम्हारी रोशनी में य वे एक्झम, स्टडी, फिलिंग्स, सिक्रेट,गॅलरी,रेलिंग,हाँल,की बोर्ड, रिसेप्शन आदि तथा 'धूल पौधों पर' उपन्यास में भी टीचर,ट्यूशन, प्रॉपर्टी, स्टडी,इंचार्ज, थीसीस,काँन्ट्रैक्चूअल, एम्प्लाएमेंट,युनिवर्सिटी, प्रायवेट,जाँब, ज्युनिअर, प्रोग्राम,नर्वस,पोस्टिंग आदि तथा 'वह अपना चेहरा' में भी ट्रेनिंग,नोटिस बोर्ड, टोस्ट,रिहर्सल, चौप्टर,रिफार्म,थैंक्स,शटअप, 'फूल,इमारतें और बन्दर' उपन्यास में फिल्ड ऑफिसर,पावर ट्रेनिंग,इंडस्ट्रिअल,ऑर्डर, एअर पोर्ट,ओपीनियन, डेलिगेट, एक्टिंग,स्टोरी, रेडीमेड, व्यूरोक्रेसी, मॅटर आदि अनेक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है।

सारांशत: गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में अंग्रेजी शब्दों के साथ–साथ नवीनतम हिंदी मिश्रित अंग्रेजी अर्थात हिंग्लिश का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया गया है। मिश्र के उपन्यासों की भाषा के विविध रूप देखकर उनेक संदर्भ में केवल इतना कहना होगा कि वे भाषा को तोड़ – मरोड़कर औपचारिक रूप से निभाने वाले लेखक न होकर एक दृष्टा एवं संवेदनशील कलाकार है। उन्होंने भाषा संबंधी लगभग सभी विशेषताओं का प्रयोग सहजता से किया है।

(ख) शैलीगत विशेषताएँ – भारतीय साहित्य में 'शैली' शब्द का प्रयोग अंग्रेजी शब्द 'स्टाईल' के पर्याय के रूप में होता है। शैली शब्द का प्रयोग विद्वानों ने भिन्न–भिन्न अर्थ में किया है। स्थान एवं काल विभाजन के अनुसार शैली शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक विद्वानों ने शैली शब्द को अपनी तरह से अलग अलग रूप में इस शब्द को परिभाषित करने का प्रयास

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

किया है। 'शैली' विज्ञान की अभिधान मूलक परिभाषाओं में 'शैली' शब्द को लेकर उलझन उपस्थित होती है। शैली शब्द का अर्थ नालंदा विशाल शब्द सागर में इस प्रकार दिया गया है – '(1) चाल, ढंग (2) प्रणाली (3) रीति, प्रथा, रिवाज,(4) वाक्य रचना का वह ढंग जो लेखक की भाषा संबंधी निजी विशेषताओं का सूचक होता है। स्टाइल, (5) समूह जिनकी विशेषताओं में उनके कर्ताओं की मनोवृत्ति की एकरूपता के कारण सामान्य कलम शैली की अपने में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है।'[12] जीवन की जटिल अनुभूतियों को लेखक जब किसी विधा विशेष के माध्यम से उतारने का प्रयास करता है। तब उसे प्रस्तुत करने का तरीका ढूँढना अनिवार्य हो जाता है। लेखक के मन की संवेदनाओं को साहित्य में प्रकट करने ले लिए जहाँ भाषा की आवश्यकता है वहाँ उसे प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट प्रणाली का होना स्वाभाविक है।

1. आत्मकथात्मक शैली – आत्मकथात्मक शैली में उत्तम पुरुष 'मैं' के माध्यम से कथा कहीं जाती है। जिसमें लेखक उपन्यास के किसी पात्र का स्थान ग्रहण कर उसे प्रथम पुरुष में प्रस्तुत करता है। गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में इस शैली का प्रयोग हुआ है। उनका 'वह अपना चेहरा', 'धूल पौधों पर', 'फूल,इमारतें और बन्दर', 'तुम्हारी रोशनी में', 'पाँच आँगनों वाला घर', 'उतरती हुई धूप' आदि उपन्यासों में आत्मकथनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार 'वह अपना चेहरा य उपन्यास में भी आत्मकथात्मक शैली सर्वत्र व्याप्त है, 'मैं हाँ – ना कुछ न कर सका क्योंकि उस समय मैं उसी की कार में था। मैं इस बड़े शहर में नया हूँ। घर से दफतर और दफतर से घर के लिए मैं अमरू का साथ पकड़ने की पूरी कोशिश करता हूँ।'[13]

उतरती हुई धूप – आधुनिक समय में अनेक रचनाकार इस शैली का प्रयोग अपने लेखन में कर रहे है। पात्रों के नामों के स्थान पर वे 'मैं', 'वह' आदि के रूप में स्वय विद्यमान रहते है। 'पता नहीं .... अभी तक तुम्हें और इस प्यार को अलग–अलग करके नहीं देख पायी। लगता है जहाँ मन–शरीर आत्मा एक तरफ भागते है य वहाँ शरीर पूजा है जहाँ वे अलग – अलग होते है वहाँ शरीर बोझ है ....पाप है।'[14] उपन्यासों में भी आत्मकथनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इस शैली के प्रयोग से कभी द कभी ऐसा आभास होने लगता है मानों लेखक स्वयं अपनी कहानी उपन्यास के माध्यम से सामने रख रहे है।

2. संवाद शैली – संवाद अर्थात कथोपकथन। कथोपकथन के माध्यम से पात्रों के मानसिक द्वंद्व को प्रकट किया जाता है। इस दृष्टि से यह शैली अत्यंत उपयुक्त है। गोविन्द मिश्र के कतिपय उपन्यासों में यह शैली पायी गई है। यहाँ पात्रों के आपसी संवाद अर्थात वार्तालाप से जटिल प्रसंगों को आसान एवं सहज बनाया गया है। संवाद शैली के प्रयोग से उपन्यास की कथा गतिमान हो उठी है। जैसे गोविन्द मिश्र के 'लाल पीली जमीन' के पात्र शांति और बड़े के आपसी संवाद का यह उदाहरण इस प्रकार है –

'तुम्हारा पागलपन है।

मैं कालिख पोतूंगी – इस मोहल्ले के मुँह पर, देखना ....अच्छा, तुम अब जाओ ...... कोई देख लेगा तो बदनामी होगी ....।

तुम आदमी होकर डरते हो ?

तुम्हारे लिए डरता हुँ,.......... आदमियों का क्या बिगड़ता है, मेरा फिकर न करो ......जब यहाँ पैदा हो गई, तभी सब कुछ बिगड़ गया था।

तुम्हें इन जगह से बड़ी नफरत है, ऐसा लगता है।'[15]

प्रस्तुत संवादों से शांति के मन की नफरत और समाज और बस्ती की सोच का खुलासा होता है। 'उतरती हुई धूप' उपन्यास में संवाद शैली के बेजोड़ उदाहरण मिलते है। यहाँ संवादों के माध्यम से नायक और नायिका के प्रेम की तीव्रता अत्यंत सजीव हो उठी है। जैसे–

'लगता है य पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ तुम्हारे पास रहूँ इन गर्मियों तक, जो भरकर रह लूँ ......

– बड़ा गजब करोगे ....
– क्यों ?
– झख मारोगे और क्या ....
– चालों,यही सही ....मंजूर है ?
– तुम छोड़ दो पढ़ाई .... मुझे फुर्सत नहीं है।
– अच्छा,सिर्फ आज रात मेरे पास रहो ......।'[16]

यह प्रसंग शायद विवरण देकर लिखा गया होता तो इतना सजीव नहीं लगता जितना संवाद शैली में लग रहा है। गोविन्द मिश्र के अन्य उपन्यासों में भी कथा को गति प्रदान करने का कार्य तथा घटनाओं में जान डालने का कार्य संवाद शैली द्वारा किया गया है।

3. पूर्वदीप्ति शैली – इस शैली का प्रयोग कर लेखक अतीत में घटित घटनाओं की और उन्मुख होकर कथा आगे प्रवाहित करता है। अंग्रेजी में उसे फ्लैश बैक सिस्टीम कहते है। घटनाओं में एकरूपता से जुड़े हुए पाठक के मन में उत्पन्न होने वाली नीरसता को तोड़ने का कार्य पूर्वदीप्ति शैली के माध्यम से किया जाता है। इस शैली का प्रयोग उपन्यास के आद्य, मध्य या पश्च, प्रसंगानुरूप किसी भी स्थान से शुरू होता है। कभी कभी यह फ्लैश बैक कथा के शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है तो कभी बीच–बीच में वर्तमान उभरकर फिर वापस अतीत की और इंगित किया जाता है। जिससे उपन्यास के पात्र अपने आप अतीत में खोने लगते है।

गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में यह शैली 'वह अपना चेहरा', 'पाँच आँगनों वाला घर', 'उतरती हुई धूप', 'कोहरे में कैद रंग', 'लाल पीली जमीन' आदि में पाई जाती है। 'हुजूर दरबार' में भी यह शैली सिरिराजा की माता तथा महाराजा रुद्रप्रताप के पूर्वजों के युद्ध कौशल, समाज नीति और ऐशों आरामों के प्रसंगों का चित्रण करने के लिए प्रयुक्त हुई है। यहाँ हरीश अपने पिता के राजगुरु होने तक के सफर में उसकी माँ की पीड़ा के प्रसंगों में महाराज के जन्म से लेकर प्रस्तुत होने वाली घटनाओं आदि में फ्लैश बैक का प्रयोग हुआ है। 'वह अपना चेहरा' उपन्यास में भी मिसेस अजवानी को देखकर नायक के आँखों में अतीत उभरकर आता है उस अतीत का वर्णन फ्लेश बैक से ही किया गया है तथा 'कोहरे में कैद रंग य उपन्यास में रेवा को देखने के बाद सरस्वती की स्मृति जाग जाना तथा लेखक के मन में सरस्वती का चित्र प्रत्यक्ष उतर आना यहाँ भी इन प्रसंगों में फ्लेश बैक शैली का प्रयोग हुआ है। 'उतरती हुई धूप य उपन्यास में जब अरविन्द नायिका विषय में विचार करते है 'वह ससुराल पहली बार होकर आयी भी – सुखी लाल रंग की साड़ी और ब्लाउज पहने हुई थी, गले में मंगलसूत्र था, माँग लाल थी ...... ऊपर से नीचे तक सब कुछ लाल था। इससे यह सिद्ध हो रहा था कि पूर्व की ही भाँति उसके इर्द द गिर्द सभी कुछ भरा द भरा लग रहा था ...... और फिर उसके पास यह भी था।'[17] 'वह हँसने की बात भी थी .... यह जमाने पहले की बातों पर यों अड़ा –खड़ा था जैसे वह स्थाई रहने का ठेका लेकर आई थी।'[18]

4. डायरी शैली – डायरी व्यक्ति का दिनक्रम दर्शाती है। व्यक्ति की निजी

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

जानकारियों और महत्वपूर्ण घटनाओं का लेखा – जोखा डायरी में होता है। वह किसी भी व्यक्ति का अपना निजी दस्तावेज है। आजकल डायरी शैली का प्रयोग उपन्यास लेखन के लिए किया जाने लगा है। कुशल कलाकार अपनी अनुभूतियों को पात्रों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए डायरी का प्रयोग करते है। गोविन्द मिश्र द्वारा लिखित 'फूल,इमारते और बन्दर' यह उपन्यास डायरी शैली का उत्तम उदाहरण है। उपन्यास में प्रत्येक विभाग में 'मोहन्ती की डायरी से' इस शीर्षक से संपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसीलिए उपन्यास पढ़ते समय हमें पूर्णत: अनुभूति होती है कि इस उपन्यास का प्रमुख पात्र मोहन्ती कोई और नहीं स्वयं लेखक ही है। 'लाल – पीली जमीन' उपन्यास में वही व्यक्त किया जाता है जो नायक के साथ घटित होता है दैनंदिन दिनचर्या में। डायरी का प्रयोग किसी अन्य के वर्णन में नहीं किया जा सकता है।

'क्या बिसात है .... उस कलुए की हमारी रतन द जैसी बिटिया के सामने ....बिटिया से चमक जा, अभी तेरी काकी जिंदा है। भैया तेरा करेजा छोटा पड़ता हो ..... और जो मुझसे न सरपता हो तो तु मुझे दे डाले इसे। ...... हमारे बड़े भाग थे। तेरे बिना घर कैसा सायँ द सायँ करता था।'[19]

बापू ....मैं उस लफंगे के साथ नहीं रहूँगी ...... 'शैलजा काकी से चिपक कर मास्टर के कंधे हिलाने लगी .... आपकों पत्ताा नहीं मैं कैसे – कैसे भागकर आई हुँ।'[20]

5. सर्वनामिक शैली – जब उपन्यास में प्रमुख पात्र के नाम के स्थान पर यह,वह आदि सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तब वह सर्वनामिक शैली कहलाती है। गोविन्द मिश्र के कतिपय उपन्यासों में इस शैली का प्रयोग हुआ है। 'वह अपना चेहरा' में 'वह' का प्रयोग, 'उतरती हुई धूप' में भी 'वह' सर्वनाम का प्रयोग है। नायिका के लिए संपूर्ण उपन्यास में केवल 'वह' से संबोधित किया गया है। यहाँ नायिका का नामोल्लेख ही नहीं है। यह अपने आपमें एक अलग विशेषता है।'धूल पौधों पर', 'तुम्हारी रोशनी में', 'कोहरे में कैद रंग' और 'वह अपना चेहरा' आदि उपन्यासों में भी 'वह' सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। उदाहरण 'वह अतरे चौथे प्रेमप्रकाश के घर लाने लगी। उनकी माँ और पत्नी से बहुत जल्दी अंतरंग हो गई ..... उनसे काफी देर तक बाते करती रहती। आते–जाते प्रेमप्रकाश के कमरे में झाँकना, उनसे नमस्ते करना नहीं भूलती। जब वह घर में होती, उस तमाम दरम्यान प्रेमप्रकाश का घर एक चहक से गूंजता होता वह घर जिसमें तीन बुजुर्ग बंदे सुस्त – सुस्त रेंगते थे। जिस कारण एक तरह का धुंधलापन,बासीपन,उबास वहाँ बराबर रहती थी। वह आती तो जैसे सुबह को अपनी गठरी में लिये हुए, जिसे खोलकर वह उस घर में सुबह की गरमाहट बिखर देती।'[21] प्रस्तुत उपन्यास में भी 'उतरती हुई धूप' उपन्यास की तरह नायिका का नामोल्लेख नहीं हुआ है केवल सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नायिका के संदर्भ में चित्रित संवाद और घटनाओं को सर्वनामिक शैली के माध्यम से अंत तक प्रवाहित किया गया है।

6. डॉट शैली– आधुनिक उपन्यासकारों में यह एक अलग शैली दिखाई देती है। जिसमें लेखक अपने कथन के आगे बिंदुओं का प्रयोग करता है। यह बिंदुकीय शैली का ही अंग्रेजी रूपांतरण है। लेखक भाषा में बिन्दुओं का प्रयोग कर अपने कथन को अधिक गहरे भावों से भर देता है। उदाहरण के लिए 'उतरती हुई धूप' का यह अंश देखिए, 'नीचे उतरकर उसे फोन किया। वह नहीं मिली .... इलाहाबाद ही में नहीं थी .... घर गयी है और इम्तहान ?'[22]'धीर समीरे य उपन्यास में एकदम साधारण किसान की तरह अपने बच्चे रोहित को कन्धे पर बिठाए चला जा रहा है नरेन्द्र, कभी पीछे – पीछे,कभी अगल – बगल चल रही है पत्नी रत्ना अपने दूसरे बच्चे की उँगली पकड़े, पास ही में उनके साथी – निर्माता और उसकी पत्नी रोमा, रत्ना को इस यात्रा में चलते हुए हमेशा ही एक पुलक – भरी गुदगुदी – सी होती रहती है – नरेन्द्र जो पैसा और शराब में ही डूबा रहता है, 'जिसे दिनोंदिन उसका,बच्चों का ख्याल नहीं होता वह पास है .... लगातार पास, इतने लम्बे समय के लिए, शराब से दूर, मांस – मछली से दूर,पैसे की चकचक से दूर,ईश्वर को वह नहीं मानता ..... पर शायद इसी तरह, इस वातावरण में रहते –रहते मानने लग जाए। हर दर्शन में रत्ना यही माँगती है उसके पति को अपनी ओर ले आओ प्रभु ....जैसे की नरेन्द्र पतित हो और रत्ना को उसके सुधार के लिए प्रार्थना करना ही हो।'[23]

इस प्रकार लेखक ने लगभग इसी अनुपात में अपने सभी उपन्यासों में डॉट शैली का प्रयोग किया है। डॉट के प्रयोग से वे भाषा में अधिक गहरे भाव भरते दिखाई दिए है।

7. विभाग रचना शैली– आम तौर पर अनेक उपन्यासों में शीर्षक के अलावा कोई विभाग नहीं होता है, किन्तु आजकल उपन्यास की कथा को विभागों में विभाजित कर प्रस्तुत करने की शैली का प्रयोग हो रहा है, लेखक उपन्यास की कथा को विभागों में व्यक्त करता है और प्रत्येक विभाग को कथानुरूप शीर्षक दिया जाता है। यह शैली मिश्र के उपन्यासों में भी व्याप्त है। उनमें भी विभागवार रचना का मोह जाग उठा है और उनके 'वह अपना चेहरा' उपन्यास को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे उपन्यासों में विभाग रचना शैली का प्रयोग हुआ है।

गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में प्रयुक्त विभाग रचना का शीर्षकों के साथ परिचय निम्नानुसार प्रस्तुत है –

1. **वह अपना चेहरा –** प्रस्तुत उपन्यास में भले विभागों को शीर्षक अथवा अंक से विभाजित नहीं किया गया है। किन्तु प्रत्येक घटना की या दृश्य की शुरुआत उसके पहले अक्षर को बोल्ड लिखकर की गई है।
2. **उतरती हुई धूप –** उतरती हुई धूप में दो विभाग है उसे क्रमश: 'एक' और 'दो' इन संख्यावाचक शीर्षक से संबोधित किया गया है।
3. **फूल,इमारतें और बन्दर –** प्रस्तुत उपन्यास में अवरोह,आरोह और आगमन आदि तीन विभाग है। प्रत्येक विभाग में अनेक उपविभाग है, उनके अलग – अलग शीर्षक है।
4. **लाल पीली जमीन –** इस उपन्यास में कुल चार विभाग है उन्हें क्रमश: फालतू, घर, चौपड़, मात आदि शीर्षक से विभाजित किया गया है।
5. **तुम्हारी रोशनी में –** यह मिश्र का पाँचवा उपन्यास है जिसमें कुल तेरा विभाग है जिनके शीर्षक 1. मछली –मछली कितना पानी, 2.उदास राजकुमारी, 3.पगडण्डियाँ,4. कमल जाल,5. रस्साकशी 6. पानबहार, 7.मानसरोवर, 8. वो रही मियाँ तानसेन की हवेली,9. पुनर्जन्म,10. फूलवालों की सैर,11. शक्तिपूजा,12. खोया हुआ नाम,13. संयोग–वियोग। इन तेरा विभागों के अलग अलग शीर्षक से यह उपन्यास,उपन्यास न होकर मानो कहानी संग्रह हो गया हो। किन्तु सभी कहानियाँ और घटनाओं के कथासूत्र एक है जो सुवर्णा के जिन्दगी को विस्तार देते है। इसलिए यह विभाग रचनाओं के आधार पर लिखे जाने वाले उपन्यासों का उत्ताम उदाहरण माना जाए जो असंगत नहीं होगा।
6. **हुजूर दरबार –** प्रस्तुत उपन्यास में 'उतरती हुई धूप' उपन्यास के भाँति केवल 1,2,3,4,5, 6 आदि अंकों के आधार पर कथानक विभाजित

किया गया है।

7. पाँच आँगनों वाला घर – प्रस्तुत उपन्यास में कुल तीन विभाग है और तीनों विभागों में अंकों के माध्यम से उपविभाग दिए गए है। किन्तु प्रमुख तीन विभागों को उचित शीर्षक दिया गया है। जैसे 1. क्षेत्र (1940-1950) 2. दीवारें (1960-1975) 3.अंधी गली (1980-1990) आदि इनमें क्रमशः 13,10 और 11 उपविभागों को अंकों के माध्यम से विभाजित किया गया है।

सारांशत: गोविन्द मिश्र के उपन्यासों में अनेक शैलियों का प्रयोग हुआ है। उपरोक्त शैलियों के साथ – साथ उनके उपन्यासों में विवरणात्मक, वर्णनात्मक, नाटकीय, प्रश्नवाचक तथा किस्सागोई आदि शैलियों का भी प्रयोग हुआ है। विभिन्न शैलियों के प्रयोग से गोविन्द मिश्र के उपन्यास आधिक पठनीय एवं संप्रेषणीय बन गए है।

निष्कर्ष – गोविन्द मिश्र के उपन्यासों की भाषा कथासंगत है। उनकी भाषा संप्रेषणीय तथा पठनीय दोनों गुणों से संपन्न है। भाषागत विशेषताओं को ध्यान से रखते हुए उन्होंने सहज एवं स्वाभाविक शब्दों का चुनाव किया है। उनकी भाषा में उत्कंठा, अलंकारिकता, सूक्तिपूर्ण उदाहरण प्रादेशिक भाषा एवं बोलियों का प्रयोग हुआ है। गोविन्द मिश्र की भाषा कथाप्रवाह में सहायक है। आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी शब्द, वाक्य तथा अंग्रेजी कहावतों का भी प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा में अंग्रेजी मिश्रित हिन्दी अर्थात हिंग्लिश भाषा का प्रयोग आधुनिक भाषा व्यवहार के परिवर्तन की और इंगित करता है। शैली की दृष्टि से उनके उपन्यास बेजोड़ है। उनके उपन्यासों में लगभग सभी शैलियों का प्रयोग हुआ है। जैसे आत्मकथात्मक, संवादात्मक, पूर्वदीप्ति,डायरी शैली, सर्वनामिक शैली, डॉट शैली, विभाग रचना शैली का भी प्रयोग हुआ है। जिससे उनके उपन्यासों के संप्रेषण कौशल की गति प्राप्त हुई है। सारांशत: शिल्प की दृष्टि से गोविन्द मिश्र के उपन्यास सफल सिद्ध हुए है। इन प्रयोगों से तमाम रचनाओं को आकर्षक एवं बोधगम्य बनाया है। भावावेश तथा संवेदनशीलता का मिलाजुला स्वरूप उनके साहित्य की प्रमुख पहचान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गोविन्द मिश्र : सृजन के आयाम : स. चन्द्रकान्त बांदिबडेकर: वाणी प्रकाशन,दिल्ली,2019, पृ .33
2. तुम्हारी रोशनी में :- गोविन्द मिश्र : राजकमल प्रकाशन,दिल्ली,1985, पृ .37
3. उतरती हुई धूप :- गोविन्द मिश्र : राजपाल एंड संज,दिल्ली,2003,पृ .20
4. उतरती हुई धूप :- गोविन्द मिश्र : राजपाल एंड संज,दिल्ली,2003,पृ .34
5. हुजूर दरबार :- गोविन्द मिश्र : नेशनल पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली, 2011, पृ . 46
6. हुजूर दरबार :- गोविन्द मिश्र : नेशनल पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली, 2011, पृ . 71
7. हुजूर दरबार :- गोविन्द मिश्र : नेशनल पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली, 2011, पृ .79
8. हुजूर दरबार :- गोविन्द मिश्र : नेशनल पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली, 2011, पृ .70
9. हुजूर दरबार :- गोविन्द मिश्र : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2011, पृ . 70
10. पाँच आँगनों वाला घर :- गोविन्द मिश्र : राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली,2014,पृ .77
11. गोविन्द मिश्र चुनी हुई रचनाएँ (भाग 1) :- गोविन्द मिश्र : वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2003, पृ .275
12. नालंदा विशाल शब्द सागर :- संपादक : श्री नवलजी : आदर्श बुक डेपो,दिल्ली,1985, पृ . 1358
13. वह अपना चेहरा :- गोविन्द मिश्र :अक्षर प्रकाशन, दिल्ली,2019, पृ .13
14. गोविन्द मिश्र चुनी हुई रचनाएँ (भाग -1)- गोविन्द मिश्ररूवाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2003,पृ . 37
15. गोविन्द मिश्र चुनी हुई रचनाएँ (भाग -1) - गोविन्द मिश्र : वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2003, पृ .185
16. उतरती हुई धूप :- गोविन्द मिश्र : वाणी प्रकाशन, दिल्ली,2003,पृ . 16
17. गोविन्द मिश्र चुनी हुई रचनाएँ (भाग -1): - गोविन्द मिश्र :वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2003,पृ .96
18. गोविन्द मिश्र चुनी हुई रचनाएँ (भाग -1): - गोविन्द मिश्र :वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2003,पृ .48
19. लाल पीली जमीन (चुनी हुई रचनाएँ) भाग -1,गोविन्द मिश्र :वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2003, पृ .318
20. लाल पीली जमीन (चुनी हुई रचनाएँ) भाग -1, गोविन्द मिश्र :वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2003, पृ. 317
21. धूल पौधों पर :- गोविन्द मिश्र :वाणी प्रकाशन,2018,पृ .07
22. उतरती हुई धूप :- गोविन्द मिश्र :वाणी प्रकाशन, दिल्ली,2003,पृ . 22
23. धीर - समीरे :- गोविन्द मिश्र : राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019,पृ .20

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारत में दलित संघर्ष तथा तात्कालिक मुद्दे

डॉ. विनीता भालसे* डॉ. गिरधारीलाल भालसे**

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, थांदला (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सदियों से शोषित पीड़ित, दलित एक गंभीर एक संवेदनशील विषय है जो भारतीय समाज की मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देता है। भारत में दलित विकास के लिये स्वतंत्रता से पहले प्रयास आरंभ हो गया था। तथा स्वतंत्रता के पश्चात् इन प्रयासों में काफी तेजी आयी। केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी दलितों के उत्थान हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए लेकिन उनकी स्थिति में स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं संविधान की मूल भावना समतामूलक समाज की स्थापना हो रही है?इन कारणों को जानने के लिये भारत के ऐतिहासिक स्वरूप को जानना आवश्यक है। धर्मशास्त्रों का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक **डॉ. पी.वी.काणे** ने कृष्ण वर्ग के दासों या दलित दस्युओं के विषय में ऋग्वेद से अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मनुस्मृति (भाग-413) की माने तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर ने शूद्रों 'दास्य' भाव से ब्राम्हण सेवा के लिये पैदा किया है। वर्ण व्यवस्था और उनके परिणामस्वरूप छुआछूत प्रथा भारतीय समाज की वास्तविकता है जिसकी जटिलता आसानी से समझ में नहीं आती है। वर्ण व्यवस्था की जड़ें अतीत के अंधकार में कहीं छुपी है हिन्दु समाज की अधिकतम मान्यताएं भी दलितों के विरोध में दिखाई देती है। भारतीय समाज में आज भी कई कहावतें मुहावरे हैं जो दलितों के प्रति घृणा और अपमान का भाव पैदा करते हैं। हिन्दू व्यवस्था की मानवीयता का परिणाम इतना भयानक है कि आज भी भारतीय समाज हजारों जातियों में बंटा हुआ है। खंड-खंड में बंटे राष्ट्र का बोध करवाते हैं। डॉ. अंबेडकर के अनुसार-'भारतीय गांव हिन्दू व्यवस्था के कारखाने हैं उनमें ब्राम्हणवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद की साक्षात् अवस्था देखी जा सकती है। उनमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिये कोई स्थान नहीं है। भारतीय समाज की असहिष्णुता और संवेदनहीनता राष्ट्र विकास में बाधक है।'

दलित शब्द का अर्थ एवं उत्पुत्ति– दलित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दल धातु से हुई है। इसके संदर्भ में शब्द कोषों में अनेक अर्थ दिये हैं। दल (अक) विकसना, फटना, खंडित होना । डॉ. रामचंद्र वर्मा के अनुसार दलित विनिष्ट किया गया, दलित वि(स) स्त्री दलिता मसला हुआ मर्दित दबाया रौंधा या कुचला हुआ। डॉ. कुसुम लता मेघवाल के अनुसार दलित वर्ग का सामाजिक संवर्ग में अर्थ होगा वह जाति समुदाय जो अन्याय पूर्वक सवर्णो या उच्च जातियों द्धारा दमित किया गया रौंदा गया हो। दलित शब्द व्यापक रूप में पीड़ित के अर्थ में आता है। डॉ. श्योराज बैचेन दलित शब्द की व्याख्या करते हुए- 'दलित वह है जिसे भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है' इसी प्रकार बंल भारती का मनाना है कि दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया है जिसे कठोर व गंदे कार्य करने के लिये बाध्य किया गया हो।

दलित शब्द की तमाम परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि यह सिर्फ किसी विशेष जाति या उपजाति से संबंध न होकर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु अम्बेडकरवादी तथा अन्य परिवर्तनकारी विचारधारात्मक वर्गों के संघर्ष का प्रतीक है।

दलित चेतना का उदय एवं विकास– दलित चेतना का जन्म उत्पीड़न से हुआ है जो प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल तक इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। गौर किया जाए तो दलित चेतना में दलित विमर्श के दर्शन होते रहे हैं। अगर हम भारतीय समाज संस्कृति पर काबिज ब्राम्हण वर्ग के हासिए पर रहे दलित और स्त्री के संबंध में बात करें तो दोनों ही वर्ग समाज के इतिहास में मौजूद रहे हैं। लेकिन दोनों की समाज में स्थिति क्या है? क्या इन्हें स्वतंत्रतापूर्वक आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है तो जबाब में नहीं ही आएगा।

दलित चेतना का दार्शनिक और वैचारिक आधार का स्रोत गौतम बुद्ध ही रहे हैं। बुद्ध भारतीय इतिहास के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के औचित्य को चुनौती दी और उसे अन्याय पूर्ण ठहराया। श्रावस्ती प्रवास के दौरान सुनील नामक भंगी को अपने संघ में शामिल करके दलितोद्धारक का मार्ग प्रशस्त किया। मध्यकाल एवं भक्तिकाल में रैदास, कबीरदास, नंदनार ने अपने दौहों, चौपाईयों के माध्यम से समाज में वर्चस्ववादियों के खिलाफ दलित चेतना का प्रसार किया। बाद के काल में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले एवं अन्य परिवर्तनकारी स्थितियों से भी दलित चेतना का स्वरूप बना है। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई के साथ पहली बार सन 1848 ई. में महिलाओं के लिये तथा सन 1851 में अछूतों के लिये स्कूल खोले वहीं साहूजी महाराज का भी दलितोद्धार में अविस्मरणीय योगदान रहा।

उन्होंने अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद नागपुर में दिनांक 30 से 01 जून 1920 तक त्रि-दिवसीय अधिवेशन में साहूजी महाराज ने अध्यक्षता करके परिषद के स्थायी फंड से रूपये 5000/- दिये जो उस समय की मोटी रकम थी।

आधुनिक काल में मार्क्स ने पूरी दुनिया के सामने एक मानवीय समाज बनाने की प्रक्रिया को शुरू करके आम आदमी की सत्ता को प्रतिष्ठित किया गया था। उसने उच्च वर्गों को ढहा दिया एवं बेहतर समाज बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की गोली कहा था जो सामाजिक

विकास में बाधा है। उसी धर्म को डॉ. अम्बेडकर ने भी दलित समाज के लिये दमनकारी माना। उन्होंने न केवल दमनकारी बल्कि हिन्दू एवं ब्राम्हण धर्म को भारत के लिये अप्रांसगिक सिद्ध किया। उन्होंने मूक नायक पत्रिका एवं बहिष्कृत भारत अखबार जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया वर्तमान में भारत की लगभग सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में अंबेडकरवादी विचारधारा को केन्द्र में रखकर दलित चेतना साहित्यिक रूप सामने आ रहा है। कई लेखन कवि चिंतक अपनी कविताएं कहानियां शोध के माध्यम से दलित चेतना को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे।

दलित आंदोलनों में शोषण एवं उत्पीड़न– डॉ. अंबेडकर दलित आंदोलनों के प्रेरक और प्रवर्तक है। दलितों का पहला आंदोलन सन 1927 महाड़ ग्राम के चावदार तालाब से अछूतों को पानी भरने को अधिकार दिलाने के लिये प्रारंभ किया। अछूतो को सामाजिक न्याय दिलाने का यह प्रथम संघर्ष था लेकिन उन अछूतों पर जो सम्मेलन में उपस्थित हुये थे और जिन्होंने तालाब की ओर प्रयाण में भाग लिया था। किये गये आक्रमण का विवरण बाम्बे क्रॉनिकल में निम्नलिखित शब्दों में दिया गया है– जुलुस अत्यंत शांतिपूर्ण था। सब कुछ शांति से संपन्न हो गया किन्तु लगभग 2 घंटे बाद नगर के कुछ दुष्ट नेताओं ने यह अफवाह उड़ा दी कि दलित वर्ग के लोग विरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहे है। यह सुनकर कुली कबाड़ियों की एक बड़ी भीड़ लाठियों से लैस होकर एकत्र हो गई यह भीड़ शीघ्र ही आक्रामक हो गई। और संपूर्ण नगर तत्काल दंगाईयों की भीड़ से भर गया। जो दलित वर्ग के खून से प्यासे दिखाई दे रहे थे। आंदोलनकारी जब अपने गांव जाने से पहले भोजन करने में व्यस्त थे। तब दंगाई रसोई में घुस गये दोनों वर्गों में व्यवस्थित लड़ाई शुरू हो गई होती परंतु दलित वर्ग के नेताओं ने उन्हें रोक लिया। इस प्रकार एक भयानक दंगा होते-होते टल गया। लेकिन दंगाई उत्तेजना के लिये कोई अवसर न पाकर मुख्य मार्गों पर गस्त लगाने लगे जो आंदोलनकारी अपने गांव जा रहे थे उन्हें मारने पीटने लगे। इस सब में उच्च वर्गों के लोगों का रवैया जितना घटिया था उतना दलित वर्ग प्रशंसनीय था।

दूसरा आंदोलन–सन 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेशों को लेकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह प्रारंभ किया। ताकि उच्च वर्गीय कहे जाने वाले लोगों में समानता की भावना जागृत हो। लेकिन इस सत्याग्रह के परिणामस्वरूप अछूतों पर आक्रमण भी गंभीर था। इन आंदोलन में 15 हजार दलित शामिल हुये थे। 03 मार्च 1930 को सत्याग्रहियों ने 04 टुकड़ियां तैयार कर मंदिर के चारों दरवाजों के पास तैनात हो गये। पुलिस और मंदिर के पुजारी तो सत्याग्रह करने वालों से मांग पर पुरजोर विरोध किया और मंदिर के सभी दरबाजे बंद कर दिये गये। पूरे मंदिर को कड़ी सुरक्षा के घेरे में पुलिस ने रखा हुआ था। जिससे कोई अछूत नहीं घुस सके। सत्याग्रहियों पर सवर्णो ने हमला शुरू कर दिया। इस दौरान डॉ. अंबेडकर भी जख्मी हो गये। भारी संख्या के बाद भी अछूतों ने पलटवार हमला नहीं किया क्योंकि इस सत्याग्रह में दलितों ने अंबेडकर के दिये अहिंसापूर्वक सत्याग्रह के आदेश को आखिरतक माना है।

तीसरा आंदोलन– मुंबई सरकारी स्कूलों में अछूतों के बालकों के प्रवेश की अपेक्षा करते हुये आदेश जारी किये गये थे। 08 अगस्त 1935 के कविठा गांव अछूत गांव के स्कूल में प्रवेश के लिये अपने चार बालकों को लेकर गये। गांव के अनेक सवर्ण हिन्दू यह देखने के लिये एकत्र हो गये थे। प्रवेश का अवसर शांतिपूर्वक निकल गया। और कुछ अप्रिय घटित नहीं हुआ। दूसरे दिन गांव के सवर्णो ने अपने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया। क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे अछूत बच्चों के साथ बैठे और प्रदूषित हो। लेकिन कुछ समय पश्चात एक अछूत पर ब्राम्हण द्वारा हमला किया गया। 12 अगस्त को गांव के अछूतों का पुरूष वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने आया। यह जानकर की अछूतों के बालिग सदस्य अनुपस्थित थे। गांव के हिन्दुओं ने अछूतों के घर हमला कर दिया। वे लाठियों तथा तलवारों से लैस थे। हमलावरों में सवर्ण महिला भी थी। उन्होंने अछूतों के वृद्ध पुरूषों व महिलाओं पर हमला कर उनके दरवाजे तोड़ डाले जो लोग न्यायालय गये उनके रास्ते रोके गये। ताकि उनकी पिटाई की जा सके। लेकिन एक वृद्ध अछूत महिला ने दूसरे रास्तों से चोरी छुपके जाकर बताया कि अभी गांव जाना ठीक नहीं है इस प्रकार वे बच गये।

चौथा आंदोलन– 20 अगस्त 1932 के दिन विशेष महत्व का था क्योंकि इस दिन तत्कालीन भारत सचिव रेमजे मैकडोनाल्ड ने प्रथम बार दलितों के लिये पृथक निर्वाचन के अधिकार की घोषणा की थी। इस घोषणा द्वारा दलितों को अल्पसंख्यक मान लिया गया और यही से उनका राजनीतिक अस्तित्व प्रारम्भ हुआ। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के निरंतर प्रयासों से दलितों को भारत की राजनीति गतिविधियों में भागीदारी का अवसर समाज में फूट डालने की कुटिल चाल मानते हुए इसके विरोध में यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप पूना पैक्ट समझौते के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तो के साथ संयुक्त निर्वाचन के लिए सहमति दे दी, तथापि इससे संदेह नहीं कि दलित आंदोलन में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसे सवर्णो को हासिल नहीं होने दिया।

गांधी के बारे में ओमप्रकाश वाल्मिकी लिखते हैं कि 'अम्बेडकर को पढ़ लेने के बाद यह बात समझ में आ गयी थी कि गांधी ने हरिजन नाम देकर अछूतों को राष्ट्रीय धारा में नहीं जोड़ा बल्कि हिन्दुओं को अल्पसंख्यक होने से बचाया उनके हितों की रक्षा की।'

इस प्रकार जितने भी आंदोलन हुए उनमें मनुवादी विचारधाराओं के लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया अपना आक्रोश जाहिर किया।

समसामयिक मुद्दे– जब एक राष्ट्र कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है तो वह सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी न्याय की स्थापना के लिए जो जातियां, वर्ग सक्षम है उन्हें तो सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है परंतु जो जातियां सदियों से उपेक्षित शोषित व पीड़ित है, उन्हें संविधान द्वारा जो विशेष सुविधाएं प्राप्त होती है वह आरक्षण कहलाती है। भारत में आरक्षण ब्रिटिश सरकार के समय से 1850 के एक्ट में लागू किया। तदुपरांत सन 1902 में शाहुजी महाराज द्वारा अस्पृश्य वर्गो के लिए आरम्भ किया गया, बाद में सन 1925 कराची अधिवेशन सन 1928 के नेहरू रिपोर्ट 1935 के एक्ट तथा सन 1950 के संविधान में दलित वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण को धरातल पर पहुंचाने के लिये कई अनुबंध, कमीशन व कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। कई चुनौतियां भी दी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आरक्षण प्राप्त हुआ जिसका लाभ प्रत्येक जाति व समाज लेना चाहता है, चाहे एक वह अगड़ी जाति हो या पिछड़ी हो आरक्षण एक राजनैतिक हथकंडा बन चुका है, जो राष्ट्र के लिए घातक है। सही मायने में आरक्षण, पदोन्नति में रोस्टर का लाभ उन्हें मिलना चाहिए जो आज भी हासिये पर है। अस्पृश्यता से कलंकित है, और आज के समय में भी समाज में इज्जत पाने के लिये संघर्ष कर रहें है। चाहे दलित हो, महिलाएं हो या दिव्यांग हो इन उपेक्षित वर्गो को जब वास्तविक आरक्षण प्राप्त होगा तभी सामाजिक न्याय की स्थापना होगी।

मीडिया सर्वदा पक्षपात रहित समझा जाता है, परंतु वर्तमान समय में भारत में मीडिया कई प्रकार के पूर्वागृही से ग्रसित है, लोकतंत्र के पहले दो स्तम्भ विधायिका तथा कार्यपालिका में तो दलितों की उपस्थिति है, परंतु चौथे स्तम्भ प्रेस मीडिया पर अभी भी कथित सवर्णों का एकाधिकार है। न्यायपालिका की भी कमोवेश यही स्थिति है। देश के शीर्षस्थ पत्रकारों से लेकर छोटे पत्रकार तक के मान-मूल्यों को ताक पर रखकर जातीय आधार पर पक्षपात किया जाता है।

दलित जनप्रतिनिधियों की उदासीनता- पूना पैक्ट करने की विवशता से संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था ने दलितों को सवर्ण का गुलाम बना दिया। इस व्यवस्था से आरक्षित सीटों पर जो दलित विधायक एवं सांसद चुने जाते हैं, वे वास्तव में दलितों द्वारा न चुने जाकर विभिन्न दलों एवं सवर्णों द्वारा चुने जाते हैं जिन्हें उनका गुलाम बंधुआ बनकर रहना पड़ता है। सभी राजनीतिक दल गुलाम मानसिकता को ऐसे प्रतिनिधियों पर कड़ा नियंत्रण रखती है और पार्टी लाइन के विरूद्ध किसी भी दलित मुद्दे को उठाने या बोलने की इजाजत नहीं देती यही कारण है लोकसभा में विभिन्न पार्टियों दलित प्रतिनिधि होते हुए भी दलित मुद्दों पर आवाज नहीं उठती है। ये सिर्फ पार्टी, एजेंडे के लिए काम करते हैं।

दलित एकता का अभाव- डॉ. अम्बेडकर का नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो चरितार्थ तो हो रहा है फिर भी कुछ कमियां है, जैसे शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है और संघर्ष भी जारी है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि एक मजबूत संगठन एवं एकता का अभाव है इसका कारण दलित समाज इस तरह से बंटा हुआ है। पहला वर्ग अशिक्षित लोगों का है जो उत्पीड़न अस्पृश्यता सह रहा है, ये लोग पूर्वागृही व भाग्यवादी है, इनमें चेतना का अभाव है। दूसरा वर्ग अधिकारी व कर्मचारियों का है जो अनुमानित 15 फीसदी लोग समाज सुधार के कार्यों में भाग लेते हैं इनके अलावा 15 फीसदी के अतिरिक्त जो है वे लोग व्यक्तिगत जीवन, संपत्ति संग्रहण एवं विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं ये उच्च वर्ग की नकल कर अपनी मूल जाति, समाज, संस्कृति से ही घृणा करता है। इनकी अपने दलित समाज में भूमिका नगण्य है।

सुझाव:

1. भारतीय हिन्दु समाज की मानसिकता में परिवर्तन जब आयेगा जब यह जातीय विसंगतियां दूर होगी क्योंकि राजनीतिक जनतंत्र को सामाजिक जनतंत्र बनाना होगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे जीवन मूल्यों की प्राप्ति हो पायेगी।
2. आरक्षण, पदोन्नति की आवश्यकता आज केवल दलितों स्त्रियों एवं दिव्यांगों को है।
3. दलित जनप्रतिनिधि जब संविधान की शपथ लेते हैं तो उन्हें संविधान के अनुरूप ही कर्त्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।
4. दलित वर्ग की पूर्ण संगठित एकता आवश्यक है।
5. मीडिया की निष्पक्षता होना आवश्यक है।

निष्कर्ष- राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 की अपेक्षा 2021 में दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ा है। कभी दलितों के घर जलाये जाते हैं कभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को जातीय भेद के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। कभी घोड़ी बैठने नहीं दिया जाता है, कभी मंदिरों में घूसने पर पिटाई होती है। कभी छोटे मासूम बच्चे को भूल से मटके से पानी पीने पर जान से मार दिया जाता है। दलितों पर घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं हांलाकि कुछ सुधार भी हुए हैं, दलित समाज की अंधेरी बंद कोठरियों में रोशनी की कुछ किरणें पहुंची है जिसमें सोशल मीडिया, अजाक्स, भीम आर्मी जैसे सामाजिक संगठनों द्वारा सामाजिक कार्य किया जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. तिवारी, संदीप, 'दलित सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक विश्लेषण', पब्लिकेशन सृष्टि बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली, संस्करण-2015, पृष्ठ क्र. 6-17 व 37
2. सांपला, बी. आर.; पूना पैक्ट पब्लिकेशन्स सम्यक प्रकाशन 32/3 पश्चिमपुरी नई दिल्ली-110063 पृष्ठ क्र.-13
3. अम्बेडकर, भीमराव ; स्वराज की दिशा, म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल अनुवादक प्रोफेसर माधव जाउलकर 2021 पृष्ठ क्र.-05 व 55
4. अम्बेडकर, भीमराव, अस्पृश्यता, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल बी. आर. अम्बेडकर अनुवादक एन.एल. खण्डेलवाल, 2021 पृष्ठ .क्र. 103-109 तक
5. बैरया, मोहनसिंह; समकालीन परिदृश्य दलित साहित्य की अभिव्यक्ति, शोध-प्रबंध कोटा विश्वविद्यालय, सन 2019

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Role of Plants on Mankind Special Reference to Health Issues

Dr. Dinisha Malviya*

***Assistant Professor (Botany) Govt. P.G. College, Sehore (M.P.) INDIA**

Abstract - The down of civilization plants and men are closely associated with each other, since the time immemorial. In this blue planet(Earth) we can't imagine our life without plants. plants play a vital role in human life specially in health care. This present paper deal role of plants on human health.
Key words- Plant., Human, diseases.

Introduction - Plants & mankind relationship is immemorial, It is seen at every level like ecological, biological, social, cultural and economical level .Three basic needs of mankind is ***Roti kapra*** Aur Makan (bread, cloth and shelter) for the fulfillment of our basic needs and others we depends on the plants.There is no single aspect of human life, where the plants don't play a direct are indirect role, even today plants are being utilised by our society in three most important Phases of human life ,janam paran and Maran (birth marriage and death)tThis fact itself Prove the utility of plants in our life.Plants provide economical environment and health benefits that sustain life on earth .plants are the main source of medicine in developing countries. Medicinal plants are regarded as rich sources of traditional medicine. Some plants have been found to possese significance antibacterial, antifungal anti-directic , inflammatory Anti Diabetic, and anti-cancer properties medicinal plant have been used in Healthcare since immemorial time, plants play a vital role to cure of various human diseases.

Discussion: Herbal medicine is widely practiced from ancient period throughout the world.These medicines are safe and environmental friendly .According to WHO about 80% of the worlds populations relies on traditional medicine for their Primary Health Care India being one of the world 12th mega bio diversity country. About 90% of the herbs and medicinal plant in India are collected from the forest. India is also the land of Ayurveda is recognised the world over as a rich source of medicine and aromatic plants .Medicinal plants have provided mankind the large variety of potent drugs to eradicate infection and suffering from disease.The use of plant based drug all over world is increasing the importance of plant in traditional medicine and as a raw material in pharmaceutical industries. Therefore be over emphasized herbal uses to treat of several diseases is almost universal among non industrial societies some important hebal plants, which are useful to cure various diseases given below with their medicinal properties .

1. Tulsi

Botanical name:-(***Ocimum sanctum Linn.)***

Family:- Lamiaceae

It is an annual herb.

Medicinal uses:- cough cold bronchitis Malaria fever.

Status :least concern

2. Indranav

Botanical name:-(*Wrightia arborea Linn.)*

Family:- Apocynaceae

it is a deciduous plant

medicinal use:- bark is useful in Snake bite.

Status:- vulnerable

3. Jamalbatti

(Botanical name:- *Bridelia retusa (Linn).*

Family:-Euphorbiaceae

it is a tall deciduous tree

medicinal uses:- bark of this plant is useful in diabetes.

Status:-least concern

4. Khamer

Botanical name:-*(Gmelina arborea(Roxb).*

Family:- Verbenaceae

it is a 10 to 15 M tall tree. medicinal uses:-bark, leaves , seeds and fruits are useful in heart disease inflammatory rheumatism

Status:-near threatened

5. Gorakh imali

Botanical name:-(Adensonia digitata(Linn.)

Family:-Bombanaceae

it is a tall tree

Medicinal uses:- useful parts of fruit it is useful for fever vomiting diarrhoea.

Status:- vulnerable

6 kalmegh

Botanical name:- andrographis paniculata(*Burm*.f..)

family :- Acanthaceae

it is a annual herb

Medicinal uses:-diabetes tuberculosis liver disease

Status: vulnerable

7. Jungali pyaj

Botanical name:- *Urginia Indica*

Family:- Liliaceae

It's tuberous annual herb

Medicinal uses :-heart disease scorpion bite

Status:- near threatened

8. saja

Botanical name:-*Terminalia alata* (Roth)

Family:-Combretaceae

Perinial Tall tree

Medicinal uses:-stomach ache

Status:-Near threatened

9. Harrah

Botanical name:-Teminalia chebula (Retz.)

Family:-Combretaceae

Tall tree

Medicinal uses:-wound healing gynecological problem

Status :-vulnerable

10. kanghni

Botanical name:-*Abutilon indicum(Linn)*

Family:-Malvaceae

11. Shrub

Medicinal uses:-Piles, bronchitis

Status:-Near threatened

Conclusion : Plants have many properties for fulfillment of human needs plants are used worldwide for drugs formation therefore due to over exploitation plant species are being threatened therefore for fulfillment of our needs and cure to various diseases .we should use the plant for sustainable manner because in present scenario many countries are facing large increasing the number of diseases like blood pressure diabetes remedies cancer etc.So it is very needful to conserve plants species for our future needs and future generation by human society.

References:-

1. Garg A.K.,Faheem M.and Singh S. (2009.) Role of medicinal plants in human health disease.GargA.K., Mohammed F. Singh S. Asian journal of plant science and research.
2. Singh R.and A.K .Agrawal(2005) Medicinal plant of district Gurgaon. *Flora and fauna*
3. Mishra R.C. Mishra A. Mishra B.K. and A. Dixit .(2006)Biodiversity of medicinal plants along the bank of river Ganga's . *Advance in medicinal plant*
4. Malviya D. (2009):- Ethano Botanical studies of Udaipura Tehsil of Raisen district of M.P. with special reference to wound healing plants. *Thesis B. U.Bhopal*
5. DubeyP.C.,Sikarwar R.L.S.;Khanna K.K., Saxena R.N.,& Tiwari A.P.(2008):-vindhya ki aushdhiy avam durlabh vanaspatiya;*van vibhag anusandhan avam vistar Britt Rewa*.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Significance on Physicochemical Properties of Soil for Soil Quality Assessment

Harish Raghunath Khairanar* Dr. Pramod Pandit Dr.Dhananjay Dwivedi*****

***Research Scholar, Devi Ahilya Vishwa Vidyalaya, Indore (M.P.) INDIA**
**** Principal, Government New Model College, Barwani, Indore (M.P.) INDIA**
***** Professor (Chemistry) P.M.B.Gujarati Science College, Nasiya Road, Indore (M.P.) INDIA**

Abstract - Without knowing the condition of the soil,we are using chemical fertilizers.Do you know this is deteriorating the soil quality and degrading the land.Until and unless the soil quality is good, how can we expect better crop production.Therefore the studies on physicochemical properties of soil is very important because both physical and chemical properties affect the soil quality and it's productivity.This physico-chemical study of soil is based on various parameters like pH, CEC, Electrical Conductivity, Texture, Moisture,Structure,Porosity, Permeability, Water Holding Capacity, Soil Organic matter, sodium, available Nitrogen, Phosphorus and Potassium.The study of physicochemical properties of soil is important for soil management and proper plant growth. There is great need to investigate the physicochemical properties of soils for agricultural and environmental purposes. Nitrogen,Phosphorus and Potassium ratio is an important indicator in crop production.The food productivity and environmental quality is dependent on the physicochemical properties of soil,so it is very important to know the basic knowledge about the physico-chemical properties of soil.
Keywords- Chemical fertilizer, Soil quality, Physicochemicalproperties of soil, Balance fertilization.

Introduction - Soil chemistry is the branch of soil science that deals with the chemical composition,chemical properties,and chemical reactions of soil.(9)Soil is the layer(s) of generally loose mineral and/or organic material that are affected by physical,chemical, and/or biological processes at or near the planetary surface and usually hold liquids,gases,and biota and support plants.(30)Soil differs from the parent material in the morphological, physical, chemical and biological properties.Thus some soils are red, some are black; some are deep and some are shallow; some are coarse-textured and some are fine-textured. They serve in varying degree as a reservoir of nutrients and water for crops, provide mechanical anchorage and favorable tilth.All plants require major and micro nutrients to be freely available in soil and ready to be absorbed by them.The nitrogen plays an important role in carbohydrate utilization. Phosphorous in energy transformation and potassium in enzymes activation, osmotic regulation and protein synthesis.(25)Nitrogen, Phosphorus and Potassium ratio is an important indicator in crop production that identifies balanced and unbalanced fertilization. Hence, balanced fertilizer application are important for high crop yield.(20)Good quality of soil not only support the growth of plant but it also prevent the air and water pollution by resisting the soil erosion and by degrading and immobilizing the agricultural chemicals and other potential waste.(24)That's why soil quality assessment is important for agro sustainable development and environment protection purposes. A study of soil profile supplemented by Physicochemical and biological properties of the soil will give full picture of soil quality,soil fertility and productivity.

Soil is a dynamic medium: Soil as a medium of unconsolidated nutrients and materials, forms a top thin layer of earth's crust that is biologically active and provide a medium for plant growth.(16) Soil is a valuable natural resource which is composed of various minerals, organic matters, air, water, mass of micro and macro organisms and broken rocks which have been altered by environmental reactions.(11) It is a key component of the Earth System since it controls the hydrological, ecological, biological, and geochemical cycles.(22)Understanding of soil chemical reaction and processes is essential for developing innovative resource management strategies and understanding and regulating the behavior of the terrestrial ecosystem at regional and global scale.(26)

The modern concept of the Soil Quality: The modern concept of the soil quality is its ability to support ecosystem functions, to sustain biological productivity, to maintain environmental quality, and to promote plant, animal, and human health.(36)So soil testing is one of the good diagnostic tools to evaluate soil quality. Organic matter content and physiochemical parameter determine the soil quality which

ultimately affected by changes in soil condition.[10] For the soil quality investigation a combination of chemical, physical and biological properties and indicator values can be combined with the quantifiable soil quality index (SQI).[2]

Degradation of agricultural soil: It has been observed that where soil is lost, civilization goes with it. Today, soil is as essential for the production of food, shelter, fiber and fuel.Soil fertility is an important factor, which determine the growth of plant. It is depends on the concentration of N,P,K organic and inorganic materials, micronutrients and water. In general soil chemical fertility and in particular lack of nutrient inputs is a major factor in soil degradation.[15]Soil pollution is one of the major problems that threatens plant and people's lives, like seepage from landfills or solid waste, discharge of industrial waste into the soil, percolation of contaminated water into the soil, rupture of underground storage tanks or excess application of pesticides or fertilizers.[27]The change in physico chemical properties of soil leads to infertile or barren soil that does not support normal growth of vegetation for years.[19]Pollution may eventually result in a negative influence on plants, animals and humans through the food chain.[21]

Role ofPhysicochemical properties in Soil Quality:

***pH*:** The pH value of soil is a measure of soil acidity or alkalinity, soil pH directly affects nutrients availability. pH is an important parameter as it help in ensuring availability of plants nutrients eg. Fe, Mn, Zn and Cu are more available in acidic than alkaline soils.[8] It is also an indicator of plant and other living organism, available nutrients, cation exchange capacity and organic matter content.[13]

Texture: Soil having different textural groups, on basis of the proportion of different sized particles.Soil texture directly influences soil-water relation, aeration and root penetration. Soil texture also affects the nutrient supply of the soil.[14] Clay contains high organic matter. It can resist water and wind erosion of the soil better. Clay content has high cation exchange capacity and pH buffering capacity.[23]

Moisture: Moisture is a most important physical property of soil.The absorption of nutrients is depends on the moisture of the soil.The soil moisture commonly depends on void ratio, particle size, clay minerals, organic matter and ground water condition.[35] Decomposition of organic matter is mainly depending on the soil moisture.

Soil Structure: Soil Structure is defined as the arrangement of the soil particles.with regard to structure, particles refer not only to sand,silt and clay but also to the aggregate or structural elements, which have been formed by the aggregation of smaller mechanical fraction. Soil structure influences the extent of pore space in the soil, water holding capacity, aeration,root movement and the nutrient availability.

SoilTemperature: Temperature of the soil is an important property because it influences the chemical, physical and biological processes associated with plant growth.Arise in temperature of soil accelerates chemical reaction, reduces solubility of gases and decrease pH of soil.[28]

Soil Color: Soil color does not affect the behavior and use of soil; however, it can indicate the composition of the soil and give clues to the conditions that the soil is subjected to. Soil can exhibit a wide range of colour; grey, black, white, reds, browns, yellows and greens.Soil color is produced by the minerals present and by the organic matter content.Yellow or red soil indicates the presence of oxidized ferriciron oxides.[6]

Soil Permeability: Property of the soil which permits the water or any liquid to flow through it through its voids is called permeability. It is important because it affects the supply of root- zone air, moisture and nutrients available for plants uptake.[18]Soil aeration maintains oxygen levels in the plants' root zone, needed for microbial and root respiration, and important to plantgrowth.[12]

Soil Water Holding Capacity(SWHC): Veihmeyer and Hendrickson (1931) defined the field capacity or the water holding capacity as the amount of water held in the soil after the excess gravitational water has drained away and after the rate of downward movement of water has materially ceased.[32] Much of the retained water is very important for plant growth and other organisms,also contributing to land productivity and soil health.The management decision of what crop to grow, plant population, when to irrigate, how much to irrigate, when and how much nitrogen should be apply depends on water holding capacity of soil.

Cation-Exchange Capacity (CEC): Itis a measure of how many cations can be retained on soil particle surfaces.[7] Negative charges on the surfaces of soil particles bind positively-charged atoms or molecules (cations), but allow these to exchange with other positively charged particles in the surrounding soil water.[4] It is used as a measure of soil fertility, as it indicates the capacity of the soil to retain several nutrients (e.g. K^+, NH_4^+, Ca^{2+}) in plant-available form. It also indicates the capacity to retain pollutant cations (e.g. Pb^{2+}).

Electrical Conductivity(EC): Electrical conductivity is a measure of ions present in a soil solution. It is a measurement that correlate with soil properties that affect soil texture, cation exchange capacity, drainage condition, organic matter level, salinity and subsoil characteristics.[31] Electrical conductivity is used to estimate the soluble salt concentration in soil and is commonly used as a measure of salinity.[33]

Nitrogen(N): It is the most important major nutrient required by plant for proper growth and development and it is a part of all living cells, it is a necessary part of all proteins, enzymes and metabolic processes involved in the synthesis and transfer of energy.[29]

Phosphorus(P): Phosphorus is one of the key macronutrient required for plant growth and metabolism. The most of the activity of plant such as growth, respiration and reproduction depends upon phosphorus levels of the soil in which plant grows.[33]

Potassium(K): Potassium is found in its mineral form and

affect plants division, carbohydrate formation, translocation of sugar, various enzyme action and resistance to certain plant disease.[17] Soil that have adequate potassium allow plants to develop rapidly and outgrow plant disease, insect damage and protect against winter freeze damage.[31]

SoilOrganicMatter(SOM): Soil organic matter supplies essential nutrients and has unexcelled capacity to hold water and absorb cations.[1] It also function as a source of food for soil microbes and thereby helps enhance and control their activity.[5]The management practices that improve soil organic carbon content through plant and animal residue, such as farmyard manure, crop residue mulching and reduced tillage, could increase the diversity soil organisms while improving the fertility status and production of the land.[3]

Conclusion: To obtain high yield many farmers are using artificial and inorganic fertilizers. The nutrients from these fertilizers are not taken up directly by the plants and hence they may remain in the soil for several years, due to this the soil quality will be changed.Due to excess use of chemicals soil quality decreases.Small crop also affected due to large use of fertilizers and pesticides.So it becomes essential to analysis of soil parameter.The intensive agriculture has a number of disadvantages in the long run.Thus it needs a new approach in sustainable agriculture through the application of biofertilizers and biopesticides.The concept of balanced nutrition of crops is possible only if one knows the available nutrient status of his soil.At present, the majority of our land resources are degraded. Therefore, it is important to maintain the soil health for food security and increasing agricultural production. Maintenance or enhancement of soil quality is a more important criterion for analysis and sustainability of soil ecosystems .Nevertheless, the undertaking of establishing a specific criterion for land quality is challenging because functions and subsequent values provided by soil ecosystems are variable and rely on the interplay of soil physicochemical, and biological properties and cognitive operations which often differ significantly across spatial and temporal scales. The selection of a standard set of specific soil properties as indicators of soil quality can be complex and may vary among soil systems. Although Soil chemical and physical properties can be used as indicators of soil quality assessment.

References:-

1. Amos-Tautua,Bamidele MW,Onigbinde AO and ERE D.Assessment of some heavy metals and physico-chemical properties in surface soils of municipal open waste dumpsite in Yenagoa, Nigeria; Of Env.Sci.and Tech;8(1). 2014. p.41- 47.
2. AparicioV. and J.L.Costa.Soil quality indicators under continuous cropping systems in the Argentinean pampas; Soil and Tillage Research;96. 2007.p.155-165.
3. Begum F,Bajracharya RM,Sitaula BK,Sharma S.Seasonal dynamics, slope aspect and land use effects on soil mesofauna density in the mid-hills of Nepal;International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services &Management.9; 2013.p.1-8.DOI: 10.1080/21513732.2013.788565.
4. Birkeland, Peter W.Soils and geomorphology.3rd ed.Oxford;Oxford University Press;1999.
5. Brady NC.The Nature and Properties of Soils.11th ed.McMillan; New York;1996.p.621.
6. Brady, Nyle C. & Ray R.Weil.Elements of the Nature and Properties of Soils.PrenticeHall;2006.p.95.
7. Brady, Nyle C.,Weil, Ray R.The nature and properties of soils.14th ed.Upper Saddle River, USA;Pearson;2008.
8. Deshmukh K K.Studies On Chemical Characteristics And Classification Of Soils From sangamner Area, AhmadnagarDistrict, Maharastra;RasayanJ.Chem;5(1),2012.p.74-85.
9. Donald L.Sparks(1994).in Environmental Soil Chemistry.Second Edition.Evolution of soil chemistry;2003.
10. Doran, J.W., Perkin, T.B.,Defining and assessing soil quality. In Doran JW, et al. (Eds.), Defining Soil Quality for Sustainable Environment; Soil Science Society of America;Inc. Madison,321,Wisconsin;1994.
11. Edori,O.S. & Iyama,W.A. Assessment of physicochemical parameters of soil from selected Abattoirs in Port Harcourt, Rivers State, Nigeria;Journal of Environmental Analytical Chemistry, 4(2);2017.p.2380-2391.
12. Encyclopedia of Soil Science.
13. Foth,H.D.and Ellis, B.G.Soil fertility .2nd. ed. LC., USA; Lewis CRC Press;1997.p.290.
14. Gupta OP and Shukla RP.The composition and dynamics of associated plant communities of sal plantations;Trop. Ecol; 32(2). 1991. p.296-309.
15. Hartemink E.Land use change in the tropics and its effect on soil fertility.19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World 1-6 August 2010, Brisbane, Australia. Published on DVD;2010.
16. Irma, A.&Khan,T.I. Analysis if soil quality using physicochemical parameters with special emphasis on fluoride from selected sites of Sawai Madhopur Tehsil,Rajasthan; International Journal of Environmental Sciences and Natural Resources;2018.12, 01, 08.
17. Jain SA, Jagtap MS, Patel KP. Physico-Chemical Characterization of farmland Soil used in some villages of Lunawada Taluka, Dist:Mahisagar (Gujarat) India;in.J. of Sci.and Res.Publi., 4(3);2014.p.1-5.
18. Jeff Ball Former Soil Fertility and Crops Specialist Noble Research Institute, LLC.
19. Jha AK and Singh JS.Soil characteristics and vegetation development of an age series of mine spoil in a dry tropical environment. Vegetatio ,97;1991.p.63-76.
20. John MS, Mohammad Y,Ullahshah H,J.Bat.(2010). 42(3), 1909-1922.

21. Mtunzi FM,Dikio ED, Moja SJ.Evaluation of heavy metal Pollution on soil in Vaderbijlpark, South Africa;Int. J. Environ. Monitor. Anal. 3(2).2015.p.44-49.
22. P.Smith, M. F. Cotrufo, C. Rumple et al.Biogeochemical cycles and biodiversity as key drivers of ecosystem services provided by soils. Soil, vol. 1, no. 2.2015.p.665-685.
23. Patnaik L, Raut D, Behera L, Nayak A, Misha S, Swain S.Physico-Chemical and Heavy Metal Characterization of Soil from Industrial belt of Cuttack,Orissa;Asian J. Exp.Biol.Sci.4(2) ; 2013.p.219-225.
24. Reganold JS.Soil quality and profitability of biodynamic and conventional farming systems: Areview. Organic Farming & Biodynamic Agriculture Training resource book.10;1995.p.64-75.
25. Samuel, L.T., N.L. Werneer and B.D. James.Soil Fertility and Fertilizers 4th Edition; Macmillion Published Co. Inc. USA;1985.p.61-70.
26. Schnitzer M. Binding of humic substances by soil colloids. In: Huang P.M., M. Schnitzer (Eds.),Interactions of soil minerals with natural organics and microbes; 1986. p.77E 1. Special Publication No.17, Soil Science Society of America, Madison, WI.
27. SeifiRM, Alimardani R,Sharifi A. How can soil electrical conductivity measurements control soil pollution? ;Res. J. Environ. Earth Sci. 2(4);2010.p.235-238.
28. Shirbhate N and Malode SS. Municipal Solid Waste Management: A Survey And Physicochemical Analysis Of Contaminated Soil From Sukali Compost And Landfill Depot, Batkuli Road, Amravati. G.J.B.B.,1 (2) ; 2012.p.215-219.
29. Singh DP and Rathore MS, Available nutrient status and their relationship with soil properties of Aravalli mountain ranges and Malwa Plateau of Pratapgarh, Rajsthan, India; African J. of Agric.Res.8(41). 2013. 50965103.
30. Soil science society of America .(2017).A new definition at August in board meeting.
31. Solanki, H.A. and Chavda, N.H.Physicochemical analysis with reference to seasonal changes in soils of Victoria park reserve forest, Bhavnagar (Gujarat);Life sciences Leaflets. 8. 2012.p.62-68 .
32. Veihmeyer F.J and Hendrickson A.H. The moisture equivalent as a measure of field capacity of soils;Soil Sci. 32. 1931.p.181-194.
33. Wagh GS, Chavhan DM and Sayyed MRG. Physico-chemical Analysis of Soils from Eastern Part of Pune City; Uni.J.of Env.Res. and Tech.,3(1);2013.p.93-99.
34. Wang,S.H.,Shi,X.Z.,Zhao,Y.C.,Weindorf,D.C., Yu, D.S.,Xu SX,Tan MZ, Sun WX. Regional simulation of soil organic carbon dynamics for dry farmland in east China by coupling a 1:500000 soil database with the century model;Pedosphere,21;2011.p.277-287.
35. Yennawar VB, Bhosle AB and Khadke PA. Soil Analysis And Its Environmental Impact On Nanded City, Maharastra;Research Front ,1(1);2013.p.65-70.
36. Z Wang, Y Xu, J Zhao, F Li, D Gao, B Xing, J. Hazard. Mater. 190. 2011.p.677-685.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

कलचूरी राजवंश का विस्तार

डॉ.विनोद राय*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, डोलरिया, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – कलचूरी राजवंश का बहुत ही प्रसिद्ध नाम कलचूरी है। इस नाम के कटच्चूरि, कटच्छुटि, कलत्सूरि, कुलचुरि इत्यादि कई रूप स्वयं कलचूरीयों तथा अन्य वंशों के प्राचीन अभिलेखों में दृष्टिगत होते हैं।

ईस्वी छठी–सातवीं शताब्दी से भारतीय राजाओं में सुप्रसिद्ध पौराणिक राजवंशों के साथ अपना संबंध स्थापित करने की परम्परा प्रचलित हुई। इसलिए कई राजवंशों ने अग्नि से भी अपनी उत्पत्ति सिद्ध करने का प्रयास किया। कलचूरी भी इससे स्वाभाविक ही अछूते नहीं रह सके। उन्होंने अपने आपको चन्द्रकुलोत्पन्न हैहयवंशी राजा कृतवीर्य के पुत्र (कार्तवीर्य) अर्जुन अथवा सहस्रार्जुन के साथ जोड़ा। कार्तवीर्य सहस्रार्जुन के पराक्रम के संबंध में पुराणों में अनेक कहानियां किंवदन्तियां पायी जाती हैं।

कलचूरीयों की प्राचीनतम ऐतिहासिक राजधानी माहिष्मती (वर्तमान महेश्वर) थी, जिसकी स्थापना पौराणिक परम्परा के अनुसार हैहयवंशी राजा महिष्मन्त ने की थी।

कलचूरी विस्तार

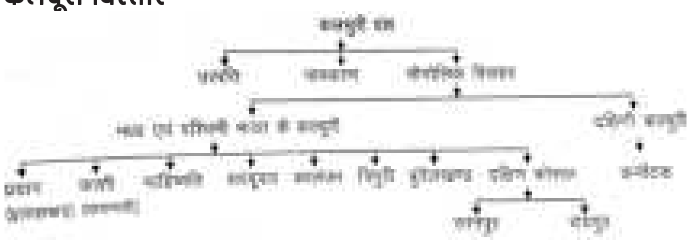

प्रारंभिक कलचूरीयों का उदय वर्तमान गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ था। इस राजवंश के आदिपुरुष कृष्णराज को माना जाता हैं कुछ महत्वपूर्ण शासक थे:

1. कृष्णराज(550–575 ई.)
2. शंकरगण(575–600 ई.)
3. बुद्धराजा(600–620 ई.)

कलचूरी राजवंश की दो मुख्य शाखायें थीं, जो अपने को कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन से उत्पन्न बतला कर
(1) त्रिपुरी और (2) रतनपुर में राज्य करती थी।

त्रिपुरी शाखा – आठवीं शताब्दी के लगभग चेदि प्रदेश पर कलचूरीयों का आधिपत्य स्थापित हुआ। चेदी के कलचूरी ने अपनी राजधानी त्रिपुरी से शासन किया जो अब मध्यप्रदेश में जबलपुर के पास एक नगर है जहां तक स्वयम् कलचूरीयों की त्रिपुरी शाखा के उत्कीर्ण लेखों का प्रश्न है, त्रिपुरी का राजधानी के रूप में निर्देश सर्वप्रथम इस शाखा के प्रख्यात नरेश द्वितीय युवराजदेव के सन्दर्भ में प्राप्त होता है। किन्तु, जैसा कि इस वंश की रत्नपुर (आधुनिक रतनपुर, बिलासपुर जिला, मध्यप्रदेश) शाखा के अधिकांश अभिलेखों से पता चलता है, द्वितीय युवराजदेव के अनेक पीढ़ी पूर्व ही त्रिपुरी को यह गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका था। इन लेखों के अनुसार इस शाखा के प्रथम महत्वपूर्ण राजा कोकल्ला प्रथम थे, जिनका शासनकाल लगभग 850 ई. में शुरू हुआ। उन्होंने प्रतिहार सम्राट भोज प्रथम एवं राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को भी पराजित किया था, जिनकी हार के बाद राष्ट्रकूटों ने कलचूरीयों के साथ वैवाहिक संबंध रखना शुरू कर दिया था। इस प्रकार कोकल्ला प्रथम अपने सैन्य कौशल और सफलताओं के माध्यम से कलचूरीयों की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सक्षम रहा। प्रथम कोकल्ल के पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र द्वितीय शंकरगण तो त्रिपुरी के सिंहासन पर आसीन हुआ और उसने अपने सत्रह अनुजों को विभिन्न मण्डलों पर शासन के लिए नियुक्त किया।

गंगेयदेव भी प्रमुख महानतम कलचूरी शासक थे इन्होने दक्षिण कोशल के राजा महाशिवगुप्त यायाति का दमन किया और त्रिकालिंगाधिपति (त्रिकालिंगा के भगवान) की उपाधि ली। इन्होने सम्राट महीपाल प्रथम को हराया और बनारस पर कब्जा कर लिया। विभिन्न राजनीतिक विजयों से इन्होने विक्रमादित्य की उपाधि ली। गंगेयदेव के बाद कई कलचूरी नरेश एक के बाद एक सफल हुए। विजयसिम्हा चेदि कलचूरीयों का अंतिम शासक थे। चेदि प्रदेश पर शासन करने के कारण ये कलचूरी चेदि नाम से अभिहित होने लगे एवम् उनका कुल चेदिकुल कहलाने लगा। कलचूरीयों ने लगभग पांच शताब्दियों के सुदीर्घ काल तक त्रिपुरी से अपने विशाल साम्राज्य का शासन किया।

मुख्य वंश के साथ त्रिपुरी शाखा के कलचूरी राजाओं ने वैवाहिक संबंध स्थापित किये थे। अधिकांशत: कलचूरी कन्यायें ही राष्ट्रकूट वंश में विवाही गई थीं। इस वंश की राज–महिषियों के नाम भी कुछ विचित्र से है, जैसे अलणदेवी नोहलादेवी, बोसलादेवी आदि।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

स्रोत: मध्यप्रदेश के पुरातत्व की रुपरेखा, डॉ मोरेश्वेर दीक्षित , आनंद मुद्रणालय पुणे, 1954 पृष्ठ क्रमांक 21

त्रिपुरी कलचूरी वंश का शासक

(1)वापराज देव	:675-700 ई.
(2)शंकरगण प्रथम	:750-775 ई.
(3)लक्ष्मण राज प्रथम	:825-850 ई.
(4)कोक्कल प्रथम	:850-890 ई.
(5)शंकर गण द्वितीय	:890-910 ई.
(6)बालहर्ष	:890-915 ई.
(7)युवराज प्रथम	:915-945ई.
(8)लक्ष्मण राज द्वितीय	:945-970 ई.
(9)शंकरगण तृतीय	:970-980 ई.
(10)युवराज देव द्वितीय	:980-990 ई.
(11)कोक्कल द्वितीय	:990-1015 ई.
(12)गांगेयदेव	:1015-1041 ई.
(13)लक्ष्मीकर्ण	:1041-1073 ई.
(14)यश:कर्ण	:1073-1123 ई.
(15)गयाकर्ण	:1123-1153 ई.
(16)नरसिंह	:1153-1163ई.

श्रतनपुर/रायपुर शाखा – कलचूरीयों की रतनपुर शाखा कोक्कल के सबसे छोटे पुत्र कालिंगराज से प्रारम्भ होती है, जिसे कोमो मण्डल में तुम्माण के आसपास का प्रदेश नवीं शताब्दी ईसवी के अन्त में प्राप्त हुआ था। इस शाखा के ग्यारह शासकों का विवरण प्राप्त होता है प्रारंभ में यह चेदि के कलचूरीयों के अधीन था। 12वीं शताब्दी में जज्जलदेव प्रथम के अंतर्गत यह स्वतन्त्र हो गया। उन्होंने शाही उपाधियां धारण की:—

उपाधि –धर्म महाराजधिराज और परमेश्वर

ईसवी1114 से लेकर 1214तक की एक शताब्दी में इस वंश के 28 लेख प्राप्त होते हैं जिनमें 13 ताम्रपत्र तथा 15 शिलालेख है। उनमें से अधिकांश (दस) इस वंश के प्रभावशाली शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के हैं।

प्रमुख रतनपुर कलचूरी शासक

(1) कलिंगराज (1000-1020ई.)
(2) कमलराज (1020-1045 ई.)
(3) रत्नदेव (1045-1065ई.)
(4) पृथ्वीदेव (1065-1090ई.)
(5) जाजल्लदेव(1090-1120ई.)
(6) रत्नदेव (1120-1135ई.)
(7) पृथ्वीदेव (1135-1165ई.)
(8) जाजल्ल देव (1165-1170ई.)
(9) जगतदेव (1170-1175ई.)
(10) रत्नदेव (1175-1200ई.)
(11) प्रतापमल (1200-1225ई.)

अन्य शाखाएं –रतनपुर के कलचूरी ने दक्षिण कोशल पर विजय प्राप्त की। बाद में, रतनपुर कलचूरी से एक और शाखा उत्पन्न हुई और इसे रायपुर के कलचूरी के रूप में जाना गया।

प्रमुख रायपुर कलचूरी शासक

(1) लक्ष्मीदेव (1325-1355ई.)
(2) सिंघनदेव (1355-1375ई.)
(3) रामचंद्र देव (1375-1400ई.)
(4) ब्रम्ह देव (1400-1425ई.)

एक अन्य राजनीतिक इकाई के रूप में कल्याणी के कलचूरी (1153-1181ई.)12वीं शताब्दी में दिखाई देते हैं उन्होंने वर्तमान कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भागो पर शासन किया। यद्यपि उन्होंने बहुत न्यून अवधि(25 वर्षो) तक के लिए शासन किया।

बिज्जला द्वितीय कल्याणी के कलचूरी राजवंश का संस्थापक था इससे पहले, उन्हें चालुक्य वंश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन, उन्होंने तेला तृतीय के शासनकाल के दौरान अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र- सोमेश्वर एवं संगम - कल्याणी के राजगद्दी पर बैठे, लेकिन वे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे कलचूरीयों की शक्ति बनाये रख सकें।

कलचूरी संवत् (ईस्वी 249-50) – जिस संवत् का उपयोग कलचूरीयों के अधिकांश अभिलेखों में काल-निर्देश के लिये किया जाता है वह प्राय: कलचूरी-संवत् अथवा चेदि-संवत् नाम से अभिहित मिलता है। कहीं-कहीं इसे चेदि-दिष्ट, चेदीशस्य संवत् एवम् कलचूरी-संवत्सर भी कहा गया है। इस संवत् का प्रारंभ ईस्वी 249-50 में हुआ।

अर्थव्यवस्था – कलचूरी की अर्थव्यवस्था बहुत ही समृद्ध अर्थव्यवस्था रही। त्रिपुरी के कलचूरी ने एक ऐसे क्षेत्र पर कब्जा किया जो खनिज संसाधनों में काफी भरपूर था उनके शिलालेखो में उल्लेख हैं कि वह पूर्ण ग्रामों को दान करते थे और ऐसे दान केवल उन्हीं के द्वारा किये जाते। राज्य का खानों और मूल्यवान संसाधनों के ऐसे अन्य भंडार पर एकाधिकार था। कलचूरीयों के अन्य उद्योग भी थे:-

1. धातु निर्माण
2. खनन
3. पत्थर के काम के उद्योग
4. तेल खनन
5. कपड़ा निर्माण
6. शराब निर्माण

सिक्के – रतनपुर शाखा के जाजल्लदेव, पृथ्वीदेव द्वितीय तथा रत्नदेव द्वितीय के ताँबे तथा सोने के सिक्के उपलब्ध होते हैं। ये सिक्के मुख्यतया बिलासपुर, रायपुर, सारंगगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य तथा कुछ उत्तरप्रदेश के मिजापुर जिले में प्रात होते हैं।

कलचूरी वंश के त्रिपुरी शाखा के एक पूर्व शासक कृष्णराज के चांदी के सिक्के विदर्भ के कई जगहों से पाए गए हैं त्रिपुरी शाखा के केवल एक शासक गांगेयदेव के सिक्कों का पता चलता हैं सिक्के के एक और लक्ष्मी प्रतिमा बनी हैं यह कलचूरी के सबसे प्रथम ज्ञात सिक्के हैं। वे सागर, जबलपुर जैसे मध्यप्रदेश के उत्तरी जिलों में तथा उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर आदि दक्षिणी जिलों से प्राप्त हुए थे।

धर्म – चेदि के कलचूरी ने मुख्यत: ब्राह्मणवादी धर्म - शैव धर्म को ही शाही संरक्षण दिया। उन्होंने विष्णु एवं शिव की पूजा की और धार्मिक प्रतिष्ठानों हेतु कई भूमि-अनुदान दिये। कलचूरी शासक युवराज प्रथम शिव का भक्त था दुर्वासा(प्रसिद्ध शैव) ने एक मठ-गोलकीमठ की स्थापना की। युवराज प्रथम ने इस मठ के रखरखाव के लिए भूमि दान दी। युवराज प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी लक्ष्मणराज भी शिव उपासक थे। शक्ति उपासना में योगिनी

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

पंथ की प्रथा प्रसिद्ध थी। यहां कुल 64 योगिनियाँ हैं। उनके मंदिर खजुराहो,भेडाघाट,शहडोल आदि में पाए जाते हैं।

धर्मो में जैन और बौद्ध धर्म का भी प्रचलन था। कल्याणी के कलचूरीयों के काल में वीरशैव या लिंगायत आंदोलन, बसवन्ना– कलचूरी राजा बिज्जला के दरबार में एक मंत्री द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें कई संतो जिनमे महिला संत के साथ-साथ कई कवियों ने भी भागिदारी की थी। चेन्नाबसवा, अक्का महादेवी, अल्लामा प्रभु, दारुचाचार्य, निलाम्बिके आदि कुछ प्रसिद्द संत थे जो इस आंदोलन से जुड़े थे।

साहित्य – चेदि के कलचूरीयों के युवराज प्रथम के शासन में दरबारी प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने विधा सलाभंजिका नामक नाटक का मंचन किया। कलचूरीयों (रतनपुर) के कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार निम्नलिखित हैं:–

1. बाबू रेवा राम ,रूद्रशिव,राजगुरू, शिव दत्ता शास्त्री, गोपाल प्रसाद मिश्र
2. बाबू रेवा राम की रचनाएँ : रतनपरीक्षा, ब्रह्मोस्त्रोता, विक्रमविलास
3. गोपाल प्रसाद मिश्र की रचनाएँ : भक्त चिंतामणि,सुदामाचारित्र, रामप्रताप
4. शिव दत्ता शास्त्री की रचनाएँ : इतिहास समुच्चय, रतनपुर अख्यान्

कलयाणी के कलचूरी के अधीन भी कन्नड़ साहित्य विस्तृत रहा। कन्नड़ कविता में एक नया चलन प्रारम्भ हुआ, जिसे वचन साहित्य (लयबद्ध लेखन) नाम दिया गया। वचन लेखकों को वचनाकार के रूप में जाना जाता था। इस अवधि के कुछ कन्नड़ लेखक एवं उनकी रचनाये हैं :–

1. धरिणी पंडिता द्वारा बिज्जलारायचारित,
2. विरुपाक्ष पंडिता द्वारा चेन्नाबासवपुराण,
3. चंद्रसागर वरणी द्वारा बिजलारायणपुराण।

कला एवं वास्तुकला – इस राजवंश में एकाधिक शक्तिशाली सम्राट हुए जो केवल महान विजेता एवम् कुशल प्रशासक ही नहीं अपितु धर्म, ललित कला और साहित्य के उदार संरक्षक भी थे। उनके शासन-काल में के देवलयो, प्रासादों, दुर्गों, जलाशयों इत्यादि का निर्माण भी बड़ी संख्या में हुआ, जिससे उनके कार्य क्षेत्र को अपूर्व प्रसिद्धि प्राप्त हुई।

मध्यप्रदेश में कलचूरी नाम जनश्रुतियों, लेखों और मूर्तियों के द्वारा सर्वविदित है। मध्यप्रदेश के उत्तारी भाग में कलचूरी-काल की अगणित मूर्तियों बिखरी पड़ी हैं और जबलपुर, दमोह, कटनी तथा होशंगाबाद जिलों में ऐसा कोई गाँव नहीं है, जो इस समय की कला से अछूता हो और जहाँ कलचूरी– कालीन कुछ न कुछ मूर्तियों किसी न किसी रूप में सामान्यतया न पाई जाती हों।

कलचूरीयों का कला और वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान अभूतपूर्व रहा। उन्होंने औरंगाबाद में बौद्ध गुफाओं की संख्या 6 और 7 और महाराष्ट्र में एलिफेंटा, एलोरा और जोगेश्वरी की कुछ गुफाएँ में खुदाई करायी। महिष्मति के कलचूरीयों या प्रारम्भिक कलचूरीयों ने कोंकण तट को नियन्त्रण में किया है और इस कारण ही, एलीफेंटा द्वीप के कुछ स्मारकों को उनका ही दिया योगदान माना जा सकता है।

एलोरा गुफा सं 29, स्थापत्य शैली में ऐलिफेंटा गुफाओं से समानताएं में प्रदर्शित होती है, जिसे महिष्मति के कलचूरीयों का ही संरक्षण प्राप्त था। चौसठ योगिनियों को समर्पित मंदिर खजुराहो, भेड़ाघाट, शहडोल आदि में बनाए गए थे। उन्होंने चंद्रेहे, अमरकंटक, सोहागपुर आदि में भी मंदिर बनाए।

सारांश :

1. कलचूरीयों ने अपने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अपने संबंधो को सरंचित किया और उनके राजनीतिक इतिहास पर इनका प्रभाव पड़ा। राजनीतिक वर्चस्व के संघर्ष ने उनके सामंतों के साथ संबंधों को भी आकार दिया।
2. कलचूरीयों के तहत कला और वास्तुकला का विकास देखने को मिलता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. राय हेमचन्द्र, डाईनैस्टिक हिस्ट्री ऑंव नार्दन इंडिया, कलकत्ता, 1972
2. दीक्षित डॉ.मोरेश्वेर: मध्यप्रदेश के पुरातत्व की रुपरेखा, आनंद मुद्रणालय, पुणे, 1954
3. मिराशी वासुदेव विष्णु: इन्सक्रीपसंस ऑफ दी कलचुरी-चेदी इरा वॉल्यूम प्ट भाग, गवर्नमेंट एपिग्राफिस्ट फॉर इंडिया,नागपुर, 1955
4. हटेला चिंतामणि: त्रिपुरी का कलचूरी वंश,हटेला ग्रंथागार,प्रयाग
5. श्रीवास्तव सी.के.: प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहबाद, 1991

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Sulfa Drugs: Classification Functions and Side-Effects

Dr. Nasreen Anjum Khan*

***Assistant Professor (Chemistry) Government College, Bichhua, Distt. Chhindwara (M.P.) INDIA**

Abstract - Sulfonamide is a functional group (a portion of a molecule) that serves as the base for many drug classes known as sulfa drugs, sulphonamides, or sulpha drugs. Synthetic (non-antibiotic) antimicrobial agents containing the sulfonamide group were the first antibacterial sulfonamides. Few sulfonamides, such as the anticonvulsant sultiame, have no antibacterial function. Sulfadiazine (SDZ) is another frequently employed sulphonamide drug that is used in combination with the anti-malarial drug pyrimethamine to treat toxoplasmosis in warm-blooded animals. Thiazide and Sulfonylureas diuretics are two newer drug classes focused on sulfonamide antibacterials. Sulfonamide allergies are normal. Since the average rate of adverse drug reactions to sulfa antibiotics is about 3%, equivalent to penicillin, drugs including sulfonamides should be avoided. The first widely effective antibacterials that will be used systemically were sulfonamide medicines, which laid the groundwork for the antibiotic revolution throughout medicine.

Keywords- Sulfonamide, Sulfamethazine, Sulfadiazine, Toxicology, Environment, Bio-macromolecules.

Classification of Sulfonamides: Depending on the chemical composition, sulfonamide drugs are considered to be divided into two categories. Antibiotic drugs are by far the most popular. They stop bacteria from spreading (bacteriostatic), but they wouldn't destroy the ones that are already there. Trimethoprim, a bactericidal agent, is often mixed with sulfonamides.[1] Antibacterial effects are not found in other forms of sulfonamides. Carbonic anhydrase inhibitors (CAIs), cyclooxygenase 2 (COX-2) inhibitors, loop diuretics, thiazide diuretics, and sulfonylureas are the different types of diuretics.

- CA inhibitors are mainly used to treat glaucoma (inflammation of the optic nerve in the eye) by lowering intraocular fluid pressure.
- Another sulfonamide, zonisamide, is a CA inhibitor that is often preferred for treating seizures. The exact mechanism of zonisamide's action is still unknown.
- Thiazide diuretics have been used to cure hypertension (high blood pressure). They induce diuresis, or excessive urination, which helps reduce blood pressure. Loop diuretics, on the other hand, have been used to treat hypertension caused by heart failure. They trigger diuresis as well, but not in the same way as thiazide diuretics.[2]
- COX-2 inhibitors are a kind of non-steroidal anti-inflammatory drug that works by affecting the COX-2 enzymes throughout the body, which are accountable for pain and inflammation symptoms.
- Type 2 diabetes is treated with sulfonylureas. They instruct the pancreas to produce additional insulin, which helps to lower blood sugar levels in the body

Functions:

- Antibacterial sulfonamides suppress the enzyme dihydropteroate synthase (DHPS), which is included in folate synthesis in bacteria, by acting as competitive inhibitors. Sulfonamides too are bacteriostatic, inhibiting bacteria's production and replication but not killing them.[3]
- Humans, unlike bacteria, derive folate (vitamin B9) from their food. Sulfonamides have antifungal and antimalarial properties that are involved in treating allergies and cough.
- Other non-antimicrobial drugs which contain the moiety include thiazide diuretics (such as metolazone, hydrochlorothiazide, and indapamide), acetazolamide, loop diuretics (such as bumetanide, furosemide, and torsemide), sulfonylureas (such as glyburide and glipizide), and certain COX-2 inhibitors.[4]
- In comparison to being an antibiotic, sulfasalazine can also be used to cure inflammatory bowel disease.

History: The first widely active antibacterials that can be used systemically were sulfonamide medicines, which opened the way for the antibiotic revolution in medicine. Prontosil was the very first sulfonamide, and it was a prodrug. Studies with Prontosil actually started in 1932 in the Bayer AG laboratories, which were then part of the massive German chemical conglomerate IG Farben.Coal-tar dyes that bind selectively to bacteria and parasites, according to the Bayer team, could have been used to destroy pathogenic substances in the body.

With years of futile trial-and-error research over hundreds of dyes, a group coached by physician/researcher Gerhard Domagk finally discovered one that did work: a red dye produced by Bayer chemist Josef Klarer which had a significant effect on preventing certain infectious (bacte-

rial) diseases in mice. The first public announcement of the groundbreaking discovery wasn't really made until 1935, upwards of two years following Klarer and his research partner Fritz Mietzsch had patented the compound.

Prontosil, as the new medication was called by Bayer, is the first drug to successfully treat a number of bacterial infections within the body. This has a powerful beneficial effect against streptococci infections, such as childbed fever, blood infections, and erysipelas, and it had a lower impact against infections that were caused by several other cocci.[5]

It had no impact throughout the test tube, but mostly in live animals did it have an antibacterial effect. The substance was eventually revealed to be metabolized into two parts within the body, with the inactive dye part producing a smaller, colourless active compound termed sulfanilamide from the inactive dye section.

Side-Effects:

- Sulfonamides can produce a number of side effects, such as hematopoietic disorders, porphyria, urinary tract problems, and hypersensitivity reactions. They can cause a severe allergic reaction once taken in excess but can be cured by sulfa antibiotics.
- The Stevens-Johnson syndrome, the DRESS syndrome, toxic epidermal necrolysis (often recognized as Lyell syndrome), and a less severe SCARs reaction, acute generalized exanthematous pustulosis, are among the most serious.[6]
- Some sulfonamides have the ability to trigger some of these SCARs.
- When diagnosed with sulfonamide antimicrobials, about 3% of the population in general experiences side effects. The fact that HIV patients have had a significantly higher prevalence, around 60%, is noteworthy.
- Non-Antibiotic sulfonamides cause fewer hypersensitivity reactions, and the known information indicates that those who are hypersensitive to sulfonamide antibiotics are not at an elevated risk of hypersensitivity to nonantibiotic sulfonamides.[7]
- The arylamine group at N4 in sulfamethoxazole, sulfadiazine, sulfasalazine, and the antiretrovirals amprenavir and fosamprenavir is indeed a major aspect of the allergic reaction to sulfonamide antibiotics.
- Certain sulfonamide drugs don't really include the arylamine group; existing data indicates that patients allergic to arylamine sulfonamides need not react to sulfonamides which do not comprise the arylamine group, and thus can easily take non-arylamine sulfonamides.

Sulfonamides or sulfa drugs are a class of antibiotics that target bacteria causing infections. These classes of drugs are generally broad-spectrum antibiotics that act on a wide range of bacterial types and are therefore employed in treating many kinds of bacterial infections. Sulphonamides do not kill bacteria, but it interferes with the ability of bacteria to grow and multiply (bacteriostatic).[8]Folic acid is a key component of bacteria that it uses for growth and multiplication. Sulfa drugs block the ability of the bacteria to use folic acid, thereby inhibiting the growth process. As a result, the bacteria fail to reproduce and spread. Because humans do not make folic acid and completely rely on diet for getting their folic acid, they remain safe against the adverse effects of inhibition of folate production.[9]

Sometimes, sulfa drugs are given in combination with trimethoprim because it kills the bacteria (bactericidal). Hence, the combination of sulfonamides and trimethoprim stops the bacteria from multiplying and kills them as well.[10 11]

ConclusionWe are widely used synthetic antimicrobial drugs due to the fact that they that can be used for diverse purposes (such as treating bacterial infections and also promoting livestock growth). There are various forms of SN drug derivatives that have been produced of which SMZ and SDZ are the most frequently used. The purpose of this review was to examine SN drug structure, function, and toxicity in treated human and animal patients as well as the environment. This study has made clear the drug mode of action in its inhibition of bacteria through its competitive inhibition of bacterial DNA synthesis. The nomenclature and structure of the drugs (at the DFT level of approximation) have been discussed. Literature of its toxicological effect upon the environment, animals and human beings has also been reviewed.

References:-

1. Bendjeddou A, Abbaz T, Khacha N, Benahmed M, Gouasmia A, Villemin D. Antibacterial activity of sulfonamide derivatives against clinical strains of bacteria. *Res J Pharm, Biol Chem Sci.* 2016;7(2):799–804. [Google Scholar]
2. Biosic M, Mitrevski M, Babiæ S. Environmental behavior of sulfadiazine, sulfamethazine, and their metabolites. *Environ Sci Pollut Res.* 2017;24(10): 9802–9812. doi: 10.1007/s11356-017-8639-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Bjurling P, Baxter GA, Caselunghe M, Jonson C, Connor O, Elliott CT. Biosensor assay of sulfadiazine and sulfamethazine residues in pork.*Analyst.* 2000;125:1771–1774.doi: 10.1039/b004835f. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Blakemore WM, Thompson HC. Trace analysis of cinnamaldehyde in animal feed, human urine, and wastewater by electron capture gas chromatography. *J Chromatogr Sci.* 1981;19:625–633. doi: 10.1021/jf00119a032. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Blanchard C, Brooks L, Ebsworth-Mojica K, Didione L, Wucher B, Dewhurst S, Krysan D, Dunman PM, Wozniak RAF. Zinc pyrithione improves the antibacterial activity of silver sulfadiazine ointment. *MSphere.* 2016;1(5):1–14. doi: 10.1128/

msphere.00194-16. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Bohni E. Bacteriostatic and bactericidal activity of two trimethoprim-sulfonamidecombinations. *Chemotherapy.* 1976;22:262–273. [PubMed] [Google Scholar]
7. Boufas W, Dupont N, Berredjem M, Berrezag K, Becheker I, Berredjem H, Aouf N (2014) Synthesis and antibacterial activity of sulfonamides. SAR and DFT Studies. J Mol Struct:1–15. 10.1016/j.molstruc. 2014.05.066
8. Burbee CR, Green R, Matsumoto M. Antibiotics in animal feeds: risks and costs. *Am J Agric Econ.* 1985;67(5):966–970.doi: 10.2307/1241355. [CrossRef] [Google Scholar]
9. Dawoud Bani-Yaseen A. Spectrofluorimetric study on the interaction between antimicrobial drug sulfamethazine and bovine serum albumin. *J Lumin.* 2011;131(5):1042–1047. doi: 10.1016/ j.jlumin.2011.01.019. [CrossRef] [Google Scholar]
10. De Liguoro M, Fioretto B, Poltronieri C, Gallina G. The toxicity of sulfamethazine to Daphnia magna and its additivity to other veterinary sulfonamides and trimethoprim. *Chemosphere.* 2009;75(11):1519–1524. doi: 10.1016/j.chemosphere.2009.02.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
11. 2021 Apr; 13(2): 259–272.Published online 2021 Mar 29. doi: 10.1007/s12551-021-00795-9 springer Biophysical Reviews Aben Ovung Jhimli Bhattacharya

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

An Overview of the Internationalisation of the Healthcare Industry, or "Medical Tourism"

Dr. Preeti Anand Udaipure*

***Assistant Professor (Commerce) Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Abstract - Another specialty of tourism that is increasingly gaining popularity is medical tourism. India has emerged as a popular destination for providing high-quality medical care at affordable costs. More recently, there has been a geographical shift in medical tourism, especially from advanced economies to Asian countries. The phrase "medical tourism" refers to travelling to other countries to receive medical, dental, and attentive treatment. Presents medical tourism as a well-known form of mass tourism in which people travel to foreign countries to receive medical, dental, and other types of care while also having the opportunity to see the local sights. When complimenting the growth of the hotel industry in India, break down the status, development, and effects of medical tourism. The success of one place is praised by the development of another location freely. The multi-billion dollar medical tourism sector has emerged on the global market as a result of the advancement of patients and health professionals around the world, capital subsidies, and medical innovation. Experts frequently think of it as medical tourism Dash for Unheard of Wealth contrasts California's dash for unheard of wealth with the recent risky growth and rapid ascent of medical tourism participants worldwide. Countries and States from all over the world express interest in expanding medical tourism as a source of satisfying compensation, a possibility for financial development, and an opportunity to improve the healthcare system.
Keywords- Internationalization, Healthcare Industry, Medical Tourism.

Introduction - The media is now interested in medical tourism. Additionally, communications regarding medical tourism are being transmitted and given with increasing frequency. Medical associations and specific experts should be able to provide precise information about this rapidly evolving pattern. There is a compelling need for all healthcare-related groups to get familiar with medical tourism and understand the monetary, social, political, and medical forces that are influencing and shaping this anomaly. Residents of highly developed nations move to less developed regions of the world for medical care to avoid the administrations that are available in their own networks. Medical tourism is fundamentally different from the traditional paradigm of international medical travel, in which patients typically go from less developed countries to important medical facilities in more developed countries for medical treatment that is unavailable in their home networks. The phrase "medical tourism" doesn't accurately reflect the patient's situation or the sophisticated medical reasoning behind these reservations. This phrase has eventually gained widespread usage and provides a clear way to distinguish between the new characteristic of medical tourism and the traditional model of international medical travel.

Medical tourism is the combination of travel and visits for medical treatment. While the terms "medical tourism" and "wellness tourism" are frequently used interchangeably, the terms "wellness tourism" and "medical tourism" are distinct. In contrast, "wellness and health tourism" refers to travel for the purpose of receiving curative and elective treatments as well as visiting spas. Medical tourism primarily combines bio-medical methodology with travel and tourism. Among the largest industries on the earth are the medical and tourism sectors. India joined the medical tourism industry later but has adapted successfully. Due to the following factors, medical tourism is gaining popularity across the globe: lack of skill, cost viability, accessibility, major delay, care support from family, etc.

The majority of developed countries have expensive medical care, and they must also have faith that patients will seek treatment for a long period under various systems, such the National Health Service in the UK. Additionally, patients look for better options for smart therapy in countries like Thailand, India, and other countries because they can't bear to seek out different help administrations during treatment in their country of origin. The combination of excellent offices, qualified English-speaking medical professionals, cost viability, and tourism attractions are the

core selling aspects of the Indian medical tourism sector. A medical traveller often receives a package that includes airfare, medical care, housing, and frequently post-employable vacation and recovery services. The world's top hospitals are located in India. Globalization has aided in the growth of medical tourism, pulled nations out of their separated position, and transformed them into members of the "one-information society." Medical organisations no longer play a small, provincial role but rather take on a global role as entertainers. Wellness tourism is currently in line with the latest trend of business sector globalisation, and easy access to information online has greatly increased the power of the wellness explorer to select his chosen goal.

Literature Review

According to John Connell (2006)1, medical tourism has rapidly grown during the past ten years, and a few Asian countries have taken the lead in this industry. Despite its visit bundling and overall benefits to the travel industry, traditional tourism has been a bye-result of this growth. Due to the rapid globalisation of both medical care and tourism, the rise of medical tourism has highlighted the commercialization of medical services.

The growth of medical tourism has been influenced by a number of factors, including the high cost of medical procedures, the long waiting times for medical records and the ageing populations in the "rich world nations," the increased affordability of flights and travel, and a shift in medical attention away from the public sphere, to the point where people are more comfortable paying for medical services provided by private bodies.

(2007) Ramirez de Arrelano Investing in the medical sector is a way to increase GDP (Gross Domestic Product), advance administrations, foster new trade, achieve a better balance between exchange and boost tourism. Therefore, it can be shown that medical tourism contributes to the growth of tourism.

The geological components of tourism have been highlighted by Subhash Chandra Sharma (2002), who also brings together various genuine financial and humanistic points of view. The volume dedicates itself in a special and distinctive way to the studies of tourism. In general, tourism contributes to the improvement of human understanding and the sense of hospitality. It reduces the gaps between the different social strata and the different human races. Individual seclusion is overcome by enabling them to let go of ominous prejudices through exposure to human growth and culture.

G S. Batra and AS Chawla (1995), Romila Chawla (2003), and Motiram (2003) speak of tourism from a global perspective, highlighting how it has improved in terms of spatial and polarization difficulties as well as showing good additions in the financial sector. Tourism and considerable advancement in — and transformation of — the challenges of current and future business and ecological supportability of tourist in the Antarctic Tourism and major world powers Global tourism patterns.

S.J. Page and CM. Corridor's verge of defeat The largest industry in the world, tourism is undeniably important to the global economy. It appears to offer a strategy for reviving neighborhoods in countries like England where traditional businesses have been decimated by the recession. It appears to provide a simple path to success in countries like India. While the Center East, South and East Asia, and the Pacific Edge are currently experiencing tremendous expansion, Europe continues to be the most visited region on earth.

Dr. Hugh Koch puts emphasis on preserving and improving the character of healthcare when treating patients in medical clinics and local government in his books on Absolute Quality Administration in Healthcare from 1991 and 1992. He has overseen the board of ongoing quality improvement, planning and suggesting fantastic administration, quality affirmation, quality evaluation, and planning. In his opinion, every healthcare episode, whether it occurs locally or in an emergency room, consists of a number of sub processes and various clinical and non-clinical activities. These cycles have been developed by professionals over a long period of time; they need to be tried, checked, and gradually precisely characterized. This is the best strategy to ensure that patients and other consumers have complete faith in the proper operation of their clinics or neighborhood services, albeit it's by no means the only one.

Some challenges with supporting Dr. B C Purohit's Primary Change and the Indian medical services sector. The research examines several methods for financing medical care in India, where the primary change's impact has been to undermine the traditional asset base. Examined are the overall advantages of client fees, protection programmes, regulatory decentralization, and fractional privatization. The primary goal of the arrangement is to improve the direction of the various delivery methods for medical treatment.

Growth of Medical Tourism in India: Medical tourism, often known as "wellness tourism" or "health tourism," is a blend of the two unmistakable help sectors of "healthcare" and "tourism" with a focus on specialised management. India has long been renowned for its strong social history, tourism potential, and neighborliness. Along with a variety of tourism concerns and challenges, India's position as a preferred destination for medical tourism has been bolstered by the country's presence of elite clinics, enormous pool of gifted medical professionals of international renown, quality assistance at affordable prices, strong presence in cutting-edge healthcare, high success rate in therapy, minimal wait times in emergency clinics, and support for sufficiently old treatments. This is becoming as one of the most lucrative enterprise areas in the country and is likely to be the next important untapped trade worker for India. Different factors

are responsible for the growth of medical tourism in India, including government support and expansion of medical tourism as a component of public strategy and the supported development of corporate emergency clinics and medical clinic chains throughout India. The medical tourism sector has quietly transformed into one of the 21st century's fastest growing industries. India is the second-most popular destination for medical tourists after Thailand7, and it receives about 150000 of them annually, with an expected annual growth rate of 15%.

Additionally, this growing medical tourism has opened the door for the return of conventional medical care in India. Traditional medicine is developing the Customary Information Computerized Library (TKDL) to prevent businesses from securing licences on such treatments. Heart surgery, muscle health, dental care, restorative operations, organ relocation, and surrogacy are a few of the most popular treatments sought for by medical tourists in India.

In terms of healthcare magnificence in medical tourism, a few Indian healthcare facilities have received accolades on a global scale. India is currently expanding into a new field known as "medical reevaluating," where subcontractors provide various forms of aid to the overworked medical consideration frameworks in western countries.

Clinics and healthcare organisations started looking for high-quality licences and confirmations as necessary requirements in order to maintain the nature of service at the standard with global criteria. Medical clinics have also started looking into the integration of IT into their systems to provide constant information to unfamiliar patients from any location, reduce the need for travel for subsequent meetings, maintain patient records easily, standardize the quality of service delivery, reduce costs, and increase patient loyalty. Unfamiliar confidential players also started seizing this opportunity to run successful international business, and to capitalize on the benefits, they started investing in the Indian healthcare sector.

Proposed Method

The causes of the rise in medical tourism in India: India's decision to provide medical-M-visaon-appearance to citizens of 180 different countries would be a big boost for the country's medical tourism industry, which is expected to grow at the rate of in 2015. According to a Mc. Kinskey analysis, wellness travel will generate $5 billion in revenue in India by 2015. Let's look at the most current measurements of foreign tourists' appearance:

Foreign visitor arrivals increased by 10.2% in 2021 compared to 2020 and 2019 (Table 1)

With the exception of 2019, the growth recorded in the most recent figures of unfamiliar traveler appearances (FTAs) in India was greater than the temporary evaluations of FTAs. Below are the most recent estimates and FTA data for India, together with growth rates from the previous year:

Table: 1. Difference between the foreign visitor's arrival during the year 2019, 2020 and 2021

Year	2019	2020	2021
Provisional FTAs (in million)	5.54	5.74	6.35
Growth rate (%)	4.5	5.2	6.2
Final FTAs (in million)	5.47	5.86	6.57
Growth rate (%)	3.4	4.8	20.3

Master Medical Clinic Personnel: India has a wide range of emergency clinics, a sizable pool of specialists d supporting staff with the necessary expertise and skill, as well as the linguistic advantage (English speaking abilities) to modify patients. After becoming skilled and polished in the Western countries, a large number of these professionals returned to establish notable cutting-edge offices in all major metros, equipped with the most recent in technology, equipment, and management levels In India.

Technology: Elective medication, bone-marrow transplant, heart bypass surgery, eye surgery, and muscle surgery are the most well-known treatments sought after in India by medical tourists. India is particularly well-known for cardiac surgery, hip resurfacing, and other cutting-edge medical specialties. All medical evaluations and treatments are administered using the most modern, mechanically advanced, and cutting-edge demonstration apparatus. Strict quality assurance procedures consistently provide good and exceptional test results in a timely manner.

Quality: The Joint Commission Worldwide (JCI), the global division of the Joint Commission Certification for Clinic Associations, has currently granted licenses to Indian medical facilities (JCAHO). A licence and consistency with quality standards are important because they provide tourists with assurance that the authorities are adhering to international standards. Almost all Indian emergency rooms that treat medical tourists are certified by Joint Commission Global (JCI), the global licensing organisation for emergency rooms located in the USA. This certification is regarded as representing the highest standard of medical care. JCI is administered by the Public Board for Certification of Emergency Clinics and Medical Services, which also follows international security standards. India continues to be a safe and popular destination for medical travel. Administrations That Are Customized According to the well-known phrase "Atithi Devotional Bhava," tourists are regarded like Gods in India. In Indian culture, unfamiliar patients are seen as visitors for the country and are accorded a status akin to that of a deity.

Table: 2 (see in last page)

Figure: 1, 2 (see in last page)

Language: India has several different dialects, although English is widely used. All medical clinics have an incredibly large pool of experts, attendants, and other medical clinic staff members who speak good English, including assistants. When English isn't their native tongue, this makes it easier for foreign patients to communicate with Indian doctors; they are also arranging interpreters in the most widely spoken languages to accompany patients

throughout their journey to India.

Access to information via the internet: The internet has made all information about urgent care centers and the treatment that is provided available, and people can choose their goal in light of the information and offices displayed. Due to its top-notch hospitals and medical professionals, Chennai has earned the moniker "India's Wellness Capital" and welcomes about 45% of all foreign medical tourists seeking treatment in India. The Chennai hotels and resorts have benefited from this. For post-therapy stays and follow-up meetings, many medical clinics in Mahabalipuram have contracted with hotels and resorts.

Maharashtra's tourism industry is booming, and the FICCI and the Maharashtra Medical Tourism Association are currently working together to promote medical travel. The Public Authority of Maharashtra is on a mission to provide the greatest medical offices, and numerous initiatives have been started in that regard.

Results and Discussion: According to the unprocessed data, India has emerged as a top destination for medical tourists from other countries.

In India, the field of medical tourism is expanding. India's medical tourism industry is anticipated to grow. Expected migration of these to India for subpar healthcare methods consistently

Emergency rooms and clinical research facilities are being authorized on a global scale by Indian healthcare facilities. India is currently second only to Thailand in terms of the number of JCI emergency clinics among the individual countries shown in Outline. In India, there are 63 emergency clinics that have received endorsement from the NABH (Public License Board for Medical clinics), and 395 additional clinics have sought for NABA accreditation.

Medical tourism supporting the hotel and travel industry: Without a doubt, the increase in medical tourists to India has benefited the accommodation sector. Many hotels and resorts have partnered with driving clinics to make it easier for patients to recover after treatment, and they also offer recovery services. Some medical procedures call for an evaluation a week after the procedure, so the patient is required to stay. Patients like to take advantage of this opportunity to stay in hotels and also visit some vacation destinations where they may feel at ease. The hotels and resorts have embraced all that is occurring and are pulling in business. A small number of rooms are set aside for particular clinics that are contracted with them, guaranteeing them approved spaces for their patients. The visitors and family members who accompany the patients also need convenience and should stay in nearby accommodations. Medical tourists have made enlarged room reservations at Star Lodgings, particularly in the urban areas of New Delhi, Bangalore, Hyderabad, and Chennai. The fragments of three and four stars are extra benefits from the field of medical tourism. There are other resorts with extensive regular activity, including emergency clinics and medical tourists through a limit.

The influx of medical tourists is also very helpful to the travel sector. The ripple effect of tourists' spending starts at the foundations of travel, such as hotels, restaurants, and taxis, and spreads throughout the host economy. This expenditure then has an effect on the economy as a whole, having three distinct degrees of influence: the immediate, aberrant, and incited levels. The multiplier impact is as follows. If medical vacationers should occur, they would first arrive at emergency rooms and then go on to hotels. Travel agencies offer packages that include round-trip airfare, hotel comforts, and travel arrangements.

There are online interface companies like www.healthtourism.com that give patients a variety of travel and accommodation stay bundles.

Medical tourists from other countries access all information from many websites that provide them with certain forms of help, such as taxi service to and from the airport, daily vehicle maintenance, nursing services, and so forth.

It is obvious that the growth of medical tourism in India has created a number of job opportunities in the hospital, housing, and travel sectors to provide knowledgeable aid for the unfamiliar traveler who is in need of specific assistance.

Due to this, there is now a need for a speciality market, to cultivate skilled employees, and to manage medical tourists. They have created new professions in the fields because to their mobility, convenience, food, and travel requirements.

When all of the tourists' needs are met at a reasonable cost compared to their own country, they feel at ease. By providing more specialised services to guests and patients staying at the inn, the hotel sector has a significant opportunity to capitalise on the growing trend of medical travellers.

Conclusion: Without a doubt, the medical tourism sector is quite enticing to nations. This is dispelled by the advantages that international medical travel provides to target countries; it is a substantial source of new trade and boosts the financial development of the target nation. Medical tourism advances the healthcare system, brings healthcare quality closer to or on par with international standards, and subsequently raises the standard of treatment for local citizens. However, the detrimental effects of medical tourism on objective country financial factors have not been sufficiently evaluated. Lack of guidelines is another area in this market that needs more attention and analysis to address medical and legal issues related to medical tourism, including as informed consent, responsibility, and accountability for malpractice. The evidence base is constrained to enable analysis of who gains and who loses at the level of framework, association, and therapy.

India has made enormous strides in the development

of medical tourism and has excelled at providing patients with high-quality care and treatment. Due to the excellent standards of emergency clinics and services provided by Indian medical clinics, globalisation has assisted the growth of countless unknown tourists from other countries. By bringing consistent business to the region and opening up new job opportunities, medical tourism has also benefited the hotel and tourist sectors. Many hotels and resorts have currently placed restrictions on some medical clinics while assessing their viability as a business. The Indian medical business is also facing several challenges, such as the inability to provide post-therapy care when necessary, the imbalance between government and private clinics, the lack of industry standards, the brain drain, and exorbitant prices for locals.

References:-

1. Adams, K., Snyder, J., Crooks, V. A., & Johnston, R. (2017). Developing an informational tool for ethical engagement in medical tourism. Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine, 12(1), 4. doi:10.1186/ s13010-017-0045-9
2. Almhafdy, A., Ibrahim, N., Ahmad, S. S., & Yahya, J. (2013). Analysis of the Courtyard Functions and its Design Variants in the Malaysian Hospitals. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 105, 171-182. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.11.018
3. Azmi, E., & Ismail, M. Z. (2016). Cultural Heritage Tourism: Kapitan Keling Mosque as a Focal Point & Symbolic Identity for Indian Muslim in Penang. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 222, 528-538. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.211
4. Cavusgil, S. (1980). On the internationalization process of firms. European Research, 8, 273-281.
5. Chanda, R., Gupta, P., Martinez-Alvarez, M. & Smith, R. D. (2011), Telemedicine: A review of the literature and analysis of a role for bi-lateral trade. Health Policy, (in press).
6. Chen, Y. Y., & Flood, C. M. (2013). Medical tourism's impact on health care equity and access in low- and middle-income countries: making the case for regulation. Journal of Law, Medicine and Ethics, 41(1), 286-300.
7. Chin, C. (2016). Keeping Our Patients. The Star Online. Retrieved from https://www.thestar.com.my/news/ nation/2016/01/10/keeping-our-patients-malaysia-is-becominga-world-medical-hub-yet-malaysians-are-seeking-treatment-a/
8. Fachrudin, H. T., & Lubis, M. D. (2016). Planning for Riverside Area as Water Tourism Destination to Improve Quality of Life Local Residents, Case Study: Batuan – Sikambing River, Medan, Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 234, 434-441.
9. Galt & Taggart, (2016, Apr.). First Wealth is Heath. http:/ / galtandtaggart.com / research / research-reports / sector / all / 1 /
10. Galt& Taggart, (2018, May). "Tourism at Full Speed". http:// galt and tag art. com/ research / research-reports / sector / all /1 /
11. Ghazali, R., & Abbas, M. Y. (2012). Newly Built Public Paediatric Wards Increase Length of Stay (LOS)? In M. Y. Abbas, A. F. I. Bajunid, & N. F. N. Azhari (Eds.), AceBs 2012 Bangkok (Vol. 50, pp. 623-632). Amsterdam: Elsevier Science Bv.
12. Ginting, N., Rahman, N. V., & Nasution, A. D. (2017). Increasing Tourism in Karo District, Indonesia Based on Place Identity. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 2(5), 177-184.
13. HOPE-European Hospital and Healthcare Federation, (2015 Sep. pub).
14. Jain, V.& Ajmera, P. (2018).Quantifying the variables affecting Indian medical tourism sector by graph theory and matrix approach. Management Science Letters 8, 225–240
15. Medical tourism hamstrung by obsolete visa rules', Business Standard, 2 December 2013.
16. Mishra, Rajendra, and Kumar Shailesh. "Making Indian Healthcare Market a Global Medical Tourism Destination." IOSR Journal of Business and Management, 2.4, 2012.
17. Sagar R, Latha PV. Medical tourism - an emerging industry in India. J Med Sci Res. 2014;2(3):169-77.
18. Singh L. An evaluation of medical tourism in India. Afr J Hosp Tourism Leisure. 2014;3(1):1-11.
19. Wharton University of Pennsylvania. Healthy business: will medical tourism be India's next big industry? 2011. Available at: http://knowledge.wharton.upenn.edu/ article/healthybusiness-will-medical-tourism-be-indias-next-bigindustry/. Accessed 10 March 2015.
20. Wong KM, Musa G. Medical tourism in Asia: Thailand, Singapore, Malaysia, and India. In: Michael Hall, eds. Medical Tourism: the Ethics, Regulation and Marketing of Health Mobility. London and New York: Routledge; 2012: 167-186.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Table: 2. percentage of Indian States in 2019 and 2020's foreign visitor arrivals

State/ UTST	Foreign tourist visit to India in 2019/2020					
Top 5 states	**2019 Number**	**2020 Number**	**% share 2019**	**Rank 2019**	**% Share 2021**	**Rank 2021**
Maharashtra	3245232	3478089	10.7	1	18.3%	1
Tamil Nadu	2880580	3568520	10.0	2	10.52%	3
Delhi	3202484	3228035	22.4	3	20.36%	4
Uttar Pradesh	3045530	3808624	20.2	4	23.98%	2
Rajasthan	2346253	2414463	6.3	5	5.0%	5

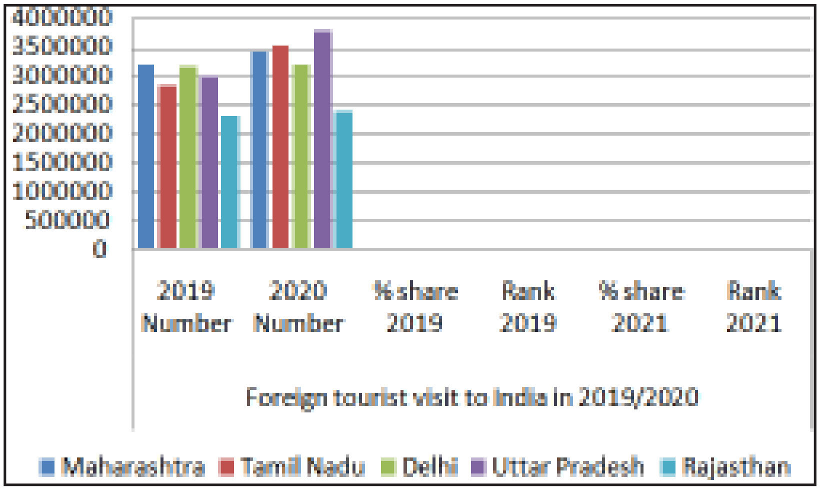

Figure: 1. percentage of Indian States in 2013 and 2014's foreign visitor arrivals

In 2012, let's observe foreign visitors who come to India for medical treatment (Figure No.2)

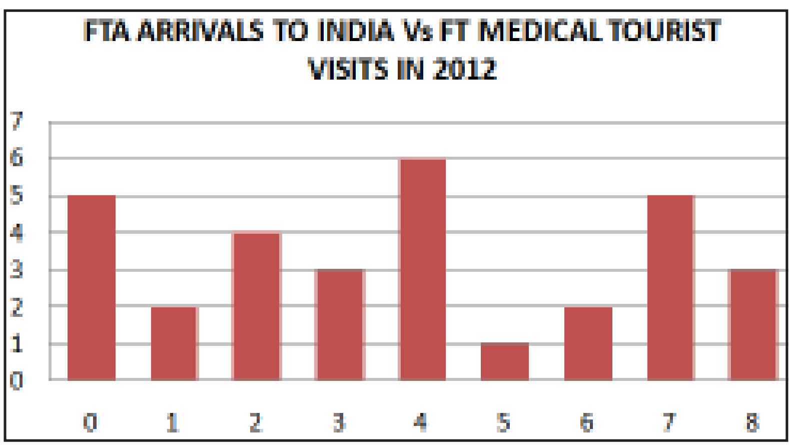

Figure: 2. Graphical representation of FTA Arrivals to India Vs Ft Medical Tourist Visits In 2019

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

रामचरित मानस में केवट प्रेम - प्रसंग

डॉ. के. आर. सूर्यवंशी *

* विभागाध्यक्ष (संस्कृत) राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - गोस्वामी तुलसीदास ने श्रीराम का जो व्यक्तित्व हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो मानवता और प्रेम से ओतप्रोत है। तुलसीदास के राम प्रेम के भूखे हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि 'सब ते अधिक मनुज मोहि भाए'। उनके प्रेमिल छाया में मानव से लेकर पशु-पक्षी, कीट-पतंग, जड़-जंगम सबको जगह मिलती है। श्रीराम कमजोर अर्थात सामान्य लोगों का साथ देने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार रहते है। उनके मित्रों में वानर सुग्रीव, हनुमान, गिद्ध, जटायु, दलित स्त्री सबरी, सुमंत्र और केवट सब शामिल है। श्रीराम अपने पिता के लाख मनाने के बावजूद चौदह वर्ष के लिए अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वन-यात्रा पर निकल गए हैं। राज दशरथ ने अपने सारथी सुमंत्र से कहा था कि राम को थोड़ा जंगल घूमा-फिराकर और गंगा स्नान कराकर सीधे अयोध्या वापस ले आना, लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे तो अपने प्राण की कीमत पर 'वचन' को निभाने वाले थे। इसीलिए वे सारथी सुमंत्र को समझा-बुझाकर किसी तरह वापिस अयोध्या भेजकर जंगल की तरफ निकल गए। लेकिन जंगल के रास्ते में उन्हें सबसे पहले गंगा पार करना था जहां उनकी भेंट भक्त केवट से होती है जो किसी भी प्रकार से उनका चरण धो लेना चाहता है, ताकि उसका इहलोक और परलोक, दोनों सुधर जाए। दरअसल अनपढ़ केवट राम के पाँव धोने के लिए जो भोला-भाला तर्क देता हैं वह उसके सरल हृदय और अकुंठ प्रेम का प्रमाण है।

रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं
देखि निषाद बिषादबस धुनहिं सीस पछिताहिं।।[1]

सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े राम की ओर देख-देखकर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद वश सिर धुन-पीट-पीटकर पछताते हैं कि आज श्रीराम के सान्निध्य का अवसर मुझे क्यों नहीं मिला।

जासु बियोग बिकल पसुद ऐसें। प्रजा मातु पितु जिइहहिं कैसें।।
बरबस राम सुमंत्रु पठाए। सुरसरि तीन आपु तब आए।।[2]
मागी नाव न केवटु आना। कहइ तुम्हार मरमु मैं जाना।।
चरन कमल रज कहुँ सबु कहई। मानुष करनि मूरि कछु अहई।।[3]
छुअत सिला भइ नारि सुहाई। पाहन तें न काठ कठिनाई।।
तरनिउ मुनि घरिनी होई जाई। बाट परइ मोरि नव उड़ाई।।[4]
एहिं प्रतिपालउँ सबु परिवारू। नहिं जानउँ कछु अउर कबारू।।
जौं प्रभु पार अवसि गा चहहू। मोहि पद पदुम पखारन कहहू।।[5]

जिस राम के अयोध्या छोड़ने के वियोग में पशु भी इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीत रहेंगे? राम ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया और फिर गंगा के तट पर आए। राम ने केवट से नाव माँगी, पर उसने हिचकते हुए मना कर दिया। वह कहने लगा - मैंने आपका मर्म (भेद) जान लिया हैं। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि, उसमें मनुष्य बना देने वाली कोई चमत्कारपूर्ण जड़ी है। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई थी और मेरी नाव तो लकड़ी की है। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊँगा अर्थात् रास्ता रूक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरा कमाने-खाने का जरिया ही मारा जाएगा। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन-पोषण करता हूँ। दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु! यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण-कमल पखारने (धो लेने) के लिए कह दीजिए।

पद कमल धोइ चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहौं।
मोहि राम राउरि आन दशरथ सपथ सब साची कहौं।।
बरू तीर मारहुँ लखनु पै जब लगि न पाय पखारिहौं।
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहौं।[6]

केवट ने श्रीराम से कहा - हे नाथ! मैं चरण कमल धोकर आप को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे कुछ 'उतराई' नहीं चाहता। हे राम! मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच-सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों की पखार (धो) न लूँगा, तब तक हे कृपालु! मैं पार नहीं उतारूँगा।

सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे।
बिहसे करूनाऐन चितइ जानकी लखन तन।।[7]

केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर राम जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्करा दिए और केवट के प्रेम की तरह उन दोनों का ध्यान आकर्षित किया।

कृपासिंधु बोले मुसुकाई। सोइ करु जेहिं तव नाव न जाई।।
बेगि आनु जल पाय पखारू। होत बिलंबु उतारहि पारू।।[8]
जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतरहिं नर भवसिंधु अपारा।।
सोई कृपालु केवटहि निहोरा। जेहिं जगु किय तिहु पगहु ते थोरा।।[9]
पद नख निरखि देवसरि हरषी। सुनि प्रभु बचन मोहँ मति करषी।।
केवट राय रजायसु पावा। पानि कठवता भरि लेइ आवा।।[10]
अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा।
बरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं। एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं।।[11]

केवट के प्रेम भरे भाव से भावविभोर होकर कृपा के समुद्र राम केवट से मुसकराकर बोले - आप वहीं कीजिए जिससे आपकी नाव बची

रहे। जल्दी पानी लाकर मेरे पैर धो लो। देर हो रही है, पार उतार दों। तुलसीदास कहते हैं कि एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने अपने वामनावतार में सम्पूर्ण जगत को अपने तीन कदम से भी छोटा कर दिया था। दो ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था वहीं कृपालु राम गंगा पार करने के लिए केवट का मनवाहर (निहोरा) अर्थात विनती कर रहे हैं! प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा की बुद्धी मोह से खिंच गई कि ये साक्षाता भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा (मनवार) कैसे कर रह हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचानकर देवनदी गंगा हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहें हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचारकर वे हर्षित हो गई। केवट राम की आज्ञा पाकर कठौते में भकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंगकर वह भगवान के चरण को धाने लगा।

पद पखरि जलु पान करि आपु सहित परिवार।
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार।।[12]

चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंदपूर्वक प्रभु राम को गंगाके पार ले गया।

उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता। सीय रामु गुह लखन समेता।।
केवट उतरि दंडवत कीन्हा। प्रभुहि सकुच एहि नहिं कुछ दीन्हा।।[13]
पिय हिय की सिय जाननिहारी। मुनि मुदरी मन मुदित उतारी।।
कहेउ कृपाल लेहि उतराई। केवट चरन गहे अकुलाई।।[14]
नाथ आजु मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा।।
बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी। आजु दीन्ह बिधि बनि भली भूरी।।[15]
अब कछु नाथ च चाहिअ मोरें। दीन दयाल अनुग्रह तोरें।।
फिरती बार मोहि जो देबा। सो प्रसादु मैं सिर धरि लेबा।।[16]

तब केवट ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय को जाननेवाली सीता ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अगूँठी अंगुली से उतारी। यह देख उसने कहा – हे नाथ! आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दु:ख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। कृपालु राम ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। हे नाथ! हे दीनदयाल! आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए पर आप लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे, वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूँगा।

बहुत कीन्ह प्रभु लखन सियँ नहिं कुछ केवटु लेइ।
बिदा कीन्ह करूनायतन भगति बिमल बरू देई।[17]

गोस्वामी तुलसीदास ने श्रीराम और केवट के बहाने भक्त और भगवान के बीच सिर्फ प्रेम को ही सब कुछ माना हैं, जिसके सामने तमाम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दूरियाँ स्वत: समाप्त हो जाती है। श्रीराम का पहले सारथी सुमंत्र के साथ पितृतुल्य आदरभाव और फिर केवट के 'प्रेम से लपेटे हुए अटपटे बातों को सुनकर भावमुग्ध हो जाना, इस बात का प्रमाण है कि केवट राम का भक्त केवट जानता है कि विष्णु के अवतार हैं और करुणा, दया और क्षमा के प्रतिमूर्ति हैं। लेकिन केवट सीधे मूँह अपनी बात कहने से हिचक रहा है। क्योंकि राम अयोध्या के राजकुमार हैं और केवट एक सामान्य नागरिक हैं। इसीलिए वह अपने दिल की बात कहने के लिए एक बहाना ढूँढता है और वह बहाना है अहल्या–प्रसंग का। पत्थर बन चुकी मुनि पत्नी को फिर से सजीव और चलायमान कर चुके थे। केवट कहता है कि आपकी चरण–धूलि का ये चमत्कार है कि पत्थर भी स्त्री बन जाती है। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो मैं कैसे अपने परिवार का भरण–पोषण कर पाऊँगा। यहाँ पर बाबा तुलसीदास यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि श्रीराम प्रेम के वशीभूत होकर 'सामान्य' और 'विशिष्ट' की दूरी और अंतर को समाप्त कर देते हैं।

इस केवट और राम के प्रसंग गंगा आज बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि आज राम के चरण का वह स्पर्श कर पाएगी। मनुष्य और प्रकृति के बीच यह तादात्म्य वेद से लेकर पौराणिक युग तक अक्षुण्ण रहा है। ये अलग बात है कि मनुष्य और प्रकृति के इस भाईचारे को हम विकास की बलिवेदी पर चढ़ा चुके हैं और आज गंगा अपने किसी उद्धारक राम के लिए बाट जोहते हुए अपनी आँखे पथरा चुकी है। तुलसीदास के शब्दों में राम कृपासिंधु अर्थात् 'कृपा के सागर' हैं। उनका धर्म बांटने वाला नहीं जोड़ने वाला है – 'शिवद्रोही मम दास कहवा, सो नर सपनेऊ मोहि नहीं भावा।' आप दूसरे से द्रोह और नफरत कर राम को नहीं पा सकते हैं। उनका प्रेम पाने के लिए तो केवट जैसा सरल हृदय चाहिए और सबसे बड़ी बात भक्ति या प्रेम में निर्लोभ होना पहली शर्त है। ईश्वर के बनाए मानव ही नहीं पशु–पक्षी और प्रकृति से प्रेम ही भक्ति है। सीता केवट को नदी पार कराने के बदल अपनी प्रिय अंगूठी देना चाहती है लेकिन केवट विन्नमतापूर्वक मना कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हं कि 'केवट प्रसंग' के बहाने गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति का जो स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह प्रसिद्ध सूफी कवि जायसी के शब्दों में 'मसानसु पेम भयउ बैकुंठी' है। अर्थात ईश्वर 'वर्ग', 'वर्ण' और सम्प्रदाय की दूरी को मिटाकर सिर्फ मानव मात्र से प्रेम करते हैं और जो मानव जीव मात्र के साथ–साथ प्रकृति से भी प्रेम करता है वही असली भक्त प्रेम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. रामचरितमानस अयोध्या काण्ड–दोहा–99
2. रामचरितमानस चौपाई– 1/99
3. रामचरितमानस चौपाई– 2/99
4. रामचरितमानस चौपाई– 3/99
5. रामचरितमानस चौपाई– 4/99
6. रामचरितमानस, पृ. 334
7. रामचरितमानस दोहा – 100
8. रामचरितमानस चौपाई – 1/100
9. रामचरितमानस चौपाई – 2/100
10. रामचरितमानस चौपाई – 3/100
11. रामचरितमानस चौपाई –4/100
12. रामचरितमानस दोहा – 101
13. रामचरितमानस चौपाई 1/101
14. रामचरितमानस चौपाई 2/101
15. रामचरितमानस चौपाई 3/101
16. रामचरितमानस चौपाई 4/101
17. रामचरितमानस दोहा – 102

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Comparative Study in Turnover Growth of Life Insurance Post COVID-19

Hardik Kumar Rajak*

***M.A. Economics, Shahdol (M.P.) INDIA**

Introduction - COVID-19 has affected the lives of all beings which raises the question of life uncertainty and risks involved in the coming years. where there is a risk there arises the question of Insurance, LIC being the top insurance provider in the life insurance segment becomes a very important to study the awareness of people towards life insurance along with it relevant private peers (HDFC and SBI Life insurance PVT comp.). People getting more likely aware to buy life insurance, we are going to study the relationship of turnover amongst LIC and other private insurance providers and will try to establish the relationship between other private players and LIC and whether the life insurance has increased or decreased post-COVID.

India has a life insurance penetration of less than 3%. There is a large opportunity to expand the life insurance business given the favorable demographics, and rising prosperity,for our study, we have used the overall turnover of these companies and we will try to establish a relationship between the LIC and its peers (HDFC and SBI Life insurance Pvt company).

One important thing to be noted is that LIC is a statutory corporation formed by an Act of Parliament, viz. LIC Act, 1956, with a capital contribution of Rs. 5 crores from the Government of India.

other than LIC we added SBI and HDFC because they are the other two companies with a big market capitalization.

Research Objective:

1. Impact of covid 19 on the insurance sector.
2. study the increase or decrease in the turnover of Life insurance comp after covid 19.
3. Average CAGR (Compounded annual growth) in turnover.
4. Consistent life insurance provider by evaluation in 2D graphs.
5. Increase or decrease in cumulative turnover of Life insurance provider.

Research Methodology

We will use the CAGR of their turnover to see what is the CAGR and will try to compare it with its year-on-year growth rate.

Data Collection And Tool

Turnover

Year	LIC	HDFC	SBI
2017	492,068	30642	30548
2018	522,848	32246	34068
2019	559,986	38360	44604
2020	615,920	29351	43798
2021	681,605	71447	81913
2022	720,314	65402	82983
CAGR	**7.9%**	**16.37%**	**22.12%**

Sales Growth Year On Year

Year	LIC	HDFC	SBI
2017	5%	68.94%	58.08%
2018	6.26%	5.23%	11.53%
2019	7.10%	18.96%	30.93%
2020	9.99%	-23.49%	-1.81%
2021	10.66%	143.43%	87.03%
2022	5.68%	-8.46%	1.31%

In the X axis we have years and turnover on the Y axis, with the large market cap and customer penetration LIC has massive turnover as compared to its peers the blue shows LIC turnover, red for HDFC, and yellow for SBI.

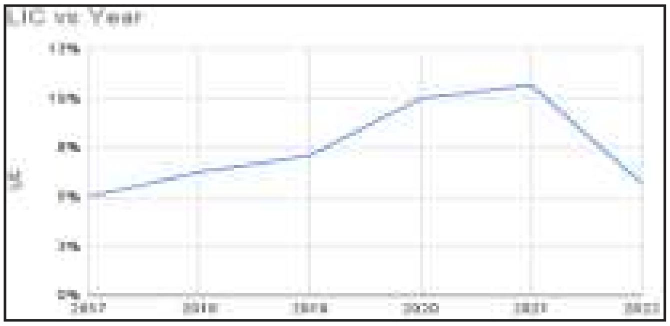

On the X-axis, we have years, and, on the y-axis, we have the growth rate, one may observe that there is a sharp decline in the sales growth rate of LIC after 2021, also LIC has a massive turnover volume and hence a separate graph is required.

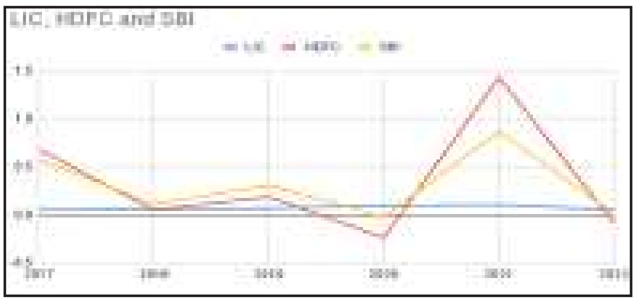

On the X-axis, we have years and, on the y-axis, we have the growth rate here we have a cumulative presentation of turnover and years of LIC SBI AND HDFC we may observe that there is a sharp decline in all three after 2021. for easy presentation, the y-axis data has been shown by dividing it by 100.

Conclusion

LIC- The CAGR of LIC for the last 5 years is 7.9% in 2020 post covid its sales growth is 10 % but after 2021 it is 5% this shows that there has been a complete decline in year-on-year growth.

SBI -CAGR for SBI is 16.37% for cumulative 5 years but after 2021 it falls to 1.31% year on year.

HDFC- CAGR for Hdfc is 22.12% for a cumulative of 5 years but after 2021 it has a sharp fall of - 8.46%.

As we can see that only the LIC has been consistent in providing life insurance with a consistent turnover growth as compared to its peers if we talk about the private players, we can comment that they lack consistency in their turnover, post covid we can see that there is a jump in Life insurance by the consumer but after 2021 there has been a sharp decline in the life insurance sector.

After talking to the LIC development officers, their comments are as follows

Due to large layoffs and unemployment in the labour market, there is a sharp decline in the life insurance sector. increased inflation and uncertainty in global markets lead to a large-scale global recession prospective condition and the insurance sector has to suffer the same due to uncertainty

Study Limitation – The research has been made on quantitative data, but the conclusion also includes a statement made on qualitative factors collected talking to LIC development officers and sales agents.

Acknowledgment – Ajay Vijra (LIC D.O.) Shahdol branch {No1 in new business performance for last 15 years} for his valuable suggestions and insights in the life insurance sector Sanjeev Shrivastava (LIC D.O.) Shahdol branch for his perspective on a macro view of the insurance sector. Dr. Sunita Wathrey (HOD of Economics, Pt Sambhunath Shukla, Board of studies chairperson since 2014 – 2017 APS university Rewa, 2017 till date for Pt Sambhunath Shukla university, EC member of Madhya Pradesh economics association) for designing the mode of research and her experience of past 35 years.

Author Contribution – data collection and data arrangement so that a meaningful conclusion can be drawn author contributed to the conceptualization of the research, collected, and analyzed the data, and wrote the manuscript. The author supervised the research and contributed to the analysis of the findings and writing of the manuscript. Additional study data are available on request from the corresponding author.

Funding- none

Conflict of interest - none

References:-

1. Business Standard 21 august 2022 (LIC sees 20% decline in death claims in QMagzineas Covid impact ebbs)
2. Yogshem Magzine LIC (monthly)
3. HDFC life insurance financial statement (2017/2018/2019/2020/2021/2022)
4. SBI life insurance financial statement (2017/2018/2019/2020/2021/2022)
5. Journal of Positive School Psychologyhttp://journalppw.com 2022, Vol. 6, No. 6, 2928- 2935An Empirical Analysis Of Key Determinants Affecting The Financial Performance Of Hdfc Life Insurance Company Dr. T. THIRUPATHI1, S. SUBHASHINI2 https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/7745/5072
6. Performance Evaluation of Bancassurance— A Study on SBI Life Insurance Company T.Hymavathi Kumari**and Beana Ceilina Dorthy* http://www.crdeepjournal.org/wp- content/uploads/2014/01/Vol-1-3-1-IJSSAH.pdf
7. Covid-19 myth vs facts Media reports claiming LIC IPO Data Confirming Massive Death Numbers in2021are speculative and not factual https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx? PRID=1799547

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Biological assessment of Moghat Reservoir water body at Khandwa (East Nimar) M.P. India

Dr. D.S. Waskel* Dr. K.S. Alawa**

***Department of Zoology, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA**
**** Department of Botany, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA**

Abstract - The biological assessment of Moghat reservoir Khandwa M.P. has been studied. The study of physico-chemical parameters was seasonally carried out of two years 2021- 2022. Five sampling stations where selected at Moghat reservoir. The water samples collected ware analyzed as per standard methods of APHA (2005). Obtained results where compared with standard values laid down by various agencies BIS (1991) and WHO (1992). The study was conducted based on their water resources, using of Phytoplankton and zooplankton communities and origin of pollution such as utilization by human and animals. The present study was total hardness, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand (BOD), turbidity total dissolved solid (TDS) chemical oxygen demands (COD), P^H etc.
Key words- Assessment, drinking water, Moghat reservoir Khandwa, Parameters, Physico- chemical.

Introduction - Water is one of the most precious natural resources and is essential for everything on our planet to grow and prosper (Buragohain *et al*. 2007). 97.2 percent of world water is found in ocean and sea and the remaining 2.8 percent of water is found as ground water and surface water. Water is disregarded now by the developmental activities like industrialization, urbanization etc. WHO and BIS has given a setoff guideline values for drinking water quality WHO (2004) A systematic investigation has been carried out to study the Moghat reservoir water quality, nutrient status and Physico- chemical characteristics. Water for human consumption should be free from pathogenic agents and harmful chemical, pleasant to tested and unable for domestic propose, the study was carried out by collecting Pont water samples from different five stations in Moghat reservoir near Khandwa (M.P.) water sample were analyzed for their physico-chemical characteristics. The parameter namely TDS, BOD, COD, DO, P^H, total hardness, turbidity were compared with the WHO and BIS standards of drinking water quality of India. The quality of water samples under study were above the desirable limit but within the tolerance level. The study also include Physico-chemical parameters and significant values of the observed than discussed in this paper and various suggestions, to improve the water quality in this reservoir.

Material and methods: Moghat reservoir studied near Khandwa district (M.P) in a small river Moghat village. Catchment area of the reservoir was 23.30 square kilometer and storage area was 2.02 square kilometer this water reservoir is situated at a height of 324.54 meters above the sea mean level. Height of the band is 12 meter and depth is 8.78 meter. This reservoir not only fulfill the water supply demand of the local people but also provides the water to the animals of the nearby forest area, in this way reservoir helped in developing and maintaining biodiversity of land and aquatic organism.

The water samples were collected from 4 different direction sampling stations. Water samples were collected in plastic bottles seasonally during 2021-2022. Physico-chemical parameters were analyzed as per the standard method AHPPA (2004). And Trivedi and goel (1986).

Results and discussion: The physico- chemical parameters of selected four stations in the Moghat reservoir have been given in table one and two and three.

Total dissolved solids (TDS): Is an indication of the degree of dissolved substatances. The TDS in water are composed mainly of carbonates, bi-carbonates, chlorides, phosphates, and nitrates of calcium, magnesium, sodium, potassium, organic matter, salts and other particles. The standard for TDS is proposed as 500 mg/l. from the data collected from the sample from 103 to 145 mg/l which is lower than the desirable limit of 500 mg/l.

Biological oxygen demand (BOD): The BOD of water is indicates of organic pollution. the BOD values are found minimum 2.7 mg/l in the winter season and maximum 4. 8 mg/l in the summer season. the BOD values of all the samples under the permissible limit of BIS.

Chemical oxygen demand (COD): The COD is measures of the oxygen equivalent of the organic matter in pond water. the COD values water found minimum 9.0 mg/l in the winter season and maximum 11.8 mg/l in the summer season.

Dissolved oxygen (DO): Dissolved oxygen is important

factors that determine determined the quality of a water assessment which reflects the physical and biological process periling in water. DO content were found minimum 4.2 mg/l in the summer season and maximum 9.3 mg/l in the winter season

Total hardness: It is a major of variable complex mixture of onion cat ions. in reservoir the principal cat irons which important hardness are calcium and magnesium. hard water in objectionable for domestic propose science it need lot a soap for late formation (Trivedi and goel 1986). The total hardness water ware found minimum 102 mg/l in rainy season and maximum 152 mg/l in summer season. The same trends were reported by (Jain *et. al* 1997).

Turbidity: Turbidity of water is important parameters, which influence the light Penetration. The turbidity minimum values was recorded in water 23 NTU while, maximum 230 NTU was recorded in rainy season. Similar seasonal variations in reservoir were recorded (Sharma *et.al.* 2011).

P^H: P^H is important parameters which is evaluating the acid-base balance of water. the P^H of Moghat reservoir water samples were found to be higher 8.6 mg/l in summer season and lower values 7.2 mg/l in rainy season. P^H of 7.75 and WHO prescribed range of 6.5 to 8.5 the P^H was within the desirable limit of BIS and WHO.

Conclusion: Biological assessment of Moghat reservoir water is very important because they play a very important role in maintaining the aquatic ecosystem and it is a observed that in the reservoir water different species of planktons. Even for the study of the tropic status the biological parameters are very important.

Acknowledgement: The authors are grateful to Dr. S.S. Baghel, Principal and Prof. R.C. Ghawari, Head of Zoology Department Govt. P.G. College, Dhar for providing research facilities. We are also thankful to PHE Officer Dhar for help during the study of biological assessment of Moghat reservoir Khandwa district M.P. Special thanks are due to all acknowledgeable for the important information giving regarding the study area.

References:-

1. **APHA (1992)**.Standard method for examination of water and waste water. Washington D.C.
2. **APHA (2005)**.Standard method for examination of water and waste water American public health association.21 st Edt. Washington D.C.
3. **Basavaraja Simpi, S.M. Hiremath,K.N.S. Murthy, K.S.Chandarash,APPA, Anil N. Patil, E.T.Puttiah (2011).**Analysis of water quality using physico-chemical parameters Hosahalo tank in S.Himega district, Karnatka, India, 11 (3).
4. **BIS (1991).** Specification for drinking water quality Indian slandered institution New Delhi, India.
5. **Bachmann R.W.(2001)**.The limiting factor concept, what stops growth. *Lake live, spring* 2001:26-28
6. **Jain M.K., Dadhich L.K., Kalpana S.(2011).** Water quality assessment of Krishanpura Dam, Baran, Rajasthan, India, *Nature envi. and pollu.,Tech*, 10(3), 405-408.
7. **Kar S. and Kar D. (2013**). Studies on zooplankton diversity of an oxbow lake of South Assam, India Int. *Jour. Of current research,* 5(12) 3652-3655.
8. **Mishra s. and Joshi B.D. (2003).** Study of plankton diversity of Narmada river, Gujarat. *Jour. Of current sci*.,16 (1) 11-116.
9. **Sharma S., Solanki, C.M. Sharma D. and Tail,I. (2013).** Population dynamics of plankton in river Narmada at Omkarreshwar, *IJAR* 1(1): 11-15.
10. **Trivedi R.K. & Goel P.K. (1986).** Chemical and biological method for water pollution studied, *Envi. Pub. Karad*, 215.
11. **Waskel, D.S. (2015).** Phytoplankton periodicity in relation to abiotic factors in Kapur tank, near Mandu district Dhar (M.P.) India. *Jour. Of NSS*, Vol.(1): 17-19.
12. **Waskel D.S. and Alawa K.S. (2017**). A case study of Krishnpura Lake Indore M.P. *Jour.of Divya Shodh Samiksha* Vol (1): 20-22.
13. **Waskel D.S. and Alawa K.S. (2022**). Study of phytoplankton density and physico-chemical parameters in Man-dam Dhar (M.P.) India. *Jour. Of NSS* Vol (1):16-18.
14. **WHO (1992).** Guideline for drinking water quality 2 ed. *Recommendations*.172-181.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Table:1 Seasonal variations in physico-chemical parameters of Moghat reservoir during-2021

S.	Parameters	Station-I			Station-II			Station-III			Station-IV		
		R	W	S	R	W	S	R	W	S	R	W	S
1	TDS	105	120	145	107	122	140	103	125	144	106	124	140
2	BOD	3.9	2.7	46	3.6	2.9	4.8	3.7	2.9	4.6	3.8	2.8	4.7
3	COD	10.2	9.0	11.6	10.8	9.7	115.4	10.3	9.5	10.2	10.7	9.4	11.8
4	DO	4.8	9.3	4.10	5.7	9.1	4.2	5.9	9.0	4.15	4.4	9.2	4.12
5	Total hardness	105	121	150	102	125	152	106	122	145	107	128	148
6	Turbidity	226	23	104	228	29	109	221	33	110	230	30	107
7	P^H	7.4	7.77	8.6	7.5	7.9	8.2	7.2	7.6	7.78	7.44	8.0	8.4

Note: Turbidity NTU *mg/l

Table:2 Seasonal variations in physico-chemical parameters of Moghat reservoir during-2022

S.	Parameters	Station-I			Station-II			Station-III			Station-IV		
		R	W	S	R	W	S	R	W	S	R	W	S
1	TDS	102	122	148	103	120	142	104	127	145	105	120	141
2	BOD	3.7	2.8	4.5	3.4	2.10	4.7	3.5	2.8	4.5	3.7	2.10	4.6
3	COD	10.3	9.1	11.7	10.8	9.9	11.3	10.5	9.8	10.4	10.5	9.5	116
4	DO	4.6	9.4	4.10	5.5	9.0	4.2	5.9	9.2	4.11	4.5	9.3	4.12
5	Total hardness	107	122	151	102	124	150	140	121	144	106	129	146
6	Turbidity	224	25	103	220	32	108	220	32	111	230	33	108
7	P^H	7.4	7.76	8.5	7.4	7.8	8.1	7.1	7.5	7.71	7.40	8.1	8.2

Note: Turbidity NTU *mg/l

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

सामाजिक परिवर्तन तथा महिलाओं की भागीदारी-एक विश्लेषण

माया कनारे *

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, मेहंदवानी, जिला डिण्डोरी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र आदि समाज में महिलाओं के महत्व स्वीकार करते हैं। समाज में महिलाओं के योगदान को मुख्य रूप से उन तरीकों से स्वीकार किया जाता है, जो इसके कल्याण को आगे बढ़ाते हैं। कुछ उदाहरणों में समाज की भलाई को आगे बढ़ाने के लिये उनके प्रयास उनके रोजगार से ही संभव हो पाते हैं। विभिन्न आयु समूहों को सामाजिक, आर्थिक स्तर की महिलायें लोगों की भलाई के लिये विभिन्न कार्यों में भाग लेती है।

प्रस्तावना – समाज में महिलाओं की जिम्मेदारियों के महत्व को आमतौर पर तब ध्यान में रखा जाता है। जब वे कुछ निश्चित वातावरण में काम करती है। पूर्व के दशकों में पारिवारिक रूप से परिवर्तन हुये हैं, वे सर्व विदित है। एकल परिवार अधिक आम हो गये हैं जब बच्चों को पालने के लिये महिलायें पूरी तरह जिम्मेदार हैं वे अन्य कार्य विकल्पों में संलग्न हो सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। घर में महिलायें की प्राथमिक जिम्मेदारियों अपनी संतानों को सांस्कृतिक मूल्यों सिद्धांतों और विश्वासों को प्रदान करने में केन्द्रित होती है। भारत में राजनीतिक, धार्मिक समाज और संस्थाएं महिलाओं की समस्याओं के लिये नीति समर्थन के लिये कई बाधाएं उत्पन्न करती है। भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के दौरान महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि महिलाओं को यह सुनिश्चित करने आवश्यकता है कि वे मापदण्डों का पालन करें और समाज में किसी भी स्थिति को निभाते हुये सामाजिक कल्याणों को व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा दें।

महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक– जब हम भारतीय सामाजिक संस्कृति को देखते हैं तो यहां पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें पुरुष को विवेकप्रधान तथा स्त्री को भावना प्रधान माना गया है। पुरुष राजनीति में सक्रिय एवं निष्क्रय है। इस समाज में स्त्री वृत की परिधि में तथा पुरुष केंद्र में रहता है। एक स्त्री की पहचान उसके पति या पिता से की जाती है। वहीं अधिकांश मामलों में पति-पत्नि की आयु में भी काफी अंतर होता है। जिसके कारण पुरुष महिला का शोषण करता है। दुर्भाग्य से इसे सदियों से चली आ रही परंपरा कहा जाता है। जिनकी जड़ें बहुत गहराई तक पहुंची हुई एवं मजबुत है और यह आज भी एक बहुत गंभीर चुनौती बना हुआ है। वर्तमान समय में विधायिका, कार्यपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो है किंतु उनकी निर्णायक भूमिका नहीं है। स्थानीय निकायों में भी कई समस्याएं सामने आ रही है। उन्हें प्रतिनिधित्व तो मिल गया है लेकिन वास्तविक शाक्तियों का प्रयोग उनके पति, पिता तथा पुत्र के द्वारा किया जा रहा है। समाज में वरिष्ठ लोगों के सामने मौन रहने की संस्कृति के कारण उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित नहीं हो पा रही है।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक– महिलाओं और लड़कियों से घरेलू कर्त्तव्यों का पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। जब वे घरेलू दायित्वों को संभालने की आवश्यकता होती है तो यह अक्सर सार्वजनिक जीवन और अन्य गतिविधिओं में शामिल होने से बाहर रखा जाता है। जब लोग स्कूल जाना चाहते हैं और अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन हतोत्साहित होते है। इस तरह से महिलाओं और लड़कियों को लैंगिक भेदभाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जाता है। जब बच्चे इस प्रकार के आयोजनों से गुजरते हैं, तो सामाजिक भलाई में योगदान करने की उनकी क्षमता भी बाधित होती है। सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं जो महिलाओं और लड़कियों को सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित होने से रोकती हैं, उनमें स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं तक सीमित पहुंच, शिक्षा और ज्ञान का अभाव और जीवन की प्रत्याशा और घर में कैद हैं।

जब गांव और शहरी दोनों परिस्थितियों में महिलाओं के कुछ पारंपरिक दृष्टिकोण है। उदाहरण के लिये महिलाओं और लड़कियों को घर के अंदर विभिन्न प्रकार आर्थिक संभावनाओं में संलग्न होने से हतोत्साहित किया जाता है। जबकि पुरूषों के साथ ऐसा नहीं होता है। दूसरी ओर इन मान्यताओं और मतों की प्रमुखता के कारण वह किसी भी नौकरी के लिये योग्य नहीं है। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिये पारित कानूनों के बाबजूद पुरूष और महिला समुदाय के बुजुर्गों द्वारा लगाए गये सामाजिक मापदंडों को अभी भी पालन किया जाता है।

राजनीतिक कारक– महिला के बिना परिवार, समाज व राज्य ही नहीं बल्कि सृष्टि का भी अस्तित्व संभव नहीं है। वह समाज में दया करुणा, ममता, समरसता भाव की सृजक है। मानवता राज्य की प्रगति महिला सशक्तिकरण के बिना अपूर्ण है। नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार 'तुम मुझे एक योग्य माता दो मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दुंगा' यानि राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। आज मुद्दा उनके विकास का नहीं अपितु नेतृत्व वाले विकास का है। वस्तुत: निजी स्वतंत्रता एवं स्वयं निर्णय का है लेकिन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाए तो जिस अधिकार की वह हकदार है वह उसे अभी तक हासिल नहीं हुआ है चाहे वह विधायिका, कार्यपालिका तथा

न्यायपालिका हो।

उक्त तालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दर्शाया गया है–

क्र.	संसद, विधानमंडल तथा न्यायपालिका	कुल पदों की संख्या	महिलाओं हेतु आरक्षित पद	महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत
1.	राज्यसभा	245	27	11.02
2.	लोकसभा	543	78	14.36
3.	मध्यप्रदेश विधानसभा	230	17	07.39
4.	सर्वोच्च न्यायालय	27	03	11.00
5	राज्य का उच्च न्यायालय	35	03	08.57

उक्त तालिका में अनुसार महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दर्शाया

लेकिन 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन 1993 के बाद भारतीय राजनीति में परिवर्तन आया। संपूर्ण भारत में महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों की सीटों पर 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया उसी समय झारखंड एकमात्र राज्य था जिसने 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देकर अधिक प्रतिनिधत्व के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहित किया। वहीं मध्यप्रदेश के सहित भारत के 14 राज्यों ने भी 50 प्रतिशत स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर न्यायसंगत कार्य किया। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी आजाद भारत में महिला शक्ति का बेजोड़ नमुना है।

आर्थिक कारक – जब कभी महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना होता है तो वित्तीय संसाधनों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिये निर्धनता के कारण कुपोषण से पीड़ित लोगो को भोजन उपलब्ध कराने के लिये उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होती है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होती है या उनके पास पैसे का अभाव होता है तो दान देने या ज्ञान को आगे बढ़ाने तथा लोगों की क्षमताओं में सुधार करने के लिये अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग करने में भी विश्वास करती है।

शोध के अनुसार, देश में कई अनाथ बच्चे हैं जो गरीबी की स्थिति में रहते हैं और उनके पास खुद का भरण–पोषण करने का कोई तरीका नहीं है। जो महिलाएं समाज की भलाई समाज की भलाई को आगे बढ़ाने के लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, वे संगठन बनाती है। इन संगठनों में बच्चों को आवास के साथ–साथ शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, पौष्टिक भोजन और हस्तशिल्प उत्पादन के अवसर प्राप्त होते हैं। वे कलाकृति, गायन नृत्य, भूमिका निभाने और अन्य गतिविधियों के साथ–साथ अवकाश और मनोरंजक गतिविधियों सहित विभिन्न पाठ्येत्तर गतिविधियां में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और अपने समुदायों को बेहतर बनाने में सक्षम है। इसलिए यह माना जाता है कि इस कार्य को करने के लिये धन का होना आवश्यक है। इसलिए चूंकि उनके पास वित्तीय साधन हैं, इसलिए महिलाएं समुदाय के कल्याण को आगे बढ़ाने में प्रभावी रूप से योगदान दें सकती है।

क्षमता निर्माण – पूंजी से अधिक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण को विकास के महत्वपूर्ण स्नहक के रूप मं देखा जाता है। महिलाओं के लिये आवश्य कौशल और प्रतिभा होना महत्वपूर्ण है, जबकि वे अलग–अलग काम और गतिविधियों कर रही हैं। वे गतिविधियां जो संस्थागत और मानवीय क्षमता विकास कहा जाता है। इसे विकास में शामिल सबसे कठिन कार्यो में से एक माना जाता है। सीखना जीवन भर खोज के रूप में देखा जाता है। लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि सीखना जीवन भर कभी नहीं रूकता। नतीजतन लोगों को क्षमता विकास पर अन्य दृष्टिकोण और विचारों के बारे में लगातार जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। समाज के आर्थिक रूप से वंचित हिस्सों की महिलाओं के क्षमता निर्माण में सहायता के लिए व्यक्तिगत समूहों और संगठनों की स्थापना की गई है।

शोध के अनुसार वृद्ध महिलाएं जो अकेले या परिवार के सदस्यों के साथ रह सकती हैं, सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो सकती है। जैसे समाज के वंचित, वंचित और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं को पढ़ाना। यह न केवल भारत का, बल्कि दुनिया भर के अन्य देशों का भी सच है। उनके लिए अपनी क्षमता बढ़ाने, आवश्यक कौशल और प्रतिभा रखने पर ध्यान केंद्रित करना और ऐसा करने के लिए वे जिन विषयों को पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में शिक्षित होना महत्वपूर्ण है। शिक्षण एक चुनौतीपूर्ण पेशा है जो प्रशिक्षकों को लम्बे समय तक और रचनात्मक सोच रखने के लिए कहता है। जब प्रशिक्षकों के पास आवश्यक शिक्षण क्षमताएं होती हैं, तो छात्र अपनी शिक्षा से खुश होते हैं। दूसरे शब्दों में जब शिखा प्रदान करने वाली महिलाएं कुशल और बुद्धिमान होंगी, तो वे विद्यार्थियों को उच्च शैक्षणिक परिणाम प्राप्त करने में मदद करेंगी।

समाज में सहभागिता के विभिन्न आयाम – अलग–अलग उम्र हो पृष्ठभूमि खुशी और तृप्ति का अनुभव करती हैं जब वे समाज की सद्भावना और विकास को आगे बढ़ाने वाली विविध जिम्मेदारियों को निभाती है। महिलाओं द्वारा अक्सर निभाई जाने वाली कई भूमिकाओं की सूची निम्नलिखित है–

स्वास्थ्य संबंधी भूमिका – महिलाएं चिकित्सा या अन्य स्वास्थ्य संबंधी पदों पर होती है तो वे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिये अपनी प्रतिभा व क्षमताओं का प्रयोग करती है। महिलाएं उन स्थानों पर जाती हैं जहां लोग प्राकृतिक आपदाओं या त्रासदियों से प्रभावित हुये है जिनका उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

संगठन संबंधी गतिविधियों में भूमिका – महिलाओं की विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में सहभागिता रहती है। वे इन आयोजनों के लिये अपने दोस्तों परिवार और समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करती है। लोग इन कार्यों को व्यवस्थित करने के लिये अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को नियोजित करते हैं। कोई अन्य लोगों के लिये कार्यक्रमों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है।

घरेलू हिंसा और अपराधिक कृत्यों का उन्मूलन – भारतीय संस्कृति में महिलाएं एवं लड़कियां घरेलू हिंसा और बाहर हिंसक अपराधो का शिकार हो जाती है। इनके किसी के वित्तीय संसाधनों का शोषण मौखिक व शारारिक शोषण यौन उत्पीड़न उपेक्षा और भेदभाव शामिल है। शोध के अनुसार जो महिलाएं घरेलू नौकर के रूप में काम करती हैं उन्हें अपने रिश्तेदारों विशेषकर अपने जीवन साथी और ससुराल वालों से इन व्यवहारों का सामना करना पड़ता है। मुख्य कारण संसाधनों की कमी पैसे की समस्या और जीवन की परिस्थितियों में सुधार करने में असमर्थता है। जब लोग आजकल इस तरह के व्यवहार में लिप्त होते हैं तो उनके विरूद्ध गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए और उन्हें दण्ड भी दिया जाना चाहिए।

कार्य कौशल तथा क्षमताएं – वे सुविधाएं जो लोगों को उनकी जिम्मेदारियों और गतिविधियों को एक सुव्यस्थित तरीक से करने देती है। उन्हें कौशल एवं प्रतिभा शब्द से संदर्भित किया जाता है। महिलाएं सदैव इन मूल्यों को अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि के माध्यम से अपने भीतर स्थापित करती है। महिलाएं

अतिरिक्त कार्यो ओर गतिविधियों में संलग्न होकर अपने कौशल और क्षमताओं को बढ़ाती है जैसे कि पढ़ना, लिखना, शोध करना, इंटरनेट का उपयोग करना, प्रभावी संचार कौशल विकसित करना और जीवन के अनुभवनों को अपने कार्यों एवं गतिविधियों के कार्यान्वयन में शामिल करना, इसके अलावा शैक्षिक प्रमाणिकता भी है।

निर्णय निर्माण में भूमिका – निर्णय जीवन के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाता है। जब कोई दबाव में होता है या विरोधी होते है तो निर्णय लेना की उसकी क्षमता से समझौता किया जा सकता है। विशेष रूप से महिलाएं घर और काम दोनों जगह पर बड़ी संख्या में दायित्वों के बोझ तले दब जाती है। इस प्रकार निर्णय लेते समय सही विकल्प चुनने से पहले विकल्पों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष – समाज के भीतर, महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, ढांचागत और क्षमता निर्माण के मुद्दे ऐसे हैं जो उनके जुड़ाव को प्रभावित कर रहें है। महिलाएं समाज में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल सुवधिाएं प्रदान करना, परामर्श और मार्गदर्शन, पाठ्येत्तर गतिविधियां दान करना, घटनाओं और गतिविधियों की योजना बनाना, अपराध और हिंसा को कम करना, कुपोषण को कम करना, बुजुर्गों की देखभाल करना और ज्ञान का प्रसार करना शामिल हैं और जागरूकता पैदा कर रहा है। उनके वित्त की स्थिति, स्वास्थ्य, जहां वे रहते हैं, शिक्षा का स्तर, कौशल और प्रतिभा साथ ही उनके वंश और रूचियां सभी पर प्रभाव पड़ता है। महिलाएं विभिन्न पदों पर कितना अच्छा प्रदर्शन करती हैं। उनके लिए यह आवश्यक है कि वे संसाधनों का उचित उपयोग करें, नीतियों का पालन करें, और यह सुनिश्चित करें कि जब भी वे किसी कर्तव्य और गतिविधियों के निष्पादन मं लगे हों तो वे अपने प्रयासों और क्षमताओं के माध्यम से अपने कल्याण को बढ़ाने के लिये उनसे लाभान्वित हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. देसाई, एम. ; होप इन हार्ड टाइम्स वीमेन्स एमपावरमंट एंड ह्युमन डेवलपमेंट। मानव विकास अनुसंधान पत्र 2010/14।
2. इन्टरनेट से प्राप्त आंकड़ें।
3. सोहेल, एम ; महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास अध्ययन। खोजपूर्ण एक में पाकिस्तान अध्ययन का देशों का विकासशील, 4, पृ.क्र 163–170

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

रूस यूक्रेन युद्ध : पर्यावरणीय प्रभाव

शुभम ओझा*

* पूर्व छात्र, माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – विश्व एक युद्ध के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण समस्या जो न केवल आज बल्कि आने वाले कई वर्षों तक हमें प्रभावित करने वाली है वह है पर्यावरणीय क्षति।

दिनाँक 24 फरवरी 2022 से रूस एवं यूक्रेन के मध्य चल रहे युद्ध युद्ध ने अनेक पर्यावरणीय चुनौतियां उत्पन्न की हैं। अनुमान है कि युद्ध में प्रयोग होने वाले विस्फोटक तथा जहरीले पदार्थों के कण सीसा तारा यूरेनियम घटिया किस्म का इसके कारण से दोनों देशों में लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा।

स्थानीय प्रदूषण के उपर यह युद्ध महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गे स उत्सर्जन का कारण बनता है। जबकि दुनिया ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारी कमी के लिए संघर्ष कर रही है।औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है यह अतिरिक्त उत्सर्जन के कारण होता है तथा ऐसे युद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज विश्व में कोई भी युद्ध हमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों तक पहुँचने को और भी कठिन बना देंगे।

24 फरवरी 2022 को रूसी संघ के एक अकारण बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया महीनों से युद्ध चल रहा है जिससे मानवीय संकट पैदा हो गया बहुत से लोग मर रहे हैं। घायल हो रहे हैं ये अपने घरों से भाग रहे हैं। सैन्य संघर्ष इमारतों कारखानों और सही नागरिक बुनियादी ढांचे को भी क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया है न केवल इस युद्ध के कारण मानव जगत को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इसके कारण पर्यावरणीय जगत में पेड़ पौधे तथा वायुमंडलीय जीव जंतुओं पर भी प्रतिकूल प्रभापढ़ने वाले है।

प्रस्तुतशोध पत्र में हम युद्ध के कारणहोने वाले पर्यावरणीय प्रभाव तथा अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक संकट पर चर्चा करेंगे।

शब्द कुंजी – युद्ध, पर्यावरण, प्रदूषण, जैविक क्षति, वैश्विक संकट।

चित्र 1 : रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र

रूस यूक्रेन युद्ध के पर्यावरणीय प्रभाव– रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अनेक को पर्यावरणीय प्रभाव देखने को मिलते हैं जिनमे विभिन्न प्रदूषणों को देखेंगे।

1. **प्रदूषण –** युद्ध में उपयोग किए गए हर बम के विस्फोट से भारी धातुओं के कण निकलते हैं जिनमे जहरीले कार्बनिक यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड आदि है। ये प्रदूषक हवाओं और भूमिगत जल में फैलते हैं इसीलिए रूस एवं यूक्रेन पर आगामी पारिस्थितिकी प्रभाव देखने को मिलेंगे।हाल ही में कीव में वायु जांच में प्रदूषण सांद्रता को सामान्य से 27 अधिक दिखाया गया है।डी पेंटागन के मुताबिक यूक्रेन में रूसी बम तथा रॉकेटों के फटने से वहाँ के शहरी एवं आवासीय झीलों को जहरीले बादलों ने ढक लिया है। किसी भी क्षेत्र की नदियां तथा वहाँ की सागरीय सीमा की अपनी एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है।युद्ध में विभिन्न विस्फोटकों में निम्न खनिजों का उपयोग हुआ है जो जल प्रदूषण के प्रमुख कारण होते हैं। जो कि निम्नानुसार हैं :

- **मर्करी–**मिनीमाता रोग
- **एस्बस्टस–**फेफड़ों का कैंसर एवं पेट की बिमारी
- **फ्लोराइड–** फ्लोरोसिस
- **नाइट्रेट–**ब्लू बेबी सिंड्रोम
- **कैडमियम–**इटॉई इटआई रोंग

इस युद्ध पर दृष्टि डालें है तो काला सागर भी आज युद्ध का रंग मंच बन गया है। विभिन्न वाहनों तथा युद्ध टैंकों के द्वारा छोड़े गए ईंधन और स्नेहक के रिसाव से पानी प्रदुषित होता है, जल का रासायनिक संतुलन बिगड़ जाता है।

झगड़े के दौरान निश पर डोनेट्स और फिर पिन नदिया प्राकृतिक रूप से इस युद्ध के कारण विभिन्न प्रकार केप्रदूषकोंसे प्रभावित हुई है,युद्ध के दौरान हुई पर्यावरणीय हानि का अनुमान लगाना मुश्किल है परन्तु यह यह अनुमान लगाया जा सकता है की आगामी वर्षो में इसका प्रभाव न केवल इन दोनों देशों पर बल्कि पूरे विश्व पर देखने को मिलने वाला है।

जैविक क्षति – यूरोपीय जेल विविधता में यूक्रेन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यूरोप की लगभग 35% जैवविविधता यूक्रेन में हैं 75,000 से अधिक वनस्पतियां तथा जीवों की प्रजातियां रहती है। परन्तु इस युद्ध के कारण स्थानीय आबादी तो प्रभावित हुई है। इसके साथ अनेक को पशु पक्षी तथा जंगली जानवर अपने घोसलों को छोड़ने को मजबूर हुए हैं एवं वह इस युद्ध के शिकार हुए हैं।न केवल युद्ध के दौरान ही उनको क्षति होगी बल्कि आगामी कई वर्षो तक यह क्षति उठानी पड़ेगी।

डॉल्फिन सबसे अधिक प्रभावित प्रजातियां में से एक बनी है वैग्यानिकों का मानना है कि डॉल्फिन भारी धातु विषाक्तता, धातुऔर सैन्य सोनार से

अभूतपूर्व ध्वनि प्रदूषण के कारण भटकाव से मर जाते हैं। कुछ शव पर यह आंतरिक चोटें और जलने के निशान देखे गए थे।

अन्य पर्यावरणीय प्रभाव – इस युद्ध के प्रारंभ से ही अनेक पर्यावरणीय है परियोजनाओं को रूस के साथ बंद कर दिया तथा यूक्रेन में लगभग सभी संरक्षण पर योजनाएं बाधित हो गई।इस बीच यह संभव है कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को यह युद्ध बाधित करेगा तथा इससे सीओटू उत्सर्जन में वृद्धि होगी तथा ग्रीन हाउस गैस के प्रभावों से प्रभावित होना पड़ेगा।

चित्र 2 : युद्धक टैंकों के प्रयोग के पर्यावरणीय प्रभाव।

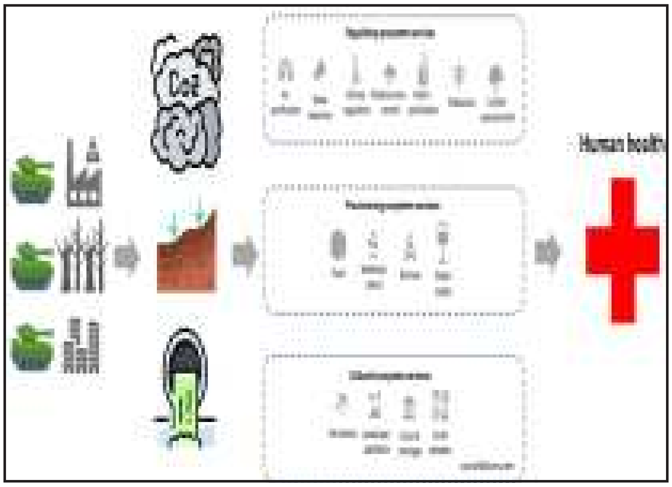

स्त्रोत–https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S004896972202962X-ga1_lrg.jpg

निष्कर्ष– निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है की किसी भी युद्ध का प्रभाव वहाँ के पर्यावरण तथा जैविक पक्ष को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। युद्ध में उपयोग लिए गए विस्फोटक तथा उपकरणों के कारण से पर्यावरण में अनेक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। आवश्यकता यह है कि विश्व के शक्तिशाली देशों को इस पर ध्यान दे देना चाहिए तथा वहाँ की पर्यावरणीय क्षति को भी ध्यान में रखकर चिंता करनी चाहिए क्योंकि आगामी वर्षो में हमारे पर्यावरणीय लक्ष्यों पर इनका प्रभाव देखने को मिलने वाला है।इस पर अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संगठनों को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लाजार्ड, ओ। (2022-03-04)। 'रूस का यूक्रेन आक्रमण और जलवायु परिवर्तन साथ- साथ चलते हैं'। कार्नेगी यूरोप। पुन:प्राप्त 2022-07-01
2. एन इकोसाइड: यूक्रेन में संघर्ष कैसे पर्यावरण पर बमबारी कर रहा है। टीआरटी वर्ल्ड। 2022-04-29। 2022-07-19 को पुन:प्राप्त।
3. कोन्या, रेनाटा (20-06-20)। 'यूक्रेन संकट: युद्ध के अभूतपूर्व पर्यावरणीय प्रभाव, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने चेतावनी दी'। बुडापेस्ट बिजनेस जर्नल। पुन:प्राप्त 2022-07-01।
4. जेनेवीव कोटारस्का, लॉरेन यंग। 'हरित असुरक्षा: यूक्रेन में युद्ध की पर्यावरणीय लागत'। रुसी। पुन:प्राप्त 2022-07-01
5. 'क्या कैस्पियन में एक सील हत्यारा रूसी मिसाइलों का जहरीला ईंधन है?'। तुरान सूचना एजेंसी। 2022-12-05। पुन:प्राप्त 2022-12-17
6. ओवेन, एड (2022-03-21)। 'यूक्रेन में रूसी गोलाबारी के कारण अमोनिया के खतरे की व्याख्या'। न्यूजवीक। पुन:प्राप्त 2022-07-01
7. जोन्स, बेंजी (2022-06-02)। 'रूस के युद्ध से प्रदूषण यूक्रेन को दशकों तक जहर देगा'। स्वर। पुन:प्राप्त 2022-07-01
8. पोलित्युक, पी.य क्रेलिन, एफ। (2022-02-25)। 'रूसियों द्वारा संयंत्र पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन ने उच्च चेरनोबिल विकिरण की सूचना दी'। रायटर। पुन:प्राप्त 2022-07-11
9. सैंटोरा, मार्क (2022-06-02)। 'काले सागर में डॉल्फिन मर रहे हैं, और युद्ध के हताहत हो सकते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं'। दी न्यू यौर्क टाइम्स। पुन:प्राप्त 2022-07-01।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Over Exploitation and Energy Crisis

Dr. Basanti Jain*

***Professor (Chemistry) Govt. Girls M.L.B. (P.G.) Autonomous College, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - Energy is the ability to do work. Our earth is part of a planetary energy system, receiving energy from the sun. This energy undergoes changes in many ways and it affects both the biotic and abiotic components of the earth. Based on availability and abundance, energy resources are classified into renewable and non-renewable sources. Renewable sources are, such as solar, water, wind and biomass. The energy resources such as fossil fuels (coal, petroleum), natural gas, nuclear fuels, etc. are the non-renewable energy resources.
Key words - Energy, Resources, Consumption.

Causes of Energy Crisis - The major factors for energy crisis are :

1. High Population growth
2. Overuse of energy
3. Technical invention and industrial development
4. New lifestyle of modern society
5. Injudicious use of energy

High Population Growth: As the population growth increases the demand for the energy consumption also increases. But the supply of energy is limited. Thus, there is a big gap between the demand and supply of energy. Therefore, in many areas there is load shedding, breakdown of grids, etc.

Overuse of Energy: Overuse of energy has also a very strong relation with population growth. As the world population rises and economic growth occurs, the depletion of natural resources influenced by the unsustainable extraction of raw materials becomes an increasing concern.

Technical Inventions and Industrial Development: Technical inventions and industrial development are complementary to each other. To support the huge population new advanced transportation means have been developed which need more fossil fuel. This inturn, creates energy crisis.

New Lifestyle of Modern Society: To comfort themselves they use air conditioners, generators, refrigerators, washing machines, vehicles etc. These items consume large amount of electrical energy and fossil fuel. All together they drive into the energy crisis and destroy our environment as well. As the consumption rate increases, their by products will also increase which in turn require further energy for waste disposal.

Injudicious use of Energy: Most of the energy crisis arises due to injudicious use of energy. The modern lifestyle consumes a large amount of energy where it is not needed. India's continued industrialization and urbanization will make huge demands of its energy sector and its policy makers.

Solutions of Energy Crisis: Energy crisis arises due to the big gap between the demand and supply of energy requirements. Energy crisis may be solved by reducing the gap to the maximum by the following steps :

1. Improve the designing of equipments to yield more energy output from a given amount of input.
2. Use of alternative sources of energy which is pollution free like solar energy, wind energy, hydroenergy, tidal energy etc.
3. Use of biogas energy which is produced from the residue of plants and animals.
4. Do not use the energy when it is not required. For example, use public transport instead of using a separate vehicle for you.
5. Use of energy saver lightening system, energy efficient chullhas to save energy.
6. Substituting new and efficient machinery parts for old ones will consume less energy.

Effect on Environment: The immediate impacts on environment of the over exploitation of energy resources particularly fossil fuels are :

(i) depletion of resources and
(ii) degradation of environmental qualities such as they have impact on air, water and soil.

The burning of fossil fuels in industries and transportation release a large quantity of gaseous, liquid and solid wastes into the atmosphere. The extraction, mining, processing and transportation of energy resources generate a large quantity of waste product which causes

many chronic and acute diseases. The air pollutants like CO_2, SO_2, NO_2, etc. are harmful to both living and non-living things.

References:-

1. Deswal Surinder & Deswal Anupama, 2005, Energy Ecology, Environment, Environment & Society, Dhanpat Rai & Co. (P) Ltd. Delhi.
2. Pani Balram, Environmental Chemistry 2007, I.K. International Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi.
3. Rajagopalan, R., 2011, Environmental Studies, Second Edn., Oxford University Press, New Delhi.
4. Muley Gunaker, 2013, Urja - Sankat Aur Hamara Bhavishya, Raj Kamal Prakashan, New Delhi.
5. Singh s; 2021, Crises Challenges and Solutions: Energy Crisis and Climate change, https://onlinelibrary.wiley.com
6. Global Energy Crisis and India's Energy Dynamics, 26 Dec 2022, Economic Times.

****

Twenty First Century Postmodern Heroesof Bollywood

Piyush Bhaira*

*Assistant Professor (English) Shri Shiv Charan Mathur Govt. College, Mandalgarh, Bhilwara (Raj.) INDIA

Abstract - Cinema does not happen in isolation, socio-political discourse always shapes it.Our heroes also come from this discourse. Postmodernism is a shift and this shift took place because of the globalisation. In May,1998 something remarkable happened for Bombay film industry, Indian goverment announced that it would grant Bollywood the right to finance its films through foreign funding, with this move Bollywood got global sponcers such as Coca-Cola and Nokia. Bollywood is a globalised term in twenty first century so, it becomes important to analyse it through the 'Eurocentric Hermeneutics'. As Ajay Gehlawat in his book Reforming Bollywood Theories of Popular Hindi Cinema (2010) has reminded us that indigenous frames of references can also be a trap in Eurocentric hermeneutics. Postmodern perspective can contribute towards issues of representation,realism and artistic value within popular Indian cinema. It is modernity that seeks to withdraw from the autonomy of traditional practices, while postmodernism preoccupies itself with revisiting history, tradition, and the past. This research will be based on the five major characters of five different contemporary movies, which includes Devdas(2002), Kabir Singh (2019), Koi Mil Gaya(2003), Gulal(2009) and Dev D (2009). Research will be further devided in two parts, one would focus on the commercially successful movies, and the other will be based on the or realist cinema. Commercial cinema's heroes have been viewed as escapist, but the postmodernity is traced in their character through the visual aspects, and how aesthetic energy is dissipated according to the demands of camera lens, commercial cinema's heroes are known for their cosmetic stylisation over the substance and their characters are established through symbols and camera lences rather than the intellectual discourse. I shall try to locate and interrogate, how postmodern heroes of realist cinema has dismantled old grndnarratives(Postmodern Condition: A Report on Knowledge 1979 by Lyotard) of cultural codes ,as result all the marginalised discourse came into hetroglossic play of carnival, visually established heroes are erased and tinsel world filled with the character, who engages in dialogic interaction. Kabir Singh, Devdas and Rohit of Koi Mil Gaya falls in the catagory of Scott Lash's Figural, where Kabir and Rohit's hypermesculinity is part of Jean Baudrillard's 'simulacra'. This idea of simulacra or hyperreality is further extended by Scott Lash in his book Global Culture Industry (2007), his idea of 'Figural' talks about how intellectualised hermeneutics is replaced by sensory and visual images. Piyush Mishra as Prithvi Banna in Gulal(2009) and Devendra Dhillon of Dev D (2009) as realist heroes have broken the hegemonic gaze,they appear more as a characters than heroes, they have their own gray areas and decenter the scopic fields of the film. Postmodernity is known for transformation of past over the study of its orignal invention and it's affiliation with the dutifullness towards the indigenous . Dev D as a remake of Devdas is part of realist cinema. It incorporates the ideas of Gerard Genette's Metatextuality, where the past originality is evoked to show the present reality through the character of Devendra Dhillon or Dev D.
Keywords- Postmodernism,Hyperaestheticism,Hyperreality,Figural.

(1) Personality of the hero through the visual aspects :Hyperreality

Bhansali's hero supports Scott Lash's concept of postmodern cinema's move towards a discourse of the figural. (Neelam Sridhar Wright - Bollywood and Postmodernism Popular Indian Cinema In 21st Century). It is called a ''Regime of Signification''. It shows that sensory and visual is previledged over intellecctual discourse of the movie, for example Devdas's character is not established through the narrative or dialogue but through few images of the wealthy mansion that looks like a royal palace not like a home of a Bengali zamindaar. Devdas is returning home after ten years but more impotance is given to the the palace which is very opulant and beautiful. Rachel Dawyer called Devdas as hero of exccess'' The zamindars are presented as glamourous and supermely wealthy in the manner of bazzar art, whears during 1930 they were in decline'. Bhansali is dictating history according to popular demand, this reshaping of past and fragmentation of historical facts makes it postmodern. Devdas is based on the idea of love, which is not fulfilled because of the socital norms, but in the whole film society is absent because of the use of excessive aestheticism audience numbs their senses and forget to question the reality. Here, the feelings

of Devdas are capitalised, whenever he is emotional simulteniously the opulance of surrounding is shown, for example the dying scene of Dev, where leaves are falling on Dev, it seems that this place does not exist on earth. Another example of over aestheticism is shown, when Devdas first time meet Paro, camera focus is on their eyes, lips and on cheeks and dialogues are glossed over by showing few doves outside the window of Devdas's room. ''Devdas's image is so styled upon the vintage fashion of 1930's England, complete with Englishman's hat cravat coat and smoking cigarette'' (Neelam Sidhar Wright). By increasing the visual energy of the film Bhansali aims in postmodern fashion for sublime to present those intangiable emotions that can not be described. Through the use of symbols Bhansali is trying to present the unpresentable, he is able to present Shahrukh's emtional dilemma which, he is not able to present through dialogues. The dilemma of Devdas is visible, when he writes a letter of rejection to Paro claiming, ''Another thing:i had never felt that i loved you tremendously -even today.I cannot feel any deep well of sorrow in my heart for you ...try to forget me ,i pray that you succeed.'' He loves Paro but can not upset sociatal norms, this dilemma of Shahrukh is only presentable through his over emtionality. Devdas's tragic-heroic like status is broken in Dev D, where Davendra left the idea of self destruction and restarts his life.

1. Role of Visual Aspects in Kabir Singh and Koi Mil Gaya - Contemporary films have engaged in a kind of aesthetic excess, bombarding the spectator with intricate details and dazzling images in order to evoke the sublime..Kabir Singh movie revolves around leading actor's costly bike and his toxic masculinity, it is so unrealistic that in the whole movie the leading actor didn't even ask the leading actress (Preeti), whether she loves him or not, love is only expressed through few punches and slaps, so this qualifies the defination of postmodern, where pleasure of the image becomes important. According to Neelam Sidhar Wright "the sensory overload results in a supposed numbing of the senses towards the visual stimuli" (Bollywood and Postmodernism). The images of cigrate and wine are thrown on the screen to please the audience and the audience forget to question, whether the hero is in love with the heroine or with himself. The pleasure of the image is important aspect in postmodernism fragmanted body and sexuality to dominate over narrative. Hypermasculinity is an ideology of exaggerated belief about what it is to be a 'man'. It promotes the idea that men should be authoritative, emotionally bankrupt and have a chiselled body. Ben Zeev(Hypermasculinity In The Media: When We Walk into The Fog) says ''Media does not only reflect cultural norms but can does transform social reality, wehere masculine image is constructed through bombarding of images'' Antonio Vittalli wrote a book Hindu Action Cinema :Narrative and Body (2008), where, he says commercial hero is representative of 'unreal plasticity, which is symbolic of luxury and leisure, in newer films where, hero is less acrobatic and agile than earlier eras. There is little evidance of character's masculine heroic traits such as bravery, strength, courage. We are instead left to acknowledge this purely through the character's visual style (leather jackets,designer clothes,sun glasses), through the use synesthetic or saturated images abusive relation between hero and heroine is normalised. Koi Mill Gaya a 2003 science fiction movie focusing on Rohit a mentally disabled youth due to brain injury, he received in an foetus. His life changes when he comes across an extra terristrial. Movie is bollywood reinterpretation of Steven Spielberg's E.T. :The Extra Terrestrial. Koi Mil Gaya is Bollywood's first science fiction, but the whole idea of science is blurred in the presence of melodrama, it is more based on Geoff King's 'Spectecular Vistas'(Spectacular Narratives: Hollywood In The Age of The Blockbuster (Cinema and Society) where, a film is designed to offer wide range of technicallly enhanced visuals in order to cater diverse audience, similarly in Koi Mil Gaya in the name of science technically enhanced visual are thrown on screen. E.T.'s hero approaches everything with a scientific curiocity, he makes object float to demonstrate the solar system, he builds a satellite transmitter, but Jaddu and Rohit employs their powers for less practical reasons. They are instead used for more entertainment values and dramatic effect, such as Jaddu makes the cricket ball float to amuse the children. Rohit hits Raj and he flies in the basket ball match. Rohit and Jaddu do not have the scientific curiocity, they are more bussy in socialising with friends.

2. Heroes of Realist Cinema :Gulal and Dev D - Francois Lyotard in his book Postmodern Condition(1979) defines Postmodernity as a break of metanarratives and replacing them with mininarratives, similarly the metanarrative of hero is also broken in realist cinema. They are real and carrying the historical and political content. Realist Cinema's Postmodernity is based on the decentered heroism. Traditional heroes were constructed in an aristocratic aura, being elevated into an idealised and larger than life representationand fed the audience with visual fiesta. In realist cinema heroes are more characters than actors, they have their own gray areas, they breaks the monolithic refrence points and gives space to hetroglossic play of carnival, visually established heroes are erased and tinsel world is filled with the characters, who engage in the dialogic interaction. Hero was tyrant, who narrowed our scopic field by compelling us to perceive reality through his reference points. Because of the death of the monolithic reference points, films have become more inclussive and multiple viewpoints are previledged. This decentered and fragmented heroism is visible in Anuraag Kashyap's Gulal(2009). Gulal is based on the effect of annexation of princely states on the present day Rajput rulers, zamindars, and the grievance about abolition of 'Privy Purse'. Anuraag Kashyap has unique style of story telling, he provides multiple view points and voices, there is no final or dominant fixed identity but rather plethora of multiple narrative, which

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

makes his movies postmodern, similarly in Gulal, there are many narrative voices such as Dilip Chaudhary and Dukki Banna (K.K.Menon), they are someone, who try to reclaim the past aura, but Prithvi Banna a Rajputised Lenin (Piyush Mishra) incorporated by Kashyap as a Shakespearean fool, who is considered as a most stupid person by the dominant characters, but in reality he is the one, who is wise and making other aware about their future. He has changed the whole narrative of hero in Bollywood. Prithvi Banna as modern bard of Dukki's court always criticising him through his songs and poems. Being a fool, Prithvi (Piyush Mishra) is liberated to use few random lines in the film and for audience these lines are both humorous and also presenting a social reality, for instance, Prithvi makes a pseudo phone call to American President and says "President you are responsible for the bad oil in the Middle East", there is no context of any international issue in the main idea of the film, but Kashyap has incorporated multiple viewpoints only through the character of Prithvi Banna. It shows that the ideas of expensionism or sepratism have not only distorted the peace of India, it is also visible in the global scenario. Neelam Sidhar Wright in her book Bollywood and Postmodernism:Popular Indian Cinema in Twenty First Century, rightly called realist heroes as 'characters', who are moving from the idea of sense of figural and from the legacy of Indian cinemas tragic hero. Dev D of Anuraag Kashyap qualifies the defination of Neelam SIdhar Wright, it is remake of classical Bengali novel Devdas by Sarat Chandra published in 1917. Dev D is not linear, traditional Devdas, but it is counter cultural Devdas. Devendra Dhillon (Abhay Deol) is Gerard Genette's Meta-textual hero, where the commercial hero of orignal text is silently evoked and he is not giving a homage to Bimal Roy's Dilip Kumar or Bhansali's Shahrukh, Devendra is actually a hostile reaction to earlier heroic authority of these characters. film is journey of Dev from London to Punjab and Punjab to Delhi, and it is buildungsroman of the hero. Dev is highclass egoist, landlord's son and he is misfit in Punjabi traditional family, his father says ''You drink vodka not whisky, eat fish and not chicken, what will happen to you". Major cause of the failure in the relationship is the ego of Dev, but female characters in the film are very strong, they constantly remind Dev of his ego, Chandda(Kalki) says, ''You can not love any one because your ego is bigger than you." Since, the film is a journey or counter culture of Devdas, here, hero restarts his life, moves away from the idea of self destruction and he accepts Channda a prostitute, who is unaccaptable in society, slowly and gradually, he is refreshing himself and becoming more civilised. Kashyap's hero decenters the scopic field of earlier Devdas and Kashyap's first approach to counter Devdas myth was to cast Abhay Deol the poster boy of independent cinema instead of megastar. Shradha Sukumaran said ''Kashyap's Dev is applicable to the youth of today and how the youth looks at relationships, alchoholism and drugs are not the problems of Dev , the whole Punjab is suffering from these abuses. Dev D and Gulal are the real examples of postmodern heroes, they provide multipleview points in a single story line and this fragmentation liberates Bollywood film texts by making room for experimentation, innovation, and reconfiguration.

Research Methodology: Research method will consisit of interpreting the primary sources.It will be qualitative research and findings would be supported by a significant number of critical writings. Major source of data collection will be books and historical material in order to establish the social and political climate which influnced both the films. The approach will be interdisciplinary and will deal with socio-political and historical subject. Qualitative research based on secondary data will give the shape to the particular topic which is Twenty First Century Postmodern Heros In Bollywood.

Review Of Literature: A lot of research has been done on these films previously, but they have analysed them from the different perspective. Alessio and Langer's Hinduised Visual Regime(2003) has analysed Koi Mil Gaya and Devdas from postcolonial perspective. I will try to focus on, how the aura of superstar and heroism is established in commercial cinema and also try to know that without the realist content in these movies, heroes are getting popular and reaching to wider audience.

Neelam Sidhar Wright's Bollywood and Postmodernism :Popular Indian Cinema in 21st Century (2017) traces postmodern aspects in Bollywood, but postmodern character traits in individual are absent, i will focus on, how the realist heroes of cinema giving multiple view points and providing a scope for experimentation.

References:-

1. Wright, Neelam Sidhar. Bollywood and Postmodernism Popular Indian Cinema in 21st Century. 1sted., Edinburgh University Press; Reprint Edition, 2017.
2. Gehlawat, Ajay .Reframing Bollywood: Theories of Popular Hindi Cinema. Thousand Oaks: SAGE, 2010.
3. Vittali,Velentina. Hindi Action Cinema: Industries, Narratives, Bodies. Vol. 299. Series1. Indiana University Press, 2008.
4. Berry,Peter.Beginning Theory:AnIntroduction to Beginning and Cultural Theory. 4th ed. Viva Publication, 2010.
5. ALessio, Dominic Langer, and Jessica. "Nationalism and Postcolonialism in Science Fiction : Koi Mil Gaya"2003).New Cinema Journal of Contemporary Cinema, November 3, 2007, 217.
6. Chaudhary Indira Nath Facets of Post Modernism: Asearch for Roots,The Indian Literary scene, International Postmodernism: Theory and LiteraryPractice, (Eds)Hans Bertens and Douwe Fokkema, Utrechet University,1997.
7. King, Geoff. Spectacular Narratives: Hollywood In The Age of The Blockbuster (Cinema and Society). 1st ed.,I.B. Tauris; Febuary 3, 2001,192.
8. Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation.1st ed., The University of Michigan Press, Dec 31,1994,176.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

औषधीय पौधों की सुगंध से मानव रोग उपचार

डॉ. सरिता घेंघट*

* सहायक प्राध्यापक (वनस्पतिशास्त्र) शासकीय संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंजबासौदा, विदिशा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – पौधे सदियों से औषधियों के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। भारत में औषधीय पौधों का लंबे समय से विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता रहा है। आज सदियों पुराने पारंपरिक लोक ज्ञान के साथ-साथ भोजन, औषधि आदि के नए पौधों के संसाधनों की खोज में जातीय-औषधीय अध्ययनों की भूमिका को जानने की इच्छा बढ़ रही है (जैन, 1987, 1991)।

विकासशील देशों में रहने वाले लोग प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक चिकित्सा पर काफी प्रभावी रूप से भरोसा करते हैं (सुलिवान और शेली 1997य सिंह, 2002)। भारतीय परंपरा चिकित्सा विभिन्न समुदायों द्वारा उपयोग की जाने वाली आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी जैसी विभिन्न प्रणालियों पर आधारित है (गाडगिल, 1996)।पौधों का उपयोग प्राचीन काल से ही औषधियों के स्रोत के रूप में किया जाता रहा है। ये दवाएं सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हैं।WHO के अनुसार दुनिया की लगभग 80% आबादी अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भर है। 10 चयनित एथनो-मेडिसिनल पौधों (9 कुल से संबंधित) पर वर्तमान पेपर, सही वानस्पतिक पहचान, वानस्पतिक नाम,कुल, स्थानीय नाम, रोगों में उपयोग किए जाने वाले भागों, आदिवासी और ग्रामीण आबादी द्वारा किया।

शब्द कुंजी – जातीय-औषधीयपौधे, आदिवासी, ग्रामीण, पारंपरिक चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल।

प्रस्तावना – मानव स्वास्थ्य रोग में औषधीय पौधों की भूमिका-प्राचीन काल से औषधीय पौधों का उपयोग स्वास्थ्य सेवा में किया जाता रहा है। औषधीय पौधे रोग की रोकथाम और उनके उपचार और उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सभी मौजूदा रोगों के रोकथाम मेंउपयोग होते हैं। रोगों के उपचार में जड़ी-बूटियों के शोध और उपयोग में हर दिन वृद्धि हो रही है। औषधीय पौधे प्राकृतिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण औषधीय गुणों वाले अणुओं का प्रमुख स्रोत प्रदान करते हैं। औषधीय पौधे मानव रोगों के इलाज के लिए उपयोगी होते हैं और फाइटो रासायनिक घटकों की उपस्थिति के कारण उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

औषधीय पौधों के लाभ और महत्व -आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को उनके स्वास्थ्य और अन्य लाभों के लिए समय पर परखा जाता है। उनके द्वारा पैक किए जाने वाले पोषक मूल्य उनकी उपचार शक्तियों के लिए अत्यधिक अनुशंसित हैं। कोई दुष्प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, उनके पास एक अनूठी सुगंध और स्वाद होता है और नियमित रूप से खपत होने पर, वे दिमाग और शरीर के बीच संतुलित सद्भाव लाने के लिए एक आदर्श तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।

औषधीय पौधों के लाभ:

1. सुगंधित होने के अलावा चंदन और दालचीनी बेहतरीन कसैले हैं। रक्त, बलगम आदि के स्राव को रोकने में चंदन का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है।
2. अन्य सुगंधित जड़ी-बूटियाँ जैसे पुदीना, लौंग और हल्दी भोजन में एक सुखद सुगंध जोड़ते हैं, जिससे भोजन का स्वाद बढ़ जाता है।
3. एलो, चंदन, हल्दी, खसखस जैसी जड़ी-बूटियों का आमतौर पर एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है।
4. उपयोग किया जाता है और इनका औषधीय महत्व बहुत अधिक होता है।

मनुष्य में होने वाले रोगों को दूर करने के लिए आयुर्वेद, यूनानी, एलोपैथी एवं होम्योपैथी पद्धति से रोगों का उपचार किया जा सकता है लेकिन एक और विभिन्न पद्धति है जिसे हम सुगंध चिकित्सा पद्धति या अरोमाथेरेपी कहते हैं इस पद्धति से हम विभिन्न प्रकार के फूलों ,तने छाल, जड़ आदि को इकट्ठा कर उनसे अलग अलग विधि के द्वारा इत्र निकाल कर सुगंध के द्वारा हम रोगों का उपचार कर सकते हैं ।

इत्र शब्द मुख्य रूप से अरबी भाषा के ओत्र से बना है जिसका अर्थ खुशबू होता है।इत्र बनाने के लिए हम खुशबूदार पौधों के फूल,तने, छाल,जड़ को तेल में डालकर उबालकर(आसवन विधि)से हम इत्र को बना सकते हैं. कुछ निम्नलिखित पौधे हैं जिनके फूल,तने, छाल,जड़ से हम इत्र को बना सकते हैं ।

1. सामान्य नाम-देसी गुलाब (रोज)

वानस्पतिक नाम (Botanical Name) – Rose *rubiginosa*,**कुल** (Family) - Rosaceae.

उपयोग (Uses)-फूल जो लाल रंग के होते हैं ताजे फूल लेकर उनको पहले साफ कर ले फिर उसे किसी बर्तन के अंदर रखकर कूटते हैं इसके बाद लुगदी बन जाए तो उस रुई को लुगदी में रखकर मिलाएं फिर छान कर किसी बर्तन के अंदर या बोतल के अंदर रख सकते हैंइस इत्र को लगाने सेमन को शांति और सुकून मिलता हैघर में सुगंध का वातावरण निर्मित होता है।

2. सामान्य नाम – चंदन,

वानस्पतिक नाम **(Botanical Name) –Santalum *album*, कुल**

(Family) – Santalaceae.

उपयोग (Uses)–चंदन की बट्टी या टुकड़ा लेकर उसके पत्थर के चकले पर घिसकर लगाने से मन को शांति और सुकून मिलता है और घर में प्रतिदिन चंदन को घिसने से घर में सुगंध का वातावरण निर्मित होता है।

3. सामान्य नाम – मोगरा,

वानस्पतिक नाम **(Botanical Name) - Jasmine *sambac*, कुल (Family) – Oleaceae.**

उपयोग (Uses)–यह फूल भी खुशबूदार होता है इससे भी इत्र बनाया जाता है इन फूलों को पानी के बर्तन में रखने सेपूरा घर फूलों से सुगंधित हो जाता है इस इत्र को लगाने से मस्तिष्क को आराम मिलता है।

4. सामान्य नाम – चमेली

वानस्पतिक नाम **(Botanical Name) - Jasmine officinal,कुल (Family) – Oleaceae.**

उपयोग (Uses)– इसे संस्कृत में सोमनस्यानी और अंग्रेजी में जैस्मिन कहते हैं। इसके इत्र की खुशबू से मन को शांति मिलती है।

5. सामान्य नाम – रातरानी

वानस्पतिक नाम **(Botanical Name) - Cestrum *nocturnum* , कुल (Family) –Solanaceae**

उपयोग (Uses)–इसके फूल रात्रि में खिलकर महकते है इन फूलों से भी हम इत्र बनाते हैं इसकी सुगंध से सभी तरहकीचिंता,भय आदि मिटजाते हैं।

6. सामान्य नाम – केवड़ा

वानस्पतिक नाम **(Botanical Name) - Pandunus*tectorius*, कुल (Family) – Pandanaceae.**

उपयोग (Uses)– इस फूल की खुशबू बहुत अच्छी होती है इसको गर्मी के दिनों में पानी में डालकर घर में किसी भी स्थान पर रखने से घर में सुगंध आती है तथाइसके इत्र की खुशबू शरीर से पसीने की दुर्गंध दूर एवम शीतलता मिलती है।

7. सामान्य नाम – गुग्गुल

(Botanical Name) - Commiphora *wighti*, कुल (Family) – Burseraceae.

उपयोग (Uses)– यह एक वृक्ष होता है इस वृक्ष के तने से लार जैसा पदार्थ कोगुग्गुल कहते हैं इसका उपयोग सुगंध, औषधि के रूप में किया जाता है। गुग्गुल को आग में डालने पर इससे खुशबू आने लगती है इसकी सुगंध से सिर दर्द में आराम मिलता है।

8. सामान्य नाम –खस(अमजपअमत)

वानस्पतिक नाम **(Botanical Name) - Chrysopogon zizanioides,कुल (Family) – Poaceae.**

उपयोग (Uses)– यह एक सुगंधित पौधा होता है इसका उपयोग आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में किया जाता है इसकी जड़ों में सुगंध होती है जिससे तेल निकाला जाता है इसका तेल उद्योग का प्रमुख कच्चा पदार्थ होता है जिसका उपयोग सुगंधित प्रसाधन सामग्री एवं साबुन को सुगंधित बनाने में किया जाता है।

9. सामान्य नाम –कपूर

वानस्पतिक नाम **(Botanical Name) – (Botanical Name) - Cinnamomum *camphora*,कुल (Family) – Lauraceae.**

उपयोग (Uses)– कपूर के पेड़ का बायोलॉजिकल नाम सिनामोमम कैम्फोराहै। वसंत मौसम में इस वृक्ष पर सफेद रंग के छोटे–छोटे फूल गुच्छों में लगते है। भारत में कपूर देहरादून, मैसूर, सहारनपुर, नीलगिरी में पैदा होता है। भारत में कपूर केवल पत्तियों के आसवन से ही प्राप्त किया जाता है।कपूर उड़नशील वानस्पतिक द्रव्य है। यह श्वेत रंग का मोम जैसा पदार्थ है। इसमे एक तीखी गंध होती है। कपूर को संस्कृत में कर्पूर, फारसी में काफूर और अंग्रेजी में कैंफर कहते हैं। कपूर एक अति सुगंधित पदार्थ होता है इसके जलाने से वातावरण सुगंधित हो जाता है घर पर रात्रि में सोने से पहले पीतल के बर्तन में घी में भीगा हुआ कपूर जला दें इससे तनाव मुक्ति होगी तथा साथ ही गहरी नींद आएगी।

10. सामान्य नाम – केसर

वानस्पतिक नाम **(Botanical Name) - Crocus *sativus*,कुल (Family) – Iridaceae.**

उपयोग (Uses)–केसर का पौधा सुगंध देनेवाला बहुवर्षीय होता है और क्षुप 15 से 25 सेमी (आधा गज) ऊंचा, परंतु कांडहीन होता है। इसमें घास की तरह लंबे, पतले व नोकदार पत्तो निकलते हैं। जो मूलोभ्दव (radical), सँकरी, लंबी और नालीदार होती हैं। इनके बीच से पुष्पदंड (scapre) निकलता है, जिस पर नीललोहित वर्ण के एकाकी अथवा एकाधिक पुष्प होते हैं।एक सुगंधित और औषधि पौधा होता है जिस फूल से लाल रंग के समय लंबी–लंबी लचीली छोटी इंडिया निकलती हैं जिसे केसर कहा जाता हैं केसर को चंदन के साथ मिलाकर उसका लेपमाथे पर लगाने सेमस्तिष्क को शीतलता मिलती है और साथ ही सिर दर्द दूर हो जाता है.

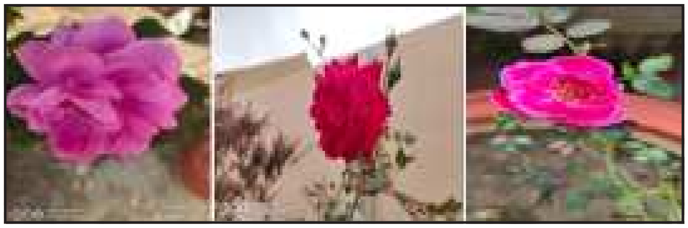

देसी गुलाब (रोज),

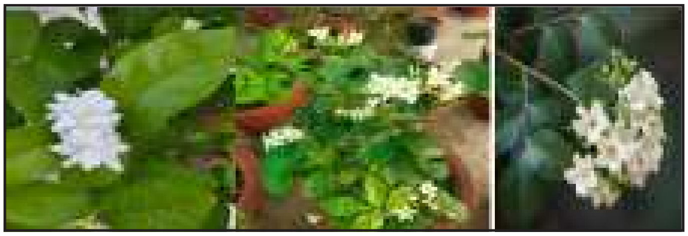

मोगरा का पौधा रातरानी का पौधा

विभिन्नप्रकार के इत्र

निष्कर्ष– प्राकृतिक और अद्वितीय औषधीय पौधों का उपयोग विभिन्न

रोगों के इलाज और आय सृजन के लिए किया जाता है। आयुर्वेद और अन्य भारतीय साहित्य में विभिन्न मानव रोगों के उपचार में पौधों के उपयोग का उल्लेख किया गया है। दुनिया भर में गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए औषधीय पौधे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वर्तमान अध्ययन पौधों के औषधीय उपयोगों के ज्ञान और उनके औषधीय मूल्यों और सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व के रोगों से निपटने में औषधीय पौधों की भूमिका, योगदान और उपयोगिता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Ghanghat,Sarita and Sahu, Brajesh (2006) Medicinal climbers of Vidisha District. I.J.Applied Life Science.,Vol 1,no 1,pp 24-25.
2. Oommachan, M. (1977): The flora of Bhopal J.K. jain Brothers, Bhopal .
3. Ghanghat,Sarita **'औषधीय पौधों द्वारा विभिन्न रोगो का उपचार विविध'** (वैचारिक सांस्कृतिक-समाजिक शोध पत्रों का संकलन) (B.K.Prajapati) BookISBN NO-9789392212611 pp (146-148) 2015.
4. Ghanghat,Sarita,(March 2017)"Uses of Ethno-medicinal Plants To different Diseases" Divya Shodh Samiksha an International Multi disiplinary Refereed Journal) ISSN 2394 - 3807 Impact Factor 4.455 Vol. I Issue XII pp.(31-33)
5. Ghanghat,Sarita , (October to December 2017) "Ethno-Medicinal Trees" NaveenSodhSansar(an International Refereed/Peer Review Reseach Journal) ISSN 2320-8767, ISSN 2394 – 3796, Impact Factor 4.710(2016) pp.(36)Vol.II .
6. Ghanghat,Sarita ,(january to march 2019)"Common Ethnomedicinal Plants "Naveen Sodh Sansar (an International Refereed / Peer Review Reseach Journal)ISSN 2320- 8767, ISSN 2394 – 3796, Impact Factor 5.610 (2018) Vol.III issue pp.(22)
7. Rasool Hassan, Pharmaceut Anal Acta 2012, 3:10 http://dx.doi.org/10.4172/2153-2435.1000e139.
8. Amit Kumar Garg, Mohammed Faheem and Dr. Sumer Singh. 2020. "Role of Medicinal plants in Human Health Disease", International Journal of Current Research, 12, (11), 14695-14697.
9. https://www.dabur.com/in/en-us/about/science-of-ayurveda/herbal-medicinal-plants

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

अंसगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रावधानों के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013

पुष्पांजली पाण्डेय*

* सहायक प्राध्यापक, श्री गुरू तेगबहादुर खालसा विधि महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रभाव समाज के हर क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो रहा है और महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा चाहे वह शारीरिक हो अथवा मानसिक, घरेलू स्तर पर हो अथवा सामाजिक स्तर पर या कार्यस्थल पर जिसमें रिवाज़ों, परम्पराओं अथवा प्रचलित मान्यताओं से भी उत्पन्न हिंसा शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के साथ घर की चारदीवारी तथा कामकाजी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की कई घटनाएँ उजागर हुई हैं। वर्तमान औद्योगिक युग में कामकाजी महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उनमें काम करने का हौसला भी बढ़ा है लेकिन उनके समक्ष यौन उत्पीड़न का संकट मंडराने लगा है। कामकाजी महिलाएँ कार्यस्थल पर अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती हैं। अत: इस प्रकार की हिंसा व अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं और तंत्रों का निर्माण किया गया और इन्हें सुदृढ़ किया गया। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने भी विशाखा मार्गदर्शिका के तहत सरकार को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिससे कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के यौन दर्व्यव्यवहार को रोका जा सके। इस दिशा में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सम्बंधित अधिनियम 2013 लागू कर दिया गया है जो यौन उत्पीड़न रोकने की दिशा में एक कारगर कदम साबित हुआ है। प्रस्तुत शोध-पत्र में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 से सम्बंधित परिभाषाएं, उपबंध एवं विधि से सम्बंधित अन्य विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही न्यायपालिका द्वारा की गई विभिन्न प्रकरणों की व्याख्या का अध्ययन भी किया गया है।

शब्द कुंजी – असंगठित क्षेत्र, कामकाजी महिलाएँ, कार्यस्थल, यौन उत्पीड़न, अधिनियम।

प्रस्तावना – एक कार्यस्थल से एक ऐसा वातावरण होने की उम्मीद की जाती है जो सम्मानजनक और उत्पादक हो। लेकिन यौन उत्पीड़न जैसे कृत्यों की व्यापकता के कारण पूरा परिवेश विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रभावित होता है। पुरुष कैसे महिलाओं से ऊपर हैं, यह प्रतिबिंबित करने के लिए यह गहरी जड़ें जमाने वाली पितृसत्ता का परिणाम है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को सम्मान के साथ जीने का समान अधिकार है। यदि यौन उत्पीड़न का कोई कार्य होता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के खिलाफ है। यह न केवल कानून के उल्लंघन की ओर जाता है बल्कि महिलाओं के लिए शारीरिक समस्याओं जैसे उत्पादकता में कमी, मानसिक शांति का विनाश, और मजदूरी अंतर और आय सृजन जैसी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं की ओर जाता है।

प्रारंभ में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं थे, लेकिन भारतीय दंड संहिता में धारा 294 जैसी विभिन्न धाराएं थीं जो सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्यों और गीतों के लिए सजा की बात करती हैं, धारा 376 जो बलात्कार के बारे में बात करती है और 509सम्बंधित है शब्द या हावभाव से, जो महिलाओं की लज्जा को ठेस पहुँचाते हैं। लेकिन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) 6 एससीसी 241, में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ 'विशाखा दिशानिर्देश' निर्धारित किए। ऐसा इसलिए था क्योंकि आईपीसी के कानूनों जैसे मौजूदा नागरिक और आपराधिक कानून महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से विशेष सुरक्षा प्रदान नहीं करते थे और इस तरह के कानून को लागू करने में काफी समय लगता था।[1]

16 साल बाद, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 उक्त अधिनियम के तहत अपराधियों को दंडित करके कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को सुरक्षित करने के बारे में विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है।[2]

अधिनियम के तहत परिभाषाएं – उक्त अधिनियम के तहत कौन सी कार्रवाई शामिल है और कौन सभी जिम्मेदार हैं, इस बारे में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए अधिनियम कुछ परिभाषाएँ प्रदान करता है। इस प्रकार, यह परिभाषित करता है:

पीड़ित महिलाएँ –

1. कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी उम्र की महिलाएँ, चाहे वे कार्यरत हों या नहीं, जो प्रतिवादी द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य का शिकार होने का आरोप लगाती हैं।
2. आवास गृह के संबंध में, किसी भी आयु की महिला, जो ऐसे आवास गृह में कार्यरत हो।

इसलिए, उपरोक्त अधिनियम सभी महिलाओं को उनके रोजगार की स्थिति और काम की प्रकृति (तदर्थ, नियमित, अस्थायी, या दैनिक मजदूरी के आधार पर) के बावजूद ध्यान में रखता है। इसमें 'कार्यस्थल के संबंध में महिलाएं' और 'आवास गृह के संबंध में' भी शामिल हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो।

यौन उत्पीड़न– यह अधिनियम यौन उत्पीड़न को किसी भी अवांछित कार्य या व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है जैसे शारीरिक संपर्क और अग्रिम, यौन पक्ष के लिए मांग या अनुरोध, यौन रंगीन टिप्पणी करना, अश्लील साहित्य दिखाना या कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक यौन आचरण प्रकृति।

इसलिए, कोई भी यौन या गैर-सहमति वाला कार्य यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा।

यह अधिनियम परिस्थितियों का भी प्रावधान करता है, यदि ऐसा होता है तो यह यौन उत्पीड़न के कार्य के समान होगा। वे

(i) उसके रोजगार में अधिमान्य व्यवहार का निहित या स्पष्ट वादा,
(ii) उसके रोजगार में हानिकारक व्यवहार का निहित या स्पष्ट खतरा,
(iii) उसकी वर्तमान या भविष्य की रोजगार स्थिति के बारे में निहित या स्पष्ट खतरा,
(iv) उसके काम में हस्तक्षेप करना या उसके लिए डराने-धमकाने वाला या आक्रामक या
शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना,
(v) अपमानजनक व्यवहार से उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना है।

अधिनियम की उपरोक्त धारा 3 से यौन उत्पीड़न को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

पहला क्विड प्रो क्वो है जिसका अर्थ है 'किसी चीज के बदले में एक एहसान'। कार्यस्थल के संदर्भ में, इसका अर्थ है काम के लाभ और यौन एहसान के बदले में उत्पीड़न। दूसरा शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण है जिसमें कर्मचारियों को यौन संबंधों के लिए सहमति के अभाव में उनके काम के माहौल को नष्ट करने की धमकी देना शामिल है।

लेकिन कानून बनाना तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि ऐसे कानूनों की सुरक्षा के लिए शिकायत निवारण प्रणाली न हो। अधिनियम के अध्याय खख और खखख के तहत आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति का अस्तित्व वे तंत्र हैं जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। आंतरिक शिकायत समिति का गठन उन सभी प्रशासनिक इकाइयों और कार्यालयों में किया जाना आवश्यक है जहां कर्मचारियों की संख्या दस से अधिक है।

यदि संख्या दस से कम है, तो स्थानीय शिकायत समिति कार्रवाई करेगी जो प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी द्वारा गठित की जाती है। रुचिका सिंह छाबड़ा बनाम मेसर्स एयर फ्रांस इंडिया 2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 9340, में आयोजित किया गया था कि कानून के तहत आवश्यकताओं के सख्त अनुपालन में आंतरिक समिति का गठन किया जाना चाहिए। मामलों को संभालने के दौरान समितियों को स्थानीय और आंतरिक शिकायत समिति दोनों के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत दीवानी अदालतों को प्रदान की जाती हैं।[3]

शिकायत– पीड़ित महिलाएं घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत कर सकती हैं। यदि घटनाओं की एक श्रृंखला होती है, तो पीड़ित महिला को अंतिम घटना की तारीख से 3 महीने की अवधि दी जाती है। यदि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो महिलाओं को लिखित शिकायत दर्ज करने से रोकती हैं, तो समिति समय सीमा को तीन महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकती है।

लेकिन जांच शुरू करने से पहले कमेटी महिला और आरोपी के बीच सुलह के जरिए मामले को सुलझाने के लिए कदम उठाएगी। इसका अपवाद यह है कि मौद्रिक निपटान को सुलह का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि कोई समझौता हो गया है, तो समिति समझौते को रिकॉर्ड करेगी और सिफारिश में निर्दिष्ट कार्रवाई के लिए नियोक्ता या जिला अधिकारी को भेज देगी।

घरेलू कामगार के मामले में, स्थानीय समिति, यदि प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और उक्त के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने के लिए सात दिनों की अवधि के भीतर पुलिस को शिकायत अग्रेषित करेगी। कोड जहां लागू हो। लेकिन ऐसे मामले में जहां दोनों पक्ष कर्मचारी हैं, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे समिति के समक्ष निष्कर्षों के खिलाफ प्रतिनिधित्व कर सकें। जहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप साबित हो गया है, वह नियोक्ता या जिला अधिकारी को यौन उत्पीड़न के लिए लागू सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार दुर्व्यवहार के रूप में कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी। प्रतिवादी को या जहां ऐसा कोई सेवा नियम नहीं बनाया गया है, ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता हैय या अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित महिला या उसके उत्तराधिकारियों को भुगतान करने के लिए।

ऑनलाइन शिकायत– यौन उत्पीड़न मइलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (एसएचई-बॉक्स) यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के पंजीकरण की सुविधा के लिए, संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली हर महिला को सिंगल विंडो एक्सेस प्रदान करने का एक प्रयास है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली कोई भी महिला इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। एक बार शिकायत 'शी-बॉक्स' में जमा हो जाने के बाद, इसे सीधे संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा, जिसके पास मामले में कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

प्रकाशन का निषेध– यह नोटिस करना महत्वपूर्ण है कि पीड़ित महिला, प्रतिवादी, और गवाहों की पहचान और पते या सुलह और जांच की कार्यवाही से संबंधित कोई भी जानकारी जनता या प्रेस को किसी भी तरह से प्रकाशित, संप्रेषित या ज्ञात नहीं होगी। केवल अधिनियम के माध्यम से न्याय प्राप्त करने के बारे में जानकारी का खुलासा या संचार किया जा सकता है। इसलिए, ऐसी कोई भी जानकारी प्रकट करने का इरादा नहीं है जिससे गवाह या पीड़ित महिलाओं की पहचान का खुलासा हो। अधिनियम के उल्लंघन में, ऐसा व्यक्ति सेवा नियमों के अनुसार और सेवा नियमों की अनुपस्थिति में, निर्धारित तरीके से दंड के लिए उत्तरदायी होगा।[4]

यह अधिनियम नियोक्ता और जिला अधिकारी के कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है जिसमें एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना, कार्यशालाओं का आयोजन, और जागरूकता कार्यक्रम, समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की निगरानी आदि शामिल हैं। यदि नियोक्ता निम्नलिखित

कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है, तो वह उत्तरदायी होगा एक जुर्माने के लिए जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है।

समंक संग्रहण – प्रस्तुत अध्याय में जबलपुर में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। उनके विधिक ज्ञान से सम्बंधित अध्ययन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में से 128 महिलाओं का चयन यादृक्षिक (Random) विधि के आधार पर किया गया, चयनित महिलाओं से सम्पर्क स्थापित कर महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन किया गया तथा शोधार्थी द्वारा महिलाओं से प्रश्नावली अनुसूचियों को भरवाया गया और इसके माध्यम से आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त किया गया। अनेक महिलाओं द्वारा स्वयं प्रश्नावली अनुसूची भरने में असमर्थता प्रकट की गयी, क्योंकि इनमें से कुछ कम पढ़ी लिखी अशिक्षित थी जबकि कुछ महिलाओं ने स्वयं लिखकर प्रश्नावली अनुसूची को भरा। प्रश्नावली अनुसूची का विश्लेषण करने के उपरान्त जो तथ्य प्रकट हुए हैं, उनका विवरण व विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पर जबलपुर की असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के ज्ञान के विश्लेषण पर ही अध्ययन केन्द्रित किया गया है। तालिकाओं एवं आरेखों द्वारा चयनित महिलाओं के विश्लेषण पर प्रकाश डाला गया है।

उद्देश्य:

1. अंसगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना।
2. अंसगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं में विधि ज्ञान द्वारा हुये परिवर्तनों को ज्ञात करना।

उपकल्पना:

1. कार्यस्थल पर शोषण असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं की प्रगति में अवरोध है।

प्रस्तुत शोध–पत्र में असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों से सम्बंधित प्रमुख निर्णित वादों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है।

विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान (1997)[5] – इस मामले में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने श्रमजीवी महिलाओं के प्रति काम के स्थन में होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जब तब कि इस प्रयोजन के लिए विधान नहीं बन जाता है, विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किया है। न्यायालय ने ये कहा कि देश की वर्तमान सिविल विधियाँ या आपराधिक विधियाँ काम के स्थान पर महिलाओं के यौन शोषण से बचाने के लिए पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं करती हैं और इसके लिए विधि बनाने में काफी समय लगेगा। अत: जब तक विधान मण्डल समुचित विधि नहीं बनाता है, न्यायालय द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांत को लागू किया जाएगा। न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि प्रत्येक नियोक्ता या अन्य व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि काम के स्थान या अन्य स्थानों में चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक, श्रमजीवी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित उपाय करें। इस मामले में महिलाओं के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में प्रदत्ता मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए विशाखा नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने लोक हितवाद न्यायालय में फाइल किया था। याचिका फाइल करने का तात्कालीन कारण राजस्थान राज्य में एक सामाजिक महिला कार्यकर्ता के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना थी। न्यायालय ने निम्नलिखि निर्देश दिए –

1. सभी नियोक्ता या अन्य व्यक्ति जो काम के स्थान के प्रभारी हैं, चाहे वह प्राइवेट क्षेत्र में हो या पब्लिक क्षेत्र में, अपने सामान्य दायित्वों के होते हुए महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित कदम उठाना चाहिए।

(अ) यौन उत्पीड़न पर अभिव्यक्त रोक लगाना जिसमें निम्न बातें शामिल हैं – शारीरिक सम्बंध और प्रस्ताव, उसके लिए आगे बढ़ना, यौन सम्बंध के लिए मांग या प्रार्थना करना, यौन सम्बंधी छींटाकशी करना, अश्लील साहित्य या कोई अन्य शारीरिक, मौखिक या यौन सम्बंधी मौन आचरण को दिखाना आदि।

(ब) सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के आचरण और अनुशासन सम्बंधी नियम या विनियमों में यौन उत्पीड़न रोकने सम्बंधी नियम शामिल किया जाना चाहिए और ऐसे नियमों में दोषी व्यक्तियों के लिए समुचित दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए।

(स) प्राइवेट क्षेत्र के नियोक्ताओं के सम्बंध में औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 के अधीन स्टैण्डिंग ऑर्डर में ऐसे निषेधों को शामिल किया जाना चाहिए।

(द) महिलाओं को काम, आराम, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान के सम्बंध में समुचित परिस्थितियों का प्रावधान होना चाहिए। और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं को काम के स्थान में कोई विद्वेषपूर्ण वातावरण न हो और न उनके मन में ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि वह नियोजन आदि के मामले में अलाभकारी स्थिति में है।

2. जहाँ ऐसा आचरण भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन विशिष्ट अपराध होता हो तो नियोक्ता को विधि के अनुसार उसके विरुद्ध समुचित प्राधिकारी को शिकायत करके समुचित कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए।

3. यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को अपना या उत्पीड़नकर्ता का स्थानांतरण करवाने का विकल्प होना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि किसी वृत्ति, व्यापार या पेशा के चलाने के लिए सुरक्षित काम का वातावरण होना चाहिए। 'प्राण के अधिकार' का तात्पर्य मानव गरिमा से जीवन जीना है। ऐसी सुरक्षा और गरिमा की सुरक्षा को समुचित कानूनों द्वारा सुनिश्चित कराने तथा लागू करने का प्रमुख दायित्व विधान मण्डल और कार्यपालिका का है। किंतु जब कभी न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के अधीन महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला लाया जाता है तो उनके मूल अधिकारों की संरक्षा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करना, जब तक कि समुचित विधान नहीं बनाए जाते, उच्चतम न्यायालय का संविधानिक कर्तव्य है।

यह निर्णय निश्चित रूप से श्रमजीवी महिलाओं को उनके काम के स्थान में बहुत प्रभावी संरक्षण प्रदान करने में सहायक होगा, जबकि सरकार विगत 50 वर्षों से केवल ऐसा करने की घोषणा ही करती रही और सम्भवत: आगे भी करती रहेगी।[6]

अपारल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए.के. चोपड़ा (1999)[7] का मामल पहला मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में विहित सिद्धांतों को लागू किया गया और यौन शोषण के लिए दोषी पाए गए एक कम्पनी में नियुक्त उच्च अधिकारी को सेवा से निकाल दिया गया। इस मामले के तथ्य इस प्रकार थे – अपीलार्थी अपारल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का निजी सचिव था। उसने कंपनी की

एक महिला कर्मचारी जो क्लर्क और टाइपिस्ट के पद पर कार्यरत थी, के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। वह श्रुतलेखन के लिए प्रशिक्षित नहीं थी। अपीलार्थी ने जोर दिया कि वह ताज होटल में कंपनी के चेयरमेन के श्रुतलेख लेने के लिए उसके साथ जाए और उसे टाइप करे। उसके दबाव के कारण वह उसके साथ ताज होटल गई। जब वह चेयरमेन के आने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, अपीलार्थी ने उससे सटकर बैठने का प्रयास किया और महिला कर्मचारी के द्वारा आपत्ति किए जाने के बावजूद अपीलार्थी आपत्तिजनक व्यवहार से बाज नहीं आया। निदेशक से श्रुतलेख लेने के पश्चात् प्रत्यर्थी ने उसे ताज होटल के बिजनेस सेंटर में जो होटल के तहखाने में स्थित था, जाकर टाइप करने को कहा। वहाँ जाकर अपीलार्थी एकांत देखकर पुन: छेड़खानी का प्रयास करने लगा। मिस एक्स ने पूरी घटना को चेयरमेन से बताया और उसकी लिखित शिकायत भी की। प्रत्यर्थी को निलंबित कर दिया गया और उसे इस सम्बंध में आरोप पत्र दिया गया। प्रत्यर्थी ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को निराधार और काल्पनिक बताया। जाँच अधिकारी ने उसके विरुद्ध आरोप को सही पाया और कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी का आचरण अपने अधीनस्थ महिला कर्मचारी के प्रति नैतिकता, सदाचार के मानदण्डों के सर्वदा विपरीत था तथा उसके सतीत्व पर आक्रमण और उसका आचरण यौन शोषण था। ऐसे मामलों में वास्तविक रूप से छेड़खानी करना या शारीरिक स्पर्श आवश्यक नहीं है। प्रस्तुत मामले के सभी तथ्यों को मिलाकर देखने से यही निष्कर्ष निकलता था कि प्रत्यर्थी का आचरण एक सभ्य व्यक्ति का आचरण नहीं था और उसका कृत्य शोषण था। अत: नौकरी से उसे पदच्युत करने का दण्ड सर्वदा विधिमान्य था। न्यायालय ने कहा कि कार्य के स्थान पर यौन शोषण की प्रत्येक घटना से महिला कर्मचारी के अनुच्छेद 21 और 14 में प्रदत्ता मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है और उसे रोकने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। मानव अधिकारों की अवलेहना के के मामले में न्यायालयों को अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखों तथा कन्वेंशंस के अस्तित्व के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से लागू करना चाहिए। कन्वेंशन ऑन द एलीमिनेशन ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन 1979 और बीजिंग घोषणा पत्र दोनों अंतर्राष्ट्रीय प्रलेख सभी राज्यों को महिलाओं के प्रति भेदभाव रोकने तथा उनकी गरिमा एवं प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए समुचित उपाय करने का निर्देश देते हैं।[8]

मेघा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ (2013)[9] में लोकहितवादों के एक समूह में उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाई गई मुख्य शिकायत यह थी कि कार्य के स्थानों में महिलाएँ यौन उत्पीड़न से पीड़ित बनी हुई हैं तथा **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य** में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का अनुसरण तात्विक पालन के भंग में किया जा रहा था। महिला कर्मी अपने उत्पीड़न के लिए विधिक और विधिकेत्तर ढंगों से अपमानित तथा अमर्यादित हो रही थीं। यौन उत्पीड़न के कुछ मामलों को सामने लाते हुए मुख्य केंद्रबिंदु विशाखा के मामले में दिए गए निर्देशों के प्रभावी ढंग से लागू करने के अभाव पर था। अदालत को विशेष रूप से यह देखने की आवश्यकता थी कि क्या प्रत्येक राज्य सरकार ने विशाखा दिशानिर्देशों और अदालत के अन्य आदेशों के अनुसार प्रक्रिया एवं नीति में आवश्यक परिवर्तन किए हैं। यह माना गया कि विशाखा दिशानिर्देशों को महिला कर्मचारियों को गरिमा, शालीनता और उचित सम्मान के साथ काम करने के लिए सुनिश्चित करके लैंगिक समानता लाने में मदद करने के लिए सारवान रूप में लागू किया जाना चाहिए। विशाखा दिशानिर्देशों के अनुसार एक संगठन के नियोक्ता और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों, दोनों को दिशानिर्देशों का पालन करने और महिला कर्मचारियों के प्रति यौन उत्पीड़न को रोकने में सहायता करने की आवश्यकता थी। उच्चतम न्यायालय ने तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश तब तक के लिए दिए जब तक कि उनकी जगह पर विधायी अधिनियम न हो जाए –

1. राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक राज्य में की गई हरेक शिकायत को सुनने के लिए पर्याप्त शिकायत समितियाँ बनाई गई हैं और इन समितियों की अध्यक्षता एक महिला द्वारा की जानी चाहिए।
2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशाखा दिशानिर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन हो रहा है, राज्य के अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त तंत्र बनाया जाना चाहिए।
3 यह सुनिश्चित करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कर्तव्य होगा कि देश में सभी बार एसोसियेशन और राज्य बार काउंसिल के साथ पंजीकृत व्यक्ति विशाखा दिशानिर्देशों का पालन करें, इसी तरह हर दूसरे राष्ट्रीय संस्थान को भी अपने कार्यस्थलों में विशाखा दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विशाखा दिशानिर्देशों का पालन न करने के मामले में पीड़ित व्यक्ति सम्बंधित राज्य के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।[10]

विश्लेषण तथा अध्ययन – प्रस्तुत शोध-पत्र में अंसगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रावधानों के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के संम्बध में महिलाओं की जानकारी से सम्बंधित प्राथमिक अध्ययन तथा विश्लेषण जबलपुर में किया गया, जिसके परिणाम निम्नानुसार प्रस्तुत हैं –

तालिका 1: क्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल पर शोषण का सामना करना पड़ा ?

क्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल पर शोषण का सामना करना पड़ा ?	**प्रतिक्रिया**	**प्रतिशत**
हाँ	705	69.53
नहीं	309	30.47
योग	**128**	**100.00**

स्रोत :-प्राथमिक सर्वेक्षण

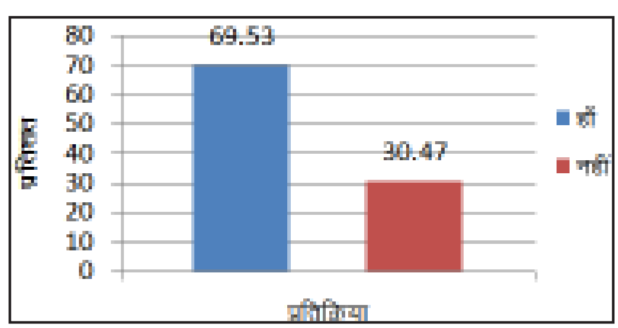

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

आरेख 1: क्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल पर शोषण का सामना करना पड़ा ? (प्रतिशत)

उपरोक्त तालिका एवं आरेख से दृष्टव्य है कि कुल चयनित 128 उत्तरदाताओं में से 705 (69.53 प्रतिशत) महिलाओं ने कहा कि उन्हें कार्यस्थल पर शोषण का सामना करना पड़ा। वहीं 309 (30.47 प्रतिशत) महिलाओं ने कहा कि उन्हें कार्यस्थल पर शोषण का सामना नहीं करना पड़ा।

तालिका 2: क्या कभी आपको कार्यस्थल पर दैहिक शोषण का सामना करना पड़ा?

क्या कभी आपको कार्यस्थल पर दैहिक शोषण का सामना करना पड़ा?	**प्रतिक्रिया**	**प्रतिशत**
हाँ	44	34.38
नहीं	61	47.66
कभी-कभी	23	17.97
योग	**128**	**100.00**

स्रोत :-प्राथमिक सर्वेक्षण

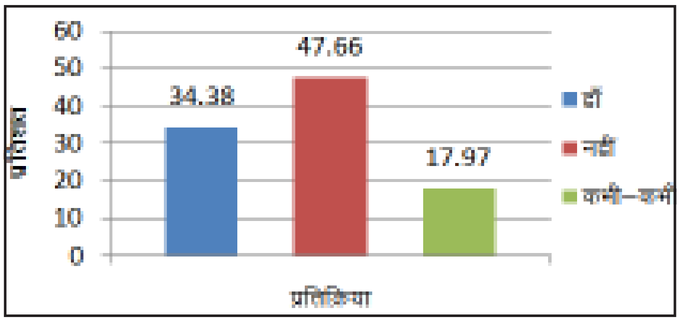

आरेख 2: क्या कभी आपको कार्यस्थल पर दैहिक शोषण का सामना करना पड़ा? (प्रतिशत)

उपरोक्त तालिका एवं आरेख से दृष्टव्य है कि कुल चयनित 128 उत्तरदाताओं में से 44 (34.38 प्रतिशत) महिलाओं ने कहा कि उन्हें कार्यस्थल पर दैहिक शोषण का सामना करना पड़ा। 61 (47.66 प्रतिशत) महिलाओं ने कहा कि उन्हें कार्यस्थल पर दैहिक शोषण का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं 23 (17.97 प्रतिशत) महिलाओं ने कहा कि उन्हें कार्यस्थल पर दैहिक शोषण का सामना कभी-कभी करना पड़ा।

तालिका 3: क्या आपको महिला की सुरक्षा से सम्बंधित कानून (कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न) की जानकारी है ?

क्या आपको महिला की सुरक्षा से सम्बंधित कानून (कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न) की जानकारी है ?	**प्रतिक्रिया**	**प्रतिशत**
हाँ	24	18.75
नहीं	50	39.06
आंशिक रूप से	54	42.19
योग	**128**	**100**

स्रोत :-प्राथमिक सर्वेक्षण

आरेख 3: क्या आपको महिला की सुरक्षा से सम्बंधित कानून (कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न) की जानकारी है ? (प्रतिशत)

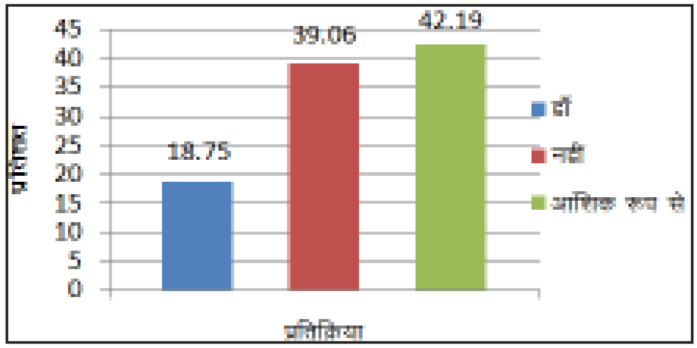

उपरोक्त तालिका एवं आरेख से दृष्टव्य है कि कुल चयनित 128 उत्तरदाताओं में से 24 (18.75 प्रतिशत) महिलाओं ने कहा कि उन्हें महिला की सुरक्षा से सम्बंधित कानून (कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न) की जानकारी है। 50 (39.06 प्रतिशत) महिलाओं ने कहा कि उन्हें महिला की सुरक्षा से सम्बंधित कानून (कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न) की जानकारी नहीं है। वहीं 54 (42.19 प्रतिशत) महिलाओं ने कहा कि उन्हें महिला की सुरक्षा से सम्बंधित कानून (कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न) की आंशिक रूप से जानकारी है।

परिकल्पना का सत्यापन

परिकल्पना -कार्यस्थल पर शोषण असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं की प्रगति में अवरोध है।

ता. क्र.	**विषय**	**नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रतिशत**	**सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रतिशत**
1	क्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल पर शोषण का सामना करना पड़ा	70	30
2	क्या कभी आपको कार्यस्थल पर दैहिक शोषण का सामना करना पड़ा	52	48
3	क्या आपको महिला की सुरक्षा से सम्बंधित कानून (कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न) की जानकारी है	39	61
	औसत प्रतिशत	**54**	**46**

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1, 2 एवं 3 में प्राप्त अभिमतों के द्वारा स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं द्वारा 46 प्रतिशत सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ कार्यस्थल पर शोषण असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं की प्रगति में अवरोध है इस सम्बंध में प्राप्त हुई हैं तथा 54 प्रतिशत प्रतिक्रियाएँ नकारात्मक थीं जो प्रकट करती हैं कि कार्यस्थल पर शोषण असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं की प्रगति में अवरोध होने के मध्य सकारात्मक सम्बंध है। अतः अध्ययन की परिकल्पना सत्यापित होती है कि कार्यस्थल पर शोषण असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं की प्रगति में अवरोध है।

उपसंहार- अतः अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि लगभग 70 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्हें कार्यस्थल पर शोषण का सामना करना पड़ा है। इसमें भी शहरी क्षेत्र की उत्तरदाता अधिक संख्या में हैं।

शिक्षा, जानकारी, कानून आदि के अभाव तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति निम्न होने से कार्यस्थल पर शोषण की सम्भावनाएँ बढ़ती हैं। सुझाव के रूप में कहा जा सकता है कि इस सम्बंध में अधिनियम भी है तथा नियम एवं कानून भी सख्त हैं परंतु उनका पालन सख्ती से होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए भी संवाद तथा जागरूकता बैठकें व शिविर आयोजित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे वे ऐसी कोई भी घटना होने पर उसकी शिकायत अवश्य करें।

लगभग 52 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्हें कार्यस्थल पर कभी न कभी दैहिक शोषण का सामना करना पड़ा है। इसमें भी शहरी क्षेत्र की उत्तरदाता अधिक संख्या में हैं। सामाजिक, आर्थिक अधिकारों की जानकारी न होने से कई बार सहकर्मी एवं नियोक्ता महिला कर्मियों का अनुचित लाभ लेने का प्रयत्न करते हैं और दैहिक शोषण करने से भी भयभीत नहीं होते। यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति है जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को चिंतित एवं अवसादग्रस्त कर देती है। सुझाव स्वरूप वर्णित है कि विधिक स्तर पर ये सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि जिस भी संस्थान अथवा स्थान पर संदेह हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, वहां कार्यरत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही प्रचार-प्रसार के माध्यम से महिलाओं का जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि कानून उनके साथ है तो भयभीत होने की आवश्यकता किंचित भी नहीं है।

लगभग 61 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि महिला की सुरक्षा से सम्बंधित कानून (कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न) की जानकारी किसी न किसी प्रकार से है। इसमें भी शहरी क्षेत्र की उत्तरदाता अधिक संख्या में हैं। कानून की जानकारी सकारात्मक तथ्य है परंतु 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जानकारी न होना चिंता का विषय है। यह अनुचित कार्य करने वालों के उत्साह में वृद्धि कर सकता है। सुझाव यह दिया जा सकता है कि महिला की सुरक्षा से सम्बंधित कानून (कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न) की जानकारी न केवल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला कामगार अपितु देश की प्रत्येक महिला को हो। ऐसे अभियान न्यायाधिकरण के माध्यम से संचालित किए जाने की आवश्यकता है जहां अभिभावक अपने बच्चों को इस कानून की जानकारी दें और उन्हें आश्वस्त करें कि पुत्रियों को इस कानून के कारण किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और पुत्र किसी भी प्रकार कानूनों का यथाविधि पालन करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाण्डेय, डॉ. जयनारायण (2022), भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, पृ. 205
2. बाबेल, बसंतीलाल (2022), महिला एवं बाल कानून, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद मदन जी.आर. (1982); 'महिला सशक्तिकरण', विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली.पृ. 74
3. मदन, जी.आर. (1982); 'महिला सशक्तिकरण', विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली
4. पाण्डेय, डॉ. जयनारायण (2022), भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, पृ. 142
5. विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान (1997), एस.सी. 3011
6. पाण्डेय, डॉ. जयनारायण (2022), भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, पृ. 343-344
7. अपारल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए.के. चोपड़ा (1999), ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 625
8. पाण्डेय, डॉ. जयनारायण (2022), भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, पृ. 344
9. मेघा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ (2013), ए.आई.आर. 2013 एस.सी. 93
10. पाण्डेय, डॉ. जयनारायण (2022), भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, पृ. 346

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Importance of Balanced Diet

Dr. Rajesh Masatkar*

***Govt. Degree College, Nainpur, Distt. Mandla (M.P.) INDIA**

Abstract - A diet that includes all the essential nutrients in the correct proportion is called a balanced diet. A balanced diet is very important for our body's normal growth and development. Every individual need to intake a balanced meal as it provides essential nutrients that help our body protect from diseases. There are two different components of a balanced diet, nutritional components (carbohydrates, Proteins, Fats, Vitamin and Minerals) and non-nutritive components (Fiber or roughage).
Keywords – Antioxidants, Detoxify Diet, Carbohydrates, Fat, Protein, Vitamins, Minerals, Water.

Introduction - A balanced diet contributes towards maintaining a healthy life. A diet is the inclusion of different necessary nutrients that impact a body's growth and developments. A balanced nutrition diet contributes to maintaining good health by balancing nutrients. This type is extremely crucial to getting the right nutrients and determines good health. Your balanced diet plate must have food that helps the normal functioning of the human body and those foods which help you maintain a body balance. A balanced diet contains a balanced amount of protein, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. This paper will discuss details about a diet and highlight the impact of deficiency of a balanced diet within the human body. Based on their nutrients, the ICMR has identified the primary five food groups as

Cereals, millets and pulses,
Vegetables and fruits.
Milk and milk products.
Eggs, meat and fish, oils and fats.
Nuts and oilseeds.

One should enjoy a variety of foods within each of the five food groups. A balanced meal means a complete meal containing one food item from each food group mentioned above.

Objectives – The main objectives are as given below.

1. To aware about importance of balanced diet.
2. To save the individuals from nutritional deficiency.
3. To clean and detoxify individuals' body naturally.
4. To make the people of the country healthy, strong and provide natural look on their body.
5. To make the people of the country useful in the development of our nation.
6. To increases the economical status of the people.
7. To minimizes the intake of medicines.
8. To reduces the cost of treatment at zero level.
9. To saves the time of people from unnecessary treatments.
10. To improve the immunity of the individuals.

Methodology – To find the importance of nutrition, I observed different food stuff.

Diet For an Infant- Nutrition is important for everyone. However, the requirement is different for every individual may it be an infant, growing child, pregnant, lactating women and elderly people. The diet varies from person to person depending upon various factors like age, gender, physical activity, nutritional requirement during different physiological stages of the body and other various factors. Body weights and heights of children reflect their state of physical growth and development, while weights and heights of adults represent steps taken towards good health.

Babies should be exclusively breastfed for the first six month of life. Breast feeding should be started within an hour after delivery and do not discard first milk ***(colostrum)***, as it boosts the immunity of the baby and protect baby from several infections. Breast -milk is the most natural and wholesome food for growth and healthy development of infants. Breast -fed infants do not need additional water. A balanced diet is the key to protect your child against nutritional deficiencies. Protein energy malnutrition more commonly affects children between the ages of 6 months and 5 years. Malnutrition is defined as "a state of poor nutrition caused by insufficient or unbalanced diet.

Diet for a Growing Child – Children who eat a balanced diet lay the foundation for a healthy and active lifestyle and this further lower the risk of long-term health issues. Childhood is the most critical time for growth as well as for development of the mind and to fight infections. So, it is very essential that the children get a good dose of energy,

proteins, vitamins and minerals. Balanced diet playing outdoors, physical activities of child are essential for optimum body composition and to reduce the risk of diet related chronic conditions later in life and to prevent any sort of vitamin deficiency. A child needs vitamins for the body to function properly and to boost the immune system. A variety of fruits and vegetables of different colours should be added in child's food. Teenage girls experience more physiological changes and psychological stress than boys because of onset of menarche (onset of menstruation). Therefore, teenage girls should eat diet which is rich in both vitamins as well as minerals to prevent anemia.

Diet for Pregnant and Lactating Mother – Motherhood is a testing phase in every woman's life may it be physiologically, mentally as well as nutritionally. If you are pregnant or someone in your family is expecting a baby, make sure that they eat well. Additionally, food and extra attention is required during pregnancy as well as lactation. Extra food is required to meet the nutritional requirement of the baby in your womb. Additional foods are required to improve the weight gain in pregnancy and birth weight of infants. Micronutrients are specially required in extra amounts to reduce the risk of malformations in baby and increase birth weight of baby and to prevent anemia in expecting mothers. Extra intake of Calcium is required, during pregnancy and lactation phase, for proper formation of bones and teeth of the baby, for secretion of breast-milk which is rich in calcium and to prevent osteoporosis in the expecting and lactating mothers. Consume Vitamin C-rich fruits like gooseberries, guava, oranges and citrus rich fruits for better absorption of iron from your diet.

Diet For an Adult Male and Female – Adult should use salt in moderation as high intake of salt might lead to high blood pressure. One should avoid preserved food such as pickles, papads and also canned foods as it contributes to higher intake of salt. An adult female should take a diet which is rich in calcium as well as iron. Limit use of saturated fats and trans fats such as ghee, butter, cheese, vanaspati ghee and add more fibrous food in diet in the form of whole grains, vegetables and fruits.

Diet for Elderly People – The diet for elderly people should include nutrient rich foods to enable them to be fit and active. Senior citizens need more of vitamins and minerals to the healthy and active. The body composition changes with the advancing age and all these changes affect nutritional needs of the elderly. Elderly or aged people require reduce number of calories as their lean muscle mass and physical activity decreases with ageing. Elderly needs more calcium, iron, zinc, vitamin A and antioxidants to prevent age-related degenerative diseases and for heathy ageing. It is very essential to maintain your health as ageing process starts and it increases the life expectancy. It is very important for elderly people to exercise as it helps to regulate body weight and flexibility in the joints. Elderly people should cut down on their saturated fats, sweets, oily food, salt and sugar level. Use of ghee, oil, butter should be completely avoided. Also, avoid eating spicy food.

Eat healthy Diets - Vegetable and fruits are rich source of micronutrients (iron, calcium, vitamin C, folic acid, carotenoids and phytochemicals) and macronutrients (complex carbohydrates/fiber)

Increase potassium intake by consumption of fresh fruits and vegetable as potassium decreases the negative effects of sodium.

Drink proper water according to your body weight.

Avoid unhealthy Diets - Animals' fat major sources of animal fats are ghee, butter, milk, cheese, eggs and fat of meat and fish. They contain cholesterol and high amount of saturated fatty acids and trans fatty acids. Excessive fats in the diet increases the risk of obesity, heart disease, stroke and cancer. The risk of developing these diseases can be lowered by reducing saturated fats to less than 10% to total energy intake and trans fats to less than 1% of total energy intake, and replacing both with unsaturated fats. High salt consumption and insufficient potassium intake (less than 3.5 g) contribute to high blood pressure, which in turn increases the risk of heart disease and stroke. World Health Organization (WHO) recommends use of less than 5 g of salt per day.

Free sugar increases the risk of dental caries and can lead to overweight and obesity. The intake of free sugars should be less than 10% of total energy intake.

Discussion – Humans need a wide range of nutrients to lead healthy and active life. For providing these nutrients, good nutrition or proper intake of food in relation to the body's dietary needs is required. An adequate, well-balanced diet combined with regular physical activity is a cornerstone of good health. Poor nutrition can lead to reduced immunity, increased susceptibility to disease, impaired physical and mental development and reduced productivity. So, it is very important to have balanced diet in our daily life.

Findings :

1. Intake of all kind of food is very importance.
2. Balanced Diet in all age group is very important for regulating vital function of our body.
3. Tannin presents in tea and coffee interferes with iron absorption hence it should be avoided one hour before and after meals.

Suggestion :

1. Avoid junk food.
2. Avoid excess sugar and salt.
3. Avoid packed food.
4. Use fresh fruits and vegetables.
5. Adopt stress management techniques (Yoga and Meditation)
6. Keep your salt intake to less than 5 grams per day as it helps to prevent hypertension, and reduces the risk of heart disease. Prefer iodized salt.
7. Serve yourself small portions of high calorie foods and

large portions of healthy foods like vegetables, salads and soups.

8. Teas particularly green and black are good sources of flavonoids.

Conclusion – It is old says that "Health is Wealth". If health is well then, all things is in our hand. But being author of this paper, I want to expose importance of "Balanced Diet" Infront of you. it is advisable to pay special attention to what you eat. Avoid junk as much as possible and make sure you wash the fruits and vegetable with care. Instead of washing the food items with plain water, you can use the vegetable and fruit cleaner, which helps in removing chemicals and pesticides from the surface of the food. In last, if you have both health and wealth in your life then third thing that is happiness comes automatically in your life.

References :–

1. Balanced Diet: Definition, Components, Importance And More - Embibe
2. http://readynutrition.com/resources/are-you-ready-series-best-practices-for-long-term-food-storage_03042011/
3. https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/(english)-good-storage-practices
4. http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm114299.htm
5. http://www.csiro.au/en/Research/Health/Food-safety/Refrigerating-foods
6. http://ninindia.org/DietaryguidelinesforIndians-Finaldraft.pdf
7. http://icmr.nic.in/final/rda-2010.pdf
8. http://fda.up.nic.in/household_tests.htm
9. http://ninindia.org/DietaryguidelinesforIndians-Finaldraft.pdf

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Economic Crisis in Nepal

Sourabh Gaur*

***Research Scholar (Political Science) Govind Guru Tribal University, Banswara (Raj.) INDIA**

Abstract - The Nepalese economy has been in a downturn for a while. Both the current government, led by Pushpa Kamal Dahal, known as "Prachanda," and the previous administration, led by Sher Bahadur Deuba, the leader of the Nepali Congress, both pursued policies to stimulate the economy. Despite this, the nation's economic situation keeps becoming worse. The amount of money the government receives is not enough to cover its ongoing expenses. Nepal may fall into a debt trap as a result of large loans with specific conditions. There is also a real concern that Nepal may be placed on the Financial Action Task Force's (FATF) worldwide watchlist for money laundering, which would have a further detrimental effect on the nation's development.The Ukraine situation has severely hurt Nepal's economy, which was already on the mend after the Covid-19 pandemic. The International Monetary Fund (IMF) observed that the war in Ukraine's effects on the world economy are worsening current vulnerabilities, having an effect on Nepal's economy, which is heavily dependent on imports, driving up inflation, and reducing foreign reserves. This research paper try to analyse the reasons of current economic situation of Nepal and recommend some measures for the same.

Introduction - The economic situation in Nepal has been significantly damaged by the conflict in Ukraine, which raised the price of food and oil. The IMF has stated that although the reserves are still sufficient, they have decreased more than was projected.The current economic situation in Nepal is the worst it has ever been in recorded history. While the gap in the trade balance and consumer goods prices have widened, the value of the Nepalese currency in terms of the US dollar, reserves of foreign currencies, liquidity of the financial and banking sectors, revenue of the government, and job opportunities have all shrunk to an unprecedented level. These elements together have led to an economic catastrophe that is becoming worse every day. Yet, the government and other organisations in the nation have not yet taken any significant action to address some of these challenges.

Trend of the Current Fiscal Year: In the current fiscal year 2022–23, from July 16 to October 17, the exchange rate with the dollar increased sharply, rising from INR 128.11 to INR 132.07. In the first quarter of the current fiscal year 2022–23, Nepal suffered a loss for repayment of external debts of INR 5.52 billion as a result of this currency rate movement.There has been a significant liquidity crisis affecting Nepal's banks and financial institutions. They are severely short of loanable money. More than INR 13 billion in interest on loans still needs to be repaid. Since mid-October, they have been allowed to extend loans only up to INR 3 billion due to a lack of loanable funds.The banks have been forced to merge one after another due to their dire financial status. According to reports, 10 of the largest commercial banks in the nation were compelled to merge within 30 days. The Mega Bank and the Nepal Investment Bank combined recently, while the Bangladesh Bank and the Nabil Bank merged, the Century Bank and the Prabhu Bank merged, the NCC Bank and the Bank of Kathmandu merged, and the Nepal Credit and Commerce Bank Limited and the Kumari Bank merged.

Effect on Tourism Sector: During the lengthy lockdowns brought on by the epidemic, the number of tourists entering the country began to increase. However, the fatal air disaster of Yeti Airlines in Pokhara on January 15 and the European Union's ban on all flights by Nepalese airlines have damaged Nepal airlines' image as being unreliable when it comes to passenger safety. In the future, this may have a huge impact on the tourism industry.

Status of Foreign Exchange Reserve and Financial Institutions: From INR 542 billion in the first half of the fiscal year 2021–2022 to INR 459 billion in the first half of the current fiscal year 2022–2023, the government's revenue collection decreased. In order to conserve foreign exchange reserves, which were barely adequate to cover imports for more than six months, the government banned the imports of some luxury products, which had a particularly negative impact on revenue.

Imports account for the majority of the rapidly declining revenue generated. The issue with the government is that if imports are controlled, the revenue is probably going to be impacted. But, if it permits imports to rise, foreign

exchange reserves would continue to be depleted. Nepal is therefore likely to suffer in both ways.

The Nepali government has been compelled to take out more domestic and foreign loans as a result of the decrease in income collection on the one hand and the rise in recurrent expenses on the other. Government capital spending was only reported at 12% during the first half of the fiscal year 2022–2023. Also, this led to a liquidity crisis in the financial industry, which had a negative impact on people's spending power and private investment.In addition to banks and other financial institutions, the majority of development projects in the nation are particularly heavily hit by the government's financial crisis. The government has struggled to make timely payments to the contractors. The oldest university in Nepal, Tribhuvan University, is having trouble paying pensions to its retiring professors and other workers.For the current fiscal year, the government's Pension Management Office discovers a shortage of approximately INR 20 billion. Some 283,000 retirees from the government, security services, education, the judiciary, and other fields are present in the nation.

Efforts by Government to Alleviate the Economic Crisis

As a result, the majority of the country's economic sectors are on the decline. The newly elected administration, led by Maoist leader Pushpa Kamal Dahal, also known as "Prachanda," is proposing policy-level changes to organise the inflow of remittances, one of the main sources of income, in order to revive the faltering economy. $8 billion in remittances are sent to Nepal annually, which is about one-fourth of the country's whole GDP. Nevertheless, the majority of these remittances don't go via official channels. It is also concerning because it is not frequently employed to create jobs or even in the productive sector.Also, the government has begun urging Non-Resident Nepalese (NRN) who are employed abroad to invest in fields including agriculture, tourism, energy, infrastructure, human resources, industries, and services in order to boost the country's economy. Also, the government is thinking of cutting the administrative cost by 15%.

Yet, some of the proposals the administration is considering to revive the economy are hasty and unlikely to put the faltering economy back on track. It would be necessary to make a difficult choice to expand the tax base, which is only feasible if administrative efficiency is improved and fiscal and monetary policies are kept in balance. It would be necessary to investigate some comparative and competitive advantages to determine how to enhance domestic production of items for export on the global market. In this regard, it would be necessary to modernise the agricultural sector, which would need significant investments from both domestic and foreign sources.Nowadays, 40% of Nepal's total imports are made up of farm and animal products, which speaks volumes about its potential for production, export promotion, and employment development. The government might encourage cooperative farming to unite dispersed farmlands and benefit from large-scale agricultural.

Conclusion and Suggestions: To create a clear plan for its economic recovery, Nepal also has to learn a lot from the effects of the pandemic, the conflict in Ukraine, and the Sri Lankan experience. Here are a few suggestions:

1. Preserving domestic food security by lowering and substituting agricultural imports.
2. Lowering the import of fossil fuels, raising the output and capacity of hydropower, and achieving energy independence.
3. Improving Nepal's foreign reserves by diversifying its foreign currency.

References:-

1. Annual Tourism Reports 2016 to 2020, Ministry for Culture, Civil Aviation and Tourism of Nepal
2. Annual Tourism Reports 2016 to 2020, Sri Lanka Tourism Development Authority
3. Annual Report 2021, Central Bank of Sri Lanka
4. Annual Statistical Report 2019, Sri Lanka Tourism Development Authority.
5. Bansal, A. (2022, May 2). Economic Crisis in Nepal: Will Kathmandu Witness a Fall Like Sri Lanka?. India.com.
6. Bista, R.B. (2020). Assessing the COVID-19 and its shocks on macroeconomic variables in Nepal. Economic
7. Journal of Development Issues, 29 & 30 (1-2) Combined Issue.
8. Carbaugh, R. J., (2018). Global Economics (13th edition). New Delhi, Cengage Learning India Private Limited.
9. Economic Survey 2016 to 2022, Ministry of Finance Nepal
10. Monetary Policies 2016 to 2022, Nepal Rastra Bank.
11. Rijal, A. (2022, April 11). The Sri Lankan Crisis and Learning for Nepal. Nepal Economic Forum. Retrieved from
12. https://nepaleconomicforum.org/the-sri-lankan-crisis-and-learnings-for-nepal/
13. Sayeh, A. & Chami, R. 2020. The Impact of COVID-19 on Remittance Flows – IMF F&D. IMF Working Paper
14. 16/19, International Monetary Fund, Washington, DC.
15. Sharma, D., Anawade, P.K., Sahu, A. & Sharma, M. (2022). The economic crisis faced by island nation-Sri Lanka:
16. Anempirical study. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 28(3), 920-927.
17. Sharma, S.P. (2022, May 13). Let's not compare economies of Nepal and Sri Lanka. The Indian Express. Retrieved
18. from https://indianexpress.com/article/opinion/columns/sri-lanka-nepal-politics-economic-crisis7914357/

19. Shakya, B.M. (2022, July 14). Sri Lankan Syndrome and Nepal, The Kathmandu Post. Retrieved from
20. https://kathmandupost.com/columns/2022/07/14/sri-lankan-syndrome-andnepal?fbclid=IwAR0_grn Uq1rk S5TBta3l30ba8xLGAjeDMjwO6AUKy-B9Ei3HLKvpU iRLXOc
21. Srinivasa, M. (1994). Trade and External Sector Reforms in Developing Asia: An Overview. Economic and
22. Political Weekly, 29(6), 321–332.
23. Sultana, Gulbin (2022), Economic Crisis in Sri Lanka: An Assessment, Manohar ParrikarInstitute of Defence
24. Studies and analyses. (MP-IDSA) issue brief.
25. Trade Statistics of Nepal, Nepal Custom Department

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

पशुधन: पशुओं को वैश्विक भागीदारी के साथ समानता का अधिकार

ओमप्रकाश योगी*

* एम.ए. (राजनीति विज्ञान) वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना – राजा राममोहन राय ने जब सती-प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई तो उनका यह कहकर विरोध किया गया कि यह लोकप्रिय मान्यताओं और परम्परा के विरुद्ध है। क्या होता यदि राजा राममोहन राय की आवाज हो-हल्ला मचाती लोकप्रिय मान्यताओं के शोरगुल में कहीं दब जाती! शायद आने वाले कई वर्षों तक हिन्दू महिला जिन्दा ही अपने पति की चिता पर जलती रहती। विदित हो कि अध्यादेश के माध्यम से जल्लीकट्टू के आयोजन का रास्ता साफ किये जाने के बाद कल इस खेल के आयोजन के दौरान दो लोगों की मौत हो गई है। जब पशु-पक्षियों के अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन हो और इंसानी जान की कीमत बस शौर्य और बल का एक खेल बन जाए तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि किस हद तक लोकप्रिय जनभावनाएँ और मान्यताएँ कानून को प्रभावित कर सकती हैं।

हाल के वर्षों में न्यायपालिका ने जानवरों और पक्षियों के अधिकारों को बरकरार रखा है और इस बात पर बल दिया है कि पशु-पक्षियों को भी सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। न्यायपालिका ने यह भी सन्देश दिया है कि लोकप्रिय विचारों एवं परम्पराओं तथा पशु अधिकारों में विरोधाभास की स्थिति में भी पशु-पक्षियों के अधिकारों को ही वरीयता देनी चाहिये। गौरतलब कि पशु-पक्षियों के अधिकार हमारे संविधान में निहित है।

क्या कहते हैं संबंधित कानून?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(I) के मुताबिक हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' और 'खा। सुरक्षा अधिनियम' में इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि कोई भी पशु सिर्फ बूचड़खाने में ही काटा जाएगा और बीमार तथा गर्भ धारण कर चुके पशु को मारा नहीं जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के मुताबिक किसी पशु को मारना या अपंग करना, भले ही वह आवारा क्यों न हो, दंडनीय अपराध है।

'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' के मुताबिक किसी पशु को आवारा छोड़ने पर तीन महीने की सजा हो सकती है। पशुओं को लड़ने के लिये भड़काना, ऐसी लड़ाई का आयोजन करना या उसमें हिस्सा लेना संज्ञेय अपराध है

'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' की धारा 22(2) के मुताबिक भालू, बंदर, बाघ, तेंदुए, शेर और बैल को मनोरंजक कार्यो के लिये प्रशिक्षित करना और मनोरंजन के लिये इन जानवरों का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है।

पशु-अधिकारों के संबंध में न्यायपालिका का प्रयास – ऐतिहासिक पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जीने के मौलिक अधिकार के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें पशुओं को भी शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार बैलों को भी एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, उन्हें पीटा नहीं जा सकता, न हीं उन्हें शराब पिलाया जा सकता है और न ही संकीर्ण बाड़ों में खड़ा किया जा सकता है।

यदि संक्षेप में कहें तो सुप्रीम ने इस फैसले में यह कहा कि जानवरों को मानव ज्यादतियों से रक्षा और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। दरसल, अनुच्छेद 21 में तब तक गरिमापूर्ण और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार केवल मानवों तक ही सीमित था।

मई 2014 में जल्लीकट्टू पर प्रतिबन्ध लगाने वाले अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के दायरे में बैलों को ही नहीं बल्कि पशुओं की 'प्रत्येक प्रजाति' को सम्मिलित कर लिया और तब से ही अदालतों में बैल, हाथी, घोड़े, कुत्तो, मुर्गो और यहाँ तक कि सैलानी पक्षियों के अधिकारों से संबंधित मामलों की बाढ़ सी आ गई है।

हम अपने घरों में पालतू जानवर तो रखते हैं लेकिन जाने-अनजाने में उनके साथ कई बार ऐसे सलूक करते हैं, जो अपराध की श्रेणी में आता है. इसकी हमें सजा भी मिल सकती है. इसी तरह हमारे आसपास घूमने वाले जानवरों के साथ भी हमारा व्यवहारबहुत मायने रखता है। कई ऐसी बातें हैं, जो हमें शायद नहीं मालूम, लेकिन भारतीय कानूनों की नजर से वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। भारतीय संविधान के तरह 15 ऐसे कानून बनाए गए हैं, जो हमें मालूम होने चाहिए।

1. **अनुच्छेद 51(I)** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(I) के मुताबिक, हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है।

2. **क्रूएलिटी एक्ट –** कोई भी पशु (मुर्गी समेत) सिर्फ बूचड़खाने में ही काटा जाएगा। बीमार और गर्भ धारण कर चुके पशुओं को मारा नहीं जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स एक्ट और फूड सेफ्टी रेगुलेशन में इस बात पर स्पष्ट नियम हैं।

3. **पशु को मारना–** भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के मुताबिक किसी पशु को मारना या अपंग करना, भले ही वह आवारा क्यों न हो, दंडनीय अपराध है।

4. **पशु को आवारा बनाना–** प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑन एनिमल्स एक्ट (पीसीए) 1960 के मुताबिक किसी पशु को आवारा छोड़ने पर तीन

महीने की सजा हो सकती है।

5. **बंदरों को सुरक्षा-** वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत बंदरों को कानूनी सुरक्षा दी गई है। कानून कहता है कि बंदरों से नुमाइश करवाना या उन्हें कैद में रखना गैरकानूनी है।

6. **कुत्तों के लिए कानून-** इस नियम के तहत कुत्तों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पालतू और आवारा। कोई भी व्यक्ति या स्थानीय प्रशासन पशु कल्याण संस्था के सहयोग से आवारा कुत्तों का बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन कर सकती है। उन्हें मारना गैरकानूनी है।

7. **खाना-पानी न देना अपराध-** जानवर को पर्याप्त भोजन, पानी, शरण देने से इनकार करना और लंबे समय तक बांधे रखना दंडनीय अपराध है। इसके लिए जुर्माना या तीन महीने की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं।

8. **पशुओं को लड़ाना-** पशुओं को लड़ने के लिए भड़काना, ऐसी लड़ाई का आयोजन करना या उसमें हिस्सा लेना संज्ञेय अपराध है।

9. **एनिमल टेस्टिंग-** ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के मुताबिक जानवरों पर कॉस्मेटिक्स का परीक्षण करना और जानवरों पर टेस्ट किये जा चुके कॉस्मेटिक्स का आयात करना प्रतिबंधित है।

10. **बलि पर बैन-** स्लॉटरहाउस रूल्स 2001 के मुताबिक देश के किसी भी हिस्से में पशु बलि देना गैरकानूनी है।

11. **चिड़ियाघर का नियम-** चिड़ियाघर और उसके परिसर में जानवरों को चिढ़ाना, खाना देना या तंग करना दंडनीय अपराध है। पीसीए के तहत ऐसा करने वाले को तीन साल की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

12. **पशुओं को ले जाना-** पशुओं को असुविधा में रखकर, दर्द पहुंचाकर या परेशान करते हुए किसी भी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मोटर व्हीकल एक्ट और पीसीए एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है।

13. **तमाशा नहीं-** पीसीए एक्ट के सेक्शन 22(2) के मुताबिक भालू, बंदर, बाघ, तेंदुए, शेर और बैल को मनोरंजन के लिए ट्रेन करना और इस्तेमाल करना गैरकानूनी है।

14. **घोंसलें की रक्षा-** पंछी या सरीसृप के अंडों को नष्ट करना या उनसे छेड़छाड़ करना या फिर उनके घोंसले वाले पेड़ को काटना या काटने की कोशिश करना शिकार कहलाएगा। इसके दोषी को सात साल की सजा या 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

15. **जंगली जानवरों को कैद करना-** किसी भी जंगली जानवर को पकड़ना, फंसाना, जहर देना या लालच देना दंडनीय अपराध है. इसके दोषी को सात साल की तक की सजा या 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

निष्कर्ष - न्यायपालिका के विचार में पशु-पक्षियों के खिलाफ क्रूरता बंद होनी चाहिये और उनके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिये। जल्लीकट्टू मामले में भी अदालत ने कहा था कि यह खेल भले ही सांस्कृतिक आयोजन है लेकिन इसके आयोजन में पशुओं के विरुद्ध क्रूरता अंतर्निहित है। जल्लीकट्टू ही नहीं आन्ध्र प्रदेश में होने वाली मुर्गों की लड़ाई पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया हुआ है।

भारत की जनता ने खुद को अपना संविधान दिया है, संविधान तमाम राजनैतिक, भौगोलिक और सामाजिक अंतरों के बावजूद आपसी रजामंदी का दस्तावेज है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करना संवैधानिक अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि हमारा संविधान पशुओं पर क्रूरता की इजाजत नहीं देता। कई भारतीय कानूनों में इस बात का साफ जिक्र है कि पशुओं के साथ कैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये।

जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध भी सर्वोच्च अदालत ने इसी आधार पर लगाया था। हालाँकि विरोध करने वालों के अपने तर्क हैं और एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि जल्लीकट्टू के आयोजन से उन बैलों का संरक्षण सुनिश्चित होगा जिनका इस खेल में इस्तेमाल होता है, यह सही है कि यदि पशुओं का संरक्षण करना है तो हमें पशुओं को हमारे जीवन में अधिक उपयोगी बनाना होगा। हम अपने रोजाना कार्यों जैसे सवारी करना, खेत में या अन्य कृषिगत कार्यों में उनका उपयोग कर सकते हैं हाँ यहाँ शर्त ये है कि पशुओं से काम लेना चाहिये न की उनका शोषण करना चाहिये। यह तमिलनाडु सरकार की जिम्मेदारी है कि जल्लीकट्टू को बैलों के शोषण से मुक्त कराए, जान-माल के होने वाले नुकसान को बंद कराए और फिर न्यायपालिका से प्रतिबंध हटाने का अनुरोध करे।

जिस तरह जलीकट्टू पर प्रतिबंध के फैसले का विरोध हो रहा है, वैसा ही विरोध अगर बलि प्रथा पर लगे प्रतिबंध का भी होने लगे। इतना ही नहीं सती, जाति और छुआछूत को भी परंपरा कहकर फिर से लागू करने की बात की जाने लगे तो! देश को यह समझना होगा कि हम परम्पराओं के नाम पर कानून के राज को खत्म नहीं कर सकते, हाँ यदि कोई परम्परा जन-मानस के अंदर इतनी रच-बस गई है कि उसे समाप्त नहीं किया जा सकता तो उस परम्परा में सुधारवादी प्रयास तो होने ही चाहिए और यह बात केवल जल्लीकट्टू ही नहीं बल्कि उन तमाम परम्पराओं पर लागू होती है जो बुनियादी कानून व्यवस्था के खिलाफ हैं।

एक या अधिक पशुओं के समूह को, जिन्हें कृषि सम्बन्धी परिवेश में भोजन, रेशे तथा श्रम आदि सामग्रियां प्राप्त करने के लिए पालतू बनाया जाता है, पशुधन के नाम से जाना जाता है। शब्द पशुधन, जैसा कि इस लेख में प्रयोग किया गया है, में मुर्गी पालन तथा मछली पालन सम्मिलित नहीं हैय हालांकि इन्हें, विशेष रूप से मुर्गीपालन को, साधारण रूप से पशुधन में सम्मिलित किया जाता हैं।

पशुधन आम तौर पर जीविका अथवा लाभ के लिए पाले जाते हैं। पशुओं को पालना (पशु-पालन) आधुनिक कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग है। पशुपालन कई सभ्यताओं में किया जाता रहा है, यह शिकारी-संग्राहक से कृषि की ओर जीवनशैली के अवस्थांतर को दर्शाता है।

इतिहास- पशुओं को पालने-पोसने का इतिहास सभ्यता के अवस्थांतर को दर्शाता है जहां समुदायों ने शिकारी-संग्राहक जीवनशैली से कृषि की ओर जाकर स्थिर हो जाने का निर्णय लिया। पशुओं को 'पालतू' कहा जाता है जब उनका प्रजनन तथा जीवन अवस्थाएं मनुष्यों के द्वारा संचालित होती हैं। समय के साथ, पशुधन का सामूहिक व्यवहार, जीवन चक्र, तथा शरीर क्रिया विज्ञान मौलिक रूप से बदल गया है। कई आधुनिक फार्म पशु अब जंगली जीवन के लिए अनुपयुक्त हो चुके हैं। कुत्तों को पूर्वी एशिया में लगभग 15,000 वर्ष पूर्व पालतू बनाया गया था, बकरियां तथा भेड़ें लगभग 8000 वर्ष ईपू एशिया में पालतू बनायीं गयी थीं। शूकर अथवा सूअर 8000 वर्ष ईपू पहले मध्य एशिया व चीन में पालतू बनाये गए थे। घोड़े को पालतू बनाये जाने के सबसे प्राचीन प्रमाण लगभग 4000 ईपू से समय से प्राप्त होते हैं। प्राचीन अंग्रेजी स्रोत, जैसे बाइबल के किंग जेम्स संस्करण, में पशुधन को 'कैटल' (मवेशी) द्वारा इंगित किया जाता है न कि 'डीयर' (हिरन) के द्वारा, इस शब्द का प्रयोग ऐसे जंगली पशुओं के लिए किया जाता था जो

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

किसी के स्वामित्व में नहीं होते थे। शब्द कैटल की उत्पत्ति मध्यकालीन अंग्रेजी शब्द चौटल से हुई है, जिसका अर्थ सभी प्रकार की व्यक्तिगत चल संपत्तियों से है। जिसमें पशुधन सम्मिलित है, तथा जो अचल भूमि-संपत्ति से अलग है ('वास्तविक संपत्ति') बाद में अंग्रेजी में, कभी-कभी छोटे पशुधन को 'स्माल कैटल' भी कहा जाता था तथा जिसका चल-संपत्ति अथवा भूमि के अभिप्राय में प्रयोग होता था तथा जो भूमि के क्रय अथवा विक्रय किये जाने पर स्वतः ही हस्तांतरित नहीं हो जाती थी। आज, शब्द 'मवेशी' का अर्थ, बिना किसी विशेषक के, आमतौर से पालतू गोवंशीय पशु होता है।बॉस वर्ग की अन्य प्रजातियों को कभी कभी जंगली मवेशी कहा जाता है।

प्रकार- शब्द 'पशुधन' अस्पष्ट है तथा इसको संकीर्ण अथवा विस्तीर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है। एक विस्तीर्ण दृष्टिकोण से, पशुधन का अर्थ पशुओं की किसी भी ऐसी प्रजाति अथवा जनसंख्या है जिसे मनुष्यों द्वारा उपयोगी अथवा व्यावसायिक कारण से रखा जाता हो. इसका अर्थ पालतू पशु, अर्ध-पालतू अथवा कैद किया हुआ जंगली पशु हो सकता है। अर्ध-पालतू पशु उसको कहते हैं जिसे सिर्फ अल्प रूप से पालतू बनाया जा सका हो अथवा उसकी स्थिति विवादित हो। ये पशु अपने पालतू बनाये जाने के प्रक्रिया के किसी चरण में हो सकते हैं।

पशुओं के आर्थिक मूल्य में शामिल हैं:

मांस - आहार उपयोगी प्रोटीन तथा ऊर्जा का उत्पादन

डेयरी उत्पाद - स्तनधारी पशुधन का प्रयोग दूध के स्रोत के रूप में होता है, जिसे आसानी से संसाधित करके अन्य डेयरी उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे दही, चीज, मक्खन, आइस क्रीम, केफीर अथवा क्यूमिस। पशुधन का प्रयोग इस कारण से किये जाने से प्राप्त भोजन ऊर्जा उन्हें काटने से प्राप्त ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है।

रेशा (फाइबर) - पशुधन से रेशों/वस्त्रों की एक श्रृंखला का उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए भेड़ों तथा बकरियों से ऊन तथा मौहेर प्राप्त होता हैय गाय, हिरन तथा भेड़ की खाल से चमड़ा बनाया जाता हैय तथा इनकी हड्यिों, खुरों तथा सींगों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

उर्वरक - गोबर की खाद का प्रयोग फसल की खेतों में डाल कर उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे ऐतिहासिक रूप से पौधे तथा पालतू पशु एक दूसरे से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। गोबर की खाद का प्रयोग दीवालों तथा फर्शो के प्लास्टर में तथा आग जलाने की ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। पशुओं के रक्त हड्यिों का प्रयोग भी उर्वरक के रूप में किया जाता है।

श्रम- घोड़े, गधे तथा याक जैसे पशुओं का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा के लिए किया जा सकता है। भाप की शक्ति से पहले, पशुधन गैर-मानव श्रम का एकमात्र उपलब्ध स्रोत था। इस उद्देश्य के लिए वे आज भी विश्व के कई भागों में प्रयोग किये जाते हैं, जैसे खेत जोतने के लिए, सामान ढुलाई के लिए तथा सैन्य प्रयोग के लिए भी।

भूमि प्रबंधन- पशुओं की चराई को कभी कभी खर-पतवार तथा झाड-झंखाड़ के नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, उन क्षेत्रों में जहां जंगल की आग लगती है, बकरियों तथा भेड़ों का प्रयोग सूखी पत्तियों को खाने के लिए किया जाता है जिससे जलने योग्य सामग्री कम हो जाती है तथा आग का खतरा भी कम हो जाता है।

पशु पालन के इतिहास के दौरान, ऐसे कई उत्पादों का विकास किया गया जिससे उनके कंकालों का प्रयोग किया जा सके तथा कचरे को कम किया जा सके. उदाहरण के लिए, पशुओं आतंरिक अखाद्य अंग, तथा अन्य अखाद्य भागों को पशु भोजन तथा उर्वरक में बदला जा सकता है। अतीत में, इस तरह के अपशिष्ट उत्पादों को कभी-कभी पशुओं के भोजन के रूप में भी खिलाया गया है। हालांकि, अंतर-प्रजाति पुनर्चक्रण (Intra-species recycling) बीमारियों का खतरा प्रस्तुत करता है, जिससे पशु एवं यहां तक कि मनुष्य भी खतरे में आ जाते हैं (बोवाइन स्पौंजीफॉर्म एंकेफैलोपैथी (बीएसई), स्क्रैपी व प्रायन देखें)। मुख्य रूप से बीएसई (मैड काऊ डिजीज) के कारण पशु अवशिष्ट को पशुओं को खिलाया जाने पर अनेक देशों में रोक लगा दी गयी है, कम से कम जुगाली करने वाले पशुओं तथा सूअरों पर तो यह रोक है ही।

विश्व भर में पालन विधियां कई प्रकार के पशुओं के बीच नाटकीय रूप से पृथक होती हैं। पशुधन को आमतौर पर किसी बाड़े में रखा जाता है, तथा वे मनीषयों द्वारा प्रदत्त भोजन खाते हैं।कृपया उद्धरण जोड़ें, तथा उनका प्रजनन इच्छानुसार कराया जाता है, परन्तु कुछ पशुधन बड़े में नहीं रखे जाते हैं, तथा प्राकृतिक संसाधनों से भोजन करते हैं, अथवा उन्हें मुक्त रूप से प्रजनन करने दिया जाता है, अथवा इनमें से कोई भी संयोजन उपस्थित हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से पशु पालन भौतिक संस्कृति के खानाबदोश अथवा चारागाही सम्बन्धी रूप का भाग है। विश्व के कुछ भागों में ऊंटों अथवा रेनडियर के झुंडों को रखना निष्क्रिय कृषि से सम्बंधित नहीं होता है। कैलिफोर्निया की सियेरा नेवाडा पर्वत श्रृंखला में पशुओं के झुंडों का ट्रांसह्यूमेंस रूप अभी भी प्रचलन में है, जिसमें मवेशियों, भेड़ों अथवा बकरियों को मौसम परिवर्तन होने के साथ ही सर्दियों में चराई के लिए कम ऊंचाई की घाटियों में तथा वसंत व गर्मियों में चराई के लिए अल्पाइन क्षेत्र के पर्वत आधारों में ले जाने की परम्परा है। मवेशियों को पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, अर्जेंटीना के पाम्पस तथा विश्व के अन्य प्रेरी व स्टेपी क्षेत्रों में खुले क्षेत्र में पालने का प्रचलन है।

कृषि के इतिहास में पशुधन को चरागाहों तथा खलिहानों में बंद बाड़ों में पाला जाना अपेक्षाकृत एक नया विकास है। जब मवेशियों को बंद बाड़ों में रखा जाता है, तब 'बाड़े' एक छोटे खांचे से लेकर एक बड़े चारदीवारी वाले चारागाह अथवा पशुओं के अहाते तक हो सकते हैं। भोजन का प्रकार प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास से लेकर उच्च परिष्कृत संसाधित भोजन तक हो सकता है। पशुओं का प्रजनन इच्छानुसार कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से या पर्यवेक्षित संभोग के माध्यम किया जाता है। आंतरिक उत्पादन प्रणालियों का प्रयोग आमतौर पर सिर्फ सूअरों तथा मुर्गियों के साथ ही साथ वील मवेशियों के लिए किया जाता है। अन्दर रखे जाने वाले पशुओं का पालन गहन रूप से किया जाता है, क्योंकि अधिक स्थान की आवश्यकता अन्दर किये जाने वाले पालन को गैर-लाभकारी तथा असंभव बना देगी. परन्तु अन्दर की जाने वाली पालन प्रणालियां अपने अपशिष्ट उत्पादन, गंध सम्बन्धी समस्याएं, भूगर्भ जल को प्रदूषित करने की क्षमता तथा पशुओं की देखभाल सम्बन्धी चिंताओं के कारण विवादित हैं। (गहन पालन पशुधन पर और अधिक चर्चा के लिए, देखें फैक्ट्री पालन तथा गहन सूअर पालन)

अन्य पशुधन का खुले क्षेत्र में पालन किया जाता है, हालांकि बाड़ों का आकार तथा देख-रेख के स्तर विभिन्न हो सकते हैं। बड़े, खुले क्षेत्रों में पशुओं का सिर्फ कभी-कभी निरीक्षण किया जाता है, अथवा उन्हें किसी प्रांगण में 'राउंड-अप' करते हैं या एकत्रित करते हैं (पशुधन)। पशुधन को एकत्रित करने के लिए हर्डिंग कुत्तों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही काऊबॉय,

स्टॉकमेन तथा अश्वारोही जैकारूज का भी प्रयोग होता है, अथवा वाहनों एवं हेलीकौप्टर का प्रयोग भी किया जाता है। कांटेदार तार के आगमन (1870 में) तथा बिजली की बाड़ की प्रौद्योगिकी के आने के बाद बाड़दार चरागाहें अधिक सुविधाजनक हो गयीं तथा चारागाह प्रबंधन सरल हो गया। चरागाहों का आवर्तन पोषण तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की की एक आधुनिक तकनीक है जिसमें भूमि को होने वाली क्षति को भी रोका जा सकता है। कुछ मामलों में पशुओं की एक बहुत बड़ी संख्या को आंतरिक अथवा बाहरी कार्यप्रणाली में रखा जा सकता है (फीडलौट पर), जहां पशुओं के भोजन को वहीं अथवा कहीं अन्य संसाधित किया जा सकता है तथा उसे स्थल पर संचित करके पशुओं को खिलाया जा सकता है।

पशुधन को – विशेष रूप से मवेशी – को स्वामित्व तथा आयु इंगित करने के लिए ब्रांडीकृत किया जा सकता है, परन्तु आधुनिक पालन में पहचान चिन्ह के रूप में ब्रांडीकरण से कहीं अधिक कान में लगाये जाने वाले टैग प्रयुक्त किये जाते हैं। भेड़ को भी कान के निशानों अथवा कान के टैगों से अक्सर चिन्हित किया जाता है। जैसे–जैसे मैड काउ डिजीज तथा अन्य महामारी बीमारियों का भय बढ़ता जा रहा है, भोजन उत्पादन प्रणालियों में पशुओं की निगरानी तथा पहचान के लिए इम्प्लान्टों के प्रयोग का चलन भी बढ़ रहा है, कई बार इसकी आवश्यकता सरकार के नियमों के कारण भी होती है।

आधुनिक पालन तकनीकें मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने, पैदावार को बढ़ने तथा पशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान देती हैं। लाभ, गुणवत्ता तथा उपभोक्ता की सुरक्षा, ये सब पशुओं के पालन के तरीकों पर निर्भर करते हैं। दवाइयों का प्रयोग तथा भोजन अनुपूरक (अथवा भोजन का प्रकार भी) पर उत्पाद को उपभोक्ता के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पशुओं की देखभाल की कीमत पर न बढ़ने देने के लिए नियंत्रण अथवा निषेध किया जा सकता है। ये प्रथाएं दुनिया भर में अलग–अलग हो सकती हैं, उदाहरण के लिए विकास हार्मोन के प्रयोग की अनुमति संयुक्त राज्य अमेरिका में है परन्तु जिसकी बिक्री यूरोपीय संघ में होनी हो, उस पर नहीं। आधुनिक पालन तकनीकों से प्राप्त पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य पर अब प्रश्न उठने लगे हैं। मवेशियों को मकई खिलाया जाना जो सदैव घास खाती रही हैं, इसका एक उदाहरण हैय जहां पर मवेशी इसके अधिक अभ्यस्त नहीं है, यह प्रथम अमाशय का pH मान बढ़ा कर उसे अधिक अम्लीय कर देता है, जिससे उनके लीवर के क्षतिग्रस्त होने तथा अन्य कठिनाइयों की सम्भावना बढ़ जाती है।कृपया उद्धरण जोड़ें, अमेरिकी एफडीए अभी भी फीडलौट्स को मवेशियों को नौन–रयूमिनेंट पशु प्रोटीन खिलने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए मुर्गियों की बीट तथा मुर्गियों का भोजन मवेशियों को खिलाया जाना स्वीकार्य है तथा भैंसे तथा सूअर का मांस मुर्गियों को खिलाया जा रहा है।

शिकार– पशुधन पालकों को जंगली पशुओं द्वारा शिकार तथा रस्लर्स द्वारा उन्हें चुराए जाने का खतरा रहता है। उत्तरी अमेरिका में भूरे भेड़िये, ग्रिज्ली भालू, तेंदुए, काले भालू, तथा कायोट आमतौर पर पशुधन के लिए खतरा माने जाते हैं। यूरेशिया और अफ्रीका में भेड़िया, भूरे भालू, तेंदुआ, बाघ, शेर, ढोल, काले भालू, चकत्तेदार लकड़बग्घा तथा अन्य पशुधन की मृत्यु का कारण बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डिंगो, लोमड़ियां, वेज–पूंछ वाली चील, शिकारी तथा पालतू कुत्तो (विशेष रूप से) चरवाहों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं क्योंकि वे मजे के लिए शिकार करते हैं।लैटिन अमेरिका में जंगली कुत्तो रात में पशुधन को मार देते हैं।

रोग– पशुओं की बीमारियों से पशुओं की देखभाल प्रभावित होती है, उत्पादकता घाट जाती है तथा मनुष्यों में संक्रमण हो सकता है। पशु–पालन के द्वारा पशुओं के रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास तथा उन्हें कम किया जा सकता है अथवा उन्हें एंटी–बायोटिक्स तथा टीकों की सहायता से कम किया जा सकता है। विकासशील देशों में पशुपालन में पशुओं के रोगों को सहन किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप काफी कम उत्पादकता प्राप्त होती है, विशेष रूप से खराब स्वास्थ्य वाले विकासशील देशों के पशु समूहों में अक्सर किसी कृषि नीति को लागू करने में लिया गया पहला कदम उत्पादकता में लाभ के लिए रोग प्रबंधन ही होता है।

पशुपालन में परिवर्तन के माध्यम से रोग प्रबंधन प्राप्त किया जा सकता है। ये उपाय जैव–सुरक्षा साधनों के द्वारा बीमारी के फैलाव को सीमित करने के लक्ष्य के साथ किये जाते हैं, इनमें पशुओं के मिलने पर रोक लगायी जाती है, पालन स्थल पर जाने वालों का प्रवेश नियंत्रण करके तथा रक्षात्मक कपडे पहन कर एवं बीमार पशुओं को अलग करके रोगों को टीकों और एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स की उप–चिकित्सकीय खुराक विकास वृद्धि के लिए भी प्रयोग में लायी जाती है, इनसे विकास में 10–15% की वृद्धि हो सकती है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के मुद्दे के कारण रक्षात्मक खुराक की प्रथा सीमित हो गयी है, उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक मिला हुआ भोजन. देशों में पशु–चिकित्सक के प्रमाणपत्र की आवश्यकता पशुओं के स्थानांतरण, बिक्री तथा प्रदर्शन से पहले होती है। रोग से मुक्त क्षेत्रों में अक्सर संभावित रोगग्रस्त पशुओं के प्रवेश के लिए नियम कड़ी से लागू किये जाते हैं, जिसमें संगरोधन भी शामिल है।

परिवहन और विपणन – चूंकि अधिकांश पशुधन चरने वाले पशु होते हैं, ऐतिहासिक रूप से उन्हें बिक्री के लिए 'जीवित' अवस्था में हांक कर बाजार लाया जाता था जो कि एक कस्बा अथवा कोई अन्य केन्द्रीय स्थल होता था। अमेरिकी जन युद्ध के पश्चात के समय काल में टेक्सास में लंबे सींग वाले मवेशियों की प्रचुरता हो गयी थी, तथा उत्तारी बाजारों में गोमांस की मांग थी, जिसकी वजह से प्राचीन पश्चिमी मवेशी अभियान के क्रियान्वन की आवश्यकता उत्पन्न हुई. यह पद्धति अभी भी दुनिया के कुछ भागों में प्रचलित है। ट्रक परिवहन अब विकसित देशों में आम हो चुका है। स्थानीय और क्षेत्रीय पशुधन की नीलामी तथा जिंस बाजार पशुधन के व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अन्य क्षेत्रों में, पशुधन को बाजार में खरीदा एवं बेचा जाता है, जैसा कि केन्द्रीय एशिया के कई स्थानों में पाया जाता है, अथवा ऐसा पुरानी वस्तुओं को बेचने के बाजार के रूप में किया जा सकता है।

माल का प्रदर्शन तथा मेले ऐसे कार्यक्रम हैं जहां लोग अपने सर्वश्रेष्ठ पशुधन का प्रदर्शन करके एक दुसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। 4–एच, ब्लॉक एंड ब्रिडल तथा एफएफए कुछ ऐसे संगठन हैं जो युवाओं को प्रदर्शन के उद्देश्य से पशुधन का पालन करने को प्रोत्साहित करते हैं। विशेष भोजन खरीदा जाता है, तथा प्रदर्शन प्रारंभ होने के कुछ घंटे पहले से पशुओं को सजाया जाता है ताकि वे सबसे सुन्दर दिखें। मवेशियों में भेड़ें तथा सूअरों के प्रदर्शन में, विजयी पशुओं को अक्सर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम कर दिया जाता है, तथा प्राप्त राशि को इसके स्वामी की छात्रवृत्ति कोष में डाल दिया जाता है। 2004 में रिलीज फिल्म ग्रैंड चौंपियन में टेक्सास के एक युवा लड़के की अनुभवों की कहानी है जो पुरस्कृत बैल का पालन

करता है।

पशु कल्याण – भारत का एक चरवाहा लड़का, छोटीभूमि वाले ग्रामीण किसानों की जीविका के लिए पशुधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से विकासशील देशों में मानव हित के लिए पशुओं को पालने का मुद्दा मनुष्यों तथा पशुओं के बीच सम्बन्ध पर पशुओं की स्थिति तथा लोगों के दायित्व पर प्रश्न उठाता है। पशु कल्याण एक दृष्टिकोण है कि मनुष्यों की देखभाल में रह रहे पशुओं को अनावश्यक रूप से कष्ट नहीं उठाना चाहिए 'अनावश्यक' कष्ट उठाना क्या है, इसके विषय में विभिन्न मत हो सकते हैं। आम तौर पर, हालांकि, पशु कल्याण खेती प्रथाओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान की एक व्याख्या के परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। इसके विपरीत, पशुओं के अधिकार का दृष्टिकोण है कि लाभ के लिए पशुओं का उपयोग, अपनी प्रकृति के अनुसार, पालन प्रथाओं के बावजूद, आमतौर पर शोषण ही है। पशु-अधिकार कार्यकर्ता आम तौर पर शाक खाने वाले अथवा शाकाहारी ही होते हैं, हालांकि पशु-अधिकार दृष्टिकोण के साथ ही सुसंगत है कि उत्पादन प्रक्रम के आधार पर मांस खाया जा सकता है।

पशु कल्याण समूह आम तौर पर पशुधन पालन की प्रथाओं पर सार्वजनिक चर्चा करते हुए पशुधन के उद्योगों पर अधिक नियंत्रण तथा जांच का अनुमोदन करते हैं। पशु अधिकार समूह आमतौर पर पशुओं की पालन का उन्मूलन चाहते हैं, हालांकि कुछ समूह पहले अधिक कठोर विनियमन को प्राप्त करने की आवश्यकता को पहचानते हैं। पशु कल्याण समूह जैसे आरएसपीसीए, अक्सर, पहली दुनिया के देशों में सरकारी स्तर पर नीति के विकास पर आवाज उठाते हैं। पशु अधिकार समूह अपनी बात रखने में कठिनाइयां महसूस करते हैं, अत: वे और अधिक आगे बढ़ते हुए जन अवज्ञा अथवा हिंसा पर उतर आते हैं।

कई पशुपालन प्रथाएं 1990 तथा 2000 के दशक में आन्दोलनों का कारण बनी हैं तथा कई देशों में इनसे सम्बंधित कानून भी बनाये गए हैं। छोटे और अप्राकृतिक स्थान में पशुधन को भर देना कई बार अर्थ-सम्बन्धी तथा स्वास्थ्य कारणों से किया जाता है। पशु को न्यूनतम आकार के पिंजरे या पेन में रखा जाता है जहां उसके लिए गतिविधि का कोई स्थान नहीं होता है। जहां पशुधन को शक्ति के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें अपनी श्रम सम्बन्धी सीमाओं से परे धकेल दिया जाता है। इस दुरुपयोग की सार्वजनिक दृश्यता का अर्थ यह था कि यूरोपीय देशों में उन्नीसवीं सदी में इससे सम्बन्धी विधान बनाये गए, परन्तु एशिया के कुछ हिस्सों में अभी भी जारी है। ब्रौइलर मुर्गियों की चोंच काट दी जाती है, सूअरों के डिसिडुअस दांत निकल दिए जाते हैं, मवेशियों के सींग हटा दिए जाते हैं तथा इनका ब्रान्डीकरण कर दिया जाता है, डेयरी की गायों तथा भेड़ों की पूंछ काट दी जाती है, मरीनो भेड़ों को म्यूल्सीकरण किया जाता है, तथा कई प्रकार के नर पशुओं का बधियाकरण किया जाता है। पशुओं को बेचने और वध के लिए लंबी दूरी तक यात्रा करनी पड़ सकती है। भीड़ की स्थिति, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की गर्मी तथा भोजन, पानी तथा आराम की अनुपलब्धता विधान बनाने तथा विरोध का कारण बनते हैं। (देखें जीवित निर्यात) पशुधन का वध सम्बन्धी विधान शुरूआती लक्ष्यों में से एक था। ऐसे अभियान हलाल और कोषेर जैसी धार्मिक वध तकनीकों को भी निशाने पर लाते हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव– शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 'लाइवस्टॉक्स लौंग शैडो' जैसी रिपोर्टों से पशुधन क्षेत्र (मुख्य रूप से मवेशी, मुर्गीपालन, तथा सूअर) पर संकट आया, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्र सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के सर्वाधिक बड़े दो या तीन अंशदाताओं में से एक माना गया था। संयुक्त राष्ट्र ने विवादास्पद कृपया उद्धरण जोड़ें, रूप से अपनी कार्यप्रणाली में वनों की कटाई से उत्पन्न उत्सर्जन को शामिल किया था। 18% आंकड़े के स्थान पर, जो इस क्षेत्र के लिए उत्सर्जन के बड़े अंशदाता के रूप में निर्धारित किया गया है, एक वास्तविक आंकड़ा है, वनों की कटाई दरअसल 12% है कृपया उद्धरण जोड़ें,अप्रैल 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, ने संयुक्त राज्य में उत्सर्जन के प्रमुख स्टॉकटेक जारी किये जिसका शीर्षक इन्वेंटरी ऑफ यू.एस. ग्रीनहाउस गैस एमिशन्स एंड सिंक्स: 1990-2006 था 2,6.1 पर यह पाया गया '2006 में कृषि क्षेत्र 454.1 टेराग्राम्स के समतुल्य (Tg Co_2 eq.), Co_2 के उत्सर्जन, अथवा संयुक्त राज्य के कुल ग्रीनहाउस गैसों के 6 प्रतिशत का जिम्मेदार पाया गया।' तुलना करने की दृष्टि से, संयुक्त राज्य में कुल उत्सर्जन का 25% परिवहन से प्राप्त होता है।

पशुधन के नीति के केंद्र में रहने का मुद्दा अभी जीवित है, विशेष रूप से नियोट्रॉपिकल क्षेत्रों में वनों की कटाई, भूमि की दुर्दशा, जलवायु परिवर्तन व वायु प्रदूषण, पानी की कमी व जल प्रदूषण तथा जैव विविधता की कमी होक्केदो स्थित ओबिहिरो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेट्रीनरी मेडिसिन के एक शोध दल ने पाया कि पशु के भोजन में सिस्टीन, जो कि एक प्रकार का अमीनो एसिड है, तथा नाइट्रेट शामिल करने से उनके द्वारा पैदा की जाने वाली मीथेन गैस की मात्र में कमी लायी जा सकती है, तथा साथ ही मवेशी की उत्पादकता अथवा मांस व दूध की गुणवत्ता भी प्रभावित नहीं होती।

वनों की कटाई वनों की कटाई कार्बन चक्र (तथा वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु) को प्रभावित करती है और साथ ही कई प्रजातियों के प्राकृतिक निवास की हानि का कारण बनती है। वन, जो कि कार्बन चक्र के लिए सिंक का कार्य करते हैं, कटाई के कारण खोते जा रहे हैं। वनों को या तो काटा जा रहा है अथवा इन्हें जला कर समतल भूमि बनायीं जा रही है, क्षेत्र के लिए आवश्यक समय विस्तृत है। वनों की कटाई से भी खंडन होता है, प्रजातियों के लिए उनका प्राकृतिक निवास खण्डों में मिल पता है। अगर ये खंड दूर और छोटे हों तो जीन प्रवाह कम हो जाता है, प्राकृतिक निवास परिवर्तित हो जाता है, किनारे प्रभावित होते हैं और आक्रामक प्रजातियों के आक्रमण के लिए अवसर अधिक होता है।

भूमि अवनति 2008 में बोत्सवाना विश्वविद्यालय की शोध में पाया गया कि किसानों के द्वारा सूखे से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अधिक पशुओं को पाले जाने से पारिस्थितिकी तंत्र अधिक नाजुक हो जाता है तथा मवेशियों के चरागाहों को दीर्घावधि की क्षति पहुंचती है, परिणामस्वरुप दुर्लभ जैव ईंधन की क्षति होती है। बोत्सवाना के क्गात्लेंग जिले के अध्ययन से भविष्यवाणी मिलती है कि 2050 तक, जलवायु परिवर्तन के कारण क्षेत्र में मध्यम सूखे का चक्र छोटा होता जायेगा (दो वर्षो के स्थान पर 18 महीने)

जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण मीथेन पशुधन खाद से उत्सर्जित गैसों में से एक हैय यह लंबी अवधि तक बनी रहती है और एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के पश्चात यह दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ग्रीन हाउस गैस है। हालांकि मीथेन कार्बन डाइ ऑक्साइड है कम मात्रा में है, वातावरण को गर्म करने की इसकी क्षमता 25 गुना अधिक है। पानी की कमी पशुधन की खपत के लिए पानी की आवश्यकता होती है

परन्तु भोजन के लिए जल ड्रॉप्स की भी आवश्यकता होती है। पशुधन को अक्सर अनाज खिलाया जाता है, जिसमें अमेरिका में उत्पन्न होने वाला 50% अनाज शामिल है साथ ही विश्व भर में होने वाला 40% अनाज भी शामिल है। अनाज तथा अन्य फसलों के उत्पादन के लिए भी जल की अलग-अलग मात्राओं की आवश्यकता होती है, अनाज से उत्पन्न एक किलोग्राम बीफ के लिए 100,000 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है, गेहूं से तुलना करने पर यह मात्रा 900 लीटर होती है।

जल प्रदूषण पशुओं के गोबर पर आधारित खादों की सहायता से उगाई जाने वाली फसलें (जैसे अन्न तथा चारा) जिनमें फॉसफोरस तथा नाइट्रोजन होता है, जिनका लगभग 95% वातावरण में नष्ट हो जाता है। तब प्रदूषक तत्व पौधों तथा जलीय जंतुओं के लिए मृत क्षेत्र बना देते हैं क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का आभाव होता है। ऑक्सीजन के आभाव को यूट्रोफिकेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें जल में उपस्थित जीवधारी अत्यधिक बढ़ जाते हैं तथा उसके पश्चात ऑक्सीजन का प्रयोग करते हुए सड़ जाते हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण मैक्सिको की खाड़ी है, जहां उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों के अत्यधिक उपयोग से वे मिसिसिपी नदी से होकर खाड़ी में पहुंच गए तथा वहां बहुत बड़े मृत क्षेत्र बन गए। अन्य प्रदूषक, हालांकि ये अधिक प्रचलित नहीं है, एंटीबायोटिक दवायें तथा हार्मोन हैं। दक्षिणी एशिया में जिन गिद्धों ने पशुधन के मृत शरीरों को खाया, उनकी संख्या 95% तक कम हो गयी और इसका कारण डिक्लोफेनैक नामक एंटीबायोटिक थी।

विकल्प ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने पशुधन की आंतों में कंगारू में पाया जाने वाला बैक्टीरिया प्रयोग करके उनमें मीथेन को कम करने का प्रयास किया है।

अर्ध शुष्क परिक्षेत्रों में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स, में ऐसी शोध हुई हैं जिनसे यह पता लगता है कि घास के मैदानों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने में पशुधन उपयोगी हो सकता है। पशुधन प्राकृतिक आवास का निर्माण तथा उनकी को बड़ी प्रजातियों के लिए बनाये रख सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. साइप्रस में बिल्ली का पालतूकरण, नेशनल ज्योग्राफिक.
2. नौर्दर्न डेली लीडर, 20 मई 2010, कुत्तो ने 30 भेड़ों को क्षति पहुंचाई (तथा उन्हें मार दिया), पृष्ठ 3, रूरल प्रेस
3. 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका - मूल पोषक तत्व एवं एडिटिव्स : एंटीबायोटिक दवायें व अन्य विकास उत्प्रेरक'मूल से 19 अक्तूबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 मई 2011.
4. लाइवस्टॉक्स लौंग शैडो - 'इन्वयारन्मेंटल इशूज़ एंड ऑप्शंस' एफएओ होम: एफएओ. स्रोत: संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, 2006. वेब. 16 जनवरी 2011.
5. पिमेंटेल, डेविड. 'कॉर्नेल विज्ञान समाचार: पशुधन उत्पादन' कार्नेल क्रॉनिकल ऑनलाइन. 7 अगस्त 1997. वेब. 16 फरवरी 2011.
6. 'सीआरएस रिपोर्ट फॉर कौंग्रेस: कृषि: शब्दों, प्रोग्राम तथा नियमों की शब्दावली', 2005 संस्करण - ऑर्डर कोड 97-905 मूल से 12 फरवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 मई 2011.
7. विकीपीडिया

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

प्राचीन भारतीय संस्कृति में घोड़े का महत्व

हेमराज कटारिया *

* शोधार्थी (इतिहास) राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना – मनुष्य की संस्कृतियों के निर्माण में पशुओं का अहम योगदान रहा है। आदिमकाल में मनुष्यों पशुओं का शिकार कर भोजन प्राप्त करता था, मध्यपाषाण काल में माँस के लिए इनकों पालतू बनाने लगा। कालांतर में कृषि की खोज के साथ ही कुछ पशु मानव समाज, धर्म, संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग बन गए। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्यपूरापाषाण काल में भीमबेटका गुफा चित्रों से हमे होमो सेपीयन्स प्रजाति द्वारा जंगली पशुओं के शिकार के चित्र मिलते है। हिन्दू पौराणिक मान्यताओं, किवंदितियों और कथाओं में अनेक पशुओं को देवताओं, असुरों आदि के वाहनों तथा उनके अवतारों के रूप में भी उल्लेख मिलता है। हिन्दू धर्म में पशु पक्षियों की उत्पति के अनेक सिद्धांत मिलते है जैसे कि पुराणों के अनुसार 'ब्रहमाण्ड के स्रष्टा ब्रम्हा के कश्यप नाम के एक पुत्र थे। कश्यप के कई पत्नीयाँ थी, जिन्होंने ने कश्यप को अनेक प्रकार की सन्ततियाँ प्रदान की थी। अदिति ने देवों को जन्म दिया था, जो आकाश में रहते थे। दिति ने दैत्यों या असुरो को जन्म दिया, जो धरती के नीचे निवास करते थे। कद्रु ने नागों, रेंगने वाले साँपों और जमीन और पेड़ों पर सरकने वाले कीड़ों को जन्म दिया।विनता ने गरुड़ों, पक्षियों और हवा में उड़ने वाले कीटों को पैदा किया। सरमा ने सभी जंगली जानवरों को जन्म दिया जिनके पंजे होते थे और सुरभि ने खुर वाले भले जीवों को। तिमि ने सारी मछलियों को जन्म दिया और सुरसा ने दानवों को। इस तरह, सभी देवताओं, दैत्यों, जीवों और मनुष्यों का भी पूवर्ज एक ही है कश्यप। वे उसे प्रजापति भी कहते है सभी प्राणियों का पिता।' कश्यप के अनेक पत्नीयां थी जोकि विभिन्न प्रकार के जानवरों की माताऐं थी। वही उपनिषदों के अनुसार 'पहले पुरुष ब्रह्मा ने पहली बार शतरुपा को देखा और उस पर मोहित हो गये। उन्होंने उसे छूने की कोशिश की। वह हँसी और भाग खड़ी हुई। उन्होंने उसका पीछा किया। पकड़े जाने से बचने के लिए शतरुपा एक हिरनी में बदल गयी। उसे पकड़ने के लिए वे एक हिरन बन गये। फिर वह घोड़ी बन गयी। वे घोड़ा बन गये। वह गाय बन गयी। ब्रम्हा ने वृषभ का रूप ले लिया, वह हंसिनी बन गयी और हवा में उड़ गयी। वे हंस के रूप में उसके पीछे-पीछे उड़ चले। हर बार जब शतरुपा ने किसी मादा का रूप लिया, ब्रम्हा ने उसके जोड़ीदार नर का रूप ले लिया। यह सिलसिला करोड़ों वर्षों तक चलता रहा। इस तरह, कालांतर में, सभी तरह के जीव-जंतुओं ने अवतार ग्रहण किया।'

लगभग दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य से घोड़ा भारतीय महाद्वीप में मौजूद रहा है, तथा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक स्वात संस्कृति (लगभग 1600 ईसा पूर्व) के दौरान घोड़े के सबसे पहले मौजूद होने के निर्विवाद प्रमाण हैं। हमे विकसित हड़प्पा सभ्यता से तो घोड़े के कोई अवशेष प्राप्त नहीं होते है, इसीलिए माना जाता है कि हड़प्पा के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, परंतु हमे उत्तार हड़प्पा काल से अनेक घोड़े के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त होते है। लोथल से घोड़े जैसी तीन मृण्मूर्तिया मिलती है। सुरकोटदा से भी घोड़े की हव्यिों के अवशेष प्राप्त हुए है। रंगपूर से घोड़े की मृण्मूर्तियाँ मिली है। बलूचिस्तान के राणाघुंडई से भी घोड़े के अवशेष प्राप्त होते है। वी. एस. वाकनकर को लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान के दौरान नदी के पाटे के टीलों की खुदाई के दौरान अनेक जगहों पर घोड़े के अवशेष व हव्यिँ प्राप्त होती है और मिट्टी के बने अनेक संख्या में घोड़े के प्रारूप प्राप्त होते है।

घोड़ों को भारतीय वाग्मय में सदैव ही महत्व प्रदान किया गया है। प्राचीन समय में वीर योद्धा अच्छी नस्ल के घोड़ों से खींचने वाले रथ पर युद्ध करते थे अथवा उनकी पीठ पर सवारी कर संग्राम किया करते थे। अत: यह स्वाभाविक है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में घोड़ों का एक व्यापक साहित्यिक वर्णन हमे प्राप्त होता है। वैदिक वाग्मय में घोड़ों के बहुत से उदहारण सहज ही देखने को मिल जाते है। वैदिक काल से हमे यह ज्ञात होता है कि घोड़े ना सिर्फ मनुष्यो को लिए अपितु देवताओं के पूजन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वेदों में उल्लेखित वाजिमेध यज्ञ में घोड़े का महत्व अच्छे से वर्णित है। घोडा महत्वपूर्ण जानवरों में से एक है, तथा इसके संदर्भ कई हिंदू धर्मग्रंथों में भी मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि इसके प्रमाण हैं। मेक्समूलर के अनुसार आर्यो का मूलस्थान मधय एशिया था और आर्य कबीले के रूप में भारत आए है। घोड़ा आर्यो का प्रिय पशु था। घोड़ों की सहायता से ही आर्य इतनी दूरी तय की तथा भारत की मूल जातियों से संघर्ष में विजय प्राप्त की। घोड़ों ने आर्यो को तेज बनाया और आर्यो के प्रसार में अहम योगदान दिया। ऋग्वेद में मवेशियों खासकर घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्राथनाएं है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खीचने के काम में लाए जाता था। आर्यो के लिए घोड़े का महत्व इस बात से पता लगता है कि ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में 'दधिक्रा' नामक एक देवी अश्व की प्रशंसा की गई तथा सूर्य को अश्व के रूप में कल्पित किया गया है, इस तथ्य को सिद्ध करती एक कहानी भी प्रचलित है 'सूर्य देवता की पत्नी सरण्या था। सरण्या देवताओं के शिल्पी विश्वामित्र की पुत्री थी। सूर्य की किरणे इतनी तीखी और गरम थी कि सरण्या उनसे दूर भाग गयी। सूर्य को विश्वकर्मा से पता चला कि सरण्या पृथ्वी पर एक घोड़ी का रूप धारण कर उनमुक्त विचर रही है। तब सूर्य ने एक घोड़े का रूप लिया और धरती पर आकर सरण्या को खोज लिया। इस रूप मे सूर्य और सरण्या ने दो बेटों को जन्म दिया, जिन्हे अश्विनी कुमार कहते है और जो जुड़वाँ भाई है। उन्हे अक्सर घोड़े के सिर वाले रूप में चित्रित किया जाता है।' जिससे ये पता चलता है कि ऋग्वेद में कभी कभी देवताओं की कल्पना

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

पशु रूप में भी होती थी ।

उत्तर वैदिक काल आते आते भारतीय समाज में घोड़ों का महत्व बढ़ जाता है। द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होने लगती है, आर्य अब पशुपालन के स्थान कृषि को बढ़ावा देने लगते है, जिससे वे अब एक जगह रहने लगे और बड़े बड़े जनों का निर्माण करने लगे। अब ये जन आपस में अधिक भूमि प्राप्त करने के लिए युद्ध करने लगे जिससे कि घोड़ों और उनसे खीचें जाने वाले रथों का प्रयोग बढ़ने लगा। बढ़ते नगरीकरण और बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ घोड़ों का भी परिवहन में अधिक उपयोग होने लगा। इस कारण इस काल में तथा इसके उत्तरवर्ती काल में घोड़ों का धार्मिक महत्व भी बढ़ा इसके अनेक उदाहरण उस काल में रचित ग्रंथों और साहित्य से पता कहलाता है। उतरोत्तर वैदिक काल मे हमे भागवत पुराण से एकवीर हैहय की कथा मिलती जिसके अनुसार एक दिन सूर्यदेवता का पुत्र रेवंत अपने सफेद रंग के घोड़े पर बैठकर विष्णु के निवास वैकुन्ठ से उस समय गुजरा जब विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे। लक्ष्मी रेवन्त के सुंदरता पर इतनी मुग्ध हुई कि उसका ध्यान विष्णु की बात से हट गया। खीझकर विष्णु ने लक्ष्मी को शाप दिया कि वह घोड़ी बनकर पृथ्वी पर तब तक रहेगी जब तक वह एक मानव रूपी सन्तान को जन्म नही देती। लक्ष्मी उसी समय गायब हो गयी और विष्णु को अपनी कठोरता पर दुख और पछतावा हुआ। उन्होंने लक्ष्मी को पृथ्वी पर घोड़ी के रूप में स्वतंत्रता से इधर–उधर घूमते देखा, तो उन्होंने भी एक घोड़े का रूप लेकर लक्ष्मी के साथ घूमना शुरू कर दिया। समय आने पर उन्होंने एक सन्तान को जन्म दिया। बालक को हैहय (घोड़े से जन्मा) नाम दिया गया और बड़ा होकर वह एक महान वीर बना। घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों के उपयोग को हम महाभारत में करुक्षेत्र के युद्ध मे एक वृतांत द्वारा समझते है जिसमे युद्ध के बीच मे एक समय आया जब कृष्ण ने देखा कि जो घोड़े उनके रथ को खींच रहे थे, वे थक गये थे। तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह एक तीर धरती मे मारे जिससे पानी का एक सोता फूट पड़े और घोड़े के लिए पानी का प्रबंध हो जाये। कालांतर में अनेक यज्ञ भी घोड़े से संबधित होने लगे जिसमे सर्वाधिक महत्वपूर्ण अश्वमेध यज्ञ तथा वाजपेय यज्ञ था। वाजपेय(शक्तिप्रद पेय) यज्ञ एक शक्ति प्रदर्शन यज्ञ होता था, इसका एक गौण उद्देश्य जन समूह का मनोरंजन भी होता था। इसमें सोमपान करके रथदौड़ का आयोजन किया जाता था, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे होता था। इस यज्ञ को वैदिक काल का ओलंपिक भी कहा जाता है। इसका वर्णन यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अश्वमेध भारतवर्ष के एक प्रख्यात प्राचीनकालीन यज्ञ का नाम है। 'सार्वभौम राजा' अर्थात् एक चक्रवर्ती नरेश ही अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी माना जाता था, परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इस को समपन्न करने के लिए अन्य महत्वशाली राजन्यों को भी अधिकार था। आश्वलायन श्रौत सूत्र का कथन है कि जो सब पदार्थो को प्राप्त करना चाहता है, सब विजयों का इच्छुक होता है और समस्त समृद्धि पाने की कामना करता है वह इस यज्ञ का अधिकारी है। इसलिए सार्वभौम के अतिरिक्त भी मूर्धाभिषिक्त राजा अश्वमेध कर सकता था (आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, लाट्यायन)। यह अति प्राचीन यज्ञ प्रतीत होता है क्योंकि ऋग्वेद के दो सूक्तों में अश्वमेध यज्ञ में प्रयुक्त अश्व तथा उसमें किए जाने वाले हवन का विशेष विवरण दिया गया है। शतपथ तथा तैतिरीय ब्राह्मणों में इसका बड़ा ही विशद वर्णन उपलब्ध है जिसका अनुसरण श्रौत सूत्रों, वाल्मीकीय रामायण, महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में तथा जैमिनीय अश्वमेध में किया गया है। अश्वमेध के लिए बड़ा ही सुडौल, सुन्दर तथा दर्शनीय घोड़ा चुना जाता था। उसके शरीर पर श्याम रंग की आभा होती थी। तालाब जल में उसे विधिवत् स्नान कराकर इस पावन कर्म के लिए अभिशिक्त किया जाता था। तब वह सौ राजकुमारों के संरक्षण में वर्ष भर स्वच्छन्द घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। अश्व की अनुपस्थिति में तीन इष्टियाँ प्रतिदिन सवितृदेव के निमित दी जाती थीं और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जाति के वीणावादक स्वरचित पद्य प्रतिदिन राजा की स्तुति में वीणा बजा कर गाते थे। प्रतिदिन पारिप्लव (विशिष्ट आख्यान) का पारायण किया जाता था। एक साल तक निर्विघ्न घूमने के बाद जब घोड़ा सकुशल लौट आता था तब राजा दीक्षा ग्रहण करता था। ऐतरेय ब्राह्मण में अश्वमेधयागी प्राचीन चक्रवर्ती नरेशों का बड़ा ही महत्वशाली ऐतिहासिक निर्देश है। ऐतिहासिक काल में भी वैदिकधर्मानुयायी राजाओं ने अश्वमेध का विधान बड़े ही उत्साह के साथ किया। राजा दशरथ तथा युधिष्ठिर के अश्वमेध प्राचीन काल में संपन्न हुए कहे जाते हैं। द्वितीय शती ई.पू. में शुंगवंशी ब्राह्मणनरेश पुष्यमित्र ने दो बार अश्वमेध किया था, जिसमें महाभाष्यकर पतञ्जलि स्वयं उपस्थित थे (इह पुष्यमित्रं याजयामः)। गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त ने भी चौथी सदी ई. में अश्वमेध किया था जिसका परिचय उनकी अश्वमेधीय मुद्राओं से मिलता है। दक्षिण के सतवाहन, चालुक्य और यादव नरेशों ने भी यह परम्परा जारी रखी। इस परम्परा के पोषक सबसे अंतिम राजा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह प्रतीत होते हैं, जिनके द्वारा किये अश्वमेध यज्ञ का वर्णन श्रीकृष्ण भट्ट कविकलानिधि ने 'ईश्वरविलास महाकाव्य' में तथा महानन्द पाठक ने अपनी 'अश्वमेधपद्धति' में किया है। युधिष्ठिर के अश्वमेध का विस्तृत रोचक वर्णन 'जैमिनि अश्वमेध' में मिलता है।

प्राचीन भारतीय समाज मे घोड़े की महत्ता इस बात से पता चलती है कि उस समय घोड़े पर एक ग्रंथ अश्वशास्त्र लिखा गया, जिसके रचयिता पाँच पांडवों से एक नकुल को माना गया है । महाभारत के विराट पर्व से नकुल के अश्व प्रेम की व्यापक झलक देखने को मिलती है। विराटनगर में जहां विभिन्न पांडव अज्ञातवास के समय अपना रूप बदल कर रह रहे थे, ऐसे में नकुल घोड़ों की देख रेख में लगे हुए थे। संभवतः वहीं उन्हें घोड़ों के इस विज्ञान की व्यापक जानकारी प्राप्त हुई होगी। घोड़ों के प्रति इतनी व्यापक जानकारी एवं सहज प्रेम के कारण ही शायद परवर्ती संस्कृत रचनाकारों ने अश्व शास्त्र का लेखक नकुल को माना है, परंतु अश्व शास्त्र में नकुल द्वारा शालिहोत्र, सुश्रुत, गर्ग इत्यादि ऋषियों को अश्व शास्त्र का ज्ञाता बताया गया है। शालिहोत्र तो अश्व शास्त्र के प्रथम ज्ञाता बताए गए है। उनका नाम महाभारत में विभिन्न स्थानों पर उल्लेखित है। एक स्थान पर उनको घोड़े जैसी मेधा वाला बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण एवं पांच पाण्डव अश्व शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। नकुल इसीलिए अश्व शास्त्र के रचयिता माने जाते है और ऐसा श्रुति परम्परा में विख्यात है कि इस ग्रन्थ की रचना में शालिहोत्र ऋषि द्वारा व्यापक सहायता प्रदान की गई थी। इसलिए शालिहोत्र के बाद पारंपरिक रूप से नकुल अश्व शास्त्र के ज्ञाता माने जाते है। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में वह पांडवो के सेना का व्यापक नियंत्रण कर रहे थे। नकुल के अनुसार घोड़े धर्म और अर्थ को अर्जित करने में सहायक होते है। मनुष्य घोड़े के माध्यम से ही भूमि व सम्पदा अर्जित करता है। घोड़े यश, कीर्ति एवं विजय के संवाहक होते है। उस स्थान पर सब प्रकार के शुभ संकेत सहज विराजमान होते है जहां अच्छी नस्ल के घोड़े पाए जाते है। नकुल कहते है कि यदि किसी के प्रांगण में एक दिवस पर्यन्त यदि घोड़े का प्रवास हो जाए

तो वह व्यक्ति समुद्र पर्यंत भूमि पर विजय कर सकता है और यदि किसी के पास सिर्फ घोड़ों की ही सेना हो तो उस व्यक्ति के निवास में साक्षात लक्ष्मी नारायण को छोड़ कर आ जाती है।

घोड़ों से जुड़े विभिन्न संस्कृत ग्रंथो की सूची इस प्रकार है:

1. अग्निपुरण अन्तर्गत अश्ववैद्यक
2. नकुल विरचित अश्व शास्त्र एवं अश्व चिकित्सा
3. कल्हण रचित शालिहोत्रसमुच्चय
4. हयलिलावती
5. जयदत्त सुरी विरचित अश्ववैद्यक
6. वर्धमान विरचित योगमंजरी
7. दीपांकर विरचित अश्ववैद्यक
8. भोज विरचित युक्तिकल्पतरू
9. वागभट्ट विरचित अश्व आयुर्वेद
10. सोमेश्वर विरचित मानसोल्लास

प्राचीन भारतीय वाग्मय में घोड़ों का विभाजन निम्न आधार पर उल्लेखित है:

1 देश एवं क्षेत्र

2 गुण एवं रूप

3 शकुन एवं अपशकुन (शकुन रूप में वह घोड़े जो यश कीर्ति को लाए तथा अपशुकन रूप में वह घोड़े जो दुख वाम पराजय लाए)

अश्व शास्त्र के अन्तर्गत नकुल के अनुसार घोड़ों के निम्न परिवार भारत वर्ष में पाए जाते थे:

कम्बोज, बल्हिका, वान्यूज, गांधार, अरत्त, वाह्य, सैंधव, तैत्तिक, कुलज, उपकुलज, मेचक, उप मेचक, कैवर्त, अर्जुनीय, पर्वतीय यौधये,यवन, हृसयवन, तुषार, कदरे, अवंत्य, काश्मीर, सकनाना, पर्वत्य, उत्तारा, माद्रे, दाक्षिणेय,अंतर्दीपोदभव,कैकेय, अंभस्त, वासंतिक, सौवीर, कैरत, मालव, विंध्यक, कलिंग, मधुर, मानव, कौसल्य, अर्जुनय, पांचाल, सौराष्ट्र,पौंड्रक, कुक्कट, हैमवत, मगध इत्यादि।

नकुल ने बाद में घोड़ों को सत्व, राजस एवं तमस गुणों के आधार पर भी विभाजित किया है:-

सात्विक प्रवृत्ति के घोड़ों के प्रकार: ब्रम्ह, अर्ष, ऐंद्र, यम्य, कुबेर, वरुण एवं गंधर्व

राजसी प्रवृत्ति के घोड़ों के प्रकार: असुर, राक्षस, पिशाच, सर्प, पैत्र एवं शकुन

तामसिक प्रवृति के घोड़ों के प्रकार: परस्व, मत्स्य, वैरुध,

सोमेश्वर के अनुसार घोड़ों के प्रकार मापदंड भिन्न है। उनके अनुसार घोड़े उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम गुण के ही होते है।

घोड़ों के वर्ण को लेकर भी प्राचीन भारतीय वाग्मय में विस्तृत वर्णन किया गया है। श्वेत वर्ण के घोड़ों को विप्र, लाल वर्ण के घोड़ों को क्षत्रिय, पीत वर्ण के घोड़ों को वैश्य एवं श्याम वर्ण के घोड़ों को शूद्र की संज्ञा दी गई है। इसके साथ ही अन्या अन्य वर्णो के भी नाम वर्णित है जैसे कि सन्नध, संविती, नागजातिय, ज्योतिष्मान, पंच भद्रक इत्यादि। भोज के अनुसार घोड़ो के वर्ण के निम्न प्रकार बताये गए है :- चक्रवाक, श्यामकरण, अष्टमंगल, कल्याणपंचक एवं यमरूप

जयदत्ता के अनुसार घोड़े के गंध से शकुन एवं अपशकुन मानकों का निर्णय किया जाता था। अच्छा घोड़ा वह है जिसकी गंध मन को शांति प्रदान करती हो और बुरा घोड़ा वह है जिसकी गंध मन को अशांत कर दे। नकुल के अनुसार कमल, चंदन, मधु इत्यादि के सम्यक गंध वाले घोड़े अच्छे तथा कीट, गधे, सुअर इत्यादि के सम्यक गंध वाले घोड़े बुरे माने गए है।

नकुल के अनुसार अपनी पद चाप को ऊंचा उठा कर गज, व्याघ्र, मयूर, हंस, हिरण, बंदर इत्यादि की चाल वाले घोड़े अच्छे माने गए है। लात मारने व अत्यधिक उछलने वाले घोड़े अच्छे नहीं माने गए है।

सोमेश्वर ने घोड़ों की गति को मुख्य रूप से तीन भागो में विभाजित किया है:

1. युद्ध काल में
2. मनोरंजन काल में
3. यात्रा काल में

युद्ध काल में घोड़े की गति को पुन: दो भागो में विभाजित किया है:

1. उच्चंघिरी: जिस घोड़े के लंबे लंबे पैर हो
2. मध्यपाद: जो घोड़ा समान रूप से चाल चले

मनोरंजन काल में घोड़े की गति को पुन: दो भागो में विभाजित किया है:

1. वक्रपाद: जो वक्र गति से चले
2. समपाद: जो समान गति से चले

यात्रा काल में घोड़े की गति को पुन: दो भागो में विभाजित किया है:

1. नीचपाद: जिसके घुटनों में घुमाव हो
2. स्तब्धपाद: जिसके घुटनों में स्तब्धता हो

शालिहोत्र ने घोड़ों की मानसिक स्थिति की भी व्यापक विवेचना की है। उनके अनुसार घोड़ों के अंदर निम्न मानसिक गुण होते है: भिक्ति, हास्य, चांचल्य, प्रा हर्ष, धैर्य, कोप, दुख, हेसित, उत्साह, लज्जा एवं कार्य शकुन।

छठी शताब्दी ई. पू. मे उत्तरवैदिक कालीन धार्मिक कर्मकांडों एवं खर्चीले यज्ञों के विरोध मे भारत मे धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है, जिससे वैदिक धर्म के विरुद्ध अनेक नए संप्रदायों का उदय होता है। इनमे जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। इन्होंने वेदों की प्रमाणिकता, खर्चीले यज्ञ तथा उनमे दी जाने वाली पशु बली का विरोध किया और ब्राह्मणों की सता को चुनौती दी। जैन धर्म मे अश्व शक्ति और गति का प्रतीक है। जैन शास्त्रों में कहा गया है – मणो साहस्सिओ भीमो दुटठस्सो परिधावइ–अर्थात् मन दुष्ट अश्व की तरह बड़ा साहसिक और तेज दौड़ने वाला है। किन्तु इसे अगर ज्ञान की लगाम लगा दो तो यही शक्तिपुंज बन जाता है। आचार्य सम्राट् श्री देवेन्द्र मुनि के अनुसार शिक्षित और लगाम डाला हुआ अश्व जैसे युद्धों में विजय व लक्ष्मी दिलाता है, वैसे ही सुशिक्षित व संयमित मन जीवन में शक्ति और विजय प्राप्त कराता है। अश्व को प्रतीक मानकर विनय, संयम, ज्ञान आदि की शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। जैन धर्म के तीसरे तीर्थक संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह भी अश्व माना जाता है, इसलिए जैन धर्म मे अश्व को एक पवित्र पशु समझा जाता है तथा जैन मूर्तिकला मे भी घोड़े को उकेरा गया है। बौद्ध धर्म मे भी घोड़े को एक पवित्र पशु माना जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन घटनाओं को विभिन्न पशुओ से दर्शाया जाता है जैसे गर्भाधारण को हाथी से, जन्म को सांड से, गृह त्याग को अश्व से आदि। राजकुमार सिद्धार्थ के प्रिय घोड़े का नाम कन्थक था, जों श्वेत वर्ण का था। बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित है कि राजकुमार सिद्धार्थ के संन्यास लेने से पूर्व सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कन्थक का ही उपयोग किया। जब ज्ञान की तलाश के लिए राजकुमार सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया तो दु:ख के कारण कन्थक ने भी शरीर त्याग दिया। मौर्य सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य मे विभिन्न स्थानों पर स्तम्भ लगवाए, इन्हीं स्तंभों मे एक सारनाथ का स्तम्भ है जों 45 फीट लंबे बलुआ पत्थर से बना है। इसके ऊपर स्थित

जो चिन्ह है, वही आज देश का गौरवशाली राष्ट्रीय चिन्ह है। इस राष्ट्रीय चिन्ह मे चार शेर, हाथी, बैल, घोडा पशु खुदे हुए है। भारत के राजचिन्ह में नीचे की ओर बने भागते हुए जिस घोड़े को दिखाया गया है वह पश्चिम दिशा की ओर भाग रहा है। यह घोड़ा कंठक घोडे का प्रतिनिधित्व करता है। कंठक घोड़े के बारे में कहा गया है कि इसका इस्तेमाल महात्मा बुद्ध ने अपान राजसी जीवन छोड़कर जाते वक्त किया था, जिसे बौद्ध धर्म मे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्राचीन भारत मे कई शासकों ने अश्व प्रकार तथा अश्व की आकृति से संबंधित सिक्के प्रचलित किए। इसमे मुख्य रूप से समुन्द्र गुप्त और कुमारगुप्त के अश्वमेध यज्ञ के सिक्के प्रमुख है।

हमने देखा कि प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप मे घोड़े आर्थिक और सामरिक क्षेत्र मे एक अतिमहत्वपूर्ण पशु था। परिवहन के साधनों के अभाव मे घोड़े एक महत्वपूर्ण परिवहन के साधन थे, ये किसी भी जलवायु मे जल्दी ढल जाते थे और कई दिनों तक भूख प्यास सहन कर लेते थे। युद्ध और लड़ाई मे सैनिक इनकी सहायता से दुश्मनों पर तेजी से आक्रमण कर युद्ध के परिणाम अपनी ओर मोड लेते थे। जिसके पास जीतने घोड़े, उसकी सेना उतनी ही शक्तिशाली मानी जाती थी। प्राचीन काल मे चतुर्वाहिनी सेना मे एक सेना घुड़सेना होती थी। इसके अलावा तत्कालीन समय मे संदेशवाहक भी घोड़ों का उपयोग करते थे। इन सभी कारणों से घोडा समाज मे अतिमहत्वपूर्ण पशु बन गया जिसके कारण समाज मे घोडा पूजनीय बन गया। उसे कई देवताओं से जोड़ा जाने लगा, कहीं–कहीं देवताओं के समतुल्य मान कर पूजा जाने लगा। वैदिक धर्म के अलावा घोड़े जैन और बौद्ध धर्म मे बराबर महत्व रखते है। यह जाहिर सी बात है कि समाज मे जिस पशु का आर्थिक, सामरिक या अन्य कोई उपयोग हो तो वह धर्म के क्षेत्र मे भी महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसा हमे घोड़े के रूप मे देखने को मिलता है। हमने ऊपर देखा कि घोड़ों पर काफी साहित्य लिखा गया है। उन्हे कहीं महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों यथा वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण आदि मे तथा इसके अलावा अनेक कथाओं और किवंदितियों मे भी इन्हे शामिल किया गया है। चूंकि घोड़े तत्कालीन समाज मे एक मूल्यवान निधि माने जाते थे, इसीलिए उन्हे स्वस्थ और सेहतमंद रखने के लिए उन पर काफी शोध किया गया, जिसका परिणाम घोड़ों पर लिखे गए अनेक वैज्ञानिक ग्रंथों मे देखने को मिलता है जैसे कि नकुल विरचित अश्वशास्त्र, कल्हण रचित शालिहोत्रसमुच्चय, जयदत्ता सूरी विरचित अश्ववैद्यक आदि।

अत: प्राचीन भारतीय साहित्य में उल्लेखित उपर्युक्त उदाहरणों से यह बात तो भली भांति परिचित हो गई है कि भारतीय मनीषी गण न सिर्फ मानवों बल्कि जीवो के प्रति भी सजग थे। सजगता का उत्कृष्ट उदाहरण और क्या ही होगा कि घोड़े की मानसिक स्थिति एवं उसके गुणों पर भी व्यापक एवं गंभीर रूप से प्रकाश डाला गया है। 'वसुधैव कुटुंबकम' की पंक्ति को भारतीय साहित्य के विभिन्न ग्रन्थ चरितार्थ करते हुए दिखाई पड़ते है। महाभारत काल से लेकर सोमेश्वर तक व उसके बाद के विभिन्न लेखकों द्वारा घोड़ों एवं उनके विभिन्न पक्षों पर डाला गया प्रकाश भारतीय ज्ञान कोश की व्यापकता का एक सुन्दर एवं सजीव उदाहरण है। परंतु आज के तकनीकी दौर मे मनुष्यों ने अनेक परिवहन के साधनों का आविष्कार कर लिया है जिन्होंने ने घोड़ों और अन्य पशुओं को प्रतिस्थापित कर दिया है। यहीं दृश्य हमे घोड़ों के मनोरंजन के साधन और सामरिक महत्व मे भी दिखाई पड़ते है तकनीक और विज्ञान ने इन दोनों क्षेत्रों मे इनके प्रतिस्थापन खोज लिए है परंतु आज भी घोड़ों का उतना ही धार्मिक महत्व है जितना प्राचीन समय मे था। अश्वों से संबंधित अनेक परामपराएं और रीतियाँ आज भी भारतीय समाज मे प्रचलित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. नगर, महेंद्रसिंह. भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में युग युगीन अश्व. जोधपुर: राजस्थान ग्रंथागार(2013)
2. पट्टनायक, देवदत्त. पशु. दिल्ली: राजपाल एंड संस(2015)
3. श्रीवास्तव, कृष्ण चंद्र. प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति. इलाहाबाद: यूनाइटेड बुक डिपो(2018)
4. शर्मा, कृष्णगोपाल । जैन, हुकम चंद । शर्मा, मुरारीलाल. भारत का इतिहास. जयपुर: अजमेरा बुक कंपनी(2016)
5. थापर, रोमिला. भारत का इतिहास. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन(2018)
6. शर्मा, कालुराम । व्यास, प्रकाश. भारतीय संस्कृति के मूल आधार. जयपुर: पंचशील प्रकाशन(2012)
7. शर्मा. रामशरण. भारत का प्राचीन इतिहास. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस(2021)
8. हमारे अतीत , एनसीईआरटी
9. Ganguli, K.M. (1883-1896) “Aswamedha Parva' in The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa (12 Volumes). Calcutta
10. Mansingh, Surjit. Historical Dictionary of India. Maryland: Scarecrow Press Inc(2006)
11. https://www.indica.today/bharatiya-languages/horses-indian-history-hindi/
12. https://prarang.in/meerut/posts/4366/Horse-plays-an-important-role-within-human-cultures
13. http://ccrtindia.gov.in/buddhist-sculpture-hi/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

मधु कांकरिया की कहानियों का अनुशीलन

डॉ. आशा शरण*

* देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आधुनिक महिला कथाकारों में मधु कांकरिया का जाना-माना नाम है।उनकी हर कहानी में सामाजिक, आर्थिक ऐसे ही अन्य पहलू उभर कर आए हैं।वर्तमान समाज में व्याप्त असुरक्षा की भावना, वृद्धों की समस्या, समाज की भेदभाव की मानसिकता ये समाज को खोखला बना रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में अनेक ऐसे ही पहलुओं को व्यक्त किया गया है।

प्रस्तावना – समाज परिवर्तशील है और हमेशा से कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुए तो नकारात्मक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को व्यक्ति आत्मसात करता हुआ आगे बढता रहा । कुछ अनुभव सुखात्मक थे कुछ दु:खात्मक थे और इन सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति हुआ। साहित्य ने बखूबी अपनी भूमिका निभाते हुए अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया। आज आधुनिकता और गिरते हुए मूल्यों ने समाज के सारे मापदण्ड बदल दिये हैं।जिससे समाज का हर वर्ग संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। चाहे वो अपनों से हो या परायों से। मधु कांकरिया ने जीवन के इसी यथार्थ को कुशलता के साथ चित्रित किया है।

'दाखिला' कहानी में सुकीर्ति की मनोदशा का वर्णन किया गया है। इसमें सुकीर्ति अपने पुत्र का दाखिला स्कूल में करवाना चाहती है।उसका पति उसे छोडकर चला जाता है और स्कूल में दाखिला के समय माता-पिता दोनों का जाना जरूरी था। ऐसी स्थिति में सुकीर्ति अपने भाई को पति बनाकर स्कूल ले जाती है। लेकिन बेटा विक्रम समझाने के बावजूद 'मामा' को 'पापा' नहीं कह पाता है और सबके सामने उसे वह मामा कहकर पुकारता है। विक्रम आयु में कम होने के बावजूद अपनी माँ की स्थिति को समझता है, वह देखता है कि उसकी माँ कैसे उसके दाखिले के लिए परेशान रहती है। इन सारी परेशानियों को देखकर विक्रम अपनी माँ से कहता है, ''इस बार तुम गडबड नहीं करना। इंटरव्यू रूम में घुसते ही कह देना फादर को पापा हमारे साथ नहीं रहते, नहीं तो पिछले इंटरव्यू की तरह इस बार भी मेरा दाखिला नहीं हो पायेगा।''[1]

'एक रुकी हुई स्त्री' कहानी की नारी पात्र मानसी कलकत्ते के मेडिकल कॉलेज में पढ रही है। वहीं पर उसकी मुलाकात सरबजीत से होती है। मानसी और सरबजीत की मुलाकातें दिनो-दिन बढती जाती है। ये मुलाकातें जल्दी ही प्यार में तब्दील हो जाती है। यह प्यार इस हद तक बढ जाता है कि मानसी अपना कैरियर तक दाँव में लगा देती है।लेकिन इसी बीच सरबजीत एम.बी.बी.एस. होने के बाद एम.एस.एच.की डिग्री के लिए अमेरिका चला जाता है। इधर मानसी सरबजीत से जल्द ही विवाह करना चाहती है। परन्तु सरबजीत अपना फैसला सुनाते हुए कहता है ''अगले पाँच छह साल वह शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मानसी भी सरबजीत की यादों को संजोए बरसों इंतजार करती है। जिसने उसे भुलाने में पंद्रह मिनट भी नहीं लगाए उसे वे आज पंद्रह वर्षों बाद भी नहीं भुला पाई है।''[2]

'चूहे को चूहा ही रहने दो' कहानी एक ऐसे युवती की कहानी है जो अपने अस्तित्व के लिए छटपटाती है। क्योंकि उसका पति उस पर शक करता है। इसके लिए उसका पति उस पर सख्त पहरा लगाता है। वह गुलामों की तरह जीने को मजबूर है। लेकिन वह इस कैद से आजाद होने के लिए पति से प्रतिषोध लेना चाहती है। इस काम को अंजाम देने के लिए वह हिमालय की यात्रा के दौरान एक युवक को एक रात के लिए आमंत्रित करती है। नायिका प्रतिशोध का जिक्र उस युवक से करती है। युवक जब पूछता है कि कैसा प्रतिशोध, तब वह कहती है ''घबराओ नहीं, यह प्रतिशोध मैंने तुमसे नहीं अपने पति से लिया है।''[3]

'कुल्ला' कहानी की नायिका प्रमिला है। उसने प्रेम के बारे में जो भी जाना वह सब किताबों और सखियों से ही जाना है। जब उसकी शादी होती है तो वह प्रेम की कल्पना के साथ ससुराल में प्रवेश करती है। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। वह चाहती है उसका पति भी ख्वाबों के राजकुमार की तरह उससे प्रेम करे। लेकिन ''यहाँ खर्च की चाहे कोई सीमा-रेखा हर दिशा में खिंची रहती थीं। जिसके आगे जाना घर की मर्यादा और संस्कृति को ताक पर रखने जैसा होता।''[4] इसके लिए वह कई तरह की कोशिशें भी करती है। पति के प्रेम को फीका देखकर वह पति के लिए मनपसंद लजीज पकवान बनाती है। वह सोचती है कि उसका पति उसकी तारीफ करेगा। लेकिन यहाँ पति उसके पीठ पर झूठा कुल्ला थूँक देता है। पति का यह रवैया प्रमिला को अच्छा नहीं लगता है। जब उसे सास से पता चलता है कि यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। प्रमिला ऐसी प्रथाओं का विरोध करती है।

आधुनिकता ने नारी को सबल तो जरुर बना दिया है। किन्तु कहीं न कहीं अधिक महत्वाकांक्षा ने उसे अकेलेपन की त्रासदी भी दी है। 'लेडी बोस' की नायिका बैंगलोर से एम.टेक करने के बाद वह अमेरिका से भी डिग्री हासिल करती है। वह अपने आप को समाज में स्थापित करना चाहती है। इसके लिए उसने अपना परिवार तक भुला देती है। जब उसे असफलता मिलती है तो वह अपने परिवार की ओर मुडती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पति रशियन महिला के साथ रहने लगता है। इस तरह नायिका को सभी तरफ से असफलता हाथ लगती है।'' जीन्स पहनकर जब

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

औरत के जिंस ही तेजी से बदलने लगे तब यही होता है। अंदर बत्तीगुल और प्रतिभा, इच्छाशक्ति सब शून्य।''[5]

मधु जी ने केवल नारी की मनोदशा का ही चित्रण नहीं किया अपितु पुरुषों की भी मनोदशा का चित्रण किया है। 'उडान' कहानी का पुरुष पात्र समीर बाबू रिटायर्ड होने के बाद कई परिवर्तन देखते हैं। सबसे ज्यादा बदलाव उन्हें अपनी पत्नी में दिखता है। क्योंकि अब उसकी आँखों में वह मान–सम्मान पति के लिए नहीं रहा जो पहले था। पत्नी पति का साथ देने की अपेक्षा वह बहू–बेटों का साथ देने लगती है। यहाँ तक कि घर का नौकर भी समीरबाबू का सम्मान नहीं करता था। इस प्रकार बिना काम वाले व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। ऐसे में समीर बाबू को उनके मित्र का एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा था 'न अल्पे सुखम् अस्ति' निजता की परिधि फैलाओ। फिर तुम्हे परम आनंद मिलेगा और अंत में लिखा था कि यदि जीवन कभी निराश करे ...... या अपनों से उसे मोहभंग हो तो मेरे पास चले आना, यहाँ आकर कदाचित तुम भी उसी शान्ति का अनुभव करो जिसे ईष्वर कहते हैं।''[6] इस वृद्धावस्था में व्यक्ति संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है।

'आर असवो ना';और नहीं आऊँगा कहानी में लेखिका ने एक कुरुप गोपी के जीवन का वर्णन किया है। गोपी के मृत्यु के कारण उसके माता–पिता बहुत दु:खी हैं। उन्हें गोपी से संबंधित हर बात हर वक्त कचोटती है। जब गोपी का जन्म हुआ तो सभी खुश थे। क्योंकि माता–पिता के लिए अपना कुरुप बच्चा भी दुनिया का सबसे खूबसूरत दिखता है। लेकिन यह स्थिति पाँच वर्ष के बाद बदल गयी। क्योंकि गोपी की बहन प्रियंका का जन्म होता है। जो गोपी के विपरीत बहुत सुंदर थी। प्रियंका के जन्म के साथ ही पिता की तरक्की हो गई। अत: प्रियंका के जन्म को शुभ आगमन माना गया। गोपी और प्रियंका के साथ घर और बाहर दोनों जगह भेदभाव किया जाने लगा। जहाँ हर त्योहार में प्रियंका के लिए नये कपडे लाये जाते हैं वहीं गोपी को कुछ भी नही मिलता। हर जगह उसे उपेक्षा मिलती है। इतना ही नहीं एक दिन वह अपने पिता के द्वारा पीटा जाता है। ''जब बच्चा पिता से पिटता है तो सिर्फ उसकी काया घायल होती है, मन पर कुंठा की कीच नहीं जमती, तुम एक बुजुर्ग की तरह पिटते रहे थे, तुम्हारा तन नहीं मन घायल हुआ था।''[7]

'फैसला फिर से' कहानी में लेखिका ने एक बूढी विधवा की समस्या को उजागर किया है। बेटा और पुत्र की मृत्यु के बाद असहाय हो जाती है। महाश्वेता तीस साल से किराये के मकान में रहती है। मकान मालिक हरिनारायण घोष महाश्वेता को मकान से निकालना चाहता है। इसके लिए वह महाश्वेता के पीछे गुंडे भी लगवा दिये। यहाँ तक कि आधी रात को बिजली का मीटर भी बंद करवा देता है। थककार महाश्वेता मुकदमाा लडती है। इसमें उनकी सारी पूँजी खत्म हो जाती है और वह मुकदमा हार जाती है। वह हरिनारायण के वकील के पास जाकर कहती है ''शाबास पुत्र जिस तर्क एवं युक्ति के करिश्मे से तुमने कानून की धज्जियाँ उडाकर सच को झूठकर दिखाया वह अद्भुत था। तुम जिंदगी में बहुत आगे बढोगे।''[8]

'भरी दोपहरी के अँधेरे' कहानी में मधु जी ने पहाडी आदिवासी लोगों की समस्या एवं मजबूरी का वर्णन किया है। ये हर रोज आर्थिक समस्या का सामना करते हैं। ये बहुत मेहनत करते हैं।भारी डोली उठाकर ये पहाडों पर चढते हैं। लेकिन उनको मेहनताना काम के अनुरुप नहीं मिलता है। गाँव में भी समस्या रहती है। न तो बिजली की व्यवस्था, न ही पानी की समुचित व्यवस्था रहती है। जबकि कुल चार हजार डोलीवाला आदिवासी पहाडों पर निवास करते हैं। पर उन्हें मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं मिल पाती हैं। फिर भी जब उनको काम मिलता है तो वो दौडकर करते हैं ''हम तो भूखे मरते उन्हीं के पीछे दौड जाते हैं, जिनके साथ डोलीवाले नहीं होते कि ऊपर जब सँकरे, चिकने और खतरनाक रास्तों पर कोई नहीं चल सके तो उस समय हमारी डोली पर बैठ जाएँ .... इसी आशा में ....।''[9]

'मुहल्ले' कहानी में लेखिका ने डॉ. योगेश गुप्त की समस्या को चित्रित किया है। डॉ. योगेश जब नये मोहल्ले में जाते हैं तो उन्हें सब अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि उन्हें कोई वह मान–सम्मान नहीं देता है जो पुराने मोहल्ले में मिलता था। इसलिए वह दु:खी हो जाता है ''कोई घर से मुस्करा देता.....तो कोई नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड देता............. तो कोई घर पर आने का निमंत्रण दे बैठता।''[10]

निष्कर्ष रुप से लेखिका ने अनेक समस्याओं का चित्रण किया गया है। मधु कांकरिया की कहानियों में नारी के मन:स्थिति का चित्रण सहज तरीके से किया है। जो अस्तित्व के लिए छटपटाती और सदियों से कुप्रथाओं का विरोध करती है। लेखिका ने भी नारी पात्रों के माध्यम से नारी को सबल बनाने का भरसक प्रयास किया है। नारी ही पुरुषों की समस्याओं को भी बडी सजगता से उजागर किया गया है। यहाँ तक उनकी दृष्टि ने आदिवासी समस्या को भी पहचाना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. दाखिला –बीतते हुए– मधु कांकरिया पृष्ठ 147
2. एक रुकी हुई स्त्री–बीतते हुए – मधु कांकरिया पृष्ठ 175
3. चूहे का चूहा ही रहने दो– मधु कांकरिया पृष्ठ 190
4. कुल्ला – मधु कांकरिया पृष्ठ 190
5. लेडी बोस – बीतते हुए– मधु कांकरिया पृष्ठ 37
6. उडान– मधु कांकरिया पृष्ठ 129
7. आर आसवो ना – मधु कांकरिया पृष्ठ 82
8. फैसला फिर से – मधु कांकरिया पृष्ठ 162
9. भरी दोपहरी के अँधेरे और अंत में ईशु–मधु कांकरिया पृष्ठ 31
10. मुहल्ले– मधु कांकरिया पृष्ठ 86

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

उत्तर छायावाद में प्रेम का स्वरूप और बच्चन

डॉ. आराधना सिंह *

* सहायक प्राध्यापक, मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – कल्पना एवं अनुभूति का रागात्मक सम्मिलन कविता है। कवि अपनी अनुभूतियों का जब व्यष्टिनिष्ठ एवं आत्मकेन्द्रित चित्रण करता है तब अहंवाद का प्रतिपादन होता है, दूसरी ओर वैयक्तिक रचनाओं का जन्म होता है। आत्मकेन्द्रित, अहंनिष्ठ वैयक्तिक कविताओं में प्रेम की अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। बच्चन का काव्य वैयक्तिक भावनाओं पर आधारित होने के कारण प्रेम भावना की प्रवृत्ति को प्रबल रूप से स्वीकारता हुआ इसके विविध स्तरों एवं स्वरूपों को मुखरित करता है।

छायावादोत्तर काल में काव्य सृजन के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आ रहे थे जो एक नयी हवा को भरने का प्रयत्न कर रहे थे। छायावाद काल के काव्य में छायावादी रचनाएँ इतनी प्रौढ़ और शक्तिशाली थीं कि प्राय: इस काल का विवेचन करते समय आलोचकों का ध्यान केवल छायावादी काव्यधारा में ही केन्द्रित होकर रह जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि इस काल के कवि जो पूरी तरह छायावाद के अन्तर्गत नहीं आ पाते, उपेक्षित से हो गये। इन कवियों में बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवतीचरण वर्मा, बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, अंचल आदि की प्रणयमूलक वैयक्तिक कविताओं का नाम लिया जा सकता है। यद्यपि प्रेम और यौवन की प्रखरता तथा आवेश को व्यक्त करने वाली अधिकांश रचनाएँ छायावादोत्तर काल में प्रकाशित हुईं, इस दिशा में बच्चन जी की आरम्भिक कृति छायावाद युग में ही प्रकाश में आयी, प्रेम एवं यौवन का चित्रण छायावादी काव्य में तल्लीनता के साथ किया गया है। इसलिए इन कवियों को स्वतन्त्र रूप से प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कहा जाता है। छायावादी कवियों में प्रणय का महत्तव सीमित है। यद्यपि छायावादी चेतना प्रधान रूप से व्यक्तिवादी चेतना है, और प्रेम के इन कवियों की साधना एकनिष्ठ रही है। छायावादी व्यक्ति चेतना शरीर से ऊपर उठकर मन और फिर आत्मा का स्पर्श करती है जबकि छायावादोत्तर काल के इन कवियों में व्यक्तिनिष्ठ चेतना प्रधान रूप से शरीर और मन के धरातल पर ही व्यक्त होती रही है।

उत्तर छायावादी कवियों में दृष्टि और विषय की बड़ी समानता है। इन कवियों की दृष्टि रोमानी है, वस्तुजगत के प्रति इनकी प्रतिक्रिया भावात्मक है ये भी वस्तुजगत से नहीं वस्तुजगत की प्रक्रिया से उत्पन्न अपने निजी सुख-दु:ख के आवेग से सम्बद्ध थे इसलिए इनकी कविताओं में भी आत्मानुभूति और उत्तेजना मिलती है। इन कवियों का विषय मूलत: सौन्दर्य और प्रेम पर आधारित उल्लास और विषाद की अनुभूति है। उत्तर छायावादी कवियों की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम गीत ही है क्योंकि इनके काव्य विषय की प्रकृति छायावादी काव्य की प्रकृति के समान गीतात्मक हैं, किन्तु इन कृतियों में छायावादी कविता जैसा संकोच रहस्यमयता और आदर्शवादिता नहीं है, साहस के साथ सीधे साफ तौर पर अपने निजी प्रेम संवेग तथा सुख-दु:ख को कहने की आकुलता है। इनकी वेदना छायावाद की घिसती हुई वेदना की तरह सामान्य नहीं वरन् निजी प्रतीत होती है।

उत्तर छायावाद के कवियों में बच्चन एक दैदीप्यमान नक्षत्र की भाँति काव्य गगन में प्रकट हुए। हरिवंश राय का प्रेम काव्य भी अधिकांशत: यौवन के प्रथमोन्मेष का काव्य है। कालान्तर में बच्चन के काव्य में प्रेम का स्वरूप परिवर्तित होता गया तथा अपने फलक में अन्य मानवीय संवेदनाओं को भी समाविष्ट करने लगा।

हिन्दी काव्य में बच्चन का प्रवेश 'खैयाम की मधुशाला' के माध्यम से हुआ। कवि बच्चन के हृदय में खैयाम की भावनाओं एवं सुखवाद तथा भोगवाद के दर्शन का प्रभाव उनके काव्य में मिलता है। जिसका प्रभाव 'मधुशाला', 'मधुबाला', 'मधुकलश' आदि ग्रन्थों में मिलता है। श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने 'उमर खैयाम की मधुशाला' तथा बच्चन की 'मधुशाला' में मौलिक विभाजक रेखा खींचते हुए लिखा है, कि 'उमर की मदिरा' जीवन स्मृतियों की मदिरा है और बच्चन की जीवन स्वप्नों की-एक में अतीत का मधुतिक्त मोह है, दूसरे में भविष्य की सुनहली आशा सम्भावना।'[1]

बच्चन की 'मधुशाला' में 'उमर' के वैराग्यपूर्ण दर्शन का प्रभाव देखा जा सकता है-

छोटे से जीवन में कितना
प्यार करूँ; पी लूँ हाला,
आने के ही साथ जगत में
कहलाया जाने वाला

स्वागत के ही साथ विदा की
होती देखी तैयारी,
बन्द लगी होने खुलते ही
मेरी जीवन मधुशाला।

मधुशाला में निराशा के अतिरिक्त सौन्दर्याकर्षण एवं उन्माद की क्षणभंगुरता एवं परिवर्तनशीलता का भी यथार्थपरक चित्रण मिलता है-

कितनी जल्दी रंग बदलती, है अपना चंचल हाला,
कितनी जल्दी घिसने लगता, हाथों में आकर प्याला!
कितनी जल्दी साकी का आकर्षण घटने लगता है
प्रात: नहीं थी वैसी जैसे रात लगी थी मधुशाला?[2]

मधुबाला की कविताओं में भी कवि की भोगवाद एवं सुखवाद की छाया प्रतिबिम्बित होती है। 'मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षणभर जीवन,

मेरा परिचय' तथा इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा! कविताओं में भी इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है।

प्रेममावना का सपाट, मांसल एवं चुनौतीपूर्ण वर्णन मधुकलश में चित्रित हुआ है। 'कवि की वासना' कविता के प्रत्येक अंश कवि की प्रेमपरक छटपटाहट को प्रकट करता है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ढंग से कवि ने नारी के विभिन्न अंगों का उल्लेख इस कविता में किया है। सेज-सुख, मिल-बेला, सौन्दर्य जन्म स्वप्न, पश्चात्ताप प्रेम में अमरत्व की चाह आदि भावनाओं का रस-सिक्त वर्णन करते हुए कवि कह उठता है।[3]

वृद्ध जग को क्यों उखरती है क्षणिक मेरी जवानी
मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता,
शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा!
कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा!

बच्चन के मधुकाव्य में भोगवादी प्रेम का चित्रण हुआ है। 'मधुबाला', 'मधुशाला', 'मधुकलश' की सौन्दर्य लिप्सा में डूबा हुआ कवि यथार्थ के धरातल की कौंध भी कहीं-कहीं दिखाता है। उसने एक ओर तो उद्दाम यौवन की लालसा को अपनाया है और दूसरी ओर उसी स्तर पर सामाजिक संवेदना को भी मुखर करने का प्रयास किया है।[4]

मधुकाव्य व अतिरिक्त बच्चन जी ने निराशापरक काव्य में भी प्रेमानुभूतियों का चित्रण किया है। निराशाजनक काव्य में आवेगात्मक प्रवाह है, यौवन के सपनों की सहज कल्पना है, सौन्दर्य की प्यास है, जो अतृप्त बनी रहती है। कवि की प्यास अनन्त है, अतृप्त है तथा वह स्वप्न सँजोता है प्रिया को अनियन्त्रित भाव से प्यार करने का तथा उसको प्राप्त फिर सम्पूर्ण संसार को प्राप्त कर लेने का। 'एकान्त संगीत' से एक उद्धरण प्रस्तुत है-

जब कहूँ मैं प्यार
हो न मुझ पर कुछ नियन्त्रण
कुछ न सीमा, कुछ न बन्धन
तब रुकूँ; जब प्राण प्राणों से करे अभिसार!

'निशा निमन्त्रण' में अवसाद का घनत्व है। कुछ खनक कर टूट जाने की अनुभूति है। मरकत की प्याली टूट गयी है, मदिरा की लाली भी जाती रही है। ऐसी स्थिति में कवि पूछ बैठता है-'किस पर अपना प्यार चढ़ाऊँ?'[5] बच्चन की 'निशा निमन्त्रण, एकान्त-संगीत', आकुल अन्तर' आदि में यदि प्रेम अवसाद का चित्रण है, तो 'मिलनयामिनी' प्रणय-पत्रिका में मिलन की मादकता एवं उमंग का चित्रण मिलता है। मिलनयामिनी की कविताओं में आशावादए प्रेयसी से मिलने की उत्कण्ठा, यौवन ज्वार की अभिव्यक्ति प्रभावात्मक रूप से हुई है। कवि कहता है-

'मैं नहीं पहले दिनों का प्यार भूला
गोद में ले; मोद से मुझको लसो तो
आजमन वीणा; प्रिये फिर से कसे तो!

'प्रणय-पत्रिकाए में भी प्रेम सघन रूप से मुखरित हुआ है[6] कवि के स्वर में ओज है, समाज के प्रतिबन्धों पर व्यंग्य है, एव तीक्ष्ण प्रहार है-

मैं लगा दूँ आग उस स्तार में है
प्यार जिससे इस तरह असमर्थ कातर
जानती हो, उस समय क्या कर गुजरने
के लिए था कर दिया तैयार तुमने?[7]

'प्रणय-पत्रिका' का कवि रूप, रंग, सौन्दर्य में सना हुआ है।

'बच्चन का काव्य वैयक्तिक अनुभूतियों का काव्य है, प्रेम की मधुरता एवं अल्हड़पन के चित्रण का काव्य है। कवि अनुभूति की तरलता एवं अभिव्यक्ति की सहजता के बल पर पाठक को मुग्ध किये बिना नहीं रहता।'[8] बच्चन के काव्य में प्रेम के विविध आयाम चित्रित मिलते हैं। यदि यौवन का उल्लास है मिलनयामिनी का मधुमास है, मधुबाला है, मधुशाला है, मधुकलश है, तो युवा मन की भटकन, निस्सारता का भी चित्रण मिलता है। इस प्रकार वे छायावादोत्तर निर्वात को पूरने में अधिक ठोस और स्थायी मनोवैज्ञानिक विकल्प प्रस्तुत किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अभिनव सोपान (964), भूमिका, पृ. 21
2. अभिनव सोपान (964), भूमिका, पृ. 08
3. डॉ. नागेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास (973), पृ. 568
4. डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त, हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास (965), पृ. 75
5. डॉ. नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास सम्पादक, प्रकाशक-मथूर पेपर नोएडा।
6. श्री रमेश गुप्त, बच्चन निकष पर, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली।
7. अजित कुमार, बच्चन... निकट से, राजपाल एण्ड सन्स, कशमीरी गेट।
8. श्री जीवनप्रकाश जोशी, बच्चन... व्यक्तित्व और कृतित्व, सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Role of Women in Sustainable Development

Mrs. Seema Naik*

***Assistant Professor, Govt. Girls College, Barwani (M.P.) INDIA**

Introduction - All Women are Forces of nature, and I believe in their power (Stephanie McMahon). Women are considering as a key point in their home. But they do not only manage the household work but also involve in management of the nature through the plantation, Agriculture, conservation of water resources, protection and feeding of animal etc. So we can say that women use the resources wisely and directly or indirectly take part in sustainable development. Sustainable development is related to fulfil the basic needs of people without the degradation and compromising of future requirement. Sustainable development defined as the "development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs" (Brutland Reports, 1987). it means you can use natural resources but you should maintain the quality and quantity of natural resources. Now days it is a main objective of all the nation of the world. Because the modern development processes and increasing population adversely affect the quality and quantity of natural resources. In present time renewable source of energy storage depleted. Air, Water, Soil became polluted. Concentration of pesticide and insecticide continuously increases not only in soil, water but food chain also.

Conservation of the nature through Tradition by Women- Women follows the rituals and transmits the knowledge from generation to generation, from which some rituals are related with the environmental conservation practices and they are applied by women. Because our forefather knew the importance of resources and that's why they develop the tradition which maintain the quality and quantity of resources. They develop their life style according to nature. And make some tradition like worship of river which prevents the people to pollute it. Use wisely the natural resources, in agriculture practices they remain the field without crop for sometime in a year so that minerals and nutrient getting the sufficient time for recycling. But due to distraction from our tradition which adversely affect the environment and trigger the degradation in environment.

Role of women in conservation of nature- Women play the significant role in the education of their children and teach the moral education. If children learn the importance of nature from their childhood then they will learn eco friendly behaviour and will be able to develop their life style according to nature. In the rural area women manage the agriculture field and rearing the cattle, and wisely utilize the remaining substances of crop as a fodder and fuel. Similarly in the urban area women play their role as an educator, Policy maker and technocrat so here women can participate in the Environmental awareness campaign, involve in the making of conservation policy, and sensitize the student toward the environmental conservation practices.

Many women are famous for their significantly contribution in the conservation of environment for an example Amrita Devi scarified her life for the conservation of forest in Rajasthan. Mrs. Menka ghandhi play her significant role in the protection of animal. And in chipko movement women's play her role significantly in the conservation of forest in Uttaranchal. In Nramada Bachaon andolan women raise the voice for the protection of environment, because they are sensitive for pollution and environment degradation. Now a day Environmental activist Vandana Shiva take efforts for the conservation and protection of environment. A Green Belt Movement organized by Wangari Maathai in Kenya, in which 3 million plantation carried out by founder and members. It is a big and important movement of restoration.

Women as a Green Entrepreneurship- Generally women engage in cottage industry which are related with the basic need of people like rope and mat making, basket making, spices preparation, jam and jelly making etc all this activity does not harm the environment. They are also making new product by recycling the material. They are involved in knitting and make woollen cloths without the use of machine, in this way they conserve the energy. Now a day they are produce the solar cell and panel in Rajasthan.

Women and Sustainable development- Now the India move on the path of sustainable development, so the current policy is related with Green economy. It can be successful with the help of women, because women become the bridge in between development and environmental conservation practices. They are good manager and policy maker that's why women should be a member of environmental

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

protection conservation committee, and use their knowledge and determination in the conservations of environment. Women took actively participate in Earth summit 1992, and represent as a efficient work force to achieve sustainable goal. So that united nation proposed the 16 goal of sustainable development goal (SDGs) from which one is Women Empowerment. It is most important goal because it is consider a key factor to achieve the other target. Women's are good manager who organize the activity in well planned manner and utilize the minimum resources, and also emphasis on the reuse and recycling of the material. Along with women empowerment we ensure the social, economic and environmental sustainable development of the society. So that we should integrate the women Empowerment with the sustainable development because women can play her role effeciently in the management of resources.

Conclusion- So we can say that women are those creator who create the thing in a minimum raw material. They are a good manager, best policy maker, and environmental protector. Expert in reuse and recycling of the material which are the core concept of conservation of environment. So through the women empowerment we can involve the women in the making of policy of conservation of environment, and their determination can be use in the execution of the law and policy in favour of environment.

References:-

1. Dubey R. S. (28 February 2022), "Role of Women for a Sustainable Future" Organized by Internal Complaint Committee, CUG in commemoration with National Science Day.
2. Khurana, T.K. (2021), "role of women in sustainability(1)", Conference: 7th Asia Pacific Business Research conference to be held on 6 and 7 January, 2020 at Mumbai
3. Yildiz E., (2016), "The Importance of Women in Sustainable Development", social science research journal, volume 5, issue 1, ISSN 2147-5237, pp 1 to 10.
4. https://www.iied.org/why-womens-empowerment-essential-for-sustainable-development
5. https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Current Innovation and Developments in Digital Library

Smt. Kajal Ratan*

*Librarian Govt. Girls College Seoni Malwa, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - Digital libraries are becoming increasingly important in the modern world. They provide easy access to information that would otherwise be hard to find and provide people with the ability to find and store information quickly and easily. Digital libraries provide access to a wide range of resources, including books, magazines, newspapers, videos, photographs, music, and more. Digital libraries are also used to preserve and share important documents, such as archival records, legal documents, and historical materials. They provide a space where people can research, discuss, and collaborate on topics of interest. Digital libraries also offer educational opportunities and can be used for educational purposes, such as digital classes, workshops, and lectures. Additionally, digital libraries can provide access to a variety of digital tools and resources, including software, applications, and websites. Finally, digital libraries can be used to create digital collections that can be shared and accessed by people across the world.
Keywords- Digital library, E- Resources, Open Access, Digital Preservation, Semantic Web, Machine Learning, Augmented/Virtual Reality.

Introduction - Digital libraries are collections of digital content such as e-books, images, audio, video, and other digital media which can be accessed, shared, and used for research, teaching, and learning. Digital libraries are typically maintained by libraries, museums, educational institutions, and other organizations. They provide access to a variety of digital content, from digitized versions of print materials to born-digital content created and shared by users. Digital libraries can be used for a variety of purposes, such as providing access to scholarly materials, preserving cultural heritage, and facilitating access to materials for people with disabilities.

Digital libraries are empowering in a number of ways. They enable people to access a huge range of information quickly and easily, often free of charge. By providing access to a wealth of knowledge, digital libraries can help to increase literacy, boost educational attainment, and provide a platform for research and development. Additionally, they can serve as a valuable resource for teachers, students, and lifelong learners. Digital libraries also have the potential to bridge the digital divide between those with access to the internet and those without, providing an opportunity to level the playing field and ensure that everyone has access to the same resources.

Concept of digital library: A digital library is a collection of digital objects – text, images, audio and video, etc. – that can be accessed through computers and other digital devices. Digital libraries may be physical, such as a library on a university campus, or virtual, such as an online library. Digital libraries provide access to a wide range of materials, including books, magazines, newspapers, photographs, videos, music, and other digital content. They can also include software and other tools, such as search engines, catalogs, and databases, to help users find and access the materials they need. Digital libraries also provide services such as borrowing, lending, and interlibrary loan.

The primary objective of a digital library is to provide access to digital content and resources, such as books, journals, databases, and other materials, for users to explore and use. Digital libraries also provide an efficient way for users to search for information, as well as the ability to link to other digital resources. Additionally, digital libraries can provide a space for users to collaborate, interact, and exchange ideas, information, and resources.

Development in digital libraries

1. **Open Access:** The open access movement encourages the free sharing of digital resources and scholarly information. This is done by eliminating subscription fees to access content and allowing anyone to freely access and reuse the content.
2. **Digital Preservation:** Digital preservation is an important component of digital libraries. With the increasing number of digital resources available, it is important to ensure that these resources are preserved for future generations. This is done by backing up data and making sure that the data is accessible by the right people.

3. Semantic Web: The semantic web is the concept of linking web content together to create a more interconnected and organized web. This is done by using linked data and ontologies to create an organized web of related content.

4. Machine Learning: Machine learning is being used to automate the process of organizing and analysing digital content. This means that digital libraries can use machine learning algorithms to automatically classify and organize content.

5. Augmented/Virtual Reality: Augmented reality (AR) and virtual reality (VR) are being used to bring digital content to life. Libraries are using AR and VR to create immersive experiences for their users. This includes allowing users to explore a digital library in an immersive 3D environment.

Digital library software: There are many digital library software programs available. Some of the most popular include Evergreen, Koha, Greenstone, Vu-Find, E-Granthalaya, EBSCO Discovery Service, and Lib-Lime etc. Each of these programs provides users with a variety of features including cataloguing, searching, and other library management tools.

Digital Libraries as Empowering Tools: Digital libraries are powerful tools for providing access to information, knowledge, and culture. They can be used to empower people in many ways, from providing access to education and learning resources to connecting people with communities and global networks. Digital libraries can provide access to a wide range of materials, including books, journals, multimedia, and other digital resources. They can also facilitate collaboration, and communication among people in different geographic locations. Digital libraries can be used to promote literacy, create economic opportunities, and increase access to health information. Additionally, they can help to preserve cultural heritage and promote digital equity.

Requirements for Establishing Digital Library

1. Design and Hosting Platform: A digital library must be hosted on a reliable platform that is capable of hosting and managing large amounts of data. Popular choices include WordPress, Drupal, and the Content Management System (CMS) of choice.

2. Content Management System: A content management system (CMS) such as WordPress or Drupal is necessary to manage and store content such as books, articles, and other digital assets. This system should also provide security measures to protect the digital library from unauthorized access and malicious attacks.

3. Search Capabilities: A digital library should have search capabilities so users can quickly find the material they need. This should include both full-text search and advanced search features such as filtering by date, author, language, and other criteria.

4. Scalability and Reliability: A digital library should be able to handle a large volume of traffic and be able to scale up when needed. It should also be reliable and not experience frequent downtime.

5. Security: Security measures should be implemented to protect the digital library from unauthorized access and malicious attacks. This includes measures such as two-factor authentication, encryption, and access control.

6. User Interface: A digital library should have an

Implementation of digital library: Digital library implementation involves the use of a variety of software, hardware, and services to provide access to digital content. This content can be in the form of books, magazines, newspapers, images, audio files, videos, or any other form of digital media.

1. Software: Digital library software is used to store, manage, and provide access to digital content. This includes search engines, online content management systems, cataloging and indexing tools, digital rights management systems, and content delivery networks.

2. Hardware: Hardware used in a digital library includes servers, storage devices, scanners, printers, and other devices used to store, retrieve, and display digital content.

3. Services: Services used in a digital library include digitization services, metadata services, and hosting services. These services help to create, store, and distribute digital content.

4. Accessibility: Digital library systems must also be accessible in order to provide access to digital content to users with disabilities. This requires the use of appropriate software and hardware, as well as the implementation of accessibility standards.

Future of digital libraries: The future of digital libraries is bright as technology continues to advance. Digital libraries can provide a wealth of resources, including access to books, journals, podcasts, videos, and more, all at the click of a button. As digital libraries become more widely available, they will become a key part of the educational landscape. In the future, digital libraries will be used to provide access to materials from around the world, as well as to support research, collaboration, and teaching. Furthermore, digital libraries will enable users to access library materials from anywhere, anytime, and from any device. As technology advances, digital libraries will become more user-friendly, offering a wide range of tools and services to make finding and using library materials easier and more efficient.

Conclusion for digital library: Digital libraries are a powerful tool that can help revolutionize the way people access, store, and share information. With the ever-growing availability of digital resources, digital libraries can provide a platform for libraries to provide a more diverse range of services to their patrons. In addition, digital libraries can offer increased security for library materials, help preserve the history of our culture and provide easier access to resources for the global community. As technology continues to evolve, digital libraries will become an

increasingly important part of library services.

References:-

1. https://www.researchgate.net/publication/228388489_Digital_Libraries_in_India_A_Review
2. https://www.ijert.org/digital-library
3. https://core.ac.uk/download/pdf/82300967.pdf
4. https://www.edigitallibrary.com/what-is-digital-library-software.html
5. https://egyankosh.ac.in/handle/123456789/61854

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Critical Survey of Yoga Attitude Among Students of KMV College, Seoni Malwa

Dr. Anurag Pathak*

***Sports Officer, Govt. Kusum P. G. College, Seoni Malwa, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Abstract - This paper describes the attitude of yoga among students of Govt. Kusum P. G. College Seoni Malwa. Today yoga being a subject of varied interests, has gained worlds wide popularity. Yoga is presently being defined as a system of personality-development, transformation of consciousness and integration within the human system leading to the complete wellbeing. Yoga education has been referred to as the training and teaching process, though it should also be seen as the application of yoga techniques to better support to the education process. Authors collected data via purposive sampling from 96 female students who were participated in 5 days yoga training camp organized by Govt. Kusum P. G. College Seoni Malwa, Narmadapuram. Yoga attitude assessed by Yoga Attitude scale developed by Dr. Mahesh Kumar Muchhal. Authors postulated research hypothesis i.e. there will be high attitude of yoga among students of different courses. Norms based grading was done to find out the level of yoga attitude. Results of this pilot study were very promising i.e. 60% students found to be high level attitude towards yoga. Students have realized more importance of yoga for their better future.

Key words: Yoga, College Students, Attitude, Seoni Malwa.

Introduction - The human element is treated as it has always been in today's fast-growing world of science and technology. Its objectives are hazy and unsatisfying. The mechanism of modern living, the force limiting physical activity leading to a sedentary life, the increase in leisure time, all of this has resulted in a tremendous increase in public and professional interest in physical activity and health. Yoga has gained worldwide popularity as a subject of diverse interests. Yoga has the most effective treatments for both physical and psychological chronic conditions. Yoga practice activates the organs in the functioning of the human body.

Yoga is one of India's oldest cultural traditions. Yoga means "to yoke," "to bind," "to link," "to connect," or "to merge." As the yoke connects two bulls. Yoga unites the body and mind. Yoga is the union of the soul with God and the experience of oneness with him/her. It is only possible through the control sense organs, as well as continued practice and detachment. Most yogis in India devote their lives to a spiritual path and discipline, whereas most people in the West practice yoga for health and psycho-physiological relaxation.

"Yoga is the withdrawal of sense organs from their worldly objects and their control," according to the great stage Patanjali. Yoga attitude refers to the various mental attitudes that people can have towards the benefits of yoga. After critically going through the available literature, the authors proposed a research hypothesis, namely that the selected samples will have a high level of attitude for this study.

Authors were conceptualized this pilot study with following objectives:

1. To assess the level of yoga attitude among college going students of SeoniMalwa tehsil.
2. To make students aware about their existing knowledge about Yoga.

Methodology:

Participants: Participants were 96 male students from different programs at Seoni Malwa College, ranging in age from 18 to 27 years. Subjects were carefully selected through purposive sampling from a 5-day yoga training camp organized by Govt. Kusum P. G. College Seoni Malwa, Narmadapuram.

Table No – 1: Selection of Subjects (Course Wise)

Sr.	Course	Number of Subjects
1	Physical Education	20
2	Zoology	10
3	Economics	10
4	History	12
5	Botany	10
6	Hindi	10
7	Home Science	06
8	Chemistry	09
9	Political Science	09
	Total	**96**

Material: Yoga Attitude was assessed by using standardized Yoga Attitude Scale (YAS) by Dr. Mahesh Kumar Muchhal. This scale consists of 30 questions (15 positive and 15 negative items). For positive 2,1,0 scores if given to agreed, undecided and disagreed respectively. As for the negative items scoring is reserved.

The study subjects were assembled in Kusum Mahavidyalaya's hall, and the purpose of the study was explained. After receiving informed consent from the subjects, they were given a questionnaire to fill out and return within one day. Those who did not respond within the specified time were contacted again and asked to return the completed proforma. The completed proforma was retrieved three times, and subjects who did not return it after the third request were excluded.

Results and Discussion: The data obtained from each questionnaire was analyzed using a norms-based grading to assess yoga attitude among different courses students of Govt. Kusum P. G. College Seoni Malwa. The study's findings indicate a generally positive attitude towards yoga.

Table No-2: Norms Based Grading of Students

	Very High	High	Average	Low	Very Low
Frequency	58	30	08	00	00
Percentage	60.41%	31.25%	8.34%	00 %	00 %

Table 2 shows that many students have a positive attitude, indicating a high level of yoga proficiency. This may be due to the fact that Kusum College organized many yoga camps for the benefit of students. It could be because the students have realized the value of yoga for their future.

Conclusion: Modern educationalists are interested in using the Yoga system to improve educational quality. As a result, it is critical to consider the inclusion of Yoga and Yogic values in the educational system. The yoga system emphasized awareness of very subtle aspects, which are difficult to achieve through single-pointed focus. It leads to full awareness of the external environment and full awareness of the internal environment, as well as awareness of those aspects. Which are beyond the scope of internal and external attainment.

Present study has indicated that the yoga attitude level of selected samples are high this is good sign of students personality as they are well versed with importance of yoga. There is a need to motivate the head of the institutions and P.E. staff in schools regarding the importance of yoga education. School, colleges and universities should place greater emphasis on educating students about the importance of yoga for persons of all ages and abilities.

References:-

1. Goel, A. Yoga and the teaching profession Article available online:http://www.healthandyoga.com/html/news/yoga_teaching.html.
2. Shirotriya, A.K. (2011). Yoga Education. IPSD publication, New Delhi.
3. Shirotiya, A.K., & Chaudhary, R. (2011). Glimpse on the Yoga Education and Its career Avenues. Thematic paper presentation at the international Symposium on Global Trends of Physical Education & Sports in 21st Century, Noida College of Physical Education, Noida (UP).
4. Singh, A. et al. (2003) "Essential of Physical Education" . Kalyani Publication, New Delhi, 515-543.
5. Shirotiya, A.k., Vishwakarma, R., & Kumar, C. (2012). Glimpse on the Yoga & Yoga Education: Need for Healthy and Fit India. International Online Physical Education & Sports Research Journal "Academic Sports Scholars" I (I).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Study of Photocatalytic Degradation of Phenothiazine Dye by Fenton Treatment

Dr. David Swami*

*Department of Chemistry, S.B.N. Govt. P. G. College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - Azure A is a Phenothiazine class of dye in which an atom of sulphure replacing oxygen in heterocycle rings. They have colour range from green to blue and have been used for colouring paper, tannin mordant cotton, silk and leather, Fenton's treatment is an attractive treatment for the effective decolorisation and degradation of dye because of its low cost the lack of toxicity of reagent. The fenton system uses ferrous ions to react with hydrogen peroxide, producing hydroxyl radicals with powerful oxidizing ability to degrade organic pollutants. In the present study photocatalytic degradation of phenothiazine dye by fenton treatment was studied.

Introduction - The textile industry is one of the most water demanding sectors. Waste water from dyeing process contains a wide variety of water soluble chemical products. (1) To perform the waste water treatment the conventional chemicals and physical methods are not distructive but only transfer the pollutant from one phase to another phase. In recent years advanced oxidation processes have been described as efficient procedure for obtaining high oxidation yields from several kinds of organic compounds. (2) Advanced oxidation process (AOP's) have emerged as an important class of technologies for dye in aqueous suspensions. AOP generates powerful oxidising agent hydroxyl radicals which completely destroy the pollutants in waste water. (3) Fenton system provides an economical approach in treatment of dye pollutant and played important role in the degradation of dyes. Effeciency of fenton system has been studied for decolorization of phenothiagine dye in the present of TiO_2 and visible light irradiation.

Experimental: Azure A was obtained from Loba Chemie. Photo catalyst TiO_2 was obtained from the S.D. Fine Company. All Solutions were prepared in doubly distilled water. Photo catalytic experiments were carried out with 50 ml of dye solution (3.8x10-5 mol dm-3) using 300mg of TiO_2 photo catalytic under exposure to visible irradiation in specially designed double-walled slurry type batch reactor vessel made up of Pyrex glass (7.5 cm height, 6 cm diameter) surrounded by thermostatic water circulation arrangement to keep the temperature in the range of 30$\pm$0.3.c. Irradiation was carried out using 500 w halogen lamp surrounded by aluminum reflector to avoid irradiation loss. During photo catalytic experiments after stirring for 10 min slurry composed of dye solution and catalyst was placed in dark for ½ h in order to establish equilibrium between adsorption and desorption phenomenon of dye molecule on photo catalyst surface. Then slurry containing aqueous dye solution and TiO_2 was stirred magnetically to ensure complete suspension of catalyst particle while exposing to visible light. At specific time intervals aliquot (3ml) was withdrawn and centrifuges for 2 min at 3500 rpm to remove TiO_2 particle from aliquot to assess extent of decolourisation photo metrically. Changes in absorption spectra were recorded at 480 nm on double beam UV-Vis, spectrophotometer (Systronic Model No. 166) Intensity of visible radiation was measured by a digital luxmeter (Lutron LX 101). pH of solution was measured using a digital pH meter.

Results and Discussion: An aliquot was taken from the reaction mixture at regular time interval and the absorbance was measured spectra photo metrically at max value of 630 nm. The absorbance of the solution was found to decrease with increasing time. Which indicates that the concentration of Azure A. dye decreased with increasing time of exposure.

Effect of Fenton reagent: The Fenton reagent often used for the degradation of organic moieties. In this process Fe^{2+} are regenerated from Fe^{3+} which makes the process cyclic in nature and thus photochemical degradation proceed smoothly (4). Since it has been known as a powerful oxidant for organic pollutants. Fenton reaction involved the formation of hydroxyl and perhydroxyl radicals (5). Rate constant has a value of $4.83 \times 10^{-4}\ s^{-1}$ on the addition of [Fe^{3+}: H_2O_2] in molar ratio [3:1]. In the presence of [Fe^{3+}: H_2O_2] in molar ratio [1.4:1], rate constant value changed to $10 \times 10^{-4}\ s^{-1}$. The mechanism of Fenton chemistry can be described as follows.

$$Fe^{2+} + H_2O_2 \longrightarrow Fe^{3+} + OH^- + {}^{\bullet}OH \qquad (1)$$

RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

$^{\bullet}OH + Fe^{2+}$ ----> $OH^{-} + Fe^{3+}$ (2)

$Fe^{3+} + H_2O + hv$ ----> $^{\bullet}OH + Fe^{2+} + H^{+}$ (3)

Upon irradiation of Fe^{3+} / H_2O_2/TiO_2/AA system with visible light, generation of $^{\bullet}OH$, $O_2^{\bullet -}$, $HO_2^{\bullet}$ radicals increased led to a very complex mechanism. When Dye molecules absorbed visible light, it got excited into high energy state and reduced the ferric ion complex to ferrous ion complex followed by the transfer to ferric ion [6].

$AA + hv_{visible}$ ----> $_1AA^*$ or $_3AA^*$ (4)

$_1AA^*$ or $_3AA^*$ + $TiO_2(Fe^{3+}\,^{\bullet}OH)$ ---->$_{hv}$ $TiO_2(Fe^{2+\bullet}OH) + AA^{+\bullet}$ (5)

$TiO_2(Fe^{2+}\,^{\bullet}OH) + H_2O_2$ ---->$TiO_2(Fe^{3+}\,^{\bullet}OH) + {^{\bullet}OH} + {^{\bullet}OH}$ (6)

$TiO_2(Fe^{3+}\,^{\bullet}OH) + H_2O_2$ ----> $TiO_2(Fe^{2+}\,^{\bullet}OH) + HO_2^{\bullet} + H$ (7)

$TiO_2(Fe^{2+}\,^{\bullet}OH)$ ----> $TiO_2(Fe^{3+}\,^{\bullet}OH) + TiO_2(e^{-}_{CB})$ (8)

$TiO_2(e^{-}_{CB}) + O_2$ ----> $O_2^{\bullet -}$ --H^{+}-->$HO_2^{\bullet}$ (9)

$H_2O_2 + O_2^{\bullet -}$ ----> $^{\bullet}OH + OH^{-} + O_2$ (10)

$H_2O_2 + TiO_2(e^{-}_{CB})$ ----> $^{\bullet}OH + OH^{-}$ (11)

$^{\bullet}OH + H_2O_2$ ----> $H_2O + HO_2^{\bullet}$ (12)

$AA/AA^{+\bullet} + {^{\bullet}OH} / O_2^{\bullet -} / HO_2^{\bullet}$ ---->Degradation products (13)

Effect of Fe^{3+} / H_2O_2: [Azure A] = 3.8×10^{-5} mol dm^{-3}, pH = 9.0

TiO_2 = 300 mg/ 100 mL, Light intensity = 20×10^{3} lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

$Fe^{3+}:H_2O_2$	With TiO_2		Without TiO_2	
	$k \times 10^{-4} s^{-1}$	$t_{1/2} \times 10^{3} s^{-1}$	$k \times 10^{-4} s^{-1}$	$t_{1/2} \times 10^{3} s^{-1}$
3:1	3.91	1.77	1.53	4.52
1.4:1	11.00	0.63	1.61	4.30
1:1.4	10.00	0.69	1.79	3.87
1:3	7.50	0.92	1.87	3.70
11:1	5.14	1.35	1.93	3.59

Fig - Effect of Fenton reagent

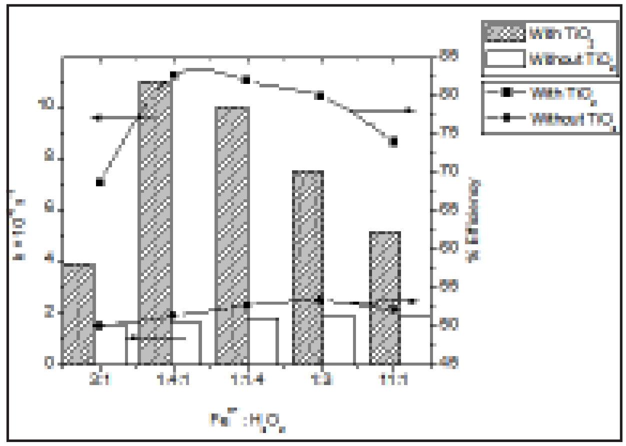

Conclusion: Fenton Process has been used for the treatment of the effective photocatalytic degradation of dye under laboratory condition. Rate Contant was maximal at 1.4:1 of (Fe^{3+}: H_2O_2)

Acknowledgement: Author acknowledgment the support and Laboratory facilities provided by Chemistry Department S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.)

References:-

1. Mansilla H., Lizama C., *Gutarra A. and Rodriguez* J. *Argentina Editorial cited* ***(2001)*** *285-294.*
2. *Saien J. and Soleymani A. R. Journal of Hazardous Materials* ***(2006)*** *1-07.*
3. *Perez M., Torrodes F., Domenech X. and Perol* J., *Water Res.* ***(2002)*** *2703-2710*
4. *Lodha S., Vaya D., Ameta R. and Punjabi P. B.,* J. *Serb. Chem. Soc., 73 (2008) 631.*
5. *Neyens E. and Baeyens J., J. Hazard. Mater., 98 (2003) 33.*
6. *Amiri A. S., Bolton J. R. and Caster S. R., J. Adv. Oxid. Technol., 1 (1996) 18*.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Ethnobotanical Plants Conservational Practices by Bheel Tribes of Dhar District, Madhya Pradesh, India

Dr. Kamal Singh Alawa*

***Assistant Professor, Department of Botany, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA**

Abstract - Dhar district is situated in the south-western part of Madhya Pradesh. The present investigation was carried out during the year 2021-2022. The present paper deals with the tribal people of conservational practice which are have been protected by the Bheel tribes for centuries for their cultural and religious beliefs and taboos that the deities reside in them and protect the villagers from different ceremonies. They are settled agriculturist and have a very rich knowledge on plant based resources utilization for their survival since time immemorial. During the survey a total of 16 plant species belonging to 13 genera and 10 families were identified as scientific name, family, part used and uses of local worships. The plants were enumerated alphabetically according to their most commonly used. Religious beliefs and taboos have significant role in conservation of flora and fauna. These plants are *Butea monosperma* (Lam.) Taub., *Ceiba pentandra* (L.) Gaertn., *Celosia argentea* L., *Erythrina suberosa* Roxb., *Tectona grandis* L., *Terminalia bellirica* (Gaertn.) Roxb. and *Vigna* species etc. Further work is suggested to elucidate the possible practice of main festivals celebrated by tribal people for these conservational and biodiversity of the study area.
Keywords: Bheel tribes, Conservational practice, Dhar district, Madhya Pradesh.

Introduction - Present study observed and documented. Sacred grove are tracts of virgin forest with rich diversity, which have been protected by the local people for centuries for their cultural and religious beliefs and taboos that the deities reside in them and protect the villagers from different calamities. These groves are covered with herbs, shrubs and trees etc. It also exhibits diversity of herbal plants. Many of these herbal plants are used to cure human ailments by local people, tribal communities, vaidhyas and Badwa. Some threatened plants are reported from these sacred groves which are naturally protected by local tribal people due to their cultural, religious beliefs and taboos that the deities reside in them. Religious beliefs and taboos have significant role in conservation of flora and fauna. Some threatened plants are abundantly found in the sacred groves of the study area.

Study areas: Conservational practices by tribals of Dhar district. These are Akhateej, Dhodi, Diwasa, Navai, Raksha-bandhan, Diwali, Dusshera, Holi, Bhagoria and Gal-chul are the main festivals celebrated by tribals in the study area.

Akhateej: Akhatij is celebrated during pre monsoon as New Year.

Dhodi: This ritual is performed for good monsoon.

Diwasa: Diwasa is celebrated with the expectation of harvesting of good crop next year. They worship "Bhilat Baba" or "Baba Dev" on Kheda. (Bel patra) Milk is boiled in small container and allowed to drop out from the container.

Navai: Navai is celebrated as festival of harvesting one can start eating of the new crops from these auspicious day *Vigna radiata* (L.) Wilczek, *Vigna unguiculata* (L.) Walp., *Vigna mungo* (L.) Hepper and *Zea maiz* L. and Tectona grandis are consumed after this inaugural ceremony.

Raksha bandhan: It is a festival that has been an integral part of our culture for thousands of years. The main ceremony, involves the main tying of a rakhi by sister on her brothers wrist. Sisters gave coconut (*Cocos nucifera)* and kandora (Black thread) to her brothers and pray god for her brother's long life.

Diwali: Diwali is celebrated with a great excitement and four day festival of tribal. First day of festival is "Dhan teras", Second day is celebrate as "Govardhan pooja", Third day as "Laxmi pooja" and fourth day starts with the worship of twigs of *Terminalia bellerica* (Gaertn.) Roxb. and *Erythrina variegata* L. Rusia grasses It is believed that animals do not suffer from any disease by performing this worship.

Dusshera: Dusshera festival is celebrated in a unique style. On this day is Kalika Mata is worshiped with special reverence and celebration is accompanied by sacrificing a cock or goat. On this day seedlings of *Sorghum bicolor* (L.) Moench are worshipped and kept above their hut. These are supposed to provide protection against super natural elements.

Holi: Holi the colorful festival is celebrated with great enthusiasm, elegance and splendor.It is celebrated during

month of March. Holi celebration is started with fixation of stricted *Ceiba pentandra* L. in the ground symbolized it as "Holi ka danda" (*Bombex Ceiba*) by Tadvi.

Bhagoria: Generally this festival is celebrated by local tribal people and it is known as Hat festival. The Hat is organized in the form of Sayamvar or Bhagoria hot where young girls and boys are allowed to choose their partners. If both are willing to accept then they offer and exchange Betel leaf (*Piper betle* L.) locally called "Pan".

Gal-chul: Gal-chul is celebrated in two stages. First stage an artificial ditch is prepared. After burning of Sann (*Crotolaria juncia* L.) or Arhar (*Cajanus cajan* L.) stick, people are allowed to walk on the flame.

Materials and Methods: Ethnobotanical field work was carried out during 2021-2022. the tribal people of conservational practice which are have been protected by the Bheel tribes for centuries for their cultural and religious beliefs and taboos that the deities reside in them and protect the villagers from different ceremonies. Many of these herbal plants are used to cure human ailments by local people, tribal communities, vaidhyas and Badwa. The plant specimens were collected, identified with the help of Herbarium and Floras (Mudgal *et al*., 1997; Verma *et al*., 1993; Jain, 1991). Herbarium following standard method (Jain and Rao, 1977). Deposited in the herbarium of the Department of Botany PMB Gujarati Science College, Indore (M.P.).

Results and Discussion: The present paper provides information and ethnobotanical plants on the total 16 plant species belonging to 13 genera and 10 families, which were identified. Generally local medicine men are known as 'Badwa' or Vaidyas. The indigenous knowledge of the tribal communities must be properly documented and preserved so that their knowledge could be passed on the future generation. Such studies and documents provide important for understanding the complex heritage of tribal communities and their association with environment and nature. It is also observe that were uses flowers of 2, stem of 3 species, leaf of 2 species, fruits of 6 species, streak of 2 & whole plant of one species. Such information should be spread among other societies living in urban and remote areas. Further work need to be carried out to conservation of the study area.

Acknowledgement: The author is thankful to Dr. S.S.Baghel, Principal and Prof. Subhash Soni, Head of Botany Department, Govt. P.G. College, Dhar for their help and support. We are also thankful to Divisional forest officer, Dhar for help during the ethno botanical survey in tribal villages and forest areas of the district. We are thankfully acknowledging the informants for the important information giving regarding ethno botanical plants.

References:-

1. Alawa KS, Ray S. Ethnomedicinal plants used by tribals of Dhar district, Madhya Pradesh, India. *CIBTech. Jour. Of Pharmaceutical Science,* 2012; 1(2-3): 7-15.
2. Alawa KS, Ray S, Dubey A. Folklore claims of ethnomedicinal plants used by Bhil tribes of Dhar district Madhya Pradesh. Bioscience discovery, 2016 7(1): 60-62.
3. Alawa KS. Ethnomedicinal plants used for anti-fertility by tribals of Dhar district, Madhya Pradesh, India. *European Jour. Of Biome. and pharma.Science*, 2021; 8 (8): 495-497.
4. Jain SP. Ethno-Medico-Botanical Survey of Dhar district Madhya Pradesh. *Journal of Non-Timber Forest products*, 2004; 11(2): 152-157.
5. Jain SK and Rao RR. A handbook of field and Herberium methods.*Today and Tomorrow Publishers*, New Delhi: 1977.
6. Jain SK. Dictionary of Indian folk medicine and Ethnobotany.*Deep Publication,* New Delhi,India: 1991.
7. Jadhav D. Ethnomedicinal plants used by *Bhil* tribes of Matrunda, District,Ratlam, Madhya Pradesh, *India. Bull. Bot. Surv. India.,* 2007; 49 (1-4): 203-206.
8. Madgal V, Khanna KK, Hajra PK. *Flora of Madhy Pradesh*, Vol. II.BSI. Calcutta: 1997.
9. Saswat SK, Padhan B, Palita SK, Panda D. Plants used against snakebite by yribal people of Koraput district of Odisha, India. *Jour. Of Medicinal Plants studies*, 2016; 4(6):38-42.
10. Verma DM, Balakrishan NP, Dixit RD. *Flora of MadhyaPradesh*,Vol. I, BSI, Calcatta: 1993.
11. Wagh VV, Jain AK. Ethnomedicinal observations among the *Bheel*and *Bhilala* tribe of Jhabua District, Madhya Pradesh, India. *Ethnobotanical Leaflets,* 2010; 14: 715-720.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

गैर निष्पादन संपत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं एच.डी.एफ.सी. बैंक के विशेष संदर्भ में)

डॉ. संजय बाणकर*

* सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, शाहपुर, जिला-बैतूल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत बैंकिंग क्षेत्र का होना आवश्यक। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाता हैं एवं एक महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र की श्रेणी में आता हैं। बैंकों का कार्य मुख्य रूप से लोगों का पैसा जमा करना एवं आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करना होता हैं, लेकिन आधुनिक समय में बैंकिंग क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका है और बैंकिंग को तकनीकी से जोड़ते हुए बहुत सारी सेवाएं अपने ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं। आज के इस दौर में बैंकिंग से संबंधित कार्य एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए घर बैठे अपने मोबाइल व कंप्यूटर पर उक्त सेवायें प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मोबाइल बैंकिंग एवं इंटरनेट बैंकिंग प्रमुख हैं। बैंकिंग के सफल संचालन में सबसे बड़ी बाधा बैंको का एन.पी.ए. होता हैं। एन.पी.ए. के बढ़ते स्तर के कारण बैंक की लाभदायकता प्रभावित होती हैं। एन.पी.ए. का मुख्य कारण समय पर ऋण वसूली नहीं होना व सरकार द्वारा ऋण माफी हैं। गैर निष्पादित संपत्ति (एन.पी.ए.) को अगर साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो गैर निष्पादित संपत्ति वह संपत्ति होती है।जिससे बैंक को कोई आमदनी नहीं होती है। बैंकिंग भाषा में इसे NPA या डूबी हुई संपत्ति कहा जा सकता है। RBI नियमों की बात करें तो 180 दिन तक अगर किसी संपत्ति से कोई आय नहीं हो रही है तो वो NPA हैं। हालांकि विदेशों में NPA घोषित करने की मियाद 45 से 90 दिन है। आर.बी.आई. के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में लोक अदालतों, डेट रिकवरी, छूट देकर ऋण वसूली और आई.बी.सी. आदि माध्यमों से बैंकों द्वारा वसूली गई राशि 4.14 लाख करोड़ रुपये ही थी। आर्थिक संरचना एवं अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास के लिए बैंकिंग क्षेत्र का विकास आवश्यक है। आज हम बैंकिंग क्षेत्र के बिना व्यापारिक दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर बैंकिंग क्षेत्र विकसित होगा तो व्यापारिक गतिविधियां भी विकसित होगी। व्यापारिक दुनिया जड़ बैंकिंग क्षेत्र ही होता हैं।

एन.पी.ए. के प्रकार हैं:- एन.पी.ए. को हम तीन भागों में बांट सकते हैं।

1. खराब एन.पी.ए.:- वह विशेष एनपीए जो 12 महीने से कम या उसके बराबर बकाया रहता हैं।
2. संदिग्धा एन.पी.ए:- वह एनपीए 12 महीने के बराबर या उससे कम समय के लिए घटिया एन.पी.ए. की श्रेणी में रहता हैं।
3. डूबात एन.पी.ए. अथवा संपत्ति:- हानि संपत्ति तब होती है जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण के अनुसार एन.पी.ए. को बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा किए गए नुकसान के रूप में मान्यता दी गई हैं।

एन.पी.ए. का बैंक पर प्रभाव:- एन.पी.ए. भारत के बैंकों के लिए प्रमुख चिंताओं में से एक है। गैर निष्पादित संपत्तियां बैंकों के लिए ब्याज आय उत्पन्न नहीं करती एन.पी.ए. किसी बैंक में प्रमुख रूप से निम्न पहलुओं को प्रभावित करती हैं।

1. लाभदायकता मे कमी होना।
2. पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर प्रभाव।
3. बैंक द्वारा फंड एकत्रित करने की लागत बढ़ना।
4. बैंक के इक्विटी मूल्य पर बुरा प्रभाव।
5. बैंक की रेटिंग प्रभावित।

शोध अध्ययन का औचित्य- यह शोध अध्ययन बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार करने व एन.पी.ए. को कम करते हुए अपनी आय को बढ़ाने में सार्थक सिद्ध होगा। शोध अध्ययन में चयनित बैंकों में तुलना करते हुए बैंकों के प्रदर्शन एवं उनके द्वारा आर्थिक लाभ पर एन.पी.ए. का प्रभाव पर भी प्रकाश डाला हैं। इस शोध अध्ययन मे शोधार्थी द्वारा बैंक मे एन.पी.ए. में वृद्धि के कारणों को जानने का भी प्रयास किया हैं, जो बैंकों के लिए सार्थक सिद्ध होंगे।

शोध साहित्य का पूर्वावलोकन -

1. **दीक्षा चतुर्वेदी (2005) सहकारी बैंकों मे गैर निष्पादनीय सम्पत्तियों का विशेष अध्ययन-** इनके द्वारा शोध अध्ययन में सहकारी बैंकों के बारे में बताया गया है, कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बढते हुए गैर निष्पादनीय सम्पत्तियाँ का वर्णन किया गया है, जिसमें भारत के सहकारी बैंकों की लाभप्रदत्त में कमी का होना एन.पी.ए. का बढता स्तर हैं,जिससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली मे बदलाव आया हैं। इस बदलाव के कारण बैंको की वित्तीय स्थिति में कमी देखी गई हैं। इस शोध अध्ययन में सहकारी बैंकों में गैर निष्पादनीय सम्पत्तियाँ पर विशेष रूप से गहन अध्ययन किया गया हैं, साथ ही इन गैर निष्पादनीय सम्पत्तियाँ का मूल्यांकन किया गया हैं।
2. **संदीप ओझा (1987) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उत्पादकता व लाभप्रदता का अध्ययन-** इनके द्वारा शोध अध्ययन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उत्पादक्ता में वृद्धि के साथ लाभप्रदता का वर्णन किया हैं,इसके साथ ही अंतराष्ट्रीय बैंकों की तुलना भी की गयी हैं,इस शोध अध्ययन में बैंकों की लाभप्रदता के साथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के बारे में भी बताया गया हैं।
3. **राकेश कुमार (शोध पत्र मार्च 2014,पेज नं. 147-153, वाल्यूम नं. 2 इटंरनेशलन जर्नल ISSN- 2347-6915) :- वित्तीय सकंट के बाद भारतीय बैंकों का प्रदर्शन (चयनित बैंकों का एक तुलनात्मक अध्ययन)-** इनके द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आए

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

वित्तीय संकट के बारे में वताया गया हैं। इन्होने अपने शोध अध्ययन में पिछले कुछ वर्षो से हो रहे बैंकिंग क्षेत्र के बदलाव के बारे में भी बताया गया हैं, कि सन् 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के कारण बैंकिंग क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव देखे गए इसके साथ ही साथ बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय संकट के बाद बैंकों की वित्तीय स्थिति में भी विकास देखा गया।

4. पत्रिका बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन एम.एस.एम.ई. विशेषांक में प्रकाषित शोध लेख भारतीय बैंकों के लिये असीम ऋण संभावना श्री प्रहलाद सबनानी दिसम्बर 2001 अपने शोध में यहाँ पाया कि भारत में कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत हिस्सा लघु एवं मध्यम उघम का होता हैं। निर्यात का 34 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र द्वारा किया जाता हैं।

5. एस.नायडू (2012)ने आंध्रा बैंक के वित्तीय प्रदर्शन पर एक माध्यमिक अध्ययन किया इनके द्वारा शोध अध्ययन में आंध्रा बैंक की वित्तीय स्थिति का वर्णन किया गया हैं। जिसमें आंध्रा बैंक की वित्तीय स्थिति का मूल्याकंन भी किया गया हैं। इस शोध में आंध्रा बैंक की वर्ष 2006 से 2010 तक की अवधि के आंकडो को कवर करते हुए वित्तीय मूल्याकंन किया हैं।

शोध अध्ययन का उद्देश्य:

1. चयनित बैंकों के एन.पी.ए. की जांच एवं तुलना करना।
2. गैर निष्पादित संपत्तिओं का प्रभाव और उनके कारणों का अध्ययन करना जिनके कारण संपत्ति गैर निष्पादित बन गई।
3. चयनित बैंकों के शुद्ध लाभ और शुद्ध एन.पी.ए. के बीच संबंध का पता लगाना।

शोध विषय अध्ययन की परिकल्पना:-

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शुद्ध लाभ और शुद्ध एन.पी.ए. के बीच कोई सार्थक संबंध नहीं हैं।
2. एच.डी.एफ.सी. बैंक के शुद्ध लाभ और शुद्ध एन.पी.ए. के बीच कोई सार्थक संबंध नहीं हैं।

शोध विषय के अध्ययन की संरचना- यह अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित हैं। आंकड़ों को विभिन्न वेब स्रोतों जैसे संबंधित बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट, सूचना बुलेटिन और पत्रिकाओं से एकत्र किया गया हैं। एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय उपकरणों जैसे अनुपात विश्लेषण और प्रवृत्ति विश्लेषण की सहायता से किया गया हैं। समेकित आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तालिकाओं व ग्राफ का उपयोग किया गया हैं। यहां, एन.पी.ए. स्वतंत्र चर हैं, और शुद्ध लाभ आश्रित चर हैं। सह-संबंध को मापने के विश्लेषण हेतू SPSS सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया हैं।

शोध विषय के अध्ययन की सीमाएं -शोध अध्ययन की सीमाएं इस प्रकार हैं:

1. प्राप्य समंको एवं साहित्य का अभाव है यह शोध विषय के अध्ययन सीमांत अवधि 2017-18 अवधि से 2021-22 तक हैं।
2. इस अध्ययन में द्वितीय समंको का उपयोग किया गया है। इनकी विश्वसनीयता अंकेक्षण पर निर्भर करती हैं।
3. समंको का समूहीकरण, वर्गीकरण, शोध विषय के अध्ययन की आवश्यकता अनुसार किया गया हैं

इस शोध विषय के अध्ययन में केवल दो बैंकों को लिया गया है।

तालिका 1 - (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 1 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुल अग्रिम वर्ष 2017-18 में 1934880.19 करोड़ थी जो बढ़कर वर्ष 2020-21 में 2449497.65 एवं वर्ष 2021-22 में 2733966.58 करोड़ हो गई। बैंक की कुल अग्रिम में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है वही एच.डी.एफ.सी. बैंक की कुल अग्रिम में भी वृद्धि हुई वर्ष 2017-18 में 658333.09 करोड़ कुल अग्रिम राशि थी जो बढ़कर वर्ष 202 -22 में 1368821.23 करोड़ हो गई। शुद्ध लाभ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 2017-18 में हानि का सामना करना पड़ा इस कारण इसका एन.पी.ए. भी बड़ा लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2019-20 में 14488.11 करोड़ का लाभ अर्जित किया है, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 31676.55 करोड़ हो गया। शुद्ध लाभ में एच.डी.एफ.सी. बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अच्छी स्थिति में हैं। एच.डी.एफ.सी. बैंक का शुद्ध लाभ प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है वर्ष 2017-18 में एच.डी.एफ.सी. बैंक का लाभ 17486.73 करोड़ का था जो बढ़कर वर्ष 2021-22 में 36961.33 करोड़ हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं एच.डी.एफ.सी. बैंक के शुद्ध एन.पी.ए. की रकम में काफी अंतर है, वैसे तो दोनों बैंकों का शुद्ध एन.पी.ए. प्रति वर्ष बढ़ रहा हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एन.पी.ए. अधिक हैं।

चयनित बैंकों की लाभदायकता पर एन.पी.ए. का सह-संबंध- कार्ल पियर्सन का सह-संबंध दो चरों के बीच संबंध को मापने के लिए उपयोग किया जाता हैं। सह-संबंध का मान -1 और +1 के बीच होता है। -1 का अर्थ है नकारात्मक सह-संबंध, +1 का अर्थ है सकारात्मक सह-संबंध और 0 का अर्थ है कोई संबंध नहीं। 'r' सह-संबंध का प्रतिनिधित्व करता हैं। बैंकों की लाभदायकता पर एन.पी.ए. का सह-संबंध इस प्रकार हैं।

वर्ष	शुद्ध लाभ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	शुद्ध एन.पी.ए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
2017-18	-6547.45	110854.70
2018-19	862.23	658947.40
2019-20	14488.11	51871.30
2020-21	20410.22	36809.72
2021-22	31676.55	27965.71
औसत	**12177.932**	**177289.8**

सह-संबंध **r = -0.517**

Correlations Table -1

		NNPA	NP
NNPA	Pearson Correlation	1	-0.517
	Sig. (2-tailed)		0.372
	N	5	5
NP	Pearson Correlation	-0.517	1
	Sig. (2-tailed)	0.372	
	N	5	5

वर्ष	शुद्ध लाभ एच.डी.एफ.सी. बैंक	शुद्ध एन.पी.ए. एच.डी.एफ.सी. बैंक
2017-18	17486.73	2601.02
2018-19	21078.17	3214.52
2019-20	26257.32	3542.36
2020-21	31116.53	4554.82
2021-22	36961.33	4407.68
औसत	**26580.02**	**3664.08**

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

सह–संबंध r = 0.939

Correlations Table - 2

		NNPA	NP
NNPA	Pearson Correlation	1	0.939*
	Sig. (2-tailed)		0.018
	N	5	5
NP	Pearson Correlation	0.939*	1
	Sig. (2-tailed)	0.018	
	N	5	5

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

निष्कर्ष एवं सुझाव :

1. सकल एन.पी.ए. का प्रतिशत बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख संकेतों में से एक हैं। तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि एन.पी.ए. एच.डी.एफ.सी. बैंक की तुलना में स्टेट बैंक ऑफ में अधिक हैं। जो यह बताता है कि एच.डी.एफ.सी. बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तुलना में अपने दिए गए ऋण को वापस प्राप्त करने में अच्छा प्रबंधन प्रयोग कर रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं एच.डी.एफ.सी. बैंक का शुद्ध औसत एन.पी.ए. क्रमश: 177289.80 और 3664.08 करोड़ हैं।

2. बैंक का शुद्ध लाभ बैंक की लाभ प्रदाता को दर्शाता हैं। अध्ययन से पता चलता हैं, कि एच.डी.एफ.सी. बैंक का शुद्ध लाभ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से काफी अधिक हैं, इसका मुख्य कारण एच.डी.एफ.सी. बैंक का एन.पी.ए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एन.पी.ए. से कम हैं,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए कि अपना एन.पी.ए. कम करने हेतु उचित प्रबंधन करें जिससे बैंक का शुद्ध लाभ में वृद्धि हो सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं एच.डी.एफ.सी. बैंक का 5 वर्ष का औसत शुद्ध लाभ क्रमश: 12177.93 व 26580.02 करोड़ रुपए है, दोनों के शुद्ध लाभ में तुलनात्मक रूप से काफी अंतर हैं।

3. अध्ययन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं एच.डी.एफ.सी. बैंक के नेट प्रॉफिट और नेट एन.पी.ए. के बीच का सहसंबंध स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का –0.517 है जो ऋणात्मक है, जो बताता है कि जैसे–जैसे एन.पी.ए. बढ़ता हैं वैसे वैसे शुद्ध लाभ भी कम होता हैं। एच.डी.एफ.सी. बैंक के शुद्ध लाभ एवं शुद्ध एन.पी.ए. का सहसंबंध 0.93 है जो धनात्मक हैं।

4. अध्ययन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं एच.डी.एफ.सी. बैंक के एन.पी.ए. में अंतर पाया गया अध्ययन में देखा गया कि बैंकों में एन.पी.ए. प्रति वर्ष बढ़ रहा हैं। इस हेतु बैंकों को चाहिए कि उधार कर्ताओं की सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करे एवं प्रतिभूतियों को बेचा या पट्टे पर दिया जाना चाहिए। सभी उधार कर्ताओं से निपटने के लिए SARFAESI अधिनियम 2002 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। समझौता निपटान योजना का उपयोग किया जाना चाहिए एवं उधार देते समय उधार करता की वित्तीय स्थिति का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। बैंकों को कृषि क्षेत्र में दिए गए ऋण वसूली प्रबंधन पर ध्यान रखना चाहिए। संबंधित क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में समय–समय पर दौरा करना और उधार कर्ताओं के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना चाहिए।

5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पिछले 17 सालों में पहली बार 1.02 लाख करोड़ रुपए डूब गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 2017–18 की तीसरी तिमाही में 2416 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था जो बढ़कर वित्त वर्ष 2017–18 में शुद्ध हानि 6547.45 करोड़ रुपए हो गई। इससे पहले वित्त वर्ष 2016–17 में मुनाफा हुआ था, लेकिन बैड लोन के चलते इस बार बैंक को हानि का सामना करना पडा। इस घाटे की मुख्य वजह बैंक के फंसे हुए कर्ज है, जिसमें लगातार इजाफा हो रहा हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. Bhatia `Non-Performing Assets of Indian Public, Private and Foreign Banks: An Empirical Assessment', ICFAI Journal of Bank Management, Vol. 6, No. 3, (2007), Page No- 28
2. Piyush and Goyel : NPA and its measurements of correlations of different banks and trend analysis in NPA of Indian bank international journal of management,8(6), (2017) P- No .81
3. R.Santhanakrishna and Dr Ganesan: "Non-performing assets a study of SBI .asian pacific journal of research, vol 1,No . (2017) Page No 81-88.
4. राम प्रताप सिन्हा ओनरशिप एंड एफिशिएंसी ए नॉन–रेडियल बाइलेटरल परफॉर्मेंस भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की तुलना, आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ मैनेजरियल अर्थशास्त्र, (2008),वाल्यूम 5 नं.2
5. भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी, वारी हेमल पंड्या कॉर्पोरेट प्रशासन चयनित भारतीय बैंकों की संरचना और वित्तीय प्रदर्शन, प्रबंधन जर्नल और सार्वजनिक नीति, (2011), वाल्यूम 6 नंबर. 5
6. सी., तिवारी, और शर्मा, वी. गैर–निष्पादित आस्तियों के कारणों पर एक अध्ययन पुणे में चयनित वाणिज्यिक बैंक, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च में कम्प्यूटर साइंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज, वाल्यूम 3 नंबर. 2, (2015) पेज नं. 255
7. वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 से 2021–22 एच.डी.एफ.सी. बैंक व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
8. www.hdfcbank.com
9. www.sbi.co.in
10. www.moneycontrol.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

विश्लेषणात्मक अध्ययन

वर्ष	कुल अग्रिम		शुद्ध लाभ		सकल एन.पी.ए.		शुद्ध एन.पी.ए.	
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	एच.डी.एफ.सी. बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	एच.डी.एफ. सी. बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	एच.डी.एफ. सी. बैंक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	एच.डी.एफ. सी. बैंक
2017-18	1934880.19	658333.09	6547.45	17486.73	223427.46	8606.97	110854.70	2601.02
2018-19	2185876.92	819401.22	862.23	21078.17	172753.60	11224.16	658947.40	3214.52
2019-20	2325289.56	993702.88	14488.11	26257.32	149091.85	12649.97	51871.30	3542.36
2020-21	2449497.65	1132837.48	20410.22	31116.53	126389.02	15086.00	36809.72	4554.82
2021-22	2733966.58	1368821.23	31676.55	36961.33	112023.37	16140.96	27965.71	4407.68
कुल योग	**11629510.90**	**4973095.90**	**60889.66**	**132900.08**	**783685.30**	**63708.06**	**886448.83**	**18320.40**

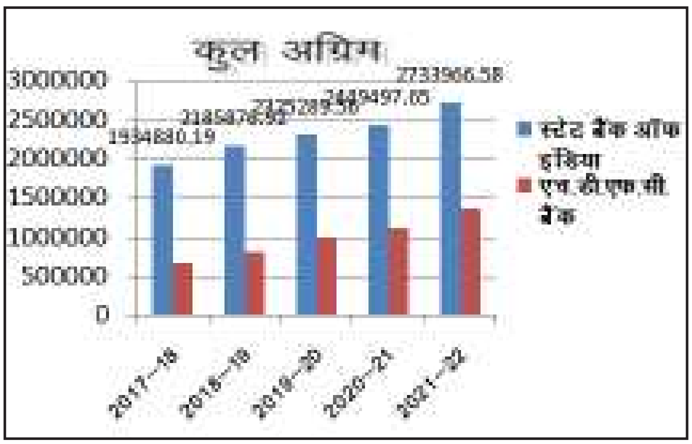

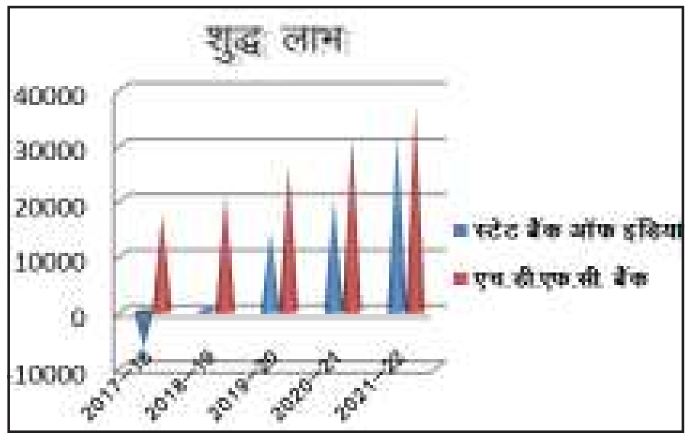

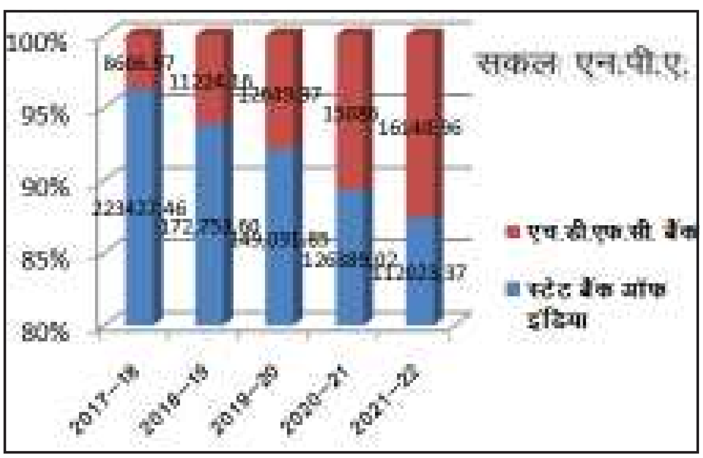

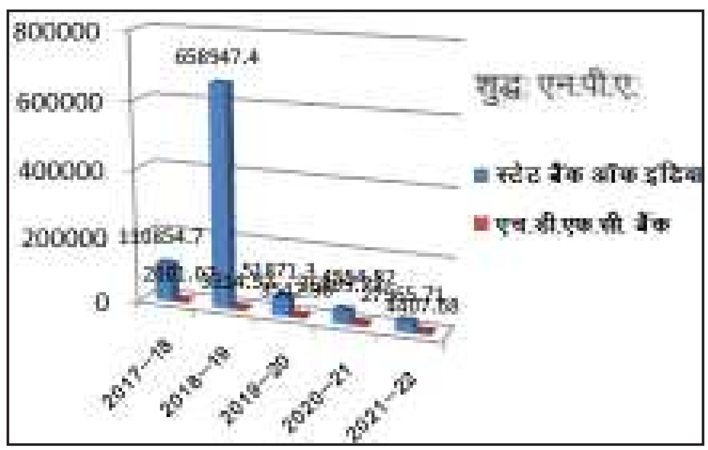

****

Price Affects Demand: Special Reference 'Oil, Wheat & Gas'- A Macro Analysis

Dr. Ruchi Rathore*

***Asst. Professor (Economics) Govt. PG College, Rehli, Sagar (M.P.) INDIA**

Abstract - The Price of ability does not depend on merit but on supply and demand-George Bernard Shaw.

This is the law of Demand that if the price goes up, the demand goes down. Price and demand are having inverse relation. If the price of any commodity is increasing the demand of that commodity will decrease itself this is the law of demand. This research paper is an attempt to find out when the price of some particular things like oil & gas increase, what will be the condition of demand. Will we search other option in place of these commodities or we will less the use of these commodities.

Keywords- Introduction, Objective of the study, Research Methodology, Relation between price and demand, Price not depend on merit, but on supply and demand, impact of this economy elasticity of demand and other substation findings & Conclusion.

Introduction - Price is the main component in determination demand. Demand also plays an important role in determination of price. Price and demand are having inverse relation. Price high demand will be less, price low demand will be high. This is the condition of normal time. When any war takes place or there is the possibilities of any war at that time this theory will not be suitable on that time. When the war between Russia & Ukraine is going on, the price is increasing not only in their country but in other's country too. At this unstable time price of many commodities are increasing, despite of increasing price, demand is increasing. Because it is the condition of during war. People are afraid that in future price will increase father. So due to this fear they want to store the commodity as much as they can. They start to tray other alternative in place of that commodity. The conflict is a major blow the global economy that will port growth and raise prices. Beyond the suffering and humanitarian crisis from Russia's invasion of Ukraine, the entire global economy will feel the effects of stowed growth and faster inflation.

Objective of this study:

1. To find out what is the impact of price on demand.
2. To find out what is the elasticity of demand zero, infinity, elastic, unit elastic and inelastic.

Research Methodology: For this research paper researcher uses secondary dat. The secondary data are collected from different sources such as newspaper, magazine and different website.

Relation between Price & Demand: Relation between price & demand there is inverse relation between demand and price. When price carve high, demand curve will be down and on the contrary. The low of demand expresses the quantity demanded of a commodity and its prices. 'Gaffed Marshall' has defined it as.

"If other things remain the same, the amount demanded increases with a fall in diminishes with a rise in price."

So we can say that if other things remain the same people buy less of a particular product if the price increases.

There are three words that are desire, want and demand, at first glance all they look the same, but there is some main or deference among these words. Only expression of desire has no effect on economic activity.

Because we know that desire in themselves do not provide goods and services to a person. A desire becomes a want only when we have labor, time and money to achieve it. While the demand for anything at a given price is that amount of it which will be bought per unit of time. These are the basic concept of desire, want and demand. As it is dared that low of demand is qualitative statement not a quantitative statement. "We must mean by the word demand the quantity demanded and remember that this is not a fixed quantity but in general varies according to value." J.S. Mill

(i) Type of demand- There are three types of Demand-

(a) Income demand- D=f (Y)
(b) Price demand- D=f (F)
(c) Cross demand - D= f (E)

In this research paper- we will they see one type of demand is effective due to present event that is price

demand. This type of demand is totally depend on price- D=f (P)

(ii) Assumption of this theory:

a. Incomes of the consumers do not change.
b. Tastes and preferences of the consumers remain constant.
c. Price of the related goods does not change.
d. Behavior of consumers remains constant.

These are the main and important assumptions of law of demand. All these are totally relevant with present event.

Price not depends on Merit, but on supply demand: It is cleared that price of any commodity don't depends on merit and demerit it depends on the demand and supply of that commodity. Present condition (Russia & Ukraine war) is the main reason of increasing price of Oil & Gas crude oil prices are increasing in view of Ukraine crisis. If we don't get the solution of this problem soon it will leave very negative impact on our economy. Because we import 85 percent of crude oil from our total requirements. It is a biggest thing of our problem. On the one side people are warring for about the price, and other side government is worried but to the turmoil in economy.

Oil Prices and inflation: Now it will be the question of many people that when the prices of crude oil increases, why the prices of other commodity will increase. There are some facts being it.

Crude oil is a major economic input, 80 a rise in oil prices initially raises inflation. Due to rise in crude oil, the expenditure of delivery and transport will increase itself

Due to higher price of crude oil, the price of chemical fertilizers will increase. It is lead inflation in food market too.

A rise in crude oil prices initially raises Pam oil prices. Due to this increment the prices of soap, oil, shampoo, and chocolate cosmetic product will increase itself.

So we can say that there is a stronger correlation between inflation & oil prices.

Impact of this instability on Indian Economy: Russia supplies to the whole world 10 to 25% of oil, gas and coal. Its coercion affected many countries including Europe. Chas atmosphere is hurting consumers. This inability is leaving very negative impact on many like import bill, revenue, Rupee, and inflation.

(a) Import bill: An increase in the price of oil by $1 per barrel would increase the oil-import bill by $2 billion. The continued rise in crude oil's prices will increase India's import bill which will increase the trade deficit as well as current deficit.

(b) Revenue: If government reduce excise duty on diesel, it will lead a great loss of government. A reduction of Rs. 1 in excise duty on diesel will result in a loss of 14000 cores to the government. It will be the huge loss of government.

(c) Inflation: Due to this condition inflation is also increasing. This instability is the biggest cause of inflation. Increasing the price of Oil by $1 per barrel will lead to a rise of 0.13 percent in wholesale prices. If RBI hikes interest rate to curb inflation, it will not have good impact on the recovery of the economy.

(d) Rupee: Due to the continuing depreciation of the rupee, the prices of imported goods will increase. Whenever rupee is depreciated, the prices of imported goods will be increased itself. On the global level the price of crude oil is increasing, in the wake of this increment deficit of trade and current account will be increased itself. In the comparison of Dollar there will be depreciation in rupee.

All these are the examples of instability. All these will leave negative impact on our economy.

Elasticity of demand and other substitution: We know this thing that there are five types of elasticity of demand. These areas-

1. Perfectly elastic
2. Perfectly inelastic
3. Elastic
4. Inelastic
5. Unitary

Talk about present scenario due to war (Russia & Ukraine) price of many things are increasing. When price increase the demand of that particular will also increase. But the question is this in which proportion. Changes in price and changes in demand if both are same the is unitary demand. Changes in price lead more changes in demand then it is more elastic demand. If changes in price lead less changes in demand. Then it is inelastic demand. Perfectly elastic demand is that demand, when price is same and demand is increasing and decreasing. It is imaginary condition. In real life we are not getting such type of condition. Perfect inelastic demand is that kind of demand when demand is stable and consent on the changing price. When we talk about present time or present condition, price is increasing but the demand of that particular thing is not decreasing the same proportion. It is inelastic demand. In this type of demand there is less change in demand. Once we start the use of any commodity or thing we become habitual of that thing. As soon as the price of that thing increases. We start reducing of that thing increases. We start reducing of that thing, or we try other alternative in place of that thing

Findings & Conclusion: Research panels that due to this instability. The price of things is increasing and this is not a good sign of the economic health of any nation. According to the United Nations food and agriculture Organization index, the value of food in the world is unexpectedly increased. Due to Ukraine war the supply of grain and oil is very difficult. Russia and Ukraine account for 30% and 20% of the world's wheat and maize exports. Many countries import these things from this country. So due to this war the price of their commodities are increasing. That is not a good sign of economic health of any nation. In such a situation where the common people are worried about a huge increase in the prices of petrol, diesel and again, on

the other hand the government is worried about the serious setbacks in the economy.

References:-

1. The Economic Times, January 25, 2022
2. The Economic Survey of India, Dec. 22, 2021
3. https://www.investopedia.com>terms
4. Bhaskar Daink, March 13, 2022
5. Bhaskar Daink, March 26, 2022
6. Times of india.indiatimes.com
7. www.businesstoday.in
8. Central chronicle, March 24, 2022

****

The Concept and Significance of Investment Management

Priyanka Batwal* Dr. Keshav Mani Sharma**

*Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA
** Professor, Govt. Madhav Arts and Commerce College, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract - This research is done for the purpose of understanding the concept of investment management and its significance or importance for general population. The purpose of study to reveal the perception of people regarding safe mode and risk mode investment and their investment needs. Through this analysis, researcher is trying to explore the ratio of income and investment, preferences in investment and returns on different mode of investment.
Keywords– Investment, Women, Return, Working, Management, Diversification, Savings, Income.

Introduction - In the present age of economic uncertainty, investment is very important aspect for financial security. Investment can be defined as the process of generating benefit in the future through committing resources such as money, time, or effort, in the expectation of receiving some form of return or benefit in the future. In finance, investment usually refers to the purchase of financial assets such as stocks, bonds, mutual funds, or real estate with the goal of generating income, appreciation, or both over a certain period.

Investment can be done for a variety of purposes, including building wealth, generating passive income, saving for retirement, funding education, or achieving other financial goals. Investors typically seek to maximize their returns while minimizing their risks by diversifying their portfolios, analysing market trends, and conducting thorough research on potential investments.

Investment is important because it can help individuals and institutions to achieve their financial objectives, build wealth, and secure their financial futures. However, it is important to note that investing always carries some degree of risk, and investors should carefully consider their financial situation and investment objectives before making any investment decisions.

There are many different types of investments, each with its own set of characteristics, risks, and potential rewards. Here are some of the most common types of investments are Stokes, Bonds, Mutual Funds, ETF, Real estate, Commodities, and Alternative investment. Stocks represent ownership in a company and offer the potential for capital appreciation and dividend income. Bonds are debt securities issued by companies or governments, offering a fixed rate of interest and return of principal at maturity. Mutual funds are investment vehicles that pool money from many investors to buy a diversified portfolio of stocks, bonds, or other assets. ETFs are like mutual funds but trade like stocks on an exchange, offering investors the ability to buy or sell shares throughout the day. Real estate can be purchased as an investment property, offering the potential for rental income and capital appreciation. Commodities are physical goods such as gold, oil, or agricultural products that can be traded on commodity markets. Alternative investments include assets such as hedge funds, private equity, venture capital, and real estate investment trusts (REITs).

These are just a few examples of the many types of investments available. Each type of investment has its own unique characteristics and risks, and investors should carefully consider their investment objectives, risk tolerance, and financial situation before making any investment decisions.

Objective of the study:

1. To understand the concept on Investment Management.
2. To understand the Importance or Significance of Investment Management.
3. To study the concept of Safe mode investment and Risk mode investment in investment plans.
4. To understand different investment needs.
5. To study the Ratio of investment with other expenses out of total income.

Research Methodology: For the purpose of research 75 responses are collected based on random samplingwith the help of google questionnaire, the statistical tool used to analyse the data collected is IBM SPSS statistical data editor. The tests applied in SPSS in descriptive statistics is chi-square test for the cross analysis of annual income with types of investment& percentage investment for exploring

the ratio of income and investments and percentage of investment with return on investment for and types of investment, frequency analysis for the systematic presentation of data.

Analysis and Interpretation: The questionnaire has different questions related with the occupation, income, investment, mode of investment, type of investment, and whether they take risk in making investment or not. All the responses are further complied in excel sheet and then data is transferred to SPSS for further analysis where descriptive frequency analysis and chi square test is applied on the data and the results are presented with the help of tables and graphs.

- Following table represents the percentage of respondents engaged in different occupations –

Chart 1: Occupation of Respondent

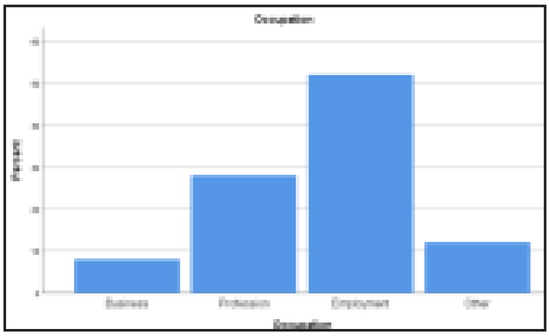

Source – Primary Questionnaire Data, SPSS Software

The data is collected on random sampling basis, out of total 75 respondents, 8% of Respondents have income from business, 28% of respondent have professional Income, 52% of respondents have income from employment and rest which is 12% have other sources of income. showing that most of the respondents worked under employment occupation.

- Following table represents the Annual Income of Respondents -

Chart 2: Annual Income of Respondents

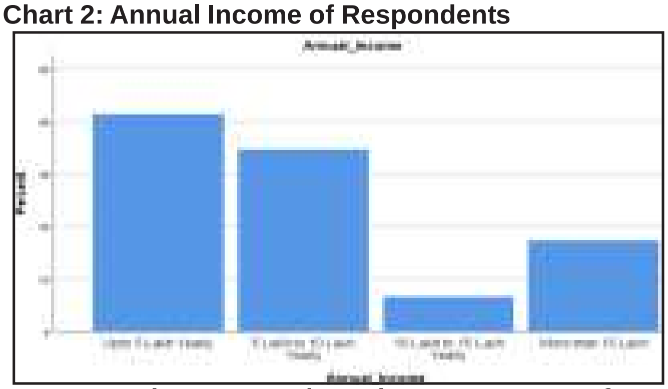

Source – Primary Questionnaire Data, SPSS Software

Chart 2 represent the data related with the annual income of the respondents which is divided in 4 categories, out of 75 respondents, 41.3% having income up to 5 lakh rupees annually, 34.7% respondents having income between 5 lakh to 10 lakh annually, 6.7% respondents having income between 10 lakh to 15 lakh annually, 17.3% having income more than 15 lakh. Research depicting that most of the respondents having income up to 5 lakh rupees annually.

- Following table represents the type of Income of respondents –

Chart 3: Type of Income of Respondents

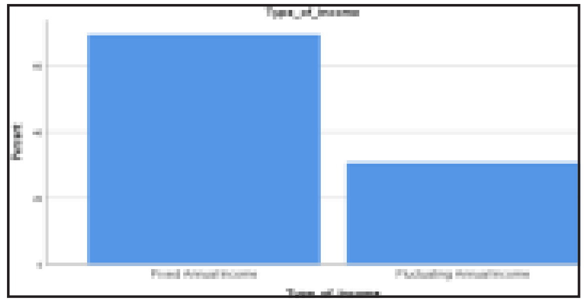

Source – Primary Questionnaire Data, SPSS Software

Chart 3 showing data related with type of Income of respondents, out of 75 respondents, 69.3% respondents having fixed annual income and 30.7% respondents having fluctuating annual income that changes in income depends upon many factors.

- Following table represents the statistics of other source of income of the respondents –

Chart 4: Other Source of Income

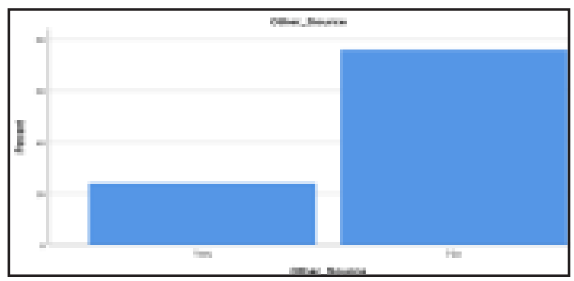

Source – Primary Questionnaire Data, SPSS Software

Chart 4 shows weather the respondents have multiple sources of income or not. Out of 75 respondents, 24% day Yes they have other source of Income and 76% said No they only have single source of Income.

- Following table represents the percentage of respondents having earning spouse –

Chart 5: Earning Spouse of Respondents

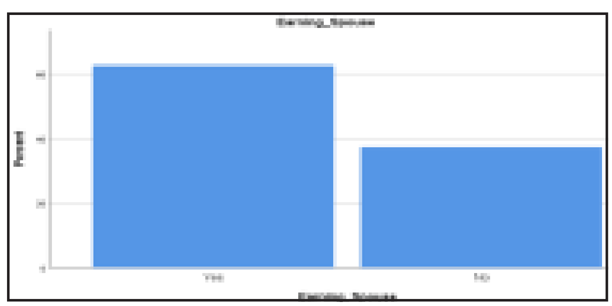

Source – Primary Questionnaire Data, SPSS Software

Chart 5 shows the data regarding the question that whether the spouses of the respondents works or not and 62.7%

respondents say Yes and 37.3% Respondent said No out of 75 responses.

- Following table represents the percentage of investment made by the respondents out of their income –

Chart 6: Percentage of Investment by Respondents

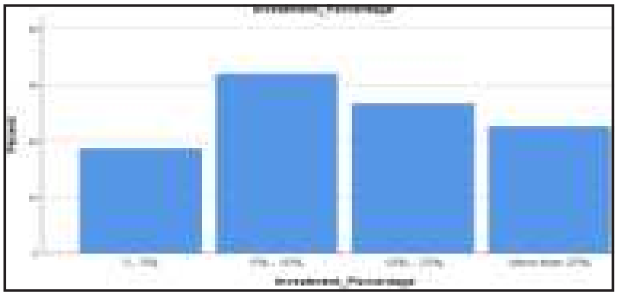

Source – Primary Questionnaire Data, SPSS Software

Chart 6 representing the percentage of investment made by the respondents out of their income 18.7% respondent invest up to 5% of their income, 32% respondent invest 5-10% of their income, 26.7% respondents invest 10-20% of their income and 22.7% respondents invest more than 20% of their income annually. Shows that most of the respondents invest less amount of income annually.

- Following table represents the statistics of type of investment preferred by respondents –

Chart 7: Types of Investment Preferred by Respondents

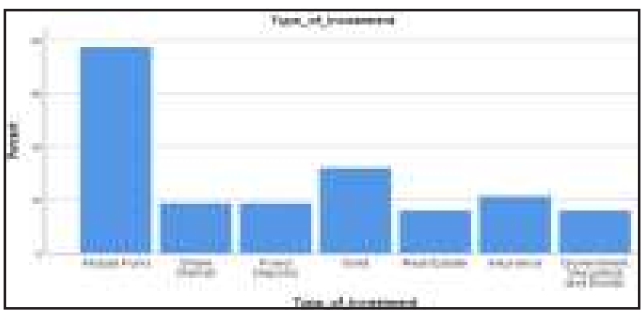

Source – Primary Questionnaire Data, SPSS Software

Chart 7 shows which type of investment is preferred by the respondents maximum 38.7% respondents invest in mutual funds, 16% respondents prefer gold as investment, 10.7% respondents believe in investing in insurance, equal response of 9.3% is for share market and fixed deposits, and again equal response of 8% for real estate and government securities and bonds.

- Following table represents the percentage of preferred method of payment of investment by the respondents –

Chart 8: Payment Method Preferred by Respondents

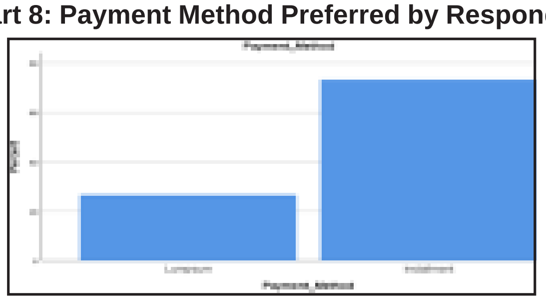

Source – Primary Questionnaire Data, SPSS Software

Chart 8 represent the choice of method of payment, 26.7% respondents referred lumpsum payment method and most of the respondents preferred Instalment method of payment which is 73.3%.

- Following table represents the percentage of preferred mode of investment of respondents –

Chart 9: Mode of Investment

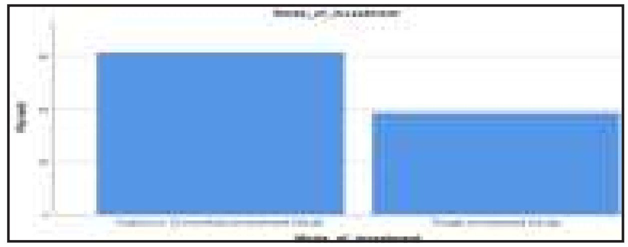

Source – Primary Questionnaire Data, SPSS Software

Chart 9 shows the data of mode of investment preferred by respondents, out of 75 respondents maximum 61.3% respondents chose hybrid or diversified mode of investment and 38.7% respondents chose single investment mode.

- Following table represents the percentage of return on investment received by respondents on their investment –

Chart 10: Return on Investment

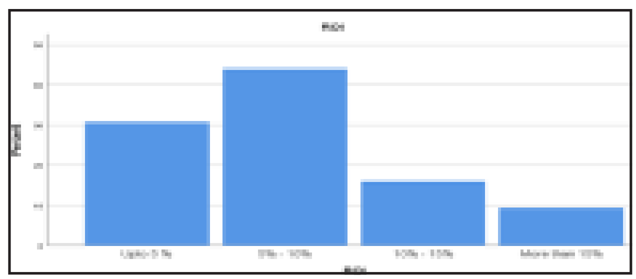

Source – Primary Questionnaire Data, SPSS Software

Chart 10 shows the percentage of return on investment received by the investors annually. 44% respondents receive return from 5-10% on investment made by them annually, 30.7% respondents receive up to 5% return on their investment annually, 16% respondents receive 10-15% of return on their investment annually and last 9.3% of respondents receive more than 15% of return on their investment.

- Following table represents the percentage of income spend on entertainment –

Chart 11: Income Spend on Entertainment

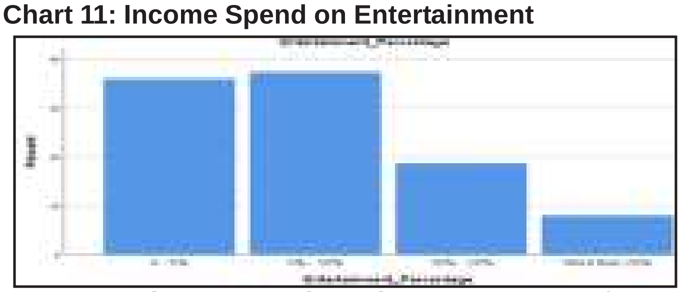

Source – Primary Questionnaire Data, SPSS Software

Chart 11 represent the data of expenditure made by the

respondents on their entertainment 37.3% respondents spend 5-10% of their income on entertainment, 36% respondents spend less than 5% of their income on entertainment, 18.7% of the respondents spend 10-20% of their income on entertainment and last 8% respondents spend max which is more than 20% of their income on entertainment.

- Following table represents the percentage of income spend on essentials –

Chart 12: Income Spend on Essentials

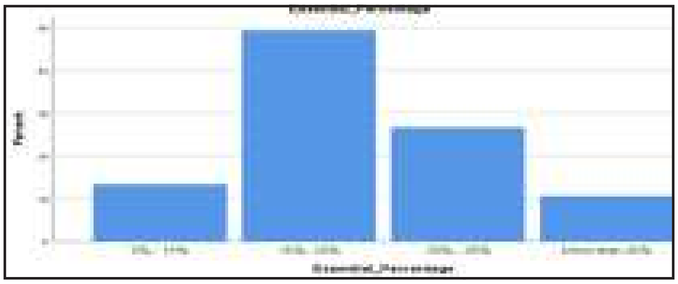

Source – Primary Questionnaire Data, SPSS Software

Chart 12 shows the data related to percentage of income spend on essentials, 49.3% of the respondents spend 15-30% portion of their income on essentials, 26.7% spend 30-45% of their income on essential, 13.3% of respondents spend 0-15% portion of their income on essentials and last 10.7% respondents spend maximum which is more than 45% on essentials.

- Following table represents the risk-taking percentage –

Chart 13: Risk in Investment

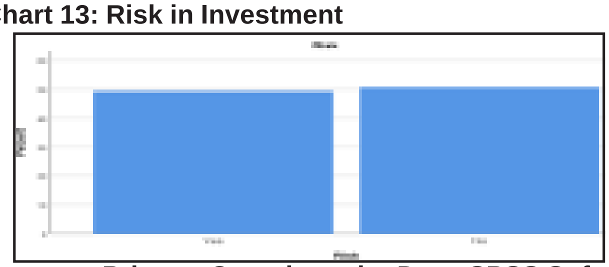

Source – Primary Questionnaire Data, SPSS Software

Chart 13 represent data about the risk-taking factor among the respondents and the data showing almost 50-50 response, 50.7% respondents does not believe in taking risk while investing and 49.3% respondents believes in taking risk while investment so here, we can say that this 49.3% know that no risk no gain, more risk more gain philosophy.

- Following table represents the percentage of ratio of investment made by respondents –

Chart 14: Ratio of Investment

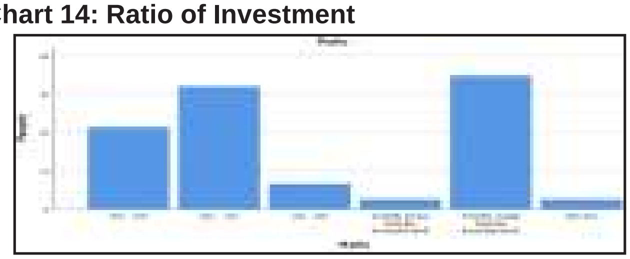

Source – Primary Questionnaire Data, SPSS Software

The ratio between risk and safe investment shows the risk-taking capacity of the respondents very few that is 2.7% respondents believes in 100% risk mode investment and equal respondent prefer 60:40 ratio of mode of investment, 6.7% respondents prefer 20:80 ratio of safe and risk mode investment, 21.3% respondents chose 50:50 ratio of mode on investment of safe and risk investment, 32% respondents prefer 80:20 ratio of safe and risk mode of investment and last 34.7% of maximum responses opted for 100% safe mode of investment.

- **AnnualIncome and TypeofInvestment:** Few parameters are interrelated with each other to analyse whether the put impact on each other or not, I have put chi square test on the parameters and prepared a cross table with the help of SPSS software, table 4.1 shows the relation between annual income and type of investment selected by the respondents, if the significance value of Pearson's Chi Square is more than the commonly accepted value of .05 or .01 then we will say there is no relation between Annual Income and type of Investment of respondents and if less than we will say there is relation between annual income and type of investment selected.

Table 1: Cross Table of Annual Income and Type of Investment

Crosstab

Count

	Type of Investment							
Annual Income	Mutual Fund	Share Market	Fixed Deposit	Gold	Real Estate	Insurance	Government Securities and Bonds	Total
Upto 5 Lakh Yearly	13	3	2	11	0	0	2	31
5 Lakh to 10 Lakh Yearly	11	1	3	1	0	7	3	26
10 Lakh to 15 Lakh Yearly	1	0	1	0	2	1	0	5
More than 15 Lakh	4	3	1	0	4	0	1	13
Total	29	7	7	12	6	8	6	75

Source – SPSS Software, Primary Data from Questionnaire

Table 2: Chi-Square Test

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	50.298[a]	18	.000
Likelihood Ratio	53.116	18	.000
Linear-by-Linear Association	.745	1	.388
N of Valid Cases	75		

a. 25 cells (89.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.

Source – SPSS Software, Primary Data from Questionnaire

The P value of .000 is less than the commonly accepted level of either .05 or .01. So, we can say that there is relation between annual income and type of investment selected by respondent.

- **AnnualIncome and Investment Percentage:** The second cross analysis is between annual income and percentage of investment made by the respondents out of their total income.

Table 3: Cross Table of Annual Income and Investment Percentage

Crosstab						
Count						
		InvestmentPercentage				Total
		0 - 5%	5% - 10%	10% - 20%	More than 20%	
Annual Income	Upto 5 Lakh Yearly	11	12	5	3	31
	5 Lakh to 10 Lakh Yearly	3	9	10	4	26
	10 Lakh to 15 Lakh Yearly	0	1	2	2	5
	More than 15 Lakh	0	2	3	8	13
	Total	14	24	20	17	75

Source – SPSS Software, Primary Data from Questionnaire

Table 4: Chi-Square Test

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	25.891[a]	9	.002
Likelihood Ratio	26.455	9	.002
Linear-by-Linear Association	20.182	1	.000
N of Valid Cases	75		

a. 9 cells (56.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .93.

Source – SPSS Software, Primary Data from Questionnaire

The P value of .002 is less than the commonly accepted level of either .05 or .01. So, we can say that there is relation between annual income and percentage of investment made by respondent out of their income.

- **AnnualIncome and EntertainmentPercentage**

The third cross table represent the relation between annual income and the percentage of income spend for the entertainment purpose.

Table 5: Cross Table of Annual Income and Entertainment Percentage

Crosstab					
Count					
Annual Income	Entertainment Percentage				Total
	0 - 5%	5% - 10%	10% - 20%	More than 20%	
Upto 5 Lakh Yearly	13	10	7	1	31
5 Lakh to 10 Lakh Yearly	8	12	5	1	26
10 Lakh to 15 Lakh Yearly	1	2	1	1	5
More than 15 Lakh	5	4	1	3	13
Total	27	28	14	6	75

Source – SPSS Software, Primary Data from Questionnaire

Table 6:Chi-Square Test

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	8.934[a]	9	.443
Likelihood Ratio	8.074	9	.527
Linear-by-Linear Association	1.294	1	.255
N of Valid Cases	75		

a. 11 cells (68.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.

Source – SPSS Software, Primary Data from Questionnaire

The P value of .443 is much higher than the commonly accepted level of either .05 or .01. So, we can say that there is no relation between annual income and percentage of annual income spend on entertainment by the respondents.

- **AnnualIncome and EssentialPercentage:** The fourth cross table shows the relation between annual income of the respondent and the percentage of income spend on buying essential.

Table 7: Cross Table of Annual Income and Essential Percentage

Crosstab					
Count					
Annual Income	Essentail Percentage				Total
	0 - 15%	15% - 30%	30% - 45%	More than 45%	
Upto 5 Lakh Yearly	4	17	8	2	31
5 Lakh to 10 Lakh Yearly	3	11	7	5	26
10 Lakh to 15 Lakh Yearly	1	2	2	0	5
More than 15 Lakh	2	7	3	1	13
Total	10	37	20	8	75

Source – SPSS Software, Primary Data from Questionnaire

Table 8: Chi-Square Test Table

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	4.218[a]	9	.896
Likelihood Ratio	4.450	9	.879
Linear-by-Linear Association	.016	1	.900
N of Valid Cases	75		

a. 11 cells (68.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .53.

Source – SPSS Software, Primary Data from Questionnaire

The P value of .896 is much higher than the commonly accepted level of either .05 or .01. So, we can say that there is no relation between annual income and percentage of annual income spend on buying essentials by respondent.

- **Investment Percentage and Risk:** The fifth cross table shows the relation between percentage of investment made by them and the risk-taking capacity.

Table 9: Cross Table of Investment Percentage and Risk Factor

Crosstabulation

Count				
		Risk		Total
		Yes	No	
Investment Percentage	0 - 5%	8	6	14
	5% - 10%	10	14	24
	10% - 20%	10	10	20
	More than 20%	9	8	17
	Total	37	38	75

Source – SPSS Software, Primary Data from Questionnaire

Table 10: Chi-Square

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	.998[a]	3	.802
Likelihood Ratio	1.002	3	.801
Linear-by-Linear Association	.003	1	.953
N of Valid Cases	75		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.91.

Source – SPSS Software, Primary Data from Questionnaire

The P value of .802 is much higher than the commonly accepted level of either .05 or .01. So, we can say that there is no relation between percentage of investment and risk-taking capacity of respondents.

Conclusion: There are some key factors to consider when deciding whether to invest in safe mode or risk mode. These include investment goals, personal risk tolerance, and investment timeline. If investment is for a short-term goal such as a down payment on a home, safe mode investing may be the best option to ensure that money is not at risk. However, if investment is for retirement or a long-term financial goal, risk mode investing may be a better option to maximize potential returns over time. Ultimately, the decision to invest in safe mode or risk mode will depend on individual financial situation and goals. It is important to carefully consider the risks and rewards of each investment strategy.

At the end by reviewing the data and analysis we have found that people are more likely to invest in mutual fund and in gold as compare to the other options available, the people up to 5 lakh annual income investment maximum 5% of their income and the trend shows as the income increases people investment higher portion of their income, when it comes to spend on entertainment and essential required for the survival is not related with the income of the person this depicting the factor that now a days people are more concern about the comfort rather than savings.

Study suggests that there is need to spread the awareness of investment among people and to teach them the benefits of diversified investment portfolios, the factor of risk is also a point to be discussed because risk also affects the decision of investment.

References:-

1. Brown, A. (2020). The impact of interest rates on investments. Journal of Financial Economics, 22(3), 45-59.
2. Johnson, R. (2022, January 1). How to invest in stocks. Investopedia. https://www.investopedia.com/how-to-invest-in-stocks-4587529.
3. Jones, B. (2018). Investment trends in emerging markets. World Bank.
4. Wang, S. (2021, March 20). The impact of geopolitical risks on international investments. In M. Lee (Ed.), Proceedings of the International Conference on Finance and Economics (pp. 123-135). Springer.
5. Graham, B., & Dodd, D. (2008). Security Analysis. McGraw-Hill.
6. Sharpe, W. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425-442.
7. Smith, J. (2019). Investing 101. Random House.
8. Investor.gov. (2022, March 30). Beginner's Guide to Investing. https://www.investor.gov/introduction-investing/beginners-guide-to-investing.
9. Black, F., & Scholes, M. (1973, May 1). The pricing of options and corporate liabilities. In J. MacBeth & M. Powers (Eds.), Proceedings of the 1972 meetings of the Business and Economics Statistics Section (pp. 637-659). American Statistical Association.
10. Article on Investment Planning in Economics Times on 12 March 2019.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

बैतूल जिले का आदिवासी समाज-भाषा, साहित्य, संस्कृति

डॉ. कु सपना*

* वन विद्यालय परिसर, बैतूल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना -बैतूल जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण पश्चिम में 20अक्षांश एवं 77 देशांतर पर स्थित है।कालान्तर में बदनूर के नाम से पहचाने जाने वाला यह भाग पूर्णत: वनों से आच्छादित है। ऊंची-ऊंची पहाड़ियों से घिरे इस जिले की आठ तहसीलों में से तीन तहसीलें पूर्णत: आदिवासी बाहुल्य जनसँख्या वाली हैं, इनमें रहने वाले सरल स्वभाव व आधुनिकता से दूर रहने वाले ये वनवासी अपनी संस्कृति से आज भी जुड़े हुए हैं।जिले में इनके जनसँख्या लगभग 5.5 लाख है।प्रस्तुत शोध पत्र प्रकृति से जुड़े हमारी इन्हीं धरोहर के जीवन स्तर, इनकी बोली, व वर्तमान में सुधार की क्या क्या संभावनाएं हैं पर आधारित है।

संस्कृति- भारत में संस्कृतियों में अनेक विभिन्नताएं देखने मिलती हैं। देश की चारों दिशाओं से बाहरी संस्कृतियों ने समय समय पर आक्रमण किये, यहाँ की मूल संस्कृति को नुकसान पहुँचाया परंतु, आदिवासी संस्कृति ने अपना मूल स्वरुप नहीं खोया और आज भी वे इसे संजोये हुए हैं।सुदूर जंगलों में निवासरत रहते हुए प्रकृति से संतुलन बनाये हुए हैं और उसमें समाहित होते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं।चाहे आर्थिक हो,सामाजिक हो स्वास्थ्य से सम्बंधित हो ये न केवल अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं वरन जीवित हैं पर्यावरण को बचाए हुए हैं। बैतूल जिला मध्यप्रदेश का एक ऐसा ही जिला है जहाँ मुख्यत: गोंड, कोरकू कौल आदिवासियों की संख्या अधिक है।

गोंड शब्द तेलगू भाषा के गोंडा या गोंड से आया है जिसका अर्थ पर्वत होता है। गोंड जनजाति में मुख्यत: दो उपजातियां हैं:

1. राज गोंड
2. धूर गोंड

राज गोंड संपन्न होते हैं जबकि धूर गोंड आर्थिक रूप से पिछड़े व मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं।

भाषा- गोंडी भाषा को गोंडी लिपि में बलाघाट जिले के भाव सिंह मसराम ने वर्ष 1957 में प्रकाशित किया था जिसको व्यापक समर्थन भी मिला।स्थानीय स्तर पर उन्हें सीखने सिखाने के प्रयास भी जारी हैं।गोंडी भाषा का एक उदाहरण प्रस्तुत है -

कोयटायण खण्डाक ता नालूंग भीड़ीना नालूंख ग कोर।कोयमूरी द्वीप ता खण्डागे उम्मो गुटटा येरगुटटा कोर।सयमालगुटटा अयफोका गुटटा नालूं भीडी नांल्परोर।।डंगूर मटटांग ढोडांग वलीतार कोडापरो आसी सवार।लिंगो बाबा नीवा जयजोहार जयजोहार जयजोहार।।

गोंडी प्राय: देवनागरी तथा तेलुगु लिपियों में लिखी जाती है। नमस्ते को वडक्कम वड्क्कम ; गुरु की जय सेवा सेवा , नना बैतूल नाटोर आंदान (मैं बैतूल गाँव में रहता हूँ ,नीमा बातांग किन्तोंग आप क्या कर रहे हैं ? ईगा वडा इधर आओ जैसे सरल शब्दों से संपर्क स्थापित करते हैं पहनावे के नाम पर एक छोटी से धोतीनुमा कपडा शरीर पर होता है इनके अपने इष्ट हैं जिन्हें इनके गोत्र के आधार पर माना जाता है।कोई छह देवता मानते हैं कोई सात।जंगलों में अनेक स्थानों में इनकी काष्ठ (लकड़ी) अथवा आयरन से बनी मूर्तियाँ स्थापित होती हैं। वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान व दीपावली होली के समय इनकी पूजा बड़ी श्रद्धा व उत्साह से की जाती है।मुख्यरूप से त्योहारों के समय मेले के आयोजन में इनकी उपस्थित अधिकतम रहती है। सामन्यत: ढोल नगाड़ों के साथ अपने रंग बिरंगे परिधानों में नृत्य करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय चूँकि खेती करना है इसलिए वर्ष भर गन्ना, गेहूं, मक्का, कोदो कुटकी आदि की खेती करते हैं।मांसाहार के अतिरिक्त वनस्पतियों का सेवन दिनचर्या का माध्यम है।पालतू पशुओं का पालन कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं इसके बावजूद अनेक कमियों के कारण बीमारियों से ये जूझते रहते हैं। इलाज ये गाँव में रहने वाले भगत,बैगा आदि से करवाते हैं जो जोखिम भरा होता है और अनेक बार यह मृत्यु का कारण भी बन जाता है।शरीरपर गोदना गुदवाना प्रचलित है। इनका मानना है की भूत प्रेतों से यह बचाव करता है सम्पूर्ण शरीर अथवा कुछ हिस्सों पर यह गुदवाया जाता है।आदिवासी समुदाय मुख्यत: गोंड समुदाय में मोर, शाकंत,पट्टी, बिछिया, मख्खी के चिन्ह गुदे रहते है कुछ जातियों में चेहरे पर भी गुदना गुदवाया जाता है।प्राकृतिक फूलों का गजरा महिलाओं की साज सज्जा का एक अंग है।जेवरों में चांदी,कासा,पीतल गिल्लेट तथा ताम्बें में बने जेवर इन्हें पसंद हैं जिनमें करधनी कडा झुमकी पायल मुख्य हैं। कौड़ी से बने जेवर भी तीज त्योहारों में पहने जाते हैं।गर्मियों में महुआ बीन कर इसकी शराब बनाना व इसका सेवन आम है।अपने घरों को मिटटी से बनाकर उनकी दीवारों में मनोरम चित्रकारी की जाती है गोबर चूना मिटटी से घर को लीपकर उसपर चित्रकारी करते हैं। इनमें एक पिंड में विवाह वर्जित है इनके समुदायों में पशु पक्षियों का संरक्षण करने की सहज रीतियों प्रचलित हैं।मुर्गी पालन का व्यवसाय सीमित क्षेत्र में व कम आमदानी पर कर लिया करते हैं।

सामान्यत: इनका जीवन आभावों के साथ होता हैं।सुदूर स्थानों पर स्वास्थ्य की सुविधा का आभाव होने के कारण सामान्य जीवन जीने की जद्दो जहद में लगे रहते हैं।शासकीय सुविधाएं पहुँचती हैं, इसके बावजूद मृत्यु दर वर्तमान में भी अधिक है जिसपर संजीदगी से ध्यान देना होगा अन्यथा एक संस्कृति को बचा पाना मुश्किल होगा। एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुए की बैतूल के आदिवासी समुदाय में सिकिल सेल एनीमिया जैसी बीमारी का प्रकोप अधिक है। हाँलांकि यह अनुवांशिकता से जुडी समस्या है परन्तु इस दिशा में शोध की आवश्यकता है अनेक पौष्टिक पदार्थों की कमीं भी

इनके भोजन में देखी गई है।चूँकि सुदूर जंगल में इन पौष्टिक पदार्थ युक्त भोजन का अभाव होता है इसलिए ये भी आवश्यक है की इन्हें उक्त भोजन उपलब्ध कराया जाये अथवा इन्हें उपयुक्त अनाजों के उत्पादन की नई तकनिकी से अवगत कराया जाए।

सामान्यत: जिले अथवा तहसील के अस्पतालों में ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें इन कमियों के कारण अनेक बीमारियों से जूझना पड़ता है। कुपोषण जैसी परिस्थितयों के लिए NRC केंद्र की स्थापना एक अच्छा कदम है फिर भी एक प्रयास की आवश्यकता है जिसमें व्यक्तिगत संपर्क हो व समस्या का निदान उनके गाँव कस्बों आदि पर उपलब्ध हो जाये। पीने के पानी की शुद्धता की कमी भी इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।आदिवासी समुदाय में घेंघा रोग जो की आयोडीन की कमीं के कारण होता है, बहुतायत से पाया जाता है। सर्वे के दौरान सैंपल गाँव में एक न एक मरीज इस रोग से पीड़ित पाया गया।आयोडीन युक्त नमक इसका इसका इलाज हो सकता है परंतू वह भी इनकी पहुँच से बाहर है।अनेक गाँव में त्वचा रोग से पीड़ित व्यक्ति मिले यह भी संभवत: इनमें शिक्षा की कमीं के कारण हो रहा है। कई बार इसे भी देवीय प्रकोप मानकर झाड-फूंक से ठीक करने की प्रक्रिया जारी रहती है।निश्चित ही अनेक सदियों से इनका जीवन जंगलों में बीत रहा है व भगत- बैगा से कुछ हद तक ये स्वास्थ्य लाभ ले भी लेते हैं, परंतु बहुत अधिक समय तक इन सुविधाओं का लेना घातक होता है।सुदूर जंगली इलाकों में शिक्षा की कमी को दूर किया जाकर इनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आचार्य मोती रावण कंगाली - कोराडीगढ़ (14) की तिलका दाई (पारी कुपार लिंगो प्रकाशन, नागपुर, 1983)
2. आचार्य मोती रावण कंगाली -डोंगरगढ़ (15) की बमलाई दाई , (पारी कुपार लिंगो प्रकाशन, नागपुर, 1983)
3. आचार्य मोती रावण कंगाली गोंडों का मूल निवास स्थल (1983 में प्रथम संस्करण पारी कुपार लिंगो प्रकाशन द्वारा प्रकाशित
4. मराठी दगोंडी शब्द कोश (प्रकाशक चंद्रलेखा कंगाली, 2012)
5. Beine, David Karl. (1994)- A sociolinguistic survey of the Gondi&speaking communities of central India- Master’s thesis, Department of Anthropology, San Diego State University.Google Scholar
6. Burrow, T. & Bhattacharya S. (1960)- A comparative vocabulary of the Gondi dialects. Journal of the Asiatic Society 2, 73–251.Google Scholar

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में उभरते रुझान

नारायण माली *

* यूजीसी नेट, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, भीलवाड़ा (राज.) भारत

शोध सारांश – प्रौद्योगिकी के उन्नत्ति से समय-समय पर पुस्तकालय उपयोगकर्ता सेवाओं पर अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रौद्योगिकी के उद्‌भव से पुस्तकालयों की सेवाओं में कई समाधान हुए हैं जिसके परिणाम स्वरूप पुस्तकालयों में नवीनतम तकनीकों उदभव हुआ है।पुस्तकालय सेवा में मोबाइल तकनीकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, Augmented Reality, रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जैसे नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से पुस्तकालय सेवाओ में विकास हुआ हैं। तकनीक और उसके विकास पुस्तकालयों में इस प्रकार की आधारभूत संरचना की आवश्यकता ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विषय और छात्रों में उत्साह को जन्म दिया है।विभिन्न पुस्तकालयों और नए रुझानों में तकनीकी विकास का विश्लेषण करके परियोजना शुरू की गई थी।तकनीकी का उपयोग समीक्षा के लिए विद्वानों के प्रकाशनों और ऑनलाइन डेटाबेस से विषय के बारे में प्रासंगिक डेटा भी एकत्र किया जाता है।वर्तमान प्रौद्योगिकी ने देश के पुस्तकालयो को आधुनिक पुस्तकालयों के स्वरुप को नई तकनीकों के अनुकूल बनाया हैं। जिसे वेब तकनीकों की मदद से इन्हें कहीं भी कभी भी एक्सेस किया जा सकता है।वर्त्तमान में धन, अकुशल पुस्तकालय कर्मचारी, इन्टरनेट आदि जैसी समस्याएं के कारण कई उन्नत पुस्तकालय इस तकनिक को नहीं अपना रहे रहे है।कई संस्थाओ ने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियां को लागू किया हैं।लेकिन कुछ समस्याओं के कारण कई संस्थाओ ने पुस्तकालयों में इस तकनीकों को ठीक से लागू नहीं किया है।यह विषय नए विकास और तकनीको से संबंधित है जो पुस्तकालयों में विकसित हो रही हैं।इस शोध पत्र में कुछ नए रुझानों की पहचान की गई है। चूंकि कई नवाचार पेश किए जा रहे हैं और विकसित भी किए जा रहे हैं, अध्ययन में मेरे द्वारा कुछ चुनिंदा तकनीकों को ही शामिल किया गया है।

शब्द कुंजी – उभरती तकनीकी, पुस्तकालय, प्रौद्योगिकी, रुझान, विकास , पुस्तकालय सेवाएं।

प्रस्तावना – उभरती हुई प्रौद्योगिकियां अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं, जो लोकप्रियता हासिल करती हैंऔर उपयोगकर्ता के बीच नए रुझान स्थापित करती हैं। हर गुजरते दिन के साथ नई प्रौद्योगिकी पहल उभरती रही है इनमें से कुछ नई तकनीकें समृद्ध और समय के साथ बनी रही हैं।पुस्तकालयों में नए को अपनाने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। पहले इन प्रौद्योगिकियों को लागू करना, व्यवहार्यता अध्ययन एक जरूरी है।प्रौद्योगिकियों को लागू करने की लागत प्रौद्योगिकियां के लिए महत्वपूर्ण पहल हैं।इसकी अपेक्षा उपयोगकर्ताओं की बदलती जरूरतों को पूरा करेगीलेकिन यह भीइसकी अपेक्षा उपयोगकर्ताओं की बदलती जरूरतों को पूरा करेगीभविष्य में इसलिए निर्णय लेने की जरूरत है।प्रौद्योगिकियों का आविष्कार करते समय की संरचनापुस्तकालयों को भी बदल दिया गया है, जो कि पुस्तकालय सामग्री, मीडिया,सूचना तक पहुँचने के साधन, इमारतों की प्रकृति आदिप्रौद्योगिकी प्रणालियों में डिजिटल उपकरण, संचालन शामिल हैं,सिस्टम, डिजिटल मीडिया, नेटवर्क और सर्वर, ऑडियो विजुअलसिस्टम आदि का उपयोग सूचना तक पहुँचने के लिए किया जाता है और इसे पुस्तकालयों में सूचनाओं का डिजिटलीकरण हो जाना कहलाता है।इसे कई आईटी उन्मुख शैक्षिक में अनुप्रयोग और एआई संस्थान, उनकी सेवाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जाएंगी, एआई के बारे में एआई से संबंधित रिपोर्ट की गई जानकारी का योगदान। इसकी एआई तकनीक और इसके अनुप्रयोगों और एआई के बारे में कई यह विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक उपयोगिताओं को उन्मुख करता है क्यु कोड और एआरए का प्रभाव प्रबंधन संस्थान की पुस्तकालय सेवाएं, और अध्ययन करने के लिए एआरए और क्यु कोड का उपयोग करते समय प्रभावित करने वाले कारक ई-बुक्स, आईपैड और किंडल्स की दिशा हो सकती है, लेकिन दुनिया की जानकारी का बड़ा हिस्सा अभी भी है। पुस्तकालयों के लिए लाखों मुद्रित पुस्तकों की अलमारियों में संरक्षित पुस्तकालय सभी पुस्तकों को डिजिटल रूप में रखने में असमर्थ है क्योंकि इसमें विभिन्न तकनीकी चिंताएँ हैं, जैसे कॉपीराइट और अन्य समस्याएं वैज्ञानिकों के कारण इन जैसे मोबाइल आधार सुविधाओं का विकास,शोधकर्ता इंटरनेट पर अधिक समय बिताते हैं। जैसे गोलियाँ,iPhone, ipad, सेल फोन, आदि। फिर भी, वे संतोषजनक डेटा प्राप्त करना मे असमर्थ है।भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मापन, लाइब्रेरी कंसोर्टिया, भारत में पुस्तकालय और सूचना शिक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार, खुली पहुंच, सूचना साक्षरता, ऑनलाइन प्रदर्शनियों जैसे विषयों को समर्पित मुद्दों की एक अच्छी संख्या के साथ एलआईएस के अधिकांश पेशेवर क्षेत्र और पहलू , नॉलेज शेयरिंग, ई-लर्निंग, सोशल साइंस गेटवे आदि।

भारत में पुस्तकालय और सूचना सेवाओं में वर्तमान प्रौद्योगिकी:

1. **इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन –** इलेक्ट्रॉनिक संसाधन ई-पत्रिकाओं, ई-पुस्तकों, ऑनलाइन डेटाबेस और अन्य सामग्रियों को डिजिटल स्वरूप में संदर्भित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुलभ हैं। ई-संसाधन प्रबंधन सॉफ्टवेयर को पुस्तकालयों द्वारा एक पुस्तकालय के इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों के संग्रह, पहुंच, प्राधिकरण, रखरखाव, उपयोग, मूल्यांकन, आरक्षण और चयन का पता लगाने के लिए नियोजित

किया जा सकता है।

2. RFID तकनीकी - रेडियो-फ्रीक्केंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) स्वचालित रूप से लाइब्रेरी आइटम्स से जुड़े टैग्स को चुनने और ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करता है। आरएफआईडी-आधारित पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली नवीनतम तकनीक है जिसका उपयोग इन्वेंट्री को ट्रैक करने और पुस्तकालय चोरी का पता लगाने वाली प्रणालियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक पुस्तकालयों की सुरक्षा को बढ़ाती है और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और मानव निर्भरता को कम करके उनकी दक्षता को बढ़ाती है। उपयोगकर्ताओं के लिए, आरएफआईडी उधार लेने और वापसी प्रक्रियाओं को तेज करता है। इसलिए, आरएफआईडी समय बचाता है और पुस्तकालय लागत कम करता है।

3. Augmented Reality (AR) -ए.आर एक अत्याधुनिक तकनीक है जो स्मार्ट उपकरणों के उपयोगकर्ताओं को प्राकृतिक देखने की अनुमति देता है। डिजिटल रूप से संवर्धित लेंस के माध्यम से पर्यावरण। ए.आर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हेड फोनया टैबलेट जैसे डिजिटल उपकरणों के लिए,स्मार्टफोन, और यहां तक कि डेस्कटॉप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सेंसर, और डिजिटल प्रोजेक्टर सिस्टम बनाते हैं, जो सक्षम करते हैं। वास्तविक दुनिया की वस्तुओं पर प्रक्षेपित करने के लिए डिजिटल डिस्प्ले चूंकि ए.आर वास्तविकता में जो है उसे बदलने की क्षमता है वास्तव में हो रहा है, यह पुस्तकालयों के लिए बहुत उपयुक्त है। पुस्तकालय पेशेवरों को ए.आर के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। पुस्तकालय के तहत अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से आवेदनआज के ग्राहकों की आवश्यकताओं के आलोक में ए.आर बाइनरी दर्शनीय स्थलों, ध्वनियों को प्राकृतिक में एकीकृत करके दुनिया जैसा है, संवर्धित वास्तविकता भौतिक दुनिया में सहायता करती है। लोग आभासी और संवर्धित वास्तविकता दोनों के साथ बातचीत कर सकते हैं,क्योंकि ए.आर वास्तविक दुनिया के समान है। ए.आर वास्तविकता भौतिक और आभासी दुनिया को जोड़ती है।

4. क्लाउड कम्प्यूटिंग- पुस्तकालय सेवाओं को अधिक सुव्यवस्थित और लागत-कुशल बनाने के लिए दुनिया भर के पुस्तकालय क्लाउड कंप्यूटिंग को अपना रहे हैं। यह पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली डिजिटल पुस्तकालयों या रिपॉजिटरी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग पुस्तकालय संसाधनों, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधनों आदि का इष्टतम उपयोग भी सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी का उपयोग पुस्तकालय स्वचालन और त्वरित डेटा खोज के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक डिजिटल लाइब्रेरी में, क्लाउड कंप्यूटिंग यह सुनिश्चित करती है कि तृतीय-पक्ष सेवाएँ सर्वर का प्रबंधन कर सकती हैं, अपग्रेड कर सकती हैं और डेटा बैकअप बना सकती हैं।

5. लाइब्रेरी में रोबोटिक्स - आधुनिक युग में पुस्तकालय एक नया सृजन करने जा रहे हैं तकनीकों की मदद से नई शुरुआत की जा रही है। नवीनतम में से एक पुस्तकालयों में प्रयुक्त तकनीक रोबोटिक्स है। रोबोटिक्सऔरआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास का प्रभाव पड़ रहा है। पुस्तकालय संचालन और सुविधाओं पर पांव मारना, लुढ़कना,उड़ना, और चढ़ना ऐसे सभी कार्य हैं जिनमें रोबोट संलग्न होते हैं ,पुस्तकालय, साथ ही व्यापक ज्ञान (और सामाजिक)दुनिया जिसमें हम सभी काम करते हैं, रोबोटिक्स से प्रभावित हैं।पुस्तकालय रोबोटिक्स को अन्य एआई प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत कर सकते हैं,जैसे एक रोबोट द्वारा नियंत्रित किया जा रहा ड्रोन यह सुनिश्चित कर सकता है,पुस्तकालय हमेशा निगरानी में रहता है। बात करने वाले रोबोट कर सकते हैं उपयोगकर्ता सहायता के रूप में पुस्तकालय के विभिन्न वर्गों में रखा जाना चाहिए और मार्गदर्शक। पुस्तकालयों में रोबोटिक्स के अनुप्रयोग हैं व्यापक और वर्तमान दिनों में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रोबोट करेंगे पुस्तकालयों पर हावी होना आगे स्टाफ-रहित पुस्तकालयों का संकेत देता है।

6. Internet of Things - सर्वश्रेष्ठ-एकीकृत पुस्तकालय सॉफ्टवेयर और एलएमएस सॉफ्टवेयर ने मानव हस्तक्षेप के बिना डेटा स्थानांतरित करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (**IoT**) का उपयोग करना शुरू कर दिया है। पुस्तकालय वस्तु-सूची को नियंत्रित करने, चोरी रोकने और उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए **IoT** का उपयोग करते हैं। यह सर्कुलेशन डेस्क गतिविधियों की गुणवत्ता और गति में सुधार करने में भी मदद करता है। इसके अलावा, **IoT** किताबों के आरक्षण, पुस्तकालय में आग का पता लगाने और इसकी रोकथाम और ई-पुस्तकालय सेवाओं को कारगर बनाने में तेजी लाता है।

7. Artificial Intelligence - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक रोबोट या एक कंप्यूटर की शक्ति का उपयोग करता है जो उन कार्यों को करने की कोशिश करता है जो आमतौर पर मनुष्य करते हैं। पुस्तकालय में एआई का सबसे आम अनुप्रयोग चौटबॉट है जो उपयोगकर्ताओं से दिशात्मक प्रश्न प्राप्त करता है और उन्हें हल करता है। वे उपयोगकर्ता को उनकी पुस्तक जमा करने की देय तिथि के बारे में सचेत कर सकते हैं, उपयोगकर्ता को संबंधित पुस्तकालय खंड पर निर्देशित कर सकते हैं, और स्वचालित रूप से अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं

8. बिग डेटा और डेटा विजुअलाइजेशन - बिग डेटा और डेटा विजुअलाइजेशन चार्ट, ग्राफ, मैप और अन्य दृश्य रूपों के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा प्रदर्शित करने की विधि है। यह जानकारी को मानव मन के लिए समझने के लिए और अधिक स्वाभाविक बनाता है और बड़े डेटा सेट के भीतर रुझान, पैटर्न और आउटलेयर को स्पॉट करना आसान बनाता है। यह तकनीक बड़ी मात्रा में डेटा तक पहुँचने के दौरान डिजिटल पुस्तकालयों को और अधिक वैश्वीकृत बनाने में मदद कर रही है। यह पुस्तकालयों को उन पाठकों के लिए अधिक आसानी से सुलभ बनाता है जो अपनी उंगलियों पर ढेर सारी जानकारी पा सकते हैं।

9. मोबाइल आधारित पुस्तकालय सेवाएं -एक पुस्तकालय के तीन मुख्य उद्देश्य -साक्षरता को बढ़ावा देना, लोगों को उपयोगी दैनिक जानकारी का प्रसार करना और अपनी पठन सामग्री और संसाधनों के माध्यम से आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करना है। मोबाइल पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकालय के निश्चित स्थान के बाहर संसाधनों को लाते हैं, जिन्हें अन्यथा उनसे लाभ का अवसर नहीं मिल पाता। एसएमएस और व्हाट्सएप जैसी मोबाइल सेवाओं की मदद से पुस्तकालय नई सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं और अपने संग्रह तक तेजी से पहुंच प्रदान कर सकते हैं।

10. QR Code - QR कोड **(QUICK RESPONCE)** मैट्रिक्स बारकोड (या दो आयामी बारकोड) का एक प्रकार का ट्रेडमार्क है जो सर्वप्रथम जापान में मोटर वाहन उद्योग के लिए बनाया गया है। एक बारकोड एक मशीन पठनीय ऑप्टिकल लेबल है जो खुद से जुड़े हुए आइटम के बारे में जानकारी रखते है।

क्यूआर कोड प्रणाली मानक **UPC** बारकोड की तुलना में अपनी तेजी से पठनीयता और अधिक से अधिक भंडारण क्षमता के कारण पुस्तकालयों में लोकप्रियहो गया। उत्पादों पर नजर रखने, वस्तु की पहचान, समय ट्रैकिंग, दस्तावेज प्रबंधन, और सामान्य विपणन इन सभी क्षेत्रों अनुप्रयोगों में किया जाता है1

11. WEB 2.0 और WEB 3.0 – वेब 2.0 में, कंप्यूटर जानकारी खोजने के लिए अद्धितीय वेब पते के रूप में http का उपयोग करते हैं, जो एक निश्चित स्थान पर संग्रहीत होता है, आमतौर पर एक ही सर्वर पर। वेब 3.0 के साथ, क्योंकि जानकारी इसकी सामग्री के आधार पर पाई जाएगी, इसे एक साथ कई स्थानों पर संग्रहीत किया जा सकता है और इसलिए इसका विकेंद्रीकरण किया जा सकता है।वेब 3.0, मोबाइल फोन, डेस्कटॉप, उपकरण, वाहन और सेंसर सहित असमान और तेजी से शक्तिशाली कंप्यूटिंग संसाधनों द्वारा उत्पन्न डेटा, विकेंद्रीकृत डेटा नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ताओं द्वारा बेचा जाता है।, यह सुनिश्चित करते हुए कि उपयोगकर्ता स्वामित्व नियंत्रण बनाए रखें।

IIT केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली द्वारा शुरू ETTLIS कोर्स – इस पाठ्यक्रम को IIT दिल्ली में डिजाइन और विकसित किया गया है और इसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज **(ETTLIS)** में इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज के रूप में नामित किया गया है और इसे Swayam प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश किया जा रहा है ARPIT 2019 आधिकारिक नाम से मानव संसाधन विकास मंत्री, सरकार द्वारा शुरू किया गया।कुल 2980 शिक्षार्थियों को म्ब्ब्रू में नामांकित किया गया और उनमें से इसमें 1784 शिक्षार्थियों ने अपना आकलन पूरा कर लिया है।

उभरती प्रवृत्तियों का दायरा:

1. पेशेवर क्षमता और कौशल को बढ़ाने के लिए,
2. सहयोगी टीम वर्क में शामिल होने के लिए,
3. पुस्तकालय और सूचना सेवाओं को पुस्तकालयों की चार दीवारी से परे ले जाना,
4. प्रभावी उपयोगकर्ता सेवाओं के लिए आईसीटी उपकरणों का उपयोग करना,
5. उपयोक्ताओं के लिए आवश्यकता आधारित शिक्षण सामग्री तैयार करना,
6. पुस्तकालय और सूचना विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान और पूछताछ के नए क्षेत्रों की खोज करना,
7. पुस्तकालय समुदाय की सेवा के लिए मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकों के अनुप्रयोग का पता लगाना,
8. बदले हुए एलआईएस परिवेश में जीवित रहने के लिए एलआईएस पेशेवरों के लिए नई भूमिकाओं की पहचान करना।

परिणाम:

1. इसमें कई नई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं पुस्तकालय में शोध में यह पाया गया है कि नई प्रौद्योगिकियां जिसे मैंने विश्लेषण के लिए लिया है।
2. ये प्रौद्योगिकियां लाइब्रेरियन को इससे बचने में मदद करती हैं , है पुस्तकालय। दोहराव, रूटिंग, लिपिक हाउसकीपिंग में काम करता है।
3. ग्रंथालय पेशेवर स्वयं को अनुकूलित करने के लिए बदलते हैंनई प्रौद्योगिकियां, उन्हें प्रशिक्षण लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए सेमिनार, सम्मेलन और जोड़ने के लिए ज्ञान प्राप्त करें
4. यह देखा गया कि प्रौद्योगिकियों का नवाचार और प्रवृत्तियों ने पुस्तकालयों के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन किया।
5. यह पता चला है कि और भी कई आविष्कार हैं पुस्तकालयों के लिए किया जाता है।

उभरती प्रवृत्तियों का उद्देश्य :

1. पुस्तकालय प्रणाली की मान्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैसंस्था की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना।
2. आईसीटी के माध्यम से खुद को प्रचलित करके पर्यावरण को बदलने में पुस्तकालयों और पुस्तकालय पेशेवरों को शामिल करना।
3. पुस्तकालयों के उपलब्ध संसाधनों, सेवाओं और उत्पादों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उनके परिवर्तन के बारे में जागरूक करना।
4. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए पुस्तकालयों और पुस्तकालयाध्यक्षों की उपस्थिति का एहसास कराना।
5. पुस्तकालय और सूचना स्रोतों, सेवाओं और उत्पादों और संबद्ध क्षेत्रों में उभरती प्रवृत्तियों और प्रौद्योगिकियों का ज्ञान प्रदान करना।
6. स्मार्ट संदर्भ सेवाएं प्रदान करके शिक्षार्थियों को स्मार्ट लाइब्रेरियन बनने में मदद करना।

सुझाव:

1. पुस्तकालयों को इसके संबंध में उचित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिएपुस्तकालय पेशेवरों के लिए नए आविष्कार।
2. यदि पुस्तकालय प्रबंधन या सरकार को चाहिएलागू करने के लिए पुस्तकालयों को अधिक धन प्रदान करेंनई प्रौद्योगिकियां क्योंकि ग्रामीण में पुस्तकालयक्षेत्रों, छोटे शहरों और गांवों के पास पर्याप्त धन नहीं हैलागत वहनकरनेके लिए।
3. पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित करनापुस्तकालयों के नए आविष्कार और इसे कैसे संचालित किया जाए।
4. ग्रीन लाइब्रेरी जैसी अवधारणाओं को अनिवार्य बनाएं हर पुस्तकालय।
5. पुस्तकालयों के महत्व करें औरप्रौद्योगिकियों के लाभ के बारे में जागरूक करें।

निष्कर्ष– मेरी परियोजना का अंतिम उद्देश्य यह है कि एक प्राप्त करने के लिए पुस्तकालयों की उभरती प्रवृत्तियों और प्रौद्योगिकियों का अवलोकन क्योंकि वहां बहुत सारे एलआईएस छात्र और पेशेवर हैं,पुस्तकालय जो वर्तमान प्रवृत्तियों से अच्छी तरह अवगत नहीं हैं पुस्तकालयों का नाम भी नहीं। मैंने अधिकतम जानकारी एकत्र की इंटरनेट से एकत्र की है। पुस्तकालय और पुस्तकालय पेशेवर भी अलग–अलग SWAYAM MOOC को अपनाकर नए रुझानों और तकनीकों का पता लगाने की पहल कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. ETTLIS (पुस्तकालय और सूचना सेवाओं में उभरते रुझान और प्रौद्योगिकियां) https://swayam.gov.in/nd2_arp19_ ap78/ preview (10 Feb. https://swayam.gov.in/nd2_arp19_ ap78/preview (10 Feb. 2020)
2. नबी हसन और देबाशीष: नस्कर डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पुस्तकालय और सूचना सेवाओं में उभरती

प्रवृत्तियों और तकनीकों पर ARPIT ऑनलाइन पाठ्यक्रम (ETTLIS): एक केस स्टडीवॉल्यूम। 40, नंबर 3, मई 2020, पीपी. 160–168,डीओआई: 10.14429/djlit.40.3.154882020, डेसीडॉक

3. सोम नेपाली, राजेश तमांग: ए रिव्यू ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज इन लाइब्रेरीअमेरिकन जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022,6(1):815http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajistडीओआई: 10.11648/जे.अजिस्ट.20220601.12आईएसएसएन: 2640–057X (प्रिंट), आईएसएसएन: 2640–0588 (ऑनलाइन)

4. https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code

5. https://www.investopedia.com/web-20-web-30-5208698

6. https://slimkm.com/blog/emerging-trends-technologies-in-library-information-services/

7. शशिकुमार ए, मनु टीआर, पन्ना चौधरी, वायरल असजोला और प्रसन्ना कुमार मुदुली: पुस्तकालयों और पुस्तकालय पेशेवरों के लिए उभरती प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियाँ Librarianship Development through Internet of Things & Customer Service (LDITCS 2019)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक दलों की विजय का भौगोलिक अध्ययन

डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी*

* एसोसिएट प्रोफेसर, सरकारी कॉलेज, मांडलगढ़ (राज.) भारत

शोध सारांश – भूगोलवेत्ता चुनाव को लेकर क्षेत्रीय विकास एवं मतदाता व्यवहार का विश्लेषण करते है। 2022 के गुजरात चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त विजय और विकास में क्या संबंध है, का भौगोलिक अध्ययन इस शोध पत्र में किया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में कुल 182 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 13 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए तथा 27 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 52.50 मत प्रतिशत एवं 156 विधानसभा क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुई तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल को 27.28% मत एवं 17 विधानसभा क्षेत्रों में एवं आप पार्टी को 12.92 प्रतिशत मत एवं 5 विधानसभा क्षेत्रों में विजय मिली। इस विधानसभा चुनाव में तीन निर्दलीय तथा 1 सीट समाजवादी पार्टी को प्राप्त हुई थी।

शब्द कुंजी – गुजरात, विधानसभा, चुनाव, विजय।

उपकल्पना–भाजपा को नगरीय मतदाता अधिक मतदान करते है।

शोध उद्देश्य–विभिन्न राजनीतिक दलो की विजय उपलब्धी को प्रदेशो के अनुसार प्रकट करना।

विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त विजय– गुजरात के विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में सौराष्ट्र, मध्य गुजरात तथा उत्तरी मालवा एवं दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र में भाजपा को आशातीत विजय प्राप्त हुई है। कुल 156 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा ने विजय प्राप्त करी है। तथा कांग्रेस दल को 17 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिली है। यह निर्वाचन क्षेत्र गुजरात के उत्तरी और सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है।

विजय को मत अंतर अनुसार निम्न रूप में वर्णन किया जा सकता है–

8% से कम अन्तर – इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को 8% मत से कम अंतर से 20 विधानसभा क्षेत्र में विजय प्राप्त हुई। ये विधानसभा क्षेत्र रापर, द्वारिका, सिद्धपुर ,केशोद, खेरालू, सावरकुंडला, लिमखेड़ा, कलोल , डसडा, अबदासा, हिम्मतनगर ,टकारा, राजुला, बोरसद, बेचराजी,,धोरजी, दरियापुर, डॉलका व धारी है।

वही कांग्रेस दल को 8% से कम अंतर से विजय 16 विधानसभा क्षेत्र में हुई। यह विधानसभा क्षेत्र दंता,मनवादर, बड़गांव, सोमनाथ, कन्करेज, चनास्त्र, खेडब्रह्मा, एन्क्लेवे, विजयपुर, पोरबंदर, वाव, पाटन, दानी लिमडी जमालपुर और भावनगर है।

आप राजनीतिक दल को इस अंतर से धारियाधर, गोटड , विस्वदार, जमजोधपुर निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुई है।कुल मिलाकर भाजपा को इस अंतर में 20 कांग्रेस को 16 तथा आपको 4निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुई थी।

8 से 18% अंतर से विजय– गुजरात के इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 39 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में इस अंतर से विजय प्राप्त करी। ये विधानसभा क्षेत्र कच्छ में तथा उत्तरी एवं मध्य गुजरात में अवस्थित है।। इन विधानसभा क्षेत्रों में धराड़, पालनपुर, रतनपुर ,कड़ी, भीलाड़ा,देवगांव, बापुनगर, उमरेत, आनंद, परिमद, मातर,मईडा, कपड़गंज, लिमडी,चोटीला, बाकनर, राजकोट पूर्व ,राजकोट पश्चिम, जसदन ,कलवाड़ कम्बालीमां, तलाला, कोडीनार, लुनावाडा, संतरामपुर, फतेहपुरा ,व्यारा ,निजार, डांग, कप्रडा ,सनखेड़ा, दबोई,, नंदौड , जंबूसर ,बधरा ,जगरिया, मांडवी, सूरतपूर्व, वरजा रोड विधानसभा क्षेत्र है।

कांग्रेस दल को इस विजय अंतर से केवल मात्र 1 विधानसभा क्षेत्र वंसदा में विजय प्राप्त हुई है।

16 से 24%मत अन्तर से विजय प्राप्ति– भाजपा ने उक्त अंतर से कुल 30 विधानसभा क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी। ये विधानसभा क्षेत्र मध्य गुजरात, दक्षिणी गुजरात ,तथा अरावली पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित है। इन विधानसभा क्षेत्रों में लाठी, महुआ, पालीताना ,अंजार ,दिशा, देवधर, विजयनगर, इदार, मोडासा,मनसा, गांधीनगर उत्तर, गांधीनगर दक्षिण, सनद, सौचित्रा, धंधुका, राजकोट दक्षिण,गोंडल ,गोदरा, हालोल, महुआ, धर्मपुर ,छोटा उदयपुर, जेतपुर, कर्जन, मंगरोल, कामरेज, दाहोद ,घरबड़ा, घढ़वारिया एवं सालवी है।

24%मत अन्तर से विजयी क्षेत्र– 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात राज्य के अंदर भाजपा ने अप्रत्याशित विजय प्राप्त करी।

इस अंतर से 67 विधानसभा क्षेत्र में विजय प्राप्त हुई।कांग्रेस दल को इस अंतर से एक भी विधानसभा क्षेत्र में विजय प्राप्त नहीं हुई ।भाजपा को प्राप्त विजय के क्षेत्र उत्तारी गुजरात , मध्य गुजरात, दक्षिणी गुजरात , सौराष्ट्र, तथा कच्छ सहित सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

ये विधानसभा क्षेत्र –अमरेली, तलाजा, मांडवी ,भुज ,गांधीधाम, उजा, मेहसाना, पणजी, वीरम गांव ,घाट लोरिया ,विजलपुर ,वतवा , एलिस ब्रिज, नारनपुरा ,निकोल ,नरोड़ा, ठक्करबापानगर, अमरावती, मणिनगर,भावनगर ग्रामीण, भावनगर पूर्व ,भावनगर पश्चिम, गधाडा ,नडियाद ,मोहम्मदाबाद, थसरा, साबरमती ,असर्वा,दसकोई ,वधवान,राजकोट ,जेतपुर ,जामनगर ग्रामीण, जामनगर उत्तर ,जामनगर दक्षिण, जूनागढ़ ,मंगरोल ,उना, बालासिनेड़, सहारा ,मोरवा हापुड़, कलोल ,बर्दोली,जलल्पुरे, नवसारी गांडवी बलसाड , पर्दी,ऊमर गांव,बड़ोदरा सिटी, सियागंज,आकोटा, रामपुरा ,मजाल

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

पुर,भरूच ,अंकलेश्वर, ऑल पाड़ा, सूरत उत्त्तर,करंज,लिंबी माता, उधना मजूरा ,कटारगम, सूरत पश्चिम,चौरासीऔर जालोड़ा है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति निर्वाचन क्षेत्र मे विजय- 2022 के निर्वाचन में गुजरात राज्य के अंदर अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 40 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा ने कुल 34 विधानसभा क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी थी। तथा कांग्रेस दल ने 5 विधानसभा क्षेत्रों में एवं आप पार्टी ने 1 विधानसभा क्षेत्र से विजय प्राप्त करी थी।

विजय को मत अंतर अनुसार निम्न रूप में वर्णन किया जा सकता है-

भाजपा द्वारा प्राप्त विजय उपलब्धि

अनुसूचित जनजाति क्षेत्र - भाजपा ने कुल 27 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में से 23 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी।

15% मत से अधिक विजय अंतर - इन निर्वाचन क्षेत्रों में 15% मत से अधिक अंतर से विजय मौर्य हाडफ,जालोढ़, दाहोद, गरबाडा, छोटा उदयपुर, जैतपुर ,सनखेड़ा, नंदौर ,मांगरोल ,महुआ ,गनदेवी धर्मपुर कपृडा, उमरगांव प्राप्त करी थी।

10 से 15% विजय अंतर - बिलोढा ,संतरामपुर ,फतेहपुर झगड़िया ,व्यारा, निजार ,डांग में जीत प्राप्त हुई।

10% मत अंतर -कम प्रतिशत से लिमखेड़ा, मांडवी में विजय प्राप्त हुई थी।

अनुसूचित जातियों के क्षेत्र- भाजपा को 13 में से 11 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुई।

15% से अधिक मत अंतर - गांधीधाम ,इडार, असर्वा,गढाना, वडोदरा सिटी,बारडोली में विजय प्राप्त हुई।

10 से 15% मत अंतर - कड़ी ,कालावढ,कोडीनार में विजय प्राप्त हुई थी।

10% कम मत अंतर- इस प्रकार की विजय दसदा, राजकोट में प्राप्त हुई थी कुल मिलाकर भाजपा ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करी थी। कांग्रेस दल को अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में तीन निर्वाचन क्षेत्रों मे दाता(3.5%) खेडब्रह्मा (5%)एवं वंश(14.5%) विधानसभा क्षेत्र में विजय मिली। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित क्षेत्रों में से दो निर्वाचन क्षेत्र वडगांव(2.81%) दानी लिम्डा(8%) में विजय प्राप्त हुई।कुल मिला के पांच निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस दल को विजय प्राप्त हुई।आप पार्टी ने देड़ियापाड़ा में जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 21 .76% मत अन्तर से विजय प्राप्त करी थी।

सारांश रूप में यह कह सकते हैं कि भाजपा को अनुसूचित जाति एवं जनजाति वाले क्षेत्रों में भी सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के जैसे ही विजय श्री मिली है। ।कांग्रेस दल को तुलनात्मक रूप से सामान्य क्षेत्रों से अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में विजय अधिक प्राप्त हुई है।। क्योंकि क्योंकि कांग्रेस दल को 182 निर्वाचन क्षेत्रों में से मात्र 17 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुई और अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 40 निर्वाचन क्षेत्रों में से पांच निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुई है।। जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में अधिक दिखाई देती है।।

नगरी विधानसभा क्षेत्रों में विजय उपलब्धि की तुलना- 2022 के निर्वाचन में नगरीय क्षेत्रों के मतदाता ने भाजपा को अधिक मतदान किया स कुल 1.5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को नगरीय विधानसभा मानकर यह तुलना की जा रही है। गुजरात में कुल 60 नगरीय विधानसभा क्षेत्र है। जिसमें से 58 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को विजय प्राप्त हुई है।स वही केवल 2 विधानसभा क्षेत्र भावनगर एवं पोरबंदर मैं कांग्रेस दल को विजय प्राप्त हुई है। नगरी मतदाताओं का रुझान भाजपा की ओर होने से यह स्पष्ट होता है। कि पढ़े-लिखे, वित्तीय कार्यों में संलग्न, तथा उद्योग धन्धो एवं सर्विस सेक्टर में कार्य करने वाले लोग भाजपा को पसंद करते हैं। वही नगरीय क्षेत्रों में कांग्रेस नगण्य विजय प्राप्त करती है। इससे यह संबंध प्रकट होता है। की भाजपा को नगरी मतदाता अधिक वोट करता है। अहमदाबाद, सूरत ,गांधीनगर, वडोदरा ,जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, आनंद, नवसारी, नदियाल ,सुरेंद्र नगर, भरूच, मेहसाना, भुज ,पालीताना, वलसाड, वापी, वीरवाल, गोधरा, पाटन ,दाहोद, बोटड,गांधीधाम, मोरबी और द्वारका इन सभी नगरीयक्षेत्रों में भाजपा की विजय हुई है।।

सह सम्बंध गुणांक- भाजपा के मतदान प्रतिशत के साथ सर संबंध गुणांक निकालने पर निम्नांकित तथ्य सामने आए हैं।

1. भाजपा के मतदान एवं नगरी मतदाताओं के प्रतिशत में - 79 प्रतिशत सहसंबंध पाया गया है।
2. अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और भाजपा के मतदान में .56 पॉजिटिव कॉरिलेशन प्रकट हुआ है।
3. भाजपा का नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या से भी क्रमश: .79 एवं .64 सहसंबंध गुणांक प्राप्त हुआ है।।

निष्कर्ष -उपरोक्त तथ्यों से यह प्रकट होता है कि भाजपा को गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने सकारात्मक मतदान किया है जो भाजपा के पक्ष में जाता है।

यह उपकल्पना भी सत्य होती है कि भाजपा को नगरीय मतदाता अधिक मतदान करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत निर्वाचन आयोग, विधानसभा चुनाव के रुझान और परिणाम दिसंबर- 2022
2. अमानी, के.जेड., 1970, इलेक्शन इन हरियाणा-इंडिया: ए स्टडी इन इलेक्टोरल जियोग्राफी, द जियोग्राफर, वॉल्यूम -17
3. गुप्ता, आर.डी., 1986, राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव: भौगोलिक वोटिंग व्यवहार का विश्लेषण (1967-1980), अप्रकाशित पीएच.डी. थीसिस, जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय
4. शर्मा, के., 1991, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-1: वोटिंग व्यवहार के स्थानिक पैटर्न का एक केस अध्ययन (1977-1980-1985),अप्रकाशित पीएच.डी.थीसिस,जयपुर,राजस्थान विश्वविद्यालय
5. श्रीवास्तव, एम.के. 1982, एक भारतीय राज्य का चुनावी भूगोल, इलाहाबाद अतुल शोध प्रबंध
6. आनंद, संतोष, 1989, जनजाति क्षेत्र में पंचायत चुनाव परिणामों का भोगोलिक विशेषण (1977-1982-1986): Annals of the Rajasthan Association, Vol-9
7. शर्मा, राजमल, 1989, राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भाजपा की मत उपलब्धि मतदान व्यवहार का भौगोलिक विश्लेषण (1980-1985-1990), Annals of the Rajasthan Association, Vol-9
8. बडोला, सुमन, 1989, पंचायत चुनाव में जनजातीय नेतृत्व का निर्वाचन भौगोलिक विश्लेषण: प्रतापगढ़ पंचायत समीतु का विशिष्ट अध्ययन(1977-1982-1987) Annals of the Rajasthan Association, Vol-9
9. चतुर्वेदी, राजकुमार एंड सारस्वत, प्रज्ञा, 2006, राजस्थान विधानसभा निर्वचनो में राजनितिक दलों की मत उपलब्धि का भोगोलिक विवेचन (1996-2003), Geographical Aspects, Vol-9, 175-176

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में सम्प्रेषण के समक्ष चुनौतिया

नीलम खासकलम*

* वरिष्ठ व्याख्याता (मार्डन ऑफिस मैनेंजमेंट) इंदिरा गांधी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – अपनी इच्छाओं एवं विचारों को दूसरों पर व्यक्त करना तथा दूसरों की इच्छाओं एवं सूचनाओं को जानना प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृति है। मनुष्य की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति का विस्तार सम्प्रेषण से ही संभव है। सम्प्रेषण मनुष्य ही नहीं अपितु समाज की आवश्यकता है। यह कथन अतिश्योक्तिपूर्ण न होगा कि सम्प्रेषण विहीन संसार की परिकल्पना नहीं की जा सकती हैं।

नवीन संचार तकनीक ने सम्पूर्ण विश्व की काया पलट दी है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संचार और सम्प्रेषण के माध्यमों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। सम्प्रेषण मनुष्य की सहज और नैसर्गिक वृत्ति है। यह व्यक्ति को व्यक्ति से और व्यक्ति को समाज से जोड़ने वाली कड़ी हैं जिसमें भाषा सम्प्रेषण का सर्वप्रमुख माध्यम है इसलिए मानव द्वारा भाषा की आवश्यकता और अविष्कार किया गया।

मानव जीवन में सामाजिकता की मूलभूत आवश्यकता ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सम्प्रेषण की आवश्यकता और उपयोगिता प्रतिपादित की है। वैष्विक परिदृष्य में सम्प्रेषण के माध्यमों न समय और स्थान की सीमाओं को समाप्त कर दिया है। सम्प्रेषण के विविध आयामों और उसके खुलते हए नित नवीन द्वारों एवं सम्प्रेषण की अधुनातन विविधताओं और जटिलताओं ने सामाजिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक व सांस्कृतिक परिदृष्य को प्रभावित किया है। प्रस्तुत शोधप्रपत्र में इन्ही चुनौतियां को उल्लेखित किया गया है।

शब्द कुंजी – प्रेषक, माध्यम, संदेश, संदेश प्राप्तकर्ता एवं प्रतिपुष्टि, सम्प्रेषण मॉडल।

प्रस्तावना – मानवीय तथ्यों एवं विचारों का पारस्परिक विनिमय ही सम्प्रेषण है। सम्प्रेषण ही वह साधन है जिसके द्वारा व्यवहार को क्रियान्वित किया जाता है, परिवर्तनों को लागू किया जाता है, सूचनाओं को उत्पादक बनाया जाता है एवं व्यवसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। सम्प्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सम्प्रेषण एवं श्रोता आपस में आचार, विचार, ज्ञान, अनुभवों तथा भावनाओं का कुछ संकेतों द्वारा आदान प्रदान करते हैं। यह एक व्यवस्थित एवं निरन्तर चलायमान प्रक्रिया है। जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों, तथ्यों, विचारों, भावनाओं तथा सम्मतियों आदि का आपस में आदान प्रदान करते है, जिससे व्यावसायिक उद्देश्यों एवं व्यवहार में एकरूपता आती है। संचार सूचना सम्प्रेषण की एक प्रक्रिया है इसमें सम्प्रेषक संदेश को किसी संचार माध्यम एवं संचार मार्ग द्वारा श्रोता या ग्राहक तक पहुंचाता है। उक्त प्रक्रिया की पूर्णता श्रोता या ग्राहक की प्रतिपुष्टि या फीड बैक से होती है। प्रत्येक सम्प्रेषण के लिए सम्प्रेषक तथा श्रोता में परस्पर समता होना आवश्यक है। समता तत्व सम्प्रेषक एवं श्रोता के मध्य संदेश की भाषा, संकेत एवं सूचना तत्व के स्तर पर होना चाहिए। सम्प्रेषण के मूल तत्वों में प्रेषक, माध्यम, संदेश, संदेश प्राप्तकर्ता एवं प्रतिपुष्टि है

प्रेषक – संदेश का स्त्रोत प्रेषक, जो सम्प्रेषण प्रक्रिया का आरम्भ करता है।

माध्यम–यह प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच एक सेतु है। प्रेषक स्वयं को प्राप्तकर्ता से जोड़ने के माध्यम का प्रयोग करता है जैसे पारस्परिक बातचीत, व्यक्तिगत पत्राचार, सभा या मीटिंग, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियों, समाचार पत्र आदि।

संदेश – प्रेषक द्वारा बोलकर लिखकर, चित्र या संकेतों के माध्यम से विचारों का प्रस्तुतीकरण संदेश है। इसमें अपील भी शामिल है। प्रेषक द्वारा संदेश भेजने से पूर्व संदेश की विषय वस्तु, उसका विवेचन उसके प्रसारण का माध्यम एवं किन लोगों के लिए संदेश देना है इसका निर्धारण करना आवश्यक है।

संदेश प्राप्तकर्ता – प्रेषक का संदेश पाने वाला संदेश प्राप्तकर्ता कहलाता है सम्प्रेषण श्रंखला के एक छोर पर प्रेषक व दूसरे छोर पर प्राप्तकर्ता व्यक्ति या जन समुदान भी हो सकता है।

प्रतिपुष्टि या फीडबैक– संदेश प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश या सूचना का संदेश प्राप्तकर्ता पर पड़ने वाले प्रभाव फीडबैक है। जब प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करके उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो वह फीडबैक कहलाता है। फीडबैक द्वारा ज्ञात होता है, कि प्राप्तकर्ता के पास संदेश किस रूप में पहुँचा है। प्रेषक अपने संदेश में जो कहना चाहता था वही प्राप्तकर्ता तक पहुँचा या नहीं।

हैरोल्ड डी लॉस के अनुसार सम्प्रेषण के वर्णन का सुविधाजनक तरीका निम्नानुसार है:–

कौन → क्या कहता है → किस माध्यम से→ किसको → क्या प्रभाव के साथ
(प्रेषक) (संदेश) (माध्यम) (प्राप्तकर्ता) (प्रतिपुष्टि)

सम्प्रेषण के विभिन्न मॉडल :– सम्प्रेषण समाज की रचना का आधार है। प्रत्येक युग में मनुष्य एवं समाज संप्रेषण प्रक्रिया के प्रति सजग रहा है। सामाजिक विकास व सम्प्रेषण विकास क्रम साथ–साथ विकसित हुआ । सम्प्रेषण किसी सीमा में नही बांधा जा सकता है। फिर भी कुछ मापदण्डों को आधार बनाकर इसे संचारित किया जा सकता है। संदेश को जिन मान्यताओं, सीमाओं एवं परिवेष में संचारित किया जाता है वही सम्प्रेषण–मॉडल कहलाते

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

है। दूसरें शब्दों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के मध्य आदर्श मूल्यों की रक्षा तथा स्थापना करने के लिए सार्वभौमिक समुदाय हेतु निश्चित सीमा में किया गया सम्प्रेषण के मॉडल है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवषों की स्थापना हेतु प्रतिपादित सम्प्रेषण मॉडल :

1. **वैदिक मॉडल–** विश्व का सबसे प्राचीन मॉडल माना वेदकाल से ही प्रचलित है। इसकी सम्प्रेषण–पद्धति गुरु शिष्य शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। वैदिक सम्प्रेषण में हजारों वर्षों तक केवल मौखिक सम्प्रेषण ही होता था। राजा को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था। राजा व प्रजा के बहुत मधुर सम्बन्ध थे।यह सम्प्रेषण विशेष रूप से भारतीय संस्कृति एवं भारतीय परम्पराओं पर ही टिका हुआ था। ब्रिटिश शासन के आने पर अंग्रेजों ने इन्हीं परम्पराओं पर कुठाराघात किया। आज ब्रिटिश मॉडल की झलक भारतीय सम्प्रेषण पद्धति पर दिखाई देती है।

2. **यूरोपीयन मॉडल–**यूरोपीय देशों की संप्रेषण व्यवस्था का यह मॉडल स्वतंत्र विचारों एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है इसमें मनुष्य की संवेदना सेवा भाव एवं ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर दिया गया यह मॉडल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इसमें अवरोधों को कोई स्थान नहीं है।

3. **चाइनीस मॉडल–** चीन एक साम्यवादी देश होने के साथ बौद्ध धर्म से प्रभावित है यहां देश की संप्रेषण व्यवस्था में महात्मा बुद्ध के विचारों जिनमें बड़ों का सम्मान और मानवीय गुणों का महत्व क्रांति के बजाय शांति से बात देश के प्रति वफादारी शामिल है चीन की संप्रेषण पद्धति भारत के पंचशील मॉडल पर आधारित है।

4. **इस्लामिक मॉडल–**यह मॉडल मुस्लिम रूढ़ीवादी मॉडलों पर आधारित है। इसका प्रमुख आधार मुस्लिम धार्मिक ग्रन्थ कुरान है। इस मॉडल के दो भाग हैं। इस मॉडल में पुरुषों को बहुत ऊँचा दर्जा दिया गया है। एक भाग मोहम्मद साहब के बनाए कानूनों के अनुसार यह अत्यन्त मानवीय एवं स्नेहींहै परन्तु इसका दूसरा भाग अत्यन्त कठोर एवं निर्दयी है जो धर्म के ठेकेदारों एवं मौलवियों द्वारा निर्धारित किया गया है। ये मॉडल मुस्लिम युवा–वर्ग को दिग्भ्रमित कर जातीय ढंगे औरतों पर बहुत–सी पाबन्दियाँ लिए बहुत ही संकीर्ण विचार पर आधारित है।

5. **कट्टरवादी मॉडल–**जब धर्म एवं जाति के नाम पर अनेक पाबन्दियाँ लगाकर सम्प्रेषण को एक तरफा कर दिया जाता है तब आम जनता इस घुटन से बाहर निकलना चाहती है। इस प्रकार के मॉडल को कट्टरवादी मॉडल कहा जाता है। बर्मा ,थाईलैण्ड, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों में कट्टरवादी मॉडल को बढ़ावा मिला। इसमें समाज के रहन–सहन, उठने–बैठने, घूमने–फिरने लिखने–पढ़ने टी.वी., रेडियो आदि पर भी महिलाओं की हिस्सेदारी आदि पर पाबन्दी लगा दी जाती है। धीरे–धीरे यह मॉडल असफल हो जाता है तब उदारवादी मॉडल लागू कर दिया जाता है।

6. **साम्यवादी मॉडल–** 1917 में हुई क्रांति की सफलता के पश्चात सोवियत संघ में साम्यवादी मॉडल लागू किया गया महान नेता लेनिन के विचारों ने रूस, चीन, क्यूबा तथा संसार के कई देशों को प्रभावित किया था साम्यवाद की मूल विचारधारा शोषित वर्ग के लिए करुणा की भावना तथा शोषक वर्ग के प्रति कटुता की भावना पर आधारित थी यह मॉडल वैश्विक घटनाओं से जन सामान्य को दूर रखने तथा परंपरागत तरीके से जीवनयापन करने का समर्थक था।

7. **उदारवादी मॉडल–** सम्प्रेषण के सर्वश्रेष्ठ मॉडल में संसार की सभी श्रेष्ठ बातों को सम्मिलित किया गया है। इसमें सरकार के विरुद्ध अपने विचारों को प्रसारित करने की पूरी छूट होती है। यह मॉडल सम्प्रेषण के लिए दैनिक आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों को समझने, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने जैसे विषयों पर बल दिया जाता है।

ख. विभिन्न विद्वानों एवं लेखकों के विचारों पर आधारित सम्प्रेषण मॉडल– सम्प्रेषण पर अध्ययन तो हुआ पर चिन्तन कम हुआ, जिससे सम्प्रेषण का दार्शनिक पक्ष अभी भी पूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं आ सका। इस पर पश्चिमी प्रभाव तथा वर्चस्व अधिाक है। सम्प्रेषण के सैद्धन्तिक विकास एवं अध्ययन से पूर्व का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से उपेक्षित रहा है। इसी कारण सम्प्रेषण मॉडल को पश्चिमी देन के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी विद्वानों के कुछ प्रमुख सम्प्रेषण–मॉडल निम्नलिखित हैं–

1. **अरस्तु का मॉडल–** इस मॉडल को ग्रीक दार्शनिक अरस्तू ने 2300 वर्ष प्रतिपादित किया था। अरस्तू के अनुसार प्रेरक तकनीक के प्रयोग द्वारा सन्देश प्राप्तकर्ता की विचार प्रक्रिया को परिवर्तित कर सकता है। इस मॉडल के अनुसार सम्प्रेषण के लिए प्रेषक सन्देश तथा प्राप्तकर्ता तीन प्रमुख अंग हैं जिनमें प्रेषक सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसमें माध्यम का उल्लेख नहीं है क्योंकि उस समय सम्प्रेषण मौखिक था। यह सम्प्रेषण मौखिक मॉडल एक तरफा है।

2. **मर्फी मॉडल–**इस मॉडल का प्रतिपादन सन 1947 में एच.ए.मर्फी, एच. डब्ल्यू. हिल्डब्रेन्ड एवं जे.पी. थॉमस ने संयुक्त रूप से किया। इस मॉडल में मुख्यत: प्रेषक संदेश का चयन करके उसे सम्प्रेषित करता है। वह संदेश के सम्प्रेषण के लिए उचित माध्यम का चुनाव करता है। प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया करता है।

3. **लासवेल का मॉडल–** सन् 1948 में इस मॉडल का प्रतिपादन हैराल्ड डी.लासवेल ने किया। सम्प्रेषण प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए लासवेल ने 5 प्रमुख तत्वों कौन, क्या, किस माध्यम से, किसके लिए, क्या प्रभाव को सम्मिलित किया हैं। लासवेल के सम्प्रेषण मॉडल में सभी आवश्यक तत्वों का उल्लेख है परन्तु फीडबैक का उल्लेख नहीं है। फीडबैक को लासवेल ने प्रभाव के अन्तर्गत सम्मिलित किया है। लासवेल मानते है कि प्रेषक उचित माध्यम का प्रयोग करके प्राप्तकर्ता की विचार प्रणाली में परिवर्तन ला सकता है। लासवेल मॉडल में सम्प्रेषण का माध्यम को अधिक महत्त्वपूर्ण माना है।

4. **शैनन एवं वीवर का मॉडल–** सन् 1949 में सी.ई. शैनन एवं डब्ल्यू वीवर ने मशीनी सम्प्रेषण का एक मॉडल विकसित किया। इस मॉडल का सम्बन्ध रेडियो एवं टेलीफोन सम्प्रेषण से जुड़ा था। इस तकनीकी मॉडल में इन्होंने सम्प्रेषण प्रक्रिया का 1. तकनीकी 2. अर्थ एवं प्रसारण 3. श्रोता के स्तरों पर विश्लेषण किया। इनका मानना था कि संदेश प्राप्त कर पहले उसे सांकेतिक भाषा में परिवर्तित किया जाए जिससे प्राप्तकर्ता संदेश समझ जाए। संदेश को सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करने का उद्देश्य था कि बाह्य शोर आदि जो बातें संदेश को अशुद्ध कर देती है उनको समाप्त कर दिया जाए और संदेश शुद्ध रूप में प्रेषित किया जा सके।

5. **शैरम का मॉडल–** सन 1954 में विलबर शैरम का मॉडल अस्तित्व में आया। इन्होंने शैनन और वीवर के मॉडल पर ही अपने सम्प्रेषण सिद्धान्त का विकास किया। इन्होंने अपने सिद्धान्त के तीन मॉडल पेश किए। प्रथम प्रारूप शैनन एवं वीवर के मॉडल का अनुकरण था परन्तु इनके अुनसार शोर जैसी कोई बात संदेश में होती ही नहीं तथा संदेश कभी अशुद्ध नहीं होता। दूसरे मॉडल में सम्प्रेषण का माधयम प्रेषक द्वारा जाना चाहिए। इसी माध्यम

द्वारा संदेश इस प्रकार प्रेषित किया जाए कि वह प्राप्तकर्ता की समझ में आ जाए। तीसरे मॉडल में प्राप्तकर्ता द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया को महत्तवपूर्ण माना है। प्राप्तकर्ता तथा उसके द्वारा दिया गया फीडबैक दोनों को महत्तव दिया। इनके मॉडल के निम्नलिखित प्रमुख अंग है– 1. प्रेषक 2. सांकेतिक प्रक्रिया 3. असांकेतिक प्रक्रिया 4. संदेश का लक्ष्य 5. प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया।

6. बरलो का मॉडल– यह मॉडल बोध क्षमता को महत्तव देता है। बोध क्षमता से तात्पर्य आँख, नाक, कान आदि इन्द्रियों द्वारा ग्रहण प्रत्यक्ष ज्ञान से है। इनके अनुसार प्रेषक संदेश को अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करता है तत्पश्चात् किसी माध्यम के द्वारा संदेश प्राप्तकर्ता को भेज देता है। संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को किस प्रकार तथा किस रूप में प्राप्त करता है यह उसके विवेक तथा ज्ञान पर निर्भर करता है।यह मॉडल बहुत संकुचित है क्योंकि इसमें सम्प्रेषण–प्रक्रिया की कई महत्त्वपूर्ण अवस्थाओं जैसे–माध्यम, साधन, प्रतिपुष्टि आदि की अवहेलना की गई है।

7. थिल एवं बोवी मॉडल– जॉन थिल एवं कोर्टलैण्ड एल. बोवी के अनुसार व्यावसायिक सम्प्रेषण घटनाओं की एक कड़ी है जिसकी पाँच अवस्थाएँ जो प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता को आपस में जोड़ती हैं। प्रेषक का विचार जिसे वह संदेश के रूप में परिवर्तित करके उचित माध्यम के द्वारा प्रेषित करता है। तत्पश्चात् इस संदेश को प्राप्तकर्ता समझ कर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त करता है। इस प्रकार सम्प्रेषण–प्रक्रिया अपना पूर्ण रूप धारण करती है।

सम्प्रेषण का आधुनिक मॉडल–आधुनिक मॉडल सम्प्रेषण प्रक्रिया को एक चक्र में प्रस्तुत करता है। इस चक्र के अनुसार संदेश को प्राप्तकर्ता के पास भेज दिया जाता है। प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करने के पश्चात् अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है जो उसकी प्रतिपुष्टि को दिखाती है। इस प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं:–

1 आगम–वे सभी विचार एवं सूचनाएँ जिन्हें प्रेषक प्रेषित करना चाहता है।

2 माध्यम–प्रेषक सूचनाओं को भेजने हेतु जिस माधयम,टेलीफोन, फैक्स, ई–मेल, पत्र रिपोर्ट आदि का सहारा लेता है।

3 संदेश–वे सूचनाएँ जिन्हें भेजा जा रहा है।

4 संदेश की प्राप्ति–जो संदेश वास्तव में प्राप्त हो रहा है।

5 प्रतिपुष्टि–संदेश प्राप्ति के बाद प्राप्तकर्ता के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है।

6 संदेश हानि–जो संदेश भेजा गया, ठीक उसी रूप में स्वीकार नहीं किया गया, उसमें कुछ अन्तर आना ही संदेश हानि कहलाती है सम्प्रेषण प्रक्रिया की बाधाओं के कारण ही ये संदेश हानि होती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सम्प्रेषण के अनन्त रूप एवं व्यवहार है इस कारण सम्प्रेषण के अनन्त प्रारूप हमें प्राप्त होते हैं।

'सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेष के संदर्भ में सम्प्रेषण के समक्ष चुनौतिया'

सम्प्रेषण मनुष्य के अस्तित्व का अभिन्न अंग है। मनुष्य में अपने भावों, विचारों, अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को दूसरों के साथ बाँटने की सहज, नैसर्गिक, अदम्य वृत्ति होती है। सम्प्रेषण की आवश्यकता, अन्य मनुष्येतर प्राणियों को भी होती है किंतु मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सम्प्रेषण के लिए विभिन्न संकेतों एवं प्रतीकों के अतिरिक्त शब्दों का भी प्रयोग करता है। शब्दों के माध्यम से सम्प्रेषण करना मनुष्य की नैसर्गिक वृत्ति भी है और क्षमता भी। मनुष्य की सजगता एवं सचेतता स्वयं के अतिरिक्त अपने आसपास के समाज एवं जगत के प्रति भी होती है। अत: जितनी तीव्र इच्छा उतमें स्वयं को अभिव्यक्त करने की होती है उतनी लालसा उसमें दूसरों को जानने व समझने की भी होती है। मनुष्य की यही अद्‌भुत वृत्ति सम्प्रेषण का आधार है।

मनुष्य के जीवन से सहज, स्वाभाविक एवं अनिवार्य रूप से जुड़ी सम्प्रेषण की प्रक्रिया उतनी ही चुनौतीपूर्ण है जितना मनुष्य का चुनौतियों से भरा जीवन है। सामाजिक प्राणी मनुष्य का जीवन एक जटिल एवं संश्लिष्ट व्यापार है। उसी प्रकार सम्प्रेषण भी एक संश्लिष्ट एवं द्वन्द्वात्मक क्रिया है। जब मनुष्य स्वयं कई बार अपने ही भावों और विचारों में इतना उलझ जाता है कि न तो वह किसी अर्थपूर्ण निष्कर्ष तक पहुँच पाता है और न ही उचित शब्दों के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है तो अन्य लोगों की भावनाओं और विचारों को समझना निश्चित रूप से एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है।

सम्प्रेषण के अनेक प्रयुक्ति–क्षेत्र जैसे–वैयक्तिक, सामाजिक, साहित्यिक, व्यावसायिक, कार्यालयी, तकनीकी, वैज्ञानिक आदि। किन्तु सम्प्रेषण की प्रक्रिया के मूल चार पक्ष होते हैं। जो व्यक्ति सम्प्रेषित करता है वह वक्ता या प्रेषक है और जो सम्प्रेषण का लक्ष्य है अर्थात् जिस तक सम्प्रेषित किया जाना है वह श्रोता या प्राप्तकर्ता है। प्राप्तकर्ता व्यक्ति स्वयं, कोई दूसरा व्यक्ति, एक पूरा समूह या समाज हो सकता है। सम्प्रेषण का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तत्व है वह विचार या भाव जो सम्प्रेषित किया जाता है अर्थात् संदेश या कथ्य। सम्प्रेषण को चौथा महत्त्वपूर्ण पक्ष है माध्यम अर्थात् भाषा। सम्प्रेषण की पूर्णता में ये चारों पक्ष अनिवार्य हैं। किन्तु इन चारों पक्षों की प्रकृति अपने आप में भिन्न प्रकार की है।

वक्ता या प्रेषक और श्रोता या प्राप्तकर्ता सम्प्रेषण की प्रक्रिया के जनक हैं अर्थात् वक्ता से आरंभ होकर सम्प्रेषण प्रक्रिया श्रोता तक पहुँचकर पूर्ण होती है और प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया के रूप में इन दोनों की भूमिका निरंतर परिवर्तित होती रहती है। किन्तु माध्यम और संदेश वक्ता और श्रोता द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होते हैं, अत: माध्यम और संदेश अपने आप में एक पूर्ण इकाई हो सकते हैं परन्तु सम्प्रेषण की इकाई के रूप में ये नियंत्रित एवं आश्रित होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का जीवन एवं व्यवहार अत्यन्त चुनौतीपूर्ण होता है उसी प्रकार मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला सम्प्रेषण–व्यापार भी चुनौतियों से युक्त होता है।

सम्प्रेषण में आने वाली चुनौतियों को मुख्यत: तीन स्तरों पर विश्लेषित किया जा सकता है–

क. मानवीय स्तर पर

ख. कथ्य के स्तर पर

ग. माध्यम के स्तर परक

मानवीय स्तर पर–सम्प्रेषण का आरम्भिक और अंतिम बिन्दु मनुष्य है अर्थात् सम्प्रेषण किसी व्यक्ति से आरम्भ होकर किसी अन्य व्यक्ति, समूह या समाज तक पहुँचकर समाप्त होता है। मनुष्य के जीवन की विविधता और विषमता को यदि देखा जाए तो सम्प्रेषण का सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण पक्ष यही है मानवीय स्तर पर सम्प्रेषण दो स्तरों पर होता है व्यक्ति का व्यक्ति से, और व्यक्ति का समाज से। दोनों ही स्तरों पर अनेक कारक सम्प्रेषण को प्रभावित करते हैं।

व्यक्ति का लिंग, आयु, सामाजिक, आर्थिक स्तर, शिक्षा, मानसिक स्थिति, परिवेश आदि अनेक ऐसे कारक हैं जिनके कारण सम्प्रेषण चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

मानवीय स्तर पर सम्प्रेषण में आने वाले इन कारकों को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है–सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक।

- **सामाजिक–**इसमें मनुष्य की आयु, लिंग, शिक्षा और उसका आर्थिक स्तर एवं सामाजिक सम्बन्ध आदि मुख्य रूप से आते हैं। एक वयस्क और बच्चे के मध्य, स्त्री और पुरुष के मध्य, दो भिन्न आर्थिक स्तरों से आए व्यक्तियों के मध्य, विभिन्न सामाजिक सम्बन्धों मालिक–नौकर, शिक्षक–छात्रा, अधिकारी–कर्मचारी व शिक्षित–अशिक्षित आदि व्यक्तियों के मध्य सम्प्रेषण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इन अलग–अलग स्तरों पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को सही अर्थ में सम्प्रेषित कर पाना निश्चित ही दुष्कर कार्य है। प्रत्येक स्तर पर व्यवहार और अपेक्षाओं की सीमा में बँधे व्यक्ति के लिए सम्प्रेषण अत्यन्त कठिन होता है। सम्प्रेषण में किसी भी प्रकार की कमी अस्पष्टता, संदिग्धता, भ्रामकता, संदेह आदि अनेक स्थितियों को उत्पन्न करती है।
- **मनोवैज्ञानिक–**मनुष्य भावप्रवण व विचारशील प्राणी है। उसके भाव और विचार उसके मन, बुद्धि और हृदय से प्रभावित होते हैं। उसके मन, बुद्धि और हृदय में क्रिया–प्रतिक्रिया स्वरूप उठने वाली प्रत्येक तरंग उसके बाह्य आचरण को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि व्यक्ति का बाह्य क्रिया–व्यापार उसकी आंतरिक एवं मानसिक अवस्था का सूचक होता है। सम्प्रेषण भी मनुष्य के बाह्य सामाजिक व्यवहार की प्रक्रिया है। अत: स्वाभाविक रूप से मनुष्य की मानसिक अवस्था उसके सम्प्रेषण को नियन्त्रित करती है। इस मन:स्थिति का प्रभाव व्यक्ति के वैयक्तिक और सामाजिक सम्बन्धों पर समान रूप से देखा जा सकता है।
- **भौतिक–**समय, स्थान और वातावरण के अनुरूप सम्प्रेषण अत्यन्त चुनौतीपूर्ण होता है। उचित समय, उचित स्थान, व उचित वातावरण में उचित सम्प्रेषण मानवीय व्यवहार का अत्यन्त चुनौतीपूर्ण पक्ष है। कई बार अच्छे से अच्छा वक्ता, समय और स्थान की अनुपयुक्तता के कारण परास्त होता है। अपने देश में बढ़–चढ़कर बोलने वाले व्यक्ति की विदेश में न तो आवाज निकलती है और न ही उसकी कोई सुनवाई होती है। आपात काल या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी सम्प्रेषण एक प्रकार की चुनौती बन जाता है। सही समय पर, सही लोगों को उचित संदेश और सहायता पहुँचाना एक बड़ी चुनौती है। अनेक प्रकार की भौतिक बाधाएँ भी सम्प्रेषण के कार्य को कठिन बना देती हैं।

ख. कथ्य के स्तर पर–कथ्य से तात्पर्य है–श्रोता तक पहुँचाने के लिए वक्ता का अभिप्रेत। अर्थात् जो बात या संदेश जिस अर्थ में वक्ता श्रोता तक पहुँचाना चाहता है वह सम्प्रेषण का प्रमुख अंग है। वैयक्तिक और सामाजिक स्तर पर उचित एवं सार्थक संदेश सम्प्रेषित करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। किस व्यक्ति को किस समय क्या कहा जाए कि उसका वही प्रभाव पड़े जैसा कि वक्ता चाहता है, यह अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य है। कई बार कथ्य की अस्पष्टता और निरर्थकता अनेक मानवीय सम्बन्धों को बिगाड़ देती है। कभी–कभी अनेक उलझनें पैदा कर देती है कथ्य की स्पष्टता और सार्थकता बिगड़े हुए सम्बन्धों और कार्यों को बना भी देती है और सुलझा भी देती है। अत: सही कथन, सही संदेश, सही बात सम्प्रेषित करना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण और महत्त्वपूर्ण होता है।

ग. माध्यम के स्तर पर–मानवीय सम्प्रेषण का प्रमुख माध्यम भाषा के रूप में अनेक रूपों में अनेक कार्य करती है जैसे–भाषा मौखिक और लिखित रूपों में मुख्यत: प्रयोग में लाई जाती है। मौखिक रूप में वार्तालाप, व्याख्यान, भाषण, प्रवचन और लिखित रूप में तो भाषा बहुआयामी है ही। भाषा के लिखित रूप को हस्तलिखित, प्रिंट माध्यम और इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा सम्प्रेषित किया जा सकता है। हर माध्यम में भाषा का अपना अलग स्वरूप है जो सम्प्रेषण को प्रभावी बनाता है। सम्प्रेषण की प्रक्रिया के सन्दर्भ में मौखिक रूप में भाषा का प्रयोग सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि एक बार कही गई बात को बदलना या नकारना आसान नहीं होता। किन्तु भाषा अपने मूल रूप में मौखिक ही होती है इसलिए मौखिक सम्प्रेषण अधिक सहज एवं प्रभावपूर्ण भी होता है और चुनौतीपूर्ण भी। लिखित रूप में भाषा अपने माध्यम के अनुरूप प्रयोग में लाई जाती है। साहित्य की भाषा का अलग रूप एवं सौन्दर्य है तो समाचार–पत्र, पत्रिकाओं की भाषा अलग है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के अनुरूप, भाषा, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली से युक्त होती है। कार्यालयी भाषा का अलग रूप–विधान है। इसी प्रकार इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों की भाषा का स्वरूप दृश्य एवं श्रव्य रूप में मिश्रित विधान की अपेक्षा रखता है। माध्यम के रूप में भाषा के इतने विविधा प्रयोग निश्चित ही भाषा–प्रयोक्ता के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। हर विधा के अनुरूप भाषा का सम्प्रेषणीय प्रयोग भाषा के प्रयोक्ता के लिए अत्यन्त दुष्कर कार्य है। इसीलिए एक विधा में सफल व्यक्ति दूसरी विधा में इतनी सफलता से सम्प्रेषण नहीं कर पाता। कोई साहित्यकार जितने प्रभावपूर्ण तरीके से अपने कथ्य को किसी रचना में व्यक्त करता है उतने ही प्रभावशाली रूप में वह किसी टी.वी. कार्यक्रम या सिनेमा के माध्यम से अपनी बात पाठक, श्रोता या दर्शक तक सम्प्रेषित कर सके यह आवश्यक नहीं है। अत: सम्प्रेषण की सफलता माध्यम के उचित प्रयोग पर निर्भर करती है जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण भी है और चुनौतीपूर्ण भी है।

निष्कर्ष– आज के व्यस्ततम व प्रतिस्पर्धात्मक युग में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। समयाभाव ने संचार का महत्व बढ़ा दिया है कहा भी जाने लगा है कि अब दौड़ने के लिए पैरों की नहीं संचार की ज्यादा आवश्यकता है।सम्प्रेषण में आने वाली बाधाएँ सम्प्रेषण की चुनौतियों के आकार–प्रकार और गहनता को विस्तार देती हैं। सम्प्रेषण में अनेक प्रकार की बाधाएँ आती है जैसे–भाषिक, संगठनात्मक, भावनात्मक, भौतिक एवं यांत्रिक आदि। सम्प्रेषण की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न स्तरों पर आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं, किन्तु चुनौतियाँ सम्प्रेषण के आरम्भ में वक्ता या प्रेषक के सम्मुख आने वाले सम्प्रेषण के पक्षों से जुड़े वो कारक हैं जिन पर ध्यान देकर सम्प्रेषण को प्रभावी एवं सार्थक बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कम्यूनिकेशन स्किल्स, पी, प्रसाद, एस के कटारिया एंड सन्स
2. बिजनेस कम्यूनिकेशन, मीनाक्षी रमन प्रकाश सिंह, ऑक्साफोर्ड पब्लिकेशन नई दिल्ली
3. बिजनेस कम्यूनिकेशन एंड कस्टमर रिलेशन, मधुकर आर. के. विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली
4. व्यावसायिक सन्नियम एवं संगठन डॉ. आलोक यादव दीपक प्रकाशन वर्ष 2000

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Indus Script: The Lost Writing System of Ancient India

Dr. Rajkumari Sudhir*

***Asst. Professor (English) Govt. Sarojini Naidu Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - Indus script is made up of a collection of pictographic signs and human and animal motifs, including the unicorn.Since the Indus Script has not been deciphered yet, its use is not known with certainty and all that we think we know is based on archaeological evidence alone.

Introduction - The ***Indus Script*** is the **writing** system developed by the **Indus Valley Civilization** and it is the earliest form of writing known in the Indian subcontinent. The origin of this script is poorly understood: this writing system remains undeciphered, there is no agreement on the language it represents, no bilingual texts have been found thus far and its connection with Indian writing systems proper (e.g. Brahmi, Devanagari and Bengali script) is uncertain. This is the main reason why the **Indus Valley Civilization** is one of the least known of the important early civilizations of antiquity.

During the early Harappan phase (c. **3500-2700** BCE), we find the earliest known examples of the Indus Script signs, attested on *Ravi* and *KotDiji* **pottery** excavated at Harappa. Based on the fact that only one sign is displayed on the pottery surface, these examples represent a premature stage in the development of the Indus Script. Its full development was reached during the Urban period (c. **2600-1900** BCE), when longer inscriptions are recorded. Thousands of inscriptions are known from some 60 excavation sites: most of them are short, the average length is five signs and none of them is longer than 26 signs.

Undeciphered: Since the Indus Script has not been deciphered yet, its use is not known with certainty and all that we think we know is based on archaeological evidence alone. Some of the seals may have been used as amulets or talismans, but they also had a practical function as a marker for identification. Since writing in ancient times is generally associated with elites trying to record and control transactions, it is also believed that the Indus Script was used as an administrative tool. There are also examples of this script being used on clay tags attached to bundles of goods that were traded between merchants; some of these clay tags have been found in the **Mesopotamia** region, well outside the Indus Valley, a testimony of how wide goods travelled in ancient times.

The Indus Script was also used in the context of 'narrative imagery': these images included scenes related to myths or stories, where the script was combined with images of humans, animals and/or imaginary creatures depicted in active poses. This last use resembles the religious, liturgical and literary use which is well attested in other writing systems.

There are a number of factors preventing scholars from unlocking the mystery of the Indus Script. To begin with, some of the languages of ancient times, such as **Egyptian**, were deciphered thanks to the recovery of bilingual inscriptions, that is by comparing an unknown script with a known one. Unfortunately, no bilingual inscriptions have yet been found to allow the Indus Script to be compared to a known writing system.

Indus Valley Seals
MrABlair23 (Public Domain)

Another obstacle for its decipherment relates to the fact that all of the inscriptions found so far are relatively short, fewer than 30 signs. This means that analysing recurring sign patterns, another technique that can help to unlock the meaning of a writing system, cannot be

successfully performed for the Indus Script.

The last important reason why the Indus Script remains undeciphered, and possibly the most debated of all, is that the language (or languages) that the script represents is still unknown. Scholars have suggested a number of possibilities: **Indo-European** and Dravidian are the two language families most commonly favoured, but other options have been proposed as well, such as Austroasiatic, Sino-Tibetan, or perhaps a language family that has been lost. On the basis of the material **culture** associated with the Indus Valley Civilization, a number of scholars have suggested that this civilization was not Indo-European.

Archaeological Explorations: The excavations of MohenjoDaro began upon its discovery and more professional archaeological explorations were carried out 1922-1930 under Sir John Marshall, the Director General of the Archaeological Survey of India (1906-1928).

But the evolution of the Indus script remains baffling. Early writing is commonly associated with the Sumerians along the Tigris and Euphrates rivers in southern Mesopotamia, the ancient Egyptians along the Nile, and the ancient Chinese along the Huang He River. But although it shares some elements with other early writing, the form of the Indus script has unique elements, suggesting it may have developed indigenously.

The earliest potters' marks in the subcontinent date to 6,500 years ago and were found in Harappa, and clearer writing emerged around 5,300 years ago, according to Jonathan Mark Kenoyer of the University of Wisconsin, an expert on the Indus Valley. That is roughly the same period of proto-cuneiform emerging in Mesopotamia and hieroglyphic writing in Egypt.

The more orderly Indus script incorporating some of the early potters' marks remained in use until about 1850 B.C.E., possibly longer in some pockets.

"Indus script is made up of a collection of pictographic signs and human and animal motifs, including the unicorn," says Dr.Asma Ibrahim, director of the State Bank Museum and a renowned archeologist of Pakistan, who believes it was the earliest form of writing.

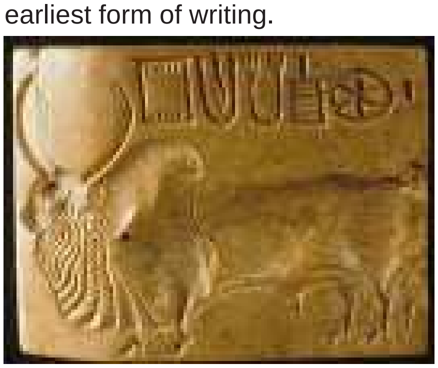

Bull seal with Indus script found at MohenjoDaro

Inscriptions: Most of the inscriptions are brief: five marks on average, and the longest found to date has just 27. They are found mostly on flat stamp seals, tools, tablets, ornaments and pottery, she says.

What any of it means is another matter. "Societies in the deep past have always been an enigma," Dr.KaleemullahLashari – chairman of the Management Board for Antiquities & Physical Heritage, Government of Sindh tells Haaretz: It is difficult to explain artifacts and locations from the distant past because of the long disconnect between then and the present, he adds.

The Excavators Findings: "In such situation the inscriptions are always greatly helpful in providing the bases for the understanding of the ancient belief systems, dynasties, administrative systems, ruling groups, governing laws, etc.," Lashari says. "To their good fortune [at MohenjoDaro] the excavators found a large number of seals and other objects comprising the Indus signs; but it has turned into their frustration, when these signs couldn't be read or explained."

Their brevity isn't helpful. Elsewhere, early writing was used to prepare documents (from official records to gripes to hexes). Attempts to decipher Indus script go back to its discovery, Ibrahim says. "More than a hundred attempts of decipherment have been published," she adds – and maybe, after all, progress is being made. Some scholars of Indus valley script believe it was generally used by the elite to record and control transactions of economic nature, as an administrative tool and for religious purposes. "Another group of scholars believe it was used as mark of identification, as is mostly found on seals. Those might have been used as amulets," she adds.

References:-

1. Fortson,B. *Indo-European Language and Culture.* Wiley-Blackwell, 2009.
2. Haywood, J. *The Penguin Historical Atlas of Ancient Civilizations.* Penguin Books, 2005.
3. Scarre, C. *The Human Past.* Thames & Hudson, 2013.
4. Wright, R. *The Ancient Indus.* Cambridge University Press, 2009.
5. Cristian Violatti.https://www.worldhistory.org/Indus_Script/
6. Qaseem Saeed and Ruth Schuster. https://www.haaretz.com/archaeology/2020-06-17/ty-article-magazine.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

पुस्तकालय: एक सर्वेक्षण

स्वाति पाण्डेय* डॉ. धर्मवीर सिंह**

* पीएच.डी शोध छात्रा (पुस्तकालय विज्ञान) सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर (राज.) भारत
** प्राध्यापक एवं मार्गदर्शक (पुस्तकालय विज्ञान) सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर (राज.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र पुस्तकालय के महत्व एवं समस्या से सम्बंधित है पुस्तकालय किसी भी संस्था का ह्रदय माना जाता है ग्रंथालय पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है जो समाज के कल्याण में निरंतर रहती है। भारत वर्ष में विद्यादान की सर्वाधिक महिमा है, विद्यादान को सभी दानो में श्रेष्ठ माना जाता है। पुस्तकालय वह संस्था है जन्हा पर व्यक्ति अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक होती है मध्य प्रदेश में स्थित शहडोल संभाग के पुस्तकालय की स्थिति, उपयोग सेवा आदि के बारे में जानना व पाठक को उससे अवगत करना ही इस शोध का मुख्य उद्देश्य है तथा उसकी स्थिति को सुधारने में सहभागी होना है विद्या दान को सभी प्रकार के लोगों के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है हमारे भारत वर्ष में कोई भी ज्ञान के प्रभाव से अछुता ना रहे, इसलिए यह प्रयास पुस्तकालय के रूप में भी किया गया है जो बहुत ही प्रभावपूर्ण रहता है।

1. शिक्षा के क्षेत्र में।
2. उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में।
3. व्यवसाय के क्षेत्र में।
4. शोध एवं तकनिकी क्षेत्र में।
5. मनोरंजन के क्षेत्र में।
6. प्रगति के आधार में।

समाज के अन्य सामाजिक संस्थाओं की तरह पुस्तकालय भी एक संस्था है जो अन्य संस्थाओं की तरह ही कार्य करती है। पुस्तकालय में सूचना एवं ज्ञान का संकलन, संग्रहण, वर्गीकरण, प्रक्रियाकारण, व्यवस्थापन, संकीर्णन तथा वितरण प्रलेखबद्ध किया जाता है।

शब्द कुंजी – पुस्तकालय गुढवत्ता,संचालन प्रबंधन समस्या, आधुनिकीकरण।

प्रस्तावना – पुस्तकालय समाज के व्यक्तियों को शिक्षा देने में, अनुसन्धान के विकास में तथा सांस्कृतिक गतिविधियों आदि में अभूतपूर्व योगदान देती है। पुस्तकालय उस संस्था को कहते है जहां अध्ययन सामग्री जैसे पुस्तकें, फिल्म, पत्र – पत्रिकाएँ, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रन्थ, ग्रामोफोन रिकॉर्डर एवं अन्य पठनीय सामग्री संगृहीत होती हैं। इन सामग्रियों का रख – रखाव भी सही ढंग से किया जाता है वर्तमान समय में पुस्तकालय संचित पुस्तकों का कोषग्रह मात्र नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के साथ हर संभव सम्बन्ध स्थापित करने वाला बहुसूत्रिय संसथान बन गया है जो नई आवश्यकताओं को अपनी सूचनाओं द्वारा पूर्ण करने की वित्तीय एवं सामग्रियों से संपन्न होता है।आधुनिक युग में पुस्तकालय का कार्य विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा न केवल पाठकों को इच्छित पुस्तकें उपलब्ध करना है बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्तियों में ज्ञान प्राप्ति की आकांशा को भी पैदा करना भी है तथा उनकीं ज्ञान पिपासा को कम करना है। आज के आधुनिक युग में पुस्तकालय व ग्रंथालय को एक सामाजिक व शैक्षणिक केंद्र माना जा रहा है।

जैसा की हम जानते हैं की महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि को कोई भी संस्था एक सामुदायिक संस्था होती है जिसका मस्तिष्क शिक्षक होता है तथा ह्रदय ग्रंथालय होता है, अपने उद्देश्यों के अनुसार ग्रंथालय पुस्तकालय निम्न प्रकार के होते हैं :

1. शैक्षणिक ग्रंथालय,
2. व्यक्तिगत ग्रंथालय,
3. सार्वजनिक ग्रंथालय,
4. विशिष्ट ग्रंथालय;

पुस्तकें ही शिक्षा का आधार हैं, तथा ग्रंथालय शिक्षा के पूरक एवं सहयोगी होते है बहुत से ऐसे ग्रंथालय होते हैं जहां ग्रंथालय सेवा नहीं पंहुच पाती है अत: ऐसे स्थानों पर अध्ययन केंद्र के रूप में छोटे – छोटे ग्रंथालय स्थापित किये जा सकते हैं तथा पाठक सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है तथा इसी प्रकार पुस्तकालय का स्तर बढ़ने के लिए तथा पाठक तक ज्ञान पंहुचाने के लिए बुक स्टॉल लगे जा रहे हैं, उनमे से शहडोल संभाग में भी लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। सन्न 1990 के दशक में रेलवे फाटक के पास रामकुमार लाइब्रेरी स्थापित हुआ करती थी अब पब्लिक लाइब्रेरी के रोप में विवेकानंद पुस्तकालय जिसे ई – लाइब्रेरी का रूप दिया जा रहा है स्थापित है ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। ज्ञान जितना ही बांटा जाय उसकी उतनी ही बढ़ोत्तरी होती है तात्पर्य पाठकों की विभिन्न एवं विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु ग्रंथालय व बुक स्टॉल स्थापित किये जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक कार्य जो निम्नलिखित है वो संपन्न किये जा रहे हैं।

1. पाठकों को आधुनिक सर्वोत्तम सेवा, सन्दर्भ सेवा व सूचना सेवा को प्रदान करना है।

2. पाठकों के लिए प्रचार सेवाओं की व्यवस्था।

विशिष्ट अध्येताएँ – जैसे शोधकर्ता, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजिनियर आदि के लिए सूचना का संग्रहण करना आवश्यक है शिक्षा व ग्रंथालय दो जुड़वाँ बहने हैं, एक को दुसरे से अलग नहीं किया जा सकता।ग्रंथालय आधुनिक शैक्षणिक संरचना की नीव है,कोई भी शिक्षण संस्थान अपने शैक्षिक कार्य को पूरा करती है तो इसी तरह ग्रंथालय अपने ज्ञान समाप्ति को सही समय पर सही व्यक्ति को सही रूप में प्रदान कर उसके शैक्षणिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करती है। भविष्य में शैक्षणिक पुस्तकालय विद्यालय, महाविद्यालय, यांत्रिकी विद्यालय, विश्वविद्यालय और अन्य प्रकार की पुस्तकालय जैसे सार्वजनिक, शैक्षणिक, विशिष्ट, व्यक्तिगत और बाह्य प्रचार सेवा के लिए एक संचार माध्यम प्रदर्शनी आदि ग्रंथालय को शिक्षा की नीव कहा जाय तो अतिश्योक्ति नही होगी।

पुस्तकालय के द्वारा विद्यार्थी के साथ- साथ इस संस्था के सभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा ज्ञान की वृद्धि के साथ- साथ व्यक्तियों के पढने व स्वाध्ययन की रूचि भी बढती है महाविद्यालय तथा ग्रंथालय का विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसकी महत्ता को देखते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि, 'विश्वविद्यालय का अस्तित्त्व मानवता के लिए सहिष्णुता और विवेक के लिए विचारगत साहस तथा सत्य की खोज के लिए होता है। उसका लक्ष्य है मानव समाज निरंतर उद्देश्य के लिए कदम बढ़ाये। राष्ट्र जनता की भलाई इसी में है की विश्वविद्यालय अपने दायित्व का समुचित निर्वहन करे।' राधाकृष्णन आयोग ने कहा कहा था कि, 'यदि शिक्षा और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हो तो प्रत्येक गाँव में ग्रंथालय की स्थापना करना आवश्यक है, पुस्तकालय शिक्षा संस्था का ह्रदय है।'

पुस्तकालय का समुचित विकास करने के सम्बन्ध में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉ. एस. आर. रंगनाथन ने कहा था कि, 'पुस्तकालय का अर्थ मात्र पुस्तकालयों का विकास ही नही वरन पुस्तकालयों का नियोजन विकास है।' इसी क्रम में डॉ. रंगनाथन के द्वारा निर्मित भारत में पुस्तकालयों के विकास हेतु एक 30 वर्षीय योजना 1950 में प्रकाशित की गई थी। यह अवश्य कहा जाता है कि डॉ.रंगनाथन जी के पांच सूत्रों के उद्देश्यों को पूरा करना है तो शासन एवं पुस्तकालय व शासन प्रबंधन पाठको व सभी का सहयोग प्राप्त होना चाहिए।

उद्देश्य:

1. पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की कमियों के बारे में पता लगाना।
2. पुस्तकालय का छात्रों द्वारा उपयोग कितना किया जाता है, उसकी जानकारी प्राप्त करना व भवन के विकास की जानकारी प्राप्त करना।

उपकल्पना – पुस्तकालय का संचालन पुस्तकालय विज्ञान के निम्नानुसार हो रहा है व पुस्तकालय में आधुनिकीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है।

अध्ययन क्षेत्र – कोई भी अध्ययन पूर्णत: सफल हो सके उसके लिए आवश्यक है, की किये जा रहे अध्ययन को क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक पद्धति से किया जाये व व्यक्ति आसानी से समझ सके।

शहडोल संभाग का परिचय – विन्ध्याचल की मैकल सुता श्रंखला की गोद में बसा शहडोल संभाग प्रदेश के मानचित्र पर 22.38 अंश उत्तर से 42.20 अंश देशांतर के मध्य स्थित है। 52% से अधिक अनुसूचित जाति - जनजाति बहुल्य व शहडोल संभाग समुद्र तट से 300 से लेकर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है। शहडोल संभाग मध्य प्रदेश का 10 वां संभाग है। जिसकी गोद में 03 जिले समाए हुए है शहडोल, उमरिया, व अनुपपुर जिला समाहित है।

प्राचीन काल में दुर्लभ कलाकृति महाकाल के विराट नगर कल्चुरिकाल व स्थापत्य कला के अवशेष यत्र-तत्र विद्यमान है।इसके अंतर्गत 6 जिले है। जिले की सीमा अपने परिचय में उमरिया जिले को स्पर्श करती है। जैसे 1993 में उमरिया जिला में बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, शहडोल जिले के निर्माता के रूप में पंडित शम्भूनाथ शुक्ला जी जाने जाते हैं। वैसे शहडोल संभाग के विकास एवं पुनरोत्थान के लिए बडी बात की जाय तो सम्माननीय स्व. श्री दलबीर शिंह जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है।

सुझाव –इस शोध में जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर महाविद्यालयों की पुस्तकालयों को इस प्रकार से सुझाव दिए जा रहा हैं :

1. पुस्तकालय भवन की व्यवस्था।
2. पुस्तकालय कर्मचारी की व्यवस्था।
3. नवीन पुस्तकों की संक्या में वृद्धि।
4. छात्र - छात्राओं की पुस्तकों को क्रय करना।
5. आलमारियां व आधूनकीकरण की व्यवस्था करना।
6. पर्याप्त पात्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था करना व पुस्तकालय बजट को बढ़ाना।

निष्कर्ष –शहडोल संभाग में पुस्तकालयों में छात्र-छात्राओं के लिए पर्याप्त व आधुनिक पात्र-पत्रिकाओ की कमी है और एक और मध्य प्रदेश शासन पुस्तकालयों की आधुनिकीकरण के लिए प्रयत्नशील है। वहीं दूसरी ओर Hardware & Software में लोगों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था नहीं है। शासन द्वारा अनुदान प्रर्याप्त बजट की व्यवस्था आवश्यक है प्रयास जारी है जिससे पुस्तकालयों को ई-लाइब्रेरी का रूप प्रदान किया जा सके। आज शहडोल संभाग में स्थित महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की स्थिति नि:संदेह काफी अच्छी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. पुस्तकालय व सूचना विज्ञान - वी.के. शर्मा
2. पुस्तकालय वर्गीकरण
3. फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस
4. Rearch Methodology/ L.N.Koli
5. शर्मा वी.के. शोध प्रविधियां एवं संखिकीय तकनीकी।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

सोशल मीडिया और वर्तमान राजनीति

हरीश खत्री* प्रो. संजय लोढ़ा**

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** सेवानिवृत आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – विश्व में होने वाली कोई भी घटना की प्रतिक्रिया तुरन्त होती है। घटना चाहे वह भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो वह उसे लाइक एवं डिसलाइक द्धारा तथा कमेंट करके भी अपने विचार रख सकता है। आज भारत के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल जनता से जुड़ने एवं प्रचार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया लोगों को अभियानों में भाग लेने और राजनीतिक कार्यकर्ता बनने के लिए अवसर प्रदान कर रहा है। साथ ही उम्मीदवारों को बेहतर ढंग से जानने और जाँच करने में मदद कर रहा है। अधिकांश राजनेता सोशल मीडिया पर अपनी प्रभावी उपस्थिति चाहते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस माध्यम ने मतदाताओं और नेताओं को करीब ला दिया है। सोशल मीडिया पर नेता अपने विचार, गतिविधियाँ और वीडियो प्रस्तुत करते है। अपने प्रशंसकों के साथ वार्तालाप करते हैं और उनकी टिप्पणियों का जवाब देते हैं। ऐसा करके ये अपने को सीधे जनता से जोड़ लेते हैं।

देश की करीब 43 करोड़ आबादी यानि लगभग 31 प्रतिशत इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। भारत में फेसबुक यूजर्स की संख्या लगभग 25 करोड़ है। इसी के साथ भारत दुनिया में सबसे ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाले देशों में पहले स्थान पर पहुंच गया। भारत में इस समय 65 प्रतिशत के करीब युवा है। सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं। कुल फेसबुक एक्टिव यूजर्स में से आधे से ज्यादा 25 साल से कम है। (स्त्रोत–हंस सितम्बर, 2018)

2013 में गूगल इण्डिया ने भारतीय शहरी मतदाताओं का मत जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया। इसके अनुसार 37 प्रतिशत शहरी भारतीय पंजीकृत मतदाता ऑनलाइन है। 94 प्रतिशत लोगों ने यह माना कि वह आने वाले चुनावों में अपना मत जरूर देंगे। 45 प्रतिशत मतदाताओं का कहना था कि वह अपने उम्मीदवार के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ऑनलाइन लेना चाहते हैं। चुनावों में सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ गई है।

अगस्त 2018 में एक पार्टी ने तो लोकसभा 2019 व विधानसभा चुनाव 2018 के बारे में उम्मीदवारी तय को लेकर कहा था कि उसी को टिकिट दिया जायेगा जिसके कम से कम 15 हजार फेसबुक लाईक्स होंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान चुनाव का परिदृश्य काफी बदला हुआ है और सीटों की उम्मीदवारी से लगाकर सीटों के परिणाम तक सभी सोशल मीडिया पर आधारित है।

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी इसका सहारा लिया है। चूंकि राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए आयोग ने तय किया कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के जरिए सोशल मीडिया पर किए गए खर्च और पोस्ट की जाने वाली सामग्री चुनाव आचार संहिता के दायरे में आएगी।

चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देश के मुताबिक प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करते वक्त दिए जाने वाले हलफनामे में अपनी ईमेल आईडी और अन्य अधिकृत सोशल मीडिया खातों का ब्यौरा देना पड़ता है। जुलाई 2017 में चुनाव आयोग और फेसबुक ने मिलकर मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष अभियान मतदाता पंजीकरण रिमांइडर शुरू किया। (स्त्रोत हंस, सितम्बर–2018)

सोशल मीडिया पर अपनी छवि निखारने के लिए राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ होते हैं। जहाँ पूरी टीम सक्रिय रहती है और इनका काम होता है, पार्टी के पेज से सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को जोड़ना। टीम के सदस्य पार्टी के पक्ष में पोस्ट लिखते हैं और टिप्पणियों का जवाब देते है। पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति और गतिविधियों से सम्बन्धित समाचार, चित्र एवं वीडियो अपलोड करते है। फेसबुक ट्विटर लाइव एवं यू–ट्यूब पर रैलियों के सीधे प्रसारण से वे लोगों तक पार्टी नेताओं की बात पहुँचाते हैं। नए सदस्यों की भर्ती करने एवं आर्थिक सहयोग लेने में भी सोशल मीडिया उपयोगी साबित हो रहा है। लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के फेसबुक पेज, टविटर अकाउंट और यू ट्यूब चौनल है। सभी पार्टियाँ नियमित रूप से सोशल मीडिया पर सक्रिय है।

2009 के आम चुनाव से पहले ही भाजपा ने इसका उपयोग शुरू कर दिया था। इसी पार्टी ने एक राजनीतिक दल के तौर पर 1998 में सबसे पहले अपनी वेबसाइट लांच की थी। कांग्रेस ने प्रारंभ में सोशल मीडिया को उतना महत्व नहीं दिया। वह परम्परागत मीडिया के सहारे रही, लेकिन 2014 के आम चुनाव के समय से कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गई है। दिल्ली में 2013 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 'आप' के सरकार बनाने में तथा 2014 के चुनाव ने भाजपा के सरकार बनाने में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही थी। राजनेता सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते है। वे आपके घर वोट मांगने नहीं आते तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़कर, आपके घर के प्रत्येक सदस्य से वोट देने की अपील कर सकता है। सोशल मीडिया में राजनेताओं को अपने प्रशंसकों–कार्यकर्ताओं से जुड़ने का अवसर मिलता है।

बदलते समय के साथ चुनाव प्रचार का अंदाज भी बदला है। राजनीति में प्रचार के पारम्परिक माध्यम रहे हैं, नुक्कड़ नाटक, रैली, संगोष्ठी, नौटंकी पर्चे, दिवार लेखन, पोस्टर, बैनर, पत्रपत्रिकाएँ, इलेक्ट्रोनिक माध्यम आदि।

अब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार पर ज्यादा जोर है, यह तेज माध्यम है, मंच पर बैठे बैठे राजनेता सभा की फोटो खींचकर ट्विट कर देते हैं और उनके समर्थक उसे वायरल कर लाखों लोगों तक मिनटों में पहुंचा देते हैं।

लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार और आम लोगों के बीच संवाद कायम रखने के लिए संचार माध्यमों की जरूरत होती है जिसकी सहायता से सरकार जनता तक पहुँच पाती है और लोग भी अपनी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुँचा पाते हैं। इस दिशा में 'दूरदर्शन, आकाशवाणी व अन्य पत्र पत्रिकाएं उल्लेखनीय है लेकिन जिस सघन स्तर पर संवाद स्थापित होना चाहिए था वह नहीं हो पाता है।'

सोशल मीडिया से शासन प्रणाली में बदलाव आया है। रेल्वे, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अनेक मंत्रालयों में फेसबुक या टविटर पर संबंधित विभागों को मेंशन कर देने भर से शिकायतों का निपटारा करने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया ने जनसंवाद को लेकर नौकरशाही को भी अधिक उत्तरदायी बनाया है। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सभी मंत्रियों को सोशल मीडिया के जरिये सक्रिय रूप से जुड़ने को कहा गया। मंत्रालयों को सोशल मीडिया पर एकाउंट खोलने और उस पर लोगों से जुड़ने तथा उनके सवालों के जवाब देने को कहा गया। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेन्द्र मोदी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहे और तमाम मुद्दों पर लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते रहे हैं। अब वे सोशल मीडिया पर दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। मोदी एप के माध्यम से वे अपनी और सरकार की गतिविधि के बारे में जनता को सूचित कर रहे हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए सीधे संवाद कर रहे हैं। वर्तमान राजनीति में सोशल मीडिया के माध्यम से जो नई प्रवृत्तियाँ उभर कर सामने आई है वे निम्न है:

1. जिस दिन लोकसभा या विधानसभा चुनाव होता है, उस दिन सोशल मीडिया के साधनों वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम द्वारा मतदाता को वोट करने या मत डालने के लिए प्रेरित किया जाता है और याद दिलाया जाता है।
2. 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सोशल मीडिया का काफी अच्छा इस्तेमाल किया तथा भाजपा का सोशल मीडिया प्रकोष्ठ अन्य राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले सबसे प्रभावी था।
3. भाजपा के सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद अन्य राजनीतिक पार्टियाँ भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। आज हर राजनीतिक पार्टी का अपना सोशल मीडिया अकाउंट (फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वाट्सएप) है।
4. राजनीतिक पार्टियाँ मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के वाट्सएप ग्रुप बनाकर उनको अधिक से अधिक अपनी पार्टी से जोड़ने का प्रयास करते है, अन्य सोशल मीडिया साधनों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर द्वारा भी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से सम्पर्क साधकर माहौल को अपने पक्ष में करने का प्रयास राजनीतिक पार्टियाँ कर रही है।
5. लोकसभा, विधानसभा तथा अन्य चुनावों में प्रत्याशी की रैलियों सभाओं एवं भाषणों को सोशल मीडिया साधानों (फेसबुक, यू ट्यूब व अन्य) द्वारा लाइव (सीधा प्रसारण) दिखाया जा रहा है।
6. चुनाव आयोग के आदेशानुसार प्रत्याशी के चुनाव खर्च में सोशल मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार के खर्च को भी शामिल किया गया है।
7. दिनभर ट्विटर पर ट्रेंड होने वाले हैशटेग शाम को टीवी चौनलों की प्राइम डिबेट का मुद्दा बन जाते है तथा जिनकी ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर तुरंत प्रतिक्रिया होती है।
8. लोकसभा व विधानसभा प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार-प्रसार में 3डी सभाएँ करने लगे है। ऐसा पहला उदाहरण हैदराबाद में लोकसभा चुनाव में मोदी के भाषण में हुआ था जहां उनका भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना पड़ता था।
9. आज सोशल मीडिया पर किसी भी कमेंट को हैशटेग व ट्रोल करके प्रतिक्रिया दी जाती है।
10. चुनाव प्रचार-प्रसार अभियान तथा मतदाता की जागरूकता में युवा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे अधिाक जुडा हे।
11. जिला युवक कांग्रेस चित्तौड़गढ़ व राजस्थान के सभी जिलों में युवक कांग्रेस के चुनाव मार्च (2020) में ऑनलाईन सम्पन हुए यह आनलाइन चुनाव एक नवाचार है।
12. पाकिस्तान के चुनाव में इमरान खान ने जीत के लिए एक मोबाइल एप का इस्तेमाल किया था।
13. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2016 में भी सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार प्रसार हुआ था।
14. इण्डिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जो कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2011 में नई दिल्ली में चला था और धीरे धीरे पूरे देश में फैला, इसके प्रसार में भी सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान था इसी आंदोलन के गर्भ से अरविंद केजरीवाल जैसे नेता (आप) निकले जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री है।
15. 2013 में नई दिल्ली में आप (आम आदमी पार्टी) की जीत में भी सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका थी।
16. अब चुनाव प्रचार में बिल्ले बेनर कम नजर आते है माइक पर जोर शोर से भाषण अब दूर की बात है। सोशल मीडिया के लिंक शेयर करके प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा हैं। प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में साहित्य या पेम्पलेट की बजाय गीतों व लघु फिल्मों का सहारा लिया जा रहा है।
17. आज हर राजनीतिक पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया माध्यमों से जोडकर रखते है। और लाइक व कमेंट करने पर जोर देते है।
18. वर्तमान में लोकसभा व विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में राजनीतिक पार्टिया यह मानदंड तय करती है कि जिसके अधिक लाईकस होंगें टिकट उसी को दिया जायेगा अत: प्रत्याशी चयन में सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
19. वर्तमान में जब कोरोना बीमारी फैल रही है, इस दौर में राजनीतिक पार्टियाँ अपने प्रचार में कार्यकर्ताओं, मतदाताओं को जोड़ने में वर्चुअल रैलियाँ कर रही है। अत: वर्चुअल रैली एक नई अवधारणा प्रकाश में आई है।
20. वर्तमान में नरेन्द्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, मायावती और भी कई महत्वपूर्ण नेताओं के सोशल मीडिया पर अकाउंट है उनको लाखों लोग फ़ॉलो करते है। अत: यह वर्तमान में सोशल मीडिया के बढ़ते महत्व को बताता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संजीव सिन्हा, , सत्ता का नया सम्प्रेषण, हंस, सितम्बर 2018, पृ. (97-99)

Queuing Theory : Application in Human Life

Santosh Prasad* Dr. S.K. Agnihotri**

*Research Scholar, Sam Global University, Bhopal (M.P.) INDIA
** Research Guide, Sam Global University, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - In the life of common person many such conditions are there in which they faced a queue.the study of waiting line is nothing but the field of Queuing theory, and the common man's life problem can be solved by this method very easily.for increasing the efficiency of service and also for thesatisfaction of customer the model of queuing theory plays an important role. In current paper, we discuss about some of the idea of queuing theory in some practical situations which is acceptedfor model about practical problem like in banking, toll plaza, railway station.in our daily life we have seen that queue is formed in different ways. for example,in hospital, railway station, shop of chemist, temples, post office, banks, airports, etc. In this paper, we explain the fundamental application of queuing theory and its uses in daily life of a common man.
Keywords - Queuing theory, Service efficiency, Fundamental, Arrival process, Queue length, Customer.

Introduction - The area of mathematics which mostly used for our daily life situation's by properly modeling and appropriately applying is known as Queuing theory.it is consist of specially two factors including customer and server. generally, we found queue or waiting line frequently in our daily life situation's.in the field of business also queuing theory we can apply this, we can see costumers in every field like coffee shop, general stores, theaters, at airports, patients in hospitals, petrol pump and many other where we can find queue for last some decades the queuing theory has been developed in large ratio and got used to different practical problems.in current paper we are discuss here some of them. The problem of queue is not only for human being but also for aero plains are finding the land for landing on the busy airport, uploaded ships, different accessories which is to be assembled, cars waiting, for traffic light to turn green color, in post offices, and different stores of medicine but the managements has tried to decrease the disappointment of customer's through improving the speed of check out and lines of cashier .Even though many service provider gives various different systems of check out and many shops adopted in past some decades of queuing system where persons have to wait for next available system in both cases the main issue is that the arrival scheduled and the number of facilities which is to be provided or in second case to get minimum balance among the price related with time of waiting line

Network of Queues: The network of queue is stated as the different groups of nodes in which every node shows a facility of service of various types .in this the consumers are coming from the outer area to that system towards any of the different nodes and also, they have the ability to make free from that system to the system through ant node or by following the similar path when they are entering into that system. again, people can re-entre to that node which is to be visited earlier.at that place we can remove some whole nodes of them or we have option that we can select remaining system of nodes.

Application of queuing theory

Traffic System: Queuing theory is one of the ways to reduce the traffic flow formed due to various vehicles such that we can decreases our delay time .in the development of human life transportation play very important role. with the help of queuing theory, we can develop the fundamental model of traffic flow of vehicles. which will helpful for describing the Fixed time of the road, and different colors of the traffic light either open or closed in decreased the congestion of traffic on the for road. this theory is also helpful for deceasing the consumption of fuel by saving money for the governments to solve the problem of different areas of the financial systems.

Banking: Now a days bank sectors are seen to be essential unit for the public .in this sector maximum banks applied standard model of queuing system which is known to be queuing model resulted into the avoiding the formation of queue which is stand for long time. One of the examples of unlimited queue length bank queue for generation of sequence of costumer's arrival time to select among three different systems including system of open account unit of transaction, and department of balance with variable time period for every service.

Toll plaza: To design the toll plaza is One of the well-known view of computer simulation int includes many subunits like methods of toll collection ,toll booth numbers and various

types of vehicles which have been passed from here .with the help of two different types of presentations of projected traffic volume we can find out the performance of toll plaza containing average length of queue ,average time of waiting ,maximum length of queue and maximum waiting time which is to be compared .while designing the toll plaza some things are taken in consideration like selection of lane option toll collection with the electronic media rates ,and manual toll numbers were joined with traffic flow components .evaluating the approximate value of inputs parameters for the simulation of traffic model is seen to be challenging for the engineers and also for builders .in the field of engineering to build a model of traffic simulation ,proper count of traffic in a specific time can be applied as a input parameter in the model other than assuming a probabilistic distribution

Railway station: One of the cheapest and easiest sources of transportation is given to be a railway transportation by the people in our India., but in some past some years it is very hard to get confirmed tickets for the journey. Because the growing population of the country and insufficient ness of the availability of the train. Trains running various routes especially those connecting the metro cities. Now government is trying to meet this issue of Indian Railway. And its rising demand of over billion people. With the help of queuing model system,we can minimise little bit crowd of these people. and the inconvenience of passengers and it is feasible and the results are effective and practical.

Applications in Health Care Systems: Queuing theory is very helpful in health care system it gives the mathematical approach to the analysis of waiting lines. It is one of the highest hurdles in health care organizations even though patients have to wait in long queues for their turn to be assisted. It helps to reduces the time so that the customers time will not waste and they can utilise its services.it contains the staff of hospital and other systems and available facility as per patients like nurses, hospital beds, doctors and other health care services. When a patient suggested to stand in the queue he complies with the phenomenon of reneging. But the decision is dependent on the queue length and stamina of that patients. Through reneging one can increase its service capacity of Health care organizations and attain dysfunctional equilibrium. This can be explained by understanding through the example of emergency units in the hospital. Generally,most of the patients exit from the department of emergency without even getting treatment for their health problem because of their capacity, and rate of arrival and utilization. The information of Statistics and data collected through the amount of number of people leaving, health care organizations determine the rate of revenue loss. The Same queuing method can also be utilized to minimize the reneging factor in health care organizations. One way of doing this is by categorizing patients according to the service they require. Also, we use thetelecommunication system to avoid queue length by reserving previously appointment to consult a doctor.

Problems in queuing: for analysing the waiting lines queuing theory gives a scientific approach. It is useful in many conditions in which system shows its arrival rate of customers, its line of waiting, and service of receiving. The reduction in the costs of operating systems and development in the service of customers are the main objectives of the queuing theory. Actually,queuing problem gives the study of balancing conditions in between time of average waiting and idle time of servers. For improving the facility of queuing for every element and its server.because of advanced development in the technologies the simplest form of queue was formed in the networks of queue. where thedeparture and arrival through one queue to another queue. the network of Queuing can be either open or closed. With a broad application in human life including process of planning, manufacturing systems of manufacturing, industrial area,management of different projects, network of computer, system of telecommunications, transportation system, and logistics. In the determination of system performance, the two methods play an important role including the probability and statistical methods which are mostly used. In queuing process, the customers are arriving for service, waiting for service if it is not immediate, and leaving the system as soon as they are served

There are six basic characteristics of queuing processes which provide an adequate description of a queuing system:

1. arrival pattern, of arrival
2. pattern of service,
3. channel number of service,
4. capacity of system,
5. the size of population,
6. queue discipline.

Queuing theory used to measure the following important quantitative decision indications about the quality of service provided in each queuing system:

1. Waiting time in the queue,
2. Total time in the system required to complete the wanted service,
3. Completion by a deadline,
4. Average queue length,
5. Average number of customers in the system (customers in queue plus customers in service),
6. The rate at which customers are served,
7. Server utilization,
8. Percentage of lost customers.

Markvow Chain: For evaluating the work of complicated systems Markov chains are seen to be most popular analytical techniques. We see that major of the real-world systems includes suspicious and grow over time. It is unsuited but opposite to this Markov chains are the most suitable probability models for such systems. since it is well known for its randomised is called a Markov Process if, the current situation of that process and its independence on its past events for the type of stochastic system means its

conditions may be continuous or discreate A Markov chain is seen to be a perfect a mathematical tool model which is governed by transition probability. It is not possible to say the fixed state of any real system in the future becauseall the states of thereal systemschange randomly. But by this chain we can guess the future statistical properties of the systemswhich are very useful in many applications. If there is any alteration in the state of the system then we can say that it is Transitions .and the probabilities related with different state-changes are called transition probabilities. The combination of all these two forms a Markov chain. There is real presentation of queuing model through Markov process. There are many fields which can used Markov chain as an analyser including industrial area, biological, physical and financial branches real engineering area and many social phenomenathat. can show the behaviour of a queuing network as a Markov chain first one hasto choose a state space representation. among all the state 4A state can be represented as a vital whose componentsdescribed completely the state of every item of the queuing network.

Problem Formation: Some models of the services were evaluated in order to examine various stability of queuing and processing circumstances. which have the following important objectives:

1. to investigate some models having several layout production models,
2. to see thechanges among these models in waiting time of queuing, and idle time
3. to compare between the different systems of module.

Our referred structure of design based on the reality that there is alteration in positionof the system every time. In that situation period of time that passes between two successive activities there is a steady state of the system. In this point of view, it suffices to examine the difference in the status of the system. In order to construct this plan,every activity is joined with a clock. This clock is very helpful for future because this clock gives the value of the time instance that event will occur. The simulation model, after the completion of processing an event, the first time we can say it is at t1, collecting all the groups and all the possible events that will see in the future and finds the one with the smallest clock value. then it modifies the time, i.e., the master clock, to this particular time when the next event will occur, we can say at time t2. It takes appropriate action as dictated by the occurrence of this event, and then repeats the process of finding the next event we can say at time t3. The simulation model, therefore, moves through time by simply visiting the time instances at which events occur.

Modelling procedure: The common procedure to explore and to build any model of queuing theory can be execute by following way.

1. Initially we must know clearly that all the parameters of the system, including the rate ofarrival, time of service,server Number, queue capacity of queue, and Queue discipline, and e also need to draw a logical flow diagram of the system
2. We need to show what is the current status of that module system
3. Here we need to study about Markov chain which is nothing but the diagrammatic structure of the module used for the compressive position of the structure to described the state of system and to know the status of the transition of the system.
4. Because the state transition status of our diagrammatic structure useful to report the stable state situation among all state. there is an equal flow between states so the probabilities of being in nearest states can be interrelated mathematically in the forms of terms of rate of arrival and service rates and state probabilities.
5. By Using the relationship of inter-state transition, one can describe overall the stateprobabilities in terms of the empty state probability.

Conclusion: In our daily life Queuing theory has many useful applications. This theory plays important role in human life. There is generation of queue Whenever there is need of current for a service increases the capacity of the current. this theory is used in various applications likearea of transportation, field of communication, hospitals, railway station, banks, traffic system, library management etc.in this paper we also provide and proposed queuing model with the existing queuing models.

References:-

1. Nafees, A. (2007). Queuing Theory and its Application: Analysis of the Sales Checkout Operation in ICA Supermarket.
2. Ger Koole & Abishai Mandelbaum “Queueing Models of Call Centresan Introduction” Annals of Operations Research 113, 41–59, 2002
3. Sanghvi G V, Megha G C, P Rajendra H R, PinteLumdike “Application of Queuing Theory of a Toll Plaza-A-Case Study” International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) ISSN: 2278-0181 Vol. 6 Issue 06, June – 2017
4. Bhavin P. and Bhathawala P.”Case Study for Bank ATM Queuing Model” International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) ISSN: 2248-9622 Vol. 2, Issue 5, September- October 2012, pp.1278-1284
5. Rakshit Verma “Queueing Theory and Its Application” StepUp Analytics
6. Shanmugasundaram S. and P.Umarani “Queuing theory applied in day-to-day life” International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 5, Issue 6, April-2014 ISSN 2229-5519
7. Upasana “Application of Stochastic Processes in Queuing Models” Ph.D. Thesis Maharishi Dayanand University Rohtak April 2004
8. Cooper, R. B.: Introduction to Queueing Theory, 2d ed., Elsevier North-Holland, New York, 1981.

9. I.G. Boldur-LãÑescu, I. Suciu, E. ligãnescu, Operational Research with Applications in Economy, A.S.E., 1990 a. The art of computer systems performance analysis. Raj Jain Gh. Dodescu, Operating Systems, ASE 1997
10. G. Dodescu, B. Oancea, M. Raceanu, Parallel Processing, Ed. Economica, Bucharest, 2002 b. D. Gross, C. M. Harris, Fundamentals of Queuing Theory, Wiley, New York, 2004 J. Joseph, C. Fellenstein, Grid Computing, Prentice Hall, 2003
11. Karlin, S., and Taylor, H. An introduction to stochastic modelling. Harcourt, New York, 1999. a. Khintchine, A. Mathematical methods in the theory of queueing. Hafner, New. Kleinrock, L. Queueing systems. Vol. I. Theory. John Wiley & Sons, New York, 1975
12. Queue Network, - Customers Signals and Product form Solution, by X. Chao, M. Miyazawa, and M. Pincdo Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, 13:5 (2002), 423-429
13. Walrond, J.: An Introduction to Queueing Networks, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1987.
14. Wolff, W. R.: Stochastic Modelling and the Theory of Queues, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1990

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

20 मार्च विश्व गोरैया दिवस

अंचल रामटेके*

* सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र) शासकीय राजभोज महाविद्यालय, मंडीदीप, रायसेन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – गोरैया की कम होती संख्या को देखते हुए युवा तथा प्रकृति प्रेमी लोगो को गोरैया से प्रेम एवं उनकी देखभाल के लिए प्रोत्साहित करने तथा गोरैया के संरक्षण हेतु कार्य करने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुवात 20 मार्च 2010 से की गई थी।

शब्द कुंजी– गोरैया, संरक्षण।

प्रस्तावना – गोरैया जिसे प्राय: घरो के आंगन,बगीचों, खेतो में देखा जाता है। आज इनकी संख्या में कमी हो रही है। गोरैया के प्रति जागरूकता बधाने के लिए हर वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2010 में इस दिवस को मनाने की शुरुवात की गई थी। बढ़ते प्रदुषण तथा कई कारणों से गोरैया की संख्या में कमी आई है अत: यह दिवस गोरैया की संख्या में कमी के प्रति जागरूकता बढाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

अध्ययन स्त्रोत– इस पेपर के निर्माण हेतु द्वितीयक अध्ययन स्त्रोत के रूप में समाचार पत्र तथा इन्टरनेट का प्रयोग किया गया है।

इतिहास – यह दिवस फ्रांस की इकोसेज एक्शन फाउंडेशन तथा नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक संयुक्त पहल है। इसका श्रेय प्रसिद्ध पर्यावरणविद् मोहमद्द दिलावर को जाता है 20 मार्च 2010 को पहली बार विश्व गोरैया दिवस मनाया गया। गोरैया के संरक्षण के लिए कार्य करने वाले लोगो को इस दिन पुरस्कृत भी किया जाता इस वर्ष की थीम है।
'I LOVE SPARROW'

गौरैया की जानकारी– प्राणी जगत में वर्गIavis में आने वाली गौरैया का वैज्ञानिक नाम पासर डेमोस्टिकस है। इसे सामान्यत: हाउस स्पैरो के नाम से जाना जाता है। इसका वजन 25 से 40 ग्राम होता है इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा विंगस्पैन 21 सेंटीमीटर होता है। यह कीड़े–मकोड़े तथा अनाज के दाने खा कर जीवन यापन करती है यह समूह में रहने वाला पक्षी है। यह अपने संपूर्ण जीवन काल में 3 बच्चों को जन्म देने की क्षमता रखती है।

स्पैरो की भौगोलिक स्थिति– यह प्राय: जंगल के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है तथा वर्तमान में विश्व के दो तिहाई क्षेत्रों में देखी जा रही है।

देश जहां गौरैया उपस्थित है:

1. न्यूजीलैंड
2. ऑस्ट्रेलिया
3. नॉर्थ अमेरिका
4. इंडिया
5. यूरोप

देश जहां गौरैया अनुपस्थित है:

1. चाइना
2. इंडोचाइना
3. जापान
4. सायबेरिया के क्षेत्र
5. ट्रॉपिकल अफ्रीका
6. साउथ अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र
7. पूर्वी ऑस्ट्रेलिया

(स्मिथ 1988)

विलुप्त प्रजाति की सूची में गौरैया– पिछले कुछ सालों में गौरैया की संख्या में 60% से 80% की कमी देखने को मिली है।

वर्तमान समय में ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के द्वारा गौरैया पक्षी को रेट लिस्ट किया जा चुका है। इसका अर्थ है कि पूरी तरह से यह विलुप्ति की कगार पर है।यह शहरों से ही नहीं बल्कि गांव से भी विलुप्त हो रही है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है कि गौरैया की संख्या में कमी आ रही है। देश में 1200 प्रजातियों में से 87 संकटग्रस्त है 2012 में इसे दिल्ली के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है।

गौरैया की जनसंख्या में गिरावट के कारण:

1. गौरैया का मुख्य भोजन कीड़े हैं शीशे रहीत पेट्रोल के जलने से मिथाइल नाइट्रेट उत्पन्न होता है जोकि छोटे कीड़ों के लिए जानलेवा होता है।
2. गौरैया घोसला बनाने वाला पक्षी है कंक्रीट के भवनों के निर्माण के कारण गौरैया का घोंसला बनाने के लिए उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है।
3. मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले विकिरण कीड़े–मकोड़े तथा चिड़िया के अंडों के विकास के लिए हानिकारक साबित हो रहा है परंतु इसके ठोस प्रमाण नहीं है।
4. खेतों में प्रयोग होने वाले कीटनाशक भी ख़तरनाक साबित हो रहे हैं।
5. बदलती जीवन शैली तथा भवन निर्माण के तरीकों में आए परिवर्तन से इस पक्षी के आवास पर प्रभाव पड़ रहा है।
6. बढ़ता प्रदूषण एवं शुद्ध वायु की कमी भी इस पक्षी की विलुप्ति का कारण है।
7. लगातार जंगल तथा पेड़ पौधों की संख्या में कमी हो रही है।

गौरैया के संरक्षण के लिए उपाय:

1. नियमित रूप से घरों में इस पक्षी के लिए दाना पानी रखें यदि पक्षी घरों में घोंसला बनाएं तो बनाने दे।
2. जनता के बीच जागरूकता बढ़ाएं।
3. कृत्रिम घोसले, प्लास्टिक की बोतलें, जूते के डिब्बे आदि बनाएं तथा उन्हें उचित स्थान पर लटकाए।
4. बर्ड वार्चिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाएं।
5. प्रतिवर्ष संख्या को रिकॉर्ड करके रखें।
6. उपेक्षित जातियों की संख्या ज्ञात करें।

ICAR (Indian Council ofAgriculture research) – आंध्र प्रदेश में 88 प्रतिशत तथा दूसरे राज्य जैसे केरला, गुजरात, राजस्थान इनकी संख्या 20% कम हुई है।भारत के दक्षिण तटीय क्षेत्र में इसकी संख्या 70% से 80% कम हुई है।

Wipro Nature Forever Society Sparrow Award–विप्रो एनपीएस स्पैरो अवार्ड 2011 में प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य ऐसे नागरिकों की पहचान करना है जो पक्षियों के संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं इसमें 50000 की राशि शामिल है।यह पुरस्कार लोगों को भारत में गौरैया के संरक्षण करने हेतु शामिल करता है।पुरस्कार की राशि लोगों को संरक्षण तथा पर्यावरण के कार्य में मदद करती है।

Good Symbol –दक्षिण भारत में यदि गौरैया घरों में घौंसला बनाए तो इससे अच्छा संकेत मानते हैं इसीलिए इसे घरेलू प्रजाति माना जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. इंटरनेट
2. समाचार पत्र
3. पीआईबी सोर्स
4. ICAR रिपोर्ट

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

A Study on Customer Relationship in Retail Stores in Raipur City

Dr. Aradhna Shukla* Dr. Vivek Kumar Sharma Simran Khurana*****

*Asst. Professor, Vipra Kala Vanijya Avam Sharirik Mahavidyalaya, Raipur (C.G.) INDIA
** HOD (Commerce) Vipra Kala Vanijya Avam Sharirik Mahavidyalaya, Raipur (C.G.) INDIA
*** M.Com IV Semester, Vipra Kala Vanijya Avam Sharirik Mahavidyalaya, Raipur (C.G.) INDIA

Abstract - Retail sector is one of the fastest growing sectors in India over the last few year increasing number of retail business. Customer relationship management is never ending process and it has a gained immense important in recent years. Customer relationship management is a basis for a achieving efficiency and leverage competitive advantage .customer relationshipmanagement is required in all form of organisation whether it be retail stores of a online business. No business house can be survive in long run without maintain a healthy relationship with the customer. Retail business has been one of the most important backbone of the commercial sector. CRM can help organization to manage customer interaction more competiveness in the economy .this research paper is attempts to evaluate the CRM practice with refers in retail store in Raipur city.
Keywords- customer relationship management, retail stores.

Introduction - Retailers face the dynamic and competitive retail environment. With increasedglobalization. Market saturation and increased competitiveness through mergers and acquisitions, retailers are seeking competitive advantages by better managing customer relations through database management. This is not a new concept but a seeking competitive advantage through improving relationship with customer has taken a new life. “companies recognize that customer relationships are the underlying tool for building customer value,and they are finally realizing that growing customer value is the key to increasing enterprise value”

Customer relationship management is a comprehensive strategy to manage a company‘s interaction with current and potential customers. It aims to establishlong lasting and mutual relationship with customer value and optimize profitability. Various CRM program have been developed which can contribute an economic value to the company and gives a competitive advantage to improve customer service. Customer relationship management is a unending activity of the retailers. The success of many retail business were strongly believed in CRM Strategies is to ensure customer satisfaction and customer delightedness at every stages of the customer journey with the company.

Objectives of this study:

1. To study on customer satisfaction of CRM in retail store.
2. To study on CRM system in retail stores

Hypothesis of this Study: On the above study of objectives, the following hypothesis is formulated;

(1) H0 customer are not satisfied from that retail store
H1 Customer are satisfied from that retail store
(2) H0 CRM system has not better in retail stores
H1 CRM system has better in retail stores.

Review Of Literture

CRM gained prominence in early 90s and received considerable attention from experts in both academics and business. Since then it has been implanted in business organisation for a buildings long term customer relationship. Kotler & Armstrong (2007) viewed CRM as the most important concept of modern management and defined it as “the overall process of building and maintaining profitable customer relationship by providing superior value and satisfaction .many studies have also suggested the retailers to first focus on satisfaction and other retail basics to initiate a relationship before implementing advanced CRM systems.

Ramankumar, KPV(2008) writes about the customer relationship management or relationship marketing. He refers to all marketing activities direct towards establishing, developing and maintaining relational successfully.

Peelen (2011) emphasised on the four key relationship components; customer knowledge, relationship strategy, communication and customisation for the success of CRM strategy

Reserch Methodology: The study has adopted primary data for the convenience and successful completion of this research work.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Primary data: This research has been done through interview and few questionnaires.

Results and Reserch

1. Showing From Where The Customer Buy Their Product

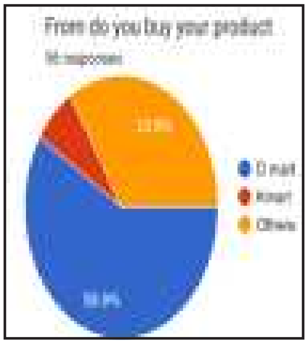

Options	Percentage
D MART	58.9%
K MART	7.1%
OTHERS	33.9%

2. Showing That Wheather They Are Regular Customer Of That Stores

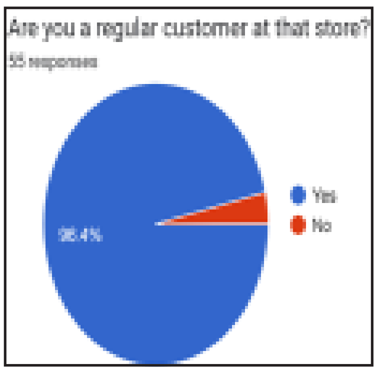

Options	Percentage
YES	96.4%
NO	3.6%

3. Showing That they Are Satisified On Their Understand Of Exactly What They Require

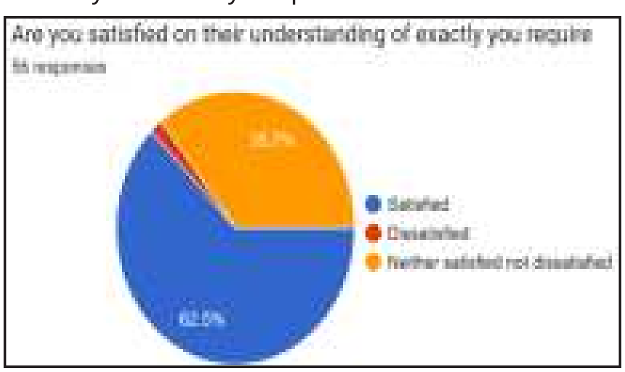

Options	Percenrage
Satisfied	62.5%
Dissatisfied	1.8%
Neither Satisfied Nor Dissatisfied	35.7%

4. Showing That Which Type Of Product Are Sold At That Store

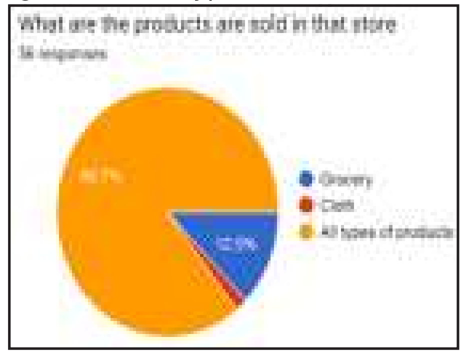

Options	Percentages
Grocery	12.5%
Cloth	1.8%
All Types Of Product	85.7%

5. Showing That How Fair Are The Prices Compared To Similar Retail

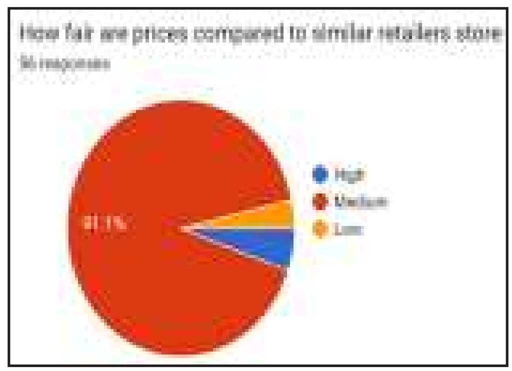

Options	Percentages
High	8.4%
Medium	91.1%
Low	3.6%

6. Showing That What Types Of Product Are Sold In That Store

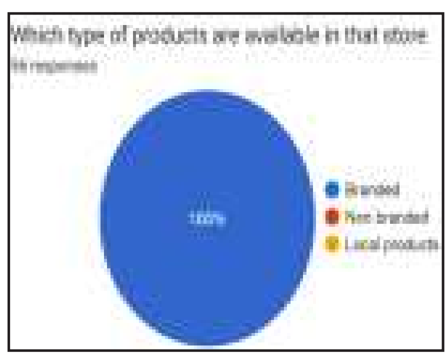

Options	Percentages
Branded	100%
Non Branded	-
Local Product	-

7. Showing That What Aspect Of Their Stores Are Most Satisfied By Customer

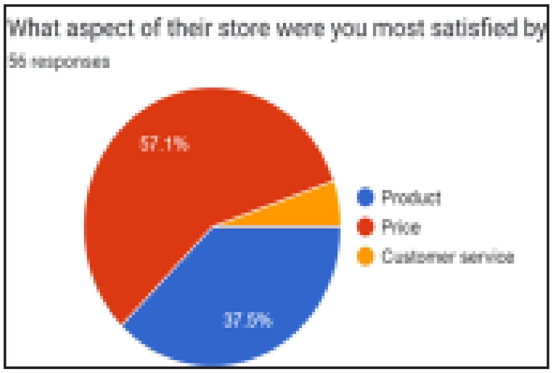

Options	Percentage
Product	37.5%
Price	57.1%
Customer Services	5.4%

8. Showing That Did They Product Meet According To Their Need

Options	Percentage
Yes	98.2%
No	1.8%

9. Showing That Is There Is Any Return Policy At That Store

Options	Percentages
Yes	100%
No	-

10. Showing That How Long Does The Store Have A Return Policy Facilities

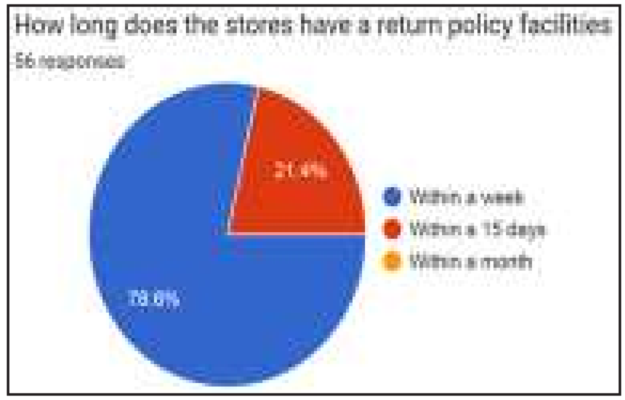

Options	Percentages
Within A Week	78.6%
Within 15 Days	21.4%
Within A Month	-

11. Showing That What They Get In Exchange For Return Of That Product

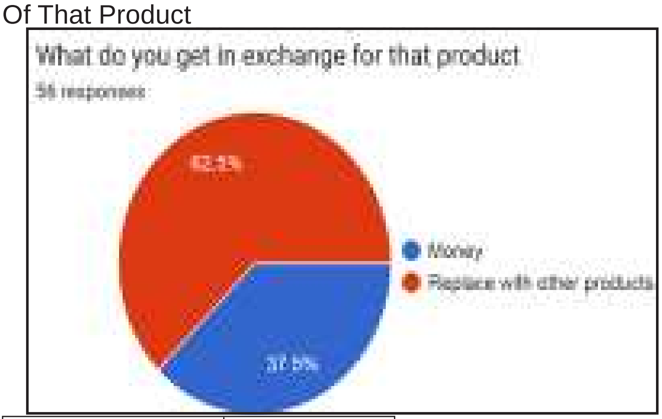

Options	Percentages
Money	37.5%
Replace With Other Product	52.5%

12 showing That Was Their Customer Services Issues Are Resloved

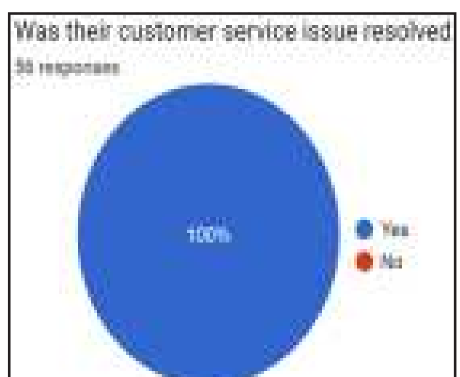

Options	Percentages
Yes	100%
No	-

13 Showing That How Must Time Are Taken To Slove Their Customer Service

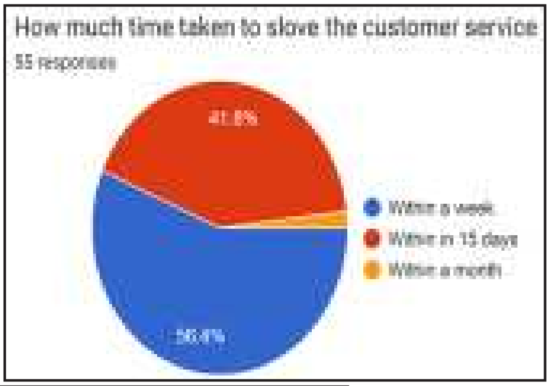

Options	Percentage
Within A Week	56.4%
Within A 15 Days	41.8%
Within A Month	1.8%

14 Showing That Is There Is Any Online Payment Services Is There

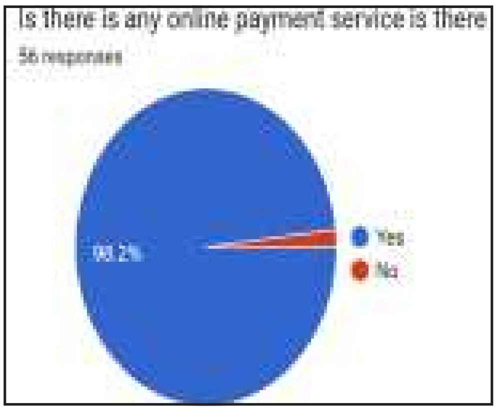

Options	Percentage
Yes	98.2%
No	1.8%

16 Which Types Of Online Payment Services Is There

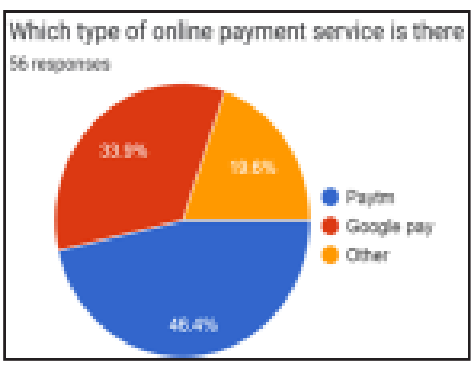

Options	Percentages
Paytm	46.4%
Google Pay	33.9%
Other	19.6%

17 Showing That How Would Customer Rate Of His Experiences With The Staff Of That Stores

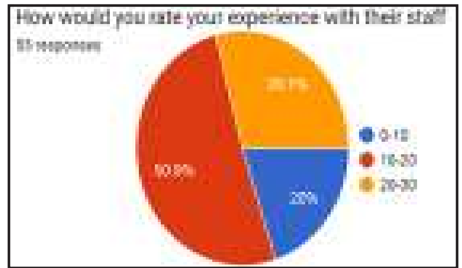

Options	Percentage
0-10	20%
10-20	50.9%
20-30	29.1%

18 Showing That How Would Customer Rate The Dealer On Delivery Of Goods

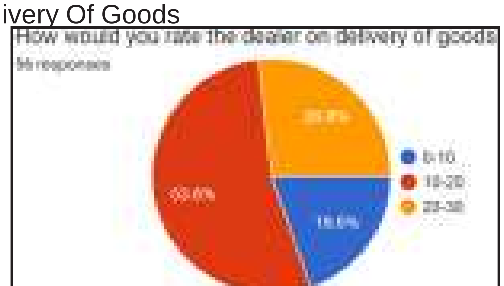

Options	Percentage
0-10	19.6%
10-20	53.6%
20-30	26.8%

Conculsion: Retailers and customers both are benefit from CRM and strategies.this is beneficial to future relationships customers are drawn in. as a result ,retailers services quality improves. This research study is make to figure out what tastes good and what doesn't. Customer Relationship Management (CRM) is a crucial part of retail outletssince it allows them to learn about their customer interests, needs and buying habits as well as likes and dislike and redirect their efforts.

Customer relationships are built when the retailers and the customer collaborate to delivery the customer exactly what they want. A retailer can gain not only from increased sales and profitability but also from a strong store image in comparison to competitors by establishing an effective CRM process in their retail store.

References:-

1. Julie Kenyon And Maria Vakola "Customer Relationship Management a viable strategy for the retail industry ''
2. Swapna Pradhan 'Retailing management' Tata Mc GrawHill ,2008
3. Keith A.R ,& Eli Jones (2008) ; '' Customer Relationship Management ; Finding value drivers ''industrial marketing management ,vol. 37, 120-130
4. Winer , R.S. (2001), A framework for customer relationship management . California management review,43(4),89 -105
5. Neuborne, Ellen .'A second act for CRM '' INC. Magazine ,march2005,40 -41

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Kinematic Analysis of Three Different Badminton Forehand Overhead Strokes

Dr. Ajay Kumar*

***Assistant Professor, Kota University, Kota (Raj.) INDIA**

Abstract - Biomechanics is newly developed discipline of science. In such situation two developments are often seen first, new discipline are to explain by the scientist. Second Scientist tries to understand the root and the historic development of the new discipline. Historical cause is not well defined as biomechanics is the young scientific discipline. In initial studies people tried to study and understand about the heart, lung, nervous system, muscular system, Joint, circulatory system one novice discipline born "Study of the living systems; science which is known as biomechanics(Knuson, 2007).The definition of biomechanics yet has not achieved concord. One of the definitions was given in the Book of Hay's (1973) definition of biomechanics "Biomechanics is the science that examines forces acting upon and within biological structure and effects produced by such forces"

For the purpose of the study, total [n=10] subjects from badminton game from MLSU, Udaipur were selected who participated at least in interuniversity games with the age ranging from 17-25 years of old. The subject selected for the present study had possessed minimum deviation in possible physical characteristics (Age, Height, weight, and fat percentage) in among. For the purpose of the researcher went through proper procedure at their own level to find out the best possible samples. The Procedure of Selection of samples as below. To obtain reliable measurement, the instruments which were used for the purpose of the present study, namely, high speed motion analyzer camera (Go pro Hero), Stadiometer, Grip strength Dynamometer, Skinfold caliper measuring tape and geometric instruments, steel tape, were all standard instruments, and there reliability were ensured by the manufactures. All measurement pertaining to the kinematic variables were taken by the research scholar under the supervision of badminton experts and Biomechanical experts was considered reliable. Videography was used in the study. Selected kinematics variables at the phase of point of contact were analyzed. These selected phases of the skill were obtained from the videography and the put it on software Kinovea 0.8.27 which developed the stick figure of selected phases of the skill from which selected biomechanical variables were obtained. One way ANOVA was used for the study.The finding of kinematic variables clearly showed the significant difference in Forehand overhead shot in all the variables except knee joint.
Keywords- Kinematic, badminton, forehand overhead, biomechanics.

Introduction - Ancient culture such as the Egyptians, Mayas, Phoenicians, mahenjodaros, Harappans, Mesopotamians had the well knowledge in Scientific Disciplines, Which includes Mathematics Anatomy. Their attempt was to understand the myth and combined knowledge. In Ancient time people believed in myth they did not have the query to investigate about the things but the Greek were the first to think differently they could able to separate the truth from the myth. They developed the scientific temperament which we would like to call scientific investigation. Greek emergence since sixth to fourth century B.C.The Inland Caravans Routes and Coastal harbors which provide entrance to trade with Phoenicians, Egyptians, and the whole Asia which also provided freedom to inspire their ideas (Nigg& Herzog, 2007).

The Commerce, Politics Generated the leisure time, which Greece used to learn the Physical and mental excellence to magnify the opportunity for Scientific discovery, analytical thinking, to get the more critical ideas to express the thought and did it by applying in real field situation. Euphony of body and mind needed Athletic activity to compliment of pursuit off Knowledge. The kinematic depiction of Greek Athlete ascendant demonstrating an interest in sport, human movement and Artistic Idea. Greek 3 Artists Developed Increasingly Sophisticated method of Media for depicting motion(Nigg& Herzog, 2007).

Biomechanics is the investigation of function and structure of mechanical facet of biological system. The teacher of Alexander and the student of Plato can be considered the first Biomechanics due to his work with animal anatomy. Motion of Animal was written by Aristotle DeMotuAnimalium .Aristotle not only saw the animal bodies

but also gave emphasize on physiological system. With the rise of Roman Empire with theevolution of technology became more popular than philosophy and next Biomechanics arose. World famous physician Galen wrote about Human Body. Next Biomechanics evolved during the time of Leonardo da Vinci. He was a versatile artists, engineer doctor, astronauts and mechanics. He studied about joints and movement and also studied about the function of muscles meanwhile studied about the origin and insertion of the muscles. He studied about the muscular system. After the death of Copernicus Galileo Galilee took birth who was known as father of Mechanics over the year Galileo Galilee discovered many Biomechanical aspects examples ¯animals masses increase disproportionately to their size . Galilee interested on strength of bone. He stated that bone masses increase disproportionately in girth rather than their size. Giovanni Alfonso Borelli studied on running, jumping, walking, and Swimming of fish, flight of bird. The most important part is he could also give the position of the center of gravity. Borelli was the first man to understand about the lever .His work considered most important contribution in the field of Biomechanics. His discovery gave new way of study by future generation. After the Borelli many scientist took keen interest in Biomechanics in this way every year field grew and got the popularity. Many university opened new lab. In 1977 with the creation of American Society of Biomechanics to field kept on growing and did many new discoveries (Nigg& Herzog, 2007).

In 19th century Cinematography was first used by Etlenne Jules Marey to study the Locomotion. The man who was behind the opening of ¯motion Analysis ¯He correlated movement with ground related forces. Weber brothers from Germany hypothesized a deal about human gait nut Christian Wilhelm Brune significantly gave concept about the science using recent advancement of engineering mechanics. The word Biomechanics derived from the word Bios which means ¯life and mechanics refers to the mechanical system of the living organism and their structure and the movement. Applied subfields of biomechanics include Soft body dynamics, Kinesiology, Forensic Biomechanics, musculoskeletal and orthopedic Biomechanics, ergonomy, Gait analysis, Occupational Biomechanics, Human factor analysis, Sports Biomechanics, rehabilitation, Sports Biomechanics, Algometry, Bio fluid mechanics and computational biomechanics (Hatze, 1974).

In Sports Biomechanics laws of Biomechanics are applied in human movement to achieve the highest performance. Biomechanics helps in reducing athletic injuries. To understand the mechanical movement it applies mechanical physics and scientific principle such as computer movement (numerical movement), electricalengineering (Digital filtering), Gaitanalysis (Force platforms) and clinical neurophysiology (Surface EMG)(Alexender, 2005).

Review of literature:

Tsai, L. T., Shu, H, K., & Chang, S, S. (2005) Conducted study on Biomechanical analysis of EMG activity between Badminton Smash and Drop Shot. In introduction part they described about the badminton overhead strokes and gave the reference about Gowtzke and Waddell 1979 about 2D model and many more. They took four elite badminton player of Taiwan who were of 21 years of old height was 175 cm, and weight was 68 kg. Conditions for the players were when they hit the smash it should land at middle of the court and while they go for drop it should land on front court of opponent they separated upper segment of the players into different segments. To capture the motion they used Redlake 1000 High-Speed digital cameras and motion were captured at the point of contact. They employed dependent t test for the study at the significant level of 0.05.Where the researchers found significance difference in Time of contact (sec). Shuttle Velocity (m/s), Elbow Angle (Deg), and Wrist Angle velocity (Deg/s). In case of EMG pattern they found that the Sequence of EMG pattern of drop and smash were similar and also found the surface EMG pattern for upper extremity in case of smash is higher than the drop.

Rajpoot,Y.S., Ghai, G,D., &Bagchi A.(2017) did their study on title “Biomechanical analysis of selected Holding position on Parallel Bar in Gymnastic” where their positions were L-Hold, Straddle L-Hold, Handstand. They selected total [N=6] numbers of Gymnast from Lakshmibai National Institute of Physical Education for the purpose of the study. Variables they choose were Hip Joint, BMI, Weight, Stature and they used Drat fish software to analyses the data. Overall score of each holding positions were divided into five faces. Initial swing to hand stand, Position of head and seat, Position of legs, Duration of hold, Position of arm. Total 50 marks were awarded for the holding positions. Three judges rating were taken as the final point. In Results they found that except the angles in L- holds and hands stand, mean and median for all the variables were nearly equal. They also found skewness value more than twice its standard error indicates the violation of rules of symmetry. They concluded that in angle of straddle L-hold and L-hold is negatively skewed. In case of correlation they found none of Biomechanical and anthropometrical variables possess significance difference. They gave the reasons that it is due to the performance depends on several factors like shoulder strength, Swinging phase of Handstands, Hip flexibility (Y.S.Rajpoot, 2014).

Challis J.H. (1999) conducted study on “A procedure for the Automatic determination of filter cutoff frequency for the processing of Biomechanical Data” in their study evaluates the new procedure which automatically determine the cutoff frequency for low-pass filtering data. The cutoff frequency was judge by the in order to learn about the properties of white function and autocorrelation properties. The new process differentiate the cut of frequency of a Bluetooth filter until and unless signal representing the

difference between unfiltered and filtered data. The process was evaluated by the mathematical function. The optimal cut off frequency was calculated by getting the cutoff frequency which gave the smallest difference between the true signal value and estimated value (Challis, 1999).the data set what they analyzed showed very similarities to generalize crossed validated quintile spline. Researcher made comparisons between performance of GCVQS and ABP. To examine whereas the data were sensitive to the signal rate how the data were set at E (noise level 5%) were generated 14 sample rate from 20 Hz at 10-Hz intervals. They concluded that ABP gave near optimal performance. However 60 data analyzed neither the GCVQS nor ABP produced significance result (Challis, 1999).

Awatani, T. et al (2018) did their experiment on the topic "Correlation between Isometric Shoulder strength and racket velocity during Badminton Forehand smash movement: Study of valid clinical assessment methods" the purpose of their study was to the correlation of racket velocity during the execution of forehand smash movement with internal rotator strength in the neutral, shoulder extensor strength and abducted positions. Total no of fourteen [N=14] players were selected for the purpose of the study. Measurement was taken of shoulder strength using torque calculated from, isometric force and upper extremity length and racket velocity during execution of the smash. In neutral abductor position shoulder strength and internal rotator strength were measured. The internal rotator of the shoulder and the extensor torque were not significantly correlated with the racket velocity. They concluded that the shoulder internal rotator strength in abducted external rotation position are suitable measures for Badminton players (TakenoriAwatani i. M., 2018).

Research objective:

1. The objective of the study was to find out that will there any difference of angular Kinematic in kinematic analysis of three different forehead strokes (clear, Drop, Smash).
2. The objective of the study was to find out that will there any differences of Linear Kinematic variables in kinematic analysis of three different forehead strokes (clear, Drop, Smash).
3. To analyze at the skill during point of contact.

Research hypotheses:

1. It was hypothesized that there would be significance difference in all selected Angular kinematic variables (ankle joint, Knee joint, hip joint, Shoulder joint and elbow joint) in three different forehand overhead badminton stroke.
2. It was hypothesize that there would be significance difference of Linear kinematic in (center of mass), Racket velocity, Shuttle velocity among three different badminton forehand overhead strokes.

Methodology:

Selection Of Subjects: For the purpose of the study, total [n=10] subjects from Total Population of badminton game from MLSU, Udaipur were selected who participated at least in interuniversity games with the age ranging from 17-25 years of old. The subject selected for the present study had possessed minimum deviation in possible physical characteristics (Age, Height, weight, and fat percentage) in among. For the purpose of the researcher went through proper procedure at their own level to find out the best possible samples.

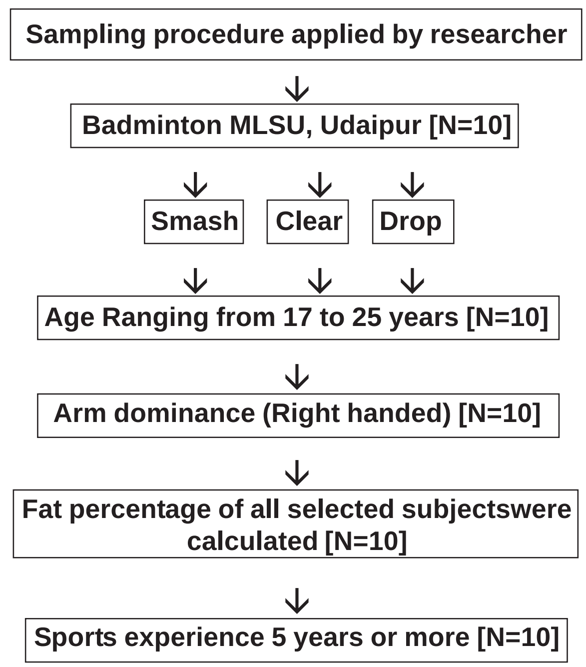

Selection Of Variables: (A) Angular kinematic variable of forehand overhead strokes.

1. Angle of the Right shoulder joint.
2. Angle of the Right elbow joint.
3. Wright Wrist Joint.
4. Angle of right hip joint.
5. Angle of right Knee Joint.
6. Angle of Right ankle joint.

(B) Linear kinematic variables of forehand overhead strokes

1. Height of centreof mass at point of contact.
2. Velocity of the shuttle after point of contact.
3. Velocity of the Racket.

Criterion Measure:

1. Angles were measured in Degree.
2. Velocities were measured in m/s.
3. Height of Center of gravities were measured in cm.

Statistical Procedure: Statistical analysis was done with SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, 20.0, USA). Mean and standard deviation was calculated as a descriptive statistics and as the same group was tested in all the three different conditions so, to find out the difference in all selected Kinematic variables ANOVA was applied to compare the kinematic variables.

Conclusion:

1. In Case of Kinematic variable (Ankle Joint) result showed significant difference among Smash clear and Drop as ($p < 0.05$)
2. In case of kinematic variable (knee joint) result showed Insignificant difference among all the forehand overhead shot as ($p > 0.05$)
3. In the kinematic variable (hip Joint) showed significant result among Smash clear and Drop as ($p < 0.05$).
4. In the kinematic variable (Shoulder joint) showed significant result among Smash clear and Drop as ($p < 0.05$).
5. In the kinematic variable (Elbow Joint) showed significant result among Smash clear and Drop as ($p < 0.05$).
6. In the kinematic variable (Wrist joint) showed significant result among Smash clear and Drop as ($p < 0.05$).
7. In the kinematic variable (center of Gravity) showed significant result among Smash clear and Drop as ($p < 0.05$).
8. In the kinematic variable (Racket Velocity) showed significant result among Smash clear and Drop as ($p < 0.05$).
9. In the kinematic variable (Shuttle velocity) showed significant result among Smash clear and Drop as ($p < 0.05$).

Recommendations for further studies:

1. The results of present study may be used by the Badminton as well as the coaches for self-evaluation and successful execution of the skills.
2. A similar kind of study may be conducted in more Dimensional motion analysis
3. The similar kind of study may be conducted on Badminton with different levels of groups such as advance & beginner or junior & senior or male & female.
4. The similar types of the study may be undertaken on other Badminton skills.
5. The study of similar type may be conducted on other sports professionals.
6. The study may be used Badminton Players, physical education teacher as well as the coaches while preparing the training schedules of their trainees for better result.
7. The results of similar kind of study may be used later by the researchers for Meta-analysis Purpose.
8. Similar Study can be conducted by using more no of variable.
9. Qualitative study can be carried out with this study.

References:-

1. Anders Henricson, Annika Larson, Ewa Olson. (1984). The Effect Of Stretching on the range of motion of ankle joint in Badminton Player. The Journal of orthopadic and SPorts Physical Therapy, 74-77.
2. Bagchi, A. (2012). Relationship of Selected Anthropometric and omechanical variables to the technique of front foot on-drive in cricket. International Journal of Science and Research , 352-354.
3. Challis, J. H. (1999).A Procedure for the automatic determination of Filter cutoff Freequency for the processing biomechanical data.Journal of applied Biomechanical data, 303-316.
4. Hall, S. J. (1995). Basic Biomechanic. USA: WCB/ McGraw-Hill.
5. Hay, J. G. (1993). the Biomechanics of Sports techiniques. UK: Englewood Cliffs N.J: Prentice hall Inc.
6. IkramHussain, A. K. (2011). A comparision of selected Biomechanical parameters spike servs between interversity and Intercollegiate volleyball. Journal of Education and Prctice-Vol 2, no @.
7. Pinheiro, M. J. (2009). On Newton's Third Law.New journals of Physics, 1-10.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

QSAR Modelling of Some Benzimidazole Derivatives as Anti-Bacterial Agents

Nagma Nigar* Dr. Vijay Agrawal**

*Department of Chemistry, APS University, Rewa (M.P.) INDIA
** Department of Chemistry, APS University, Rewa (M.P.) INDIA

Abstract - The QSAR studies have been performed to obtain mathematical coorlation between the structure and activity which are used for new drug synthesis In this study an attempt has been made to develop most significant QSAR model for the benzimidazole derivatives as synthesised and reported by Seydal [22]. Durin study 12 benzimidazole derivatives have ben taken from the work of[22]. The molecules were drawn using Chemsketch software [31] . The details of these structures along with their biological activities (logMIC) have been reported in Table 1. Mol files were prepared and they were used for calculation of topological parameters using Dragan softwares [32].
Keywords- QSAR Modelling, Benzimidazole Derivatve, Cross Validated Parameters, Corelation matrix.

Introduction - During literature survey, it has been observed that many derivatives of benzimidazole hve antibacterial properties and they show antimicrobial activities against Gram-positive and Gramnegative bacteria. This is primarily because due to the potential bio-activity of benzimidazole-based ligands [1-12]. Because of this reason the incorporation of the imidazole and benzimidazole nuclei is an important synthetic strategy in drug discovery. To obtaine better active molecule chemist synthesed derivatives by fusing another heterocyclic ring in benzimidazoles . Such yielded compounds have ben found their diverse application as antioxidant [13,14], antifungal [15], antitubercular [16], anticancer [17,18] and antiallergic drugs [19]

Methodology- The compounds synthesised by Seydal[22] have been tested for their biological activities. They were evaluated for their in vitro growth inhibitory activity against bacteria Pseudomonas aeruginosa (ÀÒCC 27853).

Antibacterial activities were tested by the disc-diffusion method under standard conditions using Mueller-Hinton agar medium as described by NCCLS [23].

In addition the minimum inhibitory concentration (MIC) experiment was carried out by the agar dilution method as per NCCLS standard M7-A5 [24].

The MIC of tested benzimidazoles were defined as the lowest concentration of the compound at which no growth of the strain has been observed in a period of time and under specified experimental conditions. To classify the antibacterial activity, they compared the activity with the antibacterial agents being used in therapeutic treatment. The MICs in the study were compared with Ampicillin and Gentamicin which were screened under similar conditions as reference drugs.

Result And Discussion- In this study To obtain a correlation matrix, the NCSS software[33] was used. The resulted correlation matrix showing inter correlation among all the descriptors with activity are demonstrated in Table 3.

A perusal of Table 1 reveals that the compounds can be arranged in following increasing order activity.

8 < 7 < 5 < 6 < 4 < 11< 12 < 1 < 3 < 9 < 2 <10

No conclusion could be drawn as why this change in the activity is observed. However, some of the reasons for this may be attributed to substitution of various groups at different positions. Even one may not be able to predict the activity by adding different substituents at various places. So the QSAR analysis was preferred.

The data was subjected to regression analysis to get the best models. A perusal of correlation matrix suggests that the ATSC8p has the highest correlation with log MIC the next parameter which shows correlation value -0.8467 is ATSC6p and the third on e is ATS2v which has a value of 0.6581. Other two parameters show poor correlation with activity.

Similarly, some parameter are highly correlated and some show moderate correlation. They are discussed as below:

a. ATSC6p is highly correlated with ATS2v
b. ATSC8p is highly correlated with ATSC6p
c. SNar is highly correlated with DBI but moderately correlated with ATS2v
d. ATSC8v is moderately correlated with ATS3v

According to rule of Thumb [35]for 12 compounds one can go up to 4-parametric models. Therefore in this analysis the best model will be restricted to that limit.

The systematic regression analysis [36] was carried out. The quality of statistical parameters are summarized in Table 4.

One-parametric model- The best one-parametric model is obtained with ATSC8p as correlating parameter. The R^2 value for this model comes out to be 0.8795. The model is as under:

log MIC=4.7107-1.5018(± 0.1758) ATSC8p

N=12, SE=0.1065, R^2=0.8795, AdjR^2=0.8674, F-ratio=72.96, Q-value=8.805 ....(1)

Here and here after, *N* refers to the number of data points used in the correlation, R^2 is the square of the correlation coefficient, SE is standard error of estimation, Adj R^2 is adjusted R^2 which takes care of added parameters, F is Fischer ratio and Q is Pogliani constant [37] which is R/SE.

Two-parametric model - When SNar is added to one-parametric model the value of R^2 changes from 0.8795 to 0.9274. The value of Adj R^2 changes from 0.8674 to 0.9112 which clearly indicates that addition of SNar to the one-parametric model is justified. The Q value also shows a high increment in this model. The model is given below:

log MIC= 6.8077 -1.6334 (±0.1536) ATSC8p-0.1466 (±0.0601) SNar

N=12, SE= 0.08717, R^2 =0.9274, AdjR^2 =0.9112, F-ratio= 57.465, Q-value= 11.047....(2)

To se whether a better R^2 may be obtained with other two-parametric combination, DBI is added to one-parametric model discussed above. This resulted into a better model in whch the value of R^2 has been found to be 0.9288 which is better than what was obtained when SNar was added. This means that the model obtained is better than the two-parametric model in which ATSC8p and SNar were taken as correlating parameters. This is further confirmed when Adj R^2 values are compared. This value for the latter two-parametric model comes out to be 0.913 slightly better that previous two-parametric model Eq. (2). The Q value also show slight improvement. The model is given as under:

log MIC= 5.786-1.6145(± 0.1494)ATSC8p-0.4826 (±0.1933) DBI

N=12, SE= 0.08632, R^2= 0.9288, AdjR^2= 0.913, F-ratio= 58.69, Q-value= 11.164.....(3)

Finally the most favourable and significant two-parametric model is obtained when ATSC8p and ATSC6p are taken together. The R^2 value in this comes out to be 0.9487 which is highest among all the previous models discussed above. The Adj R^2 also is highest (0.9373) which suggests that this is the best two-parametric model. The Q value also changes from 0.11.164 to 13.297 suggesting that the two-parametric model given below is the best model for modelling the logMIC of present set of compounds. The model is reported below:

log MIC= 4.5328-3.1990 (±0.5016)ATSC8p+1.2113(± 0.3475) ATSC6p

N=12, SE= 0.07325,R^2= 0.9487, AdjR^2= 0.9373,F-ratio= 83.246, Q-value=13.297.....(4)

The three-parametric models were also tried but the improvement in regression parameters have very insignificant. Hence they are not considered/ reported here.

Further confirmation of the model was obtained by estimating the logMIC values using best model (Eq.3) . The observed and estimated values are reported in Table 5. They are in good agreement with each other confirming that the model represented in Eq.4 is best among all the obtained models. A graph has been plotted against observed and estimated activity values to obtain the predictive power of the model. Such graph is demonstrated in Fig. 1. The predictive power of the model comes out to be 0.948. This means that approximately 94% of the data can be explained by this model.

Calculation of cross validated parameters [36] are also important method for deciding whether the proposed model is best or not. Therefore, the calculation of cross validated parameters for the proposed models were calculated. They are reported in Table 6. The highest R^2CV value obtained relates to two-parametric model represented by Eq. 4 above.

The ratio PRESS/SSY can be used to get suitable confidence intervals for prediction of new compounds. When the ratio of PRESS/SSY is less than 0.4 (PRESS/SSY < 0.4), then the QSAR model is significant and reasonable. When the value of PRESS/SSY is less than 0.1 (PRESS/SSY <0.1), that indicates that the model is excellent. The other cross validated parameters, as per the above values, are also in favour of this model.

To check whether the model obtained suffers due to collinearity or not, Ridge analysis has been performed. The plot obtained is demonstrated in Fig. 3.

The Table 7 is related to Ridge analysis, on the basis of which we discuss the defect of co-linearity in models. The parameters reported in table 7 are Variance Inflation Factor (VIF), Tolerance (T),Eigen values ($ë_i$), and Condition Number (k). These values are reported for all the independent parameters used in the proposed model. The model with parameter whose VIF values is greater than 10 will show co-linearity. But in our proposed models the VIF value are always less than 10, which means that all the proposed models are free from the defect of co-linearity.

The Tolerance value T equal to 1 or less than 1 indicates that the model is free from co-linearity. The values for T in Table 7, are less than 1. Therefore; from this point of view also proposed models are free from the defect of co-linearity. Another test for collinearity is $ë_i$. The parameter of the model whose $ë_i$ value is greater than 5 will suffer from co linearity. Since, every value of $ë_i$ is less than 5, which means all the proposed models are free from co-linearity defect. Also, if the value of condition number k is greater than 100, then the colinearity exists but in our case on this point of view proposed models are well acceptable.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Therefore on the basis of above discussion it is clear that all the parameters shown in Table 7 are free from colinearity or more precisely multi co linearity.

Conclusion :

1. Topological parameters are useful in modelling the antibacterial activity of benzimidazole derivatives considered in this study.
2. Two-parametric model using ATSC8p and ATSC6p as correlating parameters gave excellent results thus accepted as best QSAR model.
3. The parameter ATSC8p has a negative coefficient indicating that the higher value of this parameter will reduce the pMIC value. Thus it has a retarding role towards the biological activity.
4. The parameter ATSC6p has a positive coefficients which shows that it has a positive role towards the activity.
5. The best two-parametric model is free from collinearity defect.
6. This model can be used in further modification of molecular structure to get more potent compounds.

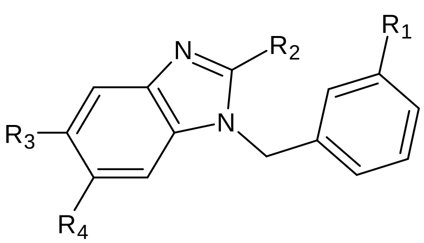

Table 1: Structural details of benzimidazoles used in present study

Comp.	logMIC	R1	R2	R3	R4
1	4.602	CH3	H	CH3	CH3
2	4.637	Cl	H	CH3	CH3
3	4.609	F	H	CH3	CH3
4	4.328	OCH3	H	CH3	CH3
5	4.278	CH3	NH2	H	H
6	4.314	Cl	NH2	H	H
7	3.981	F	NH2	H	H
8	3.704	OCH3	NH2	H	H
9	4.627	CH3	NH2	CH3	CH3
10	4.659	Cl	NH2	CH3	CH3
11	4.333	F	NH2	CH3	CH3
12	4.352	OCH3	NH2	CH3	CH3

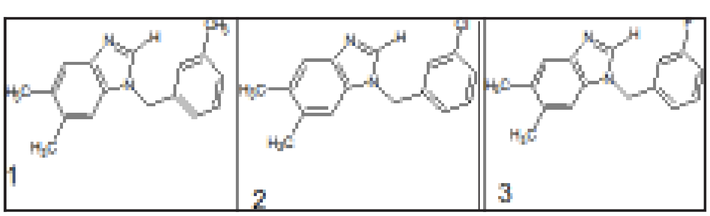

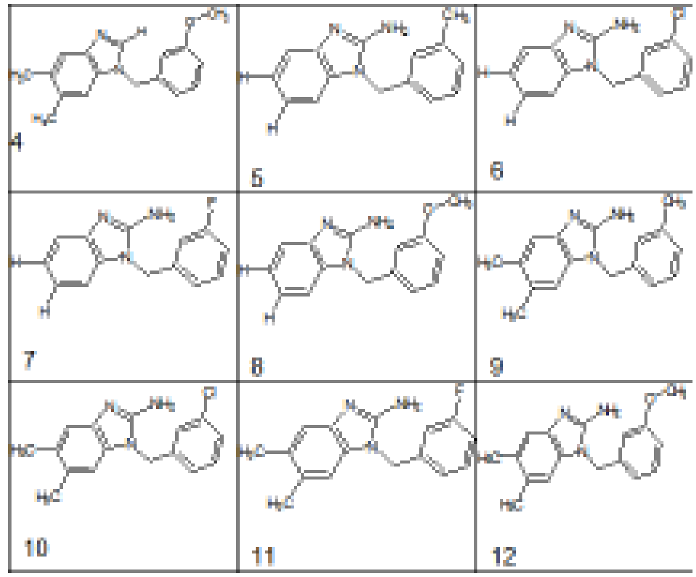

Table 2 : Values of calculated descriptors for the compounds used in the present study.

Comp.	LogMIC	ATS2v	DBI	SNar	ATSC 6p	ATSC 8p
1	4.602	3.393	2.121	13.929	0.263	0.047
2	4.637	3.399	2.121	13.929	0.238	0.059
3	4.609	3.369	2.121	13.929	0.523	0.203
4	4.328	3.408	2.345	14.622	0.461	0.24
5	4.278	3.317	2	13.523	0.679	0.321
6	4.314	3.323	2	13.523	0.696	0.336
7	3.981	3.291	2	13.523	0.902	0.538
8	3.704	3.332	2.236	14.216	0.848	0.56
9	4.627	3.418	2.236	14.334	0.155	0.032
10	4.659	3.424	2.236	14.334	0.139	0.041
11	4.333	3.395	2.236	14.334	0.367	0.172
12	4.352	3.432	2.449	15.027	0.321	0.184

Table 3. Correlation matrix for the inter correlation of the structural descriptors and their correlation with activity.

	logMIC	ATS2v	DBI	SNar	ATSC 6p	ATSC 8p
logMIC	1					
ATS2v	0.6581	1				
DBI	0.0714	0.7771	1			
SNar	0.1244	0.8069	0.9974	1		
ATSC6p	-0.8467	-0.9175	-0.4779	-0.5232	1	
ATSC8p	-0.9378	-0.8295	-0.3019	-0.3512	0.9705	1

Table 6. Observed and Estimated values for the present set of compounds.

Compd No.	Observed	Estimated log MIC	Residual logMIC
1	4.602	4.701	-0.099
2	4.637	4.632	0.005
3	4.609	4.517	0.092
4	4.328	4.323	0.005
5	4.278	4.328	-0.05

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

6	4.314	4.301	0.013
7	3.981	3.904	0.077
8	3.704	3.769	-0.065
9	4.627	4.618	0.009
10	4.659	4.57	0.089
11	4.333	4.427	-0.094
12	4.352	4.333	0.019

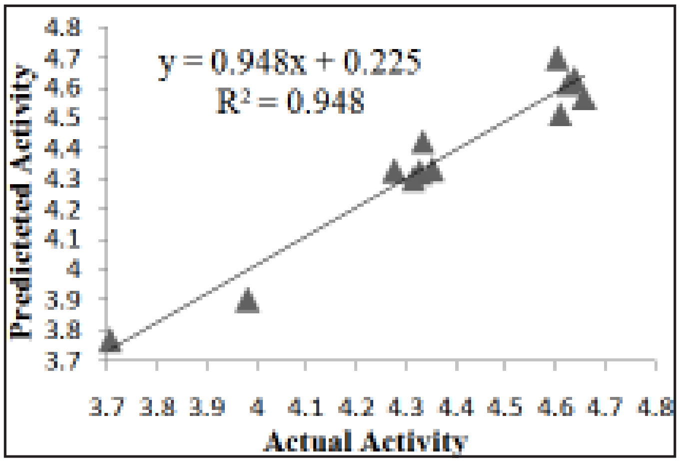

Fig. 2(a): Plot between observed and estimated logMIC using best model.

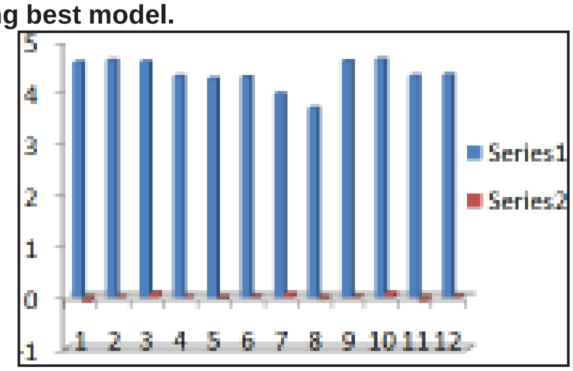

Fig. 2 (b): Residual plot using best model for the activity

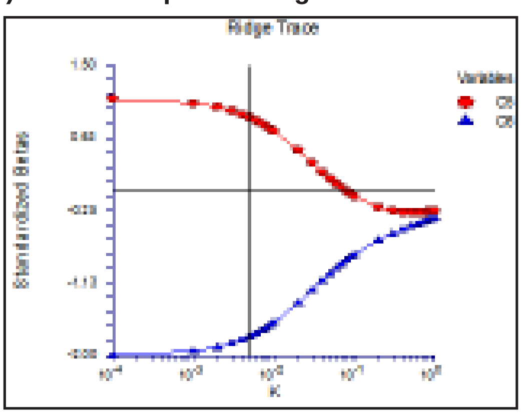

Fig. 3 : Ridge Trace for the bi-parametric model containing ATSC6p (C5) ,ATSC8p(C6) as correlating parameters.

Table 7 Ridge Regression parameters for the best obtained models

Model No.	Parameters Used	VIF	T	ë$_i$	K
	ATSC6p	17.2167	0.0581	1.9705	1.0000
	ATSC8p	17.2167	0.0581	0.0295	66.8500

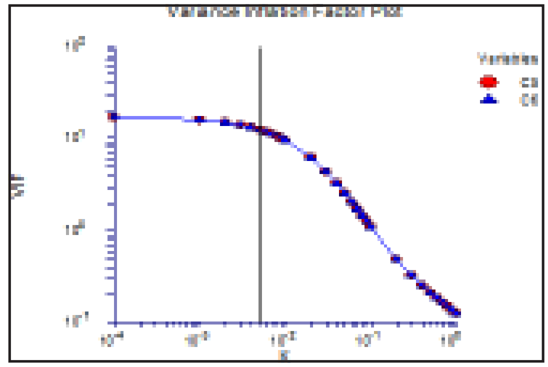

Fig. 4. VIF Trace for the bi-parametric model containing ATSC6p (C5) ATSC8p(C6) as correlating parameters.

References:-

1. Z. Kazimierczuk, J.A. Upcroft, P. Upcroft, A. Gorska, B. Starosciak, A. Laudy, Acta Biochim. Polon. (2002) 49-1 185-195.
2. H. Goker, C. Kus, D.W. Boykin, S. Yildiz, N. Altanlar, Bioorg. Med.Chem. (2007) 17, 2233-2236.
3. S. Ozden, D. Atabey, D. Yildiz, H. Goker, Bioorg. Med. Chem. (2005) 13, 1587-1597.
4. S.O. Podunavac-Kuzmanoviæ, D.M. Cvetkoviæ, Centr. Eur. J. Occupat. Environ. Med. (2006), 12 55-60.
5. S.O. Podunavac-Kuzmanoviæ, S.L. Markov, Centr. Eur. J. Occupat. Environ. Med. (2006) 12, 61-66.
7. S.O. Podunavac-Kuzmanoviæ, D.D. Cvetkoviæ, J. Serb. Chem. Soc. (2007) 75, 459-466
8. S.O. Podunavac-Kuzmanoviæ, D.D. Cvetkoviæ, D.J. Barna, J. Serb. Chem. Soc. (2008) 73, 967-978.
9. S.O. Podunavac-Kuzmanoviæ, V.M. Leovac, D.D. Cvetkoviæ, J. Serb. Chem. Soc. (2008) 73, 1153-1160.
10. S.O. Podunavac-Kuzmanoviæ, D.D. Cvetkoviæ, D.J. Barna, Chem. Ind. Chem. Eng. Q (2009) 15, 125-130.
11. S. O. Podunavac-Kuzmanoviæ, D. D. Cvetkoviæ, Chem. Ind. Chem. Eng. Q (2007) 13, 68-71.
12. H. Kucukbay, R. Durmaz, E. Orhan, S. Gunal, Farmaco 58 (2003) 431-437.
13. C. Kus, G. Ayhan-Kilcigil, B. Can-Eke, M. Iscan, Arch. Pharm. Res. (2004) 27, 156-163.
14. G. Ayhan-Kilcigil, C. Kus, T. Coban, B. Can-Eke, M. Iscan, J. Enz. Inhib. Med. Chem. (2004) 19, 129-135.
15. G. Ayhan-Kilcigil, N. Altanlar, Turk. J. Chem. 30 (2006) 223-228.
16. B.G. Mohamed, M.A. Hussein, A.M. Abdel-Alim, M. Hashem, Arch. Pharm. Res. (2006), 29 26-33.
17. S.A. El-Hawash, E.A. Badawey, T. Kappe, Pharmazie (1999) 54, 341-346.
18. K.J. Soderlind, B. Gorodetsky, A. Singh, N. Bachur, G. Miller, J. Lown, Anti-Cancer Drug Des. (1999) 14, 19-39.

19. H. Nakano, T. Inoue, N. Kawasaki, H. Miyataka, H. Matsumoto, T. Taguchi, N. Inagaki, H. Nagai, T. Satoh, Chem. Pharm. Bull. (1999) 47, 1573-1578.
20. S. Demirayak, U. Abu-Mohsen, A. Cagri Karaburun, Eur. J. Med. Chem. (2002) 37, 255-260.
21. S.M. Rida, S.A. El-Hawash, H.T. Fahmy, A.A. Hazzaa, M.M. El-Meligy, Arch. Pharm. Res. (2006) 29, 826-833.
22. Seydel. J. K., Prediction of the in vitro activity of sulfonamides synthesized from simple amines by use of electronic data obtained from the simple amines, *J. Med. Chem.* (1971) 14, 724-729
23. National Commitee for Clinical Laboratory Standards, NCCLS Approval Standard Document M2-A7, Vilanova, PA, (2000).
24. National Commitee for Clinical Laboratory Standards, NCCLS Approval Standard Document M7-A5, Vilanova, PA, (2000)
25. Soni Sunil K., Agrawal Vijay K., Khadikar P. V.and Srivastava A.K., Topological QSAR studies on antifungal benzoxazoles, Indian J. Chem., (1999) 38 (A), 745-752.
26. Agrawal Vijay K., Bano Shahnaz and Khadikar Padmakar V., QSAR analysis of antibacterial activity of some 4-aminodiphenyl sulfone derivatives, Acta Microbiologica- (2003)50, 385-393
27. Agrawal Vijay K., Mishra Kamlesh and Khadikar Padmakar V., Multivariate analysis for modeling some antibacterial agents, Oxid. Commun., (2003) 26, 14-21,.
28. Agrawal Vijay K., Sharma- Ruchi and Khadikar Padmakar V., QSAR Studies on Carbonic Anhydrase Inhibitors:A Case of Ureido and Thioureido Derivatives of Aromatic/Heterocyclic Sulfonamides, Bioorg. Med. Chem., (2002)10, 2993-2999.
29. Singh Jyoti, Shaik Basheerulla, Singh Shalini, Sikhima Sarla,. Agrawal Vijay K, Khadikar Padmakar V. and Supuran Claudiu T., QSAR studies on the activation of the human carbonic anhydrase cytosolic isoforms I and II and secretory isozyme VI with amino acids and amines, Bioorganic & Medicinal Chemistry (2007) 15, 6501–6509
30. Devillers J., Balaban A.T.: Topological Indices and Related Descriptors in QSAR and QSPR, Gordon & Breach, Amsterdam (the Netherlands), 1999.
31. Advanced Chemistry Development, Inc. Chemsketch. Toronto, Canada; 2019. Available from: www.acdlabs.com
32. Talete srl, Dragon (Software for Molecular Descriptor Calculation)Version 6.0 - 2015 - http://www.talete.mi.it/
33. Hintze, J. (2012). NCSS 8. NCSS, LLC. Kaysville, Utah, USA. www.ncss.com
34. Randic M., Acta. chem. slov. 1998, 45, 239
35. Tute M.S., Harper N.S., Simmona A.B., Advance in Drug Research Eds Academic Press London, 1971, 6, 1.
36. Chatterjee S., Hadi A.S., Price B., Regression Analysis By Examples, *Wiley VCH,* 2000.
37. Pogliani L., Structur property relationships of amino acids and some dipeptides, Amino Acids , 6, 141-153, 1994.

Table 4. Quality of statistical parameters for different models

Model	Parameters	Ai,i=1,2,3….	Intercept	Se	AdjR^2	R^2	F-Ratio	Q-Value
1	ATSC8p	A1=-1.5018(± 0.1758)	4.7107	0.1065	0.8674	0.8795	72.96	8.805
2	ATSC6p	A1=-0.9393 (±0.1866)	4.8064	0.1632	0.6886	0.7169	25.329	5.188
3	ATS2v	A1=4.0476(± 1.4643)	-9.2924	0.231	0.3765	0.4331	7.641	2.848
4	ATSC6p ATSC8p	A1=1.2113(± 0.3475) A2=-3.1990 (±0.5016)	4.5328	0.0733	0.9373	0.9487	83.246	13.297
5	DBI ATSC8p	A1=-0.4826 (±0.1933) A2=-1.6145(± 0.1494)	5.786	0.0863	0.913	0.9288	58.69	11.164
6	SNar ATSC8p	A1=-0.1466 (±0.0601) A2=-1.6334 (±0.1536)	6.8077	0.08717	0.9112	0.9274	57.465	11.047
7	ATS2v ATSC8p	A1=-2.3621(± 1.0022) A2=-2.0121 (±0.2610)	12.7993	0.0883	0.9089	0.9255	55.877	10.895
8	ATS2v DBI	A1=9.3556(± 0.9108) A2=-2.3006(± 0.3068)	-22.2032	0.0905	0.9044	0.9218	53.049	10.614
9	ATS2v SNar	A1=9.8287(± 1.0594) A2=-0.7304 (±0.1080)	-18.5043	0.0988	0.8861	0.9068	43.782	9.643
10	DBI ATSC6p	A1=-0.8946 (±0.2932) A2=-1.1683 (±0.1570)	6.8589	0.1206	0.83	0.8609	27.844	7.693
11	SNar ATSC6p	A1=-0.2750 (±0.0928) A2=-1.1938 (±0.1643)	8.8024	0.1224	0.8248	0.8567	26.893	7.561

Table 5. Cross validated parameter for the proposed models.

Model No.	Descriptors used	N	PRESS	SSY	PRESS/SSY	R^2CV	PSE	SPRESS
1	ATSC8p	12	0.1135	0.8282	0.13704	0.86296	0.0972	0.1065
2	ATS2v,ATSC8p	12	0.07018	0.8715	0.08052	0.91948	0.0764	0.0883
3	Snar,ATSC8p	12	0.06838	0.8733	0.0783	0.9217	0.0755	0.08717
4	DBI,ATSC8p	12	0.06706	0.8746	0.07667	0.92333	0.0747	0.08632
5	ATSC6p,ATSC8p	12	0.04829	0.8934	**0.05405**	**0.94595**	**0.0634**	**0.07325**

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

गुरु सानिध्य की उपादेयता

डॉ. रमाशंकर मिश्रा*

* 41, श्री राम नगर, शाहदा रोड, शिरपुर (महाराष्ट्र) भारत

प्रस्तावना - ॐ गुरुदेवाय विद्महे
परब्रह्माय धीमहि।
तन्नो गुरुः प्रचोदयात।

भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की अदम्य जिजीविषा में एक ऐसी स्वभावगत भास्वरता है कि वह काल प्रवाह से प्रकट हुई स्थिति जन्य मलिनता अथवा तमिस्रा का निवारण स्वत: ही अनवरत रूप से करती रहती है। एतदर्थ रचनाश्रम प्रांगण में सहज भाव से उपस्थित रहने वाले साधकों व विद्यार्थियों के जटिल प्रश्नों के निवारण हेतु भी सहज सूत्र स्वत ही प्रकट हो जाते है।

कला गुरु लक्ष्मी नारायण भावसार जी भारत की समकालीन कला के अत्यंत मूल्यवान हस्ताक्षर हैं, इनके व्यक्तित्व की छाया में हमने आधुनिक कला के मर्म को समझने का प्रयास किया है आपने चित्रकला में प्रचलित मानदंडों के साथ - साथ नवीं संकल्पना का आरोहण किया है। आप के चित्रों में कला गुणों के सरोकार अनुभूत हैं। आप मध्यप्रदेश की स्वतंत्रयोत्तर कला के प्रतिनिधि कलाकार हैं क्यूंकि यहाँ की चित्रकला में आपकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

सभी शैक्षणिक सोपानो की औपचारिकता के उपरान्त भी जब स्वयं को तात्कालिक व समसामायिक रचनाधर्मिता में निरुत्तार पाया तब मेने गुरुदेव की शरण ली। कला गुरु लक्ष्मीनारायण भावसार जी के रचनाश्रम का प्रांगन इतना विशाल है की उसमे मेरे जैसे सेकड़ो मृतप्राय हो चुके तरु आशीष मात्र से जीवन दान पा जाते है। आपकी अध्यापन शैली वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न केवल प्रासंगिक वरन् तात्कालिक परिस्थितियों व विद्यार्थियों के गुण दोष इत्यादि को स्वीकार करते हुए सहज और स्वाभाविक जान पड़ती है देश के कोने-कोने से आने वाले शिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल, अकुशल अथवा अनुभवहीन कलाकार भी आपके सानिध्य में रहकर वह सूत्र सीख जाते है जिनसे वे न केवल सम्मान पूर्वक जीविकोपार्जन कर सके वरन कला जगत में स्वयं को स्थापित भी कर सके।

शून्य व भ्रम से अभिभूत कलाकारों व कला विद्यार्थियों की रचना प्रक्रिया का प्रादुर्भाव तात्कालिक परिस्थितियों अथवा पूर्व समायोजित उद्धारणों के आधार पर शने: शने: होता है जिसके परिणाम स्वरुप अध्ययन अवधि बीत जाने के वर्षोपरांत भी निस्सार या अपूर्ण तात्पर्य मात्र रह जाता है ऐसे विकट समय में गुरुः उपाय व गुरु सानिध्य ही एकमात्र संजीवनी होती है।

'गुरु कृपा ही केवलं शिष्यस्य परं मंगलम' is a common Sanskrit expression mantra and song that means the Guru's grace is absolute and only reality. It is a key principle for learners as well as the concept of divine grace of Hinduism. The Spiritual path of Guru Sanidhya considered a faster way to get knowledge. In guru Sanidhya the disciples receive knowledge directly from his / her Guru.

कलागुरु के व्यक्तित्व में कलाकार एवं एक तपस्वी संत का अद्भुत मिश्रण है आपने कलागुरु जैसे विराट शब्द को अपने सच्चे अर्थों में प्रमाणित व गौवान्वित किया है तथा देशभर में फेले अपने असंख्य शिष्यों प्रशंसकों एवं कला के सभी जनों के मध्य सांस्कृतिक चेतना की निर्मिती को स्थापित किया है शांति निकेतन से लेकर मुंबई तक तथा बड़ोदा से लेकर बनारस तक भारतीय कला के श्रेष्ठतम संस्थानों, महाविद्यालयों, कला विथिकाओं एवं शीर्ष केन्द्रों पर आपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व की छाप छोड़ी है। कठिन कार्य मात्र सूत्रों को शिरोधार्य करने से सुलभ नहीं होते। अन्वेषणवृत्ति अथवा साधना की पराकाष्ठा के उपरान्त भी मानो इच्छित परिणाम ना मिलने पर गुरु सानिध्य ही रामबाण उपाय है तथापि यह सिद्ध तब होगा जब विद्यार्थी भाव से संशय रहित होकर गुरु सम्मुख उपस्थित होगा।

आपकी कला में माध्यमों की अनेकता, रूपों का अद्भुत संधान, रंगों की चमत्कृत आभा एवं सांगीतिक प्रतिध्वनि का निनाद तथा प्रकृति के सृजनात्मक सौन्दर्य की अद्भुत झांकी अपनी प्रखर दिप्तियों से जन मन की गहराइयों को आलोकित करती रहती है कला गुरु प्रोफेसर भावसार जी की कला साधना में सृजन एवं चित्र विद्याओं का अद्भुत संगम है जहां रूप माधुर्य और प्रसाद आप के चित्रों से सहसा प्रकट हो उठता है फिर चाहे वह व्यक्ति चित्र हो अथवा दृश्य चित्र सभी द्रष्टा को बरबस आकृष्ट कर लेते हैं क्योंकी इनमें आलौकिक सौंदर्य की प्रतीति होती है।

सद्गुरु का किसी बात को कहने का धन अनूठा होता है, तात्कालिक समय में भले ही उनकी बात कर्कष प्रतीत होती हो किन्तु उसकी अनुगूँज शिष्य का भविष्य संवारती है। कला गुरु का व्यक्तित्व भी उनकी चित्रकला के समान बहुआयामी है चित्रकला के साथ ही आपको संगीत विधा की भी व्यापक जानकारी है, लोक संस्कृति जनजातीय कला गत आयाम एवं भारतीय धर्म एवं दर्शन के भी आप ज्ञाता हैं ऐसा आप के चित्रों से प्रतीत होता है।

आप की कला में भारतीय आदर्श परंपरा, कला सौष्टव विशेषकर अध्यात्मिकता का स्पंदन है जहां कुछ भी जड़ नहीं सब कुछ चेतन है। आपके चित्रों में रेखा रूप एवं रंगों का मार्मिक संवाद है, विषय कुछ भी हो, सभी कलाकृतियों में लय का उद्घोष है भले ही वो चित्र माँ सरस्वती का हो, शिव पार्वती हो, डॉ. शंकर दयाल शर्मा का व्यक्ति चित्र हो, गुरु देव रविन्द्रनाथ टैगोर हों या या आपके गुरु बाबा श्री ओम्कार नाथ जी हों इन सभी में

प्रत्यक्ष सोंदर्य चेतना का स्फुरण सहज ही मालूम होता है, इनके साथ ही आपने भोपाल के अनेकों चित्र बनाए और हर चित्र में रंग संगती, वर्ण विन्यास भांति-भांति के है। आपके ओंकारेश्वर के चित्रों की भी अपनी अनूठी श्रंखला है, जहां आपने बदलते वक्त की झलक के साथ मान्धाता पर्वत पर शोभायमान इस मंदिर को विभिन्न कोणों से चित्रित कर ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से भी चित्र की महत्ता स्पस्ट की है।

आपका सहज सरल जीवन चरित कलात्मकता के अनेक पहलुओं का जीवंत दर्शन कराता है। आपके चित्र एकल तथा अनेक समूह प्रदर्शनों में सराहे गए है, मालव भूमि से प्रारंभ हुई आपकी कला यात्रा आज भारत देश ही नही विश्व के तमाम स्थानों में अनवरत जारी है। जिनमें दिल्ली, जयपुर, मुंबई, वाराणसी, भारत भवन, मध्य प्रदेश विधानसभा चित्रकूट, आगरा, जयपुर, एवं पर्यटन विभाग सहित नॉर्वे, कैलिफोर्निया, लन्दन, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, न्यूयॉर्क, नेपाल आदि स्थान प्रमुख है।

कला गुरु ने अपनी प्रयत्नशीलता से अपने अन्तरंग में जो नए और अनोखे रंग भरे उससे उनमें अधिक से अधिक उत्साह आता गया वे विविधता के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाते गए और अपने जीवन की अर्थवत्ता के सुन्दर तरीके तलाशते गए अत: आपके आज को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपने अपने अध्ययन काल में स्वाध्याय वृत्ति के चलते अनेकानेक गुण तथा अनुकरणीय रुचियां विकसित की जिन्होंने आप को श्रेष्ठ कला आचार्य कुशल, चित्रकार एवं अनूठे व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया।

भारत भवन में आपके चित्रों को देखकर वरिष्ठ पत्रकार जावेद आलम ने आपको पानी का चितेरा कहा था, उनके अनुसार पानी की हर हरकत पर आपने मनभावन चित्र उकेरे है। आपके चित्रों में पानी के विविध रूपों को सहज ही देखा जा सकता है। आपकी रूचि के अनुसार परिवारजनों, कला जगत से तथा गुरुओं से आपको वह वातावरण मिला जो स्वयं ही आपको कसौटी पर रखता चला गया, असाधारण प्रतिभा के साथ कमाल का अनुशासन जो की मणिकांचन के योग की भांति है कला गुरु के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में दर्शनीय है।

वर्ष 2001 में आप से अनुमति लेकर बहुत से विद्यार्थी चित्रकार एक छत्र के नीचे एकत्र हुए और नाम दिया 'expression group of artists' सबकी आम सहमती से इस ग्रुप की अगुवा बनी श्रीमती अलका श्रीवास्तव जो हम विद्यार्थियों में से वरिष्ठतम चित्रकार थीं। इस ग्रुप के सदस्यों में शिला गर्ग दीदी, मंजू हिंगोरानी दीदी, डॉ. राजू राठौर, डॉ. सुधीर छारी, नीलेश उपाध्याय जी, डॉ. शैलेन्द्र नामदेव, बसंत भार्गव, शंकर राजपूत जी, विवेक वर्मा जी एवं लेखक आदि सक्रीय कलाकार थे।

हम सभी भाग्यशाली थे जिन्होंने आपके साथ देशाटन किया। मध्य प्रदेश के तमाम रमणीय स्थलों जैसे भोपाल के समीप भोजपुर से लेकर पचमढ़ी, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, मांडू, खजुराहो, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, आदि से होते हुए गोवा, जयपुर, मुंबई, आदि स्थानों में हमारी कलात्मक गतिविधियाँ चलती रही। ग्रुप के सक्रीय कलाकारों में डॉ. शैलेन्द्र, हरी नामदेव कहते हैं की सृजन के पश्चात् आनंदानुभूति करना कोई सर से सीखे, चित्रण प्रक्रिया के दौरान उनमें एक अद्भुत शक्ति का संचार सा होने लगता है उस समय वह असीम उर्जा से भरे होते हैं, आज कला गुरु 80 वर्ष से अधिक के हो चुके हैं लेकिन उनकी शैली किसी युवा की भांति ही होती है।

डॉ. राजू राठौर हमीदिया महाविद्यालय के चित्रकला विभाग के सबसे पहले विद्यार्थी रहे, वे बताते हैं की सर लैंडस्केप की स्टडी के लिए हमें भोपाल के विभिन्न स्थानों में ले जाया करते थे। सरिता राठौर दीदी और किरण तिवारी दीदी कहती हैं की सर की विद्यार्थी होना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अलका श्रीवास्तव दीदी बताती हैं कि सर के सानिध्य में बीते हमारे दिन जीवन के स्वर्णिम दिन थे सर उन दिनों में कठिन साधना करते और हमें भी उसी प्रकार अनुशासन की कसौटी पर खरे उतरने के लिए प्रेरित करते।

आदरणीय शिला गर्ग दीदी बताती हैं की सर की सभी गतिविधियों से, क्रियाकलापों से चौतन्यता व जीवन्तता का आभास होता था, वे हर उम्र के व्यक्ति के साथ गहरा तादात्मय में बना लेते थे। वे जितने अच्छे गुरु हैं उतने ही अच्छे व्यक्ति भी हैं।

गंभीर व्यक्तित्व के धनी शंकर राजपूत साहब सर के रेखांकन को उनके चित्रण की धुरी मानते हैं वे बताते हैं कि सर ने हमें सिखाया की कैसे रेखांकन के माध्यम से चित्र में छाया प्रकाश की उपस्तिथि हो एवं वर्ण समाधान से लावण्य का प्राकट्य हो, उन्होंने सदा ही कला के आधारभूत तत्वों के अध्ययन पर अधिक जोर दिया।

कला गुरु के सबसे विविध आयामी विद्यार्थियों में से एक विवेक वर्मा जी कहते हैं की सर जितने अच्छे चित्रकार है उससे भी अच्छे शिक्षक हैं, उन्होंने अपने गुरुत्व भाव को अत्यंत श्रेष्ठतम रीती से सिद्ध किया है, विशेषकर दृश्य चित्रण में उनका कोई सानी नहीं है, खासकर उनकी बनाई पानी की रंगतें तो देखते ही बनती हैं।

पंजाब के प्रसिद्ध चित्रकार बलदेव गंभीर साहब बताते हैं की लक्ष्मी नारायण भावसार जी भव्यतम संयोजनों के महारथी हैं, उनकी कम्पोजिशंस में line, form, color, tone, space, आदि का अद्भुत तादात्मय है और यही आधार है उनके सौंदर्य पूर्ण सृजन का। मध्य प्रदेश के वरिष्ट कलाकारों में श्री हरी भटनागर जी स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं वे कला गुरु के व्यक्तित्व व कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि ,एल. एन. भावसार साहब श्रेष्ठ चित्रकार होने के साथ – साथ बहुत अच्छे मित्र व्यक्ति और अपने आप में एक संस्थान की भांति हैं। वह सभी कुछ जो एक कुशल चित्रकार के लिए आवश्यक है उनमें परिलक्षित होता है और एक सबसे बड़ी बात यह है की उनकी जन्मभूमि मालवा के दर्शन उनकी कला में सहज ही होता हैं।

इसी प्रकार आप के सानिध्य में आने वाले कलाकार जो पूर्ण समर्पण भाव से आते हैं वे न केवल कलागत बारीकियों का अध्ययन करते हैं वरन मौलिक रचना धर्मिता की ओर अग्रसर होते हैं आपने केवल कलागत विशेषताओं को ही प्राथमिकता नहीं दी वरन स्वयं भी सद्भाव पूर्ण संयमित व अनुशासन पूर्ण जीवन जिया है वर्तमान व आने वाली पीढ़ी के लिए आपका जीवन चरित्र सदैव ही प्रेरणा स्त्रोत रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भावसार डॉ. लक्ष्मीनारायण : कलावार्ता, भोपाल, 2005 पृष्ठ 44
2. गीताप्रेस, गोरखपुर, कल्याण जुलाई 2006 पृष्ठ 76
3. Speaking Tree http://www.speakingtree.in
4. Hindi100-com http://www.hindi100.com

****

ग्रामीण क्षेत्रों मे शिशु पोषण की चुनौतियाँ और संभावित निराकरण

डॉ. रूपाली गुप्ता *

* असिस्टेंट प्रोफेसर, एम.एम. (पीजी) कॉलेज, सतीकुंड कनखल, हरिद्वार (उत्तराखंड) भारत

प्रस्तावना – विकासशील देशों में आज भी शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का मुख्य कारण कुपोषण होता है। स्वाथ्य विज्ञान में आपेक्षित प्रगति के उपरान्त भी भारत में जन्म लेने वाले हर चौथे शिशु की मृत्यु पाँच या छः वर्ष की आयु के अन्तर्गत हो जाती है। इसका एक प्रमुख कारण शिशुओं को पर्याप्त आहार नहीं मिलना तथा मिलने वाले आहार में पर्याप्त पोषण तत्वों का समावेश न होना होता है।

भारत वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आहर सम्बन्धी सर्वेक्षण हुए हैं, जिनसे ज्ञात हुआ है कि निर्धन जनसंख्या के भोजन मे प्रोटीन, खनीज लवण व विटामिन ही नहीं वरन् उर्जा उत्पादक पदार्थ जो अपेक्षकृत अधिक सस्ते हैं, उनका भी आभावा पाया जाता है। जबकि मध्यम व उच्च वर्ग के शिशु भी प्रोटिन खनिज लवण व विटामिन की न्यून मात्रा से प्रभावित होते हैं।

निर्धनता तथा उससे उत्पन्न भुखमरी आज भी विकासशील देशों के लिए सबसे बडी चनौती है। निर्धनता से होने वाला कुप्रभाव अल्प पोषण के रूप में दिखाई देता है, जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति विशेषतः महिलायें एंव बच्चें सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अल्पपोषण तथा आहार में पोषक तत्वों की कम मात्रा में ग्रहण करने से व्यक्ति का शारीरिक एंव मानसिक विकास बाधित होता है। साथ ही व्यक्ति की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती हैं। परिणामस्वरूप रूग्णता और मृत्युदर में वृद्धि होती है।

अतः सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ एंव कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण स्वास्थय एंव पोषण के क्षेत्रो में विगत वर्षो में कुछ सुधार एंव प्रगति हुई हैं। किन्तु भारत जैसे विकासशील एंव अधिक जनसंख्या वाले देश में यह उपलब्धियां पर्याप्त नहीं कहीं जा सकती है। सरकार द्वार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मात्र शिशु कल्याण कार्यक्रमों पर व्यापक स्तर पर संरचनात्मक एंव वित्तीय सुविधायें उपलब्ध करायी गयी और मानवीय एंव भौतिक संसाधन जुटाये गये। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जहां स्वास्थ्य एंव बच्चों के विकास के लिए 112646 करोड रूपये आवंटित किये गये थे, वहीं 12 पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत 408521 करोड रूपये का प्राविधान किया गया। एक बडी धनराशि स्वास्थ्य सेवाओं एंव पोषण पर ठ हो रहीं है लेकिन कुपोषण की स्थिति पर वांछित कमी नहीं लायी जा सकी हैं। आवश्यक टीकारण के वांछित लक्ष्यों से हम अभी दूर है। वर्तमान में भी अनेक क्षेत्रों में माताओ एंव बच्चों में कुपोषण,एनीमिया और अल्पभार की समस्यायें बनी हुई हैं। साथ ही मुत्युदर व रूग्णता दर में कमीं करने के निर्धारित लक्ष्यों की प्रप्ति में भी हम सफल नहीं हो पायें हैं।

अतः अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों मे शिशु पोषण व विकास के लिए किये जा रहें प्रयासों में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां बधायें उत्पन्न करती हैं जिनमें कुछ प्रमुख निम्नवत् हैं:

शिक्षा– शिशु पोषण में अभिभावकों की शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि शिक्षित अभिभावकों में नवाचार अभिग्रहण की प्रक्रिया अशिक्षित व अल्पशिक्षित अभिभावकों की अपेक्षा अधिक त्वरित होती है। शिक्षित अभिभावको का बाहय सम्पर्क एंव सम्प्रेषण भी विस्तृत होता है, जिससे वे पोषण सम्बन्धी नवीन व उपयोगी जानकारियों से अवगत होते रहते हैं। अतः अभिभावको मे न्यून शैक्षिक स्तर और जागरूकता की कमी भी शिशु पोषण के लिए बडी चुनौती है।

निर्धनता– ग्रामीण क्षेत्रो में अधिकांश परिवार मजदूरी करके आय अर्जित करते हैं तथा पूरे परिवार का भरण–पोषण करते हैं। इसी कारण वे शिशु पोषण पर समुचित समय ध्यान और आवश्यक धन नहीं लगा पाते हैं। शिशु पोषण से सम्बन्धित सुविधाओं और संसाधनों की कमी के फलस्वरूप शिशु पोषण प्रभावित होता है।

पारिवारिक संरचना– संयुक्त परिवारो में कर्त्ता अथवा परिवार के वरिष्ठ मुखिया की इच्छा को प्रधानता मिलने के कारण अन्य सदस्य अपनी इच्छाओं और विचारों के अनुसार कोई स्वतन्त्र कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रायः संयुक्त परिवारों में रूढीवादी अनुशासन के कारण अन्य सदस्यों के गुणो को विकसित होने के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अतः यह भी शिशु पोषण के लिए एक गम्भीर चुनौती है।

पारिवारिक आकार– लघु आकार वाले परिवारों में शिशुओं के उचित पोषण हेतु आवश्यक संसाधन भोजन व पर्याप्त समय उपलब्ध होने के कारण अभिभावक अपने शिशुओं के स्वास्थ्य एंव पोषण के प्रति अधिक ध्यान दे पाते हैं। इसके विपरीत परिवारो का विस्त्त आकार होने के कारण अभिभावक शिशुओं के स्वास्थ्य एंव पोषण के प्रति अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं तथा परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने से पोषण सम्बन्धी आहरीय सामग्री बंट जाती है, जिससे शिशुओ में अल्पोषण के कारण कुपोषण होने की सम्भावना बढाती है।

परम्परागत विचारधारा– भारत मे विभिन्न जाति व धर्म के लोग रहते हैं तथा प्रत्येक जाति व धर्म की अपनी कुछ परम्पराऐं व रूढिवादी विचारधारायें होती है, जिससे वे आज भी बाहर नहीं आना चाहते हैं। ये रूढिवादी परम्पराये व विचारधाराऐं कहीं न कहीं शिशुओ के पोषण स्तर पर भी प्रभाव डालती है। परम्परागत विचारधारा से ग्रसित दम्पत्ति व परिवार आधुनिक स्वास्थ्य पोषण और चिकित्सीय सुविधाओं का समुचित लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

लैंगिक भेदभाव– भारत वर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण का स्तर निम्न होने

की एक प्रमुख चुनौती वहां पर व्याप्त शिशुओं के मध्य लैंगिक भेदभाव भी हैं। जिसके चलते जहां एक ओर बालक शिशु को प्यार, स्नेह और पर्याप्त पोषण मिलता है, वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त आहार भी नहीं दिया जाता बालक एंव बालिका शिशुओं मे प्राय: भेदभाव किया जाता है। यही कारण है कि बालकों की तुलना में बालिकाओं मे पोषण स्तर निम्न है और मृत्युदर व रूग्णता दर ऊँची है।

संचार माध्यमों की उपलब्धता एंव प्रभावशीलता की कमी– सुदूरवर्ती ग्राम्य एंव सुविधाविहीन क्षेत्रों मे आधुनिक संचार तंत्र की अनुपलब्धता अथवा परिचालन/नेटवर्क सम्बन्धी समस्यायें भी बाधा है। साथ ही लोकभाषा व स्थानीय परिवेश के अनुकूल स्वास्थ्य व पोषण सम्बन्धी सूचना व जागरूकता विकास की ओर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना भी शिशु पोषण सम्बन्धी विकास में बाधा हैं।

स्वास्थ्य व पोषण सेवाओं का समुचित लाभ न मिलना– भौगोलिक विषमताओ व परिवहन सम्बन्धी सुविधाओ के अभाव व अल्पविकास के फलस्वरूप स्थानीय नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते है। साथ ही अनेक सुदूरवर्ती,दुर्गम आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें पर्याप्त रूप से उपलब्ध व कारगर नहीं है। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में बाल पोषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

अल्प पोषण का निवारण करने के लिए प्रमुख योजनाएं– इसके लिए कुछ मुख्य कार्यक्रम है– समेकित बाल विकास कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के तहत मध्याहन भोजन कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाएं। कुछ मुख्य कार्यक्रमों और योजनाओं से उपलब्ध करवाए जाने वाले लाभ नीचे तालिका में दिये गए हैं ताकि बच्चों में पोषण को बेहतर बनाया जा सके।

अत: ग्रामीण क्षेत्रों मे शिशु पोषण सम्बन्धी चुनौतियो का सामना करने के लिए सुझाव प्रस्तुत हैं–

1. बलिकाओं और महिलाओं में औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमों से शिक्षा और जागरूकता का प्रचार–प्रसार किया जाये।
2. स्वास्थ्य एंव पोषण शिक्षा और जागरूकता हेतु ग्राम स्तरीय प्रभावी कार्यकलाप/शिविरों का संचालन किया जाये।
3. मातृ शिशु स्वास्थ्य एंव पोषण से सम्बन्धित व कार्यरत ग्राम स्तरीय योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी और जवाबदेह बनाया जाये।
4. स्थानीय जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध वर्ग व स्वंयसेवी संस्थाओं को अधिक गतिशील बनाया जाये।
5. स्वास्थ्य सेवाओं मे विस्तार किया जायें। जन सूचना शिक्षा प्राकोष्ठ गठित कर शिशु पोषण जागरूकता को निचले स्तरों तक पहुंचाया जाये।
6. लैंगिक भेदभाव दूर करने के प्रभावी और ठोस प्रयास किया जाये।
7. ग्रामीण क्षेत्रों मे शिशु स्वास्थ्य और पोषण से सम्बन्धित सही और समुचित जानकारी प्राप्त करने हेतु व्यापक व गहन सर्वेक्षण और शोध अध्ययनसंचालित किये जायें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

क्र.	योजना/कार्यक्रमके नाम	लक्षित समूह	प्रदान कि जाने वाले लाभ
1.	समेकित बाल विकास योजना (आई0सी0डी0एस0)	गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे।	1.आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां। 2.घर ले जाने वाले राशन। 3.स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा।
2.	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई0जी0एम0एस0वाई0)	भुगतान सहित मातृत्व अवकाश प्राप्त करने वाली महिलाओं को छोडकर 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती महिलांए।	बच्चे के प्रसव के दौरान वेतन–नुकसान के लिए आंशिक मुआवजे के तौर पर पहले दो जीवित जन्मों और बच्चे की देखभाल और सुरक्षित प्रसव और अच्छा पोषण और आहार प्रथाओं के लिए उचित स्थितियां प्रदान करने के लिए 3000 रूपये की नकद सहायता।
3.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे0एस0एस0के0)	सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानो मे प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाएं और एक वर्ष तक की आयु के बीमार शिशु।	1.निशुल्क और शून्य खर्च उपचार 2.निशुल्क दवाएं निदान एंव आहार 3.रक्त का निशुल्क प्रावधान। 4.स्वास्थ्य संस्थानो के लिए घर से निशुल्क परिवहन और उपयोगकर्ता को सभी प्रकार की शुल्को से छूट।
4.	सर्व शिक्षा अभियान के तहत मध्याहन भोजन (एस0एस0ए0)	स्कूल जाने वाले बच्चें (6–14 वर्ष)	1.निर्धारित मानदंडो के अनुसार मध्याहन भोजन 2.स्कूलों में आयरन और फोलिक एसिड तथा कृमि नाशक गोलियां।
5.	किशोरी शक्ति योजना	किशोरियां	आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां तथा कृमि नाशक गोलियां।
6.	पोषाहार पुनर्वास केंद्र (एन0आर0सी0) और कुपोषण उपचार केन्द्र (एम0टी0सी0)	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चें	1.14दिनो के लिए आहार चिकित्सा के साथ रोगी का इलाज 2.भोजन और देखभाल प्रथाओं पर माताओं को परामर्श।
7.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0)	'अंत्योदय और प्राथमिकता' वाले परिवार	कम रियायती दरों में राशन जैसे चीनी, चावल, और अनाज

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

शिक्षण अभिक्षमता को प्रभावित करने वाले कारक

ज्योति सालवी* डॉ. शैलजा भारद्वाज**

* शोधार्थी (शिक्षा संकाय) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** सह आचार्य, राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – समान परिस्थितियों में कई व्यक्ति कुछ हासिल करने में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ज्ञान या कौशल कुछ नौकरियों में अधिक उपयुक्त और कुशल साबित होते हैं। ऐसी प्राकृतिक या अर्जित क्षमता जिसे शिक्षण अभिक्षमता कहा जाता है, शिक्षण क्षेत्र के लिए एक शिक्षक को एक सफल शिक्षक होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हालाँकि, ऐसा उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता को और अधिक विकसित किया जा सकता है। मनुष्य की दक्षता को मशीन की तरह आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता है और न ही उसका मापन किया सकता है मनुष्य की कार्य क्षमता कई कारकों के साथ प्रभावित होती है जैसे कार्य के लिए योग्यता, कार्य के लिए प्रशिक्षण की पर्याप्तता, प्रेरणा और दशाएं आदि। फीमैन के शब्दों में– अभिक्षमता ऐसी विशेषताओं के समूह का द्योतक है जो प्रशिक्षण के उपरान्त किसी विशिष्ट ज्ञान, कौशल या संगठित प्रतिक्रियाओ के समुच्चय को अर्जित करने के व्यक्ति की योग्यता का द्योतक है। जैसे– भाषा बोलने, संगीतकार बनने, यांत्रिक कार्य करने की योग्यता।

शिक्षण अभिक्षमता – शिक्षण अभिक्षमता शिक्षक शिक्षा में प्रशिक्षण की एक निश्चित मात्रा के साथ प्रवीणता प्राप्त करने की क्षमता है। यह औपचारिक या अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करके शिक्षण में कुशल होने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार, शिक्षण अभिक्षमता उचित अवसर और प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद शिक्षण क्षेत्र में किसी व्यक्ति की भविष्य की सफलता की भविष्यवाणी करने में सहायक होती है। अभिक्षमता को परिभाषित करते हुए ने लिखा है कि 'अभिक्षमता ऐसी विशेषताओं के समूह का द्योतक है जो प्रशिक्षण के उपरान्त किसी विशिष्ट ज्ञान, कौशल या संगठित प्रतिक्रियाओं के समुच्चय को अर्जित करने के व्यक्ति की योग्यता का द्योतक है। जैसे– भाषा बोलने, संगीतकार बनने, यांत्रिक कार्य करने की योग्यता।'

शिक्षण अभिक्षमता शिक्षक शिक्षा में प्रशिक्षण की एक निश्चित मात्रा के साथ प्रवीणता प्राप्त करने की क्षमता है। यह औपचारिक या अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करके शिक्षण में कुशल होने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार, शिक्षण अभिक्षमता उचित अवसर और प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद शिक्षण क्षेत्र में किसी व्यक्ति की भविष्य की सफलता की भविष्यवाणी करने में सहायक होती है। शिक्षण दौरान कक्षा में शिक्षक का प्रदर्शन बेहतर एवं प्रभावशाली होना चाहिए ताकि अध्येता या विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता अनुसार अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावहारिकता एवं बौद्धिक ज्ञान की क्षमता को विकसित कर सके।

शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका केन्द्रीय धुरी होती है। किसी भी शिक्षक का कक्षा कक्ष में प्रदर्शन को प्रभावित करने के उनके व्यक्तिगत कारक, बौद्धिक कारक एवं संस्थागत कारक प्रमुख होते है। व्यक्तिगत कारक का तात्पर्य शिक्षकों के व्यक्तित्व की स्थिति से है। किसी भी शिक्षक के लिए मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से सक्षम एवं विकसित होना आवश्यक होता है। जिससे उनका शिक्षण का स्तर प्रभावित या निर्धारित होता है। किस भी शिक्षा क लिए यह आवश्यक होता है की उसका व्यवहार सामजिक एवं नैतिक रूप से उत्तम हो। इसके साथ साथ शिक्षक को विवेकी या बुद्धिवान एवं तार्किक होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि सामजिक एवं नैतिक होना। विवेक या बुद्धि के अभाव में शिक्षण कार्य बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार शिक्षण अभिक्षमता का कई कारक प्रभावित करते है

शिक्षण अभिक्षमता को प्रभावित करने वाले कारक

विषय वस्तु का ज्ञान– शिक्षकों को अपने विषय में पूर्णतया प्रवीण होना चाहिए, यदि शिक्षक को अपने विषय की संपूर्णता एवं नवीनता का ज्ञान होगा तो वह विद्यार्थी को संतुष्ट कर पाएगा, नहीं तो विद्यार्थी को संतुष्ट नहीं कर सकेगा। जिसका प्रभाव शिक्षण प्रशिक्षण पर पड़ता है। विषय का संपूर्ण ज्ञान ही प्रभावशाली शिक्षण का परिचायक है।

शिक्षक का स्वास्थ्य– स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर एक शिक्षक स्वस्थ रहेगा तो उसकी बुद्धि का उचित प्रयोग करके बालकों को सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित कर सकेगा।

ज्ञान संचार प्रक्रिया– एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण ज्ञान संचार का होता है वह किस तरह से, किस माध्यम से एवं किस व्यवहार से विद्यार्थियों को अपने ज्ञान का संचार कर रहा है। शिक्षक को विषय का ज्ञान अच्छा होगा तो इस गुण से वह प्रत्येक विद्यार्थी को संतुष्ट कर सकता है।

मानसिक स्तर– शिक्षकों विद्यार्थियों के मानसिक स्तर की जानकारी प्राप्त करके उसको शिक्षण कार्य करवाना चाहिए जिससे वह शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थी के मानसिकता स्तर के अनुकूल होगा।

तैयारी– शिक्षक को जो भी शिक्षण कार्य करवाना है उसकी तैयारी कक्षा कक्ष में जाने से पूर्व करके जानी चाहिए जिसे शिक्षक का प्रस्तुतीकरण प्रभावशाली हो सके एवं विद्यार्थियों को स्पष्ट तरीके से सन्तुष्ट कर सके।

शिक्षक की बौद्धिक क्षमता– शिक्षक कक्षा कक्ष में जो विषय वस्तु पढ़ा रहा है वह प्रत्येक विद्यार्थियों को समझ आ रही है अगर उस विद्यार्थियों को समझने में कठिनाई हो तो शिक्षक को तुरंत किसी सहायक तकनीकी या

तत्कालिक उदाहरण को प्रस्तुत कर विषय वस्तु को सरल व रोचक एवं बोधगम्य बनाने की कला होनी चाहिए।

शिक्षक छात्र अनुपात– विद्यालय या महाविद्यालय में छात्र और शिक्षक के औसत का मानक निर्धारिण किया गया है उसके अनुसार ही कक्षा कक्षों का संचालन किया जाना चाहिए जिससे शिक्षण प्रभावशाली बन सके।

आधारभूत संरचना–आधारभूत संरचना से तात्पर्य विद्यालय के भौतिक संसाधनो से है। अगर विद्यालय के भौतिक संसाधन प्रभावशाली होंगे तो शिक्षण कार्य भी प्रभावशाली होगा। विद्यालय के भौतिक संसाधन विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास में सहायक होते है।

शिक्षण सहायक उपकरण– शिक्षकों द्वारा अपना शिक्षण कार्य रोचक सरल है और अर्थपूर्ण बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे शिक्षण सहायक उपकरण कहते हैं, जिससे विषय वस्तु को सरल एवं सुगम तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही विद्यार्थी उस विषय वस्तु को समझने में सफल हो सके।इस प्रकार शिक्षक की शिक्षण अभिक्षमता को अनेक भौतिक एवं व्यक्तिगत कारक प्रभावित करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. शर्मा, ए.आर. (1995), शिक्षा अनुसन्धान, लायल बुक डिपो, मेरठ।
2. पाठक, पी.डी. (2008), शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

महामारी कोविड - 19 और भारत में केन्द्र-राज्य संबंध

डॉ. रितु तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) नचिकेता महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी – संघात्मक शासन, प्रशासनिक संबंध, संसदात्मक शासन।

प्रस्तावना – स्वतंत्रता के उपरांत ही भारत में विदेशी शोषण नीति, विश्वयुद्ध, देश का विभाजन एवं प्राकृतिक आपदा ने देश के समक्ष जटिल समस्याएं उत्पन्ना हो गईं उन समस्याओं के निराकरणार्थ देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों का पुनर्गठन करके ही राष्ट्र के निर्माण कार्य को गति देना कठिन था। अतएव अपनी विकर्ण शक्तियों का संचालन करने, विभिन्ना संसाधनों को संतुलित करने, प्रगति के पथ पर एक निश्चित दिशा पर अग्रसर होने के लिए एक संसदात्मक संविधान का निर्माण किया गया। प्राय: यह माना जाता है कि 1947 से पहले भारत 'एक राष्ट्र कम और एक समाज रचना की शैली' अधिक था। हिन्दु युग और उसके बाद मुस्लिम शासकों को युग में भी राष्ट्र निर्माण के प्रयास नहीं किये गये। हमारे यहाँ वंश शासक हुआ करते थे और जितनी भूमि कोई शासक या सेनापति जीत ले वह शासक राज्य कहलाता था।

ब्रिटिश शासन काल में केन्द्रीकृत राजव्यवस्था, भारत के आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति और यातायात व संचार के नये साधन से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आ गया था फिर भी स्वाधीनता से पहले भारत ब्रिटिश भारत देशी रिसायतें में बँटा था। भारत में जम्मू कश्मीर और हैदराबाद जैंसे बड़े-बड़े राज्यों के साथ ही छोटी-छोटी रियायतों भी थी जिनका क्षेत्रफल कुछ एकड़ों तक ही सीमित था।

किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय-राज्य में संघवादी केन्द्र और उसकी इकाइयों के बीच के आपसी संबंधों को दुनियाभर में लोकतंत्र के उदय के साथ राजनीति में केन्द्र-राज्य संबंधों को एक नई परिभाषा मिली है। भारत में आजादी के बाद से केन्द्र-राज्य संबंध का मसला अत्याधिक संवेदनशील मामला रहा है। मुद्दा चाहे अलग भाषाई पहचान, असमान विकास, राज्यों के गठन का हो, पुनर्गठन का हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा देने से जुड़ा हो, ये सब केन्द्र-राज्य संबंधों की सीमा में आते हैं।

भारत, राज्यों का एक संघ है। भारत के संविधान को विधायपालिका, कार्यपालिका और केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों में विभाजित किया गया है, जो संविधान को संघीय विशेषता प्रदान करता है जबकि न्यायपालिका एक श्रेणीबद्ध संरचना में एकीकृत है। भाग XI में अनुच्छेद 245-255 केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के विभिन्न पहलुओं का आदान-प्रदान करता है। संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रावधान तय किए गए हैं। केन्द्र राज्य विधायी सम्बन्ध की सातवीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची (union list), राज्य सूची (state list) तथा समवर्ती सूची (concurrent list) पर आधारित है। संघ सूची (union list) : इस सूची में राष्ट्रीय महत्त्व के विषय शामिल हैं। सूची में कुल 97 विषय हैं। जो वर्तमान में 100 हो गये है जिसमें मुख्य है रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध-संधि, नागरिकता, रेल, बंदरगाह, वायु मार्ग, डाक, तार, संचार, मुद्रा, बैंक, बीमा इत्यादि। इन विषयों पर विधायन अनन्य रूप से केन्द्र संघ का अधिकार है तथा राज्य सूची (state list) : इस सूची में स्थानीय महत्त्व के विषय हैं। इस सूची में मूलत: 66 विषय थे किन्तु 42वें संविधान संशोधन द्धारा इस सूची में पाँच विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिए जाने से इसमें वर्तमान में 61 विषय शेष हैं। इनमें प्रमुख विषय हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जेल, जन-स्वास्थ्य, सफाई, स्थानीय शासन, बाजार, कृषि, मत्स्यन आदि शामिल है इसी प्रकार समवर्ती सूची (Concurrent List) : इस सूची में स्थानीय व राष्ट्रीय दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण विषय सम्मिलित हैं। इस सूची में मूलत: 47 विषय थे किन्तु 42वें संविधान संशोधन द्धारा राज्य सूची के पाँच विषय इस सूची में शामिल किये जाने से विषयों की संख्या 52 हो गई है। इनमें प्रमुख है, आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, विद्युत, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दावा, अखबार, पुस्तक, प्रेस आदि शामिल है, जिनपर विषयों पर राज्यों एवं संघ दोनों को विधायन का अधिकार है किन्तु यदि राज्य विधि व संघीय विधि में टकराव होता है तो संघीय विधि प्रभावी होगी, यदि राज्य विधि को राष्ट्रपति की अनुमति मिली हो तो राज्य में राज्य विधि ही प्रवर्तित रहेगी।

संविधान के भाग दख में अनुच्छेद 256 से 263 तक केन्द्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। केन्द्र राज्य समबन्धों में प्रशासनिक संबंधों का संयोजन सबसे कठिन कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों पर सीमित है जिन पर संघीय संसद के विधि निर्माण के अधिकार हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक शक्तियाँ उन विषयों पर सीमित हैं, जिन पर राज्य विधानमडलों को विधायन का अधिकार है। संघवर्ती सूची के विषयों पर साधारणत: प्रशासनिक अधिकार राज्यों में निहित हैं किन्तु इन विषयों पर राज्यों की प्रशासनिक शक्ति कुछ विशेष परिस्थितियों में संघ को प्रशासनिक शक्ति के अधीन है जहाँ संविधान या संसद द्धारा ऐसा प्रावधान किया गया है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय को समवर्ती सूची में रखने के पीछे मुख्य

उद्देश्य यह रहा है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषयों में केन्द्र एवं राज्य दोनों इसके विकास के नवीन आयाम स्थापित करेगें और एक दौर आज सामने है जबकि पड़ौसी राष्ट्र चीन के वुहान से कोरोना विषाणु से फैलने वाली महामारी कोविड-19 ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा बल्कि विकासशील एशियाई राष्ट्रों में आज कोविड-19 से संक्रमित होने वाले सर्वाधिक संख्या भारत में हो गई है। आज 2,80,000 कोरोना मरीज के साथ इसमें मृत्यु होने वाली मरीजों की संख्या 3000 से अधिक हो गई है यद्यपि इसमें स्वस्थ्य होने वाली मरीजों की संख्या अधिक है लेकिन देश में लॉकडाउन होने के उपरांत भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है और जिसमें खासकर महाराष्ट्र, तमिलनाडू, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और मध्यप्रदेश सहित 10 राज्यों में भयावह स्थिति बन गई है।

कोविड-19 से निपटने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार अपने-अपने स्तर से प्रयास कर रही है जिससे भारत इस बीमारी से जीत सके और इसी संकटकाल के दौरान भारत में केन्द्र-राज्य संबंधों की अग्निपरीक्षा भी है। जहाँ राज्य सहयोग एवं सहायता के लिए केन्द्र की ओर नजर टिकाये बैठे है वहीं केन्द्र भी राज्यों में यथास्थिति अपनी नजरें जमाये हुए है। केन्द्र एवं राज्य के संबंधों को जानने एवं समझने का यह सबसे बेहतर अवसर साबित हो सकता है और यही कारण रहा कि मैनें इस विषय को अपने शोध कार्य के लिए चयनित किया।

अध्ययन का उद्देश्य - अध्ययन के निम्नानुसार उद्देश्य है :

1. भारत में वैश्विक महामारी कोविड-19 से आये केन्द्र-राज्य संबंधों को ज्ञात करना।
2. केन्द्र-राज्य के मध्य कोविड-19 का प्रभावों का अध्ययन करना।
3. संकटकाल के दौरान केन्द्र-राज्य संबंधों में होने वाले बदलाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की प्रासंगिकता - विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र जहाँ भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संध को शक्तिशाली बनाने का हरसंभव प्रयास किया है और केन्द्र एवं राज्य के मध्य विधायी, न्यायिक एवं वित्तीय संबंधों में पृथक-पृथक प्रावधान किये गये है। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण व्यवस्था यह भी रही है कि संकटकाल के दौरान केन्द्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी में भारत के हालात संकटकाल से कम नहीं रहे है और ऐसी स्थिति में केन्द्र-राज्य संबंधों में की वास्तविकता सामने आती है। वैश्विक महामारी के दौरान केन्द्र एवं राज्य के मध्य संबध के अध्ययन से केन्द्र-राज्य संबंध प्रमुखत: संकटकाल के दौरान संबंधों को स्पष्ट समझने का अवसर मिल सकेगा।

भारत में कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच राज्यों और केंद्र सरकार के गहरे मतभेद उजागर हुए हैं। संवैधानिक राज के तहत संघवाद की हिफाजत और राज्यों के साथ विश्वास बहाली के लिए जरूरी है कि अंतरराज्यीय परिषद को सक्रिय किया जाए।

गैर एनडीए शासित राज्यों ने हाल के दिनों में केंद्र पर अत्यधिक दबाव डालने और सलाहों की अनसुनी के आरोप लगाए हैं वही केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान जैसे राज्य तो किसी न किसी मुद्दे पर केन्द्र के प्रति आक्रोशित रहे है, बिहार में बीजेपी के सहयोग वाली सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने भी लॉकडाउन में आवाजाही और परिवहन को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। अंतर्राज्यीय परिषद (इंटरस्टेट काउंसिल) को फिर से सक्रिय करने की मांग नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और एनआरसी को लेकर हुए व्यापक आक्रोश, विवाद और विरोध आंदोलनों के दौरान ही होने लगी थी। अब जबकि देश कोरोना महामारी के सघन दौर से गुजर रहा है तो विद्वानों का मानना है कि ऐसा न हो कि राज्यों और केंद्र के बीच टकराव इतना तीखा हो जाए कि संघीय ढांचे पर ही इसका असर दिखाई देने लगे।

संविधान के अनुच्छेद 263 के जरिए ऐसी प्रविधि के लिए रास्ता बनाया गया था जहां केंद्र और राज्य आपसी समन्वय को सुदृढ़ कर सकें। केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के बाद 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के जरिए अंतरराज्यीय परिषद के गठन को मंजूरी मिल गई थी जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और सदस्यों के रूप में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक और छह केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। लेकिन पिछले तीन दशकों में परिषद की महज छह बैठकें ही हो पाई हैं। आखिरी बैठक एनडीए सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान नवंबर 2017 में हुई थी। केंद्र में दोबारा एनडीए सरकार बनी तो अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की स्टैंडिंग कमेटी का भी पुनर्गठन किया गया है।

भारत की विशालता, विविधता और व्यापकता को देखते हुए और आज के प्रतिस्पर्धी और राजनीतिक-आर्थिक रूप से संवेदनशील माहौल में सभी राज्यों के लिए एक सी नीति या एक सा फैसला लागू नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि कोई फैसला किसी एक राज्य के लिए सही हो लेकिन दूसरे राज्य के हितों से टकराता हो, तो संघवाद की भावना पर ही असर पड़ेगा। हाल के वर्षों में मिसाल के लिए बीफ पर लगाए प्रतिबंध को ही ले सकते हैं, केरल, गोवा, तमिलनाडु और पूर्वात्तर राज्यों में इस आदेश का भारी विरोध हुआ था इसी तरह देश के 19 राज्यों की सरकारों ने सीएए लागू करने के खिलाफ अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पास किए थे। सबसे पहले केरल ने सुप्रीम कोर्ट मे गुहार लगाते हुए अनुच्छेद 131 का हवाला दिया था, जिसके तहत केंद्र और राज्यों के आपसी विवादों में सुप्रीम कोर्ट को ही आखिरी निर्णय देने का प्रावधान है। केंद्र-राज्य संबंधों में गतिरोध की एक प्रमुख वजह वित्त आयोग की कुछ फंड आवंटन नीतियों को भी बताया जाता है।

बीते दिनों मोटर वाहन अधिनियम में किए गए भारीभरकम बदलावों को अस्वीकार कर कई राज्यों ने इस कानून को शिथिल और लचीला बनाया। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने उस दौरान कहा था कि उसके बदलाव राज्यों के लिए बाध्यकारी हैं लेकिन राज्यों ने इसे धमकाने की कोशिश की तरह लिया।

जल बंटवारे की बात हो या जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के विस्थापन या पुनर्वास का मामला - राज्यों के साथ केंद्र के टकराव बढ़ते ही जा रहे हैं और इस दिशा में कोई सामंजस्यपूर्ण कोशिशें फिलहाल नजर नहीं आती। देश के आर्थिक विकास में राज्यों की बुनियादी भूमिका के बावजूद जीएसटी और नोटबंदी जैसे निर्णय एक अतिकेंद्रीकृत सत्ता व्यवस्था के निशान दिखाते हैं और इधर केंद्र ने 1887 के महामारी कानून और 2005 के आपदा प्रबंधन कानू को लागू कर असाधारण शक्तियां हासिल की। हालांकि मुख्यमंत्रियों से ऑनलाइन बैठकें कर प्रधानमंत्री ने ये दिखाने की कोशिश की है कि राज्यों को भरोसे में लेकर ही बड़े फैसले किए जा रहे हैं लेकिन ये भी सच्चाई है कि अंदरखाने राज्यों में केंद्र के रवैये को लेकर असंतोष

भी हैं, खासकर लॉकडाउन से जुड़े नियम कायदों को लेकर, उद्योगों में काम बहाली या बंदी को लेकर, और केंद्रीयकृत जांच अभियानों के जरिए राज्यों से जवाबतलबी को लेकर कुछ राज्यों ने इसे अपने अधिकारों में दखल और कार्यक्षमता पर सवाल उठाने की मंशा की तरह लिया। क्या इन टीमों का स्वरूप केंद्र और राज्य आपस में मिलकर तय नहीं कर सकते थे, ऐसे कुछ सवाल तो उठ ही रहे हैं। राज्यों की राहत पैकेज की मांग भी अब तक कार्रवाई का इंतजार कर रही है।

इस अभूतपूर्व संकट के बीच आपसी तालमेल और विश्वास का अभाव नहीं दिखना चाहिए। अत्यधिक केंद्रीकृत रवैये को भी छोड़ना होगा। ये कठिन समय केंद्र राज्य संबंधों के लिए भी कठिन इम्तिहान की तरह है। इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम ये हो सकता है कि अंतरराज्यीय परिषद को सक्रिय किया जाए जहां राज्य अपनी शिकायतें रख सकें, उनकी सुनवाई हो और उनके निराकरण की कोशिशें की जा सकें, सबसे अहम बात केंद्र और राज्यों के बीच संवादहीनता, संशय और गलतफहमी खत्म हो सकें। परिषद की बैठकें नियमित रूप से साल में कम से कम तीन बार रखी जा सकती हैं।तिमाही रिपोर्टे मिलेंगी तो केंद्र और राज्य दोनों को सहूलियत होगी किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक व्यक्ति का डंका पीटते रहने की मानसिकता से देश को बदला नहीं जा सकता है। भारत का राजनीतिक इतिहास तो यही कहता है यद्यपि सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उसके साथ हैं लेकिन उसका रवैया ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि महामारी से जूझने और हालात को सामान्य बनाए रखने में केंद्र ही अग्रणी है और तमाम राज्य उसके आदेशों काअनुपालन करते हुए अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

दुनिया के कई अहम देशों के भूगोलों से भी बड़े नक्शे वाले भारतीय राज्य किसी भी समन्वित कार्रवाई में बराबर के भागीदार बने रहना चाहेंगे, इससे कम की भूमिका न सिर्फ उन्हें नागवार गुजरेगी बल्कि वे उसे अपनी तौहीन भी मानेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में इस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कड़वाहट को खत्म करने के लिए आपसी संवाद को और प्रगाढ़ और पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत है। इसलिए महामारी के काल में डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता का ख्याल रखते हुए भी केंद्र को राज्यों के और निकट जाना होगा तभी देश में संघवाद कामयाब बना रह सकता है।

उपसंहार – भारतीय संघवाद की प्रकृति चाहे जो भी रही हो लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुरूप एकता और संगठन भारत की असली ताकत है और महामारी के रूप में सामने खड़ी कोविड 19 महामारी को देश से यदि बाहर करना है तो केन्द्र एवं राज्यों को मिलकर लड़ना होगा जिससे इस महामारी को देश से बाहर कर सके यद्यपि भारतीय परम्परा के अनुरूप केन्द्र एवं राज्यों को इस युद्ध से निपटने एकता और सहयोग की भावना को स्पष्ट करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वधवा, डॉ. एस., भारतीय राजनीति एवं प्रशासन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नईदिल्ली, 2001.
2. मिश्रा, रथीन्द्र नाथ, भारत का संवैधानिक विकास तथा राष्ट्रीय आंदोलन, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, लोकभारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 1966.
3. भारत के संविधान खण्ड – महावीर सिंह भूतपूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद – ईस्टर्न बुक कम्पनी, पेज 670–672.
4. सिंह, महावीर, भारत का संविधान, इस्टर्न बुक कम्पनी, विधि प्रकाशक 34, लालबाग, लखनऊ।
5. वेददान, सुधीन, भारतीय संविधान और राजनीति, प्रिंटबैल पब्लिशर्स, जयपुर, 2010.
6. मीना, डॉ. जनक सिंह, भारतीय राजनीति एवं केन्द्र–राज्य सम्बंध, पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2015.
7. प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, खण्ड– 1 अध्याय–8, पृ. 280–81.
8. 'द रोल ऑफ गवर्नर्स : राज्यपाल समिति', नईदिल्ली, 1971.
9. सुनील कुमार बोस बनाम मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल, ए.आई.आर. 1950 कलकत्ता।
10. भारत का संविधान : भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग राजभाषा खण्ड अनुच्छेद 213.
11. शर्मा रामावतार एवं सुषमा यादव, केन्द्र राज्य संबंध हिन्दी माध्यम, कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, 1986.
12. चतुर्वेदी, डॉ. मुरलीधर, भारत का संविधान ए इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशंस, 1967.
13. बसु, डॉ. दुर्गा दास, भारत का संविधान एक परिचय, प्रिंटर्स हाल ऑफ इण्डिया प्रा0लिमिडटेड, नई दिल्ली, 1991.
14. श्रीवास्तव, डॉ. (श्रीमती) ओम प्रिया श्रीवास्तव, भारतीय शासन एवं राजनीति स्टैण्डर्स पब्लिकेशन वाराणसी, 1991.
15. आनंद, पी.एल., वशिष्ट, एम.ए. (चण्डीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय) तथा प्रो. एस.एस. वशिष्ट एम. ए. (दिल्ली), संवैधानिक इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन, भाग – 7 नेशनल पब्लिकेशन, दिल्ली –7.
16. आउटलुक– मासिक, सकदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली।
17. इंडिया टुडे – मासिक– लिविंग मीडिया इंडिया लि. नई दिल्ली।
18. कुरूक्षेत्र– मासिक– ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली।
19. गांधी मार्ग – द्वैमासिक, गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।
20. जागृति – मासिक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, मुंबई।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

महिलाओं में राजनीतिक अधिकार के प्रति जागरूकता

डॉ. वर्षा सागोरकर* रजीना खान**

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय हमीदिया कला-वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, शासकीय हमीदिया कला-वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल व बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी – लैंगिक असमानता, लोकतांत्रिक मूल्य, संवैधानिक अधिकार।

प्रस्तावना – किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक जागरूकता से तात्पर्य राजनीतिक परिदृष्य के बारे में उसके ज्ञान से है। यह राजनीतिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के साथ राजनीतिक व्यवस्था के प्रति समझ को प्रदर्शित करता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों के प्रति चेतना विकसित करते हैं, उनमें रूचि लेते है। राजनीतिक जागरूकता का स्तर उच्च होना किसी भी देश के लोकतंत्र के सफल संचालन में दूरगामी बेहतर नतीजों का घोतक है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के फलस्वरूप स्त्री-पुरूष समानता के प्रावधान है। महिला-पुरूष समानता के सिद्धांत को कानूनी मान्यता के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी कम है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महिलाओं की क्रियाशीलता सार्वजनिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में कम थी। भारत में महिलाओं को मताधिकार के उपरांत महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा भारत में राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ही महिलाएँ सक्रिय हुई। महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में रूचि एवं सहभागिता बढ़ाने में भारतीय महिला संघ, भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद तथा अखिल भारतीय सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन संघों की ऐतिहासिक शुरूआत ने महिला मुद्दों को व्यापक राष्ट्रवादी स्वरूप प्रदान किया।

विश्व के अधिकांश देशों में राजनीति में महिलाओं की सहभागिता कम ही है। महिलाएं विश्व की आबादी का आधा हिस्सा है इसके बावजूद भी विभिन्न देशों की संसद में महिला प्रतिनिधित्व मात्र -प्रतिषत है। विश्व के सभी देशों में महिलाओं को वैधानिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त है लेकिन राजनीति में भी लैंगिक असमानता व्याप्त है। विश्व स्तर पर राजनीति में महिला सहभागिता कम है। विश्व में स्वीडन, अर्जेन्टीना तथा रवांडा में महिला की राजनीतिक सहभागिता उच्च स्तर की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार विकसित राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेन्टीना आदि देशों के अपेक्षा अन्य देशों में महिलाओं की सहभागिता अत्यंत कम है।

भारत विश्व को सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया है और 75 वर्षो के उपरांत भी आज देश का लोकतंत्र विश्व राजनीति के लिए एक उदाहरण के रूप में सामने आया है। भारत वही देश है जहाँ महिलाओं को देवीतुल्य स्थान दिया जाता है और ऐसी स्थिति में जब महिलाओं को समाज में एक बेहतर सम्मान और संवैधानिक अधिकार मिले है तो स्वाभाविक है महिलाओं को उनके राजनीतिक अधिकार की जानकारी होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में भारत के लोकतंत्र में महिलाओं की सहभागिता बेहतर और मजबूत होना चाहिए लेकिन आंकड़े बताते है कि देश की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या की अपेक्षा राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कमी कम आंकी जा रही है। ऐसे कौन से कारण है जिससे महिलाओं को राजनीतिक अधिकार के उपरांत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोक रहे है। जागरूकता की कमी या देश का वर्तमान परिदृष्य या अन्य कोई कारण? मध्यप्रदेश का छिंदवाड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा तथा आदिवासी बाहुल्य होने के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों के लिए यह जिला एक प्रतिष्ठा का क्षेत्र माना जाता रहा है और इस क्षेत्र के निवासी में राजनीतिक जागरूकता का स्तर अधिक होना सहज जो सकता है।

महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता के लिए आवश्यक सुझाव

1. महिलाओं के उत्थान के लिए आवश्यक है कि उनकी भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में राजनीतिक भागीदारी अधिक हो और इसके स्त्री शिक्षा को अधिक महत्व दिया और और उनके संवैधानिक राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाये और राजनीति में समान अवसर उपलब्ध कराये जाये जिससे उन्हें राजनीति में आकर महिला उत्थान के साथ देश के विकास में अपना सहयोग देने का अवसर मिले।
2. अध्ययन के आंकड़ों पर देखा जाये तो महिलाओं की राजनीति में रूचि का प्रतिशत अत्यंत ही कम है जबकि देश में महिलाओं की संख्या को किसी भी स्थिति में नजर अंदाज नहीं किया जा सकता और महिलाओं का अनदेखा करते हुए कोई भी राजनीतिक दल अपनी सरकार नहीं बना सकता है ऐसी स्थिति में राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए राजनैतिक दलों को महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए सभी चुनावों में महिलाओं को यथासंभव टिकट देना चाहिए।
3. भारत के परिवारों में भलेंहि पुरूषों की प्रधानता हो लेकिन मतदान जैसे अहम् फैसलों पर महिलाओं को स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ा चाहिए और उन्हें देश की हालत और विकास संबंधी समझाईश देते हुए उन्हें मतदान देने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे महिलाओं का राजनीतिक जागरूकता में बढोत्तरी हो सके।
4. महिलाओं की प्रतिनिधि संस्थाओं तथा सरकार में भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र स्वीकृत किया जाना चाहिए जिससे शासन के कार्यों व नीति निर्माण में पुरूषों का वर्चस्व समाप्त हो तथा नारियों

की शक्ति, प्रभाव और स्थिति में वृद्धि हो।

5. महिलाओं की राजनीति में आने की मौजूदा व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बजाय यह जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की होनी चाहिए कि वे महिलाओं को टिकट देकर राजनीति में आने का समान अवसर प्रदान करें।

6. महिलाओं का सर्वांगीण सशक्तिकरण बेहतर तथा अधिक न्यायोचित समाज-निर्माण का अनिवार्य एवं आंतरिक भाग है। आरक्षण की नीति के माध्यम से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की अत्यधिक एवं अत्यावश्यक महत्ता हैं।

7. किसी राजनीतिक दल के दलीय पद पर सक्रियता संबंधी प्रश्नों पर पाया गया है कि महिलाओं की सक्रियता इनमें न के समान होती है जिससे वह राजनीतिक जागरूक नहीं होती है। राजनीतिक दलों को भी महिलाओं को उनके दलीय पदों पर बराबरी की भागीदारी देनी चाहिए जिससे वह भी सक्रियता से काम करे और टिकिट के माध्यम से चुनावी मैदान में सामना करे सके।

8. निर्वाचन के दौरान मत डालने हेतु राजनैतिक दलों द्वारा दिये जाने उपहार/नगद राशि के विरूद्ध निर्वाचन आयोग को कड़ा प्रावधान करना चाहिए जिससे चुनाव के दौरान महिला मतदाता को भ्रमित न किया जा सके और स्वतंत्र होकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मत दे सके।

9. महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक अधिकारों के संबंध जागरूक रहना चाहिए। समाचार पत्र, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से सक्रिय रहते हुए अपनी भागीदारी को राजनीति में सुनिश्चित करनी चाहिए।

10. भारत में परम्परात्मक रूप से पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है जिसमें परिवार के पुरूष सदस्यों को तो अनेक अधिकार एवं सुविधाएँ प्राप्त है किन्तु स्त्रियों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बावजूद भी अधिकांश सुविधाओं से वंचित रखा जाता है जिससे महिलाएँ घरेलू हिंसा व मानसिक उत्पीड़न का शिकार रहती है। इसके लिए पुरूष वर्ग को भी जागरूक करने की आवश्यकता है और जागरूकता के साथ घरेलु हिंसा के लिए कडे क़ानूनी प्रावधान किये जाने की आवश्कता है जिससे महिलाओं के मानव अधिकार की सुरक्षा की जा सके।

11. भारतीय सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परम्पराओं के अनुरूप महिलाएँ आज भी पुरूषों पर निर्भर, स्त्री अशिक्षा, अज्ञानता, दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता आदि के कारण महिलाएँ का कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित है और उनके अधिकारों का भी हनन होता है जिससे वह अपने अधिकारों की रक्षा करने में असहज महसूस करती है अतः इस सामाजिक परम्परा को बदलने के लिए कानूनी दखल दिया जाना आवश्यक है। कानूनी प्रावधानों से इस परम्परा को बदला जा सकता है जिससे महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आशु, डॉ.रानी, - ***महिला विकास कार्यक्रम,*** एन.ए श्री पबिलशर्स, जयपुर संस्करण 2006
2. आप्टे, प्रभा -***भारतीय समाज***, क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जबलपुर, 1996
3. ओझा, सुरेश-***महिला कानून,*** प्रकाशक सर्जना शिवबाडी रोड, बिकानेर, राजस्थान 2009
4. इन्द्र., एम.ए -***प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति***, मोतीलाल पब्लिशर्स,नई दिल्ली, 1996
5. छिल्लर, डॉ.मंजूलता - ***भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न***, अर्जुन पब्लिशिंग, दिल्ली हाउस, 2010
6. जागेन्द्र, पी. जी. - ***दलित महिला*** , ओरियन्ट पब्लिशर्स, नई दिल्ली 2006
7. जैन, डॉ.कैलाश चन्द्र,- ***प्राचीन भारतीय सामाजिक व आर्थिक संस्थाएँ,*** जयपुर, (राजस्थान),2009
8. जैटकिन, क्लाटा- ***स्त्री-स्वतंत्रता और कम्युनिस्ट नैतिकता पर लेनिन के विचार*** रेनबो पब्लिशर्स, लिमिटेड नोएडा
9. भाटी, कान्ता - ***महिला उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना तथा दहेज हत्या***, पॉइन्टर पब्लिशर्स,जयपुर (राजस्थान) 2010
10. माथुर, डॉ.एल.पी. - ***भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानी***, आविष्कार पब्लिशर्स, एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, राज, 2010

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

जयशंकर प्रसाद के नारी पात्र

डॉ. बरखा श्रीवास्तव*

* सहायक प्राध्यापक (हिंदी) शासकीय महाविद्यालय, सांवेर, जिला इंदौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आधुनिक हिन्दी साहित्य में छायावाद के आधार स्तम्भों में से एक जयशंकर प्रसाद महान एवं गौरवान्वित लेखक हैं। उनकी सर्वोन्मुखी प्रतिभा का उन्मेष कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि विविध साहित्यिक रूपों में हुआ है।

छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ग्रंथ हमारे गौरव के प्रतीक हैं जिनमें हमें इतिहास, दर्शन, पुरातत्व एवं मनोविज्ञान का प्रभाव देखने को मिलता है जिसे बड़ी गहनता से उन्होने अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया है, पर उनके भावुक कवि हृदय की मूल चेतना प्रेम एवं सौंदर्य ही रही है। अपनी सहृदयता एवं संवेदनशीलता के कारण उनका हृदय नारी पात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा है।

देखा जाए तो समस्त हिन्दी साहित्य में नारी को जैसा महत्व छायावादी कवियों के द्वारा प्राप्त हुआ है वैसा अन्यत्र कम ही देखने को मिलता है। नारी जो किसी भी समाज साहित्य और संस्कृति का अभिन्न अंग रही है उसके प्रति जयशंकर प्रसाद का दृष्टिकोण अप्रतिम रहा है, वह नारी के प्रति स्वस्थ सकारात्मक सोच के लिए प्रयत्नशील थे।वे कभी 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता' के भाव से नहीं जुड़े और ना ही उन्होंने नारी को 'अबला जीवन' की कहानी माना। उनके अनुसार नारी को समाज में पूजा की नहीं सहभागिता की आवश्यकता है।

प्रसाद ने अपने साहित्य में नारी को 'शक्ति' के रूप में प्रतिस्थापित किया है वह पुरुषों के पीछे चलने वाली निर्जीव कठपुतलियाँ नहीं है उनका अपना व्यक्तित्व है, बुद्धि है, मस्तिष्क है, वह पुरुषों की अनुचरी ही ना होकर उनका पथ प्रदर्शन भी करती है वह आधुनिक है तो सुसंस्कृत भी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी है। वह अपने प्रत्येक रूप में पाठकों पर अमिट छाप छोड़ती है।

नारीत्व के सभी गुणों से विभूषित उनके नारी पात्र भावुक भी हैं, प्रेम करना भी जानते हैं और प्रेम में अपना सर्वस्व बलिदान भी कर सकते हैं। वे श्रद्धा, त्याग,समर्पण सहिष्णुता की मूर्ति हैं जो निराशा, असफलता के भीषण अंधकार में दीपशिखा बनकर जीवन को राह दिखाती हैं। वह पुरुष की भोग्या मात्र नहीं अपितु जीवन संगिनी बन दुख सुख में सहभागिता कर उसको पूर्णता प्रदान करती हैं।

प्रसाद के नारी पात्र भावुक संवेदनशील प्रेमी और रसिक हैं।' इनके काव्य की नारी अनेकानेक गुणों से सराबोर है। उनकी कहानियों में उनके नारी चरित्रों ने अपनी अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। वस्तुत: प्रसाद रोमेंटिक कलाकार थे। कल्पना, प्रेम, वीरता, विद्रोह, स्वच्छंद आदर्शवाद उनमें नैसर्गिक रूप से घुले- मिले हैं। उतने अन्यत्र नहीं।'(1)

एक सजग साहित्यकार अपने युग का प्रत्यक्षदर्शी होता है। वह संदेशवाहक होता है, अपनी युग प्रवृत्तियों का और उन्हें अपनी रचनाओं द्वारा कालांतर तक जीवित रखता है। परंपरा, सभ्यता एवं संस्कृति के वाहक जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं मे नारी जीवन की विभिन्न समस्याओं को न सिर्फ उठाया है अपितु उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है। उनकी सामाजिक विचारधारा, कितनी उदात्त थी वो उनकी रचनाओं में स्पष्टत: देखी जा सकती है, अनुभूत की जा सकती है। सामाजिक चेतना से युक्त प्रसाद का दृष्टिकोण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रहा है वे ऐतिहासिक एवं पुनर्जागरण को, राष्ट्रीय उत्थान के लिए आवश्यक मानते हैं, इसीलिए उनकी रचनाओं में उनके नारी पात्र भी देशप्रेम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर दिखायी देते हैं।

'पुरस्कार' कहानी की 'मधुलिका' व्यक्तिगत प्रेम से देश-प्रेम को अधिक महत्व देती है।'स्कंदगुप्त' की 'देवसेना' और 'अजातशत्रु' की 'मल्लिका' जैसे पात्र प्रसाद की अमर कल्पना बन गए हैं। 'देवसेना' का व्यक्तित्व जहाँ त्याग, उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम से परिपूर्ण है वही 'मल्लिका' अपने चरित्र से यह सिद्ध करती है कि करुणा, उपकार, संवेदना और पवित्रता मानव हृदय के लिए ही बने हैं। ऐसे नारी पात्रों के दिव्य प्रभाव से एक ओर जहाँ सज्जन पुरुषों को त्याग, शौर्य और बलिदान की प्रेरणा मिलती है वहीं दूसरी ओर इनकी कोमल मधुर छाया में आकर बड़े-बड़े दुष्ट नृशंस एवं अत्याचारी पुरुष भी पवित्र एवं उदात्त भावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं।

'अजातशत्रु' में दीर्घकारण्य नारी के महत्व की मीमांसा करते हुए कहता है — 'स्त्रियों के संघटन में उनके शारीरिक और प्राकृतिक विकास में ही परिवर्तन हुआ है जो स्पष्ट बतलाता है कि वे शासन कर सकती हैं, किन्तु अपने हृदय पर। वे अधिकार जमा सकती हैं उन मनुष्यों पर जिन्होने समस्त विश्व पर अधिकार किया हो, मनुष्य कठोर परिश्रम करके जीवन संग्राम में प्रकृति पर यथाशक्ति अधिकार करके भी एक शासन चाहता है जो उसके जीवन का परम ध्येय है, उसका शीतल विश्राम है और वह स्नेह, सेवा, करुणा की मूर्ति तथा सांत्वना का अभय वरदहस्त का आश्रय मानव समाज की सारी वृत्तियों की कुंजी विश्व शासन की एकमात्र अधिकारिणी प्रकृति-स्वरूपा स्त्रियों के सदाचारपूर्ण स्नेह का शासन है।'(2)

नारी के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखने वाले प्रसाद ने बहुत पहले ही अपने नाटक 'ध्रुवस्वामिनी' में नारी को स्वतंत्र, विकासशील और अपने अधिकारों के प्रति सजग एव सचेत बताया है वह स्वाभिमान से युक्त है एवं स्वयं की रक्षा करना बखूबी जानती है। 'ध्रुवस्वामिनी' को जब उसका पति 'रामगुप्त'अपनी सत्ता बचाने के लिए शकराज को सौंपने के लिए तैयार होता

है तो 'ध्रुवस्वामिनी' अपनी रक्षा हेतु आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है वह कहती है — 'ध्रुवस्वामिनी (खड़ी होकर रोष से) निर्लज्ज ! मद्यप !! क्लीव !!! ओह तो मेरा कोई रक्षक नहीं? (ठहरकर) नहीं मैं अपनी रक्षा स्वयं करुँगी ! मैं उपहार में देने की वस्तु, शीतलमणि नहीं हूँ। मुझमें रक्त की तरल लालिमा है । मेरा ह्रदय ऊष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूँगी । (रसना से कृपाणी निकाल लेती हैं)' (3)

प्रसाद के नारी पात्र पुरुषों द्वारा ही क्षुब्ध होकर प्रतिक्रिया को जन्म देते हैं, इस प्रकार वे अपने अधिकारों के प्रति सजग और सचेष्ट बन जाते हैं। उनकी रचनाओं में सबसे अधिक विद्रोही उनके नारी पात्र ही है जिसके पीछे समाज की दमनकारी नीतियाँ उत्तरदायी रही हैं।

'जनमेजय का नागयज्ञ' की यादवी सरमा 'अजातशत्रु' की बर्बर लिच्छिवी रक्त छलना, दरिद्र कन्या के रूप में तिरस्कृता मागंधी और कौसल में कंकड़ी से भी गई-बीती दासी पुत्री राजमहिषी शक्तिमती सब अपने मे वैयक्तिक आक्रोश से सुलगती दिखायी देती हैं। मागंधी बुद्ध द्वारा रूप के तिरस्कार से प्रताडित होकर जीवन के आँधी पानी में ही नहीं पड़ जाती वरन् उदयन की रानी बन जाने पर भी रूप का गौरव दरिद्र कन्या कहलाने के दैन्य से छटपटाकर हुँकार उठती है इसका भी प्रतिशोध लूँगी अबसे यही मेरा व्रत हुआ। उदयन राजा है तो मैं भी अपने हृदय की रानी हूँ और बुद्ध से भी मन ही मन यह कहना नहीं भूलती, 'गौतम यह तुम्हारी तितिक्षा तुम्हे कहाँ ले जाएगी ? यह तुमने कभी नहीं विचार किया। सुंदरी स्त्रियाँ भी संसार में कुछ अपना अस्तित्व रखती है। अच्छा देखें तो कौन खड़ा रहता है।'(4)

प्रसाद ने अपनी व्यापक दृष्टि से अपने रचना संसार के विशाल फलक पर नारी के वैविध्यपूर्ण चरित्रों का अंकन कर उनमें सामाजिक, राजनीतिक जीवन को निरूपित किया है। उनके नारी पात्र देश-प्रेम, संस्कृति प्रेम, सौंदर्य प्रेम, प्रकृति-प्रेम जैसी भावनाओं से अनुप्राणित हैं।

'राज्यश्री' नाटक की प्रमुख पात्र राज्यश्री,अभूतपूर्व सौंदर्य की मलिका है जिसके सौंदर्य की रूपशिखा पर सभी पतंग गिरकर भस्मीभूत होते हैं, परंतु राज्यश्री एक के लिए ही अपने को समर्पित कर सकी है या कर सकती है। राज्यश्री धर्म करुणा की उज्ज्वल मूर्ति है जिसका हृदय अति विराट है और जिसमें भारतीय संस्कृति का शील अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ है। वह अपने पति ग्रहवर्मा को चिंतित मुद्रा में देखकर उन्हें सभी प्रकार से सांत्वना देकर चिंतामुक्त करने की चेष्टा करती है। वह भयंकर विपत्तियों और संकटों में भी साहसच्युत नहीं होती वह जीवनदान कर सकती है। देवगुप्त से कहती है-'मैं तुम्हारा वध ना कर सकी तो क्या अपना प्राण भी नहीं दे सकती।'(5)

इस प्रकार राज्यश्री का चरित्र शौर्य प्रेम तथा त्याग से परिपूर्ण है।

प्रसाद के नारी पात्रों में जहाँ सशक्त वीरोन्माद है वहीं वेदना विव्हल उच्छ्‌वास की बेचौनी भी है। उनके पात्र त्याग, सेवा, भावुकता, आस्था, आत्मसमर्पण, आत्मबलिदान तथा आत्माभिमान की प्रतिमूर्तियां है। 'स्कंदगुप्त' की 'देवसेना' का हृदय सरलता, कोमलता, कल्पना की रंगीनी, वेदना एवं आत्मोत्सर्ग से परिपूर्ण है। वह एक ऐसी नारी है जिसकी प्रेमसाधना की परिणिति अतृप्ति एवं अप्राप्य मे होती है। उनके आराध्य देव तो उसे अवश्य मिले पर उसकी आशा भरी कल्पनाओ तथा सम्मोहन युक्त संवेदनाओ पर तुषारापात हुआ फिर भी वह निराश नहीं होती और कहती है — 'इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्या।' (6)

उदात्त गुणों से युक्त देवसेना का प्रेम विशुद्ध है जिसमें विलास और प्रतिदान की कोई चाह नहीं। वह अपने हृदय में स्कंदगुप्त को छोड़कर किसी अन्य को स्थान नहीं देना चाहती। वह कहती है — 'इस ह्रदय में स्कंदगुप्त को छोड़कर ना तो कोई दूसरा आया है और ना आएगा।' (7)

'चंद्रगुप्त' नाटक की मालविका चंद्रगुप्त से हृदय से प्रेम करती है और अंत में उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देती है। इस प्रकार के नारी चरित्र प्रसाद की लेखनी द्वारा ही गढ़े जा सकते हैं। नारी संबंधी प्राचीन परंपराओं के समकक्ष नई मान्यताओं को सामने रखकर उन्होंने स्त्री की स्वतंत्र सत्ता का जयघोष किया है। उन्होंने नारी के सभी नैतिक आदर्शों के सद्गुणों को मानकर भी परिस्थिति अनुसार उनका आचरण करने पर विश्वास प्रकट किया है। उनके अनुसार यदि कोई पुरुष नारी से नैतिकता की आशा करता है तो उसे स्वयं भी धर्म एवं नीति का पालन करना होगा यदि वह ऐसा नहीं करता है तो नारी उसका पूर्ण विरोध करने का अधिकार रखती है।

नारी के ममतामयी, त्यागमयी, संवेदनशील, माधुर्यपूर्ण रूप के साथ ही उन्होंने ऐसे नारी पात्रों की भी सृष्टि की है जो मानवगत दुर्बलताओ से अभिशप्त होकर मिथ्याभिमान स्वार्थ परायणता, ईर्ष्या, विलासिता, और पाशविक वृत्तियों से ग्रसित होकर घृणा और तरस का भाजन बनती है जैसे —'कामायनी' की इड़ा को हम दर्पोन्मुख, स्वार्थपरायण, व्यक्तिवादी एवं वैभव-विलास की भावना को सर्वोपरि मानने वाली नारी के रूप में देखते हैं। वह बुद्धि एवं रूप का मोहक जाल बिछाकर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसी में आनंद और सुख का अनुभव करती है किंतु यह प्रसाद की सद्कल्पना है कि यही इड़ा अंत में श्रद्धा के उदात्त एवं संवेदनशील चरित्र से प्रभावित होती है।

प्रसाद की अभूतपूर्व अमर कल्पना 'कामायनी' महाकाव्य की नायिका 'श्रद्धा' उनकी नारी भावना की वास्तविक पहचान बन चुकी है। श्रद्धा के सौंदर्य संघटन में कवि ने उषा की अरुणिमा, नभ की नीलिमा, चंद्र की ज्योत्सना, फूलों का लावण्य और दामिनी की मुस्कुराहट प्रकृति के समस्त वैभवपूर्ण अंगों की शोभाओं को एकत्रित करके नारीत्व के सजीव और साकार रूप को स्थापना की है। वह अटूट श्रद्धा, अगाध विश्वास, अपूर्व त्याग और असाधारण सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। वह शाश्वत नारी हृदय की भावनाओं का प्रतीक है। वह मनु से कहती है —

'दया माया ममता लो आज
मधुरिमा लो अगाध विश्वास
हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ
तुम्हारे लिए खुला है पास।' (8)

अनेकानेक उदात्त गुणों से युक्त श्रद्धा का ह्रदय विश्वकल्याण कामना दुख संतोष से द्रवित तथा करुणा से ओतप्रोत है। वह संतप्त मनु के हृदय में आशा का संचार करती है और उसे साहसी एवं कर्मशील बनाती है। मनु से विरहित होकर भी वह अपना साहस और विवेक नहीं खोती।

प्रसाद की दृष्टि में नारी का स्वरूप आदर्शमय, स्वार्थहीन और समर्पण युक्त रहा है। उनके विचार में नारी में उच्च गुणों की प्रधानता है। उसमें आत्मसमर्पण और आत्मत्याग की भावना ही प्रबल है। अपनी भावनाओं को वे इस तरह व्यक्त करते हैं —

'नारी तुम केवल श्रद्धा हो
विश्वास रजत नग पग तल में
पीयूष स्रोत सी बहा करो
जीवन के सुंदर समतल में।' (9)

लोकमंगल और विश्व प्रेम की उपासिका श्रद्धा का जीवन लोक कल्याण

के लिए समर्पित है।

उसका दृढ़ विश्वास ही उसे महान बनाता है।

प्रसाद के अनुसार पुरुष कठोरता का उदाहरण है तो स्त्री कोमलता का, पुरुष क्रूरता है तो स्त्री करुणा, वह अंतर्जगत का उच्चतम विकास है जिसके बल पर समस्त सदाचार टिके हुए हैं। अपनी इसी धारणा के अनुसार प्रसाद ने अपने नारी पात्रों को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। वह नर नारी की समानता के पक्षपाती रहे हैं। वे पुरुषों को संबोधित करते हुए कहते हैं —

'तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में
कुछ सत्ता है नारी की
समरसता है सम्बन्ध बनी
अधिकार और अधिकारी की।' (10)

वास्तव में प्रसाद नारी स्वतंत्रता के समर्थकों में से एक थे। उनके नारी पात्र परिवर्तन के लिए विद्रोह करते दिखाई देते हैं। वे लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए, देश के लिए,अपने अभिमान और सम्मान के लिए और उनकी यही लड़ाई समाज में नवीन परिवर्तन लाने का महनीय कार्य करती है।

'इरावती' उपन्यास की पात्र इरावती पुरुष द्वारा छले जाने पर पुन: उसकी सहायता पाने की इच्छुक नहीं है। विषम परिस्थितियों में अग्निमित्र जब उसकी सहायता करना चाहता है तो वह स्पष्ट शब्दों में उसकी सहायता को अस्वीकार कर देती है। जीवन में आने वाली नाना विपदाओं से अकेले जूझते हुए स्वतंत्र रहकर जीवन यापन करना उसे मान्य है —

'मैंने भी अपने को इतने दिनों से संसार से सार लेकर.... भीख मांग कर.... अनुग्रह से अनुरोध से जुटाकर.... कैसा कुछ खड़ा कर दिया है उस मूर्ति को क्यो बिगाड़ूँ?..... मुझे अपने में जीने दो।' (11)

वास्तव में जयशंकर प्रसाद समाज में नारी स्वतंत्रता और समानता तथा उसकी भागीदारी के हिमायती थे उनका विरोध समाज की उन विकृत जर्जर परंपराओं से था जो नारी के व्यक्तित्व विकास में सहायक ना होकर बाधक बनती हैं। उनकी समस्त रचनाओं में उनके नारी पात्र ऐसी ही परंपराओं से संघर्ष करते दिखाई देते हैं। प्रसाद नारी के लिए स्वतंत्र प्रेम की माँग अवश्य करते हैं पर अवाध स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियमों का उल्लंघन उन्हें मान्य नहीं। नारीत्व का पूर्ण विकास समाज के साथ आदर्श पूर्ण समायोजन में ही है।

'तितली' के चरित्र के माध्यम से उन्होंने नारी के उस आदर्श और स्वाभिमान से भरे रूप को प्रस्तुत किया जिसमें उसके व्यक्तित्व की स्वतंत्रता भी निहित है। वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने में समर्थ है। पति की अनुपस्थिति में भी वह किसी की सहायता की आकांक्षा ना कर स्वावलंबन पूर्ण जीवन यापन करने का प्रयास करती है —

'परंतु मैंने यही समझा कि मुझे दूसरों के महत्व प्रदर्शन के सामने अपनी लघुता ना दिखानी चाहिए.... मुझे अपनी शक्तियों पर अवलंब करके भयानक संसार से लड़ना अच्छा लगा। जितनी सुविधा उसने दी है, उसी की सीमा में लड़ूँगी , अपने अस्तित्व के लिए।' (12)

उत्कट जीवटता के प्रतीक तितली सरीखे नारी पात्र निश्चय ही अनुकरणीय है। श्रद्धा, मल्लिका, देवसेना, मधुलिका, ममता, देवकी, आदि ऐसे नारी पात्र हैं जिनके व्यक्तित्व के आगे पुरुष भी नतमस्तक होते हैं।

'प्रसाद ने अपने साहित्य में नारी जीवन के विविध रूपों को अंकित किया है। उनके सत्पात्रों में त्याग, औदार्य, समर्पण और प्रेम की व्यापकता है। असत पात्रों में स्वार्थपरता, कामुकता और पाखंड है। इस विविधता और विचित्रता में भी नारी का शाश्वत रूप प्रसाद प्रकट कर सके हैं – वह है नारी का मंगलकारी रूप । वह कल्याण है, शुभकर्ती है शांतिदायिनी और प्रेम पयोनिधि है। उसका सम्मान जगत नियंता का सम्मान है। उसे सुखी बनाना घर, परिवार, समाज और विश्व को सुखी बनाना है। वह मानव जीवन के लिए प्रकाश स्तंभ है। यही है प्रसाद का हमारे युग को नवीन सन्देश।' (13)

इस प्रकार जयशंकर प्रसाद के नारी पात्र ओजस्वी, शक्तिशाली, प्रतिभासंपन्न, रण क्षेत्र में तत्पर, अत्याचारों का विरोध करने वाले साहसी एवं संघर्षशील हैं। वे अपने उदात्त चरित्र से समाज एवं परिवार के प्रति अनन्य निष्ठा रखते हुए अपने व्यक्तित्व विकास का प्रयास करते हैं। स्वयं को संकीर्ण विचारों एवं बंधनो से निकालकर समाज कल्याण में सहायक बनते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कहानीकार प्रसाद, अवतार शर्मा, के. एल. पचौरी प्रकाशन, गाजियाबाद, सन – 1993 , पृ. सं. – 26
2. साहित्यिक निबंध – डॉ. गणपति चंद्र गुप्त, लोकभारती प्रकाशन, पृ. सं. – 739
3. ध्रुवस्वामिनी – जयशंकर प्रसाद, पृ. सं. – 19–20
4. अजातशत्रु – जयशंकर प्रसाद, पृ. सं. – 221
5. प्रसाद ग्रंथावली – भाग – 1 पृ. सं. – 127
6. प्रसाद ग्रंथावली – भाग – 1 पृ. सं. – 558
7. प्रसाद ग्रंथावली – भाग – 1 पृ. सं. – 135
8. कामायनी – जयशंकर प्रसाद, कमल प्रकाशन दरियागंज, नई दिल्ली पृ. सं. – 27
9. कामायनी – जयशंकर प्रसाद, पृ. सं. – 47
10. युग प्रवर्तक – जयशंकर प्रसाद, पृ. सं. – 49–50
11. इरावती – जयशंकर प्रसाद, पृ. सं. – 14
12. तितली – जयशंकर प्रसाद, पृ. सं. – 232–33
13. युग प्रवर्तक– जयशंकर प्रसाद, पृ. सं. – 5

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Rights of Transgender Recognized by Laws Prevailed in India

Pawan Kumar Chaurasia*

***Pt. M.L.N. Law College & Research Center MCBU University, Chhatarpur (M.P.) INDIA**

Abstract - Transgenders most commonly known as hijras are fighting since long back, for their basic human rights. Indian society specially is the witness of the sufferings, humiliations, and discriminating treatment against transgender from the ancient time. Where one segment of the human fraternity is equipped with all the amenities of life and are planning to visit and make their next home on the moon, Hijra community on the other hand are still crying for their recognition as a normal human being. The apex court of the country has also recognized transgender as the third gender in the case of NALSA v. UOI[1]. But this is the bare truth that abuse, assault, ill-treatment, sexual and other harassments are very common crimes that usually happen with these people. Many countries around the world are now becoming sensitive on transgender issue and enacting laws protecting their rights. It is now high time. The rapid economic and cultural development of the entire globe could not make a difference in the status of transgender worldwide and even in the contemporary time they are victimized by social superiors. Indian Constitution and many other international instruments talk about equality of all persons and protection of their various rights to break the general myth that the human society can be based only on binary structure of male and female and will have to accommodate transgender in our social framework.

Against the backdrop, the paper will try compare and evaluate the various legal framework on transgender adopted by the countries across the globe on and will also try to suggest some measures by which this vulnerable section of society could not feel neglected and discriminated and can lead a dignified life like other human beings.

Introduction - People who identify as transgender have identities that are distinct from the conventional conceptions of gender, which limit gender to male or female. Because society hasn't accepted their gender identity, they've been subjected to social oppression, discrimination, and physical violence. Transgender people are classified as Hijras, Jogappas, Sakhis, Aradhis, and other similar sociocultural groups. Furthermore, there are individuals who don't have a place with any of the gatherings however are alluded to as transsexual individual exclusively.

The rights of transgender people in India are the subject of this article because transgender people are entitled to legal protection and the right to be recognized as a third gender. The privileges are similarly ensured under the Indian constitution to the transsexual individual as the constitution ensures equity and fairness to every single Indian Resident. The Public authority has authorized the TransgenderPerson ((Protection of Right) Act, 2019 to give restriction against separation in the issues of business, schooling and wellbeing Administrations to the transsexual individual and Government assistance measures have been embraced to safeguard the privileges of the transsexual individual.

Transsexual individual is considered as individuals whose orientation personality is not the same as the orientation they were believed to be upon entering the world. "A person whose gender does not match with the gender that was assigned to them at their birth, but they are the persons with intersex variation and gender queer," is what the term "transgender person" means.

They are individuals who are brought into the world with male or female life systems however they feel not the same as their body structure as their orientation articulation, personality or conduct contrasts from their introduction to the world sex. People who identify as transgender or gender queer reject the conventional understanding of gender, which divides people into male and female categories and tries to express their gender identity in a variety of ways. For example, some transgender people use their behavior, attire, or mannerisms to live as the gender they believe is right for them.

Various terms used for Transgender: The term "transgender" encompasses individuals whose gender expression, identity, or behavior deviates from the norms expected of their birth sex and is not restricted to people whose genitals are mixed.

There are several terms used for the transgender those

may be summed up as under-

(A) Mythological Terms

(i) Eunuch[2]: This word is not new and is a outcome the translation process of words like *shandha , napunska or castrated male* in ancient or medieval text. Eunuch is a linguistic approach towards the *hijra* or emasculated male.

(ii) Jogappa: They are the people who has changed from male to female. Their origin is believed from the *Goddess Yellama*[3]whose servant calls Jogappa. Yellamma means "mother of all" popular in Belgaum district of Karnatka.

(iii) Kinnar: Kin+Nar refers "*is this man.* In Buddhist , Kinnar described as half male and half bird.[4] Kinnar can sing, dance or even can play the musical instruments by which they earn their livelihood and are mythlogically accepted.

(iv) Aravanis: This is considered as a son of Arjuna Ulluppi *(Nagkanya)*. He was sacrificed to Goddess Kali for conquer in war. [5]

(B) Medicinal Terms:

(i) Sex Reassignment Surgery: This is a surgical process by which one can change their gender by undergo a medical surgery. In this process surgeon changes the male genital into female genital and female genital into male genital i.e. vice versa.

(ii) Trans-man: A female by renounce her female role may assimilates male role by planting sexual organ through reassignment surgery. Where female changes her natural biological role is called Trans-man.

(iii) Trans-woman: Where male desires to change his natural biological gender and converts him into female through surgery is called Trans-woman.

Security for Transgender under the Constitution of India: Every citizen is required by the preamble of the constitution to exercise justice: equality of status in politics, the economy, and social life.

The third gender has been denied several rights as Indian citizens, including the right to vote, the right to own property, the right to marry, the right to claim a formal identity through a passport, and other rights, as a result of the Indian state policy that previously only recognized male and female. And, most importantly, their right to health, employment, and education. Their fundamental rights under Articles 14, 15, 16, and 21 are the fundamental rights that they were denied.

In the 2014 NALSA Judgment, the supreme court emphasized the importance of safeguarding the transgender person's rights in accordance with the principles outlined in Articles 14, 15, 16, and 21 of the Indian Constitution for the first time.

Articles 14, 15, and 16 guarantee transgender people the right to equality, while Article 21 guarantees freedom for all Indian citizens. However, transgender people were denied this fundamental right.

Equality before the law or equal protection before the law within the territory of India is the topic of Article 14. The transgender person is also entitled to legal protection under the Indian constitution in all spheres of state activity because Article 14 clearly falls within the definition of "person," which encompasses male, female, and third genders.

The third gender is covered by Article 15, which deals with the prohibition of discrimination based on religion, race, caste, and sex. As citizens, they have the right to not be discriminated against based on their religion, caste, sex, or religion. They are entitled to safeguard their gender expression, which is primarily exemplified by their attire, actions, and conduct.

Because this article is used to broaden the concept of sex, it includes "Psychological Sex" and gender identity within its scope. Article 16 addresses equality of opportunity in public employment. As Indian citizens, transgender people have the right to employment and equal opportunity, and they should not be treated differently because of their sexual orientation.

No person shall be deprived of his life or personal liberty except in accordance with the procedure of law, as stated in Article 21, which deals with the protection of life and personal liberty. Transgender people have been denied life and liberty for ages. As Indian citizens, transgender people should have full rights to defend their rights and freedoms. The Supreme Court has also acknowledged the right to dignity by including gender identity within the scope of Article 21. The case Navtej Singh Johar v. the Union of India[6] deals with the decriminalization of Section 377 of the Indian Penal Code. The central issue of the case was the constitutional validity of Section 377, which stated that:

Any voluntary act of having a sexual relationship with a man, woman, or animal against the natural order is punishable by life in prison or a fine of up to ten years.

The request was recorded expressing that Part 377 of the Indian reformatory code is disregarding right to security, fairness, opportunity of articulation and assurance against segregation. The petitioner in this case requested that the right to sexuality, the right to sexual autonomy, and the right to choose a sexual partner be included in the list of rights that are protected by Article 21 of the Indian Constitution. In this case, the petitioner argued that Section 377 violated Article 14 because it was vague because it did not distinguish between natural and unnatural consensual sex and did not define carnal intercourse against the order of nature. Section 377 violated Article 15 because it discriminates against a person based on the sex of their sexual partner, and Article 19 because it denied the right to express one's sexual identity.

The Hon'ble High court in the current case held that Part 377 ought to be decriminalized and confirmed that homosexuality isn't a distortion yet a variety of sexuality. In addition, the Court ruled that discrimination based on sexual orientation violates the right to equality and privacy because sexual orientation is an inherent part of self-identity and violates the right to life, which cannot be denied.

Section 377 of IPC
Anyone who intentionally engages in a sexual relationship with a human, a woman, or an animal against the natural order is subject to life imprisonment or a term of up to ten years in prison, as well as a fine.

Explanation: The carnal intercourse necessary to the offense described in this section only requires penetration.

Restriction against Separation: Since ancient times, transgender people have been subjected to discrimination in employment, education, health care, and housing. The social stigma and isolation they experience as a result of a lack of Transgender-specific resources are the root cause of their discrimination. The Transgender Person (Protection of Rights) Act of 2019 includes a prohibition against discrimination to protect transgender people's rights and prevent them from being discriminated against. Most importantly, this includes important sectors like employment, education, and health care.

Transgender people continue to face blatant discrimination, high levels of violence, and poor health outcomes despite the significant progress that the transgender movement has made over the past ten years, which has resulted in increased public awareness and significant legal victories.[7] As they navigate multiple oppressive systems, trans people of color frequently face significantly worse health and economic outcomes.

Fundamental Privileges of the Transsexual which are being disregarded and which requirements to reestablished:

Education: Transgender people's fundamental rights that are being violated and need to be restored

The education of transgender people is just as important as that of other men or women. However, the social stigma they face prevents them from being interested in and focused on their education, and they develop a sense of being avoided, ignored, and shamed. As a result, transgender students frequently are denied admission to educational institutions because those institutions do not recognize their gender identities.

The Transgender Person (Protection of Rights) Act of 2019 says that any educational institution funded or recognized by the government must provide transgender students with equal access to sports, recreation, and education.

Employment Discrimination in the workplace and on the job has been experienced by transgender people. They are subjected to discrimination in the form of invasions of privacy, refusal to hire, and harassment, all of which contribute to their unemployment and poverty. The transgender person protection act says that no government or private entity can discriminate against transgender people in matters of employment, including recruitment and promotion, and that every establishment should designate a person to be a complaint officer to handle complaints about the act. This is to ensure that transgender people do not face discrimination.

For the situation of Nangai v the Director of Police,[8] the candidate in the current case had applied for the post of a lady police constable. The application tests were administered by the Chennai-based Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Board. The petitioner's application was accepted, and the Superintendent of Police in the Karur district issued her with an appointment order. Throughout her preparation at the Police Enroll School in Vellore, she went through a clinical assessment.

On the basis of her genitalia and chromosomal pattern, the examination determined that she was transgender. The aftereffect of the clinical assessment went against her introduction to the world testament, clinical records, and instructive declarations. Later, the Superintendent made a decision to remove her from her position as a woman constable. Based on the medical declaration, the Hon'ble High Court upheld that the petitioner is free to choose a different gender identity as a third gender in the future. Additionally, the Hon'ble High Court overturned the disputed order of termination from service issued by the Superintendent of Police to safeguard her transgender rights.

Medical care: Although the term "health" refers to an entire state of complete physical, mental, and social well-being, the term "health care services" for a transgender person does not only refer to the medical procedure involved in the transition. Employment, housing, and public acceptance of transgender people are all examples of primary and other health care services that fall under the umbrella term "health care."

Since transgender people have faced significant health disparities and barriers to appropriate health care services for a long time, they are more likely to experience depression, suicide attempts, violence, harassment, and even HIV. The Transgender Person (Protection of Rights) Act of 2019 says that the government should provide transgender people with health care facilities, including separate HIV surveillance centers and sex reassignment surgeries, as well as comprehensive medical insurance, in order to protect them and help them live happy lives.

Case Studied on them:[9]

(a) A Hijra named Laxmi Narayan Tripathy described her trauma as following: "I felt different from the boys (since I was born a boy) of my age and was feminine in my ways." I was repeatedly subjected to sexual harassment, molestation, and abuse from an early age due to her femininity, both within and outside the family. I was alone and had no one to talk to or share my feelings with as I came to terms with my identity because I was different. Everyone referred to me as a "chakka" and a "hijra" at all times.

She eventually joined the hijra community in Mumbai because she identified with other Hijras and felt at home for the first time in her life.

(b) An eunuch named Siddarth Narrain expresses similar sentiments. He describes his feelings as "realizing that the only way for me to be comfortable was to join the hijra community" when he was in the tenth grade. Then, I told my family that I often ran into hijras who lived in the city. Encouraged by my mother, my brother began beating me with a cricket bat one day while my father was away. To escape the beatings, I locked myself in a room. After that, my mother and brother attempted to enter the room to continue beating me. I was removed from the room when some of my relatives got involved.

(c) 22 years of age Madhu (name changed), a transsexual lady from Madurai makes sense of why she no longer gets tried for the sickness. That's what she shares "I never again have the mental fortitude. Imagine a scenario in which they say that I have HIV and Helps. I'll go where? How will I learn, too? If I ever find out I have HIV, I hope to die."

Other members of the Transgender Community have gone through experiences in life that are comparable to these. They must compromise their health and safety because of their vulnerability.

Rights of Transgender Bill 2014: The bill was introduced in the Rajya Sabha on December 12, 2014, and it was approved on April 24, 2015, unanimously and with support from all parties. Tiruchi Siva, a Tamil Nadu MP, introduced this private member's bill. Following the Bill's passage in the Rajya Sabha, April 24 is designated as Transgender Day.

The majority of the rights that the Bill guarantees are substantive rights like the right to equality and nondiscrimination, the right to life and personal liberty, the right to free speech, the right to live in a community, the right to integrity, and the right to be protected from torture, abuse, violence, and exploitation. Children who are transgender are covered by a separate clause.

The Bill also covers employment, health, social security, and education. The section on schooling makes it compulsory for the Public authority to give comprehensive training to transsexual understudies and give grown-up instruction to them.

The Government's formulation of plans for vocational training and self-employment for transgender individuals is the subject of two separate clauses in the employment chapter. In any public or private establishment, a separate clause prohibits discrimination against transgender individuals.

In the chapter on social security and health, the government is asked to promote social security and health care facilities, including free SRS and separate HIV clinics. They should be entitled to recreation, culture, and leisure. The government must grant basic rights like access to clean water and sanitation.

National and State Commissions for Transgender People are among the authorities and forums that the Bill proposes to establish. The majority of the Commission's work will be in the form of inquiries or recommendations regarding legal inconsistencies or transgender rights violations. The Commissions have the authority to summon witnesses, collect evidence, and so forth. Hate speech directed at transgender people carries a fine of up to one year in prison.

Conclusion with Suggestions: The court has directed the federal and state governments in the following ways, which I believe are the most effective strategies for controlling the situation:

1. Hijras and eunuchs should be treated as third genders to protect their fundamental rights;
2. Recognize the need for individuals to identify their own gender;
3. Reserving public education and employment for members of a class of citizens who are socially and educationally backward;
4. Making special provisions regarding HIV sero-surveillance for transgender individuals and providing appropriate health facilities;
5. Addressing their issues, such as fear, gender dysporia, shame, depression, suicidal
6. In order to provide transgender patients with health care, separate wards and public toilets should be established in hospitals.
7. Social welfare programs should be established to support transgender patients' overall development.
8. Public awareness should be created so that transgender patients feel like they are a part of society and are not to be treated as untouchables.

By framing the transgender community's concerns as a matter of rights, the judgment has broken with the state's previous paternalist and charitable approach.

Recognizing and recognizing the "right of choice and self-determination" is one of the fundamental tenets of the equality scheme.[10]

A person's right to self-determination and dignity are inextricably linked to the determination of their gender.

In its order in the case of National Legal Services Authority vs. Union of India (dated 15 April 2014, AIR2014SC1863, the Nalsa Judgement), the Honorable Supreme Court of India declared transgender individuals distinct from binary genders as the "Third Gender" under the Indian constitution and for the purposes of laws enacted by the parliament and state legislatures. This was done in recognition of the fact that Indian laws are largely binary in nature and only recognize male and female genders.

As a result of the Indian legal system's failure to recognize the Third Gender, there has been widespread socioeconomic discrimination in Indian workplaces as well as systematic denial of equal legal protection. The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, was recently passed by the Indian parliament in response to the Nalsa Decision (the "Act").

References:-

1. Agarwal, Sourav. Civil and Political Rights of Transgenders in Indian Constitutional Perspective, 4(4) International Journal of Law and Legal JurisprudenceStudies (2017).
2. Boenke, Mary, ed. Trans Forming Families: Real Stories AbouTransgendered LovedOnes. Imperial Beach, CA: Walter Trook Publishing, 1999.
3. Chettiar Anitha. Problems Faced by Hijras (Male to Female Transgenders) in Mumbaiwith Reference to Their Health and Harassment by the Police, International Journal of Social Science and Humanity 752-759 (2015).
4. Denny, Dallas. "Transgendered Youth at Risk for Exploitation, HIV, Hate Crimes.
5. Rajagopal, Krishnadas. "Centre wants SC to clarify order on transgender" The Hindu, Sept. 11, 2014

Footnotes:-

1. 2014 SC 1863
2. Gannon Shane, Exclusion as Language and the Language of Exclusion: Tracing Regimes of Gender through Linguistic Representations of the Eunuch, Journal of the History of Sexuality, University of Texas Press, 2011
3. Bradford Nicholas J, Transgenderism and the Cult of Yellamma : Heat , Sex and Sickness in South Indian Ritual, Journal of Anthropological Research, Jstore 1983
4. Murthy K.Krishna, Mythical Animals in Indian Arts, Abhinav Publication Indore,1985
5. Pattaniak Devdutt, *Aravan whose wife was the complete man "Shikhandi and other Tales The don't Tell You*", Zubaan and Penguin Books India, 2014
6. WP (Criminal) No. 76 OF 2016
7. https://www.gbtfunders.org/resources/issues/transgender-issues/idex.html>accessed 7March 2023
8. (2014) 4 MLJ 12
9. https://blog.ipleaders.in/legal-rights-of-transgender-india/idex.html>accessed 7March 2023
10. https://www.lexology.com/library/detail.aspxidex.html>accessed 7March 2023

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

डिजिटल भारत एवं भारतीय अर्थव्यवस्था

कमलेन्द्र कुमार सिंह *

* शोधार्थी(अर्थशास्त्र) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

उद्देश्य:

1. डिजिटल भारत मिशन एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करना।
2. डिजिटल भारत मिशन को लागू करने के लिये आवश्यक आधार स्तम्भों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन के प्रभाव का अध्ययन करना।
4. डिजिटल भारत मिशन को लागू करने में होने वाली कठिनाइयो का पता लगाना।

Methodology- प्रस्तुत शोध कार्य में द्वितीयक डाटा का विश्लेषण करने की मेथ्डोलॉजी प्रयोग की गई है। यह शोध प्रतिवेदन डिजिटल भारत एवं अर्थव्यवस्था को बारे में है जो सम्पूर्ण भारत को शामिल करता है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में केवल द्वितीयक डाटा जो कि आधिकारिक स्त्रोतों से लिये गये हैं उनका प्रयोग तथा शोधार्थी के शोधकार्य को आधार बनाया गया है।

Findings- ऐसी जनसंख्या जो डिजिटली सशक्त है पूरी अर्थव्यवस्था का स्वरुप बदल सकती है। अर्थव्यस्था के क्षेत्रों में सुधार अन्य क्षेत्रों की वृद्धि को अग्रसर करती है जो मूक रुप में भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का काम करेगी। डिजिटलाइजेशन से लागत मे कमी, उत्पादन में वृद्धि, भ्रष्टाचार में कमी, मध्यस्थों एवं बिचौलियों की समाप्ति, प्रत्यच्छ हस्तांतरण से शासकीय योजनायें सफलता की ओर अग्रसर होती है एवं अर्थव्यवस्था के गति को रफ्तार मिलता है। इसी तरह कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन से सारी प्रक्रियायें जैसे Perchasing, Selling, Trade Relation, Innovation & development में सुधार एवं बेहतरी आती है। सेवा क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन से Demand and Supply Chain मजबूत होती है। डिजिटलाइजेशन किए जा रहे काम की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करता है। शासन गतिविधियों का डिजिटलीकरण, यानी, ई–गवर्नेंस, सरकारी विभागों में बढ़ी हुई पारदर्शिता से अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है और सेवा वितरण को आसान बनाती है। यह कार्य की गति को बढ़ाता है और विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए समय अवधि को कम करता है। डिजिटलीकरण से लागत में कटौती और बाजार विस्तार में वृद्धि से लाभ मार्जिन में वृद्धि होती है और इसलिए रिटर्न में तेजी आ सकती है। कृषि क्षेत्र का स्वचालन क्षेत्र में अनिश्चितताओं को कम करता है और उपलब्ध संसाधन का बेहतर उपयोग करता है। उद्योग के स्वचालन से बेहतर उत्पाद डिजाइन और लाभ मार्जिन में वृद्धि होती है जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। सेवाओं के डिजिटलीकरण से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और क्षेत्र की वृद्धि होती है। इससे ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ेगी और सेवा वितरण की समय पर और व्यापक पहुंच से सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसके अलावा, सेवा क्षेत्र का डिजिटलीकरण क्षेत्र के विकास और विकास के लिए व्यापक गुंजाइश और क्षेत्र खोलता है। डिजिटलीकरण देश में रोजगार परिदृश्य को भी प्रभावित करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 01 जुलाई 2015 को प्रारम्भ किये गये डिजिटल इंडिया योजना से भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्थानांतरित करने के लिए बहुत काम किया जा चुका है जिसके प्रभाव भारतीय अर्थव्यस्था में दृष्टिगोचर हैं किन्तु योजना अपने लक्ष्य की प्राप्ति अभी नही कर सकी है जिसके लिये सरकार अभी भी प्रयासरत है। इस योजना के दूरगामी परिणामों से भारतीय अर्थव्यस्था को बहुत लाभ प्राप्त होगा।

शब्द कुंजी – डिजिटलाइजेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, सेवा।

प्रस्तावना – 'डिजिटल भारत' भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत 01 जुलाई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई है। जिसका उद्देश्य है सभी ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना एवं डिजिटल साक्षरता में सुधार करना। यह मिशन देश के डिजिटल विकास पर फोकस करता है। इस मिशन के अंतर्गत नागरिकों को ऐसी सुविधायें एवं सेवायें प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वे सभी वर्चुअल, इलेक्ट्रानिक रुप में एक दूसरे से जुड़े रहें। इसका उद्देश्य नागरिकों को ऐसे डिजिटल एवं इलेक्ट्रानिक रुप से उन्नत साधन प्रदान करना है जिससे ग्रामीण क्षेत्र नेटवर्क एवं उपकरणों और सेवाओं द्वारा शहरी क्षेत्रों एवं सरकार से जुड़ सकें। डिजिटल भारत कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिये डिजाईन किया गया है जिससे इलेक्ट्रानिक माध्यम से सरकारी सेवाओं का तेजी एवं पारदर्शिता के साथ प्रतिपादन किया जा सके जिससे समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को बिना देर किये लाभान्वित किया जा सके।

इस विजन को पूरा करने के लिये देश में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिये और इसे बढ़ाने के लिये बड़े कदम उठाये जा रहे हैं। बढ़ी हुई बैंडविथ और एडवान्सड डिजिटल टेक्नीक के माध्यम से नेटवर्क उपकरणों तक पहुंच की पहल की जा रही है। अधिक से अधिक जनसंख्या को डिजिटल साक्षर बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अधिकांश नागरिक डिजिटल गैजेट्स एवं डिजिटल उपकरण संचालित करने में सक्षम हो सके। इससे राज्य में रोजगार के अवसरों के सृजन व विकास को बढ़ावा मिलेगा। पूरे देश को जोड़ने के लिये प्रमुख नवाचारों एवं सेवाओं के उन्नयन की आवश्यकता है। तकनीकि क्षेत्र में ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है जिससे देश डिजिटल रुप से सशक्त अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर

हो। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। इसे दुनिया के शीर्ष तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिया गया है। अभी हाल ही में भारतीय अर्थव्यस्था इंग्लैण्ड की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुये शीर्ष 05 में शामिल हो गई है जबकि क्रयशक्ति समानता के आधार पर यह शीर्ष 03 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था मे वृद्धि के कारण विश्व की दिलचस्पी इसमें बढ़ी है। औद्योगिकीकरण एवं स्वचालन के कारण विकास दर, जनसंख्या विस्फोट के कारण ग्राहक आकार में वृद्धि और प्रवेश एवं प्रवेश बाधाओं में कमी के कारण व्यवसाय आसान हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था 03 प्रमुख भागों में बंटी है:-

(1) कृषि क्षेत्र (2) उद्योग क्षेत्र (3) सेवा क्षेत्र।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को तीन घटक संरचनाओं में डिजाईन किया है वे निम्न हैं:

1. डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण।
2. डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना।
3. सरकारी योजनओं की डिजिटल डिलीवरी।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्व समावेशी एवं समग्र विकास करना है चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो या सेवायें। डिजिटल भारत कार्यक्रम देश में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा जिससे जी.डी.पी. एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हागी और लोगों के जीवन शैली में सुधार हो सके। डिजिटल भारत कार्यक्रम जिन प्रमुख क्षेत्रों के चारों ओर घूमता है वे हैं- (1) डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास (2) ई-गवर्नेंस (3) नागरिकों को डिजिटल रुप से सशक्त बनाना। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जाने कुछ सुविधायें इस प्रकार हैं- डिजिटल लाकर, ई-मंडी, ई-शिक्षा, ई-अस्पताल, ई-सरकार, ई-साईन आदि।

डिजिटल भारत कार्यक्रम से भारत सरकार अपने नागरिकों को व्यापक पैमाने पर ई-गवर्नेंस सेवायें प्रदान कर रही है। ई-गवर्नेंस नागरिक केन्द्रित तथा सेवा उन्मुख है जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार में कमी लाना, पारदर्शिता एवं संचालन की गति को बढ़ाना है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम- यह भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत 01 जुलाई 2015 को हुई। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. नागरिकों को सेवायें प्रदान करने के लिये उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना।
2. एक व्यक्ति एक पहचान दृष्टिकोण (जैसे आधार कार्ड) प्रत्येक नागरिक की एक विशिष्ट पहचान जो जीवन भर उसके साथ रहती है और उसकी प्रमाणिकता का प्रमाण।
3. मोबाइल प्रौद्योगिकियों एवं बैंको के माध्यम से डिजिटल और वित्तीय अर्थव्यवस्था में नागरिकों की हिस्सेदारी बढ़ाना।
4. सामान्य सेवा केन्द्रों तक नागरिकों की पहुंच आसान करना।
5. पब्लिक क्लाउड पर ऐसा निजी स्थान प्रदान करना जिसे दूसरों के साथ साझा किया जा सके।
6. हिसाब-किताब।
7. साईबर सुरक्षा।
8. मांग पर शासन एवं सेवायें।
9. नागरिकों को निर्वाध सेवायें प्रदान करने के लिये विभिन्न सरकारी विभागों को एकीकृत करना।
10. आनलाईन एवं मोबाइल के माध्यम से नागरिकों को रीयल टाइम सेवायें प्रदान करना।
11. ई-क्लाउड पर सभी नागरिक अधिकारों की उपलब्धता।
12. व्यवसायों के संचालन को आसान बनाने के लिये सेवाओं केा डिजिटल रुप में बदलना।
13. ई-पेमेन्ट और कैशलेश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
14. निर्णय समर्थन प्रणाली और विकास के लिये भू-स्थानिक सूचना प्रणाली का लाभा उठाना।
15. नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।
16. डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिये डिजिटल साक्षरता दर बढ़ाना।
17. भारतीय भाषाओं के अनुकूल डिजिटल डिवाइसों का निर्माण करना।
18. नागरिकों को शामिल करने के लिये डिजिटल प्लेटफार्म के सहयोग से सरकार में भागीदारी बढ़ाना।
19. दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों को भौतिक रुप से जमा करने की प्रथा को धीरे-धीरे समाप्त करके वर्चुअल सबमिशन को प्रोत्साहित करना।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कैसे साकार होगा? डिजिटल इंडिया के स्तम्भ - डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत का सर्व समोवशी कार्यक्रम है जो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को कवर करता है। सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यो को सूचना एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की मदद से इन कार्यक्रमो को क्रियान्वित किया जावेगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 09 स्तम्भों पर आधारित है जो निम्नलिखित हैं:-

1. **ब्राडबैंड हाइवे** - सभी को ब्राडबैंड की सुविधा (ग्रामीण सभी के लिये तथा शहरी एवं राष्ट्रीय इसमें इनफारमेशन सिस्टम को शामिल किया गया है) को शामिल किया गया है।

2. **मोबाइल कनेक्टिवीविटी के लिये सार्वभौमिक पहुंच।**

3. **सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम।**

4. **ई-गवर्नेंस** - तकनीकी तथा आईटी उपकरणों का उपयोग करके सरकारी प्रक्रिया की पुर्नरचना तथा पुर्नगठन करना जिससे शासकीय कार्य के दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार किया जा सके।

5. **ई-क्रान्ति** - एक्सेस एवं क्षमता बढ़ाने के लिये शासन के सभी स्तरों पर प्रयास जिससे सरकारी सेवाओं का नागरिकों तक सुगम पहुंच (एक्सेस) बनाया जा सके।

6. **सभी के लिये सूचना** - इलेक्ट्रानिक माध्यम माध्यम से तेजी से सभी के लिये सूचना उपलब्ध होनी चाहिये। अच्छे ई-गवर्नेंस के लिये सोशल मीडिया साइट्स या वेव आधारित माध्यमों पर नियमित रुप से सरकार एवं नागरिकों के मध्य बात होनी चाहिये।

7. **इलेक्ट्रानिक निर्माण** - डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के लिये इलेक्ट्रानिक्स उपकरण बुनियादी आवश्यकता हैं। इसके लिये इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिये स्वदेशी तकनीकी का निर्माण महत्वपूर्ण है।

8. **नौकरियों के लिये आईटी** - आईटी क्षेत्र में युवाओं को उनके रोजगार कौशल को बढ़ाने और उनमें सुधार के लिये प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये बड़ा अवसर है। आज के डिजिटल रुप से बदलते परिवेश में एक अच्छी नौकरी हासिल करने के लिये आईटी क्षेत्र में असीम संभावनाये हैं।

9. **प्रारम्भिक फसल कार्यक्रम** -ये वे कार्यक्रम हैं जो एक समय सीमा के साथ चलते हैं जिसमें उन्हे पूरा करना होता है। इन कार्यक्रमों की समयावधि

छोटी (03 साल) होती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम समय पर यानी 03 साल में अपनी अधिकांश योजनाओं को पूरा करने में केन्द्रित हैं विशेष रुप से सभी अर्ली अर्नेस्ट कार्यक्रमों वाली परियोजनायें। इसमे शामिल परियोजनाओं में बायोमेट्रिक उपस्थिति, सभी विद्यालयो में वाई-फाई, सरकार के भीतर सुरक्षित ईमेल, स्कूल की किताबों को ई-बुक्स बनाना एवं खोये पाये बच्चों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल बनाना आदि।

- **भारतीय अर्थव्यस्था पर डिजिटलीकरण का प्रभाव –** इसका प्रभाव कृषि, सेवा एवं उद्योग तीनों क्षेत्रों में व्यापक रुप से हुआ है जो निम्नानुसार है:

(क) कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण का प्रभाव – डिजिटलीकरण से कृषि क्षेत्र की स्थिति का अर्थव्यस्था मे सुधार होगा। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यस्था को चलाने वाले ट्रेन का इंजन है। डिजिटलीकरण से कृषि क्षेत्र में निम्न प्रकार से स्वचालन सुधार में मदद कर सकता है:

1. **सूचना की उपलब्धता –** कृषि क्षेत्र के स्वचालन से सूचना की समय पर स्टीक उपलब्धता होगी। मिट्टी, उर्वरता, बीज, मौसम की जानकारी, अन्य इनपुट, विषय विशेषज्ञों द्धारा समय पर और सही जानकारी किसानो को प्राप्त होने से किसान अधिक कुशलता से कार्य कर कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सफल हो सकेंगें।
2. **बेहतर रोजगार –** डिजिटलीकरण से कृषि क्षेत्र मे मानव श्रम शक्ति का बेहतर उपयोग होगा। कृषि में अधिक रोजगार एवं क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार होता है तो कृषि कार्य में लगी प्रच्छन बेरोजगारी को कम किया जा सकता है।
3. **मूल्य नियंत्रण एवं लागत में कमी –** कीमतो, इनपुट के साथ-साथ आउटपुट के बारे में सही और सटीक जानकारी से विभिन्न बाजारों में कीमतो की विभिन्नता, ग्राहकों की उपलब्धता, संसाधनों के बेहतर उपयोग के कारण लागम मे कटौती से लाभ में वृद्धि होगी।
4. **अवसंरचनात्मक विकास –** डिजिटलीकरण से बेहतर ढांचागत, सुविधायें प्राप्त होंगी। जैसे-गोदाम, ग्रीन हाउस, परिवहन में आसानी, उपज का उचित भण्डारण आदि।

(ख) उद्योग क्षेत्र में डिजिटलीकरण का प्रभाव – डिजिटलीकरण का औद्योगिक कार्यक्षेत्र पर प्रभाव का अध्ययन निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है-

1. **खरीदी और मालसूची नियंत्रण में आसानी –** स्वचालन की प्रक्रिया द्धारा कच्चे माल की खरीदी आसान व प्रभावी हो जायेगी। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामग्री की वांछित मात्रा और गुणवत्ता की खरीदी कर सकते हैं साथ हीं साथ इन्वेन्ट्री सिस्टम, इकोनामिक आर्डर क्वालिटी सिस्टम, सिस्टम आर्डरिंग, बिल और भुगतान प्रणालियों के स्वचालन से सूची प्रंबधन लागत कम होती है।
2. **व्यापक ग्राहक आधार और बाजार पहुंच –** उत्पादों की उपलब्धता के कारण वस्तुओं के लिये ग्राहक का आकार बढ़ रहा है। इंटरनेट की सर्वव्यापी प्रकृति के कारण निर्माता कुछ सेकेण्ड के अन्दर दुनिया के हर गली और हर बाजार में बैठे अपने ग्राहकों को सामान बेंच सकते है। जैसे- आनलाईन शार्पिंग पोर्टल, फ्लिप कार्ट, एमजेन, मित्रा, बुडलैण्ड, विग वास्केट, स्विगी, जोमैटो, रेडबस, ओयो, टाटा क्लिक आदि।
3. **व्यापार संबंध और प्रतियोगिता –** आपूर्तिकर्ता-निर्माता, उत्पादक-ग्राहक, श्रम प्रबंधन, मध्यस्थ व्यापार में पारदर्शिता बढ़ने के कारण सभी के मध्य व्यापारिक संबंध सामंजस्पूर्ण होते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपभोक्ताओं को मिलेगें।
4. **रोजगार में बदलाव –** डिजिटलीकरण से रोजगार परिदृश्य पर दोहरा प्रभाव पडेग़ा जहां एक ओर मानव शक्ति के स्थान पर मशीनों का ज्यादा प्रयोग किया जावेगा तो दूसरी तरफ दूसरे और नये रोजगार सृजित होंगे।

(ग) सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण का प्रभाव – सेवायें प्रकृति में अदृश्य होती हैं। डिजिटलीकरण का सेवा क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि सेवाओं के डिजिटलीकरण से उनकी प्रभावशीलता में सुधार होता है। यह प्रक्रियाओं और गतिविधियों को तेज करता है और ग्राहकों के बीच बेहतर संतुष्टि को प्रदान करता है। भारत मे सेवा क्षेत्र पर डिजिटलीकरण का प्रभाव कुछ इस प्रकार है:

1. **इन्फ्रास्ट्रक्चर –** डिजिटलीकरण से इन्फ्रास्ट्रचर के विकास मे तेजी आई है जिससे कागज की काफी बचत होती है। कार्य, मानव शक्ति, समय और लागत की कमी से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। जैसे- वाहनों में फास्टैग के उपयोग से टोल प्लाजा में लगने वाले समय एवं जाम से निजात मिली है।
2. **बैंकिंग एवं वित्त –** डिजिटलीकरण से मोबाईल बैंकिंग आसान हुई है जिससे घर बैठे बिना बैंजाये भी बैंक संबंधित बहुत सारे कार्य किये जा सकते हैं। ऋण एवं वित्तीय सहायता पाना भी आसान हो गया है।
3. **सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ –** आईटी और बी.पी.ओ. देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई सेवायें हैं। भारत के बाहर भी इन सेवाओं का काफी निर्यात हो रहा है और इसमे नित नये रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।
4. **विमानन एवं रेलवे सेवायें –** टिकटों की आनलाईन बुकिंग, पासपोर्ट सेवा केन्द्रो के माध्यम से आनलाईन पासपोर्ट आदि सुविधायें डिजिटलीकरण के कारण काफी सुलभ हो गई हैं।
5. **रिटेल –** कार्ड स्वैपिंग, आनलाईन शापिंग, आनलाईन बिल भुगतान जैसी सेवाओं के कारण रिटेल मार्केट का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है।
6. **बीमा –** प्रीमियम भुगतान, पालिसियों का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण, पालिसी इन वन क्लिप, बीमा रिन्यूबल इन वन क्लिक आदि से बीमा क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है।
7. **हेल्थकेयर –** डिजिटलीकरण से मरीजों का रिकार्ड रखना, फाईलों को ट्रैक करना, अन्य डाक्टरों के साथ मामले में चर्चा करना एवं टेलीमेडिसीन जैसी सुविधायें संभव हो पाई हैं।

- **डिजिटल इंडिया के लिए चुनौतियां –** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में आने वाली कुछ चुनौतियाँ हैं जो निम्नानुसार हैं

1. **शिक्षा की कमी –** देश में अधिकांश आबादी अभी भी डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त योग्य नही है और अधिकांश लोग एक साधारण मोबाइल फोन का उपयोग करने में भी सक्षम नही हैं।
2. **बुनियादी ढांचे और आवश्यक तकनीक की कमी –** डिजिटल इंडिया अभियान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। भारत में अभी भी डिजिटल रूप से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है। इस अभियान के लिए आवश्यक तकनीकी ढांचा और तकनीकी अभी भी भारत में इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी खराब हैं। इसके अलावा, सर्वर का काम के दबाव के कारण ओवरलोड होना भी बहुत आम बात है।
4. **वित्तीय और तकनीकी मुद्दे –** भारत अभी भी एक विकासशील देश है। इस तरह की योजना के लिए विशाल वित्तीय संसाधन हैं आवश्यकता है

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

और देश में किसी न किसी तरह उस क्षेत्र का अभाव है। इसके लिए अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। तकनीकी मुद्दे जैसे उपयुक्त बैंड चौड़ाई, फायरवॉल, फिल्टर, एंटी–वायरस सॉफ्टवेयर, हैकर्स से सुरक्षा, बफरिंग कुछ ऐसे तकनीकी मुद्दे हैं जिनका देश को सामना करना पड़ता है।

5. नागरिकों के साथ–साथ सरकारी कर्मियों का रवैया – कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए नागरिकों और सरकारी कर्मियों दोनों के अच्छे प्रयास की आवश्यकता है। पुरानी पीढ़ी के कर्मचारी अपने पुराने तरीकों से कार्य करने के अभ्यस्त हैं और पारंपरिक तरीकों से ही कार्य के निस्तारण में सहज महसूस करते है।

6. साइबर अपराध और आत्मविश्वास की कमी – साइबर सुरक्षा को अभी भी उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना दिया जाना चाहिए। लोगों को सुरक्षा कारणों से ऑनलाइन लेन–देन करना जोखिम भरा लगता है। साइबर कानूनों पर भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। साथ ही, अधिकांश लोगों में अभी भी मशीनों पर विश्वास की कमी है और वे हाथ से की गई चीजों को प्राथमिकता देते हैं।

7. उच्च लागत – एक औसत भारतीय के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इंटरनेट सेवाएं अभी भी काफी महंगी हैं। जब बहुत सारे लोगों के पास बुनियादी जीवन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक पर खर्च करना उनके बस से बाहर की बात हो जाती हैं।

8. प्रशिक्षण की आवश्यकता – इस अभियान पर काम करने वाले कार्मिक मैन मैनेज्ड से मशीन मैनेज्ड तक के विभागों को प्रभावी ढंग से करने के लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अलग–अलग क्षमता और रुचि के इतने सारे लोगों को एक समान बनाने के लिए प्रशिक्षित करना एक थकाऊ काम है। अधिकांश आबादी में नौकरी के लिए आवश्यक बुनियादी तकनीकी योग्यता का अभाव है।

निष्कर्ष –डिजिटलाइजेशन किए जा रहे काम की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करता है। शासन गतिविधियों का डिजिटलीकरण, यानी, ई–गवर्नेंस, सरकारी विभागों और में बढ़ी हुई पारदर्शिता से अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है और सेवा वितरण को आसान बनाती है। यह कार्य की गति को बढ़ाता है और विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए समय अवधि को कम करता है। डिजिटलीकरण से लागत में कटौती और बाजार विस्तार में वृद्धि से लाभ मार्जिन में वृद्धि होती है और इसलिए रिटर्न में तेजी आ सकती है। कृषि क्षेत्र का स्वचालन क्षेत्र में अनिश्चितताओं को कम करता है और उपलब्ध संसाधन का बेहतर उपयोग करता है। उद्योग के स्वचालन से बेहतर उत्पाद डिजाइन और लाभ मार्जिन में वृद्धि होती है जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। सेवाओं के डिजिटलीकरण से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और क्षेत्र की वृद्धि होती है। इससे ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ेगी और सेवा वितरण की समय पर और व्यापक पहुंच से सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसके अलावा, सेवा क्षेत्र का डिजिटलीकरण क्षेत्र के विकास और विकास के लिए व्यापक गुंजाइश और क्षेत्र खोलता है। डिजिटलीकरण देश में रोजगार परिदृश्य को भी प्रभावित करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्थानांतरित करने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। देश में डिजिटलीकरण को बढ़ाना और बढ़ावा देना उस लक्ष्य की ओर एक कदम है। वर्तमान समय डिजिटलाइजेशन के रास्ते से बाधाओं को दूर करने के लिए इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। डिजिटल इंडिया का सही क्रियान्वयन कार्यक्रम से प्रति व्यक्ति बेहतर कृषि प्रतिफल, औद्योगिक उत्पादन का बेहतर लागत उत्पादन अनुपात और सेवा गुणवत्ता बेहतर होगी। यह सभी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को सक्षम बनाता है जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। डिजिटल इंडिया योजना से भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्थानांतरित करने के लिए बहुत काम किया जा चुका है जिसके प्रभाव भारतीय अर्थव्यस्था में दृष्टिगोचर हैं किन्तु योजना अपने लक्ष्य तक नही पहुंची है जिसके लिये सरकार अभी प्रयासरत है। इस योजना के दूरगामी परिणामों से भारतीय अर्थव्यस्था को बहुत लाभ प्राप्त होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Binary Stars and its Evolution

Shubhra Tiwari*

***Deptt. of Physics, Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - Compact binaries are the end products of the evolution of binary stars and the main purpose of the present paper is to describe the astrophysical knowledge on their formation and evolution. One of the most important environment in which accretion discs are found occur in interacting binaries.
Key Words - Neutron star, Black Hole, While dwarf, X-ray binaries.

Compact Star

Neutron Star: A neutron star is about 20 km in diameter and has the mass of about 1.4 times that of our Sun. Due to its small size and high density, a neutron star possesses a surface gravitational field about 2x 10^{11} times that of earth, neutron stars can also have magnetic field (10^{12} Gauss), a million times stronger than the strongest magnetic fields produced on Earth.

Neutron stars are one of the possible ends for a star. They result from massive stars which have mass greater than 4 to 8 times that of our sun. After these stars have finished burning their nuclear fuel, they undergo a supernova explosion. This explosion blows off the outer layers of a star into a beautiful supernova remnant. The central region of a star into a beautiful supernova remnant. The central region of a star collapses under gravity. It collapses so much that protons and neutrons combine to form neutrons. Neutrons degenerate and hence the have “neutrons. Neutrinos degenerate and hence the name “Neutron star”. Neutron stars may appear in supernova reminants an isolated objects, or in binary systems.

White dwarf: A while dwarf is what stars like our sun become after they have exhausted to their nuclear fuel. Near the end of its nuclear burning stage. Such a star experts most of its outer material, creating a planetary nebula. Only the hot core of the stars.

An earth-sized white dwarf is half as massive as the sun, yet only slightly bigger than the earth. This makes white dwarfs one of the densest forms of matter, surpassed only by mention stars.

An earth-sized white dwarf has a density of 1 x 10^9 kg/ m^2. In comparison, the earth itself has an average density of only 5.4 x 10^3 k/$m^{2.}$ This means a white dwarf is 200,000 times as dense.

Black Hole: Black holes are the evolutionary end prints of stars at least 10 to 15 times as massive as the sun. If a star that massive or larger undergoes a supernova explosion, it may leave behind a fairly massive burnt out stellar remanant. With no out ward focues to oppase gravitational forces, the remnant will collapse in on itself. The star eventurally collapses to the point of zero volume and infinite density, creating what is known as a “singularity”. As the density increases, the path of light rays emitted from the star are bent and eventurally wrapped irrevocably around the star. Any and emitted photons are trapped into an orbit b the intense gravitational field, they will never leave it. Because no light escapes after the star reaches this infinite density, it is called a black hole.

Binary Star: A binary star is a stellar system consisting of two stars orbiting around their center star. For each star, the other is its companion star. Recent research suggests that a large percentage of stars are part of systems with atleast two stars. Binary star systems are very important in astrophysics, because observing their mutual orbits allows their mass to be determined. The masses of many single stars can then be determined by extrapolations made from the observations of binaries.

Binary star evolution: While it is not possible that some binaries might be created through gravitational capture between two single stars, given the very low likelihood of such an event (three objects are actually required, as conservation of energy rules out a single gravitating body capturing another) and the high number of binaries, this cannot be the primary formation process. Also, the observations of binaries consisting of pre main sequence stars supports the theory that binaries are already formed during star formations.

Fragmentations of the molecular cloud during the formations of protostars is an acceptable explanation for the formations of a binary or multiple star system

The outcome of the three body problem where the three stars are of comparable mass, is that eventually one of the

three stars will be ejected from the system and assuming no significant further peiturbations, the remaining two will form a stable binary system.

As a main sequence star increases in size during its evolution it may at some point exceed its Roche lobe, meaning that some of its matter ventures into a region where the gravitational pull of its companion star is larger than its own. The result is that matter will transfer from one star to another through a process known as Roche Lobe overflow (RLOF), either being absorbed by direct impact or through an accretion disc. The mathematical point through which this transfer happens is called the first Lagrangian point. It is not uncommon that the accretion disc in the brightest (and thus sometimes the only visible) element of a binary star.

Of a star grows outside of its Roche Lobe too fast for all abundant matter to be transferred to the other component, it is also posible that matter will leave the system through other Lagrange points or as stellar wind, thus being effectively lost to bothcomponents. Since the evolution of a star is determined by its mass the process influences the evolution of both companions and creates stages that cannot be attained by single stars.

X-ray binaries: X-ray binaries are a class of binary stars that are very luminous is X-rays. The x-rays are produced by matter falling from one component (usually a relatively normal star) to the other component which is a neutron star or a black hole. The infalling matter releases gravitational potential energy, up to several tens of percent of its rest mass as X-rays.

The brightest X-ray sources in our galaxy are x-ray binaries. These x-ray binaries. These X-ray binaries are two stars which rotate around each other. One of the two is a normal star, but the other is a collapsed star, such as a mention star or a black hole, which has about the same mass as our sun but has shrunk to ten kilometers or less in radius. Material is drawn from the normal star and spirals in via an accretion disk on to the compact star. Intense X-ray emission is released from the inner region of the accretion disk where it fall onto the collapsed star.

Mass exchange is a binary system can occur by following three modes -

Roche-lobe overflow of the primary - for a low mass X-ray binary (LM x B), where is compact object is bound in a star whose mass is similar to or less than that of our sun), the only way to achieve enough mass transfer to create large fluxes of X-rays is through Roche-lobe overflow. The Roche-lobe is the location between the two stars in a binary where the gravitational pull from one star is equal and opposite that of the other star. If the binary system is "close" i.e. the orbital radius is small this point can occur near the surface of the normal star. Thus a "funnel point" is created for significant mass to flow out toward the compact star far accretion. In the case of Roche-lobe overflow, the angular no mention of the accreting material will tend to form a differentially rotating disk around the secondary. The material in this accretion disk is then slowly spiraled into the intense gravitational will of the compact object. It heats up to temperature over 1,000,000 degrees and therefore shines brightly in X-rays.

Enhanced stellar wind from the primary: A number of X-ray binaries are known to consist of massive primary emitting a stellar wind driven by the primary's radiations pressure, orbited by a neutron star or a black hole. Such a system is called high mass X-ray binary or HM x B. The primary typically has a mass 10 times or more than that of our sun. The compact object captures a fraction of the wind and converts the potential energy of the accreted plasma into x-rays. While qualitatively feasible, X-ray production by accretion from an undisturbed spherical wind can fall several orders of magnitude below the observed luminosity in the case of some binary systems. However, simple modifications to the basic theory brought the observations closer to prediction. Such modifications include the effect of the X-ray emission on the velocity of the incoming wind and an angular dependence of the primary's mass loss.

Capture of circumstellar material from a Be star primary-In a Be star / neutron star binary, the behavior of the Be star controls the x-ray characteristics of the system. A be star is a B star which rotates so rapidly that an instability results via which material streams out from the equatorial plane and an expanding atmosphere is formed. This introduces strong emission line of hydrogen and neutral helium into the stellar spectrum. Furthermore, these stars are known to throw off large amounts of matter from their equatorial regions at apparently random intervals. The capture and accretion of this material by the secondary is known to be the source of many of the observed x-ray transients.

Summary: When a white dwarf or neutron star is a member of a close binary star system its companion star can transfer mass to it. Material falling gradually onto a white dwarf explode in a sudden burst of fusion and make a nova. If material falls rapidly onto a white dwarf, it can push it over the chandrashekhar limit and cause it to explode completely as a supernova.

References:-

1. Hoogerwerf, R. J., de Bruijne, H. J., de Zeeuw, P.T., 2000, "The origin of Runaway stars", Astrophysical Journal, 544, L330
2. Prialnik, D., 2001, "Novae", Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics, 1846.
3. IcKo, I., 1986, "Binary star Evolution and type I supernovae", cosmological processes, 155.
4. Fender, R., "Relativistic outflows from X-ray binaries", astro-ph/0109502.
5. Asada, H., Akasaka, T., Kasai, M., "Inversion formula for determining parameters of astrometric binary, astro-ph/0409613.
6. Voss, R., Tauris, T. M., 2003, "Galactic distribution of

merging neutron stars and black holes", monthly notices of the Royal Astronomical Soceity, 342, 1169.
7. Boss, A. P., 1992 "Formations of Binary stars" The Realm of Interacting Binary stars, 355. ISBN 0-7923-1675-4
8. Iben, I. Jr., 1991, "SIngle and Binary star evolution", Astrophysical Journal supplement series, 76,55.
9. Iben, I. Jr, Livio, M., "Common envelopes in Binary star evolution", Astronomical society of the pacific, 105 (694), 1373

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारतीय स्वतंत्रता के क्रान्तिकारी आंदोलनों में महिलाओं की सहभागिता

डॉ. शिल्पा मेहता*

* सहायक आचार्य (इतिहास) राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय,उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – प्राचीन काल से ही **मातृ सत्तात्मक** सामाजिक व्यवस्था के तहत कबीले की मुखिया महिला होती थी। यह उसके राजनीति में सक्रिय भूमिका को प्रदर्शित करता है। पौराणिक कथाओं में देवियों तथा उत्खनन में प्राप्त मूर्तियों से यह स्वत: ही पता चल जाता है कि महिलाएँ प्रारम्भ से ही शक्ति, साहस से पूर्ण थी। कालान्तर में मध्य काल में **रजिया बेगम** के शासन को कौन भूल सकता है ? आजादी की लडाई में अंग्रेजों से लोहा लेने वाली **झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई** तो भारत के हर छोटे से छोटे बच्चे को याद है। समाज सुधारकों के प्रयासों तथा पुर्नजागरण के प्रभाव के कारण महिलाओं में राजनीतिक चेतना जागृत हुई, जिससे वे 20वीं सदी के प्रारम्भ में हुए स्वदेशी आन्दोलन में अपनी भागीदारी देकर भारत की राजनीति में अपना प्रभाव डालने में सफल रही।

शब्द कुंजी – क्रांतिकारी आन्दोलन, महिलाएँ, स्वदेशी आन्दोलन।

प्रस्तावना –भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरूद्ध दो प्रकार के आन्दोलन चल रहे थे – एक अहिंसक आन्दोलन एवं दूसरा सशस्त्र क्रांतिकारी आन्दोलनों1857 से 1947 तक भारत की आजादी के लिए हुए संघर्षो में क्रान्तिकारियों द्धारा किये गये प्रयत्न ही अधिक प्रेरणादायी है। इस कारण भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। भारत माता के प्रति जितनी भक्ति और मातृ भावना उस युग में थी, उतनी कभी नहीं रही। क्रान्तिकारी मातृभूमि की सेवा और उसके लिए मर मिटने हेतु सदैव तैयार रहते थे। वे भारत माता के पैरों में बंधी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हर समय शस्त्र उठाने के लिए तत्पर रहते थे तथा हिंसक माध्यमों से ब्रिटिश शासन को भयभीत कर, आतंकित कर देश से निकाल देना चाहते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय जनता की कठिनाईयों के प्रति शासन की उदासीनता ने भारतीय नवयुवकों के मन में शासन के प्रति आक्रोश की भावना का प्रादुर्भाव हुआ और शासन को मिटाने हेतु शस्त्रों का प्रयोग करना ही होगा, इस विचारधारा ने देश में क्रान्तिकारी आन्दोलन को जन्म दिया। इसमें न केवल पुरूषों अपितु महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और भारत की स्वाधीनता की प्राप्ति के प्रयासों में हँसते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था।

भारतीय स्वतंत्रता के क्रान्तिकारी आन्दोलनों में अनेक महिलाओं ने अपनी सहभागिता निभाते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुछ महिलाओं को छोड़कर अधिकांश महिलाओं के नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं हो पाए। क्रान्तिकारी महिलाओं द्धारा अनेक गतिविधियाँ में भागीदारी की गई थी। प्रारम्भ में इनसे सिर्फ गोपनीय सूचनाएं देने या कागजात छिपाने के लिए कहा जाता था, लेकिन बाद में ये संगठनों में जुड़कर क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल हो गई थी। अधिकांश महिलाएं 20वीं सदी की शुरूआत में सक्रिय दो सबसे ताकतवर क्रांतिकारी संगठनों – **अनुशीलन समिति** तथा **युगांतर** के साथ जुड़ी थी। ये संगठन देश की स्वाधीनता के लिए गोरे अधिकारियों की हत्याओं को करने में हिचकिचाता नहीं था। इस कारण से इनमें भाग ले रही महिलाओं के साथ शासन द्धारा काफी अत्याचार और जुर्म हुए थे, जैसे – अनेक महिलाओं को घरों में नजरबंद अथवा जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाता था एवं सजा भी आजीवन कारावास या मृत्युदंड की दी जाती थी। फिर भी क्रांतिकारी महिलाएँ अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होने के लिए हर समय तैयार रहती थी। इतिहास गवाह है कि इन क्रांतिकारी महिलाओं ने समय–समय पर पर बहादुरी और साहस का परिचय दिया एवं पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर चली थी। इन्होंने निडर होकर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था और कुछ ऐसी क्रांतिकारी महिलाएँ थी जिन्हें किसी भी युग में न भुलाया जा सकने वाला काम किया और अमर हो गयी। ऐसी कुछ क्रांतिकारी महिलाओं का विवरण इस प्रकार है :–

1\. **ऐनीबेसेण्ट–** थियोसोफिकल सोसाइटी और भारतीय होमरूल आंदोलन में अपनी विशेष भूमिका निभाने वाली ऐनीबेसेण्ट का जन्म 1847 में आयरलैंड में हुआ था। 1890 में हेलेना ब्लावत्सकी द्धारा स्थापित थियोसोफिकल सोसाइटी, जो हिन्दू धर्म और उसके आदर्शो का प्रचार–प्रसार करती थी, उसकी सदस्य बन गई। भारत आने के बाद वह महिला अधिकारों के लिए लड़ती रही। महिलाओं की वोट जैसे अधिकारों की मांग करते हुए ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखती रही। उसने **स्वराज्य** के लिए चल रहे **होमरूल आंदोलन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

2\. **मैडम भीकाजी कामा–** यह भारतीय मूल की पारसी महिला थी जिन्होंने विदेशों में भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 1907 में हुई सातवीं अंतराष्ट्रीय कांग्रेस में **भारत का प्रथम राष्ट्र ध्वज** तिरंगा फहराया था। उनके द्धारा पेरिस से 'वन्देमातरम' पत्र प्रकाशित किया जाता था। वह लन्दन में दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट

सेक्रेटरी भी बनी थी। उनके द्वारा भारत की स्वाधीनता के लिए विश्व जनमत जाग्रत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया तथा उन्होंने स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए लम्बी अवधि तक निर्वासित जीवन बिताया था। वह लंदन स्थित इंडिया हाउस से सम्बंधित लोगों को क्रांति की शिक्षा देती थी।

3. **लक्ष्मी सहगल –** नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अनन्य अनुयायी के तौर पर वे इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी। उन्होंने पेशे से चिकित्सक होते हुए भी महिला रेजीमेंट का नेतृत्व किया था। कमांडर लक्ष्मी सहगल ने **रानी झांसी रेजीमेंट** का संचालन का उत्तारदायित्व पूरी लगन व हिम्मत के साथ निभाया था। देश की आजादी के बाद सरकार में नारी कल्याण और मेडिकल सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवायें दी थी।

4. **दुर्गा भाभी** – इनका जन्म **1907 को इलाहाबाद** में हुआ था। यह भगवती बाबू जैसे महान् क्रांतिकारी की पत्नी थी। उन्होंने अपने पति के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वे उनके क्रांतिकारी कार्यों के लिए पैसा इकट्ठा करती थी। क्रांति से संबंधित परचे बाँटती थी। भगत सिंह द्वारा सांडर्स की हत्या करने पर वह भगत सिंह की पत्नी के रूप में उनको सकुशल बचाने के लिए उनके साथ कलकत्ता गई। इस साहसपूर्ण कार्य करने में वह बिल्कुल भी नहीं घबराई थी। उन्होंने गाँधीजी को भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरू को छुड़ाने की शर्त वायसराय के सामने रखने के लिए कहा था। बम्बई में भाभी ने बाबा पृथ्वीसिंह व आजाद के सहयोग से पुलिस कमिश्नर हेली को मारने की योजना बनाई लेकिन वह असफल रही।

5. **सरला देवी** – इन्होंने स्वदेशी आंदोलन और बंग-भंग आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और 1905 में बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारियों के बीच **संपर्क सूत्र** का काम किया था। 'सुहृदय समितियों' द्वारा वे युवा सदस्यों को व्यायाम तथा हथियार चलाना सिखाती थी।

6. **हरदेवी और कुमुदिनी मित्र –** ये क्रांतिकारी महिलाऐं क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करती थी। यह अनेक क्रांतिकारी साहित्यों और पेमप्लेटों का वितरण कर लोगों में राष्ट्रीय चेतना का संचार करती थी। अधिकाधिक आमजन को क्रांतिकारियों को समर्थन देने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रयासरत थी।

7. **प्रकाशवती –** लाहौर की रहने वाली प्रकाशवती अपनी अध्यापिका **प्रेमवती** के माध्यम से अपनी अन्य सहेलियों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता करती थी। क्रांतिकारी **यशपाल** से मिलने के बाद उसने अपने घर को छोड़ दिया और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गई। बाद में उन्होंने क्रांतिकारी यशपाल से विवाह किया था।

8. **प्रीतिलता वाडेकर –** बंगाल की प्रीतिलता, कॉलेज के प्रारम्भिक दिनों में क्रांतिकारियों के सम्पर्क में आई थी तथा **'दीपावली संघ'** की सदस्य बन गई थी। यह संस्था देश भक्तों को लाठी तथा तलवार चलाने का प्रशिक्षण देती थी। उन्होंने **इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक दल** की **इंडियन सोशलिस्ट आर्मी** में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। क्रांतिकारी दल ने शैलेश चक्रवर्ती के असफल होने पर उनको **चिटगाँव** के **यूरोपियन क्लब** पर आक्रमण का दायित्व सौंपा, उन्होंने क्लब की खुली खिड़की से दो बम फैंके तथा गोलियाँ चलाई तथा मौके से सभी क्रांतिकारियों को भगा दिया था। स्वयं ने पोटेशियम साइनाइड खाकर अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। इनकी स्कूल की एक सहेली **कल्पना दत्त** ने भी ढालघाट की 'नारी समिति' की सदस्य बनकर गुप्त रूप से क्रांतिकारियों का समर्थन किया।

9. **क्रांतिकारी वीणादास –** इनका जन्म 1911 में चटगाँव (बंगाल) में हुआ था। अपनी बड़ी बहन **कल्याणी** के प्रभाव से वह क्रांतिकारी बन गई थी। 6 फरवरी 1932 को वह अपनी स्नातक की डिग्री लेने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए गई थी। वहाँ उपस्थित गर्वनर पर उन्होंने गोलियाँ चलायी परन्तु वह असफल रही और उसे नौ वर्ष का कठोर कारावास का दंड मिला था।

10. **शान्ति सुधा घोष –** इन्होंने **बारीसाल** में अपनी अनेक मित्रों जैसे लीला चटर्जी, अनिला चटर्जी, मुकुल सेन, निर्मला घोष, अपराजिता घोष आदि के साथ मिलकर **'नारी शक्ति वाहिनी'** नामक संस्था का गठन किया था। इस संस्था में लड़कियों को व्यायाम तथा हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। 1932 में कलकत्ता आकर कल्याणी दास के सहयोग से क्रांतिकारी गुप्त गतिविधियों को अंजाम दिया तथा महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए महिला संगठन भी स्थापित किया था।

11. **राजकुमारी गुप्ता –** यह अपने पति और ससुराल वालों को बिना बताए क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थी। वे संदेश और सामग्री को क्रांतिकारियों के पास पहुँचाने का कार्य करती थी। एक बार वह अग्नेय शस्त्रों को अपने अंत: वस्त्रों में छिपाकर और अपने तीन साल के बेटे को साथ में लेकर खेतों के माध्यम से क्रांतिकारियों के पास जा रही थी, तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकार देश की एक सच्ची नायिका और क्रांतिकारी महिला के रूप में उनका उल्लेखनीय योगदान था।

सारांशत: यह कहा जा सकता है कि भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में अनेक क्रांतिकारी महिलाओं जैसे **भगिनी निवेदिता, सुनीति चौधरी, उज्ज्वला, सुहासिनी गांगुली, सुशीला मित्र, इन्दुमती सिंह, कमला देवी, शन्नो देवी, सुनीति देवी, माया देवी, मृणालिनी देवी, सावित्री देवी** आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काकेरी कांड में लतिका घोष, बीनादास, कमला दास गुप्ता और कल्याणी दास के सक्रिय योगदान को शायद ही कोई भूल सकता है। इन क्रांतिकारी महिलाओं ने कदम -कदम पर क्रांतिकारियों को सहयोग तथा समर्थन दिया। साथ ही उनके लिए धन की व्यवस्था करने, सूचनाओं को आदान प्रदान करने आदि कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। इस साहसपूर्ण कार्यों में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर भारत माता की स्वाधिनता के लिए बलिदान देकर अपने नाम को इतिहास के पन्नों में अजर अमर कर दिया था।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. खुराना एवं चौहान :'भारतीय इतिहास में महिलाएँ', लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशक, आगरा, 2012
2. डॉ. विश्वनाथ शर्मा:'हिन्दी रंगमंच का उद्‌भव और विकास',उषा पब्लिशिंग हाउस, जोधपुर, 1979
3. डॉ. सुरेशचन्द्र शुक्ल:'आधुनिक हिन्दी नाटक', लिपि प्रकाशन, दिल्ली, 1989
4. शर्मा, पावा:'राजस्थान का इतिहास', जयपुर पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1991
5. डॉ. ए. के मित्तल:'आधुनिक भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृति इतिहास', साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 1997

6. गिरीश रस्तोगी:समकालीन हिन्दी नाटककार, इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन, दिल्ली, 1998
7. यतिन्द्र सिंह सिसोदिया:'पंचायत राज एवं महिला नेतृत्व', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2000
8. दीप्ति प्रिया महरोत्रा:'भारतीय महिला आंदोलन कल, आज और कल', सम्पूर्णा ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2001
9. राधा कुमार:'स्त्री संघर्ष का इतिहास : 1800–1960', वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2002
10. प्रतिभा जैन, संगीता शर्मा:'भारतीय स्त्री राजनीतिक संदर्भ', रावत पब्लिशर्स, जयपुर, 2003
11. प्रेमलता तिवारी,विजय कौशिक:'भारत में महिला शक्ति', कनिष्ठा पब्लिशर्स, इलाहाबाद, 1994

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Health Related Fitness in 14 To 17 Year Old School Boys: A Normative Study

Dr. Sandeep Kumar*

*PET, M.A., Govt. Sr. Sec. School, Bharatpur (Raj.) INDIA

Abstract - In more recent years, the emphasis has moved to greater stress on assessing health-related fitness and evaluating concurrent or forthcoming health status. Cardiorespiratory strength, muscular strength and endurance, flexibility, and body composition are constituents of health-related fitness generally evaluated in school-based fitness assessment programs. These constituents of healthrelated fitness are considered important since they can be related to the risk of cardio metabolic disease and musculoskeletal disability, chronic hypokinetic-related ailments. Adults regularly taking part in physical activity have lesser rates of chronic disease (e.g., coronary heart disease, cardiovascular disease, type 2 diabetes, hypertension, osteoporosis, and some cancers) and are at a lower risk of premature death. Globally, about 10% of school aged children, amid 5 and 17 years of age, are overweight or obese. In India, many studies have displayed that the prevalence of overweight among adolescents differs between 10% and 30%. An inevitable interrelationship is found between physical activity and cardiorespiratory fitness with cardiorespiratory disease mortality or incidence as well as with cardiorespiratory disease risk factors. Health-related percent fat standards in recent times were developed by determining levels of body fat connected with greater occurrence of chronic disease risk factors well-defined by metabolic syndrome.

Key words- Health-related fitness, cardiorespiratory endurance, body composition, flexibility, muscular strength and muscular endurance etc.

Introduction - Before two and a half millennia, the Greek physician Hippocrates postulated that disease is a product of diet and lifestyle factors. For the basis of good health, he believed in plenty of daily exercise together with good hygiene, proper diet, and fresh air. At the beginning of the 19th century, many observations were reported on the relationship between chronic disease occupational physical activity and mortality (Guy, 1843). However, at that time the role of physical activity was not fully clear, and the relations were often attributed to emotional and social factors. Sedentary behavior also affects mental condition. Screen viewing in particular and sitting in general are steadily related with poorer mental fitness. Children who watch more television have complex rates of anxiety, depression, and posttraumatic stress and are at greater risk for sleep instabilities and attention complications (Kappos, 2007). Given the cross-sectional nature of these studies, however, the course of these relations cannot be determined. A longitudinal study set up that television watching, but not playing computer games, increased the chances of depression after 7-year follow-up (Biddle &Asare, 2011; Primack et al., 2009), signifying that television watching may add to depression. Because of design boundaries of the accessible studies, it is uncertain whether this effect is intervened by physical activity. Television watching also is linked with violence, aggressive behaviors, early sexual activity, and material abuse (Kappos, 2007). These associations are probable due to the content of advertising and programming as against to the sedentary nature of the activity. Studies with investigational intentions are needed to establish a fundamental association between sedentary behavior and mental fitness results (Kappos, 2007). Though the accessible evidence is not final, it does suggest that sedentary activity and television watching in particular can increase the threat for depression, anxiety, anger, and other risky behaviors and may also disturb reasoning and creativity (Kappos, 2007), all of which can upset academic performance. It would therefore look prudent for schools to decrease these sedentary behaviors in the course of school hours and make available programming that has been presented to be effective in decreasing television viewing outside of school (Robinson, 1999; Robinson &Borzekowski, 2006). It is not surprising that physical activity increases mental fitness. Both physiological and psychological mechanisms clarify the experimental associations. Physiologically, physical activity is identified to increase the synaptic diffusion of monoamines, an outcome similar to that of anti-depressive

medicines. Physical activity also fuels the release of endorphins (endogenous opioids) (Peluso& Andrade, 2005), which have an inhibitory influence on the central nervous system, producing a sense of calm and better mood (Ahn&Fedwa, 2011; Peluso& Andrade, 2005). Withdrawal of physical activity may end in irritability, restlessness, anxiety, and frustration as a result of a drop-in endorphin levels. Although more studies are required to identify the exact neurological pathways that mediate this association, it seems that the advantageous effect of physical activity on the prevention and treatment of depression may be the consequence of adaptations in the central nervous system facilitated in part by neurotropic factors that enable neurogenerative, neuroadaptive, and neuroprotective processes (Dishman et al., 2006). A latest study found that children who were more physically active produced a smaller amount of cortisol in response to stress, signifying that physical activity supports mental fitness by regulating the hormonal reactions to stress (Martikainen et al., 2013). The relative involvement of physiological and psychological mechanisms is indefinite, but they are likely to work together. Reduced physical fitness also can impair mood and mental function. Health-related excellence of life develops with physical activity that increases physical functioning, thus improving the sense of health (McAuley& Rudolph, 1995; US Department of Health and Human Services, 2008). Physical activity during childhood and puberty may not only be essential for its instant benefits for mental fitness but also have effects for longstanding mental fitness. Studies have presented a steady influence of physical activity during puberty on adult physical activity (Hallal et al., 2006). Physical activity practices established in children may continue into adulthood, thereby continuing to confer mental health benefits all through the life cycle. Moreover, physical activity in childhood may affect adult mental wellbeing irrespective of the activity's persistence (Hallal et al., 2006).

Review of literature:

Ruiz, et al., (2010) conducted a study to "summarise the work developed by the ALPHA (Assessing Levels of Physical Activity) study and described the procedures followed to select the tests included in the ALPHA health-related fitness test battery for children and adolescents". In conclusion, the ALPHA fitness tests battery is valid, reliable, safe and feasible for the assessment of HRPF in children and adolescents to be used for health monitoring purposes at population level. PF is an important health related marker during youth and later in adulthood **(Ruiz et al.,2009; Ortega et al., 2008)**. Higher levels of physical fitness decrease the risk for developing long term CVD and metabolic diseases, obesity and musculoskeletal problems **(Andersen et al.,2008; Brage et al., 2004).**

A European youth heart study by **Kristensen, et al., (2010)** on children and adolescents to find the relation between physical activity (PA) and aerobic fitness (AF) revealed using both cross-sectional and longitudinal approach that confirms previous findings of a low to moderate relation between PA and AF in total population of children. The study indicates that sedentary children can achieve notable increase in aerobic fitness by elevating their daily habitual physical activity level. The study also highlight potential physiological explanation for these results.

Eisenmann, Laurson, &Welk, (2011) conducted a study "to develop age, gender, and race specific percentiles for aerobic fitness using the LMS (L=skewness, M=median, and S=coefficient of variation) statistical procedure in a multiethnic, large, nationally representative sample of U.S. adolescents aged 12 to 18 years". LMS curves were prepared for each race and gender; however, since the overall distribution of the data was not different for blacks, whites, and Hispanics, the participants were combined, and different centile curves were prepared for girls and boys. Particular percentile values were made from the LMS curves, and the age and gender specific values for LMS were provided for calculation of individual z-scores (SD scores). There was a slight increase in VO2max of boys aged between 12 to 15 years and then it remained constant while there was slight decrease in estimated VO2max across ages ranging from 12 to18 years. Boys had higher values than girls at every age specific percentile. This study concluded that presents age and gender specific percentiles for U.S. youth aged between 12 to 18 years based on NHANES (1999–2002), and adds to the recent use of the LMS statistical procedure for the construction of growth percentiles for a variety of outcomes.

The objective of **Martinez-Gomez, et al., (2010)** study was to determine the sex specific PA intensity thresholds that best discriminates between healthy/unhealthy CRF. This study revealed that sex and intensity specific physical activity (PA) thresholds to discriminate between adolescents with a healthy cardio respiratory fitness (CRF) from those with a less favorable or unhealthy cardio respiratory fitness level.Further, **Sandercock et al. (2011),** conducted a study on rural and urban youth to study the differences in cardiorespiratory fitness and body mass index. Independent of their age, race, sex or level of deprivation, rural adolescents were less likely to be fit or highly fit. The result of this study was that there were no differences in frequency of body mass index categories or cardio respiratory fitness between rural and urban children (less than 13 years) or adolescents (greater than 13 years). The study concluded that there were no differences evident in children less than 13 years, rural adolescents were significantly less likely to meet criterion based cut-off points for cardiorespiratory fitness. Regardless of intensity, PA participation independently presents a number of health benefits **(Blair &Brodney, 1999).**

Research objective:

1. To develop normative values for cardio respiratory endurance in school boys, age ranged between 14 to 17 years with the help of 1 mile run/walk test.

2. To develop normative values for body composition in school boys, age ranged between 14 to 17 years with the help of skin fold thickness measurements at two sites (Triceps and Medial Calf) and Body Mass Index (BMI).
3. To develop normative values for flexibility in school boys, age ranged between 14 to 17 years with the help of sit and reach test.
4. To develop normative values for upper body muscular strength in school boy's age ranged from 14 to 17 years with the help of pull up test.
5. To develop normative values for abdominal muscular endurance in school boys, age ranged between 14 to 17 years with the help of one minute bent knee sit up test.

Methodology:

Selection Of Subjects: Testing for the normative study took place over a 10-month period. Stratified purposive sampling technique was employed for drawing of sample for the current analysis. For the purpose of the study two thousand boys (N=200) boys were selected from different schools of Udaipur. Prior agreement to conduct the fitness test of the subjects was attained from the school authorities. A prior consent form was established for this purpose. A sample of informed consent was appropriately verified by school principal.

Selection Of Variables: For the purpose of this study, it was decided to develop standards for different components of health-related fitness for children aged between 14 to 17 years. The health-related components selected for the plan has been enumerated below:

1. Cardio Respiratory Endurance
2. Body Compositions

(a) Skin fold thickness at two sites viz. triceps and medial calf
(b) Body Mass Index (BMI)

3. Musculoskeletal fitness:

a) Flexibility
b) Muscular strength
c) Muscular endurance

Criterion Measures: Following criterion measures were used for the purpose of collecting data from the sample:

1. Cardio respiratory endurance was measured with 1 Mile run/walk test and the score was noted in minutes & seconds required to cover the distance by the subject.
2. Skin fold dimensions (Triceps & Calf) was measured with help of skin fold caliper and the score was noted in mm.
3. Height was measured with the help of stadiometer and the score was noted down to the nearest cm.
4. Weight was measured with the help of weighing machine and the score was recorded to the nearest kg.
5. Flexibility was measured with the help of sit & reach test (Flexomeasure equipment of sit & reach) and the score were noted in cm.
6. Muscular strength was measured with the help of pull ups and the score was total number of pull ups completed by the subjects.
7. Muscular endurance was measured with the help of sit ups test and the score was recorded in number of sit up done in one minute.

Statistical Procedure: A detailed statistical evaluation for norm development for boys age ranging between 14 to 17 years of Udaipur schools was computed on health-related fitness components. The tester's reliability was calculated by using test-retest method and computing Pearson's coefficient of correlation. Descriptive statistics (Mean, Standard deviation, Minimum Values, Maximum Values and Percentage calculations) were employed. Norms were developed with the help of percentile scale. Reference values were developed for all the selected variables.

Conclusions:

1. There was an increase in the cardiorespiratory endurance, height, weight, muscular strength from age 14 through 17 years.
2. The body mass index and muscular endurance showed an increase from 14 to 16 years followed a dip in the 17 years old boys.
3. The thickness of triceps skinfold and calf skinfold and body fat percentage showed a decrease from 14 through 17- year-old school boys.
4. There was a slight decline in the flexibility from 14 to 15-year-old school boys followed by an increase thereafter.
5. In case of flexibility, 32% of 14 year, 34% of 15 year, 29% of 16 year and 29% of 17 year children were not able to cross their feet in the sit & reach test, which shows that these subjects lack flexibility.
6. In case of muscular strength, 17% of 14 year, 7% of 15 year, 8% of 16 year and 4% of 17 year children were not able to perform a single pull up.
7. Five-point category (very high, high, average, low and very low) norms has been developed for cardiorespiratory endurance, body mass index, flexibility and muscular endurance. Whereas, three-point category (high, average and low) norms has been developed for triceps skin fold, calf skinfold, body fat percentage and muscular strength.
8. On the basis of the comparison between (the selected percentile values of selected health related component) the National Children and Youth Fitness Study-I (NCYFS-I) & President's Challenge (PC) and the present study, it was seen that the National Children and Youth Fitness Study-I (NCYFS-I) & President's Challenge (PC) revealed a better performance in the fitness components namely cardiorespiratory endurance, flexibility, muscular strength and muscular endurance in all the selected age groups.

Recommendations for further studies:

1. The same type of study can be conducted in the various states of India for obtaining a clear-cut idea on the matters already probed and it may also help in developing national norms for health-related fitness.
2. The well planned remedial programmes are to be formulated for the children who are below the 20th percentile in the selected age category for any of the healthrelated fitness test.
3. Health related fitness testing should be made mandatory for every school annually that should be documented following statistical analysis.
4. The norms prepared in the study shall be used for grading the students in different items of health.
5. The school should initiate the “Fit Kid Award” and the name should be displayed on the honor board. The reference values for health-related fitness could be useful to identify the target population for primary prevention, as well as for health promoter policies. In this regard, schools may play an important role by identifying children with low cardio respiratory fitness and then by promoting positive health behavior such as encouraging children to engage in physical activity as well as decreasing time spent in sedentary activities.

References:-

1. Ailhaud, G., &Hauner, H. (1998).Development of white adipose tissue.In Handbook of Obesity. New York: Marcel Dekker.
2. Brown, F. (1976). Principles of Educational and Psychological Testing.2nd edition. New York: Holt, Rinehart and Winston
3. Cooper Institute for Aerobics Research (1999).Fitnessgram test administration manual (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
4. Danforth, J. S., Allen, K. D., Fitterling, J. M., Danforth, J. A., Farrar, D., Brown, M., &Drabman, R. S. (1990). Exercise as a treatment for hypertension in low-socioeconomic-status black children. Journal of consulting and clinical psychology, 58(2), 237.
5. Eisenmann, J. C. (2007). Aerobic fitness, fatness and the metabolic syndrome in children and adolescents.ActaPaediatrica, 96(12), 1723-1729.
6. Ganley, K. J., Paterno, M. V., Miles, C., Stout, J., Brawner, L., Girolami, G., & Warren, M. (2011).Health-related fitness in children and adolescents.Pediatric physical therapy, 23(3), 208- 220.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Swami Vivekananda's Concept of Practical Vedanta and its Relevance for Contemporary World

Dr. Akhilesh Mani Tripathi*

***Assistant Professor (Political Science) Govt. Autonomous P.G College, Satna (M.P.) INDIA**

Abstract - Swami Vivekananda has been unequivocally regarded as the authentic interpreter of the Hinduism capable to satisfy the demand of the scientific mind of the Modern Man. In the historical backdrop of the Western materialism of nineteenth century, which denounced the relevance of religion as an irrational practice and unscientific dogma, Swami Vivekananda attempted to offer a concept of philosophy, rooted in the profound tradition of Hinduism, which not only genuinely claims to be the highest ethical philosophy but also withstands the challenges raised from the modern sciences. Swami Vivekananda successfully expounded that the philosophy of Vedanta, which forms the philosophical basis of the Hindu religion, was the highest gift of Hinduism offered to the modern man, because it was the only philosophy which could answer each question, asked by a modern mind related to both sciences and ethics. He propounded that the Vedanta was an 'applied philosophy' capable to solve the miseries of the modern world and, therefore, he preferred to call his philosophical expositions as the 'Practical Vedanta'.
KeyWords- Practical Vedanta, Advaita, the God in human face, The Idea of living God, Brahman, Self, self abnegation.

Practical Vedanta as a new dispensation: Practical Vedanta is the bedrock on which the entire socio-political philosophy of Swami Vivekananda is founded. Out of various branches of the Vedantic philosophy, Vivekananda upheld the Advaita Vedanta, propounded by Shankaracharya, as the most reasonable philosophical system. He found only this (Advaita) Vedanta satisfying the demands of the scientific world1 and explaining morality in complete sens.[2] However, he found that the Advaita Vedanta, due to its exclusive confinement to spiritual domain hitherto, had remained in exclusive possession of the spiritual seekers, and its benefits could not extend to the practical life of humanity inspite of the fact that it is the only philosophy that could universally be applied to solve the actual problems of the practical human life. Swami Vivekananda was the first man to notice the practical relevance of the (Advaita) Vedanta; and, emphasizing the need to practice it in public life. He stated, "But one defect which lay in the Advaita was its being worked out so long on spiritual plane only, and nowhere else; now the time has come when you have to make it practical.[3]

He pronounced that the Practical Vedanta, as a new 'dispensation', was the call of the contemporary world. "The time has come when this Advaita is to be worked out practically. Let us bring it down from heaven unto earth, this is the present dispensation"[4] He wished that the Vedantic teachings must permeate the world and enter in to each and every pore of society, till they have become the common property of everybody[5]. Practical aspect of Vedanta was so much pertinent to Vivekananda as to lead him claim that the Vedanta shall no more be a 'Rahasya' , a secret, to live with monks in cave and forests, and that it must come down to the daily, everyday life of the people.[4] He stated, "It shall be worked out in the palace of the king, in the cave of the recluse; it shall be worked out in the cottage of the poor, by the beggar in the street, everywhere; anywhere it can be worked out. Therefore do not fear whether you are a woman or a Shudra, for this religion is so great says Lord Krishna, that even a little of it brings a great amount of good.[7]"

Actually, in his effort to provide a new philosophy of Practical Vedanta, Vivekananda was serving to humanity with the democratized publication of the Vedanta which had been monopolized for centuries in the hands of the priesthood. If was quite a relevant task, because a philosophy, which claimed to be the universal doctrine of freedom and democracy, must itself be democratized at first to ensure its access to everyone.

Practical Vedanta is opposed to privileges: Why Vivekananda was motivated to propound the concept of Practical Vedanta is also a relevant question that needs a discussion. Vivekananda found that the entire problem of the social world is rooted in the idea of privilege, and the Advaita Vedanta is the only philosophy that provides such an ethics that breaks down all the forms of privileges.[8] Vivekananda realized that this practical side of Vedantic

morality has become much relevant for the modern world than it ever was, because "this privilege claiming has become tremendously intensified with the extension of knowledge".[9]

Vedanta intends to eliminate the tyranny of capitalism: Swami Vivekananda stated that capitalist system is not an egalitarian system but it is a system which promotes and preserves privileges for certain class of the people who are either educated or politically powerful. Due to this common people are suffering from exploitation in the capitalist system though it claims that it is a democratic system. It is this privilege claiming that has promoted selfishness causing the exploitation of others in the capitalist system. He diagnosed the real disease of the materialist nations, which despite having excess knowledge and power, "make human beings devils."[10] He says,

"Tremendous power is being acquired by the manufacture of machines and other appliances, and privilege is claimed today as it never has been claimed in the history of the world. That is why the Vedanta wants to preach against it, to break down this tyrannizing over the souls of men"[11]

The practical Vedanta offers the highest moral philosophy: According to Vivekananda, the Vedanta is the only system which, as an ethical philosophy, teaches to realize the whole sentient and insentient world as your own 'self'; and, as a religion, provides the path to realize it in practical life. If this truth is once realized that the Brahman, the Self, is one, but is the same time appearing to us as many, on the relative plane, the whole practice of privilege will disappear along with exploitation, suppression and subjugation as its off springs; and true love will grow in the heart. "Then you can't help treating all with the same kindness as you show towards yourself. This is indeed practical Vedanta.[12]" The Practical Vedanta conceives of a man who 'must liberate the whole universe before he leaves his body', because no one "feels happy to taste of a good thing all by oneself"[13]. Thus the Practical Vedanta, as a moral philosophy, is based on the doctrine of self-abnegation, and asks everyone for its practice. The traditional Vedanta preached men to give up the world to help their own salvation. The practical Vedanta, according to Vivekananda, preaches, "Throw away everything, even your own salvation, and go and help others, you are always talking bold words, but here is practical Vedanta before you. Give up this little life of yours."[14]

Philosophical conceptualization of the Practical Vedanta: The Practical Vedanta, which is the philosophical foundation of the socio-political philosophy of Swami Vivekananda, has not found its elucidation in any single text authored by him. Its source is traceable in his various lectures. Swami Vivekananda gave four lectures in November 1896 in London, under the title 'Practical Vedanta', which are the main sources of his philosophy of Practical Vedanta. In addition to this, his other lectures delivered in India and abroad, also help in comprehending his proposition of Practical Vedanta.[15] Swami Vivekananda, during the course of elucidating his philosophy of Practical Vedanta, propounded that——

(a) Metaphysics as well as cosmology of Advaita Vedanta is amazingly scientific because it gives the explanation of the cause of Universe from the very nature of the Universe in the same way as the modern science attempts to explain the cause of the natural evolution from nature itself;

(b) Vedanta is the highest moral philosophy because, it explains how can and why should human beings behave selflessly in the spirit of self abnegation.

Practical Vedanta as a philosophy of strength and fearlessness: Vivekananda propounded that Vedanta, as a philosophy, is the source of strength and fearlessness. He discovered this idea from Vedantic idea of "omnipotence of Self". He points out that Vedanta though does not reject the idea of weakness, teaches how to overcome it. In his words, "there may be weakness, says the Vedanta, but never mind, we want to grow",[16] for "strength does not come out by thinking of weakness all the time".[17] He reminds the Vedantic teaching that the man becomes what he thinks. He says, "The remedy for weakness is not brooding over weakness, but thinking of strength. Teach man of strength that is already within them."[18]

He explains the practical moral aspect of Vedanta. Vedanta does not believe in outsourcing of the external support, but it teaches that the strength, the real strength, lies in one's own self. Only the need is to recognize it, to "manifest your Self in a high degree"[19], since sin or weakness is nothing except "very low degree of Self manifestation," propounds Vivekananda[20]. Therefore, instead of taking one as permanent sinner, Vedanta reminds one's strength that "you are pure and perfect, and what you call sin does not belong to you."[21] And instead of teaching one to brood eternally over one's own weakness, Vedanta teaches this truth that "even time and space are as nothing compared with your nature. You can do anything and everything, you are almighty"[22]. This idea of spiritual strength, which Vivekananda discovered from the idea of the omnipotence of Soul, is of the greatest value for humanity. It teaches fearlessness, by reminding one's, spiritual strength, and offers moral strength to fight against all atrocities, exploitations and injustices. This reminds one to have been permanently equipped with the weapon of one's own spiritual power as to fight against all odds in life. It is the greatest light of hope in the darkness of despair. It is this spiritual strength, propounded in Vedanta, that eternally echoes in the human hearts calling each one "to arise, awake, and stop not till the goal is reached."[23] Those who have heard this had changed the course of destiny. Gandhi heard the call of this spiritual strength, and he changed the course of India's destiny. So did Martin Luther King and Nelson Mandela in the modern world, and turned

the course of national stream. So did Swami Vivekananda himself and established the spiritual sovereignty of India over the world. This is the greatest magic of the spiritual strength that only the Vedanta teaches, according to Vivekananda. Therefore, he spoke his own experience when he proclaimed that, "Never think there is anything impossible for the soul", and "if there is sin, this is only sin – to say that you are weak, or others are weak."[24].

Practical Vedanta offers a new religion to worship the living God: Vivekananda discovered the idea of "Living God" from the idea of Impersonal God that the Advaita Vedanta upholds. "We want to worship a living God," he propounded. He argues, "where shall we go to find God if we cannot see Him in our own hearts and in every living beings?[25] He propounds, "Thou art all that exists, a wonderful living God who is the only fact in the universe. Thou art the man, Thou art the woman, Thou art the girl, and, Thou art the boy. Thou art the old man tottering with stick; Thou art the young man walking in the pride of his strength."[26].

Practical Vedanta asks to serve 'God in human face': The idea of living God, discovered by Vivekananda, led him to propound the most redical idea in the world of theology- the idea of "God in human face." He argues, "It you can not see God in the human face, how can you see him in the clouds, or in images made of dull, dead matter, or in mere fictitious stories of our brain".[27]

He says, "The moment I have realized God sitting in the temple of every human body, the moment I stand in reverence before every human being and see God in him- that moment I am free from bondage, everthing that binds vanishes, and I am free."[28] This worship of God in human form, according to Vivekananda, is "the most practical of all worships."[29]

This idea of human God, propounded by Vivekananda, has at least two significant implication. First, it presents the idea of a transcendental man instead of mechanical or material man. The words of Vivekananda corroborate it, "The Vedanta says that Infinity is our true nature, it will never vanish, it will abide forever."[30] Secondly, it lays the foundation of transcendental humanism. Since man is the highest of all living Gods, as being the highest manifestation of Impersonal God, the righteousness of every activity, that happens in social and political frameworks, must be adjudged in the light of the spiritual sovereignty of humanity; no action, no decision, may it be taken by the society or the state, can transcend the cause of human sovereignty. These are the greatest points of practical morality, discovered by Vivekananda from Advaitic philosophy,that the human thought of the world has ever witnessed. That to serve others out of compassion is definitely good, but to serve others, charged with the feeling as if one were worshipping the God Himself, is the best is the pivotal thought, in Vivekananda's philosophy, around which all his other thoughts rotate.[31]

Conclusion: These ideals of morality, which Vivekananda has discovered from Advaita Vedanta, do not exist out of the clutch of practice. According to Vivekananda practice is the essential method of the Vedanta. He says, "If you ask me this can be practical, my answer is, it has been practical first, and philosophical next. You can see that first these things have been perceived and realized and then written."[32]

He holds that true religion must essentially be practical. In his words, "Religion is ever a practical science, and there never was nor will be any theological religion. It is practical first, and knowledge afterwards"[33]. Swami Vivekananda holds that both religion and science run on the same line. Science first experiences and then theories; religion first realizes and then theolises. To him, a true religion is essentially a practical discipline like science. Upholding this position, Vivekananda has proved that not only the metaphysics of the Advaita Vedanta is scientific, but the ideals of morality that it offers are also practiceable like sciences. In the light of this proposition, Vivekananda proved that Advaita Vedanta not only offers the highest ideals of morality, founded on a scientific metaphysics, but whatever ideals of morality if offers are quite practiceable in daily life of man, for they are the outcome of the practical realization. He prescribed that these practical ideals of morality must necessarily be put into practice if we want to found a moral world. Thus Vivekananda transformed Advaita Vedanta into a 'prescriptive philosophy', while earlier it was limited to metaphysics alone,[34] by discovering its practical aspect; and, thus, by declaring Vedanta as practical philosophy, he discovered the philosophy of the "Practical Vedanta", out of the metaphysics of Advaita Vedanta, on which he has based all his social and political philosophy.

However, behind Vivekananda's effort to propound the philosophy of the Practical Vedanta never was there any intention to theorize a new philosophy of his own. But on the other hand, his whole intention was devoted to practical purpose, i.e., the emancipation of humanity through the application of universal moral ideals of the Vedanta. Swami Vivekananda clearly said, "I do not believe in a God or religion which cannot wipe the widow's tears or bring piece of bread to the orphan's mouth. However sublime be the theories, however well-spun may be the philosophy - I do not call it religion so long as it is confined to books and dogmas. The eye is in the forehead and not in the back. Move onward and carry in to practice that which you are very proud to call your religion, and God bless you".[35]

References:-

1. Vivekananda, Swami, The Complete Works, Vol 1, Advaita Ashram, Calcutta, 2009, p.374.
2. Vivekananda, Swami, Lectures from Colombo to Almora, Advaita Ashram, Calcutta, 2001, p. 376.
3. Ibid, p. 379.
4. Ibid, p. 379.
5. Ibid, p. 379.

6. Ibid, p. 379.
7. Ibid, p. 379.
8. Vivekananda, Swami, The complete works, Vol.1, Advaita Ashram, Calcutta,2009,p425.
9. Ibid, p.425.
10. Ibid, p.425.
11. Ibid, p.425.
12. Vivekananda, Swami, The Complete Works- Vol .7, Advaita Ashram, Calcutta, 2009, p. 163.
13. Ibid, p.163.
14. Vivekananda, Swami, Lectures from Colombo to Almora, Advaita Ashram, Calcutta, 2001 p.383.
15. Swami Vivekananda delivered a series of four lectures on" Practical Vedanta", in London, gradually on 10th,12th,17th&18th of November 1896.These lectures are published in The complete works of Swami Vivekananda, Vol II, published from Advaita Ashram, Calcutta,2009.
16. Vivekananda Swami, The Complete Works, Vol.02, Advaita Ashram Calcutta, 2009, p.300.
17. Ibid, p. 300.
18. Ibid, p. 300.
19. Ibid, p. 300.
20. Ibid, p. 300.
21. Ibid, p. 300.
22. Ibid, p. 300.
23. Vivekananda, Swami, Lectures from Colombo to Almora, Advaita Ashram, Calcutta, 2009, p.300.
24. Vivekananda, Swami, The Complete Works, Vol.02, Advaita Ashram Calcutta, 2009, p.308.
25. Ibid, p. 320.
26. Ibid, p. 320.
27. Ibid, p. 326.
28. Ibid, p. 321.
29. Ibid, p. 321.
30. Ibid, p. 323.
31. I should see god in the poor, and it is for my salvation that I go and worship them." see, Vivekananda, Swami, Lectures from Colombo to Almora, Advaita Ashram, Calcutta, 2009, p.167.
32. Vivekananda, Swami, Complete Works, Vol.02, Advaita Ashram Calcutta, 2009 p.318.
33. Ibid, p.317.
34. Shaw, J.L., Swami Vivekananda as a philosopher, The Ramkrishna Mission institute of Culture, Kolkata, 2009, p.30.
35. Vivekananda, Swami, The Complete works, vol. V, Advaita Ashrama, Calcutta, 2009, p.50.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

पंचायती राज व्यवस्था में जनजातीय महिलाओं का नेतृत्व

डॉ. नीरजा गर्ग *

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) मंगलायतन विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – कभी बेबस और बेचारी कही जाने वाली महिला की स्थिति में जनजातीय समुदाय की महिलाओं की स्थिति अधिक बुरी कही जा सकती है लेकिन 73वॉं संविधान संशोधन के अंतर्गत मध्यप्रदेश में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने से जहॉं महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है वहीं वह अधिक सशक्त होकर सामने आई है।

शब्द कुंजी – विकेन्द्रीकरण, महिला सशक्तिकरण, जनजातीय समुदाय।

प्रस्तावना – मानव सभ्यता एवं संस्कृति के आधुनिक दौर में 'राज्य' का महत्व न केवल अधिक गम्भीर हो गया है बल्कि मानवीय विकास तथा कल्याण के प्रति विश्वव्यापी चिन्ता ने इस मान्यता को भी बल प्रदान किया है कि सत्ता तथा दायित्वों का हस्तान्तरण या विकेन्द्रीकरण बहुत सारी समस्याओं का एक सुलभ समाधान भी है। भारत जैसें विशाल भौगोलिक आकार वाले देश तथा बहुआयामी समाज से समृद्ध राष्ट्र के लिए शासन को कई स्तरों पर विभक्त करना अपरिहार्य भी है। संघीय स्तर पर केन्द्र सरकार तथा प्रान्तीय स्तर पर राज्य सरकार के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर स्वशासन संस्थाओं का होना परिस्थितिजन्य आवश्यकता ही नहीं बल्कि राज्य के दायित्वों की सफलता की गारंटी भी है। इसी दिशा में 2 अक्टूबर, 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत एक महत्वपूर्ण कदम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण भारत में शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, संचार, उर्जा तथा कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विकसित कर आम आदमी खासकर ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाली जनजातियों के जीवन स्तर ऊँचा उठाना मुख्य ध्येय था किन्तु जन सहभागिता की कमी के कारण सामुदायिक विकास कार्यक्रम (C.D.P) पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। स्वतंत्रता के बाद यह अनुभव किया गया कि बिना ग्रामीण क्षेत्र के पुनर्गठन के देश का विकास संभव नहीं है। इसी संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा 'यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही लाभदायक है।' 1950 में लागू संविधान के अनुच्छेद–40 में कहा गया 'राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए प्रयास करेगी तथा उन्हें ऐसी शक्तियों एवं अधिकारों से सम्पन्न करने के लिए प्रयास करेगी जिससे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके।' इसी बीच बलवन्त राय मेहता समिति ने ग्रामीण विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं की विधिवत् रचना की सिफारिश की। तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को आधुनिक पंचायती राज का उद्घाटन करते हुए इस व्यवस्था से बहुत प्रभावी भूमिका निर्वाहित करने की अपेक्षा की थी। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण तथा आर्थिक विकास एवं जन कल्याण में गहरा सम्बन्ध है। **ओट्स** ने सन् 1972 में तर्क दिया था कि लोगों की विविध रूचियों तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप सेवाएँ प्रदान करने से ही जन कल्याण बढ़ाया जा सकता है। **मार्सचक** के अनुसार निर्णय बिन्दु को क्रिया बिन्दु के समीप लाने से सूचना की लागत कम की जा सकती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए भी स्थानीय स्तरीय योजना आवश्यक है। भू एवं जल प्रबंधन, लघु उद्योग, कृषि एवं स्थानीय सुविधाओं के लिए स्थानीय स्तर पर उत्तम योजनाएँ बनाई जा सकती हैं। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रभाविकता को उन्नत किया जा सकता है विशेष रूप से यदि विकास प्रक्रिया को सहभागी एवं पारदर्शी बनाया जा सके। सहभागिता के माध्यम से सुप्त पड़े संसाधनों का उपभोग आर्थिक चन्दे, सामग्री प्रदाय एवं श्रमदान के रूप में किया जा सकता है। सामुदायिक भागीदारी से सामाजिक एवं आधारभूत ढ़ाँचे का निर्माण किया जा सकता है। सभी राजनीतिक दलों में औपचारिक सम्पत्ति तथा बहुत सारे अधिकार आयोग एवं समितियों की सिफारिशों के बावजूद आज भी भारत में सही मायने में जमीनी स्तर पर प्रजातंत्र एक स्वप्न है।

पंचायती राज व्यवस्था एवं जनजातीय महिलाएँ –मनुस्मृति में स्त्रियों की विवेचना करते हुए मनु ने स्पष्ट लिखा है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती वहाँ समस्त क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन संस्थाओं में 1.05 मिलियन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का होना सचमुच एक असाधारण बात है। यह बात और भी असाधारण हो जाती है, जब हम पाते है कि ग्रामीण महिलाओं विशेषकर सामाजिक रूप से वंचित समूहों की महिलाओं का मानव विकास सूचकांक बहुत नीचे है।

तालिका क्रं. 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

भारत में महिलाएं हमारे देश में आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं इसलिए विकास के कार्य में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान को पूरी

तरह सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के कार्य को समझा जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक विकास, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती और जब आज महिला सशक्तिकरण पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है तो महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य पुरूषों की बराबरी करना न होकर महिलाओं को सशक्त करने से हैं। आर्थिक-सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर कार्य करने में महिलाओं की सशक्त भागीदारी से है, लेकिन भारतीय संविधान में पुरूषों और महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार दिए जाने के बावजूद इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलाएं अभी पुरूषों से काफी पीछे हैं। जनजातीय समाज में तो महिलाओं की स्थिति तो और भी अधिक दयनीय एवं शोषित रही है। महिलाओं में जागरूकता की कमी का एक महत्वपूर्ण कारण है, सामंती सामाजिक व्यवस्था जो महिला को पुरूष के अधीनस्थ मानती है। सदियों तक महिलाओं की भूमिका चाहरदीवारी तक सीमित रखकर उन्हें बाहय जगत से जानबूझकर दूर रखा गया फलत: उनमें आत्मविश्वास की कमी, जागरूकता का अभाव, निर्णय निर्माण क्षमता का विकास अपेक्षित से काफी निराषाजनक रहा।

जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सामान्य बराबरी में लाने के लिए योग्यता, साहस एवं प्रतियोगिता के साथ-साथ उन्हें विशेष संरक्षण की भी आवश्यकता है। जनजातीय महिला विकास को संस्कृति के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए क्योंकि जनजातीय संस्कृति इस समाज के लोगों का जीवन जीने का एक ढंग है और विकास इस जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन लाने का एक प्रयास है। यदि जनजातीय महिला आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर है तो वह राजनीतिक, पारिवारिक-सामाजिक स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। सामाजिक-पारिवारिक सम्मान एवं मान्यता तथा पुरूष वर्ग के सकारात्मक दृष्टिकोण के अभाव में आर्थिक आत्मनिर्भरता भी पूर्ण नहीं हो सकती।

तालिका क्र. 2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायती राज अधिनियम एक सशक्त भूमिका के रूप सामने आया है। भारतीय संदर्भ में वर्तमान में ग्राम पंचायतों में 984273, जनपद पंचायतों में 58112 तथा जिला पंचायतों में 5763 महिलाएं पंच, सरपंच सहित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में हर स्तर पर कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आई हैं वहीं ग्रामीण महिला विकास को नया आयाम मिला है। भारतीय महिलाएँ और जिनमें जनजातीय समाज की महिलाएँ भी इन दिनों विकास के सुनहरे दौर से गुजर रही हैं। वे वर्जनाओं की बेड़ियाँ तोड़कर तेजी से सदियों के फासले तय करती हुई स्वतंत्र और उत्साहपूर्वक उफान के साथ कम समय में कई लम्बे और मुश्किल पड़ाव तय कर रहीं हैं। पिछले दो दशकों में जनजातीय समाज की स्त्रियों ने तरक्की कर समाज में नई पहचान बनाने का प्रयास किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Rawat Publication, Jaipur and New Delhi. 1995.
2. Lal, Shyam, : ***Tribal and Christian mission arias, Inter India publication,*** New Delhi. 2000.
3. Padhy, K.S., : ***Voting Behavior of Tribal in India, Delhi***, 1992.
4. कलवार, सुगन चन्द एवं तेजराम मीणा, – ***निर्धनता उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास,*** पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2001.
5. कटारिया, डॉ.सुरेन्द्र – ***ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज,*** आर बी एस ए, पब्लिशर्स, जयपुर, 2003.
6. सिन्हा, सच्चिानन्द सिन्हा – ***जाति व्यवस्था मिथक, वास्तविकता और चुनौतियाँ,*** राजकमल प्रकाशन, नईदिल्ली, 2006.
7. सेन, अमर्त्य – ***गरीबी और अकाल,*** राजपाल एण्ड सन्स, नईदिल्ली, 2007.
8. लवानिया, डॉ.एम.एम.,एवं के. शशी जैन, – ***भारत में जनजातियों का समाजशास्त्र,*** रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर. 2003.
9. सेन, अमर्त्य – ***विषमता, एक पुनर्विवेचन,*** राजकमल प्रकाशन, नईदिल्ली, 2008.
10. गुप्ता, रमणिका – ***आदिवासी कौन,*** राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नईदिल्ली, 2008.
11. वर्मा, डॉ.सवलिया बिहारी । ***ग्रामीण अर्थषास्त्र एवं सहकारिता,*** विश्वभारती पब्लिकेशन, नईदिल्ली, 2009.
12. जैन, डॉ.राजेश । ***आर्थिक विकास में मानवीय साधन,*** यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नईदिल्ली, 1996.
13. झुनझुनवाला, भरत । ***भारतीय अर्थव्यवस्था 'समीक्षात्मक अध्ययन'***, राजपाल एण्ड सन्स, नईदिल्ली, 2007.
14. रोशन, डॉ.राकेश – ***नियोजित जनजातीय विकास***, अमन प्रकाशन सागर, 2006.
15. जोशी, रामषरण – ***आदिवासी समाज और शिक्षा,*** ग्रंथ शिल्पी, नईदिल्ली, 2004.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

तालिका क्रं. 1: मध्यप्रदेश पंचायती राज चुनाव 2022-23 में महिला प्रतिनिधियों की संख्या

ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल प्रतिनिधि	अजजा प्रतिशत	महिलायें	जनपद पंचायत की संख्या	कुल प्रतिनिधि	अजजा प्रतिशत	महिलाएँ	जिला पंचायत की संख्या	कुल प्रतिनिधि	अजजा	महिलाएँ
23051	388829	110744	134368	313	7008	1972	2393	48	855	222	304

स्त्रोत-*पंचायतों की स्थिति: पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

तालिका क्रं. 2: पंचायती राज चुनाव में कुल महिला प्रतिनिधियों की संख्या

ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल प्रतिनिधि	अजजा प्रतिशत	महिलायें	जनपद पंचायत की संख्या	कुल प्रतिनिधि	अजजा प्रतिशत	महिलाएँ	जिला पंचायत की संख्या	कुल प्रतिनिधि	अजजा	महिलाएँ
228944	2678183	321464	984273	5883	157973	11510	58112	521	15583	1691	5763

स्त्रोत-*पंचायतों की स्थिति: पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
*****जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड एवं नागालैण्ड के आंकड़े शामिल नहीं है।***

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

एकांकी एवं संयुक्त परिवारों के किशोरों के यौन अपराधों के स्वरूप एवं प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन

अमृता मौर्या* डॉ. कल्पना शर्मा **

* शोधार्थी, के आर जी कॉलेज, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** जे सी मिल कॉलेज, ग्वालियर(म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – यौन दुराचार समाज के लिए अभिशाप है। यौन दुराचार के अंतर्गत किसी को अश्लील साहित्य या गुप्तांगों को दिखाना, अनचाहा चुंबन या स्पर्श, अश्लील फोटो इंटरनेट पर डालना, बिना सहमति के महिलाओं को स्पर्श करना अश्लील या भद्दे शब्दों का प्रयोग करना, किसी महिला को अश्लील या अनुचित गतिविधि के संबंध में भ्रमित करने के उद्देश्य से उसकी खानपान में नशीला पदार्थ मिला देना, उसके साथ छेड़खानी, जबरदस्ती यौन गतिविधि या संभोग या अप्राकृतिक मैथुन करना अथवा करने के लिए दबाव बनाना आदि क्रियाकलाप आते हैं। 'यौन उत्पीड़न हमारे समाज के विकृत मानसिकता वाले लोगों के द्वारा किया जाने वाला ऐसा काम है जो समाज को दूषित करता है। महिला की इच्छा या सहमति के बिना किसी दबाव में की गई यौन गतिविधि को यौन उत्पीड़न कहा जाता है।' समाज में यौन अपराधों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 14904 मामले दर्ज किए गए जिसमें 5387 को मामले पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए हैं जो कि कुल मामलों का करीब 36% हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में 2020 की तुलना में 2021 में पहले 6 महीनों में 65.3% की वृद्धि दर्ज की गई है।' शोधार्थी एकांकी एवं संयुक्त परिवारों के किशोरों द्वारा किए जाने वाले यौन अपराधें के स्वरूप एवं प्रकृति का अध्ययन करना चाहती थी इसलिए उसने अपने शोधा का विषय-एकांकी एवं संयुक्त परिवारों के किशोरों के यौन अपराधों के स्वरूप एवं प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन चुना है।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. एकांकी एवं संयुक्त परिवारों के किशोर अपराधियों के अपराध के स्वरूप का अध्ययन करना
2. एकांकी एवं संयुक्त परिवारों के किशोर अपराधियों के अपराध की प्रकृति का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि–शोध अध्ययन हेतु झांसी जिले के ललितपुर संभाग के 150 किशोर अपराधियों का संगणना विधि से चयन किया गया। तथ्यों के संकलन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया । तथ्यों के संकलन के उपरांत उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन कर विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किए गए ।

तालिका क्रमांक-1 :पारिवारिक संरचना के अनुसार किशोर अपराधियों के अपराध का स्वरूप

अपराध का स्वरूप	एकांकी परिवार के किशोर अपराधी		संयुक्त परिवार के किशोर अपराधी		योग	
	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.
छेड़खानी	28	18.66	18	12.00	46	30.66
भद्दे शब्दों का प्रयोग	26	17.33	21	14.00	47	31.33
भीड़ में स्पर्श	22	14.66	14	09.33	36	24.00
जबरदस्ती संभोग	14	09.33	07	04.66	21	14.8
योग	90	60.00	60	40.00	150	100.0

तालिका क्रमांक -1 में सर्वेक्षित किशोर अपराधियों के अपराध के स्वरूप से संबंधित आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्वेक्षित 150 किशोर अपराधियों में 90(60.0) अपराधी एकांकी परिवार के तथा 60(40.0) अपराधी संयुक्त परिवार के हैं। तालिका से स्पष्ट है कि 40 (30.6) किशोर अपराधियों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी की है जिनमें 28(18.66) किशोर एकांकी परिवारों के तथा 18 (12.0) संयुक्त परिवारों के हैं। 47(31.33) किशोर अपराधियों ने महिलाओं को देखकर भद्दे शब्दों का प्रयोग किया है, जिनमें 26(17.33) किशोर एकांकी परिवारों के तथा 21(14.0) संयुक्त परिवारों के हैं। 36(24.0) किशोर अपराधियों ने भीड़ में महिलाओं को स्पर्श किया जिनमें 22(14.66) किशोर एकांकी परिवारों के तथा 14(09.5) किशोर संयुक्त परिवारों के हैं। 21(14.0) किशोर अपराधियों ने महिलाओं के साथ जबरदस्ती संभोग किया है, जिनमें 14(09.33) किशोर एकांकी परिवारों के तथा 07(04.66) संयुक्त परिवारों के हैं। एकांकी एवं संयुक्त परिवारों के अपराधी किशोरों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि अपराध के प्रत्येक स्वरूप में चाहे वह महिलाओं के साथ छेड़खानी हो, उन्हें देखकर शब्दों का प्रयोग किया गया हो, भीड़ में संवेदनशील अंगों को स्पर्श किया गया हो अथवा जबरदस्ती संभोग किया गया हो एकांकी परिवारों के किशोर अपराधियों की संख्या संयुक्त परिवारों के किशोर अपराधियों की तुलना में अधिक है।

तालिका क्रमांक-2 :पारिवारिक संरचना के अनुसार किशोर अपराधियों के अपराध की प्रकृति का तुलनात्मक स्तर

अपराध की प्रकृति का स्तर	एकांकी परिवार के किशोर अपराधी		संयुक्त परिवार के किशोर अपराधी		योग	
	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.
साधारण	54	35.99	39	26.00	83	61.99
गम्भीर	22	14.66	14	09.33	36	26.00
अत्याधिक गम्भीर	14	09.33	07	04.66	21	14.00
योग	90	60.00	60	40.00	150	100.0

तालिका क्रमांक-2 में किशोर अपराधियों के अपराध की प्रकृति के स्तर का उनकी पारिवारिक संरचना के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 93(61.99) किशोर अपराधियों के यौन अपराध का स्तर साधारण है अर्थात उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़खानी की अथवा भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। इन अपराधियों में 54(35.99) अपराधी एकांकी परिवारों के तथा 39(26.0) संयुक्त परिवारों के पाए गए हैं। 36(24.0) किशोर अपराधियों के अपराध की प्रकृति गंभीर पाई गई है क्योंकि उन्होंने भीड़-भाड़ में महिलाओं के संवेदनशील अंगों को स्पर्श किया है। इनमें 22(14.66) किशोर एकांकी परिवारों के तथा 14(09.33) किशोर संयुक्त परिवारों के पाए गए हैं।21(14.0) किशोर अपराधियों के अपराध की प्रकृति अत्यधिक गंभीर पाई गई है अर्थात उन्होंने पीड़िता के साथ जबरदस्ती संभोग किया है। इन अपराधियों में 14(09.35) अपराधी एकांकी परिवारों के तथा 07(4.66) संयुक्त परिवारों के पाए गए हैं। एकांकी एवं संयुक्त परिवारों के किशोर अपराधियों के अपराध की प्रति का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि अपराध की प्रकृति के तीनों स्तरों में चाहे वह साधारण हो, गंभीर हो अथवा अत्यधिक गंभीर हों एकांकी परिवार के किशोर अपराधियों का प्रतिशत संयुक्त परिवार के किशोर अपराधियों की तुलना में अधिक पाया गया है।

निष्कर्ष-एकांकी एवं संयुक्त परिवारों के किशोरों द्वारा किए गए यौन अपराधें की तुलनात्मक विवेचना करने पर निष्कर्ष निकलता है कि एकांकी परिवारों के किशोर अपराधियों का प्रतिशत संयुक्त परिवारों के किशोर अपराधियों की तुलना में अधिक पाया गया तथा गंभीर एवं अत्यधिक गंभीर यौन अपराधों का प्रतिशत भी एकांकी परिवारों के किशोर अपराधियों का संयुक्त परिवार के किशोर अपराधियों की तुलना में अधिक पाया गया।

सुझाव-अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

1. एकांकी परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार में रहने हेतु बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि संयुक्त परिवारों में परिवार का कोई ना कोई सदस्य किशोरों की गतिविधियों पर दृष्टि रखता है ।
2. बच्चों में बचपन से ही नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। लड़कों को लड़कियों के प्रति सम्मानजनक बोलचाल और व्यवहार करना सिखाना चाहिए।
3. एकांकी परिवार के माता-पिता को अपने किशोर बालकों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। उनकी प्रत्येक समस्या को सुनने समझाने और सुलझाने में अपना योगदान देना चाहिए।
4. किशोरों को अकेले नहीं रहने देना चाहिए। उनके साथ परिवार का कोई न कोई सदस्य अवश्य रहना चाहिये।
5. किशोरों को समय-समपय पर शिक्षा माता पिता के द्वारा यौन शिक्षा देनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. htpps://www.myupcar.com>sexua
2. htpps://www.dbgegaias.comdarticles
3. htpps://www.800respect.orgau>ni
4. htpps://www.wikipedai.org>wiki
5. htpps://www.ttb-bondhu.org>hindi

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारत की विदेश नीति - बदलाव की ओर

अनिता नावड़े* डॉ. लता मंसारे**

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) स्कूल ऑफ सोशल साईंस, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोध निर्देशिका (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को दुनिया में एक सम्मानित और जिम्मेदार अग्रणी शक्ति बनाने का आह्वान किया और अपनी विदेश नीति को फिर से विकसित करने के लिए निर्णय लेने की यह कवायद देश की बढ़ती ताकत के साथ-साथ राष्ट्रों की शिष्टता से पहले अपने नए आत्म विश्वास को प्रकट करती है कि किस तरह शीर्ष भारतीय राजनीतिक नेतृत्व देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और वैश्विक मामलों में अपनी निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता की कल्पना करता है।

शब्द कुंजी – अन्तर्राष्ट्रीय सामंजस्य, उद्देश्यों, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, बदलता परिदृश्य एवं चुनौतियाँ।

प्रस्तावना – वर्तमान में किसी देश की विदेश नीति अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों और अपनी प्राथमिकताओं को लेकर अच्छी तरह से योजनाबद्ध सुसंगत, पूर्व निर्धारित और नपी-तुली होती है और इस बात का भी उसमें ख्याल होता है और उन्हें वास्तविक धरातल पर लाने के लिए वह देश किस तौर-तरीके का इस्तेमाल करता है यह बात इस संदर्भ में भारत की विदेश नीति का कोई भी आकलन या समीक्षा उन परिस्थितियों पर विचार करते समय एक विशेष दिशा में विकसित होती है, उन संरचनात्मक चुनौतियों और उनकी ऐतिहासिक रूपरेखाओं पर भी विचार करना चाहिए जो आगे की प्रगति या अन्यथा उसी (देश की विदेश नीति) को प्रभावित करती है।

हालाँकि राष्ट्रीय इतिहास और ऐतिहासिक पंरपराओं, भूगोल, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, राष्ट्रीय लक्ष्यों पर सहमति, सैन्य तैयारी आदि जैसे आंतरिक कारकों के साथ-साथ वैश्विक या क्षेत्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय पदानुक्रम वैश्विक अर्थव्यवस्था और कई अन्य जैसे बाहरी कारकों के रूप में ज्ञात कई अन्य कारक भी होते है और जिन्हें पूरी तरह से आंतरिक या बाहरी परिस्थितियाँ कहा जाता है, वे तमाम परिस्थितियाँ सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय या देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए गंभीरता से ध्यान देने की मांग तो करती ही है, इसके बावजूद उन्हें सुनियोजित रणनीति की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ उन्हें व्यवस्थित करने के लिए देश की विदेश नीति की सफलता को लेकर सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने वाला कारकों की भी आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शांति, अहिंसा, गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद-विरोधी, नस्लवाद-विरोधी, रंगभेद- विरोधी, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना आदि जैसे भारत की विदेश नीति के घोषित उद्देश्यों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए अपनी शुरूआत की। सही अर्थो में इन लक्ष्यों को पाने के लिए पहले से ही विश्व युद्धों के कारण दो गुटों में बँटे तत्कालीन विश्व के स्थायी शांति और अहिंसा की नींव रखने के लिए इन आदर्शो के महत्व पर जोर देने वाले स्वतंत्र भारत के निर्माता, वास्तुकार और पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू द्वारा उचित और जानबूझकर निर्णय लिया गया था।

देश की विदेश नीति के वर्तमान परिदृश्य में और तत्कालीन विश्व के सभी देशों के साथ न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के लिए भी देश की विदेश नीति के उक्त लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से तत्कालीन यूएसएसआर के उत्तराधिकारी रूस के साथ पारंपरिक और अमोघ मित्रता की अनदेखी भी नहीं की।

वास्तव में एक उभरता हुआ भारत न केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी प्राचीन संस्कृति और शास्त्रीय नैतिक और आध्यात्मिक परंपरा के साथ-साथ तथाकथित समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में अपनी विशिष्ट रहा है। पहले की भू-राजनीति में हो रहे बदलाव के इस मौजूदा दौर में चीन और भारत जैसे पूर्व के कुछ प्रमुख सदस्य देशों के अलावा सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग आदि जैसे दक्षिण एशियाई देशों के कारण एशिया का महत्व बढ़ रहा है। इस प्रकार, यदि प्रधानमंत्री मोदी की यह दृष्टि अंततः मजबूत होती है, तो शायद सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक परिवर्तन, भारतीय राजनीति और उसके नेताओं, भारत के अभिजात्यों के साथ-साथ सेना, पुलिस और अर्ध सैन्य बलों के भीतर आत्म-आश्वासन का पुनर्स्थापन होगा।

कैसे परिभाषित होती है विदेश नीति – विदेश नीति एक ढाँचा है जिसके भीतर किसी देश की सरकार बाहरी दुनिया के साथ अपने संबंधों को अलग-अलग स्वरूपों यानी द्विपक्षीय क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रूप में संचालित करती है। वहीं कूटनीति किसी देश की विदेश नीति को प्राप्त करने की दृष्टि से विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने का एक कौशल है।

देश की विदेश नीति का विकास घरेलू राजनीति अन्य देशों की नीतियों या व्यवहार एवं विशिष्ट भू-राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होता है, परन्तु बाद में विशेषज्ञों ने यह माना कि विदेश नीति के निर्धारण में घरेलू कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

भारत की विदेश नीति : मुख्य उद्देश्य –किसी भी अन्य देश के समान ही

भारत की विदेश नीति का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना एवं भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित के अर्थ में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा-पार आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि शामिल है।

1. अपनी विकास गति को बढ़ाने के लिए भारत को पर्याप्त विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी। विभिन्न परियोजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया आदि को सफल बनाने के लिए भारत को विदेशी सहयोगियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वित्तीय सहायता और टेक्नोलॉजी की जरूरत है।

2. विश्व भर में भारत का डायस्पोरा भी काफी मजबूत है और तकरीबन विश्व के सभी देशों में फैला हुआ है। भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीय को संलग्न कर वहाँ उनकी उपस्थिति का अधिकतम लाभ उठाना है, इसी के साथ उनके हितों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक होता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि कुछ वर्षो में भारत की विदेश नीति के इस पहलू पर नीति निर्माताओं ने काफी अधिक ध्यान दिया है।

शोध प्रविधि - इस लेख में भारत की विदेश नीति के मुख्य पहलूओं और हाल के दिनों उसमें आये बदलावों पर चर्चा की गई। आवश्यकतानुसार यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए है।

बदलती भारतीय विदेश नीति:

1. भारत की वर्तमान विदेश नीति की सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें पूर्व की सभी नीतियों की अपेक्षा जोखिम लेने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है।
2. भारत अपने दशकों पुरानी सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए कुछ हद तक आक्रामक नीति की ओर अग्रसर हो रहा है।
3. डोकलाम में भारत की कार्यवाही और वर्ष 2016 में उरी आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय नीति के प्रमुख उदाहरण है।
4. कई जानकारों का मानना है कि भारत की वर्तमान विदेश नीति में विचारों और कार्यवाही की स्पष्टता दिखाई देती है।
5. बदलते वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी भी औपचारिक समूह पर निर्भरता को सीमित कर रहा है।

भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ:

1. भारत किसी विशेष देश के विरूद्ध किसी अन्य देश या देशों के समूह द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का समर्थन नहीं करता है जब तक कि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति के साथ न अधिरोपित किया जाए। ज्ञात है कि भारत ऐसे शांति सैन्य अभियानों में ही हिस्सा लेता है जिनमें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बल शामिल हो।
2. भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी करने में विश्वास नहीं रखता, परन्तु यदि कोई देश अनजाने में या जानबूझकर भारत के राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता है तो भारत बिना समय बर्बाद किये हस्तक्षेप करने में नहीं झूकता।
3. भारत आक्रमकता के स्थान पर निर्माणात्मकता पर जोर देता है। भारत का मानना है कि युद्ध समस्या का हल नहीं बल्कि एक नई समस्या की शुरूआत हो। परन्तु धैर्य की नीति को भारत की कमजोरी नहीं माना जा सकता।

भारतीय विदेश नीति का बदलता परिदृश्य - भारतीय विदेश नीति स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के आलोक में गत्यात्मक प्रवृत्तियों को धारणा करती रही है। 'गुटनिरपेक्षता' और 'पंचशील' के मूल सिद्धान्तों पर जिस ठोस-स्वतंत्र विदेश नीति की स्थापना की गई उसे केन्द्र में रखकर आवश्यक और अनिवार्य परिवर्तनों को भी इसमें पर्याप्त स्थान दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए वर्तमान एकध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे। गुटनिरपेक्षता का सिद्धान्त शीतयुद्धोत्तर विश्व में पुनपरिभाषित हो गया और भारतीय विदेश नीति में इस चुनौती के अनुकूल परिवर्तन करने के भी पर्याप्त प्रयास किये जाते रहे है।

भारतीय विदेश नीति की परिदृश्यों में सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन सन् 1962 में भारत-चीन युद्ध के उपरान्त देखा गया। यह परिवर्तन रक्षा कूटनीति के समावेश के रूप में किया गया। इसी क्रम में भारत ने अपनी सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए भी प्रयास किये। साठ के दशक के उत्तरार्द्ध में घरेलू अर्थव्यवस्था के पुननिर्माण के लिए विदेश नीति के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रयास किये गए।

वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन, शीतयुद्ध की समाप्ति तथा आर्थिक उदारीकरण के आरम्भ ने भारतीय विदेश नीति में साम्राज्यवादी विचारों से अलग हटने की प्रवृत्ति को सुदृढ़ता प्रदान की। भारत के वैश्विक संबंधों का विस्तार अब आर्थिक आधारों पर किया जाने लगा। विश्व स्तर पर इसी अवधि में नाफ्टा (NAFTA) तथा बिम्सटेक जैसे संगठनों की स्थापना हुई जिन्होंने भारत के आर्थिक संबंधों को दृढ़ आधार प्रदान किया। इसी क्रम में भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद के साथ संबंध स्थापित करने पर भी बल दिया। इसी चरण की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में आर्थिक, सामरिक तथा राजनीतिक संबंधों की सुदृढ़ता के लिए 'पूर्व की ओर देखो नीति' तथा 'पश्चिम की ओर देखो नीति' तथा 'पश्चिम की ओर देखो' नीति को भारतीय विदेश नीति में प्रमुख भूमिका प्रदान की गई। इनमें अनुपालन में क्रमशः 'दक्षिण पूर्व एशिया' तथा पश्चिम एशिया के देशों के साथ संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को शाश्वत पारस्परिकता का सिद्धांत रहा है। इसके अंतर्गत किसी भी सहयोग के अपेक्षा रखता था। भारतीय विदेश नीति में 'गुजराल सिद्धान्त' का समायोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसके अंतर्गत लाई गई 'सहयोगात्मक क्षेत्रवाद' की संकल्पना ने विदेश नीति को नवीन दिशा दी तथा बदला व्यवहार (गैर पारस्परिकता) के सिद्धान्त को लागू किया गया।

भारत की विदेश नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण की दिशा में प्रयत्न करना भी है। इनमें संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO), विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आदि प्रमुख है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी को साथ लेकर जी-4 नामक समूह का निर्माण कर अपनी ठोस दावेदारी के लिए प्रयत्नशील है। ऐसे प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में भारतीय विदेश नीति के क्षैतिज विस्तार को स्पष्ट देखा जा सकता है।

आधुनिक विश्व में ऊर्जा सुरक्षा सभी देशों की विदेशी नीति के प्रमुख

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

तत्वों में से एक बन चुकी है। भारत ने भी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में शेष विश्व के साथ उत्पन्न गतिरोध को तोड़ते हुए सन् 2005 में अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौता करके एक बड़ी उपलब्धि अर्जित की और भारतीय विदेश नीति को और अधिक बहिर्मुखी बनाने में मदद की।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक भारतीय विदेश नीति लगातार परिवर्तित हो रही आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाती हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत को एक सुदृढ़ स्थिति प्रदान करती आई है।

नवीन परिवर्तन-विदेश नीति में :

1) पड़ोसी प्रथम की नीति – शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सभी आठ पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करना।

- सार्क उपग्रह का लाभ नि:शुल्क उपलब्ध कराना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

2) प्रधानमंत्री स्तरीय शिखर वार्ता एवं दौरा

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अब तक विभिन्न देशों के दौरों से स्पष्ट है कि वह स्वयं व्यक्तिगत आधार पर वैदशिक संबंधों में रूचि ले रहे है ।
- चाहे वह शक्तिशाली राष्ट्रों के दौरे हो या पड़ोसियों के यहाँ, वह सभी देशों में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति के दौरान द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों को नई दिशा दे रहे है।

3) पाकिस्तान नीति एवं आतंकवाद के मुद्दे पर

- वर्तमान में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पार आतंकवाद एवं वार्ता दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते है।
- साथ ही वर्तमान सरकार ने पाकिस्तान से निपटने हेतु सख्त कूटनीति का अवलंबन किया है जिसके अंतर्गत गोली का जवाब गोली से सभी द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरना या सिंधु नदी जल समझौता अथवा उरी- पठानकोट हमलों का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक में देना आदि के रूप में देखा जा सकता है।

4) जलवायु परिवर्तन पर

- सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समक्ष स्वत: प्रतिबद्धता के आधार पर पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया है।
- साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन (ISA) के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों को एक साथ जोड़ना सरकार की महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कूटनीति के रूप में देखा जा सकता है।

5) निर्यात नियंत्रण समूहों में प्रवेश हेतु कूटनीति

- वर्तमान में सरकार परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) वासेनार एवं आस्ट्रेलिया समूह जैसे निर्यात नियंत्रण समूहों में प्रवेश हेतु युद्ध स्तर पर कूटनीति कर रही है।
- इसका परिणाम हुआ कि भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण समूह (MTCR) में प्रवेश मिल गया।

6) भारतीय डायस्पोरा

- प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान प्रवासी भारतीय समुदायों (डायस्पोरा) से सीधे संवाद स्थापित कर एक नई कूटनीतिक परंपरा की नींव डाली है।
- इसके माध्यम से जहाँ वह एक ओर उस देश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के योगदान का वर्णन करते है, वहीं दूसरी ओर उनसे भारत के विकास यथा - मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि में सक्रिय सहभागिता की इच्छा रखते है ।

7) विदेश नीति से संबंधित वर्तमान चुनौतियाँ – आज सरकार के सामने विदेश नीति के मोर्चे पर कई चुनौतियाँ है। विदेश निवेशकों को सही अर्थों में भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए ठोस एक्शन की जरूरत है जिसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम को और सक्षम बनाने की जरूरत है। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, पाकिस्तान के साथ आतंकवाद का मुद्दा रणनीतिक वैश्विक मंच पर जगह पाने के भारत के दावे का चीन द्वारा लगातार विरोध, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के हमारे प्रयासों को विफल करने का प्रयास भी चीन द्वारा किया जा रहा है। अफगानिस्तान मुद्दे पर चीन, रूस व पाकिस्तान की नजदीक आना भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया बदल रही है, विशेष रूप से वर्तमान परिदृश्य प्रमुख शक्तियों के बीच नए द्विपक्षीय समीकरण बन सकते है, जिनका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी संघर्षों के संबंध में भारत को प्रासंगिक बने रहने के लिए जोखिमों की थाह लेनी होगी और अपना रूख तय करना होगा।

निष्कर्ष – इस प्रकार भारत अपनी विदेश नीति में व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ-साथ यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए सभी परिस्थितियों में अपने राष्ट्रीय हितों को साकार करने और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर शक्ति की रणनीति का भी सहारा लेते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत खुद को दुनिया के सामने एक जैसे जिम्मेदार और अग्रणी शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है, जो संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। जाहिर तौर पर यह दिशा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की दिशा में अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खुद को परिभाषित करने का प्रयास है और किसी भी सम्मानित और अग्रणी वैश्विक शक्ति की तरफ उत्साह और आत्मविश्वास से भरे हुए संप्रभु राष्ट्रों में अपनी जगह बनाने की कोशिश भी है।

जाहिर है कि पिछले चार वर्षों के दौरान देश की विदेश नीति की इतने बड़े पैमाने पर मरम्मत पहले ही दुनिया भर में भारत के बढ़ते कद को लेकर वांछित परिणाम दिखा चुकी है। सही मायने में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि सभी तरह की कठिनाईयों और बाधाओं को उन दृढ़ प्रतिबद्धता और ईमानदार प्रयासों से दूर किया जा सकता है, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए दर्शा रहे है, इससे तो एक कहावत जरूर चरितार्थ होता है कि मानव प्रयास से परे कुछ भी नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वैदिक, वेदप्रताप (2017) 'मोदी की विदेश नीति', डायमंड पॉकेट बुक्स (प्रा.) लि. एक्स-30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-खख, नई दिल्ली, पृ.क्रं. 19-49
2. मिश्रा, राजेश (2019), 'भारतीय विदेश नीति', भूमंडलीकरण के दौर में, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लि. 752 हिमायतनगर, तेलंगाना, 114-118
3. खन्ना, वी.एन. एवं अरोड़ा लिपाक्षी (2018), 'भारत की विदेश नीति', विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि. 7361, रविन्दर मानसन, राम नगर, नई दिल्ली, पृ.क्रं. 308-311

4. भारद्धाज, रामदेव (2020), 'भारत की विदेश नीति', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाणगंगा, भोपाल, पृ.क्रं. 97-104
5. बघेल, वी.एस. (2021) 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति', कैटरपिल्लर पब्लिशर्स 1376, द्धितीय फ्लोर, कश्मीरी गेट, दिल्ली।
6. भारद्धाज, रामदेव (2020), 'भारत की विदेश नीति', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बाणगंगा भोपाल, पृ.क्रं. 213-215

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Negligence And Misinterpretation: How To Deal With It?

Manaswi Agrawal*

*Research Scholar, University of Technology, Jaipur (Raj.) INDIA

Abstract - The study reflects the analysis of the non-peculiar with the assumptions and the redress for actual and the intuitive as the nominal and compensatory and categorized under the fact of the general which is categorized under the factor of the sensation of the pecuniary. The factor of Negligence in Indian Law has been analyzed as well as Misinterpretation in Indian Law and negligence. The special factor analysis, of the general analysis of the no pecuniary abstraction of measure and related events. The establishment of the punitive measure, and the, and the factor of the exceptional cases. The general damages are based on the unwarranted and the breach of duty and the factors are held on the study of Negligence in Indian Law, Misinterpretation in Indian Law, and Negligent Misinterpretation in Indian Law.

Introduction - The study reset under the factions who analyzed the assault and the Negligent Misinterpretation of Indian Law with defamation. The idea reflects on the nuisance with the intentional infliction of the emotional and the disease. The factual action which is compared under the factors of Negligent Misinterpretation in Indian Law analyzed specks under the domains as specified. The idea which gets reflected in the negligence of the invasion of malpractices. The practices of Negligence in Indian Law related to negligence and the duty and the breach of the duty and causation and the damages reflect the struts liability[1]. The intentional from the point of view of the false imprisonment and the distress and the invasion of privacy with the inflammation. The product is based on the wrong under the product of the disagreement and the wrongful interference, and strict liability and the inherently dangerous activities and the products under liability practices[2]. The main description is the banner of the torts of negligence and the intention of the torts and the strict liability. The aspects of the torts and negligence, the text of deflation, and the factors related to the tort of nuisance.

Negligence in Indian Law: The idea that emerges from the day-to-day carelessness that results in incidental loss is known as negligence, the semantic factors related to negligence are failure of not take proper care. The idea redeems itself from the idea of the law of tort which exemplifies the Injunctive point of view, rather reveals the domain of Interlocutory or perpetual specifics. The idea here is the application of the judgment, and the judgment is based on the infinity period. The merits and claims play a huge role behind it as the idea slowly rolls down to the earlier stage and the proceedings after it when Interloculary is granted. The other part is the Prohibitory and mandatory aspects of negligence as discussed under the law of torts[3]. The mandatory aspects solely explain the decision-making process of doing or not doing something at all. This domain culture is the restorative measures like repairment of ding or not doing some act.

The elements of negligence reflect the actions and the domain based on it[4]. The domains are "*Duty of Care ''which* prevails on the action based on carefulness. This points to the features like *reasonable foreseeability*, *proximity*, *policy*, and 'Duty of care' *for professional statements*. Then the idea which is specifically dealt with is the "*Standard of care*" which points to the fact that the action was careful enough. The aspects which are inclusive in this domain are *standard reasonability of a person*, *product liability*, and *professional negligence*. The third attribute of the total analysis of the topic of negligence is "*causation of harm*" which reflects on the idea of only two niches: factual *causation* and *legal causation*. The last part of the tort analysis regarding negligence is "*defenses"* which analyze the fact of the responsibility from the victim's point of view and the intensity factor of the scenario. The idea which is established under the section is the *contributory negligence* and the *illegality factor*. The other aspect that covers the negligence metric is the *voluntary assumption regarding risk* factor analysis[5]. Negligence is categorized under two categories which are *Civil Negligence* and *Negligence as a Crime*, the attributes are discussed in detail. If a medical drug is launched on the market for consumption and prescribed by doctors which are not tested properly for humans can be annotated as

Illegal and comes under contributory negligence. Drivers who break the speed limit and then have to pay a fine are under the negligent category[6]. Idea of negligence is mainly punishable by fines and is committed by normal civilians. These examples are considered to be civil negligence whereas a person, drinking and driving comes under negligence as a crime[7]. The aspects which can be deduced as criminally negligent are doctors prescribing addictive drugs or the wrong drug which turns into a major problem for the patient. Then the cases where the patient is not taken care of properly or fed in time can be a case criminally negligent.

Misinterpretation in Indian Law: The idea which is established here refers to the semantic analysis of the innocent misstatement that is made without any kind of intention of deceiving the other party. This is established under section 18 of the Indian contract act of 1872[8]. The idea is not to deceive the other party, the fact that is believed under the presumption of the fact, the idea which is established based on facts is true. The suit of damages which is taken care of with extra notice is that the aggrieved party can never sue the former party for damages. The defense mechanism goes as follows: the former party challenges the other party to satiate the party with enough evidence for the facts.

There are three types of misinterpretation on which the categorical analysis of the crime and its domain is being classified. The domains are fraudulent Misinterpretation which comprises the characteristics of intentional misinterpretation. This aims at the concealment of deceiving the other party and falls under section 17 of the IndianCintact Act, 1872. The facts are to be believed based on the nota accepting the thrift value facts that are provided by the government. The aggrieved party is the analytical point of view related to the party for damages. The factors are established under the instinctive approach to finding the truth out of the falsehood with the help of general logic[9]. The factors which are analyzed as the attribute are the intention of deceiving then comes to the facts that are to be believed, then the suits that are responsible for damage, and lastly the defense in the court.

The idea which gets reflected here is analyzed under the act of the positive assertion as recommended under section 18, the Indian contract, 1872. The plan signifies the factors that are used in the claiming of the factors which are used to be practiced under the manipulation and the techniques. The party which misleads the other party interprets the misleading of the actual cases which are predominantly based on the incident and the subsequent process of induction.

The specifics in this domain of negligent misrepresentation are based on the informative measure that indulges. The factor is established for the identification of the contract as speculated by the Indian constitution[1010]Nagar, Madan Mohan, et al. "Medical negligence and Indian law-An overview." International Journal of Advanced & Integrated Medical Sciences 10 (2021).

. The innocent is the party as the objective and resolute factor which escalates the configuration of the case and which binds the victim. The idea simulates that formality and the aspects measured under the victim statement are analyzed under the common law. The fraud alibi is based on the syntactic procedures that rely upon the business which is being liquidated and the dissolution statement[11]. The establishment of the misinterpretation is based on the lawful execution of the facts which are resultant in the idea belonging to the attenuation of the factor relation falsehood analysis. The factual understanding of the liquidation claim is based on the defendant and the claim of the board.

Negligent Misinterpretation in Indian Law: The idea reflects on the misrepresentation of fickle and fraud which refers to the idea, rescission of the contract, and the damages. The negligent misrepresentation in the recession of the contract damages is predicted to the listed damages from the articulation[12]. The court decides whether that race is regarded as awarded as the factor in the law that is prejudiced related to the fact and the damages. The factor calculated under the available on the actuation of the damages and the losses. The award and the law of tort are established in the whole argument. The parties are intact and the representation of the law is based on a Negligent Misinterpretation of Indian Law. the analysis which is based on the specification. The standard that is based on the care under the reasonable person standard understands the reasonable under the personal point of view which ventures and the predictability of the situation and the professional negligence. The aspects related to the Negligent Misinterpretation in Indian Law are interpreted as factual causation and others as legal casualties. The aspects which are analytically are used under the specification of the defenses around contributory negligence and voluntary risk[13]. The caution which causes harm is categorized under factual causes and legal causes. The factors which are analyzed under the consideration of contributory negligence and the factors related to the risks and the illegality and the duty of care. The idea of tort which is explained under the law of torts factual cause and reason for the person under the factors 6is analyzed under the assault and the malpractice. The factors are based on defamation and the invasion of privacy and nuisance. The malpractices which are established under this consequence and the negligence related in the domain of Negligent Misinterpretation in Indian Law.

The Specifics are analyzed on the element with the criticality and the specifics are analyzed under the risk related to the Negligent Misinterpretation in Indian Law. the establishment which is fractured under the doctor who prescribed Negligent Misinterpretation of Indian Law[14]. The establishment that factors on the caretaker on the hotspot

based on the knowledge of the reagent is a Negligent Misinterpretation in Indian Law and categorized under the criminally and metaphorically understated as the patient to the knowledge. The extrajudicial activities are analyzed based on the factual understanding of the recommendations and the expulsion of the trespasser and the re-entry analyzed which are distressed and damaged pheasants. The distress management is based on the exponential underrating of the flow that relates to the reception of the goods. The type of torts is explained which are based on intentional torts and the negligence factor and strict liability[15]. The plan is based on the person's face and distress in the imprisonment. The idea reflects the duty of care that is analyzed under the carefulness of the factors and how much care has been taken. The factor is analyzed under this reasonability and the feasibility is factored under proximity and policy linked with the duty of care for professional statements.

Conclusion: The study concludes the factors related to defamation and negligence and defamation and strict liability. The factual measures are based on the law of conversion and assault. The injunction is based on the section which is prohibited under the measure which is related to the manner and the duty related to the law. The conclusive analysis is the factors which are factual understanding, of the temporal and the final goal. The interlocutory performance and the proceedings and the full hearing and the granted performance are based on the pity crime and the infinite period. The earlier stage of the proceedings is with loss of earnings and the medical perhaps and loss of materials. The mishappenings are based on the amenities which are analyzed to be a negligence crime. The heavy analysis of the introduction of the amount to a crime and intelligent based situation on the factor and the bad intention, and the factor and the attention of the factors are analyzed to be the examples that are included under the specifics which are analyzed under the law of situation on the prevalence of Negligent Misinterpretation in Indian Law.

References:-

1. Ahmed, Luay Shihab, Abdulghani Alsamarai, and Mohamed AlmoustafaAlsamarai. "Variation in Ultrasound and CT Scan Interpretation: A Case Report." INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 3.1 (2020): 97-113.
2. Algburi, Basim Yahya Jasim, and Zainab KadimIgaab. "Defamation in English and Arabic: a pragmatic contrastive study." International Linguistics Research 4.2 (2021): p31-p31.
3. Ali, Muhammad Mumtaz, and Khalil Ahmad. "Religious Issues and Islamic Thought in Contemporary World: A Few Reflections." *Al-Milal: Journal of Religion and Thought* 3.1 (2021).
4. Di Feo, Vanessa. "CM Callow v Zollinger, Reconceptualized through the Tort of Negligent Misrepresentation." Appeal: Rev. Current L. & L. Reform 27 (2022): 103.
5. Kumar, Binay, et al. "Misinterpretation of Section 304A IPC vis-a-vis 304IPC in Medical Negligence cases– Deliberate or Inadvertent?." Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 15.2 (2021): 3970-3977.
6. Liddell, Kathleen, et al. "Differentiating Negligent Standards of Care in Diagnosis." *Medical Law Review* 30.1 (2022): 33-59.
7. Meyer, Victor, DiórgenesFalcãoMamédio, and Milton Adrião. "The Fundão tailings dam catastrophe: How unsustainable practices and sloppy management led to the disaster." Universities and Sustainable Communities: Meeting the Goals of the Agenda 2030. Springer International Publishing, 2020.
8. Mohan, M. P. "Auditors' Negligence and Professional Misconduct in India: A Struggle for a Consistent Legal Standard." Colum. J. Asian L. 34 (2020): 93.
9. Nagar, Madan Mohan, et al. "Medical negligence and Indian law-An overview." International Journal of Advanced & Integrated Medical Sciences 10 (2021).
10. Okebie, Chinomnso, and Elina Konstantinidou. "Potentials and Effectiveness of the Tort of Deceit in Addressing Paternity Fraud Issues." (2021).
11. Patekar, Manoj B., Kailas U. Zine, and Ramesh N. Wasnik. "Profile of Cases of Alleged Medical Negligence at Tertiary Care Centre:-A Retrospective Study." Prof. RK Sharma 13.1 (2019): 89.
12. Pietrini Sanchez, Maria Jose. "A Case for the Asymmetric Enforceability of Surrogacy Contracts." Journal of Political Philosophy 28.4 (2020): 438-454.
13. Rashkin, Misha, et al. "How should we address the inevitable harms from non negligent variant reclassification in predictive genetic testing?." Journal of genetic counseling (2022).
14. Simpson, J. Keith, and Stanley Innes. "It's not my fault although it might be: chiropractic practice and vicarious liability." Chiropractic & Manual Therapies 29.1 (2021): 21.
15. Mishra, Amrita, and Amruta Das. "Manufacturers' and Endorsers' Liability:'Shifting the Onus' Approach." *Medico-legal Update* 20.1 (2020): 13.

Footnotes:-

1. Kumar, Binary, et al. "Misinterpretation of Section 304A IPC vies-a-vies 304IPC in Medical Negligence cases –Deliberate or Inadvertent?" Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 15.2 (2021): 3970-3977.
2. Ali, Muhammad Mumtaz, and Khalil Ahmad. "Religious Issues and Islamic Thought in Contemporary World: A Few Reflections." *Al-Milal: Journal of Religion and Thought* 3. 1 (2021).
3. Okebie, Chinomnso, and Elina Konstantinidou. "Potentials and Effectiveness of the Tort of Deceit in Addressing Paternity Fraud Issues." (2021).
4. Rashkin, Misha, et al. "How should we address the

inevitable harms from non negligent variant reclassification in predictive genetic testing?." Journal of genetic counseling (2022).

5. Meyer, Victor, DiórgenesFalcãoMamédio, and Milton Adrião. "The Fundão tailings dam catastrophe: How unsustainable practices and sloppy management led to the disaster." Universities and Sustainable Communities: Meeting the Goals of the Agenda 2030. Springer International Publishing, 2020.
6. Ahmed, Luay Shihab, Abdulghani Alsamarai, and Mohamed AlmoustafaAlsamarai. "Variation in Ultrasound and CT Scan Interpretation: A Case Report." INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 3.1 (2020): 97-113.
7. Di Feo, Vanessa. "CM Callow v Zollinger, Reconceptualized through the Tort of Negligent Misrepresentation." Appeal: Rev. Current L. & L. Reform 27 (2022): 103.
8. Patekar, Manoj B., Kailas U. Zine, and Ramesh N. Wasnik. "Profile of Cases of Alleged Medical Negligence at Tertiary Care Centre:-A Retrospective Study." Prof. RK Sharma 13.1 (2019): 89.
9. Nagar, Madan Mohan, et al. "Medical negligence and Indian law-An overview." International Journal of Advanced & Integrated Medical Sciences 10 (2021).
10. Nagar, Madan Mohan, et al. "Medical negligence and Indian law-An overview." International Journal of Advanced & Integrated Medical Sciences 10 (2021).
11. Rashkin, Misha, et al. "How should we address the inevitable harms from non negligent variant reclassification in predictive genetic testing?." Journal of genetic counseling (2022).
12. Liddell, Kathleen, et al. "Differentiating Negligent Standards of Care in Diagnosis." *Medical Law Review* 30.1 (2022): 33-59.
13. Simpson, J. Keith, and Stanley Innes. "It's not my fault although it might be: chiropractic practice and vicarious liability." Chiropractic & Manual Therapies 29.1 (2021): 21.
14. Patekar, Manoj B., Kailas U. Zine, and Ramesh N. Wasnik. "Profile of Cases of Alleged Medical Negligence at Tertiary Care Centre:-A Retrospective Study." *Prof. RK Sharma* 13.1 (2019): 89.
15. Mishra, Amrita, and Amruta Das. "Manufacturers ' and Endorsers' Liability:'Shifting the Onus' Approach." *Medico-legal Update* 20.1 (2020): 13.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Manual Scavenging: An Affront to Human Dignity Why the Legislation is Not Enough

Neha Goyal*

*Research Scholar, O.P. Jindal Global University, Sonipat (Haryana) INDIA

Abstract - Manual scavenging, a centuries-old practice where people manually clean human excreta from dry latrines and open sewers is highly prevalent in India due to caste discrimination, insufficient legislation, and millions of dry latrines. This paper argues for basic human rights of manual scavengers and highlights how caste and state apathy contribute to the problem. Despite outlawing untouchability in 1950, several states and municipalities in India continue to force Dalits to engage in manual scavenging. This paper discusses movements against manual scavenging in India and the legislative framework surrounding it. Suggesting possible reforms to eradicate the problem, the paper concludes that the stigma surrounding manual scavenging is not due to a lack of adequate tools, but rather the very act of disposing of human excreta which cannot be solved by a renaming of manual scavengers to sanitation workers.
Keywords- Human dignity, Right to dignity, Right to life, Debt Bondage, Manual Scavenging, Caste discrimination, Dry latrines.

Introduction - The right to life includes the right to live with human dignity and the same does not connote continued drudgery" -The Supreme Court noted in P. Rathinam v Union of India.[1] Article 21 of the Indian Constitution guarantees the right to life to all citizens of India. The right to life includes the right to live with human dignity and the same has been upheld in numerous judgments by the Supreme Court of India.[2]The right to dignity's precise meaning has remained unclear. "All human beings are bornfree and equal in dignity and rights," says Article 1 of the UDHR.[3] As a result, whether or not an activity is considered bad is crucial, but it is not the deciding element. At the very least, the South African Court in the case of De Reuck v. Directorof Public Prosecutions stated that both bodily and social suffering are essentially incompatible with human dignity.[4]

Manual scavenging is a centuries-old practice that is, unfortunately,continuing in today's time. Every day more than a million people in India manually scrape down human excreta from dry latrines and open sewers across the country and then carry it away on their heads. They work in choked-up gutters, deep manholes with no lights or ventilation, and sometimes wade in human filth up to their chest cleaning it with nothing but bamboo sticks, a tin plate, or a basket.[5] A lot of times they do not even have access to these tools and are forced to use their bare hands and feet. They are subjected to extreme health risks and violations of basic human rights.The ICERD [International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination] committee noted "very large numbers of Dalits are forced to work as manual scavengers and child workers and are subject to extremely unhealthy working conditions and exploitative labour arrangements, including debt bondage."[6] Manual scavenging referred by E.M. Forster as "a hideous nightmare"[7] has not yet been eradicated in India because of it being rooted in caste, the existing legislation not being enough and because the existence of millions of dry latrines across the country. This paper will illustrate how manual scavenging is an affront to human dignity and why it still thrives in the nation. It will also cover the possible solutions to eradicate the problem.

Caste And State Apathy: Manual scavenging is a curse that eats away at the innate values of a human being who has had the dreadful misfortune of being born into the Valmiki caste. Being born into this caste will ensure you become a manual scavenger who must clean human excreta of the upper castes.[8] These social determinants were introduced in the 18th century and have unfortunately not changed.[9] Manual scavengers and their families suffer an irrevocable stigma because they have to deal with human faeces, given that excrement is universally regarded as repulsive. Dalits are forbidden from entering religious grounds and have separate burial grounds away from the rest of the community.[10]

Further, society obstructs children of manual scavengers from attaining education, so that they do not'pollute' the upper caste kids. If the Dalits attempt to leave manual scavenging, they are faced with threats of alienation from the community and physical violence.

The Indian Constitution outlawed untouchability in 1950. Despite this, severalstates and municipalities continue to force Dalits to engage in manual scavenging. “These dry latrines have not only continued to exist till date in several States but have increased to 96 lakhs [from 72.05] and are still being cleaned manually by scavengers belonging to the [Dalit] Castes,” the Supreme Court noted on March 27, 2014, despite laws prohibiting the construction of dry latrines.[11] Many Hindu Dalits convert to Islam or Christianity to escape this abuse but that has little effect on their social standing.[12]

“Many scavengers develop asthma, skin infections, and tuberculosis on the job. Hundreds reportedly die from the work each year.” Moreover, the Tata Institute of Social Sciences (TISS) notes that due to health problems, 80 percent of manual scavengers die before the age of 60. It also noted that on an average 20 manual scavengers die *every month* from accidents, asphyxiation,and exposure to toxic gases.[13]

But why are the society and executing agencies apathetic and callous to the issue of manual scavenging? The correlation between manual scavenging and caste provides a plausible explanation for this. The inescapable nature of caste, combined with the predominance of upper caste people in the majority posts in the public sector, results in the entire system being infused with upper-caste upper-class consciousness and the voices and struggles of the lower castes remain majorly unheard.[14]

Consequently, the norms and regulations of the caste system, including but not limited to the division of labour do not appear to be an issue. Borrowing from this scenario, Smita Narula comments ”the rule of law lives in the shadow of the rule of caste.”[15]This is a plausible explanation for the juxtaposition of the constitutional and statutory norms and the opposite social reality.This also explains the low conviction rate and criminal case registration under the 1993 Act despite the huge number of offences.[16]

The system’s overall caste discrimination is a probable reason for the above.[17] A lot of times, if the culprits are from upper castes, the police will refuse to register and investigate that case.[18] In some instances, the police will close the case at the preliminary stage of investigation quoting technical grounds, if the witnesses are from the caste as the victim(lower castes).[19] Additionally, when manual scavengers try to leave this practice, they are faced with threats and coercion. There have been instances where people who left manual scavenging had to return to it because of pressure from the upper castes combined with the indifference of government entities.[20]

Another likely explanation is that manual scavenging occurs in various forms under the patronage of government entities like the Indian Railways and local urban bodies. For example, both rural and urban local governments hire manual scavengers through contractors to clean sewers, toilets, and open defecation areas.[21] Local governments also use coercion tactics such as withholding payments, threatening eviction from government housing, and cutting off the water supply to keep manual scavengers working their “jobs”.[22] Given that manual scavengers live in deplorable poverty and have no other means of employment, these tactics work on them.

The fact that public sector undertakings like the Indian railways use manual scavengers to clean their establishments depicts a frightening setup where the caretakers themselves are the biggest perpetrators. This explains why the law has largely failed, as one cannot expect the law to work when the government itself iscomplicit in the abuse of rights of manual scavengers.[23]

Manual scavenging has been unequivocally almost always denied by state governments and various other public sector undertakings that have been accused of employing them. For instance, the principal secretaries of seven states submitted affidavits before the supreme court of India that manual scavenging did not exist in their states. However, unsurprisingly, these affidavits were found to be false when the petitioner of the SafaiKaramchariAndolan case submitted photographic and video evidence of the same states hiring manual scavengers.[24] Indian railways has most perhaps been the biggest employer of manual scavenging and has yet simultaneously disregarded the fact that it employs manual scavengers. This denial and indifference was carried on when the Indian railways stated that according to the 1993 act, as long as workers were not carrying human excreta on their heads, no action was needed. According to the Indian railways then, manual scavenging was only prohibitable if the scavengers were carrying filth on their heads, all other forms of contact with human filth were not even recognized as manual scavenging. This cruel affront to human rights and dignity is incomprehensible but is unfortunately still not eradicated.[25]

Another major issue is that whenever the government does acknowledge the fact that manual scavenging exists in their jurisdiction, there is a vast disparity in the numbers submitted by the government reports and the figures published in independent surveys.[26] This can be because of two reasons, either the government has poor resources, or the government is advertently trivializing the facts. Either way, the government does not care enough to eradicate manual scavenging.

Movements Against Manual Scavenging: The ignorance, apathy, and insensitivity of the executive bodies led to the rise of movements against manual scavenging. One of the first roadblocks to get across was the acceptance by the manual scavenging community of their oppressed status, according to Bezwada Wilson, the National Convener of the SafaiKaramachariAndolan. Initially, the movement was aimed only at trying to establish among the manual scavengers that they were, in fact, no less human than the others they were working for and deserved all the rights

and liberties enjoyed by the others.[27] This could be seen as a revival of a slogan Dr. B.R. Ambedkar raised many decades ago, Bhangi Jharoo Choro (Bhangi, Leave the Broom).[28]

The manual scavenging community has been used to mothers-in-law's bequeathing baskets and brooms to their daughters-in-law after marriage as part of their wedding rites.[29] Therefore, tosymbolize their collective freedom from the societal evil of manual scavenging, many scavengers, especially women, publicly burnt their brooms and baskets in several places. As a result, the Movement changed the conversation from seeing manual scavenging as an "occupation" to portraying it as an action that violates the dignity and many other human benefits rights provided by the Indian Constitution. Some analysts have argued that the Supreme Court of India could play a more positive role because of its active engagement and the Movement's use of its orders.[30]

Due to the case, state governments and different ministries of the Union Government were forced to submit affidavits of the status and prevalence of manual scavenging within their jurisdiction. This in turn pointed out how the various government departments and agencies had been in denial about the practice and provided a platform to expose the disregard. When various government departments and agencies filed affidavits denying the issue of manual scavenging, the Movement refuted them by providing evidence, put forth by Ms.Shomona Khanna, one of the lawyers who represented the Safai Karamchari Andolan before the Supreme Court of India, through a "ground-truthing exercise,".[31]

The fight to destroy dry latrines extended even to local level judges, wherein in 2004, in Andhra Pradesh, volunteers were prohibited from destroying a dry latrine present on court premises by a junior civil judge on the grounds that it was government property.[32]

The institutional apathy and insensitivity may have effectively hidden the oppression, exploitation, and violence making them appear natural and usual. The oppressed classes had even psychologically accepted their so-called lower status as a result of the normalizing process. An examination of manual scavenging from a legal standpoint reveals an intricate relationship between law and caste. The impact of caste on the creation, implementation and enforcement of laws is a key component of this connection. Caste, as a fundamental social organisation in India, has the power to determine the normative content of law and to influence its execution and enforcement.[33]

Why The Legislation Is Not Enough: A committee noted "Existing laws have not proved adequate in eliminating the twin evils of insanitary latrines and manual scavenging from the country. These evils are inconsistent with the right to live with dignity which is an essence of the Fundamental Rights guaranteed in Part III of the Constitution".[34]

The government in 1993 attempted to eradicate the practice, by setting laws and statutes in place to make the recruitment of manual scavengers and construction of dry latrines, illegal. The implementation was not as effective as one would have thought it to be, since it required action by the state governments instead of being binding on all states directly, to be functional at the ground level. Further, the language used was much more persuasive than it was authoritative. For example, the Act declared that States "may" prohibit manual Scavenging and may "develop schemes to eradicate dry latrines", rather than stating it necessary for these provisions to be implemented. The minimal penalties of one-year prison terms and meagre fines for such employment prescribed within the act are also symbolic of the subtle nod toward the continuation of the practice. While a provision for two-year imprisonment was allowed under Section 2 of the act, there had been no such arrest made within the past 20 years since the law's enactment.[35]The framing of the act has also discouraged the prosecution of such illegal employers, by making the provisions and clauses ambiguous by nature and including broadly interpretable exceptions. For instance, a defendant can claim that he did not have knowledge of manual scavengers being hired in his company and escape prosecution. This encourages plausible deniability and discourages prosecution.[36]

While the 1993 Act defined manual scavengers as people "engaged in or employed for manually carrying human excreta."[37] the 2013 act has narrowed down the scope to which such a definition can be interpreted by making it applicable only to workers who clean and dispose of human excrement without protective gear and has also lowered the protection for such victims. Further, the 2013 Act has even included an exception for railway car latrines to not be considered an act of manual scavenging,[38] completely disregarding the fact that the railway corporation is the biggest employer of such manual scavengers.[39]It is not the lack of the adequate tools that creates the stigma around manual scavenging, but rather the actual cleaning of and dealing with human excreta.[40] This depicts how the Act shields employers of manual scavenging from prosecution.

Moreover, the Act while prohibiting the use of insanitary latrines and manual scavenging, fails to adequately put forth the mechanism for accountability of such criminals. Under sections 8 and 9 of the act, it can be established that such perpetrators will be liable for prison time for up to five years and also fines[41], but these have not translated into any real punishment, despite knowledge of such manual scavenging. The statute of limitations now enacted in the 2013 Act, only allowing complaints to be filed within three months of such an offence is one of the reasons for there being no prosecutions. Possibly, despite there being public and known information about the practice, the meagre duration of three months granted in which to file the complaint acts as a hinder to further prosecutions.

Despite many of the inherent problems with the 1993 Act, the fact that it prioritized sanitation over the human life and dignity of the manual scavengers was one of the most problematic ones. For the existence of water seal latrines, its invariable precursor would be to destroy dry latrines. The 1993 Act has been criticised for failing to address the issue of human dignity, addressed in the Act's preamble. To further the issue, individuals are not permitted to register complaints under the 1993 Act. Legal actions can only be initiated by specially designated authorities.[42] Resultantly, the 1993 Act has been able to bring few criminal cases against perpetrators.

Individuals who have worked as manual scavengers are eligible for one-time cash aid, scholarships for their children, housing, alternative livelihood support, and other legal and programmatic help under the 2013 Act. The 2013 Act has left the implementation of rehabilitation, however, with the local authorities on the programme as spelled by the Union and State Government. The building or maintenance of unsanitary toilets, as well as the engagement or employment of anyone as a manual scavenger, are both prohibited under this the 2013 Act as well. Further, it has broadened the scope of the term "manual scavenger" to than just manual scavenging in the context of dry latrines, but also to include other sorts of scavenging, such as sewer and septic tank cleaning.[43]

As Shomona Khanna noted, the 2013 Act has watered down "the unambiguous illegality of the practice of manual scavenging" with "exemptions, exceptions and provisos".[44] However, because the 2013 Act allows, but does not mandate, states to appoint inspectors to investigate manual scavenging and its extent, related information is relatively limited. Due to a lack of authoritative language in both the 1993 and 2013 Act, there have been no repercussions set in place in the case states fail to collect data on manual scavenging. As a result, many states have failed to report multiple cases of manual scavenging. According to theNational Commission for women, as of March 2015, 17 states have failed to submit survey reports identifying women scavengers.'[45]

With such inadequate measures taken to measure the seriousness of the situation, the plight of these scavengers worsens, while further protecting their employers from repercussions. The community and male members of her family do not condone females who try to abandon manual scavenging, and compel them to take part in the activity, in order to keep some form of income coming into the family. Many times, this also takes place with the knowledge of local law enforcement, and they are complacent in it.[46]Despite the knowledge of such pervasive coercion by their communities and societies, there have been no provisions made for such scavengers who have been coerced back into the practice by their communities, with the only other option being expulsion from the community.

If Dalits are being threatened by their communities, the laws in effect provide no protection or legal recourse. Providing alternate, more dignified types of employment for these women is one approach that would possibly satisfy this duty. Another way is to provide police protection from these local "employers" for scavengers. While setting standards to ensure complete protection of these Dalit rights is important, the role of the government does not end there. [47]

The Act enacted in 2013 requires to be amended to provide them with a mechanism to address their issues and complaints when discriminated against at medical establishments. Instead, the older Act, enacted in 1993 discussed potential administrative schemes for both upgrading dry latrines to water-seal latrines and levying fees; but they had not been made a requirement. Neither have the two acts made special provisions or insinuate for educational remedies to counter the stigma that makes manual scavenging thrive to this day.[48]

Conclusion: The scavenger's human dignity cannot be restored by equipping them with better tools and trying to convert them into "sanitation workers". The manual scavengers routinely carry human excreta on top of their head in buckets and baskets.[49] The stigma around them is related to the physical work that goes into cleaning human excreta and by extension, their caste but not to the tools used by them.[50] Moreover, rebranding the occupation does not do anything and fails to mention the fact that many municipalities hire Dalits specifically for manual scavenging.[51]

Mostly, scavengers receive little to no income from their job, while being exposed to a high risk of health problems yet being unable to avail adequate health care due to their financial situation. Those that somehow manage to avail healthcare are then faced with another challenge, to work around. The UNICEF and Indian Institute of Dalit Studies have concurred while noting that "Discrimination in access and utilization of health at the health center may be [and is often] practiced during diagnosis, dispensing of the medicine, laboratory tests; while waiting in the health center, and in paying the userfee."[52] As long as Dalits participate in these historically classified low-caste jobs, they will face this discrimination. The destruction of dry latrines and conversion to flush-based systems are requisite and indispensable measures required to be taken to remove the necessity for municipalities to hire manual scavengers.[53]

References:-

1. B.N. Srivastava, Manual Scavenging in India: A Disgrace to the Country 13 (Concept Publishing Co., 1997).
2. Bezwada Wilson, 'Why is it so Difficult to Free India of Manual Scavenging?' (Kafila, 22 December 2010).
3. Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding Observation India, 23 (2007).
4. De Reuck v Director of Public Prosecutions (Witwatersrand Local Division) and Others 2003 (1) SA (CC).

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

5. DNA, National Commission For Women Raps State For Pending Manual Scavenging Reports (Mar. 10, 2015).
6. E.M. FORSTER, Preface to MULK RAJ ANAND, UNTOUCHABLE vi (1935).
7. Francis Coralie v Delhi, AIR 1981 SC 746.
8. Get Serious, The Hindu (Sept. 13, 2013).
9. Gita Ramaswamy, India Stinking: Manual Scavengers in Andhra Pradesh and their Work (Navayana Publishers 2005).
10. Grima Bhasin, 'Burning the Basket of Indignity' Uday India (16 February 2013).
11. Harsh Mander, 'Barefoot: Burning Baskets of Shame' The Hindu (Place, 8 May 2010).
12. Human Rights Watch, India: Caste Forced To Clean Human Waste (Aug. 25, 2014).
13. International Dalit Solidarity Network, Manual Scavenging.
14. Jan Sahas Social Development Society, Socio Economic Status Of Women Manual Scavengers (2014).
15. Jenny Schauman, 'From Slavery to Dignity: How Critical Thinking and Empowerment Among Dalit Women Working with Manual Scavenging is Implemented' (Bachelor dissertation, Sodertorn University 2012).
16. Mallika Kapur, Desperate, Disgusted but Proud: India's Human Waste Removers, CNN (Oct. 2, 2014).
17. Manual Scavengers: Indian Railways in Denial, Infochange News (Feb.25, 2013).
18. P. Rathinam v Union of India, AIR 1994 SC 1844.
19. Personal interview with Bezwada Wilson, National Convener, SafaiKaramchariAndolan (Delhi, 26 March 2015).
20. Rajeev Kumar Singh and Ziyauddin, 'Manual Scavenging as Social Exclusion: A Case Study' (2009) 44 (26&27) Economic and Political Weekly.
21. Ramaiah, 'Growing Crimes Against Dalits in India Despite Special Laws: Relevance of Ambedkar's Demand for Special Settlement' (2011) 3(9) Journal of Law and Conflict Resolution.
22. Romila Thapar, Early India: From The Origins To A.D. 1300 63 (2003).
23. Sachin Kumar Jain, India: The Curse of Manual Scavenging, Women's Feature Service (Jan.31, 2005).
24. SafaiKaramchariAndolan v. Union of India, (2014) (4) SCALE 165 (India).
25. Samuel D. Permutt, 'The Manual Scavenging Problem: A Case for the Supreme Court of India' (2011) 20 Cardozo Journal of International and Comparative Journal.
26. Sanghmitra S. Acharya, Access to Health Care and Patterns of Discrimination: A Study of Dalit Children in Selected Villages of Gujarat and Rajasthan, Indian Institute Of Dalit Studies &Unicef (2010).
27. Shomona Khanna, 'Invisible Inequalities: An Analysis of the SafaiKarmachariAndolan Case' in Cullet, Koonan and Bhullar (eds).
28. Smita Narula, 'Equal by Law, Unequal by Caste: The "Untouchable" Condition in Critical Race Perspective' (2008) 26(2) Wisconsin International Law Journal.
29. Standing Committee on Social Justice and Empowerment – the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Bill, 2012 (Thirty Second Report, March 2013).
30. SthabirKhora, 'Final Reports under Sec-498A and the SC/ST Atrocities Act' (2014) 49(41) Economic and Political Weekly.
31. Sujith Koonan (2021): Manual scavenging in India: state apathy, non-implementation of laws and resistance by the community,13 Indian Law Review, DOI:10.1080/24730580.2021.1905340.
32. The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993,
33. The Prohibition Of Employment As Manual Scavengers And Their Rehabilitation Act, 2013.
34. Universal Declaration of Human Rights.
35. Varun K. Aery, "Born into Bondage: Enforcing Human Rights of India's Manual Scavengers," Indonesian Journal of International & Comparative Law 2, no. 4 (October 2015).
36. Vijay Prashad, Untouchable Freedom: A Social History of a Dalit Community (Oxford University Press 2000).

Footnotes:-

1. AIR 1994 SC 1844
2. See Francis Coralie v Delhi, AIR 1981 SC 746; P Rathinam V UOI, AIR 1994 SC 1844.
3. Universal Declaration of Human Rights, art. 1.
4. De Reuck v Director of Public Prosecutions (Witwatersrand Local Division) and Others 2003 (1) SA (CC) at 19 (S. Afr.).
5. Sachin Kumar Jain, India: The Curse of Manual Scavenging, WOMEN'S FEATURE SERVICE (Jan. 31, 2005), available at http://archive.deccanherald.com/Deccanherald/feb1120()5/she4.asp.
6. Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding Observation India, 23 (2007).
7. E.M. FORSTER, *Preface* to Mulk Raj Anand, Untouchable vi (1935).
8. Jan Sahas Social Development Society, Socio Economic Status Of Women Manual Scavengers (2014), http://www.un.org.in/img/uploads/Socio Economic_ Status of Women Manual Scavengers Report.pdf.
9. Romila Thapar, Early India: From The Origins To A.D. 1300 63 (2003).
10. Human Rights Watch, India: Caste Forced To Clean Human Waste (Aug. 25, 2014), https://www.hrw.org/report/2014/08/25/cleaning-human-waste/manual-scavenging-caste-and-discrimination-india.

11. SafaiKaramchariAndolan v. Union of India, (2014) (4) SCALE 165 (India).
12. B.N. Srivastava, Manual Scavenging In India: A Disgrace To The Country 13 (Concept Publishing Co., 1997).
13. Mallika Kapur, *Desperate, Disgusted but Proud: India's Human Waste Removers,* CNN (Oct. 2, 2014), http://www.cnn.com/2014/10/02/world/asia/india-waste-scavengers/.
14. A. Ramaiah, 'Growing Crimes Against Dalits in India Despite Special Laws: Relevance of Ambedkar's Demand for Special Settlement' (2011) 3(9) Journal of Law and Conflict Resolution 151.
15. Smita Narula, 'Equal by Law, Unequal by Caste: The "Untouchable" Condition in Critical Race Perspective' (2008) 26(2) Wisconsin International Law Journal 255, 267.
16. Harsh Mander, 'Barefoot: Burning Baskets of Shame' *The Hindu* (Place, 8 May 2010) https://www. thehindu.com/opinion/columns/Harsh_Mander/Barefoot-Burning-baskets-of-shame/article16123459.ece
17. See Samuel D. Permutt, 'The Manual Scavenging Problem: A Case for the Supreme Court of India' (2011) 20 Cardozo Journal of International and Comparative Journal 277, 293; Jenny Schauman, 'From Slavery to Dignity: How Critical Thinking and Empowerment Among Dalit Women Working with Manual Scavenging is Implemented' (Bachelor dissertation, So dertorn University 2012).
18. Human Rights Watch (n 10) 47; Ramaiah (n 14) 153.
19. SthabirKhora, 'Final Reports under Sec-498A and the SC/ST Atrocities Act' (2014) 49(41) Economic and Political Weekly 17.
20. Rajeev Kumar Singh and Ziyauddin, 'Manual Scavenging as Social Exclusion: A Case Study' (2009) 44(26&27) Economic and Political Weekly 521, 523.
21. See Human Rights Watch (n 10) 52.
22. Human rights watch (n 10) 53.
23. Sujith Koonan (2021): Manual scavenging in India: state apathy, non-implementation of laws and resistance by the community,13 Indian Law Review, DOI: 10.1080/24730580.2021.1905340.
24. Bezwada Wilson, 'Why is it so Difficult to Free India of Manual Scavenging?' (*Kafila*, 22 December 2010) <https://kafila.online/2010/12/22/why-is-it-so-difficult-to-free-india-of-manual-scavenging
25. *Supra* note 23.
26. Human Rights Watch, (n 10) 13; Gita Ramaswamy, *India Stinking: Manual Scavengers in Andhra Pradesh and their Work* (Navayana Publishers 2005) 52.
27. *Supra* note 23, at 14.
28. Vijay Prashad, *Untouchable Freedom: A Social History of a Dalit Community* (Oxford University Press 2000) 168.
29. Grima Bhasin, 'Burning the Basket of Indignity' *Uday India* (16 February 2013) <https://udayindia.in/burning-the-basket-of-indignity/
30. Samuel D. Permutt, 'The Manual Scavenging Problem: A Case for the Supreme Court of India' (2011) 20 Cardozo Journal of International and Comparative Journal 284.
31. Shomona Khanna, 'Invisible Inequalities: An Analysis of the SafaiKarmachariAndolan Case' in Cullet, Koonan and Bhullar (eds) 322.
32. Personal interview with Bezwada Wilson, National Convener, SafaiKaramchariAndolan (Delhi, 26 March 2015).
33. *Supra* note 23, at 13.
34. Standing Committee on Social Justice and Empowerment – the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Bill, 2012 (Thirty Second Report, March 2013) <https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Standing%20Committee%20Report_7.pdf>
35. The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993,
36. *Get Serious,* The Hindu (Sept. 13, 2013), http://www.thehindu.com/opinion/editorial/get-serious/article5120916.ece.
37. *Supra* note 34.
38. The Prohibition Of Employment As Manual Scavengers And Their Rehabilitation Act, 2013.
39. *Manual Scavengers:Indian Railways in Denial,* Infochange News (Feb.25, 2013) http://southasia.oneworld.net/features/manual-scavengers-indian-railways-in-denial#.VbVrQPlVikp.
40. International Dalit Solidarity Network, Manual Scavenging, http://idsn.org/ key-issues/manual-scavenging.
41. *Supra* note 37.
42. *Supra* note 34.
43. Su*pra* note 37.
44. Shomona Khanna, 'Invisible Inequalities: An Analysis of the SafaiKarmachariAndolan Case' in Cullet, Koonan and Bhullar (eds), (n 29) 299, 313.
45. DNA, National Commission For Women Raps State For Pending Manual Scavenging Reports (Mar. 10, 2015) http://www.dnaindia.com/india/report- national-commission-for-women-raps-states-for-pending-manual-scavenging- reports-2067670.
46. HUMAN RIGHTS WATCH, *supra* note 10.
47. Varun K. Aery, "Born into Bondage: Enforcing Human Rights of India's Manual Scavengers," Indonesian Journal of International & Comparative Law 2, no. 4 (October 2015): 719-742
48. *Supra* note 34.
49. Samuel D. Permutt, *The Manual Scavenging Problem: A Case for the Supreme Court of India,* 20 Cardozo Int'l & Comp. L. 277 (2012).
50. International Dalit Solidarity Network, Manual

Scavenging, http://idsn.org/ key-issues/manual-scavenging.

51. Humanrightswatch, *supra* note 10.
52. Sanghmitra S. Acharya, Access To Health Care And Patterns Of Discrimination: A Study Of Dalit Children In Selected Villages Of Gujarat And Rajasthan, Indian Institute Of Dalit Studies & Unicef (2010), *available at* http://idsn.org/fileadmin/user folder/pdf/New files/India/ IIDS - Access to HealthCare and_ Patterns of Discrimination.pdf.
53. Varun K. Aery, “Born into Bondage: Enforcing Human Rights of India’s Manual Scavengers,” Indonesian Journal of International & Comparative Law 2, no. 4 (October 2015): 719-742

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Computer Literacy Among the Medical College Library Professionals: Indore City

Mayur Mehta* Dr. Pratibha Bhandari**

*Research Scholar, Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Research Guide, Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Now a day's medical fields is well developed & high profile so the study of medical field librarians education and awareness about computer, computer hardware, software, MS-Office, Internet, Library software and new trends in computer etc. The dissertation focuses on computer literacy among the medical college library professionals in Indore city. The development and cultivation of computer literacy, and confirm a causality model for computer literacy. The survey of research was performed on 13 Govt. and Private Colleges, to understand the present computer literacy of the medical college library professionals. To analysis the factors that influence the computer literacy of the medical college library professionals.

The purpose of this study was found out the computer literacy in medical college library professionals in different levels of computer literacy. In order to solve some of the problems encountered previously.

It is sad that computer il-literacy is the curse to our society the computer literacy is the requirement of the community to development. Computer literacy is the knowledge and ability to use computer and technology efficiently.

Computer literacy can also refer to the comfort level someone has with using computer programs and other applications that are associated with computers. Another valuable component of computer literacy knows how computers work and operate. In common discourse, however, "computer literate" often connotes little more than the ability to use several very specific applications

The ever-growing processing power of modern computers is used to present the user with an interface that requires minimal computer skills to operate. Modern software often utilizes buttons, icons and elaborate pictographic interfaces to try to achieve a high level of usability. Most of the time people use computers; they do not realize that they are doing so. (Ex. ATMs, car navigation systems, mobile phones, microwave etc…)

One of the major goals in computer engineering is the construction of a natural language interface, possibly with speech recognition, body language recognition and automatic visualization. This would eliminate the need for computer literacy in everyday work and life in areas where such machines are available.

Keywords: Computer, Computer Literacy, Medical, Library Professionals, College Library, Library.

Introduction - Today, computers are no longer specialized tools used only by scientists or engineers. They do not hum behind sealed, glass walls in climate-controlled environments. Computer systems are everywhere—in places you cannot see or would not expect to find them. They are a fact of life, a common thread that ties together our education, work, and home life.

With computers touching nearly every facet of our lives, the issue of computer literacy becomes important. But what is computer literacy, and why is it so crucial? Why should you spend your time and energy studying books like this one, and becoming "computer literate"?

Technically, to be "Literate" in a subject means to have knowledge of that subject. You understand its basic terms and concepts. As an example, consider driving a car. If you have a driver's license, then you are literate in driving-related terms and you understand the rules of the road. You were not born with such knowledge or abilities, but it may be hard to imagine living without them today.

Someday, perhaps sooner than you think, you may not be able to imagine living without computer skills. Consider the fact that computers are an essential part of business today, whether you are an auto mechanic or a surgeon, a journalist or an airline pilot. Like the cars that take us to work each day, we rely on computers more with each passing year. If you do not use a computer regularly, chances are great that you will soon.

Although there are still many professions that do not rely on computers, they are becoming fewer all the time. Remember that computers do not necessarily take the form of a PC, so there is a good chance that your career path will bring you in contact with some type of computer. Many

of the tools in today's workplace use computer technology. So it is important to have a basic understanding of computer technology. Regardless of your career choice, you can benefit from knowledge of computer hardware and software, and how these components function together. Even if your job does not require you to work directly with a computer, this knowledge may help you to envision new ways of using computers in your work, resulting in a more productive work environment. This can also lead to career advancement opportunities. If you think this case is being overstated, and that computers are not being used that much, consider this: computers are popping up in places and professions that may seem unlikely.

Computer literacy is the knowledge and ability to use computers and technology efficiently. Computer literacy can also refer to the comfort level someone has with using computer programs and other applications that are associated with computers. Another valuable component of computer literacy knows how computers work and operate. As of 2005, having basic computer skills is a significant asset in the developed countries.

The precise definition of "computer literacy" can vary from group to group. Generally, literate (in the realm of books) connotes one who can read any arbitrary book in their native language[s], looking up new words as they are exposed to them. Likewise, an experienced computer professional may consider the ability to self-teach (i.e. to learn arbitrary new programs or tasks as they are encountered) to be central to computer literacy. In common discourse, however, "computer literate" often connotes little more than the ability to use several very specific applications (usually Microsoft Word, Microsoft Internet Explorer, and Microsoft Outlook) for certain very well-defined simple tasks, largely by rote. (This is analogous to a child claiming that they "can read" because they have rote-memorized several small children's books. Real problems can arise when such a "computer literate" person encounters a new program for the first time, and large degrees of "hand-holding" will likely be required.) Being "literate" and "functional" is generally taken to mean the same thing.

Objectives of study: The prime objective of the study is to understand the medical college library professionals' computer literacy and the use of computer applications in medical college library professionals in Indore city.

The following objectives of the present study-

1. To find out computer literacy among the medical college library professionals in Indore city.
2. To identify the medical college libraries providing computerized services for users.
3. Medical college libraries professionals' knowledge of computer in library operations.
4. To find out awareness in computer applications and libraries, such as Digital libraries.
5. To study the strength of the librarians in the special subject.

Scope and Limitation of study: This study was conducted among medical college library professionals in senior college library in Indore city.

Selected for study the cover computer literacy and the awareness about library professionals in medical colleges in Indore city.

Hypothesis: My Hypothesis about this work is as follows:-

1. To know the completely information about medical college librarians awareness of computer literacy.
2. To find out the incensement of new techniques in medical fields.
3. My study may be very helpful and useful for other researchers of Library and Information science students.
4. To know the use of computers in medical college librarians point of view.
5. To know about Medical college libraries professionals knowledge of computer in library operations.

Methodology: Methodology is research in a way to solve the problem and to unfold the problem answer and to test the Hypothesis stated Research Methodology of this study is Questionnaire based survey.

Data collection method: The data was collected with the help of primary data are those which are collected a fresh and the first time thus happens to be original in character. In this study the Primary data has been collected through Questionnaire consisting of a number or questions in a definite order.

In the study the secondary data will be collected though books, journals literature and internet.

Conclusion: To meet the challenges of the 21st century, librarians need to acquire more professional skills and new competencies. They have to acquire more skills and apply them in different situations. They also need to prepare themselves with perfection to face the complex challenges of the future problems dealing with rapid and substantive changes. Librarians are managing diversified users and need special skills coupled with Information Technology Application.

Majority of the librarians of senior Medical Colleges have a sound knowledge of computer and can be considered as computer literate.

Majority of the Medical college libraries are yet to provide computerized library services, despite the library professionals having knowledge of computers. This is a contradictory picture, where the library professional are computer literate and are not providing computerized services.

The Medical college library Professionals should have sound knowledge on different areas of computers vise; network, e-resources, digital library, e-mail etc.

Suggestions:

1. Computer Literacy is the main reason behind the development of the country, so more steps should be taken for the development.
2. Computers provide Internet facility it is a most usable

facility in this age.

3. Computer, Internet, Networking are all important in today world.
4. Every Medical college librarian should have been computer literate and should update his/her skills from time to time with new trends in computer technology.
5. Computer and their application in Libraries should be made work easier in all fields of Library.
6. Every Medical science Librarian must keep in touch with Computer because with the help of this they can grow & develop in their respective field.
7. In the Libraries for latest information and online Journals Librarian must be sound knowledge of Computer.
8. There should be some proper training programs for Library personal to use computer.
9. Local Library association & University should work together for the same.
10. Every library professionals should be computer literate and should update his/her skills from time to time with new trends.
11. University Library should organize Summer/Short Terms courses and seminars for librarians in training in library software.
12. Computer and their application in libraries should be essential components of MLISC Courses.

References:-

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Computerliteracy
2. http://en.wikipedia.org/wiki/MedicalLibrary
3. http://www.businessdictionary.com/Computerliteracy.html
4. http://www.ers.sd83.bc.ca/assigns/it10Bfundamentals/Computerliteracy.html
5. http://www2.hawaii.edu/~amberc/649.htm#Articles

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Assessment of Job Satisfaction in Library Professionals of Private Engineering Colleges of Indore City

Neha Verma* Dr. Bindu Lodha**

*Research Scholar, Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Research Guide, Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Job is an important part of our life. Due to the competitive nature of the job environment most of the people in the world are spending their time for Job purposes resulting ignore the stress or those are influencing their work and life. Librarianship is the great job. A librarian has more knowledgeable than others. He or she providing information on entire subjects related with their institute. Work satisfaction is related with proper working conditions.

Job satisfaction in librarians manifests as many meta dimension, combining dimensions for the prevention of dissatisfaction and enforcement of motivation in working environment, pay, Cooperation of peers, delegation of authority, opportunity for advancement, level of stress, fairness of rewards, and job security etc. The satisfaction toward job in library professionals is psychological concepts such as learning; personals behaviour; their differences and motivation. This study is trying to the work satisfaction in Librarians of private Engineering collages of Indore city.

Key words: Job , Job satisfaction, Information, Library, Professionals, Satisfaction.

Introduction - Job Satisfaction of the librarians, who have an important place in the Information society, will affect the quality of the service they render. Job Satisfaction can be defined as the degree to which librarians are content with the job that they perform. Job satisfaction refers to the general attitude of Librarians toward their jobs. Job satisfaction probably is the most widely studies variable in Organizational Behavior when the attitude of a Librarians towards there is positive, there exists job satisfaction. The attitude is negative.

The job satisfaction as the sum of all negative and positive aspects related to the individual's salary, his/her physical and emotional working conditions, the authority he/she has, the autonomous usage of this authority, the level of success she/he has maintained and the rewards given due to this success, the social statute maintained in relation with his/her job, and his/her relations with his/her colleagues and administrators. Individual elements do not result in the job satisfaction. Job satisfaction can only be mentioned if all these elements exist in a place in harmony.

Need of present study:

1. This study helps to observe the work atmosphere in engineering collages Libraries.
2. This study observes the climate that supports a balance between work, family, and personal interests.
3. To find the promotion opportunity toward job.
4. To examine the Healthy relationship with co-workers.

Objectives of the study:

1. This study help to observe the Job Satisfaction in Private Engineering collages Libraries.
2. This study observes the work environment of Library professionals.
3. To find the promotion opportunity toward job.
4. To examine the Healthy relationship with colleagues.
5. To observe the attitude of management toward professionals.
6. To evaluate the Information Communication facilities in libraries.

Scope and limitations of the study: This study is limited only Thirty-Two private Engineering Collage of Indore City. The information about Private Engineering Collages is collect from Website on date 05/05/09 Researcher distribute questionnaire in all the collages. Twenty-nine collages response their view.

Hypothesis: Majority of the people work for food only, with no social security rights, health insurance, retirement, benefits and so on. The leading problem of the developing countries is the economical problem. The hypothesis of the study is that Engineering colleges provide satisfactory environment for their library professionals. They follow govt. norms for term & conditions to their Library professionals.

Methodology: Questionnaire method is used to examine Job-Satisfaction level in Library Science professionals of Private Engineering Collages of Indore city; Distributing questionnaire in private Engineering colleges collects primary data. Secondary data is collected from research journals of Library Science and Management Science, textbook, reference book of library science and

management science; online articles are collected from Internet. The questionnaire cover all the possible aspects of Job-satisfaction related with librarians.

Data Collection: A preliminary survey of the libraries in Indore city was undertaken and all the 29 Private Engineering college libraries in the city were surveyed and the librarians in charge of the different libraries interviewed. Such interview and discussions with various librarians revealed the revision of salary, job security, promotional avenues, work atmosphere and Cooperation of peers as the main factors leading to Job Satisfaction or dissatisfaction in library Professional.

The questionnaire consisting of 36 questions on the above mentioned aspects of Job Satisfaction was framed and a pilot study was conducted.

Data Analysis: The data were analyzed to find out job Satisfaction among the libraries and to see if there were any differences as regard different aspects of job Satisfaction among the male and the female librarians

Work experience: Work experience is related with job satisfaction. This Question help to analyze that 69% LIS professionals have less than five year experience. 25% have 5-10 year other percentage of is very few. No. LIS professionals having 11-15 years experience is little.

Job Satisfaction toward salary: Salary is important for the satisfaction of Job. This question is use full to know about the salary status in libraries that 50% Professionals are getting salary 6000 to 8000, 33% Professionals are getting salary between 8000 to 10000.The Professionals who are getting above 10000 salary very few in numbers.

Reason to unsatisfied with organization: Unsatisfaction toward job is related with working conditions of institution. By this question researcher observe the reason of Unsatisfaction that 41.66% professionals are unsatisfied, 16.66% professionals have extra work. 8.33% professionals have much working hours & other have given no response.

Job Satisfaction toward allowance: The allowances pay an important role in satisfaction toward job. By this question we able to know how many professionals are getting allowance**.** To analyze that 41.66% Professionals are getting allowance T.A., D.A. and Others allowances, 27.77% Professionals are getting only P.F. 16.66% Professionals not providing with allowance. In this analysis we find that Professionals are getting various types of allowances.

Promotion Criteria and Job Satisfaction: Promotion is an important criterion for Job satisfaction. By this question researcher helps to know the criteria of promotion in Private Engineering Collages of Indore City. To examine the data we found that 41.66% Professionals Promotion Criteria based upon choice of Administration, 30.55% professionals Promotion Criteria based on seniority & 27.77% Professionals Promotion Criteria is objective criteria achieved for organization. The choice of Administration is play major role in promotion.

Quantity of Staff in Library: Library staffs play a vital role in services providing by the library. This question helps to observe the satisfaction level in LIS Professionals of Private Engineering Collages of Indore city. To analyze this question it is clear that 61% Professionals are satisfied for their staff members & 39% Professionals have no sufficient staff.

Category of staff: This question helps to observe the categories of staff provide by the Institution. According to the respondents we found that the category of Professionals staff is 75%, Semi Professionals are 17% & Non Professionals are 8%. It is found from study that Professionals staff is appointed by Private Engineering Collage's libraries.

Job Satisfaction toward basic requirement: Basic requirements are the important for satisfied the job. By this question we know the level of satisfaction in Private Engineering Collages of Indore city. Basic requirements in Job Satisfaction show that there is 80.55% & 55.55% of furniture & Electricity & 44.44% water. So that is necessary to fill the lack of water.

Satisfaction toward job: This question helps to examine the Job Satisfaction level in Library Science professionals. Most of the professionals 56% are full satisfied for their current Job. 36% Professionals are partially satisfied & only few Professionals are not satisfied from their Job so it is good that most of the Professionals are full satisfied for their current Job.

Attention of Management toward requirement: Management of institute is play important role in fulfil the requirement of staff. By this question researcher know about attitude of management toward Library professional's requirements. In study we found 44.44% professional are agree that the management takes immediate action on Library Professionals requirement. 27.77% feels it take time above one week.

Steps taken by Management for Professional Satisfaction: This question facilitates the researcher to analyze the managerial work in relation to Job Satisfaction. A healthy majority feels that they satisfied with all the steps taken from management.

Involvement in Planning & Decision making for Library: Planning and decision making is imperative for development of Library and Information services in the institution. So it is essential to know the involvement level in this regard. The 75% professionals are agree that their management involve then in Library related matters planning and design few Professionals feel that their management not include the in Library related matters.

Job Satisfaction toward work Atmosphere: Healthy work Atmosphere is important for doing work better. This question assists us to distinguish the work situation in Private Engineering Collage of Indore City shows that the 78% Professionals are satisfied with their work Atmosphere. They feel their work atmosphere is cooperative Professionals.

Job Satisfaction in relation with colleagues:

Development of institute is depending on the coordination of staff. This question examine the coordination of staff in Private Engineering collages libraries. There is Healthy relationship with their colleagues 89% Professionals are satisfied.

Purpose for Using Computer in library: The Information Technology is the essential for providing best library services to the users. This question helps to evaluate the availability of Information Communication Technologies in Private Engineering collages libraries. In study we found that 61% Professionals use computer in library house keeping operation. 56% Professionals use Internet facility & 67% Professionals use On-line resource.

Findings:

1. Most of the library Professionals are satisfies with their job.
2. Salary is the most of the Librarian are Rs. 8000 to 10000.
3. 41% Professionals feel that their salary is not sufficient. It means private engineering colleges are not providing salary as per rule and qualification of library staff.
4. 41% of the professional getting mislleneous allowance.
5. Choice of administrations is influence the promotion.
6. Maximum no. private appoint technically trend staff for their libraries.
7. 44% professionals say that their management pay immediate attentions on their requirements with them are fully satisfied with the step taken by their management for determent of staff.
8. A large no. of Professionals feels that management involve them in Library related matters.
9. Almost are the library Professionals are satisfied with their work environment and colleges.
10. Maximum numbers of Privet Engineering College library have facility of Information Communication Technology.

Conclusion: This study concludes that only payment is not only a factor to satisfy with job in libraries. Focusing more on intrinsic factors (pride in one's work and working gives self-respect) can enhance individual's motivation level along with extrinsic factors (Working environment, infrastructure, changing job and job security). An organization can increase the job satisfaction of its employees by improving its organization climate that induces them to enhance their commitment towards their organization. It is further observed that at different hierarchy levels, the employees tend to rated job satisfaction, organizational climate, and organizational commitment differently. Job Satisfaction is depending on four factors i.e., working environment, pay, cooperation of peers and motivation. These three Meta dimensions predict a total variance in job satisfaction. Balance, combing three dimensions for prevention of dissatisfaction and fourth dimension motivation is necessary for advancement.

References:-

1. Kamala, Chopra. 1984. Job Satisfaction among the librarians of Lucknow city. *Herald of library science.* Vol.23 (3-4): 156-161
2. Jegadeesan, G. 2007. Job Satisfaction: a conceptual framework. *The Icfai journal of organizational Behavior. Vol.* 6(4): 53-60
3. Kochar, Bani.2008. Job Satisfaction among Academics. *The Icfai University journal of organizational Behavior,* Vol. 7(4): 54-60.
4. Kumar, B. Pavan and Giri, Vijai N. 2009. Effect of age and Experience on Job Satisfaction and Organizational Commitment. *The Icfai journal of organizational Behavior,* Vol. 8(1): 28-36.
5. Kaya, Ebru.1995. Job Satisfaction of the Librarians in the Developing Countries. *61st IFLA General Conference-Conference Proceedings*.http://www.ifla.org/IV/ifla61/61-kaye.htm

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

ग्रामीण विकास में कृषि आधारित उद्योगों का विकास : सिवान जिला के संदर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. योगेन्द्र राय* डॉ. बीरेन्द्र कुमार**

* भूगोल विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार) भारत
** पूर्व विभागाध्यक्ष (भूगोल विभाग) जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार) भारत

प्रस्तावना – किसी भी प्रदेश के संतुलित विकास में कृषि की समुन्नति आवश्यक है। कृषि विकास का आधार तैयार करती है तथा प्रदेश को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाती है। कृषि उत्पादन, संवर्धन हेतु निर्मित अवस्थापना भावी उद्योगों के लिए भी उपादेय होती है। कृषि उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। कृषि की उत्पादकता में वृद्धि प्रादेशिक आय को बढ़ाती है, आय की वृद्धि से अन्योन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राप्ति के अवसर बढ़ते हैं, जिससे उद्योगों के विकास के साथ-साथ सेवाओं के विस्तार को बल मिलता है।

कृषि आधारित उद्योग की महत्ता सिवान जिला में बहुत अधिक है, प्रथम बड़े उद्योग जिनकी महता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में स्थापित है यथा-सूती वस्त्र, चाय, काफी, रबर, चीनी, कागज उद्योग इत्यादि द्वितीय लघु एवं कुटीर उद्योगों को रखते है, जो स्थानीय व्यापार एवं जीविका के महत्वपूर्ण साधन है जैसे – औषधि उद्योग, चावल, गुड़, आटा, तेल, दाल, चिप्स, पोहा, लकड़ी एवं बांस से निर्मित विभिन्न सामग्री इत्यादि विभिन्न सामग्री इत्यादि।

उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य सिवान जिला (बिहार) में कृषि आधारित उद्योगों के विकास एवं ग्रामीण विकास के लिए आम जनता को इसके लाभों को समझाकर एवं उससे जुड़ कर अपना सामाजिक, आर्थिक विकास कर सकें तथा साथ ही कृषि को समुन्नत बना सके।

विधितंत्र– प्रस्तुत अध्ययन में अवलोकनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि तंत्रों का प्रयोग करते हुये विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से सिवान जिला के कृषि आधारित उद्योगों एवं ग्रामीण विकास का आंकलन किया गया है। आंकड़ों की प्राप्ति हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग, जिला सांख्यिकी विभाग, राज्य नियोजन संस्थान, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार, पटना एवं बिहार वार्षिकी का सहारा लिया गया है।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत शोध प्रपत्र में सिवान जिला की ग्रामीण विकास एवं कृषि आधारित उद्योगों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र के साथ एक आर्थिक प्रदेश भी है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 2219 वर्ग कि.मी. है। अध्ययन क्षेत्र का विस्तार $25^0$24' उत्तरी आक्षांश से $26^0$23' उत्तरी आक्षांश तथा $84^0$1' पूर्वी देशान्तर से $84^0$47' पूर्वी देशान्तर के बीच अवस्थित है।

विश्लेषण एवं व्याख्या – ग्रामीण विकास हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने संविधान (71वां संशोधन) अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज्य की स्थापना की। महात्मा गांधी ने स्थानीय स्वशासन (ग्राम समाज) की स्थापना पर स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विशेष बल दिया था तथा पण्डित नेहरू ने उपयुक्त कानूनों के माध्यम से राज्यों में पंचायती राज की स्थापना की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास को साकार करने का प्रयास सरकारी स्तर पर ईमानदारी से पहली बार दिखाई पड़ता है।

भारत में ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण युववकों को स्वरोजगार हेतु 'ट्राइसेम' परियोजना भी चलाई गयी जिसमें ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें पशुपालन, भेड़पालन, मत्स्य पालन, लड़की काटना, पशु चारण और कृषि हो या फिर द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र का कोई उद्यम हो, को स्थापित करने के लिए ग्रामीण युवकों को तकनीकि जानकारी व प्रशिक्षण 'ट्राइसेम' के अन्तर्गत दिया जाता है। इस समय देश में 1500 से अधिक ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो विभिन्न स्तरों पर (ग्राम, ब्लॉक, क्षेत्रीय राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर) कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद सरकार ले रही है। 1830 में ब्रिटिश गर्वनर चार्ल्स मेटकॉफ ने गांव के विकास की पहंचान वहां की सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था को देखकर कहा कि 'ये ग्राम समाज के छोटे-छोटे प्रजातंत्र है जिन्हें अपनी आवश्यकता की वस्तु अपने भी भीतर ही मिल जाती है। ये ऐसी परिस्थितियों में टिके रहते हैं, जिसमें दूसरी हर वस्तु का अस्तित्व मिट जाता है।' इस बात से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ग्रामीण विकास पूर्णत: आर्थिक क्रियाओं पर केन्द्रित है।

उपरोक्त विषयक आर्थिक क्रियायें एवं ग्रामीण विकास मेरे अपने अनुसार पूर्णत: एक दूसरे को सहारा देते हुए प्रतीत होते हैं। ग्रामीण विकास, आर्थिक क्रियायें के माध्यम से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आधुनिकीकरण की तरफ भी कदम बढ़ाता है। आधुनिकीकरण एक नये प्रकार की मानसिक उपज की दशा है। जिसमें आर्थिक क्रियाओं के द्वितीयक वर्ग, जिसमें मशीनों तथा प्राविधियों के उपयोग के लिए एक नई पृष्ठभूमि निर्मित होती है तथा सामाजिक सम्बन्धों का एक नया प्रारूप बनता है। आधुनिकीकरण सदैव की एक क्रांतिकारी प्रक्रिया होती है। किसी भी समाज के आर्थिक समृद्धि, इसी द्वितीयक क्रियाओं पर निर्भर होती है। निम्नलिखित विधियों द्वारा ग्रामीण विकास और आर्थिक क्रियाओं की प्रक्रिया को बेहतर

तरीके से सम्पादित किया जा सकता है।

कृषि आधारित उद्योग– सिवान जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जहां 85 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्यों पर निर्भर रहती है। जिला में प्राकृतिक संसाधनों के अन्तर्गत मुख्यत: भूमि संसाधन है जो मध्य गंगा मैदान में स्थित होने के कारण विश्व के उर्वरतम क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है। फलत: यहाँ विस्तृत कृषि क्षेत्रों का विस्तार है जहां सघनतम् कृषि की जाती है। यहां कृषि फसलों में धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन एव गन्ना की कृषि प्रमुख है, जिसके कारण कृषि आधारित उद्योगों का विकास हो रहा है एवं होने की भी प्रबल संभावनाएं मौजूद है, ऐसे यहां एकुआ फसलें, तेल मिल, शाक–सब्जी पर आधारित, चीनी उद्योग, आटा मिल, चावल मिल, दुग्ध पदार्थ आधारित उद्योग, मत्स्य उद्योग आदि काफी उल्लेखनीय एवं प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रखण्डों में इसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है।

कृषक एवं ग्राम्य विकास– ग्रामीण विकास को वास्तविक रूप से क्रियाशील करने के लिए हमें राबर्ट रेडफील्ड के महत्वपूर्ण अध्ययन 'टेपोजलान' में कृषक समाज की अवधारणा को भी समझना होगा। रेडफील्ड ने कृषक शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि – 'कृषक आजीविका का साधन और जीवन विधि है। लाभ के लिए व्यापार उनकी वृत्ति नहीं है। हम कह सकते हैं जो कृषक पूंजी को पुन: लगाने तथा व्यापार के लिए कृषि करते हैं और जो भूमि को कैपिटल और प्रापर्टी के रूप में देखते हैं वे किसान नहीं बल्कि 'भूमिपति' है।'

क्रोबर के अनुसार 'कृषक लोग निश्चय ही ग्रामीण हैं किंतु तब भी वे नगर के बाजारों के साथ संघर्ष में रहते हैं। वे एक बेहतर जनसमुदाय के वर्गान्श होते हैं, जिसमें साधारणतय: नागरिक केन्द्रों और कभी–कभी महानगरों का भी समावेश होता है।' अत: हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं द्वारा बेहतर धनागमन के लिए कृषकों को बेहतर कृषक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना आवश्यक है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाती है। इसके लिए 1964 में सर्वप्रथम पॉलीटेक्निक में कृषि आधारित व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी। 1973 में डॉ. मोहन सिंह मेहता कमिटी गठित की की गयी, जिसका कार्य इस प्रकार की संस्था का ढांचा तैयार करना था। जिसके द्वारा कृषि आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। मेहता कमेटी ने किसानों के आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेहतर कृषि आधारित व्यवासायिक प्रशिक्षण के लिए फार्म साइंस सेन्टर स्थापित करने का सुझाव दिया जिसे बाद में कृषि विज्ञान केन्द्र कहा गया। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्राम्य उद्योग का समग्र विकास है। जिसमें समाज के उपेक्षित एवं अभाव ग्रस्त वर्ग को सामाजिक न्याय मिल सके।

अत: कृषि विज्ञान केन्द्र अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए उन समस्त कार्यक्रमों को वरीयता देता है, जिसका समस्त अधिकतम लाभ निर्बल वर्ग को मिल सके। कृषि विज्ञान केन्द्र के सभी कार्य उस क्षेत्र की कृषि विकास की सक्षमता को पहचानकर और विकास के उन क्षेत्रों का पता लगाकर, निर्धन एवं निर्बल वर्ग के ग्रामवासियों के उत्पादन क्षमता को बढ़ायें। जिससे उनको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। और उनका जीवन स्तर भी समृद्ध हो सके।

उपरोक्त आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ग्राम्य विकास का केन्द्र ग्राम का सबसे निर्धन या पिछड़ा वर्ग हो सकता है। अत: उसके विकास और आर्थिक विकास के लिए नियोजित तरीके से कार्य करके ही ग्रामीण विकास और आर्थिक क्रियाओं को परिपूर्ण किया जा सकता है। उस निर्धन वर्ग को धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को या स्वयंसेवी संस्थाओं को लोकल स्तर पर आसानी से उपलब्ध वस्तुओं का बेहतर तरीके से उपयोग करना चाहिए। ऐसे निर्बल वर्ग के लिए भारत सरकार की वर्तमान रोजगार गारण्टी योजना एक महत्वपूर्ण कदम है।

जैव–प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास– ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में अनुसंधानों की अहम भूमिका है। भारतीय कृषि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय कृषक एवं मजदूर कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी करते है। जिसमें मुख्यत: गाय, भैंस, भेड़ें इत्यादि आते हैं। जैव प्रौद्योगिकी की नई तकनीकों के उपयोग से आ दूध, ऊन और मांस के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। परम्परागत कृषि के साथ जैव प्रौद्योगिकी अपनाकर उत्पादकता कई गुना बढ़ा ली गयी है। इसका उदाहरण शुरूआती दौर में उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया कृषकों द्वारा प्रयोग नहीं की जाती थी। लेकिन धीरे–धीरे इसकी उपयोगिता समझ आने पर लोगों ने इसका प्रयोग करना शुरू किया।

हमारे खेतों में फसलों के लगने पर कीटों द्वारा उनको नुकसान पहुंचाना सामान्य बात है। परंतु जैव प्रौद्योगिकी की वजह से आज कीटनाशी रसायन आसानी से बाजारों में उपलब्ध है। जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से फसल बचाव की लागत कम की गयी तथा आय के स्तर को बढ़ाया गया। रेशम की खेती को भी भारत में लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए रेशम के कीड़ों के पालन केन्द्रों को विकसित करने के लिए शहतूत के जीन डिलवरी के तरीके विकसित किये गये। इधर कुछ सालों में किसानों के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने ऊतक संवर्धन द्वारा पौधों की बहुत सी प्रजातियाँ विकसित की है।

जब ग्रामों का विकास होगा तभी हमारे ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरेगा और इससे हमारी अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ होगी और राष्ट्र का विकास होगा। अत: जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी ग्रामीण विकास एवं आर्थिक नियोजन के लिए जरूरी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कौसिक, डॉ. एस. डी. (1983) – आर्थिक भूगोल के सरल सिद्धांत, मेरठ।
2. पंचायत दूत– जनवरी, 2008
3. पंचायत दूत – फरवरी, 2008
4. पाण्डेय, डॉ. सुधा – 'समन्वित विकास में सेवा केन्द्रों की भूमिका', डॉ. आर. एम. एल. अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
5. पीयूष, जगदीश– पंचायत राज संकल्प एवं सम्भावनायें।
6. सिंह, डॉ. सुरेन्द्र– भारत में सामाजिक नीति, नियोजन एवं विकास।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

कालिदास साहित्य में पर्वत: एक अध्ययन

प्रो. अनिल कुमार आर्य *

* सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – विश्वकवियों में महाकवि कालिदास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपनी अद्वितीय काव्य–निधि के द्वारा संस्कृत साहित्य को अत्यन्त समृद्धशाली स्वरूप प्रदान किया है। भारतीय संस्कृति में जिन आदर्शों एवं मान्यताओं को प्रतिष्ठित किया गया है, कविकुलगुरु कालिदास के काव्य–ग्रन्थों में ही उनकी नितान्त मञ्जुल एवं प्रभविष्णु व्यञ्जना सम्पन्न हुई है। महाकवि कालिदास की कृतियों में काव्य–कसौटी पर निष्कलुष प्राप्त होने वाले नाना तत्त्व समाहित हैं ही, साथ ही उनमें विभिन्न स्थलों में वर्ण्य कथानक के साथ ही विशद शास्त्रीय ज्ञान भी ओत–प्रोत है। कवि की अप्रतिम प्रतिभा मानव–जीवन के सभी व्यापक क्षेत्रों का संस्पर्श करती हुई इस महान् भारत राष्ट्र की सर्वाङ्गमयी झाँकी का दिग्दर्शन कराती है। प्राय: महाकवि की काव्य–कृतियों में स्वर्गादपि गरीयसी भारतीय वसुन्धरा के परम रमणीय प्राकृतिक रूपों – (पर्वत, पठार, मैदान, वन, नदी, निर्झर, सागर, सरोवर, ऋतुओं आदि) सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, मानवकृत स्वरूपों (नगर–प्रान्त, तीर्थ आदि) के विस्तृत वर्णन विद्यमान हैं। प्राचीन भारत का नाम भौगोलिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। इस नाम से कई धारणाएँ जुड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम प्रचलित धारणा के अनुसार भारत नाम यहाँ के महान् राजा भरत (राजा दुष्यन्त और रानी शकुन्तला का बेटा) के नाम पर आधारित है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार भरत नामक राजा अश्वमेध–विजयी राजा था, जिसे सम्राट की उपाधि दी गई। उसके अनुसार वहीं उस क्षेत्र में आर्यों के एक कबीले के भारती वंश नामक राजा राज्य करता था जिसके आधार पर इस का नाम भारत पड़ा।

महाकविकालीन प्राचीन बृहत्तर भारत से वर्तमान विभाजित भारत सर्वथा परिवर्तित परिलक्षित होता है, जिसके लिए प्राकृतिक प्रभावों की अपेक्षा राजनैतिक प्रभाव कम उत्तरदायी नहीं है। वह विशाल अखण्ड भारत विभाजित होकर आज खण्डित दृष्टिगोचर होता है। स्थलीय एवं जलीय रमणीय राष्ट्रीय प्राकृतिक रूपों को समय चक्र के साथ चलने वाली प्राकृतिक शक्तियों ने प्रभूत मात्रा में प्रभावित किया है, परन्तु कवि की रागमयी वृत्ति प्रकृति में जहाँ एक असाधारण सौन्दर्य का दर्शन करती है, वहाँ एक विराट् चैतन्य का दर्शन करती है। वह प्राकृतिक तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण ही नहीं करता, अपितु उसमें चेतना का आधान कर प्राण–प्रतिष्ठा भी करता है। इस प्रकार प्राचीन संस्कृत–साहित्य के आधार पर प्राचीन भारत के भूगोल को प्रस्तुत करने के अनेक प्रयत्न किए गए हैं। भूगोल बहुत ही व्यापक विषय है। प्रदेशों की जलवायु, विभिन्न परिस्थितियाँ, रहन–सहन आदि के विवरण इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। इसमें पर्वतों, वनों, नदियों, सरोवरों का वर्णन तत्पश्चात, ऋतुओं का वर्णन, नगरों, ग्रामों, तीर्थों एवं ऋषियों के आश्रमों का वर्णन किया जा सकता है।

पर्वतों का वर्णन– संस्कृत–साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि कालिदास के अनुसार भारतवर्ष की सीमाएँ उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक विस्तीर्ण थीं। स्थल से सम्बन्धित विविध रूपों पर्वत, पठार, नदियों, ऋतुओं आदि का पूर्ण ज्ञान महाकवि कालिदास को था। अत: अपनी कृतियों में उन्होंने अनेक पर्वतों का अपने प्रत्यक्षीकरण के प्राप्त ज्ञान के आधार पर यथास्थान उल्लेख किया है।

हिमालय पर्वत– भारतभूमि का गौरवरूप गिरिराज हिमालय उसके उत्तर[1] में मुकुट माला का महत्त्व प्राप्त कर कवि के साहित्य में सुन्दर रूप से वर्णित हुआ है। कुमारसम्भव महाकाव्य के प्रारम्भ में ही पर्वतराज हिमालय का सुन्दर वर्णन किया गया है। इसकी श्रृंखलाएँ दूर दिगन्त[2] तक व्यापक हैं। इनकी चोटियां इतनी अधिक विविध धातुओं से भरी पड़ी हैं[3] एवं इतनी ऊँची हैं कि मेघ भी उनके बीच तक ही पहुँच कर रह जाते हैं। उसके शिखरों पर जमी बर्फ धूप से गल कर सिंहों द्वारा मारे गए हाथियों के रक्त को धो देती है।[4] बाँस के झुरमुटों में गुफाओं के भीतर से आती पवन वाद्य–संगीत प्रस्तुत करती है।[5]

मेघदूत में दूत को हिमालय की उस हिम से भरी चोटी पर बैठकर थकावट दूर करने का उपदेश एवं शिलाओं की महक का वर्णन[6] कवि ने बड़े ही मनोरम ढंग से किया है।

हिमालयीय वनस्पति का वैभव विराट् है। प्राय: सभी महौषधियाँ, जड़ी बूटियाँ[7] यहाँ पाई जाती हैं। बांस, सरल, देवदारु आदि वृक्ष इसकी उच्च श्रृंखलाओं पर पाए जाते हैं। इस पर्वत पर ऐसी–ऐसी गहन गुफाएँ हैं कि दोपहर में भी उनमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है।[8] इधर–उधर विचरती, पूँछे छटकाती हुई चमरी गायें मानों चँवर डुलाकर हिमालय के पर्वत–राजत्व को यथार्थ सिद्ध कर रही हों। हिमालय की तलहटी का सुन्दर चित्रण अभिज्ञानशाकुन्तलम् में प्रस्तुत किया गया है। चारों ओर फैली हिमगिरि की पहाड़ियाँ हैं, जिनके नीच मालिनी नदी मन्द वेग से प्रवाहित हो रही है। पहाड़ी नदियों का जल निर्मल होता है। इसलिए उसके रेतीले किनारों पर पंक्ति बाँधे चुपचाप हंस बैठे हैं। पहाड़ियों में जहाँ तहाँ बैठे मृग जुगाली कर रहे हैं, एक ओर काले मृग का वर्णन जो मृगी के साथ आनन्द का अनुभव कर रहा है।[9]

हिमालय से सम्बन्धित कतिपय विशेष स्थल हैं, जिन्हें महाकवि ने अपनी कृतियों में वर्णित किया है। हिमालय की प्राचीन राजधानी ओषधिप्रस्थ थी, जिसके चारों ओर गंगा का सुन्दर प्रवाह जड़ी–बूटियाँ एवं मणियाँ सुशोभित हैं। इसकी स्थिति महाकोसीप्रपात से अधिक दूर नहीं, क्योंकि सप्तर्षियों को भगवान् शंकर ओषधिप्रस्थ[10] भेजकर स्वयं महाकोसी प्रपात पर उनकी प्रतीक्षा करने को कहते हैं। मेघदूत के यक्ष की वैभवमयी नगरी

अलका भी हिमालय के कैलास पर्वत के समीप स्थित थी। हिमालय का प्रसिद्ध शिखर गौरी-शिखर भगवती पार्वती की तपोभूमि था।[11]

इस प्रकार हम महाकवि का हिमालय-विषयक व्यापक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो आधुनिक भूगोल के अनुभवों से भिन्न नहीं है। महाकवि की कृतियों के अतिरिक्त हिमालय का इतना सुन्दर, सुस्पष्ट, सरल, बिम्बग्राही, सूक्ष्म एवं विशद काव्यात्मक वर्णन हम अन्यत्र कहीं नहीं पाते।

कैलास पर्वत – कैलास पर्वत अपने भौतिक कलेवर पर उमा महेश्वर के पावन-चरणों का स्पर्श पाकर पुण्य तीर्थ धाम ही नहीं, वरन् अलौकिक शोभा-धाम होकर सहृदय-हृदय मनीषी मानवों के वाणी-विलास का माध्यम बन गया, जो कि बर्फीली सफेद चोटियों से प्रतिदिन जमा हुए शंकर के अट्टहास सा लगता है। श्वेत संगमरमर से भरा होने के कारण वह देवाङ्गनाओं के दर्पण का काम देता है।[12] इसके अतिरिक्त कैलास को नन्दी के समान उजला[13] कहकर उसके हिमाच्छादित रूप की अभिव्यक्ति की है। राजा रघु के द्वारा कैलाश को छोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी पार कर प्राग्ज्योतिषपुर के शासक को पराजित करने बढ़ते हैं।[14] राजा रघु के द्वारा कैलाश के स्वामी कुबेर[15] के जय की घोषणा की गई। कुमारसम्भव में भी महाकवि ने शंकर के द्वारा कैलाश पर रमण[16] की बात कही है।

मेघदूत में महाकवि के यक्ष ने मानसरोवर को जाने वाले राजहंसों को मेघ का सहयात्री निर्दिष्ट किया है।[17]

महाकवि कालिदास के मेघदूत के आधार पर कैलास मानसरोवर और हिमालय के मध्य में स्थित होता है। कैलास स्थित अलका में गंगा की धवल धारा के संकेत से इसकी स्थिति प्रधान हिमालय से संयुक्त प्रतीत होती है। हिमालय के समीप होने से कैलास पर मेघों का वर्षा करना भी स्वाभाविक है। अन्ततः कालिदास की कृतियों के आधार पर कैलास पर्वत की स्थिति हिमालय पर गंगोत्री के उत्तर पूर्व वाली ऊँची पर्वत श्रृंखलाओं पर मानसरोवर को स्पर्श करती है। कैलाश की श्रृंखलाएं पूर्व के अतिरिक्त मानसरोवर को तीनों ओर से घेरे हुए हैं। कैलास पर ही यक्षों की राजनगरी अलका बसी हुई है।

सुमेरु पर्वत – महाकवि कालिदास की दृष्टि से अत्यन्त सुनहरा, चमकीला, सुन्दर सुमेरु पर्वत भी ओझल नहीं हो पाया। महाकवि ने अपने कुमारसम्भव में मेरु का उल्लेख तारकासुर के उत्पात के प्रसंग में किया है।[18] सप्तर्षियों में अंगिरा हिमालय से पार्वती की मंगनी के प्रसंग में हिमालय की महिमा का वर्णन करते हुए सुमेरु से तुलना करते हैं।[19] उमा महेश्वर के परिणय-प्रसंग में उनकी परिक्रमा की परिकल्पना कवि ने सुमेरु के उपान्त में घूमते दिवस और रात्रि से की है।[20] महाकवि कालिदास ने शिव-पार्वती को विवाह के पश्चात् श्वसुरगृह से सुख-विहार के लिए मेरु पर्वत पर ही वृषारूढ़ जाते हुए चित्रित किया है।

इस प्रकार वर्णित स्थलों के आधार पर सुमेरु की स्थिति निस्सन्देह हिमालय से कैलाश के मध्य ही प्रतीत होती है। कैलाश मानसरोवर के उत्तार पूर्व में अब भी स्थित है। अतः सुमेरु इसके दक्षिण-पश्चिम में हिमालय की ओर स्वतः स्थित होगा। रघुवंश में सुमेरु पर्वत को कवि ने दृढ़तम, सर्वाधिक दीप्तिमान्, उच्चतम आदि विशेषताओं से विभूषित[21] किया है। सुमेरु को सुवर्ण मुद्राओं[22] के ढेर के समान दीप्तिमान् बताया गया है।

हेमकूट पर्वत – जिस प्रकार सुमेरु सूर्य के प्रभाव के कारण अपनी स्वर्णिम प्रभामयी उत्तुंग श्रृंखलाओं से सौन्दर्य-प्रेमी सहृदय-जनों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा, उसी प्रकार हिमानी-शिलाओं से निर्मित उत्तुंग शृंगों वाला 'हिमकूट' भी सूर्य की स्वर्णिम रश्मियों को शिर से संस्पर्श कर संसार में स्वर्ण शृंग वाले सुन्दर महीधर हेमकूट नाम से जाना जाता रहा है।

अभिज्ञानशाकुन्तलम् के सातवें अंक में दुष्यन्त मातलि के साथ स्वर्ग से लौटने पर उस हेमकूट का दर्शन करते हैं, जो पूर्व एवं पश्चिम सागरों तक विस्तृत स्वर्णिम धारा को बहाने वाला सान्ध्यकालीन मेघों की भान्ति शृंगवाला था।[23] उर्वशी की रक्षा करने के लिए केशी दैत्य का पीछा करते हुए पुरुरवा से अप्सराओं ने हेमकूट पर्वत पर प्रतीक्षा करने को कहा।[24] अतः पौराणिक भूगोल के अनुसार यह पृथिवी सात द्वीपों में विभक्त है – जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौञ्च, शाक और पुष्कर। इसी की मध्यवर्ती कोई पर्वत-भूमि हेमकूट कहलाती होगी। हेमकूट का काल्पनिक क्षेत्र 90 हजार योजन लम्बा और दो हजार योजन चौड़ा कहा गया है।

मलय पर्वत – मलय पर्वत का प्राचीन साहित्य में प्रचुर वर्णन है। इसकी गणना भी कुल पर्वतों में है। इस पर महर्षि अगस्त्य का आश्रम था। मलय की स्थिति दक्षिण भारत में वर्णित है। महाकवि ने मलय पर्वत पर चन्दन के वृक्ष एवं चन्दन की लताओं[25] का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त रघुवंश में भी मलय पर्वत की उपत्यका का बड़ा ही मनोरम एवं यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। सर्पो से परिवेष्टित रहने से चन्दन वृक्षों के तने, काली मिर्च की झाड़ियों में उड़ते हरे-हरे सुग्गे एवं पृथ्वी पर पड़े हुए लौंग के बीज आदि का वर्णन[26] आज भी हमारे मनस्पटल पर प्रतिबिम्ब डालता है।

मैनाक पर्वत – पुराणों में मैनाक पर्वत को हिमालय का पुत्र कहा गया है। इन्द्र द्वारा पर्वतों के पंख काटे जाने पर वह समुद्र में छिप गया था।[27] मैनाक पर्वत की यथार्थ भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में कहना कठिन है। हिमालय का पुत्र वर्णित होने से तथा समुद्र में छिपा होने से मैनाक को हिमालयवर्ती तथा दक्षिण समुद्रवर्ती दोनों स्थानों में स्थित माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनेक पर्वतों रामगिरि का वर्णन मेघदूत में[28] गन्धमादन पर्वत का रघुवंश में[29] माल्यवान् पर्वत का रघुवंश में[30] आम्रकूट पर्वत का मेघदूत में[31] वर्णन किया गया है।

महेन्द्र पर्वत – अपने महिमामय महद्रूप के कारण महेन्द्र भारतीय पर्वत-परिवार में परम प्रसिद्ध रहा है। अतएव प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण[32] में प्राप्त होता है। भारत के प्राचीन कुल सात पर्वतों में महेन्द्र की भी गणना की गई है। भगवान् परशुराम ने राम के साक्षात्कार के पश्चात् इसी को अपनी पावन तपोभूमि बनाया था। अतः इसका महत्त्व सर्वविदित हो चुका था, फिर महाकवि कालिदास की लेखनी से इस गौरवशाली गिरि का अपरिचित होना प्रायः असम्भव ही था।

महाकवि कालिदास ने रघुदिग्विजय में महेन्द्र पर्वत को मतवाले गजेन्द्र के रूप में देखा, जिसकी चोटी पर रघु ने अपनी सेना का पड़ाव वैसे ही जमा दिया जैसे महावत हाथी के मस्तक पर अंकुश लगाता[33] है। धर्म-विजयी रघु के सैनिकों ने कलिंग के राजा को जीतकर उसका केवल यश ग्रहण कर महेन्द्रपर्वत पर ही पान के पत्तो बिछाकर मदिरालय बनाकर नारियल की मदिरा भी पी थी।[34] इन्दुमती-स्वयंवर में कलिंग-नरेश की प्रशस्ति पाठ करती सुनन्दा के मुख से महाकवि ने महेन्द्र की स्थिति और स्वरूप पर स्पष्ट प्रकाश डाला है[35], जिसके अनुसार यह अत्यधिक ऊँचा, दृढ़ चट्टानों वाला, कलिंग राज्य के अन्तर्गत ताल वनों से युक्त समुद्रतट के समीप स्थित ज्ञात होता है।

त्रिकूट पर्वत – त्रिकूट नाम किसी विशेष पर्वत की सामान्य संज्ञा न होकर औपाधिक विशेषण को ही व्यक्त करता है। जिस पर्वत के ऊँचे तीन शिखर

हों, उसका त्रिकूट नाम व्यञ्जित हो सकता है। श्रीमद्भागवत् के पंचम स्कन्ध में त्रिकूट पर्वत का उल्लेख हुआ है।

महाकवि कालिदास ने रघु-दिग्विजय में त्रिकूट का उल्लेख किया है।[36] जिस पर रघु के मतवाले हाथियों ने अपने दांतों की टक्कर से चिन्ह बनाकर जयस्तम्भ सा बना दिया था। त्रिकूट पर्वत से रघु पारसी कों को जीतने के लिए स्थलमार्ग से ही गए थे।[37] त्रिकूट पर्वत की स्थिति उत्तारकोंकण की समुद्रतटीय संकीर्ण पट्टी में ही थी, जहाँ से पश्चिमी अरब सागर दूर नहीं था, किन्तु जलमार्ग ग्रहण न कर रघु ने स्थल मार्ग ही उचित समझकर पारसीक देश की ओर प्रस्थान किया।

महाकवि के अनुसार नासिक के पश्चिम की एक पहाड़ी, जिसकी पुष्टि अंजानेरी का शिलालेख भी करता है, त्रिकूट की स्थिति अधिक सम्भव है।

रामगिरि पर्वत- महाकवि कालिदास की अमरकृति 'मेघदूत' का विरह-विधुर यक्ष अपना प्रवास प्राकृतिक सुषमा सम्पन्न रामगिरि नाम के पर्वत पर व्यतीत कर रहा था जो सीता के स्नानों से पवित्र जल से युक्त और घनी छाया वाले वृक्षों से आच्छादित था।[38]

विरही यक्ष मेघ को प्रमाणानुरूप ही मार्ग बतलाता है।[39] रामगिरि से मेघ उदङ्मुख होकर जाता है।[40] तथा हल खुरचे, कृषि-प्रधान, उच्चवर्ती मालवक्षेत्र से होता हुआ उत्तर की ओर ही आम्रकूट की ओर बढ़ता है।[41] तत्पश्चात् विन्ध्य के प्रत्यन्त प्रदेशों से बहने वाली रेवा को पार कर[42] दशार्ण में पहुँच कर वेत्रवती और विदिशा के दर्शन करता है।[43] इस स्थल तक मेघ का मार्ग निस्सन्देह रामगिरि से उत्तराभिमुख है। अत: रामगिरि की स्थिति वेत्रवती-विदिशा वाले दशार्ण देश के दक्षिण में नर्मदा पार स्वत: ही सिद्ध होती है। रामगिरि की रामगढ़ पहाड़ियों पर स्थिति की पुष्टि होती है, जहाँ सीतावेंगा आदि गुफाएँ एवं राम-मन्दिर आदि चिह्न अवशेष हैं।

वस्तुत: महाकवि ने यक्ष की विरहाभिव्यक्ति में रामगिरि पर धातुराग का पाया जाना भी स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। विरह-विधुर ने अपनी प्रियतमा का चित्र उसी पर्वत की गेरू से बनाया होगा। अब भी यहाँ लाल चट्टानें पाई जाती हैं, जो टूटने पर सूर्य की किरणों से और अधिक लाल हो जाती हैं। अतएव 'सिन्दूरगिरि' शिलालेख के अनुसार रामटेक या रामगिरि ही हो सकता है।

इस प्रकार पूर्व मेघ में उल्लिखित रामगिरि वर्तमान रामटेक पहाड़ी से भिन्न नहीं है जो नागपुर के समीप स्थित है।

विन्ध्य पर्वत - महाकवि कालिदास ने विरही यक्ष के द्वारा मेघ को दूत बनाकर प्रियतमा के पास भेजने के प्रसंग में विन्ध्य पर्वत एवं विन्ध्य क्षेत्र का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि विन्ध्य के प्रत्यन्त प्रदेशों से बहने वाली रेवा को पार कर[44] दशार्ण में पहुँच कर वेत्रवती और विदिशा के दर्शन करता है।[45]

इस प्रकार महाकवि कालिदास के साहित्य में विन्ध्य पर्वत का वर्णन प्राप्त होता है।

चित्रकूट पर्वत - प्रयाग के दक्षिण में मन्दाकिनी नदी के निकट ही चित्रकूट पर्वत है। यह पर्वत अपनी विशालता एवं सुन्दरता के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए है। महाकवि कालिदास ने अपनी अमर कृति रघुवंश में चित्रकूट का उल्लेख किया है[46], जिसके अनुसार चित्रकूट की स्थिति मन्दाकिनी नदी के समीप दण्डकारण्य के अन्तर्गत अभिव्यक्त होती है। महाकवि के अनुसार चित्रकूट का स्वरूप मस्त साँड के समान है, जिससे निकलने वाली जलधारा का शब्द उसकी डकार तथा जिसका मेघाच्छन्न शृंग वप्रकीड़ा से लगे कीचड़युक्त सींग के सदृश है।[47] चित्रकूट के नीचे बहती मन्दाकिनी पृथ्वीरूपी नायिका के गले में मोतियों की माला के समान प्रतीत होती है।[48] पयस्विनी (मन्दाकिनी) के किनारे चित्रकूट से कुछ ही दूरी पर अनसूइया और दूसरे तीर्थ हैं। रामनवमी और दिवाली को यहाँ भारी मेले लगते हैं। चित्रकूट की सुषमा पावस में बहुत बढ़ जाती है।

निष्कर्ष - महाकवि कालिदास की रचनाओं के अध्ययन से उनके काव्य वैदुष्य का ही ज्ञान नहीं होता, अपितु उनके प्रकृति प्रेम की छटा की भी जानकारी भी प्राप्त होती है। कालिदास प्रकृति का सजीच चित्रण करते हैं। वन, उपवन, तपोभूमि, विविध स्थल, सरोवर, नदियाँ, सागर, पर्वत, इत्यादि वर्णनों के आधार पर इनका प्रकृति के प्रति प्रेम ज्ञात होता है। महाकवि ने मेघदूतम् एवं रघुवंश के माध्यम से भारत के विभिन्न स्थलों, पर्वतों एवं नदियों वर्णन किया है और स्व रचनाओं के माध्यम से भारत भ्रमण कराया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, कालिदास, व्या.- श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, चौखम्बा सुरभारती, वाराणसी : 2014
2. कालिदास ग्रन्थावली, कालिदास, व्या. पण्डित रामतेज शास्त्री, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी : 2014
3. कुमारसम्भवम्, कालिदास, व्या.- श्रीप्रद्युम्न पाण्डेय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी : 2010
4. मालविकाग्निमित्रम्, कालिदास, व्या. डॉ. रमाशंकर पाण्डेय, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी : 2012
5. मेघदूतम्, कालिदास, व्या. रमाशंकर त्रिपाठी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी : 2005
6. विक्रमोर्वशीयम्, कालिदास, व्या. पं. परमेश्वरदीन पाण्डेय, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी : 2013
7. रघुवंश, कालिदास:, व्या.- डॉ. कृष्णमणि त्रिपाठी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी : 2010
8. कालिदास रचित साहित्य में वर्णित भारत : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, रमा कुमारी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर : 2012

एण्ड नोट :-

1. अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज: ।
   पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्य स्थित: पृथिव्या इव मानदण्ड: ।।कुमारसम्भवम, 1/1
2. भवत्संभावनोत्थाय परितोषाय मूर्च्छते।
   अपि व्याप्तदिगन्तानि नाङ्गानि प्रभवन्ति मे।। वही, 6/59
3. अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्। वही, 1/3
4. पदं तुषार स्रुतिधौतरक्तं यस्मिन्नदृष्ट्वापि हतद्विपानाम्।
   विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैर्मुक्ताफलै: केसरिणां किराता:।। वही, 1/6
5. य: पूरयन् कीचकरन्ध्रभागान् दरीमुखोत्थेन समीरणेन।
   उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम्श वही, 1/8
6. तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्यं गौरं तुषारै:।
   वक्ष्यस्यध्वश्रमविनयने तस्य शृङ्गे निषण्ण:
   शोभा शुभ्रत्रिनयन वृषोत्खातपङ्कोपमेयाम्।। मेघदूतम्, पू.मे. 56
7. यं सर्वशैला: परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथूपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम्।। कुमारसम्भवम्, 1/2

8. उद्वेजयत्यङ्गलिपाणिभागान्मार्गे शिलीभूत हिमेऽपि यत्र। न दुर्वहश्रोणि पयोधरार्ता भिन्दन्ति मन्दां गतिमश्वमुख्यः ।। वही, 1/11

9. कार्या सैकतलीन हंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी, पादास्तामभितो निषण्णहरिणः गौरीगुरोः पावनाः । शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोर्निर्मातुमिच्छाम्यधः, शृङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानांमृगीम्।। अभिज्ञानशाकुन्तलम् 6/17

10. तत्प्रयातौषधीप्रस्थं सिद्धये हिमवत्पुरम्। महाकोशीप्रपातेऽस्मिन्संगमः पुनरेव नः।। कुमारसम्भवम्, 6/33

11. अथानुरूपाभिनिवेशतोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयसा। प्रजासु पश्चात्प्रथितं तदाख्या जगाम गौरीशिखरं शिखण्डिमत् ।। वही, 5/7

12. शृङ्गोच्छ्रायैः कुमुदविशदैर्यो वितत्य स्थितः खं। राशिभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्याट्टहासः।। मेघदूतम्, पू. मे. 62

13. कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् । अवेहि मां किंकरमष्टमूत्तोः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्।। रघुवंशम्, 2/35

14. चकम्पे तीर्णलौहित्ये तस्मिन्प्राग्ज्योतिषेश्वरः ।। वही, 4/81

15. अथाधिशिश्ये प्रयतः प्रदोषे रथं रघुः कल्पितशस्त्रगर्भम्। सामन्तसंभावनयैव धीरः कैलासनाथं तरसा जिगीषुः ।। वही, 5/28

16. रावणध्वनितभीतया तया कण्ठसक्तदृढबाहुबन्धनः। एकपिङ्गलगिरौ जगद्गुरुर्निर्विवेश विशदाः शशिप्रभाः।। कुमारसम्भवम्, 8/24

17. आकैलासाद् .... सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः।। मेघदूतम्, पू. मे. 11

18. उत्पाट्य मेरु शृंगाणि क्षुण्णानि हरितां खुरैः। आक्रीडपर्वतास्तेन कल्पिताः स्वेषु वेश्मसु।। कुमारसम्भवम् 2/43

19. यज्ञभागभुजां मध्ये पदमातस्थुषा त्वया। उच्चौर्हिरण्यमयं शृङ्गं सुमेरोर्वितथीकृतम्।।वही, 6/72

20. प्रदक्षिणप्रक्रमणात्कृशानोरुदर्चिषस्तन्मिथुनं चकासे। मेरोरुपान्तेष्विव वर्तमानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्रियाम्।। वही , 7/79 21

21. सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजोभिभाविना। स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वी क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना।। रघुवंशम्, 1/14 22

22. तं भूपतिर्भासुरहेमराशिं लब्धं कुबेरादभियास्यमानात्। दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वज्रभिन्नम् ।। वही, 5/30

23. एष खलु हेमकूटो नाम किम्पुरुषपर्वतस्तपस्संसिद्धिक्षेत्रम्। पश्य स्वायम्भुवान्मरीचेर्यः प्रबभूव प्रजापतिः । सुरासुरगुरुः सोऽत्र सपत्नीकस्तपस्यति ।। अभि.शा. 7/9 24

24. एतस्मिन् हेमकूट शिखरे ....। विक्रमो. 1/5 से पूर्व ।

25. स निर्विश्य यथाकामं तटेष्वालीन चन्दनौ। स्तनाविव दिशस्तस्याः शैलौ मलयदर्दुरौ ।। रघु. 4/51

26. वही – 4/46–51 तक

27. पक्षच्छिदा गोत्रभिदात्तगन्धाः शरण्यमेनं शतशो महीध्राः । नृपा इवोपप्लविनः परेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते।। वही, 13/7 तथा मैनाकमम्भोनिधिबद्धसख्यम्। कुमारसम्भवम्, 1/20

28. स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। पू. मे. 1 29

29. लोहितायति कदाचिदातपे गन्धमादनवनं व्यगाहत। रघु. 8/28 तथा पद्मभेदपिशुनाः सिषेविरे गन्धमादनवनान्त मारुताः। वही, 8/86

30. एतद गिरेर्माल्यवतः पुरस्तादाविर्भवत्यम्बरलेखि शृंगम्। वही, 13/26

31. पू.मे. 17, 18, 19

32. वाल्मीकिरामायणम्, बाल. 76/15, 20, 22)

33. स प्रतापं महेन्द्रस्य मूर्ध्नि तीक्ष्णं न्येवशयत् । अंकुशं द्विरदस्येव, यन्ता गंभीरवेदिनः ।।रघुवंशम्, 4/39

34. ताम्बूलीनां दलैस्तत्र रचिताऽऽपानभूमयः । नारिकेलासवं योधाः शात्रवं च पपुर्यशः ।। वही, 4/42

35. असौ महेन्द्राद्रिसमानसारः पतिर्महेन्द्रस्य महोदधेश्च। यस्य क्षरत्सैन्यगजच्छलेन यात्रासु यातीव पुरो महेन्द्रः।। वही, 6/54

36. मत्तेभरदनोत्कीर्णव्यक्तविक्रमलक्षणम्। त्रिकूटमेव तत्रोच्चौर्जयस्तम्भं चकार सः ।। रघुवंशम्, 4/59

37. अवकाशं किलोदवानरामायाभ्यर्थितो ददौ । अपरान्तमहीपालव्याजेन रघवे करम्।।वही, 4/58

38. यक्षश्चक्रेजनकतनयास्नानपुण्योदकेषु, स्निग्धच्छायातरुषुवसतिं रामगिर्याश्रमेषु। मेघदूतम्, पू.मे. 1

39. मार्ग तावच्छृणु कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपं । वही ,13

40. स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदङ्मुखः खम्। वही, 14

41. किंचित्पश्चाद् व्रज लघुगतिर्भूय एवोत्तारेणञ वही, 16

42. रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा । वही, 20

43. संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः । वही, 25

44. रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा । वही, 20

45. संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः । वही, 25

46. रघुवंशम् 13/47

47. धारास्वनोद्गारिदरीमुखोऽसौ शृङ्गाग्रलग्नाम्बुदवप्रपङ्कः । बध्नाति मे बन्धुरगात्रि चक्षुर्दृप्तः ककुद्मानिव चित्रकूटः।। वही, 13/47

48. एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिद्विदूरान्तरभावतन्वी। मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावली कण्ठगतेव भूमेः।।वही,13/48

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

जनजातीय शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु शासकीय शैक्षणिक योजनायें: मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में

महेन्द्र प्रताप प्रजापति* डॉ. रामसिंह पटेल**

* शोधार्थी, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, पं.मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा के आधार पर एक सुदृण एवं विकसित समाज आकार लेता है। साथ ही शिक्षा हमें अपने कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। शिक्षा से ही एक विकसित समाज के निर्माण का सपना सच हो सकता है। जनजातीय समुदाय को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन हेतु शिक्षा में सुधार, सुनिश्चितता एवं गुणवत्तापूर्ण योजनाओं का क्रियान्यन भी किया जा रहा है।

शब्द कुंजी – हृदय प्रदेश, जनजातीय, योजनायें, प्रोत्साहन, वनवासी।

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश को देश का हृदय प्रदेश कहा जाता है। मध्यप्रदेश को यह गौरव हासिल है कि यह देश की सर्वाधिक जनजातीय विविधताओं की वजह से मानव शास्त्रीय, सांस्कृतिक तथा शोधार्थियों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा है। मध्यप्रदेश का जनजातीय समुदाय अपनी विशिष्टताओं के बावजूद विकास की मुख्य धारा से लगभग अलग रहा, परन्तु अब यह स्थिति बदल रही है। आधुनिक समय के साथ कदमताल करते हुयें अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ मुख्य धारा में है और शिक्षा इनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में जनजातीय जनसंख्या 1,53,16,784 है। जो राज्य की जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत है, मध्यप्रदेश में कुल 43 जनजातीयॉ निवासरत है जिनमें गौड सबसे बडी जनजातीय है।

जनजाति का अर्थ–आज के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे मानव समूह निवास करते है जो आज भी सभ्यता और संस्कृति से अपरिचित है। जो सभ्य समाजों से दूर जंगल तथा पहाडी क्षेत्रों में निवास करते है, इन्हीं समूहों को आदिवासी, जनजाति, वनवासी आदि नामों से जाना जाता है।

परिभाषा –डॉ. रिवर्स के अनुसार–'जनजाति एक ऐसे प्रकार का समाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते है तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते है।'

हॉबेल के अनुसार–'एक जनजाति एक सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है जो एक सामान्य भाषा बोलता है तथा एक संस्कृति विशेष में रहता है।'

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार–अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के युवा अभिप्रेत है जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियॉ समझा जाता है।

आवास सहायता योजना–ऐसे महाविद्यालयनीय विद्यार्थी, जिन्हें छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, के लिये वर्ष 2013–14 से आवास सहायता योजना प्रारम्भ की गई। सम्भागीय मुख्यालय पर 2000/–रूपये प्रतिमाह जिला मुख्यालय पर 1250/–रूपये प्रतिमाह और विकासखण्ड/तहसील मुख्यालय पर 1000/– रूपये प्रतिमाह आवास सहायता प्रदान की जाती है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय–वर्ष 2012–13 में प्रारम्भ की गयी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवासीय व्यवस्था के साथ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

गुरूकुलम्–वर्ष 2017 से प्रारंभ की गई जनजातीय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु सम्भाग मुख्यालय में उच्च गुणवत्ता वाली अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना तथा नियमित शिक्षा के साथ ही राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इन विद्यार्थियों को जीवन में सफलता हेतु योग्य बनाना। प्रत्येक विद्यालय कक्षा 6 से 12 तक संचालित होगा। 720 सीट पर प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रत्येक कक्षा की 50 प्रतिशत सीट बालिका हेतु निर्धारित है। 4 सम्भागीय मुख्यालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं शहडोल में गुरूकुलम विद्यालय संचालित है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना–कन्याओं को शिक्षा हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति की सभी बालिकाओं को शिक्षा के प्रति रूचि बढाने के साथ–साथ अधिक से अधिक आगामी कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करवाये जाने हेतु सभी बालिकाओं को जो कक्षा 10वी उत्तीर्ण होकर कक्षा 11वीं में प्रवेश करती है, उन्हें 3000/–रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

विज्ञान एवं सामाजिक विषयों में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन योजना–कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में विज्ञान संकाय में प्रवेश लेने हेतु 2000/– रूपये प्रोत्साहन योजना तथा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके बीएस.सी. भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान में प्रवेश लेने पर 3000/– रूपये प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

जूनियर छात्रावास एवं सीनियर छात्रावास-वर्ष 01.01.1966 से प्रारंभ जूनियर छात्रावास जिसके अन्तर्गत कक्षा 6वी से 8वी तक छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क आवास, भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना एवं 01.01.1966 से ही प्रारंभ की गयी सीनियर छात्रावास योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 वीं से 12 वी तक छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क आवास, भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना।

राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 10 तक-वर्ष 01.01.72 से प्रारंभ यह योजना अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना कक्षा 1 से 5 तक समस्त बालक एवं बालिकाओं को 250 रूपये (10 माह हेतु) कक्षा 6 से 8 तक बालक 200 रूपये एवं बालिकाओं को 600 रूपये (10 माह हेतु) छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 9 से 10 के लिए बालको को 600 रूपये (10 माह हेतु) एवं बालिकाओं को 1800 रूपये (10 माह हेतु) देय है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-यह छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं , 12वीं एवं महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में स्नातक, परस्नातक, पीएच.डी. एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदाय की जाती है।

अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु साईकिल प्रदाय योजना- कन्याओं की सतत् शिक्षा एवं उच्च शाला में शाला त्याग की दर को कम करने के उद्देश्य से जनजाति की सभी बालिकाओं को कक्षा 10वीं के बाद उच्च कक्षा में शिक्षा निरन्तर रखने के लिए उच्चतर ,माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेने पर साईकिल प्रदाय योजना संचालित की जाती है, ऐसी जनजाति की बालिकायें जिन्हें शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 09वीं में साईकिल प्रदाय नहीं की गयी है, एवं जो कक्षा 11वीं में अध्ययन के लिए 02 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर आती है। उन्हें योजना का लाभ प्राप्त होगा।

छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क गणवेश-शासकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 वी तक समस्त छात्र-छात्राओं को 600/-प्रति छात्र/छात्रा के मान से दो जोडी गणवेश हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।

आकांक्षा योजना-यह योजना 1.1.2018 से प्रारम्भ की गयी। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से इंदौर, जबलपुर, भोपाल एवं ग्वालियर संभाग मुख्यालय पर कोचिंग की यह योजना लागू की गई। प्रत्येक केन्द्र पर इन्जीनियरिंग के लिये 2000, मेडीकल 100 एवं क्लेट के 100 कुल 4000 विद्यार्थियों को कक्षा 11 वी और 12 वीं में अध्ययन के साथ-साथ आवासीय सुविधा युक्त दो वर्षीय कोचिंग प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से दी जा रही है।

मेधावी पुरूस्कार योजना-रानी दुर्गावती एवं शंकरशाह पुरूस्कार योजना के स्थान पर वर्तमान में मेधावी पुरूस्कार योजना प्रारम्भ की गई। जिसके अन्तर्गत 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में प्रवीण्यता के आधार पर दिये जाते है। 10वीं के नियमित छात्र/छात्राओं को प्रथम 51,000/- द्वितीय 40000/-, तृतीय 30000/-, चतुर्थ 15000/-, पंचम 10000/-12 वीं के नियमित छात्र/छात्राओं को प्रथम 51000/-, द्वितीय 40000/- ,तृतीय 30000/-,चतुर्थ 20000/- पंचम 15000/- दिये जाते है।

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र-प्रदेश के 7 सम्भागीय मुख्यालयों क्रमश: (1)भोपाल(2) इंदौर(3)ग्वालियर(4)सागर(5)जबलपुर (6)रीवा(7) मुरैना पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। जिसके माध्यम से प्रदेश के प्रतिभावान जनजातीय वर्ग के युवाओं का विभिन्न प्रतियोगी जैसे म.प्र. लोक सेवा आयोग, बैकिंग, रेल्वे, कर्मचारी चयन आयोग पी.ई.बी. द्वारा आयोजित एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवायी जाती है।

सिविल सेवा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहनयोजना-म.प्र. लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारम्भिक, मुख्य एवं साक्षात्कार में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल होने वाले प्रतियोगियों को जिनके माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय 8 लाख रूपये से अधिक ना हो, प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20000/- रूपये, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000/- रूपये , साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर 25,000/- रूपये, अभ्यर्थी को केवल प्रथम बार सफलता प्राप्त होने पर प्रदान की जाती है। दूसरी बार सफलता प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त राशि की 50 प्रतिशत राशि दी जाती है। तीसरी बार सफल होने पर कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाता है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल होने वाले जनजातीय वर्ग के अभ्यार्थीयों को निम्नानुसार राशि प्रदान की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 40,000/- रूपये, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 80,000/- रूपये तथा साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर 50,000/- अखिल भारतीय सिविल सेवा में सफल अभ्यार्थियों के लिये आय सीमा का बंधन नहीं होता है।

निष्कर्ष-शासकीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं के शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व स्वास्थ्य संबंधी स्तर को ऊँचा उठाना तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षा प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, गणवेश, पुस्तक, साईकिल योजना, छात्रावास योजना संचालित करती है , साथ ही साथ उच्च शिक्षा तथा परीक्षा पूर्व कोचिंग, विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये भी प्रोत्साहित करती है। वर्तमान में सम्पूर्ण योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है, जिससे कम समय में लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा सके। जनजाति समुदाय में जागरूकता की कमी होने के कारण योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाता । अत: योजनाओं के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी सरकार के कंधो पर है। एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र होने के कारण इसकी यह जिम्मेदारी भी बनती है।

सुझाव:

1. कम साक्षरता वाले जिलो में अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षा सुदृढ़ीकरण की योजना बनाना।
2. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषत: जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा स्तर के अन्तर को समाप्त करना।
3. राज्य द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी पंचायत स्तर तक विस्तत जानकारी प्रदान की जानी चाहिये।
4. राज्य द्वारा सचालित जनजातीय वर्ग की शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी का पर्याप्त प्रचार-प्रसार जनजातीय विभाग द्वारा किया जाना चाहियें।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. खेत्रपाल बी.एस., भारत का संविधान, खेत्रपाल पब्लिकेशन इंदौर , संस्करण 2012
2. पटेल प्रो.कमल किशोर, म.प्र. सामान्य ज्ञान, महावीर प्रकाशन इंदौर, संस्करण 2020
3. अनुसूचित जनजाति विकास पोर्टल, मध्यप्रदेश
4. जनसंपर्क विभाग पोर्टल, मध्यप्रदेश शासन
5. http://cmhelpline.mp.gov.in/Schmedetail
6. http://www.tribal.mp.gov.in
7. http://www.mpboard online.com/class/12-socialogy-hm
8. http://ncst.nic.in

****

आत्मनिर्भर भारत अभियान : आर्थिक परिवर्तन की शुरूआत

डॉ. रश्मि चौहान*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, कसरावद, जिला-खरगोन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आत्मनिर्भर भारत अभियान के आशय पर विचार किया जाये तो इसका अर्थ है – दूसरो पर आश्रित होने के बजाय स्वयं पर निर्भर होना है। भारत मे यह शब्द 1905 मे प्रयोग किया गया। इस संबंध में लोगो से अपील की गई कि हमे अपने देश की बनी वस्तुओं को बडे स्तर पर बनाना है और उसका उपयोग करना है। जिसे स्वदेशी का नाम दिया गया। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वदेशी वस्तुओ को प्रयोग करने के लिये सत्याग्रह किया। कोरोना काल मे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरूआत की। इसके लिये आर्थिक पैकेजो की घोषणा द्वारा उन्होने आत्मनिर्भरता की अवधारणा को लोगो के बीच रखा। आत्मनिर्भर अभियान भारत में आर्थिक परिवर्तन को नई उँचाईयो की तरफ ले जायेगा। फलस्वरूप भारत सशक्त एवं मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने इसके लिये एक नारा दिया 'लोकल फॉर वोकल' के माध्यम से अपने उत्पादों को वैश्विक धरातल प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जो भविष्य में भारत के विकास में योगदान देगा। इस संन्दर्भ मे बी. परिमल का कथन यहॉ देखा जा सकता है– 'सभी जीवित प्राणियो की तीन मूलभूत जैविक आवश्यकताऐं है जिनकी पूर्ति व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उसके जीवित रहने के लिये आवश्यक है। ये आवश्यकताएं भोजन, पुनरूत्पादन और संरक्षण की है। सभी जीव अपने जन्म से विशेष गुणो, कौशल से युक्त होते है जो उन्हे अपनी मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति और स्वयं को वातावरण के अनुकूल रखने के योग्य बनाते है।' अत: आज आत्मनिर्भर भारत की शुरूआत भारत की आर्थिक परिवर्तन की तरफ लेकर आगे बढने का संकेत दे रही है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के चरण – आत्मनिर्भर भारत मिशन को दो चरणों में लागू किया जायेगा –पहले चरण में चिकित्सा एवं उससे जुडे क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, एवं खिलौने जैसे क्षेत्रो को बडे स्तर पर प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके लिये उचित बजट की व्यवस्था की जायेगी। विविध नीतियो का भी निर्माण कर उसका क्रियान्वयन किया जायेगा। दूसरे चरण में विविध रत्न आभूषण, फॉर्मा, एवं स्टील जैसे बडे क्षेत्रों को बडे पैमाने पर प्रोत्साहित किया जायेगा। इन क्षेत्रों मे उद्योगो की लगाने के लिये विशेष सुविधाएं दी जायेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिये आर्थिक पैकेज – आत्मनिर्भर भारत अभियान को व्यवहारिक धरातल पर क्रियान्वित करने के लिये विशेष आर्थिक प्रोत्साहनो को सुनिश्चत किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो के लिये विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजनाओ के साथ–साथ सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने की बात कही गई है। जिसके अन्तर्गत बडे उद्योगो कारखानो के लगाने के भी समुचित व्यवस्था की गई है।

निजी क्षेत्र को बढावा – आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य ध्येय अंतिम व्यक्ति को भी अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिये शिक्षा, तकनीकी योग्यता आदि के आधार पर अधिक से अधिक लोगो को रोजगार प्राप्त हो सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान की वैचारिकी के आत्मसात के तत्पश्चात् आमजन की सरकारी क्षेत्रों पर निर्भरता कम होगी। व्यक्ति अपने ज्ञान योग्यता और कौशल से अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने मे सक्षम होगा। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्रो को बडे स्तर पर बढावा मिल सकता है।

समान अवसर की उपलब्धता – भारत के विभिन्न क्षेत्रो में आमजन को अवसर की उपलब्धता या रोजगार की बात की जाये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है समान अवसर की दिशा मे यह कोशों दूर है। लोगो को समान अवसर नही मिलते जिससे यह स्थिति सम्पूर्ण विश्व के में है। भारत की बात करे तो यहॉ की अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है। पर्याप्त ज्ञान एवं कौशलता के बावजूद उन्हे समान रूप से रोजगार प्राप्त नही होता है व्यवसाय के लिये धन, वातावरण, स्थान, बाजार, कच्चा माल वितरण आदि की सुविधा नही मिलती है। इन सब बातो को ध्यान मे रखकर आत्मनिर्भर भारत अभियान में सभी समस्याओ का समाधान किया गया है। दूसरे शब्दो मे कहे तो आम लोगो को उनकी शिक्षा एवं योग्यता के अनुसार ऋण की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, विपणन की व्यवस्था, कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण आदि की सुविधा दी जा रही है अत: कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान द्वारा सभी को समान अवसर सुनिश्चित किये जा रहे है।

परम्परागत रोजगारो का निर्माण – भारत में परम्परागत रोजगार बडे पैमाने पर लगभग समाप्त हो चुके है। जैसे कुल्हड के स्थान पर प्लास्टिक एवं कागज के कप, पत्तो के पत्तल की जगह कागज एवं फाईवर की थॉलियॉ, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जो हमारे परम्परागत रोजगार को समाप्त करने हेतु सहायक है, ये चीज हमारे पर्यावरण के लिये भी घातक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान मे हमारे परम्परागत रोजगार को बढावा मिलेगा। परिणामस्वरूप परम्परागत वस्तुओ का तेजी से पुन: निर्माण होगा। वैसे कुछ परम्परागत रोजगारो के निर्माण के सृजन को देखा जा रहा है।

क्षेत्रीय पहचान की पुन: स्थापना – भारत की प्राचीनतम संस्कृति की पहचान विश्व धरातल पर रही है। किन्तु कुछ वर्षो से आधुनिकीकरण,

नगरीकरण, पश्चिमीकरण के कारण भारत की क्षेत्रीय पहचान कमजोर पडी है। लोग आधुनिक संस्थानो को बडे स्तर पर अपने जीवन का अंग बनाने लगे है। जिसके कारण हम अपने देश मे निर्माण होने वाली वस्तुओं पर आश्रित नहीं है, हमारे देश की पूँजी विदेश मे जा रही है। इन सबकों ध्यान मे रखते हुये भारत मे आत्मनिर्भर भारत अभियान की यात्रा को शुरू किया है। यह अभियान हमारे क्षेत्रीय पहचान को एक नई गति प्रदान करेगी, और पुन: क्षेत्रीय पहचान को एक बार पुन: स्थापित करेगी। साथ ही हमारी क्षेत्रीय पहचान विश्व स्तर पर भी स्थापित होगी, फलस्वरूप लोगो के आर्थिक स्तर पर भी सुधार होगा।

बेरोजगारो की समस्या को दूर करने मे मदद – भारत मे तेजी से बढती हुई बेरोजागारी को रोकने के लिये आत्मनिर्भर अभियान काफी हद तक मददगार साबित होगा। इस अभियान द्धारा कुशल लोगों को उनकी योग्यातानुसार काम मिलेगा और उनकी बेरोजगारी दूर होगी ।

गरीबी के स्तर मे कमी – गरीबी भारत के साथ–साथ विश्व की समस्या है। गरीबी के कारण जनसंख्या का अधिकांश भाग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नही कर पाती है, अत: गरीबी के स्तर को देखे तो भारत मे गरीबी बहुत है लोगो को दो वक्त का खाना भी नसीब नही हो पाता है। भारत मे आत्मनिर्भर अभियान के द्धारा लोगो की क्षमता अनुसार एवं सामर्थ्य के अनुरूप कार्य प्रदान किया जायेगा। फलस्वरूस्प गरीबी से निजात पाने में मदद मिलेगी। वस्तुत: आत्मनिर्भर भारत अभियान, अभियान ही नही वरन जनसंख्या के एक बडे भाग को गरीबी के स्तर से बाहर निकलने का रास्ता भी है।

राष्ट्र को मजबूती प्रदान होगी – आत्मनिर्भर भारत अभियान से एक ओर राष्ट्र और लोगो को बडी संख्या मे रोजगार प्रदान होगा। दूसरी ओर राष्ट्र को भी मजबूती मिलेगी। 'लोकल फॉर वोकल' की विचारधारा को अपनाने के कारण हमारी निर्भरता दूसरे देशो पर कम होगी। इसके साथ ही राष्ट्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोरोना काल मे देखे तो हमने मास्क, पीपीई किट, सेनेटाइजर आदि चीजो का बडे पैमाने पर उत्पादन किया है। वैक्सीन की बात करे तो दो वैक्सीनो को बनाकर भारत ने मिसाल कायम की है। यहॉ की बनी वैक्सीन को भारत ने दूसरे देशों में भी निर्यात किया है। इस प्रकार हम कह सकते है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान द्धारा लोगो को सशक्त बनाने के साथ हमारा राष्ट्र भी मजबूत हुआ है।

विश्व गुरू बनाने मे सहायक – पूर्व मे भारत सभी देशो का विश्व गुरू था क्योंकि हम अपनी प्रचीनतम संस्कृति पूज्य एवं मान्याओं के कारण दूसरे देशों मे अलग रहे है। वास्तव मे यह विचारधारा मानवतावाद को स्थापित करती है। भारत अनादि काल से ही मानवतावादी वैचारिकी से गतिमान रहा है। यहॉ के लोग स्वयं के लिये नही वरन वसुधैव कुटुम्बकम की वैचारिकी के साथ जीते है और वही वैचारिकी उन्हे विश्व गुरू के रूप में स्थापित करती है। आत्मनिर्भर भारत की वैचारिकी को लोग बडे स्तर पर आत्मसात कर रहे है। जिसके कारण आने वाले समय में हम प्रत्येक क्षेत्र मे समर्थ होगे। वास्तव मे यही समर्थता हमारे विश्व गुरू बनने के बडे सपने को एक बार पुन: साकार करेगीं

शिक्षा के क्षेत्र मे सबकी भागीदारी – शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसमें व्यक्ति का सर्वागीण विकास होता है। शिक्षा के अभाव मे हम सर्वागीण विकास की कल्पना नही कर सकते है। शिक्षा के महत्व को वोटमोर इन शब्दो मे कहते है–'कि व्यापक अर्थो में शिक्षा बचपन से लेकर प्रौढवस्था तक सर्वाधिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है।'

शिक्षा के क्षेत्र मे हम देखे तो इस क्षेत्र मे सम्पूर्ण भागीदारी अभी भी सुनिश्चित नही हो पाई है। यह स्थिति भारत की ही नही वरन दुनिया के कुछ देशों मे भी देखी जा सकती है। वैसे शिक्षा की भागीदारी मे गरीबी एक महत्वपूर्ण बाधक रही है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से लोगो को काम प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करना है। जिससे वे एवं उनके आश्रित अपनी शैक्षणिक जीवन की यात्रा को आगे बढा सके।

गॉव, शहर ओर कस्वों सभी का साथ बाजार की ओर – आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से जहॉ लोगो के स्वयं रोजगार होगे वहीं दूसरी ओर गॉव, शहर ओर कस्बा की यात्रा बाजार की तरफ आगे बढेगी। कहने का तात्पर्य यह कि गॉवो मे लोग अपने कौशल एवं कार्यक्षमता के आधार पर अपने रोजगार को यदि खडा करते है तो वहॉ भी एक प्रकार का बाजार खडा होगा। इस प्रकार हम कह सकते है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की वैचारिकी को अपनाने के कारण हासिए पर पडे लोग अपने गॉव, शहर एवं कस्बे को बाजार की ओर ले जायेगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान की वैचारिकी को आत्मसात करने के कारण आने वाले समय मे यह यात्रा और आगे बढेगी।

परम्परागत बाजारो की पुन: स्थापना – भारत मे आनादिकाल से परम्परागत बाजारो के स्वरूप को देखा जा सकता है। वैसे परम्परागत बाजारो के स्वरूप को भारत–भारत के साथ–साथ दुनिया के अधिकांश देशों मे भी देखा जा सकता है। बाजार की यात्रा के संबंध में हेरी. एम. जॉनसन कहते है– 'बाजार तब जन्म लेता है जब किसी वस्तु अथवा सेवा की पूर्ति करने वाले कई व्यक्ति हो और कई व्यक्ति अथव संगठन उस वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करना चाहते हों।'

परम्परागता बाजारो के अन्तर्गत ग्रामीण लोग स्वयं हस्तनिर्मित सामानो को लेकर एक निर्धारित, स्थान समय एवं दिन में उपस्थित होते है। जहॉ क्षेत्रीय लोगो के साथ–साथ शहरो से भी लोग वस्तुओ को खरीदने आते है। यहॉ तक की दूसरे देशो से भी लोग सामान खरीदने के लिये आते है। आज हम देखे की ऐसी स्थिति नही है। आधुनिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आदि के कारण बाजार खत्म हो चुके है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्धारा बाजारो की पुन: स्थापना होगी। हम परम्परागत वस्तुओ का निर्माण करके अपने परम्परागत बाजारो को स्थापित कर पायेगे। जिससे हमें वस्तुओ का उचित मूल्य प्राप्त होगा, और हमारी बेरोजगारी के साथ–साथ गरीबी दूर होगी और हम और हमारा राष्ट्र आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढेगा।

निष्कर्षत: हम कह सकते है कि इस शोध– पत्र के अन्तर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित विविध पक्षो का तथ्यगत वर्णन किया गया है। यह शोध–पत्र अनुभवजन्य पद्धति पर आधारित है जिसके अन्तर्गत यह दिखलाने का प्रयास किया गया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के बढते कदम से आधुनिक भारत मे संरचनात्मक परिवर्तन की एक नई यात्रा आगे बढी है, जैसे मानव सभ्यता की प्रारम्भिक यात्र आत्मनिर्भर रही है। किन्तु आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण की होड के कारण हम दूसरे पर निर्भर हो गये। आज पुन : हमारे देश ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का बीडा उठाया है। एक बार फिर भारत की परम्परागत शैली की पहचान वैश्विक स्तर पर बनी है। आत्मनिर्भर भारत की यात्रा भारत के प्रत्येक आमजन को सशक्त बनाने की यात्रा है। अपनी खोई पहचान को स्थापित

करने की यात्रा है। वास्तव में यह यात्रा आधुनिक भारत मे आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने की यात्राा है, जो भविष्य के भारत का निर्माण करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. परिमल बी (1999) :- समाजशास्त्र- सामाजिक अंत: क्रियाओं का अध्ययन, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रव्यूटर्स नई दिल्ली, पृ0 526।
2. वोटोमॉर टी.वी (2004) समाजशास्त्र अनुवाद गोपाल प्रधान प्रकाशक, ग्रन्थ शिल्पी इंडिया प्रा0 लि0 दिल्ली पृ0 251।
3. जॉनसन हैरी एम0 अनुवाद योगेश अटल(2004) समाजशास्त्र एक विधिवत विवेचन, प्रकाशक कल्याणी पब्लिशर्स नई दिल्ली पृ0-249।
4. रावत हरिकृष्ण (2001)-समाजशास्त्र विश्वकोष रावत पब्लिकेशन्स जयपुर एवं नई दिल्ली।
5. सिह जे0 पी0 (2013)- समाजशास्त्र अवधारणाएं एवं सिद्धांत पी.एच.आई लर्निका प्रायवेट लिमिटेड दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

कबीर के दर्शन में राम का स्वरूप

दशरथ आर्य *

* सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र) राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर, (म.प्र.)भारत

प्रस्तावना – कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में अंधविश्वास, आडंबर, रूढ़िवादिता का बोलबाला था। कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे फिर भी उन्होंने जो कुछ ज्ञान संचय किया वह सब सत्संग और आत्मानुभव से किया था। कबीर का तत्वज्ञान दार्शनिक ग्रंथो के अध्ययन का फल नहीं है बल्कि वह उनकी अनुभूति और सारग्राहिता का प्रसाद है। इन्होंने कोई दार्शनिक मत तो प्रस्तुत नहीं किया परंतु इन्होंने ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि पर जो विचार प्रस्तुत किए हैं उसी से इनके दार्शनिक विचारों का मूल्यांकन किया जा सकता है। कबीर एक युग दृष्टा कवि ही नहीं थे बल्कि आपके व्यक्तित्व में एक धर्मनिष्ठ साधक और कर्मनिष्ठ समाज सुधारक भी विद्यमान था। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे जिसे उन्होंने राम,मोहन, केशव, हरि,रहीम, गोविंद, निरंजन, नारायण, गोपाल, नरहरि, मुरारी, अल्लाह आदि अनेक नामों से संबोधित किया।

कबीर के अनुसार राम का स्वरूप – कबीर के पहले और बाद में राम भक्ति की एक परंपरा मिलती है। वाल्मीकि से लेकर तुलसी और आधुनिक काल में निराला की कविताओं में राम की गूंज मिलती है।परंतु कबीर के राम अवतारी राम नही है, पुराण प्रतिपादित राम नहीं है, दशरथी राम नहीं है बल्कि कबीर के राम तो अगम, अगोचरऔर अविनाशी है।कबीर अपने राम के विषय में कहते है–

'दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना,
राम नाम का मरम है आना।'

कबीर ने अव्यक्तअनिर्वचनीय निराकार ब्रह्म को 'राम' नाम से अधिक संबोधित किया है अर्थात राम नाम से तात्पर्य कबीर का निर्गुण ब्रह्म से है। कबीर ने कहा है–

'निरगुण राम निरगुण राम जपहुं रे भाई'

कबीर ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है।इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के लिए 'राम' नाम का प्रयोग किया है।ऐसा कहा जाता हैं कि ब्रह्ममुहूर्त में घाट पर सोए कबीर पर रामानंदजी के पैर पड़े तो उन्होंने कहा – 'राम राम' कहा। रामानंदजी के इसी कथन को कबीर ने गुरुमंत्र मान लिया और राम की भक्ति करने लगे।

कबीर के राम अवतारी राम नहीं है। कबीर ने अपने उपास्य राम को निर्गुण माना है जो जन्म मरण से परे है तथा यौनिज मनुष्य की भांति सत, रज, तम गुणों में बंधता नहीं है। कबीर अपने राम का निर्माण मौलिक रूप से विभिन्न घटकों के संयोजन से करते है।सिर्फ हममें परखने दृष्टि और सहने की मानसिक क्षमता होनी चाहिए। अपने भगवान के साथ मानवीय संबंध की कल्पना करना बहुत कठिन है, फिर भी कबीर अपने राम के साथ भाव रूप में मानवीय संबंध स्थापित करते है। कबीर अपने उपास्य राम को माता, पिता, भरतार के रूप में देखते है और कहते है –

'हरि जननी मैं बालिक तेरा।'
'बाप राम राया अबहूँ सरन तिहारी।'
'हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया'

कबीर अपने राम के साथ मधुर संबंधों की स्थापना करते हैं और वे दांपत्य प्रेम पद्धति का सहारा लेते हैं। वह स्वयं को राम की प्रेमिका मानते हुए कहते हैं कि –

'बालम आउ हमारे गेह रे।
तुम बिन दुखिया देह रे।'

कबीर स्वयं को राम का कुत्ता बताते हुए कहते है –

'कबीर कुता राम का, मुतिया मेरा नाऊँ।
गलै राम की जेवड़ी, जित खैंचे तित जाऊँ।।'

कबीर राम को अपने शरीर के भीतर बताते हुए कहते है कि उसे मन्दिर मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं है।

'मोको कहाँ ढूढें बंदे, मैं तो तेरे पास में।
ना मैं देवल ना मैं मसजिद, ना काबे कैलास में।।'

उन्होंने राम को सबके भीतर बताया ताकि

1. भक्ति में मूर्तिपूजा, बाह्र्चार और पंडित रूपी बिचौलिए से व्यक्ति बचा रहे।
2. चूंकि सभी के भीतर एक ही राम है इसलिए सभी मानव समान है।

कबीर उस राम को महत्वपूर्ण नहीं मानते जो खुद तो मंदिर में सोता है और व्यक्ति को समाज निरपेक्ष होकर भक्ति करना सिखाता है। वह पत्थर की मूर्ति के सिवा कुछ नहीं। उनके अनुसार पत्थर की मूर्ति से महत्वपूर्ण तो चक्की है जिससे अनाज पीसकर व्यक्ति खाता है। निर्गुण भक्तो के यहाँ काम महत्वपूर्ण है और कबीर के राम उन्हें काम करने की प्रेरणा देते है। मूर्तिपूजा का विरोध और श्रम की महत्ता बताते हुए कबीर कहते है–

'पाहन पूजै हरि मिले तो मैं पूजूँ पहार।
चाकी क्यों नहीं पूजिए पीस खाए संसार।'

कबीर के लिए राममय होने का अर्थ है – प्रेममय होना। कबीर रामभक्ति की श्रेणी नहीं बनाते है।वे कहते है जिसके भीतर राम है कबीर उसके पैर की धुल है–

'जिहिं घटि राम रहे भरपूरि,
ताकि मैं चरनन की धूरि।'

राम के विषय में कबीर ने जो विचार व्यक्त किए हैं वे उनकी स्वानुभूति

का परिणाम है। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह बुद्धि और हृदय के योग से कहा। राम के साक्षात्कार का वर्णन करते हुए वे कहते हैं –

'लाली मेरे लाल की जित देखु तित लाल।
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गईलाल।'

अद्वैतानुभूति को अभिव्यक्त करते हुए वे कहते हैं –

'कस्तूरि कुंडल बसे,मृग ढूंढे बन माहिं
ऐसे घट घट राम हैं, दुनियाँ देखत नाहिं।'

कबीर कहते हैं कि राम कस्तूरी की सुगंध के समान सूक्ष्म है और हर किसी के अंतर में उसका निवास है पर अज्ञानी मनुष्य वनों और गुफाओं रूपी इस संसार में उनकी तलाश कर रहा है। राम जब प्रत्येक के अंतर में निवास कर रहा है तो उन्हें मंदिर, मस्जिद आदि बाहरी स्थानों में ढूंढने की क्या आवश्यकता है।

कबीर के राम अगम, अगोचर, अविनाशी, अरूप, अनाम, निराकार और निरंजन हैं। वह तेजोमय है। राम लोकातीत है फिर भी वह लोक में सर्वत्र व्याप्त है। घट घट में उनका निवास है तथा बाहर प्रकृति में भी हर ओर उनका ही प्रतिबिंब है।राम सबके अंदर हैं तथा सब राम के अंदर हैं, बिल्कुल सागर में डूबे घड़े के समान –

'जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहरि भीतरि पानी।
फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यह ततकथौ गियानी।'

कबीर कहते हैं राम तो घट घट वासी हैं फिर भी मूर्ख लोग उन्हें बाहर खोजते हैं। आत्मज्ञान से ही वह मिलते हैं, तीर्थ व्रत से नहीं। वे कहते हैं–

'पानी बीच मीन पियासी।
मोहि सुन सुन आवै हाँसी।'

कबीर कहते हैं राम ही सत्य है। वह सबसे परे है वह शून्य में स्थित है और जो निरीह भक्त हैं वही उसे प्राप्त कर सकता है।कबीर ने राम की शक्ति और स्वरूप को अनिर्वचनीय कहा है। वह रहस्यमय है, उसकी शक्ति अपार है। राम को पाना बहुत ही कठिन है। उसे पाने के लिए साधक को अपने विवेक से साधना पद्धति चुनकर उस पर चलना होगा।

'करता की गति अगम है, तू चल अपणें उनमान।
धीरैं–धीरैं पाँव दे, पहुँचेंगे परवान।'

कबीर कहते हैं कि मैं राम को खोजते खोजते राममय हो गया हूं। स्वयं राम ने आकर स्वयं को मुझ से एकाकार कर लिया है। अब दोनों की पृथक सत्ता नहीं रह गई हैं।

'हेरत – हेरत है सखी, रहा कबीर हिराइ।
समंद समाना बूंद में, सो कत हेर्या जाई।'

कबीर कहते हैं कि ब्रह्म ही इस जगत का एकमात्र कारण है और आत्मा से अभिन्न है।बीज का ही परिणत रूप यह जगत है। जिस प्रकार वह समस्त आकाश महाकाश में ही वर्तमान है उसी प्रकार जो कुछ भी अनंत प्रकार की वस्तुएं दिख रही है वह ब्रह्म का ही अंग है।

'साधौ, ब्रह्म अलख लखाया, जब आप आप दरसाया।
बीज–मध्द ज्यों बृच्छा दरसै, बृच्छा मद्धे छाया।'

कबीर कहते हैं की जगत असत्य है राम सत्य है। सत्य अर्थात जो रह सके। जिसमें सदैव रहने की प्रकृति या गुण हो। किसी ने कबीर से पूछा यह सत्य राम कैसे हैं? तो कबीर ने बताया मैं कुछ नहीं कह सकता। मारी कहूं तो डर लगता है और इसका कहूं तो झूठा होगा। मैंने कभी देखा नहीं अपनी आंखों से, मैं राम को क्या जानू।

'मारी कहौत बहु डरौं, हलका कहौं तो झूठ।
मैं का जाणों रा कूं, आंखिन कबहुन दीख।'

राम को कबीरने वन वन ढूंढा लेकिन नहीं मिले।हाँ राम जैसे मनुष्य मिले, कबीर के यही मनुष्य काम आए।

'कबीर बन बन में फिरा कारणी अपने राम।
राम सरीखे जन मिले तिन सारे सब काम।'

कबीर के दर्शन में श्रमिक संस्कृति का वर्णन हुआ है। वे श्रम करते हुए राम का नाम लेने में विश्वास करते हैं।कबीर के राम इधर उधर भगवान की खोज करने वालों को नहीं मिलते। उनके राम को निस्पृह, निश्छल प्रेम से ही पाया जा सकता है।

कबीर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राम सारे संसार में व्याप्त है। कबीर के राम का रूप अपार महिमाशाली है।उसकी शक्ति, प्रकाश तथा रुप स्वरुप तक कोई नहीं पहुंच सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि कबीर के निर्गुण राम का मतलब गुणहीन होना नहीं है बल्कि गुणातीत होना हैं।

निष्कर्ष – कबीर के राम राजा न हो, लोकनायक न हो लेकिन वह निर्गुण होते हुए भी सामाजिक मानवीय गुणों के प्रतीक स्रोत एवं समुच्चय हैं।कबीर के राम लोक में समाए जरूर है लेकिन निराकार है। कबीर की रामभक्ति सिर्फ आध्यात्मिक जगत की नहीं हैद्य उनकी भक्ति में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक निहितार्थ छिपे हुए है। कबीर के दर्शन में राम रचे बसे है। कबीर से बड़ा रामभक्त कौन हो सकता है।कबीर अपने राम के माध्यम से मानव में आध्यात्मिक उत्कर्ष नहीं चाहते है।उनके लिए समाज मे मनुष्यत्व का जागरण ज्यादा महत्वपूर्ण है।कबीर अपने राम के माध्यम से ऐसा सतयुग लाना चाहते है जहाँ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मनुष्य की हैसियत से मिले।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची: –

1 दास, श्यामसुन्दर (2018), कबीर ग्रंथावली, आमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
2 वंशी, बलदेव (2013), संतों का संसार, अमन प्रकाशन, कानपुर।
3 दूहन, लालचन्द 'जिज्ञासु' (2008), कबीर वाणी अमृत सन्देश मनोज पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
4 यादव, बी.पी. (1979), कबीर काव्य के स्त्रोत, अनुपम प्रकाशन, पटना।
5 द्विवेदी, एच.पी. (2000), कबीर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

स्वामी विवेकानंद की शैक्षिक विचारधारा का अध्ययन

डॉ. विजया थोटेकर*

* सहायक प्राध्यापक (शिक्षा संकाय) राजीव गाँधी महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र 'स्वामी विवेकानंद की शैक्षिक विचार धारा का अध्ययन' का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों के आधार पर उनके शिक्षा दर्शन को सुव्यवस्थित करने ओर उनके दर्शन के प्रयोगात्मक आधार पर शिक्षा का अर्थ उद्देश्य प्रणालियाँ आदि की मीमांसा प्रस्तुत करने के लिये नियोजित किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक व वर्णनात्मक अनुसंधान विधि को आधार बनाया गया है तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों के द्वारा निष्कर्ष निकाले गये हैं। स्वामी विवेकानंद भारत की महान आत्मा थे जिनके प्रति वर्तमान पीढी ऋणी है और भावी पीढी सदैव ऋणी रहेगी। स्वामी जी की शिक्षा में परम्परा, आधुनिकता, पूर्व –पश्चिम आध्यमिकता तथा वैज्ञानिकता का सामंजस्य एवं समन्वय विशेष उल्लेखनीय है। इस शिक्षा के द्वारा उन्होंने समाज सेवा एवं जनशिक्षा, आध्यात्मिक एवं धार्मिक पुनरूत्थान वजागृति को प्रमुख ध्येय माना है। निष्कर्ष में पाया कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों पर आज जो अंधकार एवं निराशा हमें घेरे हुए है, उसमें आशा की किरण शिक्षा संस्थाओं तथा शिक्षकों से ही प्राप्त ही सकती है। समाज में भविष्य का निर्माण करने वाले अध्यापकों को सुमुचित सम्मान देना होगा। स्वामी जी का दर्शन बहुआयामी है। आधुनिक शिक्षा को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का अमूल्य योगदान है।

शब्द कुंजी – स्वामी विवेकानंद, शैक्षिक विचार, शिक्षा प्रणाली।

प्रस्तावना –शिक्षा जीवन का आधार है बिना शिक्षा प्राप्त किये मनुष्य की स्थिति पशुवत होती है अत: स्वामी जी ने शिक्षा को मनुष्य जीवन का सबसे अहम हिस्सा माना है। स्वामी जी ने शिक्षा को व्यक्ति का आत्मविश्वास व व्यक्तिगत विकास का एक रूप माना है शिक्षा को आत्म विकास की प्रक्रिया माना है। बालक स्वयं अपने को शिक्षित करता है विवेकानंद के शब्दो में 'जिस तरह आप एक पौधा नही उगा सकते उसी तरह आप किसी बालक को शिक्षा नहीं दे सकते पौधा स्वयं अपनी पृक्रति को विकसित करता है।' परन्तु क्या इसका अर्थ यह है कि शिक्षा में शिक्षक का कोई महत्व नही है ? शिक्षा की प्रकिया में शिक्षक का महत्व बालक के आत्म विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करने में है। अत: स्वामी जी शिक्षा में किसी प्रकार का दबाव न चाहते हुए बालक के जीवन में स्वतंत्र शिक्षा दर्शन व्यवधान चाहते हैं।

स्वामी विवेकानंद शिक्षा में निरंतर परिवर्तन के पक्षधर थे और मनुष्य की आंतरिक प्रतिभा को उभारने पर जोर देते थे। उन्होंने कहा था विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। उनकी शिक्षा प्रणाली भारत की दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा के अनुरूप थी वे स्वदेशी के जबर्दस्त हिमायती थे और पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण के विरूद्ध थे जहॉं उन्होनें एक और भारत को पाश्चात्य विज्ञान और प्रवृत्तिवाद अपनाने के लिए कहा, उन्होनें दूसरी और ब्रहाचर्य और आध्यात्म के प्राचीन आदर्शो को शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान दिया है।

डॉ. आर.एस. मनी के शब्दों में –'उनके जीवन का लक्ष्य इस बात का प्रचार करना था कि लोगों में श्रद्धा तथा मानसिक चेतना का विकास हो वे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करे तथा अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिये त्याग दे। यही थी उनकी इच्छा तथा आर्शीवाद।'

अध्ययन की आवश्यकता :– भारत की वर्तमान शिक्षा–प्रणाली अंग्रेजों द्वारा आरोपित एक विदेशी शिक्षा प्रणाली है। आज इस बात की आवश्यकता है कि यदि हम वास्तविक अर्थो में भारतीय नागरिक चाहते हैं तो प्रचलित शिक्षा पद्धति की समीक्षा करके उसका उन्मूलन करना तथा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित करना होगा जिसका आधार भारतीय संस्कृति हो। यदि भावी नागरिकों में भारतीयता तथा राष्ट्रीयता के गुणों को विकसित करना है तो वर्तमान शिक्षा पद्धति में परिवर्तन अनिवार्य है। आज चारों दिशाओं से भारतीय चिंतक व शिक्षाविद भारतीयकरण की मांग कर रहे है तथा समय की भी यही मॉंग है।

अध्ययन का महत्व– आज का युग ज्ञान के विस्फोट का युग है। विष्व में ज्ञान विज्ञान का प्रसार तीव्र गति से हो रहा है। अत: पश्चिमी और पूर्वी विद्धानों की दार्शनिक विचारधारा पर आधारित शिक्षा दर्शन का विकास करना आज के युग की महती आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद भारत के ऐसे दार्शनिक है जिन्होने शिक्षा को नवीन व्याख्या प्रदान की। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद तथा अन्य विचारकों एवं विद्वानों के संबंध में शैक्षिक अध्ययन उन व्यक्तियों के लिये मूल्यवान, महत्वपूर्ण एवं उपादेय होगे जिन्हे वर्तमान तथा भविष्य में अपने देश अथवा विश्व की व्यवस्था के निर्माण का दायित्व ग्रहण करना है।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. स्वामी विवेकानंद जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उददेष्यों पर उध्ययन।
2. शिक्षा शास्त्री के रूप में स्वामी जी के विचारों का अध्ययन करना।

अध्ययन विधि:– प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति दार्शनिक है। इसका मुख्य आधार शैक्षिक विचार तथा साहित्य है। अध्ययन विधि को अधिक उपयोगी बनाने के लिये इसमें शिक्षा विधियों के साथ–साथ स्थानीय दशाओं के आधार पर प्राप्त अधिकतम साहित्य का उपयोग करने का प्रयास किया

गया है। इसके साथ-साथ ऐतिहासिक व वर्णात्मक विधि का भी उपयोग किया गया है। वर्तमान शिक्षा पंति को प्रकाशित करने के लिये ऐतिहासिक अनुसंधान विधि को अपनाया है।

जीवन-वृतान्त – महान हिन्दु सन्यासी स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ई. में कलकत्ता के एक प्रमुख दत्त परिवार में हुआ। ये कुशाग्र बुद्धि वाले तथा परिश्रमशील तथा निर्भयता की दृष्टि में अन्य बालकों से अलग थे। स्वामी जी ने शिक्षा प्राप्ति के साथ-साथ ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति को भी अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी एवं पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। माता ने पुत्र का नाम वीरेश्वर रखा किन्तु घर में नरेन्द्र दत्त के नाम से इन्हे संबोधित किया जाता था। नरेन्द्र का स्वभाव बचपन से ही निर्भीक, प्रतिभाशाली एवं तेजस्वी था, नरेन्द्र को कोई भी किताब एक बार पढ लेने पर कंठस्थ हो जाती थी। उनमें असाधारण प्रतिभा के साथ-साथ विलक्षण स्मरण शक्ति भी थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें विवेकानंद नाम दिया। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के गुरू थे। सन् 1893 में शिकागो में हुई विश्व-धर्म सम्मेलन में हिन्दु धर्म का बडी पाटुता के साथ समर्थन किया भारत में इन्होनें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकसेवा जनसेवा व समाज कल्याण करना था।

वर्तमान शोध अध्ययन के निष्कर्ष– स्वामी विवेकानंद के विचार आज की भारतीय शैक्षिक परिस्थितियों में अत्यंत प्रासंगिक है। स्वामी जी का दर्शन बहुआयामी है। जिसमें मानव जीवन के अनेक पहलुओं पर विचार करते हुए उसके शैक्षणिक क्षेत्र की विवेचना की गई है। भारत ने दीर्घकालीन परतंत्रता की श्रृंखलाओं को तोडकर स्वतंत्र वातावरण में जब अपनी श्वास ली तब यह आवश्यक हो गया था कि उस सामाजिक परिवर्तन के दौर में शिक्षा व्यवस्था में भी अपेक्षित परिवर्तन लाये जायें अर्थात् भौतिक मूल्यों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के मध्य संतुलन स्थापित किया जाये और इस समन्वय तथा संतुलन के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यो को स्पष्ट किया जाये, तथा राष्ट्रवाद को अंतराष्ट्रीयवाद का सहयोगी बनाया जाये। इस समस्त विचारों की पृष्ठभूमि में स्वामी विवेकानंद की शिक्षा दर्शन का विकास हुआ। इनकी दृष्टि में समाज के नव निर्माण का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा ही संभव है। स्वामी विवेकानंद ने अपने शैक्षिक विचार अपने विभिन्न भाषणों तथा रचनाओं में अभिव्यक्त किये हैं।

आधुनिक शैक्षिक संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की महान उपयोगिता है। इसमें ऐसे शैक्षिक सिद्धांतों, मान्यताओं तथा अवधारणाओं का समायोजन मिलता है। जिसके आधार पर इसे आधुनिक भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं के संदर्भ में एक सजीव शिक्षा दर्शन कहा जा सकता है तथा इसकी उपयोगिता भविष्य में भी अक्षुण रहेगी।

भावी शोध हेतु सुझाव – वर्तमान अध्ययन में स्वामी विवेकानंद को महान शिक्षा दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया है। समय एवं साधन की सीमाओं के कारण यह अध्ययन सीमित है। अतः स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचारों का ओर अधिक अध्ययन होना चाहिए।

आधुनिक युग में भारतीय शिक्षा तथा पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों में ऐसे बहुत से विचारक हैं। जिनके साथ स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन करने पर शिक्षा क्षेत्र में शोध कार्य हेतु नये आयामों की प्राप्ति हो सकती है। भारत के आधुनिक युग के प्रसिद्ध शिक्षा दार्शनिक जैसे-डॉ. राधाकृष्णन, अरविंद घोष, रवीन्द्र नाथ टैगोर, महात्मागॉधी तथा विनोबा भावे आदि के नाम इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी प्रकार प्लेटों आदि आदर्शवादी शिक्षा विचारकों के साथ स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. डॉ. अस्थाना गीता एवं पाण्डा अनिल कुमार (2009),'साहित्य रत्नालय कानपुर', पेज नं. 234-239.
2. मजूमदार, सत्येन्द्रनाथ (1999), विवेकानंद चरित रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, धन्तोली नागपुर.
3. विवेकानंद स्वामी (2013), रामकृष्ण मठ, नागपुर, पेज नं. 67.
4. विवेकानंद स्वामी (2012), आंकाक्षा प्रकाशन, दिल्ली, पेज नं. 58-60.
5. विवेकानंद स्वामी (2013) रामकृष्ण मठ, नागपुर, पेज नं. 44-47.

वेबसाइट :-

1. www.eric.ed.gov
2. www.enwikipedia.org/wiki
3. www.google.co.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Evaluation of Vermitechnology Versus Chemical Fertilizer & Its Response on Growth and Yield of Radish

Hritika Saini* Prof. (Dr.) Sunita Agarwal**

***Ph.D. Scholar, P.G. Department of Home Science University of Rajasthan, Jaipur (Raj.) INDIA**
**** Professor, P.G. Department of Home Science University of Rajasthan, Jaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - Plant growth is influenced by nutrients and growth media. Farmers today employ large amounts of artificial fertilisers and pesticides to increase the yield of diverse field crops. These chemical fertilisers and insecticides reduced soil fertility and harmed customers' health. Because of the negative impacts of artificial fertilisers, interest in organic manures has grown. Vermitechnology benefits plant health, growth, soil fertility, plant production, and human health by producing more nutritious and safe food. Vermitech approaches, such as vermicomposting, vermiconservationvermiculture, vermiwash, vetmitea, and others, are gaining popularity as nutrient supply and pesticide properties alternatives to standard agricultural practises.Vermiwash, a widely used application of vermitechnology, is the wash of the earthworm's celomic fluid and the watery extract of the bedding materials containing significant amounts of macro and micronutrients, natural growth hormones, beneficial microbes, vitamins, amino acids and nematicidal properties There are many reports of PGR (Plant Growth Regulatory) activity in vermiwash.For this experiment 25 pots were selected to grow radish plant. 5 treatments which were applied in the experiment were namely,T1vermiwash, T2 vermitea,T3 vermicompost, T4 chemical fertilizer and T5 control. Per treatment 5 pots were use. Vermiwash and vermitea were prepared by the investigator and vermicompost and chemical fertilizer were purchased from the market. The results also advocate that vermiwash, vermitea and vermicompost positively influence growth, yield, quality. The maximum fruit weight were recorded in vermiwash, followed by Vermicompost and vermitea fertilized plant. Vermiwash, vermitea and vermicompost were found significantly superior for number of leaves, maximum fruit diameter and maximum fruit weight over chemical fertilizer and control. Vermitechnology treated plants produced fruit containing significantly higher amount of vitamin C and Calcium content in radish (leaves). Soil treated with vermiwash, vermitea and vermicompost were found better in ph, organic carbon, available phosphorus and potassium.
Keywords- Vermitechnology, Vermiwash, Vermitea, vermicompost.

Introduction - In the twentieth century, now-standard agronomic practices such as frequent mechanical tillage and copious chemical fertilizer and pesticide treatments supplanted traditional practices such as cover crops and various crop rotations. Since the 1940s, mainstream agronomic research has mostly concentrated on increasing agricultural yields, increasing crop protein content, and using chemicals to manage pests. However, new acknowledgment of the importance of soil life in determining crop nutrient density raises concerns about whether now-standard practices have unwittingly depleted crops of micronutrients and phytochemicals crucial for human health. Farmers and natural philosophers have long been concerned about soil erosion and degradation of soil fertility, with efforts to improve soils in the United States dating back to colonial times and drawing on practices independently adopted by indigenous peoples around the world. Soil fertility has developed from a divinely gifted boon to an intrinsic property imposed by climate and geology, with contingent components subject to dramatic alteration through farming practices and soil husbandry. The traditional notion of crop mineral nutrition has lately been reframed around physiologically mediated plant-soil interactions.

Source of Organic Fertilizers: The principal organic fertilizers were derived from peat, animal waste (typically from slaughterhouses), agricultural plant waste, and sewage sludge. Animal waste from meat processing, peat, and slurry are examples of naturally occurring organic fertilizers. Organic fertilizers are carbon-based substances that improve plant productivity and growth quality. Organic fertilizers were complex molecules that added several secondary and micronutrients, rather than being purified and simplified chemicals. Manures, powdered rocks (such as lime, rock phosphate, and greensand), blood meal, bone meal, wood ash, and compost all contain critical micronutrients, and their texture would benefit rather than degrade soil quality. The emphasis of organic farmers on

utilizing solely organic fertilizers for fertility remains. Organic farming is a way of life in many ways, as it is an agricultural approach. Soil nutrient depletion and degradation have been identified as important causes of lower crop yields and per capita food production and have been characterized as substantial challenges to agricultural productivity. Organic farming not only benefits the environment and food quality, but it also considerably assists farmers in becoming self-sufficient in their agro-input requirements and lowering their prices. Organic farming seeks a blend of organic, environmental, social, and ethical goals.

Importance of Organic Fertilizer: Organic fertilizers differed from chemical fertilizers in that the components were derived from plants, animals, or minerals. Decomposing waste from these sources would naturally decompose and supply nutrients and minerals to the soil. When it came to lawn upkeep, it was critical to ensure that the lawn or garden received all of the nutrients that it required for healthy growth. Although nutrients are present in typical soil, fertilizers can offer them and ensure that the plant has balanced and appropriate access to them. Proper lawn care also includes caring for the lawn and garden's health. Organic fertilizer had the advantage of releasing nutrients more slowly than chemical fertilizers.

This longer procedure allows the plant to process the fertilizer in a more natural manner, avoiding over-fertilization, which could harm the plant. Soil drainage and air circulation can be increased as well. A compost pile was also an excellent way to get rid of food waste while simultaneously contributing to grass upkeep and the environment. It was a valuable choice that would benefit the land and ecosystem while producing the best plants. Synthetic fertilizers typically contain chemicals that are not biodegradable. These chemicals leak into the soil and eventually make their way into the water system, where birds and other species consume them.Organic fertiliser, on the other hand, lacked such hazardous substances and hence did not pose this risk, even with increased use. Furthermore, when synthetic fertilisers are sprayed on plants and lawns, they immediately endanger children and pets who play in the garden and on the grass. When employing these chemicals, exercise caution and restrict your exposure. Organic fertilisers, as opposed to chemical fertilisers, lower soil acidity and do not induce leaching. They do not destroy beneficial soil bacteria. Organic fertilisers also enhance soil structure by increasing air circulation, which supports beneficial microbes that help release nutrients into the soil.

Methodology: Radish (Raphanussativus) as a healthy vegetable food has an important role in the human diet. It is a cheap source of high-quality vitamins C and Calcium in the diets of millions of people in developing countries, who cannot afford the high cost of vitamins for a balanced diet. In addition to vitamins, it is a good source of potassium and minerals. The paper aims to analyze different types of fertilizers related to the effect of chemical fertilizers versus organic fertilizers on growth and productivity of Radish and the effect of soil.

The experiment is housed in a completely random design. Radish was planted in the kitchen garden in Jaipur. Sandy loam soil was obtained from the nursery. The soil was sifted to remove any stone or debris and then sun-dried for 10 days. Conical earthen pots 30.48 cm heights and 30.48 cm in diameters were selected for growing vegetables. Each pot was filled with 10 kg after crocking, to avoid losing water and soil. Before starting the experiment, a soil sample was collected from the soil mound.

Experiment details

1. Treatment

Table 1: The quantities of various fertilizer inputs

S.	Treatment Quantity (on area weight basis)	Fertilizer Recommendation
1.	(T1) Vermiwash	1litter (for 10 litter water)
2.	(T2) Vermitea	10litter (for 10 litter water)
3.	(T3) Vermicompost	0.625 kg
4.	(T4) Chemical Fertilizer	Urea 1.08g
		SSP 1.88g
		MoP 0.66g
5.	(T5) Control	Only Tap Water

Experiment

Replication: 5

Number of plant per pot: 1

Number of experiment: 3

Seasons: Oct. 15th 2015, January 15th 2016, July15th2017

Vermiwash, vermitea, vermicompost, chemical fertilizers and control versus inorganic (chemical) fertilizer inputs on growth and yield of radish. For the experiment, Eiseniafetida was selected as earthworm and casting treatment. These are voracious cannibals. Eiseniafetida has a wide temperature tolerance.

Produced with buckets, Vermiwash is a liquid fertilizer obtained from earthworms and used as a foliar spray. It contains plant growth hormones like auxins and cytokines apart from nitrogen, phosphorous, potash and other micronutrients. Falling water removes all secretions from the body of earthworms as well as other nutrients from decomposing matter. The pooled water contains many nutrients readily available to crop plants.

Vermitea is produced when worm castings are mixed with water and molasses and fermented for 24 hours. Molasses was a food source for beneficial microorganisms that are part of the worms' castings. The fermentation process multiplies the beneficial microorganisms of the worm that quickly pours tea. The chemical fertilizer urea, monophosphate (SSP) and potash murates (MoP), was weighted according to radishrequirements. One superphosphate and potash murates were added to the soil at the initial level. Urea was added in three divided doses, the first dose was applied 15 days after sowing the seeds. Potted seeds of the "Pusachetki" radish variety. 5

pots were prepared for each treatment separately. I planted 25 seeds 2.5 cm below the top layer of soil. Only one plant was allowed to grow to maturity on all vegetables. Initially the soil was moistened with 2 liters of water. In the summer seasons 500 ml. water was poured every day in the evening and during the winter the same amount of water was poured every alternate day. All the pots are arranged in such a way that they receive uniform sunlight.

Representative samples of radish fruit were collected from each treatment for vitamin C and calcium content. Soil sample was collected from each pot to evaluate the impact of various fertilizer inputs on soil. Then soil was sun dried for 15 days and reused for next experiment.

The soil was reused for next experiment with same treatment and vegetable. In each pot, same treatment input in measured amount was added in next experiment.

The experiment data for growth yield and quality parameters recorded were subjected to statistical analysis using analysis of variance technique. The critical differences for the treatment comparison were worked out at 5 percent level of significance.

Results: Analysis of variance showed that various organic fertilizers have significantly better on growth and yield attributes.

Table 1 (seein last page)

It is evident from the Table 1 that seedling germination started on the 4th day. The analysis of results indicate that total number of seedling germinated was the maximum with T1 (vermiwash) in the all three experiments respectively. Treatments T1 and T3 (vermicompost) were found significantly superior over T4 (chemical fertilizer) and T5 (control) at 5% level of significance.

The lowest numbers of seeds (36) were germinated with T5. Treatment T2 - 79.2 (vermitea) registered its significant superiority over T5 36 consistently.

Table2 (see in last page)

i. Plant height at 15th day: Table 2 indicates that the maximum plant height of 9.00 and 10.60 cm was recorded at 15th day with T1 treated plants during the second and third experiment. The radish cultivated with T2, T3, T4 and T5 attained 9.60, 10.20, 5.84 and 4.66 cm height respectively in the third experiment. Therefore, T1 and T3 were found at par with respect to plant height at 15th day. Treatment T3 and T2 also found to be significantly superior over T4 and T5 at 5% level in the third experiment.

ii. Plant height at 55th day: Table 2 depicts that the maximum plant height of 50.44 cm was recorded in T1 (vermiwash) treated plants followed by T3 (vermicompost) treated plants (49.18 cm) in the third experiment.

The organic treatments T1, T2 and T3 attained significant superiority over T4 and T5. Treatment T5 (control) attained the maximum of 30.70 cm height in the first experiment

iii.Root weight of radish: An examination of data of the Table 3 indicates that T1 (vermiwash) had significantly better root weight in all the experiments with 225.51, 248.80 and 276.26 being root weight. It is evident from the data that use of T1 significantly increased root weight of radish over all other treatments in all the three experiments.

Table 3(seein last page)

iv. Root diameter of Radish: The data indicates impact of various fertilizer inputs on root diameter in all the three experiments. T1 (vermiwash) fertilized plants produced maximum root diameter of 6.94 cm in the third experiment. In plants fertilized with T3, the maximum root diameter recorded was 6.58 cm in the third experiment.

Treatment T1 (vermiwash) was found to be significantly superior over (vermitea), T3 (vermicompost) and T4 (chemical fertilizer) and T5 (control) consistently in all the three experiments with 6.34, 6.72 and 6.94 cm root diameter (Table 3). Treatments T2 (vermitea), T3 (vermicompost) and T4 (chemical fertilizer) were found significantly superior over T5 (control) for root diameter.

Nutrient Content in radish

a. Calcium: As depicted in Figure 1, calcium content in radish leaves was found maximum (557.8 mg 100^{-1} g) with T4 (chemical fertilizer) in third experiment. It was comparable to the standard given by NIN i.e. 310 mg100^{-1}g. All organic fertilizers like vermiwash (T1), vermicompost (T3) and vermitea (T2) were found statistically superior over T5. In T4 (chemical fertilizer) fertilized plants, calcium content of 438.6, 526.2 and 617 mg 100^{-1} g was recorded in the first, second and third experiment respectively.

Figure 1 & 2 (seein last page)

b. Vitamin C: Impact of vermiwash, vermicompost and chemical fertilizers on vitamin C content in radish leaves was assessed in all the three experiments. It was comparable to the standard given by NIN i.e. 106 mg 100^{-1}g. The vitamin C content of 95.2 mg 100^{-1} g was found with T4 (chemical fertilize) in the first experiment. In the second and third experiment chemically fertilized radish leaves gave (49.4 mg 100^{-1} g and 33 mg 100^{-1} g respectively) Vitamin C content.

The maximum vitamin C content was recorded under T1 (vermiwash) 271.6 mg 100^{-1} g in the third experiment. Vermicompost and vermiwash were found significantly superior over T4 (chemical fertilizer) and T5 (control) for vitamin C content. With T5, vitamin C content of 79.4, 42.4 and 29.6 mg 100^{-1} g was recorded in the first, second and third experiment respectively.

Impact of Various Fertilizers on soil quality after harvesting of radish:

a. pH: A pH range of 6.5 to 7.5 is desirable. The data on soil pH in the soil treated with different fertilizer inputs is shown in Table 4. In the beginning the soil was alkaline in reaction (pH- 8.5). The results revealed that there was a slight decrease in soil pH due to application of organic fertilizer inputs. The overall mean of the soil pH decreased from 8.5 to 8.28, 8.08 and 7.86 in soil fertilized with T1 (vermiwash) in the first, second and third experiments respectively. The organic fertilizers T1, T3 (vermicompost)

and T2 (vermitea) registered significant superiority over T4 (chemical fertilizer) and T5 (control). Similarly T2 (vermitea) and T3 (vermicompost) were found statistically at par in third experiment. After continual utilization of organic fertilizer inputs in soil a slight decreased in pH was noticedbut in chemical fertilizer pH was decreased more than organic fertilizer in all three experiments.

Table 4 (seein last page)

b. Electrical Conductivity (EC): The EC of soils increased by 1.72 DS/ m in T4 (chemical fertilizer) treated soil whereas the soil treated with T5 (control) had higher EC of 1.69 ds/ m in the third experiment. In the treatment T1, the highest mean EC (0.81 dS/m) was recorded in the third experiment. Overall the EC of soil in various fertilizers did not exceed 4 dS/ m so the soil was not much saline and therefore did not hinder plant growth.

c. Organic carbon (OC): The organic carbon content of soil with various fertilizer inputs is presented in figure 3. With T4 (chemical fertilizer) application, the organic carbon content was recorded 0.22 % in the first experiment which decreased in further experiments. Initially organic carbon was recorded 0.16 %. Vermiwash was found significantly superior over all the treatments in all the three experiments with 0.36, 0.47 and 0.60 % organic carbon in post-harvest soil. Similarly, T4 (chemical fertilizer) was also found significantly superior over T5 in the first, second and third experiment.

The maximum organic carbon (0.44%) was recorded in T3 (vermicompost) in the third experiment. All organic manures and vermiwash (T1) were found significantly superior over chemical fertilizer in all the experiments.

Figure 3 & 4 (seein last page)

d. Available phosphorus (P_2O_5): The results on influence of various fertilizer inputs on available phosphorus content of soil are presented in the figure 4. However, the soil treated with organic fertilizer T1 (vermiwash) accounted for higher amounts (30.8, 40.8 and 52 kg ha^{-1} in the first, second and the third experiment respectively) than those with T5 (control). Soil with T3 (vermicompost) fertilized pots attained the maximum available phosphorus content of 47.2 kg ha^{-1} in third experiment.

There was decrease in available phosphorus content of soil in pots with T5 (control) which was recorded as 21.4, 15.8 and 11.6 kg ha^{-l} in the first, second and third experiment respectively. Soil of T5 group attained the maximum 21.4 kg ha^{-1} available phosphorus content in the first experiment which gradually decreased in the second and third experiments.

All the treatments were found significantly superior over T5. T4 (chemical fertilizer) were found significantly superior over T1, T2 and T3 during the whole experiment. With consistent application, chemical fertilizer also attained significant superiority over organic fertilizer.

Conclusion: The experiment and detailed evaluation indicated that the use of vermiwash, vermitea, and vermicompost improved growth, yield, and quality when compared to chemical fertilizer and the control group. Vermitechnology (Earthworms and their casts) contains high concentrations of nutrients that are released progressively based on plant needs. As a result, the nutrients are absorbed by the plant and do not drain into the soil. Vermitechnology (Earthworms and their casts) has proven to be an effective growth booster and growth inhibitor. As a result, it can be stated that horticulture using vermitechnology can benefit plant growth, product quality, human health, and soil health.

References:-

1. Agarwal, S., Sinha, R.K.and Sharma, J. (2010)”Vermiculture for sustainable horticulture agronomic impact studies of earthworms, cow dung compost and vermicompost vis-à-vis chemical fertilisers on growth and yield of lady’s finger (Abelmoschusesculentus)’, Int. J. Global Environmental Issues, Vol. 10, Nos. 3/4,pp.366–377.
2. Bahrampour T. and Ziveh P.S., (2013) Effect of Vermicomposton Tomato (Lycopersicumesculentum) Fruits.International Journal of Agronomy and Plant Production, 4(11), 2965-2971
3. Dhanalakhsmi V., Remia K.M., Shanmugapriyan R. and Shanthi K., (2014) Impact of addition of vermicompost on vegetable plant growth, International research journal of biological science., 3(12), 56-61
4. Jandaik S, Kumar V, Thakur P. (2015) Vermiwash: Plant Growth Enhancer and Antifungal Agent‘.Journal of extensive research.
5. Kashem A., Sarker A., Hossain I. and Islam S., (2015) Comparison of the effect of vermicompost and inorganic fertilizer on vegetable growth and fruit production of tomato (Solanumlycopersicum L.), Open journal of soil science., 5, 53-5
6. Mamta. AW. Khursheed and R.J. Roa, (2012) Effect of vermicompost on growth of brinjal plant (Solanummelongena) Under f ieldconditionsJ. New Biol. Rep., vol. 1(1), pp. 25-28, M.N. Alam, 2005Effect of vermicompost and NPK fertilizers ongrowth, yield and components of carrot (cv. New Kuroda).Ban. J. Environ. Sci., vol. 11(2), 398-403.
7. N.Q. Arancon, C.A. Edwards, R.M. Atiyeh and J.D.Metzger, 2004Effects of vermicomposts produced from food waste on green house peppers. Biores. Technol., vol. 93,pp. 139-144,.
8. O.K. Bellit, S. Adiloglu, Y. Salmaz, A. Zahmaologlu and A.Adiloglu, 2017, Effect of increasing doses of vermicompost application on P and K contents of pepper (Capsicum annum L.) and eggplant (Solanum melongena L.). J. Adv. Agri. Tech.,vol.4(4), pp.372-375.
9. Rajan, M.R., P.Murugesan (2012) Influence of vermiwash on germination and growth of Cow Pea VignaUngiculata and Rice Oryzasativa. IOSR J Pharma,2: 31-34.

Table 1. Impact of vermiwash, vermitea, vermicompost, chemical fertilizer and control group on germination in Radish

Treatment	Expt	Total number of seeds germination (in days) Day wise							Total	Germin -ation%	Mean
		4	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**			
T1(Vermiwash)	1	7	14	20	22	18	7	5	93	74.4	100.66
	2	9	17	21	23	18	7	5	100	80	
	3	13	18	26	24	20	8	0	109	87.2	
T2 (Vermitea)	1	4	13	19	21	16	5	5	85	68	91.66
	2	7	15	20	21	17	6	5	91	74.4	
	3	11	17	24	21	19	7	0	99	79.2	
T3(Vermicompost)	1	6	13	20	22	17	6	5	90	72	99.66
	2	8	15	21	23	18	7	5	102	81.6	
	3	13	18	25	23	20	8	0	107	85.6	
T4(Chem. Fert.)	1	7	15	21	23	20	13	0	98	78.4	77
	2	5	10	17	19	15	9	0	76	60.4	
	3	4	8	15	15	10	5	0	57	45.6	
T5 (Control)	1	0	10	20	17	13	8	5	71	56.8	59.33
	2	0	7	19	14	11	7	3	62	49.6	
	3	0	5	14	11	10	5	1	45	36	

S.Em± 0.69
C.D.5% 1.94
C.V. 3.75
p-value 3.65E-03**
* Significant at 95% level of significance
** Significant at 99% level of significance
NS=Non Significant

Table2: Impact of Vermiwash, Vermitea, Vermicompost, Chemical fertilizer and Control (water) on Plant Height on 15th and 55th Day in radish.

Treatment	Plant Height (cm) in Day							
	15th day				55th day			
	Expt I	Expt II	Expt III	Tr.Mean	Expt I	Expt II	Expt III	Mean
T1	7.60	9.00	10.60	9.07	43.96	48.18	50.44	47.53
T2	6.80	8.40	9.60	8.27	39.56	41.24	44.20	41.67
T3	7.40	8.60	10.20	8.73	41.16	44.32	49.18	44.89
T4	10.86	8.16	5.84	8.29	46.90	36.28	32.64	38.61
T5	6.06	5.58	4.66	5.43	30.70	28.14	25.30	28.05
Expt. Mean	7.74	7.95	8.18	7.96	40.46	39.63	40.35	40.15
For Comparision of	**p-value**		**S.Em±**	**C.D.5%**	**p-value**		**S.Em±**	**C.D.5%**
Treat. Means	4.16E-27	* *	0.14	0.39	1.6E-55	* *	0.23	0.64
Expt Mean	0.019254	*	0.11	0.30	2.67E-03	* *	0.18	0.50
Int. (TrXExpt) Means	4.06E-25	* *	0.24	0.67	6.23E-37	* *	0.39	1.11
C.V.%	6.67				2.18			

* Significant at 95% level of significance
** Significant at 99% level of significance
NS=Non Significant

Table 3: Impact of Vermiwash, Vermitea, Vermicompost, Chemical fertilizer and Control (water) on Root weight and Root diameter in radish.

Treatment	Root weight				Root diameter			
	Expt I	Expt II	Expt III	Tr.Mean	Expt I	Expt II	Expt III	Tr.Mean
T1	225.51	248.80	276.26	250.19	6.34	6.72	6.94	6.67
T2	187.82	215.26	236.60	213.22	5.26	5.76	6.16	5.73
T3	217.71	236.60	258.03	237.45	6.08	6.26	6.58	6.31
T4	251.66	194.36	135.18	193.73	6.86	5.90	5.30	6.02
T5	145.35	119.83	86.86	117.35	4.76	4.22	3.82	4.27
Expt Mean	205.61	202.97	198.59	202.39	5.86	5.77	5.76	5.80
For Comparision of	**p-value**		**S.Em±**	**C.D.5%**	**p-value**		**S.Em±**	**C.D.5%**
Treat. Means	6.49E-66	* *	1.05	2.96	7.24E-48	* *	0.04	0.11
Expt Mean	3.81E-07	* *	0.81	2.30	3.46E-02	*	0.03	0.08
Int. (TrXExpt) Means	2.29E-50	* *	1.82	5.13	1.1E-27	* *	0.06	0.18
C.V.%	2.01				2.50			

* Significant at 95% level of significance
** Significant at 99% level of significance
NS=Non Significant

Table 4.Impact of Vermiwash, Vermitea, Vermicompost, Chemical fertilizer and Control (water) on Soil pH and EC of Radish crop.

Treatment	pH (8.5)				Electrical Conductivity (dS/m) (1.45)			
	Expt I	Expt II	Expt III	Tr.Mean	Expt I	Expt II	Expt III	Tr.Mean
T1	8.28	8.08	7.86	8.07	0.91	0.87	0.81	0.86
T2	8.30	8.08	7.76	8.05	1.11	1.01	0.91	1.01
T3	8.22	7.96	7.76	7.98	1.01	0.92	0.85	0.92
T4	8.08	7.86	7.52	7.82	1.33	1.59	1.72	1.55
T5	8.50	8.50	8.50	8.50	1.43	1.59	1.69	1.57
Expt Mean	8.28	8.10	7.88	8.08	1.16	1.20	1.20	1.18
For Comparision of	**p-value**		**S.Em±**	**C.D.5%**	**p-value**		**S.Em±**	**C.D.5%**
Treat. Means	1.14E-28	* *	0.02	0.06	9.86E-60	* *	0.01	0.03
Expt Mean	1.14E-22	* *	0.02	0.05	8.98E-05	* *	0.01	0.02
Int. (TrXExpt) Means	4.65E-08	* *	0.04	0.11	8.09E-29	* *	0.02	0.04
C.V.%	1.07				2.89			

* Significant at 95% level of significance
** Significant at 99% level of significance
NS=Non Significant

Figure 1: Impact of Vermiwash, Vermitea, Vermicompost, Chemical fertilizer and Control (water) on Calcium Content in Radish.

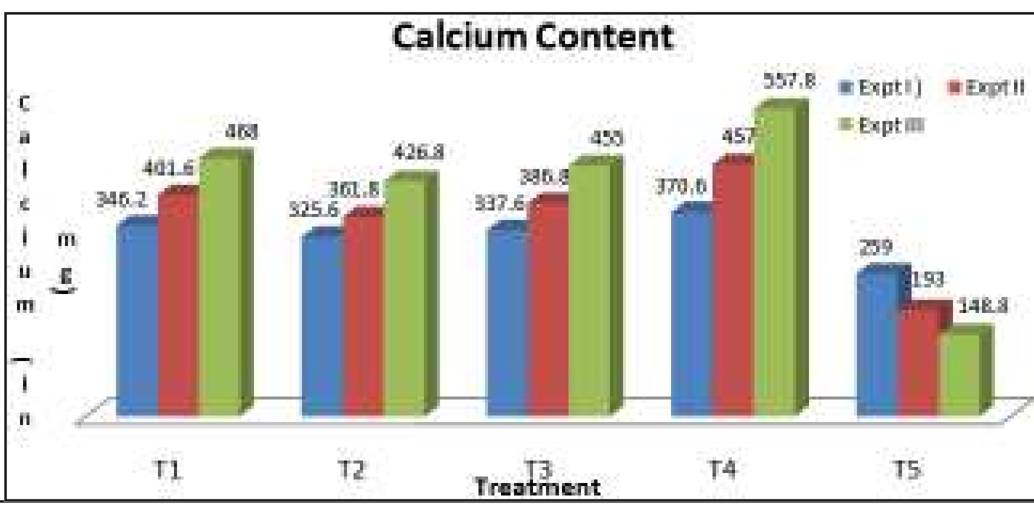

Figure 2: Impact of Vermiwash, Vermitea, Vermicompost, Chemical fertilizer and Control (water) on Vitamin C content in Radish.

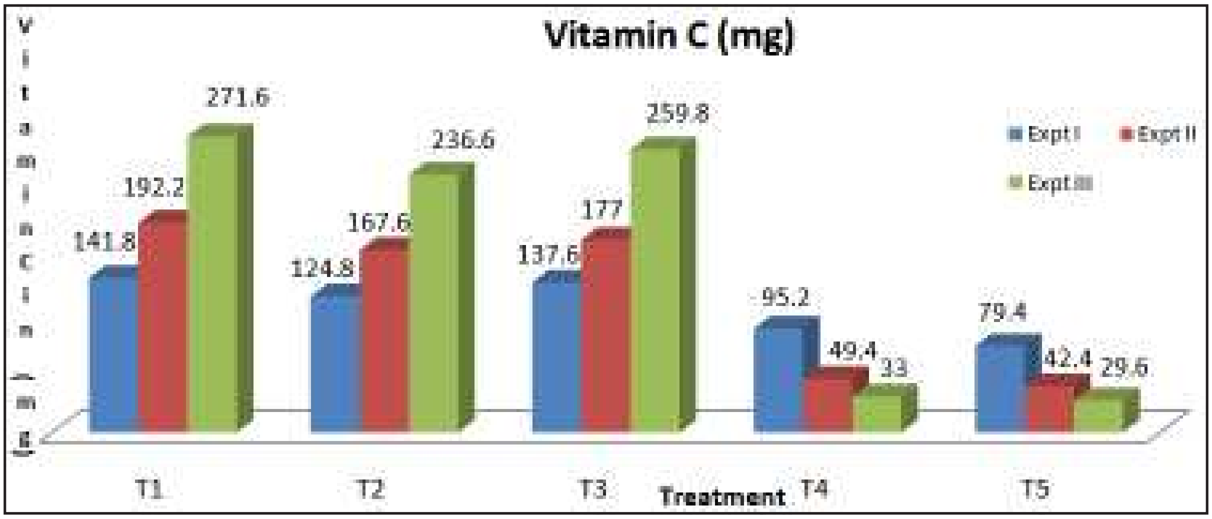

Figure 3: Impact of vermiwash, vermitea, vermicompost, chemical fertilizer and control group on Soil Organic carbon (OC) of Radish crop.

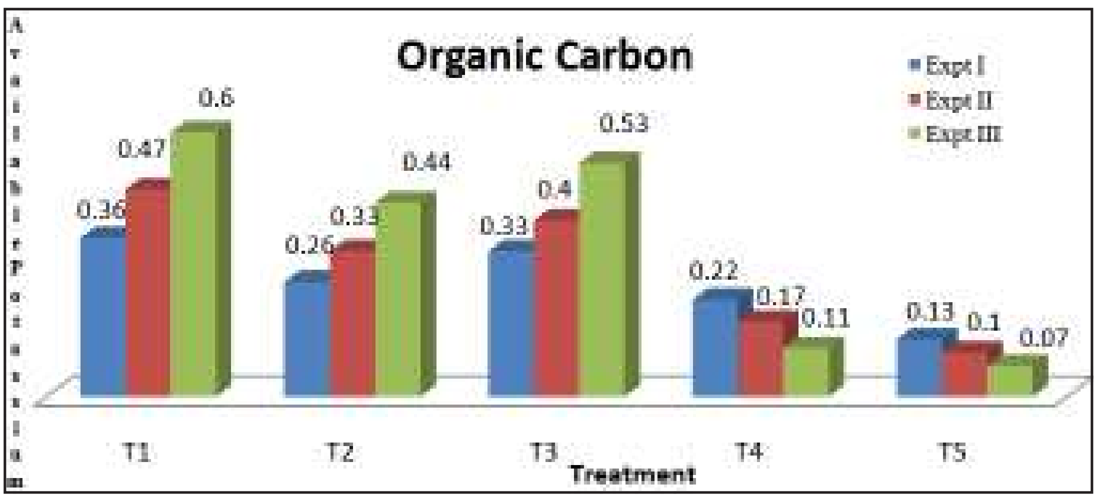

Figure 4: Impact of vermiwash, vermitea, vermicompost, chemical fertilizer and control group on Available phosphorus (P_2O_5) of Radish crop.

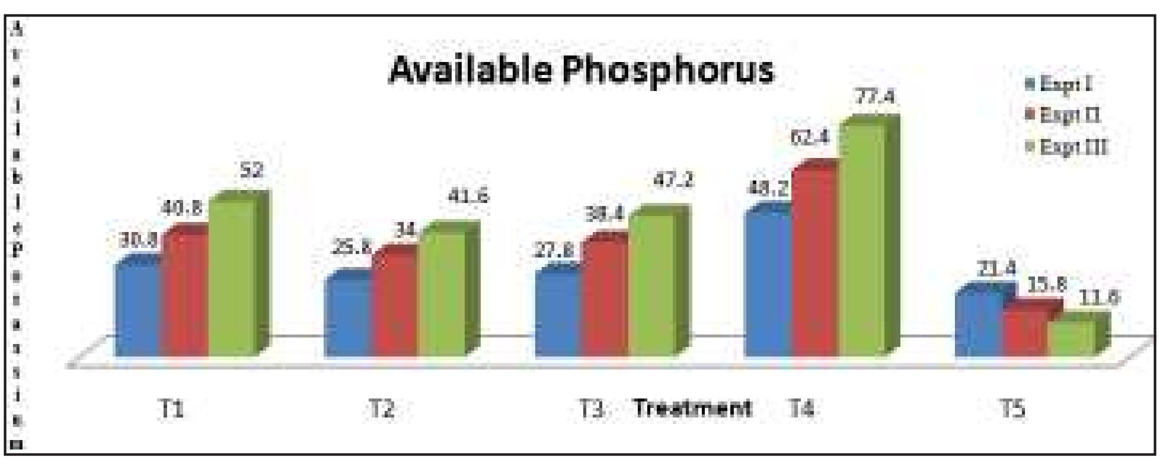

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

ग्रामीण विकास के विभिन्न दृष्टिकोण: एक राजनीतिक विश्लेषण

डॉ. अखिलेश कुमार शर्मा* अनिल कुमार भटकर**

* शोध निर्देशक, रूसा, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह पत्र ग्रामीण विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों का राजनीतिक विश्लेषण प्रदान करता है। यह इस बात की पड़ताल करता है कि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएँ और हित ग्रामीण विकास नीतियों और प्रथाओं को कैसे आकार देते हैं, और कैसे ये दृष्टिकोण ग्रामीण समुदायों की भलाई को समर्थन या कमजोर कर सकते हैं। शोध पत्र ग्रामीण विकास के लिए चार मुख्य दृष्टिकोणों की पहचान करता है: नवउदारवाद, ग्रामीण आधुनिकीकरण, सतत विकास और कृषि सुधार। यह प्रत्येक दृष्टिकोण की अंतर्निहित मान्यताओं, लक्ष्यों और परिणामों की जांच करता है, और सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए उनके निहितार्थों पर चर्चा करता है। शोध पत्र का तर्क है कि ग्रामीण विकास की जटिलताओं को समझने और ग्रामीण समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्राथमिकता देने वाले ग्रामीण विकास के लिए अधिक न्यायसंगत और विश्वसनीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण की आवश्यकता है।

प्रस्तावना – ग्रामीण विकास के लिए कई रणनीतियाँ विचार का एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रीय विकास है। यह संभावना है कि ये समस्याग्रस्त व्यावहारिक अवधारणाएँ पहली बार 1950 और 1960 के बीच सामने आईं। विविध सामाजिक मुद्दों के लिए विकास की यह रेखा नयी नहीं है, लेकिन ग्रामीण विकास के लिए इस अवधारणा के अलावा, अन्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमेशा ठोस सिद्धांतों, उपदेशों, या संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किए गए हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। चूंकि वह तकनीकी, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सहित कई मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने शोध में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों पहलुओं का उपयोग करता है। एक अद्वितीय और लाभप्रद सामंजस्य बनाए रखने में सक्षम है। ग्रामीण विकास पर साहित्य के सैद्धांतिक, कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं की समीक्षा करने से कई विद्वानों के महत्व का पता चलता है। 1952 में, हंस बॉन ने असंतुलित क्षेत्रीय विकास के कारण सूक्ष्म स्तर के मुद्दों को हल करने के प्रयास में पहली बार एकीकृत क्षेत्रीय विकास का विचार पेश किया। सामाजिक सुविधाओं के लिए नियोजन ने क्षेत्रीय विकास का रास्ता साफ कर दिया क्योंकि इसने समूह क्षेत्रों में केंद्रीय कार्यों के महत्व को मान्यता दी। मेयरसन और बानफील्ड (1955) ने क्षेत्रीय विकास के रास्ते में जो राजनीतिक बाधाओं को देखा, उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने प्रभावी नेतृत्व और प्रशासनिक और विकास संगठनों की संरचना की व्याख्या की। क्षेत्रीय नियोजन और आर्थिक विकास के लिए समन्वित क्षेत्रीय विकास के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को खत्म करने के लिए गुन्नार मिडल (1969) ने कहा कि बाजार की ताकतों की स्वतंत्रता पर सीमाएं होनी चाहिए। उसी वर्ष, सी. डब्ल्यू. स्किनर ने चीन पर अपने शोध पत्र में सिफारिश की कि क्षेत्र की मौजूदा बस्तियों की कुल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बाजार केंद्रों को आनुपातिक रूप से बनाया जाए। पेरिस में ओईसीडी (1969) ने क्षेत्रीय विकास की बाधाओं पर प्रकाश डाला और इसके कई पहलुओं का सारांश प्रदान किया।

सामाजिक सेवाओं की क्षेत्रीय योजना के मुद्दे का अध्ययन करने पर, सुधीर बनमाली (1970) ने भारत में एनआईआरडी हैदराबाद संस्थान द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में भारतीय विचार के संदर्भ में केंद्रीय स्थान परिकल्पना की प्रयोज्यता का परीक्षण किया। इस विचारधारा में मूल विचार ग्रामीण क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देता है। एएन बोस ने भारत के अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया। एस बनमाली (1971) ने वर्णन किया कि नियोजन उद्देश्यों के लिए ग्रामीण विकास में बस्तियों का कोटा कैसे निर्धारित किया जाए। क्षेत्रीय विकास के लिए ग्रामीण विकास केंद्रों के डिजाइन पर एलके सेन और अन्य का अध्ययन एनआईसीडी, हैदराबाद द्वारा जारी किया गया था।

ग्रामीण विकास के लिए कृषि विकास से संबंधित नीतियों का आकलन 1973 में सीआर पाठक द्वारा किया गया था। ग्रोथ सेंटर में पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक प्रावधान, जिसे कृषि मंत्रालय के सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग द्वारा फूड फाउंडेशन की सहायता से किया गया था। भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–1974) में बनाया गया।

कानूनी पहलू में 1964 में एचएमओ द्वारा प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, ग्रामीण विकास और योजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण का विवरण प्रदान किया गया था। 1955 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एमवीआर शास्त्री द्वारा दो समन्वित नियोजन विधियों की शुरुआत की गई थी। एनसीईआर ने इसे प्रस्तुत किया। 1965 में भारत में बाजार कस्बों और स्थानिक योजना पर पेपर। यह संभवत: क्षेत्रीय विकास योजना में भारत का पहला प्रयास था। इस विचार के कानूनी पक्ष पर सबसे हालिया जानकारी 1972 में भारत की जनगणना में जारी किए गए शताब्दी मोनोग्राफ में पाई जा सकती है। सी.एस. चंद्रशेखर और बी.के. राय बर्मन ने क्रमश: संतुलित क्षेत्रीय विकास और एक एकीकृत क्षेत्रीय दृष्टिकोण के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया। ग्रामीण विकास पर अध्ययन के लक्ष्य और सूक्ष्म स्तर के विकास के

लिए फायदेमंद सभी तरीकों का उपयोग सत्येश चक्रवृत्तय द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

एस.ब्रह्म द्वारा प्रस्तावित एक नई ग्रामीण विकास रणनीति को सूक्ष्म स्तर की योजना के लिए उपयोगी रूप से लागू किया गया था। एनआईसीडी हैदराबाद द्वारा तार्किक अवधारणाओं पर आधारित विविध निबंधों का संकलन जारी किया गया था। संरचनाएँ, विकास, परिवर्तन और रुझान, एकीकृत क्षेत्रीय अवधारणाएँ और पद्धतियाँ, और योजना प्रक्रिया, चुनौतियाँ और रणनीतियाँ इनमें से कुछ हैं। इनमें एलके सेन की सूक्ष्म-स्तरीय योजना और प्राकृतिक विकास केंद्र शामिल हैं। ग्रामीण और शहरी विकास पर महत्वपूर्ण अध्ययन प्रख्यात शिक्षाविद हॉबी एन. दास और ए.के. भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित किए गए हैं।

ए. लैस 1924, एफ. पैरिक्स 1955, लुईस ई. डिवाइन 1933, गैबिन मैकक्रीम 1969, कॉलिन क्लार्क और एम. आर. हैसवेल 1964, और जे.एस. वैनथ्यून 1926 इनमें से कुछ हैं। के एस रा. गोड 45 19721 ने एक ही समय में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय योजना के संयोजन का विचार प्रस्तावित किया। पायलट प्रोजेक्ट, जो कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, ने ग्रामीण भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सेवाओं और सामानों की पर्याप्त मात्रा की पेशकश करने के लिए एक समग्र रणनीति का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ, विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए सेवाओं और आर्थिक विकास घटकों के स्तर को बढाने का प्रयास किया गया है। लालकृष्ण सेन और जीके मिश्रा ने व्यवस्थित अध्ययन (1974) में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूक्ष्म-स्तरीय क्षेत्रीय नियोजन के लिए, उन्होंने औद्योगिक विकास, सामाजिक बुनियादी ढाँचे और कृषि विकास के लिए भविष्य की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतियों की पेशकश की। लागू होने वाले पहलूरू आई.बी. थॉम्पसन (1966) ने ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण सुधार के लिए क्षेत्रीय विकास पर अपने अनुप्रयुक्त शोध में कुछ निष्कर्ष निकाले जो काफी महत्वपूर्ण निकले। इसी तरह, जेबी हिलिंग ने व्यावहारिक तरीके से गैर-उद्योग द्वारा स्कॉटलैंड और फ्रांस में एकीकृत क्षेत्रीय विकास की वकालत की। एस.डी. कालौत (1969) ने क्षेत्रीय नियोजन के लिए ग्रामीण परिवेश पर शोध किया और कहा कि इस संबंध में किए गए विश्लेषण से दो महत्वपूर्ण व्यावहारिक सत्य निकले। 1974 में एएन शर्मा और एलएस भट्ट द्वारा मानव बस्तियों की कार्यात्मक स्थानिक व्यवस्था पर क्षेत्र अनुसंधान को स्पष्ट किया गया था। दुनिया भर के नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और चिकित्सकों के लिए ग्रामीण विकास लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के सामने गरीबी और असमानता से लेकर पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक बहिष्कार जैसी विविध और जटिल चुनौतियाँ हैं। वर्षों से, ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न दृष्टिकोण उभरे हैं, प्रत्येक विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं, रुचियों और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। ये दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हुए हैं और नवउदारवाद, वैश्वीकरण और पर्यावरणवाद जैसे व्यापक वैश्विक रुझानों द्वारा आकार लिए गए हैं।

ग्रामीण विकास की जटिलताओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण आवश्यक है। यह ग्रामीण विकास के लिए तकनीकी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जो अक्सर विकास के राजनीतिक और सामाजिक आयामों की उपेक्षा करता है। इसके बजाय, यह अधिक सूक्ष्म और संदर्भ-विशिष्ट दृष्टिकोणों की वकालत करता है जो स्थानीय वास्तविकताओं की गहरी समझ पर आधारित हैं और जो ग्रामीण समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्राथमिकता देते हैं।

नवीन पथ एवं समालोचना- भारतीय संदर्भ में इस दिशा में किए गए योगदान एनआईसीडी, हैदराबाद और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, मैसूर से आते हैं। इससे पहले, भारत सरकार ने सभी मोर्चों पर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के इरादे से 1950 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन कार्यक्रम के परिणाम प्रभावशाली नहीं रहे। स्थानीय योजनाकारों ने जैसे उल्लेखनीय स्थानीय योजनाकारों में एल.के. सेन, वी.एल.एस. प्रकाशराव, वहीदुद्दीन खान और आर.पी. मिश्रा 1970 के दशक में एक बार फिर संभव सेवा केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। मामूली संशोधनों के साथ, उन्होंने क्रिस्टलर के विकास केंद्र की रणनीति को अपनाया और ग्रामीण विकास की अवधारणा को एक प्रमुख गांव के रूप में व्यक्त किया जो विभिन्न सेवा स्तरों पर आसपास के आश्रित गांवों की सेवा करेगा। बीकेआरवी द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण विकास नीति के माध्यम से सभी ग्रामीण बस्तियों के लिए पूरे ग्रामीण क्षेत्र को स्वीकार किया जाना चाहिए। राव का मानना है कि ग्रामीण विकास के लिए केवल एक गांव के बजाय कई गांवों को चुना जाना चाहिए। राव की प्रस्तावित नीति के अनुसार ग्रामीण विकास की सफलता योजना के प्रथम चरणों में ग्राम समूह के उचित आकार और सीमा के निर्धारण पर निर्भर करती है। इस तरह का निर्धारण करने के लिए, गाँव को न केवल भौगोलिक रूप से पास होना चाहिए बल्कि एक दूसरे के संपर्क में भी होना चाहिए, जो ग्रामीण समाज में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों जैसे सेवाएँ प्राप्त करना, विपणन, रोजगार और शिक्षा, अन्य बातों के अलावा होता है। नियोजन की इन सूक्ष्म इकाइयों को निर्धारित करने के लिए, इन गाँवों के संबंधों की गहन समझ आवश्यक है। विकास को बढ़ावा देने के लिए ये मूलभूत सेवाएं प्रत्येक न्याय पंचायत, या गांवों के संग्रह में उपलब्ध होनी चाहिए।

आकलन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्षेत्रीय विकास अपेक्षाकृत नया विचार है। इस विचार का पश्चिम की तुलना में भारत में एक अलग व्यावहारिक अनुप्रयोग है। कई सामाजिक वैज्ञानिकों ने इस धारणा को भारतीय विचारों में समयोजित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन भारत में इस क्षेत्र में किए गए काम की मात्रा अपर्याप्त है, और इस तरह के अतिरिक्त शोध की आवश्यकता है क्योंकि भारत के ग्रामीण विकास में एक एकीकृत रणनीति का अभाव है। क्षेत्रीय विकास योजना नीतियों की मदद से ही क्षेत्रीय असंतुलन और अविकसितता के मुद्दे को हल किया जा सकता है।

ग्रामीण विकास प्रतिमान - ग्रामीण विकास प्रतिमान या क्षेत्रीय विकास के लिए कौन से सिद्धांत स्थापित किए जाने चाहिए और किन सिद्धांतों को आधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, यह अभी भी विभिन्न विचार प्रणालियों में उलझा हुआ है। ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न प्रतिमानों का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण विकास नीति का प्राथमिक उद्देश्य भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के साथ-साथ मानव पूंजी और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने वाली विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके उत्पादन का समर्थन करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देकर विभिन्न विकास-संबंधी गतिविधियों का समन्वय करना है। ये इन तत्वों के बीच प्राथमिक बातचीत हैं।

ग्रामीण विकास प्रतिमान के निर्माण क्रम की अन्तः प्रक्रियाऐं:

1. **स्थानीय स्तर पर नियोजन:** ग्रामीण विकास के लिए छोटे से लेकर बड़े पैमाने तक नियोजन उत्तरदायी होना चाहिए। स्थानीय संसाधनों के विकास और संरक्षण का प्रावधान, साथ ही नियोजन के संदर्भ में ग्राम समूहों का संगठन, विकास प्रक्रिया की आधारशिला है।

2. **लक्षित जनसंख्या:** ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं के साथ-साथ छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ गैर-कृषकों, मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के छोटे-इकाई परिवारों सहित सभी वंचित समूहों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3. **सेवा केंद्र और बाजार:** चुनी हुई विकास साइट जो तुरंत पदानुक्रम का पालन करती है और स्थानीय आवश्यकता को पूरा कर सकती है। इन स्थानों पर, अमेरिकी और ज्ञान आधारित उद्योग विकसित, उत्पादित, खरीदे और बेचे जाते हैं और सेवाएं वितरित की जाती हैं।

4. **परिवहन:** निम्न से उच्च श्रेणी की सेवा सुविधाओं वाले गाँवों और निकटवर्ती शहरों के बीच सड़क संपर्क स्थापित करके, परिवहन नेटवर्क का विस्तार किया जाता है, जिससे ग्रामीण उत्पादन के अधिशेष को वाणिज्यिक केंद्रों तक अधिक आसानी से पहुँचाया जा सकता है।

5. **कृषि:** खाद्य पदार्थो एवं दलहन तथा तिलहन की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता का कृषि में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होना हैं।

अ) सिंचाई: उच्च तकनीक, औद्योगिक कृषि उत्पादन और भूमि प्रबंधन के लिए सिंचाई प्रणाली का निर्माण।

ब) कृषि भूमि सुधार: उन्नत उद्यान वनीकरण, बाढ़ की समस्या का समाधान, और खेती की भूमि का विकास, ये सभी कृषि की आर्थिक आत्मनिर्भरता में योगदान करते हैं।

स) उन्नत नस्ल के पशुओं का विकास, पशु बीमा, पशु सेवा स्वास्थ्य आदि पर विचार के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों एवं संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण।

6. **ग्रामीण उद्योग:** श्रम-गहन स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों का विकास, ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों की पारंपरिक नौकरियों पर विशेष प्रशिक्षण और उनका विकास जो उत्पादन वृद्धि और गुणवत्ता में सहायता करता है।

7. **वित्तीय संस्थान:** बैंकिंग सहकारी समितियों आदि का निर्माण, साथ ही कृषि क्षेत्र और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए ऋण अनुदान के लिए सेवाएं।

8. **ऊर्जा विकास:** ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, विद्युतीकरण और गोबर गैस संयंत्रों के माध्यम से ग्रामीण व्यवसाय और जीवन के लिए सुविधाएं बढ़ाना

9. **प्रौद्योगिकी:** श्रम-गहन प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने के साथ स्वदेशी और मध्यम-आधुनिक तकनीक दोनों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना।

10. **स्वास्थ्य:** परिवार नियोजन और चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर जोर देना।

11. **शुद्ध जल:** पीने के लिए स्वच्छ जल की आपूर्ति।

12. **शिक्षा:** शिक्षा की एक उचित व्यवस्था जिसमें महिलाओं और अनुसूचित जातियों के लिए एक उचित व्यवस्था के अलावा प्रशिक्षण शिक्षा की व्यवस्था भी शामिल है।

13. **मनोरंजन:** भारत में शिक्षा के प्रसार के अलावा खेलकूद, व्यायाम और शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ रेडियो, टेलीविजन और मूवी थिएटर की स्थापना और थिएटर और साझा मनोरंजन के साधनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

14. **आवास:** ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त जल निकासी और समाज के कम भाग्यशाली सदस्यों के लिए आवास।

15. **सामाजिक जागरूकता:** पंचायत अधिकारी के माध्यम से ग्रामीण समुदाय के तनाव को कम करने से, गांवों के विकास के प्रयासों या विकास में सार्वजनिक हित के लिए कोई सामाजिक या सांस्कृतिक बाधा नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए, गाँव और पंचायत स्तरों को बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गाँव और न्याय पंचायतों के विशिष्ट सदस्यों के उचित और बुद्धिमान समूहों को संगठित करना चाहिए।

प्रस्तावित प्रतिमान- स्थानीय स्तर के सामाजिक और आर्थिक चर और पर्यावरणीय मापदंडों के आधार पर क्षेत्रीय विकास को एक उपयुक्त प्रतिमान निर्माण क्रम और आंतरिक प्रक्रियाओं के आधार पर सुझाए गए प्रतिमान आकार में जोड़ा गया है। व्यापार, द्वितीयक व्यवसाय, उद्योग और कृषि के पहलुओं को आर्थिक कारकों में शामिल किया गया है। जनसंख्या के जीवन स्तर के लिए सामाजिक सेवाओं और सुविधाओं के कारकों, कृषि उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक वातावरण में सुधार और प्राकृतिक और मानव संसाधनों के उचित संतुलित उपयोग सहित अन्य बातों पर इसमें विशेष बल दिया गया है। इसके साथ, राष्ट्रीय विकास के लिए समग्र योजना प्रक्रिया में स्थानीय क्षेत्र को एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। यह इस बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा कि विभिन्न क्षेत्र कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। साथ ही, अधिशेष औद्योगिक और उप-औद्योगिक उत्पादन के लिए स्थानीय परिस्थितियों को बढ़ाकर, आर्थिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जा सकता है। बीच के गांव एक बार फिर ऐसे हों कि वे शोषण न करें बल्कि क्षेत्रीय लाभ के लिए छोटे गांवों को प्रभावित करें। स्थानिक पुनर्गठन और ग्रामीण सामाजिक और औद्योगीकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास से परियोजनाओं की प्रभावी योजना के लिए विशिष्ट प्रारूप तैयार किए जाते हैं। क्योंकि ग्रामीण स्थानांतरण के प्राथमिक स्तर पर सभी गांवों में ग्रामीण उद्योगों की कल्पना नहीं की जा सकती है, सभी गांवों में सामाजिक और आर्थिक विकास के घटकों को व्यवस्थित करना संभव है, और प्रत्येक केंद्रीय गांव को गांवों के एक समूह का केंद्र बनना चाहिए और एक प्रभावी एक विशिष्ट क्षेत्र का सेवा केंद्र बनना चाहिए। इसलिए, स्थानीय संसाधनों और श्रम की विशेषज्ञता के आधार पर सामाजिक और आर्थिक पैटर्न बनाए जा सकते हैं। निम्नलिखित जानकारी को वर्तमान शोध क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है।

1. पूर्व-विकसित क्षेत्रों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि वे सरकार द्वारा आसपास के गांवों के लिए सुझाए गए विकास खंड के मापदंडों के भीतर ग्रामीण विकास की योजना और निष्पादन के लिए एक केंद्र के रूप में काम कर सकें। इस मामले में विकास खंड को एक व्यापक इकाई के रूप में चुना जाना चाहिए। योजना क्षेत्र को परिभाषित करते समय समरूपता पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह से अर्जित प्राकृतिक संसाधनों के साथ, जनसंख्या के सामाजिक और सांस्कृतिक श्रृंगार और उपयोग पर विचार करना महत्वपूर्ण है। न्याय पंचायतों को विकास खंड उद्देश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई के रूप में माना जा सकता है। चूंकि वे क्षेत्रीय समूह हैं।

2. क्योंकि यह अंत:क्रिया, स्थानिक विकास और गाँव के उत्थान में सहायता करता है, इसलिए बड़ें गाँव समूह को विकास खंड स्तर की क्षेत्रीय इकाई के तहत प्रमुख योजना इकाई के रूप में माना जाना चाहिए। निम्नतम

स्तर पर, विकास खंड में बस्तियों की आबादी 10 से 250 तक है। इन गाँवों को वे सभी सुविधाएँ और सेवाएँ देना संभव नहीं है, जिनकी उन्हें आवश्यकता है, जैसे डाकघर, अस्पताल, पुस्तकालय, सड़कें और बैंकिंग संस्थान, ताकि उनका विकास हो सके। आर्थिक दृष्टि से भी यह कार्य क्षमता से परे है। इसलिए, इसे 5-10 गाँवों के समूह को ध्यान में रखते हुए एक कोर गाँव के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसी मध्य बस्तियों के माध्यम से उनका विकास किया जाए। सभी समुदायों को इन प्रमुख गांवों तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए।

3. जनसंख्या की आवश्यकताओं को आधार मानते हुए ऐसे केन्द्रीय एवं पूर्व विकसित ग्राम जिन पर अन्य ग्रामों के विकास का उत्तारदायित्व निश्चित है, विशिष्ट सामाजिक सेवाएँ, नगरीय सुविधाएँ तथा सामान्य उपायों की सेवाएँ गाँवों में एक निश्चित स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। न्यूनतम दूरी। इन केंद्रीय गाँवों में ग्रामीण बैंक, डाकघर, उप डाकघर, माध्यमिक विद्यालय, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा आदि का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कृषि विकास और लघु और कुटीर उद्यमों का विचार भी उपयुक्त है।

4. साझा हितों के आधार पर, ग्राम समूह ग्रामीणों की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का समन्वय कर सकते हैं, जैसा कि वे उचित समझते हैं। इससे उनका सामाजिक अलगाव समाप्त हो जाएगा। उन्हें मौलिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करते हुए, गांवों के समूह में केंद्रीय गांव शहरी सुविधाएं भी प्रदान करेगा। आस-पास के गांवों का ग्रामीण परिवर्तन यह रूप ले लेगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए फायदेमंद होगा।

5. मुख्य गांवों में कृषि आधारित उद्योगों, कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों के फलने-फूलने के लिए संसाधन आधारित योजना होना चाहिए। स्थापना के पूंजी संसाधनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आसपास के गांवों को कोर गांव से सुविधाएं मिलती हैं, जो गांव समूहों में स्थित है। इस वजह से, कोर समुदायों को इनमें मुख्य रूप से शामिल होना चाहिए। इन बस्तियों में कृषि यंत्रों का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। ताकि आस-पास के समुदायों के किसान आसानी से उपकरण का उपयोग कर सकें।

6. समय, स्थान, पूंजी, परिवहन और कच्चे माल को ध्यान में रखते हुए विविध कुटीर उद्योगों का गठन किया जा सकता है, केंद्रीय गांवों में सभी उद्यमों को केंद्रीकृत करना भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें स्थानीय श्रम संसाधनों और कौशल पर आधारित लघु उद्योगों का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे उद्योगों में चमड़ा उद्योग, ईंट भट्टे, तेल प्रेस, बुनाई, बेकरी, सुअर पालन आदि शामिल हो सकते हैं। धातु बढ़ईगीरी, बुनाई, लुहार आदि जैसे उद्योगों की स्थापना भी ग्राम स्तर पर संभव है।

7. ग्रामीण वित्तीय संस्थानों और बैंकों के उचित समन्वय के लिए प्रभावी प्रबंधन, नेतृत्व संगठन, साथ ही वर्तमान ग्राम पंचायतों और विकास खंडों में पुनर्गठन की भी आवश्यकता है। पुनर्सरचना के साथ, ये पड़ोसी स्वशासी संस्थान और समूह गांवों के निवासियों के लिए गांवों में लोकतांत्रिक रूप से सेवाएं देने में सक्षम होंगे। पर्याप्त दिशा से वे इस परिवर्तन का लाभ उठा सकेंगे, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। ग्रामीण नियोजन इकाइयों और विकास खंडों, जिलों, राज्यों के माध्यम से पुनर्गठन की इस सुझाई गई अवधारणा से विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी और देश आपसी इकाइयों में विभिन्न स्तरों पर जुड़कर सरकारी संगठन और पूरे देश के विकास के एक रूप को साकार करेगा। क्योंकि यह सबसे छोटी विकास इकाई अपने से बड़ी इकाई श्रृंखला को समाप्त करने में सक्षम होगी।

सुझाई गई ग्रामीण विकास नीति का मुख्य उद्देश्य श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करके, उत्पादन-सहायक गतिविधियों को बढ़ाना और विभिन्न शिक्षाओं के माध्यम से भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार करके विभिन्न विकास-संबंधी तत्वों का समन्वय करना है।

निष्कर्ष -इस शोध पत्र में राजनीतिक दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन ने ग्रामीण विकास नीतियों के विकास का पता पारंपरिक मुख्य और निम्न दृष्टिकोण से अधिक भागीदारी और समुदाय-संचालित प्रतिमान तक लगाने की कोशिष की हैं।

शोध में पाया गया कि ग्रामीण विकास नीतियों को आकार देने और उनकी प्रभावशीलता का निर्धारण करने में राजनीतिक कारक जैसे शक्ति संबंध, अभिजात वर्ग का कब्जा और राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, अध्ययन संदर्भ-विशिष्ट नीतियों के महत्व पर प्रकाश डालता है जो ग्रामीण समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हैं।

विश्लेषण के आधार पर, शोध पत्र के अनुसार ग्रामीण विकास के लिए एक अधिक सहभागी और समावेशी दृष्टिकोण, जहां स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों का समाधान करने में अधिक प्रभावी हो सकता है।

अंत में, निष्कर्षानुसार ग्रामीण विकास नीतियों को आकार देने में राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण हैं और अधिक नीचे से ऊपर और भागीदारी दृष्टिकोण से अधिक टिकाऊ और समावेशी ग्रामीण विकास परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस अध्ययन के निष्कर्षों का ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम कर रहे नीति निर्माताओं और विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. अधिकारी, बी. (2017) ग्रामीण विकास को समझना: अवधारणाओं और सिद्धांतों का अवलोकन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक रिसर्च, 2(6), 2856-2870।
2. डी शटर, ओ (2014) भोजन के अधिकार पर विशेष दूत की रिपोर्ट। भोजन के अधिकार की परिवर्तनकारी क्षमता, 27
3. हिक्की, एस (2018) ग्रामीण विकास की राजनीति: एक परिचय। अफ्रीका में ग्रामीण विकास की राजनीति में (पीपी। 1-22)
4. लार्सन, ए.एम., और रिबोट, जे.सी. (2014) एक प्राकृतिक संसाधन लेंस के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण:अफ्रीका में विकेंद्रीकरण की पुस्तिका में (पीपी। 167-185)
5. पटेल, आर, और मूर, जे (2017) सात सस्ती चीजों में दुनिया का इतिहासरू पूंजीवाद, प्रकृति और ग्रह के भविष्य के लिए एक गाइड। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस
6. रोसेट, पी, और मार्टिनेज-टोरेस, एमई (2014) ग्रामीण सामाजिक आंदोलन और कृषि विज्ञान: संदर्भ, सिद्धांत और प्रक्रिया। इकोलॉजी एंड सोसाइटी, 19(3), 17
7. स्कोनस, आई (2019) सतत ग्रामीण विकास की राजनीति। विश्व विकास, 122, 675-685

8. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2018) मानव विकास रिपोर्ट 2018: आय से परे, औसत से परे, आज से परे: 21वीं सदी में मानव विकास में असमानताएं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

9. विल्सन, जीए (2019) ग्रामीण विकास पर दोबारा गौर किया गया: इसके ऐतिहासिक प्रक्षेपवक्र और समकालीन मुद्दों की समीक्षा। जर्नल ऑफ रूरल स्टडीज, 68, 10-21

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय पंचायतों का आधार: राजनीतिक विश्लेषण

डॉ. भावना भदौरिया* सुजाता अहिरवार**

* शोध निर्देशक, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – हाल के वर्षों में, क्षेत्रीय पंचायतें भारत के ग्रामीण विकास परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरी हैं। ये स्थानीय सरकारी निकाय, जो जिला या उप-जिला स्तर पर काम करती हैं, विकास योजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी जैसे कई कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। प्रस्तुत पेपर 'ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय पंचायतों का आधार: राजनीतिक विश्लेषण' भारत में क्षेत्रीय पंचायतों की स्थापना और कामकाज के पीछे राजनीतिक गतिशीलता की जाँच करता है। अनुभवजन्य प्रदत्त पर चित्रण, पेपर उन कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो इन संस्थानों के प्रदर्शन और ग्रामीण विकास पर उनके प्रभाव को आकार देते हैं। क्षेत्रीय पंचायतों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए, पेपर भारत में स्थानीय प्रशासन और विकास के परिणामों के बीच जटिल परस्पर क्रिया की हमारी समझ में योगदान देता है।

शब्द कुंजी – ग्रामीण विकास, क्षेत्रीय पंचायतों का आधार, राजनीतिक विश्लेषण।

प्रस्तावना – भारत, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश, अपने विशाल और विविध ग्रामीण परिदृश्य की विशेषता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली इसकी दो-तिहाई से अधिक आबादी के साथ, ग्रामीण विकास देश में नीति निर्माताओं और विकास चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख संस्थागत ढांचों में से एक पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की प्रणाली है, जिसे 1992 में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से स्थापित किया गया था। ये संस्थाएं विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने और विकास में जमीनी स्तर की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

क्षेत्रीय पंचायतें भारत में पीआरआई प्रणाली का एक अनिवार्य घटक हैं। ये पंचायतें जिला या उप-जिला स्तर पर काम करती हैं और ग्रामीण विकास योजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय ग्रामीण शासन परिदृश्य में क्षेत्रीय पंचायतों की स्थापना एक महत्वपूर्ण विकास रहा है, जो विकेंद्रीकृत निर्णय लेने और भागीदारी विकास योजना के लिए एक मंच प्रदान करता है। हालाँकि, क्षेत्रीय पंचायतों के कामकाज और प्रदर्शन को विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक कारकों द्वारा आकार दिया जाता है।

मध्य भारत में स्थित एक राज्य मध्य प्रदेश ने अपनी पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के पारित होने के बाद, 1994 में राज्य की पीआरआई प्रणाली की स्थापना की गई थी। तब से, राज्य ने अपनी पंचायतों के कामकाज को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों को लागू किया है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों में से एक 'पंच परमेश्वर' कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकार पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करती है। इस पहल ने विकास योजनाओं को लागू करने में पंचायतों की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करने में मदद की है।

राज्य ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को भी लागू किया है। उदाहरण के लिए, 'कृषि उपज रहन ऋण योजना' किसानों को उनकी कृषि उपज के भंडारण के लिए ऋण प्रदान करती है। इसी तरह, 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन' ग्रामीण परिवारों को पक्के घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में भी मध्यप्रदेश सबसे आगे रहा है। राज्य ने महिलाओं के लिए पंचायतों में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं, जिससे निर्णय लेने और विकास योजना में उनकी भागीदारी में वृद्धि हुई है।

भोपाल जिला मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है और एक बड़ी ग्रामीण आबादी का घर है। जिले ने अपनी पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो विभिन्न विकास योजनाओं और पहलों को लागू करने में सहायक रहे हैं।

भोपाल जिला पंचायत द्वारा की गई प्रमुख पहलों में से एक 'मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना' है। इस योजना के तहत, पंचायत ग्रामीण युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और स्वरोजगार करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस कार्यक्रम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और जिले में रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद मिली है।

भोपाल जिला पंचायत भी स्थायी कृषि और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल रही है। 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' कृषि उपकरणों की खरीद और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सामूहिक खेती और कृषि उपज के विपणन को बढ़ावा देने के लिए पंचायत ने कई किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भी स्थापना की है।

इन पहलों के अलावा, भोपाल जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के प्रावधान में भी शामिल रही है। 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए धान प्रदान करती है, जबकि 'मुख्यमंत्री ग्रामीण जल योजना' का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।

ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय पंचायतों का आधार: प्रस्तुत शोध पत्र भारत में क्षेत्रीय पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास के कई बुनियादी सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। इन सिद्धांतों में शामिल हैं:

विकेन्द्रीकृत निर्णय-निर्माण:क्षेत्रीय पंचायतों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता पर जोर देता है, विशेष रूप से ग्रामीण विकास योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विकास की पहल स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

भागीदारी योजना: ग्रामीण विकास में भागीदारी योजना के महत्व पर प्रकाश डालता है। क्षेत्रीय पंचायतों को नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास पहल उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी हैं।

समावेशी विकास:समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय पंचायतों की आवश्यकता पर जोर देता है, विशेष रूप से महिलाओं, दलितों और आदिवासी समुदायों जैसे हाशिए के समूहों के लिए। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार और असमानता के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता शामिल है।

सतत विकास:शोध पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय पंचायतों की आवश्यकता पर जोर देता है। इसमें टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधानों की रक्षा करने और लचीला समुदायों का निर्माण करने की आवश्यकता शामिल है।

क्षमता निर्माण: क्षेत्रीय पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसमें शासन, योजना और वित्तीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण शामिल है।

ग्रामीण विकास में मध्य प्रदेश: ग्रामीण विकास की दिशा में मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं।

पंचायत राज प्रणाली: मध्य प्रदेश पंचायत राज प्रणाली को लागू करने वाले भारत के पहले राज्यों में से एक था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी शासन और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत शामिल हैं।

ग्रामीण आजीविका: राज्य ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना सहित कई कार्यक्रम लागू किए हैं, जो ग्रामीण युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। सामूहिक खेती और कृषि उपज के विपणन को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने कई किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भी स्थापना की है।

कृषि और सिंचाई: राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान है, और सरकार ने स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए कई पहलें शुरू की हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कृषि उपकरणों की खरीद और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ग्रामीण बुनियादी ढाँचा: राज्य ने ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार करना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण जल योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।

शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल: राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए कई पहलें शुरू की हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए हैं।

ग्रामीण विकास में मध्य प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना: यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना: इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना: इस योजना का उद्देश्य सड़कों और पुलों का निर्माण और उन्नयन करके ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क में सुधार करना है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण जल योजना: इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना: यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: इस योजना का उद्देश्य स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना है।

मुख्यमंत्री कौशल्या योजना: इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे रोजगार योग्य बन सकें और एक स्थायी आजीविका अर्जित कर सकें।

मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर आजीविका सहायता योजना: इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका में सुधार करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है।

निष्कर्ष-अंत में, ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय पंचायतों के आधार पर अध्ययन भोपाल जिले पर विशेष ध्यान देने के साथ मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में पंचायतों की भूमिका का एक व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करता है। यह अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागी शासन और विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने को बढ़ावा देने में पंचायत प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालता है, जिसने बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने, स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है। यह अध्ययन ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न पहलों और योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण भी प्रदान करता है। ये योजनाएं स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं

तक पहुंच प्रदान करने पर सरकार के ध्यान को दर्शाती हैं।अतत: अध्ययन ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय पंचायतों के महत्व को रेखांकित करता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास पहलों में निरंतर निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह अध्ययन मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में रुचि रखने वाले नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. अग्रवाल, एन (2014) ग्रामीण मध्य प्रदेश में विकेंद्रीकृत शासन: पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेषण। जर्नल ऑफ रूरल स्टडीज, 34, 277-287।
2. अहमद, एस. एम. (2018)। भारत में पंचायती राज और ग्रामीण विकास: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। सामाजिक विज्ञान और मानविकी अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 6(3), 152-162
3. चक्रवर्ती, एस (2015) भारत में पंचायती राज और ग्रामीण विकास। एप्लाइड रिसर्च के इंटरनेशनल जर्नल, 1(11), 361-365।
4. देबनाथ, बी. (2019) भारत में पंचायती राज: एक सिंहावलोकन। मानविकी और सामाजिक विज्ञान समीक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 1(1), 28-32।
5. मध्य प्रदेश सरकार (2021) ग्रामीण विकास विभाग।
6. मध्य प्रदेश सरकार (2021) मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना।
7. मध्य प्रदेश सरकार (2021) मुख्यमंत्री ग्रामीण जल योजना।
8. मध्य प्रदेश सरकार (2021) मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना।
9. मध्य प्रदेश सरकार (2021) मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना।
10. मध्य प्रदेश सरकार (2021) मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर आजीविका सहायता योजना।
11. मध्य प्रदेश सरकार (2021) मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना।
12. भारत सरकार (2021) 'भारत में पंचायती राज' पंचायती राज मंत्रालय।
13. जेना, पीके (2016) भारत में विकेंद्रीकृत शासन और ग्रामीण विकास: पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेषण। आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 21(7), 37-41
14. जोशी, ए. (2017) भारत में पंचायती राज और ग्रामीण विकास। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च, 6(4), 2101-2105
15. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (2021) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा)।
16. योजना आयोग, भारत सरकार। (2014)। गरीबी के आकलन के लिए पद्धति की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

सूचना का अधिकार अधिनियम: अवधारणा एवं चुनौतियाँ

डॉ. भावना भदौरिया* सोनम बाल्मीकि**

* सह-शोध निर्देशक, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - सूचना ऐसी चीज है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक समाज के जीवन तथा शासन में भागीदारी करने की अपेक्षा करता है।

जितना ज्यादा सूचना तक नागरिकों की पहुँच होगी, उतना अधिक सामुदायिक आवश्यकता के प्रति शासन का उत्तर होगा, गोपनीयता और जवाबदेही दोनों एक साथ नहीं चल सकते इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तरदायित्व वाली सरकार में गुप्त बाते होती अवश्य है, परंतु बहुत कम लेकिन जनता के ये सभी प्रतिनिधि अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते है। प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार होता है। कि प्रत्येक सार्वजनिक सेवक, प्रतिनिधि कार्यो को किस प्रकार करता है। उसको यह भी जानने का अधिकार है कि सरकारी अधिकारी द्वारा उनके लिए प्रत्येक बात को किस प्रकार किया जाता है। पारदर्शिता ही वह संस्कृति है, जिसकी आवश्यकता किसी उत्तम अभिशासन के लिए होती है, गोपनीयता का प्रत्यक्ष अभिप्राय ही अधिकार सम्पन्नता विहीन करना होता है।

शब्द कुंजी - सूचना, अधिकार, प्रशासन, लोकतंत्र, अधिनियम, पारदर्शिता।

प्रस्तावना - किसी भी देश में न्याय, कानून का शासन और अपने नागरिकों के अधिकार ये तीन ऐसी पवित्रतम अवधारणाएं हैं, जिनका विकास न केवल लोकतंत्रों एवं उनकी संस्थाओं के संरक्षण के लिए बल्कि उनके सही परिपेक्ष्य में उन्हे सुरक्षित करने के लिए भी किसी व्यक्ति की बुद्धि द्वारा किया गया है।

भारत जैसे लोकतंत्रिक देश का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय से संबंधित अपनी बात रखने एवं उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने का अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि सूचना एवं पारदर्शिता के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (आजादी) का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

सूचना वह शक्ति है जो शब्द मात्र नहीं, बल्कि एक गूढ़ सत्य है, और यह भी उतना सत्य है कि सूचना का अभाव एक गम्भीर जिम्मेदारी हो सकती है। हम अपनी जनता को सही एवं उपयोगी सूचना देते है, तो हमें दिखाई देगा कि हमारी नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने में वे हमारे कितने बड़े सहायक हो जायेगे, लेकिन जिस सूचना की उन्हे आवश्यकता है वह विकृत या गलत सूचना के स्त्रोतों पर निर्भर कर दे तो हम पाऐंगे कि हमारी सर्वोत्तम योजनाएँ किस प्रकार से असफलता के दलदल में फंसी रह जाएँगी, सूचना हमारी जनता का मूलभूत अधिकार है। सूचना का अधिकरी अधिनियम 2005 लोकतंत्र की दिशा में उसकी संपूर्ण अनुभूति करने वाली एक छलांग है।

आर.टी.आई. सत्ता में समान भागीदारी की मांग है साथ ही किसी के द्वारा सत्ता की निरंकुशता पर भी अंकुश लगाता है। जनतांत्रिक व्यवस्था में इसकी वैद्यता से सशक्तिकरण एवं परिवर्तन के लिए संघर्ष की अपनी क्षेतिज को और व्यापक करने का अवसर मिला है। इस कानून में सूचना शब्द की विस्तृत परिभाषा दी गई है, यह अधिनियम आपको किसी सरकारी अधिकारी द्वारा रखी गई सूचना को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

सूचना से आशय सरकारी ऐजेन्सियों के पास किसी भी रूप में रखी जैसे फाईले, अभिलेख, यथा निविदा, ठेका, अनुबंध पत्र, लॉगबुक, अधिसूचना, आदेश, पत्राचार, ई.मेल, राय-सुझाव, इलेक्ट्रानिक प्रारूप सामाग्रीयाँ तथा दृश्य-श्रव्य सामाग्रियॉ।

भ्रष्ट आचरण को नियंत्रित व नियमित करने के व्यापक उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है।

यह अधिनियम भारत जैसे विशाल लोकतंत्र को सुदृढ एवं शक्तिशाली बनाने तथा नगरिकों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शोधपत्र का उद्देश्य:

1. सूचना के अधिकार का अवधारणात्मक अध्ययन करना।
2. सूचना के अधिकार के सफल क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।
3. आर.टी.आई. के वर्तमान पहलुओं पर प्रकाश डालना।
4. लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी का अध्ययन करना।

शोध पद्धति- प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीय स्त्रोतों द्वारा प्राप्त जानकारी को सम्मिलित किया गया है। जिसमें विभिन्न प्रकाशकों द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारियॉ आदि शामिल किये गये है।

शोध पत्र में प्राथमिक आकडों का उपयोग नहीं किया गया है।

अधिनियम का महत्व एवं प्रगति- 'जिन लोगो को सही और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त नहीं हो रही है, उनकी आजादी सुरक्षित नहीं है, उस आजादी को आज नहीं तो कल समाप्त हो ही जाना है।'

यह अधिनियम भारत में अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इसमें अब तक के कार्यकाल में विभिन्न रूपों में शासन एवं प्रशासन तथा आम नागरिकों के हितों की दृष्टि से उपलब्धिपूर्ण रहा है।

1. आर.टी.आई. से संबंधित आवेदनों ने विविध प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों एवं अन्य जानकारी को उजागर करने के लिए

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

संबंधित संस्थाओं पर दबाव डाला है।

2. सूचना के अधिकार के जरिए हम मंत्रियों नौकरशाही व न्यायाधीशों की परिसंपत्तियों से जुड़ी कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो कि सरकारी वेबसाईड पर दिखाया जाने लगा है साथ ही प्रत्येक वर्ष अपडेट भी किया जाता है।
3. सूचना के अधिकार से आम नागरिकों ने कई ऐसी जानकारिया हासिल की है जिससे उनकी रोजगर्रा की समस्याए सुलझ गई है।
4. इस अधिनियम के द्वारा कई घोटालों को उजागर किया गया है। जिसमें राष्ट्रमण्डल खेलों का घोटाला, आदर्श आवासीय घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लाक आवंटन घोटाला आदि शामिल है।

चुनौतियाँ:

1. सूचना के अधिकार के अंतर्गत कुछ सूचनाओं को देने की मनाही की गई है, जो शासकीय गोपनीयता को भंग करने संबंधी होती है।
2. जागरूकता की कमी के कारण भी सूचना के अधिकार अधिनियम के समक्ष चुनौती का सामना करना पडता है, क्योंकि आवेदकों की अज्ञानता जैसे अपूर्ण आवेदन, निर्धारित शुल्क, स्पष्ट सूचना का अभाव आदि समस्याएं सामने आती है।
3. आर.टी.आई. के तहत कई आवेदनकर्ताओं के द्वारा सूचना के संबंध में असंतुष्टि जाहिर की गई है, जिसमें सूचना जो कि प्रदान की गई है उसकी खराब गुणवत्ता तथा भ्रामक एवं अपूर्ण जानकारी मिलने की समस्या का सामना करना पड़ता है।
4. सूचना के अधिकार के तहत नौकरशाही में अभिलेखों को रखने व उनके संरक्षण की व्यवस्था का कमजोर होना।
5. आर.टी.आई. के लंबित मामलों की संख्या में लगातर वृद्धि भी इसकी बहुत बडी चुनौती है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि वर्ष 2019 में लंबित अपीलों एवं शिकायतों की संख्या 2,18,347 थी जो कि वर्ष 2022 में बढ़कर 3,14,323 हो गई है।

निष्कर्ष– वर्तमान समय में देष के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों ने सूचना के अधिकार कानून का उपयोग किया है, यह अधिनियम धीरे–धीरे करके आगे बढ़ रहा है। इस अधिनियम को शासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ईमानदारी के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन इसके समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों के कारण यह वास्तविकता में प्राप्त नहीं हो पाया है। इस अधिनियम में अब नये कानूनों की आवश्यकता नहीं बल्कि बने हुए कानून में सुधार के साथ सही रूप से लागू करने की आवश्यकता है जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार समाप्त करने में कारगर सिद्ध होगा व प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढावा मिलेगा।

अत: कहा जा सकता है कि यह अधिनियम आम जन के अधिकारों के पक्ष में अग्रसर तो हुआ है लेकिन वास्तविक लाभों को प्राप्त करने के लिए इसके मार्ग में आने वाली संरचनात्मक, संस्थागत् और प्रक्रियागत्, बाधाओं व जटिलताओं को तोडना होगा।

सत्ता को आम लोगो के नियंत्रण में रखने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सूचना का अधिकार आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. द्विवेदी डा. राधेश्याम : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005,सुविधा लॉ हाउस प्रा.लि. भोपाल, अष्टम संस्करण, 2012
2. शेण्डे हरिदास रामजी यसुदर्शन: आम आदमी का संवैधनिक हथियार, सूचना का अधिकार, अनु. प्रकाशन, जयपूर संस्करण 2013,
3. कुमार डॉ नीरज:जानिए अपना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, भारत लॉ हाउस, नई दिल्ली संस्करण 2011
4. मीणा डॉ. सुशीला देवी : सूचना का अधिकार एवं सुशासन, साहित्यागार जयपूर, प्रथम संस्करण 2016
5. पराडकर, श्रीनिवास :सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं सूचना का अधिकार नियम 2012, अमर खेत्रपाल लॉ हाउस इन्दौर, चौथा संस्करण 2021

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी : एक अध्ययन

डॉ. धनंजय कुमार वर्मा* लक्ष्मी बनवारी**

* शोध निर्देशक व प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान समय में स्त्रीयां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर गई राजनीति जैसे पुरूष प्रधान क्षेत्र में भी वे अपनी सशक्तता दर्ज करा रही है। अनेक स्त्रीयां आज संसद एवं विधानसभाओं में भी सदस्य है। भारत के कई राज्यों में स्त्रीयां मुख्यमंत्री का दायित्व अत्यंत कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। वसुंधरा राजे राजस्थान में, शीला दीक्षित दिल्ली में, मुख्यमंत्री रह चुकी है एवं देश के सर्वोच्चतम पद पर महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्म और प्रतिभा देवी पाटिल ने अपनी नारी शक्ति का परिचय दिया है। आज शिक्षित नारी समय और शिक्षा दोनों के महत्व को जानती है। आज प्रत्येक क्षेत्र में नारी सक्रिय भूमिका निभा रही है। शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकि, वैज्ञानिक, कला कविता साहित्य-सृजन, सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति विधमान है। पुरूष ने अपने स्वार्थ के लिए नारी को कानून के क्षेत्रसे दूर रखा था, किन्तु आज वकालत के क्षेत्र में भी नारी ने प्रवेश कर लिया है। शिक्षा प्राप्ति से नारी के आत्मविश्वास में वृध्दि हुई और वह किसी भी समस्या को सुलझाने में समक्ष है। यही शिक्षित नारी शिक्षा का महत्व अपनी संतान को समझायेगी। शिक्षित एवं आदर्श बालक ही उन्नत समाज एवं देश का निर्माण कर सकेंगे। आज शिक्षा प्राप्त करने के कारण नारी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो चुकी है तथा समाज एवं देश की उन्नती में मुख्य भूमिका का निर्वाह कर रही हैं।

पंचायत राज के माध्यम से लाखों स्त्रियों का जो राजनीतिक प्रशिक्षण हो रहा है वह अंतत: हमारी समग्र राजनीति के चरित्र को प्रभावित कर रहा है। पंचायतीराज में महिलाओं का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख (45.15 प्रतिशत) से भी अधिक महिलाएँ है। महिलाओं की राजनीतिक कार्यो में बढ़ती भागीदारी न केवल उनके स्वाभिमान के लिए सकारात्मक संदेश है अपितु इसमें भारत के गांवों जो असमानता व्याप्त थी। वह भी दूर होने लगी है। लिंग के आधार पर भी जो भेदभाव था वह भी आज काफी हद तक कम हो रहा है। अनेक सामाजिक कुरीतियाँ जैसे-दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा आदि से मुकाबला करने में महिला सशक्त हो चुकी है।

प्रत्येक महिला एवं व्यस्क लडकी को चुनाव की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने और स्वविवेक के आधार पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। भारत की नारी ने पश्चिम की नारी से प्रभावित होकर अपने स्वरूप को पहचानना प्रारंभ कर दिया है। पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में बराबरी से भाग लेती हुई। रुढीवादी जीवन को तिलांजली देकर नवयुग का अव्हान किया भारतीय नारी ने उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने कार्य क्षेत्र में उसकी उपस्थिति दिखाई देने लगी तथा उसका प्रभाव सर्वत्र परिलक्षित होने लगा है।

शब्द कुंजी – महिला नेतृत्व, ग्रामीण विकास एवं महिला, पंचायती राज और महिला, महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक दल और महिलाएँ।

प्रस्तावना – किसी भी देश में स्त्रियां समाज की महत्वपूर्ण घटना है। भारत की संस्कृति महिला-पुरूष की समानता पर बल देती है। स्त्री को शक्ति स्वरूप माना गया है; परंतु सदियों से पितृ सतात्तमक सामन्तवादी सामाजिक ढाचे में स्त्रियां धर्म, मान्यताओं, परम्पराओं और रुढियो के नाम पर उत्पीड़न और शोषण का शिकार रही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में पुरूष वर्ग ने योजनाबद्ध तरीके से स्त्रियों को पीछे रखने का षड्यंत्र किया है सात, वचन, सात फेरे, साथ जन्म, वाली कहावत कहकर उसे छला गया। स्वतंत्रता पूर्व स्त्रियों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रर्वतकों, राष्ट्रीवादी विचारकों तथा ब्रिटिश प्रशासन के सुधारवादी प्रशासकों ने समाज में जागरूकता उत्पन्न कर तथा कानून बनाकर स्त्रियों को शोषण तथा उत्पीडन से बचाने और उनके कल्याण के प्रयास किये। स्वतत्रंता पश्चात् कानूनी स्तर पर पुरुष तथा महिलाएँ समान अधिकारी है, परंतु आज भी स्त्रियां राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अपने अधिकारों की पहचान के लिए संघर्षरत है।

स्वामी विवेकानन्द जी कहते है कि यदि आप मुझे 500 पुरूष दें तो में राष्ट्र को एक वर्ष में बदल दूंगा, परंतु यदि मुझे 50 महिलाएँ दें तो मै कुछ ही महिनों में देश को बदल दूंगा।

प्रसिद्ध विचारक अरस्तु का कथन है कि 'नारी की उन्नती या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्धारित है।'

सामाजिक संरचना में नारी की सहभागिता पुरूष के सामन ही आवश्यक है सृष्टि के सृजन एवं संचालन दोनो महिलाओं के बिना संभव नहीं हैं। महिलाओं का मातृरूप प्रकृति का अनमोल वरदान है। भारतीय समाज में नारी को मातृशक्ति के पद पर प्रतिष्ठित रखा है। उसने ऐसे श्रेष्ठ मानव रत्न समाज को दिये जिसका नाम आज भी अमर है। जब-जब उसे गृहस्वामिनी, गृहलक्ष्मी, कुलमाता, के रूप में आदर दिया है तब-तब भारत का नाम विश्व में गुंजा है।

वैदिक काल से ही महिला शिक्षा ने अत्याधिक प्रगति की है। वैदिक काल में भारतीय नारी पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। वैदिककाल

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

में ब्राम्हणों के द्वारा कन्याओं को वैदिक ऋचाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जबकि क्षत्रिय कन्याओं को तीर कमान का शिक्षण दिया जाता था। अर्थववेद में यह बात स्पष्ट की गई है कि केवल उस लड़की का विवाह सफल होता है जिसे छात्रावस्था में उचित प्रशिक्षण दिया हो।

वैदिक काल में मेत्रेयी, गार्मी, लोपा, मुद्रा, आदि विरव्यात नारियों का नाम आता है जो विभिन्न शास्त्रों का गहन ज्ञान अर्जित किया करती थी तथा शास्त्रार्थ में पुरूषों को भी पीछे कर देती थी। उदाहरण स्वरूप जनक के दरबार में गार्गी ने याज्ञवल्यक्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी तथा उसे अपने प्रश्नों से चकित कर दिया था। मदन मिश्र और शंकराचार्य में हुए शास्त्रर्थ में मदन मिश्र की पत्नि भारती ने निर्णायक की भूमिका का निर्वाहन किया। तब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था तो उसने उस दांव को कानूनी आधार पर चुनौती दी थी एवं उस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसके प्रष्नों का उत्तर दे सके। सावित्री अपने पति को छुडा लाई थी।

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका– भारत देश में पंच परमेश्वर तथा महिला स्वतंत्रता की परम्परा प्राचीनकाल से ही प्रचलन में थी। पंचपरमेश्वर के रूप में ईमानदारी और निष्ठावान सदस्य निष्पक्ष होकर सच्चा और सस्ता न्याय देते थे तथा महिलाएँ स्वतंत्रता पूर्वक अपने को साक्षर, शिक्षित, और सशक्त बनाकर सामाजिक व्यववस्था को संतुलित एवं सर्वहितकारी बनाने में र्निविहन नहीं रह पायी। दुर्भाग्यवश सेकडों वर्षो की पराधीनता के काल में विदेशी शासक अपने निहित स्वार्थी की पूर्ति हेतु पंचायतीराज व्यवस्था तथा महिला स्वतंत्रता को जान बुझकर समाप्त करने की चेष्टा करते रहे। सौभग्य से सन् 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पंचायती राज व्यवस्था को पुर्नजीवित और सक्रिय करने का प्रयास किया गया, फिर भी पुरूषों में सेकडों वर्षों की दक्षता वाली मानसिक तथा महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता और अवलापन की स्थिति के कारण पंचायती राज व्यवस्था सुदृण और सक्रिय नहीं हो सकी। इस विफलता के कारण उत्तरदायी अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी था कि उस पुर्नजीवित पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागीता 4 शताब्दियों तक नगण्य सी रहती रही। उस स्थिति को सुधारने के लिए भारतीय संवधिान में सन 1992 में एक संशोधन अधिनियम (73वाँ और 74 वाँ संशोधन) पारित किया गया, ताकि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम एक तिहाई अवश्य हो सके। संविधान के संशोधन से यह स्थिति तो बनी कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिल गया।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभमि– वैदिक कालीन साहित्य में सर्वप्रथम 'ग्राम' शब्द का उल्लेख मिलता है तथा इसी समय से हमें पंचायती राज का असतित्व भी नजर आता है इस काल में ग्राम सभाओं तथा ग्राम पंचायतों का गठन हो चुका था। वेदों में भी ये माना जाता है कि पाँच व्यक्ति ही मिलकर यज्ञ को पूरा कर सकते है। इस प्रकार वैदिक काल में प्रशासन की सबसे लघु इकाई 'ग्राम' थे तथा इसका मुखिया 'ग्रामीणी' कहलाता था। वह प्रमुख रत्नियों में होता था एवं गाँव के श्रेष्ठ तथा बुजुर्ग व्यक्तियों की सलाह से कार्य करता था। वैदिक काल में पंचायत सभा तथा उसके समकक्ष संगठन सुव्यवस्थित रूप से कार्यशील थे वैदिक काल में सभा होती थी, जो अपना विधान स्वयं बनाती थी, जिसमें प्रत्येक नागरिक भाग लेता था, जहाँ राजा को भी पद से हटा दिया जाने का डर रहता था। प्राचीन भारत के हर काल में स्थानीय शासन की स्वायत्वशासी इकाई के रूप में गांवों का उल्लेख जरूर मिलता है।

स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था– देश में 'पंचायतें' जिन्हें चार्ल्स मेटकाफ ने 'लघु गणराज्य' का नाम दिया था प्राचीनकाल से ही सभी समुदायों में विद्यमान रहीं है। आज भी परम्परागत (जाति पंचायतें) वैधानिक एवं लोकतांत्रिक रूप से गठित पंचायतों के समानान्तर विद्यमान है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ अग्रणी नेताओं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, ऐनीबेसेन्ट रामकृष्ण परमहंस आदि ने तथा स्वतंत्रता के उपरान्त उदारवादी और समाजवादी विचारधाराओं के प्रभाव के कारण पं. जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति सुधारने की प्रक्रिया शुरू की। संविधान का अनुच्छेद 16(1) 'राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता' की भावना के अंतर्गत कालान्तर में पंचायती राज अधिनियम पारित कर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ भारत संघ के सभी राज्यों द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में किया गया। भारत में पंचायती राज की अवधारणा काफी प्राचीन रही है। इन प्राचीन संस्थाओं से संबंधित अवधारणा को ही परिवर्तित रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

देश की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को समाज और जीवन के हर क्षेत्र में समानता के अवसर प्राप्त करने के योग्य बनाती है। वे ही पंचायतों से उनकी संबंधता पर असर डालती है। महिलाओं के बराबरी के दर्जे की पहली बार भारतीय संविधान में मान्यता मिली।

पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति:– 74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 73 वें संशोधन की तरह ही शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम और घोषित क्षेत्र प्राधिकरण के लिए प्रावधान बनाए गये। यह देश की महिलाओं के राजतनैतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य विधान सभाओं और राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य है। संविधान अधिनियम 81 वें संशोधन का निर्माण हुआ। जिसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट संसद और राज्य विधान सभाओं में आरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ। विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गो के नेतृत्व में भागीदारी प्राप्त हुई है। प्रस्तुत अध्ययन में 'पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी : एक अध्ययन' पर आधारित है। महिलाओं की राजनैतिक स्थिति में सुधार हेतु पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 73 वें संविधानिक संशोधन के माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है। मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड में ये आरक्षण 50 प्रतिशत है। यद्यपि देश की संसद में एवं विधानसभा में 33 प्रतिशत विधायक राज्य सभा में स्वीकार हो चुका है। जिससे महिलाओं की राजनैतिक स्थिति सुद्दढ़ हुई है इसके अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में गतिशीलता लाने वाले कारकों में महिलाओं को दिये गये कानूनी अधिकार शिक्षा की स्वतंत्रता महिला कल्याण कार्यक्रमों के अतिरिक्त औद्योगिकीकरण, संचार साधनों की भूमिका एंव वैश्वीकरण मुख्यत: रहे है। जिनके फलस्वरूप महिलाओं की शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है।

2019 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागदीदारी 44.37 प्रतिशत है जबकि 2014 में यह 46.14 प्रतिशत महिलाओं को पंचायत मे

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिहार अग्रणी राज्य है। आज भारत में 20 राज्यों में यह लागू हो गया है। वर्तमान में महिला साक्षरता की दर 70.3 प्रतिशत है। और उनमें जागरूकता भी बढ़ी है। 2019 में 110 वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी गई सिके द्धारा महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी। इस प्रावधान से महिलाओं की क्षमता उजागर हुई है जो भविष्य में भारत की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है।

राज्यवार पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का विवरण

क्र	राज्य	पंचायतों की संख्या
1	आंध्रप्रदेश	22945
2	अमस	2431
3	बिहार	9040
4	छत्तीसगढ़	9982
5	हिमाचल प्रदेश	3330
6	झारखण्ड	39 79
7	कर्नाटक	5833
8	केरल	1165
9	मध्यप्रदेश	23412
10	महाराष्ट्र	28277
11	ओड़िसा	6578
12	राजस्थान	9457
13	त्रिपुरा	540
14	उत्तराखण्ड	7335
15	पश्चिम बंगाल	3713

आज राजनैतिक रूप से जागरूक महिलायें पंचायतों के चुनाव लड़ रही है। और चुनाव जीतकर स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही है पंचायतों में महिलाऐं अपनी भूमिका निभा रही हैं, लेकिन प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उनके सामने अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासन सीमाएँ समस्या पैदा कर रहीं है। उनकी अशिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने मुश्किल खड़ी की है। गरीबी भी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण समस्या है। राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की वांछित भागीदारी नहीं है। विधायिका के अलावा न्यायपालिका में भी इनकी संख्या नगण्य है।

महिला भागीदारी का प्रभाव– महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव 1992 के बाद देखने को मिला जब 72वें और 73वें संविधान संशोधन के द्धारा पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटे आरक्षित कर दी गई। बिहार भारत का ही नहीं अपितु विश्व का एक ऐसा प्रांत बन गया है जहाँ पंचायती राज तथा शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2006 में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके साथी ही निरक्षरता दर सबसे अधिक, सघन, घनी आबादी और कुल प्रजनन दर अधिकतम वाले गंभीर समस्याग्रस्त बिहार जैसे राज्य में 8500 पंचायतों में 45000 से अधिक महिलाएँ चुनाव जीती है। जो कि एक अनुपम उदाहरण है। पंचायतों में महिला आरक्षण ने जहाँ एक ओर महिलाओं की तकदीर बदलने का काम किया है, तो वहीं दूसरी और इसने पंचायतों की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल दी है और राजनैतिक रूप से हशिए पर पड़ी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने का किया है।

निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या

वर्ष	निर्वाचित प्रतिनिधि लाख में	निर्वाचित महिला प्रतिनिधि लाख में	निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत
2005	27.82	10.42	37.46
2010	28.51	10.48	36.75
2015	29.14	13.42	46.00
2020	31.65	14.53	45.91

निष्कर्ष– 'पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: एक अध्ययन' शीर्षक के अंतर्गत यह कहना उचित होगा कि पंचायती राज भातर देश के लिए कोई नई बात नहीं है। महिला सशक्तिकरण से हमारा तात्पर्य महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना है। राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी समान कार्य के लिए समान वेतन तथा कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार आदि प्रदान करने से है और साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में भी सुधार देखा गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं की ग्रामीण भागीदारी में जनसंख्या की दृष्टि से लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है और वे उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था की सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ–साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं का योगदान एवं भूमिका मुख्य है। भारतीय नारी का विकास काफी धीमा है। आधुनिक भारत में नारियों की शिक्षा का पर्याप्त विकास हो गया है। किन्तु इस पुरूष प्रधान समाज में आज भी नारी को बराबरी का दर्जा देने में पूर्णत: समर्थ नहीं हुए है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. श्रीवास्तव, रागिनी (2011) 'आधुनिक समाज एवं महिलाएँ' ब्लू स्टार पब्लिकेशन, इन्दौर
2. महिपाल, (2017)'पंचायत में महिलायें' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
3. तिवारी, श्रद्धा, (2011) 'पंचायती राज के बदलते परिवेष में सरपंच की भूमिका: एक विश्लेषण, लोक प्रशासन' अर्द्धवार्षिकी शोध पत्रिका, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।
4. कुमार, अनूप (2012) 'भारत में पंचायती राज' त्रिशूल बुक सर्विस नई दिल्ली।
5. पाण्डेय, प्रेम नारायण (2000)'ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन' रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
6. मंजुलता, (2012)'भारतीय समाजिक समस्या' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
7. भार्गव, बी.एस. (1979) 'पंचायत राज सिस्टम एण्ड पालिटिकल' पार्टीज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
8. गहरवार, आरती (2022)'पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता' VolumeVI IssueXII March 2022
9. बसु, डी.डी. (2002)'भारत का संविधान : एक परिचय',बाधवा एण्ड कम्पनी, नागपुर।
10. कुरूक्षेत्र, (1964)'पंचायती राज और महिला विकास' पांइटर पब्लिशर्स, जयपुर।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

सागर शहर की महिलाओं में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉ. अमर कुमार नायक* शारदा अहिरवार**

* सह प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र सागर शहर में महिलाओं के बीच मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर की जॉच करता है। यह अध्ययन छात्राओं, गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं सहित 200 महिलाओं के सर्वेक्षण के माध्यम से किया गया था। परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सागर शहर में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर में महत्वपूर्ण अंतर है। अध्ययन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि उच्च स्तर की शिक्षा वाली महिलाओं ने मानवाधिकारों के बारे में उच्च स्तर की जागरूकता दिखाई है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि कामकाजी महिलाओं में छात्रों और गृहिणियों की तुलना में मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता का स्तर अधिक है। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयासों को वंचित सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और लैंगिक समानता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अतत: अध्ययन लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए महिलाओं के बीच मानवाधिकार शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देता है।

शब्द कुंजी – महिलाएं, मानव अधिकार, जागरूकता।

प्रस्तावना – मानवाधिकार मौलिक अधिकार हैं जो सार्वभौमिक हैं और सभी व्यक्तियों पर उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना लागू होते हैं। इनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल हैं, जैसे भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, और सामाजिक और आर्थिक अधिकार, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का अधिकार। मानवाधिकार सभी व्यक्तियों की गरिमा, भलाई और समानता के लिए आवश्यक हैं, और वे एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज का आधार बनाते हैं।

महिलाएं समाज में हमेशा हाशिए पर रहती हैं, जो अपने लिंग के आधार पर भेदभाव और हिंसा का सामना करती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के अधिकारों को मानव अधिकारों के रूप में मान्यता दी है, और विश्व स्तर पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संधियों और कानूनों की स्थापना की गई है। हालांकि, कानूनी ढांचे के बावजूद, दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं को भेदभाव और उनके अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ रहा है।

भारत, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले और विविध देशों में से एक होने के नाते, अपने सभी नागरिकों के लिए मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। महिलाओं को, विशेष रूप से, भेदभाव, हिंसा, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमी के मामले में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्थिति विशेष रूप से छोटे शहरों और कस्बों में गंभीर है जहां मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता सीमित हो सकती है। सागर शहर, मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है, लगभग 270,000 की आबादी वाला एक तेजी से विकासशील शहर है। यह शहर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है और कई शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों का घर है। अपनी प्रगति के बावजूद, सागर शहर को लैंगिक असमानता और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य सागर शहर में महिलाओं के बीच मानवाधिकार जागरूकता के स्तर की जांच करना है। यह अध्ययन महिलाओं की अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता की सीमा को समझने पर ध्यान केंद्रित करेगा, वे विशिष्ट अधिकार जिनके बारे में वे जानते हैं, और कारक जो उनकी जागरूकता को प्रभावित करते हैं। अध्ययन मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति की भूमिका की भी जांच करेगा। अनुसंधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सागर शहर में महिलाओं के बीच मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर को बेहतर ढंग से समझने में योगदान देगा। अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग शहर में महिलाओं के बीच मानवाधिकारों के ज्ञान और समझ में सुधार के लिए लक्षित हस्तक्षेपों और जागरूकता अभियानों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। अध्ययन जागरूकता को प्रभावित करने वाले कारकों और जागरूकता को बढ़ावा देने में शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति की भूमिका के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा, (1948) के अनुसार मानवाधिकार मौलिक अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए निहित हैं, उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना। इनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल हैं, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के पर्याप्त मानक का अधिकार। मानवाधिकार

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

सभी व्यक्तियों की गरिमा, भलाई और समानता के लिए आवश्यक हैं और एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज का आधार बनाते हैं। वहीं इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन, (2012) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और राष्ट्रीय कानूनों के बावजूद, भारत में महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। भारत का संविधान जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों की गारंटी देता है, और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विधायी उपाय किए गए हैं। हालाँकि, इन कानूनों का कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है, और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए का सामना करना पड़ रहा है। भारत में महिलाओं के बीच मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर का आकलन करने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। महाराष्ट्र में ग्रामीण महिलाओं के बीच महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पर जोशी और देशपांडे (2012) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि केवल 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं को घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों के अस्तित्व के बारे में पता था। नारायण एवं अन्य द्वारा एक अन्य अध्ययन। (2014) हैदराबाद में महिलाओं के बीच कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पर पाया गया कि केवल 17.7 प्रतिशत उत्तारदाताओं ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के बारे में सुना था।

इस लेख का आयोजन निम्न रूप में किया गया है। पहला खंड मानव अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों और भारत में महिलाओं की स्थिति की साहित्य समीक्षा प्रदान करता है। दूसरा खंड नमूना तकनीक, डेटा संग्रह और विश्लेषण सहित अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति को प्रस्तुत करता है। तीसरा खंड अध्ययन के निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है, जिसमें महिलाओं के बीच मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता का स्तर, वे विशिष्ट अधिकार जिनके बारे में वे जानते हैं, और जागरूकता को प्रभावित करने वाले कारक शामिल हैं। चौथा खंड नीति और अभ्यास के लिए निष्कर्षों के निहितार्थ पर चर्चा करता है, और अंतिम खंड समापन टिप्पणी प्रदान करता है।

कुल मिलाकर, सागर शहर में महिलाओं के बीच मानवाधिकार जागरूकता का अध्ययन भारत में मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए चल रहे प्रयासों में एक आवश्यक योगदान है।

समस्या कथन

सागर शहर की महिलाओं में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

अध्ययन के उद्देश्य:

1. सागर शहर की महिलाओं में महिला अधिकारों सहित मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर का आकलन करना।
2. सागर शहर में महिलाओं के बीच मानवाधिकार जागरूकता को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों की पहचान करना।
3. सागर शहर में मानवाधिकार जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के बीच संबंधों की जांच करना।
4. सागर शहर में महिलाओं के सामने अपने अधिकारों तक पहुँचने और उन्हें साकार करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।
5. सागर शहर में महिलाओं के बीच मानवाधिकार जागरूकता, विशेष रूप से महिला अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों का सुझाव देना।

इस शोध पत्र के निष्कर्षों से सागर शहर में महिलाओं के बीच मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर को समझने और उन कारकों की पहचान करने में मदद मिलेगी जो मानवाधिकार जागरूकता में योगदान या बाधा डालते हैं। यह सागर शहर में मानवाधिकार जागरूकता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिकारों तक पहुँचने और उन्हें साकार करने में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। इस अध्ययन के परिणाम सागर शहर और भारत के अन्य हिस्सों में लैंगिक समानता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे नीति निर्माताओं, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

शोध की परिकल्पनाऐं:

परि.1 सागर शहर में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

परि.2 सागर शहर में शिक्षा के विभिन्न स्तरों वाली महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

प्रदत्तों को संकलन, प्रयुक्त उपकरण एवं प्रयुक्त सांख्यिकीय विधि- वर्तमान शोध कार्य में सागर शहर में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और मानवाधिकार जागरूकता पर डेटा एकत्र करने के लिए स्व-निर्मित प्रश्नावली का उपयोग शामिल है। प्रश्नावली को विषय विशेषज्ञों की सहायता से तैयार किया गया था, जिन्होंने सामग्री, मद और निर्माण वैधता पर मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रश्नावली की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए, पूर्व-परीक्षण और परीक्षण के बाद की प्रक्रियाओं के साथ-साथ एक अर्धा-व्यक्तिगत विधि का उपयोग किया गया था। डेटा विश्लेषण में सहसंबंध परीक्षणों का उपयोग शामिल है, जिसके परिणाम नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं।

परि.1 सागर शहर में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

सारणी क्रमांक 1: सागर शहर में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर संबंधी तुलनात्मक परिणाम

सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रांतिक अनुपात मान	सार्थकता स्तर
उच्च	101	28.82	7.12	4.48	सार्थक अंतर
निम्न	99	24.42	6.75		

स्वतंत्रता के अंश -198, 0.01 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान - 2.57

उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित परिणामों से स्पष्ट है कि सागर शहर में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर के मध्य सांख्यिकी दृष्टिकोण से सार्थक अंतर हैं क्योंकि प्राप्त क्रांतिक अनुपात मान 4.48 है जो कि स्वतंत्रता के अंश 198, के 0.01 स्तर के लिये निर्धारित न्यूनतम मान 2.57 से अधिक हैं।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

अत: उपरोक्त परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि सागर शहर में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर के मध्य सार्थक अंतर पाया गया अर्थात मानव अधिकार के प्रति जागरूकता के स्तर में उच्च एवं निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं में अंतर पाया गया।

अत: उपरोक्त परिणामों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ली गई परिकल्पना 'सागर शहर में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।' अस्वीकृत की जाती है।

परि.2 सागर शहर में शिक्षा के विभिन्न स्तरों वाली महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

सारणी क्रमांक2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

सारणी 2 में प्रदर्शित परिणामों के आधार पर, हम देख सकते हैं कि शिक्षा के उच्च स्तर वाली महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर उच्च है। कामकाजी महिलाओं का समूह, 20.5 प्रतिशत मानव अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, जो कि छात्राओं और गृहिणियों के समूह से अधिक है, जहाँ क्रमश: केवल 12.5 और 6.5 प्रतिशत मानवाधिकारों के प्रति उच्च जागरूक हैं।

वही यह देखा गया कि मानवाधिकारों के प्रति जागरूक गृहिणियों का प्रतिशत सभी तीन समूहों में सबसे कम है, यह सुझाव देता है कि शिक्षा महिलाओं के बीच मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा, कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत जो मानव अधिकारों के बारे में उच्च जागरूक हैं, गृहिणियों की तुलना में अधिक है, जो विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक वातावरणों के उनके संपर्क के कारण हो सकता है।

इन परिणामों से संकेत मिलता है कि शिक्षा महिलाओं के बीच मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निष्कर्ष बताते हैं कि समाज में महिलाओं के अधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियानों तक पहुंच प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

अध्ययन के निष्कर्ष:

1. सागर शहर में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर के मध्य सार्थक अंतर पाया गया अर्थात मानव अधिकार के प्रति जागरूकता के स्तर में उच्च एवं निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं में अंतर पाया गया।
2. सागर शहर में शिक्षा के विभिन्न स्तरों वाली महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर के मध्य पर सार्थक संबंध पाया गया क्योंकि शिक्षा के उच्च स्तर वाली महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर उच्च है। कामकाजी महिलाओं का समूह, 20.5 प्रतिशत मानव अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, जो कि छात्राओं और गृहिणियों के समूह से अधिक है, जहाँ क्रमश: केवल 12.5 और 6.5 प्रतिशत मानवाधिकारों के प्रति उच्च जागरूक हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. संयुक्त राष्ट्र (1948) मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणापत्र। https:www.un.org;universal/declaration/of/human& rights से लिया गया।
2. भारत सरकार (1976) भारत का संविधान https: www. india.gov.in/sites/default/files/CoI/1.pdf से पुनर्प्राप्त
3. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2015) मानव विकास रिपोर्ट 2015 http:hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr&theme/ country&notes@IND.pdf से पुनर्प्राप्त
4. मल्होत्रा, ए., और बत्रा, ए. (2017)। भारत में महिलाओं में मानवाधिकार जागरूकता: एक अनुभवजन्य अध्ययन। मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 5(2), 1-10
5. शर्मा, एन., और श्रीवास्तव, आर.के. (2019)। सागर शहर में महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, 9(10), 14-17
6. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। (2018) भारत में मानवाधिकार: वार्षिक रिपोर्ट 2017-18
7. संयुक्त राष्ट्र महिला (2021) महिला आर्थिक सशक्तिकरण। https: www.unwomen.org/en/what&we&do/Economic& empowerment से लिया गया
8. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार (2021) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। https: www.betibachaobetipadhao.co.in से लिया गया।

सारणी क्रमांक 2: सागर शहर में शिक्षा के विभिन्न स्तरों वाली महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर संबंधी तुलनात्मक परिणाम

शिक्षा का स्तरछात्राएं		गृहिणी			कामकाजी			महिलाएं		
		सं.	जागरूकता		सं.	जागरूकता		सं.	जागरूकता	
			उच्च	निम्न		उच्च	निम्न		उच्च	निम्न
अनपढ़		–	–	–	13	3	10	27	11	16
	प्रतिशत	–	–	–	**6.5**	**1.5**	**5**	**13.5**	**5.5**	**8**
दसवीं		23	8	15	11	3	8	16	8	8
	प्रतिशत	**11.5**	**4**	**7.5**	**5.5**	**1.5**	**4**	**8**	**4**	**4**
बारहवीं		15	7	8	9	2	7	21	10	11
	प्रतिशत	**7.5**	**3.5**	**4**	**4.5**	**1**	**3.5**	**10.5**	**5**	**5.5**
स्नातक		18	8	10	8	3	5	15	7	8
	प्रतिशत	**9**	**4**	**5**	**4**	**1.5**	**2.5**	**7.5**	**3.5**	**4**
परास्नातक		9	2	7	4	2	2	11	5	6
	प्रतिशत	**4.5**	**1**	**3.5**	**2**	**1**	**1**	**5.5**	**2.5**	**3**
कुल		65	25	40	45	13	32	90	41	49
	प्रतिशत	**32.5**	**12.5**	**20**	**22.5**	**6.5**	**16**	**45**	**20.5**	**24.5**

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

महात्मा गांधी के रामराज्य की संकल्पना का आधार एवं गांधी के राम

गौरव कुमार पांडे*

* सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र) राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – महात्मा गांधी भारत के एक महान संत एवं जन नेता थे, जिनका जन्म भारत के गुजरात प्रांत में हुआ था। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को मानवीय सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक की संपूर्ण यात्रा में इन्होंने अनेक विषयों पर चिंतन किया चाहे वह सामाजिक विषय हो चाहे वह आर्थिक विषय हो चाहे वाह नीति शास्त्री विषय हो इसी तरह इन्होंने अपने तीखी बौद्धिक क्षमता से राजनीतिक चिंतन व्यवस्था को भी दिया जिसमें इनका रामराज्य बहुत ही अद्‌भुत एवं बौद्धिक चिंतन व्यवस्था है। इनकी संपूर्ण चिंतन व्यवस्था भारतीय ज्ञान परंपरा वैदिक साहित्य रामचरितमानस एवं गीता से प्रभावित रही और इसी ज्ञान परंपरा का अपने पूरे जीवन अनवरत रूप से पालन करते हुए गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन को आगे बढ़ाया और अपने जीवन में इस ज्ञान का प्रयोग भी किया और निरंतर सत्य के पथ पर बढ़ते गए और सामने आने वाली समस्त बाधाओं से लड़ते हुए अपने आप को सशक्त मजबूत बनाया और अपने जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह मर्यादित करके संपूर्ण जीवन को जिया ऐसे थे हमारे महान संत जन नेता महात्मा गांधी जी जिन्होंने स्वयं अपने आप को प्रकाशित किया भारत के लोगों को प्रकाशित किया साथ ही साथ भारत की भूमि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रकाशित किया।

महात्मा गांधी भारत की ज्ञान परंपरा एवं इसके अंतर्गत आने वाले अनेक साहित्यों से प्रभावित थे उनमें से एक महान महाकाव्य श्रीरामचरितमानस है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मर्यादित जीवन की और उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करता है। इसके साथ ही साथ हमें उस समय कि पर्यावरण चेतना का भी ज्ञान देता है। उसी मानस से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने अपने रामराज्य की संकल्पना अपने राजनीतिक चिंतन में दी की हमारे राज्य की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और इस संपूर्ण चिंतन का आधार तुलसीकृत रामचरितमानस था। जिसमें से उन्होंने रामराज्य की संकल्पना को लेकर रामराज्य की एक बौद्धिक, तार्किक व्याख्या की कि हमारा रामराज्य आज के आधुनिक परिपेक्ष्य में कैसा हो इसकी व्यवस्था या सीख हमें अपने भारतीय महाकाव्य रामचरितमानस से लेना चाहिए। हमें ऐसे राज्य की स्थापना करनी चाहिए। जो राज्य विहीन हो और राज्य की अगर सत्ता महसूस हो या उसकी जरूरत हो तो उसके हाथ में बहुत ही कम सकती हो। जिससे मानव के जीवन में कोई बंधन ना आ सके या राज्य के द्वारा कोई परिधि न खींची जा सके जिससे व्यक्ति अपने अस्तित्व का और अपना सर्वांगीण विकास ना कर सके। इसके साथ ही साथ इन्होंने राम राज्य के मुख्य गुण या तत्व के रूप में स्वयं की चेतना से प्रेरित होकर काम करने को रामराज्य की संकल्पना का मुख्य आधार बताया है।

रामराज्य तभी फलीभूत हो सकता है जब राज्य का प्रत्येक मनुष्य अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य को स्वा की प्रेरणा से निभाए क्योंकि अगर मनुष्य स्वयं की प्रेरणा से सभी कार्यों को करेगा तो उसमें कभी भी कोई बुराई नहीं आएगी और राज्य की संपूर्ण रागरयाओं का रागाधान अपने आप हो जाएगा। गांधी के राम राज्य में सभी व्यक्तियों को कुछ ना कुछ कार्य मुहैया करवाया जाएगा जिससे प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को एक स्वाभिमान एवं गरिमा पूर्ण तरीके से जी सकें इसके साथ साथ राज्य के सभी मनुष्यों से किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। सबके साथ समतामूलक व्यवहार किया जाएगा और यहां पर स्त्री और पुरुष के मध्य कोई भेद नहीं समझा जाएगा स्त्रियों को भी पुरुषों के समान समान अधिकार और समाज में समान सहभागिता का स्थान दिया जाएगा। जिससे समाज में प्रत्येक स्त्री की ऊर्जा का प्रयोग राज्य के उन्नयन एवं राज्य के विकास के लिए उपयोग किया जा सके राज्य में कोई भी ऐसी व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी जिससे किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का शोषण किया जा सके और साथ ही साथ संपूर्ण जनता की जवाबदेहीता होगी रामराज्य की व्यवस्था को बनाने एवं सवारने में गांधी जी के राम राज्य में पशु पक्षियों जीव जंतुओं एवं पर्यावरण के किसी भी घटकों जैसे पेड़- पौधे, नदी-तालाब आदि के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा वर्जित होगी समाज में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का ना तो सेवन किया जाएगा ना तो उत्पादन किया जाएगा।

एक आध्यात्मिक समाज का निर्माण किया जाएगा और आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखने के लिए सुबह-शाम धार्मिक कीर्तन और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गांधीजी के रामराज्य की संपूर्ण अवधारणा का ज्ञान हम उनके हिंदू नामक पत्रिका के माध्यम से समझ सकते हैं जहां पर गांधी जी ने अपने संपूर्ण रामराज्य की संकल्पना को व्यक्त किया है। गांधी जी ने रामराज्य की संकल्पना को व्यक्त करते समय शासक वर्ग के दायित्वों को बहुत अच्छे से समझाया है कि शासक वर्ग हमेशा अपनी जनता को अपने पुत्र के समान समझे और उनके शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करें कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विमुख ना होवे जिससे समाज में समृद्धि समरसता बनी रहे और रामराज्य की व्यवस्था यथावत चलती रहे और भविष्य में किसी भी प्रकार

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

की समस्या ना उत्पन्न हो। जिससे शासक–जनता या जनता–जनता के मध्य कोई समस्या उत्पन्न हो ।

गांधी का राम राज्य जो की समतामूलक न्याय पर स्थापित था इसलिए गांधी जी हमेशा समतामूलक न्याय के लिए पर्यावरणीय संवेदनशीलता के प्रति अपने राम राज्य में हमेशा सजग रहें और लोगों के मन में हमेशा पर्यावरणीय चेतना के बीज अपने पत्र–पत्रिकाओं एवं भाषण से लोगों के मन में डालते रहे कि पर्यावरण संपदा हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। लेकिन हमारी इच्छा हो या वासनाओं कि नहीं इसलिए राम राज्य के प्रत्येक नागरिकों को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें जिससे राज्य के प्रत्येक जनमानस की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और मेरे राम राज्य की संकल्पना जो मैंने की है वह अपने वास्तविक स्वरूप में फलीभूत होकर एक छोटे बीज से वृक्ष का रूप धारण कर सकें और प्रत्येक जनमानस के अंदर ऐसी भावना घर कर सकें।

इसके साथ ही साथ गांधी जी ने अपने राम राज्य की स्थापना के लिए नागरिकों को कुछ मूल मंत्र भी दिए जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रम्हचर्य जैसे महत्वपूर्ण सूत्र दिए जिसका उपयोग करके और इनकी प्रेरणा लेकर मनुष्य जीवन में राम राज्य की ओर बढ़ सके और रामराज्य की नीव रख सके इसी प्रकार जब हम गांधी के रामराज्य में और आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि राम राज्य में जो न्याय व्यवस्था है। उस पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक चिंतन किया गया है गांधी जी के द्वारा फिर उसके बाद न्याय की एक बौद्धिक एवं तार्किक व्यवस्था दी गई है। जिसमें रामराज्य का प्रत्येक नागरिक किसी भी प्रकार से न्याय से वंचित नहीं रहेगा और न्याय की त्वरित एवं कम खर्चीली व्यवस्था को गांधी जी ने अपने राम राज्य में दिया है।

गांधीजी का मानना था कि न्याय व्यवस्था जितनी साधारण और जनमानस को केंद्र में रखकर बनाई जाएगी उतनी ही अच्छी और व्यापक होगी। जिसमें कोई भी न्याय से वंचित नहीं रहेगा। गांधी जी ने अपने राम राज्य में ग्राम स्तर पर छोटे–छोटे न्याय समितियों के माध्यम से न्याय की व्यवस्था को अपने रामराज्य के दर्शन में स्वीकार किया है जिसमें इन समितियों के माध्यम से त्वरित न्याय दिया जाएगा और यह न्याय बहुत ही कम खर्चीला होगा जिससे आम जनमानस पर न्याय के लिए आर्थिक दबाव नहीं बनेगा। क्योंकि गांधीजी का मानना था अगर कोई व्यक्ति अपनी सारी पूंजी को खोकर कर न्याय को प्राप्त करता है तो एक समस्या से छूटकर दूसरी समस्या में फस जाता है और उसकी संपूर्ण पूंजी न्याय को पाने में ही खत्म हो जाती और फिर उसके सामने समस्या जस की तस रहती है। कभी–कभी तो न्याय के इतनी खर्ची ले होने से मनुष्य के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है। जिसमें मनुष्य अपनी सारी पूंजी न्योछावर कर के न्याय को प्राप्त करता है। यहां पर देख सकते हैं कि गांधी जी ने रामराज्य की व्यवस्था में कैसे समतामूलक न्याय व्यवस्था को अपने राम राज्य की संकल्पना में दिया है। जो उनके एक व्यापक जन चिंतक के दृष्टिकोण को दिखाता है इसके साथ ही साथ देखते हैं किगांधी जी ने जब श्री राम चरित्र मानस पड़ा तब उसमें इन्होंने जो सामाजिक समरसता और अस्पृश्यता का जो भाव या बीज इनको मिला। जैसे राम की वनजातियों के प्रति प्रेम, दया, सौहार्दपूर्ण भावना और शबरी के प्रति राम का प्रेम और उनके जूठे बेर को बिना किसी भेद के राम के द्वारा खाना गांधी जी को और उनकी भावना को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है और यही भावना घनीभूत होकर उनको अपने रामराज्य की संकल्पना को और अधिक प्रेरित और उत्साहित करता है। इसके साथ ही साथ इनकी इस भावना को इनके द्वारा हिंद स्वराज में कुछ इस प्रकार मानस के दोहे को लेकर व्यक्त किया गया है।

कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि।
प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि ।।34।।

गांधी के राम –गांधी जी ने अपने राम के स्वरूप की व्याख्या 30 मार्च 1928 को रामनवमी के दिन दिए अपने एक विचार से स्पष्ट की है कि मेरे राम का स्वरूप कैसा है उस विचार को जब समझते हैं तो राम के स्वरूप या गांधी के राम के स्वरूप खुलते चले जाते हैं। इन्होंने कहां है कि मेरे राम बाल्मीकि रामायण या तुलसीकृत मानस के राम नहीं हैं जो शरीरधारी एवं अवतारी हैं जो अन्याय के खिलाफ शस्त्र को उठा लेते हैं और इसके माध्यम से धर्म को स्थापित करते हैं। यह जो केवट को गले लगा लेते हैं या जो पिता के प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपने साम्राज्य को छोड़ जाते हैं। यह जो अपने पत्नी के हरण पर विश्व विजेता रावण को क्षमा नहीं कर पाते या फिर किसी मनुष्य के हृदय में जो एक मनुष्य के रूप में विराजित हैं ऐसे मेरे राम नहीं है। बल्कि मेरे राम अनादि और अनंत है जो किसी भी प्रकार से संकीर्ण ना होकर व्यापक हैं और वह निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप वाले हैं और सत्य स्वरूप वाले हैं। जो कण–कण में व्याप्त है जिसके कारण यह संपूर्ण जगत अपने लय में संचालित एवं विकसित हो रहा है और इसके साथ ही साथ वह किसी विशेष जाति या धर्म के नहीं है। बल्कि वे सबके हैं और उनका ही तत्व सभी मनुष्यजाति जीव जंतु एवं इस संसार में व्याप्त हैं और उनके ही प्रकाश से संपूर्ण सत्ता प्रकाशित हो रही हैं और यही तत्व मनुष्य के अंदर भी सुषुप्त रूप में विद्यमान है। इसी के विकसित हो जाने पर संपूर्ण चेतना विकसित हो जाती है और सारे भेद मिट जाते हैं तब मेरे राम के स्वरूप की प्राप्ति होती हैं और मेरे राम के स्वरूप को अगर देखना है तो वह उपनिषद वेद एवं कबीर के निर्गुण ब्रह्म के समान हैं असीम एवं अनंत है जिनके उदय से संपूर्ण चेतना में क्रांति की घटना घटित हो जाती है जिससे मनुष्य स्वयं को प्रतिफल पिघलाकर के दूसरों को रोशनी एवं ज्ञान को देता है और स्वयं राम तत्व हो जाता है और उस अनंत सर्व व्यापक राम तत्व में मिल जाता है। इस प्रकार हम गांधी जी के राम के स्वरूप की स्पष्टता को हम उनके द्वारा 30 मार्च 1928 के भाषण से गांधी के राम को गांधी के विचारों से समझ सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. महात्मा गांधी, कलेक्टेड वर्क, वॉल्यूम 41 पेज 338
2. समाज दर्शन की भूमिका, जगदीश सहाय श्रीवास्तव, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, 1970, पृष्ठ 993 से 996
3. नंदकिशोर आचार्य, सभ्यता का विकल्प, पृष्ठ 16
4. तुलसीकृत रामचरितमानस, गीता प्रेस गोरखपुर, पृष्ठ 426
5. महात्मा गांधी, हिंद स्वराज्य, पृष्ठ 57

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Study of Physico-Chemical Characteristics of Sediment of Abheda Pond of Kota (Rajasthan)

Sushma Agrawal* Veena Chourasia**

***Assistant Professor (Zoology) Maa Bharti P.G. College, Kota (Raj.) INDIA**
**** Associate Professor (Zoology) Govt. College, Kota (Raj.) INDIA**

Abstract - The sediment of pond play an important role in not only regulating the concentration of nutrients of pond water but also provide essential minerals to aquatic flora and fauna of an aquatic ecosystem. The present study was carried out from Aug.2015 to July 2016, it deals with the study of physico-chemical parameters which include pH, Electrical conductivity, Chloride, Total alkalinity, Calcium, Magnesium, Sodium, Potassium, Nitrate and Phosphate. During the study period fluctuations of various parameters were observed. Sediment analysis results showed that the soil of the pond remained alkaline throughout the study period. The productivity of an ecosystem mainly depends upon the quality of sediments. Some parameters were found above the limit and some below the limit which affect the quality and productivity of pond sediments.
Keywords- Abheda, Physico- chemical, Parameters,Pond,Sediments.

Introduction - In aquatic ecosystem, sediment is the most important ecological factor the productivity of pond depends largely on the quality of bottom soil that is "storehouse of nutrients". The physical and chemical characteristics of pond water are influenced by the properties of bottom sediments. The bottom sediments provide nutrient and shelter for the benthic organisms and also act as the reservoir of nutrients for the growth of benthic organism. The sediment also functions as a buffer and governs the storage and release of nutrients into the overlying water. Therefore, bottom soil described as the "chemical laboratory of pond." It serves as biological filter through the adsorption of organic residues of food, excretory products and algal metabolites. The sediment also helps in the decomposition and mineralization of organic deposits at the bottom by bacterial activity. The ability of bottom soil to provide various nutrients for biological production is assessed through the analysis of its physico-chemical parameters. This parameter bears the effect of various anthropogenic activities like rapid urbanization, industrialization, population explosion, agricultural waste and flow of pesticides and fertilizers into it.In india however, very little work has been carried out to explore the sediment characteristic of aquatic bodies. In this field Saha,et.al(1971),Raoand Burve (1989), Dave(2008),Mahajan and Billore(2014) made some contribution.

Study Area: Kota district is situated in the southern east region of Rajasthan. This region is drained by the Chambal River and its tributaries such as Kalisind, Parvan and Parvati. Abheda Pond is an artificial pond, it was dug during the 'Riyasat Kal' to quench the thirst of wild animals, it is about 8KM from Kota district and lies between 25º12'-11" North Latitude and 75º-53'-15" East Longitude. During 1800, this water tank (pond) was home to a large number of crocodiles. Like any other pond it has no wave action, has shallow depth, and negligible temperature variation along its depth. It sustains enormous floral and faunal diversity. The pond water is used for drinking, fishing and other anthropogenic activities.

Material and Methods: In the aquatic ecosystem, the sediments are in a complex milieu with the overlying water, they affect water chemistry and are being affected by it. Monthly sediment samples were collected from the four sites of Abheda pond from Aug. 2015 to July 2016. After scooping out the samples from these sites they were put into polythene bags and brought to the lab. Air dried pulverized and then passed through small pore size sieves. After this analysis of various parameters of sediment by standard method mention by APHA(1998) and Trivedi and Goel (1986).pH of soil extract was measured by digital pH meter,Electrical conductivity by a digital conductivity meter, Total alkalinity and Chlorides by titration method, Calcium and Magnesium by EDTA method, Nitrate by PDA method whereas Phosphate-phosphorus by Spectrophoto-meter.Sodium and Potassium estimated by using a Flame photometer.

Results and Discussion of Sediment: The physico-chemical characteristics of sediment of Abheda pond was based on qualitative analysis of the sediment. The color of the sediment appeared black during rainy season to winter

season, while light brown during the summer.

pH: The pH of Abheda pond was found alkaline and varied between 6.66 to 8.08 The maximum pH value was recorded in summer season and minimum in winter season, similar results were reported by Shaikh (1996)in Bilawali Tank Indore and Mahajan et al (2014) in Nagchoon pond. Soil pH in the range of 6.5 to 7.5 is considered ideal for any lake or pond .The present study showed pH of Abheda pond slight deviation from the ideal conditions.

Electrical-Conductivity: Electrical conductivity offers a quick and convenient way for determining the total amount of ionizable salts in soil. In the present study E.C. was in the range of225 to 489 ìmohs/cm. In the present study the maximum Electrical conductivity was recorded in the summer season and minimum in the rainy season. Similar results were observed by Shrivastav A.(1996) in Pipalya Talab, Mendhe K.(1997)BilawaliTank,Indore and Mahajan et al (2014) in Nagchoon pond Khandawa,(M.P.)

Optimal EC level in the soil range from 110-570 ìmohs/ cm.Too low EC level indicates low available nutrients, and too high EC level indicate an excess of nutrients. The present study showed that the EC of Abheda pond soil is in the range of optimal level.

Organic Carbon-Organic carbon is an index of soil productivity and the amount of carbon broken down from plants and animals that are stored in soil. The organic carbon content of Abheda pond soil ranged between 0.30% to 0.61% .The maximum organic carbon content found in the month of June and minimum in the month of July at all sites. Munsiri et al (1996)in his study found the normal value of organic carbon in range of 0.5 to 0.75%, In the present study carbon content of Abheda pond soil fall in between 0.30 to 0.61% which is lower than normal.

Total Alkalinity-Alkalinity depends upon the level of water-soluble anion. During the study period the alkalinity ranged between 42 ppm to 86 ppm. The maximum total alkalinity values recorded in summer and minimum values in the rainy season may be due to the dilution of water. The minimum values in the rainy season, similar observations were reported by Pandit(2005) in Ransager reservoir and Mahajan et al (2014)[7]in Nagchoon pond Khandawa,(M.P.)

Calcium: Calcium contents of the sediments is the function of deposit of limestone and gypsum etc.During the study period,calcium value ranged from 21.30ppm to 40 ppm. The present study revealed the maximum calcium values recorded in the summer season and minimum calcium values recorded in the rainy season. Similar results was observed by Sahaet.al(1971) in the soil of perennial freshwater pond,Shaikh et al (1996)13 at Bilwali Tank and Mahajan et al (2014)7 in Nagchoon pond Khandawa,(M.P.).These results coincide with the present findings.

Magnesium: Magnesium is a water-soluble cation and it is necessary for chlorophyll pigment in green plants. During the study period, magnesium value ranged from 30 ppm to 10.42 ppm. The results of the study year revealed that the maximum magnesium value is found in summer and minimum magnesium in the rainy season. In Abheda pond, the value of magnesium was found lower than calcium.

Chloride: At the study sites of Abheda pond the chloride content ranged from8 ppm.to 38 ppm. The maximum concentration of chloride in summer may be due to evaporation and high temperature and minimum concentration in rainy season due to dilution of pond water, similar results was recorded by Choubey,A(1991)in Gandhi Sagar reservoir and Mahajan et al. (2014) in Nagchoon pond Khandawa,(M.P.)

Sodium: Sodium is a soluble cation in the present study sodium was found in the range of 1.85 to2.90 ppm. The sodium content of Abheda pond soil revealed that maximum sodium values recorded in summer season and minimum sodium values recorded in rainy season during the present investigation.

Potassium: Potassium is also a soluble cation, during the study period the amount of Potassium ranged from 1.20 ppm to 1.75 ppm . Thus it was maximum in summer season while minimum in rainy season.

Nitrate-Nitrogen: The major source of nitrogen in soil is nitrogenous bacteria such as cyanobacteria which fix atmospheric nitrogen.In Abheda pond, the soil nitrate-nitrogen value extended from 0.80 ppm to 1.8 ppm, Maximum value in summer season and minimum in rainy season of nitrate nitrogen this might be due to dilution of pond water.

Phosphate-Phosphorus: Phosphate is an element required for, all aspects of cellular metabolism, respiration, cell division, growth, synthesis of protein and incorporation in all living tissues. During the investigation period the quantity of phosphorus ranged from 0.35 ppm to 1.07ppm. The value revealed the maximum phosphate value recorded in summer season and minimum value of phosphate recorded in rainy season.

Table 1 (see in next page)

Conclusion: The result showed that the nature of the bottom soil was alkaline; conductivity is higher in summer due to high concentration of salts in the soil. On the other hand chloride concentration was slightly higher than normal. The nitrate and phosphate concentration in sediment had affected the anthropogenic activity in and around Abheda pond, sodium and potassium are found under considerable range.

References:-

1. Adoni, A.D. (1985): Workbook of Limnology Pratibha Publications, Sagar.
2. A.P.H.A. (1998) Standard methods for examination of water and Waste Water.20th Edition, American Public Health Association, Washington D.C.
3. Choubey,A.(1991)Studies on physico- chemical and biological parameters of Gandhi sagar reservoir, Ph.D. Thesis, VikramUniversity, Ujjain 224.

4. Dave, V.(2008)Limnological studies of Kishanpura lake withspecial reference to population dynamics, Ph,D. ThesisD.A.V.V. University, Indore.
5. Edwards, R.W. (1972) Pollution, Oxford Biology Readers ,No:31: 16.
6. Mahajan, S., and Billore, D. (2014) Assessment of Physico-chemical characteristics of the Soil of Nagchoon Pond Khandwa, MP, India.*ResearchJournal of Chemical Sciences.* 4(1): 26-30.
7. Mendhe, K.(1997) Studies of hydro chemical characters and phytoplankton population of BilawaliTalab Indore, Ph.D. Thesis D.A.V.V. Indore (M.P.)
8. Munsiri, P, Boyd, C.E., Green,B.W.and Hajak, B.F.(1996) Chemical and physical characteristics of bottom soil profile in pondon Haplaquets in an arid climate at Abasa Egypt. *Jaquacult. Tropics*. 11:319-326.
9. Pandit, P., Ansari, A. and Kanhare, R.R.(2005) Hydrochemistry of ground water in Barwani town (M.P.)An area of Southwestern zone of Narmada river basin; At pre impoundment ofSardarSarovar Dam. Proceedings of ICCE, 511-513.
10. Rao, N.G. and Burve, V.S. (1989) Cultural Eutrophication of the lake Ranasagar Udaipur Rajasthan, India. *J.Environ. Biol*. 10(2):127-134.
11. Saha,G.N.,Sehgal, K.L.,Mitra, E. and Nandy, A.C.(1971) Studies on the seasonal and diurnal variations in physico- chemical and biological condition of a perennial fresh water pond.*Journalof Inland Fisheries Society of India.* (3): 79-102.
12. Shaikh, R.(1996) Studies of moist bank community structure and production of Bilawali Talab, Indore, Ph.D. Thesis, D.A.V.V.Indore.
13. Shrivastava, A.(1996) Studies on the macrophytic vegetation of Pipalyapala talab, Indore, Ph.D. Thesis, D.A.V.V. Indore.
14. Trivedi,R.K.andGoel, P.K. (1986) Chemical and Biological Methods for water pollution Studies. Environmental Publication, Karad, India, 215.

Table1: Monthly variation in physico-chemical parameters in Abheda pond sediments year 2015 to 2016

S.	Parameters	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
1	pH	7.72	7.81	7.58	7.46	6.77	6.71	6.66	7.55	8.00	8.08	8.02	7.59
2	Electrical conductivity µmohs/cm	235	243	254	345.25	376.2	383.75	388	450.0	484	489	432	225.2
3	Organic Carbon(%)	0.32	0.34	0.39	0.40	0.36	0.34	0.38	0.41	0.44	0.54	0.61	0.30
4	Total Alkalinity(ppm)	42.00	53.75	61.50	62.50	68.00	74.75	77.50	81.00	81.00	84.00	86.50	43.00
5	Calcium(ppm)	21.30	23.00	23.87	24.22	25.00	25.82	27.25	37.61	37.37	38.00	40.00	21.45
6	Magnesium (ppm)	10.42	13.46	13.75	14.48	15.50	15.78	17	27.48	28.23	28.12	30.12	11.42
7	Chloride(ppm)	8.00	8.75	9.50	23.00	20.00	21.25	18.75	30.00	32.25	37.00	34.00	7.50
8	Sodium (ppm)	1.88	1.94	2.30	2.12	2.08	2.02	2.04	2.00	2.48	2.85	2.47	1.85
9	Potassium (ppm)	1.19	1.40	1.41	1.43	1.47	1.51	1.58	1.61	1.66	1.68	1.73	1.63
10	Nitrate (ppm)	0.82	0.87	1.02	1.00	1.06	1.14	1.16	1.63	1.68	1.75	1.74	0.80
11	Phosphate (ppm)	0.43	0.50	0.57	0.65	0.70	0.75	0.80	1.05	1.03	1.06	0.92	0.35

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

श्रुति गर्भित संगीतकला

डॉ. प्रीति श्रीवास्तव*

* सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मानव ने संस्कारित होने के लिए अनेक कलारूपों को आत्मसात् किया है। मनुष्य की कला रसिकता ने उसके जीवन को परिपूर्ण और संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। कला के प्रति मानव मात्र की आस्था सनातन काल से अस्तित्व में है।

भावाविष्करणं कला (कथक नृत्य शिक्षा-1)

आचार्यो ने भावों को सुंदरता के साथ सजा सँवारकर व्यक्त करने की विभिन्न प्रणालियों को **'कला'** कहा है। कला के दो भेद है –

1. उपयोगी कला व 2. ललित कला।

ललित कला के अंतर्गत पाँच कलाएँ मानी जाती है :- (1) स्थापत्य कला, (2) मूर्तिकला, (3) चित्रकला (4) संगीतकला व (5) काव्यकला।

ललित कलाओं में संगीतकला का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। संगीत, वह कला है जिसमें संगीतज्ञ अपने भावों, कल्पनाओं तथा बुद्धिगत विचारों व अनुभूतियों को स्वर, लय और ताल के माध्यम से व्यक्त करता है।

पण्डित शारंगदेव ने संगीत रत्नाकार ने कहा है :-

गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते।

(संगीतरत्नाकर – 21)

अर्थात् गायन, वादन औन नर्तन तीनों कलाओं का समावेश संगीत कहलाता है। ब्राह्मण काल में नृत्य, गीत तथा वाद्य के लिए **'शिल्प'** शब्द प्रयुक्त होता था।

त्रिविधो शिल्पं नृत्यं – गीतं – वादत्रमिति।

(कौषीतकि ब्राह्मण – 29/5)

विश्व साहित्य में प्राचीनतम साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित वैदिक वाङ्मय में कलारूपों के तत्तव विविध उपक्रमों में कभी साक्षात् रूप में तो कभी सांकेतिक रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। प्राय: वेदों को ज्ञान, कर्म और आध्यात्मक की दृष्टि से परखा जाता है, किन्तु वैदिक वाङ्मय को संगीतकला की दृष्टि से आलोडित करने का यह मेरा विन्नम प्रयास है।

वैदिककालीन समनोत्सव – ऋग्वेदकाल में 'समन' नामक उत्सव का आयोजन किया जाता था, जिसमें कलाकार व विद्वजन साग्रह भाग लेते थे। कलात्मक प्रतियोगिताओं को भी इस उत्सव में स्थान मिलता था। इस उत्सव में स्त्रियाँ अलंकृत व प्रसन्न वदन होकर अपने मनोरंजन हेतु जाती थी–

अभि प्रवन्न समनेव योषा: कल्याण्य: स्मयमानासो अग्निम्।

(ऋग्वेद – 4/58/8)

समनोत्सव रात्रि में प्रारंभ होकर प्रात: काल पर्यन्त चलता था। इसमें स्त्रियाँ और पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते थे। विवाह के योग्य युवक-युवतियों को जीवन साथी चुनने में भी यह उत्सव सहायक सिद्ध हुआ है। अविवाहित युवा-कन्याएँ अपने योग्य वर की खोज के लिए सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण करके 'समन' में जाती थी।[1]

अथर्ववेद के विवाह सम्बंधी प्रकरण में भी 'समनोत्सव' का वर्णन प्राप्त होता है। यहां समन उत्सव में जाने वाली कन्याओं के थक जाने, क्लान्त हो जाने का वर्णन है–

अश्रमदियमर्यमन्नन्यासां समनं यती।
अंगो न्वर्यमन्नस्या अन्या: समनमायति।।

(अथर्ववेद – 6/60/2)

ऋग्वेद (6/75/3), अथर्ववेद (2/36/1) तथा वाजसनेयी संहिता (9/9) में भी इस उत्सव का व्यापक विस्तार प्राप्त होता है।

यह एक प्रकार का सांगीतिक मेला था। यही 'समन उत्सव' आगे चलकर 'समज्जा' के नाम से पुकारा जाने लगा। पौराणिक युग में वर-वधु का चयन 'समज्जा' के द्वारा होता था। जातकों से विदित होता है कि समज्जा विशेष प्रकार की गोष्ठियाँ थी, जिनमें स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध एकत्र होकर अनेक प्रकार के खेल, तमाशे, नृत्य, संगीत, हरित युद्ध, मेष युद्ध, अजा युद्ध, दण्ड युद्ध, मल्ल युद्ध आदि खेल खेलते थे। इन्हें 'समाज' भी कहा जाता था। 'समज्जा' का प्रचलन महाभारत में भी था। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में उत्सव, समज्जा और यात्रा का वर्णन किया है।

वर्तमान में यह परम्परा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मालवांचल, पूर्वोत्तार प्रदेश आदि के आदिवासियों में जीवित है। यहाँ प्रणय-नृत्य बहुप्रचलित है। स्त्री-पुरुष अपने लिए वर-वधू का चयन इन्हीं सामूहिक नृत्यों में करते है।[2]

नृत्य, गीत और वाद्य से सम्बंधित महत्वपूर्ण संदर्भ शुक्ल यजुर्वेद त्रिंशोऽध्याय में प्राप्त होते हैं–

'नृत्तय सूतम्।'

(शुक्लयजुर्वेद – 30/6)

यहाँ नृत्ता को देवता और सूत को हवि के रूप में स्वीकार किया गया है।

गीताय शैलूषं

(शुक्ल यजुर्वेद – 30/6)

यहाँ गीत देवता को नट की आहूति देने का विधान है। '**शैलूष**' अर्थात् नट। नट वह पात्र है जो अभिनय कौशल में पारङ्गत हो। शैलूष अभिनय के साथ नृत्य विधा का भी विज्ञ होता है।

'शैलूष' शब्द का निर्वचन करते हुए 'भावप्रकाशन' में 'शारदातनय' ने कहा है–

अतीतं लोकवृत्तान्तं रसभावसमन्वितम्।
स्वभाववन्नाटयति यतस्तस्मान्नट: स्मृत:।।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

नानाशीलस्य लोकस्य भावान् भासयतीह य:।
भूमिकास्ता: प्रविश्यात: शैलूष इति कथ्यते।।

(भावप्रकाशन – पृ. 288)

'महसे वीणावादनं'

(शुक्लयजुर्वेद – 30/19)

यहां उत्सव देवता हेतु वीणा–वादन की आहूति देने का विधान है –
'तान्महसे वीणावादं पाणिघ्नं तूणवध्मं तान्नृत्तायानन्दाय तलवम्।'

(शुक्लयजुर्वेद – 30/20)

यहां वीणावादक के साथ हथेलियों से ताल देने वाला एवं तूण बजाने वाला – तीनों ही नृत्य देवता के लिए विनियोजित हैं। यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है कि वैदिक काल में संगीतकला का पर्याप्त प्रचलन था।
गीतम् – संगीत के त्रिविध पक्षों मे सें सर्वप्रथम गीत की चर्चा अभीष्ट है। ऋग्वेद में गीत के लिये गीर्, गातु, गाथा, गायत्र, गीति तथा साम शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। ऋग्वेद की ऋचाएँ स्वरों में निबद्ध होने पर 'स्तोत्र' कहलाती है। स्रोत मंत्रों की विशेषता उनके गान में निहित है।

शस्त्र नामक मंत्रों का वैशिष्ट्य उनके पठन में है। होता के द्वारा जिन स्तुति मंत्रों का कथन किया जाता है। उन्हें शस्त्र कहते है।

गाथा एक विशिष्ट तथा परम्परागत गीत प्रकार है, जिनका गायन धार्मिक और लौकिक समारोहों पर किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ में ऐसी गाथाओं का गान ब्राह्मण तथा क्षत्रिय गायकों के द्वारा किये जाने का उल्लेख है।[3] इन गाथाओं के गायक गाथिन् कहलाते थे।[4]
यज्ञ के अंतर्गत सामगान के गौरवपूर्ण स्थान का सङ्केत प्राप्त होता है।

ऋचां त्व: पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं त्वो गायति शक्करीषु।

(ऋग्वेद – 10/71/11)

ऋग्वेद के यमसूक्त में अंत्येष्टि के समय साम गान का स्पष्ट विधान है –

यं कुमार प्रावर्तयो रथं विप्रेभ्यस्परि तं सामानु प्रावर्तत समितो नाव्याहितम्।

(ऋग्वेद – 10/135/4)

यजुर्वेद में वर्णित सोमयाग में सामगायक का प्रधान स्थान है। यज्ञ कार्य के लिये साम की अपरिहार्यता का सङ्केत तैत्तिरीय संहिता में हुआ है –

अयज्ञो वा एष:। योऽसामा।

(तैत्तिरीयसंहिता – 2/5/8)

साम का प्रधान अङ्ग स्वर है –

का साम्नो गतिरिति। स्वर इति होवाच।

छान्दोग्योपनिषद् तथा बृहदारण्यकोपनिषद् में प्राप्त उक्तियों से ज्ञात होता है कि साम ऋगाश्रित होता है। 'साम' शब्द का निर्वचन भी यही प्रदर्शित करता है –

सा च अमश्च तत् साम्न: सामत्वम्।

(वृहदारण्य कोपनिषद् – 1/3/22)

'सा' का अर्थ 'ऋक्' है और 'अम' का अर्थ – षड्जादि सप्तस्वर है। इस प्रकार 'साम' शब्द का अर्थ – 'ऋक् से सम्बद्ध स्वर प्रधान गान है।'

विविध सोमयागों के अवसरों पर गाया जाना ही सामों का एक मात्र अभिप्राय है। साम का आरंभ 'ऊँ' स्वर से किया जाता है। अश्वमेघ यज्ञ के अंतर्गत सामगान के साथ ही गाथागान भी प्रचलित था। साम विशुद्ध रूप से शास्त्रीय गान है तथा गाथा लौकिक अथवा देशीगान है। 'तैत्तिरीय ब्राह्मण' में गाथा के एक अन्य भेद का उल्लेख हुआ है, जिसको 'नाराशंसी' नाम से अभिहित किया जाता था।
तैत्तिरीय संहिता में महिलाओं की संगीत कुशलता का उल्लेख है –

पत्नय उपगन्ति मिथुनत्वाय प्रजात्यै।

(तैत्तिरीय संहिता – 7/5/8)

अर्थात् महाव्रत नामक सोम याग में जब उद्गातृवर्ग 'भद्र' नामक साम गाते हैं तब यजमान पत्नी अपने कण्ठ स्वर से उनकी सङ्न्त किया करती थी। ऐसा उपगान प्रजा की वृद्धि के लिये सहायक माना जाता था। कात्यायन श्रौतसूत्र में साम के विभिन्न भेद, लौकिक संगीत तथा नानाविध वाद्यों का प्रचुर उल्लेख प्राप्त होता है।[5]

सामवेद के पूर्वार्चिक में संगीत की शिक्षा का विधान होता था तथा उत्तारार्चिक में मंत्रों का स्वर, ताल, लय के अनुसार यज्ञीय अवसर की उपयोगिता को दृष्टि में रखकर गान होता था।
वाद्यम् – संगीतात्मक ध्वनि तथा गति को प्रकट करने वाले उपकरण को **वाद्य** कहा जाता है। महर्षि भरत ने वाद्यों के चार प्रकार माने हैं – तत, आनद्ध, घन तथा सुषिरा[6] तत और सुषिर वाद्य स्वर के लिए तथा आनद्ध और घन वाद्य ताल के लिए माने गये है।
ततवाद्य – तन्तु युक्त वाद्य **तत** कहलाते है। वैदिक युग में तन्तु वाद्यों के नाम 'हिरण्य केशीसूत्र' में प्राप्त है, जिसके आधार पर ताल्लुक वीणा काण्ड वीणा, पिच्छोरा, अलाबु, वीणा, कपिशीर्ष वीणा आदि का नाम लिया जा सकता है।[7] ऋग्वेद में इन समस्त वाद्यों को **आघाटी** कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण वाण नाम वाद्य की निर्माण विधि बताई गयी है –

'वाण: शततन्त्रीर्भवति।'

(ताण्ड्यब्राह्मण 5/6/13)

इसके अतिरिक्त कर्करी, गर्गर, बुकर, आडम्बर आदि तन्त्र वाद्यों का भी नामोल्लेख ऋग्वेद में है। कर्करी के सम्बंध में कीथ तथा मैक्डॉनल का मत है कि सम्भवत: यह वीणा ही है। इन्द्र को प्रसन्न करने हेतु यजमान द्वारा सुरीले वाद्यों के प्रयोग का वर्णन भी ऋग्वेद में प्राप्त होता है।[8]

ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर मरुतों की वीणा का उल्लेख प्राप्त होता है। दानशील मरुत् वीणा बजा–बजाकर तथा सोमपान से प्रसन्न होकर रमणीय धन देते हैं –

ऊर्ध्वं नुनुद्रेऽवतं त ओजसा दाघ्हाणं चिद्बिभिदुर्वि पर्वतम्।
धमन्तो वाणं मरुत: सुदानवो मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे।।

(ऋग्वेद – 1/85/10)

अथर्ववेद में भी 'वाण' का वर्णन प्राप्त होता है। सामगान में वाण का वादन किया जाता था। वाण के सम्बंध में लिखा है –

'वाणस्य सप्तधातुरिज्जन:।'

ब्राह्मण तथा उपनिषद्काल में भी संगीत की विशेष उन्नति दृष्टिगोचर होती है। ब्राह्मणकाल में नृत्य, गीत तथा वाद्य के लिए 'शिल्प' शब्द प्रयुक्त हुआ है। उस समय ब्राह्मणकाल नृत्य के साथ वीणा वादन की परम्परा थी। ताण्ड्यब्राह्मण में 'वाण' तथा 'अपघाटिला' नाम्नी वीणाओं का उल्लेख है– **'वाणं वितन्वति।'** वाण में सौ तंत्रियाँ होती थी। विद्वनों का अभिमत है कि वर्तमानकाल का 'संतूर वाद्य' शततंत्रीय वैदिक वाद्य वाण का ही रूप है। 'अपघाटिला' का वादन यजमान पत्नियाँ यज्ञ में उपगानपूर्वक करती थीं। भाष्यकार सायण ने यजमान पत्नियों द्वारा वादित होने वाली पिच्छोला (पिच्छोरा) तथा काण्ड वीणा के साथ अपघाटिला का तादात्म्य स्थापित किया है। वादन दण्ड से बजाई जाने वाली पिच्छोरा वंश–दण्ड से निर्मित

होती थी और काण्ड वीणा किसी वृक्ष के काण्डयुक्त डण्ठल से। काठक संहिता में काण्ड वीणा का उल्लेख मिलता है।[9]

आनद्धवाद्य –जो वाद्य अंदर से पोले तथा चर्मवेष्टित होते हैं और हाथ या अन्य वस्तुत के ताड़न से शब्द उत्पन्न करते हैं, आनद्ध कहलाते हैं। इन्हें अवनद्ध या वितत भी कहते हैं। द्वन्दुभि नामक आनद्ध वाद्य का वर्णन वैद्धिक वाङ्मय में अनेक स्थलों पर हुआ है। 'दुन्दुभि' में तबले के समान दो नग होते हैं – एक बड़ा, जिसका शब्द गंभीर होता है और दूसरा छोटा, जिसका शब्द छोटा तथा ऊँचा होता है। छोटा नगाड़ा मिट्टी से निर्मित होता है, जिसे 'झील' अथवा 'अघोटी' कहते है। दुन्दुभि का वादन आनन्द्वोत्सव, विवाहादि तथा देव मन्दिरों में किया जाता था। पुराणों में अनेक स्थानों पर प्रसन्नता के अवसर पर देवताओं द्धारा दुन्दुभि वादन का वर्णन हुआ है।

द्वन्दुभि के अतिरिक्त वैदिक साहित्य में द्रव्य, केतुमत, विश्वगौत्र्य आदि चर्म वाद्यों का नामोल्लेख प्राप्त होता है।[10]

ऋग्वेद में युद्ध के समय दुन्दुभि द्धारा उत्साहवर्द्धन का सुंदर वर्णन किया गया है।[11] ऋग्वेद (1/28/5), अथर्ववेद (5/31/7, 6/38/4, 92/1/41), तैत्तिरीय ब्राह्मण (1/3/6/2), शतपथ ब्राह्ममण (5/1/5/6), वाजसनेयी संहिता (16/5), काठक संहिता (34/35), सांख्यायन श्रौतसूत्र (17/24/11), बृहदारण्यकोपनिषद् (2/4/6) आदि भी दुन्दुभि के सम्बंध में महत्वपूर्ण संदर्भ है।

शुक्ल यजुर्वेद में नवम् अध्याय में दुन्दुभि का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग आया है। प्रस्तुत अध्याय के एकादश व द्धादश मंत्री में वेदी के निकट स्थापित बल्ली में झूलती हुई सोलह दुन्दुभियों में से एक को यजुष् पाठ के साथ यह प्रार्थना करते हुए बजाया जाता है कि हे दुन्दुभियों ! आप उत्साहवर्द्धक, शक्तिवर्द्धक ध्वनि करते हुए बृहस्पति, इन्द्रादि देवताओं को जयशील बनाइयें –

बृहस्पते वाजं जय बृहस्पतये वाचं वदत बृहस्पतिं वाजं जापयत।
इन्द्र वाजं जयेन्द्राय वाचं व दतेन्द्रं वाजं जापयत।।

(शुक्लयजुर्वेद – 9/11)

अथर्ववेद संहिता में भी दुन्दुभि का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। इस वेद के पंचम काण्ड के विंशति व एकविंशति सूक्त पूर्ण रूप से दुन्दुभि से सम्बद्ध है। 20 वें सूक्त में दुन्दुभि को वनस्पति से निर्मित, गौ चर्मो से वेष्टित, ऊँचे शब्दवाला, शत्रुओं को दबाता हुआ और सिंह के समान विषय की कामना करता हुआ कहा गया है। युद्ध में दुन्दुभि का प्रयोग शत्रुसेनाओं को भयभीत करने, वीरों को पुकराने, शत्रुओं का हृदय शोक युक्त करने आदि कार्यो में किया जाता था।[12]

प्रस्तुत काण्ड में नगाडे व ढोल का वर्णन भी दृष्टिगोचर है, जहाँ नगाड़े को देव हरिण के चर्म से निर्मित बताया गया है।

अथर्ववेद के षष्ठ काण्ड में नक्कारे का वर्णन तथा विंशति काण्ड में तुम्बी, कर्करिक, वीणादि वाद्यों का वर्णन प्राप्त होता है। इन्द्र के स्तोत्र–गान में वीणा–वादन, तम्बुरे का स्वर–संधान तथा मधुर स्वर वाले का आलाप – इन तीनों की संगति का स्पष्ट वर्णन है –

अव स्वराति गर्गरो गोधा परि सनिष्वणत्।
पिंगा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्यतम्।।

(अथर्ववेद – 20/92/6)

ताण्ड्य ब्राह्मण में सोमयाग के प्रमुख भेद सत्रयाग के अंतर्गत दुन्दुभि वादन का संदर्भ उल्लेखनीय है, जहाँ फाल्गुन पूर्णिमा तिथि को आचरित महावृत–अनुष्ठान पर यज्ञवेदी के चारों ओर, सभी कोणों में दुन्दुभि बजायी जाती थी, जिसके साथ जल से परिपूर्ण घड़े लेकर स्त्रियाँ यज्ञवेदी के चारों ओर नृत्य करती थी –

सर्व्वासु स्त्रक्तिषु दुन्दुभयो व्वदन्ति ....।

(ताण्ड्य ब्राह्मण – 5/5/18)

ऐतरेय आरण्यक (5/15) तथा सांख्यायन आरण्यक (29/45) में '**भूमि–दुन्दुभि**' का वर्णन है। 'भूमि–दुन्दुभि' भूमि में गड्ढा खोदकर तथा उसको चमड़े से मढ़कर बनायी जाती थी और महाव्रत के अवसर पर इसका वादन किया जाता था। सामगान में ताल की संगति के लिए प्रारंभ में भूमि दुन्दुभि का प्रयोग होता था। इसका निर्माण यज्ञ–मण्डप में भूमि खोदकर, उसके ऊपर बैल के चमड़े को मढ़कर करते थे तथा बैल की पूँछ से ही प्रहार किया जाता था।

सुषिर वाद्य – छिद्र युक्त वाद्य सुषिर कहलाता है। वंशी एवं शंख वैदिक कालीन सुषिर वाद्य है। 'वंशी' अत्यंत प्राचीन वाद्य है। सामगान की संगति में वेणु तथा वीणा आवश्यक वाद्य थे। ऋग्वेद में यम की प्रसन्नता हेतु वेणु–वादक का संदर्भ प्राप्त होता है।[13] शंख भी वैदिक कालीन सुषिर वाद्य है, जिसका प्रयोग धार्मिक क्रियाओं तथा युद्ध में होता आया है। संग्राम में अश्विद्धय द्धारा शंख बजाने का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है।[14] ***बृहदारण्यकोपनिषद*** में मुख से बजाये जाने वाले वाद्यों में शंख का उल्लेख किया गया है।[15]

'लम्बर' नामक वाद्य भी इस युग में प्रचलित था, जिसके छिद्र की चर्चा ***बृहदारण्यकोपनिषद*** में की गयी है।[16] '**कठोपनिषद्**' में स्त्रियों द्वारा '**तुरी**' वादन का प्रसंग आया है।[17]

घन वाद्य – काल की समता के लिए तालानुसार पीटा जाने वाला वाद्य घन कहलाता है। ये वाद्य प्रायः काँसा, पीतल या लकड़ी के होते है।

नृत्यम्– नृत्य सृष्टि का अनुपम अवदान, प्रकृति का अनिन्द्य सौन्दर्य व ब्रह्मा की दिव्य कृति है। नृत्यकला एक ऐसी कला है जिसमें स्थावर जंगम, मनुष्य–पशु–पक्षी, वृक्ष–लताओं, सरिताओं आदि सम्पूर्ण सृष्टि को अपनी ओर आकृष्ट किया है।

विश्व के प्राचीनतम साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित वैदिक वाङ्मय में नृत्य, तत्व विविध उपक्रमों में कभी साक्षात् तो कभी सांकेतिक रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। ऋग्वेदीय देवियों में प्रमुख उषादेवी के सूक्तों के सूक्ष्म अध्'न से विदित होता हैं कि वे स्वयं एक नर्तकी हैं जो विश्वरूपी रंगमंच पर झील मिलाते सुनहरे वस्त्रों को धारण कर अवतरित होती है।

अधि पेशांसि वपति नृतूरिवापोर्णुते वक्ष उस्त्रेव बर्जहम्।
ज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वती गावो न व्रजं व्युषा आवर्तमः।।

(ऋग्वेद – 1/92/4)

प्रस्तुत मंत्र उषा की कलाप्रियता को उद्धाटित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है। सायणाचार्य के अनुसार नर्तकी उषा नृत्य हेतु सुसज्जित होकर, विश्वरूपी रंगमंच पर अवतरित होती है और सुप्त प्राणियों को जागृत कर स्वकर्मों की प्रेरणा देती है। कला का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को यथार्थ ज्ञानसम्पन्न कर चरम आनंद की ओर अग्रसर करना ही है।

अंतरिक्ष स्थानीय देवता 'इन्द्र' के सूत्रों में वर्णित नृत्य सम्बंधी विवेचन पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि शक्ति, बल, ओज और वीरता के प्रतीक इन्द्र एक कुशल नर्तक है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में संग्रामकाल में इन्द्र को नृत्यकर्ता कहा गया है। नृत्यशील इन्द्र दिवोदास राजा के लिए वज्र द्धारा

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

नगरों को नष्ट करते हैं :-

भिन्पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महि दाशुषे नृतो वज्रेण दाशुषो नृतो।
अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रो अवाभरत्, महो धनानि दयमान ओजसा विश्वा धनान्योजसा।।

(ऋग्वेद - 1/130/7)

आचार्य सायण ने भी इन्द्र को नृत्यकला में कुशल कलाकार के रूप में व्याकृत किया है। ऋग्वेद में इन्द्र को **नृतु नटराज** कहा गया है -

न हि अङ्ग नृतो त्वदन्यं विन्दामि राधसे।

(ऋग्वेद - 8/24/12)

इन्द्र के समान ही अन्तरिक्ष स्थानीय देवता मरुद्गण को भी ऋग्वेद में 'नर्तक' शब्द से सम्बोधित किया गया है -

मर्तश्चिद्वो नृतवो रूक्मवक्षस उप भ्रातृत्वमायति।
अधि नो गात मरुत: सदा हि व अपित्वमस्ति निध्रुवि।।

(ऋग्वेद - 8/20/22)

ऋग्वेद में पुरुष नृत्य के प्रसंग में पुरुष द्वारा बांस पर चढ़कर नृत्य करने की परम्परा का आभास होता है। प्रथम मंडल में एक दृष्टांत के रूप में ऐसे नर्तक का वर्णन आया है।[18] जिस प्रकार नर्तक बांस को ऊँचा करके उस पर नृत्य करता है उसी प्रकार इन्द्र को स्तोत्रो द्वारा ऊँचा करके उसकी उच्चता का प्रतिपादन किया जाता है। आचार्य सायण ने **वंशमिव** का अर्थ इस प्रकार किया है -

वंशाग्रे नृत्यन्त: शिल्पिन: प्रौढ़ं वंशमुन्नतं कुर्वन्ति।

नर्तक को 'नृत' कहा जाता था।[19] एक स्थल पर पितृमेध-यज्ञ के वर्णन में नर्तक का संदर्भ प्राप्त होता है। यहां अन्त्येष्टि संस्कार के प्रसंग में 'नृति' को हास के साथ संयुक्त किया गया है।[20]

एक ऋचा में नृत्य करते हुऐं नर्तक के पैर से उड़ती हुई रेणु का वर्णन किया गया है।[21]

अथर्ववेद के द्वादश काण्ड में मातृभूमि की स्तुति में नृत्य तत्वों को खोजा गया है। यहां मातृभूमि की स्तुति एवं प्रशंसा में अर्पित प्रस्तुत सुक्त में पृथ्वी के लिए गति युक्त तथा स्वर्ण के समान चमकती हुई जैसे - नृत्य विषयक विशेषणों का प्रयोग हुआ है।[22] मातृभूमि को एक नर्तकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पृथ्वी नर्तकी के समान अत्यंत वेगवती तथा स्वर्णिम आभूषणों से सुसज्जित है। वह अपनी गंध से औषधि, जल, गंधर्व, अप्सरा आदि सभी को सुगंधयुक्त बनाती है।[23]

प्रकृत काण्ड में ही भूमि में रंगभूमि की कल्पना कर इस पर गाने व नृत्य करने वाले मनुष्यों का उल्लेख है। इसी भूमि पर वीर पुरुष राष्ट्र की रक्षा हेतु युद्ध कर रहे हैं, घोड़े हिन हिनाकर शब्द कर रहे हैं, नगाड़ा बज रहा हैं और मातृभूमि के शत्रुरहित होने की कामना की जा रही है -

यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलबा:।
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभि:।।
सा नो भूमि: प्रणुदतां सपत्नानसपत्नं मा पृथिवी कृणोतु।।

(अथर्ववेद - 12/1/41)

अर्थववेद के द्वादश काण्ड में जलती चिता के चारों और नृत्य करती स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां जलती चिता देखकर बालों को विकीर्ण करते हुऐं हाथों से छाती का ताड़न कर बुरे शब्द करती हुई नृत्य करती है।[24]

ऋग्वेद में भी अंत्येष्टि संस्कार के वर्णन में ऐसा ही संदर्भ प्राप्त होता है।[25]

अर्थववेद के दशवे काण्ड में दो विरूद्ध रूप वाली स्त्रियों के नृत्य का वर्णन है। ये स्त्रियां घूम-घूम कर छ: खूंटियों वाला ताना बुनती है उनमें से एक धागों को फैलाती है और एक उनको धारण करती है।[26]

इस प्रकार वैदिक वाङ्मय में गायन, वादन तथा नर्तन के अनेक संदर्भ प्राप्त होते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ऋग्वेद - 7/2/5
2. भारतीय नृत्यकला - केशचन्द्र वर्मा, पृ. 96
3. शतपथ ब्राह्मण - 13/4/2/8 व 13/1/5/8
4. ऋग्वेद - 1/7/1
5. का.श्रो. - 3/228-229-230, 19/109-110, 21/38, 42, 22/59 तथा 20/68
6. भरतनाट्यशास्त्र - 28/1-2
7. ऋग्वेद - 10/146/2
8. ऋग्वेद - 1/53/1
9. अथर्ववेद - 10/2/27
10. काठक संहिता - 34/5
11. भारतीय संगीत वाद्य, डॉ. लालमणि मिश्र, पृ. 19-20
12. ऋग्वेद - 6/47/29-31
13. अथर्ववेद - 5/20/1-9
14. ऋग्वेद - 10/135/7
15. ऋग्वेद - 1/112/1
16. बृहदारण्यकोपनिषद् - 2/4/8
17. बृहदारण्यकोपनिषद् - 5/10/1
18. कठोपनिषद् - 1/1/25
19. ऋग्वेद - 1/10/1
20. ऋग्वेद - 1/130/7
21. ऋग्वेद - 10/18/3
22. ऋग्वेद - 10/72/6
23. अथर्ववेद - 12/1/1
24. अथर्ववेद - 12/5/48
25. अथर्ववेद - 2/1/23
26. ऋग्वेद - 10/18/3
27. अथर्ववेद - 10/7/43

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

नर्मदा बाँध परियोजनाओं से विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास स्थल पर मुख्य समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन : मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन

सुनील बर्डे*

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान व लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – नर्मदा बचाओं आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन की गंभीरता का परिचालक है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्‌घाटन सन् 1961 में पं. जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था लेकिन इस परियोजा के विरोध में एक अवधि से जन आंदोलन का रूप ले लिया है जिससे सरदार सरोवर परियोजना में विस्थापित आदिवासियों की सहयोग का प्रयास कर रही है।

नर्मदा बचाओं आंदोलन के नेतृत्व में मेघा पाटक के अलावा अनिल पटेल, बाबा आम्टे आदि के द्वारा उन्हें नर्मदा बांध परियोजना से विस्थापित आदिवासियों के अधिकारों की हक की भागीदारी की। नर्मदा बचाओं आंदोलन के द्वारा इस बांध के विरोध का प्रमुख कारण इसकी ऊँचाई है जिससे इस क्षेत्र में डूब प्रभावितों का हजारों हेक्टर वन भूमि के जलमग्न होने का खतरा है। इस बांध की ऊँचाई बढ़ाये जाने से हजारों आदिवासी लोगों की इसके आसपास से विस्थापित होना पड़ा है तथा उनकी भूमि और आजीविका भी छीनी गई है। इस नर्मदा बचाओं आंदोलन का आरोप है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी डूब प्रभावित को न तो मुआवजा दिया गया है न ही उनका बेहतर पुनर्वास बनाया गया है इसके बावजूद भी बांध जल स्तर बढ़ाया गया है। नर्मदा नदी पर बनाया गया सरदार सरोवर का जल स्तर बढ़ाने से मध्यप्रदेश की नर्मदा घाटी में स्थित धार, बड़वानी और अलीराजपुर जिला डूब प्रभावित में आने में उनकी स्थिति और खराब हो गई है जिससे सरदार सरोवर बांध का विरोध में नर्मदा बचाओं आंदोलन शुरू कर दिया गया है तथा इस बांध के निर्माण से बड़वानी जिले के 63 गांव डूब प्रभावित क्षेत्र में आने से उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है जिससे डूब प्रभावितों ने सम्पूर्ण पुनर्वास को लेकर नर्मदा नदी के जल में उतरकर जल सत्याग्रह किया गया है।

इससे इनके सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अपने निवास स्थल को छोड़ने से रोजगार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है। कृषि पर निर्भर आदिवासियों की जमीन डूब जाने के कारण उनकी स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है तथा एक स्थान से अन्य स्थान पर बसने से वह अपने आपको सुरक्षित महसूस नही कर पाते है।

प्रस्तुत शोध पत्र में बड़वानी जिले के डुब क्षेत्र में आने वाले विस्थापित आदिवासी परिवारों के जीवन एवं उनकी स्थिति पर केंद्रित है। साथ ही प्रस्तुत अध्ययन में नर्मदा बाँध परियोजनाओं से आदिवासियों के पुनर्वास स्थल पर मुख्य समस्याओं को समझने का कार्य किया गया है। अत: नर्मदा बांध परियोजना के विस्थापित आदिवासियों की पुर्नबसावट, पुनर्वास एवं समस्याओं का अध्ययन करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

इस शोध पत्र के शोधोद्देश्य निम्नानुसार हैं:

1. विस्थापित आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. विस्थापित आदिवासियों के विस्थापन, पुनर्वास एवं विकास की राजनीति से संबंधित समस्याओं का पता लगाना एवं बेहतर सुझाव प्रदान करना।

शोध प्रविधि:

अध्ययन का समग्र: प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के नर्मदा बाँध परियोजनाओं से आदिवासियों के पुनर्वास स्थल पर मुख्य समस्याओं को प्रस्तुत करना है। अध्ययन का समग्र मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के डूब प्रभावित ग्राम–क्षेत्र है, अध्ययन में नर्मदा बाँध परियोजना से डूब क्षेत्र में प्रभावित जिला बड़वानी की तीन तहसील क्रमश: बड़वानी, अंजड़ व राजपुर को अध्ययन का समग्र माना है।

अवलोकन की इकाई एवं प्रतिचयन का आकार: प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के नर्मदा बाँध परियोजनाओं से आदिवासियों के विस्थापन, पुनर्वास एवं विकास की राजनीति की स्थिति को ज्ञात करने हेतु उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धत्ति के द्वारा किया गया है, अत: अध्ययन में प्रभावित विस्थापित आदिवासी उत्तादाताओं को ही अवलोकन की इकाई माना गया है।

बड़वानी जिले के तीनों ब्लाक क्रमश: बड़वानी, अंजड़ व राजपुर के अन्तर्गत आने वाले डूब प्रभावित–पुनर्वास प्रत्येक ब्लाक के 1–1 ग्रामों से 10–10 विस्थापित आदिवासी उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति से किया गया है। 3 गाँवों से कुल 30 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार अध्ययन हेतु किया जायेगा। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन के कुल 30 विस्थापित आदिवासी उत्तरदाता है।

तथ्यों का संकलन: शोध अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया हैं। अध्ययन हेतु साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से डूब क्षेत्र से प्रभावित आदिवासियों के पक्ष को जाना गया जो कि विस्थापन से पूर्व एवं पश्चात में आर्थिक व सामाजिक स्थिति, पुनर्वास स्थल पर समस्याएँ, समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव, इत्यादि का अवलोकन किया गया।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

प्राथमिक स्त्रोत के तथ्य संकलन हेतु शासकीय दस्तावेज, विषय से संबंधित विभिन्न संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदन, विषय विशेषज्ञों से परिचर्चा तथा अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया। द्वितीयक स्त्रोत हेतु विषय से संबंधित पुस्तकें, पूर्व शोध अध्ययन, शोध साहित्य, शोध आलेख, समाचार-पत्र, पत्रिकाऐं, रेडियो, टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समाचार, संसदीय प्रश्नों, विशेष कार्यक्रमों व अध्ययन के विषय पर आधारित समाचार चैनलों पर प्रसारित बहस, सोशल मीडिया, इत्यादि के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया।

तालिका क्रमांक 1: अध्ययन हेतु चयनित डूब प्रभावित ग्राम:

क्रं.	ब्लाक का नाम	डूब प्रभावित ग्राम
1.	बड़वानी	भवती
2.	अंजड़	छोटा बरदा
3.	राजपुर	बजड़
कुल	3 ब्लाक	3 डूब प्रभावित ग्राम

भारत में आदिवासियों के पुनर्वास विश्लेषण: भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय आदिवासी नीति के प्रारुप (2006) में अनुसूचित जनजाति की संख्या 698 बतायी है। जनगणना (2011) में अनुसूचित जनजातीय समुदायों की संख्या 705 बतायी गई है। तकरीबन 80 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत सामान्य श्रेणी के लोगों की तादाद 53 प्रतिशत है। ये सभी मुख्यत: खेती-बाड़ी करते हैं। साल 2001 में खेती-बाड़ी करने वाले आदिवासी लोगों की संख्या 68 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत रह गई थी जबकि आदिवासी समुदाय के खेतिहर मजदूरों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़कर 2001 तक 37 प्रतिशत हो गई थी। इससे आदिवासी आबादी के बीच बढ़ती भूमिहीनता का पता चलता है और इस रुझान को 2011 की जनगणना के आंकड़े पुष्ट करते हैं।

अनुमानतया बीते एक दशक में तकरीबन 35 लाख आदिवासी लोगों ने खेती-बाड़ी या इससे जुड़े कामों को छोड़कर अनौपचारिक श्रम-बाजार का रुख किया है। अनुसूचित जनजाति के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग-अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का और शहरी क्षेत्र में प्रति हजार पुरुष पर 980 महिलाओं का है। राष्ट्रीय औसत प्रति हजार पुरुषों पर 990 महिलाओं का है। (2011 की जनगणना के अनुसार) भारत की कुल आबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या साल 2001 में 8.2 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गई है। ओडिशा में सर्वाधिक अधिसूचित जनजातियां (62) हैं। इसके बाद कर्नाटक (50), महाराष्ट्र (45), मध्यप्रदेश (43) और छत्तीसगढ़ (42) का स्थान है। दक्षिण भारत के राज्यों में (वैसे राज्य जहां कोई अधिसूचित क्षेत्र नहीं है) कर्नाटक में आदिवासी समदायों की संख्या कर्नाटक में सर्वाधिक (50) है। इसके बाद तमिलनाडु (36) और केरल (36) का स्थान है।

केंद्रशासित राज्यों में लक्षद्वीप में सर्वाधिक आदिवासी समुदाय के लोगों का आबादी में अनुपात सर्वाधिक(94.8 प्रतिशत) है। इसके बाद मिजोरम (94.4 प्रतिशत), नगालैंड (86.5 प्रतिशत), मेघालय (86.1 प्रतिशत), और अरुणाचल प्रदेश (68.8 प्रतिशत) का स्थान है। उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी वहां कुल आबादी में अपेक्षाकृत बहुत कम 0.56 प्रतिशत है। इसके बाद तमिलनाडु (1.1 प्रतिशत), बिहार (1.28 प्रतिशत), केरल (1.45 प्रतिशत), और उत्तराखंड (2.89 प्रतिशत) का स्थान है।

नर्मदा बाँध परियोजनाओं से डूब के कारण इस परियोजना में प्रभावित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या कुल 40720 है। इस बांध परियोजना से प्रभावित व्यक्ति अधिकांशत आदिवासी है इतनी बड़ी संख्या में प्रभावित होने वाली आबादी के विस्थापन एवं पुनर्वास का कार्य बड़ी चुनौती का कार्य है। अत: यह आवश्यकता है कि विस्थापन एवं पुनर्वास इस प्रकार से किया जाये की प्रभावितों के जीवन स्तर में न तो किसी प्रकार की गिरावट आए और नहीं उनमें नये स्थान पर राजनीतिक सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़े तथा इस बांध परियोजना से मध्यप्रदेश के 33014 परिवार प्रभावित हुए है। इस प्रकार नर्मदा बांध परियोजना से पुनर्वासित हुए है इस नर्मदा बांध परियोजना से प्रभावित म.प्र. के बड़वानी, धार, खरगोन, अलीराजपुर जिले अधिक प्रभावित है।

विस्थापन बनाम विकास या विनाश: विस्थापन से लोगों को पारंपरिक जमीन व परिवेश से विस्थापित होकर जीविका की तलाश में अन्यत्र पलायन करने को विवश हो जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी जीविका का एक मात्र आधार ही समाप्त हो जाता है। 1947 और 2004 के बीच लगभग 6 करोड़ लोग विस्थापित हुए जिनमें 40 फीसदी आदिवासी और 20 फीसदी अनुसूचित जातियों के थे। इन विस्थापित लोगों में से 18 से भी कम फीसदी का पुनर्वास हुआ। विस्थापन ने लाखों स्वतंत्र उत्पादकों को धनविहीन श्रमिकों में तबदील कर दिया। पुस्तैनी घर को उजरते देखना भयावह मंजर जैसा होता है। सरकार कहती है कि हम विस्थापितों को आश्रय दे रहे हैं पर उसे क्या पता कि, जिस पेड़-पौधों को पुत्र के जैसा पाला-पोषा है उसका क्या, जिन पक्षियों की कोलाहल से सुबह-शाम होती, क्या पुनर्वास के जगह पर वह मिल पाएगा ? क्या भावनाओं को किसी पैसे की तराजू पर तौला जा सकता है ?

विकास के नाम पर चौड़ी सड़कें, औद्योगिक संयंत्र आदि के लिए किसानों से उर्वर जमीन लेने की अनेक विसंगतियों के साथ ही बाँधों की ऊँचाई बढ़ाने के तत्पर निर्णय भी हैरत में डालते हैं। अनेक पूरे-के-पूरे गाँव-नगर निर्वासन की पीड़ा भोगने को अभिशप्त होते हैं। हजारों मनुष्य, मुश्किल से निर्मित हुए उनके घर, स्कूल, अस्पताल, उपजाऊ जमीन, धार्मिक स्थल, जानवर और उनकी सुरक्षित जगहें, बेघर और समयानुकूल बने उनके ठौर-ठिकाने सब कुछ थोड़े से समय में महत्त्वाकांक्षी-असंवेदनशील लोगों द्वारा लिए निर्णयों की बलि चढ़ जाते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत पलायन विकास के नाम पर उजाड़े गए लोगों का, पलायन आतंकवाद के भय से, पलायन रोजी-रोटी की तलाश में और पलायन पारस्परिक दक्षता या वृति के बाजारवाद की भेंट चढ़ जाने के कारण से बड़ी कोई त्रासदी और क्या हो सकती है ? प्रश्न उठता है कि विस्थापन करते समय उनके जीविकोपार्जन के विकल्प की तलाश क्यों नही की जाती? समतामूलक समाज के नाम पर किए जा रहे तथाकथित विकास के मॉडल में आखिर क्या खामी रह जाती है कि विस्थापित लोग बद से बद्तर जिंदगी गुजारने को विवश हो जाते हैं? क्या यह सच नहीं है कि आज से नैसर्गिक संसाधनों को लूटने की होड़ लगी है,'प्रभु देश येन-केन-प्रकारेण' से हमारे संसाधनों पर कब्जा करने की साजिश में लगे हैं। औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा कुटिल नीति के तहत देश में विकास के नाम पर लोगों को उनकी आजीविका से वंचित किया जा रहा है, वे हाशिए पर धकेले जा रहे हैं और उनकी विपन्नता बढ़ती ही जा रही है।

औसतन हर साल दस लाख लोगों को विस्थापन के रूप में विकास की कीमत चुकानी पड़ी है। इनके विस्थापन से एक खास वर्ग को तो लाभ मिला, लेकिन घर–बार उजड़ जाने से इनकी हालत और दयनीय होती गई। ऐसे एकतरफा विकास तो देश को निसंदेह पीछे ले जाने वाले साबित हो सकते हैं। ऐसे में विस्थापन की इतनी बड़ी कीमत चुकाकर हासिल होने वाला विकास? हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या तथाकथित विकास विस्थापन के बगैर नहीं हो सकता? क्या बड़े उद्योगों से ही विकास और खुशहाली का सूर्योदय होगा? और क्या उन वनवासियों और किसानों की जमीन पर ही विकास का पहिया दौड़ता है, जो सदियों से संपूर्ण आजीविका के साधान रहे हैं?

नर्मदा बाँध परियोजनाओं से डूब के कारण विस्थापित आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति: विकास, विस्थापन एवं पुनर्वास पर केंद्रित प्रस्तुत अध्ययन में विस्थापित आदिवासी उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण से प्राप्त तथ्यों से निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है, जो कि इस प्रकार है–

1. अध्ययन में विस्थापित आदिवासी उत्तरदाताओं में सर्वाधिक पुरूष उत्तरदाता है। अधिकांश उत्तरदाता 49 वर्ष से अधिक के है जबकि सबसे कम उत्तरदाता 18 से 28 वर्ष के समूह से है। सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने माना है कि वे निरक्षर है जबकि सबसे कम उत्तरदाताओं ने तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रखी है। अधिकांश उत्तरदाता शादीशुदा है जबकि सबसे कम उत्तरदाताओं का जीवन तलाकशुदा/परित्यक्ता का है।

2. सर्वाधिक उत्तरदाता विस्थापन के पूर्व कृषि के कार्य को अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वहीं कम उत्तरदाता मात्र प्राईवेट नौकरी कर अपने परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करते थे। सर्वाधिक उत्तरदाता कृषि मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है जबकि सबसे कम ही उत्तरदाता है नौकरी/प्राइवेट नौकरी कर अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहे है। अधिकांश विस्थापित आदिवासी उत्तरदाता विस्थापन के पूर्व स्वयं के मकान में रहकर जीवन व्यतीत किया करते थे जबकि सबसे कम उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया है कि वे अपने रिश्तेदारों के मकान में रहा करते थे। सर्वाधिक उत्तरदाता विस्थापन के पश्चात् पुनर्वास केन्द्र एवं शासन द्वारा प्रदत्ता स्थानों में रह कर अपने जीवनयापन कर रहे है। उनकी स्थिति दयनीय है। अधिकांश आदिवासी उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया है कि वे विस्थापन से पूर्व कच्चे–पक्के मकान में रहा करते थे।अधिकांश उत्तरदाता विस्थापन के पश्चात् पुनर्वास केन्द्र, बसावटों एवं अस्थायी स्थानों में रह रहे है।

3. सर्वाधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि बाँध परियोजनाओं से उनकी आर्थिक स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिलता है। सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया है कि बांध परियोजनाओं में कृषि उत्पादकता पर कोई खास सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने स्वीकारा है कि बांध परियोजनाओं से कृषित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नही हुई है। सर्वाधिक उत्तरदाताओं को लगता है कि बांध परियोजनाओं से जनजातियों के जीवन स्तर में किसी भी प्रकार का सकारात्मक सुधार या उत्थान नहीं हुआ है।

4. विकास, विस्थापन एवं पुनर्वास पर केंद्रित प्रस्तुत अध्ययन में सर्वाधिक उत्तरदाता सरकार द्वारा नर्मदा बांध परियोजनाओं एवं विकास के नाम पर आदिवासियों के विस्थापन एवं पुनर्वास से असहमत हैं। अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि सरकार द्वारा नर्मदा बांध परियोजनाओं एवं विकास के नाम पर आदिवासियों के विस्थापन एवं पुनर्वास का विकल्प उनकी नजरों में पूरी तरह अनुचित है।

नर्मदा बाँध परियोजनाओं से विस्थापित आदिवासियों की पुनर्वास स्थल पर समस्याए'

1. नर्मदा बाँध परियोजनाओं से विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास स्थल सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार विस्थापित पीड़ित आदिवासियों के लिए निर्मित पुनर्वास/बसावट केंद्रों पर उत्पन्न हो रही समस्याओं में सबसे अधिक समस्या बारिश/बरसात के पानी या जलभराव से होने वाली घातक बीमारी एवं संक्रमण है। अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि पीने के पानी की आपूर्ति एवं कोरोना महामारी के संक्रमण को अनिवार्य रूप से रोकने हेतु शासन को भरसक कदम उठाने की आवश्यकता है। ज्यादातर उत्तरदाताओं को लगता है कि उनके पशु/मवेशी एवं पोल्ट्री फार्म आदि के लिए आवश्यक शेठ की आवश्यकता की पूर्ति शासन यदि करवा दे तो काफी हद तक इस समस्या से भी निजात पा लिया जाएगा।

2. अधिकांश उत्तरदाताओं ने माना है कि कृषि भूमि/बागवानी हेतु भूमि के छोटे–छोटे पट्टे शासन पंचायतों के बचत विकास कार्य की जमीनों से उपलब्ध करवा दे तो आदिवासी वर्ग के बड़े समूह आत्मनिर्भरता से अपने दैनिक जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। वहीं ज्यादातर ऐसे भी उत्तरदाता है जिनका मानना है कि पुनर्वास केंद्रों के आसपास बरसात के दिनों सांपों/जंगली जीव जंतुओं की समस्या भी बनी रहती है कई लोग तो इस समस्या का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं।

3. अधिकतर उत्तरदाता यह मानते हैं कि विस्थापन के अनुदान राशि शासन सही समय पर भुगतान कर दे। ज्यादातर उत्तरदाताओं का मानना है कि पुनर्वास केंद्र के निकट चिकित्सा सुविधा के अभाव से उन्हें कई बीमारियों के इलाज के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक भटकना पड़ता है।

4. अधिकांश उत्तरदाता समान रूप से मानते हैं कि अन्य भंडारण का निर्माण एवं सीवरेज लाइनों के माध्यम से साफ सफाई से भी कुछ व्यक्तियों की समस्या का निवारण हो सकेगा। कई उतरदाताओं ने माना है कि रोजगार भी एक विकट समस्या है। जिसका शासन को समाधान करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अन्य जैसे बिजली आपूर्ति, पशु चिकित्सा, बाजार निर्माण एवं परिवहन आदि भी समस्या की दृष्टि से अति आवश्यक है जिनके संबंध में भी आदिवासी उत्तरदाताओं ने अपनी रुचि दिखाई।

समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव:

1. विस्थापन के पश्चात कई बड़े एवं संयुक्त परिवारों का विघटन होते देखने को मिलता है लेकिन यदि शासन उन्हें रोजगारोन्मुख कार्यों को करने का अवसर प्रदान करें तो परिवारों का विघटन नहीं हो सकेगा।

2. कृषि भूमि का विस्थापन यदि कम दूरी पर किया जाए लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु शासन यदि ऋण उपलब्ध करवाएं तथा स्वास्थ्य एवं घातक संक्रमण बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई विशेष ठोस कदम उठाया जाए तो अच्छा रहेगा।

3. बसावट पर बारिश के समय शासन प्रशासन द्वारा कोई विशेष आकस्मिक व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए तो इससे कई भयावह एवं संक्रमित रोगों से बचाया जा सकता है।

4. पर्यावरण पर हो रही विकास के नाम पर क्षति पर रोकथाम लगाया जाए।

5. विस्थापित होने के पश्चात कई पीड़ित मानसिक अवसाद का शिकार हो गए जिसके लिए सरकार प्रशासन को बेहतर मेडिकल काउंसलिंग कर उन्हें इस सदमे से बाहर निकालने का कार्य किया जाए।

6. पुनर्वास केंद्रों पर विकास के नाम पर हो रही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए तथा महिला वृद्ध, दिव्यांगों एवं बच्चों के देखभाल को भी सुचारू ढंग से करने आवश्यकता है।

7. पुनर्वास एवं बसावटों के निकट बच्चों की शिक्षा दीक्षा की बेहतर व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों की शिक्षा पर किसी प्रकार की रोकथाम ना हो सके, वहीं दूसरी ओर कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि शासन प्रशासन अपने वादे के अनुसार विस्थापित पीड़ित परिवारों को आवश्यक मुआवजे को समय रहते दे देवे तो पीड़ित परिवार इस राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य आवश्यक कार्य को करने पर लगा सके।

8. अंत में पुनर्वास नीति के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रचार-प्रसार शासन-प्रशासन बेहतर ढंग से करें ताकि हाशिए पर आए विस्थापित पीड़ित परिवारों को पुनर्वास के संबंध में आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके। तथा शासन-प्रशासन को नर्मदा बचाओ आंदोलन कर्ताओं की आवाज को प्राथमिकता से सुनकर कोई बेहतर विकल्प निकालना चाहिए ताकि समय रहते पीड़ित परिवारों की समस्या का समाधान हो सके।

अंत में, प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के माध्यम से निष्कर्षत: कहा जा सकता हैं कि विस्थापन से प्राकृतिक संसाधनों की प्रंबधन व्यवस्था बदलती है। विस्थापन में व्यक्ति मात्र रहने का ठिकाना ही नहीं खोता अपितु उस आँधी में उसके जीवन से जुड़ी स्थानीय कड़ियां भी टूट जाती हैं, परस्पर आजीविका के सम्पोषित आधार समाप्त हो जाते हैं। इस प्रश्न निश्चित तौर पर विचारणीय है कि विस्थापन के एवज में जो जमीन का टूकढा मिलता है क्या वह समरूप फर्दरूपता का दावा कर सकता है? साथ ही यह भी स्वीकार योग है कि बांध परियोजनाओं के निर्माण से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ सिंचाई, उद्योग, रोजगार, पर्यटन विकास, बिजली, एवं सामाजिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है, जिससे लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन इस तरह की विकास परियोजनाओं के साथ-साथ उने परिवार, रिश्तेदारी, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित होती है। अत: सरकार एवं प्रशासन को आवश्यक रूप से यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बांध परियोजनाओं के कारण विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास इस प्रकार हो कि उनके जीवन स्तर में किसी प्रकार की कोई गिरावट न आयें तथा उन्हें नये एवं सुव्यवस्थित स्थान पर विस्थापित करते हुयें, उनके आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक इत्यदि पहलुओं एवं समस्याओं का सामना ना करना पड़े।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारत में घरेलू हिंसा - एक अध्ययन

डॉ. राम सिंह पटेल* दिलीप पाठक**

* शोध मार्गदर्शक, पंडित मोतीलाल विधि महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – परंपरागत पुरुष प्रधान समाज में सैद्धांतिक रूप से नारी सम्मानीय पूज्य तथा श्रद्धास्पद रही है। परंतु व्यवहारिक पक्ष ऐसा नहीं है। रूढ़िवादिता अंधविश्वासों परंपराओं तथा रीति-रिवाजों के अंतर्गत महिलाओं की दुर्बलता,निर्योग्यता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति को व्यक्त करती है।नारी करुणा,दया,प्रेम, त्याग की प्रतिकृति होने के साथ-साथ सामाजिक संस्कृति की पोषिका व वाहिका है फिर भी किसी नारी के प्रति भारतीय समाज में उत्पीड़न शोषण तथा हिंसा व क्रूरता का ग्राफ चिंता का सबब बना हुआ है। नारी आज जिस पीड़ा, कष्ट तथा मानसिक अभित्राष से गुजर रही है वह हमारे समाज की मानसिक विकृति व गिरती हुई सोच का प्रतीक है। सामान्यता नारी की शारीरिक बनावट उसकी दुर्बलता व शोषण का मुख्य कारण है।[1] पति व पति के नातेदारो के द्वारा मानसिक प्रताड़ना क्रूरता तथा दहेज की मांग को लेकर मायके से पृथक रखना वह परिष्कृत करना जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना केवल भारत में होती हैं बल्कि दुनिया भर में यह अपराध होता है। महिलाओं के प्रति कई तरह के अपराध होते हैं जैसे यौन शोषण, बलात्कार,कन्या भ्रुण हत्या, देवदासी, एसिड अटैक,कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न इत्यादि। अपराधों में सबसे ज्यादा घटित होने वाला अपराध घरेलू हिंसा है।भारत के प्रत्येक वर्ग में घरेलू हिंसा अपनी जड़े जमा चुका है और वर्तमान मैं सभी सामाजिक वर्गों में घरेलू हिंसा के विभत्स रूप दिखाई देते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा के कारण, समाधान व उसके मूल्यांकन पर चर्चा की गई है।[2]

शब्द कुंजी – हिंसा, घरेलू हिंसा, क्रूरता, कानूनी संरक्षण, संविधानिक प्रावधान, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न।

प्रस्तावना –रोजमर्रा की भूमिका का निर्वहन करते हुए। महिला समाज की आधारशिला है, महिला सहृदय बेटियां,संवेदनशील माताएं व सबल सुदृढ़ सहयोगी तथा नित नई भूमिकाओं को बड़ी सरलता व क्षमता से निर्वहन कर रही हैं। लेकिन आज भी समाज के कई हिस्सों में उनकी भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है इसी वजह से महिलाओं को वृहद स्तर पर उत्पीड़न,लिंगीय विभेद घरेलू हिंसा व अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। यही वजह उनको उन्नति के शिखर पर ले जाने में बाधक बनी हुई है।

'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते,
रमंते तत्र देवत:'।।[3]

अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवताओं का वास होता है ऐसी भावना व संस्कृति को आत्मसात करने वाला समाज आज उसी देवी स्वरूपा महिला की हिंसा का कारण बना हुआ है। साथ ही इसी नारी के प्रति भारतीय समाज उत्पीड़न,शोषण, हिंसा,आदि का सतत बढ़ता ग्राफ अब बुद्धिजीवियों,दार्शनिकों, समाजशास्त्रीयो और मनोवैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा–घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रयोजन के लिए प्रत्यर्थी का कोई ऐसा कार्य लोग या आचरण घरेलू हिंसा को गठित करेगा यदि वह

(क) व्यथित व्यक्ति के जीवन अंग स्वास्थ्य सुरक्षा की या उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की कहानी करता है या उसे कोई क्षति पहुंचाता है। या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग लैंगिक दुरुपयोग मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कार्य करना भी है या

(ख) दहेज मूल्यवान प्रतिभूति या अन्य संपत्ति हेतु किसी विधि वृद्ध मांग की पूर्ति के लिए व्यक्तित्व को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करना उसे आप हानि कार्य करना या उसे क्षति पहुंचाना या संकटापन्न करना या

(ग) खंड (क)या खंड (ख) आचरण के अंतर्गत ऐसा आचरण भी शामिल है जो धमकी का प्रभाव रखता है।

(घ) यदि व्यक्ति को अन्यथा क्षति पहुंचाता है या उत्पीड़ित कार्य करता है चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक

स्पष्टीकरण 1– इस धारा के प्रयोजन के लिए–

1. **'शारीरिक दुरुपयोग'–** शारीरिक दुरुपयोग के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य या आचरण आता है जो इस प्रकृति का है जिससे व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा आप हानि या उसके जीवन अंग या स्वास्थ्य को खतरा कार्यत होता है इसके अंतर्गत हमला अपराध पवित्रास और आपराधिक बल का प्रयोग भी आता है।
2. **'लैंगिक दुरुपयोग'–** इसके अंतर्गत लैंगिक प्रकृति का कोई ऐसा आचरण आता है जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग करता है उसका अपमान हुआ तिरस्कार करता है।
3. **'मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग'–** इसके अंतर्गत अपमान उपहास तिरस्कार गाली और विशेष रूप से संतान या नर बालक के ना होने के संबंध में अपमान या उपहार शामिल है किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कार्य करने की लगातार धमकियां देना जिसमें व्यक्ति हितबद्ध है।
4. **'आर्थिक दुरुपयोग'–** इसके अंतर्गत आर्थिक और वित्तीय संसाधन

जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि यरोड़ी के आधीन हकदार होता है चाहे वह किसी न्यायालय के आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हो।[4]

'ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार' हिंसा अर्थात चोट पहुंचाना, नुकसान करना या किसी को मारने के लिए शारीरिक दबाव बनाया जाना इत्यादि व्यवहारों को शामिल करता है।

शोध प्रश्न– प्रारंभिक शोध प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में भारत देश में विशेष रूप से घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं के अधिकार से संबंधित क्या कानून है। और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की क्या व्यवस्था है।

वर्तमान समय में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के उपचार तथा कानून की कमियों को उजागर करना है।

घरेलू हिंसा के कारण– महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण समाज की घृणित व विकृत मानसिकता है। महिला के शोषण का मुख्य कारण महिला की शारीरिक बनावट दुर्बलता व पुरुषों की तुलना में महिलाओं को शारीरिक व भावनात्मक रूप से कमजोर माना जाना है। घरेलू हिंसा के संबंध में निम्नलिखित सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व व्यावहारिक कारण है।

1. दिए गए उपहार व दहेज के प्रति असंतुष्टि,महिला का यौन संबंध बनाने से इन्कार करना,पारिवारिक उपेक्षा व सहभागिता की कमी अर्थात परिवारिक कार्यों में हाथ ना बंटाना इत्यादि है।
2. विवाहेत्तर संबंधों में लिप्त होना महिला साथी तथा उसके सगे संबंधियों की उपेक्षा, गृह कार्य में दक्षता का अभाव तथा संतानोत्पत्ति में असमर्थता भी घरेलू हिंसा का महत्वपूर्ण कारण है।
3. घरेलू हिंसा का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि पतियों के निर्देशों का पालन ना करना, पति में दूर्व्यसन का गुण जिसके परिणामस्वरूप महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना व उसकी गरिमा के विरुद्ध कार्य करना इत्यादि है ।
4. घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण पितृसत्ता सोच,वरिष्ठता की होड़ है।जो पितृसत्तात्मक समाज में पुरातन समय से ही व्याप्त है।
5. घरेलू हिंसा का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण नर संतान की चाह, महिला का अशिक्षा वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव है।

वैधानिक प्रावधान– भारतीय संविधान 1950 में महिलाओं के संरक्षण व लैंगिक समानता का सिद्धांत निहित है ।

भारतीय संविधान महिलाओं को समानता की प्रत्याभूति देने की साथ–साथ महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है।ताकि महिलाओं का संचयी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अलाभ की स्थिति को कम किया जा सके।

महिलाओं महिलाओं को विधि के समक्ष समता व समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)और महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 15)का मूल अधिकार प्राप्त है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन और स्त्री कर्मकारों की स्वास्थ्य और शक्ति व बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो उन्हें आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु शक्ति के अनुकूल ना हो के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 39) प्रसूति सहायता के लिए उपबंध (अनुच्छेद 42)नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में प्राप्त है ।[5] घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम, 2013 और भारतीय दंड संहिता1860 की धारा 354A, 354B, 354C और 354D,376,376A,376AB,376D,376DA,376DB,509,499 का अनुपूरक हो सकते हैं और उन्हें पूर्णता प्रदान कर सकते हैं कृ ये सभी कानून यौन प्रताड़ना और दर्शनरति तथा पीछा करने बलात्कार ,सामूहिक बलात्कार और महिलाओं की एकांत का को भंग करना, मानहानि जैसे अपराधों के विभिन्न स्वरूपों से संबंधित है ।[6] हालांकि ये कानून तभी प्रभावी हो सकते हैं, जब महिलाएं आगे आएं और दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज कराएं, जो कभी कभार ही होता है। इस तरह, आमतौर पर बदनामी के डर से काफी बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज ही नहीं हो पाते, खासतौर पर तब जब पीड़िता को अपने पति, परिवार के सदस्य या किसी अन्य परिचित के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी हो।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 – ऐसी महिलाओं के, जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया और जो 26 अक्टूबर 2006 से संपूर्ण भारत मे लागू है।

बीडी भानोट बनाम सविता भानोट –माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम पीड़िता को इस अधिनियम के प्रवृत्ता होने के पूर्व के कृत्यों के संबंध में भी आवेदन करने की अनुमति देता है।

संध्या वानखेड़े बनाम मनोज भीमराव वानखेड़े (2011) – शब्द 'प्रतिवादी' को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 (क्यू) के तहत किसी भी वयस्क व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में है, या रहा है और जिसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत कोई उपाय मांगा है।

वर्तमान परिपेक्ष में प्रत्यार्थी के अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ना केवल वयस्क पुरुष शामिल है बल्कि वयस्क पुरुष के साथ उसकी महिला नातेदार भी शामिल है जिसके विरुद्ध पीड़िता आवेदन कर अनुतोष की मांग कर सकती है।

ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्य और अन्य। (2013) – इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (घरेलू हिंसा अधिनियम) के प्रावधानों के तहत भरण–पोषण का दावा किया जा सकता है, भले ही दावेदार कानूनी रूप से विवाहित पत्नी न हो।

इंद्र सरमा बनाम वीकेवी सरमा (2013) और डी. वेलुस्वामी बनाम डी.पच्चैम्मल – अधिनियम की धारा 2(एफ) 'घरेलू संबंधों' को परिभाषित करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण निर्धारित किए कि 'शादी की प्रकृति में संबंध' क्या है।

बेलू स्वामी के मामले में न्यायालय का निर्णय यह था कि कोई महिला यदि यौन संतुष्टि के उद्देश्य पारिश्रमिक प्राप्त कर पुरुष के साथ निवास करती है या वन नाइट स्टैंड के रूप में उसके साथ सहवास करती है इस कारण मात्र से वह विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली महिला नहीं मानी जाएगी और ना ही वह पुरुष भागीदार के विरुद्ध शिकायत करने की अधिकारिणी होगी।

इंदिरा सरमा बनाम वीकेवी सरमा (2018) –सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले

में निर्णय दिया कि सभी लिव-इन पार्टनरशिप विवाह की प्रकृति के जैसे रिश्ते नहीं होते।

लिव-इन-रिलेशनशिप की अवधारणा के परीक्षण के लिए दिशानिर्देश- रिश्ते की अवधि, साझा गृहस्थी संसाधनों और वित्तीय व्यवस्थाओं की पूलिंग, घरेलू व्यवस्था, यौन संबंध बच्चे, जनता में समाजीकरण, पार्टियों का इरादा और आचरण।

इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा की एक विस्तृत परिभाषा दी गई है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे कार्य लोग या आचरण को समाहित किया गया है जो महिलाओं के जीवन अंग और स्वास्थ्य को हानि कार्य करता है। इस हेतु शारीरिक मानसिक भावनात्मक लैंगिक दुर्व्यवहार को शामिल किया गया है।[7]

इस अधिनियम को प्रभावी बनाने और महिलाओं को तुरंत उपचार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिए संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और संरक्षण अधिकारियों को पुलिस की समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं जो मामले के संबंध में घरेलू हिंसा रिपोर्ट तैयार करने से लेकर अन्वेषण तक का कार्य करता है अगर कोई महिला व्यथित है, तो व्यथित महिला या संरक्षण अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति उस व्यथित महिला की ओर से अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। आवेदन उसी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में किया जाएगा जहां पर पीड़ित या प्रत्यर्थी निवास करता है या विवाद का कारण पैदा हुआ है। आवेदन की प्राप्ति से 3 दिन के भीतर मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख निर्धारित करेगा और सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी को देगा जो 2 दिन के भीतर प्रत्यर्थी पर उसकी तमील करेगा और प्रत्येक प्रथम सुनवाई से 60 दिन के भीतर मामले का निस्तारण किया जाएगा।

किस अधिनियम के तहत समस्त कार्यवाही बंद कमरे में की जाएंगी इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को अंतरिम और एक-पक्षीय आदेश देने की भी शक्ति होगी साथ ही मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेशों की प्रति नि:शुल्क आवेदन के पक्षकारों को उस पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह स्थित है, सेवा प्रदाता इत्यादि को प्रदत्ता की जाएंगी। इस अधिनियम के तहत दिया गया संरक्षण आदेश संपूर्ण भारत में पर्वत होगा।

और यदि प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसे किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 20000/- तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अधिनियम द्वारा नियुक्त संरक्षण अधिकारी यदि अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने के आधार पर उसे भी कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 20000/- तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले समस्त अपराध संज्ञेय माने जाएंगे।

इस अधिनियम की विशेषता यह है की सूचना देने वाले को सद्‌भाव का लाभ दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित पक्षकार सूचना की तामिली से 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। सरकार द्वारा पारित किए गए इस प्रभावी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ एक व्यवस्थित मैकेनिज्म की स्थापना कर घरेलू हिंसा के अपराधों पर नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। इस कानून का प्रयोग कर महिलाएं निश्चित रूप से घरेलू हिंसा के अपराध से निजात पा सकती हैं।

शोध प्रश्न -प्रारंभिक शोध प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में भारत देश में विशेष रूप से घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं के अधिकार से संबंधित क्या कानून है। और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की क्या व्यवस्था है।

वर्तमान समय में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के उपचार तथा कानून की कमियों को उजागर करना

शोध पद्धति- इस शोध की पद्धति प्राथमिक और द्वितीयक शोध पर आधारित है जिसके लिए विश्लेषणात्मक विवरणात्मक तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक पद्धतियों का यथा स्थान प्रयोग करते हुए एक उपयुक्त निष्कर्ष एवं सुझाव पर पहुंचने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य:

(क) महिलाओं के वृद्ध होने वाली घरेलू हिंसा का अध्ययन करना।

(ख) महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा के कारणों का पता लगाना।

(ग) महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा का निवारण का पता लगाना।

साहित्य अध्ययन- सामान्यता शोध अध्ययन दो देशों (1) सैद्धांतिक/ ज्ञानार्जन संबंधी उद्देश्य(2) व्यवहारिक/प्रयोगवादी उद्देश्य की पूर्ति एवं प्राप्ति के लिए संपादित किए जाते हैं। सिद्धांत उद्देश्य के अंतर्गत सामाजिक जीवन घटनाओं, समस्याओं,तथ्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना

2. विभिन्न प्रक्रियात्मक संबंधों की खोज करना उन सामान्य नियमों को खोजना जिनके माध्यम से सामाजिक जीवन निर्देशित और विनियमित होता हैस

व्यावहारिक उद्देश्य के अंतर्गत- सामाजिक समस्याओं के निदान में सहायता करना, सामाजिक तनाव को दूर करके सामाजिक समरूपता बनाए रखने में सहायता करना, सामाजिक नीतियों के निर्माण में सहायता करना, सामाजिक नियंत्रण में सहायता करना समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

साहित्य अध्ययन के अंतर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों को शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 ,महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनयम, 2013. भारतीय दंड संहिता 1807 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एनसीआरबी के आंकड़े महिला आयोग की अध्ययन रिपोर्ट इत्यादि।

शोध परिकल्पना- सर्व श्री गुड एंड हॉर्ट ने लिखा है 'कि परिकल्पना सिद्धांत और शोध के बीच की एक आवश्यक कड़वी होती है जो नवीन तथ्यों के संबंध में अतिरिक्त ज्ञान की खोज करने में सहायक होती है।'

स्पष्ट परिकल्पना अनुसंधान के लिए एक ऐसा आवश्यक आधार प्रस्तुत करती है जिसकी सहायता से नवीन तथ्यों को खोजा जाता है।शोधार्थी के विचार से परिकल्पना के संबंध में यह कहा जा सकता है कि,

1. परिकल्पना एक शोध अध्ययन की दिशा को निर्धारित करती हैं और शोधकर्ता को दिशा भ्रम से पृथक रखती हैं।
2. परिकल्पना अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में सहायक होती हैं तथा अध्ययन करता को भटगांव से बचाती हैं।
3. परिकल्पना अध्ययन समस्या के संबंध में प्राप्त प्राथमिक एवं द्वितीयक

तथ्यों के संकलन कराने में मार्गदर्शन के रूप में सहायता प्रदान करती हैं।

4. सत्य तथा सार्थक पाई गई।

परिकल्पना सिद्धांतों का निर्माण करने तथा सामान्य करण करने में सहयोग प्रदान करती हैं।

यह अनुभवजन्य साहित्य समीक्षा व्यापकता, हिंसा के प्रकार, सम्मान और दहेज हत्या, स्वास्थ्य = गर्भावस्था प्रभाव और सामाजिक कलंक से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घरेलू हिंसा साहित्य की जांच और संश्लेषण करती है। समीक्षा अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के प्रयासों के सारांश, सांस्कृतिक रूप से सक्षम अभ्यास के लिए सिफारिशें, भविष्य के सामाजिक कार्य अनुसंधान के लिए सुझाव और एक सारांश के साथ जारी है।

मूल्यांकन – घरेलू हिंसा के निवारण के संदर्भ में ब्रिटिश काल से लेकर वर्तमान समय तक अनेकानेक प्रयास किए गए महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए हमारी न्यायपालिका द्वारा कठिन कदम उठाए गए और विधायिका द्वारा नित्य नए अधिनियम पारित किए गए जिनमें दंड संहिता 1807, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 ,दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961,महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनयम, 2013. इन कानूनों के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए जरूरी है यह जानना की इन्हें लागू करवाने के लिए देशभर में कितना प्रयास किया गया इसके निष्पादन हेतु क्या व्यवस्था अपनाई गई। क्या इनको प्रभाव देने के लिए और अपराधों के नियंत्रण हेतु उचित प्राधिकारीयों की नियुक्ति न्याय प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्थापना कानूनों की प्रति लोगों को जागरूक बनाने की नीति निर्धारित की गई और यदि निर्धारित की गई तो उस पर कितना सकारात्मक कार्य किया गया। हिंसा के अपराधों की रोकथाम में असफलता के कारण जानना उनको रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

अध्ययन का क्षेत्र व सीमा– यह शोध पत्र भारत की सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थता की व घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं के संरक्षण की भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता और संवैधानिक प्रावधानों की पर्याप्तता का अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह भार में व्याप्त लैंगिक असमानता के ऐतिहासिक वर्णन से प्रारंभ होता है इस अध्ययन का प्रमुख आधार महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की समस्या की अभिस्वीकृति के क्षेत्र में विकास का अवलोकन है। घरेलू हिंसा से संबंधित भारतीय ढांचे को समझने के लिए उपलब्ध मौजूदा कानूनी विकल्पों का एक सर्वेक्षण किया जाता है। इस शोध पत्र में किया गया कार्य भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में विभिन्न प्रकार के कानूनों और नीतियों तथा उनके लाभ और नुकसान का पता लगाया जाना है संक्षेप में सीमा और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह शोध पत्र भारत में घरेलू हिंसा के ऐतिहासिक दार्शनिक प्रवृत्तियों मे घरेलू हिंसा की समस्या का मुकाबला करने की मौजूदा कानूनी उपाय नए कानूनों के आगमन के साथ बदलती स्थितियों की समीक्षा करने का प्रयास करता है।साथ ही पुलिस का घरेलू हिंसा अधिनियम और यह उसका अन्वेषण करना कि अधिनियम किस हद तक अपने उद्देश्य को पूरा करता है।

सुझाव– घरेलू हिंसा की समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव सार्थक तथा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

(1) महिलाओं हेतु शिक्षा को आवश्यक बनाने के साथ–साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु वैधानिक प्रयास किए जाएं साथ ही एक व्यवस्थित ढांचा तैयार कर उसे क्रियान्वित भी किया जाए।

(2) महिलाओं हेतु रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएं तथा समान कार्य के लिए समान वेतन के भुगतान हेतु प्रभावी कदम उठाए जाए।

(3) मीडिया मास कम्युनिकेशन संचार के अन्य साधनों के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध दिखाई जा रही घरेलू हिंसा को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए और भविष्य में उनके प्रसारण पर रोक लगाए जाने हेतु कानूनी प्रावधान किया जाए।

(4) महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने हेतु प्रचार प्रसार व उनके परामर्श केंद्रों की स्थापना की जाए।

(5) घरेलू हिंसा की जानकारी मिलने पर हस्तक्षेप करें व संबंधित विभाग को सूचित करने के साथ–साथ समाजिक संस्थाओं संगठनों व महिला संगठनों को अधिकाधिक प्रोत्साहित कर समाज में उनकी सहभागिता को विकसित किया जाए।

(6) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के संरक्षण के संबंध में उपलब्ध कानूनी प्रावधानों को कठोरता के साथ लागू किया जाए और एक व्यवस्थित मैकेनिज्म स्थापित किया जाए।

(7) निशुल्क कानूनी परामर्श व सहायता केंद्रों की स्थापना शासन स्तर से की जाए साथ ही उन्हें स्वावलंबी और रोजगार उन्मुख बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाए व पीड़ित महिलाओं के लिए उचित व सुरक्षित आश्रय स्थलों का निर्माण कराया जाए।

(8) महिलाएं अपनी चुप्पी को तोड़कर अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाएं और अपने विचारों को खुलकर दृढ़ता पूर्वक व्यक्त करें साथ ही भयमुक्त समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करें।

(9) घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित दंड प्रदान किए जाने के साथ–साथ उनके निष्पादन की उचित व्यवस्था की जाए ताकि अपराधकर्ता दोबारा ऐसा कदम उठाने के बारे में विचार करें साथ ही ऐसे पुरुष अपराधकर्ता कि समाज में भर्त्सना व कठोर निंदा की जाए।

(10) घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के सहायतार्थ न्यायालय के बाहर न्यायालय जैसी व्यवस्था व आपसी सामंजस्य से उनके विवादों का निपटारा कराया जाए ताकि परिवारिक कलह वह उनमें व्याप्त वैमनस्यता को सामंजस्य पूर्ण तरीके से निपटाया जा सके।

उन्हें अपनी रूढ़िवादिता और अंधविश्वासी मानसिकता को त्याग कर पुरुष के प्रति निर्भरता को छोड़कर आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम उठाना होगा। उन्हें शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बन अपने विरोध मे किए जा रहे शोषण के प्रति मुखरता के साथ आवाज को उठाना होगा।अपने व्यक्तिगत जीवन की ओर एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के साथ–साथ अपनी चुप्पी को तोड़कर पितृसत्तात्मक दकियानूसी सोच को समाप्त करना होगा। यदि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 का उपयोग करें तो काफी हद तक घरेलू हिंसा की समस्या से निजात मिल सकती है लेकिन उन्हें इसके लिए एक साहसी कदम उठाना होगा।

निष्कर्ष – नारी जागरूक आत्मनिर्भर शिक्षित और सक्रीय हो चुकी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है 'नारी जब अपने ऊपर अधिरोपित बेड़ियों एवं जंजीरो को तोड़ने लगेगी, तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी।'

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

वर्तमान में नारी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अंधविश्वास व रूढ़िवादिता वह उसके वृद्ध होने वाली हिंसा के प्रति आवाज उठानी शुरू कर दी है। जो बरता वर्तमान परिदृश्य में सुधार की दृष्टि से एक अच्छा संकेत है। समाज की संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ससुराल वालों का पुत्र व दहेज का लालच महिलाओं का शिक्षित होना आदि कारण धीरे-धीरे विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं।लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। और हमारे इन्हीं छोटे-बड़े प्रयासों के माध्यम से महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा को कम किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉक्टर सिंह निशांत 'महिला विधि' राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली 2008 पृष्ठ संख्या 166
2. राम अहूजा 1987 पृष्ठ संख्या 227
3. 'मनुस्मृति' अध्याय 3 श्लोक संख्या 56
4. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कानून पब्लिकेशन जोधपुर धारा 3 पृष्ठ क्रमांक 3,4
5. भारत का संविधान 1950 कानून पब्लिकेशन जोधपुर 2019 पृष्ठ संख्या 6,7
6. भारतीय दंड संहिता कानून पब्लिकेशन जोधपुर 2021 पृष्ठ संख्या 178-180 ,192-197
7. किरण पवार 2020, ब्यू15292.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Study on Senior Citizens' Human Rights in India

Ankit Khare*

*Research Scholar, Pt. Motilal Nehru Law College and Research Centre, Chhatarpur (M.P.) INDIA

Abstract - It is true that in India, we revere our elders and hold them in high regard in our traditions, culture, and scriptures. Sadistically, it is also true that India is one of those nations with very few laws pertaining to senior citizens' rights. The number of elderly people in our country has increased significantly due to the rising life expectancy across the board. It is obvious that India has a long-standing history of treating senior citizens with respect in all walks of life. Yet, a number of circumstances, particularly the dissolution of the joint family system, are undermining the position and prestige of the elderly in today's society. The current research thus discusses the numerous issues that Indian senior citizens encounter, including those that are social, emotional, psychological, and physical. It also addresses the execution of numerous senior citizen-related policies and programmes. The discussion also covers the national and international factors pertaining to senior citizen government policies as well as a critical evaluation of the statute under consideration and suitable recommendations.

Introduction - In the past 50 years, India's population has about tripled, but the proportion of elderly Indians has more than quadrupled. The elderly are now the segment of society that is increasing the quickest in India thanks to improved medical services, compassionate care, and liberal family planning laws; the country's average life expectancy has also increased to almost 70 years. The only place in the world where touching an elder's foot to show respect is India. Our country has a particular place in its customs, culture, and scriptures for its elders, who are compared to God. Regrettably, India is one of those nations with a dearth of laws protecting older folks' rights. To meet the demands of the elderly in the nation, a significant programme is required.

Varieties of issues that affect Senior Citizens: In India, the following issues are frequently observed in cases of senior citizen:

1. **Physical Issue:** Physical decline occurs as we age. Even if one does not immediately lose their eyes, teeth, and everything else, they do start to physically deteriorate. The physical state is influenced by a person's lifestyle, genetic makeup, and environmental influences. Vicissitudes of life, poor diet, malnutrition, infectious diseases, intoxications, gluttony, insufficient sleep, emotional stress, overwork, endocrine problems, and adverse environmental factors like heat and cold are some of the often occurring secondary causes of physical decline.

The body temperature is impacted by the weakened regulating system. As a result, older people experience the climate change more strongly than others. They experience stomach issues and insomnia. They have trouble chewing or swallowing due to oral issues.

Because of their poor reaction to threats, slow mental processing, and deteriorating mental capacities, the elderly are more likely to be involved in accidents. Ears and eyes are significantly impacted.

The skin sags and the jaw gets smaller as a result of tooth loss. The eyelids become saggy, with the upper lids drooping over the lower, while the cheeks develop pendulous wrinkles. Due to the tear glands' dysfunction, the eyes appear lifeless and lacklustre and frequently appear watery. Speech is impacted by denture loss, and some people even appear to lisp.

The skin loses its suppleness and becomes tough. The skin develops wrinkles and the veins become clearly visible. As advancing age, sweating becomes less frequent and other skin colouring develops. The nails grow strong and tough, and the hair turns thinning and grey. The wrists, forearms, head, and lower jaw frequently tremble.

2. **Psychological Issues:** Mental illness and ageing are closely related. Psychotic depressions are more likely to strike the elderly. Senile dementia, which is linked to brain atrophy and degeneration, and psychosis with cerebral arterial sclerosis are the two main psychotic illnesses that affect older adults (associated with either blocking or ruptures in the cerebral arteries). According to observations, these two diseases make up around 80% of the psychotic disorders that affect older persons in civilised nations.

3. **Emotional issue:** Their dependency results from a decline in mental capacity. They no longer have faith in their own judgements or abilities, yet they still wish to exert more control over the younger people. They desire to get involved

in all domestic and professional problems. The younger generation does not listen to their suggestions or recommendations because of the generational difference. They begin exerting their rights and power rather than showing compassion for the elderly. This could make them feel as though their dignity and significance have been taken away. Another risk is losing a partner as they age. The loss of a spouse leaves one feeling alone and isolated. More emotional issues are generated by the family members' carelessness and indifference for the elderly.

4. **Social Issues:** As people get older, they experience significant social losses. Their social life is constrained by loss of employment, the passing of family members, friends, and spouses, as well as poor health that prevents them from engaging in social activities. Their social lives, which are limited to interactions with family members, are centred on the home. Severe chromic health issues make it possible for them to become socially isolated, which leads to loneliness and depression. As a result of losing the majority of the social roles they once played, they are likely to be lonely and isolated.

5. **Financial Issue:** Loss of income from retirement from employment is common, and pensions for the elderly are frequently insufficient to cover rising living expenses. Even if they use their provident fund for things like child weddings, buying new property, kid schooling, and family upkeep, they are forced to change their status from "Chief bread winner to a mere dependent" as a result of their income being lowered. The disease's detection and treatment led to further financial issues for the elderly.

Physical decline, social isolation, loss of a spouse, friends, job, property, and physical attractiveness are all aspects of old age.

It is a time of disillusionment, depression, illness, confession, and loneliness.

Yet in terms of childcare and family business, grandparents offer an additional source of love and enriching experience. Despite the many issues that come with being older, one must remain active for both their own well-being and the sake of society.

Senior Citizens' Welfare: Policy And Programs: The Government of India is putting different plans and programmes into action to give elderly folks a healthy, happy, empowered, dignified, and self-sufficient life, as well as strong social and intergenerational ties.The government is cognizant of the elderly's needs for affection, care, medical attention, housing, etc. The government is implementing a number of senior citizen assistance plans and programmes to this end. The specifics of these schemes and programmes:

1. Department of Social Justice and Empowerment: Atal VayoAbhyudaya Yojana (AVYAY):

a) Each of the existing schemes, future plans, strategies, and targets are articulated in AVYAY, which then maps them to schemes/programs, accountabilities, financials, and clear results. The main four needs of older persons are met by this plan: food, health care, financial security, and social interaction/a life of dignity. It also covers aspects of elder safety, protection, and overall wellbeing, starting with raising society's awareness and sensitising it.

b)AVYAY is an umbrella programme that has been in place since April 1, 2021, and it includes the following programmes:

i. Scheme of Integrated Programme for Senior Citizens (IPSrC)
ii. State Action Plan for Senior Citizens (SAPSrC):
iii. RashtriyaVayoshri Yojana' (RVY):
iv. Livelihood and Skilling Initiatives for Senior Citizens -
v. Promoting silver economy
vi. Channelizing CSR funds for Elderly care

2. Livelihood and Skilling Initiatives for Senior Citizens-A new scheme with following two components:-

a) Senior Able Citizens for Re-Employment in Dignity (SACRED) is an acronym for Senior Able Citizens for Re-Employment in Dignity. Many senior adults have time, experience, and energy that can be leveraged by businesses looking for dependable, experienced staff. Several private businesses' human resources departments are looking for qualified candidates for certain positions who are also reliable. The portal enables the virtual preference matching that brings these individuals together. The portal was introduced by the Vice President of India on October 1, 2021, which is International Day on Older People (IDOP).

b) Action Groups for Social Reconstruction (AGRASR Groups)

Elderly Self-Help Groups: Older Citizens are urged to create Self-Help Groups (SHGs), which will give them a venue for using their free time productively to interact with one another. SHGs will function as "Action Groups Aimed at Social Reconstruction (AGRASR Groups)" to qualify for financial aid under the programme. Any SHG receiving help under this Scheme will not also receive support under any other Ministry-sponsored schemes, and a SHG may choose to receive assistance under one or more of these Schemes (s).

3. Scheme for Awareness Generation and Capacity Building for welfare of Senior Citizens- Components like the National Helpline for Senior Citizens, Research, awareness, sensitization etc. for the welfare of senior citizens, spreading awareness and sensitizing the youth and other sections of the society towards the issues related to the elderly. The National Helpline – Elderline with toll free number 14567 has been dedicated to the country by the Vice President of India on International Day on Older Persons (IDOP), 2021 i.e. on 01/10/2021.

4. RashtriyaVayoshri Yojana (RVY): Scheme for providing Physical Aids and Assisted-Living Devices for Senior Citizens

The Ministry of Social Justice and Empowerment has developed the RashtriyaVayoshri Yojana (RVY) Scheme with

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

the goal of providing free aids and assisted living devices, such as walking sticks, elbow crutches, walkers/crutches, tripods/quadpods, hearing aids, wheelchairs, artificial dentures, and eyeglasses, to senior citizens who fall under the BPL category and who suffer from age-related disabilities/ infirmities like low vision, hearing impairment, With effect from F.Y. 2020–2021, the Scheme has been revised. The criteria for choosing beneficiaries under the amended Plan have been expanded to cover not only senior individuals who fall under the BPL category but also senior citizens whose monthly income is not more than Rs. 15000 and who have the aforementioned age-related disabilities or infirmities.

Other Important Policies and Programs:

1. Administravtive Setup
2. Important concerns relating to the Division
3. Integrated Program for Older Persons(IPOP)
4. The National Policy On Older Persons (NPOP)
5. National Awards: Vayoshreshtha Samman and International Day for Older People (IDOP)
6. The Maintenance And Welfare Of Parents And Senior Citizens Act, 2007
7. National Council For Older Persons (NCOP)/ National Council Of Senior Citizens
8. Benefits Extended By Other Central Ministries

In Breif:

1) Administrative Setup: The nodal ministry for the welfare of senior citizens is the Ministry of Social Justice and Empowerment. In close cooperation with State Governments, Non-Governmental Organizations, and civil society, the Ageing Division of the Social Defense Bureau of the Department of Social Justice and Empowerment develops and implements programes and policies for elderly citizens. The senior citizen programmes assist senior residences, daycare facilities, mobile Medicare units, etc. in an effort to promote senior welfare and upkeep, particularly for elderly people who are in need. These programmes are carried out through offering assistance in developing the capacity of government, non-governmental organisations (NGOs), panchayati raj institutions (PRIS), local governments, and the general public.

2) Important concerns relating to the Division : Since 1992, the Division has been carrying out the "Integrated Programme for Older Persons" (IPOP) Central Sector Scheme. In 2008, it underwent a revision, and new, creative projects were added for the welfare of Senior Citizens. Since April 1, 2015, the Scheme's cost standards have been updated.

In order to reinforce the commitment to ensuring the well-being of the elderly, the National Policy on Older People (NPOP) was released in January 1999. This policy is currently being updated appropriately in light of demographic changes such as an ageing population and other factors.

Vayoshreshtha Samman was first presented in 2005 by the Ministry of Social Justice and Empowerment in order to recognise the efforts made by distinguished senior citizens and Institutions involved in providing distinguished services for the cause of elderly persons, especially indigent senior citizens. In 2013, the Vayoshreshtha Samman received the designation of National Award. On October 1st 2013, the National Award was first given out. The Prize is given to illustrious and exceptional institutions, organisations, and people each year in thirteen categories. The categories are as follows:

- **Institutional Category:**

i. Best Institution for Research in the field of ageing;
ii. Best institution for providing services to senior citizens and awareness generation;
iii. Best District Panchayat in providing services and facilities to senior citizens;
iv. Best Urban Local Body in providing services and facilities to senior citizens;
v. Best State in implementing the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 and providing services and facilities to senior citizens;
vi. Best Private Sector Organisation in promoting the wellbeing and welfare of senior citizens;
vii. Best Public-Sector Organisation in promoting the wellbeing and welfare of senior citizens;

- **Individual Category:**

i. Centenarian
ii. Iconic Mother
iii. Lifetime Achievement
iv. Creative Art
v. Sports and Achievements
vi. Courage and Bravery

3) Integrated Program for Older Persons(IPOP): Since 1992, the Ministry of Social Justice and Empowerment has been implementing the Central Sector Scheme of the Integrated Programme for Older Persons (IPOP), which aims to improve the quality of life for senior citizens by providing basic necessities like housing, food, healthcare, and recreational opportunities, among other things, by supporting the development of the capacity of government, non-governmental organisations, panchayati raj institutions, and local businesses. A revision to the Scheme went into effect on April 1, 2008, and April 1, 2015. Under the 2008 revision, additional innovative projects were included as being eligible for help under the Scheme in addition to updating the cost standards for financial assistance for ongoing projects. The IPOP Scheme is providing support for the following projects:

i. Maintenance of Old Age Homes;
ii. Maintenance of Respite Care Homes;
iii. Running of Multi Service Centres for Older Persons;
iv. Mobile Medicare Unit;
v. Day Care Centre for Care of Old Person with Dementia;
vi. Multi Facility Care Centre for Older Widows;
vii. Physiotherapy Clinics;

viii. Regional Resource and Training Centres;
ix. Helplines and Counseling for Older Persons;
x. Programme for Sensitization Schools/College Student;
xi. Awareness Projects for Older Persons;
xii. Volunteers Bureau for Older Persons;
xiii. Formation of VridhaSanghas/Senior Citizen Associations/Self Help Groups;
xiv. Any other activity, which is considered suitable to meet the objective of the Scheme.

4) The National Policy On Older Persons (NPOP): In order to reinforce the State's commitment to ensuring the well-being of the elderly, the National Policy on Older People (NPOP) was unveiled in January 1999. The Policy calls for state assistance to meet older people's requirements for housing, health care, and other necessities as well as for a fair share in development, protection from abuse and exploitation, and access to programmes that would enhance their quality of life.The Ministry of Social Justice and Empowerment established a Committee to I assess the current status of various issues relating to senior citizens, in general, and implementation of NPOP, 1999, in particular, and (ii) draught a new NPOP while taking into account the emerging trends in demographic, socio-economic, technological, and other relevant fields. This was done in light of the country's changing senior citizen population over the previous ten years. The updated national senior citizens policy is currently being finalised.

5) National Awards: Vayoshreshtha Samman and International Day for Older People (IDOP)

Every year on October 1st, the Ministry of Social Justice and Empowerment honours the International Day for Older People (IDOP) in a suitable manner by planning a number of activities and programmes for the elderly. The goal of the day is to recognise senior persons' contributions to society, raise awareness of their needs and issues among the general public, and improve the quality of life for the aged in our society.The Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment) has created a new Scheme of National Awards for Senior Citizens to highlight the Government's commitment to senior citizens and to honour the efforts made by eminent senior citizens and institutions involved in providing distinguished services for the cause of elderly people, especially indigent senior citizens. The Program of National Awards for Senior Citizens was announced in the Indian Gazette on January 22, 2013, and the first awards were presented in 2013.

6) The Maintanance And Welfare Of Parents And Senior Citizens Act, 2007: In order to secure need-based support for parents and senior citizens as well as their welfare, the Maintenance and Welfare of Parents and Older Citizens Act, 2007, was passed in December 2007. The Act shall take effect in a State on the day specified by the State Government in a notification published in the Official Gazette. All of the States and UTs have so far given notice of the Act.

The state of Himachal Pradesh has its own law protecting senior citizens and parents.

The Act provides for:

i. Maintenance of Parents/ senior citizens by children/ relatives made obligatory and justiciable through Tribunals
ii. Revocation of transfer of property by senior citizens in case of negligence by relatives
iii. Penal provision for abandonment of senior citizens
iv. Establishment of Old Age Homes for Indigent Senior Citizensv. Protection of life and property of senior citizensvi. Adequate medical facilities for Senior Citizens

7) National Council For Older Persons (NCOP)/ National Council Of Senior Citizens: A National Council for Older Persons (NCOP) was established in 1999 in accordance with the National Policy for Older Persons (NPOP) to oversee the Policy's implementation. The Minister for Social Justice and Empowerment serves as the NCOP's chairperson. The NCOP is the highest authority to advise the government on the creation and execution of aged-related policies and programmes.

National Council for Older People (NCOP) has been reorganised and renamed as National Council for Senior Citizens (NCSrC) pursuant to decision dated 17 -2-2012, which was published in the Gazette of India on 22 -2-2012, in order to have a clear structure and regional balancing.

8) Benefits Extended By Other Central Ministries:

a) Ministry of Rural Development: The Ministry of Rural Development is putting into effect the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS), under which the Central Government provides financial support for pensions a minimum equal contribution from the States is intended to supplement the monthly payments at Rs. Rs. 200 to people over 60 and Rs. 500 to people over 80 who live in households below the poverty line.

b) Ministry of Health and Family Welfare: The Ministry of Health and Family Welfare offers senior citizens the following services:

i. Separate queues for older persons in government hospitals.
ii. Geriatric clinic in several government hospitals.
iii. Objectives of the National Programme for the Health Care for the Elderly
iv. Strengthen referral system
v. Develop specialized manpower and
vi. Promote research in the field of diseases related to old age.
vii. Major Components to establish geriatric department in all the existing 8 Regional Geriatrics Centres
viii. Strengthening healthcare facilities for elderly at various levels
ix. Regional Institutions to provide technical support to geriatric units at district hospitals

c) Ministry of Finance:

i. Health Insurance- The CEOs of all General Health Insurance Companies were given instructions on health insurance for senior persons by letter dated 25.5.2009, which, among other things, stated: "Allowing entry into health insurance schemes until 65 years of age." For all health insurance products addressing the needs of elderly citizens, there must be: Transparency in the premium charged Reasons should be noted for denial of any proposals, etc. In a similar vein, insurance providers cannot refuse renewability without justification.

ii. Tax Advantages- For the Assessment Year 2016–17, the Ministry offers the following services to senior persons: income tax exemption for senior citizens 60 years of age and older up to Rs. 3.0 lakh annually.Income tax exemptions for senior citizens 80 years of age and older up to Rs. 5.0 lakh annually; deductions of Rs. 30,000 under Section 80D for individuals who pay medical insurance premiums for their parents or parents who are senior citizens; and a deduction of the amount spent or Rs. 60,000, whichever is less, for the treatment of a dependent senior citizen who has one of the listed diseases. For seniors 80 years of age and older, the cap is Rs 80,000.

d) Ministry of Home Affairs:

i. Protection of Life and Property: Older persons' lives and property are protected under Chapter V of the Maintenance and Welfare of Parents and Elderly Citizens Act, 2007, which was passed in 2007. State governments are expected to impose a thorough Action Plan for providing protection of older citizens' lives and property.

As "Police" and "Public order" are state subjects, the Ministry of Home Affairs, Government of India, has also issued comprehensive advisories dated 27.3.2008 and 30.08.2013 to all State Government/UTs, who are primarily responsible for prevention, detection, registration, investigation, and prosecution of crime, including crime against senior citizens.

The Ministry of Home Affairs has advised the States/ UTs to take immediate action to ensure safety and security and to eliminate all forms of neglect, abuse, and violence against elderly people through initiatives like senior citizen identification, police staff training on older person safety and security, routine beat staff visits, the establishment of toll-free senior citizen helplines, and the establishment of senior citizens security cell.

e) Ministry of Railways:

i. Discount on Train Fares-The Ministry of Railways offers the following amenities to seniors: Dedicated ticket counters for seniors aged 60 years and over at various Passenger Reservation System (PRS) centres if the average demand per shift is more than 120 tickets

ii. Male passengers 60 years of age and older and female passengers 45 years of age and older will receive a lower bunk.

iii. A basic rail fare discount of 40% for senior citizens who are male (60 years old) and female (58 years old), respectively. Wheelchairs at stations for elderly passengers.

f) Ministry of Civil Aviation:

i. For elderly individuals who have reached the age of 63 on the date of departure and who can show proof of age (a photo ID) and nationality, the National Carrier, Air India, under the Ministry of Civil Aviation, offers flight discounts of up to 50% off the basic fare of standard economy class.

ii. World Elder Abuse Awarness Day-World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD), a yearly call to action for people, groups, and communities concerned with senior rights, was established on June 15, 2006, by the international network for the prevention of elder abuse and the World Health Organization at the United Nations.

Domestic Parameters

Constitutional Provisions :

i. Entry 24 in list III of schedule VII of the Indian Constitution deals with the welfare of labour, including working conditions, provident funds, responsibility for workmen's compensation, invalidity and old age pensions, and maternity benefits. In addition, the State List item No. 9 and the Concurrent List items Nos. 20, 23, and 24 deal with the old age pension, social security and insurance, as well as economic and social planning.

ii. In particular, Article 41 of the Directive Principles of State Policy applies to Old Age Social Security.According to this Article, "the State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in case of underserved want.

a) Personal Laws: Everyone agrees that maintaining parents is a moral obligation. The position and scope of such liability, however, differ from community to community in terms of the law.

i. Hindu Laws: The Hindu personal law's statutory provision for parent maintenance is found inHindu Adoption and Maintenance Act, 1956, Section 20. This Act is the first personal law statute in India to require children to support their parents financially. The wording of the section makes it clear that daughters also have an equal responsibility to maintain their parents. Sons are not the only ones who have this obligation. It's vital to remember that only parents who are unable to support themselves financially on their own may request maintenance under this Act.

ii. Muslim Law: According to Muslim law, children are also obligated to care for their elderly parents. (1) Even though their parents may be able to support themselves, poor parents must care for their children in easy circumstances, according to the Mulla (a Muslim term for a scholar or religious figure). (2) Even though the mother is not infirm, a son in difficult circumstances is nonetheless obligated to support her. (3) A son is obligated to support his father, who has no income, even though he is poor and makes a little money.

In accordance with Muslim law, both sons and daughters are obligated to support their parents. However, they are only required to do so if they have the means to do so.

iii. Christian and Parsi Law: Neither Christians nor Parsis have personal laws that mandate parental support. A request for maintenance must be made in accordance with the Criminal Process Code's rules.

b) The Code of Criminal Procedure 1973 (Cr.P.C)

The Cr.P.C. 1973 is a secular law that applies to people of all faiths and ethnic backgrounds. Even married daughters have a responsibility to care for their parents. In 1973, Section 125(1) of the Code of Criminal Procedure became the first legal document to mention the code's provision for parents' support.A Magistrate of the First Class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his father or mother, at a monthly rate the magistrate thinks fit and to pay the same to such person as the Magistrate may from time to time direct. This is allowed under the code if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his father or mother, unable to maintain himself or herself.

Conclusion and Recommendations: It may be argued that it is now time for a new paradigm, one that sees older people as active contributors to development as well as beneficiaries in an age-integrated society. In general, it can be claimed that for the majority of older people, the term "human rights" refers to their fundamental rights. There is very little older people know about older people's human rights.

Second, one of the primary causes of violations of older people's human rights is the conversion of the conventional joint family system into nuclear or small family systems.

Finally, compared to rural places, metropolitan areas have more cases of senior people's human rights violations because of small/nuclear family structures, a lack of intergenerational engagement, a lack of older people's social interaction, age discrimination, etc. Also, younger older persons (i.e., those between the ages of 60 and 70) are more aggressive about defending their human rights. Those who fall within the 60–70 age range dislike having the label of "Old Age" placed on them.It's interesting to note that because they haven't processed getting older, they react negatively when other people treat them differently or behave differently towards them because of their advanced age. Age-discriminatory policies like retirement policies in both the public and private sectors need to be changed in order to reduce the incidences of the practise. Hence, in order to preserve the human rights of older people, India urgently requires an inclusive social security programme for seniors at the local level that makes use of methods like value-based education, awareness creation, research, and advocacy.

References:-

1. Dr. Awasthi and Kataria,"Law relating to protection of Huamn Rights", Orient publishing company.
2. Constitution of India, 1950: amended by the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992.
3. Suresh, H. (2003). Fundamental rights as human rights. Mumbai: Sabrang Communications and Publishing Pvt. Ltd.
4. Shivnanda Pradhan, "Elderly Abuse in India", Academia.edu
5. Aging in Asia - National Academics' Press (US) 2012
6. Reports on Elderly Abuse in India – Help Age India
7. https://www.academia.edu/35784932/Elderly_Abuse_in_India?auto=download
8. https://sanskritdocuments.org/articles/solutions_for_elderly_ShankarPrasadBhat.html
9. www.nhrc.nic.in
10. http://socialjustice.nic.in
11. http://wcd.nic.in
12. http://labour.gov.in
13. http://www.helpageindia.org
14. http://www.neurology.com
15. http://en.wikipedia.org/wiki/Elder_law_in_India
16. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1806506#:~:text=The%20schemes%20 under%20NSAP%20for,The%20pension%20increases%20to%20Rs

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

A Study of the Social and Legal Status of Live-in- Relationship

Dr. Ratan Singh Tomar* Reetesh Kumar Vyas**

*Asst. Professor, Pt. Motilal Nehru Law College, Chhatarpur (M.P.) INDIA
** Research Scholar, Pt. Motilal Nehru Law College, Chhatarpur (M.P.) INDIA

Introduction - In India, the legality of live-in relationships is quite muzzled. Although live-in a relationship is neither a crime nor a sin, it is disapproved in Indian culture to some degree. In a nation like India, where weddings are seen as a societal foundation for legalising a man-woman connection, the notion of a live-in relationship has added a new dimension to the man-woman relationship.

With the passage of time and modernization, India's social dynamics have seen a few favourable improvements. Several judgments have called into question the ancient notions of Indian society. Certain societal facts, however, remain unaccepted and are viewed through the perspective of patriarchy; a typical example is live-in relationships. While a portion of the Indian population has accepted it, a large fraction remains opposed to the notion. Even while films like "Luka Chhuppi" have helped to normalise it in Bollywood and local cinema, there is still some criticism.

There are various judgements on live-in relationships; some are progressive, while some give regressive statements as well. As a result of these recent contradictory judgments, we must examine prior rulings of various Indian courts to clear up any doubt on the subject. As a result, the purpose of this article is to look into the legal consequences of live-in relationships in India. It starts by looking into the definition, legality, and issues of live-in relationships. It then goes on to outline the benefits for partners who want to pursue a live-in relationship, such as the right to maintenance, the right to inherit property, and the validity given to children born from live-in partnerships, etc.

What is a live-in relationship: Although the term 'live-in relationship' is difficult to define, it refers to domestic cohabitation between two unmarried people. Live-in relationships are becoming increasingly prevalent among couples. However, it might be argued that the incidence is higher in metropolitan areas and tier-1 cities, particularly among upwardly mobile young people. Often, couples would enter into live-in relationships to test their compatibility before agreeing to marry. It allows them to better comprehend each other and make well-informed decisions on serious commitments like marriage.

Live-in relationships allow separation without the intervention of the state, which is especially important in countries like India, where divorce is frowned upon and stereotyped.

Pre-marital sex, on the other hand, is frowned upon in Indian society. As a result, couples living together before marriage are frequently regarded as culturally improper, unethical, and repugnant to societal standards. As a result, while some have publicly accepted the notion of live-in relationships, it nevertheless faces social resistance based on traditional attitudes.

Forms of live-in relationships in India: Live-in relationships may be roughly classified into three basic groups. This categorisation assists in determining if these categories come under the broad scope of the term 'relationship in the nature of marriage.'

Continuing with the concept of 'relationship in the nature of marriage,' three scenarios challenge this phrase. The first possibility is domestic cohabitation between two unmarried heterosexual people. Second, adulterous live-in relationships. Finally, there are domestic relationships between same-sex couples.

The first sort of live-in relationship is the most popular, prevalent, and recognised, in which two unmarried heterosexual people deliberately reside. However, the majority of public hostility and legal concerns originate from the second and third scenarios listed above.

Rules to determine relationship in the nature of marriage: In the case of Indra Sarma v. VKV Sarma (2013), the Supreme Court established the following rules to decide whether or not a relationship is 'in the nature of marriage':

Time period of the relationship: Section 2(f) of the Domestic Violence Act uses the phrase "at any point in time," which indicates a significant period of time to establish and maintain such a relationship, which might differ from situation to situation depending on the circumstances.

Shared household: The term 'shared household' has been specified in Section 2(s) of the Domestic Violence Act and hence does not require additional explanation.

Providing funds: Financially supporting one another, or

any of them, having shared bank accounts, obtaining immovable properties in joint names or in the name of the woman, long-term funding in companies, shares in joint ownership, in order to have a strong connection, could be a guiding factor.

Intentions and behaviours of the parties: The partners' common aim toward their relationships, such as their individual duties and obligations, essentially defines the nature of that relationship.

Domestic agreement: Delegating responsibility, particularly to women, to manage the home and handle household chores is evidence of a marriage-like relationship.

Public socialisation: Hanging out in society and interacting with friends, relatives, and others as if they really are a married couple is a significant situation to retain the relationship in the nature of marriage.

Main issues with live-in relationships: There are several issues regarding live-in relationships. These are as follows:

1. Is Indian culture ready to embrace such a new type of relationship?
2. What are the consequences of adopting or refusing such relationships for the continuation and advancement of society?
3. Should new legislation be enacted in India to govern such relationships?
4. What are the implications of legalising such a relationship for married couples?
5. Should current rules governing the maintenance, guardianship, succession, and inheritance be changed to accommodate such relationships?

What role does the Indian judiciary play in the development of such relationships?

So far, the Indian judiciary has been the most constant in recognising such relationships. However, in terms of protecting women's claims in such relationships, the Indian judiciary stands ready to provide justice to the most vulnerable members of society.

Laws related to live-in relationships: Though the law is still ambiguous regarding the legality of such partnerships, a few rights have been provided by analysing and altering the laws so that the parties can avoid misusing such relationships. Several pieces of legislation are addressed below.

Article 21 of the Indian Constitution: Article 21 of the Indian Constitution safeguards the basic right to life and personal liberty, and it has been decided by various Supreme Court judgements like S. Khushboo v. Kanniammal and Anr (2010) that the right to life and personal liberty includes the right to cohabit without interruption.

The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005: A domestic relationship is defined in Section 2(f) of the Domestic Violence Act, 2005 as a relationship 'in the nature of marriage' between two people residing in a shared home. A domestic relationship is defined as a relationship between two individuals who reside or have resided together in a shared household at any period of time and are connected by consanguinity, wedding, or a relationship in the nature of marriage, adoption, or are friends and family living together as a family group.

Live-in relationships have the characteristics of marriage because the partners live together for a long period of time and represent themselves as husband and wife. As a result, they fall under the purview of the Domestic Violence Act, 2005, and therefore, a woman in a live-in relationship can seek protection and maintenance under this Act. As a result, this Act legalises relationships other than marriage.

The Code of Criminal Procedure, 1973: Section 125 of the Criminal Procedure Code allows a wife to seek maintenance from her spouse if he refuses to support her. If a woman is able to form a marriage-like connection, she is eligible to receive maintenance from that man because the court can make the assumption that such a relationship is a marriage and the woman is considered to be a wife. The primary goals of including live-in relationships under the purview of Section 125 are to safeguard women from domestic violence and to increase the legal threshold for partners in live-in relationships to the level of marriage. The Supreme Court expanded on this precedent from the guidelines of the Malimath committee appointed by the Home Ministry. The committee was chaired by Justice Malimath to make recommendations on the aforementioned proposition.

The Committee submitted its findings in 2009, proposing that the definition of alimony/maintenance under Section 125 be modified to enable women to obtain it. As a result, the Supreme Court ruled in the case of Abhijit Bhikaseth Auti v. State of Maharashtra and Anr (2009), that a woman is not required to prove marriage to seek maintenance under Section 125 of the CrPC, meaning that a woman in a live-in relationship is also entitled to maintenance. This decision demonstrates our judiciary's liberal and contemporary stance.

Legality of a live-in relationship: There is no explicit law or custom in India that governs live-in relationships. Thus, via decisions, the Supreme Court has expanded the notion of live-in partnerships and established rules for dealing with such relationships.

The Supreme Court first observed live-in relationships as legitimate in the case of Badri Prasad v. Dy. Director of Consolidation (1978). The Court said that under Indian law, a live-in relationship between consenting adults is legal if the requirements of marriage, such as legal age of marriage, consent, and soundness of mind, are met. No rule permits or bans such connections.

In the case of Lata Singh v. State of U.P. (2006), the Supreme Court ruled that, although live-in relationships are considered unethical, they are not illegal under the legislation.

In another well-known case, S. Khushboo v.

Kanniammal and Anr (2010), the Supreme Court ruled that living together is a right to life protected by Article 21 of the Indian Constitution, and thus, despite being considered immoral by society, it is not an offence under the law.

In Indra Sarma v. VKV Sarma (2013), the Supreme Court held that if both partners are unmarried and enter into a mutual relationship, it does not constitute an offence.

The same kind of observation was made in the judgement of Badri Prasad v. Deputy Director Consolidation (1978) as well as in the case of SPS Balasubramanian v. Suruttayan (1993), that if a man and a woman have resided together for a long duration of time, the legislation will assume them to be legally married unless the reverse is proven. A strong assumption favours marriage, but it is arbitrable, and the person contradicting it bears the burden of proof. Furthermore, children born from such a relationship would be eligible to inherit from the parent's properties.

Recent High Court judgements

Gulza Kumari v. State of Punjab: Justice H.S Madaan stated in Gulza Kumari v. State of Punjab (2021) that the non-marital relationship is not culturally or morally justifiable. As a result, the petition was rejected. The Supreme Court has affirmed the legitimacy of live-in relationships in several cases, but in Gulza Kumari, the Court failed to consider the precedent, which is the rule of the court as it was provided by the top court of the nation. For the proper reasons, the Gulza Kumari v. State of Punjab (2021) ruling has garnered a lot of criticism. Within weeks following this verdict, the High Court of Punjab and Haryana announced another decision, but with a totally opposite result.

Pushpa Devi v. State of Punjab: In Pushpa Devi v. State of Punjab (2021), the petitioners, a female around the age of 21 and a boy around the age of 19, requested the court's protection to safeguard their live-in relationship from their families, who have been willing to kill them just for family reputation. They were unable to marry because one of the applicants, a boy, had not reached the legal marriage age of 21.

The Court, through Justice Arun Kumar, awarded the petitioners the right to life and personal liberty on the grounds that both applicants have reached the age of majority and have the freedom to choose. This case appears to emphasise the significance of reaching the age of majority and how it alters the manner in which legal protection is conferred.

Rohit Kumar v. State of U.T. Chandigarh: In Rohit Kumar v. State of U.T. Chandigarh (2022) and others, the Punjab and Haryana High Court has urged the Union Government to outline its plan for dealing with live-in relationships. Noticing that no Act controls these relationships and that once an individual has achieved majority in terms of the Majority Act, 1875 (i.e., 18 years of age), it would be challenging for a court to refuse the validity of a live-in relationship, the Bench of Justice Amol Rattan Singh tried to seek a response from the centre by stating, "…what is recommended is to make sure that too many youngsters with developing minds (not properly matured though they otherwise, theoretically, are of the majority age in terms of the aforementioned Act) would not start living together and end up regretting such choices in life, causing major trauma to their parents and loved ones."

Abhishek Chouhan v. State of Madhya Pradesh: In the case of Abhishek Chouhan v. Madhya Pradesh State (2022), the Madhya Pradesh High Court described live-in relationships as a by-product of the constitutional provision guaranteed under Article 21 of the Constitution, observing that such relationships foster sexual activity and lascivious behaviour, giving rise to sexual crimes.

The Court concluded that, with some exclusions, India has a conservative culture that has not yet achieved such a advanced level of civilization where unmarried girls, irrespective of their religion, participate in lascivious activities with boys only for the entertainment, unless supported by certain future promise of marriage, and that, to confirm her point, a victim should not be required to rely on committing suicide as in the current case.

Legality and rights of children born from a live-in relationship: Children born from void and voidable marriages are given legality under Section 16 of the Hindu Marriage Act, 1955, and Section 26 of the Special Marriage Act, 1954. The right of inheritance of such children is confined to the parents' properties only. Such children do not have coparcenary rights in the property of the Hindu undivided family and thus cannot claim their parents' ancestral property.

Children born from live-in relationships were granted legal validity in S.P.S. Balasubramanyam v. Suruttayan (1993). According to the Supreme Court, if a man and a woman reside in the same house and cohabit for a significant period of time, there is a presumption of marriage under Section 114 of the Indian Evidence Act, 1872. As a result, their children will be recognised as legitimate and eligible to inherit a portion of the family estate.

In Bharatha Matha v. Vijaya Renganathan (2010), the Supreme Court gave children born from live-in partnerships a portion of their parents' property. The Court ruled that children born in live-in relationships may not be considered illegal if the relationship lasts long enough.

Right to a visa in a live-in relationship: In the case of Svetlana Kazankina v. Union of India (2015), the Supreme Court addressed the question of extending a visa to an Uzbekistan national who was in a live-in relationship with an Indian man. The respondents claimed that the refusal of visa extensions was due to the fact that the relevant rules only enable such extensions on certificates of marriage and not in the situation of live-in relationships. The Court emphasised that the rules which allow the extension of visas to foreigners married in India are made with the objective that such couples would enjoy friendship, love, and devotion. The Court stated that marriages and live-in

relationships should not be regarded differently when granting a visa extension, citing that they are now a reality of life.

Conclusion: By all indications, we may infer that the notion and legal recognition of a live-in relationship in our country have only grown through time, with many judgments by the Hon'ble Supreme Court and the High Courts playing the most important role. Marriage is seen as a spiritual connection that is recognised as well as highly appreciated in the public sphere. The courts have served as a regulator to remove the taboo in society and allow couples to continue living peacefully with each other and with equal respect in the community.

In India, there is no specific law for live-in relationships. A live-in relationship, although recognised by the judicial system, lacks cultural approval and remains stigmatised. Proper legal enactment is essential to safeguard the rights and interests of such parties.

References:-

1. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 19, Issue 12, Ver. IV (Dec. 2014), PP 28-38 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
2. https://www.cnbctv18.com/views/view-can-a-married-person-continue-with-live-in-relationship-find-out-here-11213562.htm
3. https://www.latestlaws.com/articles/are-live-in-relationships-legal-in-india
4. https://www.theweek.in/news/india/2021/07/07/live-in-relationships-at-cross-roads-with-morality.html
5. https://www.news18.com/news/india/immoral-but-not-illegal-fate-of-live-in-relationships-in-india-lies-in-the-hands-of-judiciary-heres-how-4056416.html
6. https://t.me/lawyerscommunity

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Promoting Social Justice through Artificial Intelligence: Human Rights Perspectives

Navanit Kumar Singh* Dr. Rajat kumar Satapathy**

***Research Scholar, Pt. Motilal Nehru Law College, M.C.B.U., Chhatarpur (M.P.) INDIA**
**** Principal, Pt. Motilal Nehru Law College & Dean (Law) of M.C.B.U., Chhatarpur(M.P.) INDIA**

Abstract - Artificial intelligence (AI) has become an integral part of our society, influencing various aspects of our lives. As AI technology advances, it offers the potential to address social injustices and promote human rights. However, it also poses challenges and ethical concerns that need to be addressed. This essay examines the intersection between AI and social justice from a human rights perspective. It explores the ways in which AI can be harnessed to promote social justice, highlights the potential risks and biases associated with AI, and discusses the importance of ensuring human rights principles are integrated into AI systems. By promoting transparency, accountability, inclusivity, and fairness, AI can serve as a powerful tool to advance social justice and uphold human rights.
Keywords- Artificial intelligence, social justice, human rights.

Introduction - Artificial intelligence has witnessed remarkable advancements in recent years, permeating various sectors of society. From autonomous vehicles to virtual assistants and recommendation algorithms, AI technologies have revolutionized how we live, work, and interact. In addition to their transformative potential, AI systems have the capacity to address social injustices and promote human rights, making them a powerful tool in the pursuit of social justice.Artificial intelligence (AI) has emerged as a transformative technology with the potential to shape various aspects of society, including social justice. In this essay, we will explore the intersection of AI and human rights, focusing on how AI can be leveraged to promote social justice. By adopting a human rights perspective, we can ensure that AI systems are designed, implemented, and used in a manner that upholds the principles of equality, non-discrimination, and fairness.

AI and Social Justice: Opportunities: AI presents several opportunities to promote social justice from a human rights perspective. It can bridge the digital divide by improving access to technology and internet connectivity. AI can also enhance access to education and knowledge, particularly in underserved communities. Additionally, AI has the potential to improve healthcare outcomes and well-being by enabling more accurate diagnoses, personalized treatment plans, and improved healthcare delivery. AI can also contribute to promoting fairness in criminal justice systems by reducing biases in decision-making processes. Furthermore, AI can foster economic equality by facilitating job matching, reducing discrimination, and promoting inclusive economic growth.

AI and Social Justice: Challenges: Despite the potential benefits, AI also poses several challenges to social justice. Algorithmic bias and discrimination are significant concerns, as AI systems can perpetuate and amplify existing biases present in training data. Threats to privacy and data protection arise due to the vast amount of personal data collected and utilized by AI systems. Technological unemployment and economic disparity are additional challenges, as AI automation may lead to job displacement and widen existing economic inequalities. Ethical concerns related to AI, such as human rights violations and the potential for misuse, require careful consideration and safeguards.Artificial intelligence holds immense potential for addressing social justice issues. By analysing vast amounts of data and detecting patterns, AI can identify and help mitigate biases and discrimination in various domains such as criminal justice, healthcare, and employment. For instance, algorithms can be used to predict and address racial or gender disparities in criminal sentencing, ensuring fair outcomes. Similarly, AI-powered systems can help reduce bias in hiring processes by focusing on merit rather than subjective factors.

However, it is crucial to approach AI development and deployment with a human rights lens. AI systems must be designed to avoid perpetuating existing social inequalities and biases. Algorithms should be trained on diverse datasets that accurately represent the population, ensuring fair and unbiased decision-making. Transparent and explainable AI models is essential to challenge potential discrimination and ensure accountability.

Integrating Human Rights in AI Systems: To ensure the

ethical and just application of AI, it is crucial to integrate human rights principles into AI systems. Transparency and explain ability are essential to build trust and understanding of AI systems' decision-making processes. Accountability and oversight mechanisms should be established to monitor the impact of AI on individuals and communities. Inclusivity and diversity must be prioritized to address biases and ensure that AI systems are designed to cater to the needs of diverse populations. Human-centred design approaches can facilitate the development of AI systems that prioritize human well-being and respect human rights. Ethical decision-making frameworks and impact assessments should be conducted to evaluate the potential risks and benefits of AI systems on social justice.

Case Studies: AI for Social Justice: Examining specific case studies demonstrates the potential of AI to promote social justice. AI in education can help close the learning gap by providing personalized and accessible learning experiences to students. AI in healthcare can improve diagnosis accuracy, facilitate early detection of diseases, and enhance healthcare delivery in underserved areas. AI in criminal justice can reduce biases in decision-making processes, leading to fairer outcomes. AI in employment can tackle hiring discrimination by removing bias from the recruitment process and ensuring equal opportunities for all individuals.

Ethical Considerations and Safeguards: In the pursuit of social justice through AI, several ethical considerations and safeguards must beprioritized. Ensuring informed consent and protecting individual autonomy are fundamental principles. Privacy and data rights should be safeguarded, and mechanisms for data protection and responsible data use should be implemented. Efforts must be made to mitigate algorithmic bias and discrimination, through continuous monitoring, bias detection, and model fairness assessments. Balancing the benefits and risks of AI requires ongoing evaluation and adapting regulatory frameworks to address emerging challenges.

Conclusion: AI has the potential to significantly contribute to promoting social justice from a human rights perspective. By harnessing the opportunities offered by AI while addressing its challenges, we can create a future where AI technologies are used to empower individuals, reduce inequalities, and uphold human rights. Integrating human rights principles into AI systems, prioritizing transparency, accountability, inclusivity, and fairness, will be essential to ensure the ethical and just application of AI for the betterment of society. It is imperative that stakeholders across various sectors work together to harness AI's potential while safeguarding human rights and social justice.

References:-

1. Cite this work as: Leslie, D., Burr, C., Aitken, M., Cowls, J.,Katell, M., and Briggs, M. (2021). Artificial intelligence, human rights, democracy, and the rule of law: a primer. The Council of Europe.
2. Catelijne, M. 'The Impact of Artificial Intelligence on Human Rights, Democracy and the Rule of Law'accessed 23 October 2021
3. Bradshaw, S. and Howard, P. 2019. Social Media and Democracy in Crisis. *Oxford University Press* p 14.
4. Cohen, J. E.,'Between truth and power: The legal constructions of informational capitalism'accessed 23 October 2021.
5. Paul M, 'Artificial Intelligence is the Future of Warfare (Just not in the Way You Think)'accessed 23 October 2021.
6. Kharis, J., 'How AI can Empower Communities and Strengthen Democracy'accessed 23 October 2021.
7. European Commission. High-level expert group on Artificial Intelligence; 2018. Available from: Accessed January 12, 2022.
8. Reisse M. Human rights and artificial intelligence: an urgently needed agenda. *Hum Rights Q*. 2019; 41:1–16.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

कबीर के दर्शन में निर्गुण राम

डॉ. सीमा जैन*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – महापुरुष अपने समय की देन होते हैं। महात्मा कबीर भी मध्यकाल के अंधकार भरे वातावरण में अपना ज्ञानदीप लेकर अवतरित हुए। कबीर का लक्ष्य जिस प्रकार कविता करना नहीं था उसी तरह दर्शन की गुत्थी को सुलझाना भी उन्हें अभीष्ट नहीं था। कबीर ने साधना एवं चिंतन के आधार पर ब्रह्म, जीव, जगत, माया एवं सहज साधना पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

कबीर की ब्रह्म-भावना उपनिषदों के अद्धैत से ही अधिक प्रभावित है। किंतु कहीं-कहीं अद्धैत से भिन्न भी है। इसका कारण यह है कि कबीर का तत्वज्ञान दार्शनिक ग्रंथों के अध्ययन का फल नहीं है। वह उनकी अनुभूति और सारग्रहिता का प्रसाद है। वे निरक्षर थे उन्होंने जो कुछ ज्ञान संचय किया, वह सब सत्संग और आत्मानुभव से किया। यही कारण है कि कबीर के ब्रह्म का स्वरूप हमारे सम्मुख कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में आता है। 'ब्रह्म के स्वरुप परिवर्तन का वास्तविक कारण यही है कि वह किसी भी दार्शनिक वाद के मानदंड से परे है, तार्किक विवाद से ऊपर है, पुस्तकीय विद्या से अगम्य पर प्रेम से प्राप्य है, अनुभूति का विषय है ,सहज भाव से भावित है।[1] अनुभूति के विभिन्न स्तरों पर वह कहीं अद्धैत है और कहीं द्धैताद्धैत, कहीं विशिष्टाद्धैत, किंतु कबीर ने अधिकांशत: उस अद्धैती भावानुकूल ब्रह्म का ही वर्णन किया है –

कस्तूरी कुंडलि बसै, मृग ढूँढे बन माहि।
ऐसे घटि घटि राम है, दुनियाँ देखे नाहीं।।[2]

वह मानते हैं कि ब्रह्म से ही समस्त सृष्टि का निर्माण होता है और उसी के द्धारा उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। सृष्टि निर्माता होने के साथ-साथ वह ब्रह्म पूर्ण निराकार, रूपविहीन, निर्लिप्त, अनिर्वचनीय है। कबीर का ब्रह्म हर बंधन से मुक्त है। उसका न आदि है न अंत है, उसका न रंग है न रूप है, लेकिन हर हृदय में समाया हुआ है। वास्तव में उनका प्रभु रोम प्रति रोम और सृष्टि के कण-कण में परिव्याप्त है।कबीर ने इस ब्रह्म को राम, हरी, मुरारी, गोपाल, विष्णु आदि नामों का संबोधान देकर भी निर्गुण निराकार माना है। उन्होंने कहा भी है – 'अपरंपार का नाउ अनंता।'[3] लेकिन अधिकांशत: उन्होंने अपने ब्रह्म के लिए राम नाम का प्रयोग किया है।
ब्रह्म के निराकारत्त्व की अभिव्यक्ति कबीर इन शब्दों में करते हैं –

जाकै मुँह माथा नहीं, ना ही रूप सुरूप।
पुहुप बास ते पातरा, ऐसा तत्व अनूप।।[4]

कबीर के दीक्षा गुरु स्वामी रामानंद थे। उन्होंने कबीर को राम नाम का दीक्षा मंत्र दिया था। परंतु कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे। उनके राम पुराण प्रतिपादित राम नहीं थे। उनके राम कमलनयन वाले नहीं थे। राम से उनका अभिप्राय कुछ और ही था। 'दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना।'[5] राम से उनका तात्पर्य निर्गुण ब्रह्म से है। उन्होंने 'निरगुण राम निरगुण राम जपहुँ रे भाई'[6] का उपदेश दिया है।उन्होंने राम का जो रूप लिया है वह वेदांत दर्शन के ब्रह्म के अधिक निकट है। कबीर ने सगुणोंपासक को कदाचित इसलिए भी नहीं अपनाया की मुसलमानों को राम ब्रह्म के रूप में कभी स्वीकार्य नहीं थे और कबीर को हिंदू-मुस्लिम एकता रूपी बहुत बड़ा कार्य करना था। इसलिए उन्होंने निराकार राम को स्वीकारा और हिंदुओं तथा मुसलमानों की सीमा रेखाओं को मिटाते हुए कहा–

'हिंदू तुरक का करता एके, ता गति लखी न जाई।'[7]

कबीर का राम घट-घट में व्याप्त है। उसे खोजने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। निर्मल मन हो कर जो भी प्रभु से मिलने की ललक और उत्कंठा रखता है प्रभु उसे अवश्य मिलते हैं –

जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ।[8]

भगवा वस्त्र पहन कर जंगलों की खाक छानने के पक्ष में कबीर नहीं थे। उन्होंने धर्म एवं भक्ति में दिखावे को, तीर्थाटन, मूर्तिपूजा आदि को धर्म परिधि से बाहर रखा। कबीर ने हिंदुओं के जप-तप, छापा, व्रत, भगवा वस्त्र आदि की व्यर्थता बताते हुए लिखा–

'क्या जप क्या तप क्या संजम, क्या व्रत और क्या अस्नान।
जब लगि जुगत न जानिये, भाव भक्ति भगवान।।'[9]

उन्होंने कहा कि मूर्ख लोग पत्थर पूजते हैं जिसका कोई लाभ नहीं । पंचवक्ता नमाज और देवालय में मूर्ति पूजा दोनों का कबीर की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। हरि की पूजा हृदय में होनी चाहिए मंदिर में नहीं। कबीर ने पाखंडवाद से घिरे मंदिर-मस्जिद, हिंदू-मुसलमान किसी को भी नहीं बख्शा। धर्म के नाम पर किए जाने वाले व्रत, उपवास, रोजा, नमाज, पूजा-पाठ आदि को व्यर्थ बताकर अपने भीतर और सारी मानवता में प्रभु को खोजने की प्रेरणा दी। परमात्मा कण-कण में विद्यमान है। वह मंदिर और मस्जिद की चहार दीवारियों में, काबा और कैलास नामक स्थानों में तथा योगिक क्रियाओं के द्धारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक जिज्ञासु होकर भक्त परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल नहीं होता तब तक वह नहीं मिल सकता –

'मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलास में।
ना तो कोनो क्रिया करम में, नहीं योग वैराग में।।'[10]

कबीर का ईश्वर घट-घट व्यापी है, जिसके द्धार सभी वर्णो और जातियों

के लिए खुले हैं। तत्कालीन समाज में शुद्रों के लिए मंदिर प्रवेश निषेध था।कबीर का कहना था कि एक ब्राह्मण का राम नाम पर जितना अधिकार है उतना ही एक शूद्र का। कबीर के अनुसार राम प्रत्येक प्राणी में उसकी आत्मा के रूप में भी स्थित हैं, इसलिए उनको प्राप्त करने के लिए प्राणी को अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। राम को अपने अंत:करण में ही उसे प्राप्त करना चाहिए।

कबीर मानते हैं कि प्रत्येक प्राणी में परम तत्व की अवस्थिती है। किंतु अज्ञान का पर्दा पड़ा होने से प्राणी इस परम तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इस परम तत्व की प्राप्ति में विषय सुख बाधक होते हैं, जिनकी तृष्णा को कबीर ने माया कहा है। कबीर ने माया का वर्णन अद्धैतियों के ही समान मिथ्या मानकर किया है। काम, क्रोध,मोह आदि माया के अनेक अंग है। सत्व,रज और तम माया के तीन गुण हैं और पंचतत्व माया के ही अवयव है। माया ने समस्त संसार को अपने वश में कर रखा है। कबीर ने माया के विविध रूप बताते हुए उन सब का परित्याग आवश्यक कहा है। माया से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय प्रभु भक्ति है। केवल प्रभु के दास ही इससे मुक्ति पा सकते हैं।

'कबीर माया पापर्णी, फंध ले बैठी हाटि।
सब जग तौ फंधै पड्या, गया कबीरा काटि।।'[11]

जहां तक आत्मा का संबंध है कबीर ने सदैव उसे परमात्मा का अंश माना है।जिस प्रकार अद्धैतवादियो ने उपनिषदों का आधार लेकर ब्रह्म और आत्मा की एकता को प्रस्थापित किया उसी प्रकार कबीर भी जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता पर बल देते है। आत्मा ही परमात्मा है। राम को कबीर आत्मा से अभिन्न मानते हैं –'आतम राम अवर नहीं दूजा'[12] 'जिस प्रकार जल और तरंग में कोई भेद नहीं होता, केवल एक विशेष रूप में जल को ही तरंग कह दिया जाता है उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में भी कोई अंतर नहीं हैस आत्मा को शरीर के संबंध में परमात्मा से पृथक समझ लिया जाता है। जिस प्रकार तरंग का रूप मिथ्या है उसी प्रकार यह शरीर भी मिथ्या है।'[13] कबीर की आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। कबीर मिलन की आतुरता और विरह वेदना को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं –

'आँखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी।
जीभड़ीयां छाला पड्या, राम पुकारि–पुकारि।।'[14]

आत्मा और परमात्मा का यह पृथकत्व माया के कारण है। माया का आवरण हटते ही आत्मा और परमात्मा में एक्य स्थापित हो जाता है। अपनी आत्मा और परमात्मा का एक्य करते हुए अपने प्रियतम के प्रति आत्मसमर्पण भाव से वे कहते हैं –

'लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल ।
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ।।'[15]

निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि कबीर की दार्शनिक मान्यताओं पर सर्वाधिक पुट अद्धैतवाद का है किंतु दर्शन की मात्र पीठिका ही उन्हें स्वीकार्य थी। दार्शनिक मतवाद या भेदभाव के प्रपंच से उनका साक्षात कोई संबंधा नहीं था। कबीर के अनुसार 'परमात्मा न वेद में है न कुरान में, न मंदिर में है न मस्जिद में, न दाढ़ी में है न चोटी में और न माला में है न तसबीह में, वह प्रत्येक जीव के पास है।'[16] जो विवेक के नेत्रों से उसे देखता है उसी को वह मिलता है। कबीर के राम सर्व –निरपेक्ष परमतत्व है। वे अव्यक्त अगोचर होते हुए भी करुणा, दया, कृपा, उदारता आदि गुणों से युक्त है। वे इंद्रियों के अभाव में भी संसार की सारी संवेदनाओं को ग्रहण करने में समर्थ है। अंत में डॉ. रामकुमार वर्मा के शब्दों में कह सकते हैं कि 'वह ऐसा गुलाब है जो किसी बाग में नहीं लगाया जा सकता ,केवल उसकी सुगंध ही पाई जा सकती है। वह ऐसी सरिता है कि हम उसे किसी प्रशस्त वन में नहीं देख सकते, वरन उसे कल–कल नाद करते हुए ही सुन सकते हैं।'[17] कबीर के राम लोक में समाए जरूर हैं लेकिन निराकार हैं। कबीर के राम को निस्पृह निश्छल प्रेम से ही पाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. डॉ. गोविंद त्रिगुणायत, डॉ. पुष्पपाल सिंह – कबीर ग्रंथावली सटीक, पृष्ठ क्र. 27
2. वही, कस्तूरिया मृग को अंग– 01, पृष्ठ क्र. 281
3. डॉ. श्यामसुंदर दास, कबीर ग्रंथावली, पद संख्या–317, पृष्ठ क्र. 149
4. डॉ. गोविंद त्रिगुणायत, डॉ. पुष्पपाल सिंह – कबीर ग्रंथावली सटीक, पद संख्या–584, पृष्ठ क्र. 238
5. कबीर ग्रंथावली
6. डॉ. गोविंद त्रिगुणायत, डॉ. पुष्पपाल सिंह – कबीर ग्रंथावली सटीक, पद संख्या–49, पृष्ठ क्र. 326
7. वही, पद संख्या–58, पृष्ठ क्र. 330
8. कबीर ग्रंथावली
9. कबीर ग्रंथावली सटीक, पृष्ठ क्र. 29
10. डॉ. संजीव कुमार जैन, प्राचीन काव्य, पृष्ठ क्र. 142
11. डॉ. गोविंद त्रिगुणायत, डॉ. पुष्पपाल सिंह – कबीर ग्रंथावली सटीक, माया को अंग–02, पृष्ठ क्र. 168
12. कबीर ग्रंथावली, पद संख्या–135, पृष्ठ क्र. 131
13. डॉ. सरनामसिंह शर्मा, कबीर– एक विवेचन, पृष्ठ क्र. 488
14. डॉ. गोविंद त्रिगुणायत, डॉ. पुष्पपाल सिंह – कबीर ग्रंथावली सटीक, पद संख्या–22, पृष्ठ क्र. 103
15. कबीर ग्रंथावली
16. डॉ. सरनामसिंह शर्मा, कबीर– एक विवेचन, पृष्ठ क्र. 303
17. डॉ. गोविंद त्रिगुणायत, डॉ. पुष्पपाल सिंह – कबीर ग्रंथावली सटीक, पृष्ठ क्र. 27

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Analysis of Psycho Physiological and Psychomotor Ability in Pace and Spin Bowlers in Cricket : Psycho-Motor Attributes Among Various Racquet Sports Players

Dilip Singh Chouhan* Mahesh Paliwal**

*Assistant Professor (Physical Education) Janardan Rai Nagar RajasthanVidyapeeth (Deemed To Be) University, Udaipur (Raj.) INDIA

** Ph.D. Scholar (Physical Education) Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth (Deemed To Be) University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - The cognitive domain (Bloom, 1956) involves knowledge and the development of intellectual skills. This includes the recall or recognition of specific facts, procedural patterns, and concepts that serve in the development of intellectual abilities and skills. The affective domain (Krathwohl, Bloom, Masia, 1973) includes the manner in which we deal with things emotionally, such as feelings, values, appreciation, enthusiasms, motivations, and attitudes. The psychomotor domain (Simpson, 1972) includes physical movement, coordination, and use of the motor-skill areas. Development of these skills requires practice and is measured in terms of speed, precision, distance, procedures, or techniques in execution.

There is a scarcity of descriptive data on the performance capacity of cricket players, whose psycho-physiological and psychomotor requirements are quite specific.This study will help to understand present status of bowlers so far as their psycho-physiological and psychomotor parameters are concerned. The obtained result can very well be compared with other athletes of various advance countries. This will provide an insight to the parents, coaches, athletes, administrators, scientist, associations and all those concerned; to understand the need of cognitive, affective and psychomotor determinism for the performance enhancement owing to the understanding of various psycho-physiological and psychomotor aspects to facilitate better performance.

The main objective of the study was to find out the difference between the psychological, physiological and various psychomotor variables of pace and spin bowlers. Purposive samples of 30 bowlers (15 pace bowlers and 15 spinners) were taken for the study.The batsmen were selected from national level and were differentiated into three groups attacking, balanced and defensive on the basis of strike rate. The test items selected for the research were:psycho-physiological and psychomotor variables.
Keywords- psycho-physiological, psychomotor, bowlers.

Introduction - In every aspect of today's life the world is so advanced that it is dominated by science and technology and sports is not an exception to it. Technology has forever changed our world, and in the process significantly increased the importance of measuring and controlling performance relevant to psychological, physiological and psychomotor variables. Sport science has a significant role in identifying, monitoring, and developing young talented athletes. For best practices and success, coaches need to understand the complex processes in developing athletic expertise. Hoare &Warr's (2000) reviews on various components of researches suggests that anthropometric, physiological, and skill attributes could be used to predict anticipated skills and expertise in sports. In additionNideffer et al, (2001) research suggests that prediction could be complemented with continuous measurement of physical, cognitive, perceptual skills, intrapersonal and interpersonal characteristics and emotional stability. In every athletic contest there is always a winner and a loser, a winning squad or a losing one. As expected, the winner may experience a broad range of emotions in varying degrees of intensity. He may feel ecstatic, satisfied, confident, vindicated, superior, haughty, happy, relaxed, like he's "Da man," humble, empathy for the loser or any number of other feelings, even including sad and let- down. Similarly, the loser experiences his own wide array of emotions from distraught, depressed, angry, resentful, sad, anxious, like a failure, frustrated, inadequate, cheated, or sometimes, even satisfied and successful. Some winners and losers keep their feelings to themselves while others "share" their inner emotional experience with those around them, including anyone within shouting range (Chopra, 2015).

Sport is littered with the broken dreams of those who wavered when they most needed to be in control of themselves and focused on the task at hand (Hamilton, 2016). Greg Norman, the Australian golfer, became completely unglued at the 1996 Masters, nervously frittering away a seemingly insurmountable lead over the final few holes. Jana Novotná, the Czech tennis star, was five points away from winning Wimbledon in 1993 when she disintegrated under pressure and blew a huge lead over Steffi Graf. And then there's Roberto Duran, who famously lost his world welterweight championship to Sugar Ray Leonard. With sixteen seconds left in the eighth round—and millions of dollars on the line—Duran turned to the referee, raised his hands in surrender, and pleaded, "No más, no más [No more, no more]." Until that moment, Duran appeared to be invincible. Since then, he's been widely considered one of the greatest quitters and cowards in sports history (Stossel, 2014). Likewise in other sports, cricket also has its own fair share of choking at crucial junctures of the game, with the South Africans or the protease known to be the perennial chokers, catapulting to failure in the key situations of the World cup, since 1992, whether it being Shaun Pollock getting the arithmetic wrong in the 1992 chase , to the infamous confusion between Lance Klusener and Alan Donald resulting in the run out of Alan Donald in the 1999 world cup to its recent ouster in the 2015 world at the hands of new Zealand. Thinking of these examples, forces us to think about the nature and analyze really what kind of game is cricket. So,cricket as a game casts a long shadow for those who play it, coach it, administer it, watch and love it are aware , to greater and lesser degrees, that the game to which they devote their time, and from which they gain great pleasure, is complex, rich, intriguing, demanding and occasionally infuriating.In 1993, a Times leader stated that, 'Cricket presents tactical complexities undreamt of on the football pitch; it is chess compared to tiddly winks.'In 1905, A.C.Maclaren noted that,' Cricket develops the mind; there is more thinking to be done over cricket than over any other game.'

Review of literature:

Mellalieu, Hanton and O'Brien (2004)analysed the intensity and direction of competitive anxiety as a function of sport type and experience. Using Jones' (1995) model of control, intensity (level) and direction (interpretation) of symptoms associated with competitive trait anxiety were examined as a function of sport type and competitive experience. Participants from gross explosive and fine motor-skill sports (n=162) completed a trait version of the Competitive State Anxiety Inventory-2 (Martens et al., 1990a) including intensity and direction subscales (Jones & Swain, 1992). Main effects for experience and sport type were reported with gross explosive sports indicating symptoms associated with competitive anxiety as more facilitative to performance than fine motor-skill sports. Experienced performers also reported morefacilitating interpretations of symptoms than their less-experienced counterparts. The findings provide support from a dispositional context to suggest that sport type and the level of competitive experience influence interpretation of symptoms usually experienced in pressure situations. Implementation of activation, relaxation or restructuring interventions contingent upon the nature of the sport is recommended with consideration of the development of confidence-building strategies in lessexperienced performers.

Zaznavo, and Rokometaših(2008) studied the effect of specific anaerobic exercises on peripheral perception in handball players.In team sports, due to the great number of stimuli, perceptive skills have great significance, especially in players decision-making processes. Recognition of the factors influencing these processes, especially in the conditions of specific physical efforts, would seem to be of crucial importance. The aim of this research was to examine changes in the level of peripheral perceptioninduced by specific anaerobic effort in handball players (n=18) and in relation to the running efficiency of the players (time of the anaerobic running test and post exercise analysis of blood plasma lactate concentration). Peripheral perception was measured with the peripheral perception test (PP) included in the Vienna Test System (Schuhfried, Austria). To induce fatigue, a specific running test was applied. All of the players performed a specific anaerobic 10x30m test with a 20s rest interval between consecutive sprints. Most of the examined parameters of the peripheral perception test improved after the anaerobic effort (ANOVA, $p<0.05$) A higher level of running efficiency significantly improved ($p<0.05$) two results of the analyzed PP test variables (the number of correct reactions and the number of omitted reactions).

Paul, Biswas and Sandhu (2011) compared the role of sports vision and eye hand coordination training in performance of table tennis players. Successful performance in interceptive tasks depends upon the acquisition of visual information about the approaching object. The present study therefore evaluated the effects of sports vision and eye hand coordination training on sensory and motor performance of table tennis players. 45 University level table tennis players were randomly divided into 3 equal groups of n=15. The experimental group underwent 8 weeks of sports vision and eye hand co-ordination training. The placebo group read articles pertaining to sports performance and watched televised table tennis matches, while the control group followed only routine practice sessions for 8 weeks. Measures of visual function and motor performance were obtained from all participants before and immediately after 8 weeks of training. Statistically significant pre to post training differences were evident by better improvement in visual variables and motor performance for the experimental group as compared to placebo and control. The present study

therefore concluded that visual training program improves the basic visual skills, which in turn are transferable into sports specific performance.

Pandey, Dureha and Acharya (2016) investigated and compared the sensorimotor coordination and time movement ability for badminton players and footballers. The objective of this study was to understand the psychological construct of the selected sport group for which 100 male sportspersons (50 each in badminton and football) in the age group 18-25 years with a mean & SD of 20.05 ± 2.04 were randomly selected. It is hypothesized that (i) no difference would be seen between both the groups in sensorimotor coordination;(ii) badminton players time movement anticipation would be faster than footballers.For measuring sensorimotor coordination and time movement anticipation,Vienna test system (VTS), a computerized psychological assessment tool was used. Independent t-test was applied at 0.05 level of significance. The results revealed that there is statistically significant difference in the mean deviation time medium fast (MDTMF), between badminton players and footballers as the obtained t-value of 2.02 is greater than the required value of 1.98 at 98df. No statistically significant difference was observed in any other parameter; however the mean score of badminton players were better in comparison to footballers in the selected parameter. These results suggest that the badminton players have faster time movement anticipation as hypothesized. This may be owing to the nature of the sport.

Research objective:

1. To find out the difference between the psychological, physiological and various psychomotor variables of pace and spin bowlers.

Research hypotheses:

1. It is hypothesized that there would be a significant difference in the bowling performance between pace bowlers and spinners while facing three different types of batsmen.
2. It is hypothesized that there would be a significant difference in the psychomotor variables between pace bowlers and spinners.
3. It is hypothesized that there would be a significant difference in the psychophysiological variables between pace bowlers and spinners while facing three different types of batsmen.
4. It is hypothesized that, there would be significant interaction effect between pace bowlers and spinners on selected psychological and physiological variables.

Methodology:

Selection Of Subjects: For the purpose of this study, the bowlers werecategorized into pace bowlers and spinners based on the type of bowling they did. The sampling technique used was conveniently purposive sampling. 30 players of the university level of cricket were selected, of which 15 were pace bowlers and 15 were spinners in each category. The batsmen were selected from national level and were differentiated into three groups attacking,balanced and defensive on the basis of strike rate. Subjects provided written, voluntary and informed consent prior to participation.

Procedure Of Testing And Collection Of Data: The data was collected on pace bowlers and spinners. Before that the batsmen were categorized to various groups as attacking, balanced and technical on the basis of the strike rate with the experts help also being taken in it. The bowlers were divided on the basis of the type of bowling and were further divided into two categories pace bowlers and spinners. The bowlers were from the same playing level i.e., national or university level.

The bowlers were asked to fill in questionnaires before their bowling spells on different days. The data was collected on different days with the data on both bowlers being first collected on attacking batsmen, followed by balanced batsmen and then on defensive batsmen. The bowlers were allowed to warm up properly before the 81 bowling spell. They were allowed to watch the batsmen and have an idea about the batsmen and plan accordingly. The portable device used for recording data was Biograph Infiniti manufactured by Thought Technology of physiological data. For recording SCL, the SC-Flex/Pro sensor was used. This sensor has two electrodes which were fixed to the thumb and index finger of the non-bowling arm of the participant, and during this time the 3 judges rated the bowling performance.

In order to assess the emotional aspect the Berkeley expressivity questionnaire was used.The Berkeley expressivity questionnaire assesses the three facets of emotional expressivity: negative expressivity, positive expressivity and impulse strength In order to measure the anxiety parameter, the State Trait Anxiety Inventory (STAI Form Y-2) was used which was to be collected before the bowler started his bowling spell.

Selection Of Variables: On the basis of review of literature, expert's opinion, facilities & instruments availability and scholars own understanding of the problem various psychophysiological and psychomotor variables were selected.

Psychological Variables:

1. Emotional expressivity
2. State and trait anxiety Physiological Variables
3. Heart rate
4. Skin conductance

Psychomotor variables:

1. Reaction test
2. Visual pursuit test
3. Sustained attention
4. Sensomotor coordination

Bowling performance

Statistical Techniques: The analysis part was divided into three parts: Descriptive, Comparative and Multivariate parts respectively.

To compare the psychomotor variables between pace and spin bowlers an independent t test was used.

To compare the effect of various types of batsmen(attacking, defensive and balanced)with the psychological variablesof pace bowlers and spinners, a 2 (Pace bowlers vs. Spinners) X 3(Attacking vs.defensive vs.balanced) repeated measure MANOVA was conducted.

Further to compare the effect of various types of batsmen (attacking, defensive and balanced)with the physiological variables (skin conductance and heart rate) and bowling performance of pace bowlers and spinners, a 2 (Pace bowlers vs. Spinners) X 3(Attacking vs. defensive vs. balanced) repeated measure ANOVA was conducted. In addition, descriptive statistics such as Mean and Standard deviation were calculated. The SPSS- 20 software was used for analysis.

Conclusions:

1. The post-hoc test concluded that the skin conductance levels while facing attacking batsmen was higher followed by that balanced and defensive batsman.
2. It was concluded that the heart rate of spin bowlers while facing attacking batsmen was higher followed by that balanced and that of defensive batsmen.
3. It was concluded that the heart rate of both fast and spin bowlers while facing attacking batsmen was higher followed by that balanced and that of defensive batsmen.
4. It may be concluded that the bowling performance of the bowlers was higher for attacking batsmen, followed by balanced batsmen and then followed by defensive batsmen. But there was no significant difference between the bowler's scores while they faced attacking and balanced batsmen.

Recommendations for further studies:

1. This study has a topmost limitation which concerns its generalizability. Such studies may be conducted at various spheres of sports and physical activity so that the results could be gathered and certain theories could be developed.
2. The study could be undertaken with a better control over the extraneous variables and with better experimental conditions which must consider a very reliable method of monitoring anxiety levels.
3. The same type of study can be done with wireless EMG where the skin conductance can be monitored from a distance and the data can be collected real time in a match scenario, which would aid in giving further depth in this area of research.
4. To have a through and more objective analysis, the same study can be carried on batsmen while facing different types of bowlers as it would help in understanding of the psychophysiological make-up of the cricketers in the same scenario.
5. The present study is a unique attempt in amalgamating the associated areas of psycho-physiological and psychomotor areas with the psychological factors of the anxiety and emotional expressivity responses of the cricketers. In future similar studies may be under taken to give a concrete support to the findings of the study.
6. Kind of task manipulated was intended to train the football specific endurance, but similar studies with different kind of task manipulation may be conducted.

References:-

1. Acharya , J. & Mishra, A. (2015). An Investigation of visual memory and perception through Vienna test system among various sport groups and gender. Proceedings of 14th European Congress of Sport Psychology.ISBN 978-3-033- 05129-4.
2. Burton, D., &Raedeke, T. (2008).Sport psychology for coaches.International Journal of Sports Science and Coaching,3(2), 291-292.
3. Csikszentmihalyi, Mihaly (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York, NY: Harper and Row.
4. Deci, E. L. (1980). The psychology of self-determination. Washington D C:Lexington Books
5. Hanin, Y. L. (2000). Successful and poor performance and emotions.Emotions in sport. Champaign, IL, US: Human Kinetics, xii, 395 pp.
6. Salvador, A., Ricarte, J., González-Bono, E., &Moya-Albiol, L. (2001).Effects of physical training on endocrine and autonomic response to acute stress.Journal of Psychophysiology, 15(2), 114.

****

Study on Somatotype Body Composition, Mental Toughness and Emotional Stability of Kabaddi Players

Bhawanipal Singh Rathore* Raja Ram Gurjar**

***Assistant Professor (Physical Education) Janardan Rai Nagar RajasthanVidyapeeth (Deemed To Be) University, Udaipur (Raj.) INDIA**

**** Ph.D. Scholar (Physical Education) Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth (Deemed To Be) University, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - Kabaddi is one of the popular team sports which require a high standard of preparation in order to complete 40 minutes of competitive play and to achieve success. In this game movement patterns are characterized as intermittent and change continuously in response to different offensive and defensive situations. Anthropometric factors and morphological characteristics can influence the effectiveness of such responses, as has been observed in other sports (Deng, Lin, Xia, Cheng, 1990). Therefore, anthropometric profiles may contribute to understanding the suitability of players for the sport of Kabaddi, particularly elite level. Previous bunch of anthropometrical studies reports have shown that body structure and morphological characteristics can determine the selection of participants in many sports. Results of cross-sectional anthropometric studies have tended to suggest that certain physical factors including body composition (body fat, body mass, muscle mass) and physique (somato type) significantly influence athletic performance (Carter, 1984). The knowledge of the physical characteristics of Kabaddi players could provide insight into those individual factors which influence the players performance in the game. Anthropometric characteristics are very relevant for Kabaddi players because the game of Kabaddi entails physical contact in which specific physiques with a high level of strength and power may provide an advantage. The Anthropometric characteristics of Kabaddi players are considered in the choice of players to implement the game plan. In modern sports, successful performance is determined by number of factors. For optimum performance at elite level, variety of areas must be addressed. Further, Kabaddi is the game where size, shape and body composition play an important part in providing distinct advantage for specific playing positions.
Keywords- Kabbadi, body composition, mental toughness, emotional stability.

Introduction - Kabaddi is an Indigenous Team Game. Aptly it also known as the “Game of the Masses” due to its popularity, easy to understand the rules and public appeal. The game calls for no sophisticated equipment what so ever, which makes it a very popular sport in the developing countries. Though it is basically an out sport played on clay court, of late the game is being played on synthetic surface indoors with great success. The game is a combative team game, played with absolutely no equipment, in a rectangular court, either out-doors or indoors with seven players on the ground in each side. Each side takes alternate chances at offence and defense. The basic idea of the game is to score points by raiding into the opponent’s court and touching as many defense players as possible without getting caught on a single breath. During play, the players on the defensive side are called ¯Antis while the player of the ofense is called the ¯Raider. Kabaddi is perhaps the only combative sport in which attack is an individual attempt while defense is a group effort. The attack in Kabaddi is known as a “Raid”. The antis touched by the raider during the attack are declared out if they do not succeed in catching the raider before he returns to home court. These players can resume play only when their side scores points against the opposite side during their raiding turn or if the remaining players succeed in catching the opponent’s raider. Yoga, the Indian science to control body and mind through meditation and self-control plays an integral part of Kabaddi. The raider has to enter the opponent‘s court chanting the world ¯Kabaddi while holding his breath and has to continue to do so until he returns to his home court. This is known as ¯ “Cant”, which is closely related to exercise internal organs, cant is the means to withhold breath with vigorous physical activity.

The game calls for agility, good lung capacity, muscular co-ordination, presence of mind and quick responses. For a single player to take on seven opponents is no mean task, requires dare as well as an ability to concentrate and anticipate the opponent‘s moves. The sport has a long history dating back to pre-historic times. It was probably invented to ward off group attacks by individuals and vice-

versa. The game was very popular in the southern part of Asia played in its different forms under different names. A dramatized version of the great Indian epic, the ‗Mahabharata, has made an analogy of the game to a tight situation faced by Abhimaneu, the heir of the Pandava kings when he was surrounded on all sides by the enemy. Buddhist literature speaks of the Gautam Buddha playing Kabaddi for recreation. History also reveals that princes of yore played kabaddi to display their strength and win their brides. (Rao.2002)

There is a gradual but marked change in the style of the game during the past fifty years. What was once considered a game of brawn is not so now. The introduction of more techniques to the game has made it relatively easier for a player with more skill than weight to score points against better-built opponents. Over the years, the game‘s pattern changed along with the rules and the size of the playfield. The concept of Kabaddi as an indigenous game of India first came up during the year 1921 in Maharashtra, when a certain framework of rules was prepared and the game was played on the pattern of Sanjeevani& Gemini in a combine form. These rules were applied in an All India Kabaddi tournament organized during the same year. It was the Hanuman VyayamPrasarakMandal, Amaravati, Maharastra, which took up the task of organizing and developing Kabaddi in a more systematic & scientific manner. This institution believes in the maxim ‗Ahealthy mind in a healthy body and has been doing yeoman‘s service to sports in general and indigenous games in particular, over the years. During the years 1927 to 1952, Kabaddi was played in different parts of the country based on rules framed by the various clubs and organizing committees, which mushroomed and gained in prominence. There were frequent disputes over the rules during tournaments owing to lack of uniformity in the rules and regulations followed in various parts of the country.

The introduction of the game to the National arena as a demonstration game in the 1936 Berlin Olympics led to the inclusion of Kabaddi in the list of priority games of the Indian Olympic committee, in the year 1940. Thereafter, Inter-provincial Kabaddi tournaments were organized bi-annually. The matches at the district and provincial level were played as per the rules framed by the Akhil Maharastra Sharirik Shikshan Mandal, while the Inter-provincial Championships were based on Buck‘s Rules of Games and sports, published by Mr. H. C. Buck, founder principal for YMCA college of physical Education, Madras. The Indian Olympic Games were re-named as National Games in the year 1952 and are since being organized once in a year instead of bi-annually. The All India Kabaddi Federation, which was formed in the year 1952 appointed a Rules subcommittee with the express purpose of laying down standard rules and regulations to be followed by affiliated provincial units all over the country. A new set for rules were framed by the Rules Sub-Committee based on Buck‘s Rules and the game rules were followed till then by the AkhilMaharastraSharirikShikshanMandal. (Rao.2002) There has been a gradual but significant change in the trends of the game since the past 50 years. What was once considered a game of brawn is not so now. The introduction of mats, shoes, new techniques & changes in rules has made the sport more interesting and advantageous to skilled players who are now able to defeat heavier players with better skills & techniques. (AKFI. 1972)

Review of literature:

Kumar (2016) studied on the mental toughness between male and female Kho- Kho players of Haryana. For this purpose, total 30 Kho-Kho players (15) male and (15) female players with the age group of 19 to 24 years were selected as subjects. For the study only Rewari district from Haryana was selected for the study. To assess the level of subjects with regard to their mental toughness, Mental Toughness Inventory (MIT) developed by Middleton et al. (2005) was used. It was concluded that the male Kho- Kho players were found to have comparatively high mean score as compare to the female Kho- Kho players which indicate that male Kho – Kho players is mentally tough as compare to female Kho- Kho players. There is no significant difference observed between male and female Kho- Kho players on the variable of mental toughness.

Biswas and Halder (2015) compared the anthropometric characteristics and selected fitness variables between women Kho-Kho and Kabaddi players. A total of fifty (N=50) subjects were randomly chosen for this study. Out of 50 players, 25 players were from Kho-Kho and 25 from Kabaddi. The age of the players ranged from 18 to 28 years. The variable undertake for the study were: selected anthropometric variables namely height, weight, arm length, leg length and motor ability test namely abdominal muscle strength endurance (AMSE), leg explosive strength (LES), speed and agility were considered as criterion for the study. They found no significant difference between the women Kho-Kho and Kabaddi players.

Ali and Adhikari (2014) investigated on Physical and Anthropometric Characteristics of Kabaddi Players. They took Seventy one men Kabaddi players of the teams of different Indian Universities. Data was collected from the Kabaddi players in course of East Zone InterUniversityKabaddi (Men) Tournament, held in the University of Kalyani during October 12-14, 2006. The height, weight, leg length, arm length, mid thigh girth, calf girth, body composition (i.e. body fat %, fat mass and lean body mass) and body mass index were considered as physical and anthropometric characteristics. They concluded that in selecting players for a Kabaddi team physical and anthropometrical characteristics may be considered.

Rohit (2013) did research to find out the difference in emotional intelligence among male and female kabaddi and kho-kho players and between kabaddi and kho-kho players

who have at least participated at district and state level sports events. A number of 100 male and female athletes (50 Kabaddi + 50 Kho-Kho) of Haryana were taken as a sample on the basis of purposive sampling method. A standardized questionnaire on Emotional Intelligence developed by Dr. A.K. Mangal and Dr. ShubhraMangal was used for the collection of the data. The findings of the study revealed that (i) No significant difference in emotional intelligence of male and female kabaddi players of Haryana; (ii) No significant difference in emotional intelligence of male and female kho-kho players of Haryana; and (iii) No significant difference in emotional intelligence of kabaddi and kho-kho players of Haryana.

Research objective:

1. To find out the Body Type of male and femaleKabaddi players.
2. To compare somatotype characteristics among the groups of male and femalekabaddi players.
3. To find out the Body Composition of male and femalekabaddi players.
4. To compare body composition characteristics among the groups of male and femalekabaddi players.
5. To measure the mental toughness of male and femalekabaddi players.
6. To compare the mental toughness among the groups of male and femalekabaddi players.
7. To measure the emotional stability of male and femalekabaddi players.
8. To compare the emotional stability among the groups of male and femalekabaddi players.
9. To compare all the parameters of male kabaddi players with annationalkabaddi player.

Research hypotheses:

1. It was hypothesized that there would be no significant difference among different groups of male kabaddi players viz. raiders, defenders, and all-rounders in selected measuring criteria of the study i.e. the body type, body composition, mental toughness and emotional stability.
2. It was hypothesized that there would be no significant difference among different groups of female kabaddiplayers viz. raiders, defenders, and all-rounders in selected measuring criteria of the study i.e. body composition, mental toughness and emotional stability.

Methodology:

The Subject: Total 211 national and university level kabaddi players were selected as subject for the present study. Most of them were national level players and very few were university level players. Among the subjects, 110 subjects were male national and university level kabaddi players and 101 subjects were female national and university level kabaddi players, the age ranging between 18 years to 25 years volunteered to take part as the subjects for the present study. The subjects were taken from the Rajasthan state of India. The subjects had the experience in competitive kabaddi for 10-12 years and also they were active in play kabaddi. Also the researcher was a kabaddi player and the experience in the field of kabaddi helped to observed kabaddi players for the present study. After observing each subject‘s playing ability, playing position and also taking subject‘s view by the researcher and coaches, they were divided into three groups as Raider, Defender and All-rounder.

Research Design: A status study was designed to find out the Body Type, Body Composition, level of Mental Toughness and Emotional Stability of male and female kabaddi players.

Criterion Measure:

1. Somatotyping (Carter and Heath method, 1990): EndomorphyMesomorphyEctomorphy
2. Body Composition:

i. BMI
ii. Body Density (Durnin&Womersley, 1974)
iii. % Body Fat (Siri, 1956)
iv. Total Body Fat
v. Lean Body Mass

3. Mental Toughness. (AgyaJit Singh and H. S. Cheema, 2010)
4. Emotional Stability. (AgyaJit Singh and H. S. Cheema, 2010)

Procedure For Data Collection: The investigator contacted with the players individually at their Clubs or Associations where they did their practice. The investigator also contacted with the players to collecting the data during the national level competitions or tournaments. In the beginning of the collection of the data, the investigator gathered all the subjects in a hall room to explain the purpose of the present study. For psychological test, verbal instructions and elaboration of the questionnaires was given to the respondents in order to get the genuine data. For anthropometrical measurement, all the instructions and demonstrations were given to the subjects before perform each and every of the test. All the necessary equipments and test station were set carefully before the administration of the test and also female assistants were appointed for the female subjects. The anthropometric and psychological test was conducted in indoor hall.

Procedure For Statistical Analysis: All the measurements and answer sheets were scored on the basis of scoring procedure as given in the manuals. The somatotype rating was calculated according to Heath & Cater method, recommended by ISAK. The scores were statistically analyzed in terms of mean and standard deviation, Range, One-Way ANOVA, Post-hoc LSD test and One-Sample t-Test (By SPSS.22) as the measures of central tendency and variability and comparison respectively. The score of the Somatotyping Rating was plotted on the Somatochart. Analysis of Variance (By SPSS.22) was calculated to differentiate among the groups. Tables and graphs were

drawn out showing the results of the study. Discussions on results were done in the light of related literature and various theoretical frameworks.

Conclusions:

1. The male kabaddi players had mesomorph physique in nature.
2. The raider, defender and all-rounder male kabaddi players also had mesomorph physique in nature.
3. There were no significance differences in body-type among the male groups.
4. There was significant difference exist between the nationalkabaddi player and university level kabaddi players. The nationalkabaddi player had higher mesomorphiccharacterstics than the university level kabaddi players.
5. The female kabaddi players had endomorphic mesomorph physique in nature.
6. The raider, defender and all-rounder female kabaddi players also had endomorphic mesomorph physique in nature.
7. There were no significance differences in body-type among the female groups.
8. Height, Weight, BMI, Body Density, Body Fat Percentage, Total Body Fat and Lean Body Mass were related to the kabaddi game. In respect of height of male kabaddi players, there was a significant difference among the male kabaddi group. The male raiders were significantly taller than the male defender. But in respect of the other variables, there was no significant difference among the male and female groups.
9. The BMI of all male and female kabaddi players was in normal weight (according to WHO)
10. Body Fat Percentage of male raider, defender and all-rounder kabaddi players were 10.19 %, 10.37 % and 11.3 % respectively whereas Body Fat Percentage of female raider, defender and all-rounder kabaddi players were 23.34 %, 24.7 % and 23.8 % respectively.
11. Lean Body Mass of male raider, defender and all-rounder kabaddi players were 60.68 kg, 56.76 kg and 58.08 kg respectively whereas Lean Body Mass of female raider, defender and all-rounder kabaddi players were 42.94 kg, 42.05 kg and 42.82 kg respectively.
12. There was significant difference exist between the nationalkabaddikabaddi player and the male university level kabaddi players on Body Composition characteristics i.e. BMI, Body Density, Body Fat %, Total Body Fat and Lean Body Mass. The nationalkabaddi player was better than the university level kabaddi players in all aspect of Body Composition.
13. Mental Toughness and Emotional stability of male and female raider, defender and all-rounder kabaddi players were above average performance.
14. There was no significant difference exist among the male and female kabaddi groups on Mental Toughness and Emotional Stability.
15. On Mental Toughness and Emotional Stability, there was significant difference exist between the national malekabaddi player and the university level male kabaddi players. The nationalkabaddi player was better than the university level kabaddi players on both aspects.

Recommendations for further studies:

1. The present study has been conducted on the national and university level kabaddi players. Similar study may be conducted on other age groups at different level of participations.
2. Considering different variables in order to find their relationship to kabaddi performance.
3. More related anthropometric measurements may be considered for betterment of the kabaddi game.
4. Physiological variables may be included to find out influencing factors of kabaddi playing ability or performance.
5. Various related psychological parameters may be considered for better investigation.
6. Similar study may be taken to upgrade the field of kabaddi and talent identification.

References:-

1. Adhikari, A. & McNeely, E. (2015).Anthropometric Characteristic, Somatotype and Body Composition of Canadian Female Rowers.American Journal of Sports Science, 3(3) 61- 66.doi: 10.11648/j.ajss.20150303.15.
2. Das, N. G. (2014). Statistical Methods. McGraw hill Education (India) Privet Limited.
3. Gangopadhyay, S. R. (2002). Sports Psychology. S. R. Gangopadhyay.
4. Jaiswal, A. (2014). Anthropometric and Somatotyping Study among the Female Kho-Kho Players of Pondicherry: A Comparative Analysis. Journal of Global Economics, 2(4), 2- 4.http://dx.doi.org/10.4172/2375-4389.1000122.
5. Rohit. (2013). A Study of Emotional Intelligence InKabaddi and Kho-Kho Players of Haryana. National Journal of Research in Social Sciences And Humanities, 3(1), 1-4. http://www.ijrssh.com.
6. Sarkar, S. R. &Sil, S.K. (2014).Somatotype of non-athlete tribal school boys of West Tripura District, Tripura.Biolife,2(4),1365-1370. www.biolifejournal.com.

****

Uniform Civil Code: An Analytical Study

Dr. Ram Singh Patel* Jyoti Payasi**

***Asst. Prof., Pt. Motilal Nehru Law College & Research Center, Chhatarpur (M.P.) INDIA**
**** Research Scholar, Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University & Pt. Motilal Nehru Law College, Chhatarpur (M.P.) INDIA**

Abstract - Uniform civil code talks about establishing equality under article 14 of the Indian constitution. It provides dignified life defined under article 21 and by article 15 by ending discrimination on the basis of religion,race,caste,sex,place of birth.

Equality is necessary for all even on the basis of the principle of natural justice. But a diverse country like India preserves various traditions which strengthen the social fabric then having a uniform civil code in front of us can be challenging.

India is not a country with only one religion like Iraq,Saudi Arabia,or Tunisia and one language country like Germany and France.

So,by including all the good traditions of different different religions the uniform civil code will be the independent citizenship.

In this it would be appropriate to gradually make the tribal class progressive,because their traditions are the introduction,which is no less than our heritage.

Keywords- Uniform, Secularism, Religion, Equality, National Integration.

Introduction - If we talk about the constitutional provisions of uniform civil code, we found that A duty to secure a uniform civil code for the citizens has been conferred upon the state under Article 44 of Constitution of India. The preachers of minority religious communities have apprehensions that Uniform Civil Code will take away their religious freedom guaranteed under part III of Constitution of India and it will not be possible for them to govern their family matters as per customary religious practices. The Supreme Court of India firstly had directed the Parliament to frame a UCC in the year 1985 in the case of Mohammad Ahmed Khan v. Shah Bano Begum. The apex court expressing concern over the need of Uniform Civil Code said that Article 44 has remained a dead letter. Justice Y.V Chandrachud had said that Uniform Civil Code will help in national integration as the existing personal laws have conflicting ideologies.

If we analyze Hindu Marriage Act, it is progressive in gender equality while the practice of marriage among Muslims is unequal & biassed where women are treated as property. The approach under Hindu Laws is modern and at par with societal advancements where law gives equal remedies to parties, whereas among Muslims it is full of orthodox as practices like Khatna, Burqa, Halala, Triple Talaq, Liability of husband of maintenance of wife till Iddat period, Non recognition of Adoption, believe in 'illegitimate child is a child of nobody' are out fashioned and inhuman in nature that needs to be tailored afresh by codification in spirit of constitution. The outdated personal laws indeed must be reformed on modern and liberal lines.

If we talk about the historical background of uniform civil code In 1946, Constituent Assembly was established to frame our Constitution for Independent India and the assembly consists of members from both streams- first, those who were in favouring the reformation of society by adopting Uniform Civil Code like B.R. Ambedkar, and second, those who perpetuated personal laws and majority of them were Muslim representatives of the assembly. Also, minority communities in the Constituent Assembly opposed and criticised those who proposed the Uniform Civil Code. Consequently, only one statement could be added in the Constitution regarding this under Article 44 in part IV, which contemplates that State shall endeavour to bring a Uniform Civil Code for its citizens throughout the territory of India.

Being part of DPSP, the orientation of Uniform Civil Code is neither enforceable by the court nor any political effort been able to move beyond, and the reason was that minorities felt that this Uniform Civil Code will violate and abrogate their personal laws.

Certain strong safeguards have been provided by our Constitution in Part III in order to protect individual rights given to all citizens of the country irrespective of their differences as to caste, creed, race, sex, place of birth and religion. This restricts the state from making any law in such

a way which can create any kind of discrimination on the basis of any of the aforesaid grounds. The extension of respect by the state to all religions in an equal manner is arranged under the basic feature of Secularism in India. This has also set every religion free with a discretion that they can frame their own personal laws and such laws would be free from the judicial clutch.

Though, the incorporation of fundamental freedoms and rights in our Constitution seemed to be good and reasonable, especially in the religious domain, in the beginning. But the situation turned up so drastically and women are now attaining awareness in all fields and they are not only demanding but also occupying the most respectful and challenging positions. Not only the position of women has been changed but also the rigidity of personal laws has started posing problems for the unity and integrity of the nation.

Directive under Art. 44 of Constitution of India says that the State shall endeavour to bring a Uniform Civil Code for its citizens throughout the territory of India.4 However, it is also cleared in the Constitution itself in Article 37 that DPSP "shall not be enforceable by any court".Whereas it is also further clarified by Constitution makers that directives laid down under part IV will be fundamental in the governance of the nation. This clearly demonstrates that although the Constitution of India believes that the implementation of a Uniform Civil Code in some manner shall be done but it does not make this mandatory.

Case laws: Here we have a question: what is the judicial approach on uniform civil code! So we have some important case laws decided by honourable Supreme Court of India like in the case of **Sarla Mudgal v. Union of India**, Supreme Court directed the government to frame Uniform Civil Code according to directives under Article 44. Justice Kuldip Singh expressing concern to the serious issue has said that Article 44 has to be retrieved from the cold storage where it has been lying since 1949. Justice Kuldip Singh referring to the codification of the Hindu personal law said that where more than 80 percent of the citizens have already been brought under the codified personal law there is no justification whatsoever to keep in abeyance, any more, the introduction of the 'uniform civil code' for all the citizens in the territory of India.

The Supreme Court in the **case of Shayra Bano**, held that the practice of triple talaq is unconstitutional as it discriminates against Muslim women & also violates their fundamental rights guaranteed under article 14 & 21 of the Constitution.

In case of **Madan Mohan Behl v. Veena Rani**, before Delhi High Court, divorce was sought by the husband on grounds of conversion of the wife to Islam as laid down under Section 13(1) (ii) of the Hindu Marriage Act, 1955. The court held that the marriage of the husband is not dissolved until a decree on grounds of apostasy is passed by court. The court also said that where a Hindu wife has converted to Islam, her matrimonial tie with her husband does not ipso facto get dissolved.

Daniel Latifi Case: Muslim Women's Act (MWA) was challenged on the grounds that it violated the right to equality under Articles 14& 15 as well as the right to life under Article 21. The Supreme Court while holding the law as constitutional, harmonised it with section 125 of CrPC and held that the amount received by a wife during iddat period should be large enough to maintain her during iddat as well as provide for her future. Thus under the law of the land, a divorced Muslim woman is entitled to the provision of maintenance for a lifetime or until she is remarried.

John Vallamattom Case: In this case, a priest from Kerala, John Vallamattom challenged the Constitutional validity of Section 118 of the Indian Succession Act, which is applicable for non-Hindus in India. Mr Vallamatton contended that Section 118 of the act was discriminatory against Christians as it imposes unreasonable restrictions on their donation of property for religious or charitable purposes by will. The bench struck down the section as unconstitutional.

Over the time the topic of Uniform Civil Code has been misused by political parties for their own vested interests and to gain political mileage, be it period of Shah Bano or Shyra Bano.

We have one state in India in which uniform civil code is already in force,that is GOA.

Goa Civil Code: Goa is the only Indian state to have a UCC in the form of common family law. The Portuguese Civil Code that remains in force even today was introduced in the 19th century in Goa and wasn't replaced after its liberation.

Features: The Uniform Civil Code in Goa is a progressive law that allows equal division of income and property between husband and wife and also between children (regardless of gender).

Every birth, marriage and death have to be compulsorily registered. For divorce, there are several provisions.

Muslims who have their marriages registered in Goa cannot practice polygamy or divorce through triple talaq.

During the course of a marriage, all the property and wealth owned or acquired by each spouse is commonly held by the couple.

Each spouse in case of divorce is entitled to half of the property and in case of death, the ownership of the property is halved for the surviving member.

The parents cannot disinherit their children entirely. At least half of their property has to be passed on to the children. This inherited property must be shared equally among the children.

However, the code has certain drawbacks and is not strictly a uniform code. For example, Hindu men have the right to bigamy under specific circumstances mentioned in Codes of Usages and Customs of Gentile Hindus of Goa (if the wife fails to deliver a child by the age of 25, or if she

fails to deliver a male child by the age of 30). For other communities, the law prohibits polygamy.

A major sensitive issue confronting the country is the controversy over the Uniform Civil Code versus the Personal Laws of various religious groups. It has led to a bitter polarisation of opinion, aggravating relation especially between Hindus and Muslims. In this situation the question ultimately is how to reconcile the inherent pluralism of the Indian social orderwithademandforuniformity. This assumes relevance as on the one hand the notion of legal uniformity is supposed to promote unity but it mitigates the very spirit of cultural diversity but fail to provide social justice particularly equal rights for women. Besides the controversies and implications of the issues have been inextricably linked with the political agendas ofthe various political groups. The Government policy on this has always been based on narrow, myopic political considerations.

Uniform civil code: Thinker's Views

V.R. Krishna Iyer, observes that the Uniform Civil Code is a term which originated from the concept of a Civil Law Code. It envisages administering the same set of secular civil laws to govern different people belonging to different religions and regions. This supersedes the right of citizens to subject themselves to different personal laws based on their religion or ethnicity. The common areas covered by a civil code include: (i) Personal Status (ii) Rights related to acquisition and administration of property (iii) Marriage, divorce and adoption.

Soli J. Sorabji, remarks that the term "common civil code" covers the entire body of laws that governs the rights relating to property and personal matters like marriage, divorce, maintenance, adoption and inheritance. A uniform civil code tries to unify all the existing "personal laws" of the different communities to have one set of secular laws that will be equally applicable to all Indian citizens.

Fali Nariman, observes that the "Uniform Civil Code" is a constitutional process of national integration by removing disparate loyalities to law which have conflicting ideologies. It embraces the entire body of laws governing rights relating to property and otherwise in personal matters like marriage, divorce, maintenance, adoption and inheritance. As things stand, there are different laws governing these aspects for different communities in India.'

Asghar Ali, observes that a "Uniform Civil Code" essentially means unifying all these "personal laws" to have one set of secular laws dealing with these aspects that will apply to all citizens of India irrespective of the community they belong to. Though the exact contours of such a uniform code has not been spelt out, it should presumably incorporate the most moderate and progressive aspects of all existing personal laws while discarding those which are retrograde.

V.N. Chettiar, remarks that a "Uniform Civil Code" pertains a laudable objective in the long run and the best way of endeavouring to introduce it through the elaboration of an optional and norm-setting national civil code.^ Following are some basic postulates of a dynamic Uniform Civil Code :-

(i) Elaboration of a National Civil Code connotes neither disputing the relative merits of various religious, civil systems, nor imposition of one religious code on all the peoples, nor a hotchpotch melange of diverse religious stipulations;

(ii) The National Civil Code must represent a well integrated scheme based on equality, justice and reason;

(iii) Every citizen of the Republic should be a-priori considered as being governed by the National Civil Code; however any citizen or his guardian should have the possibility of opting for the civil system of any of the established systems of faith.

Different countries contain different matters in the Civil Code. The 'Civil Code' in western European countries contains the legislation that controls citizens' civil relationships. Family relationships are governed by personal rules in Islamic countries, which are based on the holy book Quran. Family law was not recognised as an element of civil law in the Soviet Union. However, in India, the phrase "Civil Code" refers to a body of law that governs civil concerns such as marriage, divorce, inheritance, and other topics that are currently handled by several personal laws. In India, different people have different misconceptions about the term Uniform Civil Code. The largest minority community in India i.e. Muslims think that the Inception of Uniform Civil Code will lose their identity. On the other hand, the remaining communities in India believe that Uniform Civil Code will eradicate all their customs and ceremonies. Therefore a researcher is trying to clear all these misconceptions with the explanation of matters of the Uniform Civil Code.

The king was expected to promote piety and virtue, as well as aid religious organisations, in ancient times. The government was not based on theocracy, and there was significant neutrality in the treatment of sects, regardless of whether religion adhered to the king. The religious aspects of legal policy, on the other hand, were very significant. All religions were usually given equal prominence under the ancient Hindu state, as they are in today's modern Indian state.32 The 'Vedas,' or revealed writings, which are said to have been divinely inspired, provide the fundamental ideas of Hindu law. The Vedic scriptures are said to have been spoken by God Brahma, the creator and first component of the Hindu Tradition. Early Hindus regarded them as infallible and supreme, same as later Christians regarded decay locks. The moral foundation for Hindu law was formed in the Ramayana, Mahabharata, and Bhagvatat Gita, which has been in on-going use to this day. What is heard in the Vedas, also known as Shruti, is also revealed in the text. The Vedas, like every other revealed literature, contain numerous titles of positive law. They believed that

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

the Rishis, or ancient sages, had heard it and passed it down to the next generation. Another type of scripture is called Smriti, which means "tradition" or "what is remembered."

Position in Medieval India: The Mughal Empire arose, spreading Muslim law throughout the land. They were the first in their kingdom to introduce a proper court system, however, all judgments were based on the Holy Quran and no other faith was considered worthy. However, in some areas where Hindu Kings still ruled Hinduism through priests, traditional Hindu law was followed. However, no such regularity can be established across that period.36

It is frequently argued that while "Muslim Scriptural" law was administered to Muslims by the Qazis during Muslim rule in India, there was "No such assurance so far as litigation touching Hindus was concerned." It is also claimed that Warren Hastings "made regulations for the administration of justice for the native population without discrimination between Hindus and Mahomedans" in 1772, when he "made regulations for the administration of justice for the native population without discrimination between Hindus and Mahomedans." However, most Indian legal historians have proven that this is not the correct and real historical fact.37 The jurisprudence of the Muslims serves as an example of perfect integration of law and religion. 'Law is religion and religion is law' in Islam, according to James Bryce, with both being content in the divine revelation.

Position in the British Period: During the British rule, urgent attempts were taken to provide universality to the law so that it could control the entire population of British India, excluding the princely states. As far as the administration was concerned, they were sovereign. The British, on the other hand, were well aware of their limits in carrying out this exercise. As a result, the personal legislation that applies to each region was not impacted. It continued to function. The British rulers attempted to promote uniformity in other secular legislation such as the Criminal Procedure Code, the Civil Procedure Code, and the Transfer of Property Act, among others. Following the fight for independence, the British rulers decided not to interfere with the locals' religious beliefs and sentiments, assuring them that their religious beliefs and sentiments would be strictly respected.

Despite the fact that Hinduism has been the dominant religion in India for much of its recorded history, Muslim conquests, British colonisation, and other influences have brought about significant population changes. On the one hand, millions of people converted to Islam or Christianity, while persecuted Jews and Zoroastrians also settled in India. During Mughal control in India, justice was administered by kazis who applied Islamic scripture laws to Muslims; however, there was no comparable religious person or organisation for Hindus, and no institutions that executed Hindu law. The system was in place until 1772, when Warren Hastings, the Governor General of India at the time, issued instructions for the administration of justice throughout the East India Company's domains. He imagined a judicial system in which civil and religious disputes would be adjudicated by corporate courts in line with the laws of the Quran in the case of Muslims and the Shastra in the case of Hindus, as part of his Plan. This was reinforced by laws passed in 1781 that allowed for references to civic and religious customs. This gave legal backing to the system of various personal laws for different communities. This system was in use until Independence and the subsequent Partition. Independence, on the other hand, presented both obstacles and opportunity for the emerging republic. The country's founding fathers resolved to rid it of ancient traditions and rituals that were obstructing national unification and social growth.

When the Supreme Courts of Judicature in Calcutta, Madras, and Bombay were created in 1774, this practice governing the application of Hindu law to Hindus and Muslim law to Muslims was extended to His Majesty's Courts of Judicature.

Many laws were passed in order to incorporate references into the old Hindu Law. Conservative and orthodox Hindus viewed the Hindu Widows Re-Marriage Act of 1856, which legalised the re-marriage of Hindu widows, as violating Shastra injunctions. Although widow remarriages were authorised in certain circumstances in ancient India prior to the Act's passage, the majority of Hindus opposed them on religious grounds. The Hindu Women's Right to Property Act of 1937 transformed Hindu law in the areas of joint family, coparcenary, division, and inheritance, among other things. The Indian Majority Act of 1875 established a minimum age of majority for Hindus in all issues except marriage, divorce, and adoption. The Child Marriage Restraint Act of 1929 was enacted to prevent current child marriages from continuing. The Hindu Married Women's Right to Separate Residence and Maintenance Act was enacted in 1946, allowing Hindu women to claim separate residence and maintenance from their husbands in certain circumstances without the marriage being dissolved. Apart from these, the Hindu Inheritance (Removable of Disabilities) Act of 1928 and the Hindu Law of Inheritance (Amendment) Act of 1929 changed the concepts of succession and inheritance that were previously based on the old Hindu Law.

Conclusion: In India, there are five basic sets of family rules based on the many religions practised by the various communities. All Hindus, as well as Buddhists, Jains, and Sikhs, are governed by Hindu law. Muslims are governed by Islamic Law, Christians by Christian Law, and Parsees by Parsee Law. Jews have their own code of conduct. The Special Marriage Act 1954, which allows people of any faith or differing faiths to marry, is an overarching secular civil law that the parties can choose. If they marry under the Special Marriage Act, the Indian Succession Act of 1925

governs the selection of their heirs and the right to inheritance or succession, which applies to anyone married under the Special Marriage Act except Hindus. These religious rules are taken from religious texts and their interpretations by scholars or judges, and they are interlaced with customary law that varies by region. Legislation has also changed these statutes from time to time. With the exception of Muslims and Jews, practically all other communities in India now have statutory matrimonial law.Hence, the idea of a Uniform Civil Code strikes at the very heart of religious tradition and orthodoxy.

In terms of social ethics, there should be a Uniform Civil Code that applies to all religions. The term "uniform civil code" comes from the concept of a civil law code. It envisions enforcing the same set of civil laws across all religions and areas. This transcends citizens' rights to impose distinct personal rules on themselves depending on their religion or race. A Uniform Civil Code envisions a legal system in which all citizens of a country are subjected to the same set of civil laws, regardless of gender, religion, race, or other factors.Despite the fact that the Preamble to the Constitution of India describes the modern nation state of India as a "Sovereign, Socialistic, Secular, Democratic, Republic," diverse religious communities' own laws continue to operate. In modern India, the fact that a Hindu, a Muslim, and a Christian are all citizens of the same country but are subject to different personal laws is an anachronism that runs counter to the fundamental principle of secularism. The word 'secular' was added to the preamble of Indian Constitution in 1976 to emphasise that no particular religion in the state will receive any state patronage, and no citizen in the state will be given preferential treatment or discriminated against solely because he or she practises a particular religion. Religious rights are included in the Indian Constitution, which protects many religions and religious groups. Article 25 of the Constitution guarantees everyone the right to freedom of conscience and the freedom to freely profess, practise, and propagate religion, subject to public order, morality, and health, whereas Article 26 grants every religious denomination the fundamental right to manage its own religious affairs.

As a result, the Uniform Civil Code is not anti-secular and would not contradict Articles 25 and 26 of the Indian Constitution. The Uniform Civil Code will not interfere with one's religious convictions in things such as marriage, divorce, maintenance, succession, and so on; rather, it will establish a common law for all such subjects. In a civilised society, the judiciary has also endeavoured to make it apparent that there is no necessary relationship between religion and personal law. Marriage, succession, and other matters of a secular nature can be regulated by legislation. No religion allows for intentional deception.

References:-

1. Anderson J.N.D. Muslim Personal Law in India in Tahir Mahmood (ed.) Islamic Law in Modem India 1972).
2. D. Raina, Uniform Civil Code and Gender Justice (Reliance Publishing House, New Delhi, 1996).
3. D. Paras: Uniform Civil Code: A Projection of Equality in Mohammed Imam (ed). Minorities and the Law 1972)
4. D.K. Shrivastava, Religious Freedom in India: a historical and constitutional study (Deep & Deep, New Delhi, India 1982)
5. G. J. Jeffrey, The Wheel of Law: India's Secularism in a Comparative Constitutional Context (Oxford University Press, New Delhi, 2003).
6. G. Philips, Introduction to Secularism (National Secular Society, London 2011).
7. H.A. Gani, Reforms of Muslim Personal Law (Deep & Deep Publications, New Delhi 1988).
8. Habibullah, A.B.M., The Foundation of Muslim Rule in India (Central Book Depot, Allahabad 1971)
9. Kapadia, K.M., Marriage and Family in India (Oxford University Press, Calcutta 1972)
10. K. Deshta, Uniform Civil Code in Retrospect and Prospect (Deep & Deep Publications, New Delhi, 2002).
11. K.Deshta, Uniform Civil Code in Retrospect and Prospect (Deep & Deep Publications, New Delhi, 2002).
12. Meghe, Dinkar R., Uniform Civil Code and Hindu Personal Law (Pathik Prakashan, Nagpur, 1973).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

बाल अपराध एक सामाजिक समस्या, कारण एवं निदान

डॉ. रामसिंह पटेल* प्रीति बुंदेला**

* सहायक प्राध्यापक, पं. मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय एवं पं. मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – 'आज के बालक कल के नागरिक हैं। इन्हीं के कंधों पर कल के भारत का भार है। वे ही आने वाले समय के नेता हैं उन्हीं पर राष्ट्र का गौरव एवं गरिमा निर्भर है।' ऐसा कथन शीला वर्से बनाम चिल्ड्रेन एण्ड सोसइटी के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी एन भगवती तथा न्यायमूर्ति आर एस पाठक ने कहा है– बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इसे संवारना राज्य का कर्तव्य है। भारत में बाल अपराध एक ऐसा कलंक है जो समाज एवं देश के लिए हानिकारक है। किशोरावस्था में अब किशोरों का बल एवं जोश प्रबल होता है और विवेक पर नियंत्रण नहीं होता है तो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्राचीन काल में अपराधियों को सजा देने की प्रथा में व्यस्क अवयवस्क युवा वृद्धि आदि की कोई संकल्पना नहीं थी। सबको एक समान दण्डित करने की व्यवस्था थी। प्राचीन समय में किशोर एवं व्यस्क अपराधी के प्रति कोई उदारता नहीं बरती जाती थी। क्योकि उनमें अंतर नहीं किया जाता था। लेकिन आपराधिक न्याय प्रशासन के अंतर्गत दण्ड शास्त्रियों का ध्यान बच्चों के ऊपर गया तथा उन्होंने किशोर अपराधियों की श्रेणी बनाई तथा सुधारात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया। उन्होंने सहानुभूति एवं सुधारपूर्ण नीति अपनाई। उन्होंने ये सोचकर की बच्चे देश का भविष्य है। उन्हें ही समाज की बागडोर संभालनी है। ये सोच समझकर ऐसी रीति अपनाई और व्यवस्था में सुधार किया। बाल अपराध भारत में ऐसी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तथा इसका कारण सबसे पहले परिवार का कमजोर पड़ना, सामाजिक नैतिकता का कम होना, कानून का कमजोर होना, उन पर अमल न करना, बढ़ता, व्यावसायिक कारण है। जहाँ हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं समाज की नैतिकता घटती जा रही है। जिससे देश की सामजिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है।

प्रस्तावना –बच्चे देश का भविष्य है और भविष्य में उन्हें ही देश को संभालना है परंतु आज के समय में बाल अपराध एक विश्व व्यापी समस्या होती जा रह है। जो कि हर स्थान पर या समाज में समय समय पर किसी न किसी रूप में बाल अपराध सामाजिक तौर पर किसी न किसी रूप में बाल अपराध सामाजिक तौर पर सामने आता ही रहता है। इसकी शुरूआत सबसे पहले परिवार से ही होती है। आज के समय में संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त हो गई है तथा अब व्यक्ति दो बच्चों से ज्यादा मतलब हम दो हमारे दो की संभावना चाहता है और इस स्थिति के बाद भी माता पिता पूरे समय पैसे कमाने की चाह में व्यस्त रहते है। तथा बच्चों के लिये उनके पास समय ही नहीं होता और अकेलापन के कारण बच्चा निराश होकर मर जाता है तथा गलत रास्ता पकड़ लेता है। एवं अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। अगर हम बाल अपराध की बात करे तो कोई बच्चा अब पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक एवं शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके इन व्यवहारों को बाल–अपराध तथा उस बालक को बाल अपराधी या उपचारी बालक कहते हैं। बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का अपराधी होता है। जो समाज विरोधी कार्य कर अपराधी बनता है। इस प्रकार के उल्लंघन बच्चा बाल अवस्था में ही करता है।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 82 और 83 के अंतर्गत बालकों के सुधार के अवसर प्रदान किए गए हैं। धारा 82 में 7 वर्ष 12 वर्ष के बीच की आयु के शिशुओं के कृत्यों को तभी अपराध माना जायेगा जब ऐसे शिशुओं की समय परिपक्व है। कृष्ण भगवान बनाम बिहार राज्य के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने इन धाराओं के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं के सुधारात्मक प्रकृति का मानते हुए स्पष्ट किया है कि इनका मुख्य उद्देश्य शिशुओं, बालको एवं किशोरों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है।

भारत में बाल अपराध के कारण:

1. **सामाजिक कारण–** समाज अर्थात एक व्यक्ति की आधारभूत जरूरत कहा गया है कि जो व्यक्ति सामाजिक नहीं है वह या तो पशु है या देवता है इसलिए बाल अपराध के कारणों में सबसे बड़ा कारण सामाजिक कारण होता है। इसमें मुख्य कारण है।

(1) बिखरे परिवार– परिवार में माता–पिता के झगडे मृत्यु या तलाक के कारण परिवार बिखर जाते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चे जल्दी आपराधिक प्रवृत्ति में जुड़ जाते हैं। बिखरे परिवार का अर्थ है, माता–पिता दोनों का न होना, दोनों में से किसी एक का न होना, किसी एक के द्वारा दूसरे को तलाक देना आदि अनेक कारण परिवार के बिखराव के होते हैं इसके परिणामस्वरूप अपराधी बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है।

(2) माता–पिता का व्यवहार– बच्चे के जीवन में माता–पिता से एक दूसरे से व्यवहार या उनके बच्चों से व्यवहार उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। अब बच्चों को माता–पिता से प्यार नहीं मिलता है। तो बच्चों में बहुत प्रकार की भावना ग्रंथियाँ निर्मित होती हैं।

(3) अनैतिक आर्थिक स्थिति– जरूरत के हिसाब से पैसे न होना भी बच्चों को, हर चीज की कमी भी बच्चों में चोरी, लूट, डकैती जैसे अपराध की आदत डाल देता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे स्वेत कोष अपराध आ जाते हैं।

(4) अशिक्षित परिवार या माता-पिता-अशिक्षित माता-पिता बालक की सुचारू रूप से हर क्षेत्र में विशेषत: पढ़ाई के क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ज्ञान की कमी हमेशा ही नुकसान दायक होती है। इसके कारण बच्चों के संबंध में बहुत सारे कानून होने के बाद भी उनकी जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती है और वो उसका उपयोग नहीं कर पाते।

(5) समाज का दूषित परिवेश- समाज का वातावरण भी व्यक्तियों के लिये बहुत मायने रखता है विशेष तौर पर बच्चे तो कच्ची मिट्टी के घड़े के समान हैं जैसा चाहो वैसा ढाल दो। इसीलिए बच्चों को बचपन से ही एक अच्छा वातावरण मिलना चाहिए।

2. आर्थिक कारण

(1) गरीबी- कभी-कभी गरीबी बच्चों को बहुत बुरा सिखा देती है यहाँ तक कि कभी-कभी माँ-बाप बच्चों को बुरा करने के लिये गरीबी की वजह से हाँ कह देते हैं। पेट की भूख शांत करने के लिए अवैध गतिविधियों की ओर अग्रसर होते हैं, जो उन्हें अपचारी बना देते है।

(2) बेरोजगारी- आर्थिक कारणों में बेरोजगोरी एक बड़ा कारण है तथा उसके होने पर अपराध बढ़ जाते हैं बेरोजगारी का मतलब पैसे की कमी। पैसे न होने पर जरूरत व्यक्ति को अपराधी बना देती है जिसके कारण बच्चे भी उसमें शामिल हो जाते हैं।

(3) बच्चों का नौकरी करना- आर्थिक तंगी के कारण बच्चे नौकरी करने लगते हैं तो उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है और वह बहुत से गलत लोगों की संगत में आकर समय से पहले ही गलत कार्य सीख जाते हैं। शिक्षा अधूरी होने के कारण उन्हें अच्छा काम और अच्छा माहौल नहीं मिलता है और वो अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं।

3. विद्यालयी कारण- अगर बाल अपराध के कारणों की बात करे तो परिवार के बाद दूसरा स्थान विद्यालय का होता है। जहाँ बच्चा अधिगत के हिसाब से दूसरा कदम आगे बढ़ाता है। यहाँ भी बच्चा अच्छे से बुरे सब प्रकार के लोगों के साथ रहता है तथा इसका प्रभाव उन पर पड़ता है। अगर शिक्षकों का दुर्व्यवहार है। स्कूल का वातावरण राजनैतिक है तब भी बच्चा अपराधी प्रवृत्ति में प्रवेश कर जाता है।

4. मनोवैज्ञानिक कारण- सामाजिक और पारिवारिक कारणों के अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक कारण से भी बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति आती है। इसमें कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं:-

(1) बौद्धिक कारण- इसके प्रमुख प्रवर्तक गौकार्ड थे। गौकार्ड का कहना है कि अपराध का सबसे बड़ा कारण बौद्धिक दुर्बलता है।

(2) मानसिक विछिप्तता- किशोरावस्था में कुछ मानसिक विछिप्तता से संबंधित रोग भी पाये जाते हैं जिसमें बच्चों को दण्ड की नहीं बल्कि इलाज की जरूरत होती है।

मनोरंजन संबंधी कारण। बच्चों के जितने भी मनोरंजन के साधन जो उनके मनोरंजन के लिए होते हैं जैसे टी वी, मोबाइल पत्रिकायें आदि ये सभी कभी कभी ध्यान न देने पर बच्चे इनका गलत उपयोग करने लगते हैं तथा उससे अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं।

बाल अपराध से संबंधित संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान- भारतीय संविधान मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में बाल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। इनको लागू करने के संबंध में अनुच्छेद 37 व्यवस्था करता है कि राज्य का कर्त्तव्य होगा कि वह नीति बनाने में इनको ध्यान दे। बालकों से संबंधित संवैधानिक अधिकार निम्न प्रकार हैं-

1. समानता का अधिकार- अनुच्छेद 14
2. भेदभाव न किए जाने का अधिकार (15)(1)
3. बालकों एवं स्त्रियों के संबंध में विशेष प्रावधान (15)(3)
4. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
5. 6-14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (21-ए)
6. बेगारी, बंधुआ मजदूरी से संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 23)
7. खतरनाक उपक्रमों में बालक का संरक्षणका अधिकार (अनुच्छेद 24)
8. राज्य का दायित्व बाल्य देखरेख आदि शिक्षा के संबंध में (अनुच्छेद 45)
9. सामाजिक अन्याय और शोषण से कमजोर बालकों का संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 46)
10. पोषक एवं जीवन स्तर सुधार का अधिकार (अनुच्छेद 47)

बाल अपराध से संबंधित अपराधी के विधिक प्रावधान निम्न प्रकार हैं:-

(1) भारतीय दंड संहिता 1860 में बाल अपराध से संबंधित प्रावधान 302, 305, 360, 361, 364ए, 363-ए, 366, 367, 369, 366ए, 372, 373, 375(6), 376(3), 376एबी, 376डीए, 376डीबी

(2) बाल अपराधी से लैंगिक शोषण अधिनियम 2012 से संबंधित प्रावधान

बाल अपराध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण के लिए समय-समय पर प्रयास किये गये जिसमें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1946, बालकों के अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों का भारत द्वारा अंगीकरण, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा, बाल न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र बीजिंग नियम आदि किए गए।

बाल अपराध का निदान

1. उत्तम परिवेश- परिवार का अच्छा माहौल तथा सदस्यों का चरित्रवान होना बच्चों को अपराधी नहीं बनने देता है। उत्तम परिवेश अर्थात् घर का अच्छा वातावरण एवं अच्छे संस्कार यह बच्चों को प्रभावित करते ही हैं।

2. बच्चों पर नियंत्रण- छोटे परिवारों में बच्चों की देख रेख आसानी से हो जाती है। तथा एक दूसरे से जुड़े रहने के कारण वो अपराधी प्रवृत्ति की ओर नहीं जा पाते।

3. बालकों का मार्गदर्शन- बच्चों का हमेशा माता-पिता के द्वारा मार्गदर्शन होते रहने चाहिए, उन्हें शिक्षा, मनोरंजन या अन्य तरीकों से निर्देशित करते रहना चाहिए। माता-पिता का बच्चों की बाल अवस्था में विशेष देखरेख करना अत्यंत आवश्यक है।

4. बालकों के अध्ययन की व्यवस्था- बाल अपराध को रोकने में अध्ययन सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसे पढ़ाई के लिए अच्छे माहौल की तथा अच्छी व्यवस्थाएं करायी जानी चाहिए।

5. बालकों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति - बच्चों की जरूरत कोशिश भर पूरी करनी चाहिए अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनको पूरा करने के लिए यहाँ-वहाँ भटक जाते हैं। बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना बाल्यावस्था में अत्यंत आवश्यक है।

6. बच्चों में अच्छी आदतें डालना- माता-पिता ही बच्चों को अच्छी

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

आदतें सिखाते हैं। पहले गुरू माता–पिता होते हैं बच्चों के जीवन के लिए बाद में विद्यालय आता है। इसके लिए माता–पिता का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है।

7. बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाना– आत्मविश्वास बच्चों को बिगड़ने नहीं देता है तथा ये काम माता–पिता का होता है कि वो बच्चों में आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता को बढ़ाये।

8. अच्छा स्कूलीय वातावरण– बच्चों को अच्छे वातावरण वाले स्कूलों में डालना चाहिए ताकि वो शिक्षकों एवं अपने साथियों से अच्छी बाते सीख सकें। क्योंकि बच्चों को जो बात आप घर में सिखाते हैं वो उन्हें जल्दी नहीं सीखते हैं बल्कि शिक्षक द्वारा कही गई बात को वो तुरंत ही रट लेते हैं एवं सीख लेते हैं।

9. सरकारी सहायता–बाल अपराध को कम करने के लिए सरकार द्वारा बच्चों को बहुत सारी निःशुल्क सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चा जरूरत के लिए गलत रास्ता न पकड़े।

निष्कर्ष– भारतीय समाज में बाल अपराध बहुत गंभीर समस्या बन गया है। जो अनेक कारणों से उत्पन्न होता है। जो हमारे जीवन के पहुलओं से जुड़े हुए हैं। ये बाल अपराध को जन साधारण के सहयोग से रोका जा सकता है। बच्चे ही तो देश का भविष्य हैं तथा इनको सुधारने के लिए हमारी कानून व्यवस्था द्वारा बहुत सारे कानूनों का निर्माण हो चुका है। संविधान द्वारा बच्चों को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए जा चुके हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि इनका पालन सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं।

सुझाव– बाल अपराधी के निवारण हेतु मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं:–

1. राज्य सरकारों द्वारा उपेक्षित किशोरों की जवाबदेही लेने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को अधिकृत करने की प्राथमिकता दी जाना चाहिए।
2. सरकार द्वारा किशोर सुधार गृहों की व्यवस्था को और अधिक आदतन करके सुधार की भावना लाने का प्रयास करना होगा।
3. किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति के सदस्यों को कथित प्रशिक्षिण दिए जाने की व्यवस्था की जाना चाहिए।
4. समुदाय आधारित कार्यकर्ता का संचालन करके समाज में जागरूकता लायी जाना चाहिए।
5. बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता लायी जाना चाहिए।
6. सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा हेतु समय–समय पर सेमीनार आयोजित कर बच्चों को शिक्षित करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. बाबेल डॉ. बसन्ती लाल, महिला एवं बाल कानून, सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, संस्करण 2014
2. पाण्डेय डॉ. जय नारायण, भारत संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, संस्करण 2016
3. मिश्र प्रो. सूर्यनारायण, भारतीय दंड संहिता, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, अट्ठाइसवाँ संस्करण– 2021
4. खान फरहत, किशोर अपचारिता, अमर लॉ पब्लिकेशन, संस्करण– 2012
5. गरवाल अनीता, भारत में बाल अपराध : एक संक्षिप्त विश्लेषण।
6. रफत डॉ. जकिया, बाल अपराधी : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, एसो. प्रो. एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, आर. बी. डी. महिला महाविद्यालय, बिजनौर शोध मंथन– 2018
7. झा मिहिर कुमार, अपराध और उसके कारण पूर्व शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार भारत, international general of advance acadmic studies 2019; 1(1) : 189–191
8. कुमार डॉ. अशोक, किशोरावास्था के बालकों में बढ़ते अपराध की समस्याओं का अध्ययन, परीक्षा नियंत्रक राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखंड, भारत
9. डॉ. रीता कुमारी मनोविज्ञान विभाग भारत में बढते बाल अपराध की समस्याओं का अध मिथला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर दरभंगा (वाजितपुर, पीडौली, नेहाड़ा, बेगूसराय), 2016 JEIIR May 2016 volume 3, issue5
10. जयसवाल डॉ. अनीता, बाल अपराध से बिगड़ता बचपन भटकता राष्ट्र।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जागरूकता एवं उपयोगिता, एक विधिक अध्ययन

डॉ. रामसिंह पटेल* अरविन्द कुमार पटेल**

* सहायक प्राध्यापक, पं. मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय एवं पं. मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक सरकारें सरकारी जनता के भरोसे पर आधारित होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में जानकारी की उपलब्धता वास्तव में एक लोकतांत्रिक समाज बनाने में मदद करती है। सरकार –नागरिक सूचना साझाकरण एक पारदर्शी जवाबदेह सार्वजनिक क्षेत्र को सूचित करने के लिए सार्वजानिक क्षेत्र में चर्चा को बढावा देता है। सामाजिक शास्त्री मानते है कि एक लोकतांत्रिक देश में सहभागी विकास के लिए जनभागीदारी जरूरी है। इस संदर्भ मे सूचना का अधिकार नागरिक सशक्तिकरण का एक महत्वरपूर्ण साधन है। इसका उपयोग नागरिको द्वारा सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में राजनैतिक, प्रशासनिक, विकास और आर्थिक मुद्दों में किया गया है। यह सही है कि नीति निर्माताओ पर लोक कल्याण के दिशा – निर्देशों पर कार्यवाही करने का दवाब डाला जा रहा है। शोध पत्र महाविद्यालय के शिक्षकों के बीच सूचना का अधिकार अधिनिमय के बारे मे जागरूकता का अध्यपयन करने का एक प्रयास है।

प्रस्तावना –सूचना का मुक्त प्रवाह शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वतपूर्ण कदम है, पारद्रर्शी सरकार का मतलब कम भ्रष्टाचार है। सूचना का अधिकार का अर्थ है सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी को प्राप्त करने का लोगों को अधिकार है। यह आवश्यक सुशासन है। भारत में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पेश किया गया था और तब से यह लोगों के हाथों में एक प्रभावी उपकरण साबित हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम का परिचय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और सिविल सेवा आचार संहिता नियम बनाता है।

पृष्ठभूमि – नागरिको के सूचना के अधिकार के लिऐ पहली राजनैतिक प्रतिबद्धता 1977 से लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर आपातकाल के दौरान सूचना की सेंसरशिप के कारण सामने आई। 1986 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना के अधिकार के बिना नागरिकों द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरह से उपयोग नही किया जा सकता है।

1990 में श्री वी. पी. सिंह देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने एक विधायी अधिकार के रूप में सूचना के अधिकार के महत्व पर जोर दिया। राजनैतिक समर्थन की कमी के कारण अधिनियम को अमल में लाया नही जा सका। किसान मजदूर शक्ति संगठन, परिवर्तन, कई नागरिक समाजिक समूहो ने लोगों के सूचना के अधिकार के लिए अभियान चलाया। तमिलनाडु सूचना का अधिकार अधिनियम 1977 अधिनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य था जिसके बाद गोवा में (1977) आया।

सूचना का अधिकार – भारतीय संसद ने 2005 मे सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित किया, जो 15.06.2005 को लागू हुआ, प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय के काम काज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढावा देने के इस अधिनियम को लागू किया गया। अर्थात इस अधिनियम को शासन में पारदर्शिता को बढावा देने के लिए शामिल किया गया था, इस अधिनियम ने आम आदमी को जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। इससे पहले सरकारी तंत्र आधिकारिक गोपनीयता के नाम पर सब कुछ नियंत्रित करता था इस अधिनियम के आगमन के साथ, सरकार लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है।

इस अधिनियम के कारण शासन में पारदर्शिता आई है। इससे सुशासन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस अधिनियम को भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि यह सरकार के काम काज के बारे में नागरिकों कों जानकारी साझा करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम इस प्रकार एक प्रभावी अधिकार प्रदान करता है कि, आम आदमी को यह जानने का साधन कि सरकार सार्वजनिक कार्यालयों और सार्वनजनिक संसाधनों का उपयोग कैसे कर रही है, के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. कॉलेज के शिक्षकों के बीच सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता का अध्ययन करने के लिए।
2. कॉलेज के शिक्षको के बीच सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में धारणा का अध्ययनकरने के लिए।

क्रियाविधि – यह एक खोजपूर्ण अध्ययन है जो प्राथमिक आकाड़ों की मदद से प्रश्नावली के माध्यम से शुरू किया गया है। म.प्र. के पन्ना जिले के कॉलेज शिक्षक इस अध्ययनमें उत्तरदाता थे। लक्षित जनसंख्या का चयन करने के लिए यादच्छिक प्रतिचयन तकनीक का उपयोग किया जाता है। आकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सारणीकरण,प्रतिशत जैसी सरल सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया था। नमूना आकार 100 इकाइयों का है। 50 पुरूष और 50 महिला उत्तरदाताओं का चयन किया गया।

निष्कर्ष – अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कॉलेज

शिक्षक के बीच जागरूकता का स्तर सूचना का अधिकार अधिनियम उच्च है। अधिकांश उत्तरदाता उसी के लिए आवेदन दाखिल करने की सूचना प्राप्त करने कि प्रक्रिया से अवगत थे। सर्वेक्षण से पता चला कि उत्तरदाताओं को इस संबंध मे अपील की प्रकिया और प्राधिकरण तक पहुंचना होगा। अधिकांश उत्तरदाता लेखक द्धारा प्रदान की गई जानकारी की गुणवत्ता के बारे में अतिसंवेदनशील थे। अधिकांश उत्तांरदाताओं ने महसूस किया है कि कानून मील का पत्थर है जो भ्रष्टाचार को रोक सकता है, यह नागरिक सषक्तिकरण का एक शक्तिशाली उपकरण है। उत्तरदाताओं ने महसूस किया है कि यह सार्वजनिक कार्यालयों में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता में सुधार करेगा सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि शिक्षक जनता के बीच इस तरह महत्वपूर्ण कानून के संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है।

यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार पारदर्शिता को बढावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जवाबदेही, खुलापन, सुशासन, नागरिकों का सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार पर अंकुश वास्तव मे, यह लोकतंत्र की ताज में एक और पंख है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जैन खुरान 2006 सोर्स बुकऑन राइट टू इनफॉर्मेशन, कनिष्क पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली 2006
2. मिश्रा एस के ,साहू एस.के.दास (2009) सूचना का अधिकार और भारत में ग्रामीण विकास।
3. www.globalpost.com
4. इकोनॉमिक्स टाइम्स
5. www.rti.org.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Nesting Record of Oriental Pratincole at Alania Dam, Kota, Rajasthan, India

Anshu Sharma* Harshit Sharma Dr. Surabhi Shrivastava*** Dr. Neha******

***Research Scholars (Zoology) University of Kota, Kota (Raj.) INDIA**
**** Research Scholars (Zoology) University of Kota, Kota (Raj.) INDIA**
*****Former Co-ordinator and HOD (Wild Life Science) University of Kota, Kota (Raj.) INDIA**
****** Professor & HOD (Zoology) Govt. College, Kota (Raj.) INDIA**

Abstract - The Oriental Pratincole (*Glareolamaldivarum*) belongs to the family Glareolidae. It is summer migratory bird in Kota. The present study is focus on nesting and behavioural ecology of Oriental Pratincole explored at Alania dam, Kota from April to June 2022. A pair of pratincoles continuously sighted flying over a specific ground at Alania dam. A shallow pit like nest made from soil particles was seen below their hovering site. Two eggs were seen on 8th May while third egg was reported on 10th May 2022 properly incubated by either of the parents. After 18-20 days of incubation two chicks were found edged through eggs. The chirruping calls of chicks were also recorded. But the third egg was found abandoned on 29th May 2022. A regular parental care was observed till the chicks occupied the condition to forage themselves.
Keywords- Oriental Pratincole, Alania dam.

Introduction - The Oriental Pratincole *Glareolamaldivarum* (Forester,1975) is one of the three species of genus*Glareola* found in the Indian subcontinent, that belongs to the family Glareolidae and order Charadriiformes (Rasmussen & Anderton, 2012). Globally, the breeding population subsists between the southeastern Palaearctic and the Indo-Malayan realms that range from the Indian subcontinent to eastern Mongolia, China and parts of Japan and the Australasian biogeographic realms (Birdlife International, 2020.) The Oriental Pratincole is endemic to the Indian subcontinent. It is a fairly common resident throughout India except in the mountainous regions. As per the International Union for the Conservation of Nature, the status of Oriental Pratincole is 'Least Concern' as it exhibits an extremely large range and stable population trend (Birdlife International 2016). In the subcontinent, it has been recorded breeding from Sind,through northern India to Odisha, West Bengal, Assam and Bangladeshand has been recorded from Kerala, Sri Lanka and Maldives in south and alsofrom Lakshadweep Archipelago recently (Khan, 2017). As per the literature survey, the species has isolated records more or less throughout the subcontinent (Ali & Ripley, 1987; Grimmett*et al*. 2011; Manakadan*et al*. 2011). In Rajasthan, it has been recorded from Bharatpur, Jaipur, Kota, Bundi, Udaipur etc. Their nesting record has not been reported from other suitable habitats in Rajasthan except Alania dam in Kota district, Rajasthan. The Oriental Pratincole is recorded to breed mainly from April to June.

Oriental Pratincole is a moderately sized (18-30 cm) short-legged shorebird much similar to Collared Pratincole. They have swallow like tail fork, long pointed wings but the tail tip falls short to the wing tip at rest. The breeding plumage contains strong peach-orange underparts and a cream throat bordered by black gorget (Grimmett*et al*. 2011). Pratincoles are a group of desert adapted shorebirds that are also colonial ground nesters which breed on sandy shores or lagoons and saltmarshes (Higgins & Davies, 1996). These birds breed mostly in summer in colonies and nest on the open ground with a shallow scrape or natural depression.

Fig 1: Oriental Pratincole (*Glareolamaldivarum*)

Fig 2: Oriental Pratincole nest with egg clutches.

Study Area: Field observations were carried out on nesting found at Alania dam (24p 59'48.85"N, 75p 51'52.23"E) near Kota, Rajasthan. This site is 25 km away from Kota city. There are many species of water birds like Greater flamingo,

Painted stork, Sarus crane, Asian open-billed stork, Woolly-necked stork, Black stork, Red-naped ibis, Black-headed ibis, Glossy ibis, Great white pelican, Cormorants, Eurasian curlew, Black tailed godwit, Bar-headed goose, Ruddy shelduck, Knob-billed duck, Pied avocet, Kentish plover, Yellow-wattled lapwing, Indian courser, Little tern, Small pratincole, River tern, Indian skimmer, Little ringed plover, Garganey, Common kestrel, Montagu's harrier, Peregrine falcon etc.

Fig 3: Location map of Alania dam

Methodology: The observations were carried out from May 05 to June 25, 2022. Primary observations were made with a pair of binoculars (Nikon 12×50). The breeding pairs were observed from the time when the eggs were laid till the chick left its nest.The total period of observation was52 days. To record the behaviour, photographs were takenwith DSLR cameras and telephoto lenses (Nikon D7500 paired with Nikon AF-S Nikkor 200-500MM F/5.6E ED VR). The study area was visited thrice a week (observation period: 3 hours in the morning and 3 hours in the evening).During the first week of the observation period, two full days were spent in the study area.

Observations: On 05 May 2022, during field work carried out by the research scholars and research supervisors, Govt. College Kota, Kota, Rajasthan,the team observed six individuals of Oriental Pratincoles hovering over the bank of Alania dam (24p 59'48.85"N, 75p 51'52.23"E). The observed birds were flying fast, constantly changing directions and producing calls. It is a common behaviour in pratincoles. Soon after, a nest clutch with three eggs was spotted at the dried out bare flat formed due to receding of water from the dam, surrounded by small grasses (Fig 2). New nesting material was not added by the pratincole.

Eggs were oval or sub-elliptical in shape, smooth, creamy coloured, spotted and streaked black or dark brown. The two eggs were laid on May 08, 2022 and the third egg followed on May 10, 2022. After the eggs were laid, the Pratincoles started incubating them (Fig.4). After that, the bird activities were observed silently just away from the nest.Following 12 minutes of observation, another Oriental pratincole landed about 4-5 meters away from the nest and watching over us and producing a continuous threat call. In the evening both the pratincoles the nest to forage, returning a few minutes after. The parents continued to incubate the eggs during the night. When there was a potentialthreat like a bird of prey flying over the nest, the parents quickly used to distract it through broken wing display (Fig 6).In the evening of May 26, a small crack was seen on an egg. The two eggs had completely hatched and the chicks were seen chirruping around the parents (Fig.5).Both the parents cleaned the nest by carrying the broken eggshells and other remains and disposing them far away. The chicks moved around the nest while the parents continued to incubate the third egg.The third egg was found abandoned onMay 29, when the parents and the chicks left the nest area in search of food. Both parents tried to remove the debris left over by abandoned egg.

Different types of insects were recorded during the study period. Both the parents were involved in feeding the chicks. During hot afternoon, the parents protected the chicks from the harsh sunlight by standing over it (Fig 8). The parents fed the chicks for about three weeks, after which the chick started feeding on its own. The juveniles leave their parents once they are mature and capable of feeding for themselves.

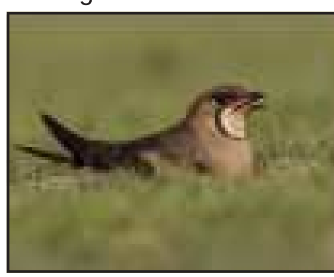

Fig 4: A parent incubating the eggs.

Fig 5: Newly hatch chirruping chicks.

Fig 6: Destructive behaviour of Oriental Pratincole

Fig 7: Parental care of Oriental Pratincole.

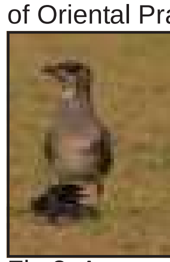

Fig 8: A parent projecting the chick

Fig 9: Oriental pratincole chick

Fig 10: A well grown juvenile

from the afternoon sun seen near its nest
© HARSHIT SHARMA (All photos in this paper)

Result: Oriental Pratincoles are poorly studied species because of low breeding densities. In the present work a detailed report of observations for the Oriental Pratincole has been presented. It is a matter of complete exploration of the breeding ecology, parental behaviour and life history of the Oriental Pratincolewhich would be relevant for the species as a whole. The study of the nest provided four key resultseg. preliminary insight into the ethology and ecology of the breeding Oriental Pratincole. However, there is a need for further researchbased on the various aspects of the Oriental Pratincole revealed through the study. Further studies on a large scale will help us to understand the ecology of the Oriental Pratincole, which will need to direct efforts towards the conservation of this species in India.

Conclusion: These birds face many natural as well as anthropogenic threats as these are small birds and are unable to chase off invaders like stray dogs and other raptors. Some rules and regulations have been constituted against fishing etc. but still fishermen are regularly fishing in the dam.Grazing of livestock along the banks cause serious threats to the nests of these shorebirds. Poaching is one of the greatestthreats to the birds. All these problems can be reduced by awareness of local people.

References:-

1. Ali, S. and Ripley, S.D. (1987). Handbook of the Birds of India and Pakistan, together with those of Bangladesh, Nepal, Bhutan, and Sri Lanka. *Oxford University Press*, Delhi, 261pp.
2. Balachandran, S., Sathiyaselvam P.,and Panda S., (2009). Bird Atlas of Chilika. *Bombay NaturalHistory Society*, Mumbai and Chilika Development Authority Bhubaneswar, 326pp.
3. BirdLife International (2020). Species factsheet: *Glareolamaldivarum*. Downloaded from http://www.birdlife.org on 30/04/2020.
4. Gopi, G.V. andPandav B., (2007). Avifauna of Bhitarkanika mangroves, India. Zoos' Print Journal 22(10): 2839–2847. https://dx.doi.org/10.11609/JoTT.ZPJ.1716.2839-47
5. Grimmett, R., Inskipp C.,andInskipp T., (2011). Birds of the Indian Subcontinent. *BloomsburyPublishing, Helms*, London, 384pp.
6. Hanane S., Boukhriss J., andSelmi S., 2010. Breeding ecology of Collared Pratincoles Glareolapratincola in two coastal habitats in northwest Morocco. *Bird Study* 57: 236–243.
7. Higgins, P.J. and Davies S.J.J.F., (1996). Handbook of Australian, New Zealand & Antarctic Birds. Volume 3: Snipe to Pigeons. Melbourne, *Oxford University Press*, 1,028pp.
8. Jayasinghe, S., Ranasinghe R.W.and Seneviratne S.S., (2018). Parents' role on egg temperature homeostasis of a ground-nesting shorebird: Oriental Pratincole. *Wildlanka* 6(2): 84–93.
9. Khan, A.N. (2017). First Record of Oriental Pratincole Glareolamaldivarum from Lakshadweep Archipelago. *Journal of the Bombay Natural History Society* 114: 1.
10. Manakadan, R., Daniel J.C., BhopaleN. and Dick J.H., (2011). Birds of the Indian Subcontinent – A Field Guide. *Bombay Natural History Society*, Mumbai, 262pp.
11. Nair, M.V., Panda S.& Pradhan A.K., (2014). Hirakund wetlands, Odisha: A little known refuge and potential IBA for wintering waterfowl. *Waterbirds of India*. Wildlife Institute of India, Dehradun, 368pp.
12. Rasmussen, P.C. and Anderton J.C., (2012). Birds of South Asia. The Ripley Guide. Vols 1 and 2. 2nd edition. *National Museum of National History – Smithsonian Institution, Washington DC,* Michigan State University, Michigan, and Lynx Editions, Barcelona, 1067pp.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Chalcone: A Wonder Compound with Diverse Applications

Dr. Sudha Sukhwal Shringi* Dr. Seema Gulati Preeti Agrawal*****

***Associate Professor (Chemistry) Rajrishi College, Alwar (Raj.) INDIA**
****Associate Professor (Chemistry) Rajrishi College, Alwar (Raj.) INDIA**
*****Assistant Professor (Chemistry) Rajrishi College, Alwar (Raj.) INDIA**

Abstract - Chalcone, a wonder compound with manifold applications and vast usefulness has been astonishing the scientists from ancient days. Chalcones also known as benzylidene acetophenone are a class of flavonoids. There are number of methods available to synthesize broad range of chalcones in laboratory. They either natural or synthetic show diverse uses as antidepressant, anti-anxiety, anti-nociceptive, anti-malarial, anti-bacterial, Anticancer, cytotoxic, anti-inflammatory, antioxidant, antifungal, anti-HIV, anti-tubercular, anti-diabetic, antiviral and many more.

In this review we are discussing the synthesis of chalcones and their diverse applications to outline the multiple usefulness of the wonder compound chalcones. This review would be useful in developing new compounds having medicinal applications based on previous research.

Key words- Chalcones, synthetic methods, applications of chalcones.

Introduction - In recent years, chalcones and its derivatives have been of great interest to various scientists across the globe owing to their multiple applications and usefulness.

Chalcones are the precursors of flavonoids which are found ample in plants, most conspicuously in flowers. These are yellow naturally occurring pigments which have many alternative names like phenyl styryl ketone and benzal acetophenone. They play an ecological role in nature in relation to plant color [1]. The term chalcones was first coined by the scientist Kostenecki[2]. Chalcones are open chain flavonoids in which the two aromatic rings are joined by a three carbon α,β-Unsaturated carbonyl system Fig 1

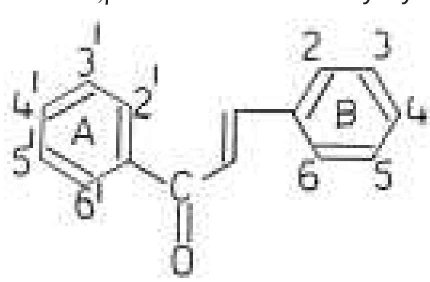

Fig 1

Synthesis of chalcones: Chalcones and their derivatives have been synthesized in the laboratory by a number of methods. Some quick, environmental friendly and important ones such as Claisen- Schmidt reaction, Green synthesis of chalcones, microwave assisted synthesis, Aldol condensation, one pot synthesis are given below.

Green synthesis of chalcones: Green synthesis of chalcones is the need of the day to save our environment. Dewi Septianingtyas et al. reported green synthesis of chalcones[3]. They synthesized chalcone derivatives at room temperature by the simple process of stirring starting from 5 mmol different benzaldehyde and acetophenone in the presence of catalyst 60% KOH solution, followed by stirring for 1.5 hrs. and kept for 16 hrs., than a 10%solution of HCl was added to get crystals followed by recrystallisation. They synthesized chalcone derivatives and found that the yield of hydroxyl substituted chalcones was higher as compared to derivatives without substitution.

Microwave assisted synthesis: Chalcones are also prepared by ecofriendly Microwave assisted methods. Y K Srivastava prepared chalcones by using a microwave[4]. O-Hydroxy acetophenone(0.01mol), substituted benzaldehyde (0.01mol) and anhydrous K2CO3 were mixed together and a paste was prepared which was air dried and irradiated in microwave for 3-5 minutes. When the reaction was completed, the contents were dissolved in ethanol, filtered and filtrate was concentrated in vacuum and left overnight to get chalcones in 80-90% yields.

One pot synthesis: An easy and quick way to synthesize Chalcones is by one pot synthesis. R.M. Pathade at al. reported an efficient one pot synthesis of some chalcone derivatives[5]. A mixture of 2-acetyl pyridine (0.05M), and aryl aldehyde (0.05M) was stirred at room temperature with aq. NaOH (0.025M) and water (20ml), kept overnight and poured in ice cold water followed by addition of dil. HCl, the mixture was filtered and crystallized from ethanol.

Claisen-Schmidt reaction: The most convenient method used for the preparation of chalcones is the one that

necessitates the Claisen Schmidt reaction of equimolar quantities of a substituted acetophenone with substituted benzaldehyde in the presence of aqueous alcoholic alkali[6]. (Fig 2). In this reaction the concentration of alkali used generally ranges between 10 and 60%. The reaction is carried out at about 50 degrees centigrade for 12-15 hrs. or at room temperature for one week.

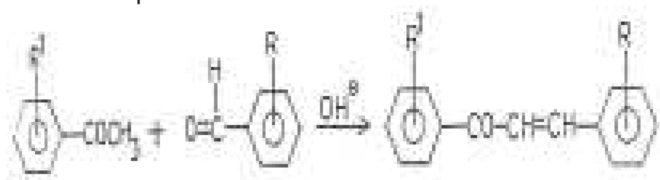

Fig 2

Optimized procedure: Pankit.R. Shah et al. prepared chalcones by optimized process using the sonication method which reduced the time to just 15 to 30 min[7], with less amount of solvent and the % yield was comparable to conventional procedure. A mixture of acetophenone (10 mmol), aromatic aldehyde (10 mmol), KOH and solvent were taken in a beaker and sonicated for 15–30 mins in the water bath of an ultrasonic cleaner bath, cooled in ice water bath and the precipitate formed was filtered, dried and recrystallized with alcohol to form chalcones.

Aldol condensation: Aldol condensation is one of the most efficient way to prepare Chalcones. Hiren Vidja et al. synthesized chalcones by two methods, first is Aldol condensation with solvent and another is solvent free Aldol condensation dry process[8]. The compounds were synthesized by Aldol condensation of appropriate aromatic ketones with appropriate benzaldehydes. The yield of the chalcone product by Aldol condensation with solvent was 58.41% and solvent free Aldol condensation was 65.29%.

Biological activities of chalcones: The presence of á,â - Unsaturated carbonyl system in chalcones makes them efficient biologically active compounds. Chalcones are promising compounds due to their extensive biological and medicinal activities. They are well known and exhibit numerous pharmacological properties such as anti-cancer, anti-inflammatory, antitubercular and many more.

Anti-depressant, Anti-anxiety and antinociceptive activity: Many scientists have reported that chalcones possess anti-depressant activity. Josefina Higgs et al. synthesized chalcones and studied their biological properties [9]. The chalcones were studied in mice with different behavioral tasks and they concluded that one chalcone nuclei showed antidepressant activity, 5'-methyl-2'-hydroxy chalcone showed anxiolytic effect, 5'-methyl-2'-hydroxy-3'-nitro chalcone showed antinociceptive activity.

Antimalarial activity: Antimalarial activity is exhibited by derivatives of chalcone for e.g. 2,4-dimethoxy-4'butoxy chalcone showed strong activity against human malaria parasite plasmodium falciparum In vitro, and rodent parasites plasmodium berghei & plasmodium yoelii In vivo, which has been reported by Chen et al.[10]

Antibacterial activity: Chalcones are potential biocides because some naturally occurring antibiotics and amino chalcones probably owe their biological activity to the presence of α,β- unsaturated carbonyl group. Two series of chalcone derivatives containing S-Triazine and acetamido group were synthesized by Pankit.R shah (Gala) et al. All of them were tested for their antibacterial activity and were found to be active against both gram positive and gram-negative bacteria.[7]

Anticancer activity: Cancer is one of the major leading cause of death globally and finding treatment of cancer is urgent need of mankind. Suvitha Syam et al. found that some chalcone compounds were too active cytotoxic agents towards many cancer cell lines [11]. They revealed that these four active compounds1,3-diphenyl propenone, 3-(2-chlorophenyl)-1-phenylpropenone, 3-(2-hydroxy phenyl)-1-p-tolyl propenone, 3-(3-chloro phenyl)-1-phenyl propenone, showed apoptosis induction in MCF-7 cells with the involvement of caspase-7, caspase-8 and caspase-9.

Cytotoxic activity: Bhat et al. have reported a new class of chalcone derived pyrazoles such as 3,5-diphenyl, 1 H-Pyrazoles as potential cytotoxic agents[12].

Anticancer, Anti-inflammatory and Antioxidant activity: Babasaheb P. Bandgar et al. have synthesized & assessed a series of 2,4-dimethoxy and 3,4,5-trimethoxy chalcones for their biological activities and concluded that3,4,5-Trimethoxychalcones inhibit the growth of five human cancer cell lines[13]. Some of them preferentially inhibit the cell lines more or similar with the standard anticancer agents (flavopiridol and gemcitabine). Anti-inflammatory and antioxidant activities were also shown by the same compounds.

Antifungal activity: Fungi can be found throughout the world and survive in all kinds of environments. Some species can infect humans and cause illness. Deepa Gupta et al. studied the antifungal activity of chalcone derivatives and found that Chalcone derivatives showed inhibitory effect against *M. gypseum* species of fungus [14]. They also revealed that among the chalcone derivatives so synthesized, two of them, that is, 4-chloro derivative, and

unsubstituted derivative of chalcone showed antifungal activity superior to ketoconazole. Thus, these potential new molecules are useful as antifungal agents.

Anti HIV agents: Amy L Cole et al suggested that O-benzyl-substituted chalcones were identified as promising anti-HIV agents [15].

Anti-tubercular activity : Tuberculosis has been a major concern since decades and a lot needs to be done to find new medicines for its cure. Shadab Alam et al. have synthesized a series of chalcones of 4-acetyl pyridines and substituted aryl aldehydes and evaluated them for their anti-tubercular activity, anti-inflammatory activity and antioxidant activity [16] . They concluded that the chalcone derivatives 3-(4-chlorophenyl)-1-(pyridine-4-yl) prop-2-en-1-one have exhibited significant anti-tubercular activity against Mycobacterium tuberculosis H37 Rv using MABA method and anti-inflammatory activity using bovine serum albumin assay, whereas 1-(pyridine-4-yl)-3-tolyl prop-2-en-1-one have exhibited significant anti tubercular and antioxidant activity.

Lagu SB et al. did the Antitubercular activity assessment of fluorinated chalcones, 2-aminopyridine-3-carbonitrile and 2-amino-4H-pyran-3-carbonitrile derivatives In vitro, molecular docking and in-silico methods.[17] They suggested that these derivatives are prospective lead molecules for the development of novel antitubercular drugs.

Anti diabetic activity , Antioxidant activity: Diabetes is a chronic metabolic disease characterized by elevated levels of blood sugar which is affecting millions worldwide and there is a lot that needs to be done for treatment and cure. Hafsa Iqbal reported that chalcone derivative cb6(E)-3-(4-fluorophenyl)-1- phenylprop-2-en-1-one, significantly reversed the alloxan induced hyperglycemia and the biochemical and oxidative stress parameters were also improved.[18] This chalcone also improved the activity of endocrine tissues of pancreas.

Antiviral activity: Zhihua wan et al. synthesized a series of novel 4-thio quinazoline derivatives containing chalcone moiety, and tested them for their antiviral activity against TMV. They found that most of these compounds showed moderate to good anti-TMV activity [19].

Conclusion: This review elaborates the various methods of synthesis of chalcones and its derivatives which are eco-friendly and save time. It is very interesting to note that chalcones and its derivatives are wonder compounds with the α,β unsaturated carbonyl system which can be modified easily and new derivatives can be designed with ease. Also, the different medicinal applications of chalcones and its derivatives are discussed which will promote the researchers and scientists to synthesize new biologically active chalcone derivatives which will definitely be useful for mankind and will make new pathways for new drugs.

References:-

1. Z Nowakowska, Eur J Med . Chem 200742(2) 125-137
2. Kostanecki, S.V. and Tambor, J. ChemBer. 1921, 1899, 32
3. Dewi Septianingtyas, Nahda Zafira, Zulhipri, FeraKurniadewi, Hanhandianhar, AIP conference proceedings (2021) 2331, 040020
4. Y. K. Srivastava, Rasayan J. Chem. 2008 ,vol 1, no. 4 , 884-886
5. R.M.Pathade, S.K.Pagariya , P.S.Bodkhe , D.N.Pippere , JETIR , February 2020 , Volume 7, Issue 2 . 610-612
6. D.N. Dhar Chemistry of Chalcones , Wiley, Newyork, 1981
7. Pankit.R.Shah (Gala), Shraddha Phadke, Priyanka Borole / Int. J..pharm . Phytopharmacon. Res. 2014 , 4 (2) 95 -99
8. Hiren Vidja , Bharat Shiyalia , Jinal Patel, Ashish Nagar , Synthesis of chalcones, JETIR July 2020 vol. 7 issue 7 . 915-923
9. Josefina Higgs, Cristina Wasowski, [...], and Mariel Marder , 2019, Heliyon, Mar, 5(3):E01376
10. M. Chen, S. Brøgger Christensen, L. Zhai, M. H. Rasmussen, T. G. Theander, S. Frøkjaer, B. Steffansen, J. Davidsen, and A. Kharazmi, JID 1997, issue 5,176 (November) 1327-1333
11. Suvitha Syam, Siddig Ibrahim Abdelwahab, Mohammed Ali Al-Mamary and Syam Mohan *Molecules* 2012, *17*, 6179-6195; doi:10.3390/molecules17066179
12. B. A. Bhat,K. L. Dhar,S. C. Puri,a A. K. Saxena, M. Shanmugavelb and G. N. Qazi , Bio Organic and medicinal chemistry letters 15 (2005) 3177-3180
13. Babasaheb P. Bandgar, Shrikant S. Gawande, Ragini G. Bodade, Jalinder V. Totre, Chandrahas N. Khobragade, Bioorganic and medicinal chemistry 18 (2010) 1364 -1370 .
14. Deepa Gupta and D k Jain , J Adv Pharm Technol Res. 2015 Jul-Sep , 6 (3) ,114-117
15. Amy L Cole [1] , Sandra Hossain [2] , Alex M Cole [1] , Otto Phanstiel 4th Bioorg Med Chem 2016 Jun 15 , 24 (12) 2768 -76 .
16. Shadab Alam, Rakesh panda and Monica Kachroo, Indian Journal of Chemistry, vol.53 B , April 2014 , pp 440-443 .
17. Lagu SB, Yejella RP, Nissankararao S, Bhandare RR, Golla VS, Subrahmanya Lokesh BV, et al. (2022) , PLOS ONE 17(6): e0265068. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0265068 June 16 ,2022, 1-12.
18. Hafsa Iqbal , Int. Res. J. Pharm. Pharmacol. 2020Vol. 8, No. 6,
19. Zhihua wan, Deyu Hu, Pei Li, Dandan Xie, and Xiuhai Gan, Molecules, 2015, Jul 20 (7) , 11861 - 11874

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

कृषि भूमि उपयोग में पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में

रमेश पवार* डॉ. मोहन निमोले**

* शोधार्थी (भूगोल) विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र) भारत

शोध सारांश – बड़वानी जिला कृषि पर आधारित है। जिले की कुल भूमि मे से कृषि योग्य भूमि 60.32 प्रतिशत है। भूमि उपयोग के विभिन्न रूपों में कृषि उपयोग एक महत्वपूर्ण अंग है। कृषि कार्य स्थाई नही होते है, बल्कि ये परिवर्तनशील होते है। इन्ही परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कृषि भू-दृश्य में परिवर्तन होता रहता है, जो उसके विकास स्तर का द्योतक है। बड़वानी जिले में कृषि स्वरूप एवं कृषि भूमि उपयोग में भारी परिवर्तन हुआ है। जिले की कृषि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन पूर्ति के साथ आवश्यकताओं की पूर्ति भी कृषि से की जाती है। जिले की कृषि में यांत्रिकरण, सिचाई सुविधाओं, रासायनिक खादों का उपयोग एवं कीटनाशक दवाओं का उपयोग बढ़ा है। उन्नत बीजों के उपयोग में भारी वृद्धि के साथ ही कृषि पद्धति एवं तकनिक में सुधार देखने को मिलता है। जिसके परिणाम स्वरूप जिले में कृषि उत्पादकता में वृद्धि है।

पर्यावरण के दूषक पदार्थो के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोषों को कहते है। प्रदूषक पर्यावरण को ओर जीव-जन्तुओं को नुकसान पहुचाते है प्रदूषण का अर्थ हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवाछित द्रव्यों के दूषित होने से जिसका प्रभाव सम्पूर्ण मानव जीवन पर होता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण कृषि भुमि प्रदूषण होता है, जिससे मिट्टी की भौतिक,रासायनिक या जैविक गुणों पर इसका प्रभाव पड़ता है।

शब्द कुंजी – बड़वानी जिला, कृषि भूमि उपयोग, पर्यावरण प्रदूषण।

प्रस्तावना –कृषि भूमि उपयोग आमतौर पर कृषि के लिए समर्पित होती है, जो जीवन के अन्य रूपो को व्यवस्थित और नियंत्रित करती है। कृषि भूमि उपयोग विशेषकर पशु पालन, फसलों के उत्पन्न मनुष्यों के लिये भोजन का उत्पादन करने के लिये खेत या खेती के साथ-साथ पशुपालन एवं चारागाह के लिये भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिये किया जाता है। भूमि उपयोग प्राय: पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्य द्वारा उपयोग को सूचित करता हो सामान्य जमीन के हिस्से पर होने वाले वाले आर्थिक क्रिया-कलापों को सूचित करते हुए उसे वन भूमि, कृषि भूमि, चरागाह क्षेत्र इत्यादि वर्गो में बांटा जाता है। और अधिक तकनिकी भाषा में भूमि उपयोग को किसी विशिष्ट भू आवरण प्रकार की रचना परिवर्तन अथवा संरक्षण हेतु मानव द्वारा उस पर किये जाने वाले क्रियाकलापों के रूप में परिभाषित किया गया है।

वृहद स्तर पर ग्रेट ब्रिट्रेन में प्रथम भूमि उनयोग सर्वेक्षण सन् 1930 ई. में डडले स्टाम्प महोदय द्वारा किया गया था।

कृषि भूमि उपयोग अध्ययन का प्रमुख अंग हैं। क्योंकि भूमि और उपयोग दोनों ही अपने आप में अलग-अलग बाते है भूमि मानव द्वारा विभिन्न क्रियाकलप किये जाते है तथा मानव भूमि उपयोग अपने विभिन्न प्रयोगों के आधार पर अनेक रूप में करता है। भूमि पर सदीयों से उपयोग मानव अपनी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपडा मकान,की पूर्ति करने में करता है। चाहे व उपयोग जनसंख्या बसाव में हो तथा वृहद उपयोग में हो चाहे कृषि करने में हो या यातायात मार्गो में हो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि एक प्रयोग के उद्देश्य से भूमि का किसी रूप में उपयोग ही भूमि उपयोग कहलाता है। किसी क्षेत्र की सम्पूर्ण भूमि का विभिन्न कार्यो के लिये किया जाने वाला उपयोग भूमि कहलाता है। भारत में भूमि उपयोग वन बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, चालु परती भूमि, अन्य परती भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र आदि पर किया कार्य भूमि उपयोग कहलाता है।

कृषि भूगोल के सन्दर्भ में कृषि भूमि उपयोग एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। भूमि उपयोग अध्ययन से प्रादेशिक वितरण के प्रतिरूप का ज्ञान होता है। कृषि प्रणाली, फसलों का वितरण घास के मैदान अन्य प्राकृतिक, वनस्पति, उद्योग व अधिवासों तथा अन्य कार्यो में आई गयी भूमि आदि के प्रादेशिक विवरण का सही ज्ञान होता है। तथा इस ज्ञान के आधार पर भविष्य के अतिरिक्त अन्य उपयोग के नियोजन में भूमि के आवंटन का नियोजन भी संभव होता है। इस पंकार का नियोजन अन्य देशों के लिये विशेष महत्व होता है जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है तथा कृषि उत्पादन की खपत अधिक है।

भारत में कुल कृषि योगय भूमि के 72 प्रतिशत भाग पर ही अच्छी वर्षा हाती है, शेष 28 प्रतिशत भाग पर सिचाई के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है।

तालिका 1 कृषि भूमि का उपयोग हेक्टेयर में

तहसील	क्षेत्रफल	वनक्षेत्र	कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नही है	अन्य अकृष्य भूमि जिसमे पड़ती	कृषि योग्य भूमि
बड़वानी	45782	-	18957	556	260

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

पाटी	47034	–	20134	454	1009
ठिकरी	56575	–	17512	618	790
राजपुर	75572	–	23820	649	768
पानसेमल	29424	–	3618	378	909
निवाली	35239	–	6767	434	1275
सेंधवा	81706	–	9844	492	3343
वरला	28426	–	2792	401	105
अजड़	26762	–	8537	227	395

स्त्रोत– अधीक्षक भू–अभिलेख बड़वानी

कृषि क्षेत्र का वितरण– बड़वानी जिले में कृषि भूमि उपयोग के अन्तर्गत वन क्षेत्र से घिरा क्षेत्र जिले में मात्र 6.5 प्रतिशत है। यह क्षेत्र सेंधवा तहसील में सर्वाधिक 15.29 प्रतिशत है, इसके पश्चात पानसेमल और निवाली तहसील में क्रमश: 10 व 9.7 प्रतिशत है। यह इस और संकेत करता है, कि भूमि के उपयोग में वन, क्षेत्र बढ़ना आवश्यक है।

कृषि के लिये अनुपयुक्त भूमि – बड़वानी जिलें में कृषि के लिये अनुपयुक्त भूमि यह वह भूमि है, जिसका प्रयोग कृषि के लिये नही रहा है। ऐसी भूमि 22 प्रतिशत है, और सबसे कम पानसेमल व सेंधवा तहसील में लगभग 9 प्रतिशत है।

अन्य व अकृषि भूमि – इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि आती है, जिसमें पशुओं के स्थायी चरागाह अन्य घास क्षेत्र तथा छितराऐं पेड़ व झाड़िया पायी जाती है। यह जिले के लगभग 5 प्रतिशत क्षेत्र को घेरे है। सेंधवा तहसील में यह 2.8 प्रतिशत है जो सबसे कम है।

तालिका 2 : भूमि का उपयोग हेक्टेयर में

तहसील	पड़ती भूमि	निरा क्षेत्र	कूल क्षेत्र
बड़वानी	1304	25106	31732
पाटी	348	21865	24667
ठिकरी	618	18121	23731
राजपुर	2334	45956	54471
पानसेमल	586	24312	31635
निवाली	1143	22590	27149
सेंधवा	2241	54577	62046
वरला	282	19358	21573
अजड़	685	17353	21065

स्त्रोत–अधीक्षक भू–अभिलेख बड़वानी

पड़ती भूमि – इसके अन्तर्गत उस भूमि को सम्मिलित किया जाता है, जो कृषि योग्य तो है परन्तु उसका उपयोग कृषि के लिये नही किया जा रहा है। सम्पूर्ण जिले की 2.75 भूमि इस वर्ग में सम्मिलित है। इसका सबसे कम प्रतिशत ठीकरी तहसील में 1.5 प्रतिशत है जबकी निवाली तहसील में 4.5 प्रतिशत है। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तहसील में पहाड़ी भूमि अधिक है। वहाँ अपरदन के कारण कृषि योग्य भूमि भी अनुपजाऊ हो गयी है और उसे अलाभप्रद के कारण भी किसान उस पर कृषि नही करता है। जिले में कृषि कार्य हेतु भूमि की उपलब्धता तो अधिक है लेकिन सिचाई साधनों की कमी, अल्पज्ञता तथा आर्थिक कारणों के फलस्वरूप कूछ कृषि भूमि पर कार्य नही करते हुऐ साधनों के अभाव में खाली छोड़ देते है। इस प्रकार खाली भूमि छोड़ने के कारण इसका क्षेत्रफल 10728 हेक्टेयर है। जिसका कुल भूमि में प्रतिशत 2.79 है।

निरा बोया गया क्षेत्र– अध्ययन क्षेत्र में निराक्षेत्र कुल भूमि में सर्वाधिक है। सन् 2001 में इसका क्षेत्रफल 232213 हेक्टेयर था जो कुल का लगभग 60.39 प्रतिशत था जो सन् 2011 में बढ़कर 225910 हेक्टेयर हो गया है।

पर्यावरण प्रदूषण– पर्यावरण के दूषक पदार्थो के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोषों को कहते है। प्रदूषक पर्यावरण को ओर जीव–जन्तुओं को नुकसान पहुचाते है प्रदूषण का अर्थ हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवाछित द्रव्यों के दूषित होने से जिसका प्रभाव सम्पूर्ण मानव जीवन पर होता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण कृषि भुमि प्रदूषण होता है, जिससे मिट्टी की भौतिक,रासायनिक या जैविक गुणों पर इसका प्रभाव पड़वा है। जो पर्यावरण,जैविक जीवजन्तुओं एवं पेड़ पौधें के ऊपर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है।

भूमि प्रदूषण– भूमि के भौतिक व रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों पर पड़ता या जिससे भूमि की गुणवता तथा उपयोगिता नष्ट होती है तो वह भूमि प्रदूषण कहलाता है। इसके अन्तर्गत घरो के कूड़ा करकट के अन्तर्गत झाड़ना बुहारन से निकली धूल व काँच की शीशीयों व पालीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक के डिब्बे, अधजली लकड़ी , चूल्हे की बुझी हुई अंगारे आदि शामिल हैं।

भूमि प्रदूषण का प्रभाव:

1. कृषि योग्य भूमि की कमी।
2. भोज्य पदार्थो को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिये हानिकारक भूस्खलन से होने वाली हानियाँ।
3. जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि।

अध्ययन क्षेत्र– अध्ययन का क्षेत्र बड़वानी है। जिले में 9 तहसीले है भौगोलिक दृष्टि से देश के सर्वाधिक विषमताओं वाला बड़वानी जिला मध्यप्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। जिले की समुद्र तल से ऊँचाई लगभग 177 मी. है। बड़वानी जिला 21°37' उत्तरी अक्षांश से 22°22' उत्तरी अक्षांश तथा 74°27' पूर्वी देशान्तर से 75° 30' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5447 वर्ग कि.मी. है। बड़वानी जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार 13,85,881 जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 255, लिंगानुपात 982 तथा साक्षरता 49.08 प्रतिशत है। बड़वानी जिला कृषि पर आधरित है। जिले की कुल भूमि में कृषि योग्य भूमि 60.32 प्रतिशत है। जिले की विभिन्न विकास खण्डों में बड़वानी 56.67 प्रतिशत पाटी 42.02 प्रतिशत ठीकरी 63.37 प्रतिशत राजपुर 62.36 प्रतिशत पानसेमल 75.24 प्रतिशत निवाली 60.81 प्रतिशज सेंधवा 66.85 प्रतिशत है। जिसमें सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि पानसेमल विकासखण्ड जबकी सबसे कम पाटी विकासखण्ड में है। कृषि भूमि का सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक पानसेमल में तथा सबसे कम पाटी में है।

उद्देश्य:

1. जले में कृषि भूमि उपयोग पर बढ़ते जनसंख्या दबाव से पर्यावरणीय प्रभाव हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
2. जिले में कृषि सम्बन्धी केन्द्र व राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन।
3. कृषि भूमि उपयोग के परिवर्तनों का अध्ययन करना।
4. अध्ययन क्षेत्र में जिले के भोगोलिक स्वरूप का अध्ययन।
5. बड़वानी जिले में कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूपों पर बड़ते जनसंख्या दबाव से उत्पन्न समस्याओं और भावी विकास हेतु सूझाव प्रस्तुत करना।

विधितंत्र– प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकडों के माध्यम से कृषि भूमि उपयोग का पर्यावरण प्रभाव के अध्ययन पर अधारित है।

शोध परिकल्पना:

1. बड़वानी जिले में बढ़ती जनसंख्या के दबाव से भूमि उपयोग निरंतर बदल रहा है।
2. बढ़ते भूमि उपयोग से बड़वानी जिले में पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो रही है।

पर्यावरण पर प्रभाव:

1. खदानों या निर्माण कार्य जैसी गतिविधियों के कारण पारस्थितिकी प्रणालियों की बर्बादी।
2. खेतों मे मिट्टी के पाषक तत्वों में कमी के कारण उत्पादन क्षमता में कमी।
3. मछली,घास या औषधीय पौधें जैसी प्रजातियों का अधिक दोहन।
4. कृत्रिम रसायोनों के अति उपयोग से पोषक तत्वों की भरमार या प्रदूषण के कारण।

निष्कर्ष – बड़वानी जिला कृषि पर आधारित है। जिले की कुल भूमि मे से कृषि योग्य भूमि 60.32 प्रतिशत है। इसमें से कुल कृषि भूमि में सिचिंत क्षेत्र का 30.39 प्रतिशत है। कृषि भूमि उपयोग का अत्यधिक क्षेत्रीय असन्तुलन पाया जाता है। तीव्रगति से बढती जनसंख्या वृद्धि के कारण सबसे अधिक दबाव कृषि भूमि पर पड़ता है। जिले की धरातलीय बनावट के कारण जिलें कृषि भूमि के क्षेत्र में वृद्धि होना आसानी से सम्भव नही है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि का उपयोग के लिये जीवन निवाहक मूलक है। जिले में पैदा की जाने वाली फसलों में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है इस विभिन्नता का मुख्य कारण भूमि की बनावट एवं मिट्टी का एक समान न होना है।

समाधान:

1. रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर एकिकृत सयंत्र पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाकर मिट्टी के गुणों को मजबूत करना चाहिए।
2. लवणता युक्त मिट्टी के सुधार के लिए वैज्ञानिकों द्वारा सुझाऐ गये रसायनों का उपयोग करना चाहिए।
3. खेतों में जल निकासी को दुर करने के लिये जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए।
4. वनों के कटाई को प्रतिबंधित करके म्दा के क्षरण को रोका जाना चाहिए।
5. बाढ़ से नष्ट हुई भूमि की रक्षा के लिए आवश्यक योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन होना चाहिए।
6. भूमि उपयोग और फसल प्रबंधन पर ध्यान क्रेद्रित करना अत्यन्त आवश्यक होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

रामचरितमानस में सामाजिक सद्भाव

डॉ. गोरा मुवेल*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना –तुलसीदास का रामचरित मानस समाज दर्शन का बहुत बड़ा दर्पण है। तुलसीदास ने समाज का आदर्श पूर्वक चित्रित किया है। मानव और समाज का पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त गहरा है। यदि मानव समाज की इकाई है तो समाज समष्टि का बोधक। समाज में रहकर व्यक्ति अपने चरित्र, बल, बुद्धि, विवेक आदि गुणों का विकास करता है और सामाजिक तत्वों की वृद्धि में सहायक बनकर समाज के उत्तरोत्तर विकास का सोपान बनता है। एक तरफ व्यक्ति समाज से पाता है दूसरी तरफ वह समाज को नवीन स्फूर्ति और नया तराना देता है, जो युग का संदेश तो होता ही है, कभी-कभी युग-युग का संदेश बन जाता है। समाज और व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को उत्तेजना देते है। जिससे व्यक्ति सामाजिक जीवन को ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन को भी सफल बनाता है। श्रेष्ठ जीवन समाज का सूत्र है और समाज पारस्परिक निर्भरता और सहयोग का जीवन है।

तुलसीदास जी का जीवन दुर्घटनाओं का जीवन था, आराम चैन का सुखद जीवन उनको कभी नसीब नहीं हुआ। बचपन में माता-पिता का स्वर्गवास और सांस्कृतिक क्षेत्र में आन्दोलन के फलस्वरूप घोर विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों और जीवन के अति अभावों ने उन्हें महाकवि तुलसीदास बनाया। प्राचीन सामाजिक आदर्श के अमृत से अपने काव्य को अमरता प्रदान कर भारत की जनता के सामाजिक उद्धार के लिए प्राचीन आदर्शो की पुष्टि की। यह महौषधि भारतीय जनता के रग-रग में व्याप्त हुई और आज हम स्वाधीनता के तट पर खड़े सामाजिक उद्धार की राह देख रहे हैं।

भारत का आदर्श वही हो सकता है जो भारतीय ग्रामीण जनता के हृदय का आदर्श है। मुस्लिम सामाजिक आदर्शो और भारतीय आदर्शो में गहरी असमानता है। यही कारण है कि तुलसी ने हिन्दू सामाजिक जीवन पर आघात होता देख कर विषमता को पराभूत करने के लिए प्राचीन सामाजिक आदर्शो की सृष्टि काव्य में की। इसलिये वे न केवल भारत के अत्यन्त लोकप्रिय कवि हैं अपितु भारतीय सामाजिक आदर्शो के नवीन संस्थापक भी है। प्राचीन और तत्कालीन समाज की गहरी खाई को भक्ति के माध्यम से पाटकर कवि ने प्राचीन सामाजिक विचारधारा का नवीन संस्करण प्रस्तुत कर भारत की आत्मा को नया संदेश ही नहीं अपितु नयी दिशा भी दी, जिस पर चल कर भारत की आदर्श-प्राण जनता जीवन के लौकिक सुखों की वृद्धि कर सके और मानवीय मूल्यों और तथ्यों की सम्यक् रक्षा करते हुए आदर्श जीवन बिता कर पूर्ण मानव की परिकल्पना को सार्थक बनाये।

गोस्वामी तुलसीदास का सामाजिक और पारिवारिक आदर्श क्या था और उसका वे किस रूप में संगठन करना चाहते थे। इसका वृहत उल्लेख उनके महाकाव्य **'रामचरित मानस'** में हुआ है। कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि ग्रंथों में भी यत्र-तत्र इस विचारधारा का संकेत मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनन्य भक्त थे। भारतीय समाज के अत्यन्त विकसित रूप को स्वार्थ और कुरीतियों के कठोर जाल में उलझा देख कर उन्होंने एक ऐसे समाज को सामने रखना चाहा जिसमें सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों। भारतीय समाज का विकास इसी वर्णाश्रम, धर्म के आधार पर हुआ होगा, इसका सहज अनुमान किया जा सकता है। यह चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास वाली व्यवस्था शास्त्रानुमोदित तथा कवि प्रशंसित व्यवस्था है। जिसका उल्लेख सभी काव्यग्रंथों में मिलता है।

परिवार का विकसित रूप समाज है। परिवार में विद्या, बुद्धि, शील, शक्ति के अनुसार जिस प्रकार ऊँची-नीची श्रेणियाँ स्वत: हो जाती हैं उसी प्रकार समाज में भी ऊँची-नीची श्रेणियाँ का निर्माण होता है। 'कोई आचार्य होगा कोई शिष्य, कोई राजा होगा कोई अफसर होगा, कोई मातहत, कोई सिपाही होगा कोई सेनापति।' फिर भी इतनी श्रेणियाँ के होते हुए भी संघर्ष का नामोनिशान नहीं। आज समता की दुहाई दी जाती है, पर समाज में भेद और संघर्ष दोनों आज भी मौजूद हैं।

भारतीय परिवार के विभिन्न सम्बन्धों को लीजिए। माता-पिता और पुत्र का सम्बन्ध तुलसी जी ने कैसा किया है, उसका अवलोकन कीजिए। राजा दशरथ कैकेयी के विचार जान कर व्याकुल हैं। **'व्याकुल राउ शिथिल सब गाता।'** कैकेयी राम को साफ कह देती है **'सुनहु राम सबु कारनु एहू। राजहिं तुम्ह पर बहुत सनेहू।'** और राम इतना कठोर वचन सुन कर भी शीतल हुए-**'रामहिं मातु बचन सब भाए। जिमि सुरसरि गति सलिल सुहाए'** इस स्थल पर पिता की वात्सल्य भावना और माता का कोप दोनों राम के अपूर्व स्नेह और त्याग के सामने फीके पड़ गये हैं। भरत का भ्रातृप्रेम तो अपूर्व ही है- राम वन में पैदल जा रहे होंगे, यह सोच कर भरत जी पैदल ही चलने लगते है। **'भ्रातृ-भगति'** से भरे भरत नंगे पाँव राम राम पूछते वन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में जब उन्हें मालूम होता है कि यहाँ पर राम ने विश्राम किया था या रात बिताई थी तो उस स्थान को देखकर उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। भरत ने अपने भ्रातृ-प्रेम में त्याग का जो अपूर्व आदर्श प्रस्तुत किया है वह भारतीय समाज के लिए क्या, विश्व-समाज के लिए भी सर्वदा अनुकरणीय रहेगा।

रामचरितमानस मनुष्य के अशांत मन को शांत कर उसमें सद्विचार पैदा करने का सशक्त माध्यम है। इसमें जीवन से मुक्ति नहीं वरन् भक्ति का भाव है। आपस का प्रेम, सद्भाव व उच्च कोटि का संस्कार है। इसलिए बच्चों को बाल्यावस्था से ही मानस का पाठ करना चाहिए। तुलसी का मानस व्यक्ति के पारिवारिक जीवन का मार्गदर्शक है। तुलसीदास इतने सौभाग्यशाली

कवि है कि उन्हें विद्वान तो जानता ही है, अनपढ़ भी जानता है और उन पर उतनी ही श्रद्धा रखता है। लोक में तुलसीदास की वाणी पत्थर की लकीर है जो तुलसीदास ने कह दिया, उससे बड़ा प्रमाण कुछ और हो नहीं सकता। तुलसीदास विश्वमंगल और जन-मन के कवि हैं उन्होंने उपासना और साहित्य को एकीभूत किया तथा जनमानस की श्रद्धा का विषय बनाया।

तुलसीदास के अनुसार समाज के भाग है- व्यक्तिगत और सार्वजनिक। इन दोनों क्षेत्रों में तुलसीदास ने अपनी असाधारण काव्य-शक्ति से महान् संदेश दिया है। '**राचरितमानस**' के पात्रों में लोक-शिक्षा का रूप प्रधान है। पारिवारिक जीवन का आचार **'मानस'** में यथास्थान सज्जित है। पिता, पुत्र, माता, पति, पत्नी, भाई, सखा, सेवक आदि का क्या पारस्परिक व्यवहार होना चाहिए, इन सबका उत्कृष्ट निरूपण तुलसीदास ने अपनी कुशल लेखनी से किया है। **'वाल्मीकि रामायण'** में मानवी भावनाओं के निरूपण के लिये कवि ने अनेक प्रसंग लिखे हैं, जो स्वाभाविक होते हुये भी लोक-शिक्षा के प्रचार नहीं है। लक्ष्मण का क्रोध, दशरथ के वचन आदि औचित्य का अतिक्रमण करते है, पर तुलसीदास ने ऐसे एक पात्र की भी कल्पना नहीं की, जिससे दुर्वासनाओं और अनाचारों की वृद्धि करते हुए चित्रित किया है। सात्विक भावनाओं से भरे हुए पात्रों को तो उन्होंने मर्यादा का आधार ही अंकित कर दिया है।

इन पात्रों की चरित्र-रेखा के साथ अन्य अनेक पात्रों में तुलसीदास ने जिस आदर्शवाद का स्तर निर्धारित किया है, वह समाज को संयमशील बनाने में बहुत सहायक हुआ। यही कारण है कि हिन्दू जीवन में '**मानस**' के पात्र आज भी उत्साह और शक्ति की स्फूर्ति पहुचाँ रहे है।

'उत्तर कांड' में तुलसीदास ने राम-राज्य में समाज का जो चित्र खींचा है, वह वर्णाश्रम धर्म से युक्त है। जब समाज में इस धर्म का पालन किया जावेगा, तभी उसमें सुख-समृद्धि होगी और वह राम-राज्य के समान हो जावेगा। तुलसीदास ने राम-राज्य में आदर्श समाज का जो वर्णन किया है वह इस प्रकार है-

बयरू न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई।।
बरनाश्रम निज निज धरम, निरत बेद पथ लोग।
चलह सदा पावहिं सुख, नहिं भय शोक न रोग।
सब नर करहिं परस्पर प्रीति। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति रीति।
सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरन सेवक नर नारी।।
एक नारि ब्रत रह सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी।।
दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज।
जितहु मनहि अस सुनिअ जग राचन्द्र के राज।।

'बाल कांड' में भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदरपूर्ण स्थान का निर्देश है। सीता के स्वयम्वर में पुरजनों कों यथास्थान बिठलाने का निर्देश करते समय तुलसीदास ने लिखा है-

देखी जनक भीर मै भारी। सुचि सेवक सब लिए हँकारी।
तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाहू। आसन उचित देहु सब काहू।।
कहि मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी।
उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारि।।

तुलसी ने नारी जाति के प्रति बहुत आदर-भाव प्रकट किया है। पार्वती, अनसुइया, कौशल्या, सीता, ग्राम-वधू आदि की चरित्र-रेखा पवित्र और धर्म-पूर्ण विचारों से निर्मित की गई है। कुछ आलोचकों का कथन है कि तुलसीदास ने नारी जाति की निंदा की है और उन्हें **'ढोल, गँवार'** की श्रेणी में रखा है। किन्तु यदि **'मानस'** पर निष्पक्ष दृष्टि डाली जाय तो ज्ञात होगा कि नारी के प्रति भर्त्सना के ऐसे प्रमाण उसी समय उपस्थित किए गए हैं, जब नारी ने धर्म के विपरीत आचरण किया है; अथवा निन्दात्मक वाक्य कहने वाले व्यक्ति वस्तु-स्थिति देखते हुए नीतिमय वाक्य कहते है। ऐसी स्थिति में वे कथन तुलसीदास के न होकर परिस्थिति विशेष में पड़े हुए व्यक्तियों को समझने चाहिए। जैसे-

1. **ढोल गँवार सूद्र पसु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी।।**[1]
2. **नारि सुभाउ सत्य कवि कहहीं। अवगुण आठ सदा उर रहही।।**
   साहस अनृत चपलता माया। भय अविवेक असौच, अदाया।।[2]

पहली उक्ति सागर ने अपनी क्षुद्रता बतलाने के लिए राम से कही और दूसरी रावण ने अपनी महता बतलाने के लिए मन्दोदरी से कही।

तुलसीदास ने समाज का आदर्श विस्तारपूर्वक लिखा, क्योंकि उन्होंने अपने समय में समाज की दुरवस्था देखी थी। समाज-सुधार के लिए ही उन्होंने **'रामायण'** की चरित्र रेखा को अपने **'मानस'** में परिष्कृत कर नवीनता के साथ रख दिया। तुलसीदास की यही मौलिकता थी। उन्होंने अपने 'मानस' में तत्कालीन समाज की आशा का चित्रण बहुत स्पष्टता के साथ किया है। तुलसीदास ने '**मानस**' के उत्तर कांड में कलियुग का जो वर्णन किया है वह उन्हीं के समय की तत्कालीन परिस्थिति थी। उस अंश को पढ़ कर ज्ञात होता है कि कवि के मन में समाज के लिये कितना क्षोभ था। इसी क्षोभ की प्रतिक्रिया उनके लोकशिक्षक समाज-चित्रण के आदर्श में है।

जहाँ सुमति तहँ संपति नाना। जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना।।

यह जोड़ने की शक्ति, यह संधिनी प्रज्ञा ही सुमति है। इसके जागृत होने से भारत वर्ष फिर से विश्वगुरू होगा। द्वेष और विषमता के मिट जाने पर ही आपसी प्रेम, सहयोग एवं साहचर्य बढ़ेगा, समृद्धि होगी और जयशंकर प्रसाद रचित '**कामायनी**' के शब्दों में सर्वत्र अखंड की वर्षा होगी।

अत: कह सकते हैं कि पर्यावरण अर्थात जो हमारे चारों और विद्यमान है, मनुष्य समाज में भी सामाजिक मूल्य व आदर्श चारों ओर मनुष्य को घेरे रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के सामाजिक मूल्यों के आदर्श का जीवन्त प्रतीक **'मानस'** है, जिससे सामाजिक पर्यावरण चेतना अदभुत रूप में मुखर हुई है। '**मानस**' की अमृत वाणी हमारे आंतरिक-बाह्य जीवन को प्राण शक्ति देती रहेगी। भगवान विष्णु के त्रेता युग के राम अवतार पर आधारित यह महान कृति तुलसी के युग सोलहवीं, सत्रहवीं सदी में जितनी प्रासंगिक थी, आज इक्कीसवीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है। तुलसीदास जी अपनी इसी रचनाधर्मिता के लिए 'विश्ववद्य संत' के रूप में सदैव वंदनीय हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. **डॉ. रामकुमार वर्मा,** हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, (वि.संवत् 650-1650), रामनारायण लाल प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता इलाहाबाद। पेज नं.-439-443
2. **डॉ. राजाराम रस्तोगी,** तुलसीदास जीवनी और विचारधारा रामनवमी, (वि.संवत् -2020), अनुसन्धान प्रकाशन आचार्यनगर, कानपुर। पेज नं.-136-148
3. **आचार्य रामचन्द्र शुक्ल,** गोस्वामी तुलसीदास, (संस्करण 2007), अनु प्रकाशन 958, धामाणी मार्केट की गली, चौड़ा रास्ता, जयपूर। पेज नं.-47
4. http://ignited.in/I/a/283054
5. https://panchjanya.com/2022/11/12/256851/bharat/sanatan-darshan-of-harmony/

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

महिला सशक्तिकरण में महिला उद्यमिता की भूमिका

डॉ. निशा शर्मा *

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना –भारत में महिला जहां कालांतर में अपने दया, करूणा, ममता, वात्सल्य जैसे गुणों से जानी जाती थी, वहीं आज की महिला इन सभी गुणों के साथ-साथ नायक, पथप्रदर्शक और एक सशक्त महिला के रूप में विष्श्व में अपनी पहचान बना चुकी है। भारत की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती वह आज अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र चाहे वह कृषि हो या व्यापार एवं वाणिज्य या सेवा क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएँ अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रही है। भारत की महिला उद्यमी ने देश में ही नहीं, वरन् सम्पूर्ण विष्व में अपनी काबिलियत का सिक्का जमाया है। फोर्ब्स सूची-2022 में श्रीमती सावित्रीदेवी जिन्दल सहित 9 भारतीय महिलाओं ने विश्व की अमीर महिला में अपना नाम दर्ज कराया है।

फोर्ब्स ने एशिया-पैंसिफिक की टॉप-50 वूमन की सूची जारी की, जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है और उन्होंने नई पीढ़ी को राह दिखाई :-

संघमित्रा बंधोपाध्याय – पेशे से कम्प्यूटर साइंटिस्ट हैं। 2015 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की पहिला महिला डायरेक्टर बनीं। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित की गई।

माधबीपुरी बुच – मार्च 2022 में बाजार नियामक सेबी की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई।

जरीन दारूवाला – 2016 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया की सीईओ बनीं, 2019 तक बैंक को घाटे से उबार दिया।

इस सूची में फैशन हाउस की संस्थापक अनीता डोगरे, सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल और 2022 का बुकर प्राइज जीतने वाली गीतांजलिश्री का नाम भी शामिल हैं।

दैनिक भास्कर में प्रकाशित दिनांक 13 जनवरी, 2023 के अनुसार,76 प्रतिशत महिलाएँ पिता और 24 प्रतिशत पति का कारोबार संभाल रही, वहीं देश के बड़े उद्योग घराने भी बेटियों पर भरोसा जता रहे हैं।

ईशा अंबानी – रिलायंस जियो को सबसे बड़ा ब्रांड बनाया – 2014 में रिलायंस रिटेल जॉइन किया, जो 42.13 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ देश का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क बना। रिलायंस रिटेल दुनिया का दूसरा सबसे तेज बढ़ता रिटेलर।

निसाबा गोदरेज – 7 बरस में सालाना लाभ 18 प्रतिशत पहुंचा – मई 2017 में पिता गोदरेज ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। तब से गोदरेज कंज्यूमर लिमिटेड सालाना 18 प्रतिशत शुद्ध लाभ कमा रही। 2015-16 में यह रू. 8,305 करोड़, जो 2021-22 में 17,831 करोड़ हो गया।

रोशनी नाडर – 2 वर्ष में शुद्ध मुनाफा 1 हजार करोड़ बढ़ा – जुलाई 20 में पिता शिव नाडर की जगह एचसीएल की चेयरपर्सन बनीं। मार्च 2020 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 8,969 करोड़ रू. था, जिसे कोरोना के बाद भी मार्च 2022 तक 10,874 करोड़ रू. तक पहुंचाया।

विनीता गुप्ता की अधिग्रहण से टर्नओवर बढ़ाने में भूमिका रही। सितम्बर 2013 में पिता देश बंधु ने देश की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी ल्यूपिन की बागडोर सौंपी। इन्होंने कई अधिग्रहण किए। नतीजा ये कि कंपनी के टर्नओवर में इन कंपनियों की करीब 40 प्रतिशत तक हिस्सेदारी है।

वही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड ने करीब 72.4 हजार करोड़ की मूल्य वाले लग्जरी सामानों के बड़े ब्रांड का जिम्मा बेटी **डायर** को सौंपा।

देवांशी देवा– योग से दवा बनाने वाली देश की पहली महिला स्टार्टअप, दो साल में दो करोड़ का टर्नओवर दिया।

दैनिक भास्कर 23 जनवरी, 2023 के अनुसार, दुनिया के टेक्नोलॉजी हब सैन फ्रांसिस्को से लेकर वित्तीय गतिविधियों के केन्द्र लंदन, न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया तक वेंचर कैपिटल यानी नए उद्यमों में निवेश के क्षेत्र में निर्णय लेने वाले पदों पर भारतीय महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। वेंचर कैपिटल उद्योग में बदलाव ला रहीं कुछ भारतीय महिला उद्यमियों में श्रुति भारत, आकृति डोकनिया, सिया राज पुरोहित और मीरा क्लार्क जाना-पहचाना चेहरा है।

श्रुति भारत – एनजीओ ऑल रेज टेक्नोलॉजी में निवेश करने वालों और स्टार्ट अप उद्यमियों में समान अवसरों को बढ़ावा देती हैं। श्रुति फ्रांसिस्को में वेंचर प्रोग्राम देखती हैं जो महिला निवेशकों के कॅरियर को समर्थन देने का काम कर रहा है।

मीरा क्लार्क – ऑब्वियस वेंचर्स में सीनियर कंज्यूमर इन्वेस्टर मीरा का कहना है कि हमारे निवेश का आधार ये विश्वास है कि पॉजिटिव बिजनेस को बाजार में लाभ मिलता है।

आकृति डोकनिया– लंदन में ऑक्टोपस वेंचर्स में निवेश रणनीति का काम संभालती हैं। कंज्यूमर, फिनटेक, स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस के क्षेत्रों में 1 करोड़ पाउंड (करीब 100 करोड़ रूपए) तक का निवेश करती है। वे कहती हैं कि लंदन में वेंचर कैपिटल क्षेत्र में दक्षिण एशियाई महिला होना कठिन भी है और संतोषप्रद भी। यूरोप में टेक्नोलॉजी का ईकोसिस्टम उतना विकसित नहीं है। यहां अमेरिका की तरह भारतीय नहीं है। भारतीय महिलाएं भी कम हैं। भारतीय होना ताकत का अहसास कराता है।

सिया राज पुरोहित – भविष्य में कामकाज के मानवीय पक्ष पर केंद्रित पाथवे वेंचर्स की को-फाउंडर हैं। ये कैपिटल वेंचर आमदनी, सीखने और सामुदायिक निर्माण के इनोवेटिव मॉडल विकसित कर रहीं कंपनियों में निवेश

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

करती है।

अमेरिका में वेंचर कैपिटल फर्मों में निर्णय लेने वाले पदों पर 12 प्रतिशत महिलाएं हैं। पूरे कारोबार में 6 प्रतिशत एशियाई महिलाएं हैं। दो प्रतिशत भारतीय हैं। अश्वेत महिलाएं एक प्रतिशत हैं। 2016 में अमेरिका में वेंचर कैपिटल क्षेत्र में केवल पांच दक्षिण एशियाई महिलाएं थीं। लेकिन अब दृष्य तेजी से बदल रहा है। यह कहानी कुछ चुनिन्दा सफल भारतीय महिला उद्यमी की है।

किन्तु आज स्वतंत्रता के 75 वर्षो के पश्चात् भी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार परिलक्षित नहीं होता है। आज भी देश की आधी आबादी का बहुत बड़ा भाग देश के विकास में अपनी आर्थिक भागीदारी से अछूता ही नहीं, वरन् अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से कोसों दूर है। इसकी पुष्टि GGG (Global Gender Gap) Index (WEF) से होती है। विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वर्ष 2022 के लिए अपने वैश्विक लैंगिक अंतराल (Global Gender Gap) सूचकांक में भारत को 146 देशों में से 135वां स्थान पर रखा है। लैंगिक अंतराल महिलाओं और पुरूषों के बीच का अंतर है, जो सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक उपलब्धियों के दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है।

राजनीतिक आधिकारिता संसद में और मंत्री पदों पर महिलाओं का प्रतिशत में भारत का सर्वोच्च स्थान (146 में से 48वां) है। अपनी रैंक के बावजूद इसका स्कोर 0.267 पर काफी कम है। इस श्रेणी में कुछ सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले देश बहुत बेहतर स्कोर करते हैं। उदाहरण के लिए आइसलैंड 0.874 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है और बांग्लादेश 0.546 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर है।

शिक्षा प्राप्ति में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में साक्षरता दर व नामांकन दर में 7 भारत में 146 में से 107वें स्थान पर हैं और पिछले वर्ष से इसका स्कोर थोड़ा खराब रहा है। वर्ष 2021 में भारत 156 में से 114वें स्थान पर था।

स्वास्थ्य और उत्तरजीविता जन्म के समय लिंगानुपात तथा स्वस्थ जीवन प्रत्याषा में भारत सभी देशों में अंतिम (146वें) स्थान पर है।

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के प्रमुख आयाम 'आर्थिक भागीदारी और अवसर' में भारत का स्थान 146 में से 143वां आया है, जो अत्यन्त खेद का विषय है। यह मजबूर करता है, हर भारतवासी को यह सोचने पर कि सोशल मीडिया, सामचार पत्रों, पुस्तकों के कवर पेज पर चर्चित महिला की आर्थिक भागीदारी एवं आर्थिक सफलता की कहानी कितनी सच्ची है ? यह मजबूर करता है, देश के प्रबुद्ध वर्ग को यह सोचने पर कि भारत की इस आधी आबादी का अपना आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब समाप्त होगा ? यह मजबूर करता है हमें यह सोचने पर कि क्या कुछ महिलाओं की सफलता से ही हमारी लैंगिक समानता के लक्ष्य की प्राप्ति है ? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी सच्ची सफलता समाज की प्रत्येक महिला को सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को पहुँचाना है।

प्रस्तावना – एंटरप्रेन्योर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द Enterpnrnder से हुई है, जिसका अर्थ है प्रारम्भ करना। उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति जिसका उद्देश्य है मानव और भौतिक संसाधनों को एक साथ लाकर इस प्रकार उनका प्रबंधन करना कि वह वांछित परिणामों की प्राप्ति कर सके। प्राचीनकाल से ही भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज है, जहां महिला के केवल कर्तव्य है, अधिकार नहीं, किन्तु अब तस्वीर बदल रही है। महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर पुरूष के साथ घर, परिवार, समाज और देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। वह घर गृहस्थी के साथ- साथ अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान दे रही है। भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है, उससे लगता है कि 2050 तक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं उसके प्रयोग के साथ-साथ उस देश की मानव संसाधन पर निर्भर करता है। देश के विकास के साथ-साथ हम प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन तो बखूबी कर रहे हैं, किन्तु कमी है तो देश में उपलब्ध मानव संसाधन के रूप में महिला शक्ति की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की सत्र 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 25.14 प्रतिशत ही महिला श्रम बल भारत में कार्यरत है। वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की सत्र 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 24 प्रतिशत महिलाएं ही कामगार हैं।

अब समय आ गया है कि हम आर्थिक जगत में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर कृषि, पशुपालन और छोटे-मोटे व्यवसायों से आगे निकलकर उनकी क्षमता और योगदान को एक नई पहचान दें।

भारत में महिला उद्यमी की वर्तमान स्थिति– वर्तमान में भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद महिला उद्यमियों की संख्या संतोषजनक नहीं है। भारत में केवल 20 प्रतिशत उद्यम महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं, जो कि 22 से 27 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं, कोविड़- 19 महामारी ने महिलाओं उद्यमियों के इस प्रतिशत को और अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। स्टार्टअप्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 6 प्रतिशत महिलाएं भारतीय स्टार्टअप्स की संस्थापक है।

वर्ष 2018-2020 के मध्य कम से कम एक महिला सह-संस्थापक वाले स्टार्टअप्स द्वारा केवल 5 प्रतिशत फंडिंग ही जुटाई जा सकी और केवल एक मात्र महिला संस्थापकों वाले स्टार्टअप्स कुल निवेशक फंडिंग का केवल 1.43 प्रतिशत हिस्सा ही प्राप्त कर सके।

इक्विटी व्यापार के स्वामित्व के मामले में भारत के विनिर्माण क्षेत्र मुख्यतया कागज और तम्बाकू उत्पादों से संबंधित में महिलाओं द्वारा धारित हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से भी अधिक है। वही, कम्प्यूटर, मोटरवाहन, धातु उत्पादों, मशीनरी और उपकरणों से संबंधित उद्योगों में महिलाओं की 2 प्रतिशत या उससे भी कम की हिस्सेदारी देखी जा सकती है।

(17 दिसम्बर, 2021 को द हिन्दू में प्रकाशित लेख के अनुसार, 'Obstacles of Being A Female Entrepreneur in a male-Dominated Business')

तालिका : 1. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लिंग के आधार पर कामगारों का वितरण :

क्षेत्र	**महिला**	**पुरूष**	**कुल**	**हिस्सा (%)**
ग्रामीण	137.50	36.015	497.78	45
शहरी	127.42	484.54	612.10	55
कुल	**264.92**	**844.68**	**1109.89**	
हिस्सा	24	76	100	100

स्रोत : (MSME मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट – 2021-22)

तालिका- 1 से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों की संख्या अधिक है। वहीं कुल कामगारों में महिलाएं मात्र 24

प्रतिशत है।

तालिका-2: पुरूष/महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्योगों के वितरण की प्रतिशतता

क्षेत्र	पुरूष	महिला	कुल
सूक्ष्म	79.56	20.44	100
लघु	94.74	5.26	100
मध्यम	97.33	2.67	100

स्रोत : (MSME मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट - 2021-22)

तालिका -2 में स्पष्ट है कि सूक्ष्म उद्योग में महिला उद्यमिता स्वामित्व की संख्या अधिक है, किन्तु खेद का विषय है कि आज भी लघु एवं मध्यम उद्योगों में महिला स्वामित्व की संख्या अत्यन्त कम है। NSSO के 73वें दौर में MSME में महिलाओं का योगदान पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 23.42 प्रतिशत एवं सिक्किम में न्यूनतम 0.04 प्रतिशत था। स्पष्ट है कि आजादी के दशकों बाद भी उद्यम के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार परिलक्षित नहीं हुआ।

महिला उद्यमिता की समस्याएँ

(1) पारिवारिक समस्या - आर्थिक विकास के इस युग में भी भारतीय महिलाओं के कर्तव्यों में प्राथमिकता पर इसका परिवार ही है। उसकी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी के कारण ही महिलाएं अपनी उच्च क्षमताओं के बावजूद अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग अपने कॅरियर में नहीं दे पाती और उद्यमी जैसे पेशे के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाती और इस वजह से उद्यम में अधूरी सफलता को उसकी नाकामयाबी का नाम दिया जाता है।

(2) उद्यम की स्थापना एवं संचालक संबंधी समस्या - किसी उद्यम की स्थापना के लिए कई प्रशासनिक स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। इस विषय में महिला उद्यमियों को पूरी और सही जानकारी का अभाव रहता है। अत: उसे उद्यम की स्थापना करते समय अपने समस्याओं से जुझना पड़ता है, उत्पादन, पैकिंग, विज्ञापन, वितरण, बिक्री संबंधी समस्या एवं अंत में उत्पादित इकाई के विक्रय हेतु बाजार का उपलब्ध होना।

(3) वित्त की समस्या - महिला उद्यमियों के लिए फंड और स्पॉन्सरशिप तक आसान पहुंच तथा बुनियादी समर्थकों से वंचित होना कोई नई बात नहीं है।

(4) महिला उद्यमी के वर्चस्व की अस्वीकारिता - भारतीय समाज की पुरूष प्रधान मानसिकता के चलते आज भी पुरूष वर्ग अपने बॉस के रूप में महिला को सहज स्वीकार नहीं कर पाते, चाहे वह कितनी ही काबिल और अपने कार्य में निपूर्ण ही क्यों न हो, महिला को बॉस मानने में पुरूष का अहम आड़े आता है।

(5) फीमेल जोन - महिला उद्यमी के मार्ग की एक सबसे बड़ी बाधा लैंगिक असमानता है। आज भी कुछ ही क्षेत्र जैसे नर्सिंग, शिक्षा, पी.आर.ओ. कॉल सेंटर, बैंक, इंटीरियर डिजाइनिंग ही ऐसे क्षेत्र हैं, जहां महिला बड़ी संख्या में रोजगार में है। उद्यम का क्षेत्र आज भी महिला के लिए सहज नहीं माना जाता है।

महिला उद्यमिता विकास के लिए सरकार के प्रयास - आजादी के बाद से ही महिला का विकास हमारा एक प्रमुख उद्देश्य बन गया था। सरकार द्वारा अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में लघु क्षेत्र सहित लगभग सभी सरकारी व गैर सरकारी संगठनों में महिलाओं को प्राथमिकता दी गयी। यदि हम बात करें, सरकार द्वारा संचालित पंचवर्षीय योजनाओं की, तो जहां प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महिला विकास हेतु कई उपाय की कल्पना मात्र की गई थी, जिन्हें आगामी योजनाओं में साकार किया गया, जैसे तीसरी योजना में शिक्षा पर बल, पांचवीं में महिला प्रशिक्षण पर बल एवं सातवीं योजना में लैंगिक समानता पर बल। आठवीं योजना में महिला सशक्ति करण पर बल दिया गया। नवीं योजना में महिला घटक नीति बनाई गई, जिसमें महिला को विकसित करने हेतु महिला संबंधित क्षेत्रों को 30 प्रतिशत का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार योजना दर योजना महिला विकास हेतु अनेक नीतियां बनती एवं संचालित होती रहीं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

1. अन्नपूर्णा योजना
2. स्त्री शक्ति योजना उद्योग
3. देना शक्ति स्कीम
4. उद्योगिनी स्कीम
5. सेट कल्याणी स्क्रीम
6. महिला उद्यम निधि स्कीम
7. मुद्रा योजना
8. ओरियंट महिला विकास योजना
9. सिंडिकेट बैंक महिला शक्ति योजना
10. सोलर चरखा योजना
11. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

महिला उद्यमिता विकास हेतु सुझाव -महिलाओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर करने में अनेक उपाय व सुझाव शामिल रहे। परंतु सबसे प्रमुख उपाय है पुरूष प्रधान समाज द्वारा अपने दृष्टिकोण को बदलने की, जहां सदैव ही महिला को दोयम दर्जे का माना गया है। महिला को विकसित करने के लिए जितनी आवश्यकता कार्यक्रम एवं नीति बनाने, समान अवसर प्रदान करने की है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, समाज द्वारा महिला के प्रति अपनी सोच के दायरे को बढ़ाने की। साथ ही महिला द्वारा स्वयं अपनी क्षमता पहचानने की।

1. सकारात्मक वातावरण प्रदान करना, जो महिला को आगे बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित कर सके।
2. महिला हेतु जागरूकता कार्यक्रम बनाना एवं उन्हें संचालित करना।
3. महिला के शैक्षिक स्तर को उंचा उठाना एवं शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से महिला के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना।
4. महिला की क्षमता को पहचान कर उसके गुणों को निखारना, ताकि वह स्वयं के व्यवसाय की शुरूआत कर सकें।
5. महिला विकास एवं सभी सम्मेलन संगोष्ठी का आयोजन समय-समय पर किया जाए, ताकि महिला को व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ अपने व्यवसाय के सफलतापूर्वक संचालन हेतु आवश्यक जानकारी मिल सके।
6. महिला को उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करना।
7. सरकार द्वारा महिला विकास हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष - उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत में महिला उद्यमियों ने अपनी यात्रा प्रारम्भ अवश्य करली है, किन्तु अभी भी मंजिल से बहुत दूर है। सरकार अपनी ओर से पूर्ण प्रयास कर रही है, साथ ही शिक्षा के प्रसार का असर भी अब दिखने अवश्य लगा है, किन्तु इस क्षेत्र में बहुत कुछ अब भी

शेष है। अकेले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म उद्यमी परियोजना में 2016– 17 से 31 दिसम्बर, 2021 तक कुल महिला उद्यमी लाभार्थी की संख्या 222457 है। वहीं, मुद्रा योजना के तहत दिए गए ऋण में 68 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमी को दिए गए।

वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड़ ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि महिला उद्यमियों के लिए कुल 23 करोड़ 27 लाख ऋण स्वीकृत किए गए और 8 लाख करोड़ रूपए से अधिक की राशि दी गई।

भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिये, महिलाओं द्वारा उद्यमिता को इसके आर्थिक विकास में एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट – 2021–22
2. दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2023 एवं 23 जनवरी, 2023।
3. वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट– 2022
4. फोर्ब्स सूची – 2022
5. http://newsonajr.com7 2022/10/06 (प्रसार भारती न्यूज सर्विस)
6. “Obstacles of beung A female Enterpreneur in a Male-Dominated Business”- The Hindu में 17.12.2001 का लेख।

****

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के संदर्भ में लोक संस्कृति एवं साहित्य : विलुप्त होती दशाएँ

डॉ. ललित कुमार मीणा*

* सहायक आचार्य (विधि संकाय) डॉ. नागेन्द्र सिंह विधि महाविद्यालय, बांसवाड़ा (राज.) भारत

शोध सारांश – दक्षिण राजस्थान के जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने जनजाति उपयोजना क्षैत्र घोषित किया है, जिसमें क्रमश: जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूँगरपुर राजसमंद जिले की कुम्भलगढ़, खमनोर व नाथद्वारा तहसील, चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी तहसील व पाली जिले की बाली तहसील व उदयपुर (गिर्वा तहसील को छोड़कर) तथा सिरोही (आबू रोड़) तहसील सम्मिलित है। इस जनजाति क्षैत्र में विशेष में निवास करने वाले लोगों के पारस्परिक धर्म त्यौहार, पर्व, रीति रिवाज, मान्यताओं, कला आदि को लोक संस्कृति का नाम दिया जाता है। लोक संस्कृति किसी क्षैत्र विशेष को अन्य क्षैत्रों से स्वतन्त्र पहचान प्रदान करती है। जनजातिय संस्कृति अपने प्रारम्भिक काल से ही गौरवमयी रही है। वैभव, शूरवीरता, बालू, रेगिस्तान, खुबसूरत अरावली की श्रृंखला और तालाबों की भूमि है राजस्थान। ऊबड़-खाबड जमीन और कठिन जलवायु ने राजस्थान के जनजातिय के लोगों को साहसी और मजबूत बना दिया है। लेकिन स्थिति बदल गई है। स्थिति यह है कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम 'लोक संस्कृति' के अभाव में सफल नहीं समझा जाता। हमारे सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व 'गणतंत्र दिवस' एवं 'स्वतत्रता दिवस' के समारोह का मुख्य आकर्षण उसमें प्रदर्शित लोक संस्कृतियों की अनुपम झांकिया ही होती है, जिन्हे देखने के लिए विदेशों से सत्ताधारी भी खिचकर चले आते है। इसलिए जनजातिय क्षैत्र का कल्याण इसी में है कि लोक संस्कृति का मान करते हुए उसके संरक्षण का प्रयत्न करते हुए भी हम उसके महत्व को अतिरंजित न होने दे।

प्रस्तावना –जनजातीय संस्कृति 'इन्द्रधनुषी है यह विविधता में एकता का प्रतीक यहाँ विविध वेशभूषा एवं बोलचाल का संगम है यह अमीर, निर्धन ओर मध्यम वर्ग का त्रिवेणी है। जनजातिय क्षैत्र में विभिन्न धर्मी व सम्प्रदायों के लोग रहते है। सभी की अपनी-अपनी भाषाएँ, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं साहित्य है सब की अपनी अपनी संस्कृति है सभी लोगों की संस्कृति उनकी पहचान बनाये हुए है। संस्कृति के प्रकाश में ही जनजातिय लोग अपने वैयक्तिक और वैश्विक जीवन मूल्यों को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 (1) रक्षा करता है तथा अनुच्छेद 29 (1) पद प्रावधान किया गया है कि भारत सहित जनजातिय क्षैत्र में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग को, उनको अपनी विशेष संस्कृति है, तथा उसे बनाये रखने का अधिकार प्रदान करता है तथा जनजातिय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अपने रूचि की संस्थाओं को स्थापित का अधिकार प्रदान किया गया है। एक तरफ सरकार कहती है कि उसे सांस्कृतिक मुल्यों की भान है और उसके क्षरण को रोकने के लिए कार्यबद्ध है दूसरी तरफ दिन-प्रतिदिन सांस्कृतिक मूल्य एवं आदर्श नष्ट होते जा रहे है देशभर में संस्कृति एवं सभ्यता के नाम पर अनगिनत संस्थाएँ बनी है किन्तु संस्कृति उससे दूर-दूर ही बनी रही है संस्कृति कोई देवता नहीं है जो मंदिरों में ही रहेगी वह तो एक एहसास है हमारे वजूद का, आज हमारी संस्कृति का सात्विक प्राचीन रूप से नष्ट होता जा रहा है। इसलिए जनजातिय लोक संस्कृति एवं सभ्यता को नष्ट होने से बचाव करने की आवश्यकता है। खास तौर पर ऐसा आदिवासी एवं जनजाति क्षैत्र है यह देश या प्रान्त के सुदूर अंचला में एक तरफ निवास करते है जहाँ किसी की दृष्टि नही जाती है अत: जनजाति क्षैत्र में लोक संस्कृति एव इसकी भाषा, लिपि, एवं संस्कृति की रक्षा करना परम आवश्यक है। दक्षिण राजस्थान के जनजाति क्षैत्र के विकास के लिए सरकार ने जनजाति उपयोजणा क्षैत्र घोषित किया है, जिसमें क्रमश: जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूँगरपुर राजसमंद जिले की कुम्भलगढ़, खमनोर व नाथद्वारा तहसील, चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी तहसील व पाली जिले की बाली तहसील व उदयपुर (गिर्वा तहसील को छोड़कर) तथा सिरोही (आबू रोड़) तहसील सम्मिलित है।

जनजातिय लोक संस्कृति की अवधारण– वैभव, सूरवीर, खुबसूरत अरावली की श्रृंखला और तालाबों की भूमि है जनजातिय राजस्थान। उबड खाबड जीमन ओर कठिन जलवायु ने जनजातिय राजस्थान के लोगों को साहसी और मजबूत बना दिया है उनके साहस और कठोरता से निकली है जनजातिय राजस्थान की रंगीनी और अदितीय लोक गाथाएँ। जिन्दगी और रूमानियत के लिए प्यार पूरे जनजातिय राजस्थान में देखा जा सकता है।

जनजातीय लोक संस्कृति का अभिप्राय – सर्वसाधारण जनता से है, जिसकी व्यक्तिगत पहचान न होकर सामूहिक पहचान है। दीन-हीन, शोषित, दलित, जंगली जातियाँ व डामोर, गरासिया, अहारी, कलासुआ-भील, मीणा (जनजाति) आदि समस्त लोक समुदाय का मिला जुला रूप लोक कहलाता है। इन सबकी मिली जुली संस्कृति लोक संस्कृति कहलाती है। मानव मन की बाह्य प्रवृति मूलक प्रेरणाओं से जो कुछ विकास हुआ है उसे सभ्यता और उसकी अन्तर्मुखी प्रवृत्तियों से जो कुछ बना है, उसे संस्कृति कहेगें।

जनजातीय लोक संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषाएँ – लोक संस्कृति के लिए अंग्रेजी में फोकलोर (Folk Lore) शब्द का प्रयोग होता हैं। अंग्रेजी में फोकलोर का अर्थ अंग्रेजी में परम्परागत कथाएँ और विश्वास या लोक विश्वास माना जाता है। फोकलोर में दो शब्द सम्मिलित हैं फोक (Folk)

और (Lore)। 'फोक (Folk) का अर्थ लोग, जनसाधारण और लोकबाग, विशेष प्रकार के लोग माना जाता है।' (Folk) शब्द की व्युत्पत्ति ऐंग्लो सेक्शन शब्द (Folk) से मानी जाती है। जर्मन भाषा में इसे (Volk) कहते हैं। डॉक्टर बर्कर फोक शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि फोक शब्द का अभिप्राय सभ्यता से दूर रहने वाली किसी पूरी जाति का बोध होता हैं। किन्तु विस्तृत सन्दर्भ में उसका अर्थ होगा, किसी सुसंस्कृत राष्ट्र क समस्त लोक फोकलोर में फोक को अर्थ असंस्कृत लोग। फोक का एक अन्य अर्थ सभ्यता से दूर मानव जाति भी माना जाता है। द्वितीय शब्द लोर की निष्पत्ति ऐंग्लो सेक्शन शब्द लर से बना है। लोर शब्द का अर्थ नॉलेज अर्थात ज्ञान या लर्निंग (विद्या) होता है। इन प्रकार यफोकलोर का अर्थ सामान्य जनता का ज्ञान या विद्या माना जाता है।

हर्सकोविटस के अनुसार 'पर्यावरण के मानव निर्मित भाग को संस्कृति कहते हैं।'

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन 'संस्कृति मानव की विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है।'

मुंशीराम शर्मा के शब्दों में – 'संस्कृति, इस प्रकार से एक व्यक्ति के शिक्षण, संस्कार, अभ्यास से प्रारम्भ होती है और उसका अन्त मनुष्य के विकसित व्यक्तित्व में प्रकाशित और परमार्जित अवस्था के रूप में दिखलाई पड़ता है।'

आर.डी. जेमसन का कथन है कि 'फोकलोर'सांस्कृति जाति विज्ञान का एक अंग है जिसके अन्तर्गत पुराण कथा, अवदान, परंपरा, लोक कथाएं, अन्धविश्वास, धार्मिक, विधि–विधान, प्रथायें, नृत्य तथा प्रकृति और मानव की विशेषताएँ आती हैं।

अत: लोक संस्कृति के अर्थ एवं परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जनजातीय लोक संस्कृति एवं साहित्य जनजातिय संस्कृति का केनवास विशाल है और उस पर हर प्रकार के रंग और जीवंतता है। यह देश कई सदियों से सहिष्णुता, सहयोग और अहिंसा का जीवंतता उदाहरण रहा है इसके विभिन्न रंग इसकी विभिन्न विचार धाराओं में मिलते है।

जनजातिय लोक संस्कृति का स्वरूप–प्राचीन जनजातिय साहित्य के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक काल से ही जानजाति क्षैत्र में संस्कृति की दो पृथक पृथक धाराएँ चलती आ रही है :–

1. शिष्ट (या अभिजात्य) संस्कृति
2. लोक संस्कृति

शिष्ट संस्कृति से हमारा अभिप्राय उस अभिजात वर्ग की संस्कृति से है, जो बौद्धिक विकास के उच्चतम शिखर पर पहुँचा हुआ है। वह अपनी प्रतिभा के कारण समाज का अग्रणी और पथ–प्रदर्शक है। उसकी संस्कृति के सोस्त्र वेद–शास्त्र होते है। लोक संस्कृति से अभिप्राय जनसाधारण की उस संस्कृति से है, जो अपनी प्रेरणा को लोक में प्राप्त करती है। इसकी उत्सभूमि जनता होती है और यह बौद्धिक विकास के निम्न धरातल पर उपस्थित होती है।

लोक जनजातिय लोक संस्कृति की समस्याएँ –जहाँ तक जनजातिय संस्कृति की समस्या का प्रश्न है बहुत सी अल्पसंख्या जनजातियों की संस्कृति लुप्त होती जा रही है या उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। बाहरी लोगों एवं पडेासी जनता के सम्पर्क से सांस्कृतिक स्वरूप मं काफी परिवर्तन आ रहा है उनकी भौतिक व आध्यात्कि संस्कृति में अन्तर आया है भौतिक संस्कृति में नयी सामग्रियों तथा नए ढंग की वस्तुएँ, प्रसाधन सामग्री वस्त्र इत्यादि का समावेश हो चुका है। इससे इनकी अर्थ–व्यवस्था में अपेक्षाकृत अधिक व्यय के कारण असंतुलन हो गया है परम्परागत विवाह या यौन सम्बन्धी व्यवस्था पर भी प्रभाव पडा है और उनके परम्परागत नियम टूट रहे है। सभ्य समाज के प्रभाव में यह लोग युवा–गृहों के प्रति उदासीन हो गये है जिसके फलस्वरूप वे सामाजिक कर्तव्यों को निभाने की योग्यता विकसित नहीं कर पाते और सामाजिक दृढता नष्ट हो जाती है।

जनजातीय लोक संस्कृति एवं साहित्य की समस्याएँ– वर्तमान समय में जनजातिय समाज में लोक संस्कृति की अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी है उनमें से कुछ निम्न है :–

1. भाषा सम्बधी समस्या
2. कला कौशल की विघटन की समस्या
3. सांस्कृतिक विभिन्नता की समस्या

1. जनजातीय भाषा संबंधी समस्या – जनजातियों द्वारा अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आने वे अपनी भाषा को भूल कर नई संस्कृतियों की भाषा अपना रही है। नवीन भाषा को अपनाने के कारण जनजातियों में पारस्परिक आदान–प्रदान में कठिनाई उत्पन्न होती है। अपनी भाषा होने से सामुदायिक भावना बनी हरती है जो कि दूसरी भाषाओं को अपनाने से नष्ट हो जाती है तथा जिससे सामाजिक संगठन में शिथिलता आ जाती है।

2. जनजातीय कला–कौशल के विघटन की समस्या – सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण जनजातीय समुदाय बड़ी तेजी के साथ विघटित हो रहे है। जनजातियों में प्रचलित युवा–गृह की संस्थाएँ जो कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण व सामाजिक जीवन की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कार्य करती है, उनका मूल्य अब कम होता जा रहा है। वन व उनके समीप रहने के कारण वन सम्पत्ति से प्राप्त सामग्री से जनजातियाँ नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करती है। इनके द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे–बाँसुरी, डलिया, लकडी के ऊपर नक्काशियाँ, सुन्दरता के आभूषण आदि देखने योग्य होते है। किन्तु सांस्कृतिक सम्पर्क ने हस्तकला की ओर अरूचि उत्पन्न कर दी है तथा अब धीरे–धीरे हस्तकला का लोप होता जा रहा है। जनजातीय संगीत व नृत्य की एक अलग विशेषता है। स्वतंत्रता दिवस में जनजातीय संगीत व नृत्य को देखकर लोग मंत्रमुग्ध से रह जाते है। सांस्कृतिक सम्पर्क से फिल्मी गानों व सस्ते किस्म के नृत्य इन लोगों में प्रसिद्ध हो रहे है तथा वे अपने संगीत के प्रति उदासीनता दिखाने लगे है।

3. जनजातीय सांस्कृतिक विभिन्नता की समस्या – जनजाति के व्यक्तियों पर ईसाई मिशनरियों व हिन्दू संस्कृति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जिन जातियों का संपर्क ईसाइयों से हो गया उनमें से अनेक जनजातीय सदस्य अपने समूह को छोड़कर ईसाई बन गये और जो जनजातियाँ हिन्दुओं के सम्पर्क में रही वे हिन्दू धर्म की जाति व्यवस्था से प्रभावित होकर वही व्यवस्थ्शा अपनी जनजातियों में लागू करने लगी। अनेकों जनजातियों में कुछ सदस्य ऊंचे माने जाते है और कुछ कम। इस प्रकार की सामाजिक दूरी की भावना से जनजातियों ने नवीन संस्कृति को अपना लिया है उनमे सामंजस्य की सस्या खड़ी हुई है।

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि लोक संस्कृति में मनुष्यों द्वारा प्रचलित समस्त प्रकार के लोक विश्वास, परम्पराएँ, मान्यताएँ, व्रत, त्यौहार, रीति–रिवाज, संस्कार, लाके साहित्य आदि आते है। लोक संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों– समता, स्वतंत्रता, विश्वबंधुत्व के साथ त्याग सहयोग, शांति एवं लोक मंगलकारी है जिसको नष्ट होने से बचाव किया जाना

आवश्यक है।

अत: कहा जा सकता है कि संस्कृति एक ऐसी जीवन पद्धति है जो प्राकृतिक और अर्जित संस्कारों क माध्यम से मनुष्य की अन्तर्भूत क्षमताओं को जागृत कर के उन्हें उर्ध्वोन्मुखी बनाते हुए मनुष्य को सही अर्थो में मानव बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसमे व्यक्ति का सर्वतोन्मुखी विकास निहित है जिसकी पहचान उसके सामाजिक आर्थिक राजनीति के साथ ही बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा कलात्मक उपलब्धियों के रूप में कही जा सकती हैं। लोक एवं संस्कृति एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुडे है। लोक संस्कृति ही समाज को आत्मिक विकास पर अग्रसर करती है। इस लोक संस्कृति की सशक्त अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से होती है। साहित्य में ही लोक की विचारधाराएँ, परिवेश, स्थिति तथा अन्य प्रवृतियाँ अपने यथार्थ रूप में उजागर होती है लोक साहित्य ही अपने अंदर लोकगीत, लोकगाथा, लोकनाटय जैसे संस्कृति के अक्षप भंडार को समाहित किये रहता है जो मनुष्य के जीवन को एक नई प्रेरणा एवं नवीन गति प्रदान कर उसके जीवन में नई शक्ति का संचार करते है। मुहावरें लोकोकित्यों एवं प्रेहेलिका भी लोक साहित्य को एक नई स्फूर्ति प्रदान करते है। वहाँ विभिन्न रीति रिवाज, लोक विश्वास का अध्ययन लोक संस्कृति के अन्र्तगत किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोक से ही संस्कृति की उपज होती है वही लोक के जीवन को गतिशील एवं प्राणवान बनाए रखती है। भारत को संविधान का अनुच्छेद 29 (1) का उद्देश्य जनजातीय लोगों की संस्कृति की रक्षा करना है। तथा यह अनुच्छेद 29 (1) के अन्तर्गत प्रतिभूत अधिकार की पुष्टि करता है और उसे मूर्त रूप देता है।

अत: सांस्कृतिक स्तर पर हमारी स्थिति धोबी के कुत्तो से भिन्न नहीं, न घर के रह गए है और न घाट के। न प्राचिन संस्कृति बची है न आधुनिक पुरी तरह आई है। आज हम न पूरब के है न परिचम के। एक अजीबों गरीब संस्कृति के मोहपाश में कैद होते जा रहे है। गर्व से कहो हम जनजातिय है, दोहराने में भी झिझक होने लगी है। यदपि जनजाति संस्कृति का प्राचीन स्वरूप 'विविधता में एकता' सुरक्षित है तथापि एकता के आधारभूत रंग धूमिल पड़ गये है और विविधिता के सतही रंग उभर कर हमारे समक्ष आ गए है। हम जनजातिय अपनी भाष, रहन, सहन, खान पान अलग-अलग हो परन्तु हमारी संस्कृति एक ही है। जनजातिय संस्कृति में जैविक संकुलन, इकोलोजिकल सन्तुलन और सन्तुलन और अपने आस-पास के जीवन के प्रति भी बडी उदार दृष्टि है। एक सामान्य व्यवहार तो यही है कि प्रकृति से जितना लो, उतना वापस भी। यही नहीं उतना ही लो जितना आवश्यक है उससे अधिक लेना भी वर्जित है। वर्तमान समय में संस्कृति का उद्योगीकरण से चुका है। संस्कृति उप संस्कृति बन चुकी है। जनजातिय समाज के विभिन्न पंथों, सम्प्रदायों तथा वग्री के बीच एकात्मता तथा समरसता अनिवार्य है। आजादी के बाद विकास तो संस्कृति को बेचने के धंधे का हुआ है हाँ केन्द्र में और राज्य सरकारों में संस्कृति विभाग अवश्य खुले है प्राचीन विरासत की रक्षा के नाम पर अभी यह सुनिश्चित ही नहीं हो सका है कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति नीति क्या हो 1992 में इस दिशा में प्रयास हुआ था राष्ट्रीय संस्कृति नीति का एक प्रायप तैयार हुआ और संसद में पेश किया गया है।

सुझाव - जनजातिय क्षैत्र की प्राचीन संस्कृति इस बात की पुष्टि करती हैकि यहाँ के महान शासकों ने सदा सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई यहाँ की लोकतंत्रीय व्यवस्था में हर धर्म व सम्प्रदाय को आदर दिया गया यहा के महान शासकों ने सदैव इसी नीति का अनुसरण किया यह जनजातिय की एक आदर्श परम्परा थी कि पालन राजतंत्र ने भी किया और लोतंत्र ने भी। आज पूरा देश जिस सांस्कृतिक दौरे से गुजर रहा है उसके पदचाप ने संस्कृति की कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती देश भर मं संस्कृति के नाम पर अनगिनत संस्थाए बनी है। अत: संस्कृति एक ऐसा विस्तृत फलक हैजिसमें आदमी और भगवान दोनो शरण पाते है। अब इतनी व्यापक अनुभूति को किसी चार दीवारी में कैप तो नहीं किया जा सकता-दर असल जो होना चाहिए था वह न होकर उसके उल्टा हुआ आज हमारी संस्कृति का सात्विक प्राचिन रूप नष्ट होता जा रहा है। तथा आर्थिक दासता के मंडराते बादलों को छांटने में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। देश एवं समाज अपरिपक्व प्रयोगों में फस कर अनेक अन्य समस्याओं को जन्म दे रहा है। सम्पन्नता के साए में पनपती और पतली विकृतियों से संत्रस्त पश्चिमी जीवन जैसी ही घुटन ओर तनाव का अनुभव पहले से ही कर रहे जनजातिय में वैसे ही लक्षण उभरने लगे है। इसलिए आज वर्तमान समय में जनजातिय लोक संस्कृति एवं सभ्सता का चिन्ताजनक विकास नजर आने लगा है।

संदर्भ ग्रंन्थ सूची:-

1. आशुतोष व्यास, जनजातीय समाज और शिक्षा अंकुर प्रकाशन राजस्थान संस्करण 2009
2. डॉ. वापुराव देसाई, लोक संस्कृति एवं साहित्य, विनय प्रकाशन, कानुपर प्रथम संस्करण - 1996
3. नवीन हसनैन, जनजातीय भारत, ज्वाहर पब्लिशर्स, एवं नई दिल्ली, तृतीय संस्करण- 1992 डिस्ट्रीब्यूटर्स
4. डॉ. विरेन्द्र सिंह यादव: लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2012
5. डॉ. बसन्ति लाल बाबेल, भारत का संविधान, सेंट्रल ला पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 12 संस्करण, 2014

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

मुकेश कुमार* डॉ. सीमा कुशवाह**

* शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक, आई.पी.एस. कॉलेज, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन से सम्बन्धित है। शोध पत्र में मध्यप्रदेश के ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों का शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है।

प्रस्तावना

अपराधी बालक –क्रो व क्रो के अनुसार – बाल अपराधी बालक कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिस प्रकार की उसे शिक्षा दी जाती है वह उसी प्रकार का बन जाता है।

कुप्पूस्वामी– बाल अपराधी बालक वर्तमान की चिंता करते है भविष्य की चिंता नहीं करता है।

बाल अपराध के अनुसार बालकों के असामाजिक व्यवहारों को लिया जाता है बालक व किशोरों के ऐसे व्यवहार जो लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकर होते है। जिससे समाज के व्यवहार नियामक आदेशों एवं आदर्शो का उल्लंघन होता है जिससे सामाजिक संगठन को क्षति पहुँचती है। इन व्यवहारों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे बालक जो स्कूल से भाग जाते हैं। निरुद्देश्य इधर–उधर घूमते रहते हैं। गलत आचरण करते हैं। किसी की सम्पत्ति या जान माल को क्षति पहुँचाते हैं। बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं।

बाल अपराधी ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते हैं बाल अपराधियों के घर–परिवार का माहौल, अभिभावकों की स्थिति, विद्यालय का वातावरण, संगत का असर आदि कारक एक सामान्य बालक को बाल अपराधी बना देते हैं। एक पहलू यह भी है कि यदि किसी बालक में शारीरिक दोष या विकार है तो समाज उसे हेय दृष्टि से देखता है एवं बालक कुंठित होकर अपराध के रास्ते पर चल पड़ता है।

कई बार अपराधी बालक बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वे प्रत्येक व्यक्ति व कार्य के प्रति क्रोधित रहते हैं तथा विद्यालय में और समाज व घर में अपने अभिभावकों के प्रति चिड़चिड़ापन दिखाते रहते हैं। खेल के मैदान में निर्दयता या डराने धमकाने वाला व्यवहार करते हैं। तथा वे ऐसा महसूस करते हैं कि विद्याालय और कक्षा से उनका कोई संबंध ही नहीं है। अपराधी बालक हमेशा दूसरों पर संदेह करने वाला होता है वह दूसरों का विरोध करता है।

शैक्षिक स्तर – ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण ग्रहों में निवासरत बाल अपराधियों के शिक्षण के लिए सम्प्रेषण ग्रहों में शिक्षा की व्यवस्था रहती है यदि नहीं रहती है तो किसी भी विद्यालय में ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सम्प्रेषण ग्रहों या विद्यालय में रहकर व शिक्षित होते हैं और उनकी शिक्षा का स्तर वातावरण के अनुसार प्रभावित होता रहता है। इन बालकों के लिए अलग से विशेष अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है और समय–समय पर इनका मागदर्शन किया जाता है। सरकार द्वारा सम्प्रेषण ग्रहों में शैक्षिक वातावरण उपलब्ध किया जाता है तथा अध्यापक बाल सम्प्रेषण ग्रहों में बाल अपराधियों के शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप पठन–पाठन की व्यवस्था करते हैं।

सामाजिक स्तर – सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष प्रदान क्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न रूप में स्तरीकृत किया जाता है। वर्ग स्तरीकृत विश्वव्यापी है और उसके उत्पन्न होने के अनेक कारण है। जैसे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग औद्योगीकरण की देन है। धन की विभिन्न अवस्था धनी माध्यम और निर्धन वर्ग को जन्म देती है।

समाजशास्त्रीय प्रो. फेंकलिन ए (1960) ने लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिसका जीवन समाज में ही पनपता है और निकटवर्ती भौतिक परिवेश तथा पर्यावरण के मध्य अन्त: क्रियायें करते हुये सामाजिक परिवेश में जीवन यापन करता है। जिसे पर्यावरण से कदापि पृथक नहीं किया जा सकता है।

1. धनी वर्ग या उन्नतशील वर्ग
2. बुद्धिजीवी प्रशासकीय तथा प्रबंधन वर्ग
3. परंपरागत व्यापारी वर्ग
4. पिछड़ा वर्ग एवं मजदूर वर्ग।

अपराधियों बालकों का शैक्षिक स्तर उनके वातवरण के अनुसार रहता है तथा उनका सामाजिक स्तर, उनके अभिभावकों की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि अभिभावक आपस में लड़कर गृह क्लेश उत्पन्न करते हैं तो बालक कुंठाग्रस्त होकर अपराध करने लगता है और अपराधी बालक कहलाने लगता है।

शोध के उद्देश्य –शोधार्थी ने अपने अध्ययन के निम्नलिखित शोध उद्देश्य रखे हैं:

1. ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

का शैक्षिक स्तर का अध्ययन करना।

2. ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों का सामाजिक स्तर का अध्ययन करना।
3. ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाऐं –शोध कार्य के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएं हैं:

1. ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों का शैक्षिक स्तर उच्च नहीं होता है।
2. ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों का सामाजिक स्तर उच्च नहीं होता है।
3. ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर में तुलनात्मक रूप से कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

शोध विधि –शोधार्थी अपनी परिकल्पनाओं की जांच हेतु समंकों/प्रदत्तों को एकत्रित करने के लिए जिस क्रिया विधि को अपनाता है उसे शोध प्रणाली या शोध विधि कहते हैं। शोध अध्ययन की सर्वेक्षण, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक एवं ऐतिहासिक विधियाँ हैं परन्तु शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध में **सर्वेक्षण विधि** का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श – शोध में संपूर्ण जनसंख्या को सम्मिलित किया जाना संभव नहीं हो पाता है। अत: संबन्धित जनसंख्या के कुछ अंश का चयन कर उसे शोध प्रक्रिया में समाहित किया गया है। प्रस्तुत शोध में ग्वालियर संभाग के (1) ग्वालियर (2) दतिया (3) शिवपुरी (4) अशोकनगर (5) गुना के बाल अपराधी बालकों का चयन किया गया है जिसमें बालकों की आयु 15 से 17 वर्ष के मध्य है। इस शोध हेतु ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों से 40 अपराधी बालकों को लिया गया है।

प्रदत्त संकलन के उपकरण –बाल अपराधियों के शैक्षिक स्तर को जानने के लिए एक प्रश्न पत्र बनाया गया है जबकि सामाजिक स्तर के लिए राजीव लोचन भारद्वाज की सामाजिक–आर्थिक स्तर मापनी का प्रयोग किया गया है।

आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण – आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए निम्नलिखित परीक्षणों का प्रयोग किया गया है–

- काई वर्ग
- मध्यमान
- प्रामाणिक विचलन
- टी–टेस्ट
- सार्थकता स्तर

निष्कर्ष :

परिकल्पना : 1– ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों का शैक्षिक स्तर उच्च नहीं होता है।

तालिका क्रमांक 1: ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों का शैक्षिक स्तर के विभिन्न स्तर

	उच्च	मध्य	निम्न	
दृश्य (F_o)	10	12	18	40
अपेक्षित (F_e)	13.333	13.333	13.334	40
F_o-F_e	-3.333	-1.333	4.666	
$(F_o-F_e)^2$	11.11	1.78	21.77	
$(F_o-F_e)^2/F_e$	0.83	0.13	1.63	2.60

काई वर्ग $\chi^2 = \Sigma\left(\frac{(F_o - F_e)^2}{F_e}\right)$

= 0.83+ 9.13 + 1.63

= 2.60

स्वतंत्रता अंश (Degrees of Freedom)

df = 3–1 =2

तालिका क्रमांक 1 का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि प्राप्त अंकों को तीन स्तरों, उच्च, मध्य एवं निम्न में विभाजित कर, ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों का शैक्षिक स्तर के प्रदत्तों का χ^2 परीक्षण किया गया है। जिसमें आवृत्ति के अनुसार दृश्य आवृत्ति में उच्च 10 मध्य, 12 एवं निम्न की आवृत्ति 18 है जबकि अपेक्षित आवृत्ति 13.333 उच्च की, 13.333 मध्य की एवं 13.334 ही निम्न में है। χ^2 सूत्र द्वारा 2.60 परिणाम आया है। तालिका में 0.01 स्तर पर 2 df का मान 9.21 है। जबकि गणना किया गया χ^2 का मान 2.60 इससे कम है, अत: असार्थक है। अत: ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों का शैक्षिक स्तर उच्च नहीं होता है।

अत: परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

परिकल्पना : 2: ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों का सामाजिक स्तर उच्च नहीं होता है।

तालिका क्रमांक 2: ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों का सामाजिक स्तर के विभिन्न स्तर

	उच्च	मध्य	निम्न	
दृश्य (F_o)	8	14	18	40
अपेक्षित (F_e)	13.333	13.333	13.334	40
F_o-F_e	-5.333	0.667	4.666	
$(F_o-F_e)^2$	28.44	0.44	21.77	
$(F_o-F_e)^2/F_e$	2.13	0.03	1.63	3.80

काई वर्ग $\chi^2 = \Sigma\left(\frac{(F_o - F_e)^2}{F_e}\right)$

= 2.13+ 0.03 + 1.63

= 3.80

स्वतंत्रता अंश (Degrees of Freedom)

df = 3–1 =2

तालिका क्रमांक 2 का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि प्राप्त अंकों को तीन स्तरों, उच्च, मध्य एवं निम्न में विभाजित कर, ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों के सामाजिक स्तर के प्रदत्तों का χ^2 परीक्षण किया गया है। जिसमें आवृत्ति के अनुसार दृश्य आवृत्ति में उच्च 8 मध्य, 14 एवं निम्न की आवृत्ति 18 है जबकि अपेक्षित आवृत्ति 13.333 उच्च की, 13.333 मध्य की एवं 13.334 ही निम्न में है। χ^2 सूत्र द्वारा 3.80 परिणाम आया है। तालिका में 0.01 स्तर पर 2 वष का मान 9.21 है। जबकि गणना किया गया χ^2 का मान 3.80 इससे कम है, अत: असार्थक है। अत: ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों का सामाजिक स्तर उच्च नहीं होता है।

अत: परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

परिकल्पना : 3: ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर में तुलनात्मक रूप से कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तालिका 3: ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर का मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं टी-मान

विद्यार्थी	मध्यमान	प्रामाणिक विचलन	स्वतंत्रता अंश	टी-मान
बाल अपराधियों का शैक्षिक स्तर	6.89	2.34	78	1.98
बाल अपराधियों का सामाजिक स्तर	8.29	3.8		

78 **स्वतंत्रता अंश** पर **'टी'** का प्रामाणिक मान 0.01 सार्थकता स्तर पर 3.36 होता है तथा 0.05 सार्थकता स्तर 2.0 एवं 0.01 स्तर पर 2.65 होता है। गणना से प्राप्त **'टी'** का मान 1.98 इन दोनों से बहुत कम है अत: असार्थक है। अर्थात् ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर में तुलनात्मक रूप से कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

व्याख्या – तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि परिकल्पना 1 व 2 के अनुसार बाल अपराधियों का शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर उच्च नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार परिकल्पना 3 के अनुसार वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर में तुलनात्मक रूप से कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

चूंकि ग्वालियर संभाग के बाल सम्प्रेषण गृहों में निवासरत बाल अपराधियों के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर उच्च नहीं है इसलिए उनमें तुलनात्मक रूप से कोई अन्तर नहीं पाया गया है। अभिभावकों की स्थिति, घर एवं विद्यालय के वातावरण से किसी भी व्यक्ति की शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति बनती बिगड़ती है। तथ्यों से सिद्ध होता है कि बाल अपराधियों की जब सामाजिक स्थिति उच्च नहीं है तो उनकी शैक्षिक स्थिति भी उच्च नहीं है इसलिए तुलनात्मक रूप से उनकी शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर में कोई अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता है। अर्थात् जैसी सामाजिक स्थिति होगी वैसे ही उनकी शैक्षिक स्थिति होगी।

सुझाव :

1. सम्प्रेषण गृहों में बाल अपराधियों के लिए शिक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
2. शिक्षकों को अपराधी बालकों में भेद नहीं करना चाहिए।
3. अभिभावकों को परिवार की ऐसी स्थिति व घर का वातावरण ऐसा रखना चाहिए कि उनका बच्चा अपराध की ओर अग्रसर न हो।
4. यदि अभिभावकों को लगता है कि उनका बच्चा असामान्य व्यवहार कर रहा है तो उससे शांति एवं स्नेह से बातचीत करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. माथुर, एस.एस. (2010), 'एडवान्सड एजुकेशनल साइकोलोजी', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
2. शर्मा, आर.ए. (2010), 'विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप', विनायक पब्लिकेशन, मेरठ।
3. तनेजा, आर.पी. (1989), 'डिक्सनरी ऑफ एजुकेशन', अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. वरशिल्ड, ए.टी. (1977), 'बाल अपराधा मनोविज्ञान', बिहारी हिन्दी अकादमी, पटना।
5. जयरामदास (1990), 'बाल विकास-अभिभावकों की भूमिका', आर्य प्रकाशन मण्डल, सरस्वती भण्डार, गाँधी नगर, दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Effect of Yoga and Pilates Exercise on Health Related Physical Fitness, Bio-Chemical and Psychological Variables on Irregular Menstrual Cycle Among College Women

Dimple Solanki* Dr. Dilip Singh Chouhan**

***Research Scholar, Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhaypeeth (Deemed - to - be University), Udaipur (Raj.) INDIA**
**** Assistant Professor (Physical Education & Yoga) Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhaypeeth (Deemed - to - be University), Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - Yoga is the best way for irregular periods and also it is an exact thing, where women have regulated their menstrual cycle by practicing the correct asanas. Yoga is an ancient form of regulated exercise, especially designed to make sure the body cures from within. Yoga is an exact programme to treat irregular menstrual problems naturally. Yoga is a kind of effective exercise which gives remedy for all kinds of problems. Accordingly yoga is the best medicine to heal problems like heavy blood flow, painful menstruation periods and menstruation disorder.An irregular period can also indicate more serious issues like pelvic inflammatory disease, uterine cancer, polycystic ovarian syndrome, pregnancy complications and so on. Yoga helps women, mainly those who are attaining menopause to get relief from irregular cycles.The subject for the study was selected from MohanlalSukhadia University, Udaipur, Rajasthan. Forty five female with menstrual problem were selected as subject and aged from 18 to 22 years as per the college record. They were spilt into three different groups namely yogic training (group I), pilates training (group II) and control group (group III).The major crisis encountered by most fractions of women starts from the period of puberty which is menstruation. Women's menstruations give an impact on health in various levels. Irregular cycles are a major cause of concern for women, which if untreated, often lead to other health issues. Hence the result of the study will be useful for the women suffering from menstrual irregularities and for positive health and wellness. The findings of the study will be helpful to know the effects of yoga and pilates for curing menstrual irregularity problems. This study might generate awareness among common masses about the advantages of yoga and pilates exercise program.
Keywords: Menstrual cycle, yoga asanas, pilates, physical fitness.

Introduction - Women's health concerns are affected based on interrelated biological changes, cultural system, emotional and social issues. Basically women should have enough health conscious because when the problems arise they have to go with proper treatment and find out the solution for the diagnosis. This leads them to modify their well-being both physical and emotional. While comparing men and women; naturally women will live longer than man but it does not make sure a pleasing quality of life. Previous studies revealed that women are fairly more flimsy and disable than men in their life succession.

When health is conscious it leads to live with enough economic wealth as well as enlighten the tremendous future. The major crisis encountered by most fractions of women starts from the period of puberty which is menstruation. Women's menstruations give an impact on health in various levels. Maya's Health Survey 2017, released on World Health Day reports that findings of the eighteen countries studied where India ranks disturbingly low when it comes to healthy menstrual cycles and lies at the bottom of the pile. Virtually 50% of women in India have irregular menstrual cycles and is a major cause of concern for women, which typically causes other health related issues such as infertility, PCOS, Anemia etc.

Adolescence brings new changes from childhood to maturity or adulthood. Menarche is an indication of the sign of puberty because of that this can be considered as a significant event in the life of teenage girls. The previous studies recommended that menarche leans to appear earlier in life based on the hygienic, sufficient food and economic circumstances of a social development. Actually these kinds of changes occur 2 to a young girl during the age of 10 to 16 years. This shows a significant range of variant. According to the early survey there are 1.2 billion

adolescents estimated. In this one in every five people in the world today attain a new change in their physical. Adolescence is a stage of great changes in physical and psychological which leads to aware of sexual development as well as gives enough knowledge on social interaction and the value of relationships. Due to the natural change within them cause anxiety and it is difficult to control the feeling of their body and mind because the natural changes may cause long lasting damage to their body as well as personality. This stage needs exclusive attention because of the changes the adolescent faces due to erupt of physical growth, hormonal changes, and multilayered psychological, emotional and social problems. In India 23% of the population belong to adolescent out of which 10% belongs to adolescent girls. The second one is Indian young menstruating adolescent girls are facing additional problems such as anemia, early marriages and teenage pregnancy which complex to the circumstances. The growth of this phase, an adolescent girl experiences first menstruation and relevant problems which is identified by thoughts of excitement and nervousness to know about this natural change happening to their bodily functions. They do not get enough or relevant knowledge/guidance either in the school due to unaware of health education programs or from their parents. The pathetic situation of our Indian girls is menstrual issues are hardly discussed and discourage open discussion either at home or in school which leads to mental stress among adult women.

Review of literature:

Su-Ying Tsai, et.al. (2016) investigated a study on the "Effects of yoga exercise on premenstrual symptoms among female employee in Taiwan". A total of 64 subjects took part in twelve weeks of yogic treatment. All the patients had done a self-report form concerning their characteristics, way of living, status of monthly periods, level of pain during periods, symptoms prior to menstruation, and health-related quality for wellbeing, before and at the end of the treatment. The result revealed that out of 64 subjects, 90.6% who experienced menstrual pain delineated minimized use of pain killers throughout periods and decrease in pain on work. Further there was improvement in physical performance and SF-36 scores of bodily pain, and considerable ablated abdominal bloating, breast pain, abdominal cramps along with cold sweats. The study concludes that with correct education on doing yoga in regular bases could decrease premenstrual discomfort and improves female worker health.

Dr. UlkaNatu, et.al. (2009) conducted a study "effects of yogic practices on infertility related to Pcod (poly cystic ovarian disease)". The study was conducted among 32 subfertility women. Regular practices were given for 12 weeks all day for 1 ½ hour which included asanas, suryanamaskars, shuddikriyas, pranayama, mantra yoga, naadi yoga, dharna and dhyan. It was concluded that change in food and life style along with regular practice of yoga had significant changes in ovulation, reduced serum triglyceride level, decreased level of LH (luteinizing hormone)/FSH (follicle stimulating hormone), minimizing level of Se insulin with increase in Se SHGB range and changes depression state. Finally the study has proved yoga as a holistic intervention among women with PCOS.

Roberta Anderson, et.al.(2017) conducted a pilot study "using yoga nidra to improve stress in psychiatric nurses". The study was carried on nine psychiatric nurses for 6 weeks of yoga nidra program. Stress and fatigue level was measured through questionnaire before and after the training. The result showed improvement on perceived stress and fatigue after the training. The study revealed the influence of yoga nidra in reducing stress and fatigue level among psychiatric nurses.

Amber W. Li, et.al. (2012) organized a randomized controlled trial to observe the "effects of yoga on anxiety and stress". Literature searches were done on PubMed using the keywords "yoga", "stress" and "anxiety" which was limited to human trials. A total of 56 articles in relation to yoga and stress and 42 articles regarding yoga and anxiety were found, and further the collected studies was limited to 35 which met all the criteria. Of 35 studies on effects of yoga anxiety and stress, 25 studies were found to be significant in improving stress and anxiety symptoms through yoga. 14 out of 35 trials reported biochemical and physiological makers of stress and anxiety, but provided incompatible aid in decreasing anxiety and stress through yoga. Finally the study was concluded with further examination has to be explored with large population for longer duration before suggesting yoga as an alternative treatment.

Mohammad Reza Mehravar (2018) conducted a study "The effect of eightweekpilate s exercise on the thyroid function in sedentary women". Twenty two sedentary women aged between 25 to 40 years old participated in this study as the subject. The subjects were split into Pilates batch (n=11) and non-Pilates batch (n=11) equally. The subjects in the pilates group performed 60 min pilates exercise, 3 times a week for 8 weeks. Body composition parameters, T3, T4 and TSH concentrations were measured during the start and end of the intervention. The results revealed decrease in body fat percent after pilates exercise (P however for T3, T4, and TSH concentrations no significant changes were observed. The study concludes pilates exercise utilized in this study had not significant effect on thyroid function in sedentary women.

Research objective:

1. To determine whether yoga cause any influence on health related physical fitness, bio-chemical and psychological variables among college women with irregular menstrual cycle.
2. To determine whether pilates exercises cause any influence on health related physical fitness, bio-chemical and psychological variables among college

women with irregular menstrual cycle.

Research hypotheses:

1. There would be significant difference among experimental and control group on health related physical fitness variables due to the practice of yoga and pilates exercises.
2. There will be a positive influence and significant difference among experimental and control group on bio-chemical variables due to the practice of yoga and pilates exercises.
3. It is further hypothesized that there will be significant differences among the experimental and control group on psychological variables due to the practice of yoga and pilates exercises

Methodology:

Selection Of Subjects: The subject for the study was selected from MohanlalSukhadia University, Udaipur, Rajasthan. Forty five female with menstrual problem were selected as subject and aged from 18 to 22 years as per the college record. They were spilt into three different groups namely yogic training (group I), pilates training (group II) and control group (group III). The voluntary concern of the participants was collected and it was assured that the engaging in the physical activity program will not have any threat to participants in any mode. The consent from subjects was taken beforehand. The concerned authorities were also acquainted with the procedures and purpose of the study and their consent was taken.

Selection Of Variables:

1. Health Related Physical Fitness

Following Health related components of the subject will be assessed.

a. Cardiovascular Endurance
b. Muscular Strength
c. Muscular Endurance
d. Flexibility
e. Body Composition

2. Bio-chemical variables

a. Hemoglobin
b. Thyroid hormone

3. Psychological variables

a. Stress
b. Anxiety

Test And Criterion Measures (see innext page)

Statistical Procedures: For the purpose of the present study forty five women from MohanlalSukhadia University, Udaipur, Rajasthan were selected and divided into three groups equally (n=15). The subjects were tested on selected criterion variable prior to and immediately after twelve weeks of training programme as pre and posttests respectively. The collected data was analyzed statistically by using ANCOVA followed by Scheffe's post hoc test. The level of significance was fixed at 0.05.

Conclusions:

1. Yogic training has shown significant improvement in health related, bio-chemical and psychological variables among college women.
2. Pilates training has shown significant improvement in health related, bio-chemical and psychological variables among college women.
3. The 12 week training program did not have any improvement on Triiodothyronine (t3) and Thyroid stimulating hormone (THS) on both yogic and pilates batch.
4. The yogic training has shown significant changes in triceps and suprailiac when comparing with the pilates group, but there is no significant changes among the groups.

Recommendations for further studies:

1. Equivalent studies may be carried out on sports women with different age group.
2. More studies may be encouraged on pilates exercise relating to menstrual problems.
3. More studies may be encouraged by giving different training programme relating to menstrual problems.
4. The results of the study may be sent to the head of the institution were the training was conducted, requesting them to carry out the training programme to the subjects for longer duration to overcome the menstrual problems which has been taken into consideration in this study in order to promote betterment of health.

References:-

1. Arora S, Bhattacharjee J. Modulation of immune responses in stress by Yoga. Int J Yoga. 2008;1(2):45-55. doi: 10.4103/0973-6131.43541.
2. Bavli, O., &Koybasi, O. (2016). Investigation the effects of 6 weeks pilates exercises on biomotorical variables asnd self-esteem scores of young women. Turkish Journal of Sport and Exercise, 18(1), 127-131.
3. Kumar, A., &Srivastava, K. (2011).Cultural and social practices regarding menstruation among adolescent girls.Social work in public health, 26(6), 594-604.
4. Omidvar, S., Amiri, F. N., Bakhtiari, A., & Begum, K. (2018).A study on menstruation of Indian adolescent girls in an urban area of South India.Journal of family medicine and primary care, 7(4), 698.
5. Paithankar, S. M., &Hande, D. (2016).Effectiveness of Pilates over Conventional Physiotherapeutic Treatment in Females with Primary Dysmmenorrhea. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 15(4), 156-163.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Test And Criterion Measures:

S.	**Variables**	**Test Items**	**Unit Of Measurements**
Health Related Physical Fitness			
1	Cardiovascular endurance	Cooper 9 minutes run/walk test	Minutes
2	Muscular strength	Flexed arm hang	Minutes
3	Muscular endurance	Floor sit ups	No/Minutes
4	Flexibility	Sit and reach test	Centimeters/Inches
5	Body composition	Skin fold measurements	Score as per conversion by norms
Biochemical Variables			
6	Hemoglobin	Blood test	Grams per liter g/dl
7	Thyroid	Blood test	mIU/L
Psychological Variables			
8	Stress	Cohen Perceived Stress Questionnaire	Scores
9	Anxiety	Hamilton Anxiety Rating Scale (Ham-A)	Scores

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

मन्नू भंडारी के उपन्यासों में स्त्री विमर्श

सबीना खान*

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मन्नू भंडारी ने अपने उपन्यासों में स्त्री जीवन का यथार्थ चित्रण सजीव एवं ज्वलंत रूप से किया है। समाज में स्त्री 'स्व' अस्तित्व की प्राप्ति के लिए लगातार संघर्ष कर रहीं है। आधुनिक युग के बौद्धिक समाज में चल रहें 'स्त्री विमर्श' के बीच मन्नू भंडारी के उपन्यासों में स्त्री विमर्श का अपना अलग ही स्वरूप दिखाई देता है। मन्नू भंडारी के उपन्यास 'एक इंच मुस्कान', 'आपका बंटी', 'स्वामी' और 'महाभोज' में स्त्री जीवन के विभिन्न समस्याओं को दर्शाया गया है। जिसके अन्तर्गत दाम्पत्य जीवन में विघटन, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों में टूटन, हमारे समाज व्यवस्था में पुरूष प्रधानता की समस्या, पुराने एंव आधुनिक संदर्भो के बीच पीसती हुई नारी, अनमेल विवाह की समस्या, तलाक की समस्या, नैतिक मूल्यों की समस्याओं को संकलित किया गया है। सामाजिक समस्याओं के अन्तर्गत सामाजिक अन्यायों, अमानवीय शोषण की समस्या को रेखांकित करते हुए पति–प्रेम वंचिता नारियों की विडंबनाओं को भी रेखांकित किया गया है।

प्रस्तावना –स्त्री जीवन के यथार्थ एंव परिवेशानुकूल रुप का चित्रण करने वाली लेखिका मन्नू भंडारी ने आधुनिक भारतीय नारी के द्वन्द्व को रेखांकित करते हुए उसके व्यक्तित्व में कहीं परंपरावदी तो कहीं आधुनिक सोच के नयेपन को दर्शाया है। अपने उपन्यासों में जीवन के मूक क्षणों को बयान करते हुए अपने अनुभवों एंव संघर्ष को लेखिका के रुप में प्रस्तुत किया है। एक नारी के रुप में किये गए संघर्षों के आधार पर हम मन्नू भंडारी को स्त्री विमर्श का दस्तावेज मान सकते है। स्त्री विमर्श की सभी समस्याओं और संघर्षों को मन्नू भंडारी के उपन्यासों में देखा जा सकता है, जिसमें कहीं लेखिका पुराने परंपरावाद को तोड़ती हुई नज़र आती है तो कहीं आधुनिक सोच के कारण स्वयं टूटती हुई दिखाई पड़ती है।

स्त्री विमर्श – स्त्री विमर्श का शाब्दिक अर्थ स्त्री से जुडे विभिन्न पक्षों पर गहन विचार, विनिमय, चर्चा–परिचर्चा तथा चिंतन–मनन करन की पद्धति माना जा सकता है। 'नारी विमर्श दो शब्दों को मिलाकर बना है। नारी अर्थात् स्त्री, गृह लक्ष्मी, और और विमर्श अर्थात्, वाद–विवाद, सोच विचार, विचार–विमर्श, सलाह इत्यादि। नारी विमर्श से अभिप्राय नारी के बारे में सोच विचार, समाज में उसकी स्थिति क्या है, कैसी होनी चाहिए आदि के बारे में सलाह–मशविरा करना ही नारी विमर्श है।'

अंग्रेजी में 'स्त्री–विमर्श' को 'Women Discousse' एवं नारीवादी सिद्धान्त को 'Feminism' कहा जाता है। समाज में पितृसत्ता स्थापित होने केक कारण सदियों से होते आए शोषण और दमन के प्रति स्त्री चेतना ने ही स्त्री–विमर्श को जन्म को दिया। आत्म चेतना, आत्म सम्मान, आत्म गौरव, समता और समानाधिकार ही पहल का दूसरा नाम है। स्त्री को अपने अस्तित्व के बोध ने विमर्श की प्रेरणा दी।

मन्नू भंडारी के उपन्यासों में स्त्री विमर्श –स्त्री जीवन के यथार्थ एवं परिवेशानुकूल रूप का चित्रण करने वाली लेखिका भंडारी ने आधुनिक भारतीय नारी के द्वन्द्व को रेखांकित करते हुए उसेक मन्नू व्यक्तित्व में कहीं परंपरावादी तो कहीं आधुनिक सोच के नयेपन को दर्शाया है। अपनी आत्मकथा एवं साक्षात्कारों में अपने जीवन के मूक क्षणों को बयान करते हुए अपने अनुभवों, संघर्ष एवं एक लेखिका के रूप में किये गये संघर्षो को प्रस्तुत किया है। एक नारी के रूप में किये गये संघर्षो के आधार पर हम मन्नू जी के साहित्य को 'स्त्री–विमर्श' का दस्तावेज मान सकते हैं। स्त्री विमर्श की समस्याओं एवं संघर्षो को मन्नू भंडारी के उपन्यासों में देखा जा सकता है, जिसमें कहीं लेखिका पुराने परंपरावाद को तोड़ती हुई नज़र आती है तो कहीं आधुनिक सोच के कारण स्वयं टूटते हुई दिखाई पड़ती है।

मन्नू भंडारी के उपन्यास लेखन में भी स्त्री संघर्ष को स्त्री विमर्श के माध्यम से उठाया गया है स्त्री की संवेदना, नारी का दमन, उसकी पीड़ा, एवं सुख–सपनों की कल्पना को लेखिका के उपन्यासों में स्त्री विमर्श के रूप में अभिव्यक्ति हुई है।

'एक इंच मुस्कान' उपन्यास की मुख्य नायिका अमला एक परित्यक्ता स्त्री है। पति द्वारा त्यागी गई होने के कारण उसे अब विवाह बंधन से घृणा हो गई है क्योंकि विवाह के कारण ही उसे आतंरिक पीड़ा एवं अपमान सहना पड़ा है। पिता के द्वारा पुनर्विवाह का प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहती है 'नहीं!... मैं किसी से विवाह करना नहीं चाहती किसी से भी नहीं में इतनी निर्बल और निरीह नहीं हूँ कि जीवन, बिताने के लिए कोई सहारा चाहिए।' अमला अपना अकेलापन अव विवाह बंधन में बंध कर दूर करना नहीं चाहती क्योंकि उसे अपने पहले विवाह बंधन के द्वारा दिया गया 'घाव' अब कभी भर नहीं पायेगा, अब किसी पुरुष पर वह विश्वास ही नहीं कर पाएगी। वह अब अपने जीवन में आये सभी पुरुषों को अपना साधन मात्र बनाती हैं, विवाह बंधन में कभी नहीं बंधती विवाह विरोध के कारण मिले हुए दंश को भूला नहीं पाती। यहाँ पर स्त्री की त्रासदी का कारण उसका पति होता है जो उसे त्याग कर अपमानित कर स्त्री के मन को दु:ख संत्रास देते हुए उसे एक अपूर्ण व्यक्तित्व बनने पर विवश कर देता है। यहाँ पर लेखिका यह कहना चाहती है कि एक पुरुष से त्यागे जाने पर अमला को विवाह बंधन से मुक्त नहीं होना चाहिये। किसी दूसरे पुरुष से साथ बंधना चाहिए हाँ पर विवाह

बंधन में शोषण प्रताड़ना को कभी भी सहना नहीं चाहिए।

इसी उपन्यास में और एक मात्र 'रंजना' 'अमर' से विवाह करने के बाद बहुत खुश थी परंतु अमर को विवाह के बाद एक दकियानुसी पुरुष मानसिकता के प्रभाव को देखते हुए वह कहती है 'आप दोष हम लोगों पर लगाते हैं, यह है कि आपके भीतर वही पुराना सामन्तवादी पति जिन्दा है... आप चाहते हैं कि पत्नी नौकरी तो करे ही, साथ ही साथ घर की देखभाल करे, नौकर से सिर मारे कपड़े संभाले, बटन लगाए, बच्चे खिलाए... फिर पति की पूरी सेवा भी करे उसका चौका-चुल्हा करें, हाथ-पाँव दबाए फिर भी पति को यही शिकायत कि न वह पति को देखती है न घर को अच्छा इतना ही नहीं, पति को सारी छूटे हैं वह दुनिया भर की खुराफातें करें, मटरगस्ती करें, दोस्तों में घूमे और अपने पर चाहे जितना खर्च करें .....' यहाँ पर रंजना ने पूरे स्त्री विमर्श के सभी रूपों का चित्रण करते हुए पुरुषवादी समाज को बेनकाब कर दिया है। जहाँ पुरुष को स्त्री के रूप में एक सेविका चाहिए जो उसके आदेशानूसार हमेशा उसकी सेवा में प्रस्तुत रहें।

'आपका बंटी' उपन्यास की प्रमुख पात्र 'शकुन' की अंतरद्वन्द्व का चित्रण करते हुए लेखिका यह कहती है कि शकुन के खंडित व्यक्तित्व पत्नी एवं मातृत्व में बँट कर रह जाता है। वह अपने स्व को स्थापित करने में अंत तक सफल नहीं हो पायी। आत्मनिर्भर एवं शिक्षित होने के कारण वह अपने पति के समकक्ष एक चुनौती बन जाती है उसका पति उसे तलाक देकर उसे तोड़ना चाहता है तो वही शकुन भी आधुनिक स्त्री का परिचय देते हुए अपने पति के दिये गये चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने पति के अहं को ठेस पहुँचाने के लिए एवं स्वयं को सुखी करने के लिए भी दूसरा विवाह एक डाक्टर से कर लेती है। दूसरे पति से उसे वह सारे सुख मिलते हैं। जो उसे अपने पहले पति से प्राप्त नहीं हुए यहाँ पर मन्नू भंडारी का स्त्री विमर्श यह कहता है कि जब पति-पत्नी का दाम्पत्य जीवन गड़बढ़ाने लगें तो दूसरा विवाह कर दोनों को अलग-अलग जिन्दगी व्यतीत करना चाहिए ना कि एक-दूसरे को शोषित एवं प्रताड़ित करना चाहिए।

'स्वामी' उपन्यास की नायिका 'मिनी' प्रेमी एवं पति के बीच अपने व्यक्तित्व में प्रेमिका एवं पत्नी के रूपों में अपने पत्नी रूप का चयन करती है। वह अपने चल रहे अद्वन्द्व में सफलता प्राप्त करते हुए पति से कमतर नहीं बल्कि एक साथी के रूप में ग्रहण करती है जो उसके अंदर आधुनिक स्वतंत्र विचारों के कारण संभव हो पाता है। मन्नू भंडारी के स्त्री विमर्श का यही मानना है कि स्त्री पुरुष को सहयोगी साथी एवं मित्र की भाँति जीवन यापन करना चाहिए। जहाँ दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व को सवारे एवं एक दूसरे को जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करें।

'महाभोज' की सभी नायिका पात्र रूढ़ीग्रस्त संस्कारों से बंधी हुई नारी है जो पति के सुख में सुखी एवं पति के दु:ख में दु:खी हो जाती है। यहाँ पर स्त्री का व्यक्तित्व पति के साथ जुड़ने के बाद दी सम्पूर्ण होती है। यहाँ पर लेखिका ने स्त्री विमर्श के अहम मुद्दे की बात की है जो यह कहता है कि भारतीय स्त्री की मानसिकता अभी तक बहुसंख्य में पत्नीव्रत की है। जिसके कारण स्त्री-विमर्श का सही रूप से व्यवहार में लाना संभव नहीं हो पा रहा है। आधुनिक समाज में रूढ़ि बन चुकी संस्कारों को तोड़ कर परिवर्तन की माँग करता है स्त्री विमर्श स्त्री के समक्ष उत्पन्न हुई चुनौतियों को अस्वीकार कर नियति मानना नहीं है बल्कि चुनौतियों को स्वीकार करते हुए परिवर्तन लाना है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। स्त्री के स्थिति में बदलाव होने के पश्चात् ही स्त्री विमर्श का पूर्ण रूप से विकास संभव हो पायेगा। तथा स्त्री विमर्श के विकास के साथ ही स्त्रियों का विकास एवं सफलता का संलग्न जुड़ा हुआ है। मन्नू जी यह स्वीकार करती है कि स्त्री की स्थिति को बदलने के लिए सर्वप्रथम उसे शोषण से पहचान करवाना जरूरी है, जिस दिन वह शोषण की पहचान करना सीख जाएगी वह विद्रोह करना स्वयं ही सीख जाएगी। 'मध्यवर्गीय भारतीय औरत की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसे अपने अस्तित्व को कुचलने वाली स्थितियों की, अलग-अलग स्तरों पर अपने शोषण की पहचान ही नहीं होती।'

मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में स्त्री पात्र अपने-अपने परिवेशानुकूल परिस्थितियों के अनुरूप संघर्ष करती हुई प्रतीत होती है। वैवाहिक संबंधों से पैदा होने वाले तनावों, दबाबों, असमंजस एवं द्वंद्ध को झेलते हुए स्त्री जीवन में कहीं प्रतिकार करती हुई नज़र आती है तो कहीं समझोतावादी तो कहीं अपनी हार स्वीकार करती हुई दिखाई पड़ती है। स्त्री जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर किया है। इन सभी समस्याओं को निरूपित करते हुए उन्होंने अपनी रचनाओं के स्त्री पात्र गढ़े हैं।

निष्कर्ष- मन्नू भंडारी के उपन्यास लेखन में स्त्री संघर्ष को स्त्री विमर्श के माध्यम से उठाया गया है। स्त्री की संवेदना, नारी का दमन, स्त्री की पीड़ा एंव नारियों की विडंबनाओं को दर्शाया गया है। स्त्रियों का सामाजिक समस्याओं के अन्तर्गत सामाजिक अन्यायों, अमानवीय शोषण की समस्या और पति प्रेम से वंचित स्त्रियों की समस्याओं को रेखांकित किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जगदीश्वर चतुर्वेदी : स्त्रीवादी साहित्य विमर्श, पृ. सं. 154
2. श्रीराम शर्मा : समकालीन हिंदी साहित्य विविध विमर्श, पृ. सं. 98
3. डॉ. अर्जुन चव्हाण : विमर्श के विविध आयाम, पृ. सं. 125
4. सं. सुधा अरोरा : मन्नू भंडारी: सृजन के शिखर, पृ. सं. 37
5. मन्नू भंडारी एंव राजेन्द्र यादव : एक इंच मुस्कान: सहयोगी उपन्यास, पृ. सं. 89
6. वही, पृ. सं. 196
7. मन्नू भंडारी : आपका बंटी, पृ. सं. 81
8. मन्नू भंडारी : स्वामी, पृ. सं. 30
9. मन्नू भंडारी : महाभोज, पृ. सं. 122
10. वही, पृ. सं. 123

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

A Study on the Effectiveness and Possibilities of Online Marketing

Dr. Balmukund Baghel*

*Senior Lecturer, MOM, Govt. Polytechnic College, Narsinghpur (M.P.) INDIA

Abstract - Online marketing today and tomorrow is a revolutionary change in the world of marketing as discussed in the title of my research paper on its relevance and possibilities, Our prediction is about the game changer or future market .How it reflect to the success of business ,brand and products. Now days we have a many of advertisement methods because of unlimited and different types of customer in the world .we cannot expected that all peopleTake the advantages of online marketing Because there are still many limitations in it, which we have discussed in the research paper.But right now its reach in rural areas or small towns is negligible, which will increase with infrastructural development and it will benefit both producer and consumer.
Keywords: Online, Digital, Marketing Brands, Internet Consumer, Business, Entrepreneur, Social Media.

Introduction - Business, entrepreneurship, startups are being discussed the most in the world today because this is the area that can connect maximum people with employment and by fulfilling the needs of the people, more and more money can be earned from this area. Business has become the base point of the economy. Talking about business and not talking about marketing strategies, it cannot happen because it is an important factor in making the business successful.No one would have thought that one day internet will become the main tools of online business but today online business is a reality.It is also known as digital marketing. Paytm wallet on Zomato,policy bazaar,byjusLike there are many different platforms whose basis of business is online marketing.In such a situation, the effectiveness of online marketing and its growing scope have to be accepted.There is a population of around 140 crores in India or gradually the reach of mobile is increasing to every person. Most of the people are connected with the social networking site Facebook, WhatsApp, Instagram, online gaming, online chatting and there is a lot of online advertisement in every platform. Just imagine how many internet marketing alerts you receive on hourly basis And how many of them are promotional base. These promotions bring you an infinite variety of choice of consumer goods and services. Therefore, the whole world has gone Know the potential of your marketing device.

These advertisements definitely leave their mark directly or indirectly. And people are aware of everything.Online selling companies like Amazon, Flipkart, Nykaa etc. have made the products of small entrepreneurs accessible to the general consumer by allowing them to open accounts by registering in their sites for the promotion of small entrepreneurs.These small businessmen are also earning good profits by taking the help of online marketing and promoting their business and the product is getting recognition. Apart from this, there are many entrepreneurs who have created their own website and started selling goods directly to the consumer by advertising on their social website. It makes good and cheap goods available to the consumer.Now it has become such that whether you are a small or big businessman, you have to take the support of online marketing, otherwise the business will lag behind due to the competition of the business.It is mandatory for a business or entrepreneur that along with other marketing methods, he must adopt the method of online marketing.The consumer has also become aware and before buying the item, he sees that on which website the item of his choice is available at the right price, so marketing is needed by both the Manufacturer and the consumer.

Statement Of The Problem: There are two sides of the same coin, where there is profit, there is also the possibility of loss. It is true that online marketing is emerging as a successful tool, but some of its draw backs are also coming to the fore.In this crowd of online marketing, it is difficult to identify which website is right or not, which product is useful or not, the price of the product is right or not.Online marketing is more difficult to establish a new product or brand because the customer does not easily trust a product.Online marketing also gets to read the news of fraud from time to time, many people also become victims of fraud through this medium.Duplicate goods are also available in online marketing, in such a situation, the

identification of fake and real remains difficult.Companies or organizations use marketing research to manage the risks of investments which is associated with offering new products and services. These organizations don't want to spend too much money developing a product line so that research indicates will be unsuccessful one. Some problems make marketing research costly which make cost price higher and produce results of questionable value for the organization.

The Significance Of online marketing: Whether the business is big or small, online marketing is proving to be a boon. People who are expert in any art or know any productBefore online marketing came, they could not understand how to sell their product, how to connect with the customer.But online marketing has removed all the hurdles.Now the business is not limited to any village, town, or India but has become global.This is the reason that after the end of the Corona period, the number of small entrepreneurs is increasing rapidly.Now this is just the beginning, we are moving towards 5G network, in which internet speed will increase a lot, those areas which were not covered in 4G technology will also be able to take advantage of internet facility after 5G revolution.This revolution of online marketing is not going to stop but will increase day by day and quadruple speed and one day no consumer will remain untouched by its benefits.The ability to reach out to anyone and anywhere as there are no geographical boundaries with digital Target the right audience at the right time - personalization is simpler with digital marketing Communicate with your prospects at every stage of the buying process.

Save money and reach more customers for less Get to know your audience and drive engagement to create brand loyalty. Get some inspiration from the power of customer loyalty schemes. Track and monitor responses to your marketing efforts easily and instantly.

Objectives:

1. TO Knowing how the digital marketing is effective and how many possibilities are hidden in it.
2. To know how digital marketing can change the life of entrepreneur and consumer.
3. To know what are the factors of success in digital marketing and what are the obstacles in front of it.
4. To know how digital marketing is different from the old methods and how to grow and expand business using it.

Limitation: Every technology or method has its own advantages and some disadvantages, here an attempt has been made to know which factors are becoming a hindrance in online marketing.Some of the obstacles may be-

1. Online marketing is still successful in connecting with the consumer of urban area only, now it is a big challenge for him to reach rural area.
2. Even today, many consumers do not like online marketing because they have learned the habit of seeing the item in the showroom with their eyes and touching it with their hands.They have a fear online that they might find something different than what they are thinking.
3. Bargaining facility is not available in online marketing and many consumers consider it essential while buying goods.
4. In online marketing, the consumer thinks that the wrong item has arrived or if he does not like it, then who will take the hassle of returning it?
5. In online marketing, the consumer thinks about the new item whether its price is right or not.

Research Methodology

Primary Data & Secondary Data: in relation to online marketing, along with the academic staff working in Government Polytechnic, Narsinghpur, II, IV And in the final year about 50 students of various branches running in the institution were discussed face to face through online / digital marketing .this is a primary data which is use in research paper .Also, where necessary, the material available in various general magazines, internet has been made the basis so that the research can prove to be more authentic.

Definitions:

1. Consumer Purchasing Decision: Consumer purchasing decision refers to final decision a consumer takes after considering all the factors such as income of the person, quality of the product, brand equity of the company etc, to make payment for the purchased product to make the purchase final.

2. Brand Perception: This refers to the set of characteristics a potential consumer relates a particular product/company/brand with in order to make associations with. The perception of a particular brand maybe influenced by factors such as marketing of that particular brand, social campaigns carried out by that brand, consumer satisfaction/ dissatisfaction of that particular brand after consuming that brand and word of mouth image that brand has established.

3. Email Advertising: This refers to the exchange of product discussions/views/testimonials through emails shared between consumers with consumers, triggered by the companies.

4. Online word of mouth marketing: Marketing the product online through various techniques including social media such as Facebook, Twitter; including consumer blogs to encourage viral marketing.

5. Chat section: One to One or One too many discussions on the internet on established chat forums designed to facilitate opinions, troubleshooting, recommendations and suggestions regarding one or more products.

Conclusion: With the rapid change in technology,Every other person has a mobile in their hands and many people are spending most of their time in social media networks, television is constantly running advertisements, people are sharing each other's thoughts about products online,

technology of internet like 5G is going towards Internet infrastructure is increasing in every village, from that it can be said that no one can stop the online revolution. But here it is also necessary that the entrepreneur lays emphasis on branding. Build a brand so that the consumer does not get duplicate goods, the consumer buys the right goods at the right price, his digital marketing experience is pleasant.

According to the research of sample size 50 respondents, we came to know that there is no direct connection of the studied variables (Consumer Purchasing Decision, Brand Perception and Online marketing through Consumers). Consumers either strongly agree or agree that brand's existence on social media is essential for growth. Almost every manager agrees that marketing through word of mouth has major impact than doing it through chat section or email advertising social media networks like Facebook, WhatsApp, Instagram. tweeter etc. Consumers do select word of mouth as a major tool for online marketing. The objectives we had set for this research paper and the hypothesis we had made prove to be true to a great extent that online marketing is leading to a change in the behaviour of the customers. Whether it is an entrepreneur or a customer, both are benefited. Many items which are not available in the local market, while the customer needs, are easily available in the online medium at the right price and the person does not have to wander.There are some things that will change with time, such as the matter of connecting rural areas, it depends on the development of infrastructure and logistics, distribution mediums, this will also change.

References:-

1. Applying Quantitative Marketing Techniques to the Internet, Journal of Marketing, Vol. 31, No. 2, pp. 90-108. British Journal of Marketing Studies Vol.1, No.4, pp. 11-19, December 2013 Publish By European Centre for Research Training and Development UK (www.ea-journals.org)
2. https://www.wikipedia.org/
3. Epic Content Marketing, Joe Pulizzi September 24, 2013
4. Permission Marketing, Seth Godin 252 February 20, 2007
5. Digital Marketing For Dummies, Ryan Deiss and Russ Henneberry Dec 27, 2016
6. Häubl, Gerald, and Valerie Trifts. “Consumer decision making in online shoppingenvironments: The effects of interactive decision aids.” Marketing science 19, no. 1(2000): 4–21.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

कृषि क्षेत्र मे किसान कल्याणकारी योजनाओं का योगदान राजस्थान के संदर्भ में

रोहित कुमार लोहार*

* सहायक आचार्य (भूगोल) हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांसवाडा (राज.) भारत

शोध सारांश – कृषि को बढावा देने के लिए किसान कल्याणकारी योजनाएं रीढ़ की हड्डी साबित होती है। क्योंकि 21वीं शताब्दी में भी भारत की कुल कार्यकाल आबादी का 54.6% कृषि व उससे संबद्ध क्षेत्र के कार्यकलापों में लगी हुई है।

CSO के राष्ट्रीय आय अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि का GYA योगदान 16.1% है।

किसान कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें समय-समय पर किसानों की आय में वृद्धि हेतु व आत्मनिर्भरता हेतु कई कदम उठाती है।

कृषि के विकास के लिए व कृषकों की समृद्धि के लिए सरकारों द्वारा जारी योजनाएँ कौन-कौनसी है, किसान कैसे लाभान्वित होते है, कितने किसान लाभान्वित हुए है, इसकी जानकारी योजनाओं के धरातल स्तर पर पहुँचने से प्राप्त होती है।

प्रस्तावना – भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण आधार रही है, कृषि कार्यो को बढ़ावा देने के लिए ससरकारें आजादी के बाद से ही प्रतिबद्ध है। योजना आयोग द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में कृषि पर विशेष जोर दिया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में हरित क्रांति में खाद्यान्न फसलों में उन्नत वृद्धि हुई।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) में कृषि उत्पादन व आत्म-निर्भरता पर जोर दिया गया।

इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं में किसानों की आय में वृद्धि व विभिन्न यंत्रीकरण के साधनों को बढावा देने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा किया गया।

योजना आयोग से नवगठित नीति आयोग द्वारा विभिन्न कृषि व किसान कल्याण योजनाओं को आवश्यकतानुसार परिवर्तित करके किसानों को लाभान्वित करने का कार्य वर्तमान सरकारों द्वारा जारी है।

वर्तमान समय में केंद्र सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ निम्न है –

(अ) केन्द्र सरकार की किसान कल्याण योजनाएँ :

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
3. प्रधानमंत्री वन धन योजना
4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
5. प्रधानमंत्री कुसुम योजना

(इ) राजस्थान सरकार की किसान कल्याण योजनाएँ-

1. मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना
2. राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना - 2014
3. मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना
4. राजस्थान किसान सेवा पोर्टल
5. महिला विकास ऋण योजना
6. महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना
7. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आदि।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि – देश के छोटे व सीमांत किसानों को कृषि कार्यों में सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा 1 दिसम्बर 2018 को शुरू किया गया।

इस योजना में किसानों को प्रत्यक्ष खाते में आर्थिक सहायता के रूप में 2-2 हजार रु. वर्ष में तीन किश्तों में 6 हजार रु सहायता दी जा रही है।

अब तक किसानों को 10 किश्ते जारी की जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत तीन वर्षों में 20 हजार आर्थिक सहायती दी जा चुकी है।

1 जनवरी 2022 तक देश के 10,54,71892 किसान लाभांवित हो चुके है। व राजस्थान के वित्तीय वर्ष-2021 में 58% किसान लाभांवित हो चुके है, 79,89,345 किसानों को 45,96,808 रू पेमेंट हो चुका है। उक्त योजना में किसानों के अधिक लाभांवित करने के लिए Mobile Application को लॉच किया है।

यह योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। इस योजना के लिए पात्र-अपात्र कृषकों को भौतिक सत्यापन किया गया। इस कार्य में डूंगरपुर जिला पुरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। डूंगरपुर जिले के वर्तमान में कुल लाभार्थी कृषकों में से रेण्डम आधार पर 5 प्रतिशत, 6 हजार 647 मे से 6,524 पात्र व 123 अपात्र का भौतिक सत्यापन कर 100% कार्य पूर्ण कर पुरे राज्य में प्रमि रहा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – किसानों की फसल अक्सर प्राकृतिक आपदाओं जैसे आँधी, तुफान, औलावृष्टि, तेज बारिश के ख़राब हो जाती है। इसके पूर्नभरण के लिए 18 फरवरी, 2016 को इस योजना की शुरूआत

की गई थी।

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसान को खरीफ की फसल के लिए 2% रबी की फसल के लिए 1.5% एवं बागवानी फसलों के लिए वार्षिक 5% राशि लेकर फसल बीमा किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री वन धन योजना – जनजातिय समुदाय द्वारा पैदा की जाने वाली लघुवन, कृषि, प्रौद्योगिकी व उद्यानिकी उत्पादों के संग्रहण कर उचित मूल्य दिलाने के लिए 'जनजातिय कार्य मंत्रालय भारत सरकार' व ट्राईफिड के माध्यम से सन् 2018-19 में सम्पूर्ण भारत में 300 वन कलस्टर बनाकर शुरू किया गया।

राजथान में जनजाति उपयोजना व सहरिया क्षेत्र के 27 कलस्टर व 6 वन धन विकास केन्द्रों को कार्यशील किया गया जिसके द्वारा वन उपजों, आयुर्वेदिक औषधियों का संग्रहण, पैकिंग व विपणन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

राजीविका द्वारा मगवास कलस्टर (उदयपुर) ससे 75 क्विंटल हर्बल गुलाल का विपणन किया गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – फसल उत्पादकता बढ़ाने व किसानों की मानी को बचाने के लिए सभी श्रेणी के किसानों के लिए केन्द्र व राज्य सरकार का 60 : 40% अनुपात के आधार पर योजना को लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत ड्रिप व फव्वारा पत्रों के वितरित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त बजट का प्रावधान कर सन् 2020-21 में राज्य अंश 36.67 करोड़ के अलावा अतिरिक्त अनुदान 15.77 करोड़ रू. राज्य विधि द्वारा रखे ० किए गये।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना – भारत सरकार द्वारा सोलर पंप व सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 'किसान ऊर्जा ससुरक्षा और उत्थान महाअभियान' (कुसुम) योजना स्वीकृत की गई।

राजस्थान में कुसुसम योजनानतर्गत प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर जिले के 'भालोजी' गाँव के स्थापित किया गया।

इस योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 17 लाख यूनिट प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राज्य के किसानों ने उत्साद दिखाते हुए 674 किसानों ने 81.5 मेगावॉट क्षमता के लिए आवेदन किए जिसमें से 623 किसानों की 722 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके है।

मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना – इस योजना का उद्देश्य किसानो को खेतों में अच्छी किस्म के बीजों को बढ़ावा देना ही यह योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायु खण्डों में कि जा रही है। जिसके अन्तर्गत गेहूँ, जो, चना सोयाबीन, मूंग, मोढ़, मुंगफली आदि किस्मों को शामिल किया गया है।

राजस्थान किसान सेवा पोर्टल – राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों की सुविधा के लिए 'राज किसान साथी' पोर्टल शुरू किया गया जिसके अन्तर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध रवाने के लिए वेबसाइट बनाई जा रही है व किसानों के मोबाईल पर मैसेज भेज कर जानकारी दी जाती है।इसकी जानकारी http://rajkaushal.rajasthan.gov.in पोर्टल के माध्यम से ली जा सकती है।

राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना – 2019–राज्य सरकार द्वारा उन्नयन, 2018 तक के सभी लघु अवधि ऋणों को माफ करने का ऐतिहासिक, निर्णय किया जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2020 तक 20.58 लाख ऋणी किसानों को 7,739.29 करोड़ से लाभांवित किया गया। आधार प्रमाणीकरण के द्वारा इस योजना से किसानों के लाभांवित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना – माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा इस योजना का प्रावधान 2021-22 के बजट में किया था योजनान्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह 1000 रू. अधिकतम 12 हजार रू प्रतिवर्ष अनुदान दिया जायेगा इस योजना का लाभ, मई, 2021 से मिलना प्रारंभ हो गया है

उद्देश्य:

1. विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन करना।
2. किसान कल्याणकारी योजनाओं से किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन करना उनकी जानकारी आमजन तक पहुँचाना।
3. किसान भाईयों में सामाजिक, आर्थिक स्तर पर आये बदलावों को ज्ञात करना।
4. कृषि योजनाओं से कृषकों की बदलती हुई कृषि प्रवृत्ति का अध्ययन करना।
5. कृषक मित्रों की आय को 2022 तक दोगुना करने का ससरकारी लक्ष्य आधारभूत धरातल पर कहा तथा सिद्ध हुआ है का अध्ययन करना।
6. कृषि योजनाओं के द्वारा कृषकों को लाभांवित प्रक्रिया में होने वाली असुविधा को दूर करने का सूअवसर देना।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोधपत्र विवरणात्मक प्रवृत्ति का है जिसमें केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न द्वितीय स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। जिसने सुजस, आर्थिक समीक्षा, बजट, भारत सरकार व राज्य सरकार की वार्षिक रिपोर्ट, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ व इंटरनेट का प्रयोग किया गया है।

विषय विश्लेषण – किसानों की कल्याणकारी योजनाओं को दो रूपों में प्रभावी संचालन किया जाता है। प्रथम केन्द्र सरकार द्वारा जारी कल्याणकारी योजनाएँ व द्वितीय राज्य सरकार द्वारा जारी किसान कल्याण योजनाएँ।

भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं कि 2022 तक किसानों की आय में वृद्धि को दुगुना किया जायेगा। संमेकित व संतुलित मूल्य संरचना को विकसित करके मूल्य निर्धारण नीति द्वारा अधिकतम न्यूनतम सर्मथन मूल्य फसलों में वृद्धि किया जाये जिससे किसानों को वास्तविक लागन का सही मूल्य प्रदान हो सके।

साथ ही कृषि व संबंद्ध क्षेत्रों की GVA भागीदारी प्रतिशत जो 2014-15 में 18.20% से लगातार घटकर 2018-19 में 16.1% हो गई है। जिसे स्थिर करके बढ़ाया जा सके।

राज्य सरकार द्वारा भी केन्द्र सरकार के साथ मिलकर व स्वतंत्र रूप से किसानों की आय में वृद्धि व आर्थिक निर्भरता व कृषि यंत्रों व अल्प सुविधाओं के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग राशि व अनुदाभि उपकरण, खाद, बीज आदि उपलब्ध करवाये जा रहे है ताकि किसान देश व राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना ससक्त योगदान दे सके।

निष्कर्ष – किसान कल्याणकारी योजना की समीक्षा के आधार पर निम्न निष्कर्ष है :

1. किसान योजनाओं से किसान आर्थिक रूप से धींरे-धींरे सशक्त होता प्रतीत हो रहा है लेकिन इसकी तुलना उन्नत देशों के कृषि योजनाओं से की जाए तो यह काफी सीमित है।

2. भारतीय किसान जनसंख्यात्मक रूप से अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है इसलिए प्रभावी योजनाओं के क्रियान्वयन में समय लगता है।
3. लघु एवं सीमान्त किसानों की उन्नति व प्रगति के लिए ये कल्याणकारी योजनाएं नीम का पत्थर साबित होगी जो आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को मजबुती प्रदान करने का कार्य करेगी।
4. कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियावयन से किसानों की आय में वृद्धि होने से बेरोजगारी, प्रवास आदि समस्याओं का स्थायी हल निकाला जा सकता है।
5. सुदुर ग्रामीण ईलाकों में किसान योजनाओं से सुक्ष्म व लघु उद्योगों का विकास करके आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार किया जा सकता है।
6. जनजातीय क्षेत्रों मे वन एवं पर्यावरण संवर्धन के साथ ही औषधीय पौधों के संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी कृषि योजनाओं के माध्यम से प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्या विभाग, भारत सरकार वार्षिक रिपोर्ट (2019-20)
2. आर्थिक समीक्षा 2020-21
3. सहकारिता एवं कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
4. राजस्थान सुजस नवम्बर-दिसम्बर, 2021
5. राजस्थान सरकारी योजनाएँ-राजस्व (RAJRAS)
6. दैनिक भास्कर अखबार

वेबसाइट:-

1. https://pmmodiyojna.in
2. www.agricoop.nic.in
3. agriculture.rajasthan.bav.in
4. https://rawkushal.rajasthan.dav.in
5. Rajkisansathi.portal

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारत में न्यायपालिका की भूमिका एवं न्यायपालिका में राजनीतिक प्रभाव -एक अध्ययन

प्रभाकर सिंह *

* शोधार्थी, विधि संस्थान, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – न्यायपालिका भारत सरकार का तीसरा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका हैं। उनके कार्य क्रमश: कानून बनाना और कानूनों का निष्पादन करना है। यह सरकार की रीढ़ है क्योंकि जब भी केंद्र और राज्य के बीच, राज्य और नागरिकों के बीच और राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, न्यायपालिका ही एकमात्र अंग है जो विवाद को नियंत्रित करती है और निर्णय पारित करती है। न्यायपालिका द्वारा पारित निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी है चाहे वह नागरिक हो या सरकार। न्यायपालिका मानवाधिकारों की संरक्षक, संविधान की रक्षक और भारत में शांति और सौहार्द की प्रवर्तक है। यह सरकार के विधायी या कार्यकारी कार्यों की जाँच और संतुलन करता है।

इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है कि क्या भारत में न्यायाधीश राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की एकमात्र जिम्मेदारी है। इसलिए, यह स्वाभाविक है कि न्यायालयों को व्यापक शक्तियाँ दी जानी चाहिए ताकि वे सद्‌भाव बनाए रखें और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करें। यदि न्यायाधीश पक्षपाती हो जाते हैं या यदि वे राजनेताओं के प्रभाव में काम करते हैं, तो पूरी व्यवस्था पंगु हो जाएगी।

इस लेख में विभिन्न उदाहरणों का हवाला देकर एक प्रयास किया गया है जो दर्शाता है कि न्यायपालिका अपनी भूमिका निष्पक्ष या बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के निभा रही है। न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका अत्यधिक मूल्यांकन योग्य है। यह सजा के पुराने तरीकों से सजा के नए तरीकों की ओर बढ़ रहा है। हमारी न्यायपालिका के इस प्रयास को दुनिया भर में मान्यता और सराहना मिली।

प्रस्तावना –भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यह तीन मुख्य अंग प्रदान करता है जिन पर लोकतंत्र कार्य करता है। इन तीन अंगों में शामिल हैं

(अ) विधायिका

(ब) कार्यपालिका

(स) न्यायपालिका।

विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है। दो सदन हैं अर्थात लोक सभा (निचला सदन) और राज्य सभा (उच्च सदन)। विधेयकों का मसौदा तैयार किया जाता है और लोकसभा में बहुमत के साथ पारित किया जाता है। फिर पारित होने के बाद, विधेयक चर्चा के लिए राज्य सभा में जाता है और यदि यह राज्यसभा में पारित हो जाता है तो यह सहमति लेने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही विधेयक कानून बन जाता है। कार्यपालिका संविधान का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग है। कार्यपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका में कानून का प्रवर्तन शामिल है। यदि कानून का शाब्दिक रूप से पालन नहीं किया जाता है तो न्यायपालिका के पास दोषियों को दंडित करने की शक्ति है। इसलिए, न्यायपालिका द्वारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है अर्थात दोषी या गलत करने वाले को दंडित करना। इसलिए, न्यायपालिका से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी भूमिका बहुत सावधानी और निष्पक्षता से निभाए ताकि लिंग, जाति, पंथ या धर्म के आधार पर किसी को न्याय से वंचित न किया जाए।

यह अद्वितीय त्रिस्तरीय व्यवस्था ही वह आधार है जो हमारे संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाती है।

1. **न्यायपालिका की भूमिका:** भारतीय संविधान नागरिकों को किसी भी आंशिक निर्णय से बचाता है। इसलिए कानून के शासन के आधार पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च शक्ति न्यायपालिका को दी जाती है। भारत में अदालतें न तो सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं और न ही वे किसी राजनीतिक प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं।

(अ) शक्ति का पृथक्करण: न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता 'शक्ति के पृथक्करण' की मांग करती है। इसका मूल अर्थ यह है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों को न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, अपने स्वतंत्र अधिकार को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों के न्यायाधीशों को सरकार की अन्य शाखाओं या निजी या पक्षपातपूर्ण हितों के हस्तक्षेप पर बिना किसी प्रभाव के नियुक्त किया जाना चाहिए।

(ब) न्यायालयों की संरचना: न्यायपालिका लोकतंत्र के तीन लिंचपिनों में से एक है, अन्य दो विधायिका और कार्यपालिका हैं। तीनों यह सुनिश्चित करने के लिए संगीत कार्यक्रम में काम करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कुशलता से काम करे। हालाँकि, कार्यपालिका और विधायिका को अपनी शक्ति पर जाँच की आवश्यकता होती है। न्यायपालिका को कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ पूरी करनी होती हैं जिनमें शामिल हैं:

(i) संविधान के संरक्षक और व्याख्याता के रूप में कार्य करना।

(ii) भारत के नागरिकों के मौलिक और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

न्यायपालिका के कंधों पर लगाए गए कर्तव्य को पूरा करने के लिए, भारत में न्यायिक प्रणाली को न्यायालयों के तीन स्तरों में विभाजित किया गया है।

जिला न्यायालय: यह प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में स्थित सबसे निचली अदालत है। अपने शहर के किसी भी विवाद के लिए ज्यादातर नागरिक यहीं जाते हैं।

- **उच्च न्यायालय:** प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है, जो निश्चित रूप से राज्य का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। जिला न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतों के लिए उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
- **सुप्रीम कोर्ट:** यह देश का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों सहित अन्य सभी न्यायालय इसके अधीनस्थ हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी है।

(स) विवाद समाधान: अदालतों को भी लोगों को उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए दंडित करने का अधिकार है। लगभग हर सामाजिक स्थिति जिसमें एक नियम की आवश्यकता होती है, न्यायपालिका द्वारा प्रबंधित की जाती है। इसलिए, जब भी कोई विवाद होता है, अदालतें समाधान प्रदान करने में हस्तक्षेप करती हैं। चाहे वह विवाद नागरिकों, नागरिकों और सरकार के बीच हो या दो सरकारों के बीच या यहां तक कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच, विवाद समाधान के लिए राज्य जिम्मेदार है।

(द) न्यायिक समीक्षा: न्यायपालिका का भारत के संविधान पर अंतिम अधिकार है। जैसे, यदि संविधान के मूल सिद्धांतों का कोई उल्लंघन होता है, तो अदालत संसद द्वारा पारित कानूनों को भी लिख सकती है। इस प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है।

(ड) कानून को बनाए रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना: भारतीय नागरिकों के लगभग सभी मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में परिभाषित किया गया है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि ऐसे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वे संविधान के अनुच्छेद 226 या 32 के तहत अपने स्थानीय उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं।

(2) भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका: भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी उपलब्धि देश के जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रही है। चूंकि यह दुनिया के शक्तिशाली संस्थानों में से एक है, यह मानव जीवन और संबंधों के सभी तथ्यों को छूने वाले मामलों का फैसला करता है। यह मानवाधिकारों का संरक्षक, संविधान का रक्षक और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शांति, सौहार्द और संतुलन का प्रवर्तक है। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसमें कई प्रावधान हैं जो न्यायपालिका की संरचना, कार्यों और शक्ति से संबंधित हैं। इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक एकीकृत प्रणाली की शुरुआत की। इसने वस्तुत: एक त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली की शुरुआत की।

सर्वोच्च न्यायालय, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय। न्यायपालिका के हस्तक्षेप की डिग्री दुनिया के विभिन्न देशों में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रणाली पर निर्भर हो सकती है। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में, जैसा कि कोई लिखित संविधान नहीं है, न्यायपालिका केवल न्यायिक समीक्षा की सीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, जैसा कि प्रत्यायोजित कानून और सरकार की मंत्रिस्तरीय कार्रवाई है। तो, ब्रिटेन में न्यायपालिका का कानून कानून के अनुप्रयोग और कानून की व्याख्या का है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर सर्वोच्च निकाय माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान न्यायपालिका को अन्य दो अंगों की जाँच करने में सक्षम बनाता है यदि वे किसी भी अधिकता में लिप्त हैं।

हालाँकि, भारत में, न्यायपालिका राज्य के विधायी और कार्यकारी कार्यों और न्यायपालिका के न्यायिक कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा की विशाल शक्तियों का प्रयोग करने लगी है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय न केवल केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को निर्धारित करने या हल करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं बल्कि यह राज्यों की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू भी करते हैं। वे विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या भी करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है यदि विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी कार्य द्वारा, कोई मौलिक अधिकार या मानव अधिकार कम हो जाते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका की बहुत अनूठी विशेषता यह है कि इसमें संवैधानिक संशोधनों की वैधता निर्धारित करने की शक्ति है जो शायद किसी अन्य संविधान के तहत कहीं नहीं देखी जाती है, चाहे वह संहिताबद्ध हो या असंहिताबद्ध। संक्षेप में, न्यायपालिका आम तौर पर निम्नलिखित में से एक या कई कार्य करती है।

(3) संवैधानिक लोकतंत्रों में कार्य :-

1. संविधान निर्माताओं की इच्छाओं के अंतर के साथ संविधान की व्याख्या करना।
2. सरकार के विभिन्न अंगों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के संघीय सिद्धांत को बनाए रखना।
3. रखवाली करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
4. विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना और उनकी व्याख्या करना।
5. सरकार के विधायी या कार्यकारी कार्यों की जांच और संतुलन करना।
6. अनुच्छेद 32 और 226 के तहत क्रमश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उन लेखों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रिट या आदेश जारी करने की शक्ति है।
7. जनहित याचिकाओं के माध्यम से, न्यायपालिका के पास सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में सरकार से पूछने की शक्ति है।

उदाहरण के लिए, **डायरेक्शन इन कॉमन कॉज बनाम भारत संघ** में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि रक्त कैसे एकत्र किया जाना चाहिए, संग्रहित किया जाना चाहिए और आधान के लिए दिया जाना चाहिए और कैसे रक्त आधान को खतरों से मुक्त किया जा सकता है।

फिर से **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ**, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सिनेमाघरों, थिएटरों या स्कूलों या कॉलेजों में विशेष पाठों के माध्यम से पर्यावरण के बारे में ज्ञान का प्रसार करने के निर्देश जारी किए। वेश्याओं को

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

शिक्षित किया जाना चाहिए।

इसी तरह, **आजाद रिक्शा चालक** के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को रिक्शा चालकों को ऋण देने और ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए एक पूरी योजना शामिल करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य में मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा ने कहा, 'उपयुक्त विधानों के माध्यम से नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने और इसके प्रवर्तन के लिए एक तंत्र के निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी विधायिका और कार्यपालिका की है। हालांकि, जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं होती हैं, तो विधायी शून्य को भरने के लिए इस अधिकार की सुरक्षा के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए।'

(4) क्या भारतीय न्यायपालिका वास्तव में राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है?

इसका उत्तर देना बहुत कठिन प्रश्न है। यदि आप राजनेताओं को इससे हटा देते हैं तो एक प्रणाली से एक राजनीतिक प्रभाव को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना इसकी एकमात्र जिम्मेदारी है लेकिन न्यायपालिका की पारदर्शिता माननीय न्यायाधीशों और उनकी नियुक्तियों पर निर्भर करती है। आइए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

1 अगस्त 2014 तक जजों की नियुक्ति **कॉलेजियम सिस्टम** से होती थी. न्यायाधीशों की नियुक्ति की इस प्रणाली से न्यायपालिका का राजनेताओं और उनकी राय से कोई लेना-देना नहीं है और यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रभाव से बाहर थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग** नामक एक आयोग है। यह निकाय भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। इस निकाय की स्थापना भारत के संविधान में निन्यानवां संशोधन करके, संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से 13 अगस्त, 2104 को लोकसभा द्वारा और 1 अगस्त को राज्य सभा द्वारा पारित करके की गई थी। केवल एक दिन के भीतर दोनों सदनों ने उपरोक्त विधेयक को पारित कर दिया।

(अ) एनजेएसी की संरचना: आइए एनजेएसी की संरचना पर एक नजर डालते हैं:-

संविधान के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, एनजेएसी में निम्नलिखित छह व्यक्ति शामिल होंगे:

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश (अध्यक्ष, पदेन)
2. मुख्य न्यायाधीश (पदेन) के बाद सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश
3. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री (पदेन) (यह राजनीतिक प्रभाव का स्रोत है)
4. दो प्रतिष्ठित व्यक्ति अब हम कर सकते हैं एक पूर्वाग्रह बनाएं कि यह राजनीतिक प्रभाव से बाहर कैसे होगा? क्या हमारे न्यायाधीश आम आदमी को राजनेताओं के खिलाफ एक निष्पक्ष और निडर निर्णय प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं? सामान्य बहाने में उत्तर नहीं है। न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है।

कानूनी हलकों में यह अच्छी तरह से जाना जाता है कि कुछ न्यायाधीश सीधे तौर पर विशेष राजनीतिक जुड़ाव का समर्थन करते हैं और यह बार के भीतर कड़वाहट का एक स्रोत है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भारतीय न्यायपालिका किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है। सामान्य कानून में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हम अपनी न्यायपालिका या अपनी न्यायिक प्रणाली पर गर्व महसूस करते हैं।

सख्त से सख्त मामलों में भारतीय न्यायाधीशों ने विचारणीय निर्णय लिए। यह वह अंग है जो जनता में हमेशा रेम में विश्वास बनाए रखता है। आइए कुछ मामलों पर विस्तार से चर्चा करें।

1. पहला मामला जो यहां उद्धृत करना महत्वपूर्ण है, वह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मायावती (बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो) से लगभग रु 2000 करोड अपनी जेब से वापस करने के लिए कहा।

अधिवक्ता रविकांत द्वारा 2009 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी। माननीय रंजन गोगोई ने याचिका पर सुनवाई की और सुश्री मायावती को रुपये 2000 करोड़ अपनी जेब से भुगतान करने के लिए कहा।

यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लखनऊ और नोएडा में हाथी की मूर्तियों के निर्माण पर जनता के पैसे खर्च करने के मामले में फैसला एक बार और दिया था।

हालांकि बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने अपने मामले में कहा कि उनकी मूर्तियां दलित संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, मूर्तियों के निर्माण के लिए उचित बजटीय आवंटन था और जहां तक हाथियों का सवाल है, हाथी केवल बसपा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वे भारतीय पारंपरिक वास्तुकला में प्रयुक्त एक वास्तुशिल्प प्रतीक हैं। इस मामले से पता चलता है कि हमारी न्यायपालिका इस तथ्य के बावजूद राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है कि वह व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल या किसी प्रभावशाली समूह का अध्यक्ष हो।

2. एक और महत्वपूर्ण मामला जो यहां उद्धृत करना महत्वपूर्ण है वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 नवंबर, 1991 को कांग्रेस कार्यकर्ता सीताराम सिंह की हत्या में उनकी संलिप्तता का मामला है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' के अलावा और कुछ नहीं मानते हैं।

सीताराम के रिश्तेदार होने का दावा करने वाले एक अशोक सिंह ने नीतीश कुमार और कई अन्य लोगों के खिलाफ चुनाव जीतने के लिए सीता राम की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। 15 मार्च 2019 को, पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह ने 28 साल पुराने एक हत्या के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ निचली अदालत द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। इस मामले ने भारत के एक नागरिक द्वारा न्यायपालिका में जताए गए विश्वास के उदाहरण का हवाला दिया।

3. जुलाई 2017 में नीतीश कुमार के सामने फिर एक नई समस्या आ गई दिल्ली के एक वकील एम.एल.शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें बिहार विधान परिषद के लिए कुमार का चुनाव इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी कि उन्होंने चुनाव से पहले दायर हलफनामे में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को कथित रूप से रद्द कर दिया था। एम.एल.शर्मा ने यह भी दावा किया किनीतीश कुमार ने जुलाई 17 को छोड़कर 2004 से चुनावी हलफनामा दाखिल करते हुए अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाया था। हालाँकि, चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत

किए जाने के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा की जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह 'किसी भी योग्यता से रहित' है।

4. भारत में न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव, किसी व्यक्ति की लोकप्रियता और महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने से मुक्त है। न्यायपालिका ने अपना फैसला किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त रखा। 12 फरवरी, 2019 को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया। उन्होंने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक, एम. नागेश्वर राव और एजेंसी के कानूनी सलाहकार, एस. भसुरन को अदालत की अवमानना के लिए 'अदालत कक्ष के कोने में' बैठने का आदेश दिया, जब तक कि वह दिन के लिए उठ न जाए। एक-एक लाख रुपये का जुर्माना एक सप्ताह के भीतर देने का भी निर्देश दिया। उनका अपराध यह था कि उन्होंने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में दुर्व्यवहार मामले की जांच कर रहे एक जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं करने के अदालत के आदेशों की 'जानबूझकर' अवहेलना की। उनकी माफी अदालत के लिए शायद ही संतोषजनक थी क्योंकि उन्होंने अपने हलफनामे में जोर देकर कहा था कि संबंधित अधिकारी, ए.के. शर्मा, एक संयुक्त सचिव का तबादला कर दिया गया था क्योंकि यह एक पदोन्नति थी और उन्होंने यह मान लिया था कि वे इसके लिए अदालत की सहमति पूर्वव्यापी रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

यद्यपि न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह एक अवमाननाकर्ता को दिन के लिए अदालतउठने तक कक्ष में बैठने की सजा दे सकता है, किसी को अदालत कक्ष के एक कोने में बैठने के लिए कहना, जैसे कि उसे अपमानित करना, अनसुना है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश का अपरंपरागत आदेश अन्यत्र न्यायाधीशों द्वारा पारित अन्य आदेशों के समान था।

5. एक और ऐतिहासिक फैसला जहां हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है, जहां दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने प्रसिद्ध 2जी अपील मामले में पांच प्रतिवादियों को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए और समय मांगने के लिए प्रत्येक को 3000 पेड़ लगाने का आदेश दिया। वे स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर, कुसेगांव फ्रूट्स के निदेशक शाहिद बलवा थे।

निष्कर्ष: भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारतीय न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय है और राष्ट्रीय सरकार की तीन समान शाखाओं में से एक है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने व संविधान के सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में, विधायी बहुमत द्वारा पारित विधियों की वैधता का आकलन करने के लिए अदालतों की प्राथमिक व अनन्य जिम्मेदारी है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय सरकार के अन्य दो अंगों पर नियंत्रण और संतुलन भी रखता है। यह एक तथ्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व वाली न्यायपालिका ने कभी-कभी विशिष्ट राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया है, लेकिन यह आत्म-साक्षात्कार और सार्वजनिक आक्रोश के कारण अपने अधिकार क्षेत्र से पीछे हट गई है। तो अंत में इस अध्ययन से पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर अपनी संवैधानिक भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और हमेशा संवैधानिकता के सिद्धांत को बरकरार रखा है। अदालतों को राजनीतिक भूमिका न निभाकर राजनीतिक क्षेत्र से दूर रहना चाहिए।

उन्हें याद रखना चाहिए कि अदालत देश को नहीं बचा सकती है, लेकिन वे केवल सरकार के अन्य संस्थानों के पुनरोद्धार के लिए आवश्यक समय देने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि यह एक बहुत अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता ने नागरिकों के अधिकारों और हितों को लागू करने और सरकार की अन्य शाखाओं को उनकी संवैधानिक सीमाओं के भीतर रखने में भी मदद की है, न्यायपालिका को खुद को लगातार याद दिलाना चाहिए कि समय की आवश्यकता संवैधानिक की सर्वोच्चता है न कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. डॉ. ना. वि. परांजपे अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन: सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स षष्ठम संस्करण 2011
2. जैन एम.पी.,भारतीय संवैधानिक विधि, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद 1980
3. खन्ना एच.आर., ज्युडिशियल रिव्यू आर. कन्ट्रोनटेशल, दि मैकमिलन, कंपनी ऑफ इंडिया, दिल्ली 1977
4. पाण्डेय, जे.एन., भारत का संविधान
5. https:/www.indiankanoon.org/
6. https://www.wikipedia.org/
7. https://ncrb.gov.in/
8. https://sgsubjects.inflibnet.ac.in

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारत में फर्नीचर उद्योग का विकास और रोजगार में एक आर्थिक अध्ययन

डॉ. शिव कुमार वर्मा* नरेश कुमार प्रजापति**

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरपाटन, जिला-सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत में लकड़ी फर्नीचर एक ऐसा उद्योग है जो यह उद्योग आधुनिक काल में नाम मात्र का विकास था और रोजगार भी कम था। वर्तमान में देश एवं विदेश और विश्व स्तर में विकास हुआ है और लोगों को रोजगार भी मिला है। ये फर्नीचर उद्योग में कई प्रकारों के अच्छी डिजाइनों में दिन-दिन बदलता जा रहा है। आने वाले समय में फर्नीचर उद्योग को सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जायेगा।

प्रस्तावना –भारत का लकड़ी फर्नीचर उद्योग क्षेत्र में विकास और रोजगार तीव्र गति से बढ़ रहा है जो आधुनिक युग से वर्तमान युग के भारत का लकड़ी फर्नीचर उद्योग क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है आधुनिक युग में गिने-चुने और छोटे-छोटे उद्योग क्षेत्र में कार्य हुआ है। ये कुशल कारीगर या मजदूर द्वारा बनाया जाता था और ये विकास एवं रोजगार नाम मात्र के बराबर था वर्तमान में भारत का लकड़ी फर्नीचर उद्योग क्षेत्र में विस्तार व्यापक हो गया है। जो वर्तमान में बड़े-बड़े शहरों में लकड़ी फर्नीचर का तीव्र गति से विकास कर रहा है। और रोजगार भी बढ़ा है। एक लकड़ी फर्नीचर उद्योग क्षेत्र में 150 कुशल कारीगर या मजदूर कार्यरत है जिसमें से अच्छी डिजाइन निकालने वाले को अधिक वेतन दिया जाता है एवं कम डिजाइन निकालने वाले को कम वेतन दिया जाता है। लकड़ी फर्नीचर में हर तरह के कुशल कारीगर या मजदूर कार्यरत रहते हैं। उन्हें कार्य के अनुसार क्रमश: वेतन 400, 500, 600 रूपये तक दिया जाता है। फर्नीचर कार्य को विकसित करने के लिए उद्यमियों का बड़ा योगदान रहता है। ये अपने फर्नीचर उद्योग को विकास के प्रति हमेषा प्रयत्नशील करते है फर्नीचर उद्योग को अधिक व्यापक विस्तार करने के जिला उद्योग एवं व्यापार के केन्द्र से ऋण लेते हैं। फर्नीचर विश्व स्तर में हो रहे उद्योगों में सबसे अधिक फर्नीचर उद्योग ही प्रसिद्ध है। क्योंकि फर्नीचर मकानों की एक सुन्दरता प्रतीक माना गया है। सुन्दरता के वजह से लोगों ने मकानों में बनी वस्तु के रूप में प्रयोग किया है। जिससे इसके मांग विश्व स्तर पर फर्नीचर उद्योग का निर्यात एवं आयात के माध्यम से विकास और रोजगार की तीव्रता गति होगी। भारत को फर्नीचर उद्योग के नाम से जाना जायेगा।

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में फर्नीचर क्लस्टर बनाने की तैयारी हो रही है। इसके तहत दिल्ली में कृषि भवन में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, एम.पी. के मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा और फर्नीचर उद्योग से जुड़े निवेशकों के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया है। बता दें कि जिले के फर्नीचर में फर्नीचर कलस्टर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर जमीन आवंटित की जायेगी। इस फर्नीचर कलस्टर के बनने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा फर्नीचर उद्योग विकसित करने जा रही है। क्योंकि यहां एक चौसठ योगिनी मंदिर की मूर्ति है तथा मंदिर का निर्माण अंग्रेजों द्वारा कराया गया था और यहां पर लकड़ी के फर्नीचर से बनी वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्मित किये गये थे। ये मंदिर संसद भवन की तरह दिख रहा है। इसलिए केन्द्रीय मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश के जिला मुरैना को फर्नीचर उद्योग क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। वैसे तो उद्यमियों एवं मजदूरों को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं लागू की गई है।

उद्देश्य:

1. फर्नीचर उद्योग में विकास की तीव्र गति से करें।
2. रोजगार की संभावनाएं तीव्र गति से हों।
3. सरकार द्वारा फर्नीचर के कार्य में उद्यमियों को पर्याप्त मात्रा में ऋण की सुविधा हो।
4. फर्नीचर कार्य डिजाइनों में अधिकतर किया जाए।
5. फर्नीचर से बनी वस्तु का व्यापक विस्तार विश्व स्तर पर हो।

निष्कर्ष– भारत में लकड़ी फर्नीचर उद्योग में विकास एवं रोजगार के संबंध से स्पष्ट है। किन्तु आधुनिक काल कम उद्योग और वर्तमान समय में अधिक व्यापक विस्तार हो गया है। उद्यमियों द्वारा फर्नीचर उद्योग में कार्य प्रकारों या डिजाइन में किया गया है। सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया है। उद्यमी द्वारा फर्नीचर उद्योग का कार्य प्रशिक्षित कार्यरत मजदूरों द्वारा कराया गया है। प्रशिक्षित मजदूर होने से अच्छी तकनीकी साथ डिजाइन निकालेंगें फर्नीचर उद्योग का विस्तार होगा और भारत में फर्नीचर उद्योग विकास एवं रोजगार भी बढ़ेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, डॉ0 रामरतन-विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बानगंगा भोपाल (2015)
2. जैन, डॉ0 पी.के.- समष्टि अर्थशास्त्र मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी

रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बानगंगा भोपाल (2010)

3. जैन, डॉ0 एस.सी.– श्रम अर्थशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन हमीदिया मार्ग भोपाल (2016)
4. मिश्रा जे.पी.–व्यष्टि अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स अस्पताल रोड आगरा (2010)
5. आर्य, एस.पी. – सामाजिक अनुसंधान, साहित्य भवन आगरा 1979
6. मिश्रा, डॉ0 अरूण– उद्यमिता विकास मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बानगंगा,संस्करण आवृत्ति (2016)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

मध्यप्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं और चुनौतियां विदेशी पर्यटकों के संदर्भ में

योगेंद्र कुमार ठगेले*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाडरवारा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत देश अपनी रंग बिरंगी विविधताओं के कारण हमेशा से ही पर्यटकों का पसंदीदा स्थान रहा हैं।झरना,नदियों से भरपूर प्राकृतिक खूबसूरती,पारंपरिक मेलो, खूबसूरत सामानों से सजे बाजार, विभिन्न मसालों से महकते भोजन,सदियों का इतिहास बताती ऐतिहासिक इमारतें,नदियों का किनारा, आदि ऐसे अनेक खूबसूरत पहलू हैं जो सैलानियों को अपनी ओर अनायास ही आकर्षित करते रहते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भारत के पास विशाल प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति है,जिसमें मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन स्थलों की दृष्टि से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में हमेशा प्राथमिकता पर रहा है। भारत के मनोरम दृश्यों की प्रशंसा करते हुए मैक्समूलर ने कहा है कि यदि हमें संपूर्ण विश्व में किसी ऐसे देश की खोज करनी है जिसमें प्रकृति की सर्वाधिक संपदा, शक्ति और सौंदर्य हो और जिसके कुछ भाग वस्तुत: धरती पर स्वर्ग हो तो मैं भारत का नाम लूंगा। मैक्स मूलर के यह शब्द प्रदर्शित करते हैं कि भारत के पास अद्भुत खजाना है जो शायद किसी अन्य देश के पास होना मुश्किल है। इस संदर्भ में आवश्यक हो जाता है कि हम इस अद्भुत विशेषता को अपनी शक्ति संवर्धन के रूप में बढ़ावा दें।

भारत की हृदय स्थली के रूप में मध्यप्रदेश अपने विस्तृत क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाओं को समेटे हुए हैं। सतपुड़ा एवं विंध्यांचल पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित इस प्रदेश में विभिन्न रूचि के पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक विरासत, नैसर्गिक सौंदर्य, कलात्मक मंदिर, स्तूप, वैभवशाली किले, राजप्रसाद एवं पुरातात्विक महत्व के स्मारक स्थल हैं। वर्तमान में अनेक पर्यटन केंद्र प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। इन केंद्रों में से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त केंद्र हैं जिनमें ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थानों में प्रमुख रूप से खजुराहो, सांची, मांडू, ग्वालियर,ओरछा एवं भीमबेटका शामिल हैं वही प्राकृतिक सौंदर्य स्थल की दृष्टि से पचमढ़ी, भेड़ाघाट, हनुवंतिया जल महोत्सव स्थल आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक महत्त्व के स्थल के रूप में उज्जैन, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, महेश्वर, चित्रकूट, मैहर और बुरहानपुर तथा कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय धुबरी, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, भोपाल एवं मंडला फॉसिल्स पार्क जैसे राष्ट्रीय उद्यान भी पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक मनोरम वादियों और वन्य जीव की विविधता के कारण आकर्षित कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में प्रमुख जल परियोजनाओं के रूप में गांधी सागर, इंदिरा सागर, बाणसागर, तवा, बरगी,ओंकारेश्वर, कोलार भी अपने अपार जलराशियों के रूप में पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं।

पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। पर्यटन क्षेत्र देश के शीर्ष सेवा उद्योगों में से एक है। आज के समय में जहां हर देश की पहली जरूरत अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, वहीं पर्यटन के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था इस उद्योग के इर्द-गिर्द घूमती है। यूरोपीय देश, तटीय अफ्रीकी देश, पूर्वी एशियाई देश, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि ऐसे देश हैं जहां पर पर्यटन उद्योग से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। कई देश जैसे श्रीलंका में विस्फोटक स्थिति के लिए पर्यटन उद्योग का ठप्प होनप्रमुख कारण बताया गया है। पर्यटन क्षेत्र के विकास से न केवल लोगों को रोजगार मिलता है, बल्कि दूसरे प्रांत से आए लोगों के रहन-सहन, सभ्यता-संस्कृति के आदान-प्रदान करने में सहूलियत होती है।वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा कमाऊ क्षेत्रबना है।वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 11 फीसदी तक योगदान दे रहा है। हालांकि भारत में अभी भी इस क्षेत्र का योगदान महज 6.7 फीसदी है। पड़ोसी देशों जैसे चीन (8.6), श्रीलंका (8.8), इंडोनेशिया (9.2), मलेशिया (12.9) तथा थाइलैंड (13.9) प्रतिशत के साथ हमसे काफी आगे हैं।सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का 6.23 फीसदी योगदान है जबकि भारत के कुल रोजगार में 8.78 फीसदी योगदान है। वर्ष 2022 में करीब 62 लाख विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की।कोरोना संक्रमण के बाद भी पिछले साल मप्र के नेशनल पार्क और सेंचुरी में 16 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। कोरोना संक्रमण काल में प्रकृति प्रेमियों ने नेशनल पार्कों और पर्यटन स्थलों की ओर रुख किया है।पर्यटकों ने कोर एरिया समेत बफर जोन में भी सफारी का भी खूब आनंद लिया।मप्र में पिछले साल 41 हजार 305 विदेशी सैलानी पहुंचे। देशी-विदेशी पर्यटकों ने भोपाल के वन विहार सहित पर्यटन स्थलों को काफी पसंद किया है। नेशनल पार्कों में 16,88,069 पर्यटक पहुंचे। यह स्थिति तब रही जब वन विहार लॉकडाउन की वजह से बंद था। सबसे ज्यादा बाघों वाले बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 1 लाख 43 हजार 888 पर्यटक पहुंचे। कोरोना संक्रमण के बावजूद मप्र में 41,305 तो विदेशी सैलानी थे। विदेशी सैलानियों की पहली पसंद पन्ना रहा है। यहां पर 27,554 विदेशी पर्यटक पहुंचे। इसके बाद भोपाल में 5034 विदेशी सैलानी पहुंचे।

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति 2016 जिसे 2019 में संशोधित किया गया है। मार्ग सुविधा केंद्रों की स्थापना एवं संचालन की नीति 2019 तथा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इनीशिएटिव एंड सेक्टोरल पॉलिसी, 2019 के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन से संबंधित निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को

नया रूप मिलने की उम्मीद है। इस नीति के अंतर्गत निजी निवेशकों को परियोजनाओं की स्थापना हेतु शासकीय भूमि किफायती दरों पर अधिक समय के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान तथा आकर्षक अनुदान एवं रियायतें देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ प्रकृति को संरक्षण भी देना होगा और यह भी देखना होगा कि पर्यटक स्थलों पर कचरा न जमा हो और प्रदूषण न हो। पर्यटन को देखने, समझने का एक नजरिया विकसित करना होगा। कभी-कभी विदेशी पर्यटकों से लूट या महिलाओं से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं। इन्हें भी रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा हमारा ध्येय होना चाहिए। पर्यटन उद्योग का विकास होता है तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उसकी बड़ी भूमिका होगी और इससे अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति –पर्यटन में विभिन्न तरह के व्यापक रोजगार सृजित करने की अपार क्षमता है। पर्यटन क्षेत्र को अधिक विकसित करने व देश के आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 निर्मित की गई। इस नीति के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि तथा अन्य क्षेत्रों के विकासात्मक संपर्क के माध्यम से आर्थिक एकीकरण में तेजी लाने जैसे मुद्दों का समावेश किया गया। इस नीति में पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव व उपायों का उल्लेख किया गया जैसे:

1. पर्यटन को आर्थिक विकास के एक माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना,
2. रोजगार सृजन, आर्थिक विकास तथा ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पर्यटन के प्रत्यक्ष तथा बहुआयामी प्रभाव का दोहन,
3. पर्यटन विकास के प्रमुख संचालक के रूप में घरेलू पर्यटन पर ध्यान देना,
4. विश्व के फलते फूलते व्यवसाय तथा भारत की अपार पर्यटन संभावना का लाभ उठाने के लिए भारत को वैश्विक ब्रांड के रूप में प्रतिष्ठित करना,
5. निजी क्षेत्र को सरकार के साथ मिलकर कार्य करने के लिए उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल,
6. यह सुनिश्चित करना कि भारत आने वाले पर्यटक भौतिक,सांस्कृतिक तथाआध्यात्मिक रूप से संतुष्ट हो और भारत को भली-भांति समझ सकें।
7. इस नीति में पर्यटन विकास हेतु प्रमुख 7 क्षेत्रों पर भी बल दिया गया यह है – स्वागत, सूचना,सुविधा, सुरक्षा, सहयोग, संरचना और सफाई। भारत में पर्यटन क्षेत्र की कम भागीदारी व हिस्सेदारी के अनेक कारण है जो चुनौती के रूप में पर्यटन क्षेत्र के विकास में बाधा पहुंचाते हैं जिनका उल्लेख किया जा रहा है।

अवसंरचना की जरूरत – निम्न स्तर की सड़कें न केवल पर्यटकों के लिए समस्या उत्पन्न करती है बल्कि देश की विश्व स्तरीय छवि को को भी प्रभावित करती है।सड़क मार्ग सेवा अन्य सेवाओं से जैसे वायु सेवा व रेलसेवाकी तुलना में ज्यादा विस्तृत भूमिका निभाती है। देश के भीतर कई स्थान ऐसे हैं जहां ना तो रेल जा सकती है व वायु सेवा का भी भरपूर प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में सड़क सेवा को और अधिक मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें राज्य सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय इस प्रयास में पर्यटन मंत्रालय की मदद कर सकता हैं। इन तीनों के संगठित प्रयास प्रयास से न केवल सड़क सेवा को विकसित किया जा सकता है बल्कि उच्च स्तर की बसें, पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाओं से लैस बसे, महिलाओं के लिए बसों में विशेष सुविधाएं आदि ऐसे पहलू है जिन पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हैं।

सुरक्षा का प्रश्न – दूसरी महत्वपूर्ण समस्या पर्यटकों की सुरक्षा की है जिसमें आए दिन महिला सैलानियों के साथ बढ़ते यौन हिंसा के मामले पर्यटन क्षेत्र के लिए एक गंभीर समस्या है जो न केवल देश की छवि को खराब करता है साथ ही हमारी सामाजिक संस्कृति के लिए एक प्रश्नचिन्ह के रूप में समाज के विकृत स्वरूप का संकेत देता है। इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक है कि सेना व पुलिस का एक दल बनाकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की जाए जो सरलता के साथ पर्यटकों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहे। हेल्पलाइन सेंटर का संबंध स्थानीय पुलिस व विशेष पुलिस दल के पास होना चाहिए। साथ ही पुलिस का रवैया पर्यटकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए तभी उनकी सुरक्षा के प्रति पुलिस गंभीर हो सकेगी।

स्वच्छता संबंधी समस्याएं – तीसरी समस्या जो व्यापक स्थानीय स्तर से लेकर उच्चस्तर तक फैली हुई है वह है पर्यटन स्थलों के आसपास व्यापक गंदगी। पर्यटन क्षेत्र के विकास में यह समस्या ऐसी है जिसका निवारण किसी नीति का निर्माण कर देने से या व्यापक स्तर पर आर्थिक मदद कर देने से नहीं हो सकता। यह समस्या ऐसी है जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का साफ सफाई के प्रति जागरूक होना आवश्यक है जिसमें स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक रेडियो, टेलीविजन,सोशल मीडिया, पोस्टर आदि के माध्यम से लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है। प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान इस दिशा में एक सराहनीय कदम है,आवश्यकता है तो इस प्रयास को व्यापकता प्रदान करने की। 'अतिथि देवो भव' का भाव बच्चों में शुरू से ही डाला जाना चाहिए जिसमें विद्यालय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इस समस्या के प्रति छात्रों को जोड़कर जागरूक किया जा सकता है।

पारंपरिकता पर जोर देने की आवश्यकता – आज के आधुनिक भारत में ऐसे प्रशिक्षण संस्थाओं की कमी है जो भारत की परंपरा, खानपान, संस्कृति, नृत्य, शिल्प, पाक कला आदि से संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं। जबकि आज के समय की मांग है कि ऐसे युवक युवतियां तैयार की जाए जो भारतीय परंपरा व संस्कृति से ओतप्रोत हो और विदेशों से आने वाले पर्यटकों को संपूर्ण भारत के बारे में बता सके। इसके अतिरिक्त माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग, एडवेंचरस, कुकिंग एवं वाटर स्पोर्ट संबंधी सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाए जाने चाहिए। इस प्रकार के कोर्स न केवल भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में मदद करेंगे साथ में विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे व साथ ही आर्थिक रूप से पर्यटन मंत्रालय की मदद करेंगे। अभी हाल में ही केंद्र सरकार की मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए स्वीकृत योजनाओं में वाइल्डलाइफ सर्किट स्वदेश दर्शन, बुद्धिस्ट सर्किट, हेरिटेज सर्किट, ओंकारेश्वर का विकास, इको सर्किट स्वदेश दर्शन आदि के द्वारा विकास की योजना बनाई है जो ऐसे स्थानों की पहचान और उनके महत्व को रेखांकित करेंगे जो मध्य प्रदेश की समग्र संस्कृति की पहचान कर उन्हें प्रचारित व प्रसारित कर सकें।

आतिथ्य की सहजता – सैलानियों के सम्मुख एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है कि उनके पास ठहरने के लिए सुरक्षित व किफायती स्थानों के चयन को

लेकर अधिक विकल्प नहीं होते। इस समस्या के निदान के लिए यह आवश्यक है कि सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास को प्रमुखता देते हुए वहां वह ऐसे सुरक्षित होटलों, रेस्तरां,क्लब हाउस आदि के निर्माण में पर्यटन मंत्रालय की बढ़–चढ़कर आर्थिक मदद करें। यदि सरकार इस ओर प्रभावशाली कदम उठाती है तो न केवल पर्यटकों के सफर को सुविधापूर्ण बनाया जा सकता है बल्कि पर्यटन से होने वाली आय को भी बढ़ाने की संभावना को मजबूत किया जा सकता है। इस समय मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के नेटवर्क में शामिल होटल और रेस्त्रां का संचालन कोरोना वायरस महामारी के बाद पुन: प्रारंभ कर दिया गया हैं। निगम द्वारा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो और पचमढ़ी क्षेत्र के सभी होटल और रेस्तरां पर्यटकों की मांग पर पुन: शुरू किए गए हैं जिसमें भोपाल क्षेत्र के होटल पलाश रेसीडेंसी,विंड एंड वेव्स, पिकनिक एट केरवा शुरू कर दिए गए। जबलपुर में होटल कल्चुरी रेसीडेंसी, ग्वालियर में तानसेन रेसीडेंसी सहित निगम के सभी होटल और रेस्तरां का संचालन आरंभ कर दिया गया है जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन और होटल और रेस्तरां के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन कर रहे हैं।

वीजा प्रक्रिया में उदारता – विदेशों से आने वाले पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है की वीजा प्रक्रिया को उदार बनाया जाए। पर्यटन विकास को प्रभावित करने में यह समस्या ना केवल पर्यटन क्षेत्र को नुकसान देती है बल्कि विदेशी पर्यटकों के सफर को भी बाधाओं से भर देती है। भारत सरकार ने 9 नामित भारतीय हवाई अवें से 43 देशों के लिए 27 नवंबर 2014 पर पर्यटक वीजा योजना का शुभारंभ किया है। सरकार ने क्रमश: 4 जनवरी 2015 और अप्रैल 2015 में गुयाना और श्रीलंका के नागरिकों के लिए इस योजना का विस्तार किया। ई–टूरिस्ट वीजा सुविधा को मई 2015 में 31 देशों के नागरिकों के लिए बढ़ाया गया हैं। अभी इस योजना के तहत देशों की कुल संख्या 76 है। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अधिक से अधिक देशों के लिए बढ़ाया जाएगा। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार 150 देशों में करने का लक्ष्य है।इस परिपेक्ष में आवश्यक हो जाता है कि सरकार द्वारा वीजा प्रक्रिया को उदार बनाया जाए ताकि विदेशी सैलानियों को भारत में आने के लिए आकर्षित किया जा सके।

स्थानीय पहचान को विस्तार – पर्यटन की दृष्टि से भरपूर भारत की एक समस्या यह भी है कि भारत में अभी भी कई स्थान ऐसे हैं जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक दृश्य से मनोरम है किंतु इन स्थानों को प्राथमिकता की सूची में कोई स्थान नहीं दिया गया साथ ही राज्य सरकार का समर्थन नहीं मिल पाने के कारण अभी तक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत स्थिति नहीं बना पाए। आवश्यकता है पर्यटन मंत्रालय प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाएं व ऐसे मंच प्रदान करें जहां स्थानीय स्तर की संस्कृति व भोजन को सम्मान प्रदान किया जाए। भारत में कई ऐतिहासिक स्थल ऐसे हैं जो खराब स्थिति में हैंउनकी मरम्मत व देखरेख हेतु यह आवश्यक है कि निजी व सरकारी क्षेत्र मिलकर प्रयास करें। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम द्वारा भोपाल दर्शन, ग्वालियर दर्शन, पचमढ़ी दर्शन के अलावा इंदौर के समीप मुख्य पर्यटन स्थलों के लिए परिचालित भ्रमण शुरू किया गया है साथ ही पुराने महल, हवेलियों तथा किलो को होटलों में परिवर्तित किया जा रहा है जिनमें छतरपुर स्थित राजगढ़ पैलेस को होटल का स्वरूप दिए जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

उपसंहार –उपरोक्त समस्याओं को समाधान करने के पश्चात निश्चित तौर पर पर्यटन क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना है। केन्द्र सरकार ने 2030 तक पर्यटन उद्योग के जरिये 56 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा अर्जित करने और अगले 7 वर्ष में 14 करोड़ नौकरियां सृजन करने का लक्ष्य रखा है। पर्यटन को भारत विशेषकर मध्यप्रदेश के विकास की बड़ी ताकत बनाने के लिए आवश्यक है कि पर्यटन विकास में सहयोग देने वाले संगठन जैसे –राज्य पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन तथा यात्रा प्रबंधन संस्थान, होटल प्रबंधन, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पर्वतारोहण संस्थान और जल क्रीड़ा संस्थान आदि का संयुक्त सहयोग हो।साथ ही स्थानीय रूप से जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के बीच स्वस्थ संवाद उपरोक्त क्षेत्र में विकास हेतु किया जाए। इन प्रयासों के अतिरिक्त पर्यटन से संबंधित संस्थान खोले जाने की संभावना को शक्ति प्रदान की जानी चाहिए परंतु उपरोक्त सभी प्रयासों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि पर्यटन विकास पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पर्यावरण व पर्यटन के मध्य जिस प्रकार का द्वंद है उसे भी समझा जाना आवश्यक है। पर्यटन विकास संबंधित प्रत्येक निर्णय द्वारा इको पर्यटन को प्राप्त किए जाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। इन प्रयासों के द्वारा ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, रोजगार व आर्थिक विकास करने वाले तथा भारतीय संस्कृति व परंपरा को उत्कृष्ट करते भारतीय पर्यटन क्षेत्र को विश्व का सबसे पसंदीदा पर्यटन क्षेत्र बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन, मध्यप्रदेश शासन पर्यटन विभाग, 2019–20
2. मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की रिपोर्ट
3. मोहन ऐश्वर्य मध्य प्रदेश में पर्यटन संभावनाएं,2016
4. मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग भोपाल (म.प्र.)
5. शर्मा, कंचन (2015), भारत में पर्यटन विकास: चुनौतियां व संभावनाएं, योजना, वर्ष 59, अंक 5, मई, पृष्ठ 2
6. https://www.mptourism.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Cybercrime Impact and Prevention

Manjusha Khare*

***Assistant Professor, Pt. Motilal Nehru Law College and Research Center, Chhatarpur (M.P.) INDIA**

Abstract - Threat of cybercrime is increasing at an alarming rate, with new and more sophisticated attacks being launched everyday. The impact of cybercrime is not limited to financial losses but can also have a significant psychological and reputational consequence. It is therefore essential to understand the types of cybercrime, their impact, and the majors that can be taken to prevent them. This research paper will delve into the various types of cybercrime, their impact on individuals and businesses, and the best practices that can be adopted to prevent cybercrime. By understanding the nature of cybercrime and taking protective steps to prevent it, we can safeguard ourselves against the danger of the digital world.

keywords: Cybercrime, Cybersecurity, Hacking, Malware, Phishing, Identity theft, Online fraud, Artificial Intelligence, Developing countries, International law, Social engineering, Blockchain, Supply chain management, Routine activity theory, Data privacy, Digital forensics, Cybercrime prevention, Cybercrime trends, Cybersecurity measures, Cybercrime impact.

Introduction - In recent years, with the advancement of technology and the increased use of the internet, cybercrime has become a significant concern for individuals, businesses, and governments. Cybercrime refers to any criminal activity that takes place through the use of computers, networks, and the internet. The use of technology has provided opportunities for criminals to commit new types of errors such as hacking, identity theft and online fraud. Cybercrime has become a global problem, with millions of people being affected every year.This research paper will discuss the type of cybercrime, the impact of cybercrime on individuals and businesses, and the measures that can be taken to prevent cybercrime.

Methodology: The methodology for researching cybercrime will involve a comprehensive literature review of academic and industry sources. Some Secondary sources will be obtained from scholarly journals, books, and credible online resources related to cybercrime and some Secondary sources will be obtained from industry reports, news articles, and government publications related to cybercrime trends, statistics, and prevention measures. To ensure the accuracy and relevance of the research, a combination of qualitative and quantitative data analysis methods will be used. The qualitative analysis will involve the critical evaluation of various sources to identify common themes and trends related to cybercrime. The quantitative analysis will involve the use of statistical tools to analyze data related to cybercrime trends and statistics.

In addition, interviews with experts in the field of cybercrime will be conducted to gather insights into the latest trends, emerging threats, and best practices for preventing cybercrime. The interviews will be conducted through online communication platforms or in-person meetings, and the information gathered will be analyzed and integrated into the research findings.

Overall, this methodology will provide a robust and comprehensive approach to researching cybercrime, incorporating multiple sources of data and perspectives to ensure a well-rounded analysis of the topic.

Types of Cybercrime: Cybercrime is a broad term that encompasses a range of criminal activities. The following are the most common types of cybercrime:

1. Hacking: Hacking refers to the unauthorized access to a computer system or network. Hackers can gain access to sensitive information, such as passwords, credit card numbers, and other personal information.

2. Malware: Malware refers to any software that is designed to harm a computer system. Malware includes viruses, Trojans, and worms.

3. Phishing: Phishing is a type of cybercrime that involves tricking people into revealing their personal information. This is usually done through email or instant messaging.

4. Identity Theft: Identity theft is a type of cybercrime where criminals steal someone's personal information, such as their name, address, and social security number. They can then use this information to open bank accounts or credit cards in the victim's name.

5. Online Fraud: Online fraud involves using the internet

to deceive people into giving money or personal information. This includes scams, such as lottery scams, romance scams, and investment scams.

Impact of Cybercrime: Cybercrime can have a significant impact on individuals and businesses. The following are the most common impacts of cybercrime:

1. Financial Losses: Cybercrime can result in financial losses for individuals and businesses. This includes the loss of money due to online fraud, as well as the costs of repairing damage caused by malware or hacking.

2. Damage to Reputation: Cybercrime can damage the reputation of individuals and businesses. This includes the theft of personal information, which can lead to embarrassment or humiliation, as well as damage to a company's brand image.

3. Loss of Productivity: Cybercrime can result in a loss of productivity for businesses. This includes the time and resources spent on repairing damage caused by cybercrime, as well as the time spent dealing with the aftermath of an attack.

4. Legal Consequences: Cybercrime can have legal consequences for individuals and businesses. This includes fines, imprisonment, and other penalties for those who commit cybercrimes.

5. Psychological Impact: Cybercrime can have a significant psychological impact on individuals. Victims of cybercrime may experience anxiety, depression, and other mental health issues as a result of the trauma they have experienced.

Prevention of Cybercrime: There are several measures that can be taken to prevent cybercrime. The following are some of the most effective ways to prevent cybercrime:

1. Use Strong Passwords: Strong passwords can help prevent hackers from gaining access to your accounts. Use a combination of letters, numbers, and special characters, and avoid using the same password for multiple accounts.

2. Keep Your Software Up-to-Date: Keep your software up-to-date to ensure that it is protected against the latest security threats.

3. Use Antivirus Software: Antivirus software can help protect your computer against malware and other security threats.

4. Be Cautious Online: Be cautious when sharing personal information online. Only share personal information with trusted sources and be wary of suspicious emails, links, and messages.

5. Backup Your Data: Regularly back up your data to ensure that you do not lose important files in the event of a cyber attack.

Numerical data of cyber crime and impact in India: 12,317 According to the National Crime Records Bureau (NCRB) of India, the number of cyber crimes reported in the country increased from 9,622 in 2014 to 2016, a 28% increase. In 2017, the number of cyber crime incidents reported increased to 21,796, a staggering 77.8% increase from the previous year.

In terms of impact, the financial loss due to cyber crime in India was estimated to be around $4 billion in 2019, according to a report by Digital Transactions. Further, a study by Norton LifeLock in 2020 revealed that 8 out of 10 Indians have been victims of cyber crime at least once in their lives.

The types of cyber crimes reported in India include hacking, phishing, identity theft, cyber stalking, and cyber terrorism. These incidents have had an impact on individuals, businesses, and government agencies, causing financial losses, reputational damage, and national security threats.

The Indian government has taken several steps to address the issue, such as establishing the Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) to mitigate cyber attacks and introducing the Information Technology (Amendment) Act, 2008, to strengthen cyber law. However, cyber crime continues to be a growing concern in India, highlighting the need for continued efforts to raise awareness and enhance cybersecurity measures.

Conclusion: Cybercrime is a growing problem that affects individuals, businesses, and governments around the world. The types of cybercrime vary, but the impact can be significant, resulting in financial losses, damage to reputation, and legal consequences. The prevention of cybercrime requires the use of strong passwords, the use of up-to-date software, the use of antivirus software, caution when sharing personal information online, and regular backups of data. By taking these measures, we can reduce the risk of cybercrime and protect ourselves against the threats posed by cybercriminals.

Suggestions:

1. The Role of Artificial Intelligence in Cybercrime: As AI technology advances, cybercriminals are increasingly using it to conduct attacks. Further research could explore the ways in which AI is being used to commit cybercrime and how AI can be leveraged to prevent and detect cybercrime.

2. The Impact of Cybercrime on Developing Countries: Cybercrime has a significant impact on developing countries, where infrastructure and security measures may be lacking. Further research could examine the ways in which cybercrime affects developing countries and what can be done to address this **issue.**

3. Cybercrime and International Law: As cybercrime becomes increasingly globalized, there is a need for international laws and regulations to combat it. Further research could explore the existing laws and regulations related to cybercrime and identify gaps and challenges in their implementation.

4. The Future of Cybercrime: With technology continuing to evolve rapidly, the nature of cybercrime is likely to change as well. Further research could explore potential future trends in cybercrime and their implications for individuals,

businesses, and governments.

5. Cybercrime and Social Engineering: Social engineering is a common tactic used by cybercriminals to gain access to sensitive information. Further research could explore the ways in which social engineering is used in cybercrime and how individuals and businesses can protect themselves from these types of attacks.

References:-

1. Clarke, R. (2015). Cybercrime: Digital Cops in a Networked Environment. Routledge.
2. Kshetri, N. (2018). Blockchain's Roles in Meeting Key Supply Chain Management Objectives. International Journal of Information Management, 39, 80-89.
3. McQuade, S. C. (2013). Understanding and Managing Cybercrime. Pearson Education.
4. Pratt, T. C., Holt, T. J., & Morabito, M. (2010). Routine activity and cybercrime: An analysis of cybercrime incidents in Houston, Texas. Journal of Research in Crime and Delinquency, 47(3), 267-298.
5. Rouse, M. (2019). What is cybercrime? Definition, examples, and prevention.Retrieved from https://searchsecurity.techtarget.com/definition/cybercrime
6. Schneier, B. (2015). Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World. WW Norton & Company.
7. UNODC. (2021). Global Study on Cybercrime. United Nations Office on Drugs and Crime.
8. Wall, D. S. (2018). Cybercrime, Media and Insecurity: The Shaping of Public Perception. Palgrave Macmillan.
9. Yar, M. (2013). The international handbook of cybercrime and cyber deviance Routledge.
10. Zhang, Y., Chen, H., & Chen, H. (2019). Research on key technology and system design of big data security situation awareness in cybercrime investigation. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 10(7), 2433-2445.

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Assessment and Comparison of Loco-Motor Skills Among Boys and Girls

Kavita Malhotra* Dr. Keshav Singh Gurjar**

*Research Scholar, Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA
** Head of the Department, Physical Education, SOS Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA

Abstract - The purpose of this study was to assess the loco-motor skills between boys and girls of age group 4 to 6 year and also, to compareloco-motor skills between boys and girls age group 4 to 6 years. A total of 300 subjects (150 boys and 150 girls) were selected as sample from the city of Gwalior. The criteria to measure the skills were selected from TGMD-2 (Test of Gross Motor Development – 2 by Ulrich 2020) test to test the locomotor skills of all 4-6year-olds participating in the study. A short form of the TGMD-2 was taken with 3 components of Loco-motor skills. The selected components were running, hopping and horizontal jumping. To assess loco-motor skills between boys and girls of age group 4 to 6 years and to compareloco-motor skills between boys and girls, two sampled t-test was used to analyse the scores obtained from the tests. Results shows that insignificant difference was found between the means of Boys and Girls in case of loco-motor skills as the observed t-ratio was .849 and p value is .397, which is lower value than the required table value to be insignificant at 0.05 level of significance.

Introduction - Motor skills play a crucial role in the overall development of children, and they can be cultivated from a young age. These skills can be categorized into two main types: fine motor skills and gross motor skills. Gross motor skills, also known as fundamental motor skills or fundamental movement skills, encompass locomotor abilities, object control or manipulative skills, and stability or balance skills (Gallahue, 1989). Clark (1994) further defined gross motor skills as the abilities that involve the large muscles of the trunk, arms, and legs, enabling individuals to perform activities like walking, running, skipping, and engaging in playground games. The coordination between the nervous system and muscles is vital for executing these movements effectively. Gross motor skills necessitate the synchronization of a person's arms, legs, and other significant body parts to perform actions such as running, jumping, and throwing (Haibach et al., 2018). The integration of the nervous system with our muscles during these movements is crucial for producing movements of high quality. Marco et. al. suggested that 3 to 6 years is the gross skill developmental stage for children whereas fine motor skills development starts at the age of around 7 years.

Objectives of the study: For the purpose of this study two objectives were formulated. The first objective was to assess the loco-motor skills among boys and girls of age group 4 to 6 years from the Gwalior district. The second objective was to compare loco-motor skillsamongboys and girlsof age group 4 to 6 years from the Gwalior district.

Methodology

Subjects: The selection of sample schools was carried out using a random sampling method, specifically by selecting every 'nth' number from a list. The list of students was obtained from various schools, and the sample was chosen using random number generators. The total sample size consisted of 300 subjects, evenly divided into 150 boys and 150 girls. The research study was conducted in the city of Gwalior. Subjects who exhibited poor health or any form of physical deformities were excluded from the study.

Dependent Variables: A short form of the TGMD-2 was taken with 3 components of Loco-motor skills. The selected components were –

Locomotor: running, hopping and horizontal jumping.

Statistical analysis:(Verma, J. P.,2000)

Descriptive statistics were utilized to evaluate the homogeneity of the data and assess its normal distribution. To compare the locomotor skills of boys and girls in the age group of 4 to 6 years, a two-sample t-test was applied to analyse the scores obtained from ground-based tests.

Findings and results of the study related to Loco-Motor Testing basic assumption to apply T-test (Chan, Y. H., 2003)

Testing Normality of data

There are three assumptions which should be fulfilled before applying T- test.

(i) By Descriptive Statistics.

(ii) By Q-Q Plots and Normal Curve.

(iii) By Levene Statistic Tests.

1. By Descriptive Statistics

Table-1: Skewness and Kurtosis of the scores of Boys & Girls of Loco-motor

Descriptive		Boys	Girls
Loco-motor	Skewness	.001	-.660
	Std. Error of Skewness	.198	.198
	Kurtosis	-.728	.689
	Std. Error of Kurtosis	.394	.394

When comparing the numerical value of "skewness" with twice the "standard error skewness" and considering the range from minus twice the standard error of skewness to plus twice the standard error of skewness, it was observed that in most cases, the skewness value falls within this range. This indicates that the data or degree of skewness is not significantly skewed or that the skewness is not seriously violated. The same numerical process was applied to examine the normal distribution with regards to "kurtosis". A range of "normality" was established by multiplying the standard error of kurtosis by 2 and constructing a range from the negative value to the positive value. It was determined that the distribution is also significantly normal in terms of kurtosis.

2. By Q-Q Plots and Normal Curve

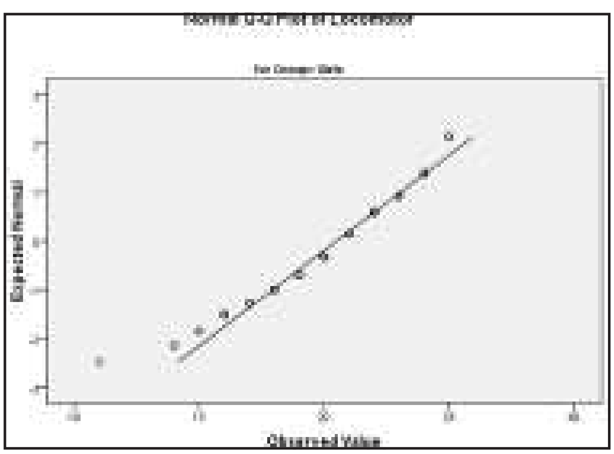

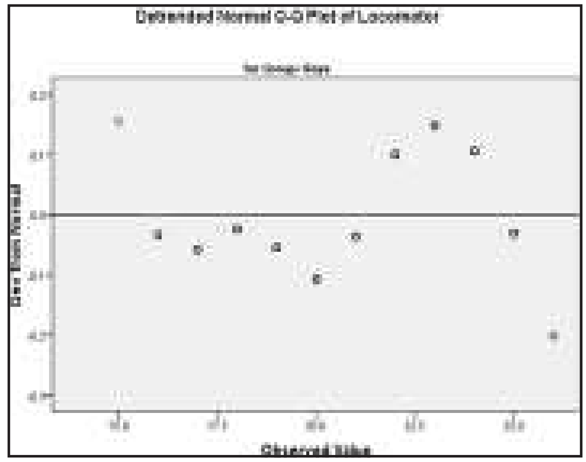

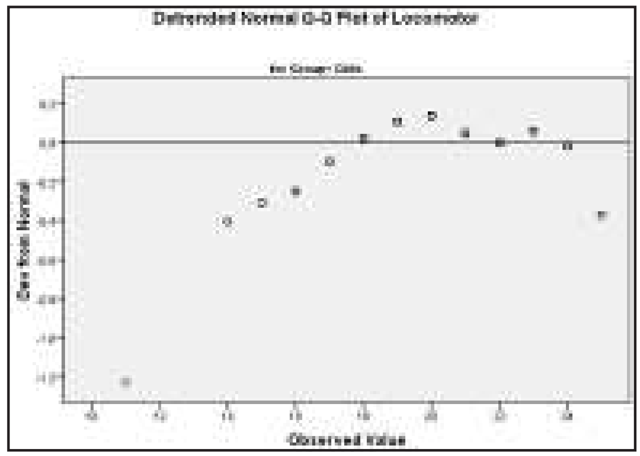

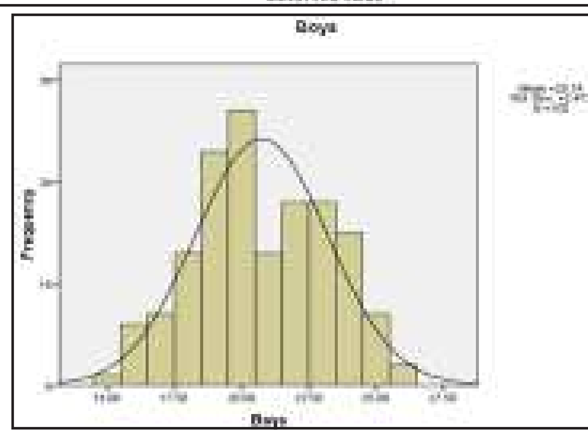

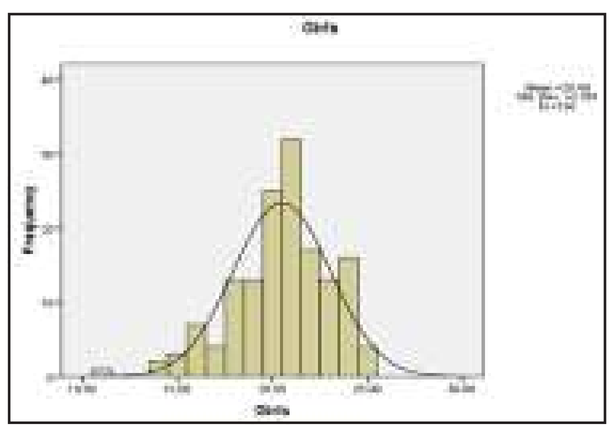

Figure: 1 showing Q-Q Plots and Normal Curve

The Q.Q Plot compares the quantiles of a data distribution with the quintiles of a standardized theoretical distribution from a specified family of distributions (in this case, the normal distribution).

In the above Q.Q. plots, the points are plotted along a line. The Q.Q. plots almost verify that the distribution is normal.

3. By Levene Statistic Tests

Table-2: Test of Homogeneity of Variances

Loco-motor skills

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.337	1	298	.562

Table 2 presents the Levene statistics, which were used to assess the homogeneity of variances between the two groups. The Levene statistics for Loco-motor, with a value of 0.562, was found to be statistically insignificant at a significance level of 0.05. This indicates that there is homogeneity of variances between the two groups. The Levene statistics were used to test the homogeneity of variances between the two groups.

Table-3 : Descriptive Statistics of Boys & Girls of Loco-motor skills

Measures			Boys	Girls
Loco-motor	Mean		20.74	20.49
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	20.34	20.08
		Upper Bound	21.13	20.90
	Std. Deviation		2.47	2.56
	Minimum		15.00	11.00
	Maximum		26.00	25.00

Table- 3 shows the descriptive statistics belonging to Boys and Girls related to Loco-motor. In case of Boys, mean, lower bound of 95 % confidence interval for means and upper bound of 95 % confidence interval for means, standard deviation, Minimum and Maximum are 20.74, 20.34, 21.13, 2.47, 15.00 and 26.00respectively.

In case of Girls, mean, lower bound of 95 % confidence interval for means and upper bound of 95 % confidence interval for means, standard deviation, Minimum and Maximum are 20.49, 20.08, 20.90, 2.56, 11.00 and 25.00 respectively.

Table-4 (see in next page)

Table- 4 indicates that insignificant difference is found between the means of Boys and Girls in case of loco-motor as the observed t-ratio is .849 and p value is .397, which is lower value than the required table value to be insignificant at 0.05 level of significance.

Figure-2 (see in next page)

Discussion: The objective of the present study was to examine the relationship between gross motor skills and academic achievement in children with learning disabilities. Additionally, the specific relationships between subsets of gross motor skills and academic performance in reading, spelling, and mathematics were examined in children with learning disabilities. As expected, the children with learning disabilities scored poorer on both the loco-motor and object-control subtests than their typically developing peers. Furthermore, in children with learning disabilities a specific relationship was observed between reading and loco-motor skills and a trend was found for a relationship between mathematics and object-control skills: the larger children's learning lag, the poorer their motor skill scores. This study stresses the importance of specific interventions facilitating both motor and academic abilities. Children with learning disabilities had poorer gross motor skills than typically developing peers. The present study also supports the above mentioned study, since both the studies are of similar in nature (Westendorp, M., Hartman, E., Houwen, S., Smith, J., &Visscher, C. (2011).

The aim of this study was to provide an update of the evidence on the efficacy of gross motor development interventions in young children (0–5 years) from 2007 to 2015. In this study, seven articles were included and all were delivered in early childhood settings. Four studies had high methodological quality. Most studies used trained staff members/educators to deliver the intervention (86%) and five studies lasted 18 weeks or more. Six studies reported statistically significant intervention effects. Despite the proven importance of gross motor skill development in young children and the recommendations made in the previous review, this review highlights the limited studies evaluated to improve such key life skills in young children over the past 8 years. On the basis of the results, it may be concluded that childrens are affected by gross motor skills as well as different age groups (Veldman, S. L. C., Jones1, R. A., Okely, A. D. (2016).

References:-

1. Best, J. W. (1963).Research in education. U. S. A.: Prentice Hall.
2. Chan, Y. H. (2003). Biostatistics 101: Data presentation. Singapore medicine journal. 44 (6), 280-285.
3. Clark, H. H., & Clark, D. H. (1975).Research process in Physical Education. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
4. Field, A.(2009). Discovering statistics using SPSS. London: SAGE Publications Ltd.
5. Gay, L. R. (2000). Educational research. U. S. A: Prentice Hall.
6. Gupta, S. L., & Gupta, H. (2011).SPSS for researchers. New Delhi: international Book House Pvt. Ltd.
7. Haibach-Beach, P. S., Reid, G., & Collier, D. H. (2018).*Motor learning and development*.Human Kinetics.
8. Kamlesh, M. L. (2011). Ugc net digest on papers III, physical education. New Delhi: Khel SahityaKnedra.
9. Landau, S., Everitt, B. S. (2004).A handbook of statistical analysis using SPSS. New York: Chapman & Hall/ CRC Press LLC.
10. Marco, J., Cerezo, E., Baldassarri, S., & Mazzone, E.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

(2009). Bringing tabletop technologies to kindergarten children. People and Computers XXIII – Celebrating people and technology (pp. 103-111). Cambridge: The British Computer Society.
11. Sa, J. P. M. D. (2007). Applied statistics using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R. New York: Library of Congress.
12. Uppal, A. K. (2001).Principles of sports training. Delhi: Friends Publications.
13. Veldman, S. L. C., Jones1, R. A., Okely, A. D. (2016). Efficacy of gross motor skill interventions in young children: an updated systematic review. *BMJ Open Sport Exerc Med, 2*(000067), 1-7.
14. Verma, J. P. (2000). A text book on sports statistics. Gwalior: Venus Publications.
15. Westendorp, M., Hartman, E., Houwen, S., Smith, J., &Visscher, C. (2011).The relationship between gross motor skills and academic achievement in children with learning disabilities.*Research in Developmental Disabilities, 32*(6), 2773-2779.

Table-4: T-Test to compare Loco-Motor Skills of Boys and Girls

t-test for Equality of Means

		t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper
Loco-motor skills	Equal variances assumed	.849	298	.397	.24	.29	-.32	.81
	Equal variances not assumed	.849	297.62	.397	.24	.29	-.32	.81

Figure-2 Comparison of Means of Loco-Motor Between Boys and Girls

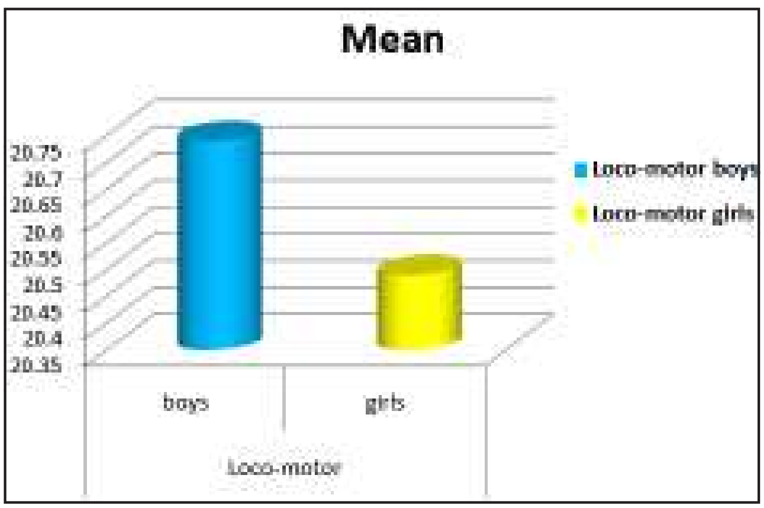

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Civil Remedies for Breach of Patent Right In India : An Analysis

Dr. Lok Narayan Mishra*

***Assistant Professor (Law) Govt. Law College, Rewa (M.P.) INDIA**

Introduction - In India, the civil remedy for infringement of patent rights is an essential legal recourse available to patent holders. The introduction and establishment of this civil remedy can be traced back to the enactment of the Patents Act, 1970.

The Patents Act, 1970 provides a comprehensive framework for the protection of patent rights and the enforcement of these rights through civil remedies. The act outlines the rights and obligations of patent holders and sets forth the procedures for initiating legal action against infringing parties.

Through civil remedies, patent holders can seek relief from the courts when their patent rights are infringed upon. These civil remedies are designed to safeguard the exclusive rights granted to patent holders and provide them with appropriate compensation for the unauthorized use or exploitation of their patented inventions.

The civil remedies available for patent infringement in India include:

1. **Injunction:** Patent holders can request the court to issue an injunction to restrain the infringing party from continuing the infringing activities, thereby preventing further harm and loss.
2. **Damages:** Patent holders can claim monetary damages from the infringing party, seeking compensation for the actual loss suffered due to the infringement or the profits made by the infringing party through the unauthorized use of the patented invention.
3. **Accounts and seizure:** Patent holders can seek an order from the court to obtain accounts of the infringing activities, enabling them to assess the extent of the infringement. The court can also authorize the seizure or destruction of infringing products or materials.
4. **Conversion:** In cases where the infringing party has derived significant profits from the infringement, the court may order the infringing party to pay a portion of those profits to the patent holder.
5. **Declaration:** Patent holders can seek a declaration from the court confirming the validity of their patent rights and establishing the infringement, which can serve as evidence for future legal proceedings and act as a deterrent against further infringement.

The introduction of these civil remedies in India has played a crucial role in providing patent holders with the necessary legal tools to protect their intellectual property rights and seek redress for infringement. It promotes innovation, encourages investment in research and development, and fosters a conducive environment for the growth of technological advancements in the country.

Remedies: In so far as civil remedies are concerned, an infringing licensee, patentee or compulsory licensee may bring an infringement suit from a district court to a lower court. In the case of Shree Prakash Steel Industries Vs Ramapada Chatterjee, the Hon'ble Court has guided that -

1. Suit for any such declaration under section 105
2. Suit presented for any such relief under section 106
3. Suit or case related to infringement of patent

Keeping the above provisions in view, it becomes clear that any such case, which will be instituted under the said provisions, can be presented before the district court having jurisdiction for this purpose or before the higher court and it is also clarified here It is necessary that such suits or cases cannot be filed before the courts lower than the District Court. When a person, whether claimant or interested in a patent or not, threatens to institute infringement proceedings against another person, the other person (i.e. the one threatened) may bring a suit praying that -

(a) a declaration by the court that such threats are not justified.
(b) that an injunction be issued against such threats,
(c) to compensate, if necessary.

Plaintiff - The right to sue for infringement belongs to the patentee, who has exclusive right in the patent. The exclusive licensee can institute a suit as a plaintiff for infringement if the license is registered. If the plaintiff is not joined as patentee, he must be joined as defendant. In certain circumstances where the patentee has neglected or refused to institute proceedings, the suit may be instituted by the compulsory licensee. In addition to the exclusive

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

licensee and the compulsory licensee, a suit for infringement can also be instituted by the general licensee. In such a case, the installation of shingles by the licensee depends on the terms of the contract between the licensor and the licensee. A suit for infringement of a patent can also be filed by the co-owner of the patent.

Defendant - When any person who infringes a patent, that is to say, any right conferred by the license of the patent so obtained under the patent law or the Acts, where he so uses without any authority , then a case of infringement may be registered or a claim may be filed against such user. Thus manufacturers, importers and traders, their servants, agents and sometimes users of the patented article may be made defendants in a suit for infringement individually or collectively where the patent is infringed by two or more persons jointly. is hereby registered or filed as co-defendants against all such persons. It also seems necessary to clarify here that any infringing article or substance that has been sent somewhere in such a way that it appears to be infringing a patent, the consignee of such article or substance should also be a party to such legal or court action for infringement. A case or suit can also be filed against him, but it is also necessary to clarify that only such a carrier, or anyone who does such storage, then in such a case, any action related to this done by such store The act is not counted or considered in the category of infringement. Provided that no such director who conducts any such company can be made a party to such person personally as a defendant in any manner for the infringement. Provided that when such person, being a director of a company, does any act in a wrongful or malicious manner where he was not authorized to do so, or unless in respect of such wrongful or malicious act, such relations between such company and the director of that company as have not been proved by the evidence to be correct or for the reason that it is not proved on the basis of such evidence. Hence it also becomes clear that the onus or burden of proving infringement of the patent lies squarely on the plaintiff.

The following defenses have been made available to the defendant in a suit for infringement of a patent:

(a) That the plaintiff is not entitled to sue for infringement.
(b) That the infringement or the repudiation of the intention to cause an infringement.
(c) An express or implied license or permission to use the invention.
(d) Discord
(e) A claim of infringement is invalid on the following grounds –

(1) That in so far as the invention is claimed in any claim of the complete specification, the valid claim contained in the complete specification of the other patent translated into India was claimed at an earlier date.
(2) That where a patent has been granted on the basis of an application made by a person who was not authorized under the provisions of the said Act.
(3) That the patent has been obtained wrongfully.
(4) That the subject matter of any claim of the complete specification is not a new invention within the meaning of the Act.
(5) Where in any such application a demand has been presented in the form of a complete specification for such a new invention, it does not qualify as such new invention, because such claim has already been filed before or before the date of filing of such claim. The invention became public which was already in the knowledge of all or it was put to use in public in the whole or in different regions of the country of India.
(6) That at the time of the infringement there was in existence a contract in respect of the patent containing a condition declared to be invalid under the Act.
(7) That the work complained of falls within the domain of inadvertent infringement. The defendant was ignorant of the patent at the time of the occurrence of the act alleged to be infringing or that the act complained of has been done after failure to pay the renewal fee for the patent or before the date of amendment of the specification. The aforesaid defenses or remedies which are to be provided for such damages and for such benefits as may be on such account and not for any such injunction as to or for the filing of any such claim or cause to be registered.
(8) That the provision in the Act impugned that the new invention can be used for official purposes in certain circumstances.
(9) That here the use of such new invention as determined or legal, has been provided for any research and for smooth operation of any such research or education system of the students.
(10) Under this, a defendant is competent or authorized to present a counterclaim for revocation through his own written statement and he can file such counterclaim.
(11) The patent granted hereunder or the patent granted for making any new invention, manufacturing it, using it in accordance with the law, selling it, and importing such new invention, any work that is done in India or in the territory of India. in any other country, in addition to any law in force in that country regulating the manufacture, manufacture, remanufacture, sale, or import of any such product, under or under which such development And taking into account or collecting any such communication or cognizance, it is used only for one use.
(12) Where a person is duly authorized under any such law to produce, sell, or distribute the product, the patented products are to be imported by any person.

Issue: On the ground of lack of cause, is the plaintiff liable for injunction or for damages to the defendant? Swiss pharma major Novartis has been granted a patent for the invention compound “certifenib” used for the treatment of

non-small cell lung cancer. In the year 2007, the claim was presented before the Honorable Court on the basis of priority, and in the year 2015, considering the above, the right for the patent was granted.

The Plaintiff came to know about the launch of a product named "Certifin Capsules" during a drug conference held in Kolkata and a product of Natco Pharma. Natco Pharma claimed that the Certifin molecule is neither suboptimal nor inventive as it falls within the broad "Markush" formula disclosed in the patent granted to AstraZeneca or two other patents granted to Rigel. Based on this contention, Natco Pharma opposed Novartis's post-grant mode of patent. Novartis files a case in the High Court against Natco Pharma seeking permanent injunction, damages, providing account of accounts and distribution in respect of its granted patents and restraining Natco Pharma from manufacturing and selling "Certifin" capsules Was. Justice Pratibha M Singh directed Natco to file its response to the injunction moved by Novartis within a time limit of 2 weeks, as per a court order in May 2019. Here, the decision of the Supreme Court passed by the court in Aloy Woben was mentioned as the basis, and in this the Honorable Judge, keeping his side, said that although where such authorities or such rights of the opposite party are once sarcasm or contradiction As it appears, the rights conferred by such patent may crystallize, so that even after such grant the rights of a patent assessor as a right of the opposite party, by way of an interim order, the court has established the existing Allowed to sell the stock which has already been manufactured by Chhajjabv Chintau under Chhvg.sgya (bmtjpadpai) on the view of the patient community that stopping the sale of the defendant's product would only cause harm. However, in this case, Natco Pharma has been restrained from manufacturing or manufacturing any new stock of these medicines through or on the basis of the order of the Hon'ble Court, which includes a chemical compound named "Certifinab". or mixed.

Remedies Received by the Plaintiff

The following remedies are available to the plaintiff in consequence of the infringement of the patent

(1) Temporary or final injunction - An injunction is an order of the court by which a person is prohibited from doing some specified act or a command about not causing some wrong or mischief. It is a preventive and protective treatment by which future defects are prevented. It can **be divided into two parts -**

(a) Temporary injunctions - Temporary injunctions are such orders of the court which remain in force for a specified time or until further orders of the court. This type of temporary injunction can be granted at any time or stage even in the midst of the actions taken. It is also provided under this that the plaintiff is authorized to submit an application before the Hon'ble Court for any such justifiable interim injunction at any time or at any judicial stage from the date of presentation of such suit and may make such application as necessary. so as to deter or prevent the commission of such unauthorized acts alleged to be infringing by such defendant and to prevent the continuance of such acts committed in the nature of such unauthorized acts.

While issuing temporary injunction, some principles are considered by the court which are as follows -

(A) Here the case should be proved by the plaintiff in his favor prima facie,

(B) Here the plaintiff should also prove that his favor from the point of view of convenience.

The High Court, after perusing the entire physical facts of the case, held that the process of making drugs a combination of a chemical material and a microorganism and the isolation of one of the ingredients giving it. Coating is also a well accepted process. Therefore, the appellant KD Pharmaceuticals Ltd. has claimed to have developed this process after decades of research and development. In the said circumstances, therefore, in this case, in the primary form, in an unknown or unknown form for the world of pharmaceuticals, it cannot be proposed to discover such a new process and to develop it in such a step-by-step manner. This process may have been adopted for the first time for combining penicillin with lactobacilli drugs. But whether the process is patented and the combination drug itself heats prima facie, the process developed by the appellant Cadila Pharmaceuticals Ltd. should not be patentable, the respondent Instacare Laboratories Pvt. Ltd., cannot be restricted for using the said process for its products and marketing them in Instachair lids, as the said company entered its presence in the market for trading business even before the month of December in the year 2000. Had done Here, for the above reason, it does not appear to be justified to interrupt or stop the continuity obtained on this basis and it should not be blocked like this. Because where such a company or a party which has already entered the market a few months back for selling its products or goods or is already operating its business. Therefore, the court was of the opinion that the test thus learned appears to be proper and legal to vacate the interim injunction of the advertisement of the former part and to dismiss the application for such interim injunction.

(b) Final injunction- Final injunction is granted by the court after the trial is over. The period for which the final injunction is effective lasts for the remaining term of the patent from the date of issue of the injunction. That is, the period of final injunction is limited to the period of patent. Where the defendant has not committed the infringement but has merely omitted to commit the infringement, an injunction may be issued but in such a case compensation is not awarded.

Conclusion: In conclusion, the civil remedy for infringement of patent rights in India provides patent holders with legal recourse to protect their exclusive rights and seek redress

for unauthorized use or exploitation of their patented inventions. Under the Patents Act, 1970, patent holders can take several civil remedies. These civil remedies aim to safeguard patent holders' rights, provide fair compensation, and deter further infringement. It is essential for patent holders to consult with intellectual property lawyers or legal professionals well-versed in Indian patent laws to understand the specific procedures and requirements for seeking civil remedies in cases of patent infringement.

References :–

1. Indian patent act 1970
2. Intellectual property right – V.K. Ahuja
3. Intellectual Property Law and Practice by Elizabeth Verkey
4. Law of intellectual property by S.R. Myneni

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जागरूकता : एक सामाजिक विधिक अध्ययन (रीवा नगर के विशेष संदर्भ में)

भोला प्रसाद साहू*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य रीवा क्षेत्र में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में जागरूकता की स्थिति का अध्ययन करना है। यह शोध वर्णनात्मक (सर्वेक्षण) शोध प्रविधि पर आधारित है। इस शोध में न्यादर्श के लिए रीवा क्षेत्र के विभिन्न वार्डो से साधारण यादृच्छिक विधि के माध्यम से केवल 100 नागरिकों का चयन किया गया है। प्राथमिक स्रोत के रूप में प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। शोध निष्कर्ष के आधार पर ज्ञात हुआ है, कि नागरिकों में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जानकारी 48 प्रतिशत एवं शैक्षणिक स्तर पर जागरूकता का स्तर केवल 22 प्रतिशत है जो चिंताजनक है। लोगों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रसार हेतु शैक्षणिक संस्थाओं एवं केंद्रीय स्तर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाना आवश्यक है। जिससे वह स्वतंत्रता के अधिकार एवं इसके उचित प्रयोग की जानकारी जनता तक पहुंचाई जा सके।

शब्द कुंजी – अभिव्यक्ति, संरक्षण, जागरूकता, साक्षात्कार विधिक अध्ययन।

प्रस्तावना –शब्दों लेखों मुद्रणो चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना अभिव्यक्ति है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ऐतिहासिक क्षेत्र पुरातन है, जो एथेंस लोकतंत्र की छठवीं एवं पांचवी सदी ईसा पूर्व प्रकट हुई, इसे वाक् स्वतंत्रता एवं धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में स्थान दिया गया। इंग्लैंड के बिल आफ राइट 1689 हो या फ्रांस की क्रांति 1789 या मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 का अनुच्छेद 19 यह सब व्यक्ति के विचारों की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। इसमें यूरोपीय अभिसमय का अनुच्छेद 10, अमेरिकी अभिसमय का अनुच्छेद 13 एवं अफ्रीकी अभिसमय का अनुच्छेद 13 भी शामिल है।

स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कभी भी निरपेक्ष नहीं रही और ना ही निरपेक्ष रूप में लोगों को प्राप्त हुई लोकतांत्रिक ढांचे और मूल्यों के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधा रिश्ता है पूर्व एवं वर्तमान में लोकतंत्र के चार स्तंभ बताए जाते रहे जिनमें- विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं मीडिया है और अब सोशल साइट को पांचवें स्तंभ के रूप में पेश करने का प्रयास हो रहा है।

शोध विधि – शोध विषय की प्रकृति नागरिकों में अभिव्यक्ति के प्रति जागरूकता से संबंधित है, जिसके लिए विस्तृत क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से ही सम्यक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रस्तुत शोध कार्य, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में निवास कर रहे नागरिकों मे से स्वैच्छिक दैव निदर्शन विधि का उपयोग करते हुए सकारात्मक सूची द्वारा प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों के उपयोग द्वारा पूर्ण किया गया है। साक्षात्कार प्राप्त नागरिकों के लिए यह संज्ञान में किया गया है कि उनकी शैक्षिक योग्यता, आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों द्वारा नागरिकों में अभिव्यक्ति के संरक्षण एवं अधिकार के प्रति जागरूकता की प्रवृत्तियों का निष्पादन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य– इस अध्ययन का उद्देश्य वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति नागरिकों में जागरूकता की स्थिति का पता लगाना एवं इसे बढ़ाने हेतु आवश्यक कारकों का अध्ययन करना है।

अध्ययन का क्षेत्र – प्रस्तुत अध्ययन रीवा जिले में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित सामान्य एवं विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना है यहां की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2,35,654 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 1,24,012 तथा 1,11,642 महिलाएं हैं। यहां की कुल साक्षरता दर 86.31 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 91.67 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 80.40 प्रतिशत है।

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आपने नागरिकों में विधिक जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे उनमें स्वयं की समस्याओं एवं विचारों को अन्य तक पहुंचाने के माध्यम तथा प्रक्रियाओं की जानकारी हो जाए। रीवा जिला भारत का एक जिला है जिसकी सामान्य समस्या एवं जागरूकता भारत के अन्य जिलों के समान है इससे भारत में वाक् एवं अभिव्यक्ति के प्रति जागरूकता संबंधी स्थिति का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

तालिका क्र.01: साक्षात्कार हेतु अध्ययन में शामिल हुए नागरिकों की शैक्षिक व वृत्तिक स्थिति

क्र	मद		संख्या	साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत
1	शैक्षणिक स्थिति	उच्च शिक्षित	35	35 %
		शिक्षित	45	45%
		निरक्षर	20	20%
2	वृत्तिक स्थिति	बुद्धिजीवी वर्ग	36	36%
		कारोबारी वर्ग	20	20%
		अन्य वर्ग	44	44%

स्रोत : साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों के आंकड़े

तालिका क्र.01 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वाक् एवं अभिव्यक्ति के संबंध में जागरूकता की स्थिति की जानकारी एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार में शामिल कुल व्यक्तियों की संख्या 100 है जिसमें उनके शैक्षणिक एवं वृत्तिाक स्थिति की जानकारी क्रमश: 35 प्रतिशत नागरिक उच्च शिक्षित 45 प्रतिशत शिक्षित (सामान्य शिक्षा) तथा 20 प्रतिशत निरक्षर पाए गए। वृत्तिाक स्थिति के अंतर्गत 36 प्रतिशत नागरिक बुद्धिजीवी वर्ग से 20 प्रतिशत नागरिक कारोबारी एवं 44 प्रतिशत नागरिक अन्य वर्ग के शामिल हुए।

आरेख क्र.01 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्र.02: साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का विष्लेषण

क्र.	कथन	सहमत	असहमत	उदासीन
1	आप वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जानते है	48	40	12
2	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया है	42	38	20
3	आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में अपने विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान कोई जानकारी प्राप्त की है?	22	56	22
4	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नागरिकों द्वारा विधिपूर्वक उचित ढंग से किया जाता है।	49	37	12
5	अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को समाज एवं राज्य द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है।	56	40	04
6	अभिव्यक्ति को रोकने पर कोई कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है इसके बारे में आपको ज्ञात है।	32	48	20
7	आपके द्वारा अभिव्यक्ति से रोकने पर कोई वाद दायर किया गया है।	09	79	12
8	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग प्रसार माध्यमों द्वारा सरलता से होता है।	67	22	11

स्रोत : साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों से प्राप्त आंकड़े

सारणी क्र.02 के कथन क्र.01 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नागरिकों में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में 48 प्रतिशत लोगों को जानकारी है तथा 40 प्रतिशत नागरिकों ने इस संबंध में जानकारी से अनभिज्ञता प्रदर्शित की तथा 12 प्रतिशत नागरिक उदासीन रहे। कथन क्रमांक 02 के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि 42 प्रतिशत लोग अपनी अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का प्रयोग उन्मुक्त रुप से करते हैं जबकि 38 प्रतिशत इस बात से सहमत रहे, शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता की जानकारी का स्तर निम्नतम 22 प्रतिशत रहा जबकि 56 प्रतिशत नागरिकों ने यह बताया कि संस्था स्तर पर उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। 49 प्रतिशत नागरिकों का मानना है कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग विधि पूर्वक एवं उचित ढंग से किया जा रहा है जबकि 37 प्रतिशत नागरिक इससे असहमत है। नागरिकों में 56 प्रतिशत का मत रहा है कि राज्य एवं समाज अभिव्यक्त को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहे हैं तथा 40 प्रतिशत इस तथ्य से सहमत नहीं पाए गए। अभिव्यक्ति के विरुद्ध कार्य पर कानूनी जागरूकता अत्यंत कम है केवल 32 प्रतिशत ही इससे सहमत हैं जबकि 48 प्रतिशत नागरिक इसके प्रति असहमति दर्ज करते हैं एवं 20 प्रतिशत उदासीन रहे। अभिव्यक्ति पर निर्बंधन के आधार पर वाद दायर करने वालों का प्रतिशत केवल 09 रहा जबकि 79 प्रतिशत नागरिकों ने इस पर अपनी असहमति जताई तथा प्रसार माध्यमों के द्वारा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को 67 प्रतिशत नागरिकों ने उचित मानते हुए सहमति दी जबकि 22 प्रतिशत नागरिक इसे उचित माध्यम नहीं मानते इसमें 11 प्रतिशत नागरिक उदासीन रहे।

आरेख क्र.02 (अगले पृष्ठ पर देखे)

निष्कर्ष एवं सुझाव– प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा विविध प्रश्नावली से प्राप्त मतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान समय में ज्यादातर नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं है तथा शैक्षणिक संस्थाओं में भी इसके संबंध में जागरूकता का प्रतिशत कम ही रहा है नागरिकों को उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले इस अधिकार पर नियंत्रण किए जाने का भय है तथा इसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के प्रति भी लोगों में जागरूकता का अभाव पाया गया जिस कारण इस संबंध में वाद होने का प्रतिशत भी नगण्य है परंतु लोगों में प्रसार माध्यम से वाक् स्वतंत्रता के प्रयोग का सरल होना स्वीकार किया गया है तथा इसका प्रयोग वह स्वतंत्र रूप से विचारों के प्रसार हेतु करते हैं, यह पाया गया। इसकी सीमाओं के ज्ञान के प्रति जागरूकता का अभाव है अत: इससे नुकसान होने की संभावना भी बनी रहती है।

नागरिकों में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति सकारात्मक जागरूकता बढ़ाने हेतु सार्वजनिक प्रयासों को बढ़ाना होगा तथा शिक्षण संस्थाओं में इस अधिकार के संबंध में प्राथमिक स्तर से उच्चतर स्तर तक निरंतर जानकारी प्रदान करना आवश्यक है जिससे नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें एवं इसके दुरुपयोग से विरत रहे विधिक सहायता केंद्र खोलकर यह प्रयास किया जा सकता है तथा बेहतर समाज एवं लोक कल्याणकारी राज्य का सपना साकार किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कपिल एच.के. (2008) सांख्यिकी के मूल तत्व सामाजिक विज्ञानों में आगरा अग्रवाल प्रकाशन।
2. गुप्ता एस.पी. (2017) अनुसंधान संदर्शिका संप्रत्यय कार्यविधि एवं प्रविधि इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन पब्लिकेशन एवं डिसटीब्यूटर्स।
3. बवेल, बंसती लाल – 'भारत का संविधान', 2009 सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन इलाहाबाद
4. टंण्डन, एम.पी.– 'अंतर्राष्ट्रीय विधि व मानवाधिकार', सेण्ट्रल ला पब्लिकेशन।
5. अवस्थी, सुधा– 'भारत का संविधान', इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी 2011।
6. पाण्डेय एवं नरूला– वेयर एक्ट 2016 इलाहाबाद ला पब्लिकेशन।
7. सिंह, विनय कुमार– यूनिक पब्लिकेशन सामान्य अध्ययन 'दिल्ली'।

आरेख क्र.01

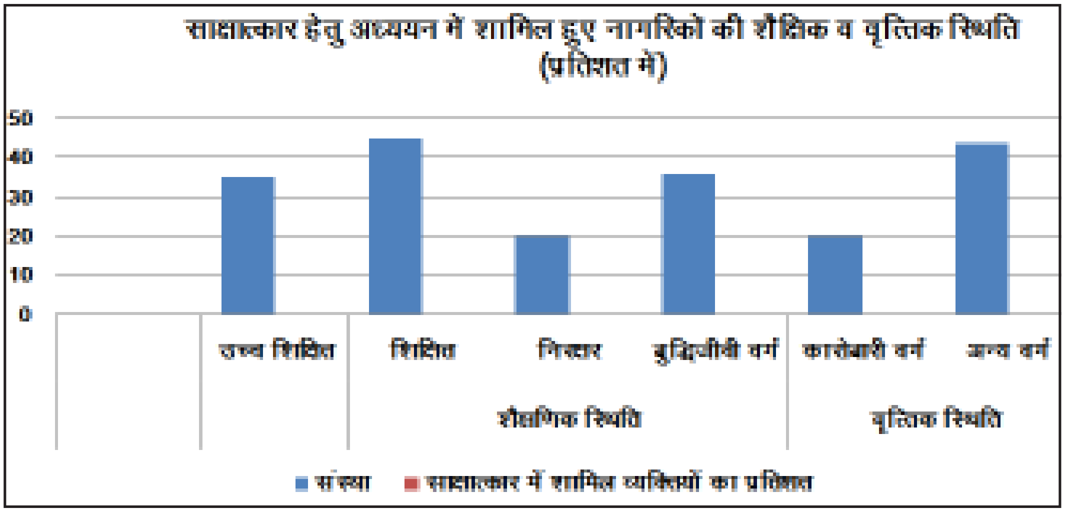

आरेख क्र.02

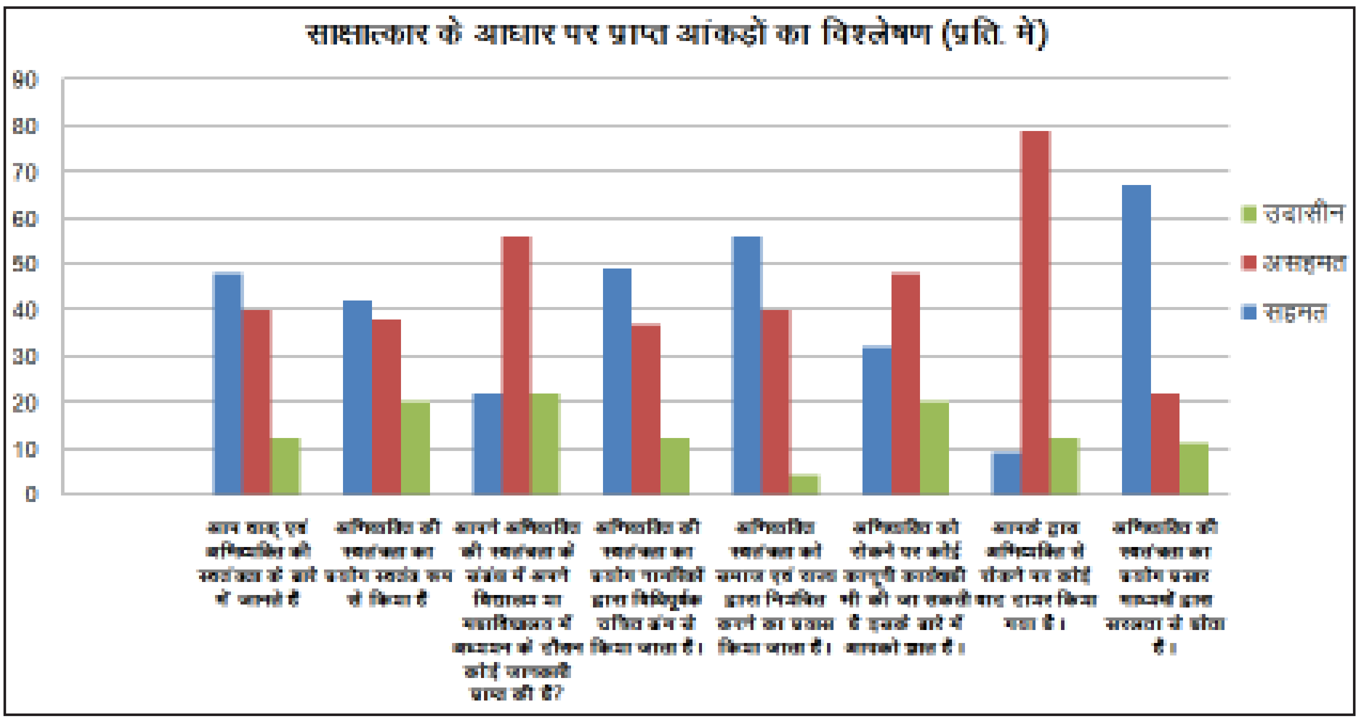

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

दलित उत्थान में बाबा साहेब की भूमिका

डॉ. सुनीता* राम किशन**

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी) दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत
** शोधार्थी (हिन्दी) दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत (बागपत) सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना –कुछ इतिहास पुरुष ऐसे होते हैं, जिन्हें पाकर सम्मान सम्मानित होते हैं। डॉ. भीमराव अम्बेड़कर भी ऐसे इतिहास पुरुष थे, जिन्हें वर्ष 1991 में भारत का सर्वोच्चसम्मान **'भारत रत्न'** प्रदान कर भारत राष्ट्र ने उन्हें अपनी विनम्र श्रृद्धांजलि अर्पित की है किन्तु यहीं पर सवाल भी उठता है कि आखिर राष्ट्र ने उन्हें यह सम्मान प्रदान करने में इतनी देर क्यों की? और इस विलम्ब का कारण हमें पंडित जवाहर लाल नेहरू के उचन शब्दों में निहित जान पड़ता है जो उन्होंने डॉ. अम्बेड़कर के निधन 16 दिसम्बर 1956 पर रहे थे डॉ. अम्बेडकर हिन्दू समाज द्वारा किये गये दमनात्मक कार्यो के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक थे।'[1] अत: हिन्दू मानसिकता के रक्षक सर्वोच्च्य पदों पर बैठे लोग अपने विरुद्ध उठती आवाज को कैसे सम्मानित करते ! आश्चर्य की बात यह है कि हिंदू समाज के बहुसंख्यक वर्ग में इस मानव–द्रोही, धार्मिक सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं जागा, इसी से दमन की भयावयता का अनुमान लगाया जा सकता है। शताब्दियों से चलती इसी अनवरत शोषण तंत्र की कोख से 14 अप्रैल 1892 को डॉ. अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश की महू हावनी में हुआ था, उनकी प्रारंम्भिक शिक्षा नहीं पर हुई थी। यहाँ उनके पिता श्री रामजी सकपाल सेना के स्कूल में मुख्याध्यापक थे। उनके जीवन में मुख्य मोड़ वहाँ पर आया, जब वे बड़ौदा नरेश द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति पर पढ़ने कोलम्बिया विश्व विद्यालय अमेरिका गये। वहीं पर इन्होने पहली बार मानव और मानव के बीच समानता के रिश्ते को निकटता से देखा और स्वयं उसका अनुभव किया कि वहाँ पर मनुष्य को सम्मान उसकी योग्यता के कारण मिलता है, इसकी जाति या धर्म के कारण नहीं। वहीं पर उन्होने विज्ञान पर आयोजित एक संगोष्ठी 'द कास्ट इन इण्डिया देयर मकेनिज्म जनेसिस एण्ड डेवलपमेण्ट' में शोध पत्र पढा था।

दलित साहित्य के प्रेरणा स्रोत डॉ. अम्बेडकर ही हैं। सबसे पहले उन्होंने ही 'जनता' तथा मूकनायक साहित्यिक पत्र निकालकर दलितों को अभिव्यक्ति के महत्व से परिचित करवाया तभी परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र में दलित साहित्य अस्तित्व में आया। प्रसिद्ध मराठी दलित साहित्यकार डॉ. गंगाधर पानतावड़े ने लिखा है– 'हमारे साहित्य की प्रेरणा केवल डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी क्रान्तिकारी विचारधारा है, इसमें कोई संदेह नहीं। कई समालोचक दलित साहित्य का रिश्ता कभी मार्क्सवाद तो कभी हिंदूवाद से जोड़ते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे दलित साहित्य की प्रेरणा न मार्क्सवाद है और न हिंदूवाद है। दलित साहित्य की प्रेरणा केवल अम्बेडकरवाद है।'[2] डॉ. अम्बेडकर ने अध्ययन के दौरान मानवीय गरिमा का अनुभव कि किस तरह विश्व में व्यक्ति को उसको व्यक्तिगत गुणों और अवगुणों के कारण सम्मान मिलता है, उसकी जाति के कारण नहीं, इसलिये जब डॉ. अम्बेडकर को भारत का संविधान बनाने का अवसर मिला, तो उन्होने समानता को मौलिक अधिकार घोषित किया। आज दुनिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र में यह समता का अधिकार है कि यहाँ राष्ट्रपति और एक रिक्शेवाले के वोट का मूल्य समान एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर ने वर्ण जाति को बकार को कर नारी को शिक्षा और समानता का अधिकार प्रदान किया है। उनके चिंतन पर बुद्ध कबौर और ज्योतिषा फुळे आदि क्रान्तिकारी महापुरुषों का अधिक प्रभाव था। डॉ. अम्बेडकर का चिंतन बुद्ध, कबीर और फुले की जीवटता का समावेश है।

डॉ. जयप्रकाश कर्दम के अनुसार 'डॉ. अम्बेडकर का सपना एक सुदृढ सुमन्नत और सुखी सम्पन्न राष्ट्र का सपना था जिसमें सब समान हों तथा सब परस्पर प्रेम सहयोग और बंधुता के साथ रहें। कोई छोटा बड़ा, ऊँचा–नीचा, बहुत अहुत न हो। इसके लिये उन्होंने जातिविहीन और वर्गहीन समाज की परिकल्पना की। इस तरह के समाज की परिकल्पना कैसे हो रचना कैसे हो, यहीं उनके समग्र चिंतन और सृजन का मूल विषय व आधार है। समाज, राजनीति, या धर्म कोई क्षेत्र ऐसा नहीं मिलता जिसमे डॉ. अम्बेडकर ने विचार एवं कार्य न किया हो। वैचारिक रूप से वह राजनैतिक क्षेत्र में लोकतंत्र के, सामाजिक क्षेत्र में मानववाद के, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद के, धार्मिक क्षेत्र में बुद्धवाद के तथा दार्शनिक क्षेत्र में अन्तिम और अनात्मवाद के पक्षधर रहे। किसी भी प्रकार की असमानता और अन्याय का उन्होंने सदैव विरोध किया।'[3] इस अन्याय और शोषण से मुक्ति के लिये उन्होंने 'शिक्षा, संगठन और संघर्ष' का नारा दिया था। उन्होंने अपने चिंतन के द्वारा बताया था कि अस्पृश्यता जातिवाद पर आधारित है। इसलिए डॉ. शरण कुमार लिम्बाले जी ने लिखा है –

'अम्बेडकर बाद जातिभेद के अन्त का आधुनिक विचार है। बाबा–साहब ने हिंदू धर्म में विषम व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन जातिव्यवस्था ने विषमता का पालन पोषण किया इस जाति संख्या के लक्षण निम्न हैं–

(1) वंश परम्परा– जिस जाति के माँ बाप हैं बच्चा भी उसी जाति का होता है।

(2)विवाह बंधन– अपनी ही जाति में विवाह स्वीकार्य और जाति बाह्य विवाह बंधित माना जाता है।

(3)पेशा–पैतृक पेशा छोड़कर दूसरी जाति का पेशा करना वर्जित माना जाता है।

(4)ऊँच-नीच-कुछ जातियों को वरिष्ठ और कुछ को कनिष्ठ माना जाता है।

अत: जाति व्यवस्था ने दलित समाज का शोषण किया और दलितों पर पीड़ादायक प्रतिबन्ध लाद दिये। दुर्बलता, दरिद्रता और अज्ञानता के कारण दलित समाज लूटा गया। इसीलिए बाबा साहब ने आत्म सम्मान निर्मित करने की बात कहीं।[4] डॉ. अम्बेडकर ने अपने आन्दोलनों में हिंन्दू धर्म शास्त्रों का विरोध किया था। इन्हीं दिनों 'महाड़ तलाब से पानी लेने का आन्दोलन शुरू हुआ था।' इसी अवसर पर एक जनसभा में मनुस्मृति का दहन किया गया, जो हिन्दू धर्म और समाज व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह का खुला शंखनाद था। फिर तो 'कालाराम मंदिर' प्रवेश जैसे आन्दोलनों के द्वारा उन्होंने दलित आन्दोलनों को गति दी; लेकिन हर मोड़ पर हिन्दू कट्टरपंथियो ने उनकी मुखालफत की और उन्होने हिंदू धर्म में न मरने की कसम खाई। डॉ. अम्बेडकर निरन्तर उग्र से उग्रतर होते गये, उन्होंने हिंदू धर्म की आत्मा परमात्मा, अवतारवाद, भाग्यवाद, पुनर्जन्मवाद, जैसी सभी परिकल्पनाओं का विरोध किया और बताया कि वर्णव्यवस्था और जातिवाद पर आधारित शोषण तंत्र के थे सभी उपकरण हैं। और जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होगे तब तक हमारी सभी परेशानी परेशानियाँ दूर नहीं होगी। इसी चिंतन का निष्कर्ष यह निकला कि उन्होने नागपुर की सभा में अपने पाँच लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लेकिन उन्हें लगा कि इस समस्या का यह आंशिक समाधन रोग की जड़े बहुत गहरी हैं इसलिए इसे लम्बे इलाज की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के दलितोत्थान के लिए शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो सूत्र को उनके ईमानदार चिंतन का परिणाम मानना चाहिए। आज जहाँ जहाँ पर दलितों का शोषण, उत्पीड़न हो रहा है वहाँ उसका कारण है दलितों का अपने हक के लिए लड़ना और एक वर्ग दूसरे वर्ग के आर्थिक हितों को हानि पहुंचाता है, फलस्वरूप वे दलितों के विरुद्धबल प्रयोग कर रहे हैं, इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि बाबा साहब भीमराव ने दलितों में चेतना जगाने का जो सार्थक प्रयत्न किया था वह अब दलितों में अपने हितों के प्रति जागरुक होकर संघर्ष करने के लिये तैयार हो रहा है। इस वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के लिए यह वर्ग संघर्ष नितांत आवश्यक है जो है जो कि एक प्रकार से भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष का ही प्रतिफल दिखाई देता है। दलितों के पास अम्बेडकर के पश्चात ईमानदार और प्रतिबद्ध नेतृत्व की नितान्त आवश्यकता कभी नहीं रही है। क्योंकि उनके पश्चात दलितों को कोई भी ऐसा सच्चा पथ प्रदर्शक नहीं मिला जो उनके आत्म संघर्ष, उनके हक की लड़ाई को अपनी हक लड़ाई समझे, उनको अपने हक के प्रति जागरुक करे। इस सब के अतिरिक्त जितने भी प्रतिनिधि संसद या विधानसभाओं में पहुँचे हैं, उन्हें या तो वर्गगत समस्याओं की समझ नही थी और यदि किसी को थी भी तो वह अगले चुनाव में टिकट संकट को लेकर बोल ही नहीं पाते थे।

कुल मिलाकर यह कहना अधिक तर्क संगत होगा कि दलितों के उत्थान के लिये जो कार्य नि:स्वार्थ, निष्पक्ष भाव से डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने किया वह कार्य आज तक न तो किसी दलित था गैरदलित नेतृत्व कर्ता ने किया और नहीं करने का कोई विशेष प्रयत्न किया। डॉ. जय प्रकाश कर्दम अम्बेडकर के विषय में लिखा है।

'उन्होने दलितो' को उनका इतिहास बताया तथा हिंदू धर्म केआत्मा परमात्मा, अवतारवाद, भाग्यवाद, पुनर्जन्म जैसी सभी परिकल्पनाओं को वर्णव्यवस्था और भाग्यवाद जातिवाद पर आधारित शोषण तंत्र के अंग बताते हुए यह समझाया कि ब्राह्मणवाद अर्थात हिन्दुत्व दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे मुक्ति पाये बिना दलितोंका अस्तित्व और उत्थान सम्भव नहीं है। यह दलितों के हित में होगा कि वे जितना जल्दी हो सके इस चंगुल से मुक्त हो जाएं। हिंदुत्व के चंगुल से मुक्त हुए बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का भी उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। दलितों को हिंदुत्व से मुक्ती दिलाने के लिए स्वयं उन्होने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तथा लाखों दलितों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाकर हिंदुत्व से उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया।'[5]

इसी प्रकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान व उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिति सुधारने में जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया उसको वरिष्ठ दलित साहित्यकार कवल भारती के इन शब्दों द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है- 'दलित वर्गों के लोग डॉ. भीमराव अम्बेडकर को इसलिए सम्मान देते हैं और इसलिए पूजते हैं किउन्होंने दलितों को गुलामी का एहसास कराया था और उनकी मुक्ति की लड़ाई लड़ी थी। और यह वह महान कार्य था जो किसी भी हिंदू नेता ने नहीं किया था।'[6]

उपर्युक्त विवेचन से सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारत में दलितों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया है और उन्हें सत्ता, सम्मान और शिक्षा का जो भी लाभ मिला है वह सिर्फ और सिर्फ डॉ. भीमराव अम्बेड़कर की ही देन है। दलित संदर्भो में अम्बेड़कर ही दलितों के लिए उनके अतीत और वर्तमान ही नहीं भविष्य के भी दार्शनिक आधार हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. डॉ. एन. सिंह, दलित चिंतन अनुभव और विचार, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ स. 163
2. डॉ. एन. सिंह, दलित साहित्य के प्रतिमान, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ स. 236
3. वही, पृष्ठ स. 237
4. वही
5. डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दलित साहित्य और डॉ. अम्बेडकर,पृष्ठ स. 238
6. डॉ. एन. सिंह, दलित साहित्य के प्रतिमान, वाणी प्रकाशन,पृष्ठ स. 238

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Quantitative Structure Activity Relationship Study on Phenylalkylamines : 3D Approach

Arun Kumar Bodane* **Arpan Bhardwaj****

*Department of Chemistry, B.K.S.N. Govt. College, Shajapur (M.P.) INDIA
** Department of Chemistry, Govt. Madhav Science College, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract - 3D QSAR methods are based on the mechanistic underlying assumptions that the modeled compounds should bind in similar mode and with similar bioactive conformation. 3D QSAR models can be generated by partial least square regression analysis using interaction energies as an independent variables and biological activity as dependent variables. This paper deals with the 3D QSAR studies of phenylalkylamine derivatives.
Keyword- QSAR, QSPR, CADD, Drug Design, Application.

Introduction - The information generated from the 2D QSAR study is very useful but not the very accurate way to generate the structural information about the unknown pharmacophores of medicinal compounds. For the purpose and to develop the new molecular entities of the studied series it is compulsory for the medicinal chemist to generate the 3-dimensional details of the compounds and pharmacophores. This 3D information and its relation with the activity or function of the compound and pharmacophore are known as 3D QSAR studies. 3D QSAR is not as straightforward method of calculation as the Hansch analysis. Basically this technique is used for the study of unknown pharmacophore of the medicinal compounds.

Methodology: This chapter deals with the 3D QSAR studies of phenylalkylamines. In the present study multiple linear regression method is adopted to develop mathematical models. In the method 3D parameters or quantum descriptor viz. electron density on particular atom in the molecule, net charge on the atom in molecule, HOMO and LUMO properties are used for correlation with biological activity. Biological activity analyzed in the present study is the logMU (mescaline unit). The psychotomimetic activity is usually expressed in terms of mescaline units (MU) defined as the ratio of the effective dose of mescaline to the effective dose of tested compound. For the modeling we follow the same process with modeling parameters viz. dipole moment, total energy and RMS gradient. The Multivariate regression analysis (MRA) is used to obtain model used in 3D quantitative structure-activity relationship studies.

Results and Discussion: As discussed in the previous chapter phenylalkylamine derivatives show their dependence over the volumetric properties and partition coefficient with marginal role of structural properties. In this part of the study we have tried to extend the previous study performed with 2D parameters. As discussed in the chapter 2 methodology, for this purpose we have tested the quantum/3D properties for the analysis of molecule bio-activity inter-relationship. In the category of quantum/ 3D properties or parameters different type of energies, HOMO (Highest Occupied molecular Orbital), LUMO (Lowest Unoccupied molecular Orbital), net charge and electron density on various atoms in the molecule are tested for the set of 45 phenylalkylamine derivatives.

These compounds are presented with their biological activity logMU in Table 1. All these parameters tested are recorded in table 2,3 and 4 respectively. Amongst all these parameters various energy parameters are showing the significant linear relationship with biological activity mescaline unit (MU). This relationship and the interrelationship of various parameters are presented in the Table 5 in form of correlation matrix. The Correlation result calculated in present study with 3D/ quantum parameters are presented in Table 6. From the perusal of correlation matrix it is observed that the total energy and binding energy has highly significant correlation value with the biological activity logMU. Along with these net charges, electron density on C1 and C2 also show the statistically significant value of correlation but the magnitude is comparatively very low to the energies.The uni-parametric model obtained from the parameters are given as below-

$$\log MU = -5.5177 \times 10^{-5} (\pm 2.12216 \times 10^{-6})\ BE + 1.9549 \quad (1)$$

$n = 45$; $Se = 0.1501$; $r = -0.9696$; $F = 677.025$; $Q = 6.46$

$$\log MU = -5.5173 \times 10^{-5} (\pm 2.11894 \times 10^{-6})\ TE + 1.9466 \quad (2)$$

n = 45; Se = 0.1499; r = -0.9697; F = 677.975; Q = 6.47

Eq.1 and 2 both explore the higher quality of correlation between the biological activity logMU and the energy parameters. Eq. 1 exhibits the un-favorable role of higher binding energy in directing the biological action logMU. At the same time eq. 2 demonstrates the low total energy requirement of molecule for the high numerical value of logMU. Both the equations have the almost same value of correlation and similar statistics but while comparison with F-ratio and quality factor Q, total energy having the marginal dominance over the binding energy with reference to the biological activity logMU for the set of 45 phenylalkylamine derivatives. These two models and energy parameters exploring the direct role and one aspect for biological activation of studied compounds, but some indirect but important role may be played by the other quantum or 3D parameters in the characterization of biological activity logMU of phenylalkylamine derivatives. For the purpose of analysis about the role of other parameters in biological characterization of phenylalkylamine bi and multi parametric regression analysis have been made and 153 bi-parametric combinations have been tested, out which the best bi-parametric models are given below-

logMU = $-5.3234 \times 10^{-5}(\pm 2.43179 \times 10^{-6})$ BE – 0.2387 (±0.1532) NCC2 +1.9461 (3)

n = 45; Se = 0.1477; r = -0.9713; F = 350.454; Q = 6.58

logMU = $-5.3222 \times 10^{-5}(\pm 2.42671 \times 10^{-6})$ TE – 0.2398 (±0.1529) NCC2 +1.9381 (4)

n = 45; Se = 0.1474; r = -0.9714; F = 351.731; Q = 6.59

Equation 3 and 4 have the marginal difference in statistics generated for the analysis of predictive potential of parameters for biological activity logMU. Even they have the difference similar to the difference present between eq.1 and 2. This difference may due to the difference of magnitude between TE and BE. Combination of net charge on C2 in the molecule and the total energy exploring the better predictive potential then the combination of NCC2 and binding energy. The presences of net charge on C2 in both equations also demonstrate the significance of C2 in the molecule for biological activity logMU. Equation also exhibits the unfavorable presence of net charge on C2 in phenylalkylamine derivative to lead the biological activity in numerical terms. The information also can be generated from both the equations, that the any substitution on the derivative increase the net charge on C2 in the molecule may activate the biological response in terms of logMU.

At this stage it is very important to highlight that, equations are not capable to explain the nature of net charge on the C2 in the molecule. To understand the behavior of net charge on Carbon 2 in the molecule with respect to the biological activity logMU, Table 3 have been followed. From the perusal of table 3 it is explored that any substitution on the 3rd and 4th position in the parent moiety in form of sulphur may increase the net charge on C2 in phenylalkylamine derivatives and also activate the biological responses of the derivatives in direct or indirect manner. In continuation to the analysis 816 tri-parametric combinations have been tested.

The significant models obtained from these tri-parametric regression analysis, are given below-

logMU = $-5.0570 \times 10^{-5}(\pm 2.8069 \times 10^{-6})$ TE – 0.3496 (±0.1617) NCC2 + 0.3310 (±0.1881) NCC6 + 1.8408 (5)

n = 45; Se = 0.1439; r = -0.9735; F = 247.234; Q = 6.76

logMU = $-5.0303 \times 10^{-5}(\pm 2.76844 \times 10^{-6})$ TE – 0.3724 (±0.1622) NCC2 - 0.3791 (±0.1909) EDC6 + 3.3441(6)

n = 45; Se = 0.1425; r = -0.9740; F = 252.230; Q = 6.83

From the perusal of eq. 5 it is exhibited that the higher net charge on C6 may favor the biological activity but the low magnitude of the parameter indicate towards the indirect role of net charge on C6 in directing the value of logMU. Other parameters present in the model exploring the similar role as of eq. 1 to 4. Equation 6 also indicating the importance of C6 in the phenylalkylamine for biological activity logMU. The involvement of electron density on C6, in directing the biological activity expresses the favorable presence of electron density on C6 in the phenylalkylamine derivatives. Comparison of both the equations exhibits that the electron density having the more significant role over the net charge on the C6 for leading the biological activity logMU. Comparison of equations also explore that the presence of higher net charge on C6 may affect the net charge on C2 by reducing the magnitude in prediction of biological activity logMU. But the higher density of electrons over the C6 may increase the net charge on C2. This increase of net charge may favor the mescaline unite of phenylalkylamine derivatives. Incorporation of electron density on C2 also increases the magnitude of total energy as compare to addition of parameter for net charge on C6 for the prediction of biological activity logMU. To perform detailed study, 3086 tetra parametric combination are tested out of that best result in form of mathematical equation is given below-

logMU = $-5.1456 \times 10^{-5}(\pm 2.82707 \times 10^{-6})$ TE – 0.3637 (±0.1597) NCC2 - 0.5868 (±0.2319) EDC6 –0. 4118 (±0.2695) EDC4 + 5.7594 (7)

n = 45; Se = 0.1403; r = -0.9754; F = 195.909; Q = 6.95

Tetra parametric model obtained in the study exhibits the similar result as discussed earlier but addition of parameter electron density of C4 helps to increase the predictive potential of the model, also it explores the role of

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

C4 in characterizing the biological activity logMU of the phenylalkylamine. Eq. 7 also demonstrates the positive impact of presence of higher electron density in making the molecule active for biological activity mescaline unit. As we pass from mono parametric models to tetra parametric model it is observed that, there is continues increase in the value of regression coefficient with the addition of parameter, even the value of standard error of estimation is also decreasing with the increase of parameters in the model. This may exhibit the improvement in the predictive potential of the model but at the very same time decrease in the value of F ratio indicate about the increase of unfair share from the parameters introduce in the model.

The analysis of ratio of decrease in the value of F-ratio and increase of correlation coefficient and quality factor Q indicate that the decrease in the value of F-ratio is much more than the improvement in the correlation coefficient r and quality factor Q. Thus the equations are put for the cross validation analysis. The Cross-validation parameters calculated for the eq. 1 to 7 are given in Table 7 and discussed below. It is worthy to comment on R^2_A values. We observed that as we pass from the bi-parametric to tetra-parametric regression analysis there is consistent increase in R^2_A, increasing its value from 0.941 to 0.947 as we pass from eq.1 to 7. This increase in R^2_A values indicates that the added variable have the fair share in proposing the respective model. The value of R^2_A will decrease if the added variable does not reduce the unexplained variation in the dependent variables enough to offset the loss of degree of freedom. PRESS (predicted residual sum of squares) appears to be the most important cross-validation parameters accounting for a good estimate of the real predictive error of the models. Its value less than SSY (sum of the squares of response value) indicates that the model predicts better than chance and can be considered statistically significant.In our case (Table 7) PRESS << SSY indicating that all the models obtained are statistically significant and are better than chances. To be a reasonable QSAR model, PRESS/SSY should be smaller than 0.4 and the value of the ratio smaller than 0.1 indicates an excellent model.

The data presented in Table 7 indicates that all the models proposed by us are excellent and we pass from eq.1 to 7 the value of PRESS/SSY is reducing thus model 7 can be considered as best in this regard for the prediction of biological value logMU. Another, important cross-validated parameter is S_{PRESS} (uncertainty of prediction) in this case the value of S_{PRESS} is decreasing from Eq. 1 to 7 and indicating towards the minimum uncertainty of prediction from the equations with more parameters. Cross-validation parameter r^2_{cv} indicates the overall predictive ability of the equations. The parameter r^2_{cv} is of important as the predictive power goes on increasing with increase in r^2_{cv}. In our case the tetra-parametric model (Eq. 7) has the highest value for r^2_{cv} and is thus has highest predictive power. Under the condition that S_{PRESS} equals Se, another cross-validation parameter PSE (predictive square of error) is used sometimes. Lowest value of PSE is in favors of highest predictive power.

The PSE values recorded in Table 7 once again show that as we pass from mono-parametric model to tetra-parametric model the value of PSE has decreased and eq.7 has the highest predictive power. The overall indication of cross-validation analysis is towards the suitability of models with higher number of parameters for the prediction of biological activity logMU in present case. As confirmed from the cross-validation analysis the eq.7 is used for the calculation of biological activity and calculated activity along with residue are presented in Table 8.

Table1: **Substituent's, biological activity and logP values of phenylalkylamines used in present investigation-**

Comp. No.	X	R	logMU (Obs.)
1	2,5-OMe,4-I	Me	2.78*
2	2,5-OMe,4-Br	Me	2.72*
3	2,5-OMe,4-SEt	Me	1.96
4	2,5-OMe,4-Et	Me	2.02
5	2,5-OMe,4-Pr	Me	1.95
6	3,5-OMe,4-Br	Me	1.91*
7	2,5-OMe,4-Me	Me	1.90
8	2,5-OMe,4-S-iPr	Me	1.71
9	2,5-OMe,4-Br	H	1.69*
10	2,5-OMe,4-Bu	Me	1.68
11	2,5-OMe,4-SMe	Me	1.66
12	3,5-OMe,4-SEt	H	1.36
13	2,4,5-OMe	Me	1.33
14	2,5-OMe,4-Et	H	1.25
15	3,5-OMe,4-SPr	H	1.29
16	2,5-OMe,4-Me	H	1.27
17	2,5-OMe,3-OCH_2O-4	Me	1.14
18	2,5-OMe,4-OEt	Me	1.36
19	3,5-OMe,4-SMe	H	1.11
20	2-OMe,3-OCH_2O-4	Me	1.00
21	2,5-OMe,4-n-Pentyl	Me	1.10
22	3,5-OMe,4-OEt	Me	1.05
23	2-OMe,4-OCH_2O-5	Me	1.00
24	2,5-OMe,4-OPr	Me	1.38
25	3,5-OMe,4-OEt	H	0.87
26	2,3,4,5-OMe	Me	0.86
27	3,5-OMe,4-OPr	H	0.83
28	3,4-OMe,5-SEt	H	0.84
29	3-OMe,4-OEt,5-SMe	H	0.84
30	3,4-OMe,5-SMe	H	0.81
31	2,3-OMe,4-OCH_2O-5	Me	0.76
32	3-OEt,4-SMe,5-OMe	H	0.66
33	3-OEt,4-SEt,5-OMe	H	0.68
34	2,4-OMe	Me	0.67
35	4-Me	Me	0.59

36	3,5-OMe,4-SBu	H	0.58
37	3,5-OMe,4-$OCH_2C_6H_5$	Me	0.46
38	3-OMe,4-OCH_2O-5	Me	0.43
39	3- OCH_2O-4	Me	0.41
40	3,5-OMe,4-OBu	H	0.38
41	3-SEt,4-OEt,5-OMe	H	0.38
42	3,4-OEt,5-SMe	H	0.38
43	3,4,5-OMe	Me	0.33
44	3,4-OEt,5-OMe	H	0.23
45	3-OEt,4,5-OMe	H	0.03
46	3,4,5-OMe	H	0.00
47	2,3,4-OMe	H	-0.03
48	3,4-OMe	Me	-0.06
49	3,4-OMe	H	-0.67

*Derivative not incorporated in the study due to soft skill limitations.

Table 2,3,4,5,6 and 7 (see in last page)

Table-8 Observed and calculated values of biological activity logMU for the set of 45 phenylalkylamine tested in present study-

Comp. No	Obs. logMU	Calc. logMU	Residue
1	1.96	1.92	0.04
2	2.02	1.86	0.16
3	1.95	1.82	0.13
4	1.90	1.78	0.12
5	1.71	1.70	0.01
6	1.68	1.63	0.05
7	1.66	1.63	0.03
8	1.36	1.44	-0.09
9	1.33	1.59	-0.27
10	1.25	1.48	-0.23
11	1.29	1.33	-0.04
12	1.27	1.40	-0.14
13	1.14	1.30	-0.16
14	1.36	1.40	-0.04
15	1.11	1.18	-0.08
16	1.00	1.03	-0.04
17	1.10	1.19	-0.09
18	1.05	1.09	-0.05
19	1.00	1.06	-0.06
20	1.38	1.14	0.24
21	0.87	0.96	-0.09
22	0.86	0.92	-0.06
23	0.83	0.87	-0.03
24	0.84	0.76	0.07
25	0.84	0.73	0.11
26	0.81	0.68	0.12
27	0.76	0.72	0.05
28	0.66	0.62	0.06
29	0.68	0.57	0.11
30	0.67	0.57	0.10
31	0.59	0.47	0.12
32	0. 58	0.47	0.11
33	0.46	0.44	0.02
34	0.43	0.42	0.01
35	0.41	0.30	0.11
36	0.38	0.34	0.03
37	0.38	0.44	-0.05
38	0.38	0.20	0.17
39	0.33	0.22	0.10
40	0.23	0.18	0.04
41	0.03	0.14	-0.11
42	0.00	0.10	-0.10
43	-0.03	-0.07	0.04
44	-0.06	-0.11	0.05
45	-0.67	-0.14	-0.52

Conclusion : This paper deals with the 3D QSAR studies of phenylalkylamine derivatives. In case of 3D studies biological function shows the grater dependence on the energy parameters. The biological activity logMU having the good correlation with binding energy and total energy, Study also provide the direction to analyze the behavior of biological function in respect to its structure and molecular/ quantum properties. i.e., increase in the energy parameters increases the biological action of the molecule

References :–

1. Duprat, A. F.; Huynh, T.; Dreyfus, G. towards a Principled Methodology for Neural Network Design and Performance Evaluation in QSAR; Application to the Prediction of LogP. Journal of Chemical Information and Computer Sciences. 38, 854-866, 1998.
2. Liu, S.; Zhang, R.; Liu, M.; Hu, Z. Neural networks-topological indices approach to the prediction of properties of alkene. Journal of Chemical Information and Computer Sciences. 37, 1146-1151, 1997.
3. Cherqaoui, D.; Villemin, D. Use of neural network to determine the boiling point of alkanes. J. Chem. Soc., Faraday Trans, 90 (1), 97-102, 1994.
4. Elrod, D. W. Maggiora, G. M.; Trenary, R. G. Application of neural networks in chemistry. Prediction of electrophilic aromatic substitution reactions. Journal of Chemical Information and Computer Sciences. 30, 447-484, 1990.
5. Kubinyi, H. QSAR: Hansch Analysis and Related Approaches; VCH: Weinheim, 1993.
6. S. M., Free, Jr.; Wilson, J. W. Journal of Medicinal Chemistry. 7, 395-399, 1964.
7. Bruice, T. C.; Kharasch, N.; Winzler, R. J. Arch. Biochem. Biophys., 62, 305-317, 1956.
8. Kubinyi, H. "multivariate QSAR methods which may be applied to pesticide research." Quantitative Structure-Activity Relationships. 7, 121-33, 1988.
9. Yoneda, F.; Nitta, Y."Application of quantum chemistry to drug and their interactions." Chem. Pharm. Bull. Jpn., 12, 1264, 1964.
10. Snyder, S. H.; Merril, C. R. "A brief review and table of semi empirical parameters used in huckel molecular orbital method." Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A., 54, 258, 1965.

11. Hammett, L. P. “Correlation between hamett substituent constants and directly calculated ð-conjugation strength.” Chem. Rev., 17, 125, 1935.
12. Taft, R. W. J. Am. Chem. Soc., 74, 3120, 1952.
13. Overton, E. Z. “Chem.-informatics and comparative QSAR.’ Phys. Chem., 22, 189-209, 1897.
14. Meyer, H. “Theorie der alkoholnarkose.” Arch. Exp. Path. Pharm., 42, 109-18, 1899.
15. Livingstone, D. J. Quantitative Structure-Activity Relationships. In Similarity Models in Organic Chemistry, Biochemistry and Related Fields; Zalewski, R. I., Krygowski, T. M., Shorter, J., Eds.; Elsevier: Amsterdam, 557-627, 1991.
16. Hansch, C.; Maloney, P. P.; Fujita, T.; Muir, R. M.”Correlation of biological activity of phenoxyacetic acid with hammett substituent constants and partition coefficients.” Nature, 194, 178-80, 1962.
17. Fujita, T.; Iwasa, J.; Hansch, C.”A new substituent constants ð derived from partition coefficients.” J. Am. Chem. Soc., 86, 5175- 80, 1964.
18. Nys, G. G.; Rekker, R. F.”Octonol-water partition coefficients: Fundamental and physical chemistry.” Chim. Ther., 8, 521-35, 1973.
19. Rekker, R. F. The hydrophobic fragmental constant; Elsevier: Amsterdam, 1977.
20. Rekker, R. F.; Mannhold, R. Calculation of drug lipophilicity. The hydrophobic fragmental constant approach; VCH: Weinheim, 1992.
21. Leo, A.; Jow, P. Y. C.; Silipo, C.; Hansch, C.”Calculation of hydrophobic constant (logp) from pi and f constant.” Journal of Medicinal Chemistry. 14, 865-8, 1979.
22. Hansch, C.; Leo, A. Substituent constants for correlation analysis in chemistry and biology; Wiley: New York, 1979.
23. Mayer, J. M.; Van de Waterbeemd, H.; Testa, B.”Comparison between thehydrophobic fragment method of Rekker and Leo.” Journal of Medicinal Chemistry. 17, 17-25, 1982.
24. www.sciencedirect.com
25. www.google.com
26. www.acdlabs.com.
27. www.hyper.com.
28. www.vlifesciences.com.
29. www.chemsketch.com
30. Van de Waterbeemd, H.; Testa, B.”Review of theoretical passive drug absorption models.” Adv. Drug Res., 16, 85- 225, 1987.
31. Mannhold, R.; Dross, K.P.; Rekker, R.F. Quantitative Structure-Activity Relationships. 9,21-28, 1990.
32. Rekker, R. F.; Ter Laak, A. M.; Mannhold, M.”The differential time courses of the vasodilator effects.” Quantitative Structure-Activity Relationships. 12, 152-7, 1993.
33. Young, R. C.; Mitchell, R. C.; Brown, T. H.; Ganellin, C. R.; Griffiths, R.; Jones, M.; Rana, K. K.; Saunders, D.; Smith, I. R.; Sore, N. E.; Wilks, T. J. Journal of Medicinal Chemistry. 31, 656-71, 1988.
34. Seiler, P.”Computer-aided drug design: The role of QSAR.” European Journal of Medicinal Chemistry. 9, 473-9, 1974.
35. Livingstone, D.J.”Computational approaches to predict metabolism.”Journal of Chemical Information and Computer Sciences. 40, 195-209, 2000.
36. Hansch, C., Kurup, A., Garg, R. and Gao, H. Chem.-Bioinformatics and QSAR: A Review of QSAR lacking positive hydrophobic terms. Chem. Rev., 101, 619, 2001.
37. Wang P., Yang, L., Gao, D. and Long, M. “Vertex degree auto-correlation topological index and its application in QSAR study of organic chemicals.”J. Harbin Inst. Technol. (N.S.), vol. 8, no. 4, pp. 394–398, 2001.
38. Khadikar, P. V., Karmarkar, S., Agrawal, V. K., Mandloi, M., and Joshi, S. “On the Szeged indices of [N]-cycles and monocycles containing acylic side chains.” Natl. Acad. Sci. Lett., vol. 23, no. 3-4, pp. 50–56, 2000.
39. Shulgin, A.T. Psychotomimetic drugs: Structure activity relationships. Iversen, L.L.,Iversen, S.D.; and Snyder, S. H., eds. Handbook of Psychopharmacology.Vol. 11. New York: Plenum Press. pp. 243- 333, 1978.
40. Shulgin, A.T. Hallucinogens. In: Wolff, M.E., ed. Burger's Medicinal Chemistry, 4th Ed. New York: Wiley and Co., pp. 1109-1137, 1981.
41. Shulgin, A.T. Chemistry of Psychotomimetics. In: Hoffmeister, F., and Stille, G.,Eds. Handbook of Experimental Pharmacology, Vol. 55/3. Berlin: Springer-Verlag, pp. 3-29, 1981.
42. Shulgin, A.T., and Shulgin, A. PIHKAL. A Chemical Love Story. Berkeley, CA: Transform Press, 1991.
43. Boess, Frank G., etal.”Ultrastructure of the 5-Hydroxytryptamine Receptor”. Journal of Neurochemistry. 64(3), 1401-1405, 1995.
44. Clark, M. and Cramer R.D., Quantitative Structure-Activity Relationships. 12, 137, 145, 1993.
45. Holtje, H.D., Briem H. Quantitative Structure-Activity Relationships. 10, 193-197,1991.

Table-2 Net charge recorded for various atoms in studied phenylalkylamine derivatives-

Comp.No	NCC1	NCC2	NCC3	NCC4	NCC5	NCC6	NCC8
1	0.211	0.0029	0.0749	-0.0067	-0.0847	0.3295	0.1895
2	0.218	-0.097	0.0087	0.0234	-0.087	0.218	0.1899
3	0.211	-0.0898	0.0127	0.00805	-0.089	0.229	0.1938
4	0.189	-0.0989	0.0115	0.0193	-0.0862	0.2205	0.1915
5	0.201	-0.0124	0.0551	0.0068	-0.0775	0.3116	0.1904
6	0.189	-0.0989	0.0084	5.9645	-0.0862	0.2204	0.1869
7	0.2406	-0.0095	0.0771	0.02004	-0.0791	0.335	0.1781
8	-0.1719	0.3507	0.1355	-0.0599	-0.1441	0.3518	0.1494
9	0.219	-0.146	-0.0092	0.2122	-0.0807	0.1831	0.1886
10	0.213	-0.101	0.0172	0.0144	-0.0872	0.2177	0.1317
11	-0.157	0.355	0.131	-0.0461	-0.1353	0.3594	0.1495
12	0.2003	-0.0975	0.0181	0.0175	-0.097	0.2173	0.1332
13	0.1341	0.1549	-0.02007	0.1469	-0.1484	0.1755	0.1867
14	0.213	-0.1303	-0.0043	0.2152	-0.0803	0.1964	0.1837
15	-0.141	0.3648	0.1437	-0.0351	-0.126	0.3731	0.1535
16	0.155	0.143	-0.0332	0.2066	-0.0624	-0.1248	0.192
17	0.178	-0.1004	0.0096	0.0013	-0.0897	0.219	0.1902
18	-0.131	0.2307	0.0676	0.1441	-0.1236	0.2324	0.2089
19	0.213	-0.117	-0.0524	-0.087	0.201	0.1867	0.1738
20	0.229	-0.129	-0.0054	0.2142	-0.0952	0.1844	0.1574
21	-0.128	0.229	0.0708	0.1455	-0.1243	0.2308	0.1555
22	0.168	0.167	0.0028	0.1532	-0.1204	0.1992	0.1806
23	-0.134	0.234	0.0745	0.1464	-0.1245	0.2328	0.1544
24	-0.053	0.238	0.0788	0.2938	0.0162	0.026	0.1563
25	-0.0736	0.235	0.0728	0.285	0.0046	0.0286	0.1536
26	-0.0867	0.234	0.0615	0.282	0.00078	0.0218	0.1479
27	0.126	0.153	-0.0188	0.1503	-0.1308	0.195	0.1827
28	0.156	0.298	0.0824	-0.0337	-0.1283	0.333	0.1121
29	-0.152	0.353	0.135	-0.0455	-0.137	0.359	0.1541
30	0.273	-0.139	-0.0158	0.275	-0.0114	-0.108	0.159
31	-0.0268	-0.0207	0.0733	0.0719	-0.0293	-0.0219	0.2139
32	-0.1522	0.3606	0.142	-0.0475	-0.1352	0.3643	0.1572
33	-0.1606	0.2288	0.0666	0.1383	-0.1515	0.199	0.206
34	-0.177	0.2123	0.0457	0.1439	-0.148	0.2221	0.2012
35	-0.0956	0.2718	-0.0815	-0.0269	-0.0907	-0.0246	0.2146
36	-0.172	0.218	0.0538	0.139	-0.1554	0.2133	0.1453
37	0.00816	0.0296	0.0789	0.284	-0.0573	0.237	0.1559
38	-0.054	0.234	0.0783	0.291	0.0112	0.0314	0.157
39	-0.134	0.231	0.0679	0.149	-0.126	0.231	0.208
40	-0.125	0.227	0.0778	0.144	-0.124	0.233	0.157
41	-0.127	0.228	0.0766	0.149	-0.1246	0.2303	0.157
42	-0.154	0.229	0.0691	0.151	-0.1387	0.2261	0.1503
43	0.201	0.167	0.0041	0.212	-0.0522	-0.0917	0.104
44	-0.0949	0.231	0.0624	0.212	-0.0563	-0.058	0.2107
45	-0.0937	0.2302	0.0676	0.213	-0.0528	-0.0586	0.157

Table-3 Electron density recorded for various atoms in the studied phenylalkylamine derivatives-

Comp.No	EDC1	EDC 2	EDC 3	EDC 4	EDC 5	EDC 6	EDC 8
1	3.788	3.997	3.925	4.006	4.084	3.67	3.81
2	3.781	4.097	3.991	3.976	4.087	3.781	3.81
3	3.788	4.089	3.987	3.991	4.089	3.77	3.806
4	3.810	4.098	3.988	3.98	4.086	3.779	3.808
5	3.798	4.012	3.944	3.993	4.077	3.688	3.809
6	3.811	4.098	3.991	3.994	4.086	3.779	3.813
7	3.759	4.009	3.922	3.979	4.079	3.664	3.821
8	4.171	3.649	3.864	4.059	4.144	3.648	3.850
9	3.781	4.146	4.009	3.787	4.0807	3.816	3.811
10	3.786	4.101	3.982	3.985	4.087	3.782	3.868
11	4.157	3.644	3.868	4.046	4.135	3.6405	3.850
12	3.799	4.097	3.981	3.982	4.097	3.782	3.866
13	3.865	3.845	4.021	3.853	4.148	3.824	3.813
14	3.786	4.130	4.004	3.784	4.0803	3.8035	3.817
15	4.141	3.635	3.856	4.035	4.126	3.626	3.846
16	3.844	3.856	4.033	3.793	4.062	4.124	3.807
17	3.821	4.101	3.9903	3.998	4.089	3.780	3.809
18	4.131	3.769	3.932	3.855	4.123	3.767	3.791
19	3.876	4.117	4.052	4.087	3.798	3.813	3.826
20	3.770	4.129	4.005	3.785	4.095	3.815	3.842
21	4.128	3.771	3.929	3.854	4.124	3.769	3.844
22	3.831	3.832	3.997	3.846	4.1204	3.8007	3.819
23	4.134	3.765	3.925	3.853	4.124	3.767	3.845
24	4.053	3.761	3.921	3.706	3.988	3.977	3.843
25	4.073	3.764	3.927	3.714	3.995	3.971	3.846
26	4.087	3.7653	3.938	3.717	3.999	3.978	3.852
27	3.873	3.846	4.018	3.849	4.1308	3.804	3.817
28	3.843	3.701	3.917	4.033	4.128	3.666	3.887
29	4.152	3.464	3.864	4.0455	4.137	3.6402	3.845
30	3.726	4.139	4.015	3.724	4.011	4.108	3.8409
31	4.026	4.0207	3.926	3.928	4.029	4.021	3.786
32	4.152	3.639	3.857	4.047	4.135	3.635	3.842
33	4.161	3.7711	3.933	3.861	4.151	3.8009	3.793
34	4.177	3.787	3.954	3.856	4.148	3.777	3.798
35	4.095	3.728	3.918	4.026	4.09	3.785	3.785
36	4.172	3.781	3.946	3.8606	4.155	3.786	3.854
37	3.991	3.9703	3.921	3.715	4.057	3.762	3.844
38	4.054	3.765	3.921	3.708	3.988	3.968	3.842
39	4.134	3.768	3.932	3.8505	4.126	3.768	3.791
40	4.125	3.772	3.922	3.855	4.124	3.766	3.842
41	4.127	3.771	3.923	3.85	4.124	3.769	3.842
42	4.154	3.7706	3.9308	3.849	4.138	3.773	3.849
43	3.798	3.832	3.995	3.787	4.052	4.091	3.895
44	4.094	3.768	3.937	3.787	4.056	4.058	3.789
45	4.093	3.769	3.932	3.786	4.052	4.058	3.842

Table-4 Various energy parameters and HOMO, LUMO calculated for studied phenylalkylamine derivatives-

Comp.No	TE	BE	HOMO	LUMO
1	692.96	844.53	-0.114	-0.0875
2	1486.93	1627.73	-0.153	0.0093
3	2330.8	2479.04	-0.123	0.0072
4	3051.98	3185.34	-0.119	0.0046
5	4878.27	5037.28	-0.123	-0.0956
6	5803.74	5959.43	-0.0974	0.0045
7	6591.9	6736.02	-0.1442	-0.1069
8	7358.73	7502.85	-0.1966	-0.0887
9	8147.40	8298.80	-0.1423	0.0127
10	8875.24	9008.59	-0.1373	0.0061
11	9684.58	9836.14	-0.2074	-0.1043
12	10349.05	10474.97	-0.1329	0.0048
13	11180.01	11348.25	-0.1071	0.03029
14	12053.71	12212.59	-0.1012	0.01085
15	12770.41	12907.09	-0.2181	-0.1059
16	13477.84	13620.56	-0.1206	0.0272
17	14444.65	14607.78	0.0963	0.0029
18	15304.34	15463.22	-0.2098	0.0174
19	16034.28	16177.006	-0.1409	-0.0175
20	16957.41	17123.74	-0.1631	0.01429
21	17756.19	17907.63	-0.2065	0.0172
22	18710.23	18887.2	-0.1692	0.0193
23	19590.83	19749.71	-0.2123	0.01807
24	20362.28	20506.4	-0.2165	-0.1101
25	21123.53	21267.65	-0.2084	-0.1076
26	21884.69	22028.81	-0.1914	0.0926
27	22741.77	22910.01	-0.0864	0.0233
28	23703.35	23873.002	-0.11006	-0.1056
29	24552.77	24704.33	-0.2121	-0.1050
30	25214.76	25340.67	-0.1659	0.0109
31	25660.64	25742.95	-0.248	0.0034
32	26480.82	6639.8	-0.2155	-0.1044
33	27603.02	27794.01	-0.1704	0.0017
34	28340.18	28482.9	-0.1863	0.0253
35	28844.11	28943.22	-0.2438	0.0039
36	29691.92	9858.2	-0.19108	0.0232
37	30538.35	30689.91	-0.2204	-0.1080
38	31371.63	1523.17	-0.215	-0.1092
39	32153.48	32304.92	-0.216	0.0174
40	33002.23	33161.11	-0.215	0.0173
41	33791.58	33943.02	-0.216	0.0172
42	34511.24	34655.24	-0.213	0.0198
43	35246.23	5390.2	-0.1534	0.0166
44	35885.93	36011.84	-0.2197	0.0092
45	36450.49	36568.96	-0.2195	0.0091

Table-5 Correlation amongst the parameters and logMU tested in present study-

Correlation Matrix

	logMU	TE	BE	EDC1	EDC2	EDC3	EDC4	EDC5
logMU	1.00000							
TE	-.96972	1.00000						
BE	-.96964	1.00000	1.00000					
EDC1	-.58218	.56816	.56820	1.00000				
EDC2	.53061	-.50206	-.50236	-.81795	1.00000			
EDC3	.24288	-.24528	-.24516	-.72521	.73593	1.00000		
EDC4	.44217	-.47249	-.47269	-.07418	-.00537	-.23022	1.00000	
EDC5	-.00080	-.00551	-.00489	.26007	-.35665	-.34035	.19181	1.00000
EDC6	-.41229	.38673	.38611	-.12172	.15216	.41921	-.69411	.-50789
EDC8	-.20577	.17394	.17418	.02634	-.22791	-.20073	-.05443	-.02366
NCC1	.57865	-.56607	-.56611	-.99668	.82646	.74347	.09453	-.31363
NCC2	-.54627	.51246	.51276	.82807	-.98869	-.72679	-.02696	.35302
NCC3	-.17180	.16564	.16585	.62409	-.62864	-.88693	.12963	.31283
NCC4	.14439	-.13274	-.13263	-.14296	.19510	.15948	.00886	-.02310
NCC5	.00189	.00469	.00407	-.25969	.35547	.33908	-.19407	-.99994
NCC6	.43322	-.41303	-.41226	.08892	-.11605	-.38335	.62924	.49117
NCC8	.21077	-.17897	-.17922	-.02878	.23155	.20253	.05526	.02094
HOMO	.48494	-.50171	-.50119	-.68717	.56062	.58017	.23810	-.00620
LUMO	.38759	-.24815	.10309	-.26711	-.58341	.10253	-.07953	-.39514

	NCC8	HOMO	LUMO
NCC8	1.00000		
HOMO	.10035	1.00000	
LUMO	.24876	.14679	1.00000

Table-7 Cross-validation parameters calculated in present study for various models-

Eq.No.	**SSY**	**PRESS**	**PRESS/SSY**	R^2cv	S_{PRESS}	**PSE**	r^2_{Ad}
1	15.2339	0.9690	0.063	0.936	0.15	0.147	——
2	15.2356	0.9664	0.063	0.937	0.15	0.146	——
3	15.2896	0.9160	0.061	0.939	0.149	0.144	0.941
4	15.2900	0.9129	0.060	0.940	0.147	0.142	0.941
5	15.3541	0.8488	0.055	0.945	0.144	0.137	0.944
6	15.3701	0.8328	0.054	0.946	0.142	0.136	0.945
7	15.4160	0.7869	0.051	0.949	0.140	0.132	0.947

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

सल्तनत काल में भारत के पर्यावरण का अध्ययन : विदेशी यात्रियों के दृष्टिकोण से

डॉ. मंजुला निंगवाल*

* विभागाध्यक्ष (इतिहास) भेरुलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्त्रोतों में विदेशी यात्रियों का विवरण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विदेशी यात्रियों द्वारा अपने यात्रा वृतान्तों में भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, भूगोलीय एवं पर्यावरणीय जानकारी उपलब्ध कराई है, जो कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए अध्ययन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है। इन विदेशी यात्रियों में दो नाम उभर कर आते हैं, जिन्होंने भारतीय पर्यावरण और भौगोलिक परिवेष पर प्रकाष डाला है। सल्तनतकाल से पूर्व एवं इस काल में भारत आए दो विदेशी यात्रियों अलबरूनी और इत्नेबतूता ने अपने यात्रा संस्मरणों में भारत के भौगोलिक पर्यावरण का उल्लेख किया है।
शब्द कुंजी – भारतीय पर्यावरण, यात्रा संस्मरण, अलबरूनी।

प्रस्तावना –अलबरूनी ख्वारिज्म अथवा खीवा निवासी था और महमूद गजनवी के आक्रमणों के दौरान भारत आया था। उसने भारत के संबंध में एक ग्रन्थ लिखा था (तहकीक-ए-हिन्द)। इस ग्रन्थ में उसने भारत के संबंध में जानकारियां देते हुए यहाँ के भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिवेश पर प्रकाश डाला है। भौगोलिक विवरण की कुछ जानकारियां तो उसने स्वयं के निरीक्षण पर और कुछ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर दी है। अलबरूनी के लेखन में भारत के प्रदेशों का विवरण देते हुए वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं का सामान्य उल्लेख करता है। किन्तु अलबरूनी का मुख्यत: लेखन भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक पहलूओं तक सीमित है, इस कारण प्रकृति चित्रण तो यदा कदा प्रकट होता है।

इब्नेबतूता बहुत ही विलक्षण प्रकृति का व्यक्ति था, जिसे प्रत्येक घटना एवं वस्तु को बारीकी से देखने एवं उस पर चिन्तन करने की आदत थी। इसी कारण उसने भारत की जलवायु पशु-पक्षी, कृषि एवं पर्वतों, नदियों आदि की समुचित जानकारी प्रदान करता है। इब्नेबतूता ने 'रैहला' में पेड़, पौधों, फलों, फसलों और पशु पक्षियों की स्थान-स्थान पर चर्चा की है। उसके विवरण से ज्ञात होता है कि वह पर्यावरणीय बातों का विवरण भारतीय संस्कृति खान-पान की आदतों और व्यंजनों तथा विभिन्न शहरों की यात्रा के समय घटी घटनाओं का विवरण देते हुए कहता है। वह आम, नारंगी, नारियल, महुआ, जामुन, कटहल आदि कई वृक्षों के बारे में लिखता है। वह सेना में उपयोग में लाए जाने वाले हाथी-घोड़े के बारे में विस्तार से लिखता है, तो यात्राओं के दौरान विभिन्न पशु-पक्षियों का विवरण भी देता है। इब्नेबतूता ने भारत की ऋतुओं का वर्णन किया है और प्रमुख नदियों का भी। उसने रैहला में गंगा नदी का विवरण देते हुए भारतीयों के उसमें अगाध श्रद्धा पर प्रकाष डाला है। इब्नेबतूता का विवरण उसके अपने निरीक्षण पर आधारित था। यद्यपि उसकी निरीक्षण शक्ति और प्रकृति प्रेम बाबर की तरह गहरा नहीं है। फिर भी तत्कालीन प्रकृति का एक खाका हमारे हेतु प्रस्तुत करता है। अलबरूनी और इब्नेबतूता अपने विवरण में भिन्न-भिन्न स्थानों की जलवायु का विवरण देता है। वह कष्मीर से लेकर मालवा, गुजरात, कच्छ, सिन्ध, पंजाब सभी क्षेत्रों के यात्रा संस्मरणों में उक्त स्थानों की जलवायु का विवरण देता है। कच्छ में पानी की कमी और वर्षा जल संरक्षण की विधि के बारे में लिखते हुए वह मानता है कि जिस तरह के पीने योग्य पानी को वर्ष भर संग्रहित कर के रखते हैं उससे वह जल कीटाणु युक्त हो जाता होगा। गुजरात की जलवायु को शुष्क और खराब मानता था। कष्मीर की जलवायु उसे बेहद रास आती थी। इब्नेबतूता राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों की भीषण गर्मी को नापसंद करता था। इस कारण गर्मिया बिताने वह कष्मीर जाना पसंद करता था।

मालवा का सुहाना मौसम इब्नेबतूता पसंद करता था, यहाँ की रिमझिम वर्षा का वह प्रशंसक था। माण्डू और उज्जैन में वह ऐसी ऋतु में आनंद ले चुका था। इब्नेबतूता भारत में जलवायु की ऐसी विविधता का प्रशंसक था, जहाँ तपते रेगिस्तान है, तो अत्यधिक ठण्डे प्रदेश और समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेश भी है। इसी तरह विदेशी यात्री अलबरूनी ने भारत में मानसूनी वर्षाओं का चित्रण किया है। उसने सूरत और मुम्बई में मानसून देखा था, उसका मानना था कि मानसूनी वर्षा का वेग इतना तीव्र होता है कि यदि बंदरगाहों पर जहाज ठीक ढंग से लंगर न डाले तो वे पानी में गुम जाऐंगे। इसी तरह ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता, पसीना, आर्द्रता और अक्टूबर की नमी वाली गर्मी का विवरण ही नहीं देता बल्कि इस संबंध में भारतीयों की मान्यताओं को भी बताता है। भारत में पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ आमतौर पर तीन माह तक ही होती है। उसके बाद आसमान में बादल का टुकड़ा भी नजर नहीं आता। धूल भरे अंधड़ों और मानसून का विवरण भी उन्होंने दिया है।

जलवायु के अनुरूप यहाँ वन एवं वनस्पतियों में भी भारी विभिन्नता को समकालीन लेखकों एवं विदेशी यात्रियों ने दर्ज किया है। भारत की जैविक एवं वनस्पतिक वैविध्य से विदेशी यात्री चमत्कृत थे। सल्तनतकाल में कुल वन क्षेत्र (दक्षिण भारत को छोड़) 50-55 प्रतिशत ज्ञात होता है। तुर्कों के आगमन के पश्चात् बहते शहरीकरण और आबादी में वृद्धि सल्तनतकाल

के शासनकाल में अनेकों नए शहरों के बसने, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए राजकीय प्रोत्साहन के बावजूद वन क्षेत्र का इतना अधिक प्रतिशत इस बात को प्रदर्शित करता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिना किसी प्रचार-प्रसार के भी समझा जा रहा था।

सल्तनकाल में वन क्षेत्र ज्ञात करने के लिए जियाउद्दीन बरनीकृत तारीखे-ए-फिरोजशाही से खेती वाली भूमि के आंकड़ों और सन् 1909 ई. में इम्पीरियल गजेटियर एटलस में प्रदर्शित वानस्पतिक तत्वों की तुलना करने से कुल वनक्षेत्र ज्ञात करने का प्रयास किया गया।

इसी प्रकार वनों के प्रकार भी विदेशी यात्रियों के वृतान्तों से ज्ञात किए गए। उदाहरण के लिए जिन प्राणियों का शिकार किया जा रहा था। जिन पशु-पक्षियों को सेवा के लिए या मनोरंजन के लिए पकड़ा जा रहा था वहाँ किस तरह के वन होंगे इसका अनुमान लगाया गया। जैसे जंगली हाथियों की उपस्थिति का अर्थ है झाड़ियों और मरुस्थलीय परिस्थितियों वाले क्षेत्र वनोपज का सल्तनत सेना एवं अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा महत्व था। वनों से ईंधन, इमारती लकड़ी, बांस, गोंद-लाख, मोम, शहद, रेशम, हाथी, चीता आदि प्राप्त किया जाता था। जिसका रोजमर्रा के जीवन सेना, व्यापार, भवन, निर्माण आदि में बहुतायत में उपयोग होता था। शम्स सिराज अकीक जियाउद्दीन बरनी, मिनहास-ए-सिराज, इब्नेबतूता, अलबरुनी आदि के वृतान्तों में भारत में उस काल में पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियों, फलों, सब्जियों, पुष्पों, औषधीय पौधों का वर्णन बहुतायत से प्राप्त होता है। सल्तनत के कुछ शासक उद्यान के बड़े शौकिन थे। उस काल में अमीर वर्ग भी फलों एवं पुष्पों का उद्यान विकसित करने में रुचि लेते थे। इस कारण उद्यानों का भी विकास हुआ। इब्नेबतूता, अलबरुनी यात्रियों द्वारा भारत में पाए जाने वाले प्राणियों का सूक्ष्मतम विवरण प्रस्तुत करते हैं।

उपसंहार - सल्तनत काल में भारत के पर्यावरण का अध्ययन विदेशी यात्रियों के दृष्टिकोण से करने के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि उस काल में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के बावजूद प्राकृतिक संसाधनों एवं प्राकृतिक वातावरण पर सबकी साझेदारी एवं प्रतिबद्धता की सोच परिलक्षित होती है। शासकों के निजी प्रयासों के कारण वनस्पतियां एवं जीव जंतुओं का संरक्षण उनके पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। आज हमारी भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि हम भी सल्तनतकालीन जनता के समान पर्यावरण जागरुकता के प्रति सजग हो तथा मिलजुलकर पृथ्वी को सुरक्षित रखने में भूमिका निभाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. इब्नबतूता की भारत यात्रा, मदनगोपाल, वर्ष 1988, पृ. 56-57
2. अलबरुनी का भारत (भाग पहला) वर्ष 1959, पृ. 13-14

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Last Man in Tower: A Postcolonial Extrapolation of Transforming India by Aravind Adiga

Girish Kumar Sahu* Prof. Shubha Tiwari**

*Research Scholar (English) APS University, Rewa (M.P.) INDIA
** Vice-Chancellor, Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur (M.P.) INDIA

Abstract - This study seeks to demonstrate how globalisation has impacted both social and cultural norms and how, despite their official abolition, colonialism and imperialism continue to have a significant impact on the world today. With a focus on Aravind Adiga's book "Last Man in the Tower," this article examines the ways in which globalisation, as a type of neocolonialism in the postcolonial period, affects English literature. In 1974, Aravind Adiga entered this world in Madras. He was formerly the Time magazine India reporter, and his work has featured in the Financial Times, the Independent, and the Sunday Times, among others. The White Tiger (for which he won the Man Booker Prize in 2008), Between the Assassinations (a collection of short stories), and Last Man in the Tower (a book) are all works of fiction by him that have received widespread critical praise (2011). Adiga portrays Mumbai in "Last Man in the Tower" as a commercial and financial centre that has developed into a location of many possibilities. Due to unscrupulous politicians and their cosy relationships with developers, the middle class in Mumbai can only dream of owning a pucca home. Tower A's residents are a microcosm of Mumbai's middle class, which is striving to equally benefit from the city's recent economic boom, startling good fortune, and unfathomable wealth as a result of globalisation. The retired schoolteacher represents postcolonial resistance, whereas the avaricious developer represents a neo-colonial worldview. A generation that has effectively adapted to the possibilities, difficulties, and hazards of a new world will inevitably come into confrontation with the respectable old man.
Keywords: Postcolonialism, NewIndia, Imperialism, Neocolonialism, Globalization.

Introduction - In 1974, Aravind Adiga born in this world in Madras. He has written on India for several publications, including Time, the Financial Times, the Independent, and the Sunday Times. The White Tiger (2008), which he wrote and which won the Man Booker Prize, his short storey collection Between the Assassinations (2009), and his book Last Man in Tower (2010) have all been highly praised by critics (2011). In The White Tiger, the author examines the disparity between urban India's booming prosperity and rural Balram's abject poverty. Adiga's second book, Between the Assassinations, is a collection of twelve connected short tales that explore social and religious stratification throughout India. In his newest book, Last Man in Tower, he tells the tale of a man who fights for a piece of prime real estate in Mumbai. Adiga portrays Mumbai in Last Man in the Tower as a commercial and financial centre that has developed into a location of many possibilities. Because of the crooked politicians and their close ties with the developers, a pucca home in Mumbai is just a pipe dream for the middle class.

There are two factions, expressing conflicting perspectives, that emerge from the most recent studies of India's middle class. First, the middle class is considered as having risen in terms of its sheer numerical strength and as having established itself as a dominant consumption class that can be used as a case to illustrate the success of the liberalisation of the Indian economy, even to the degree of the arrival of a "New India." Second, moral uneasiness over the changing character of this class has accompanied such assertions. For example, it has been questioned whether the emergence of this class as a symbol of rising consumerism in India is acceptable and if it has broader consequences. What effect these policies have had on the majority of a class that has, for a long time, clearly abandoned all pretence of idealism, morality, or social sensitivity on the twin altars of self-interest and financial well-being is a matter of crucial significance. The economic liberalisation strategy gave the Indian middle class a reason to further isolate themselves from India's huge underprivileged masses. In this piece, Ashutosh Kumar discusses the "new" middle class in India and its relevance. He is referring to late postcolonial India's expanding middle class as a result of the country's economic and political change. He argues that the "new" middle class and its economic, cultural, and political choices are having an outsized impact on the development of India's

politics and economy. The middle class, who he labels "culture entrepreneurs," are quick to embrace authoritarian rule and new political ideologies.

Comparing Imperialism And Colonialism: Imperialism is often used interchangeably with colonialism, but while the latter refers to the actual establishment of colonial rulers in non-European territories, the former is more of a theoretical form of government. Through its ideology of expanding state power, imperialism legitimises a colonial culture of dominance. Economic measures—the economic needs of European nations—are the primary means by which imperialism controls regions outside of Europe. Non-European countries became historically postcolonial after they achieved political independence, a term commonly used to refer to the process of gaining independence from European rule. Decolonization advocates for the end of colonial ways of thinking in order to restore and revitalise indigenous scholarly practices. It requires an in-depth analysis of historical phenomena such as European modes of thought, nationalist modes of thought, and modes of resistance. Postcolonial authors are not solely concerned with dismantling colonial institutions. They seek to "decolonize the mind," to borrow a phrase popularised by postcolonial Kenyan author NggwaThiong'o. Different authors give different interpretations of the term "decolonizing the mind," but the overarching goal is the same: to free one's mind and culture from the influences of colonialism. It is possible that natives have seized power from Europeans in the political sphere. However, European power continues to exert its economic dominance over the indigenous population. Simply put, European powers have continued their economic exploitation of states that are only nominally free. This system of rule has been given the label "neocolonialism" to describe the United States' dominance abroad. The current economic exploitation of Asian and African nation-states by European and American powers is an example of neocolonialism. It is important to note that the former colonial masters still exert considerable economic influence and control over the so-called "free" former colonies.

Colonized nations fought back against colonial rule in a variety of ways, particularly in the second half of the nineteenth century and throughout the first half of the twentieth century. Many countries in Asia and Africa gained their political independence in the middle of the twentieth century as a result of the wars that broke out across the colonies at that time. They belonged to a period of time known as postcolonialism. Decolonization and the postcolonial struggle for independence from the cultural, political, and economic dominance of former European masters go hand in hand. In response to growing neocolonial interference and control from the developed First World nations, India employs strategies of resistance, negotiation, and cultural assertion that are encapsulated by the term "postcoloniality." This means that "postcoloniality" refers to a set of practises that attempt to balance the legacy of colonialism with the reality of contemporary political independence and the constant threat of neocolonialism in the cultural and social spheres.

Imperialist Ideology and India: A sophisticated Indian elite, the majority of whom were trained in Britain, seizes political power as colonial rule draws to an end and proclaims independence. They obviously wanted to start cultural imperialism via their political acts. Ironically, India still practises imperialism after being freed from British colonial rule; domination by foreigners still rules, but in a different fashion. The multiethnic, multicultural, and multireligious components of India, as well as its multitude of languages, are planned to be included in the organisation of the nation-rigid state. The practises of cultural hegemony, racism, racial hatred, and religious fundamentalism cast doubt on the monolith. New India came to be linked with behaviours of racial discrimination, economic exploitation, and political oppression. Can the Subaltern Speak? by Gayatri Spivak poses the question, "How can people who find themselves in a situation of subalternity really become self-conscious subjects?" In postcolonial dialectics, the term "subaltern," which also refers to the whole population that is inferior in terms of class, caste, age, gender, and office, is crucial. The subject position is what subalternity is. Even when it crosses class, age, and gender boundaries, it mostly has psychological characteristics. Subalterns feel bound and defeated by their subject roles, even when they resist and rise up. Their lives are characterised by lack of resources, adversity, estrangement, loneliness, submission, resignation, stillness, and neglect. As a consequence, they experience unrelenting suffering and acquire a little or nonexistent role in history and culture since they lack defenders and representation in the society in which they reside.

The Neocolonial Paradigm Of Globalisation: Additionally, the term "neo-colonialism" in post-colonial studies refers to the dominance-praxis (social, economic, and cultural) of developed nations in the internal affairs of the countries of the developing world; that is, despite the decolonization that took place in the wake of World War II, the (former) colonial powers continue to use previous and current international economic agreements with their former colony-countries, and as a result, main Although "neo-colonialism" has come to be used as a catch-all phrase to describe many forms of foreign interference, it may also refer to the dominance of dishonest local politicians who work with corrupt businessmen, investors, or entrepreneurs to further exploitation and corruption. Globalization, to reiterate, is the process of intercultural exchange that results in the exchange of ideas, goods, and other cultural elements. Transportation and telecommunications infrastructure improvements favour the most powerful nation's ability to affect the less developed and emerging

***Last Man In Tower* and Ideology And Impact Inmodern**

India: Adiga's Last Man in Tower, which opens with a layout of the tower and its many tenants from the ground level to the fifth storey, is fundamental to understanding who the residents of Vishram Society (Tower A) are. The 1959 construction of the respected middle-class housing cooperative known as Vishram Society The middle-class respectability of Vishram Society is moored like a dreadnought, ready to fire on anybody who could question the pucca nature of its residents, according to Adiga. It was the only decent structure in the area, which also happened to be the sole registered cooperative organisation, for a long time. Originally intended for Roman Catholics, the structure Both in the 1980s and the late 1960s, better-quality Muslims—Bohra, Ismaili, and college-educated—were allowed to become Hindus. At this point, Vishram is totally "cosmopolitan" (i.e., mixed in terms of ethnicity and religion). It is impossible to tell whether the current tenant is Hindu, Christian, or a member of a hybrid cult that practises only in this building because the metal door of flat 3B is covered in an eczema of blue-skinned gods, bearded godmen, and haloed Christs. This is a testament to generations of ecumenical tenants who have each added a few icons of their own faith without removing those of any other. Adiga's storey is centred on "the offer," which Mrs. Puri describes as a miracle; Mr. Puri, on the other hand, credits this miracle to the building's steady middle-class way of life: "„..and now the Hand of God has blessed all of us in this building, all of us wonderful people." She said, "If this is indeed true, it would be the first miracle of my life."

Aravind's Booker Prize victory propelled him to stardom on a global scale. He conducted a number of high-profile interviews with reputable media organisations throughout the globe. In India, he was met with a warm reception as well. In these interviews, Aravind often claims that his book illuminates the impoverished people's lives in India, which are usually left out of discussions about progress. Inevitably, real-world issues were also covered in the interviews, giving Aravind the chance to express his political opinions in public. Aravind often brings up the year 1991, which he refers to as the "great division" in contemporary Indian history. He claims, "When I was a youngster in India, we lived in a closed-off communist economy where pretty much everything was under government control." Life was characterised by this unchanging, essentially corrupt structure. And in 1991, when the economy was opened up, everything changed, ushering in the so-called "New India." He recalls the time before liberalisation, when he was raised in a "provincial town in a communist nation," before it transformed into a "booming town with malls and call centers." India's increasing connection with the global economy has ushered in a new age, according to Gurcharan Das' India Unbound, which provides a historical perspective on the economy. In Imagining India: Ideas for the New Century, Nandan Nilekani describes how social, economic, and political life are changing as a result of rising urbanisation and globalisation. His book, a manual for India's globalisation, gives hope for the future of the nation. The opportunity of the global economy has highlighted our internal differences—between the educated and the illiterate, the public and private sectors, the well-governed and the poorly-governed, and between those who have access and those who do not—as Nandan Nilekani writes in Imagining India. This is true even as the world recognises India's new promise. The urban middle-class tenants of Vishram Tower A in Last Man in the Tower are all taken aback by a builder's astonishing offer to acquire their run-down apartment so that he might create his greatest masterpiece, an ultra-modern skyscraper. The Last Man in the Tower is a very engrossing book that is remarkably detailed and accurately depicts daily life. It is a social fiction that vehemently examines morality-related topics on both a societal and a personal level. It is a postcolonial book that dramatises the inevitable exploitation and marginalisation of the colonised by the coloniser under neocolonialism. The elderly native guy is a symbol of the oppressed class trying to preserve tradition. The setup is really easy. Each inhabitant is offered a large quantity of money to leave their land when Shah and his cunning Shanmugham come into town on horseback. While a little resistance could result in a "sweetener," too much might cause an unexplained "accident." He is keen to demolish the Vishram Co-operative Society, a once-pristine two-building property that has deteriorated, and replace it with luxury apartments for his most notable creation, The Sanghai. Shah gives each family more than 1.50 crore rupees, or $330,000, to fulfil his excessive ambition.

The transaction excites almost everyone in the "Vishram." Tower B, which is full of youthful executives, gets into line right away, but Tower A proves to be a little bit more challenging. Even though its citizens have an unofficial "parliament," Shah and his henchmen must navigate their complex personal histories and sensitivities. They include the anxious Ibrahim Kudwa, owner of the Speed-Tek Cyber Cafe, who lives by the adage that "a man with a bad stomach should never be asked to make decisions." They also include social worker Georgina Rego, who is tormented by the need to "trump" her wealthy sister, and the retired Mr. and Mrs. Pinto, who are torn between their loyalty to "Masterji," the former schoolteacher, and their desire to send money to their children in America. Despite first demonstrating their togetherness by refusing to give up their house, the majority of the people eventually submitted to a gentle threat. Yogesh Anantha Murthy, a retired physics teacher known as "Masterji," is the focal point of the opposition because he clings to the haunting memories of his late wife and daughter that permeate the structure. He becomes the development's new boss as well as the arch-enemy of the opportunistic citizens who formerly looked up to him. Law, police, and the media are all gradually shut down as resources; as a result, Masterji is largely left alone,

despised, and accused of being insane. Even the close friends of the Pintos submit. The last to leave him is his son, Gaurav, who recalls his father as nasty and unyielding. The final person inside the abandoned building is Masterji, whose decision to speak out was motivated by pity for Shelley Pinto. The neighbours and friends of Masterji who have turned into his assassins plan and carry out his murder: "Down on the ground it lay, sprawled, in perfect mimicry of suicide's body."

The book can be analysed as a representation of neo-colonialism, with Dharmen Shah serving as the coloniser who plans to establish a colony in the Vishram Cooperative Society through implicit pressure and overt temptation. At the novel's conclusion, the residents turn into colonising agents who murder the defenceless Masterji in order to make a profit. The competition for a piece of gleaming Mumbai real estate is the subject of Adiga's novel Last Man in the Tower, which blends his talent for social observation with his sharp, sarcastic humour. The book examines middle-class ethics, the vacuum left by bad governance that enables greed and jealousy to develop, and the bureaucracy that perpetuates the reverse while giving the appearance of order and fairness. Adiga has captured modern-day Mumbai the most accurately, capturing the dirt, lawlessness, corruption, moral decay, greed, amazing riches, and utter suffering of a society where predators always win and where individuals of integrity and good intent are almost universally devoured. At one point, Masterji wonders what is being done to this metropolis in the name of progress.This article tempers the harsh critique of Adiga's "The White Tiger" with a conflicted acceptance of the advantages India's development is providing to its expanding middle class. Aristocratic and authoritarian salesmen who provide a choice between signatures on the line or a knife in the back may take advantage of the middle class, which is essentially nonexistent and wealthy enough to reside in high rises. The book continuously makes fun of how conceited each member of the Vishram Society looks, as well as how strongly they want to give up their houses for the hazy promises of a real estate developer. From Mumbai's crammed trains and gothic architectural arcade to its bustling slums and filthy red light area, where "the hammering of steel and sensuality mixed in the same postcode," Adiga creates a powerful but unsentimental vision of the city. Suketu Mehta published an astonishing account of Mumbai in 2004 titled Maximum City, in which he criticises the middle class's greed and indifference for the collapse of civil order. He discussed criminals, capitalism, ethnic divides, slums, threats, bribery, and extortion in his writing. The unrelenting powers of capitalism and its effects are shown in The Last Man in the Tower.

The problems of corruption, the politician-builder nexus, the lack of a standard of living, unhygienic living conditions, slums, and the enduring problems of visionless politicians that have been left unsolved by succeeding governments since 1960 and also after globalisation are all depicted in this novel in a crystal-clear journalistic style. Therefore, the theme of this storey is development in the context of a globalised India. It not only depicts people of inconceivable wealth who violate societal norms and engage in corrupt behaviour, but it also denotes the stark separation between the wealthy and the rest of India's population. The tower was constructed in 1950 with the purpose of setting an example, and Pandit Jawaharlal Nehru wrote on a plaque that it was "good housing for good Indians." However, this objective was never fully realised and was missing as India's development progressed. It depicts the anxieties, fears, and lack of joy felt by the populace. The placement of the skyscraper is a parody of the idealistic concept of "developed India," showing development in the middle of desolate slums. The protagonist of "The Last Man in the Tower" is Mumbai. The rise of materialism and consumerism as side effects of globalisation, a weak political system, a capitalist economy, exclusive growth, vote-bank politics, and importance to the influential rich economic class are all contributing factors to the change in cultural values. These factors have given money the most significant role in determining principles, cultural values, morality, and patriotism. Since practically everyone wants something or a share of riches, this has in turn led to extreme greed, which has destroyed the feeling of communal sharing and responsibility. Mumbai serves as the setting for this suspenseful storey, where many employees travel in nightmare-inducingly crammed trains and where everyone appears, including "fish, birds, the leopards of Borivali, even the starlets and supermodels of Bandra, out of the prismatic fantasies of Mother Garbage." In this place, a fragile and all-too-often corrupt democracy coexists alongside foul slums, the most opulent skyscrapers of the future, and ancient temples.

Conclusion: In-depth, perceptive, and serious, Aravind Adiga has addressed the topic of globalisation and its effects on Indian life. Globalization, the most significant factor influencing India's sociocultural, economic, and political discourse, is a recurring topic across Adiga's whole body of work. In his statement, Adiga argues that it is crucial for authors like himself to strive to draw attention to the heinous inequalities of society at a time when China and India are poised to take over the globe from the West. As a consequence of the work done in the 19th century by authors like Flaubert, Balzac, and Dickens, England and France today are better off than they were. That is what I am attempting; it is not an assault on the nation; it is more of a process of self-examination. The shifting socio-cultural, economic, and political paradigms in India are therefore thoroughly depicted in Adiga's literature, along with the effects they have on people's daily lives. The middle-class inhabitants of Vishram Tower-A declare their collective determination to write their own destiny with the advent of neo-liberalism and capitalism. They create their identities

by accepting the winds of change brought on by economic liberalisation and globalisation. The battle between principle and avarice, supply and demand (real estate developers vs. prisoners of need), and individual and group will power are all topics covered in Last Man in the Tower. When money is put first, Vishram Society—which Mr. Adiga first refers to as "anchored like a dreadnought of middle-class respectability"—is shown to be everything but respectable. Money may not only destroy a cohesive society, but it can also paralyse its long-held ideals and sentiments, as this example illustrates. Adiga delves deeply into the thoughts of numerous people, hopping between tower occupants to reveal their motivations and explore how contemporary Mumbai has accentuated their flaws. Adiga gives a believable, albeit bleak, view of human nature as these morally upright citizens turn on one another out of maddening greed when they fear losing their promised wealth. Adiga leads us deep into Mumbai's heart, where nothing can appear too desperate or outlandish and where no wall can be tall enough to keep out the reality of the city.

References:-

1. Adiga, Aravind. *The White Tiger.* New Delhi: Harper Collins, 2008
2. Adiga, Aravind. *Last Man in Tower.* London: Atlantic Books, 2012
3. Das, Gurcharan. 'India Unbound'. New York: Alfred A. Knopf, 2000.
4. Mehta, Suketu. *Maximum City: Bombay Lost and Found.* New York: Vintage Books, 2004.
5. Nilekani, Nandan. *Imagining India: Ideas for the New Century*. New Delhi: Penguin Books.2008.
6. Varughese,E.Dawson.*Reading New India:Post-Millennial Indian Fiction in English*. New Delhi: Bloomsbury, 2013.

Websites:-

1. http://sanhati.com/excerpted/5143/
2. http://www.cambridgescholars.com/download/sample/62416
3. http://bookreview.mostlyfiction.com/2011/last-man-in-the-tower-by-aravind-adiga/
4. http://www.theguardian.com/books/2008/oct/16/booker-prize
5. http://www.mcgill.ca/files/crclaw-discourse/Can_the_subaltern_speak.pdf

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका

डॉ. प्रतिमा बनर्जी *

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का समावेश किया गया है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास मे औद्योगिक नीति, संविधान तथा सामाजिक दृष्टिकोण अत्यन्त महत्वपूर्ण रहे है। आर्थिक विकास की गति में तीव्रता लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र न केवल वित्त एवं उत्पादन से ही सम्बन्धित है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निजी क्षेत्र की रूग्ण इकाइयों की रक्षा भी करते है। रोजगार एवं श्रम कल्याण की दिशा में सार्वजनिक क्षेत्र का विशेष योगदान रहा है। इनके द्वारा निजी एकाधिकार एवं आर्थिक संकेन्द्रण को कम किया जा सकता है। ऐसे उद्योग जिनमें अत्यधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है वहॉ निजी क्षेत्र पर निर्भर नही रहा जा सकता। जनकल्याण और सर्वोच्च राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए लगभग सभी देशों में सुरक्षा, रेल, डाक–तार, संचार, प्रसारण तथा कुछ मूलभूत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकार के नियंत्रण में रहते है। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रमुख योगदान आत्म निर्भरता को प्राप्त करने में सहयोग देना है। भारतीय इस्पात उद्योग के विभिन्न उपकरणों व संयंत्रों के निर्माण में भारत एक सीमा तक आत्मनिर्भर हो गया है। हवाई जहाज व पानी के जहाज अब भारत में बन रहे है।

सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, सरकारी उपक्रम व सार्वजनिक क्षेत्र जैसे शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है। राय चौधरी एवं चक्रवर्ती के अनुसार 'सार्वजनिक उपक्रम व्यवसाय का ऐसा स्वरूप है जो सरकार द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है तथा सरकार या तो स्वयं उसकी एकमात्र स्वामी होती है या अधिकांश अंश अपने पास रखती है।' संक्षेप में सार्वजनिक उपक्रम में आशय ऐसे उपक्रम से है जिस पर क्षेत्रीय, राज्यीय या स्थानीय सरकार का स्वामित्व होता है। ये उपक्रम मूल्य के बदले बस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति करते है और सामान्यत: स्वावलम्बी आधार पर चलाये जाते है।

सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषतायें –सार्वजनिक उपक्रम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं –

1. निजी उपक्रमों की अपेक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में मधुर औद्योगिक सम्बन्ध होते है, अर्थात् श्रमिकों एवं प्रबन्धको के मध्य अच्छे सम्बन्ध रहते है।
2. इनका प्रबन्ध, संचालन एवं नियंत्रण सरकार के अधीन होता है।
3. इनकी सरकारी स्त्रोतों से वित्त व्यवस्था की जाती है।
4. सार्वजनिक उपक्रमों का जनता के प्रति अधिक उत्तरदायित्व होता है।
5. सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना प्राय: लाभ कमाने मात्र के लिए नही की जाती।
6. सार्वजनिक स्वामित्व पूर्ण अथवा मिश्रित भी हो सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य–सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना केवल आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ही नही की जाती वरन् अनेक सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी होती है। संक्षेप में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार होते है।

1. देश के विकास एवं उसकी आवश्यकताओं के लिए सृदढ़ आधार निर्मित करना।
2. राष्ट्रीय साधनों के समान वितरण को सम्भव बनाना।
3. श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
4. अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना।
5. क्षेत्रीय औद्योगिक सन्तुलन बनाने में सहयोग करना।
6. समाजवादी समाज की स्थापना में योगदान देना।
7. निजी क्षेत्र के एकाधिकार को कम करना।
8. आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना तथा योजनाबद्ध आर्थिक विकास में सहायता करना।
9. जनोपयोगी सेवाओं की संस्थापना करना तथा इन सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
10. आधारभूत उद्योगों के लिए भारी विनियोग करना।
11. आधारभूत सेवाएँ प्रदान करना।
12. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं महत्व के उद्योगों की स्थापना करना।

महत्व–सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व न केवल आर्थिक है अपितु सामाजिक भी है जो निम्नानुसार है:–

(अ)–आर्थिक महत्व:

1. औद्योगीकरण के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण आवश्यक होता हैं इसके लिए आधारभूत उद्योगों की स्थापना आवश्यक है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में ही संभव है।
2. सार्वजनिक उपक्रमों से जो लाभ प्राप्त होते है उसका उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया जा सकता है।
3. देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग सार्वजनिक उपक्रमों की सहायता से किया जाता है जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण हो तथा विकास अवसरों में वृद्धि हो।
4. देश की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है कि उच्च तकनीक पर आधारित उद्योगों का विकास किया जाए। अणुशक्ति, इलेक्ट्रानिक्स आदि क्षेत्रों के विकास के लिए अणुशक्ति निगम, इलेक्ट्रानिक्स निगम

आदि की स्थापना की गयी है।

5. उचित मूल्य पर अनिवार्य बस्तुओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से भी सार्वजनिक क्षेत्र का अपना महत्व है। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम, खनिज एवं लौह धातु निगम आदि की स्थापना की गयी है।
6. इन उपक्रमों द्वारा अधिकतम मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जिससे न केवल आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है बल्कि अतिरिक्त उत्पादनों का निर्यात कर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है।
7. इन उपक्रमों द्वारा विदेशी सहायता का समुचित उपयोग कर कल्याणकारी कार्यो में वृद्धि की जाती है।

सामाजिक महत्व:

1. देश में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक विकास का दायित्व पूर्णता सरकार के हाथ में रहें।
2. सार्वजनिक उपक्रमों के विकास से आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना न की जाए तो उनमें से अनेक उपक्रम निजी क्षेत्र में स्थापित होंगे जिससे निजी क्षेत्र में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को बढ़ावा मिलता है।
3. सार्वजनिक उपक्रमों से होने वाले लाभों व उपयोग जनसामान्य के हित के लिए किया जाता है जिससे समाजवादी समाज की स्थापना में सहायता मिलती है।
4. सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का एक उद्देश्य सरकार द्वारा आदर्श सेवायोजक की भूमिका निभाना होता है जिसमें श्रमिकों का शोषण नही होता।
5. सार्वजनिक उपक्रमों से उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है क्योकि पूँजीपतियों द्वारा शोषित होने से बच सकते है।
6. इन उपक्रमों द्वारा देश का तीव्र औद्योगिक विकास होने से रोजगार में वृद्धि होती है।
7. सरकारी उद्यम दूरदर्शी होते है। इनके द्वारा सरकार भविष्य के लिए देश की आर्थिक व्यवस्था के ढॉचे का निर्धारण कर सकती है।

समस्यायें:

1. सरकारी कार्यालयों में व्याप्त लालफीताशाही भारत के सार्वजनिक उपक्रमों में व्यापक रूप से व्याप्त है जिसके कारण न तो उत्पादन, क्रय-विक्रय आदि सम्बन्धी निर्णय समय पर होते है न ही इन उद्योगों मे काम करने वाले कर्मचारी ईमानदारी से परिश्रम करके उत्पादन बढ़ाने की चिन्ता करते है।
2. सार्वजनिक उद्योगो का प्रबंध प्राय: सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञो को सौपा जाता है जिनमें प्रावधिक कुशलता का अभाव पाया जाता है।
3. सार्वजनिक उद्योंगों में प्रेरणा का अभाव रहता है क्योकि जो व्यक्ति सरकारी उद्योगो को चलाते है उनका कोई व्यक्तिगत जोखिम नही रहता है।
4. सरकारी निगमो की कार्य प्रणाली पर संसद का अपर्याप्त नियंत्रण है परिणाम स्वरूप लागत बढ़ जाती है।
5. निगमों तथा मंत्रालयों में पारस्परिक सहयोग का अभाव है इसके परिणाम स्वरूप विकास की गति अवरूद्ध हो जाती है।
6. अनेक परियोजनाओं में पूँजीगत व्यय काफी अधिक होने से भी अति पूँजीकरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। उदाहरण के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हिन्दुस्तान फर्टिलाइर कॉरपोरेशन, एरोनॉटिक्स इत्यादि में अति पूँजीकरण की स्थिति पायी जाती है।
7. अनेक सार्वजनिक उपक्रम अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नही कर पा रहे हैं।
8. निजी क्षेत्र की अनेक रूग्ण इकाइयों का स्वामित्व सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इनके अधीनीकरण से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुल लाभों में गिरावट आयी है।
9. सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकाधिक उद्यम ऐसे है जिनमे निवेश की मात्रा बहुत अधिक है किन्तु उनका गर्भकाल बहुत लम्बा है अत: तत्काल लाभ नही मिल पाता।

सुझाव:

1. सार्वजनिक उपक्रमों को इस प्रकार की कीमत नीति अपनानी चाहिये जिससे न केवल वर्ग-विशेष को बल्कि सम्पूर्ण समाज को लाभ हो।
2. सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य-कुशलता की जॉच प्रतिवर्ष की जानी चाहिए और गुणनियंत्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
3. सार्वजनिक उपक्रमों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए उपक्रमों के विभेदन, ऊँची उत्पादकता, शोध एवं विकास के लिये विनियोग तथा प्रतियोगी लागतों के विकास के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।
4. सार्वजनिक उपक्रमों की निष्पादनता में सुधार के लिए उन उपक्रमों मे उद्देश्यों को परिमाणात्मक रूप में निश्चित किया जाना चाहिए तथा इन उपक्रमों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्तरदायित्वों की स्पष्ट रूप से निश्चित किया जाना चाहिए।
5. सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में उत्पादन की नवीनतम प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए और इन उपक्रमों की व्यवस्था में भी नवीनता का संचार करते रहना चाहिए।
6. सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की नियुक्तियॉ योग्यता, अनुभव व प्रशासनिक क्षमता के आधार पर होनी चाहिए तथा प्रत्येक औद्योगिक इकाई में इस प्रकार की व्यवस्था रहनी चाहिए कि योग्य एवं प्रतिभावान तथा परिश्रमी व्यक्ति ही सर्वोच्च स्थान तक पहुँच सके।
7. सार्वजनिक उपक्रमों की निष्पादनता में सुधार के लिए अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में प्रतियोगी द्वैतवाद का विकास किया जाना चाहियें जिससे कि सार्वजनिक एकाधिकार के क्षेत्र में निजी उद्यमियों को प्रवेश की स्वतंन्त्रता हो।
8. सार्वजनिक उपक्रमों को अपने वित्तीय साधन जुटाने के लिए पूँजी बाजार में जाना चाहिए।
9. सार्वजनिक क्षेत्र की रूग्ण इकाइयों को निजी क्षेत्र को बेचना चाहिए।
10. सार्वजनिक उपक्रम में अतिरेक श्रमिकों को अन्यत्र किन्हीं उत्पादक व्यवसायों में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

उपसंहार-यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है फिर भी इन्हे आशातीत सफलता नही मिली है। जिस प्रकार चांद पर भी काला धब्बा होता है उसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में भी कुछ कमियां विद्यमान है परन्तु इससे, इसके महत्व को कम नही आंका जा सकता। आज आवश्यकता है कि सार्वजनिक उपक्रमों की

RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

समस्याओं को यथा संभव दूर करने का प्रयास करना होगा तभी ये उपक्रम 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' की उक्ति को चरितार्थ करेगें। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र, दोनो एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य पर्याप्त सामंजस्य होना भी आवश्यक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का औचित्य प्रमुखत: वितरणात्मक न्याय पर आधारित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. व्यावसायिक पर्यावरण- डॉ. एस.के.सिंह
2. व्यावसायिक पर्यावरण- वी.सी. सिंन्हा
3. व्यावसायिक पर्यावरण - डॉ.जे.सी. वार्ष्णेय, डॉ.एस.सी.जैन
4. Business Environment- F. Cherunilam
5. बिजनेस इनवायरमेन्ट - एच.एल.आहूजा
6. बिजनेस इकॅानामिक्स - एस.चॉद

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारतीय समाज में महिलाएं : दशा एवं दिशा

डॉ. दिनेश कुमार*

* असि. प्रोफेसर, गुलाब देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्राचीन काल का वह भारतीय समाज जिसके महिमा का वर्णन वेद–पुराणों एवं उपनिषदों में मिलता है, उसी समाज का आज का स्वरूप जब प्रिंट मीडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यमों से देखने को मिलता है तो बड़ा ही आश्चर्य का भाव मुखरित होता है। एक ओर इसी देश के समाज की सभयता और संस्कृति का स्वरूप देखने को मिलता है कि 'यत्र नारियस्तु पूज्यंति रमन्ते तत्र देवता' ऐसी कल्पना की जा चुकी है और वहीं दूसरी ओर आज के समाज का घृणित स्वरूप जब भौतिकतावादी और प्रगतिवादी चोला ओढ़े सामने आता है तो मन में स्वत: द्वन्द्व उत्पन्न हो जाता है। कि आज की बातें सच है या पुरानी। शायद दोनों ही अपनी जगह सही है। पुरानी सभ्यता और संस्कृति के विकास में हम इतने लीन हो गये कि अपनी नैतिकता, शिक्षा का पावन उद्देश्य, मानव के सर्वांगीण विकास आदि रास्तों से शायद भटक गये। और भटके हुए रास्ते पर भटकते–भटकते इतने दूर निकल गये कि अपनी विरासत को ही गंवा बैठे। इस बिन्दु पर चिन्तन मनन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि हम जिस प्रगतिवादी और विकासवादी शिक्षा रूपी पतवार से आगे बढ़े शायद उसी में कुछ दोष था। हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा, उसका उद्देश्य, उसका स्वरूप निश्चित और निर्धारित करते हुए उसी पर बढ़ते गये, परन्तु आज की जो आवश्यकताएं हैं वे इस शिक्षा द्वारा पूरी नहीं हो पा रही हैं। आज महिलाएं अपने घर में, समाज में या यूं कहा जाये कि कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं यदि ऐसी ही स्थिति कुछ और वर्षो तक बनी रही तो आगे आने वाले दिनों में इनकी स्थिति क्या होगी ? और इनकी अनुपस्थिति में पुरूषों की स्थिति क्या होगी? यह एक व्यापक और अति ज्वलनशील मुद्दा है। इस प्रपत्र में इसी पर चर्चा की गयी है।

प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति– प्राचीन काल में जब समाज में चारो ओर संसाधनों की अल्पता थी, खाना पेटभर नहीं मिलता था, कपड़ा शरीर को ढ़कने के लिए नहीं मिलता था, रहने के नाम पर एक ही घर में अनेक लोग रहते थे तब समाज में संस्कार था। महिलाओं को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लोग रिश्तों की डोर से आपस में मजबूती से बंधे रहते थे। समाज या गांव में एक व्यक्ति के घर सुख या दुख के अवसर पर सभी लोग मिलकर एक दूसरे के सहयोग की भावना से जुड़ कर कार्य करते थे। तब चरित्रवान बनने की शिक्षा घरों में दी जाती थी किन्तु आज यह केवल पुस्तकों में सिमट कर रह गयी है, लोग विद्यालय कम जाते थे परन्तु शिक्षित ज्यादा होते थे।

वर्तमान में महिलाओं की स्थिति – जब से देश आजाद हुआ है तब से महिलाओं को भी पुरूषों के ही समान अधिकार प्रदान किये गये जो कि इससे पहले लगभग मुगलकाल के प्रारम्भ से ही दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ते जा रहे थे। अत: इस समय महिलाओं की सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी, उसे सुधारने के लिए संविधान में अधिकार सुरक्षित किये गये फिर भी उसे सुधारने में कई दशक लग गये। आज के इस प्रतियोगितावादी युग में महिलाएं भी पुरूषों की बराबरी देश की सेवा के लगभग सभी क्षेत्रों में कर रही हैं। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति और अधिक सुदृढ़ करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकारें द्वारा अनेकानेक कार्यक्रम संचालित हैं जो निम्नलिखित है–

1. समेकित बाल विकास सेवा योजना
2. ड्वाकरा योजना
3. महिला विकास निगम
4. राष्ट्रीय महिला कोष
5. विल योजना (WILL:Womens Interested Learning For Life)
6. नरोड़ा प्रशिक्षण योजना
7. स्वास्थ्य सखी योजना
8. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना
9. महिला उत्थान योजना
10. महिला स्वधारा योजना
11. महिला स्वयं सिद्ध योजना
12. किशोरी शक्ति योजना
13. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना
14. महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना
15. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
16. संशोधित बालिका समृद्धि योजना
17. जननी सुरक्षा योजना
18. जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना
19. वंदेमातरम योजना
20. कन्यादान योजना
21. कन्या विद्याधन योजना
22. महिला समूहों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना
23. पंचधारा योजना (वात्सल्य योजना, ग्राम योजना, आयुष्मती योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, तथा कल्पवृक्ष योजना)
24. इन्दिरा सहारा योजना
25. इन्दिरा सूचना शक्ति योजना
26. छात्राओं हेतु साविधि जमा योजना

27. छात्राओं हेतु पोषण योजना
28. राजलक्ष्मी योजना
29. अपनी बेटी अपना धन योजना
30. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।

उपरोक्त योजनाओं पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति को उन्नत करने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए गये यदि उनका सही से क्रियान्वयन किया गया होता तो देश की स्थिति आज कुछ और ही होती। आज शहरी महिलाओं की स्थिति में बहुत उन्नति हुई है कि दूर-दराज के गांवों में, जन जातीय क्षेत्रों में आज भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि लगता ही नहीं है कि ये उसी देश के लोग हैं जहां एक अच्छा भारत बसता है।

भविष्य में महिलाओं की स्थिति- एक ओर तो देश की महिलाएं सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं तो वहीं दूसरी ओर समाज के लोगों की मानसिकता, सामाजिक व्यवस्था आदि से ग्रसित होकर जब भ्रूण हत्या जैसी घिनौनी गतिविधियों को लोग अंजाम देते हैं तो पुन: एक बार द्वन्द उत्पन्न हो जाता है कि जब बालक और बालिका में कोई भेद दिखाई नहीं देता तो ऐसी स्थिति क्यों? आज दिन प्रति दिन महिला व पुरूष का अनुपात कम होता जा रहा है, तो जरा सोचिए कि आपके बेटे के लिए बहू कहाँ से आयेगी? इस स्थिति में महिलाओं की जिम्मेदारियाँ, तनाव, कार्य दबाव आदि बढ़ जायेगा जिससे उनकी पारिवारिक, सामाजिक जिंदगी और दु:खदायी होने लगेगी।

निष्कर्ष- प्राचीन काल से आज के इस प्रतियोगिता और प्रगतिवादी युग तक महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई है। ये भी अपने पैरों पर खड़ी होने लगी हैं और देश की सेवा के सभी क्षेत्रों जैसे- व्यापार, सरकारी प्रशासनिक सेवा, चिकित्सा सेवा, प्रौद्योगिकी सेवा, पुलिस, सेना, फौज आदि सभी में आगे बढ़ रही हैं। आज बोर्ड परीक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं में लड़किया, लड़कों से भी आगे हैं। इनका विकास नि:संदेह सराहनीय है, परन्तु कुछ सामाजिक तत्व जो इनके विकास में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं उनसे शक्ति से निपटने की आवश्यकता है। सभी जगहों पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये और इसमें दोषी व्यक्तियों पर शख्त कार्यवाही किया जाये तो हमारा भारत देश पुन: सोने की चिड़िया बन कर पूरे आसमान में उड़ने लगेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. गर्वनमेण्ट ऑफ इण्डिया, प्लॉनिग कमीशन, पंचवर्षीय योजना नयी दिल्ली।
2. गुप्ता बी.के.,महिला सशक्तिकरण का यथार्थ, प्रतियोगिता दर्पण दिसम्बर 2005
3. बहोरा, सुनीता, लघु ऋण व्यवस्था के जरिये महिला सशक्तिकरण कुरूक्षेत्र नवम्बर 2000
4. ज्ञान दायिनी, समाज विज्ञान शोध पत्रिका दिसम्बर 2004

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Potentiality of Tourism and its Impact on the Golden City of Rajasthan

Dr. Bhavna Sharma* Dr. Meenakshi Mahur**

*Assistant Professor (Geography) S.M.B. Government PG College, Nathdwara, Rajsamand (Raj.) INDIA
** Assistant Professor (Zoology) S.M.B. Government PG College, Nathdwara, Rajsamand (Raj.) INDIA

Abstract - One of the ways to satisfy the curious nature of human beings is Tourism. Well,tourism promotes travellers to travel to these areas to appreciate, encourage and take care of cultural and natural history and not to disrupt the integrity of the place. Rajasthan has unique tourism assets and is a heritage state of India.Jaisalmer is a beautiful city in Rajasthan, also known as 'Golden City' because the yellow sand and the Sun-rays give a golden shadow to the city. Moreover, in the Jaisalmer district, tourism has been acknowledged in various forms like natural, heritage, religious, rural, cultural, wildlife, adventure and ecotourism etc. It attracts a large number of domestic and international tourists each year due to its richness in tourism.

This paper aims to offer valuable insight into different types of tourism in the said area and is an attempt to assess the potentiality of tourism in the Jaisalmer district. There is various tourism type identified. Besides the tourism potentiality in the studied area, the paper also tells that the host community of Jaisalmer perceived the economic and social impact of tourism development from both positive as well as negative perspectives.The study found that the people of Jaisalmer are very hospitable and the town has huge tourism potential.
Key Words: Tourism, Potentiality, Heritage, Culture, UNESCO.

Introduction - One of the ways to satisfy the curious nature of human beings is Tourism. The recognition of this in the industry has been one of the most acceptable indicators of global socio-economic development. Thus, the potential of accountable tourism in any form cannot be neglected or rejected.

Study Area: Jaisalmer is a beautiful citywhich situated in the western part of Rajasthan,also known as 'Golden City' because the yellow sand and the Sun-rays give a golden shadow to the city. It has an area of 38,401 km square with apopulation of 6,69,919 and it is the biggest districtof Rajasthan and lies in the western part of Rajasthan.

Source: Internet

Objective: The main objective of the research paper is to tell the potentiality of tourism in the Jaisalmer district and its impact on the local people. Besides this how Jaisalmer can become the most favourite destination and how tourism can be the leading industry. The reason for selecting Jaisalmer district is that Jaisalmer culturally, economically and geographically is a perfect representative of Rajasthan.

Methodology: As the study concentrates on the possibilities of tourism development in the Jaisalmer district so the observative method has been adopted in the study. The secondary data is to be collected from published sources.The methodology used is descriptive and empirical in nature.

Potentiality of Tourism:

Adventure Tourism: Possibility of camel riding, Jeep safari, hot Air Ballooning, Jet Skiing, Trekking, Rappelling, Quad Biking, Birding, Rock Climbing, Paragliding, Parasailing, parachuting etc. adventures can be developed.

Rural Tourism: Foreign tourists want to feel what they don't have in their country so, to feel the rural lifestyle, hustle &bustle-free life of the village rural tourism must be promoted by providing basic infrastructures.ChokhiDhani is a place in Jaipur which is a perfect example of rural tourism, so on this pattern villages like Lodarva, Khaba can be developed.

Border Tourism: The study area has a 464 km long happening internationalboundary with Pakistan. So, many

other places like Longewala, Gatwalaand Langtala can be developed.

Film Tourism: The locations of the study area can be seen in many Hollywood, Bollywood movies and T.V. serials. There are too many cultural, natural locations along with international border. So, it is needed that government policies and government processes for permission of shooting should be more vulnerable.

MICE Tourism: Governments should promote the city asthe favoured destination for MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) tourism.There are endless sightseeing and cultural tours like forts, palaces and natural landscapes for MICE tourists with exciting adventure activities.

Wedding Destination: Jaisalmer has enough beauty for a destination wedding and efforts should make in this way so that Jaisalmer became the first choice for destination weddings. Recently Bollywood celebrities KiyaraAdwani and Siddharth Malhotra got married in Suryagarh Palace of Jaisalmer. There are many more places for destination weddings.

Geo-Heritage sites: The geo-parks are marked by UNESCO on a global scale to preserve the geo-heritage sites. One area of the study area has been identified as Geo-Heritage by Geological Survey of India which is Akal Wood Fossil Park. Many more sites can be identified as geo-heritage like Lathi series, Sanu mines.

Energy& Mining tourism: Wind park - Lakhmana, Fatehgarhand Solar energy park- Nokh, Fatehgarh, Sanu limestone mines, Unroi limestone minesetc. can be developed as mining tourist spots.

Energy Tourism

Ethnic Tourism

Village Tourism

Adventure Tourism

Vintage Tourism

Architectural Tourism

Source: Internet

Vintage tourism: It isthe joys of aging**,** somethingwhich is too old to be termed used called "vintage".Many retro things are in the style of the mid-century modern era. Jaisalmer is a nest for vintage things like "Heritage Museum", "Ptwa Haveli Museum", "Baa Ri Haveli" and many more palaces which can promote Vintage tourism.

Ethnic Tourism: Jaisalmer is full of ethnicitytextile crafting tie-dyed cloth, Chunri work, stonework, mirror works, crafts work like SunehriMunawwatiNakkashi, Matheran Kala, Pattu weaving, painting etc.Ethnic tourism is driven by two factors: the desire of unique minority groups to use elements of their culture and the tourists' demand for exotic cultural experiences through interactions with those people.

Architectural Tourism: Jaisalmer is famous for its richly carved building facades. Less known perhaps is the fact that the town and buildings in it overcome the problem of the severe desert summer by special passive design features. So, Jaisalmer has its unique architectural values it is important to know how successful these features are in moderating the thermal environment.

Peace Tourism: Visiting places of worship in a natural environment with the objective to find peace, thus resulting in peace tourism. Jaisalmer is a peaceful and tranquil place. Amar Sagar Lake is one of the spots in Jaisalmer where one has an opportunity to watch a gorgeous sunset. As Jaisalmer is one of the largest districts of India with a very less population. So that's why the beauty of the golden colour creates peace of mind.

Haunted tourism: Kuldhara is considered as the most haunted place and is internationally famous for this. Besides this Khaba fort, the Chudail trail is hidden haunted things of Jaisalmer which can become fascinating among youth.

Desert tourism: Thar desert is the densest desert in the world and this desert is a boon for Jaisalmer. Sam sand dunes and Khuri sand dunes include desert village camps, desert safaris and the desert festival.

Heritage Tourism: "The elements of heritage tourism encompassing historic buildings and monuments, museums, folk art, folk music, parks, fairs and festivals have been coined as heritage tourism (Trotter, 2001)". Jaisalmer has an incredible potential to attract domestic and foreign tourists because of its heritage attractions like "Sonar Quila" which has been declared a World Heritage Site by UNESCO. Here many other sites like the famous Havelis, and Desert National Park also have unique structural and natural values.

Eco-Tourism: In these days, ecotourism is the most favoured term in today's life because it contains sustainability for tourism. Ecotourism has always something to offer for everyone in Jaisalmer in respect of cultural, traditional and scenic beauty to Geographers, Archaeologists, Oceanographers, Geologists, Biologists, Zoologists, Architects and other people and pay attention to the basic need of local people.

Religious Tourism: The Jain temples are the most important religious attractions in JaisalmerChandraprabhu, Rishabhdeo, Shantinath, Kuntanathare some famous Jain temples. Tanot Mata Temple has strategic importance which is located Indian border with Pakistan in Jaisalmer District. Ramdevra is a popular Hindu folk devta and this temple and Ramdevra fair is famous for its social harmony.

Natural Tourism: The biggest desert of India 'The Thar Desert', Sand dunes, Lakes, Desert National Park, Wood fossil park, the natural beauty of the yellow stone etc are the true example of the potentiality of its natural beauty.

Cultural Tourism: From the viewpoint of culture, the Jaisalmer people are the most hospitable people in India. The lifestyle in Jaisalmer is quite fascinating and graceful. The cultural aspect includes customs, costumes ornaments, music dance, sculpture, and architecture and Jaisalmer is a treasure of culture.

Impact of Tourism: The tourism industry is understood to be the forerunner in the 21st century. Being the largest sector global economy, it amounts to generate vast job opportunities and wealth in addition to leisure, learning and experiences throughout the world. It has been accepted as equipment for the development of any economy. The foreign earnings, income for the local community, disbursal of soft skills etc are the manifestations of tourism-led development in any developing nation. In addition to this the preservation of historical and cultural heritage, promotion of peace and harmony and development of state of an art infrastructure are some other benefits accrued.

Tourism has created many opportunities in Jaisalmer where people use their rich culture and heritage as means of employment.The research marks that flourishing tourism has its impacts as better road network in and around the city, development of hotels and guest houses, taxi services, long street market, increasing employment opportunities and purchasing power, educational opportunities, mode of communication, changing dressing sense from traditional to western styles, dietary habits etc. On the other side, over-exploitation of resources, huge heaps of garbage andsolid waste, threats to wildlife due to increasing tourism etc. are some of the challenges which need to be addressed.

Economic Effects: Tourism has the potential to increase economic development, employment, job creation, poverty alleviation, improvement of jobs and income redistribution and this economic development reduces emigration from rural areas. It provides employment in the accommodation sector, restaurants, taxis, souvenir sales, hotels, nightclubs etc. and supports local people in the form of street vendors, rickshaw drivers and informal guides. So, tourism bounds people to their own home soil by providing financial aid. Tourism is increasing the importance of the service sector. It is a catalyst for foreign exchange earnings. Tourism promotes producer groups and Increases competitiveness in product design and quality. It is a tool for poverty reduction & inclusive growth of the whole area. Tourism supports approximately 7% of workers in the world.

Nonetheless, tourism could also have an adverse impact on the economy. Its growth may lead to deindustrialization in other sectors (Copeland, 1991); this phenomenon is often called the 'Dutch Disease effect'. Moreover, in the areas around the arrival point, unhealthy living conditions persist giving rise to the lack of proper health facilities, potable water, and waste management facilities.

Social and Cultural Effects: Tourism shows both social and cultural benefits to society like preserving the local culture and heritage, strengthening communities, providing social services, commercialization of arts, crafts, food, ornaments, garments and cultural revitalization of art and customs forms and the preservation of heritage. The events, fair & festivals strengthen and rejuvenate the local community and also gives a great boost. In the last decade of the 20th century, the study area got a boom in the tourism sector and Jaisalmer became the most vibrant and worth wandering place for tourists.

Tourism protects the rural culture of the area. As we can see Golden Fort of Jaisalmer got placedon UNESCO's cultural heritage list. The dance form of Kalbeliya society became commercialized and internationally famous. GulaboSapera is a renowned name for the Kalbeliya dance form. Ghoomar, Terahtali dance form has become worldwide famous and crafts of the study area like Usta kala and Matheran kala get nationally appeared.So, it is true to say tourism increases social and cultural values and vice versa.Tourism brings people close to each other. It works like a peacemaker. It fosters understanding, moral behaviour and mutual sympathy between people and cultures and reduces their prejudices as it provides a cultural exchange of traditions and ethnicity between host and guest and improves the life living style of the local community.

All things have their positive and negative aspects. Hence tourism also has its negative perspective. Sometimes tourism acts like a vehicle to spread diseases like AIDS, Swine Flu, Corona etc. Although commercialization of the local product is good sometimes it destroys its basicity. To satisfy the tourist when the original form of local product gets mixed with the new one then local product started to lose its originality. Tourism creates cultural clashes, cultural deterioration and crime. Prostitution, sexual exploitation of children, human trafficking, addiction to drugs, crime, gambling behavioural changes. It can be understood by Doxey's Irritation Index Model.

Environment Effects: Tourism helps in the conservation of resources. The sought-after tourist sites, increased appreciation and the reputation attached to any location generally get supervised by the concerned authority. Important tourist destinations of Jaisalmer have been managed with an extra care in terms of water management, cleanliness along the roadside and transformed patterns in the use of resources. The local host community in the

area is imbibed with daily habits in sync with visitors. Moreover, the tourists in the desert areas were found to be conscious enough of the knowledge of the concerned environment. They generally behave as a natural audience during their trekking in dunes and remote village visits so as to gather more and more information about the local ecosystem and the habits of the indigenous people to understand their ways to cope with the harsh climate of desert areas. Hence environmental education can be an important impact in this regard. 'This usually requires well-informed local guides to aid the visitors. (Drumm and Moore 2005)'.

Tourism in the region has some adverse issues to deal with. This is basically observed in the reserved tourist areas. Possibilities of the destruction of the resources by the visitors coupled with the degradation of soil and dispersal of debris in various ways and in many forms are observed. 'The overcrowding in the arid and semi-arid areas results in diminished crop yields, contaminated and depleted water bodies and eroded soil (Benmecheri 2007)'.

Conclusion: The study found that Jaisalmerhave huge tourism potential. The research marks that flourishing tourism has its impacts. Jaisalmer is the preferred location. The federal and state governments must take action to increase both domestic and international travel. Numerous policies have previously been approved, but their lack of application and ignorance could harm the sector's expansion. Therefore, adequate implementation is necessary. The tourism industry in Jaisalmer has a major contribution to attaining the goal of sustainability of human development. The eradication of poverty, generation of employment and environment regeneration are some of the ways through which tourism is catering socially, economically and environmentally. Though tourism often takes society for granted and the benefits accrued sometimes remain at the cost of the traditional values and culture of the host society.

References:-

1. OSH, B. (1968): Jaisalmer - Urban Form and Pattern of a Medieval Indian Town. Urban and Rural Planning Thought. Vol.XI (1). School of Planning and Architecture, New Delhi.
2. Copeland, B. R. (1991). Tourism, welfare and de-industrialization in a small open economy. Economica, 515-529.
3. Shalini (1994): Cultural Tourism and Heritage tourism, Ramat Publication Jaipur
4. Shackley Myra. (1996): "Community Impact of the camel safari industry in Jaisalmer"Tourism Management, Vol.17, NO.3, pp. 213-218, 1996.
5. Sharpley, R. (2000). Rural Tourism and the Challenge of Tourism Diversification: Singh
6. Khatri L.N. (2009) Jaisalmer Folklore, History & Architecture, Hindusthan Printing house, Jodhpur.
7. Koens, K.; Postma, A.; Papp, B. (2018) Is OvertourismOverused? understanding the impact of tourism in a city context. Sustainability, 10, 4384.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

यूक्रेन-रूस संघर्षः भारत के लिए चुनौती या संभावना

प्रदीप कुमार शर्मा *

* सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान) राजकीय महाविद्यालय, बसेड़ी, जिला धौलपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – भारत जी-20 और शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष है। इस नाते वैश्विक नेतृत्व दिखाने व इस युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के लिए उसपर और ज्यादा कुछ करने के लिए दबाव डाला जाएगा। इस संघर्ष ने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को धक्का पहुंचाया है और दक्षिणी दुनिया के देशों के बीच इस बात को लेकर आम सहमति बढ़ रही है कि यह दुश्मनी जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए।यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमीन झापरोवा की भारत यात्रा नई दिल्ली के साथ मजबूत संबंध बनाने और विवाद को हल करने में उसकी मदद लेने की कीव की इच्छा को प्रदर्शित करती है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस पूर्वी यूरोपीय देश के किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की यह पहली भारत यात्रा है। इससे पहले, यूक्रेन ने इस युद्ध को लेकर भारत के रुख पर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जताई थी। पिछले साल अगस्त में, यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भारत द्वारा रूस से ऊर्जा खरीद किए जाने पर हमला बोलते हुए कहा था कि इसमें 'यूक्रेन का रक्त' भी शामिल है। कीव को नई दिल्ली से 'और अधिक व्यावहारिक समर्थन' की उम्मीद थी। लेकिन सुश्री झापरोवा ने कहीं ज्यादा व्यावहारिक नजरिया अपनाते हुए कहा कि यूक्रेन अन्य देशों के साथ भारत के ऊर्जा और आर्थिक संबंधों को लेकर कोई निर्देश नहीं देना चाहता, लेकिन उनका देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। रूस एक ऐतिहासिक साझेदार है जिसके साथ भारत के गहरे रक्षा संबंध हैं। ऐसे में, भारत के लिए कोई आसान एवं तात्कालिक विकल्प उपलब्ध नहीं है। और, रूस की आक्रामकता यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। इस युद्ध ने भारत के अपने पश्चिमी साझीदारों के साथ रिश्तों को भी जटिल बना दिया है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुवाई में अटलांटिक-पार की शक्तियों ने रूस के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। भारत और दुनिया के अधिकांश दक्षिणी देश इससे दूर रहे हैं। प्रस्तुत शोधपत्र यूक्रेन-रूस संबंधों पर केन्द्रित तथा द्वितीयक तथ्यों पर आधारित एक महत्वपूर्ण शोध अध्ययन है जिसके अंतर्गत यूक्रेन-रूस संघर्ष की समीक्षा भारतीय सन्दर्भ में की गयी है।

शब्द कुंजी – राजनीतिक व्यवस्था, युद्ध-रणनीति, परिप्रेक्ष्य, चुनौती, संभावना।

प्रस्तावना

यूक्रेन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य – यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक देश है। यह रूस के बाद यूरोप में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा पूर्व और उत्तर-पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी, दक्षिण में रोमानिया और मोल्दोवा से मिलती है। इसका क्षेत्रफल 603,628 वर्ग किमी है। 2021 में, 41.6 मिलियन की आबादी के साथ, यह यूरोप में आठवां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कीव है।

आधुनिक यूक्रेन का क्षेत्र 32,000 ईसा पूर्व का है। 13वीं शताब्दी में, इस क्षेत्र पर पोलिश-लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया-हंगरी सहित कई रियासतों ने शासन किया। 18वीं शताब्दी के दौरान इसका क्षेत्र पोलैंड और रूसी साम्राज्य के बीच विभाजित हो गया। रूसी क्रांति के बाद, एक यूक्रेनी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, और इसे 23 जून 1917 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यूक्रेनी पीपल्स रिपब्लिक घोषित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की।

2013 में, यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूक्रेन-यूरोपीय संघ समझौता को निलंबित करने और रूस के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध बनाने का फैसला किया। इसका जबरदस्त विरोध हुआ और यानुकोविच को हटाकर एक नई सरकार की स्थापना हुई। इन घटनाओं ने मार्च 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया के विलय की पृष्ठभूमि तैयार की। 2016 में, यूक्रेन यूरोपीय संघ के साथ गहरे और व्यापक मुक्त व्यापार क्षेत्र का आर्थिक घटक बन गया।

यूक्रेन एक विकासशील देश है जो मानव विकास सूचकांक में 74वें स्थान पर है यह यूरोप का सबसे गरीब देश है, जो बहुत अधिक गरीबी दर के साथ-साथ गंभीर भ्रष्टाचार से पीड़ित है। हालांकि, अपने व्यापक उपजाऊ खेत के कारण, यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातकों में से एक है। यह रूस और फ्रांस के बाद यूरोप में तीसरी सबसे बड़ी सेना भी रखता है।

यूक्रेन की राज्य भाषा यूक्रेनी ह। यहां व्यापक रूप से रूसी बोली जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार, 67.5 प्रतिशत आबादी ने यूक्रेनी को और 29.6 प्रतिशत ने रूसी को अपनी मूल भाषा घोषित किया। यूक्रेन की 99.4 फीसदी आबादी साक्षर है। यूक्रेन का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है।

यूक्रेन-रूस संघर्ष – रूस-यूक्रेनी युद्ध फरवरी 2014 में शुरू हुआ एक निरंतर और लंबा संघर्ष है, जिसमें मुख्य रूप से एक तरफ रूस और दूसरी ओर यूक्रेन और उसकी समर्थक सेनाएं शामिल हैं। युद्ध क्रीमिया की स्थिति और डोनबास के कुछ हिस्सों पर केंद्रित है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव विशेष

रूप से 2021 से 2022 तक भड़क उठा, जब यह स्पष्ट हो गया कि रूस यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू करना चाह रहा है। फरवरी 2022 में संकट गहरा गया, और रूस को वश में करने के लिए राजनयिक वार्ता विफल हो गईय इसकी परिणति रूस में 22 फरवरी 2022 को अलगाववादी नियंत्रित क्षेत्रों में सेना के स्थानांतरण के रूप में हुई।

यूक्रेन-रूस संघर्ष के बारे में विचारकों का मत -सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. अरुण कुमार के अनुसार, वैश्वीकरण के कारण किसी भी जंग का दुनिया के हर हिस्से पर असर पड़ता है। वह युद्ध चाहे खाड़ी के देशों में हो या अफ्रीका में। परंतु रूस-यूक्रेन जंग इन सबसे अलग है। यह युद्ध नहीं बल्कि विश्व की 2 महाशक्तियों के बीच टकराव है। इस युद्ध में एक ओर रूस की सेना है, जबकि दूसरी ओर अमरीका व नाटो द्वारा परोक्ष रूप से समर्थित यूक्रेन की सेना, जिनकी तनातनी भारत पर भी असर छोड़ सकती है। यूक्रेन और रूस के बीच होने वाला यह युद्ध तात्कालिक तौर पर वैश्विक कारोबार, पूंजी प्रवाह, वित्तीय बाजार और तकनीकी पहुंच को भी प्रभावित करेगा। इस युद्ध में भले ही रूस ने हमला बोला है, लेकिन उस पर प्रतिबंध भी लागू हो गया है।

फिलहाल दुनिया भर में रूस गैस और तेल का बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता है। अभी इन उत्पादों के कारोबार भले ही प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, लेकिन मुमकिन है कि जल्द ही रोक लगाई जा सकती है। जाहिर है, इसके बाद इनके दाम बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर, यूक्रेन गेहूं और खाद्य तेलों के बड़े निर्यातकों में से एक है। भारत भी वहां से लगभग 1.5 बिलियन डालर का सूरजमुखी तेल हर साल मंगाता है। ऐसे में, भारत में इन वस्तुओं के आयात प्रभावित होने से खाद्य उत्पादों पर भी असर पड़ेगा। यानी यह युद्ध ऊर्जा, धातु और खाद्य उत्पादों के वैश्विक कारोबार को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।

प्रो. कुमार के अनुसार, जब बाजार में अनिश्चितता का दौर आता है, तो बिक्री शुरू हो जाती है। विदेशी निवेशक अपनी पूंजी वापस निकालने लगते हैं, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) और विदेशी संस्थागत निवेश (एफ.आई.आई.) का आना भी कम हो जाता है। जंग के हालात में सभी देश अपने-अपने निवेशकों को अपने-अपने मुल्क में ही निवेश करने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। तकनीक भी इन सबसे अछूती नहीं रहती। चूंकि युद्ध में आधुनिक तकनीक की जरूरत बढ़ जाती है, इसलिए बाकी क्षेत्रों के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। एक क्षेत्र ऐसा है जहां युद्ध फायदा कराता है और वह है सैन्य साजो-सामान से जुड़े उद्योग।

यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि यूक्रेन-रूस युद्ध कितने समय तक चलता है। विशेषज्ञों का अनुमान यही है कि यह जंग लंबी नहीं चलने वाली। रूस 1979-89 में हुई अफगानिस्तान वाली गलती को शायद ही दोहराना पसंद करेगा। इसलिए दोनों देशों के बीच बातचीत की मेज सजने की भी खबर आ रही है। मगर इतना तो तय है कि हाल-फिलहाल में जंग भले ही खत्म हो जाए, परंतु युद्ध उपरांत शीतयुद्ध थमने वाला नहीं। इस बार 1950 के दशक जैसा दृश्य नहीं होगा। उस समय सोवियत संघ (वामपंथ) और पश्चिम (पूंजीवाद) की वैचारिक लड़ाई थी। अब तो रूस और चीन जैसे देश भी पूंजीवादी व्यवस्था अपना चुके हैं। इसलिए यह वैचारिक लड़ाई नहीं, वर्चस्व की लड़ाई है।

इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि इस युद्ध से दुनिया भर में मंदी और महंगाई बढ़ सकती है। रूस की कंपनियों पर प्रतिबंध लग जाने से वैश्विक कारोबार प्रभावित होगा। हालांकि, पश्चिमी देश इस कोशिश में हैं कि वे पैट्रो उत्पादों का अपना उत्पादन बढ़ा दें और ओपेक देशों से भी ऐसा करने की गुजारिश की जा सकती है। फिर भी पैट्रो उत्पादों की घरेलू कीमतें बढना तय है। इनकी कीमत बढ़ते ही अन्य चीजों के दामों में भी तेजी आएगी।

अभी चूंकि बाजार में बहुत ज्यादा पूंजी नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि पहले की तुलना में महंगाई ज्यादा असर डाल सकती है। आयात बढने और निर्यात कम होने से भी भुगतान-संतुलन बिगड़ जाएगा। इस अनिश्चितता के दौर में सोने की मांग भी बढ़ सकती है, जिससे इसका आयात भी बढ़ सकता है। इन सबसे रुपया कमजोर होगा और स्थानीय बाजार में इसकी कीमत बढ़ सकती है।

प्रो. कुमार का मानना है कि यूक्रेन-रूस युद्ध से दुनिया भर के देशों का बजट बिगड़ सकता है। सभी देश अपनी सेना पर ज्यादा खर्च करने लगेंगे। इससे वास्तविक विकास तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा और राजस्व में भी भारी कमी आएगी। महंगाई से कर वसूली बढ़ती जरूर है, लेकिन इनसे राजस्व घाटा बढ़ता जाता है, जिसके बाद सरकारें सामाजिक क्षेत्रों से अपने हाथ खींचने लगती हैं। इससे स्वाभाविक तौर पर देश की गरीब जनता प्रभावित होती है। मुमकिन है कि वैश्वीकरण की अवधारणा से भी जब सरकारें पीछे हटने लगें, जिसका नुक्सान विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों को होगा।

भारत की स्थिति:

- यूक्रेन युद्ध सामरिक स्वायत्तता का अभ्यास करने का एक अवसर रहा है। भारत ने तटस्थता अपनाते हुए वैश्विक शांति का समर्थन करते हुए मास्को, रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखा है।
- भारत ने रूस से तेल खरीदने हेतु पश्चिमी प्रतिबंधों के वातावरण में काम किया। भारत, रूस से 25% तेल खरीद कर रहा है, जो पहले 2% से भी कम थी।
- भारत हाल ही में युद्ध की पहली वर्षगाँठ पर UNGA के एक प्रस्ताव से अनुपस्थित रहा, जिसमें रूस को अपने क्षेत्र से हटने के लिये कहा गया, क्योंकि प्रस्ताव में स्थायी शांति स्थापित करने के स्थायी लक्ष्य की कमी थी।
- रूसी आक्रमण के बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन संकट पर अब तक हुए तीन बार के मतदान में भारत सभी में अनुपस्थित रहा है।
- लेकिन अगर युद्ध जारी रहता है तो पश्चिमी गठबंधन भारत पर 'सही पक्ष' का समर्थन करने हेतु दबाव बढ़ाएगा।
- भारत ने उम्मीद जताई है कि वह शांति हेतु अपनी G-20 अध्यक्षता का उपयोग कर सकता है।

भारत का रुख:

- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर भारत की प्रतिक्रिया जहाँ उसने किसी पक्ष को बिना भला-बुरा कहे नागरिकों की हत्या की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र मतदान से अनुपस्थित रहा, इसी ऐतिहासिक रूप से सतर्क तटस्थता की नीति से मौलिक रूप से अलग नहीं रही है।
- भारत अमेरिका द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के उस प्रस्ताव से भी दूर रहा जिसमें यूक्रेन के विरुद्ध रूस की आक्रामकता की कड़ी निंदा की गई थी।

- भारत यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प से भी अलग रहा।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रस्ताव से भी अलग रहा जो यूक्रेन में चार परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और चेर्नोबिल सहित विभिन्न परमाणु अपशिष्ट स्थलों की सुरक्षा से संबंधित था।

उद्देश्य :

1. यूक्रेन की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में ज्ञात करना।
2. यूक्रेन की युद्ध-रणनीतियों पर प्रकाश डालना।
3. यूक्रेन-भारत के संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना।
4. यूक्रेन-रूस मध्य होने वाले संघर्ष के कारणों को ज्ञात करना।
5. यूक्रेन-रूस संघर्ष के यूक्रेन पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करना।
6. यूक्रेन-रूस संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्ष करना।
7. भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूक्रेन-रूस संघर्ष की चुनौती के रूप में समीक्षा करना।
8. यूक्रेन-रूस संघर्ष की विभिन्न संभावनाओं पर प्रकाश डालना।
9. यूक्रेन-रूस संघर्ष के कारणों एवं परिणामों के बारे में ज्ञात करना।
10. यूक्रेन-रूस संघर्ष का निष्कर्ष प्रस्तुत करना।

सम्बंधित साहित्य पुनरावलोकन - प्रत्येक शोधकार्य हेतु शोधार्थी हेतु सम्बंधित साहित्य का अध्ययन नितांत आवश्यक है क्योंकि उक्त अध्ययन एवं साहित्य पुनरावलोकन शोधार्थी को अध्ययन हेतु चुने हुए विषय की पृष्ठभूमि प्रदान करता है और साथ ही पूर्व में सम्बंधित विषय के विभिन्न पहलुओं पर देश-विदेश में हुए अध्ययनों की जानकारी प्रदान करता है जिसके आधार पर शोधार्थी अपने शोधकार्य हेतु रणनीति निर्मित कर अपने शोध के उद्देश्यों को प्राप्त कर चुनी एवं अध्ययन की गयी घटना के बारे में सामान्यीकरण करता है। प्रस्तुत शोधपत्र के बारे में यह उल्लेखनीय है कि शोधार्थी द्वारा इंटरनेट साइट्स पर उपलब्ध विभिन्न जर्नल्स, शोध अध्ययनों, शोध पत्रों आदि का पर्याप्त अध्ययन किया जिसके आधार पर शोधार्थी न केवल विषय से परिचित हुआ, अपितु उसको विषय एवं विषय सम्बन्धी पूर्व में किये गए अध्ययनों की भी व्यापक जानकारी हुई।

- अनुराधा ओइनम (2020) ने अपने अध्ययन Russia-Ukraine Crisis: India's Concerns and Options में पाया है कि रूस-यूक्रेन संकट से दूर रहने का भारत का निर्णय बताता है कि वह दोनों देशों के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहा है। अपनी तटस्थ स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह संकट भारत के लिए अपनी क्षेत्रीय भू-राजनीतिक स्थितियों के कारण मॉस्को के मुकाबले अपनी संतुलित विदेश नीति का आत्मनिरीक्षण करने और साथ ही, पश्चिम सहित अन्य भागीदारों के लिए नई खिड़कियां खोलने की एक अग्निपरीक्षा बनी हुई है।
- चिंतामन महापात्रा (2021) ने अपने शोध पत्र India's Approach to the War in Ukrain में टिप्पणी की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपेक्षित रूप से चाहता था कि भारत युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति ब्लादिमीर से अनुरोध करके रचनात्मक भूमिका निभाए, लेकिन भारत तटस्थ बना रहा।
- बैरी एस और अन्य (2022) ने अपने संयुक्त अध्ययन 'Russia's War in Ukraine — The Devastation of Health and Human Rights' में पाया कि अकारण रूसी आक्रमण द्वारा शुरू किए गए इस संघर्ष ने यूक्रेनी नागरिकों और सैन्य कर्मचारी को मौत और व्यापक पीड़ा पहुंचाई है। 7.1 मिलियन से अधिक यूक्रेनियन अपने देश के भीतर विस्थापित हो गए हैं, और लगभग 5.3 मिलियन अन्य यूरोपीय देशों में शरणार्थी बनने के लिए सीमा पार कर गए हैं।
- उबिदुल हक (2023) ने अपने अध्ययन The human toll and humanitarian crisis of the Russia-Ukraine war: the first 162 days में लिखा है कि यूक्रेन-रूस युद्ध ने न केवल लोगों की जान ली और चोटें भी पहुंचाईं। युद्ध का स्वास्थ्य सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोग अकारण ही मर गये।

प्राक्कल्पना :

1. यूक्रेन-रूस संघर्ष के बारे में विचारकों के अलग-अलग मत हैं।
2. मानवीय आधार पर यूक्रेन-रूस संघर्ष उचित नहीं है।
3. राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एवं शक्ति आधार पर यूक्रेन-रूस संघर्ष महत्वपूर्ण है।
4. यूक्रेन-रूस संघर्ष दोनों देशों के मध्य बिगड़ते हुए संबंधों का प्रमाण और परिणाम है।
5. यूक्रेन-रूस संघर्ष यूक्रेन और रूस दोनों देशों की सुरक्षा रणनीति, परमाणु शक्ति आदि जानने के लिए पर्याप्त है।
6. यूक्रेन-रूस संघर्ष विकसित राष्ट्रों के लिए यह सन्देश प्रस्तुत करता है कि छोटे देशों की भी अपनी-अपनी सुरक्षा व्यवस्था, परमाणु शक्ति एवं युद्ध रणनीतियां होती हैं।
7. भारत के लिए यूक्रेन रूस संघर्ष एक सबक, सीख और चुनौती है।

विशिष्ट शोध-प्रश्न:

1. यूक्रेन की राजनीतिक व्यवस्था क्या है?
2. यूक्रेन की विभिन्न युद्ध-रणनीतियाँ क्या हैं?
3. यूक्रेन-भारत के संबंधों का क्या और कैसा इतिहास रहा है?
4. यूक्रेन-रूस मध्य होने वाले संघर्ष के विभिन्न कारण क्या थे?
5. यूक्रेन-रूस संघर्ष के यूक्रेन पर क्या क्या प्रभाव पड़े?
6. यूक्रेन-रूस संघर्ष से भारत किस प्रकार प्रभावित है?
7. भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूक्रेन-रूस संघर्ष किस प्रकार चुनौती है?
8. यूक्रेन-रूस संघर्ष ने भारत में किस प्रकार की संभावनाओं को जन्म दिया है?
9. यूक्रेन-रूस संघर्ष के विभिन्न कारण एवं परिणाम क्या रहे?
10. भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूक्रेन-रूस संघर्ष का क्या महत्व है?

शोध-पद्धति - प्रस्तुत शोधपत्र गुणात्मक शोध की श्रेणी में आता है। द्वितीयक तथ्यों के आधार पर किया गया प्रस्तुत अध्ययन भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूक्रेन-रूस संघर्ष पर प्रकाश डालता है। अध्ययन की वैज्ञानिक प्रकृति को सुनिश्चित करने हेतु समाज वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित एवं उनके द्वारा सुझावित सामाजिक अनुसन्धान के समस्त चरणों, यथा, समस्या का चुनाव, अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, प्राक्कल्पना एवं शोध के विशिष्ट प्रश्नों का निर्माण, शोध पद्धति, सामान्यीकरण आदि का अक्षरशः पालन किया गया है। साहित्य पुनरावलोकन हेतु चयनित समस्त अध्ययनों को विभिन्न उपलब्ध इंटरनेट साइट्स से लिया गया है एवं उक्त अध्ययनों के आधार पर ही शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र लेखन कार्य सम्पादित किया गया है।

निष्कर्ष - शोध-पत्र का विषय यूक्रेन-रूस संघर्ष: भारत के लिए चुनौती या संभावना एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके अंतर्गत यूक्रेन-रूस संघर्ष के विभिन्न आयामों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।यूक्रेन-रूस संघर्ष एक

राष्ट्रीय अथवा अंतर–राष्ट्रीय विषय नहीं है, अपितु एक वैश्विक सामाजिक–राजनीतिक विषय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यूक्रेन की राजनीतिक एवं रणनीतियां प्रशंसनीय हैं जिन्होंने रूस जैसे शक्तिशाली देश के लिए आसानी से यूक्रेन पर आसानी से विजय प्राप्त करना और इसको अपने अधीन करना कठिन बना दिया। यद्यपि रूस और यूक्रेन दोनों देश विभिन्न संधियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ लम्बे समय से जुड़े रहे हैं, दोनों देशों के मध्य होने वाली आंतरिक कलह और प्रस्ताव उल्लंघन इस संघर्ष के लिए जिम्मेदार हैं।

यूक्रेन–रूस संघर्ष ने दोनों देशों की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है तथा विश्व के भारत जैसे विभिन्न देशों को अपनी आंतरिक सुरक्षाव्यवस्थाओं को मजबूत करने हेतु प्रेरित किया है। इस संघर्ष ने यूक्रेन को तो हिलाकर रख ही दिया, साथ ही अन्य देशों को भी हिला कर रख दिया है। दोनों देशों में पुनर्स्थापन की समस्या को जन्म दिया है। इस संघर्ष ने मानव–अस्तित्व की क्षणिक प्रकृति को प्रस्तुत किया है।

यूक्रेन–रूस संघर्ष ने भारत जैसे विकासशील देश को विशेष रूप से प्रभावित किया है। भारत के लिए यह संघर्ष एक चुनौती के रूप में है जो भारत को इस बात के लिए जागरूक करता है कि यदि समय रहते शक्ति एवं शक्ति–प्रदर्शन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं को विकसित नहीं किया गया और यदि विश्व के विकसित देशों और दुश्मन–देशों से सफलता पूर्वक निपटने हेतु कोई ठोस रणनीति तैयार नहीं की गयी तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

यूक्रेन–रूस संघर्ष के बारे में विचारकों के अलग–अलग मत हैं। यूक्रेन–रूस संघर्ष यूक्रेन और रूस दोनों देशों की सुरक्षा रणनीति, परमाणु शक्ति आदि जानने के लिए पर्याप्त है।मानवीय मूल्यों के आधार पर यह संघर्ष बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। राजनीतिक आधार पर यह संघर्ष एक सबक है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एवं शक्ति आधार पर यूक्रेन–रूस संघर्ष महत्वपूर्ण है।

इसमें कोइन संदेह नहीं कि यूक्रेन–रूस संघर्ष दोनों देशों के मध्य बिगड़ते हुए संबंधों का प्रमाण और परिणाम है। यह संघर्ष विकसित राष्ट्रों के लिए यह सन्देश प्रस्तुत करता है कि छोटे देशों की भी अपनी–अपनी सुरक्षा व्यवस्था, परमाणु शक्ति एवं युद्ध रणनीतियां होती हैं। भारत के लिए यूक्रेन रूस संघर्ष एक सबक, सीख और चुनौती है।

यूक्रेन की राजनीतिक व्यवस्था सुचारु थी जिसके परिणाम यूक्रेन ने रूस से लोहा मनवा लिया। यूक्रेन की युद्ध–रणनीतियाँ ठोस और योजनावद्ध थीं। यूक्रेन–भारत के संबंधों का इतिहास अच्छा रहा है। दोनों देशों की आतंरिक कलह, प्रतिस्पर्धा और वैमनस्य संघर्ष के महत्वपूर्ण कारण रहे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यूक्रेन–रूस संघर्ष एक चुनौती के रूप में है जो अप्रत्यक्ष रूप से यह आगाह करता है कि थोड़ी सी लापरवाही रूस को मित्र–देश से स्थान पर शत्रु–देश बना सकता है। अतः भारत को चाहिए कि वह अपने मित्र–देशों पर विश्वास तो करे, परन्तु इन पर विजय प्राप्त करने हेतु अपनी शक्ति और सुरक्षा–व्यवस्था को भी ठोस बनाये। अंत में, यूक्रेन एवं रूस संघर्ष भारत के लिए न केवल चुनौती है, अपितु अनेकों संभावनाओं से निहित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अनुराधा ओइनम–Russia&Ukraine Crisis: India*s Concerns and Options, Centre for Warefare Studies] 2022
2. बैरी एस और अन्य–Russia's War in Ukraine — The Devastation of Health and Human Rights', N Engl J Med 2022; 387:102 -105
3. चिंतामन महापात्रा–India's Approach to the War in Ukrain', Indian Foreign Affairs Journal, Vol- 16, No- 2, April & June, 2021/
4. उबिदुल हक– The human toll and humanitarian crisis of the Russia & Ukraine war: the first 162 days, BMJ Glob Health- 2022; 7(10)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारतीय लोकतंत्र में मूल्यों की आवश्यकता

डॉ. सर्वेश्वर उपाध्याय*

* सहा. प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) सर हरीसिंह गौर महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – लोकतंत्र हमारे लिए शासन प्रणाली मात्र नहीं हैं, यह हमारे देश की प्राचीनतम जीवन-शैली है। प्राचीन भारतीय गणतंत्रों और सभा समितियों में तथा तत्समय के जीवानाचार में जो सूत्र समाहित थे, वह आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। हमारे यहां लोकतंत्र प्राचीन समय से संचालित होता आया है। कालक्रम सभ्यता के विकास, आवश्यकता और व्यावहारिकता के कारण लोक से तंत्र पृथक हो गया और सत्ता संत्र में प्रतिष्ठित हो गई। लोक के ऊपर तंत्र ने अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर शासन की शुरुआत की। अनेक बार लोक ने बिना हिंसात्मक क्रांति के सरकारें बदलीं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विगत कुछ वर्षो से देश में लोकतंत्र की जड़ें हिल रही हैं। विशेषकर राज्यों की राजनीति के चलते पिछले दो दशकों में ऐसी बातें जरूर हुई हैं जिन से लोकतंत्र व संसदीय प्रतिमानों पर ऑच आ रही है। राज्य सरकारें जिनमें केन्द्र से पृथक दलों की सरकारें हैं, वे संविधान को, संघ को सीधे चुनौती देते हुए नजर आ रही हैं, यह शुभ लक्षण नहीं हैं। आज का पूरा लोकतंत्र सत्ता के गलियारों में सिमट कर रह गया है। जिसमें लोक उपेक्षित हो रहा है और तंत्र जोड़-तोड़ का परिचायक। आज राजनीतिक स्वार्थ देश लोकतंत्र व संविधान से बड़े हो गये। राजनीतिक दलों के पीछे सिद्धांत व नैतिकता का कोई संदर्भ नहीं है बल्कि चुनाव में जीतने की तात्कालिक आकांक्षा ही उनकी प्रेरणा का मूल स्रोत रह गया है। अब राष्ट्रीय दल भी जोड़-तोड़ की राजनीति में पीछे नहीं हैं।

राष्ट्र के विषय में आज हमारा सोच बड़ा प्रखर और संवेदनशील होता जा रहा है। वर्तमान में संविधान के अंतर्गत संचालित और परिचालित संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था आज पच्हत्तर वर्षो के उपरांत न केवल आस्थिर सी हो गई, वरन् डगमगाने लगी है। हमारा निर्वाचन अधिनियम भी अनेक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपर्याप्त और अप्रासंगिक सा सिद्ध हो रहा है। 'पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावी फिजा 2021 में मतदाताओं से ज्यादा आतंक, दहशत की आवाज सुनाई दी। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में 775 आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार खड़े हुये थे, इनमें 280 बाहुवली और 45 कुख्यात अपराधियों के अलावा 450 ऐसे उम्मीदवार थे जिन पर हत्या, रंगदारी और अपहरण के मामले दर्ज थे। पहली बार लगभग सभी दलों ने खुले हाथ से बाहुवलियों को टिकिट देकर लोकतंत्र के महापर्व को हाईजैक करा दिया।' इससे काफी हद तक कहा जा सकता है कि चुनाव महज औपचारिक बनते जा रहे हैं न सिर्फ पैसों के प्रभाव से चुनाव विकृत हो रहे हैं बल्कि धनपतियों, बाहुवलियों और विदूषकों ने प्रजातंत्र की सबसे अहम प्रक्रिया चुनाव को मखौल बनाकर प्रजातांत्रिक ढांचे की चूलें ही हिलाकर रख दी हैं। 'आज देश में अपराधियों को क्या सजा दी जाय, के स्थान पर किस जेल में रखा जाये, विचारणीय मुद्दे बन गये हैं।' चुनाव में कोई भला आदमी उम्मीदवार नहीं चाहता। यदि चाहे भी तो अदृश्य चुनाव खर्च उसे चुनाव प्रक्रिया से दूर ही रखता है। नगर निगम के एल्डरमेन हों, या लोकसभा के मनोनीत सदस्य हों या किसी राज्य के राज्यपाल का पद हो सब जनता द्वारा अस्वीकृत राजनीतिज्ञों के पाश में समाहित हैं। इन पदों की अब न तो गरिमा रही, न कोई आयाम न आशय। हो रही विसंगतियों का संभवत: प्रमुख कारण भी यही है।

लोकतंत्र में राजनीति सहिष्णुता के आधार पर चलती है परन्तु अब इस अवधारणा के प्राण सूखने लगे हैं। संविधान, सदन लोकतंत्र के पूजाघर हैं, यहां प्रजातंत्र की आराधना और आरती होती है। वैचारिक यज्ञ होते हैं जिनसे उठने वाली महक से प्रजातंत्र महकता है, पुष्ट और परिपक्व होता है, लेकिन अफसोस कि लोकतंत्र के ये पूजाघर सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के केन्द्र बनते जा रहे, राजनीतिक कलह, कपट और कटुता के कारावास बनते जा रहे। संसद सदस्यों द्वारा अध्यक्षीय आसंदी का अनादर आम बात हो गई है अभी हाल में गोवा और झारखंड की विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों और स्पीकरों के राजनीतिक गदन ने प्रजातंत्र में विधायिका की सर्वोच्चता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजनीतिक अराजकता ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आमने-सामने खड़ा कर दिया। संवैधानिक व्यवस्थाओं के सूत्र ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं।

केन्द्र में संसद सदस्यों की भूमिका का संबंध केवल संसदीय निर्वाचित क्षेत्रों के हितों से ही नहीं होता, अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र के हितों से भी होता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे राष्ट्रीय हितों के साथ ही अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के हितों का विकास करेंगे। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि विधायी सदन को अधिक सक्षम, समाजोपयोगी एवं राष्ट्र के हितों के अनुरूप बनाये रखने का प्रयत्न करेंगे। उनका दृष्टिकोण उनकी सोच एवं उनकी कार्यशैली संकीर्णता को प्रोत्साहित नहीं करेगी। किसी क्षेत्र विशेष, किसी वर्ग विशेष के प्रति उपेक्षा के भाव को प्रोत्साहित नहीं करेगी। उनकी सोच दलबंदी के ऊपर राष्ट्रीय होगी, उनका चरित्र राष्ट्रीय होगा, उनमें दायित्व बोध होगा, कर्तव्यपरायणता होगी, उनका आचरण जनता के लिए प्रेरणादायी होगा। इन सारी अपेक्षाओं को पूरा करने में वे पूर्णतया सफल हो सकें, इसलिए उन्हें विशेष सुविधाएं और विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं। जनता की आशाओं को फलीभूत करने के प्रयोजन से विधायी सदनों को भी सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के नियम संचालन का सूत्रधार बनाया गया है। ये विधायी सदन सम्पूर्ण संसदीय प्रणाली के मेरूदंड हैं, हृदय स्थल हैं, राजनीतिक संस्थाओं की शक्ति के स्रोत व लोकतंत्र के पूजाघर हैं।

व्यवस्थापिका के उपबंधों की व्यवस्था करते समय संविधान निर्माताओं के लोकसभा के मंत्रीमंडल संसद अर्थात लोकसभा के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी हो, संसद सूचना प्राप्त करने का, जनमत प्रकाशित करने का माध्यम हो, संसद का सरकार पर पूरी तरह आर्थिक नियंत्रण हो, राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर सकारात्मक बहस हो जैसे लक्ष्य बताये हैं, अपनी इन जिम्मेदारियों को विधायी सदन अनिवार्यत: पूरा कर सकें। इसके लिए संविधान ने विधायी सदनों की बैठक हेतु वर्ष में कम से कम दो सत्र अनिवार्य रूप से बुलाने की बात कही है। इन सत्रों की बैठक हेतु कार्यवाही की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी गई है परन्तु इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी विधायी सदनों की कार्यसंस्कृति अपेक्षित स्तर नहीं पा सकी। संसदीय सदस्यों का आचरण जनता के लिए कहीं से प्रेरणादायी नहीं बन सका। आज असंसदीय भाषा का प्रयोग, अध्यक्षीय आसंदी की अवहेलना आम बात नजर आ रही है।

आवश्यकता है संसदीय सदस्यों को अपना व्यवहार मर्यादित करने की, विधायी सदन की कार्यवाही से संबंधित प्रक्रिया को अवाध गति से सम्पन्न होने दिया जाये। विरोध, विरोध के लिए न होकर मुद्दों के आधार पर हो, आवश्यकता है कार्यवाही संबंधी नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करने की। अपनी बातों को शालीनतापूर्वक सदन में कहा जाये और दूसरों की बात को भी धैर्यपूर्वक सुना जाना चाहिए। सदन को सार्थक संवाद के केन्द्र के रूप में प्रतिस्थापित करना होगा। म.प्र. विधानसभा के तात्कालीन अध्यक्ष श्री ईश्वरदास रोहाणी ने भी सदन की कम होती महत्वता और गुणवत्ता पर अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि 'विधानसभा में आजकल वह टेलेंट देखने को नहीं मिलता जो सरकार को हिला दे या सोचने पर मजबूर कर दे! जनप्रतिनिधि यदि मेहनत करें, अध्ययन के साथ सदन में अपनी बात रखें तो यह हो सकता है' सत्तारूढ़ दलों को भी अपना निरंकुश भाव छोड़ना होगा। अध्यक्षीय आसंदी को भी पूरी निष्पक्षता का परिचय देना होगा। सदनों की कम होती गरिमा लोकतंत्र के चिंतनीय तत्व हैं।

देश की राजनीति इस समय ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें अनेक चुनौतियां सामने आ खड़ी हुई हैं। आज राष्ट्रीय दल भी जोड़तोड की राजनीति में पीछे नहीं हैं। बहुदलीय व्यवस्था, विखंडीय जनादेश ने जोड़तोड़ से राज्यों में गठबंधन की राजनीति को और अधिक तीव्र किया। दलों का विभाजन, सरकार के गठन में अवसरवादिता चरम पर रही। परिणाम स्वरूप इस तरह की सरकारें भी अस्थिर बनी रही। इसमें सराकार को पॉच वर्ष बनाये रखने का लक्ष्य ज्यादा रहा, लोकहित व देशहित को नजर-अंदाज किया गया। एक सरकार जिसके सामने सदैव ही स्वयं के अस्तित्व का संकट हो जनता के हित में कुछ नहीं कर सकता। जब मंत्रिमंडल की एकमात्र चिंता अपने आपको सत्ता में बनाये रखना हो जाती है तो समस्त प्रशासन को पक्षाघात हो जाता है।

इसके साथ यह समस्या भी उत्पन्न हो रही है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस देश का भविष्य और भविष्य के भविष्य का क्या होगा, जहां बिखरते हुए दल हों, डेढ़ दर्जन पार्टियां हों, किसी का बहुमत न हो और कोई भी सिद्धांत बनाकर किसी भी वेशभूषा में लोकतंत्र को प्रस्तुत किया जावे, तो यह उपहास जैसा तो होगा ही, चिन्तनीय भी है।

अब जबकि वर्तमान संविधान, संसदीय व्यवस्था और चुनाव कानून पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरु हो गया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के कार्यो को निर्वाचन आयोग व न्यायपालिका को करना पड़ रहे हैं, न्यायपालिका की भूमिका को भी संदेह से देखा जा रहा है। दल-बदल कानून को बेअसर करते हुए आज भी तीव्र गति से दल-बदल हो रहे हैं, देश में अखिल भारतीय स्तर पर सक्षम और शक्तिशाली जनमत समाप्त हो रहा है और उसी अनुपात में समग्र देशव्यापी लोक नेतृत्व का अभाव भी हो रहा है। गठजोड़ राजनीति के नये-नये तरीके सामने आ रहे हैं। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के सामने बोने नजर आ रहे हैं। अनेक राज्यों से संविधान को, संघीय व्यवस्था को सीधे चुनौती दी जा रही है। संवैधानिक पद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद की प्रतिष्ठा को भी अवसरवादिता के चलते धूमिल करने के प्रयास ना केवल राष्ट्र के अंदर बल्कि बाहर भी किये जा रहे हैं, वो भी उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं। इन हालत के रहते सकारात्मक राष्ट्रीयता का पौधा पनप नहीं सकता। तब इन परिस्थितियों में हमारे सामने सवाल उठता है कि क्या किया जावे ताकि हम अपने लोकतंत्र को सम्मुन्नत एवं प्रांजल स्वरूप दे सकें। इजराईल के उच्चतम न्यायालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रो. अहरान वरक का यह कथन है कि 'यदि हम लोकतंत्र का संरक्षण नहीं करेंगे तो यह हमारा संरक्षण नहीं करेगा।' भारतीय संदर्भो में भी गौरतलब है। इन संबंध में आवश्यकता है गंभीरता पूर्वक विचार करने की। अब यह निर्विवाद है कि हमें अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली से उन दूषित तत्वों को निकाल फेंकना है जो लोकतंत्र को विफलता की ओर ले जा रहे हैं और जनमानस में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास और संदेह पैदा कर रहे हैं।

देशहित का तकाजा है कि सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल आपस में मिल-बैठकर निर्वाचन स्वच्छ, सार्वजनिक रूप से सामान्य जनता की पहुंच योग्य, कम खर्चीला, बाहुबलियों एवं धनपति थैलीशाहों के वर्चस्व के बिना सच्चे लोकतंत्र की स्थापित प्रतिष्ठा को गौरव-गरिमा प्रदान करने की सार्थक पहल करें। राजनीतिशास्त्र की अध्येता माया दुबे के शब्दों में 'लोकतंत्र में निर्माण और विध्वंस की बेहताशा ऊर्जा बनती है और इस ऊर्जा का कैसा उपयोग किया जाये, यह राजनैतिक दलों पर निर्भर करता है। यदि लोकतंत्र को सफल और यथार्थपरक बनाना है तो राजनीतिक दलों को सुधारना होगा, उन्हें सत्ता का मोह त्यागना होगा और जनसेवा का व्रत लेना होगा। उन्हें राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी और जरूरत उनकी भी है। यदि भारत में लोकतंत्र असफल होता है तो राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। भारत के पड़ोसी देश इसके साक्षी हैं।' राष्ट्रपति कलाम जी की इस इच्छा पर भी कि 'राष्ट्रीय मुद्दों पर दलगत विचारधाराओं से ऊपर उठकर देश को आगे बढ़ाना है जिससे देश दरिद्रता, निरक्षरता और बेरोजगारी से मुक्त हो सके, उनके अनुसार लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक राजनीति का त्याग करना होगा और विकासशील राजनीति को अपनाना होगा।' पर भी सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत आन पड़ी है। हमें एक बार फिर गांधी, कृपलानी और पटेल जैसे नेताओं की जरूरत है, जो भारत का कायाकल्प करने में विश्वास रखते थे, वे यह कभी नहीं भूलते थे कि भारतीय राष्ट्रवाद विविधता और बहुलता के आधार पर ही मजबूत हो सकता है तथा क्षेत्रीय स्वायत्ता और राष्ट्रीय एकता एक-दूसरे के विरोधी नहीं एक-दूसरे के पूरक हैं। जब नेतृत्व कमजोर होगा अवसरवादिता, तृष्टिकरण की राजनीति होगी, मजबूत राजनीतिक दल नहीं आयेंगे। कार्यपालिका विधायिका अपनी गरिमा स्थापित नहीं करेगी तो बाह्य आक्रमण भीतरी कलह, गृह यद्ध, अराजकता और लोक कल्याण की उपेक्षा एवं सैनिक तानाशाही की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। आवश्यकता है राजनीति को मर्यादित करने की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बसु, डी.डी., अनुवादक ब्रजकिशोर शर्मा, भारत का संविधान एक परिचय, वाधवा एण्ड कम्पनी, दिल्ली।
2. जैन, पुखराज, संसदीय व्यवस्था, पुर्नविचार की आवश्यकता, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा
3. जैन, पुखराज, भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा
4. रंजन राजीव, चुनाव, लोकसभा और राजनीति, ज्ञान गंगा, दिल्ली

समाचार पत्र :-

1. दैनिक आचरण, 13 दिसम्बर, 2003, सागर
2. सहारा समय, 19 फरवरी 2005, दिल्ली
3. राज्य की नई दुनिया, 14 मार्च 2005, भोपाल
4. राज्य की नई दुनिया, 02 अप्रैल 2021, भोपाल
5. राज्य की नई दुनिया, 15 अप्रैल 2021, भोपाल

****

Effect of High Intensity Intermittent Training on Immune Response in University Level Football Players and Track and Field Athelets

Dr. BrajKishor Choudhary* Parveen Singh**

*Associate Professor, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
** Research Scholar, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - The immune system is a complex, dynamic, and beautifully orchestrated mechanism with enormous responsibility. It defends against foreign invasion by microorganisms, screens out cancer cells, adapts as we grow and modifies how we interact with our environment. When it malfunctions, disease, cancer or death can occur. Although it is not necessary to understand all the intimate details of the immune system, it is wise to have a basic grasp of its functions. More precisely, we should understand how to stay healthy. It appears that the immune system has a training effect, similar to other areas of physiology (e.g., cardiovascular, muscular). In other words, a balanced training program of exercise and rest leads to better performance. Studies in the laboratory and epidemiological observations have shown improved immune function and fewer upper respiratory infections in athletes as compared to their couch-potato counterparts. The purpose of this study was to find out the effect of high intensity intermittent training on immune response in university level football players and track and field athletes. The subjects were 90 male students of MohanlalSukhadia University, Udaipur, Rajasthan. Among them 30 played football and 30 played track and field events at University level representing the college and 30 non-players. The age of the subjects ranged from 20 to 27 years.

Keywords: intermittent training, cholesterol, tryglycerides, haemoglobin.

Introduction - It appears that the immune system has a training effect, similar to other areas of physiology (e.g., cardiovascular, muscular). In other words, a balanced training program of exercise and rest leads to better performance. Studies in the laboratory and epidemiological observations have shown improved immune function and fewer upper respiratory infections in athletes as compared to their couch-potato counterparts. This is especially true in older athletes. Frequent upper respiratory infections are just one of the signs that your body is being pushed too hard. Coaches have observed that some athletes appear to be frequently ill and historically, in both the summer and winter Olympic games, team physicians have noted the common occurrence of upper respiratory infections. It appears that regular exercise can help attenuate the age related decline in immune function.

On the other hand, too much exercise can lead to a dramatically increased risk of URIs. The stress of strenuous exercise transiently suppresses immune function. This interruption of otherwise vigorous surveillance can provide an "open window" for a variety of infectious diseases — notably viral illnesses — to take hold. This is especially true following single bouts of excessive exercise. For example, it has been observed that two-thirds of participants developed URIs shortly after completing an ultramarathon. Similarly, cumulative overtraining weakens the athlete's immune system, leading to frequent illness and injury.

In addition to strenuous exercise, other forms of stress may also transiently suppress immune function. Since exercise is not the only stress factor, an athlete must consider a host of other variables. There are job responsibilities, family obligations, social interactions, financial concerns and other components that shape our lives. The sum of all of these affects a central axis in the body which ultimately influences immune function. Some of these (e.g., exercise) are under our direct control and others only partially or not at all. Recognizing when excess stress occurs is easier if it just comes from one source. However, all too often it is the sum of many small, difficult to recognize changes that tips the scales and sends the athlete into the whirlpool of overtraining and immunosuppression. Alone and in isolation these small changes would be manageable, but combined they can overwhelm.

"Lack of activity destroys the good condition of every human being, while movement and methodical physical exercise save it and preserve it". ~Plato~ The body is the temple of soul and to reach a harmony of the mind, body

and spirit, the body must be physically fit. Throughout the ages, man has had to be physically active in order to procure his daily food to succeed in the battle of survival. For every individual physical activity is essential for harmonious physical and mental development. In today's society, with computers, televisions and cars most people do not have sufficient physical exercise to maintain adequate health. In fact, many people have become so sedentary; that their life style has become a serious threat to their health and their lack of physical exercise has began to lead to an increased deterioration of the human health and often to a premature illness and death. Many technological advances are intended to alienate physical exertion from everyday activities. The automobile and television are the contributors to our sedentary lifestyle. It is universally recognized that Physical Education is one of the most important factors in promoting health and longevity. Physical Education and sports increase the scope of human abilities and enrich the life of the individual and that of the society as a whole. Sports and physical activities are an essential part of the human resource development. The primary aim of Physical Education is not simply to develop star athlete, winning team or expert performances, but a natural vitality with character values and physical fitness.

Fit people make a fit nation. Fitness is that State which characterizes the degree to which a person is able to function more efficiently. Fitness is an individual matter. It implies the ability of each person to live most effectively within his potentialities. Fitness is that state which characterizes the degree to which a person is able to function efficiently. To lead a happy and successful life, people have to develop physical fitness, because it is necessary for the proper functioning of the body and the system. While fitness is important and functional according to the activity or the game that one undertakes, health becomes a basic necessity to every human being to live best and serve best. This very important word almost depends on your immune system.

Review of literature:

Several risk factors, other than hypertension, have also been identified for CVD, specifically, obesity, metabolic syndrome, dyslipidemia, and inflammatory factors (Artero et al., 2012).

Consequently, individuals with pre-hypertension are also at higher risk for cardiovascular events compared to individuals with optimal blood pressure (Pescatello et al., 2004; Vasan et al., 2001).

Fitness and fatness are also predictors of hypertension, metabolic syndrome, and total cholesterol (Lee et al., 2012). An increase in fitness shows a negative association, whereas an increase in fatness has a positive association with hypertension, metabolic syndrome, and total cholesterol (Lee et al., 2012).

Maintaining or improving fitness levels reduced the risk of metabolic syndrome by 42% and 52%, respectively, compared with those who lost fitness in the Aerobics Center Longitudinal Study (ACLS) database (Lee et al., 2012).

Upon meeting the physical activity guidelines, aerobic exercise in middleaged and older persons improves hypertension, glucose intolerance, insulin resistance, dyslipidemia, and inflammatory markers, with both acute and chronic benefits (Chobanian et al., 2003; Church et al., 2001; Durstine et al., 2002; Garber et al., 2011; Pescatello et al., 2004). With more specifics pertaining to blood pressure reduction, aerobic exercise reduces peripheral vascular resistance (Fagard, 2006), which is seen as one of the greatest benefits. This is accomplished through hormonal and structural changes. These adaptations are a reduction in sympathetic nerve activity by a decrease in norepinephrine levels, attenuating peripheral vasoconstriction and an increase in vasodilation (Church et al., 2001).

As seen in research not utilizing combination exercise, most studies with an aerobic only group saw significant reductions in systolic blood pressure for those participants (Calders et al., 2011; Collier et al., 2008; Jorge et al., 2011; Sousa et al., 2013; Wanderley et al., 2013; Wood et al., 2001). The resistance exercise only groups did not have as pronounced results, with only three studies seeing blood pressure improvements (Collier et al., 2008; Jorge et al., 2011). All but two of the studies that utilized combination training saw significant improvements in either SBP or DBP (Bateman et al., 2011; Calders et al., 2011; Ho et al., 2012; Jorge et al., 2011; Sousa et al., 2013; Stewart et al., 2005). Unfortunately, there is a mix in the exercise prescription for combination training in which some studies have doubled the total intervention time compared to the allotted time for either aerobic or resistance exercise alone. This does not allow one to differentiate between whether the change in blood pressure was due to the extended time or the benefits of the combination (Bateman et al., 2011).

Innate immune system reacts first when body's physical and chemical barriers have been breached. Innate i.e. natural immunity is determined completely by the genes that individual inherits from parents. This pre-existing mechanism is designed to prevent the entry of pathogens and eliminate trespassed invaders. The above mentioned barriers are part of innate immune system, and in addition white blood cells i.e. leukocytes participate in defending the organism. (Parham, 2009; Wood, 2006) Innate immunity depends upon mononuclear phagocytes, such as macrophages, dendritic cells and monocytes, and polymorphonuclear phagocytes, including neutrophils, basophils and eosinophils (Beutler 2004). In addition, mast cells and natural killer (NK) cells also bear germline-encoded recognition receptors and contribute to innate immune defences (Janeway&Medzhitov 2002).

Research objective: To determine whether the intermittent training would have better effect on the selected physiological and haematological variables of subjects

towards enhancing immune response of subjects at the end of 12 week of administration of training.

Research hypotheses:

1. There would be no significant differences on selected physiological (SBP, DBP, heart rate, haemoglobin, packed cell volume) and haematological (total cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglycerides, total leukocyte count, neutrophil and lymphocyte) variables of the subjects at the end of 12 weeks of administration of high intensity intermittent training.
2. There would be no significant differences on immune response of subjects at the end of 12 weeks of administration of high intensity intermittent training.

Methodology:

Subjects: A total of 90 (Ninety) college male students – 30 played football and 30 played track and field events at University level representing the college and 30 non-players were taken as subjects for the study. All the subjects were the students of MohanlalSukhadia University, Udaipur, Rajasthan during 2022-23 session. Their age ranged from 20 to 27 years. The average age of the subjects was 25.3 years. The research scholar had an informal discussion with all subjects and apprised them with the purpose of the study and explained them the efforts that would be required on their part. All subjects voluntarily agreed to participate in the study.

Reliability Of Data: The reliability of data was measured by ensuring instrument precision, tester competency and subjects' reliability. The instruments and equipments used in the present investigation were standardized ones and tested thrice for accuracy. The reliability of the instruments was also ensured by the manufacturer. All estimates pertaining to the parameters under study were done in a reliable pathological laboratory mostly by digital equipments under the guidance of pathologist.

Criterion Measures: The estimates, recorded on the subjects in the test of physiological and haematological variables as immune status were considered as the criterion measures of the study.

Experimental Design: Random group design was adopted for the study and equal numbers of subjects were assigned at random to three groups of thirty subjects each. The experimental treatments were given to two groups and one group served as the control. For the purpose of the study the football group, track and field group and control group were named as group A, B and C, respectively. The estimates of experimental variables were taken in the beginning and after the experimental period of twelve weeks. Groups A, B and C underwent the pre test on all the parameters, pertinent to the study. Then groups A and B underwent the high intensity intermittent training for a period of 12 weeks, as designed under careful supervision of the investigator. The group C served as control and was not allowed to undergo the exercises. After the end of twelve weeks training programme, the three groups underwent post test on all the variables on which pre tests were conducted.

Selection Of Variables:

a. Dependant Variables

- Physiological Parameters:

A. SBP
B. DBP
C. Resting Heart Rate
D. Haemoglobin
E. Packed Cell Volume

- Lipid Profile

A. Total Cholesterol
B. HDL cholesterol
C. Triglyceride
D. LDL cholesterol

- Haematological Parameters

A. Total Leukocyte Count
B. Differential Count – Neutrophil
C. Differential Count – Lymphocyte

b. Independent Variables

1. Squat
2. Long press
3. Dead Lift
4. Leg extension
5. Wall sit
6. Leg curl
7. Dumbbell standing calf rise
8. Bench press
9. Pull ups
10. Push down
11. Crunch

Statistical Procedure: The descriptive statistics employed were mean and standard error of the subjects' estimates on physiological parameters, lipid profile and hematological parameters. The measures of mean and standard error of both the experimental and control groups at two stages viz. pretest and posttest were taken with respect to all variables. To establish the effect of intermittent training on different parameters under study, the data were examined by applying analysis of variance and co-variance. The level of significance chosen was five percent in all cases

Conclusions:

1. High intensity intermittent exercises for a period of twelve weeks duration was effective in developing the physiological and haematological parameters along with lipid profile status of University level football and track and field event players ranging in age between 22 to 27 years, which is responsible for immune response of the subjects.
2. High intensity intermittent training for a period of twelve weeks duration was effective in developing TLC, neutrophil and lymphocyte level of University level football and track and field event players ranging in age between 22 to 27 years.

3. High intensity intermittent training showed significant increase in level of haemoglobin and packed cell volume and ensured normal blood pressure and heart rate of University level football and track and field event players ranging in age between 22 to 27 years, which triggers better immune response of subjects.
4. High intensity intermittent training showed significant monitoring of lipid profile of University level football and track and field event players ranging in age between 22 to 27 years, which triggers better immune response of subjects.
5. The control group did not slow any improvement in any of the criterion variables.
6. Similar study may be carried out to compare the effect of above training methods in both male and female athletes.
7. Further study may be undertaken by increasing duration of training programme and employing various other training methods.

Recommendations for further studies:

1. High intensity intermittent training, used in this study may be adopted by teachers of physical education, coaches and trainers for improving overall immune response of players and athletes.
2. High intensity intermittent training, used in this study may be adopted by teachers of physical education, coaches and trainers for improving selected physiological and hematological parameters along with lipid profile of players and athletes.
3. Studies may be undertaken with age group and sex other than those employed in this study.
4. Further studies may be undertaken with physiological and hematological parameters other than those employed in the study.
5. Further study may be undertaken by increasing or decreasing duration of training programme and employing various other training methods, other than those employed in the present study.

References:-

1. Artero, E. G., Lee, D., Ruiz, J. R., Sui, X., Ortega, F. B., Church, T. S., Blair, S. N. (2011).A prospective study of muscular strength and all-cause mortality in men with hypertension. Journal of the American College of Cardiology, 57(18), 1831–7. doi:10.1016/j.jacc.2010.12.025
2. Banz, W. J., Maher, M. A., Thompson, W. G., Bassett, D. R., Moore, W., Ashraf, M.,Zemel, M. B. 2003. Effects of Resistance vs Aerobic Training on Coronary Artery Disease Risk Factors.Experimental Biology and Medicine, 228, 434– 440.
3. Calders, P., Elmahgoub, S., Roman de Mettelinge, T., Vandenbroeck, C., Dewandele, I., Rombaut, L., Cambier, D. 2011. Effect of combined exercise training on physical and metabolic fitness in adults with intellectual disability: a controlled trial. Clinical Rehabilitation, 25(12), 1097–108. doi:10.1177/0269215511407221
4. Durstine, J., Grandjean, P., Cox, C., & Thompson, P. 2002. Lipids, lipoproteins, and exercise. J Cardiopulm Rehabil, 22(6), 385–398.
5. Edwards, H. T. and Wood,W.B 1932. A study of leukocytosis in exercise. Arbeitsphysiologie 6 (1-2), 73-83.
6. Fagard, R. H. 2006. Exercise is good for your blood pressure: effects of endurance training and resistance training. Clinical and Experimental Pharmacology & Physiology, 33(9), 853–6. doi:10.1111/j.1440-1681.2006.04453.
7. Gabriel, H. &Kindermann, W. 1997. The acute immune response to exercise: what does it mean? International Journal of Sports Medicine 18 Suppl 1, S28-45.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Comparison of Physical and Physiological Variables Between University and National Level Kabaddi Players

Dr. BrajKishor Choudhary* Balkar Singh**

*Associate Professor, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
** Research Scholar, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - Man today needs movement to survive in a different sense. Man's work is divorced from strenuous muscle effort. This way of life is taken its toll, because man is still a biological being who needs to be physically active in order to function actively. There is no substitute for exercise. It is just as important today as when primitive man roamed the plain of Syria. Physical fitness is the ability to carry out daily tasks with vigor and alertness without undue fatigue and ample energy to enjoy leisure time pursuits and to meet unforeseen emergencies. These imply that fitness in necessary for during any work and at the same time they very in individuals and on the other hand it vary time to time in the same person. The continuously changing life process creates different need and emphasis for different individuals, as they grow older.

The purpose of this study was to discover the "Compression of physical and physiological variables between University and National level kabaddi players". It is acknowledged fact that physical variables play a decisive role in the performance of kabaddi game. kabaddi game has gained tremendous popularity all over the India and especially in Rajasthan. One hundred kabaddi male in Rajasthan were selected as subjects for the purpose of study. Keeping in view the objectives, the players were categorized into two groups i.e. National (50 male) and Inter University (50 male). The National player comprised of those who had represented in Senior National and Junior National Kabaddi competitions held in India only were selected as subjects for purpose of the study. For this study the following physical and physiological variables was chosen: speed, agility, flexibility, explosive strength and cardiovascular endurance; Physiological variables namely Body fat percentage, Breathe hold capacity, Resting respiratory rate, Heart rate, Vital capacity, Body mass index.

Introduction - Physical education, as a part of human education has always existed in the human society in one form or other. Since time immemorial, even before the down of civilization and culture, physical exercise has been a very important aspect of human existence. In the primitive societies the necessity for survival i.e.

Protection against hostile environment and wild beasts, motivated man to keep himself physically fit and strong enough in comparison to stronger forces of nature, his life was hard most of his working hours were devoted for hunting animals for food. In those days there were no machines to help man in his work. That is way he has to depend solely upon his physical powers and physical skill. He considered his body to his prize possession and its maintenance and protection were his primary concern. Survival of the fittest was the order of the day. Man lived in such a state for thousands of years. There was neither any organization nor system. Most acts were learnt by the young generation by virtue of imitation rather than instruction. Experience latter gave rise to individualized instruction as a tradition from father to son and from mother to daughter gradually leading to enforcement of hard discipline and rigorous training.

Sports and games are no longer just sports games. They are big business all over the world. The boom in Prize Money and the practice of internationally renowned sportsman signing on the product has made sports, big business. Sports lover shall over the World are happy that reputed sportsman are no longer obliged to follow a regime of high thinking and low living.

Today, sports have become a part and parcel of our culture. It is being influenced and does influence all our social institutions including education, economics, art, politics, law, mass-communication and even international diplomacy. In fact, its scope is awesome.

Scientific studies on physiological adaptation resulting from human movement are becoming increasingly important with the growing realization of the relationship of exercise to health and physical fitness. Physical movement itself is an activity in which every individual is involved, to some degree or other, throughout life. Movement is the very basis of 'life' and 'growth' besides contributing to

physical fitness.

To achieve a level of performance physiological development is necessary and to keep the physiological system of body fit. The system must be enough to support the particular activity. The individual is performing. Since different activity makes different demand upon the organism with respect to circulatory, respiratory, metabolic, neurological and temperature regulation. Physiological sytem are highly adaptable to each exercise and the changes brought in.

Review of literature:

Kuldip and Sunil (2016) studied to correlate weight and linear measurements with explosive leg strength of Kabaddi players. A sample of 30 senior male Kabaddi players of Haryana the ranging of 18 to 22 years were selected for the study. Convinced cum random sampling method was used to select the sample. The explosive leg strength was measured with the standing broad jump. For analysis and interpretation of data, the investigator was used Pearson Product Moment Correlation statistical techniques with the help of SSPSS analytic software. There were significant relationship found between weight and linear measurement with explosive leg strength of Kabaddi players accept foot length.

Javeed (2015) conducted study to find out the physical fitness among athlete and non-athlete. study 100 Sample were selected from DrbabasahebambedkarMarathwada University, Aurangabad, 50 subjects were athlete and 50 subjects non-athlete. The age range of subjects was 18-26 years Ratio were 1:1; The result's related to the first hypothesis have been recorded In Table Mean of physical fitness score of the athlete is 54.83 and that of the non-athlete 49.68. The difference between the two mean is highly significant 't'= 7.31, df = 58, $P < 0.01$. Thus the first hypothesis is confirmed athlete have significantly better physical fitness than the non-athlete.

Sunil et al. (2011) studied to compare the Kabaddi and Kho-Kho players on the selected physical and mental abilities. The purpose of the study one hundred players- 50 from the game of Kabaddi and 50 from the Kho-Kho has been selected on purposively and randomly basis, who has won medal/ position in Delhi School Zonal, Inter-Zonal and participated in National School Games during the 2009 and 2010. All the subjects were regularly practicing and competing in their respective sports competition.

Sbriccoli et al. (2007) Studied to describe the cardio respiratory fitness and lower limbs maximal muscle power of a selected group of Olympic Italian male (M) and female (F) judokas. Eleven subjects (6 M, 5 F) underwent 3 different tests. Lower limbs muscle peak power (PP) and mean power (MP) were determined during a 30-second Wingate test (WIN). PostWIN blood lactate peak was also measured.Both PP and MP, measured during the WIN, were significantly higher in M than in F judokas. Post WIN blood lactate peak was 6.9 ± 2.8 mmol·l"1 and 6.1 ± 1.8 mmol·l"1 for M and F judokas, respectively (not significant). During the CT blood lactate peak was 9.9 ± 3.0 mmol·l"1 (M) and 9.2 ± 2.0 mmol·l"1 (F); these values being significantly higher than those obtained after the WIN ($p < 0.05$).

Smoll and Schutz, (1985) studies Physical fitness differences between athletes and nonathletes: The main objectives were to determine (a) if physical fitness superiority of athletes over nonathletes increases as a function of age, and (b) if the magnitude of athlete-nonathlete fitness differences are the same in males as in females, and if these differences are consistent across ages. Approximately 3,000 students in grades 3, 7, and 11 (ages 9, 13, and 17years) were tested on measures of static and explosive muscular strength, static and dynamic muscular endurance, cardiovascular endurance, and flexibility. MANOVA and follow-up univariate ANOVAs indicated that the higher the grade, the better the performance; males outperformed females on all measures except flexibility; and athletes were superior to nonathletes on all six test items. Furthermore, (a) there was no difference between athletes and nonathletes at grade 3, athletes were considerably better than nonathletes by grade 7, and the magnitude of the difference was virtually the same at grade 11, (b) the fitness superiority of athletes over nonathletes was essentially of the same magnitude for males as for females at each grade level.

Research objective:

To find out the difference between university and national level kabaddi players in:

1. Speed.
2. Cardiovascular endurance.
3. Flexibility.
4. Agility.
5. Explosive leg strength.
6. Body fat percentage.
7. Breathe hold capacity.
8. Resting respiratory rate.
9. Resting heart rate.
10. Vital capacity.
11. Body mass index.

Research hypotheses:

1. There was no significant difference between university and national kabaddi players in speed.
2. There was no significant difference between university and national kabaddi players in cardiovascular endurance.
3. There was no significant difference between university and national kabaddi players in flexibility.
4. There was no significant difference between university and nationalkabaddi players in agility.
5. There was no significant difference between university and national kabaddi players in explosive leg strength.
6. There was no significant difference between university and national kabaddi players in body fat percentage.
7. There was no significant difference between university

and national kabaddi players in breathe hold capacity.
8. There was no significant difference between university and national kabaddi players in resting respiratory rate.
9. There was no significant difference between university and national kabaddi players in resting heart rate.
10. There was no significant difference between university and national kabaddi players in players in vital capacity.
11. There was no significant difference between university and national kabaddi players in body mass index.

Methodology:

SELECTION OF SUBJECTS: One hundred kabaddi male in Rajasthan were selected as subjects for the purpose of study. Keeping in view the objectives, the players were categorized into two groups i.e. National (50 male) and Inter University (50 male). The National player comprised of those who had represented in Senior National and Junior National Kabaddi competitions held in India only were selected as subjects for purpose of the study who were true representative to the population of Indian throwers. All India Interuniversity players who represented in AIU competitions.

SELECTION OF VARIABLES: The research scholar went through the scientific literature pertaining to physical variables from different library sources available at MLSU, Udaipur and also consulted experts in this area. For this study the following physical and physiological variables was chosen:

- Physical Components

a) Speed
b) Cardiovascular Endurance
c) Flexibility
d) Agility
e) Explosive leg strength

- Physiological Components

a) Body fat percentage
b) Breathe hold capacity
c) Resting respiratory rate
d) Resting heart rate
e) Vital capacity
f) Body mass index

COLLECTION OF DATA: The data for the physical and physiological variables were obtained with the help of various instrument operated by investigators after different time duration. Before the actual testing the subjects were given a complete demonstration of each test and the purposes of the test were explained in detail to them. After the demonstration and explanation, the subjects were allowed practice trails in the performance test in order to get familiarized with the test. The data were collected in different variables. The data were collected on during morning and evening session for all variables. This study consisted of two groups, Group I underwent National kabaddi players, Group II underwent Inter University kabaddi players. All the participants was tested prior to and after the experimentation on Physical fitness components. The subject underwent the respective programmes as per the schedules under the supervision of the investigator. Prior to before test both the group had ten minutes warm up exercise The entire subject involving in the testing programme was questioned about their stature throughout the training period.

CRITERION MEASURES FOR PHYSICAL AND COORDINATIVE VARIABLES VARIABLES:

1. Speed was measured by conducting 50 meters Dash. The score was recorded to the nearest tenth for a second.
2. Flexibility was measured by conducting the Sit and Reach Test. The score were recorded in inches.
3. Agility was measured by conducting 10x4 mts shuttle run. The score were recorded to the nearest tenth of a second.
4. Leg Strength score of an individual was recorded in inches with the help of Vertical jump.
5. Cardiovascular Endurance was measured by conducting 600 yard Run/walk test. The score were recorded to the nearest tenth for a second.
6. Dry Spiro meter was used for measuring Vital Capacity and score was recorded in liters.
7. Resting heart rate was measured by palpation test. The score were recorded in number of counts.
8. Resting respiratory rate was measured by palpation test. The score were recorded in number of counts.
9. Fat Percentage was measured with the help of skin fold calipers and fat% score was calculated by converting the total score of four site of skin fold thickness by use of standard table of Durnin and Rahaman.
10. Breath hold capacity was measured by nose clip methods. The score was recorded to the nearest tenth for a second.
11. Body mass index was measured by height and weight formula. Height was recorded to the nearest in meter and the weight was recorded in Kilograms.

STATISTICAL PROCEDURE: The data collected were analyzed with the use of Statistical Package for Social Sciences (SPSS). To analyze data, descriptive statistics was used. Further to comparison between national and university kabaddi player independent t- test was used. All of the statistical analysis tests were computed at 0.05 level of significance ($P<0.05$). The above statistical technique was analyzed by using SPSS version 15.

Conclusion:

1. In case of body fat percentage, subject showed in a significant difference between national and university kabaddi player.
2. In breath hold capacity, subject showed in no significant difference between national and university kabaddi player.
3. In resting respiratory rate, s subject showed in a significant difference between national and university kabaddi player.

4. In heart rate, subject showed in no significant difference between national and university kabaddi player.
5. In the vital capacity, subject showed in a significant difference between national and university kabaddi player.
6. In the body mass index, subject showed in a significant difference between national and university kabaddi player.
7. In case of speed, subject showed in a significant difference between national and university kabaddi player.
8. In shuttle run, subject showed in no significant difference between national and university kabaddi player.
9. In flexibility, subject showed in no significant difference between national and university kabaddi player.
10. In explosive leg strength, subject showed in no significant difference between national and university kabaddi player.
11. In the cardiovascular endurance, subject showed in a significant difference between national and university kabaddi player.

Recommendations for further studies:

1. A study may be undertaken with more number of variables as the factors contributing to performance of players.
2. The physical education teachers and coaches while preparing the schedules of their trainees may use the results of the study.
3. The result of these studies may be used by the players for self-evaluation of their techniques.
4. A comparative study may be conducted on Indian players with other International Players.
5. Similar study can also be conducted on female players.
6. Similar study can also be conducted on different level and different age groups.
7. Similar study can also be undertaken to analyze the other game.
8. Similar study can also be undertaken to analyze the techniques of different games.
9. Similar study may be conducted by using sophisticated equipments and software.
10. A similar study may be undertaken to compare the performance through other methods.

References:-

1. Ajay Kumar Pandey, Dr. SanjitSardar, Mahesh Yadav (2016), “A comparative study of flexibility between kabaddi and kho-kho male players” International Journal of Physical Education, Sports and Health; 3(3): 373-374.
2. B.A. Bullen (1971). Over Weight, Encyclopedia of Sports Sciences and Medicine.
3. ChristionL.waells(1985). Woman Sports and Performance a Physiological Perspective (Illions: human kinetics publishers), P. 252.
4. J.E.L. Carter (1982), “Body Composition of Montreal Olympic Athletes”, Physical Structure of Olympic Athletes, P.115.
5. Mathews, D. K and Fox, E. L (1976). Physiological Basis of Physical Education and Athletics (Philadelphia : W.B. Sounders Company) P.P. 294-295.
6. Robert G. Lee (1962), “Motor Fitness Level of Senior High School Boys and Girls in a Rural Wisconsin High School”, Completed Research in Health Physical Education and Recreation 4,P. 81.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

विद्यार्थियों में बढ़ते शैक्षिक तनाव की वर्तमान स्थिति

डॉ. रसीला*

* सहायक आचार्य (समाजशास्त्र) राज. कला महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

शोध सारांश – भौतिकतावादी दृष्टिकोण के कारण आज का युग प्रतिस्पर्द्धा का युग है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ठ बताने का आभासी प्रयास करता है। वर्तमान समय में हमारी शिक्षा प्रणाली और इसके उद्देश्य परिवर्तित हो गये हैं। आज की शिक्षा पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्द्धा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गई है। बालक की प्रतिभा को अंकार्जन के आधार पर मापा जाने लगा है। प्रत्येक विद्यार्थी और उसके अभिभावक परीक्षा परिणाम में टॉपर बनने का सपना देखते है और यदि ऐसा नहीं हो पाता तो निराशा का अनुभव करने लगते है। ऐसे ही विभिन्न कारणों से विद्यार्थी तनाव और अवसाद से ग्रसित हो जाते है। प्रस्तुत शोध पत्र में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों में बढ़ते शैक्षिक तनाव की स्थिति को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। इस शोध पत्र में विभिन्न समाचार पत्र–पत्रिकाओं एवं प्रकाशित एवं अप्रकाशित लेखों के माध्यम से सूचनायें प्राप्त की गई है। इस शोध पत्र में विद्यार्थियों में शैक्षिक तनाव के कारकों एवं लक्षणों, तनाव को कम करने हेतु किये गये प्रयासों का विस्तृत विवरण किया गया है।

शब्द कुंजी – विद्यार्थी, तनाव, शिक्षा, प्रतिस्पर्द्धा, निराशा।

प्रस्तावना – भारतीय जीवन दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को ज्ञानवान, सुसंस्कृत एवं सामाजिक जीवन के अनुरूप मानव का निर्माण करना माना गया है। शिक्षा मनुष्य में छिपी हुई प्रतिभा को उजागर कर व रचनात्मक प्रवृतियों को प्रेरित कर (व रचनात्मक प्रवृतियों को प्रेरित कर) व्यक्ति को जीवन में सफलता के सर्वोच्च स्तर तक ले जाने का सशक्त माध्यम है। सामान्य जीवन में शिक्षा मनुष्य को सचेत स्वाभिमानी व स्वावलम्बी बनाने में योग देती है परन्तु पश्चिमी संस्कृति के प्रभाववश आज देश में शिक्षा इन उद्देश्यों से भटक चुकी है। नौकरी प्राप्ति में सहायक होना शिक्षा प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य हो गया है। वर्तमान समय में यह धारणा बन गई है कि शिक्षा चाहे वह प्रबंधकीय, चिकित्सकीय अथवा तकनीकी ही क्यों न हो नौकरी प्रदान करने वाली होनी चाहिये। वर्तमान शिक्षा प्रणाली प्रतिस्पर्द्धात्मक हो गयी है। जिससे विद्यार्थियों में तनाव एवं अवसाद का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा में परिणाम को महत्व दिया जाता है। विद्यार्थी और उसके अभिभावक का अतिसफल होने का सपना होता है। लेकिन इन सभी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होने पर तनाव एवं अवसाद उत्पन्न होता है। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चों को इस तरह का वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है कि वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकें। विद्यालय और विशेष तौर पर शिक्षक की यह जिम्मेदारी है कि वह बालक के समक्ष नई–नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करें तथा समाधान में सहयोग करें, किन्तु विद्यालय एवं शिक्षक भी ऐसी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। बालक जिस सपनों के आकाश में स्वयं को सर्वोच्च समझ रहा होता है, वहाँ से नीचे आने पर वह पहली बार एक विशिष्ट तनाव को महसूस करता है, उस प्रतियोगिता में वह थोड़ा भी पिछड़ने पर एक विचित्र तनाव और अवसाद बोझ से भर उठता है। पढ़ाई का अधिक दबाव छात्रों को अनिद्रा व तनाव का भी शिकार बना देता है। यह तनाव केवल परीक्षा के परिणाम का ही नहीं हो सकता बल्कि परिणाम घोषित होने के बाद नवीन विषय के चयन को लेकर भी हो सकता है। यद्यपि न कारणों से तनाव होना विद्यार्थियों की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। अकादमिक सफलता के उच्च स्तर पर सफलता को प्राप्त करने के लिये छात्रों पर शिक्षा का दबाव उनकी आन्दोल्लास को समाप्त करता जा रहा है और उन्हें दिन प्रति दिन चिंता और निराशा की ओर ले जाता है जिस कारण कई छात्र अपने करियर को लेकर बहुत तनाव में आ जाते हैं।

कई बार छात्र अपनी रुचि के अनुसार शैक्षिक करियर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं जिस कारण उन्हें उनके अपेक्षा के अनुकूल सफलता न मिलने के कारण वह मनाव में आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में छात्रों को खुलकर अपनी रूचि अपने अभिभावकों को समझाना चाहिए। बाल्यकाल से ही विद्यार्थियों को यह शिक्षा दी जानी चाहिये कि असफलता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि बालक किसी वजह से असफल होता है तो वह पारिवारिक एवं सामाजिक अवहेलना के भय से आत्महत्या को सुलभ मान लेता है। जिसके बाद वे अपने परिवार और समाज पर प्रश्नचिन्ह लगा जाते हैं। बालकों में आत्मविश्वास की कमी भी एक बहुत बड़ा कारक है। एसोचैम के एक सर्वे में यह भी सामने आया है कि पांच से 12 वर्ष उम्र वर्ग के बच्चों में भारी स्कूल बैग की वजह से पीठ दर्द और तनाव का खतरा ज्यादा होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरोसाइंसेज ने विद्यालय और कॉलेज स्तर के छात्रों के बीच भारत में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या पर अध्ययन किया। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि 11 प्रतिशत कॉलेज स्तर के छात्रों और लगभग 7 से 8 प्रतिशत हाई स्कूल छात्रों ने आत्महत्या का प्रयास किया है। सर्वेक्षण में 1500 स्कूल और कॉलेज के छात्र शामिल थे। हाल ही के एक अध्ययन में यह पाया गया कि 20 प्रतिशत बच्चों में उप–क्लिनिक अवसाद (जिसका अर्थ है कि वे लगभग निराश है) और लगभग 30 प्रतिशत बच्चों में हलके उदारवादी अवसाद होते है, यहाँ लगभग 800 छात्रों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। विद्यार्थियों में परीक्षा के समय अधिक तनाव उत्पन्न होता है। इसके कई कारण हो सकते है जैसे–समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाना,

माता-पिता का अनावश्यक दबाव, असफलता का भय, कमजोर मनोबल आदि। प्रस्तुत शोध पत्र में विभिन्न सूचनाओं एवं सामग्री का संकलन विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, प्रकाशित एवं अप्रकाशित प्रलेखों, विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी किय गये आँकड़े एवं सरकारी आँकड़ों को अन्तर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के माध्यम से किया गया है।

दिलीप कुमार दास ने (2018) अपनी पुस्तक **'परीक्षा का तनाव और इसका समाधान'** में परीक्षा से संबंधित तनाव एवं इसके प्रबंधन के विषय में उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में लेखक ने प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर छात्रों में तनाव अधिक बताया है तनाव को कभी न खत्म होने वाली स्थिति माना है व इसे अच्छे समय प्रबंधन द्वारा ही कम किया जा सकता है। तनाव प्रबंधन को व्यक्ति के व्यक्तित्व के लक्षणों पर ही निर्भर माना है।

मनीष बाथला, मनप्रीत सिंह, परमानन्द कुलहा, शाल चन्दन एवं जितेन्द्र **अनीता** (2011) द्वारा किया गया अध्ययन 'पूर्वस्नातक दन्त चिकित्सा छात्रों में चिन्ता, अवसाद और आत्महत्या के इरादों का मूल्यांकन : एक रेखीय अनुभागीय अध्ययन' में दन्त चिकित्सा के छात्रों का चिन्ता, तनाव और आत्महत्या से संबंधित विचारों की जाँच करना एवं मूल्यांकन का अध्ययन मुख्य उद्देश्य था। तनाव के अकादमिक और गैर अकादमिक कारणों का पता लगाने के लिये एक अर्ध संरचित प्रश्नावली बनाई गई और क्रॉस अनुभागीय अध्ययन किया गया, निष्कर्षत: दन्त चिकित्सकों की वर्तमान शिक्षा प्रणाली व समय प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

के.अहडम एवं सी. इब्राहिम (2012) के द्वारा किया गया अध्ययन 'विश्वविद्यालय के छात्रों में अवसाद के प्रसार' के अध्ययन की समीक्षा में अवसाद को एक मुख्य समस्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के छात्रों में अवसाद के प्रसार का पता लगाना था। विश्वविद्यालय के छात्रों में अवसाद के प्रसार का पता लगाने के लिये 1990 से 2010 तक के शैक्षणिक सत्र के दौरान छात्रों पर अध्ययन किया गया। अध्ययन के दौरान छात्रों में निरन्तर अवसाद की समस्या में वृद्धि पाई गई।

एच. जुर्कांट, एस. हॉकर और **ए.वीटर (2010)** द्वारा किया गया अध्ययन 'चिकित्सा और दन्त चिकित्सा के छात्रों में स्वास्थ्य से संबंधित गुणवत्ता और तनाव प्रबन्धन का तुलनात्मक अध्ययन' में जस्टस लीबिंग यूनिवर्सिटी के अलग-अलग वर्षों के 101 दन्त चिकित्सा और 237 चिकित्सा के छात्रों का अध्ययन किया गया। इन छात्रों पर दो अलग-अलग समयावधि शीतकाल (2008-9) और ग्रीष्मकाल (2009) के दौरान दन्त चिकित्सा छात्रों व मेडिकल छात्रों में तनाव प्रबन्धन हेतु विशेष प्रश्नावली का उपयोग किया गया था। इस शोध अध्ययन में छात्रों का निजी जीवन, विश्राम व्यवहार, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार, तनाव प्रबंधन से संबंधित सर्वेक्षण किया गया। अध्ययन के दौरान दोनों ही स्तर के छात्रों में तनाव व अवसाद पाया गया। दोनों ही पाठ्यक्रमों के छात्रों के पास तनाव प्रबंधन हेतु किसी प्रकार की रणनीति नहीं थी।

पी.डी. पाठक (2016) ने अपनी पुस्तक 'शिक्षा मनोविज्ञान' को आठ भागों में विभाजित किया है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने बालकों में अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धान्त व अवस्थाओं, सीखने के वक्र, प्रेरणा व सीखना, आदत व थकान, अध्ययन की उत्ताम आदतों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त पुस्तक में बालक एवं शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन, तनाव, भग्नाशा एवं संघर्ष, विशिष्ट बालकों की शिक्षा का वर्णन है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रयोग व व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

डॉ. रामनाथ शर्मा और **डॉ. राजेन्द्र** (1996) के द्वारा लिखित पुस्तक 'शैक्षिक समाजशास्त्र' छ: खण्डों में विभाजित हैं। इसमें समाजीकरण और शिक्षा, सामाजिक नियंत्रण और शिक्षा, आधुनिकीकरण और शिक्षा का विवेचन किया गया है। पाठ्यक्रम शिक्षा के मौलिक सिद्धान्त और प्रविधियाँ, स्वतन्त्रता और अनुशासन, मूल्यांकन और परीक्षा तथा अध्यापकों की समस्याओं का विवेचन किया गया है। बालकों के लिये नैतिक शिक्षा, समाज और शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा, व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा तथा विशिष्ट बालकों के लिये शिक्षा का विवेचन लेखक द्वारा सरल एवं स्पष्ट रूप से किया गया है। प्राचीन समय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना ही होता था किन्तु वर्तमान समय में इन उद्देश्यों में परिवर्तन हो गया है। विद्यार्थी प्रारम्भ से ही शिक्षा को एक डिग्री ही मानता है, जो केवल एक रोजगार या नौकरी देने में सहायक है। विद्यार्थी के अभिभावक उसे प्रतिस्पर्द्धा करना कम आयु से ही सिखा देते हैं। प्रतिस्पर्द्धा श्रेयष्कर है, योग्यता एक विशिष्ट गुण हैं, परन्तु यह छात्र की व्यक्तिगत रूचि व विशिष्ट जीवन जीने की इच्छा से निर्देशित होना चाहिये, न कि अभिभावकों की महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति एवं सामाजिक विवशता के रूप में। शिक्षा मनुष्य में छिपी हुई प्रतिभा को उजागर कर व रचनात्मक प्रवृतियों को प्रेरित कर व्यक्ति के जीवन में सफलता के सर्वोच्च स्तर तक ले जाने का सशक्त माध्यम है। किसी भी विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है जिसमें बालक की स्वयं की मेहनत, उसके विद्यालय अध्यापकों के प्रयास, उसके अभिभावकों की अभिप्रेरणा और उसके परिवेश से अन्यान्य जुड़े कारण और परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं, परन्तु विद्यार्थी, अभिभावक और समाज सभी अंकार्जन की दौड़ को ही शिक्षा का उद्देश्य मानकर उसे महत्तव देने लग गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप दिनोंदिन विद्यार्थियों में शैक्षिक तनाव की समस्या में वृद्धि होती जा रही है।

विद्यार्थी में होने वाले तनाव के मुख्य संकेत है- भूख में परिवर्तन, खेल और कही आने-जाने में रूचि न होना, सामाजिक अलगाव, चिड़चिड़ापन और अधीरता, नींद न आने की समस्या, अत्यधिक चिंता और नकारात्मक विचार, सरदर्द होना, दबाव में होने की प्रवृति, पूर्ण रूप से स्वयं को व्यर्थ अनुभव करना आदि। विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक हो सकते हैं जैसे- परीक्षा का दबाव। कई बार छात्र परीक्षा के दबाव के कारण तनाव में आ जाते हैं। आज कल बढ़ते हुये प्रतियोगिता की होड़ में छात्रों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ता ही जा रहा है अर्थात् वह अपनी अपेक्षा के विपरीत स्वयं को असमर्थ महसूस करने लगते हैं। ऐसे समय में अभिभावक को छात्रों का पूरा सहयोग करना चाहिये। उन पर अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ डालने की बजाय उन्हें समझाया जायें। विद्यार्थियों में तनाव का दूसरा मुख्य कारक शैक्षिक दबाव है। शैक्षिक दबाव का कई बार कारण स्वयं अभिभावक भी बन जाते हैं क्योंकि छात्रों पर उनके अभिभावक द्वारा अच्छे अंकार्जन करने का दबाव होता है। कई बार छात्र अपनी रुचि के अनुसार शैक्षिक करियर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं जिस कारण उन्हें उनके अपेक्षा के अनुकूल सफलता न मिलने के कारण वह तनाव में आ जाते हैं। किशोरावस्था में बालक अपने मित्रों, सहपाठियों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, कभी-कभी यह मित्र सकारात्मक प्रभाव डालते है तो कभी-कभी नकारात्मक

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

प्रभाव डालते हैं। जिसके कारण बालक गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, जब इन बालकों के अभिभावक इन्हें जबरन पढ़ाई हेतु दबाव बनाते है तो ये बालक आक्रमक व्यवहार करने लगते हैं और तनाव का शिकार हो जाते हैं।

मनोचिकित्सकों के अनुसार शैक्षणिक दबाव छात्र के अच्छे प्रदर्शन के लिए बाधक है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, कुछ छात्र शैक्षणिक तनाव का अचछी तरह से सामना कर लेते हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसा नहीं कर पाते, जिसका असर उनके स्वभाव पर पड़ रहा है। असमर्थता के कारण छात्र तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। कभी–कभी ये तनाव बढ़कर अवसाद का रूप ले लेता है। अवसादग्रसित छात्र अपनी समस्याओं के कारण आत्महत्या भी कर लेता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण राजस्थान का कोटा शहर है। इस कोटा नगर में लाखों की संख्या में छात्र प्रतिवर्ष आईआईटी, नीट, एआई,ईईई की प्रवेश परीक्षा में उत्तीण होने हेतु कोचिंग करने आते हैं। इन लाखों कोचिंग विद्यार्थियों में से ही कुछ विद्यार्थी किन्हीं कारणों से तनाव एवं अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। अपने परिवार और समाज से दूर रहकर ये अपनी मानसिक पीड़ाओं से जूझते रहते हैं। इन विद्यार्थियों को आत्महत्या की एकमात्र उचित विकल्प प्रतीत होता है और ये आत्महत्या कर लेते हैं। इस नगर के कोचिंग विद्यार्थियों में आत्महत्या की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 'भारत में वर्ष 2014 में 8,032 विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। जिनमें से केवल 30% मामलों में छात्र केवल परीक्षा में विफलता के कारण आत्महत्या करते है। भारत में 15 से 29 साल की आयु के किशोरो और युवाओं में आत्महत्या की दर सर्वाधिक है।' नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा में विफलता देश में आत्महत्याओं के शीर्ष दस कारणों में से एक है। जबकि पारिवारिक समस्या शीर्ष तीन में है।

वर्तमान समय में विद्यार्थियों में शैक्षिक तनाव की समस्या में निरन्तर वृद्धि होती ही जा रही है। यह तनाव धीरे–धीरे अवसाद और आत्महत्या में परिवर्तित होता जा रहा है जो हमारे समाज की एक गंभीर समस्या बन गई है। इस समस्या के समाधान हेतु बालक के अभिभाव को आत्मनिरीक्षण करना चाहिये। बालक के व्यवहार को समझकर उन्हें आवश्यक प्रेरणा प्रदान करनी चाहिये। बालक को अपनी रूचि एवं क्षमता के आधार पर ही अपने शैक्षणिक कैरियर के चयन की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। आज अत्यधिक आवश्यकता है ऐस व्यक्तियों की जो विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर सकें। जिनके बीच सौहार्द और सकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा हो, ईर्ष्या नहीं। सफल लोगों में पढ़ाई में टॉपर कम ही मिलते है। जीवन की वास्तविकता अंकों व नौकरी की प्रतिस्पर्द्धा के खेल से बिल्कुल भिन्न है अतः हमें अपने बालकों को जीवन कौशल सीखाना है। इसके लिये संस्थानों के मूल्यांकन और उनकी ग्रेडिंग का आधार भी विद्यार्थियों का परिणाम और केवल अंकों को मानना भी सही नहीं है। ये समस्त प्रयास ही हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर शिक्षा में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा को खत्म कर सकेंगे और साथ ही प्रतिस्पर्द्धा को निरन्तर बढ़ाने वाले कारकों को भी समाप्त कर सकेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. दास, डी.के., 2018'परीक्षा का तनाव और इसका समाधान' पॉवर पब्लिकेशन, कोलकाता, पं. बंगाल (भारत)।
2. बाथला, एम. और सिंह, एम., 2011 'पूर्वस्नातक दन्तचिकित्सा छात्रों में चिन्ता, अवसाद और आत्महत्या के इरादों का मूल्यांकन : एक रेखीय अनुभागीय अध्ययन'।
3. अहडम, के. और इब्राहिम, सी. 2012 'विश्वविद्यालय के छात्रों में अवसाद के प्रसार के अध्ययन की समीक्षा'।
4. जुर्काट, एच. और वीटर, ए., 2010 'चिकित्सा और दन्त चिकित्सा के छात्रों में स्वास्थ्य से संबंधित गुणवत्ता और तनाव प्रबन्धन का तुलनात्मक अध्ययन'।
5. पाठक, पी.डी., 2016 'शिक्षा मनोविज्ञान', श्री विनोद पुस्तक मन्दिर सिकन्दरा, (आगरा)।
6. शर्मा, आर. और के. राजेन्द्र, 1996 'शैक्षिक समाजशास्त्र' एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
7. बी.दशोरा, 2019 'माता–पिता दोराहे पर, बालक चौराहे पर' शैक्षिक मंथन पत्रिका, जयपुर।
8. M. Patrica.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Mycoremediation of Stubble-burned Pollutants in Paddy and Wheat Fields by *Pleurotus flabellatus*

Mrs. Madhurima Tiwari*

***Assistant Professor (Botany) C.S.A. Government P.G. Lead College, Sehore (M.P.) INDIA**

Abstract - In our country, enormous amounts of agricultural waste are left back in the field after harvesting paddy and wheat crops. Every year, these stubbles (wastes) are burnt to empty the fields for cultivation of the next crop and this occurrence is referred to as stubble burning. The hazardous consequences of this cheapest method for emptying the fields manifest itself as an increase in air and soil pollution many folds. In the present paper, the main emphasis is given to the use of macrofungus *Pleurotus flabellatus*, as a biological tool of mycoremediation. Owing to their high enzyme profile these white rot fungi viz., Oyster mushroom (grey abalone) i.e., *Pleurotus flabellatus*, have the capability of degrading agro-lignocellulosic wastes of paddy and wheat which are mainly responsible for stubble burning. Besides waste degradation, the mushroom has great nutraceutical potential and also acts as an immunomodulator. The duration of this study was approximately 2 years, two crops in the summer season by using wheat straw (at artificially controlled temperature and humidity) and two crops in the winter season by using paddy straw had been cultivated. Because polythene bags harm the environment, I used reusable plastic buckets for spawning. I have also observed that the paddy straw was a comparatively more favorable mother substrate for oyster mushrooms than wheat straw.
Key words: Stubble burning, oyster mushrooms, mycoremediation, nutraceutical potential, immunomodulator.

Introduction - Our nation's crop stubble burning issue, which has been a significant contributor to air pollution, is getting worse. A million tones of wheat straw and paddy straw are generated each year. Unfortunately, a significant portion of these straw quantities is burned, with nearly 50% of wheat straw (8.5 million tonnes) and over 80% of paddy straw (18.4 million tonnes) being burned to prepare the land for the following crop. This burning practice occurs mainly in October and November for paddy straw and in April and May for wheat straw. The resulting emissions create a dense cloud of particles that can even be observed from space. This phenomenon, known as toxic or black clouds, leads to a state of air pollution emergenc . According to SAFAR, stubble burning causes poor air quality, health problems, and environmental harm in the states of Punjab, Haryana, the U.P., and M.P. This harm includes loss of soil nutrients and carbon loss, reduction in soil texture, death of soil microorganisms, increased soil erosion, emission of greenhouse gases and 2.5-10 mm particulate matter, unstable volatile organic chemicals, and cancer-causing polycyclic aromatic hydrocarbons.

In our country, only those alternative uses are necessary which may be applicable throughout the year and do not affect the revenue of farmers. The Indian government has taken several initiatives and promoted alternative uses of paddy straw such as in bio-thermal stations, bio-refineries[1] bio-gasification, bio-oil in the form of ethanol[2], and the production of mushrooms. One of these is mycoremediation (bioremediation by fungi) in which mushrooms are used as a tool for biodegradation, biosorption, and especially bio-conversion. Mycoremediation focuses on waste management strategies that are environmentally friendly and prioritize high output with few byproducts. Thus, mushrooms are not only used to clean up the environment but also a great source of proteins, minerals, vitamins, etc. in the diet of poor as well rich people. One of the most lucrative steps toward agricultural diversification based on microbial technology for extensive agro-waste recycling is the Mushroom Industry. The cultivation of *P. flabellatus* is a fruitful method of biological conversion of diverse agricultural cellulosic wastes[3] such as wheat straw,paddy straw[4], millet's straw[5] maize straw[6], banana pseudo stem[7], sorghum straw, lawn grasses[8], corn cobs, etc. Amongst various cereal straws, the wheat straw was reported as the best substrate[9] after paddy straw for the cultivation of Oyster mushrooms. Oyster mushroom have enormous medicinal properties which includes anti tumor[10] antibiotic[11], antioxidant[12] etc. It is rich in all 9 essential amino acids[13] vitamins[14] and minerals viz.,Ca,P,Fe,Cu,Se,Zn,Na,K,Mn[15]. Being remarkably low in starch content and high in protein it is a healthy diet for those with diabetes[16].

Oyster mushrooms have a high enzyme profile to degrade lignocellulosic substrates and because of this strong enzymatic machinery, the Oyster mushroom is categorized under primary decomposers. These enzymes include those that degrade lignin, such as laccase, lignin peroxidase, aryl alcohol oxidase/dehydrogenase, as well as those that degrade hemicellulose and cellulose, such as xylanase, cellulase, and cellobiose dehydrogenase[17,18].

Besides aforesaid peculiarities, the farming of *P.flabellatus* is also able to uplift the economic standard of growers because of its high demand as well as cost. This will result in the economic improvement of not only smallholders but also landless laborers and other vulnerable segments of society. After 4 flushes, the mother substrate remains useless for further production and is known as spent mother substrate. This substrate is a valuable biofertilizer that can be put to use in boosting soil fertility and in the industrial production of enzymes like cellulase, xylanase, and others.

Material and Procedures: The present research was performed in a modest mushroom production facility with masonry walls and a grass and bamboo roof on the roof of my residence in the Sehore district of M.P. The germplasm was collected from A.N.D. University ,Kumarganj, U.P., the lab work was done on the laboratory of department of Botany C.S.A. Government P.G. College, Sehore and the cultivation was carried out in the mushroom farming unit as described below -

1. **Collection of germplasm:** The mushroom section of the department of Plant Pathology at the Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology in Kumarganj, Ayodhya (UP) provided the *P. flabellatus* culture.
2. **Preparation of Pure Culture:** In order to maintain a pure culture, it was sub-cultured every two weeks at 22°C ± on (PDA) and MEYEA medium in culture tubes.
3. **Preparation of Culture Medium:** The culture medium (PDA and YEMEA) was autoclaved at 126^{o} temperature and 20 Ibs/inch square for 45 minutes inside cotton plugged flasks, transferred into petridishes and inoculated with a bit of hyphae at laminar flow work station. Now these inoculated petridishes were incubated at 25^{o}(± 1^{o}) in BOD incubator to obtain pure culture.
4. **Spawn preparation:** Overnight water-soaked wheat grains were boiled and after drying mixed thoroughly with 2%(w/w) Gypsum and 4%(w/w) lime. Boiling was done to split the grains, gypsum was to prevent sticking and lime was used to maintain pH. Now 200-250 gram of complete mixture was filled in bottles of glass , plugged with non-absorbent cotton & allowed to autoclave at 126^{o} temperature at 20Ibs/inch square pressure for 60 minutes. After sterilization the bottles were cooled overnight and on the next day inoculated by hyphae of *Pleurotus flabellatus*, obtained from pure culture. These inoculated bottles were incubated for one week at 13-14^{o} in BOD incubator. To ensure uniform mycelial growth, flasks were shaken daily during this period.
5. **Collection and sterilization of mother substrates:** In this experiment, both rice and wheat straw served as the mother substrate. Both the substrates were chopped to form 2-3 sized particles and water soaked overnight in 2% formaldehyde solution(to sterilize) and 0.05% Bavistin (to prevent arthopodal infection).On the next day the substrates were filtered and partially dried to make them ready for spawning.
6. **Spawning:** The bed was prepared by layer spawning[19] in perforated and small sized reusable buckets which were guarded by lids. The perforation in buckets was necessary for proper ventilation and their small size was for compact packaging of spawned substrate .During spawning 2 kg mother substrates (for both paddy and wheat straw) was inoculated by 5% of spawn. The substrate was now spawned in plastic buckets and nurtured for 20 days at 25 to 30°C in the growth room until the mushroom mycelium completely covered the substrate. After 15-16 days the pinheads began to appear which can be seen through the perforation of buckets. After that the spawned substrate were carefully removed from the bucket by gently opening of their lids. Now the empty buckets were put apart safely for their further use. The beds were irrigated regularly 2 times per day in winter and 5 times per day in summers day with water sprayer to keep them wet and to maintain 80-85% humidity. Usually, 3–5 days after being removed from buckets, the fruiting bodies became visible. Until the time of the harvest of fourth flush, which was finished in 43 days (in wheat straw) and 47 days (in paddy straw) after spawning, the beds were kept in good condition. To revitalize the mycelium and remove unwanted microbial flora, a thin layer of substrate was scraped off of either side of the beds just after the second flush. The fruiting bodies were manually twisted and removed, leaving only the fractured fragments behind.

Biological Yield and Biological Efficiency: The total weight of all fruiting bodies harvested from each of a crop's four flows was used to calculate the total biological yield of mushrooms. Using the following formula, the biological efficacy (yield of mushrooms per kilogram of substrate on a dry weight basis)[20] was calculated:

$$\text{B.E. (\%)} = \frac{\text{(Fresh Weight of P. flabellatus)}}{\text{(Dry Weight of Paddy/Wheat straw)}} \times 100$$

Table No - 1 2 and 3 (see in last page)

Crop of Summer Season

(Fig A) *Pleurotus flabellatus* of first flush (May 21 July 21)

(Fig B) *Pleurotus flabellatus* of first flush (May 22 July 22)

Crop of Winter Season

(Fig C) *Pleurotus flabellatus* of first flush (Nov 21-Feb 22)

(Fig D) *Pleurotus flabellatus* of first flush (Nov 22 - Feb 23)

Result and Discussion: There were two observations had been made per year considering two seasons summer as well as winter season from May 2021 to February 2023. In the summer season, the cultivation of *Pleurotus flabellatus* was done from May to July on easily available wheat straw in both years (Table-1) and likewise two crops were produced in twinter season from November to February on easily available paddy straw(Table -2).

During the summer, the requisite humidity (80-85%) was maintained by spraying water five times per day, and the required temperature (27°C ± 2°C) was maint ained by summer coolers powered by solar energy. The table-1 shows biological yield and biological efficiency of mushroom in both crops of summer season grown on wheat straw.

Winter season is the favourable time for cultivation of oyster mushroom due to naturally low temperature but the humidity(80-85%) was maintained by spraying water twice only per day. The table-2 shows maximum biological yield as well as efficiency of mushroom in both crops.

When comparing the biological efficiencies of oyster mushrooms in the two growing seasons, I discovered that they were significantly lower in the summer than they were in the winter. This was caused by two factors: first, artificially maintained favorable conditions, such as low temperatures and high humidity, and second, the mother substrate's (wheat straw's) relative softness, which resulted from the absence of aerenchymatous tissues and the presence of an epidermis cuticle layer that was relatively thicker than usual. This was a result of the natural conditions still existing at the time as well as the favorable anatomical structure of paddy straw, which contains arenchyma and facilitates broad mycelial growth, leading to the development of robust fruiting bodies.

The table-3 shows a comparison between the cropping conditions as well as production of mushroom in both the years. This table makes it clear that the winter season is most appropriate season for its cultivation but this production can also be continued by maintaining artificial conditions which facilitate mushroom production throughout the year with little more difference in biological efficiency. This table also emphasizes the importance of the paddy straw as a more efficient substrate for production of oyster mushroom in comparison to wheat straw. Coincidently, the paddy straw is produced in huge quantity in winter season which is appropriate time for mushroom production. Therefore, paddy straw may be utilized frequently for the production of protein-rich foods, and this use of fungi is without a doubt one of the best methods of mycoremediation of air pollution caused by stubble burning, which may also help to alleviate hunger, malnutrition, and diminished immunity to some extent.

Conclusion: Currently, mushroom farming is the only biotechnology approach that may be considered economically viable for the conversion of forest and agricultural waste plant leftovers. Mushroom farming is a very productive mycoremediation strategy since it may be used not only to eliminate pollution but also to generate a useful byproduct with significant nutraceutical potential. Eco-friendly technology like mushroom cultivation can help with mineral recycling by taking the place of destructive practices like burning stubble. Mushroom gardening as a form of mycoremediation has the potential to solve two of the world's most pressing issues at once: the accumulation of waste and the lack of protein-rich food sources. Growing mushrooms can help feed a growing population, especially in rural areas and among indigenous groups in distant areas, while also allowing them to support themselves economically.

Acknowledgement: I'd like to express my appreciation to the principal of C.S.A. Government P.G. Lead College in Sehore for providing me the access to the botany lab for my experiments . Dr. A. D. Mishra, assistant professor at A. N. D. P. G. College in Babhnan, Gonda, has been a wonderful supervisor throughout my project. The most important spawn of oyster mushrooms was sent to me by the head of the mushroom section of Plant Pathology at the Acharya Narendra Dev University of Agriculture and Technology in Kumarganj, Ayodhya (UP).

References:-

1. Hamelinck,C.N., Van hooijdonk,G. and Faaij,A.P.C. 2005.Ethanol from lignocellulosic biomass:Techno-

economic performance in short-middle- and long-term.Biomass Bioenergy.28pp.384-410

2. *Lin,Y.and Tanaka,S. 2006.Ethanol fermentation from biomass resources : current status and prospects.Appl. Microbiol.Biotechnol.69 pp.627-642.*
3. Bano,Z., Shashirekha,M.N.and Rajanathanam,S. Improvement of the bioconversion and biotransformation efficiencies of oyster mushroom (Pleurotus sajor-caju) by supplementation of its rice straw with oil seed-cakes.Enzymes and Micro ipl.Tech.15(21)pp.986-989.
4. *Bano,Z. and Srivastava H.C.1962.Studies in the cultivation of Pleurotus sp.on paddy straw.Foood Sci.12.pp.366-368*.
5. Bhandari,T.P.S., Singh,R.N.and Verma,B.L.1991. "Cultivation of oyster mushroom on different substrates". Indian Phyto.44(4)pp.555-557.
6. Bahukhandi*,D. and Munjal,R.L.1989. Cultivation of Pleurotus sp.on different agricultural residues.Indian Phytopath.42(4)pp.492-495.*
7. Bonnati,M.,Karnopp,P.,Soares,H.M.and Furlon,S.A. 2004."Evaluation of Pleurotus ostreatus and P.sajor-caju nutritional charcterstics when cultivated in different lignocellulosic wastes" Food chem.88(3)pp.425-428.
8. Yamashita,I., Mori, T.,Tino, K.,Yanai,S.,Utilisation of cobs and ear husk, peanut shell, lawngrass and porous stone for cultivation of Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus Jacquex .Fr.) Quat, J. Fdsci. Technol.1983; 30:693-697.
9. Bano,Z.and Rajrathnam;Bharti,et.al.1987; Thami,et.al. 1986;Bonnati,et.al.2004."Bioconversion of low quality wastes into edible protein by Pleurotus sajor-caju".Journal of Zhejiang Uni.Sc.B.8(10)pp.245-257.
10. Dalonso,N.,Souza,R.,Silveria,M.L.L., Ruzza,A.A., Wagner,T.M.,Wisbeck,E Furlan,S.A.2010. Character - ization and antineoplastic effects of extracts obtained from Pleurotus sajor-caju fruiting bodies.App.Biochem & Biotech.160 pp.2265-2274.
11. Chang,S.T.1999.Global impact on edible and medicinal mushrooms on human welfare on 21st century: Nongreen evolution,Int.J. Med.Mush.News. 1pp.1-17.
12. Boonsong,S.,Klaypradit,W.and Wilaipun, P.2016. Antioxidant activities of extracts from 5 edible mushrooms using different extravagant, Agri.Nat. Resour.50pp.89-97.
13. Hayes,W.A.,Haddad,S.P.1976."The nutritive value of mushrooms".Mushroom J.30.pp.204.
14. Caglarirmark,N.2007.The nutrients of exotic mushrooms (Pleurotus sp. and Lentinula edodes) and an estimated approach to the volatile compounds.Food Chem.105pp.1188-1194.
15. Millikan,M.2012."Nutritional metals in food by AAS",Atomic Absorption Spectroscopy, In.Akhyar,FM. (ed)pp.143-166.
16. Agrawal,R.P., Chopra,A.,Lavekar,G.S.et.al. 2010."Effect of mushroom on glycemia,lipid profile and quality of life in type 2 diabetic patients". Australian J.of Herbalism vol.22(2)pp.50-54.
17. Sanchez,C.2009.Lignocellulosic residues: biode gradation and bioconversion by fungi.Biotechnol Adv.27pp.185-194.
18. KabelM.A.,E.Makela,.R.P.de Vries Edita Jurak. 2017.Occurence and function of enzymes for lignocellulose degradation in commercial Agaricus Bosporus cultivation. Appl.Microbiol.Biot.101 pp.4363-4369.
19. Bano,Z.1971.Cultivation of Pleurotus sp. Second Int.Symposium on Plant Path.held at IARI,New Delhi,135.
20. Chang,S.T.,Lau,O.W.,Cho,K.Y.,1981.The cultivation and nutritive value of Pleurotus sajor-caju.European J.Appl.Microbiotech.12 pp.58-62.

Table No - 1

Time duration	Temperature	Humidity	Biological yield	Biological efficiency
May 21to July 21	27°C ± 2°C	79 ± 2%	1200 gm	60%
May 22 to July 22	27°C ± 2°C	79 ± 2%	1220 gm	61%

Table No - 2

Time duration	Temperature	Humidity	Biological yield	Biological efficiency
Nov 21 -Feb 22	25°C ± 2°C	80 ± 2%	1350 gm	67.5%
Nov 22 -Feb 23	25°C ± 2°C	80 ± 2%	1390 gm	69.5%

Table No - 3

	Summer Season(Mother Substrate: Wheat)		Winter Season(Mother Substrate : Paddy)	
Time Duration	May - 21 to July - 21	May 22–July 22	Nov 21 -Feb 22	Nov 22 -Feb 23
Temperature	27°C ± 2°C	27°C ± 2°C	25°C ± 2°C	25°C ± 2°C
Humidity	79 ± 2%	79 ± 2%	80 ± 2%	80 ± 2%
Spraying of water	5 Times/day	5 Times/day	2 Times/day	2 Time/days
B.Y	1200 gm	1220 gm	1350 gm	1390 gm
B.E	60	61	67.5	69.5
Days	45	45	47	48

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि का अध्ययन करना

डॉ. सुषमा शर्मा* गायत्री सोलंकी**

*प्राध्यापक, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि का अध्ययन धार जिले की कुक्षी तहसील की 8 अशासकीय विद्यालय का चयन किया गया है प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्ष हेतु सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि का अध्ययन करने पर सार्थक अंतर पाया गया। इस शोध अध्ययन से वह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राएँ ग्रामीण परिवेश में रहते है। इसलिए वह छात्र-छात्राएँ शैक्षिक अवसरों से वंचित रह जाते है। बुद्धिलब्धि का संबंध वंशांनुक्रम से अधिक होता है। उदाहरण के लिये यदि माता-पिता की बुद्धिलब्धि अधिक होगी तो उनसे प्राप्त संतान की भी बुद्धिलब्धि अधिक पाई जाती है इसीलिए बुद्धिलब्धि का सीधा संबंध वंशानुक्रम पर आधारित होता है।

प्रस्तावना – मनुष्य आज श्रेष्ठतम प्राणी बुद्धि के कारण ही समझा जाता है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही प्रखर-बुद्धि वाले अथवा मुर्ख हुआ करते है। प्रखर-बुद्धि वाले व्यक्ति मुर्ख व्यक्तियों की अपेक्षा शिक्षा से अधिक लाभ उठाते हैं। अत: कहा जा सकता है कि बुद्धि वंशानुक्रम पर आधारित होती है, परन्तु दुसरी और इसके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण की भी आवश्यकता होती है। बुद्धि में कोई एक गुण नहीं होता है बल्कि बुद्धि अनेक गुणों का समुच्चय है। अत: किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान या बुद्धिहीन तब तक नहीं कहना चाहिए जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अनेक गुणों का परीक्षण न किया जाये। बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता बल्कि उसके प्रभावों को ही देखा जा सकता है अत: हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक परिकल्पनात्मक शक्ति है। बुद्धि का व्यक्ति बहुधा उपयोग विभिन्न समस्याओं को समझने और उनका अधिगम करने में तो करता ही है, परन्तु बुद्धि का उपयोग जीव अपने दैनिक जीवन की छोटी-छोटी बातों से लेकर बड़ी-बड़ी बातों को समझने और उनके प्रति अनुक्रिया करने में भी करता है। इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने से पहले आवश्यक है कि बुद्धि के अर्थ और स्वरूप को समझ लिया जाये। बुद्धि के अर्थ और स्वरूप के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिकों में एक मत नहीं है, फिर भी यहाँ नीचे कुछ प्रचलित परिभाषाएँ देकर बुद्धि के अर्थ को समझाने का प्रयास किया गया है।

वैगनन – 'अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित स्थितियों को समझने तथा उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता बुद्धि है।'

डैविड वैक्सलर –'बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है, जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। विवेकपूर्ण चिन्तन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है।'

साहित्य का पुनरावलोकन – प्रस्तुत अध्ययन के लिए अनेक शोध पत्र-पात्रिकाओं का अध्ययन किया तथा उनमें से विगत वर्ष में किये गये कुछ प्रमुख अध्ययन इस प्रकार है –

खबीदल आलम (2017) – ने पश्चिम बंगाल के 'उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजन के बीच अंर्तसंबंध का अध्ययन' किया। निष्कर्ष में पाया गया है कि छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ा जबकि समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि के बीच सार्थक संबंध पाया गया।

सपाल, किन्टो (2017) – ने परिवार विद्यालय समाज एवं समुदाय को द्रष्टि में रखते हुए छात्रों के समायोजन पर अध्ययन किया तथा निष्कर्ष में पाया कि जहाँ पर छात्रों का पारिवारिक समायोजन अच्छा रहता है। वहाँ पर कक्षाओं में भी समायोजन की समस्या नहीं रहती हैं। अध्यापकों के विचार से पारिवारिक समायोजन तथा विद्यालयी समायोजन में विशेष सम्बन्ध है। इन्होनें यह भी निष्कर्ष निकाला कि विद्यालयी समायोजन के लिए पारिवारिक समायोजन आवश्यक है।

राजपूत प्राची एवं सिंह डॉ. देवेन्द्र (2016) – ने फिरोजाबाद में 'माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के समाजिक-आर्थिक स्तर का उनके शैक्षिक उपलब्धि तथा समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन' पर शोध कार्य किया। निष्कर्ष में पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि व समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

शोध अध्ययन के उद्देश्य – अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना – अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि का अध्ययन करने पर सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा।

निदर्शन का क्षेत्र – प्रस्तुत निदर्शन का क्षेत्र के अंतर्गत धार जिले की कुक्षी तहसील में अध्ययनरत् कर रहे छात्र एवं छात्राओं को अध्ययन हेतु

चुना गया है।

निदर्षन का आकार – प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के संकलन हेतू 200 निदर्शन लिया गया है। अनुसूचित जनजाति जिसमें छात्र एवं छात्राओं की 100 संख्या है। 50 छात्र व 50 छात्राओं की बुद्धिलब्धि का अध्ययन किया गया है।

सामान्य वर्ग में जिसमें छात्र एवं छात्राओं की 100 संख्या है। 50 छात्र एवं 50 छात्राओं की बुद्धिलब्धि का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि का अध्ययन करना हैं। इस हेतु प्रतिर्दश का चयन दैव निदर्शन विधि की लॉटरी विधि से धार जिले की कुक्षी तहसील से किया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 'अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि का अध्ययन करने पर सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा' परिकल्पना का निर्माण किया गया। परिकल्पना की सार्थकता की जाँच करने हेतु अनोवा परीक्षण का प्रयोग किया गया हैं। प्राप्त निष्कर्षो को तालिका क्र. 1 में दर्शाया गया हैं।

तालिका क्रमांक 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका का स्पष्टीकरण – बुद्धिलब्धि का स्तर ज्ञात करने पर निम्न तथ्य प्राप्त होते है अनुसूचित जनजाति के छात्रों में केवल 01-01 छात्र ही श्रेष्ठ एवं तीव्र सामान्य स्तर में आते है। 20 छात्र सामान्य बुद्धि-वर्ग में आते है। मन्द सामान्य, सीमावर्ती एवं ढोषपूर्ण बुद्धि पूर्ण बुद्धि-वर्ग में क्र. 08,12 एवं 09 छात्र पाये गये हैं। जबकि अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में बुद्धिलब्धि का स्तर तीव्रसामान्य (02), सामान्य (21), मन्द सामान्य में (20), सीमावर्ती (06) एवं ढोषपूर्ण स्तर पर (01) छात्राएँ पायी गये हैं। सबसे अधिक (40%) बुद्धि-वर्ग के सामान्य स्तर में आते है।

सामान्य वर्ग के छात्रों में बुद्धिलब्धि का स्तर ज्ञात करने पर निम्न स्थिति प्राप्त हुई हैं- बुद्धिलब्धि की अतिश्रेष्ठ श्रेणी में 03 छात्र, श्रेष्ठ श्रेणी में 08 छात्र, तीव्र सामान्य श्रेणी में 14 छात्र जबकि 24 छात्र सामान्य श्रेणी में पाये गये, इसके अलावा मन्द सामान्य बुद्धिवर्ग में केवल 01 छात्र पाया गया हैं।

जबकि सामान्य वर्ग की छात्राओं में बुद्धिलब्धि के अतिश्रेष्ठ श्रेणी में 02 छात्राएँ श्रेष्ठ, श्रेणी में 13, तीव्र सामान्य में 19 एवं सामान्य वर्ग में 16 छात्राएँ पायी गई हैं।

तालिका क्रमांक 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

ग्रॉफ क्रमांक 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका का स्पष्टीकरण –उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य जाति की छात्राओं में बुद्धिलब्धि का माध्य 93.56 है। जो कि तीव्र सामान्य बुद्धि वर्ग में आते है एवं सामान्य जाति के छात्रों में 90.38 माध्य पाया गया है जो कि सामान्य बुद्धि वर्ग में आते है जबकि अनुसूचित जनजाति छात्रों में बुद्धिलब्धि का 68.94 जो कि मन्द सामान्य बुद्धि वर्ग में आते हैं। एवं अनुसूचित जनजाति छात्राओं में माध्य 72.78 पाया गया है। जो कि सामान्य बुद्धि वर्ग में आते हैं। माध्यों के बीच में सार्थक अन्तर पाया गया है। जो कि अनोवा मूल्य F 78.099 एवं 3.196 स्वंत्र्नयांश पर सार्थक ($P<.05$)पाया गया हैं। अत: शून्य परिकल्पना 'अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग में छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि का अध्ययन करने पर सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा'। अस्वीकृत कि जाती है अत: यह स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं में बुद्धिलब्धि का स्तर अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं से अधिक पाया गया है।

निष्कर्ष – अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में बुद्धिलब्धि का अध्ययन करने पर सार्थक अंतर नही पाया जायेगा, को अस्वीकृत किया जाता है। जो कि तालिका क्र 01 व 02 में प्रदर्शित अंकों से सिद्ध होता है कि माध्यों के बीच सार्थक अन्तर पाया गया है। अत: यह स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं में बुद्धिलब्धि का स्तर अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं से अधिक पाया गया है।

कारण – उपरोक्त परिणामों का सम्भावित कारण यह हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राएँ ग्रामीण परिवेश में रहते है। इसलिये वह छात्र छात्राएँ शैक्षिक अवसरों से वचिंत रह जाते है। (Exposhre) बुद्धिलब्धि का सम्बन्ध वंशानुक्रम से अधिक होता है। उदाहारण के लिये यदि माता-पिता की बुद्धिलब्धि अधिक होगी तो उनसे प्राप्त संतान की भी बुद्धिलब्धि अधिक पाई जायेगी। इसीलिए बुद्धिलब्धि का सीधा सम्बन्ध वंशानुक्रम पर अधारित होती है।

सुझाव :

1. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा व राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों बुद्धिलब्धि व समायोजन के मध्य सहसंबंध का अध्ययन किया जा सकता है।
2. अभिभावको को अपने छात्रों को पारिवारिक व आर्थिक परेशानियों से दूर रखे। जिससे वह अच्छे से समायोजन कर अपने लक्ष्य को हासिल कर सके।
3. अभिभावको को अपने बच्चों का खान-पान का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी बुद्धिलब्धि अच्छी रहे व उनका पढ़ाई में भी ध्यान लगा रहे।
4. अभिभावकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बच्चों को ज्यादा प्रेशर व दबाव नहीं देना चाहिए अन्यथा व अपने मार्ग से भटक जायेंगे और लक्ष्य पर नहीं पहुँच पायेंगे।
5. अभिभावकों को अपने बच्चों को स्वतत्रं रूप से पढ़ाई करने देना चाहिए इन्हें ज्यादा रोक-टोक नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो वे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते है और वह अपने परिवार में समायोजन नहीं कर पाते। जिससे वह अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच पायेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पी.डी.पाठक 'शिक्षा मनोविज्ञान' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा (2005)
2. डॉ. प्रीति वर्मा, डॉ.डी.एन. श्रीवास्तव 'आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा (1999)
3. डॉ.आर.ए. शर्मा डॉ. शिखा चतुर्वेदी 'शैक्षिक एवं व्यवसायिक-निर्देशन परामर्श निकट राजकीय इन्टर कॉलेज बेगम, ब्रिज रोड़ मेरढ़ (2008)
4. श्रीमती गायत्री बर्मन, श्रीमती शशीप्रभा जैन 'किशोरावस्था विवाह एवं परिवार', शिवा प्रकाशन, श्रीगणेश मार्केट, खजूरी बाजार, इन्दौर (म.प्र.) (2008)
5. डॉ. श्रीनाथ शर्मा 'सामाजिक अनुसंधान पद्धति', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ आकदमी रवीन्द्रनाथ मार्ग बानगंगा, भोपाल (2016)
6. डॉ. रवीन्द्र नाथ मुकर्जी 'सामाजिक शोध व सांख्यिकीय', विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली (2012)
7. एच.के.पिल, एच.पी. भार्गव 'अनुसंधान विधियों' बुक हाउस प्रकाशन पुस्तक, भार्गव भवन 4/352 कचहरी, धार, आगरा (2001)

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

तालिका क्रमांक 1: छात्र-छात्राओं की बुद्धिलब्धि के स्तर का विवरण

क्र.	बुद्धिलब्धि का स्तर	अनुसूचित जनजाति छात्र		अनुसूचित जनजाति छात्राएँ		सामान्य वर्ग छात्र		सामान्य वर्ग छात्राएँ	
		आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत
1.	अतिश्रेष्ठ(107से अधिक)	00	0%	00	0%	03	06%	02	04%
2.	श्रेष्ठ (99 से 106)	01	2%	00	0%	08	16%	13	26%
3.	तीव्रसामान्य(91 से 98)	01	0%	02	4%	14	28%	19	38%
4.	सामान्य(73 से 90)	20	40%	21	42%	24	48%	16	32%
5.	मन्द सामान्य(65 से 72)	08	16%	20	40%	01	02%	00	0%
6.	सीमावर्ती (57 से 64)	12	24%	06	12%	00	0%	00	0%
7.	दोषपूर्ण (56 से कम)	09	18%	01	02%	00	0%	00	0%
	कुल	N=50	100%	N=50	100%	N=50	100%	N=50	100%

तालिका क्रमांक 2 : छात्र-छात्राओं की बुद्धिलब्धि के अध्ययन का अनोवा परिक्षण

समुह	संख्याN	माध्य	मानक विचलन	अनोवा परिक्षण F	सार्थकता मान P
अनुसूचित जनजाति छात्र	50	68.94	12.28	78.099	0.000 (P<.05)
अनुसूचित जनजाति छात्राएँ	50	72.78	8.25		
सामान्य छात्र	50	90.38	9.50		
सामान्य छात्राएँ	50	93.56	8.94		

ग्राॅफ क्रूमांक 1

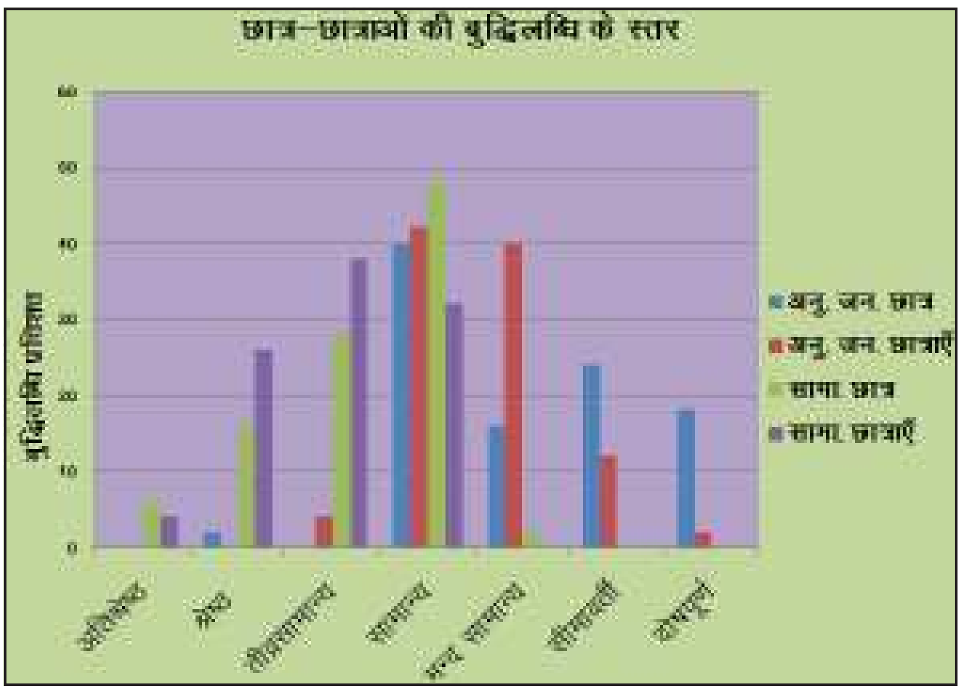

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारत वर्ष के प्राचीन एवं वर्तमान आध्यात्मिक संत (गंगा क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. मुकेश मारू*

* संचालक, एम.टी.एम.कान्वेन्ट सेकेण्डरी स्कूल, ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - गंगा क्षैत्र के आध्यात्मिक सन्तो के पुराण के अर्न्तगत अध्ययन के पूर्व हमें जानना होगा उस क्षेत्र के विषय में जिसे श्री राम शर्मा आचार्य ने दैवात्मा की संज्ञा दी है। जहाँ सुमेरू, संतोपंथ, शिवलिंग, गोरी पर्वत, गन्धमादन, स्वर्गारोहिणी केदारकंठ , नीलकंठ , चोखम्भा की पर्वत श्रेणियां तथा गंगा-यमुना की पवित्र जल धाराऐ युगो-युगो से भारतीय संस्कृति के निर्माता ऋषियो के लिये पूज्यनीय रही है। बल्कि उन्होनें यहां ही रहकर सिद्धियां प्राप्त की है। गीता मे जिसे भगवान ने कहा है।

स्थावराणां हिमालय

अर्थात पर्वत में में हिमालय हुँ।

भारत की उत्तर दिशा मे हिमालय पर्वत है। यह देवो की आत्मा है, पर्वतो का सम्राट है। यह पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक इस प्रकार फैला है मानो पृथ्वी को नापने का मापदंड हो। हिमालय को सभ्यता का आदि जन्मदाता माना गया है। मनुष्यों की आरम्भिक उत्पत्ति यही हुई। मध्य एशिया का तापमान एवं प्रकृतिक वातावरण प्रतिकूल पडने पर निर्वाह के लिये उपयुक्त स्थान खोजने हुये आर्य लोग यहाँ आ बसे। जल प्रलय और हिम प्रलय के उपरान्त हिमालय की ही स्थिति प्राणियों के जीवित रह सकने योग्य बनी। मनु की नाव यही आकर किनारे लगी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्पूर्ण सृष्टि मे भगवती गंगा ने हिमालय को ही चुना है। अपनी प्रथम उपस्थिति के लिये पुराणो के अनुसार गंगा हिमालय राज की ज्येष्ठ पुत्री भी है। अत: सम्पूर्ण हिमालय को यदि गंगा क्षैत्र कहा जाय तो बिल्कुल भी अतिष्योक्ति नही होगी।

हिमालय, जहाँ गंगा अपनी धारा अलकनंदा मंदाकिनी के साथ प्रवाहमान है। करोडो वर्षो की क्या बात करे आज भी स्वर्ग की अनुभुति देता आया है। पूरे विश्व मे आज यह क्षैत्र ही है जो प्रामाणिक रूप से अमर सन्तो का साक्ष्य देता है। उदाहरण स्वरूप भारतवर्ष के दो महान सन्त श्री राम शर्मा आचार्य जिन्होने हमारी विरासत मे लिखा है कि बाल्यकाल मे अपने स्वयं के कक्ष मे उन्हे हिमालय स्थित अपने गुरू का साक्षात्कार हुआ। एवं आटो बायोग्राफी ऑफ ए योगी क लेखक श्री स्वामी परमहंस योगानंद ने अपनी इस पुस्तक मे बाल्यकाल मे हिमालय के योगीयो के साक्षात्कार के सन्दर्भ मे उल्लेख किया है।

ठीक इस प्रकार स्वामी प्रणवानंद ने अपनी पुस्तक हिमालयन मास्टर्स मे भी इसी तरह का उल्लेख कर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि आज चाहे दुनिया कितनी ही आधुनिक हो गई है। किन्तु हिमालय का यह परिक्षेत्र आज भी महान एवं अमर योगियो के प्रकाश से दैदीप्तमान है। इस शोध का यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जिससे हम गंगा एवं हिमालय परिक्षेत्र के सन्तो को जानने का प्रयास करेगे।

हिमालय निवास अपने आप में एक तपश्चर्या है। वहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य, सुरूचिपूर्ण वातावरण एवं अध्यात्मिक तत्वों का उच्चस्तरीय समावेश तो अपने ढंग की अनोखी विशेषता ही है। इन दिनो तो इस क्षेत्र मे आवागमन के मार्ग भी बन गये है। और वाहन भी मिलने लगे है। पर जिन दिनो ऐसा कुछ भी नही था उन दिनो भी आत्म साधना के लिये उपयुक्त स्थान खोजने वाले इसी क्षेत्र में पहुँचते थे। तप साधना में निरत होते और जीवन का अंतिम अध्याय वही समाप्त करते थे। हिमालय मे कितने तपस्वी साधना प्रयोजन के लिये उस क्षेत्र मे पहुँचते थे। उसका विवरण पुराणो के पृष्ठ पलटने पर सहज ही चल जाता है। लगता है कि किसी समय हिमालय का देवात्मा भाग तपोभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त करता रहा है। अतिप्राचीन काल से लेकर अद्यावधि साधना परायणो को उसी क्षैत्र मे आर्कषण एवं सन्तोष प्राप्त होता है। यश और स्मारको के लोभ में न पडने वाले व्यक्ति एकान्त साधना मे निरत रहते है। इस चयन का एक बडा लाभ यह भी है कि इस क्षेत्र मे सुक्ष्म रूप से निवास करने वाले सिद्ध पुरूष उन आत्म पारायणो का सामयिक मार्ग दर्शन एवं सहकार करते हुए अपनी उपस्थिति का परिचय देते रहे हैं। हमारे मार्ग दर्शक सत्ता के हिमप्रवेश मे निवास करने एवं वहां से उनका मार्ग दर्शन करने सूक्ष्म शरीर से उनकी पूजा स्थली मे प्रगट होने का प्रसंग पढकर पाठको हिमालय के संबंध में कुछ उत्कण्ठाऐं -जिज्ञासाऐं हो सकती है। मोटी दृष्टि तो यही कहती है। पाकिस्तान कि गिलगित रूस से लगी हिमाच्छादित चोंटियो से लेकर अरूणाचल व वर्मा तक तथा गढ़वाल की पहाडियो से लेकर तिब्बत के पठार तक छाया सारा ही प्रदेश हिमालय है तो वे हिमालय में किस क्षेत्र से आए हिमालय में ऐसी क्या विशेषता है। भूगोल वेत्ताओ, भू गर्भ वेत्ताओ पर्यावरण विदो की दृष्टि से हिमालय आल्पस पर्वत की तरह ही मात्र हरितिमा व बर्फ से ढकी एक पर्वत श्रृंखला हो सकती है। जिसमे के दो एवं गौरीशंकर नामक विश्व की दो सर्वोच्च चोटीयां भी है। किन्तु अध्यात्म वेत्ताओं की दृष्टि मे वह देवी चेतन सत्ता की परोक्ष संचालन तंत्र की निवास स्थली है। भारतीय संस्कृति आर्य संस्कृति के विकास की दृष्टि से हिमालय का प्रागेतिहासिक काल से ही बडा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हिमालय को धरती का स्वर्ग कहा गया है। जो कि गलत नही है।

भौतिक और आध्यात्मिक दोनो ही प्रगति की उच्चस्तरीय विभूतियो से भरी पूरी होने के कारण यह भूमि स्वर्गादपि गरीयसि कहलाती रही है। गरीयसी न माने तो यह स्वर्ग तो है ही। क्योकि अमृत जलधारा वाली भागीरथी ही नही देवलोक की ज्ञानगंगा का अवतरण भी इसी क्षेत्र से आरम्भ माना जाता है। विशेष रूप से उतराखण्ड जिसे देवात्मा हिमालय का हृद्रय कहा

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

जाता हैं दुर्गम हिमालय नाम से जाना जाता है। विशिष्ट ऋषि सत्ताओ की तपस्थली हैं एवं अध्यात्म चेतना का धुव्र केन्द्र है। श्रीमद भागवत मे हिमालय के इस क्षेत्र मे सिद्ध पुरूषों का निवास बताया गया है। जो सारे विश्व मे कल्याण की कामना हेतु सतत तप करते रहते है, एवं सूक्ष्म शरीर धारी होते है। ऐसा ही कुछ कथन थियोसॉफी की संस्थापिका मेडम ब्लेवटसकी का है जो इसे सिद्धो की पार्लियामेन्ट मानती है। परमहंस योगानन्द जी आटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी एवं स्वामी राम की लिंविंग विथ् हिमालयन मास्टर्स है ऐसे अनेक प्रसंगो के उल्लेख है जिनमे हिमालय के सिद्ध योगियो के विलक्षण कर्तव्यों का विवरण है। पाल ब्रन्टन ने एक पुस्तक लिखी है। इन सर्च आर्फ सिक्रेट इण्डियॉ इसमे भी उन्होने शोधकर्त्ताओ की तरह समर्थ सिद्ध पुरूषो का यहॉ अस्तित्व माना है। यदि इसे देवलोक माना जाता रहा हो तो भी कोई अतिश्योक्ति नही है। इतिहासकारो के अनुसार आर्यो का राजा इन्द्र था व उनके पुरोहित थे बृहस्पति। हिमालय का उत्तराखण्ड क्षेत्र इनकी राजधानी था। अन्य देवता भी इसी क्षेत्र मे निवास करते थे। तब हिमालय ऊॅचा था लेकिन इतना ऊॅचा नही की उसमे ठंडक असहनीय हो वृक्ष वनस्पति न होते हो। फिर उस समय के व्यक्तियो की जीवनी शक्ति भी अधिक बढी – चढ़ी थी। इन दिनो गंगोत्री गोमुख के जैसा क्षेत्र है । लगभग वैसी ही उस क्षेत्र की स्थिति थी जिसे देवलोक कहते है। पाण्डवो ने अंत समय मे स्वर्गारोहण जहॉ किया था वहॉ पर्वत श्रृंखला स्वर्गारोहिणी नाम से अभी भी बद्रीनाथ केदारनाथ के मध्य विद्यमान है। वसोधारा पठार के पास ही व्यास गुफा है, जहॉ महाभारत व अन्यान्य पुराण लिखे गयें।

संभवत: बाद मे हिमयुग आने पर समुद्रो मे भारी उथल –पुथल होने पर कई महाद्धीपो की आकृति – प्रकृति मे अंतर आया। इस उलट–पलट से गंगोत्री बद्रीनाथ शिखर उॅचे उठ गये ठंडक बढ जाने से वह क्षेत्र हरितिमा रहित हो गये। एवं बाद मे लोकिक प्रयोजनो की दृष्टि से आने वाले व्यक्तियो के कारण ऋषि सत्ताऐं देव सत्ताऐं भी नन्दन वन शिवलिंग सुमेरू चौखम्भा शिखरो के पृष्ठ स्थान पर चली गई जहॉ अभी भी उनका निवास माना जाता है। इस क्षेत्र के देवताओं की क्रीडास्थली होने से तात्पर्य यह है कि ब्रह्म परायण जीवन जीने वाले देवमानव कभी यहॉ रहकर वैज्ञानिक एवं दार्षनिक शोधो में निरत रहते थे। अपनी काया को ही प्रयोगशाला मानते हुए वे सतत इस दिव्य वातावरण मे साधना करते थे तथा उन निष्कर्षो के आधार पर ग्रन्थो का निमार्ण करते थे जिनसे जनसामान्य का मार्गदर्शन होता था इस क्षेत्र के निवासी मूर्धन्य स्तर के थे। विज्ञान की प्रत्येक धारा मे वे निष्णांत थे। तत्व – दर्शन उनका प्रिय विषय था। यदि कही इसी कारण इस क्षेत्र को स्वर्ग और निवासियो को देवता कहा गया हो तो वह अतिश्योक्तिपूर्ण पूर्ण भी नही दिव्य दर्शियो का कथन है कि बह्मामाण्ड की सघन अध्यात्म चेतना का धरती पर विशिष्ट अवतरण इस क्षेत्र की भू चुम्बकीय व अध्यात्मिक विशेषताओ के कारण इसी क्षेत्र में होता हैं जो मान्यता उत्तरीय ध्रुव व दक्षिण ध्रुव को भोतिक क्षेत्र मे मिली है। वही अध्यात्म क्षेत्र में हिमालय के हृदय को मिली है। इसीलिये यदि ब्रह्माण्ड में कही बुद्धिमान प्राणी रहते होंगे तो यह कोई आश्चर्य की बात नही है। महत्वपूर्ण विधाओ, कलाओं, विभूतियो का भंडार वहॉ होने की बात समझमें भी आती है। नारदजी विष्णुजी से महत्वपूर्ण विचार – विमर्श करने स्वर्ग लोक सम्भवत: इसी मार्ग से जाया करते होंगे। पौराणिक आरण्यानो के अनुसार दशरथ को इन्द्र द्वारा सहायता के लिए बुलाना, अर्जुन का इन्द्र लोक जाना, दधिची का देवगणो को अस्थिदान, सुकन्या के आव्हान पर अश्विनी कुमार द्वारा ऋषि को नेत्र दृष्टि ही नही देना अपितु काया कल्प कर देना आदि अनेक घटनाक्रम ऐसे है। जो यह प्रमाणित करते है कि स्वर्ग यहीं भूमि पर ही होना चाहिए यहॉ के देवमानवो का अंतरंग स्तर कही अधिक उॅचा होना चाहिए। हिमालय को देवमानवो व ऋषि सत्ता ने अपना कार्यक्षेत्र बनाया हो तो इसके कई कारण थे। एक तो यह है कि अधिक उचॉई के कारण अनगढो, असुरो, नरपशु स्तर के व्यक्तियो के वहॉ तक पहुचना व व्यवधान पहुचाना सरल नही थे। इसलिए देवासुर संग्राम आये दिन न होने की सुविधा देवताओ को प्राप्त थी। दूसरी यह है कि उस क्षेत्र मे इतनी अधिक गुफाए, कंदाए, झील, प्रपात व गुप्त स्थान है जिनमे तापमान भी सहन करने योग्य होता है उसमे निवास करते हुए तत्व ज्ञान और विज्ञान की शोध है। एकांत मे एकाग्रता पूर्वक कर पाना संभव होता है। यहॉ रहकर शांत चित्त से धर्मतंत्र की विविध उपल्बिधयों से समस्त विश्व को लाभान्वित बनाना, साधन जुटाना सरल था। तपस्वी, ऋषिगण एक प्रकार से अध्यात्म विज्ञान के शोधकर्ता एवं विभूति उत्पादक कहे जा सकते है। पंतजली, चरक, आर्यभट्ट की प्रयोगशालाएं यही थी। ऐसी वैज्ञानिक प्रयोगशालाए यहॉ थी एवं कणाद ने अणुविज्ञान की शोध यह की थी कि शरीर में यंत्र एवं मन: तंत्र के भीतर छिपे शक्तिशाली रहस्यो का अधिकाधिक अनावरण संभव होता था। शास्त्रो का सृजन योगाभ्यास की उपलब्धिया, आध्यात्म दर्शन का विकास, स्वास्थय, शिक्षा, चिकित्साशास्त्र, रसायन, शिल्पकला आदि की भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां इसी क्षेत्र से निकलकर आती थी और उनसे लाभान्वित होने वाले उसे स्वर्ग निवासी देवताओ का वरदान कहकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे। तीसरे यह की उस क्षेत्र में संजीवनी बूटी, रूदन्ती ब्रह्मकमल जैसी अप्रतोपम जड़ी–बूटियां मिलती थी। सोमरस यही उपलब्ध था जिसे पीकर देवमानव अजर अमर बने रहते थे। बहुमूल्य धातुओ स्वर्णादि की खदाने भी यही थी व अभी इनका बाहुल्य इधर बताया जाता है। वस्तुत: वातावरण मे इतने आलोकिक तत्व इस स्थान विशेष में है कि इसे धरती के स्वर्ग की उपमा गलत नही दी गई है। जहॉ ऋद्धि–सिद्धियो की आध्यात्म चेतना से अनुप्राणीत हो सरलतापूर्वक अर्जित किया जा सकता हो वहॉ देवता ही नही, देवमानव, सिद्ध पुरूषो का समुदाय भी आकर निवास करता हो, तो इसे आश्चर्य नही मानना चाहिए। हिमालय के इस स्वर्ग केन्द्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यहॉ स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में विकसित कर उसे इच्छानुसार लंबी अवधि तक जीवित बनाये रखना संभव है। सूक्ष्म और स्थूल शरीर के न रहने पे भी मनुष्य का अस्तित्व सदियो तक बना रहता है। भूख–प्यास, निंद्रा जैसी दैनिक आवश्यकताओ को तब पूरा नही करना पडता।

सूक्ष्म शरीर भले ही दिखाई न पडे तो भी अधिक सार्मथ्य वान बना रहता है व उसे महान उद्देश्यो के निमित्त नियोजित करना संभव हो पाता है। अभी भी सूक्ष्म शरीर धारी ऋषिगण हिमालय के इसी हृदय की कंन्द्राओं, षिखाओ, दिव्य भूमिओं पर विद्यमान है, जिन्हे अपना परिचय देना होता है या अदृष्य सहायता करनी होती है वे इच्छानुसार अपना शरीर प्रकट भी कर लेते है। इसी सिद्धी के बल पर हिमालय के सिद्ध पुरूष हिमयुग से भी पूर्व की संचित अपने भाव तथा ज्ञान संपदा को यथावत बनाये हुए है। सतत् तप मे लीन होने के कारण वे अपेक्षाकृत अधिक समर्थ हो गये है यही सूक्ष्म शरीर धारी ऋषियो से साक्षात हिमालय यात्रा के दोरान परोक्षसत्ता में पूज्य गुरूदेव से कराया था इनका एक ही काम है पिछडो को बढाना, गिरो को उठाना व उसके लिये कठोर तप करना। आध्यात्म मार्ग के जिज्ञासुओ को यह अभिभावक की तरह संरक्षण व सुविधा प्रदान करते है। अनेकानेक महान

संत ऋषियो ने अपने जीवन काल में कुछ जानने योग्य प्रलय, पुरूषार्थ किया ये। उनकी समस्त गतिविधियों का सूत्र संचालन किया था। जिसमे से कुछ का वर्णन इस प्रकार है।–

1. यमुनोत्री पर भगवान परशुराम की तपश्चर्या संमन्न हुई थी उन्है महाकाल का काल कुठार उपलब्ध हुआ था उन्होने अनेतिकता, अवांछनीयता अंध विश्वास एवं कुरूतियों का व्यापक उन्मूलन किया था।

2. गंगोत्री में भागीरथ ने तप किया था। उनने भगवती गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरित होने के लिये बाध्य किया था। उस पुण्यतोया के गंगा जल से अनेक प्राणीयो और वनस्पतियो को जीवन प्राण मिला था। सूखी धरती हरी भरी हुई थी। इसका आध्यातम विवेचन ज्ञान गंगा के अवतरण रूप मे किया जाता है।

3. केदारनाथ के क्षेत्र मे महर्षि चरक ने वनोषधि अन्वेषण किया था। आयुर्वेद परंपरा का वही प्रमुख भाग है।

4. बद्रीनाथ के निकट गुफा प्रसिद्ध है, महर्षि वेदव्यास ने गणेशजी के सहायता से 18 पुराणो की रचना की थी। साहित्य सृजन के माध्यम से उन्होनें स्वाध्याय प्रयोजन के लिये व्यापक व्यवस्था थी।

5. त्रियुगी नारायण क्षेत्र मे महर्षि याज्ञतल्क्य ने यज्ञ विज्ञान की सुविस्तृत शोध की थी। उस आधार पर इस महाविज्ञान के माध्यम से वातावरण की पवित्रता, वायुमंडल की परिशुद्धि, मानसिक, आध्यात्मिक व्याधियो का निराकरण संभव हुआ।

6. देवर्षि नारद ने गुप्त काशी मे तप किया, उनने संगीत के तत्व ज्ञान और प्रत्यक्ष विज्ञान का आविर्भाव किया उस आधार पर भावना क्षेत्र की संवेदनशीलता को प्रेमरस से सरोबार करने मे असाधारण सफलता पाई।

7. ज्योर्तिमठ आद्यशंकराचार्य की तपस्थली है। वहॉ शक्ति अर्जित करके उन्होने चार मठो और अनेकानेक तीर्थो की संस्थापना एवं उनका पुनरूद्धार किया।

8. महर्षि जगदग्नि का साधनाश्रम उत्तरकाशी था। उनका सुविस्तृत गुरूकुल आरण्यक चलता था जिसमे अगणित नर रत्न महामानव विनिर्मीत होते थे।

9. रूद्र प्रयाग में महर्षि पतन्जलि का चिरकाल तक साधनात्मा पुरूषार्थ चला। योगविज्ञान की अनेक शाखा – प्रशाखाओ का अनुभव अभ्यास एवं प्रतिपादन किया । विश्व के अनेकानेक साधना – विधान पतन्जलि के सूत्रो की व्याख्या स्वरूप प्रगट हुए है।

10. लक्ष्मण झूला मे महर्षि पिप्पलाद ने आहार के आधार पर कायाकल्प जैसी विधियो का निर्माण किया था।

11. महर्षि वशिष्ठ ने देव प्रयाग में राम – बन्धुओ को अपने समीपवर्ती क्षेत्र में रखकर वेदान्तपरक आध्यात्म की शिक्षा दी थी, जिसका योगविशिष्ठ मे विस्तारपूर्वक वर्णन है।

12. महर्षि कणाद ने परमाणु विज्ञान की खोज की थी। उनकी तपस्थली हरिद्वार के सप्तधारा क्षेत्र मे थी। जहॉ आज ब्रहमवर्चस्व की अनुसंधानशाला खडी है। जिस अणुशक्ति को आज विश्व की सर्वोपरि शक्ति माना जा रहा है। उसका कणाद ने आध्यात्मिक उपयोग समझा और उपयुक्त प्रयोजनो मे उसमे प्रयोग की रूपरेखा तैयार की थी।

13. महर्षि विश्वामित्र भी हरिद्वार के सप्तधारा क्षेत्र मे ही अपना अधिकांश साधना काल बिताते रहै। उन्होने गायत्री तत्व का दर्शन प्रकट और नाद शब्द बह्यम से संबधित सम्मान की रूप रेखा बनाई। अभिनव विश्व की संरचना उन्ही का स्वप्न था जो कारणवश कभी पीछे के लिए टल गया। यह संकेत रूप सर संक्षेप है। ऐसे अनेक ऋषि देवात्मा हिमालय के क्षेत्र मे आसाधारण तप अनुसंधान करते रहे है। वे एक प्रकार के आध्यात्म क्षेत्र की शोध करने वाले वैज्ञानिक ही थे। वे ऐसे उपाय सोचते और निकालते रहे जिससे समस्त विश्व के हर क्षेत्र में शालीनता, सदभावना, सम्पन्नता एवं सुव्यवस्था का उत्पादन अभिवर्धन होता रहे। उन्हे अपने लक्ष्य में आशातीत सफलता भी मिली। इसी आधार पर इस देश को जगदगुरू चक्रवती शासक और स्वर्ग सम्पदाओ एवं दिव्य विभूतियो का अधिपति कहलाने का श्रेय उपलब्ध हुआ।

आइयें हम सर्वप्रथम पुराणो के अनुसार इस क्षेत्र के महान सिद्ध सन्तो को जानने का प्रयास करते है।

1. अगिंरा:– ऋग्वेद के महान ऋषि अगिंरा ब्रहमा के मानस पुत्रो मे से एक थे। वे अथर्वा अगिंरा के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इनका आश्रय अलकनन्दा के तट पर स्थित था।

2. कष्यप :– महान ऋषि मरिचि के पुत्र और आर्य नरेश दक्ष जिनकी राजधानी कनखल मे थी। मे उत्तर दिशा का आश्रय लेकर रहते थे। वहा इनके द्धारा देव, असुर एवं नागो की उत्पत्ति हुई। इसीलियें अलकनंदा क्षेत्र को देव, दानव एवं नागो की जन्मभूमि कहा जाता है।

3. पूलह:– ऋषि पूलह भी ब्रहमा के मानसपुत्र है। एवं इनका आश्रय अलकनंदा के तट पर रहा है।

4. यमदग्नि :– भृगुपुत्र यमदग्नि गोवंश की रक्षा पर ऋग्वेद मे 16 मन्त्रो की रचना की है। ये आयुर्वेद के कर्ता एवं चिकित्साशास्त्र के भी पंडित थे। उत्तरकाशी मे वर्तमान नाकुरी नामक स्थान पर पत्नी रेणुका सहित तपस्या करते थे।

5. वषिष्ठ:– ऋग्वेद मंडल 7 के मंत्रदृष्टा आर्य–पुरोहित वशिष्ट ब्रहमा के मानसपुत्र एवं सप्तऋषियो मे एक थे। वे पत्नी अरून्धति सहित टिहरी की हिमदाव पट्टी मे स्थित वशिष्ठाश्रम मे रहते थे। बिसोन पर्वत पर वशिष्ट गुफा एवं वशिष्ट कुण्ड के नाम से उनका स्मारक आज भी विद्यमान है। ऋषिकेश एवं देवप्रयाग मे भी महर्षि वशिष्ट का आश्रम है।

6. अत्रि:– सप्तऋषियो मे से एक ब्रहमा के मानसपुत्र महान योगी अत्री में ऋग्वेद के पॉचवे मंडल के अधिकांश सुक्ता के ऋषि है। अत्रि चन्द्रवंश के प्रर्वतक भी है। अत्रि उत्तर दिशा स्थित हिमालय में चमोली जनपद के मंडल नामक स्थान के समीप अपने आश्रम में रहते थे।

7. नर और नारायण:– ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 35/36 के त्रटत्रि नर और 10 वे मंडल के प्रसिद्ध पुरूष सक्त 90 के ऋषि नारायण बदरीनाथ क्षैत्र के अधिष्ठता है। ये ऋषि द्धय धर्म और माता मूर्ति देवी के पुत्र रत्न है। जिनकी स्मिृति मे आज भी प्रतिवर्ष माणा के पास मेला लगता है। कई स्थलो पर इस प्राचीन आश्रम का अत्यन्त श्रृदा पूर्वक वर्णन है। नर और नारायण दोनो भागवत धर्म नारायण धर्म के मूलप्रर्वतक थे।

8. नारद:– बदरीनाथ क्षैत्र को नारदीय क्षैत्र भी कहा जाता है। नारद पांचरात्र के संस्थापक थे। जिनकी अधिष्ठता भी नारायण ही थे। रूद्रप्रयाग मे नारद ने भगवान शिवशंकर से संगीत का ज्ञान प्राप्त किया था।

9. पाराशर :– ऋग्वेद पृथम मंडल 65/74 सूक्त तक के ऋषि वशिष्ट के पुत्रशक्ति से उत्पन्न व्यास पिता पराशर कहै जाते है। इस पावन क्षैत्र मे पिता और पुत्र के द्धारा वेद शास्त्रो का प्रणयण हुवा है। गंगनानी (उत्तरकाशी) मे पराशर ऋषि का तपस्थान है।

10. भारद्वाज:-ऋग्वेद मंडल षष्ठ के ऋषि गुरूदेव वृधीचति के पुत्र भारद्वाज अनेक दिव्य शास्त्रो के आचार्य थे। आयुर्वेद के धन्वन्तरि इन्ही के षिष्य थे। महाभारत के अनुसार इनका आश्रम हरिद्वार मे था।

11. विश्वामित्र:- आयुवैदाचार्य सुश्रुत के पिता एवं भगवान श्री राम के गुरू ऋग्वेद तृतीय मंडल के क्रान्ति दर्शी ऋषि विश्वामित्र का आश्रम भी मंदाकिनी के पास सूर्यप्रयाग से एक बाण की दुढी पर इनका तपस्थल है। जिसका उल्लेख रामायण के बालकाण्ड मे भी मिलता है।

12. गोतम:- महान सप्त ऋषियो मे से एक गोतम जिन्है गोतम न्यास का अधिष्ठता एवं आयुर्वेद का महान प्रकांड माना जाता है। का आश्रम भी हिमालय मे मंदाकनी के तट पर ही स्थित था।

13. अगस्त्य:- ऋग्वेद पृथम मंडल 165 सूक्त 191 सूक्त के मत्र द्दष्टा ऋषि अगस्त। रूद्रप्रयाग से 18 कि.मी. की दुरी पर मंदाकिनी के तंट पर अगस्त मुनि नामक स्थान पर इस महान ऋषि के आश्रम की स्मृति आज भी मोजुद है। महान ऋषि अगस्त ने बदरीनारायण मे भी तपस्या की थी। महाभारत के अनुसार अगस्त ऋषि ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा सहित हरिद्वार मे भी तप किया था। महान ऋषि अगस्त की उपस्थिति का प्रमाण हमे हमारे कई धार्मिक ग्रन्थो के माध्यम से मिलता रहा है।

14. भृगु:- महर्षि भृगु ब्रहमा के मानसपुत्र एवं ऋग्वेद के ऋषि है। इनकी दो पत्नीयो मे से एक हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या थी। इनके पुत्र उषना जिसे ब्रह्ममाण्ड पुराण (3/1/76)मे असुरो का गुरू आचार्य शुक्र भी कहा गया है। ब्रह्ममा ने भृगु को सरस्वती देवी का मन्त्र बदरी श्रम मे दिया था। भृगवे देवो मुष्ठो ब्रह्ममा बदरिकाश्रमे जिसका उल्लेख ब्रह्ममा वेवर्त पुराण 15/30/मे आता है। उत्तर गढवाल के भृगु पंथ स्थान मे इनका आश्राम था।

15. इन्द्र:- ऋग्वेद के देवताओ और मन्त्र द्दष्टाओ मे इन्द्र का महत्वपूर्ण स्थान हैं। ऋग्वेद 10 वे मंडल सूक्त 49/86/119 के ऋषि इन्द्र है। ऋग्वेद के अनुसार चारो और असुर तथा नागो सेघिरी हुई इनकी राजधानी अमरावती हिमालय के गन्धमादन प्रदेश मे थी। उन्हीं को आज सुमेरू एवं सतोपंथ कहते है। ऋग्वेद के अनुसार इन्द्र उसी पर्वत के निवासी थे। जहा 21 पर्वत एवं जहा सप्त सिन्धुओ के अतिरिक्त 99 नदिया बहती थी। आचार्य सायण ने इसे स्पष्टत: गंगा का क्षैत्र घोषित किया है। पांडवो के वनवास काल मे अर्जुन ने गन्धमादन प्रदेश से ही इन्द्र के स्वर्ग राज्य मे प्रवेश किया था।

16. शची:- ऋग्वेद (10/145/1, 2, 3, 4, 5) के मन्त्रो की द्दष्टा है। यह पुलोमा असुर की पुत्री और देवराज इन्द्र की पत्नी थी। वह भी गन्धमादन मे रहती थी।

17. पुरूखा और उर्वशी:- ऋग्वेद मंडल 10 सुक्त 95 के ऋषि पुरूखा और उर्वशी का आश्रम अलकनन्दा व मन्दाकिनी का ही तटवर्ती प्रदेश है। इसी सुक्त मे मन्त्र 42 मे स्पष्ट लिखा है। कि जहा मंदाकिनी आदि नदिया बहती है। वह ही स्वर्गभूमि है। चन्द्रवंशी सम्राट पुरूखा मनु पुत्री इला के गर्भ से उत्पन्न महर्षि बुंध पुत्र थे।

उर्वशी का ऋग्वेद के मन्त्र द्दष्टा ऋषि नारायण न जिनका आश्रम गन्धमादन पर्वत पर बदरी क्षैत्र मे ही है। अपने उरू भाग को ताडन कर उत्पन्न किया था। ऋषि नारायण ने उसको इसी क्षैत्र के अधिपति इन्द्र की सेवा के लिये समर्पित किया था।

अत: पुरूखा एवं उर्वशी का यह क्षेत्र स्वर्गभूमि ही है। बद्रीनारायण धाम से पश्चिम आधाकोस की दूरी पर सम्पूर्ण सुन्दरता प्रदान करने वाला उर्वशी कुंड आज भी विद्यमान है। महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वषीयम के अनुसार पुरूखा और उर्वशी का आश्रम क्षैत्र गंगा मंदाकिनी का यही तंटवर्ती नन्दन वन प्रदेश है।

18. बालखिल्य:- नागपुर क्षैत्र मे अवस्थित बाल खिल्यतीर्थ बालखिल्य नदी और वारणावत पर्वत ऋग्वेद के बाल खिल्य नामक सूक्तो के ऋषि है भिल्लागना - बालखिल्य संगम अर्थात इन ऋषि ने प्रयाग मे भी तपस्या की थी।

19. दैवल:- ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 5 से लेकर 24 तक के मन्त्र द्दष्टा ऋषि दैवल है। पुराने श्रीनगर मे वर्तमान शंकराचार्य पठ के निकट दैवल ऋषि का तपस्थान रहा है।

20. मान्धाता:-ऋग्वेद मंडल 9 के सूक्त 134 के ऋषि मान्धाता है। बदरिकाश्रम मे स्थित मुचकंद आश्रम और मुचकंद गुफा मे आज भी इनकी स्मृति सुरक्षित है।

21. कण्व:- ऋग्वेद आठवे मंडल के ऋषि कण्व का आश्रम चोकीघाट कोट द्धार के निकट मालिनी नदी के तट पर स्थित रहा है। महाभारत के अनुसार मेनका द्धारा त्यागी भरत जननी शकुन्तला महर्षि कण्व को हिमालय पर्वत पर मालिनी नदी के तट पर प्राप्त हुई थी।

22. रूद्र:- ऋग्वेदिक दैवताओ मे रूद्र का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वे पृथ्वी और कैलाश के अधिपति बताये जाते है। जहा मंदाकिनी और गंगा का संगम है। वही रूद्र क्षैत्र है।

23. महर्षि जहनु:-जब राजा भागीरथ अपनी तपस्या के द्धारा भागीरथी को लेजा रहै है। तब जूहनु आश्रम मे इन महान ऋषि ने भागीरथी को उदरस्थ कर लिया था। इनका आश्रम हर्मिल से आगे जाहन्वी (गांडगगा) तट पर स्थित रहा है।

23. वेदव्यास:- महर्षि परांसर के औरस और दासराज कन्या सरस्वती के गर्भ से उत्पन्न वेदो के पृथम सहिंताकार होने के कारण भगवान वेदव्यास का स्थान वेदिक ऋषियो मे अन्यतम है। पुराणो के अनुसार कृष्ण है कायन से पूर्व अठ्ठाइस व्यास हो चुके थे। परन्तु जिन्होने वेदो का चार संहिताओ मे व्यास अर्थात विभाजन किया, जिनका वर्ष कृष्ण था।जो द्धीप मे जन्मे थे। वे ही भारतीय वाङ्मय मे वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए है।

कान्तिदर्शी व्यास सर्वविद्याविषारद थे।उनकी असाधरण दार्शविकता, आध्यात्मिकता औश्र विद्वता से महाभारत, अष्टादष पुराण , ब्रहम सूत्र आदि ग्रन्थ ओतप्रोत है।

श्री मद भगवत गीता के अनुसार ब्रहमनदी सरस्वती के पश्चिम तट पर बदरिकाश्रम मे महार्षि व्यास का आश्रम है। बदरी क्षैत्र मे वर्तमान माणा गॉव मे 'व्यास गुफा' के पास गणेष गुफा भी है।

महर्षि व्यास महाभारत के काव्यकार तथा श्री गणेश उसके लेखक थे।

24. श्री महावतार बाबाजी:- अभी तक हमने अध्ययन किया है। उन ऋषियो का जिनका उल्लेख हमारे पुराण करते आये है। अब हम जानेंगे उनके विषय मे जिनकी हजारो वर्षो की उपस्थित से यह गंगा क्षैत आज भी गौरवान्वित है। हॉ निश्चित रुप से उनकी चर्चा पुराणो मे नही हो पाई है। किन्तु ये वो ऋषि रहे है जो सृष्टि संतुलन मे आज भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। उनमे सबसे पहले हम जानेंगे श्री बाबाजी के विषय मे। जिनका प्रमुख क्षैन बदरिकाश्रम है जहॉ का कण कण उनकी उपस्थिति से दैदीप्यमाना है। श्री महावतार बाबाजी के विषय मे जाानने के लिये आइये हम चलते है। उनके ही मानस सूत्र अर्थात् श्री योगानन्द जी द्धारा रचित 'आटो बायोग्राफी आफ ए योगी' मे हिमालय के उत्तरी अंचल मे स्थित बदरी नारायण के समीपवर्ती

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

पर्वत शिखर श्री श्यामाचरण लाहिडी महाषय के गुरु श्री बाबाजी की सशरीर उपस्थित से आज भी पावन हो रहे है। एकान्त वासी महागुरु अपने भौतिक शरीर को शताब्दियो से और शायद युग युगान्तर से धारण करते चले आ रहे है।

मृत्युंजय बाबाजी एक अवतार है। संस्कृत मे अवतार का तात्पर्य है, नीचे उतरना। हिन्दु धर्मशास्त्रो मे अवतार शब्द का प्रयोग 'ईश्वर का देहधारी के रुप मे अवतरण के अर्थ मे होता है।'

परमहंस योगानंद जी के गुरु श्री मुकेश्वर जी गिरि के अनुसार बाबाजी की आध्यात्मिक अवस्था मानव कल्पनातीत है। मनुष्य की शुद्ध दृष्टि उनकी अतीन्द्रिय आध्यात्मिक ज्योति को नही भेद सकती है।

भारतवर्ष मे बाबा जी का उद्देश्य है, महापुरुषो के जन्म लेने के विशेष प्रयोजन की पूर्ति मे उनका सहायता करना। इस प्रकार शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार वे एक अवतार है। उन्होने स्वंय बतलाया है कि सन्यास आश्रम के पुन: संगठक एवं अद्वितीय तत्व ज्ञान जगतगुरु शंकराचार्य एवं सुप्रसिद्ध मद्धुगीन कबीर को उन्होने योग दीक्षा दी है।

महावतार बाबा जी ईसा मसीह के लगातार सम्पर्क मे रहते है। ये दोनो मिलकर मोक्षदायक स्पन्दन तरंगो को भेजते रहते है। एक शरीरी तथा दूसरा अशरीरी दोनो महागुरुओं को कार्य है, राष्ट्र को युद्ध की जातिवाद की, धार्मिक भेदभाव की तथा भौतिकवाद की अशुभ प्रतिक्रियाओं का परित्याग करने के लिये प्रेरणा देना।

बाबा जी के परिवार के बारे मे इतिहास से ज्यादा कही कोई उल्लेख नही है। परंतु इस बात मे हमे ज्यादा आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नही है। इसका कारण यह है कि महागुरु किसी भी शताब्दी मे कभी भी सार्वजनिक रुप से प्रकट नही हुये है।

योगी कथामृत मे उल्लेखित स्वामी केवलानन्दजी के अनुसार हिमालय मे बाबाजी अपनी मंडली के साथ पर्वतो मे एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करते रहते है। जब बाबा जी की इच्छा होती थी तब बाबा जी को कोई देख या पहचान सकता है।

श्री महावतार बाबाजी से जुडी एक बडी जर्बदस्त घटना का उल्लेख श्री योगी कथामृत मे किया गया है।एक ऐसी अमर प्रतिज्ञा जिसमे बाबा जी , श्री माता जी एवं श्री लाहिढी महाशय के शिष्य रामगोपाल के सामने गंगा तट काशी के दशाष्वमेद्य धातु पर अपने शरीर का परित्याग कभी नही करेंगे की प्रतिज्ञा लेते है। ये वह है दशाश्वमेद्य घाट है। जहॉ ब्रहमा ने अश्वमेद्य यज्ञ किये थे।

25. स्वामी सर्वेष्वरानन्द जी – दैवी सत्ता का प्राकट्य जब किसी महामानव के जीवन मे होता है तो सोने मे सुगंधि का कार्य करता है। ऐसे ही एक महामानव के जीवन मे मार्गदर्शक के रुप मे जाने जाते है, 'स्वामी सर्वेश्वरानंद' जी गंगा क्षेत्र के उन महान ऋषियों मे से एक जिसके लिए समय कोई बंधन नही है। वर्तमान गायत्री परिवार के पितृ पुरुष, अनादिकाल से एकांकी, नग्न, मौन, निराहार, रहकर अपनी तप ऊर्जा द्वारा अपने को अधिकाधिक प्रचंड, प्रखर, बनाते एक दिगंबर देहधारी हिमराशी के मध्य के सिद्ध ऋषि स्वामी सर्वेश्वरानन्द जिनका निवास क्षेत्र हमारी वसीयत और विरासत मे श्री राम शर्मा आचार्य ने गौमुख से ऊपर तपोवन मे बताया है। पूज्य गुरुदेव के बाल्य काल मे ही पन्दह वर्ष की आयु मे आए बसंत पर्व मे पूजा की कोठरी मे एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज से सारी कोठरी जगमगा उठी। प्रकाश के मध्य एक योगी को सूक्ष्म शरीर उभरा। यह स्थूल शरीर एक ऐसे कृषकाय सिद्ध पुरुष के रुप मे है जो अनादिकाल मे एकाकी नग्न, मौन, निराकार रहकर अपनी तप ऊर्जा द्वारा अपने आप को अधिकाधिक प्रचंड प्रखर बनाते चले आ रहे है। एक दिगंबर देहधारी हिमराषि के मध्य खडी दुर्बल काया यह तो स्थूल रुप मे उपलब्ध एक मात्र फोटोग्राफ है, जो अपनी पहली हिमालय यात्रा के समय उनके आग्रह पर स्वंय पूज्य गुरुदेव को प्रकट रुप मे उनके प्रदान किया। यही चित्र गायत्री परिवार के दृष्य प्रतीक के रुप मे उपलब्ध है नाम है स्वामी सर्वेष्वरानंद।

26. श्री राम शर्मा आचार्य – इतिहास मे कभी कभी ऐसा होता है कि अवतारी सत्ता एक साथ बहु आयामी रुपो मे प्रकट होती है एवं करोडो ही नहीं पूरी वसुधा के उद्धार चेतनात्मक धरातल पर सबके मनो का नये सिरे से निर्माण करने आती है। परमपूज्य गुरुदेव पं. श्री राम शर्मा आचार्य को एक ऐसी ही सत्ता के रुप मे देखा जा सकता है।जो युगो युगो मे गुरु एवं अवतारी सत्ता दोनो ही रुपो मे हम सबके बीच प्रकट हुई , अस्सी वर्ष का जीवन जी कर एक विराट ज्योति प्रज्जवलित कर उस सूक्ष्म ऋषि चेतना के साथ एकाकार हो गई जो आज युग परिवर्तन को सन्निकट लाने को प्रतिबद् है। परमवन्दनीया माता जी शक्ति का रुप थी। जो कभी महाकाली, कभी मॉ जानकी ,कभी मॉ शारदा एवं कभी मॉ भगवती के रुप मे शिव की कल्याणकारी सत्ता का साथ देन आती रही है। उनने भी सूक्ष्म मे विलिन हो स्वयं को अपने आराध्य के साथ एकाकार कर ज्योति पुरुष का एक अंग स्वंय को बना लिया। आज दोनो सशरीर हमारे बीच नही किन्तु, नूतन सृष्टि कैसे ढाली गयी। कैसे मानव गढने को सॉचा बनाया गया। इसे शंतिकुंज, ब्रहामवर्चस्व, गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान एवं युगतीर्थ ऑवलखेडा जैसी स्थापना एवं संकल्पित सृजन सेनानी गणो के, वीरभद्रो की करोड़ो से अधिक की संख्या के रुप मे देखा जा सकता है। परमपूज्य गुरुदेव का वास्तविक मूल्यांकन तो कुछ वर्षो बाद इतिहासवार, मिथक लिखने वाले करेंगे किंतु यदि उनको आज भी कोई साक्षात देखना या उनसे साक्षात्कार करना चाहता हो तो उन्हे उनके द्वारा अपने हाथ से लिखे गये उस विराट परिणाम मे साहित्य के रुप मे युग संजीवनी के रुप मे देख सकते है जो वे अपने वजन से अधिक भार के बराबर लिख गये। इस साहित्य मे संवेदना का स्पर्ष इस बारीकी से हुआ है कि लगता है, लेखनी को उसी की स्याही मे डुबाकर लिखा गया हो। हर शब्द ऐसा है जो हदय को छूता, मन को छूता हुआ, विचारो को बदलता चला जाता है। लाखो करोडो के मनो के अंत: स्थल को छू कर उसने उनका कायाकल्प कर दिया। रुसो के प्रजातंत्र की, कार्ल मार्क्स के साम्यवाद की क्रांति भी इसके समक्ष बोनी पड़ जाती है। उनके मात्र इस युग वाले स्वरुप को लिखने तक मे लगता है कि एक विश्वकोश तैयार हो सकता है, फिर उस बहुआयामी रुप को जिसमे वे संगठनकर्ता, साधक, करोडो के अभिभावक, गायत्री महाविद्या के उद्धारक, संस्कार परम्परा का पुर्न जीवन करने वाले, ममत्व लुटाने वाले एक पिता, नारी जाती के प्रति अन्नय करुणा बिखेरकर उनके ही उद्धार के लिये धरातल पर चलने वाले नारी जागरण अभियान चलाते देखे जाते है। अपनी वाणी के उदबोधन मे एक विराट गायत्री परिवार एकाकी अपने बलबूते खडे रहते दिखाई देते है तो समझ मे नही आता कि क्या-क्या लिखा जाए, और कैसे लिपिबद्ध किया जाए और उस महानपुरुष के जीवन – चरित्र को।

अश्विन कृष्ण प्रयोदशी विक्रम संतत् 1967 (20 सितम्बर 1911) को स्थूल शरीर से ऑवलखेडा ग्राम जनपद आगरा जो जलेसर मार्ग पर आगरा से पन्द्रह मील की दूरी पर स्थित है, मे जन्मे श्री राम शर्मा जी का

बाल्यकाल के शोर्य काल ग्रामीण परिसर मे ही बीता है। वे जन्मे तो थे एक जमीदार घराने में जहॉ उनके पिता – श्री पंडित रूपकिशोर जी शर्मा आसपास के दूर दराज के राजघरानो के राजपुरोहितो उदभट, विद्धान, भागवत कथाकार थें किन्तु उनका अंत: करण मानव मात्र की पीड़ा सतत् विचलित रहता था। साधना के प्रति उनका झुकाव बचपन मे ही दिखाई देने लगा। जब वे अपने सहपाठियो को, छोटे बच्चो को अमराइयो मे बिठाकर स्कूली शिक्षा के साथ – साथ सुसंस्कारिता अपनाने वाली विद्या एवं आत्मविद्या का शिक्षण दिया करते थे। छटपटाहट के कारण हिमालय की और भाग निकलने वाले तथा पकडे जाने पर उनने संबधियो को बताया कि हिमालय ही उनका घर है। एवं वे वही जा रहे थें। किसे मालूम था कि हिमालय की ऋषि चेतनाओ का समुच्चय बनकर आयी यह सत्ता वस्तुत: अगले दिनो अपना घर बनायेगी। जाति – पाति का कोई भेद नही। जातिगत मूढता भरी मान्यता से ग्रसित तत्कालीन भारत के ग्रामीण परिसर मे एक अद्यूत वृद्ध महिला जिसे कुष्ठ रोग हो गया था। उसी के टोले मे जा सेवाकर उनने घरवालो का विरोध तो मोल ले लिया पर अपना व्रत नही छोड़ा, उस महिला ने स्वास्थ्य होने पर उन्हे ढेरो आर्शीवाद दिये। एक अछूत कहलाने वाली जाति का व्यक्ति जो उनके आलीशान घरो में घोडो की मालिश करने आता था, एक बार कह उठा कि मेरे घर कथा कराने कौन आयेगा। मेरा ऐसा सौभाग्य कहॉ। नवनीत जैसे हृदय वाले पूज्यवर उनके घर जा पहुचे एवं कथा पूरे विधी विधान से पूजा सम्पन्न की, उसको स्वच्छता का पाठ सिखाया, जबकि सारा गाँव उनके विरोध मे बोल रहा था।

किशोरावस्था मे ही समाज सुधार की रचनात्मक पृवत्तियों को उनने चलाना आरम्भ कर दिया था। औपचारिक शिक्षा स्वलप ही पायी थी किन्तु उन्हे इसके बाद आवश्यकता भी नही थी क्योकि जो जन्मजात प्रतिभा समपन्न हो वह औपचारिक पाठयक्रम तक सीमित कैसे रह सकता है। हाट बाजारो मे जाकर स्वास्थय शिक्षा प्रधान परिपत्र बाटँना, पशुधन को कैसे सुरक्षित रखे तथा स्वालम्बी कैसे बने, इसके छोटे–छोटे पेम्पलेटस लिखने, हाथ की प्रेस से छपवाने के लिए उन्हे किसी की आवश्यकता नही थी। वे चाहते थे जनमानस आत्मावलम्बी बने। राष्ट्र के प्रति उसका स्वाभिमान जागे, इसलिए गाँव मे जन्मे इस लाल ने नारी शक्ति व बेरोजगार युवाओ के लिए गाँव मे ही एक बुनताघर स्थापित किया व उसके द्धारा हाथ से कैसे कपडा बुना जाए अपने पैरो पर कैसा खडा हुआ जाए सिखाया। पन्द्रह वर्ष की आयु में बसन्त पंचमी की बेला में सन् 1926 में उनके घर की पूजा स्थली में, जो उनकी नियमित उपासना का तबसे आगार थी, जबसे महामना प. मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हे काशी में गायत्री मंत्र की दिक्षा दी थी, उनकी गुरूसत्ता का आगमन हुआ अद्दष्य छायाधारी सूक्ष्म रूप में उनने पृज्जवलित दीपक की लौ मे से स्वयं को प्रकट कर उन्हे उनके द्धारा विगत कई जन्मो में सम्पन्न विगत क्रियाकलापो का दिग्दर्शन कराया तो उन्हे बताया कि वे दुर्गम हिमालय से आये है एवं उनसे अनेकानेक ऐसे क्रियाकलाप कराना चाहते है। जो अवतारी स्तर की ऋषि सत्ताए उनसे अपेक्षाए रखती है। चार बार एक साल की अवधि के लिये हिमालय आकर रहने, कठोर तप करने का भी उनने संदेश दिया। एवं उन्हें तीन संदेश दिये 1. गायत्री महाशक्ति के चौबीस चौबीस लक्ष के चौबीस महापुरष्चरण जिन्हे आहार के कठोर तप के साथ पूरा करना। 2. अखण्ड घृत दीप की स्थापना एवं जन जन तक इसके प्रकाश को फेलाने के लिए समय आने पर ज्ञानयज्ञ अभिमान चलाना, जो बाद में अखण्ड ज्योति पत्रिका के 1938 में प्रथम प्रकाशन से लेकर विचार क्रांति अभियान के विश्वव्यापी होने के रुप मे प्रकटा 3 चौबीस महापुरश्चरणो के दौरान युग धर्म का निर्वाह करते हुए राष्ट्र के निमित्त भी स्वंय को खपाना, हिमालय यात्रा भी करना तथा उनक संपर्क से आने का मार्गदर्शन लेना। यहॉ कहा जा सकता है कि युग निर्माण मिशन , गायत्री परिवार , प्रज्ञा अभियान , पूज्य गुरुदेव के एक दूसरे के पर्याय है, की जीवन यात्रा का यह एक महत्वपूर्ण मोड था। जिसने भावी रीति नीति का निर्धारण कर दिया। पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक यहमारी वसीयत और विरासत मे लिखते है कि प्रथम मिलन के दिन सर्म्पण सम्पूर्ण हुआ था। दो बाते गुरुसंता द्धारा विशेष रुप से कही गई, संसारी लोग क्या करते है और क्या कहते है, उसकी और से मुँह मोड कर निर्धारित लक्ष्य की और एकांकी साहस के बलबूते चलते रहना एवं दूसरा यह कि अपने को अधिक पवित्र और प्रखर बनाने की तपश्चर्या मे जुट जाना जो की रोटी व छाछ पर निर्वाह कर आत्म अनुशासन सीखना। इसी से वह सामर्थ्य विकसित होगी जो विशुद्धत: परतार्थत प्रयोजनो मे नियोजित होगी। बसंत पर्व का यह दिन गुरु अनुशासन का अवधारण ही हमारे लिए नया जन्म बन गया। सदगुरु की प्राप्ती हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा। राष्ट्र के परावलम्बी होने की पीड़ा भी उन्हे उतनी ही सताती थी जितनी की गुरुसत्ता के आदेशानुसार तपकर सिद्धियो के उपार्जन की ललक उनके मन मे थी। उनके इस असमंजस को गुरुसत्ता ने तोडकर परावाणी से उनका मार्गदर्शन किया कि युगधर्म की महत्ता व समय की पुकार देख सुन कर तुम्हे अन्य आवश्यक कार्यो को छोडकर अग्निकाण्ड मे पानी लेकर दौड पडने की तरह आवश्यक कार्य भी करने पड सकते है। इसमे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते संघर्ष करने का भी संकेत था। 1927 से 1933 तक का समय उनका एक सक्रिय स्वंय सेवक स्वतंत्रता सेनानी के रुप मे बीता, जिसमे घरवालो के विरोध के बावजूद पैदल लम्बा रास्ता पारकर के आगरा के उस शिविर मे पहुचे जहॉ शिक्षण दिया जा रहा था। अनेकानेक मित्रो – सखाओ मार्गदर्शको के साथ भूमिगत हो कार्य करते रहे तथा समय आने पर जेल भी गये। छह–छह माह की उन्हे कई बार जेल भी हुई जेल मे भी वो जेल के निरक्षर साथियो को शिक्षण देकर व स्वंय अंग्रेजी सीखकर लौटे, आसन सोल जेल मे वे जवाहर लाल नेहरु की माता श्री मति स्वरुप रानी नेहरु, श्री रजी अहमद किदवई, महामना मालवीय जी, देवदास गॉधी जैसी हस्तियों के साथ रहे व वहॉ से एक मूलमंत्र सीखा जो मालवीय जी ने दिया था कि जन–जन की साझेदारी बढाने के लिए हर व्यक्ति के अंशदान से मुठी फण्ड से रचनात्मक प्रवृत्तियॉ चलाना। यही मंत्र आगे चलकर एक घण्टा समयदान बीस पैसा नित्य या एक दिन की आय एक माह मे तथा एक परिवार बनाता चला गया, जिसका आधार था प्रत्येक व्यक्ति की यज्ञीय भावना का उसमे समावेश। स्वतंत्रता की लडाई के दौरान कुछ उग्र दौर भी आये, जिनमे शहीद भगतसिंह को फॉसी दिये जाने पर फैले जन आक्रोश के समय श्री अरविन्द के किशोर काल की क्रान्तिकारी स्थिति की तरह उनने भी वे कार्य किये, जिनमे अक्रान्ता, शासको के प्रति असहयोग जाहिर होता है। नमक आंदोलन के दौरान वे आतयायी शासको के समक्ष झके नही।वे मारते रहे परन्तु, समाधि स्थिति को प्राप्त राष्ट्र देवता के पुजारी को बहोश होना स्वीकृत था पर आन्दोलन से पीठ दिखाकर भागना नही, फिरंगी उन्हे पीटते रहे, झण्डा छीनने का प्रयास करते रहे। उन्होने मुँह से झण्डा पकड लिया। गिर पडे, बेहोश हो गये पर झण्डे का टुकडा द्धारा दॉतो मे भीचे गये टुकडे के रुप मे जब बाहर निकाला गया, तब उनकी सहनशक्ति देखकर आश्चर्य चकित रह गये। उन्हे तब से ही आजादी के मतवाले उन्मत श्री राम मंत्र नाम मिला।

अभी भी आगरा मे उनके साथ रहे या उनसे कुछ सीख लिए अगणित व्यक्ति उन्हे मत्त जी नाम से ही जानते है।

लगान बंदी के ऑकडे एकत्र करने के लिए उनने पूरे आगरा जिले का दौरा किया व उनके द्वारा प्रस्तुत वे ऑकडे तत्कालीन सयुंक्त प्रान्त के मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पन्त द्वारा तत्कालीन संयुक्त प्रान्त के मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पन्त द्वारा गॉधी जी के समक्ष पेश किये गये। बापू ने अपनी प्रशस्ति के साथ वे प्रमाणिक ऑकडे बिट्रीश पार्लियामेण्ट भेजे। इसी आधार पर पूरे संयुक्त प्रान्त के लगान मॉफी के आदेश प्रसारित हुए। कभी जिनने अपनी इस लडाई के बदले कुछ न चाहा, उन्हे सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजकर पचास वर्ष बाद तामपत्र देकर शांतिकुंज मे सम्मानित किया। उसी सम्मान व स्वाभिमाना के साथ सारी सुविधाएँ व पेंशन उनने प्रधानमंत्री राहत फण्ड ,हरिजन फण्ड के नाम समर्पित कर दी। बैरागी जीवन का, सच्चे राष्ट्र संत होने का इससे बडा प्रमाण क्या हो सकता है।

1935 के बाद उनके जीवन का नया दौर शुरु हुआ, जब गुरुसत्ता की प्रेरणा से वे श्री अरविन्द से मिलने पाण्डिचेरी, गुरुदेव ऋशिवर रवीन्द्र नाथ टेगौर से मिलने शांति निकेतन तथा बापू से मिलने साबरमती आश्रम अहमदाबाद गये। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मोर्चे पर राष्ट्र को कैसे परतंत्रता की बेडियो से मुक्त किया जाये , यह निर्देश लेकर अपना अनुष्ठान यथावत् चलाते हुए उनने पत्रकारिता के क्षेत्र मे प्रवेश किया जब आगरा मे 'सैनिक' समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक के रुप मे श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी ने उन्हे अपना सहायक बनाया। बाबु गुलाबराय व पालीवाल जी से सीख लेत हुए सतत् स्वाध्यारत् रह कर उनने अखण्ड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक 1938 की बसंत पंचमी पर प्रकाशित किया। प्रयास पहला था। जानकारीयॉ कम थी, अत: पुन सारी तैयारी के साथ विधिवत् 1940 की जनवरी से उनने परिजनो के नाम पाति के साथ अपने हाथ से बने कागज पर पैर से चलने वाली मशीन से छापकर अखण्ड ज्योति पत्रिका का शुभारंभ किया जो पहले तो दौ सौ पचास पत्रिका के रुप मे निकली , किन्तु क्रमश: उनके अध्यावसाय घर-घर पहुचाने वाले उनके हृदय स्पर्शी पत्रो द्वारा बढती-बढती नवयुग के मत्स्यावतार की तरह आज दस लाख से भी अधिक संख्या में विभिन्न भाषाओ मे छपती व एक करोड से अधिक व्यक्तियो द्वारा पढी जाती है। पत्रिका के साथ साथ मे क्या हूँ जैसी पुस्तको का लेखन आरम्भ हुआ। स्थान बदला आगरा से मथुरा आ गये दो तीन घर बदलकर धीयामण्डी मे आज जहॉ अखण्ड ज्योति संस्थान है आ बसे। पुस्तको का प्रकाशन व कठोर तपाश्चर्या, ममत्व विस्तार तथा पत्रो द्वारा जन जन के अंत: स्थल को छूने की प्रक्रिया चालू रही। साथ देने आ गई। परमवन्दनीया माताजी भगवती देवी शर्मा, जिन्हे भविष्य में अत्याधिक महत्वपूर्ण भूमिका अपने आराध्य ईष्ट गुरू के लिए निभानी थी। उनके मर्मस्पर्शी पत्रो ने भाव भरे अतिथ्य, हर किसी को जो दुखी था। पीडित था दिये गये ममत्व भरे परामर्श ने गायत्री परिवार का आधार खडा किया। इसमे कोई संदेह नही। यदि विचारक्रान्ति मे साहित्य ने मनोभूमि बनाई है तो भावात्मक क्रान्ति में ऋषियुगल के असीम स्नेह ब्राह्मण्त्व भरे शेष जीवन मे भूमिका निभायी। अखण्ड ज्योति पत्रिका लोगो के मन को प्रभावित करती रही। इसमे प्रकाशित चर्चा स्तम्भ के लोगो को गायत्री व यज्ञमय जीवन जीने का संदेश मिलता रहा। साथ ही एक आना से लेकर छ: आना सीरीज की अनेकानेक लोकोपयोगी पुस्तके छपती चली गई। इस बीच हिमालय के बुलावे भी आयें, अनुष्ठान भी चलता रहे, जो पूरे विधि विधान के साथ 1953 मे गायत्री तपोभूमि की स्थापना 108 कुण्डी यज्ञ व उनके द्वारा दी गई प्रथम दीक्षा के साथ समाप्त हुआ। गायत्री तपोभूमि की स्थापना के लिए निमित्त धन की आवश्यकता पडी तो परम वंदनीया माताजी जिनने हर कदम पर अपने आराध्य का साथ निभाया अपने सारे जेवर बेच दिये पूज्यवर ने जमीदारी के बॉण्ड बेच दिये एवं जमीन लेकर अस्थायी स्थापना कर दी गयी। धीरे धीरे उदारचेताओ के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पीठ बन गई। 2400 तीर्थो के जल रज की स्थापना वहॉ की गई 2400 करोड गायत्री मंत्र लेखन वहॉ स्थापित हुआ, अखण्ड, अग्नि हिमालय के एक अति पवित्र स्थान से लेकर स्थापित की गई, जो अभी तक वहॉ यज्ञशाला मे जल रही है। 1941 से 1971 तक का समय परमपूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान में सक्रिय रहने का समय है। 1953 में नरमेध यज्ञ 1958 सहस्त्रकुण्डी यज्ञ करके लाखो गायत्री साधको को एकत्र कर उनके द्वारा गायत्री परिवार का बीजारोपण कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा 1958 में आयोजित इस कार्यक्रम में दस लाख व्यक्तियो ने भाग लिया इन्ही के माध्यम से देश भर में प्रगतिशील गायत्री परिवार की दस हजार से अधिक शॉखाऐं स्थापित हो गयी। संगठन का अधिकाधिक कार्यभार पूज्यवर परम वंदनीया माताजी पर सौपते चले गये एवं 1959 में पत्रिका का सम्पादन उन्हे देकर पौने दो वर्ष के लिए हिमालय चले गये। जहॉ उन्है गुरूसत्ता से मार्गदर्शन लेना था। तपोवन नन्दनवन मे ऋषियो से साक्षात्कार करना था। तथा गंगोत्री में रहकर आर्य ग्रन्थो का भाष्य करना था। तब तक वे गायत्री महाविद्या पर विश्वकोश स्तर की अपनी रचना गायत्री महाविज्ञान के तीन खण्ड लिख चुके थे जिसके अब तक प्राय: पैतीस संस्करण छप चुके है। हिमालय से लौटते ही उनमे महत्वपूर्ण निधि के रूप वेद, उपनिषद, स्मृति, आरण्यक, ब्राहमण, योगवशिष्ट, मंत्र महाविज्ञान, तंत्र महाविज्ञान जैसे ग्रन्थो को प्रकाशित कर देव संस्कृति की मूल थाति को पुर्नजीवन दिया। परम वन्दनीया माताजी ने उन्ही वेदो को पूज्यवर की इच्छानुसार 1991-92 मे विज्ञान सम्मत आधार देकर पुर्नमुद्रित कराया। एवं वे आज घर घर में स्थापित है। युग निर्माण योजना व युग निर्माण संकल्प के रूप में मिशन का घोषणा पत्र 1963 में प्रकाशित हुआ। तपोभूमि एक विश्वविद्यालय का रूप लेती चली गई तथा अखण्ड ज्योति संस्थान एक तप: पूत की निवास स्थली बन गया जहॉ रहकर उन्होने अपनी शेष तप साधन पूरी की थी जहॉ से गायत्री परिवार का बीज डाला गया था। तपोभूमि मे विभिन्न शिविरो का आयोजन किया जाता रहा पूज्यवर स्वयं छोटे बडे जन सम्मेलनो यज्ञायोजनो के द्वारा विचार क्रान्ति की पृष्ठ भूमि बनाते रहे पूरे देश में 1970-71 मे पॉंच 1008 कुण्डी यज्ञ आयोजित हुए स्थायी रूप से विदाई लेते हुए एक विराट सम्मेलन (जून 1971) में परिजनो में विशेष कार्य भार सौंप दिए परम वंदनीया माताजी को शांतिकुंज, हरिद्वार में एक अखण्ड द्वीप के समक्ष तप हेतु छोड कर स्वयं हिमालय चले गये। एक वर्ष बाद वे गुरूसत्ता का संदेश लेकर लौटे एवं अपनी आगामी बीस वर्ष की क्रिया पद्धति बताई ऋषि परम्परा का बीजारोपण, प्राण प्रत्यावर्तन संजीवनी व कल्प साधना सत्रो का मार्गदर्शन जैसे कार्य उनने शांतिकुंज में सम्पन्न किये। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना अपनी हिमालय की इस यात्रा से लोटने के बाद बहमवर्चस शोध संस्थान की थी जहा विज्ञान और अध्यातम के समनप्यात्मक प्रतिपादनो पर शोध कर एक नये धर्म वैज्ञानिक धर्म के मूलभूत आधार रखे जाने थे । इस संबंध मे पूज्यवर ने विराट परिणाम में साहित्य लिखा अदृष्य जगत के अनुसंधान से लेकर मानव की प्रसुप्त क्षमता के जागरण तक साधना से सिद्धि एवं दर्शन विज्ञान के तर्क तथ्य प्रमाण के आधार पर

प्रस्तुतीकरण तक इसके लिए एक विराट ग्रन्थाथार बना व एक सुसज्जित प्रयोगशाला वनौषधि उद्यान भी लगाया गया तथा जडी बूटी, यज्ञ विज्ञान तथा मंत्र शक्ति पर प्रयोग हेतु साधको पर परीक्षण प्रचुर परिमाण मे किये गये निष्कर्षो ने प्रमाणित किया कि ध्यान साधना मंत्र चिकित्सा व यज्ञोपैथी एक विज्ञान सम्मत विधा है। गायत्री नगर क्रमशः एक तीर्थ संजीवनी विद्या के प्रशिक्षण का एकेडमी का रूप लेता चला गया। एवं जहॉ 9–9 दिन के साधना प्रधान एक एक माह के कार्यकर्ता निमार्ण हेतु युग शिल्पी सत्र समपन्न होने लगे कार्यक्षेत्र में विस्तार हुए स्थान स्थान पर शक्तिपीठ विनिर्मित हुए जिनके निर्धारित क्रियाकलाप थे। सुसंस्कारिता, अस्तिकता, संर्वधन एवं जनजागृति के केन्द्र बनना। ऐसे केन्द्र जो 1980 में बनना आरंभ हुए थे प्रज्ञा संस्थान शक्तिपीठ प्रज्ञामण्डल स्वाध्यायमण्डल के रूप में पूरे देश व विश्व में फैलते चले गये। 73 देशो में गायत्री परिवार की शॉखाऐ फैल गई 4300 से अधिक भारत मे निज के भवन वाले संस्थान विनिर्मीत हो गये वातावरण गायत्रीमय होता चला गया। परमपूज्य गुरूदेव ने सूक्ष्मीकरण मे प्रवेष कर 1985 मे ही पांच वर्ष के अंदर अपने सारे क्रियाकलापो को समेटने की घोषणा कर दी। इस बीच कठोर तप साधना कर मिलना जुलना कम कर दिया तथा क्रमशः क्रिया कलाप परमवन्दनीया माताजी को सोंप दिये। राष्ट्रीय एकता सम्मेलनो विराट दीप यज्ञो के रूप में नूतन विद्या को जन जन को सौंप कर राष्ट्र देवता की कुण्डीलीनी जगाने हेतू उनने अपने स्थूल शरीर छोडने व सूक्ष्म में समाने की विराट से विराटतम होने की घोषणा कर गायत्री जयन्ती 2 जून 1990 को महाप्रयाण किया।

श्री श्री सँध्यारानी माँ – श्री महावतार बाबाजी द्वारा प्रदत्त क्रियायोग रूपी अमूल्य धरोहर की संरक्षिका योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिदी की प्रिय शिष्या भागीरथी नगर हरिद्वार मे तपस्थली वाटिका मे निवासरत परमपूज्य प्रातः स्मरणीय मेरी गुरू माँ श्री संध्या रानी माँ अग्राहण्य शुक्ल अष्टमी तिथि रेवती नक्षत्र दिन रविवार को जन्मी श्री रानी माँ आज गंगा के तट पर क्रिया योग की एक महान साधिका के रूप मे अपने अध्यात्मिक आर्शिवाद के रूप मे लोगो को क्रियायोग का मार्गदर्शन दे रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. श्रीमद भागवत , गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 10/25
2. तीर्थ सेवन क्यो और कैसे ,श्री राम शर्मा आचार्य , द्वितीय संस्करण , वर्ष 1998 , अखंड ज्योति संस्थान मथुरा।
3. महाभारत वन पर्व , गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 142/6
4. महाभारत वन पर्व , गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 142/6
5. ऋग्वेद , गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 8/90
6. रघुवंश (कालिदास) , गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 2/29
7. पदम पुराण , गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 118/61/73
8. महाभारत वन पर्व , गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 145/22/24
9. आदि महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 129/6
10. शांति महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 308/33–35
11. शांति महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 208/33
12. महाभारत वन पर्व , गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 87/20 96/1
13. शांति महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 192
14. ऋग्वेद, गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 10/104/108 तथा 8/6/28
15. केदारखंडम, गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 58/136–137
16. आदि महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 30/18
17. केदारखंडम, गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 19/9 58/164
18. महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 72/10
19. केदारखंडम, गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 194/10
20. केदारखंडम, गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 37/10
21. श्रीमद भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर। अध्याय 7/2/3
22. योगी कथामृत , श्री परमहंस योगानंद जी, प्रथम संस्करण वर्ष 1974 योगदा सत्संग सोसायटी रांची। पृष्ठ क्रं. 431
23. अखंड ज्यातिं फरवरी अंक 2011। पृष्ठ क्रं. 7
24. समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान , श्री राम शर्मा आचार्य , द्वितीय संस्करण वर्ष 1998, अखंड ज्योति संस्थान मथुरा।
25. श्री संध्या रानी मॉ स्मारिका , संजय एवं गौतम , प्रथम संस्करण वर्ष 2003 , तपस्थली वाटिका

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

म.प्र. में माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत 6 से 12 वर्ष के दिव्यांग बालको एवं बालिकाओं के समायोजन क्षमता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. आभा गोयल* रचना गौतम**

* प्राध्यापक (गृह विज्ञान) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
**शोधार्थी, एम.एच.एससी, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – समाज में सामान्य बालकों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी बालक पाये जाते हैं जो गर्भ में भ्रूण की पूर्ण रूप से देखभाल न होने के कारण, जन्म के पश्चात् पूर्ण पौष्टिक आहार न मिलने के कारण या किसी दुर्घटना होने के कारण दिव्यांगता का शिकार हो जाते हैं। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अन्तर्गत दिव्यांगजन में 21 तरह की दिव्यांगतायें वाले व्यक्ति को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सबके लिए शिक्षा अर्थात् शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की बात की है। 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता के शिकार व्यक्ति को दिव्यांग की श्रेणी में रखा गया है। दिव्यांग बच्चों को ऐसी शिक्षा उपलब्ध करायी जाये ताकि उन्हें कुसमायोजित होने से बचाया जा सके। शिक्षा के द्वारा ही दिव्यांग बच्चों को सही निर्देश दिया जा सकता है जिससे ऐसे विद्यार्थी शैक्षिक, सामाजिक, व्यवसायिक, भावनात्मका जीवन में सुसमायोजित हो सके। वर्तमान शोध अध्ययन सतना जिले की माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र/छात्राओं की समायोजन क्षमता का विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु किया गया है। जिसमें 50 दिव्यांग छात्र एवं 50 दिव्यांग छात्राओं को उद्धेशीयन्यादर्शनपद्धतिद्वारा चयनित किया गया है जो कि सतना जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की शासकीय शालाओं में समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत अध्ययनरत हैं। समायोजन क्षमता के मापन हेतु समायोजन क्षमता परीक्षण मानकीकृत द्वारा ए.के.पी. सिन्हा व डॉ. आर.पी. सिंह का उपयोग किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–परीक्षण सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है। परिणामों में दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर पाया गया।

शब्द कुंजी – दिव्यांग, माध्यमिक शाला, समायोजन क्षमता।

प्रस्तावना – दिव्यांगजन भी अंग हमारे, अवसर का उपहार चाहिए।
मिले इन्हें अधिकार समान, दया नहीं सम्मान चाहिए।

किसी भी देश में, समाज में सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों के वर्ग के अतिरिक्त एक वर्ग दिव्यांग बच्चों का भी है। भारत में दिव्यांग की समस्या न सिर्फ अधिक है बल्कि लगातार बढ़ती भी जा रही है। जनसंख्या वर्ष 2011 के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारत में दिव्यांगों की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 के 2.19 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 2.68 करोड़ हो गयी है। दिव्यांगों की जनसंख्या में बढोत्तरी होने के साथ शिक्षा शास्त्रियों के मानसपटल पर दिव्यांग के शिक्षण अधिगम की जटिल समस्या भी बनी हुई है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय, गरिमा एवं शिक्षा सुनिश्चत करता है। दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार प्रयास करती रहती है। इन्हें शिक्षित करना उच्च शिक्षा प्रदान करना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्राप्ति हेतु शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग बच्चोंको आरक्षण दिया गया है। पी.डब्ल्यू.डी एक्ट 1995 एवं दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लाया गया है जिसके तहत देश विभिन्न सरकारी संस्थानों में सुविधाऐं निर्धारित की गई है। इस प्रकार से दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा एवं पुर्नवास पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। मानव विकास मंत्रालय के समावेशित शिक्षा स्कीम 2003 के अनुसार दिव्यांग एवं बिना दिव्यांग एक ही विद्यालय और सामुदायिक शैक्षिक स्थानो पर उपयुक्त तंत्र एवं सहायक सुविधाओं के साथ एक साथ सीख रहे हैं। इस पर बल देते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार दिव्यांग विद्यार्थियों के भी अधिकार समान है इन्हें भी शिक्षण के सहयोगी संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। माध्यमिक शाला से तात्पर्य 9वीं वं 10वीं कक्षाओं से है। माध्यमिक शाला में अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं बालिका पर यह टेस्ट प्रशासित किया गया है। दिव्यांग बालक बालिकाओं को विद्यालय में समाज में उनका समायोजन कैसा है इसको जानना आवश्यक है। जीवन के विभिन्न क्षेत्र में सफल होने के लिए समायोजन आवश्यक है। यह समायोजन हमारे जीवन की आवश्यक प्रतिक्रिया हैं। दैनिक जीवन में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समायोजन की प्रक्रिया के द्वारा करता है। दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने हेतु घरेलू, सामाजिक एवं विद्यालयी वातावरण में समायोजन आवश्यक है।

सिंह (1979) ने विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजन क्षमता का अध्ययन किया। परिणामों में पाया कि उच्च समायोजन वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि भी उच्च थी एवं इनका विद्यालयी, सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन भी अच्छा पाया गया। मोरिन एवं सहयोगी (2011) ने बालक एवं बालिका के शैक्षिक समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया। पाल एवं निगम (2000) ने अंधदिव्यांग सामान्य, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन किया जिसमें पाया कि अनुसूचित जाति के अंधदिव्यांग विद्यार्थियों की

समायोजन क्षमता सामान्य जाति के विद्यार्थियों से उच्च पायी गयी। जबकि अग्रवाल (2002) ने सामान्य जाति के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से उच्च पायी। गुप्ता निलेश (2002) ने शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों की तुलना में अशासकीय स्कूल के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता उच्च पायी गयी। मोहन (2004) ने शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं पाया। गक्खर (2003) ने अपने अध्ययन में परिवार एवं छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की अध्ययन आदत तथा समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। कन्नन (2006) ने शोध अध्ययन में पाया कि बालिकाएं बालकों से अधिक उत्तम समायोजन करती है। पिल्लई एवं सहयोगी (2006) ने अध्ययन में पाया कि छात्रों की अपेक्षा छात्राओं का विद्यालयी समायोजन सार्थक रूप से उच्च था। मुचाल एवं कुमार (2008) ने अध्ययन में पाया कि विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिप्रेरणा उच्च होती है ते उनका समायोजन क्षमता तथा शैक्षिक उपलब्धि स्तर भी उच्च होता है। देशमुख, के. (1979) शारीरिक दिव्यांग छात्र एवं दिव्यांग छात्राओं में दिव्यांग छात्राओं की समायोजन क्षमता उच्च पायी गयी एवं विद्यालयी समायोजन में भी दोनों में अंतर पाया गया। सिंह हरवंश(2006) ने विद्यालय के सामाजिक भावनात्मक वातावरण का विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि छात्रों में स्वास्थ्य व भावनात्मक समायोजन छात्राओं की तुलना में उच्च होता है। एवं विद्यालयी समायोजन लड़कियों में उच्च पाया गया। अमीनाभावी (1996) ने शारीरिक दिव्यांग तथा सामान्य विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन किया। अध्ययन में निष्कर्ष पाया कि शारीरिक दिव्यांग भावनात्मक एवं सामाजिक रूप से समायोजित होते हैं। प्रधान एवं सोनी (2011) ने किशोरावस्था वाले अंध दिव्यांग बालक-बालिकायों के समायोजन एवं चिंता का अध्ययन किया। अध्ययन में निष्कर्ष पायागया कि अंधदिव्यांग बालक एवं बालिका की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं होता है। किशोरावस्था एवं जेंडर की अन्त:क्रिया समायोजन क्षमता पर प्रभाव नहीं डालती है। जोयमाल्या परमानिक (2014) ने माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन किया। अध्ययन में निष्कर्ष पाया गया कि शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता में अंतर नहीं होता है। डॉ. पारस जैन (2017) में समायोजन क्षमता एवं शैक्षणिक उपलब्धि के सहसंबंध का अध्ययन किया। अध्ययन में निष्कर्ष पाया गया कि बालिकाओं की समायोजन क्षमता बालकों से उच्च होती है। जादाव दत्ता एवं जे.सी.सोनी (2014) ने असम के अंधदिव्यांग स्कूली बच्चों की समायोजन क्षमता, आकांक्षा स्तर, आत्मप्रत एवं शैक्षणिक उपलब्धि पर अध्ययन किया। अध्ययन में निष्कर्ष पाया गया कि बालक एवं बालिका की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं होता है। रतन कुमार सुथार एवं गोपाल सिंह सेखावत (2018) ने शारीरिक चुनौती युक्त विद्यार्थियों के समायोजन एवं स्वबोध का अध्ययन किया। अध्ययन में निष्कर्ष पाया गया कि शारीरिक रूप से चुनौतीयुक्त बालक-बालिकाओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर होता है।

समायोजन क्षमता का अर्थ एवं परिभाषा - प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह जीवन पर्यन्त अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन यापन करें। वह परिस्थितियों से या पर्यावरण से समायोजन स्थापित कर लेता है तथा वह बाधाओं का निराकरण करने में असफल होता है तो उसमें असमायोजन की उत्पति हो जाती है।

क्रोवक्रो(1973) के अनुसार 'प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताऐं, इच्छाओं को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाये रखता है, समायोजन कहलाता है।'

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समायोजन के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक व व्यावहारिक क्रियाऐं आती है। अगर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पन्न उन परिस्थितियों में अपने आप को असमायोजित रखता है तथा अपने व्यवहार में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं करता है तो वह प्राणी वातावरण के साथ असंतुलन की स्थिति बनाता है। व्यक्ति व वातावरण में एकरूपता के अभाव को कुसमायोजन करते हैं। समायोजन के विभिन्न आयाम होते हैं।

अध्ययन की आवश्यकता- वर्तमान शोध दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं को न्यादर्श लेकर किया गया है। क्या लिंग भेद के आधार पर समायोजन क्षमता प्रभावित होती है? क्या दिव्यागंता का प्रभाव समायोजन क्षमता पर पड़ता है? ऐसे कई प्रश्न का उत्तर जानना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर जानना एवं आवश्यक है। इस प्रकार के अध्ययनों को वर्तमान में महती आवश्यकता है साथ ही इन अध्ययनों का उपयोग अध्ययन अध्यापन के कार्यो में भी किया जा सकता है।

समस्या कथन- माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमता का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

शोध उद्देश्य- दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमता का अध्ययन करना।

परिकल्पनाऐं -दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं है।

परिसीमाऐं :

1. यह शोध अध्ययन भोपाल जिले तक सीमित है।
2. शोध अध्ययन में भोपाल जिले अंतर्गत माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 9 एवं 10वीं के दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं को उद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन पद्धति द्वारा चयनित किया गया है।

शोध प्रविधि - वर्तमान शोध अध्ययन में दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिका की समायोजन क्षमता मापन हेतु मानकीृत द्वारा ए.के.पी. सिन्हा व डॉ. आर.पी. सिंह का उपयोग किया है। इस मापनी की विश्वसनीयता Split Half Method द्वारा कुल 0.95 पाई गई है। आंकड़ों के विश्लेषणक हेतु प्रमुख सांख्यिकीय विधियों मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, एवं टी-टेस्ट का उपयोग किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्याप रिकल्पना क्रं.1दिव्यांगबालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका क्रं.1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्र.1.0के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमताका मध्यमान क्रमश: 17.20 एवं 17.46 है। इस प्रकार दिव्यांग बालिकाओंकी समायोजन क्षमताका मध्यमान दिव्यांग बालकोकी अपेक्षा अधिक है।

तालिका से स्पष्ट है कि परिकलित टी मान .398 है जबकि (df)=98 के लिए .05 स्तर सार्थकता परीक्षण के लिए टी का सारणीमान 1.98 है है।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

इस प्रकार सारणीमान से परिकलित मान कम है। अर्थात् (.398<1.98)।अत: सार्थक अन्तर नहीं है।

अत: कह सकते हैं कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमतामें सार्थक अन्तर नहीं होता है । इस प्रकार परिकल्पना क्रं. 01 सत्य है एवं स्वीकृत होती है।

उप.परिकल्पना क्रं. 1.1दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की भावनात्मक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है ।

तालिका क्रं.1.1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्र.1.1के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिव्यांगबालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की भावनात्मक समायोजन का मध्यमान क्रमश: 4.66 एवं 6.52 है। इस प्रकार दिव्यांग बालिकाओं की भावनात्मक समायोजन का मध्यमान दिव्यांग बालकों की अपेक्षा अधिक है।

तालिका से स्पष्ट है कि परिकलित टी मान 6.02 है जबकि (df)= 98के लिए.05स्तर सार्थकता परीक्षण के लिए टी का सारणीमान 1.98 है। इस प्रकार सारणीमान से परिकलित मान अधिक है। अर्थात् (6.02>1.98) अत: सार्थक अन्तर है।

अत: कह सकते है कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की भावनात्मक समायोजन में सार्थक अन्तर होता है । इस प्रकार परिकल्पना क्रं. 1.1 असत्य है एवं अस्वीकृत होती है।

उप.परिकल्पना क्रं. 1.2

दिव्यांगबालक एवंदिव्यांग बालिकाओं की समाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है ।

तालिका क्रं.1.2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्र.1.2के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समाजिक समायोजन का मध्यमान क्रमश: 6.94 एव 6.83 है। इस प्रकार दिव्यांगबालकों की सामाजिक समायोजन का मध्यमान दिव्यांग बालिकाओं की अपेक्षा अधिक है।

अत: तालिका से स्पष्ट है कि परिकलित टी मान .698 है जबकि (df)=98वी लिए.05स्तर सार्थकता परीक्षण के लिए टी का सारणीमान 1.98 है। इस प्रकार सारणीमान से परिकलित मान कम है। अर्थात् (.698<1.98)अअत: सार्थक रूप से अन्तर नहीं हैं।

अत: कह सकते है कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर नही होता है। इस प्रकार परिकल्पना क्रं. 1.2 सत्य है एवं स्वीकृत होती है।

उप.परिकल्पना क्रं. 1.3दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की शैक्षिक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है ।

तालिका क्रं.1.3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्र.1.3के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की शैक्षिक समायोजन का मध्यमान क्रमश: 5.88 एव 4.26है। इस प्रकार दिव्यांग बालकों की शैक्षिक समायोजन का मध्यमान दिव्यांग बालिकाओं की अपेक्षा अधिक है।

तालिका से स्पष्ट है कि परिकलित टी मान 6.13 है जबकि (df)= 98 के लिए .05 स्तर सार्थकता परीक्षण के लिए टी का सारणीमान 1.98 है। इस प्रकार सारणीमान से परिकलित मान अधिक है। अर्थात् (6.13> 1.98) अत: सार्थक अन्तर है।

अत: कह सकते है कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की शैक्षिक समायोजन में सार्थक अन्तर होता है । इस प्रकार परिकल्पना क्रं. 1.3 असत्य है एवं अस्वीकृत होती है।

निष्कर्ष–शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि परिकल्पना क्र.1 माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं होता है। उप परिकल्पना क्र. 1.1 माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की भावनात्मक समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर होता है। उप परिकल्पना क्र. 1.2 माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की सामाजिक समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं होता है। उप परिकल्पना क्र. 1.3 माध्यमिक पर अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की शैक्षिक समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर होता है। परिकल्पना क्रमांक 1 एवं उप परिकल्पना क्र. 1.2 के परिणाम की पुष्टि जादब दत्ता एवं जे.सी. सोनी (2014), विजय (2007) द्वारा किये गये शोध अध्ययन से भी होती है एवं उप परिकल्पना क्र. 1.1 एवं 1.3माध्यमिक पर अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की भावनात्मक एवं शैक्षिक समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर होता है, कि पुष्टि सिंह हरवंश 2006 द्वारा किये गये शोध अध्ययन से भी होती है।

शैक्षिक अनुप्रयोग– वर्तमान अध्ययन के आधार पर भविष्य में किये जाने वाले शोध कार्य एवं अध्ययनों हेतु निम्न सुझाव हो सकते हैं। वर्तमान शोध कार्य को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है जिससे शोध कार्य की विश्वसनीयता एवं वैद्यता बढ़ सके। प्रस्तुत अध्ययन शासकीय एवं विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं के संदर्भ में भी किया जा सकता है। शहरी एवं आदिवासी विद्यार्थियों को न्यादर्श को लेकर भी शोध अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार के शोध अध्ययन द्वारा विभिन्न शैक्षिक नीतियों के निर्माण में सहायता प्राप्त हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. Agrawal, Subhash Chandra (2002): अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य जाति के छात्रों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, लखनऊ, वर्ष: 21, अंक: 1,
2. Aminabhavi.V.L.,(1996):A Study of adjustment ability of physically disabled and normal students,Journal of Community Guidance and research 13.1.pp.13-16.
3. Buch, M.B., : NCERT New Delhi Third Survey of Research Education (1978-83).
4. Buch, M.B., : NCERT New Delhi Fourth Survey of Research Education (1991).
5. Buch, M.B., : NCERT New Delhi Fifth Survey of Research Education(1982-92).
6. Buch, M.B., :NCERT New Delhi Sixth Survey of Research Education volm I &II (1993- 2000).
7. Gakhar,S.C.,(2003):-परिवार एवं छात्रावास में रहने वाली छात्राओं कि समायोजन एवं अध्ययन आदतों का अध्ययन, शिक्षा, चिन्तन, वॉल्युम 5, क्र,– 2.
8. Gupta Lilesh (2002): “A study of Future Awareness Vocational Interest and School Students”, Ph.D. Education, Kota Open University.
9. Jadab, Dutta, Chetia Pranav &Soni J.C. (2015) Comparative Study on Intelligence of Secondary School Students in LakhimpurDistt. of Assam. International

Journal of Development Research Vol. 5 PP. 5594-5599. Sept. (2015) .

10. Kannan(2005): "Socio - psychological correlates of adjustment of std. XI students" Ph.D.Thesis, Annamalai Univ. Tamilnadu, India.
11. Mohan (2004):"A Comparative Study of Adjustment and Personality Traits of Rural and Urban Students", Indian Journal of Educational Research, Lucknow, Vol.: 23, No.2.
12. Muchal,M.K. and Kumar Subhash(2008):'उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिप्रेरणा का उनके समायोजन तथा शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध में अध्ययन'; परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नईदिल्ली, वर्ष: 15, अंक :3
13. Pal, Hansraj and Nigam, Jitendra(2000): 'सामान्य अनुसूचितजाति एवंअनुसूचितजनजाति के दृष्टिहीन विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन'; भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी. नईदिल्ली, वर्ष : 18, अंक:3
14. Parmanik Joymalya,Saha Birbal & Mondal Bhimchandra:-American Journal of Education Research,2014,pp.1133-1143.
15. Pillai andKulshekhra, HarbansS.Singh (2006): "Effect of Socio- Emotional climate of the school on the adjustment of students." Psycho lingua, 36, no.- 2,pp 133-143.
16. Pradhan,k.c & Soni,J.C. (2011):A study of adjustment and anxiety in visually handicapped male and femalw adolescents I Odisha,Ph.D. dessertaion Rajeev Gandhi univresity Arunachal Pradesh.
17. Singh Harbans(2006): "Effect of Socio-Emotional Climate of the school on the adjustment of students." Psycholingua,36, no.-2, pp 133-143.
18. Suthar, Ratanlal&Sekhawat, G.S. (2018): Shrinkhla Ek Shod parakh Vaicharik Patrika Vol.5, January 2018, PP.37-42.

तालिका क्रं.1 : दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमताका टी- मान

चर	समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमापविचलन	टीसारणीमान	परिकलितटी- मान	सार्थकता.05 स्तर
समायोजन क्षमता	दिव्यांग बालक	50	17.20	3.76	1.98	.398	सार्थकअन्तरनहीं है।
दिव्यांगबालिकाऐं	50	17.46	2.67				

तालिका क्रं.1.1: दिव्यांगबालक एव दिव्यांग बालिकाओं की भावनात्मक समायोजन का टी- मान

चर	समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमापविचलन	टीसारणीमान	परिकलितटी- मान	सार्थकता.05 स्तर
भावनात्मकसमायोजन	दिव्यांगबालक	50	4.66	1.47	1.98	6.02	सार्थक
दिव्यांगबालिकाऐं	50	6.52	1.60				

तालिका क्रं.1.2: दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समाजिक समायोजन का टी- मान

चर	समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमापविचलन	टीसारणीमान	परिकलितटी- मान	सार्थकता.05 स्तर
सामाजिक समायोजन	दिव्यांग बालक	50	6.66	1.27	1.98	.698	सार्थकरूप सेअन्तरनहीं हैं।
दिव्यांग बालिकाऐं	50	6.86	1.57				

तालिका क्रं.1.3: दिव्यांगबालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की शैक्षिक समायोजन का टी- मान

चर	समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमापविचलन	टीसारणीमान	परिकलितटी- मान	सार्थकता.05 स्तर
शैक्षिक समायोजन	दिव्यांग बालक	50	5.88	1.39	1.98	6.13	सार्थक
दिव्यांगबालिकाऐं	50	4.26	1.24				

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Sustainable Development : Principles and Applications and Inclusice Growth

Hitesh Kumar Midha*

***Assistant Professor, Govt. Girls College, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA**

Introduction - A method of planning and enhancing human endeavours while preserving the long-term welfare of both current and future generations is referred to as sustainable development. It is a strategy that aims to strike a balance between environmental preservation, social advancement, and economic prosperity.

The Brundtland Commission popularized the idea of sustainable development in 1987 and stated that it is "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." The interconnection of economic, social, and environmental concerns is acknowledged, and it seeks to address all of them at once.

Key Principles

1. **Environmental stewardship:** This entails conserving biodiversity, minimizing climate change, managing natural resources responsibly, and decreasing waste and pollution.
2. **Economic Prosperity:** Sustainable development aims to foster inclusive economic growth, the creation of jobs, and the eradication of poverty while ensuring the effective use of resources and limiting adverse environmental effects.
3. **Social Equity:** It places a strong emphasis on the value of social justice, equitable access to opportunities and resources, and the welfare of all people and communities. It speaks about issues like poverty, inequality, healthcare, education, and human rights.
4. **Intergenerational Equity:** A key component of sustainable development is ensuring that current demands are met without sacrificing the capacity of future generations to meet their own. It tries to protect resources for the future and takes into account long-term effects.

To achieve sustainable development, various strategies and actions can be taken at global, national, regional, and local levels. These may include:

a. Adopting and putting into practice regulations that support sustainable practices in the energy, agriculture, transportation, and industrial sectors.
b. Making investments in clean and renewable energy sources to lessen dependency on fossil fuels and slow down global warming.
c. Supporting environmentally beneficial practices in manufacturing and consumption, such as recycling, waste reduction, and product promotion.
d. Improving sustainability education and awareness to promote responsible behavior and well-informed decision-making.
e. Strengthening global collaboration and partnerships to solve issues including poverty, biodiversity loss, and climate change.

Overall, sustainable development aims to create a harmonious and balanced relationship between people, the planet, and prosperity, ensuring a better future for all.

Applications Of Sustainable Development : Sustainable development has been widely adopted and utilized across many areas and disciplines ever since the term was first introduced. Its uses include anything from urban planning and design to transportation, agriculture and food systems, energy generation and consumption, and natural resource management, among other things. To guarantee that development is conducted in a balanced and responsible manner, the principles of sustainable development drive the decision-making processes and tactics in each of these applications.

1. **Sustainable Urban Planning and Architecture:** Urban planning and architecture are two key areas where sustainable development is used. Developing sustainable cities and structures is essential for reducing the environmental impact and improving the quality of life for urban residents as the world's population gets more urbanized. The goals of sustainable urban planning and design are to create towns and structures that consume less energy, encourage social inclusion, utilize renewable resources, and produce less waste and pollution.

The United Kingdom's Beddington Zero Energy Development (BedZED) is located in London. An eco-village called BedZED was created to produce no carbon emissions. It incorporates a range of sustainable features such as passive solar design, energy-efficient building materials, on-site renewable energy generation, and water-saving technologies. The development has been recognized

as a pioneering example of sustainable urban planning and architecture.

2. Sustainable Energy Production and Consumption: The energy sector is where sustainable development is most crucially applied. The usage of renewable energy sources must gradually replace fossil fuel-based energy systems in order to reduce greenhouse gas emissions and combat climate change. Sustainable energy consumption focuses on energy efficiency and conservation, whereas sustainable energy production entails capturing energy from renewable sources including solar, wind, hydro, and geothermal.

China's Three Gorges Dam. The greatest hydropower project in the world, the Three Gorges Dam, was finished in 2006. By utilizing the Yangtze River's energy to produce renewable electricity, it lessens the nation's reliance on coal-fired power plants and reduces greenhouse gas emissions. Millions of people receive sustainable energy from the dam, which also aids flood management and navigation.

Sustainable Agriculture and Food Systems: In order to maintain food security, safeguard natural resources, and preserve biodiversity, sustainable development principles are also applied to the agricultural sector. Sustainable agriculture encourages methods that reduce the use of synthetic inputs, preserve soil and water, safeguard ecosystems, and help farmers maintain their way of life. It strives to generate wholesome food while preserving agricultural systems' long-term production and resilience.

India's organic farming movement. The use of synthetic fertilizers and pesticides was prohibited as part of the government's policies and programs supporting organic farming techniques. In Sikkim, the switch to organic agriculture has improved soil health, decreased chemical pollution, and increased biodiversity preservation.

These are just a few instances of how sustainable development is used in many industries. In order to build a more sustainable and just future for everyone, sustainable development principles are still being used and evolving in response to new possibilities and challenges.

Sustainable Development and Inclusive Growth: The goals of sustainable development and inclusive growth are intertwined with those of economic advancement, social equality, and environmental sustainability. The following offers insights into both sustainable development and inclusive growth individually, providing a framework for understanding their relationship, even though references expressly address the combination of both concepts.

1. Sustainable Development: A key resource for sustainable development is "The Brundtland Report" or "Our Common Future" (1987). According to the report, which was released by the Gro Harlem Brundtland-chaired World Commission on Environment and Development, sustainable development is defined as "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." As the cornerstone of sustainable development, it emphasizes the integration of economic, social, and environmental factors.

2. Inclusive Growth: The 2007 World Bank Policy Research Working Paper Series article "Inclusive Growth: Measurement and Determinants" by World Bank economists offers information on the idea of inclusive growth. The study explores how inclusive growth is measured and identifies factors that may promote more inclusive economic growth. It underlines how crucial it is for all societal sectors to have equal access to resources, opportunities, and services.

It's crucial to remember that both ideas have similar aims and tenets. In order to ensure the long-term wellbeing of both the present and future generations, sustainable development aims to strike a balance between social fairness, economic progress, and environmental conservation. The goal of inclusive growth is to guarantee that the advantages of economic progress are distributed fairly and that everyone has the chance to take part in and contribute to the process of development.

References:-

1. Beddington Zero Energy Development (BedZED) in London, United Kingdom, The Guardian, 2002
2. Three Gorges Dam in China, International Journal of Energy Sector Management, (2008).
3. Journal of Sustainable Agriculture, (2008).
4. "The Brundtland Report" or "Our Common Future" (1987).
5. "Inclusive Growth: Measurement and Determinants" by World Bank economists, published in the World Bank Policy Research Working Paper Series (2007).
6. "Our Common Future". Oxford University Press, Brundtland, G. H. (1987).
7. Narayan, D., Pritchett, L., & Kapoor, S. (2007). Inclusive Growth: Measurement and Determinants. World Bank Policy Research Working Paper No. 4370

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

वर्तमान परिपेक्ष्य में लैंगिक समानता की स्थिति

डॉ. ममता पंवार *

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सतत विकास क्या है और दुनिया को इसकी जरूरत क्यों पड़ी ? हम इंसानों ने देश या समाज को आगे बढ़ाने का जो पैमाना गढ़ रखा है वह है विकास। हमने यह माना हुआ है कि विकास से ही मानव जाति का उत्थान होगा वह आगे बढ़ेगी और इसी तरह शुरू हुई विकास की खोज, लेकिन यह विकास किस कीमत पर हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। विकास के पहिये के तौर पर हमने जिस औद्योगिकरण को अपनाया है , उसका खामियाजा आज हमारा पर्यावरण भुगत रहा है। जब हमें इंधन के लिए लकड़ी पानी बिजली अधिक की कमी दिखने लगी तब जाकर एहसास हुआ कि प्राकृतिक संसाधन तो सीमित है , हमें डर लगने लगा कि कहीं यह प्राकृतिक संसाधन एक दिन खत्म ना हो जाए और उन पर टिकी हमारी आर्थिक गतिविधियां और उत्पादन प्रणालियां कहीं बंद ना हो जाए। यानी इंसान का जब वजूद खतरे में आ गया तब जरूरत महसूस हुई विकास के ऐसे मॉडल की जो प्रकृति की सहनशक्ति के मुताबिक हो और यही से शुरू हुई सतत विकास की धारणा। ब्रंटलैंड कमीशन (1987) द्वारा जारी रिपोर्ट 'हमारा साझा भविष्य' में सतत विकास की परिभाषा दी जिसके अनुसार सतत विकास विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है, जो मौजूदा पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखती है। सतत विकास महज पर्यावरण तक सीमित नहीं है बल्कि यह इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। यहां विभिन्न समुदायों के लोगों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक सामंजस्य, एक मजबूत और स्वस्थ समाज सुनिश्चित करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने की वकालत करता है। सतत विकास हमारी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना ही काम करने के बेहतर तरीके खोजने की बात करता है और इसी क्रम में आगे जाकर सतत विकास लक्ष्यों को लाया गया। 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने एक एजेंडा, 2030 को अपनाया। इसके तहत वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई गई। 17 सतत विकास लक्ष्यों को साथ 169 उद्देश्य सतत विकास के एजेंडा 2030 का अंग है। सतत विकास ऐसे विकास लक्ष्य हैं जिन्हें पहले से ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के स्थान पर लाया गया। 17 सतत विकास के लक्ष्य पर प्रकाश डाले तो SDG 1- नो पावर्टी , दुनिया में से 2030 तक गरीबी के सभी स्वरूपों को खत्म करना है वही SDG - 2 का लक्ष्य दुनिया से भुखमरी को मिटा कर खाद्य सुरक्षा को हासिल करना है। SDG - 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग इसके अलावा पोषण को बढ़ाने और सतत कृषि विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा के साथ स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करने और हर उम्र में सब की खुशहाली को प्रोत्साहित करने की बात करता है जबकि - SDG -4 का मकसद समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराना और सबके लिए आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहित करना है। SDG - 5 में लैंगिक समानता को हासिल करने और सभी महिला एवं लड़कियों को सशक्त करने की बात करता है। SDG - 6 का लक्ष्य सबके लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित कराना है। SDG - 7 यहां सस्ती विश्वसनीय सतत और आधुनिक उर्जा सुलभता सुनिश्चित करने की बात करता है। SDG - 8 निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि के साथ सबके लिए उत्पादक रोजगार और उत्कृष्ट कार्य सुनिश्चित करता है। SDG - 9 में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहन और नवाचार के संरक्षण की बात कही गई है जबकि SDG - 10 देशों के भीतर उनके बीच की असमानता ओं को कम करने की बात करता है जहां SDG - 11 शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित और संवहनीय बनाने की बात करता है वही SDG - 12 उपभोग व उत्पादन के संबंध स्वरूप को सुनिश्चित करने की बात करता है SDG - 13 जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव का सामना करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने पर जोर देता है वही SDG - 14 में सतत विकास के लिए महासागरों और समुद्री संसाधनों को सुरक्षित करने और उनके सतत उपयोग की बात कही गई है। SDG - 15 थलीय जीवन की सुरक्षा की पैरवी करता है। SDG - 16 में सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को प्रोत्साहित करने और सब के लिए न्याय सुलभ करना और सभी स्तरों पर प्रभावशाली जवाबदेही और समावेशी संस्थाओं की रचना करने की बात कही गई है। SDG -17 जो सतत विकास के क्रियान्वयन के साधनों को सशक्त बनाने और वैश्विक साझेदारी को नई गति देने की बात करता है।

शोध उद्देश्य– यह सत्य है कि स्त्री के बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समाज को आगे बढ़ाने वाली स्त्री की भूमिका आज प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो रही है। दुनिया की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए सतत विकास के लक्ष्य में लैंगिक समानता का समावेश किया गया। इस शोध का उद्देश्य निर्धारित सतत विकास के पाँचवे लक्ष्य लैंगिक समानता को प्राप्त करने में भारत की स्थिति का विश्लेषण करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में निर्धारित और वर्ष 2030 तक हासिल करने का इरादा एसडीजी संयुक्त राष्ट्र संकल्प 70/1, 2030 एजेंडा का हिस्सा है। लैंगिक भेदभाव अभी भी अधिकांश महिलाओं को पीछे धकेल रहा है जो दुनिया के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। 2015 से वर्ष 2022 तक के

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

आंकड़ों पर दृष्टिपात करें, तो क्या हम वर्ष 2030 तक विश्व के साथ पाँचवे लक्ष्य लैंगिक समानता को प्राप्त करने में सफल होंगे ? हमें देखना होगा कि सतत विकास लक्ष्य के मामले में भारत की स्थिति क्या है ? सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर भारत कहां ठहरता है ?

शोध प्रविधि – इस बात का अध्ययन द्वितीयक समंक यथा जनगणना रिपोर्ट ,एन एफ एच एस का चतुर्थ व पाँचवे चरण की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। शोध पत्र में लिंग अनुपात, कुल प्रजनन दर , विवाह की आयु, पोषण ,शिशु मृत्यु दर, घरेलू हिंसा तथा महिलाओं द्वारा निर्णय आदि कारकों के आधार पर विश्लेषण किया गया है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के पांचवें चरण तथा सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की स्थिति– केंद्र सरकार ने भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019– 2021 अर्थात एनएफएचएस –5 जारी किया है। इसकी व्यापकता के कारण एनएफएचएस के आंकड़ों का प्रयोग 2030 तक सतत विकास को हासिल करने की दिशा में भारत की प्रगति का अंदाजा लगाने के लिए किया जा रहा है। किंतु आंकड़ों को देखते हुए मन में कई सवाल उठने लगते हैं , जैसे भारत सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में कितना दूर है और कितना पास है ?

सतत विकास के लक्ष्य में भारत की स्थिति का आईना राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के पांचवें चरण तथा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सतत विकास के मामले में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। इस रिपोर्ट में भारत को 60.1 के साथ 165 देशों में से 120 में पायदान पर रखा गया है। स्टैटिसटिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्कोर 100 में से 70. 4 रहा है, जिससे संतोषजनक माना गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक 17 विकास लक्ष्यों में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन SDG10 असमानताओ को कम करना , SDG12 और उत्पादन के संवहनीय स्वरूप को सुनिश्चित करने में रहा, SDG 4 जिसमें समावेशी समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सबके लिए आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहित करना है तथा SDG12 थलीय जीवन की सुरक्षा के लिए भारत के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है।

वही SDG1 गरीबी को खत्म करना, SDG 5 लैंगिक समानता , SDG11 शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित और संवहनीय बनाने, SDG 16 सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को प्रोत्साहित करने और सबको न्याय सुलभ कराने तथा SDG17 सतत विकास के लिए क्रियान्वयन के साधनों को सशक्त बनाने और वैश्विक साझेदारी को नई गति देने में, भारत के प्रदर्शन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। वही SDG1,3,7,8,9 और SDG14 में मामूली सुधार देखे गए हैं । SDG 6 और 13 सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पांचवा चरण के आधार पर भारत की स्थिति :

कुल प्रजनन दर – राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पांचवा चरण की रिपोर्ट के आधार पर भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 से कम होकर 2 .0 हो गई। इस स्थिति में यह संभावना बताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि जो जनसंख्या वर्तमान में है, उससे भी हम अपने आप को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में जितनी जनसंख्या है उससे भी कम वाली स्थिति यह दर दर्शा रही हैं। भारत के पांच राज्य प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर 2.1 की क्षमता से ऊपर है जिसमें बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश ,झारखंड और मणिपुर शामिल है। यह पांच राज्य प्रजनन क्षमता के स्थापन स्तर से ऊपर हैं। उच्चतम प्रजनन दर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे पांचवें चरण के अनुसार बिहार व मेघालय में है। निम्नतम प्रजनन और निकोबार में देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 2.1 तथा शहरी क्षेत्र में कुल प्रजनन दर 1.6 आंकी गई है। यदि इन दोनों आंकड़ों को देखें तो वर्ष 1993 में ग्रामीण क्षेत्र की कुल प्रजनन दर 3.7 थी वहां घटकर वर्तमान में 2.1 आ गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों की 2 .7 वर्ष 1992–93 में घटकर 1.6 आ गई है। दो दशकों में धार्मिक समुदाय के आधार पर मुस्लिम धर्म के लोगों की कुल प्रजनन दर में गिरावट देखी गई है।

लिंग अनुपात – सर्वे के पांचवें चरण में लिंग अनुपात की सकारात्मक स्थिति देखी गई। प्रति हजार पुरुषों पर 1020 महिलाओं की स्थिति इस सर्वे के अनुसार देखी गई। यह माना जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार यह आंकड़ा दिख रहा है जबकि महिला की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यह संकेत कर रहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं केंद्र एवं राज्य सरकार के स्तर पर वहां कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिणाम देते हुए सामने आ रहे हैं।

मातृ एवं बाल स्वास्थ्य – राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के चौथे चरण की तुलना में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संकेतों में तुलना की जाए तो सर्वे के पांचवें चरण में बच्चों में कुपोषण का स्तर अभी भी चिंतनीय है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट हुई है।बच्चों के टीकाकरण में वृद्धि हुई है जो एक संतोषजनक बात है। किंतु एनीमिया से ग्रस्त महिला एवं बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे चौथे चरण के अनुसार महिलाओं में 18 वर्ष से कम आयु की शादी वाली महिलाओं का प्रतिशत 26.8 था। इन महिलाओं की शादी व्यस्क होने के पूर्व ही हो गई थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के पांचवें चरण के अनुसार 18 वर्ष के पूर्व शादी होने वाली बालिकाओं का प्रतिशत घटकर 23.3 हो गया है अर्थात इसमें कुछ सुधार देखा गया है। पुरुषों में यहां प्रतिशत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के चौथे चरण में 20.3 था जो घटकर पांचवें चरण में 17.7% हो गया है। 18 वर्ष से पूर्व विवाह होने की सर्वाधिक वृद्धि पंजाब ,पश्चिम बंगाल,मणिपुर ,त्रिपुरा और असम राज्यों में हुई है। इसमें सर्वाधिक वृद्धि त्रिपुरा राज्य में हुई है। किशोर गर्भावस्था 18 वर्ष की आयु पूरी होने के पूर्व गर्भधारण करने वाली किशोरियों का प्रतिशत चौथे चरण में से 7.9% था जो कम होकर पांचवें चरण में 6.8 प्रतिशत हो गया।

प्रसव तथा टीकाकरण – संस्थागत प्रसव के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर पिछली रिपोर्ट में यह प्रतिशत 79 था जो अब बढ़कर 89.6 हो गया है। वहीं ग्रामीण में यहां 87 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव 94% हो गया है । वही शिशु मृत्यु दर 35.2 देखी गई । राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के चौथे चरण में टीकाकरण की स्थिति 62 प्रतिशत थी जो पांचवें चरण में 12 से 23 माह की आयु में तीन चौथाई अर्थात 77% से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया है।

परिवार नियोजन – गर्भनिरोधक पद्धति का उपयोग करने वाली महिलाओं में विशेष रुप से कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत 66.3 है जोकि आधुनिक पद्धति का उपयोग कर रही हैं। यह स्थिति बता रही है कि भारत में गर्भनिरोधक

उपकरण का उपयोग बढ़ा है साथ ही कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, उन पर प्रजनन दर को नियंत्रित करने का बोझ बहुत ज्यादा है। पुरुषों के प्रति नियोजन के उपयोग में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वहां अपेक्षा से कम है। जबकि महिला को प्रजनन दर कम करने का एकमात्र जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है। अत: इसमें संतुलन की आवश्यकता है।

घरेलू हिंसा – महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की घटनाएं वर्ष 2015–16 में 31.2 प्रतिशत दर्ज की गई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के पांचवें चरण की रिपोर्ट के समय तक यहां घटनाएं कम होकर 29.3% हो गई है। घरेलू हिंसा की सर्वाधिक घटनाएं कर्नाटक राज्य में 48% उसके उपरांत बिहार, तेलंगाना,मणिपुर और तमिलनाडु में दर्ज की गई है। सबसे कम घटनाएं घरेलू हिंसा की लक्ष्यद्वीप में मात्र 2.1% दर्ज की गई।

घरेलू निर्णयों में भागीदारी– सर्वे के पांचवें चरण के अनुसार ग्रामीण महिला में 77% महिलाएं परिवार में घरेलू निर्णयों में अपनी भागीदारी करती पाई गई। वहीं शहरी क्षेत्र के परिवार में 81% महिलाओं द्वारा घरेलू निर्णयों में भागीदारी की स्थिति को देखा गया। घरेलू निर्णय में सबसे अधिक भागीदारी करने वाली महिलाएं नागालैंड और मिजोरम राज्य की रही। इन राज्यों में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत 99 तक है। बचत खाता खोलने वाली महिलाओं का प्रतिशत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के पांचवें चरण के अनुसार 53 से बढ़कर 79% हो गया है। सर्वे के पांचवें चरण के अनुसार 10 में से 3 से भी कम ग्रामीण महिलाएं एवं 10 में से चार शहरी महिलाओं ने ही कभी इंटरनेट का प्रयोग किया है।

निष्कर्ष– राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के पांचवें चरण के आंकड़ों में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह दिया गया है कि भारत अभी सतत विकास के दूसरे लक्ष्य को हासिल करने में कोसों दूर है। पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। भारत को सतत विकास के लक्ष्य चार और पांच तक पहुंचने के लिए अभी मिलो दूर जाना है। भारत में आज भी कई लड़के और लड़कियां गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से कोसों दूर हैं। कई स्तरों पर हमें लैंगिक असमानता जैसी स्थिति देखने को मिलती हैं। गांव में आज भी बाल विवाह जैसी समस्याएं बनी हुई है। विवाहित महिलाओं के लिए गर्भनिरोधक साधनों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वर्ष 2030 तक परिवार नियोजन के सार्वभौमिक पहुंच को हासिल करना बेहद मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। एनीमिया से पीड़ित बालिकाओं की दर में बढ़ोतरी देखी गई है। यह सतत विकास के दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बाधा की तरह कार्य कर रहा है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को खत्म करने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है जैसे दहेज प्रथा, यौन,हिंसा,्रूण हत्या,असमानता, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा कार्यस्थल पर यौन शोषण,वेश्यावृति, मानव तस्करी जैसे ऐसे ही दूसरे विषय लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक,सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अंतर ले आता है जो देश के विकास को पीछे की ओर धकेलता है। अंत में कहा जा सकता है कि लक्ष्य निर्धारण के इतने वर्ष बाद भी भारत में महिला में जागरूकता तो बढ़ी है किंतु संतोषजनक परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। क्योंकि भारत गांवों का देश है और आधी से अधिक आबादी ग्रामों में निवास करती है। ग्रामों में आज भी लैंगिक समानता एक कल्पना है। आज सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण के साथ अधिकार और स्थान तो दिया है किंतु सत्य यह है कि आज भी भारत में ग्रामों में सरपंच पति शब्द अधिक लोकप्रिय हैं। आज भी सरपंच महिला का प्रतिनिधित्व अर्थात सत्ता का संचालन सरपंच महिलाओं के पति द्वारा ही किया जाता है। महिलाओं के लैंगिक समानता को लेकर आज चाहे प्रत्येक मंच से आवाज उठाई जा रही है किंतु इस मार्ग में मुख्य समस्या रूढ़िवादिता और पुरुष प्रधान समाज की है। आज भी भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा अधिनियम तथा बलात्कार के लाखों मामले सामने आ रहे हैं। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे हैं। यदि सतत विकास के पाँच लक्ष्य लैंगिक समानता को प्राप्त करना है तो अभी इस दिशा में अथक प्रयास करने शेष हैं। जब तक धरातल पर महिलाओं की समस्याओं को सुलझाया नहीं जाएगा तब तक वर्ष 2030 तक एक लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Bora, Jayanta Kumar, and Nandita Saikia. 2018. Districts with Reference to Sustainable Development Goal 3: "An Analysis of the National Family Health Survey of India (NFHS), 2015-2016."
2. Brown, Trent. 2016. "Civil Society Organizations for Sustainable Agriculture: Negotiating Power Relations for pro-Poor Development in India." AGROECOLOGYAND SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS 40 (4):
3. Deepa, S. 2014. "Role of Commercial Banks in Sustainable Development of Women Entrepreneurs" in INTERNATIONAL 6 (9): 45–49.
4. Dhar, Suneeta. "Gender and Sustainable Development Goals (SDGs)." Indian Journal of Gender Studies (SAGE Publications) 25, no. I (2018)
5. Government of India and United Nations. "Sustinable Development Framework 2018-2022." New Delhi, 2018.
6. Government of India. "Census." Office of Registrar General, New Delhi, 2011.7.
7. Kancherla, Vijaya, and Godfrey P Oakley Jr. 2018. "Total Prevention of Folic Acid-Preventable Spina Bifida and Anencephaly Would Reduce Child Mortality in India: Implications in Achieving Target 3.2 of the Sustainable".
8. Roy, Ajishnu, and Kousik Pramanick. 2019. "Analysing Progress of Sustainable Development Goal 6 in India: Past, Present, and Future." JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 232 (February):
9. National Family Health Survey of India (NFHS), Report, Fifth Round

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

महिलाओं की स्थिति एवं आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका

डॉ. सरोजिनी टोपनो *

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – महिलाओं की स्थिति की विवेचना एक वृहद व दुरूह विषय है। यह एक विचित्र तथ्य है कि एक तरफ जहाँ महिलाओं को सम्मानित कर आसमान–सी ऊँचाईयों दे दी गई है, वही उन्हें अपमानित कर धरातल की सच्चाईयां दे दी गई है। इस आसमान और पाताल की तरह ही नारी का जीवन उत्थान–पतन से भरा रहा है।

महिलाओं की स्थिति व्यक्तिगत हो या सामाजिक, आर्थिक हो या राजनैतिक, धार्मिक हो या अधार्मिक, प्राचीन हो या समकालीन, शहरी हो या ग्रामीण, सभी स्तरों पर नैतिक मापदंडो के नये–नये प्रतिबंधो और पुरुष प्रधान समाज के जाल में जकड़ी नजर आती है। परन्तु फिर भी महिलायें प्रगति पथ पर अग्रसर होकर आधुनिक भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

सभ्यता के प्रथम चरण अर्थात वैदिक कल में नारी पूजनीय थी। पर्दा प्रथा का पूर्णत: अभाव था। सास–ससुर के साथ बहुएँ भी एक थाली में खाती थी, इसका प्रमाण ऋग्वेद के 28 वे सूक्त में है। इस काल में सती प्रथा नहीं थी तथा विधवा विवाह प्रचलित था।

वैदिक कल के बाद मनुस्मृति ने एक ओर जहाँ नारी को पूजनीय बताया वही आर्थिक दृष्टि से स्त्री को पुरुष के अधीन मानकर समाज में स्त्रीयों की निम्न स्थिति को धार्मिक मान्यता दी। इस युग में स्त्रीयां भी संकीर्ण विचारधारा का शिकार बनी।

मध्य युग के आते–आते नारी की स्थिति और भी दयनीय हो गई, जब सामंतों और राजाओं ने श्रद्धा की देवी को भोग की वस्तु बना दिया। सभ्य परिवारों की स्त्रीयों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। स्त्री शिक्षा का अंत हुआ। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा अस्तित्व में आई। दहेज प्रथा का उदय हुआ। विवाह निषेध कर सती प्रथा का आरम्भ हुआ।

19 वी शताब्दी में औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण, शिक्षा के विस्तार, सुधार आन्दोलनों, महिला आन्दोलनों और सामाजिक विधानों ने सयुक्त रूप से स्त्रीयों की स्थिति में सुधार किया। 20 वी शताब्दी में सम्पूर्ण विश्व में लोकतंत्र का विस्तार तो हुआ परन्तु वैश्विक परिद्रश्य महिलओं के साथ न्याय नहीं कर सका। भारत का महिला प्रतिनिधित्व विश्व में 65 वें स्थान पर है। 74 वें संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण देने वाली संसद महिलाओं का 10% प्रतिनिधित्व का आंकड़ा छूने में असमर्थ है।

शहरी क्षेत्रों की महिलओं की स्थिति तो फिर भी कुछ हद तक सुधार की दिशा में है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र की दशा व दिशा आज भी ठीक नहीं है। ग्रामीण महिलाएँ आज भी अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का गट्ठा रखे, कमर में बच्चा बांधे, गोबर बीनती, कंडे थापती नजर आती है। यही नहीं उनके उत्पादनों या श्रम से प्राप्त फल पर भी उसका कोई नियंत्रण नहीं होता।

महिलाओं ने सामाजिक प्रतिबंधो के बावजूद कभी जीजाबाई,लक्ष्मीबाई, बनकर अपना योगदान दिया तो कभी गांधीजी के आन्दोलन में सामूहिक रूप से सहभागी बनकर देश की आजादी के लिए कार्य किया। माँ शारदा देवी, पंडित रमाबाई, फ्रंसिना सोराबजी,लेडी हरनामसिंह, अवंतिका बाई, गोदावरी बाई, यशोदा बाई, श्रीमती चन्द्रशेखर अय्यर, अनीबीसेंट आदि ने सामाजिक, राजनैतिक चेतना में अग्रणी भूमिका निभाई है। भीकाजी कामा, कालीबाई, कनकलता बरुआ अंग्रजों की गोली खाकर भी झंडा ऊँचा रखने वाली भातंगरी हाजरा की शोर्य गाथा के अभाव में स्वतंत्रता आन्दोलन का वृतांत अधूरा है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो संविधान निर्माण कार्य के लिये चुनी गई संविधान सभा में 17 महिला प्रतिनिधि चुनकर आई। बेगम शहनवाज, सरोजिनी नायडू इनमें विशेषत: उल्लेखनीय है।

ऐतिहासिक रूप से उत्थान–पतन से गुजरती भारतीय नारी आज पुन: सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रो में नित्त नये अधिकार प्राप्त कर रही है। भारतीय नारी के विपरीत पश्चिम की नारी के जीवन का अलग स्वरुप है। उसके पास शिक्षा है, स्वतंत्र जीवन है, विस्तृत कार्यक्षेत्र है, किन्तु घर की इकाई टूट गई है जिसने उसके मनोबल को भी तोड़ा है।

नारी की स्थिति को सुद्रढ बनाते हुए उसके सशक्तिकरण के जो प्रयास किए जा रहे हैं, वे सराहनीय है, परन्तु इन सबके बीच बालिका भ्रूण हत्या, दहेज, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, नारी शिक्षा में कमी, स्वास्थ्य व पोषण की उपेक्षा, बलात वेश्यावृत्ति और यौन शोषण के अन्य रूप स्त्री के जीवन को अभिशप्त बनाए हुए है।

बिना नारी के समाज और परिवार के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज माहिलाओ का हर क्षेत्र में पदार्पण हो चुका है। आधुनिक भारत के निर्माण में जहाँ राजनिती में सोनिया गाँधी, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, मायावती, ममता बनर्जी, प्रतिभा पाटिल जैसे अनेक उदाहरण हैं तो खेल के क्षेत्र में सानिया मिर्जा, मिताली राज, सायना नेहवाल, पी.टी. उषा उदाहरणों की कमी नहीं है। वही इंदिरा नूयी, कल्पना चावला, किरण बेदी, मेघा पाटकर, मदर टेरेसा जैसे विश्वस्तरीय प्रतिभाएँ भारत में चार चाँद लगा रही है।

आज की महिला के कदम भविष्य की ओर बढ रहे है। वह नई व्यवस्था

का निर्माण एवं स्त्री–पुरुषों की साझा मानवीय संस्कृति चाहती है। शिक्षा की प्रगति ने नारी की सोच को एक दिशा दी है जिसका परिणाम महिला सशक्तिकरण माना जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. A.S. Altekar & Women in Hindu Civilization, P.94
2. डॉ. अनामिका– स्त्रित्व का मानचित्र, पृष्ठ 28
3. डॉ. एम.लवानिया–शशि के जैन – भारतीय माहिलाओ का समाजशास्त्र पृष्ठ 8
4. रचना सितम्बर –अक्टूम्बर 1997, नारी शक्ति का पुनरू निर्माण, पृष्ठ 07
5. श्री एस.एस.पाण्डेय–समाजशास्त्र TMH प्रकाशन, भाग –2,पृष्ठ 9.2
6. ब्रजमोहन अग्रवाल – राजनीती में महिला आरक्षण : एक विश्लेषण, पृष्ठ 07
7. डॉ. राजेश जैन–भारतीय स्वतंत्रता में महिलाओं की भूमिका ए जर्नल ऑफ एशिया – मुरैना, अंक–2, अप्रेल–जून 2002, पृष्ठ – 138
8. श्रीमती ममता गंगवाल – असहयोग आंदोलन में संयुक्त प्रान्त तथा बंगाल की महिलाओं का योगदान, पृष्ठ– 339–346
9. श्री सदानंद सिंह – भारतीय राजनीती में महिलाओं का योगदान, मध्यप्रदेश विधानसभा, सचिवालय, भोपाल, अप्रेल– जून, 2001, पृष्ठ – 01

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Requirement of English Language Syllabus to Fill the Gap Between Industry and Academia

Dr. Sadique Mansoori*

***Asst. Professor, Govt. Madhav Arts & Commerce College, Ujjain (M.P.) INDIA**

Abstract - This research paper addresses the academic study material of English language syllabus (Vikram University) on Under Graduate level (first year) as an educational project, with special focus on knowledge, mediation and its vindication. It is based on an examination of the academic curricula from learning, skills, knowledge and the employment point of view. The research article shows that, despite local variations at the level of theme, there is a widespread consensus nationally about the goals of language studies and largely also about the underlying conceptions of language and of the value of its study. It concludes, on its use for job perspective while checking its strength and potential to provide useful knowledge to bridge the gap between industry and academia.

Key Words: Language, syllabus, English, social mobility, higher education, better job opportunities.

Introduction - Language is the first human tool to use for expression. It is first requirement of everyone in her or his daily life as a means to impart the information and argument to others. It is an inseparable part of culture in which one survives. In this case, the language cannot be separated from ritual, business, emotions and civilization because language represents a nation and has a close relationship to the attitude or behavior of groups of speakers. It is an in-net capacity of every human being and one can easily understand its role during the expression of cultural reality. The culture itself is not a confined-word in today's scenario. Globalization has converted it into a vast term to describe a new trade and technology that has changed the world into a more connected and compact place. Interdependency due to Globalization has forced us to follow the global culture with the need of a global language and English is the only language which is capable to communicate on the economic and social topics with its vast set of vocabulary. There was time in the Indian History when it became a language of diplomacy and now it is an inseparable part of Indian trade and the internet. There are millions of speakers who use it in their daily life.

Now a days, English is the only language that significantly leaves impact over the Indian culture and the way of thinking of people in India. It is playing an important role in the domains of administration, business, education, and political relations. Even the field of industry and judiciary (with a systematic terminology) are not out of its capture. It is therefore, a license to enter in a new and dazzling world full of all knowledge, comfort and luxury.

The new education policy which is called the Education Policy 2021 adopted by the Modi Government is appropriate for a changing India. It talks about the development of higher education along with the basic education in Indian Schools. According to new Education policy

"Undergraduate degrees will last three or four years, with several exit alternatives available during that time. After one year of study in a topic or field, including vocational and professional fields, colleges will be required to award a certificate, a diploma following two years of study, or a Bachelor's degree after a three-year program (Jugpreet-11)." Now the question arises do our classroom syllabus justify the above pattern? The Government aims to bring many transformative and positive changes by adopting the certificate course of first year mentioned in New Education Policy. It focuses on the student's capability of earning with learning by providing high-quality diploma education to students. Let's have a look on the language syllabus Vikram University-first year and analyze its favorability for supporting the big changes that New Education Policy wants to bring to India's education system.

Analysis: The academic syllabus of English Language-first year, contains a book of three units as a part of foundation or certificate-course for every under graduate program. It is developed successfully with a few learning objects based on the clear idea of achieving basic language skills with reading, writing, understanding and comprehensive ability at the end of the course.

The first unit based on the focused and measurable objectives of the development of reading, writing and interpretation contains some beautiful pieces of poetry and literature. "Where the mind is without fear" is a well known

poem by a renowned poet named Rabindranath Tagore. The poem is an ocean of patriotism. Another part of the unit is an essay by M. K. Gandhi, father of the nation. The essay entitled 'National Education' is based on the idea of edification. The essay was first published in *Young India* on 1 September, 1921. Mahatma Gandhi in his article titled 'National Education has claimed that it might be true regarding other countries but he is worried about India where in 80% of total population is occupied with agriculture and 10% of it with industries, it is an offence to make education merely literary. 'The Axe' by R.K. Narayan is a simple story which inspires some qualities in the students. Belief, courage, strength and optimism by the protagonist named Velan, were a few remarkable habits which helped him finding his own way after he is expelled from the parental house. 'The Wonder that was India' by A. L. Basham is a small part of a book with same title. It covers the comprehensive Indian history which includes religion, culture, social evolution, governance, tradition, science, philosophy and languages. It reveals the glorious past of India from the time of Sindhu and Harappa civilization and the great settlement of Aryans invasion theory. and 'Preface to Mahabharata' by C. Rajgopalachari is an introduction to Vyasa's *Mahabharata* which is one of our noblest heritages. This is a noble script and the highest literature which transcends regionalism and through it, when the students are properly attuned, they realize the essential oneness of the human family.

The next two units are based on understanding and learning proper grammar which allows the students to learn English language more effectively. It plays a dynamic role to go through the language.

Major Findings: The first year academic course or a certificate program is beautifully developed which is based on the clear idea of what can be achieved in the lingual form. There is substantial evidence available in the syllabus-ingredients to show that it is meant to make the Indian English students well versed in English. Although educated Indian speakers enjoy it but it might be slight difficult for the students coming from interior villages.

The program is capable to justify the learning outcomes which are not clearly specified though communicated through objectives in writing to define the course. They are also up to the norms of Gosling and Moon (2001) who observed in their studies that outcomes-based approach to teaching is becoming more and more popular at an international level. This approach has been progressively adopted within credit framework and by national quality and qualifications authorities such as the QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) in the UK, the Australian, New Zealand and South African Qualification Authorities (Gosling and Moon). Learning outcomes, although hidden, but they are doing the needful for each and every specific and measurable objective.

The concept of Bloom's taxonomy is simply visualizes through the goals and the goal based facts, information and descriptions to develop the respective skills.

Om's Taxonomy explains the process of learning and hence has proved to be a powerful

Grammar is an essential part of learning the language. It helps us to build the correct sentences and understand when and where words are used in different context. It is actually a system of meaningful structures and patterns that are governed by particular pragmatic constraints (Larsen-Freeman, 2001) the syllabus for teaching grammar is skillfully designed as an essential and inseparable aspect of learning the foreign language.

Suggestion: The goals of new designed curriculum are two-fold: the one is basic fluency in expression and the other is overall development for livelihood but the current syllabus creates a void or a gap in achieving the above targets on initial stage. It does not have any communication-learning activity which is designed to enhance the language on practical foundation. Language is the first tool or instrument for basic interpersonal communication for expression and later for knowledge and acquisition. The new education policy hopes that by the time a student finishes his certificate –course, he would be able to survive with fluency in language and ability to express and understand the abstract thoughts. This argues some changes with a communication based curriculum.

The current syllabus provides awareness to understand the immediate surrounding but it does not has a set of current vocabulary which is helpful to breaks down barriers between English and other native languages. At the initial stage, Syllabus shoud be based on language- learning activities which may design to enhance the most productive part of teaching English which is also called speaking-skills. It is important to note that children effortlessly learn several languages if adequate comprehensible input is available in anxiety free situations.

Conclusion: The certificate course of first academic year designs a student capable to survive. Survival today, is difficult due to an increasing population. Any organization must have effective communication if it is to achieve its goals and have positive working relationships with both internal stakeholders and external clients. In order to communicate across cultures, language is crucial. It permeates every area of a global corporation and enables business owners to take advantage of a completely new range of options. The ability to speak more than one language can continue to be useful for learning new technologies which me expand the access of the India to international trade.

A student's international corporation's capacity to operate successfully can be a significant feature and learning a foreign language can help him business expand into more markets. The overall conclusion demonstrates that, the language is an inseparable part of general learning since it is about the whole system and structures of all

businesses. English is the language of commerce and international relations, and it's estimated that over 1.5 billion people around the globe speak English as their first or second language. So, 'English Communication' should be a part and parcel of this syllabus.

References:-

1. Gosling D. and Moon J, "How to Use Learning Outcomes and Assessment Criteria", SEEC Office, London, 2001.
2. Kundal, Jagpreet. "New Education Policy 2021: things you need to know." *Learning Routes*, 3 Dec.2021, https://www.learningroutes.in/new-education-policy-2021-things-you-need-to-know
3. Larsen-Freeman, D. (2001). Teaching Grammar. In M. Celce-Murcia (ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language (3rd edn., pp. 251-66). Boston, MA: Thomson/ Heinle.
4. Long, M.H. & C., J. Doughty (2009). The Handbook of Language Teaching. Malde, MA: Wiley Blackwell.
5. Mahamad, Kamaran Laveen. (2019). Assessing Teaching English Grammar to Kurdish EFL Students atUniversity Level (M.A.). University of Sulaimani.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

डॉ. भगवती लाल व्यास का बाल साहित्य

डॉ. निधि शर्मा*

* बी.ए., बी.एड, एम.ए.,पी.एच.डी, वेब इंजीनियरिंग, भीलवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – डॉ. भगवती लाल व्यास बाल साहित्य लेखन का उत्तरदायित्वपूर्ण लेखन मानते हैं। उनका मानना है कि बच्चों के लिए साहित्य लिखना एक चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य है क्योंकि –

'इस प्रकार का लेखन करते समय आपको अपने अनुभव – संसार से अलग प्रकार के अनुभव-संसार में न केवल प्रवेश करना होता है बल्कि अपनी विश्वसनीयता भी बनानी होती है।'[1]

रचनाकार कहता है कि बच्चे बहुत सरल और सहज स्वभाव के होते हैं अत: उनके लिए लिखा गया साहित्य भी सुबोध, मनोरंजक और सहज ग्राह्य होना चाहिए। साथ ही उससे बालकों को कुछ न कुछ प्रेरणा भी मिले जो उनके चरित्र निर्माण और भावी जीवन को संवारने में सहायक हो। व्यास जी कहते हैं –

'बच्चों का संसार हम बड़ों के संसार से बिलकुल भिन्न प्रकार का संसार होता है जिसमें हृदय तत्तव की प्रधानता होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बालकों को वे रचनाएँ आकर्षक लगती हैं तथा सहज ग्राह्य होती हैं जिनमें अक्ल की कारीगरी कम हो। नदी के प्रवाह, झरनों की कल-कल, कलियों का मुस्कराना, फूलों का हंसना, तितलियों का उड़ना, भौरों की गुंजार की तरह एकदम सहज और स्वाभाविक रचनाएँ बालक चाहता है।'[2]

लेखक वर्तमान समय और बीते पाँच दशकों के जीवन की तुलना करते हुए कहता है कि पहले का समय बहुत सरल था। उस समय जीवन इतना जटिल और विषम नहीं था जितना जटिल यह वर्तमान है।

इसी भयावह वर्तमान का एक हिस्सा आज का बालक भी है। उसे भी इन विषमताओं और जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा, चाहे आज वह इन सब से अनभिज्ञ अपनी ही दुनिया में खोया हुआ हो। अत: बाल-साहित्य लेखक का दायित्त्व बनता है कि वह मनोरंजन के साथ-साथ बच्चों को जीवन की इन कठिनाइयों से भी अवगत कराए। इस संदर्भ में लेखक का मन्तव्य दृष्टव्य है –

'साहित्य का उद्देश्य मनोलोक का निर्माण करना होता है। यह निर्माण जितना सुदृढ़, प्रासंगिक एवं आनंदप्रद होगा उतना ही बालक अपने जीवन से सामरस्य स्थापित कर सकेगा।'[3]

एक लेखक या कवि के पास शब्द का माध्यम होता है, जिनकी सहायता से वह परिवेश और समय की चुनौतियों के विरूद्ध खड़ा होता है तथा अपने पाठकों को भी इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। वास्तव में जीवन की ये चुनौतियाँ, एक बाल साहित्य सर्जक की भी चुनौतियाँ हैं क्योंकि ये बालक ही आने वाले समय के निर्माता और देश का भविष्य हैं।

डॉ. व्यास का बाल-साहित्य वर्तमान समय की सभी कसौटियों पर खरा उतरता है। उनका यह सृजन बालकों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। व्यास जी की कविताओं और कहानियों के माध्यम से बालकों को कितना मनोरंजन प्राप्त हो सकता है ? और उन्हें क्या प्रेरणा मिल सकती है? इसका निर्णय तो इनके साहित्य के विस्तृत अध्ययन के पश्चात् ही किया जा सकता है। अत: व्यास जी के बाल साहित्य का विस्तृत विवेचन आगे प्रस्तुत है।

देशभक्ति पर आधारित – डॉ. भगवती लाल व्यास ने बाल कविताओं के माध्यम से बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास किया है। देश की एकता, अखण्डता तथा सौहार्द बनाए रखने के लिये बालकों को प्रेरित किया है।

भारत देश की खुशहाली की कामना करते हुए लेखक कहता है –

'फूलों सा यह रहे महकता
लहरों सा यह रहे थिरकता,
प्यार की मीठी बोली बोले,
पंछी सा यह रहे चहकता।
औरों को हसांकर हंसना है,
यह देश हमारा अपना है।'[4]

कवि कहता है कि हमारे देश की कई विशेषताएँ हैं। हमारा देश पर्वत, मैदान, खेत-खलिहान, जंगल, मरूस्थल आदि सभी रूपों को अपनाने वाला है। यह सुखों की खान है। इस देश में अनेक धर्म व संस्कृतियाँ हैं। इन सभी का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि –

'मंदिर मस्जिद-गिरजों वाला
गढ़-कोटों – कंगूरों वाला
सीधे-सादे – गाँवों वाला
लम्बे-चौड़े शहरों वाला
जीवन की मुस्कान है
अपना देश महान् है।'[5]

व्यास जी बालकों को अपने देश के प्रति कर्त्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करते हुए लिखते हैं –

'शरीर की तमाम शक्ति देश के लिए,
मन बसी तमाम भक्ति देश के लिए,
आयु का हरेक क्षण देश के लिए,
हमारा जन्म औ मरण देश के लिए।'[6]

बच्चे भारत मां से कहते हैं कि हे माँ तू अधीर ना हो। जब तक तेरे लाल जीवित हैं तब तक तेरे मान की रक्षा करना हमारा दायित्व है। वे कहते है कि

गाँध, नेहरू, गौतम, राणा, भामा सब फौलादी वीर हम ही हैं। तेरे ये सच्चे वीर तुझसे प्रण करते हैं कि –

'तेरा मान बढ़ाएंगे हम
तेरी शान बढ़ायेंगे हम
यदि तुझ पर आ गई आपदा
हंस कर प्राण चढ़ायेंगे हम'[7]

बच्चे अपने मन में पूर्ण आत्मविश्वास भरकर कहते हैं कि हम नन्हें दीपक हैं, लेकिन अंधियारे पर भारी पड़ेंगे क्योंकि सूरज के उगने तक हमारी जलने की जिम्मेदारी को हम दृढ़ता से निभायेंगे। वे अंधेरे को ललकारते हुए कहते हैं कि –

'घोर तिमिरमय इस रजनी में,
केवल हम गतिमान हैं
हम माटी के राजकुंवर हैं
कल के हिन्दुस्तान हैं।'[8]

कवि लिखता है कि स्वतन्त्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ऐसे राष्ट्रीय पर्व हैं जो बालकों में देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की भावना संचारित करते है।

स्वतंत्रता दिवस मनाते नन्हें – मुन्ने बालक तिरंगे की प्रशंसा करते हुए कहते है कि –

'सिर्फ तिरंगा वस्त्र नहीं यह
पूरा का पूरा भारत है
इसकी गरिमा के सम्मुख तो
धरती अंबर दोनों नत हैं।'[9]

बच्चे कहते है कि यह तिरंगा हमारे स्वाधीन देश की भाषा है, यह जवानों की ताकत है और यही स्वतंत्रता का प्रहरी है।

कवि कहता है कि ये छोटे बच्चे आत्मविश्वास के साथ देश की रक्षा का संकल्प करते हैं। ये बच्चे चाहे छोटे हों किन्तु इनकी हिम्मत प्रशंसनीय है। बच्चे कहते हैं –

'उम्र में छोटे हुए तो क्या हुआ
काम होने चाहिए इंसान के ऊँचे
कद हमारा भले कम हो इस समय
इरादे हैं हिमालय से भी बहुत ऊँचे।'[10]

त्योहारों पर आधारित – कवि लिखता है कि भारत देश की संस्कृति बहुत गौरवशाली है। यहाँ अनेक धर्म हैं, अनेक संस्कृतियाँ हैं और इन सब धर्मो के अपने–अपने पर्व और त्योहार हैं। कवि ने अपने देश में मनाए जाने वाले त्योहारों का वर्णन बड़ी ही मोहक भाषा में अपनी कविताओं के माध्यम से किया है।

कवि कहता है कि भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली। यह दीपों का त्योहार सभी को अच्छा लगता है। कवि बच्चों को दीवाली का अर्थ समझाते हुए कहता है कि –

'मन का मैल निकालो बाहर
कूड़ा–करकट झाड़ पोंछ कर।
मंदिर सा यह पावन हो ले,
कोना–कोना ज्यों मुंह बोले।'[11]

कवि कहता है कि दीये की तरह जलना, मोम की तरह गलना, हवा की तरह बहना और गीत की तरह ढलना, यही दीवाली है, अर्थात् जब हम अपने दुर्गुणों को जलाकर निर्मल हो जाऐं तभी त्योहार सार्थक हैं।

'ऐसे मनी दीवाली' शीर्षक कविता में कवि ने बच्चों को यह समझाने का प्रयास किया है कि खेलने–कूदने के अलावा इस दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है। कवि ने बड़े ही अच्छे तरीके से दीवाली मनाने के लिये आवश्यक सामग्री यथा–तेल, बाती, दिया, पटाखे, लड्डू, गन्ना, केला आदि का वर्णन करते हुए लिखा है –

'उल्लू तभी उठा, ले आया
लक्ष्मी जी का चित्र
ऐसे मनी दीवाली वन में
खुश थे सारे मित्र ।'[12]

कवि होली के त्योहार को शरारत और मस्ती का त्योहार मानते हुए कहता है कि इस दिन चारों ओर गुलाल के लाल, पीले, हरे रंग दिखाई देते हैं, मानों सारी धरती ही रंगीन हो गई हो। सब लोग मस्ती में झूमते गाते है। कवि लिखता है –

'धरती लाल, लाल है अम्बर,
बाहर रंग, रंग है भीतर।
बस्ती – बस्ती मस्ती छाई।
कण–कण ने होली छलकाई।'[13]

कवि कहता है कि होली का पर्व सारे भेद मिटा देता है। इस दिन सब समान हो जाते है।

'आज बड़ा ना कोई छोटा
बराबरी में कैसा टोटा।
आओ सभी गले लग जाएं
ऊँच–नीच का फेंक मुखौटा।'[14]

व्यास जी कहते हैं कि होली–दीवाली की तरह ईद भी बड़ा त्योहार है। इस दिन सब लोग गले मिलकर एक–दूसरे को बधाई देते हैं। खूब मिठाइयाँ बनती है, नये कपड़े भी बनवाए जाते हैं और सब अपनी खुशी का इजहार करते हैं। कवि लिखता है –

'देते सभी मुबारकबाद –
प्यार के रिश्ते जिन्दाबाद
खुशहाली की फसल वतन में
फूले–फले, रहे आबाद।'[15]

मौसम पर आधारित – मौसम बहुत ही प्यारा शब्द है और इसे और भी मनभावन बनाया है व्यास जी की कविताओं ने। कवि ने बड़ी ही रोचक भाषा – शैली में विभिन्न मौसमों का वर्णन किया है।

सबसे पहले कवि बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि ये हरियाली के हाथ किसकी आगवानी में हिलने लगे हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर फूल खिल जाते हैं। तितलियाँ, भौंरे, कोयल आदि बसंत के स्वागत गीत गाते है। कवि लिखता है –

'ऋतुओं का राजा कहलाये
सबमें यही उमंग जगाये
पत्ताा–पत्ताा सावधान है
कलियों का छाया वितान है।'[16]

सरदी के मौसम का भी अपना मजा है। एक ओर जहाँ ठण्ड के कारण सबकी आफत हो जाती है वहीं दूसरी ओर कुछ मजे भी हैं। कवि लिखता है –

'दूध–जलेबी सबको भाए,
गरम रजाई पास बुलाए।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

जल्दी सो जाती है नानी
हमें सुनाए कौन कहानी।'[17]

सरदी जंगल में भी अपना रौब डालने से नहीं चूकती है। सारे जानवर सरदी से परेशान हैं –

'बंदर मामा लिए अंगीठी
बिल्ली मौसी ओढ़े कंबल
भालू चाचा सूट पहनकर
कांप रहे थे भीतर थर–थर।'[18]

व्यास जी लिखते हैं कि प्यारे बच्चों तुम्हारे लिए तो इन मौसमों के अलावा भी कई मौसम होते हैं जैसे – परीक्षा का मौसम, परिणाम का मौसम, मिठाई का मौसम, छुट्टी का मौसम आदि।

परीक्षा के मौसम का वर्णन करते हुए व्यास जी लिखते हैं कि इस मौसम में बच्चों को कुछ नहीं सुहाता है। खाना–पीना, सोना सब छूट जाता है। पढ़ाई कर लेने पर भी डर लगता है कि कहीं सब भूल न जाएं। बच्चों के इस परीक्षा के भय का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि –

'सपने में परचे दिखते हैं
लेकिन नहीं कभी टिकते हैं
टिक जाते तो मैं भी लिखता
जैसे सभी दोस्त लिखते हैं।'[19]

व्यास जी कहते हैं कि अब परीक्षा के मौसम के बाद परिणाम का मौसम आता है। वर्ष भर बच्चे जो मेहनत करते हैं अब उसी का फल मिलने वाला है। कुछ बच्चे सफल होते हैं तो कुछ असफल भी होते हैं। कवि कहता है कि जो बालक जितनी मेहनत करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। जो विद्यार्थी आलसी होते हैं वे असफल होते है। कवि बच्चों को सलाह देते हुए कहता है कि –

'सफलता यदि चाहते तुम भी
परिश्रम से जोड़ लो नाता
परिश्रम यदि करें कोई
पत्थरों में फूल खिल जाता।'[20]

डॉ. व्यास ने बालकों में नववर्ष जैसा नयापन और नई ऊर्जा संचरित करने के लिए नववर्ष का वर्णन कुछ कविताओं में किया है।

सबसे पहले व्यास जी नववर्ष के यनयेपन को नमन' करते हैं। वे कहते हैं कि बच्चों यह नये साल का नया सूरज उगा है जो वर्ष भर के अंधेरे को अलविदा कर रहा है। इस वर्ष वे बच्चों से कुछ कर दिखाने का संकल्प करवाना चाहते हैं। वे कहते हैं नया वह नहीं है जो पुराने से पृथक है। सदैव पुराने के साथ जुड़कर ही नये का जन्म होता है। नयापन तो केवल श्रृंखला की अगली कड़ी है। इसीलिये वे नववर्ष के प्रति श्रद्धा भाव अर्पण करते हुए कहते हैं –

'इसलिये हर नयेपन को नमन
हर पुराने को प्रणाम
हमें दोनों शक्ति दें, गति
और साहस दें सदा अविराम।'[21]

कवि कहता है कि नववर्ष भी एक विशेष अवसर है।, एक त्योहार जैसा है जिसका आनन्द बच्चे, बूढ़े, पशु–पक्षी सभी के चेहरों पर दिखाई देता है। जंगल में मुर्गे, तोते सभी नववर्ष की बधाई दे रहे हैं। लहरें, हवा, किरणें सभी बोल रहे हैं कि नया साल है। एक दूसरे को बधाइयाँ और मिठाइयाँ सभी बाँटी जाती हैं –

'मिली बधाई, बंटी मिठाई,
बच्चे बोले – यनया साल है।'
हटा कैलेण्डर फटा कैलेण्डर
टाँको ताजा – नया साल है।'[22]

मेहनत और हिम्मत पर आधारित – डॉ. व्यास ने बालकों के लिए अनेक कविताएं लिखी हैं, लेकिन उनकी कविताओं का लक्ष्य मात्र बच्चों का मनोरंजन करना नहीं अपितु उन्हें कोई ना कोई प्रेरणा देना होता है। व्यास जी ने कुछ कविताएं मेहनत, हिम्मत, श्रम और संकल्प पर आधारित लिखी हैं जो बच्चों में काम के प्रति दृढ़ निश्चय का भाव जाग्रत करती हैं।

सबसे पहले वे बच्चों को उनकी ताकत का अहसास कराने के उद्देश्य से कहते हैं कि आदमी यदि सोच ले तो हिमालय को झुका सकता है, तूफान को थाम सकता है। मनुष्य बुद्धि और विवेक की ताकत रखता है। वह चाहे तो सबके दिलों में प्रेम भर दे। मनुष्य की ताकत का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं कि –

'असंभव कुछ भी नहीं है
आदमी यदि सोच ले तो
है सभी संभव, सरल सब
आदमी यदि सोच ले तो।'[23]

मेहनत करने वाले लोगों के बारे में कवि कहता है कि ये श्रम की साकार मूर्तियां हैं जो अकाल से लड़ने चली हैं। मेहनतकश लोग काल के पाश से भी जीवन को बचा लाते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, सारा का सारा गांव आज अकाल के खिलाफ लड़ रहा है –

'रूठा हुआ आज मौसम
पर कल का बड़ा भरोसा है
इसी आस पर तो दुर्दिन ने
सुन्दर सपना पोसा है।'[24]

शिक्षाप्रद कविताएँ – डॉ. व्यास ने अपनी कविताओं के माध्यम से बच्चों और नवसाक्षरों को कई शिक्षाप्रद बातें समझाने का प्रयास किया है। लेखक कहता है कि नशा बहुत बुरी चीज होती है हमें इससे बचना चाहिए –

'यह सेहत का दुश्मन है
खुशहाली का दुश्मन है'[25]

व्यास जी कहते हैं कि आज हर व्यक्ति को बचत करनी चाहिए। आज हो सकता है कि हमारे पास बहुत कुछ हो, लेकिन कल किसने देखा है ? दुर्घटना, बीमारी, शिक्षा, शादी आदि कोई भी काम आ सकता है, जिसके लिये हमें आज से बचत करनी चाहिए। वे कहते हैं कि बचत करने और खर्च कम करने की शपथ खानी है –

'कुछ खर्चे, कम करते–करते
बड़ी रकम जुड़ सकती है
बूंद–बूंद यदि जमा करें तो
गागर भी भर सकती है।'[26]

व्यास जी सभी दुखों का मूल अशिक्षा को मानते हैं, वे कहते हैं कि –

'सभी दुखों का मूल है
तेरा ही अज्ञान
भूख, गरीबी, गन्दगी
देते कब भगवान'

X X X X

'चढ़ शिक्षा की नाव पर
कर भव सागर पार

बिना ज्ञान के है नहीं
नर तेरा उद्धार।'[27]

डॉ. भगवती लाल व्यास बाल साहित्य लेखन के क्षेत्र में मेवाड़ के प्रमुख हस्ताक्षरों में से हैं। 'सुन्दरवन की तारा' जैसी कृतियां विभिन्न बाल साहित्यिक संस्थाओं से सम्मानित हुई। उनकी रचनाएँ 'यह ठीक नहीं हुआ हजारी', 'यह देश हमारा', 'सारा संसार हमारा है', 'परिवार पोथी', 'नई सवारी', 'लड़की', 'भोर के गीत' आदि बाल काव्य संग्रह एवं लघु कविताएं प्रकाशित हो चुकी है। यभोर के गीत' उनका बाल काव्य–संग्रह है जो उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रायोजना के लिए लिखा है। उक्त काव्य संग्रह में संगृहीत कविताओं में देश के लिए, वक्त की कीमत, पहला नियम, पढ़ना लिखना, धरती सोना देती है, शादी, काम करें, नशा, बचत, किसका राज आदि कविताएं प्रेरणास्पद और उल्लेखनीय हैं।

शिक्षाप्रद बाल कविताओं के अतिरिक्त डॉ. व्यास ने अन्य मनोरंजक बाल कविताएं भी लिखी हैं यथा होली आई, मधुमक्खी, मोर, आओ हम बादल बन जाएं, पुल, सरदी–सरदी, नया साल, ओस, साँझ, चँदा मामा, गीत आदि।

पर्यावरण व प्रकृति पर आधारित – प्रकृति और पर्यावरण पर आधारित कहानियों के माध्यम से कवि ने पर्यावरण की स्वच्छता, विकास और प्रकृति का महत्तव समझाने की चेष्टा की है। इन कहानियों का विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है :–

'पुरस्कार का हक' शीर्षक कहानी में व्यास जी ने बाल मेले के आयोजन के माध्यम से जहाँ एक ओर राष्ट्र नेता नेहरू जी के प्रति बालकों में श्रद्धा भाव जगाने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी और पर्यावरण की स्वच्छता के महत्तव को भी बताया है।

चौदह नबम्बर अर्थात् बाल दिवस नेहरू जी का जन्म दिवस होता है। अध्यापक जी बालकों से इस मेले के विषय में कहते हैं –

'इस मेले में तुम लोग ही तरह–तरह की दुकानें लगाओगे। जैसे – चाट–पकौड़ी, बिस्किट, चॉकलेट, गुब्बारे, खिलौने, फल, चाय–नाश्ते की दुकानें।'[28]

मेले के दिन गिरधारी की चाट–पकौड़ी की दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ थी, लेकिन उसने झूठे दोने डालने के लिये कोई पात्र नहीं रखा था अत: चारों ओर गंदगी हो गई। लेकिन –

'आशा ने जब यह देखा तो अपने घर से एक टिन ले आई। गिरधारी ने तमाम दोने इकट्ठे किए और उस टिन में डाल दिए।'[29]

उसे देखकर सभी छात्रों ने अपनी दुकानों के सामने टिन रख दिये ताकि विद्यालय प्रांगण की स्वच्छता बनी रहे। अगले दिन प्रधानाध्यापक जी ने बाल–मेले के सफल आयोजन के लिये प्रसन्नता दर्शाते हुए पुरस्कारों की घोषण प्रारंभ की। जब सफाई के पुरस्कार के लिये गिरधारी का नाम पुकारा गया तो उसने कहा –

'सर, इस इनाम पर आशा का हक है क्योंकि दुकान के पास खाली टिन रखने का विचार उसी के मन में आया था और टिन का प्रबन्ध भी उसी ने किया था।'[30]

इस प्रकार कहानीकार ने यहाँ बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता के साथ–साथ मैत्री व प्रेम का संदेश भी दिया है।

इसी प्रकार 'भरी हंडिया' शीर्षक कहानी में लेखक ने हरियाली और पेड़ पौधों के महत्तव को बताया है। इस कहानी में एक भील हंडिया में घी भरकर उसे ताजा हरे पेड़ के पत्तो से ढ़ककर ले जा रहा होता है। इसी बीच जंगल में उसे गाँव के ठाकुर साहब मिल जाते हैं। वे उस भील को रोककर पूछते हैं कि हंडिया में क्या भरा है। जब वह कहता है कि इसमें घी भरा है तो ठाकुर साहब उसे एक पेड़ के पास ले जाते है तथा सारा घी उस पेड़ की जड़ों में डलवा देते हैं। भील को कोई बात समझ नहीं आती है, लेकिन वह चुप रहता है।

ठाकुर साहब उस भील से पूछते हैं तो वह बता नहीं पाता है कि आखिर उन्होंने सारा घी पेड़ की जड़ में क्यों डलवाया। तब वे कहते हैं –

'क्या तुम पेड़ का पत्ताा बना सकते हो ?'
'........................ नहीं हुजुरा'[31]

ठाकुर साहब उसे उस पत्तो का महत्त्व समझाते हुए कहते हैं कि – 'जिस चीज को तुम बना नहीं सकते, उसे नष्ट करने का तुम्हें क्या हक है ? घी फिर बन जाएगा इसलिए यह हंडिया ले जाओ। हाँ, फिर कभी हंडिया लेकर निकलो, तो कोई ढक्कन या कोई कपड़ा बाँध लेना।'[32]

इस प्रकार इस कहानी में लेखक ने एक पत्तो को, एक हंडिया घी से भी अधिक महत्तवपूर्ण बताते हुए बच्चों को पेड़–पौधों की रक्षा का संदेश दिया है।

'सबका बगीचा' में कहानीकार लिखता है कि यदि थोड़ी सूझबूझ से काम लिया जाए और कुछ मेहनत करें तो हम अपने आस–पास के वातावरण को स्वच्छ व सुंदर बना सकते हैं। लेखक कहता है कि देवीलाल जिस विद्यालय में पढ़ता था उस भवन के पास एक बड़ा गड्ढा था। बरसात के दिनों में इसमें पानी भर जाता था। पानी के जमा रहने से हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान होता है यह समझाते हुए लेखक कहता है –

'जब पानी गड्ढे में कई दिन भरा रहता है तो बदबू आने लगती है। बदबू से वायु दूषित होती है। काफी संख्या में मच्छर पैदा हो जाते हैं। मच्छरों से कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है।'[33]

एक दिन देवीलाल ने सोचा कि यदि विद्यालय के सब बच्चे इसमें थोड़ी–थोड़ी मिट्टी डालें तो यह गड्ढा भर जाएगा। उसकी यह बात सबको पसन्द आई। सभी छात्र व अध्यापक श्रमदान करने लगे। फिर गांव के लोग भी तगारी और फावड़े लेकर आ गये। अब देखते ही देखते ग्रामवासियों, अध्यापकों और छात्रों की मेहनत से गड्ढ़ा समतल जमीन में बदल गया था। गांव के सरपंच महोदय नूर मोहम्मद जी उस जमीन पर बगीचा लगवाने के लिए पौधे मंगवा देते हैं। सब लोगों की मेहनत किस तरह गांव का कायापलट कर देती है, यह कहते हुए लेखक लिखता है –

'देखते–देखते तरह–तरह के पौधे हवा में लहराने लगे। ऐसा लगता था जैसे वे अपने–अपने छोटे–छोटे पत्तों के हाथ हिला–हिलाकर श्रम और सूझ की जय बोल रहे हों।'[34]

यही बगीचा 'सबका बगीचा' कहलाने लगा। विद्यालय में बाल दिवस की बैठक भी इसी बगीचे में हुई। संरपंच महोदय देवीलाल की सूझबूझ तथा गांववालों व अध्यापकों के सहयोग की सराहना करते हुए कहते हैं कि –

'अगर इसी तरह हम मिल–जुलकर काम करें तो अपनी कई छोटी–छोटी समस्याएं, खुद सुलझा लेंगे तथा सबको कई सुविधाएं भी मिल जाएगी, जैसे सबकी मदद से सबको यह बगीचा मिल गया है।'[35]

'जहरीला गुलाब' और 'दोस्त अमरूद – दुश्मन अमरूद' शीर्षक कहानियों के माध्यम से व्यास जी ने बच्चों को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि किसी भी काम को करने के पीछे जैसी हमारी भावना होती है, वैसा ही परिणाम भी मिलता है।

'जहरीला गुलाब' कहानी में लेखक ने रंजन नामक बालक के बारे में कहा है कि उसे बगीचे का बहुत शौक था। उसने बहुत सारे पौधे लाकर उगाए थे। इनमें एक पौधा गुलाब का भी था। उस दिन जब उसके गुलाब में दो कलियाँ एक साथ खिलीं तो उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह चाहता था कि उसके माता-पिता भी आकर देखें लेकिन जब वे नहीं आते हैं तो रंजन भारी मन से बगीचे में आकर फूलों का निहारने लगता है। तभी उसे लगता है कि एक तितली उससे कह रही है कि –

'रंजन भैया, ये फूल देखने में बहुत सुंदर हैं किन्तु इनमें मिठास नहीं, कड़ुवाहट है। शायद इनमें रस की जगह जहर भरा है।'[36]

रंजन को तितली की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने जब इसका कारण जानना चाहा तो तितली ने कहा –

'याद करो रंजन भैया, तुम यह पौधा कहाँ से लाये थे। भला इस तरह लायी गई चीजों में भी कहीं मिठास हो सकती है।'[37]

तितली की बात सुनकर रंजन को याद आता है कि जब बहुत प्रयत्न करने पर भी उसे कहीं से गुलाब का पौधा नहीं मिला तो वह एक शाम अपने ही विद्यालय से गुलाब का पौधा चुरा लाता है। यह वही पौधा था जिस पर खिले फूल को तितली ने जहरीला फूल कहा था। ऐसा विचार आते ही रंजन बगीचे में आता है और उस गुलाब के पौधे का उखाड़ कर फेंक देता है। रंजन मन ही मन तितली से कहता है कि –

'तितली रानी, अब इस बगीचे में तुम्हें कभी जहरीला गुलाब नहीं मिलेगा।'[38]

लेखक बच्चों को समझाना चाहता है कि हमें अपने आनन्द के लिये कभी गलत कार्य नहीं करना चाहिए।

इसी प्रकार 'दोस्त अमरूद – दुश्मन अमरूद' शीर्षक कहानी में विलास और सुहास दो दोस्तों के माध्यम से लेखक ने समझाया है कि किस प्रकार हमारे अच्छे बुरे व्यवहार का प्रभाव हमारे पेड़-पौधों पर पड़ता है। उन्हें भी प्रेम और विश्वास की जरूरत होती है।

लेखक कहता है कि बरसात के मौसम में एक दिन अचानक सुहास को रास्ते में अमरूद का पौधा नजर आता है। वह सुहास से कहता है –

'मुझे यहाँ से ले चलो दोस्त ! अगर मैं यहीं रहा तो कोई जानवर मुझे चर जाएगा या फिर मैं भी घास के साथ काट लिया जाऊँगा। मैं तुम्हें मीठे-मीठे फल खिलाऊँगा। मुझे अपने साथ ले चलो।'[39]

जब विलास देखता है कि सुहास ने अमरूद का पौधा लगाया है तो वह भी उसी दीवार के पास की जमीन पर एक अमरूद का पौधा लगा देता है। बराबर देखभाल और उचित खुराक से पौधे बहुत जल्दी दीवार से भी ऊँचे निकल जाते हैं। सुहास यह देखकर खुश होता था जबकि विलास सोचता था कि सुहास का अमरूद उसके अमरूद का दुश्मन है। वह सुहास के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए कहता है-

'देखो सुहास, तुम्हारा अमरूद मेरे अमरूद को छाया देता है। जब देखो तब इससे गुत्थम-गुत्था होता रहता है। खुद तो कैसा एकदम फूलों से लदा खड़ा है और मेरे अमरूद के सारे फूल गिरा देता है।'[40]

सुहास विलास को समझाते हुए कहता है कि हम ये सारे फल बांट कर खाएँगें। लेकिन विलास तो यह सब देखकर ईर्ष्या की आग में जल रहा था। एक दिन मौका पाकर वह सुहास के अमरूद की सारी फलदार डालियां काट देता है। यह देखकर सुहास बहुत दुखी हुआ किन्तु उसने पुन: पेड़ की देखभाल शुरू कर दी। अगले साल पुन: वह पेड़ अमरूदों से लद गया। उधर विलास का अमरूद का पेड़ वैसा का वैसा ही था। उस पर एक भी फल नहीं लगता है। तब यही पेड़ विलास से कहता है कि –

'दोस्त, हम पेड़ों को भी प्यार की जरूरत होती है। तुम ईर्ष्या और नफरत घोलकर हमें पानी पिलाते हो, इससे अच्छे फल कैसे आ सकते हैं ?'[41]

नैतिकता पर आधारित – 'सोने का घर' शीर्षक कहानी के माध्यम से कहानीकार ने बालकों को लालच के नुकसान और मेहनत के फल के बारे में बताने की चेष्टा की है। यह एक गरीब किसान हीरा की कहानी है जो सिजारे में खेती करके अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी बड़ी लालची थी। वह हीरा को सदैव कोसती रहती तथा उससे गहनों की माँग किया करती थी। हीरा भी उसे समझाता कि यदि मेरे वश में हो तो तुम्हारे लिये सोने का घर बनवा दूँ।

एक दिन जब हीरा रामदीन का खेत जोत रहा था तो वहाँ से एक पीतल का घड़ा निकला। घड़े ने हीरा से कहा कि तुम्हें जो चाहिये माँग लो। तब हीरा ने सहज भाव से कहा कि मुझसे पहले आप पर उसका हक है जिसने मेहनत से आपको भरा होगा। फिर आपको शरण देने वाले खेत के मालिक का हक है। मेरा स्थान तो तीसरा है। पहले आप उन दोनों की सेवा करो।

जब घड़े ने रामी से पूछा तो उसने झट से कहा –

'मेरा सारा घर सोने का हो जाए। पर गाँव में किसी को इस बात का पता न लगे।'[42]

जब रामी और हीरा घर लौटते हैं तो उनका पूरा घर, सब सामान सोने के हो जाते हैं। लेकिन –

'घर तो सोने का हो गया पर जीवन का सारा आनंद जैसे गायब हो गया। हर तरफ एक कठोर पीलापन। बर्फ की तरह गलाने वाला या अंगारे की तरह झुलसाने वाला।'[43]

रामी घड़े से प्रार्थना करती है कि वह झोपड़ी उन्हें दे दे। रामी को लालच का फल मिल जाता है। वह बहुत दुखी होती है। रामदीन की फसल अच्छी होने से हीरा को बहुत मुनाफा मिलता है। अब वे दोनों पुन: झोपड़ी में खुश होकर रहने लगते हैं।

डॉ. व्यास ने 'बबलू बदल गया' शीर्षक कहानी के माध्यम से जीवन में अनुशासन का महत्तव बताने का प्रयास किया है। लेखक कहता है कि बबलू बहुत शैतान लड़का था। वह अपनी कोई चीज जगह पर नहीं रखता था। जब सुबह स्कूल जाने का समय होता था तो उसे कोई चीज़ जगह पर नहीं मिलती और उसे स्कूल के लिये देर हो जाती। आलोक जो बबलू के साथ ही स्कूल जाता था वह भी हमेशा देरी से जाता था। उसे बबलू की वजह से अध्यापक जी की डाँट खानी पड़ती थी। एक दिन अध्यापक जी ने बबलू को समझाते हुए कहा कि –

'बबलू, अगर तुम सारी चीजें संभालकर रखो और स्कूल के समय से पहले खुद तैयार हो जाया करो तो मम्मी को परेशान भी न होना पड़े और समय पर स्कूल भी आ जाओ।'[44]

उस दिन जब बबलू घर आया तो उसने अपना बस्ता, कपड़े, जूते-मोजे सब चीजें यथास्थान रख दी। अगले दिन बबलू समय पर तैयार हो गया, फिर नाश्ता किया। अब बबलू बदल गया था। उस दिन वे समय पर स्कूल पहुँच गए। बबलू ने आलोक से कहा-

'आज ही क्यों, अब हम रोज समय पर स्कूल पहुँचेंगे।'[45]

इस प्रकार बच्चों जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। साथ ही हमें अपना काम स्वयं करने की आदत भी डालनी चाहिए। इससे हम अपने माता-पिता के काम में हाथ बँटा सकते हैं।

'केसर' शीर्षक कहानी में कहानीकार ने शिक्षा के महत्व को उजागर किया है। वे कहते हैं कि बच्चों जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। आज हमें स्वयं तो शिक्षित होना ही है, पर यदि हो सके तो हमारे अशिक्षित प्रौढ़ों को भी साक्षर बनाना चाहिए।

केसर दो साल तक ही पढ़ पाती है और घर के कामकाज के कारण उसकी पढ़ाई छूट जाती है। फिर केसर की शादी हो गई। समय बीतता गया। केसर के एक पुत्र हुआ जिसका नाम रतन रखा गया। वह रतन को खूब पढ़ाना चाहती थी, किन्तु फिर सोचती कि बिना खुद पढ़े वह कैसे रतन को पढ़ा पाएगी ? गाँव के मास्टरजी ने दिल्ली के एक पत्राचार विद्यालय के बारे में समझाते हुए केसर को बताया कि- 'वहाँ जाना नहीं पड़ता चिट्ठी लिख दो कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। वह स्कूल जवाब में चिट्ठी भेजेगा। पाठ भी भेजेगा। इस तरह चिट्ठियों में पाठ आते रहेंगे। तुम पढ़ती जाना।'[46]

इस प्रकार केसर अपनी मेहनत और लगन से इम्तहान पास कर लेती है। सब लोग केसर की प्रशंसा करते हैं। गाँव में भी उसका सम्मान बढ़ जाता है। केसर गाँव की औरतों को समझाती है कि -'.... इस खाली समय को वे बातों में न गँवायें। कोई छोटा मोटा काम धन्धा करें। इससे घर की आमदनी भी बढ़ेगी और बेकार के झगड़े टंटे भी खतम हो जाएंगे।'[47]

इस प्रकार केसर ने गांव का वातावरण ही बदल दिया। धीरे-धीरे वह गाँव के बच्चों को भी पढ़ाने लगती है। फिर कुछ समय बाद -'केसर और जमीला का स्कूल शुरू हो गया। बच्चे आने लगे। केसर उन्हें पढ़ाती। जमीला उन्हें खेल खिलाती और कहानियां सुनाती। धीरे-धीरे काफी बच्चे आने लगे।'[48]

लेखक कहता है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अकेली केसर ने पूरे गाँव को परिवर्तित कर दिया, केवल अपनी शिक्षा के बूते पर।

समाहार - डॉ.व्यास एक प्रतिष्ठित साहित्यकार है, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए बाल-साहित्य लिखना एक कठिन उत्तरदायित्व है। वे कहते हैं कि बच्चों की दुनिया हम बड़ों की दुनिया से भिन्न होती है, जिसमें बुद्धि की जगह मन का साम्राज्य होता है। यही वजह है कि बच्चों की सदैव वे रचनाएँ अधिक पसन्द होती है जिनमें बुद्धि चातुर्य का प्रदर्शन कम और मनोरंजक व रोचक पक्ष अधिक हो। प्रकृति की तरह निश्चल और स्वाभाविक प्रवाहमय विषय उन्हें प्रिय होते है। व्यास जी ने बाल साहित्य लिखते समय बालकों के इस स्वभाव का पूरा ख्याल रखा है। उन्होनें सरल और सहज भाषा में बाल मन को भाने वाले रोचक प्रसंगों पर साहित्य रचकर इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनका मानना है कि बाल साहित्य के माध्यम से एक लेखक अपना एक सामाजिक कर्त्तव्य भी पूरा करता है अर्थात् यह साहित्य केवल बालकों के मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता वरन् इसकी सार्थकता तभी है जब उससे बालकों को शिक्षा और प्रेरणा मिले। इस दृष्टि से व्यास जी की बाल कविताएं और बाल कहानियां मनोरंजक होने के साथ-साथ प्रेरणास्पद भी हैं और इसके माध्यम से बालकों को अपने कर्त्तव्यों का बोध भी हो पाएगा।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि व्यास जी का बाल साहित्य उच्च कोटि का है। उनका यह सृजन निश्चय ही बालकों का मार्ग प्रशस्त करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. भगवती लाल व्यास, वक्तव्य से, पृ. 1
2. डॉ. भगवती लाल व्यास, वक्तव्य से, पृ. 2
3. डॉ. भगवती लाल व्यास, वक्तव्य से, पृ. 2
4. डॉ. भगवती लाल व्यास, यह देश हमारा, पृ. 5
5. डॉ. भगवती लाल व्यास, माटी की महक, पृ. 3
6. डॉ. भगवती लाल व्यास, भोर के गीत, पृ. 9
7. डॉ. भगवती लाल व्यास, माटी की महक, पृ. 31
8. डॉ. भगवती लाल व्यास, माटी की महक, पृ. 23
9. डॉ. भगवती लाल व्यास, माटी की महक, पृ. 40
10. डॉ. भगवती लाल व्यास, मौसम के गीत, पृ. 29
11. डॉ. भगवती लाल व्यास, यह देश हमारा, पृ. 7
12. डॉ. भगवती लाल व्यास, मौसम के गीत, पृ. 26
13. डॉ. भगवती लाल व्यास, यह देश हमारा, पृ. 10
14. डॉ. भगवती लाल व्यास, मौसम के गीत, पृ. 5
15. डॉ. भगवती लाल व्यास, मौसम के गीत, पृ. 7
16. डॉ. भगवती लाल व्यास, मौसम के गीत, पृ. 3
17. डॉ. भगवती लाल व्यास, यह देश हमारा, पृ. 22
18. डॉ. भगवती लाल व्यास, मौसम के गीत, पृ. 23
19. डॉ. भगवती लाल व्यास, मौसम के गीत, पृ. 10
20. डॉ. भगवती लाल व्यास, मौसम के गीत, पृ. 12
21. डॉ. भगवती लाल व्यास, माटी की महक, पृ. 31
22. डॉ. भगवती लाल व्यास, यह देश हमारा, पृ. 24
23. डॉ. भगवती लाल व्यास, माटी की महक, पृ. 9
24. डॉ. भगवती लाल व्यास, भोर के गीत, पृ. 39
25. डॉ. भगवती लाल व्यास, भोर के गीत, पृ. 22
26. डॉ. भगवती लाल व्यास, भोर के गीत, पृ. 23
27. डॉ. भगवती लाल व्यास, भोर के गीत, पृ. 43
28. डॉ. भगवती लाल व्यास, पर्यावरण की कहानी, पृ. 6
29. डॉ. भगवती लाल व्यास, पर्यावरण की कहानी, पृ. 8
30. डॉ. भगवती लाल व्यास, पर्यावरण की कहानी, पृ. 10
31. डॉ. भगवती लाल व्यास, पर्यावरण की कहानी, पृ. 12
32. डॉ. भगवती लाल व्यास, पर्यावरण की कहानी, पृ. 12
33. डॉ. भगवती लाल व्यास, पर्यावरण की कहानी, पृ. 21
34. डॉ. भगवती लाल व्यास, पर्यावरण की कहानी, पृ. 23
35. डॉ. भगवती लाल व्यास, पर्यावरण की कहानी, पृ. 24
36. डॉ. भगवती लाल व्यास, जब-जब खिले गुलाब, पृ. 4
37. डॉ. भगवती लाल व्यास, जब-जब खिले गुलाब, पृ. 4
38. डॉ. भगवती लाल व्यास, जब-जब खिले गुलाब, पृ. 6
39. डॉ. भगवती लाल व्यास, जब-जब खिले गुलाब, पृ. 16
40. डॉ. भगवती लाल व्यास, जब-जब खिले गुलाब, पृ. 17
41. डॉ. भगवती लाल व्यास, जब-जब खिले गुलाब, पृ. 20
42. डॉ. भगवती लाल व्यास, सुंदरवन की तारा, पृ. 26
43. डॉ. भगवती लाल व्यास, सुंदरवन की तारा, पृ. 26
44. डॉ. भगवती लाल व्यास, बबलू बदल गया, पृ. 17
45. डॉ. भगवती लाल व्यास, बबलू बदल गया, पृ. 18
46. डॉ. भगवती लाल व्यास, सपना साकार हुआ, पृ. 15
47. डॉ. भगवती लाल व्यास, सपना साकार हुआ, पृ. 17
48. डॉ. भगवती लाल व्यास, सपना साकार हुआ, पृ. 18

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

नई शिक्षा नीति 2020-महत्व एवं सुधार की आवश्यकता (उच्च शिक्षा के संदर्भ में)

डॉ. शिवाली शाक्या*

* सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य) शा. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा न केवल नए-नए शोधों और उनके नतीजों का लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने का एकमात्र तरीका है बल्कि यह हमारे साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी वातावरण को बेहतर, सुरक्षित और स्वस्थ बनाने में लोगों की सक्रिय भागीदारी और योगदान करने में सक्षम बनाती है। भारत देश में नवीन शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत देश के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनूठा कदम है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से देश एवं विदेश में रोजगार को बढ़ाने पर महत्व दिया गया है। इस शिक्षी नीति मे डिजीटल शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी कई प्रकार के कोर्सेस को एक साथ कर सकते हैं एवं अपने लिए रोजगार को स्वयं स्थापित कर सकते है। नवीन शिक्षा नीति विद्यार्थियों मे सृजनात्मकता को विकसित करती है। विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था प्रदान की गई है जिससे कि वे अपने कार्य के साथ-साथ शिक्षा भी ग्रहण कर सकते है।विदेशों मे अपने लिए रोजगार को भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आवश्यकता है उन्हें उचित प्रकार का प्रशिक्षण मिलने की, उनके लिए एवं उनकी योग्यता के अनुसार सही विषय को चुनने की, इसके लिए उन्हें सही प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। साथ ही डिजिटल शिक्षा का उपयोग करने संबंधित ट्रेनिंग भी दी जाना चाहिए और डिजिटल शिक्षा को सस्ता किया जाना चाहिए ताकि इसकी पहुँच सभी विद्यार्थी तक हो सके तभी नवीन शिक्षा नीति अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती है।

प्रस्तावना – प्रत्येक देश के विकास में वहाँ के नागरिकों की शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस देश में शिक्षा का स्तर जितना अधिक मजबूत होगा, वह देश उतनी ही ज्यादा प्रगति की दिशा की ओर अग्रसर होगा। भारत आज भी विकासशील देश बना हुआ है जिसका एक सबसे बड़ा कारण शिक्षा नीति पर ध्यान ना देना है। हमारे देश में अंतिम शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और उसमें कई बार संशोधन करने के बावजूद भी वह कमियों से भरी हुई थी। वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति की एक नई शुरूआत की गई जो कि पुरानी शिक्षा नीति से बेहतर और असरदार नजर जाती है। उन्होंने नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को अपनी भाषा में पढ़ने की स्वतंत्रता के साथ कला, खेल-कूद, योग, बागवानी एवं शारिरिक गतिविधियों एवं डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों में कौशल ,ज्ञान, आत्म विश्वास, बुद्धि एवं नैतिकता का विकास करना है एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य, छात्रों का इस प्रकार विकास करना है जिससे कि वे उत्कृष्ट, विचारशील और अच्छी रचनात्मकता की ओर प्रेरित हो सके। विदेशों में जाकर अच्छी नौकरियाँ प्राप्त कर सके या अपने ही देश में अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकें। इस हेतु उनके पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य ,प्रषिक्षुता एवं सामाजिक जुड़ाव आदि को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही उन्हें डिजीटल शिक्षा से भी पढ़ाना जाना अनिवार्य किया है। जिसके कारण सभी विद्यार्थी शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं एवं समय के अनुसार शिक्षा का लाभ लेने का प्रयत्न करते हैं। नई शिक्षा नीति समाज एवं उच्च शिक्षा के लिए एक अच्छी पहल है। नई शिक्षा नीति को समाज और अर्थव्यवस्था में ज्ञान की मांग के अनुरूप तैयार किया गया है जिसमें नियमित आधार पर नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में सुधारों की मांग करती है जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करती है जिससे वे नए डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा पर सके। इस प्रकार नई शिक्षा नीति डिजिटल साक्षरता, तार्किक तर्क, स्वरोजगार, समस्या समाधान एवं व्यावसायिक पथ प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव डालती है।

अध्ययन का उद्देश्य – इस शोध पत्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नवीन शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करना है एवं उच्च शिक्षा में उसके महत्व एवं प्रयोग तथा सुधारों की आवष्यकता पर प्रकाश डालना है। शोध के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है-

1. नई शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाश डालना।
2. नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं का अध्ययन करना।
3. नई शिक्षा नीति 2020 का उच्च शिक्षा में प्रयोग एवं महत्व का अध्ययन करना।
4. नई शिक्षा नीति में सुधारों की आवश्यकता का अध्ययन करना।

अनुसंधान की विधि – यह अध्ययन पूर्णतया प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है। प्राथमिक समंक हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है एवं द्वितीयक समंकों हेतु प्रकाशित स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही आलोचनात्मक, मूल्यांकनात्मक, वर्णनात्मक आदि विधियों का उपयोग इस शोध में किया गया है। द्वितीयक समंकों को प्रकाशित शोध पत्र, पुस्तकें, शोध प्रबंध एवं पत्र एवं नई शिक्षा नीति के संबंध में प्रकाशित पत्र, पत्रिकाओं से लिया गया है।

अध्ययन का महत्व – वास्तविक तथ्यों पर आधारित इस शोध से प्राप्त निष्कर्ष विद्यार्थियों, समाज एवं उच्च शिक्षा से संबंधित सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण रूप से काम आएंगे। वर्तमान में किया गया यह शोध नई शिक्षा नीति 2020 के नियम एवं शर्तों के अनुसार उच्च शिक्षा के सुधारों को समझने में मदद करेगा। यह शोध शिक्षकों एवं छात्रों को नवीन शिक्षा नीति को समझने एवं उसे कार्यरूप में परिणित करने में मदद करेगा एवं समाज को जागरुक करने का प्रयास करेगा। शोधकर्ता द्वारा इस शोध के माध्यम से अध्ययन के सभी पहलुओं को समझाने का प्रयास किया गया है।

नवीन शिक्षा नीति 2020 का उच्च–शिक्षा में महत्व – नवीन शिक्षा नीति स्वरोजगार एवं कौशल विकास को अधिक बढ़ावा देती है। इसके अंतर्गत कई प्रकार के ऑनलाईन कोर्सेस की व्यवस्था की गई है। इस शिक्षा नीति में अधिक लचीलापन है अर्थात् विद्यार्थी अपने मुख्य विषय के साथ–साथ अन्य वैकल्पिक विषय या रोजगार प्रेरक विषयों को भी ले सकता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए फील्ड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप को अनिवार्य रूप से उनके कोर्स के साथ शामिल किया गया हैं जिससे कि उन्हें प्रेक्टिकल नॉलेज प्राप्त हो सके। विषय को कॉम्बिनेशन के साथ मल्डी डिसिप्लिनरी बनाया गया है अर्थात मैथ्य–साइंस, मैथ्स–बायो, कॉमर्स–आर्ट्स कई विषयों के कॉमिनेशन लिए जा सकेंगे। यदि कोई विद्यार्थी अपनी शिक्षा को एक साथ पूरा करने में असमर्थ है तो वह सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स का लाभ ले सकेगा।

नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किये जाते हैं जिससे वे भी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने विद्यार्थी को विषय से संबंधित प्रशिक्षण देते हैं। विद्यार्थियों के लिए रिसर्च प्रोगाम भी उनके द्वारा लिए गए 4 वर्षीय कोर्सेस में शामिल किए गए हैं जो विद्यार्थी को रिसर्च करने में प्रोत्साहित करेंगे जिससे कि वे रिसर्च में अपना योगदान देंगे जिसके लाभ समाज व देश को प्राप्त होगे एवं विद्यार्थी भी अपने देश व विदेश में अच्छे रोजगार को प्राप्त कर सकेंगे।

नवीन शिक्षा नीति 2020 में सुधार की आवश्यकता– वैसे तो नवीन शिक्षा नीति 2020 सरकार के द्वारा बहुत सोच–समझकर बनाई गई हैं परंतु फिर भी इस शिक्षा नीति में काफी सुधार की आवश्यकता है। यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी महत्व देती है। इस नीति का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा का विस्तार तो हुआ है परंतु इसका उपयोग वित्तीय साधनों की कमी होने के कारण प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा नहीं किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्र या गाँव में आज भी डिजीटल स्त्रोत न होने के कारण वहां के विद्यार्थी आज भी वैसे की वैसे ही है। इसके साथ ही ई–लर्निंग, वर्चुअल क्लास रूम, swayam portel, massive open online Course, E- Text book, mooc free online Course आदि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। परंतु कुछ कोर्स ऐसे है जो विद्यार्थी आसानी से समझ नहीं पाता और न ही उसमे अपना रजिस्ट्रेशन करा पाता है इस हेतु सरकार के द्वारा इसके लिए ऐसे प्लेटफार्म तैयार करना चाहिए या प्रशिक्षण संस्थानों को बनाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी उन कोर्सेस का प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्हें कर सकें। इसके साथ ही इंटरनेट सर्विस का विस्तार होना चाहिए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोग कर सके।

शोध–साहित्य की समीक्षा– वी. डी. डी. एस. आई. पवन कुमार एवं डॉ कोमल नागरांनी ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं की ओर ध्यान अंकित किया एवं उसकी विशेषताएँ एवं कमियां बताई उन्होंने शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, शिक्षा एवं तकनीकी पाठ्यचर्या आदि के बारे में यह बताया कि इन सभी पर यदि अच्छे ढंग से कार्य किया जाए तो भारतीय शिक्षा का महत्व अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी बढ़ जाएगा एवं सभी को रोजगार उपलब्ध होंगे।

विरेन्द्र सिंह, कुकन देवी ने भी अपनी शोध पत्र में नई शिक्षा के द्वारा भारतीय शिक्षा को ऊंचाईयों पर ले जाने की बात कही। उनके द्वारा छात्रों के समग्र विकास के लिए सही शिक्षा नीति को अपनाने के बात की गई। उन्होंने साइबर सुरक्षा में शिक्षा और कौशल, उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार आदि पर जोर दिया। उनके अनुसार नवीन शिक्षा की नीति का उद्देश्य सरकारी और निजी क्षेत्र से उच्च अनुसंधान एवं विकास के निवेश को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त नवीन शिक्षा नीति से संबंधित कई शोध पत्रों का अध्ययन करने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि नवीन शिक्षा नीति भारत के लिए विकास के लिए एक अच्छी शुरुआत है। इसके माध्यम से देश के नागरिकों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है परंतु कई जगह पर इसको समझना मुश्किल हो जाता है साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होने से इसका आर्थिक भार भी अधिक हो रहा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों मे नवीन शिक्षा नीति का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर आर्थिक संसाधनों या पूर्ण रूप से इंटरनेट माध्यमों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। साथ ही नवीन शिक्षा नीति से संबंधित सभी बिंदुओं को या उसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया जाना चाहिए जिससे कि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से छात्र बहुत सारे कोर्सेस को एक साथ कर सकता है पर उसे पर्याप्त मार्गदर्शन की जरूरत है अत: इसके लिए पहले शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वे स्वयं प्रशिक्षित होकर अपने विद्यार्थियों को उनके भविष्य से संबंधित सही विकल्प चुनने हेतु ज्ञान दे सकें या प्रोत्साहित कर सकें, तभी देश में शिक्षा का पूर्ण विकास हो सकेगा एवं देश में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी।

निष्कर्ष– अंत में निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा में, नवीन शिक्षा नीति का अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। नवीन शिक्षा नीति 2020, विद्यार्थियों को संबंधित कक्षा का सिलेबस याद करके अच्छे अंक प्राप्त करने से काफी अधिक ऊपर है। इसमें विद्यार्थी अपने कौशल का प्रयोग कर रचनात्मकता को जन्म देता है विद्यार्थी स्वयं रिसर्च के लिए अभिप्रेरित होता है और शिक्षा के साथ–साथ प्रेक्टिकल अनुभव होने के कारण स्वयं के लिए रोजगार के अवसरों की तलाश करता है। नवीन शिक्षा नीति का वास्तविक अर्थ ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्राप्त करना और निरन्तर प्रगति करना है। लेकिन इस नीति के कुछ लक्ष्यों में स्पष्टता का अभाव एवं समाज तक पूर्ण रूप पहुँच न होने के कारण इस नीति में सुधार की आवश्यकता है विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन मिलने पर ही वे स्वयं एवं देश के विकास ओर अग्रसर होंगे। तभी नवीन शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित होगी एवं देश मे पूर्ण स्वरोजगार या रोजगार को स्थापित करेगी जिससे की छात्र व देश का कल्याण होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. भारत की नई शिक्षा नीति 2020– डॉ. हेमलता वर्मा, डॉ. आदर्श कुमार

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

2. उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि–विरेन्द्र सिंह, कुकन देवी
3. Kumar,k (2005) Quality of Education at the begininng of the 21st Century- Lesson from India.
4. www.yojna.gov.in
5. www.nationaleducationpolicy2020.com
6. https://www.education.gov.in
7. https://leverageedu.com
8. https://m.economictimes.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

महिला सशक्तिकरण में राजनीतिक सहभागिता की भूमिका (विकास खण्ड माछरा, मेरठ का एक अध्ययन)

कु. मोहिनी*

* शोधार्थिनी (समाजशास्त्र) एन. ए. एस. कॉलेज, मेरठ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – सशक्तिकरण की प्रक्रिया महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति प्रदान करती है। शक्ति का आभास व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता को उत्पन्न करता है। राजनीतिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की राजनीति में सहभागिता को बढ़ाना आवश्यक है। महिलाओं की न्यून राजनीतिक सहभागिता विभिन्न अध्ययनों का विषय रही है क्योंकि राजनीति निर्णय निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जहाँ कि राजनेताओं द्वारा लिए निर्णय समाज को प्रभावित करते है। राजनीति में शक्ति निहित है, जो कि अन्य सामाजिक संस्थाओं पर विधि के द्वारा अपने निर्णयों को लागू करती है। राजनीतिक पद पर आसीन व्यक्ति के पास सत्ता केन्द्रित होती है, जो कि उसे समाज के लिए वैधानिक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। विश्व स्तर पर यदि देखें तो महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बहुत कम है। विश्व की आबादी का आधा भाग है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रीय संसद में उनकी सहभागिता पचास प्रतिशत भी नहीं है। वर्तमान में सभी सरकारों व संस्थाओं द्वारा इस बात पर बल दिया जाने लगा है कि महिला व पुरुष का राजनीति में प्रतिनिधित्व समान अनुपात में होना चाहिए।

शब्द कुंजी – सशक्तिकरण, राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक सहभागिता।

प्रस्तावना – सशक्तिकरण जो कि एक बहुआयामी अवधारणा है। जिसका सम्बन्ध व्यक्ति की सामाजिक उपलब्धियों, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता से जुड़ा होता है। सशक्तिकरण एक सतत् प्रक्रिया है जिसका सम्बन्धा निर्णय लेने की क्षमता लोकतान्त्रिक माध्यम से दूसरों की धारणाओं को बदलने की क्षमता, परिवर्तन के सम्बन्ध में सकारात्मक सोच आदि से है। बाटलीवाला (1994) के अनुसार, सशक्तिकरण का अर्थ संसाधनों (भौतिक तथा बौद्धिक) तथा विचारधारा पर नियंत्रण से है। यह मौजूदा शक्ति सम्बन्धों को चुनौती देने की और शक्ति के स्त्रोत पर अधिक नियंत्रण पाने की प्रक्रिया है अर्थात् सशक्तिकरण का तात्पर्य शक्ति की वृद्धि से है। सुषमा सहाय (1998) के अनुसार सामान्य रूप से सशक्तिकरण का अर्थ शक्ति के पुनर्वितरण से है, जो कि पुरूष प्रभुत्ता और पित्रसत्तात्मक विचारधारा को चुनौती देता है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शक्ति निहित है अर्थात् समाज में परंपरागत रूप से चली आ रही अन्यायपूर्ण स्थितियों का तर्क की दृष्टि से विरोध करने व निर्णय लेने की क्षमता या सामर्थ्य है। महिला सशक्तिकरण संसाधनों पर नियंत्रण अथवा शक्ति हासिल करने और महिलाओं द्वारा निर्णय लेने की क्षमताओं पर बल देती है। महिला सशक्तिकरण की पहल सर्वप्रथम 1985 में नैरोबी में सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गयी थी। इसके बाद विश्व के सभी भागों में इसने एक आन्दोलन का रूप ले लिया। महिला सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना है। जबकि विशिष्ट अर्थ में समाज की शक्ति संरचना में महिला के पद स्थिति को सुद्धारण प्रदान करना है। अर्थात् महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं में वैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है।

1995 में बीजिंग में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी इस बात पर बल दिया गया कि समाज में विकास, शांति व समानता के लिए आवश्यक है कि महिलाऐं सशक्त हो तथा समानता के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता हो। अत: सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें महिलाऐं विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागी होती है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा संविधान में 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज तथा नगर निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जा सके। अत: सशक्तिकरण एक सतत् प्रक्रिया है जो समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समानता तथा स्वायत्ता रूप से निर्णय लने की प्रक्रिया में सक्षम बनाती है। महिला सशक्तिकरण को मापने के लिए विभिन्न अध्ययनों में शिक्षा, संसाधनों पर नियंत्रण और उनकी सुलभता, आत्मनिर्भरता, सम्मान, अधिकारों के लिए संघर्ष, शक्ति, स्वतंत्रता, स्वायत्तता, निर्णय लेने की क्षमता के सन्दर्भ में महिला की शक्ति आदि सूचकों का प्रयोग किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 1995 में मानव विकास के दो सूचकांक : लिंग आधारित विकास सूचकांक तथा लिंग आधारित सशक्तिकरण सूचकांक है। जी. डी. आई. में महिला तथा पुरुष में आधारभूत आवश्यकताओं के आधार पर असमानता को आँका जाता है। जीईएम एक ऐसा सूचक है जिसके द्वारा महिला की राजनीतिक सहभागिता आर्थिक सहभागिता तथा आर्थिक संसाधानों पर नियंत्रण को मापा जाता है। भारत की 2020 की रिपोर्ट में विश्व में मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.645 है जो कि विश्व के देशों की अपेक्षा कम है।

सशक्तिकरण की प्रक्रिया महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति प्रदान करती है। शक्ति का आभास व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता को उत्पन्न करता

है। इस अध्ययन में उत्तरदात्रियों द्वारा क्षेत्र विशेष की समस्या को निगम की बैठक में उठाना, राजनीतिक बैठक का नेतृत्व करना, स्वयं के दल की किसी इकाई की अध्यक्ष, महिला का चयन राजनीतिक दल द्वारा राष्ट्रीय स्तर की बैठक में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु तथा महिलाओं के संस्था में किसी कमेटी की अध्यक्ष, क्षेत्र का नेतृत्व कर कॉलोनी की समस्या को सांसद / विधायक के समक्ष उठाना, संस्था में किसी सेमिनार का आयोजन आदि के आधार पर नेतृत्व विशेषताओं का अध्ययन किया गया है।

किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक जागरूकता से तात्पर्य राजनीतिक परिदृश्य के बारे में ज्ञान से है। यह राजनीतिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के साथ राजनीतिक व्यवस्था के प्रति समझ को प्रदर्शित करता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था व मूल्यों के प्रति चेतना विकसित करते है, उनमें रूचि लेते है तथा इसके फलस्वरूप व्यक्ति देश में हो रही विभिन्न राजनीतिक घटनाओं तथा परिवर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। राजनीतिक जागरूकता का स्तर उच्च होना लोकतंत्र के सफल संचालन में दूरगामी परिणामों का द्योतक है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के फलस्वरूप स्त्री– पुरूष समानता के प्रावधान है। महिला पुरुष समानता के सिद्धान्त को कानूनी मान्यता के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में महिला भागीदारी कम है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महिलाओं की क्रियाशीलता सार्वजनिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में कम थी। भारत में महिलाओं को मताधिकार के पश्चात् महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा भारत में राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ही महिलाएँ सक्रिय हुई। महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में रूचि एवं सहभागिता बढ़ाने में भारतीय महिला संघ, भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद् तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन संघों की ऐतिहासिक शुरूआत ने महिला मुद्दों को व्यापक राष्ट्रवादी स्वरूप प्रदान किया।

विश्व के अधिकांश देशों में राजनीति में महिलाओं की सहभागिता कम ही है। महिलाएं विश्व की आबादी का आधा भाग है लेकिन विश्व के विभिन्न देशों की संसद में महिला प्रतिनिधित्व मात्र 20.87 प्रतिशत है। विश्व के सभी देशों में महिलाओं को वैधानिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन राजनीति में भी लैंगिक असमानता व्याप्त है। विश्व स्तर पर राजनति में महिला सहभागिता बहुत कम है। विश्व में विकसित देशों में महिला सहभागिता कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्र प्रमुख पद पर एकमात्र पहली बार कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन पायी है, जबकि श्रीलंका, फिलीपीन्स, इंडोनेशिया तथा भारत में महिलाएं राष्ट्र प्रमुख के पद पर आसीन रही है।

राजनीतिक क्षेत्र में महिला सहभागिता अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम है। महिलाओं की शिक्षा तथा परम्परागत पुरूष प्रधान रोजगार क्षेत्रों में संख्या बढ़ी है लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अभी महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त है। पुरुष प्रधान राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम है तथा वे इस क्षेत्र में अभी बूँद मात्र है।

राजनीतिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की राजनीति में सहभागिता को बढ़ाना आवश्यक है। महिलाओं की न्यून राजनीतिक सहभागिता विभिन्न अध्ययनों का विषय रही है क्योंकि राजनीति निर्णय निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जहाँ कि राजनेताओं द्वारा लिए गए निर्णय समाज को प्रभावित करते है। राजनीति में शक्ति निहित है, जो कि अन्य सामाजिक संस्थाओं (परिवार, शिक्षा आदि) पर विधि के द्वारा अपने निर्णयों को लागू करती है। राजनीतिक पद पर आसीन व्यक्ति के पास सत्ता केन्द्रित होती है, जो कि उसे समाज के लिए वैधानिक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। विश्व स्तर पर यदि देखें तो महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बहुत कम है। विश्व की आबादी का आधा भाग है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रीय संसद में उनकी सहभागिता पचास प्रतिशत भी नहीं है। इस तथ्य को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी विभिन्न सम्मेलनों में उठाया गया है तथा इस बात पर बल दिया गया कि महिला व पुरुष का राजनीति में प्रतिनिधित्व समान अनुपात में होना चाहिए। व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता की प्रेरणा क्या है? किसी देश में राजनीतिक प्रवेश की प्रथम सीढ़ी केवल राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त करना ही नहीं है वरन् महिलाओं के राजनीति में प्रवेश के लिए प्राथमिक स्तर पर महिला में राजनीतिक महत्वकांक्षा का होना जरूरी है। द्वितीय, राजनीतिक दल द्वारा समर्थन प्राप्त करना, तृतीय, प्रतिनिधि के रूप में जनमत का समर्थन तथा चतुर्थ स्तर पर महिलाएं राष्ट्रीय व स्थानीय विधायिकाओं में प्रवेश करती है। नोरिस ने महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता का मॉडल दिया है जिसे माटलैन्ड द्वारा परिष्कृत किया गया है। माटलैण्ड के अनुसार महिलाओं में राजनीति में प्रवेश के लिए राजनीतिक महत्वकांक्षा, संसाधन होने जरूरी है तथा राजनीतिक दल द्वारा चुनावों में उम्मीदवार के रूप में समर्थन प्राप्त होना चाहिए तथा अंतिम चरण के रूप में मतदाता द्वारा मत देकर विधायक के रूप में चुना जाना चाहिए।

साहित्य–समीक्षा

उमेश प्रताप सिंह एवं राजेश कुमार गर्ग ने (2012) 'महिला सशक्तिकरण विभिन्न आयाम' में महिला सशक्तिकरण के ऊपर प्रकाश डाला है। महिला सशक्तिकरण की वर्तमान में प्रासंगिकता को बताते हुऐ आज के युग में महिला किस प्रकार सशक्त हो रही है का विवेचन किया है तथा उसे बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार महिला अपने अस्तित्व की पहचान कर रही है।

रोहित मिश्रा ने (2011) 'समाज कार्य एवं महिला सशक्तिकरण' में महिला सशक्तिकरण के ऊपर प्रकाश डाला है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता है परन्तु वे समाज में है पाए जाने वाले उपलब्धा संसाधनों के आधो पर अधिकार रखते हुऐ भी उसका लाभ नहीं उठा पाती है। यद्यपि सरकारी स्तर पर महिलाओं के लिए अनेक विधिक प्रावधान है परन्तु उनकी पहुँच उन तक नहीं हो पा रही है। प्रस्तुत पुस्तक में वैश्विक स्तर पर महिला अधिकारी की स्थिति का वर्णन करते हुऐ महिलाओं की भूमिका और महिला सशक्तिकरण का वर्णन किया हैं।

डॉ. संगीता विजय (2011) ने अपनी पुस्तक 'महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एक तुलनात्मक अध्ययन', में लेखिका ने महिला राजनीतिक सहभागिता के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य का विवेचन किया है। भारत संघ के राजस्थान राज्य के विकसित एवं पिछड़े जिलों की महिलाओं की मतदाता एवं प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक जागरूकता अभिमुखीकरण, राजनीति के प्रति में अनुक्रियाएँ, अभिमत एवं राजनीतिक सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है।

निशांत सिंह ने (2008), 'महिला राजनीति और आरक्षण' में महिला

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

आरक्षण बिल तथा राजनीति में महिला आरक्षण का उल्लेख किया है। भारत में राजनीति का आधार पंचायती राज व्यवस्था है। राजनीति में भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी को किसी भी वर्ग में विकास का पैमाना माना जाता है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि महिलाएँ विकास के मामले में अभी काफी पीछे है। महिलाओं को विकास में हिस्सेदारी देने के लिए जरूरी है कि राजनीति में उनकी भागीदारी हो। इस सबके लिए ना केवल पंचायती राज स्तर पर वरन् विधायिका एवं संसद में भी महिला आरक्षण आवश्यक है।

शोध-शीर्षक -'महिला सशक्तिकरण में राजनीतिक सहभागिता की भूमिका'

शोध के उद्देश्य:

1. क्या महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से महिलाएं सशक्त होती है।
2. क्या महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से परिवार में उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई है।
3. क्या महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।
4. क्या राजनीतिक सहभागिता से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है ।
5. क्या महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से लैंगिक असमानता मे कमी हुई है।
6. क्या स्थानीय चुनावों में महिला आरक्षण के द्वारा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिला है।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक शोध विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध की जनसंख्या व प्रतिदर्श - प्रस्तुत शोध पत्र हेतु मेरठ जनपद के विकास खण्ड माछरा का चयन शोध पत्र में किया गया है। प्रस्तुत शोध हेतु न्यादर्श के लिए यादृच्छिक प्रतिदर्शन विधि द्वारा 200 महिलाओं का चयन प्रतिदर्श के रूप में किया गया है।

शोध उपकरण प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत सांख्यिकीय विधि आँकड़ों की व्याख्या हेतु सांख्यिकीय विधि के अन्तर्गत प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया है। प्रदत्तों का विश्लेषण, परिणाम एवं व्याख्या प्रदत्तों का संकलन करने के पश्चात् प्राप्त प्रदत्तों की परिकल्पना के अनुसार विश्लेषण एवं व्याख्या उत्तरदात्रियो की आयु, जाति, शैक्षिक स्तर, वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है-

कुल उत्तरदाताओं का आयु के आधार पर 18-25 वर्ष आयु की 17 प्रतिशत, 26-35 वर्ष की 55.5 प्रतिशत एवं 36 से अधिक आयु की 27.5 प्रतिशत महिला थी। उत्तरदाताओं की जाति संरचना का वर्गीकरण करने पर ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 39 प्रतिशत सामान्य वर्ग से, 32.5 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से एवं 28.5 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जजाति से संबंधित है। वैवाहिक स्थिति के अनुसार 77.5 प्रतिशत महिलाएँ विवाहित व 22.5 प्रतिशत महिलाएँ अविवाहित है तथा शैक्षिक स्तर के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 75 प्रतिशत शिक्षित व 25 प्रतिशत अशिक्षित है।

1. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से क्या महिला सशक्त होती है ?

तालिका-1

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	145	72.5
2	नहीं	55	27.5
	कुल योग	200	100

जब उत्तरदात्रियो से पूछा गया कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से क्या महिला सशक्त होती है? तो लगभग तीन-चौथाई उत्तरदात्रियो ने माना कि राजनीतिक भागीदारी से महिलाएँ आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनती है।

स्वस्थ प्रजातांत्रिक समाज के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है राजनीति में महिलाओं के प्रवेश के लिए आवश्यक है कि उन्हें इस क्षेत्र में पुरूषों के समकक्ष अवसर दिये जाये ताकि वे महिला अधिकारी की सुरक्षा के साथ-साथ देश और समाज के विकास में भी अपना योगदान दे सकें।

2. क्या महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से परिवार में उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई है?

तालिका-2

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	167	83.5
2	नहीं	33	16.5
	कुल योग	200	100

पारिवारिक संस्था के कारण महिलाओं की राजनीति में भागीदारी प्रभावित होती है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से परिवार में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है।

प्रस्तुत तालिका संख्या 2 से स्पष्ट है कि 83.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना है कि राजनीतिक भागीदारी से परिवार में उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई है परन्तु 16.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना है कि राजनीतिक भागीदारी से परिवार में उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

3. क्या महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है?

तालिका-3

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	181	90.5
2	नहीं	19	9.5
	कुल योग	200	100

महिलाओं की सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा राष्ट्रीय चरित्र को प्रभावित करती है यदि स्त्रियाँ पिछड़ी हुई है तो घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व सभी पिछड़ जायेगें।

तालिका संख्या 3 से स्पष्ट हैं कि 90.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना हैं कि राजनीतिक भागीदारी से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ हैं। 9.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से महिलाओ की सामाजिक स्थिति में कोई सुधार नही हुआ हैं। निष्कर्षत: कहा जा सकता हैं कि राजनीतिक भागीदारी से समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत हो रही हैं।

4. क्या राजनीतिक सहभागिता से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है?

तालिका-4

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	145	72.5
2	नहीं	55	27.5
	कुल योग	200	100

प्रस्तुत तालिका संख्या 4 से स्पष्ट है कि लगभग 72.5 उत्तरदात्रियों का कहना हैं कि राजनीतिक भागीदारी से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा हैं। आर्थिक विकास के लिए महिलाओं का योगदान सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं।

5. क्या महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से लैंगिक असमानता मे कमी हुई है?

तालिका-5

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	151	75.5
2	नहीं	49	24.5
	कुल योग	200	100

जब उत्तरदात्रियों से पूछा गया कि क्या महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से लैंगिक असमानता मे कमी हुई है? तो कुल तीन-चौथाई ने माना कि राजनीतिक सहभागिता से महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव कम हुआ है और वे विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधो से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है।

6. क्या स्थानीय चुनावों में महिला आरक्षण के द्वारा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिला है?

तालिका-6

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	181	90.5
2	नहीं	19	9.5
	कुल योग	200	100

जब उत्तरदात्रियों से पूछा गया कि स्थानीय चुनावों में महिला आरक्षण के द्वारा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिला है, तो 90.5 प्रतिशत ने हाँ कहा और मात्र 9.5 प्रतिशत ने नहीं कहा। इस प्रकार अधिकतम उत्तरदात्रियों द्वारा महिला आरक्षण क़ो राजनीतिक सहभागिता का मुख्य और उचित आधार माना है।

निष्कर्ष - निष्कर्ष स्वरूप वर्तमान में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से महिलाएं सशक्त हुई है और परिवार में उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई है। महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता से उनकी सामाजिक स्थिति व आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है तथा महिलाओं के प्रति लैंगिक असमानता मे कमी हुई है। इस प्रकार महिलाओं की राजनीति में सहभागिता के सन्दर्भ स्वरूप कह सकते है कि सही मायने में लोकतंत्र का आदर्श रूप तभी प्राप्त हो सकता है, जब शासन और विकास कार्यक्रमों दोनों में ही महिलाओं की सहभागिता निश्चित हो। स्त्री और पुरुष दोनों की समान सहभागिता के बिना विकास कार्यक्रम के अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शासन में महिलाओं की सहभागिता ही यह सुनिश्चित कर सकती है कि समाज को अपने नागरिकों की प्रतिभा का पूर्ण लाभ मिल रहा है। विगत वर्षो में भारतवर्ष जैसे देशों में महिलाएँ राजनीतिक संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण की मांग करती रही है, जिसके फलस्वरूप स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा चुका है।इस प्रकार स्थानीय चुनावों में महिला आरक्षण के द्वारा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिला है।

समस्त व्यवस्था और राजव्यवस्था में महिला अपने लिए समानता और न्यायपूर्ण स्थान अवश्य प्राप्त कर रही है। इस दिशा में यात्रा प्रारम्भ हो चुकी है। बस इस यात्रा की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिसके लिए महिला जागृति और शक्तिशाली राजनीतिक सहभागिता विकास की गति को बढ़ाने में सहायक होंगे। जिससे राष्ट्र लैंगिक समानता का भाव रखते हुए उन्नति की ओर अग्रसर होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. उमेश सिंह, एवं राजेश कुमार गर्ग, महिला सशक्तिकरण विभिन्न आयाम, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2012
2. रोहित मिश्रा, समाज कार्य एवं महिला सशक्तिकरण, न्यू रायल बुक कम्पनी, लखनऊ, 2011
3. डॉ. संगीता विजय, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एक तुलनात्मक अध्ययन, नवजीवन पब्लिकेशन, जयपुर, 2011
4. निशांत सिंह, महिला राजनीति और आरक्षण, ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली 2006
5. धाल, संगीता,'भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व का मुद्दा : मानवाधिकार, जेण्डर एवं पर्यावरण', वीवा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2008
6. श्रीवास्तव, सुधा रानी व आशा, महिला शोषण एवं मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2006
7. अस्थाना, प्रतिमा : भारत में महिला आन्दोलन, विकास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1974
8. दास, वीना : वीमेन एण्ड पंचायती राज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 1992
9. विद्या, के.सी : पॉलिटिकल एम्पावरमेन्ट ऑफ वीमेन एट द ग्रास रूट्स, कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1997
10. कुरुक्षेत्र पत्रिका, मार्च, 2007
11. पाण्डेय, अजय शंकर, भारत में महिला सशक्तिकरण : ऐतिहासिक विवेचन, गायत्री पब्लिकेशन्स, 2010

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Complete Study of Major Geomagnetic Storms in During Solar Cycle 24

Harshraj Shukla* Dr. Anil Kumar Saxena**

***Department of Physics, A.P.S. University, Rewa (M.P.) INDIA**
**** Department of Physics, Govt. Collage Jaitpur, Shahdol (M.P.) INDIA**

Abstract - In this research article we will cover all major storms during solar cycle -24 with the help of the Dst Index, Kp- Index, Ap-Index and trying to verify the results of actual situation with respect to provisional Dst Index and Final Dst Index.
Keywords: Ring current, SolarWinds, Coronal Holes CME, Geomagnetic Storm, Storms, Dst, Kp.

Introduction - The acronym “ionospheric storm” is used to refer to all ionospheric changes brought on by geomagnetic disturbances. The magnetosphere, ionosphere, and thermosphere system is suddenly injected with solar wind energy, which is the primary cause of the ionospheric storms. The starting point of a geomagnetic storm is signified by (a) considerably reinforced auroral particle precipitation and (b) heightened high-latitude ionospheric currents and convection lasting several hours when the interplanetary magnetic field (IMF) Bz component swings southward and strengthens.

Two significant space weather events are geomagnetic storms and solar flares, with the latter primarily influencing the ionosphere at high latitudes and the former affecting the whole daylight ionosphere.

The magnetosphere is initially compressed by the rise in solar wind pressure. The magnetic field of the solar wind interacts with the magnetic field of the Earth and releases more energy into the magnetosphere. Both interactions result in an increase in the electric current in the magnetosphere and ionosphere as well as an increase in the plasma mobility in the magnetosphere (caused by an increase in the magnetosphere’s internal electric fields). Electric current in the magnetosphere generates a magnetic force that pushes the boundary between the magnetosphere and the solar wind during the main phase of a geomagnetic storm.

Clasification Of Geomagnetic Storms: The Geomagnetic storms determine through a lot of technique with the help of Dst parameter and various researcher defining with the help of Kp& Ap index value but a lot of similarity in different category model.

Table 1 & 2 (see in last page)

Graph (a) Dst value graph during storm month mar-2015

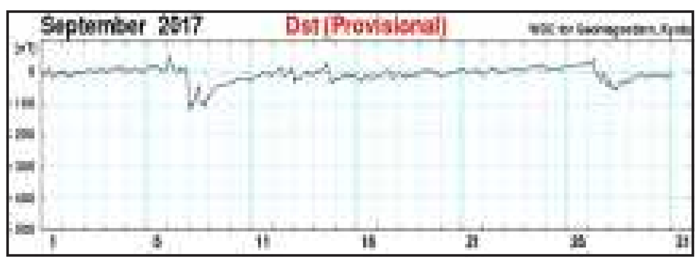

Graph (b) Dst value graph during storm month Sep-2017

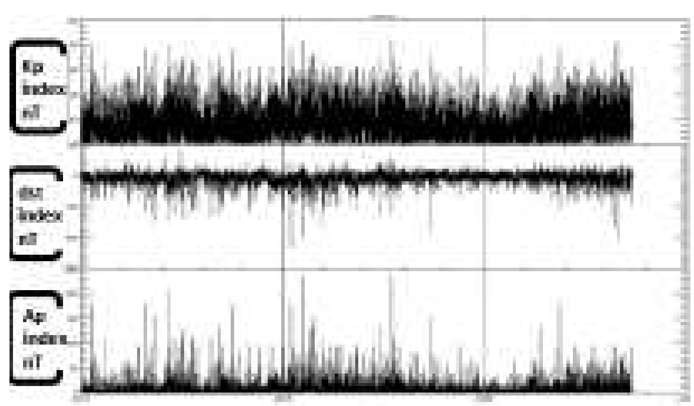

Graph (c) During Solar Cycle 24 the indices similarity

Planetary processes and interactions: The magnetic field of the Sun is likewise carried away by the solar wind. Either the North or the South will be the direction of this field. Geomagnetic storms can be anticipated if the solar wind experiences intense bursts that contract and stretch the magnetosphere or if the solar wind adopts a southerly polarity. The dayside magnetopause is magnetically reconnected as a result of the southern field, swiftly releasing magnetic and particle energy into the Earth's magnetosphere.

The F2 layer of the ionosphere destabilizes, breaks apart, and may even vanish during a geomagnetic storm. Auroras can be seen at the Earth's northern and southern poles.

Data Analisys : We employed the following set of tools to research the response to the storm on St. Patrick's Day.

We used the data WDC(World Data Centre) in various fields and indices to declare the whole activity and significance roll, a statical data analysis technique used in my research work.

Conclusion: In this research paper, we have done a systematic study to verify and analysis of major geomagnetic storms during the solar cycle 24 we have observed that and we can say the buety of geomagnetic storms in 17-18 mar-2015 is that no major solar flare but a large geomagnetic storm occurrence found out.

We outline the initial findings of the 24th solar cycle's biggest storm's ionospheric storm time effects.

During Geomagnetic storms, we observed the creation of F-area equatorial ionospheric irregularities.

References:-

1. Astafyeva, E., Zakharenkova, I., & Förster, M. (2015). Ionospheric response to the 2015 St. Patrick's Day storm: A global multi-instrumental overview. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, *120*(10), 9023–9037. https://doi.org/10.1002/2015ja021629.
2. Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2023, April 24). geomagnetic storm. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/science/geomagnetic-storm
3. Alabdulgader, A., McCraty, R., Atkinson, M., Dobyns, Y., Vainoras, A., Ragulskis, M., & Stolc, V. (2018). Long-Term Study of Heart Rate Variability Responses to Changes in the Solar and Geomagnetic Environment. Scientific reports, 8(1), 2663. https://doi.org/10.1038/s41598-018-20932-x
4. Wikipedia contributors. (2023). Geomagnetic storm. Wikipedia.https://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetic_storm
5. Papitashvili, N. (n.d.). OMNIWeb Data Explorer. https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.html
6. Final DST Index Monthly Plot and Table. (n.d.). https://wdc.kugi.kyotou.ac.jp/dst_final/200007/index.html
7. *Top 50 geomagnetic storms*. (n.d.). SpaceWeather Live.com. https://www.spaceweatherlive.com/en/auroral-activity/top-50-geomagnetic-storms.html
8. "The Interplanetary Magnetic Field (IMF)". *Space WeatherLive.com. Parsec vzw*. Retrieved 2021-03-20.
9. *Adhikari, Binod; S. Dahal; N. P. Chapagain (2017).* "Study of field aligned current (FAC), interplanetary electric field component (Ey), interplanetary magnetic field component (Bz), and northward (x) and eastward (y) components of geomagnetic field during supersubstorm". *Earth and Space Science. 4 (5): 257–274.* Bibcode:2017E&SS....4..257A. doi:10.1002/2017EA000258.
10. *Gonzalez, W. D.; E. Echer (2005).* "A study on the peak Dst and peak negative Bz relationship during intense geomagnetic storms". *Geophysical Research Letters. 32 (18): L18103.* Bibcode:2005GeoRL..3218103G. doi:10.1029/2005GL023486.
11. Kamide, Y., & Kusano, K. (2015). No major solar flares but the largest geomagnetic storm in the present solar cycle. Space Weather-the International Journal of Research and Applications, 13(6), 365–367. https://doi.org/10.1002/2015sw001213.
12. Zhu, B., Liu, Y. D., Kwon, R., Jin, M., Lee, L. C., & Xu, X. (2021). Shock properties and associated characteristics of solar energetic particles in the 2017 September 10 ground-level enhancement event. *The Astrophysical Journal*, *921*(1), 26. https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac106b

Table 1

S.	Category	Name	Kp index	Dst (nT)	Average frequency 1SC =11Year
1	G1	Minor geomagnetic storms	5		1.7K/ cycle
2	G2	Moderate Geomagnetic Storms	6		0.6K/ cycle
3	G3	Strong Geomagnetic Storms	7		0.2K/ Cycle
4	G4	Sever Geomagnetic Storms	8		0.1K/ Cycle
5	G5	Extreme Geomagnetic Storms	9		<0.05K/Cycle

Table 2: List of geomagnetic storms during SC-24:-

S.	Date	Day	Description	Significances	Remark
1.	Mar-2015	St. Patrick's Day	Dst Value is below then -200nT	During my observation and various researcher observed that all the indices similar in this category	Most one active activity in the year
2.	Sep-2017	No any certain name	Dst Value is below then -100nT	During observation and various researcher observed that all the indices & Dst behavior similar in this category	

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

A Critical Study of Raja Rao's Kanthapura as a "Sthalpurana"

Dr. Richa Mathur*

*Professor (English) Govt. PG College, Mavli, Udaipur (Raj.) INDIA

Introduction - As we are aware, the history of half of the twentieth century in India is largely the history of one single man called Mohandas Karamchand Gandhi and the indelible influence he exercised on the socio-politico-economic scene, not only of the subcontinent but the entire world.

Gandhiji's distinct influence on Indian writing in English was felt in the mid-1930s with the publication of Mulk Raj Anand's Untouchable, Raja Rao's Kanthapura and R K Narayan's waiting for the Mahatma. Each of the novelists has viewed Gandhi and Gandhisim in his or her perspective. The various facts of Gandhism – truth, non- violence, non-cooperation, ends and means, eradication of untouchability, and love for down trodden have all been interpreted and explored differently from their peculiar standpoint. Gandhi ji had very strongly influenced language and literature not only in his writings but also by his revolutionary ideas, ideals and practice in the freedom movement and caused a change in the minds of Indian masses.

Being a child of the Gandhian age, Raja Rao was very much influenced by the Gandhian ideology. Interestingly, Gandhiji used religion and justified political and social action on "proper metaphysical grounds". Relating it to the philosophy of Karma yoga of the Gita, Gandhiji made action, a part of man's dharma. According to Gandhiji men can reach metaphysical only through the activity in this world. It is this spirituality of Gandhian thought, which emphasised the conditioning of human mind through the control of the negative aspect of one's self, leading to liberation and strengths that appealed to Raha Rao and it is from this perspective that Rao perceives Gandhiji and it is in these terms that his novel registers the impact of Gandhian thought.

The novel can be best termed as a 'Gandhian novel' as it represents the Gandhian principles of truth and non-violence through its protagonist Moorthy. Rao represents Moorthy as a micro-cosmic identity of Gandhi. Kanthapura becomes the centre of freedom revolution following the pivotal revolution taking place in Delhi in 1930.

In the Kanthapura, Raja Rao gives a microscopic picture of the Indian freedom movement during the 1930s. The period covered in the novel is between Gandhi's Dandi March in 1930 to Gandhi – Irwin pact in 1931. The impact of Gandhian thought on the village of India itself is the theme of this novel. Iyengar rightly sums up the theme as 'Gandhi and our village'. Raja Rao beautifully explores the Gandhian ideals of loving one's enemies, non-violence and abolition of untouchability in this novel.

Kanthapura being Raja Rao's first novel, comes as an attempt to appraise the efforts made by the Indians under the leadership of Gandhiji to attain political and social freedom. Mahatma's spell was such that people of even obscure places were making efforts to eradicate poverty, ignorance and slavery. This inspired the sensitive young man Raja Rao to write this novel about a remote and unknown village. Kanthapura and how the wave of patriotism united men and women. Hindus and Muslims, Brahmins and Pariahs.

Moorthy, the hero of the novel does the same Gandhian miracle in Kanthapura. He is regarded as Gandhiji's true follower in Kanthapura. People of Kanthapura say, "He is our Gandhi". He is the saint of the village. He is a social reformer, a satyagrahi, and the leader of the non-violent movement in Kanthapura.The ignorant, illiterate people of this village plunge into the freedom struggle with tremendous enthusiasm and make supreme sacrifices for the great cause. Mahatma Gandhi's movement was not merely political. It has three strands religious, social and economic- and all these three are reflected in the activities carried out in Kanthapura.Gandhian principles reach the villagers through Harikathas recited by Jayaramachar.

In 'Harikatha' Gandhi becomes the epitome of Ram and the British colonists become the epitome of Ravana, the evil. As Ram annihilated the evil from earth, Gandhi becomes the saviour and messiah for Indian society to purge it from all evils of oppression, caste politics, violence, riots, etc.

Like Gandhi, Moorthy preaches brotherhood and equality and castelessness and abolition of untouchability. The village of Kanthapura is Hindu and stratified on

customary caste-lines. The main distinction is between the Brahmins and the non-Brahmins. There is clearly a gulf between the two communities, and almost no social interaction beyond the unavoidable economic transactions. Moorthy tries to do away with untouchability. He comes back to Kanthapura with the message of the Mahatma.

Rangamma sees Moorthy as the saint of Kanthapura, Moorthy, the good, Moorthy, the religious and Moorthy, the noble. Advocate Sankar finds no better Gandhist than Moorthy. Goldsmith Nanjundia discovers incorruptible qualities in him: “Our Moorthy is like gold-the more you heat it the purer it comes out from the crucible.”

Moorthy has a nobility of heart, authenticity of action, dedication to the nation’s cause and social concerns; all people are swept by him. If Range Gowda joined him leaving his Patelship, the advocate Shankar practices his law in Gandhian way. So is his noble impact upon Rangamma and Ratna, both noble savages. Still there are pariahs like Rachanna, Madanna, and a horde of coolies who have come down to the terrain of coffee estate straight from the catchment area of Godavari in Andhra Pradesh.

In essence Moorthy explicates his faith in Gandhism and acquires self-realization after catching a glimpse of the Mahatma. Inspired and influenced by the ideology of Gandhiji, Moorthy starts preaching Gandhian philosophy of non-violence. Moorthy sees Seetharamu’s willing acceptance of the torture by the British Government and it strengthens his belief in the Gandhian ontology of nonviolence. Like Moorthy, Jayaramchar also articulates the ideology of Gandhi: “Fight, says he, but harms no soul”. Jayaramchar continues by saying that Truth is God and, therefore, the countrymen should speak the Truth. It has the tone of Bhagwat Gita, which emphasizes truthfulness as a part of human behaviour.

In the wake of Khadi spread, Moorthy frequently visited Pariah quarters.Moorthy’s friends throw away their foreign clothes and finally become Gandhi’s men. The villagers move around the village and distribute free spinning wheel. Gandhiji was firmly of the opinion that India’s salvation depends on the sacrifice and enlightenment of her women. He wanted utmost freedom for women. He made no distinction between man and women and desired an equal status for the latter. In Kanthapura, Raja Rao has also upheld the idea of equality for women Uma Parmeswaran, the critic, traces the theme of Shakti or female principles in this novel. Gandhiji said that widow-remarriage is no sin – if it be, it is as much a sin as the marriage of a widower is. Raja Rao has beautifully exemplified this thought through two female charactersRangamma and Ratna in this novel. In the beginning of the novel widows are considered as underprivileged persons, and are denied privileges that the married ones enjoy.

Being a true Gandhian, Moorthy campaigned against the evil of drinking. More of women than men are attracted by his social activities. These women under the leadership of Rangamma who was Moorthy’s right hand in Kanthapura go to toddy groves jus to destroy toddy business that worsened people’s lives.

The slogan, Inquilab Zindabad, Mahatma Gandhi Ki Jai, Vande Mataram are drilled often. Finally, the bloody government auctions most of the lands of Kanthapura to the rich people from outside forcing most of the villagers to other villages like Kashipura, Malur and Ramapura. Thus, by fate they are forced to sacrifice their lands and assets for the liberation of their mother nation. Like Gandhi, Moorthy has preached brotherhood and equality and castelessness and abolition of untouchability. Mahatma is pictured “as large and blue like Sahyadri Mountains on whose slopes the pilgrims climb to the top,” while Moorthy is seen “as the small mountain.” Gandhi is also considered by the village people as Siva. They sing the Bhajan: “Siva is the three eyed and Swaraj too is three-eyed self-purification, Hindu-Muslim unity, Khaddar.” (20) Apart from Moorthy, the leading spirits of the Gandhian revolution at Kanthapura are Rangamura, Range Gowda and the girl Ratna.

In order to fight with the imperial force, Moorthy observes three days fast as Gandhi has done in similar situation. The fast helps him in sublimating his feelings and strengthening him for further task to launch non-cooperation and nonviolent movement. Moorthy also visits the pariah quarter and eats with them like Gandhi. He also preaches about religious tolerance acting as a true ‘Satyagrahi’. To Satyagrahis, soul is immortal and everlasting, it never dies and there is a life even after death as the soul is indestructible, this belief is deeply rooted in Indian philosophy which makes Satyagrahis not afraid of death. Gandhi also tried to transform the role and stature of Indian women by awakening them to participate in Indian freedom struggle. He also run many social programmes like Harijan upliftment, women emancipation and removal of illiteracy. Ratna brings the women volunteers to such an extent that any disparity between caste or clan disappears. They finally realize that they belong to one nation, one country, one village, one nature, one Himalayan. To Gandhi, widow-re-marriage is not sin, if it be, it is as much a sin as the marriage of a widower.

The widening gap between the rich and the poor vexed the sensitive mind of Gandhiji. He believed in an ideal economy based on simplicity, non-violence, dignity and sanctity of labour and human values. Racial as well as economic exploitation is shown in the very beginning of the novel. It can be seen in its demonic form at the Skeffington Coffee Estate owned by Hunter Sahib. The dehumanizing working conditions of labourers, their low wages and the cruel and callous attitude of the Britishers’ towards them is well-documented here. Raja Rao has aptly described the poverty – tormented coolies marching to the Skeffington Coffee Estate: “….and the pots became empty of water and the sacks began to grow fat with clothes, and the pots

on their heads and the clothes in their arms, they marched on and on by the Godavery……. armies of coolies ……half naked, starving, spitting, weeping, vomiting, coughing, shivering, squeaking, shouting moaning coolies………".

Raja Roy uses the mythological story of Siva and Parvati to depict the parallel affinity and relationship between Hindu idols and "Swaraj". Like Siva, Swaraj is also three-eyed- self-purification, Hindu-Muslim unity and khaddar. The Kanthapurians believe that Gandhi is born to kill "the serpent of the foreign rule".

Kanthapura is a 'Gandhi Purana 'where the facts about the Gandhian struggle have been mythicised. By mythicising the heroic struggle and self-sacrifice of this south Indian village, Rao has created a 'Stahala Purana', a new local legend.

References:-

1. Augustine, Thomas. "The Village in Raja Rao's Kanthapura." Encyclopaedia of Literature in English. Ed. K. Bhatnagar. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 2001. 1542- 1553. Print.
2. Bahl, Renu. "Text and Context of Hind Swaraj." Reflections on Hind Swaraj. Ed. Siby K. Joseph and Bharat Mahodaya. Wardha: Institute of Gandhian Studies, 2011. 8-21. Print
3. Dayal, P. Raja Rao: A Study of His Novels. New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors, 1991. Print. Dengel-Janic, Ellen. "Postcolonial (Re)visions: Raja Rao, Kanthapura (1938)" English Literatures
4. Gandhi, M. K. "On Untouchability." The Second Assassination of Gandhi? Ram Puniyani. Delhi: Media House, 2003. 79. Print.
5. Gandhi M.K. An Autobiography or The Story of my experiments with truth, Ahmedabad: Navjivan, 1999. Print.
6. Iyengar, Srinivasa K. R. Indian Writing in English. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd., 1993. Print.
7. Kumar, Gajendra. "Kanthapura: Stylistic Feat." Indian Literature in English: New Perspectives. Ed. K. V. Surendran. New Delhi: Sarup & Sons, 2002. 17-23. Print.
8. Mondal, Anshuman. "The Ideology of Space in Raja Rao's Kanthapura." Journal Commonwealth Literature. 34:1 (1999). 103-114. Print.
9. Mukherjee, Meenakshi. The Twice Born Fiction: Themes and Techniques of the Indian Novel in English. Delhi: Arnold Heinemann, 1974. Print.
10. Patil, Mallikarjun. "Kanthapura: A Portrait of Village Gandhi." The Fiction of Raja Rao. Eds. Rajeshwar Mittapalli & Pier Paolo Piciucco. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 2001. 112-117. Print.
11. Priyamvada. Gopal, The Indian English Novel: Nation, History, and Narration. Oxford: Oxford University Press, 2009. Print. Raja, Rao. Kanthapura, Oxford University Press, Delhi, 2005. Print.
12. Raizada, Harish. Indian English Novelist, Some Points of View. Delhi: K.K. Publications, 1996. Print.
13. Ray, Mohit K. Ed. The Atlantic Companion to Literature in English. New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors (P) LTD. 2007. Print.
14. Sekhar, Ajay S. Representing the Margin: Caste and Gender in Indian Fiction. Delhi: Kalpaz Publications, 2008. Print.
15. Sharma, Kaushal. Raja Rao: A Study of His Themes and Technique. New Delhi: Sarup & Sons, 2005. Print.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

A Humanistic Perspective of Geography Through Human Geography

Dr. Mamta Verma*

*Professor (Geography) Government College, Mania, Dholpur (Raj.) INDIA

Abstract - The discipline of geography is the study of the world. There are two major branches of geography, physical and human. Physical geography studies the physical elements of the world, such as soil, plate tectonics, climate, etc. However, human geography studies what humans have done with the world, such as population, urbanization, culture, etc. Of course, there is overlap as they are just two wings of the same bird. The heads of Geography listed under are the answers to certain questions written after them.

Introduction to Geography (globalization etc.) - how do humans relate with the world? Why study Geography?)
Population and populations in transition - why do some countries have more people than others?
Migration - why do humans move about?
Culture - what really is "pop culture?" Why do some cultures spread more than others?
Language - how did languages come about? Did English really evolve from German?
Religion - why is religion practiced where it is? Why is Malaysia predominantly Muslim, but neighboring Thailand mainly Buddhist?
Ethnicity - why are ethnicities where they are?
Political geography - how many countries are there? Why do they have certain shapes?
Development - why are some countries or areas more developed than others?
Agriculture - why are crops grown where they are? What is the difference between farming in low-income countries vs. high-income countries?
Industry - why are so many goods made in China? How do they get all over the world?
Services - why are stores located where they are?
Urban patterns - why are cities laid out the way they are?
Geography is everything about people (and their lands) and nature - religion is a part of human environment Geography is human environment and natural environment. The study serves as a guide to Human Geography, and describes the various parts and aspects of Human Geography.
Keywords: Human, Geography, Behaviour, Thrust, Societies, Environment.

Introduction - In human geography, the major thrust is on the study of human societies in their relation to the habitat or environment. Dealing with the spatial distribution of societies, human geography covers a very wide field or its scope is enormous.It embraces the study of human races; the growth, distribution and density of popula-tions of the various parts of the world, their demographic attributes and migration patterns; and physical and cultural differences between human groups and economic activities.It also covers the relationship between man and his natural environment, and the way in which his activities are distributed.Human geography also takes into account the mosaic of culture, language, religion, customs and traditions; types and patterns of rural settlements, the site, size, growth and functions of urban settle-ments, and the functional classification of towns.

The study of spatial distribution of economic activities, industries, trade, and modes of transportations and communications as influenced by the physical environment are also the important topics of human geography.

Sub-Branches Of Human Geography

Anthropogeography : It largely deals with racial phenomena in their spatial context.

Cultural geography : It focusses on the origin, components and impact of human culturs, both material and non-material.

Economic geography : It refers to the study of the location and distribution of economic activities at the local, regional, national and world scale. Economic geography can be studied under Resource geography, Agricultural geography,

Industrial and transport geography.

Political geography : It is the study of political phenomena in their spatial context. Main focus remains for creation and transformation of political and administrative region.

Historical geography : Spatial and temporal trends of geographical phenomena are studied in Historical geography.

Social geography : It is the analysis of social phenomena in space. Poverty, health, education, livelihood are some important fields of study in social geography.

Population geography : It is the study of various dimensions of population like its population distribution density, composition, ferrility, mortality, migration etc.

Settlement geography : It is the study of Rural/Urban settlements, their size, distribution, functions, heirach, and off various other parameters of settlement system

Although humans chart is a unique and unpredictable course in our societal development, the academic study of geography is a worthy degree and its influence extends further into other fields than we give it credit.Within human geography, we broaden our perspective of how humans relate to the space around them and how our surroundings in turn shape us. This opens up the opportunities to work with archaeologists, anthropologists, psychologists, sociologists, journalists and so on. A good human geographer is in equal parts a field researcher, cultural anthropologist, soil sampler, and professional conversationalist – often choosing to undertake the study of dangerous or unconventional subjects,like illicit drug trade, arms trade around the world, indigenous-vs-non-native conflicts are only a handful of these examples.

On the offhand chance your interest lies more in physical geography – the potential, unlike our water supply, is unlimited. Like their name implies, physical geographers stick to studying the elements of Earth. As our human population continues to expand and defy logic, having a reasonable understanding of our resources and what we must do to ensure we have them in the future is of paramount importance. Physical geography careers include field service management, hydrologists, natural resource project managers, farm and other outdoor spaces consultants, etc.

The last and arguably fastest-growing field is GI science, the field that employs myself and countless other young, bushy-eyed geography graduates. GI science entails a new understanding of mapping the world around us. If you can command a grasp of GIS while at school, there is really no end to what, or where, you could work. With the help of technology, maps are constantly reinventing themselves and it is an absolutely fascinating (if not at times frightening) field to work in.

Human Geography studies the interaction between humans and the world. That’s why we call it “human geography.”Human environment is made of regions, countries, etc. Humans spread their ideas, concepts and religions where they can reach. Religious people would not just spread their religions but try to convert others. You don’t need animals follow your religion but other humans. Humans compete with other human beings - that’s normal. A species is always competing among itself for all reasons. Peoples of a region are constantly contesting. That’s psychology and geography. When they can reach far away lands, their religions spread faraway lands too.Human geography is the branch of geography that focuses on the study of human activities, interactions, and relationships with the environment. Here are some key theories and concepts in human geography-

Spatial Analysis: This involves the examination of spatial patterns and relationships between different phenomena in the world, such as urbanization, migration, and economic development.

Cultural Landscape: This refers to the visible, material expression of human activities and beliefs on the landscape, including the built environment, language, religion, and other cultural artifacts.

Environmental Determinism: This theory proposes that the physical environment determines human behavior, culture, and development.

Possibilism: This theory suggests that while the physical environment places constraints on human activities, humans have the ability to adapt and modify the environment to suit their needs.

Human-Environment Interaction: This concept explores the relationships and interactions between human beings and their natural and built environments.

Globalization: This refers to the increasing interconnectedness and interdependence of people, cultures, and economies across the world.

Urbanization: This refers to the growth and expansion of cities and urban areas, and the social, economic, and environmental changes that accompany it.

Migration: This involves the movement of people from one place to another, and the social, economic, and political factors that drive migration patterns.

Development: This concept refers to the economic, social, and political progress of societies, and the ways in which different countries and regions experience uneven development.

Place and Space: These concepts explore the meanings and significance of different locations, landscapes, and environments, and how they are shaped by human activities and experiences.

Objective Of The Research: The chief objective of this study is to reflect the core aspects of Human Geography, and to teach its importance to the learners of Geography.

Related Studies & Their Review: ‘Indeed, human geography has not had a linear trajectory of intellectual advances accompanied by more or less parallel diffusions as the subject was established and pursued around the world. Human geography has been energized and

replenished in a more decentered manner by multiple authors asking very different questions within the same subdisciplinary space. Some, like Alexander Von Humboldt, are seen as forbearers, but others, such as Friedrich Ratzel and Ellsworth Huntingdon are remembered more for how subsequent geographers disowned their ideas. Somewhat an exception to this is Paul Vidal de la Blache, who took up the chair of geography at the Sorbonne in 1898 and whose students became professors of geography at most of France's (then) 16 other universities. In this instance one could argue that a single leading figure established the terrain and direction of a national geographical tradition – at least for several subsequent generations.Of course there have been highly influential theorists and practitioners in every era, but human geography has been a remarkably open field, particularly since the 1960s, when especially diverse ideas and political practices found traction, and when links were made to anthropology, sociology, cultural studies, economics, and philosophy.'[1]

'Keeping in mind the detrimental effects of sprawl on the urban landscape, an accurate and thorough analysis of the spatiotemporal growth pattern is necessary for well-organized and sustainable urban progression. This study mainly focuses on urban sprawl and land use/land cover changes (LULCC) in Hisar City of Haryana, India. The extent of urban sprawl and changes in different land utilization over 30 years have been assessed using Shannon's entropy technique. Additionally, the land consumption rate and land absorption coefficient are introduced to support the quantitative evaluation of changes. Finally, the accuracy assessment (producer's, user's, and overall) with the Kappa coefficient was applied for spatial accuracy valuation to confirm the land use/land cover (LULC) reliability based on Landsat multi-temporal satellite data from 1991 to 2021. The study deals with water bodies, open/bare land, vegetation, agricultural lands and built-up area as LULC categories for changes evaluations. As per findings, the built-up area has increased more than twice (2,826.72 hectares) by the total area throughout the studied period, whereas farming land has lost almost half part (3,497.94 hectares). The urban sprawl and LULC change mechanisms have directly influenced other natural resources, including farming land. The increasing entropy values also confirm the sprawl or fragmented development in the city, mainly from the centre to the periphery. This unrestricted expansion has changed the geography of the concerned region and surpassed the land use plans. The suggested policy options may assist decision-makers in resolving the urban impediments, minimizing the additional loss of peripheral landscape, and achieving long-term urban growth planning in the study area.'[2]

'The highland-lowland interaction among the Bhotiya tribes is a centuries-old tradition. Bhotiyas generally have two dwellings, one in the highland and one in the lowland. During winter, when the highland areas are covered with vast amounts of snow, the tribes migrate to their valley dwellings. Similarly, they migrate to the highland villages during the summer to cultivate the land and graze their animals. The trend of highland-lowland interaction has been changing, mainly declining over time. This study examines these changes. A case study of eight villages of the Niti Valley was conducted, and a total of 292 Bhotiya households were surveyed. The authors have noticed that the practice of highland-lowland interaction decreased by 55% during the last two decades. The main drivers of change were increased education, cultural differences, reservation policies for Bhotiyas, increasing disasters in the highlands, lagging infrastructural facilities, and changes in climatic conditions. The study suggests that agriculture, livestock development, and improved infrastructure – transportation, education, markets, and employment – can revive the highland-lowland interaction. The role of the state government and the community is noteworthy to conserve the traditional practices of Bhotiyas.'[3]

'Human geography refers to the study of people as well as "geographical interpretations of economies, cultural identities, political territories, and societies". Human beings and their expansiveness to create settlements interplay to innovate and develop a nature-based relationship. This relationship is a balancing act of ethos and science and multidisciplinary as it pertains to the vast array of issues, perspectives, and challenges human beings face. This SI in "Human Geography" is an expansive thematic call to all its subdisciplines. Fundamental geographical concepts that explore space, place, scale, landscape, mobility, and nature in union with appropriate methods (i.e., quantitative and qualitative as well as newer methods in spatial analysis, spatial statistics, and GIS) are welcome. "These concepts foreground the notion that the world operates spatially and temporally, and that social relations do not operate independently of place and environment, but are thoroughly grounded in and through them". The context of this SI invites, under the umbrella of human geography-based study, open-ended exploration to real-world principles, theories, models, techniques, hypotheses, theorems, and concepts by way of—novel, reviewed, or tested—experimentation and thought. Submissions will exemplify novelty, technical depth, elegance, practical or theoretic impact, and presentation.'[4]

'Human Geography includes economic and regionalgeographies and all other sub¯branches other than Physical and Environmental Geographies,what we have now. Progress of Human Geography in India may be traced by consulting theprofessional journals brought out by different associations for geography, the Ph. D thesessubmitted to various universities, research projects undertaken by the geography faculty, thebooks published by geographers, and the content of syllabus at the university level. Assemblingthe relevant data from these sources for assessing the progress is not easy and is almostimpossible

for an individual scholar, because of the size of the country, poor maintenance ofrecords during the post¯Independence period, and non¯availability of comparable data and at asingle location.'[5]

Method & Research Process: For the purpose of the study, immediately after the selection of the title, the feedback on the selected title was collected from the theme-related research papers published in the various research journals. After capturing the spirit of the theme through the contents of the selected published studies, the hypothesis was formulated, and then under a specific research design the personal views on the theme were developed scientifically which finally led the author to the conclusion maintaining the scientific spirit of the work.

Findings & Generalization: Let us conclude with the following approaches of Human Geography that are quite helpful in the understanding of Human Geography-

Positivist approach: This approach emphasizes the use of quantitative methods and spatial analysis to study human geography. It is based on the assumption that the world is objective and that there is a single reality that can be discovered through scientific inquiry.

Behavioral approach: This approach focuses on the study of human behavior and how it is influenced by the environment. It emphasizes the role of individual perceptions and cognition in shaping human spatial patterns.

Humanist approach: This approach emphasizes the subjective experiences of people and how they create meaning in their lives. It is based on the belief that there are multiple realities and that the goal of human geography is to understand the human experience.

Radical approach: This approach is concerned with the political and economic forces that shape human geography. It emphasizes the role of power and inequality in creating spatial patterns.

Feminist approach: This approach focuses on the study of gender and how it shapes human geography. It emphasizes the role of patriarchy and sexism in creating spatial patterns.

These are just some of the basic approaches in human geography. There are many other approaches that have been developed over time, and the discipline is constantly evolving. It is important to note that these approaches are not mutually exclusive. In fact, many geographers use a combination of approaches in their work. The purpose of each of the approaches of Human Geography to understand and capture the spirit of Human Geography.

References:-

1. C. Gibson- International Encyclopedia of Human Geography, 2009
2. Manju Sharma and Vipin Kumar-Assessment of urban sprawl, land use/land cover changes and land consumption rate in Hisar City, Haryana, India, Journal of Studies and Research in Human Geography, Volume 17, Issue 1, 2023
3. Saurav Kumar and Vishwambhar Prasad Sati- Highland-lowland interaction in mountain regions: a study of changing patterns among Bhotiya tribes of Garhwal Himalaya, Journal of Studies and Research in Human Geography Volume 17, Issue 1, 2023
4. Prof. Dr. Giuseppe T. Cirella-Sustainability, 2021
5. Shanmugam Pillai SUBBIAH- Progress of Human Geography in India :A Status Report, Japanese Journal of Human Geography 60-6(2008)

****

Socioeconomic Disparities in Education: A Sociological Examination

Dr. Rajesh Tripathi* Shailendra Pratap Singh Parihar**

*Associate Professor (Sociology) M.G.C.G.V. Chitrakoot, Satna (M.P.) INDIA
** Research Scholar, M.G.C.G.V. Chitrakoot, Satna (M.P.) INDIA

Abstract - Education is a cornerstone of modern society, reflecting and shaping the intricate interplay of social, economic, and cultural factors. This research paper adopts a sociological lens to examine the education system in the United States, with a particular focus on the pervasive issue of socioeconomic disparities and its impact on access and outcomes within the educational landscape. Drawing on theoretical frameworks such as conflict theory, structural functionalism, and intersectionality, this study delves into the complexities of American education, considering its cultural diversity, racial and ethnic disparities, gender dynamics, and the policy interventions designed to address educational inequalities. The discussion underscores the profound influence of the broader socioeconomic context, exploring how issues such as income inequality and healthcare access are inextricably linked to educational outcomes.
Keywords: Socioeconomic disparities, Cultural diversity, Social inequality, Sociological analysis.

Introduction - Education is a cornerstone of society, shaping the future of individuals and communities alike. As a dynamic field of study within sociology, the examination of education transcends mere pedagogy and curriculum; it delves into the complex interplay of social, economic, cultural, and political factors that underpin educational systems and their outcomes. This research paper seeks to unravel the multifaceted nature of education from a sociological perspective, exploring the inequalities, disparities, and policy dynamics that define modern educational contexts. In an era marked by globalization, technological advancement, and evolving societal norms, understanding the sociological dimensions of education is imperative to inform policy, promote equity, and foster a more inclusive and equitable educational landscape. This paper embarks on a journey through the sociological intricacies of education, shedding light on the various factors that shape educational experiences and outcomes, and illuminating the pathways toward a more equitable and just educational future.

Education is a fundamental pillar of modern societies, serving as a catalyst for personal and societal development. It is not merely a mechanism for transmitting knowledge but also a reflection of the broader social, economic, and cultural dynamics within a society. Over time, education has evolved into a complex system influenced by a multitude of factors, including socioeconomic status, cultural norms, government policies, and technological advancements. Understanding the sociological aspects of education is crucial for comprehending how these factors intersect to shape access, experiences, and outcomes within educational systems. In this paper we examine "How do socioeconomic disparities within the educational system impact access to quality education and contribute to persistent educational inequalities, and what policy measures can be implemented to mitigate these disparities and promote educational equity?" This study will focus primarily on the sociological aspects of education, with a particular emphasis on the influence of socioeconomic factors. It will consider a broad range of educational levels, from early childhood education to higher education, and will examine both national and international contexts.

The sociological study of education has a rich history, with scholars exploring various dimensions of this complex field. Sociological theories, such as functionalism, conflict theory, and symbolic interactionism, have been applied to understand the role of education in reproducing or challenging societal norms and structures. Past research has highlighted the significance of socioeconomic status, race, ethnicity, gender, and cultural factors in shaping educational experiences and outcomes. Additionally, studies have examined the impact of education policies and reforms on addressing educational inequalities.

Significance of the Study: This research holds significant implications for both academia and policymaking. By comprehensively exploring the sociological aspects of education and socioeconomic disparities, it contributes to the existing body of knowledge in the field of sociology and education. Furthermore, the findings of this study can inform policymakers and educational institutions about effective

strategies for reducing educational inequalities and promoting greater equity within the educational system. Ultimately, this research aims to foster a more inclusive and just educational landscape that benefits individuals and society as a whole.

In examining the sociological aspects of education and the impact of socioeconomic disparities, this research paper will draw upon several key sociological theories and frameworks to provide a comprehensive understanding of the phenomenon. The following theoretical perspectives will inform the analysis:

Conflict Theory: Conflict theory, particularly as developed by scholars like Karl Marx and Max Weber, highlights the role of power, social class, and inequality in society. In the context of education, this perspective emphasizes how the educational system can perpetuate and reinforce existing social hierarchies. It posits that educational institutions may serve as tools of social control and reproduction of the status quo, with disadvantaged groups experiencing unequal access and opportunities.

Structural Functionalism: Building on the work of Emile Durkheim, structural functionalism views society as a system of interrelated parts that work together to maintain stability and equilibrium. In education, this perspective examines how educational institutions contribute to social cohesion and the functioning of society. It highlights the roles of schools in transmitting values, skills, and norms necessary for societal functioning.

Symbolic Interactionism: Symbolic interactionism, associated with scholars like George Herbert Mead and Erving Goffman, focuses on the role of symbols and interactions in shaping individuals' perceptions and behaviours. In the educational context, this perspective explores how symbols, labels, and interactions within schools can influence students' self-concept, identity formation, and educational outcomes.

Critical Theory: Critical theory, rooted in the work of the Frankfurt School and critical theorists like Jurgen Habermas, offers a critical perspective on social institutions, including education. It examines how education can be a site of social critique and transformation, emphasizing the need to challenge oppressive structures and promote social justice within educational systems.

Intersectionality Theory: Intersectionality, developed by Kimberlé Crenshaw, is a framework that recognizes how various social categories (e.g., race, class, gender, ethnicity) intersect to create unique experiences of oppression and privilege. In the context of education, intersectionality theory helps in understanding how multiple dimensions of identity can compound and contribute to disparities in educational access and outcomes.

The combination of these theoretical frameworks will provide a holistic view of the sociological dimensions of education, with a particular focus on socioeconomic disparities. By drawing upon these perspectives, the research aims to analyze the complex interplay of factors that shape educational experiences and outcomes, identify root causes of disparities, and propose policy measures aimed at mitigating these inequalities and promoting educational equity.

To provide a better illustration of the education system and context, let's consider a specific example: the education system in the United States. Keep in mind that the structure and context of education systems can vary significantly from one country to another, but this example will give you a general sense of how to describe an education system and its context sociologically:

Education System and Context:

1. Overview of the Educational System: The education system in the United States is decentralized and consists of three main levels: primary education (elementary and middle schools), secondary education (high schools), and tertiary education (colleges and universities).

Public education is primarily funded by state and local governments, leading to significant variations in resources and quality among schools.

2. Socioeconomic Factors: Socioeconomic status plays a crucial role in American education. Schools in affluent areas tend to have more resources, highly qualified teachers, and better educational outcomes compared to those in low-income neighbourhoods.

Socioeconomic disparities in educational access and outcomes are significant, with students from disadvantaged backgrounds often facing greater challenges in accessing quality education.

3. Cultural Factors: Cultural factors influence education in various ways. Issues related to language, cultural sensitivity, and representation are prominent in discussions about education.

Culturally specific curricula and programs may be implemented to address the needs of diverse student populations.

4. Inequality in Education: Racial and ethnic disparities are a pervasive issue in education, with minority students often facing lower graduation rates and fewer educational opportunities.

Gender disparities also exist, though they have decreased over time, with women now outnumbering men in higher education.

5. Education Policies and Reforms: Education policy in the is shaped at both the federal and state levels, resulting in a complex landscape of regulations and standards.

Recent reforms, such as the No Child Left Behind Act and Every Student Succeeds Act, have aimed to address educational inequalities and improve accountability.

6. Socioeconomic Context: The broader socioeconomic context including income inequality, access to healthcare, and housing stability, can significantly impact a student's ability to succeed in education.

Societal issues like poverty, crime, and neighbourhood

safety can spill over into the educational experience of students.

7. Technological Advancements: The use of technology in education has grown, with digital resources, online learning platforms, and personalized learning becoming increasingly prevalent.

The COVID-19 pandemic accelerated the adoption of online education, highlighting both opportunities and challenges in technology-based learning.

This example provides a sociological snapshot of the education system considering key factors such as socioeconomic disparities, cultural diversity, policy interventions, and the broader social context. Similar sociological analyses can be conducted for education systems in other countries, considering their unique characteristics and challenges.

In examining the education system in the United States from a sociological perspective, several key points come to the forefront. First and foremost, socioeconomic disparities play a profound role in shaping the American educational landscape. While education is often seen as a path to upward mobility, the reality is that the distribution of resources and funding among schools is far from equitable. Schools in affluent neighbourhoods tend to benefit from better facilities, well-paid teachers, and a wider array of extracurricular activities, while those in low-income areas often grapple with overcrowded classrooms, limited resources, and fewer advanced placement course offerings. These disparities perpetuate a cycle of educational inequality, with students in underprivileged communities facing significant hurdles in accessing a quality education. Cultural diversity is another critical aspect of education system. The nation's rich tapestry of cultures and backgrounds is reflected in its schools, and educators are tasked with addressing the unique needs of a diverse student body. Issues related to cultural sensitivity, language proficiency, and the inclusion of diverse perspectives in curricula must be navigated effectively. Cultural competency among educators and administrators becomes paramount in fostering an inclusive and supportive learning environment.

Racial and ethnic disparities persist as a deeply rooted challenge in education. Indian African American, Hispanic, and Native American students, among others, often experience lower graduation rates, lower standardized test scores, and higher suspension rates compared to their white peers. These disparities are rooted in historical injustices, structural inequalities, and ongoing racial biases. Addressing these disparities necessitates a multifaceted approach that acknowledges both historical legacies and current institutional barriers.

Gender dynamics in education are also evolving. While women now outnumber men in higher education, gender gaps in specific fields, particularly STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), remain evident. Efforts have been made to encourage female participation in traditionally male-dominated fields, but challenges related to gender bias and stereotypes persist. The education system operates within a complex policy landscape, with a mix of federal, state, and local regulations. Policy interventions, such as the No Child Left Behind Act and the Every Student Succeeds Act, have sought to address educational inequalities and hold schools accountable for student performance. However, debates continue regarding the efficacy of standardized testing, resource allocation, and the unintended consequences of these policies.

Furthermore, the broader socioeconomic context profoundly influences educational outcomes. Issues such as income inequality, access to healthcare, and neighbourhood safety have a significant impact on a student's ability to succeed in education. Schools do not exist in isolation; they are deeply interconnected with the social and economic conditions of the communities they serve.

In summary, the sociological examination of the education system reveals a complex interplay of factors, including socioeconomic disparities, cultural diversity, policy interventions, and the broader social context. Acknowledging and addressing these multifaceted challenges is crucial for fostering a more equitable and inclusive educational landscape that benefits all students and contributes to a more just society.

References: -

1. Bourdieu, P. (1977). Cultural reproduction and social reproduction. In J. Karabel& A. H. Halsey (Eds.), Power and ideology in education (pp. 487-511). Oxford University Press.
2. Durkheim, E. (1956). Education and sociology. The Free Press.
3. Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. University of California Press.
4. Bowles, S., & Gintis, H. (1976). Schooling in capitalist America: Educational reform and the contradictions of economic life. Basic Books.
5. Willis, P. (1977). Learning to labor: How working-class kids get working-class jobs. Columbia University Press.
6. Alexander, M., & Watanabe, R. (2020). Educational inequality and its consequences: A sociological perspective. American Sociological Review, 45(3), 321-343.
7. Johnson, E. M. (2018). Gender dynamics in STEM education: A critical review. Journal of Sociology of Education, 55(4), 567-589.

****

मिश्रित कृषि का ग्रामीण महिलाओं पर पड़ने वाला प्रभाव

डॉ. राजेश त्रिपाठी* अभिलाषा सिंह**

* एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य मिश्रित कृषि का ग्रामीण महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया। आजकल ग्रामीण समाज में जहाँ एक और कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता है, वही दूसरी तरफ कृषि कार्यों में महिलाओं की वर्तमान स्थिति बेहतर करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाओं की घोषणा की जाती है, जिससे उन्हें सतत् कृषि कार्यों में बढ़ावा मिल सके।

महिलाएं देश के लगभग हर राज्य में सक्रिय रूप से मिश्रित कृषि से जुड़ी है और कई क्षेत्रों में तो वे ही कृषि की मुख्य कर्ताधर्ता है। मिश्रित कृषि की स्थिति में बेहतरी लाने के लिए किया जाने वाला कोई भी प्रयास दरअसल महिलाओं की सहभागिता को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करता है। सौभाग्य से इसे प्रमाणित करने के लिए देश में दर्जनों मॉडल है, जहाँ कृषि क्षेत्र से महिलाओं के जुड़ाव ने मिश्रित कृषि में कई नए आयाम खोल दिए है।

मिश्रित कृषि के अध्ययन हेतु दो जिले का चयन कर 18 वर्ष से ऊपर ग्रामीण महिलाओं का अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – मिश्रित कृषि, श्रम, फसल, ग्रामीण महिलाएं।

प्रस्तावना – जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर लगाया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि या मिश्रित फसल कहते है।

मिश्रित कृषि एक ऐसी कृषि विधि है जिस खेत में बहुत करीबी दूरी पर एक साथ और दूसरे के स्थान पर दो अलग-अलग फसलों को उगाना शामिल है।

प्राचीन काल से मिश्रित कृषि हमारी कृषि प्रणाली का एक अभिन्न अंग रही हैं। महिलाओं द्वारा लम्बे समय से भारत वर्ष में परम्परागत रूप से मिश्रित कृषि की जाती रही हैं। इससे महिलाएं परिवारों के भरण-पोषण के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के समय सुरक्षा भी मिलती हैं।

महिलाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाएं मिश्रित कृषि कार्यबल की रीढ़ है साथ ही वे एक उत्पादक की भूमिका निभाती हैं।

मिश्रित कृषि परिस्थिति में आर्थिक दृष्टिकोण से सुरक्षा कवच का काम करती हैं। जब एक खेती में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। तो यह सम्भावना होती हैं, कि यदि कोई फसल मौसम की असामान्यता के कारण नष्ट हो जाए, तब भी दूसरी या तीसरी फसल बच सकती हैं।

मिश्रित कृषि से उत्पादकता बढ़ाने के लिए महिलाओं का उल्लेख किया गया हैं। इसके लिए बहुत अधिक खेत की भी जरूरत नहीं होती है, बस जरूरत है- लगन एवं मेहनत की। तमाम महिलाएं किसान ऐसे है, जो कड़ी मेहनत करके कम खेत में अधिक मुनाफा कमा रही हैं।

शान्ति देवी बताती हैं कि 'हम तो दूसरे जिले में भी खेती की ट्रेनिंग देने जाते हैं। गाँव की महिलाओं को हमारी बात ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि हम उन्ही की भाषा में उन्हें खेती की तकनीकि सिखाते हैं।'

निभा देवी का कहना हैं कि 'महिलाएं आज खेती से कमाई इसलिए कर पा रही है, क्योंकि ये बाजार से न तो खाद खरीदती है और न ही बीज।'

उद्देश्य:

1. मिश्रित कृषि करने वाली महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण महिलाओं पर मिश्रित कृषि के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. मिश्रित कृषि में ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण हेतु सुझाव प्राप्त करना।

अध्ययन पद्धति–मिश्रित कृषि का ग्रामीण महिलाओं पर प्रभाव कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी विकासखण्ड के दो ग्राम क्रमश: धर्मपुर व डाण्डी का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा किया गया।

निदर्शन– प्रस्तुत लघु शोध कार्य करने हेतु कौशाम्बी जिले का चयन किया गया। जो कौशाम्बी विकास खण्ड के दो ग्राम धर्मपुर एवं डाड़ी का चयन किया गया। शोध कार्य हेतु प्रत्येक ग्राम से 50 महिलाएं, 18 वर्ष से ऊपर ऐसी महिलाएं जो कृषि कार्य में संलग्न हैं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन अध्ययन पद्धति द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार अध्ययन कार्य हेतु प्रत्येक ग्राम से 100 महिला उत्तरदाता का चयन किया जाएगा।

उपकरण- साक्षात्कार अनुसूची।

तालिका संख्या-1 जाति

क्र.	जाति	संख्या	प्रतिशत
1	सामान्य वर्ग	24	24.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	65	65.00
3	अनुसूचित जाति	11	11.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	00.00
	योग	**100**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 100 उत्तरदाता में सामान्य जाति

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

के उत्तरदाता का प्रतिशत 24 हैं। अन्य पिछड़ी जाति के उत्तरदाता की संख्या सर्वाधिक है प्रतिशत 65 हैं। जबकि अनुसूचित जाति के उत्तरदाता सबसे कम हैं, जिनका प्रतिशत 11 हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्तरदाता की संख्या नगण्य है।

अत: स्पष्ट है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्तरदाता की संख्या अधिक हैं।

तालिका संख्या–2 धर्म

क्र.	धर्म	संख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	79	79.00
2	मुस्लिम	21	21.00
3	सिख	00	00.00
	योग	**100**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 100 उत्तरदाता में से हिन्दू उत्तरदाता की संख्या सबसे अधिक है, प्रतिशत 79 हैं। मुस्लिम धर्म के उत्तरदाता की संख्या सबसे कम है, प्रतिशत 21 हैं। जबकि सिख धर्म के उत्तरदाता का प्रतिशत नगण्य हैं।

अत: स्पष्ट है कि हिन्दू धर्म के उत्तरदाता की संख्या सर्वाधिक हैं।

तालिका संख्या–3 शिक्षा

क्र.	शिक्षा	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक	25	25.00
2	माध्यमिक	27	27.00
3	निरक्षर	28	28.00
4	अन्य	20	20.00
	योग	**100**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 100 उत्तरदाता में 25 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हैं। 27 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक शिक्षा प्राप्त किये हैं। निरक्षर उत्तरदाता की संख्या सर्वाधिक है, प्रतिशत 28 हैं। जबकि अन्य प्रकार से शिक्षित उत्तरदाता की संख्या 20 प्रतिशत हैं। अत: स्पष्ट है कि 100 उत्तरदाता में सबसे अधिक निरक्षर उत्तरदाता हैं।

तालिका संख्या– 4 सामाजिक स्थिति

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	अच्छी	52	52
2	खराब	13	13
3	सामान्य	35	35
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 100 उत्तरदाता में अच्छी सामाजिक स्थिति वाले उत्तरदाता की सर्वाधिक 52 है, तथा प्रतिशत 52 हैं। खराब सामाजिक स्थिति वाले उत्तरदाता की संख्या सबसे कम 13 है, तथा प्रतिशत भी 13 है। जबकि सामान्य सामाजिक की स्थिति वाले उत्तरदाता की संख्या 35 है, तथा प्रतिशत भी 35 है।

अत: स्पष्ट है कि अच्छी सामाजिक स्थिति वाले उत्तरदाता की संख्या सबसे अधिक है।

तालिका संख्या–5 आर्थिक स्थिति

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	सुधार हो रहा है	57	57
2	सुधार नही हो रहा है	43	43
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 100 उत्तरदाता में आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहे उत्तरदाता की संख्या सबसे अधिक 57 है, प्रतिशत 57 है। जबकि आर्थिक स्थिति में सुधार नही हो रहे उत्तरदाता की संख्या 43 है, प्रतिशत 43 है।

अत: स्पष्ट है कि आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहे उत्तरदाता की संख्या सर्वाधिक है।

तालिका संख्या–6 सशक्तिकरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	हो रहा है	76	76
2	नहीं हो रहा है	10	10
3	थोड़ा बहुत हो रहा है	14	14
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 100 उत्तरदाता में सशक्तिकरण हो रहे उत्तरदाता की संख्या सबसे अधिक 76 है, प्रतिशत 76 है। सशक्तिकरण नही हो रहे उत्तरदाता की संख्या सबसे कम 10 है, प्रतिशत 10 है, जबकि थोड़ा बहुत सशक्तिकरण हो रहे उत्तरदाता की संख्या 14 है, प्रतिशत 14 है। अत: स्पष्ट है कि सशक्तिकरण हो रहे उत्तरदाता की संख्या सर्वाधिक है।

तालिका संख्या–7 अभिमत

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	आजीविका के नए असवर प्राप्त हो रहे है	62	62
2	आजीविका के नए अवसर नही प्राप्त हो रहे है।	38	38
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 100 उत्तरदाता में आजीविका के नए अवसर प्राप्त हो रहे उत्तरदाता की संख्या 62 है, प्रतिशत 62 है। जबकि आजीविका के नए अवसर नही प्राप्त हो रहे उत्तरदाता की संख्या 38 है, प्रतिशत 38 है।

अत: स्पष्ट है कि आजीविका के नए अवसर प्राप्त हो रहे उत्तरदाता की संख्या सर्वाधिक है।

तालिका संख्या–8 सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभ

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	मिल रहा है	80	80
2	नही मिल रहा है	5	5
3	थोड़ा बहुत मिल रहा है	15	15
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल रहे उत्तरदाता की संख्या सर्वाधिक 80 है, प्रतिशत 80 है। सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल रहे उत्तरदाता की संख्या सबसे कम 5 है, प्रतिशत 5 है, जबकि थोड़ा बहुत सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहे है उत्तरदाता की संख्या 15 है, प्रतिशत 15 है।

अत: स्पष्ट है कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल रहें उत्तरदाता की संख्या सबसे अधिक है।

निष्कर्ष– मिश्रित कृषि के अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण महिलाओ पर कौशाम्बी जिले के दो ग्राम धर्मपुर एवं डाड़ी के समग्र अध्ययन से निम्न तथ्य परिलक्षित हैं:–

1. मिश्रित कृषि में कार्यरत अन्य पिछड़े वर्ग के उत्तरदाता की संख्या सर्वाधिक हैं, प्रतिशत 65 हैं।
2. सर्वाधिक उत्तरदाता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं।
3. मिश्रित कृषि में कार्यरत अनुसूचित जाति के उत्तरदाता की स्थिति सबसे खराब हैं।
4. सर्वाधिक उत्तरदाता हिन्दू धर्म के है, प्रतिशत 79 हैं।
5. निरक्षर उत्तरदाता की संख्या सर्वाधिक हैं।
6. अच्छी सामाजिक स्थिति वाले उत्तरदाता की संख्या सबसे अधिक है।
7. आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहे उत्तरदाता की संख्या 43 है।
8. मिश्रित कृषि में कार्यरत सशक्तिकरण हो रहे उत्तरदाता की संख्या सर्वाधिक 76 है प्रतिशत 76 है।
9. मिश्रित कृषि में सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल रहे उत्तरदाता की संख्या सबसे कम है।
10. मिश्रित कृषि में आजीविका के नए अवसर प्राप्त हो रहे उत्तरदाता की संख्या सबसे अधिक 62 है, प्रतिशत 62 है।

सुझाव: मिश्रित कृषि में ग्रामीण महिलाओं की सर्वाधिक सहभागिता बढ़ाने हेतु यह करना उपयुक्त होगा:

1. ग्रामीण महिलाओं को अधिकतम सुविधा प्राप्त हो।
2. कृषि के द्वारा अधिक लाभ मिले।
3. महिलाओं को कृषि प्रशिक्षण देना उचित होगा।
4. उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति हो।
5. फार्म पर काम करने वाले श्रमिकों को पूरे वर्ष रोजगार मिलता रहें।
6. सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं का लाभ मिलें।
7. कृषि तकनीकों को अपडेट करने की आवश्यकता है।
8. मिश्रित कृषि के फसल में उपदार्थों का उचित उपयोग हो।
9. अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. सिंह, नीतू, (2019), गाँव कनेक्शन, 7 अक्टूबर
2. जागरण 2013, 12 मई
3. श्रीवास्तव, दिव्या, (2015), अप्रैल, कुरूक्षेत्र, पृ0सं0 48

****

RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

जन शिकायत निवारण में लोकायुक्त की उपादेयता

प्रो. वन्दना शर्मा*

* आचार्य (लोक प्रशासन) राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना – लोक कल्याणकारी राज्य की सार्वभौम स्वीकृति के पश्चात् समाज कल्याण एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सरकारी दायित्वों में व्यापक वृद्धि हुई है, जिसने जनजीवन एवं सम्पत्ति के क्षेत्र को अभूतपूर्व रूप से प्रभावित किया है। लोककल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त ने लोकोन्मुख एवं उत्तरदायी राज्य की एक आदर्श छवि को विकसित किया है। तथा राज्य एवं नागरिकों के सम्बन्धों को अधिक घनिष्ठ तथा मित्रवत् बनाया है।

राज्य प्रशासन एवं नागरिकों के मध्य समुचित सम्बन्ध संवाद एवं सहयोग किसी भी सभ्य समाज, विशेषत: लोकतांत्रिक समाज की प्रबल मांग ही नहीं वरन् अनिवार्यता भी है। किसी भी आदर्श राज्य में व्यक्ति एवं प्रशासन के मध्य सम्बन्ध परस्पर विश्वास एवं यथार्थपूर्ण धरातल पर आधारित होना चाहिए। किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् सरकार के कार्यो में हुई असाधारण वृद्धि ने प्रशासन की त्रुटियों और दैनिक कार्यों में उनके स्वविवेक के अधिकारों के दुरुपयोग की समावनाओं को व्यापक सीमा तक बढ़ा दिया है। यह अनुभव किया जा रहा है कि नागरिकों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप राज्य के आर्थिक क्रियाकलाप एवं नौकरशाही को प्रदत्ता अत्यधिक स्वविवेकीय शक्तियों के कारण भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन बढ़ रहा है।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपेक्षित लोकोन्मुख एवं उत्तरदायी प्रशासन के स्थान पर अनुत्तरदायी, अयोग्य, अक्षम और भ्रष्ट प्रशासन की छवि चारों ओर दिखलाई पड़ रही है। दलगत राजनीति, निहित स्वार्थ, नौकरशाही एवं भ्रष्टाचार के व्यूह में फंसा सामान्य नागरिक स्वयं को असहाय समझने लगा है। यद्यपि प्रशासन पर न्यायिक एवं विधयी नियंत्रण की व्यवस्था उपलब्धा है किन्तु इन उपागमों की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण यह व्यवस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्णत: सहायक सिद्ध नहीं हुई है। अत: इस समस्या के समाधान हेतु एक ऐसी वैकल्पिक संस्था को खोजना अनिवार्य था जो प्रशासनिक नियंत्रण के कार्य को सरलता, शीघ्रता एवं निष्पक्षता के साथ स्वतंत्र रूप से सम्पादित कर सके। अत: एक ऐसी संस्था की आवश्यकता निरन्तर अनुभव की गई है जो लोक सेवकों पर स्थायी रूप से नियंत्रण रख सके और प्रशासन के जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना की सामयिक समीक्षा भी कर सके। साथ ही प्रभावशाली ढंग से प्रशासन की समस्याओं, उनके विरुद्ध जन परिवादों तथा उनकी कमियों को जनता के प्रतिनिधियों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। इस संदर्भ में स्कैन्डिनेवियन देशों यथा स्वीड, फिनलैण्ड, नार्वे, डेनमार्क, न्यूजीलैण्ड तथा ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ देशों में कार्यरत 'ओम्बुड्समैन' ही एक ऐसी संस्था है जो प्रशासकीय स्तर पर व्यापक रूप से इस कार्य की देखरेख कर सकती है और प्रशासन में अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाकर उसे एक सुदृढ़ आधार प्रदान कर सकती है। भारत में इसे लोकपाल एक लोकायुक्त के नाम से अपनाया गया है।

शब्द कुंजी – लोकोन्मुख, लोकायुक्त, ऑम्बुड्समैन, अभाव अभियोग, निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, अनियमितता, परिवाद, निष्ठा, संसदीय प्रजातंत्र, अन्वेषण, अनैतिक मानक।

जन शिकायत निवारण में लोकायुक्त की उपादेयता – राजस्थान उन राज्यों में अग्रणी रहा जिन्होंने 1973 में अपने स्तर पर लोकायुक्त संस्था को अपना लिया।

राजस्थान सरकार द्वारा लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की नियुक्ति हेतु 'लोकयुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973' पारित किया गया, जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति 26 मार्च, 1973 को प्राप्त अधिनियम यह घोषित करता है कि इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा तथा यह 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत्ता हुआ माना जायेगा।

लोकायुक्त विधि द्वारा संस्थापित एक ऐसी संस्था है जो राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों एवं राज्य सरकार के कार्यकलाप से सम्बद्ध किसी लोकसेवा में नियुक्त या लोकपद पर कार्यरत अधिकारियों, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय स्वायत्ता शासन प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यरत समस्त कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित अभिकथनों का अन्वेषण करने हेतु तत्पर रहती है। जनता को प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध त्राण दिलाने वाले एक उपादान के रूप में लोकायुक्त देश के सामान्य जन का मित्र होता है।

राजस्थान के अतिरिक्त, उड़ीसा, महाराष्ट्र बिहार, उत्तरप्रदेश, केरल, कर्नाटक, आसाम, गुजरात में लोकायुक्त संख्या का गठन किया गया है। भारत में केन्द्रिय स्तर पर 2019 में पहले लोकपाल की नियुक्ति की गयी। भारत में लोकायुक्त की उपायदेयता को निम्नलिखित बिन्दुओं में समझ सकते है–

1. **प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा संकल्पित प्रयोजन –** प्रशासनिक सुधार आयोग को भारत में प्रशासन मंत्र की व्यापक समीक्षा का जो दायित्व दिया गया था उसमें सबसे अंतिम बिन्दु के रूप में प्रशासन के विरुद्ध जनता के अभाव अभियोगों के निराकरण हेतु वर्तमान तंत्र की उपयुक्तता को जाँचते हुए यदि आवश्यक हो तो नये तंत्र की स्थापना हेतु सुझाव देने की अपेक्षा की गयी थी। प्रशासनिक सुधार आयोग के ध्यान में यह बात लायी गयी थी कि अधीनस्थ कार्मिकों के विरुद्ध परिवादों की सुनवाई जहाँ उच्च अधिकारियों के स्तर पर संभव है वहीं शासन सचिव और मंत्रियों के स्तर पर

होने वाले निर्णयों में त्रुटि, निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, अनियमितता और सम्भावित भ्रष्टाचार से संबंधित परिवादों की सुनवाई के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं है।

आयोग ने अपने विश्लेषण में स्वयं यह अनुभव किया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के विस्तार के कारण प्रशासकीय और राजनीतिक शक्तियों के संव्यवहार के क्रम में नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण होने के अवसर स्वाभाविक रूप से उपस्थित हो सकते हैं। आयोग अपने विचार विमर्श और विश्लेषण के क्रम में इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा कि प्रशासन के विरुद्ध नागरिक परिवादों में 60 शिकायतें प्रशासनिक विलम्ब, 2 त्रुटिपूर्ण निर्णयों, 1 प्रशासकों के रुखे व्यवहार और शेष 37 भ्रष्टाचार की शिकायतों सहित अन्य कारणों से सम्बद्ध होती है। आयोग के लिए यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक थी तथा उसने इस प्रश्न पर ध्यान केन्द्रित किया कि प्रशासन तंत्र किए जाने वाले विलम्ब, स्वेच्छाचारिता और दुर्व्यवहार आदि के रूप में प्रशासन तंत्र में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले गैर वैधानिक या अनौपचारिक किस्त के अपराधों को कैसे नियंत्रित किया जाये।

प्रशासन तंत्र के कार्यकरण की इन्हीं अन्तर्निहित जन्य दुर्बलताओं के दुष्प्रभावों से जनसाधारण को मुक्ति दिलाने के उपाय के रूप में स्केन्डिनेवियन देशों में अनुभूत **'ओम्बुड्स्मैन'** की प्रतिरूप संस्था 'लोकपाल' एवं 'लोकायुक्त' को अपनाए जाने की अभिशंसा प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल एवं लोकायुक्त की योजना को अपनाए जाने के कारण प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण और कुशलता में वृद्धि होने की अभिकल्पना भी की थी। आयोग की मान्यता थी कि लोकपाल/ लोकायुक्त की उपस्थिति मात्र से विभिन्न स्तरों पर प्रशासन तंत्र के अधिकारियों और कार्मिकों को अनवरत रूप से यह भान होता रहेगा कि उनके कार्यों, निर्णयों और कार्यगति का आंकलन और मूल्यांकन करने के लिए एक गैर राजनैतिक व अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति की संस्था विद्यमान है। आयोग की अपेक्षा थी कि इस संस्था की उपस्थिति मात्र से प्रशासनिक प्राधिकारियों को न केवल उत्तरदायी बनाये रखने में मदद मिलेगी अपितु वे संवेदनशील, कुशल और सत्यनिष्ठ भी बने रह सकेंगे।

2. राजनीति पर लोकनियंत्रण का प्रतीक – स्केन्डिनेवियन देशों सहित जिन देशों में भी औम्बुड्समैन को अपनाया गया है इसे संसद के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। भारतवर्ष में इसे संसद का प्रतिनिधि तो नहीं बनाया गया किन्तु इसकी रचना या अस्तित्व संसदीय अधिनियम के माधयम से किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह भी स्वीकार किया था कि लोकपाल/लोकायुक्त प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के अतिरिक्त उपागम का कार्य करेंगे।

इस प्रकार लोकायुक्त की योजना राजनैतिक नीति निर्धारकों को लोकहित में कार्य करने के लिए सतत् संकल्पबद्ध बनाये रखती है। इसके पश्चात् भी यदि उनके निर्णय अन्यथा मन्तव्यों से परिचालित हो तो ऐसे अपवित्र मन्तव्यों से प्रेरित निर्णयों की मीमांसा हेतु लोकायुक्त की अभिकल्पना भारत की राजनीति और प्रशासन में सत्यनिष्ठा के समावेश की दिशा में राजनीति पर लोकनियंण का एक प्रभावी उपकरण है।

3. प्रशासन में निष्ठा और शुचिता की प्रतिष्ठा –स्वतंत्रता के डेढ़ दशक पश्चात् ही भारतीय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, अनियमितता, देरी, निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध शिकायतों की गूँज संसद और संसद से बाहर सर्वत्र सुनायी देने लगी। 1962 में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त संथानम समिति ने केन्द्रीय स्तर पर सतर्कता आयोग की स्थापना का जो सुझाव दिया उसे अपनाये जाने के पश्चात् भी प्रशासन में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतों पर कोई अंकुश नहीं लगा। इस पृष्ठभूमि में प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन में सत्यनिष्ठा और शुचिता की प्रतिष्ठा के लिए अन्य विकसित देशों में अनुभूत संस्था को लोकपाल/लोकायुक्त के नाम से अपनाये जाने की अनुशंसा की। राजस्थान सहित 12 राज्यों में इस संस्था के अपनाये जाने का प्रमुख प्रयोजन राज्य स्तरीय प्रशासन को ईमानदार और सत्यनिष्ठ बनाए रखना रहा है। यह बिन्दु समीक्षा का विषय हो सकता है कि इस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति में यह संस्था कितनी सफल रही किन्तु इसे अंगीकार किए जाने की पृष्ठभूमि में यह कारक प्रमुख प्रेरणादायक रहा है।

4. प्रशासन को उत्तरदायी बनाए रखने का उपक्रम – संसदीय प्रजातंत्र में प्रशासन शासन की ही भाँति उत्तरदायी होता है। देश की राजनीति और शासन जहाँ संसद के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं वही प्रशासन तंत्र को प्रत्यक्षत: अपने उच्चाधिकारियों के प्रति और अन्तत: 71 मंत्रियों व संसद के माधयम से अपने क्रियाकलापों के औचित्य के लिए आम जनता के प्रति उत्तरदायी समझा जाता है। जब लोकायुक्त के यहाँ किसी प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध परिवाद पंजीकृत होता है तो लोकायुक्त द्वारा जाँच का प्रमुख आयाम यही होता है। कि प्रशासनतंत्र द्वारा लिए गए निर्णयों में कहीं वह सत्यनिष्ठा और शुचिता के मानदण्डों से विचलित होकर गैर कानूनी प्रेरकों से तो प्रभावित नहीं हुआ है। जाँच के इस आयाम से प्रशासनिक प्राधिकारियों को न केवल अपने अधिकारों व शक्तियों की मर्यादा में आचरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है अपितु उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने में भी मदद मिलती है।

5. प्रशासनिक भूलों एवं त्रुटियों को सुधारने का माध्यम –प्रशासन तंत्र में निर्णय लेने की एक लम्बी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में किसी न किसी स्तर पर सायास या अनायास त्रुटियाँ हो जाने की संभावना रहती है। अनायास हो गयी त्रुटियों से जनसाधारण का अहित होने की संभावना न्यूनतम रहती है किन्तु सायास त्रुटियों से नागरिकों का घोर अनिष्ट होने की संभावना रहती है। अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रशासनिक पदों व शक्तियों के निजी हित में उपयोग के दृष्टांत मिलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक इतिहास में इस प्रकार के दृष्टान्तों में वृद्धि के संकेत हैं।

प्रशासनिक स्तर में आ रही इस गिरावट को नियंत्रित करने एवं प्राशसनिक भूलों व त्रुटियों को सुधारने के एक सशक्त माध्यम के रूप में लोकायुक्त की भूमिका विशिष्ट महत्त्व रखती है। सभी नागरिकों को लोकायुक्त व्यवस्था के अन्तर्गत यह अवसर मिल जाता है कि वे प्रशासनिक निर्णयों में सम्भावित त्रुटियों के कारण हो रहे अहित के विरुद्ध लोकायुक्त से उन निर्णयों में रह गयी त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। इससे प्रशासनिक तंत्र के संचालकों और प्राधिकारियों को सदैव यह भय बना रहता है कि उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की परीक्षा सम्भव है और इस स्थिति से सतर्क रहते हुए उनके कार्यकरण में एक स्वाभाविक अनुशासन उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है।

6. कानून के शासन की प्रतिष्ठा का उपागम–भारत का संविधान देश में कानून के शासन की प्रतिष्ठा करता है। देश का प्रत्येक नागरिक

कानून के समक्ष समान समझा जाता है। सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। किसी भी वर्ग को कोई कानूनी विशेषाधिकार नहीं है। संविधान की इन अपेक्षाओं से प्रसूत प्रशासनतंत्र से यह स्वाभाविक आशा की जाती है कि वह सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। प्रशासनतंत्र द्वारा असमान व्यवहार किए जाने के परिवादों की सुनवाई उपयुक्त नागरिक प्राधिकारियों के यहाँ होती है। किन्तु, यदि देश में सर्वोच्च नीति निर्माताओं- मंत्रियों एवं सचिवों के स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों में यदि कानून के शासन की अवहेलना होती हो तो इस स्थिति में लोकायुक्त संविधान की भावना के अनुरूप कानून के शासन को सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकता है। लोकतंत्र में नीति निर्माताओं का नैसर्गिक दायित्व होता है कि वे चुनौती दिए जाने पर अपने निर्णयों के औचित्य को सिद्ध करें। जब नीति निर्माताओं को यह भान होता है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की वैधानिकता, औचित्य और उन निर्णयों की संविधान के प्रावधानों के अनुसार समीक्षा हो सकती है तो वे निर्णय लेने से पूर्व भी पर्याप्त चौकन्ने रहते हैं। इसके पश्चात् भी यदि किन्हीं निर्णयों में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके अन्तर्निहित कारकों को चुनौती दी जा सकती है। लोकायुक्त देश में कानून के शासन को प्रतिष्ठित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

7. **प्रशासन के प्रति जनविश्वास बनाये रखने की कड़ी –** प्रजातंत्र में जनविश्वास को सर्वाधिक ठेस तब पहुँचती है जब उसके निर्णयों से सार्वजनिक हित की अपेक्षा निजी हितों की साधना हो रही प्रतीत हो। वस्तुत: प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सुझायी गयी लोकपाल एवं लोकायुक्त की योजना, लोगों के मानस में प्रशासन तंत्र द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार के अन्याय के मुक्ति दिलाते हुए प्रशासन के विधि और न्याय सम्मत कुशल आचरण को प्रतिष्ठित करना रही हैं लोकायुक्त की योजना और इसकी उपस्थिति लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए अपनायी गयी कि जन कल्याण प्रशासन का सर्वोच्च ध्येय है और इस ध्येय से विचलित करने वाले सभी कारकों को रेखांकित कर उन्हें प्रभाव शून्य करना प्रशासनतंत्र की एक निष्ठ प्राथमिकता है । नागरिक जब यह अनुभव करें कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्णयों से जनहित प्रभावित हो रहा है तो ऐसे समस्त निर्णयों की समीक्षा करते हुए प्रशासन के प्रति जनविश्वास को बनाये रखने की भूमिका निभाने की अपेक्षा लोकायुक्त से की जाती है। लोकायुक्त लोगों के इन्हीं अभाव अभियोगों को दूर करते हुए प्रशासन के प्रति जन आस्था को बनाए रखने का कार्य करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डी.आर.सक्सेना, औम्बुड्समैन (लोकपाल) नयी दिल्ली, दीप डण्ड दीप प्रकाशन, 1987
2. के.एस.शुक्ला एवं एस.एस.सिंह, लोकायुक्त (औम्बुड्समैन इन इण्डिया, ए.सोसियो-लीगल स्टडी, नयी दिल्ली :आई.आई.पी.ए. 1978
3. अमरेश्वर अवस्थी एवं श्रीराम माहेश्वरी, लोक प्रशासन, (लक्ष्मी नारायण, आगरा, 1988)
4. एम.पी.जैन, लोकपाल : औम्बुड्समैन इन इण्डिया, ए अकेडमिक बुक लि. नयी दिल्ली, 1970
5. राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973
6. प्रशासनिक सुधार समिति प्रतिवेदन, 1963
7. प्रशासनिक सुधार आयोग का 'जन अभियोग निवारण की समस्या' पर अन्तरिम प्रतिवेदन, 1966

****

HIV/AIDS: A Social Stigma On Indian Society

Dr. Arvind Sirohi*

***Assistant Professor (Cont.) Department of Sociology C.C.S.University Campus, Meerut (U.P.) INDIA**

Abstract - HIV stigma is negative attitudes and beliefs about people with HIV. It is the prejudice that comes with labeling an individual as part of a group that is believed to be socially unacceptable. India is the one of the largest and most populates countries in the world, with over one billion inhabitants. Social Stigma and discrimination are major challenges attached with HIV/AIDSstatus especially in Indian society. Stigma is defined as a significantly discrediting attribute which serves to devalue people who possess it resulting in status loss and social rejection. People living with and affected by HIV are subject to loss of employment, livelihoods and property, school expulsion, violence, social exclusion, denial of medical services, and lack of care and support. AIDS-related stigma can lead to discrimination such as negative-treatment and denied opportunities on the basis of their HIV status. Many people living with HIV have been heavily stigmatized and discriminated against and the fear of going through this makes it difficult for them to reveal their status.
Keywords: HIV,AIDS,Stigma, Discrimination.

HIV and Stigma: India is the one of the largest and most populates countries in the world, with over one billion inhabitants.In a country where poverty, illiteracy and poor health are rife, the spread of HIV presents a daunting challenge. HIV stigma is negative attitudes and beliefs about people with HIV. It is the prejudice that comes with labeling an individual as part of a group that is believed to be socially unacceptable.The stigma and discrimination associated with HIV/AIDS are complex social processes that have developed during historical periods of rapid social and economic changes (Sandy, 2011:160). In India, as elsewhere, AIDS is often seen as "someone else's problem" – as something that affects people living on the margins of society, whose lifestyles are considered immoral. Even as it moves into the general population, the HIV epidemic is misunderstood and stigmatized among the Indian public. People living with HIV have faced violent attacks; been rejected by families, spouses and communities; been refused medical treatment; and even, in some reported cases, denied the last rites before they die (Nagendra, 2008:130). HIV/AIDS is a social and development issue (Verma, 2010:01). As well as adding to the suffering of people living with HIV, this discrimination is hindering efforts to prevent new infections. While such strong reactions to HIV and AIDS exist, it is difficult to educate people about how they can avoid infection. AIDS outreach workers and peer-educators have reported harassment(Human Rights News: 2002). From the start of the AIDS epidemic, stigma and discrimination have fuelled the transmission of HIV and have greatly increased the negative impact associated with the epidemic. HIV related stigma and discrimination continue to be manifest in every country and region of the world, creating major barriers to preventing further infection, alleviating impact and providing adequate care, support and treatment. The stigma associated with AIDS has silenced open discussion, both of its causes and of appropriate responses (Bindra, 2010: 8). People living with and affected by HIV are subject to loss of employment, livelihoods and property, school expulsion, violence, social exclusion, denial of medical services, and lack of care and support. The social and economic consequences resulting from HIV stigma and discrimination can be as devastating as the illness itself. These consequences, or often just the fear of them, contribute to the spread of HIV. People who live in fear and denial of HIV are less likely to adopt preventive behavior, test for HIV, and disclose their sero status to other, and access care and treatment (Ibid: 15).

Cultural stigma and taboos social bans, especially related to sex and sexual activities, increase men's and women's vulnerability to HIV. HIV related stigma is triggered by many forces such as a lack of understanding of HIV, myths about how it is transmitted, fears relating to illness and death, HIV /AIDS possess all the characteristics associated with stigmatized disease. AIDS is incurable degenerative and fatal (Sharma, 2012: 21-30). HIV/AIDS related stigma and discrimination can take the form of anger and negative feelings towards people living with HIV, avoidance, expression of blame and shame, loss of

livelihood, loss of housing, physical and emotional abuse. Women are much more stigmatized than men when they are infected. Stigma is also linked to power and domination throughout society as a whole. Due to the stigma associated with HIV and the discrimination that often follows, the rights of people living with HIV and their families are often violated (Bindra, 2010:01-37). The shame associated with AIDS is a manifestations of stigma that has been described by some writers as 'internalized' stigma may also prevent people living with HIV from seeking treatment, care and support and exercising other rights, such as working, attending school etc. For people living with HIV, this may be manifested in feelings of shame, self Blame, and worthlessness, which, combined with feelings of being isolated from society, can lead to depression, self imposed withdrawal and even suicidal feelings (Sandlua, 2011 : 160-185).

"The epidemic of fear, stigmatization and discrimination has undermined the ability of individuals, families and societies to protect themselves and provide support and reassurance to those affected. This hinders, in no small way, efforts at stemming the epidemic. It complicates decisions about testing, disclosure of status, and ability to negotiate prevention behaviors, including use of family planning service." Thus, the stigma and discrimination associated with HIV and AIDS also mean that people living with HIV/AIDS are much less likely to receive care and support. Even those not actually infected but associated with the infected, such as spouses, children, suffer stigma and discrimination. Infect this stigma and discrimination needlessly increase the personal suffering associated with the disease (Crocker, 1999: 89-107).

What is discrimination?

While stigma refers to an attitude or belief, discrimination is the behaviors that result from those attitudes or beliefs. HIV discrimination is the act of treating people living with HIV differently than those without HIV.

Here are a few examples:

1. A health care professional refusing to provide care or services to a person living with HIV.
2. Refusing casual contact with someone living with HIV.
3. Socially isolating a member of a community because they are HIV positive.
4. Referring to people as HIV Positives.

What causes HIV stigma?

HIV stigma is rooted in a fear of HIV. Many of our ideas about HIV come from the HIV images that first appeared in the early 1980s. There are still misconceptions about how HIV is transmitted and what it means to live with HIV today. The lack of information and awareness combined with outdated beliefs lead people to fear getting HIV. Additionally, many people think of HIV as a disease that only certain groups get. This leads to negative value judgments about people who are living with HIV. The stigma associated with AIDS has silenced open discussion. Stigma is associated with AIDS epidemic since from its start. Stigma has been described as a dynamic process of devaluation that 'significantly discredits' an individual in the eyes of others. Stigma is expressed in language. HIV/AIDS stigma is associated with negative behaviore.g. Illegal sex, drug use. Stigma is deeply rooted operating within the values of everyday life. HIV/AIDS is highly stigmatized in India. The common belief is that HIV is associated with promiscuity has led many people to assume that HIV infected people have sinned and thus, deserve their fate (UNAIDS, December, 1996).Today, beyond the range of any previous global epidemic HIV, the cause of AIDS has reached the proportions of a pandemic. In India HIV/AIDS is spreading rapidly. AIDS-related stigma and discrimination refers to prejudice, negative attitudes, towards HIV/AIDS patient. AIDS stigma exists worldwide, although they manifest themselves across countries. Stigma makes it more difficult for those people who are live with HIV/AIDS and to manage their illness at their personal level. Fear of contagion coupled with negative, value- based assumptions about people who are infected leads to high levels of stigma surrounding HIV/AIDS. Although AIDS related stigma is not static. It changes over time as infection level, knowledge of the disease and treatment availability varies. The WHO cites fear of stigma and discrimination as the main reason why people are reluctant. AIDS-related stigma can lead to discrimination such as negative-treatment and denied opportunities on the basis of their HIV status. Thus discrimination can occur at all levels of a person's daily life. In daily routine life HIV can experience stigma and discrimination. Many people who are living with HIV do not know that, when and to whom to disclose their HIV status. In workplace, people living with HIV may suffer stigma from their co-worker. The stigma and discrimination towards HIV/AIDS people is found entirely in the every community. A community's reaction to somebody living with HIV/AIDS can have a huge effect on person's life family and community play an important role, when a person became sick. They provide support and care for people living with HIV/AIDS. HIV infected members of the family can find themselves stigmatized and discriminated against within the home (Singh, 2011: 1-38).

There is no doubt that the universe AIDS has now become one of the major epidemic in India. India has the fourth largest country suffering from AIDS. The spread of HIV in India is primarily restricted to the southern and north eastern regions of the country and India has also been praised for its extensive Anti. AIDS campaign (Srivastava, 2). In the late 80s of the 20^{th} century there was a growing realization that if any response to HIV had to be successful, there has to be an active role of the HIV-infected persons, unlike many other diseases. It was also clear that the impact of the virus was not to be limited to the body of the infected but also to the minds of his Kith and Kin, the neighborhood and gradually the state as a whole. By the early 90s of the 20^{th} century it was also clear that HIV was not a worry for health

professionals only but also for many other professionals, including development planners and ultimately the entire government as well as International agencies (Verma,2010:1). Unfortunately, disclosure is not without its challenges and risks. The stigma and discrimination associated with HIV infection as made the process of disclosure of HIV status complicated for many, with fear of electricity a negative reaction from the their partner being the major source of concern. Many Aspects of the determinates of reaction to status disclosure of sexual partners remain undefined in developing countries.There is no doubt that in the universe AIDS has now become one of the major epidemic of this century, an epidemic with strong roots in human behavior and no cure available in the short run. The structural dimension of the HIV/AIDS epidemic is being presented as a chronic social problem like, prostitution, or illicit drug use. The stigma, blame, and marginalization that are associated with HIV/AIDs are socially constructed words that cause pain to the HIV/AIDS peoples. Increasingly, the AIDS epidemic is disproportionately caused pain to the minorities in the developing countries like India, and the sociological perspective is important for social policy initiatives affecting this sector of the population (Rao, 2009: 01).

The social stigma and discrimination attached to HIV/ AIDS that is present in all societies. There are several levels at which HIV/AIDS related discrimination, stigmatization and denial is experienced and felt. Moreover, these include societal, community and cultural levels, economic barriers in addition to this the experience of individuals (Anwar, 2015:1182-1188).After almost three decades, the understanding of the epidemiology of HIV has greatly improved with respect to the global distribution and diversity of HIV, the HIV transmission dynamic in different contexts, and effective prevention responses. Experience over the last decades has shown that it is critical to ensure that the responses to HIV and AIDS are based on a rigorous and objective analysis of the biobehavioral determinates of HIV transmission, and that they are tailored to address the major drivers of transmission. Often national and regional response to HIV/AIDS has been undermined by generic approaches, which do not address the major local drivers of the epidemic in each context. An understanding of both the underlying similarities and the variations of the pattern of HIV across the region is therefore central to effective response to the epidemic in Asia (Haecker,2010:1).

What can be done about HIV stigma?

Talk about HIV: Talking openly about HIV can help normalize the subject. It also provides opportunities to correct misconceptions and help others learn more about HIV. But be mindful of how you talk about HIV and people living with HIV. The *Let's Stop HIV Together* stigma language guide can help.

Take Action: We can all help end HIV stigma through our words and actions in our everyday lives. Lead others with your supportive behaviors. Check out the *Let's StopHIV Together* stigma scenarios for tips on what you can do when you witness stigma. You can also make a pledge to stop HIV stigma by downloading a pledge card to customize and post on your website, blog, and social media channel.

Findings : In the late 80's of the 20^{th} century, there was a growing realization that if any response to HIV has to be successful, there had to be an active role of the HIV infected person, unlike many other disease. Not other this, equal participation of those who were not infected was also necessary in the battle against the epidemic because sooner or later, most of the uninfected person's were likely to be affected by the epidemic. It was also clear that the impact of the virus was not to be limited to the body of the infected but also to the minds of his Kith and Kin, the neighborhood and gradually the state as a whole. The battle against HIV/AIDS has two primary objectives- prevention of transmission and minimum personal and social impact of the virus, if transmitted.Disclosure of HIV status to one's sexual partner is known to promote HIV testing, encourage HIV risk reduction, increase opportunity for social support and ultimately facilitate long term plan to ensure HIV prevention and management. Many people living with HIV have been heavily stigmatized and discriminated against and the fear of going through this makes it difficult for them to reveal their status. But when it comes to relationship, does one have a heavy duty to reveal their status with their sexual partners.

References:-

1. Bindra, Anju (2010):"HIV/AIDS Health Care and Human Right", Manglam Pub., Delhi
2. Cockerham, William C. (1998): "Medical Sociology", New Jersey, Prentice Hall
3. Crocker. J (1999): "Social Stigma and Self-esteem: Situational Construction of Self-worth", Journal of Exp. Soc. Psychol., Vol. 35, pp: 89-107
4. Effects of Specific Stigma Manifestation in Various Social Settings", Wolters Kluwer Health, No. 23, pp: 2353-2357
5. Hacker, Markus (2010): "HIV and AIDS in South Asia", Rawat Publication, Jaipur
6. Human Rights News (2002) 'AIDS in India: Money won't solve crisis, Rising violence against AIDS-affected people', November 13
7. Nagendra, Shilaja (2008): "AIDS in India",ABD Publishers, New Delhi
8. Nagla, B.K. and Nagla. M. (1997): "Sociology of Medical Profession", Rawat Pub., Jaipur
9. Nagla, M. (1997): "Sociology of Medical Profession", Rawat Publication, Jaipur
10. Sharma, Meenu (2012): "AIDS Awareness through Community Participation", KalpazPub,Delhi
11. Singh, R S (2011): "AIDS and Education: Issues and Challenges", ABD Publishers, NewDelhi

12. Singh, R S (2011): “Global Trends in HIV/AIDS”, ABD Publishers, New Delhi
13. Stutterheim,S.E.(2009): “HIV-related Stigma and Psychological Distress : The Harmful
14. UNAIDS (2001) ‘India: HIV and AIDS-related discrimination, stigmatization and denial’
15. UNDP (2006), The Socio Economic Impact of HIV and AIDS in India
16. UNDP (2006), The Socio Economic Impact of HIV and AIDS in India
17. Verma, Sudhir (2010) : “Gender, HIV and Social Work”, Rawat Publication, Jaipur

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

A Study of Digital Marketing in Business and Economy

Dr. Neha Jain*

*Professor, SISTec MBA, Gandhi Nagar, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - In recent years, the emergence of new digital platforms has given rise to considerable changes in consumer demand and their purchase behavior. Digital marketing is rapidly advancing with Indian technology. As a result, a growing number of businesses in India are turning to digital marketing strategies. Earlier, the Internet was purely a source of information but now has become a place where people meet to share their experiences and stories, a platform for discussion and debate, a source of entertainment and much more. Social networking has influenced the way of using internet further, it has become a medium to reach general masses. Businesses are in rush to take advantages of increasing internet usage, hence given rise to digital marketing. Strategists are no longer confined to traditional modes of marketing, internet has been proven a superior medium, courtesy to, speed and mass coverage to reach targeted population. India being an emerging economy and a largest market has huge potential to take advantages of fastest growing digital marketing industry. This study will overview the scope and potential of digital marketing in Indian market. The study will be using theoretical approach by reviewing all the relevant literature on digital marketing in Indian context. A theoretical structural will be provided to be further tested empirically by other studies.

Keywords: Digital marketing, Social media marketing, Traditional marketing, Economy.

Introduction - Marketing can be defined as the tool of promoting the product and services with the help of internet and similar technologies.The main aim of digital marketing is to attract consumers and allowing them to interact with the brand through digital media. Digital marketing is the promotion of products and services through different forms of electronic medium. Keeping the benefits in view, government of India has initiated many policies and programs for today's competitive and challenging environment traditional ways of doing business, they face challenges in society, living standards can be improved.

In practice there is a considerable range of different terminology that explains the practice of utilizing digital marketing, internet communications to achieve marketing objectives". Kumar and Singh marketing, online marketing and social media marketing. Thus, Digital Marketing is the utilization of the Internet in order to reach the desired target market, via some of the following channels:

1. Social Media (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.).
2. Websites/Blogs (WordPress.com).
3. Multimedia Advertising (YouTube.com).
4. Online/Search Engine Adverting (GoogleAdWords, SEO).
5. Email Marketing.
6. Interactive Marketing/Apps (Online Competitions, Polls)

Origin of Digital Marketing: The term Digital Marketing was first used in the 1990s, when the Internet bubble burst in 2001, market was dominated by Google and Yahoo for search engine. Internet search traffic increased in 2006; the rise of information anytime and at any place where they want. With the search engine optimization spread for major companies like Google. In 2007, the usage of mobile devices enlarged the Internet usage drastically, and people all over the world began connecting media, friends, associations, peers, etc. with each other more conveniently through social media. In 2010s, digital marketing became more sophisticated as an effective way to create a relationship with the consumer that has depth and relevance.

Digital marketing is no longer about merely adding online channels to the media mix; it is about integrating digital into all facets of marketing.Monotonous advertising and marketing techniques had given way to digital marketing. Besides, it is so powerful that it can help revive the economy and can create tremendous opportunities for governments to function in a more efficient manner. Blogs as a tool for digital marketing have successfully created an impact for increasing sales revenue, especially for products where customers can read reviews and write comments about personal experiences. For businesses, online reviews have worked really well as part of their overall strategic

marketing.

In the Developing economy like India, Digital marketing is of utmost importance, in order to have a successful business, companies need to have a blend of digital with traditional practices for meeting the consumer needs. Introduction of advanced technologies are trying to innovative business opportunities for marketers to maintain their websites and accomplish their business objectives. Due to technologies advancement at an exponential rate, the marketing paradigm has shifted to newer more customer and content centric approaches being delivered on the digital platform. Traditional marketing like advertising, public relations, branding and corporate communications, lead generation etc. broadly relies on television, radio, telephone, and print media and telephone as a delivery medium. Contrary to that modern marketing techniques leverage the power of Internet and social media to reach to a more targeted set of audience.

Modern marketing techniques provide cost effective marketing platform with ability to reach millions of customers in a very short span of time. Businesses which invest heavily on only on digital marketing as their marketing delivery tool, can substantially hurt their overall marketing success. For success of any marketing campaign it should fully harness the capabilities of various marketing techniques available within both the traditional and modern marketing. Activities like push marketing, lead generation, launch events and trade shows, television and print media can be used to integrate with social computing, customized content and control budget etc. to effectively reach the identified market segments and convert them into paying consumers. With the rise of social media, changing business landscapes, and introduction of more educated customers, the businesses need to rethink about their marketing strategies and lay out a multi-channel marketing plan that carefully lays out an optimal mix of both the modern and traditional techniques best suited for the business.

Benefits of Digital Marketing

Anytime Shopping- As the internet is available all day long, there is no time restriction for when the consumer wants to buy a product online.

Concrete Information- With the use of digital marketing, consumers get clear information regarding the products or services as there is a little chance of misunderstanding of information taken from a salesperson in a retail store.

Latest Updates regarding products and services-Digital marketing technologies allow the consumers to stay with the company information updated. Nowadays a lot of consumers can access internet any place anytime, and companies are continuously updating information about their products or services.

Enhanced engagement- Consumers can engage with the companies various activities using digital marketing channels. Consumers can visit company's website, read required information regarding the products and services and can also make purchases online and give the feedback.

Increase in Internet penetration- Increase in internet penetration in the country has led to a substantial growth of other digital industries such as e-commerce, digital advertising and so on. Latest trends in digital marketing in India in web usage, mobile and search, social networking, shopping and online video are shaping the Indian digital marketplace and what it holds for the years to come.

Review of Literature

Dara (2015) studied the effectiveness of the digital marketing strategies for both marketers and consumers. The research study finally suggested determining customer needs should be the top priority before selling the products and services on the various digital marketing channels.

Dastidar&Datta (2009). In this study it was found that, relationship present gender wise between both the variable and influence of exploratory tendencies on impulsive buying behavior on in young female is higher than young male. It reveals that, variety seeking, risk taking/innovativeness, and curiosity motivated behavior in young female is higher result spontaneous buying behavior.

Sathish and A. Rajamohan (2012). In their study Consumer behaviour and buying behaviour marketing, a general approach of consumer is taken. A consumer's buying behaviour is seen as the sum of his interactions with his environment.

D.K Gangeshwar (2013) in his journal, "E-commerce or internet marketing: a business review from Indian Context", remarked that the present developed in online marketing would be a valuable addition to researcher and academicians and useful theory for practitioners, advertisers and entrepreneurs. In the next three to five years India will have 30 to 70 million internet users which will equal many of the developing countries.

Dr.Amit Singh Rathore, Mr.Mohit Pant, Mr. Chetan Sharma (2017), in their article "Emerging trends in Digital marketing in India" says that the consumers are looking and searching more on internet to find the best products and services from the sellers around India. By different techniques of digital marketing such as search engine optimization (SEO), search engine marketing (SEM), content marketing, influencer marketing, e-commerce marketing, campaign marketing, social marketing etc.

Challenges in Digital Marketing:

1. **Trigger-Based E-mail-** "Right message, right person, right time" has been a maxim of the direct marketing industry for years. The is that "right time" now might be a window of perhaps two minutes. In time, the role of trigger based e-mail that can engage and interact after a specific action, perhaps reviewing a promotional Web page, will be increasingly critical

2. **Problem of integration-** One of major problems with marketing campaigns is that they take up several offline and online promotional channels such as press, brochure, catalogue, TV, cell phone, e-mail, internet, social media

etc, while lack a comprehensive, harmonizing marketing structure. Each item is used separately and accomplished as a different task not as a part of an integrated campaign aiming at the realization of specified and particular objectives. This deficiency can be compensated for by taking a holistic come up to which synchronizes the different traditional and internet age modes of marketing communication as moments of an integrated organization. With respect to the practical, online component of an integrated marketing what is "also worth noting (or reminding) is that like offline marketing, all aspects of online marketing are inextricably connected- and in many cases mutually dependent.

3. A bad reputation- Now e-marketing has a bad reputation. And half-baked metrics such as click-through rates (CTRs) still paint a picture of inefficacy and failure. Plenty of evidence shows that the Web is the most cost effective branding medium available, but the Net's reputation will need to be rebuilt one success at a time.

4. New Layer of E-mail Filtering- Gmail's Priority Inbox and Facebook's Social Inbox may result in mail ending up in folders that are rarely reviewed. This potentially has a knock on effect on our opening rates and other performance metrics. We will need to work harder to ensure that our customer is opening, clicking, sharing, and forwarding our emails; this helps with complex relevancy scoring that will ensure the message finds its way into a higher priority destination. It spells the end of the one-way communication and opens up some exciting opportunities for on message interaction with customers.

5. Lack of face-to-face contact- Internet dealings involve no alive, personal interaction and that is why some customers consider electronic modes of providing customer service impersonal and enjoy the experience of shopping in a bricks and mortar, physical store. They like better to talk to store personnel in a face to face conduct, touch the related product with their hands, and socialize with other . Virtual marketplace cannot provide for this function of offline shopping and lacks personal interaction. To be more "for the types of products that rely heavily on building personal relationship between buyers and sellers such as the selling of life insurance, and the type of products that requires physical examination, Internet marketing maybe less appropriate.

6. Security and Privacy- It is clear enough that now a days customers' data can easily be shared with other companies without asking for their authorization. Moreover their more crucial personal data such as usernames and are not protected from hackers.

7. Lack of trust- "Online trust includes consumer perceptions of how the site would deliver on expectations, how believable the site's information is, and how much confidence the site commands" (134). These days in spite of the rapid growth of online dealings a number of people still suspect electronic methods of paying and still have doubt whether the purchased items will be delivered or not. On the other hand occurrence of online fraught has made customers hold negative or doubtful attitudes towards online transactions.

Conclusion: The purpose of the study is to highlight digital marketing and its challenges. Indian consumers have always been open to the idea of trying new products. With the socio-economic changes taking place and the increase in the number of nuclear families and well as twin-income families, there is a dramatic increase in household as well as disposable incomes. To cater to their need marketers are introducing new and advanced products, and positioning them to attract target customers.

Due to technologies advancement at an exponential rate, the marketing worldview has shifted to newer more customer and content-centric approaches being delivered on the digital stage. Customary marketing like advertising, advertising, marking and corporate communications, lead generation, etc. extensively relies on television, radio, telephone, and print media and telephone as a delivery medium. In spite of that modern marketing techniques leverage the power of the Internet 404 and web-based social networking to reach to a more targeted set of audience. Modern marketing techniques provide sound marketing stage with the capacity to reach a large number of customers. Businesses which invest heavily on just on digital marketing as their marketing delivery instrument can significantly hurt their overall marketing success.

Many research studies and data from various sources shows that India is moving towards digitization very rapidly year by year, and the Indian government is also focusing on the complete digitization of the nation by initiatives like Digital India. The objective of the Digital India is to revolutionize by implementing digitalization in every sphere of life, to improve the standard of living with ease in governance and delivery of services in this huge country. Using digital media makes people to finish tasks very conveniently by bridging the distances with time savings.

References:-

1. P. Ankita and K. Naveen, "Review of digital marketing with latest tools and its effect on business models", International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, vol. 8, no. 5, pp. 2321-9653, May 2020.
2. D. Bhagowati and D. M. Dutta, "A study on literature review for identifying the factors impacting digital marketing", International Journal of Sales & Marketing Management Research and Development, vol. 8, no. 3, pp. 1-8, Aug. 2018.
3. Stephen, A. T. (2016). The role of digital and social media marketing in consumer behavior. Current Opinion in Psychology, 10, 17-21.
4. Yasmin, A., Tasneem, S., &Fatema, K. (2015). Effectiveness of digital marketing in the challenging age: An empirical study. International Journal of

Management Science and Business Administration, 1(5), 69-80.

5. Pohjola, M. (2001). Information technology and economic growth: a cross-country analysis. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
6. D.K Gangeshwar, "E – Commerce or Internet Marketing: A Business Review from Indian Context", International Journal of Service, Science and Technology, Volume: 6, Issue: 6, pp.187 – 194.
7. Dr. Amit Singh Rathore, Mr. Mohit Pant and Mr. Chetan Sharma (2017), "Emerging Trends in Digital Marketing in India", International Conference on Innovative Research in Science, Technology and Management, pp. 107 – 115.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

डॉ. उदय प्रताप सिंह*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (बी.एड.विभाग) किसान पी0जी0 कॉलेज, बहराइच (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – बच्चे के व्यक्तित्व के सुधार में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। कॉलेज शिक्षा के चरण के दौरान, महत्वपूर्ण स्कूली शिक्षा उन मजबूत स्तंभों में से एक है जो बच्चे के सभी कॉलेजों के विकास को निर्धारित करती है। भले ही सरकार सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा को कायम रखने के लिए असाधारण प्रयास कर रही है, फिर भी कुछ समस्याएं अभी भी अनसुलझी हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्कूली शिक्षा को बाद की शिक्षा के लिए स्प्रिंग बोर्ड माना जाता है। पेपर भारत में प्रमुख शिक्षा में विकास के साथ-साथ चुनौतियों का अवलोकन प्रदान करता है।

प्रस्तावना –पिछले कुछ वर्षों में, दूर-दराज के क्षेत्रों में बड़े नामांकन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कई कार्यक्रमों और अभियानों के कारण, भारत ने पूरे क्षेत्र में प्रमुख शिक्षा की शिक्षा और नामांकन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि की है। हालांकि, पढ़ाई छोड़ने की लागत और अच्छी पढ़ाई का कम स्तर अभी भी देश और केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। 2009 के बाद से नामांकन 96% तक पहुँच गया है, और नए छात्रों में 56% महिलाएँ हैं, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि स्कूल में प्रवेश से संबंधित अधिकांश समस्याओं का समाधान पहले ही किया जा चुका है। सार्वजनिक स्कूलों के बुनियादी ढांचे में भारी उन्नयन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में 1.4 मिलियन संकाय काम कर रहे हैं, 7.7 मिलियन प्रशिक्षक हमारे देश के उभरते इंजीनियरों, डॉक्टरों और भविष्य की खेल हस्तियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

किशोरों को कॉलेजों में दाखिला दिलाना कहानी का अंत नहीं है, बल्कि संभवत: शुरुआत है। हमारे देश की कई सरकारों द्वारा किए गए इन प्रयासों के बावजूद, स्नातक स्तर तक बच्चों को कॉलेज में बनाए रखना अभी भी एक बेहद महत्वपूर्ण समस्या है जिसे सरकार को संबोधित करना होगा। इसके अलावा, महारत हासिल करना एक प्रमुख चुनौती है और समीक्षाओं के अनुसार बच्चे अब कक्षा-उपयुक्त अध्ययन स्तर पूरा नहीं कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या से निपटने के लिए, दिए गए प्रशिक्षण की संतुष्टि के लिए, मुख्य मुद्दा जिसे संबोधित और सुधारा जाना है, वह है प्रशिक्षक की जवाबदेही को बढ़ाना। प्रत्येक ग्रेड स्तर पर बेहतर मूल्यांकन और अतिरिक्त पर्यावरण अनुकूल निगरानी और सहायता प्रणालियाँ। कुल मिलाकर, हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका की सार्वजनिक कॉलेज प्रणाली पूरे सिस्टम का प्रबंधन करने वाले बेहतर इंसानों की कामना करती है। हमारे देश के प्रशिक्षण तंत्र को परेशान करने वाले गंभीर मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा यह है। एस। लैंगिक मुद्दे हैं, जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा के हालिया मामले बढ़ रहे हैं। लैंगिक मानसिकता को गंभीर बनाकर और लिंग अध्ययन के बारे में भीड़ को पढ़ाकर इस समस्या को संबोधित और बदला जा सकता है।

प्राथमिक शिक्षा की प्रगति –वर्तमान दशकों में भारत ने शिक्षा में प्रवेश का अधिकार और महत्वपूर्ण शिक्षा में नामांकन लागत प्राप्त करने में काफी प्रगति की है, हालांकि ड्रॉपआउट फीस और पढ़ाई के निम्न स्तर राज्य और केंद्र सरकार के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। चूंकि सार्वजनिक स्कूली शिक्षा में अमेरिका का रिकॉर्ड भारत से अधिक लंबा है, इसलिए भारत के लिए अमेरिकी स्कूली शिक्षा प्रणाली में सफलताओं और गड़बड़ियों का विश्लेषण करने और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा में विज्ञान के सुखद उपयोग जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में सहयोग करने की संभावनाएं हैं। भारत में प्राथमिक संकाय नामांकन एक सफलता की कहानी रही है, जिसका मुख्य कारण दूर-दराज के क्षेत्रों में भी नामांकन का विस्तार करने के लिए कई पैकेज और अभियान हैं। भारत में अब 14 लाख स्कूल और 7.7 मिलियन शिक्षक हैं, जिससे 98 प्रतिशत बस्तियों में एक किलोमीटर के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I-V) है और नब्बे प्रतिशत में एक शीर्ष प्राथमिक विद्यालय (कक्षा VI) है। -VIII) तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के अंदर।

भारत में प्राथमिक शिक्षा की सामान्य स्थिति को सुधारने के लिए कुछ समस्याएँ जिन पर समझने और काम करने की आवश्यकता है, वे हैं:

शिक्षकों को शिक्षित करना – भारत के कॉलेजों में अच्छे ज्ञान की कमी के कारण शिक्षक शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्कूलों को निजी स्कूलों के साथ सहयोग करने से पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र दोनों के संदर्भ में कौशल निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करने में मदद मिलनी चाहिए, जिसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता है।

उचित मूल्यांकन प्रणाली का निर्माण – प्रशिक्षकों के लिए अपने छात्रों की सराहना का आकलन करने और इसके अलावा नीति को सूचित करने के लिए अध्ययन कक्ष स्तर पर अच्छे मूल्यांकन फायदेमंद होते हैं। भारत में सामान्य और लाभकारी मूल्यांकन की चाहत एक ऐसी चीज है जिस पर भारतीय शिक्षा विभाग केंद्रीय और राज्य स्तर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

लिंग अध्ययन शिक्षा – भारत में महिलाओं के देश ने हाल ही में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है और शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता की बिक्री में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लड़कों और लड़कियों को कम उम्र से ही लैंगिक समानता के बारे में सोचना सिखाया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट शिक्षक प्रशिक्षण के साथ लिंग अध्ययन शामिल होना चाहिए।सामना की गई चुनौतियाँ – भारत में प्राथमिक शिक्षाभारत के सामने

भी कई चुनौतियाँ हैं जिनसे शिक्षा प्रणाली के माध्यम से निपटा जाना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के हालिया मामलों के कारण लिंग संबंधी समस्याएं सामने आई हैं। लैंगिक मानसिकता को बदलना अभिन्न लगता है और लिंग अनुसंधान प्रशिक्षण ऐसा करने का एक तरीका है। इसके अलावा, अधिकांश देशों के साथ भारत भी श्रम बाजार के भविष्य और रोजगार क्षमता को लेकर चिंतित है।

बुनियादी ढांचे की कमी – कॉलेज परिवेश में जीर्ण-शीर्ण संरचनाएं, एक कमरे वाले स्कूल, पेयजल सुविधाओं की कमी, अलग शौचालय और विभिन्न शैक्षणिक बुनियादी ढांचे गंभीर समस्याएं हैं।

शिक्षकों की गुणवत्ता – अच्छी तरह से प्रशिक्षित, विशेषज्ञ और प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी जैसी समस्याएं जो एक अत्यधिक असाधारण शिक्षा प्रणाली को आधार प्रदान करती हैं और प्रशिक्षक की कमी और खराब प्रमाणित प्रशिक्षकों दोनों ही खराब भुगतान और प्रबंधित शिक्षण संवर्गों का एक कारण और प्रभाव हैं।

गैर-शैक्षणिक बोझ – प्रशिक्षक भावनाहीन समीक्षाओं और प्रशासनिक कार्यभार से दबे हुए हैं। यह उस समय को नष्ट कर देता है जो शिक्षण के लिए सर्वोत्कृष्ट है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनआईईपीए) के एक अध्ययन से पता चला है कि शिक्षक अपने समय का लगभग 19 प्रतिशत ही पढ़ाने में खर्च करते हैं जबकि बाकी पूरा खर्च किया जाता है। गैर-शैक्षणिक प्रशासनिक कार्य।

शिक्षक अनुपस्थिति – संकाय समय के दौरान प्रशिक्षकों की अनुपस्थिति बड़े पैमाने पर है। उत्तरदायित्व की कमी और ख़राब शासन व्यवस्थाएँ समस्याओं को बढ़ाती हैं।

उत्तरदायित्व की कमी – विद्यालय प्रबंधन समितियाँ अधिकतर निष्क्रिय हैं। कई तो पूरी तरह कागज पर मौजूद हैं। माता-पिता अक्सर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं और यदि हैं भी तो उनके लिए अपनी आवाज उठाना चुनौतीपूर्ण होता है।

उच्च ड्रॉप-आउट दर – स्कूलों में, विशेषकर लड़कियों की, ड्रॉप-आउट दर बहुत अधिक है। गरीबी, पितृसत्तात्मक मानसिकता, स्कूलों में शौचालय की कमी, कॉलेजों की दूरी और सांस्कृतिक कारकों जैसे कई तत्व युवाओं को शिक्षा से दूर कर देते हैं।

भारत में प्राथमिक शिक्षा के समक्ष बाधाएँ – भारत में प्राथमिक शिक्षा की मौजूदा स्थिति के कई कारण हैं और बाधाओं को दूर करके इसे समझा जा सकता है:

1. भारत में, एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, जो मुख्य रूप से इस समस्या में योगदान करती है।
2. कई स्कूल अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाने बाकी हैं, और शहरी क्षेत्रों में मौजूद स्कूल कभी-कभी माता-पिता के लिए बोझ बन जाते हैं क्योंकि व्यस्त सड़कें और यातायात के कारण माता-पिता अपने बच्चों को जोखिम में नहीं डालते हैं। जिंदगियाँ।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की दुर्दशा अग्रणी क्षेत्र की नकारात्मक कार्यप्रणाली का एक और उदाहरण है।
4. स्कूली शिक्षा मशीन भारत में मुख्य प्रशिक्षण के लिए एक अन्य बाधा है। युवाओं या किशोरों को दी जाने वाली स्कूली शिक्षा अब काम के माहौल की नकल नहीं करती। यही कारण है कि माता-पिता अपने बच्चों को किसी के अधीन प्रशिक्षु बनने और भविष्य में आजीविका कमाने के लिए शिल्प का अध्ययन करने के लिए भेजने का निर्णय लेते हैं।
5. भारत में प्राथमिक स्कूली शिक्षा में भारी कमी का एक अन्य कारण जातिगत भेदभाव भी है।
6. सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा से पहले शिशु श्रम की अनुमति एक अन्य बाधा है।
7. शिक्षकों में प्रेरणा और प्रशिक्षण का अभाव है।

निष्कर्ष – सबसे बड़ी समस्या भारतीय शिक्षा अनुप्रयोगों या प्रणालियों के लिए नकदी की अनुपलब्धता या अपर्याप्त फंडिंग है। शिक्षा के विभिन्न कारक हैं। मांग काफी हद तक आपूर्ति से अधिक है, और हाथ में उपलब्ध पैसा पूरी तरह से छात्रों की सबसे सरल शैक्षिक इच्छाओं के लिए है। फंड की कमी के कारण प्री-फंडामेंटल कॉलेजों में उपकरणों की कमी है। विकास की गति धीमी होने के कारण शिक्षा के इस क्षेत्र में शिक्षित प्रशिक्षकों और शिशु साहित्य की कमी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मेहता, अरुण सी (2005)। भारत में प्राथमिक शिक्षा: यूईई की ओर प्रगति, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान।
2. श्रीवास्तव, रवि (2005). मेहरोत्रा, एस में 'प्रारंभिक शिक्षा में सार्वजनिक व्यय' पंचमुखी, पीआरय श्रीवास्तव, एस और श्रीवास्तव, आर (एड्स.), भारत में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना, नई दिल्लीरू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. रामचन्द्रन, विमला (2007)। 'लोकतांत्रिक असमानताएँ: भारत में प्राथमिक शिक्षा की दुविधा',अमित कौशिक (सं.), शिक्षा: भारतीय शिक्षा की चुनौती, नई दिल्ली: बफेलो बुक्स में।
4. वासवी, ए (2003)।'एक नए समाज के लिए स्कूली शिक्षा? भारत में शिक्षा अभाव के सामाजिक और राजनीतिक आधार।' आईडीएस बुलेटिन, खंड 34, 72-80।
5. रामचन्द्रन, वी (2002)। पहुंच के पदानुक्रम – प्राथमिक शिक्षा में लिंग और सामाजिक समानता, नई दिल्ली: यूरोपीय आयोग।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Sustainable Practices in Clothing and Fashion : A Review

Dr. Nidhi* Ms. Nisha Rani**

*Assistant Professor (Home Science) CISKMV Fatehpur- Pundri (Haryana) INDIA
** Assistant Professor (Home Science) CISKMV, Fahehpur- Pundri (Haryana) INDIA

Abstract - Sustainable clothing also known as eco clothing and eco fashion. Sustainable clothing increases the eco friendly approaches and strategies as well as green clothing for individual consumers also. Clothing is directly related to fashion; it may be fast and slow. The concept of fast fashion is alluring to many consumers who like to change their wardrobe and styles frequently, thus compromising with sustainable products. On the other hand, slow fashion is a process using sustainable production methods for clothing and garment technology which satisfies social responsibility and ethics. A sustainable approach and strategies to making, buying and using clothes is key to protecting the environment and planet. Sustainable clothing is not just a trend but a holistic approach to fashion and lifestyle. Clothing can truly be ethical when it maximizes benefits to people and communities involved in making it while minimizing its own impact on the planet and environment. In this review paper we have discussed some sustainable approaches for sustainable fashion and clothing.
Keywords- Eco- fashion, Sustainable clothing, upcycle, environment friendly, future, Ethical.

Introduction - The word " Sustainable'' means something can be maintained at its current rate or level. Sustainable development is " meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs". (according to the UN Report of the World Commission on Environment and Development)

Sustainable clothing also known as eco clothing and eco-fashion.It is a process of fostering change to clothing and textiles products and the production system towards ecological integrity and social justice. Sustainable clothing concerns the whole system of how clothing is produced, who produced it and how long the lifespan of a product is before it reaches landfill. Sustainable clothing also deals with considering demands from the perspective of many stakeholders as users and producers. It is the responsibility of citizens, the public sector, and the private sector.

Fashion Followers of the sustainable fashion movement believe that the fashion industry has a clear opportunity to act differently, pursuing profit and growth while also creating new value and deeper wealth for society and therefore for the National Economy. The goal of sustainable clothing is to create flourishing ecosystems and communities through its activity.

This may include: Increasing the value of local production and products, Prolonging the life cycle of materials, Increasing the value of timeless garments, Reducing the amount of waste and to reducing the harm to the environment created as a result of production and consumption. Another method can be to educate people to practice environmentally friendly consumption by promoting the green consumer.

85% of textile waste goes to landfills, where it occupies about 5 % of the space. 95% of post -consumer textiles are in fact recyclable, there should be enough reason to take action in this direction.

Objectives:

1. The purpose of this study is to understand the need and importance of sustainable clothing and also introduces sustainable approaches.
2. Review of the practices of reducing textile waste and to promote the consumer towards recycling products.

Review of literature

Clothing is the only option for a future with a healthy planet, adequate resources and eco- friendly approaches. The awareness of sustainable clothing is the beginning of a new lifestyle. Sustainable clothing is the need of the present because we are required to find solutions to environmental degradation.

Archana Shrivastava, Geetika Jain in ' sustainable through online clothing Circular Fashion Fueled By Instagram micro- celebrities' explained various drivers on the adaptation of online second- hand clothing renting platforms. The Instagram celebrities' attractiveness and trustworthiness were also found to have a positive impact on the consumer behaviour.

Kim Eundeok "The influence of sustainable and social

responsibility on fashion trends" , the study explains the causes of increasing the Apparel/ textile waste and elaborates the various practices for reducing the textile waste in the global and textile industry. So sustainable practices are the need of the future . By the help of these sustainable practices maximize Textile and Apparel waste can be used in an effective manner.

Janak Priyani, "Used clothing trend- Is it a promising way of reducing waste?" stated that various fashion brands with their resale platform provided greater incentives.

The management of Textile waste is a difficult task but some sustainable practices are helpful for managing the textile and apparel waste. As we know Textile waste is produced in various forms but at every stage with the help of various sustainable practices it can be managed.

Leah Mowery, " How to be a sustainable fashion brand: Trends idea for your business" stated that now the Trends are shifting and Consumers are demanding more ethical goods. Demand for sustainable fashion is increased and low cost , Trendy clothing and accessories created to maximize profit and meet consumer demands. She further investigated the numerous ways for consumers to incorporate sustainable fashion into their own lifestyle.

Fibre2Fashion.com the news and media website on Instagram provides a wide range of information related to textile apparels and fashion. Bus sab theme of the website is excelling in the world of Textile- Apparel- Fashion with innovative solutions and services. They present various platforms for a sustainable future like; "sustainability Conclave 2022". presented by the official site of Fibre2Fashion .com. they promote green scene. The Sustainability Conclave 2022 provides an opportunity to the brand, manufacturer, and producer to showcase their initiative related to sustainable fashion along with providing various information related to Textile, innovation, facts and new research in the field of fashion.

Some companies like Patagonia, Eileen Fisher, and Insecta are recycled Textile waste or used recycled material. We should purchase natural fibre fabric (e.g Cotton, Wool, Hemp) rather than synthetic. Consumer awareness and buying practices can also influence sustainable practices.

Interrelation between clothing and fashion: Fashion is a popular expression in a certain time and context. This also affects the perception of what is and should be made more sustainable. When it comes down to the garments, their durability depends on their use. Certain garments are made to withstand long use for example winter jackets whereas other garments have a quicker turn-around for example a party top. This means some garments have properties and a use-life that could be made more durable, whereas others should be compostable or recyclable for quicker disintegration.

Fast fashion: This is one of the most apparent reasons for the current unsustainable condition of the fashion system. The continuous stream of new goods onto the market, that is popularly called fast fashion. The term has signified cheap, accessible, and on-trend clothes sourced through global production chains and sold through chains such as Zara, Forever, etc.

Fast fashion has negative effects on the environment and is unethical in terms of production. In order to make clothing fast enough to keep up with the changing fashion trends, the clothes are produced in harmful ways. Fast clothing is made with synthetic fibers as opposed to natural fibers. The synthetic fibers are made using the Earth's fossil fuels. Almost sixty percent of our clothes are made this way. Since people spend so much money on these types of clothes and purchase them so frequently, landfills are filling up quickly. Over sixty percent of clothes made every year end up in landfills because people just don't like them and almost twenty percent of the world's waste is made of fashion products.

Slow fashion: Slow fashion can be seen as an alternative approach against fast fashion, Slow fashion is a fashion concept that reflects a perspective, which respects human living conditions, biological, cultural diversity and scarce global resources and creates unique, personalized products.

Slow fashion often consists of durable products, traditional production techniques, or design concepts that strive to be season-less and materially for longer periods of time. The impact of slowness aims to affect many points of the production chain. For workers in the textile industry in developing countries, slow fashion means higher wages. For end-users, slow fashion means that the goods are designed and manufactured with greater care and high-quality products. From an environmental point of view, it means that there is less clothing and industrial waste.

According to the Copenhagen Fashion Summit, By the year 2030, the fashion industry is predicted to increase its water consumption by 50 percent, and its carbon footprint will increase to 2,790 million tons while fashion waste is predicted to hit 148 million tons, The situation can get worse if consumers don't change their fashion habits in the coming years. Here are few sustainable approaches need to be followed-

Approaches for sustainable clothing/ Fashion

1. **On Demand and Custom made clothes-** Garments should be made on Demand and Tailored Clothes or Custom made. By doing so unnecessary shopping would be avoided and proper fit will be achieved accordingly. Brands and designers are continuously working to improve the customers' experience with customized shopping.
2. **Green and Clean -** For all phases of product life. Garment should be prepared by an environmentally friendly method, by biodegradable or recyclable or of natural origin material. With consideration to various ethical aspects. Sustainability sets the focus on the future. Green fashion is contributing to keep the planet clean and a better place

to live. Consumers love green clothing with minimal effect on the environment. The products made from renewable resources are counted as green. Whereas, clean implies – natural or synthetic, which are not harmful to our health. Non-toxic products are free from ingredients. And hence, they can improve the health of the Earth and Earthians. Now the green or Eco labels on all textile products are there. They must be checked while buying.

3. High Quality and timeless Design- Evergreen designing can be chosen with good quality trimmings and sewing techniques. New luxury Produced in small scales based on unique artisan expertise is really important to revive and promote our textile heritage.

4. Repaired, upcycled, and Upcycle- When the garment is completely worn out, it should be returned to a collection point for recycling of the textile material, which can hence be reused in the manufacturing of new clothes or other textile products. Clothes that cannot be repaired can get recycled or redesigned. Upcycling to keep the products quality high and it can mean increasing the value and importance of material. Upcycling, repairing is a very useful practice for utilization of textile waste. Even brands and retailers are following the 5 R's of fashion – Reduce, Repair, Recycle, Repurpose, and Reinvent.

5. Rent, Lease And Swap - Ideally, instead of buying newly produced clothes, one should consider renting, borrowing or swapping clothes.

6. Second-hand and vintage- These are Pre-loved, Compassionately shared and Affordable. In a world full of fashion trends, second-hand shopping has some unique and vintage styles to standout trends. Smart shoppers are making their choice sustainable by picking second-hand clothes and reuse clothing if it's possible.

7. Ethical and Fair- Clothing that was manufactured according to ethical trade standards and was acknowledged and certified by independent authentic organizations for it. The ethical practice is focused and ensures proper working conditions such as how labourers are treated and paid, sustainable production ; how the cotton was grow and the resources are required, safety at work (Govt. of India ban child labour, worker abuse, slavery) fair trade, environment conservation. the fair environment conservation. Fair trade and sustainable fashion are interrelated.

8. Buy less clothing- Our wardrobe has a terrible impact on our planet, human health and the ecosystem. We tend to think that buying more new clothes will make us happy but it's not healthy practice for our environment. It is the root of many problems which arise from the excessive clothing in our wardrobe. We have to buy less clothing according to the need. Even we have to use the greenest garment which is eco-friendly.

9. Eco design- refers to the design of products that have less environmental damage.It is a healthy approach to designing products with special consideration for the environmental impacts of the products during its whole life cycle. We can say that the resources and materials which are used in developing a product are taken into consideration while minimising the negative impacts on the environment. Eco-designing also increases the decorative and functional properties of a product. It starts from suitable raw material to the repair and disposal of the products. Materials that are ecological, reusable, recyclable and non-toxic for the environment, recoverable. Eco design provides sustainable choices to the designers.

10. Buy clothes from sustainable brands- more and more brands are coming front with sustainable clothing. We have to stop buying poor quality clothes. It will push the brands to improve the quality of their Clothing and promote sustainable practices.

11. Use biodegradable non-toxic detergent that will minimize pollution- conventional shop and detergent can contain ingredients and chemicals that are harmful to you and the ecosystem, so by the use of green, nontoxic soap and detergent we can save the environment. We have to keep an eye on our washing process also because washing clothing has a significant environmental degradation.

We can reduce the wastage of resources by the help of following tips;

1. Use an effective washing machine can save water and energy
2. Some clothes like socks, panties do not need to be washed after each use. We can wear it
3. Avoid dry cleaning if it's possible, use green dry cleaners.
4. Use called and minimum water during washing process because excessive energy are required for heating the water by the use of cold water we can save energy

Suggestions:

1. Change your attitudes to shopping, Be more informed, check the label. Buy ethical Clothing.
2. Purchase clothing items from sustainable brands.
3. Invest in trans-seasonal clothes.
4. Donate your unwanted clothes.
5. Look after your clothes so they last longer.
6. Learn how to repair clothing yourself (or find a good tailor)
7. Go for quality over quantity.
8. Buy Second Hand because vintage is in.
9. Shop less, Shop Local
10. Wash less
11. Promote Textile Heritage
12. Adopt slow Fashion
13. Think Radically while buying
14. Mending is good so learn to mend clothes.
15. Reuse and upcycle the old clothes.

Conclusion: Sustainable clothing and textile production involves eco friendly and non depecting material selection and the selection of environmentally friendly manufacturing processes. In the textile manufacturing the number of presses are involved which has a detrimental impact on

the environment. We have discussed a few sustainable approaches that help us for the conservation of the environment. Sustainable clothing is also known as ethical clothing, is environmentally and socially responsible. Sustainable clothing considers not only users and producers but all present and future generations. If we want to contribute to the well - being of our planet, it is required to make clothing and textile products from environmentally friendly fabrics(like- as sustainably grown fiber crop or recycled materials) along with the proper utilization of textile waste.

References:-

1. Kim E (2010) The Influence of Sustainable and social Responsibility on Fashion Trends, International journal of Costume and Fashion 10(2): 61-71
2. Mc Neill, L and Moore R (2015). Sustainable fashion consumption and the fast fashion conundrum fashionable consumer and attitude to sustainability in clothing choice, International journal of consumer studies, 39(3), 212.Doi: 10.11.1111/ i jcs.12169
3. Nayak R,Singh A,Panwar T, Pundhye R.(2019) A Review of Recent Trends in Sustainable Fashion and Textile Production. Current Trends Fashion Technology and Textile Eng.2019;4(5) :555648. DoI: 10.19080/ CTFTTE.2019.04.555648
4. Fibre2Fashion.com(linkin.bio/ig-fibre2fashion)
5. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123772
6. https://brightly.eco/what-does
7. https://www.consciouslifeandstyle.com
8. http://www.researchgate.net
9. https://barbaraigongini.com/universe
10. https://scholar.dominican.edu/honors-these\2
11. https://www.northmist
12. https://greenbusinessbureau.com/industries/fashion/how-to-be-a-sustainable-fashion-brand.
13. https://www.panaprium.com/blogs/i/fewer-clothes-environment
14. https://barbaraigongini.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Physical Education and Sports in Relation to Interdisciplinary Linkage

Dr. Pravita Khatri*

***Associate Professor (Physical Education) JAV Girls Degree College, Baraut (Baghpat) (U.P.) INDIA**

Abstract - Education is a continuous process and hence keeps on revising the contents so as to match with the changing scenario and demands. Physical education and allied science being part of the educational process has to be in tune with the demands of time. The very purpose and functions of physical education in the overall educational sphere have often been well stated but the aims and objectives of existing curriculum of physical education, though well defined, are yet to the fully adapted as per changing environment of advancement of knowledge. The need of the hour is to develop physical education curriculum which is relevant to the current situation as well as to futuristic patterns of the 21st Century. It a common knowledge that existing curriculum in physical education at all levels-primary, secondary, higher education or even professional courses is largely static without substantial change or revision.

Introduction - A sound curriculum provides a comprehensive framework for the teaching of physical education at all levels. If the course are well written and clearly strutted then it makes strong links between rationale, learning outcome, instructions and assessments.

Physical education is an emerging discipline with holistic and totalitarian in nature. Its connectivity and strong relationship with several other disciplines has considerably helped the profession not only to adoptthe interdisciplinary approach but also to explore new avenues leading to explosion of knowledge and thus contribute to the all well being of humanity at large.

Physical education is as old as history of mankind because the very basis of human existence is physical activity. Whether in an unrecognized form or recognized one, physical education as such has been a part and parcel of human life right from the pre-historic times. Today, we find that the world much different from what it was thousands of years ago. Cultural evolution and scientific inventions have changed the face of the avoid contemporary, continental influences have been felt and assimilated.

Physical education is our world, has gained much more importance in the total system of education. Community on the important of physical activities in human life, Plato said that lack of any kind of physical activity destroys the good state of every human being, while various kinds of movements help in preserving them.

Scope of Physical Education in Modern Era : Physical education is a very developed area and it has a very wide scope. Today, it is not more limeted to various kinds of physical exercises. All the factors or activities which help in developing and incidentals personality are included in it now. It, consists of all the areas or facets of human activates.

Knowledge of physical education or participation in physical activites are not concerned important only for the school going students, but now it is recognised important for people of all ages and both the sex. Whatever the physical abilities of individuals, all the persons should participate in different kinds of physical activates. The objective of physical education programmes is not only to train or create outstanding players, but another important objective it has is to maintain health of all the people using or participating in it.

Physical Education and Allied Areas : Health education, recreation, dance and games and sports are distinctly complete discipline and yet more often than not identified with physical education. From the view point of course-content physical education draws substantially from these areas. On account of their close proximity to physical educators, a brief discussion on each of these allied fields is of great importance for physical education.

Health Education : Health education is a process by which the individual acquires adequate knowledge about- (a) diseases, ailments and disorders and their preventive and curative aspects, (b) Fitness- both physical and mental.

Physical exercise is one of the most important ingredients of healthy life. Health education some believe, is a complete discipline within the framework of medical education, so far as gendered health of the people is concerned much of the responsibility lies with the individual, parents and to some extent, teachers. People go to the doctors when they fall ill. Educational institutions are the

best venues where health education needs to be imported to the health education needs to be imported to the children right from the beginning. No other teacher is directly concerned with the health problems of the children than the physical educator. Health instruction, health supervision and health environment are the major sub-domains of health education.

Physical education and health education complement and supplement each other. One has no substance without the other. The role of physical educators in this behalf is well-defined.

Recreation : Recreation is another significant area of physical education. In fact, the basic purpose of physical education is recreation. All games and sports – minor or major – are utilized, by common man, as recreation.

Recreation is an escape from monotony and boredom resulting from set routines of life. From highly passive activities like listening to music, playing cards, reading etc, to the most activities like athletics, game, hiking, trecking, dancing, camping etc. everything is recreation. Whether indoor or outdoor, recreation is fun, thrill, enjoyment and satisfaction. If is an attitude towards life expressed in variety of activities.

Recreation has a much greater educational value than ever before because it satisfies children's need for physical activity and helps then utilize their "exuberant energy" in order to be physically strong, mentally alert and sharp, and socially well-adjusted.

Dance : Since time immemorial dance has been an important aspect of human life. In its simplest form it appeared as folk dance and as a part of religious ceremonies it shaped into a variety of classical forms in the eastern as well as western civilization. As a wholesome physical activity dance has hopper.

It is certainly a deft combination of athleticism and aestheticism. Fok dances of various states of India are a fine example of activity, beauty, joy, rhythm and vigour. They stimulate the development process on the one hand, and stir the soul on the other. Physical education without dance is body without soul.

Games and Sports : Games and Sports from the bulk of physical education. Since the revival of Olympic games, more and more emphasis is being placed on the competitive aspects of games and sports. The craze and quest for winning in international sports competitions have started a retrace among the nations for the development of new techniques and methods of athletic training and performance.

Competitive sports have raised the standard of human efficiency and performance. They have revealed incredible human capacity. The have initiated and strengthened research programme in sports sciences. If sports are removed from physical education, much of its charm would be last. In its top from, each game/sport is discipline in itself. However, the teaching part of games and sports in education institutions is a responsibility of the physical education teachers who are expected to be specialized atleast in one major sport

Conclusion : Physical education has its theoretical base in a variety of sciences and humanities. Biology, physics, chemistry, anthropology, psychology, sociology, education, management, ethics, philosophy, aesthetics etc. Contribute a lot to the development of theory and practices of physical education. The entire structure of "body of knowledge" is well-knit, having movement as its axis. Whether in making the nation fit and healthy or in preparing the athletes for super performance, physical educators have to have a sound knowledge of the principles which government. The most logical conclusion will be to treat physical education a mixture of both these fields, namely, the art and science.

References :-

1. Amresh Kumar (2007) : Complete book of physical education, sports and health, khel sahitya kendra.
2. Hardayal Singh (1995) : Science of sports training, DVS publications.
3. Nonick, MM and Taylor B (1980), "Training and conditioning of Athletes", Lea and Febiger Philadelpia, Pennsylvania.
4. Benson, T.R. (2004). Integrated teaching units, Returned June 11, 2015 from: http://www.pbs.org/ teachers/earlychilhood/ articles/ integratedunits.html.
5. Tirre, W.C., of Raouf, K.K. (1998), Structural model of cognitive and perceptual-motor abilities. Personality and individual differences, 24 (5).
6. Nasev (2013) Integrating music and dance into school curriculum. Activities in physical education and sport, 3(1).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Motifs in Amitav Ghosh's *The Glass Palace*

Dr. Sofia Nalwaya*

***Associate Professor (English) Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.) INDIA**

Introduction - In *The Glass Palace* Ghosh has spun characters from history firmly rooted in their surroundings in the guise of fiction, with their emotions and complexities of feelings and ambience, capturing the extra bit of convincing of fiction. The actual protagonists in the book are not people set apart from the ordinariness of life but ordinary people struggling against forces more potent than man. Ghosh's novel creates larger forces that both shape and are shaped by people who string time and place together with the thread of personal ambition, struggle, love and death.

In the year 1885 the British, invade the resource rich country Burma to plunder it for years to come. Within two weeks the task is done and to curb any possible rebellion the dethroned Burmese King Thebaw is transported to Ratnagiri in India. This episode of history is the emanating point for the sizzling saga of *The Glass Palace*. The great hall is looted by British forces and then by the Mandalay residents who had until this day just gazed at it in awe. This incidence evokes the condition of Iraq after the dethronement of Saddam Hussain by the Americans. There too the very people who earlier boasted of sacrificing their lives for their King celebrated his downfall. It seems as though evil is inherent part of human nature. No sooner is the fear of punishment removed from the minds of people that the dark side of humanity manifests itself.

However the narrative of the Glass Palace abounds in lushness of detail and precision. It again is Ghosh's ingenuity that he carefully limns the nuances in his fiction. The motor wagon invented by Karl Benz in 1885 in Germany has a "small combustible engine, the vertical crankshaft, the horizontal flywheel... the machine could generate as much power as a horse, running at speeds of up to eight miles an hour" (*GP* 11). In 1908 the cars speeding on the road are not just motor wagons but are specified by names such as Hutton, Beeston Humber or Gaggenau. The 1914 model of Matthew's car is an "Oldsmobile Defender' which is "a gleaming, flat topped vehicle with a rounded bonnet and glittering twelve–spoke wheels" (*GP* 197). Rajkumar's car is a ''Pic-Pic a Swiss manufactured Piccard-Pictet a commodious, durable machine with a glass pane separating the driver's seat from the interior cabin'' (*GP* 207). In 1929 Matthew's cars were "Duesenberg Model J Tourster'' and ''Isotta- Franschini Tipo 8A Berlina Transformible, "The Duesenberg'' had a hydraulic brake system and a 6.9 litre, straight 8 engine. It had chain-driven overhead camshafts and could go up to 90 m.p.h. in second gear. In top gear it could cruise at 116'' (*GP* 218). The Issotta Franschini is "a magnificent tan-and gold… with power assisted brakes the coachwork was by Castagna and the upholstery was of Florentine Leather" (*GP* 218). The car in which Alison takes Uma and Dinu for a drive is a 6-litre Paige Daytona, a three-seater, with a single rear seat that pulled out like a drawer, resting on the running board''(*GP* 227). Rajkumar's new car of 1929 is a "Packard saloon,'' of grey colour. The car hired by Umas's family to bring her home in 1930 is "Austin Chummy". In 1938 Neel takes Manju out in his "Delage D8 Drophead" (*GP* 269). In the year of Manju and Neel's wedding, the Dey household buys "a brand new 1939 modest, 8 horse-power Jowett with a long bonnet and beautiful oval grille" (*GP* 272).

The evolution of motorcars and camera are motifs representative of the changing times as well as the passage of years. They serve to give not only inkling of the passage of time but also serve to add upon the unity of time. At the time of Rajkumar and Dolly's marriage, a Parsee lady photographer Mrs Khambatta from Bombay takes a group photo of Uma, Dolly, Rajkumar and the Collector with ''a 1901 Graflex single-lens reflex, with cube-like body, a bellows extension and a four sided hood. It was fitted with a globe wide-angle lens which proved perfect for the panorama deployed before the shutter. Before exposing her plate, Mrs Khambatta spent a full half-hour working with a Hurter and Drifted Actinograph Exposure Calculator, peering at its slide rule and calibrating its rotatory cylinder for the present time and latitude'' (*GP* 171). This picture taken in 1905 appears again 317 pages and ninety one years later in 1996. It urges Jaya, Rajkumar's grand daughter to make her voyage to Ratnagiri- the place where the history of her own life had its origin. In fact photography is the topic for Uma's PhD. This at once serves to fill up the blanks between 1948 and 1996. It's during her research on

history of Photography that Uma comes across the work of U Tun Pe who turns out to be her uncle from father's side. The gaps begin to fill as the marks left by the passage of time become visible and the past begins to unfold itself. Although the narrative technique of *The Glass Palace* is more or less linear with a prime focus on present yet there are blanks in the narrative which are filled towards the end. With Jaya's visit to Ratnagiri the obsequies of the Collector's death seem to be complete as she visits the memorial stone laid in memory of her great-uncle and also spots the exact place where his body along with the capsized boat was discovered.

The steady evolutions of objects are counteracted with not only the passage of time but also the conditions of a country. When Burma is a prosperous country the new models of cars are a manifestation of the growing economic prosperity of people. The Myanmar of the nineties, caught in the snares of its dictator General Ne Win, is represented by the car in which Dinu comes to pick Jaya for the meeting of Aung San, Suu Kyi is a strange looking car. It is a "1954 Czech built Skoda. The car was making loud coughing noises as it idled on the street…. The car's doors were all of different colours, all oddly misshapen, as though they'd been banged into shape with sledgehammers…. The bonnet is from an old Japanese Ohta… one of the doors is from a Volga…. It's a miracle that it runs at all'' (*GP* 540).

The condition of the car is no different from the condition of the country at the time. The car is symbolic of the upheaval in Burma in the post war years as an effect of which various changes have been imposed upon the nation but which nonetheless have the effect of leading Burma, the golden land, in the reverse direction. The fallacy of frail humans in thinking that they can govern the instincts of not only humans but all living things is again and again stressed.

It is the lushness of detail which renders the narrative so virtual that we inhabit the places along with the characters in the book. We know that Dinu wants a "Brownie Camera from Rowe and Co." to be persuaded into going to Malaya. Manju stores the letters of her twin Arjun in ''Huntley and Palmer's' biscuit tin", ''Woodward's gripe water'' is given to quieten Manju's daughter. The Christmas tree at Rowe and Co. has its leaves whitened with "Cuticura Talcum Power". In fact the name "Rowe and Co.'' occurs at so many places with such an emphasis that the fact of this place being a symbol of grandeur is cut through directly without being put into words.

Numerous such images reverberate throughout the 547 pages of the book which sometimes transcend the limits of time. Motorcars and cameras are undoubtedly two *ficelle* that tie the three generational narratives spanning more than a century in a cohesive whole. Thus with the deterioration in their quality we become aware of the negative influences thwarting the lives of people.

There are also various other motifs which occur again and again through the pages. Dolly had left Burma with the exiled Royal family with a "bundle of clothes." Then she dreams of running away with Sawant and again in her dreams she is carrying a bundle of cloth. She is exiled from the Outram House with her sole possession – a bundle of clothes with which she returns to Burma. The war forces her to return to India with her family and now dramatically her bundle has been multiplied many times as all the people returning to India now are carrying their bundle of clothes. The futility of all human efforts for the unseen future is reiterated throughout the book. Men do not deter from using foul means to earn means of comfortable living. Yet the transience of life is never realized or accepted by the frail mortals. Rajkumar had never restrained himself from using any unfair means to gain success in life yet he ends up as a poor relative dependant on the person he had loathed most. He is not only poor but also destitute because he has no relations. In his tenacity to cling to life he makes his granddaughter Jaya the centre of his universe.

Jaya born in wartime is a colicky child whose ceaseless crying is "primeval sound of life proclaiming its determination to defend itself" (*GP* 478). Yet amidst these reverberations contrasts are interlarded throughout. Jaya who had been difficult to be quieted as a child has difficulty keeping her class quiet. These bound patterns of contrasts alternating with each other all the while.

The ship "Nuwara Eliya" is crucial in the narrative as it carries the protagonists on journey that is bound to change their lives. Dolly and Rajkumar begin their new life together with their voyage aboard the ship of Nuwara Eliya. Dolly here is embarking on a journey not only of geographical distance but also spiritual. She is starting a new life undreamt of hitherto, a life that had caught her unawares. Until now she had never thought of herself as anything but the servant to the Royal family of Burma. She had learnt to dance to the tunes of her masters modulating her tempo to match up with their commands. She had even sacrificed her love at the command of the first princess. So deeply is her bondage to the Royal family that she can feel the child of the first Princess growing within herself. She has dedicated her life to the child even before it is born. She has committed herself to it to the extent that she even refuses Rajkumar's proposal for marriage at first. Now as "Nuwara Eliya" leads Dolly to Burma a new life awaits her. It is as though her exile is over and she has returned to the land from which she was repelled. In her marriage to Rajkumar she has lost the right to ever be a part of the Royal household. It is as though thirty years of her life had been washed away by a single tide of fate. A new world lies before her to transform her and yet to be transformed by her.

It is the "Nuwara Eliya" again that leads Dolly on the fateful journey to Morningside where Uma comes to know of another grotesque aspect of Rajkumar's personality through Illongo. Arjun too boards Nuwara Eliya for his journey to Malaya - a journey that was to change the very

core of his existence and set him about questioning his own faith.

That time and space are relative is nowhere more clearly demonstrated than in *The Glass Palace* .The same procedure assumes a different magnitude with the change of the background. The action of shaving a woman's head is performed thrice in the book. First we see that as a part of the rigid ritual of the Indian society Uma's head is shaved after the death of her husband. It has the grim effect of making one realize the evil customs prevalent in the society at the time. Then it is Manju who is warped off her senses after the death of her husband Neel and in nihilistic despair grazes off her hair scathing her scalp in the process. The gruesomeness of the act reflects the grotesqueness of the war. Yet again it is Dolly who has her head shaved on entering the Buddhist nunnery. But this time this ritual has the effect of shaving away any trace of impurity from her appearance and making her look radiant. The same action has vastly varied effects because of the difference in the circumstances accompanying them.

Rajkumar is a thoroughly unscrupulous man with a dogged kind of consistency which makes him a prisoner of his own private self. The best delineation of the character of Rajkumar is in the narration of the following incident by Rajkumar:

This was a long time ago, even before I went to Mandalay. One day we were caught in a storm. We were on the open sea and the storm came up very suddenly, as they do off the coast of Bengal. Water began to pour into the board, over the stern. I was roped to a mast and given a bucket to bale with. Soon the sky grew so dark that my surroundings became invisible, except by lightning. During one of those flashes, I noticed something. It was an animal, a small, green backed turtle. It had been washed aboard by a wave and had somehow got itself caught in some netting. It was just beyond my reach; and the waves were hitting the boat so hard. I didn't dare undo my rope. We were both bound in our places, the turtle and I, watching one another, through the waves and the wind. Towards dawn the storm abated. I undid my ropes and unloosed the turtle from the net. I can see it clearly to this day. If you were to set a thousand turtles in front of me now they would not be as real to me as that one animal (*GP* 156 – 157).

This passage is noteworthy for not only the precise delineation of personality who is a prisoner of his memories but also for the unison of the elements of space. The geographical horizon is also increased virtually by bringing into view the entire landscape from coast of Bengal to Mandalay, from India to Burma, from past to present, from the experience of a boy to the memories of a man. This also demonstrates the crucial role of water in Rajkumar's life – his mother left him alone on a narrow estuary on the way to Chittagong. It is water again that brought him to Mandalay – the place that he chose as his home and clung obstinately to it till he lost everything there. Water paved the way for him to reach his beloved and then to bring her back as his bride. It is water again that helps him sustain through life and reach India after the Second World War.
As in all other novels of Ghosh, human lives as if in a refusal to remain contained within neat compartments spill over national boundaries. A person is remembered not as Burmese, Indian, Chinese, Malay or American but merely as Uma, Dolly, Saya John, Alison and so on. That Dinu is also called Tun pe and Neel's other name is Sein Win further destabilizes nation-based identities yet it will not be wrong to say that nationalism is a major concern of the novel which gets crystallized through two young officers in the 1stJat Light Infantry- Arjun Roy and Hardayal Singh.

We first see the blank faces of the Indian soldier working in British forces in 1885 at the time of the British invasion of Burma in 1887. Then we see a brief glimpse of the deluded Indian soldier in Giani Amreek Singh an ex military man who had deserted the British Indian army from the rank of junior NCO and emphasized the need of opening the eyes of the Indian soldiers. The trenches though dug to protect the soldiers by sheltering them from the perils of war on the ground have the reverse effect of shaking these Anglo-Indian soldiers out of their secured living. The state of numbness passed on as an inheritance among the real "faujis" because the years of servitude has drowsed their senses completely. The fact that they are no more than weapons for the British slowly dawns on the Indian soldiers serving the British empire.

At all possible junctions there is the coming together of human nature in all its varieties. Uma, Dinu and Arjun are advocates of an individual and hence different way of thinking. Although the interaction of these disparate ideas is brief and happens only once in the novel yet the importance of the line of thought of each is reflected in the incidences for a long time after the occasion. As the tide of nationalism sweeps over the roads of Kalighat, the markets are flooded with people pouring out to agitate against India being involved without its consent into the war. This initiates a debate between Dinu and Uma referring to the danger such as Fascism and Nazism which leads Dinu support imperialism over the two bigger evils. This thought appears again and again in the novel that often people find reason to justify an evil by its juxtaposition with a greater evil. But two wrongs do not make a right and so to justify the wrongs of the past or a lesser evil to oppose a present or more potent evil is as wrong as enduring or supporting any evil practice. It is in this bringing of heterogonous entities in *The Glass Palace*.

The juxtaposition of the Indian Mutiny and Saya San Rebellion is done, not linearly or in a parallel manner but through a dexterously manipulated ingenuity by Ghosh. Geometrically these two episodes have a wide space of approximately two hundred pages between them, virtually covering almost a hundred century but dexterously demonstrating that the past and present are one. In spite

of the remarkable advancements of science and technology, ushering the entry of humanity into a new era there is no difference between the human actions and motives of the past and the present. The materialistic growth only serves to further estrange man from humanity.

Thus the extraordinary becomes the ordinary (The Burmese Royal Family, Rajkumar) while the ordinary becomes extraordinary (Illengo). World history dictates the individual histories and also subsumes the borders so that the cross nationals come together to create their own world as is evident in Rajkumar, an Indian Orphan, marrying Dolly, a Burmese and the marriage of the Burmese Princess with her Indian coachman Sawant. The families ties extend to bring people in close relationship akin to kinship. Thus Uma who is childless is never without people who genuinely care for her. The boundaries further dissolve suggesting the possibilities of new beginnings as the opposite represented by Uma and Rajkumar come together. This epic novel which is a heady concoction of strong research and characters pitched deep in history, too ends on a note of hope with the Aung Saan Suu Kyi smiling radiantly at people showing politics its true boundaries.

Thus in *The Glass Palace* "The seriousness of purpose, the poignancy with which he narrates his events, and the meticulous research that he undertakes to approximate the cultural and intellectual forbearing of his character- all these things lend epic dimensions to his characters."[1] The lives of these common people spill over boundaries of the nations defying the delimiting effect of the potent forces. As people get involved in unexpected relationships across the countries and cultures of the subcontinent, wars are being fought in the backdrop, rebellions quelled, political and ethical issues debated, fortunes made and lost. Every detail of military manoeuvres, details of trades such as drilling of oil, timber trade, models of automobile and aircraft are historically specified with a precision backed up by meticulous research. Not even a single person is indicted or idealized in the novel, yet the vividness of description and range of human experiences get linked across space and time to form haunting patterns cumulating into the recesses of memory long after the narrative is over.

References:-

1. Akshay Kumar, "Through the glass anti colonially" *Spectrum, The Tribune,* 22 October 2000.
2. Amitav Ghosh, *The Glass Palace* (New Delhi: Harper Collins Publishers, 2000) 84. All subsequent references to this edition will hereafter be referred as GP.
3. Pico Iyer "The Road from Mandalay," *New York Review of Books*, Vol XLVIII, 8 March 2001: 28-31.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

किशोरावस्था में शिक्षा की भूमिका एवं विभिन्न परिवर्तन

डॉ. शाहिद हुसैन कुरेशी*

*सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र) माणिक्य लाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय, जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड-टू-बी) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा और रोजगार के बढ़ते हुए अवसरों के कारण विवाह करने की आयु भी बढ़ गयी है। ज्यादा से ज्यादा घरों और कस्बों से बाहर निकल कर प्राथमिक स्तर से आगे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनमें से अधिकतर शिक्षा व रोजगार की खोज में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। देश के अधिकतर भागों में बाल विवाह की घटनाएँ न्यूनतम स्तर पर पहुँच गयी है। लडकियाँ भी बड़ी संख्या में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जिसके फलस्वरूप वे भी शीघ्र ही वैवाहिक बंधन में बंधना नहीं चाहतीं। इस मानसिक परिवर्तन में संचार माध्यमों की भी महती भूमिका रही है। एक ओर विवाह की आयु में वृद्धि हो गयी है और दूसरी ओर किशोर-किशोरियों में बेहतर स्वास्थ और पोषण सुविधाओं के कारण यौवानारम्भ निर्धारित आयु से पहले ही हो जाता है। इन परिवर्तनों के कारण बचपन और प्रौढावस्था में अधिक अन्तर हो गया है। इस कारण अब व्यक्ति की आयु में एक ऐसी लम्बी अवधि आती है जब उसे न तो बच्चा समझा जाता है और न ही प्रौढ़ का दर्जा दिया जाता है। इस असमंजस की स्थिति में किशोर-किशोरियों के मस्तिष्क में सामाजिक मानदण्डों के उलघंन का मतिमंथन चलता रहता है जो अपराध के रूप में उनके व्यवहार में परिलक्षित होता हैं ।

शब्द कुंजी – किशोरावस्था, अपराध, शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक वातावरण।

प्रस्तावना –किशोरावस्था एक ऐसी संवेदनशील अवधि है जब व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। वे परिवर्तन इतने आकस्मिक और तीव्र होते हैं कि उनसे कई समस्याओं का जन्म होता है। यद्यपि किशोर-किशोरियाँ इन परिवर्तनों को अनुभव तो करते हैं किंतु वे प्राय: इन्हें समझने में असमर्थ होते हैं। सामान्यत: उनके पास कोई ऐसा स्रोत उपलब्ध नहीं होता है जिसके माध्यम से वे इन परिवर्तनों के विषय में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर सकें। किन्तु उन्हें इन परिवर्तनों और विकास के बारे में जानकारी चाहिए, इसलिये वे इसके लिए या तो सम-आयु समूह की मदद लेते हैं, या फिर गुमराह करने वाले सस्ते साहित्य पर निर्भर हो जाते हैं। गलत सूचनाएँ मिलने के कारण वे अक्सर कई भ्रांतियों का शिकार हो जाते हैं जिससे उनके व्यक्तित्व विकास पर कुप्रभाव पड़ता है।

शिक्षा – किशोरावस्था शिक्षा, किशोर-किशोरियों को किशोरावस्था के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता के सन्दर्भ में उभरी एक नवीन शिक्षा का नाम है। किशोरावस्था जो कि बचपन और युवावस्था के बीच का परिवर्तन काल है, जिसे मानवीय जीवन की एक पृथक अवस्था के रूप में मान्यता बीसवीं शताब्दी के अंत में ही मिली है। हजारों सालों तक मानव विकास की केवल तीन अवस्थाएँ – बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा ही मानी जाती रही है। कृषि प्रधान व ग्रामीण संस्कृति वाले भारतीय व अन्य समाजों में यह धारणा है कि व्यक्ति बचपन से सीधा प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है। अभी तक बच्चों को छोटी आयु में ही प्रौढ़ व्यक्तियों के उत्तरदायित्व को समझने और वहन करने पर बाध्य किया जाता रहा है। किशोर, पौढ़ पुरुषों के कामकाज में हाथ बंटाते रहे हैं और किशोरियाँ घर के। बाल विवाह की कुप्रथा किशोर-किशोरियों को यथाशीघ्र प्रौढ़ भूमिका में धकेल देती है। विवाह से पूर्व या विवाह होते ही बच्चों को यह जानने पर बाध्य किया जाता रहा है कि वे प्रौढ़ हो गए हैं (हॉल, जी एस, 1905)।

रोजगार – शिक्षा और रोजगार के बढ़ते हुए अवसरों के कारण विवाह करने की आयु भी बढ़ गयी है। ज्यादा से ज्यादा घरों और कस्बों से बाहर निकल कर प्राथमिक स्तर से आगे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनमें से अधिकतर शिक्षा व रोजगार की खोज में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। देश के अधिकतर भागों में बाल विवाह की घटनाएँ न्यूनतम स्तर पर पहुँच गयी है। लडकियाँ भी बड़ी संख्या में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जिसके फलस्वरूप वे भी शीघ्र ही वैवाहिक बंधन में बंधना नहीं चाहतीं। इस मानसिक परिवर्तन में संचार माध्यमों की भी महती भूमिका रही है। एक ओर विवाह की आयु में वृद्धि हो गयी है और दूसरी ओर किशोर-किशोरियों में बेहतर स्वास्थ और पोषण सुविधाओं के कारण यौवानारम्भ निर्धारित आयु से पहले ही हो जाता है। इन परिवर्तनों के कारण बचपन और प्रौढावस्था में अधिक अन्तर हो गया है। इस कारण अब व्यक्ति की आयु में एक ऐसी लम्बी अवधि आती है जब उसे न तो बच्चा समझा जाता है और न ही प्रौढ़ का दर्जा दिया जाता है। इस असमंजस की स्थिति में किशोर-किशोरियों के मस्तिष्क में सामाजिक मानदण्डों के उलघंन का मतिमंथन चलता रहता है जो अपराध के रूप में उनके व्यवहार में परिलक्षित होता हैं।

व्यवहार – अपराध एक प्रकार का आत्मप्रकाशन तथा व्यवहार है। किशोर अवस्था के अपराध भी स्वाभाविक व्यवहार के ढंग हैं, केवल उनका परिणाम समाज तथा व्यक्ति के लिये अहितकर होता है। समाज को इस अहितकर स्थिति से बचाने के लिये मनावैज्ञानिक की सहायता से अभिभावकों तथा अध्यापकों को यह देखना होगा कि बच्चे के अपराधी आचरण की कारणभूत कौन सी असंतोषजनक स्थितियाँ विद्यमान है। रोग के कारण को दूर कर दीजिए, रोग दूर हो जाएगा, यह चिकित्साशस्त्र का सिद्धांत है। अपराधी

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

व्यवहार भी सामाजिक रोग है। मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययनों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि मनुष्य में अपराधवृत्तियों का जन्म बचपन में ही हो जाता है। अंकेक्षणों (स्टैटिस्टिक्स) द्वारा यह तथ्य प्रकट हुआ है कि सबसे अधिक और गंभीर अपराध करनेवाले किशोरावस्था के ही बालक होते हैं। इस दृष्टि से कैशोर अपराध (जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी) को एक महत्वपूर्ण कानूनी, सामाजिक, नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में देखा जाने लगा है (एलिजाबेथ स्कॉट 1986)।

कैशोर अपराध – कैशोर अपराधों का स्वरूप सामान्य अपराधों से भिन्न होता है। कानूनी शब्दावली में देश के निर्धारित कानूनों के विरुद्ध आचरण करना अपराध है, किंतु कैशोर अपराध समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। किशोर अवस्था के बालकों द्वारा किए गए वे सभी व्यवहार जो कानूनी ही नहीं वरन् किसी भी दृष्टि से समाज तथा व्यक्ति के लिये अहितकर हों, कैशोर अपराध की सीमा में आते है। यथा-विद्यालय से भागना कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं है, किंतु सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हानिकर है। यह एक ओर तो सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों से भागना सिखाती है और दूसरी ओर बालक को उचित कार्य से हटाकर अनुचित कार्यों की ओर प्रेरित करती है। इस प्रकार कैशोर अपराध का क्षेत्र अधिक व्यापक है।

विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण – किशोर-किशोरियों को इसलिये भी समस्याएँ आती है क्योंकि वे विपरीत लिंग के प्रति एकाएक जाग्रत रुचि को ठीक से समझ नहीं पाने। माँ बाप से दूर हटने की प्रवृति और सम-आयु समूह के साथ गहन मेल-मिलाप भी उनके मन में संशय और चिंता पैदा करता है। किन्तु परिजनों के उचित मार्गदर्शन के अभाव में उन्हें सम-आयु समूह की ही ओर उन्मुख होना पड़ता है। प्राय: देखा गया है कि किशोर सम-आयु समूह के दबाव के सामने विवश हो जाते हैं और उन में से कुछ तो बिना परिणामों को सोचे अनुचित कार्य करने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ सिगरेट, शराब, मादक द्रव्यों का सेवन करने लगते हैं और कुछ यौनाचार की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं और इस सब के पीछे सम-आयु समूह का दबाव आदि कई कारण हो सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिपक्वता की प्रक्रिया से गुजरते हुए किशोर-किशोरियों में स्वतंत्र रहने की प्रवृति जाग्रत होती है। जिससे वे अपने आप को प्रौढ़ समाज से दूर रखना प्रारंभ करते हैं। आधुनिक युग के किशोर-किशोरियाँ अलग रूप से ही अपनी संस्कृति का निर्माण करना चाहते है जिसे उप संस्कृति का नाम दिया जा सकता है। यह उप-संस्कृति धीरे-धीरे समाज में विधमान मूल संस्कृति को प्रभावित करती है। वे हर स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने केलिए संघर्ष करते हैं। पहचान बनाए रखनें के लिए लिंग भेद तथा अपने को अन्य से उच्च एवं योग्य दर्शाने के प्रयास में रत होते हैं। किशोरावस्था के दौरान कुछ आधारभूत परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन अधिकतर यौन सम्बंधों के क्षैत्र के होते हैं। किशोरों में अचानक विपरीत लिंग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। वे आकर्षण एवं प्रेम के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते और मात्र शारीरिक आनंद एवं संतुष्टि के लिए सदैव भटके रहते हैं। अपनी पहचान व स्वतन्त्रता को बनाए रखने के लिए, किशोर-किशोरियाँ अपने माता-पिता के भावनात्मक बंधनों को त्याग कर अपने मित्रों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। परन्तु समाज लड़के-लड़कियों के स्वतन्त्र मेलजोल को स्वीकृत नहीं करता। किशोर-किशोरियों का प्रत्येक वर्ग अपने लिंग से सम्बंधित एक अलग समूह बनाकर अलग में रहना पसंद करता है। इस तरह की गतिविधियाँ उन्हें समवाय समूहों पर निर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहीं से ही वे अपने परिवर्तित व्यवहार के प्रति समर्थन एवं स्वीकृति प्राप्त करते हैं (लॉरेंस स्टाइनबर्ग, हेन लेन चुंग, और मिशेल लिटिल, 2004)।

पारिवारिक वातावरण – पारिवारिक वातावरण और आसपास की परिस्थितियां मनुष्य के चरित्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बचपन में ही व्यक्ति के आचरण और उसकी आदतें देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वयस्क होने के बाद वह समाज में अपनी कैसी पहचान बनाएगा। नकारात्मक परिस्थितियों के कारणवश कई बच्चे अपराध की दुनियाँ में कदम रख देते हैं, जो उनके संपूर्ण जीवन को अंधकार के गर्त में धकेल देता है। बचपन में किए गए उनके यही अपराध आगे चलकर उन्हें बड़ा अपराधी बना सकते हैं। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अपनाई गई आदतों को छोड़ पाना एक कठिन कार्य होता है और अगर किशोर अपरधियों को उनके कृत्यों के लिए कठोर सजा दी जाए तो वह सुधरने से कहीं ज्यादा जिद्दी और खतरनाक हो जाते हैं। बचपन में की गई गलतियों के प्रभाव उनके आने वाले जीवन पर ना पड़े, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत में ऐसे अपराधियों को बाल अपराधियों की श्रेणी में रखा गया है।

बाल-अपराधी – भारतीय कानून के अनुसार, सोलह वर्ष की आयु तक के बच्चे अगर कोई ऐसा कृत्य करें जो समाज या कानून की नजर में अपराध है तो ऐसे अपराधियों को बाल-अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण का बहुत हाथ होता है। हमारा कानून भी यह स्वीकार करता है कि किशोरों द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिये किशोर बालक स्वयं नहीं बल्कि उसकी परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती हैं। इसी वजह से भारत समेत अनेक देशों में किशोर अपराधों के लिए अलग कानून और न्यायालय और न्यायधीशों की नियुक्ति की जाती है। उनके न्यायाधीश और सम्बंधित वकील बालमनोविज्ञान के अच्छे जानकार होते हैं। किशोर-अपराधियों को दंड नहीं, बल्कि उनकी केस हिस्ट्री को जानने और उनके वातावरण का अध्ययन करने के बाद उन्हें 'सुधार गृह' में रखा जाता है जहाँ उनकी दूषित हो चुकी मानसिकता को सुधारने का प्रयत्न किए जाने के साथ उनके साथ उनके भीतर उपज रही नकारात्मक भावनाओं को भी समाप्त करने की कोशिश की जाती है। ऐसे बच्चों के साथ घृणित बर्ताव ना अपना कर उनके प्रति सहानुभूति, प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाता है।

अभिभावकों और शिक्षकों की उपेक्षा – बच्चे के चरित्र को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसके अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा निभाई जाती है। लेकिन अगर माता-पिता ही अपने बच्चे की गलत आदतों पर ध्यान नहीं दें तो ऐसे में उन बुरी आदतों को बढ़ावा मिलेगा जो आगे चलकर नुकसानदेह साबित हो सकती हैं।

अश्लील फिल्में और साहित्य पढ़ना, माता-पिता को यह ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा कैसी फिल्में देखता है। क्योंकि अधिकांश बच्चे फिल्मों को देखकर ही प्रेरित होते हैं। वह फिल्म के नायक जैसा बनने के चक्कर में बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं। इसके अतिरिक्त अश्लील किताबें भी उनमें भद्दे चरित्र का निर्माण करती हैं। इसीलिए बच्चों को अभिभावकों का पूरा ध्यान मिलना बहुत जरूरी हो जाता है।

किशोर-किशोरियों की संगति, ऐसा माना जाता है कि स्वभाव और आचरण पर संगत का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। अगर कोई भी बच्चा गलत संगत में रहता है तो नि:संदेह उसका दुष्प्रभाव उसके भी आचरण पर

पड़ेगा। आमतौर पर बच्चा वही करता है जो वह परिवार से सीखता है। इसीलिए अगर उसका परिवार आपराधिक वारदातों में संलिप्त है तो उसका भी ऐसा करना स्वाभाविक हो जाता है।

बाल-अपराधों को हम सामाजिक और पारिवारिक दो भागों में बांट सकते हैं। हालांकि पारिवारिक अपराधों के प्रति दंड देने जैसी कोई व्यवस्था भारतीय कानून में नहीं हैं। लेकिन फिर भी 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे अगर ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसके दुष्प्रभावों का सामना उनके परिवार को करना पड़ता है तो वह बाल-अपराधी ही माने जाते हैं। पारिवारिक बाल अपराधों में यह कृत्य शामिल किए जाते है-माता-पिता की अनुमति के बिना घर से भाग जाना, अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना, विद्यालय से भाग जाना, ऐसी आदतों को अपनाना जो ना तो बच्चों के लिए हितकर है ना ही परिवार के लिए, परिवार के नियंत्रण में ना रहना।

परिवार किशोर-किशोरियों के भद्दे और गलत आचरण को एक बार सहन कर सकता है लेकिन अगर बच्चे ऐसी आदतों को अपनाएँ जो समाज की नजर में घृणित समझे जाते हैं तो नि:संदेह उसे अनदेखा नहीं किया जाता। बल्कि ऐसे अपराधों को किशोर-अपराध या बाल-अपराध की श्रेणी में रखा जाता है जैसे- चोरी करना, लड़ाई-झगड़े करना, यौन अपराध करना, जुआ खेलना, शराब पीना, अपराधी गुट या समूह में शामिल होना, ऐसी जगहों पर जाना, जहां बच्चों का जाना पूर्णत: वर्जित है, दुकान से कोई समान उठाना, किसी के प्रति भद्दी और अभद्र भाषा का प्रयोग करना।

यदि कोई भी बच्चा जो उक्त गलत कृत्य करता है तो उसे अपराधी माना जाएगा, जिसके लिए उसे वयस्क अपराधियों से अलग रख सुधरने का एक मौका दिया जाता है।

कानून यह मानता है कि इस उम्र के बच्चे अगर जल्दी बिगड़ते हैं और उन्हें अगर सुधारने का प्रयत्न किया जाए तो वह सुधर भी जल्दी जाते हैं। इसीलिए उन्हें किशोर न्याय-सुरक्षा और देखभाल अधिनियम 2000 के तहत सजा दी जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल अपराधियों को कोई भी सख्त या कठोर सजा ना देकर उनके मस्तिष्क को स्वच्छ करने का प्रयत्न किया जाता है। उन्हें तरह तरह की व्यायसायिक परीक्षण देकर आने वाले जीवन के लिए आत्म-निर्भर बनाने की भी कोशिश की जाती है। हालांकि सुधार गृह में भी उनके साथ कड़ा व्यवहार ही किया जाता है, लेकिन सिर्फ उतना जितना माता-पिता अपने बच्चों के साथ करते हैं (बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000)।

सन् 2006 में बाल-अपराधियों को सुधारने के उद्देश्य से बनाए गए अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए जिसके अनुसार किसी भी बाल-अपराधी का नाम, पहचान या उसके निजी जानकारी सार्वजनिक करना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा और ऐसा करने वाले को 25,000 रूपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता हैं। इसके अलावा खंड 29 के अनुसार बाल-अपराधियों को सजा देने वाले पांच सदस्य समिति में कम से कम एक महिला भी शामिल होनी चाहिए (बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006)।

निष्कर्ष - निष्कर्षत: यह कि किशोर-किशोरियाँ चाहे शारीरिक कमजोरी से पीड़ित हो, उनकी बुद्धि कम हो, उनके माता पिता अपराधी हों, वातावरण खराब हो, उनकी उपलब्धियाँ निम्न स्तर की हों, फिर भी वह तब तक अपराधी नहीं बनेंगे, जब तक कि वे अपनी स्थिति से असंतुष्ट न हो और असंतोष को दूर करने के उनके समाजस्वीकृत प्रयास असफल न हो चुके हों। अत: समय सहते सहभागी रूप से किशोरावस्था शिक्षा देने से किशोर-किशोरियों को अपराधवृति से विमुख किया जा सकता है।

परिवार और स्कूल का सकारात्मक वातावरण ही बच्चे के भीतर सही सोच और समझ विकसित करता है। गांधी जी, जिन्होंने अहिंसा को ही अपना परम धर्म स्वीकार कर लिया था उनका कहना था कि दंड और अहिंसा कभी साथ-साथ नहीं चल सकते। सुधार करने का अर्थ कतई यह नहीं हो सकता कि बच्चे को मारा या प्रताड़ित किया जाए। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा दी गई नैतिक शिक्षा ही बच्चे के भीतर चारित्रिक गुणों का विकास करती है। बचपन में दी गई सीख ही आगामी जीवन में सही-गलत की पहचान करना सिखाती है। न्याय संस्था या विधान ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की सोच व उसकी दूषित मानसिकता को बदलने में कामयाब हो। शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर व्यक्ति को सिर्फ जटिल और जिद्दी ही बनाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप उसके आपराधिक चरित्र को और अधिक बढ़ावा मिलता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एलिजाबेथ स्कॉट (1986) 57 विकास, 841-51. किशोरावस्था में स्वायत्तता के परिवर्तन, बाल कानूनी संदर्भों में किशोरों के निर्णय का मूल्यांकन ,कानून और मानव व्यवहार ,लंदन प्रेस, पृ0 44।
2. हॉल, जी एस (1905) किशोरावस्था, मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान के सम्बंध, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, सेक्स, अपराध, धर्म और शिक्षा न्यूयॉर्क, पृ0 212।
3. लॉरेंस स्टाइनबर्ग, हेन लेन चुंग, और मिशेल लिटिल,(2004), युवा अपराधियों के न्याय के विकास के परिप्रेक्ष्य, युवा हिंसा और किशोर न्याय ,पृ0 21।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

मृदुला गर्ग के उपन्यास साहित्य में स्त्री विमर्श के नये आयाम

डॉ. सरला पण्ड्या *

* कार्यवाहक प्राचार्य (हिन्दी) हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाँसवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – मृदुला गर्ग ने अपने उपन्यासों में नारी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व, उसके विचार एवं दृष्टिकोण तथा मर्यादित सीमाओं का वर्णन किया है। स्त्री एवं पुरूष दोनों के जीवन को पारिवारिक वातावरण, सामाजिक भावनाऐं, आर्थिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक गतिविधियाँ एवं धार्मिक परिवेश प्रभावित करते हैं। मृदुला गर्ग के उपन्यासों में इन सभी परिस्थितियों का वर्णन किया गया हैं।

पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश में लेखिका ने परिवार की वर्तमान स्थिति, स्त्री-पुरूष सम्बन्ध, महिलाओं का कार्यक्षेत्र एवं परिवार में उसकी भूमिका, उसके व्यक्तित्व, विचार एवं दृष्टिकोण का वर्णन किया है तथा उसके विचारों पर वर्तमान जीवन की परिस्थितियों से पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया हैं। उसके हिस्से की धुप, चितकोबरा एवं कठगुलाब उपन्यासों में स्त्री-पुरूष सम्बन्धों एवं संवेदनाओं का वर्णन करते हुए उनकी सुक्ष्म अनुभूतियों को उजागर किया है।

आज के युग में अर्थ व्यक्ति की बहुत सी मूल प्रवृतियों की दिशा तय करती है। व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाने एवं प्राप्त करने के लोभ से नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों से समझौता कर लेता है एवं मानवीय संवेदनाएँ पंगु हो जाती हैं। राजनीति में स्त्रियों की भूमिका व स्थिति को भी मृदुला गर्ग ने उजागर किया है हालांकि इसका वर्णन कम ही है। धार्मिकता का वर्णन भी लेखिका ने बहुत कम किया है। लेखिका महानगरीय बोध एवं भौतिकतावाद से उत्पन्न पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक वातावरण में नारी के व्यक्तित्व, विचार एवं सीमाओं का वर्णन कर नयें मूल्यों एवं दिशाओं के निर्धारण में प्रयारत है।

बदलते परिवेश में स्त्री के अन्तर्भाव, स्वतंत्रता, विचारों एवं सीमाओं का लेखिका ने अनुभवजन्य संवेदना के साथ चित्रित किया है। मृदुला गर्ग ने इन परिस्थितियों को स्वयं ही झेला है, उससे लड़ी है तब उपन्यासों में अभिव्यक्त किया है।

पारिवारिक वातावरण – पति-पत्नी के सम्बन्ध ही पारिवारिक जीवन की आधार शिला है। इनका आपसी सहयोग एवं प्रेम ही परिवार की प्रगति एवं उन्नति का आधार है। लेकिन वर्तमान में हम पिछले कुछ दशको से देख रहे हैं कि इनके आपसी मन-मुटाव एवं प्रेम के अभाव में परिवार का विघटन हो रहा है।

मृदूला गर्ग के साहित्य में परिवार के पाट में पीसती नारियाँ, पतियों के साथ बनते-बिगडते रिश्तें, आर्थिक जिम्मेंदारियों का बोझ, आत्मीय प्रेम के अभाव से जुझती स्त्रियों के चित्र सर्वत्र दिखाई देते हैं।

1. एकल परिवार
2. दाम्पत्य जीवन की विह्यलताएँ
3. अकेलापन/अजनबीपन

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति परिवार में रहते हुए भी अपने अंदर अकेलापन व अजनबीपन महसुस करता है। मृदुला गर्ग कहती है कि 'सम्बन्धों को व्यावसायिक दृष्टि से ना देखा जाए। उनके अनुसार परिवार ही हमें सर्वाधिक शक्ति, पारस्परिक स्नेह और सुरक्षा, सौहाद्र देता है' वो कहती है कि सबसे प्रबल भावना जो परिवार को बनाए रखती है वह सुरक्षा की भावना ही है। सबसे बड़ी सुरक्षा भावनात्मक सुरक्षा होती है क्योंकि मुसीबत के समय व्यक्ति को जो भावनात्मक सुरक्षा चाहिए, वह उसे अपने परिवार से ही मिल सकती है।

सामाजिक भावनाएँ – व्यवस्थित रूप में बन्धित व्यक्तियों के मध्य पाये जाने वाले सम्बन्धों की व्यवस्था को समाज कहते हैं।

'समाज पृथक-पृथक व्यक्तियों का एक यान्त्रिक समूह है। व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र है, वे स्वतंत्र जीवन-यापन करते हैं, उनका एक दूसरे से समझौता होता है और समाज रचना हो जाती है।'

1. बालिका जन्म
2. विवाह
3. कृत्रिमता
4. वृद्धावस्था

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम सकते हैं कि वृद्धावस्था में वृद्धजन किसी पर आश्रित न रहकर अपने दम पर जीना चाहते हैं, खुली हवा में स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। साथ ही परिवार में आत्म सम्मान के साथ रहना चाहते हैं।

आर्थिक परिस्थितिया –भारतीय जनता में आर्थिक असमानता के कारण असंतोष की भावना जाग्रत होने लगी। भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, गरीबी, भूख आदि जनसामान्य के जीवन को खोखला करते जा रहे थे और जीवन का विधायक अर्थ बन चुका था तथा मानव का मूल्यांकन धन के आधार पर होने लगा।

आधुनिक युग में पति पत्नी के बीच भी सम्बन्ध व्यावसायिक होते जा रहे हैं और मीता जैसी आत्म निर्भर लड़कियां भी आर्थिक शोषण का शिकार बनती जा रही है। पति-पत्नी के आत्मिक संबंधों को भी पैसे ने किस कदर खोखला बना दिया है यह हम मेरा कहानी में देख सकते हैं। साथ ही यह सत्य की उद्धाटित करता है कि स्त्री की आत्म निर्भरता एवं आत्म विश्वास उसे बड़े से बड़ा निर्णय लेने में शक्ति देता है। अर्थ के कारण ही नारी को पर निर्भरता से

मुक्ति मिली है साथ ही वह दूसरों पर निर्भर होने से उसके मन में जो हीन भावना थी उससे भी उसे मुक्ति मिली है तथा अपने प्रति किसी प्रकार का शोषण होने पर विरोध प्रकट करने में भी सक्षम हुई है।

स्त्री जब आर्थिक रूप से सुदढ़ होती है तो उसके पास सभी साधन होते हैं तथा वह आत्म विश्वासी एवं विचारों से दृढ़ हो जाती है। इसी कारण पुरूष उससे डरते है। आमतौर पर देखा जाता है कि पुरूष स्त्री को कमजोर करने के लिए हर तरह के पैंतरे आजमाता है ताकि स्त्री में हीन भावना जाग्रत हो सकें और वह किसी प्रकार का दुस्साहस ना कर सकें।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मृदुला गर्ग की कहानियों में नारी में आत्मनिर्भरता की सोच को विकसित करते हुए आत्म निर्भर बनाया है।

राजनैतिक गतिविधियाँ – मृदुला गर्ग द्वारा राजनीति के छोटे-बड़े टुकड़ों को एवं कूटनीति के तमाम कोणों को अपने लेखन द्वारा उकेरने का भरसक प्रयास किया गया जिसमें वह काफी सफल भी रही है। हमारे भारत के इतिहास में चीन-पाक विभाजन, हत्याकण्ड आदि जैसी कई सनसनी खोज खबरें भरी पड़ी हैं। इन्ही खबरों में मृदुला गर्ग आज का रंग चढ़ाकर कुछ संदेश देती है।

साम्प्रदायिकता की जिस आग ने आज हमारे दिलों में एक दुसरे की परवाह को समाप्त कर दिया है साथ ही हमारे जजबातों को आपसी रिश्तों में खटास भर दी है मृदुला गर्ग उन्हीं रिश्तों में पुन: स्नेह, लगाव कायम करना चाहती है। उसके पश्चात नायिका ने अपना सम्पूर्ण जीवन लाचार एवं बेसहारा लोगों की सहायता में लगा दिया। अपने इस निर्णय को पत्र के माध्यम से अपने से, अपने माता-पिता को भी सुचित कर देती है। इस पत्र में उसके विचारो में आजादी थी साथ ही दम घोंटू समाज से वह खुले आसमान में उड़ रही थी।

मृदूलाजी ने आपातकालीन स्थिति में जो महसुस किया उसे ही कथा के रूप में प्रस्तुत किया। सम्पूर्ण कहानी में आपातकाल की भयावहता के चित्र चित्रित होते है।

1. साम्प्रदायिकता
2. अक्टूबर 1962 का भारत-चीन हमला
3. गाँधी चिंतन का पतन
4. राजनीति का ह्रासोन्मुख रूप

उपर्युक्त उदाहरण आज के सन्दर्भ में भी सटीक बैठते हैं। कौम के नाम पर नौजवान आतंकवादियों को पैदा करने वाले लश्कर-ए-तालिबान आदि संघ इंसानियत से घृणा करने वाले है। नौजवान रास्ता भटककर मरने या मारने पर उतारू रहते है।

धार्मिक परिवेश –भारतीय परम्परा में धर्म की एक विशिष्ट अवधारणा है। सामान्य धर्म के अन्तर्गत वे सार्वभौमिक आचरण से सम्बन्धित नियम आते है जिन्हे प्रत्येक सदस्य द्वारा अनुकरणीय माना जाता है। कहा जाता है कि धर्म का उद्देश्य समाज में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करना है। 'धर्म अर्थात धारण करने योग्य कर्म ही धर्म है।' मनु ने इस सन्दर्भ में सत्य, अंहिसा, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह आदि का उल्लेख किया है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो धर्म के अन्तर्गत वे आयाम आते हैं जो सत्य अथवा आधारभूत मानवीय लक्ष्य एवं मूल्यों को संदर्भित करते हैं। धर्म ना केवल सामाजिक व्यवहार का निर्धारक है अपितु वैयक्तिक आचरण का भी निर्धारण करता है। धर्म पर चलकर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत उन्नति अवश्य कर सकता है पर यह तभी कर सकता है जब वह अपने कर्तव्य पालन एवं सामाजिक सदाचार को पूर्ण करता है। धर्म सम्पूर्ण रूप से जीने का एक तरीका है। वह विश्वासों से अधिक जीने की प्रक्रिया पर आधारित है। प्राचीन शास्त्रों में सिर्फ 'धर्म' शब्द ही मिलता है और उसके पूर्व तीन शब्द ही पायें जाते हैं – मानव धर्म, सनातन धर्म, आर्य धर्म। भारतीय चिन्तकों कें अनुसार धर्म विशिष्ट पूजा-पद्धति या ईश्वर की पूजा अर्चना करना नहीं रहा है। धर्म को हम कर्तव्य परायणता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। धर्म शास्त्रों में पूजा पद्धति नहीं अपितु सामाजिक, राजनैतिक चिन्तन एवं व्यक्ति के आचार व्यवहार सम्बन्धी निर्देश हैं। डॉ. प्रशान्त त्रिपाठी अपनी पुस्तक 'स्मृति विमर्श धर्म शास्त्रों का समाज शास्त्रीय संदर्भ में' कहते हैं 'जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जो कुछ धर्मयुक्त है, वही स्वीकार्य है, मान्य है, ग्राह्य है और जो कुछ अधर्मयुक्त है, वह त्याज्य है। धर्म ही सुख का मूल है।' इन सभी व्याख्यानों के उपरांत भी धर्म का अर्थ ईश्वरीय सत्ता के साथ भी है। आज के इस आधुनिक समय में विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और कहीं कहीं यह विश्वास 'अंधविश्वास' में परिणित भी हुआ है।

आज हमारे समाज में धर्म के नाम पर कहीं अंध विश्वास फैले हुए हैं पर साथ ही कई ऐसे मसलों को भी मानने से इंकार करते हैं जो आज के समय में मानवता के लिए जरूरी है। उदाहरण स्वरूप मुसलमानों का मजबह कितनी हीं संतानों को जन्म देने को हामी भरता है और उसे ख़ुदा की देन मानता है। मानते हैं कि बच्चें ईश्वर का रूप होते हैं परन्तु बढ़ती आबादी को देखते हुए नियम पालन करना भी जरूरी है। यहम दो, हमारे दोय क नारे को सभी धर्मो को मानना चाहिए।

हम ईश्वर से कार्य सिद्धि के लिए प्रसाद चढ़ाने का वादा करते हैं। आधुनिक युग में आज कुण्डिलयों का मिलाना धार्मिक अंध विश्वास है जिसक वजह से कभी-कभी लड़कियों को ना चाहते हुए भी कुँवारी रह जाना पड़ता है।

आज भी यदि हमें कोई मंदिर के दर्शन के लिए कहता है तो हम उसे सीधे मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें डर रहता है कि यदि ऐसा कहेंगे तो भगवान हमें श्राप दे देंगे। ऐसा ही कुछ यनेति-नेति' कहानी में दर्शाया गया है।

इसमें मास्टर श्यामल को जब उसका दोस्त दर्शन के लिए कहता है तो मास्टर श्यामल सोचता है यजब कोई पूछता है मंदिर चलेंगे तो मुंह खोलकर साफ साफ न कहना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं क्यों?'

अंत में वह दोनों मंदिर दर्शन करने जाते हैं, रास्ते में साथी पूछता रहता है कि भगवान हैं? इस सवाल का जवाब श्यामल मास्टर भी खोज रहे थे। इसी तरह के विचार 'वितृष्णा', 'तीन किलों की छोटी', 'रेशम' आदि कहानियों में मिलते हैं। सारांश में मृदुला गर्ग कहती हैं कि धर्म के कई पहलू हैं तो हमें सही का चुनाव कर मानवता की रक्षा करनी चाहिए। धर्म ने इन्सान को नहीं इन्सान ने धर्म को बनाया है।

प्रेम संवेदना –मृदुला गर्ग के दो उपन्यासों में प्रेम एवं यौन सम्बन्धी भावनाओं का चित्रण अधिकाधिक किया गया है जिसमें लेखिका ने पति के रहते हुए पर पुरूष के साथ कामनाओं में लिप्त स्त्री पुरूषों के खुल चरित्रों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। लेखिका द्वारा ऐसा चित्रण 'उसके हिस्से की धूपय एवं 'चित्तकोबरा' नामक उपन्यास में किया गया।

प्राचीनकाल की ओर देखें तो हम पायेंगे कि हमारे देश में, कभी भी कामवासना को मुक्त रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। हमारी ऐसी भारतीय सभ्यता-संस्कार को देखकर पश्चिमी राष्ट्र के लोग भी शर्म से अपना सर

झुका लेते हैं। परन्तु अब समय बदल रहा है। हमारे देश के वातावरण में भी अब अश्लीलता की बू आने लगी है।

हमारे यहाँ के वातावरण में जो अश्लीलता की बू आने लगी है उसकी वजह पाश्चात्य देशों का प्रभाव हमारे देश पर काफी पड़ रहा है जिससे हमारे समाज में अश्लील वातावरण बन रहा है। खासकर यह प्रभाव भारतीय उच्च खानदानों में दिखाई देता है, जहां सम्पूर्ण रूप से युवा पीढ़ी स्वतन्त्र है।

मृदुला गर्ग ने उन सभी प्रकारों के विचारों का अध्ययन करके अपने उपन्यासों को आकार देने का प्रयास किया है। इन दोनों उपन्यासों में जो प्रेम एवं यौन भावनाएँ हैं इनका लेखक एवं समीक्षकों की दृष्टि में क्या स्थान है यह देखना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

1. उसके हिस्से की धूप
2. चित्तकोबरा
3. कितनी कैदें
4. हरी बिंदी
5. अगर यों होता
6. अवकाश
7. रूकावट

आठवें दशक की प्रसिद्ध उपन्यासकार कथाकार एवं नाटककार मृदुला गर्ग न केवल उच्च कोटि की साहित्यकार है बल्कि आधुनिक युग की चिंतक भी हैं उन्होंने आधुनिक युग की संवेदनशीलता को अपने लेखन एवं सृजन का आधार बनाया है। वैश्वीकरण एवं भूमण्डलीकरण के दौर में समाज पर पड़ने वाले अच्छे एवं बुरे प्रभावों को उजागर करते हुए उन्होंने वास्तविक परिवार समाज एवं देश में महिला की भूमिका उसकी स्वतंत्रता एवं समानता की मांग को लेखिका ने चित्रित किया है। वह सामाजिक न्याय के आधार पर नये मूल्यों का निर्माण करना चाहती हैं। वह स्त्री में भी पुरानी एवं सड़ी–गली मान्यताओं के गुण देखना नहीं चाहती है बल्कि उससे मुक्त होकर नारी को सशक्त, स्वतंत्र और बुद्धिमानी के रूप में स्थापित करना चाहती है। वह जानती है कि स्त्री यदि आत्मनिर्भर बनती है तो उसमें स्वाभाविक चमक दिखाई देती है। परिवार में भी रहते हुए मृदुलापी के अनुसार स्त्री को प्रगतिशील विचारधाराओं का मानती हैं और उसे समय के साथ चलने के लिए प्रेरित करती हैं।

वर्तमान में स्त्री की भूमिका में बहुत अधिक परिवर्तन आया हैं इसमें उसे कही लाभ हुआ है तो कही सामाजिक रूढ़ियों से संघर्ष करते हुए तनाव एवं हताशा को भी झेलना पड़ा हैं स्वतन्त्रता एवं केरियर बनाने की चाह में स्त्रियों की शादी की उम्र निकल जाती है, परिवार बन नहीं पाते है। और उम्र हो जाने के बाद वह वापस अकेली पड़ जाती है। उसकी पारिवारिक एवं सामाजिक संवेदनाएँ असमय ही मरने लगती है एवं जीवन में सामजस्य के अभाव में वह हमेशा अकेलापन महसुस करती है। इस दौरान बनने वाले अवैध सम्बन्धों को भी लेखिका ने नकारा नहीं है। प्रेम को वह अमूल्य मूल्य के रूप में मानती है और उसे दाम्पत्य जीवन में भी जरूरी मानते हुए तलाक एवं अवैध सम्बन्धों की परिणीति को भी वह स्वीकार करती है इससे भारतीय परिवार व्यवस्था के टुटने का भी डर बना रहता है।

अंत में हम यह कह सकते है कि महिला लेखन की परम्परा में मृदुला गर्ग का अलग और उच्च स्थान है। वह नारी को आज के युग के साथ ही रूपायित कर उसे परिवार और समाज में स्थापित करना चाहती है। स्त्रियों में होने वाले परिवर्तन को स्वाभाविक स्थिति मानते हुए उन्हें पुरूषों की बराबरी का समझती है। और आत्म निर्भर एवं आत्मविश्वासी स्त्री के जीवन को ही श्रेष्ठ मानती है। वही स्त्री की वास्तविक सुन्दरता है जिसका दर्प या प्रकाश उसके चेहरे पर भी झलकता है। वह मानती है कि आत्म विश्वासी स्त्रियाँ ही समाज में अपनी अलग पहचान स्थापित कर सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मृदूला गर्ग – त्री मन की कहानियां।
2. मृदूला गर्ग – कठ गुलाब।
3. मृदूला गर्ग – चित्रकोबरा।
4. मृदूला गर्ग – उससे हिस्से की धुप।
5. मृदूला गर्ग– कितनी केदे – अवकाश।
6. मृदूला गर्ग – दस प्रतिनिधि कहानियां।
7. मृदूला गर्ग – कथा देश।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

लैंगिक असमानता और सामाजिक संरचना: भारतीय समाज में चुनौतियाँ और समाधान

मल्लू राम मीना*

* सह आचार्य (समाजशास्त्र) शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा हैं। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेद-भाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता एक गहरी और जटिल समस्या है, जो सामाजिक संरचना के विभिन्न स्तरों पर विद्यमान है। इस असमानता के कारण महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, और राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीमित अवसर मिलते हैं। पारंपरिक पितृसत्तात्मक मान्यताएँ और रूढ़िवादी दृष्टिकोण इस असमानता को और भी बढ़ाते हैं। चुनौतियों के बावजूद, समाधान के रूप में कई कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा और जागरूकता अभियान, महिलाओं के लिए आरक्षण नीतियाँ, और कानूनी सुधार जैसे प्रयास लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सहायक हो रहे हैं। हालांकि, वास्तविक बदलाव के लिए सामाजिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है। इसके लिए परिवारों, समुदायों, और संस्थानों को मिलकर काम करना होगा ताकि लैंगिक समानता को वास्तव में हासिल किया जा सके और एक न्यायसंगत समाज का निर्माण हो सके। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में लैंगिक असमानता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना और उसके समाधान के संभावित उपायों की जांच करना है।

शब्द कुंजी – एसडीजी 5, लैंगिक असमानता, शिक्षा में सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण, वन स्टॉप सेंटर।

प्रस्तावना –भारत जैसे विविध और जटिल समाज में लैंगिक असमानता एक गहन सामाजिक मुद्दा है। यह असमानता केवल एक व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या नहीं है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मानदंडों का परिणाम है। लैंगिक असमानता को सामान्यत: उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहाँ किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसे कमतर समझा जाता है या उसके साथ भेदभाव किया जाता है। भारत में, यह असमानता शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। लैंगिक असमानता के कारणों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, और राजनीतिक कारक शामिल हैं। पितृसत्तात्मक समाज में, महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं में सीमित रखा जाता है और उनके स्वतंत्रता और अधिकारों को सीमित किया जाता है। इसके अलावा, सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास भी लैंगिक असमानता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से, महिलाओं को रोजगार के अवसरों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता। लैंगिक असमानता के सामाजिक प्रभाव भी व्यापक हैं। यह असमानता न केवल महिलाओं की व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बाधित करती है। महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना न केवल एक बुनियादी मानव अधिकार है, बल्कि यह टिकाऊ भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है; यह सिद्ध हो चुका है कि महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने से आर्थिक वृद्धि और विकास में मदद मिलती है। महिलाओं को भूमि और संपत्ति, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, तथा प्रौद्योगिकी और इंटरनेट पर समान अधिकार देना महत्वपूर्ण है। आज सार्वजनिक पदों पर पहले से कहीं अधिक महिलाएँ हैं, लेकिन अधिक महिला नेताओं को प्रोत्साहित करने से लैंगिक समानता को और अधिक बढ़ाने में मदद मिलेगी।

लैंगिक समानता न केवल एक मौलिक मानव अधिकार है, बल्कि एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया के लिए एक आवश्यक आधार है। पिछले दशकों में प्रगति हुई है, लेकिन दुनिया 2030 तक लैंगिक समानता हासिल करने की राह पर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 5 (एसडीजी 5) का उद्देश्य लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है। लैंगिक समानता सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह महिलाओं और लड़कियों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने और अपने समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं में योगदान करने की अनुमति देता है।

महिलाएं और लड़कियां दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसलिए इसकी आधी क्षमता भी। लेकिन लैंगिक असमानता हर जगह बनी हुई है और सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। औसतन, श्रम बाजार में महिलाएं अभी भी वैश्विक स्तर पर पुरुषों की तुलना में 23 प्रतिशत कम कमाती हैं और महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू और देखभाल के काम में लगभग तीन गुना अधिक घंटे बिताती हैं। यौन हिंसा और शोषण, अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम का असमान

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

विभाजन, और सार्वजनिक कार्यालय में भेदभाव, ये सभी बड़ी बाधाएँ बनी हुई हैं। कोविड-19 महामारी के कारण असमानता के ये सभी क्षेत्र और भी बढ़ गए हैं: यौन हिंसा की रिपोर्ट में उछाल आया है, स्कूल बंद होने के कारण महिलाओं ने ज़्यादा देखभाल का काम संभाला है, और वैश्विक स्तर पर 70प्रतिशत स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यकर्ता महिलाएँ हैं। वर्तमान दर से, बाल विवाह को समाप्त करने में अनुमानतः 300 वर्ष लगेंगे, कानूनी संरक्षण में अंतराल को पाटने और भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाने में 286 वर्ष लगेंगे, कार्यस्थल में सत्ता और नेतृत्व के पदों पर महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व मिलने में 140 वर्ष लगेंगे, तथा राष्ट्रीय संसदों में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में 47 वर्ष लगेंगे। लक्ष्य 5 को प्राप्त करने में आने वाली प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व, निवेश और व्यापक नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। लैंगिक समानता एक सर्वव्यापी उद्देश्य है और इसे राष्ट्रीय नीतियों, बजटों और संस्थानों का मुख्य केंद्र होना चाहिए। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 17वाँ संस्करण- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसमें 146 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट के 2023 संस्करण में भारत 146 देशों में 135वें (2022 में) से 127वें स्थान पर पहुँच गया है, जो इसकी रैंकिंग में सुधार का संकेत देता है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 142वें, बांग्लादेश 59वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें, श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर हैं। भारत ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में लैंगिक समानता हासिल कर ली है जो देश की शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक विकास को दर्शाता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर के क्षेत्र में प्रगति भारत के लिये एक चुनौती बनी हुई है। एक दशक से अधिक की धीमी प्रगति के बाद भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में 1.9प्रतिशत अंक का सुधार हुआ है।

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य - भारतीय समाज में लैंगिक असमानता की जड़ें गहरी और पुरानी हैं, जो विभिन्न ऐतिहासिक कालों में अलग-अलग रूपों में प्रकट हुई हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। वेदों और उपनिषदों में महिलाओं को सम्मानित स्थान दिया गया था। शिक्षा, विवाह, धार्मिक अनुष्ठानों और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी की पुष्टि होती है। उदाहरण के लिए, गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया और उच्च सम्मान प्राप्त किया। हालांकि, समाज में वर्ग और जाति के आधार पर महिलाओं की स्थिति में अंतर था, फिर भी कुल मिलाकर महिलाओं को स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त थे। मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गई। इस काल में विदेशी आक्रमणों, मुस्लिम शासन और सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रभाव से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं ने महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज में कई सुधार किए, लेकिन महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए संघर्ष किया। इस अवधि में सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन और बाल विवाह के खिलाफ कानून जैसे सुधारात्मक कदम उठाए गए। हालांकि, पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के प्रति गहरी जड़ें जमाए पूर्वाग्रह और भेदभाव अभी भी कायम रहे। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए और लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए कई कानूनी और नीतिगत उपाय किए गए। महिलाओं को मतदान का अधिकार, संपत्ति के अधिकार, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान किए गए। इसके बावजूद, सामाजिक संरचनाओं और पारंपरिक मान्यताओं के कारण लैंगिक असमानता बनी रही। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में अंतर देखा गया, और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ा। आधुनिक भारत में, महिलाओं ने शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, खेल, और व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बावजूद इसके, लैंगिक असमानता अभी भी व्यापक है। घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, और सामाजिक रूढ़िवादिता जैसी समस्याएं अभी भी महिलाओं के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यह दर्शाता है कि यद्यपि महिलाओं की स्थिति में समय के साथ सुधार हुआ है, फिर भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

लैंगिक असमानता के सामाजिक प्रभाव - लैंगिक असमानता के सामाजिक प्रभाव एक समाज के विकास और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। यह असमानता समाज के सामाजिक संरचना को विकृत करता है, विकास को रोकता है, और समाज के समानता और समृद्धि की प्रक्रिया को धीमा करता है। लैंगिक असमानता समाज में विभाजन और असंतुलन उत्पन्न करता है। इसका परिणाम है कि समाज में आत्मविश्वास, सम्मान, और सामाजिक अधिकारों की कमी होती है, जो एक स्वस्थ समाज के लिए महत्वपूर्ण है। लैंगिक असमानता समाज के विकास को धीमा करता है और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्माण नहीं करता है। महिलाओं को समाज में अधिक सम्मान और समानता नहीं मिलने से, उन्हें आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अधिक संवेदनशीलता मिलती है। लैंगिक असमानता समाज में निर्धारित भूमिकाओं का स्थापना करता है, जिससे अन्याय और असमानता को प्रोत्साहित किया जाता है। यह महिलाओं के साथ ही पुरुषों के भी परिणामस्वरूप समाज में सामाजिक और आर्थिक विकास के अवसरों को घटाता है। लैंगिक असमानता समाज में सामाजिक सुरक्षा के प्रति कमजोरी का कारण बनता है। महिलाओं को अक्सर घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, और आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा कमजोर होती है। महिलाओं को अक्सर समाज में कम सम्मान मिलता है, जो उनकी स्वतंत्रता और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। यह समाज के साथ ही उनके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। लैंगिक असमानता के सामाजिक प्रभाव को समझकर, समाज को असमानता को दूर करने और समानता को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

लैंगिक असमानता से निपटने के लिए चुनौतियाँ - लैंगिक असमानता एक गहरा और व्यापक सामाजिक मुद्दा है जो भारतीय समाज में कई रूपों में प्रकट होता है। इससे निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जो इस प्रक्रिया को कठिन बनाती हैं। इन चुनौतियों का गहराई से विश्लेषण करने से हमें समाधान की दिशा में सही कदम उठाने में मदद मिल सकती है।

1. पितृसत्तात्मक संरचनाएं: पितृसत्तात्मक सोच और प्रथाएं न केवल घरों में बल्कि कार्यस्थलों, शिक्षा संस्थानों, और सार्वजनिक जीवन में भी प्रचलित हैं। इस मानसिकता को बदलना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह समाज के हर

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

स्तर पर मौजूद है।

2. सांस्कृतिक और धार्मिक बाधाएं: भारतीय समाज में कई सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं महिलाओं के साथ भेदभाव को प्रोत्साहित करती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समुदायों में बाल विवाह, दहेज प्रथा, और स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध जैसी प्रथाएं आम हैं। इन परंपराओं को बदलना कठिन है क्योंकि ये समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने-बाने में गहराई से समाहित हैं।

3. शिक्षा में असमानता: हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई प्रयास किए गए हैं, फिर भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में व्यापक असमानता है। कई क्षेत्रों में लड़कियों को स्कूल जाने से वंचित रखा जाता है या वे जल्दी ही शिक्षा छोड़ देती हैं। यह असमानता न केवल उनकी व्यक्तिगत विकास को बाधित करती है बल्कि समाज के समग्र विकास को भी प्रभावित करती है।

4. आर्थिक असमानता: महिलाओं को कार्यस्थलों पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता, उच्च पदों पर कम अवसर मिलते हैं, और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। आर्थिक असमानता महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बाधित करती है और उनके जीवन स्तर को प्रभावित करती है।

5. कानूनी और नीतिगत चुनौतियाँ: हालांकि भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानूनी और नीतिगत उपाय किए गए हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन अक्सर कमजोर रहता है। कानूनी प्रक्रियाएं जटिल और समय-लेवा होती हैं, जिससे पीड़ित महिलाओं को न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, पुलिस और न्यायपालिका में लैंगिक संवेदनशीलता की कमी भी एक बड़ी समस्या है।

6. स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता: स्वास्थ्य सेवाओं में भी महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल में उचित सुविधाएं नहीं मिल पातीं। इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की कमी भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के बिना महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना कठिन है।

7. जागरूकता और शिक्षा की कमी: लैंगिक असमानता से निपटने के लिए समाज में जागरूकता और शिक्षा का अभाव एक बड़ी चुनौती है। कई लोग अभी भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते और इसे समाज की एक सामान्य समस्या मानते हैं। महिलाओं के अधिकारों और समानता के महत्व को समझाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

8. राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी: महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वे राजनीतिक प्रक्रियाओं में पर्याप्त भागीदारी नहीं कर पातीं और नीतियों और निर्णयों में उनका प्रभाव सीमित होता है। राजनीतिक प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संरचनात्मक और सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है।

समाधान – लैंगिक असमानता एक जटिल और बहुआयामी समस्या है, जिसका समाधान कई स्तरों पर कार्यवाही की मांग करता है। यह सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, और सांस्कृतिक हस्तक्षेपों का मिश्रण होना चाहिए ताकि स्थायी और सार्थक परिवर्तन संभव हो सके। निम्नलिखित समाधान और हस्तक्षेप इस दिशा में प्रभावी हो सकते हैं:

1. शिक्षा में सुधार: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी लड़कियों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। इसके लिए सरकार को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रमों को मजबूत करना होगा। साथ ही, पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों पर जोर देना चाहिए ताकि छात्र बचपन से ही लैंगिक समानता की समझ विकसित कर सकें।

2. कानूनी और नीतिगत सुधार: महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता है। मौजूदा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए पुलिस और न्यायपालिका में लैंगिक संवेदनशीलता की ट्रेनिंग आवश्यक है।

3. आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना और उन्हें समान वेतन देना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना चाहिए। महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए माइक्रोफाइनेंस और स्वरोजगार योजनाएं महत्वपूर्ण हैं।

4. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसमें मातृत्व देखभाल, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे वे अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकेंगी।

5. सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी: लैंगिक समानता पर जागरूकता अभियान: समाज में लैंगिक समानता के महत्व को समझाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इसमें मीडिया, गैर-सरकारी संगठन, और सामुदायिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। समुदायों में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

6. राजनीतिक भागीदारी: महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसमें पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

7. सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार: सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं को लैंगिक समानता के पक्ष में जागरूकता बढ़ाने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। उन्हें समाज में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। समाज में मौजूद रूढ़िवादी मान्यताओं और परंपराओं को बदलने के लिए शिक्षा और जागरूकता आवश्यक है। इसके लिए सरकार, गैर-सरकारी संगठन, और मीडिया को मिलकर काम करना चाहिए।

सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लैंगिक अंतर को कम करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर निम्नलिखित योजनाओं के द्वारा प्रयासरत हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP): यह बालिकाओं की सुरक्षा, उत्तरजीविता और शिक्षा सुनिश्चित करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गिरते हुए बाल लिंग अनुपात (CSR) और जीवन-चक्र के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का त्रि-मंत्रालयी प्रयास है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), (पूर्व में मातृत्व लाभ कार्यक्रम): गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य और पोषण हेतु नकद प्रोत्साहन प्रदान करके एक बेहतर सक्षम वातावरण बनाने में योगदान करना।

किशोरी बालिका योजना: 11-14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों को पोषण, जीवन कौशल, घरेलू कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करना।

राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM): 'सुपोषित भारत' प्राप्त करने का लक्ष्य और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार और महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को कम करने का उद्देश्य।

राष्ट्रीय महिला कोष (RMK): यह एक शीर्ष सूक्ष्म-वित्त संगठन है जो गरीब महिलाओं को विभिन्न आजीविका और आय सृजन गतिविधियों के लिये रियायती शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र: इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास एवं रोज़गार के अवसरों के साथ सशक्त बनाना है।

महिला पुलिस वालंटियर्स: इसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में महिला पुलिस वालंटियर्स की भागीदारी की परिकल्पना की गई है जो पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते ती हैं तथा संकट में महिलाओं की सहायता करती हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना: इस योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

महिला उद्यमिता: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया और महिला ई-हाट (महिला उद्यमियों/SHG/NGO को समर्थन देने हेतु ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म), उद्यमिता तथा कौशल विकास कार्यक्रम (ESSDP) जैसे कार्यक्रम शुरू किये हैं।

राजनीतिक आरक्षण: सरकार ने महिलाओं के लिये पंचायती राज संस्थाओं में 33प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं। इसके तहत यह महिलाओं को शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिये सशक्त बनायाने की दृष्टि से आयोजित किया जाता है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ग्रामीण महिलाओं सहित देश में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा का मुकाबला करने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहा है, जिनमें वन स्टॉप सेंटर (OSC), 24x7 महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस स्वयंसेवक (MPV), स्वधार गृह, उज्जवला योजनाएं है।

निष्कर्ष – लैंगिक असमानता भारतीय समाज की एक गहरी और व्यापक समस्या है, जो समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की प्रगति और समृद्धि को बाधित करती है। इस असमानता से निपटने के लिए हमें बहुआयामी और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली में सुधार, सख्त कानूनी और नीतिगत सुधार, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, और सामाजिक जागरूकता अभियान जैसे कदम महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि, सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार, और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। इन सभी उपायों के माध्यम से हम लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकते हैं और महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान दिला सकते हैं। यह यात्रा कठिन और लंबी हो सकती है, लेकिन दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयासों से हम एक समानता आधारित और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकते हैं। अंत में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि लैंगिक समानता न केवल महिलाओं के लिए बल्कि समाज के समग्र विकास और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। समाज के सभी वर्गों और संस्थाओं को मिलकर इस दिशा में कार्य करना होगा ताकि एक न्यायपूर्ण और समृद्ध भविष्य की नींव रखी जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://www.springernature.com/gp/researchers/sdg-programme/sdg5
2. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1691797
3. https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=178437
4. https://sdgs.un.org/goals
5. https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/
6. Desai, S., & Andrist, L. (2010). "Gender Scripts and Age at Marriage in India." Demography, 47(3), 667-687.
7. Sen, Amartya. (2001). Development as Freedom. Oxford University Press.
8. Nussbaum, Martha. (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge University Press.
9. United Nations Development Programme (UNDP). (2020). "Gender Inequality Index
10. UN Women. (2020). "Turning Promises into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development.
11. World Bank. (2012). "World Development Report 2012: Gender Equality and Development.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

व्याकरण-शिक्षण की चुनौतियाँ : हिन्दी एवं संस्कृत के विशेष संदर्भ में

डॉ. प्रीति भट्ट*

*सहायक आचार्य (हिन्दी) से.म.बि. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नाथद्वारा (राज.) भारत

प्रस्तावना –भारतवर्ष में व्याकरण अध्ययन एवं शिक्षण की बहुत प्राचीन परंपरा रही है। तत्कालीन समय में व्याकरण पर इतना अधिक बल दिया जाता थाकि वह स्वत: एक शास्त्र बन गया तथा उसका अलग से अध्ययन किया जाने लगा।निरूक्तकार यास्क एवं अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि विश्व के प्रसिद्ध वैयाकरणों में गिने जाते हैं। वस्तुत: व्याकरण, शब्दों के प्रयोग का अनुशासनहै, तभी इसे शब्दानुशासन कहते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने 'हिन्दी शब्दानुशासन' की पूर्वपीठिका में लिखा है–

जब कोई भाषा विकसित होकर पूर्ण हो जाती है, जब वह अपने काम-काज में दूसरी भाषा की मुहताज नहीं रहती और उसमें साहित्य-रचना भी होने लगती है, जब उसका व्याकरण बनता है, जब उसके अंग-प्रत्यंग का विश्लेषण निरूपण किया जाता है। यही व्याकरण है।'[1]

साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है –

'व्याकरण, भाषा का वह अनुशासन है जो शब्दों के सही प्रयोग और सही स्थान को इस प्रकार निश्चित करता है, जिससे वक्ता या लेखक अपना आशयित अर्थ संप्रेषित या अभिव्यक्त कर पाता है।'[2]

आठवीं शताब्दी में भाषा-महाकवि स्वयंभू ने व्याकरण का महत्व काव्य-भाषा के लिए स्वीकार किया है–

'वायरण कमाई ण जाणिउ
णउ वित्ति-सुत्ता वक्खाणियउ।'

इसकी छाया पं. राहुल-सांकृत्यायन ने इस प्रकार दी है–

व्याकरण किच्छु ना जानियऊ,
ना वृत्ति-सूत्र वक्खानियऊ।[3]

अर्थात् जो व्याकरण नहीं जानता, वह व्याख्या भी नहीं कर सकता।

अत: भाषा-शिक्षण के अन्तर्गत व्याकरण शिक्षण आवश्यक हो जाता है। यह ठीक है कि आम जनता व्याकरण का यथातथ्य पालन नहीं करती, लेकिन बात जब विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी-शिक्षण की आती है तो यह विडम्बना दिखाई पड़ती है कि स्नातक और स्नात्ताकोत्तार स्तर के पाठ्यक्रम में व्याकरण का अंश न के बराबर होता है, सिर्फ प्रथम वर्ष में अनिवार्य हिन्दी के अन्तर्गत सामान्य परिचयात्मक व्याकरण पढ़ाकर इतिश्री कर ली जाती है।

यह आम धारणा है कि विद्यार्थी स्कूल स्तर तक व्याकरण-ज्ञान पा चुके हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से तो यह बात मृगतृष्णा ही सिद्ध होती है। भाषा के विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की लापरवाही (जो उनकी भी हो सकती है और शिक्षक की भी) भारी पड़ने लगती है। जैसे शब्दार्थ जाने बगैर भावार्थ करना संभव नहीं, वैसे ही भाषा-ज्ञान के बिना साहित्य का भाव या कला-सौन्दर्य नहीं समझा जा सकता।

संस्कृत भाषा में कहा गया है– 'अनभ्यासेन विषम विद्या' अर्थात् अभ्यास के अभाव में विद्या भी चली जाती है। अत: यदि विद्यार्थी विश्वविद्यालय स्तर पर व्याकरण का नियमित अभ्यास नहीं करते हैं तो धीरे-धीरे उनके लेखन एवं उच्चारण में व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियाँ आना स्वाभाविक है।

इसलिए भाषा के विद्यार्थियों के लिए शुद्ध भाषा का व्यवहार अपेक्षित ही नहीं, अवश्यंभावी भी है। दाल कितनी ही स्वादिष्ट हो, लेकिन उसमें कंकड़ हो तो खाई नहीं जा सकती। इसीलिए कॉलेज स्तर पर भी शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाये जाने की आवश्यकता रहती है और इसके लिए व्याकरण-शिक्षण अनिवार्य है।

हिन्दी में भी व्याकरण-शिक्षण को कई चुनौतियों का सामना करना होता है। व्याकरण के महत्व के संदर्भ में सन् 1905 में आ. महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती-पत्रिका' में लिखा था 'हिन्दी को कालसह बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि इसकी रचना व्याकरण-विरूद्ध न हो, जो विशेष व्यापक हो अर्थात् जिन्हें अधिक प्रान्तों के लोग समझ सकें।'

जैसा कि हम जानते है कि भारतवर्ष की 'वसुधैव कुटुम्ब' की संस्कृति रही है और यही संस्कृति हिन्दी भाषा में भी चरितार्थ होती है। विश्व की अनेक भाषाओं के शब्द हिन्दी में सम्मिलित हुए हैं- जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, फारसी, उर्दू इत्यादि भाषाओं केशब्द।शब्दों के साथ-साथ इन भाषाओं के उच्चारण का भी प्रभाव हिन्दी-भाषा पर पड़ाहै–

उदाहरण :–

अंग्रेजी-भाषा का प्रभाव – हम शुरू कर रहे हैं के स्थान पर कहना हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में कहा जाता है–

We are going to Start- आदि-आदि।

वाक्य रचना के अतिरिक्त उच्चारण एवं वर्तनीगत अशुद्धियाँ भी विद्यार्थियों में अधिक पाई जाती है जो मुख्यरूप से क्षेत्रीय या आँचलिक प्रभाव, प्रयत्न-लाघव, अज्ञान, भावातिरेक इत्यादि कारणों से होती है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी विद्यार्थी मात्रा, लिंग, अ०', वचन इत्यादि क्षेत्रों में अशुद्धियाँ करते हैं–

जैसे –

मैंने चाय पी के स्थान पर कहना मैंने चाय पिया।
मैंने दूध पिया के स्थान पर कहना मैंने दूध पी।

यह लिंग–सम्बन्धी त्रुटि का एक सामान्य उदाहरण है।

इसी प्रकार संस्कृत–शिक्षण में विद्यार्थी उच्चारण, वाचन एवं लेखन सभी क्षेत्रों में पदे–पदे त्रुटियाँ करते हैं जिसका मुख्य कारण है– विश्वविद्यालय स्तर पर व्याकरण का मात्र सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान करना, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी के अध्ययन के समय तक तो व्याकरण उसके साथ रहता है, लेकिन अध्ययन के पश्चात् विस्मृत हो जाता है।

यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति भावी जीवन में शिक्षक, माता–पिता या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रस्थिति ग्रहण करते हैं तो स्थान–स्थान पर त्रुटियाँ करते हैं। क्योंकि व्याकरण, उनके जीवन का स्थायी अंग नहीं बन पाया है, और जब तक व्याकरण विद्यार्थी के जीवन का एक आवश्यक अंग नहीं होगा तब तक भाषागत त्रुटियाँ या व्याकरण सम्बन्धी चुनौतियाँ दूर नहीं हो पायेगी।

व्याकरण, षड्–वेदांगों में वेदरूपी पुरूष का मुख स्वीकार किया गया है और यदि व्याकरण के प्रति विशेष सतर्कता नहीं बरती जायेगी तो संस्कृत भाषा जिसे हम देववाणी, वाग्देवी की वाणी या भाषाओं की जननी कहते हैं, वह धीरे–धीरे अपना अस्तित्व या वास्तविक रूप खो देगी।

व्याकरण के संदर्भ में एक श्लोक प्रसिद्ध है–

यद्यपि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्।
स्वजनः श्वजनो माभूत, सकलं शकलं सकृच्छकृत् ।।

अर्थात् प्रस्तुत श्लोक में पिता पुत्र से कहता है, कि हे पुत्र! यद्यपि तुमने बहुत अध्ययन कर लिया है तथापि अब व्याकरण पढ़ो। यदि तुम व्याकरण का अध्ययन कर लोगे तब स्वजन के स्थान श्वजन, सकल के स्थान पर 'शकल', सकृत के स्थान पर 'शकृत' का उच्चारण न करोगे।

विशेष शब्दार्थ : (स्वजन–आत्मीय व्यक्ति, श्वजन–कुत्ते व्यक्ति, सकल–सम्पूर्ण, शकल–खण्ड या टुकडे, सकृत–एक बार, शकृत–विष्ट)

संस्कृत भाषा शिक्षण में विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अधिस्नातक स्तर पर विद्यार्थी व्याकरण का विस्तृत अध्ययन करते हैं, लेकिन व्याकरण के सैद्धान्तिक भाग का ही अध्ययन करने के कारण विद्यार्थी उसका व्यावहारिक या संभाषण हेतु उपयोग नहीं कर पाते हैं।

व्याकरण–शिक्षण, पारम्परिक रूप से गद्य, पद्य, नाटक, कथा इत्यादि विधाओं से अलग रखकर ही पढ़ाया जाता है, जिसके कारण विद्यार्थी इन विधाओं में संस्कृत–भाषा के माध्यम से दो वाक्य भी शुद्ध रूप से मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं।

अतः यह विडम्बना है कि राष्ट्रीय भाषा एवं राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक 'हिन्दी' एवं वाग्देवी–भाषा 'संस्कृत' के अन्तर्गत विद्यार्थी अनेकानेक अशुद्धियाँ करते हैं। इस समस्या के अनेक कारण हैं, जिसके निराकरण हेतु निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं–

1. शिक्षण से पूर्व प्राध्यापकों को व्याकरण के व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक पक्षों का सम्पूर्ण ज्ञान दिया जाना चाहिए।
2. व्याकरण–शिक्षण को सरल, बोधगम्य एवं रोचक बनाने के लिए दृश्य–श्रव्य उपकरणों एवं मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए।
3. व्याकरण–शिक्षण हेतु 'समवाय विधि' (Co-Relation Method) का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे किसी अन्य विधा में व्याकरण की शिक्षा प्रसंग विशेष के अनुसार दी जा सके।
4. व्याकरण को पाठ्यक्रम में समुचित स्थान मिले और इसके व्यावहारिक प्रयोग पर बल दिया जाये।
5. संस्कृत–शिक्षण में संभाषण विधि एवं प्रत्यक्ष विधि का व्यावहारिक प्रयोग किया जाये।
6. विश्वविद्यालय में व्याकरण के प्रति विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुद्ध लेखन, श्लोकोच्चारण इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाये।

सार रूप में कहा जा सकता है कि भाषा के अंतर्गत व्याकरण–शिक्षण अहम् भूमिका रखता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह कहकर कि उच्च कक्षाओं में व्याकरण नहीं, साहित्य का अंतरंग पक्ष पढ़ाना होता है, हम अपने कर्त्तव्य से मुँह नहीं मोड़ सकते।

भाषा–भवन कमियों के सहारे नहीं खड़ा हो सकता। किसी भाषा की प्रकृति समझकर ही उसमें अभिव्यक्ति समुचित रूप से की जा सकती है और प्रकृति के निर्धारण में व्याकरण सबसे प्रमुख है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. आ. किशोरीदास वाजपेयी–हिन्दी शब्दानुशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, पृ. 62
2 डॉ. प्रकाशचंद्र सेन– व्यावहारिक हिन्दी, स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा.लि., नयी दिल्ली– 110058, पृ. 20
3. आ. किशोरीदास वाजपेयी–हिन्दी शब्दानुशासन, पृ. 66–67
4. वहीं, पृ. 61

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Facts of Various Perspectives of Teacher's Methodology and their Behavior

Dr. Rita Bisht*

***Dean (Education) University Of Technology, Jaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - Teaching learning materials stimulate student's activity and effectiveness, they make the process of learning easier, they help acquire knowledge of better quality, they encourage student's independence and critical thinking when selecting and collecting information. The main intention of the study is to find the relation of attitude of school teachers towards teaching learning material with age, teaching experience, annual income, qualification, number of teachers in the school, locality, management, gender, size of the family, marital status and caste.Education may be defined as a purposive, conscious or unconscious, psychological, sociological, scientific and philosophical process, which brings about the development of the individual to the fullest extent and also the maximum development of society in such a way that both enjoy maximum happiness and prosperity. In Short, education is the development of individual according to his needs and demands of society, of which he is an integral part. Using verbalism in teaching has the least expect, while direct -experience will get more effect in teaching. The activities of direct experience are more effective than non-project and projected aids. Any technology makes the learner more active and interested. Video assisted instruction and computer assisted instructions are systematically programmed, with all psychological principles so that the learner's interest will be prolonged in the earning process in addition to interaction. New technologies (in particular, the internet) provide teachers with many interesting tools that can be used to improve the teaching–learning process. The usefulness of these tools makes important for teachers to have more information about the advantages and possibilities of using technology in the classroom, as well as about the results derived from their application.

Keywords: Education, Teaching Learning Materials, Teachers, Education, Communication,Attitude, Behaviour, teaching proficiency, student teachers.

Introduction - The teacher's roles and responsibilities have found extension outside the classroom. The implementation of educational policies, transaction of curricula and spreading awareness are the main areas which keep teacher in the forefront. Changing times have added new dimension to this profession, which requires specified competencies and right attitude. Behaviour, attitude and interest of teacher help in shaping the personality of the student. Attitude is a tendency to react in a particular manner towards the stimuli. It is a dynamic entity which is subject to change. It is a deciding factor of the teacher's performance. Attitude is defined as a state of readiness shaped through the experience and influences the response of individual towards the stimuli. It is precursor of the behaviour and varies from favourable to unfavourable through neutral. Attitude is made up of three components affective, behavioural and cognitive hence acts as a yardstick of the individual behaviour.Factors which bear influence on the attitude of the teacher are the domestic environment, family background, socioeconomic background, beliefs and educational institutes etc.School status, school infrastructure, safety conditions in the school, social and professional status all these factors are vital in casting impression on the teachers attitude. Another factor which casts influence on the attitude is the experience .This holds true for teaching profession also. Teaching experience of the teacher contributes significantly in forming attitude. The teacher's attitude towards the subject and student is significant in creating desire to learn in the students. Gender and type of training are the paramount factors influencing the attitude of the teacher. It is found that female teachers have positive attitud towards teaching profession. Inadequate financial remuneration and delay in payment of salaries are the causes of teacher's having low attitude towards teaching profession. These negative factors when minimized can encourage teachers to be more conscious and responsible towards their duties. Initial teacher training helps in shaping the attitude of student teachers towards teaching profession. Development of positive attitude towards profession helps in developing creative thinking

and motivating students. The different learning environment, instructional materials and strategies adopted in initial teacher training programme are also responsible for difference in attitude of student teachers towards teaching profession. The type of attitude possessed by the teacher influence the quality of the work accomplished and teaching. Attitude of the teacher has the imprint of competencies that she possesses.

Attitude towards Teaching Profession: Attitude as a response which can be positive or negative to any situation, events or objects. Feeling or response of teachers towards teaching profession is known as Teacher Attitude towards teaching Profession. In the present study the scores obtained by the Secondary school teachers in the Attitude scale is considered to be Attitude of Teacher towards Teaching Profession. Higher the score in the Attitude scale implies higher the attitude towards teaching profession.

Teacher Adjustment: Adjustment is a continuous process by which a person varies his behaviour to produce a more harmonious relationship between himself and his environment. (Gates and Jersild 1998). Teacher Adjustment means adjustment of teacher with their school environment, teaching staff, non-teaching staff, students, curriculum etc. Teachers Adjustment refers to the Adjustment of Teachers with Academic and General Environment of the institution, Socio-Psycho-Physical Adjustment, Professional relationship Adjustment, Personal life Adjustment, Financial Adjustment and Job Satisfaction.

Review Of Literature

Khan, A. T. (2011) has conducted a study the quantitative and qualitative findings of this study reveal that secondary school teachers have mostly favorable or supportive attitudes towards inclusive education for children with special educational needs. This study also concludes that Most of the Bangladeshi secondary school teachers had positive feelings about the inclusion of such children in the mainstream classes.

Belapurkar, M. A. &Phatak, V. S. (2012) have conducted a study "Knowledge and attitude about Inclusive Education of school teacher". The result of the study the school teachers both rural and urban have a slight negative attitude about training and curriculum in teachers education with respect to inclusive education. This Study also indicates that The School teachers are not clear about government policies and planning about inclusive Education.

Das, A. &Bhatnagar, N. (2014) has conducted a study "Attitude of secondary school teachers' toward inclusive education in New Delhi". The major findings of the study were that the teacher in Delhi had positive attitude toward the inclusion of students with special needs. This study also indicates that the teachers who were more positive attitude about inclusive Education were Male.

Galovic, D. &Brojcin, B. &Glumbric, N. (2014) have conducted a study "The attitude of teachers toward inclusive Education in Vojvodina". The Result Show that in general the participants held neutral attitude towards inclusive Education and more positive expectations regarding that outcomes of inclusion. This study also indicates that the high school and preschool as well as the teacher with previous positive experience with working are an inclusive environment reported more positive attitude toward IE.

Kaur, M. &Kaur, K. (2015) have conducted a study "Attitude of Secondary School Teachers' towards inclusive Education". The findings of the study there was no significant difference between male and female secondary school teachers with respect their attitude towards inclusive education. This study also indicates that there was significant difference between rural and urban secondary school teachers with respect to their attitude towards inclusive education.

Kumar, A. (2016) has conducted a study "Exploring the Teachers' Attitudes towards Inclusive Education System". The major findings of the study there is significant difference between rural and urban teachers towards inclusive Education. This study also concluded that there issignificant difference between male & female teachers and low experience & high experience teachers towards inclusive Education.

Inclusive Education Important : Inclusive system provides a greater chance to educational system in all children and instrumental in changing inequitable attitude. Schools provide the outline for a child s first relationship with the outside world of their families; facilitate the development of social relationship and interaction. Respect and understanding grow when students of diverse abilities and backgrounds play, socialize, and learn together. Education that excludes and segregates perpetuates inequity against traditionally marginalized groups. When education is more inclusive, then the students concept of civic Participations, employment and community life will increase more.

Basic Elements Of Inclusive Education:

The main element of inclusive education is three types.

i. Use of teaching assistants or specialists: These teaching staff have a very prospective to be inclusive. In occurrence, a specialist who helps the teachers to address the needs of all the students is working inclusively. A specialist who pulls students out of class to work with them individually on a regular basis is not.

ii. Inclusive curriculum: An inclusive curriculum includes locally relevant subjects and contributions by marginalized and alternative groups. It avoids binary narratives of good and bad, and allows adapting the curriculum to the learning styles of children with special education needs.

iii. Parental involvement: Most schools strive for some level of parental involvement, but it is often limited to e-mail home and special parent–teacher conferences. In such situation the diverse school system, inclusion means thinking about several ways to reach out the parents on their own terms.

Advantages Of Inclusive Education: The advantages of

inclusive education are several for both students with and without disabilities. Some advantages of this education are mentioned given below

1. Inclusive education increases the participation of students in all activities of the schools.
2. Inclusive setting helps the children s do better socially and academically.
3. In Inclusive settings helps the different professionals, such as- teachers, psychologist, social worker and teacher educators etc. to work together for execution and formulation of educational programmed.
4. Inclusive education increased understanding and acceptance of diversity.
5. Inclusive education provides the greater opportunity for interaction to all students.

Disadvantages Of Inclusive Education:

1. Number of trained teachers for inclusive education system is insufficient.
2. Many schools do not provide sufficient resources to teach students in inclusive classes.
3. The content of curriculum is inaccessible and not motivating many times.
4. Funding is the major barrier to the practice of inclusion

Teachers' Attitude Towards Teaching Program: A teacher who facilitates education for an individual may also be described as a personal tutor, or, largely historically, a governess. In some countries, formal education can take place through home schooling. Informal learning may be assisted by a teacher occupying a transient or ongoing role, such as a family member, or by anyone with knowledge or skills in the wider community setting. As defined by Allport (1935), "Attitude is a mental or neural state of readiness, organized through experience, exerting a directive or dynamic influence upon individual's response to all objects and situations with which it is related '. Furthermore, attitudes mean the individuals' prevailing tendency to respond favourably or unfavourably to an object, person or group of people, institutions or events" (Morris &Maistro, 2005). No one is born with any attitudes. Attitudes like interests are learned through life experiences which make an individual's behave in characteristics towards persons, profession, objects, issues, situations, etc., to whichthey are related. Attitudes are very personal and complex in character. Attitudes are uniquely organized in each person and the organization itself is the product of his own reactions to his own experiences. Attitudes considerably influences one's behaviour, accordingly, the individuals, attitudes may be positive (favourable) or negative (unfavourable). As observed by K reinter and Kinicki (2007), there are three components of attitudes – affective component (feeling or emotion), cognitive component (beliefs or ideas), and psychomotor component (behaviour towards someone or something). These three components in most situations appear concomitantly to shape teacher's classroom posture, through direct and indirect interaction between society, school and teachers (Leite, 1994). We have just mentioned above that attitudes can either be positive or negative and that they are learned from our environment through life experiences. If a teacher's attitudes are negative, then, he will not be able to succeed in his profession. The teacher intellectual attitudes, emotional reactions, various habits and personality that includes all these affects the students in terms of academic success, personality , interest, etc., (Bloom, 1976; Jeans, 1995; Brooks & Sikes, 1997). Teachers are the key persons who provide quality education and it is their efforts that the success of education depends. But the success of education system depends on a teacher's professional qualifications which form the basis of the system (Celikoz& Cetin, 2004). Teacher's professional competence as well as personal characteristics and attitude regarding the profession plays an importance role in their success. However, in some studies, no significant correlation was found between academic achievement and attitudes towards teaching profession (GCPI, 1981; Bhandarkar, 1980; Saraswat, 1976). However, Mishra (1977) found positive correlation between the teachers in the postgraduate institutions and the teachers belonging to intermediate –level institutions, in which the teachers in the postgraduate institutions had significantly more favourable attitude towards teaching profession. About the influence of age and attitudes, in some studies, the attitude was positive, while others it was negative. Age was found to have definite positive relationship with attitude towards teaching profession (Jaleel&Pillay, 1979). In another study (Gupta, 1979), as age increased, the attitudes became negative. There was also significant positive relationship between the age of the teachers and their attitude towards the teaching profession (Bhandarkar, 1980). In this way, consistent or inconsistent results were found in the correlation between attitudes and academic achievement on one hand and between attitudes and age on the other. In the current paper an attempt was made to work out the influences of academic achievement and age on the development of favourable or unfavourable attitudes of teachers towards their teaching profession. A teacher's role may vary among cultures. Teachers may provide instruction in literacy and numeracy, craftsmanship or vocational training, the arts, religion, civics, community roles, or life skills.

Conclusion : Attitude being a dynamic entity gets influenced by variables like age, previous experience, beliefs, gender and stream of education. New teachers enter the teacher training program me with already established beliefs but Pre-service teacher training programmers help in shaping the attitude of teacher trainees by providing a series of experiences incorporated in their curriculum.It is found that there is no significant difference in teacher's attitude towards teaching programme based on teaching experience. Locality play vital role for teachers

attitude towards teaching programme. Thereby it is inferred that there is a significant difference in the teacher's attitude towards teaching program based on their locality. But age has no influence in teacher attitude towards teaching programme and it influence over academic achievement of their students.

References:-

1. Belapurkar, M. A., &Phatak, V. S. (2012). Knowledge and attitude about Inclusive Education of school teachers: A study, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, ISSN: 2278-8808, 1-2.
2. Awal, A. (2013). Attitude of School Teachers towards Inclusive Education, Harkamaya College of Education, Gangtok, Sikkim, 6-7.
3. Bubpha, s., &Erawan, p., &Saihong, p. (2012). Model Development for Inclusive Education Management: Practical Guidelines for Inclusive Schools, Journal of Education and Practice, ISSN 2222-1735, volume- 3, No-8, 1-3.
4. Chopra, R. (2008). Factors influencing elementary school teachers Attitude towards inclusive education, British Educational Research Association Annual Conference's.V, 2-4.
5. Chowdhury, P. (2015). Creating inclusive schools, Rita Book Agency, Kolkata, ISBN978-93-84472-20-7, 1-8.
6. Degi, K. (2014).A study on Attitude of Teachers towards Inclusive Education in Arunachal Pradesh, Dept of Education Rajiv Gandhi University, Itanagar, 1-3.
7. Green, L.B. (2017).Teachers Attitudes toward Inclusive Classrooms, Doctoral Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education, Walden University,14-16.
8. Jamal Uddin, Md. (2017). Creating an inclusive school, Aaheli Publishers, Kolkata, ISBN-81-89169-51-31-1, 1-10.
9. Kumar, A. (2016). Exploring the Teachers Attitudes towards Inclusive Education System: A Study of Indian Teachers, Journal of Education and Practice, and ISSN 2222-1735, volume-7.
10. Kaur, M., &Kaur, K. (2015). Attitude of secondary school teachers towards inclusive education, international journal of behavioral social and movement sciences, ISSN 2277- 7547,volume-4, 1-4.
11. Kumar, A., &Midha, P. (2017). Attitudes toward Inclusive Education among School Teachers, the International Journal of Indian Psychology, ISSN 2348-5396 (e) | ISSN: 2349- 3429 (p) Volume 4, Issue 2, 1-3.
12. Khan, A. T. (2011).Investigation of secondary school teachers attitudes towards and knowledge about inclusive education in Bangladesh. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master in Education, University of Canterbury, 13-15.
13. Orynbassarova, D. (2017). A Comparative Study of Teacher Attitudes toward Inclusion in Kazakhstan and Turkey, Eurasian Research Institute of Khoca Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University. Almali, Mametova, 48, 9-13.
14. Yada, A. (2015). Japanese in-service teachers attitudes towards inclusive education and self-efficacy for inclusive practices, International Master's Degree programme in Education Faculty of Education. University of Jyvaskyla, 8-9.

****

Healthcare Disparities: Investigating Access to Healthcare Services Across Different Social Groups in India

Dr. Anjali Jaipal*

***Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA**

Abstract - Healthcare disparities in India have been a significant concern, reflecting broader social inequalities. Healthcare disparities refer to differences in access, quality, and outcomes of healthcare services among different populations. In India, a country marked by significant social stratification, these disparities are pronounced and multifaceted. Despite various policy initiatives aimed at universal healthcare, access to healthcare services remains unevenly distributed, influenced by factors such as caste, gender, socioeconomic status, and geographical location. This paper explores the multifaceted dimensions of healthcare access across different social groups in India, including caste, gender, socioeconomic status, and rural-urban divides. Through an examination of existing literature, policy frameworks, and empirical data, this paper aims to highlight the persistent barriers to equitable healthcare and propose actionable recommendations for policy and practice.

Keywords: Healthcare disparities, social groups, India, access to healthcare, caste, gender, socioeconomic status, rural-urban divide.

Historical Context: The roots of healthcare disparities in India can be traced back to colonial times when healthcare infrastructure was minimal and predominantly urban-centric. Post-independence, the Indian government undertook significant efforts to expand healthcare services, yet disparities persisted. The establishment of the Bhore Committee in 1946 marked the beginning of a structured approach to public health, but its recommendations have only been partially implemented.

Caste-Based Disparities

Historical and Social Context: The caste system, a deeply entrenched social hierarchy, has been a significant determinant of access to healthcare in India. Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) have historically been marginalized and continue to face substantial barriers in accessing healthcare services.

Empirical Evidence: Studies have shown that SCs and STs have lower access to healthcare services compared to upper-caste groups. For instance, a study by Mohindra, Haddad, and Narayana (2006) found that Dalits (a term used for SCs) had significantly lower access to maternal and child healthcare services. Similarly, STs, often residing in remote and underdeveloped regions, face geographical and infrastructural barriers that limit their access to healthcare.

Policy and Programs: Various government initiatives, such as the National Rural Health Mission (NRHM) and the Tribal Health Plan, have aimed to address these disparities. However, implementation challenges and socio-cultural barriers have limited their effectiveness.

Gender-Based Disparities

Social Determinants: Gender-based disparities in healthcare access are a reflection of broader gender inequalities in Indian society. Women, particularly those from marginalized communities, face multiple layers of discrimination that hinder their access to healthcare services.

Maternal and Child Health: Maternal and child health services are critical indicators of gender disparities in healthcare. According to the National Family Health Survey (NFHS-4), the maternal mortality rate (MMR) in India remains high, with significant differences between states and social groups. Women from SC, ST, and lower socioeconomic groups are more likely to experience adverse maternal health outcomes.

Barriers to Access: Key barriers to healthcare access for women include financial constraints, lack of autonomy, cultural norms, and inadequate healthcare infrastructure. For example, a study by Balarajan, Selvaraj, and Subramanian (2011) highlighted that women often delay or avoid seeking healthcare due to financial dependence on male family members and societal expectations that prioritize their reproductive roles over their health.

Socioeconomic Disparities

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Economic Inequality: India's economic inequality significantly influences access to healthcare. The wealthier segments of the population can afford private healthcare services, which are often of higher quality, while the poorer sections rely on overburdened and under-resourced public healthcare systems.

Health Insurance: The introduction of health insurance schemes like Ayushman Bharat has been a step towards reducing economic barriers to healthcare. However, the uptake and effectiveness of such schemes vary, with poorer and rural populations less likely to benefit due to lack of awareness and administrative hurdles.

Rural-Urban Divide

Infrastructure and Resource Allocation: The rural-urban divide in healthcare access is stark, with urban areas having better healthcare infrastructure and resources. Rural areas suffer from a shortage of healthcare professionals, inadequate facilities, and longer travel distances to access care.

Empirical Data: Data from the NFHS-4 shows that urban residents are more likely to access healthcare services, including antenatal care and institutional deliveries, compared to their rural counterparts. Rural residents also face higher out-of-pocket expenditures, further exacerbating healthcare disparities.

Government Initiatives: Programs like the NRHM and the recently launched Ayushman Bharat aim to bridge the rural-urban gap. However, challenges such as corruption, misallocation of funds, and lack of local participation hinder their success.

Impact of Government Policies

National Health Mission: The National Health Mission (NHM), encompassing the National Rural Health Mission (NRHM) and National Urban Health Mission (NUHM), is a major government initiative aimed at improving healthcare access across India. The NRHM focuses on strengthening healthcare infrastructure in rural areas, while the NUHM targets the urban poor. Despite some successes, such as increased institutional deliveries and immunization coverage, the impact of NHM has been uneven, with significant gaps remaining in service delivery and quality.

Ayushman Bharat: Launched in 2018, Ayushman Bharat is a flagship healthcare program aimed at providing health insurance to over 100 million poor and vulnerable families, covering secondary and tertiary care hospitalization. While the scheme has the potential to reduce financial barriers to healthcare access, challenges such as enrollment, awareness, and ensuring quality care at empaneled hospitals remain.

Role of NGOs and Private Sector

Non-Governmental Organizations: NGOs play a crucial role in addressing healthcare disparities in India, particularly in underserved and marginalized communities. They often fill gaps left by the public sector, providing essential healthcare services, raising awareness about health issues, and advocating for policy changes. Examples include SEWA (Self Employed Women's Association), which focuses on women's health, and the Karuna Trust, which works on healthcare delivery in remote areas.

Private Sector Initiatives: The private sector, including corporate social responsibility (CSR) initiatives, also contributes to improving healthcare access. Private hospitals and clinics often provide high-quality care, though primarily accessible to those who can afford it. Public-private partnerships (PPPs) have emerged as a strategy to leverage private sector efficiencies for public health goals. However, ensuring equity in such arrangements remains a challenge.

Case Studies

Kerala: A Model of Equitable Healthcare: Kerala is often cited as a model for equitable healthcare in India. The state's emphasis on primary healthcare, robust public health infrastructure, and proactive health policies have resulted in better health outcomes and lower disparities. For example, Kerala's MMR and infant mortality rate (IMR) are significantly lower than the national average, demonstrating the impact of targeted health interventions and inclusive policies.

Bihar: A Struggle for Access: In contrast, Bihar represents the challenges faced by states with poor healthcare infrastructure and high social inequality. The state's healthcare indicators, such as high MMR and low immunization rates, reflect the compounded impact of poverty, caste-based discrimination, and inadequate health services. Efforts to improve healthcare access in Bihar have been hampered by systemic issues such as corruption and lack of political will.

Technological Interventions

Digital Health and Telemedicine: Technological advancements offer promising solutions to healthcare disparities in India. Telemedicine and digital health platforms can bridge the gap between rural and urban healthcare access. For instance, teleconsultations can provide remote diagnosis and treatment, reducing the need for travel and mitigating the shortage of healthcare professionals in rural areas. The government's eSanjeevani initiative, which facilitates online outpatient services, is a step in this direction. However, challenges such as digital literacy, internet connectivity, and data privacy need to be addressed to fully leverage these technologies.

Mobile Health Applications: Mobile health applications have the potential to enhance healthcare access and management. Apps focusing on maternal and child health, chronic disease management, and health education can empower individuals with information and resources. The Aarogya Setu app, launched during the COVID-19 pandemic for contact tracing and health monitoring, demonstrated the potential of mobile health interventions in reaching large populations.

Community Health Workers and Grassroots Efforts

Role of Accredited Social Health Activists (ASHAs): Accredited Social Health Activists (ASHAs) play a critical role in the Indian healthcare system, especially in rural

areas. These community health workers act as a bridge between the public healthcare system and the community, promoting health education, facilitating access to healthcare services, and supporting maternal and child health programs. Strengthening the ASHA program through better training, incentives, and support can significantly improve healthcare access in underserved areas.

Grassroots Health Initiatives: Various grassroots health initiatives have successfully addressed healthcare disparities in India. For instance, the Barefoot College in Rajasthan trains local women as "barefoot doctors" to provide basic healthcare services in their communities. Such initiatives highlight the importance of community involvement and empowerment in improving healthcare access and outcomes.

Addressing Mental Health Disparities

Mental Health Challenges: Mental health is a critical yet often neglected aspect of healthcare in India. Stigma, lack of awareness, and limited availability of mental health services contribute to significant disparities in mental health care access. Marginalized groups, including the economically disadvantaged, women, and rural populations, are particularly affected.

Policy and Interventions: The Mental Healthcare Act, 2017, aims to provide mental health care and services for persons with mental illness and ensure their rights. However, implementation challenges, such as inadequate funding, shortage of mental health professionals, and infrastructural deficits, hinder its effectiveness. Community-based mental health programs, integration of mental health services into primary healthcare, and awareness campaigns can help address mental health disparities.

Climate Change and Health Disparities

Impact of Climate Change: Climate change poses significant risks to public health, disproportionately affecting vulnerable populations. Extreme weather events, such as heatwaves, floods, and droughts, can exacerbate existing health disparities by disrupting healthcare services, increasing the incidence of climate-sensitive diseases, and aggravating malnutrition.

Adaptive Strategies: Adaptive strategies to mitigate the health impacts of climate change include strengthening healthcare infrastructure, improving disaster preparedness and response, and promoting sustainable and resilient health systems. Addressing the social determinants of health, such as housing and food security, is also crucial in building resilience against climate change.

Policy Recommendations

Strengthening Public Healthcare: A robust public healthcare system is crucial for addressing healthcare disparities. Increased funding, better resource allocation, and improved healthcare infrastructure, especially in rural areas, are essential steps.

Enhancing Health Insurance Coverage: Expanding and effectively implementing health insurance schemes like Ayushman Bharat can reduce financial barriers to healthcare. Ensuring that these schemes are accessible to marginalized groups through targeted awareness campaigns and streamlined administrative processes is critical.

Addressing Social Determinants of Health: Healthcare policies must address the social determinants of health, including education, employment, and housing. Multi-sectoral approaches that integrate healthcare with social and economic development programs can help reduce disparities.

Community Participation and Empowerment: Empowering local communities to participate in healthcare planning and decision-making can lead to more responsive and effective healthcare services. Training community health workers and involving local leaders can bridge the gap between healthcare providers and marginalized populations.

Conclusion: Healthcare disparities in India are a reflection of broader social inequalities. Addressing these disparities requires a multifaceted approach that includes strengthening public healthcare, enhancing health insurance coverage, addressing social determinants of health, and promoting community participation. While significant challenges remain, targeted policies and inclusive practices can pave the way towards more equitable healthcare for all social groups in India. The persistent efforts of government agencies, NGOs, the private sector, and community initiatives are crucial in this endeavor. While significant challenges remain, the collective commitment to addressing healthcare disparities holds the promise of a healthier and more equitable future for India.

References:-

1. Balarajan, Y., Selvaraj, S., & Subramanian, S. V. (2011). Health care and equity in India. The Lancet, 377(9764), 505-515.
2. Mohindra, K. S., Haddad, S., & Narayana, D. (2006). Women's health in a rural community in Kerala, India: do caste and socioeconomic position matter? Journal of Epidemiology & Community Health, 60(12), 1020-1026.
3. National Family Health Survey (NFHS-4), India, 2015-16. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
4. Pandey, A., Ploubidis, G. B., Clarke, L., & Dandona, L. (2014). Trends in catastrophic health expenditure in India: 1993 to 2014. Bulletin of the World Health Organization, 96(1), 18-28.
5. Sen, G., Iyer, A., & George, A. (2002). Structural reforms and health equity: A comparison of NSS surveys, 1986-87 and 1995-96. Economic and Political Weekly, 37(2), 134-144.
6. Sharma, R. K. (2015). Health inequity in India: Issues and concerns. Indian Journal of Medical Research, 141(5), 609-610.
7. World Health Organization. (2010). Social determinants of health. World Health Organization.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारत में जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता

डॉ. संध्या जयपाल*

* सह-आचार्य, स.ध. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (राज.) भारत

शोध सारांश – भारत में जाति व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक संरचना है जिसने समाज को विभाजित और शासित किया है। इस प्रणाली ने सामाजिक असमानता और विभाजन को जन्म दिया है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरों में भिन्नता आई है। यह शोध पत्र जाति व्यवस्था के इतिहास, वर्तमान स्थिति, और इसके प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

शब्द कुंजी – जाति, सामाजिक असमानता, भारत, वर्ण व्यवस्था, दलित, सामाजिक न्याय।

जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य –भारत में जाति व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है और यह वैदिक काल से आरंभ हुआ माना जाता है। जाति व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले वेदों में मिलता है, जहां समाज को चार प्रमुख वर्णों में विभाजित किया गया था – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र। यह विभाजन कर्म और धर्म के आधार पर किया गया था। महाभारत, पुराणों, और मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है।

ब्राह्मण समाज का उच्चतम वर्ग माना जाता था, जिन्हें धार्मिक अनुष्ठानों और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय समाज का दूसरा उच्च वर्ग था, जिन्हें रक्षा और शासन का कार्य सौंपा गया था। वैश्य व्यापार और कृषि कार्य में संलग्न थे, जबकि शूद्र समाज का निम्नतम वर्ग था, जिन्हें सेवा कार्यों में लगाया जाता था।

जाति व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप कर्म और गुण पर आधारित था, लेकिन समय के साथ यह जन्म आधारित हो गया। इस परिवर्तन के कारण सामाजिक असमानता बढ़ी और जाति व्यवस्था कठोर होती चली गई। मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था ने और भी कठोर रूप धारण किया और सामाजिक असमानता और भेदभाव बढ़ता गया।

समय के साथ जाति व्यवस्था में कई बदलाव आए। मुगल और ब्रिटिश काल में भी जाति व्यवस्था कायम रही, लेकिन कुछ हद तक इसमें बदलाव भी हुए। ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा और आधुनिकता के आगमन से जाति व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई।

वर्तमान में जाति व्यवस्था की स्थिति – आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करते हुए, यह स्पष्ट है कि संविधान के तहत किए गए कानूनी सुधारों ने जातिगत भेदभाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारतीय संविधान ने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। इसके तहत जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 15, 17 और 46 में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

आरक्षण नीति ने दलितों, पिछड़े वर्गों, और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अवसर प्रदान किए हैं। इस नीति के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाता है, जिससे इन वर्गों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिला है।

सामाजिक आंदोलनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। डॉ. भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, और अन्य सामाजिक सुधारकों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया और समाज में समानता और न्याय के लिए आवाज उठाई। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप सामाजिक चेतना में वृद्धि हुई और जातिगत भेदभाव के खिलाफ समाज ने मजबूती से खड़ा होना शुरू किया।

वर्तमान में भी जातिगत भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित भेदभाव और असमानता अभी भी प्रचलित है। हालांकि, शहरीकरण और शिक्षा के प्रसार से स्थिति में सुधार हो रहा है।

जाति आधारित सामाजिक असमानता – जाति आधारित सामाजिक असमानता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हुए, यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य सेवाओं में भिन्नता के कारण समाज में गहरी खाई है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोग शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत भेदभाव के कारण अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। स्कूलों में भेदभावपूर्ण व्यवहार, शिक्षा के अभाव, और आर्थिक समस्याओं के कारण ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा, उच्च शिक्षा में भी इन वर्गों का प्रतिनिधित्व कम है।

रोजगार के क्षेत्र में भी जातिगत भेदभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को प्राय: निम्न स्तर के कार्यों में लगाया जाता है। उच्च पदों पर इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र में भी जातिगत भेदभाव प्रचलित है।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी जातिगत भेदभाव देखा जा सकता है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिल पाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और आर्थिक समस्याओं के कारण ये लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।

जाति व्यवस्था और आर्थिक असमानता –जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न आर्थिक असमानता पर चर्चा करते हुए, यह स्पष्ट होता है कि समाज में गरीब और धनी के बीच की खाई गहरी होती जा रही है। अनुसूचित जाति और

जनजातियों के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

कृषि के क्षेत्र में जातिगत भेदभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को प्राय: निम्न स्तर के कार्यों में लगाया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा, भूमि का स्वामित्व भी उच्च जाति के लोगों के पास अधिक होता है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ती है।

उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी जातिगत भेदभाव प्रचलित है। उच्च पदों पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र में भी जातिगत भेदभाव के कारण इन वर्गों को रोजगार के उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं।

आर्थिक असमानता के कारण अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों की जीवन स्तर में कमी आती है। इन्हें उचित शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, और रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं, जिससे ये लोग आर्थिक रूप से पिछड़े रह जाते हैं।

जाति व्यवस्था और राजनीतिक असमानता –भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था की भूमिका और प्रभाव पर चर्चा करते हुए, यह स्पष्ट होता है कि जाति आधारित वोट बैंक और राजनीतिक दलों की रणनीतियाँ समाज में असमानता को बढ़ावा देती हैं।

जाति आधारित वोट बैंक के कारण राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चुनावी रणनीतियाँ बनाते हैं। यह समाज में जातिगत विभाजन को और बढ़ावा देता है। इसके अलावा, राजनीतिक दलों में उच्च पदों पर भी उच्च जाति के लोगों का प्रभुत्व होता है।

दलित नेताओं का उदय समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन है। डॉ. भीमराव अंबेडकर, मायावती, रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने दलितों के हक के लिए संघर्ष किया और उन्हें राजनीतिक मंच पर प्रतिनिधित्व दिलाया। इसके बावजूद, राजनीति में जातिगत असमानता अभी भी बनी हुई है।

जातिगत असमानता को समाप्त करने के लिए राजनीति में सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व आवश्यक है। इसके लिए राजनीतिक दलों को जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखना होगा।

जाति व्यवस्था के खिलाफ सामाजिक आंदोलनों की भूमिका– जाति व्यवस्था के खिलाफ हुए सामाजिक आंदोलनों की भूमिका पर चर्चा करते हुए, यह स्पष्ट होता है कि इन आंदोलनों ने समाज में जागरूकता और परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महात्मा गांधी ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और हरिजन आंदोलन चलाया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलितों के हक के लिए संघर्ष किया और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, अन्य सामाजिक सुधारकों ने भी जातिगत असमानता के खिलाफ आवाज उठाई।

आधुनिक समय में भी जातिगत भेदभाव के खिलाफ कई सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं। इन आंदोलनों ने समाज में जागरूकता बढ़ाई है और जातिगत असमानता के खिलाफ संघर्ष को मजबूत किया है।

जातिगत असमानता को समाप्त करने के लिए समाज में समानता और न्याय के लिए संघर्ष आवश्यक है। इसके लिए सभी वर्गों का समर्थन और सहयोग आवश्यक है।

जाति व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति – भारत में जाति व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट होता है कि जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता दोनों ने महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है। इस खंड में विभिन्न जातियों की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जाएगा।

जाति व्यवस्था के कारण महिलाओं को दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है– एक तो जातिगत भेदभाव और दूसरा लैंगिक भेदभाव। अनुसूचित जाति और जनजातियों की महिलाओं को विशेष रूप से अत्यधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएँ भी अधिक होती हैं।

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ और नीतियाँ शुरू की हैं, जैसे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला आरक्षण। इन नीतियों का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

जाति व्यवस्था और सांस्कृतिक असमानता – भारत में जाति व्यवस्था ने सांस्कृतिक असमानता को भी जन्म दिया है। विभिन्न जातियों के लोग अपनी–अपनी संस्कृतियों, रीति–रिवाजों और परंपराओं को मानते हैं, जिससे समाज में विविधता बनी रहती है। इस खंड में विभिन्न जातियों की सांस्कृतिक पहचान और उनके सामाजिक स्थान का विश्लेषण किया जाएगा।

जातिगत भेदभाव के कारण कई जातियों की सांस्कृतिक पहचान दब गई है। उच्च जातियों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रमुखता दी है, जबकि निम्न जातियों की संस्कृतियों को नजरअंदाज किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि निम्न जातियों की सांस्कृतिक धरोहर और कला का संरक्षण नहीं हो सका।

सांस्कृतिक असमानता को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं। सरकार और गैर–सरकारी संगठनों ने विभिन्न जातियों की सांस्कृतिक पहचान को प्रोत्साहित करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इसके अलावा, शिक्षा और मीडिया के माध्यम से भी सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इन दो अतिरिक्त बिंदुओं से शोध पत्र और भी व्यापक और समग्र हो जाएगा, जिससे जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन हो सकेगा।

निष्कर्ष – जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता पर निष्कर्ष निकालते हुए, यह स्पष्ट होता है कि जातिगत भेदभाव और असमानता अभी भी भारतीय समाज में प्रचलित है। हालांकि, संविधान के तहत किए गए कानूनी सुधारों और सामाजिक आंदोलनों के प्रयासों से स्थिति में सुधार हो रहा है। सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट होता है कि सभी वर्गों को समान अवसर और प्रतिनिधित्व प्रदान करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार, सामाजिक संगठनों, और समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करना होगा। जातिगत असमानता को समाप्त करने के लिए शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य सेवाओं में समानता प्रदान करना आवश्यक है। इसके अलावा, सामाजिक चेतना और जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है, जिससे जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अंबेडकर, बी.आर. 'जाति के उन्मूलन पर भाषण', लेखन और भाषण, खंड 1, 1944.
2. ओमवेट, गेल. 'जाति व्यवस्था और सामाजिक संघर्ष', प्रकाशन संस्थान, 2006.
3. डुमोंट, लुई. 'होमो हिएरार्चिकस: जाति व्यवस्था और उसके अर्थ', वाणी प्रकाशन, 1980.
4. श्रेणी आयोग रिपोर्ट, भारत सरकार, 2011.
5. महाजन, गुरचरण. 'भारत में सामाजिक असमानता: एक अध्ययन', समाजशास्त्र प्रकाशन, 2015.
6. सेन, अमर्त्य. 'विकास के रूप में स्वतंत्रता', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

भारत में ग्रामीण विकास पर एक अध्ययन: एक अवलोकन

डॉ. दिनेश कुमार कठुतिया*

* शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर चांपा (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – ग्रामीण निवासियों के जीवन स्तर और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने की प्रक्रिया को ग्रामीण विकास कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 68.84% लोग गांवों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की मंदी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा होगी। वर्षों से, भारत के ग्रामीण विकास में इसके जोर, कार्यप्रणालियों, रणनीतियों और परियोजनाओं के संदर्भ में कई परिवर्तन देखे गए हैं। नतीजतन, अब इसे एक नया दृष्टिकोण और आयाम मिला है। ग्रामीण आर्थिक विकास में क्रॉस-फंक्शनल क्षेत्रों का एकीकरण आवश्यक नीतियां तैयार करता है जो ग्रामीण क्षेत्र को स्थायी विकास की पेशकश करने के लिए आवश्यक परिवर्तन प्रदान करता है। अध्ययन का उद्देश्य भारत में ग्रामीण विकास की भूमिका, महत्व, मुद्दों और सरकारी पहलों को समझना है।

शब्द कुंजी – ग्रामीण विकास, ग्रामीण लोग, रोजगार और विकास।

प्रस्तावना – भारत में ग्रामीण विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण विकास सफलतापूर्वक उन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करता है, जिनमें गंभीर गरीबी की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण निवासियों के जीवन स्तर और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने की प्रक्रिया को ग्रामीण विकास कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 68.84% लोग गांवों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की मंदी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा होगी। ग्रामीण विकास हर राष्ट्र के आर्थिक विकास की नींव है और यह दीर्घकालिक आर्थिक विकास का समर्थन करता है।

ग्रामीण विकास का आर्थिक केंद्र श्रम नैतिकता है, जिसका व्यापारिक क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह एक सामान्य भ्रांति है कि तेजी से औद्योगिकीकरण आर्थिक प्रगति का स्रोत है। हालाँकि, कृषि के बिना औद्योगिक प्रगति संभव नहीं होगी। भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी कृषि पर निर्भर है, जो इसे सबसे महत्वपूर्ण मुख्य उद्योगों में से एक बनाती है। समस्या यह है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है। कृषि विशेष रूप से उत्पाद और बाजार योगदान के माध्यम से आर्थिक विकास में योगदान करती है। आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक योजना कृषि क्षेत्र है। मानसून और मौसम पर निर्भरता के कारण कृषि अस्थिर और अप्रत्याशित क्षेत्र है। यद्यपि शहरी क्षेत्र में लोग अधिक आधुनिक हो गए हैं और अपनी जीविका के लिए मांसाहारी भोजन पर अधिक निर्भर हैं, फिर भी इस आर्थिक विकास क्षेत्र का देश और पूरे राष्ट्र को भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान है।

ग्रामीण आबादी जिन गरीबी और शोषण की समस्याओं से जूझ रही है, उनका प्रभाव भारतीय कृषि की समग्र उत्पादकता पर पड़ रहा है। वर्षों से, भारत के ग्रामीण विकास में इसके जोर, कार्यप्रणालियों, रणनीतियों और परियोजनाओं के संदर्भ में कई परिवर्तन देखे गए हैं। नतीजतन, अब इसे एक नया दृष्टिकोण और आयाम मिला है। केवल विकास के लक्षित दर्शकों की भागीदारी से ही ग्रामीण विकास अधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण हो सकता है। लोगों की भागीदारी ग्रामीण विकास की कुंजी है, जैसे कि निष्पादन योजना के लिए मानदंड है। प्रक्रियात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण से, विकास प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक जनता की भागीदारी है। विकास योजनाओं को सहभागी बनाने के लिए विभिन्न ग्रामीण समुदायों की सहायता प्राप्त करना विकास के प्रशासकों और योजनाकारों के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत सरकार के पास ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित नीतियों, नियमों और कानूनों के निर्माण के लिए भारत का शीर्ष संगठन ग्रामीण विकास मंत्रालय है। कृषि, हस्तशिल्प, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और डेयरी सहित मुख्य उद्योग ग्रामीण व्यवसाय और अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। (श्रीनिवास 2019)।

शिक्षा की कमी और कृषि पर निर्भरता के कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्र गंभीर सूखे और अकाल की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिनका लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण निवासियों को गरीबी और असमानता की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि उनके पास अवसरों का लाभ उठाने के लिए कौशल नहीं है, इसलिए लोग बेरोजगार हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्र शिक्षित और परिष्कृत है तो व्यवसाय करना आसान है और विकास का स्तर भी अधिक है। चूंकि बाहरी वातावरण आर्थिक विकास के मूल्यों को प्रभावित करता है, इसलिए आर्थिक विकास और ग्रामीण समाज के बीच एक आपस में जुड़ा हुआ संबंध होता है। चूंकि उनकी स्थिरता ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़े आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों से प्राप्त दीर्घकालिक लाभों पर निर्भर करती है, इसलिए सरकार का समाज के साथ तालमेल बिठाना आवश्यक है। (यकाना, ए., 2017)।

ग्रामीण विकास का महत्व– ग्रामीण विकास पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। भारत में ग्रामीण विकास रणनीति आवश्यक है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण

क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण विकास से तात्पर्य व्यक्तियों के लिए अधिक सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक सुधार से है। लाखों लोगों की भलाई सभी ग्रामीण विकास परियोजनाओं और पहलों का प्राथमिक लक्ष्य रही है। यह अवसरों की असमानता, गरीबी और अज्ञानता को मिटाने के लिए किए गए जानबूझकर किए गए प्रयासों के माध्यम से हासिल किया गया है। वर्तमान में, ग्रामीण गरीबी को कम करने और विशेष रूप से गरीब ग्रामीण निवासियों के लिए जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला लागू की गई है। योजनाबद्ध ग्रामीण विकास के पहले चरण का ध्यान कृषि, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों पर था। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और आर्थिक सुधार के लाभों को समाज के सभी वर्गों में समान रूप से वितरित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़कों को उच्च प्राथमिकता देता है। समय और अनुभव के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि यदि तेज और सार्थक विकास प्राप्त करना है तो ग्रामीण विकास पहलों की सफलता के लिए आम जनता की भागीदारी आवश्यक है। ग्रामीण लोगों को आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएं प्रदान करने के लिए लोगों की भागीदारी आवश्यक है।

ग्रामीण विकास के उद्देश्य– ग्रामीण विकास के प्राथमिक उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. खाद्य, आश्रय, वस्त्र, रोजगार और शिक्षा प्रदान करके जीवन स्तर में सुधार करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाना और गरीबी कम करना।
3. निर्णय लेने में उनकी भागीदारी और प्रशासन के केंद्रीकरण के माध्यम से लोगों को योजना और विकास में शामिल करना।
4. समाज में न्याय वितरण और अवसरों की समानता सुनिश्चित करना।

अध्ययन का उद्देश्य– अध्ययन का उद्देश्य भारत में ग्रामीण विकास की भूमिका, महत्व, मुद्दों और सरकारी पहलों को समझना है।

डेटा और विधि– अध्ययन सैद्धांतिक प्रकृति का है। अध्ययन के उद्देश्य के लिए द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है। प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं में शोध पत्रों और वार्षिक रिपोर्टों से द्वितीयक डेटा एकत्र किया गया है।

भारतीय ग्रामीण विकास के मुद्दे– ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्याएं आर्थिक और गैर–आर्थिक दोनों वातावरणों से प्रभावित होती हैं। घरेलू और वैश्विक दोनों वातावरणों का अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। गैर–आर्थिक वातावरण में सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण, प्राकृतिक जनसांख्यिकीय भौतिक वातावरण और राजनीतिक वातावरण शामिल होते हैं। ग्रामीण वातावरण के आर्थिक घटकों का भारतीय व्यावसायिक बाजार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जटिल और गतिशील होने के कारण कंपनी को समाज के लिए अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए ग्रामीण बाजारों के अनुकूल होना चाहिए। ग्रामीण मूल्यों, नैतिकता और संस्कृति के कारण ग्रामीण आर्थिक वातावरण एक जटिल प्रक्रिया है। ग्रामीण वातावरण में सरकार के मूल्यों के अनुकूलन में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

1. ग्रामीण वातावरण के रूप में एक जटिल और गतिशील रणनीति।
2. ग्रामीण लोगों की संतुष्टि और निष्ठा शामिल है।
3. ग्रामीण समाज की बदलती मानसिकता।
4. निरंतर लोगों की सेवा पर ध्यान केंद्रित करना।
5. तकनीकी परिवर्तनों को लगातार अपडेट करना।
6. उच्च तकनीकी शुद्धिकरण और आधुनिकीकरण।
7. लोगों के अनुकूल नीतियों का कार्यान्वयन।
8. ग्रामीण विकास और विकास का समावेशन।

भारत में ग्रामीण विकास के लिए नवाचारी विचार

1. स्थानीय संसाधनों का उपयोग– यदि आसपास नदियों और तालाबों जैसे जल स्रोत हैं, तो गर्मियों में उनका उपयोग करने के लिए योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। जैसे कि तालाबों में छेद बंद करना, नए जलाशयों का निर्माण, और मौजूदा बांधों और नहरों को मजबूत करना ताकि जल हानि को रोका जा सके। इसी तरह, यदि कोई लौह, कोयला, या ग्रेनाइट खदानें हैं, तो स्थानीय समुदाय को रोजगार प्रदान करने के लिए उन खानों का अन्वेषण और दोहन किया जाना चाहिए।

2. शिक्षा पर जोर– सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा तक, शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक और आर्थिक जागरूकता भी बढ़ेगी।

3. स्वास्थ्य सेवाएं– स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

4. स्थानीय उद्योगों का विकास– कृषि आधारित उद्योगों, हस्तशिल्प, और लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

5. इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार– ग्रामीण सड़कों, जलापूर्ति, बिजली और संचार सेवाओं के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।

6. स्थानीय नेतृत्व का विकास– ग्रामीण विकास में स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पंचायतों और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना चाहिए ताकि वे अपने गांवों की भलाई के लिए निर्णय ले सकें और उन्हें कार्यान्वित कर सकें।

7. महिला सशक्तिकरण– महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

8. वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता– ग्रामीण इलाकों में बैंकों और अन्य वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोग आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकें और उन्हें ऋण सुविधाएं मिल सकें।

नष्कर्ष– इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास भारत के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार और समाज मिलकर काम करें और नीतियों और योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करें। केवल तभी हम एक समृद्ध और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

पंचायती राज और संवैधानिक प्रावधान

डॉ. डी.के.वर्मा *

* एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) एस.बी.एन. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – महात्मा गाँधी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत का संविधान लोकतांत्रिक ढांचे में ढले हुए सुसंगठित ग्राम समुदायों को आधार मानकर लिखा जाये। स्वतंत्रता के पश्चात् जब उन्हें पता चला कि स्वतंत्र भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों का कोई उल्लेख नहीं है तो उन्हें मानसिक आघात पहुँचा। उन्होंने कहा – 'शायद कहीं कोई भूल हुई है और इसमें अविलम्ब सुधार की आवश्यकता है। ग्राम पंचायतों को जितना सशक्त बनाया जाये, उतना ही अच्छा है।'[1] उन्होंने पंचायतीराज व्यवस्था को संविधान के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किये जाने पर खिन्नता व्यक्त करते हुए इसे संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत रखने का विचार व्यक्त किया। 'मुझे बताया गया है कि संविधान के मसविदे में ग्राम पंचायतों एवं विकेन्द्रीकरण के लिए कोई नीति निर्देश नहीं है। यह निश्चित ही एक बड़ी भूल है जिसमें अविलम्ब सुधार होना चाहिए। तभी स्वतंत्र भारत में जन–साधारण की आवाज को बल मिलेगा। ग्राम पंचायतें जितनी सशक्त होंगी जनसाधारण का उतना ही अधिक हित होगा।'[2] गाँधी जी के इस सुझाव के पश्चात् ही नीति निर्देशक तत्वों में वांछित प्रावधान किया गया।

गाँधीजी कहा करते थे कि भारत की स्वतंत्रता, धरातल से प्रारम्भ होनी चाहिए। उनका विचार था कि राजनैतिक एवं आर्थिक शक्तियों का इस प्रकार विकेन्द्रीकरण किया जाये कि भारतीय ग्राम प्राचीन एवं वैदिक काल की तरह एक स्वावलम्बी इकाई बन सके। ग्राम पंचायतों की भूमिका स्वशासी स्थानीय सरकार की हो। उनका मानना था कि समयानुकूल आवश्यक संशोधन कर इन संस्थाओं को वास्तव में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है।

नीति निर्देशक तत्व – अनुच्छेद 40 – गाँधीजी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संविधान के प्रारूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज का समावेश जिस रूप में किया गया, उस पर दृष्टिपात करना प्रासंगिक है।

ग्राम पंचायतों के बारे में अनुच्छेद 40 में प्रावधान है जिसके अनुसार 'राज्य, ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।'[3] पंचायत राज सम्बन्धी यह प्रावधान संविधान के प्रारूप में थोड़ा विलम्ब से 22 नवम्बर 1948 को शामिल किया गया। प्रारम्भ में यह अनुच्छेद 31 (3) के रूप में था बाद में संख्याओं में संशोधन के कारण संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 40 के रूप में माना गया।[4] इस सम्बन्ध में एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि एक बार यह नौबत भी आई कि संविधान में पंचायतों के बिन्दु को शामिल न किये जाने को उचित ठहराने का प्रयास किया गया। इस पर संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों में पर्याप्त विवाद भी हुआ। तत्पश्चात श्री संथानम का संशोधन स्वीकार कर अनुच्छेद 40 का रूप दिया गया। यह सब अनापेक्षित शांति से किया गया। इस बिन्दु पर ज्यादा विवाद को हतोत्साहित किया गया। इस बिन्दु की बहस भी मात्र आठ पृष्ठों में ही समाहित है। वस्तुत: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चाहते थे कि 'ग्राम स्वराज' की व्यवस्था को ही संविधान का आधार बनाया जाये। इस पर संविधान सलाहकार वेंगन नरसिंह राव की टिप्पणी थी कि चूँकि संविधान का प्रारूप अब लगभग तैयार है अत: इस स्थिति में इसमें परिवर्तन करना श्रेयकर न होगा। श्री टी. प्रकाशम व अन्य कई सदस्यों ने भी इस बात पर जोर दिया था कि संविधान गाँधी जी के स्वशासी ग्राम स्वराज्य के सिद्धान्त पर आधारित हो। कुल मिलकार स्थिति ऐसी बनी कि ग्राम पंचायत के प्रश्न को नीति निर्देशक तत्वों में एक वैचारिक दृष्टिकोण से अधिक स्वरूप न मिल सका।

यह उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 40 में अंकित प्रावधानों को भी अगर उचित ढंग से विश्लेषित कर क्रियान्वित किया जाये तो वह भी पंचायती राज की सुदृढ़ता के लिए पर्याप्त ठोस आधार है। उसमें यह स्पष्टत: अंकित है कि पंचायतों को इतनी शक्तियाँ प्रदान की जाये कि वे स्थानीय सरकार की सक्षम इकाईयों के रूप में कार्य कर सकें।

संवैधानिक प्रावधानों के अभाव में असमर्थ पंचायती राज व्यवस्था – संविधान के संस्थापकों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को भाग IV के अनुच्छेद 40 में अधीन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों की संक्षिप्त भूमिका सौंपी गई थी जिसने पंचायती राज के मार्ग को अवरूद्ध कर दिया। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की आशा पूरी नहीं हुई। इस ह्रास का मुख्य कारण व्यवस्था में विसंगतियाँ थी। पंचायतों को नाममात्र की शक्तियाँ मिली। सत्ता राज्य के हाथों या प्रशासन के हाथों में रहीं, जिससे पचायतें निष्क्रिय हो गईं। ग्रामीण आवश्यकताओं के कार्यक्रमों का निर्णय संसद या विधानमण्डलों में होता गया। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण की कमी के कारण इसका स्तर गिरता गया। इसका एक कारण यह भी रहा कि यह व्यवस्था सम्पन्न वर्ग के लोगों तक सीमित रही। राज्य सरकार ने मनमानें ढंग से चुनाव कराना तथा उन्हें भंग करना आदि का अधिकार सुरक्षित रखा। कुछ राज्यों में 15 वर्षों तक पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये गये।[5]

वित्तीय संसाधनों की कमी भी एक मुख्य कारण रहा। कम धनराशि एकत्र करने पर भी वह राज्य सरकारों के भेंट चढ़ जाती, जिससे पंचायतें

कमजोर तथा निष्क्रिय होती गई। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण विकास कार्यों से गाँवों में प्रगति नहीं हुई। निहित स्वार्थों के कारण कुछ गाँवों में विकास कार्यक्रम नहीं पहुंच पाये।

भारत में पंचायती राज क्षेत्र में जातिवाद, गुटबन्दी व भाई भतीजेवाद की जडें ़गहराई से फैल गई, इस से समान जाति में भी वैमनस्य स्थापित हुआ।

उपरोक्त विसंगतियों का परिणाम यह हुआ कि पंचायतें इस सीमा तक प्रभावहीन हो गईं कि ग्रामीण जनसामान्य लाभार्थ सृजित परिसम्पत्ति का रख रखाव करने में भी उनकी कोई भूमिका नहीं रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के जिस आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास किया गया उससे धीरे-धीरे राज्यों का भाव उदासीन बनता गया। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् को शासन का अंग बनाया गया। जिससे राज्य इनके प्रति उदासीन होता गया। परिणाम यह हुआ कि निर्णय शक्ति या तो प्रशासन के हाथ में रही या राज्यों के हाथ जो पंचायतों तक पहुँची ही नहीं।

कुछ राज्यों में कई वर्षो तक चुनाव नहीं करवाये गये, इसका मुख्य कारण वित्तीय संसाधनों की कमी थी। जिससे पंचायती राज व्यवस्था निष्क्रीय हो गई। इन संस्थाओं में समाज के आर्थिक व सामाजिक दबदबे वाले व्यक्ति ही हावी रहे जिनके कारण कमजोर वर्ग के लोगों तक लाभ पहुँच ही नहीं पाया। समाज के पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के अधिकार सुरक्षित नहीं हो पाए। वे ग्रामीण विकास तथा सामाजिक सम्मेलनों की प्रक्रिया से लगातार दूर रहे। लोगों के मूलभूत अधिकारों की कई बार उपेक्षा होती थी तथा कई बार केन्द्र विरोधी प्रक्रिया का उपयोग होता था।

पंचायती राज को संवैधानिक प्रावधानों के अभाव में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा।

1. **जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असमर्थ** – पंचायती राज संस्थाएँ न तो लोकप्रियता अर्जित कर पाई और न ही जनता में अपना स्थान बना पाई। पंचायती चुनावों ने गाँवों में दलबन्दी व गुटबन्दी को ही प्रश्रय दिया। ग्रामीण जनता न तो अपने गाँव के विकास के प्रति सजग हुई और न ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, ग्रामीणों को पंचायतीराज के प्रति निराशा ही हाथ लगी। वर्षो तक पंचायतों के चुनाव बन्द रहे जिसके कारण पंचायती राज व्यवस्था विस्मृत प्रायः हो गई।

2. **जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के मध्य मतभेद** – पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद तथा पंचायत समिति स्तर पर जन प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के बीच परस्पर मतभेदों से यह संस्था दूषित हुई। इसका मुख्य कारण दोनों का पारस्परिक हस्तक्षेप है। जनप्रतिनिधि प्रशासनिक कार्यों में अपनी मनमानी करते हैं तो अधिकारीगण विकास के कार्यों का श्रेय लेना चाहते हैं। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण बर्दाश्त नहीं तो वहीं जनप्रतिनिधि विकास कार्यों सम्बन्धी सभी निर्णयों में अपनी दृष्टि बनाऐ रखना चाहते हैं उनकी यह भी आकांक्षा होती है कि सभी कार्य उनके प्रभाव के विस्तार हेतु हो। यह स्थिति उन्हें अधिकारियों से दूर ले जाती है।

3. **संवैधानिक मान्यता का अभाव** – पंचायतीराज संस्थाओं की संवैधानिक मान्यता को लेकर सर्वाधिक बहस होती रही है। संविधान के संस्थापकों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को भाग प्ट के अनुच्छेद 40 के अधीन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों की संक्षिप्त भूमिका सौंपी गई थी, जिसने पंचायती राज के मार्ग को अवरूद्ध कर दिया। राज्य सरकार अपने अधिकारों को कम करना नहीं चाहती थी। सत्ता में पंचायतों को भागीदार बनाना राज्य सरकार को मंजूर न था। राज्य सरकार स्वेच्छा से अपने अधिकारों में कमी नहीं चाहती थी। सरकार की यही सबसे बड़ी भूल थी। गाँधीजी को जहाँ राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया वहीं उनके पंचायतीराज और ग्राम स्वराज सम्बन्धी विचारों का इस प्रकार अनादर आश्चर्य जनक है।

भारत जैसे देश में जहाँ 80 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है, राज्य स्तर पर क्या नीतियाँ बनाई जा रहीं हैं। इससे जनसाधारण को कोई मतलब नहीं होता। उनका तो सीधा सम्बन्ध व्यावहारिक नीतियों तथा उसे क्रियान्वित करने से है। इस दायित्व को निभाने में राज्य सरकार ने बहुत समय लगाया जिससे ये संस्थाएँ जागरूक नहीं हो पाई।

यह कहना गलत नहीं होगा कि जिन राज्य सरकारों ने पंचायतीराज संस्थाओं को गठित करने में तत्परता दिखाई थी। वह राज्य सरकारें पंचायती राज के प्रति उदासीन हो गई तथा कोई विशेष प्रयास नहीं कर पाई। इस कारण उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा कई राज्यों में पंचायत राज अस्तित्व में होते हुए भी प्रभावहीन ही रहा। संक्षिप्त रूप में एक सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को अपने प्रभाव का विस्तार करने तथा उनके प्रभाव को सीमित करने का साधन बनाया।

संविधान सभा में पंचायती राज पर बहस करते हुए एक संविधान सभा सदस्य श्री सुरेन्द्र घोष ने कहा कि 'पंचायतीराज के बिना सम्पूर्ण संविधान निरर्थक हो जाता है।' अनन्त शयनम ने कहा कि 'ग्राम पंचायतों को आर्थिक सत्ता भी दी जाय, इसके बिना राजनैतिक सत्ता बेकार है।'[6]

संविधान में तीसरी सरकार के रूप में मान्यता नहीं होने से तथा राज्यों पर इसकी व्यवस्था छोड़ने से हुई भूल के कारण ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक गणराज्य की आधारभूत इकाई नहीं बन पाई। केन्द्र तथा राज्य सरकार के समान जिला, खण्ड तथा ग्राम सरकार का स्वरूप उभर कर सामने नहीं आ सका। संविधान निर्माता ग्राम शासन व्यवस्था को संविधान में वही वैधानिक स्थान प्रदान करते जो लोकसभा तथा विधानसभाओं को दिया गया है तो ग्राम स्वराज की स्थिति आज बहुत सुदृढ़ होती।

पंचायत राज व्यवस्था के विकास क्रम को ध्यान पूर्वक देखा जाऐ तो एक बात स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि लम्बे समय तक ये अव्यवस्थाएँ राज्यों की अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं से प्रभावित रही हैं। राज्य सरकारों की अनिवार्यता ने इनके कार्यों शक्तियों के उचित निर्णय पर लगातार बाधाएँ उत्पन्न की है। विभिन्न राज्यों में राजनैतिक संतुलन ने इसके स्वरूप को गहरा प्रभावित किया है। जिसका परिणाम यह हुआ कि यह महत्वपूर्ण प्रयोग प्रभावी स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाया।

4. **चुनावी प्रक्रिया** – संवैधानिक संशोधनों से पूर्व पंचायती राज की विफलता का मुख्य कारण चुनावों का समय पर न होना, उन्हें बार बार भंग करना अथवा स्थगित करना रहा। चुनाव प्रक्रिया में राज्य सरकारों ने कहीं तो बड़े वार्ड बना दिये तो कहीं उम्मीद से भी छोटे, कई गाँवो में मतदाताओं को दूसरे गाँवो के साथ मिलाकर वार्ड में विभाजित कर दिया। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के वार्ड को लॉटरी सिस्टम से किया गया। चुनाव के समय पंचायत समिति तथा जिला परिषद के उम्मीदवारों के वोटों को एक साथ दे दिये जाने के कारण अशिक्षित लोगों को यह कठिनाई हुई कि कौन सा वोट किस पेटी में डाला जाए। प्रधानों तथा प्रमुखों के चुनाव स्थानीय कलेक्टरों द्वारा करवाये गये।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

इन समस्याओं के कारण यह व्यवस्था निर्जीव अवस्था में पहुँच गई। अत: राजीव गाँधी के शासन काल में 64 वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया।

64 वाँ संविधान संशोधन विधेयक – सन् 1984 में चुनावों के पश्चात् प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने दूर-दराज के क्षेत्रों के दौरे किये तथा स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जनता की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं की आवश्यकता है। जब तक ग्रामवासी विकास कार्यों में सीधे सम्मिलित नहीं होंगे तब तक निर्धनता उन्मूलन असम्भव है तथा विकास के लिए खर्च की जा रही राशि का 15 से 20 प्रतिशत ही ग्रामीण जनता तक पहुँच पाती है। राजीव गाँधी ने यह नारा दिया **'जन की सत्ता सौंपो जन को'** ।

संविधान के 64 वें संशोधन की प्रक्रिया इस ओर उठाया गया एक कदम था। ग्राम पंचायतों को वित्तीय व्यवस्था सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार परक योजनाएँ चलाने तथा पंचायतों के नियमित चुनाव कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने, पंचायतों के खोए हुए अस्तित्व को पुन: स्थापित करने, आर्थिक संसाधनों के विभाजन की निश्चित व्यवस्था के लिए वित्तीय आयोग के गठन जैसे अनेक क्रान्तिकारी प्रस्ताव इस संशोधन में रखे गये।[8]

राजीव गाँधी ने उक्त अवसर पर कहा था कि 'भारत में लोकतंत्र के विकास के इतिहास में जो एक घटना सबसे महत्वपूर्ण है वह है संविधान का निर्माण, संविधान ने संसद और राज्य विधान सभाओं में लोकतंत्र को प्रतिष्ठित किया है। यह ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी विधेयक (पंचायतीराज विधेयक) भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिये समाज के निम्नतम स्तर पर लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को संविधान में स्थान दिलाया गया है।'

15 मई, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी द्वारा पंचायतों के सन्दर्भ में 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के पटल पर रखा गया। अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत नवें हिस्से के रूप में जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित इस विधेयक में स्थानीय स्वशासन की इकाईयों के रूप में पंचायतीराज संस्थाओं को ज्यादा उपयोगी, क्रियाशील एवं विचारोन्मुखी बनाने हेतु, संगठन, निर्वाचन प्रक्रिया, वित्त व्यवस्था एवं कार्यक्षेत्र सम्बन्धी प्रस्ताव रखे गये थे। विधेयक राज्य सभा में पारित नहीं हो सका। परन्तु पंचायती राज के विकास क्रम में इस विधेयक का अपना एक स्थान है।[9]

इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए राजीव गाँधी ने कहा था कि 'यह विधेयक अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश के बहुत से भागों में हम उम्मीदों को पूरा करने में असफल रहे हैं, जो 30 वर्ष पहले पंचायतीराज व्यवस्था से जुड़ी थीं।'[10]

पिछले दो-तीन दशकों में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिये जाने के लिए अनेक स्तरों पर आवाज उठाई गई थी परन्तु यह कार्य सम्भव नहीं हुआ। 64वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इस दिशा में यह प्रयास ऐसा था जिसने आगामी वर्षों में दिक सूचक का कार्य किया। कई राजनीतिविदों का विचार है कि 64 वाँ संशोधन विधेयक चूँकि लोकसभा के चुनावों से कुछ समय पूर्व प्रस्तुत किया गया था और जैसा कि अपेक्षित था, वह राजनैतिक श्रेय - विवाद में फंसकर रह गया।

संविधान के अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों में निहित भावना को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु प्रस्तुत इस विधेयक के प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार थे।

1. **संरचना 243 (ए) तथा (बी)**

- प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी जिसके अनुसार ग्राम स्तर, मध्य स्तर तथा जिला स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों से इन संस्थाओं का गठन किया जायेगा। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्य स्तर का गठन आवश्यक नहीं होगा।
- ग्राम पंचायत के सभी पदों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा। सदस्यों के निर्वाचन हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र को उपयुक्त संख्या में वार्डो में विभाजित किया जा सकता है।
- राज्य की विधानसभा उपयुक्त कानूनी व्यवस्था बनायेगी ताकि ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष, मध्यस्तरीय पंचायत (पंचायत समिति) में एवं मध्यस्त पंचायत के अध्यक्ष, जिला स्तरीय पंचायत में प्रतिनिधित्व कर सकें।
- ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य स्तरों पर (ब्लॉक पंचायत एवं जिला परिषद में) सम्बन्धित विधायक एवं सांसद सदस्य हो सकेंगे परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- पंचायत की बैठक में प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित सदस्यों एवं अध्यक्ष को ही मतदान का अधिकार होगा।
- ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की चुनाव विधि (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) राज्य सरकार तय करेगी मध्यस्तरीय पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, उनके सदस्य अपने आप में से करेंगे।
- जहाँ पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने आप में से किया गया है उस अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने के लिए आवश्यक होगा कि कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक एवं मतदान के समय उपस्थित दो तिहाई सदस्य मत का समर्थन करें।

2. **आरक्षण 243 (सी)**

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पंचायतों में उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में ही पद आरक्षित होंगे। अगर इन वर्गों की संख्या अपर्याप्त है तो भी एक-एक पद अवश्य आरक्षित होगा।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित कुल स्थानों का 30 प्रतिशत भाग इन्हीं वर्गो की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अगर आरक्षित पद दो हैं तो उनमें से एक पद महिलाओं के लिए होगा।
- राज्य सरकार चाहे तो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए पंचायतों के अध्यक्षों के कुछ प्रतिशत पद आरक्षित कर सकती हैं।
- सभी पंचायतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से भरने वाले पदों के 30 प्रतिशत पद महिलाओं (अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को शामिल करते हुए) के लिए आरक्षित होंगे।

3. **अवधि 243(डी)**

- प्रत्येक पंचायत अगर वह कानून के अन्तर्गत भंग नहीं है तो पाँच वर्ष की अवधि पूरी करेगी।
- अगर किसी कारण कोई पंचायत मध्यावधि में भंग की जाती है तो 6 माह के भीतर उसका पुनर्गठन करना आवश्यक होगा।
- अगर किसी पंचायत का गठन मध्यावधि में भंग होने के फलस्वरूप हुआ है तो उसकी अवधि केवल शेष समय के लिए होगी।

4. **कार्यशक्तियाँ एवं दायित्व 243 (ई)**

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

- राज्य विधानसभा पंचायतों को शक्तियाँ, सत्ता एवं दायित्व सौंपते हुए ऐसे विधेयक पारित करेगी जो इन संस्थाओं को स्थानीय शासन की इकाई बनने हेतु सक्षम होने के लिए आधार प्रस्तुत करें।
- आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय सम्बन्धी योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतीराज संस्थाओं को सक्षम बनाया जाये।

5. पंचायतों के वित्त स्रोत 243 (एफ)

- राज्य सरकार पंचायतों को निर्धारित मदों पर करारोपण एवं वसूली की शक्तियाँ प्रदान करेगी।
- अगर इन करों, शुल्कों तथा अधिभार की वसूली, राज्य सरकार द्वारा की जाती है तो उसे पंचायतों को दे दिया जायेगा।
- राज्य सरकार पंचायतों को तदर्थ अनुदान की व्यवस्था करेगी।

6. वित्त आयोग का गठन 243 (जी)

- इस विधेयक के पारित होने के दो वर्ष की अवधि में राज्य सरकार यथा सम्भव शीघ्र एक वित्त आयोग का गठन करेगी। प्रति पाँच वर्ष बाद आयोग का नवीनिकरण किया जायेगा।
- वित्त आयोग राज्यपाल को पंचायतों के करारोपण मदों, राज्य तथा पंचायतों (जिलों) के बीच राशि आवंटन के मानदंडों तथा राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को दिये जाने वाले तदर्थ अनुदान के बारे में सुझाव देगा।
- वित्त आयोग की सिफारिशों को राज्यपाल विधानसभा में पारित करने हेतु, रखने की व्यवस्था करेगा।

7. पंचायतों का लेखा व अंकेक्षण 243 (एच)

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से सलाह कर राज्यपाल पंचायतों के लिए लेखा एवं अंकेक्षण की विधि निर्धारित करेगा। तद्नुसार इन संस्थाओं में लेखा एवं अंकेक्षण की प्रक्रिया रहेगी।[11]

8. निर्वाचन 243 (आई) एवं (जे)

- पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों एवं मतदाता सूचियों की देखरेख, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण सम्बन्धी सभी शक्तियाँ भारत के चुनाव आयोग में निहित होंगी। निसंदेह, निवार्चन के बारे में सभी प्रकार के कानून एवं नियम राज्य स्तर पर बनाये जायेंगे।

9. क्षेत्राधिकारी 243 (एल)

- यह अधिनियम नागालैण्ड, मेघालय एवं मिजोरम राज्य, अनुच्छेद 244 के भाग दो में अंकित जनजाति क्षेत्रों, मणिपुर के पहाड़ी भागों एवं पश्चिमी बंगाल के दार्जलिंग क्षेत्र जहां डिस्ट्रिक्ट काउंसिलें पहले से ही कार्यरत है, पर लागू नहीं होगा।

72 वाँ संविधान संशोधन विधेयक – 1991 – 16 सितम्बर, 1991 को पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 72 वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत यह विधेयक वस्तुत: 64 वें विधेयक की ही संशोधित प्रति थी। इसमें वे सभी बिन्दु सम्मिलित किये गये जो 64 वें विधेयक में थे। मुख्य अंतर ढांचागत संरचना का था। 64 वें विधेयक में तीनों स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन आवश्यक था। जबकि 72 वें संशोधन विधेयक में केवल ग्राम स्तर की ही बाध्यता थी। मध्य स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं के गठन के बिन्दु को राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। 64 वें विधेयक की तरह 72 वें विधेयक को भी अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत नवें हिस्से के रूप में जोड़े जाने के लिए प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे।

- अनुच्छेद 243(ए) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी होगी जैसे कि राज्य सरकार विधानसभा के प्रति होती है। ग्राम के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होंगे।
- अनुच्छेद 243 (बी) के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन आवश्यक है। मध्य स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद हो, दोनों में से एक हो या दोनों यह राज्य की विधानसभा के निर्णय पर निर्भर करेगा।
- अनुच्छेद 243 (सी) में ग्राम पंचायत एवं मध्यस्तरीय संस्था (अगर गठित होती है) की सदस्यता हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान है जबकि जिला परिषद के गठन की विधि राज्य सरकारों पर छोड़ी गई है। इसी तरह ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के अध्यक्षों के चुनाव का प्रावधान प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से रखा गया है। जबकि जिला परिषद के अध्यक्ष की निर्वाचन विधि तय करने का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है।
- अनुच्छेद 243(डी) में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायतों (सभी स्तरों पर) के कुछ वार्ड् आरक्षित करने का प्रावधान है जो क्रमश: बदलते रहेंगे। इन आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई स्थानों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाऐं ही चुनी जा सकेंगी। प्रत्येक पंचायत के एक तिहाई वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान भी शामिल हैं।
- यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य की समस्त पंचायतों के एक तिहाई पदों पर महिलाऐं ही आसीन होंगी।
- कुछ अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए भी आरक्षित करने का प्रावधान है।
- जहाँ तक पिछड़ी जातियों के लिए ग्राम पंचायतों की सदस्यता या अध्यक्षता हेतु आरक्षण का प्रश्न है, इसका निर्णय 243 (डी) (6) में राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है।
- अनुच्छेद (ई) में पंचायती राज संस्थाओं की अवधि 5 वर्ष की रखी गई है। किसी कारण से अगर कोई ग्राम पंचायत मध्यावधि में भंग की जाती है तो अगले 6 माह की अवधि के भीतर उसका पुनर्गठन वांछनीय है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नियमित एवं निष्पक्ष हों यह दायित्व राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी का होगा।
- अनुच्छेद 243 (एफ) में पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यता हेतु अयोग्यताऐं दी गई हैं।
- अनुच्छेद 243 (जी) में राज्य की विधानसभाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे पंचायतों के अधिकार कर्त्तव्य तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी ऐसे नियम बनायें कि ये संस्थायें लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को यथार्थ रूप में चरितार्थ करते हुए जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। अनुच्छेद 243 (जी) के अन्तर्गत जोड़े गये 11 वें शेड्यूल में स्थानीय महत्व के 29 विषय कृषि, सिचाई, पशुपालन, मत्स्य विकास, वन, ग्रामीण सड़के, विद्युत, शिक्षा, परिवार कल्याण आदि रखे गये हैं जो वस्तुत: 64 वें विधेयक की पुनरावृत्ति ही है। इन विषयों से सम्बन्धित समस्त विकास कार्य योजना से लेकर क्रियान्वयन तक पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

क्षेत्र में होंगे।

- अनुच्छेद 243 (एच) में राज्य की विधानसभा को यह अधिकार दिया गया कि वह पंचायती राज संस्थाओं को करारोपण एवं वसूली के लिए अधिकृत करें। इसी अनुच्छेद में राज्य सरकार के कोष से पंचायतों को दिये जाने वाले अनुदानों की व्यवस्था का भी प्रावधान है।
- अनुच्छेद 243(आई) में प्रावधान है कि 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। बाद में हर पांचवे साल नये वित्त आयोग का गठन किया जायेगा।
- अनुच्छेद 243(जे) में पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण की व्यवस्था है।
- अनुच्छेद 243 (के) में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है जो मतदाता सूची तैयार कराने से लेकर निर्धारित अवधि में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी होगा।
- अनुच्छेद 243 (एल) में अंकित है कि ये प्रावधान संघीय क्षेत्रों पर भी उसी तरह लागू होंगे। इस संदर्भ में राज्यपाल के दायित्वों का निर्वाह संघीय क्षेत्र के प्रशासक करेंगे।
- अनुच्छेद 243 (एम) में दिया गया है कि 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान नागालैंड, मिजोरम मेघालय मणिपुर के पहाड़ी जिलों तथा पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग जिले पर लागू नहीं होंगे।
- अनुच्छेद 243 (एन) में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने तक राज्यों में पूर्व से गठित चली आ रही पंचायतें वैध होंगी।
- अनुच्छेद 243 (ओ) में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा परिसीमित चुनाव क्षेत्रों की वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

73 वाँ संविधान संशोधन – 1992 – लोकसभा ने 72 वें संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा हेतु संसद सदस्यों की एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया। सांसद नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में गठित इस समिति में राज्यों एवं दलों के प्रतिनिधि संसद सदस्य थे। समिति ने उपयोगिता एवं व्यवहारिकता की पृष्ठभूमि में विधेयक के विविध प्रावधानों का अध्ययन कर संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 22 दिसम्बर, 1992 को लोकसभा एवं अगले दिन राज्य सभा में 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के रूप में पारित कर दिया गया। 17 राज्यों से अनुमोदन होने के पश्चात् 24 अप्रैल, 1993 से अधिनियम को सारे देश में लागू कर दिया गया।12 समिति के सुझावों के आधार पर विधेयक को पारित करते समय प्रारूप में कुछ संशोधन किये गये जिनके मुख्य बिन्दु निम्न लिखित हैं :–

- अनुच्छेद 243 (बी) के अन्तर्गत तीनों स्तरों ग्राम, पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान रखा गया है जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पंचायत समिति आवश्यक नहीं है।
- ग्राम पंचायत की तरह मध्य स्तर एवं जिला स्तर पर भी सदस्यता हेतु सीधे निर्वाचन का भी प्रावधान किया गया।
- अनुच्छेद 243 (सी) के अनुसार ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मध्य स्तरीय पंचायत (ब्लॉक एवं पंचायत समिति) में अपनी पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिन राज्यों में मध्य स्तर का प्रावधान नहीं होगा, यह प्रतिनिधित्व जिला स्तर पर होगा। इसी तरह मध्य स्तरीय पंचायत के अध्यक्ष जिला परिषदों के सदस्य होंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य जिला परिषद एवं ब्लॉक पंचायत के सदस्य होंगे बशर्ते कि वे उस क्षेत्र का पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हों।
- ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन की विधि राज्य सरकार तय करेगी जबकि ब्लॉक, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के अध्यक्ष का चयन निर्वाचित सदस्यगण अपने आप में से करेंगे।
- ग्राम पंचायत एवं अन्य स्तरों पर भी अध्यक्ष के कुछ पद अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जा सकते हैं। आरक्षण की विधि राज्य सरकार द्वारा तय की जायेगी। ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
- अनुच्छेद 243 (जी) में ग्राम पंचायतों को नियमान्तर्गत इतना सक्षम बनाने की व्यवस्था की गई है कि वे आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजना बना सकें। तभी ये संस्थायें एक प्रभावी स्थानीय स्वशासन की इकाई बन पायेंगी।
- अनुच्छेद 243 (जी) में ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र को सुस्पष्ट करने हेतु संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकास योजनायें बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने हेतु 29 विषय दिये गए।कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि सुधार, चकबंदी एवं भू – संरक्षण, लघु सिचाई, जल व्यवस्था, जल नियंत्रण प्शुपालन, दुग्ध व्यवसाय एवं मुर्गी पालन मत्स्य व्यवसाय, सामाजिक वानिकी लघु वन उपज लघु उद्योगखादी ग्रामद्योग एवं कुटीर उद्योग ग्रामीण आवास योजनाऐं, पीने का पानी ईधन एवं चारागाह स्थानीय सड़कें, पुलिया, नदियों के पुल, स्थानीय जलमार्ग एवं अन्य संदेश वाहन के साधन, स्थानीय सड़कें, पुलिया, नदियों के पुल, स्थानीय जलमार्ग एवं अन्य संदेश वाहन स्थानीय सड़कें।

11 वीं अनुसूची – अनुच्छेद 243 (जी) – 73 वाँ संशोधन पंचायती राज की स्थापना और सत्ता के विकेन्द्रीकरण का अचूक समाधान है। इस विधेयक के अनन्य अनुच्छेदों पर दृष्टि डालने पर यह प्रतीत होता है कि यह भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में क्रान्तिकारी कदम है। इस विधेयक को लाने में पहल करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने कहा था कि 'हमारा जन समुदाय की क्षमता में विश्वास है। देश की जनता को अपना भाग्य निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए। इनमें अधिक से अधिक जनतंत्र और सत्ता का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।'[13]

इस अधिनियम के प्रभाव में आते ही भारत विश्व का एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश बन गया जहाँ स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस व्यवस्था से हमें बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिले और भविष्य में मिलेंगे। 'पंचायतीराज संस्थाओं के परिणाम इतने दूरगामी हैं कि जिन्होंने इसके कानून बनाये हैं उन्होंने भी इसकी आशा नहीं की होगी।'[14]

इस संशोधन ने पंचायतीराज व्यवस्था की संरचना में निम्न से निम्न व्यक्ति को भी ग्राम सभा के माध्यम से सम्मिलित तथा सक्रिय करने का प्रयास किया है। 11वीं अनुसूची में दिये गये विषय पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के विषयों को स्पष्ट करते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान भी ग्रामों के वंचित तबके को नीति निर्माण में सक्रिय करने का प्रसंशनीय प्रयास हैं। पंचायतीराज में महिला आरक्षण के

औचित्य तथा महिला सशक्तिकरण में पंचायतीराज की भूमिका पर हम आगे के अध्यायों में विस्तार से चर्चा करेंगे।

विगत 50 वर्षों में पंचायतीराज को प्रभावी रूप से केवल 73 वें संशोधन के माध्यम से ही संरक्षण मिला यह निर्विवादित तथ्य है। परन्तु यह संरक्षण केवल एक पहलू संरचनात्मक ढांचे के स्थायित्व को ही सुनिश्चित करता है। या 11 वीं अनुसूची में वे कार्य क्षेत्र दिये गये हैं जिनमें से जिला योजना के लिए प्रस्ताव बनने हैं। किन्तु मुख्य मुद्दा, जिला योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का है। इसके लिए अभी भी राज्य सरकार पर निर्भरता बनी हुई है। पंचायतीराज संस्थाओं की शक्तियों, अधिकारों एवं दायित्वों के सन्दर्भ में 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 (जी) में पूरे अधिकार राज्यों की विधानसभाओं को दिये गये हैं। यह अपेक्षा की गई है कि विधानसभा इन संस्थाओं को नियम बना कर इतनी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगी कि वे प्रभावी ढंग से स्वशासी निकाय के रूप में कार्य कर सके। यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता के कारण वैसे ही विधायकों का पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण के प्रश्न पर ठण्डा रूख रहता है। अत: उनसे ऐसी अपेक्षा करना कुछ ज्यादा ही होगा। प्रश्न व्यक्तियों का नहीं स्थितियों का है। यह तो मात्र भूमिका निर्वाह है। आज का जिला पंचायत प्रमुख कल जब विधायक और मंत्री बन जाता है तो उसका भी वैसा ही रूख हो जाता है जैसा कि विधान सभा के अन्य सदस्यों का। इसके विपरीत कल का विधायक आज जब पंचायत समिति प्रधान या जिला प्रमुख बन जाता है तो वह इन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की बात करने लगता है। इस स्थिति से उबरने का केवल एक ही उपाय है कि इन बिन्दुओं पेर जो कि पंचायतीराज संस्थाओं की शक्तियों, अधिकारों और दायित्वों से सम्बन्धित हैं, पर संविधान में स्पष्ट निर्देश हों। निस्संदेह इसके लिए संविधान में एक और संशोधन करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. निरंजन मिश्र : भारत में पंचायती राज पृष्ठ–15 परिबोध, जयपुर – 2006
2. महात्मा गाँधी द्वारा 'हरिजन' समाचार पत्र में प्रकाशित लेख दिनांक 21.02.1947
3. राजस्थान पंचायतीराज क्षमता विकास अभियान – 2010 पंचायतीराज प्रशिक्षण संदर्भ सामग्री पृष्ठ – 10
4. दुर्गा दास बसु : इन्ट्रोडक्शन टू द कॉन्सटीट्यूशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली– 1976
5. राजकुमारी सुराणा : भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और नव पंचायतीराज पृ. 72 राज पब्लिशिंग हाऊस–2000
6. लक्खी प्रसाद भूषण : पंचायती राज प्रणाली सत्ता का विकेन्द्रीकरण योजना मई 1995 पृ. 27 नई दिल्ली
7. रामेश्वर ठाकुर : 'राजीव, गांधी और पंचायतीराज' कुरूक्षेत्र मई 1993, पृष्ठ 6
8. राजकुमारी सुराणा : 'भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और नव पंचायतीराज', पृष्ठ 77
9. निरंजन मिश्र : भारत में पंचायतीराज, पृष्ठ 45
10. बद्री विशाल त्रिपाठी : पंचायती राज अतीत वर्तमान अप्रैल, 1995 पृष्ठ 25 कुरूक्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र व रोजगार मंत्रालय, प्रकाशन विभाग पटियाला हाऊस, दिल्ली
11. सुभाष सत्य : ग्राम स्वराज, दिवान पब्लिकेशन, कुरूक्षेत्र मार्च 1993 पृष्ठ 7 – नई दिल्ली
12. निरंजन मिश्र : परिदृश्य चार दशकों के उतार चढ़ाव का 'राजस्थान पत्रिका', 7 अप्रैल, 1996 पृष्ठ 3 जयपुर
13. एल.सी. जैन: 'पंचायती राज व्यवस्था : पांच लाख गाँवों में नई व्यवस्था कुरूक्षेत्र' – 1993 पृष्ठ संख्या 20
14. रजनी रंजन झा: पंचायतीराज रूरल डवलपमेंट 1998 पृ. 70 दिल्ली

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

सूरदास : भ्रमरगीत परम्मपरा के उन्नायक

डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी*

* सहा. प्राध्यापक (हिन्दी) शा.जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर, जिला –बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – भ्रमर गीत परम्परा के सबसे सशक्त कवि महाकवि सूरदास माने जाते हैं। सूरदास जी ने श्रीमद्‌भागवत के दशम स्कंध के आधार पर कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है। श्रीमद्‌भागवत में एक प्रसंग आता है भ्रमरगीत। भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ हैं – भौरें से संबंधित गीत। साहित्य में 'भ्रमरगीत एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। उद्धव गोपी संवाद से युक्त वह काव्य रचना जिसमें निर्गुण निराकर का खण्डन तथा सगुण साकार का मंडन दिखाते हुए ज्ञान एवं योग पर प्रेम एवं भक्ति की विजय दिखाई जाती हैं, भ्रमरगीत कहलाता है नाभादास सूरदास के बारे में कहते है –'सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहिं सिर चालन करै।'

प्रस्तावना – श्रीमदभागवत महापुराण के दशम स्कंध के 47 वे अध्याय के श्लोक 12 से 21 में भ्रमरगीत का उल्लेख है जो सूरदास के भ्रमरगीत का उपजीव्य ग्रंथ है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोकुल की गोपियां विरह–वेदना में अति व्याकुल हो रही थी। श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को ब्रज भेजा ताकि वे अपने ज्ञानोपदेश से गोपियों को वेदनामुक्त कर सके। गोपियां उद्धव के ज्ञान उपदेश में न पड़कर गोपाल के प्रेम में ही मस्त रहना चाहती हैं। साहित्य में उद्धव गोपी संवाद के इस प्रसंग को भ्रमरगीत प्रसंग कहा जाता हे। गोपियों ने प्रेम भक्ति के समर्थन में जो ज्ञान उद्धव को दिये, निर्गुणवादी उद्धव स्वमेव सगुणवादी होकर श्रीकृष्ण के प्रेम में रंग गए। आचार्य शुक्ल भ्रमरगीतसार के भूमिका में लिखते है कि सूरदास में सख्य, वात्सलय और माधुर्म भाव की भक्ति है। जिसका व्यावहारिक आधार पुष्टि मार्गीय भक्ति हैं।'

भ्रमरगीतसार में गोपियों के संबंध में आचार्य शुल्क कहते है– 'सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता हैं, उतनी ही चतुरता और वाग्विदग्धता भी हैं।'

गोपियों निर्गुण निराकर बह के अस्तित्व को नकारती हुई सगुण ब्रम्ह अपना आराध्य बताती हैं।

वे उद्धव से कहती है –

'निर्गुण कौन देश को वासी?
को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि, को दासी?
कैसो बरन, भेस है कैसो केहि रस में अभिलासी।'

गोपियां उद्धव द्वारा निरूपित योग साधना का मजाक उड़ाती है –

'जोग ठगौरी ब्रज न बिकै है।
जापै ले आए हो मधुकर ताके 32 न समैं है।
दासख छांड़ि के कटुक निबौरी को अपने मुख खै हैं?'

गोपियों द्वारा कृष्ण के प्रेम में आसक्त होने के कारण कृष्ण द्वारा छोड़कर चले जाने का अच्छा नहीं मानती है। उनका यह कार्य गले में छुरी चलाये जैसा कहती है, वे कृष्ण को उपालम्भ देने हुए कहती है –

'प्रीति करै दीनी गरै छुरी।
जैसे बधिक चुगाय कपट कन पाछे करत बुरी।'

गोपियाँ उद्धव के प्रति व्यंग्योक्ति का भी प्रयोग करती हैं, उन्हें खरी–खोटी सुनाती हैं वे उद्धव को व्यंग्य शैली में कहती हैं –

'बिलगि जनि मानहु, ऊधौ प्यारें
यह मथुरा काजर की कोठरी जे आवहिं ते कारे।
तुम कारे, सुफलकसुत कारे, मधुप भंवारे।।'

सूरजदास जी के भ्रमरगीत को विरह का शिखर कहा गया है। गोपियां श्रीकृष्ण के पति एकनिष्ठ प्रेम में पड़कर हरि को हारिल की लकड़ी की तरह बताती है –

'हमारे हरि हारिल की लकरी।
मन क्रम वचन नन्दनन्दन कौ उर यह दृढ़ करि पकरी।।'

गोपियां कृष्ण को भूल नहीं पाती है और कहती है कि हमारी आंखे हरि दर्शन के लिए व्याकुल हो रही है –

'अंखियाँ हरि–दरसन को भूखी।
कैसे रहे रूपसराची ये बतियां सुनि रूखी।।'

भ्रमरगीत में अन्योक्ति एवं वक्रोक्ति की प्रधानता है उद्धव का उपहास उड़ाते हुए गोपियां कह उठती है –

'आए जोग सिखावन पांडे।
परमारथी पुराननि लादेज्यों बंजारे टांडे।।'

गोपियां उद्धव को व्यापारी की संज्ञा से विभूषित करते हुए कहती है –

'आयो घोष बड़ो व्यापारी।
लादे खेप गुन ज्ञान–जोग की ब्रज में आनि उतारी।'
फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी।।'

गोपियां कृष्ण के विरण में इतना व्यथित हो जाती है कि वे मरना ही उचित समझती है –

' अब या तनहि सखि का कीजै।
सुन ही सखी! श्याम सुंदर बिन,
बांटि विषम विष पीजै।'

गोपियां को कृष्ण के बिना पूरी रात ही नागिन सी लगने लगती है –

'पिया बिनु नागिन कारी रात।'

निष्कर्ष – आचार्य रामचंद्र शुक्ल भ्रमरगीत के विषय में कहते हैं कि 'भ्रमरगीत सार सूर साहित्य का मुकुट मणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिन्दी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमरगीत की काफी हैं।' भ्रमरगीत सार को गोपियों की वाग्विदग्धता वचन वक्रता एवं उपालम्भ सूर के भ्रमरगीत के संबंध में शुक्ल जी कहते है – 'नि: संदेह सूर का भ्रमरगीत नाना विशेषताओं से युक्त भावमय, गहन, विस्तृत और व्यापक है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भ्रमरगीतसार संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
2. श्रीमद् भागवत महापुराण।
3. शुक्ल आचार्य रामचन्द्र हिन्दी साहित्य का इतिहास 1929
4. नाभादासकृत 'भक्तमाल'।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Effect of Research and Development (R&D) on Green Revolution

Mr. Dharmendra Kumar*

***Assistant Professor (Economics) D.J. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA**

Introduction - Research and development was a central element in the Green Revolution's success. The rates of return on investment in this area are well established: a study by Yale University, for example, found that crop yields in developing countries globally would have been 19.5 per cent to 23.5 per cent lower without investment by the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Public investment in agricultural R&D is especially important for poor countries and poor small and marginal farmers, given that private-sector R&D tends to focus on the major high-value crops, on labour-saving technologies and on the needs of capital-intensive approaches to farming, whereas most farmers in the Asia-Pacitic region are small and marginal farmers who are capital-poor, and the agricultural sector is labour-abundant. Hence, R&D in the private sector may not be the best bet for small and marginal farmers in Asia-Pacific. Additionally. R&D in the private sector will be protected under intellectual property regimes and is not easily accessible to these numerous smallholders. Thus, what is required in the Asia-Pacific regionis R&D in the public sector that will attempt to cater to the needs of small and marginal farmers and poor people, involving long lead times and more marginal lands where outcomes are less assured, and which will, above all, provide benefits to people who have lower, ability to pay for research undertaken in the private sector. Investment in agricultural research and development should focus first and foremost on improving crop yields, and bridging the gap between research and development in the main cereals and for staples (sorghum and millet) that are critical for small farmers in the Asia-Pacific region.

It may be noted that the net annual investment in R&D in agriculture globally, up to 2025, will be US$29 billion will need to be spent in just two countries of the Asia-Pacific region, China and India; US$20 billion in South Asia; and US$24 billion in East Asia. Second, capital stock per worker is likely to double, approximately, in East Asia and South Asia. This has implications for the labour force employed: It will reduce the number of people absorbed by the agricultural sector.

It is true that there there may be limits to how much further new seed verieties can take us in matters relating to increasing food availability, but there is no escape from the fact that fact that yields must increase. Prior to the heavy emphasis on plant hybridization, domesticated cereals devoted only a small proportion of their energy from photosynthesis (i.e., from light) to seeds. In the case of wheat, for example, the figure was around 20 percent7. Today, plant breeding has raised this proportion- the 'harvest index'- to around 50 percent for wheat, rice and corn, through 'dwarfing' the length of straw. However, given plants' reqirements for the supporting infrastructure of roots, leaves and stems, there is a limit to how high the harvest index can go; the' estimate is around 60 percent 8. One of the 'holy grails' of agricultural R&D is, therefore, to move beyond increasing the share of photosynthate that goes to seed towards the more fundamental innovation of improving of improving the efficiency of phothosynthesis itself. As yet, however, this goal remains a distant prospect.

This does not , however, imply that further yield increases are not possible for example, two centuries back. Thomas Robert Malthus wrote:

I thinks I may fairly make two postulate. First that food is necessary to the existence of man. Secondly, that the passion between the sexes is necessary and will remain nearly in its governments.

Rererences:-

1. Braun J.V. (2008): ' International Agriculture Research for food Security, poverty reduction and the environment, Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)'', International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2008.
2. Chatterjee, B., and Khandka, M. (Eds.) (2011): ''Climate Change and Food Security in South Asia, Jaipur'', Rajasthan, India: CUTS International.
3. Chopra, R.N. (1988): ' ' Food Policy in India: A Survey'', Intellectual Publishing House, Delhi.
4. Chopra, Surabhi (2009): ''Holding the State

Accountable for Hunger'', Economic and Political Weekly, August 15, Vol. 44, No.33

5. Dantwala, M.L. (1993): ''Agricultural Policy: Prices of Agricultural Economics 48, No.2.
6. Dev, S. Mahendra (2003), ''Right to Food in India'' Working Paper no. 50, Centre for Economic and Social Studies, Hyderabad.
7. Gulati, Ashok (2009): ''Emerging Trends in Indian Agriculture: What can we Learn from These?'' Second Prof. Dayanath Jha Memorial Lecture, National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Gender Roles Then and Now: A Comparative Study of Urban Indian Families Across Generations

Sonali Goyal*

*Associate Professor (Sociology) Sri Govind Singh Gurjar Govt. College, Nasirabad, Distt. Ajmer (Raj.) INDIA

Abstract - This study investigates the changing nature of gender roles in urban Indian homes through a comparative comparison of two generations: parents (aged 50 and over) and adult children (aged 20 to 35). The study seeks to examine how societal modernity, improved access to education, and economic shifts have altered household role expectations and behaviors throughout time. While traditional Indian households have historically maintained strong gender divisions of labor, allocating caregiving and domestic tasks to women and economic provision to men, this dynamic is changing dramatically, particularly in metropolitan areas.

Data from 120 participants in Delhi, Mumbai, and Bengaluru were gathered using a mixed-methods approach that combined qualitative interviews with standardized surveys. The study looks at how people perceive and practice household decision-making, division of labor, caring, and financial contributions across both generations. Analysis demonstrates a definite change among the younger generation toward more egalitarian partnerships, as seen by higher male engagement in domestic responsibilities and a greater acceptance of women as financial contributors and home decision-makers.

Despite these progressive trends, the data emphasize the persistence of several old gender norms, particularly emotional labor and the expectations put on women in caregiving roles. The older generation primarily adheres to traditional views, however many recognize the changes brought about by economic need and shifting societal ideals.

The study suggests that, while urban India is gradually accepting gender role flexibility, cultural continuity and generational attitudes continue to shape familial expectations. It suggests raising awareness, providing gender-sensitive education, and establishing community support structures to encourage balanced home obligations and develop more intergenerational understanding. This study contributes to the larger discussion of gender, family sociology, and social change in contemporary Indian society.

Introduction - Gender roles in Indian households have shifted dramatically, particularly in metropolitan regions, as a result of urbanization, globalization, and sociocultural shifts. Gender roles in India have traditionally been influenced by deeply ingrained patriarchal ideals, with women largely responsible for home tasks and childrearing and males expected to be breadwinners and decision-makers (Desai & Andrist, 2010). However, during the last few decades, economic reforms, expanded educational possibilities, and higher employment rates for women have resulted in progressive modifications to these conventional positions. The rise of a more egalitarian understanding of gender roles has been most noticeable among younger generations in urban India, however conventional ideas continue in some elements of family life (Sharma, 2015).

The purpose of this study is to look into how gender roles have changed in urban Indian homes over the course of two generations: parents (older generation) and adult children. The shift in gender roles can be linked to reasons such as education, work, and exposure to foreign cultures, all of which have contributed to the changing dynamics of family life in urban India. Education, in particular, has played an important role in changing gender norms, with more educational attainment being associated with more progressive attitudes on gender equality (Chattopadhyay, 2019). As women get access to education and enter the workforce, the concept of gender-specific duties within the family is being challenged (Desai & Andrist, 2010).

Furthermore, urbanization and globalization have exposed younger generations to a variety of ideas and lifestyles, impacting their views on gender roles (Sharma, 2015). Young people nowadays are more inclined to accept shared duties in both domestic and professional settings, which challenges traditional family dynamics (Sood & Tiwari, 2018). Despite these developments, the survival of old standards in some segments of society suggests that the transition to egalitarianism is not universal across all families or areas. Socio-cultural elements such as family structure,

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

socioeconomic level, and regional distinctions continue to determine how gender roles are viewed and implemented in urban India today (Chattopadhyay, 2019).

This study seeks to investigate how gender roles have evolved over time, with a special emphasis on the interaction of education, employment, and socio-cultural expectations. By looking into these shifts, the researchers want to find any intergenerational disagreements or agreements about gender role expectations.

Table 1: Key Socio-Cultural Factors Influencing Gender Roles

Factor	Impact on Gender Roles
Education	Higher education leads to more egalitarian views, particularly among women in urban families.
Employment	Women's participation in the workforce challenges traditional roles, promoting shared responsibilities.
Urbanization	Exposure to global cultures in urban settings fosters more progressive views on gender equality.
Family Structure	Nuclear families tend to be more flexible in gender roles, compared to extended families.
Socio-Economic Status	Higher socio-economic status correlates with more progressive views on gender roles.

Socio-Cultural Context: India's fast economic transition, notably following liberalization in the 1990s, has had a significant impact on gender roles in urban homes. Women's increasing engagement in school and the labor force reflects this shift. According to a World Economic Forum (2021) report, India's gender gap in education has shrunk dramatically, with women now accounting for a sizable proportion of higher education students. This has opened the door for women to enter professional professions, contributing to a shift in traditional gender norms in which males were traditionally considered the primary earners.

At the same time, urbanization has significantly altered family dynamics. Traditional roles are more established in rural areas, with male breadwinners and female caregivers still prevalent. However, in cities such as Delhi, Mumbai, and Bengaluru, newer generations who have been exposed to global media and various opinions are more prone to question these established positions. According to Sharma (2015) and Chattopadhyay (2019), urban young, particularly those with higher education, are increasingly egalitarian in their attitudes on marriage, family, and professional life.

While newer generations are progressively adopting egalitarian principles, a sizable proportion of the elder generation continues to follow traditional duties. According to Desai and Andrist (2010), elder generations in urban India are more likely to maintain the norms of male dominance in family decision-making and female responsibility for home chores. However, some parents are becoming more supportive of their children's choices and are willing to adjust to shifting gender norms, particularly in terms of women's education and professional aspirations.

Research Problem: The key research problem addressed in this study is: *How have gender roles within urban Indian families evolved across generations, and what socio-cultural factors have influenced these changes?*

Hypotheses:

1. **H1:** Younger generations exhibit more egalitarian views on gender roles compared to older generations.
2. **H2:** Higher educational attainment correlates with progressive gender role perceptions.

Research Significance: This study is critical for understanding the sociocultural transformations that are changing gender roles in urban India. As more women enter the profession and earn educational credentials, traditional gender norms are being called into question, particularly among the younger generation. This study adds to the body of work on gender equality and intergenerational dynamics in Indian families by looking at both generations' opinions and attitudes. It also explains how education and employment affect the evolution of gender roles, as well as how to manage intergenerational conflicts and agreements to encourage more egalitarian family connections.

Results: The study used both qualitative interviews and questionnaires to investigate attitudes of gender roles across two generations in urban Indian homes. The data was evaluated using both thematic coding for qualitative replies and statistical approaches for survey data. The following are the important conclusions of the research:

Perceptions of Gender Roles: There was a considerable disparity in the two generations' ideas of gender roles. The younger generation (ages 25-40) held more egalitarian attitudes, with 68% saying that home chores should be divided equally between men and women. In comparison, just 38% of the older generation (aged 50–70) agreed with this viewpoint.

The younger generation stressed collaborative decision-making and equitable participation in both the personal and professional domains. However, conventional beliefs lingered among the older generation, particularly the notion that women should largely manage home work and childcare. Chattopadhyay (2019) identifies a growing acceptance of gender equality among younger urban Indians, particularly in metropolitan areas, which is consistent with our findings on progressive views among younger generations. Singh and Bhardwaj (2017) discovered similar tendencies, with younger generations in urban India being more inclined to support gender equality in both the household and professional domains than their older counterparts.

Impact of Education on Gender Role Perceptions: According to the study results, those with greater levels of education are more likely to have progressive views on

gender equality. 72% of people with a postgraduate degree believed in gender equality at work and at home, compared to 45% of those with only a secondary education. This study lends support to the theory that more education is associated with more egalitarian gender role attitudes. Kaur and Sharma (2020) explain how increased educational attainment in metropolitan areas promotes progressive attitudes toward gender equality. This confirms the study's conclusion that schooling is critical in establishing egalitarian ideas about gender roles. Bedi (2018) discovered a positive relationship between education and gender role attitudes, especially among educated women in metropolitan areas.

Intergenerational Conflicts and Agreements: The study also revealed intergenerational conflicts, particularly in areas such as marriage and career goals. Younger participants frequently reported disagreements with their parents over employment options, particularly when the parents held more traditional views of gender roles. However, there was evidence of changing agreements, in which parents supported their children's educational and employment ambitions despite their initial objections.

The value of education for both sons and daughters was a major point of agreement among generations. The majority of parents in the study, regardless of age, believed that education is an important role in shaping a child's future and supported the idea of sending both male and female children to school. Vijayalakshmi (2017) discovered that, while traditional gender norms exist in many Indian families, there is an increasing acceptance of educational equality between sons and daughters, which is consistent with our discovery of intergenerational agreements on the value of education. Patel (2018) contends that, despite conventional gender norms, there is growing support for women's education, particularly among urban Indian households, which is consistent with the findings on parental support for educational aspirations.

Evolving Family Dynamics: The statistics showed that urban Indian families are gradually embracing more egalitarian family structures, yet certain traditional traditions persist. Younger generations reported feeling more free to make decisions about marriage, job, and home obligations, while still respecting traditional cultural norms within the family unit. Nair (2019) investigates the shift in family dynamics in urban India, concluding that, while gender roles are becoming more fluid, traditional family values continue to impact people's behavior, particularly in terms of marital decisions and family duties. Mehta and Srinivasan (2021) believe that, while younger generations in urban India advocate for more egalitarian family arrangements, patriarchal traditions continue to influence decision-making processes, notably in family concerns.

Conclusion: This study suggests that gender roles in urban Indian families have shifted significantly between generations, with the younger generation expressing more progressive, egalitarian ideas than their elder counterparts. Several socio-cultural elements have influenced this evolution, with education being one of the most important contributors to changing gender norms. Higher educational attainment was found to be highly associated with more egalitarian attitudes of gender roles, particularly in terms of family decision-making and employment options.

While younger generations in urban India are embracing more equitable partnerships, some traditional conventions endure, particularly among the elder generations. These persisting beliefs highlight the difficulty of changing deeply set gender norms, as cultural and familial expectations continue to play a significant influence in determining gender roles within families.

The study also emphasizes intergenerational conflicts, particularly those related to professional choices, marriage, and family duties. These disagreements, however, frequently result in beneficial talks that are increasingly closing the gap between conventional and modern gender ideas. Despite these hurdles, the overall trend of more equitable gender roles in urban Indian households is encouraging, indicating the possibility of additional socio-cultural shifts in the future.

This research adds to our understanding of how socioeconomic factors such as education and employment, as well as generational shifts in attitudes, are transforming gender dynamics in urban Indian homes. Future research should look into these alterations in rural or semi-urban areas to better understand the differences between geographic locations and the influence of socio-cultural elements in determining gender roles.

References:-

1. Bedi, A. (2018). *The Role of Education in Gender Role Perceptions in Urban India*. Journal of Social Change, 45(3), 120-134.
2. Chattopadhyay, R. (2019). *Egalitarian Shifts: Gender Roles in Indian Families*. Journal of Modern Indian Society, 14(2), 45-56.
3. Desai, S., & Andrist, L. (2010). *Gender Roles in India: A Study of Changing Norms*. Indian Journal of Sociology, 48(3), 467-490.
4. Kaur, M., & Sharma, R. (2020). *Higher Education and Gender Equality: A Comparative Study in Urban India*. International Journal of Gender Studies, 10(4), 85-92.
5. Mehta, S., & Srinivasan, P. (2021). *Family Dynamics and Gender Roles in Urban India: A Contemporary Analysis*. Indian Journal of Sociology, 72(1), 33-49.
6. Nair, S. (2019). *The Evolution of Family Structures in Urban India*. Social Science Research Journal, 34(1), 102-118.
7. Patel, M. (2018). *Educational Equality and Gender Norms: A Study of Urban Indian Families*. Journal of Education and Society, 28(3), 76-89.
8. Sharma, R. (2015). *Gender Equality in the New Age India: Women in Work and Education*. Journal of

Gender Studies, 33(2), 154-169.

9. Singh, R., & Bhardwaj, S. (2017). *Gender Role Perceptions and Shifts Across Generations in India*. South Asian Journal of Sociology, 41(2), 67-84.

10. Sood, A., & Tiwari, N. (2018). *Changing Gender Norms in Urban India: The Rise of Egalitarian Partnerships*. South Asian Studies Review, 6(1), 105-120.

11. Vijayalakshmi, P. (2017). *Educational Support and Gender in Indian Families*. Journal of South Asian Studies, 52(2), 93-110.

12. World Economic Forum. (2021). *Global Gender Gap Report*. Geneva: WEF.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार की चुनौतियाँ एवं संभावनायें

नमिता*

* एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) राजकीय महाविद्यालय, बावल, जिला रेवाड़ी (हरियाणा) भारत

प्रस्तावना –वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है परन्तु इसके समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्यायें एवं चुनौतियाँ उत्पन्न हुई है। इन समस्याओं में प्रमुखत: सम्प्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी हिंसा, अपराधीकरण, क्षेत्रीय विभिन्नतायें मतदान व्यवहार, अशिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता, जनसंख्या विस्फोट आदि है। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता जब तक भारत विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता और न ही लोकतंत्र की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है।

लोकतंत्र में सभी को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास मत देने का अधिकार नहीं होता है वह अपंग के समान है। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए मतदान का आवश्यक अंग बनाया गया है। आज भी कई देशों में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि सुशासन के लिए अच्छे उम्मीदवार का चयन कर सोच विचार कर मतदान करना चाहिए। मतदान करते समय जातिवाद आड़ें नहीं आना चाहिए। वर्तमान राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। इसके लिए दोषी और कोई नहीं बल्कि मतदाता ही है। एस0डी0एम0 ईश्वर सिंह राठौर ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत करना भारत निर्वाचन आयोग की अनूठी पहल है। नये मतदाता बनने जा रहे 18 वर्ष के युवा मतदाताओं को अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराने का यह एक महत्वपूर्ण आयाम है। 18 वर्ष के प्रत्येक युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाना हम सभी आ उत्तरदायित्व है। नवीन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़ गया है। मतदाता बनना उनके लिए गौरव की बात है। एस0डी0एम0 शंकर लाल शर्मा ने निर्वाचन अधिकारी का पत्र पढ़कर सुनाया, कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने नवीन मतदाताओं को माला पहनाकर स्वागत किया साथ ही उन्हें मतदाता पहचान पत्र भी वितरित किया।

मताधिकार – भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया के अलग-अलग स्तर है लेकिन मुख्यतौर पर संविधान में पूरे देश के लिए एक लोकसभा तथा पृथक-पृथक राज्यों के लिए अलग विधानसभा का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग- 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गयी है। अनुच्छेद-324 निर्वाचकों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है। संविधान के अनुच्छेद-324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी दी गयी है। 1989 तक निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्यीय संगठन था लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी कर दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गयी।

लोकसभा की कुल 543 सीटों में राज्यों से अलग-अलग संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते है। इस प्रकार अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं के लिए अलग-अलग संख्या में विधायक चुने जाते है। नगरीय निकाय चुनाव का प्रबन्ध राज्य निर्वाचन आयोग करता है। जबकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होते है। जिसमें वयस्क मताधिकार प्राप्त मतदाता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से सांसद एवं विधायक चुनते है। लोकसभा एवं विधानसभा दोनो का ही कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है। इसके चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना जारी होने के पश्चात सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के तीन भाग होते है :- नामांकन, निर्वाचन तथा मतगणना। निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए 7 दिनों का समय मिलता है। उसके पश्चात् एक दिन उसकी जाँच पड़ताल के लिए रखा जाता है। तत्पश्चात् दो दिन नाम वापसी के लिए दिये जाते है। ताकि जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है वे आवश्यक विचार विमर्श के बाद अपना नामांकन वापस ले सके।

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रुप से होते है। इन्हें जनता द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि सुनते है। चुनाव के वक्त पूर्ण प्रशासनिक मशीनरी चुनाव के नियंत्रण में कार्य करती है। चुनाव की घोषणा होने के पश्चात् आचार संहिता लागू हो जाती है और हर राजनीतिक दल उसके कार्यकर्ता एवं उम्मीदवार को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है।

लोकतंत्र में मतदाता जागरुकता अभियान का महत्व – 'हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में आस्था रखते हुए शपथ लेते है कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव की गरिमा बनाये रखेगें तथा प्रत्येक चुनाव में निर्भयता तथा धर्म, नस्ल जाति, समुदाय भाषा या किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करेगें', यह शपथ है जिसे पिछले तीन वर्षो के दौरान योग्य मतदाताओं में लोकप्रियता मिली है। इस शपथ में चुनावों के प्रति युवा भारत की सोंच बदल दी है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की चरणबद्ध मतदाता, शिक्षा तथा निर्वाचन भागीदारी (एस0वी0ई0ई0पी0) की पहल सराहनीय है। निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण पहल के रुप में (एस0वी0ई0ई0पी0) ने मतदाता में मतदाताओं की भागीदारी में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येंक पक्ष को जीवन्त किया है। विगत कुछ वर्षो के दौरान मतदाता

पंजीकरण विशेषकर चुनावों में 10 से 15 प्रतिशत से बढ़कर 30 से 35 प्रतिशत हो गया है और 2010 के पश्चात् हुए लगभग सभी राज्य विधानसभा चुनावों में बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने आये। इसमें युवाओं और महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। निर्वाचन प्रबंध प्रक्रिया के केन्द्र में मतदाता पंजीकरण तथा निर्वाचक शिक्षा है। लेकिन गुणवत्ता तथा मात्रा की दृष्टि से भारत में मतदाता भागीदारी आदर्श भागीदारी वाले लोकतंत्र से अभी भी दूर है। पंजीकरण मतदाता फोटो पहचानपत्र/पहचान प्रमाण, मतदाता केन्द्र स्थान, ई0वी0एम0 उपयोग, चुनाव समय, आदर्श आचार संहिता में क्या करें, उम्मीदवारों या उनके सहयोगियों द्धारा मतदाताओं के कमजोर वर्ग को प्रभावित करने के लिए धन, बाहुबल तथा शराब का उपयोग जैसे विषयों में मतदाता को क्या जानना चाहिए और वह वास्तविक रुप से क्या जानता है इसमें फर्क है। यह देखा गया है कि मतदाता जागरुकता अभियान हमेशा मतदाताओं को वास्तविक मत देने वाले के रुप में नहीं बदलता, मतदाता जागरुकता में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने, वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रणालीबद्ध मतदाता, शिक्षा तथा निर्वाचक भागीदारी कार्यक्रम प्रारम्भ किया है ताकि मतदाता को सुचित, शिक्षित तथा प्रेरित किया जाये और उनकी मदद की जा सके जिससे भारतीय लोकतंत्र को अधिक भागीदारी वाला तथा सार्थक बनाया जा सके। एस0वी0ई0ई0पी0– एक नजर में, मतदाता व्यवहार सर्वेक्षण राज्य तथा जिला स्तर पर एस0वी0ई0ई0पी0 योजनाओं का निरुपण राज्य स्तर के लिए राज्यकर्मी तथा जिला स्तर पर कोर समूह सरकारी विभाग के साथ सहयोग सी0ए0ए0ओ0 मीडिया तथा संगठनों के सहयोग से राष्ट्रीय मतदाता दिवस तथा राज्य स्तर पर प्रतिष्ठित लोगों की पहचान भविष्य का मार्ग किसी भी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराना है। यदि अभियान में सार्वभौमिक रुप से मतदाताओं को कवर किया जाता है तो व लोकतंत्र के लिए बड़ी सफलता होगी। एस0वी0ई0ई0पी0 के बैनर तले मैराथन, रैलियाँ, जूलूशों, क्विज प्रतियोगितायें, फिल्म प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, एस0एम0एस0 तथा हेल्प लाइनों के युवाओं के अलगाव शहरी उदासीनता तथा मतदान के बारे में धीमी गति से नैतिक प्रचार जैसी खाइयों को एन0आर0आई0 पंजीकरण, मतदाताओं को कम भागीदारी के लिए सेवा जैसी एस0वी0ई0ई0पी0 की गतिविधियों से पाटा जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग व्यक्ति के मत की शक्ति तथा उसकी अधिकारिता के बीच गहरे आपसी सम्बन्धों को जानने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

लोकतंत्र में मतदान का विशेष महत्व हैं। मतदान करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। भारत विश्व में सबसे बड़ें प्रजातंत्र की श्रेणी में आता है। देश में मिलीजुली संस्कृति भाषा में विभिन्नता होने के बाद भी समस्त नागरिको को मतदान का अधिकार प्राप्त है। पाँच वर्ष मे एक बार सुअवसर प्रदान करने की व्यवस्था बनाई गयी है। अपनी समझ व परख के अनुरुप बिना किसी भय संकोच व दबाव के जाति धर्म को आधार मानकर वोट देने में स्वविवेक से ऐसी सरकार चुने जो सर्वगुण सम्पन्न व्यक्तियों के संचालित हो। देश में वर्तमान समय में नौजवान वर्ग जागरुक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार के विकास को देखते हुए उचित दल को चयन करने की आवश्यकता है। स्वविवेक व बिना दबाव के वोट डाला जाये तथा अपने अधिकारों को उपयोग अवश्य किया जाये। शहर व कस्बा अपना है। इसको ठीक ढंग से संचालित करने वाले भी हम सब की मर्जी से चुने जाये इसके लिए एकजुटता से मतदान करना होगा। इस चुनाव में देश का भविष्य निर्धारित होता है। बूथ पर पहुॅचकर स्वयं मतदान करते हुए औरो को भी प्रेरित करने का कार्य करना होगा।

भारतीय लोकतंत्र में मतदान का महत्व – आधुनिक जनतंत्रों के मतदान के महत्व तथा उसकी प्रणाली के सम्बन्ध मे विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है। इन सिद्धान्तों के फलस्वरुप आवश्यकता के समय संघर्ष निवारण की सामाजिक प्रविधि के रुप में शासन सत्ता के प्रति अनुवृत्ति प्राप्त करने के ढंग के रुप में, सामाजिक संघर्ष के रुप में, उचित परिस्थितियों में उचित निर्णय प्राप्त करने की पद्धति के रुप में, सामाजिक आवश्यकताओं तथा असंतोषों की व्यवस्था के रुप में तथा अल्पसंख्यकों को राज्य के लाभों से वंचित रखने की व्यवस्था से बचने के ढंग के रुप में मतदान को मान्यता प्राप्त हुई है। हाल में, इस समस्या पर यथेष्ट ध्यान दिया जाने लगा है कि जिन्हें मताधिकार प्राप्त है वह किस सीमा तक इस अधिकार के प्रयोग में भाग लेने का कष्ट करते है। इस विषय में की गयी खोज के अनुसार उन लोकतंत्रात्मक देशों के लोक मतदान में अधिकतम संख्या में भाग लेते है। ‘अनिवार्य मतदान’ की व्यवस्था अपनाई गयी है। अनिवार्य मतदान का सिद्धान्त सर्वप्रथम विस्तार के साथ स्विजरलैण्ड के सेन्ट गैलिन नामक कैन्टन ने अनिवार्य किया गया। जिसके लिए सन् 1835 ई0 में इस कैन्टन में जिला परिषद के चुनाव में अकारण भाग न लेने वालो के लिए विधान द्धारा अर्थदण्ड की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था स्विस नागरिकों को मताधिकार के उत्त्रदायित्व का अनुभव कराने में सफल हुई, साथ ही इस व्यवस्था के फलस्वरुप मतदाताओं को मतदान में सम्मिलित होने के लिए उन्हें घर से बाहर लाने की राजनीतिक संगठनों का कार्यभार भी हल्का हुआ है। इस प्रकार बबेरिया ने सन् 1881 ई0 में, बुल्गेरियाँ ने सन् 1882 ई0 में तथ बेल्जियम ने 1893 ई0 में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था अपनाई। बबेरिया की व्यवस्था के अनुसार यदि मतदाताओं की पूरी संख्या के एक तिहाई से अधिक लोग मतदान में भाग नहीं लेते है तो अनुपस्थित मतदाताओं को पुन: चुनाव कराने का पूरा व्यय वहन करना पड़ेगा। बेल्जियम ने अनुपस्थित मतदाताओं के लिए तीन प्रकार के दण्ड निर्धारित किये। जिसमें अर्थदण्ड, सार्वजनिक भस्तसना तथा मताधिकार अपहरण सम्मिलित है।

अनिवार्य मतदान के विपक्ष में सामान्यत: यह कहा जाता है कि यह व्यवस्था आधारित आपत्ति करने वालो के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ती तथापि मतदान ना करने वालो का चरित्र उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है जितना इस बात पर ध्यान देना कि मत प्राप्त करने के लिए किन साधनो का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी देश में अनुचित साधनों द्धारा विशिष्ट उद्देश्यों एवं स्वार्थो की पूर्ति के लिए सचेष्ट राजनीतिक संगठन मतदाताओं को मतदान में सम्मिलित होने की प्रेरणा देते है तथा इस प्रकार अपने पक्ष में उनके मत संग्रह करते है तो निश्चय ही निर्वान तथा मतदान का प्रबन्ध सरकार के हाथों सौपना अधिक श्रेयकर होगा। जिससे यह कार्य अधिक उत्तरदायित्व के साथ सम्पन्न हो सके।

मतदान व्यवहार की चुनौतियाँ एवं सम्भावनायें – सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, धनबल, अपराधीकरण, मतदान का अपर्याप्त प्रतिशत अन्दर से या बाहर से समर्थन कर सरकार बनाना और गठबन्धन धर्म इत्यादि वे प्रमुख व्याधियाँ है जिनके दुष्प्रभाव से भारतीय लोकतंत्र में जनगण की गतिशील सहभागिता एवं स्वस्थ्य भूमिका निरन्तर द्रवित हो रही है। फलत: भारतीय लोकतंत्र का समावेशी स्वरुप कुण्ठित हो रहा है। वस्तुत: भारतीय संसदात्मक व्यवस्था में कुछ प्रमुख चुनौतियों का समाधान

हो जाए तो उसका स्वरुप नि:सन्देह अभीष्ट आकार प्राप्त कर लेगा। ये प्रमुख चुनौतियाँ हैं –

1. मतदान का संतोषजनक प्रतिशत तथा
2. राजनीति का अपराधीकरण व धनबल का प्रदर्शन।

1. असन्तोषजनक मतदान का प्रतिशत – 1950 में भारत का संविधान पूर्णत गणतंत्र बन गया था परन्तु किसी भी जनतांत्रिक गणतंत्र की मूलभूत आवश्यकता 'मतदान' वर्तमान में भी वांछनीय प्राथमिकता के अभाव से ग्रस्त है।

तालिका–1 में 1952 से 2014 तक के मतदान प्रतिशत प्रदर्शित किये गये है इसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक सामान्य निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत वांछनीय नहीं रहा है। कतिपय वर्षो यथा 1984 और 2014 में यह प्रतिशत संतोषजनक रहा है परन्तु यह दोनो वर्ष क्रमश: भावुकता एवं लहर तथा मीडिया प्रयोजित आरोपो से अछूता नहीं है अर्थात मतदान के यह प्रतिशत जनगण के स्वत: स्फूर्ति लोकतांत्रिक आचरण का परिणाम नहीं है।

तालिका–1 : भारतवर्ष के सामान्य निर्वाचन–1952 से 2014

निर्वाचन वर्ष	मतदाता (प्रति 10 लाख में)	मतदान (प्रति 10 लाख में)	मतदान का प्रतिशत
1952	173.2	79.1	45.7
1957	193.7	92.4	47.7
1962	217.7	120.6	55.4
1967	250.6	153.6	61.3
1971	274.1	151.6	55.3
1977	321.2	194.3	60.5
1980	363.9	202.7	56.9
1984	400.1	256.5	64.1
1989	498.9	309.1	62.0
1991	592.6	343.3	57.9
1996	592.6	343.3	57.9
1998	602.3	373.7	62.0
1999	619.5	371.7	60.00
2004	67.5	389.9	58.1
2009	716.0	–	56.9
2014	814.0	–	66.4

1962 में हुए तीसरे आम चुनाव में 55.42 प्रतिशत मतदान वोट डालने आये इसमें महिलाओं का प्रतिशत मात्र 46 प्रतिशत था। 1967 में 61.33 और 1971 में 55.30 प्रतिशत मतदान हुआ। आठवीं लोकसभा के लिए 1980 के चुनाव 56.92 प्रतिशत मतदान हुआ था। 1984 में 64.1, 1989 में 61.95, 1991 में 56.93 और 1996 में 57.84 प्रतिशत मतदान हुआ। बाहरवी लोकसभा के लिए 1998 में 61.97 प्रतिशत लोगों ने वोट डाला। इन उल्लिखित वर्षो में नवीनतम निर्वाचन से पूर्व सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत 1984 मे रहा है। यह आम चुनाव इन्दिरा गाँधी की हत्या के पश्चात् सम्पन्न हुआ था अर्थात् मतदाताओं के भावुक होने के तथ्य से प्रत्येक सहमत है। तत्पश्चात् प्राप्त मतदान प्रतिशत उल्लेखनीय की श्रेणी में नही कहा जा सकता।

1962 के तीसरें आम निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत 55.42 प्रतिशत रहता है और 2009 की पन्द्रहवी लोकसभा में यह 59.7 प्रतिशत रहता है तो निश्चित ही राष्ट्र के नीतिनियंताओं की सदायता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। 1952 मे भारत वर्ष की साक्षरतादर जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर सड़क एवं परिवहन अथवा अन्य सामान्य सुविधाजनक सुविधाओंजनक सेवाओं का जो प्रतिशत था वह 2014 में श्रेष्ठतम ही हुआ है। इसके पश्चात् भी मतदान का प्रतिशत उल्लेखनीय न हो पाना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की स्वस्थ्य गतिशीलता को संदेहास्पद बताता है।

1957 में कुल 48 प्रतिशत मतदान हुआ था। जिसमें 56 प्रतिशत पुरुष 39 प्रतिशत महिलायें मतदाता थी। 1967 में कुल मतदान 61 प्रतिशत हुआ था। जिसमें महिला–पुरुष का मत प्रतिशत क्रमश: 49 एवं 61 रहा था। 1980 में कुल मतदाता लगभग 57 प्रतिशत थे। जिसमें महिलायें 51 प्रतिशत और पुरुष 62 प्रतिशत थे। 1991 में कुल मतदान, महिला मतदाता एवं पुरुष मतदाता का प्रतिशत क्रमश: 56, 51 एवं 61 था। 2004 के चौहदवें सामान्य निर्वाचन में कुल मतदान 58 प्रतिशत था। जिसमें 62 प्रतिशत पुरुष मतदाता और 54 प्रतिशत महिला मतदाता थी। 2009 के चुनावी समर में मतदान लगभग 58 प्रतिशत हुआ था। जिसमें महिला मतदाता 55 प्रतिशत थी और पुरुष मतदाता 60 प्रतिशत थे। 2014 के नवीनतम निर्वाचन में कुल मतदान एवं स्त्री–पुरुष मतदान की स्थिति क्रमश: 66, 65 एवं 67 प्रतिशत थी। प्रत्येक निर्वाचन में महिला मतदाताओं का प्रतिशत निरन्तर बेहतर होता रहा है। जहाँ तक प्रश्न इस तथ्य का है कि महिला प्रत्याशियों की संख्या प्रतिशत की स्थिति क्या है? तो प्रत्युत्तर में यह अवश्य स्वीकारा जा सकता है कि महिला प्रत्याशियों के प्रतिशत में कतिपय वृद्धि तो हुई है परन्तु यह वृद्धि पूर्णरुपेण संतोषजनक नहीं कही जा सकती।

2. राजनीतिक अपराधीकरण एवं धनबल – ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति का अपराधीकरण प्राचीन कथन हो गया है। इसके स्थान पर 'अपराध का राजनीतिकरण' अधिक प्रासंगिक है। एक व्यक्ति जब अपराध करते–करते चरम पर पहुँच जाता है तो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले लेता है और निर्वाचित होकर प्राय: मंत्री पद प्राप्त कर संसद अथवा विधान सभा में विधि निर्माण अथवा नीति निर्माण का सादृश्य कार्य करने लगता है। 2004 से सितम्बर 2013 के मध्य सम्पन्न होने वाले समस्त लोकसभा, विधानसभा के चुनाव व उपचुनाव में प्रस्तुत होने वाले 62847 शपथपत्रों के विश्लेषण उपरान्त यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि 11030 (अट्ठारह प्रतिशत) प्रत्याशियों पर 19984 गंभीर अपराधिक मामले–हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, भ्रष्टाचार एवं डकैती है। यह आंकड़ा प्रत्येक 5 प्रत्याशी पर 1 के अनुपात में है। गंभीर आपराधिक मामलों में 1229 मामले हत्या, 2632 मामले हत्या का प्रयास और 496 मामले भारतीय दण्ड संहिता के उल्लंघन से सम्बन्धित है। इनमें से 68 बलात्कार के मामले है और 455 अन्य आपराधिक मामले है जो महिलाओं के साथ हुए है। लगभग 978 मामले भारतीय दण्ड संहिता के उल्लंधन से सम्बिन्धित है और 1004 मामले लूटपाट और डकैती से सम्बन्धित है। तालिका–3 का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि गंभीर आपराधिक दोषियों द्वारा मात्र प्रत्याशी के रुप में निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता ही नहीं की जाती है अपितु विजयश्री को भी ग्रहण किया जाता है।

तालिका–2 : गंभीर आपराधिक दोषी प्रत्याशियों और निर्वाचन प्रतिनिधियों का प्रतिशत

गम्भीर अपराधों की संख्या	प्रत्याशियों की संख्या	प्रत्याशियों का प्रतिशत	निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	निर्वाचन प्रतिनिधियों का प्रतिशत
50	5	0.01	1	0.01
40	9	0.01	2	0.02
30	17	0.03	3	0.03
20	50	0.08	17	0.19
10	152	0.24	50	0.57
5	433	0.69	127	1.44
4	627	1.00	184	2.09
3	971	1.54	270	3.07
2	1533	2.44	416	4.73
1	2700	4.30	678	7.71
0	5253	8.36	1187	13.50

तालिका-2 से स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के अपराधों से आरोपित प्रत्याशी मात्र निर्वाचन से ही सहभागी नहीं होते अपितु निर्वाचित होकर विधायिका में पहुँचकर नीति निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते है। इस प्रकार धनबल का भी लज्जाहीन प्रदर्शन भारतीय चुनाव की परम्परा बन चुकी है। वस्तुत: भुजबल और धनबल एक ही सिक्के के दो पहलू है।

भारतीय लोकतंत्र में भुजबल और धनबल दोनो का अन्योनश्रित सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा प्रत्याशियों के चयन का आधार उसके निर्वाचित होने की क्षमता मात्र होती है। प्रत्याशी द्वारा निर्वाचित होने की क्षमता का अर्जन काले धन से किया गया है अथवा काले कारनामें से इससे किसी भी राजनीतिक दल का प्राय: कोई सरोकार नहीं रहता है। प्रत्येक राजनीतिक दल में मात्र प्रत्याशियों के विजयी होने की क्षमता का आकलन किया गया है। प्रत्याशी के चरित्र और आचरण का विश्लेषण करने की आवश्यकता कोई भी राजनीतिक दल स्वीकार नहीं करता है।

निष्कर्ष – भारतीय लोकतंत्र और मतदान व्यवहार अग्रलिखित चुनौतियों से ग्रस्त हैं :-

1. वर्तमान समय में सामान्य जनता राजनीति से दूरी बनाये रखने में ही अपनी सच्चरित्रता और शान्ति का एक बड़ा कारण स्वीकारता है। यह लोकतांत्रिक राजनीति की मूल्याहीनता का द्योतक है।
2. भारतीय जनतंत्र की स्थायी प्रवृत्ति में यह भावना बन गयी है कि कोई नृप होय हमें का हानि – फलत: मतदान का प्रतिशत कुप्रभावित होना अस्वाभाविक नहीं है।
3. कुछ लोगों की मान्यता है कि राजनीति में जाना आज सेवाभाव का प्रतिफल नहीं है, अपितु मेवाखात की प्रेरणा इसका कारण है।
4. मतदान का प्रतिशत कम रहना फलत: किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होना व्यस्थिर सरकारों और गठबन्धन धर्म जैसी प्रवृत्तियों का कारण बनता है। भारतवर्ष में गठबन्धन धर्म की अधार्मिकता से प्रत्येक जन-गण अवगत है।
5. राजनीतिक और समाजशास्त्रीय प्रवृत्तियों पर विगत वर्षो में सम्पन्न होने वाली जनमत संग्रह स्पष्ट करते है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुयी है।
6. मुख्य सतर्कत आयुक्त के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् 'संस्थानिक प्रतिबद्धता' शब्द युग्म बहुत चर्चित हुआ है। यदि एक दोषी अधिकारी किसी संस्था का प्रतिबद्धता से समझौता कर सकता है, उस संस्था की प्रतिबद्धता से जो कि संसद की उपज है तो आरोपित सांसद अथवा विधायक, संसद एवं विधानसभा की संस्थानिक प्रतिबद्धता के कितने प्रखर सिद्ध होगें स्वयं स्पष्ट है, जबकि ये दोनो संवैधानिक संस्थाएँ हमारे जनतंत्र की सर्वोच्च प्रतीक है।

सम्भावनाएँ – भारत में वर्तमान राजनीति को अव्यवस्था एवं अराजकता का कारण स्वीकार किया जाता है। इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है तभी राजनीति को स्वतंत्रता संग्राम के काल की प्रतिष्ठा पुन: प्राप्त होगी। इसमें युवा वर्ग की भूमिका अहम् मानी जा सकती है। यह स्मरण रहे कि लोकतंत्र ही युवाओं की राजनीतिक प्रक्रिया में ससम्मान भागीदार बनाता है। अत: अभिव्यक्ति और सहभागिता के अधिकार का जनतान्त्रिक प्रयाकग अनिवार्य है। युवा वर्ग को लोकतांत्रिक संस्कृति को अपना आचरण बनाना होगा।

जय प्रकाश नारायण ने 'भारतीय राज व्यवस्था की पुनर्रचना : एक सुझाव' एक सुझाव में कहा है – लोकतंत्र की समस्या मूलत: नैतिक समस्या है। जब तक लोगों में नैतिकता की भावना नहीं होगी तब तक संविधान और राजनीतिक प्रणाली के बावजूद लोकतंत्र ठीक से काम नही कर सकता। वर्तमान उद्योगवाद ने जिस भौतिकवादी प्रवृत्ति की सृष्टि बना रखी है। उसके साथ लोकतंत्र मेल नहीं खाता। वास्तव में इससे हमारी सांस्कृतिक एकता भी खतरे में पड़ रही है। राजनीतिक जीवन तो दूषित हो ही रहा है।' भारतीय लोकतंत्र को इस सबक को कण्ठस्थ करना होगा।

प्रतिनिधियों को वास्तविक अर्थो में जनप्रतिनिधि बनाना अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान नवीनतम निर्वाचनों तक कोई भी जनप्रतिनिधि वास्तविक बहुमत प्राप्त नहीं कर सका है।। इसके लिए एक पी0टी0पी0 अर्थात वर्तमान निर्वाचन व्यवस्था का प्रक्षालन अनिवार्य है। आनुवातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कतिपय संशोधनों के साथ वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में स्वीकारा जा सकता है।

यह एक गम्भीर विडम्बना है कि प्राप्त मतों की संख्या के अनुरुप कोई भी राजनीतिक दल स्थान प्राप्त नहीं करता है। यह निश्चय ही जनता के मतों का संवैधानिक सम्मान नहीं है। अत: राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के अनुरुप ही उन्हें स्थान भी प्राप्त हो। यह परिवर्तन अनिवार्यत: होना चाहिए।

किसी अपराध में आरोपित को निर्दोष सिद्ध होने तक निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागी होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। विशेष न्यायालय बनाकर ऐसे विषयों को तीव्रगति से निपटाने का प्रयास होना चाहिए।स्वतंत्रता के समय विस्टन चर्चिल ने भारतीय नेताओं को सत्ता सौपने का विरोध किया था। उनके विरोध का आधार था कि भारतीय नेता सत्ता संमालने के योग्य नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में जिस प्रकार के प्रहसन खेले जाते है उसमें कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि चर्चिल आंशिक रुप से सही थे। भारतीय राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को हतोत्साहित करके ही उनसे मुक्ति मिल सकती है। इस सम्बन्ध में पटना उच्च न्यायालय के दो निर्णयों का उल्लेख आवश्यक है। पहला निर्णय 9 जुलाई 2003 को आया था तथा दूसरा निर्णय अप्रैल 2004 में आया था। पहले निर्णय का निष्कर्ष था कि, कानून तोड़ने वाले और कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों में अन्तर है। कानून तोड़ने वाला, कानून के पालन करने वाले के बराबर नहीं है। कानून का

उल्लंघन करने वाला व्यक्ति न्याय, स्वतंत्रता समानता और भाईचारा का दावा नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को कानून का मजाक उड़ाने और राजनीति में अपनी ताकत दिखाने का अधिकार नहीं है। सम्बन्धित चुनाव का मजाक उड़ाने और राजनीति में अपनी ताकत दिखाने का अधिकार नहीं है। सम्बन्धित चुनाव अधिकारी को ऐसे लोगों की उम्मीदवारी रद्द कर देना चाहिए क्योंकि चुनाव के समय भी कानून के प्रति उनमें सम्मान की भावना नहीं होती है। अप्रैल 2004 के फैसले का आधार वह बहस है जिसका प्रारम्भ इस प्रश्न से हुआ कि उम्मीदवार अगर जेल में है और उसे वोट देने का हक नहीं है तो क्या वह चुनाव लड़ सकता है? इसका जवाब 'नहीं' में दिया गया। फैसले में निर्वाचक और मतदाता में भी सूक्ष्म अन्तर बताया गया। निर्वाचक वह है जिसे वोट देने का अधिकार है, जबकि मतदाता वह है जो वास्तव में वोट देता है। कोई भी निर्वाचक उम्मीदवार हो सकता है जनप्रतिनिधि कानून 1951 कहता है अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो वह वोट नहीं दे सकता। इस आदेश का अर्थ है कि कोई कैदी निर्वाचक नहीं होता इसलिए वह किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। इस प्रकार उच्च न्यायायल ने उन लोगों के चुनाव में खड़ा होने पर प्रतिबन्ध हेतु निर्वाचन आयोग से कहा, जिसके खिलाफ गम्भीर आपराधिक आरोप है चाहे उनके विरुद्ध अपराध सिद्ध हुआ हो या नहीं। नि:सन्देह इसी प्रकार के निर्णयों एवं आदेशों द्वारा ही अपराधियों को राजनीति में आने से हतोत्साहित किया जा सकता है।

प्रत्याशी के निर्वाचन का पूरा व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

राजनीति दलों के लिए संगठन के चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया जाना चहिए और वह चुनाव निर्वाचन आयोग की देखरेख में होना चाहिए। जनतंत्र के ताने-बाने से बने राजनीतिक दल ही लोकतंत्र के सच्चे वाहक हो सकते है।

महिलाओं और युवाओं को स्वस्थ मतदान हेतु प्रेरित करना अत्यन्त आवश्यक है।

मतदान को अधिकार नहीं कर्तव्य की अवधारणा से सुसज्जित करना होगा। प्रत्येक मतदान को किसी प्रकार के आर्थिक, नैतिक, शासकीय अथवा सामाजिक प्रोत्साहन से संयुक्त करना होगा। स्वस्थ मतदान ही सुसंस्कृत लोकतंत्र का शिलान्यास है।

मतदान का कर्तव्य के रुप में प्रचार प्रसार अभी भी पर्याप्त नहीं है। इस कार्य में और सघन एवं सतत् प्रयासों की आवश्यकता है तभी भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार की चुनौतियों से निपटा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Lokniti, Org.infect.in oX0 18.07.2014 को अवलोकित।
2. चतुर्वेदी पंकज (2013) मतदान से दूरी जनसत्ता दिनांक 27.10.2013 नई दिल्ली पू0 11
3. कुमार संजय (2014) महिला मतदाता, हिन्दूस्तान नई दिल्ली दिनांक 5.4.14 पृ0 101
4. शास्त्री, त्रिलोचन (2014) टुवर्डस डिक्रिमिनलाइजेशन इकोनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली, 04-1-14, मुम्बई पृ0 341
5. दत्ता, भास्कर, गुप्ता, पूनम (2014)- कैम्ब्रिहेट्स विद् क्रिमिनल चार्जेज, ई0पी0 डब्लू, दि 25 1.14 मुम्बई पृ0 341
6. रामकृष्णन, वेकटेश (2015) जनसेटलिंग आडर्स, फ्रन्टलाइन, चेन्नई 1.11.2013 पृ0 41
7. गोपालस्वामी एन (2013) ऑफ पालिटिशियंस द हिन्दू 27.7.13 नई दिल्ली, पृ0 11

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव-एक आकलन

डॉ. राजेश कुमारी*

* एसोसिएट प्रोफेसर (भूगोल) एफ.एल.टी.एम.एस.बी.पी. राजकीय कन्या महाविद्यालय, रेवाड़ी (हरियाणा) भारत

शोध सारांश - वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री तूफानों की बारंबारता में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में जान-माल की क्षति होगी। इसके अतिरिक्त अल नीनों की बारंबारता में भी बढ़ोत्तरी होगी जिससे एशिया, अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया महाद्वीपों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी जबकि वहीं दूसरी ओर उत्तरी अमरीका में बाढ़ जैसी आपदा का प्रकोप होगा। दोनों ही स्थितियों में कृषि उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा

प्रस्तावना - जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण वैश्विक तपन है जो हरितगृह प्रभाव का परिणाम है। हरितगृह प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह से टकराकर लौटने वाली सूरज की किरणों को वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें अवशोषित कर लेती हैं परिणामस्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। कार्बन डाईऑक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्षोभमण्डलीय (troposphere) ओजोन वे मुख्य गैसें हैं जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। वातावरण में इन गैसों की निरंतर बढ़ती मात्रा से वैश्विक जलवायु परिवर्तन का खतरा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

हरितगृह प्रभाव के चलते अनेक क्षेत्रों में औसत तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी के अनुसार वर्ष 2025 तक पूरी दुनिया का तापमान पिछले 1000 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक होगा। अंतर-शासकीय जलवायु परिवर्तन पैनल Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ने वर्ष 1995 में भविष्यवाणी की थी कि अगर मौजूदा प्रवृत्ति जारी रही तो 21वीं सदी में तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। इस शताब्दी का पहला दशक अब तक का सबसे ऊष्ण दशक रहा है जो यह साबित करता है कि हरितगृह प्रभाव के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन का दौर आरंभ हो चुका है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के अनेक प्रभाव होंगे जिनमें से ज्यादातर हानिकारक होंगे।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव - वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्वास्थ पर पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु में तपन के कारण श्वास एवं हृदय सम्बंधी बीमारियों में वृद्धि होगी। दुनिया के विकासशील देशों में दस्त, पेचिश, हैजा, क्षयरोग, पीत ज्वर तथा मियादी बुखार जैसी संक्रामक बीमारियों की बारंबारता में वृद्धि होगी। चूँकि बीमारी फैलाने वाले रोग वाहकों के गुणन एवं विस्तार में तापमान एवं वर्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अत: दक्षिण अमरीका, अफ्रीका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे-मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार तथा जापानी बुखार के प्रकोप में बढ़ोतरी के कारण इन बीमारियों से होने वाली मृत्युदर में इज़ाफ़ा होगा। मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते एक बड़ी आबादी विस्थापित होगी जो 'पर्यावरणीय शरणार्थी' कहलाएगी।

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप रोगाणुओं में बढ़ोतरी के साथ-साथ इनकी नयी प्रजातियाँ विकसित होगी जिसके परिणामस्वरूप फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फ़सलों की नाशीजीवों तथा रोगाणुओं से सुरक्षा हेतु नाशीजीवनाशकों के उपयोग की दर में बढ़ोत्तरी होगी जिससे वातावरण प्रदूषित होगा साथ ही मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप दुनिया के मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि होगी जिससे बाढ़, भू-स्खलन तथा भूमि अपरदन जैसी समस्याएँ पैदा होंगी। जल की गुणवत्ता में गिरावट आएगी।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन जल स्रोतों के वितरण को भी प्रभावित करेगा। उच्च अक्षांश वाले देशों तथा दक्षिण-पूर्ण एशिया के जल स्रोतों में जल की अधिकता होगी जबकि मध्य एशिया में जल की कमी होगी। निम्न अक्षांश वाले देशों में जल की कमी होगी।

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण विश्व का औसत समुद्री जल स्तर इक्कीसवीं शताब्दी के अंत तक 9 से 88 सेमी तक बढ़ने की संभावना है जिससे दुनिया की आधी से अधिक आबादी, जो समुद्र से 60 किमी की दूरी तक रहती है, पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश का गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मिस्र का नील डेल्टा तथा मार्शल द्वीपों और मालदीव सहित अनेक छोटे द्वीपों का अस्तित्व वर्ष 2100 तक समाप्त हो जाएगा। इसी ख़तरे की ओर सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए अक्टूबर 2009 में मालदीव सरकार की कैबिनेट ने समुद्र के भीतर बैठकर एक अनूठा प्रयोग किया था। इस बैठक में दिसम्बर 2009 के कोपेनहेगन सम्मेलन के लिए एक घोषणा पत्र भी तैयार किया गया था। प्रशांत महासागर का सोलोमन द्वीप जलस्तर में वृद्धि के कारण डूबने के कगार पर हैं।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समुद्र में पाए जाने वाली जैव-विविधता सम्पन्न प्रवाल भित्तियों पर पड़ेगा जिन्हें महासागरों का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। समुद्री जल में उष्णता के परिणामस्वरूप शैवालों (Algee) पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जो कि प्रवाल भित्तियों को भोजन तथा वर्ण प्रदान करते हैं। उष्ण महासागर विरंजन प्रक्रिया के कारण होंगे जो इन उच्च उत्पादकता वाले परितंत्रों को नष्ट कर देंगे। प्रशांत महासागर में वर्ष 1997 में अजनीनो के कारण बढ़ने वाली ताप की तीव्रता प्रवालों की मृत्यु का सबसे गंभीर कारण बनी है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की लगभग 10 प्रतिशत प्रवाल भित्तियों की मृत्यु हो चुकी है, 30 प्रतिशत गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं तथा 30 प्रतिशत का क्षरण हुआ है। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनीटरिंग नेटवर्क, ऑस्ट्रेलिया का अनुमान है कि वर्ष 2050 तक सभी प्रवाल भित्तियों की मृत्यु हो जाएगी।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पैदावार पर पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमरीका में फसलों की उत्पादकता में कमी आएगी जबकि दूसरी तरफ उत्तरी तथा पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व देशों, भारत, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा मैक्सिको में गर्मी तथा नमी के कारण फसलों की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी। वर्षा जल की उपलब्धता के आधार पर धान के क्षेत्रफल में इजाफा होगा।

वातावरण में ज्यादा ऊर्जा के जुड़ाव से वैश्विक वायु पद्धति में भी परिवर्तन होगा। वायु पद्धति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वर्षा का वितरण असमान होगा। भविष्य में मरुस्थलों में ज्यादा वर्षा होगी जबकि इसके विपरीत पारंपरिक कृषि वाले क्षेत्रों में कम वर्षा होगी। इस तरह के परिवर्तनों से वृहद पैमाने पर मानव प्रवजन को बढ़ावा मिलेगा जो कि मानव समाज के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक ताने-बाने को प्रभावित करेगा।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप बाढ़, सूखा तथा आंधी-तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि के कारण अन्न उत्पादन में गिरावट आयेगी। स्थानीय खद्यान्न उत्पादन में कमी, भुखमरी और कुपोषण का कारण बनेगी जिससे स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे । खाद्यान्न और जल की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में टकराव पैदा होंगे।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैव-विविधता पर भी पड़ेगा। किसी भी प्रजाति को अनुकूलन हेतु समय की आवश्यकता होती है। वातावरण में आकस्मिक परिवर्तन से अनुकूलन के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली दलदली क्षेत्र की वनस्पतियों पर पड़ेगा जो तट को स्थिरता प्रदान करने के साथ-साथ समुद्री जीवों के प्रजनन के लिए आदर्श स्थल भी होती है। दलदली वन जिन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है, तटीय क्षेत्रों को समुद्री तूफानों से रक्षा करने का भी कार्य करते हैं। जैव-विविधता क्षरण के कारण पारिस्थितिक असंतुलन का खतरा बढ़ेगा।

जलवायु में तपन के कारण ऊष्णकटिबंधीय वनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि होगी परिणामस्वरूप वनों का विनाश होगा जिसके कारण जैव-विविधता का ह्रास होगा।

नाशीजीवों तथा रोगाणुओं की जनसंख्या में वृद्धि तथा इनकी नयी प्रजातियों की उत्पत्ति का प्रभाव दुधारू पशुओं पर भी पड़ेगा जिससे दुग्ध उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

तापमान में वृद्धि के कारण वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन की दर में अभूतपूर्व वृद्धि होगी परिणामस्वरूप मृदा जल के साथ ही जलाशयों में जल की कमी होगी जिससे फ़सलों को पर्याप्त जल उपलब्ध न होने के कारण उनकी पैदावार प्रभावित होगी।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जलीय जंतुओं पर भी पड़ेगा। मीठे जल की मछलियों का प्रवजन ध्रुवीय क्षेत्रों में जान-माल की क्षति होगी। इसके अतिरिक्त अजनीनों की बारंबारता में भी बढ़ोत्तरी होगी जिससे एशिया, अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया महाद्वीपों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी जबकि वहीं दूसरी ओर उत्तरी अमरीका में बाढ़ जैसी आपदा का प्रकोप होगा। दोनों ही परिस्थितियों में कृषि उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हिमनदों पर भी पड़ेगा। ऊष्णता के कारण हिमनद पिघल कर खत्म हो जाएँगे । एक शोध के अनुसार भारत के हिमालय क्षेत्र में वर्ष 1962 से 2000 के बीच हिमनद 16 प्रतिशत तक घटे हैं। पश्चिमी हिमालय में हिमनदों के पिघलने की प्रक्रिया में तेजी आई है। बहुत से छोटे हिमनद पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। कश्मीर में कोल्हाई हिमनद 20 मीटर तक पिघल चुका है। गंगोत्री हिमनद 23 मीटर प्रतिवर्ष की दर से पिघल रहा है। अगर पिघलने की वर्तमान दर कायम रही तो शीघ्र ही हिमालय से सभी हिमनद समाप्त हो जाएँगे जिससे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतजल, रावी, झेलम, चिनाब, व्यास आदि नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इन नदियों पर स्थित जलविद्युत ऊर्जा इकाइयाँ बंद हो जाएँगी परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सिंचाई हेतु जल की कमी के कारण कृषि उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ेगा। उपर्युक्त नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाने से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंग्लादेश भी प्रभावित होंगे।

वैश्विक जलवायु तपन के कारण जीवांश पदार्थ तेजी से विघटित होंगे परिणामस्वरूप पोषक चक्र की दर में बढ़ोतरी होगी जिसके कारण मृदा की उपजाऊ क्षमता अव्यवस्थित हो जाएगी जो कृषि पैदावार को प्रभावित करेगी।

वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड की वृद्धि के कारण पौधों में कार्बन स्थिरीकरण में बढ़ोतरी होगी परिणामस्वरूप मृदा से पोषक तत्वों के अवशोषण की दर कई गुना बढ़ जाएगी जिसके कारण मृदा की उर्वरा शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की दर में वृद्धि होगी।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वनस्पतियो तथा जंतुओं पर भी पड़ेगा । स्थानीय महासागर ऊष्णता 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के कारण प्रशांत महासागर में सैलमान मछली की जनसंख्या में अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ती उष्णता के कारण बसंत ऋतु में जल्दी बर्फ पिघलने के कारण हडसन की खाड़ी में ध्रुवीय भालुओं की जनसंख्या में गिरावट आई है।

जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों पर पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र का भौतिक मूल ढ़ांचा जलवायु परिवर्तन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होगा। बाढ़, सूखा, भूस्खलन तथा समुद्री जलस्तर में कृषि के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मानव प्रवजन होगा जिससे सुरक्षित स्थानों पर भीड़भाड़ की स्थिति पैदा होगी। उष्णता से प्रभावित क्षेत्रों में प्रशीतन हेतु ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

निष्कर्ष – अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर खतरा है जिससे संपूर्ण दुनिया प्रभावित होगी। अतः आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जलवायु परितर्वन के लिए उत्तरदायी हरित गृह गैसों के वातावरण में उत्सर्जन पर प्रभावी रोक लगायी जाये ताकि जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से बचा जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. डी.एस.लाल, शारदा प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. डॉ. आर.बी.दीक्षित, कल्याणी पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
3. डॉ. सविन्द सिंह, प्रयाग प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. दैनिक भास्कर, मई 2020

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Indian Sports Culture and Human Rights Violations

Dr. Mamta*

***Associate Professor (Physical Education) Ismail National Mahila P.G. College, Meerut (U.P.) INDIA**

Introduction - The relationship between law and sports is both deep and complex, shaped over centuries by history, culture, and shifting power dynamics. Even defining what "sport" truly means is no easy task. The word itself traces back to Latin and Old French origins—desport and sporten—both pointing to its rich and multifaceted nature. From the athletic contests of ancient Greece to the brutal gladiator games of Rome, and later the jousts and communal games of medieval Europe, sports have always reflected the values and priorities of their times. The industrial age brought something new: structure. It marked the era of rules, associations, and modern competitions as we know them today.

The 20th century transformed sports even further with the rise of commercialization and corporate interests. What was once a simple contest of skill and strength now became a global industry—saturated with media, sponsorships, and billion-dollar deals.

Defining sports remains subjective. Webster's Dictionary frames it as physical activity done for enjoyment. Scholars like Coakley and Singer, however, dive deeper, emphasizing structured competition and physical skill. In India, traditional sports such as archery, kabaddi, and martial arts were long seen as essential tools for discipline and personal growth. Yet today, Indian sports law has not kept pace with international developments and often fixates too heavily on cricket, leaving many other sports—and athletes—undervalued.

Gender discrimination continues to cast a long shadow over Indian sports. Deep-rooted cultural biases and systemic inequality create barriers that many female athletes struggle to overcome. High-profile incidents have brought this into sharp focus—such as the allegations against Brij Bhushan Singh, which revealed not just individual misconduct but a disturbing pattern of abuse of power. Despite the courage of athletes like Sakshi Malik and Bajrang Punia who spoke out, institutional responses have been slow and inadequate.

These cases illustrate a harsh truth: when politics, power, and sport collide, the law is often the last to act. India's sports governance system, in many ways, is fractured and unaccountable. This calls for urgent reforms—strong legal frameworks that protect athletes, ensure justice, and promote fairness regardless of gender, status, or sport. If sport is to be a force for unity, inspiration, and integrity, then the law must rise to defend those values—not only on the field, but behind the scenes where they matter most.

Keywords – Nationalism, Globalization, Socialization, Community, Gender, Ethnicity.

Sports & Law – History: It is hard to define sports since no one has a universal definition where it concerns 'sports'. The word 'sport' took its etymology from the French-defined Middle English verb 'sporting' literally 'to divert',1 and also the Latin word 'desport' meaning 'to bear away'.2 Sports are similar to religion, which cannot be defined. In some way, it transcends conclusive terminology. Neither has the substance that can be identified. Both sports and religion are in a sense in excess of essence.

Five distinct eras of significance have been outlined by sports historians in the history of the sport. Beginning in the fourth century BC and extending into the third century AD, Greek athletic competitions based on the model of the Olympic festival spread throughout Europe before blending withgladiatorial contests and "games" with Roman themes. After the decline of the Roman Empire, the second time frame covers the Middle Ages. Participation in sports has drastically fallen due to the socioeconomic environment then. The third period in history is that of feudalism when males were prepared for war and sports were just a leisure activity. The fourth period, occurring in Britain in the course of the Industrial Revolution, witnessed the appearance of modern sport, the decline of farm sports dependent on baiting animals, and the dissemination of the sporing process to other parts of the world, primarily the US. The high corporatization and commodification of sport in the latter half of the 20th century is taken to signify the beginning of the fifth period.

What Are Sports?

A human practice which entails particular administration or organisations and a historical background of regulations that establish the goal and restrain the pattern of human behavior; it involves competition and/ or challenge and a

clear end primarily decided by physical ability.

Sports Law And Sports Culture In India: It is easy to explain the term sports law which is the connection between sports and law topics either contracts, torts, administration, fraud, or any other branch of law. Sports Indian law is however not that stringent relative to other countries but it still carries importance. In India, cricket is the only sport which is praised at a larger extent thus the law is more effective and stricter comparatively.

Historical Dimension: In ancient India, sports were seen as a path to physical and personal development, known as Dehvada—a means to full realization. Activities like martial arts, archery, hunting, swimming, and wrestling served both as leisure and essential skills for self-defense and growth. In kingdoms like Takshila, sports such as racing, archery, and wrestling were integral, often requiring royal participation. Even during the Buddhist era, sports thrived—Gautam Buddha was known for his skill in archery and hammer throwing.

The Mughal period continued this tradition with rulers like Babur and Humayun engaging in swimming and mountaineering. The British later introduced organized sports like cricket, promoting the idea of 'fair play' while also altering India's sporting culture. Cricket, in particular, became a national obsession and symbol of pride, as seen in the film Lagaan.

Traditional and regional games like Kho-Kho, Kabaddi, and wrestling coexist today with global sports like football, golf, and shooting. Indian athletes have increasingly made their mark in international arenas—Olympics, Commonwealth Games, and Asian Games. From legends like Major Dhyanchand and Milkha Singh to modern icons like Mary Kom, PV Sindhu, and Virat Kohli, Indian sports continue to evolve and inspire, rooted in a rich historical legacy.

Evolution Of Sports Law: The evolution of sports law across the world has been an adaptation to the specific and complex situations arising in the world of sports. Although there is no specific, consistent law that presides over sports in India, numerous legal rulings have been pronounced related to sports activity. These rulings cover a broad spectrum of matters under the domain of sports law, such as restrictions on trade, sports broadcasting rights, law regulating sports governing bodies, environmental legislation, torts, and constitutional ones such as the right to a fair hearing in cases of disciplinary and doping occurrences. With the historical, social, and economic compulsions in India, the ambit of laws covered under sports law in India is vast. This encompasses Tort Law, Laws of Contract, Intellectual Property Laws, Copyright Acts, Trade Marks Act, Designs acts, Broadcasting Acts, the Competition Act, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, Customs Act, and Anti-doping Laws, among others. Prior to discussing the particularities of sports law in India, it's imperative to examine the need and justification behind the creation of sports law in our nation.

Need For Sports Law: Sport in the earlier days was all about playing and taking part for the sake of the game. But even then there were some rules and regulations that needed to be obeyed while playing those rules. Nowadays in the modern era, it has become a bit more stringent, things like doping, beting, and match fixings the rules and regulations became more professional and the requirement for sports law grew and some of them also involve Judicial intervention. One of such problems is gender discrimination that resulted in the exploitation of women. In the recent past, we have witnessed such scandals of sexual exploitation of women in wrestling, in the past too we have witnessed that in Hockey, weightlifters, and other sportswomen are sexually harassed by their coaches, and federation of legislative members. Still, the constitution of India provides equality among its citizens and does not discriminate against them due to caste, creed, sex, race, etc. under Article 14, but it is not implemented in government agencies either. The requirement of sports law is also evident when there are some weapons that have to be used in a sport like shooting. Customs Act of 1962 (u/sec11) has granted certain concessions regarding sporting goods, prizes, medals, and trophies. National Sports Federation can grant permission for sportspersons with arms for training purposes, in the case of Chandrakant Hargovindas Shah v Deputy Commissioner of Police there arose a question of arms regarding sports. The appellant was a good shooter who was accused of selling the ammunition that he possessed for sporting activities. The Supreme Court affirms the statutory direction of power to revoke the shooter's licenses and a sportsperson can only be issued a license for sporting purposes with conditions and conditions beyond the use of the weapon. This case illustrates the requirement for sports law and how even sportspersons can misuse the resources.

Gender Discrimination In Sports: Gender discrimination is a pervasive issue in Indian sports, disproportionately affecting female athletes. They face numerous challenges—fewer opportunities, limited funding, gender stereotypes, poor media coverage, and even harassment. These systemic barriers impact their self-esteem, physical and mental well-being, and hinder career growth. Despite laws to prevent discrimination, enforcement remains weak, and male athletes still dominate both attention and resources. Cultural norms also play a major role. Female athletes are often discouraged from participating due to regressive beliefs—like playing sports affecting a girl's marital prospects. Such stereotypes are deeply rooted, particularly in rural India. The lived experience of the author, who represented Madhya Pradesh and Rajasthan, highlights this reality: wearing shorts and training had to be hidden from family due to societal shame.

While initiatives like Khelo India and the appointment of women coaches show progress, the larger system still

fails many female athletes. This is evident in the high-profile case against Brij Bhushan Singh, former Wrestling Federation of India president, accused of sexual harassment by top wrestlers. Despite public protests by athletes like Sakshi Malik and Bajrang Punia, authorities were slow to respond, exposing the deep-rooted nexus of politics and power in sports governance.

Films like Khayali Pulao and Mary Kom also reflect the gender bias and social stigma faced by women in sports. Ultimately, achieving equality requires not just legal frameworks, but societal transformation—challenging stereotypes, strengthening enforcement, and fostering a culture that truly supports women in sports.

Case Against Brij Bhushan Singh: In April 2023, two FIRs have been filed against Brij Bhushan Singh one by six women wrestlersand another one by a minor wrestler and her father. Delhi Police has filed a chargesheet againstthe MP in case of sexual harassment, stalking, and assault of six women wrestlers and also areport of cancellation of the POCSO case by the minor and her father to withdraw their allegations. Which did the MP declare as a false case later as he claims that it was filed out of rage. The father informed The Hindu that he was threatened by individuals and his family was under pressure. However, in the in-chamber, the minor and the father informed the court that theywere content with the Delhi Police inquiry that resulted in 'no evidence' against the MP.The case of six women wrestlers was previously heard in Additional Chief Metropolitan Magistrate Harjeet Singh Jaspal's court but no arguments will be heard from the beginning in JudgePriyanka Rajpoot's Court from January.

Election Of Sanjay Singh A Loyalist To Brij Bhushan As Wfi Chief: Sanjay Singh a business associate, close friend, and good friend of the former WFI presidentwas elected as the new head of WFI on 21st December defeating the panel by 13 posts out of15 in New Delhi. Which has again raised a controversy surrounding the subject. On this Rio Olympicbronze medalist, daughter of the nation, Sakshi Malik has announced her retirement fromwrestling in protest against Sanjay Singh, she stated with tears in her eyes "We struggled from our heartbut if a man like Brij Bhushan, his business partner, and a close aide is voted as the presidentof WFI, I quit wrestling," and had her shoes on the table told "We desired a female president but that did not occur,\" said the 31-year-old Common Wealth gold medalist. TheOlympic medalist Bajrang Punia and Sakshi Malik had several times urged Sports Minister,Mr. Anuraj Thakur to prevent Sanjay Singh from standing election but no assistance came to them.

Conclusion: The intersection of sports, law, and society tells a compelling story of human struggle, resilience, and evolution. Sports, like religion, transcend definition—shaped by culture, history, and emotion. From ancient Greek arenas to industrial-age professionalism, each era has redefined the role of sports in reflecting societal change and individual excellence.

In India, sports once symbolized holistic development and self-defense, evolving through cultural shifts from ancient kingdoms to colonial influence. Alongside this, sports law has emerged to address modern challenges, covering areas like contracts, torts, intellectual property, and anti-doping. Yet, glaring issues like gender discrimination persist. Despite constitutional safeguards, deep-rooted biases hinder female participation, reinforced by stereotypes and systemic failures.

Cases like that of Brij Bhushan Singh expose how politics and power obstruct justice, leaving athletes disillusioned. Legal reform and societal awareness are urgently needed to ensure sports are inclusive and fair for all, regardless of gender or background. Progress depends not only on laws but on individuals standing up for their rights—just as six brave women did in challenging injustice.

As Mary Kom said, "If men can do it, why can't women?" Her journey embodies the spirit of courage that must continue to shape a future where sports truly belong to everyone.

References:-

1. Majumdar, Boria, and J.A. Mangan. Sport in South Asian Society: Past and Present. Routledge, 2005.
2. Meier, Marianne. "Gender Equity, Sport and Development." Swiss Academy for Development, 2005, https://www.toolkitsportdevelopment.org/html/resources/5C/5C100B2A-1F6D-4D1D-8BE9-FA88387AB3AB/Meier%202005%20Gender%20equity%20sport%20and%20development.pdf.
3. Scraton, Sheila, and Anne Flintoff, editors. Gender and Sport: A Reader. Routledge, 2002.
4. Bhatt, S.C. Land and People of Indian States and Union Territories: In 36 Volumes. Delhi. Kalpaz Publications, 2006.
5. Government of India. National Sports Policy. Ministry of Youth Affairs and Sports, 2001, https://yas.nic.in/sports/national-sports-policy.
6. Ghosh, Saurav. "Women, Sport and Empowerment in India: A Critical Review." International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports, vol. 33, no. 1, 2018, pp. 221–224.
7. Singh, Avinash. "Gender Inequality in Sports in India: An Overview." International Journal of Physical Education, Sports and Health, vol. 5, no. 4, 2018, pp. 185–188.
8. United Nations. Women, Gender Equality and Sport. UN Division for the Advancement of Women, 2007, https://www.un.org/womenwatch/daw/public/Women%20and%20Sport.pdf.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Role of Digital Economy and Technology in India

Dr. Shikha Yadav*

***Assistant Professor (Chemistry) R.S. Govt Degree College, Shivrajpur, Kanpur (U.P.) INDIA**

Abstract: India, the rapidly growing economies of the world have found a new front of inclusive growth, innovation, and governance in digital economy and emerging technologies that have essentially changed the very face of economies, the case of India is not different. India has emerged as one of the fastest-growing economies in the digital world because of the improved digital infrastructure, penetration of mobile, and access to data. Introduction of technology in business and finance sector, education sector, agricultural sector and in public services have increased the levels of productivity, as well as delivery of services. In this research paper, the history and transformation of the digital economy and technology in India will be covered, major Government initiatives will also be evaluated in this paper, the impact of digital startups and innovation hubs will also be analysed and what some of the challenges in the digital economy are will be met. These results reinforce the idea that there is need of a continued effort towards digital literacy, policy revamping and partnering with the private sector to maximize the use of technology in building nations.
Keywords: Digital Economy, Technology, Innovation, Digital India, Startups, Financial Inclusion, E-Governance.

Introduction - The digital economy that is on the rise translates to a paradigm shift in the way economies work and makes economies embark on seamless, decentralized services and scalable business models. In case of India, which has wide demographic and geographical spread, technology has become a powerful tool to bring changes in its economy. The combination of smartphones, internet, and online space, has transformed how Indians conduct business, get their services, and enter the governance This paper examines the direction and repercussions of digital economy in India with particular focus on opportunities and challenges.

Evolution of India's Digital Economy: Since the early 2000s, India started the process of becoming a digital economy with further growth of the IT sector, however, it has grown since 2014, when the Digital India program was launched.. This mega scheme was meant to see that the government make its services available to the citizens electronically by enhancing online infrastructure and boosting internet accessibility.

Key Milestones

1. **Digital India (2015):** Focused on broadband highways, universal mobile access, and digital literacy.
2. **BHIM and UPI (2016):** It transformed digital payments as well as financial transactions.
3. **Aadhaar:** It has significantly transformed various aspects of governance, identity verification and service delivery in India.
4. **Startup India and Make in India:** It fosters innovation and entrepreneurship and boost manufacturing and industrial growth in India.

Sectors Revolutionized by Digital Technology

Financial Inclusion: The fintech companies such as Paytm, PhonePe, and BharatPe have converted millions to the formal financial system. The Unified payments interface (UPI) recorded exponential growth and became available even in rural locations to convert into cashless transactions.

E-Governance: Digital platforms such as MyGov, UMANG, DigiLocker have enhanced transparency and efficient delivery of services among the citizens. Digital grievance redressal system, real time tracking and e-procurement system help in cutting down on bureaucracy and improving accountability.

Education and E-Learning: Online learning platforms like SWAYAM, BYJU'S, and Unacademy offer accessible, affordable education across India. During the COVID-19 pandemic, digital tools played a vital role in ensuring educational continuity.

Agriculture and Rural Development: Digital technologies like e-NAM (National Agriculture Market), soil health cards, and weather forecasting apps help farmers access better prices, manage resources efficiently, and make informed decisions.

Health and Telemedicine: The National Digital Health Mission and platforms like Aarogya Setu have enabled health tracking, digital health records, and remote consultations, improving access to healthcare in

underserved areas.

Innovation, Startups, and Entrepreneurship: The digital economy of India has witnessed the growth of tech startups, most of which are now unicorns. Startups with innovations like edtech, health tech, aggrotech, and e-commerce are available in centres of innovation such as Bengaluru, Hyderabad, and Gurugram. Atal Innovation Mission and incubators in institutions has helped to promote early-stage innovation by the government.

Not only does the startup ecosystem create jobs, but it also makes communities solve locally based problems. The problems, such as a traffic management or waste segregation, are solved with crowdsourcing, app-based services, and AI-driven analytics.

Challenges and Concerns: Despite the promising trajectory, the digital economy faces several hurdles:

Digital Divide: Access to high-speed internet and digital devices remains uneven, especially in rural and low-income areas. Gender disparities also exist in digital literacy and access.

Cybersecurity and Data Privacy: As digital transactions increase, so do risks related to hacking, data theft, and misinformation. India lacks a comprehensive data protection law, making users vulnerable.

Infrastructure Gaps: Power supply interruptions, inadequate broadband infrastructure, and low smartphone penetration in some regions limit the reach and impact of digital services.

Regulatory Hurdles: Ambiguous policies on data localization, digital taxation, and platform governance create uncertainties for businesses and investors.

Policy Measures and the Way Forward: To sustain and accelerate digital transformation, India must:

1. Invest in digital infrastructure, especially in rural areas.
2. Implement data protection laws ensuring user privacy and accountability.
3. Promote digital literacy through community outreach and school curricula.
4. Strengthen cybersecurity frameworks to protect national digital assets.
5. Public-Private partnerships promote collaboration between government and private sector to drive innovation and strengthen skills and capabilities.

An inclusive digital economy not only enhances GDP but also empowers individuals with tools for better quality of life. With a young population and a vibrant tech ecosystem, India has the potential to lead the global digital revolution.

Conclusion: The digital economy and technology are transforming the economic trajectory of India and making it innovative, more productive, and inclusive. Even though significant improvements are noted, issues like digital inequality and cybersecurity require immediate action. We would need a keen, collective strategy that would be backed by powerful polices and infrastructure to make sure that technology remains a driver of fair and sustainable development in India.

References:-

1. Ministry of Electronics and Information Technology. (2015). *Digital India Programme*. Government of India.
2. Reserve Bank of India. (2019). *Report on Trends and Progress of Banking in India*.
3. World Bank. (2016). *World Development Report 2016: Digital Dividends*. Washington, DC.
4. NITI Aayog. (2018). *Strategy for New India @75*. Government of India.
5. McKinsey Global Institute. (2019). *Digital India: Technology to Transform a Connected Nation*.
6. IAMAI. (2020). *India Internet Report*. Internet and Mobile Association of India.
7. TRAI. (2020). *The Indian Telecom Services Performance Indicators Report*.
8. Ghosh, I. (2018). The Role of Fintech in Indian Financial Inclusion. *Journal of Economic Perspectives*, 32(4), 125–140.
9. Srivastava, M. (2019). E-Governance in India: Opportunities and Challenges. *Indian Journal of Public Administration*, 65(2), 212–224.
10. Gupta, A. (2020). Digital Entrepreneurship in India: Challenges and Future Directions. *International Journal of Management Studies*, 7(1), 45–57.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

Smart Farming: The Future of Agriculture in India

Kunji Lal Meena*

***Assistant Professor (Geography) Shaheed Captain Ripudaman Singh Rajkiya Mahavidyalaya, Sawai Madhopur (Raj.) INDIA**

Abstract: With the rapid growth of population and the increasing demand for food worldwide, improving productivity in farming procedures is essential. Smart farming is a concept that emphasizes the use of modern technologies such as the Internet of Things (IoT) and artificial intelligence (AI) to enhance productivity in farming practices. In this modern age, improved technology-based agricultural practices are replacing the existing old fashioned farming practices. Smart farming involves the integration of information and communication technology for better utilization of resources from sowing, irrigation, fertilizer, pesticide, and herbicide application, and finally harvesting. But this system involves autonomous vehicles, robots operated through GPS and connected through smart applications. The precise application of this technology along with Internet of Things (IoT) supposed to be the helpful technology for farmers to uplift their living standards, with high production and profit and also can be a good indicator for food security.The new-age agriculturists are deploying innovation and technology to foster a new green revolution, and precision farming in India is emerging as a popular feature of this transition.
Keywords: Internet of Things (IoT), Smart Farming,Automation, data processing,Remote sensing, Drone Policy.

Introduction - Agriculture is a key source for food over the world. Recently, climate change and variability exacerbated potential harmful effects on worlds' agriculture. Increasing population and abrupt weather fluctuations around the world has put huge pressure on agricultural food products for quality and sustainable food production. This population growth requires increasing productivity using solutions that consider resource shortage and farm profitability.

India is predominantly an agrarian economy. Farming contributes about 16% of India's GDP and about 60% of the country's rural households are dependent on agriculture and its related industries.Over the past few decades, the manufacturing and services sectors have increasingly contributed to the growth of the Indian economy, while the agriculture sector's contribution has decreased from more than 50% of GDP in the 1950s to 16% in 2018-19 (at constant prices). Low productivity in the sector is the outcome of various structural challenges, including heavy dependence on rainwater for irrigation, small farm land holdings and lack of access to technology and real time information. The demand for food in India is growing every year. However, supply is constrained by marginal productivity gains in a majority of crops due to erratic monsoon conditions, the shrinking amount of arable land, climate change effects, reduction of available labors in agricultural fields and supply chain inefficiencies that lead to wastage of crops. Although India is the leading producer of multiple crops like wheat, rice, pulses, sugarcane and cotton; there is a potential to improve sector performance as it faces multiple challenges throughout its production cycle.

Smart Farming : Smart farming has emerged as a crucial catalyst for achieving sustainable development in the agricultural sector. The integration of information and communication technologies (ICT) with advanced digital tools, supported by the rapid growth of the Internet of Things (IoT) and artificial intelligence (AI), has led to the digital transformation of agriculture, commonly referred to as smart farming. By optimising the use of inputs such as fertilisers, pesticides, and animal feed, smart farming systems enable farmers to minimise wastage, reduce labour dependency, lower production costs, and limit adverse environmental impacts while enhancing overall productivity. These systems also facilitate continuous monitoring of climatic variables, soil properties, and moisture levels, thereby addressing key challenges in crop production. The core objective of smart farming lies in improving spatial and input management to increase yields while preventing the excessive or inefficient use of agrochemicals.

Smart farming signifies the application of modern ICT tools in agriculture and is often described as the foundation of a Third Green Revolution. Following earlier advances in plant breeding and genetics, this new phase of agricultural transformation is driven by the combined use of precision machinery, IoT-enabled devices, sensors and actuators, geospatial technologies, big data analytics, unmanned aerial vehicles (drones), and agricultural robotics. Through data-

driven insights, informed decision-making, and efficient resource management, smart farming holds strong potential to ensure higher productivity alongside environmental sustainability. From the farmers' perspective, it offers improved operational efficiency, enhanced farm management, and greater support for timely and informed decision-making.

Figure 1- Smart Farming

Smart farming is associated to three fields of technology, which are inter-related:

1. Management Information Systems: Systems for collecting, processing, storing, and sharing data in a suitable form to carry out a farm's operations and functions.

2. Precision Agriculture: Management of the vagaries of weather, soil and other environmental conditions as well as demand scenarios to improve economic returnsfollowing the use of inputs and reduce environmental impact. It employs Decision Support Systems (DSS) for farm management in order to optimize returns while preserving resources. - enabled by technologies like global positioning system (GPS), global navigation satellite system (GNSS), images captured by drones or unmanned aerial vehicles and hyperspectral images captured by satellites. This helps in the creation of maps depicting how several parameters spatially vary. (e.g. farm yield, organic matter content, soil moisture and nitrogen levels, terrain, etc.).

3. Agricultural Automation and Robotics: Another aspect of smart farming that deals with application of robotics, automatic control and artificial intelligence (AI) at various levels of agricultural production, including farm bots and farm drones. As is evident from its very definition, Smart Farming is closely interlinked with IoT, cloud & analytics. IoT is one of the pillars of smart farming. Primarily, it's utility lies in generating data from various sources pertaining to environmental conditions, seed quality and quantity etc.

Components of Data Processing in Smart Farming Systems: The smart farming platform approach allows farmers, researchers, technology providers, and all other stakeholders to have a standard and reliable solution to collect and share information, resources, and experiences to improve the productivity and performance of smart farming solutions.

Figure 2-Smart farming components that facilitate integration, processing, and use of farm data.

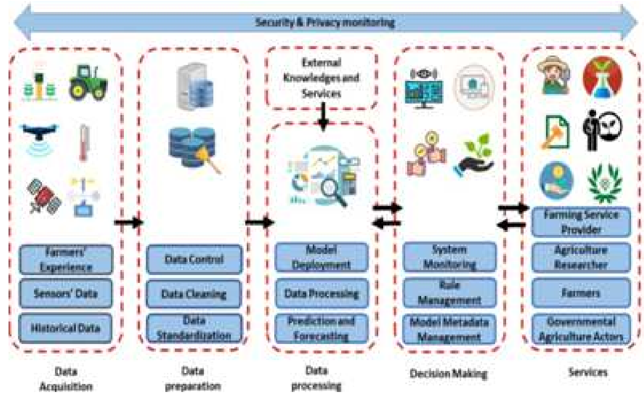

We demonstrate an overview of the main components of smart farming data processing in Figure 2 in five main layers.According to Figure 2, in the data acquisition stage, data are collected from diverse sources, such as farmers, sensors, and satellites, as well as external databases such as weather and climate data.The components in the second and the third layers are highly correlated, and many of the smart farming data processing functions can be assigned to both layers. The data processing layer components are the brains of smart farming. Mathematical modeling, statistical methods, or AI methods are used to analyze and extract knowledge from farm data. The decision-making stage includes system monitoring, rule management, and model metadata management to provide the results and recommendations through the deployed model. In the last stage of smart farming applications, end-users, i.e., farmers,farming service providers, agriculture researchers, and governments access the system results through services.

Challenges of Smart Farming in India: India stands to gain significantly from the adoption of smart farming, which is widely regarded as the future trajectory of Indian agriculture. Smart farming systems minimise resource wastage, enhance productivity, and enable efficient management of multiple farm inputs through remote sensing and digital technologies. Several opportunities emerge from the integration of smart farming practices in India. First, smart farming plays a crucial role in improving agricultural productivity and operational efficiency. The use of "Kisan drones" for spraying pesticides, water-soluble fertilisers, and nutrients, as well as for monitoring crops and livestock at different growth stages, can transform farm management. However, the substitution of manual labour with drone-based operations may reduce employment opportunities for migrant workers.

Second, blockchain technology offers scope for the digitisation of land records using sensor-based and geo-referenced systems at the farm or landscape level. Digitised land records can enable better targeting of government subsidies and welfare schemes, as well as faster and more transparent settlement of crop insurance claims. Third, despite the promise of smart farming, the feasibility of drone and unmanned aerial vehicle adoption by small and

marginal farmers with fragmented landholdings remains an open empirical question. For instance, vDrone, a start-up established in 2017, uses aerial robotics and mapping technologies and charges ¹ 400–800 per acre, currently serving around 500 farmers in Karnataka. Under the Drone Policy 2021, the government can regulate licensing and pricing mechanisms while permitting start-ups to deliver drone services directly to farmers' fields.

Fourth, drone applications may be more economically viable for large farmers owning more than 10 hectares of land or those practising cluster farming, as the benefit–cost ratio is more favourable in such cases. Given that only about 45 per cent of farms in India currently use agricultural machinery and implements, drone-based agriculture may remain limited in the context of low mechanisation and small average landholdings. Fifth, digital platform-based agribusinesses are likely to expand over time, considering that the agri-tech market was valued at approximately US$ 24 billion in 2019–20, according to an EY report. Consequently, around 40–50 agri-tech firms may collectively serve nearly 1–2 per cent of the farming population.

Finally, access to finance is central to the success of agri-tech ventures. The proposed allocation of a ¹ 60 crore fund in the Budget, structured around a blended capital co-investment model, is intended to support start-ups in agriculture and rural enterprises with a focus on the agricultural value chain. NABARD is expected to play a facilitative role by refinancing eligible start-ups under this blended finance framework.

Without any doubt, smart farming is helpfulfor farming community with real-time alerts,help in managements and precise use ofagricultural resources for sustainable foodproduction. But this system involvesinnovative technology that is expensive, aswell as the farming community, is not wellaware, especially in the developing countries.The main challenge is the small landholdingsand the farmers are unable to adopt smartfarming with limited knowledge and skills.The main identified reasons from thedeveloping countries are as follows:

1. A lack of good connectivity or poor networkperformance and bandwidth speeds will pose a barrier to the adoption of digitaltechnology and decelerate the rise of smart farming and sustainable agriculture.
2. While data plays an inevitable role in smart agriculture, data management is an ongoing challenge for many farmers and agribusinessesalike.
3. The small size of landholdings in most of the Indianagriculture limits economic gains from currently available precision farmingtechnology.
4. GPS signal transmission is difficult in some areas such as hilly, forests and field with a dense tree planting. That system has to be improved for better communication and alerts.
5. Data collection and processing centers and many IoT based sensors need energy for a successful application. Whereas, already developing countries are running out of energy resources. So, this maybe a major hindrance for the adaptation of smart farms.
6. Technology is rapidly growing and updated hardware's needs to be adjusted with the passage of time and the older one will be obsolete. The major problem maybe the disposing of the e-wastes during the developing stage.
7. Smart farming relies on the internet and builds a connectivity bridge between farmer smart communication device and field-based sensors for real-time information and management. But in most villages and farming communities have not to access all the time to the internet. That makes difficult for the adaption of smart farming.

Opportunities and Government initiatives of Smart Farming in India : India is increasingly integrating technology across sectors, with agriculture emerging as a major beneficiary. Through innovation-driven smart farming practices, the country aims to significantly enhance farm productivity and raise farmers' incomes in the coming years. Farmers need greater awareness of technological solutions offered by nearly 450–500 agri-startups, including big data analytics, market and value-chain linkages, Farming-as-a-Service models, IoT-based monitoring systems, and engineering-led, cost-efficient innovations. To ensure effective adoption, a dedicated institutional mechanism is required to connect platform-based agribusiness companies with farmer producer organisations. Supportive policy frameworks are essential for building a robust smart farming ecosystem, developing digital platforms, and enabling context-specific scaling of interventions. Budgetary provisions should clearly specify allocations for smart farming and platform-integrated agribusiness initiatives. Targeted grants and technical assistance can help farmer organisations better understand agri-tech services and apply them across planting, distribution, and marketing stages.

In support of technology-led agriculture, the Government of India has signed a Memorandum of Understanding with IBM to deploy artificial intelligence solutions for strengthening farmers' decision-making capabilities. Pilot projects are being implemented in states such as Madhya Pradesh, Gujarat, and Maharashtra, after which IBM's Watson decision platform is expected to deliver farm-level solutions to improve agricultural outcomes. To further promote innovation, the government has launched the AGRI-UDAAN programme to mentor 40 agricultural start-ups from cities including Chandigarh, Ahmedabad, Pune, Bengaluru, Kolkata, and Hyderabad, while facilitating their access to potential investors. Under the Drone Policy 2021, the government can regulate licensing and pricing, enabling start-ups to provide drone-based services directly to farmers.

Globally, the precision agriculture market is projected to grow at an annual rate of 13.09 percent, reaching over US$ 6.34 billion by 2022, while India is expected to witness a higher growth rate of 18.29 percent during the same

period. In practice, precision agriculture in India has enabled farmers in Andhra Pradesh and Karnataka to receive SMS alerts in local languages guiding optimal sowing times for groundnut crops. Similarly, farmers in Telangana, Maharashtra, and Madhya Pradesh receive automated voice calls warning them of potential pest attacks in cotton crops based on weather data and crop stages. Beyond cultivation, smart cameras are being deployed to identify ripe produce, and agricultural robots are being developed to harvest crops such as cotton, vegetables, and fruits, reducing dependence on costly seasonal labour. In some states, the government also uses advance price forecasts for essential commodities to plan Minimum Support Prices well ahead of time. These developments collectively demonstrate that both farming communities and the government are actively embracing the agri-tech transformation in India.

Furthermore, the widespread availability of affordable smartphones, low-cost high-speed internet, the emergence of innovative agri-startups, and the rapid growth of regional digital content have enabled Business-to-Farmer (B2F) technology companies to establish direct linkages with farmers. During 2020–21 and 2021–22, the Government allocated Rs 1,756.3 crore and Rs 2,422.7 crore respectively to States for the adoption of advanced technologies in agriculture, including drones, artificial intelligence, blockchain, remote sensing, and GIS. In addition, allocations of Rs 7,302.50 crore in 2020–21 and Rs 7,908.18 crore in 2021–22 were made to the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to support agricultural research and development, field-level demonstrations, and capacity building of farmers for technology adoption.

Technologies and high-yielding, cost-efficient, pest- and disease-resistant, and climate-resilient varieties developed by ICAR across crops, horticulture, animal husbandry, and fisheries, along with precision farming equipment for production and post-harvest stages, have contributed significantly to higher output, lower production costs, and improved farm incomes. The Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare is also supporting crop production forecasting initiatives such as the FASAL scheme (Forecasting Agricultural Output using Space, Agro-meteorology and Land-based Observations) and the CHAMAN project (Coordinated Horticulture Assessment and Management using Geo-informatics). While FASAL covers major field crops including rice, wheat, pulses, oilseeds, cotton, jute, and sugarcane, CHAMAN focuses on key horticultural crops such as potato, onion, tomato, chilli, mango, banana, and citrus.

Satellite-based estimates are increasingly used by the government for informed decision-making related to storage management, pricing policies, and import-export planning. Moreover, satellite-derived indices support drought monitoring and are applied in programmes such as the PradhanMantriFasalBimaYojana, crop intensification in rice fallow areas, and horticulture expansion in the North-Eastern States. Recognising the importance of advanced tools, the government has identified space and geospatial technologies as critical enablers for agriculture, with applications spanning crop estimation, drought analysis, horticulture development, crop insurance, pest and disease assessment, crop loss estimation, soil resource mapping, precision farming, sustainable agriculture, and evaluation of climate change impacts on the farm sector.

Conclusion: Smart farming has become essential in the context of a rapidly rising global population, increasing expectations of higher crop productivity, the imperative of efficient natural resource utilisation, the expanding role of information and communication technologies, and the growing urgency of climate-smart agricultural practices. An assessment of the different dimensions of smart farming indicates that analytics-driven approaches have the potential to significantly improve agricultural productivity in India, although several critical gaps still require focused attention. In this regard, six key prerequisites for an effective smart farming platform can be identified: interoperability, real-time data processing, scalability, reliability, security, and adherence to agricultural regulations. A platform built on these principles can strengthen agricultural services by fostering collaboration among diverse service providers. Additionally, it supports secure data-sharing by minimising privacy and security risks and by creating a trusted ecosystem for agricultural data stakeholders.

References:-

1. Jayaraman, P.P.; Yavari, A.; Georgakopoulos, D.; Morshed, A.; Zaslavsky, A. Internet of things platform for smart farming:Experiences and lessons learnt. *Sensors* 2016
2. AlimuzzamanMd (2016) Agricultural drone. https://doi.org/10.13140/ RG.2.1.1146.2247
3. Dixit, J., Dixit, A. K., Lohan, S. K., & Kumar, D. (2014). Importance, concept andapproaches for precision farming in India. Precision Farming: A New Approach.
4. https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1662115
5. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1808332
6. https://www.financialexpress.com/budget/india-economic-survey-2018-for-farmers-agriculture-gdp-msp/1034266/
7. https://m.economictimes.com/news/economy/agriculture/precision-agriculture-can-do-wonders-for-indian-farming/articleshow/66345065.cms
8. https://www.wipro.com/content/dam/nexus/en/service-lines/analytics/latest-thinking/smart-farming-powered-by-analytics.pdf
9. https://www.agrifarming.in/smart-farming-in-india-challanges-techniques-benefits
10. https://www.businessinsider.in/tech/news/smart-farming-can-prove-to-be-a-game-changer-in-the-coming-days/articleshow/93514224.cms

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

राजनीति में सक्रिय सहभाग और भारतीय महिलाएँ : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. भवशेखर*

* सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान) राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता समाज की संस्कृति को प्रदर्शित करती है। प्राचीनकाल से आज तक महिलाओं की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति में काफी उतार–चढ़ाव आए हैं। कभी 'आधी दुनिया' को प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था तो कभी उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। आजादी से पूर्व भारत में महिलाओं की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अंग्रेजों के जाने के जाने के बाद जब भारतीयों को आजादी मिली तो हमारी नीति–निर्धारकों ने महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी प्रयास करने प्रारम्भ कर दिए क्योंकि 'आधी दुनिया' के विकास की दौड़ में पीछे रह जाने पर कोई भी राष्ट्र अपने समग्र विकास का दावा नहीं कर सकता। आजादी के बाद शुरू हुआ महिला सशक्तिकरण का आन्दोलन आज भी जारी हैं। इस दौरान इसे कुछ असफलताएँ मिलीं तो इसके खातें में बहुत सी सफलताएँ भी दर्ज है।

शब्द कुंजी – महिला आरक्षण, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचारधारा।

प्रस्तावना –विश्व की आधी आबादी की राजनीतिक सहभागिता महिला सशक्तिकरण की स्थिति को दर्शाती है। प्राचीन समय से ही राजनीति में महिलाओं की सहभागिता रही है। आदिवासी कबीलों में अनेक मातृसत्तात्मक समाज पाये जाते है। रामायण, महाभारत काल के साहित्य में कई स्त्री राज्यों का वर्णन है। कैकेयी राजा दशरथ की पत्नी थी। मुहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पाटन पर राजमाता नायकी देवी का शासन था। अंग्रेजों से लौहा लेने वाली कित्तूर की रानी चेन्नमा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, अहिल्या बाई होल्कर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय, प्रार्थना समाज के संस्थापक गोविन्द रानाडे, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द के सामाजिक पुनर्निर्माण में नारी उत्थान के कार्यो को प्रमुख स्थान दिया।[1]

बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की मजबूत पकड़ बनने लगी। महान आयरिश महिला ऐनीबेसेन्ट, श्रीमती मार्गरेट कजिंस तथा मार्गरेट नोबल (सिस्टर निवेदिता) के साथ मिलकर भारतीय स्तर पर पहला महिला संगठन स्थापित कर महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किया। फलस्वरूप मुथुलक्ष्मी रेड्डी पहली महिला विधायक के रूप में विधान सभा पहुँची। सन् 1930 में नमक सत्याग्रह के समय सुचेता कृपलानी, श्रीमती उषा मेहता, अरूणा आसफ अली जैसी नयी साहसी महिलाएँ सामनी आयी। संविधान निर्माण में जिन साहसी महिलाओं ने भाग लिया, उनके नाम लीला रे, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, दुर्गाबाई, सुचेता कृपलानी, रेणुका रे, कमला चौधरी, अम्मू स्वामी नाथन, मालवी चौधरी, पूर्णिमा बेनर्जी की उपस्थिति ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की स्थिति कमजोर नहीं है।[2]

स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये हैं। किन्तु स्वतंत्रता पश्चात् स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, सम्पूर्ण विश्व कल्पना नहीं कर सकता। भारत के अनेक राज्यों में महिलाओं का मुख्यमंत्री बनना सम्पूर्ण संसार के लिए आश्चर्य की बात है। सन् 1980 में जब श्रीमती इन्दिरा गाँधी प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई, तब सभ्य समाजों की स्त्रियाँ हतप्रभ रह गई। उन्हें पहली बार यह महसूस हुआ कि उनकी राजनैतिक जागरूकता अभी बहुत पीछे है। पाणिक्कर का कथन है कि 'जब स्वतंत्रता पहली अंगड़ाई ले रही थी तब भारत के राजनीतिक जीवन में महिलाओं को पद प्राप्त हुये। देखकर सारी दुनिया चौक पड़ी क्योंकि वह हिन्दू स्त्रियों को पिछड़ी हुई, अशिक्षित, प्रतिक्रियावादी सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी समझने में अभ्यस्त थी'। यह कथन इस ओर संकेत करता है कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका सुदृढ़ रही है। स्त्रियों ने अपनी राजनैतिक शक्ति का पूर्ण सदुपयोग कर मध्यकाल की रूढ़ियों को समाप्त करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये प्रशंसनीय कार्य किये। निर्वाचित महिलाओं की संख्या में वृद्धि होने से अनुमान लगाया जा सकता है कि महिलाएँ राजनैतिक रूप से चेतन हुई बल्कि संसद में जनता के बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के अनेक राज्यों में महिला मुख्यमंत्री का कार्य कर रही है। केन्द्र सरकार के संचालन में भी महिलाओं की महत्तवपूर्ण भूमिका है।

हम यदि ध्यान से अवलोकन करें तो पायेंगे कि अनेक क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद राजनीति के क्षेत्र में महिलाएँ तुलनात्मक रूप से बहुत पीछे है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी हो, इस पर समाज का दबाव बढ़ने से तथा अनेक महिला संगठनों के द्वारा जोर देने से सत्ता की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी पर जोर दिया जाने लगा। परिणामस्वरूप 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। मध्यप्रदेश सरकार ने स्थायी निकायों के चुनावों में भी 33 प्रतिशत महिला आरक्षण रखा, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गो की महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया गया।

आज चारों ओर 'महिला आरक्षण' की धूम है। कोई इसके समर्थन में अपनी रोटियाँ सेंक रहा है तो कोई इसके विरोध में अपनी खिचड़ी पका रहा

है। महिला आरक्षण की माँग और विरोध के माहौल में इस बात पर चर्चा करना आवश्यक है कि कैसे महिलाओं के चेहरे से राजनीतिक डमी का मुखौटा उतार फेंका जाये और कैसे महिलाओं को राजनीतिक रूप से जागरूक किया जाये? आरक्षण की माँग करने वाले मानते हैं कि आरक्षण मिलने से महिलाएँ, राजनीति में पुरूषों की बराबरी कर सकेंगी और महिलाओं की समस्याओं को जोर-शोर से उठा सकेंगी। लेकिन मात्र आरक्षण मिलने से ही महिलाएँ इन पुनीत लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगी, इसमें संदेह है। पंचायतों में दिये गये आरक्षण के परिणाम हमारे इस संदेह को और पुख्ता करते है।[3]

वास्तव में विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ-साथ जरूरी यह भी है कि महिलाओं को राजनैतिक रूप से जागरूक किया जाये और उन्हें शिक्षित बनाया जाये। 'आरक्षण' का सिद्धान्त गलत नहीं है, लेकिन राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को विधायिका के साथ-साथ शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाये। महिलाओं की 'आधुनिकता' और पुरूषों से 'बराबरी' का नारा लगाने वाले अगर वास्तव में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें उनका वाजिब हक देना चाहते है तो बस जरूरत है महिलाओं को जागरूक व शिक्षित बनाने की। अगर महिलाओं के हाथों में किताबें थमा दी जाये तो फिर उन्हें राजनैतिक अधिकार देने नहीं पड़ेंगे वरन् वे स्वयं छीन लेंगी क्योंकि कोई भी जागरूक वर्ग अपने अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं कर पाता है।

राजनैतिक निष्क्रियता का ही परिणाम है कि आज संसद में 50 से भी अधिक महिलाएँ है, लेकिन फिर भी बाल वैश्यावृत्ति, बालिका हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, यौन शोषण और महिलाओं को नग्न कर सरेआम घुमाये जाने का भी वे हटकर विरोध नहीं कर पा रही है। इसी कारण शाहबानों के मामले में इनकी जुबान पर ताले पड़ जाते हैं।

आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीति में महिलाओं की स्थिति क्या है? हाल ही में हुए उत्तार प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर के चुनावों के उपरान्त किसी भी राजनैतिक दल ने एक भी महिला का नाम राज्यसभा के लिए प्रस्तावित नहीं किया। राज्यसभा के सभी उम्मीदवार पुरूष ही थे। पंजाब के चुनाव में भी महिला राजनेताओं की कोई सशक्त भूमिका नहीं रही। राजेन्द्र कौर भट्ठल के नेतृत्व का भी सफाया हो गया। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कोई आसान बात नहीं है। यदि इन्दिरा गाँधी का उदाहरण दिया जाता है तो वह कोई भारतीय नारी का प्रतीक नहीं थी। वह एक राजनैतिक परिवार से संबंधित थी। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की पुत्री थी। फिर हर महिला की एक सामाजिक दहलीज होती है। महिला की सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षित या अनपढ़ होना, आर्थिक सक्षमता, निर्भरता या दरिद्रता, परिवार, सामाजिक दृष्टिकोण व्यक्तिगत संकल्प तथा राजनीतिक दलों का समर्थन, सभी उसकी राजनीति में सक्रियता का निर्णय करते हैं। फिर महिला पढ़-लिख कर कितनी भी सफल क्यों न हो जाये, उसका पूरी तरह आत्मनिर्भर होना मुश्किल ही है। सच तो यह है कि भारत के सभी राजनीतिक दलों में चाहे वह कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल या कोई अवशेष हो, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टियाँ हो या अन्नाद्रमुक, तेलुगुदेशम, असम गण परिषद् जैसे क्षेत्रीय आधार वाले दल हो, कहीं भी महिलाओं की समानुपातिक भागीदारी नहीं है।[4]

जैसी महिलाएँ आजकल राजनैतिक परिदृश्य पर हैं, वैसी महिलाओं का बोझ हमारा लोकतंत्र और नहीं उठा सकता। कई विधवाएँ, पत्नियाँ, पुत्रियाँ व उपपत्नियाँ हम पर सिर्फ इसलिए थोप दी गई हैं क्योंकि वे किसी नेता से संबंधित रही है। गाँवों में रहने वाली 70 प्रतिशत महिलाओं को जब लोकतंत्र की परिभाषा का ही भान नहीं है तो वे उसकी गरिमा का प्रतीत कैसे बन पायेंगी।

यूं तो राजनीति का क्षेत्र प्राकृतिक रूप से ही काफी कठिन होता है, इसमें अपनी जगह बनाने के लिए किसी को भी काफी तप करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन महिलाओं के लिए तो यह राह और भी अधिक कठिन है। राजनीति में अपनी जगह बनाने की महत्त्वाकांक्षा रखने वाली महिलाओं के सामने कई ऐसी समस्याएँ भी होती है, जिनका सामना उन्हें सिर्फ इसलिए करना होता है क्योंकि वे 'महिला' है।

इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी रूकावट है, उनमें राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक जागरूकता की कमी होना। हमारे देश में बालिका शिक्षा की क्या स्थिति है, यह किसी से छिपी नहीं है। आजादी के 55 बरस बीत जाने के बाद भी भारत में छः से सोलह वर्ष की आयु वर्ग की 40 प्रतिशत से भी अधिक बालिकाएँ ऐसी होती है, जिन्हें विद्यालय जाने का कभी मौका नहीं मिलता, वे जीवनभर कभी स्कूल का मुँह तक नहीं देख पाती और अगर उन्हें हाथों में किताब थामने का अवसर मिलता भी है तो वे अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाती है। यह तो सरकारी आँकड़ों की कहानी है, वास्तविकता इससे भी कहीं अधिक बद्तर हो सकती है। इस स्त्री अशिक्षा के कई कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज भी अधिकतर निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार, बालिकाओं के लिए शिक्षा को आवश्यक नहीं समझते क्योंकि 'पढ़-लिखकर भी तो उन्हें विवाह ही करना होगा, घर-गृहस्थी बसानी होगी, परिवार के लिए उत्तराधिकारी पैदा करना होगा और अपने बच्चों का पालन-पोषण करना होगा'। इन परिवारों का मानना है कि इन कामों के लिए शिक्षा ही नहीं 'संस्कारों' की जरूरत होती है इसलिए बालिकाओं को स्कूल भेजने की जगह उन्हें रसोई का रास्ता दिखा दिया जाता है, उनके हाथों में किताबों की जगह चकला बेलन थमा दिया जाता है। आम भारतीय परिवारों की यह धारणा महिलाओं के विकास के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा है। इन लोगों को समझना चाहिए कि महिलाओं का काम सिर्फ परिवार बनाना और चलाना ही नहीं है। उसे भी सामाजिक और राजनैतिक निर्णयों में भागीदारी का हक है।

सरकारी आँकड़ों के मुताबिक भारतीय कोख से जन्म लेने वाली प्रत्येक 100 बालिकाओं में से मात्र 62 बालिकाएँ ही प्राथमिक विद्यालयों में अपना पंजीकृत करवाती हैं, 30 प्रतिशत बालिकाएँ मीडिल स्कूलों की दहलीज चढ़ पाती है और सिर्फ 35.3 फीसदी बालिकाएँ ही माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पाती हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सी.बी.एस.ई.) की परीक्षाओं में जरूर सदैव 'लड़कियाँ' ही बाजी मारती है और महानगरों के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा प्रोफेशनल शिक्षा देने वाले संस्थानों में जरूर आजकल लड़कियाँ ही बहुमत में होती हैं लेकिन भारत के गाँवों और दूरदराज के इलाकों की तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। लाल बहादुर शास्त्री के 'असली भारत' में लड़कियों की उच्च शिक्षा आज भी एक दिवास्वप्न मात्र है। इन इलाकों की केवल 7 प्रतिशत, जी हाँ सिर्फ 7 प्रतिशत लड़कियाँ ही विश्वविद्यालयों की सीढ़ियाँ चढ़ पाती है।[5]

हमारे यहाँ स्त्री अशिक्षा के लिए आर्थिक एवं सामाजिक कारण तो दोषी है ही, संसाधनों की कमी भी एक प्रमुख कारण है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में गाँवों की कुल संख्या 5,47,672 है। इनमें से लगभग

48,556 गाँव ऐसे है, जिनमें एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इनमें से लगभग 1,67,383 ग्रामीण स्कूल ऐसे है, जिनमें न तो आवश्यकतानुसार अध्यापक है और न ही जरूरी साजो-सामान। इतने कम विद्यालयों में और ऐसे विद्यालयों में बालिकाओं की तो छोड़िये, बालकों का शिक्षा प्राप्त करना भी कठिन है। संसाधनों की इस कमी के चलते ही हमारे यहाँ जीवन का दसवाँ सावन देखते-देखते 73.78 प्रतिशत कन्याएँ पढ़ाई-लिखाई छोड़कर घर की दहलीज तक सिमट जाती है।

जब भारतीय महिलाओं में औपचारिक व परम्परागत शिक्षा की यह हालत है तो उनसे राजनैतिक शिक्षा की उम्मीद भी करना बेईमानी है। राजनैतिक शिक्षा के अभाव में आम भारतीय महिला की न तो कोई राजनैतिक विचार शून्यता का असर स्पष्ट रूप से भारतीय परिवारों पर देखा जा सकता है। गाँवों-कस्बों की तो बात ही छोडिये, शहरों की पढ़ी-लिखी आधुनिक महिलाएँ भी चुनावों में उसी उम्मीदवार को वोट देती है, जिसे उनके परिवार के पुरूष सदस्य वोट देते हैं। इन महिलाओं के लिए उम्मीदवार की योग्यता और उसकी पार्टी की विचारधारा गौण होती है तथा वोट डालते समय प्रभावी होती है, परिवार के पुरूष सदस्यों की इच्छा। शिक्षा के अभाव के साथ-साथ राजनैतिक रूप से जागरूकता की कमी भी महिलाओं की राजनैतिक प्रगति के आड़े आ जाती है।

प्राचीनकाल से आज तक महिलाओं की राजनैतिक व सामाजिक स्थिति में काफी उतार-चढ़ाव आये हैं। कभी 'आधी दुनिया' को प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था तो कभी उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। आजादी से पूर्व भारत में महिलाओं की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अंग्रेजों के जाने के बाद जब भारतीयों को आजादी मिली तो हमारे नीति निर्धारकों ने महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करने प्रारम्भ कर दिये, क्योंकि 'आधी दुनिया' के विकास की दौड़ में पीछे रह जाने पर कोई भी राष्ट्र अपने समग्र विकास का दावा नहीं कर सकता। आजादी के बाद शुरू हुआ महिला सशक्तिकरण का आन्दोलन आज भी जारी हैं। इस दौरान इसे कुछ असफलताएँ मिली तो इसके खाते में बहुत सी सफलताएँ भी दर्ज हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. दिवेश प्रसाद ठाकुर, नारी का राष्ट्रीय चरित्र, नवयुग प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष 1941.
2. शुचिरानी गुरूद्ध, विश्व की महान् महिलाएँ, हिन्दू साहित्य मंदिर, अजमेर, वर्ष 1955, पृष्ठ संख्या 18.
3. डॉ. एच.एम. बरूआ, 'महिला आरक्षण : एक समाज शास्त्री मूल्यांकन', पूर्वदेवा, 1998, जुलाई-दिसम्बर, पृ. 45-48.
4. आर.पी. तिवारी एवं डी.पी. शुक्ला, भारतीय नारी : वर्तमान समस्याओं और भावी समाधान, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली, 1999, पृ. 43.
5. आशा कौशिक, नारी अधिकार : वस्तुस्थिति एवं चुनौतियाँ, शक्ति, राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संस्था-रूवा, अप्रेल, 2003 से मार्च, 2005, पृ. 27.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

संस्कृत महाकाव्य परम्परा में 'नैषधीयचरितम्' का महत्व : एक अध्ययन

महेश चन्द मीना*

* सह आचार्य (संस्कृत) राजकीय महाविद्यालय, सिकराय, दौसा (राज.) भारत

शोध सारांश – नैषधीयचरितम् संस्कृत महाकाव्य परम्परा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है, जिसकी रचना श्रीहर्ष ने की। यह महाकाव्य नल-दमयंती की प्रसिद्ध कथा पर आधारित है, जिसमें प्रेम, नीति, धर्म और मानवीय मूल्यों का गहन चित्रण मिलता है।इस कृति का महत्व इसकी अलंकारिकता, बौद्धिक गहराई और काव्यशास्त्रीय उत्कृष्टता में निहित है। इसमें रस, ध्वनि और अलंकार का अत्यंत प्रभावशाली समन्वय देखने को मिलता है, जो इसे अन्य महाकाव्यों से विशिष्ट बनाता है। भाषा की जटिलता, दीर्घ समासों का प्रयोग और शैली की परिष्कृतता इसे उच्च कोटि का साहित्यिक ग्रंथ सिद्ध करते हैं।संस्कृत महाकाव्य परम्परा में 'नैषधीयचरितम्' का स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परम्परा और नवीनता के संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसने बाद के कवियों को भी प्रेरित किया और काव्य लेखन के उच्च मानदंड स्थापित किए।अत: यह कृति संस्कृत साहित्य की समृद्ध परम्परा का प्रतीक है और आज भी साहित्यिक अध्ययन के लिए अत्यंत प्रासंगिक बनी हुई है।

शब्द कुंजी – 'नैषधीयचरितम्', नल-दमयंती, संस्कृत महाकाव्य,रस, ध्वनि और अलंकार।

प्रस्तावना – संस्कृत साहित्य की समृद्ध परम्परा में 'नैषधीयचरितम्' एक अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसकी रचना श्रीहर्ष ने की। यह काव्य नल-दमयंती की प्रसिद्ध कथा पर आधारित है, जिसमें प्रेम, नीति, धर्म और मानव जीवन के विविध आयामों का अत्यंत कलात्मक और भावपूर्ण चित्रण किया गया है। 'नैषधीयचरितम्' अपनी जटिल भाषा, अलंकारिकता और गूढ़ अर्थवत्ताा के कारण संस्कृत महाकाव्य परम्परा में विशिष्ट स्थान रखता है।श्रीहर्ष बारहवीं शताब्दी के महान संस्कृत कवि थे, जिन्हें काव्यशास्त्र और अलंकार विद्या का गहन ज्ञान प्राप्त था। उनकी काव्य शैली अत्यंत परिष्कृत, अलंकारों से युक्त और बौद्धिक गहराई लिए हुए है। 'नैषधीयचरितम्' उनकी प्रमुख कृति है, जिसमें उन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनकी रचना में न केवल काव्य सौंदर्य है, बल्कि दार्शनिक और सांस्कृतिक तत्वों का भी समावेश मिलता है।

संस्कृत महाकाव्य परम्परा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है, जिसमें कालिदास, भारवि और माघ जैसे महान कवियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस परम्परा में महाकाव्य केवल कथा का प्रस्तुतीकरण नहीं होता, बल्कि उसमें समाज, संस्कृति, प्रकृति और मानव मूल्यों का व्यापक चित्रण किया जाता है। 'नैषधीयचरितम्' इसी परम्परा का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो अपनी विशिष्ट शैली और गहनता के कारण अन्य महाकाव्यों से अलग पहचान बनाता है।

'काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।'

अर्थात् काव्य यश, अर्थ, व्यवहार ज्ञान और कल्याण के लिए रचा जाता है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य 'नैषधीयचरितम्' के महाकाव्यात्मक महत्व का अध्ययन करना तथा यह समझना है कि यह काव्य संस्कृत महाकाव्य परम्परा में किस प्रकार योगदान देता है। साथ ही, इस अध्ययन का महत्व इस बात में निहित है कि यह पारंपरिक काव्य धारा के साथ-साथ आधुनिक साहित्यिक दृष्टिकोण को भी समृद्ध करता है।

साहित्य समीक्षा

'नैषधीयचरितम्' पर पूर्व शोधों में इसकी काव्यगत जटिलता, अलंकारिकता तथा दार्शनिक गहनता पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्रीहर्ष की इस कृति को विद्वानों ने संस्कृत महाकाव्य परम्परा की एक परिपक्व और परिष्कृत अभिव्यक्ति माना है। विभिन्न अध्ययनों में यह स्पष्ट किया गया है कि 'नैषधीयचरितम्' केवल नल-दमयंती कथा का पुनर्प्रस्तुतीकरण नहीं है, बल्कि इसमें कवि की मौलिकता और काव्यशास्त्रीय दक्षता का उत्कृष्ट समन्वय है (शर्मा, 2018, पृ. 85-90)।संस्कृत महाकाव्य परम्परा पर विद्वानों के विचारों में यह उल्लेख मिलता है कि महाकाव्य केवल कथा नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का व्यापक चित्रण होता है। कालिदास, भारवि और माघ की कृतियों के संदर्भ में यह परम्परा और भी स्पष्ट होती है (वर्मा, 2019, पृ. 120-130)। 'नैषधीयचरितम्' इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए अपनी विशिष्ट शैली और गहनता के कारण अलग स्थान रखता है।

काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से पूर्व विश्लेषणों में रस, ध्वनि और अलंकार सिद्धांत के आधार पर इस कृति का अध्ययन किया गया है। विद्वानों का मत है कि श्रीहर्ष ने काव्य में ध्वनि और अर्थ की सूक्ष्मता को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है (मिश्र, 2017, पृ. 60-75)।

'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:।'

अर्थात् विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है।

इस प्रकार, साहित्य समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि 'नैषधीयचरितम्' संस्कृत महाकाव्य परम्परा और काव्यशास्त्र दोनों दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय रहा है।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि – संस्कृत साहित्य में महाकाव्य को काव्य की उच्चतम विधा माना गया है। आचार्यों के अनुसार, महाकाव्य वह काव्य है जिसमें किसी महान नायक के जीवन, उसके कार्यों तथा व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का विस्तृत वर्णन किया जाता है। महाकाव्य के प्रमुख लक्षणों में सर्ग विभाजन, नायक-नायिका का चित्रण, प्रकृति वर्णन, अलंकारिकता तथा रस की प्रधानता शामिल हैं। 'नैषधीयचरितम्' जैसे ग्रंथ इन सभी लक्षणों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करते हैं।संस्कृत काव्यशास्त्र मेंरस, ध्वनि और अलंकार सिद्धांतको काव्य के मूल आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। रस सिद्धांत के अनुसार काव्य का मुख्य उद्देश्य पाठक या श्रोता में भावात्मक आनंद उत्पन्न करना है।

'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः।'

अर्थात् विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है।

ध्वनि सिद्धांत के अनुसार काव्य का वास्तविक सौंदर्य उसके प्रत्यक्ष अर्थ में नहीं, बल्कि उसके अंतर्निहित (अव्यक्त) अर्थ में निहित होता है। अलंकार सिद्धांत काव्य को सौंदर्य और आकर्षण प्रदान करता है, जिसमें उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि के माध्यम से भाषा को प्रभावशाली बनाया जाता है। ये तीनों सिद्धांत मिलकर काव्य की संपूर्णता और प्रभावशीलता को निर्धारित करते हैं।

संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रमुख आचार्यों में भरतमुनि, आनन्दवर्धन और मम्मट का विशेष स्थान है। भरतमुनि ने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, आनन्दवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत को विकसित किया, और मम्मट ने 'काव्यप्रकाश' में काव्य के विभिन्न तत्वों का समन्वित विश्लेषण प्रस्तुत किया।

'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैरुक्तं न तु केवलं शब्दः।'

अर्थात् विद्वानों ने काव्य का आत्मा ध्वनि को माना है, केवल शब्द को नहीं।

इस प्रकार, महाकाव्य की परिभाषा, रस-ध्वनि-अलंकार सिद्धांत तथा आचार्यों के विचार 'नैषधीयचरितम्' के अध्ययन के लिए एक सुदृढ़ सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं।

'नैषधीयचरितम्' का कथानक एवं संरचना – श्रीहर्ष द्वारा रचित 'नैषधीयचरितम्' का आधार प्रसिद्धनल-दमयंती कथाहै, जो भारतीय साहित्य में प्रेम, निष्ठा और धर्म के आदर्श रूप में प्रतिष्ठित है। इस कथा में निषध देश के राजा नल और विदर्भ की राजकुमारी दमयंती के प्रेम, विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का अत्यंत मार्मिक और काव्यात्मक चित्रण किया गया है। देवताओं और मानव के बीच प्रतिस्पर्धा, भाग्य और कर्म का संघर्ष, तथा अंततः सत्य और प्रेम की विजय इस कथा के प्रमुख तत्व हैं।नल-दमयंती कथा का संक्षिप्त वर्णन यह दर्शाता है कि दमयंती स्वयंवर में देवताओं के स्थान पर नल को चुनती हैं, जिसके परिणामस्वरूप देवताओं का अप्रसन्न होना और आगे चलकर नल का वनवास, कष्ट और वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है। अंततः अनेक परीक्षाओं के बाद नल और दमयंती का पुनर्मिलन होता है, जो कथा को सुखांत बनाता है।

'नैषधीयचरितम्' के कथानक की विशेषता इसकी विस्तारपूर्णता, अलंकारिकता और गूढ़ता में निहित है। श्रीहर्ष ने साधारण कथा को अत्यंत जटिल, बौद्धिक और काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें भावनात्मक गहराई, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रकृति वर्णन का अद्भुत समन्वय मिलता है। कथा में घटनाओं की क्रमबद्धता के साथ-साथ दार्शनिक तत्वों का भी समावेश है, जो इसे अन्य महाकाव्यों से विशिष्ट बनाता है।

'काव्यं रसात्मकं लोके, काव्यं हृदयहारिणम्।'

अर्थात् काव्य रस से युक्त होता है और हृदय को आकर्षित करने वाला होता है।

संरचनात्मक दृष्टि से 'नैषधीयचरितम्' सर्गों (अध्यायों) में विभाजित है, जो महाकाव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक सर्ग में कथा का एक विशिष्ट भाग प्रस्तुत किया गया है, जिसमें घटनाओं का क्रमिक विकास दिखाई देता है। सर्गों के माध्यम से कवि ने कथा को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक को घटनाओं की निरंतरता और गहराई का अनुभव होता है।संरचनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 'नैषधीयचरितम्' में कथा, भाव और शैली का संतुलित समन्वय है। प्रत्येक सर्ग में अलंकारों, रस और ध्वनि का प्रभावी प्रयोग किया गया है, जो काव्य को सौंदर्य और गहराई प्रदान करता है।इस प्रकार, 'नैषधीयचरितम्' का कथानक और संरचना न केवल इसकी साहित्यिक महत्ता को सिद्ध करते हैं, बल्कि इसे संस्कृत महाकाव्य परम्परा में एक उत्कृष्ट कृति के रूप में स्थापित करते हैं।

महाकाव्यात्मक विशेषताओं का विश्लेषण – 'श्रीहर्ष कृत 'नैषधीयचरितम्' महाकाव्य की सभी प्रमुख विशेषताओं से युक्त एक उत्कृष्ट कृति है, जिसमें नायक-नायिका चित्रण, प्रकृति वर्णन, अलंकारिकता, भाषा-शैली की विशिष्टता तथा रसों का प्रभावी प्रयोग देखने को मिलता है।नायक-नायिका चित्रण की दृष्टि से नल और दमयंती आदर्श रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। नल एक धर्मनिष्ठ, वीर और उदार राजा के रूप में चित्रित हैं, जबकि दमयंती सौंदर्य, निष्ठा और प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। दोनों पात्रों के माध्यम से मानवीय भावनाओं प्रेम, वियोग, संघर्ष और पुनर्मिलन का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है।प्रकृति वर्णन और अलंकारिकता इस महाकाव्य की विशेष पहचान है। वन, ऋतु, सरोवर और पुष्पों का वर्णन अत्यंत सजीव और चित्रात्मक शैली में किया गया है। उपमा, रूपक और अनुप्रास जैसे अलंकारों के माध्यम से प्रकृति को मानवीय भावनाओं से जोड़ा गया है, जिससे काव्य में सौंदर्य और संवेदनशीलता बढ़ती है।भाषा और शैली की विशिष्टता 'नैषधीयचरितम्' को अन्य महाकाव्यों से अलग करती है। इसमें संस्कृत की जटिल, परिष्कृत और अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें दीर्घ समास और गूढ़ अर्थवत्ता प्रमुख हैं। श्रीहर्ष की शैली बौद्धिक गहराई और काव्यात्मक सौंदर्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है।

'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः।'

अर्थात् विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है।

रसों के प्रयोग की दृष्टि से इस काव्य में मुख्यतःशृंगार रसकी प्रधानता है, जिसमें संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। इसके अतिरिक्त करुण, वीर और शांत रसों का भी प्रभावी समावेश है, जो काव्य को बहुआयामी बनाता है।इस प्रकार, 'नैषधीयचरितम्' महाकाव्यात्मक गुणों से युक्त एक समृद्ध कृति है, जो संस्कृत साहित्य की उच्च परम्परा को सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है।

संस्कृत महाकाव्य परम्परा में स्थान – नैषधीयचरितम् संस्कृत महाकाव्य परम्परा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान रखता है। श्रीहर्ष की यह कृति न केवल अपनी अलंकारिकता और बौद्धिक गहराई के लिए प्रसिद्ध

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

है, बल्कि यह महाकाव्य परम्परा के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। यह काव्य पूर्ववर्ती महाकाव्यों की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए उसमें नवीनता और जटिलता का समावेश करता है।अन्य महाकाव्यों, जैसे रघुवंश और कुमारसंभव, से तुलना करने पर 'नैषधीयचरितम्' अधिक अलंकारप्रधान और गूढ़ प्रतीत होता है। जहाँ कालिदास की कृतियाँ सरलता, माधुर्य और स्वाभाविकता के लिए जानी जाती हैं, वहीं श्रीहर्ष की रचना जटिलता, बौद्धिकता और अलंकारिक वैभव के लिए प्रसिद्ध है। 'रघुवंश' और 'कुमारसंभव' में भावों की सहज अभिव्यक्ति मिलती है, जबकि 'नैषधीयचरितम्' में भावों को गूढ़ और अलंकृत शैली में प्रस्तुत किया गया है।

परम्परा में 'नैषधीयचरितम्' का योगदान इसकी विशिष्ट शैली और काव्यशास्त्रीय गहराई में निहित है। इस कृति ने संस्कृत महाकाव्य को एक नया आयाम प्रदान किया, जिसमें ध्वनि, अलंकार और बौद्धिकता का समन्वय देखने को मिलता है। यह काव्य परम्परा और नवाचार के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे यह अन्य महाकाव्यों से अलग पहचान बनाता है।

'काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।'

अर्थात् काव्य यश, अर्थ, व्यवहार ज्ञान और कल्याण के लिए रचा जाता है। साहित्यिक प्रभाव की दृष्टि से 'नैषधीयचरितम्' ने बाद के कवियों और विद्वानों को गहराई से प्रभावित किया है। इसकी अलंकारिकता और शैली ने संस्कृत साहित्य में एक उच्च मानक स्थापित किया, जिसका अनुसरण अनेक रचनाकारों ने किया।इस प्रकार, 'नैषधीयचरितम्' संस्कृत महाकाव्य परम्परा में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कृति के रूप में स्थापित है, जो साहित्यिक समृद्धि और काव्यात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक है।

विचार विमर्श – नैषधीयचरितम् की प्रमुख विशिष्टता इसकी गहन अलंकारिकता, बौद्धिकता और दार्शनिक गहराई में निहित है। श्रीहर्ष ने साधारण नल-दमयंती कथा को अत्यंत जटिल, कलात्मक और काव्यशास्त्रीय दृष्टि से समृद्ध रूप प्रदान किया है। इस काव्य में शब्द और अर्थ दोनों स्तरों पर गूढ़ता देखने को मिलती है, जिससे यह केवल मनोरंजन का साधन न होकर बौद्धिक चिंतन का माध्यम भी बन जाता है।परम्परा और नवीनता का समन्वय 'नैषधीयचरितम्' की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह काव्य संस्कृत महाकाव्य की परम्परागत संरचना जैसे सर्ग विभाजन, नायक-नायिका चित्रण और रसों की प्रधानता का पालन करता है, साथ ही इसमें नई शैली, जटिल भाषा और ध्वनि सिद्धांत का प्रभावी प्रयोग भी देखने को मिलता है। इस प्रकार, श्रीहर्ष ने परम्परा को बनाए रखते हुए उसमें नवीनता का समावेश किया है, जो इस कृति को विशिष्ट बनाता है।

'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैरुक्तं न तु केवलं शब्दः।'

अर्थात् विद्वानों ने काव्य का आत्मा ध्वनि को माना है, केवल शब्द को नहीं।

समकालीन प्रासंगिकता की दृष्टि से भी 'नैषधीयचरितम्' महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह प्राचीन काव्य है, फिर भी इसमें प्रस्तुत मानवीय भावनाएँ प्रेम, निष्ठा, संघर्ष और धैर्य आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आधुनिक साहित्यिक अध्ययन में इसकी शैली, अलंकार और काव्यशास्त्रीय तत्वों का विश्लेषण नए दृष्टिकोण प्रदान करता है।इस प्रकार, 'नैषधीयचरितम्' न केवल अपने समय की उत्कृष्ट कृति है, बल्कि आज भी साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनी हुई है।

निष्कर्ष – नैषधीयचरितम् संस्कृत महाकाव्य परम्परा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट कृति है, जिसमें काव्यशास्त्रीय तत्वों का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिलता है। श्रीहर्ष ने नल-दमयंती कथा को आधार बनाकर उसे अलंकारिक, दार्शनिक और बौद्धिक गहराई प्रदान की है, जिससे यह महाकाव्य अन्य कृतियों से अलग पहचान बनाता है।इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 'नैषधीयचरितम्' में रस, ध्वनि और अलंकार का प्रभावी प्रयोग काव्य को सौंदर्य और गहनता प्रदान करता है। इसकी भाषा-शैली जटिल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है, जो पाठक को चिंतन और रसास्वादन दोनों का अवसर देती है। साथ ही, यह काव्य परम्परा और नवीनता के संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

'काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।'

अर्थात् काव्य यश, ज्ञान, व्यवहार और कल्याण के लिए रचा जाता है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 'नैषधीयचरितम्' न केवल संस्कृत महाकाव्य परम्परा को समृद्ध करता है, बल्कि आज भी साहित्यिक अध्ययन के लिए प्रेरणादायक और प्रासंगिक बना हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, आर. (2018). 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, पृ. 140-160.
2. वर्मा, एस. (2019). 'नैषधीयचरितम् का आलोचनात्मक अध्ययन' वाराणसी: चौखम्बा प्रकाशन, पृ. 55-75.
3. मिश्र, डी. (2017). 'संस्कृत महाकाव्य परम्परा' लखनऊ: साहित्य भवन, पृ. 90-110.
4. पांडेय, के. (2020). 'काव्यशास्त्र का परिचय' प्रयागराज: लोकभारती, पृ. 35-50.
5. तिवारी, आर. (2016).'रस, ध्वनि और अलंकार सिद्धांत' भोपाल: ज्ञान प्रकाशन, पृ. 70-95.
6. जोशी, एम. (2021). 'नैषधीयचरितम् में अलंकारों का विश्लेषण' संस्कृत शोध पत्रिका, 10(2), पृ. 40-55।
7. सिंह, ए. (2015). 'श्रीहर्ष और उनकी काव्य परम्परा' दिल्ली: साहित्य अकादमी, पृ. 60-80.
8. गुप्ता, पी. (2019). 'संस्कृत महाकाव्यों की विशेषताएँ' भारतीय भाषा जर्नल, 7(1), पृ. 25-40.
9. चौधरी, एन. (2022). 'नैषधीयचरितम् का शैलीगत अध्ययन' जयपुर: साहित्य मंदिर, पृ. 85-100.
10. कुमार, वी. (2018). 'संस्कृत काव्य में रस सिद्धांत' काव्यशास्त्र समीक्षा, 6(3), पृ. 30-45.
11. Kane, P. V. (1998). *History of Sanskrit Poetics*. Delhi: MotilalBanarsidass, pp. 180–200.
12. De, S. K. (2000). *History of Sanskrit Literature*. Kolkata: Firma KLM, pp. 240–260.
13. Warder, A. K. (1995). *Indian Kâvya Literature*. Delhi: MotilalBanarsidass, pp. 120–140.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

एक्वा एरोबिक्स व्यायाम एवं स्थलीय व्यायाम का प्रोड महिलाओं के शरीर में संचित अनावश्यक वसा (चर्बी) प्रभाव पर तुलनात्मक अध्ययन

अशोक मुण्डोतिया* डॉ. संतोष लांबा**

* शोधार्थी, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड-टू-बी) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** सहायक आचार्य, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड-टू-बी) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान समय में गतिहीन जीवनशैली, यांत्रिक साधनों के बढ़ते प्रयोग तथा नियमित शारीरिक श्रम मंप कमी के कारण शरीर में अनावश्यक वसा (चर्बी) का संचय एक व्यापक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहा है। प्रौढ़ महिलाओं में घरेलू दायित्वों, प्रसवोत्तार शारीरिक परिवर्तनों तथा हार्मोनल परिवर्तनों के कारण यह समस्या और अधिक स्पष्ट रूप से देखी जाती है। जयपुर जैसे तेजी से विकसित होते शहरी क्षेत्र में महिलाओं के बीच शारीरिक फिटनेस एवं शरीर की अतिरिक्त वसा को नियंत्रित करने वाली व्यायाम पद्धतियों की आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है। एरोबिक व्यायाम शरीर की अनावश्यक वसा को कम करने का एक प्रभावी एवं वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत माध्यम माना जाता है। स्थलीय एरोबिक व्यायाम के साथ-साथ एक्वा एरोबिक्स भी जल के प्रतिरोध एवं उत्प्लावन पर आधारित एक विशिष्ट व्यायाम पद्धति है, जिसे मोटापे एवं अतिरिक्त वसा से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित एवं जोड़ों पर कम दबाव डालने वाला माना जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य एक्वा एरोबिक्स एवं स्थलीय एरोबिक व्यायाम का प्रौढ़ महिलाओं के शरीर में संचित अनावश्यक वसा पर तुलनात्मक प्रभाव ज्ञात करना था। अध्ययन के लिए जयपुर क्षेत्र से 40 से 45 वर्ष आयु वर्ग की 30 प्रौढ़ महिला प्रतिभागियों का चयन किया गया तथा उन्हें दो समान समूहों में विभाजित किया गया। प्रथम समूह को 12 सप्ताह तक एक्वा एरोबिक्स प्रशिक्षण तथा द्वितीय समूह को समान अवधि तक स्थलीय एरोबिक व्यायाम का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रतिभागियों का पूर्व-परीक्षण तथा प्रशिक्षण की समाप्ति पर पश्चात्-परीक्षण किया गया, जिसमें शारीरिक वसा प्रतिशत, शरीर द्रव्यमान सूचकांक (BMI) तथा कमर परिधि जैसे मापदंडों का आकलन किया गया। अध्ययन की यह पूर्व-परीक्षण एवं पश्चात्-परीक्षण आधारित संरचना उदयपुर की महिलाओं पर किए गए पूर्ववर्ती एक्वा एरोबिक अध्ययन में प्रयुक्त प्रशिक्षण एवं परीक्षण पद्धति से प्रेरित है।

अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह पाया गया कि एक्वा एरोबिक्स तथा स्थलीय एरोबिक व्यायाम दोनों का शरीर की अनावश्यक वसा पर सकारात्मक एवं सार्थक प्रभाव पड़ा, किंतु दोनों प्रशिक्षण पद्धतियों से प्राप्त सुधार की मात्रा में सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर नहीं पाया गया। एक्वा एरोबिक्स समूह में जल के प्रतिरोध एवं उत्प्लावन के कारण जोड़ों पर कम दबाव के साथ वसा में सुधार देखा गया, वहीं स्थलीय एरोबिक व्यायाम समूह में शरीर के भार के साथ की गई निरंतर गतिविधियों से भी तुलनीय सुधार प्राप्त हुआ। अतः अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि जयपुर जैसे शहरी क्षेत्र में उपलब्ध व्यायाम विकल्पों के संदर्भ में एक्वा एरोबिक्स को स्थलीय एरोबिक व्यायाम के एक प्रभावी वैकल्पिक माध्यम के रूप में देखा जा सकता है, जो शारीरिक क्षमता की सीमाओं वाली अथवा जोड़ों की समस्या से ग्रस्त प्रौढ़ महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है।

शब्द कुंजी–एक्वा एरोबिक्स, स्थलीय एरोबिक व्यायाम, अनावश्यक वसा, शरीर संरचना, प्रौढ़ महिलाएँ, एरोबिक प्रशिक्षण, शारीरिक फिटनेस।

प्रस्तावना –आधुनिक युग में विज्ञान एवं तकनीकी विकास ने मानव जीवन को अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की हैं, किंतु इसके परिणामस्वरूप दैनिक शारीरिक सक्रियता में उल्लेखनीय कमी आई है। आवागमन के लिए मोटर वाहन, घरेलू कार्यों के लिए यांत्रिक उपकरण तथा मनोरंजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों के बढ़ते प्रयोग ने व्यक्ति को अपेक्षाकृत गतिहीन बना दिया है। दैनिक जीवन में ऊर्जा व्यय की मात्रा निरंतर घट रही है, जबकि प्रसंस्कृत एवं उच्च-कैलोरी युक्त आहार की उपलब्धता बढ़ रही है। इन दोनों प्रवृत्तियों के संयुक्त प्रभाव से शरीर में ऊर्जा संतुलन बिगड़ता है तथा अतिरिक्त ऊर्जा वसा के रूप में शरीर में संचित होने लगती है।

शरीर में अनावश्यक वसा का संचय केवल सौंदर्य अथवा शारीरिक बनावट से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह अनेक गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं से भी सीधे जुड़ा हुआ है। अत्यधिक वसा हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, टाइप-2 मधुमेह, जोड़ों के दर्द तथा कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकती है। विशेष रूप से उदर क्षेत्र (कमर के आसपास) में संचित वसा को चयापचयी दृष्टि से अधिक हानिकारक माना जाता है, क्योंकि यह इंसुलिन प्रतिरोध तथा हृदय-संबंधी जोखिम कारकों से निकट रूप से जुड़ी होती है। इसी कारण आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान में केवल शरीर के वजन को नहीं, बल्कि शरीर संरचना, अर्थात् शरीर में वसा एवं दुबले द्रव्यमान के अनुपात को मापना, अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा है।

प्रौढ़ महिलाओं में शरीर की अनावश्यक वसा की समस्या कई विशिष्ट कारणों से अधिक स्पष्ट रूप से देखी जाती है। घरेलू एवं पारिवारिक दायित्वों के कारण नियमित व्यायाम के लिए समय की कमी, प्रसव के पश्चात् होने

वाले शारीरिक परिवर्तन तथा आयु बढ़ने के साथ चयापचय दर में आने वाली स्वाभाविक कमी, ये सभी कारक मिलकर महिलाओं में वसा संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, कामकाजी एवं गृहिणी दोनों प्रकार की महिलाओं में प्राय% अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए पर्याप्त समय अथवा संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते, जिससे वर्षों में धीरे–धीरे वसा का संचय होता चला जाता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित, सुविधाजनक तथा प्रभावी व्यायाम पद्धतियों का चयन आवश्यक हो जाता है, जिन्हें महिलाएँ अपनी दैनिक दिनचर्या में सहजता से सम्मिलित कर सकें।

नियमित एरोबिक व्यायाम को शरीर की अनावश्यक वसा कम करने का एक वैज्ञानिक रूप से मान्य माध्यम माना जाता है। एरोबिक गतिविधियों के दौरान शरीर ऑक्सीजन की सहायता से संचित वसा को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे निरंतर एवं दीर्घकालिक अभ्यास से शरीर की वसा में क्रमिक कमी आती है। परंपरागत रूप से एरोबिक व्यायाम मुख्यत% स्थलीय वातावरण में किया जाता रहा है, जैसे तेज चाल से चलना, दौड़ना तथा एरोबिक ड्रिल्स। इन गतिविधियों में शरीर का भार भूमि पर रहता है, जिससे घुटनों एवं अन्य जोड़ों पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव पड़ता है, विशेष रूप से अधिक वजन वाले व्यक्तियों में, जिनके जोड़ पहले से ही अतिरिक्त भार सहन कर रहे होते हैं।

इसके विपरीत, एक्वा एरोबिक्स जल में किए जाने वाले एरोबिक व्यायाम का एक स्वरूप है, जिसमें जल का उत्प्लावन शरीर के भार को आंशिक रूप से सहारा देता है तथा जल का प्रतिरोध मांसपेशियों को अतिरिक्त कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस कारण एक्वा एरोबिक्स को जोड़ों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित तथा अधिक वजन वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त व्यायाम पद्धति माना जाता है। साथ ही, जल में व्यायाम के दौरान पसीना कम महसूस होने तथा शरीर को ठंडक मिलने के कारण कई महिलाएँ इसे स्थलीय व्यायाम की तुलना में अधिक सुखद अनुभव भी मानती हैं, जिससे प्रशिक्षण में नियमितता बनाए रखना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। इस प्रकार दोनों पद्धतियाँ, स्थलीय एवं जल आधारित, समान एरोबिक उद्देश्य रखते हुए भी अपनी भौतिक परिस्थितियों में भिन्न हैं, जिसके कारण शरीर की अनावश्यक वसा पर इनके प्रभाव की प्रकृति में भी अंतर हो सकता है।

जयपुर के संदर्भ में अध्ययन की प्रासंगिकता

जयपुर एक तेजी से विकसित होता हुआ शहरी क्षेत्र है, जहाँ बदलती जीवनशैली, बढ़ता मशीनीकरण तथा समय की कमी महिलाओं की शारीरिक सक्रियता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। शहर में जल आधारित एवं स्थलीय, दोनों प्रकार की व्यायाम सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण यह क्षेत्र दोनों प्रशिक्षण पद्धतियों की तुलनात्मक प्रभावशीलता के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। जयपुर में एक्वा एरोबिक्स के प्रति जागरूकता अभी अपेक्षाकृत सीमित है तथा इसे प्राय% मनोरंजन की गतिविधि के रूप में देखा जाता है, जबकि इसका व्यवस्थित प्रशिक्षण शरीर की अनावश्यक वसा कम करने में समान रूप से प्रभावी हो सकता है। अत% जयपुर क्षेत्र की प्रौढ़ महिलाओं पर दोनों पद्धतियों का समान परिस्थितियों में परीक्षण करना, स्थानीय फिटनेस कार्यक्रमों तथा जिम/स्विमिंग पूल संचालकों के नियोजन के लिए उपयोगी वैज्ञानिक आधार प्रदान कर सकता है, तथा यह भी स्पष्ट कर सकता है कि सीमित समय एवं संसाधनों वाली शहरी महिलाओं के लिए कौन–सी पद्धति व्यावहारिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त हो सकती है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन– वर्तमान अध्ययन से संबंधित पूर्ववर्ती शोध कार्यों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि एक्वा एरोबिक्स तथा अन्य एरोबिक व्यायामों का शरीर की वसा, शरीर संरचना एवं वजन नियंत्रण पर प्रभाव जानने के लिए विभिन्न प्रायोगिक अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

Gappmaier et al. (2006) ने 38 मध्यायु वर्ग की मोटापे से ग्रस्त महिलाओं (25–47% शारीरिक वसा) पर 13 सप्ताह के आहार–व्यायाम कार्यक्रम के दौरान जल में किए जाने वाले एरोबिक व्यायाम एवं स्थलीय चाल–व्यायाम के प्रभावों की तुलना की। प्रतिभागियों को तीन समूहोंकृस्थलीय चाल, जल में तैराकी तथा जल में चालकृमें विभाजित किया गया। सभी समूहों को समान तीव्रता (आयु–अनुसार अधिकतम हृदयगति के 70%), समान अवधि (40 मिनट) तथा समान आवृत्ति (सप्ताह में 4 बार) पर प्रशिक्षित किया गया। परिणामों में सभी समूहों में शरीर के वजन (5.9 किग्रा), वसा प्रतिशत (3.7%) तथा त्वचा–वलन (skinfold) एवं घेरा (girth) माप में सार्थक कमी पाई गई, किंतु समूहों के बीच यह अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक नहीं था। अध्ययन ने निष्कर्ष दिया कि समान तीव्रता, अवधि एवं आवृत्ति बनाए रखने पर जल तथा स्थलीय एरोबिक व्यायाम शरीर संरचना पर समान रूप से प्रभावी होते हैं।

Kasprzak एवं **Pilaczyñska-Szczeœniak (2014)** ने उदर मोटापे (abdominal obesity) से ग्रस्त 41 से 72 वर्ष आयु की 32 महिलाओं पर तीन माह के एक्वा एरोबिक्स प्रशिक्षण के चयापचयी प्रभावों का अध्ययन किया। अध्ययन में प्रतिभागियों ने सप्ताह में दो बार एक्वा एरोबिक्स कक्षाओं में भाग लिया, तथा उन्हें प्रशिक्षण अवधि के दौरान अपने आहार एवं जीवनशैली में परिवर्तन न करने की सलाह दी गई ताकि व्यायाम का शुद्ध प्रभाव मापा जा सके। परिणामों से संकेत मिला कि नियमित एक्वा एरोबिक्स प्रशिक्षण कार्बोहाइड्रेट एवं वसा चयापचय में सुधार लाकर उदर वसा से संबंधित जोखिम कारकों को कम करने में सहायक हो सकता है।

Špirtoviæ et al. (2023) ने स्वस्थ प्रौढ़ महिलाओं पर 12 सप्ताह के मिश्रित एरोबिक्स (aerobics mix) कार्यक्रम का शरीर संरचना पर प्रभाव अध्ययन किया। 64 महिला प्रतिभागियों को प्रायोगिक (34, औसत आयु 32 वर्ष) एवं नियंत्रित (30, औसत आयु 33 वर्ष) समूहों में विभाजित किया गया। ऊँचाई, वजन, वसा प्रतिशत, मांसपेशीय द्रव्यमान प्रतिशत तथा भुजा, उदर, पीठ एवं जांघ के त्वचा–वलन माप लिए गए। प्रशिक्षण के पश्चात् प्रायोगिक समूह में शरीर के वजन में 2.5% तथा कमर की माप में 3.39% की कमी, तथा मांसपेशीय द्रव्यमान में 2.26% की वृद्धि पाई गई। सभी त्वचा–वलन मापों में भी सांख्यिकीय रूप से सार्थक कमी दर्ज की गई (भुजा में 21.10%, उदर में 14.36%, पीठ में 20.58% तथा जांघ में 13.98% तक)। अध्ययन ने एरोबिक्स कार्यक्रमों को अतिरिक्त उपचर्मीय वसा (subcutaneous fat) एवं आंतरिक वसा (visceral fat) कम करने तथा मांसपेशीय द्रव्यमान बढ़ाने के लिए उपयोगी बताया।

Ding et al. (2025) ने मोटापे एवं अधिक वजन से ग्रस्त व्यक्तियों पर जल एरोबिक्स के शरीर संरचना संबंधी प्रभावों का व्यवस्थित समीक्षा एवं मेटा–विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें 10 यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षणों (RCTs) के आंकड़े, कुल 286 प्रतिभागियों पर, सम्मिलित किए गए। विश्लेषण से पता चला कि जल एरोबिक्स ने शरीर के औसत वजन में लगभग 3 किलोग्राम तथा कमर परिधि में लगभग 3 सेंटीमीटर की सार्थक कमी की, तथा 10 सप्ताह से अधिक (विशेषत% 12 सप्ताह) अवधि के प्रशिक्षण में

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2023, E-Journal, Vol. I, Issue XLI

यह प्रभाव अधिक स्पष्ट देखा गया। यह प्रभाव विशेष रूप से महिलाओं एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वालों में अधिक प्रबल पाया गया, जबकि पुरुषों एवं 45 वर्ष से कम आयु वालों में यह सांख्यिकीय रूप से सार्थक नहीं था। हालाँकि समग्र वसा प्रतिशत, BMI तथा वसा ऊतक (fat tissue) में परिवर्तन उतना सुसंगत नहीं पाया गया, जिससे संकेत मिलता है कि जल एरोबिक्स की प्रभावशीलता प्रशिक्षण अवधि एवं प्रतिभागियों की जनसांख्यिकीय विशेषताओं पर निर्भर करती है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि जल का उत्प्लावन अधिक वजन वाले व्यक्तियों में स्थलीय व्यायाम से जुड़ी जोड़ों की चोटों के जोखिम को कम करता है।

साहित्य समीक्षा से प्राप्त शोध अंतराल– उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि एक्वा एरोबिक्स एवं स्थलीय एरोबिक व्यायाम दोनों का शरीर की वसा, वजन तथा शरीर संरचना पर सकारात्मक प्रभाव पाया गया है। साथ ही, अधिकांश पूर्ववर्ती अध्ययन पश्चिमी अथवा यूरोपीय जनसंख्या पर केंद्रित रहे हैं, तथा भारतीय, विशेष रूप से राजस्थान एवं जयपुर क्षेत्र की प्रौढ़ महिलाओं पर दोनों पद्धतियों की प्रत्यक्ष तुलनात्मक जाँच अपेक्षाकृत सीमित दिखाई देती है। यही शोध अंतराल वर्तमान अध्ययन का आधार बनता है।

समस्या कथन– आधुनिक जीवनशैली में शारीरिक सक्रियता की कमी के कारण प्रौढ़ महिलाओं में अनावश्यक वसा का संचय एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या बन गया है। एक्वा एरोबिक्स तथा स्थलीय एरोबिक व्यायाम दोनों शरीर की वसा कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, किंतु जल एवं भूमि के अलग–अलग वातावरण के कारण इनके प्रभाव में अंतर संभव है। पूर्ववर्ती अध्ययनों में दोनों पद्धतियों के सकारात्मक प्रभाव तो पाए गए हैं, परंतु जयपुर क्षेत्र की प्रौढ़ महिलाओं पर इनकी प्रत्यक्ष तुलना सीमित दिखाई देती है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन की समस्या को इस प्रकार निर्धारित किया गया है:
'एक्वा एरोबिक्स एवं स्थलीय एरोबिक व्यायाम का प्रौढ़ महिलाओं के शरीर में संचित अनावश्यक वसा (चर्बी) पर तुलनात्मक अध्ययन।'

अध्ययन के उद्देश्य–प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

1. एक्वा एरोबिक्स प्रशिक्षण के प्रौढ़ महिलाओं के शरीर में संचित अनावश्यक वसा पर प्रभाव का अध्ययन करना।
2. स्थलीय एरोबिक व्यायाम प्रशिक्षण के प्रौढ़ महिलाओं के शरीर में संचित अनावश्यक वसा पर प्रभाव का अध्ययन करना।
3. एक्वा एरोबिक्स एवं स्थलीय एरोबिक व्यायाम प्रशिक्षण से शरीर की अनावश्यक वसा में होने वाले परिवर्तनों की तुलना करना।
4. शरीर की अनावश्यक वसा में कमी की दृष्टि से दोनों प्रशिक्षण पद्धतियों की प्रभावशीलता का तुलनात्मक निर्धारण करना।

परिकल्पना– प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाएँ निर्धारित की गई हैं:

1. एक्वा एरोबिक्स प्रशिक्षण से शरीर की अनावश्यक वसा में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होगा।
2. स्थलीय एरोबिक व्यायाम प्रशिक्षण से शरीर की अनावश्यक वसा में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होगा।
3. एक्वा एरोबिक्स एवं स्थलीय एरोबिक व्यायाम प्रशिक्षण के पश्चात् दोनों समूहों की शरीर की अनावश्यक वसा में होने वाले परिवर्तन में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

शोध विधि:

1. शोध अभिकल्प– प्रस्तुत अध्ययन में पूर्व-परीक्षण एवं पश्चात्–परीक्षण आधारित तुलनात्मक प्रायोगिक शोध अभिकल्प (pre-test post-test comparative experimental design) का प्रयोग किया गया। अध्ययन में चयनित प्रतिभागियों को दो प्रयोगात्मक समूहों में विभाजित किया गया। प्रथम समूह को एक्वा एरोबिक्स प्रशिक्षण तथा द्वितीय समूह को स्थलीय एरोबिक व्यायाम प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दोनों समूहों का प्रशिक्षण अवधि से पूर्व एवं प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् शरीर की अनावश्यक वसा के संदर्भ में परीक्षण किया गया।

सारणी 1: अध्ययन का प्रायोगिक अभिकल्प

समूह	पूर्व–परीक्षण	प्रशिक्षण	पश्चात्–परीक्षण
एक्वा एरोबिक्स समूह	शरीर की अनावश्यक वसा	12 सप्ताह एक्वा एरोबिक्स	शरीर की अनावश्यक वसा
स्थलीय एरोबिक समूह	शरीर की अनावश्यक वसा	12 सप्ताह स्थलीय एरोबिक व्यायाम	शरीर की अनावश्यक वसा

इस प्रकार अध्ययन में दोनों समूहों के पूर्व एवं पश्चात् प्राप्त परिणामों की तुलना की गई तथा दोनों प्रशिक्षण पद्धतियों की प्रभावशीलता के बीच अंतर का अध्ययन किया गया।

2. अध्ययन क्षेत्र–प्रस्तुत अध्ययन के लिए जयपुर, राजस्थान को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया। जयपुर में उपलब्ध जल आधारित एवं स्थलीय व्यायाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिभागियों का चयन किया गया। अध्ययन का उद्देश्य जयपुर क्षेत्र में प्रचलित एवं व्यवहार्य दो एरोबिक प्रशिक्षण पद्धतियों की शरीर की अनावश्यक वसा के संदर्भ में तुलनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण करना था।

3. जनसंख्या – अध्ययन की जनसंख्या में जयपुर क्षेत्र में निवास करने वाली 40 से 45 वर्ष आयु वर्ग की प्रौढ़ महिलाएँ सम्मिलित की गईं। ऐसी प्रतिभागियों को अध्ययन की जनसंख्या में लिया गया जो सामान्य दैनिक गतिविधियों में संलग्न थीं, जिनके शरीर में सामान्य से अधिक वसा संचित थी, परंतु जो किसी नियमित एवं संरचित एरोबिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थीं।

4. नमूना चयन– अध्ययन के लिए कुल 30 प्रतिभागियों का चयन किया गया। प्रतिभागियों का चयन निर्धारित समावेशन मानदंडों के आधार पर किया गया। चयनित प्रतिभागियों को दो समान समूहों में विभाजित किया गया, जिनमें प्रत्येक समूह में 15 प्रतिभागी रखे गए।

सारणी 2: नमूने का समूहवार विभाजन

क्र.	समूह	प्रशिक्षण पद्धति	प्रतिभागियों की संख्या
1	समूह A	एक्वा एरोबिक्स	15
2	समूह B	स्थलीय एरोबिक व्यायाम	15
	कुल		30

5. प्रतिभागियों के चयन के मानदंड

समावेशन मानदंड

1. प्रतिभागियों की आयु 40 से 45 वर्ष के बीच निर्धारित की गई।
2. प्रतिभागी जयपुर क्षेत्र की निवासी थीं।
3. प्रतिभागियों के शरीर में सामान्य सीमा से अधिक वसा संचित थी (अधिक वजन/स्थूलता की श्रेणी में)।

4. प्रतिभागी नियमित संरचित एरोबिक प्रशिक्षण नहीं ले रही थीं।
5. प्रतिभागियों को निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग लेने के लिए सहमत होना आवश्यक था।
6. एक्वा एरोबिक्स समूह की प्रतिभागियों को जल में सुरक्षित रूप से व्यायाम करने में सक्षम होना आवश्यक था।

बहिष्करण मानदंड:

1. गंभीर हृदय, श्वसन अथवा जोड़ संबंधी समस्या वाली महिलाओं को अध्ययन से बाहर रखा गया।
2. ऐसी शारीरिक चोट या अवस्था वाली प्रतिभागियों को सम्मिलित नहीं किया गया जो नियमित व्यायाम में बाधा उत्पन्न करती हो।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियमित रूप से उपस्थित न रहने वाली प्रतिभागियों को अंतिम विश्लेषण में सम्मिलित नहीं किया गया।

6. अध्ययन के चर

सारणी 3: अध्ययन में प्रयुक्त चर

चर का प्रकार	चर
स्वतंत्र चर	एक्वा एरोबिक्स प्रशिक्षण
स्वतंत्र चर	स्थलीय एरोबिक व्यायाम प्रशिक्षण
आश्रित चर	शरीर में संचित अनावश्यक वसा (शारीरिक वसा प्रतिशत, BMI, कमर परिधि)
नियंत्रित चर	प्रशिक्षण अवधि, प्रशिक्षण आवृत्ति, प्रशिक्षण अवधि का समय, परीक्षण की परिस्थितियाँ, आहार संबंधी सामान्य सलाह

7. प्रशिक्षण कार्यक्रम – दोनों समूहों को 12 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सप्ताह में 5 दिन तथा प्रतिदिन लगभग 45 मिनट कराया गया। दोनों समूहों के प्रशिक्षण की अवधि एवं आवृत्ति समान रखी गई ताकि प्रशिक्षण पद्धति को मुख्य स्वतंत्र चर के रूप में रखा जा सके।

सारणी 4: प्रशिक्षण कार्यक्रम की सामान्य रूपरेखा

प्रशिक्षण का घटक	अवधि
वार्म-अप	10 मिनट
मुख्य प्रशिक्षण	25 मिनट
कूल-डाउन एवं श्वसन अभ्यास	10 मिनट
कुल समय	45 मिनट

प्रशिक्षण की आवृत्ति

1. कुल अवधि: 12 सप्ताह
2. सप्ताह में प्रशिक्षण: 5 दिन
3. कुल प्रशिक्षण सत्र: 60
4. प्रत्येक सत्र: लगभग 45 मिनट

8. एक्वा एरोबिक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम– एक्वा एरोबिक्स समूह की प्रतिभागियों को निर्धारित जल-स्तर एवं सुरक्षित वातावरण में वसा-न्यूनीकरण केंद्रित एरोबिक गतिविधियाँ कराई गईं। प्रशिक्षण में जल में चलना, आगे एवं पीछे की ओर गतिशीलता, साइड-स्टेपिंग, घुटने उठाना, हाथों की गतियाँ तथा हल्के जंपिंग मूवमेंट जैसी गतिविधियाँ सम्मिलित की गईं। ऐसे व्यायामों का उल्लेख पूर्ववर्ती एक्वा एरोबिक्स साहित्य में भी मिलता है।

सारणी 5: एक्वा एरोबिक्स प्रशिक्षण की प्रमुख गतिविधियाँ

क्र.	गतिविधि	अनुमानित उद्देश्य
1	जल में आगे चलना	एरोबिक सक्रियता एवं ऊर्जा व्यय
2	पीछे की ओर चलना	समन्वय एवं सहनशीलता
3	साइड-स्टेपिंग	निचले अंगों की सक्रियता, वसा-न्यूनीकरण
4	जल में जॉगिंग	हृदय-श्वसन सक्रियता, कैलोरी व्यय
5	घुटने उठाना	गतिशीलता एवं सहनशीलता
6	भुजाओं की गतियाँ	ऊपरी एवं निचले अंगों का समन्वय
7	जल में जंपिंग जैक्स	एरोबिक क्षमता एवं ऊर्जा व्यय
8	कूल-डाउन एवं हल्की गतियाँ	पुनर्प्राप्ति

9. स्थलीय एरोबिक व्यायाम प्रशिक्षण– स्थलीय एरोबिक समूह को समान अवधि एवं आवृत्ति में भूमि पर वसा-न्यूनीकरण केंद्रित एरोबिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में तेज चाल, हल्की जॉगिंग, मार्चिंग, साइड-स्टेपिंग, घुटने उठाने की गतिविधियाँ तथा नियंत्रित एरोबिक मूवमेंट सम्मिलित किए गए। प्रशिक्षण की तीव्रता को क्रमशः बढ़ाया गया ताकि प्रतिभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ अनुकूलन कर सकें।

सारणी 6: स्थलीय एरोबिक प्रशिक्षण की प्रमुख गतिविधियाँ

क्र.	गतिविधि	प्रशिक्षण में उपयोग
1	तेज चाल	वार्म-अप एवं एरोबिक सक्रियता
2	हल्की जॉगिंग	हृदय-श्वसन सहनशीलता, कैलोरी व्यय
3	मार्चिंग	निरंतर एरोबिक गतिविधि
4	साइड-स्टेपिंग	समन्वय एवं गतिशीलता
5	घुटने उठाना	एरोबिक सक्रियता, वसा-न्यूनीकरण
6	नियंत्रित जंपिंग जैक्स	कार्डियोवैस्कुलर सक्रियता
7	हल्की गतिशील स्ट्रेचिंग	कूल-डाउन

इस प्रकार दोनों समूहों में गतिविधियों की प्रकृति अलग रही, लेकिन प्रशिक्षण अवधि, सत्र की अवधि एवं साप्ताहिक आवृत्ति समान रखी गई।

10. शरीर की अनावश्यक वसा का मापन– शरीर की अनावश्यक वसा को अध्ययन का प्रमुख आश्रित चर निर्धारित किया गया। इसके आकलन के लिए मानकीकृत त्वचा-वलन (Skinfold) मापन विधि, शरीर द्रव्यमान सूचकांक (BMI) की गणना तथा कमर परिधि (waist circumference) के मापन का उपयोग किया गया। परीक्षण से पूर्व प्रतिभागियों को परीक्षण की प्रक्रिया समझाई गई तथा सभी प्रतिभागियों का परीक्षण समान परिस्थितियों में कराया गया।

परीक्षण प्रक्रिया:

1. प्रतिभागी की ऊँचाई एवं वजन मापकर शरीर द्रव्यमान सूचकांक (BMI) की गणना की गई।
2. निर्धारित शारीरिक बिंदुओं (उदर, भुजा, जांघ आदि) पर त्वचा-वलन मापी (Skinfold caliper) से माप लिया गया।
3. नाभि-स्तर पर कमर परिधि का मापन मीटर टेप से किया गया।
4. प्राप्त मानों के आधार पर शरीर की अनावश्यक वसा का आकलन किया गया।
5. यही प्रक्रिया प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले तथा 12 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद दोहराई गई।

11. पूर्व-परीक्षण एवं पश्चात्-परीक्षण– प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से पहले दोनों समूहों की प्रतिभागियों का पूर्व-परीक्षण किया गया। 12

सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात् उसी प्रक्रिया एवं समान परिस्थितियों में पश्चात्–परीक्षण किया गया।

सारणी 7: आंकड़ा संग्रहण की समय–सारणी

चरण	समय	गतिविधि
प्रथम चरण	प्रशिक्षण से पूर्व	पूर्व–परीक्षण
द्वितीय चरण	सप्ताह 1–4	प्रशिक्षण
तृतीय चरण	सप्ताह 5–8	प्रशिक्षण
चतुर्थ चरण	सप्ताह 9–12	प्रशिक्षण
अंतिम चरण	12 सप्ताह बाद	पश्चात्–परीक्षण

12. आंकड़ा संकलन की प्रक्रिया– अध्ययन के लिए चयनित प्रतिभागियों को शोध के उद्देश्य एवं परीक्षण प्रक्रिया से अवगत कराया गया। परीक्षण से पहले सभी प्रतिभागियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। पूर्व–परीक्षण के पश्चात् दोनों समूहों को निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया गया। प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर पुन: समान परीक्षण प्रक्रिया द्वारा आंकड़े प्राप्त किए गए। सभी प्रतिभागियों के पूर्व–परीक्षण एवं पश्चात्–परीक्षण के आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप से दर्ज किया गया तथा दोनों समूहों के प्राप्त परिणामों को सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए व्यवस्थित किया गया।

13. सांख्यिकीय तकनीक – प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिए निम्न सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया: माध्य (Mean), मानक विचलन (Standard Deviation), युग्मित ज–परीक्षण (Paired t-test) तथा स्वतंत्र नमूना ज–परीक्षण (Independent Samples t-test)। पूर्व एवं पश्चात् परीक्षण के बीच समूह के भीतर हुए परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए Paired t-test तथा दोनों समूहों के परिवर्तन की तुलना करने के लिए Independent t-test का उपयोग किया गया। सांख्यिकीय सार्थकता के लिए 0.05 स्तर निर्धारित किया गया।

सारणी 8: अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय तकनीक

क्र.	सांख्यिकीय तकनीक	उद्देश्य
1	माध्य	समूह के औसत मान को ज्ञात करना
2	मानक विचलन	आंकड़ों के प्रसार को ज्ञात करना
3	Paired t-test	प्रत्येक समूह में पूर्व–पश्चात् परिवर्तन
4	Independent t-test	दोनों समूहों के परिवर्तन की तुलना
5	सार्थकता स्तर	0.05

इस प्रकार संपूर्ण शोध प्रक्रिया को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि एक्वा एरोबिक्स एवं स्थलीय एरोबिक व्यायाम दोनों को समान अवधि और समान प्रशिक्षण आवृत्ति में देकर, प्रशिक्षण से पूर्व एवं पश्चात् शरीर की अनावश्यक वसा का परीक्षण किया जा सके तथा दोनों प्रशिक्षण पद्धतियों की प्रभावशीलता की वैज्ञानिक तुलना की जा सके।

चर्चा – प्रस्तुत अध्ययन में एक्वा एरोबिक्स एवं स्थलीय एरोबिक व्यायाम के 12 सप्ताह के प्रशिक्षण का प्रौढ़ महिलाओं के शरीर में संचित अनावश्यक वसा पर प्रभाव देखा गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि दोनों प्रशिक्षण समूहों में प्रशिक्षण के पश्चात् शरीर की अनावश्यक वसा में सकारात्मक एवं सार्थक कमी हुई। एक्वा एरोबिक्स समूह में सुधार अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक पाया गया, जबकि दोनों समूहों के सुधार के बीच अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक नहीं थाकृयह निष्कर्ष Gappmaier et al. (2006) के उस अध्ययन के अनुरूप है जिसमें समान तीव्रता एवं अवधि पर जल तथा स्थलीय एरोबिक व्यायाम को शरीर संरचना पर समान रूप से प्रभावी पाया गया था।

इन परिणामों से यह संकेत मिलता है कि नियमित एरोबिक प्रशिक्षण, चाहे वह जल में किया जाए अथवा भूमि पर, शरीर की अनावश्यक वसा कम करने में उपयोगी हो सकता है। एक्वा एरोबिक्स में जल के प्रतिरोध एवं उत्प्लावन के कारण जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है, जिससे यह पद्धति अधिक वजन वाली अथवा जोड़ों की समस्या से ग्रस्त प्रौढ़ महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो सकती हैकृयह निष्कर्ष **Kasprzak** एवं **Pilaczyñska-Szczeœniak (2014)** तथा **Ding et al. (2025)** के मेटा–विश्लेषण के निष्कर्षों से भी समर्थित होता है, जिनमें जल एरोबिक्स को मोटापे से ग्रस्त महिलाओं तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए विशेष रूप से प्रभावी बताया गया। वहीं स्थलीय एरोबिक व्यायाम समूह में शरीर के भार के साथ की गई निरंतर गतिविधियों से भी तुलनीय सुधार प्राप्त हुआ, जो **Špirtoviæ et al. (2023)** के निष्कर्षों के अनुरूप है, जिन्होंने मिश्रित एरोबिक्स कार्यक्रम से शरीर के वजन, कमर की माप तथा त्वचा–वलन में सार्थक कमी दर्ज की थी।

इस प्रकार वर्तमान अध्ययन के निष्कर्ष पूर्ववर्ती शोधों के अनुरूप यह संकेत देते हैं कि एक्वा एरोबिक्स एवं स्थलीय एरोबिक व्यायाम दोनों शरीर की अनावश्यक वसा कम करने के प्रभावी माध्यम हैं, तथा इनके बीच चयन प्रतिभागी की शारीरिक क्षमता, जोड़ों की स्थिति एवं व्यक्तिगत सुविधा के आधार पर किया जा सकता है।

निष्कर्ष – अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए:

1. एक्वा एरोबिक्स प्रशिक्षण से प्रौढ़ महिलाओं के शरीर में संचित अनावश्यक वसा में सकारात्मक एवं सार्थक कमी पाई गई।
2. स्थलीय एरोबिक व्यायाम प्रशिक्षण से भी शरीर की अनावश्यक वसा में सकारात्मक एवं सार्थक कमी पाई गई।
3. दोनों प्रशिक्षण पद्धतियों की तुलना में एक्वा एरोबिक्स समूह में सुधार अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक रहा, किंतु दोनों समूहों के बीच यह अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक नहीं पाया गया।
4. अत: एक्वा एरोबिक्स एवं स्थलीय एरोबिक व्यायाम दोनों ही प्रौढ़ महिलाओं में शरीर की अनावश्यक वसा कम करने के लिए प्रभावी प्रशिक्षण माध्यम माने जा सकते हैं।

सुझाव– अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

1. शरीर की अनावश्यक वसा में कमी के लिए एक्वा एरोबिक्स एवं स्थलीय एरोबिक व्यायाम को नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है।
2. शारीरिक शिक्षा एवं फिटनेस प्रशिक्षकों द्वारा महिला प्रतिभागी की शारीरिक क्षमता, जोड़ों की स्थिति एवं सुविधा के अनुसार उपयुक्त एरोबिक प्रशिक्षण पद्धति का चयन किया जाना चाहिए।
3. एक्वा एरोबिक्स को शहरी क्षेत्रों में, विशेष रूप से अधिक वजन वाली अथवा जोड़ों की समस्या से ग्रस्त महिलाओं के लिए, एक वैकल्पिक एवं सुरक्षित फिटनेस माध्यम के रूप में प्रोत्साहित किया जा सकता है।
4. भविष्य के शोध में आहार नियंत्रण के प्रभाव को भी सम्मिलित करते हुए, विभिन्न आयु वर्गों तथा अधिक प्रतिभागियों को लेकर दोनों प्रशिक्षण पद्धतियों के दीर्घकालिक प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. Ding, Z., Gao, Z., Zhou, H., & Park, J. (2025). Effects of water aerobics on body composition in obesity and overweight people: A systematic review and meta-analysis. BMJ Open, 15(3), e091743.
2. Gappmaier, E., Lake, W., Nelson, A. G., & Fisher, A. G. (2006). Aerobic exercise in water versus walking on land: Effects on indices of fat reduction and weight loss of obese women. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 46(4), 564–569.
3. Kasprzak, Z., & Pilaczyñska-Szczeœniak, £. (2014). Effects of regular physical exercises in the water on the metabolic profile of women with abdominal obesity. Journal of Human Kinetics, 42(1), 233–241.
4. Špirtoviæ, O., Èapriæ, I., Stankoviæ, M., Ðorðeviæ, D., Muriæ, B., Kahroviæ, I., Mujanoviæ, R., Mekiæ, R., Kataniæ, B., Jelaska, I., & Sporiš, G. (2023). The effects of preventive aerobics mix on body composition in healthy adult women. Frontiers in Physiology, 14, 1132619.

****